

मान्य नहीं हो तब तो उक्त विशेषण से -निर्वीह नहीं होगा क्योंकि भ्रान्ति आदि अन्य अलङ्कारों से सर्वाङ्गीतास्थल में अतिव्याप्ति रह ही जायगी । यदि उल्लेख के सर्वाङ्गीभेद भी आपके अभिमत हों तब उक्त विशेषण की आवश्यकता ही क्या है ? अपहृतिसर्वाङ्गी उल्लेख मानने में भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए । इसके बाद त्वरूपोल्लेख, फलोल्लेख आदि भेदों को मानकर उन भेदों के उदाहरण दिए गए हैं और एक भिन्न प्रकार के उल्लेख का लक्षण आदि प्रस्तुत किया गया है । अनन्तर द्विविध उल्लेखों में भेदक तर्कों का स्पष्टीकरण करते हुए कहा गया है कि एक प्रकार में ज्ञानाश चमत्कारी रहता है और द्वितीय प्रकार में केवल प्रकाराश । इसके बाद एकरूपेण दोनों लक्षणों का अनुगम करने का प्रयास किया गया है । अन्त में उल्लेखध्वनियाँ उदाहृत हुई हैं ।

## ( १२ ) अपहृति

सर्वप्रथम लक्षण किया गया है । तदुत्तर रूपक से इसमें भेद दिखलाते हुए कहा गया है कि अपहृति में उपमेयतावच्छेदक का निषेध किया जाता है जिससे उपमेयतावच्छेदक तथा उपमानतावच्छेदक ( उपमेय उपमान में रहने वाले खास-खास धर्मों ) का विरोध अभिव्यक्त होता है और रूपक में वह विरोध निवृत्त हो जाता है, क्योंकि वहाँ उपमेयतावच्छेदक तथा उपमानतावच्छेदक का सामानाधिकरण्य रहता है । इसके बाद अपहृति के सावयव-निरवयव आदि भेद उदाहरण द्वारा दिखलाये गए हैं । हेत्वपहृति भी उन्हीं उदाहरणों में कहीं गयी है । इसके अनन्तर यह स्पष्टीकरण किया गया है कि अपहृति में कहीं वाक्यभेद होता है और कहीं वाक्यैक्य । जहाँ नञ् आदि द्वारा साक्षात् अथवा परमतसिद्धता की चर्चा करके—अर्थात् दूसरे ऐसा कहते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता, इस तरह से—उपमेय का निषेध होता है वहाँ वाक्यभेद ही जाता है, पर जहाँ भिष, छल आदि पदों द्वारा उपमेय का निषेध किया जाता है वहाँ वाक्य-भेद नहीं होता । इसके बाद इस बात की चर्चा की गई है कि अपहृति में कहीं पहले निषेध होता है बाद में आरोप, कहीं पहले आरोप ही कर लिया जाता है फिर निषेध, कहीं निषेध और आरोप दोनों शब्दतः कथित होते हैं, कहीं इन दोनों में से कोई एक ही शब्दतः उक्त होता है और कहीं दोनों के दोनों अनुक्त रहकर भी अर्थतः ज्ञात होते हैं । कहीं अपहृति विधेय होती है और कहीं अनुवाद्य । इस तरह अनेक प्रकार अपहृति के हो सकते हैं, पर इनमें सभी प्रकारों को अलङ्कार-कोटि में नहीं गिना जा सकता, क्योंकि सर्वत्र वैचित्र्य नहीं उपलब्ध होता और वैचित्र्य ही अलङ्कार है । अन्ततः सिद्ध यह हुआ कि जहाँ-जहाँ वैचित्र्य प्रतीत हो वहाँ वहाँ अलङ्कारता मान्य होगी, अन्यत्र नहीं ।

अपहृति निरूपण में कुवलयानन्दकार दीक्षित के मत को बहुत विशद रूप में उद्धृत किया गया है और खण्डन भी उतने ही विस्तृत रूप में किया गया है, जिसका सारांश यह है कि दीक्षित के मत से अपहृति का एक पर्यस्तापहृति नाम का भी भेद होता है, जिसका उदाहरण 'नाय सुधांशुः किं तर्हि सुधाशुः प्रेयसीमुखम्' यह वाक्य है, पर पण्डितराज के विचार से यह भेद अपहृति का नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ अपहृतिसामान्यलक्षणा ही स्पष्ट नहीं होता अतः उक्त वाक्य को इडारोप रूपक का ही उदाहरण मानना चाहिये । अपहृतिध्वनि के दीक्षितोक्त उदाहरण का भी खण्डन किया गया है ।

## ( १३ ) उत्प्रेक्षा

प्रस्तुत निबन्ध में उत्प्रेक्षा-निरूपण भी अति विस्तृतरूप से किया गया है। प्रायः सभी आलङ्कारिक उत्प्रेक्षालङ्कार के मूलतः दो भेद मानते हैं, एक धर्म्युत्प्रेक्षा और दूसरा धर्मोत्प्रेक्षा। पर इसके आगे आलङ्कारिकों में दो मत हो जाते हैं अथवा यह समझिए कि पण्डितराज ई मतभेद उत्पन्न करते हैं, क्योंकि इनसे पूर्व के अतिप्राचीन तथा मध्यकालीन आचार्य इस अर्थ में प्रायः एकमत ही थे। मतभेद का विषय यह है कि—प्राचीन एकधर्मी में दूसरे धर्मी की सभावना को धर्म्युत्प्रेक्षा कहते हैं और एक धर्म में दूसरे धर्म की सभावना को धर्मोत्प्रेक्षा, फलतः उनके विचार से दोनों ही स्थलों पर सवन्ध तादात्म्य ही होता है और पण्डितराज धर्म्युत्प्रेक्षाके सवन्ध में उक्त प्राचीनों के कथन से सहमत होते हुए भी धर्मोत्प्रेक्षा के सवन्ध में भिन्न मत रखते हैं। उनका कथन है कि धर्मोत्प्रेक्षा वहाँ होती है जहाँ एक धर्मी में अन्य धर्मिगत धर्म की सभावना की गई होती है। फलतः पण्डितराज के मत से दोनों स्थलों पर सवन्ध दो हो जाते हैं—अर्थात् प्रथमस्थल में ठीक तादात्म्यसवन्ध होता है पर द्वितीय स्थल में तादात्म्य नहीं, अपितु तदितर समवायादि सवन्ध हो जाता है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि पण्डितराज के मत में उत्प्रेक्षा का लक्षण दो प्रकार का होगा—एक तादात्म्यसवन्धघटित-अर्थात् भेदघटित और दूसरा सवन्धान्तरघटित अर्थात् अत्यन्ताभावघटित। इन दोनों प्रकार के लक्षणों का उल्लेख पण्डितराज ने एक ही वाक्य द्वारा आरम्भ में किया है। लक्षण में प्रविष्ट पदों के फल बड़े सुन्दर ढङ्ग से दिखलाए गए हैं। इसके बाद उत्प्रेक्षा के प्रधान दो भेदों ( वाच्य, प्रतीयमान ) की व्यवस्था की गई है। प्राचीनों ने भी यह व्यवस्था ठीक श्शी रूप में दी है। पर इन दोनों भेदों की स्थिति कब कैसे होती है इसका स्पष्टीकरण पण्डितराज जैसा प्राचीनों ने नहीं किया। पण्डितराज का स्पष्टीकरण इस विषय में यह है कि, इव, नूनम्, मन्ये, जाने, अवैमि, ऊहे, तर्क्यामि, शङ्के, उत्प्रेचे शत्यादि वाचक पद हों और उत्प्रेक्षा की सामग्री ( रमणीय सभाव्यधर्म सवन्धादिरूप ) भी, तब वाच्या, और उक्त वाचक पदों के अभाव में उक्त सामग्री के रहने पर प्रतीयमाना उत्प्रेक्षा होती है।

जहाँ सामग्री के अभाव में केवल वाचक पद हों वहाँ सम्भावना मात्र है उत्प्रेक्षा नहीं—अर्थात् अलङ्काररूप नहीं। फिर स्वरूपोत्प्रेक्षा, हेतूत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा नाम से उक्त दोनों भेदों के तीन-तीन भेद किए गए हैं। प्राचीनों ने भी ये भेद किए हैं। पर प्राचीनों ने इन तीनों ही भेदों के और बहुत से भेद किए हैं। जैसे—जाति की जाति में, गुण की गुण में, क्रिया की क्रिया में और द्रव्य की द्रव्य में उत्प्रेक्षा, और वह भी कहीं जाति को निमित्त बनाकर, कहीं गुण को निमित्त बनाकर, कहीं क्रिया को निमित्त मानकर और कहीं द्रव्य को निमित्त ठहरा कर, उसमें भी कहीं एक को निमित्त मानकर, कहीं अनेक को, शत्यादि। इन भेदों का वर्णन यद्यपि पण्डितराज ने भी सङ्कोपाङ्ग ( उदाहरणादिसहित ) किया है, पर अन्त में लिख दिया है कि प्राचीनों के अनुरोध से ये सब भेद उदाहृत हुए हैं। वस्तुतः इन सभी भेदों में अनुभूत होने वाले चमत्कारों में कोई परस्पर विलक्षणता अनुभूत नहीं होती, अतः ये सब भेद उदाहरणीय नहीं हैं। हाँ, हेतु, फल और स्वरूप की उत्प्रेक्षाओं में विलक्षण-विलक्षण चमत्कार अवश्य अनुभूत होता है, अतः वे भेद उदाहरण के योग्य हैं।



इसके बाद पूर्वोक्त प्राचीन-नवीन के मतभेदों की बात विरुद्ध रूप में कही गई है। इसी के मध्य में प्रत्यक्ष व्याकरणशास्त्रीय विवाद ( आख्यात क्या है ? उक्तार्थ क्या है ? शब्दबोध में प्रधानता किसकी होती है ? 'भावप्रधानमाख्यातम्, सत्त्वप्रधानानि नामानि' इत्यादि वाक्यों के क्या तात्पर्य है ? इत्यादि ) उठाया गया है। इसी क्रम में दीक्षितोक्ति का भी खण्डन किया गया है। अलङ्कारत्वकारण उल्लेखाविचार को तनीक्षा भी की गई है। अन्त में अपना विशिष्ट मत दिखलाया गया है। अपना मत लिख लेने के बाद 'इत्यल स्वगोत्रकलहेन' बहकर इस प्रसङ्ग को समाप्त किया गया है। इसके अनन्तर उल्लेखालङ्कार-निविष्ट धर्म का विश्लेषण अपने ढङ्ग से अतिसुन्दर किया गया है जिसमें कहा गया है कि धर्म कोई स्वतन्त्राधारण ( उपनानोपनेयोपनपृच्छा ) होता है और कोई उपाय द्वारा साधारण बनाया जाता है। साधारण बनाने के उपाय स्थलभेद से रूपा, रूपा, अपहृति, विन्वप्रतिविन्वभाव, उपचार और अभेदाध्ववसाय हो सकते हैं। इन सभी उपायों का स्पष्टीकरण उदाहरण द्वारा किया गया है।

### काव्यात्मा

अब यद्यपि इस द्वितीयान्त के उल्लेखालङ्कारान्त द्वितीय भाग के प्रतिपाद्य विषयों का विवेचन समाप्त है और इसके साथ ही प्रस्तुत प्रस्तावना को भी समाप्ति होनी चाहिए। पर आरम्भ-भाग में ही प्रतिज्ञा के अनुसार एक अनि आवश्यक अथवा व्यापक विषय ( जो इस ग्रन्थ में प्राति-त्तिकरूपेण विवेचित नहीं हो सका है ) का विवेचन अवशिष्ट रह गया है। वह विषय है काव्यात्मा।

काव्याङ्गभूत अनेक तत्त्वों में वह कौन-सा तत्त्व है जो सबसे प्रधान है—जिसे आत्म-पद प्रदान किया जाय—जिसके बिना काव्यत्व सत्कारण नहीं हो सके, इस प्रश्न का समाधान देना अलङ्कारशास्त्रियों के लिये परमावश्यक था। पर इस प्रश्न का समाधान देने में अलङ्कारशास्त्रप्रवर्तक आचार्य एकमत नहीं हो सके। यह एकमत का अभाव कुछ तो क्रमिक विकासवाद-सिद्धान्त को सत्यता के कारण हुआ है, कुछ दृष्टिकोणभेद के कारण भी। अतः उक्त प्रश्न का सबसे प्राचीन समाधान 'रस' शब्द से किया गया है—यह सर्वतन्मत्त कथा है, क्योंकि आज परिचित अलङ्कार-शास्त्रियों में भरत अथवा अग्निपुराणकार ही सर्वपुरातन आचार्य हैं। जो रसवादी हैं, वे काव्य में सबसे मुख्य तत्त्व 'रस' को मानते हैं, अतः उनके हिसाब से 'रस' ही काव्य की आत्मा ठहरता है। यद्यपि अग्निपुराण का इतनी प्राचीनता विवादमूल है, तथापि भरतजन नाट्यशास्त्र का परम प्राचीनता सङ्कलालोचक-स्वीकृत-वस्तु है। दूसरा उच्च उक्त प्रश्न का 'अलङ्कार' शब्द से किया गया प्रतीत होता है, क्योंकि भरत के बाद सबसे पहले आचार्य भानु का ही नाम हम शनिहास में पाते हैं जो अलङ्कारवादी हैं। भानु अलङ्कार को ही सर्वप्रधान काव्य-तत्त्व अङ्गीकार करते हैं।

यद्यपि यह कुछ विचित्र सा लगता है कि 'रस' जैसे सूक्ष्मतत्त्व पर पहुँच कर फिर 'अलङ्कार' जैसे स्थूल तत्त्व पर कैसे साहित्यसत्तार लौट आया, पर मनन करने पर यह विचित्रता उजनी आक्षेपजनक नहीं रह जाती क्योंकि प्राचीन रससिद्धान्त नाट्य तक सीमित सा था, भरत ने अपने नाट्यशास्त्र में नाट्य का ही विचार किया है, करना अभी भी था, जो 'नाट्यशास्त्र' रस

नाम से भी सूचित होता है। श्रव्यकाव्य की चर्चा, भी भरत ने नहीं की है। ऐसा लगता जैसे उस समय तक श्रव्यकाव्य की उत्पत्ति ही नहीं हुई थी। यद्यपि राजशेखर ने जो अपन 'काव्य-मीमांसा' में, साहित्यशास्त्र के विकास का इतिहास दिया है, उससे ऐसा प्रतीत अवद होता है कि भरत से पूर्व भी अथवा उनके समकाल में ही नाट्यातिरिक्त काव्यों के निर्माता बने हो गए थे, श्रव्यकाव्यादि भेदों से लोगों का परिचय हो चुका था, पर आज उनके बनाए गए ग्रन्थ उपलब्ध नहीं, नाम भी उन आचार्यों के दूब से गए, राजशेखर से अन्य ग्रन्थकार उनका स्मरण भी प्रायः नहीं करते।

भरत के बाद कई शताब्दियों तक का इतिहास अन्धकारपूर्ण है। उनके बाद के सर्वप्रथम आचार्य भामह उनसे अनेक शताब्दियों का अन्तराल रखते हैं। ऐसा लगता है कि बीच में किसी अघात कारणवश भरत के द्वारा आरम्भ आलोचनापद्धति की परम्परा नष्ट हो गई हो। अतः भामह के युग में प्रायः रस का सबन्ध नाट्य के साथ ही मान लिया गया। नष्टि से श्रव्यकाव्य को माध्यम बनाकर आलोचना शुरू हुई। श्रव्य-काव्य को नाट्य से सर्वथा पृथक् वस्तु समझा गया और श्रव्यकाव्य में शब्दार्थ की ओर—उसकी विलक्षणताओं की ओर—अधिक ध्यान दिया गया। यह कुछ अशुभ उचित भी था, क्योंकि दृश्यकाव्यों के दर्शक अब श्रव्य-काव्य के पाठक बन गए थे। दृश्यकाव्य में जहाँ सहृदय नेत्रों के द्वारा आनन्दजनक सामग्री को प्राप्त करते थे वहाँ श्रव्य-काव्य में वे कानों के द्वारा उक्त सामग्री को प्राप्त करने लगे। फलतः शब्द अर्थ की ओर आकृष्ट आलोचक भी शब्दार्थधर्म अलंकार को काव्य में मुख्य तत्त्व मानने लगे अतः उस युग में 'अलंकार' काव्यात्म पद पर आसीन हुआ।

इतनी बात कही जा सकती है कि इस युग में प्रायः काव्य पद से श्रव्यकाव्य ही अभिप्रेत रहता था। अभिप्राय यह कि काव्य-पद प्रवृत्ति निमित्त 'श्रव्य' तक ही सीमित हो गया था उनका दृष्टिकोण प्रायः यह था कि कविकृतित्व की प्रधानता 'श्रव्य' में ही है, दृश्य में तो अभिनेतृ कृतित्व की प्रधानता है। दृश्य को प्रायः काव्य समझा ही नहीं जाता था, उसको नाट्य समझा जाता था जो नट से सबन्ध जोड़े हुए है। श्रव्य अवश्य ही काव्य है और कवि से सबन्ध जोड़े हुए है। इस युग के व्यापक प्रभाव के कारण ही आज तक 'नाट्य-काव्य' ऐसा दो समानान्तर तत्त्वों के लिये प्रयोग किया जाता है। फलतः अलंकारशास्त्र का प्रथम अध्याय भामह से ही आरम्भ होता है, उससे पूर्व नाट्यशास्त्र था। अलंकारसर्वस्वकार ने भी अलंकारशास्त्रीय सिद्धान्त विकास की समीक्षा भामह के अलंकारप्राधान्य-परक युग से ही शुरू किया है।

अलंकारतत्त्व की प्रधानता इस युग में किस हद तक मानी गई इसका स्पष्ट आभास हमें परवर्ती अलंकारसम्प्रदायानुयायी आचार्य 'चन्द्रालोककार जयदेव की उस उक्ति से मिलता है जिसमें उन्होंने कहा है कि 'जो अलंकाररहित शब्द-अर्थ को काव्य मानने के पक्षपाती हैं वे विद्वज्जन अनुष्ण पदार्थ को अग्नि व्योम नहीं मानते' ? भला अग्नि की उष्णता के समान अलंकारात्मक-काव्यतत्त्व के सामने अन्य किस काव्यतत्त्व को आत्म पद दिया जा सकता था ?

अलंकारतत्त्व को काव्यात्मा माननेवाले प्रधान आचार्य भामह, उद्भट, रुद्रट, जयदेव आदि हैं। इन्हें रसतत्त्व भी अपरिचित नहीं था, होता भी कैसे, जब कि इनसे पूर्व भरत का रसवाद पूर्ण प्रचार प्राप्त कर चुका था, पर उक्त रसतत्त्व को भी वे लोग अलंकारतत्त्व के अन्दर ही काव्यक्षेत्र में समाविष्ट समझते थे। रसवदादि अलंकार इसी युग में कल्पित हुए हैं। प्रतीयमान अर्थ—जितका विश्लेषण बहुत बाद में आनन्दवर्धन ने व्यापक रूप से किया—का भी पता अलंकारप्राधान्यवादी आचार्यों को अवश्य था, क्योंकि प्रतीयमान अर्थ के आधार पर ही समासोक्ति, अप्रस्तुतप्रसशा आदि अलंकारों की कल्पना की गयी है। अलंकारयुग का महत्त्व इस शास्त्र के इतिहास में सर्वाधिक है, क्योंकि अलंकारों के गन्भीर मनन-चिन्तन से ही परवर्ती ध्वनि-युग, वक्रोक्तियुग आदि का आविर्भाव सम्भव हो सका है। काव्यक्षेत्र में स्वतन्त्र रसयुग का उदय भी अलंकारयुग के मथन का ही परिणाम है। इस युग का प्रभाव वाद के युग में अवतीर्ण होने वाले आचार्यों पर इतना गहरा पड़ा कि कि प्रधानता काव्य में अलंकारेतर तत्त्व की मानकर भी वे लोग अलंकारतत्त्व के निरूपण में अलंकारप्राधान्यवादियों से भी आगे बढ़ गए। यद्यपि 'अलंकार काव्य का आत्मा है' ऐसा कहीं स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ नहीं उपलब्ध होता, पर उसकी सर्वाधिक महत्ता मानने का ही अर्थ हो जाता है कि उस युग में अलंकार ही काव्यात्मभूत तत्त्व माना जाता था।

इसके बाद उक्त प्रश्न का समाधान 'रीति' शब्द से किया गया—अर्थात् वामन ने रीति को काव्य में सर्वातिशयोक्ति तत्त्व स्वीकार किया, अतः उन्होंने घोषणा की—'रीतिरात्मा काव्यस्य' और रीति है विशिष्ट रचना। रचना में यह विशिष्टता गुणों के कारण उत्पन्न होती है। रीति गुणों के ऊपर अवलंबित रहती है। इसलिये 'रीतिनत' 'गुणतप्रदाय' के नाम से पुकारा जाता है। रीतियों के स्पष्ट विभाजन का श्रेय आचार्य दण्डी को है। गुण और अलंकार के भेद को वामन ने पहली बार स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया है। वामन का कथन है कि काव्य शोभा के करनेवाले धर्म गुण हैं और उसके अतिशय करनेवाले धर्म अलंकार हैं। रीति-काव्यात्मतावादी आचार्य वामन भी रसतत्त्व किंवा ध्वनितत्त्व से अपरिचित नहीं थे, अपितु अलंकारकाव्यात्मता-वादी आचार्यों की अपेक्षा, उनका परिचय उन तत्त्वों ने गहरा ही था, क्योंकि अलंकारप्राधान्य-वादियों ने रस को अलंकार मानकर उसे काव्य का वहिरङ्ग साधन ही स्वीकार किया है, परन्तु वामन ने कान्तिनामक गुण के अन्दर रस का अन्तर्भाव मान कर काव्य में रस की महत्ता पर अधिक ध्यान दिया है। ध्वनितत्त्व का अन्तर्भाव वामन ने तादृश्यमूलक लक्षणा से अभिन्न वक्रोक्ति में किया है। पर काव्य की आत्मा उन्होंने रीति को ही माना। उनका दृष्टिकोण प्रायः यह था कि विशिष्ट ढङ्ग से पदों की योजना करने से ही काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है।

इसके अनन्तर उक्त प्रश्न का उत्तर अलङ्कारजगत् में युगान्तरकार आनन्दवर्धन ने 'ध्वनि' शब्द से किया। अलङ्कारशास्त्र के इतिहास में आनन्दवर्धन का नाम मदा अजर-अमर रहेगा। व्याकरणशास्त्र में जो स्थान पाणिनि को प्राप्त है तथा अद्वैत वेदान्त में जो स्थान शंकराचार्य को मिला है, अलङ्कारशास्त्र में वही स्थान आनन्दवर्धन का है। आलोचनाशास्त्र को एक नवीन दिशा में ले जाने का श्रेय इन्हें ही प्राप्त है। पण्डितराज जगन्नाथ का यह कथन

यथार्थ है कि—ध्वन्यालोककार (आनन्दवर्धन) ने आलङ्कारिकों का मार्ग सदा के लिये व्यवस्थित कर दिया। इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ 'ध्वन्यालोक' वस्तुतः युगान्तरकारी ग्रन्थ है।

आनन्दवर्धन ने प्राक्तन आचार्यों के द्वारा उद्भावित अलङ्कारतत्त्व के गम्भीर चिन्तन करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि काव्य में शरीरस्थानीय शब्द-अर्थ दोनों ही गौण हैं, उनके धर्म अलङ्कार आदि भी गौण हैं। मुख्य तो हैं प्रतीयमान अर्थ, क्योंकि उन्हीं अर्थों के ज्ञान से सङ्घट्टों को आनन्दविशेष प्राप्त होता है, अतः इन्होंने स्थिर किया कि 'काव्यस्यात्मा ध्वनिः' अर्थात् ध्वनि (प्रतीयमान अर्थ) ही काव्य की आत्मा है। प्रतीयमान अर्थ के प्रधानतः उन्हीं तीन भेद किए—रस आदि, वस्तु और अलङ्कार। इन तीनों में यद्यपि रस आदि की मुख्यता ध्वनिकार को भी अभिमत है, पर ऐसी बात नहीं है कि वे रस आदि के रहने पर ही काव्यता स्वीकार करते हों, चमत्कारी वस्तुव्यङ्ग्य तथा अलङ्कारव्यङ्ग्य के रहने पर भी काव्यत्व उन्हें मान्य है, अतः सामान्यतः ध्वनि (त्रिविध व्यङ्ग्य) ही उनके मत से काव्य की आत्मा है, रसादि ध्वनिमात्र नहीं। इसी युग में दृश्य तथा श्रव्य दोनों को स्पष्टरूप से काव्यात्मक एक तरह की दो शाखायें माना गया और दोनों ही शाखाओं में काव्यत्वनियामक तत्त्व एक ही प्रतीयमान को माना गया और उसी आत्मभूत तत्त्व के पोषक अन्य अलङ्कार गुण, रीति आदि काव्यतत्त्वों को स्थिर किया गया। इस मत के अनुयायी सबसे अधिक हैं। मम्मट आदि प्रसिद्ध आचार्य इसी मत के समर्थक हैं।

इसके बाद आचार्य कुन्तक ने उक्त प्रश्न का उत्तर 'वक्रोक्ति' शब्द से दिया—अर्थात् उन्हीं ने कहा—'वक्रोक्तिः काव्यजीवितम् (वक्रोक्ति ही काव्य की आत्मा है)' और वक्रोक्ति का लक्षण उन्हीं ने किया 'वैदग्ध्यभङ्गीभणितिः वक्रोक्तिः'—अर्थात् किसी वस्तु का साधारण लौकिक प्रकार से भिन्न, अलौकिक ढङ्ग से कथन। यह मत आनन्दवर्धन के ध्वनिसिद्धान्त की प्रतिक्रियारूप में उत्पन्न हुआ। अभिप्राय यह कि—अलङ्कारसिद्धान्त पर मुग्ध कुन्तक के हृदय में ध्वनिसिद्धान्त की जानकारी होने पर बड़ी झुंझलाहट पैदा हुई। उन्हीं ने सोचा कि—क्या अलङ्कारसिद्धान्त में कोई ऐसा तत्त्व नहीं है जो ध्वनि के समकक्ष होकर खड़ा हो सके? आखिर उन्हीं ने ध्वनि के समकक्ष तत्त्व वक्रोक्ति को खोज निकाला। इस खोज में उन्हें प्राक्तन अलङ्कारवादी आचार्यों के विभिन्न विचारों से प्रभूत प्रेरणा प्राप्त हुई।

वक्रोक्ति शब्द का प्रयोग अत्यन्त प्राचीनकाल से संस्कृत वाक्य में चला आ रहा है और यह शब्द अनेक अर्थों में व्यवहृत होता है। वाणमट्ट ने कादम्बरी में इस पद का प्रयोग अनेक बार किया है। उन्हीं ने चन्द्रापीड की राजधानी का वर्णन करते हुए वहाँ के विलासीजनों को वक्रोक्तिनिपुण बतलाया है—'वक्रोक्तिनिपुणेन विलासिजनेन।' अन्यत्र शुक के द्वारा शारिका के लिये कहा गया है—'पृषापि बुध्यत एव एतावती वक्रोक्तीः।' यहाँ वक्रोक्ति शब्द का प्रयोग क्रीडा-कलाप अथवा परिहास-कथा के अर्थ में किया गया है। अमरशतक में भी इस शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में दीख पड़ता है। 'वक्रोक्ति' का अर्थ ही है वक्र उक्ति—अर्थात् टेढ़ा कथन। प्राचीनकाल से आलङ्कारिकों ने काव्य में किसी अतिशय कथन की सत्ता मानी है। साधारण बोलचाल में शब्दों का जिन अर्थों में व्यवहार होता है क्या उन्हीं अर्थों को लेकर कमनीय काव्य की रचना हो सकती है? कदापि नहीं। इसके लिये किसी न किसी प्रकार

को विचित्र उक्ति की आवश्यकता होती है। काव्य में व्यापार की ही तो प्रधानता रहती है। साधारण लोगों के कथन-प्रकार से भिन्न तथा अधिक चमत्कृत कथन-प्रकार वक्रोक्ति के नाम से अभिहित होता है। अलङ्कारजगत् में वक्रोक्ति की कल्पना भामह से आरम्भ होती है। भामह वक्रोक्ति को अतिशयोक्ति का ही नामान्तर मानते हैं और इसे काव्य का मूल तत्त्व त्वीकार करते हैं। इस सम्बन्ध में उनका यह श्लोक प्रसिद्ध ही है—

सैषा सर्वत्र वक्रोक्तिरनयार्थो विभाव्यते ।

यत्नोऽस्या कविना कार्यं कोऽलङ्कारोऽनया विना ॥

( भामह-काव्यालङ्कार )

अभिनवगुप्त ने भामह के 'वक्राभिधैव शब्दोक्तिरिष्टा वाचामलङ्कृतिः।' इत पद्य को उद्धृत करके वक्रोक्ति का लक्षण यह दिया है—'शब्दस्य हि वक्रता, अभिधेयस्य च वक्रता, लोकोत्तीर्णनं रूपेणावस्थानम्' ( लोचन )। शब्द तथा अर्थ की वक्रता क्या है ? इनकी लोकोत्तर रूप से स्थिति। भावार्थ यह है कि लोक में जिस शब्द तथा अर्थ का व्यवहार जिस रूप से होता है उस रूप में न हो कर उससे विलक्षण रूप में होना वक्रोक्ति कहलाता है। जैसे 'वह मर गया' ऐसा न कह कर 'वह कीर्तिशेष हो गया' कहना वक्रोक्ति के भीतर आता है।

आचार्य दण्डी ने समग्र वाङ्मय को दो भागों में बाँटा है—( १ ) स्वभावोक्ति तथा ( २ ) वक्रोक्ति। स्वभावोक्ति के भीतर उन स्थानों का अन्तर्भाव किया जाता है जिनमें वस्तुओं का यथार्थ कथन विद्यमान हो। स्वभावोक्ति ही 'काव्यादर्श' में जाति नामक आद्य अलङ्कार के रूप में गृहीत हुई है। स्वभावकथन से भिन्न होने के कारण वक्रोक्ति में 'अतिशय-कथन' का समावेश किया गया है। इस प्रकार उपमा आदि अर्थालङ्कार तथा रसवत्, प्रेय आदि रससम्बद्ध अलङ्कार वक्रोक्ति के अन्तर्गत आते हैं। इस प्रकार दण्डी ने भामह की वक्रोक्ति कल्पना को त्वीकार किया है। भामह में वक्रोक्ति सब अलङ्कारों की भूल थी। परन्तु दण्डी ने स्वभावोक्ति को वक्रोक्ति के क्षेत्र से पृथक् कर दिया है क्योंकि इस अलङ्कार के लिये वे अतिशय कथन को आवश्यक नहीं मानते।

वामन में भी वक्रोक्ति का वर्णन है परन्तु उसका रूप भामह-प्रदर्शित वक्रोक्ति से सर्वथा भिन्न है। जहाँ भामह ने वक्रोक्ति को अलङ्कारों का सामान्य मूलभूत आधार माना था, वहाँ वामन उसे अर्थालङ्कारों में परिगणित करते हैं। वक्रोक्ति उनकी दृष्टि से सादृश्य के ऊपर आश्रित होने वाली लक्षणा ही है।

रुद्रट के समय में आकर वक्रोक्ति एक शब्दालङ्कार बन जाता है। परन्तु कुन्तक की वक्रोक्ति इन सबसे विलक्षण है। कुन्तक ने उक्त विचारों से प्रेरणा ग्रहण करके नो अपनी मौलिक प्रतिभा से वक्रोक्ति के स्वरूप को अतिव्यापक बना दिया। उन्होंने वक्रोक्ति को काव्य का मूल तत्त्व त्वीकार किया। वक्रोक्ति को काव्य का जीवन—आत्मा—मानने के कारण ही कुन्तक का ग्रन्थ 'वक्रोक्तिजां वित' कहलाता है। कुन्तक बड़े ही प्रौढ़ तथा नार्मिक आलोचक थे। उनकी मौलिकता के कारण यदि उन्हें आनन्दवर्धन के मनकक्ष माना जाय तो अनुचित नहीं होगा। वे रत्न ध्वनि आदि समस्त उपादेय तत्त्वों का समावेश वक्रोक्ति में ही करते हैं। प्रधानतया वक्रोक्ति के छै भेद—१ वर्ण-वक्रता, २ पदपूर्वार्धवक्रता, ३ पदोत्तरार्धवक्रता, ४ वाक्यवक्रता, ५ प्रकरणवक्रता और

६. प्रबन्धवक्रता नाम से उन्होंने किए हैं। इन भेदों के अवान्तर भेद भी बहुत हैं। उपचार वक्रता नामक भेद में ध्वनि के प्रचुर भेदों को गतार्थ किया गया है। खेद है कि इस मत के अनुयायी बाद के आचार्य नहीं हुए और इस सिद्धान्त को किसी ने अग्रसर नहीं किया। साहित्य दर्पण आदि में जो 'वक्रोक्तिः काव्यजीवितम्' का खण्डन किया गया वह सर्वथा वक्रोक्तिजीवित कार के अभिप्राय को नहीं समझ कर। ऐसा लगता है कि जैसे 'वक्रोक्तिजीवित' ग्रन्थ को खण्डनकर्ताओं ने नहीं देखा, केवल 'वक्रोक्तिः काव्यजीवितम्' इस एक पङ्क्ति को कहीं से छुन लिया और वक्रोक्ति का स्वरूप वही समझ लिया जो रुद्रट ने लिखा था।

इसके अनन्तर आलङ्कारिक समय ने पलटा छाया और साहित्यदर्पणकार विश्वनाथ आदि आचार्यों ने असलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य कहे जाने वाले रस, भाव आदि को काव्य की भात्मा कहना आरम्भ किया। इस मत के प्रवर्तक आचार्यों में सबसे प्रधान लोचनकार अभिनवगुप्त हैं। अभिनव गुप्त आलङ्कारिक होने के साथ बहुत बड़े दार्शनिक भी थे। 'शैवागम' के प्रधान ग्रन्थकार आप ही हैं। आधुनिक रसवाद पर शैवागम का प्रभाव आपके सम्बन्ध से ही विद्वज्जन मानते हैं। आप भरतकृत नाट्यशास्त्र के ऊपर एक मात्र उपलब्ध टीका अभिनव मारती के रचयिता हैं। अतः भरत के रसवाद का ग्रहण आपने सर्वात्मना किया है। इतना कहा जा सकता है कि भरत के समय में प्रायः 'रस' शब्द का अर्थ शृङ्गार, वीर आदि नवविध रस ही था, पर अभिनवगुप्त के आलोचनाकाल में 'रस्यते = आस्वाद्यते' इस व्युत्पत्ति के बल पर उसका अर्थ समस्त असलक्ष्य-क्रमव्यङ्ग्य ही गया जिसको मानकर विश्वनाथ आदि ने 'रसारमक वाक्यम् काव्यम्' यह काव्यलक्षण प्रस्तुत किया।

यहाँ आकर अग्निपुराणकार से भी एकवाक्यता हो गई, क्योंकि उन्होंने भी 'वाग्वैदग्ध्य-प्रधानेऽपि रस एवात्र जीवितम्' कहा है। ध्वनिविरोधी आचार्य महिमभट्ट ने भी इसी मत में अपनी आस्था प्रकट की है, क्योंकि उनका भी 'काव्यस्यात्मनि रसादिरूपे न कस्यचिद् विमतिः' ऐसा कथन है। यह बात दूसरी है कि उन्होंने रसबोध के लिए व्यञ्जना की आवश्यकता नहीं मानी और अनुमान से रस का बोध माना। इस सिद्धान्त के अनुयायियों का तर्क है कि वस्तु, अलङ्कार आदि त्रिविध व्यङ्ग्यों के रहने पर भी रसानुभव का भूखा सहृदयों का हृदय रसानुभव से ही सन्तुष्ट हो पाता है। रस आनन्दरूप है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं। जो वस्तु रसार में भय, शोक आदि को भी उत्पन्न करती है अथवा क्रोध का कारण बनती है वह भी काव्य में वर्णित होते ही अलौकिक रूप धारण कर लेती है और इसीलिये वह आनन्द का उद्घोषण करती है।

साहित्य में रस मत की महत्ता अवश्य है। लौकिक सस्कृत का प्रथम पद्य, जो कौश्लवध से मर्माहत मङ्गलिवि वाल्मीकि के मुख से उद्गत हुआ था, रसमय ही था। इस सिद्धान्त का मूलभूत सूत्र है—'विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः' अर्थात् विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। देखने में यह सूत्र छोटा-सा प्रतीत होने पर भी परमसारगर्भित है। भरत ने इस सूत्र पर जो भाष्य लिखा है वह बड़ा ही सरल तथा सूबोध है। परन्तु पीछे के टीकाकारों ने इस सीधे तथा सरल सूत्र की व्याख्या करने में अपना सारा बुद्धि-वैभव खर्च कर दिया है। किसी कमनीय काव्य के पढ़ने से तथा रमणीय नाट्य

के देखने ने चित्त में जो अलौकिक आनन्द हुआ करता है वही रस है। इसको व्यवस्था करने में भरत के टीकाकारों ने अपनी विशिष्ट दृष्टि ने इसका विभिन्न प्रकार से अर्थ किया है। जैसे तो पण्डितराज ने रस के विषय में ग्यारह मतों का उल्लेख करके उनमें से आठ मतों में उक्त सूत्र को सव्यक्त किया है, पर इस विषय में चार मत अनोख हुए हैं। इन मतों के व्यवस्थापक आल्हारिकों के नाम ये हैं—(१) भट्ट लोहट, (२) भट्ट शङ्कर, (३) भट्ट नायक तथा (४) अभिनवगुप्ताचार्य। इनके मतों का सारास-सङ्कलन पूर्वभाग की भूमिका में किया जा चुका है। यहाँ इतना भर कहना है कि—भट्टनायक का मत विलक्षण है और विलक्षणता यह है कि इन्होंने रसोपभोग के लिये व्यञ्जना की आवश्यकता नहीं मानी, और काव्य में व्यापारों की प्रधानता त्वांकार की। इनके मत से अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व इन तीन व्यापारों की सहायता से रस प्राप्त होता है। भावकत्व का अर्थ है साधारणोक्ति। इस व्यापार के बल पर नायक में अभिन्नोक्त व्यक्ति अपने ऐतिहासिक तथा व्यक्तिगत निर्देश को छोड़ कर सामान्य पुरुषरूप में ही गृहीत होता है। इस साधारणोक्ति की चर्चा अभिनवगुप्त के मत में भी की गई है और यह उचित भी है कि रसानुभव से पूर्वज्ञान में विभाव, अनुभाव आदि सभी पदार्थों का अनुभव सामान्य रूप से ही होता है, व्यक्तिविशेष के सम्बन्धीरूप में नहीं। इस तरह सामान्यरूप से गृहीत विभावादिनों से ही रस की अभिव्यञ्जना होती है।

एतलिन वस्तुओं के गुणग्रहण के अवसर पर प्रत्येक पदार्थ साधारणरूप से ही तथा सन्ध रहित होकर ही त्वांहीन होता है। क्लिप्त वादिका में लगे हुए गुलाब के फूल की शोभा देखते हुए जब आपका चित्त आहादित होता है तब उसके प्रति कैसी भावना होती है, उते यदि आप अपना समझते तो उसे तोड़ने के लिये आगे बढ़ते, शत्रु का समझते तो उते डेप उतन्न होता, यदि क्लिप्त तदर्थ व्यक्ति का समझते तो उते विरक्ति उत्पन्न होती। फलन. यह गुलाब का सुन्दर फूल न तो आपका है, न तो आपके शत्रु का है, और न क्लिप्त उदात्तन का है<sup>१</sup>।

इस विषय में सन्ध के ग्रहण तथा परित्याग की कोई बात ही नहीं उठती। गुलाब एक सुन्दर फूल है। वह सुन्दर वस्तु का प्रतिनिधि है। ललितकला के विषय में साधारणोक्ति का यही भाव सर्वत्र जागृत रहता है। रसनोभाता के अवसर पर भी इस सामान्य नियम का प्रयोग भट्टनायक और अभिनवगुप्त दोनों आचार्यों ने किया है। पर अभिनवगुप्त यहाँ रस पदार्थ की प्रधानता त्वांकार कर उसको काव्य की आत्मा कहते हैं, यहाँ भट्टनायक पदार्थ की नहीं, अपितु उसको समझने वाले व्यापार की प्रधानता मानते हैं, और वही है उनका तांतरा व्यापार भोजकत्व अथवा भोग किंवा मुक्ति। इस तरह यद्यपि भट्टनायक के मत में यह भोग-व्यापार ही काव्य का आत्मा है तथापि इस मत की समझ में ही अन्तर्भूत समझना चाहिए। इस तरह काव्यात्मा के विषय में निम्नलिखित छे मत पर्यवर्तित होते हैं—

- (१) अलङ्कार काव्य की आत्मा है। (मानस, उद्भट, लट्ट आदि)
- (२) राति काव्य की आत्मा है। (वानन)
- (३) ध्वनि = त्रिविध (वस्तु अलङ्कार रनादि) व्यय काव्य की आत्मा है।

(आनन्दवर्धन-आदि)

१—परत्य न परत्येति ननेति न ननेति च ।

उदात्तादे विभावादेः परिच्छेदो न विद्यते ॥ (साहित्यदर्पण)

( ४ ) वक्रोक्ति काव्य की आत्मा है । ( कुन्तक )

( ५ ) रस ( असलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य ) काव्य की आत्मा है । ( अभिनवगुप्त विश्वनाथ आदि

( ६ ) भोग काव्य की आत्मा है । ( भट्टनायक )

काव्यात्मतत्त्व के विषय में मतभेद होने के कारण ही अलङ्कारशास्त्र में सम्प्रदायों की झुंझ है । वे सम्प्रदाय निम्नलिखित हैं—

( १ ) अलङ्कारसम्प्रदाय ।

( २ ) गुण अथवा रीति-सम्प्रदाय ।

( ३ ) वक्रोक्तिसम्प्रदाय ।

( ४ ) ध्वनिसम्प्रदाय ।

( ५ ) रससम्प्रदाय ( भट्टकायक के भोगवाद को रसी में अन्तर्भूत समझना चाहिए )

इस विषय का स्पष्टीकरण अलङ्कारसर्वस्व के टीकाकार समुद्रबन्ध ने बड़े अच्छे ढङ्ग से । है । उनका कथन है कि—विशिष्ट शब्द और अर्थ मिलकर ही काव्य होते हैं । शब्द अर्थ यह विशिष्टता तीन प्रकार से सम्भव हो सकती है—

( १ ) धर्म से, ( २ ) व्यापार से, ( ३ ) व्यङ्ग्य से ।

धर्म दो प्रकार के होते हैं—नित्य और अनित्य । अनित्य धर्म की सत्ता काव्य में व अपेक्षित नहीं रहती जितनी नित्य धर्म की । अनित्य धर्म है अलङ्कार और नित्य धर्म का ना गुण । इस प्रकार धर्ममूलक वैशिष्ट्य का प्रतिपादन करने वाले दो सम्प्रदाय हुए—( १ ) अलङ्कारसम्प्रदाय ( २ ) गुण या रीतिसम्प्रदाय । व्यापारमूलक वैशिष्ट्य भी दो प्रकार का है—भाषा वैचित्र्य ( वक्रोक्ति ) तथा भोगकृत्व । इस प्रकार व्यापारमूलक वैशिष्ट्यप्रतिपादक भी दो सम्प्रदाय होने चाहिये—( १ ) वक्रोक्ति-सम्प्रदाय और ( २ ) भोगसम्प्रदाय । पर भोगसम्प्रदाय स्वीकार नहीं हो सका, क्योंकि आखिर भट्टनायक ने रस की निष्पत्ति समझाने के लिये ही इस व्यापारमूलक काव्य की कल्पना की थी, अतः यह रस सम्प्रदाय के ही अन्दर समाविष्ट समझा जाता है । यह समुद्रबन्ध ने स्वतन्त्र रससम्प्रदाय का भी उल्लेख नहीं किया है क्योंकि ध्वन्यालोकीय सिद्धान्त विवरण करने वाले मूल सर्वस्वकार के आधार पर ही अपनी व्याख्या उन्हें प्रस्तुत करनी थी व ध्वन्यालोक में त्रिविध व्यङ्ग्य को एक कोटि में ही रक्खा गया है जिसका विवरण समुद्रबन्ध व्यङ्ग्यमूलक वैशिष्ट्य कह कर करते हैं<sup>१</sup> तथापि भरत, अभिनवगुप्त, विश्वनाथ आदि के मतानुसार स्वतन्त्र रससम्प्रदाय भी पूर्ण सम्मानित है ।

समुद्रबन्ध के उक्त विवरण में औचित्यसम्प्रदाय भी असंगृहीत है । इस सम्प्रदाय का समुद्रबन्ध के विवरण में इसलिये नहीं हो सका है कि उनसे अर्वाचीन हैं औचित्यसम्प्रदाय प्रवक्तृ आचार्य क्षेमेन्द्र । क्षेमेन्द्र ने अपनी औचित्यविचारचर्चा में औचित्य का बहुत अच्छा विश्लेषण किया है तथा औचित्य को ही काव्य में सबसे मुख्य तत्त्व अतएव आत्मपदप्राप्तियोग्य ठहरा

१ 'इह विशिष्टौ शब्दार्थौ काव्यम् । तयोश्च वैशिष्ट्यं धर्ममुखेन व्यापारमुखेन व्यङ्ग्यमुखेन वेति त्रयं पक्षा । आद्येऽपि अलङ्कारतो गुणतो वेति द्वैविध्यम् । द्वितीयेऽपि भाषितवैचित्र्येण भोगकृत्वेन वेति द्वैधम् । इति पञ्चसु पक्षेषु आद्य उद्भवादिभिरङ्गीकृतं । द्वितीयो वामनेन, तृतीयो वक्रोक्तिजीवितकारेण, चतुर्थो भट्टनायकेन पञ्चम आनन्दवर्धनेन ।'



उन्होंने शृङ्गाररस के उदाहरण में उद्धृत किया है, जिसमें बहुतेरे पद माधुर्य गुण के प्रतिकूल हैं। सत्य वान तो यह है कि अलङ्कार-शास्त्र-प्रणेता आचार्यों ने माधुर्य गुण के लिये 'द्वर्गहीन, सयुक्ताक्षर-रहित' इत्यादि रूप से वर्णों की गणना अवश्य की है, परन्तु प्रयोग में उसका निर्वाह वे स्वयं भी नहीं कर सके हैं।

इस प्रसङ्ग पर अधिक विस्तृत विचार करने की आवश्यकता नहीं है, अलङ्कारशास्त्र की कोई भी पुस्तक उठाइये उसमें मधुर रसों के उदाहरणरूप से आये हुये कतिपय पद्य ही ऐसे मिलेंगे, जो सर्वथा निषिद्ध सयुक्ताक्षरादि से रहित होकर निर्दोष सिद्ध हों।

प्रायः प्राकृत साहित्य के सहयोग से संस्कृत के कवियों ने भी जब पदरचना-विषयक इस मार्मिकता को अपनाया तब पद-रचना में अधिक ध्यान दिया जाने लगा। मार्मिक विद्वान् देखेंगे कि मम्मट भट्ट के समय में संस्कृत भाषा की मधुर रचना के विषय में जितना विचार किया गया तदपेक्षया साहित्यदर्पण के निर्माण काल में उसका विचार कुछ अधिक होने लगा। अत एव स्वयं साहित्यदर्पणकार विश्वनाथ के द्वारा अथवा तत्समकालिक अन्य कवियों के द्वारा रचे हुए संस्कृत के पद्य, अधिक ललित पदावली से अलङ्कृत हैं।

पण्डितराज जगन्नाथ का काल वह था जब संस्कृत साहित्य से सुन्दर-सुन्दर अर्थों को लेकर समृद्ध होती हुई ब्रजभाषा (हिन्दी) पूर्ण उत्कर्ष को प्राप्त कर चुकी थी। सन्त सर, तुल्सी और 'सतसई' के निर्माता विहारीलाल द्वारा हिन्दी कविता अधिक प्रफुल्लित हो उठी थी। हिन्दी भाषा में तद्भव शब्दों के द्वारा अक्षरों को लघु तथा गुरु बना लेने की बड़ी स्वतन्त्रता थी, जिससे विहारीलाल की रचना में महान् सौविध्य प्राप्त हुआ। विहारीलाल का प्रसंग पद्य प्रायः इस बात का उदाहरण हो सकता है। वे वृष्टि, धृति, गात्र, कर्कश और स्पर्श भाषि शुद्ध संस्कृत शब्दों के स्थान में क्रमशः दीठि, दुति, गात, करकस और परस आदि तद्भव शब्दों का प्रयोग करते हैं<sup>१</sup>, जिससे मूल संस्कृत शब्दों के द्वारा रचे गये पद्यों की अपेक्षा उन तद्भव शब्दों के द्वारा बनाये गये पद्यों में लाख गुना माधुर्य बढ गया है इस बात को कौन समझ नहीं मानेगा। पण्डितराज विहारी लाल की कविताओं से पूर्ण परिचित थे अतः उन पर विशारोद्गाह की कोमल-कान्तपदावली का प्रभाव अवश्य पडा होगा।

यह मानना होगा कि पहले जैसे प्राकृत भाषा के सहयोग से संस्कृत की पद-रचना में अधिक ध्यान दिया जाने लगा था, वैसे पण्डितराज के समय में हिन्दी साहित्य का भी प्रचुर प्रमाण मम्मट-पद-रचना पर पडा होगा। जब हिन्दी के कवि शृङ्गार-करण आदि रसों में मधुर-मधुर-योजना का यथोचित निर्वाह करते हैं और तद्द्वारा रसपरिपोष का प्रसार होता है, तब संस्कृत भाषा में ही यह नियम शिथिल होकर केवल अलङ्कार-ग्रन्थों में ही पडा रहे-प्रयोग में नहीं आये-यह सर्वनौमुख प्रतिभासम्पन्न पण्डितराज को कैसे समझ हो सकता, अत एव संस्कृत साहित्य के सभी विषयों को अपने विचार-निकष पर कसने वाले पण्डितराज ने रस-रचना में पद-रचना विषयक नियमों को दृढ किया है और शृङ्गार आदि रसों में सयुक्ताक्षर-रहित पद्य में नवीन नियमों का आविर्भाव किया है। उसके स्वरूप से परिचित होने के लिये पद्यों को रस-रस का एक प्रकाश देना चाहिये।

१ 'दीठि पद्य ममान दुति कनक, कनक से गात ।

भूषण पर करकस मगत परस पिडाने जात ॥'

है। इस प्रकार काव्यात्मा के विषय में पूर्वोक्त छै मतों के अतिरिक्त एक सातवाँ मत भी है ( औचित्यमात्रमा काव्यस्य ) ऐसा समझना चाहिए।

औचित्य साहित्यशास्त्र का व्यापकतम सिद्धान्त है। इसे काव्य की आत्मा मानने का श्रेय यद्यपि क्षेमेन्द्र को प्राप्त है, तथापि औचित्य की कल्पना साहित्यसंसार में बहुत ही प्राचीन काल से चली आती थी। भरत के नाट्यशास्त्र में ही सिद्धान्तरूप में तो नहीं परन्तु व्यवहार-रूप में औचित्य का विधान पाया जाता है। भरत का कहना है कि—लोक ही नाट्य का प्रमाण है। लोक में जो वस्तु जिस रूप में, जिस वेश में, जिस देश में व्यवहृत होती है उस देश के नायक-नायिकाओं का चित्रण उसी रूप में करना चाहिए। इस प्रसङ्ग में भरत का यह श्लोक अतिसारगमित है—

‘अदेशजो हि वेशस्तु न शोभां जनयिष्यति ।

मेखलोरसिबन्धे च हास्यायैव प्रजायते ॥’ ( नाट्यशास्त्र )

जिस देश का जो वेश है, जो आभूषण जिस अङ्ग में पहना जाता है उससे भिन्न देश में उसका विधान करने पर वह शोभा नहीं पाता। यदि कोई मेखला को छाती पर पहन ले तो वह हास्यास्पद ही होगा। इस पद्य से सिद्ध है कि आद्य भालोचक भरत को ललितकाल में औचित्य का सिद्धान्त मान्य था। आनन्दवर्धन ने भी औचित्य को व्यापक काव्यतत्त्व स्वीकार किया है। रसभग की व्याख्या के अवसर पर उन्होंने कहा है—

‘अनौचित्यात् ऋते नान्यद्रसभङ्गस्य कारणम् ।

औचित्योपनिबन्धस्तु रसस्योपनिषत् परा ॥’ ( ध्वन्यालोक )

अनौचित्य ही रसभग का प्रधान कारण है। अनुचित वस्तु के सन्निवेश से रस का परिपाक काव्य में उत्पन्न नहीं होता। रस के उन्मेष का मुख्य रहस्य है औचित्य के द्वारा किसी वस्तु का उपनिबन्धन, काव्य में कल्पना और विधान। इसके अलावे अन्य प्राचीन अलंकारग्रन्थप्रणेता भाचार्यों ने भी औचित्यतत्त्व को स्वीकार किया है। पर औचित्य को व्यापक काव्यतत्त्व के रूप में प्रतिष्ठित किया है आचार्य क्षेमेन्द्र ने ही। औचित्य किते कहते हैं? उचित का भाव औचित्य कहलाता है और जो वस्तु जिसके सदृश ही, जिससे जिसका मेल मिले उसे कहते हैं ‘उचित’।

‘उचित प्राहुराचार्याः सदृश किल यस्य यत् ।

उचितस्य च यो भावस्तदौचित्य प्रचक्षते ॥’ ( औचित्यविचारचर्चा )

यह औचित्य ही रस का जीवितभूत है, प्राण है तथा काव्य में चमत्कारकारो है।

औचित्यस्य चमत्कारकारिणश्चारु चर्चणे ।

रसजीवितभूतस्य विचारं कुर्वतेऽधुना ॥’ ( औचित्यविचारचर्चा )

क्षेमेन्द्र ने इस औचित्य के अनेक भेद किए हैं। पद, वाक्य, अर्थ, रस, कारक, लिङ्ग, वचन आदि अनेक स्थलों पर औचित्य का विधान दिखाकर तथा इसके अभाव को अन्यत्र वतलाकर क्षेमेन्द्र ने साहित्यरसिकों का दबा उपकार किया है। इस प्रकार क्षेमेन्द्र ने औचित्य को साहित्यशास्त्र में व्यवस्थित रूप दिया है। पर उन्हें ही इस तत्त्व का उद्गावक नहीं कहा जा सकता। ऊपर दिखलाया जा चुका है कि क्षेमेन्द्र ने औचित्य के विषय में भरत तथा आनन्द-

वर्धन से प्रेरणा प्राप्त की थी। इतना ही नहीं, क्षेमेत्र का औचित्यविषयक निम्ननिर्दिष्ट पद्य पूर्वोक्त भारतीय पक्ष का परिष्कृत रूपान्तर मात्र प्रतीत होता है।

‘कण्ठे मेखलया, नितग्यफलके तारेण हारेण वा  
पाणौ नूपुरबन्धनेन, चरणे केयूरपाशेन वा।  
शौर्येण प्रणते, रिपौ करुणया नायान्तिके हास्यतां  
औचित्येन विना रुचिं प्रतनुते नालंकृतिर्नो गुणा ॥’

यह तो हुआ प्राकृतन आचार्यों के मतों का सकलन। अब यहाँ यह विचार कर लेना उचित होगा कि पण्डितराज का काव्यात्मा के सम्बन्ध में क्या मत है? पण्डितराज उक्त सप्त दायों में से किस सम्प्रदाय के अनुयायी है? वैसे तो पण्डितराज अथवा उनके ग्रन्थों की तक बहुत थोड़ी आलोचना हो सकी है, पर जो भी आलोचना हुई है, उसमें पण्डितराज ध्वनिसम्प्रदायानुयायी सिद्ध किया गया है, तदनुसार पण्डितराज के मत से ध्वनि (त्रिविध्य) को काव्यात्मा ठहराया गया है। वस्तुतः पण्डितराज जगन्नाथ विश्वनाथ आदि समान रसवादी नहीं हैं—अर्थात् वे केवल रस (असलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य) को काव्य की भाँति नहीं मानते, क्योंकि ऐसी मान्यता का परिणाम यह होता कि चमत्कारी वस्तुव्यङ्ग्य तथा चमत्कारी अलंकारव्यङ्ग्य को प्रतीति होते रहने पर भी रस-प्रतीति के अभाव में कि गद्य अथवा पद्य को वे काव्य नहीं मानते, किन्तु उनके ग्रन्थ (रसगङ्गाधर) में एक नहीं, बने ऐसे प्रमाण प्राप्त होते हैं जिनके आधार पर सबल शब्दों में यह कहा जा सकता है कि वे रस व्यञ्जक होने पर भी रमणीय वस्तुअलंकाराभिव्यञ्जक पद्य को काव्य अवश्य मानते हैं।

त्रिविध व्यङ्ग्यों को अलङ्कारोपस्कार्य मानना भी पण्डितराज को ध्वनिवादी ही सूचित करत है, रसमात्रवादी नहीं। ऐसी स्थिति में पण्डितराज को मम्मट, अप्ययदोक्षित आदि के समान ध्वनिसंप्रदायानुयायी मानना समुचित ही है। परन्तु रसगङ्गाधर के मनन से ऐसा भाव होता है कि—पण्डितराज ध्वनिवादी होते हुए भी अन्य ध्वनिवादियों से कुछ अधिक प्रगतिशील थे। जिस तरह रसवादी रस की, ध्वनिवादी त्रिविध व्यङ्ग्यों में से किसी एक व्यङ्ग्य की सत्ता को काव्यत्व के लिये आवश्यकतम मानते हैं, उस तरह पण्डितराज नहीं मानते। वे तो रमणीय अर्थ (वह अर्थ चाहे रस हो अथवा वस्तु तथा अलंकारव्यङ्ग्य हो, कि वा वाच्य तथा लक्ष्य ही हो) की सत्ता को काव्यत्व के लिये अपेक्षित समझते हैं, इसीलिये वे ‘रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम्’ इस काव्य लक्षण में ‘व्यञ्जक’ पद नहीं कह कर वाचक, लक्षक व्यञ्जक तीनों प्रकार के शब्दों के समग्रार्थ सामान्य ‘प्रतिपादक’ शब्द कहते हैं। इतना ही नहीं, व्यङ्ग्य अर्थों के साथ-साथ वाच्य-अर्थविशेष-को भी पण्डितराज अलङ्कारों से अलंकृत होने वाला कहते हैं<sup>१</sup>। ऐसी स्थिति में अकामेनापि यह मानना पड़ेगा कि—किसी तरह का चमत्कारी

१ यद्यपि पहले भी प्रसङ्गवश यह विचार किया जा चुका है, तथापि यहाँ कुछ स्पष्टीकरण आवश्यक था ॥

२ देखिए—रसगङ्गाधर का उपमालक्षण तथा उपमानिरूपण का वह अग्रिम भाग जो पीछे अलंकारविवेचन के अवसर पर उद्धृत भी किया जा चुका है।

व्यङ्ग्य न हो और गमनीय वाच्यार्थ हो तब भी पण्डितराज को काव्यत्व दृष्ट है। अब यदि पण्डितराज केवल व्यङ्ग्य अर्थ ( ध्वनि ) को काव्यात्म्य मानने होते, तब उसके अभाव में उन्हें काव्यत्व कैसे दृष्ट हो सकता था ? आत्मभूत तत्त्व के अभाव में तो किसी भी संप्रदाय के आचार्यों को काव्यत्व दृष्ट नहीं होता। अतः वाच्य अथवा लब्ध किंवा व्यङ्ग्य कोई भी अर्थ रहे पर यदि वह गमनीय हो—लोकोत्तर आह्लादजनक हो—तो उसे पण्डितराज काव्य को आत्म्य मानने के पक्ष में थे, 'रमणीयोऽर्थ काव्यस्यात्मा' यहो पण्डितराज का मत है फलतः पण्डितराज का संप्रदाय साहित्यजगत् में अमिनव ही है। यदि उसे संप्रदाय का नाम-करण दिया जाय तो मेरे विचार से उसका नाम 'रामणीयक-संप्रदाय' होना चाहिए।

### उपसंहार

जो स्वयं उच्चकोटि का कवि नहीं, उसे उच्च कोटि की कविता को परख कैसे हो सकती है ? काव्य शास्त्र का सूत्रा आलोचक वही हो सकता है जो स्वयं उच्च कोटि का कवि हो। आचार्यों का यह कथन सत्य ही है—'कविर्भावयति भावकश्च कवि।'—कवि ही भावना करता है और भावक ही काव्य सृष्टि करता है। भावक ( आलोचक ) कवि कभी अधन दशा प्राप्त नहीं कर सकता। उसको प्रतिष्ठा सार्वत्रिक तथा सार्वकालिक होनी है—

'प्रतिभातारतम्येन, प्रतिष्ठा भुवि भूरिषा।

भावकस्तु कवि. प्रायो, न भजस्यधमां दशाम् ॥' ( काव्यमीमांसा )

वात यह है कि कारयित्रो तथा भावयित्रो दोनों तरह की प्रतिभाओं की स्थिति एकत्र अनभव नहीं, तो दुर्लभ अवश्य है।

इसलिये तो काव्यमीमांसाकार राजशेखर को भी कहना पड़ा—

'नह्येकस्मिन्नतिशयवता सञ्चिपातो गुणानाम्।

एक. सूते कनकमुपलस्तत्परीक्षाज्ञमोऽन्यः ॥'

पर, इसके साथ ही, इसी पद्य के प्रथम दो चरणों के रूप में ही यह भी कहना पड़ा—

'कश्चिद् वाचां रचयितुमल श्रोतुमेवापरस्ताम्।

कक्ष्याणी ते मतिरुभयथा विस्मय नस्तनोति ॥'

पण्डितराज जगन्नाथ को सर्जक और आलोचक उभयविध प्रतिभा विभू पाठकों को विस्मय में डाल देता है। भाग्यवान् है वे सुधीजन जिन्हें पण्डितराजीय प्रतिभा से विस्मित होने का सुभवसर प्राप्त होता है। अन्त में रत्नधाम धनद्वान ने मेरी प्रार्थना है कि वे विद्वग्गण्डल के मन में रत्नगहाधराध्ययन द्वारा लक्ष विस्मय-सरोवरावगाहन की प्रेरणा प्रदान करें।

ॐ शान्ति, शान्ति, शान्ति।

विनीत-

मदनमोहन झा



## रसगङ्गाधरे प्रभाषकाः

### प्रथमानने

	पृष्ठाङ्काः		पृष्ठाङ्काः
अल्पदीक्षितः	४४	भरतमुनिः	१७५
अभिनवगुप्ताचार्यपादाः	९२	भागवतम्	१७४
अलङ्काररत्नाकरः	२२८	मम्मटभट्ट	८८
अनन्दवर्धनाचार्यः	३६३	महाकवि ( माघ आदि )	७३
अभाल्हरी	१४५	महाभारतम्	१६७
अल्पप्रकाशः	४७	यमुनावर्णनम्	७०
अल्पप्रकाशदीक्षाकाराः	२१४	चौहानवासिष्ठम्	३७२
गोतगोविन्दम्	१९८	रत्नावली	"
गोता	१६७	रामायणम्	"
चित्रमामासा	४४	व्यक्तिविवेककृत	५३
च्युदेव	१९८	शाङ्गदेवः	१६९
चन्द्रिकादायः	१६	श्रीवत्सलाञ्छन	१५५
पदार्थ	३७२	सङ्गीतरत्नाकरः	३७
महानयक	९२	साहित्यदर्पणः	२३



## द्वितीयाननस्योत्प्रेक्षान्तभागे

	पृष्ठाङ्काः		पृष्ठाङ्काः
अलङ्कारभाष्यकारा	५००	वादरायणचरणाः	३५
अख्यातवादिशिरोमणिव्याख्यातार	३१९	ब्रह्मसूत्रम्	"
अलङ्कारिका	२६७	महाभाष्यम्	१८९
उत्तरमामासा	३५	विद्याधर	५४९
आलिदास	३७१	विद्यानाथः	२१६
कुवल्यानन्द	४३२	विमर्शिनीकारः	४५४
क्युट	२४७	वृत्तिवार्तिकम्	१२८
नैयायिका	३३८	वैयाकरण	२५२



## ३० विषय-सूची

( प्रथमानन्ततो भागः )

विषया	पृष्ठा०	विषया	पृष्ठा०
मङ्गलाचरणादि	१	वीर	१५०
काव्यलक्षणम्	९	अद्भुत-	१६५
काव्यप्रकाशोक्तलक्षणो आक्षेप	१४	तत्र प्रकाशोदाहरणो आक्षेप	१६६
साहित्यदर्पणलक्षणो "	२३	हास्य-	१६८
प्रतिभाया एव काव्यकारणता	२५	भयानक	१७०
काव्यस्य चातुर्विध्यम्	३३	वीभत्सः	"
उत्तमोत्तमलक्षणम्	"	रसाना संख्यानियम-	१७६
उत्तम "	६१	रमाना विरोधाविरोधचिन्ता	"
मध्यम "	७०	रसदोषा	१८८
अध्यम "	७२	गुणनिरूपणम्	२०१
प्रकाशकृद्भेदेषु कटाक्ष-	७४	गुणनिरूपणो स्वमतम्	२०८
रसस्वरूपम्	८०	गुणनिरूपणो वामनादीना मतम्	२०९
रसस्यैकादशभेदा-	८३	शब्दगुणानां लक्षणम्	
भरतसूत्रस्याष्टधा व्याख्यानम्	"	श्लेष	"
रसानां नवधात्वम्	१२१	प्रसाद	२१०
शान्तस्य रसत्वव्यवस्थापनम्	"	समता	२११
रतिलक्षणम्	१२५	माधुर्यम्	२१२
शोकलक्षणम्	१३०	सुकुमारता	२१३
करुणविप्रलम्भस्याशतः करुणेशतश्च		अर्थव्यक्ति	"
शृङ्गारेऽन्तर्भाव	"	उदारता	२१४
निर्वेद	१३२	श्रीज	२१५
क्रोधः	"	कान्ति-	२१६
उत्साह	"	समाधि-	"
विस्मय-	१३३	अर्थगुणानां लक्षणम्	
हासः	"	श्लेष	२१८
भयम्	"	प्रसाद	२१९
जुगुप्सा	१३४	समता	२२०
विभावादिस्वरूपम्	"	माधुर्यम्	"
शृङ्गारद्वैविध्यम्	१३८	सुकुमारता	२२१
करुण-	१४३	अर्थव्यक्तिः	२२२
शान्तः	"	उदारता	२२३
रौद्रः	१४६		

विषया	पृष्ठा०	विषयाः	पृष्ठा०
श्लोक	२२३	लुप्तम्	३००
शान्ति	२२७	विवोधः	३०२
समाधि	"	अमर्षः	३०६
अर्थे देशा त्रिष्वेवान्तर्भाव	२३१	अवहित्यम्	३०७
गुणान्य व्यञ्जिका रचना	२३३	उप्यता	३०८
रचनाया वर्जनीयम्	२३९	उन्माद	३१०
तत्र विरोधतो वर्जनीयम्	२५०	मरणम्	३११
भावध्वनिनिष्पन्नम्	२६४	वितर्क	३१५
भावच्छन्दः	२६९	विषादः	३१५
दृश्य	२७३	औल्लुब्ध्यम्	३१८
सृष्टि	२७५	आवेग	३१९
श्रीराम	२७९	जडता	३२०
मोहः	२८०	आल्लुब्ध्यम्	३२२
दृष्टि	२८२	असूया	३२५
गद्य	२८३	अपत्मार	३२८
श्लोकानि	२८५	चमत्ता	३२९
द्वन्द्वम्	२८५	निर्वेद	३३१
चिन्ता	२८८	व्यभिचारिणा सख्या	३३५
नदः	२८९	रसाभास	३३५
धन	२९२	भावशान्तिः	३४७
गर्व	२९५	भावोदयः	३४८
निद्रा	२९६	भावसन्धि	३४९
मति	"	भावशबलता	३५०
व्याधि	२९८	अलक्ष्यन्मच्चनेरपि इति लक्ष्यक्रमता	३६२
शर	२९९	वर्णरचनादीनां रसानिव्यञ्जकत्व-	
		निराकरणम्	३७०



# विषय-सूची

( द्वितीयाननस्योत्प्रेक्षान्तो भागः )

विषया*	पृष्ठा०	विषया*	पृष्ठा०
संलक्ष्यक्रमध्वनि	१	कविप्रौढौक्तिसिद्धवस्तुना अलङ्कारध्वनि.	११२
शब्दशक्तिमूलकध्वनौ मम्मटमतम्	२	” अलङ्कारेण ”	११४
” ” ध्वनिकारमतम्	९	उभयशक्तिमूलको ध्वनि	११७
” ” स्वमतम्	१३		
नानार्थे शक्तिनियामकरूपणम्		अथ लक्षणाभूला	
संयोगः	३९	जहत्स्वार्थामूलको ध्वनि.	१२०
विप्रयोग	४०	अजहत्स्वार्थामूलको ध्वनिः	१२१
साहचर्यम्	४२	अभिधानिरूपणम्	१२३
विरोधिता	४७	वाचकशब्दनिरूपणम्	१३८
अर्थः	५४	लक्षणाशक्तिनिरूपणम्	१४९
प्रकरणम्	५६	लाक्षणिकवाक्यानां शाब्दबोधनिरूपणम्	१५५
लिङ्गम्	५७		
शब्दस्यान्यस्य सन्निधि	”	अलङ्कारनिरूपणम्	
सामर्थ्यम्	६१	उपमाक्षणम्	१९५
औचित्यं	६४	प्राचीनोक्तोपमाभेदलक्षणम्	२१६
देश	६५	” भेदालोचनम्	२४५
काल	६६	उपमास्थलीयशाब्दबोधविचार	३१०
व्यक्ति	६७	सादृश्यस्य समानधर्मरूपत्वे बोध	३३४
स्वरः	”	उपमादोषा	३३९
		उपमेयोपमा	३५६
शब्दशक्तिमूलको ध्वनिः		अनन्वय	३८०
शब्दशक्तिमूलाऽलङ्कारध्वनि.	७०	असम	४००
शब्दशक्तिमूलवस्तुध्वनि	८७	उदाहरणम्	४०९
		स्मरणम्	४२०
अर्थशक्तिमूलको ध्वनिः		रूपकम्	४४६
स्वतःसम्भविना वस्तुना वस्तुध्वनि	९३	परिणाम	५३१
” ” अलङ्कारध्वनि	९८	ससन्देहः	५५८
” अलङ्कारेण वस्तुध्वनि	१०५	भ्रान्तिमान्	५९०
” ” अलङ्कारध्वनि	१०८	उल्लेख	६०४
कविप्रौढौक्तिसिद्धवस्तुना वस्तुध्वनिः	१०९	अपहुति	६२५
” अलङ्कारेण ”	१११	उत्प्रेक्षा	६४३

॥ श्रीः ॥

# रसगङ्गाधरः

‘चन्द्रिका’ संस्कृत-हिन्दीव्याख्योपेतः

वृथ्सृष्टावृथ्सृष्ट

स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ती नृणा-  
ममङ्गुरतनुत्विषां वलयिता शतैर्विद्युताम् ।  
कलिन्दगिरिनन्दिनीतटसुरदृमालन्विनी-  
मदीयमतिचुम्बिनी भवतु काऽपि काङ्क्षिनी ॥ १ ॥

पुच्छ्लोकौ गौरी-गङ्गावरतानवानितौ तपसा ।  
नाथाविद्यानाथौ प्रनन्य करुणानिधी पितरौ ॥  
प्रनृत्यपङ्कजक-मोद प्रतिमादनासहलायु ।  
तन्वी स्मृतिरपि यस्या निवाच ता भारतीनन्त ॥  
निन्यं व्रजे लसन्ती नितशितिमहती न्नस्यता शश्वत् ।  
रसगङ्गाधरविवृतिर्वदरीनायेन चन्द्रिका चिन्ते ॥

अथ साहित्यपदार्थानानान्त्रीकप्रथितपद्येन यथायथ सूक्ष्मनर्माभ्या परीजक्रेभावता  
प्रमादाय, प्रतिपक्षस्मयान्वतमसावसादाय च तैलङ्गपण्डितराजो जगन्नायमष्ट ऋषि नूतन  
प्रवन्दनारनमाणस्तन्नासिप्रचारादिप्रतिबन्धकान्तरायनन्ततिशान्तये श्रुतिवोधितेतिर्कव्य-  
ताक मङ्गलनाचरन् शिष्यान् विशिष्य शिष्यितुं निवध्नाति—स्मृतापीति ।

स्मृता स्मरणविपर्ययिताऽपि ( किमुत स्मर्यमाणा, दृष्ट स्मृष्टा वा न तु दृष्टैव दृष्टिद्वारा  
नृष्टैव वा ) नृणा मनुष्याणाम्, ( सर्वेषां, न तु कस्यचिदेकस्यैव ) तरुणं प्रौढं तांमिति  
यवत्, आतप दिनकरद्योत तन्वेनाध्यवसितनाथिमौतिकदिसन्तानम्, ऋणया निजन्म-  
गिर्कर्मगतुक्मयया, हरन्ती नाशयन्ती ( न पुनर्हतवती हरिष्यन्ती वा ) तथा—अनङ्गुरा  
अन्धनस्तनूना वपुषा त्विषा कान्तयो यसा, तास्तथोक्ता, तासा विद्युता वपलना तस्व-  
नाथवसितानामाभीरवामभ्रुवा, शतैरनेकशतसङ्ख्यानि ( वस्तुतस्तन्सङ्ख्याभागिन्स्ताभिः )  
वलयिता परिवृता, तथा—कलिन्दगिरिनन्दिन्या वनुनाया, तटे तीरे ( कुन्दावने विद्यमानाद् )  
सुरदृमालं नन्दारादिदेवकृण्णं हरिप्रियानरपर्यायतया कन्दवामद्वान् वा, यद्वा—तट एव  
सकलमिलापमूरकृण्णान् सुरदुम्बस्तम्, अत्रलम्बते स्वविलासादिशान्तयाऽऽश्रयति तन्शीला,  
कऽप्यनिर्वचनोपत्वेन प्रसिद्धादन्विन्या विलसन्ता, कदम्बिनी मेघमाला तस्वेनाध्यवसिता  
श्यारादिष्टावृष्टवैतथ्रीकृष्णमूर्तिः, मदीयमतेर्मानकं नशुद्धे, चुम्बिनी विपर्ययिता भवन्वित्यर्थः ।

तथा च 'प्रकाशोद्योत आतप' 'नीपप्रियरु-कदम्बास्तु हरिप्रिय.' 'कादम्बिनी मेघमाला' इत्यमर । इह यद्यपि चिंशत्याद्या सदैकत्वे सर्वा सङ्गधेयसङ्गधयो ॥' इत्यमरानुशासनेन सङ्गधा-वाचकस्य शतशब्दस्यैकवचनान्तत्वमेव प्राप्तम्, किन्त्वनेकशतसङ्गधाविवक्षाया 'सङ्गधाऽऽर्धं द्विवहुत्वे स्त' इति तस्यैवानुशिष्टे 'मार्धं मनोरथशतैस्त्व धूर्त ! कान्ता' 'कृतास्पदामूमि भृता सहस्रै' इत्यादिवद् बहुवचनान्तत्व प्रयुक्तम् । अत एव 'दासीना सुकुमारीणा द्वे शते समलङ्कृते ॥' 'हर्षस्थान-सहस्राणि शोकस्थानशतानि च ॥' इत्यादयो भागवत-भारत-प्रयोगा सङ्गच्छन्ते । न चैवं तदनुशासने सदापदोपादानवैयर्थ्यप्रसङ्ग, तस्य द्वित्वबहुत्वान-वच्छिन्नशतत्वसङ्गधा-तदवच्छिन्नयोर्विवक्षणे सार्थक्यस्य व्यवस्थापनात् । सङ्गधाया आश्रय-द्वारा बलयनक्रियाया कर्तृत्वमिति कर्तरि तृतीया । अत्रेदं तृतीयेति कश्चित् । वस्तुतस्वेता-दृशस्थलेषु शतशब्दस्तन्त्रेण सङ्गधाया सङ्गधेयाना च वाचक इति सङ्गधेयनिष्ठवात्रापि कर्तृता, विद्युष्टिशतत्वसङ्गधाविशिष्ट-तत्कर्तृकबलयनस्यैव प्रतीतिश्च । बलयितेत्यत्र बलयं करोतीत्यर्थे णिच्, तदन्ताच्च क ।

आतपत्वेन त्रिविधसन्तापस्य, विद्युत्त्वेन बलववरवर्णिनीनाम्, कादम्बिनीत्वेन श्रीकृष्ण-मूर्त्तेश्वोपमेयाना निगरणाद्भेदेऽभेदाध्यवसानात्मिकाऽतिशयोक्ति । प्रसिद्धा किल कादम्बिनी क्षणभङ्गशीलकान्तिभिर्विद्युत्क्षताभिर्विष्टिता, जडतया सुतरा काव्यविरहिणी, दर्शनादेव, वृष्टि-द्वारा स्पर्शनादेव वा, केषाचित् स्त्रावच्छिन्नाकाशतले विद्यमानानामेव प्रोष्ममिहिरातप हरति । इयन्त्वातपसन्तापहारित्वादिसाधर्म्यभागपि पूर्वप्रतिपादितप्रकारैस्तद्विलक्षणेति व्यतिरेक । स्मृताऽपीत्यपिना दर्शनाद्यर्थोपादनादर्यापत्तिः । तट एव सुरदुम् इति पक्षे रूपकञ्च । तत्र मियोनिरपेक्षाभ्यामर्थापत्तिरूपकाभ्या सङ्कीर्णो व्यतिरेकोऽतिशयोक्तिं पुष्पातीति तयोरङ्गि-भावेन सङ्करोऽलङ्कार । रूपकातिशयोक्तेरतिरिक्तालङ्कारत्वेनाङ्गीकारस्त्वर्वाचामरोचक जन-यतीत्यवसरे प्रतिपादयिष्याम । 'नियनिकृतनियमरहिताम्' इत्यादिवच्चोपमेयवैलक्षण्यसमर्प-कविशेषणैरेचोपमान-सामग्रयोरान्वापाद् व्यतिरेकसत्ता न दुर्घटा । कालिन्दीकूलस्थलवैधुर्यात् कालिकाया, वर्णवैपरीत्याद् राधायाश्च कादम्बिनीत्वेनाध्यवसानं तु दुरवसानमेव ।

अपि कैमुतिकन्यायेन दर्शनादेरधिकतापापनोदत्वम्, तापस्य तारुण्यमसहनीयत्वद्वारेण त्वरयाऽपनयनौचितीम्, करुणयेति तापोपशमनस्य बुद्धिपूर्वकत्व-सार्वत्रिकत्वे, शतुप्रत्ययो हरणस्य वर्तमानकालिकत्वेन स्पृहणीयतमत्वम्, नृणांमिति बहुवचनं साकल्यमुखेनान्यतो व्यतिरेकम्, तनुत्विडभङ्गुरता विजातीयताम्, विद्युत्त्वेन गोपनितम्बिनीनां निगरणमद्वितीय-सौन्दर्यसाम्राज्यम्, शतैरित्येकव्यादिव्यवच्छेदद्वारा प्रसिद्धवैजात्यम्, बलयितेति सयोग-स्याक्षणिकत्वेन सुषमाऽतिरेकम्, कालिन्दीकूलनिलम्पदादपावलम्बिता स्वेतरव्यतिरेकम्, श्रीकृष्णमूर्त्ते कादम्बिनीत्वाध्यवसान सद्यःफलदानार्हताशोभोत्कर्षो, मतेरमूर्त्ततया सुम्बन-कर्मत्वासम्भवात् तन्सुम्बन नियतविषयविषयिभावसम्बन्धम्, भवत्विति लोटलकार प्रार्थनाम्, समस्त सन्दर्भ कविसमयेत श्रीकृष्णविषयकरतिभाव च व्यनक्ति । पृथ्वी छन्द ॥ १ ॥

सादर करता हूँ अर्पित, शत प्रणति पुष्प प्रभु पद पर ।

यह नव आरम्भ सफल हो, है, यही याचना लघुतर ॥

ग्रन्थसमाप्ति में प्रतिबन्ध उपस्थित करने वाली सम्भावित विघ्न बाधाओं के प्रशम-की कामना से ग्रन्थकार विद्वज्जन परम्परा प्राप्त मङ्गलबोधक पद्य की रचना करते हैं- 'स्मृतापि'-इत्यादि ।

जो स्मृतिमात्र विषय होकर भी ( न कि दृष्टि किंवा दृष्टिद्वारा स्पर्श का विषय होक ही ) मनुष्यों के ( न कि किसी एक व्यक्ति के ) तीव्र आतप ( आधिदैविक, आधिभौतिक

पण्डितराज प्रतिभाशाली विद्वानों में चूडामणि हैं, अत एव उन्होंने संस्कृत साहित्य में पदरचना सन्दर्भों तादृश मार्मिक विचार को जन्म दिया, जिसके सानने हिन्दी के पोषकों को भी निष्प्रभ होना पड़ा है। किस वर्ण के अनन्तर किस वर्ण के आने से कड़ुना बढ जाती है इसके विषय में जित-मार्मिक विचार को पण्डितराजने प्रस्तुत किया है, वह कित्ती भी भाषा के साहित्य में नहीं है।

पण्डितराज वाग्देवतावतार मन्मट के समान केवल नियमनिर्माण में ही प्रवीण नहीं थे, प्रत्युत स्वरचित उदाहरणों में उन नियमों का अनुवर्तन भी पूर्णरूप से करते थे। मधुर रचना के ऐसे ऐसे उदाहरण<sup>१</sup> वे रसगङ्गाधर में बना कर दिये हैं, जिनमें प्रतिपक्षी कित्ती भी तरह दोष नहीं दिखला सकता।

### अनुप्रास की छटा

वैसे तो अनुप्रास, यमक आदि शब्दालङ्कारों का विधान सभी आलङ्कारिकों ने अपने अपने निबन्धों में किया है और संस्कृत के कवियों ने स्थान-स्थान पर उनके प्रयोग भी किये हैं, परन्तु पण्डितराज के समय में ब्रजभाषा-कवियों के द्वारा विशेषकर घनाक्षरीछन्दों में<sup>२</sup> पदान्तानुप्रास का बहुत ही आकर्षक प्रयोग होने लगा था। इस अन्तानुप्रास का प्रयोग प्राचीन संस्कृत काव्यों में नहीं हुआ हो, ऐसी बात नहीं है। बहुत ही जगह उत्तका प्रयोग सफल रूप में पाया जाता है। परन्तु पण्डितराज के पद्यों में विशेषतः मालभारजी वृत्तमें<sup>३</sup> पदान्तानुप्रास की एक निराली ही छटा दीख पडती है,। इसी प्रकार शिखरिणी छन्द में भी इस अनुप्रास का प्रयोग शङ्कराचार्य आदि ने भी किया है<sup>४</sup>, परन्तु पण्डितराज की शिखरिणियों में इस अनुप्रास का लोकोत्तर प्रयोग हुआ है।

अध्यायी छन्द में जित तरह का अनुप्रास होता है, ठीक उसी तरह के अनुप्रासों का प्रयोग हिन्दी भाषाके अमृतध्वनि आदि अन्य छन्दों में भी हैं और उक्त प्रयोग में हिन्दी के कवियों को अधिक सफलता भी मिली है। फिर मला पण्डितराज उक्त चमत्कार को संस्कृत में बिना लाये कैसे रहते। उन्होंने भी स्थान-स्थान पर उक्त तरह के अनुप्रासों का परिपक्व प्रयोग किया है<sup>५</sup>। कहने का सारांश यह है कि समसामयिक हिन्दी कवियों की कविताओं में प्रयुक्त इस अनुप्रासशैली से प्रभावित होकर ही पण्डितराजने संस्कृत में उक्तका प्रयोग प्रारम्भ किया यह बात सत्य है, परन्तु साथ ही यह भी सत्य है कि पण्डितराज अपनी प्रतिभा से उसमें और अधिक परिपाक लाये।

सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर पण्डितराज के हर एक पद्य में गवेषकों को शब्दकृत चमत्कार अवश्य मिलेगा। तात्पर्य यह कि उनकी कविताओं में व्यङ्ग्यकृत चमत्कार के साथ साथ शब्दकृत अतिशय भी कोई न कोई अवश्य रहना है और उक्तका रहना आवश्यक भी है, क्योंकि उसी के

१ 'कस्तूरिकातिलकमालि । विधाय सायन्' ' ' इत्यादि ( पृ. २६१-६२ )

२. तुलसी विलोकि अकुलानी जातुधानी कई, चित्रहूके कपित्तों निसाचर न लागिहैं,।

'वीती औधि आवन की लाल मनभावन की डग भई बॉवन की सावन की रतिया ॥'

३. 'नितरा हितयाष निद्रया मे वत यामे चरने निवेदितायाः ..... ' ( पृ ३०३ )

४. 'तवोत्तङ्गे गङ्गे यदि पतति कायलानुभृताम् ।

तदा नातः शातकनवपदलाभोऽप्यतिलषु ॥' ( शङ्कराचार्य )

५ 'वलाङ्गाण्डिवनुक्तकाण्डवलयज्वालावलीताण्डव'.....' ( द्वि आनन )

ग्यानिष्ठ त्रिविध ताप ) को दया से हर लेती है, जो कभी भग्न नहीं होने वाली शरीर-  
मा से युक्त ( न कि जगभर चमकने वाली ) विद्युन्माला से वेष्टित है और जो  
'लिन्दकन्या-यमुना के तीर ( वृन्दावन ) के सुरतल ( कदम्ब ) को ( विलास के लिए )  
सब्रम्य कर वर्तमान रहती है, वह प्रविद्यानिरिक्त घनघटा ( घनश्याम श्रीकृष्णचन्द्रजी  
की मनोहर मूर्ति ) नेरी नवि को चूमने वाली बने—सदा उस नञ्जुल मूर्ति का ज्ञान  
रूने होता रहे ।

भावाय यह है कि जो नेयमाला प्रसिद्ध है, वह देखने पर ही व्यक्तिविशेष के ताप को  
गन्त करता है, उनको परिकृत करने वाली विजली जगभङ्गुर है, यमुनातट के कदम्ब-  
ल उसका आलम्बन भी नहीं है, अवेशन होने से उसने कृत्वा की सम्भावना भी  
रही, इन सब कारणों से कवि की विवक्षित नेयमाला वह नहीं अपितु कृष्णामूर्ति ही  
रहती है । इन्हीं व्यतिरेक को स्पष्ट करने के लिए कवि ने 'कादम्बिनी' का विशेषण 'काशि'  
रहा है । अत एव इस श्लोक में व्यतिरेक अलङ्कार है और सन्नाय, गोपिकायें, तथा कृष्ण  
मूर्ति, जो यहाँ उपनेय हैं, उनका क्रमशः आतप, विद्युत्, कादम्बिनी रूप उपमानों से  
निगमन होने के कारण अतिशयोक्ति अलङ्कार भी है । इन दोनों अलङ्कारों के परस्पर  
सापेक्ष रहने से मञ्जरु नामक तृतीय अलङ्कार होता है । (तत्त्वदों से होने वाले व्यङ्ग्यों का  
ज्ञान सस्कृत टीका से करना चाहिए । )

अथ त्योरेवमद्यतनन्वं द्योतयितुं सुरवन्दनमयेन विद्याजन्मशयो परिशुद्धि  
मद्यदयेन प्रणिगद्यति—

श्रीनन्दनेन्द्रभिञ्जोरधिगतसकलब्रह्मविद्याप्रपञ्च .

काणादीराजपादीरपि गहनगिरो यो नहेन्द्राज्वेदीन्

देवादेवाध्यगीष्ट स्मरहरनगरे शासन जैमिनीय

शेषाङ्गप्रानशेषामलभणितिरभून् सर्वविद्यावरो य ॥ २ ॥

पापाणादपि पीयूष त्यन्दते यस्य लीलया ॥

तं वन्दे पेरुभङ्गाल्य लज्जोक्तान्त नहागन्म ॥ ३ ॥

रमणं नौमि' इत्यादयः प्रयोगाश्च प्रमाणम् । तस्य ब्रह्मवर्चसवाचकता तु केनचित् कल्पितैव प्रमाणानुपलम्भात् । एवमेवशब्दस्य प्रसिद्धार्थकत्वमप्यप्रसिद्धम् । सत्यभामा सत्येतिवत् खण्डदेवो देवपदेन बोध्यते । शेषोपाधे श्रीकृष्णादौ सत्त्वेऽप्यौचित्याद् वीरेश्वरस्य ग्रहणम् । अधिगतविद्यानामुपादानं तु क्रमविरुद्धम्, सर्वतः प्राग्चेदान्तस्य सर्वान्ते व्याकरणस्य चोपादानात् ।

गुरोः सर्वविद्याऽधिगन्तृताया स्वस्मिन् सर्वासामपि तासाः सङ्क्रान्तिः, तथा स्वपाण्डित्यप्रकर्षमुखेन स्वोक्तेरुपादेयतमत्वम्, स्वस्वकीयरचनोद्भवयोः पापाण-पीयूषस्यतादात्म्य-प्रदर्शनेन स्वस्य विनय-स्वरचनायाश्चमत्कारकत्वं च, अपिनाऽर्थापत्तिपक्षवकेन परत्र तत्सौकर्यातिशयः, लीलामात्रस्यैव तावत्सम्पादकत्वेन गुरोरद्भुतमहिमशालिता, तथा वन्दनौचिता च सूच्यते ।

पूर्वस्मिन् पद्ये यमकानुप्राससंस्पृष्टकाव्यलिङ्गम्, परस्मिन्नर्थापत्ति-काव्यलिङ्गोपस्कृता समासोक्तिरतिशयोक्तिर्वाऽलङ्कारः, क्रमेण स्रग्धराऽनुष्टुप् च छन्दः ॥ २-३ ॥

ग्रन्थकार गुरुवन्दन—व्याज से अपने विद्या तथा जन्मवशों की परिशुद्धि को दिखलाते हैं—'श्रीमज्ज्ञान' इत्यादि ।

श्रीमान् 'ज्ञानेन्द्र' नामक सन्यासी से जिन्होंने 'समग्र ब्रह्मविद्या का विस्तार वेदान्तशास्त्र ( लक्षण या उस शास्त्र का ज्ञान यहाँ विवक्षित है ) प्राप्त किया, काणाद तथा गौतम की ( अर्थबहुल होने से ) गम्भीर उक्तियाँ ( वैशेषिक तथा न्यायदर्शन ) 'महेन्द्रशास्त्री' से समझीं, 'खण्डदेवोपाध्याय' से जैमिनीयशास्त्र ( पूर्व मीमांसा ) काशी में रह कर पढ़ा और 'शेष' उपाधिधारी वीरेश्वर पण्डित से शेषावतार पतञ्जलि की निर्मल उक्तियाँ ( महाभाष्य ) अधिगत कीं, इस प्रकार जो सब विद्याओं का धारण करने वाले हुए ।

जिनकी लीला-शिक्षणचेष्टा और इच्छा से पापाण—पत्थल, अथ च पापाण तुल्य नीरस मुक्षसे भी अमृत-अथच अमृत तुल्य सरस काव्य क्षर रहा है—प्रादुर्भूत हो रहा है, उन जन्म तथा शिक्षा दोनों के प्रदायक लक्ष्मीकान्त ( लक्ष्मी नाम्नी मेरी माता के पति अथवा विष्णुरूप ) 'पेरुभट्ट' नामक महान्—पूज्य गुरुदेव—पिताजी को मैं प्रणाम करता हूँ ।

यहाँ सन्यासी से ब्रह्मविद्याज्ञानलाभ की बात कह कर व्यञ्जनया गृहस्थों में ब्रह्मविद्याज्ञान की अपरिपक्वता को सूचित करते हैं, 'अवेदीत्' इस क्रियापद से 'वैशेषिक तथा न्यायदर्शन को उन्होंने समझा न कि केवल रट लिया' इस विशेष को अभिव्यक्त करते हैं और गुरु को सर्वविद्यानिधान बतला कर उनके मेधावी शिष्य अपने में भी उन विद्याओं के संक्रमण को व्यक्त करते हैं । इसी तरह अपने में पापाण के तथा अपनी कविता में पीयूष के तादात्म्य का प्रदर्शन कर अपने में विनय एव अपनी कविता में चमत्कार-तिशय को सूचित करते हैं । प्रथम पद्य में 'यमक तथा अनुप्रास' इन दोनों शब्दालङ्कारों से संस्पृष्ट काव्यलिङ्ग अलङ्कार और द्वितीय पद्य में काव्यलिङ्ग से सहकृत अतिशयोक्ति अलङ्कार है ।

स्वप्रबन्धस्य सुविचार्य विहितत्वेन श्रेयस्त्व सूचयति—

निमग्नेन क्लेशैर्मननजलधेरन्तरुदरं, मयोन्नीतो लोके ललितरसगङ्गाधरमणिः ।  
हरन्नन्तर्ध्वान्तं हृदयमधिरूढो गुणवतामलङ्कारान् सर्वानपि गलितगर्वान् रचयतु ॥

मननमनुष्ठानमेव गम्भीरतया जलधिः समुद्रस्तस्य, अन्तरुदरम् उदरमध्येऽन्तस्तल इति यावत्, क्लेशैर्बहुभिर्दुःखैः ( नत्वनायासम् ) नितरामत्यन्त मग्नेन ( नत्वीषदेव प्रविष्टेन ) मया जगन्नाथेन, लोके मर्त्यभुवने, उदूर्ध्वं नीत उद्धृत उपर्यानीत इत्यनर्थान्तरम्,

अन्व प्रत्यय लट् । शब्दरत्न ह्यम् ॥ ५ ॥

अपने प्रबन्ध की प्रशंसा करते हैं—'निम्ननेन' इत्यादि ।

नैने ( साहित्यिक पदार्थों के ) अनुचिन्तनरूप सनुद्र के अन्तस्थल में बड़े दुःखों से—  
कि अनायास, निरक्षेप नम्र होकर—न कि थोड़ा सा प्रविष्ट होकर, सत्कार में इस  
(सगद्गाधर) रूप सुन्दर नगि को निकाला है । इस तरह निकाली गई यह ( सगद्गाधर  
रूप ) नगि, गुणियों के हृदयों में प्रविष्ट होकर नान्यन्तरिक अन्धकार ( साहित्यशास्त्र  
विषयक अज्ञान ) को हरण करती हुई, नमी अलङ्कारों ( अलङ्कारमन्त्रों निबन्धों तथा  
गान्धुषणों ) को गवंधरहित कर दे । तात्पर्य यह है कि—नैने लुब लोच समझ कर  
स प्रन्ध को लिखा है, यह अलङ्कार प्रन्धों में नगि रूप है, इससे साहित्यशास्त्र विषयक  
अन्तः प्रान्त धारणों दूर हो जायेंगी, अतः सहज्य जन इस प्रन्ध को अपने हृदयों  
में स्थापित अवश्य करेंगे, इस प्रन्धरत्न के प्रभाव से और-और अलङ्कार प्रन्ध नगन्य हो  
जायेंगे । सन्दर्भ सन्दर्भ से यह बात निकली कि इस निबन्ध में अन्य निबन्धों की अपेक्षा  
हुत लट्ट नहता है, अतः उपादेश है ।

यहां यह अर्थ प्रतीत होता है कि—किसी ने बड़े छेत्तों से सनुद्र में गेता लगा कर  
कि नगि निकाली, शौकीनों ने उसे हार में गूँथ कर अपने उरस्थल पर धारण किया और  
सर्फी पवित्र प्रभा के मानने सब सुवर्णादि निमित्त अलङ्कारों की प्रभा हीन हो गई ।  
मट्टिये इस पद्य में रूपकालुप्राणित समासोंकि अलङ्कार है ।

इस स्वप्नप्रन्ध प्राचीनरे तापयं प्रतिपद्य त्वंगिरेति स्वप्नप्रन्धप्रत्यान्तरेण तापयं  
विपद्यति—

परिष्कृर्वन्त्यथान् सद्दृश्यधुरीणा कतिपये.

तथाऽपि क्लेशो ने कथमपि गतायो न भविता ।

निम्नान्ना सङ्क्षोभ विद्वदु पयोषे पुनरिने,

किनेनेनायासो भवति विद्वतो सन्दर्गिरे ॥ ५ ॥

अथैतत्पे उच्यते ( नृपतेऽपि ) सद्दृश्यधुरीणा नकेन्द्रा प्रवर, अथान् नहिन्द-  
तिलकदापन्, परिउच्यन्तु स्वप्नतेनाऽऽहं यमेव ( प्रत्यद स्वप्न ) विद्वदन्तु ।  
याऽपि तेण विवेकनेन ति, ने मन, क्लेश एतद्प्रत्यारवन्तः कथमपि क्लेशेने प्रकरणे  
नेदाने ) गतायाऽन्वयासिद्धप्रयोजनक, न भवेत्ता नेव नहिन्दति इमे उच्येऽस्वप्नना,

तिमीन्द्रा महामत्स्या, पुनर्भूय, पयोधे सागरस्य, सङ्क्षोभ मुहुर्द्वर्तनै सम्यगालोडन-  
विदधतु कुर्वन्तु, एतेन तिमिन्द्रास्फालनेन, मन्दरगिरेर्मन्याचलस्य, आयासो रत्नोद्धार  
समुद्रमन्यनपरिश्रम, किं विफलो व्यर्थो भवति ? अपितु न भवतीत्यर्थः ।

इह यथा तिमिन्द्रास्फालनेन रत्नोद्धाररूपप्रयोजनानिष्पत्त्या कथमपि मन्दरस्य प्रया-  
न निष्फलो भवति, तथैव साहित्यपदार्थानामितरविद्वत्परिष्कारेण सिद्धान्तावधारणलक्षण  
योजनासिद्धया कथमपि भ्रमैतद्ग्रन्थरचनाश्रमो गतार्थो न भविष्यतीति वाक्यार्थसाम्या  
गम्यत्वात्, सत्त्वाभावरूपस्यैकस्यैवोभयमाधारणधर्मस्य 'न भविता' 'किं भवति' इ-  
शब्दभेदेन वाक्यद्वये द्विनिर्देशाच्च प्रतिवस्तूपमाडलद्वार । नत्वर्थान्तरन्यास, वाक्यार्थ-  
सामान्यविशेषभाव-कार्यकारणभावयोरभावात् ।

भवितेति भविष्यत्सामान्यबोधकलुटोऽप्रयोगेण स्त्रतुल्यकाले क्रियतामेतादृशप्रवन्ध-  
नाक्षमाणा विचक्षणाना सद्भावस्य सम्भवेऽप्यग्रे सर्वथा तदसम्भव सूच्यत इति केचित्  
शिखरिणी छन्दः ॥ ५ ॥

सहृदयों में मूर्धन्य माने जाने वाले कुछ पण्डित अर्थों का परिष्कार करें—ग्रन्थ बन-  
वना कर साहित्य पदार्थों का विवेचन करते रहें, परन्तु उन लोगों के विवेचन से  
कष्ट—'रसगङ्गाधर'—निर्माण में होने वाला श्रम—किसी तरह, गतार्थ—निष्प्रयोजन न  
हो सकता । ये प्रत्येक दीख पढ़ने वाले बड़े-बड़े मत्स्य समुद्र को घुग्ध करते हैं, सो व-  
परन्तु इससे क्या मन्दराचल का श्रम—मथनप्रयासनिष्फल होता है ? यहा 'जैसे मत्स्य  
के आलोडन से रत्नोद्धारण रूप प्रयोजन की सिद्धि नहीं होने के कारण रत्नों को निकाल-  
वाला मन्दराचल का मथनक्लेश विफल नहीं होता, उसी तरह अन्य विद्वानों के विवेच-  
से साहित्यसिद्धान्त—निर्णय—रूप—प्रयोजन की सिद्धि न होने के कारण, साहित्यसिद्धान्त  
निर्णायक इस ग्रन्थ के निर्माण में होने वाला मेरा श्रम भी किसी तरह व्यर्थ नहीं, बल्कि  
सर्वथा सार्थक है' ऐसा वाक्यार्थ गम्यमान है और 'न भविता, तथा किं भवति' ।  
दोनों से एक ही सत्ता का अभाव रूप धर्म दो वाक्यों में निर्दिष्ट है, अतः प्रतिवस्तूप  
अलङ्कार होता है ।

स्वपाण्डित्यप्रकर्षं प्रकाशयन्नेतत्प्रबन्धस्य सजातीयव्यतिरेक प्रदर्शयति—

निर्माय नूतनमुदाहरणानुरूपं, काव्यं मयाऽत्र निहितं न परस्य किञ्चित् ।  
किं सेव्यते सुमनसां मनसाऽपि गन्धः, कस्तूरिकाजननशक्तिभृता मृगेण ॥६॥

उदाहरणानुरूप ध्वनिगुणालङ्कारादिलक्ष्यत्वयोग्यम्, नूतन नवीन भामिनीविलासा-  
काव्यम्, मया निर्माय रचयित्वा, अत्र रसगङ्गाधरे, परस्यान्यस्य, किञ्चिदीषदपि 'उदा-  
रणम्' न निहित नैव निबद्धम् । कस्तूरिकाजननशक्तिभृता कस्तूर्युत्पादनसामर्थ्यभाजा, मृगेण  
सुमनसा कुमुमाना, गन्ध परिमल, मनसाऽपि ( किं पुनर्नासिकया ) किं सेव्यत उपाद-  
यते ? अपि नेत्यर्थः ।

अत्र पूर्ववत् प्रतिवस्तूपमाडलद्वार । कस्तूरिकाभृतेत्यनुक्त्वा तज्जननशक्तिभृतेति क-  
स्वस्य यावदपेक्षितपद्योत्पादनक्षमत्वम्, समस्तवाक्यार्थश्च परेषा साहित्यग्रन्थकारा-  
परकीयोदाहरणग्रहणात् तदभावम्, तत आत्मनस्तेभ्य, एतद्ग्रन्थस्य तद्ग्रन्थेभ्यो वैल-  
प्यमवगमयति । वसन्ततिलक छन्दः ॥ ६ ॥

अन्य निबन्धों से अपने निबन्ध में विद्यमान विशेष का दिग्दर्शन कराते हैं—  
'निर्माय' इत्यादि ।

इस निबन्ध में उदाहरणों के अनुरूप-ध्वनिगुण अलङ्कारों में जिसका जैसा लक्ष्य हो-  
चाहिए वैसा—काव्य बनाकर मैंने उपस्थित किया है, दूसरे का कुछ भी नहीं लिया



(टीक ही है) जो कस्तूरी की सृष्टि कर सकता है वह मृग क्या कभी मन से भी किसी पुष्पमौरम की सेवा करने की कामना करता है ? यहाँ भी पूर्ववत् प्रतिबन्धना बलङ्कार समझना चाहिए ।

'कस्तूरी को धारण करने वाला' ऐसा न कहकर 'कस्तूरीजनन की शक्ति को धारण करने वाला' इस कथन से स्वगत-समस्त-काव्य-निर्माण-सामर्थ्य और समग्र वाक्यार्थ से अन्य बलङ्कार-ग्रन्थ-निर्माताओं में परकीय उदाहरणों के ग्रहण करने के कारण उस कवित्वशक्ति का अभाव व्यङ्ग्य होता है, उस व्यङ्ग्य से भी अन्य-पण्डितापेक्षया अपने में तथा तत्कृत ग्रन्थापेक्षया स्वकृत ग्रन्थ में वैलक्षण्य व्यक्त होता है ।

'निर्द्वयं सिद्धसम्बन्ध श्रोतु श्रोता प्रवर्तते ॥ शान्नादौ तेन वक्ष्य्य सम्बन्ध सप्रयोजन ॥'  
इत्यनियुक्तेऽपि भिषेयस्य प्रकाशाय प्रतिजानीते—

मननतरितीर्णविद्याऽर्णवो जगन्नाथपण्डितनरेन्द्रः ।

रसगङ्गाधरनाम्नी करोति कुतुकेन काव्यमीमांसाम् ॥ ७ ॥

मननमेव पारनायकत्वेन तरिनीं, तथा तीर्णं प्राप्तपार, विद्या एव गाम्भीर्येण दुस्तर-तया वाऽर्णव नमुद्रो येन स, जगन्नाथश्चासौ पण्डिताना नरेन्द्रः पण्डितनराणामिन्द्र-पण्डितेषु नरेन्द्र इव, पण्डितश्चासौ नरेन्द्रो नरश्रेष्ठः पण्डितराजपराभिधानो वा, इमा रसग-ङ्गाधरनाम्नी काव्यस्य ( तदज्ञानबलङ्कारादीनां च ) नीमासा विचार उद्देशलक्षणपरीक्षा यत्र, तादृशा रचना, कुतुकेन कुतूहलेन ( न तु क्लेशेन ) करोतीत्यर्थः ।

इह रूपज्ञानमुपानश्चालङ्कार । पूर्वार्थेन प्रगल्भपण्डितविहितत्वेन प्रबन्धस्योपादेयत्वम्, काव्यमीमांसामित्यनेन विषयः प्रयोजन च, कुतुकेनेत्यनेन स्वत्यैतादृशग्रन्थरचनेऽपि क्लेशानावद्वारेण पाण्डित्यातिरेकश्च व्यज्यते । आर्या छन्दः ॥ ७ ॥

ग्रन्थ के आरम्भ में अनुबन्धचतुष्टय ( प्रतिपाद्य विषय उस विषय के साथ ग्रन्थ का सम्बन्ध, प्रयोजन और अधिकारी ) अवश्य कहना चाहिए अन्यथा उस ग्रन्थ के अध्ययन में लोगों की प्रवृत्ति नहीं हो सकती, ऐसा नियम है । अतः प्रकृत ग्रन्थ का प्रतिपाद्य विषय क्या है ? इसकी सूचना देने के साथ साथ ग्रन्थकार अपना तथा अपने ग्रन्थ का नाम निर्देश करते हैं—'मननतरि' इत्यादि । जिसने मननरूप ( विद्या समुद्र से पार ले जाने की शक्ति रखने के कारण ) नौका से दुरवगाह हाने के कारण विद्या-रूप-समुद्र को पार कर लिया है, वह पण्डितराज 'जगन्नाथ' कौतुक से ( न कि अभ्यास से ) काव्य-विवेचन-नय 'रसगङ्गाधर' नामक-निबन्ध की रचना करता है । यहाँ 'मननतरि' इत्यादि विशेषण से ग्रन्थकार-गत-प्रौढ-पाण्डित्य सूचित होता है, जिससे तन्निमित्त प्रबन्ध में उपादेयता व्यक्त होती है, 'काव्यमीमांसाम्' इस पद से विषय तथा प्रयोजन की सूचना मिलती है । बलङ्कार यहाँ रूपक तथा अनुप्रास है ।

स्वप्रबन्धस्य प्रचारमाशंसति—

रसगङ्गाधरनामा सन्दर्भोऽयं चिरं जयतु ।

किञ्च कुलानि कवीनां निसर्गसन्धिविचरञ्जयतु ॥ ८ ॥

रसा एवात्वाद्यत्वेन गङ्गा, तस्या धर प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावसम्बन्धेन धारक, यद्वा रसानां प्रतिपादनेन गङ्गाधर शङ्कर इव, रसगङ्गाधर इति नाम अस्य, तादृशा, अथ बुद्धि-गोचरार्हता, सन्दर्भः पञ्चाङ्गकवाक्यरूपो ग्रन्थः, चिरमनल्पकाल, जयतु सर्वेभ्यः साहित्य-ग्रन्थेभ्यः उत्कृष्टतया वर्तमान् । किञ्च तथा, निसर्गान् स्वभावान् ( नतु व्याजान् ) मन्थवि-सन्ध्याविरचन-विवेचनव्यसनितया समीचीनानि, कवीनां काव्यस्य निर्मातृणां विवेचन-हृदयविदुषा च, कुलानि रुन्दानि, रञ्जयतु नाहित्यसिद्धान्तनिर्द्धर्षबोधनेन नन्दयन्वित्यर्थः ।

अत्र यमकमलद्वारः । वाक्यस्य पद्याज्ञानि तु—‘विषयो विशयश्चैव पूर्वपक्षस्तयोत्तरम् । निर्णयश्चेति पद्याज्ञानं शास्त्रेऽधिकरणं स्मृतम् ॥’ इत्यनेन भट्टचरणैर्दर्शितानि । ‘सङ्घाथात् पण्डितः कवि’ इत्यमरानुशासनात् कविशब्दस्य विद्वद्वाचकत्वमपि । कुलपदस्यात्र वशपरत्वं तु चिन्त्यमेव, तदंशपरम्पराया वैदुष्ये प्रमाणाभावाद् रञ्जानर्हत्वात् । श्रार्यां छन्दः ॥ ८ ।

ग्रन्थकार स्वकृत ग्रन्थ के प्रति अपनी शुभकामना प्रकट करते हैं—रसगङ्गाधर इत्यादि ‘रसगङ्गाधर’ (रसरूप गङ्गा को धारण करने वाला, अथवा रस के विषय में गङ्गाधर-शिव के सदृश) नामक यह निबन्ध चिरकाल तक विजयी बने सर्वोत्कृष्ट होकर रहे और अत्यन्त मनोहर स्वभाव से ही उत्तम कवियों (काव्यकारों तथा काव्यालोचक-कोविदों) के समाजों का अनुरक्षण करता रहे । परोत्कर्षासहिष्णु दुराग्रही दुर्जनों का मनोरञ्जन भले ही इस ग्रन्थ से न हो पर जो सज्जन गुणग्राही होंगे, उनका हृदय इस ग्रन्थ के अध्ययन से अवश्य ही सुखी होगा, यह बात यहाँ ‘निसर्गसुन्दर’ इस कविकुल विशेषण से अभिव्यक्त होती है । अलङ्कार यहाँ यमक है ।

तत्र तावत् काव्यलक्षणसूत्रमवतारयति—

तत्र कीर्ति-परमाह्लाद-गुरुराजदेवताप्रसादाद्यनेकप्रयोजनकस्य काव्यस्य व्युत्पत्तेः कविसहृदययोरावश्यकतया गुणालङ्कारादिभिर्निरूपणीये तस्मिन् विशेष्यताऽवच्छेदकं तदितरभेदबुद्धौ साधनं च तल्लक्षणं तावन्निरूप्यते—

तत्र चिकीर्षिते ग्रन्थे । कीर्तिर्शं, परमाह्लादो वेदान्तरसम्पर्कान्यत्वेनाद्वितीय आनन्दः, गुरुणा राज्ञा देवतानां च प्रसादः स्तुतिविरचनाकलनाभ्यां प्रसन्नता चादियेषां, तानि तादृशान्यनेकानि प्रयोजनानि फलानि यस्य तत् तथोक्तम्, तथाभूतस्य, काव्यस्य वक्ष्यमाणलक्षणक-कविकर्मविशेषस्य, व्युत्पत्तेर्नैपुण्यलक्षण-तद्विषयविशेषज्ञानस्य, कवेः काव्यकर्तुः, सहृदयस्य तद्वसा-स्वादयितुश्च, परमावश्यकतया नितरामपेक्षितत्वेन, गुणा माधुर्यादयः, अलङ्कारा अनुप्रासोपमाऽऽदयश्चादयो येषां तादृशै रसभावप्रभृतिभिर्हेतुभिः, निरूपणीय उद्देशलक्षण-परीक्षाभिर्विवेचनीये, तस्मिन् काव्ये, विशेष्यताऽवच्छेदकं काव्यनिष्ठाया ‘रमणीयार्थप्रतिपादक शब्द काव्यम्’ इति शाब्दबोधायविशेष्यताया, अवच्छेदकमन्यूनानतिप्रसक्तो धर्मः, च तथा, तदितरभेदबुद्धौ ‘काव्यं काव्येतरेभ्यो भिन्नं रमणीयार्थप्रतिपादकशब्दत्वात्’ इति भेदानुमितौ, साधनं हेतुभूतं, तस्य काव्यस्य लक्षणं तावदादौ निरूप्यते प्रतिपाद्य विवेच्यत इत्यर्थः । इह तत्रैति तावन्निरूप्यत इत्यनेन सम्बद्धम् । प्रथमेनादिपदेन व्यवहारज्ञान-कान्तासम्मितोपदेशयोरेवादानम्, कीर्ति-परनिर्वृत्यो कण्ठतः, धनप्राप्ते राजप्रसादजन्यत्वेन, प्रत्यवायधुतेश्च गुरु-देवताप्रसादसाध्यत्वेन प्रतिपादनात् । तथा चोक्तं काव्यप्रकाशे—

‘काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये ।

सद्यः परनिर्वृतये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे ॥’ इति ।

अत्रैव चतुर्वर्गप्राप्तेरप्यन्तर्भावः ।

प्रदीपकृद्दर्शितदिशा कविसहृदययोः काव्यप्रयोजनभेदो यथायथमवधार्यः । कवेः कवित्वं न तदनुभवप्रयोजकम्, किन्तु सहृदयत्वमेव । आवश्यकताशब्दस्य साधनमस्मद्समञ्जसी सुरभित्तिपनेऽवलोकनीयम् । द्वितीयेनादिपदेन रसभावाद्यष्टकस्य ग्रहणम् । निरूपणं हि शाब्दबोधानुकूलो व्यापार उद्देश-लक्षण-परीक्षारूपः । तस्मिन्निति सप्तम्यर्थो निष्ठत्वम् केषाचिन्मते प्रकारस्यापि विशेष्यताऽवच्छेदकत्वस्वीकारात् काव्यासाधारणधर्मस्य तल्लक्षणस्य काव्ये प्रकारत्वेऽपि तन्निष्ठविशेष्यतावच्छेदकत्वमक्षुण्णमवधारणीयम् । काव्यलक्षणज्ञानस्यैव तत्र प्रवृत्तिप्रयोजकत्वेन तद्विषयकेच्छायविषयताऽवच्छेदकत्वं च तस्यैवावसेयम् ।

अब प्रत्यक्षर काव्यलक्षण की अवतारणा करते हैं—'रत्न ज्ञाने' इत्यादि। यश, लोकोत्तर आनन्द, गुरु, राजा और देवताओं की प्रसन्नता, प्रभृति अनेक जिस काव्य के प्रयोजन हैं, उस काव्य की व्युत्पत्ति ( निपुणता-रूप-तद्-विषयक-विशिष्ट-ज्ञान ) कवि, ( काव्यनिर्माता ) और सहृदय ( काव्यानन्द का अनुभव करने वाला ) के लिये अत्यन्त आवश्यक है। इसलिये पहले काव्यलक्षण का निरूपण करते हैं। यदि यहाँ आप यह शङ्का करें कि कविसहृदयों को काव्यज्ञान कराने के लिये पहले काव्यलक्षण निरूपण की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि गुण, अलङ्कार, रस, भाव आदि के ज्ञान से ही तो काव्य का ज्ञान होगा, फिर उन्हीं वस्तुओं का निरूपण पहले करना चाहिये। इसका उत्तर यह है कि गुण अलङ्कार आदि के निरूपण के बाद जो 'काव्य गुणादिभ्यः' ऐसा ज्ञान होगा—वाहे कराया जायगा, वह तब तक नहीं हो सकता, जब तक कि काव्यत्व का ज्ञान न हो जाय। यदि आप पूछेंगे ऐसा क्यों? तो मैं कहूँगा कि उक्त ज्ञान में काव्य विशेष्य है, और गुणादि विशेषण अतः 'काव्यम्' ऐसा ज्ञान पहले से रहना आवश्यक है, कारण? यदि विशेष्य स्वयम् असिद्ध-अज्ञात रहेगा तब उसमें विशेषण नहीं लगाया जा सकता और 'काव्यम्' इन विशिष्ट ज्ञान में काव्यत्व-रूप-विशेषण-ज्ञान ( जो कारण है ) की अपेक्षा है, अतः 'काव्य गुणादिभ्यः' इस ज्ञान में विशेष्यतावच्छेदक ( जो प्रवर्तक ज्ञान विषय होने से इष्टतावच्छेदक भी है ) का अर्थात् 'रमणीयार्थप्रतिपादकशब्दस्वरूप' काव्यत्व का निरूपण पहले करते हैं। पहले लक्षण निरूपण करने का दूसरा कारण यह भी है कि किसी एक वस्तु से किसी दूसरी वस्तु में भेद रहता है, इनका समझना व्यवहार के लिए उपयोगी है, उस भेदज्ञान के बिना कोई व्यवहार चल ही नहीं सकता, मान लीजिये कोई जङ्गली 'जो घट तथा पट में कोई भेद नहीं समझता' अगर व्यवहार में प्रवृत्त हो तो क्या होगा? घट का कार्य पट से और पट का कार्य घट से लेने लगेगा। अब यह बात स्पष्ट हो गई कि 'किसी एक वस्तु में तदतिरिक्त समस्त वस्तुओं से भेद है' यह समझना आवश्यक है। यह नियम काव्य के सम्बन्ध में भी लागू होगा अर्थात् काव्य अतिरिक्त सकल पदार्थों से भिन्न है ऐसा ज्ञान अत्यन्त अपेक्षित है, अन्यथा लोग काव्यानन्द को घड़ों में टूटने लग जायें, और काव्य में इतरभेद ज्ञान, प्रत्यक्ष प्रमाण से सम्भव नहीं, कारण? काव्य अनूर्त वस्तु है, फिर अगत्या उस ज्ञान के लिये अनुमान प्रमाण की शरण लेनी होगी, जैसे— 'काव्य काव्येतरत्वात् भिन्नम्—काव्य काव्यातिरिक्त वस्तु से भिन्न है, क्यों? 'रमणीयार्थ-प्रतिपादक-शब्दत्वात्—रमणीय अर्थों का प्रतिपादन करने वाला जो शब्द तद्रूप होने से, यही हेतु दिया जायगा अर्थात् जब जगह इतर भेदानुमिति में लक्षण ही हेतु होता है, इस लिये भी प्रथम काव्यलक्षण निरूपण की आवश्यकता समझनी चाहिये।

काव्य लक्षणे—

रमणीयार्थप्रतिपादक शब्द काव्यम् ॥ १ ॥

रमणीयत्वत्त्वं तद्वारक-विलक्षणवन्कारकारणतया सुन्दरत्वायत्य काव्यलक्षणव्यव्या-  
न्यन्तस्य, प्रतिपादको बोधक शब्द काव्य काव्यपदेन व्यपदेश्य इति शब्दार्थः। रमणी-  
यार्थप्रतिपादकत्वे मते शब्दत्वमिति तावज्ज्ञानम्। तत्र रमणीयस्याहुरागाद्ययस्य व्यङ्ग्ये  
रुद्रमनेनेनाद्यर्थेऽनिव्याप्तिं विरचितुं विशेष्यदलम्। अत्र वन्कारकार्यबोधके 'घटमानद्य'  
इत्यदिवाक्येऽतिप्रसङ्गनिरासार्थमथेत्य रमणीयत्वविशेषणम्। रमणीयार्थनिरूपितस्य वाच-  
कत्वस्य निष्पत्तेः तादृगर्थव्यङ्ग्ये, व्यङ्ग्यत्वस्य निवेद्ये च तत्राविधायकत्वके शब्देऽन्यत्ति  
विरचितुं तदुभयनानारणस्य प्रतिपादकत्वस्य प्रवेशः। रमणीयशब्दप्रतिपादके व्याकरणेऽ-  
तिव्याप्तिं परिहर्तुं चार्थस्य प्रवेशोऽवश्यः।

काव्य लक्षण के स्वरूप कहते हैं—'रमणीय' इत्यादि।

रमणीय अर्थ के प्रतिपादन करने वाला—अर्थात् जिस शब्द से रमणीय अर्थ का बोध

हो, वह शब्द काव्य है। इस लक्षण में यदि 'शब्द' पद नहीं कहें, अर्थात् 'रस के प्रतिपादन करने वाला जो हो वह काव्य है' इतना ही लक्षण करें, तो रमणीय रूप अर्थ को व्यक्त करने वाला रमणी-ऋटाक्ष-निचेप भी काव्य हो जायगा, अतः का निवेश लक्षण में किया गया है। अर्थ में रमणीय विशेषण लगाने का फल, अर्थ-बोधक 'घटमानय' इत्यादि साधारण वाक्यों में काव्यत्व का निरास समझना वाचक, लक्षक, व्यञ्जक ये जो तीन प्रकार के शब्द साहित्यशास्त्र में स्वीकृत : तीनों ही काव्य कहला सकते हैं, यदि उनके अर्थ (वाच्य अथवा लक्ष्य किंवा रमणीय हों, इसी अर्थ को सूचित करने के लिये लक्षण में 'वाचक अथवा अ कहकर सामान्य 'प्रतिपादक' पद कहा गया है। रमणीय शब्द के प्रतिपादक तो के भी शब्द हैं, उनमें काव्यत्वापत्ति न हो जाय इसलिये 'अर्थ' पद का निवेश समझना

लोकवैचित्र्यनिष्ठानिष्ठान्या रमणीयताया अव्यवस्थानादव्यवस्थितिमाचष्टे—

रमणीयता च लोकोत्तराह्लादजनकज्ञानगोचरता ।

चकारस्त्वर्थक । लोकोत्तरस्यालौकिस्य, आह्लादस्यानन्दस्य, जनकमुत्पादक तद्वोचरतातद्विरूपितविषयतारूपाऽर्चनिष्ठा रमणीयतेत्यर्थ ।

अर्थ में रमणीयता क्या हो 'सकती है ? यदि आप कहें अच्छा लगना ही रमणीयता है, तो मैं कहूँगा कि बात आपकी ठीक है, परन्तु यह रमणीयता अह होगी, कारण ? रुचिभेद से एक ही अर्थ किसी को अच्छा और किसी को बुरा लग है, अतः ग्रन्थकार व्यवस्थित रमणीयता का निर्वाचन करते हैं—'रमणीयता च' इत्य जिसके ज्ञान से लोकोत्तर ( अलौकिक ) आनन्द उपलब्ध हो, वह अर्थ रमणीय

नन्वाह्लादनिष्ठ लोकोत्तरत्व सातिशय निरतिशय वा ? , आद्ये तन्निवेशेऽपि नामानन्दाना पूर्ववत् सद्ब्रह्मेणानुगमः, द्वितीये तु ब्रह्मानन्दस्यैव तेन ग्रहणाद रित्यतो लोकोत्तरत्व निर्वक्ति—

लोकोत्तरत्वं चाह्लादगतश्चमत्कारत्वापरपर्यायोऽनुभवसाक्षिको जातिवि

आह्लादगत आनन्दनिष्ठः, चमत्कारत्वं विस्मयलक्षण-चित्तविस्तारात्मकवृत्ति विशेषोऽपर पर्यायो नामान्तर यस्य तादृश, तथा अनुभव सहृदयसमवेत प्रत्यक्ष चर्चा साक्षी प्रमाण यस्मिंस्तथाभूतश्च, जातिविशेषो विलक्षणसामान्यम् । अनुभवसाक्षिक 'सचेतसामनुभव प्रमाण तत्र केवलम्' इति दर्पणदर्शितस्तत्र प्रत्यक्षेतरप्रमा बोध्यते । तथा चान्येषामानन्दानामेतादृशलोकोत्तरत्ववैयुर्थात् सद्ब्रह्मीतुमशक्यत्वान्न

अब प्रश्न यह उठता है कि लोकोत्तर आनन्द किसको कहेंगे ? अर्थात् आ लोकोत्तरत्व यदि सातिशय ( जिससे बढ़ा दूसरा भी आनन्द हो सकता हो, विवक्षित मानेंगे, तब लोकोत्तर कहने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि व्यक्तिभेद से-रु मित्र-मित्र आनन्द लोकोत्तर सिद्ध हो जायगा, जिससे अव्यवस्था बनी ही रहे आनन्दगत लोकोत्तरत्व निरतिशय ( जिससे बढ़ा दूसरा आनन्द न हो ) विवक्षित तो ब्रह्मानन्द के अतिरिक्त आनन्द ( काव्यानन्द, जिसको विषयसम्पृक्त होने ब्रह्मानन्द सहोदर होने पर भी उससे भिन्न माना गया है ) सगृहीत नहीं हो जिसका संग्रह करना ही इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है, इसलिये इन दोनों से लोकोत्तरत्व का निर्वाचन करते हैं—'लोकोत्तरत्वश्च' इत्यादि । कहने का तात्पर्य कि यहाँ का लोकोत्तरत्व सातिशय, निरतिशय, कुछ नहीं, घटत्व, पटत्व जैसा अ रहने वाला एक जातिविशेष है, चमत्कारत्व जिसका दूसरा नाम है, सहृदयों का ही इस जाति की सत्ता में प्रमाण है, अर्थात् जिस जिस आनन्द में सहृदयों को 'लो लोकोत्तरः' ऐसा अनुभव हो, वही आनन्द लोकोत्तर है । साहित्यदर्पणकार विश्व

भी इस प्रसङ्ग में कहा है—'सचेतसामनुभव' प्रमाण तत्र केवलम्' अत्र अव्यवस्था की शङ्का नहीं हो सकती है ।

नन्वीदृश लोकोत्तरश्चमत्कारं को जनयतीत्याकाङ्क्षायामाह—

कारणं च तदवच्छिन्ने भावनाविशेष' पुनःपुनरनुसन्धानात्मा ।

चस्त्वर्थे । तदवच्छिन्ने चमत्कारस्वरूप-लोकोत्तरत्वजात्यवच्छिन्नेऽलौकिकाद्वादे, पुन-पुनरनुसन्धानं काव्यार्थस्य भूयोभूय समानविषयक स्मृतिविशेष आत्मास्वरूप यस्य, तादृशो भावनाविशेषस्तु कारणमित्यर्थः । इह न्यायनयोक्तभावनाऽऽख्यसस्कारस्य व्यवच्छेदाय पुनरित्यागुपात्तम् । काव्यार्थस्य निरन्तरस्मरणेनैव लोकोत्तराद्वादो जन्यते, न त्वन्यादृशार्थज्ञाननात्रेणेत्याशयः । केचित् तार्किकाङ्गीकृतभावनाया सस्कारात्मकत्वेन ज्ञानजन्यत्वात् पुनःपुनरनुसन्धानादात्मा यस्येति व्यधिकरणबहुत्रोहिरिहेत्यपि वदन्ति ।

पूर्वाक्त लोकोत्तर आनन्द की सृष्टि करने वाले कारण का निर्देश करते हैं—'कारण च' इत्यादि । चमत्कारत्वापरपर्याय लोकोत्तरत्व जाति से अवच्छिन्न परिचित अर्थात् विशिष्ट लोकोत्तर आनन्द में पुनः पुनः अनुसन्धानरूप अर्थात् धारावाहिक, भावनाविशेष शाब्दबोधोदात्मक-अनुभव ही कारण है । सार यह समझना चाहिये कि जब हम किसी काव्यवाक्य को सुनते हैं, तब शक्ति स्मरणादि जो शाब्दबोध की सामग्री मानी गई है, तदनुसार पहले वाच्यार्थ बोध होता है, तदुत्तर यदि वहा व्यङ्ग्य अर्थ रहा, तो व्यञ्जना वृत्ति द्वारा उसका बोध होता है, जो सहृदयों को अच्छा लगता है, अतः सहृदयजन वार वार उस बोध को करना चाहते हैं, जिसके लिए पुनः पुनः उन शब्दों को पढ़ते हैं, इस तरह संपन्न की गयी वह बोधधारा सहृदयों की आत्मा में पूर्वाक्त लोकोत्तर आनन्द को उत्पन्न करती है । जहां व्यङ्ग्य अर्थ नहीं रहता, वहां विलक्षण वाच्यार्थ की तादृश बोधधारा ( भावना ) ही आनन्द की सृष्टि करती है ।

आद्वादे लोकोत्तरत्वनिवेशस्य फल दर्शयति—

'पुत्रस्ते जात' 'धनं ते दास्यामि' इति वाक्यार्थधीजन्याद्वादस्य न लोकोत्तरत्वम्, अतो न तस्मिन् वाक्ये काव्यत्वप्रसक्तिः ।

प्रसक्तिरापत्तिः । यद्यप्येतद्वाक्यद्वयार्थज्ञानेनापि कश्चनानन्दो जन्यत एव, किन्तु तदानन्दस्य प्रागुक्तभावनाविशेषजन्यत्वाभावाद्लोकोत्तरत्वस्य विरहेण रमणीयार्थप्रतिपादकत्वविधुरतया नैतद्वाक्यद्वये काव्यलक्षणातिव्याप्तिरित्यभिसन्धिः ।

आनन्द में लोकोत्तर विशेषण लगाने का फल कहते हैं—'पुत्रस्ते' इत्यादि । यद्यपि 'तुम्हारे घर में लडका पैदा हुआ' 'तुमको मैं धन दूंगा' इन वाक्यों से होने वाली भावना भी आनन्ददायिनी है, तथापि ये वाक्य काव्य नहीं हो सकते, क्योंकि इन वाक्यार्थों की भावना से होने वाला आनन्द लोकोत्तर नहीं है, सहृदयों को उस आनन्द में लोकोत्तरत्व की प्रतीति नहीं होती । मूल लक्षण में यद्यपि 'शब्दः' यह एकवचनान्त प्रयोग किया गया है, तथापि वह एकत्व सख्या विवक्षित नहीं है, अतः सन्नेपतः काव्य का यह स्वरूप हुआ कि 'जिस शब्द अथवा जिन शब्दों के अर्थ की भावना करने से किमी अलौकिक आनन्द की प्राप्ति हो, उसको अथवा उनको काव्य कहते हैं' ।

अथ काव्यलक्षणनिष्कर्ष क्रमेण प्रपन्नयति—

इत्थं च चमत्कारजनकभावनाविषयार्थप्रतिपादक-शब्दत्वम्, यत्प्रतिपादितार्थविषयकभावनात्वं चमत्कारजनकताऽनच्छेदकं तत्त्वम्, स्वविशिष्टजनकताऽवच्छेदकार्यप्रतिपादकताससर्गेण चमत्कारत्ववत्त्वमेव वा काव्यत्वमिति फलितम् ।

इत्थननुना प्रकारेणोक्तार्थसिद्धौ सत्या, चमत्कारस्य लोकोत्तराद्वादस्य जनिका या भावना काव्यार्थविषयकपुनःपुनरनुसन्धानम्, तस्या विषयो योऽर्थः, तस्य प्रतिपादकत्वे सति

शब्दत्वं काव्यत्वमिति फलितमिति सर्वत्रान्वयः । अस्मिन् प्रथमलक्षणे प्रागुक्तं इ विहाय भावनापदप्रवेशस्य प्रयोजन किमिति चेत्, श्रूयताम्—यत्र कस्यचित् पुंसः स वलेन काव्यार्थविषयक तदितराचमत्कारकार्यविषयक चैकमेव समूहालम्बनात्मक ज्ञानं तत्र तदितरावाक्यार्थस्यापि चमत्कारजनक-तत्पुरुषसमवेत-काव्यार्थविषयकज्ञानीयविक्रियत्वेन तत्प्रतिपादकशब्दे काव्यवदकाव्येऽपि काव्यत्वं तदितरावाक्ये प्रसज्येत । भ निवेशे तु, तस्याः स्मृतिविशेषरूपत्वेन समूहालम्बनात्मकत्वविरहाद् विषयान्तरस्य त प्रवेशासम्भवाच्च दोषः । पुनः पुनरनुसन्धानस्य हि युगपदनेकविषयकताया फल सामग्रीसवलनासम्भवः कथञ्चित् कल्पनीयः । सत्कारस्यापि क्वचित् समूहालम्बनत्वमव्यवस्थापितमिति तदुपादानाच्च दोषनिस्तारः ।

अत्रापि लक्षणेऽतिव्याप्तेर्यत्प्रतिपादितेत्यादिना द्वितीयं लक्षणं विहितम् । तथा यत्र कस्यचित् काव्यवाक्यार्थविषयिका निरन्तरोत्पद्यमानतया धारावाहिनी स्मृतिविशेष भावना जायेत, तत्र चमत्कारजनकभावनाविषयोभूताना सर्वेषामेव समानाकाराणा वाक्यार्थाना प्रतिपादकत्वात्सरूपे तादृशवाक्यरुदम्बके काव्यलक्षणातिव्याप्ति स्फुटैव । हि सर्वेषां तादृशवाक्यानां चमत्कारानाघायकत्वात् काव्यत्वं न कस्यापि सम्मतम्, त्वेकस्यैव तेषु कस्यचिदित्यापत्तिरेपितुमपि न शक्या । येन यादृशानुपूर्वीमता शब्द प्रतिपादिते बोधिते, अर्थे निष्ठा वृत्तिमती, या विषयता, तन्निरूपिता या भावना विषयिता, तदवच्छेदकं भावनात्वम्, चमत्कारनिष्ठजन्यतानिरूपित-भावनानिष्ठजनक विषयतासम्बन्धेनावच्छेदकम्, तादृशानुपूर्वीमत्त्वं काव्यत्वमिति लक्षणार्थः । तथा च प्रा वाक्यसमूहरूपशब्दस्य चमत्कारजनकत्वविरहात् तादृशानुपूर्वीमत्त्वाभावाच्चातिव्याप्तिः श्रानुपूर्वी तु तद्वर्णोत्तर-तद्वर्णत्वरूप श्रावणप्रत्यक्षविषयताऽवच्छेदको धर्मः ।

अस्मिन्नपि लक्षणे यदादिपदप्रतिपाद्यार्थाना प्रकारतया शाब्दबोधे विषयीभा वृत्तिज्ञानाधीनतत्तदुपस्थितीना कारणत्वेनापेक्षणाद् गौरवम्, यत्तच्छब्दयोरव्यवस्थितायाऽननुगमश्च द्रूपणं दुरुद्धरमिति स्वविशिष्टेत्यादिना तृतीयं लक्षणमभिहितम् । अत्र संसर्गविधया भासमानाना तदर्थानामुपस्थिते शाब्दबोधेऽनपेक्षणाह्लाषवम्, यत्तच्छब्द विरहादननुगमाभावश्च व्यक्तमवसीयते । स्वशब्दस्तूपात्तोऽपि वैशिष्ट्यघटकार्थोपस्थापक नानुगतार्थक एव । स्वशब्देनात्र चमत्कारत्वस्य ग्रहणम् । तथा च स्वविशिष्टा चमत्कारवच्छिन्नजन्यतानिरूपिता या भावनानिष्ठा जनकता भावनायामर्थस्य विषयतासम्बन्ध विशेषणात् । तदवच्छेदको योऽर्थः, तत्प्रतिपादकत्वं सम्बन्ध, तेन सम्बन्धेन चमत्कारवैशिष्ट्ये सति शब्दत्व काव्यत्वमिति पर्यवसितम् ।

तादृशचमत्कारत्ववत्त्वसमानाधिकरण तदेव काव्यं 'काव्य'मित्याद्यनुगतप्रतीतिविषयताऽवच्छेदकतयाऽऽस्वादि विशेषजनकताऽवच्छेदकतया वा सिद्ध जातिविशेषरूपमुपाधिरूपं लक्ष्यताऽवच्छेदकमिति व्याख्यातारः ।

लक्षणमिदं जगन्नाथस्य न सर्वथा स्वोपज्ञम् 'सत्तेपाद्वाक्यमिष्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावली काव्यम्' इत्याग्नेयेन, काव्यमुपक्रम्य 'शरीरं तावदिष्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावली' इति दक्षिणभट्टेन च प्रतिपादनात् । खण्डनन्तु केवलशब्दवृत्तिकाव्यत्वाङ्गीकारनिरसनप्रसङ्गेन पुरस्तात्कीर्तयित्वा ।

अब नव्य न्याय की शैली से काव्यलक्षण का परिष्कार करते हैं—'चमत्कारजनक इत्यादि । चमत्कार ( लोकोत्तर आनन्द ) को उत्पन्न करने वाली जो भावना ( ज्ञानधारा

द्वारा पहले विनेयी का श्रावण होता है। कविप्रतिभा का प्रधान आधार भी शब्द ही है। अत एव काव्यलेखन में भी पण्डितराज ने 'शब्द काव्य है' इस पर पूरा जोर लगाया है।

जो कोई शब्द चमत्कार पर बल देने वाले कवि को 'शब्दकवि' कहकर एक तरह से उसकी निन्दा करता है, वह वास्तविक विचार न करने के कारण ही वैसा करता है। अर्थचमत्कार से शून्य केवल शब्दचमत्कार भले ही निन्दास्पद ही, परन्तु अर्थचमत्कार के साथ रहने वाला शब्दचमत्कार सोने में सुगन्ध का काम करता है।

### सामयिक प्रभाव

पण्डितराज का आविर्भाव मुगल बादशाहों के विलासमय काल में हुआ था वे स्वयं भी दिल्ली दरवार में रहकर बहुत कुछ उन विलासों का अनुभव किये थे, अतः स्थान-स्थान पर उनकी कविताओं में मुगल-राजधानी के विलासमय चित्र स्पष्ट झलकते देखे जा सकते हैं। रसाभास प्रकरण में बहुनायक विषयक रति का उदाहरण देकर पण्डितराज लिखते हैं कि 'एक अनुपम सुन्दरी कहीं से आ रही थी, मार्ग में बहुतेरे मनचले युवक उसके सौन्दर्य तथा यौवन से वशीभूत होकर उसके पीछे लग गये, परन्तु नयनसुख के अलावा कुछ भी उनको हाथ नहीं लगा, उसकी मधुरवाणी सुनने के लिये भी वे तरसते ही रहे, अन्त में उस नायिका का निवास स्थान भी ओ पहुँचा, वह अपने मवन में प्रवेश करने लगी, अब वेचारे वे युवक क्या करते ? रास्ते पर खड़े हो गये, उनके मन में ही रहा था कि यदि यह अपने श्रीमुख से जाने की आज्ञा भी दे देती, तो हम उस आज्ञा को ही परम लाम मान कर अपनी सेवा को सार्थक समझ लेते, वह चतुर नायिका उनके मनोभावों को समझ रही थी, दूरतक अनुगमन रूप उनके परिश्रम के स्मरण से उसके हृदय में कठणा उमड आई और उसने मुख से तो नहीं परन्तु उन सबों की ओर एक नजर देखकर एक तरह से जाने की आज्ञा दे दी'।

इसी तरह उस समय मुगल जातीय विलासी लोग घर में कबूतरों की जोड़ी पालते थे, यह मुगल जाति की प्रमुख विनोद की चीज थी। आज भी उस सम्प्रदाय के लोग प्रायः उस परम्परा को निभा रहे हैं। पण्डितराज ने उन कबूतरों की जोड़ी पर भी एक मार्मिक कविता लिखी है।

### अन्य अलङ्कार ग्रन्थों से रसगङ्गाधर में सैद्धान्तिक विशेष

सैद्धान्तिक दृष्टि से भी अन्य अलङ्कार-ग्रन्थों की अपेक्षा रसगङ्गाधर में अनेक विशेषताएँ हैं जैसे—काव्यप्रकाश में शब्दार्थ युगल को काव्य माना गया है, रसगङ्गाधर में शब्दमात्र को काव्यप्रकाश काव्य में शुण तथा अलकारों का रहना आवश्यक बतलाता है, पर रसगङ्गाधर ऐसा नहीं करता। काव्यप्रकाश काव्य के प्रति शक्ति, निपुणता और अभ्यास इन तीनों को कारण कहता है, पर रसगङ्गाधर प्रतिभाभाव को काव्य का कारण मानकर अदृष्ट एक व्युत्पत्ति-अभ्यास को स्थान भेद से प्रतिभा का कारण बतलाता है। काव्यप्रकाश के अनुसार उत्तम, मध्यम और अधम भेद से काव्य के तीन प्रकार होते हैं, साहित्यदर्पण के अनुसार अधम भेद भी नहीं होता, उत्तम

१ 'मन कान्ता विचान्ती गवनाशालवलाभलालसेपु ।' (पृ. ३३९)

२ 'अयं तुनश्चिदागच्छन्त्या.....' इत्यादि (पृ. ३४०)

३ 'निगद्य यान्ती तरमा कपोनी कूनल्कपोतस्य पुरोददाने । ...' (पृ. ३८०)

उसका विषय ( जिसकी भावना हो वह ) जो अर्थ, तत्प्रतिपादक शब्द का नाम हुआ काव्य और तादृश शब्दत्व का काव्यत्व । इस प्रथम परिष्कृत लक्षण में ज्ञान पद न कह कर ज्ञानधारा-वाचक-भावना-पद क्यों कहा गया, इस शङ्का का समाधान निम्नलिखित समझना चाहिये । कभी-कभी ज्ञातव्य विषयक ज्ञान सामग्री से होने वाला ज्ञान अकस्मात् विषयान्तरोद्बोधक सामग्री के जुट जाने से उदासीन वस्तु को भी विषयक बना लेता है— अर्थात् ज्ञातव्य तथा उदासीन-दोनों का एक ही ज्ञान हो जाता है, ऐसे ज्ञान को समूहात्म्यन ज्ञान कहते हैं, अब आप कल्पना कीजिये कि—जहाँ 'शून्यं वासगृहम्' इत्यादि काव्यार्थ-विषयक-चमत्कारकारी ज्ञान में उद्बोधकान्तर-समवधान से घटरूप अर्थ भी भासित हो गया, वहाँ काव्यार्थ विषयक होने के नाते चमत्कार-जनक-ज्ञान का विषय घटरूप अर्थ भी हुआ, अतः उस घटरूप अर्थ के प्रतिपादन करने वाला 'घट.' इत्याकारक शब्द में भी काव्यत्व प्राप्त हो जायगा, उसी काव्यत्वापत्ति को हटाने के लिए ज्ञान पद न कह कर भावना पद कहा गया है । भावना पद कहने पर आपत्ति इसलिये नहीं हुई कि एक बार भले ही उद्बोधकान्तर के जुट जाने से काव्यार्थ विषयक ज्ञान में घटरूप अर्थ भासित हो जाय परन्तु काव्यार्थ विषयक ज्ञानधारा में उसका भासित होना असम्भव है, कारण ? अकस्मात् जुटने वाला उद्बोधक वरावर जुटता रहेगा, ऐसी सम्भावना नहीं की जा सकती है । यदि कोई वादी ऐसा दुराग्रह करे कि—हा, महाशय, जब-जब काव्यार्थ-विषयक ज्ञान हुआ तब-तब, उद्बोधक जुटता ही रहा, उदासीन वटादि रूप अर्थ उस ज्ञान में भासित होता ही गया, तब तो भावना पद निवेश से भी निस्तार नहीं, अतः 'यत्प्रतिपादितार्थ' इत्यादि द्वितीय परिष्कृत लक्षण करने की आवश्यकता हुई, जिससे वादी का उक्त दुराग्रह भी दूर हो जाय, कहने का आशय यह है कि—'शून्यवासगृहम्' इत्यादि काव्य वाक्य तथा 'घट' इन दोनों शब्दों से प्रतिपादित-अर्थ-विषयक-भावना के एक होने पर भी काव्य शब्द प्रतिपादितार्थ विषयक भावनात्व, एवं 'घट.' इत्यादि उदासीन शब्द प्रतिपादितार्थविषयक भावनात्व एक नहीं, भिन्न है । इस स्थिति में चमत्कार-जनकता का अवच्छेदक ( परिचायक ) काव्य शब्द प्रतिपादितार्थविषयक भावनात्व ही हो सकता है, दूसरा नहीं, क्योंकि—जिसका जो धर्म अन्यून ( अल्पदेश में न रहने वाला ) और अनतिप्रसक्त ( अधिक देश में न रहने वाला ) होता है, वही धर्म उसका अवच्छेदक हो सकता है, उदासीन 'घट.' इत्यादि शब्द-प्रतिपादितार्थ-विषयक-भावनात्व शुद्ध 'घट' इत्यादि शब्द-प्रतिपादितार्थ-विषयक-भावना पर भी है, जहाँ चमत्कार-जनकता नहीं है, अतः वह अधिक देशवृत्ती ( अतिप्रसक्त ) धर्म होने से चमत्कार-जनकता का अवच्छेदक समूहात्म्यन स्थल में नहीं होगा, फिर द्वितीय लक्षण के हिसाब से उक्त स्थल में आपत्ति नहीं हुई । किन्तु इस द्वितीय लक्षण में भी एक नई आपत्ति यह उपस्थित हो जाती है कि—यह लक्षण उस यत् और तत् पद से घटित है, जिसका अर्थ अननुगत है—अर्थात् कोई एक निश्चित नहीं है, अतः तादृश यत्तत् पद घटित लक्षण भी अननुगत होगा, फिर लक्षण बनाने का उद्देश्य ( अनुगम करना ) सिद्ध नहीं हो सकेगा, दूसरी बात यह है कि काव्यपद शक्यतावच्छेदक गुरु हो जाने से गौरव भी होगा, अर्थात् लक्षण को लघु होना चाहिये, सो नहीं हुआ, इसलिये 'स्वविशिष्टजनकता' इत्यादि तृतीय लक्षण का अवतार समझना चाहिये । तृतीय परिष्कार के अनुसार काव्य का लक्षण 'चमत्कारत्ववत्' मात्र हुआ, जो न बड़ा है, न यत्, तत् पद घटित ही, अतः गौरव किंवा अननुगम की शङ्का जाती रही । यहाँ लोकोत्तरत्व का पर्यायवाची चमत्कारत्व जाति विशेष माना गया है, जो, यद्यपि साक्षात्सम्बन्ध ( समवाय ) से चमत्कार-लोकोत्तर आनन्द में ही रह सकता है, काव्य में नहीं तथापि ग्रन्थोक्त 'स्वविशिष्टजनकतावच्छेदकार्य प्रतिपादकता' रूप परम्परा सम्बन्ध से काव्य में रहेगा । यद्यपि यह सम्बन्ध लम्बा अवश्य है, तथापि सम्बन्ध लक्षण घटक नहीं कहलाता, इसलिये भव उक्त दोषों का प्रसङ्ग नहीं उपस्थित हो सकता,



ऐसा समझना चाहिये । इस सम्बन्ध में स्वपद से चमत्कारत्व का ग्रहण करना चाहिये, समवाय सम्बन्ध से तद्विशिष्ट होगा चमत्कार, उसकी (तन्निरूपित) जनकता रहेगी भावना (ज्ञानधारा) में, उस जनकता से निरूपित विषयता सम्बन्धावच्छिन्न अवच्छेदकता रहेगी काव्यार्थ में, अर्थात्—विषयता सम्बन्ध से काव्यार्थ भी भावना में प्रकार होता है, अतः वह (काव्यार्थ) भी भावनानिष्ठ जनकता का अवच्छेदक होगा—उस, काव्यार्थ का प्रतिपादक होगा शब्द, अतः तादृश प्रतिपादकता सम्बन्ध से स्व (चमत्कारत्व) शब्द में रहेगा । इसी तरह से लक्षण का समन्वय करना चाहिये ।

इत्य स्वकीयं काव्यलक्षण प्रतिपाद्य काव्यप्रकाशकृतस्तत् सण्डयितुमुपक्रम्य तत्र प्रथमं विशेष्यदलेऽर्थस्य निक्षेपमाक्षिपति—

यत्तु प्राञ्चः—‘अदोषौ सगुणो सालङ्कारौ शब्दार्थौ काव्यम्’ इत्याहुः । तत्र विचार्यते—शब्दार्थयुगलं न काव्यशब्दवाच्यम्, मानाभावात्, ‘काव्यमुच्चैः पठ्यते’ ‘काव्यादर्थोऽवगम्यते’ ‘काव्यं श्रुतम्, अर्थो न ज्ञातः’ इत्यादिविश्वजनी-नव्यवहारतः प्रत्युत शब्दविशेषस्यैव काव्यपदार्थत्वप्रतिपत्तेश्च ।

तुना वक्ष्यमाणाऽरुचि सूच्यते । प्राञ्च काव्यप्रकाशकारा । आहुरित्यभिप्रेतान्वय । विचार्यते युक्तयुक्तत्वमितिशेष । विश्वेभ्यः सर्वेभ्यो जनेभ्यो हितो विश्वजनीनो व्यवहार । प्रत्युतोक्तवैपरीत्ये । एवकार शब्दार्थयोरर्थमात्रस्य व्यञ्जच्छेदक ।

प्राचीन शब्दार्थोभयस्य काव्यत्वमङ्गीक्रियत इति न शोभनम्, यत शब्दार्थयोः काव्यत्वस्य ज्ञापक किञ्चिदपि प्रमाण नोपलभ्यते । किञ्चार्थस्य कण्ठतात्वाद्यभिघातजन्योच्चारणलक्षणपाठायोर्यत्वेन ‘काव्यमुच्चैः पठ्यते’ इत्यादिरूप, अर्थस्यापि काव्यपदार्थत्वेन पृथक् तदुल्लेखानर्हत्वात् ‘काव्यादर्थोऽवगम्यते’ इत्यादिरूप, अर्थस्य श्रवणासम्भवात् काव्यपदार्थत्वेनैव सद्राश्रयत्वाच्च ‘काव्यं श्रुतम्, अर्थो न ज्ञातः’ इत्यादिरूपश्च सर्वानुमतो व्यवहारो नोपपद्यते । अर्वाचीनमते तु प्रमाणान्तराभावेऽपि, शब्द विशेषमात्रस्य काव्यत्वाभ्युपगमेन प्रादुर्भवन्ती तद्व्यवहारोपपत्तिरेव प्रमाणीभवतीति तत्त्वम् ।

अथ पण्डितराज स्वसम्मत काव्यलक्षण निरूपण कर लेने के बाद प्राचीन आचार्य द्वारा किए गये काव्य लक्षणों के खण्डन प्रसङ्ग में सर्वप्रथम काव्यप्रकाशकार मर्मत कृत लक्षण की चर्चा करते हैं—‘यत्तु प्राञ्च.’ इत्यादि । काव्यप्रकाशकार ने ‘दोपरहित, गुण तथा अलङ्कार सहित शब्दार्थ युगल’ को काव्य माना है, हां, अलङ्कार के अंश में इतनी छूट उन्होंने अवश्य दी है कि—कहीं—कहीं स्पष्ट अलङ्कार नहीं रहने पर भी और अंश के रहने पर शब्दार्थसमूह को काव्य कहा जा सकता है, परन्तु पण्डितराज जगन्नाथ के विचार से यह लक्षण ठीक नहीं है, कारण ? पहले ‘शब्दार्थ युगल’ को काव्य मानने में कोई प्रमाण नहीं । प्रत्युत ‘काव्य जोर से पढ़ा जा रहा है, काव्य से अर्थ समझा जाता है, काव्य सुना अर्थ ज्ञात न हो सका’ इत्यादि सार्वजनिक व्यवहार से विशिष्ट प्रकार का शब्द ही काव्य सिद्ध होता है, अर्थ नहीं क्योंकि ‘शब्द और अर्थ’ दोनों को काव्य मानने पर उक्त व्यवहार नहीं बन सकते—अर्थात् यदि अर्थ भी काव्य होता तो उसका पाठ कैसे सम्भव हो सकता। अर्थ के भी काव्य के अन्दर आ जाने पर काव्य से अर्थ का समझना भी नहीं बन पड़ता, और अर्थमिश्रित काव्य का श्रवण भी समुचित नहीं जान पड़ता, अतः शब्दमात्र को ही काव्य मानना ठीक है ‘शब्द अर्थ’ दोनों को नहीं ।

प्रतिपक्षिपक्षमुपक्षिव्याक्षिपति—

व्यवहारः शब्दमात्रे लक्षणयोपपादनीय इति चेत्, स्यादप्येवम्, यदि काव्यपदार्थतया पराभिमतं शब्दार्थयुगले काव्यशब्दशक्तेः प्रमापकं दृढतरं किमपि प्रमाणं स्यात् । तदेव तु न पश्यामः ।

व्यवहार 'काव्यमुच्चै पठ्यते' इत्यादिशब्दप्रयोगरूपः । अवयवावयविभावरूपशक्य-  
सम्बन्धमूलकगौणवृत्त्या । पराभिमतं काव्यप्रकाशकारादिसम्मतं । काव्यशब्दशब्दो काव्यपद-  
निष्ठाभिधायः । प्रमाणकं ज्ञापकम् । तदेव शब्दार्थोभयशक्तिग्राहकं प्रमाणमेव ।

यथा 'पूर्वं पञ्चाला' इत्यादौ समस्तपञ्चालदेशवाचकानां पञ्चालादिशब्दानां तदेकदेशे  
लक्षणाया प्रयोगः, तथैवोक्तव्यवहारेषु शब्दार्थोभयवाचकस्य काव्यशब्दस्य स्वार्थैकदेशे शब्द-  
मात्रे लक्षणाया स्वीकारेण व्यवहाराणामुपपत्तिः स्यादित्यपि वक्तुं न युक्तम्, काव्यपदनि-  
ष्ठायाः शब्दार्थोभयनिरूपिताभिधायः ग्राहकस्य कस्यचिदपि प्रमाणस्यानुपलम्भादिति तात्पर्यम् ।

यदि आप कहें कि—जहाँ शब्दमात्र के लिये काव्य पद का प्रयोग किया गया हो, वहाँ  
लक्षणावृत्ति से काम लिया गया है, अर्थात्—उक्त व्यावहारिक वाक्यों में काव्यपद का  
लाक्षणिक प्रयोग है, शब्दार्थ युगल पाचक काव्यपद का प्रयोग लक्षणावृत्ति के द्वारा केवल  
शब्द में भी हो सकता है, जैसे समस्त-पाञ्चाल-देश-वाचक पाञ्चाल शब्द का प्रयोग  
'पूर्वं पाञ्चाला' इत्यादि स्थलों में देश के एक भाग में भी लक्षणा से होता है, इस तर्क का  
उत्तर पण्डितराज यह देते हैं कि—आपका यह ( लक्षणा द्वारा काम चलाने वाला ) कथन  
तब सङ्गत हो सकता था, जब आप किसी प्रबल प्रमाण से यह सिद्ध कर दें कि काव्यपद  
का मुख्य ( वाच्य ) अर्थ 'शब्द और अर्थ' दोनों ही हैं । परन्तु ऐसा प्रमाण ही तो नहीं  
दृष्टिगोचर होता ।

ननु तत्र कथं प्रमाणाभावः, प्रमाणान्तरविरहेऽपि काव्यप्रकाशकारादिप्राचीनोक्तैरेव  
प्रमाणत्वादित्यत आह—

विमतवाक्यं त्वश्रद्धेयमेव ।

अनुपपत्तिप्रकटनेन तन्मतनिराकरणपरैरस्माभिस्तद्वाक्यमेव कथं प्रमाणत्वेन विश्वसनीय-  
मिति भावः ।

यदि आप कहें कि प्रमाण क्यों नहीं दृष्टिगोचर होता ? क्या आप शब्दप्रमाण को नहीं  
मानते ? अर्थात् आचार्य मम्मट का वाक्य ही शब्दार्थ युगल को काव्यपद वाच्य होने  
में प्रमाण है । हाँ, शब्द को मैं प्रमाण मानता हूँ, परन्तु आप के शब्द को—वादी के शब्द  
को नहीं, मम्मट तो वादी हैं उन्हीं के साथ मेरा विवाद है फिर उनके शब्द को ही  
प्रमाण कैसे मान लें ?

उपसहरति—

इत्थं चासति काव्यशब्दस्य शब्दार्थयुगलशक्तिग्राहके प्रमाणे प्रागुक्ताद्  
व्यवहारतः शब्दविशेषे सिद्धयन्तीं शक्तिं को नाम निगदयितुमीष्टे ।

इत्य प्रतिपक्षिवाक्यस्याश्रद्धेयत्वेनाप्रामाण्येन । प्रागुक्तात् 'काव्यमुच्चै पठ्यते' इत्यादि-  
रूपान् । शब्दविशेषे रमणीयार्थप्रतिपादकशब्दमात्रे । को नाम नैवकश्चित् । ईष्टे शक्नोति ।

इदमुच्यते—'शक्तिप्रह व्याकरणोपनान-कोशाप्तवाक्याद् व्यवहारतश्च ।

वाक्यस्य शेषाद् विवृतेर्वदन्ति, सान्निध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धा ।'

इति तार्किकसिद्धान्तादिह व्याकरणादिशक्तिग्राहकप्रमाणान्तरानुपलम्भेऽपि पूर्वं कथितो  
व्यवहार एव काव्यपदस्य शब्दमात्रशक्तिप्रहे प्रमाणम्, तस्यापि शक्तिग्राहककोशवृत्तेजान् ।

इस तरह जब कि 'शब्द और अर्थ' दोनों में काव्यपद की अभिधाशक्ति को सिद्ध  
करने वाला कोई प्रमाण नहीं है, तब पूर्वोक्त व्यवहाररूप प्रमाण से शब्दमात्र में सिद्ध होने  
वाली काव्य-पद-शक्ति को कौन रोक सकता है ।

एकतरपक्षे विनिगमनाच्चिरहादुभयत्र शब्दार्थयोः काव्यशब्दशक्तिं स्वीकुर्वता मतं निराकरोति—

एतेन विनिगमनाऽभावादुभयत्र शक्तिरिति प्रत्युक्तम् ।

एतेन पूर्वोक्तव्यवहाररूपविनिगमरूपावेन । एकतरपक्षपातिनी युक्तिर्विनिगमना । प्रत्युक्तं खण्डितम् ।

इसी से 'शब्दमात्र को काव्य मानने में कोई विशेष युक्ति नहीं है, इसलिये 'शब्द और अर्थ' दोनों को काव्य मानना चाहिये' इस तर्क का भी उत्तर हो जाता है, क्योंकि शब्दमात्र को काव्य मानने में पूर्वोक्त-लौकिक-व्यवहाररूप-विनिगमक ( एकतरपक्षपातिनीयुक्ति) वर्तमान है ।

पर्यवसितमाचष्टे—

तदेवं शब्दविशेषस्यैव काव्यपदार्थत्वे सिद्धे, तस्यैव लक्षणं वक्तुं युक्तम्, न तु स्वकल्पितस्य काव्यपदार्थस्य ।

प्राक् प्रदर्शितव्यवहारैर्यदा काव्यपदस्य शब्दविशेषमात्रे शक्तिर्निर्धारिता, तदा तादा-शब्दमात्रवृत्त्येव काव्यस्य लक्षणं कथयितुमुचितम्, न पुनः शब्दार्थोभयवृत्तीति सारम् ।

इस तरह विशिष्ट प्रकारक शब्द को ही काव्य सिद्ध हो जाने पर तदनुसार शब्दमात्र-गत-काव्यलक्षण बनाना उचित है, न कि अपनी ओर से काव्यरूप में कल्पित-शब्दार्थ-युगल-गत लक्षण बनाना ।

स्वमतं द्रढयितुं प्रसङ्गादाह—

एषैव च वेदपुराणादिलक्षणेऽपि गतिः । अन्यथा तत्रापीय दुरवस्था स्यात् ।

एषैव शब्दविशेषमात्रवृत्तित्वस्वीकृतिरेव । गतिरुपाय । आदिपदेनेतिहासप्रभृतिपरिग्रहः ।

अन्यथा वेदत्वादेरपि शब्दार्थोभयवृत्तित्वस्वीकारे । दुरवस्थातत्तद्व्यवहारविरोधापत्तिः ।

'वेद उच्चं पठ्यते' 'वेदादर्थोऽत्रगम्यते' 'वेद' श्रुत, 'अर्थो न ज्ञात' इत्यादितत्तद्व्यव-हारेभ्यो वेदपुराणादिशब्दानामपि शब्दविशेष एव शक्तिमवधार्य शब्दविशेषमात्रवृत्त्येव वेदादिलक्षणं विधेयम् । शब्दार्थोभयवृत्तितत्त्वक्षणनिर्माणे तु काव्यवद् व्यवहारविरोधः स्फुट एवेत्याशयः ।

एतच्च 'सर्वविशेषजनकताऽवच्छेदकजातिभेदकफलोद्देश्यकभ्रमाजन्यप्रयत्नविषयवाक्य'-परम्परा ग्रन्थ । तद्वृत्तिग्रन्थत्वं जाति । ग्रन्थत्वव्याप्या एव वेदत्वादिजातयः । इत्यादि-सन्दर्भेण काव्यप्रकाशविवरणो विस्तरेण प्रपञ्चितम् ।

स्वमत को पुष्ट करने के लिये प्रसङ्ग प्राप्त विषयान्तर की चर्चा करते हैं—'एषैव च' इत्यादि । वेद, पुराण, इतिहास, प्रभृति के लक्षणों के सम्बन्ध में भी यही उपाय करना होगा, अर्थात् इन सबों का लक्षण भी शब्दविशेष मात्र वृत्ती ही बनाना चाहिये अन्यथा वहाँ भी इसी तरह की गड़बड़ी होगी, कहने का तात्पर्य यह है कि—यदि शब्दार्थ समूह को वेद आदि मानेंगे तो 'वेद जोर से पढ़ा जाता है, वेद से अर्थ समझा जाता है, वेद सुना, अर्थ समझ में नहीं आया' इत्यादि व्यवहार विरुद्ध हो जायेंगे ।

प्राचीनमत पुनरापाद्यावद्यति—

यत्त्वास्वादोद्बोधकत्वमेव काव्यत्वप्रयोजकम्, तच्च शब्दे-चार्थे चाविशिष्ट-मित्याहुः, तन्न, रागस्यापि रसव्यञ्जकताया ध्वनिकारादिसकलालङ्कारिकसम्मत-त्वेन प्रकृते लक्षणीयत्वापत्तेः । किं बहुना नाट्याङ्गाना सर्वेषामपि प्रायशस्तथा-त्वेन तत्त्वापत्तिर्दुर्वारैव ।

आहुरित्यनेन यत्त्वित्यन्वेति । अविशिष्ट तुल्य साधारणमिति यावत् । रागस्य सङ्गीताङ्ग-शासनोक्त-गीतस्वरविशेषस्य भैरवादिसञ्ज्ञकस्य । गीतशब्दाना रसव्यञ्जकता च्चनिकृता-नृतीयोद्बोधते दर्शिता । लक्षणीयत्वापत्ते रागस्यापि रसव्यञ्जकतायाऽऽस्वादोद्बोधकत्वलक्षण

लक्ष्यताऽवच्छेदकान्तरत्वेन तत्र काव्यलक्षणातिव्याप्यापत्ते । सर्वेषां नाट्याङ्गानां भरतोक्तानां नातोद्यत्तराङ्गहारार्थानाम् । प्रायशो वाहृत्येन, तेन कस्यचित् तदभावोऽपि । तथात्वेना-  
त्वादौद्रोघकन्वेन । तथात्वापत्तिः । काव्यत्वातिव्याप्तिः ।

‘अलौकिकत्वादस्यैव काव्यस्य प्रधानप्रयोजनत्वेनाभियुक्तोच्चेस्तद्व्यञ्जकत्वमेव काव्यत्वं  
वक्तुं युक्तम् । आत्वादव्यञ्जकता च क्वचिच्छब्दे क्वचिदर्थे क्वचिच्चोभयत्रेत्यनायत्या शब्दार्थयो-  
रेव काव्यत्वमभ्युपगन्तव्यम्, न पुनः शब्दमात्रे’ इति कैयचिन्मतमसङ्गतम्, आत्वादव्यञ्ज-  
कत्वमात्रस्य रम्यञ्जकेषु रागेषु कृतिपथेषु नाट्याङ्गेषु चातिप्रसक्तत्वात् । न चेष्टाऽऽपत्तिः,  
तेषामुपदेशादिप्रयोजनान्तरानुत्पादकत्वादित्याकृतम् ।

यहाँ मम्मट-मत-समर्थक कुछ लोग एक और नवीन तर्क उपस्थित करते हैं । उनका  
कथन यह है कि—काव्य उसको कहना चाहिये, जिससे रस का उद्बोध होता हो, जिससे  
सहृदयों को अलौकिक आहाद प्राप्त होता हो और उस आहाद को देने की शक्ति शब्द  
और अर्थ दोनों में समानरूप से है, अतः ‘शब्द और अर्थ’ दोनों को काव्य कहना न्याय  
प्राप्त है । पण्डितराज का कथन है—आपका यह तर्क ठीक नहीं । यदि रस को उद्बुद्ध  
करने वाली जो भी चीज हो उसको काव्य माना जाय तो राग को भी काव्य मानना  
पडेगा क्योंकि ध्वनिकार ‘आनन्दवर्धन’ आदि सभी साहित्यिक मनीषियों ने राग को रस  
व्यञ्जक माना है । यदि आप कहें कि—राग को भी काव्य मान लेने में आपत्ति ही क्या  
है, तो सुनिये—रम्यञ्जक होने से यदि किसी को काव्य माना जाय, तो फिर राग मात्र  
को ही काव्य मान लेने से छुटकारा योडे ही मिल जायगा, नाटक के जितने अङ्ग ( नृत्य,  
वाद्य, नेपथ्य सामग्री, आदि ) हैं सभी को काव्य मानना पडेगा, जो किसी को भी इष्ट  
नहीं हो सकता ।

आशिक मतान्तर निरस्यति—

एतेन रसोद्बोधनसमर्थस्यैवात्र लक्ष्यत्वमित्यपि परास्तम् ।

एतेन रागादिच्छतिप्रसङ्गेन । रसोद्बोधनसमर्थस्यैव व्यञ्जना, तच्च शब्दव्यञ्जकत्वात्तन्मि-  
भयोरेव काव्यत्वं । लक्ष्यत्व काव्यत्वस्येति शेषः । अपिना पूर्वमतमप्रहं ।

इसो कारण से ‘जो रसोद्बोधन में समर्थ हो—जिसमें सहृदयों का आत्मानन्द जाग्रत  
हो उठे—वही काव्यलक्षण का लक्ष्य है’ यह कथन भी खण्डित समझना चाहिये ।

उक्तमतानि पुनर्विचल्योपन्यासेन दूषयति—

अपि च काव्यपदप्रवृत्तिनिमित्तं शब्दार्थयोर्व्याप्तकम् ? प्रत्येकपर्याप्तं वा ?  
नाद्यः, ‘एको न द्वौ’ इति व्यवहारस्येव ‘श्लोकवाक्यं न काव्यम्’ इति व्यवहारस्या-  
पत्ते । न द्वितीयः एकस्मिन् काव्ये काव्यद्वयव्यवहारापत्ते ।

प्रवृत्तिनिमित्तं शक्यताऽवच्छेदकम्, ‘वाच्यत्वे सति, वाच्यवृत्तिन्वे सति, वाच्योपस्थि-  
तिमन्तरत्वं’ इति तल्लक्षणस्यान्यत्राभिधानात् । व्यामक्तं व्यामज्यवृत्तिः एकमेवोभयं व्याप्य  
तिष्ठत् । प्रत्येकमेवमित्तेकस्मिन् शब्दे चार्थे च पर्याप्तं पर्याप्तमन्यन्वेन विद्यमानम्,  
नतुभयवृत्तिः । वाशब्दो विकल्पार्थकः । नाद्यं पदं नतत इति शेषः, न च काव्यत्वस्य  
शब्दार्थोभयव्यामक्तत्वप्रतिपादकः । द्वितीयस्तु प्रत्येकपर्याप्तत्वप्रतिपादकः ।

प्रत्येकवृत्तिर्मावच्छिन्नानुयोगितानिरूपकस्य, व्यामज्यवृत्तिर्मावच्छिन्नप्रतियोगितानि-  
पकस्य तु भेदस्येष्टत्वात् ‘एको न द्वौ’ इति व्यवहारः ‘घटो न घटपटौ’ इत्यादि व्यवहारत्वं  
यथाभवति, तथैव प्रकृते काव्यत्वस्य शब्दार्थोभयव्यामज्यवृत्तितायाः स्वीकृतं श्लोकवाक्यान्म-  
कशब्दनात्रपर्याप्तित्विरहाच्छ्लोकवाक्यत्वावच्छिन्नानुयोगिताक-तादृशशब्दार्थोभयत्वावच्छिन्न-

प्रतियोगिताकभेदस्य सुवचत्वेन 'श्लोकवाक्यं न काव्यम्' इति व्यवहारो भवेत् । गब्दमात्र-पर्याप्त्यङ्गीकारे तु भेदीयप्रतियोगिताऽवच्छेदकानुयोगिताऽवच्छेदकयोरेक्याद् 'घटो न घटः' इत्यादिवन्न तथा व्यवहारस्यापत्तिः । शब्दे चार्थे च प्रत्येकमपि काव्यत्वं पर्याप्त्या वर्तते इत्यास्थाने पुनः शब्दांशे पृथक् काव्यत्वम् अर्थार्थे च पृथक् तदादाय सर्वाभिमत एकस्मिन्नपि काव्ये 'काव्यद्वयमिदम्' इति व्यवहारस्यापत्तिः । न चैतावता का क्षतिरिति वाच्यम्, तादृशस्थले 'नैकं काव्यम्' इत्याकारकौत्तरकालिकवाद्यप्रह्विरहात् 'एकं काव्यम्' इति प्रमाऽऽत्मकप्रतीत्युच्छेदापत्तेरिति भावः ।

महामहोपाध्यायगोकुलनाथचरणास्तु—'यद्यप्यर्थो न कविकर्म, तथाऽपि प्रथमप्रकाश-मेवात्र कर्माभिधीयते । अन्यथा शब्दनित्यतावादे मौनिना लिखित्वा ज्ञापिते च शब्देऽपि कविकर्मत्वं न स्यात् । तथाच विनिगमनाविरहादर्थविशेषावरुद्धः शब्द इव शब्दविशेषावरुद्धोऽर्थोऽपि लोकोत्तरचमत्कारव्यञ्जकतया काव्यमित्युभयो प्राधान्येन निर्देशः । 'काव्यं शृणोति' इति व्यवहारस्त्वर्यार्थेऽपि शाब्दबोधार्थकशृणोतिनोपपादयितुं शक्यते 'आत्मा श्रोतव्यः' इति वत् । यत्तु 'शरीरं तावदिष्टार्थ-व्यवच्छिन्ना पदावली' इति वचनम्, तत्र व्यवच्छेदकसमुच्चय एव, नत्ववच्छिन्नत्वम्, विनिगमनाविरहात् । 'रसवच्छेदार्थभयत्वं काव्यलक्षणम् । तत्र गीतादावतिव्याप्तेर्वारणायार्थ, अभिनेयार्थवारणाय शब्दोऽप्युपात्तः ।' इत्याहुः ।

नागेशभट्टास्तु—'यदित्वात्त्वादव्यञ्जकत्वस्याप्युभयत्राप्यविशेषो चमत्कारिवोधजनकज्ञानविषयताऽवच्छेदकधर्मवत्त्वरूपस्यानुपहसनीयकाव्यलक्षणस्य प्रकाशाद्युक्तलक्ष्यताऽवच्छेदकस्योभयवृत्तित्वाच्च 'काव्य पठितम्' 'श्रुतं काव्यम्' 'बुद्धं काव्यम्' इत्युभयविधव्यवहारदर्शनाच्च काव्यपदप्रवृत्तिनिमित्तं व्यासज्यवृत्तिः । अत एव वेदत्वादेरुभयवृत्तित्वप्रतिपादक 'तदधीते' इत्यादिसूत्रस्यो भगवान् पतञ्जलिः सङ्गच्छते । लक्षणयाऽन्यतरस्मिन्नपि तत्राद् 'एको द्वौ' इति वचनं तदापत्तिः । तेनानुपहसनीयकाव्यलक्षणं प्रकाशोक्तं निर्वाधम् । एव सास्त्रादाववैलक्षण्यनिवेशादुक्तलक्षणद्वयमपि निर्वाधमिति नान्यमतमपि दुष्टमित्युच्यते, तर्ह्यस्तथा ।' इत्याचक्षते ।

म० म० गङ्गाधरशास्त्रिणास्तु—'अत्रेदमवधेयम्' 'तददोषौ शब्दार्थौ' 'अदोषं गुणवत् काव्यम्' इत्यादिषु प्रदर्शितानां दोषाभावगुणालङ्काराणां काव्यसामान्यलक्षणोद्देश्यताऽवच्छेदककोटिप्रवेशो नास्त्येव । उद्देश्यता पुनः शब्दार्थयोरेव, न तु शब्दमात्रे, शब्दमात्रे कविर्धर्मभगोचरत्वायोगेन लोकोत्तरवर्णनानिपुणकविकर्मताया उभयत्राप्यविशेषात्, कव्युच्चारणकर्मताया शब्दे, कविसमवेतरसवोधौपयिकसामग्रीसङ्घटनविषयकज्ञानकर्मताया अर्थे सत्त्वात् अर्थपदेन वाच्यलक्ष्यव्यङ्ग्यधामनस्त्रिविधस्यापि विवक्षाया सर्वैरेवालङ्कारिकैस्त्रितयनिरूपणेन वश्यमभ्युपगन्तव्यतया सर्वविधस्यापि व्यङ्ग्यस्य निरुक्तज्ञानकर्मताया काव्यत्वस्य दुर्वारत्वात् ।

इत्थं च कविकर्तृकरसविषयकज्ञानौपयिकसामग्रीसङ्घटनविषयकज्ञानविषयत्वं शब्दार्थयोरनुगत काव्यत्वम् 'अर्थस्य व्यञ्जकत्वे तु शब्दस्य सहकारिता' 'अर्थोऽपि व्यञ्जकतत्र सह

१ तथाच 'तदधीते तद्वद । किमर्थमुभावप्यर्थो निर्दिश्यते । न योऽधीते वेत्त्यप्यसौ । यस्तु वेत्तधीतेऽप्यसौ । नैतयोरावश्यक समावेशः । भवति हि कश्चित् सम्पाठ पठति न वेत्ति, तथा कश्चिद्वेत्ति, न च सम्पाठ पठति ।' इति भाष्यम् । 'यो हि य ग्रन्थमधीते, स त स्वरूपतोऽवश्यं वेत्ति य च स्वरूपतो वेत्ति, सोऽवश्यमधीत इति भावः । नैतयोरिति—अर्थावबोधो वेदनमभिप्रेतम्, न तु स्वरूपमात्रवेदनम् । तत्र परस्परव्यभिचारदर्शनादुभयोपादानमित्यर्थः । सम्पाठमिति—अर्थनिरपेक्ष स्वाध्याय पठतीत्यर्थः ।' इति च तत्रदीपः ।

कारितया नतः ।' इत्युक्तदिशोभयस्यापि निरुक्तज्ञानप्रीषट्कतायाः सूपपादत्वात् । इत्थं च न लास्याज्ञाना काव्यत्वापत्तिः, तस्य कविकर्तृकनिरुक्तज्ञानविषयतायाः अभावात्, विषयान्तर-व्यासक्तसामाजिकमनसा तद्विषयाभिसुख्यपरिहारपूर्वकं काव्यार्थभावनया प्रवणतासन्त्यादकत्वेन रमोद्बोध प्रति परम्परया प्रयोजकत्वेऽपि प्रदर्शितज्ञानप्रीषट्कतायाः अभावाच्च ।

अत एवार्थदोषाणामर्थगुणानामर्यालङ्काराणामर्थशक्तिमूलकध्वनीनां च निरूपणमुप-पद्यते । शब्दमात्रस्य काव्यत्वे तद्गतानामेव दोषगुणालङ्कारध्वनीनां निरूपणस्यौचित्येन भूयसानर्थगतानां तेषां निरूपणस्याप्रसक्त्या तन्निरूपणस्योन्नतप्रलापत्वापत्तेः । न च तेषा-सुत्तनाद्यन्यतमकाव्यपदार्थप्रवेशाभावेऽपि रसोपयोगितामात्रेण निबन्धनमुपपद्यत इति वाच्यम्, काव्याङ्गनिरूपण प्रतिज्ञाय तेषां निरूपणस्यासङ्गत्वापत्तेर्दुस्सनावानत्वान् । प्रत्युत त्वदापादितप्रकारेण लास्याज्ञाना निरूपणीयताऽऽपत्तेस्त्वन्मत एव दोषत्वात् । एव च 'काव्यं श्रुतम्' इत्यादिप्रतीतीनामपि ऋक्त्वादेर्यशब्दोभयवृत्तितया महाभाष्यकारादिनिरु-क्तत्वेन 'ऋचं पठति' इत्यादिप्रतीतीनामिव भाक्त्यन्तरेण ।

'एतेन वाक्य रसात्मक काव्यम्' इति शब्दमात्रे काव्यसामान्यलक्षणयोगिता प्रतिजा-नानं, स्वयमेवाप्रे-दृश्यश्रव्यविभेदेन पुनः काव्य द्विधानतम्' इत्यभिदधत् पूर्वापरविरोधन-प्यनाल्लयन् दर्पणग्रन्थोऽन्योऽपि तज्जातीयो ग्रन्थश्चिन्त्य एवेति सहृदया विभावयन्तु ।' इति व्याहरन्ति ।

तदेतन्निरुक्तमपि समासेन प्रदर्शितमस्माभिः साहित्यनीमासाय काव्यलक्षणनिरूपण-प्रनयेन ।

'शब्द और अर्थ' दोनों काव्य नहीं है इस सिद्धान्त के समर्थन में पण्डितराज बुद्ध और नवीन युक्ति बतलाते हैं— 'अपिच इत्यादि । इस सन्दर्भ का भाव यह है कि किसी समुदाय में ही रहने वाला धर्म व्यासज्यवृत्ति कहलाता है—जैसे द्वित्व, बहुत्व आदि, और एक में रहने वाला धर्म कहलाता है, प्रत्येक पर्याप्त जैसे मनुष्यत्व आदि । अब विचार यह करना है कि काव्य-पद-प्रवृत्ति-निमित्त ( काव्यत्व ) किम कोटि का धर्म है ? शब्दार्थ समूह में रहने वाला, व्यासज्यवृत्ती ? किंवा शब्द और अर्थ में रहने वाला, प्रत्येक पर्याप्त ? अर्थात् शब्द और अर्थ दोनों मिलकर ही काव्य कहलाते हैं, अथवा प्रत्येक पृथक् पृथक् ? यदि आप प्रथम पक्ष को कबूल करते हैं, तब तो जैसे 'एक, दो नहीं है, घट, घट-पटोभय नहीं है' ये सब व्यवहार होने हैं—अर्थात् एक में दो का भेद मानते हैं, दो के अवयव प्रत्येक एक को दो नहीं कह सकते, उसी तरह 'श्लोक वाक्य काव्य नहीं है' ऐसा व्यवहार होने लगेगा, अर्थात् श्लोक वाक्य को आप काव्य नहीं कह सकेंगे, क्योंकि वाक्य, काव्य का एक अवयव मात्र है । यदि द्वितीय पक्ष को अपनाते हैं, तब भी एक ही श्लोक में 'यहाँ दो काव्य है' ऐसा व्यवहार होने लगेगा, अर्थात् शब्दभाग को लेकर एक काव्य और अर्थभाग को लेकर दूसरा काव्य कहलायगा, इष्टापत्ति तो कर नहीं सकते, कारण ? इष्टापत्ति करने से एक पद्य में होने वाली 'यह एक काव्य है' इस प्रमाणक प्रतीति का उच्छेद हो जायगा। 'वह प्रतीति प्रमाणक नहीं है' यह भी आप नहीं कह सकते, क्योंकि जब उत्तरकाल में वाच ज्ञान नहीं होता, तब उस प्रतीति को भ्रम केंपे माना जा सकता है ।

पर्यवन्ति निगमयन्ति—

तस्माद् वेदशास्त्रपुराणलक्षणस्यैव काव्यलक्षणस्यापि शब्दनिष्ठत्वैवोचिता ।

ज्ञानं स्मृतिदर्शनादि । एवकारोऽर्धनिष्ठं व्यवच्छिन्नं । इह वक्तव्यं प्रागुक्तमेव ।

इमं हि वेद, शास्त्र, ( स्मृति, दर्शन प्रवृत्ति ) और पुराणों के लक्षणों की तरह काव्य का लक्षण भी शब्दनिष्ठ ही होना चाहिये । अर्थात् शब्दमात्र को काव्य मानना चाहिये,

शब्द-अर्थ दोनों को नहीं । यद्यपि महामहोपाध्याय 'गोकुलनाथ उपाध्याय', महावैयाक्य 'नागेशभट्ट' और महामहोपाध्याय 'गङ्गाधरशास्त्री' ने भिन्न-भिन्न युक्तियों से शब्द-काव्यवाद का खण्डन कर शब्दार्थ युगल में काव्यत्व को स्थिर किया है, तथापि मैं प्रविस्तारमय से यहाँ उन सब युक्तियों का उल्लेख नहीं करता हूँ । जिज्ञासुओं को संस्कृतटी से उनका ज्ञान करना चाहिये ।

इत्थं मम्मटभट्टोक्तकाव्यलक्षणघटकनिगोप्यदलं निरस्य विशेषणदलमपि निरसितुमुपक्रमते-  
लक्षणो गुणालङ्कारादिनिवेशोऽपि न युक्तः, 'उदितं मण्डलं विधोः' इ  
काव्ये दूत्यभिसारिकाविरहिण्यादिस्मृतीरितेऽभिसरणविधिविषेधजीवनाभा  
दिपरे 'गतोऽस्तमर्कः' इत्यादौ चाव्याप्त्यापत्तेः ।

लक्षणो काव्यसामान्यलक्षणो । प्रथमेनादिपदेन दोषाभवाः, मध्यमेन सहचरीप्रवृत्ति  
चरमेण च बलभासत्तिप्रमुखं परामृश्यते । 'उदितं मण्डलं विधोः' इति चन्द्रविम्बकृतकोद  
क्रियाऽर्थकम् । दूत्याद्युदीरितशब्दानामभिसरणविध्यादिभिर्व्यङ्ग्यै सह यथासङ्गमन्वयः  
तथा चाभिसरणस्य विधिव्यङ्ग्यो दूत्या, निषेधोऽभिसारिकायाः, जीवनाभावश्च विरहिष्य  
'गतोऽस्तमर्कः' इति च सूर्यकृतकास्तज्ञमनार्थकम् । अव्याप्त्यापत्तिश्च तयोर्गुणालङ्काराभावात्  
यदि काव्यसामान्यलक्षणो सगुणत्वसालङ्कारत्वं शब्दार्थयोर्निवेश्येत, तर्हि 'उदि  
मण्डलं विधोः' इति वाक्यस्य दूत्या नायिका प्रत्यभिहितस्याभिसारं कुर्वितिव्यञ्जकतया  
अभिसारिकया दूतीं प्रति कथितस्य 'तमसा घसादिदानीं कथमभिसरिष्यामि' इति व्यञ्ज  
तया, विरहिष्योदीरितस्य 'वियोगवेदनावाहल्येन मम जीवनमधुनाऽसम्भवि' इति व्यञ्ज  
तया च काव्यत्वेन सर्वसम्मतस्यापि गुणालङ्कारवैधुर्यात्तत्त्व न स्यादित्यव्याप्तिं स्पष्टैव  
एवं 'गतोऽस्तमर्कः' इत्यादावपि प्रकरणवैलक्ष्येन तत्तदर्थव्यञ्जकत्वेऽपि गुणालङ्कारविरहा  
काव्यत्वस्याव्याप्तिरापद्येत । तस्मान्न सामान्यलक्षणो गुणालङ्कारनिवेश समुचितः । न  
दोषाभावनिवेशोऽपि, तथा सति हि । 'न्यकारो ह्ययमेव मे यदरस्य' इत्यादि पद्ये तत्तदर्थव्य  
ञ्जकतया ध्वनिकारादिभिरुत्तमकाव्यत्वेनाभ्युपगतेऽपि द्विधा विधेया विमर्शदोषसंस्पर्गा  
काव्यत्वस्यापि स्यादव्याप्तिरिति तात्पर्यम् ।

प्रदीपकारास्तु—'नीरसे स्फुटालङ्कारविरहिणि न काव्यत्वम्, यतो रसादिरलङ्कार  
द्वयचमत्कारहेतुः । तथा च यत्र रसादीनामवस्थानम्, न तत्र स्फुटालङ्कारापेक्षा । अ  
एव ध्वनिकारेणोक्तम्—'अत एव रसानुगुणार्थविशेषनिबन्धनमलङ्कारविरहेऽपि छायाऽपि  
शयपुष्पाति ।' इति तस्मात् सालङ्कारत्वमात्रं न विशेषणम्, किन्तु स्फुटालङ्कारसान्त्व  
वत्त्वम् ।' इत्यवोचन् ।

परे तु गुणालङ्कारयोः काव्ये सर्वत्र स्थितिरावश्यकी, तदभावे विच्छित्तिविशेषानाधानात्  
काव्यत्वमेव दुर्बलम्, तत्त्वस्य तत्प्रयोज्यत्वात् । अन्यथा चित्रवृत्तान्तवर्णनपराणामितिहास  
भागानामपि तत्त्वापत्तिः । अत एव 'नहि कवेरिति वृत्तमात्रवर्णनेनात्मलाभः, इतिहासादरे  
तत्सिद्धेः ।' इति ध्वनिकारेणाप्युक्तम् । लोकदृष्टान्तस्त्वलौकिके काव्यवस्तुनि सर्वथा नोप  
युज्यते । अन्यथा लोकविरुद्धा दुःखकारणेभ्योऽपि काव्ये सुखोत्पत्तिर्नोपपद्येत । विभावादि  
निमित्तकारणनाशोऽपि रसरूपकार्यनाशाभावश्च लोकप्रतिकूलो नोपपद्येत । गुणसत्तया रस  
सत्ताऽप्यवसातु शक्यैव, व्यापकत्वान् । 'नहि प्रथिमन्तो देशा इति वक्तव्ये शौर्यादिमन्तो  
देशा' इति केनाप्युच्यते' इत्यादि कस्यचिदुक्तिभ्वाग्रहनिबन्धनैव, उपपादकवैधुर्यात्  
अन्यथा मीमांसकाङ्गीकृताऽर्थापत्तिर्विहस्तीभवति । शब्दार्थयोर्गुणवत्ता तु व्यङ्ग्यव्यञ्जक

भावेन 'गुणवृत्त्या पुनस्तेषा वृत्ति शब्दार्थयोर्नता' इत्यभियुक्तोक्ते । निर्गुणशब्दार्थयो  
काव्यलक्षणव्याप्तिस्तिष्ठति, 'श्रवणस्थितयो गुणा' इत्यभिवानात् । अलङ्कारस्त्वस्तुदोऽपि  
चमत्कारक, स्फुटस्तु सुतराम्, 'न कान्तमपि निर्भूप विभाति वनिताऽऽननम्' इतिप्रति-  
पादनात् । किञ्च नजोऽलङ्कारकत्वेन तस्या स्फुटत्वे तस्य च विचित्रितप्रतीत्यप्रतिबन्धकत्वे  
पर्यवसानाददोऽप्यनपि काव्यत्वानान्यलक्षणघटकशब्दार्थविशेषगसुचितमेव । तथाच 'न्यङ्कार'  
इत्यादौ तत्तद्व्यङ्ग्यार्थप्रतीतिजनितचमत्तिसम्भवा क्रश्यान् विशेषादिभ्रंशो विवक्षिता  
रसादिप्रतीति प्रतिबन्धु तिरोहितगत्तिव्यनेन नेष्ट इति तत्र काव्यत्वाव्याप्तेरसम्भव । तादृश-  
व्यव्यनेव 'दुष्ट काव्यम्' इत्यादि व्यवहारविषय । 'त्वाननुनायते लुचयुग पत्रावृतम्' इत्यादौ  
तु तादृशव्यङ्ग्यप्रयोजनचमत्कारव्यतिरेकाद् दोऽस्य तिरोधानविरहादत्राव्यव्यनिष्टमेव' इत्याहुः ।

इस तरह मम्मटोक्त लक्ष्मी में विशेष्य दल का खण्डन हो चुका, अब विशेष्य दल का  
खण्डन करने के लिये लिखते हैं—'वक्षणे गुणालङ्कार' इत्यादि । मम्मट ने जो काव्य  
लक्षण में 'शब्दार्थयो' के साथ सगुण, मालङ्कार और अदोष ये तीन विशेष्य लगाये हैं, वे  
भी ठीक नहीं । क्योंकि यदि गुण और अलङ्कार के रहने पर ही काव्य कहलावे, तब  
'उदित मण्डल विधो' (चन्द्रमण्डल उदित हुआ) और 'गतोऽस्तमर्क' (सूर्य अस्त हुआ)  
ये सब वाक्य गुण तथा अलङ्कार से रहित होने के कारण काव्य नहीं कहे जा सकेंगे ।  
यदि आप पूछें कि—इन वाक्यों को काव्य मानते ही क्यों हैं ? इनको काव्य माना ही  
जाय, यह जरूरी तो है, नहीं, फिर अगर ये वाक्य काव्य कहलावें, तो क्या हानि है ?  
इसका उत्तर यह है कि—चमत्कारी व्यङ्ग्य अर्थ ( जो काव्य का जीवन माना गया है )  
जब यहाँ है तब उन वाक्यों को काव्य कैसे नहीं मानें ? अर्थात्—उक्त दोनों वाक्यों में  
प्रथम वाक्य को जब कोई दूती बोलती है, तब 'चान्दनी बरस रही है, मार्ग स्पष्ट दिखाई  
देता है, अब काटे चूमने का भय नहीं, अतः सौक से तुम भ्रमिसार करने के लिये सङ्केत  
स्थान पर जा सकती हो' यह व्यङ्ग्य अर्थ ज्ञात होता है । उसी वाक्य को जब भ्रमिसारिका  
स्वयं बोलना है, तब 'चन्द्रमा के इस प्रथम प्रकाश में सङ्केत स्थान तक कैसे जाऊँ ?  
दूर से भी देख कर लोग मुझे पहचान लेंगे, फिर तो मेरी सब प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल  
जायगी' यह व्यङ्ग्य स्पष्ट प्रतीत होता है । यदि वह वाक्य विरहणी के मुख से निकलता  
है, तब 'उद्योपक इम चन्द्रिका को देख कर मेरी विरह वेदना अत्यधिक बढ़ रही है अतः  
अब मेरा नरग निश्चित है' यह व्यङ्ग्य विदित होता है । द्वितीय वाक्य से भी प्रसङ्ग भेद  
प्रयुक्त अमर्य व्यङ्ग्य अवगत होते हैं, जैसे घरवाहों को 'अब गायों को रोको,' दूर जाने  
वाले पयिकों को 'अब आगे नहीं जाना चाहिये' दिन भर धूप में चलने वालों को 'अब  
ताप नहीं है' धार्मिकों को 'अब मन्व्या की उपासना करनी चाहिये' इत्यादि व्यङ्ग्य ज्ञान  
होता है । अतः इन वाक्यों का काव्य मानना आवश्यक है ।

मन्वृत्त टीकाकार महोदय ने यहाँ भी प्राचीनों की विविध युक्तियों का विवरण देकर बहुत  
कुछ मम्मट-मत की सरमती की है, जिनको जिज्ञासुजन सङ्केत टीका देख कर मनन ।

पुनराशुप्य मनाध्याति—

न चेद्वनकाव्यमिति शक्यं वदितुम्, काव्यतया पराभिसनत्यापि तथा वक्तु  
शक्यम् । काव्यजीवित चमत्कारित्व चागिशिष्टमेव । गुणान्तलङ्कारत्यादेरननु-  
गमाच्च । 'दुष्ट काव्यम्' इति व्यवहारस्य वाचकं विना लाक्षणिकत्यायोगात् ।

उम् 'उदित मण्डल विधो' इति वाक्यम् । अकाव्यं गुणालङ्कारहानन्वात् । चमत्का-  
रित्व चमत्कार ।

ननु 'उदितम्' इत्यादौ गुणालङ्कारगून्यन्वाध्यागिष्टिवेति चेत्, मैवम्, यतद्वनक-  
तिरेव व्यत्यताया प्रदानं नायनम् । तान्त् गुणालङ्कारगुणस्या भूयान्तमेव त्रिविधं व्य-पनु-



त्पादयति । तच्च वस्तुस्वरूपमिहापि चक्रास्त्येवेति कुत काव्यत्वाव्याप्तिः । अन्यथा पदैः प्रकाशकारादिभिर्गुणालङ्कारयुक्तत्वाद् यत् किञ्चित् काव्यमित्यङ्गीक्रियते, तदस्माभिरपि व्यवस्थापकविरहादकाव्यमित्युच्येत । तस्माच्चमत्कार एव प्राधान्येन तत्त्वप्रयोजकोऽङ्गीकार्यः । इत्थं चमत्कृतेरिहाप्यनुव्यवसीयमानतयाऽकाव्यत्वमस्य वक्तुं न युक्तम् । किञ्च गुणानामलङ्काराणां च प्राचीननवीनमतभेदेनानियमाद् गुणत्वमलङ्कारत्वं चानुगतं न सम्भवतीति कथं तयो काव्यलक्षणे प्रवेश स्यात् ।

यदि च 'रसवृत्तित्वे सति रसोपयोगित्वम्' गुणत्वम्, 'शब्दार्थान्यतरवृत्तित्वे सति परम्परया रसोपकारकत्वम्' अलङ्कारत्वं चानुगतमित्युच्यते, तर्हि शब्दार्थयोरीहादोपावृत्ति विशेषणाद् दोषाभाव एव काव्यत्वाद् दुष्टं काव्यम्' इति सर्वजनीनव्यवहारस्यानुपपत्तिरेवापत्ति प्रतिपत्तव्या । न च 'दुष्ट काव्यम्' इत्यत्र काव्यपदस्य गुणालङ्कारमात्रवत्त्वेन काव्यसदृशे शब्दार्थोभये लक्षणेत्यपि वक्तुं युक्तम्, काव्यलक्षणे दोषाभावनिवेशे बलवत्प्रमाणविरहेण सुत्यार्यान्वयबाधलक्षण-लक्षणाकारणवैयर्थ्येण लक्षणाया अस्मभवात् । अधिकमिह वक्तव्यं तु प्रागुक्तमेव ।

'यह काव्य नहीं है' ऐसा आप किसी तरह नहीं कह सकते, कारण ? काव्य के जीवातुभूत चमत्कार के रहने पर भी यदि आप उन वाक्यों को काव्य नहीं मानेंगे तो आप जिसे काव्य मानेंगे, उसको भी दूसरे काव्य मानने के लिये तैयार नहीं होंगे । काव्य लक्षण में गुण और अलङ्कार के निवेश को असङ्गत सिद्ध करने का यह भी दूसरा पर्याप्त कारण है कि—गुणत्व और अलङ्कारत्व का अनुगमनी नहीं है—अर्थात् आज तक यह निश्चित नहीं हो सका कि गुण और अलङ्कार क्या हैं, कितने हैं, भिन्न-भिन्न अलङ्कारिक उनकी भिन्न-भिन्न संख्या मानते हैं । इस स्थिति में अनुगमक लक्षण में उनका निवेश अनुचित है, क्योंकि जो स्वयम् अनुगत ( अनिश्चित ) हैं, वे दूसरे को अनुगत ( निश्चित ) नहीं बना सकते । यदि आप 'रस में रह कर जो साक्षात् रस को उपकृत करे वह गुण है और जो शब्द अथवा अर्थ में रह कर परम्परया रस का उपकार करे, वह अलङ्कार है' इस तरह गुण और अलङ्कारों का अनुगम कर दिखायेंगे, तब भी 'दोष रहित' कहना तो अनुचित ही है, क्योंकि लोक में 'यह काव्य दुष्ट है' ऐसा व्यवहार होता है । अर्थात् काव्यपद दोष रहित ही में नहीं अपितु दोष सहित में भी प्रयुक्त होता है । यदि आप कहें कि—दोष सहित में काव्यपद का प्रयोग मुख्य नहीं, गौण है—अर्थात् निर्दोष वाचक काव्य पद की सदोष में वहाँ लक्षण है, तो यह भी ठीक नहीं, कारण ? मुख्यार्थबाध, मुख्यार्थ से सम्बन्ध, रूढ़ि अथवा प्रयोजन ( जो लक्षण के कारण माने गये हैं ) के बिना लक्षणा हो ही नहीं सकती ।

प्राचीनमतेन पुनराशङ्क्य निराकरोति—

न च संयोगाभाववान् वृत्तः संयोगीतिवदंशभेदेन दोषरहितं दुष्टमिति व्यवहारे बाधकं नास्तीति वाच्यम्, 'मूले महीरुहो विहङ्गमसयोगी, न शाखायाम्' इति प्रतीतेरिवेदं पद्य पूर्वार्धे काव्यमुत्तरार्धे तु न काव्यमिति स्वरसवाहितो विश्वजनीनानुभवस्य विरहादव्याप्यवृत्तित्वाया अपि तस्यायोगात् । शौर्यादिवदात्मघर्माणां गुणानां हारादिवदुपस्कारकाणामलङ्काराणां च शरीरघटकत्वानुपपत्तेश्च ।

स्वरसवाहिन स्वारसिकस्य । विश्वजनीनानुभवस्य सर्वलोकानुकूलप्रत्यक्षस्य । अपि पूर्वोक्तखण्डनहेतुं समुच्चिनोति । तस्य दोषाभावस्य । अयोगादसम्भवात् ।

और मध्यम दो ही भेद होने हैं, परन्तु रसगङ्गाधर के हिसाब से उत्तमोत्तम, उत्तम, मध्यम तथा अधम भेद से काव्य के त्रार प्रकार माने जाते हैं ।

अन्य सभी अलङ्कार-ग्रन्थों में दान, दया, युद्ध और धर्म<sup>१</sup> इन चार उपाधियों के भेद से अलङ्कार-रूप स्थायीभाव के चार भेद मानकर वीर रस के चार ही प्रकार प्रतिपादित हुये हैं, किन्तु रसगङ्गाधर का कथन है कि शृङ्गार रस के तनान वीर रस के भी बहुत भेद हो सकते हैं और तदनुसार युक्ति ध्वन् उदाहरण देकर सत्यवीर, पाण्डित्यवीर, क्षमावीर और बलवीर ये चार भेद अधिक उत्तम प्रतिपादित हुये हैं ।

सभी प्राचीन आलोचनिक निबन्धगुणों को रसमात्र धर्म मानते हैं, किन्तु निबन्धराज रसगङ्गाधर ने प्रचुर खण्डन नष्टन के बाद गुणों को शब्द, वर्ध, रस और रचना इन चारों के धर्म स्थिर किये गये हैं ।

प्राकृत सभी अलङ्कारग्रन्थों में भावध्वनि के तनान पृथक् भावशान्ति, भावीदय, भावसन्धि और भाव-शब्दलता की ध्वनियों की व्यवस्था की गई है, किन्तु रसगङ्गाधर ने ये ध्वनिवा भी भावध्वनि में ही गन्तार्थ कर दो गई हैं और गन्तार्थता के लिये दो गई युक्तियों भी वहीं मानिक हैं ।

सभी अन्य निबन्ध रसभावादि को असलक्ष्यक्रमन्यक्ष्य ही मानते हैं, परन्तु रसगङ्गाधर स्थानविशेष में रसभावादि की भी संलक्ष्यक्रम बतलाता है ।

द्वितीय आनन में और भी बहुत से सैद्धांतिक नवभेद हैं, जो द्वितीयभाग की भूमिका में दिखलाये गये हैं ।

### रसगङ्गाधर का एक असाधारण वैशिष्ट्य

इस अनन्त जीवनय सत्तार में नर-देह दुर्लभ है और नर-देह प्राप्त होने पर भी विद्वान् होना दुर्लभतर है इसी प्रकार विद्वान् होने पर भी कवि होना दुर्लभ है और कवि हो जाने पर शक्ति (प्रतिभा) शाली होना तो परत दुर्लभ है<sup>१</sup> । शारदा के वरदपुत्र पण्डितराज ने इन सभी दुर्लभ गुणों का तनवाय तनाविष्ट था । वे अपने युग के नमानानव होने के साथ साथ विद्वतकर्मि विद्वान् और प्रतिभाशाली नडाकवि भी थे ।

जिसी भी अन्य अलङ्कार-निबन्ध-निर्माता ने उक्त सभी गुण उक्त मात्रा में नहीं थे, जित मात्रा में कि पण्डितराज में थे । श्रीमान् नन्मन्मद विद्वान् बहुत बड़े अवश्य थे, अलङ्कारशास्त्र का ज्ञान उनमें नहान् था, परन्तु वे कवि नहीं थे. अत. उन्हें अपने प्रसिद्ध अलङ्कार निबन्ध काव्यप्रकाश में उदाहरण के लिये परनुज्ञापेक्षा होना पडा । प्रायः यही कारण था कि काव्यीय विविध वस्तुओं के कितने भेद बुद्धि में स्फुरित होने पर भी उदाहरणभाव से उन्होंने नहीं लिखे । साहित्यदर्पणकार विश्वनाथ ने यद्यपि अपने को अष्टादश-भाषा-वारविलासिनी-सुज्ज्ञ की उपाधि से विभूषित किया है और यत्र तत्र 'इदं नम' कइकर त्वनिर्मित पद्य को उदाहरण के रूप में उपस्थित भी किये हैं, तथापि विद्वान् लोग उन्हें पण्डितराज के तनान प्रतिभाशाली नडाकवि नहीं मानते, क्योंकि यदि उनमें उच्चकोटि की कवित्वशक्ति होती, तो वे अपने निबन्ध 'साहित्यदर्पण' में परकीय पद्यों को उदाहरण के रूप में क्यों रखते ? अन्य अलङ्कार ग्रन्थों में भी प्राय परकीय उदाहरण ही लिखे गये हैं ।

१. 'नरत्वं दुर्लभ लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा । कवित्वं दुर्लभं तत्र शक्तित्वत्र सुदुर्लभा ॥'

यथा तार्किका वृक्षस्य मूलावच्छेदेन पक्षिसयोगं शाखावच्छेदेन तदभावं चावसाय पक्षिसंयोगभावं तत्राव्याप्यवृत्तिं नन्वाना 'पक्षिसंयोगवान् वृक्ष- पक्षिसंयोगभाववान्' इति व्यवहरन्ति, तथैव प्रकृते काव्ये यत्किञ्चिद्देशावच्छेदेन दोषस्य तदितरदेशावच्छेदेन दोषाभावस्य च सम्भवादव्याप्यवृत्तिं दोषाभावनादाय 'दुष्ट काव्यम्' इति व्यवहारः सम्भवत्येवेति न क्वचिदनुपपत्तिरिति चेत्, स्यादेवम्, यदि तद्वत्, 'इदं वाक्यं पूर्वावच्छेदेन ( दोष-विरहात् ) काव्यम्, उत्तरार्धावच्छेदेन तु ( दोषवत्तया ) अकाव्यम्' इति सर्वलोकानुभव-स्यात् । स एव तु नानुव्यवसीयते । तर्हि कथमव्याप्यवृत्तित्वं दोषाभावस्य त्वीक्युं शक्यम् । तस्याव्याप्यवृत्तित्वाभावे वा कथं व्यवहार उपपद्यताम् । अथ यदि काव्यस्य सानान्य-लक्षणे दोषाभावनिवेश्य विशेषलक्षणे च निवेश्य काव्यसानान्यतात्पर्येण 'दुष्ट काव्यम्' इति व्यवहार उपपाद्येत, तदा तगुणौ सालङ्काराविति विशेषणद्वयेनैव सन्दर्भयोगोपपद्यत इति दोषस्तदवस्थ एव । तथाहि—यथा शौर्यादयो गुणा लोकस्यात्मनिष्ठा हारादयश्चालङ्कारा शरीरनिष्ठा, नतु शरीरीभूता, तथा माधुर्यादयो गुणा काव्यस्य रसनिष्ठा, अनुप्रा-सोपमाऽऽदयश्चालङ्काराश्चन्द्रार्थनिष्ठा, नतु तद्रूपा एवेति शब्दार्थलक्षणस्य काव्यस्य तगुण-त्वादि विशेषणानुपपत्तिरिति तात्पर्यम् ।

वस्तुतन्त्वलङ्कारानामुपस्कारकत्वेऽपि शब्दार्थाव्यतिरेकस्य ध्वनिकारायज्ञीकारान शरीरघटकत्वानुपपत्तिः । समाधानान्तरमपि प्रागुक्तरीत्या विधेयम् ।

'अदोष' इस विशेषण को सङ्गन सिद्ध करने के लिये प्राचीनों ने एक और नवीन युक्ति दी है, उसका भी खण्डन करते हैं 'न च संयोगभाववान्' इत्यादि । पूर्व पक्ष वालों का कथन है कि जैसे एक ही तरु के मूल देश में पक्षि प्रभृति का संयोग और शाखा देश में उसका अभाव जब रहता है, अर्थात् वृक्ष की जड़ में पक्षी बैठा हो और ढाल पर वह न बैठा हो तब 'संयोगभाववान् वृक्ष संयोगी' (संयोग रहित वृक्ष संयोग वाला है) ऐसा व्यवहार होता है, उसी तरह एक भी वाक्य अंश भेद से दोष रहित (काव्य) और दुष्ट (अकाव्य) कहलायगा । परन्तु यह कथन भी उनका उचित नहीं, क्योंकि 'मूले महीरहो विहङ्गम संयोगी न शाखायाम्' (वृक्ष की जड़ में पक्षी है और ढाल पर नहीं) ऐसी स्वारसिक प्रतीति सब लोगों को होती है, अतः संयोग को अव्याप्यवृत्ति माना है, वदवत् यदि 'यह पद्य पूर्वार्ध में काव्य है और उत्तरार्ध में नहीं' ऐसी प्रतीति हाती रहती, तो काव्यत्व को भी अव्याप्यवृत्ति मान सकते थे, सो होती नहीं । अर्थात् अवाप्य-वृत्ति पदार्थ ही एक आधार पर अंश भेद से कहीं रहता, कहीं नहीं भी रहता, जैसे, उक्त संयोग । जो पदार्थ व्याप्यवृत्ति है, (जैसे काव्यत्व) वह तिल में तेल जैसे जब रहेगा, तब सम्पूर्ण आधार में ही, नहीं तो कहीं नहीं, अतः उक्त दृष्टान्त के सुताविक दोष रहित दुष्ट यह व्यवहार नहीं हो सकता है । एक बात और है—जिसके कारण गुण तथा अलङ्कार काव्यलक्षण में प्रविष्ट नहीं हो सकते । वह यह है कि जिस तरह चरता एवं वीरता प्रभृति आत्मा के धर्म हैं, शरीर में नहीं रह सकते, वैसे ही गुण भी काव्यात्मा रस के धर्म हैं, शब्द और अर्थ (जो काव्य के शरीर हैं) में नहीं रह सकते हैं और जिस तरह अलङ्कार (हार आदि) शरीर को शोभित करने वाली चीजें हैं, शरीर के अवयव नहीं, उसी तरह काव्यालङ्कार, अनुप्रास, उपमा प्रभृति काव्य शरीर-शब्दार्थ को अलङ्कृत करने वाले हैं, अतः उसके (शरीर स्थानीय शब्द अर्थ के) अवयव नहीं हो सकते हैं ।

पर्यन्ते विश्वनाथकृतं काव्यलक्षणनास्त्रिपति—

यत्तु 'रसवदेव काव्यम्' इति साहित्यदर्पणे निर्णीतम्, तन्न, वस्तुतलङ्कार-प्रधानानां काव्यानामकाव्यत्वापत्तेः । नचेष्टाऽऽपत्तिः, महाकविसम्प्रदायस्या-

कुलीभावप्रसङ्गात् । तथा च जलप्रवाहवेगनिपतनोत्पतनभ्रमणानि कविभिर्वर्णितानि, कपिवालादिविलसितानि च । न च तत्रापि कथञ्चित् परम्परया रसस्पर्शोऽस्त्वेषेतिवाच्यम्, ईदृशरसस्पर्शस्य 'गौध्वलति' 'मृगो धावति' इत्यादावतिप्रसक्तत्वेनाप्रयोजकत्वात् । अर्थमात्रस्य विभावानुभावव्यभिचार्यव्यतमत्वादिदिति दिक् ।

रसावद् रसादिव्यञ्जक वाक्यमितिशेष । यस्त्वलङ्कारप्रधानाना प्रधान्येन वस्तुव्यञ्जकानाम् 'पन्थियत्र ! ण एत्य' इत्यादीनाम्, प्राधान्येनालङ्कारव्यञ्जकानाम् 'महिलासहस्रभरिण' इत्यादीनां च । अत्राव्यक्तापत्ते रसादिव्यञ्जकत्वाभावात् । सम्प्रदाय' पारम्परिक समुदाचार' । आकुलीभाव उच्छेदः । तथा चेत्यादीनां सम्प्रदायस्य प्रदर्शनम् । जलस्य प्रवाहो निपतन नीचैर्गमनम्, उत्पतनमुच्चैर्गमनं च । कपीनां बालानां बालिष्ठानां च विलसितानि क्रीडाश्लेषा वा । आदिपदेन पक्षिप्रभृतीनां परिग्रहः । तत्रापि जलप्रवाहादिवर्णनेष्वपि । यथाकथञ्चित् परम्परया स्वव्यञ्जकविभावादिप्रतिपादकत्वेन । स्पर्श' सम्बन्धः । अतिप्रसक्तत्वेनातिव्याप्तत्वेन । अप्रयोजकत्वान्निष्फलत्वात् । अर्थमात्रस्य सर्वेषामेव पदार्थानाम् ।

रसादिव्यञ्जकवाक्यमात्रस्य काव्यत्वाङ्गीकारे काव्यत्वेन सर्वानुमतेष्वपि वस्तुमात्रस्यालङ्कारमात्रस्य वा व्यञ्जकेषु वाक्येष्वव्याप्तिः । तदापत्तेरभ्युपगमे तु प्राचीनसम्प्रदायस्योच्छेदः । तद्रक्षायै तेषु विभावादिद्वारकरसादिसम्बन्धकल्पनायां तु 'गौध्वलति' इत्याद्यन्मत्कारकवाक्येष्वतिव्याप्तिः स्यादितिसारम् ।

इह शब्दमात्रस्य काव्यत्वाङ्गीकारे पुरस्तात् प्रतिपादितानि दूषणान्यप्याकलनीयानि ।

शास्त्रिचरणास्तु—'प्रकृते रसरूपेण परिणस्यमानरत्यादिविपयकसंस्कारोद्बोधकताया असावर्त्रिकत्वादिय प्रौढि, विशिष्टवाक्यार्थानां रसतात्पर्यकत्वाभावे तत्सामग्रीघटकोद्बोधकताया अभावात् । यत्र त्वस्ति तत्तात्पर्यकत्वम्, तत्राक्षेपादिष्यत एव विशिष्टबोधजननमुखेन चमत्कारित्वम् । यथाऽऽह—

'सद्भावश्चेद् विभावादेर्द्रयोरेकस्य वा भवेत् ।

म्हटित्यन्यसमाक्षेपे तदा दोषो न विद्यते ॥' इति ।

एवञ्च जलप्रवाहादिवर्णनेऽप्युक्तरीत्या महावाक्यार्थधीद्वारा वा रसोद्बोधकत्वस्य सत्त्वात् काव्यत्वस्य न क्षतिः ।' इति व्याजः ।

अब पण्डितराज, दर्पणकार विश्वनाथकृत काव्य लक्षण की खण्डनात्मक समीक्षा करते हैं—'यत्' इत्यादि । 'विश्वनाथ' ने रसात्मक वाक्य को काव्य माना है, उनके हिसाब से काव्य में रस का रहना नितान्त आवश्यक है, उसके बिना कोई वाक्य काव्य नहीं कहला सकता । परन्तु उनका उक्त कथन युक्तिसङ्गत नहीं जँचता । कारण ? यदि उनका कथन मान लिया जाय, तब जिन काव्यों में वस्तु-वर्णन अथवा अलङ्कार-वर्णन ही मुख्य है—अर्थात् 'पथिक ! नाम्न संस्तरमस्ति, महिलासहस्रभरिते' इत्यादि स्थलों में जहाँ क्रमशः वस्तुव्यङ्ग्य तथा अलङ्कारव्यङ्ग्य का बोध ही चमत्कारजनक है—वे सब काव्य, काव्य नहीं कहला सकेंगे । वे सब वाक्य काव्य नहीं ही हैं, ऐसी दृष्टापत्ति तो नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी दृष्टापत्ति करने पर महाकवियों की चिरकाल से आने वाली व्यावहारिक परम्परा उच्छिन्न हो जायगी । उन लोगों ने समय-समय पर जल के प्रवाह, वेग, पतन, उच्छ्वलन और भ्रमण, एवं बन्दरों और बालकों की क्रीडाओं का वर्णन अपने में किया है । क्या आप उनको अकाव्य कहेंगे ? यदि आप कहें कि नहीं जी, हम उनको अकाव्य क्यों कहेंगे, वे सब काव्य हैं और इसलिये काव्य हैं, कि उनमें रस का स्पर्श है, क्योंकि वे सब वर्णित

अथ किसी न किसी रस के उद्दीपन विभाव ही तो रहते, फिर रस का सम्बन्ध तो हो ही । इसका उत्तर पण्डितराज कहते हैं बाहजी, ऐसा रस स्पर्श भी कहीं काव्य कहलाने कारण हो सकता है ? यदि हाँ, तो फिर 'गौश्रलति, मृगो धावति' (वैल चलता है, दौड़ता है) ये सब वाक्य क्यों नहीं काव्य कहलाते ? जब कि किसी तरह रसस्पर्श भी हो सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सत्सार की सभी वस्तुएँ विभाव-अनुभाव या व्यभिचारी भाव हो सकती हैं, फिर तो दुनिया के सभी वाक्य काव्य कहलाने जायँ। अतः रसात्मक वाक्य को ही काव्य मानना युक्तिसङ्गत नहीं। म० म० गङ्गाधर खीली ने यहाँ भी पण्डितराज के मत का खण्डन किया है, उनकी विचारशैली संस्कृत का मैं देखनी चाहिये।

इत्य काव्यस्य लक्षण निरूप्य कारण निरूपयति—

तस्य च कारण कविगता केवला प्रतिभा । सा च काव्यघटनानुकूलशब्दा-  
पस्थितिः । तद्रूपं च प्रतिभास्य काव्यकारणताऽवच्छेदकतया सिद्धो जातिवि-  
प उपाधिरूप वा खण्डम् ।

तस्य काव्यस्य । चत्त्वर्थक । कविगता कविसमवेता । केवला तन्मात्रम्, न तु  
युत्यत्यभ्यासावपि । प्रतिभा नव नवोन्मेषशालिनी बुद्धिः, 'प्रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी  
तिभोच्यते ।' इति प्राच्योक्ते । सा प्रतिभा । काव्यस्य घटनाया रचनाया अनुकूलस्य  
नकस्य शब्दाद्योभयस्य उपस्थिति स्मृतिभटिति स्फूर्तिरिति यावत् । अनुकूलत्वान्त-  
रुपस्थितिविशेषणं वा । तद्रूपं प्रतिभानिष्ठम् । स्वविषयकज्ञानसमवायित्वसम्बन्धेन काव्यं  
इति सनदायेन प्रतिभा कारणमिति कार्यकारणभावात्मकानुकूलतर्कमूलकात् 'स्वविषयकज्ञान-  
नवायित्वसम्बन्धावच्छिन्नकाव्यत्वावच्छिन्नकार्यतानिरूपिता सनवायसम्बन्धावच्छिन्ना प्रति-  
नानिष्ठा कारणता निश्चिद्धर्मावच्छिन्ना, कारणतात्वात्, घटनिष्ठकारणतानिरूपितदण्डनिष्ठ-  
कारणतावत्' इत्यनुनानान् सिद्ध प्रमाणित, 'नित्यत्वे सत्यनेकसमवेतत्वम्' इति जाति-  
लक्षणसनन्वयाच्च जातिविशेष । उपाधित्वस्य त्यागे जातित्वस्य चाङ्गीकारे तत्र बीजानुप-  
लम्भानालिषट्कवन्त् सखण्डोपाधिरूपं वा प्रतिभात्वम् । तस्य च नवनवोन्मेषशालित्ववैशिष्ट्या-  
दखण्डत्वासम्भवाद् 'अखण्डम्' इति पाठस्त्वसङ्गत एव ।

काव्ये प्रतिभानात्रस्य कारणत्व तु न विचारसहम्, अनुपहसनीयकाव्यत्वावच्छिन्नकार्य-  
तानिरूपितकारणताया दण्डचनादिन्यायेन प्रत्येकं प्रतिभाप्रभृतिषु त्रिष्वपि स्वीकारस्यापरि-  
हार्यत्वात् । तथा चाहुः शास्त्रिण—अत्र 'प्रतिभा कारण तत्र व्युत्पत्तित्तु विभूषणम्,  
नृगोत्वत्तिकृदभ्यास' इति क्रमेण विशिष्टकाव्य प्रति त्रितयस्यैकसानप्रौषट्कतात्वाद् एवो-  
पपन्न । अकिर्हि द्विविधा उत्पादिका व्युत्पादिका च । आद्यया पदसङ्घातस्य योजनेऽपि,  
द्वितीयस्या अभावे विनेयसमवेतदिलक्षणवाक्यार्थपियोऽसम्भवेन लोकोत्तरवर्णनानैपुण्यस्य  
कविगतत्वानावाद् विशिष्टकविकर्मतायास्तत्सत्त्व एव सम्भवात् । तत्र द्वितीयैव निपुणता  
नान् । अभ्यासो लोकोत्तरत्वं प्रत्येवोपयुज्यते । तथा च लोकोत्तरवर्णनानिपुणताविशिष्टक-  
विकर्मरूप काव्य प्रति त्रितयस्यैकसानप्रौषट्कत्वमुचितमेव ।' इति ।

इद पुनरिहावगन्तव्यम्—केचन 'नसि सदा सुसनाधिनि विस्फुरणमनेकवाऽभिधे-  
दस्य । अक्रिष्टानि पदानि च विभान्ति यस्यानसौ शक्ति ॥' इत्यभिधुक्तीके शक्तिशब्दव्य-  
पदेश्य कवित्वमोजभूतं भावनानय वासनास्वरूपं वा देवताप्रसादादिजन्यं संस्कारविशेष काव्य-  
चरणाभूतप्रतिभात्वेनोदरीकुर्वन्ति । तथा च 'प्रणिधानसहकृते चैतसि यो म्हादित्युद्बुध्यते

द्विष्टपदपदार्थगोचर संस्कार', सा प्रतिभा विद्वदादिपदप्रवृत्तिनिमित्तम् ।' इति तदीय-  
माख्यानम् ।

परे तु 'असौ कविरमुं विषयं घटयत्विति सारस्वतेच्छास्वरूपं देवताप्रसादमेव शक्तिमि-  
धाय तत्त्वेनाभिदधते । अपरे तु देवताप्रसादादिजन्यमदृष्टमेव प्रतिभामभ्युगत्य कवित्वस्य  
निमित्ततयाऽचक्षते ।

तत्र नाथ' पक्ष क्षोदक्षम', संस्कारस्य तादृशस्मृत्यात्मकस्फूर्तिमात्रजनकत्वेन का-  
प्रत्यजनकत्वात्, 'प्रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभोच्यते' इति कोशानुशासनविरोधाच्च ।  
वा द्वितीय, तादृशदेवतेच्छाया कालादिवत्साधारणकारणत्वेनासाधारणकारणतया परिग-  
नानुपपत्ते । नापि तृतीय, कार्यमात्रं प्रत्यदृष्टस्यापि साधारणकारणताया एव सर्वसम्मत्त्वात्  
अदृष्टस्य प्रतिभाकारणताया चक्ष्यमाणत्वेन काव्यं प्रत्यन्ययासिद्धेदुर्वारत्वाच्च ।

तस्मादुद्धृतकोशसाहाय्येन काव्यघटनानुकूलपदपदार्थविषयकमट्टितिस्फूर्तिवपुषं बुद्धि-  
विशेषमेव प्रतिभापदार्थं काव्यजनकतया निश्चिन्वन्त्यव्याप्य ।

पूर्वोक्त रीति से काव्यलक्षण निरूपण कर लेने के बाद पण्डितराज काव्यकारण व  
निर्देश करते हैं—'तस्य च कारणम्' इत्यादि । मम्मट आदि प्राचीन आचार्यों ने 'शक्ति  
निपुणता और अभ्यास' इन तीनों को काव्य के प्रति कारण माना है । परन्तु पण्डितराज  
ऐसा नहीं मानते, वे कहते हैं—केवल प्रतिभा ही काव्य का कारण है और प्रतिभा  
कहते हैं—काव्यनिर्माण के लिये जो शब्द तथा अर्थ अनुकूल, उपयुक्त हों, जिनसे काव्य  
निर्माण हो सके, उनकी उपस्थिति को, अर्थात् काव्यनिर्माण के लिये जहाँ जिस शब्द व  
और जिस अर्थ की आवश्यकता हो, वहाँ तत्काल उसका स्मरण हो जाना प्रतिभा है । कोष  
कार ने भी नवनवोन्मेषशालिनी बुद्धि को प्रतिभा कही है । प्रतिभा में रहने वाला प्रतिभा  
एक जाति विशेष है, जिसकी सिद्धि के प्रसङ्ग में निम्नलिखित बातें समझनी चाहिये-  
जाति की सिद्धि दो प्रकार से होती है, किसी-किसी जाति की सिद्धि अनुगताका  
( एक तरह की ) प्रतीति से होती है, जैसे घटत्व आदि जाति की सिद्धि सब घटों  
होने वाली 'घटः, घट' इस तरह की एकाकार आपामर प्रतीति से होती है और किसी  
किसी जाति की सिद्धि अनुमान से होती है, जैसे द्रव्यत्व आदि जाति की । अब हमें या  
विचार करना है कि प्रसङ्ग प्राप्त प्रतिभात्व जाति की सिद्धि कैसे होगी ? उत्तर यह है कि  
अनुमान से । अर्थात् स्व ( काव्य ) विषयक-ज्ञान-समवायित्व-सम्बन्ध से काव्य के प्रति  
समवाय सम्बन्ध से प्रतिभा कारण है, इस कार्यकारण भाव के सिद्ध हो जाने प  
तन्मूलक अनुमान ( जिसका आकार संस्कृत टीका में लिखित है ) प्रतिभात्व जाति की  
सिद्धि होगी । आशय यह है कि सभी कारणतायें किसी न किसी धर्म से अवच्छिन्न हुए  
करती हैं, अतः प्रतिभा में रहने वाली कारणता भी किसी धर्म से अवच्छिन्न अवश्य होनी  
और वह धर्म प्रतिभात्व से अतिरिक्त हो नहीं सकता । यद्यपि यहाँ भी यह शङ्का उपस्थित  
की जा सकती है कि—उक्त अनुमान से जिस प्रतिभात्व की सिद्धि हुई, वह जातिरूप है  
धर्ममात्र नहीं, इसमें क्या प्रमाण ? इसका उत्तर यह है कि उस प्रतिभात्व को धर्ममात्रमान  
से उसका अनन्त ध्वंस, अनन्त प्रागभाव और अनन्त सृष्टि मानने पवेंगे, क्योंकि धर्मरूप  
में वह प्रतिभात्व अनित्य ही होगा । इसी गौरव के भय से प्रतिभात्व को नित्य जाति मान  
लेते हैं, ऐसा मान लेने से कोई शक्ति हुई ही नहीं और लाघव हुआ, सो लाभ अलग  
अथवा प्रतिभात्व को जाति न मान कर नीलघटत्व के ऐसे सखण्ड उपाधि ही मान लें ।

काव्यकारणीभूताया प्रतिभाया' कारणमाह—

तस्याश्च हेतुः क्वचिद् देवतामहापुरुषप्रसादादिजन्यमदृष्टम्, क्वचिच्च विल-  
क्षणव्युत्पत्ति-काव्यकरणाभ्यासौ ।

तस्या प्रतिभाया । क्वचिन्न तु सर्वत्र । महापुरुषा विपुलतपोमाहात्म्यभाजः सिद्धपुरुषा । प्रसादोऽनुग्रह इत्यनर्थान्तरम् । आदिपदेनोपेतप्रत्याप्रवृत्ते परिग्रहः । अदृष्टं पुण्यम् । विलक्षणानानविवलोकवृत्त-शास्त्र-काव्येतिहासप्रभृतिपर्यालोचनप्रसूता, व्युत्पत्तिर्निपुणता विशिष्टज्ञानमिति यावत् । विलक्षण-काव्यज्ञशिक्षाप्रयोज्य । काव्यस्य करणे निर्माणेऽभ्यासपौनःपुन्येन प्रवृत्तिश्च हेतुरिति शेषः ।

कस्यचिद् देवताऽऽदिप्रसादजन्यादृष्टेनैव, कस्यचित् पुनर्व्युत्पत्त्यभ्यासाभ्यानेवोत्पादिता प्रतिभा काव्य जनयतीतिसारम् ।

काव्यकारणीभूत प्रतिभा का क्या कारण है, इसका अब विचार करते हैं—'तस्याप्र हेतु' इत्यादि । प्रतिभा के कारण दो हैं—एक तो, किसी देवता अथवा किसी महात्मा पुरुष की प्रसन्नता से उत्पन्न भाग्यविशेष और दूसरा—विलक्षण ( विविध लोकाचार, शास्त्र, काव्य, इतिहास, प्रभृति के पर्यालोचन से होने वाली ) व्युत्पत्ति ( निपुणता—विशिष्ट ज्ञान ) और पुनः पुनः काव्य बनाने का अभ्यास—अर्थात् किसी में देवता या महात्माओं की कृपा से नवनवोन्मेषशालिनी बुद्धिरूपा प्रतिभा उत्पन्न होती है और किसी में व्युत्पत्ति तथा अभ्यास से प्रतिभा उत्पन्न हाती है, दोनों ही प्रतिभाओं का कार्य यह होता है कि काव्यधारा प्रवाहित हो उठती है—उक्त प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति काव्य-निर्माण करने में सफल सिद्ध होता है ।

अदृष्टादीना स्वातन्त्र्येण प्रतिभा प्रति कारणत्व व्यवस्थापयति—

न तु त्रयमेव, बालादेस्तौ विनाऽपि केवलान्महापुरुषप्रसादादपि प्रतिभोत्पत्तेः ।

त्रयमदृष्ट व्युत्पत्तिरभ्यासश्च, कारणमिति शेषः । तौ व्युत्पत्त्यभ्यासौ । प्रसादपद तज्जन्त्यादृष्टपरम् । प्रतिभोत्पत्तेर्दर्शनादिति शेषः ।

त्रय भाव —प्रतिभात्वावच्छिन्न प्रत्यदृष्टस्य व्युत्पत्त्यभ्यासयोश्च तृणारणिमणिन्यायेनैव कारणता, अन्यथा कर्णपूरप्रवृत्तीनां बाल्य एव व्युत्पत्त्यभ्यासवैद्युयेंऽपि प्रतिभोत्पत्तेर्दर्शनाद् व्यभिचारः स्यात् । पृथक्कारणत्वे तु कार्यताऽवच्छेदककोटावव्यवहितोत्तरत्वनिवेशेन व्यभिचारो वारणीयः ।

नागेशभट्टास्तु—'विलक्षणत्रितयजन्यप्रतिभा चातिविलक्षणा, तज्जन्य काव्यं चातिविलक्षणमेवेति न दोषः' इति वदन्ति ।

प्रतिभा के प्रति अदृष्ट, पृथक् और व्युत्पत्ति तथा अभ्यास, पृथक् कारण है, सम्मिलित नहीं, इसी बात को युक्ति से स्पष्ट करते हैं—'न तु त्रयमेव' इत्यादि । कहने का भाव यह है कि अदृष्ट, व्युत्पत्ति, अभ्यास ये तीनों मिलकर प्रतिभा को उत्पन्न करते हैं, ऐसी बात नहीं है, अपितु पूर्वांक्त रीति से कहीं अदृष्ट स्वतन्त्र तथा प्रतिभा का उत्पादक होता है, और कहीं व्युत्पत्ति तथा अभ्यास मिलकर प्रतिभा की सृष्टि करते हैं । यदि तीनों मिलकर ही प्रतिभा की सृष्टि करें, तब तो किसी बालक में महापुरुषों के कृपामात्र से जो प्रतिभा उत्पन्न होती देखी गई है, ( कवि कर्णपूर के विषय में इस तरह की क्विदन्ती है ) वहाँ उक्त कार्यकारणभाव व्यभिचारित हो जायगा, अर्थात् जिस वच्चे ने कभी व्युत्पत्ति नहीं बनायी, अभ्यास नहीं किया फिर भी उसमें केवल महापुरुष कृपा से प्रतिभा उत्पन्न हो गई, उसमें सम्मिलित कारणवादी के हिसाब से कारण के बिना ही कार्य हुआ, इसी को व्यभिचार कहते हैं ।

१ पञ्चवर्षवयस्कस्य नूतन्य कर्णपूरस्य मुने प्रमथ श्रीहृन्मचैनन्येनाहुन्मत्र प्रवेद्य नदो विलक्षणा क्विनाशक्तिरविभाविनेति जनयति ।

दर्शितस्य व्यभिचारस्य वारणमाशङ्क्य निरस्यति—

न च तत्र तयोर्जन्मान्तरीययोः कल्पन वाच्यम्, गौरवान्मानाभावात् कस्यान्यथाऽप्युपपत्तेश्च ।

तत्र महापुरुषादिप्रसादमात्रात् प्रतिभोत्पत्तिस्थले । तयोर्व्युत्पत्त्यभ्यासयोः । तस्मिन्नालेऽन्यस्मिन्मनि विद्यमानयोः । कल्पनमनुमानम् । न चेति वाच्यमित्यनेनानुपक गौरवं तादृशानुमानविधानेन । मानाभावस्तत्रितयस्य समुदितस्य कारणतायाम् । कार्य प्रतिभायाः । अन्यथाऽपि केवलादृष्टेनापि ।

यथा नास्तिकग्रन्थेषु मङ्गलाभावेऽपि समाप्तिदर्शनादुपस्थितस्य व्यभिचारस्य वारण जन्मान्तरीयं तन्मङ्गलमनुनीयते, तथैव कविकर्णपुरादिवालेष्वपि साम्प्रतिकव्युत्पत्त्यभ्यास विरहेऽपि प्रतिभोत्पत्तिदर्शनाज्जन्मान्तरीयौ व्युत्पत्त्यभ्यासावनुमेयाविति व्यभिचाराभात्रयाणा समुदिताना कारणताया सिद्धिरिति पूर्वपक्षाशयः ।

जन्मान्तरीयव्युत्पत्त्यभ्यासयोरिहानुमितौ गौरवम् । तथा मङ्गलसमाप्त्यो कार्यका भाव प्रमाणान्तरसिद्ध इति तत्र कचिदुपस्थितव्यभिचारवारणाय मङ्गलानुमानभार सोढ भवति, प्रकृते तु कार्यकारणभाव एव प्रमाणभाव इति तद्वैरवमसहनीयमेव । किञ्च व्युत्पत्त्यभ्यासौ विनाऽदृष्टात् कचिदपि प्रतिभा नोत्पद्येत, तदेवानायत्या तत्कल्पनमौ च्छ्वेत् । न तु तथा प्रकृत एव व्यभिचारस्य स्फुटत्वात् । एतावतैव कार्यानुपपत्तिरेव मानमित्यपि न वक्तुं शक्यम् । तस्मात् कुतो व्युत्पत्त्यभ्यासयोरिह कल्पना, कथं समुदिताना त्रयाणा कारणतेत्युत्तरपक्षस्य तात्पर्यम् ।

अदृष्ट आदि समुदित कारणतावादी द्वारा उक्त व्यभिचार वारण के लिये उपरि किये गये समाधान का सण्डन करते हैं—‘न च तत्र तयो’ इत्यादि । जहाँ कहीं भा व्युत्पत्ति अभ्यास के विना अदृष्टमात्र से प्रतिभा उत्पन्न होती दीखती है, वहाँ भी अदृष्ट से प्रतिभा नहीं हुई है, अपितु अदृष्ट, व्युत्पत्ति, अभ्यास इन तीनों से ही, यद्यपि उसने जन्म में व्युत्पत्ति तथा अभ्यास नहीं किये, तथापि जन्मान्तर (पूर्वजन्म) में अब किये होंगे, ऐसी कल्पना करेंगे, सो भी ठीक नहीं, क्योंकि पूर्वजन्मगत व्युत्पत्ति अभ्यास की सिद्धि अनुमान प्रमाण से ही तो करेंगे और अनुमिति सामग्री को जुटाने गौरव होगा । दूसरी बात यह कि—इन तीनों को सम्मिलितरूप में प्रतिभा के प्रति का मानने में प्रमाण भी नहीं है । यदि आप कहें कि प्रमाण है, क्यों नहीं, कार्यानुपपत्ति तो एक प्रमाण है—अर्थात् तीनों को कारण विना माने कार्य होता नहीं, अतः तीनों कारण मानिये ? परन्तु यह दलील भी सङ्गत नहीं, कारण ? जब अदृष्टमात्र से कार्य देखते हैं, तब कार्यानुपपत्तिरूप प्रमाण का यहाँ अवसर ही नहीं है ।

उत्तरपक्षस्याशय विवृणोति—

लोके हि बलवता प्रमाणेनागमादिना सति कारणतानिर्णये पश्चादुपस्थितस्य व्यभिचारस्य वारणाय जन्मान्तरीयमन्यथाऽनुपपत्त्या कारणं धर्माधर्मा कल्प्यते । अन्यथा तु व्यभिचारोपस्थित्या पूर्ववृत्तकारणतानिर्णये भ्रमत्वप्रति त्तिरेव जायते ।

लोके सर्वत्रप्रकृतेतरस्थलेषु । आगम श्रुति, तदादयः स्मृतीतिहासप्रवृत्तयः प्रमाणस्य बलवत्त्वं श्रुत्यादिरूपत्वात् । अन्यथा बलवत्तरश्रुत्यादिप्रमाणहेतुककारणतानिर्णय भावे तु । पूर्ववृत्ते प्राग्जाते कारणताया निर्णये निश्चयात्मकज्ञाने । भ्रमत्वस्य प्रतिपाद प्रतीतिः । एवकारस्तादृशनिर्णयस्य प्रामाण्यव्यावृत्त्या कार्यासाधकत्व सूचयति ।



यदि श्रुत्यादिप्रमाणै कार्यकारणभावेऽवधारितेऽपि क्वचिद्व्यभिचार आपतति, तर्हि तत्र तादृशप्रमाणानुरोधेनोपस्थितव्यभिचारवारणाय जन्मान्तरीयकारणानुमानविधानगौरव-मगत्या नृष्यते । तादृशप्रमाणविरहे तु तादृशकार्यकारणभावज्ञानस्यैव, त्रैमास्यनन्दनज्ञीक्रियत इति नन्प्रदाय । प्रकृते तु प्रनाणाभावान्नैव तदनुमितिरिति भाव ।

उक्त बातों का ही स्पष्टीकरण करते हैं—'लोके हि' इत्यादि । नास्तिक ग्रन्थों में मङ्गल के बिना समाप्ति हो जाने से उपस्थित व्यभिचार वारण के लिये जैसे आचार्यों ने जन्मान्तरीय मङ्गल की कल्पना करने में होने वाले गौरव को सहा माना है, उसी तरह यहाँ जन्मान्तरीय व्युत्पत्ति एवम् अभ्यास की कल्पना करने में जो गौरव होगा, उसको सहना चाहिये । हाँ, दृष्टान्त तो आपने खोज निकाला, परन्तु यहाँ वह लागू नहीं हो सकता, क्योंकि वेदादि प्रबल प्रमाणों से जब किसी कार्य के प्रति कोई कारण निश्चित हो चुका रहता है और किसी स्थलविशेष पर उस कार्यकारणभाव में व्यभिचार ( कारण के बिना भी कार्य हो जाना या कारण के रहने पर भी कार्य का न होना ) उपस्थित होता है, तब अगत्या ( क्योंकि वेदादि मिथ्या नहीं हो सकते ) जन्मान्तरीय कारण की कल्पना की जाती है, परन्तु यहाँ वेदादि प्रमाण से कार्यकारणभाव निश्चित नहीं हुआ है बल्कि स्वयं हम आप एक प्रकारके कार्यकारण भाव को मान बैठे हैं, वहाँ यदि पीछे किसी जगह व्यभिचार आपतित होता है, तब यही समझा जाता है कि हम लोगों का कार्यकारणभाव ज्ञान सही नहीं था, भ्रम था अर्थात् 'मङ्गल समाप्ति के प्रति कारण है' ऐसा कार्यकारणभाव वेदादिबोधित है, अतः नास्तिक ग्रन्थ में व्यभिचार होते देखकर नास्तिक-कृत-जन्मान्तरीय मङ्गल की कल्पना की जाती है, यहां तो प्रतिभा के प्रति अदृष्टादिव्रितय की कारणता वेदादिबोधित नहीं अपितु स्वकल्पित है, अतः इस जगह व्यभिचार उपस्थित होने पर जन्मान्तरीय व्युत्पत्ति अभ्यास की कल्पना नहीं की जा सकती है वरन् समुदित कारणता ज्ञान भ्रम है—कार्यजनन में असमर्थ है, यही माना जायगा ।

तत्र नतान्तर निराकरोति—

नापि केवलमदृष्टमेव कारणमित्यपि शक्यं वदितुम् . कियन्तंचिन् कालं काव्यं कर्तुमशक्नुवतं कथमपि सञ्ज्ञानयोर्व्युत्पत्त्यभ्यासयो प्रतिभायाः प्रादुर्भावस्य दर्शनान् ।

नापाति वदितुं शक्यमित्यनेनान्वेति । केवलमद सद्यस्यम्, एवकारोपादानात् । कारण प्रतिभा प्रतीति शेष । अदृष्टं पुम्यन्, पातस्य प्रतिबन्धकत्वात् । अत्रि प्रागुक्तसस्य समुच्चानक । अन्वयरोपेऽशक्तिर्व्युत्पत्त्यभ्यासयोर्विरहेण प्रतिभानुदयान् । अथकपि केनापि तादृशविद्वदविरतसङ्काशादिना प्रकारेण । व्युत्पत्त्यभ्यासयोः सतेरिति शेष ।

अदृष्टान्तेऽपि क्वचिन् व्युत्पत्त्यभ्यासान्वायेन प्रतिभेत्सत्तेत्पलन्नेन व्यभिचारात् सर्वा प्रतिभा अदृष्टमेव कारणम्, किन्तु व्युत्पत्त्यभ्यासावपि । अत्र अदृष्टमेव कारणं स्यात्, तर्हि तत्र व्युत्पत्त्यभ्यासोन्वये प्रागपि कदाचिन् प्रतिभा प्रादुर्भूय काव्य जनयेदित्यभिप्राय ।

अब अदृष्टमात्र कारणतावाद का निराकरण करते हैं—'नापि' इत्यादि । यदि कोई कहे कि व्युत्पत्ति तथा अभ्यास को पृथक् कारण मानने की आवश्यकता ही क्या है ? अदृष्टमात्र को मय जगह प्रतिभा के प्रति कारण मान लीजिये तो सो भी ठीक नहीं, कारण ? कविपय ननुप्य ऐसे भी देखने में आते हैं, जो बहुत काल तक काव्य बनाना नहीं जानते, पर कुछ समय के बाद जब किसी तरह व्युत्पत्ति तथा अभ्यास हो जाता है, तब उनमें प्रतिभा उत्पन्न हो जाती है, वे काव्यनिर्माण करने लगते हैं अर्थात् वहां अदृष्ट के अभाव में

भी केवल व्युत्पत्ति तथा अभ्यास से प्रतिभा की उत्पत्ति देखते हैं, अतः उन दोनों को भी पृथक् प्रतिभा के प्रति कारण मानना उचित है।

तत्राप्याशङ्का यण्डयति—

तत्राप्यदृष्टस्याङ्गीकारे प्रागपि ताभ्यां तस्याः प्रसक्तेः ।

तत्रापि किञ्चित्कालानन्तरोत्पन्नव्युत्पत्त्यभ्यासोत्तरजायमानप्रतिभोत्पत्तावपि । अदृष्टस्याङ्गीकारे कारणत्वेनेति शेष । ताभ्या व्युत्पत्त्यभ्यासाभ्याम् । तस्याः प्रतिभायाः । प्रसक्तेरुत्पत्त्यापत्तेः ।

ननु तादृशस्थले तत्र पुरुषेऽदृष्टं तिष्ठत्येवेति तेनैव प्रतिभा जन्यते, न तु व्युत्पत्त्यभ्यासाभ्यामिति चेत्, तदादृष्टस्य तत्र जन्मन प्रगृह्येव विद्यमानतया व्युत्पत्त्यभ्यासोत्पत्तेः पूर्वमपि प्रतिभोत्पत्तिरापद्यत इत्यदृष्टमात्रस्य कारणत्वं दुर्बलमेवेति तात्पर्यम् ।

यदि आप कहें कि अदृष्ट तो अदृष्ट ही है वह इष्टिगोचर तो होता नहीं, फिर वहाँ (जहाँ आप व्युत्पत्ति अभ्यासमात्र से प्रतिभोत्पत्ति मानते हैं) अदृष्ट नहीं है इसमें क्या प्रमाण ? मैं कहूँगा कि वहाँ भी अदृष्ट है, उसीसे प्रतिभा उत्पन्न होती है, तो यह दलील भी युक्तियुक्त नहीं, क्योंकि यदि वह अदृष्ट था और उसीसे प्रतिभा उत्पन्न हुई, तो व्युत्पत्ति तथा अभ्यास से पहले उनमें वह अदृष्ट प्रतिभा को क्यों पैदा कर दिया ? व्युत्पत्ति तथा अभ्यास से पूर्व वे क्यों काव्य बनाने में असमर्थ रहे ? अर्थात् 'तदुदितः स हि यो यदनन्तरः' के हिसाब से व्युत्पत्त्यभ्यास प्रयुक्त ही वहाँ प्रतिभोत्पत्ति माननी पड़ेगी ।

भूयोऽत्राभिनिवेशिनो मतमुपन्यस्य निरस्यति—

न च तत्र प्रतिभायाः प्रतिबन्धकमदृष्टान्तरं कल्प्यमिति वाच्यम्, तादृशा-  
नेकस्थलगतादृष्टद्वयकल्पनापेक्षया क्लृप्तव्युत्पत्त्यभ्यासयोरेव प्रतिभाहेतुत्वकल्पने  
लाघवात् । अतः प्रागुक्तसरणिरेव ज्यायसी ।

न चेति वाच्यमित्यनेनानुपक्तम् । तत्र व्युत्पत्त्यभ्यासप्राक्कालिनादृष्टहेतुकप्रतिभोत्पत्तौ ।  
अदृष्टान्तरमन्यददृष्टं पापरूपम् । कल्प्यं प्रतिभाऽनुत्पत्तेरनुमेयम्, प्रत्यक्षाविषयत्वात् ।  
एकमदृष्टं प्रतिभोत्पत्तौ साधकम्, अपर च बाधकमित्यदृष्टद्वयम् । व्युत्पत्त्यभ्यासयो क्लृप्तत्वं  
च प्रतिबन्धकादृष्टनिवर्तकत्वेन । एवशब्दोऽदृष्टद्वयकल्पनाव्यावृत्तिपर । लाघवन्वन्न पक्षे  
प्रतिबन्धप्रतिबन्धकभावकल्पनाभावात् । प्रागुक्ता सरणिः क्वचिददृष्टं क्वचिच्च व्युत्पत्त्यभ्यास  
प्रतिभायाः कारणमित्येवं स्वीकार । ज्यायसी श्रेष्ठा दोषवैधुर्यात् ।

नन्वत्र व्युत्पत्त्यभ्यासतः प्राक् प्रतिभाया उत्पादकदृष्टस्य सत्त्वेऽपि प्रतिबन्धकादृष्ट-  
सत्त्वान्न तदुत्पत्तिरिति चेत्, तर्हि नवीनादृष्ट-तत्प्रतिबन्धकत्वयोः कल्पनागौरवमेव दूषणम्  
मतान्तरे तु व्युत्पत्त्यभ्यासो पुनः क्लृप्तावेव, तद्वेतुता केवलं कल्पनीयेति लाघवम्  
तस्माददृष्टस्य व्युत्पत्त्यभ्यासयोश्च तृणारणिमणिन्यायेन पृथगेव प्रतिभा प्रति कारणत्वमिति  
प्रागुक्तमेव युक्तमिति सारम् ।

यदि आप कहें कि जिस मनुष्य में कुछ दिनों के बाद प्रतिभा देखने में आती है, उसमें पहले कोई बुरा अदृष्ट था, जिसने प्रतिभा की उत्पत्ति के कुछ दिनों के लिये रोक रखा था किसी तरह उस दूरदृष्टि के हटने पर शुभ अदृष्ट ने अपना काम किया, प्रतिभा उत्पन्न हुई, इस तरह अदृष्ट मात्र को प्रतिभा के प्राग्नि कारण मानने में कोई आपत्ति नहीं दीख पड़ती, व्युत्पत्ति तथा अभ्यास को कारण की श्रेणी में चुसेबने से क्या लाभ ? इसका उत्तर यह । कि—व्युत्पत्ति तथा अभ्यास होने पर ही काव्य बनाने वाले प्रायः अधिक होते हैं, इसलिए अनेक जगहों पर दो-दो ( अच्छे और बुरे ) अदृष्ट मानने की अपेक्षा प्रतिभोत्पत्ति क

क देने वाले दुरदृष्ट के नाश करने के लिये आप जिन व्युत्पत्ति तथा अभ्यास की कल्पना करते हैं—जिनके आगमन से प्रतिबन्धक दुरदृष्टि नष्ट हो जाता है, उन्हीं (व्युत्पत्ति और अभ्यास) को कारण मान लेना समुचित है—अर्थात् प्रतिबन्धक अदृष्टि को हटाने के लिये जब आपको भी व्युत्पत्ति और अभ्यास की कल्पना करनी ही पड़ती है, तब एक तिभोत्पादक अदृष्ट और एक प्रतिभोत्पत्ति-प्रतिबन्धक अदृष्ट इन दो-दो अदृष्टों को मानकर व्यर्थ गौरव-भार को ढोने से क्या लाभ? अतः पूर्वोक्त मार्ग (अर्थात् अदृष्ट को एक और व्युत्पत्ति-अभ्यास को पृथक् प्रतिभा के प्रति कारण मानना) ही श्रेष्ठ है।

नन्वेवमप्यदृष्टमात्रोत्पन्नप्रतिभास्थले व्युत्पत्त्यभ्यासरूपतत्कारणाभावेऽपि प्रतिभालक्षण-पूर्वात्पत्तिदर्शनाद् व्यतिरेकव्यभिचार स्यादेवेत्यत आह—

तादृशादृष्टस्य तादृशव्युत्पत्त्यभ्यासयोश्च प्रतिभागतं वैलक्षण्य कार्यताऽवच्छे-  
दकम्, अतो न व्यभिचारः।

प्रतिभातृत्तिलक्षणमदृष्टव्यवहितोत्तरोत्पद्यमानत्व व्युत्पत्त्यभ्यासाव्यवहितोत्तरोत्पद्य-  
मानत्व च।

अदृष्टव्यवहितोत्तरजायमानप्रतिभात्ववच्छिन्न प्रत्यदृष्ट कारणम्, व्युत्पत्त्यभ्यासा-  
व्यवहितोत्तरजायमानप्रतिभात्वावच्छिन्नं प्रति तु व्युत्पत्त्यभ्यासौ कारणमिति कार्यताऽवच्छे-  
दकत्वेऽव्यवहितोत्तरत्वनिवेशाददृष्टोत्पन्नप्रतिभाया व्युत्पत्त्यभ्यासौ न कारणमिति व्युत्प-  
त्त्यभ्यासयोरभावेऽपि प्रतिभाया उत्पत्तौ नैव व्यभिचार इत्यभिसन्धिः।

अब यहाँ यह शङ्का उठती है कि जब आप प्रतिभा के प्रति अदृष्ट को अलग और व्युत्पत्ति-अभ्यास को अलग कारण कहते हैं—अर्थात् दो कार्यकारण भाव मानते हैं, तब दोनों कार्यकारण भावों में व्यतिरेक व्यभिचार होगा, क्योंकि कारण दो हैं और कार्य एक, ऐसी स्थिति में अदृष्ट के बिना व्युत्पत्ति-अभ्यास से और उसके बिना अदृष्ट से प्रतिभा होगी। इसका उत्तर यह है कि—अदृष्ट के बाद होने वाली प्रतिभा के प्रति अदृष्ट और व्युत्पत्ति-अभ्यास के बाद होने वाली प्रतिभा के व्युत्पत्ति-अभ्यास को कारण मानना ही मेरा अभीष्ट—अर्थात् जैसे कारण दो हैं, वैसे कार्य भी दो ही हैं, एक नहीं, अतः व्यभिचार की शङ्का समाप्त हो गई।

नन्वपि भिन्नयोर्द्वयो प्रतिभयोर्द्वे कान्ये प्रति पृथक्कारणत्वे मियो व्यभिचार आपते-  
देवेत्याचष्टे—

प्रतिभात्वं च कवितायाः कारुणताऽवच्छेदकम्, प्रतिभागतं वैलक्षण्यमेव वा  
विलक्षणकाव्यं प्रतीति नान्नापि सः।

अत्रापि द्वितीयस्मिन् प्रतिभाकाव्यकार्यकारणभावेऽपि। स व्यभिचारः।

प्रतिभात्वं हि काव्यत्वावच्छिन्नकार्यतानिरूपितकारणताऽवच्छेदकतयैव सिद्धमत काव्यं  
प्रति प्रतिभा कारणमिति सामान्याकारणैव कार्यकारणभावः। तथासति यदि व्यभिचार  
प्रापयते, तर्हि पूर्वोक्तं वैलक्षण्यनादाय विलक्षणकाव्य प्रति विलक्षणप्रतिभा करणमित्येवं  
विशेषाकारेण कार्यकारणभावमवलम्ब्य व्यभिचारो वारणाय इत्याहृतम्।

इह विकल्पार्थक-वाशब्दोपादानेन कल्पद्वयनुपस्थाप्यते। तत्र प्रथमं कल्पं प्रसन्नादे-  
वोपातं प्रकृतानुपयोगित्वान्। यद्वा सानान्यरूपेण कार्यकारणभावप्रदर्शनमप्यावश्यकमेव  
'यत्रोर्विशेषेण कार्यकारणभावः, तयो सानान्येनापि' इति न्यायात्।

अब कहते हैं कि—अच्छा भाई, यहाँ तो आपने व्यभिचार-पाप से पिण्ड चुड़ाया,  
परन्तु जब दो तरह की (अदृष्टजन्य और व्युत्पत्ति-अभ्यासजन्य) प्रतिभा से काव्यरूप  
एक कार्य होगा, तब फिर वह व्यभिचार उपस्थित हो जायगा। यहाँ समाधान दो प्रकार

से हो सकता है—१. एक तो यह कि जैसे काव्यरूप कार्य एक मानते हैं, वैसे प्रतिभा रूप कारण को भी एक ही मान लेंगे—अर्थात् कारण ( प्रतिभा ) में अदृष्टजन्यत्व तत् व्युत्पत्ति-अभ्यासजन्यत्व विशेषण नहीं देकर 'काव्य के प्रति प्रतिभा कारण है' इस तर एक ही सामान्य कार्यकारणभाव बनायेंगे जिसका स्पष्ट आशय यह हुआ कि काव्य निर्माण के लिये प्रतिभा चाहिये, वह प्रतिभा कैसे बनी ? किससे बनी ? इस गवेषणा व आवश्यकता नहीं, सब प्रतिभाओं से कार्य ( काव्य ) एक सा ही होगा । २. दूसरा समाधान पूर्वोक्त रीति से कार्य को भी दो बना देना है—अर्थात् अदृष्टजन्य प्रतिभा व वाद होने वाले विलक्षण काव्य के प्रति अदृष्टजन्य प्रतिभा और व्युत्पत्ति-अभ्यास-जन्य प्रतिभा के वाद होने वाले विलक्षण काव्य के प्रति व्युत्पत्ति-अभ्यास-जन्य-प्रतिभा के कारण मान लेने से व्यभिचार की सम्भावना जाती रहेगी ।

अथ पूर्वकार्यकारणभावे व्यभिचारमापाद्यापनुदति—

न च सतोरपि व्युत्पत्त्यभ्यासयोर्यत्र न प्रतिभोत्पत्तिः, तत्रान्वयव्यभिचार इति वाच्यम्, तत्र तयोस्तादृशवैलक्षण्ये मानाभावेन कारणताऽवच्छेदकान्तवच्छिन्नत्वात् ।

कारणसत्त्वेऽपि कार्याभावो ह्यन्वयव्यभिचार, स चात्र व्युत्पत्त्यभ्यासात्मककारणसत्त्वेऽपि प्रतिभारूपकार्यानुत्पत्तेः प्रसक्त इति चेन्न यथा प्रतिभानिष्ठ वैलक्षण्य कार्याताऽवच्छेदकम्, तथैव व्युत्पत्त्यभ्यासनिष्ठमपि, तच्च वैलक्षण्यमिह व्युत्पत्त्यभ्यासयोर्यदि स्यात्, तदा प्रतिभा जायेतैव, न च जायते प्रतिभेति कारणताऽवच्छेदकावच्छिन्नत्वाभाववतोर्व्युत्पत्त्यभ्यासयोरत्रोदासीनतया तत्सत्त्वे प्रतिभाऽनुदयस्य व्यभिचाररूपत्वाभावादिति भाव ।

इस प्रसङ्ग में एक बात और विचारणी यह रह जाती है कि—बहुत मनुष्य ऐसे भी देखने में आते हैं, जो जीवन भर व्युत्पत्ति और अभ्यास करते रहे, परन्तु उनमें प्रतिभा उत्पन्न नहीं हुई, काव्य बनाने की लालसा उनकी अपूर्ण ही रह गई । अब सोचिये कि वहाँ कारण के रहने पर भी कार्य क्यों नहीं हुआ ? और जब किसी भी हेतु से कारण के रहने पर कार्य नहीं हुआ, तब अन्वय व्यभिचार क्यों नहीं हुआ ? उत्तर दोनों का एक है कि—विलक्षण व्युत्पत्ति अभ्यास को ही हम प्रतिभा के प्रति कारण मानते हैं, फिर वहाँ 'सामान्यतः' उसके रहने पर भी प्रतिभा नहीं देखते, वहाँ समझना चाहिये कि व्युत्पत्ति-अभ्यास में वह विलक्षणता नहीं थी, अतः प्रतिभा नहीं हुई और जब का कार्य कुछ भी नहीं हुआ, तब व्यभिचार कैसा ?

ननु व्युत्पत्त्यभ्यासनिष्ठं वैलक्षण्यमदृष्टासहकृतत्वमेव वक्तव्यम्, तच्चात्र तयोरस्त्येव कुतो व्यभिचार इत्यरुचे पक्षान्तरमुपाददाति ।

पापविशेषस्य तत्र प्रतिबन्धकत्वकल्पनाद्वा न दोषः ।

तत्र तादृशव्युत्पत्त्यभ्यासतः प्रतिभोत्पत्तौ । पापविशेषस्य दुरदृष्टस्य । दोषो व्यभिचार सत्यपि व्युत्पत्त्यभ्यासात्मके कारणे तत्र दुरदृष्टरूपस्य प्रतिबन्धकस्य सद्भावादेव प्रतिभोत्पत्तिर्भवतीति नान्वयव्यभिचार इति भावः ।

व्युत्पत्ति-अभ्यास-गत-वैलक्षण्य का निर्वचन असम्भव है, अतः पक्षान्तर कहते हैं 'पापविशेषस्य' इत्यादि । कहने का आशय यह है कि व्युत्पत्ति-अभ्यास के रहने पर प्रतिभा उत्पन्न नहीं हो तो, वहाँ कोई विशिष्ट प्रकार का पाप ( बुरा अदृष्ट ) प्रतिबन्ध था, अतः कारण विशेष ( व्युत्पत्ति-अभ्यास ) के रहने पर भी प्रतिभा उत्पन्न नहीं हुई ।

ननु तर्हि प्रतिबन्धकादृष्टाभावस्य कारणताकल्पनादेव गौरवमित्यत आह—

प्रतिबन्धकाभावस्य च कारणता समुदितशक्त्यादित्रयहेतुतावादिनः शक्तिमात्रहेतुतावादिनश्चाविशिष्टा ।

किन्तु एक पण्डितराज ही इस अंश में अपवादभूत हैं। उनकी प्रतिज्ञा है कि 'कस्तुरी का जन्म देनेवाला मृग पुष्पों का गन्ध-ग्रहण नहीं करता। मैं इस रसगन्धाधर में एक भी परकीय पद्य उदाहरण के रूप में नहीं लिखूँगा'। इस प्रतिज्ञा की पूर्ति उन्होंने खूब ही की है। एक से एक सुन्दर स्वनिर्मित पद्य उदाहरण रूप से सम्पूर्ण रसगन्धाधर में उपस्थित किये हैं। वे पद्य भिन्न-भिन्न प्रसङ्ग पर भिन्न-भिन्न रसों से ओत-प्रोत हैं, रसगन्धाधर में आये हुये ऐसे पद्यों की संख्या भी बहुत बड़ी है, यद्यपि उन पद्यों में से कतिपय पद्य पण्डितराज के अन्य काव्य तथा स्तोत्र ग्रन्थों में भी आ चुके हैं, तथापि ऐसे भी श्लोक कम नहीं हैं, जो पण्डितराज के भी अन्य ग्रन्थों में उपलब्ध नहीं होते। इस दृष्टिकोण से देखने पर रसगन्धाधर अलङ्कारशास्त्र के निबन्धराट होने के साथ साथ एक सुन्दर मुक्तक कविताओं का सग्रहात्मक काव्यग्रन्थ भी है।

### प्रकृत पुस्तक के कतिपय प्रधान विषयों का विशद विवेचन:—

#### काव्य-प्रयोजन

'मन्दबुद्धियों की भी प्रवृत्ति निष्प्रयोजन नहीं होती'<sup>१</sup> इस न्याय के अनुसार ग्रन्थों के प्रारम्भ में प्रयोजनकथन की रीति प्रचलित है। अत एव काव्य-लक्षणकारों में भी लक्षण करने से पहले काव्य-प्रयोजन के प्रतिपादन करने की परम्परा है, पण्डितराज ने भी रसगन्धाधर में इस परम्परा की रक्षा की है अर्थात् इन्होंने भी काव्य के प्रयोजन दिखलाये हैं, परन्तु संक्षेप में इनकी अपेक्षा मम्मट और विश्वनाथ ने काव्यप्रकाश तथा साहित्यदर्पण में इसके विषय में कुछ अधिक लिखा है। इन्हीं तीनों आचार्यों के कथनों का विवेचन इस प्रकरण में करना है।

सबसे पहले यह समझ लेना चाहिये कि इन-ग्रन्थों में जो काव्य-प्रयोजन दिखलाये गये हैं उनमें दो तरह के प्रयोजन हैं। कुछ तो काव्य-निर्माण के और कुछ काव्याध्ययन के।

यश, अर्थ, व्यवहार-ज्ञान, अनर्थ-निवृत्ति, परम सुख और कान्तासम्मित उपदेश इन्हीं काव्य-प्रयोजनों का उल्लेख मम्मट ने किया<sup>२</sup> है। इनमें यश, अर्थ और अनर्थनिवृत्ति ये तीनों काव्यनिर्माण के प्रयोजन हैं तथा व्यवहार-ज्ञान और उपदेश ये दो काव्याध्ययन के प्रयोजन हैं, अवशिष्ट 'परमसुख' रूप प्रयोजन दोनों का हो सकता है। अन्य पाठकों के समान काव्यनिर्माता भी अपने काव्य के पाठक होते हैं, अतः काव्याध्ययनजन्य सुख तो उन्हें मिलता ही। साथ साथ काव्य-निर्माण-प्रयुक्त भी एक प्रकार का सुख उन्हें मिलता है, काव्यनिर्माण से जो सुख प्राप्त होता है, उसका अनुभव काव्यनिर्माताओं को ही हो सकता है, पाठकों को चाहि कि उस सुखानुभव का भी यत्न करें।

इसके बाद नम्बर आता है दर्पणकार विश्वनाथ का। उन्होंने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इस पुर्यार्थचतुष्टय की सुखपूर्वक प्राप्ति को काव्य-प्रयोजन कहा<sup>३</sup> है तथा काव्य से इन प्रयोजन

१ 'निर्माय नूननमुदाहरणानुरूप काव्यं मयात्र निहितं न परस्य किञ्चिद् । ( पृ० ६ )

२ 'प्रयोजनमनुद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते' ।

३ 'काव्यं यशमेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये ।

मम परनिर्भूतये कान्तासम्मितयोपदेशयुजे' ॥

४ 'नानुर्गम-नन्-प्राप्ति सुप्तादस्यपियामपि । काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपं निरूप्यते ॥'

अविशिष्टा तुल्या ।

प्रतिबन्धकादृष्टाभावस्य करणत्वकल्पनं न नवीनम्, यन्ने गौरवाय कल्पेत, अपि तु लिख्यन्त्यभ्यासाना समुदिताना कारणत्व वदद्भिर्मवद्भिरपि कल्पनीयनेव प्रतिबन्धक-  
नर्गाभावस्य कार्यमात्र प्रति कारणताया सर्वसिद्धान्तसिद्धत्वादित्याशय ।

यदि आप कहें कि—इस तरह प्रतिबन्धक पाप के अभाव को कारण मानने में गौरव  
ला, तो इसका उत्तर पण्डितराज यह देते हैं कि यह गौरव मुझे ही नहीं सबको सहना  
हता है, क्योंकि प्रतिबन्धकानाव को कार्यमात्र के प्रति सामान्य कारण माना गया है, अतः  
ह गौरव, शक्ति आदि तीनों इकट्ठे कारण मानने वाले मन्मट के मत में भी दुर्निवार ही है।

हेतुप्रदर्शनोक्तार्थं द्रव्यति—

प्रतिवादिना मन्त्रादिभिः कृते कतिपयदिवसव्यापिनि वाक्स्तम्भे विहितानेक-  
प्रबन्धस्यापि कवे. काव्यानुदयस्य दर्शनात् । )

कवेविहितेत्यादिनिरोपण प्रतिभाऽऽदिवरणसन्वधानप्रत्यायकम् ।

यद्यनेकाव्यानिरचितवतोऽपि कवेः ब्रुद्ध प्रतिवादी लक्ष्मीयमन्त्रादिप्रभावेण क्रियतो  
देवमान् वावद् वाव स्तम्भन करोति, तत्र तत्कवेरेकमपि काव्य तदा नोत्पद्यते, कवि-  
नत्प्रतिभाप्रवृत्तिवर्णना सद्भावेऽपि प्रतिबन्धकस्य मन्त्रादिजन्याऽऽद्यस्य सत्त्वादितीहापि  
यदि प्रतिबन्धकमस्तिवान् कार्यं न जायते, तर्हि न किञ्चिदद्भुतमित्यभिप्राय ।

शक्यादि समुदित हेतुतावादी के मत में भी प्रतिबन्धकाभाव को कारण मानना  
क्यों आवश्यक होगा ? इसका स्पष्टीकरण करते हैं—‘प्रतिवादिना’ इत्यादि । ऐसा देखने  
में आता है कि जो पूर्ण प्रतिभाशाली है, अनेक उत्तम काव्य बनाकर कवि के प्रतिष्ठित  
रस पर अभिपिक हो चुका है, वह भी तय कुछ काल के लिये काव्य बनाने में असमर्थ  
हो जाता है, जब कोई तान्त्रिक प्रतिवादी उसकी वाणी को मन्त्रबल से स्तम्भित कर देता  
है, अब सोचिये कि ऐसा क्यों होता है ? प्रतिभा उसमें है ही, फिर उससे काव्य क्यों  
नहीं बनता ? अगत्या प्रतिवादिदृष्ट-मन्त्र-प्रयोग को प्रतिबन्धक मानना पड़ेगा, अतः  
प्रतिबन्धक सामान्याभाव की कारणता मेरे मत ( प्रतिभामात्र काव्य के प्रति कारण है,  
इम पक्ष ) में और आपके मत ( शक्यादि समुदित कारणतावाद ) में भी अचल सिद्ध है ।

इयं काव्यस्य कारण निरूप्य प्रकारान् व्याहरति—

तद्योत्तमोत्तमो-त्तम-मध्यमा-धमभेदावतुर्था ।

तत् काव्यम् उत्तमोत्तमम्, उत्तमम् . मध्यमम्, अधम चेति त्रुविवमित्यर्थ ।

इस तरह से काव्यकारण के निरूपण कर लेने के बाद काव्य के भेदों को कहते हैं—  
‘तद्य’ इत्यादि । जिम काव्य के सम्बन्ध में इतनी विवेचना की गई है, उस काव्य के  
चार भेद हैं । १ उत्तमोत्तम, २. उत्तम, ३ मध्यम और ४ अधम ।

तत्र प्रथमं प्रकारं सूत्रेण लक्ष्यति—

शब्दार्थौ यत्र गुणीभवितात्मानौ कमप्यर्थमभिव्यङ्क्तस्तदाद्यम् ॥२॥

यत्र काव्ये, शब्दो वाचक, अर्थो वाच्यश्च गुणीभवितात्मानौ व्यङ्ग्याद्यपिऽऽप्रधानी-  
तनल्लक्ष्यौ नमपि चमत्कारातिशयाधानेनानिर्वचनीय प्रधानमर्थम् अभिव्यङ्क्तौ व्यङ्गनया  
नोपयते, तत् काव्यमाद्यमुत्तमोत्तम भवतीत्यर्थ । एतदेव छनिकाव्यमन्यैरभिहितम् ।

१. मध्यममिह लक्ष्यव्यङ्ग्यदोरपि तत्राहकम् । अन्यथा तयोरुपसर्जनीभावेन व्यङ्ग्यजापानत्यातिः ।

तथा च ध्वनिग्रन्थ.—

‘यत्रार्थ’ शब्दो वा तमर्यमुपपारर्जनीकृतस्वार्थो ।

व्यङ्ग्यः, काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूत्रिभिः कथितः ॥’ इति ।

जिसमें शब्द और अर्थ ( वाच्य, लक्ष्य, व्यङ्ग्य ) दोनों अपने को गौण ( यनाकर किसी ( चमत्कार जनक अत एव प्रधान ) अर्थ को अभिव्यक्त करें—इस द्वारा समझावें, उसे ‘उत्तमोत्तम’ काव्य कहते हैं ।

लक्षणघटकपदकृत्यमभिदधाति—

कमपीति-चमत्कृतिभूमिम्, तेनातिगूढस्फुटव्यङ्ग्ययोर्निरासः ।  
वाच्यसिद्धयङ्गव्यङ्ग्यस्यापि चमत्कारितया तद्वारणाय—गुणीभावितत्वात्  
स्वापेक्षया व्यङ्ग्यप्राधान्याभिप्रायकम् ।

भूमिराश्रयस्तदुत्पादनात् । अतिगूढादिपदमसुन्दरव्यङ्ग्यस्याप्युपलक्षकम्  
व्यावृत्ति । अपरादिपदस्य सन्दिग्धप्राधान्य-तुल्यप्राधान्य-काव्याक्षिप्तव्यङ्ग्याना  
हकम् । इति विशेषणतोपस्थापक, तद्विशेषणमेव स्वापेक्षयेत्यादिप्रतिपाद्यम् ।  
व्यङ्ग्यकप्राही । गुणीभावितेत्यादिविशेषणोपपत्तिगूढव्यङ्ग्यधादीना निरास’ सम्भवती  
द्वयो सहैवोक्ति ।

गुणीभूतव्यङ्ग्यप्रकाराष्टकेऽस्य लक्षणस्य नातिव्याप्ति, अतिगूढव्यङ्ग्य-स्फु  
सुन्दरव्यङ्ग्येषु व्यङ्ग्यस्य चमत्कारानाधायकत्वात्, तेषु ततोऽवशिष्टेषु च प्रकारेषु  
शब्दार्थापेक्षया प्राधान्यस्य विरहात् । अपराङ्ग्यङ्ग्यादिषु कतिपयेषु व्यङ्ग्यस्य  
जनकत्वाच्च प्रथमाशेनैव निर्वाह इत्याशय ।

लक्षण वाक्य में निविष्ट पदों का फल दिखलाते हैं—‘कमपीति-चमत्कृतिभूमि’  
इस लक्षण में ‘कमपि’ पद से चमत्कारजनक होने के कारण प्रधान अर्थ विवक्षित  
जिसमें व्यङ्ग्य अत्यन्त गूढ़ ( छिपा हुआ ) अथवा अत्यन्त स्पष्ट ( वाच्य सा  
काव्य उत्तमोत्तम नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे व्यङ्ग्य चमत्कारजनक नहीं  
असुन्दर व्यङ्ग्य का भी वारण इसी विशेषण से समझना चाहिये । अपराङ्ग्य ( अ  
दूसरे अर्थ का अङ्ग ) और वाच्यसिद्धयङ्ग्य ( अर्थात् जिसके बिना वाच्य अर्थ  
असम्भव हो ) व्यङ्ग्य भी चमत्कारजनक होते हैं, अतः इस भेद में उनका भी  
हो जाय, इसलिये लक्षण में ‘अपने को गौण बनकर’ कहा गया है जिसका अर्थ  
कि शब्द और अर्थ ( वाच्यादि ) से व्यङ्ग्य में प्रधानता होनी चाहिये, सो अपरा  
व्यङ्ग्यों में नहीं होती अर्थात् वे सब व्यङ्ग्य स्वयं गौण रहते हैं, अतः वे ( ता  
वाले ) काव्य भी उत्तमोत्तम नहीं हो सकते हैं ।

प्रतिज्ञाऽनुरूप स्वीय पद्यमुदाहरति—

उदाहरणम्—

कश्चिन्नवधूत्तान्त वर्णयति—

‘शयिता सविधेऽप्यनीश्वरा सफलीकर्तुंभदो मनोरथान् ।

दयिता दयिताननाम्बुजं दरमीलन्नयना निरीक्षते ॥’

अहो अद्भुतम्, सविधे दयितस्य सन्निधौ, शयिताऽपि प्रणयिसखीजन  
भोगावासस्य विविक्तत्वादनुरागाङ्कुरोत्पत्तेश्च कृतशयनाऽपि, मनोरथान् स्वहृदि वि  
नानाऽऽकारकक्रीडाविषयकाभिलाषान्, सफलीकर्तुं चरितार्थयितुं तदनु रूपमाच  
यावत्, अनीश्वरा त्रपासाञ्चसातिरेकेणासमर्था, दयिता ‘जाता वामतयैव सम्प्रति  
नवोढप्रिया’ इत्युक्ते प्रेयसी नायिका, दरमीषन्मीलती त्रपौत्सुक्यसाङ्क्येण सङ्कुच

द्रेक्षन्ने यस्यास्तादृशी सती, दयितस्य परिचयवशेन क्षिप्रप्रणयोदयनान् प्रियस्य, आन-  
मान्बुज सुवक्रमल, निरीक्षते केवल निलोक्ते, न तु चुम्बितुमालिङ्गितुमाप्राप्तुं चोपक्रमते, नापि  
पदने नितरा निमीलयति, न वा तादृहनिरीक्षणाद् विरमतीत्यर्थः ।

इह मविषयशयनरूपकारणस्य सत्त्वेऽपि मनोरथसफलीकरणलक्षणकार्यानुद्गनाद् विशेष-  
ोक्तिमहोशब्दः प्रकाशयति । वियोगिनी छन्दः ।

अत्र 'निर्मायनूतनमुदाहरणानुरूपम्' इस प्रतिज्ञा के अनुसार पण्डितराज स्वरचित  
-य उक्तमोत्तम काव्य के उदाहरणरूप में प्रस्तुत करते हैं—'शयिन' इत्यादि। नववधू अपने  
-प्रेयतम के नमोप सोई है, परन्तु आश्चर्य है कि वह अपने मनोगत मनोरथों को सफल  
-माने में अममर्ध है—वह चाहती तो बहुत कुछ है, किन्तु लज्जा और भय ने उसे इस  
-कार दवा रखा है, जिससे वह कुछ कर नहीं पाती, इस स्थिति में प्रियतम की  
-निभिलापायें भी पूर्ण नहीं हो पातीं, यह स्वतः सिद्ध है, फिर भी वह प्रियतम की दयिता  
-तः, प्रेयमी है, हो क्यों नहीं, केलि-विमुख भी नवोटा परनी सहृदय प्रेमियों के लिये,  
-अप्रीतिकर नहीं, अपितु प्रीतिवर्धक ही होती है। इससे पाठक यह नहीं समझें कि वह  
-हवल पति के बगल में मुर्दा सी पड़ी है, वह बराबर प्रियतम के सुखकमल को देख रही  
-है, चूमने का, आलिङ्गन करने का साहस भले ही उसे न हो पर देखने से वह विरत नहीं  
-होती, हाँ, उसके देखने में भी कुछ विलक्षणता अवश्य है, इच्छा रहने पर भी उसकी उत्सुक  
-ता में मर्त्रया विस्फारित नहीं, वरन् कुछ कुछ मुड़ी हुई सी रहती हैं। यहाँ 'अहो' पद  
-यमीपशयनरूप कारण के रहने पर भी मनोरथ साफरूप कार्य के अभावरूप विशेषोक्ति  
-अलङ्कार को प्रकाशित करता है ।

अत्र व्यङ्ग्य निर्दिशति—

अत्रालम्बनस्य नायकस्य, सविधशयनाक्षिप्तस्य रहस्थानादेरुद्दीपनस्य च  
-विभावस्य, तादृशनिरीक्षणादेरनुभावस्य, त्रपौत्सुक्यादेश्च व्यभिचारिणः संयो-  
-गाद् रतिरभिच्यज्यते ।

रह एकान्तम्, तथा च यदि तन् स्थानमेकान्तं न स्यात्, तदा साऽपत्रपापारवश्यात्  
-तत्र नायकस्य समीपे कथमपि न शयीतेति नायकसमीपशयनान्यथाऽनुपपत्त्या तत्स्थानस्यै-  
-कान्तत्व कन्व्यते । निरीक्षणे तादृशत्वमीपन्नुकुलीकृतनेत्रकत्वम् । नयनेपन्नीलनेन लज्जा,  
-निरीक्षणेन त्रौत्सुक्य सूच्यते । सयोग आलम्बनादिभिः सह स्थायिभावस्य रते सम्बन्धः ।  
-रतिश्चात्र नायकालम्बना नायिकाऽऽश्रया, तस्याश्चेह परिपोषेण निरीक्षणस्य च प्रवृत्तत्वेन  
-सम्भोगशृङ्गाररसरूपता ।

इह नायिकानिष्ठरते स्थायिभावस्य नायकपालम्बनविभावेन, एकान्तस्थानरूपोद्दीपन-  
-विभावेन, सुकुलीकृतनयननिरीक्षणलक्षणानुभावेन, लज्जात्रौत्सुक्यरूपाभ्या व्यभिचारिणाभ्या  
-च नम्बन्यान् प्राधान्येन सम्भोगशृङ्गाररसास्वाद, वाच्यवाचक्योस्तु गुणीभाव एवेति सुत-  
-रानुत्तमोत्तमत्वमस्य काव्यस्य सिद्धपतीत्याशयः ।

अब यहाँ ग्रन्थकार इस पद्य से होने वाले उस व्यङ्ग्य को दर्शाते हैं, जिसके बल पर  
-पह श्लोक उक्तमोत्तम काव्य का उदाहरण होता है—'अत्र' इत्यादि। यहाँ नायिका-निष्ठ-  
-रति का, आलम्बनविभावनायक वाच्य है, एकान्तस्थानरूप-उद्दीपन-विभाव, पति-  
-रत्नों के समीपशयन से आक्षिप्त होता है, नायिका-कर्तृक-नायक-सुख-निरीक्षणरूप-  
-अनुभाव भी वाच्य ही है, लज्जा तथा त्रौत्सुक्यरूप-व्यभिचारी भाव क्रमशः नयन-गत-  
-र मीलन से और निरीक्षण से व्यक्त होते हैं। इन सब भावों के संयोग से नायक-  
-वैषयक-नायिका-निष्ठ-रति (स्थायी भाव) व्यङ्ग्य होती है, जो परिपुष्ट होने से सम्भोग



श्रद्धार, रस, रूप है—साहृदय पाठकों का आस्वाद्य है। यहाँ का यह व्यङ्ग्य अत्यन्त चमत् है तथा शब्द अर्थ गौण है, अतः उत्तमोत्तम काव्य का लक्षण संघटित हुआ।

नन्वालम्बनादीनि तत्र किं स्वरूपाणीत्याकाङ्क्षायामाह—

आलम्बनादीनां स्वरूपं वक्ष्यते ।

वक्ष्यते पुरस्तादस्मिन्नेवानने 'एयमेवा स्यायिभावानाम्' इत्यादिना सन्दर्भेण ।

आलम्बन, उद्दीपन, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारीभाव तथा स्यायिभावों के स्वरूप (इसी आनन में) कहेंगे।

अत्र नायिकेच्छाविशेषस्यैव प्रधानव्यङ्ग्यतामाशङ्क्य परिहरति—

नच 'यद्ययं शयितः स्यात्, तदाऽस्यानन चुम्बेयम्' इति नायिकेच्छाया व्यङ्ग्यत्वमत्रेति वाच्यम्, 'मनोरथान् सफलीकर्तुमसमर्था' इत्यनेन मनोरथस्य सर्वेऽस्या हृदि तिष्ठन्तीति प्रतीतेः, स्वशब्देन मनोरथपदेन मनोरथत्वाकां तादृशेच्छाया अपि निवेदनात् ।

अयं नायक । शयित इति जाग्रतो लज्जा-प्रत्यालिङ्गनादिभीत्यो सम्भवः । इति श नायिकेच्छाऽऽकारपरामर्शकः । एवकारः प्रागुक्तव्यङ्ग्यव्यावर्तनपरः । स्वशब्देनेत्यस्य िरण मनोरथपदेनेति ।

नायिकायां समीपे सस्पृहं च नायकमुखनिरीक्षणेन मूलोत्तिष्ठिताकारिकेच्छैवात्र प्रन्येन व्यज्यत इति कस्यचिन्मतम्, अयुक्तमेव, यत सर्वेपा मनोरथाना नायिकायाः सद्भावो मनोरथान् सफलीकर्तुमनीश्वरेत्यनेन विशेषणेन सूच्यते, तथा च मनोरथ-सुम्बिषयकेच्छयो सामान्यविशेषभावादयमिच्छाविशेषोऽपि मनोरथपदेनेच्छात्वरूपसामान्यप्रकारकप्रतीतिगोचरं कियत एवेति वाक्यपदवीमारूढध्वमत्कारविशेषानाधानात् प्रथमिति सारम् ।

इस श्लोक में नायिका का इच्छा विशेष ही प्रधान व्यङ्ग्य क्यों नहीं है? इस शङ्का उत्तर देते हैं—'न च यद्ययं शयित' इत्यादि । शङ्का करने वालों का अभिप्राय है कि पद्य में 'सलजित नायिका सस्पृह भाव से नायक के मुख को बारबार देख रही यह बात वर्णित है, जिससे 'यदि यह (नायक) सो गया हो, तो मैं इसका मुख चूम इस तरह की नायिका की इच्छा व्यङ्ग्य होती है, फिर इसी व्यङ्ग्य को प्रधान मानकर काव्यलक्षण का समन्वय करना चाहिए, पूर्वोक्त रतिरूप व्यङ्ग्य को प्रधान मानकर ना समाधान का आशय यह है कि नायिका की उक्त इच्छा यहाँ व्यङ्ग्य हो ही नहीं सक क्योंकि 'नायिका अपने मनोरथों को सफल करने में असमर्थ है' यह बात इस पर वर्णित है, जिससे यह सूचित होता है कि नायिका के हृदय में सब मनोरथ वर्तमान और चुम्बन की इच्छा भी एक तरह का मनोरथ ही है—जो सामान्यरूप से मनोरथ पद का वाच्य अर्थ ही होता है, फिर व्यङ्ग्य कैसे होगा ?

पुनराशङ्क्य समाधत्ते—

न च मनोरथपदेन मनोरथत्वाकारेण सामान्येच्छाया अभिधानेऽपि, 'चुम्बेयम्' इति विषयविशेषविशिष्टेच्छात्वेन व्यङ्ग्यत्वे किं साधकमिति वाच्यम्, चमत्कारो न स्यादित्यस्यैव बाधकत्वात् ।

विषयविशेषधुम्बनम् । चमत्कारपदं तदतिशयपरम्, यत्किञ्चिच्चमत्कारस्य ततोऽपि सम्भवात् । अन्यथा वाच्यप्रधानभेदस्य काव्यत्वानापत्तिः, चुम्बनेच्छाया इत्यादिना द्वितीय-हेतुप्रदर्शनानवकाशश्च ।

सामान्यवर्मेणैच्छात्वेनात्रेच्छाया वाच्यत्वेऽपि, विशेषवर्मेण चुम्बनेच्छात्वेन व्यङ्ग्यत्वं ह्यतो न स्यादित्यपि वक्तुं न युक्तम्, इच्छाया अभिभावोच्यत्वेनोत्तमोत्तमकाव्यत्वसम्पादकस्य चमत्कारातिशयस्यैव ततोऽनुदयादित्यर्थः ।

यदि आप कहें कि मनोरथ पद से सामान्य इच्छा के वाच्य होने पर भी चुम्बन विषयक इच्छा ( जो विशेष है ) वाच्य हुई नहीं, फिर उसको व्यङ्ग्य होने में क्या बाधा है ? इनका समाधान यह है कि—चमत्कार नहीं होगा—अलौकिक आनन्द की अनुभूति नहीं होगी—घस, यही बाधक है ।

व्यङ्ग्यस्य हि प्रकारान्तरेणापि वाच्यत्वे चमत्कारोत्कर्षाजननेन गुणीभावात् प्राधान्य-मिति भावः । तत्रेवाह—

नहि विशेषाकारेण व्यङ्ग्योऽपि सामान्याकारेणाभिहितोऽर्थः सहृदयानां चमत्कृतिमुत्पादयितुमीष्टे, कथमपि वाच्यवृत्त्यनालिङ्गितस्यैव व्यङ्ग्यस्य चमत्कारित्वेनालङ्कारिकैः स्वीकारात् ।

हि यत । विशेषाकारेण विशेषवर्मावच्छिन्नत्वेन । अभिहितोऽभिधावृत्त्या बोधितो वाच्यः । चमत्कृतिस्तदुत्कर्षः । ईष्टे क्षमते । कथमपि केनापि प्रकारेण वाच्यवृत्तिरभिधा, तथाऽनालिङ्गितस्याबोधितस्य । एदशब्दो वाच्यव्यवच्छेदकः ।

आलङ्कारिका हि—

‘नान्ग्रीपयोधर इवातितरा प्रकाशो नोगुर्जरीस्तन इवातितरा निगूढ’ ।

अर्थो गिरामपिहित पिहितश्च शम्बन् सौभाग्यमेति मरहृष्टवधुक्कुचाभ ॥’

इत्यभियुक्तोत्कर्षधनावृत्तिमात्रबोधस्यार्थस्य चमत्कारोत्कर्षावायकत्वं मन्यते । प्रकृते तु चुम्बनेच्छाया इच्छात्वेन मनोरथपदवृत्त्यभिधया बोधितत्वात् चमत्कृतिप्रकर्षोत्पादकत्वमित्या-कृतम् । एतच्च गूढव्यङ्ग्यरूपगुणीभूतव्यङ्ग्यप्रकारनिरूपणे पञ्चमोह्लात्, रसदोषनिरूपणे मन्मोह्लात् च काव्यप्रकाशे स्फुटम् ।

इस पर यदि आप पूछें कि आपके कहने ही से चमत्कार नहीं होगा ? या उसके न होने में कुछ युक्ति भी है ? इस प्रश्न के उत्तर में ग्रन्थकार कहते हैं कि मैं ही ऐसा नहीं कहता, अपितु अलङ्कार शास्त्र के सभी मर्मज्ञों ने एक स्वर से उसी व्यङ्ग्य को चमत्कारी स्वीकार किया है, जो किसी तरह भी अभिधावृत्ति का स्पर्श न करे, अतः जो पदार्थ सामान्यरूप से भी वाच्य हो चुका है, वह विशेष रूप से व्यङ्ग्य होने पर भी सहृदयों के मन में चमत्कार को उत्पन्न नहीं कर सकता—अभिधावृत्ति मानो वह हृत का रोग है, जिसने छू जाने पर स्वस्थ व्यङ्ग्य भी अस्वस्थ हो जाता और उसकी चमत्कारजनक शक्ति नष्ट हो जाती है ।

ननु कथमपि वाच्यवृत्त्यनालिङ्गितस्यैव व्यङ्ग्यस्य चमत्कारोत्पादकत्वाभ्युपगमे ‘यदेवो-च्यते, तदेव व्यङ्ग्यम् । यथा तु व्यङ्ग्यम्, न तयोच्यते ।’ इति मन्मन्तभद्येते पर्यायोक्ता-लङ्कारे वाच्यस्यैव व्यङ्ग्यत्वे चमत्कारिताऽनुपपत्तिरित्युक्ते पूर्वोक्तलण्डनस्य हेतुन्तर व्याहृति—

चुम्बनेच्छाया रत्यनुभावतयैव सुन्दरत्वेन तदव्यञ्जने ‘चुम्बेयम्’ इति शब्द-पलाचुम्बनेच्छायदचमत्कारित्वाच्च ।

रतिपद तत्त्वाधिकशृङ्गारपरम् । एवकारन्तदितरप्रकारव्यावृत्तिसूचकः । सुन्दरत्वेन चमत्कारविधायकत्वेन । तच्छब्देन रतिहेतुकशृङ्गारस्य परामर्शः । ‘चुम्बयामि’ इति पाठस्तु श्रान्तिमूलकः, गिजर्मानङ्गते । शब्देत्यादे शब्दजन्यप्रतीतिविपर्याभूतेच्छावदित्यर्थः ।

यदा रतिस्थायिक शृङ्गार प्रधानतया व्यज्यते, तदैव तदनुभावत्वेन व्यज्यमानायाश्चुम्बनेच्छायाधमत्कारोत्कर्षकनक्तत्वम्, इतरथा तु शाब्ददोषगोचरीभूततादृशेच्छतो वैलक्षण्यभावात् तत्त्वम्, अतः शृङ्गारस्यैव प्राधान्येन व्यङ्ग्यत्वमिहोचितमिति तात्पर्यम् । इदं पुरः 'सर्वथा वाच्यवृत्त्यनुम्नितस्यैव तथात्वमिति ध्वनिमार्गप्रवर्तकैः सिद्धान्तितत्वात् ।' इति सन्दर्भेण समन्तेशालङ्कारनिरूपणे स्फुटीकरिष्यति प्रत्यक्षम् ।

नायिका की इच्छा को प्रधान व्यङ्ग्य न मानकर रति को प्रधान व्यङ्ग्य मानने में दूसरी युक्ति भी देते हैं—'चुम्बनेच्छाया' इत्यादि । चुम्बनेच्छा रति (प्रेम) का फल है, यदि रति न हो, तो चुम्बनेच्छा हो ही नहीं सकती, यदि किसी कारण से हो भी तो उसमें सौन्दर्य नहीं रहेगा, रति के अनुभाव (कार्य) रूप में जब उसकी प्रतीति होती है तभी वह अच्छी लगती है, इस स्थिति में यदि यहाँ रति व्यङ्ग्य न हो तब, चुम्बनेच्छा व्यङ्ग्य होकर भी उसी तरह अच्छमत्कारी होगी, जिस तरह 'चूमंगा' इस शब्द से अभिहित होने पर वह अच्छमत्कारी होती है । अतः रति को प्रधानतया व्यक्त होना आवश्यक है, उसके अभिक्त हो जाने के बाद यदि उसीके अनुभावरूप से उक्त इच्छा भी अभिव्यक्त हो, तो कोई आपत्ति नहीं ।

उन्धमिच्छाया प्रधानव्यङ्ग्यता निरस्य लज्जाया अपि परेणाशङ्क्यमाना ता निराकरोति—

एवं त्रपाया अपि न प्राधान्येन व्यङ्ग्यत्वम्, अनुवाद्यताऽवच्छेदकतया प्रतीतायां तस्यां मुख्यवाक्यार्थत्वायोगात् ।

एवं चमत्कारविशेषानुत्पादकत्वेन । अपि पूर्वोक्तेच्छासंग्राहक । अत्रत्वेन व्यङ्ग्यत्वस्मै-  
पृत्वात् प्राधान्येनेति । अनुवाद्यतोद्देश्यत्वम् । तस्या त्रपायाम् । मुख्यवाक्यार्थत्वायोगात्  
प्राधान्येन वाक्यतात्पर्यविषयतासम्बन्धाभावात् ।

एवमिह दरेत्यादिपदेन यद्यपि लज्जा व्यज्यते, तथाऽपि तस्या न प्राधान्यम्, यतोऽत्र दरमीलनयनात्वमुद्दिश्य निरीक्षण विधीयत इति निरीक्षणनिष्ठविधेयतानिरूपितोद्देश्यताया उक्तविशेषणनिष्ठया अवच्छेदकत्व लज्जाया उद्देश्यविशेषणीभूताया इत्युद्देश्यताऽवच्छेदकतया प्रतीयमाना लज्जाऽत्र न विधेयीभविदुमर्हति । न चाविधेयीभूयोऽर्थात्पर्यायमुख्यविशेष्यतामाश्रयितुं शक्नोति । न वा तदनाश्रयोऽपि कस्यचन प्राधान्यमित्यभिसन्धि ।

'लज्जा ही इस पद्य में प्रधान व्यङ्ग्य है' इस मत का खण्डन करते हैं—'एव त्रपाया' इत्यादि । किसी-किसी का मत है कि यहां 'नेत्रों को कुछ-कुछ मुकुलित करती हुई' इस नायिकाविशेषण से जो लज्जा व्यक्त होती है, उसीको प्रधान व्यङ्ग्य मान कर इस श्लोक में तन्मूलक काव्यता स्वीकार करनी चाहिये । परन्तु यह मत ठीक नहीं, क्योंकि यहां नायिका को उद्देश्य बना कर निरीक्षण का विधान किया गया है और उस उद्देश्यमूलक नायिका का विशेषण है, 'दरमीलनयना—' 'कुछ-कुछ नेत्रों को मुकुलित करती हुई' जिससे लज्जा अभिव्यक्त होती है, इस प्रकार से लज्जा की प्रतीति उद्देश्यतावच्छेदक (उद्देश्य विशेषण) रूप में होती दीखती है, फिर वह लज्जा, प्रधान वाक्यार्थ कैसे हो सकता है ? अर्थात् जो अज्ञ विधेय रहता है, उसीमें वाक्य का तात्पर्य होता है और तात्पर्यविषयभूत अर्थ ही मुख्य वाक्यार्थ कहलाता है, अतः लज्जा किसी तरह मुख्य वाक्यार्थ नहीं माना जा सकता है ।

पुनरपरथाऽऽशङ्क्य समादधाति—

न च दरमीलनयनात्वविशिष्टनिरीक्षणं विधेयमिति नानुवाद्यताऽवच्छेदकत्व-  
तस्या इति वाच्यम्, एवमपि नयनगतदरमीलनस्य तत्कार्यत्वेऽपि दरमीलनय-  
नात्वविशिष्टनिरीक्षणस्य रतिमात्रकार्यत्वात् ।

उभयत्र वैशिष्ट्यं सामानाधिकरूप्येन । तस्या लज्जायाः । एवमपि विशिष्टस्य विधानेऽपि । तन्कार्यत्वेऽपि त्रपाजन्यत्वेऽपि । मात्रशब्देन त्रपाप्रवृत्तौ व्यावृत्तिः ।

इदमुच्यते—दरमीलनयनात्विशिष्टनिरीक्षणस्य विधानेन यद्यपि लज्जाया विधेयकोटि-प्रविष्टेन नयनेयनिमीलनेन व्यङ्ग्यतया नोद्देश्यतावच्छेदकत्वम्, तथाऽपि तस्या प्राधान्यं दुर्दृग्मेव, यतो नयनेयनिमीलनमेव लज्जाजन्यमिति तेनैव स्वकारणीभूता लज्जा व्यञ्ज्यते, नमस्तेन नयनेयनिमीलनविशिष्टेक्षणोऽपि विधेयेन तु स्त्रहेतुभूता रतिरेव सूचयितुं शक्यत इति नवतानुसृतं पार्यन्तिद्वं प्राधान्यं लज्जाया न सम्भवति ।

यदि आप कहें कि लज्जा को प्रधान वाक्यार्थ न मानने में आपने जो युक्ति दी है, वह तब ठीक होती, यदि हम लज्जा का भान उद्देश्यतावच्छेदक रूप में मानते होते, उसीको हम नहीं मानते हैं, हम तो दरमीलनयनात् विशिष्ट निरीक्षण को विधेय मान कर विधेयतावच्छेदक (विधेय विशेषण) रूप में ही उसका भान स्वीकार करते हैं—अर्थात् वह निरीक्षण ऐसा है, जिसमें नेत्र कुङ्कु-कुङ्कु मुकुलित हो रहे हैं, यही वक्ता का अभिप्राय है, अब तो लज्जा को प्रधान व्यङ्ग्य मानने में कोई आपत्ति नहीं उठ सकती। इसका उत्तर यह है कि इस तरह लज्जा को आप विधेयकोटि में ले आ सकते हैं, परन्तु तब भी वह मुख्य नहीं हो सकती, क्योंकि नेत्रों का कुङ्कु-कुङ्कु मुकुलित होना, भले ही लज्जा का कार्य हो, किन्तु निरीक्षण उसका कार्य नहीं हो सकता, वह तो रति (प्रेम) का ही कार्य है, फिर प्रधान-विधेय-निरीक्षण से अभिव्यक्त होने वाली रति को प्रधान न मान कर, विधेय विनियोग-नयन-नात-दर-मीलन से व्यक्त होने वाली लज्जा को प्रधान मानना युक्ति-सम्मत नहीं होगा ।

ननु नीलनयनात्त्रपाजन्य विधेयमास्ताम्, तथा च सनप्रविधेयदलव्यङ्ग्यतया त्रपायाः प्राधान्यनशतमेवेत्याशङ्का निराकरोति—

त्रपाया एव मुखत्वेन व्यङ्ग्यत्वे निरीक्षणोक्तेरनतिप्रयोजनकत्वापत्तेः ।

यद्यत्र त्रपामानस्य प्राधान्येन व्यङ्ग्यत्वं कवेरभिमतं स्यात्, तर्हि न निरीक्षणपर्यन्तं नोपादर्शितं, उपनयननिमीलनेनैव तदभीष्टस्य त्रपाव्यञ्जनस्य निन्दे अघिकेपादानस्य निष्फलत्वापत्तेः । रते कार्यत्वेन तद्व्यङ्ग्यं निरीक्षणनष्टमादृशता अत्रिना प्राधान्येन रतेरेव व्यङ्ग्यता बोधिता । तस्मान्नान्न त्रपाया प्राधान्येन व्यङ्ग्यत्वस्य बोधनायेयन्मीलनयनात्स्य विपर्यत्येतिनाय ।

इसके बाद भी यदि आप यह प्रमाणित करें कि हम निरीक्षण को भी विधेय नहीं मानेंगे, अपितु निरीक्षण करने वाली नायिका को उद्देश्य बनाकर दरमीलनयनात् का ही विधान करेंगे, फिर तो प्रधान-विधेय-व्यङ्ग्य होने के नाते लज्जा प्रधान होगी। इस प्रमाण का उत्तर यह है कि—हा। भाई! आप वाद में बड़े निपुण हैं, इस तरह लज्जा को प्रधान बना सकते हैं, परन्तु बनाना नहीं चाहिये, कारण? यदि इस तरह से लज्जा को ही प्रधानतया व्यक्त करना कवि को अभिमत होता, तो कवि निरीक्षण की बात ही नहीं उठाते, केवल इतना ही कहते कि 'आँखों को मुकुलित कर रही है', लज्जा की अभिव्यक्ति तो तावन्मात्र ने ही जाती, अर्थात् लज्जा को प्रधान मानने में 'देखती है' यह कथन निष्प्रयोजन ही नहीं होता वरन बाधक भी होता है, अब रति को ही प्रधान व्यङ्ग्य मानना चाहिये, लज्जा को नहीं ।

ननु विधेयकोटौ विशेष्यविशेषणभाव विपर्यत्य निरीक्षणविशिष्टेयन्मीलनयनात्तमेव विधेय-कारणान्, तथा चह विधेयविशेष्याशब्दपर्यत्वेन त्रपाया प्राधान्यं स्याद्वेत्याशङ्का निरस्यति—

वाच्यवृत्त्या रतेरनुभावे निरीक्षणे त्रपाया अनुभावस्य दरमीलनस्येव व्यञ्जन-नया तस्यां तथा अपि गुणीभावप्रत्ययौचित्यात् ।

वाच्यस्य घोषिका वृत्तिर्व्यापारोऽभिधा तथा वाच्यवृत्त्या । अनुभावत्व लोके तत्कार्यत्वेन । तस्या रतौ । तस्याऽप्रपाया । गुणीभावोऽप्राधान्यम् । प्रत्ययः प्रतीतिः ।

अभिधावृत्त्या यथा रतेरनुभावो निरीक्षणं प्राधान्येन, प्रपाया अनुभावो नयनेपक्षिमीलनन्तु तदङ्गत्वेन प्रत्याप्यते, तथैव व्यञ्जनयाऽपि रतेः प्राधान्येन, प्रपायास्तदङ्गत्वेन प्रत्यायनमेवोचितम्, उतरथा 'भावप्रधानमाख्यात, सरप्रधानानि नामानि' इति यास्कसिद्धान्तविरोधो दुःसरोवो भवेदिति तात्पर्यम् ।

लज्जा को गौण व्यङ्ग्य मानने में ही औचित्य की रक्षा भी होती है इसी बात को स्पष्ट करते हैं—'वाच्यवृत्त्या इत्यादि । अभिप्राय यह है कि रति का कार्य 'देखना' और लज्जा का कार्य 'आँसों को कुछ कुछ मुकुलित करना' दोनों वाच्य हैं, जिनमें रति का कार्य 'देखना' प्रधान है और लज्जा का कार्य 'आँसों को कुछ कुछ मुकुलित करना' गौण है, अब आप सोचिये कि इन दोनों कार्यों से व्यक्त होने वाले कारण-रति तथा लज्जा में किसको प्रधान होना उचित है ? उत्तर स्पष्ट है कि वाच्य कोटि में जिसका कार्य प्रधान है, व्यङ्ग्यकोटि में उस कार्य से व्यक्त होने वाला वह कारण प्रधान और वाच्यकोटि में जिसका कार्य गौण है व्यङ्ग्यकोटि में उस कार्य से अभिव्यक्त होने वाला वह कारण गौण हो यही समुचित है, क्या अब भी रति को प्रधान और लज्जा को गौण होने में कुछ सन्देह किया जा सकता है ? नहीं, अर्थात् वाच्यकोटि में जब निरीक्षण प्रधान है, तब व्यङ्ग्यकोटि में उस निरीक्षण से अभिव्यक्ति रति प्रधान होगी और वाच्यकोटि में गौण-नयन-गत-दर-मीलन से व्यक्त होने वाली त्रपा व्यङ्ग्यकोटि में भी गौण ही रहेगी ।

व्युत्पत्तिनिमित्त किञ्चिद्विलक्षणमुदाहरणान्तरं दर्शयति—

यथा वा—

उत्तमोत्तमकाव्यस्योदाहरणमिति योजना । नायको वयस्य व्याहरति, स्वयं वा विमृशति—

'गुरुमध्यगता मया नताङ्गी, निहता नीरजकोरकेण मन्दम् ।

दरकुण्डलताण्डवं नतभ्रूलतिक मामवलोक्य घूर्णिताऽऽसीत् ॥'

गुरुणा श्वश्रुप्रभृतीना मध्यगता तच्चिह्नस्थानोपविष्टा, नताङ्गी शालीनतौचित्यात् सभ-तावयथा, सा, मया, नीरजकोरकेण कमलमुकुलेन, मन्द शर्नेनिमृशतिमिति यावत्, निहता नितरा ताडिता, दरमीपत् कुण्डलस्य ताण्डव नटनं, यत्र, तद् यथा स्यात्, तथा, किञ्च नताऽस्थानखलीकरणजन्यमन्युना नम्रीभूता भ्रूलतिका यत्र तद् यथा स्यात्, तथा, चकिर्तं श्वश्रादिसान्निध्यान्मयि साभ्यसूय च माम्, अवलोक्य ( 'घृष्ट । किमेवं गुरुजनमध्ये खली करोषि' इति मनसैवोपालभमाना ) घूर्णिता भ्रान्ताऽऽसीदित्यर्थः ।

निघातस्य मान्द्येन कुण्डलताण्डवस्येपत्त्व, गुरुमध्ये निघातेन भ्रूतमन चोपपाद्यत इति हेतुहेतुमद्भावेन काव्यलिङ्गालङ्कारो मालभारिणीच्छन्दश्च ।

इह 'दुर्विदग्ध । किमिदं रहसि विधेयं गुरुजननिकटेऽपि विहितवानसि' इति वस्तुव्यञ्जनपुरस्सरं नायकविषयकोऽमर्षो व्यभिचारिभावो वाच्यवाचकापेक्षयाऽधिकचमत्कारितय प्राधान्येन व्यज्यत इत्यस्योत्तमोत्तमकाव्यत्वम् ।

पूर्वोक्त उदाहरण रस ( सम्भोग शृंगार ) का दिया गया था, अब भाव ( हर्ष आदि व्यभिचारीभाव ) का उदाहरण देते हैं—'गुरुमध्यगता' इत्यादि । नायक अपने मित्र र कह रहा है अथवा स्वयं मन में सोच रहा है—सास, ननद प्रभृति गुरुजनों के बीच बैठे हुए तथा शालीनता को प्रकट करने के लिये नम्रमुखी, प्रिया को मैंने धीरे से—अर्थात् लोनों की आँखें बचा कर एक कमल कलिका से मार दिया । ( मार पढ़ने के बाद ) उस तीर्थक दृष्टि से मुझे देखा और फिर दूसरी तरफ घूम गई—मुख फेर लिया । यथा

गुरुजनों के मध्य में बैठी हुई नवीना कुलकामिनी का पति की ओर देखना शालीनता का विरोधी था पर वह बेचारी करे तो क्या ? पति महोदय के असामयिक आचरण से वह चुप हो उठी थी—उसके हृदय में अमर्षभाव जाग उठा था, अतः पति पर एक तीर्थकृ रष्टि ढालने के लिये वह विवश हो गई, फिर भी उसे अपनी शालीनता-मर्यादा का ध्यान था, अतएव वह साफ मरतक उठा कर न देख सकी, नवा अपने अमर्ष को ही स्पष्ट रूप से प्रकट कर सकी, उसका देखना ऐसा हुआ, जिससे कान के कुण्डल धोड़ा नाच उठे तथा झूलतायें नीची हो गई—अर्थात् उसके इस दर्शन व्यापार को पति के अतिरिक्त कोई जान भी न सका। यहाँ प्रहार-गत-मान्द्य-कथन से कुण्डल-नर्तन की अक्षयता तथा गुरुजनों के मध्य में उस प्रहार के होने से झूलता का नन्नीभाव उत्पन्न किये जाते हैं, अतः हेतुहेतुमद्भावमूलक का व्यङ्ग्य अलङ्कार वाच्य है।

तदेवाचष्टे—

अत्र 'धूर्णिताऽऽसीत्' इत्यनेन 'असमीच्यकारिन् ! किमिदमनुचितं कृत-  
वानसि' इत्यर्थसंबलितोऽमर्षश्चर्वणाविभ्रान्तिधामत्वात् प्राधान्येन व्यज्यते ।  
तत्र शब्दोऽर्थश्च गुणः ।

नवलितो विशिष्टः, वैशिष्ट्यं चाङ्गाङ्गिभावेन, तथाहि—वस्तुरूपव्यङ्ग्यस्यामर्षं प्रति  
पेयकत्वेनाङ्गत्वम् । विभ्रान्तिधामत्वं पार्यन्तिजात्वादविषयत्वम् । तत्रानर्षे । अर्थो वाच्यो  
वस्तुत्वत्पव्यङ्ग्यपक्षः । गुणोऽङ्गमप्रधानमिति यावत् । पूर्वोदाहरणे व्यङ्ग्यस्य वाच्यार्थापेक्षयैव  
प्राधान्यं दर्शितम्, इह तु वस्तुत्वव्यङ्ग्यार्थापेक्षयाऽपीति वैलक्षण्यनीक्षणायम् ।

इस श्लोक में 'धूर्णितासीत्-धूम गई' इस उक्ति से 'ऐ अविचारिन्- असामयिक काम  
करने वाले ! तुमने यह अनुचित कार्य क्यों किया' इस अर्थ से युक्त अमर्ष (व्यभिचारीभाव)  
प्रधान रूप से अभिव्यक्त होता है। यहाँ वस्तु व्यङ्ग्य के रहने पर भी उक्त भावव्यङ्ग्य ही  
क्यों प्रधान होगा, इस शङ्का की निवृत्ति के लिये उसकी प्रधानता में कारण का निर्देश  
करते हैं—'चर्वणाविभ्रान्तिधामत्वात्'। वाशय यह है कि सहृदयहृदयों में उक्त वस्तु-  
व्यङ्ग्य को आधार बना कर उठी हुई आत्वादधारा पर्यवसान में उक्त भावव्यङ्ग्य के  
आत्वाद में ही विभ्रान्त होती है, अतः वह भावव्यङ्ग्य ही प्रधान है। प्रथम उदाहरण में  
वाच्यार्थ से ही व्यङ्ग्यार्थ में प्रधानता दिखलायी गई थी और इस द्वितीय उदाहरण में  
वाच्यार्थ तथा वस्तुरूप व्यङ्ग्यार्थ दोनों की अपेक्षा भावव्यङ्ग्य की प्रधानता कही गई है।

पुनः क्रिद्विलक्षणमुदाहरणान्तरं दर्शयति—

यथा च—

अचिरप्रवन्त्यत्यतिक्रमगेडवधूयते कश्चिद् वक्ति—

'तल्पगताऽपि च सुतनु श्वात्तात्तङ्ग न चा सेहे ।

नन्प्रति सा हृदयगत प्रियणाणि मन्दनाक्षिपति ॥'

य नवोद्वधूः सुतनु सुन्दरी नितरा कोमलाङ्गी अत एव तल्पे केलिनिलयस्यशय्याया,  
गताऽपि क्लयजन महचरीनहसुरोधेन शयितापि च ( का चर्चा वहित्पितायाः )

दमन्त्य पत्युर्नरवासस्य, आनन्दनीपमन्मर्कम् ( का क्योमगूहनार्दीनाम् ) न नैहे नैव नमर्ष

( क्रिन्वन्ति समकोचयद् वाहिरपससार वा ) सा ( नैव, न लब्धा ) इन्प्रति प्रियविदेश-

यत्रापूर्वाशाविदानो, हृदयगतं सशब्देन प्रियेण हृदये वदसि निहितं, प्रियस्य पाणिं क्रम्,

मन् भावविरहात्केन नूनै ( न तु प्राणिव तरमैव ) आक्षिपति नन्दो जातिस्वभावान्

स्वभावान् प्रापन्त्यनन्तरयतीत्यर्थः । अत्रालिङ्गलङ्कार उन्गातिरङ्गन्द्वयः ।

इह शब्देन नहावयक प्रियत्यान्वय पदार्थक्रेमगतया दुर्घटः । उद्देष्टप्रतिनिर्देश्य-

भावयन्भावेन गतशब्दस्य पौनरक्त्यं च सहृदयानां हृदयं दत्नोति ।

ग्रन्थकार पुनः उत्तमोत्तम काव्य का ही एक ओर विलक्षण उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, यह विलक्षणता क्या है ? इस जिज्ञासा की शान्ति अग्रिम प्रसङ्ग से होगी। जिसका पति कहीं दूर देश में जाने के लिये तैयार बैठा है, उस प्रवत्स्यत्पतिका नवोदा वधू का वृत्तान्त 'तल्पगताऽपि' इस पद्य में वर्णित है। पद्य का अर्थ निम्नलिखित है—जो अतिकोमलाङ्गी सुन्दरी, नव-प्रणयिनी (सहचरियों के अनुरोध से) पलङ्ग पर सोई हुई थी, पति के स्वास के हृत्पत्सम्पर्क को भी (आलिङ्गनादि की घात ही क्या ?) नहीं सह सकती थी— अर्थात् पति के स्वास के लगने में भी आँसों को सिकोड़ने लगती थी, वही सम्प्रति (पति के विदेश जाने की पूर्व रजनी में) हृदय पर रफ्तें हुये शक्ति पति के हाथ क भाविचिरहातः से धीरे-धीरे (न कि पूर्ववत् शीघ्रता से) हटा रही है। यहाँ 'सम्प्रति' पद के अर्थ से आक्षेप-गत-मान्य की उपपत्ति की जाती है, अतः 'काव्यलिङ्ग' अलङ्कार है

उदाहरणमिदं त्रिवरीनुमवतरणिका भणति—

इदञ्च पद्यं मन्निर्मितप्रबन्धगतत्वेन पूर्वसाकाङ्क्षमिति दिङ्मात्रेण व्याख्यायते  
 'प्रय तल्पगतेत्यादिश्लोकौ यद्यपि जगन्नाथपण्डितराजरचिते भाभिनीविलासमिधप्रवन्  
 नवोदाप्रकरणे पठित इति तत्प्रकरणघटकश्लोकान्तरसम्बद्धतया पूर्वं व्याख्यातुमशक्योर्ष  
 किञ्चिद्व्याख्यायत इति सारम् ।

यह पद्य पण्डितराज-रचित-'भाभिनीविलास' नामक-प्रबन्ध का है, अतः इस प्रबन्ध दूसरे पद्यों से भी है, इसलिये यद्यपि इस पद्य की व्याख्या पूर्ण रूप से नहीं जा सकती, तथापि दिशा प्रदर्शन के अभिप्राय से कुछ-कुछ व्याख्या कर दी जाती है।

व्याख्यानमेव निर्दिशति—

या नववधूः पत्यङ्कशयिता श्वासस्यासङ्गमात्रेणापि सङ्कुचउल्लसितिकाऽभूत्  
 सा, सम्प्रति प्रस्थानपूर्वरजन्यां प्रवत्स्यत्पतिका प्रियेण सशङ्केन समर्पित ह  
 पाणि नववधूजातिस्त्राभाव्यादाक्षिपति, परन्तु मन्दम् ।

पत्यङ्क सट्वात्रिणोप । श्वासस्यासहनादेवाङ्गलतासङ्कोच । श्वासज्ञाक्षेपपदयोरङ्गी  
 दर्शकः । प्रवत्स्यन् विदेश गमिष्यन् पतिर्यस्या सा प्रवत्स्यत्पतिका । स्वभाव एव स्वा  
 व्यम्, ब्राह्मणादिगणस्याकृतिगणतया तदन्तर्गते सर्ववेदादिगणे स्वभावगन्दस्य प  
 कल्पयित्वा 'गुणवचनब्राह्मणादिभ्य कर्मणि च' इति पाणिनीयसूत्रेण स्वार्थे ष्यजोविधान  
 रूप साधनीयम् । नववधूना जातेर्नववधूत्वस्य स्वाभाव्याक्षिसर्गात् । प्रियस्य पाष्यर्षणे श  
 प्राग्वत् सरभसनिवारणपलायनादे । आक्षेपस्य मान्यर्थे प्रवत्स्यत्पतिकात्वोचिता सत्  
 भाविप्रियविप्रयोगाद् भीतिरुपादिका ।

जो बात पद्य के अर्थरूप में लिखी गई है उसीको ग्रन्थकार अपनी भाषा में कहते हैं 'या नववधूः' इत्यादि। कहने का अभिप्राय यह है कि—नवोदाओं के हृदय में पति के प्रेम नहीं रहता है, अथवा अल्प प्रेम रहता है, ऐसी बात नहीं है प्रेम तो अधिक ही रहता परन्तु उस प्रेम के साथ लज्जा और भय का भाव भी मिले रहते हैं, जो स्वाभाविक भी अतः वे (नवोदायें) पति के पास जाने में हिचकिचाती रहती हैं, लेकिन सखी खींचातानी कर उन्हें पति की शय्या पर सुलाकर ही छोड़ती हैं। इस तरह वे पति शय्या पर पड़ी अवश्य रहती है पर कुछ खिंची-तानी सी अर्थात् पति जो कुछ चाहते हैं उनमें वे सम्मिलित नहीं होतीं, स्थिति यह हो जाती है कि पति के श्वासों का लग भी उन्हें असह्य सा प्रतीत होता रहता है, फिर अगर पति उनके देहों पर हाथ रखे चाहें तो उसको वे नवोदायें कैसे बर्दास्त कर सकती हैं, फल यह होता है कि जभी महाशय उनके अङ्गों पर हाथ रखते, तभी वे उन हाथों को उठाकर दूर फेंक देती हैं, इस तरह नववधूतियों की रातें आशा तथा असफलताओं के बीच में झूलती रहती हैं, पर

की प्राप्ति कैसे होगी इस प्रसङ्ग में बहुत सी युक्तिया भी बतलाई हैं, उन युक्तियों के द्वारा उन्होंने यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि ये प्रयोजन काव्य के निर्माता और अध्येता दोनों के लिये बराबर हैं।

पण्डितराज ने काव्य-प्रयोजन के सबन्ध में केवल एक पङ्क्ति लिखी है, जिसमें यश, परम आनन्द और गुरु, राजा तथा देवता आदि की प्रसन्नता ये काव्य-प्रयोजन बतलाये गये<sup>१</sup> हैं, ये सभी प्रयोजन काव्य-निर्माण के ही हो सकते हैं, काव्याध्ययन के नहीं। यह बात दूसरी है कि इन प्रयोजनों की सिद्धि के लिये लोगों की प्रवृत्ति काव्य-निर्माण की ओर होगी और काव्य के निर्माण के लिये उसका अध्ययन आवश्यक होगा।

वस्तुतः इन प्रयोजनों का उल्लेख लोगों को काव्य के निर्माण और अध्ययन की दिशा में प्रवृत्त कराने के लिये उस प्रकार का एक प्ररोचक उपायमात्र है, जिस तरह का विक्रेताओं का सीपीके चमकीले टुकड़ों के विषय में क्रेताओं के प्रति यह कथन होता है कि 'ये बड़े अच्छे मोती हैं, ज़रूर खरीद लीजिये'। परमार्थतः काव्य का प्रयोजन रसास्वाद-मूलक आनन्दातिशय ही है। यद्यपि लोग कीर्ति आदि के लिये भी काव्य-निर्माण करते ही हैं तथा जीविका आदि के लिये भी काव्य पढ़ते ही हैं, तथापि वे सब काव्य के अनन्य साधारण प्रयोजन नहीं हो सकते, क्योंकि कीर्ति आदि के लिये अनेक रास्ते हैं और जीविका आदि के लिये भी विविध उपाय किये जा सकते हैं। इन सब गौण प्रयोजनों को लक्ष्य बनाकर काव्य का लिखना-पढ़ना सर्वथा सरुल भी नहीं होता। कहने का अभिप्राय है कि रसास्वाद करने-कराने के लिये लिखा गया काव्य ही पूर्ण सफल हो सकता है, एवम् रसास्वाद के लिये किया गया काव्याध्ययन ही वास्तविक अध्ययन कहा जा सकता है।

## काव्य

काव्य पदार्थ का विवेचन करने से पूर्व कविशब्दार्थ का विचार कर लेना आवश्यक है, क्योंकि व्याकरण के अनुसार काव्य पद का अर्थ होता है 'कवि का कर्म'<sup>२</sup> अतः कविशब्दार्थ का ज्ञान बिना कराये काव्यपदार्थ का ज्ञान नहीं कराया जा सकता।

अच्छा, तो हम पहले यही विचार करें कि कवि किसे कहते हैं? शब्द-स्वारस्य के अनुसार किसी वस्तु के वर्णन करने वाले को कवि कहते हैं क्योंकि काव्यमीमांसा में 'कवृ वर्णे' धातु से कविपद की सिद्धि मानी गई है<sup>३</sup>। कुछ लोगों का कथन है कि 'कवृ वर्णे' धातु से कवि शब्द सिद्ध नहीं हो सकता क्योंकि वह पवर्णोपोषध है, अतः 'कुब् शब्दे' धातु से कविपद की सिद्धि करनी चाहिये। यदि यही व्युत्पत्ति ठीक हो, तथापि अर्थ में कोई अधिक अन्तर नहीं होता क्योंकि तदनुसार भी किसी विषय का कहने वाला ही कवि पद का अर्थ होता है। कौष में कवि पद का अर्थ पण्डित किया गया<sup>४</sup> है। अतः योग तथा रूढि दोनों की समन्वयात्मक दृष्टि

१. 'कीर्तिपरमाहादगुरुराजदेवताप्रसादाद्यनेकप्रयोजनकस्य काव्यस्य' इत्यादि' (पृ ८)।

२. 'गुणवचनब्राह्मणादिभ्य कर्मणि च' इति ध्यञ्।

३. 'कविशब्दश्च कवृ वर्णे इत्यस्य धातो काव्यकर्मणो ल्यम्' (काव्यमीमांसा)।

४. 'संख्यावान् पण्डित. कवि' (अमर)



उब वह रात आती है, जिसके प्रभात में पति महाशय चले जायेंगे, तब स्थिति बहुत कुछ बदल जाती है, उस अन्तिम रात में पति लशङ्क होकर भी कुछ साहस से काम लेने के लिए कृत नङ्कन से हो जाते हैं, परन्तु उन्हें प्रायः साहस से काम लेने का अवसर नहीं प्राप्त होता, क्योंकि उधर नववधुओं की दशा-मनोवृत्ति भी पहले जैसी नहीं रह जाती, वे सोचनी हैं क्या आज भी वे तिगोड़ी लज्जा और भय मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे ? यदि ऐसी बात हुई तब तो बड़ा अनर्थ होगा, न जाने कब फिर उनसे (पति से) भेंट हो, नहीं, आज किसी तरह भय या लज्जा को अपने पास फटकने नहीं दूँगी, इस तरह वे नवोदय प्रस्थान पूर्व रजनी में लज्जा होकर ही पति की शय्या पर जाती हैं, फिर भी उब पति के हाथ उनके हृदय पर पड़ते हैं तब वे एक बार कुछ चौंक उठती हैं, और पति के हाथों को भी अपने हृदय पर से अलग अवश्य करती हैं। हाँ ! इतना अन्तर अवश्य रहता है कि आज पति के हाथों को दूर हटाने में वह वेग नहीं रहता जो और दिनों में रहता था, अर्थात् नववधू-जाति-स्वभाव से बड़ होने के नाते वे हाथों को हटाती जरूर हैं, परन्तु धीरे-धीरे ।

उपादानसङ्गतये व्यङ्ग्यं प्रकृत्यति—

अत्र शनैः स्वस्थानप्रापणात्मना नन्दाज्ञेपेण रत्यास्यं स्थायी संलक्ष्य-  
क्रमतया व्यज्यते ।

अत्र तल्पेत्यादिषु शनैर्न तु वेगेन । स्वस्थानप्रापणात्मना स्वल्पं चत्येति बहुव्रीहिः । एतेन रन्वनिवारणमात्रं सूचितं । आज्ञेयै मान्यं रतेरनुभावः, प्रगल्भद्राव एव तस्य नन्मवादः । रतेः स्थायितोपादानाद् रत्नरूपत्वं प्रतीयते । नलक्ष्यक्रमत्वमेव रतिव्यङ्ग्यत्वेह पूर्वोदाहरणद्वाराद्विशेषः ।

यहाँ 'नन्दन' शब्द का वाच्यार्थ है धीरे-धीरे करने स्थान पर रख देना, जिससे रतिनामक स्थायीभाव ( जो सम्भोगशृङ्गार के रूप में परिणत हो जाता है ) संलक्ष्यक्रम होकर अभिव्यक्त होता है, क्योंकि रति के बिना हाथ का धीरे-धीरे हटाना सम्भव नहीं है ।

ननु रत्यादीनां स्थायितानन्वयत्र सर्वैरमलक्ष्यक्रमव्यपत्तया एव व्यवस्थापनादिहे रतेः नलक्ष्यक्रमतया व्यङ्ग्यत्वमनङ्गत्वमित्यतेऽभिप्रेयति—

उपपत्तिश्चिद्यते च स्थाय्यादीनामपि संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यत्वम् ।

उपादानादिषु रतिरहितान्तरात्प्रेषणानने नवेति शेषः । तथाहि—अत्र प्रकरणात्स्य रत्नप्रकृत्या हुत्तर प्रतीयमानैर्विभावदिभिः नहुदयानानतिशयि रत्नप्रदर्शनात्तादृशता रत्यादीनां प्रतीतिर्जायते, तत्र वाच्यव्यङ्ग्यप्रतीत्योः अर्थरक्षणभावेन कल्पितस्यापि पूर्वानुरी-  
भावहनस्य क्रमत्वाद्युत्तरभावित्तया सन्दग् लक्षयितुंशक्यत्वेनासंलक्ष्यक्रमत्वम् । अत्र तु प्रकरणात्स्य रत्नप्रकृत्या विभावदीनां प्रतीतिवैव विलम्बेन रत्यादिप्रतीतितात्वात्तादृशद्वी-  
प्रान्तरान्तरात्प्रवृत्तविलम्बान् क्रमस्य सन्दग् लक्ष्यता, तत्र रत्यादीनामपि संलक्ष्यक्रमत्वम् । यथा प्रकृतश्लोके—'सम्प्रति' इति शब्देन पूर्वानुरन्वयसन्दर्भेऽन्वयेन 'तस्या नववधुनावे-  
रुमन्त्यादेशः सङ्घोष आसीत्, सम्प्रति तु क्रमेण न्यूनतयाऽन्वयादेश एवानुत्' इत्याद्यस्य विक्रमेण प्रत्यागताद् रत्यादिप्रतीति विलम्बितया संलक्ष्यक्रमत्वम् ।

परं तु—'वाच्यार्थतात्पर्यप्राहकप्रकरणत्वात्पठार्थकत्वे वाच्यप्रतीतिवैव विलम्बेन रत्यादिव्यपत्तयत्वेन नलक्ष्यक्रमत्वम् । व्यङ्ग्यार्थतात्पर्यप्राहकप्रकरणत्वात्स्य रत्नप्रकृत्ये तु गुरु-  
व्यङ्ग्यवचनतागोदयविलम्बान् नहुदयवैमुल्येनोऽर्थव्याघात एवेति श्रुतो रत्यादिव्यपत्त्य-  
नलक्ष्यक्रमता' इति व्याहरन्ति ।

यदि यहाँ कोई यह शक्य करे कि आजतक सभी आलङ्कारिक आचार्यों ने तो रस आदि स्थायीभावों को असंलक्ष्य-क्रम-व्यङ्ग्य ही माना है, फिर आप यहाँ रसि को संलक्ष्य क्रम व्यङ्ग्य क्यों और कैसे कहते हैं, इसी प्रसन्न में ग्रन्थकार लिखते हैं—‘उपपादयिष्यते इत्यादि । अर्थात् स्थायीभाव भी क्यों और कैसे संलक्ष्य-क्रम-व्यङ्ग्य हो जाते हैं, यह वा भागे कही जायगी, तात्पर्य यह है कि प्राचीन सभी आचार्य स्थायीभावों को असंलक्ष्य क्रम-व्यङ्ग्य मानते हैं, उनका आशय है कि यद्यपि स्थायीभावों-रसों की प्रतीति के पृ विभाव आदि की प्रतीति अवश्य माननी पड़ेगी, क्योंकि उन दोनों प्रतीतियों में का कारणभाव है, विभावादि-प्रतीति, कारण है, और रसादि-प्रतीति, कार्य, अतः उन दोनों में पूर्वापरीय ( आगे पीछे का ) भाव अवश्य है, परन्तु मध्य के समय अतिसूक्ष्म हो के कारण उनका वह क्रम ( पूर्वापर भाव ) हमें लक्षित नहीं होता, जैसे जब हम कम के सौ पत्तों को एक के ऊपर एक के हिसाब से रखकर उनमें सूई को चुभाते हैं, तब यहाँ एक के बाद ही दूसरे पत्ते में छेद होता होगा पर मुझे ऐसा ही प्रतीत होता है कि एक ही बार सब पत्तों में छेद हो गया । इसके विरुद्ध पण्डितराज का कथन है कि हाँ, स्थाय भाव असंलक्ष्य-क्रम-व्यङ्ग्य है, पर सब जगह नहीं, जहाँ प्रकरण स्पष्ट रहता है, वह विभावादि-प्रतीति में विलम्ब नहीं होता और सद्दियों को ऐसा ही भान होता है कि एक साथ ही विभावादि तथा स्थायीभाव की प्रतीति हो गई, और जहाँ प्रकरण स्पष्ट नहीं रहता वहाँ तो विभावादि की प्रतीति में ही अति विलम्ब हो जाता है, फिर वहाँ कालक्षित क्यों नहीं होगा ? अर्थात् स्थायीभाव भी दोनों प्रकार के होते हैं, कहीं संलक्ष्य क्रम-व्यङ्ग्य और कहीं असंलक्ष्य-क्रम-व्यङ्ग्य, प्रकृत पद्य में प्रकरण स्पष्ट नहीं है अतः यहाँ का रसिरूप स्थायीभाव संलक्ष्य-क्रम-व्यङ्ग्य ही है । ध्वनिकार आनन्दवर्धन का भी यही सिद्धान्त है ।

अस्य काव्यप्रकारस्य स्वकपोलकल्पितत्वं परिहर्तुं प्राचीनमतसंवाद दर्शयति—

अनुमेव च प्रभेदं ध्वनिमात्मनन्ति ।

असुमुत्तमोत्तमरूपम् । अभ्यासार्थकस्यापि मनतेरुपसर्गयोगात् स्वीकारार्थकत्वम् । ध्वनिकारप्रभृतय इति शेष । व्यङ्ग्यस्य वाच्यवाचकापेक्षयाऽधिरुचमत्काराधायकत्वे ध्वनिकार प्रभृतय प्राचीनाचार्या य ध्वनिमाचक्षते, स एवायम्, न तु नूतन- कश्चित् प्रकार इति भाव- काव्य के इसी ( उत्तमोत्तम ) भेद को प्राचीन आचार्य ध्वनि काव्य कहते हैं ।

अथ ‘निश्शेषच्युतचन्दनम्’ इत्यादिपद्ये ध्वनित्वस्थापनार्थमप्यध्यक्षितावर्कम्बत व्याख्यानपद्धतिं दूषयितुमुपपादयति—

यत्तु ‘चित्रमीमांसायामप्ययदीक्षितैः’ ‘निश्शेषच्युतचन्दनम्’ इति पद्यं ध्वन्यु दाहरणप्रसङ्गे व्याख्यातम्—‘उत्तरीयकर्पणैः चन्दनच्युतिरित्यन्यथासिद्धिपरि हाराय निश्शेषग्रहणम् । ततश्चन्दनच्युतेः स्नानसाधारण्यव्यावर्तनेन सम्भोग चिह्नोद्घाटनाय तदग्रहणम् । स्नाने हि सर्वत्र चन्दनच्युतिः स्यात्, तव तु स्तनयोस्तट उपरिभाग एव दृश्यते, इयमाश्लेषकृतैव ।

तथा ‘निर्मृष्टरागोऽधरः’ इत्यत्र ताम्बूलग्रहणविलम्बात् प्राचीनरागस्य किञ्चिन्मृष्टतेत्यन्यथासिद्धिपरिहाराय ‘निर्मृष्टरागः’ इति रागस्य निश्शेषमृष्टतोक्ता । पुनः स्नानसाधारण्यव्यावर्तनेन सम्भोगचिह्नोद्घाटनाय ‘अधरः’ इति विशिष्य ग्रहणम् । ‘उत्तरोष्ठे सरागोऽधरोष्ठमात्रस्य निर्मृष्टरागता चुम्बनकृतैव ।’ इत्यादिना ‘इदमपि ध्वनेरुदाहरणम् ।’ इत्यन्तेन सन्दर्भेण ‘तटादिघटिता वाक्यार्थाः स्नानव्यावृत्तिद्वारा सम्भोगाज्ञानामाश्लेषचुम्बनादीनां प्रतिपादनेन प्रधानव्य- चव्यञ्जने साहायकमाचरन्ति ।’ इति ।

‘निश्शेषच्युतचन्दन स्तनतट निर्गृष्टरागोऽधरो

नेत्रे दूरमनञ्जने पुलकिता तन्वी तवेय तनु ।

मिथ्यावादिनि ! दूति ! बान्धवजनस्याज्ञातपीडाऽऽगमे

वापीं स्नातुमितो गताऽसि, न पुनस्तस्याधमस्यान्तिकम् ॥’

इत्यय पूर्ण श्लोकोऽमरुशतकघटक । नायकमानेतुं प्रहिता तनुपभुज्य समायाता दूर्तामुद्दिश्य स्नानकार्यप्रकाशनद्वारा सन्भोग प्रकाशयन्त्या विदग्धोत्तमनायिकाया उक्तिरियम् । अथि ! मिथ्यावादिनि ! ‘मत्प्रसादनेनापि नायको नायात’ इति नृपाभाषिणि ! बान्धवजनस्य बान्धवो ‘बन्धुमित्रयो’ इति हैमकोशाद् मद्रूपस्य मित्रजनस्य अज्ञात-स्वायोग्यतयाऽविभाजित पीडाऽऽगम’ क्लेशप्राप्तिर्यथा, तथाभूते !, दूति ! सन्देशहारिणि ! ( न तु सञ्चि ! नापि यथार्थवादिनि ! मत्प्रतारणाकर्तृत्वात् ) इतो मदन्तिकत्, स्नातुं सलिलावगाहनं कर्तुम्, वापीं दीर्घिकाम्, गताऽसि, अथमस्य नितराननुचिताचरणान्नाचित्य, तस्य नायकस्य, अन्तिक सनीप तु पुन, न गताऽसि । ( यत ) तत्र स्तनयोर्वक्षोजयो, तट प्रान्तसनदेश उपरिभागो वा निश्शेष यथा स्यात् तथा च्युत गलित चन्दन श्रीऽण्डं घुच्छण वा यतस्तादृशनस्ति । तथा—अधरो निम्नोष्ठ, निश्शेष यथा स्यात्तथा ( न त्वीपत् ) मृष्ट प्रक्षालितो रागस्तान्बूलसरकिमा यस्य, तादृशोऽस्ति । तथा—नेत्रे नयने, दूरं प्रान्तभागेऽत्यन्त वा अनञ्जने कञ्जलरहिते स्त । तथा—इय पुरोलक्ष्यमाणा तनुर्देहयष्टि तन्वी ( सद्यः स्नानात् ) कोनला, पुलकिता जातरोमाश्चा चास्तीत्यर्थः ।

उत्तरीयवसनसङ्घर्षणादपि स्तनयोश्चन्दनच्युति सम्भवतीति तत्परिहाराय—निश्शेषे-च्युक्तम् । तथा च निश्शेष चन्दनच्युति- उत्तरीयवसनसङ्घर्षणान्न सम्भवति, किन्तु सन्मर्दन-बहुलात् सन्भोगादेव । तथाऽपि निश्शेषचन्दनच्युते प्रक्षालनप्रधानात् स्नानादपि सम्भव इति तदीय स्नानसाधारण्यं निवारयितु-तटपदमुपात्तम् । तेन तु स्तनोपरिदेश एव चन्दन-च्युति सन्भोगादेव न तु स्नानादिति सन्भोगस्य व्यञ्जनम् । एव ताम्बूलभञ्जणे विलम्बा-दपि पूर्वरागस्य न्त्वानि सन्भवतीति-निरित्युपसर्ग उपात्त । तथा च तान्बूलभञ्जणविलम्बाद् रागत्यात्यन्तन्त्वानिर्नोपपद्यते, अपि तु सन्भोगादेवाधरपानप्रधानान् ‘कामिनामधरास्त्वाद नुरतादतिरिच्यते’ इति कामशास्त्रानुशासनात् । तथाऽपि रागात्यन्तन्त्वानि स्नानादपि सन्भव इत्यसाधारण्य सन्धादयितुमधरपदस्योपादानम् । तथा चोत्तरोष्ठस्य बुन्धन कामशा-स्त्रप्रतिकूलमित्यपरमात्रस्य रागात्यन्तन्त्वानि सन्भोगादेवेति तद्व्यञ्जनम् । आदिपदप्रतिपा-द्यन्तु नेत्रयोरञ्जनात्यन्तराहित्य तनोस्तानव पुलकितत्वं च । तथा चाञ्जनप्रहृयादिलम्बात् स्नानाच्च नेत्रयो क्विपिदेवाञ्जनराहित्य सम्भवति, न त्वत्यन्तनिति नेत्रयोरत्यन्ताञ्जनराहित्येन सन्भोगनात्रजन्येन तद्व्यञ्जनम् । एव तनोस्तानव पुलकित्व च कार्यान् स्नानादपि क्विपि-देव सम्भवति, न तु प्रभूततरनीदृशमित्येतत् सन्भोगनात्रजन्यमित्यतोऽपि तद्व्यञ्जनम् । इशन्दत्यात्यन्तवाचस्त्व व्यक्तम्, प्रान्तभाग इति तु मानसिकोऽर्थः । ‘तथादिघटिता’ इत्यादि ‘आचरन्ति’ इत्यन्तं वाक्यं निर्गलितार्थनोयम् । बान्धवार्या निश्शेषेत्पादाना निषेधवञ्जानानार्या । आदिपदेन नुरतसन्मर्दन-प्रहृ । प्रधानव्यञ्जन सन्भोग न-शब्दस्य कर्म-उपकरणम् ।

इह स्नानात् सन्भोगाय सन्भोगिनोऽपि स्तनचन्दनच्युतिप्र इतिपदायां चन्धमहिन्ना सन्भोगनात्रजन्यत्वेन प्रत्याप्यमाना प्रतिपादयित्वा

सिद्धयमाणाः प्राधान्येन सम्भोगमेवावगमयन्तः काव्यस्य ध्वनित्वं सम्पादयन्तीत्याकृतम् ।

प्रसिद्ध आलङ्कारिक 'अप्पयदीक्षित' ने 'चित्रमीमांसा' नामक अपने निबन्धन में 'नि.शेषच्युतचन्दनम्' इस पद्य को ध्वनिकाव्य का उदाहरण माना है और उसमें ध्वनिकाव्यता की सिद्धि करने के लिये उस पद्य की व्याख्या अपने ढंग से की है, परन्तु उनकी व्याख्या 'पण्डितराज' को अभिमत नहीं, अतः 'पण्डितराज' 'दीक्षित' के मत का खण्डन करने के लिये पहले उनके मत का उपपादन करते हैं—'यत्त' इत्यादि । किसी विरहिणी नायिका ने एक दूती को दूर स्थित अपने प्रियतम को बुला लाने के लिये भेजा, किन्तु वह दूती स्वयम् उससे सम्भोग करके लौट आई और नायिका के पास आकर झूठमूठ बात बनाने लगी कि—'तुम्हारा नायक लाए अनुनय-विनय करने पर भी नहीं आया' इत्यादि । चतुर नायिका को असल बात समझ में आ गई, परन्तु वह उस बात को स्पष्ट कैसे कहे, अतः उस नायिका ने स्नान साधारण वाक्यार्थों के द्वारा उस बात को व्यक्त किया, इसी प्रसङ्ग पर 'नि.शेषच्युतचन्दनम्' यह पद्य 'अमरुतातक' में कहा गया है, (सम्पूर्ण पद्य संस्कृत टीका में देखना चाहिये) अर्थ इसका यह है कि—हे झूठ बोलने वाली दूती ! तू अपने चान्धव की (मेरी) पीड़ा को नहीं समझ सकी—उसके दिल में जो वेदना है—उसको नहीं जान सकी, अतएव तू उम अधम (नायक) के पास न जाकर वावड़ी नहाने चली गई । यह बात तेरी चेष्टाओं से स्पष्ट सूचित हो रही है, देखो, तेरे स्तनों के ऊपर भाग का चन्दन सर्वथा मिट गया है, नीचे के होठ की लाली (ताम्बूलकृत) विलकुल नष्ट हो गई है, नेत्र अत्यन्त अञ्जन रहित हो गए हैं और दुर्बल यह तेरा शरीर रोमाञ्चयुक्त हो उठा है यह तो हुई इस पद्य की सामान्य व्याख्या, अब 'दीक्षित की विशिष्ट' व्याख्या सुनिये—उनका कथन है कि 'स्तनों का चन्दन चक्षु के सङ्घर्ष से भी मिट सकता है, सो नहीं समझा जाय इसलिये नायिका के मिटने का विशेषण 'सर्वथा' कहा, जिससे यह सूचित होता है कि चन्दन का सर्वथा मिट जाना मर्दन के बिना चक्षु के सङ्घर्ष मात्र से सम्भव नहीं । इसी तरह स्नान से भी चन्दन को मिटने की सम्भावना थी, उस सम्भावना को दूर करने के लिये चन्दन का विशेषण 'ऊपर भाग का' कहा, जिससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि स्नान से यह नहीं हुआ है क्योंकि स्नान से जब चन्दन मिटेगा, तो समग्र स्थान का, पर तेरा चन्दन तो स्तन के ऊपरी भाग में ही मिटा है ऐसा आलिङ्गन नहीं हो सकता है । इसी प्रकार ताम्बूल खाये बहुत देर हो जाने से भी होठ की लाली नाश हो जा सकती है, परन्तु यहाँ सो नहीं है, यह स्पष्ट करने के लिये ताम्बूल नाश का विशेषण 'विलकुल' कहा, अर्थात् ताम्बूल खाये बहुत देर हो जाने पर भी होठ की लाली विलकुल नष्ट नहीं हो सकती, अलवत्ते कुछ फीकी हो जाय, इसी तरह स्नान से भी यह लाली नष्ट नहीं हुई है इस बात को सूचित करने के लिये 'अधर' पद कह दिया, जिससे यह सिद्ध होता है कि यह लाली का विनाश चुम्बन से ही हुआ है स्नान से नहीं क्योंकि स्नान से यदि लाली नष्ट होती तो ऊपर तथा नीचे दोनों ही होठों की, न केवल निचले होठ की ही, चुम्बन से तो ऐसा सम्भव है, क्योंकि ऊपरी होठ का चुम्बन कामशास्त्र में निषिद्ध है । यहाँ से लेकर 'यह भी ध्वनि का उदाहरण है' यहाँ तक के सन्दर्भ से 'दीक्षित' ने यह सिद्ध किया है कि 'ऊपर भाग' आदि पदों से युक्त उक्त वाक्यों के जो अर्थ हैं, वे सम्भोग के अङ्ग—आलिङ्गन, चुम्बन आदि के व्यञ्जन या प्रतिपादन के द्वारा मुख्य व्यङ्ग्य (सम्भोग) की अभिव्यक्ति करने में साहाय्य प्रदान करते हैं । सारांश यह है कि इस तरह की उक्ति से यह स्पष्ट हो जाता है कि दूती के अङ्गों में परिलक्षित होने वाले ये विकार नायक के साथ किये गये सम्भोग से ही उत्पन्न हुए हैं, दूसरे किसी तरीके से नहीं ।

खण्डयति—

तदेतदलङ्कारशास्त्रतत्त्वानवबोधनिबन्धनम्, प्राचीनसकलग्रन्थविरुद्धत्वाद्-  
त्तिविरोधाच्च ।

अपतिर्विक्रौचितीत्यनर्थांतरम् ।

व पण्डित राज 'दीक्षित' कृत पूर्वोक्त विवेचन का खण्डन करते हैं—'तदेतदलङ्कार' वे । 'दीक्षित' का उक्त विवेचन अनभिज्ञता का सूचक है, अर्थात् वे अलङ्कार शास्त्रों को नहीं समझते, अतः वैसा कहते हैं, क्योंकि उनका उक्त विवेचन प्राचीन सब से तथा युक्तियों से विरुद्ध है ।

वीनग्रन्थस्य काव्यप्रकाशस्य सन्दर्भ विरोधं दर्शयितुमुपन्यस्यति—

तथाहि पञ्चमोऽह्लासशेषे—'निशशेषेत्यादौ गमकतया यानि चन्दनच्यवनादी-  
त्तानि, तानि कारणान्तरतोऽपि भवन्ति, यतश्चात्रैव स्नानकार्यत्वेनोपात्ता-  
ते नोपभोग एव प्रतिबद्धानीत्यनैकान्तिकानि ।' इति काव्यप्रकाशकृतोक्तम् ।

गमकतया—अनुमितिहेतुत्वेन । कारणान्तरतोऽपि—स्नानरूपकारणादपि । उपभोग प्रतिबद्धानि—भवदभिनेते दूतीकर्तृकसम्भोगरूपसाध्यव्याप्यानि । अनैकान्तिकानि—स्नान-  
कारण्येन व्यभिचारितानि । अस्मिन्नेव पद्ये स्नानजन्यत्वेनोपादीयमानत्वाच्चन्दनच्युतिर्हि  
भोगात् स्नानाच्च सम्भवन्ती न सम्भोगव्याप्या, तस्मात् कृतस्तया व्यभिचारिण्या सम्भो-  
ऽनुभात् गम्य इति सम्भोगावगमनाय व्यञ्जनाशक्तिरभ्युपेयैवेति तद्व्यन्याशयः ।

चन्दनच्यवनादीनां सम्भोगव्यभिचारित्वं प्रतिपादयताऽमुना ग्रन्थेन सह सम्भोगवाप्यत्वं  
तिपादयतो दर्शितचित्रमीमासाप्रन्थस्य विरोध स्फुरोऽन्वधारणीयः ।

प्राचीन ग्रन्थ से विरोध दिखलाने के लिये 'काव्यप्रकाश' का उद्धरण देते हैं—  
'आदि पञ्चमीह्लासशेषे' इत्यादि । अभिप्राय यह है कि 'प्रकृत ( नि.शेषच्युत इत्यादि )  
श्लोक में जो सम्भोगरूप अर्थ व्यङ्ग्य माना जाता है, उसके ज्ञान के लिये व्यञ्जनावृत्ति की  
आवश्यकता नहीं है, अनुमान से ही उस अर्थ का ज्ञान हो जा सकता है' इस मत के  
खण्डन प्रसन्न में मम्मट कहते हैं कि सम्भोग का ज्ञान अनुमान से तब होता, यदि श्लोक में  
उक्त चन्दनच्युति प्रभृति सम्भोग व्याप्य होते—अर्थात् सम्भोग से ही वे सब ( चन्दन-  
च्युति आदि ) होने वाले रहते, सो तो है नहीं, क्योंकि सम्भोग से अतिरिक्त कारणों से भी  
वे हो सकते हैं, जैसे इसी पद्य में उनको स्नानरूप कारण का कार्य कहा गया है, इसलिये  
चन्दनच्युति वगैरह सम्भोग के व्यभिचारी ( उसके बिना भी होने वाले ) हैं, अतः उन  
हेतुओं से सम्भोग की अनुमिति नहीं हो सकती । यहाँ इस सन्दर्भ को उद्धृत करने  
का तात्पर्य है कि मम्मट चन्दनच्युति प्रभृति को सम्भोग, ज्ञान आदि अनेक कारणों  
से होने वाला साधारण पदार्थ मानते हैं और आप ( दीक्षित ) बनाते हैं, उसको  
सम्भोग मात्र से होने वाला असाधारण पदार्थ । अतः मम्मट के ग्रन्थ से आपका  
विवेचन विरुद्ध हुआ ।

काव्यप्रकाशस्यैव पुन स्थलान्तरं विरोधप्रकाशनार्थमुपाददाति—

तथा तत्रैव तेन—

'भम धम्मिअ ! वीसत्यो सो सुणओ अज्ज मरिओ देण ।

गोलाणइकच्छन्निकुडंगवासिणा दरिअसीहेण ॥'

इत्यादौ लिङ्गजलिङ्गिज्ञानरूपेणानुमानेन व्यक्तिं गतार्थयतो व्यक्तिविवेक-  
कृतो मत प्रत्याचक्षणेन व्यभिचारित्वेनासिद्धत्वेन च सन्दिह्यमानादपि लिङ्गाद्  
व्यञ्जनमभ्युपगतम् ।

तत्रैव—काव्यप्रकाशपद्यनोत्सास एव । तेन—मम्मटग्रन्थेन—

अन धार्मिक ! विश्वस्त स शुनकोऽय नारितस्तेन ।

गोदानदीकच्छन्निकुडंगवासिना इमसिहेन ॥' इति सत्कृतच्छाया ।

पुष्पावचयाय स्वराद्धेतनिकेतनीभूतगोदावरीतीरनिकुञ्जं प्रति प्रयाणाभिमुखस्य कस्यापि स्वरहस्यप्रकाशशब्दा चारणाय कस्याधन पुंश्वत्या भणितिरियम् । धार्मिक । हे धर्मात्मन विश्वस्तः सविश्वास स्वैरभिति यावत् , न तु प्राग्गत सत्रासम् , भ्रम कुसुमान्यवचे ( मद्गृहपरिसरे न तु गोदावरीतीरे ) सप्रर । यत् स त्वत्प्रात्यहिकत्रासस्य हेतुतया प्रसिद्ध-शुनक था कुम्भुर , अथ-अस्मिन्नहनि तेन दुर्दान्ततया सर्वत्र प्रसिद्धेन , प्रायस्त्वया केवलमज्ञातेन , गोदानया गोदावरीसरित , कच्छनिकुञ्जे तीरस्थलतामण्डपे , वासिना सार्वदिकनिवसनशीलेन , न त्वकस्मादागतेन , दृष्टेन प्रसख्य जीवजीवनापहरणदर्पोद्धतेन , सिंहेन केसरिणा , मारितो हत इत्यर्थ । जघनविपुला छन्दः ।

अत्र त्रासकारणीभूतस्य शुनो विनाशोपन्यासेन धार्मिकस्य गृहपरिसरे भ्रमणविधान वाच्यम् । शुनोऽपि भीरोस्तस्य गोदावरीतीरनिकुञ्जे सिंहसद्भावप्रतिपादनेन भ्रमणनिषेवस्तु वस्तुरूप-पुश्वल्या वक्ष्या वैशिष्ट्येन व्यङ्ग्य । विशेषविचारस्त्वस्मदीयध्वन्यालोकोद्घोषिता-वालोकनीय ।

लिङ्गं पक्षसत्त्व-सपक्षसत्त्व-विपक्षव्यावृत्तत्वविशिष्टोऽनुमानस्य हेतु , तज्जन्य यल्लिङ्गिन साध्यस्य ज्ञानं , तदेवानुमानम् । व्यक्तिर्व्यञ्जना । व्यक्तिविवेककृतस्तार्किकमतानुयायिनो महिममदृश्य । प्रत्याचक्षणेन खण्डयता । अभ्युपगतमप्रीकृतम् । तेनेत्यभ्युपगतमित्यनेन सम्यद्धम् ।

अयमाशयः — 'गोदावरीतीरनिकुञ्जं श्वभीरुभ्रमणयोग्यम् , सिंहवत्त्वात्' इत्यनुमितिरैवात्र भ्रमणनिषेवलक्षण व्यङ्ग्य गोचरयितुमलम् , कृत व्यञ्जनाया स्वीकारेणोति महिममदृश्य मतं काव्यप्रकाशकारस्तादृशहेतोर्व्यभिचारित्वमसिद्धत्वं च प्रदर्शयति खण्डयत् । तथाहि-कवि-द्धार्मिकत्वेन स्पर्शदोषच्छूनो भीरोरपि वीरस्वभावस्य गुरु-प्रभुनिदेश-प्रियाऽनुराग-निविलाभसम्भावनाऽऽदिपारवश्येन सिंहाधिष्ठानेऽपि स्थाने गमनस्य दर्शनाद्धेतौ व्यभिचारः , तत्र सिंहसद्भावस्य प्रत्यक्षादिप्रमाणासिद्धत्वेन पुंश्वल्युच्चारितत्वादप्रमाणीभूततादृशवाक्यमात्रवेद्यतया चासिद्धत्वमिति द्विधा दुष्टेन हेतुनाऽनुमिते सर्वथाऽसम्भव । व्यञ्जनापक्षे तु व्यभिचारिण सन्देहगोचरादपि हेतोर्निर्वाधो व्यङ्ग्यार्थावगम , तत्र व्याप्याद्यनुसन्धानानपेक्षणात् । तथा च प्रकृते हेतोरव्यभिचारित्वप्रदर्शनप्रयासात् काव्यप्रकाशेन सह विरोधः स्फुट एव बोध्यः ।

प्राचीन ग्रन्थ से 'दीक्षित' मत में पढ़ने वाले विरोध को दृढ़ करने के लिये पुनः काव्यप्रकाश के ही दूसरे स्थल को उद्धृत करते हैं—'तथा तत्रैव तेन' इत्यादि। 'भ्रमणमिष!' इत्यादि श्लोक संलक्ष्य क्रमध्वनि ( वस्तुव्यङ्ग्य ) का उदाहरण है। किसी व्यभिचारिणी नायिका ने गोदावरी नदी के तटवर्ती किसी कुञ्ज को अपना सङ्केत स्थान बना रखा था, परन्तु कोई एक धार्मिक पुरुष वहाँ नित्य पुष्प चुनने के लिये जाता था, [अतः उस व्यभिचारिणी ने अपने स्वैर विहार में बाधा पड़ती देख कर उस धार्मिक से कहा—हे धर्म धुरन्धर ! अब आप विश्वास पूर्वक ( न कि पहले जैसे डरते हुए ) धूमिये ( फूल चुनने के लिये मेरे घर के अगल-वगल न कि गोदावरी तट पर फिरते रहिये ) क्योंकि जिस कुत्ते का भय बराबर बना रहता था, उसको गोदावरी नदी के जलप्राय प्रदेश की श्लाघी में बसने वाले ( न कि अकस्मात् आये हुये ) मत्त सिंह ने मार बाला। सारांश यह है कि घर के पास कुत्ते से भी डरने वाले पण्डितजी ! अब आप धोखे से भी गोदा के तट में मत जाइये, क्योंकि वहाँ सिंह रहता है, यदि जाने का दुस्साहस कीजियेगा, तो मैं से हाथ धोना पड़ेगा । इस तरह से यहाँ भ्रमण का विधान ( धूमो ) वाच्य है और

भ्रमण-निषेध ( मत धूमो ) व्यङ्ग्य, यह व्यञ्जनाविदा का मत है, परन्तु लिङ्ग-हेतु से लिङ्गी-साध्य का ज्ञान—जो अनुमान है—उससे व्यञ्जना को गतार्थ (व्यर्थ) करने वाले व्यक्ति विवेककार महिमभट्ट का कथन है कि यहाँ भ्रमण निषेध का ज्ञान करने के लिये व्यञ्जना का स्वीकार व्यर्थ है, क्योंकि 'गोदावरी तटवर्ती कुञ्ज कुत्तों से डरने वालों के भ्रमण करने योग्य नहीं है, क्योंकि वहाँ सिंह है' इस अनुमान से ही उसका ( भ्रमण निषेध का ) ज्ञान हो ही जायगा । व्यक्ति विवेककार के इस मत के खण्डन के प्रसङ्ग में काव्यप्रकाशकार कहते हैं कि उक्त अनुमान नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ के हेतु ( सिंह का रहना ) में व्यभिचारित्व-अन्यगामित्व तथा असिद्धत्व का सन्देह है अर्थात् स्पर्श दोष से बचने वाला धार्मिक यदि वीर हो तो कुत्ते से डरकर भी सिंह से नहीं डरेगा । अथवा डरते रहने पर भी गुरु अथवा प्रभु की आज्ञा, प्रेयसी के अनुराग तथा निधि लाभ की आशा से सिंह युक्त स्थान में भी जा सकता है, इसलिये उक्त हेतु में व्यभिचारित्व ( भ्रमणाभावरूप साध्यरहित पक्ष में रहने का ) सन्देह है और 'गोदावरी तट पर सिंह है' इसका निर्णय कैसे होगा ? स्वयं तो उस धार्मिक ने देखा नहीं, पुँश्चली नायिका का कथन तो प्रमाण नहीं हो सकता, वह झूठ कहती हो ऐसा भी सम्भव है, अतः उक्त हेतु में असिद्धि का सशय है, यदि आप पूछें कि व्यञ्जनाविदियों को भी तो 'सिंह है' इस उक्ति से ही भ्रमण निषेध का ज्ञान होता है, तो कैसे ? इसका उत्तर यह है कि व्यञ्जनाविदियों को 'सिंह है' यह उक्ति सत्य है किंवा मिथ्या इस बात की खोज नहीं करनी पड़ती, क्योंकि व्यङ्ग्यरत्न में व्यञ्जक का सत्य होना असाधारण ( अव्यभिचारी ) होना आवश्यक नहीं माना गया है और अनुमान ने हेतु का वैसा होना आवश्यक माना गया है । अब स्पष्ट हो गया कि सन्दिग्ध तथा साधारण व्यञ्जक से भी व्यक्ति का प्रतिपादन करने वाले इस प्रकाश ग्रन्थ से असन्दिग्ध तथा असाधारण व्यञ्जक से ही अव्यक्ति का समर्थन करने वाला दीक्षित ग्रन्थ विरुद्ध है ।

विरोधे ध्वनिकर्तुरपि मतसवादं दर्शयति—

इत्थमेव च ध्वनिकृताऽपि प्रथमोदयोते ।

अभ्युपगतमिति ध्वन्यालोक इति च शेष ।

वाच्य-व्याख्यो स्वरूपभेदप्रदर्शनप्रयत्ने ध्वनिकारोऽप्यत्र व्यभिचारसिद्धिदूषितादपि सिंहसङ्गावहनाद्वैतोर्व्यनयस्य भ्रमणनिषेधस्यावगम स्वीचकारेति तदपि हेतोरव्यभिचारित्वसम्पादकेनाप्यव्यदीक्षितस्य प्रकृतप्रयत्नेन विरुद्धमेवेत्यभिसन्धिः ।

इसी प्रकार ध्वन्यालाकार राजानक 'आनन्दवर्धनाचार्य' ने भी ध्वन्यालोक का प्रथम उद्योत में कहा है, अर्थात् उन्होंने भी 'अनधग्मिज' इस पद्य में साधारण तथा सन्दिग्ध व्यञ्जक व्यङ्ग्य का होना स्वीकार किया है, अतः ध्वन्यालोक ग्रन्थ से भी दीक्षित के उक्त विवेचन विरुद्ध होता है ।

तदेवाचष्टे—

एव च व्यञ्जकाना साधारण्य प्रतिपादयता प्रामाणिकाना ग्रन्थैः सहासाधारण्य प्रतिपादयतस्तव ग्रन्थस्य विरोध स्फुटः ।

एवमुक्तप्रकारेण । व्यञ्जकाना चन्दनच्यवनादीनाम् । साधारण्य व्याख्या व्याप्यत्व व्यभिचारित्वमिति यावत् । ग्रन्थे काव्यप्रकाशादिभिः । तत्र ग्रन्थस्य चित्रगोमानाना ।

प्रामाणिक-प्रार्थनग्रन्थेषु व्यभिचारिणाऽपि हेतुना व्यङ्ग्यस्य प्रतीति प्रतिपादिता, तथा पुनः प्रकृते व्यञ्जकहेतुनामव्यभिचारित्वमन्यत्तये नर्हयान् प्रमाणं विवत उन्नेत् नर्हया प्रार्थनपथप्रतिपक्षत्वात्प्रान्तिरोपेक्षार्थात्तमेव स्यादिति सारम् ।

इस प्रकार से यह बात स्पष्ट हो गई कि व्यञ्जक चन्दनच्युति आदि की साथ ( व्यङ्ग्य तथा तदतिरिक्त वस्तुओं से सम्बन्ध रखना ) के प्रतिपादन करने वाले

आदि के ग्रन्थों से व्यञ्जक की असाधारणता (व्यङ्ग्यमात्र से सम्बन्ध रखना) प्रतिपादक अल्पय्य दीक्षित का ग्रन्थ विरुद्ध अवश्य है।

ननु व्यञ्जकाना साधारण्येऽपि व्यञ्जानमभ्युपगच्छद्भिः प्राचीनग्रन्थकारैरसाधारण्ये तेषां तत् सुतरामभ्युपगतमेवेति व्यञ्जकासाधारण्य एव व्यञ्जनं प्रतिपादयती मद्ग्रन्थस्य तद्ग्रन्थै सह नास्ति विरोध इत्यतोऽरुचेरुपपत्तिविरोधलक्षणं दूषणान्तर क्रमेणोपपादयति किञ्च यदिदं निश्शेषेत्याद्यवान्तरवाक्यार्थानां वापीस्नानव्यावृत्तिद्वारेण व्यङ्ग्यासाधारण्यं सम्पाद्यते, तत् किमर्थमिति पृच्छामः। व्यङ्ग्यस्य व्यञ्जनार्थमिति चेत्, न, व्यञ्जकगतासाधारण्यस्य व्यञ्जनानुपायत्वात्।

अवान्तरवाक्यानि श्लोकरूपमहावाक्यघटकानि निश्शेषेत्यादिवाक्यानि, तेषामर्थं निश्शेषचन्दनच्यवनादयः। व्यावृत्तिर्व्यञ्जकच्छेद इत्यनर्थान्तरम्। सम्पाद्यते क्रियते त्वयेति शेषः। व्यङ्ग्यस्य सम्भोगस्य। उपायत्वं प्रयोजकता।

व्यञ्जकानां वाक्यार्थानामव्यभिचारित्वसम्पादनार्थमियानय प्रयासस्तथाऽपि विफलः, व्यभिचारिभिरपि तैर्व्यञ्जनस्य शतशोऽनुभवादिति भावः।

यदि आप कहें कि जब साधारण व्यञ्जक से भी व्यङ्ग्य का होना प्रकाशकार आदि प्राचीन आचार्यों को अभिमत है, तब असाधारण व्यञ्जक से उसका होना तो सुतराम उन लोगों का अभिमत सिद्ध होता है, (फिर तो असाधारण व्यञ्जक से व्यङ्ग्य का होना (जो दीक्षित का अभिप्राय है) विरुद्ध नहीं होता। अतः अब पण्डितराज युक्तिविरोध दिखलाते हैं—'किञ्च यदिदम्' इत्यादि। पण्डितराज दीक्षितजी से पूछते हैं कि आप जो 'ऊपर भाग का चन्दन सर्वथा मिट गया है' इत्यादि शीघ्र के वाक्यों के अर्थों को वापी स्नान में सङ्गत नहीं होने वाले वता कर केवल व्यङ्ग्य (सम्भोग) के ही सङ्गत होने वाले (असाधारण) बनाते हैं, सो क्यों? व्यङ्ग्य की अभिव्यक्ति हो सके इसलिये? यह उत्तर ठीक नहीं, क्योंकि व्यञ्जक का असाधारण होना अर्थात् व्यञ्जक वस्तु व्यङ्ग्यमात्र से सम्बन्ध रखे और किसीसे नहीं, इस बात का होना आवश्यक नहीं है।

तदेव व्यभिचारस्थलमुदाहरति—

‘औरिणहं दौर्बल्लं चिंता अलसंतणं सणीससिअम्।

मह मद्भाङ्गीण केरं सहिं तुह वि परिभवइ ॥’

‘औरिणहं दौर्बल्लं चिन्ताऽलसत्त्वं सनिश्चसितम्।

मम मन्दभागिन्या कृते सखि ! त्वामपि परिभवति ॥’ इति संस्कृतच्छाया।

कामुकान्तिके प्रहिता स्वयमेव तमुपभुज्य तद्वियोगेन व्याकुलीभवन्तीं सखीं प्रति विदित-सकलरहस्याया कस्याश्चन नायिकाया उक्तिरियम्। अपि सखि ! मन्दः शोभनफलाभि-कृष्टश्वासौ भागो भागधेयमस्त्यस्यामिति मन्दभागिनी हीनभाग्या, तस्या मम कृते मदर्पम्, औरिणहं निद्रारहित्यं प्रजागर इति यावत्, दौर्बल्य दुर्बलता, चिन्ता विधयानुव्याप्तम्, सनिश्चसितं निश्चाससहितम्, अलसत्वमालस्यं च त्वामपि परिभवति पीडयतीत्यर्थः।

तथा च ‘अर्थे कृतेऽव्यय तावत् सादर्थ्ये वर्तते द्वयम्’ इति कोशसार, ‘भागो स्वार्थके प्रोक्तो भागधेयैकदेशयो’ इति विश्वश्व। आर्या छन्दः। काव्यप्रकाशसम्मतं पाठे तु चतुर्थ-चरणेऽहृहेत्यधिकशब्दसमावेशेन मात्रान्नयाधिक्याद् गीतिरछन्दः।

‘व्यञ्जक का असाधारण होना आवश्यक नहीं है’ इसको पुष्ट करने के लिये उस तरह का उदाहरण दिखलाते हैं, जहाँ साधारण व्यञ्जक से व्यङ्ग्य हुआ है—‘औरिणहं’ इत्यादि। एक से स्वयं सम्भोग करके आई हुई दूती की चेष्टाओं को देख कर उससे नायिका



कृती है—हे सखि ! सुप्त अभागी के लिये तुझे भी जागरण, दुर्बलता, चिन्ता, बालस्य और दन झूलना, ये सब पीड़ा दे रहे हैं अर्थात् मेरा दुर्भाग्य ऐसा प्रबल है जिससे मैं स्वयं तो कुछ भोग ही रही हूँ, साथ-साथ मेरे लिये तुझे भी कष्ट भोगना पड़ता है ।

प्रहृतीनादानमुपनादयति—

इत्यादीं साधारणानामेवौन्निद्राद्यादीना वक्रत्रादिवैशिष्ट्यवशादर्थविशेषव्यञ्जकताया अभ्युपगतैः ।

आदिनेनादिपदेन दैवैवत्यप्रहृतीना द्वितोनेन च प्रतिनाद्याया सत्या नंप्रह।अर्थविशेषकमुद्देशेपभोग' ।

अत्रौन्निद्राद्यादीना रोगान् प्रियतनवियोगाच्चापि सन्भव इति रोग-वियोगोभयसाधारणत्वेऽपि वक्रत्रा जतरहत्याया निवृत्ततर्जनपराया नायिकाया, प्रतिपाद्याया पूर्वमनेकदा वृष्टदुष्टचेष्टाना नन्दनश्च वैशिष्ट्यात् तन्मुक्रोमभोगो व्यञ्जय इत्याचार्यैर्ङ्ङीकृतम् । तच्चौन्निद्राद्यादीना व्यञ्जकनामसाधारण्यविरहादसङ्गत स्यादित्यसाधारण्यस्य व्यञ्जनानुपयोगित्वं निश्चयत इत्याराय ।

यहाँ जागरण आदि व्यञ्जक पदार्थ सर्वथा साधारण हैं, अर्थात् सम्भोग, वियोग, रोग प्रभृति कतिपय कारणों से हो सकते हैं, फिर भी इन ( जागरण आदि ) व्यञ्जकों से दूती का सम्भोग व्यङ्ग्य होता है, ऐसा सभी आचार्यों ने माना है । यद्यपि आप यहाँ यह प्रश्न उठा सकते हैं कि भाई ! जब जागरण आदि ऐसे पदार्थ हैं, जो सम्भोग, वियोग, रोग सबमे हो सकते हैं, तब उनसे सम्भोग ही क्यों व्यङ्ग्य हुआ ? इसका समाधान यह है कि बोलने वाली नायिका और प्रतिपाद्य दूती में कुछ ऐसी विलक्षणता है, जिस पर गौर करने से सहृदयों के मन में सम्भोगरूप अर्थ अभिव्यक्त हो उठता है । अर्थात् कहने वाली नायिका का मुख तमनताया सा है, वागी रत्न है, जो समवेदनासूचक नहीं हो सकती इन्हीं तरह दूती के मुख पर भय की छाया है, उसकी दुष्ट चेष्टायें अनेक बार पहले पकड़ी जा चुकी हैं, इन सब विलक्षणताओं पर ध्यान देने से स्पष्ट नालूस हो जाता है कि दूती अराशिनी है और नायिका उसे प्रच्छन्नरूप से तर्जना दे रही है । इतना समझ लेने पर दूती के ( नायिका के पति के साथ ) सम्भोगरूप अपराध को समझने में किसी सहृदय को विटल्य देने हो सकता है ? इस तरह से यह सिद्ध हुआ कि व्यञ्जक का असाधारण होना व्यङ्ग्य होने का उपाय नहीं है, किन्तु वक्ता और प्रतिपाद्य का वैशिष्ट्य ही उपाय निधानक है ।

नन्वसाधारण्यस्य व्यञ्जनानुपयोगित्वेऽपि क्वचित्युनस्तस्य नाति संभवे क्यन क्यन-च-नित्यवदनेमोपान्तरमाह—

प्रत्युतानाधारण्यस्य [व्याप्यपरपर्यायस्यानुमानानुकूलतया व्यक्तिप्रतिकूलत्वाच्च । प्रत्युत्सुत्वेपरिन्त्यायंक्रमव्ययन् । व्यप्यत्वेननिनतस्य व्यापकभावापिकरणावृत्तिव्यपि । यदि व्यञ्जकनामपि हेतुनामनुमितिहेतुवद् व्याप्यत्वरूपनसाधारण्यं क्रमपि नवेत्, तर्हि नतो व्यञ्जकस्य सुतराननुमितिरिव स्यात् तदाच व्यञ्जनाया आन्येक्यमिति व्यञ्जक-साधारण्यप्रतिपदनस्य व्यञ्जनेच्छेदलक्षणा विपरिन्तनेव फलनापद्येत, तस्मान्नासाधारण्यं व्यञ्जक-मनुमितिमिन्दानिसन्दि ।

यदि आप कहें कि सर्वत्र असाधारण्य व्यञ्जन का उपयोगी भले ही न हों परन्तु स्पष्टविशेष में अगर व्यञ्जक असाधारण हो तो उसका प्रतिपादन अममत्त क्यों होगा ? इसी अरथि को ध्यान में रखकर ग्रन्थकार उपान्तर का उल्लेख करते हैं—'नन्दन इत्यादि । कहने का तात्पर्य यह है कि कहीं भी असाधारण्य व्यञ्जन का उपयोगी नहीं हो सकता,

अपित् प्रतिकूल ही होगा, क्योंकि असाधारण्य अर्थात् व्यञ्जन अर्थ का व्यङ्ग्य अर्थ से सम्बन्ध रखना व्याप्तिरूप ही सिद्ध होगा, फिर तो उस व्याप्ति से विशिष्ट, व्यञ्ज-  
हेतु से व्यङ्ग्य का अनुमान ही हो सकता है व्यञ्जन नहीं, साराश यह कि इस  
मानने पर व्यञ्जनावृत्ति का उच्छेद ही हो जायगा जो व्यञ्जनावृत्ति दीक्षित को भी ब्र  
नहीं हो सकता है ।

व्यञ्जनासाधारण्यं पुनरपरथा निराकरोति—

अथ तटादिघटितत्वेऽपि न निश्शोपेत्यादिवाक्यार्थानामसाधारण्यम्, ।  
लाद्र्वसनकरणकप्रोञ्चनादिनाऽपि तत्सम्भवादिति चेत्, तर्हि वापीस्नानव  
नेन कः पुरुषार्थः ? एकत्रानैकान्तिकत्वस्येव बहुष्वनैकान्तिकताया अपि ज्ञा  
अनुमितिप्रतिकूलत्वाद् व्यक्त्यप्रतिकूलत्वाच्च ।

प्रथम आदिशब्दोऽधररागम्लान्यतिशयादीन्, द्वितीयस्तु जलविन्दुपातादीन् सङ्घ  
सलिलेनाद् क्रिन्न यद्वसन, तत्करणं यस्य यत्र वा, तत्तादृश प्रोञ्चनं वक्ष = प्रथत्यज्ञा  
'वापीस्नानव्यावर्तनेत्यतः प्राक् 'तटाद्युपादानान्' इति शेष । पुरुषार्थं पुरुषोद्यमक  
व्यभिचारस्य तथाऽपि जागरूकत्व फलाभावे हेतु । 'ज्ञाताया' इत्यत्र 'जाताया' इति प  
कस्यचिधिन्य एव व्यभिचारस्य ज्ञातस्यैव ( न तु स्वरूपसतः ) व्याप्तिप्रहविषयकत्व  
मितिप्रतिबन्धकत्वात् ।

तटाद्युपादानेन वापीस्नानं व्यावर्त्य निश्शोपेत्यादिवाक्यार्थानां कामुकोपभोगसाध  
सम्पिपादयिपतस्तवाभीष्टसिद्धिर्दुर्घटैव, तेषां स्तनतटात्यन्तचन्दनचयवनादीनामार्द्रवस  
णकप्रोञ्चनादिभिरपि जननसम्भवात् कामुकोपभोगमात्रजन्यत्ववैधुर्येण व्यभिचारस्य ज  
कतयाऽसाधारण्यस्य प्रतिष्ठानासम्भवात् । इत्य च यथाऽनेकेषु स्थलेषु, तथा कुत्रचिदेक  
स्थले दृष्टोऽपि व्यभिचारोऽनुमिते प्रतिबन्धक इतीह हेतोर्व्यभिचारितया त्वन्मते व्य  
बोधविरह एवापद्येत । मन्मते तु वैयञ्जनिकबोधे हेतुसाधारण्यस्याप्रतिबन्धकत्वाच्च ।  
रिति तात्पर्यम् ।

यदि आप कहें कि 'निःशेषच्युतचन्दनम्' इस पद्य में 'उपरिभागवाचक तट ।  
पदों से रचित वाक्यों का अर्थ यद्यपि ऐसा है जो स्नान प्रभृति में नहीं लग सकते, त  
वे असाधारण नहीं हैं अर्थात् सम्भोगमात्र से होने वाले नहीं हैं, क्योंकि गीले कप  
पोछ देने पर भी सर्वथा ऊपर भाग मात्र का चन्दन मिट सकता है, और जब वे असाध  
नहीं होंगे, तब अनुमान की बात उठ नहीं सकती, इसके उत्तर में हम प्रश्नकर्ता से  
पूछना चाहेंगे कि जब आप 'ऊपरभाग का चन्दन सर्वथा मिट गया है' इत्यादि अर्थ  
वाक्यार्थ को असाधारण नहीं बनाना चाहते अर्थात् गीले कपड़े से पोंछने पर भी  
वाले ही मानते हैं, तब वापी स्नान से वे नहीं हो सकते ऐसा कहकर क्या लाभ उठा  
क्योंकि जैसे एक स्थान पर व्यभिचारित होना, सम्भोग से भिन्न कारण से सम्बन्ध रह  
अनुमान के प्रतिकूल और व्यञ्जन के अनुकूल है, वैसे ही अनेक स्थानों पर व्यभिच  
होना भी । अतः चन्दन मिटने का सम्बन्ध सबसे रहने दीजिये, किसी से उसके सम्  
को विच्छिन्न करने का प्रयास व्यर्थ है ।

नन्विहैव श्लोके 'तदन्तिकमेव रन्तु गताऽसीति प्राधान्येनाद्यमपदेन व्यज्यते' इत्  
कारघटितवाक्यमुल्लिखद्भिर्मन्मटभट्टैर्यदेव व्यञ्जकानामसाधारण्य सूचितम्, तदेव मया  
वापीस्नानव्यावर्तनमुखेनोक्तम्, न तु नूतनं किञ्चिदिति मनसि कृत्याभिघत्ते—

अपि चात्र हि तदन्तिकमेव रन्तुं गताऽसीति व्यङ्ग्यशरीरे तदन्तिकमा  
रमणरूपफलांशश्चेति द्वयं घटकम् । तत्र तावत् तदन्तिकं गताऽसीत्यशस्य त्वन्

किन्तु एक पण्डितराज ही इस अश में अपवादभूत हैं। उनकी प्रतिशा है कि 'कस्तुरी का जन्म देनेवाला मृग पुष्पों का गन्ध-ग्रहण नहीं करता। मैं इस रसगङ्गाधर में एक भी परकीय पद्य उदाहरण के रूप में नहीं लिखूँगा'। इस प्रतिशा की पूर्ति उन्होंने खूब ही की है। एक से सुन्दर स्वनिर्मित पद्य उदाहरण रूप से सम्पूर्ण रसगङ्गाधर में उपस्थित किये हैं। वे पद्य-भिन्न प्रसङ्ग पर भिन्न-भिन्न रसों से ओत-प्रोत हैं, रसगङ्गाधर में आये हुये ऐसे पद्यों की भी बहुत बड़ी है, यद्यपि उन पद्यों में से कतिपय पद्य पण्डितराज के अन्य काव्य तथा स्तोत्र ग्रन्थों में भी आ चुके हैं, तथापि ऐसे भी श्लोक कम नहीं हैं, जो पण्डितराज के भी अन्य ग्रन्थों में उपलब्ध नहीं होते। इस दृष्टिकोण से देखने पर रसगङ्गाधर अलङ्कारशास्त्र के निबन्धराट्ट होने के साथ साथ एक सुन्दर मुक्तक कविताओं का सग्रहात्मक काव्यग्रन्थ भी है।

### प्रकृत पुस्तक के कतिपय प्रधान विषयों का विशद विवेचन:—

#### काव्य-प्रयोजन

'मन्दबुद्धियों की भी प्रवृत्ति निष्प्रयोजन नहीं होती'<sup>१</sup> इस न्याय के अनुसार ग्रन्थों के प्रारम्भ में प्रयोजनकथन की रीति प्रचलित है। अत एव काव्य-लक्षणकारों में भी लक्षण करने से पहले काव्य-प्रयोजन के प्रतिपादन करने की परम्परा है, पण्डितराज ने भी रसगङ्गाधर में इस परम्परा की रक्षा की है अर्थात् इन्होंने भी काव्य के प्रयोजन दिखलाये हैं, परन्तु संक्षेप में इनकी अपेक्षा मम्मट और विश्वनाथ ने काव्यप्रकाश तथा साहित्यदर्पण में इसके विषय में कुछ अधिक लिखा है। इन्हीं तीनों आचार्यों के कथनों का विवेचन इस प्रकरण में करना है।

सबसे पहले यह समझ लेना चाहिये कि इन ग्रन्थों में जो काव्य-प्रयोजन दिखलाये गये हैं उनमें दो तरह के प्रयोजन हैं। कुछ तो काव्य-निर्माण के और कुछ काव्याध्ययन के।

यश, अर्थ, व्यवहार-ज्ञान, अनर्थ-निवृत्ति, परम सुख और कान्तासम्मित उपदेश इन काव्य-प्रयोजनों का उल्लेख मम्मट ने किया<sup>२</sup> है। इनमें यश, अर्थ और अनर्थनिवृत्ति ये तीन काव्यनिर्माण के प्रयोजन हैं तथा व्यवहार-ज्ञान और उपदेश ये दो काव्याध्ययन के प्रयोजन हैं, अवशिष्ट 'परमसुख' रूप प्रयोजन दोनों का हो सकता है। अन्य पाठकों के समान काव्य-निर्माता भी अपने काव्य के पाठक होते हैं, अतः काव्याध्ययनजन्य सुख तो उन्हें मिलता ही है साथ साथ काव्य-निर्माण-प्रयुक्त भी एक प्रकार का सुख उन्हें मिलता है, काव्यनिर्माण से जो सुख प्राप्त होता है, उसका अनुभव काव्यनिर्माताओं को ही हो सकता है, पाठकों को चाहिये कि उस सुखानुभव का भी यत्न करें।

इसके बाद नम्बर आता है दर्पणकार विश्वनाथ का। उन्होंने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इस पुरुषार्थचतुष्टय की सुखपूर्वक प्राप्ति को काव्य-प्रयोजन कहा<sup>३</sup> है तथा काव्य से इन प्रयोजनों

१ 'निर्माय नूतनमुदाहरणानुरूप काव्य मयात्र निहित न परस्य किञ्चित् । ( पृ० ६ )

२ 'प्रयोजनमनुद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते' ।

३ 'काव्य यशसेऽर्थाकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये ।

सद्यः परनिवृत्तये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे' ॥

४ 'चतुर्वर्ग-फल-प्राप्ति सुखादल्पधियामपि । काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपं निरूप्यते ॥'

व्यङ्ग्यत्व दुरुपपादम्, त्वदुक्तीत्या विशेषणवाक्यार्थाना निश्शेषेत्यादिप्रति-  
पाद्याना वाच्यार्थे वापीस्नाने बाधितत्वात् वाच्यकक्षागतप्रधानवाक्यार्थीभूत-  
त्रिधि-निषेधप्रतिपादकाभ्या 'गता' 'न गता' इति शब्दाभ्यां विरोधिलक्षणाया  
निषेधस्य विधेश्च प्रतीतेरुपपत्तेः ।

अपि चेति खण्डनप्रकारान्तरत्वसूचकम् । शरीरमाकार स्वरूपमिति यावत् । घटकं  
तदन्तर्वर्ति । त्वन्नत इत्यनेन स्वन्ते तद्व्यङ्ग्यताया सुपपादत्व सूच्यते । त्वदुक्तीत्या  
विशेषणवाक्यार्थाना तदादिघटितत्वेन सम्भोगासाधारण्यमित्येवरूपया । वापीस्नाने तेषा  
बाधितत्व सम्भोगासाधारण्यादेव । वाच्यकक्षायामभिधेयकोटौ गतौ प्राप्तौ, प्रधानवाक्यार्थी-  
भूतौ 'वापीस्नानुमितौ |गताऽसि' 'तस्याधमस्यान्तिक पुनर्नगताऽसि' इति वाक्यार्थयो क्रमेण  
प्रयानीभूतौ यौ त्रिधि-निषेधौ, तयो प्रतिपादकभ्या बोधकाभ्या 'गता' 'न गता' इति  
शब्दाभ्या विरोधिलक्षणाया 'उपकृत बहु तत्र किमुच्यते' इत्यादिवद्द्वैपरीत्यलक्षणसम्बन्ध-  
मूलकलक्षणलक्षणाया, क्रमेण (गतेत्यनेन) निषेधस्य (न गतेत्यनेन) विधेश्च प्रतीतेरिति सम्बन्ध ।

यदि त्वदभिमत निश्शेषेत्यादिवाक्यार्थाना सम्भोगमात्रजन्यत्वं स्यात्, तदा वापीस्नान-  
जन्यत्वाभावात् तत्र तेषा बाधितत्वमिति विपरीतलक्षणाया गतेत्यनेन गतिनिषेधस्य, न गते-  
त्यनेन गतिविधेश्च प्रतीति, तन्मूलकव्यङ्ग्यनया पुनः प्रयोजनस्य रमणरूपस्य केवलस्य  
प्रतीति स्यादिति 'तदन्तिकमेव रन्तुं गताऽसी'ति सम्पूर्णवाक्यप्रतिपाद्यार्थस्य व्यङ्ग्यत्वम-  
सम्भवमेव । नन्मते तु विशेषणवाक्यार्थाना सम्भोगासाधारण्याभावाद् वापीस्नानेऽपि बाधि-  
तत्वविरहेणात्र लक्षणाया प्रसरणाभावात् समस्तवाक्यार्थस्य व्यङ्ग्यत्वमक्षतमेवेति तेषाम-  
साधारण्यं विशेषणवाक्यार्थाना दुरुपपादमेवेत्याकृतम् ।

दीक्षित-मत-खण्डन-प्रसङ्ग में अब एक दूसरी युक्ति ग्रन्थकार देते हैं—'अपिचात्र'  
इत्यादि, 'नि.शेषच्युतचन्दनम्' इस कथन से यह व्यङ्ग्य होता है कि 'तू (तूती) उसके  
पाम रमण करने गई थी ।' इस व्यङ्ग्य में दो अंश हैं । उनमें से एक अंश है 'उसके पास  
गई थी' यह और दूसरा अंश है 'रमण' जो फलरूप है । अब दीक्षित की व्याख्या के  
अनुसार 'उसके पास गई थी' यह अंश व्यङ्ग्य नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी व्याख्या  
के मुताबिक 'नि.शेषच्युतचन्दन' इत्यादि वाक्यों का जो मुख्य अर्थ है 'वापी में स्नान  
करने गई थी, उस अधम के पास नहीं' वह बाधित है अर्थात् स्नान में नहीं लग सकता ।  
अतः अगया 'मुख्यार्थबाधे तदयुक्त' इत्यादि रीति से यहाँ विपरीत लक्षणा करनी पड़ेगी,  
जिससे वाच्यकोटि में जहाँ 'नहीं गई थी' है वहाँ 'गई थी' अर्थ होगा, और जहाँ 'गई थी'  
है, वहाँ 'नहीं गई थी' अर्थ होगा, अन्यथा वाच्य अर्थ सङ्गत ही नहीं हो सकेगा और जब  
लक्षणावृत्ति से ही 'उसके पास गई थी' यह अंश ज्ञात हो जायगा, तब उस अंश को व्यङ्ग्य  
नहीं माना जा सकता है ।

अतः तदन्तिकगमनाशस्यात्र बाधितत्वेन लक्षणागम्यत्वेऽपि व्यङ्ग्यतावेद्यत्वं कुतो नेत्यत आह—

न हि मुख्यार्थबाधेनोन्मीलितेऽर्थे व्यक्तिवेद्यतोचिता ।

उन्मीलिते लक्षणाया बोधिते । व्यक्तिवेद्यता व्यङ्ग्यताबोध्यता ।

मुख्यार्थबाधेऽपि लक्षणाजन्मप्रतीतिविषयोऽर्थो यन्माद् व्यङ्ग्यताजन्ययोऽपि विषयो न  
भवति, तस्मान् तदन्तिकगमनाशस्य व्यङ्ग्यत्वमनन्मन्वीति तात्पर्यम् ।

यदि आप कहें कि लक्ष्य (लक्षणावृत्ति से नमस्त में आ जाने वाला) अर्थ व्यङ्ग्य  
र्यों नहीं हो सकता है ? इन शब्दा का समाधान करते हैं—'नहि मुख्यार्थ' इत्यादि ।  
तात्पर्य यह है कि साहित्य जगत् में औचित्य की रक्षा आवश्यक मानी गई है । 'अनौचित्या-

इते नान्यदसभङ्गस्यकारणम्' कहा गया है। और किसी भी वृत्ति से समझ में आ जाने वाले अर्थ को पुनः व्यञ्जना से समझें यह अनुचित तथा व्यर्थ है। अतः लक्षणा से समझा गया 'उसके पास गई थी' यह अर्थ व्यञ्जना से समझने योग्य नहीं रह जाता है, अध्वङ्ग्य नहीं हो सकता है।

उदाहरणप्रदर्शनोक्तमर्थं द्रव्यति—

यथा—'अहो ! पूर्णं सरो यत्र लुठन्तः स्नान्ति मानवाः।' इत्यत्र कर्तृविशेषणानुपपत्त्यधीनोल्लासे पूर्णत्वाभावे ।

शुष्करूपं तज्जगं निन्दत कस्यचिद् भणितिरियम् । यत्र यस्मिन् सरसि लुठन्त इस्ततः परिवर्तमाना न तु स्नानोचितजलाभावेन निमग्नोक्तु शक्नुवन्तः, मानवाः, स्नान्ति, ता शमिदम्, अहो अद्भुतं, पूर्वं सलिलैररिक्तं, सरः सरोवरमस्तीत्यर्थः । कर्तृणा स्नानकर्तृविशेषणस्य लोठनस्यानुपपत्त्यधीन सरसः पूर्णत्वेऽन्वयानुपपत्त्या जनित उल्लासो लक्षणीयवोधो यस्य, तादृशो पूर्णत्वाभावे रिक्तत्वे न व्यञ्जनेति शेषः ।

'लुठन्तः' इति विशेषणपदार्थस्य पूर्णपदवाच्यार्थेऽन्वयस्य बाधासंज्ञणया प्रत्याप्यमा पूर्णत्वाभावो यथा व्यञ्जनाजन्यप्रतीतिविषयो न भवति, तथैव प्रकृते भवदुक्तव्यङ्ग्यप्रथमशोऽपि न भवेदिति भावः ।

अमुमेवार्थं चित्रमीमांसातण्डने—'एवं च तदादिघटिताना वाक्यार्थाना मुख्यार्थवाप स्नानपक्षे बाधितत्वाद् विरोधिलक्षणाया 'वापीं स्नानु न गताऽसि, किन्तु तदन्तिकम्' इति प्रतिपत्तौ विगलितव्यञ्जनाव्यापारेण यथा—'अहो ! पूर्णं सरो यत्र लुठन्तः' स्नान्ति मानवा इत्यत्र 'लुठन्तः' इति विशेषणस्य मुख्येऽर्थेऽनुपपत्त्या विरुद्धोऽर्थो भासमानोऽपि व्यङ्ग्यः ।' इति सन्दर्भेण पण्डितराज स्वयं स्फुटीचकार ।

लक्षणा-बोध-अर्थ व्यङ्ग्य नहीं कहलाता, इस बात को उदाहरण [दिलला] दृढ़ करते हैं—'यथा' इत्यादि । 'अहा ! सरोवर अधिक भरा हुआ है, जिसमें मनुष्य लोट-हुए स्नान करते हैं' । जो जलाशय जल से पूर्ण रहेगा उसमें लोग लोटते हुए स्नान न करते, अपितु डुबकियाँ लगाते हैं, और यहाँ स्नानकर्ता का विशेषण 'लोटते हुये' कहा गया है, जिससे सरोवर का विशेषण जो कहा गया है 'भरा हुआ' उसका अर्थ बाधित जाता है अर्थात् उसका अन्वय 'लोटते हुए' के साथ नहीं बैठता, अतः पूर्ण पद की पूर्णत्वभाव (नहीं भरा हुआ) में विपरीत लक्षणा करनी पड़ती है, इस स्थिति में जैसे 'सरोवर पूर्ण नहीं है अर्थात् शुष्क है' यह अर्थ लक्ष्य ही कहलाता है, व्यङ्ग्य नहीं, वैसे ही दीर्घ की रीति से 'उसके समीप गई थी, नहाने नहीं' यह अर्थ विपरीत लक्षणा के विषय जाने से व्यङ्ग्य नहीं माना जा सकता है ।

नन्वेवमपि कामुकोपभोगरूपस्य द्वितीयाशस्य व्यञ्जनावबोधत्वत्वं त्वक्षतमेवेत्याक्षेपं समादधाति

अथ तदन्तिकगमनस्य लक्षणावेद्यत्वेऽपि रमणस्य फलांशस्य लक्ष्यशक्तिमूलध्वननवेद्यत्वमव्याहृतमेवेति चेत्, 'अधमत्वमप्रकृष्टत्वम्, तच्च जात्या कर्मण वा भवति । तत्र जात्याऽपकर्षं नोत्तमनायिका नायकस्य वदति' इत्यादिन सन्दर्भेण भवतैवार्थापत्तिवेद्यतायाः स्फुट वचनात् ।

लक्षणावेद्यत्वेऽपि विपरीतलक्षणाजन्यबोधविषयत्वेऽपि । रमण कामुकोपभोगः । लक्ष्यत्वबोधिका शक्तिर्वृत्तिर्लक्षणा मूलं यस्य, तादृशं ध्वननं लक्षणामूला व्यञ्जना । चित्रमीमांसाग्रन्थसंवादाय 'वक्त्रोत्पत्त्यस्य स्थाने वदतीति पाठ एव निहितः । उत्कृष्टजातिकनायिकाया अपकृष्टजातिकनायिकेऽनुरागानौचित्यात् तत्रायिकायास्तत्कथनानौचित्यम् । आदिशब्देन 'नापि

स्वानरायपदवनायिदूतीसम्भोगादिहीनकर्मातिरिक्तेन कर्मणा । तादृश दूतीप्रेषणान् प्राचीनं सर्वं मेढमेवेति नैत्राटनार्हम् । अन्यथा स्वयं दूतीसम्प्रेषणानुपपत्ते ।' इत्यादि पुरस्तान्मृतेऽ-  
न्यत्रेद्यमाना चित्रमीमानाप्रकरण परामृज्यते ।

अप्यव्यर्थादितिभते रमणरूपफलाशस्यापि व्यङ्ग्यत्व न सम्भवति, किन्त्वर्थपत्तिगम्य-  
त्वमेव, यतस्तदुक्तरीत्या रमण विना नायकायमत्वस्यान्यथाऽनुपपत्त्या तेनार्थापत्त्यैव स्वां-  
पादक तद् बोध्यते, न तु व्यञ्जनया तत्प्रत्याभ्यते । तथाहि—जात्या नायकस्यायमत्वमनयोत्त-  
मनादिक्याऽनौचित्याद् दुर्बलमेव, दूतीसम्प्रेषणानुपपत्तेस्तस्मान् पुरातनानामपराधाना मोढ-  
त्वाच्च तैरप्यधमत्वं दुरुपपादमेवेत्यायत्या दूतीसम्प्रेषणोत्तरकालिक दूतीसम्भोगलक्षणमेव  
क्रमानुशासनगर्हित नायकस्य कर्म तदुपपादकमागूर्यत इति स्फुटतरे तदीयसन्दर्भाशयेऽ-  
र्थापत्तिवेद्यत्वमेवात्र व्यङ्ग्यस्येत्यभिप्राय ।

अब यदि यहाँ आप कहें कि 'उसके पास गई थी' यह अंश लक्षणा से ज्ञात हो जाने  
के कारण व्यङ्ग्य नहीं हो सकता, न हो 'रमण' जो फलरूप होने से मुख्य है—अशतो-  
लक्षणा मूला व्यञ्जना से व्यङ्ग्य होगा ही और उसी मुख्य व्यङ्ग्य को लेकर इस श्लोक में  
ध्वनिकाव्य का लक्षण महद्वटित करेंगे । यह भी ठीक नहीं, क्योंकि आपने ही 'चित्रमीमासा'  
में उस अंश को भी 'अर्थापत्ति' प्रमाण से समझने योग्य कहा है । यदि कोई पूछे कि कैसे ?  
तो सुनिये—'चित्रमीमासा' में उसने कहा 'अधम का मतलब है अपकृष्ट और अपकृष्ट  
कोई दो ही तरीके से हो सकता है, जाति से अथवा कर्म से । अब सोचिये कि प्रकृत श्लोक  
में जो नायिका ने नायक के लिये अधम शब्द का प्रयोग किया है, वह किस आशय से ?  
जाति से अपकृष्ट समझकर अथवा कर्म से ? उत्तर स्पष्ट है कि कर्म से ही अपकृष्ट समझकर  
उक्त प्रयोग नायिका ने किया होगा, क्योंकि उत्तम नायिका किसी भी हालत में अपने  
पति को जाति से हीन होने के नाते अपकृष्ट नहीं समझ सकती और न उसके चलते  
अधम ही कह सकती' इत्यादि । अब जरा सहृदयगण गौर करें कि 'रमण' 'अर्थापत्ति'  
से ज्ञात होगा वा नहीं ? मैं कहूँगा अवश्य होगा, क्योंकि नायिका जिस कर्म के चलते  
नायक को अधम समझने लगी वह कर्म दूतीप्रेषण से पूर्वकाल का नहीं हो सकता,  
अन्यथा दूती को वह भेजती ही नहीं, फलतः दूती के भेजने के बाद का जो अल्पकाल है,  
वही में नायक के द्वारा किये गये किसी कुकर्म को लक्ष्य कर नायिका नायक को अधम  
कह रही है यह निश्चित है फिर तो अधम कहने से मध्यकालिक नायक का वह दूती-  
सम्भोग-रूप-कुकर्म अर्थात् लक्ष्य हो ही जायगा ।

ननु दूतीसम्भोगस्यार्थापत्तिवेद्यत्वेऽपि व्यञ्जनावेद्यत्वमपि स्यादिति को दोष इत्यत आचष्टे—

अनन्यतभ्यस्य च शब्दार्थताया अस्वीकृतेः ।

'अनन्यतभ्यो हि शब्दार्थ' इति सिद्धान्तेन प्रकृते दूतीसम्भोगस्यार्थापत्तिबोध्यत्वेऽन्य-  
त्वाद् व्यञ्जनावोध्यत्व न स्यादित्यर्थ ।

यदि आप कहें कि 'रमण' अर्थापत्तिवेद्य होकर भी व्यञ्जनावेद्य क्यों नहीं कहलायगा ?  
इतना उत्तर ग्रन्थकार देते हैं—'अनन्य' इत्यादि । 'अन्य किसी भी युक्ति से जो समझ में  
नहीं आ सकता हो, उसी को किसी शब्द का अर्थ मानना चाहिये' ऐसा नियम है । अतः  
अन्य—अर्थापत्ति प्रमाण से उभय समझ में आने योग्य उक्त 'रमण' शब्द का व्यङ्ग्य अर्थ  
नहीं हो सकता है ।

नन्यार्थापत्तेर्व्यतिरेकव्याप्तिधियैव चारिता र्थात् प्रनाणान्तरत्वमन्य तार्थादिभिरनभ्यु-  
पगमाद् शक्तित्वाभावाच्चात्र सम्भोगस्य नरेद्यत्वेऽपि व्यञ्जनावेद्यत्वं निर्वायनेनेत्यात्मानभ्युपगम्य  
प्राप्तान्तरेण निरस्यति—

अपि च यथाकथञ्चिदद्वीकुरु वाऽत्र व्यञ्जनाव्यापारम् . तथापि न

सिद्धिः, वाच्यानां निरशेषच्युतचन्दनरतनतटत्वादीनामधमत्वस्य च त्वदु-  
रीत्या प्रकारान्तरेणानुपपद्यमानतया दूतीसम्भोगमात्रनिष्पाद्यत्वेन गुणीभू-  
व्यङ्ग्यत्वप्रसङ्गात् ।

यथाऋषिदर्यापत्तरतिरिक्त्वाभावादिस्वीकारेण । तत्र विशेषणवाक्यार्थासाधार-  
वादिन । इष्टस्य प्राधान्येन दूतीसम्भोगव्यङ्ग्यत्वप्रसङ्गनया प्रकृतकाव्ये ध्वनित्वस्य न सिद्धिः । त-  
त्करीत्याऽसाधारण्येन । प्रकारान्तरेण दूतीसम्भोगातिरिक्तेन कर्मणा जात्या वा । गुणीभूत-  
व्यङ्ग्यत्वस्य वाच्यसिद्धयङ्ग्यत्वव्यङ्ग्यत्वरूपस्य प्रसङ्गादापत्तेः ।

सम्भोगस्य व्यङ्ग्यत्वेऽपि तत्रिना वाच्याधमत्वादेरनुपपत्त्या तदुपपादकत्वेन व्यङ्ग्य-  
वाच्यमिद्वयप्रतया गुणीभूतत्वादस्य काव्यस्य गुणीभूतव्यङ्ग्यत्वमेव न तु ध्वनित्वं भवद-  
मतमिति तात्पर्यम् ।

यदि आप कहें कि 'अर्थापत्ति' तो कोई पृथक् प्रमाण नहीं है, नैयायिकों ने उ-  
अनुमान में ही गतार्थ किया है, फिर उसको पृथक् प्रमाण मानकर उससे किसी अ-  
समझने की घात करना उन्मत्त प्रलाप सा है, अतः 'रमण' को व्यङ्ग्य मानने में  
आपत्ति नहीं है, तो पण्डितराज हम तर्क को स्वीकार कर दूसरे तरीके से दीक्षित म-  
सण्डन करते हैं—'अपि च' इत्यादि कहने का तात्पर्य यह है कि यदि 'रमण' किसी  
व्यङ्ग्य हो सकता है, यह घात मान भी ली जाय तयापि आप को इष्टसिद्धि न-  
सकती, अर्थात् यह पद्य ध्वनिकाव्य का उदाहरण नहीं हो सकेगा, क्योंकि 'स्तनों के  
भाग का चन्दन मिटना, नीचले होठ का ही रङ्ग उड़ना तथा नायक का अधम हो-  
सक जो वाच्य अर्थ है, वे आपके हिसाब से केवल दूती सम्भोग से ही हो सक-  
वापीस्नान आदि से नहीं और वह दूती सम्भोग वाच्य नहीं, व्यङ्ग्य है, अतः यह  
हुआ कि उक्त व्यङ्ग्य ही वाच्य अर्थ को सङ्गत बनाने वाला है फिर वह व्यङ्ग्य वाच-  
की अपेक्षा गौण हो जायगा, जिससे यह पद्य 'गुणीभूतव्यङ्ग्य' नामक मध्यम का  
उदाहरण होगा, 'ध्वनि' नामक उत्तम काव्य का नहीं ।

उपसहरति—

एवं चोपपत्तिविरोधोऽपि स्फुटतर एव ।

एवमुक्तरीत्या विशेषणवाक्यार्थासाधारण्येन काव्यस्य गुणीभूतव्यङ्ग्यत्वप्रस-  
उपपत्तिविरोधो गुणीभूतव्यङ्ग्यत्वापत्ति, काव्यप्रकाशकाराद्यनुरोधत्यागक्षापिना सूच्यते दू-  
इस तरह से दीक्षित के मन में युक्ति विरोध भी है, अतः उनका मत असङ्गत है  
इत्यमत्राप्यव्यदीक्षितदर्शितदिशा सम्भोगस्य व्यङ्ग्यत्वमपास्य काव्यप्रकाशाद्य-  
परवशः स्वमतेन पुनरपरथा स्थापयितुमुपक्रमते—

तस्माद् वाच्यार्थसाधारण्यमेवोचितमतिविदग्धनायिकानिरूपितानां वि-  
वाक्यार्थानाम् ।

तस्मादसाधारण्याङ्गीकारे प्रागुक्तदोषापातात् । वाच्यार्थे वापीस्नाने साधारण्यमेव  
व्यङ्ग्यसम्भोगमात्रव्याप्यत्वम् । विदग्धा सहृदया, तथा च 'द्वयर्थे पदै पिशुनयेच्च  
वस्तु' इति नयेन व्यङ्ग्यसम्भोगवाच्यवापीस्नानयो साधारण्या एव तदुक्तेरौचित्यम्  
पामरनारीवत् स्पष्टतरार्थाया । निरूपिताना बोधितानां कथिताना वा ।

इसलिये यह समझना चाहिये कि अति चतुर नायिका के मुख से निकले हुए '।  
च्युतचन्दनम्' इत्यादि विशेषणों का अर्थ ऐसा ही होना चाहिये जो वाच्य अर्थ (वाप्य  
और व्यङ्ग्य अर्थ (सम्भोग) दोनों में साधारण हो अर्थात् दोनों में लत्रा सके, न  
जो केवल व्यङ्ग्य सम्भोग में ही लगे ।

न हि विदग्धानादिका स्फुटतर वत् शक्युयद्रहस्यमिति वाच्यरूपद्वयोनपलाधारप्यनेवो-  
त्रिोत्र वक्रगार्थानामिति सारम् ।

मंगल व्यङ्ग्यत्वोपपत्तये स्वयं तत्स्यं विवृणोति—

तथाहि—अपि बान्धवजनस्याज्ञातपीडागमे ! स्वार्थपरायणे ! स्नानका-  
तेन्नमयवरोन नदी-नदीयप्रिययोरन्तिकमगत्यैव, वापीं ज्ञातुम्, इतो नद-  
जद् गताऽसि, न पुनस्तस्य परवेदनानभिज्ञतया दुःखदागुर्वेदनाद्यनस्यान्ति-  
कम् । यतो निशेषच्युतचन्दनं स्तनयंस्तदमेव नीरःस्थलम्, वापीगतवहु-  
जन-त्रयापारश्यादसद्व्यतनात्-स्वस्तिकीकृत-सुजलतायुगलेन तदस्यै-  
वतया मुहुरामर्शान् । एव त्वरया सन्यगजात्तनेनोत्तरोष्ठो न निर्गृष्टरागः,  
रन्तु तद्रूपेणया गण्डूषजल-रदनशोयनाङ्गुत्यादीनानधिकसन्मर्गमाह-  
ति तथा । किं च—सन्यगजात्तनेन नेत्रे जलनात्रससगाद् दूरसुपरिभाग  
गतञ्चने । शीतश्यान् तातत्रात्र तत्र तनु पुलकितः, इति । एवं तस्या विदग्धा-  
गूढात्ययैर्गोक्तिरचिता, अन्यथा वैदग्ध्यमज्ञापत्तेः ।

एव साधारणेषु गन्धार्येषु सुख्यार्थे गङ्गाभावात् तात्पर्यार्थस्य नन्वित्य-  
न्तनात् कृतोऽत्र लज्जाणाऽवकाशः । अनन्तरं च गन्धार्यप्रतिपत्तेर्वकृत्वोद्ध-  
गन्नाप्रकाशना वैशिष्ट्यस्य प्रतीतौ सत्यामयनपदेन स्वप्रवृत्तिप्रयोजको दुःख-  
वृत्तरूपेण परमः साधारणात्मा गन्धार्यवशायानपराधान्तर-निमित्तक-दुःख-  
वृत्तरूपेण स्थितो व्यञ्जनाव्यापारेण दूतीसन्भोगनिमित्तक-दुःखदागूढान्तरेण  
गन्धार्यवशात्कारिकसिद्धान्तनिष्कर्षः ।

स्वप्न-पुन इत्यनेन बान्धवेष्वेत्यादिसन्धोवनमलितार्थक्यनम् । तथा नादिकप्रियस्य  
। दूरस्य तदन्तिकगमने वापीगमने च स्नानकालतिक्रमे हेतुः । इत इत्यस्य विवरणं  
वन्तिकदिते । व्यङ्ग्यसन्भोगस्यागूढतापरिहारात् परम्याद्यन्मन्सन्नादत्रोनादान् ।  
त्वं गता स्नानार्थं स्थिता, बहुला भूयासो ये युक्ता, तेषुस्तन्मन्वन्वित्नी वा  
पया तव युक्त्या लब्ध, तस्या पारश्यात् तन्पारतन्त्यात् । इन्द्रिये स्तन्मन्वुगले, लतः  
मन्त्रे, अत्र अरुणोऽप्रनागो वस्य, तादृशं स्वस्तिकीकृतमर्धसुहृर्धृत्वं च यद् मुञ्जला-  
नत्वेने सन्वन् । मुहुरामर्शं स्तनतटौल्यं हेतुः । एव-त्रनासारवरात् । त्रनासारव-  
रात्तरया नूत्नम्, तरानूलकश्च सन्मन् शालनानाम् । तथा-निर्गृष्टरागः । नात्रगुक्ते-  
हृत्प्रेषणव्यवच्छेदः । शीतेति नात्रधाननिर्देशः । तातत्र केनलता इत्यं च । व्यङ्ग्य-  
सन्मन्मन्वक् इति शब्दः । एवमुक्तं प्रकारैः । तस्या वक्ष्या नादिकया । गूढ साध-  
नानामिच्छावैद्यं तापयनाशयो यस्या इति बहुश्रीहिः । उत्तरोष्ठतत्परत्वे वीरं वैदग्ध्य-  
म् । अत्र एवोत्तरोष्ठोर्ध्वविक्रमे तद्गुह्यप्रसङ्गः । सुख्यार्थवाचविरहे विद्वेषगदाक्यार्थानुसन्ध-  
नानाम् हेतुः । एवं सुख्यार्थवाचविरहात्तन्प्राया अत्रसङ्गे । सुख्यार्थं वासात्ताने । अनन्तरं  
परवेदेतम् । इन्द्रो विदग्धो ननतापिक, दोषव्या पुंश्चली दूती, कल्पद्वित्वादिपदेन  
विज्ञाने । तन्वार्थस्य इन्द्रो ननवेत्ते, विषयीभूतलक्षणास्य नन्विति व्यङ्ग्यव्यापारेण  
केनात्तन्मन्मन्वस्यते । स्वप्रवृत्तिप्रयोजक स्वोच्चारणकरणीभूत् । अत्ररादान्तरं तं-  
विदग्धो ननवेत्ते, अन्तेऽपराया निमित्तं वस्य, तादृशं दुःखदागूढम् । तच्च दुःखं



वाच्यप्रतीतावपराधान्तरनिमित्तक, व्यङ्ग्यप्रतीतौ तु निषिद्धदूतीसम्भोगनिमित्तकं भासते  
श्रालङ्कारिकसिद्धान्तनिष्कर्ष इत्यनेन स्वमतस्य द्रष्टिमा सूच्यते ।

इदमाकृतम्—इह पामरीवद् विदग्धोत्तमनायिकाया व्यक्ततरार्थकत्वाक्योपादानात्  
त्याः विशेषणवाक्यार्थानां सम्भोगसाधारण्ये व्यङ्ग्यप्रतीतिरूपाभीष्टसिद्धेरभावात्, ते  
सम्भोगस्नानयोरुक्तरीत्या साधारण्यमेवोचितम् । अथमत्वसम्पादकर्मोऽपि दुःखदातृत्व  
एव प्रदीतुं युक्तं, वाच्यव्यङ्ग्यकक्षयोरन्वयानुकूल्यात् । पदार्थोपस्थितिकाल एव वाच्य  
न्वयवाचप्रवृत्तधुर्याच्च न विपरीतलक्षणा । किन्तु स्नानपक्षीयवाच्यार्थप्रतीतौ वाच्यमात्रकि  
मवसिताया, प्रकरणादिपर्यालोचनेन काव्यार्थभावनाप्रसाधितधिया सम्भोगपक्षीयोऽर्थं प्रा  
न्येन वैयञ्जनिप्रतीतिपदवीमवतरं चमत्कारातिरेकसम्पादकत्वात् काव्यमिदमुत्तमोत्तमोक्त  
ध्वनित्वेन व्यपदेशयति । दीश्रितदर्शितदिशा तु प्रन्योपपत्तिविरोधो वञ्जलेपायित एव ।

अथ जिससे उक्त दोषों का अवकाश न हो, तथा यह पद्य ध्वनिकाव्य का उदाहरण  
हो सके, ऐसी व्याख्या उक्त श्लोक की पण्डितराज करते हैं—‘तथाहि’ इत्यादि । ‘दोष  
वाले पदों से रहस्य वस्तु को सूचित करना चाहिये’ इस नियम के अनुसार चतुर नायि  
दूती से कहती है—‘हे दूति ! तू वही म्याधिनी हो, तभी तो मुझ जैसी सखी के दिल  
वदती हुई पीड़ा का कुछ भी खयाल न कर अपने स्नान समय के चूक जाने के भय से  
प्रिय के पास नहीं गई, न नदी किनारे ही गई ( क्योंकि वह भी दूर था ) और सीधे  
पास से चापी पर स्नान करने चली गई । दूसरे की पीड़ा को ( जानते हुए भी )  
जानकर दुःख देने वाला मेरा वह नायक भी अधम ही है ( अन्यथा बुलाने के लिये  
भेजने की अपेक्षा ही नहीं पड़ती ) तू उस अधम के पास नहीं गई वरन स्नान करने च  
गई यह बात तेरी चेष्टाओं से ही सूचित हो रही है । देखो तेरी छाती में च  
ज्यों का त्यों बना हुआ है पर स्तनों के ऊपर भाग का चन्दन सर्वथा मिट गया है  
ऐसा इसलिये हुआ है कि चापी पर बहुतेरे युवक स्नान करते रहे होंगे, अतः तूने लज्जा  
मारे अपने मुँह हुये हाथों को कंधे पर रखकर केहुनी से स्तनों को मला होगा, जिस  
ऊँचे स्तन के ऊपर भाग पर ही सद्गुण हो सका, निम्नभाग में नहीं इसी तरह शीघ्र  
से ठीक से न धो सकने के कारण ऊपर के होठ की लाली कुछ-कुछ बनी रही परन्तु न  
का होठ ऊपरी होठ की अपेक्षा अधिक कुँहों का जल, दात स्वच्छ करने की अङ्गुली आ  
के सद्गुण लगाने से सर्वथा स्वच्छ हो गया और ठीक से नहीं धो सकने के कारण  
आँखों में जल का ही ससर्ग हो पाया ( अङ्गुलियों का नहीं ) इसलिये ऊपर ऊपर का  
कज्जल मिट सका ( भीतर का नहीं ) इसी तरह अधिक ठण्ड पढ़ने से हुबला, पत  
तेरा शरीर रोमाञ्चित हो गया है ।’ इस प्रकार चतुर नायिका की उक्ति ऐसी ही हो  
चाहिये, जिसका अभिप्राय छिपा हुआ हो, अन्यथा उसकी चतुरता ही नष्ट हो जाय  
इसी तरह से जब इन वाक्यों के अर्थ साधारण ( स्नान, सम्भोग आदि अनेक कारणों  
होने वाले ) होंगे, तब मुख्य ( स्नान करने के लिये जाना ) अर्थ बाधित नहीं होगा, व  
का तात्पर्य क्षत से समझने में नहीं आवेगा, अतः लक्षणा का प्रसङ्ग ही नहीं उठ सके  
वाच्य अर्थ के ज्ञान हो जाने पर जब बोलने वाली नायिका जिसके प्रति यह पद्य कहा  
रहा है, उस दूती जिसको बुलाने के लिये दूती को भेजा गया था, उस नायक त  
वक्तव्य की विलक्षणताओं पर ध्यान दिया गया अर्थात् जब काव्य मर्मज्ञ सहृदय सोचेंगे  
यह नायिका विरहणी है, दूती स्वेच्छाचारिणी है, इस तरह पतिव्रता प्रेयसी की उपे  
करने वाला नायक भी व्यभिचारी होगा और नायिका की उक्ति भी अनेक अर्थों से युक्त  
अगर स्नान की ही बात कहनी होती तो फिर इस तरह के दो दो अर्थ वाले पदों के प्रय  
करने की क्या आवश्यकता थी ? इत्यादि तब सहृदयों के मस्तिष्क में यह बात आय  
कि हमने जो ‘नायिका साधारण दुःख देने के कारण ही नायक को अधम कह रही है’ ऐ

नायक धर्म समझा है, वह ठीक नहीं है अवश्य कोई विशेष कष्ट नायिका को नायक ने दिया है, अतः वह नायक को अधम कह रही है, परन्तु वह विशेष कष्ट कौन पा हो सकता है? इस तरह जिज्ञासा उत्पन्न होने पर व्यञ्जनावृत्ति के द्वारा यह ज्ञात होता है कि नायक ने इस दूती से सम्भोग किया है जिसका ज्ञान हो जाने से नायिका को दुःख हो रहा है और साथ ही कुछ क्रोध भी, अत एव नायिका पतिव्रता होकर भी पति के प्रति कटु वचन का प्रयोग कर रही है, अधम कह रही है। यही अलङ्कारशास्त्रमर्मज्ञों के सिद्धान्त का सार है।

पूर्वाक्तान्त्वैव पुनरुपपद्यदीक्षितोक्तमधमपदार्यव्याख्यानमपि दूषयति—

एतेन—अधमत्वमपकृष्टत्वम्, तच्च जात्या कर्मणा वा भवति। तत्र जात्याऽपकर्षं नोत्तमनायिका नायकस्य वक्ति। नापि स्वापराधपर्यवसायि-दूतीसम्भोगातिरिक्तेन कर्मणा। तादृश च दूतीसम्प्रेषणात् प्राचीन सोढमेवेति नोद्घाटनार्हमितीतरव्यावृत्त्या सम्भोगरूपमेव पर्यवस्यति। इति यदुक्तम्, तदपि निरस्तम्, विदग्धोत्तमनायिकाया सखीसमक्ष तदुपभोगरूपस्य स्वनायकापराधस्य स्फुटं प्रकाशयितुमतिव्यक्तमनौचित्येन प्राचीनानामेव सोढानामप्यपराधानामसह्यतया दूतीं प्रति प्रतिपिपादयिपितत्वादिति दिक्।

एतेन विदग्धोत्तमनायिकाया कामुकापराधरूपदूतीसम्भोगस्य सखीसमक्ष स्पष्टमुद्घाटयितुमन्यन्तमनर्हत्वेन, महर्षितदिशा व्यङ्ग्यमर्यादयैव तद्दोषनौचित्येन च। अधमेत्यादिध्वजनांनानाप्रन्यो दीक्षितस्य। जात्याऽधमत्व द्विजातिभिन्नानाम्, कर्मणा तु द्विजातीनामपि। नायिकाया उन्मत्त्वमुच्चलोत्पन्नत्वेन विदग्धतया प्रकृत्या च। जात्यपकर्षकथने नायिकाया नौचलोलोत्पन्ननायकानुरागनौचित्यादुत्तमत्वभङ्गप्रसङ्गः। स्वस्य नायिकाया अपराधपर्यवसायी दृष्टोन्मादम्भेनापराधरूपो यो दूतीसम्भोगो नायकस्य दूतीकर्मकोपभोग आदिर्येषा तानि चावन्ति हीनान्यपकर्षप्रयोजकानि कर्माणि, तेभ्योऽतिरिक्तेन भिन्नेन। अतितमाप्राचीन-दूती-प्रेषणात् पूर्वकाले विहितम्। इतरव्यावृत्त्याऽधमत्वप्रयोजककर्मान्तरव्यवच्छेदेन। इतिशब्द प्रकृतविचारपर्यवसानम्, दिक्छन्दस्तदप्रिमकोटिसम्भावना च सूचयत।

दूतीसम्भोगात्मकनायकापराधस्य स्फुटाख्याने नायिकाया वैदग्ध्यभङ्गप्रसङ्गात् पूर्ववदधमपदमप्यसाधारणस्य तस्य व्यञ्जकमेवेति सारम्।

महामहोपाध्यायगङ्गाधरशास्त्रिणस्तु—‘इदमत्र दीक्षिताकूतम्। वाच्यसिद्धयङ्ग (व्यङ्ग्य)-रूपमध्यमकाव्यता तत्रैव, यत्र व्यङ्ग्यार्थोपस्कृत वाच्य चर्चणाविश्रमधाम, न तु व्यङ्ग्यार्थान्तरोपस्कारकमपि। यथा त्वयैवोदाहृते—‘राघवविरह-’ इत्यादि पद्ये। ‘कुप्यन्ति’ इति चैवैव व्यङ्ग्यार्थोपस्कृतस्य प्राधान्यम्, न तु तेनाप्यन्यद्वन्यते।

यत्र तु वाच्यार्थताऽवच्छेदकमेव स्वरूपेणानुपपन्न व्यङ्ग्य स्वोपपादकतया न्यग्भावयति, यथा—‘गच्छाम्यच्युत’ इत्यादि पद्ये, ‘आमन्त्रणमभिसूचित-’ इति सूचनपदार्यताऽवच्छेदकस्याच्युतादिपदध्वननीयार्थमन्तर्भाव्यैव निराकाङ्क्षावद्धीपर्यवसायित्वम्, तत्र निशिष्टगोर्धायप्राधान्यविरहेऽपि कवित्तरम्भपर्यवसानभूमितासामान्यात् पूर्वप्रदर्शितस्वरूप-रन्व न ह्ययते।

अन्यथा ‘स नास्ति ऋधिद् विषय’ इत्यादि प्रकाशदर्शितादिशा सामाजिकप्रतिभामात्र-रन्वोपस्थापितविरहासम्भवेन नर्वस्यैव काव्यस्य मध्यमकाव्यदल एवोदाहरणीयताऽऽपत्ते।

अत एवाहु—‘प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति’ इति । प्राधान्यं चात्रार्थं न तु शाब्दम्, तस्मै प्रवृत्त्यादावौदासीन्यात् ।

एवञ्च प्रकृतेऽधमपदव्यञ्जनीय-सम्भोगसम्भावकतामात्र उपयोक्ष्यमाणाना स्तनन्नादिपदद्योत्यार्थाना गुणीभावेऽपि सम्भोगस्यावाच्यतया लक्षणाफलत्वेनालक्षणीयतया स्वतकितत्वप्रकारकबुबोधयिषालक्षणार्थप्राधान्यसद्भावेन तत्प्रयुक्तमुत्तमत्व को निवारयेत्

अन्यथा भवदुत्प्रेक्षितदिशावपि वापीगमनोपपादकतामात्रेण गुणीभूतव्यङ्ग्यत्वं कथं निवारणीयम् । प्रत्युत भवत्प्रदर्शितक्रम एष दोषो दुर्वारो वापीगमनस्य वाच्यत्वात् । सम्भोगस्तु व्यङ्ग्यत्वेन वैपरीत्यात् ।

यदि तु नायिकाविश्रान्तिभूमितायाः सम्भोग एव कल्पनेन परिहरिष्यसि, तर्हि व्यङ्ग्यता मनपङ्क्त्य तुष्यतु भवान् । अत एव च नाय काव्यलिङ्गस्य विषयः, उपपाद्योपपादकयो रुभयोरपि व्यङ्ग्यत्वात् । तटादिपदार्थाना केवलाभिधावलेनोपस्थिताना स्नानसम्भोगसारणत्वेन विदग्धनायिकावैशिष्यनिश्चयव्यञ्जनीयावधारणाना पुलकितेत्यत्र तथाविधविरोधश्च व्यङ्ग्यताया दुरपह्वत्वात् ।

यत्तु सम्भोगस्य स्तनतटाद्यवधारणव्यञ्जनीयत्वाभ्युपगमेऽनुमानप्रकारान्तपातितव्यञ्जनाव्यापारनैरर्थक्यभयेन साधारण्येन बोधविषयतोपपादनम्, तत् प्रकाशपञ्चमोह्लाश शेषदर्शितदिशाऽधमत्वादेरिव स्तनतटादिमात्रचन्दनच्यव(नादेरपि)प्रमाणप्रतिपन्नताविरहेणाप्रमितस्यानुमापकतानङ्गीकारेण व्याप्तिपरामर्शज्ञाने अत्रपेक्ष्य, प्रतिभामात्रद्योत्यता अनुभवसिद्धत्वेन च न किञ्चित् । इतरथा ‘उच्च णिच्चल !’ इत्यादावपि निस्पन्दत्वेनाश्वस्तताया अनुमेयत्वस्यैवापत्तेरिति निपुणतरमालोचनीयम्’ इत्याहु ।

उक्त नीति से ही दीक्षित द्वारा की गई अधम पद की व्याख्या में दोष दिखलाते हैं—‘एतेन’ इत्यादि । ‘अधम पद का अर्थ अपकृष्ट-हीन है और अपकृष्टता मनुष्य में दो तर से आसकती है—एक जाति द्वारा दूसरा कर्मद्वारा, अर्थात् हीन जातिके होने से कोई ही हो सकता है, अथवा हीन कर्म करने से हीन हो सकता है । उन दोनों में अपने नाय की जातिमूलक हीनता को उत्तम नायिका जवान पर नहीं ला सकती है । अब रही कर्ममूलक हीनता, वह अनेक प्रकार की हो सकती है, कारण ? हीन बनाने वाले कर्म विविध हैं परन्तु उन सब कर्मों में से दूती संभोगरूप हीन कर्म करने वाले अपने नायक को ही उत्तम नायिका हीन-अधम कहती है, वह भी इस लिये कि दूती सम्भोगरूप हीनकर्म, पुष्पफिरा कर नायिका का अपना ही अपराध सिद्ध हो जाता है, इस तरह के हीन कर्म करवाले नायक की उत्तम से उत्तम नायिका को भी लोग कह बैठते हैं—कि जब तुम में को खास दुर्गुण है, तब न तुम्हारा नायक तुम जैसी सुन्दरी कुलीना को छोड़कर एक साधारण दूती पर आसक है । और वैसे कर्म भी जो दूती को भेजने से पहले हुए थे वे सब सह । लिए गए थे, अतः वे अब बोलने योग्य रह ही नहीं गए, इस लिये और सब कर्मों के हुए जाने से नायक का दूतीसम्भोगरूप हीन कर्म ही ऐसा सिद्ध होता है, जिससे स्पष्ट अर्थ खिन्न होकर नायिका उसको अधम कहने लगी है’ इत्यादि जो दीक्षित ने कहा है, वह पूर्वोक्त खण्डन युक्ति से ही खण्डित है, क्योंकि चतुर तथा उत्तम नायिका सखियों के सम में ही उस (दूती) के साथ किए गए सम्भोग रूप अपने नायक के अपराध को स्पष्ट क यह परम अनुचित है, अतः यह समझना चाहिए कि सह लिए गए नायक के पुर अपराध ही आज नायिका के मन में किसी कारण से अतद्य हो उठे हैं, जिससे नायिका उन अपराधों को ही दूती के सामने घोल उठी ।

एव प्रथमं प्रथमस्तुतमोत्तमं नित्यं द्वितीयमुत्तमं लक्षयति—

यत्र व्यङ्ग्यमप्रधानमेव सञ्चमत्कारकारणं तद्द्वितीयम् ।

यत्र कस्मिन् कव्ये । अत्रवान व्यङ्ग्यान्तरापेक्षया वाच्यापेक्षया च गुणीभूतम् । एवञ्च-  
रोऽव्याप्तौ, तेन न कश्चनपि प्रथमनित्यर्थः । द्वितीयमुत्तमं काव्यम् ।

यस्मिन् कव्ये वाच्यापेक्षया व्यङ्ग्यार्थान्तरापेक्षया च गुणीभूतो न तु प्रधान व्यङ्ग्यार्थ-  
मन्वयनद्वारा चमत्कारस्य जनको भवति, तद् द्वितीयमुत्तमं काव्यनित्यर्थः ।

इमं नरह मे काव्य के प्रथम भेद 'उत्तमोत्तम' का निरूपण कर चुकने के बाद अब  
काव्य के द्वितीय भेद 'उत्तम' का लक्षण बतलाते हैं—'यत्र इत्यादि । जिस काव्य में व्यङ्ग्य  
अप्रधान होकर ही चमत्कार का कारण हो, वह द्वितीय 'उत्तम' नामक काव्य कहलाता है,  
अर्थात् जहाँ ज्ञा व्यङ्ग्य वाच्यार्थ की अपेक्षा तथा अन्य व्यङ्ग्यार्थ की अपेक्षा भी गौण हो—  
जिन्हीं भी अर्थ में मुख्य नहीं हो—फिर भी चमत्कारजनक हो, वह 'उत्तम' काव्य है ।

लक्षणं काव्य एवकारनिवेशस्य प्लनाह—

वाच्यापेक्षया प्रधानीभूत व्यङ्ग्यान्तरमादाय गुणीभूतं व्यङ्ग्यमागयातिव्या-  
पिगारणायावधारणम् । तेन तस्य ध्वनित्वमेव ।

प्रधानीभूत गुणीभूतमिति च व्यङ्ग्यस्यैव विशेषण न विरुद्धम्, वाच्य-व्यङ्ग्यान्तरत्वं  
निरूपयन्नेदानीम् । तेन द्वितीयक-व्यङ्ग्यान्तरमन्वयेन, तस्यापरव्यङ्ग्यात्कृतव्यङ्ग्यस्य, ध्वनित्व-  
मुत्तमोत्तमत्वमेव, न तूत्तमत्वम्, व्यङ्ग्यस्य वाच्यापेक्षया प्राधान्यात् ।

एवावदन्य निवेशाभावे यत्र व्यङ्ग्यमप्रधान सञ्चमत्कारकारणं तद्द्वितीयनित्येव  
लक्षणं स्यात् । तयामिति—'अथ च रसनोत्कर्षी पीनस्तनविनिर्दन । नाभ्यूरुजघनत्परीं  
नीर्वाविलम्बन कर ॥' इत्यादिष्वपरार्थव्यङ्ग्योद्गाररूपेषु शृङ्गाररत्नव्यङ्ग्यस्य वाच्यापेक्षया  
प्राधान्येऽपि प्रधानीभूतव्यङ्ग्यरत्नपेक्षयाऽप्राधान्याल्लक्षणमन्वयेनातिव्यापि स्यात् ।  
एवमवदस्य निवेशे तु तस्य सर्वथाऽप्राधान्यं विवक्षितमिति शृङ्गारव्यङ्ग्यस्य वाच्यापेक्षया  
प्राधान्याल्लक्षणसम्भवाभावात्तातिव्यापिः

न चात्र वाच्यस्यैव शृङ्गारापेक्षया शोकेत्कर्षणतया प्राधान्यादेवकारनिवेशोऽप्यतिव्यापि-  
त्वादिवेति वाच्यम्, व्यङ्ग्यरत्नपेक्षया वाच्यवस्तुन प्राधान्यं निवृत्ततश्चमत्कारोत्कर्षस्य नद्भावे  
प्रमानाभावात्, प्रदीपोद्घोतयो शृङ्गारस्यैव करुणोत्कर्षकत्वाऽभिवानाच्च, वाच्यापेक्षया शृङ्गार-  
रत्नैव प्राधान्यात् ।

शृङ्गारपदन्वयं शृङ्गाररत्नस्यापिभावरतिपरम्, रत्नस्यापिरेच्छिन्नात्मकतया परात्ता-  
त्तन्वात् । प्रधानीभूतकदारसनादाय ध्वनित्वम्, गुणीभूतं शृङ्गारस्वाविरतिमादाय चानरा-  
गव्यन्तरगुणीभूतत्वं चेत्याकलनायम् ।

लक्षणवाच्य में 'अप्रधान होकर ही' इमं अवधारण-नियम का निवेश करो, किया गया  
इसका फल दिखाता है—'वाच्यपेक्षे ।' इत्यादि । तापर्यं यह है कि यदि उक्त अद-  
धारण नहीं करेगा, तो 'व्यङ्ग्य अप्रधान होकर चमत्कारजनक हो' यही लक्षण होगा,  
और ऐसा लक्षण होने पर जहाँ का व्यङ्ग्य वाच्य अर्थ में प्रधान और मुख्य व्यङ्ग्य में  
गौण होगा, वहाँ उक्त लक्षण की अतिव्याप्ति हो जायगी, जैसे 'अथ रसनोत्कर्षी, पीनम्बन  
निर्दन । नाभ्यूरुजघनत्परीं, नीर्वाविलम्बन कर ॥' इमं अपराव्यङ्ग्य नामक मध्यम  
काव्य के उदाहरण में (जहाँ शृङ्गार तथा करुण दोनों रस व्यङ्ग्य हैं, परन्तु आत्मरस नामक

की मृत्यु हो जाने से करुण मुख्य और शृङ्गार तदपेक्षया गौण है ) वाच्य से प्रधान होने पर भी शृङ्गार रूप व्यङ्ग्य करुण से तो गौण है, अतः उक्त लक्षण के संघटित हो जाने से यह श्लोक उत्तम ( द्वितीय भेद ) काव्य कहलाने लगेगा । अतः 'अवधारण' का निवेश किया गया है। निवेश करने पर दोष नहीं हुआ, क्योंकि उस निवेश से यह मतलब निकलता है कि जो व्यङ्ग्य किसी से प्रधान न हो—सब से गौण ही हो, और वहाँ का शृङ्गार करुण से गौण होने पर भी वाच्य से प्रधान है । इस प्रकरण में शृङ्गार अथवा करुण पद से रति तथा शोकरूप स्थायीभाव समझना चाहिए अन्यथा रसों के सिद्धान्त दृष्टि से अपरिच्छिन्न पूर्ण घनानन्दस्वरूप माने जाने के कारण उनमें गौण प्रधानभाव असंगत होगा ।

चमत्कारकारणमिति निवेशस्य प्रयोजनं प्रतिपादयति—

लीनव्यङ्ग्य-वाच्यचित्रातिप्रसङ्गवारणाय चमत्कारेत्यादि ।

लीनव्यङ्ग्यमस्फुटव्यङ्ग्यं गुणीभूतव्यङ्ग्यस्य काव्यतृतीयभेदस्य प्रभेदः । वाच्यचित्र-मर्थालङ्कारोपस्कृतमविवक्षितव्यङ्ग्यं चित्राख्यं चतुर्थमधमकाव्यम् । तत्र व्यङ्ग्यस्य सर्वथाऽ-प्राधान्याद् द्वितीयकाव्यलक्षणातिव्याप्तिः स्यादतश्चमत्कारकारणमिति निवेशितम् । तच्चिवेशे तु तयोर्व्यङ्ग्यस्य चमत्कारित्वविरहाच्च दोषः । 'अदृष्टे दर्शनोत्कण्ठा दृष्टे विच्छेदभीष्टता । नादृष्टे न दृष्टेन भवतालभ्यते सुखम् ।' इत्यस्फुटव्यङ्ग्योदाहरणे 'यथाऽदृष्टं कदाऽपि न स्यात्, तथा कुरु' इति व्यङ्ग्यस्य सत्त्वेऽपि सुखेन सहृदयैरपि प्रत्येतुमशक्यतया यथाऽचमत्कारित्वम्, तथैव 'वाणीर-कुडङ्गुलीण सठणि-कोलाहल सुणन्तीए । घरकम्म-वापडाए बहुए सीअन्ति अङ्गाई ।'

'वानीरकुडुङ्गुलीणशकुनिकोलाहल शृण्वत्या' । गृहकर्मव्यापृताया वच्चा' सीदन्त्यङ्गानि ॥' ( इतिच्छाया ) इत्यसुन्दरव्यङ्ग्योदाहरणे 'दत्तसङ्केतो नायको वेतसीलताकुञ्ज प्रविष्टः' इति व्यङ्ग्यस्यापीति तदुपलक्षणमपीदमवगन्तव्यम् । इतरेषां तु गुणीभूतव्यङ्ग्यप्रकाराणां पूर्वेणैव व्यावृत्तिः । एव वाच्यचित्रपद शब्दचित्रस्याप्युपलक्षकम् । यत्तु शब्दचित्रे व्यङ्ग्यभाव इति कैश्चिदुक्तम्, तन्न, तत्रापि बहुत्र भावव्यक्तेरानुभक्तत्वादव्यङ्ग्यपदस्याविवक्षितव्यङ्ग्यपरत-यैवाभियुक्तव्याख्यानात् ।

अब लक्षणघटक व्यङ्ग्य में जो 'चमत्कार का कारण हो' ऐसा विशेषण दिया गया है, उसका प्रयोजन कहते हैं—'लीनव्यङ्ग्य' इत्यादि । वाच्यचित्र काव्यों में व्यङ्ग्य लीन रहता है अर्थात् वाच्य उपमारूपक आदि के चमत्कार में उसका चमत्कार तिरोहित हो जाता है, फलतः व्यङ्ग्य में चमत्कार नहीं रहता, अतः उन काव्यों में यह लक्षण नहीं जाता है, अब चमत्कार कारण नहीं कहने पर लक्षण उनमें भी चला जायगा, इस लिये 'चमत्कार कारण' कहते हैं । कुछ लोग यहाँ की मूल पक्ति में लीन व्यङ्ग्य और वाच्य चित्र को अलग अलग दोषस्थल मानते हैं, उनके हिसाब से लीन व्यङ्ग्य अर्थात् अस्फुट व्यङ्ग्य नामक तृतीय काव्य और वाच्यचित्र नामक चतुर्थ काव्य दोनों जगह अतिव्याप्तिवारण के लिये लक्षण में चमत्कार-कारण विशेषण लगाया गया है, ऐसा समझना चाहिये ।

गुणीभूतव्यङ्ग्य-प्रसङ्गसङ्गत्या भद्रमम्मटकृततल्लरो व्याख्यातुनिवेशित चित्रान्यत्व निराकरोति-यत्तु—'अतादृशि गुणीभूतव्यङ्ग्यम्' इत्यादिकाव्यप्रकाशगतलक्षणे चित्रा-न्यत्वं टीकाकारैर्दत्तम्, तन्न, पर्यायोक्त-समासोक्त्यादिप्रधानकाव्येष्वव्याप्त्या-पत्तेः । तेषां गुणीभूतव्यङ्ग्यतायाश्चित्रतायाश्च सर्वालङ्कारिकसम्मत्तत्वात् ।

'अतादृशि गुणीभूतव्यङ्ग्ये व्यङ्ग्ये तु मध्यमम् ।' इति पूर्ण लक्षणम् । लक्षणे गुणीभूत-व्यङ्ग्यलक्षणमध्यमकाव्यप्रकारस्येति शेषः । चित्रान्यत्व चित्रकाव्यभिन्नत्व दत्त निवेशितम् । पर्यायोक्तसमासोक्तादयः प्रधानानि येष्विति बहुव्रीहिः । आदिपदेन चमत्कारिव्यङ्ग्यभाजा-मात्तेपाप्रस्तुतप्रशांसप्रभृतीनामलङ्काराणां परिग्रहः ।

की प्राप्ति कैसे होगी इस प्रसङ्ग में बहुत सी युक्तियाँ भी बतलाई हैं, उन युक्तियों के द्वारा उन्होंने यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि ये प्रयोजन काव्य के निर्माता और अध्येता दोनों के लिये बराबर हैं।

पण्डितराज ने काव्य-प्रयोजन के सन्ध में केवल एक पङ्क्ति लिखी है, जिसमें यश, परम आनन्द और गुरु, राजा तथा देवता आदि की प्रसन्नता ये काव्य-प्रयोजन बतलाये गये<sup>१</sup> हैं, ये सभी प्रयोजन काव्य-निर्माण के ही हो सकते हैं, काव्याध्ययन के नहीं। यह बात दूरी है कि इन प्रयोजनों की सिद्धि के लिये लोगों की प्रवृत्ति काव्य-निर्माण की ओर होगी और काव्य के निर्माण के लिये उसका अध्ययन आवश्यक होगा।

वस्तुतः इन प्रयोजनों का उल्लेख लोगों को काव्य के निर्माण और अध्ययन की दिशा में प्रवृत्त कराने के लिये उक्त प्रकार का एक प्ररोचक उपायनात्र है, जिस तरह का विक्रोताओं का सीपीके चमकीले डुकड़ों के विषय में क्रोताओं के प्रति यह कथन होता है कि 'ये बड़े अच्छे नोती हैं, जरूर खरीद लीजिये'। परन्तु काव्य का प्रयोजन रसात्वाद-मूलक आनन्दातिशय ही है। यद्यपि लोग कौर्नि आदि के लिये भी काव्य-निर्माण करते ही हैं तथा जीविका आदि के लिये भी काव्य पढ़ते ही हैं, तथापि वे सब काव्य के अनन्य साधारण प्रयोजन नहीं हो सकते, क्योंकि कौर्नि आदि के लिये अनेक रास्ते हैं और जीविका आदि के लिये भी विविध उपाय किये जा सकते हैं। इन सब गौण प्रयोजनों को लक्ष्य बनाकर काव्य का लिखना-पढ़ना सर्वथा सरल भी नहीं होता। कहने का अभिप्राय है कि रसात्वाद करने-कराने के लिये लिखा गया काव्य ही पूर्ण सफल हो सकता है, एवम् रसात्वाद के लिये किया गया काव्याध्ययन ही वास्तविक अध्ययन कहा जा सकता है।

### काव्य

काव्य पदार्थ का विवेचन करने से पूर्व कविशब्दार्थ का विचार कर लेना आवश्यक है, क्योंकि व्याकरण के अनुसार काव्य पद का अर्थ होता है 'कवि का कर्म'<sup>२</sup>, अतः कविशब्दार्थ का ज्ञान बिना करावे काव्यपदार्थ का ज्ञान नहीं कराया जा सकता।

अच्छा, तो हम पहले यही विचार करें कि कवि कितने कहते हैं? शब्द-स्वारत्य के अनुसार किसी वस्तु के वर्णन करने वाले को कवि कहते हैं क्योंकि काव्यमीमांसा में 'कव्य वर्ण' धातु से कविपद की सिद्धि मानी गई है<sup>३</sup>। कुछ लोगों का कथन है कि 'कव्य वर्ण' धातु से कवि शब्द सिद्ध नहीं हो सकता क्योंकि वह पवर्णोपध है, अतः 'कुव्य शब्दे धातु से कविपद की सिद्धि करनी चाहिये। यदि यही व्युत्पत्ति ठीक हो, तथापि अर्थ में कोई अधिक अन्तर नहीं होना क्योंकि तदनुसार भी किसी विषय का कहने वाला ही कवि पद का अर्थ होता है। कोष में कवि पद का अर्थ पण्डित किया गया<sup>४</sup> है। अतः योग तथा रूढि दोनों की सन्न्वयात्मक दृष्टि

१ 'कौर्निपरनाह्याद्युगुराजदेवताप्रसादाद्यनेकप्रयोजनकस्य काव्यस्य' 'इत्यादि' (पृ ८)।

२ 'पुरावचनब्राह्मणादिभ्य कर्त्तृणि व' इति ध्वञ्।

३ 'कविशब्दश्च कव्य वर्णे इत्यस्य धातो काव्यकर्त्तृणो रूपम्' (काव्यमीमांसा)।

४ 'सख्यावान् पण्डितः कवि' (अमर)

यदि गुणीभूतव्यङ्ग्यकाव्यलक्षणे चित्रभित्तं निवेशयेत्, तर्हि पर्यायोक्तप्रभृत्यलङ्कार-  
युक्तानां काव्यानां चित्रत्वसत्त्वाद् व्याख्याऽप्रधानीभूतचमत्कारजनकव्यङ्ग्यसद्भावादित्य-  
नपि गुणीभूतव्यङ्ग्यत्वं न स्यादताश्चान्यत्वं न निवेशनीयम् । न चैकत्रैव काव्यद्वयव्यव-  
हारोऽसिद्ध इति वाच्यम्, व्यवहारस्य सर्वालङ्कारिकसम्प्रदायसिद्धत्वादित्याकृतम् ।

इदं पुनश्चिन्तनीयम्—पर्यायोक्तायलङ्कृतकाव्येषु व्यङ्ग्यस्य चमत्कारिताया भवदभि-  
नताया नद्भावेनाव्यङ्ग्यत्वरूपाया अविवक्षितव्यङ्ग्यत्वलक्षणाया वा चित्रताया असम्भवात् ।  
तथाहि—‘चक्राभिधातप्रसन्नाश्रयेव, चकार यो राहुवधूजनस्य । आलिङ्गनोद्गमविलासवन्ध,  
रतोन्मव चुन्वनमाश्रयेणम् ।’ इत्यादौ पर्यायोक्तोदाहरेण राहुशिरस्छेदनान्मनो व्यङ्ग्यस्य  
ययविवक्षितत्वम्, तर्हि न गुणीभूतव्यङ्ग्यत्वम्, अथवा यदि विवक्षितत्वम्, तदा कुतश्चि-  
त्रता, व्यङ्ग्यस्य विवक्षिताविवक्षितत्वयोर्विरोधेन गुणीभूतव्यङ्ग्य-चित्रत्वयोरपि विरुद्ध-  
त्वात् । इत्य च सर्वालङ्कारिकमन्मतत्वमपि चिन्त्यमेव, च्चनिकार-नन्मट-प्रदोपक्रदाय-  
सम्मतत्वादिति सहृदयैरालोचनीयम् ।

यहाँ गुणीभूत व्यङ्ग्य का प्रसङ्ग उपस्थित है, अत एक और विचार करना आवश्यक  
दीन्यता है, वह विचार यह है कि काव्यप्रकाश के टीकाकारों ने ‘अतादृशगुणीभूत-व्यङ्ग्य  
स्यङ्गवे तु मध्यमम्’ इत्य गुणीभूत व्यङ्ग्य काव्य के लक्षण में चित्रान्यत्व का निवेश आवश्यक  
वतलाया है। उनका आशय यह है कि जहाँ अलङ्कार प्रधान हो, वह चित्रनामक काव्य का  
एक पृथक् भेद है। उसमें गुणीभूत व्यङ्ग्य काव्य का लक्षण नहीं जाना चाहिए। परन्तु मम्मट  
का उक्त लक्षण उसमें भी चला जासकता है, अत यह कहना उचित है कि गुणीभूत व्यङ्ग्य  
काव्य वही है, जो ‘चित्र ( अलङ्कार प्रधान ) काव्य न हो। पर उन टीकाकारों का उक्त  
कथन समुचित नहीं, क्योंकि पर्यायोक्ति, समासोक्ति, आश्रय, अपस्तुत प्रशसा प्रभृति  
अलङ्कार जहाँ प्रधान हैं, अत एव चित्रकाव्यत्व इष्ट है, वहाँ चित्रान्यत्व घटित गुणीभूत-  
व्यङ्ग्य काव्य का लक्षण नहीं घट सकेगा, यदि कोई कहे कि जब उन अलङ्कारप्रधान  
काव्यों में चित्रत्व इष्ट है तब तो वहाँ गुणीभूत व्यङ्ग्य काव्य का लक्षण न घटे यही उचित  
है अर्थात् चित्रकाव्य गुणीभूत व्यङ्ग्य भी हो यह आवश्यक नहीं है, इसका उत्तर यह है  
कि उन अलङ्कार प्रधान काव्यों में चित्रत्व तथा गुणीभूत व्यङ्ग्यत्व दोनों ही इष्ट हैं, अर्थात्  
आलङ्कारिकोंने उन अलङ्कार प्रधान काव्यों को दोनों (चित्र तथा गुणीभूत व्यङ्ग्य) ही माना है।

द्वितीय काव्यमुदाहरति—

उदाहरणम्—

वैदेहीविरहमन्ताप वनवासिनो रामचन्द्रस्य कश्चिद् वर्णयति—

‘राधवविरहज्वाला-सन्तापिनसह्यशैलशिखरेषु ।

शिशिरे सुख शयानाः कपय कुप्यन्ति पवनतनयाय ॥’ इति ।

राधास्य श्रीरामचन्द्रस्य चो विरहो वैदेहाविषोः, तस्य वैदेहियान्तवह्निर्दाहस्त्वाद्  
वा ज्वाला कालस्ताप इति भावत्, तथा मन्तापितेषु मन्तयोः कृतेषु, सस्य तदाद्यदाक्षिणान्य-  
शैलस्य, शिखरेषु श्येषु, शिशिरे शीतलो, सुख वद्वाराभावेऽप्यशान्तेश चया न्यात्,  
तथा शयाना स्वपन्त, कपय कुप्यन्त्य जनरा, पवनतनयाय ( वैदेहीकुशलवार्तामूनेन  
रामस्य सन्ताप शमितवते ) हनुमते, कुप्यन्ति पुनरशान्तियाग मन्मानपन्तस्तमुद्दिश्य  
कुप्यन्तीत्यर्थ । इह रघुनाथपुत्रावयोरतिवह्निम कमानामपि नर्षदा हितकर हनुमन्त प्रति  
तेजानाकृमिद्ये वाच्यभूत केषोऽन्ययाऽनुभव इति तदुपवादकाङ्क्षावाननायत्वा जान ही-  
ज्वालमूचनविहितरामविरहसन्तापानोदनान्ना व्यर्थ एव पुर परित्कुरज्जता भजनपि,

यथा दौर्भाग्येण दासीभावमापन्नाऽपि राजमहिषी, काञ्चनविलक्षणा नैसर्गिकी सुपमामावहति, तथैव कश्चिद् विलक्षणं चमत्कारं करोतीति व्यङ्ग्यस्य गुणीभावेऽपि चमत्कारितोत्कर्षेण द्वितीयकाव्योदाहरणत्वमेतस्य ।

द्वितीय काव्यभेद उत्तम का उदाहरण देते हैं—'राघव' इत्यादि । रामचन्द्र के विरह की ज्वालाओं से ( यहाँ ज्वाला की उक्ति से विरह में चङ्कितव्यता व्यङ्ग्य होती है ) तप्त बनाये गये सद्गनामक पर्वत के शिखरों पर, शीत ऋतु के समय में, सुख पूर्वक सोने वाले बन्दर पवनतनय-हनूमान् पर प्रकुपित होते हैं—क्रोध करते हैं ।

तदाह—

अत्र जानकीकुशलावेदनेन राघवः शिशिरीकृत इति व्यङ्ग्यमाकस्मिककपिकर्तृकहनुमद्विपयककोपोपपादकतया गुणीभूतमपि, दुर्दैवशतो दास्यमनुभवद् राजकलत्रमिव कामपि कमनीयतामावहति ।

शिशिरीकृत शीतलीकृत ।

इस पद्य का व्यङ्ग्य अर्थ यह है कि 'हनूमान् ने जानकी की कुशलवार्ता सुनाकर रामचन्द्र को शीतल बना दिया, अर्थात् हनूमान् के मुख से सीता की सकुशल लङ्का में रहने की बात सुनकर रामचन्द्र का त्रियोग-ताप शान्त हो गया' और वाच्य-अर्थ है 'हनूमान् पर बन्दरों का सहसा होने वाला कोप' । इन दोनों ( व्यङ्ग्य तथा वाच्य ) अर्थों में अङ्ग-अङ्गी ( पोष्य-पोषक ) भाव है, अर्थात् व्यङ्ग्य है पोषक और वाच्य है पोष्य, क्योंकि जो हनूमान् रामचन्द्र तथा सुग्रीव दोनों का कृपापात्र था—स्नेहभाजन था और बन्दरों का भी प्रिय-हित-चिन्तक था, उसी पर अकस्मात् बन्दर सब क्रुद्ध हो उठे, यह वाच्य अर्थ तब तक संगत प्रतीत नहीं होता, जब तक उक्त व्यङ्ग्य अर्थ न समझ लिया जाय अर्थात् जब हम 'हनूमान् ने राम के विरहताप को शान्त कर दिया, जिससे विरह-ज्वाला-तप्त सद्ग-शिखर, शीतल हो गये और शीत के मारे बन्दरों के सुख-शयन में बाधा पड़ने लगी' इस व्यङ्ग्य अर्थ को समझ लेते हैं, तब हनूमान् पर बन्दरों का कोप संगत जँचता है । इस तरह से उक्त व्यङ्ग्य अर्थ, वाच्य-अर्थ के साधक होने के कारण यद्यपि गौण हो गया तथापि जिस प्रकार दुरष्ट की मारी हुई कोई राजाङ्गना, किसी की दासी घनकर रहने पर भी, अपने सहज-सौन्दर्य को नहीं छोड़ती अर्थात् उस दशा में भी उसकी सुन्दरता झलकती ही है, उसी प्रकार उक्त व्यङ्ग्य में भी (गौण होने के फलस्वरूप) विलक्षण चमत्कार परिलक्षित होता है । अब 'जहाँ व्यङ्ग्य गौण होकर चमत्कार-जनक हो' इस लक्षण का समन्वय, उक्त पद्य में, स्वयं स्पष्ट है ।

'तल्पगताऽपि च सुतनुः' इत्यादिप्रागुक्तप्रथमकाव्योदाहरणे द्वितीयकाव्योदाहरणता-माशङ्क्य समादधाति—

नन्वेवं प्रागुक्तमाक्षेपगतं मान्द्यमपि नववधूप्रकृतिविरोधादनुपपद्यमानं व्यङ्ग्येनैवोपपाद्यत इति कथमुत्तमोत्तमता तस्येति चेत्, न यतो ह्यनुदिनसख्युपदेशादिभिरनतिचमत्कारिभिरप्युपपद्यमानं मान्द्यमिदं प्रथमचित्तचुम्बिनी विप्रलम्भरतिमप्रकाशयन्न प्रभवति स्वातन्त्र्येण परनिर्वृतिचर्चणागोचरतामाधातुम् ।

प्राक् उत्तमोत्तमकाव्यतृतीयोदाहरणे 'तल्पगताऽपि च सुतनुः' इत्यादौ । व्यङ्ग्येनैव विप्रलम्भरतिरूपशृङ्गारस्थायिभावेनैव, न तु वाच्यादिना । उपपादयते सङ्गतीक्रियते श्रुनुदिन प्रत्यह य सखीनामुपदेश' केलिकलासु वामतापरित्यागाय शिक्षा, स आदियैषा ते तदादय सततसान्निध्य-प्रचुरपरिचयप्रभृतय', तैः । इदमाक्षेपगत मान्द्यम् । प्रथमचित्तचुम्बिनी प्रागेव बुद्धिगोचरीभवन्तीम् । स्वातन्त्र्येण स्वरूप( मन्दत्व ) मात्रेण । परनिर्वृते परमानन्दस्य, या चर्दणाऽऽस्वाद, तस्या गोचरतां विषयताम् । आघातं बोद्धम् ।



यथा प्रकृते वाच्यस्य हनूमदुपरि कपिकोपत्यान्यथाऽसम्भवादनुपपन्नस्य, हनूमता सीताकुशलनिवेदनेन रामस्य शीतलीकरण व्याय कपिसुखसुश्रिव्याधातादुपपादक वाच्या-  
 द्नाभूय, काव्यमिदमुत्तमोत्तमकसातोऽपकर्षति, तथैव 'तल्पगताऽपि च सुतनु' इत्यादौ  
 पूर्वोक्त उत्तमोत्तमकाव्यतृतीयोदाहरणे, वाच्यस्य प्रियकराक्षेपमान्यस्य नवोदवधूत्वभाव-  
 विरुद्धत्वादन्यथाऽनुपपन्नस्य, व्यज्यनाना विप्रलम्भशृङ्गारस्थायिनी रतिरूपपादिकाऽपीभव-  
 तोति ऋय तत्राप्युत्तमोत्तमत्वम्, वैषम्ये वीजाभावादिति न वाच्यम्, उभयोर्वैषम्यस्य  
 जागरूकत्वात् । तथाहि प्रकृते तद्व्यङ्ग्यमन्तरेण किमप्यर्थान्तरं वाच्यस्योपपादकं नोपलब्धु  
 शक्यते । 'तल्पगताऽपि च' इत्यादौ त्वाक्षेपमान्य वाच्यं, यथा व्यज्या विप्रलम्भरति', तथैव  
 प्रात्यहिकनजीशिक्षाप्रभृतिरप्युपपादयितुमर्हतीत्यन्यथाऽनुपपत्तेर्विरह इत्यभिप्राय ।

'तल्पगताऽपि च सुतनु' इत्यादि पूर्वोक्त प्रथम-काव्य ( उत्तमोत्तम ) के उदाहरण में  
 'वह भी द्वितीय ( उत्तम ) काव्य का ही उदाहरण क्यों नहीं ? वल्कि वही होना उचित  
 है' इस शब्द का उत्थान कर खण्डन करते हैं—'नन्वेवन्' इत्यादि । तात्पर्य यह है कि जैसे  
 'रावण-विरह-ज्वाला' यहाँ पर अन्यथा ( व्यङ्ग्य-ज्ञान के बिना ) अनुपपन्न होने वाला,  
 हनूमान् के ऊपर अकस्मात् वन्दरों का क्रोध, ( वाच्य ) हनूमान् के द्वारा राम की विरह-  
 ताप-शान्ति ( व्यङ्ग्य ) से उपपन्न किया जाता है, अतः वह व्यङ्ग्य गौण हो जाने से  
 चमत्कारजनक होकर भी स्वयञ्जक-पदावली को उत्तमोत्तम काव्य नहीं बना सका, वैसे ही  
 'तल्पगताऽपि च सुतनु' यहाँ पर भी 'प्रियकर को मन्द मन्द हटाना' रूपवाच्य, नव-वधू-  
 स्वभाव-विरुद्ध होने से अनुपपन्न है अर्थात् नवोटा का यही स्वभाव होता है कि अपने  
 अर्पों पर धरे हुये पति-क्यों को झट से हटा देती है और यहाँ 'नवोटा मन्द मन्द  
 प्रियकर को हटा रही है' ऐसा कहा हुआ है जो असंगत सा दीव्यता है । फिर तो  
 रतिरूप व्यङ्ग्य से ही वह ( वाच्य ) उपपन्न बनाया जायगा अर्थात् जब हम यह  
 समझ लेंगे, कि—उस नवोटा को अब पति से प्रीति होने लगी है और शीघ्र ही उस  
 प्रीतिलता पर विरह के ओले गिरने वाले हैं, तभी नववधू का धीरे-धीरे प्रियकर को  
 हटाना सन्नत प्रतीत होगा, इस स्थिति में यहा का विप्रलम्भ रतिरूप व्यङ्ग्य भी वाच्य  
 अर्थ के उपपादक होने से गौण ही हुआ, अतः उसे भी उत्तमोत्तम-काव्य-व्यवहार-  
 नियामक नहीं होना चाहिये अर्थात् इन दोनों स्थलों के व्यङ्ग्यों की स्थिति समान है,  
 इसलिये दोनों पद्य उत्तम काव्य के ही उदाहरण हो सकते हैं, उत्तमोत्तम के नहीं, यह है  
 शब्द । समाधान यह है कि आपने दोनों पद्यों के व्यङ्ग्यों को समान कोटिक समझ रहे हैं,  
 वह आप का भ्रम है क्योंकि दोनों जगहों में वैषम्य स्पष्ट है, देखिये—'रावण-विरह-ज्वाला'  
 यहा का व्यङ्ग्य ऐसा है जिसके बिना वाच्य सिद्ध हो ही नहीं सकता अर्थात् व्यङ्ग्य से  
 भिन्न कोई बात ऐसी नहीं जो वाच्य को सिद्ध कर सके और 'तल्पगताऽपि' यहा का व्यङ्ग्य  
 ऐसा नहीं है अर्थात् यहा का व्यङ्ग्य ऐसा है जिससे भिन्न यार्ते भी वाच्य को सिद्ध कर  
 सकती हैं, जैसे दिन दिन के सखियों के उपदेश, सतत सावित्र्य, प्रचुर परिचय आदि से  
 भी 'प्रियकर को धीरे-धीरे हटाना' रूपवाच्य सिद्ध हो सकता है, अतः उसको सिद्ध  
 करने के लिये विप्रलम्भ रति की ही विशेष आवश्यकता नहीं है । फलतः यह माराश  
 निकला कि वाच्यमिदिका अत्र वही व्यङ्ग्य कहलाता है, जो वाच्यमिदिका एक मात्र  
 कारण हो, विप्रलम्भ-रति-रूप-व्यङ्ग्य ऐसा नहीं है, अतः वह गौण नहीं हुआ फिर  
 वह 'तल्पगताऽपि' इस पद्य को उत्तमोत्तम काव्य क्यों नहीं बना सकता ? यदि आप  
 कहें कि जब सत्पुपदेशादि में भी 'तल्पगता' का वाच्य सिद्ध हो जाता है, तब उस  
 वाच्य से विप्रलम्भ रतिव्यङ्ग्य होगी ही क्यों ? इसका उत्तर यह है कि मानिक वाक्यों के  
 द्वय में पहले यही बात उठ लड़ी होती है कि 'नववधू होकर भी जो यह धीरे धीरे त्याग-  
 पतित-पति-क्यों को हटा रही है, जरद नहीं, वह आनन्दविरहनादिक प्रेम की फल

है। इसको बिना ध्वनित किये सष्युपदेशादि से होने वाला मान्य ( धीरे धीरे हटा पर-आनन्द ( जिसके सम्बन्ध में 'ब्रह्मास्वादसहोदरः' कहा हुआ है ) के आस्वाद का हो भी तो नहीं सकता।

तुल्यन्यायादाच्छे—

इत्थं 'निशेषच्युतचन्दनम्' इत्यादिपद्येष्वधमत्वादीनि वाच्यानि व्यङ्गतिरिक्तेनार्थेनापाततो निष्पन्नशरीराणि व्यञ्जकानीति न तत्रापि गुणीयः शङ्कनीयः।

अधमत्वं नायकस्य । व्यङ्ग्यातिरिक्तेन दूतीसम्मोगरूपव्यङ्ग्यभिन्नेनापराधान्तरनिमित्तं दुःखदातृत्वरूपेणार्थेन । आपाततस्तत्काले, पर्यन्ते त्वन्यत्र तात्पर्यविरहाद् दूतीसम्म निमित्तकदुःखदातृत्वस्यैव तदुपपादकत्वात् । निष्पन्नशरीराणि कृतोपपादनानि, वाच्यात्वस्य दूतीसम्मोगातिरिक्तापराधैरप्युपपादयितुं शक्यत्वात् गुणीभावो व्यङ्ग्यस्य ।

इसी तरह 'निशेषच्युतचन्दनम्' इत्यादि पद्यों में भी अधमत्व प्रभृति वाच्य की जैसे व्यङ्ग्य दूती-सम्मोग से हो सकती है, वैसे ही अपराधान्तर ( नायक के दूती-सम्म से भिन्न अपराध ) से हो सकती है, अतः उक्त व्यङ्ग्य वाच्य-सिद्धि का एक मात्र बर्णन नहीं है। इसलिये न वह व्यङ्ग्य वाच्यसिद्धि का अङ्ग हुआ, न गौण, यह विदित करना चाहिए।

अधमत्वस्य वाच्यस्योपपत्तिर्यथा व्यङ्ग्येन दुःखजनकेन दूतीसम्मोगेन विधीयते, वाच्यार्थप्रत्ययावसरेऽपराधान्तरेणापि विधातुं शक्यत इत्यन्यथाऽनुपपत्तिवैधुर्याद् दूतीसम्मोगरूपप्रधानव्यङ्ग्यस्य न वाच्याङ्गत्वमिति भावः । ननु व्यङ्ग्यस्य चमत्कारितायास्तुल्यकान्यप्रथम-द्वितीयप्रकारयोर्भेदः कुत स्वीक्रियत इत्याशङ्क्या ब्रवीति—

अनयोर्भेदयोरनपह्ववनीयचमत्कारयोरपि प्राधान्याप्राधान्याभ्यामस्ति कर्तव्यसहृदयवेद्यो विशेषः ।

अनयोर्भेदयोरनपह्ववनीयचमत्कारयोः । भेदयोः काव्यप्रथम-द्वितीयप्रकारयोः । प्राधान्याप्राधान्याभ्यामस्ति विशेषः । विशेषो वैलक्षण्यभेद इति यावत् ।

यद्यप्युभयोरपि भेदयोश्चमत्कारिव्यङ्ग्यसद्भावात् तुल्यत्वमेव, किन्तुत्तमोत्तमे व्यङ्ग्यवाच्यापेक्षया प्राधान्यम्, उत्तमे पुनरप्राधान्यमिति भेदस्य सहृदयानुभवसाक्षिकत्वात् पृथग्द्वयाङ्गीकार इत्यभिसन्धिः ।

इदं पुनरत्र विचारणीयम्—'चमत्कारोत्कर्षनिवन्धना हि वाच्यव्यङ्ग्ययोः प्राधान्यवक्षा' इति ध्वनिकारानुशासने जाप्रति, व्यङ्ग्यस्य यदीह वाच्यापेक्षया चमत्कारोत्कर्षः, नाप्राधान्यम्, अथाप्राधान्यम्, तर्हि न चमत्कारोत्कर्षः । यदि च व्यङ्ग्यस्य चमत्कारोत्कर्षेऽपि वाच्योपपादकतयाऽङ्गत्वमिष्यते, तदा तदङ्गत्वमप्यकिञ्चित्करम्, चमत्कारोत्कर्षनिवन्धनस्य शिष्टपरिपाटीसम्मतप्राधान्यस्य तथाप्यव्याहृतत्वात् । किञ्च यत्र तुल्यचमत्कारायकत्वे न वाच्यव्यङ्ग्ययोः समं सन्दिग्धं वा प्राधान्यम्, तयोर्गुणीभूतव्यङ्ग्यप्रकारयोर्भेदः कुत्रान्तर्भावः ? न चाव्याप्तिरेषितुं शक्यते, 'ब्राह्मणातिक्रमत्यागो भवतामेव भूतये । जायन्त्यश्च वो मित्रमन्यथा दुर्मनायते ।' 'हरस्तु किञ्चित् परिलुप्तधैर्यश्चन्द्रोदयारम्भ इवा राशिः । उमासुखे विम्बफलाधरोष्ठे व्यापारयामास विलोचनानि ।' इत्यनयोश्चमत्कारस्यापानर्हत्वेन मध्यमकाव्यतायाः सर्वसम्मतत्वात् ।

यद्यपि उत्तमोत्तम तथा उत्तम इन् दोनों काव्य-भेदों में व्यङ्ग्य चमत्कारजनक रहता है—व्यङ्ग्य की चमत्कार-जनकता का अपलाप नहीं किया जा सकता, तथापि उत्तमोत्तम का व्यङ्ग्य प्रधान रहता है और उत्तम का अध्रधान अर्थात् उत्तमोत्तम का व्यङ्ग्य वा

निद्रि का अन्न नहीं रहता और उत्तम काव्यज्ञ व वाच्य-सिद्धि का अन्न रहता है, इसलिये इन दोनों भेदों में एक की अपेक्षा दूसरे में कुछ विशेष अवश्य है, जिसे सहृदय हृदय वाले ही समझ सकते हैं। दोनों प्रभेदों को एक ही क्यों नहीं मान लिया जाय इस शङ्का का अवसर नहीं है। यही इस विशेष प्रदर्शन का तात्पर्य है।

‘प्रहरविरतौ’ शब्दात्प्रत्ययदीक्षितप्रतिपादित गुणीभूतव्यङ्ग्यत्व निरस्यति—

यत्तु चित्रमीमात्साहृतोक्तम् ।

चित्र-मीमात्साकार अल्पव्यदीक्षित द्वारा दिये गये गुणीभूत व्यङ्ग्य के उदाहरण का सङ्गठन करते हैं—‘नु’ इत्यादि। चित्र-मीमात्साकार ने जो कहा है।

बालाप्रियस्य प्रवासनिवृत्तिहारणं कश्चिद् व्याहरति—

‘प्रहरविरतौ मध्ये बाह्वस्ततोऽपि परेण वा,

किमुत सकने याते वाऽहि प्रिय त्वमिहैष्यसि ।

इति दिनशतप्राप्य देशं प्रियस्य वियासतो

हरति गमन बालाऽऽलापैः सवाग्मगलञ्जलै ॥’ इति ।

हे प्रिय ‘ बल्लभ ’ ( प्रवासानन्तर पुन ) त्व, प्रहरस्यैक्यानस्य, विरतौ सनातौ ? वाऽपवा, अश्लो दिवसस्य, मध्ये प्रहरद्वयान्तराले ? वा यद्वा, ततोऽपि मध्याह्नतोऽपि, परेण पश्चादपरादे तृतीयप्रहर इति वाक्त् ? किमुत वा किंवा, नकले सन्पूर्णे, अहि दिने, याते विगते नाचं नमये नति, दृह नदन्तिके, एषस्यागमिष्यमि ? इतीत्येव रूपै, नवाग्मगलञ्जलेर्वाप-वनिवृत्तदधुमिप्रिते, प्रालापैः प्रत्यागमनक्रमापगै, दिनाना शतेन ( ननु पश्यैदने, पक्षेण, नाचैन वा ) प्राप्य गन्तु योग्य ( दूरतर ) देश जनपद, वियासतः कर्वातुरेनेन गन्तुनिच्छत, प्रियस्य बल्लभस्य, गमन प्रत्याग, बाला नववधुर्गुणा हरति निवारयतीत्ययं । पृथ्वी छन्दः ।

प्रतिमन् पद्ये प्रियपदस्य द्वित्वादानान् कथितपदत्वम् । जलशब्दस्य पृथक्पनाद् वाच्य उगमात्त्वम् । अपि च श्नेन प्रहरान्तमध्याह्न-पराद-दिनान्तमात्रस्य त्रिदागमननमयस्य, नापि कथा प्ररनगोचरी-करणेन व्यज्यमानम् ‘समस्त दिनमेव परमेऽवधिस्तदितरे नम जांबनस्य, दिनान्तरं तु त्वदनागमने नाह क्वमपि जांबिध्यानीति वस्तु’ अलपे प्रियस्य गमन बाला हरतीति पदरुदन्मकामिर्वादिनानस्य बालाऽर्कालापकरणकप्रियगमननिवारण-त्पोपपादकत्वाऽऽनिति वाच्यसिद्धयङ्ग्य-रूपगुणीभूतव्यङ्ग्यत्वमिति दीक्षितस्य कथनन्तु न दुक्तम्, यतन्त्र वापवद्विगलदधुमिप्रितालारूप वाच्यमेव गमननिवारण-लज्जं व्यङ्ग्य-सुनपादपितुर्माष्टे, न तु तदर्थं व्यङ्ग्यत्वापेक्ष । तादृशलाभाना गमननिवारणस्य प्रति प्रक-एननकारणत्वरूपकरणत्वानात्रे करणे तृतीयाऽनुपपत्तिश्च वाच्यस्यैव वाच्योपपादकत्वात्प्रयति । तस्मादात्र गुणीभूतव्यङ्ग्यत्वम्, किन्तु व्यङ्ग्यस्य पार्यन्तिरुविश्रान्तिरानतया ध्वनिद्वनेव ।

कोई नवोटा का पति, किमी दूर देश में जाने के लिये उल्लुङ्ग या यात्रा की मय तैयारी कर चुका था, परन्तु गया नहीं, क्यों ? इसका कारण किमी ने मतलाया है— ‘प्रहारविरतौ’ इत्यादि। प्रिय ! क्या तुम एक पहर के बाद लौट आओगे या दोपहर में अथवा उसके भी बाद ? किंवा मनुष्य दिन बीत जाने पर ही लौटोगे ? गरम-गरम आँसू-मदित रन आँसूओं से बाला ( नवोटा ), जहाँ नैकड़ों दिनों में पशुचा जा सकेगा, उस देश में जाने के लिये उद्यत अपने प्रेमी के गमन का कारण कर रही है ।

तरु—

अत्र सकलमहः परमावधिस्ततः परं प्राणान् धारयितुं न शक्नोतीति व्यङ्ग्य प्रियगमननिवारणरूपवाच्यसिद्धयङ्ग्यत्वतो गुणीभूतव्यङ्ग्यमिति, तत्र,

सबाष्पगलज्जलानां 'प्रहरविरता'वित्याद्यालापानामेव प्रियगमननिवारणरूपवाच्यसिद्धयङ्गतया व्यङ्ग्यस्य गुणीभावाभावात् । 'आलापै'रिति तृतीयया प्रकृत्यर्थस्य हरणक्रियाकरणतायाः स्फुटं प्रतिपत्तेः ।

गुणीभावोऽप्राधान्यम् । प्रकृत्यर्थस्यालापपदवाच्यस्य ।

पूर्वोक्लिखितवाच्यव्यङ्ग्ययोर्मध्ये प्रियगमनहरणरूपवाच्यसिद्धयङ्गतया वाच्य एव विनिगमनाहेतुं करणतृतीयैवेति पृथक् तदुपन्यासो बोध्यः ।

इस श्लोक में नवोढानायिका अपने प्रेमी से एक पहर के वाद, दो पहर में, अपराह्न में, अथवा शाम तक आने की बात पूछती है और उसके वाद में आने की बात नहीं पूछती—अर्थात् कल, परसों, तरसों, आभोगे, ऐसा प्रश्न नहीं करती जिससे सारा दिन पूर्ण अवधि है, उसके वाद तेरे विरह में मैं न जी सकूँगी' यह व्यङ्ग्य होता है । परन्तु यह व्यङ्ग्य प्रेमी के गमन का निवारणरूप वाच्य की सिद्धि में अङ्गभूत है अर्थात् प्रेमी का गमन तभी रुक सकता है, जब वह यह जानले कि 'यह मेरी नवोढा प्रेयसी मेरी अनुपस्थिति में एक दिन के वाद न जी सकेगी' । इस तरह से वह व्यङ्ग्य वाच्य—सिद्धि के अङ्ग हो जाने से गौण है और चमस्कारी भी, अतः यह गुणीभूत व्यङ्ग्य नामक मध्यम काव्य का उदाहरण है । परन्तु यह चित्रमीमासाकार का कथन ठीक नहीं है, क्योंकि उष्ण-अशुधारा-मिश्रित 'क्या तुम एक पहर के वाद लौट आओगे' इत्यादि उक्ति से ही 'प्रियगमन-निवारण रूप वाच्य उपपन्न हो जाता है इसके लिये व्यङ्ग्य की कोई अपेक्षा नहीं है—अर्थात् व्यङ्ग्य अवगत होने पर ही वह वाच्य उपपन्न होगा ऐसी बात नहीं है, 'आलापै'—आलापों से यहाँ करण अर्थ में तृतीया हुई है और करण वही कहलाता है जो क्रिया का प्रकृततम साधक हो, अतः यह सिद्ध हुआ कि उक्त आलाप ही निवारण क्रिया को सिद्ध करने वाले हैं । अतः उक्त व्यङ्ग्य गौण नहीं है, फिर यह पद्य गुणीभूत व्यङ्ग्य काव्य का उदाहरण कैसे हो सकता है ? यह तो ध्वनि ( उच्चमोत्तम ) काव्य का ही उदाहरण है, क्योंकि उक्त वस्तु व्यङ्ग्य बहुत ही चमस्कारी है और प्रधान भी ।

पुनराशङ्क्य समाधत्ते—

न च व्यङ्ग्यस्यापि वाच्यसिद्धयङ्गताऽत्र सम्भवतीति तथोक्तमिति वाच्यम्, 'निश्शेषच्युतचन्दनम्' इत्यादाविवाधमत्वरूपवाच्यसिद्धयङ्गताया दूतीसम्भोगादौ सम्भवाद् गुणीभावापत्तेः ।

व्यङ्ग्यस्य ततःपरं प्राणान् धारयितुं न शक्नोमीत्यस्य । अपिनाऽऽलापरूपो वाच्यार्थः समुच्चोयते ।

गमननिवारणरूपवाच्यस्य तादृशालापरूपवाच्येनोपपत्तावपि, ततःपरमित्यादिव्यङ्ग्यस्यापि वाच्योपपादकत्वसम्भवाद् वाच्यसिद्धयङ्गतया गुणीभूतव्यङ्ग्यत्वमस्य काव्यस्य न दुर्लभमिति न युक्तम्, यत एवं सति, 'निश्शेषच्युतचन्दनम्' इत्यादावपि नायकाधामत्वरूपवाच्यस्य निश्शेषरुतनचन्दनच्यवनादिरूपवाच्येनैवोपपत्तावपि दूतीसम्भोगरूपव्यङ्ग्यस्यापि तदुपपादकत्वसम्भवाद् वाच्यसिद्धयङ्गतया गुणीभूतव्यङ्ग्यत्वं भवतोऽप्यनभिमतमापद्यते । तस्माद् वाच्येनैवोपपत्तौ, व्यङ्ग्यस्योपपादकत्वसम्भवेऽपि न गुणीभाव इति भावः ।

उक्त खण्डन के वाद दीक्षित मतको स्थिर करने वाली एक और नवीन युक्ति का उद्धान कर पुनः खण्डन करते हैं—'न च' इत्यादि । यदि आप कहें कि 'प्रहर विरतौ' यहाँ 'आलापों से' इस तृतीयान्त पद के वाच्यार्थ से यद्यपि 'गमननिवारण' रूप वाच्य की सिद्धि होती है, तथापि उक्त व्यङ्ग्य से भी तो उस वाच्य की सिद्धि हो सकती है, अतः एव हमने उस व्यङ्ग्य को गुणीभूत कहा है, तो यह युक्ति भी आपकी सगत नहीं है क्योंकि वाच्य सिद्धि की क्षमता मात्र रखने पर यदि व्यङ्ग्य गुणीभूत हो जाय तो 'निश्शेषच्युत

चन्द्रनम्' इत्यादि पद्य में भी 'दूती सम्भोग' रूप व्यङ्ग्य गुणीभूत हो जायगा, क्योंकि वह व्यङ्ग्य भी नायक को अधमत्तारूप वाच्य को सिद्ध करने की योग्यता रखता है, और उस दूतीसम्भोग जो गुणीभूत मानना तो आपको भी इष्ट नहीं है, अतः ऐसा मानना चाहिए कि वाच्य से यदि वाच्य की निद्रि हो जाती हो तब व्यङ्ग्य से उसकी सिद्धि की सम्भावना रहने पर भी उस (व्यङ्ग्य) को गुणीभूत नहीं समझा जाय ।

ननु नायिकायास्तद्व्याख्याया नायकस्य गमनोत्तर विदेशे विरस्तिर्तेनिवारकत्वेनापि त्तद्व्याख्या भवितु शक्नुवन्तीति पूर्वोक्तवाच्योपपादनसान्दर्भ्यमिह व्यङ्ग्यस्यैव, न तु वाच्यस्यापि गुणीभूतव्यङ्ग्यचन्द्रनभ्युपगत्य प्रारान्तरण धनित्व व्यवस्थापयति—

अस्तु वा 'तत पर प्राणान् धारयितु न शक्नोमि' इति व्यङ्ग्यस्य वाच्यसिद्धयङ्गतया गुणीभाव, तथाऽपि नायकादेर्विभावस्य, वाग्पादेरनुभावस्य, चित्तावेगादेश्च सञ्चारिण सयोगादभिव्यज्यमानेन विप्रलम्भेन धनित्व को निवारयेत् ।

प्रस्तु वेत्यभ्युपगमायैव गुणीभाव इत्यनेन सम्यन्व । तथाऽपि तादृशफलव्यङ्ग्यस्य गुणीभावेऽपि । धनित्व काव्यस्येति शेष ।

यद्यपि वस्तुलक्षण व्यङ्ग्यमिह गुणीभवति, तथाऽपि विप्रलम्भश्चकाररसरूपव्यङ्ग्यस्य प्राधान्येन काव्यस्य धनित्व संतत्यत्वेवेत्याशय ।

नानेशभेदास्तु—'श्रान्तरालिकव्यङ्ग्यमादायैव धनि-गुणीभूतव्यङ्ग्यादिव्यवहारस्योपपादनानतया विप्रलम्भेन धनित्व को निवारयेत्' इति चिन्त्यम्, अन्यथा 'प्रानतरणम्' इत्यादिगुणीभूतव्यङ्ग्योपप्राप्ताद्युक्तोदाहरणानामप्यसप्तत्यापत्तौ व्याकुलीत्यात् । तत्रापि व्यङ्ग्यसङ्केतभेदेन वाच्यसुप्तनालिन्यातिशयरूपाणुभावसुखेनैव विप्रलम्भाभासपोषणम्, न केवलेन सङ्केतभेदेन, तस्याकर्तव्यत्वबुद्ध्याऽपि सम्भवात्' इतीह व्याजुः ।

न हि नर्वत्र पार्यन्तिरेनैव व्यङ्ग्येन धनि-गुणीभूत व्यङ्ग्यव्यपदेश, किन्त्वान्तरालिकेनापि स । इतरथा 'प्रानतरणम्' इत्यादीं पार्यन्तिरव्यङ्ग्ये शृङ्गाररसाभासे जाप्रति, धनित्वस्यैवानिवार्यतयाऽऽन्तरालिक वस्तुलक्षव्यङ्ग्यमादाय विहित श्रालङ्कारपरम्पराया गुणीभूतव्यङ्ग्यसिद्धान्तो नितरा व्याकुप्येत । तस्मादय पण्डितराजस्य प्रौढिवाद एवेति तदगिप्राय ।

उक्त वस्तुव्यङ्ग्य को गुणीभूत मान लेने पर भी 'प्रहर विरतो' इत्यादि पद्यको मुख्य विप्रलम्भ-शृङ्गाररूप व्यङ्ग्य के अनुसार धनित्वाव्य का ही उदाहरण मानना समुचित है, यही बात अब कहते हैं—'अस्तु वा' इत्यादि । तात्पर्य है कि यदि आप कहें कि नायिका के 'एक पहर बाद आओगे' इत्यादि अधुनिमित्त बालाप तो 'विदेश में अधिक दिनों तक नहीं टहरना' इस बात को सिद्ध करने भी चरितार्थ हो सकते हैं, फिर उन बालापों में 'सर्दया जाने का निवारण' रूप अर्थ को सिद्ध करने का सामर्थ्य नहीं है, वह सामर्थ्य यदि है तो 'उसके बाद मैं न जा सकूंगा' इस व्यङ्ग्य में ही, अतः वह व्यङ्ग्य गुणीभूत अवश्य है । इस पर पण्डितराज कहते हैं—अच्छा, उक्त व्यङ्ग्य को वाच्यमिदि का अङ्ग बनाकर गीत समक्षिये किन्तु नायक प्रकृति विभाय, ननु आदि ननु राय तथा चित्तावेग आदि सचारीभागों के सयोग से व्यक्त होने वाले विप्रलम्भ-शृङ्गार के कारण जो धनि काव्यता इस पद्य में प्राप्त होती है, उसको कौन रोक सकता है । अस्तु यहाँ दृष्टित मत के सम्बन्ध करने में पण्डित राज जगन्नाथ का दुराग्रह ही उल्लेखनीय है । क्योंकि तबत्र चरम व्यङ्ग्य के आधार पर ही 'धनि अथवा गुणीभूत व्यङ्ग्य' काव्य की व्यवस्था है, आन्तरालिक (सीच के) व्यङ्ग्य के आधार पर नहीं, ऐसा नियम आलङ्कारियों ने जारन नहीं है, अन्यथा (तादृश-

निघ्न के आदर करके पर (मानवत्वात्) इत्यादि पद में भी वाम शब्दप्रयोग का  
उपयोग है आदि पर एतन् कल्पना ही है। आशा, किन्तु वी शब्द का प्रयोग  
उपयोग ही आशा मात्र कर एक पद ही शृणोतेत्यर्थ का प्रयोग है। इस दृष्टिकोण से देखने पर, इसका  
कारण ही है अन्त ही ही आशा। इस दृष्टिकोण से देखने पर, इसका  
ही मर्त्यात् इमं अन्त्यादिकं अर्थ ही आशा मानकर प्रहर-विशील इत्यादि शब्द  
शृणोतेत्यर्थ का प्रयोग का उदाहरण मानना ही श्रेष्ठ का अर्थ प्रतीत नहीं होता है।

अथ अन्त्यादिकं अन्त्यादिकं अन्त्यादिकं अन्त्यादिकं अन्त्यादिकं अन्त्यादिकं

अन्त्यादिकं अन्त्यादिकं अन्त्यादिकं अन्त्यादिकं अन्त्यादिकं अन्त्यादिकं

अथ अन्त्यादिकं अन्त्यादिकं अन्त्यादिकं अन्त्यादिकं अन्त्यादिकं अन्त्यादिकं

अथ अन्त्यादिकं अन्त्यादिकं अन्त्यादिकं अन्त्यादिकं अन्त्यादिकं अन्त्यादिकं

अथ अन्त्यादिकं अन्त्यादिकं अन्त्यादिकं अन्त्यादिकं अन्त्यादिकं अन्त्यादिकं

अथ अन्त्यादिकं अन्त्यादिकं अन्त्यादिकं अन्त्यादिकं अन्त्यादिकं अन्त्यादिकं

अथ अन्त्यादिकं अन्त्यादिकं अन्त्यादिकं अन्त्यादिकं अन्त्यादिकं अन्त्यादिकं

अथ अन्त्यादिकं अन्त्यादिकं अन्त्यादिकं अन्त्यादिकं अन्त्यादिकं अन्त्यादिकं

अथ अन्त्यादिकं अन्त्यादिकं अन्त्यादिकं अन्त्यादिकं अन्त्यादिकं अन्त्यादिकं

अथ अन्त्यादिकं अन्त्यादिकं अन्त्यादिकं अन्त्यादिकं अन्त्यादिकं अन्त्यादिकं

अथ अन्त्यादिकं अन्त्यादिकं अन्त्यादिकं अन्त्यादिकं अन्त्यादिकं अन्त्यादिकं

अथ अन्त्यादिकं अन्त्यादिकं अन्त्यादिकं अन्त्यादिकं अन्त्यादिकं अन्त्यादिकं

अथ अन्त्यादिकं अन्त्यादिकं अन्त्यादिकं अन्त्यादिकं अन्त्यादिकं अन्त्यादिकं

अथ अन्त्यादिकं अन्त्यादिकं अन्त्यादिकं अन्त्यादिकं अन्त्यादिकं अन्त्यादिकं

अथ अन्त्यादिकं अन्त्यादिकं अन्त्यादिकं अन्त्यादिकं अन्त्यादिकं अन्त्यादिकं

तदाह—

अत्रोत्प्रेक्षा वाच्यैव चमत्कृतिहेतुः । श्वेत्य-पातालतलचुम्बित्वादीनां चमत्कारो लेशतया सन्नप्युत्प्रेक्षाचमत्कृतिजठरानिलीनो नागरिकेतरनायिकाकल्पितकार्शमीर-द्रवाद्गारागनिगीर्णो निजाङ्गगौरिभेव प्रतीयते ।

एवकारः श्वेत्यादिव्यङ्ग्य व्यञ्चच्छिनति । चमत्कृतिहेतुत्व ज्ञानद्वारकम् । मैनाकस्य ननु-द्रान्तःपातालद्वारस्यतया पातालतलचुम्बित्वप्रतीतिः । सन्नपीति कथनेनात्रभेदे व्यङ्ग्यचम-त्यरासद्भावनिवेशाभाव पुष्यते । नायिकाया नागरिकेतरत्वेन प्रसाधनानभिज्ञता सूच्यते । अङ्गमारं नम्रप्रति 'केसर' इति प्रमिद्ध गन्वद्रव्यम् । द्रवो रस । यथा प्रसाधनानभिज्ञाया प्राग्न्य-नायिक्या स्वतः सुपमाजनकमपि स्वकीयाङ्गगौरित्व कल्पितेन पीततरकारनीराङ्गारागेणाच्छा-दित नैव सुहृद्यतया सुपना जनयति, तथा प्रकृतोदाहरणे व्यञ्ज्यमानतया यत्किञ्चिच्चमत्कार-जनकोऽपि भागौरयीश्वेतिनादिद्यन्तकारकतमवाच्योत्प्रेक्षाचमत्कारेणाच्छादित प्राधान्यं नाद-यातीति सव्यवृत्तीयप्रभेदत्वमेवैतस्येति तात्पर्यम् ।

यहाँ लच्छुन में 'क्यङ्' प्रत्यय से और हिन्दी में 'मानो' पद से वाच्य होने वाली उपेक्षा ( अलङ्कार ) ही चमत्कार का कारण है । यहाँ उपेक्षा शुद्ध नहीं अपितु उपमोप-क्रमोत्प्रेक्षा है, यह समझना चाहिए क्योंकि 'क्यङ्' प्रत्यय सदृश आचार अर्थमें व्याकरण से अनुशिष्ट है, अतः आरम्भ में उपमा की प्रतीति होती है, परन्तु अन्त में सम्भावना की ही प्रतीति स्थिर रहती है । यद्यपि इस गद्यांश में, गद्गा में की गई हिमालय-भुजोत्प्रेक्षा से गद्गा की 'स्वतता' और 'पुत्र मनाक को खोजने के लिये समुद्र के उदर में पड़ी हुई' इस उक्ति से गद्गा का 'पाताल के तह तक पहुँचना' व्यङ्ग्य होते हैं, जो किसी अंश में चमत्कार-जनक भी है ही, तथापि वह चमत्कार वाच्य उपेक्षा के चमत्कार के भीतर छिपा हुआ है, जन्मे किसी प्राग्य नायिका की गारता, केसर-रस के रूप के भीतर छिप जाती है । कहने का सारांश यह है कि वाच्य उपेक्षा की प्रतीति ने होने वाला चमत्कार स्पष्ट है—प्रदीप्त है, और उसके सामने उक्त व्यङ्ग्य की प्रतीति से पीछे होने वाला चमत्कार अस्पष्ट है—सौम्य है, अतः यह मध्यम काव्य का उदाहरण ठीक है ।

सर्वथा व्यङ्ग्यसद्भावनिवेशाभाववोजनुपपादयति—

न तादृशोऽस्ति कोऽपि वाच्यार्थो यो मनागनामृष्टप्रतीयमान एव स्वतो रमणीयतोमधातु प्रभवति ।

मनागोपत् । प्रनाच्छप्रतीयमानोऽस्पृष्टव्यङ्ग्यो व्यङ्ग्यसन्वन्वगून्व इति वाक्त् । व्यङ्ग्य-सन्वधेनैव वाच्यस्य चमत्कारिता, सर्वथा तदभावे तु रमणीयताविरहात् सव्यत्वमेव न स्यादती यत्किञ्चिद्व्यङ्ग्यसन्वन्ध 'वाच्यवत्' । अत एव व्यङ्ग्यानद्वात्रो न निवेशित इति भावः ।

इस मध्यम नामक काव्य के तृतीय भेद में व्यङ्ग्य का सर्वथा न रहना अभीष्ट नहीं है, क्योंकि कोई भी वाच्य अर्थ ऐसा ही नहीं, जो थोड़ा भी व्यङ्ग्य अर्थ के साथ बिना सम्बन्ध रखे स्वयं चमत्कार को पदा कर सके—अर्थात् वाच्य अर्थ का चमत्कारी होने के लिये वह नितान्त वाच्यवत् है कि उसका सम्बन्ध किसी व्यङ्ग्य से रहे । फिर यदि इस तृतीय भेद में व्यङ्ग्य का सर्वथा न रहना ही अभीष्ट मान लिया जाय, तब तो अमग्नय ही ही जायता—एक भी लक्ष्य नहीं मिलेगा ।

नन्वलङ्कारप्रधानानि कल्पान्येतेषु प्रभेदेषु ज्ञान्तर्भवन्तोत्प्रेक्षा-ज्ञाननिदधाति—

अनयोरेव द्वितीयतृतीयभेदयोर्जागरूकाजागरूकगुणीभूतव्यङ्ग्ययोः प्रविष्ट निश्चिन्तमलङ्कारप्रधानं काव्यम् ।

एवमन्व प्रपन्नचतुर्थप्रकारव्यङ्ग्येदत् । जागरूको 'राधवतिरह-' इत्यादाविव चमत्कार-

रविशोपाधायकतया चर्वणागोचरो गुणीभूतो वाच्यार्थोपपादकत्वेनाप्रधानीभूतो व्यङ्ग्यो क्व, तथाऽजागरूक 'तनयमैनाक-' इत्यादाविव चमत्कारविशोपानाधायकतया चर्वणाऽगोचरो गुण-भूतो वाच्यार्थपेक्षयाऽप्रधानीभूतो व्यङ्ग्यो यत्रेति च बहुव्रीहिः । इत्यमलङ्कारधमत्कारित्वा प्रधान यत्र तदलङ्कारप्रधानम् । अलङ्कारपदमर्यालङ्कारपरं सन्दर्भशुद्धयनुरोधात् ।

इदमुच्यते—समासोक्तिप्रभृतिष्वलङ्कारेषु व्यङ्ग्यस्य गुणीभावेऽपि चमत्कारितया क्त धानकभाव्यस्य द्वितीयभेदेऽन्तर्भावः । दीपकादिष्वलङ्कारेषूपमाऽऽदिरूपव्यङ्ग्यस्य तु तदभावात् तत्प्रधानभाव्यस्य तृतीयभेदेऽन्तर्भावः । इत्यमलङ्कारप्रधानं सकलमपि काव्यमुक्तेषु द्वय एवान्तर्भवति ।

अलङ्कार प्रधान काव्यों का अन्तर्भाव किस भेद में होगा? इस जिज्ञासा की शांति करते हैं—'अनयोरेव' इत्यादि । इन दोनों ( द्वितीय तथा तृतीय ) ही भेदों में व्यङ्ग्य यद्यपि गुणीभूत रहता है, तथापि, एक ( द्वितीय ) में, व्यङ्ग्य, जागरूक—अर्थ चमत्कार—विशेषजनक होने से अनुभव योग्य रहता है, और एक ( तृतीय ) में व्यङ्ग्य चमत्कार—विशेष—जनक नहीं होने से अनुभव के अयोग्य । अतः समासोक्ति प्रभृति अर्थालङ्कारों में व्यङ्ग्य गौण होकर भी चमत्कारी हों उन अलङ्कारों से युक्त काव्यों का द्वितीय भेद में और दीपक आदि जिन अर्थालङ्कारों में व्यङ्ग्य गौण तो हों ही, साथ-साथ चमत्कारी भी नहीं हों, उन अलङ्कारों से युक्त काव्यों का तृतीय भेद में अन्तर्भाव समझना चाहिए ।

अथ चतुर्थ प्रकार काव्यस्य लक्षयति—

यत्रार्थचमत्कृत्युपस्कृता शब्दचमत्कृतिः प्रधानं, तदधमं चतुर्थम् ।

शब्दार्थयोश्चमत्कृतिजनकत्वमलङ्कारनिमित्तकं प्रतीतिद्वारकं च । उपस्कारो गुणाधानम् । अत एवाङ्गता शब्दचमत्कृतावर्थचमत्कृते ।

यत्र हि वाच्यार्थप्रतीतिजन्यचमत्कारपोषितस्य शब्दप्रतीतिजन्यचमत्कारस्य प्राधान्यम्, न तु कथञ्चित् सतोऽप्ययोग्यतयाऽविवक्षितस्य व्यङ्ग्यस्य, तदधम नाम चतुर्थं काव्यमित्यर्थः ।

अथ काव्य के चतुर्थ प्रकार 'अधम' का लक्षण करते हैं—'यत्रार्थचम' इत्यादि । जिस काव्य में वाच्य अर्थ के चमत्कार से परिपोषित होकर शब्द का चमत्कार प्रधान हो, उसको 'अधमकाव्य' कहते हैं । इस काव्य में भी कुछ न कुछ व्यङ्ग्य अवश्य रहता है, परन्तु वह रह कर भी चमत्कार जनक न होने से अविवक्षित रहता है अतः उसकी प्रधानता नहीं रहती ऐसा समझना चाहिए ।

चतुर्थं काव्यमुदाहरति—

यथा—

भक्त कश्चिद् भगवन्तं स्तौति—

‘मित्रात्रिपुत्रनेत्राय, त्रयीशात्रवशत्रवे ।

गोत्रारिगोत्रजत्राय, गोत्रात्रे ते नमो नमः ॥’ इति ।

मित्र सूर्योऽत्रिपुत्रश्चन्द्रश्च नेत्रे यस्य, तस्मै, त्रय्या ऋग्यजुस्सामवेदानां शात्रवस्यापहारकतया रिपोर्ह्यग्नीवदैत्यस्य शत्रवे नाशकाय, गोत्राणा पर्वताना पक्षच्छेदनादरेन्द्रस्य गोत्रजान् वंश्यान् देवास्त्रायते रक्षतीति तथाभूताय, गोः पृथिव्या गवा धेनूना वा त्रात्रे रक्षकाय, ते विष्णवे नमो नमोऽस्त्विति विष्णुपक्षेऽर्थः । शिवपक्षे तु त्रय्या ध्वंसनाच्छात्रवाणा-मसुराणाम्, यद्वा त्रय्या विज्ञानप्रतिबन्धनाच्छात्रवस्य कामदेवस्य शत्रवे, गोर्दृषस्य त्रात्रे, ते शिवायेति विशेषः ।

तथा च 'सूर्याचन्द्रमसौ विराज- पुरुषस्य दक्षिणवामे चक्षुषी' इति प्रसिद्धिः । 'मित्र



से विचार करने पर यह सिद्ध हुआ कि किसी वस्तु का वर्णन प्रतिपादन करने वाले विद्वान् को कवि कहा जा सकता है।

कवि पद के इसी मूल अर्थ के अनुसार वेदार्थ के वर्णयिता सर्वश परमात्मा को कवि कहा गया है<sup>१</sup>। इसके बाद लौकिक भाषा के द्वारा रामचरित के वर्णन करने वाले वाल्मीकि को 'आदि कवि' की पदवी दी गई। तदनन्तर महाभारत तथा पुराणों के रचयिता वेदव्यास कवि कहलाये हैं। इस तरह प्रायः पुराणयुग तक सभी ( सुन्दर अथवा असुन्दर ) वर्णन करने वाले विद्वानों में कवि पद का प्रयोग होता रहा, अत एव राजनीति विषयों के प्रतिपादक शुक्राचार्य को भी कवि सञ्ज्ञा दी गई<sup>२</sup> है।

किन्तु पुराणयुग के बाद वर्णयितामात्र को कवि कहने की प्रथा समाप्त हो गई। अब चमत्कृतिपूर्ण वर्णन करने वाले विद्वान् को ही कवि कहा जाने लगा अर्थात् अब उस विशिष्ट वर्णयिता को कवि पदवी का अधिकारी समझा जाने लगा, जिसके चमत्कारमय वर्णन को सुनकर सहृदय श्रोताओं के मानस में परमानन्द की रुचिर बोधिया उठने लगती थीं। इसीलिये छन्दोबद्ध ग्रन्थ लिखने पर भी सृष्टिकारों ( मनु, याज्ञवल्क्य आदि ) को कवि कहलाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सका।

यद्यपि आज के विद्वान् कवि की बहुत तरह की परिभाषायें बनाते हैं—जैसे कवि कौन है ? इस प्रश्न के उत्तर में किसी का कथन है कि—'कवि सृष्टि के सौन्दर्य का मर्मज्ञ है। वह एक ऐसा यन्त्र है, जिसके द्वारा सृष्टि का सौन्दर्य देखा जाता है। कवि सौन्दर्य का उपभोग करता है, और जब उन्मत्त हो जाता है, तब उसके प्रलापरूप में उसकी उन्मत्तता का कुछ प्रसाद सहृदय-जनों को मिल जाता है। वह प्रलाप ही काव्य है। तत्त्ववेत्ता और कवि में अन्तर है। तत्त्ववेत्ता मस्तिष्क का निवासी है और कवि हृदय का हृदय मनुष्य मात्र के हैं। पर कुछ तो हृदय के मर्म को समझते ही नहीं, कुछ समझते तो हैं, पर उनकी वाणी में इतनी शक्ति नहीं होती कि वे उसे प्रकट कर सकें। कवि हृदय की बातें भी समझता है और उसे कह भी सकता है। साधारणजन और कवि में यही अन्तर है इत्यादि।' परन्तु कवि पद की इसतरह की सभी व्याख्याओं का आधार वही पूर्वोक्त कवि पद का स्वारसिक अर्थ है यह समझना कुछ कठिन नहीं है।

अस्तु, यह तो हुई कवि की बात, अब देखना यह है कि कवि का कर्म क्या है ? कवि क्या करता है किसको काव्यपद व्यक्त करता है ? इसका उत्तर साधारणतया स्पष्ट है कि किसी विषय का चमत्कृतिपूर्ण-श्रोताओं को सुग्ध कर देने वाला-वर्णन ही कवि का कर्म है। वर्णन यद्यपि अर्थ का होता है, परन्तु वह शब्द के रूप में ही होता है, अत यह कहना होगा कि-वह शब्द ही कवि का कर्म है।

यद्यपि कवि शब्दों को नहीं गढता, अपितु उनका ललित गुम्फनमात्र को रचता है, तथापि ललित गुम्फन से युक्त वह पदावली कवि का कार्य कहलाती है, जैसे घटनिर्माणकर्ता कुम्भकार का कार्य घट कहलाता है। इसतरह यह सिद्ध हुआ कि जिस किसी विषय का चमत्कारी, श्रोतृजनहृदयहारी, वर्णन जिन शब्दों के द्वारा किया जाता है, वे शब्द ही काव्य हैं।

१. 'कविर्मनीषी परिभू स्वयभू' ( शुक्लयजुसंहिता अ ४० म ८ )

२. 'उशना भार्गव कवि' ( अमर )

दे न ह्यो । पुमि नृये 'गोत्रं, शले गोत्रं कुन्दाह्वयो' इति नेदिनी । 'त्रियानृक्काम-  
री'ति वेदानथन्त्या' इत्यमरः । 'गौ स्वर्गे वृषभे रम्यौ वजे शीतकरे पुमान् । अर्जुनी-  
रेगता-भूगानादिषु योषिति' इति विश्वश्र ।

इह अन्यनुप्राणात्मकशब्दालङ्कारप्रयोज्यध्वनत्कार एव कविमरम्भगोचरतया प्रधानम् ।  
सर्वप्रतीतिजन्मा, भगवद्विषयक-वक्त्रनिष्ठ-रतिभावादिष्वन्यप्रतीतिजन्मा वा लेगत  
पि चमत्कारोऽङ्कुटन्वाह्लोनीऽन्तानेव भजतीति निर्भावश्चतुर्थका यलक्षणमनन्वय ।

चतुर्थ 'अधम' काव्य का उदाहरण देते हैं—'रमा, मित्रात्रि' इत्यादि । कोई भक्त  
मान् की स्तुति करता है—मित्र-सुर्य और अत्रिपुत्र-चन्द्र जिनके नेत्र हैं, त्रयी वेदों  
सुखों (अमरों) के जो शत्रु हैं तथा गोत्र-पर्वत के अरि-शत्रु (इन्द्र) के गोत्रजों-  
जों (श्रेयसाओं) के ज्ञाना-रक्षक है, उन गोत्राता (गोपाल) अथवा वृषभवाहन  
त्र) आरको गार-वार नमस्कार है ।

वाह—

अत्रार्थचमत्कृति शब्दचमत्कृतौ लीना ।

यहाँ वृत्तनुप्राणरूप शब्दालङ्कार का चमत्कार ही प्रधान है क्योंकि कवि का मुख्य  
तन उसी अर्थ में हुआ है यह शब्द श्रवण में स्पष्ट प्रतीत होता है । अर्थ का चमत्कार  
वा अक्षरिष्ठ भगवद्विषयक भावरूप व्यङ्ग्य का चमत्कार देशतः यद्यपि है तथापि  
शब्द के चमत्कार में टिपा हुआ है ।

यावत्प्रामाण्य काव्यपद्यमप्रकारनितरणस्यास्तरणान्त्वनतानामापादयति—

यद्यपि यत्रार्थचमत्कृतिसामान्यशून्या शब्दचमत्कृतिस्तन् पञ्चममधमाधममपि  
व्यविधानु गणयितुमुचितम् । यथैकाक्षर-पद्यार्थावृत्तियमक-पद्यवन्धादि ।

काव्यत्वं विना प्रसर । एक-भगानुप्राणो यथा—'दाददो दुददुदादी दादादो दूददी-  
त । दुदादं दददं दुदं ददाददददोऽदद ।' इति । अनुप्राणरानामक पद्यार्थावृत्तियमक  
त—'श्रयशोऽभिदुरालोके कौपथामरणादृते । श्रयशोभिदुरालोके कौपथा मरणादृते ॥'  
त । पद्यवन्धो यथा—'मारनाशुपमा चारुवना मारवधूतना । मातयूर्त्तनावासा ना वाना  
स्तु मारमा ॥' इति । अदिपदेन द्वयक्षराद्यनुप्राप्तमहायनकापराल्पपद्यावृत्तियमक-चन्द्र-  
श-सुरज-हार-नाग-शक्ति-गोमूत्रिका-नर्वतोभद्रवन्धादीनि दुःकरशब्दनभिवेशानि  
रन्ते ।

मिनात्रांन्याग्निष्येऽर्थचमत्कारोऽस्तुत्रोऽप्यस्त्येव । यत्र पुनरेकाक्षरानुप्राणादिशालिष्येषु  
ममर्पचमत्कारो नास्त्येव, किन्तु केवल शब्दचमत्कार स्फुरति, तादृशानामपि चहना  
यानामुपलम्भाच्छब्दचमत्कृतिमात्रवान् पद्यमोऽपि काव्यप्रकारः कुनो नात्र गणित  
रभिप्राय ।

यद्यपि जिन काव्य में अर्थ का चमत्कार अत्यन्त नहीं हो और शब्द का चमत्कार हो  
एकाक्षरपद्य, अर्थावृत्तियमक, पद्यवन्ध आदि, उम काव्य के पाँचवें भेद 'अधमाधम'  
भी गणना काव्य प्रभेदों में करनी चाहिए ।

उदाहरण—

तथाऽपि रमणीयार्थप्रतिपादनान्वाङ्मनात्प-वाव्यन्तानामन्यन्नजानान्कान्ततया  
तुत काव्यन्वाभावेन महाकविभिः प्राचीनपरम्परामनुसन्धानैस्तत्रतत्र काव्येषु  
पद्यमपि नास्माभिर्गणितम्, वस्तुस्थितेरैवानुरोधेनान्वा ।

पद्य भाव—एक क्षरादिविधेर्वाधिकचमत्कारस्य नमस्यानुपलम्भाद् रमणीयार्थप्रति-

पादकशब्दत्वरूपं मदुक्तकाव्यसामान्यलक्षणमेव यदा न समन्वैति, तर्हि तेषु मन्म वास्तविकं काव्यत्वमेव नास्तीति कुतस्तत्प्रकारत्वेन तेषा गणना स्यात् । का वा तदगण प्रन्थस्य न्यूनता स्यात् ।

ननु माघादिमहाकविभिरिशशुपालवधादिमहाकाव्येषु सञ्जिवेशितानामेकाक्षरादिचित्रा कथं काव्यत्वमिति चेत्, सत्यम्, नास्त्येव तेषु वास्तविकं काव्यत्वम्, रमणीयार्थप्रतिपाद शब्दत्वाभावात् । तैस्तु गतानुगतिकतयैव प्राचीनाना महाकवीना परम्पराया अनुरोधेन तथा विहितम्, न तु वस्तुतत्त्वविवेकेन । तद्विवेकपुरस्सरं प्रवर्तमानैरस्माभिस्तु तातकूपक्षरजलन्यायेन तदुपेक्षितमेव, असद्विषये महाजनानुसरणस्यानौचित्यात् ।

तदाहुरिह शास्त्रिणः—‘सर्वथाऽर्थरहितसञ्जिवेशमात्रे चमत्कृत्यनिर्वाहकतया दुष्करशब्द सञ्जिवेशनिर्वाहणीयविशिष्टवाक्यार्थधीजनकस्यैकाक्षरादिचित्रस्य कथञ्चिदपि कृत्याकृत्यप्रवृत्तिनिवृत्त्यौदासीन्याच्चमत्कृतिविशेषजनकत्वेऽपि काव्यत्वं नाङ्गीक्रियते । इति ।

वयन्तु—न एकाक्षरादिचित्रेषु सर्वथाऽर्थराहित्यम्, चमत्कृतिराहित्यं वा, अनुभव-विरोधात्, तच्छुश्रूषया प्रेक्षावत्प्रवृत्त्यनुपपत्तेश्च । आर्थिक एव चमत्कार काव्यत्वप्रयोजके न तु शाब्दिक इति त्वभियुक्तोक्त—चित्रोदाहरणेष्वव्याप्तिमुपेक्षमारोण प्राचीनस्थितिलङ्घनैक-व्रतेन भवतैव केवलं व्याहियते, न तु केनाप्यन्येन । कृत्याकृत्यप्रवृत्तिनिवृत्त्यौदासीन्य तु ‘भम धम्मिअ !’ इत्यादावपि तुल्यमेव । एवं सत्यर्थचमत्काराच्छब्दचमत्कारस्य निकर्षेऽपि प्राचीनकविपरम्पराऽनुमत निकृष्टकाव्यत्वमेकाक्षरादिचित्रेषु निर्वाधमेवेति विद्मः ।

किन्तु ‘एकाक्षरपद्य’ आदि रचनाओं में जब अर्थकृत चमत्कार विलकुल नहीं रहता, तब तो वे शब्द रमणीय अर्थ के प्रतिपादन करने वाले नहीं हुए, फिर तो मेरे हिसाब से उन शब्दों में काव्य का सामान्य लक्षण ही सङ्घटित नहीं होता, अतः काव्यप्रमेदों में उनकी गणना करने की बात सर्वथा असङ्गत है । यद्यपि महाकवियों ( माघ आदि ) ने प्राचीन परिपाटी के अनुरोध से अपने काव्यों में जहाँ तहाँ उस तरह की रचनायें की हैं, तथापि हमने उस तरह का काव्य-भेद इसलिये नहीं माना कि वास्तविकता का ही अनुरोध करना उचित है न कि अन्धपरम्परा का ।

मम्मटादिसम्मतं काव्यस्य त्रिप्रकारत्वमात्रं निराकर्तुमुपक्रमते—

केचिदिमानपि चतुरो भेदानगणयन्त उत्तममध्यमाधमभावेन त्रिविधमेव काव्यमाचक्षते ।

केचित् काव्यप्रकाशकारप्रभृतय प्राचीनाचार्याः, इमानिहोक्तानुत्तमोत्तमादीन, चतुर काव्यस्य भेदान् प्रकारानपि, अगणयन्तोऽमन्वाना उत्तमत्वेन मध्यमत्वेनाधमत्वेन च त्रिविध त्रिप्रकारकमेव, न तु चतुष्प्रकारक काव्यमाचक्षते कथयन्तीत्यर्थः । नामानुल्लेखेन तन्मतेऽरुचि सूच्यते ।

कुल्ल सज्जन काव्य के ये चार भेद नहीं मानते । वे—उत्तम मध्यम तथा अधम—तीन प्रकार के ही काव्य मानते हैं ।

निराकरोति—

तत्रार्थचित्र-शब्दचित्रयोरविशेषेणाधमत्वमयुक्तं वक्तुम्, तारतम्यस्य स्फुट-मुपलब्धेः ।

अर्थालङ्कारयुक्तमविवक्षितव्यङ्ग्यं ह्यर्थचित्रम्, शब्दालङ्कारयुक्तमविवक्षितव्यङ्ग्यन्तु शब्दचित्रम्, तयोरविशेषेण तुल्यतया, अधमत्व निकृष्टकाव्यत्व वक्तुमयुक्तम्, तारतम्यस्य तयोर्न्यूनाधिकभावस्य, स्फुट स्पष्टम्, उपलब्धेरनुभवादित्यर्थः ।



ससम्भ्रमेन्द्रद्रुतपातितार्गला निमीलिताक्षीव मियाऽमरावती ॥<sup>१</sup>

तथा

सच्छिन्नमूल. क्षतजेन रेणुस्तस्योपरिष्ठात्पवनावधूतः ।

अङ्गारशेषस्य हुताशनस्य पूर्वोत्थितो धूम इवाऽऽवभासे ॥<sup>२</sup>

इत्यादि काव्यों के साथ—

स्वच्छन्दोच्छलदच्छकच्छकुहरच्छातेतराम्युच्छृटा

मूर्च्छन्मोहमहर्षिहर्षविहितस्नानाङ्गिकाऽङ्गाय वः ।

भिन्द्यादुद्युदारदहुरदरी दीर्घा दरिद्रद्रुम-

द्रोहोद्रेकमहोर्मिमेदुरमदा मन्दाकिनी मन्दताम् ॥<sup>३</sup>

इत्यादि काव्यों का केवल निम्नश्रेणी के अल्पज्ञ जन जिनकी प्रशंसा करते हैं, साम्य कह सकता है। और तारतम्य के रहने पर भी यदि दोनों को एक भेद में गिना जाय, तब जिनमें बहुत ही कम (व्यङ्ग की प्रधानता और अप्रधानता का ही) अन्तर है, उन 'वृत्ति' तथा 'गुणीभूतव्यङ्ग्य' को अलग अलग भेद में गिनने का दुराग्रह क्यों? अतः काव्य के चार भेद मानना ही युक्तिसङ्गत है।

ननु यत्र लक्ष्ये शब्दचमत्कृतिरर्थचमत्कृतिश्च सहैव तिष्ठत, तस्यातिरिक्तप्रकारत्वं स्यादिति चेत्, न तयोश्चमत्कृत्योः सामानाधिकरण्येऽपि सूक्ष्मेक्षिकया क्वचिदेकस्याः प्राधान्यमपरस्या अप्राधान्यं लक्षितं स्यादेव । ततश्च पूर्वोक्तलक्षणानुसारमर्थचमत्कृतेः सूक्ष्मेऽपि प्राधान्ये मध्यमकाव्यत्वम्, शब्दचमत्कृते प्राधान्येऽचमकाव्यत्वं व्यपदेश्य-मित्याह—

यत्र च शब्दार्थचमत्कृत्योरैकाधिकरण्यम्, तत्र तयोर्गुणप्रधानभावं पर्यालोच्य यथालक्षणं व्यवहर्तव्यम् ।

ऐकाधिकरण्यं समानाधिकरणत्वम् ।

जिस लक्ष्य में शब्द-चमत्कार और अर्थ-चमत्कार दोनों साथ साथ हों, वह क्या काव्य का एक अतिरिक्त (पञ्चम) भेद होगा? नहीं तो उसका समावेश किस भेद में होगा? इसका उत्तर देते हैं—'यत्र च' इत्यादि। आशय यह है कि यदि किसी काव्य में शब्द और अर्थ दोनों का चमत्कार एक साथ रहेगा, तब वहाँ विचार से काम लेना होगा

१ इस पद्य में हयग्रीव राक्षस का प्रभाव वर्णित है। इसका अर्थ इस प्रकार है—अपने शत्रुओं को सम्मान देने वाले तथा अनिष्टजनों के सम्मान को नष्ट करने वाले जिस हयग्रीव का स्वेच्छापूर्वक भी (न कि आक्रमण करने के लिये) अपने मवन से निकलना सुनकर घबड़ाए हुए शत्रु के द्वारा शीघ्रता से गिरवाई गई हैं अर्गलें (कीलें) जिसमें ऐसी अमरावती (देव-पुरी) मानो भय से नेत्र मूँद ली है।

२ यह पद्य युद्ध वर्णन के प्रसङ्ग का है। इसका अर्थ इस प्रकार है—सैन्य-सम्मर्द से जो धूलि उठी, उसकी जड़ शोणित ने काट दी अर्थात् शोणित से धरा आर्द्र हो गई जिससे भूतल से ऊपर उठती हुई धूलि का तौता टूट गया, पर अकाश में धूलि उड़ती ही रही। (इस अवस्था में) वह धूलि ऐसी शोभित होती थी मानो आग के केवल अङ्गारे शेष रह गए हैं उससे जो पहले निकल चुका था वह धुआँ ऊपर उड़ रहा है।

३ यह गङ्गा का वर्णन है। इसका अर्थ इस प्रकार है—वह गङ्गा आपकी मन्दता-अज्ञता को शीघ्र दूर करे, जल प्रायः प्रदेश के गड्ढों में छान = दुर्बल-तदितर = प्रबल, स्वतन्त्रतापूर्वक उछलते हुए, और स्वच्छ जल की परम्परा से नष्ट हो रहे हैं मोह-अज्ञान जिनके ऐसे महर्षिगण, हर्षपूर्वक जिसमें स्नान तथा दैनिक कर्म (सन्ध्यावन्दन) करते हैं और जो (गङ्गा) दोख पढ़ने वाले, विशाल मेढकों का आवास स्थानभूत कन्दराओं से युक्त है और बड़े बड़े पेड़ों के द्रोह (गिराने) में अधिक-शक्तिशाली मद्दान् तरङ्ग ही जिस (गङ्गा) का गहरा गर्व है।



प्रसादनामाऽर्थगुणः, सूर्यरूपे तेजस्सद्भाते पुष्पन्धयोह्लासत्व-कौकसीमन्तिनीशोकनिस्तारत्व-तामसोत्पातत्व-चक्षुःपक्षपातत्वलक्षणधर्मचतुष्टयारोपात् 'तद्रूपकमभेदो य उपमानोपमेययोः 'माला तु पूर्ववत्' इति प्रकाशलक्षितं मालारूपकम्, उल्लासादिधर्मकारणस्य तेजःपुञ्जस्थो ल्लासादिकार्यैरभेदेनाभिधानात् 'अभेदेनाभिधा हेतुर्हेतोर्हेतुमता सह' इति पुनर्दर्पणलक्षिते हेत्वलङ्कारो वा वाच्यार्थं प्रसाधयतीति शब्दस्यार्थस्य च चमत्कारस्तुल्यकश्च एवेत्युभयो प्राधान्यान्मध्यमकाव्यत्वम् । शब्देऽलङ्कारगुणयोरर्थे च गुणालङ्कारयोःपन्यासेनात्र क्रम विपर्यासोऽवश्येयः । ताद्रूप्यारोपापेक्षया तादात्म्याध्यासे विच्छित्तिविशेष इत्यर्थालङ्कारान्तरो पादानस्य निदानम् । 'यत्तूल्लासादीना तत्कार्यत्वात् कथ रूपक'मित्यलङ्कारान्तरोपादानवीज प्रदर्शनं टीकाकृतः, तच्चिन्तनीयम्, 'मुखं चन्द्र' इत्यादावपि बाधग्रहे जाप्रत्येव तत्त्वारोपाद् रूपकस्य सर्वसम्मतत्वात्, कार्यकारणयोरभेदस्याप्येवं बाधप्रासादलङ्कारान्तरोपादानस्था-प्यसङ्गतत्वाच्च ।

शब्द और अर्थ दोनों का चमत्कार जहाँ समानरूप से प्रधान है ऐसे उदाहरण का निर्देश करते हैं—'यथा, उल्लासः' इत्यादि । 'मयूरभट्ट' अपने सूर्यशतक नामक ग्रन्थ में उदयाचलावलम्बी प्रातः कालिक मूर्य का वर्णन करते हैं । खिले हुए कमलों के समूह से निकलते हुए अथवा खिले हुए कमलों के समूह पर गिरते हुए ( रातभर मधुपान करने के कारण अथवा मधुपान की आशा से ) मत्त, भ्रमरों का उल्लास, ( आनन्ददायक ) शोकरूप दावानल से विकल हृदय वाली चक्रवाकियों का निस्तार ( प्रिय-वियोग-सम्पादक होने से शोक-कारणीभूत-रात्रि का अन्त करके दुःख का नाशक ) अन्धकार के समूहों का उत्पात ( नाशक ) और अन्धकार के कारण जिनके तेज नष्ट हो गए हैं उन नेत्रों का पक्षपात, ( सहायक ) यह कोई तेज-पुञ्ज, उदयाचल के प्रान्त-भाग से प्रादुर्भूत हुआ ।

तदेवाह—

अत्र वृत्त्यनुप्रासप्राचुर्यादौजोगुणप्रकाशकत्वाच्च शब्दस्य, प्रसादगुणयोगाद-नन्तरमेवाधिगतस्य रूपकस्य हेत्वलङ्कारस्य वा वाच्यस्य, चमत्कृत्योस्तुल्यस्क-न्धत्वात् सममेव प्राधान्यम् ।

लकारादीनामप्यावृत्तेर्वृत्त्यनुपप्रासस्य प्राचुर्यम् । ओजस शब्देन सह व्यङ्ग्यव्यञ्जकभा-वात् प्रकाशनोक्ति । तुल्यस्कन्धत्व साम्यम् । अन्यत् सुगमम् ।

यहाँ पकारादि अक्षरों की वारवार आवृत्ति होने से वृत्त्यनुप्रास की प्रचुरता है और सम्पूर्ण श्लोक में उस वृत्त्यानुप्रास के वर्तमान रहने से इस पद्य की पदावली 'भोजगुण' को व्यक्त करती है, इसलिये इस पद्य में शब्द का चमत्कार प्रधान है और प्रसाद-गुण युक्त होने से शब्द-श्रवण के बाद क्षीघ्र ज्ञात हुए 'रूपक' अथवा 'हेतु' अलङ्कार-रू-वाच्य-अर्थ का चमत्कार भी प्रधान ही है । अतः इस पद्य को मध्यम काव्य कहना उचित है

अथ रसध्वनिलक्षणाय समासेन ध्वनिप्रकारान् निर्हेष्टुमवतरणमभिदधाति—

तत्र ध्वनेरुत्तमोत्तमस्यासङ्गधमेदस्यापि सामान्यतः केऽपि भेदा निरूप्यन्ते-

तत्र तेषु चतुर्षु काव्यप्रकारेषु मध्ये, उत्तमोत्तमस्य पूर्वोक्तलक्षणस्य ध्वने । असङ्गध भेदस्यापि विभावादिभेदानन्त्यप्रयोज्यानन्तप्रकारकत्ववद्-रसादिध्वनिघटितत्वात् प्रति स्त्रिकरूपेणागणनीयप्रकारस्यापि, सामान्यतोऽविशेषरूपेण, केऽपि साधारणा, भेदा प्रकारा, निरूप्यन्ते प्रतिपाद्यन्त इत्यर्थः ।

यद्यपि रसादिध्वनिघटितत्वाद् ध्वनिप्रकारा विशेषरूपेण सङ्गधातुमशक्या इति तन्नि-रूपणमशक्यमेव । तथापि केचन परिगणिता विवक्षितान्यपरवाच्या-विवक्षितवाच्यत्वादिसा-मान्यधर्मपुरस्कारेण भेदा इह निरूप्यन्त इति सारम् ।





रसादिध्वने' परमरमणीयत्वं तु 'काव्यस्यात्मा स एवार्थ' इतीतरव्यवच्छेदार्थमेवकारसु पनिवध्नता ध्वनिकृताऽपि प्रतिपादितम् ।

इस तरह ध्वनि-काव्य के सामान्यतः पांच भेद हैं । उनमें 'रस-ध्वनि' सबसे अधिक रमणीय ( आस्वाद-जनक ) होता है, इसलिये रसध्वनि की आत्मा ( साररूप होने से प्रधान ) जो 'रस' है, उसका निरूपण पहले करते हैं ।

प्रथममाचार्याभिनवगुप्तादिसम्मतं रसस्वरूपमाह—

समुचित-ललित-सन्निवेशचारुणा काव्येन समर्पितैः, सहृदय-हृदयं प्रविष्टैः, तदीयसहृदयतासहकृतेन, भावनाविशेषमहिम्ना, विगलितदुष्यन्तरमणीत्वादिभिरलौकिकविभावानुभावव्यभिचारिशब्दव्यपदेश्यैः, शकुन्तलादिभिरालम्बनकारणैः, चन्द्रिकादिभिरुद्दीपनकारणैः, अश्रुपातादिभिः कार्यैः, चिन्तादिभिः सहकारिभिश्च, सम्भूय प्रादुर्भावितेनालौकिकेन व्यापारेण, तत्काल-निवर्तितानन्दांशावरणाज्ञानेनात एव प्रमुष्टपरिमितप्रमातृत्वादिनिजधर्मेण प्रमात्रा, स्वप्रकाशतया वास्तवेन, निजस्वरूपानन्देन सह गोचरीक्रियमाणः प्राग्विनिविष्टवासनारूपो रत्यादिरेवरसः ।

समुचितो रसादिप्रतीत्यनुकूलः, अत एव ललितो मनोरम, सन्निवेश शब्दार्थयोर्युष्मन्नम्, तेन चारुणा सुन्दरेण, काव्येनोचलक्षणेन कविकर्मविशेषेण, समर्पितैरुपस्थापितैः, अत एव सहृदयाना सचेतसा, ( न त्वसचेतसामपि ) हृदयं प्रविष्टैश्चमत्कारितया मनोरमैः, तदीया तेषां सहृदयसामाजिकाना सम्बन्धिनी ( तन्निष्ठा ) या सहृदयता वैदग्ध्यं ( रसास्वादनचातुरी ) तथा सहकृतेन विहितसाहाय्येन ( उपोद्धलितेन ) भावनाविशेषस्य सहृदयेतरदुष्करत्वाद् विलक्षणस्य शाश्वतिकतदर्थानुसन्धानस्य, महिम्ना प्रभावेण, विगलित प्रतीत्यविषयीभूत शकुन्तलादिनिष्ठो दुष्यन्तरमणीत्वादिलौकिकोऽसाधारणधर्मो येषां तैः, लोकोत्तर-विभावानुभावन-व्यभिचारणव्यापारवत्तयाऽलौकिकविभावानुभाव-व्यभिचारि ( भाव )-शब्दैः ( नामभिः ) व्यपदेश्यैर्व्यवहार्यैः, शकुन्तलादिभिः ( आदिशब्दो नायिकान्तरबोधक ) आलम्बनकारणैरालम्बनविभावाख्यैः, चन्द्रिकादिभिः ( आदिना स्रक्चन्दनादिग्रहणम् ) उद्दीपनकारणैरुद्दीपनविभावाख्यैः, अश्रुपातादिभिः ( आदिपदेन कटाक्षभुजक्षेपादि गृह्यते ) कार्यैरनुभावाख्यैः, च पुन, चिन्तादिभिः ( आदिपदं लज्जादिग्राहकम् ) सहकारिभिर्व्यभिचारिभावाख्यैः, ( प्रतीतिगोचरीक्रियमाणैः ) सम्भूय विभाव्यविभावकभावादि सम्बन्धैर्मिलित्वा, प्रादुर्भावितेनोत्पादितेन, अलौकिकेन लोकोत्तरेणाद्भुतेनेति यावत्, व्यापारेण भावकत्वापरपर्यायेण भावनाविशेषरूपेण ( कारणेन ), तत्काले तस्मिन् भावनाधिकरण एव समये, तत्काले वा, निवर्तितमपसारितम्, आनन्दांशस्य चिदात्मरूपस्य, आवरणमवरोधकमज्ञान यस्य, तादृशेन ( भावनाविशेषापसारित-सच्चिदानन्दस्वरूपात्माज्ञानेनेति प्रमातृविशेषणम् ), अत एव-आवरणरूपाज्ञानापसारणादेव ( यावत्प्रमेयप्रत्ययसम्भवात् ) प्रमुष्टो लुप्त परिमितप्रमातृत्वादिरियत्तावत् ( परिच्छिन्न ) पदार्थज्ञातृत्वप्रभृतिर्निजधर्मो जीवात्मनैसर्गिकधर्मो यस्य, तादृशेन, प्रमात्रा ज्ञात्रा ( सहृदयेन ) स्वप्रकाशतया ( तादृशज्ञानस्यात्माभेदेनात्मनैव प्रति-

मानन्द) प्रकाशान्तराप्रकाश्यत्वेन, वास्तवेन प्रान्मक-प्रत्यक्षविषयतया नत्येन, 'नत्यं गितमानन्द ब्रह्म' इत्यादिश्रुतेर्निजस्यात्मन स्वरूपेणानन्देन, सहाभेदेन ('रमोऽहम्' इत्यादिप्रतीति) गोचरीन्द्रियनाणोऽनुभूयमान, प्राक् पूर्वं जन्मान्तरेऽत्र जन्मति च, त्रिनिविष्टाऽन्तःकरणे प्रविष्टा, वासना रत्यादिद्विषयकनस्कारविशेष एव रूपं यस्य, तादृशो रत्यादी रत्यान्तःप्रवृत्तिस्तनद्रसस्थाधिभाव एव रस इत्यर्थः ।

रसुच्यते—रजस्तमोऽभिभवेन नत्त्वगुणोत्कर्षे, श्रव्यकाव्यश्रवणेन, दृश्यकाव्याभि-  
न्यदर्शनेन वा, धन्याना केपाचन सहृदयाना हृदये, रत्यादे, शकुन्तला-चन्द्रिकाप्रवृत्ती-  
न्यालन्यनोदीरनकारणानि, श्रुपातादीनि कार्याणि, चिन्तादीनि सहकारिकारणानि च, वस्तु-  
मौन्दर्षेण चर्व्यमाणानि, सहृदयसामाजिकनिष्ठवैदर्भीपरिपोषिताया भूयोभूयोऽनुनन्दान-  
लम्पविलक्षण-भावनाया वल्लेन, लौकिकासाधारण-शकुन्तलात्व-दुष्यन्तरनर्णीत्यादि-  
धर्माणा प्रमोद्रेऽनौकिक-नाधारण-कान्तात्वादिधर्मपुरस्कारेण ज्ञायमानान्यलौकिकविभावनादि-  
व्यापारयत्नयाऽनौकिकविभात्रादिपदनाच्यत्व प्रतिपद्यन्ते । तैश्च परस्परं सङ्गते प्रमत्ताद-  
लौकिके भावकन्त्यापार प्रादुर्भाव्यते । तेन तु व्यापारेण, सद्य एव, सच्चिदानन्दरूप-  
स्यात्मनो दीपत्येव शरावादिरावणत्वमज्ञानमपसार्यते । अथाहानस्य विगलनादेव, तस्य  
नचेतन, परिच्छिन्नज्ञातृत्वमित्यत्तानियन्त्रितवस्तुनात्रवेदित्वादिर्षेया, तेषु जीवधर्मेषु विन-  
टेषु, नमुज्जृम्भितेषु च सार्वश्यादिषु परमात्मधर्मेषु, रसस्यात्मनश्च नित्यत्वाज्ञानरूपत्वा-  
दानन्दरूपत्वाद्यभेदेन, जन्मान्तराणामेतज्जन्मनश्च वासनाख्यमस्काररूपेण पूर्वं हृदि प्रविष्टो  
भोजकन्त्यापरप्रयित्वा रननाव्यापारेण, आस्वादपदवीं नीयमानो रत्यादिस्तत्तद्रमस्थायी भाव  
एव रमोऽस्ति ।

तथा चोक्तम्—

'विभावेनानुभावेन व्यक्त सञ्चारिणा तथा । रसतानेति रत्यादि स्थायीभाव सचेतनाम् ॥'

'नन्वोत्रेकादत्र गड-स्वप्रकाशानन्दचिन्मय । वेद्यान्तरस्पर्शशून्यो ब्रह्मास्वादसहोदर ॥

एकेनरचनत्कारप्राण वैश्विन् प्रमातृभिः । स्वाकारवदभिन्नत्वेनायमास्वाद्यते रम ॥'

'पुनन्त प्रनिष्पन्ति योगिकद्रससन्ततिम् । सवासनाना सभ्याना रसस्यात्वादन भवेत् ॥'

निर्वासनास्तु रान्तःकाष्ठकुड्याग्मसज्जिभा ॥ इत्यादि ।

जय रम-निरूपण-प्रसङ्ग में सर्वप्रथम 'मम्मट तथा अभिनवगुप्त' वाटि विद्वानों के अभिनव-रम-स्वरूप का उल्लेख करते हैं—'मनुचिन् इत्यादि । अभिप्राय यह है कि अपने जीवन में मनुष्य बहुतेरे भावों का अनुभव करता है, वह कभी किसी से प्रेम करता है, तो कभी किसी का शोक, कभी किसी पर क्रोध करता है तो कभी किसी पर घृणा, कभी किसी से भय खाता है, तो कभी किसी काम में उत्साह दिखलाना है, कभी किसी पर ईर्ष्या है, तो कभी किसी बात पर आश्चर्य ( चिन्मय ) प्रकट करता है । इसी तरह कभी यह शान्ति का अनुभव भी करता है । ये अनुभव तो नष्ट हो जाते हैं, परन्तु मनुष्य के रूप में उनका स्फुरण मदा के लिये अमिट हो जाता है अर्थात् वाचनारूप में वे सब भाव मानवों के हृदय में सर्वदा दमने लगते हैं । वे ही वाचनारूप से मानव हृदयों में दमने वाले भाव साहित्यशास्त्र में रति, शोक, क्रोध, जुगुप्सा, भ्रान्ति, उत्साह, हान, चिन्मय और शम एन नामों से स्थायीभाव कहलाते हैं, जो वस्तुन एक प्रकार की चित्तवृत्तियाँ हैं, जिनका वर्णन विशदरूप से आगे स्वयं ग्रन्थकार करेंगे । जय वे स्थायीभाव 'रम' गितमानन्द' इत्यादि वेदवाक्य के अन्तर्गत रम्य तथा विज्ञानरूप होने से न्यत प्रकाशमान आनन्द के साथ अनुभूत होते हैं, तब वे ( स्थायीभाव ) ही 'रम' मजा

को प्राप्त करते हैं। उसी अवस्था में 'रसोऽहं' ऐसी प्रतीति हुआ करती है। परन्तु उ स्थायीभावों को आत्मानन्द का साथ तब तक नहीं हो सकता, न उनके साथ उनका अनुभव ही तबतक किया जा सकता, जबतक उस आनन्द स्वरूप आत्मा के ऊपर ज अज्ञान का आवरण छाया रहता है, वह हट नहीं जाय, अतः उस आवरण को हटाने लिये एक अलौकिक व्यापार ( क्रिया ) की सृष्टि की जाती है। जिस ( व्यापार ) का ना है, 'भावकत्व'। जब वह लोकोत्तर व्यापार, आनन्द-स्वरूप-आत्मा को ढकने वाले उ अज्ञानावरण को हटा देता है, तब अनुभवकर्ता में जो अल्पज्ञता रहती है, वह कुछ पदार्थ का ही ज्ञाता हो पाता है—संसार के समस्त पदार्थों का नहीं, वह नष्ट हो जाती है अर्था मनुष्य में जो जीवधर्म ( अल्पज्ञता परस्पर का भेद-भाव आदि ) रहते हैं, वे लुप्त हो जाते हैं और परमात्म-धर्म-सर्वज्ञत्व आदि जागरित हो जाते हैं। तब उस अनुभवकर्ता को आत्मानन्द के साथ रति आदि स्थायीभावों का अनुभव होने लगता है। उस लोकोत्तर 'भावकत्व' व्यापार की सृष्टि, विभाव, अनुभाव तथा सञ्चारीभाव परस्पर मिलकर कराते हैं। अब यहां उस 'भावकत्व' व्यापार की सृष्टि करने वाले विभाव, अनुभाव एवं सञ्चारी भावों का परिचय प्राप्त करना पाठकों को आवश्यक प्रतीत होगा, अतः सन्धेय में उन भाव का परिचय कराया जाता है। आत्मानन्द के साथ अनुभूत होने पर 'रस' सञ्ज्ञा को प्राप्त करने वाले चित्त-वृत्ति-विशेष-स्वरूप, 'रति' आदि स्थायीभाव जिन कारणों से उत्पन्न होते हैं, वे उन स्थायीभावों के आलम्बन कारण कहलाते हैं, और अपने अपने आलम्बन कारणों से उत्पन्न वे स्थायीभाव, जिनसे उद्दीप्त होते हैं, वे कहलाते हैं उद्दीपन कारण इसी प्रकार उन चित्तवृत्ति-विशेषात्मक स्थायीभावों के उत्पन्न होने पर उनके परिणाम स्वरूप शरीर आदि में जो कुछ विशेष प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं, वे कहलाते हैं कार्य इसी तरह उन चित्तवृत्ति-विशेषात्मक स्थायीभावों के साथ ही कुछ और चित्तवृत्तिय उत्पन्न होती हैं, जो स्थायीभावोत्पन्न चित्तवृत्तियों की सहायता करने के कारण सहकारी कारण कहलाती हैं। उदाहरण के द्वारा ये बातें और अच्छी तरह समझी जा सकती हैं। अतः निम्नलिखित एक उदाहरण पर ध्यान दीजिये—शकुन्तला को देखकर उसके विषय में दुष्यन्त के हृदय में रति-प्रेम उत्पन्न हुआ, अतः उस रति का उत्पादक होने के नाते शकुन्तला आलम्बन कारण हुई, एकान्त स्थान चन्द्र-ज्योत्स्ना, कुसुमित कानन आदि उस प्रेम को उद्दीप्त करने वाले हुये, अतः वे तथा उसी तरह की दूसरी चीजें उद्दीपन कारण हुईं। इस तरह प्रेम के हृद हो जाने पर अकस्मात् शकुन्तला दुष्यन्त के लिये दुर्लभ हो गई, उसके विरह में दुष्यन्त रोने लगे उनका वह रोना उस रति का कार्य हुआ और उस प्रेम के साथ ही दुष्यन्त के हृदय में चिन्ता ने भी जन्म-ग्रहण किया—अर्थात् 'शकुन्तला कैसे मिलेगी' इत्यादि तरह की चिन्ता उस रति की सहायता करने वाली हुई, अतः वह सहकारि-कारण हुई। यह उदाहरण तो केवल शृङ्गार-रस विषयक हुआ इसी तरह कृष्ण आदि रसों के स्थायीभाव शोक आदि के विषय में भी समझना चाहिए। अब उक्त रीति से लोक में जो शकुन्तला प्रभृति रति आदि के आलम्बन कारण होते हैं, चन्द्रिका आदि उद्दीपन कारण होते हैं, उनसे सयोगावस्थान में रोमाञ्च आदि और वियोगावस्था में अश्रुपात आदि कार्य उत्पन्न होते हैं, एवं हर्ष अथवा चिन्ता आदि रति के सहकारी भाव होते हैं, वे ही सब जग, जहाँ जिस रस का वर्णन हो, उसके उपयुक्त तथा सुन्दर शब्दों के गुम्फन से मनोहर काव्यों के द्वारा उपस्थापित होकर सहृदयों के हृदय में प्रविष्ट होते हैं, तब सहृदयता तथा काव्यार्थ के पुन-पुन. अनुसन्धानरूप भावना के प्रभाव से, लौकिक तथा असाधारण शकुन्तलात्व, दुष्यन्तत्व आदि धर्म उनमें से निकल जाते हैं और कान्तात्व आदि अलौकिक तथा साधारण धर्म उनमें आ जाते हैं अतः जो कारण थे वे विभाव, जो कार्य थे वे अनुभाव और जो सहकारी थे वे व्यभिचारी भाव कहलाने लगते हैं। इसी अलौकिकीकरण के लिये 'द्वर्षणकार' आदि आचार्यों ने काव्य में 'साधारणीकृति' नामक एक व्यापार माना है—'व्यापारोऽस्ति विभादेः नास्तौ

पण्डितराज श्रीजगन्नाथ विरचितः

# रसगङ्गाधरः

‘चन्द्रिका’ संस्कृत-हिन्दीव्याख्योपेतः

संस्कृतव्याख्याकारः

मैथिलश्रोत्रियकविशेखर—

पण्डित श्री बदरीनाथ झा

मुजफ्फरपुरस्थराजकीयसंस्कृतमहाविद्यालयस्य भूतपूर्वप्रधानाचार्य.

हिन्दीव्याख्याकारः

व्याकरण-न्याय-साहित्याचार्य—

पण्डित श्री मदनमोहन झा

मुजफ्फरपुरस्थराजकीयसंस्कृतमहाविद्यालयस्य साहित्यप्रधानाध्यापक



— चौखम्बा विद्या भवन, चौक, बनारस-१

यह तो दुम्मा काव्य का सामान्य रेखाचित्र। अब विवेचनीय यह है कि कित्त कितने अपनी प्रतिभारूप तूलिका से रक्ष भरकर उक्त रेखाचित्र का कैसा कैसा रूप तैयार किया है। अभिप्राय यह है कि काव्य के उक्त साधारण लक्षण में परिवर्तन-परिवर्धन करके भिन्न भिन्न आचार्यों के द्वारा आज तक कितने प्रकार के काव्यलक्षण तैयार हुये हैं, वही इत प्रकरण का विवेच्य विषय है।

अबतक प्रायः निम्नलिखित आचार्य प्रधान काव्यलक्षणकार हुये हैं। (१) अग्निपुराणकार (२) दण्डी, (३) रुद्रट, (४) वानन, (५) आनन्दवर्धन, (६) भोज, (७) नम्मट, (८) वाग्भट, (९) पीयूषवर्ध, (१०) विघनाथ, (११) गोविन्दठाकुर और (१२) पण्डितराज जगन्नाथ।

अब यहाँ क्रमश इन्हीं आचार्यों के काव्यलक्षणों की चर्चा संक्षेप में की जायगी।

(१) 'अभिष्ट अर्थ को संक्षेप में प्रकट कर देने वाले पदावली काव्य<sup>१</sup> है' यह लक्षण अग्निपुराण में किया गया है, जिसका स्पष्ट अर्थ यह होता है कि वक्तव्य विषय को सुन्दर ढङ्ग से प्रतिपादित करने वाला नया-तुला पदसमूहात्मक वाक्य काव्य कहलाता है। संक्षेप पद का लक्षण में समावेश करने से लक्षणकार का अभिप्राय यह है कि व्यर्थ पदों का आढन्वर काव्य में नहीं होना चाहिये। अग्निपुराण का निर्माणकाल वद्यपि निश्चित नहीं है, तथापि इतना निश्चित है कि उपलब्ध काव्यलक्षणों में तब से प्रथम लक्षण यही है।

(२) आचार्य दण्डी ने अपने 'काव्यादर्श' नामक निबन्ध में जो काव्यलक्षण किया है, उसे अग्निपुराण के लक्षण से भिन्न नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 'इष्ट अर्थ से व्यवच्छिन्न (नयी-तुली) पदावली काव्य का शरीर<sup>२</sup> है' यह जो उनका लक्षा है, उसमें अग्निपुराणलक्षणगत 'संक्षेपात्' और 'वाक्यन्' इन दो पदों को केवल हटा दिया गया है, जो वस्तुतः व्यर्थ ही थे। कारण यह कि 'व्यवच्छिन्न' तथा 'पदावली' इन दोनों पदों से ही उक्त दोनों पदों के अर्थ निकल जाते हैं। दण्डी का काल अनुमान के आधार पर छठी शताब्दी माना जाता है।

(३) इसके बाद आचार्य रुद्रट ने काव्यलक्षण में एक नईान् परिवर्तन उपस्थित किया। अब तक जो केवल शब्द को काव्य कहा जाता रहा, वह उनको गवेषणात्मक स्वतन्त्रबुद्धि में ठीक नहीं जचा, अत उन्होंने उत्तमें अर्थ को भी जोड़ दिया अर्थात् वे शब्द तथा अर्थ दोनों को काव्य कहने लगे<sup>३</sup>। तात्पर्य यह कि उनके विचार से तन्निहित शब्दार्थ युगल ही काव्य सिद्ध हुआ। विचार करने से उनका कथन बहुत सुन्दर प्रतीत होता है, क्योंकि काव्य पद का मूलभूत अर्थ जो 'कविकी कृति' है, उसके अनुत्तर अर्थ को भी काव्य मानने में किसी तरह को आपत्ति नहीं होनी, कारण यह है कि शब्द को तरह उक्तका अर्थ भी वस्तुतः कवि की ही कृति होता है अर्थात् काव्य में वर्णित अर्थ वास्तविक नहीं होने, वरन् केवल कल्पना-प्रस्तुत रहते हैं, इतिहासप्रसिद्ध पदार्थों को भी कवि अपने ढङ्ग से नवीन रूप में ही उपस्थित करता है। भास को वासवदत्ता, कालिदास की शकुन्तला और श्रौंर्ष की दनयन्ती ऐतिहासिक नायिकायें होकर भी वास्तविक से सर्वथा भिन्न हैं। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि वास्तविक के रान-लक्षण और कृष्णद्वैपायन (वेदव्यास) के कृष्ण अर्जुन भी

१ 'संक्षेपात् वाक्यनिर्घार्थव्यवच्छिन्ना पदावली। काव्यन्' ... ..।

२ 'शरीरं तावदिष्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावली'।

३ 'ननु शब्दार्थौ काव्यन्'।

साधारणीवृत्ति' इत्यादि । इन्हीं अलौकिक विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारीभावों के द्वारा उपादित भावक्य व्यापार से अज्ञान-रूप आवरण के भङ्ग होने पर पूर्वोक्त प्रक्रिया के अनुसार वामनारूप में पहले से हृदय में स्थित और 'भोजकरव अथवा रसना किंवा व्यञ्जना' नामक व्यापार से आस्वाद्य बनाया गया, रत्यादि स्थायीभाव 'रस' है ।

दृग्दर्शस्य प्रामाणिकत्वं प्रकटयति—

तथा चाहु —'व्यक्तः सतैर्विभावाद्यैः स्थायिभावो रसः स्मृतः ।' इति ।

प्राहुरित्यत्र 'काव्यप्रकाशे मम्मटमद्रा' इति शेष । बहुवचनेन तदुक्तौ गौरवं सूच्यते । आचार्य मम्मट भी अपने काव्यप्रकाश में इसी बात को प्रमाणित करते हैं—'व्यक्त' इत्यादि । अर्थात् विभाविकों से जब स्थायीभाव ( रति प्रभृति ) व्यक्त होता है, तब 'रस' कहलाता है ।

गरिकापटक 'व्यक्त' पदं विवृणोति—

व्यक्तो व्यक्तविषयीकृतः ।

रमनाजन्यास्वादाभिन्नचैतन्यगोचरीकृत इत्यर्थ ।

मम्मटोक्त कारिका में विद्यमान 'व्यक्त' पद की व्याख्या करते हैं—'व्यक्तो व्यक्ति-विषयः इति । 'व्यक्त होने' का अर्थ यह है कि चित्त शक्ति का विषय होना—उसके द्वारा भासित होना ।

व्यक्तिरन्यत्र व्यञ्जनं प्रसिद्धेति प्रकृतेऽपि तद्भ्रान्तेरनिरासार्थमाहु—

व्यक्तिश्च भग्नावरणा चित् ।

चञ्चये । भग्नावरणमज्ञान चत्यास्तादृशी शुद्धा चित्चैतन्यमास्वाद इह व्यक्तिर्न तु तदात्वाद गारणाभूता रमनावृत्ति । सा हि—

'मा चैव व्यञ्जना नाम वृत्तिरित्युच्यते बुधै ।

रमव्यक्तौ पुनर्यत्ति रसनाख्या परे विदुः ॥' इति ।

दर्शनेर्लेख्यप्रकारविशेषः ।

व्यक्ति पद का अर्थ अन्यत्र व्यञ्जनावृत्ति प्रसिद्ध है, अतः यहाँ भी उस पद का अर्थ वही होगा इस भ्रम के निराकरणार्थ कहते हैं—'गान्ध्या भग्नावरणा चित्' इति । अर्थात् व्यक्ति पद से यहाँ वह शुद्ध आस्वादनरूप चैतन्य विवक्षित है जिनका अज्ञानरूप आवरण दूर हो गया है, न कि व्यञ्जनावृत्ति ।

निदर्शनप्रदर्शनोक्तमर्थं समर्थयति—

यथा हि शरावादिना पिहितो दीपस्तन्निवृत्तौ सन्निहितान् पदार्थान् प्रकाशयति, स्वयं च प्रकाशते, एवमात्मचैतन्य विभावादिसंवलितान् रत्यादीन् ।

एतेवर्थो हि —

यथा शरावादिना नृत्वात्रविषेण, पिहित आच्छादितो दीपः ( न प्रकाशयति पदार्थान् न वा स्वयं प्रकाशते ) तस्यावरणस्य निवृत्तावपसरणे तु, सन्निहितान् समीपस्थान् पदार्थान् उद्वेदाग्नेः, प्रकाशयति स्वभासा लोकलोचनगोचरीव्योति, स्वयं दीपश्च, प्रकाशते एवमितीति । एव तथा, 'रामेव एतद्रूपत्वाचैतन्यम्, आनन्दरूपस्यावरणस्य विनाशे, सन्निहितान्तरंगवृत्तितया सन्निहितान्, विभाव्यविभावकभावादिसम्बन्धैर्विभावादिभिः प्रकाशितान् मन्त्रज्ञान रत्यादिस्थायिभावान् प्रकाशयति चर्यागोचरीवरोति, स्वयं च 'रसो रसः' इत्येवमेव तदभेदेन प्रकाशते आस्वादादविषयीभवनतौल्यम् ।

एतन्त दिग्गला कर उक्त विषय का समर्थन करते हैं—'... इत्यादि । 'गोरे' इत्यादि से ऐसा हुआ दीपक सन्निहित वस्तुओं को प्रकाशित नहीं करता है, न

प्रकाशित हो पाता है और उस (कशोरे आदि) ढकन के हट जाने पर निकटस्थ वस्तुओं को प्रकाशित करता है तथा स्वयं भी दृष्टिगोचर होता है, इसी तरह आत्मरूप-चैतन्य, अज्ञानरूप-आवरण के हट जाने पर अन्तःकरण-वृत्ति-रूप होने से सन्नहित तथा विभावादि से मिश्रित रति आदि स्थायीभावों को प्रकाशित करता है—आस्वाद का विषय बनाता है और स्वयं भी प्रकाशित होता है—‘रसो वै स’ इस श्रुति के अनुसार रति आदि से अभिन्न होकर आस्वाद का विषय होता है।

ननु ‘मनोबुद्धिरहङ्कारश्चित्त करणमान्तरम्’ इति परिभाषितस्यान्तःकरणस्य, ये घटा वासनारूपा रत्यादयः, ते साक्षादात्मना भासिता भवन्तु, ये तु घटपटादय इव विभावादयोऽन्तःकरणधर्मतो भिन्ना बाह्या पदार्था अन्तःकरणसंयोगेन परम्परयाऽऽत्मना भासनीयाः, तेषां कथं साक्षादात्मभास्यत्वमित्याशङ्क्या व्याहरति—

अन्तःकरणधर्माणां साक्षिभास्यत्वाभ्युपगतेः !

साक्षिभास्यत्व साक्षादात्मभास्यत्वम् । पश्चम्यर्थो हेतुरग्रिमेणा विरुद्ध मित्यनेनान्वेति ।

वेदान्तेऽन्तःकरणधर्मा ज्ञानादयः साक्षादात्मना भास्यत्वात् साक्षिभास्या, बाह्यत्वादनन्तःकरणधर्मा घटपटादिपदार्थास्त्वन्तःकरणद्वारकेण पारम्परिकसम्बन्धेनात्मभास्या इत्यन्तःकरणभास्या मन्यन्ते । एवं सति प्रकृते वासनारूपाणां रत्यादीनामन्तःकरणधर्मत्वात् साक्षिभास्यत्वेऽपि, विभावादीनामन्तःकरणद्वारेण घटादीनामिव परम्परसम्बन्धेनात्मभास्यानां साक्षादात्मभास्यत्व विरुद्धमिति न विभावनीयम्, लोके नायिकादिपदार्था घटादय इव बाह्या अपि, काव्ये लोकोत्तरविभावनादिव्यापारवत्तयाऽलौकिकाश्वर्षणावसरे रत्याद्येकीभूतास्तद्वदन्तःकरणधर्मतां भजन्त साक्षिभास्या भवन्तीति सङ्गते सत्त्वादित्याकृतम् ।

‘रति आदि स्थायीभावों को आत्म-चैतन्य प्रकाशित करता है’ इसमें युक्ति बतलाते हैं—‘अन्तःकरण’ इत्यादि । तात्पर्य यह है कि वेदान्त-दर्शन के अनुसार संसार के सभी पदार्थ मिथ्या हैं अर्थात् नहीं हैं, सत् केवल आत्मा (ब्रह्म) है, बाह्य घट, पट आदि पदार्थ, आत्मा के वृत्ति-रूप हैं अर्थात् अन्तःकरणरूप नली के द्वारा आत्मा-प्रकाश ही घट-पट-रूप में भासित होता है, और अन्तःकरण की वृत्तियाँ सुख-दुःख आदि भी आत्मा-प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं, अन्तर केवल यह होता है कि बाह्य-पदार्थों को प्रकाशित करने में आत्मा को अन्तःकरण की सहायता अपेक्षित होती है और अन्तःकरण वृत्तियों (सुख आदि) को प्रकाशित करने में उसकी सहायता अपेक्षित नहीं होती, उनको आत्मा स्वयं प्रकाशित करती है अतएव अन्तःकरण वृत्तियाँ साक्षि (आत्म) भास्य कहलाती हैं । रति आदि स्थायीभाव भी अन्तःकरण के धर्म (वृत्तियाँ) हैं अतः साक्षि-भास्य हैं—आत्मा से प्रकाशित होने वाले हैं ।

तदेव दृष्टान्तद्वयदर्शनेन द्रढयति—

विभावादीनामपि स्वप्नतुरगादीनामिव, रङ्गरजतादीनामिव, साक्षिभास्यत्वमविरुद्धम् ।

अपीरत्यादिसमुच्चायक । स्वप्नतुरगादिः स्वप्नावस्थादृष्टान्तः, रङ्गरजतादिस्तु जाग्रदृशा-दृष्टान्त इत्युभयनिर्देशः । तुरगोऽश्वः, रङ्ग रजतं च घातुः ।

यथा—स्वप्नदशायां प्रत्यक्षीक्रियमाणास्तुरगादयो बाह्यपदार्थाः काल्पनिका इन्द्रियव्यापारोपरमात् साक्षादात्मनैव भास्याः । यथा वा-जाग्रदृशायां चाकचिक्यदोषाद् रङ्गे रजतस्य भ्रान्तौ जायमानायां रजतं बाह्यं प्रातिभासिकमितीन्द्रियसयोगशून्य साक्षादात्मभास्य, तथैव नायिकादयोऽपि बाह्या अपि भावनावलम्बिताः साक्षादात्मभास्या इतीह न कोऽपि विरोध इति तात्पर्यम् ।

रति आदि स्थायीभाव अन्तःकरण के धर्म होने के कारण साक्षि-भास्य हो सकने है परन्तु विभाव आदि अर्थात् शकुन्तला प्रमृति—जो घट-पट के जैसे बाह्य-पदार्थ है—का केवल क्षामा के द्वारा भान कैसे होगा—साक्षिभास्य वे कैसे कहलायेंगे अर्थात् उनके भान में घट आदि बाह्य पदार्थों के जैसे क्षामा को अन्तःकरण की सहायता लेनी पड़ेगी, इसका उत्तर ग्रन्थकार देते हैं—‘विभावादीनामि’ इत्यादि । अभिप्राय यह है कि घड़े, रत्न और रजत वे सब बाह्य पदार्थ हैं अतः साक्षिभास्य कहलाने योग्य नहीं हैं परन्तु अपने में जब घड़े का ज्ञान होता है अथवा जागते में जब रत्नों में रजत का भ्रम, दूरत्व तथा वाक्चिह्न्य आदि शेषों से होता है, तब वे ( घड़े तथा रजत ) साक्षिभास्य ही माने जाते हैं अर्थात् केवल क्षामा के द्वारा ही उन चीजों का भान होता है, क्योंकि उस अवस्था में वस्तुतः वे चीजें हैं नहीं केवल काल्पनिक हैं, उसी तरह उन विभावादि को भी साक्षिभास्य मानने में कोई विरोध नहीं अर्थात् शकुन्तला आदि भी भावनारूढ होने पर वास्तविक नहीं काल्पनिक ही है अतः उस अवस्था में उन सबों का भान भी आत्मचेतन्य-मात्र से हो सकता है बाह्य चक्षुरादि इन्द्रियों से नहीं ।

नन्वेवामान्नैतन्त्याभिपत्वाङ्गकारे रमस्य नित्यत्वे, ‘उत्पन्नो रमः’ ‘विनष्टो रसः’ इति नवानुभवगोचरौ तदुत्पत्तिविनाशौ क्यमुपपादनीयाविति शङ्का समादधाति—

व्यञ्जकविभावादिचर्चणाया आवरणभङ्गस्य वोत्पत्तिविनाशाभ्यामुत्पत्तिविनाशौ रम उपचर्येते. वर्णनित्यतायाभिव, व्यञ्जकतात्वादिव्यापारस्य गकारादौ ।

व्यञ्जकत्वं रमादिनिरूपितम् । चर्चणाऽऽस्ताद । आवरणभङ्गं प्रागुक्ताङ्गाननाश । उत्पत्तिविनाशाभ्यामिति हेतौ पद्यमी, उत्पत्तिविनाशयो. सत्त्वादिति बोधयति । उपचार आरोप । वर्णना नित्यता वैयाकरणाना मीमांसकाना चाभिमतम् । गकारादावुत्पत्तिविनाशावुपचर्येते इति नम्यन्तः ।

यथा वैयाकरणादिनते ‘उत्पन्नो गकारः’ ‘विनष्टो गकारः’ इत्यादिप्रतीतिगोचरयोस्त्यति-निनाशयोर्नित्येषु रूपेषु वस्तुतोऽनन्भवान् तद्व्यञ्जकतात्वादिव्यापारेषु च नमन्ववादारोप, तद्यथा रमादिषु नित्येषु ‘उत्पन्नो रमः’ ‘विनष्टो रसः’ इत्यादिप्रतीतिगोचरयोस्त्यतिविनाशयो रमादिव्यापारयो विभावादिचर्चणाया विचिन्तनयोर्धर्चणाविषयीभूतेषु रसादिष्वारोप इत्यर्थः ।

रमादिव्यञ्जकविभावादिचर्चणाया रमाद्यभिन्नतया वान्तविरावुत्पत्तिविनाशौ न नमन्ववत इति पट्टादिकथेषु विचिन्तनोत्पत्तिविनाशौ प्रथम कादाचित्कत्वेन नाधर्म्येन रसादिचर्चणाया, पश्चात् तत्पिपयता रमादिष्वारोप्येते इति नागन्तव्यन्यामावेऽप्यारोपानांकरत्वात्तच्च पान्तमुपस्थापितमावरणभास्य चेति । आवरणभङ्गोत्पत्तिविनाशयोर्विभावादिव्यञ्जकता-भिन्नताङ्गानाशे इति तदर्थः । तथा चोक्तम्—‘यद्यपि रमानन्वयतश्च चर्चणस्यापि न कर्तव्यम्, तथापि तत्र कदाचित्कतयोपचारितेन सात्त्विकेन गर्भेनमुपचर्येते ।’ इति । ‘गकारस्या-कारणतया नान्वादिव्यापारस्य गकारादौ इति नोदितम्, इत्यन्वयगन्तव्येऽप्यारोपस्य, स्थानेषु च कथञ्चन प्रापन्त्येतेपदेसात् ‘व्यञ्जकतात्वादिव्यापारस्य गकारादौ’ इति नूते पठितु-मुचितम् । तथा व्यापारस्य = ‘उत्पत्त्यादेः’ इति व्यपव्यापयन्तम्, वर्णानां गकारत्वात्-परिष्कारिता एव तद्व्यापारपदार्थत्वाद्दुत्पत्तेर्गमिष्येते । तदन्वयत्वेन तद्विषयत्वात् ।

रम को ‘राम-घेतन्य-स्वरूप मानने पर ‘रम उत्पन्न हुआ, रम विनष्ट हुआ’ इत्यादि उपचार जनित हो जायेंगे क्योंकि आत्म-घेतन्य निष्प दे, अतः तत्स्वरूप रम भी निष्प होगा, रम रूढ़ का समाधान करते हैं—‘रमः उत्पन्न इत्यादि । जब वैचारिकों के मन में वर्णों को निष्प मानने पर भी उन्हें ( वर्णों के ) व्यञ्जक, कष्ट तालु आदि स्थानों के व्यापारों में होने वाले उत्पत्ति तथा विनाश के आरोप वर्णों में करके ‘गकार उपपन्न हुआ,



गकार विनष्ट हुआ' इत्यादि व्यवहार होते हैं, उसी प्रकार रस के नित्य होने पर भी उस (रस के) व्यञ्जक विभावादि-चर्वणा अथवा आवरण-भङ्ग में होने वाले उत्पत्ति औ विनाश रस में आरोपित होते हैं, जिससे 'रस उत्पन्न हुआ, विनष्ट हुआ' इत्यादि व्यवहार किये जाते हैं। यहाँ 'विभावादि-चर्वणा' का उल्लेख कर पुनः 'अथवा आवरण-भङ्ग' ऐसा उल्लेख इसलिये किया गया है कि रसादि-व्यञ्जक विभावादि-चर्वणा रस से भिन्न नहीं अपितु अभिन्न ही है, फिर तो जैसे रस में उत्पत्ति-विनाश असम्भव है, वैसे विभावादि चर्वणा में भी, अतः 'विभावादि-चर्वणा के उत्पत्ति-विनाश, रस में आरोपित होते हैं' ऐसा कहना अनुचित था। गकारवर्ण, व्याकरण के मत से तालुस्थानीय नहीं है अतः 'व्यञ्जकतात्वादि-व्यापारस्य गकारादौ' यह मूलपाठ सङ्गत नहीं होता, इसलिये 'व्यञ्जक कण्ठादि-व्यापारस्य अकारादौ' ऐसा मूलपाठ मानना चाहिए क्योंकि वर्ण-समाप्तायः अकार प्रथम है और स्थान में कण्ठ।

नन्वावरणभङ्गे जाते विभावादिचर्वणोपरतावपि, रत्यादिस्थायिना कथं न तथाऽवभास इत्याक्षेप क्षपयति—

विभावादिचर्वणाऽवधित्वादावरणभङ्गस्य, निवृत्तायां तस्यां प्रकाशस्याऽऽवृत्तत्वाद् विद्यमानोऽपि स्थायी न प्रकाशते।

विभावादिचर्वणाऽवधि' सीमा ( तदुत्तरं तदसत्त्वात् ) यस्येति बहुव्रीहिः। तस्यां विभावादिचर्वणायाम्। प्रकाशस्य चिदानन्दास्वादस्य। विद्यमानः सूक्ष्माकारेणान्तरिति शेषः। यथासमवायिकारणसत्तावधिरेव कार्यसत्ता, तथाऽऽवरणभङ्गस्तावदेव तिष्ठति, यावद् विभावादिचर्वणा भवतीति विभावादिचर्वणाया विनष्टायामावरणभङ्गेऽपि विनष्टे, ज्ञानात्मनि प्रकाशे पुनरज्ञानेनावृत्ते, शरावपिहितदीपवदन्तस्तिष्ठतोऽपि रत्यादिस्थायिनो नास्वाद् इत्यभिप्रायः।

अब यहाँ एक शङ्का यह उपस्थित होती है कि जब रति आदि स्थायीभाव, वासनारूप में सदा वर्तमान रहता है, तब सर्वदा रस-रूप में उसका भान क्यों नहीं होता? इसका उत्तर यह है कि जभी तक आत्मा के ऊपर रहने वाला आवरण अज्ञान हटा रहता है, तभी तक आत्मा, रति आदि को भासित करती है, बाद में नहीं और अज्ञान का आवरण आत्मा पर से तभी तक हटा रहता है, जब तक विभाव आदि की चर्वणा विद्यमान रहती है अर्थात् जब विभाव आदि की चर्वणा समाप्त हो जाती है तब आवरण-भङ्ग भी नहीं रहता—आत्मा फिर अज्ञानावरण से ढंक जाती है, अतः उस दशा में स्थायी (रति आदि) विद्यमान रह कर भी प्रकाशित नहीं होता, जैसे दीपक के ढंक जाने पर समीप में पड़ी हुई चीजें भी प्रकाशित नहीं हो पातीं।

मतेऽस्मिन् भावकत्वव्यपारोऽधिक कल्पनीयो भवतीत्यरुचेर्लघवाय पक्षान्तरमुपन्यस्यति—

यद्वा—विभावादिचर्वणामहिम्ना सहृदयस्य निजसहृदयतावशोन्मिषितेन तत्तत्स्थाय्युपहित-स्वस्वरूपानन्दाकारा समाधाविव योगिनश्चित्तवृत्तिरुपजायते, तन्मयीभवनमिति यावत्।

सहृदयस्य निजसहृदयतावशात् स्ववैदग्धीबलात्, उन्मिषितेनाभ्युदितेन, विभावादीनां या चर्वणा, तस्या महिम्ना प्रभावेण ( कारणेन ) योगिनः समाधौ योगचरमाङ्गे निर्विकल्प-नामनीव, तैस्तैश्च स्थायिभी रत्यादिभिः, उपहित विषयतया सम्बद्धं, स्वमात्मा सच्चिदानन्द-लक्षण स्वरूपं यस्या ( अत एव ) आनन्द आकारो यस्यास्तादृशी सच्चिदानन्दात्मरूप रसामिच्छा तन्मयीभावरूपा रसात्मतादात्म्यावगाहिनी चित्तवृत्तिर्ज्ञानम् ( आस्वाद ) उपजायते भवतीत्यर्थः।

इहानन्दाकारेत्यस्य तद्विषयेति चिद्वृत्तिर्न युक्ता, आनन्दस्य रसात्मरूपेण ( न

ता) प्रतीति । तथा निर्विकल्पकमनाभावानन्दाकारवृत्तिरभावमभिधाय मनाधिपदेन निर्विकल्पकमनाधिपेन प्रत्यमित्यभिवानममप्रसम्, आनन्दात्मचैतन्यस्य निर्वाजनमाधा-  
पि नर्वाणुनतन्वात् । अत एव रनाथास्वादस्य ब्रह्मास्वादसहोदरत्व सङ्गच्छते । एवं  
न्तान्मनमिन्यस्य 'आनन्दविषयतया तन्प्रयुगेत्यर्थ' इति विवरणमपि नोपपत्तिसहम्,  
तन्म-रम-चैतन्याना तादात्म्येन विषयविषयिभावामन्भवान् स्वरूपार्थ एव ( न तु  
चुर्याथे ) नयद्योऽत्र विधानोचिन्यात् । अद्वाजाड्ये तु भेदमभ्युपेत्य नर्वमुपपादनीयमिति  
योभिराकलनीयम् ।

अत्र मते रसात्मकनाश-प्रतीत्युत्पत्तौ केवल काव्यव्यधनाह्यस्य रसनापरपर्याय-  
तत्त्वव्यापारस्यापेक्षा, न तु भावकत्वस्यापीति स्फुटं लाघवम् । ननु भावकत्वव्यापार-  
न्तरेणाज्ञानावरणनिरासो दुर्व्यट इति चेत्, न, यतः प्रकृत्यर्थप्रकारस्यैव भावत्वाद् भावनैव  
भावकत्वम् । मा च महदयस्य स्वायसहदयतासहकारेण काव्यार्थविषयिणी पूर्वोत्पन्नैव  
भावनादीना साधारणीकरण प्रभातुरावणभद्र च कर्तुर्नाशीति न तदर्थभावान्तरिक-व्यापा-  
न्तरकल्पनाऽऽवरयतीत्याशय ।

उक्त प्रथम पत्र में अज्ञानावरण को हटाने के लिये एक लौकिक व्यापार ( भावकत्व )  
। कल्पना करनी पड़ती थी, जिससे गौरव होता था, अत अब पञ्चान्तर का उल्लेख करते  
—'मना इत्यादि । अभिप्राय यह है कि अज्ञानरूप भावरण को हटाने के लिये किसी  
चीन व्यापार की कल्पना आवश्यक नहीं है, क्योंकि सहदयता की महायता से परिपक्व  
नी हुई काव्यार्थ-विषयक-भावना ही सहदयों की आत्मा पर छाये हुए अज्ञानावरण को  
र कर दगी और विभावादि का साधारणीकरण भी करेगी, 'भावकत्व' भी तो भावना से  
तिरिक्त कोई पदार्थ सिद्ध नहीं हो सकता, 'प्रकृति-जन्य-बोधे प्रकाराभूतो धर्मो भाव-  
व्ययार्थ' इस नियम के अनुसार भावकत्व का पर्यवसित अर्थ भावना ही होगा । इस  
उपेक्षा समझना चाहिए कि उक्त भावना से साधारणीकृत विभावादिकों का जो  
।।स्वादन सहदय-जन करते हैं, उनका प्रभाव उनके ऊपर सहदयता के कारण गहरा  
दत्ता है, और उस प्रभाव के द्वारा काव्यवर्ती व्यञ्जना-वृत्ति से सहदयों के चित्तों में रति  
।।दि स्थायीभावों में युक्त, अज्ञानावरण से मुक्त आत्मचैतन्यस्वरूप आनन्दाकार वृत्ति  
स्वरूप होती है अर्थात् सहदयगण उस आनन्द में लीन हो जाते हैं-हूय जाते हैं तन्मय हो  
जाते हैं, जैसे योगियों के चित्तों में सविकल्पक मनाधिकाल में आनन्दाकार वृत्ति होती है  
।।र्थात् उस अवस्था में योगियों को सांसारिक किसी पदार्थ का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वे  
।।प्रह्लादानन्द में लीन रहते हैं, वन्हीं स्थायिभावों ने युक्त आनन्दाकार चित्तवृत्ति को  
।।हृत्पदान्तर में 'रम' कहते हैं ।

नन्दस्यापि चित्तवृत्तिविशेषरूपस्यानन्दस्य लौकिकतया, लौकिक-त्वकचन्दनायुपभोग-  
न्यमुभ्योऽविशेषो किनोपो वा । आद्ये तानि विहाय किमिति परीक्षक महदयोऽस्मै प्रव-  
न । तित्तपि को नाम न इत्याकाङ्क्षा मननिकृत्याह—

आनन्दो एव न लौकिकसुखान्तरसाधारण, अनन्तःकरणवृत्तिरूपत्वात् ।

अथ पूर्वोक्तचित्तगतिविशेषरूप आनन्द ( सुखविशेष ) ब्रह्मानन्दमित्यन्त्यालौकिक-  
तमप्रत्ययत्वाच्च लौकिकोऽपि, यान्यन्यानि त्वकचन्दनायुपभोगजन्यानि लौकिकसुखानि, तै-  
।।पान्तरुत्पन्नो नस्ति ( किन्तु तदित्येवोऽस्ति ), अनन्तःकरणवृत्तिरूपत्वादनन्तःकरण-  
।।त्वाच्चैतन्यरूपत्वाभावात् ।

नन्वेता हि लौकिकसुखानामन्तःकरणवृत्त्यवच्छिन्नचित्तवृत्तत्वात्, रसरूपानन्दस्य तु शुद्ध-  
।।न्यरूपतः।।नन्तःकरणवृत्तिरभावच्छेदकरहितत्वादनवच्छिन्नत्वात्।।नन्तःकरणवृत्त्यवच्छिन्न-

चैतन्यरूपत्वम् । रसात्मकानन्दानुभवे चित्तवृत्तेनरान्दरूपतयैव परिणमनादेतदानन्दस्य तद्वृत्तिरूपावच्छेदकाभावाच्चिरवच्छिन्नतया, लौकिकसुखान्तरानुभवे त्वन्तःकरणवृत्तिरूपावच्छेदकसद्भावाच्चिरवच्छिन्नत्वाभावान्मियो वैलक्षण्यमिति सारम् ।

यदि कोई कहे कि यह चित्त-वृत्ति-विशेषात्मक आनन्द तो अलौकिक नहीं है, अतः लौकिक सुखों से इसमें कुछ विशेष नहीं रहेगा और जब विशेष नहीं रहेगा, तब कोई अन्य लौकिक सुखों को छोड़कर इस काव्यसुख की स्पृहा क्यों करेगा, इस शंका का उत्तर देते हैं—'आनन्दो ह्ययम्' इत्यादि । यद्यपि ब्रह्मानन्द से भिन्न तथा लौकिक कारणों से उत्पन्न होने के कारण यह पूर्वोक्त चित्तवृत्ति विशेषात्मक आनन्द (सुखविशेष) लौकिक अवश्य है, तथापि अन्य (स्रक्, चन्दन, वनितादि-उपभोग-जन्य) लौकिक सुखों के समान नहीं अपितु विलक्षण है क्योंकि अन्य लौकिक सुख अन्तःकरण की वृत्तियों से युक्त चैतन्यस्वरूप रहते हैं अर्थात् उन सुखों के अनुभव करते समय चैतन्य का अन्तःकरण (की वृत्तियों के साथ सम्बन्ध रहता है, और यह रसरूप आनन्द अन्तःकरण की वृत्तियों से युक्त चैतन्यस्वरूप नहीं अपितु शुद्ध चैतन्यस्वरूप है अर्थात् रसात्मक आनन्द के अनुभव करते समय चित्तवृत्ति आनन्दरूप में ही परिणत हो जाती है, अतः वह चित्तवृत्ति उस आनन्द का अवच्छेदक (इयत्ता-ग्राहक) नहीं हो पाती, जिससे यह आनन्द अनवच्छिन्न (इयत्ता-रहित) ही रहता है, यही अन्य लौकिक सुखों की अपेक्षा इस रसात्मक सुख में विलक्षणता है ।

उपसंहरति—

इत्थं चाभिनवगुप्त-मम्मटभट्टादिग्रन्थस्वारस्येन भग्नावरणचिद्विशिष्टे रत्यादिः स्थायी भावो रस इति स्थितम् ।

इत्थमुक्तरीत्याऽभिनवगुप्त-मम्मटभट्टादीना ये ध्वन्यालोकलोचन-काव्यप्रकाशप्रभृतयः ग्रन्थास्तेषां स्वारस्येनाभिप्रेततया, भग्नमज्ञानरूपमावरणं यस्याः सा भग्नावरणा चित्त (विशुद्धचैतन्यम्) तद्विशिष्टस्तद्विषयीभूतो रत्यादि स्थायी भावो रस इति स्थितं पर्यवसन्नमित्यर्थः ।

काव्यप्रकाशे रसनिरूपणप्रकरणे चतुर्थस्याचार्याभिनवगुप्तमतस्यैव सर्वाभ्यर्हितत्वेनोपात्तस्य, साधारणीकृत-चैतन्यविषयीभूतरत्यादिस्थायिभाव एव रस इति सारम् ।

अब अभिनवगुप्तादि सम्मत रससम्बन्धी मत का उपसंहार करते हैं—'इत्थं च इत्यादि । इस तरह अभिनवगुप्त (ध्वन्यालोक की लोचन नामक टीका को बनाने वाले) तथा मम्मट (काव्यप्रकाश के रचयिता) आदि के ग्रन्थों के अनुसार 'अज्ञानरूप आवरण से मुक्त, शुद्ध चैतन्य का विषय बना हुआ रति आदि स्थायीभाव 'रस' है' यह स्थिर हुआ ।

नन्वेव रसस्य रत्यादिस्थायिरूपतया चैतन्यभिन्नत्वे, चैतन्याभेदप्रतिपादिका 'रसो वै स' इत्यादिश्रुतयो विरुध्यन्तीति सिद्धान्तमतमभिदधाति—

वस्तुतस्तु वक्ष्यमाणश्रुतिस्वारस्येन रत्याद्यवच्छिन्ना भग्नावरणा चिदेव रसः । रत्यादीनां विषयतया चिदवच्छेदकत्वम् । रत्यादिविषयकं भग्नावरणं चैतन्यमेव रसो न तु चैतन्यविषयीभूतरत्यादि, श्रुतिस्वारस्यभङ्गप्रसङ्गादित्याशयः ।

इस प्रक्रिया के अनुसार जब रस रति-आदि स्थायीभाव के स्वरूप हुआ चैतन्यस्वरूप नहीं, तब तो चैतन्य और रस को अभिन्न बतलाने वाली 'रसो वै सः' इत्यादि श्रुति विरुद्ध हो जायगी, अतः सिद्धान्तभूत मत का उल्लेख करते हैं—'वस्तुतस्तु' इत्यादि । आशय यह है कि उक्त श्रुति के अनुरोध से रति आदि स्थायीभाव जिसके विषय हों, ऐसे आवरणमुक्त शुद्ध चैतन्य को ही 'रस' कहना चाहिए, न कि चैतन्यविषयीभूत रत्यादि को ।

नन्वद्वेषोऽपि रमन्त्य नित्यत्वं स्वप्रकाशात् च निद्वन्द्वेति दर्शयति—

नर्चयैव चात्या विशिष्टात्मनो विशेषण विशेष्य वा चिदंशमादाय, नित्यत्वं प्रकाशात् च सिद्धम् ।

नर्चयैव-उभयप्रायः ( कल्पद्वयेऽपि ) विनिष्टात्मनोऽवच्छेद्यत्वेदकभावेन चिद्विशि-  
रत्यादिद्वारा रत्यादिविशिष्टचिद्रूपाया वा, अस्या रत्यादिव्यजे रत्यादिरूपतया ननायाश्चितो  
० पूर्वकल्पे रत्यादेर्विशेष्यत्वाद् विशेषणम्, उत्तरकल्पे रत्यादेर्विशेषणत्वाद् विशेष्यं वा चिदन्त-  
तन्परूपम्, आदायावलम्ब्य, नित्यत्वमुत्पत्तिविनाशरहित्यं, स्वप्रकाशत्वं प्रकाशान्तरा-  
कल्पत्वं च निद्वन्द्वमित्यर्थः ।

विशेषणतया विशेष्यतया वा चित्तोऽङ्गीकारे कल्पद्वयेऽपि रत्यादीनां नित्यता स्वप्रकाशात्  
। परिनिर्णयेति नागम् ।

दोनों ही मनो में रम की नित्यता तथा स्वप्रकाशता सिद्ध ही है' यही बात कहते हैं—  
नर्चयैव- इत्यादि । ज्ञानात्मक चैतन्य के विषयीभूत रति आदि स्थायीभावों को रम कहिये  
तथा रति आदि स्थायीभाव विषयक चैतन्यात्मक ज्ञान को, दोनों प्रकारों में यह निश्चिन  
कि रम के स्वरूप में रति आदि स्थायीभाव और चैतन्य दोनों ही आशिकरूप में हैं,  
न्तर केवल इतना है कि प्रथम प्रकार में चैतन्य विशेषण और रति आदि विशेष्य है  
और द्वितीय प्रकार में चैतन्य ही विशेष्य है और रति आदि विशेषण । दोनों ही कल्पों में  
विशेषणीभूत अथवा विशेषणीभूत चैतन्यादा को लेकर रम नित्य तथा स्वप्रकाश है ।

नृ यदा 'नित्यो रम', 'स्वप्रकाशो रम' इत्यादि व्यवहारा रमविषयका भवन्ति, तथैव  
'उभयो रम' 'विन्दो रम' 'इतरमात्यो रम' इत्यादयोऽपि व्यवहारा ये भवन्ति, तेषां कथ-  
मुपपत्तिरिति पृच्छायं व्याहरति—

रत्याद्यशमादाय त्वनित्यत्वमितरभास्यत्वं च ।

रत्या विशेष्य विशेषण वेति शेषः ।

रत्या रमव्यक्ते, पूर्वस्मिन् कल्पे विशेष्यम्, परस्मिन् कल्पे विशेषणं रत्याद्यशमादाय  
तु, 'नित्यत्वमुत्पत्तिविनाशरहित्यम्, इतरभास्यत्वं परप्रकारयत्वं च निद्वन्द्वमित्यर्थः ।

रत्यादेरनित्यत्वमितरभास्यत्वं चारोप्य रमविषयकं प्राणुक्त्यवहारा उपपत्तिरिति  
व्याख्यानम् ।

'रम उभय हुना, रम विन्द हुका' इत्यादि व्यवहारों से प्रतीत होने वाली रम की  
अनित्यता के सम्बन्ध में कहते हैं—'रत्याद्यः' इत्यादि । कहने का तात्पर्य है कि जिन  
तरह चैतन्यादा को लेकर रम नित्य और स्वप्रकाश है, उसी तरह रति आदि अदा को लेकर  
रम अनित्य भी है और परप्रकाश भी । अतः उक्त व्यवहार भी असंगत नहीं कहे जा सकते ।

'चर्चयैव रम' इति प्राचीन व्यवहारोपपत्तये चर्चया नित्यत्वमिति—

चर्चया चान्य चिद्रूपावरणभङ्ग एव प्राणुक्ता. तदाज्याऽन्तःकरणवृत्तिर्वा ।

रम रमम् पूर्वकल्पे ( अग्निवशुमादिभ्ये ) चिद्रूपावरणभङ्गैव तस्यावरणान्तरणम्  
ए, अग्निवशुमादिभ्ये ( पदा मते ) तदाज्या रत्याद्यवच्छिन्नत्वात्मानन्दत्वाऽन्तःकरणवृत्ति-  
रूपत्वं नर्चयैव ।

मन्त्ररत्नोत्पत्तिरन्त्यात्वात् च निर्मित्वेन लेकेतरचमकरप्रान्त्यादि चर्चया-  
पूर्वकालो भावः रम रमचमकररित्याद्यनेर्नचितमिति पञ्चान्तरोपन्यासोऽवच्छेदः । उभ-  
योत्पत्तौ 'रमव्यक्ते' रत्यादिव्यवहाराण्यु भेदायोभाषित्वाङ्गीकारः ।

'रम चर्चयैव' ऐसा व्यवहार प्राचीनकाल में होता था रहा है, अतः रम की यह

चर्वणा क्या चीज है ? ऐसी जिज्ञासा स्वाभाविक थी, उसी जिज्ञासा की शान्ति के लिये चर्वणा का निर्वचन करते हैं—‘चर्वणा च’ इत्यादि। चैतन्य के ऊपर से अज्ञानरूप आवरण का हट जाना ही रस की चर्वणा ( आस्वादन ) है, अथवा अन्तःकरण की आनन्दाकार घृष्टि को रस-चर्वणा समझनी चाहिए। यहाँ अभिनवगुप्त मत की प्रथम व्याख्या के हिसाब से पूर्वकल्प और उनकी द्वितीय व्याख्या के हिसाब से उत्तरकल्प कहा गया है ऐसा समझना चाहिए।

इदानीं रसचर्वणाया ब्रह्मास्वाद् वैलक्षण्यं वर्णयति—

इयं च परब्रह्मास्वादात् समाधेर्विलक्षणा, विभावादिविषयसंबलितचिदानन्दालम्बनत्वात् । भाव्या च काव्यव्यापारमात्रात् ।

इयं पूर्वोक्ता रसचर्वणा परब्रह्मण सच्चिदानन्दस्यास्वादो यत्र तादृशात् समाधेरसम्प्रज्ञातयोगचरभाङ्गात् ( वस्तुतस्तु तत्कालोत्पद्यमानपरब्रह्मसाक्षात्कारात् ) विलक्षणा भिन्ना, विभावादिभिर्विषयैर्ज्ञेयै संबलितो विशिष्टधिदानन्दो रस आलम्बनं विषयो यस्यास्तत्वात् । च पुनरियं चर्वणा काव्यव्यापारमात्रात् केवलया व्यञ्जनया ( न तु श्रवणादिव्यापारैः ) भाव्यो त्पाद्या भवतीत्यतोऽपि ब्रह्मसाक्षात्काराद् भिन्नेत्यर्थः ।

परब्रह्मसाक्षात्कारो विषयासंबलितत्वाद् विशुद्धब्रह्मविषयकः श्रवणादिव्यापारजन्यश्च, रसास्वादस्तु विभावादिसंबलितत्वाद् विशिष्टरसविषयको व्यञ्जना( रसना ) मात्रजन्यश्चेति तयोर्विषयकारणविशेषाद् विशेषो न यन्नप्रतिपाद्यः । साम्यं पुनरलौकिकनित्यानन्दचिन्मयत्वेन स्फुटम् । न च भेदाङ्गीकारे ‘ब्रह्मैव रस’ ‘रसो वै स’ इत्याद्यभेदप्रतिपादकश्रुतिविरोधः, तासामपि ‘आदित्यो यूष’ इत्यादीनामिव सादृश्य एव तात्पर्यपर्यवसानात् ।

अत्रापि समाधिपदस्य सविकल्पकयोगपरत्वं परोक्तं न युक्तम्, पूर्वोक्तयुक्ते, समाधौ ब्रह्मसाक्षात्कारो न तु समाधिरेव स इति तयोर्भेदस्य सिद्धत्वेनासाध्यत्वाच्च ।

ब्रह्मस्वाद से रस-चर्वणा में जो वैलक्षण्य है उसका वर्णन करते हैं—‘इयं च’ इत्यादि। सविकल्पक समाधिकाल में जो ब्रह्मानन्दस्वाद होता है, उससे यह रस-चर्वणा ( रसास्वाद ) विलक्षण—भिन्न तरह की है क्योंकि रस-चर्वणा का आलम्बन विभावादि-विषयों ( सांसारिक पदार्थों ) से मिश्रित आत्मानन्द है और काव्य की व्यञ्जना ( व्यापार ) से ही यह चर्वणा होती है इसके विरुद्ध ब्रह्मानन्दास्वाद का आलम्बन, विषय-विहीन-शुद्ध आत्मानन्द है और श्रवण, मनन, निदिध्यासनरूप व्यापारों से वह होता है। अतः ब्रह्मास्वाद तथा रसास्वाद में कारण एवं विषय दोनों के भिन्न होने से भेद है ऐसा समझना चाहिए।

अथ रसचर्वणाया आनन्दमयत्वं वाकोवाक्येन व्यवस्थापयति—

अथास्यां सुखांशभाते किं मानमिति चेत्, समाधावपि तद्भावे किं मानमिति पर्यनुयोगस्य तुल्यत्वात् ।

अस्या रसास्वादलक्षणायां चर्वणायाम् । पर्यनुयोगस्य प्रतिप्रश्नस्य ।

यथा समाधिकालिकप्रतीतौ भवद्भिमत्मानन्दमानन्दस्य भानम्, तथैव रसचर्वणायामपि मद्भिमत्तं तद् भवतीत्युभयोस्तुल्यतायाम्—‘यत्रोभयोः समो दोषः परिहारोऽपि तादृशः । नैकं पर्यनुयोक्तव्यस्तादृशविचारणे ॥’ इत्युक्तेरेकस्यैव शिरसि प्रश्नसमाधानमारोपो नोचित इति भावः ।

यदि आप पूछें कि इस रसास्वाद में सुख का अंश भासित होता है इसमें प्रमाण क्या है ? तो हम पूछेंगे कि समाधि में भी सुख भासित होता है, इसमें क्या प्रमाण है ? तात्पर्य यह है कि जैसे समाधि में सुख का भान मानते हैं वैसे ही रसास्वाद में भी सुख का भान मानना चाहिए ।

तु नोभयोस्तुल्यता समाधौ सुजागमाने शब्दप्रमाणस्य जागृक्त्वत्वादित्याह—

‘सुगमात्यन्तिकं यत् तद् बुद्धिब्राह्मणीन्द्रियम् ।’ इत्यादिः शब्दोऽस्ति तत्र नमिति चेत् ।

तत्र ननाधिप्रागभाते—आत्यन्तिकं नन्दलौकिकेषु ज्ञातिशायि, बुद्धिप्रयं बुद्धिमात्र-  
म, अतएवातान्द्रियं ‘ननतन्तु पराबुद्धि’ इत्युल्लेन्द्रियागोचरीभूत, यत् सुखं परमात्मा,  
, अत्र योगी, वैजिनाज्ञानकरोतीत्यर्थम् शब्दो गीतापद्याध्याये भगवद्वाक्यं, मानमस्तीति  
तो मान्यमिति चेद् यदि, कथ्यत इत्यर्थम् । ‘वेति यत्र न वैवाय स्थितमलति तन्वत. ।’  
। पर्योच्यते ।

यदि आप कहें कि समाधि में सुख भान को ‘सुगमात्यन्तिकम्’ इत्यादि गीता के शब्द  
उल्लिखित करते हैं अर्थात् गीता में कहा हुआ है कि ‘समाधि में जो अत्यन्त सुख है, वह  
इन्द्रियात् से वंचित है इन्द्रियों से नहीं’ । हम तरह से ‘समाधि में सुख का भान होता  
हममें शब्द प्रमाण मिलता है और रसास्वाद में सुख का भान होता है इसमें तो कुछ  
मिल नहीं मिलता ।

नचर्वणायापि सुजागमाने प्रमाणद्वयं दर्शयति—

अस्त्यत्रापि ‘रमो वै स’ ‘रसं श्लेषाय लब्ध्वाऽऽनन्दीभवति’ इत्यादिश्रुतिः,  
कृत्स्नहृदयप्रत्ययं चेति प्रमाणद्वयम् ।

अत्रापि रसास्वादे सुजागमानेऽपि, स नधिदानन्दरूप आत्मा, वै निश्चयेन, रम इत्य-  
का, हि निश्चयेन प्रथमात्मा, रस, लब्ध्वाऽऽस्ताप, एव न, त्वन्वया आनन्दीभवति परमा-  
दस्तरता प्रतिपद्यत इत्यर्थेका च श्रुतिर्वेद, काव्यरसास्वादसमये सकलमहृद्याना सर्वविद-  
ना, प्रत्यक्षमनुभवधेति प्रमाणद्वयानुभे प्रमाणे स्त इति कथं न तुल्यतेत्यर्थम् ।

रसास्वाद में भी सुख का भान मानने में प्रमाण है, देखिये श्रुति कहती है—‘रमो वै स’  
(इह क्षान्ता रमरूप है) और ‘रमं श्लेषाय लब्ध्वाऽऽनन्दीभवति’ (रम को पाकर ही  
; आनन्दरूप होता है) हम तरह से समाधि में सुखभानका प्रमाणक यदि गीता का  
‘द है तो रसास्वाद में उसका प्रमाणक वेद-शब्द है, अब आप स्वयं मोक्ष सकने हैं कि  
धर का पल्ला भारी है, इतना ही नहीं, ‘रसास्वाद में सुखका भान होता है’ हममें तो  
लब्ध्वाऽऽस्त्यत्रापि समाज का हृदय भी प्रयत्नतम दूसरा प्रमाण उपस्थित है । नभी सहृदय  
तास्वाद में सुगम का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं ।

रम रमचर्वणाया प्रसङ्गाच्छब्दानरोक्षणान्तरकत्वं व्यवस्थापयति—

येच द्वितीयपक्षे तदाकारचित्तवृत्त्यात्मिका रसचर्वणोपन्यस्ता. सा शब्दव्या-  
रभाव्यत्वाच्छब्दात्तरी. अपरोक्षसुखालम्बनत्वाच्चापरोक्षात्मिका ।

इति उपक्षे यत्किन्तु, या इत्युपादायमाना, रमचर्वणा, उपन्यस्ता प्रतिपादिता, ना  
न्दरूपानारमान्यत्वादिभिः शब्दभिः शब्दनिष्ठवृत्तिजन्यत्वाच्छब्दादी शब्दबोधरूपा, अनरोक्षं  
यत्तिपरोक्षं यत् सुखमानन्द प्रामाण्यं, तदालम्बनत्वात् तदियत्वाय, अपरोक्षान्तिका  
यत् रसा नाम्नांति गेय ।

अब हम बात की व्यवस्था करते हैं कि रमचर्वणा शब्दज्ञानरूप होकर भी अपरोक्षा-  
रु है—‘रम इत्यादि । ‘यद्वा’ मन में जो आनन्दाकार चित्तवृत्ति को रम की चर्वणा  
ने गई है वह ( चर्वणा ) शब्दके व्यञ्जना-प्राकार से व्यक्त होती है, जो शब्दी अर्थात्  
व्यञ्जक है और प्रत्यक्षसुख अर्थात् आनन्द उभ ( चर्वणा ) का आलम्बन है  
। अपरोक्षान्तर-प्रयोजक भी है । कहने का तापर्य है कि यद्यपि शब्दबोध की

गणना परोक्षज्ञान में ही अन्यत्र की गई है तथापि रसचर्चणा शाब्दबोधरूप होकर भ्रं प्रत्यक्षारम्भक है ।

दृष्टान्तोपन्यासेनैकस्या एव प्रतीते शाब्दत्वं प्रत्यक्षत्वं चोपपादयति—

तत्त्वं वाक्यजबुद्धिवत् ।

भवेन्न्यायादिनये शाब्दत्व-प्रत्यक्षत्वयोर्विरोध, किन्तु वेदान्तमते, वाक्यं 'तत्त्वमसि' इत्यादिश्रुतिवाक्यं, तस्माज्जाता बुद्धिजीवब्रह्मैक्यप्रतीतिः, तस्या यथा वेदान्तिभिः शब्दजन्यत्वाच्छाब्दत्वम्, अपरोक्षब्रह्मालम्बनत्वाच्चापरोक्ष(प्रत्यक्ष)त्वं चाङ्गीक्रियते, तदा रसप्रतीतेरपि शाब्दत्वमपरोक्षत्वं च स्यादित्यर्थः ।

एक ज्ञान में शाब्दत्व तथा प्रत्यक्षात्मकत्व दोनों कहीं कहीं रहते हैं, इसमें दृष्टान्त दिखलाते हैं—'तत्त्वमसि' इत्यादि। आशय यह है कि शाब्दत्व और प्रत्यक्षत्व में विरोध नैययिक लोग मानते हैं, वेदान्ती नहीं, वे तो—'तत्त्वमसि' इस वेद वाक्य से जो जीव तथा ब्रह्म में ऐक्य बुद्धि होती है,—उस बुद्धि को शाब्दजन्य होने के कारण शाब्द और अपरोक्ष ब्रह्म विषयक होने से प्रत्यक्षरूप मानते हैं, उसी तरह साहित्यिक भी रसचर्चणा को प्रत्यक्ष और शाब्द दोनों मानते हैं ।

आद्यमभिनवगुप्ताचार्यमतमव्यवसितमवगमयति—

इत्याहुरभिनवगुप्ताचार्यपादाः ।

लौकिककारणादिजनितो वासनारूपेण सहृदयस्य हृदयं प्रविष्टो रत्यादिस्तत्सहृदयत्वं सहकृतभावनाप्रभावाधिगतसाधारण्यलौकिकविभावादिभाव-विभावादिप्रादुर्भावितभावनाविशेषरूपभावकत्वव्यापारसम्पादितावरणाज्ञानध्वंसेन समुदितसर्वज्ञेय सहृदयेनात्मस्वरूपेणानन्देन सहात्माभेदेनास्वाद्यमानस्तथाविधरत्याद्यास्वादो वा रस इत्यवसितस्य प्रथममतस्य सारम् ।

यह प्रथम मत आचार्य अभिनव गुप्त का है ।

अथ हृदयदर्पणादिनिर्मातुर्भट्टनायकस्य भट्टमम्भटेनाप्युपात्तं मत द्वितीयत्वेनोपक्षिपति—

(२) भट्टनायकास्तु—ताटस्थेन रसप्रतीतावनास्वाद्यत्वम् । आत्मगतत्वेन । प्रत्ययो दुर्घटः, शकुन्तलाऽऽदीनां सामाजिकान् प्रत्यविभावत्वात् ।

ताटस्थेनौदासीन्येन स्वसम्बन्धराहित्येन 'दुर्घटः' शकुन्तलाविषयकरतिमा'नित्याद्याकारवत्त्वेनेति यावत् । अनास्वाद्यत्वमचमत्कारित्वम् । आत्मगतत्वेन स्वसम्बन्धितया 'अहं शकुन्तलाविषयकरतिमा'नित्याद्याकारवत्त्वेनेत्यनर्थान्तरम् । प्रत्यय आस्वादात्मिका प्रतीतिः । दुर्घटोऽसम्भवः । सामाजिकान् प्रत्यविभावत्वाद् दुर्घटैतरसहृदयनिष्ठद्वाररसालम्बनत्वाभावात् ।

अभिज्ञानशकुन्तलाभिनयदर्शनावसरे यदि सामाजिकानां 'दुर्घटः' शकुन्तलाविषयकरतिमा'नित्याकारिका प्रतीतिः स्यात्, तदा स्वसम्बन्धराहित्येन तस्याश्चमत्कारित्वं न स्यात्, 'सर्वं खल्व्वात्मन कामाय प्रियं भवति' इत्यादिश्रवणात् । तथा च तत्र रसत्वमेव न स्यात्, 'रसे सारश्चमत्कारः' 'लोकोत्तरचमत्कारप्राणः' इत्याद्युक्ते । शकुन्तला मातृवन्मम पूज्येति ज्ञाने जागरूके, 'अहं शकुन्तलाविषयकरतिमा'निति प्रतीतेरप्यसम्भव इत्यर्थः ।

साम्प्रदायिकास्त्वत एव सम्बन्धविशेषस्वीकारपरिहारनियमानवसायिसाधारण्येन, विभावादिप्रतीतिमूरीकुर्वन्तीति—'परस्य न परस्येति ममेति न ममेति च ॥ तदास्वादे-विभावादेः परिच्छेदो न विद्यते ॥' इत्यादिनाऽन्यत्र स्फुटम् ।

वास्तविक उनसे बहुत कुछ भिन्न ही हैं। प्रकरण ( जो एक रूपक का भेद है और जिसके पात्र ऐतिहासिक नहीं होते ) के पात्रों में यह बात और अधिक स्पष्ट रूप से समझी जा सकती है भवभूति के 'मालतीमाधव' में वर्णित मालती तथा माधव आदि और शूद्रक (?) के 'मृच्छकटिक' में वर्णित वसन्तसेना पद्म चारुदत्त आदि का तो इतिहास से कोई सम्बन्ध नहीं है, अतः अगत्या उन पात्रों को तो कवि-कृति मानना ही पड़ेगा, फिर उसी दृष्टान्त से इतिहास-प्रसिद्ध पात्रों के विषय में भी यह समझना अनुचित नहीं हो सकता, कि वे कवि के ही गढ़े हुये होते हैं। 'काव्यात्मक अनन्त ससारे में कवि ही छटा होता है, उसके पसन्द के मुताबिक ही जगत् को बन जाना पड़ता है' यह लिखकर आलङ्कारिकशिरोमणि आनन्दवर्धनाचार्य ने भी काव्यवर्णित पदार्थों को मानस होने की बात की पुष्टि की है। अतः रुद्रट का शब्दार्थयुगल-काव्यतावाद नितान्त तर्कमङ्गल है, इसमें कोई सन्देह नहीं। इनका समय अनुमानतः वामन से पूर्व का माना जाता है।

( ४ ) इसके अनन्तर अलङ्कारसूत्रकार वामन ने काव्यलक्षण के विषय में कुछ और नवीन बात कही। उन्होंने कहा कि 'अलङ्कार रहने के कारण काव्य ग्राह्य है' और 'अलङ्कार कहते हैं सौन्दर्य को'। इस तरह उनके कथन का स्पष्ट अभिप्राय यह हुआ कि सौन्दर्ययुक्त होने के कारण काव्य का ग्रहण करना समुचित है। अब जिज्ञासा यह उठती है कि काव्य में सौन्दर्य का कारण क्या हो सकता है? इसका उत्तर वामन यह देते हैं कि 'दोषों के त्याग और गुण तथा अलङ्कारों के ग्रहण करने से काव्य में वह सौन्दर्य उत्पन्न होता है'। अतः एव अन्तमें उन्होंने काव्य-लक्षण के सम्बन्ध में कहा है कि 'यह काव्य शब्द, गुण तथा अलङ्कारों से सुसंस्कृत शब्दार्थयुगल का वाचक है'।

गुणालङ्कारहीन शब्दार्थयुगल में प्रयुक्त काव्य पद को उन्होंने लाक्षणिक माना है। उनके कथन का आशय यह होता है कि वस्तुतः गुणालङ्कार युक्त शब्दार्थसमूह को ही काव्य कहना चाहिये, परन्तु प्राचीन आचार्यों ने जब केवल शब्दार्थसमूह को ही काव्य कहा, तब से काव्य पद शब्दार्थयुगल में रूढ़ हो गया, अतः आज भी लोग केवल शब्दार्थयुगल को ही काव्य कहा करते हैं। परमार्थतः तादृश प्रयोग में 'कलिङ्क साहसी है' के समान रूढिमूला लक्षणा ही समझनी चाहिये, वामन का समय नवम शताब्दी के पूर्वार्ध से पूर्व का माना जाता है।

( ५ ) ध्वनिमार्ग-प्रवर्तक आनन्दवर्धन ने यद्यपि स्पष्ट शब्दों में काव्यलक्षण नहीं लिखा है। काव्य का लक्षण करना उनका उद्देश्य भी नहीं था, ध्वनि का स्थापन करना जो उनका उद्देश्य था, उसकी पूर्ति उन्होंने खूब ही की है। व्यक्तिविवेक के लेखक महिममट्ट को छोड़कर प्रायः सभी अनन्तरभावी आलङ्कारिक बहुत अंशों में उनके अनुयायी ही हैं। अस्तु, प्रकृत में मुझे कहना यह है कि काव्य का लक्षण न लिख कर भी आनन्दवर्धन ने 'शब्दार्थयुगल ही काव्य है, केवल शब्द नहीं' इस सिद्धान्त में अपनी सम्मति प्रकट की है, क्योंकि प्रसङ्गवश एक स्थान पर ध्वन्यालोक में वे लिखते हैं कि 'काव्य का शरीर शब्दार्थसमूह है'। इनका समय नवम शताब्दी का उत्तरार्ध समझा जाता है।

१ 'अपारे काव्य-ससारे कविरेव प्रजापति । यथास्मै रोचेते विश्व नथेद परिवर्तते ॥'

२ 'काव्य ग्राह्यमलङ्कारात्' । ३ 'सौन्दर्यमलङ्कारः' । ४. 'स दोषगुणालङ्कारहानादानाभ्याम्' ।

५ 'काव्यशब्दोऽयं गुणालङ्कारसंस्कृतयो शब्दार्थयोवर्तते' ।

६ 'भक्त्या त शब्दार्थमात्रवचने गच्छते' ।



अथ पण्डितराज 'हृदय-दर्पण' आदि ग्रन्थों के निर्माता भट्टनायक के मत को रस-  
रूपण-प्रसङ्ग में द्वितीय स्थान देते हैं—'भट्टनायकात् इत्यादि । भट्टनायक का कथन है  
तदस्थभावमे अर्थात् 'दुष्प्यन्त शकुन्तलाविषयक रतिवाला है' इस रूप से रसकी  
प्रतीति होने पर उसमें आस्वाद्यता-चमत्कार नहीं होगा और जब चमत्कार ही नहीं रहेगा  
यह रस होगा ही कैसे ? क्योंकि 'रमे मारजमत्कारः' ऐसा सिद्धान्त सर्व-सम्मत है ।  
शरीरान् भाव से शकुन्तलादि रति की प्रतीति होने पर उसमें चमत्कार का न होना भी  
सुचित ही है क्योंकि 'सर्वं चक्रवात्मन कानाय प्रिय भवति' इस सिद्धान्त के अनुसार  
अपने में प्रतीयमान स्त्रियों के प्रेम ( रति ) में ही चमत्कार ( आस्वाद ) हो सकता है ।  
दि आप कहें कि अपने में ही रस की प्रतीति मानिये अर्थात् 'मैं शकुन्तला-विषयक  
तेराया हूँ' ऐसी ही प्रतीति इष्ट है, तब तो आस्वाद होने में कोई बाधा नहीं हांगी, सो  
। ठीक नहीं क्योंकि अथ शकुन्तला आदि सामाजिकों के विभाव नहीं है—उनसे सामा-  
जिकों का कोई नाता नहीं है, तब उक्त प्रतीति हो ही नहीं सकती अर्थात् उदासीन  
शकुन्तला का प्रेम अपने में मनसना बन ही नहीं सकता है ।

ननु विभावादिप्रतीति विनैव रसप्रतीतिर्भवेत्त्वित्याशङ्कामपास्यति—

विना विभावननालम्बनस्य रत्यादेरप्रतिपत्तेः ।

प्रनालम्बनस्यालम्बनविभावरूपाधाररून्यस्य । आदिपदेनानुभावादिपरिग्रहः । तेषूद्गी-  
नादिगून्यस्येति चोज्यम् ।

रसादीनानुद्गमादि हि रुचिर्दर्यमालम्ब्यैव भवतीति तदालम्बनादिभावमन्तरेणानुभवि-  
त्यपि रसादिप्रतीति सामाजिकाना न सम्भवतीति भावः ।

विभाव के बिना ही रस की प्रतीति नार्न ? सो भी सगत नहीं, कारण ? आलम्बन  
हित रति आदि का ज्ञान नहीं हो सकता अर्थात् प्रेम पात्र के अभाव में भी कोई अपने को  
रमी समझे यह कैसे सम्भव है ।

पुनरागच्छ निराश्रोति—

न च कान्तात्त्व साधारणविभावताऽवच्छेदकमत्राप्यस्तीति वाच्यम्, अप्रा-  
माण्यनिश्चयानालिङ्गिताऽगन्यात्वप्रकारकत्रानधिरहस्य विशेष्यतासन्वन्वावच्छि-  
न्नप्रतियोगिताकस्य विभावताऽवच्छेदककोटावश्य निवेश्यत्वान् ।

प्रप्रापि शकुन्तलाऽऽदिभूमिज्ञा यदातवत्वा नद्यानपि, साधारणविभावताऽवच्छेदक-  
नालम्बनविभावनानमनियतसामान्यधर्म, सान्तात्व नाधिरात्वम्, प्रत्येव, तस्मात्  
तदालम्ब्यैव रसोद्गम रसादिति च न वाच्यम्, 'भाविज्ञानप्रमाणम्' इति निश्चयो यदिप-  
नये कागूर, तदप्रानाग्न्यनिश्चयानालिङ्गित यद् 'श्च नमागन्या' इत्याकाररसनगन्यात्वप्रकारकं  
ज्ञानम्, तस्य विरगोऽभावनस्य, विशेष्यतैव सन्वन्वन्तदाश्लिष्टता या प्रतियोगिता तनिरु-  
पस्य, ( तादृशभावनैगिष्यस्य ) विभावनाना प्रालम्बनविभावनाना, अवच्छेदकस्य  
मननियतधर्मस्य, सोऽथ कुतः, पाप्य निवमेन, निवेश्यतादिचर्य ।

ननु रसिनश्शकुन्तलात्तपि विभावताऽवच्छेदकनामान्यधर्म सान्तात्वमन्वयेति  
तस्या प्रालम्बनविभावतयै निवधि, रसप्रतिपत्ति रसादेवेति चेत्, न, यतः-न केवलं  
यत्तदालम्बनविभावनानाऽवच्छेदकम्, अपि तु स्वत्यादाना तत्त्वस्य अवच्छेदाय, विशेष-  
मन्वन्वन्नादिदुर्जातियोगितायेनप्रानाम्यनिश्चयानिषयागन्यात्वप्रकारकानानानेन नामा-  
नानिररररगन्यन्धेन विगिष्ट यन्तानानितानात्कान्तात्वरूपालम्बनविभावताऽवच्छेदकस्य  
तन्नागमदप्रतिपत्तिर्न मननादीनि तात्पर्यम् ।

कान्ताविशेष्यकागम्यात्वप्रकारकज्ञाने जायमानेऽपि तज्ज्ञानविषयकाप्रामाण्यनिश्चये सति न कार्यसिद्धिरित्यप्रामाण्यनिश्चयानालिङ्गितत्व ज्ञानविशेषणम् ।

अनालिङ्गितत्वमविषयत्वम् 'ज्ञानविशेष' इति त्वपव्याख्यानं ज्ञानविषयतयोर्भेदात् । अगम्यात्वप्रकारक ज्ञानं विशेष्यतया कान्तायामिति विशेष्यतासम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताक स्तदभावोऽपेक्षितः । 'विशेष्यतासम्बन्ध-समवायः' इति विवृतिरपि चिन्तनीयैव, समवाय-सम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकस्य तादृशज्ञानाभावस्य सर्वत्र कान्तासु सद्भावात् तादृशाभावविशिष्टकान्तात्वस्य विभावताऽवच्छेदकोटौ निवेशोऽपि 'भक्षितेऽपि लशुने न शान्तो व्याधि' इति न्यायेन न स्वप्नादेस्तत्त्वस्य परिहार इत्यापत्ते स्फुटत्वात् । कान्तात्वस्य तादृशज्ञानाभावस्य चैकत्र कान्तायां सत्त्वात् परस्परं समानाधिकरण्यसम्बन्धः ।

यदि आप कहें कि अनालम्बन रति आदि की प्रतीति नहीं हो सकती यह तो ठीक है परन्तु यहाँ आलम्बन का अभाव योद्धे ही है ? शकुन्तला प्रभृति आलम्बन उपस्थित है, तब रही बात यह कि शकुन्तला आदि सामाजिकों का विभाव नहीं बन सकती सो बात भी अकिञ्चित् कर ही है क्योंकि किसी नायक को प्रेम (रति) का कारण कहलाने के लिये कान्ता-सुन्दर नायिका का होना ही पर्याप्त है और शकुन्तला आदि सुन्दर नायिकायें ही ही फिर वे सामाजिकों की रति के आलम्बन क्यों नहीं होगी ? इसका उत्तर यह है कि केवल कान्ता होना ही नायकमात्र की रति के आलम्बन कारण बनने के लिये पर्याप्त नहीं है यदि ऐसी बात मानली जाय तब तो कान्ता होने के नाते मां वहन भी पुत्र तथा भ्राता की रति के आलम्बन कारण हो जाँय अतः यह कहना पड़ेगा कि जिस नायिका में जिस नायक को 'यह अगम्य है—सम्भोग्योत्पन्न नहीं है' ऐसा ज्ञान न हो, वही नायिका उसी नायक की रति के आलम्बन-विभाव हो सकती है, मां वहनों में तो पुत्र भ्रातादिकों को वैसे (यह अगम्य है) ज्ञान रहता ही है अतः वे उनके प्रेम के कारण नहीं होती । एक बात और कल्पना कीजिये किसी नायिकाके सम्बन्ध में पहले किसी को यह ज्ञान हुआ कि 'यह नायिका अगम्य है' और इस ज्ञान के दूसरे क्षण में उस ज्ञान में अप्रमात्व का निश्चय हुआ अर्थात् उस नायिका को मेरा अगम्य समझना अप्रमाण है ऐसा निश्चय हुआ, तब क्या होगा ? वह नायिका उसकी रति का विभाव होगी या नहीं ? उत्तर 'हाँ' में ही देना होगा, यदि आप कहें कि उस नायिका में विशेष्यतासम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताक अगम्यात्वप्रकारक ज्ञानाभाव तो नहीं है अर्थात् 'यह अगम्या है' ऐसा ज्ञान ही उस नायिका में विशेष्यता सम्बन्ध से है, फिर वह तत्पुरुषीय रति का आलम्बन विभाव कैसे होगी ? बात ठीक है, इसीलिये ग्रन्थकार अगम्यात्वप्रकारक ज्ञान में 'अप्रामाण्यनिश्चयानालिङ्गित' विशेषण लगाया है अर्थात् उस नायिका में शुद्ध अगम्यात्वप्रकारक ज्ञानाभाव के न रहने पर भी अप्रामाण्य निश्चयानालिङ्गितत्वविशिष्ट उक्त ज्ञान का अभाव रहेगा, इसी तरह के अभाव को 'विशेषणाभावप्रयुक्तविशिष्टाभाव' कहते हैं, अतः वह नायिका उस नायक के प्रेम का आलम्बन अवश्य हो सकती है । अच्छा अब प्रकृत में विचार कीजिये कि इस परिष्कार के अनुसार शकुन्तला आदि सामाजिकों की रति के आलम्बन विभाव होगी या नहीं ? उत्तर ग्रन्थकार का नकारात्मक है कारण ? शकुन्तला आदि—जो पूज्य कोटि में हैं—में 'अगम्या' इत्याकारक ज्ञान ही सामाजिकों को रहता है और उस ज्ञान में कभी अप्रामाण्यनिश्चय अर्थात् 'अगम्या' यह ज्ञान मिथ्या है ऐसी धारणा भी नहीं होती, अतः विशेष्यतासम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताक, अप्रामाण्यनिश्चयानालिङ्गित अगम्यात्वप्रकारक ज्ञानाभाव-विशिष्टकान्तास्वरूप विभावतावच्छेदकधर्म शकुन्तला आदि में नहीं है । सारांश यह कि आत्मगतत्वेन रसकी प्रतीति नहीं हो सकती—अर्थात् 'शकुन्तलाविषयक रतिवाला हैं' ऐसा ज्ञान नहीं बन सकता है ।

लक्ष्मिवेशानाम् दोष दर्शयति—

अन्यथा स्वत्वादेरपि कान्तात्वादिना तत्त्वापत्ते ।

प्रत्यया शृङ्गारालम्बनविभावताऽवच्छेदकोटानुक्तनिवेशाकरणे । त्वत्त्वादिपदेनागम्या-  
ज्ञानान्तरपरिग्रहः । तत्त्व भ्रात्रादिनिष्ठशृङ्गारालम्बनविभावत्वम् ।

अप्रामाण्यनिश्चयविषयागम्यान्वप्रकारज्ञानोपविशेष्यतासम्यन्वावच्छिन्नप्रतियोगिताका-  
भावविशिष्टकान्तात्वस्य शृङ्गारालम्बनविभावताऽवच्छेदकतयाऽनभ्युपगमे, भगिनांप्रवृत्त्यग-  
म्यभ्रातागमपि, नामान्यधर्मस्य कान्तात्वस्य सत्त्वाद्, भ्रात्रादिनिष्ठशृङ्गारालम्बनविभावत्व-  
मापद्येत, तस्माद्बुक्तनिवेश आवरयक इत्यभिप्रायः ।

कान्तानाम् को रति का विभाव मान लेने पर जो दोष होगा, उसका उल्लेख करते हैं—'अन्यथा' इत्यादि । कहने का सारास यह है कि रति के आलम्बन विभाव होने के लिये नायिका में जिन सब विशेषों का रहना आवश्यक बतलाया गया है, उनका अङ्गीकार यदि न किया जाय, केवल कान्तात्व को ही विभावतावच्छेदक माना जाय, अर्थात् नायिका होना ही रति के आलम्बन होने के लिये पर्याप्त समझा जाय, तब भी वहने भी कान्ता होने के नाते पुत्र तथा भ्राता की रति के आलम्बन ही जायगी, यह बात मैं पहले भी लिख चुका हूँ ।

रसान्तरेष्वप्येव निवेशत्यावरयकता प्रकटयति—

एवमशोच्यत्व-कापुरुषत्व्यादिज्ञानविरहस्य तथाविधस्य करुणरसादी ।

प्रशोच्यत्वनशोचनीयत्व, तस्य पुंसः सर्वथा कृतकत्वत्वाच्चैव शृङ्गाराजयमानविभवातना-  
निवर्तनाद्वा, कापुरुषत्व तु पौनोचितानाचरणान् कदाचरणाद्वा । तथाविधस्य विशेष्यतास-  
म्यन्वज्ञानच्छिन्नप्रतियोगितास्य ।

एव शृङ्गाररसोत्तराद्या, स्वर्गरनादावपि विभावताऽवच्छेदकोशवशोच्यत्वकापुरुषत्व-  
प्रकारज्ञानोपविशेष्यतासम्यन्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावममानाधिकरणविनष्टपुरुषत्वनेवाल-  
म्बनविभावताऽवच्छेदकम् । प्रत्यया विनष्टत्याशोच्यत्वापि पुरुषत्व विनष्टपुरुषत्वादिज्ञाना-  
न्वार्थयोगात् स्वर्गरनालम्बनविभावत्वमापद्येत (एवमेव रसान्तरेष्वप्युहनीयम्) इत्याशयः ।

केवल शृङ्गार रस के ही नहीं अपितु अन्य रसों के विभाव के विषय में भी उक्त प्रकार का विचार करना पड़ेगा, यही बात कहते हैं—'वन्' इत्यादि। आशय यह है कि जेमें शृङ्गार रस में आलम्बन विभावतावच्छेदक केवल कान्तात्व को न मान कर उक्त विशेष्यविशिष्ट कान्तात्व को माना गया है, उसी तरह कवण रस के विभावतावच्छेदक भी केवल मृत जनम को न मान कर अप्रमाण्यनिश्चयानालिङ्गित, अशोच्यत्व अथवा कापुरुषत्व प्रकारक शानाभावविशिष्टमृतजनत्व को मानना चाहिये, अर्थात् कवण रस का-शोक का-आलम्बन-विभाव (कारण) केवल मरा हुआ व्यक्ति विशेष नहीं हो सकता, अन्यथा यह व्यक्ति भी शोक न आलम्बन हो जायगा, जो प्रज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद मरा है—जिसको जीवन मरण में कोई विशेष नहीं मानित होता था, अथवा जो कापुरुष था—निन्दित था, अर्थात् जिसके मरण से लोगों को दुःख ही होती है, अपितु वह व्यक्ति विशेष ही मृत होकर शोक का आलम्बन होता है, जिसमें 'वह अशोच्य था, कुम्भित आचरण करने वाला था' ऐसा ज्ञान हो। शेष विचार शृङ्गार रस के विभाव-निरूपण के अनुसार ही करना चाहिए ।

नन्ववच्छेदकोटिप्रोक्षितस्तादृशज्ञानभाव मुलभ इत्यत आद्—

तादृशज्ञानानुत्पादस्तु तत्प्रतिबन्धकान्तरनिर्वचनमन्तरेण दुरुपपाद्ः ।

तादृशत्याप्रानाम्प्रानाविनन्वागन्तात्वादिप्रकारक वर्णन, तस्यानुत्पारोद्भुतनि, तु

पुनः, तत्प्रतिबन्धकान्तराणां तज्ज्ञानोत्पत्तिप्रतिरोधकानामन्येषां, निर्वचनं निरूपणम्, अन्तरेण विना, दुरुपपादो दुर्वच इत्यर्थः ।

शकुन्तलादिविषयकमगम्यात्वप्रकारकज्ञानं तावन्नावरुध्येत, यावदेतद्विघ्नं तत्प्रतिबन्धक किञ्चिन्न परिकल्प्येत । तन्निवेशे तु विशिष्टविभावताऽच्छेदकविरहात् प्रकृते रसप्रतीत्यभाव इति भावः ।

यदि आप कहें कि 'शकुन्तला आदि के विषय में सामाजिकों को 'ये हमारे लिये अगम्य हैं' ऐसा ज्ञान उत्पन्न होगा' यह कथन ठीक नहीं, मैं कहता हूँ उक्त ज्ञान सामाजिकों को नहीं उत्पन्न होगा, इस झगड़े को सुलझाने के लिये कहते हैं 'तादृश इत्यादि । कहने का तात्पर्य यह है कि परस्त्रीमात्र के विषय में 'यह अगम्य है' ऐसा ज्ञान होना ही सत्पुरुष के लिये उचित तथा सम्भव है, सीता, शकुन्तला, दमयन्ती प्रभृति कौन तो बात ही क्या ? उन सबको सभी पूज्य समझते हैं, अतः उनके विषय में उक्त ज्ञान क होना अनिवार्य सा है, हाँ, निःसन्देह तब वह नहीं हो सकता, यदि उस ज्ञान की उत्पत्ति को रोक देने वाला कोई प्रतिबन्धक उपस्थित रहे, परन्तु वैसा प्रतिबन्धक कोई दृष्टि-गोचर होता नहीं, फिर तो सामाजिकों को शकुन्तला आदि के विषय में अगम्यात्वप्रकारक ज्ञान होगा ही ।

तत्र पुनराशङ्क्य समादधाति—

स्वात्मनि दुष्यन्ताद्यभेदबुद्धिरेव तथेति चेत्, न, नायके धराधौरेयत्व-धीरत्वादेरात्मनि चाधुनिकत्व-कापुरुषत्वादेर्वैधर्म्यस्य स्फुटं प्रतिपत्तेरभेदबोध-स्यैव दुर्लभत्वात् ।

स्वात्मनीति सप्तम्यर्थो विशेष्यत्वम् । तथाऽगम्यात्वादिप्रकारकज्ञानोत्पत्तिप्रतिबन्धिका । धराधौरेयत्वं भूभारवाहनक्षमत्वम् । धीरत्वं प्राज्ञतमत्वं धृतिविशेषशालित्वं वा । प्रथमेनादि-शब्देन स्वात्मनि सर्वथाऽसम्भाव्यानां प्राचीनकालवृत्तित्व-लोकोत्तरशौर्यादिगुणानां द्वितीयेन चाल्पज्ञत्वादीनां स्वदोषाणां ग्रहणम् । वैधर्म्यं विरुद्धो धर्मः । प्रतिपत्तिर्ज्ञानम् ।

स्वात्मविशेष्यकं दुष्यन्तप्रकारकमभेदसंसर्गकं 'दुष्यन्तोऽहम्' इत्याकारकं सामाजिकस्य यदि जायेत, तर्हि शकुन्तलाविषयकमगम्यात्वप्रकारक ज्ञान सामग्रीविरहाच्चैवोत्पद्येत, तर्हि तादृशज्ञानानुत्पत्तये प्रतिबन्धकान्तरकल्पनया, दुष्यन्ताभेदबुद्धयैवागम्यात्वप्रकारकज्ञानोत्पत्ति-प्रतिबन्धसम्भवादिति कथनं तु न सङ्गतम्, स्वात्मन्यसम्भाव्यानां धराधौरेयत्वादीनां दुष्यन्तगुणानां, दुष्यन्तेऽसम्भाव्यानामाधुनिकत्वादीनामात्मदोषाणां च मिथोविरुद्धधर्माणां ज्ञाने स्फुटं विद्यमाने, बाधितस्य स्वात्मविशेष्यकदुष्यन्ताभेदज्ञानस्योत्पत्तुमेवाशक्तत्वादित्यभिसन्धिः ।

यदि आप कहें कि शकुन्तला आदि के विषय में अगम्यात्वप्रकारक ज्ञान को रोकने वाला प्रतिबन्धक आपको दृष्टिगोचर नहीं होता, यह तो आपका दृष्टि-दोष है, मैं तो प्रतिबन्धक को देखता हूँ और आपको भी दिखला सकता हूँ, देखिये—अभिज्ञानशाकुन्तल आदि के अभिनय देखते समय प्रत्येक सामाजिक अपने को दुष्यन्त समझता रहता है, वही दुष्यन्तादिक ( जिनकी शकुन्तला आदि प्रेयसियाँ थीं ) और अपने में होने वाली अभेद-बुद्धि अर्थात् 'मैं दुष्यन्त हूँ' यह बुद्धि ही शकुन्तला आदि में अगम्यात्व ज्ञान की प्रतिबन्धिका है, यह भी तर्क ठीक नहीं, क्योंकि शकुन्तला आदि के नायक दुष्यन्त आदि प्राचीन काल के धराधीश और धीर पुरुष थे और हम इस युग के क्षुद्र मानव हैं, यह विरुद्ध धर्म जब स्पष्ट प्रतीत होता रहेगा, तब 'मैं दुष्यन्त हूँ' इस तरह के अभेद ज्ञान का ही दुर्लभ है—असम्भव है ।

ननु तत्रैवम्यज्ञाने क्वचिदजाते, जातेनेच्छामूलरूपाहार्यरूपं दुष्प्रयत्नाभेदज्ञानं भवेदेवेत्यहचे, प्रहरान्तरं च गणनमुपक्रमते—

किं च केव प्रतीतिः ? प्रमाणान्तरानुपस्थानाच्छाब्दीति चेत्, न व्यावहारिकशाब्दान्तरजन्यनायकमिधुनवृत्तान्तवित्तीनामिवास्या अप्यदृष्टत्वापत्तेः ।

क्रियेत्यादिना प्रथमकौप्युपपादनं तत्त्वगणनं च । इयं रसत्वेनाभिमतता, प्रतीतिः का क्रियेति प्रश्नः । प्रमाणान्तराणां प्रत्यक्षानुमानोपमानानाम् । शाब्दी शब्दजन्या शाब्दबोधरूपा । व्यावहारिकशाब्दान्तराणि काव्यातिरिक्तलौकिकव्यवहारप्रयुक्ता अन्ये शब्दाः । नायकमिधुन नाचिह्नं नायकश्च । वित्तीर्षोऽयं । अस्याः काव्यशब्दजन्यरसप्रतीतिः । अदृष्टत्वमचमत्कारिता ।

रसमुच्यते—रसत्वेनाभिमतये सानाजिकप्रतीति शब्दजन्यत्वादिनिषाऽऽदिवृत्तिसापेक्षत्वाच्च न प्रत्यक्षम् । व्याप्तिप्रहायनपेक्षणानुमानम् । नादरयज्ञानामूलकत्वाच्च नोपमानानित्यनात्त्या, शाब्दबोधस्वरूपैवाभ्युपगता स्यात् । एवं नति प्रत्यक्षातिरिक्तज्ञानानामचमत्कारित्वस्य सर्वमन्मतत्वादस्या अपि चमत्कारगून्यतया 'रसे सारथनत्कार' इत्युक्ते रसत्वं न स्यात् । अन्यथा नायकमिधुनवृत्तान्तबोधककाव्यातिरिक्तशब्दजन्याया अचमत्काररूपप्रतीतेरपि रसत्वमापयेति भावः ।

अभिनेयसाम्यप्रतीति शब्दजन्यत्वान्नाच्छब्दत्वं तु चिन्तनीयम् ।

यदि क्रिया कारण से उक्त विरुद्ध धर्म का ज्ञान न हो, अथवा उक्त विरुद्ध धर्म के ज्ञान होने पर भी इच्छामूलक 'दुष्प्रयत्नोऽहम्' ऐसा आहार्यज्ञान तो हो ही सकता है क्योंकि आहार्यज्ञान से अतिरिक्त ज्ञान ही वाच्यनिश्चय का प्रतिरूप्य होता है, अतः प्रकारान्तर से गणन का उपक्रम करते हैं— क्रिये' इत्यादि । अब हम आपसे पूछते हैं—जिसको आप रस कहते हैं वह सामाजिकों की आत्मा में होने वाली प्रतीति क्या है ? क्या उसका स्वरूप है ? शब्दजन्य तथा अभिधा आदि वृत्ति-सापेक्ष होने से वह प्रतीति प्रत्यक्ष रूप नहीं हो सकती, व्याप्तिज्ञान आदि की अपेक्षा नहीं करने से अनुमिति रूप भी उसको नहीं कह सकते, सादरय-ज्ञान-मूलक नहीं होते, उपमित्वात्मक भी नहीं मानी जा सकती, फिर अगत्या शब्द-प्रमाणजन्य होने से शब्दबोधक रूप ही उस प्रतीति को कहेंगे, परन्तु जो शक नहीं, कारण ? प्रत्यक्षातिरिक्त ज्ञानों को सब लोग अचमत्कारी मानते हैं और शब्दबोध भी प्रत्यक्षानिरीक है, अतः यह भी अचमत्कारी होने से रसरूप नहीं हो सकेगा, क्योंकि 'रसे सारथनत्कार' ऐसा मिथ्या है, अन्यथा दिन रात व्यवहार में आने वाले काव्य भिन्न शब्दों के द्वारा ज्ञात हुए स्त्री-पुरुषों के वृत्तान्तों का ज्ञान भी रस मज्ञा को प्राप्त कर लेगा ।

अनु ना प्रतीतिर्मानस्येव भवेदित्याराज्ञावानाह—

नापि मानसी, चिन्तोपनीताना तेषामेव पदार्थानां मानस्या प्रतीतेरस्या येतन्नयोपलम्भान् ।

अति प्रादुर्भावात्संज्ञानुवाचकः ।

मानसी इत्यन्यथाप्रयत्नानिजन्वा-नौकिकप्रत्यक्षज्ञानाऽपि सा प्रतीतिर्न भवितुमर्हति, नित्यां पुनःपुनःपुनः ज्ञानरूपमात्मनसा, उक्तानां 'सुरभिनिन्दनम्' इत्यत्र नारभागवद-अद्वैतप्रसङ्गोचरत्वात्, तेषां शकुन्तलाऽऽज्ञानमेव पदार्थानां वा मानसी प्रतीतिः, तस्यां ( नदगाह ) प्रत्या काव्यशब्दजन्यप्रतीतिः, तैलजन्यस्य चमत्कारप्रयुक्तभेदस्य, उपलम्भादनुभवावित्यर्थः ।

अग्रमाशयः—सुरभिचन्दनमित्यादौ ज्ञानलक्षणालौकिकसन्निकर्षेण सौरभादीनां स्मृतिव भानमेव भवति, न तु तत्कृतं कश्चन चमत्कारः । इह तु चमत्कारोऽपीत्युक्तं कार्यभेदाद् भेदस्यानुभवसिद्धत्वाच्चैकत्वम्यम् ।

यदि आप उस प्रतीति को मानस अर्थात् ज्ञानलक्षण-प्रत्यासत्ति-जन्य अलौकिक प्रत्यक्षरूप कहना चाहें तो सो भी नहीं बन सकता, क्योंकि चिन्ता (पुनः पुनः अनुसन्ध रूप भावना) के द्वारा अलौकिक प्रत्यक्ष के विषय बनाये गये अर्थात् समझे गये व शकुन्तला आदि पदार्थों की मानस प्रतीति से काव्यशब्दजन्यरसप्रतीति में विलक्षण उपलब्ध होती है अर्थात् 'सुरभिचन्दनम्' इत्यादि स्थलों में ज्ञानलक्षणरूप अलौकिक सम्बन्ध से होने वाले सौरभांश-ज्ञान में कोई चमत्कार अनुभूत नहीं होता और रसात्मकप्रतीति में वह अनुभूत होता है, अतः रसामकप्रतीति मानस नहीं हो सकती नन्वेवमनुभूतिभिन्ना सा प्रतीति स्मृतिरेवाङ्गीक्रियतामित्यत आचष्टे—

न च स्मृतिः, तथा प्रागननुभवात्

चकारेण प्रागुक्तराब्दवोधादिसङ्ग्रहः । अस्तीति शेषः ।

स्मरणानुभवयोः कार्यकारणभावस्य सर्वत्र निर्णीतत्वादिह शकुन्तलादिपदार्थविषयानुभवस्य प्रागभावादस्य ज्ञानस्य न स्मरणत्वमित्याशयः ।

अस्याः प्रतीतेः स्मृतिरूपताऽङ्गीकारे परोक्षात्मकतयाऽचमत्कारित्वप्रसङ्गः स्यादिति न विस्मरणीयम् ।

स्मृतिरूप भी रस प्रतीति को नहीं मान सकते, क्योंकि स्मृति के प्रति अनुकारण है अर्थात् जिन चीजों का जिस रूप में पहले अनुभव हुआ करता है उन्हीं चीजों उस रूप में पीछे स्मरण होता है, यहाँ तो शकुन्तला आदि पदार्थों का उसरूप में पकभी अनुभव ही नहीं हुआ है, फिर उनका स्मरण कैसे हो सकता है ?

इत्थं विकल्पान् निरस्य भट्टनायकसम्मत रसस्वरूपमुपन्यस्यति—

तस्माद्भिधया निवेदिताः पदार्थाः भावकत्वव्यापारेणागम्यात्वादिरसविधिज्ञानप्रतिबन्धद्वारा कान्तात्वादिरसानुकूलधर्मपुरस्कारेणावस्थाप्यन्ते । साधारणीकृतेषु दुष्यन्त-शकुन्तला-देश-काल-वयोऽवस्थाऽऽदिषु, पङ्क्तौ च व्यापारमहिमनि, तृतीयस्य भोगकृत्वव्यापारस्य महिम्ना, निगीर्णयो रजस्तमरुद्रिक्ससत्त्वजनितेन निजचित्स्वभावनिर्वृतिविश्रान्तिलक्षणोन् साक्षात्कारे विषयीकृतो भावनोपनीतः साधारणात्मा रत्यादिः स्थायी रसः ।

तस्मात्-पूर्वोक्तरीत्या प्रकारान्तरासम्भवात् । निवेदिता-श्रव्यकाव्येऽभिधया बोधित्वाद्यैकाव्येत्विन्द्रियसन्निकर्षेण प्रत्यक्षविषयता नीता । पदार्थाः दुष्यन्तादयो रत्यादयश्च भावकत्वं हि साधारणीकरणलक्षणं काव्ये विभावादिव्यापारं, तदुक्तम्—

‘व्यापारोऽस्ति विभावादेर्नाम्ना साधारणीकृतिः ।

तत्प्रभावेण यस्या सन् पाथोधिप्लवनादयः ॥

प्रमाता तदभेदेन स्वात्मानं प्रतिपद्यते ॥’ इति

‘साधारण्येन रत्यादिरपि तद्वत् प्रतीयते ॥’ इति च ।

अगम्यात्वादिरसविरोधिज्ञानप्रतिबन्धद्वारा-शकुन्तलादिविषयकमगम्यात्वादिप्रकारक (अत एव) रसस्य ज्ञानलक्षणस्य प्रतिबन्धकत्वाद् विरोधि प्रतिकूल, यज्ज्ञानं त प्रतिबन्धद्वारा तत्प्रतिबन्धं प्राग् विधाय कान्तात्वादिरसानुकूलधर्मपुरस्कारेण कान्तात्वादे ये रसानुकूला रसप्रतीत्युपयोगिनो धर्माः, तेषां पुरस्कारेण वैशिष्ट्येन । अथवस्थाप्यन्ते

तांतिविषयांक्रियन्ते । एवम्—उक्तभावस्त्वव्यापारेण । साधारणीकृतेषु सामान्यधर्माव-  
 च्छुत्तन्वेन ( विगोपप्रमानवच्छिन्नतया ) बोधितेषु । संतादिशब्दवच्छकुन्तलाशब्दस्य  
 पूर्वनिपात उचित । देश उपवनादित्यानम् । शालो वसन्तादिसमय । वयो बाल्यादि ।  
 प्रसूया मरणविप्रयोगादिदशा । आदिपदेन रत्यादि स्थायि-लज्जादिव्यभिचारि-कटाक्ष-  
 विद्वेषाद्यनुभावादीनां प्रवृत्तम् । पत्नी कृतकृत्यत्वाद् विरते सतीति शेष । पूर्वव्यापारो भावक-  
 त्वम् । तृतीयत्वं भोजकत्वस्याभिज्ञा-भावकत्वापेक्षया बोध्यम् । भोगकृत्त्वं भोजकत्वमित्यन-  
 यन्तरम् । निगरणमव-रूपमभिभव इति यावत् । उद्विक्तं रजस्तमोगुणावभिभूयाविर्भूतं  
 यत् नन्द्यं ( गुण ) तच्चनितेनेति नाशान्कारविशेषणम् । निजा स्वोया ( आत्मरूपा )  
 चैतन्यभावा चैतन्याकारा, या निर्गुतिरानन्दो विश्वान्तिर्वैद्यविषयान्तरपरिहारेणावस्थिति-  
 र्दृश्य स्वरूप यस्य, तादृशेन, साक्षात्कारेणापरोक्षज्ञानेन, विषयीकृतो गोचरता नीत ।  
 नात्रन्योन्योपनांत उपस्थापित ( अत एव ) साधारणात्मा सम्बन्धिविशेषानवच्छिन्नरूप ।

प्रभिधयोपस्थापितेषु, भावकत्वेन साधारणीकृतेषु विभावादिषु, भोजकत्वेन साक्षात्क-  
 रविषयता नांतो रत्यादि स्थायीं वेद्यान्तरस्पर्शशून्य सच्चिदानन्दरूपो रस इत्येतन्मतनिर्घर्ष ।

इस तरह से अनेक विकल्पों का खण्डन कर अब भट्टनायकाभिमत रसस्वरूप का  
 उपपादन करते हैं— न्य-रनिधय इत्यादि । अभिप्राय यह है कि पूर्वोक्त एक भी प्रकार  
 टीक नहीं हो सका, अतः ऐसे समझना चाहिए कि ध्वन्यभाव्य में अभिधा के द्वारा और  
 रसकाव्य में चक्षुरिन्द्रिय से पहले शकुन्तला आदि पदार्थों का बोध होता है, उसके  
 बाद काव्य में रहने वाले 'भावकत्व' व्यापार से—शकुन्तला आदि के विषय में जो  
 रस विरोधी 'अगन्या इयम्' इत्यादि ज्ञान होता था—वह रोक दिया जाता है और  
 कान्ताव आदि रसोपयोगी धर्म के साथ उन ( शकुन्तला आदि ) पदार्थों की उपस्थिति  
 दरा दी जाती है । इस तरह वह 'भावकत्व' व्यापार शकुन्तला, दुष्यन्त, देश, काल, वय  
 और मयोग, वियोग आदि दशा सयकों साधारण बना देता है, अर्थात् उनमें किसी प्रकार  
 की विशेषता नहीं रहने देता कि जिससे रसोद्बोध में बाधा पड़े । वस, इतना कार्य करके  
 वह व्यापार विरत हो जाता है । इसके बाद 'भोगकत्व-भोजकत्व' नामक तृतीय काव्य  
 व्यापार से रजोगुण और तमोगुण निर्गम कर लिये जाते हैं—दवा दिये जाते हैं और सत्त्व-  
 गुण उद्विक्त-प्रबुद्ध हो जाता है, जिसमें हम ( सामाजिक ) सांसारिक समस्त विषयों से  
 दृष्टकारा पाकर अपने चैतन्यस्वरूप आत्मानन्द का साक्षात्कार करने लगते हैं, वस, उम्मी  
 साक्षात्कार-आत्मानन्दानुभव का विषय बना हुआ रति आदि स्थायीभाव 'रस' कहलाता  
 है, जिस स्थायीभाव को पूर्वोक्त 'भावकत्व-भावनाविशेष' साधारण रूप में उपस्थित कर  
 चुका था । यहाँ यह भी एक सन्देह लेने की बात है कि सत्त्वगुण के उद्रेक से जो  
 आत्मानन्द प्रकाशित होता है, उसी चैतन्यारमक ज्ञान को 'भोग' कहते हैं, जिसके विषय  
 पन जाने पर रति आदि स्थायी भावों की सज्ञा 'रस' पवती है ।

दुतिल्लारस्वरसायै प्राग्बद् विकल्पयति—

तत्र भुज्यमानो रत्यादि, रत्यादिभोगो वेत्युभयमेव रस ।

तत्र भोगविशिष्ट रत्यादिरूपे । उभयं भोगविषयोभूतरत्यादी रत्यादिविषयक्रमोत्तरचेति-  
 निरुद्धनाद् इयम् ।

जिह्वा विरोधरविनिगमरस्त्वोपलम्भेऽपि 'विनिगमनपरिहादाह—'रस्यवतरण तु  
 विन्ननाम् ।

इस पद्य में भी प्रथम पद्य की तरह ही भोग किए जाते हुए अर्थात् चैतन्य से युक्त  
 रति आदि स्थायीभाव अथवा रति आदि स्थायी भावों का भोग अर्थात् रति आदि से युक्त  
 चैतन्य से दोनों ही 'रस' हैं ।

आस्वादात्मनोऽस्य रसभोगस्य, ब्रह्मास्वादाद् वैलक्षण्य सादृश्यप्रदर्शनकपटेन प्रकृतः सोऽय भोगो विषयसंबलनाद् ब्रह्मास्वादसविधवर्तीत्युच्यते ।

विषयसंबलनात्-स्वेतरविषयसम्बन्धात् । ब्रह्मास्वादस्य सविधवर्ती-निकटस्य' : ( नत्वेक' ) इति यावत् ।

इदमुच्यते-ब्रह्मास्वादोऽविशिष्टविषयकत्वात् स्वभिन्नविषयासम्पृक्तो निर्विषय, र गस्तु विभावादिविशिष्टस्याविषयकत्वात् स्वभिन्नविषयसम्पृक्तः सविषय इत्युभये सच्चिदानन्दशाब्दापरोक्षसाक्षात्काररूपतया च तुल्यत्वम् । रजस्तमसो सत्त्वेनाभिभूयन्तयोः साक्षात्कारयोः केवलानन्दरूपता, लौकिकसुखसाक्षात्कारे तु रजस्तमसोरभिभवात् चित्तं दुःखमोहयोरपि सम्भेदस्य सम्भवात् ततो भेदः, सत्त्वरजस्तमसा क्रमेण सुखदुःखलक्षणपरिणतेः साङ्ग्याभिमतत्वात् ।

यह भोग-रसास्वाद, ब्रह्मास्वाद का सविधवर्ती-सहोदर अर्थात् सदृश कहला ब्रह्मास्वादरूप नहीं, क्योंकि यह रसास्वाद-भोग, विभाव भादि से विशिष्ट स्थायिभ विषय रूप में साथ रखे रहता है और ब्रह्मास्वाद अपने से अतिरिक्त किसी भी व विषयरूप में साथ नहीं रखता अर्थात् रसास्वाद सविषयक होता है और ब्रह्म निर्विषयक, अतः इन दोनों में भेद है, परन्तु भेद के रहने पर भी शब्दजन्य, सच्चिदानन्दमय, अपरोक्ष-साक्षात्काररूप होने से ये दोनों समान कहलाने योग्य अवश्य हैं ।

इदानीमुपसंहरति—

एवं च त्रयोऽंशाः काव्यस्य—‘अभिधा भावना चैव तद्भोगीकृतिरेव इत्याहुः ।

अंशा व्यापाराः । अभिधेति लक्षणोन्द्रियसन्निकर्षयोरप्युपलक्षणम्, लाक्षणिकदृश्य योरनुरोधात् । भोगीकृतिर्भोगस्य निदानं भोजकत्वम् । भोगो भुक्तिरास्वाद इत्यनर्थान् [ आहुरित्यस्य पूर्वोक्तेन ‘भट्टनायकाः’ इत्यनेन सम्बन्ध ।

इस तरह यह सिद्ध हुआ कि काव्य के तीन अंश हैं अर्थात् काव्य में तीन अंश रहते हैं—एक अभिधा, जिससे सर्वप्रथम काव्यार्थों को समझा जाता है, यहाँ उ पद को दृश्य तथा श्रव्यकाव्य के अनुरोध से लक्षणा तथा इन्द्रिय सन्निकर्षों उपलक्षण समझना चाहिए । दूसरा अंश काव्य का है—भावना या भावकत्व, शकुन्तला भादि का साधारणीकरण होता है और तीसरा अंश है भोगीकृति या भा अथवा भोजकत्व, जिससे रति आदि का रस रूप में आस्वादन होता है ।

अभिनवगुप्तमताद् भट्टनायकमतस्य विशेषविशेष च दर्शयति—

मतस्यैतस्य पूर्वस्मान्मताद् भावकत्वव्यापारान्तरस्वीकार एव विभ भोगस्तु व्यक्तिः । भोगकृत्त्वं तु व्यञ्जनादविशिष्टम् । अन्या तु सैव सरणिः

एतस्य भट्टनायकमतस्य, पूर्वस्मात् प्रागुक्ताद् अभिनवगुप्तस्य मताद्, भावक व्यापारान्तरं पूर्वोक्ताद् भिन्नो व्यापारः, तस्य स्वीकार एष विशेषो वैधर्म्यम्, अस्तीति एवमग्रेऽपि योजनीयम् । भोगस्तु भुक्तिर्व्यक्तिर्भगनावरणचिरूप आस्वाद इति यावत् । कृत्त्वं भोजकत्वरूपं तु पुनः, व्यञ्जनाद् रसनाख्यवृत्ते, अविशिष्टमविलक्षणमभिन्नमित न्तरम् । अन्या तदतिरिक्ता तु साऽभिनवगुप्तोक्ता, एव, न तु तद्भिन्ना, सरणि पद्धतिरि

प्रथममते यथा व्यञ्जनाऽज्ञानावरणमपसार्य, सत्त्वोद्रेके सति, भगनावरणचिदवा रत्यादि, रत्याद्यवच्छिन्न-भगनावरणचित्त वा, सच्चिदानन्दास्वादपदवीं नीत्वा रसत्वेन हारयति । तथैव द्वितीयमते भोजकत्वं सत्त्वोद्रेके सति, स्वीयमगनावरणसच्चिदानन्द





स्यत्वात् साक्षादात्मभास्य', शकुन्तलादिविषयकरत्यादिरेव ( न तु तज्ज्ञानादि किञ्चिदन्यत् ) रसोऽस्तीत्यर्थः ।

चाकचिक्यदोषेण शुक्तिखण्डे रजतध्रमे यथाऽनिर्वचनीय साक्षिभास्यश्च रजतखण्डः प्रातिभासिकसत्ता लभते, तथैव विलक्षणभावनादोषेण सहृदयस्य स्वात्मनि शकुन्तलादिरत्यादिमद्दुष्यन्तादिध्रमे, रत्यादि. प्रतिभासमानो रसत्वं लभत इति मतेऽस्मिन् न नवीन व्यापारकल्पनापेक्षेति सारम् ।

अब रस के विषय में नवीन विद्वानों के तृतीय मत का प्रतिपादन करते हैं—'नव्यास्तु' इत्यादि । अभिप्राय यह है कि श्रव्य-काव्य में कवि शब्दों के द्वारा विभाव, अनुभाव और सञ्चारीभावों को प्रकाशित करता है, दृश्यकाव्य में नट अभिनयों के द्वारा उनको प्रकाशित करता है, हम ( समाजिकों ) को श्रव्यकाव्य के पठन से और दृश्य के अवलोकन से उन विभावादिकों का ज्ञान पहले होता है, तदनन्तर हम काव्य की व्यञ्जना-वृत्ति से दुष्यन्त आदि में रहने वाली शकुन्तला आदि की रति का ज्ञान करते हैं अर्थात् व्यञ्जना वृत्ति के द्वारा हम यह समझते हैं कि—'दुष्यन्तः शकुन्तलाविषयकरतिमान्'—दुष्यन्त शकुन्तला का प्रेमी था । इसके बाद हमारी सहृदयता हममें एक प्रकार की भावना पैदा करती है अर्थात् हम सहृदय होने के नाते दुष्यन्त आदि के सखन्ध में पुनः पुनः अनुसन्धान करने लग जाते हैं, और वह भावना पुनः पुनः दुष्यन्त आदि के विषय में अनुसन्धान—एक ऐसा दोष है, जिससे हमारी अन्तरात्मा कल्पित दुष्यन्तत्व से आश्चर्यित हो जाती है, अर्थात् उस भावनारूप दोष के चलते हम अपने को दुष्यन्त समझने लगते हैं और जब हम अपने को दुष्यन्त समझ लेते हैं, तब हमें अपने को शकुन्तला का प्रेमी समझने में कोई बाधा नहीं रह जाती अर्थात् उक्त दोष के कारण कल्पित दुष्यन्तत्व से आच्छन्न आत्मा में कल्पित शकुन्तला विषयक रति भी भासित होने लगती है, जैसे दूरत्व आदि दोषों के कारण जब सीप के टुकड़े अज्ञान से ठक जाते हैं—वास्तविकरूप में नहीं समझ पड़ते, तब उन टुकड़ों में ही चाकचिक्य दोष से चाँदी के टुकड़े उत्पन्न हो जाते हैं—अर्थात् वे सीप के टुकड़े चाँदी के टुकड़े प्रतीत होने लगते हैं । यद्यपि न हमें शकुन्तला आदि की रति वास्तविकरूप में रहती है, न सीप के टुकड़ों में चाँदीपन तथापि साक्षी-आत्मा उनका भान करा देती है । इस तरह वे दोनों ( हम में भासित होने वाली शकुन्तला आदि की रति और सीप के टुकड़ों में प्रतीयमान चाँदीपन ) अनिर्वचनीय हैं, अर्थात् उनको कल्पित होने के कारण सत् नहीं कह सकते और प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने के कारण असत् भी नहीं मान सकते, अतः वे सत् असत् इन शब्दों से नहीं कहे जाने योग्य होकर अनिर्वचनीय ही सिद्ध होते हैं । बस, उक्त भावना दोष से 'मैं दुष्यन्त हूँ' इस भ्रम में पड़े हुए सामाजिकों में उत्पन्न होने वाली, साक्षिभास्य अनिर्वचनीय शकुन्तलाविषयक रति आदि स्थायीभाव ही 'रस' है ।

'उत्पन्नो रसः' 'विनष्टो रसः' इत्यादिव्यवहारसिद्धये रसोत्पत्तिविनाशयोः कारणे प्रतिपादयति—

अयं च कार्यो दोषविशेषस्य, नाशश्च तन्नाशस्य ।

अयं रस । च पुन । दोषविशेषस्य प्रागुक्तविलक्षणभावनाया । कार्यो निष्पाद्यः प्रादुर्भाव्य इति वा । तन्नाशस्य भावनाविशेषरूपदोषध्वंसस्य । नाशयो ध्वंस्यस्तिरोघाप्यो वा ।

विलक्षणभावनाया सत्यामेव रस उत्पद्यते, तस्यां विनष्टायामेव विनश्यतीति, तद्भावनायाः सत्त्वासत्त्वयोरेव रसस्योत्पत्तिविनाशव्यवहारः, यथा शुक्तिधर्मिकध्रान्ते सत्त्वासत्त्वयोरेव रजतखण्डस्योत्पत्तिविनाशव्यवहारः । इतरथा नित्ये तस्मिन्स्तद्व्यवहारानुपपत्तिरित्यभिसन्धिः ।

यह रस पूर्वोक्त भावनारूप दोष का कार्य है और उस दोष के नाश के अधीन ही उसका नाश है अर्थात् प्रथम और द्वितीय मत में रस को नित्य माना गया है अतः परकीय

(६) इसके बाद संस्कृत के परम अतुरागी, संस्कृतियों के कल्पतरु, अथवा अनेक कमनीय निबन्धों के निर्माता धाराधिति भोज का समय आता है। यद्यपि उन्होंने काव्यलक्षण पर खासकर बन्नी लेखनी नहीं चलाई, तथापि काव्य-प्रशंसा के प्रसङ्ग पर अपने प्रतिष्ठित निबन्ध 'सरस्वती वृन्दावन' में एक पद्य लिखकर काव्यलक्षा के सन्दर्भ में अपना विचार व्यक्त किया है। उक्त पद्य का भाव यह है कि 'दोषरहित, गुणरहित, अलंकारों से अलङ्कृत और सरस काव्य को बनाने बड़ा कवि कौर्त्ति के साथ दुख को भी पाता है'।<sup>१</sup> इस उक्ति से स्पष्ट प्रतीत होता है कि वे भी शब्दार्थ युगल को काव्य मानते हैं, क्योंकि शब्दमात्र को काव्य मानने पर 'सरस' विशेषण सर्वथा संगत नहीं हो सकता, कारा ? रसका केवल शब्दसे साक्षात् सन्दर्भ नहीं होता। और 'अलङ्कारों से' इस बहुवचन से शब्दालङ्कार तथा अर्थालङ्कार दोनों ही उनके विवक्षित ज्ञात होते हैं, यदि शब्दमात्र में उन्हें काव्यत्व अभिमत होता तो अर्थालंकार का समावेश क्यों करते ? अर्थालंकार शब्द को अलङ्कृत नहीं कर सकता। इनका माल ग्यारहवाँ शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है।

(७) अब अलङ्कार ग्रन्थों में सबसे अधिक प्रचलित काव्यप्रकाश के लेखक वाग्देवता के अपर अवतार नहानान्य नन्द या उदय हुआ। इन्होंने काव्यलक्षण में बानन का अनुवर्तन किया, परन्तु गुण तथा अलङ्कारों का समान स्थान काव्य में इन्हें समुचित प्रतीत नहीं हुआ अर्थात् काव्य में गुण का रहना इनके विचार से नानारोपक समझा गया और अलङ्कार का होना आनुशक्ति। स्पष्ट आशय यह हुआ कि अलङ्कार के रहने पर काव्य में श्रेष्ठता इन्हें भी स्वीकृत है, किन्तु उसके स्पष्ट न रहने पर भी काव्यत्व इन्हें स्पष्ट है, अतः इन्होंने 'दोषरहित और गुण सहित शब्दार्थ को काव्य कहा और अलङ्कार के विषय में कहा कि अधिकतर स्थानों में अलङ्कार का रहना आवश्यक है, पर कहीं यदि स्पष्ट अलङ्कार न भी रहे तो कोई हानि नहीं'।<sup>२</sup>

एक बात और यद्यपि नन्द ने काव्यलक्षण में रस की चर्चा नहीं की, तथापि उनके विचार से काव्य में रस का सर्वोच्च स्थान है, यह बात काव्यप्रकाश के अन्य अर्थों से विदित होता है, क्योंकि किन गुणों का रहना काव्य में इन्होंने आवश्यकतानुसार बताया है, उनको वे स्पष्ट शब्दों में रसका धर्म मानते हैं<sup>३</sup>। इनका आविर्भाव माल बारहवाँ शताब्दी लिखित है।

(८) नन्द के बाद उत्तरी शताब्दी में एक वाग्देवता नाम के आचार्य हुए, जिनका वाग्मन्मालकार नामक ग्रन्थ है। उनके युग तक आनन्दवर्धनाचार्य ने ध्वनि की स्थानता कर दी थी, ध्वनियों में भी रस आदि अलङ्कारसम्बन्धियों की प्रधानता निश्चित हो चुकी थी, अतः इन्होंने बानन तथा नन्द दोनों के गुणों को जोड़ कर एक नवीन काव्यलक्षण का निर्माण कर दिया, जिसका स्वरूप यह है कि 'गुण, अलङ्कार, रस और रस से युक्त तथा दोषरहित अच्छे शब्दार्थों का समूह काव्य है'<sup>४</sup>।

(९) इसके अनन्तर चन्द्रालोक नामक निबन्ध के निर्माता 'धोषपूर्वक' उपाधि से सूचित चन्द्रदेव का अवतर आया। इनसे पूर्व भावों आचार्यों के द्वारा जितने काव्यवत्त्व मिलित हुए थे,

१. 'निर्दोष गुणवत् काव्यमलङ्कारैरलङ्कृतम् । रसान्वितं कवि' दुर्वन् कौर्त्ति प्रीतिञ्च विन्दति ॥'

२. 'तददोषौ शब्दार्थौ समुपावनलङ्कृतौ पुनः कापि ।'

३. 'ये रसत्वादिनो धर्माः शौर्यादय इवान्ननः । उल्लङ्घितवस्तेत्युरचलस्थितयो गुणाः ॥'

४. 'गुणालंकाररसोपेतैः साष्टशब्दार्थसन्दर्भैः काव्यम् ।'

गति-विनाश के आरोप से 'रम उत्पन्न हुआ, रम विनष्ट हुआ' इत्यादि व्यवहार सिद्ध वे नहीं हैं परन्तु इन तृतीय मत में आरोप के द्वारा उन व्यवहारों को सिद्ध करने की शक्यता नहीं है, कारण ? रम को इन मत में स्वयम् उत्पत्ति-विनाश-शाली माना गया है, उक्त दोष ही रम का उत्पादक है और उसके नाश हो जाने पर रम भी हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक उक्त दोष का प्रभाव हम पर ना है, तभी तक शकुन्तला आदि की रति ( जो रम है ) की प्रतीति अपने में होती और जब उस दोष का प्रभाव नष्ट हो जाता है तब उस रति की प्रतीति भी अपने में ही होती। ठीक भी है, बाध-निश्चय हो जाने पर भ्रम दूर हो ही जाता है, जब हम किसी मनसुहर मीप के टुकड़ों के समीप में पहुँच जाते हैं और वह समस्त लेते हैं कि ये सब के टुकड़े हैं ( रजत नहीं ) तब रजतत्व ( चाँदीपन ) की प्रतीति नहीं ही होती है।

प्रमाणम् गन्त्यानन्दमयता प्रतिपादयति—

न्योत्तरभाविना लोकोत्तराह्लादेन भेदाग्रहान् सुखपदव्यपदेश्यो भवति ।

एव गन्त्यानन्दतदव्यवहितानन्तर भावा भविता यो लोकोत्तराह्लादो लौकिकसुखविनाश परमानन्द, तेन, महास्य भेदाग्रहान् 'तस्मादयं भिन्न' इति ज्ञानभावात् तादात्म्येन गायमान्त्वान्, सुखपदेन ( सुखपदस्यानन्दाद्युपलक्षकत्वेन ) सुखानन्दप्रवृत्तिशब्देन, अनेन्यो व्यवहार्य, 'अयं रमो भवतीत्यर्थ' ।

रमानन्दयोरस्वनिर्गोपयणं भेदेऽप्यतिमज्जिकाद् दूरस्यभिनवस्तुद्वयवद् भेदाज्ञानान्मव्यवहार इति तात्पर्यम् ।

यद्यपि यह ( रम ) वास्तविक में सुखरूप नहीं है, तथापि 'मैं शकुन्तला विषयक नि वाला दृष्यन्त हूँ' इत्यादि प्रतीति के बाद जो अलौकिक सुख होता है, उसमें और उक्त निरूप रम में भेद ( जो वस्तुतः है ) ज्ञात नहीं होता अर्थात् उन दोनों को हम अभिन्न मानसते हैं, अतः 'रम सुखरूप है' ऐसा व्यवहार किया जाता है।

ननु रमस्य लोकोत्तराह्लादेन नह भेदाग्रहान् व्यञ्जनाभात्मन्मर्कान्यतया व्यङ्गयत्वम्, निर्वचनीयतया वर्णनीयत्व च न सम्भवतांन्याशाश्लेषानभिधत्ते—

स्वपूर्वोपस्थितेन रत्यादिना तदग्रहान् तद्रातिवनेकत्वाध्यवसानाद्वा व्यङ्गयो वर्णनीयश्चोच्यते ।

न्यस्ताद् रसाद् ( रमोपने ) पूर्वं प्राक् ( अव्यवधानेन ) उपस्थितेन व्यञ्जना प्रतीकोदरभूतेन व्यङ्गयेन, कालनिकृत्वाभावाधिर्वचनीयेन च इत्यादिना ( दुष्यन्तादिनिष्ठेन ) ए, रस्य स्वान्मनिष्ठ-दोषविरोपकल्पित-रत्यादिरपरमस्य, तदग्रहाद् भेदाज्ञानाद्, भेदाह्लादेन परकंयमलभात्मन्वे तु, वाऽयवा, तद्रातिवनेकत्वाध्यवसानाद् व्यङ्गयरति-कल्पित-चोर्ग्यारोनात्, अयं रस, व्यङ्ग्यो वर्णनीयश्च, उच्यते व्यक्त इत्यर्थः ।

मध्यमदये यत्प्राग् वाननास्तेन विनिविष्टो इत्यादि, न व्यञ्जनागम्यो निर्वचनार्थश्च उच्यते, तेन महास्य रसस्य भेदाग्रहादेक्यारोनाद्वा व्यङ्गयत्व वर्णनीयत्व चोपपद्यत इत्याशयः ।

इसी तरह रम वस्तुतः न दृश्य है न वर्णन करने योग्य, परन्तु इन रम के उत्पन्न होने में पूर्व एतदनादृष्टि में जो शकुन्तला आदि के विषय में दृष्यन्त आदि की रति ही श्रुति-ज्ञान हुये थे, उसका और दोष के कारण अपने में भासित होने वाली, दृष्टी, स्मरण, शकुन्तला आदि की रति आदि का भेद ज्ञान नहीं होता अथवा उन वास्तविक रम इस कथित रति को एक समझ लेते हैं अतः यह रम एतदय और वर्णनीय करवाना व्यङ्ग्य शुक्यन्तादिनिष्ठ शकुन्तलादिविषयक वास्तविक रति आदि का ज्ञान वस्तुतः न संभव के द्वारा होता है और उनका वर्णन भी कथिगत वस्तुतः कथ्यों में करते

हैं अतः वह रति आदि वस्तुतः व्यङ्ग्य और वर्णनीय है, अब यह कल्पित रसरूप रति आदि यदि वस्तुतः व्यञ्जना से ज्ञात न भी होता, कवि उसका वर्णन न भी करता, तथापि उस वस्तुतः व्यङ्ग्य और वर्णनीय रति से इस कल्पित रति को अभिन्न समझ लेने के कारण हम ऐसा कहते हैं कि यह व्यञ्जनावृत्ति से प्रकाशित हुआ है और कवि ने इसका वर्णन किया है।

सचेतसाऽऽत्मनि कल्पितस्यावच्छादकस्य दुष्यन्तत्वस्य तत्त्वमाचष्टे—

अवच्छादक दुष्यन्तत्वमप्यनिर्वचनीयमेव । अवच्छादकत्वं च रत्यादिविशिष्टबोधे विशेष्यताऽवच्छेदकत्वम् ।

यथा सहृदयस्यात्मनि इत्यादि 'काल्पनिकत्वादननिर्वचनीय', तथैव 'शकुन्तलाविषयकर-तिमान् दुष्यन्तोऽहम्' इत्याकारकप्रतीतौ रत्यादिनिष्ठप्रकारतानिरूपितस्वात्मनिष्ठविशेष्यताया अवच्छेदकमवच्छादकप्रतिपार्थं दुष्यन्तत्वमपि कल्पनामात्रनिष्पन्नत्वादननिर्वचनीयमेवेति साराश

जिस तरह हम सहृदय सामाजिकों में शकुन्तला आदि की रति कल्पना मात्र प्रसूत होने से अनिर्वचनीय है उसी तरह सहृदयों की आत्मा को आच्छादित करने वाला दुष्यन्तत्व भी कारुणिक होने के कारण अनिर्वचनीय ही है। उस दुष्यन्तत्व में अवच्छादकत्व अर्थात् आत्मा का अवच्छादन करना क्या वस्तु है यह भी समझ लेना चाहिए। वह यह है कि 'शकुन्तलाविषयक रति वाला मैं दुष्यन्त हूँ' इत्याकारक रत्यादि विशिष्ट ज्ञान में विशेष्यतावच्छेदक होना ही दुष्यन्तत्व में अवच्छादकत्व है अर्थात् उक्त ज्ञान में शकुन्तला की रति 'मैं' पदार्थ में प्रकारतया-विशेषणरूप से भासित हुई है अतः उक्त ज्ञान में विशेष्य हुआ 'मैं' जो वस्तुतः दुष्यन्त नहीं है, इसलिये उस 'मैं' पदार्थ में रहने वाली विशेष्यता का अवच्छेदक-परिचायक दुष्यन्तत्व को नहीं होना चाहिये वरन 'मैं' पदार्थ में रहने वाले धर्म आत्मत्व या स्वत्व को होना चाहिये परन्तु जिस लिये मैं अपने आपको दुष्यन्त समझ रहा था, इसलिये दुष्यन्तत्व ही विशेष्यता का अवच्छेदक होगा और यही अवच्छेदक हो जाना आत्मा को अवच्छादित करना हुआ।

पर्यवसितं प्रतिवादिमतनिरासं प्रकाशयति—

एतेन 'दुष्यन्तादिनिष्ठस्य रत्यादेरनास्वाद्यत्वान्न रसत्वम् । स्वनिष्ठस्य तु तस्य शकुन्तलादिभिरतत्सम्बन्धिभिः कथमभिव्यक्तिः । स्वस्मिन् दुष्यन्ताद्य-भेदबुद्धिस्तु बाधबुद्धिपराहता ।' इत्यादिकमपास्तम् ।

एतेन भावनाविशेषस्य दोषत्वाङ्गीकारेण । अतत्सम्बन्धिभिः सहृदयनिष्ठरत्याद्यालम्बनत्व-शून्यैः । इत्यादिक प्रतिवादिमतमपास्तमित्यन्वय ।

विलक्षणभावनात्मकदोषप्रभावादननिर्वचनीयदुष्यन्तत्वेन ज्ञायमाने सहृदयस्यात्मनि, शकुन्तलाविषयकरतेरनिर्वचनीयाया रसत्वेनाभिमताया भानं न बाधितम्, न वाऽचमत्कारीति सर्वसामञ्जस्ये, द्वितीयमतत्वेनोपन्यस्ता परकीयाक्षेपा निरस्ता इत्यभिप्राय ।

भट्टनायक के द्वारा द्वितीय मत में उठाई गई अनेक शङ्काओं का इस मत में अवकाश नहीं रह जाता, यही दिखलाते हैं—'एतेन' इत्यादि। आशय यह है कि 'दुष्यन्त आदि में रहने वाली शकुन्तला आदि की रति रसरूप नहीं हो सकती, क्योंकि उदासीन होने से उस रति में सामाजिकों के लिये आस्वाद्यता नहीं रहती। स्वनिष्ठरति की अभिव्यक्ति उस शकुन्तला आदि से होगी ही क्यों? जिससे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि कहें कि अपने को दुष्यन्त आदि से अभिन्न समझ लेने पर तो शकुन्तला आदि के साथ अपना घनिष्ठ सम्बन्ध ठहर जाता है, फिर शकुन्तला आदि से स्वनिष्ठ रति की अभिव्यक्ति हो सकती है, सो भी ठीक नहीं, क्योंकि जब 'दुष्यन्त प्राचीन युग के धीर सम्राट् थे और मैं वर्तमान युग का एक साधारण मनुष्य हूँ, 'अतः मैं दुष्यन्त से अभिन्न नहीं हो सकता'

। वाच्य-निश्चय है, तब उक्त अभेदबुद्धि हो ही नहीं सकती' इन शब्दाओं का इस मत-  
-व्यवस्था ही नहीं आता, क्योंकि इस मत में सहृदयतामूलक भावना विशेषरूप दोष से  
-व्यवस्था की अभेद-बुद्धि मित्र की गई है, जित्त ( अभेद-बुद्धि ) को बाध-निश्चय  
-निश्चय मन्ना । कारण ? दोषविशेषजन्य-अर्थात् दोषमूलक जो नहीं हो उस बुद्धि के  
-व्यवस्था ही बाध-निश्चय को प्रतिबन्धक माना गया है ।

नन्वेवमेव दोषविशेषकल्पनैव भारयत इत्याद्येव नमादवाति—

यद्यपि विभावादीना साधारण्य प्राचीनैरुक्तम् . तदपि काव्येन शकुन्तलादि-  
-शै शकुन्तलात्वादिप्रकारकबोधजनकै प्रतिपाद्यमानेषु शकुन्तलादिषु, दोष-  
-विशेषकल्पन विना दुरुपपादम् । अतोऽवश्यकल्प्ये दोषविशेषे; तेनैव स्वात्मनि  
-व्यवस्था अभेदबुद्धिरपि सूत्रपादा ।

प्रचारंरभिनवगुहादिभिरपि यद्यपि, विभावादीना साधारण्यं शकुन्तलादीना कान्तात्वा-  
-त्मानान्यधर्मप्रकारकप्रतीतिविषयत्वरूपम्, तदपि निमर्गतं शकुन्तलात्वादिविशेषधर्मप्रका-  
-रकल्पनैव शकुन्तलादिगर्भं कल्प्येन प्रतिपाद्यमानेषु शकुन्तलादिषु, विलक्षणभावना-  
-सहृदयविशेषकल्पन विना दुरुपपादं दुःखेनोपपादयितुं योग्यं यतोऽस्ति, अतोऽस्माद् विभा-  
-वादिनासाधारण्यसमादकत्वात्प्रेतो, दोषविशेषेऽवश्यकल्प्ये, तेन दोषविशेषेणैव, स्वात्मनि  
-व्यवस्था दुरुपपादायभेदबुद्धिरपि दुष्यन्ताभेदप्रकारकप्रतीतिरपि, सूत्रपादासुखेनोपपादयितुं  
-योग्यम् ।

काव्यपदकना शकुन्तलादिगर्भाना शकुन्तलात्वादिविशेषधर्मावच्छिन्ने शक्यत्वाच्छ-  
-कल्पना कान्तान्वादिनामान्यधर्मप्रकारकप्रतीतिविषयत्वरूपं साधारण्य दोषविशेषप्रभावे-  
-न स्य न भविष्यतीति दोषविशेषकल्पना प्राचीनैरप्यङ्गीकृतत्वान् नवीना । तदर्थं कल्पिते  
-दोषविशेषे, 'एका किञ्च दृश्यकरो' इति न्यायेन तेनैव शुद्धौ रजताभेदबोध इव सहृदया-  
-ननि दुःखतायभेदबोधोऽपि सम्भवति इति भाव ।

दोष-विशेष की कल्पना भी इस मत की नयी चीज नहीं है, प्राचीन-मतों में भी वह  
-रचना करनी पड़ती है यही बात कहते हैं—'तदपि' इत्यादि । मम्मटभट्ट आदि प्राचीन  
-मताओं ने शकुन्तला प्रकृति विभावादीकों का साधारण्यकरण माना है अर्थात् उन्होंने  
-है कि साधारण्यकरण व्यापार के दल से शकुन्तला आदि अपने व्यक्तिगत धर्म  
-शकुन्तला आदि को छुड़ कर कान्ताय आदि साधारण धर्म के साथ सहृदयों के सामने  
-स्थित होते हैं, परन्तु यह बात दोषविशेष की कल्पना किये विना बन नहीं सकती  
-क्योंकि दास्यों ने शकुन्तला आदि शब्दों के द्वारा ही शकुन्तला आदि का प्रतिपादन किया  
-है जो शब्द शकुन्तलात्वेन शकुन्तला आदि के बोधक है फिर कान्तात्वेन उनका  
-बाध कैसे हो सकता है ? अतः भावनारूप दोष की कल्पना अवश्य करनी पड़ेगी अर्थात्  
-इस रूप मानना पड़ेगा कि सहृदयतामूलक भावनारूप दोष के कारण ही हमें (सहृदयोंको)  
-शकुन्तला, साधारण कान्ता के रूप में समझ पड़ती है, इस तरह जब वह दोष मानना ही  
-है, तब उन्हीं से सहृदयों को अपने में दुष्यन्त की अभेद-बुद्धि भी हो जायगी ।

यस्य प्रमाणं कल्पयित्वादिना शोकादेर्दुःखजनकतानाशब्दो—

नन्वेवमपि रतेरन्तु नाम दुष्यन्त इव सन्दृश्येऽपि सुखविशेषजनकता, कल्प-  
-नादिषु तु न्यायिनः शोकादेर्दुःखजनकतया प्रसिद्धस्य कथमिव सहृदयाह्लाद-  
-व्यवस्था ? प्रत्युत नायक इव सन्दृश्येऽपि दुःखजननस्यैवाचित्यान् ।

न च मत्पत्यस्य शोकादेर्दुःखजनकत्व कल्पम्, न कल्पितस्येति नायकाना-

मेव दुःखम्, न सहृदयस्येति वाच्यम्, रज्जुसर्पादिभयकम्पाद्यनुत्पादकतापरे सहृदये रतेरपि कल्पितत्वेन सुखजनकतानुपपत्तेश्चेति चेत् ।

एवमपि शृङ्गारस्याह्लादमयत्वे साधितेऽपि रतिर्युनोः प्रीतिः, शोकस्त्वभीष्टनाशादिज वैकल्यम् । शोकादेरित्यादिपदेन भय-क्रोध-जुगुप्साना प्रहणम् । प्रत्युतोक्तवैपरीत्ये । चेत्यादिनाऽऽवान्तरिकी शङ्का, रज्ज्वत्यादिना तदुत्तरं च निर्दिश्यते । सत्यस्य वास्तविकत्वलृप्तं निश्चितम् । कल्पितस्य भ्रान्त्या भासितस्य । नायकानामित्यत्रैकवचनमुचितं सन्दर्भद्वयनुरोधात् । रज्जौ भ्रान्त्या भासित सर्पो रज्जुसर्पः । अनुचितापतनमापत्तिः । रचितसङ्घटनमनुपपत्तिः । इति चेदित्यन्तं शङ्कादलम् ।

प्रणयात्मिकाय रतेलोकै नायक इव, काव्ये सहृदये सुखविशेषोत्पादकत्वाच्चृङ्गाररसनन्दमयतायाः सिद्धावपि, शोक-भय-क्रोध-जुगुप्साना वैकल्य्यादिरूपाणां पुनर्लोकः । काव्येऽप्यनुभावकदुःखजनकत्वस्यैवौचित्यात् करुण-भयानक-रौद्र-वीभत्सरसानामानन्दयत्वं नोपपद्यते ।

ननु लोके शोकादीना वास्तविकत्वाद्दुःखजनकत्वमुचितम्, काव्ये तु काल्पनिकत्वं कथं तत्त्वमिति चेत्, न, तथाऽङ्गीकारे रज्जौ भ्रान्तिभासितस्य सर्पस्याप्यवास्तविकत्वाद् भयकम्पादिजनकताऽऽनुभविष्यति न सिद्ध्येत्, काव्ये रतेरपि कल्पितत्वेन सुखजनकता स्यादिति शङ्कापक्ष स्थेयानिति भावः ।

अथ यहाँ एक शङ्का यह उपस्थित होती है कि आपने 'रस यद्यपि स्वतः सुखरूप न है तथापि अनिर्वचनीय रति आदि स्थायीभावस्वरूप रस की प्रतीति के वाद जो विलक्षण सुख उत्पन्न होता है, उससे उक्त रति आदिरूप रस में भेद का ज्ञान नहीं होता अरस को सुखरूप कहा जाता है' इस विवेचन के द्वारा जो 'अनिर्वचनीयस्थायीभावात्मकरस प्रतीति के वाद विलक्षण सुख की उत्पत्ति' स्वीकार की है, वह सर्वांश में ठीक नहीं जंचे क्योंकि वास्तविक शकुन्तला को रति वास्तविक दुःख्यन्त में सुख-जनक होती है अकल्पित शकुन्तला विषयक रति, कल्पित दुःख्यन्त स्वरूप सहृदयों में भी सुख को उत्पन्न कर सकती है, परन्तु वास्तविक, शोक, भय, क्रोध, जुगुप्सा आदि तो ससार में दुःखजनकरूप [से प्रसिद्ध हैं, फिर वे जहाँ कल्पित होकर रस बनेंगे, वहाँ उनसे सहृदयों सुख कैसे उत्पन्न होगा ? और वे रस सुखरूप कैसे कहलायेंगे ? प्रस्तुत उनसे जैसे वास्तविक नायक को दुःख हुआ था उसी तरह सहृदयों को भी उनसे दुःख ही होना चाहिए । य आप कहें कि सखे शोक आदि से दुःख होता है कल्पित से नहीं, अतः नायकों को जिन शोक आदि सत्य थे—दुःख हुआ होगा और कल्पित शोक आदि के अनुभव करने वा सहृदयों को दुःख नहीं होता, यह तर्क भी सगत नहीं, क्योंकि हम रस्सी में भ्रमव कल्पित सर्प से भी भय, कम्प होते देखते हैं, आपके हिसाब से वह नहीं होना चाहिए दूसरी बात यह कि जब आप कल्पित शोक आदि से दुःख की उत्पत्ति नहीं मानते, त सहृदयों में कल्पित रति से सुख की उत्पत्ति भी नहीं माननी चाहिए, परन्तु शृङ्गारस्थल में वैसा मान चुके हैं ।

अभ्युपगम्य प्रथमकल्पेन समाधत्ते—

सत्यम्, शृङ्गारप्रधानकाव्येभ्य इव, करुणप्रधानकाव्येभ्योऽपि यदि केवलत्वाद् एव सहृदयहृदयप्रमाणकः, तदा कार्यानुरोधेन कारणस्य कल्पनीयत्वात्तेषां गौत्तरव्यापारस्थैवाह्लादप्रयोजकत्वमिव, दुःखप्रतिबन्धकत्वमपि कल्पनीयम् ।

सत्यं यथार्थमित्यभ्युपगमः । शृङ्गाररसप्रधानानि शाकुन्तलादीनि, करुणरसप्रधानानि गौत्तररामचरितादीनि काव्यानि । केवलो दुःखासम्भिन्न आह्लाद एव, न तु दुःखमिश्रित





द्वितीयमत उत्तरयति—

इष्टस्याधिक्यादनिष्टस्य च न्यूनत्वाच्चन्दनद्रवलेपनादाविव प्रवृत्तेरुपपत्तेः ।

घर्षणादिश्रमजन्यदुःखरूपानिष्टस्याल्पत्वात् सौरभशैत्यानुभवजन्यसुखरूपेष्टस्य व लत्वाच्च यथा चन्दनद्रवलेपे सर्वेषां निर्विचिकित्सा प्रवृत्तिर्भवति, तथैवात्रापि दुःखापेक्ष सुखस्य बाहुल्यात् प्रवृत्तिर्भवतीत्यभिप्रायः ।

उक्त प्रश्न का उत्तर देते हैं—‘इष्टस्येति’ । अर्थात् करुण आदि रसों में दुःख के होने भी उसकी मात्रा अल्प रहती है और सुख की मात्रा अधिक, अतः करुण आदिर स-प्र-काव्यों में प्रवृत्ति होती है, जैसे चन्दन घिसने में अंशतः दुःख के रहने पर भी सौर-शीतलता आदि के अनुभव से सुख अधिक होने के कारण चन्दन-लेपन में लोगों प्रवृत्ति होती है ।

प्रथममते प्रवृत्त्युपपादनप्रयोजनाभावमाह—

केवलाह्लादवादिनां तु प्रवृत्तिरप्रत्यूहैव ।

केवलाह्लादवादिना—

‘हितुत्वं शोकहर्षादिर्गतेभ्यो लोकसंश्रयात् । शोकहर्षादयो लोके जायन्तां नाम लौकिकाः ॥ अलौकिकविभावत्वं प्राप्तेभ्यः काव्यसंश्रयात् । सुखं सञ्जायते तेभ्य सर्वेभ्योऽपीति का क्षति

इत्यादिना करुणरसप्रधानकाव्यादपि सुखमात्रोत्पत्तिवादिनां मतेऽनिष्टसाधनत्वग्रहसम्भवात् तत्र प्रवृत्तिर्निष्प्रत्यूहा निर्वाधैव स्यादिति सारम् ।

जो लोग उक्त भावनात्मक व्यापार को दुःख-प्रतिबन्धक मानकर करुण रस प्रकाव्यों से भी केवल सुख ही मानते हैं उन लोगों की प्रवृत्ति में तो कोई विघ्न बाधा है ही ना

ननु प्रथममते तत्र दुःखानुपेक्षारे दुःखकार्याणि कथमश्रुपातादीनि जायन्त इत्या समादधाति—

अश्रुपातादयोऽपि तत्तदानन्दानुभवस्वाभाव्यात्, न तु दुःखात् ।

अश्रुपातप्रभृतयो न केवलं दुःखादेव, अपि तु सुखादपि भवन्तीति प्रकृतेऽश्रुपातादीनां मानन्दजन्यानां सम्भवात् क्षति । तदुक्तम्—

‘अश्रुपातादयस्तद्वद् द्रुतत्वाच्चेतसो मताः ।’ इति ।

करुण-रस-प्रधान काव्यों से भी केवल आनन्द ही होता है ऐसी मान्यता वालों से यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि यदि करुण आदि रसों में भी केवल सुख ही सुख होता है, तब उसके अनुभव से अश्रुपात आदि क्यों होते हैं ? इसी का उत्तर देते हैं—‘अश्रुपातादयोऽपि’ इत्यादि । अश्रुपात केवल दुःख से ही होता है ऐसी बात नहीं है, किसी-किसी आनन्द के अनुभव से भी वह होता है, करुण रस के अनुभव करते समय जो अश्रुपात होता है वह आनन्दातिरेक के कारण ही-दुःख के कारण नहीं ।

निदर्शनदर्शनैकोक्तमर्थं समर्थयति—

अत एव भगवद्भक्तानां भगवद्वर्णनाकर्णनादश्रुपातादय उपपद्यन्ते । न हि तत्र जात्वपि दुःखानुभवोऽस्ति ।

अत एव सुखादप्यश्रुपातादिसम्भवादेव । उपपद्यन्ते युज्यन्ते । जातु, कदाचित् । भगवद्वर्णनश्रवणजन्य-दुःखासम्भिन्नसुखजन्यानामश्रुपातादीनां भगवद्भक्तोषु दर्शनात् केवल-दम्भानन्दादश्रुपातादीनामुत्पत्तिर्निश्चितैवेतिभावः ।

आनन्द से भी अश्रु-पात होता है इसमें दृष्टान्त दिखलाते हैं—‘अत एव’ इत्यादि । भगवत्-कथा-श्रवण-काल में भक्तों की आँखों से अचिरक अश्रु-धारा प्रवाहित होती-



नन्वास्वादस्य व्यञ्जनासाक्षाज्जन्यत्वाभावात् कथं काव्यव्यापारजन्यत्वमित्यत आचष्टे—  
जन्यत्वं च स्वजन्यभावनाजन्यरत्यादिविषयकत्वम् ।

स्वं काव्यव्यापारो व्यञ्जना, तज्जन्या या तद्व्यापारान्तररूपा भावना, तज्जन्यत्वे सति रत्यादिविषयकत्वमास्वादस्य काव्यव्यापारजन्यत्वमितिस्वीकारे रसास्वादस्य व्यञ्जनासाक्षाज्जन्यत्वविरहेऽपि तत्त्वमवाधमित्यभिप्रायः ।

यद्यपि इस मत में अलौकिक आनन्दजनक आस्वाद (रस) काव्य की व्यञ्जना उत्पन्न नहीं होता, फिर पूर्वोक्त वाक्य के 'काव्य के व्यापार से उत्पन्न होने वाला' इ अंश का क्या अर्थ हो सकता है? इस जिज्ञासा की शान्ति करने के लिये कहते हैं— 'जन्यत्वम्' इत्यादि । उक्त अंश का अर्थ यह है कि काव्य के व्यापार (व्यञ्जना) से उत्पन्न होने वाली उक्त दोषात्मक भावना से उत्पन्न रति आदि का आस्वाद । अतः अब उक्त अंश के अर्थ में दीख पड़ने वाली असंगति समाप्त हो गई ।

तदाह—

तेन रसास्वादस्य काव्यव्यापाराजन्यत्वेऽपि न क्षतिः ।

जन्यत्वस्य परिष्कृतत्वादित्याशयः ।

इस तरह से ध्याख्या कर देने पर यदि रसास्वाद साक्षात् काव्यव्यापारव्यञ्जना उत्पन्न होने वाला नहीं भी है, तथापि कोई क्षति नहीं ।

अत्रापि प्रागुक्तदोषमुद्धरन् नव्यमतमुपसंहरति—

शकुन्तलादावगम्यात्वज्ञानोत्पादस्तु स्वात्मनि दुष्यन्ताद्यभेदबुद्ध्या प्रतिबध्यते । इत्याहुः ।

शकुन्तलादिविशेष्यकमगम्यात्वप्रकारकं रसविरोधिज्ञानं सहृदयस्य, 'दुष्यन्तोऽहम्' इत्याकारकेण स्वात्मविशेष्यक-दुष्यन्ताभेदप्रकारक-ज्ञानेन प्रतिबद्धं नोत्पत्तुं तत्र शक्यतादि तृतीयं नव्याना मतं सम्पूर्णम् ।

मतेऽस्मिन् प्राचीनैरेवाङ्गीकृताया भावनाया दोषत्वस्य, रसानां प्रातिभासिकत्वेनानिर्वचनीयत्वस्य चाङ्गीकृतिः, न तु व्यापारान्तरस्य नवीनस्य कल्पनेति लाघवम् ।

अब रही एक बात और वह यह कि शकुन्तला आदि में 'यह मेरे लिये अगम्य है यह ज्ञान हम सहृदयों को क्यों नहीं होता? इसका उत्तर यह है कि दोषात्मक भावना से जो दुष्यन्त आदि की अभेद बुद्धि अपने में हम लोगों को होती है, उसी बुद्धि से उस अगम्यास्वज्ञान रोक दिया जाता है अर्थात् जब हम स्वयं दुष्यन्त बन जाते हैं, तब कि शकुन्तला को स्वसंभोग योग्य नहीं समझें, यह असम्भव है ।

अथ चतुर्थं परकीयमतमुपन्यस्यति—

(४) परे तु—व्यञ्जनव्यारस्यानिर्वचनीयख्यानेश्चानभ्युपगमेऽपि, प्रागुक्त दोषमहिम्ना स्वात्मनि दुष्यन्तादितादात्म्यावगाही शकुन्तलादिविषयकरत्यादि मदभेदबोधो मानसः काव्यार्थभावनाजन्मा विलक्षणविषयताशाली रसः ।

तुरीयं मतमिदम् । परेत्येति वदन्तीत्यनेनान्वेति ।

व्यञ्जनव्यापारस्य दुष्यन्तादिनिष्ठ-शकुन्तलादिविषयकरतिप्राहकस्य, अनिर्वचनीयख्याते 'साक्षिभास्य-सदसद्विलक्षण शकुन्तलादिविषयकरत्यादिरेव रस' इत्यनुभवविषयी भूतानिर्वचनीयत्वस्य च तृतीयमतेऽङ्गीकृतस्य, अनभ्युपगमेऽनङ्गीकारेऽपि, प्राक् तृतीयमते उक्तस्य दोषस्य भावनाविशेषस्य, महिम्नाप्रभावेणैव, स्वात्मनि स्वात्मविशेष्यक, दुष्यन्तादितादात्म्यावगाही दुष्यन्ताद्यभेदविषयक, शकुन्तलादिविषयकरत्यादिमदभेदबोध शकु

नन्वादिपिपयकरत्नादिनदभेदप्रकारो 'दुप्यन्तोऽहं शकुन्तलाविषयकरतिमान्' इत्याकारो नो मानसो मनस्सन्निकर्षजन्या, काव्यार्थस्य भावनाया जन्म यस्य तादृश, विलक्षणविषयता-शारी लं शोचत इत्यादिनिष्प्रियतानिरूपक, बोध आत्नाद, न एव रम इत्यर्थे ।

धर रम के विषय में धन्य विद्वानों के चतुर्थ मत का विवेचन करते हैं—'ये तु एयादि । अभिप्राय यह है कि व्यञ्जना व्यापार के जिसे प्राचीन तथा नवीन सभी विद्वान् निर्मा न किसी रूप में अवश्य मानते हैं ) और अनिर्वचनीय रसाति के ( जिसे नवीन विद्वान् मानते हैं ) मानने की कोई आवश्यकता नहीं, अर्थात् रम को व्यञ्जय अथवा अनिर्वचनीय मानना आवश्यक नहीं है । फिर रम है क्या ? बुनि ये—तृतीय मत में जिन भावनात्मक दोष की चर्चा की गई है, उसके प्रभाव से सहृदयों को एक प्रकार का मानन-मन यन्निकर्ष ने उत्पन्न होने वाला ( जिसमें चाण्ड इन्द्रियों के मन्थन की संज्ञा नहीं पड़ती ) ज्ञान होता है, यहा ( ज्ञान ) 'रम' है । उस ज्ञान में सहृदयों की आत्मा विभेद्य होती है, जिन ( आत्मा ) में दुष्यन्त आदि का तादात्म्य-अभेद भावित होता रहता है और शकुन्तला आदि की रति आदि प्रकार होता है, अर्थात् 'मे दुष्यन्त, शकुन्तला विषयक रति वाला हूँ' ऐसा ज्ञान होता है । यह ज्ञान काव्यार्थों के पुन पुन अनुमन्थान से होता है । लोकोत्तर-विलक्षण रति आदि इस ज्ञान के विषय होते हैं अत एव यह ज्ञान विलक्षण-विषयता-शाली कहा जाता है । मन्थन में यह कहा जा सकता है कि एक प्रकार के भ्रम को 'रस' कहते हैं ।

नन्वेव स्वप्नकालिकज्ञानस्यापि मानसत्वाद् रमत्वापनिरित्यत ग्राह—

स्वप्नादिस्तु तादृशबोधो न काव्यार्थचिन्तनजन्मेति न रसः । तेन न तत्र तादृशाह्लादापत्तिः ।

स्वप्नकालिने हि शकुन्तलाविषयकरतिमद्दुष्यन्ताभेदप्रकारकबोधो मनस्सन्निकर्षजन्य-सप्तपि, न काव्यार्थभावनाजन्य इति न तस्य रमत्वम्, न वा तत्रादाविक्षेप आपद्यत इत्यभिप्रायः ।

आप कहेंगे कि यदि इस तरह के मानसज्ञान को ही रस कहा जाय, तब तो स्वप्न आदि में जो इसीप्रकार का मानसज्ञान होता है, उसको भी रस कहना पड़ेगा इसी दाह्य का समाधान देते हैं—'स्वप्नादिना इत्यादि । स्वप्न आदि में भी इस तरह का मानसज्ञान होता है, यह बात सही है, परन्तु वहाँ का वह ज्ञान काव्यार्थ के पुन पुन अनुमन्थान से नहीं हुआ रहता, अत रम नहीं कहला सकता और न उसमें उस प्रकार का आनन्द ही आ-नकता है, क्योंकि काव्यार्थ के अनुमन्थान से होने वाले उस प्रकार का ज्ञान ही रस कहा गया है तथा आनन्दजनक माना गया है ।

नददये वान्तपिकरतेरभावात्नुभवे न विषयमत्वस्य कारणतयाऽपेक्षणात् प्रकृते रत्यादिवोपन्नासम्भवा इत्यादिहेतु—

एवमपि स्वस्मिन्नविद्यमानस्य रत्यादेरनुभवः कथं नाम स्यात् ? ।

एवमपि नददयस्य शकुन्तलादिरतिमद्दुष्यन्ताभेदप्रकाररमानसयोपन्नीकारेऽपि, स्वस्मिन्न गदप्यात्मनि । इतरत् स्फुटम् ।

इस तरह मानने पर भी एक दाह्य यह रह जाती है कि जो रति आदि हम में हैं ही नहीं वेवल मनगन्त हैं, उनका अनुभव ही कैसे होगा ? क्योंकि अनुभव के प्रति विषय-सत्ता को कारण माना गया है ।

मनादभोति—

मैत्रम्, नएयं लौकिकमानात्कारो रत्यादेः, येनापश्यं विषयमन्तयोऽपेक्षणीय स्यात् । अपि तु भ्रमः ।

लौकिकप्रत्यक्षे हि कारणतया विषयस्य वस्तुतः सत्त्वमपेक्ष्यते, भ्रमे तु रज्जावसतोऽसर्पस्य भानमिति सहृदयसमवेतरत्यादिप्रतीतिर्दोषजन्यत्वाद् भ्रमत्वेन न वास्तविकविषयसद्भावापेक्षेति भावः ।

उक्तं प्राङ्गा का उत्तर यह है कि लौकिक प्रत्यक्ष के प्रति ही विषय-सत्ता कारण अर्थात् लौकिक अनुभव के सम्बन्ध में ही यह नियम है कि जिन वस्तुओं का अनुभव होता है वे आँख, कान, नाक आदि ज्ञान-जनक इन्द्रियों के सामने अवश्य उपस्थित रहते हैं, भ्रम में ऐसा नियम नहीं है अर्थात् भ्रम विषय के विना भी होता है, जैसे रस में सर्प का भ्रम विषय ( सर्प ) के न रहने पर भी होता है, भावनारूप दोषप्रयुक्त रति आदि का ज्ञान भी एक प्रकार का भ्रम ही है अतः उस रति आदि विषय के वस्तु न रहने पर भी उसके ज्ञान होने में किसी तरह की बाधा नहीं हो सकती ।

नन्वेतन्मते भ्रमात्मकस्य रत्यादिज्ञानस्यैव रसत्वात् तद्विषयकज्ञानान्तरानुत्पत्तेरास्वासविषयक इति व्यवहारो नो पपद्यत इत्यतोऽभिधत्ते—

आस्वादनस्य रसविषयकत्वव्यवहारस्तु रत्यादिविषयकत्व्यालम्बनः इत्यादवदन्ति ।

भ्रमरूप-रस-विषयीभूतरत्यादीनामास्वाद एव रसास्वादव्यवहारः, तत्रत्यरसपदरसत्वानुकूलरत्यादिपरत्वस्य विवक्षणादिति तात्पर्यम् ।

आप कहेंगे कि जब रस भ्रमात्मक ज्ञान रूप है, तब 'रस का आस्वादन होता है' यह व्यवहार असङ्गत हो जायगा क्योंकि आस्वादन भी एक प्रकार का ज्ञान है, फिर ज्ञान का ज्ञान क्या होगा ? इसका उत्तर देते हैं—'आस्वादनस्य' इत्यादि । रति आदि जो भ्रम विषय है अर्थात् जिस रति आदि के विषय में भ्रम होता है उसका आस्वादन हो सकता है, होता भी है, वस उसी विषय ( रति आदि ) गत आस्वादन का विषयी ( भ्रमात्मक रस ) में आक्षेप करके उक्त व्यवहार होता है । वस्तुतः रस का आस्वादन ही नहीं होता वे लोग यह भी कहते हैं ।

तुरीयमते विशिष्टवैशिष्ट्यावगाहि-भ्रमात्मकज्ञानरूपरसस्य विनिगमनाविरहात् त्रैविप्रतिपादयति—

एतैश्च स्वात्मनि दुष्यन्तत्वधर्मिताऽवच्छेदक-शकुन्तलादिविषयकरतिवैशिष्ट्यावगाही, स्वात्मत्वविशिष्टे शकुन्तलादिविषयकरतिविशिष्ट-दुष्यन्तत्वादात्म्यावगाही, स्वात्मत्वविशिष्टे दुष्यन्तत्व-शकुन्तलाविषयकरत्योवैशिष्ट्यावगाहि वा त्रिविधोऽपि बोधो रसपदार्थतयाऽभ्युपेयः ।

एतैस्तुरीयमतालम्बिभिः । एतैरित्यभ्युपेयमित्यनेनान्वेति । स्व सहृदयः । रतिवैशिष्ट्यधर्मो दुष्यन्तश्च धर्मी । दुष्यन्तत्वं धर्मिताऽवच्छेदक यत्र, तादृशं यच्छकुन्तलाविषयकरतिवैशिष्ट्यम्, तदवगाहीतद्विषयक. 'अहं दुष्यन्तः शकुन्तलाविषयकरतिमान्' इत्याकारः एको मानसो बोधः ।

स्वात्मत्वविशिष्टे निजात्मनि, शकुन्तलाविषयकरतिविशिष्टो यो दुष्यन्तस्तस्य तादात्म्यमभेदमवगाहते विषयीकरोति, तादृशः शकुन्तलाविषयकरतिमद्दुष्यन्तोऽहम्' इत्याकारकद्वितीयो बोधः ।

स्वात्मत्वविशिष्टे दुष्यन्तत्वस्य शकुन्तलाविषयकरतेषु यद् वैशिष्ट्य सम्बन्धः, तदवगाही 'दुष्यन्तः शकुन्तलाविषयकरतिमाश्वाहम्' इत्याकारकश्च तृतीयो बोधः ।

उन सभी तत्त्वों को इन्होंने काव्यलक्षण में समाविष्ट कर दिया और 'दोषहीन गुण, अलङ्कार, लक्षण, रीति, रस तथा वृत्ति इन समस्त उपादानों से परिपूर्ण वाणी को काव्यसिद्ध किया' ।

परन्तु इनके लक्षण में बहुत पदार्थों का समावेश हो जाने के कारण अव्याप्ति अतिव्याप्ति आदि दोषों की शका अधिक हो सकती है और यह लक्षण अनुगत भी नहीं हो सकता, अतः इसको लक्षण न मानकर काव्यतत्वों का संग्राहक वाक्यमात्र माने तो अधिक उपयुक्त होगा । इनका समय भी बारहवीं शताब्दी का उत्तरार्ध ही है ।

( १० ) इसके अनन्तर काव्य-जगत् में कुछ नवीन सन्देश लेकर साहित्यदर्पणकार विश्वनाथ अवतीर्ण हुये । इन्होंने अग्निपुराणकार से लेकर पीयूषवर्ष तक के आचार्यों ने जो उत्तरोत्तर लम्बा काव्यलक्षण तैयार किया था उसको काट छाँट कर सक्षिप्त कर दिया और काव्य में केवल रस-भाव आदि असलक्ष्यक्रम कहे जानेवाले व्यङ्ग्यार्थों का रहना आवश्यक समझा । अलङ्कार इनके विचारानुसार केवल उत्कर्ष के कारण है—स्वरूपाधायक नहीं । इसी तरह दोष केवल अपकर्ष के हेतु हैं—स्वरूपविषटक नहीं । यह विचार उनका ठीक भी है । अलङ्कारहीन होने पर भी मनुष्य में मनुष्यता की हानि नहीं होती और काणत्वादि दोषों के रहने पर भी मनुष्य मनुष्यत्व को नहीं खोता । अतः इन्होंने 'रसात्मक वाक्य' को काव्य कहा और 'रस' पद से आस्वादयोग्य रस, रसाभास, भाव, भावाभास, भावोदय, भावसन्धि, भावप्रशम और भावशुक्लता इन सभी असलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यों का संग्रह किया । यद्यपि विश्वनाथ का यह लक्षण सर्वथा अभिनव नहीं है । इनसे बहुत पहले शौद्धोदनि नामक एक आचार्य ने अपने अलङ्कारध्वज में 'रसादिमत्' वाक्य को काव्य कहा था, तथापि आदि पद से अलङ्कार का बोध कराकर अलङ्कार का भी स्थान उन्होंने रसके समकक्ष ही मान लिया था, जिसका स्पष्टीकरण करते हुये केशव मिश्र ने अलङ्कारशेखर में लिखा है कि रस अथवा अलङ्कार दोनों में से किसी एक के रहने पर वाक्य काव्य कहलाता है । परन्तु विश्वनाथ को अलङ्कार रस का समकक्ष नहीं जचा, अतः इन्होंने अपने लक्षण में अलङ्कारबोधक आदि पद को स्थान नहीं दिया । विश्वनाथ का समय चौदहवीं शताब्दी निर्णित सा है ।

( ११ ) इसके बाद नम्बर आता है गोविन्दठक्कुर का । यद्यपि ये मूलकार नहीं हैं, तथापि काव्यप्रकाश पर लिखा हुआ इनका 'प्रदीप' बहुत अशों में मौलिकता रखता है, अतः एव आलंकारिक जगत् में इनकी प्रतिष्ठा किसी मूलकार से कम नहीं है ।

इन्होंने काव्यप्रकाशीय काव्यलक्षण का विश्लेषण करते हुए लिखा है कि 'यद्यपि मम्मट रसहीन और स्पष्ट अलङ्कार से भी रहित शब्द अर्थ को काव्य मानते हैं, परन्तु उनकी यह मान्यता समुचित नहीं है, क्योंकि रस तथा अलङ्कार ये दोनों पदार्थ काव्य में चमत्कारजनक हैं, फिर यदि इन दोनों में से एक भी न रहे, तब चमत्कार कहाँ से आवेगा और जहाँ चमत्कार ही नहीं हो, उसे काव्य कहेंगे ही कैसे ? कारण यह कि काव्य में चमत्कार ही सार है । अतः यह मानना उचित होगा कि सरस स्थल में मले ही अलङ्कार की अपेक्षा नहीं हो, पर नीरस स्थल में अलङ्कार का

१ 'निर्दोष गुणालङ्कारलक्षणरीतिवृत्तिमत् वाक्य काव्यम्' ।

२. 'वाक्य रसात्मक काव्यम्' ।

३ 'रसादिमत् वाक्य काव्यम्' ।



वस्थानुकारः, तस्य प्रदर्शने कोविदो निपुणः । दुष्यन्तादीनामनुकर्ताऽनुकरणकृत दृश्यकाव्ये, श्रव्यकाव्ये त्वनुकरणाभावात् काव्यपाठके स्वात्मनि समारोपः । एके प्राचं प्रसिद्धतमा भट्टलोहटप्रभृतयो वदन्तीति शेषः ।

अव रस के विषय में भट्ट लोहट आदि कतिपय पण्डितों के मतों का उ करते हैं—‘मुख्यतया’ इत्यादि । वस्तुतः साक्षात् सम्बन्ध से दुष्यन्त आदि अनु रहने वाले रति आदि ही रस हैं, उन रति आदि को ही नाटक में विभाव आदि के अभिनय दिखाने में निपुण दुष्यन्त आदि का पार्ट करने वाले नट पर और काव्य पाठकों के ऊपर आरोपित करके हम उनका अनुभव करते हैं ।

एतन्मतप्रतिपाद्य शेषमाचष्टे—

मतेऽस्मिन् साक्षात्कारो ‘दुष्यन्तोऽयं शकुन्तलादिविषयकरतिमान्’ इ प्राग्बद्धमर्थशो लौकिक आरोप्यांशो त्वलौकिकः ।

साक्षात्कारः प्रत्यक्षात्मकं ज्ञानम् । प्राग्बच्चतुर्थमत इव विनिगमनाविरहादुद्देश्य भाववैलक्षण्येन त्रिविधः । धर्मी इदन्त्वेन गृह्यमाणो नटः, तस्य चक्षुस्सन्निकृष्टत्वात् त्कारो लौकिकः । आरोप्यं दुष्यन्तत्वादि, तस्य चासन्निकृष्टत्वादलौकिकः सा भवतीति शेषः । भरतसूत्रव्याख्याता भट्टलोहटो मीमांसक इत्येतन्मतं मीमांसकमतत् त्रोल्लिखितम् । तथाहि—‘विभावैर्जनितः, अनुभावैः प्रकाशितः, व्यभिचारिभावैश्च शकुन्तलादिविषयको दुष्यन्तादावनुकार्ये वास्तविक अभिनयकौशलेन दुष्यन्त शायमानेऽनुकर्तारि नटे चारोपितः, सहृदयैः पश्चाद् भावनारूपदोषजन्य-नटतादात् सादात्मनि साक्षात्क्रियमाणो रत्यादि’ स्यायो रस इत्यन्यत्र तन्मतम् । पञ्चममत सम्

इस मत में भी रस-ज्ञान का स्वरूप, पूर्वमत की तरह ‘शकुन्तला विषयक युक्त यह ( नट ) दुष्यन्त है’ इत्यादि रीति से उद्देश्य-विधेय-भाव में भेद । कारण तीन प्रकार का होगा यह समझना चाहिये । ये तीनों ही ज्ञान नट ( विशेष्य ) अंश में उसके आँखों के सामने उपस्थित रहने के कारण लौकिक और ( जिसका आरोप करते हैं ) दुष्यन्तत्व अंश में अलौकिक होते हैं क्योंकि वह अंश के सामने उपस्थित नहीं रहता ।

काव्यप्रकाशे द्वितीयमतत्वेनोपात्तं षष्ठं तार्किकश्रीशङ्ककमतमभिधत्ते—

( ६ ) ‘दुष्यन्तादिगतो रत्यादिर्नटे पक्षे दुष्यन्तत्वेन गृहीते, विभावा कृत्रिमैरप्यकृत्रिमतया गृहीतैः, भिन्ने विषयेऽनुमितिसामग्रथा बलवत्त्वाद् मानो रसः ।’ इत्यपरे ।

अपरे वदन्तीति शेषः । दुष्यन्तत्वेन गृहीते ‘दुष्यन्तोऽहम्’ इति दुष्यन्तत्वप्र ज्ञानविषयीकृते, नटेऽनुकर्तारि शैलूषे, पक्षे सन्दिग्धसाध्यवति, कृत्रिमैः क्रियया शिक्षाभ्यासादिमात्रविहितत्वाद्वास्तविकैरपि, अकृत्रिमतया गृहीतैः साम्यातिशयेन वास्तव्या ज्ञातैः, विभावादिभिर्हेतुभूतैः, समाने विषये प्रत्यक्षसामग्रथा बलवत्त्वेऽपि, विभिर्जा नुमितिसामग्रथा एव बलवत्त्वाद्दृष्टविषयकप्रत्यक्षप्रतिबन्धनादानुमीयमानो दुष्यन्ताद्यनुक शकुन्तलादिविषयको रत्यादिरेव रसः । अयमपि भरतसूत्रस्य व्याख्याता ।

इदमिहावगन्तव्यम्—‘दुष्यन्तोऽयं शकुन्तलाविषयकरतिमान्, तद्विषयककटाक्ष चोपादिचेष्टावत्त्वात्’ इत्यनुमित्याकारः । अनुमेयवस्तुसौन्दर्यबलाद्दस्यानुमानस्येतरानुम रमणीयत्वम्, मृदादिघटभ्य इव कनकघटस्य । इन्द्रियसन्निकर्षरूप-नटविषयकप्रत्यक्षर सद्भावेऽपि, रत्यादिसाध्यविषयकानुमितिसामग्रथा विभिन्नविषयकत्वेनेतरप्रतीतिप्रति



त्वात्स्वात्स्वनिमित्तिरेव भवति, ननु नटप्रत्यक्षम् । परोक्षज्ञानत्याजमत्कारित्वं चात्र पक्षेऽ-  
द्विचिदानम् । पट मत नमात्तम् ।

अब रस के विषय में श्रीशङ्कर के छठे मत का प्रतिपादन करते हैं—'इदन्तारिगतो'  
इत्यादि । अभिप्राय यह है कि जब हम 'अभिज्ञानशाकुन्तल आदि नाटक देखते रहते हैं'  
उस समय नट में हमें दुष्यन्त आदि का ज्ञान होता है और वह ज्ञान-चित्र-लिखित तुरग  
को देखकर जो 'वह घोड़ा है' ऐसा ज्ञान होता है—ठीक वैसा ही है अर्थात् वह ज्ञान  
सम्यक्, मिथ्या, सादृश्य ज्ञानों से विलक्षण रहता है क्योंकि वस्तुतः दुष्यन्त से भिन्न में  
होने के कारण उस ज्ञान को सम्यक् (प्रमात्मक) नहीं कह सकते, उत्तर-काल में बाध  
न होने से उसको मिथ्या (अप्रामात्मक) भी नहीं मान सकते, सादृश्य-अंश की प्रतीति  
न होने से सादृश्यज्ञान भी उसको नहीं बतला सकते, फलतः वह ज्ञान विलक्षण है, यही  
कहा जासकता है । वस्तुतः पूर्वमत की तरह विशेष्य अंश में लौकिक और विशेषण अंश  
में अलौकिक अप्रामात्मक ज्ञान ही वह है । इस तरह इन सद्दयों से दुष्यन्त आदि रूप में  
समझा गया और अभिनय करने में निपुण नट आदि के द्वारा प्रकाशित विभाव आदि—  
जो वस्तुतः अग्रिम-अवास्तविक रहते हैं—अग्रिम-वास्तविक मालूम पड़ने लगते हैं,  
अतः वास्तविक-स्वाभाविक मालूम पड़ने वाले उन विभादिकों से दुष्यन्तादि रूप से  
समझे गये नट रूप पक्ष में शाकुन्तला आदि की रति की अनुमिति होती है और उसी  
अनुमिति का विषयीभूत रति आदि 'रस' है । यद्यपि अन्य अनुमितियों में चमत्कार-  
वास्तुतः नहीं होता अतः इस अनुमिति में जो वह नहीं होगा ऐसी शङ्का यहाँ की  
जासकती है, तथापि यहाँ अनुनेय वस्तुओं के सौन्दर्य से अनुमिति में चमत्कार पैदा हो  
जाता है ऐसा समझना चाहिये अतः एव सद्दयजन वार वार उस अनुमिति को करते  
हैं, जिससे उस रति आदि की चर्चणा उन्हें होती है । यद्यपि अनुमान के द्वारा किसी चीज  
की एक वार मिट्टि हो जाने पर दुबारा उस चीज की अनुमिति उसी व्यक्ति के द्वारा  
नहीं की जासकती क्योंकि मिट्टि को अनुमिति का प्रतिबन्धक माना गया है तथापि  
अनुमिता-अनुमिति की इच्छा के रहने पर मिट्टि प्रतिबन्धक नहीं होती यह ज्ञात होना  
चाहिये । अनुमिति का आकार यह होता है कि 'यह ( नट ) दुष्यन्त-शाकुन्तला-विषयक  
रतिवाला है, क्योंकि तद्विषयक कटाक्ष भुजङ्ग आदि चेष्टाओं से वह युक्त है' । एक बात  
और—यहाँ यह शङ्का उठ सकती है कि जिस घण में अनुमिति होती है उस घण में  
यहाँ और और भी बहुतसी दर्शनीय वस्तुएँ आनी के सामने उपस्थित रहती हैं, जिससे  
उन वस्तुओं का प्रत्यक्ष भी अवसर प्राप्त रहता है, फिर उस समय में उक्त अनुमिति न  
होकर उन वस्तुओं का प्रत्यक्ष ही क्या नहीं होता ? पाठकों को यह नहीं भूलना चाहिये  
कि एक काल में दो ज्ञान नहीं हो सकते, अतः दोनों ही ( अनुमिति और प्रत्यक्ष ) होंगे  
यह बात नहीं कही जासकती । इसका उत्तर यह है कि जहाँ एक ही समय में एक वस्तु  
की प्रत्यक्ष सामग्री और दूसरी वस्तु की अनुमिति-सामग्री जुट जाती है, यहाँ उस स्थिति  
में अनुमिति ही होती है, प्रत्यक्ष नहीं, क्योंकि निर्विषयक प्रत्यक्ष के प्रति निर्विषयक  
अनुमिति सामग्री को दर्शनीयों ने प्रतिबन्धक माना है । क्यों उसको प्रतिबन्धक माना  
गया है ? इस विज्ञान की गति के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिये ।  
निर्विषयक प्रत्यक्ष के प्रति निर्विषयक अनुमिति-सामग्री को प्रतिबन्धक मानने का  
एक कारण यह है कि उस स्थिति में अनुमिति का होना ही अनुभव सिद्ध है । दूसरा  
कारण यह भी है कि प्रत्यक्ष सामग्री की अपेक्षा अनुमिति-सामग्री गुरु-भूत रहती है,  
जो प्रत्यक्ष-सामग्री ( अनुमिति-सामग्री ) को उठाना नहीं पड़ता अगर किसी जगह  
में उठाना भी पड़े तो उसमें बहुत जबरान करना पड़ता है और अनुमिति-सामग्री  
( निर्विषयक आदि विषयों के लिए अधिक है ) को उठाना पड़ता है जिसमें बहुत  
अधिक जबरान करना पड़ता है, ऐसी स्थिति में अगर उक्त दोनों सामग्रियों में से किसी

एक सामग्री को व्यर्थ करना पड़े तो लोग किसको व्यर्थ करना चाहेंगे ? उत्तर स्पष्ट है कि प्रत्यक्ष-सामग्री को, क्योंकि वह थोड़ी है और उसमें आयास भी कम करना पड़ा था। अब नाटक देखते समय भिन्न विषयक प्रत्यक्ष-सामग्री के जुटी रहने पर भी शकुन्तलादि विषयक रति की अनुमिति ही क्यों होती है इस शङ्का का उत्तर पाठकों को स्पष्ट रूप से समझ आ जायगा। यह तो हुई नाटक की बात, काव्य में उसके पाठकों पर ही यह नगाड़ा बजता है अर्थात् उन्हीं को दुष्यन्त आदि समझा जाता है और उन्हीं को पच बनाकर रति आदि की अनुमिति की जाती है।

अथ प्रकीर्णं मतपक्षके प्रथम पूर्वक्रमाच्च सप्तमं मत निर्दिशति—

( ७ ) 'विभावादयस्त्रयः समुदिता रसाः' इति कतिपये ।

समुदिताः परस्पर मिलिता, विभावादयो विभावानुभावव्यभिचारिस्याधिभावा एव रसा रसनव्यापारयोगादास्वाद्या इति कतिपये कियन्तो व्याहरन्तीत्यर्थः ।

'प्रतीयमानः प्रथमं प्रत्येक हेतुरुच्यते । ततः सम्मिलितः सर्वो विभावादि' सचेतसाम् ॥

प्रपाणकरसन्त्यायाच्चर्व्यमाणो रसो भवेत् ॥'

इत्युक्ते खण्डमरिचादीनामिव विभावादीना मियस्सम्मेलनेन प्रपाणकरस इव काव्यरस कोऽपि निष्पद्यत इत्याशय ।

अब रस-विषयक सप्तम मत का प्रतिपादन करते हैं—'विभावादय' इत्यादि। ऊह लोगों का कहना है कि विभाव, अनुभाव और सञ्चारीभाव ये तीनों ही सम्मिलित हो पर 'रस' कहलाते हैं।

द्वितीयं पूर्वक्रमादष्टमं मतसुपन्यस्यति—

( ८ ) 'त्रिषु य एव चमत्कारी, स एव रसः । अन्यथा तु त्रयोऽपि न ।' इति बहवः ।

त्रिषु विभावानुभावव्यभिचारिषु, य एवान्यतम स्वपोषकसामग्रीप्रकर्षात्, चमत्कारं विच्छित्तिविशेषशालो, स एव, न तु चमत्कृतिशून्योऽपि, रसो भवतीति शेषः । अन्यथा चमत्कारिताविरहे तु, त्रयो विभावादयो मिलिता अपि, किमुतैक, न रस इति बहवो व्याहरन्तीत्यर्थः । लोकोत्तरचमत्कारस्यैव रसत्वव्यवस्थापकत्वात् तदभावे विभावादित्वमात्रेणैव रसत्वमिति भाव ।

अब रस-सम्बन्धी अष्टम मत का उपादान करते हैं—'त्रिषु' इत्यादि । कतिपय विद्वान् का कथन है कि विभाव, अनुभाव और सञ्चारीभाव इन तीनों में जो चमत्कारी हो वा रस है और यदि चमत्कारी न हो, तब एक की बात ही क्या, तीनों मिलकर भी रस ना कहला सकते क्योंकि लोकोत्तर चमत्कार को ही काव्य का प्राण माना गया है।

तृतीयं पूर्वक्रमाच्चतुर्थं मत प्रकाशयति—

( ९ ) 'भाव्यमानो विभाव एव रसः' इत्यन्ये ।

भाव्यमान पुनः पुनरनुसन्धानरूपभावनाविषयीक्रियमाणो विभाव आलम्बनोद्दीपन त्मक एव, न त्वनुभावव्यभिचारिणावपि, रस इत्यन्ये मन्यन्त इत्यर्थः ।

प्रादुर्भावकेषु विभावस्यैव प्राथम्येन प्राधान्याद् रसत्वमिति तात्पर्यम् ।

अब रस-सम्बन्धी नवम मत का उल्लेख करते हैं—'भाव्यमान' इत्यादि । अन्य कु विद्वानों का मत है कि पुनः पुनः अनुसन्धान किया गया विभाव ( आलम्बन और उद्दीपन कारण ) ही रस है ( अनुभाव और सञ्चारी नहीं ) ।

चतुर्थं पूर्वक्रमाद् दशमं मतमभिदधाति—

( १० ) 'अनुभावस्तथा' इतीतरे ।

श्रुतगार' स्थाविरार्यरूप , तथा भाव्यमानो रम स्तोतरं प्रतिपादयन्तीत्यर्थ ।

भरनावा = प्रभावेन, कारणापेक्षया कार्यन्त्र विच्छिन्नतिविशेषाशयकत्वेन चानुभावन्त्येव रूपं नन्वव्यमित्कादृतम् ।

अथ रम-रसन्धी दशम मत की चर्चा करते हैं—'अनुभाव' इत्यादि । कुछ पण्डितों का मत है कि पुन पुन चिन्तन किया गया अनुभाव ही रस है ( विभाव सञ्चारी नहीं ) ।

पद्यम पूर्वज्ञानाऽसादग मतनाचष्टे—

( १ ) 'व्यभिचार्येव तथा तथा परिणमति' इति केचित् ।

पूर्वज्ञानाद्यदो भाव्यमानार्येद्ये द्वितीयाश्च रमार्यक' ।

तथा भावनाविशेषविषयान्निश्चानापो व्यभिचारी भाव एव तथा रमरूपतया परिणम-  
तान्पेदे ऋयन्तांत्यर्थ ।

अथ रसन्धी ग्यारह वें मत का प्रतिपादन करते हैं—'अभिचार्येव इत्यादि ।  
अनेक पण्डितों का कथन है कि व्यभिचारी भाव ही पुन पुन. चिन्ता का विषय होकर  
रम रूप में परिणत हो जाता है ।

भावनामहिन्ता प्राधान्य भजन् व्यभिचार्येभि भवन्निव रमत्व प्रतिपद्यत इति भाव ।

उच्यतेऽथाना. क्रमेण प्राणागिकत्वं दर्शयितुमुपक्रमते—

तत्र 'विभावानुभावव्यभिचारिसयोगाद् रसनिष्पत्तिः' इतिसूत्रं तत्तन्मतपर-  
तया व्याख्यायते—

तत्र तेषांसादरात् नतेषु, समूलकत्वं सापचितुनाचार्यभरतस्य विभावेत्यादिसूत्र,  
तन्मतपरतया तेषा तेषामादितोऽथाना मतानामनुकूलतया व्याख्यायते नयेति शेष ।

अथ उक्त मतों में कितने प्राणागिक और कितने अप्राणागिक हैं इस बात का निर्णय  
करने के लिये रससन्धी मूलभूत-भरतसूत्र की व्याख्या करने का उपक्रम करते हैं—  
'र' इत्यादि । उम उक्त मत के अनुसार 'विभावानुभावव्यभिचारिसयोगाद् रस-निष्पत्तिः'  
इस सूत्र की व्याख्या करते हैं ।

'सापचाचार्याभिनवगुप्तमते द्विविधकलानुकूला सूत्रव्याख्यानाह—

'विभावानुभावव्यभिचारिभि. सयोगाद् व्यञ्जनाद् रसस्य चिदानन्दवि-  
शिष्टस्वाध्यात्मनः, स्थाय्युपहितचिदानन्दात्मनो वा निष्पत्तिः' स्वरूपेण प्रकाश-  
नम् ।' इत्याद्ये ।

विशिष्टानुभावेन व्यभिचारिभावेन ( सह ) सयोगाद् व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावसन्ध्यात्  
प्रथमरूपे चिदानन्दविशिष्टस्वाध्यात्मनश्चैतन्त्या प्रादविषयाभूतरत्यादिरूपस्य, द्वितीयरूपे  
स्थाय्युपहितचिदानन्दात्मनो रम्यादिविषयकत्वेन्या प्रादह्वान्य, रसस्य, निष्पत्तिः स्वरूपेण-  
प्रकाशनमित्याद्यमते नृपार्थ ।

प्रथम भावार्थ अभिनव गुप्त-मत के अनुसार सूत्र की व्याख्या करते हैं—'विभाव'  
इत्यादि । 'विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के द्वारा, मधोम जथांत् ध्वनिगत  
होने से, ज्ञानानन्द-सहित स्थायीभावरूप अथवा स्थायीभावानुभव उपाधि में युक्त  
ज्ञानानन्दरूप रस की निष्पत्ति होती है अर्थात् वह अपने वास्तव्यरूप में प्रकाशित होता  
है यह प्रथम मत में अर्थ है ।

इति भरतस्यमते सूत्रस्याप्राणनिर्देशाति—

'विभावानुभावव्यभिचारिणा सन्धक साधारणात्मतया योगाद् भावकत्वव्या-  
पारेण भावनाद्, रसस्य स्थाय्युपहित-सत्त्वोद्रेकप्रकाशित-स्वात्मानन्दरूपस्य,  
निष्पत्तिर्भोगाल्पेन साजात्कारेण विषयीकृति ।' इति द्वितीये ।

संयोगस्य सम्यग् योगादिति, सम्यगित्यस्य साधारणात्मतयेति, योगादित्यस्य भाव-  
कत्वव्यापारेण भावनादिति, रसस्येत्यस्य सत्त्वोद्रेकोद्भासित-रत्यादिविषयक-स्वात्मानन्द  
रूपार्थकं स्थाय्युपहितेत्यादि, निष्पत्तिरित्यस्य भुक्त्यपरपर्याय-भोगात्मकसाक्षात्कारविषयी  
करणार्थकं भोगाल्ख्येनेत्यादि च द्वितीयमते सूत्रार्थ ।

द्वितीय भट्टनायक-मत के अनुसार सूत्र की व्याख्या करते हैं—'विभाव' इत्यादि ।  
'विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के ( स+योग ) सम्यक् अर्थात् साधारणरूप से  
योग अर्थात् भावकत्व व्यापार के द्वारा भावना करने से स्थायीभावरूप उपाधि के सहित  
सत्त्वगुण की अभिवृद्धि से प्रकाशित, स्वकीय आरमानन्द रूप रस की निष्पत्ति अर्थात् भोग  
नामक साक्षात्कार का विषय बनाना' यह द्वितीय मत में सूत्रार्थ है ।

तृतीये नव्यमते सूत्रव्याख्या ब्रवीति—

विभावानुभावव्यभिचारिणां संयोगाद् भावनाविशेषरूपाद् दोषाद् रसस्या  
निर्वचनीयदुष्यन्तरत्याद्यात्मनो निष्पत्तिरुत्पत्तिः' इति तृतीये ।

इह भावनाविशेषरूपो दोष एव संयोग, अनिर्वचनीयभावापन्नो दुष्यन्तादिनिष्ठ-शकुन्त  
लादिविषयकरत्यादिरेव रस, प्रातिभासिकोत्पत्तिरेव निष्पत्तिरिति विशेष ।

तृतीय 'नव्य' मत के अनुसार सूत्र की व्याख्या करते हैं—'विभाव' इत्यादि । 'विभाव,  
अनुभाव और सञ्चारी भावों के संयोग अर्थात् सहृदयता मूलक काव्यार्थभावनारूप  
दोष से दुष्यन्त आदि के अनिर्वचनीय रति आदि रूप रस की निष्पत्ति अर्थात् उत्पत्ति'  
यह तृतीय मत में सूत्र का अर्थ है ।

चतुर्थे परकीयमते सूत्रव्याख्या ब्रूते—

'विभावादीनां संयोगाज् ज्ञानाद्, रसस्य ज्ञानविशेषात्मनो निष्पत्तिरुत्पत्तिः'  
इति चतुर्थे ।

अत्र संयोगो ज्ञानम्, रसश्च मानसप्रत्यक्षरूप इति विशेष ।

चतुर्थ 'पर' मत के अनुसार सूत्र की व्याख्या करते हैं—'विभावादीनाम्' इत्यादि ।  
'विभाव आदि के संयोग अर्थात् ज्ञान से ज्ञान-विशेष रूप रस की निष्पत्ति अर्थात्  
उत्पत्ति' यह चतुर्थ मत में सूत्र का अर्थ है ।

पञ्चमे भट्टलोहटमते सूत्रव्याख्या व्याहरति—

'विभावादीनां सम्बन्धाद् रसस्य रत्यादेर्निष्पत्तिरारोपः' इति पञ्चमे ।

इह संयोग. सम्बन्ध', नट आरोप्यमाणो रत्यादी रस, निष्पत्तिरारोप' । सामाजिक्य  
तु भावनात्मकदोषवशात् कथञ्चिन्नेन सह तादात्म्याध्यासादास्वाद इति विशेष ।

पञ्चम भट्ट लोहट-मत के अनुसार सूत्र की व्याख्या करते हैं—'विभाव' इत्यादि ।  
'विभाव आदि के संयोग अर्थात् सम्बन्ध से रति आदि रूप रस की निष्पत्ति अर्थात् नट  
आदि पर आरोप' यह पञ्चम मत में सूत्र का अर्थ है ।

षष्ठे श्रीशङ्कमते सूत्रव्याख्या प्रतिपादयति—

'विभावादिभिः कृत्त्रिमैरप्यकृत्त्रिमतया गृहीतैः संयोगादनुमानाद् रसस्य-  
रत्यादेर्निष्पत्तिरनुमितिः, नटादौ पक्ष इति शेषः' इति षष्ठे ।

अत्र संयोगोऽनुमितिहेतु-व्याप्तिज्ञानरूपमनुमानम्, अनुमेयो रत्यादी रस', निष्पत्तिश्चा-  
नुमितिरिति विशेष ।

षष्ठ श्रीशङ्क मत के अनुसार सूत्र की व्याख्या करते हैं—'विभावादिभिः' इत्यादि । 'कृत्त्रिम  
होने पर भी स्वाभाविक रूप में समझे गए विभावाविकों ( हेतु ) के साथ संयोग अर्थात्

प्राप्ति नामक सम्बन्ध से रति आदि रूप रस की निष्पत्ति अर्थात् अनुमिति ( नट रूप पद्य में )' यह पद्य मत में सूत्र का अर्थ है ।

नाम्ने रतिपयनते सूत्रव्याख्यामुपन्यस्यति—

'विभावादीनां त्रयाणां सयोगात् समुदायाद् रसनिष्पत्ती रसपदव्यवहारः'  
इति सप्तमे ।

इह सयोगो नियतसम्मेलनेन समुदाय, निष्पत्ती रसपदप्रतिपाद्यत्वेन व्यपदेश इति विशेष ।

सप्तम मत के अनुसार सूत्र की व्याख्या—'विभाव आदि तीनों से सयोग अर्थात् सम्मेलन से रस की निष्पत्ति अर्थात् उस समूह में रस पद का व्यवहार' यह सप्तम मत में सूत्र का अर्थ है ।

प्रश्ने बहुमते सूत्रव्याख्या निगदति—

'विभावादिषु सम्यग् योगाच्चमत्कारात्' इत्यष्टमे ।

प्रत्र सयोगधनत्कार इति विशेष ।

अष्टम मत के अनुसार सूत्र की व्याख्या—'विभाव आदि में सम्यक् योग अर्थात् यमत्कार से रस कहलाता है' यह अष्टम मत के अनुसार सूत्र का अर्थ है ।

उपनहरति—

तदेव पर्यवसितस्त्रिषु मतेषु सूत्रविरोधः ।

एवमुक्तप्रसरण, केवल पूर्वोक्तेष्वष्टसु मतेषु भरतसूत्रानुसारित्वस्य सम्भवात्, त्रिष्व-  
प्रिनेषु त्वेकैर्ह्यत्रोपादानाद् विभावादीनां त्रयाणामनुपादानाद् भरतसूत्रस्य प्रागुक्तिचित्तस्य,  
विरोध पर्यवसित इत्यर्थः ।

भरतसूत्रानुसारि मताष्टकमेव साधीय, तद्विरुद्धमन्तत्रय तु निर्मूलकत्वादनुपादेयमे-  
वेति नारम् ।

इदमर्पाहकलनीयम्—यथा भरतसूत्रविरोधादिहान्तिमं मतत्रयं हेयम्, भावकत्वरूपा-  
धिक्रम्यारारस्तोच्चरगौरवाद् द्वितीयम्, भावनादोषत्वकल्पनागौरवाद्, रसस्यानिर्वचनीयत्वा-  
पांशररेऽनास्तपिन्वापाताय तृतीयम्, मानसज्ञानात्मनो रसस्य भ्रमत्वाभ्युपगमेऽतात्त्विकत्वा-  
पत्तेस्तुरीयम्, रसस्य नटवृत्तेर्वस्तुतः सामाजिकवृत्तित्वानङ्गीकारेण विलक्षणास्वादासम्भवात्  
पञ्चमम्, प्रत्यक्षातिरिक्तज्ञानानामचमत्कारित्वस्य सर्वमतसिद्धतया रसस्यानुमेयत्वस्वीकारेऽ-  
नन्वहारित्वपनपात् षष्ठम्, विभावादिसमूहनमात्रेण लोकोत्तररसत्वप्राप्तिसम्भवात् सप्तमम्,  
एहस्य विनाशयन्वतमस्य रससारचमत्कार-परिपूर्णताऽतद्भावादष्टमं च मतमरुचिमासाद-  
नादेशमेव ।

अवशिष्ट तान् मतों में सूत्र का अर्थ लगत नहीं होता, अतः उन मतों में सूत्र का  
विरोध पर्यवसित होता है—अर्थात् वे मत स्वतन्त्र हैं, सूत्रानुसारी नहीं ।

ननु भरतसूत्रेण सन्निहितानां विभावादीनां त्रयाणामनुपादानस्य किं बीजम् ? ये  
नाऽऽदिपैरन्नात्रान्वि चरम मतत्रय सूत्रविरोधादुपेक्ष्यत इत्याशया निरस्यति—  
विभावाऽनुभावरव्यभिचारिणानैकन्य तु रसान्तरनाधारणतया नियतरस-  
व्यञ्जनाऽनुपपत्तेः सूत्रे मिलितानामनुपादानम् ।

इदमुक्तं नानि—विभावाऽनुभावरव्यभिचारिणश्च द्विदन्तोऽनेकरसनामानत्वेकरसनि-  
ष्पत्तिं गन्ताति तत्रैकानुपादाने रसप्रतीकानिवयम स्यात्, मिलिता विभावादयस्त्वस्त्वे-

करसाधारणा इति तदुपादाने न व्यभिचार इति सूत्रे मिलिताना त्रयाणामुपादानमावश्यकम् । तथा चोक्तं काव्यप्रकाशे—‘व्याप्रादयो विभावा भयानकस्येव रौद्राद्भुतवीराणाम्, अश्रुपाता-  
दयोऽनुभावः’ शृङ्गारस्येव कृष्णभयानकयोः, चिन्तादयो व्यभिचारिण शृङ्गारस्येव कृष्णवीर  
भयानकानामिति पृथगनैकान्तिकत्वात् सूत्रे मिलिता निर्दिष्टा ।’ इति । ‘वियदलिमलिनाम्-  
गर्भमेघम्’ इत्यादौ केवलविभावानाम्, ‘परिमृदितमृणालोम्लानमङ्गम्’ इत्यादौ केवलानुभावा  
नाम्, ‘दूरादुत्सुकमागते विवर्लितम्’ इत्यादौ केवलव्यभिचारिणा चोपादाने शृङ्गाररसप्रतीतेः  
प्रसिद्धत्वात् त्रयाणा मिलितानामुपादानमावश्यकमित्युक्तिर्निर्मूलैति चेत्, न, उक्तस्थलेष्वेक  
मात्रस्य शृङ्गाररसासाधारणस्योपादानेऽप्यवशिष्टान्यद्वयस्य तादृशस्यैव ऋटित्याच्चेपेण लामाद्  
व्यभिचारासम्भवात् । तदुक्तम्—

‘सद्भावखेद्विभावादेर्द्वयोरेकस्य वा भवेत् ।

ऋटित्यन्यसमाच्चेपे तदा दोषो न विद्यते ।’ इति ।

विभावादिकों में से प्रत्येक से रस की अभिव्यक्ति क्यों नहीं होती इस शका का समा-  
धान देते हैं—‘विभावानुभाव’ इत्यादि । अभिप्राय यह है कि विभाव, अनुभाव और सञ्चारी-  
भाव इनमें से केवल एक अर्थात् केवल विभाव, केवल अनुभाव, अथवा केवल व्यभिचारी  
भाव किसी नियत रस का व्यञ्जक नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही विभाव, एक ही अनु  
भाव अथवा एक ही व्यभिचारीभाव अनेक रस का हो सकता है, जैसे व्याघ्र आदि जिस  
तरह भयानक रस के विभाव हो सकते हैं, उसी तरह वीर, अद्भुत और रौद्र रस के  
भी, अश्रु पात आदि जिस तरह शृङ्गार के अनुभाव हो सकते हैं, उसी तरह कृष्ण और  
भयानक रस के भी, चिन्ता आदि जिस तरह शृङ्गार के व्यभिचारीभाव हो सकते हैं,  
उसी तरह कृष्ण, वीर और भयानक रस के भी । अतः भरत-सूत्र में तीनों का उल्लेख  
किया गया है ।

तदेवाह—

एवं च प्रामाणिके मिलितानां व्यञ्जकत्वे, यत्र क्वचिदेकस्मादेवासाधारणाद्  
रसोद्बोधः, तत्रेतरद्वयमाच्चेप्यम्, अतो नानैकान्तिकत्वम् ।

अनैकान्तिकत्व व्यभिचारः ।

इस तरह जब यह प्रमाणित हो चुका कि तीनों ( विभाव अनुभाव और व्यभिचारी-  
भाव ) सम्मिलित रूप में ही किसी खास रस को व्यक्त कर सकते हैं, तब यदि कहीं,  
किसी असाधारण ( जो किसी एक ही रस का सम्बन्धी हो सकता हो ) विभाव, अनुभाव  
अथवा व्यभिचारीभाव में से किसी एक से ही खास रस की अभिव्यक्ति होती है, तब वहाँ  
जो एक वर्णित हो, उसके अतिरिक्त दो का उचित रूप से आच्चेप कर लेना चाहिये, अतः  
सूत्र का विरोध वहाँ नहीं होगा । इस प्रसङ्ग में मम्मट ने उदाहरणार्थ निम्नलिखित तीन  
श्लोक काव्य प्रकाश में उद्धृत किये हैं । ( १ ) ‘वियदलिमलिनाम्बुगर्भमेघम्’ इत्यादि ।  
( २ ) ‘परिमृदितमृणालोम्लानमङ्गम्’ इत्यादि । ( ३ ) ‘दूरादुत्सुकमागते विवर्लितम्’  
इत्यादि । इन श्लोकों में क्रमशः प्रथम में केवल विभावों का, द्वितीय में केवल अनुभावों  
का और तृतीय में केवल व्यभिचारी भावों का वर्णन किया गया है, परन्तु वे विभाव,  
अनुभाव और व्यभिचारी भाव असाधारण हैं अर्थात् केवल शृङ्गार रस में ही होने वाले हैं,  
अतः यहाँ अनेक रसों के व्यञ्जक होने का सन्देह नहीं हो सकता । तब बात रही यह कि  
शृङ्गार भी एक एक से कैसे अभिव्यक्त होगा, जिसका उत्तर ऊपर दिया ही जा चुका है कि  
वर्णित से अतिरिक्त दो का आच्चेप कर लिया जायगा ।

प्रकृत रसस्वरूपनिरूपणसुपसंहरति—

इत्थं च नानाजातीयभिः शोमुधीभिर्नानारूपतयाऽवसितोऽपि, मनीषिभिः

परमाज्ञाविनाभावितया प्रतीयमानः प्रपञ्चेऽस्मिन् रसो रमणीयताभावहतीति निर्दिशाम् ।

अप्यनुत्तरं च, नानावर्तमानि रनेकविधानि, शेषुपानिर्द्युद्धिनि, नर्नापिनि इत्येक-  
विधे, नानावपनानास्नेच्छररररवेन, प्रथमितो नतोऽवधारितो वापि, परमाज्ञाविनाभावि-  
तया लेखेनरनन्दव्याप्यन्येन, प्रतीयमान प्रस्तादपदवीनवतरन्, रस, अस्मिन् प्रपञ्चे  
नन्दने निश्चिस्मिन् रस, रसगोपतनाहति सुपनाविशेषं चनत्कारोत्कर्षं वाऽऽदनातीति निर्दि-  
शर निर्दिशितय ।

उक्ताना बुद्धिनिर्घ्वेन रसस्य स्वरूपनिरूपणे प्रक्षारणाहुल्येऽपि विच्छिन्नविशेषावाद्य-  
रस्ये न रचितेनतिरित्यभिप्रायः ।

इस प्रकार सिद्धजनों ने, यद्यपि अनेक प्रकार की बुद्धियों के द्वारा रस को अनेक रूपों  
में मनजा है, तथापि इस बात में किसी तरह का विवाद नहीं है कि रस अलौकिक  
आनन्द का व्याप्य पदार्थ है और वह समार में एक सौन्दर्यमय वस्तु है ।

एत रसस्य स्वरूप निरूप्य प्रकरणानवष्टे—  
स च—

शृङ्गारः करुणः शान्तो रौद्रो वीगोऽद्भुतस्तथा ।

हास्या भयानकश्चैव वीभन्मथेति ते नव ॥'

इत्युक्तेर्नवथा ।

न रसः शृङ्गारादिभेदेन नवधा नवप्रकारक इत्यर्थः ।

अथ रस के भेदों को दिखाने के हैं—'न न' इत्यादि । पूर्वोक्त रस के शृङ्गार, करुण,  
शान्त, रौद्र, वीर, अद्भुत, हास्य, भयानक और विभन्स ये नौ भेद हैं ।

नन्देत्तदुक्तौ चि प्रमाणमित्याक्षरज्ञापानभिदधाति—

मुनिवचन चात्र प्रमाणम् ।

अनात्सा रमनवविनसुक्तौ, मुनेर्नर्हर्षिनरतस्य—'शृङ्गार-हास्य-करुण-रौद्र-वीर-  
भयानक' । वीभन्ता-द्रुत-शान्ताश्च काव्ये नवरसा स्मृताः ॥' इति नाट्यशास्त्रोक्त वचनं  
च ( नक्षरालम्बनानुभव ) प्रमाणमस्तीत्यर्थः ।

रस की इस सजुग में भरत मुनि का वचन ही प्रमाण है । अपने नाट्यशास्त्र में भरत  
मुनि ने 'शृङ्गार-हास्य-करुण-रौद्र-वीर-भयानकः । वीभन्साद्भुत-शान्ताश्च काव्ये नवरसाः  
स्मृता ॥' यह वचन कहा है ।

अथ नाट्ये शान्तरसस्याभावनाशङ्कते—

केचित्तु—

शान्तस्य शमसाध्यत्वात्तदे च तदसम्भवात् ।

अश्रवणे रसा नाट्ये न शान्तानत्र युज्यते ॥' इत्याहुः ।

नमनुभवंतं तुल्य केनन्दस्यानचिप्रस्तता नूच्यते ।

शान्तस्य रसस्य, शमनाश्रयत्वात्तत्त्वादिभवात्, नदे वास्तविकसद्भुतताविपुरे  
वैशेषिकता न रसिऽऽकृष्टमनशांति, तस्य शमस्यासम्भवाय हेतोः, नाट्येऽनित्येकाव्ये,  
नदे श्रवणानुभव एव रसा नास्ति, तत्र नाट्ये शान्तो रसो न युज्यते ( नटस्य शमा-  
नना ) त्वर्थः । केचिदितास्य—रसहुरित्यनेन मन्वन्व ।

रसस्य रसस्य नस्य नदेऽऽकृष्टमनशांतावाप्ये शान्तातिरिक्त्वा एवाद्यै रसा इति  
परररर रारम् ।

नाटक में शान्त-रस नहीं हो सकता इस परकीय शङ्का का स्वरूप दिखलाते हैं- 'केचित्तु' इत्यादि। नाटक में आठ ही रस होते हैं, शान्त नहीं, ऐसा कुछ लोग कहते और वे अपने कथन में युक्ति यह देते हैं कि शान्त रस की सिद्धि शम (शान्ति) ही हो सकती है, जो (शान्ति) वैराग्य से सम्बन्ध रखता है और नट ठहरा सांसारि ममेलों में आसक्त जीव, अतः उसमें शान्ति की सम्भावना नहीं, फिर नाटक में शान्त हो, तो, कैसे ?

समादधाति—

तच्चापरे न क्षमन्ते । तथाहि—नटे शमाभावादिति हेतुरसङ्गतः, नटे रसापि व्यक्तेरस्वीकारात् । सामाजिकानां शमवत्त्वेन तत्र रसोद्बोधे बाधकाभावात् ।

इदमुच्यते—नटे शमासम्भवो न तु सामाजिके । नटे तु 'यत् कश्चिन्न रसं स्वद नट' इत्युक्तेनटे रसास्वादाभावः । सहृदयत्वमेव हि रसास्वादकताऽवच्छेदक न तु नटत्वम् यच्च कश्चिन्नटस्यास्वादः, स तस्य काव्यार्थभावनेया, सहृदयत्वेनैव 'काव्यार्थभावनेनायमा सभ्यपदास्पदम्' इति दर्पणात् । किञ्च—वक्ष्यमाणक्रमेण श्रव्ये महाभारतादौ शान्तरससं कृतौ न कस्यापि विमतिः । दृश्यकाव्ये तु नटे वास्तविकशमाभावादभिनयासम्भवात् केचि मन्यन्ते । परेतु तत्रापि 'अष्टावेव रसा नाट्ये—ष्विति केचिदचूचुदन् । तदचारु, यत्, 'कश्चि रसं स्वदते नट ॥' इत्यभियुक्तोक्तिमनुसृत्य, प्रबोधचन्द्रोदयाद्यभिनये रसं साक्षात्कृत्य तमूरीकुर्वन्ति । तस्य स्यायिनं केचन निर्वेदं मन्यन्ते । अपरे निर्वेदस्य विश्वविषयात्मप्रत यात्मकस्यात्मावमानरूपस्य वा, चमत्कारित्वाभावं व्यपदिश्य, सकलतृष्णानिवृत्तिजन्यात्परिपूर्णत्वरूपविलक्षणानन्दलक्षणम्—'यच्च काम सुखं लोके, यच्च दिव्य महत्सुखम् । तृष्णास्तु सुखस्यैते नार्हतं षोडशीं कलाम् ।' इत्युक्तमहिमानं शममेव तथा व्याहरन्तीति दिक् ।

उक्त शङ्का का समाधान करते हैं—'तच्चापरे' इत्यादि । दूसरे लोग उक्त शङ्का-कार की बात को मानना नहीं चाहते । उनका कथन है कि नाटक में शान्तरस के न होने आपने जो यह हेतु दिया है कि 'नट में शान्ति की सम्भावना नहीं है', वह संगत नहीं क्योंकि हम लोग नट में रस की अभिव्यक्ति मानते ही नहीं, फिर उसकी शान्ति अथवा अशान्ति से हमें क्या लेना देना ? जहां हम रस की अभिव्यक्ति मानते हैं, वे सामाजिक यदि शान्ति-युक्त होंगे, तब उनमें रसोद्बोध होगा ही, वहां उसके होने में तो किसी तर की बाधा है नहीं ।

नटे शमानङ्गीकारेऽनुपपत्तिं प्रकाश्य निरस्यति—

न च नटस्य शमाभावात् तदभिनयप्रकाशत्वानुपपत्तिरिति वाच्यम्, तस्य भयक्रोधादेरप्यभावेन तदभिनयप्रकाशकताया अप्यसङ्गत्यापत्तेः ।

प्रथमेन तच्छब्देन शमस्य, मध्यमेन नटस्य, चरमेण च भयक्रोधादेः परामर्शः ।

यदि नटे शम स्यात्, तदा स तदभिनयं विधातु क्षमेत । न च तथा, तस्मादभिनये काव्ये शान्तरसो नोचित इति पूर्वपक्षे, यद्यपि नटे वास्तविक कोऽपि स्थायी न तिष्ठति तथापि शिक्षाभ्यासादिवलेन तदभिनय सोऽनुतिष्ठतीति वस्तुस्थितौ, नटे शमस्यविरहेऽपि तदभिनयानुष्ठानेनासङ्गतिः । अन्यथा नटे रौद्रस्थायिकोधस्य, भयानकस्यापि भयस्त चासत्त्वात्तदभिनयानुष्ठानस्याप्यसङ्गत्यापत्तिरित्युत्तरम् ।

यदि आप कहें कि शान्ति-विहीन नट शान्त-रस के अभिनयों को प्रकाशित नहीं कर सकता, तब हम आपसे कहेंगे कि नट, भयानक अथवा रौद्र रस की अभिव्यक्ति के लिए अभिनय करता है, यह तो आप भी मानते हैं, परन्तु आपके शान्तरस विषयक इस नूत तर्क के अनुसार वह भी असंगत हो जायगा, क्योंकि नट में जैसे वास्तविक शान्ति नहीं



इतना आवश्यक है।<sup>१</sup> फलतः इनके कथन से भी वहाँ बात सिद्ध हुई जो केशव मिश्र ने कही थी। गोविन्द ठाकुर मैथिल साहज्य थे और इनका तन्मय लील्हवी राजाब्दी का उत्तरार्ध निश्चित है।

( १२ ) इसके अनन्तर ही रत्नगङ्गाधर के निर्माता पण्डितराम जगन्नाथ का काल आता है। इन्होंने काव्यलक्षण का जो रूप स्थिर किया है और उसके सम्बन्ध में जो कुछ नार्तिक कहे हैं, वे सब प्रकृत पुस्तक में देखे जा सकते हैं, अतः उनका उल्लेख यहाँ निम्नोक्त तन्मयकार नहीं किया जाना है, सिद्धांतों को ग्रन्थ में वे कानों देखनी चाहिये।

जब इस प्रकार के उत्तरार्ध-भाग में कुछेक यह कहना है कि—भारत में लौन्दर्यपूर्ण अथवा लौन्दर्यरहित सभी वर्णों को काव्य कहा जाता था। बादमें केवल लौन्दर्यपूर्ण वर्ण को काव्य कहा जाने लगा, पर अन्ततः काव्य का कोई खास लक्षण नहीं बना था। सर्वप्रथम अग्निपुराण में काव्य का खास लक्षण दिया गया, जिसके अनुसार लौन्दर्यनय अर्थों का तुन्दर प्रतिपादन करनेवाले शब्द काव्य समझे जाने लगे। दसवीं तक यह शब्दनाम काव्यत्व-वाद चला। इसके अनन्तर खट्ट के काल में शब्दार्थोन्मयकाव्यत्ववाद को बोधना हुई, जो नन्मद मनु तक चलता रहा। पर लौन्दर्य का कारण क्या है इस विषय में इस बीच के आचार्यों में भी मतभेद बना रहा। बामन आदि अतिरिक्त आचार्य लौन्दर्य का कारण समानरूप से गुण तथा अलंकार को मानते रहे। अतः चञ्कर नन्मद ने अलंकार को गौण बना दिया और गुण तथा गुणव्यञ्जक रचना को प्रमुख माना। काव्य में दोष का न होना बामन से लेकर नन्मद पर्यन्त आचार्यों के मत में समानरूप से आवश्यक तन्मया जाता रहा।

विश्वनाथ के समय में आकर पुनः काव्यलक्षण का रस बदला। जब फिर शब्दनाम को काव्य माना जाने लगा, अर्थ को काव्यलक्षण से वशिष्ठ कर दिया गया। इस युग में अलंकार-पुस्तककारों का स्थान भी नगण्य सा हो गया अर्थात् ऐसा तन्मया जाने लगा कि गुण अलंकार काव्य में रहें, तो अच्छी बात है, पर वे यदि न भी रहें, तब भी शब्दविशेष को काव्य कहलाने में कष्ट नहीं हो सकता। इस समय में दोषों पर भी कुछ दया दिखाई गई। तात्पर्य यह है कि उसके रहने पर भी शब्दविशेष को काव्य कहने में लोगों को आनन्द नहीं रहा। प्राचीन नाट्यशास्त्रों में इन सब दिग्भ्रमों के आगमन का प्रधान हेतु यह हुआ कि विश्वनाथ तथा उनके सम्बन्धी अन्य विद्वज्जन काव्य में लौन्दर्य का कारण एतन्मय रस को मानने लगे। यहाँ यह नहीं भूलना चाहिये कि रस पर से यहाँ तत्त्व असंलक्ष्यताओं का संग्रह अनोष्ट है।

पद्यनि चतुः, अलंकार और रसादिरूप विविध अर्थों का अन्वेषा तथा प्राधान्य विश्वनाथ से बहुत पूर्व ही आनन्दवर्षन के द्वारा स्थापित हो चुका था, परन्तु काव्यलक्षण में अन्वर्थ का प्रवेश विश्वनाथ से पहले क्लिप्त ने नहीं करवा था। अन्वर्थों में भी केवल रस को काव्य की

१ 'नन्मदलंकारेऽतिव्याप्तिः, सात्त्विकरत्नविशेषानुसन्धानादिति न वाच्यम्, यद. 'वापि - इसने नै-दुलन्-यत्सर्वत्रसात्कारौ शब्दार्थौ काव्यम्, इतिव स्तुमात्कारविरहेऽपि न काव्यत्वज्ञानिः, न्नोऽस्मापिचचार, अलतल्ल चारास्तुत्वे एव विप्रानात्। नोरतेऽन्यस्तुमात्कारे काव्यत्वनिष्ठ-नेवोते श्रुतु. नन्मा'। वयं तु नन्मान -नोरते स्तुमात्कारविराशेऽपि न काव्यत्वम्, यतो रसादिरत्न-रस इयं चन्कारहेतुः। तथा च यत्र रसादीनामवस्थान न तत्र स्तुमात्काराज्ञेया। नोरते तु यदि न स्तुमात्कारः स्यात् ताल्लक्ष्यवन्कार. स्यात्। चन्कारात्तारञ्च काव्यम् इत्यवश्य स्तुमात्काराज्ञेया।'



नित्यत्वस्य, तदुद्दीपनस्य पुराणश्रवण-सत्सङ्ग-पुण्यवन-तीर्थावलोकनादे विषयत्वेन विरोधित्वापत्तेः ।

तत्र शान्तरसे । पुण्यवनानि घृन्दावन-नैमिषारण्यप्रभृतीनि । तीर्थानि कारयादीनि ।

विषयचिन्तासामान्यमेव शान्तरसविरोधीति गीतवाद्याद्यनुकूलविषयसम्बन्धेऽपि, नाट्ये शान्तरस इत्यपि वक्तुं न शक्यम्, यत एवमङ्गीकारे शान्तरसालम्बनोद्दीपनयो विषयत्वाच्छब्दव्यकाव्येऽपि तदसत्त्वमापद्येत, तस्मादनुकूलानां विषयाणां विरोधित्वं न कर्तव्यमित्यभिप्रायः ।

दूसरी बात यह कि विषय-चिन्तन-मात्र को यदि शान्त रस के विरोधी मान लिया जाय, तब शान्त रस का आलम्बन-संसार का अनित्य होना एवम् उसके उद्दीपन-पु का सुनना, सत्सङ्ग, पवित्र वन और तीर्थों के दर्शन आदि भी विषय ही हैं, अतः वे भी शान्त रस के विरोधी हो जायेंगे । इसलिये जिनमें शान्त रस के अनुकूल वर्णन वे भजन-कीर्तन आदि उसके विरोधी नहीं हैं, अपितु उसके अभिव्यञ्जक ही हैं, मानना चाहिए ।

उक्तार्थे प्राचीनसम्मतिं दर्शयन् निगमयति—

अत एव च चरमाध्याये सङ्गीतरत्नाकरे—

‘अष्टावेव रसा नाट्ये-ष्विति केचिदचूचुदन् ।

तदचारु, यतः कश्चिन्न रसं स्वदत्ते नटः ॥’

इत्यादिना नाट्येऽपि शान्तो रसोऽस्तीति व्यवस्थापितम् ।

अत एवेत्यस्य व्यवस्थापितमित्यत्र सम्बन्धः । सङ्गीतरत्नाकरनामा प्राचीनसङ्गीतवि प्रबन्धः । अचूचुदन् व्याहार्णुः । अचारु सङ्गतिशून्यतयाऽसुन्दरम् । यत इत्यादिना तदपन्यासः । कश्चित् कश्चिदपि । स्वदत्त इत्यन्तर्भावित्यर्थत्वादास्वादयतीत्यर्थकम् । अन्यथार्थासङ्गतिर्नटपदाच्चतुर्थ्या दुर्निवारत्वं च स्यात् ।

यथा नटे नानास्वादिदानामपि रसान्तराणां नाट्ये सत्त्वं स्वीक्रियते, तथैव शान्तस्य स्वीकरणीयम्, वैषम्ये बीजानुपलम्भादित्याकृतम् ।

उक्त अर्थ में प्राचीनों की सम्मति दिखलाते हैं—‘अत एव च’ इत्यादि । जिसलिये गीत-वाद्य, शान्त रस के विरोधी नहीं हैं और नाटक में भी शान्त रस का होना उचित इसी लिये ‘संगीत रत्नाकर’ के अन्तिम अध्याय में ‘अष्टावेव रसानाट्ये इत्यादि अष्ट नाटकों में आठ ही रस होते हैं’ ऐसा कुछ लोग कहे हैं, परन्तु उनका वह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि नट किसी रस का आस्वादन नहीं करता-इत्यादि उक्ति के द्वारा-नाटकों में शान्त रस हांता है यह सिद्ध किया है ।

नाट्ये शान्तरसाभावाभ्युपगमेऽप्यन्यत्र तत्सत्त्वस्वीकृतिरावश्यकतीत्याह—

यैरपि नाट्ये शान्तो रसोनास्तीत्यभ्युपगम्यते, तैरपि बाधकाभावान्महाभारतादिप्रबन्धानां शान्तरसप्रधानताया अखिललोकानुभवसिद्धत्वाच्च काव्ये सोऽवश्य स्वीकार्यः ।

नाट्ये शान्तरसाभावं वदन्तोऽपि बाधकानुपलम्भाद् महाभारतप्रभृतिप्रबन्धेषु शान्त रसप्रधानस्य सकलसहृदयानुभवसिद्धतयाऽनपलपनीयत्वेन शान्तरसस्य नाट्येतरकाव्ये सतामवश्य स्वीकुर्युरित्येतावताऽपि शान्तरससत्ता, रसानां नवता च सिध्यत्येवेत्यभिसन्धिः ।

नाटकों में शान्त रस को न मानने पर भी काव्य में उसका मानना आवश्यक है इसी बात का उल्लेख करते हैं—‘यैरपि’ इत्यादि । आशय यह है कि जो लोग नाटकों में शान्त रस नहीं मानते हैं उन्हें भी काव्यों में उसको (शान्त रस को) अवश्य मानना



और द्वितीय है) के अनुसार रस और स्थायीभाव में परस्पर वैसा ही भेद है, जे और उसके अन्तर्गत आकाश में है। अर्थात् जैसे व्यापक आकाश घटरूप उ अन्दर घिर कर छोटा सा हो जाता है, उसी तरह व्यापक चैतन्य रति आदि स्थ रूप उपाधि से ग्रस्त होकर केन्द्रित सा हो जाता है। तृतीय नव्य मत के अनु और स्थायीभाव में वैसा भेद है, जैसा सत्य-चाँदी और कार्पनिक चाँदी में है आ कार्पनिक चाँदी सा है और स्थायीभाव सत्य चाँदी सा। चतुर्थ परकीय मत के रि उन दोनों में उस तरह का भेद है, जिस तरह का भेद ज्ञान और उसके विषय में अर्थात् रस ज्ञानरूप है और स्थायीभाव विषयरूप।

ननु रत्यादीनां पारमार्थिकस्थिरत्वाभावात् कथं स्थायित्वमित्यत आचष्टे—

तत्र आ प्रबन्धं स्थिरत्वादमीषां भावानां स्थायित्वम् ।

रत्यादीनां वस्तुतः कूटस्थत्वविरहेऽपि, तत्र काव्येषु, आप्रबन्धं प्रबन्धमपि स्थिरत्वात् स्थायित्वमित्यर्थः ।

रत्यादयो हि कूटस्थतया न स्थायिनः, किन्तु व्यभिचार्यपेक्षया नियमेन प्रबन्ध स्थितिशालित्वादिति साराशः ।

ये पूर्वोक्त भाव सब स्थायी क्यों कहलाते हैं इसका कारण बतलाते हैं—‘तत्र’ इ ये भाव कूटस्थ नित्य नहीं हैं, वरन् जैसे व्यभिचारीभाव किसी भी सम्पूर्ण प्र अनेक बार आते, जाते और बदलते रहते हैं, उस तरह ये भाव बदलते नहीं अर्थात् समाप्ति पर्यन्त बने रहते हैं, अत एव स्थायी कहलाते हैं ।

पुनश्शङ्कते—

न च चित्तवृत्तिविशेषरूपाणामेषामाशुविनाशित्वेन स्थिरत्वं दुः वासनारूपतया स्थिरत्वं तु व्यभिचारिष्वतिप्रसक्तमिति वाच्यम् ।

एषा रत्यादीनाम् । अतिप्रसक्तमतिव्याप्तम् ।

चित्तस्यातिचपलत्वात् तद्वृत्तीना क्षणभङ्गुरतया वक्ष्यमाणरीत्या तदेकरूपाण दीना स्थिरत्वं न सम्भवति । न च तेषा क्षणिकत्वेऽपि तद्वासनाख्यसंस्काराणामक्षणि तद्रूपाणामेव तेषा स्थिरत्वं सम्भवति, एवं सति, व्यभिचारिवासनाया अप्यक्षणि व्यभिचारिणामपि स्थायित्वप्रसङ्गादिति पूर्वपक्षः ।

यदि आप कहें कि ये रति आदि भाव तो चित्तवृत्तिरूप हैं, अत एव क्षणभर नष्ट हो जाने वाले पदार्थ हैं इसलिये सम्पूर्ण ग्रन्थ में इनका स्थिर रहना अस फिर ये ( भाव ) स्थायी कैसे कहला सकते हैं ? और वासना ( संस्कार ) रूप से स्थिर मानने पर व्यभिचारी भाव भी स्थायी कहलाने लगेंगे, क्योंकि वासनारूप से अन्तःकरण में सदा वर्तमान रहते हैं ।

समादधाति—

वासनारूपाणाममीषां मुहुर्मुहुरभिव्यक्तेरेव स्थिरपदार्थत्वात् । व्यभिच तु नैव, तदभिव्यक्तेविद्युद्द्योतप्रायत्वात् ।

अमीषा रत्यादीनाम् । मुहुर्मुहुरभिव्यक्ते पुनःपुनःप्रतीते । विद्युद्द्योतप्र कादाचित्कत्वात् ।

नैरन्तर्येण भूयो भूयो वा प्रतीयमानत्वमेवात्र स्थिरत्वम् । तच्च स्थायिनामेव व्यभिचारिणाम्, विद्यत्प्रकाश इव कदाचिदेव तेषा प्रतीतिरिति प्रसिद्धत्वादित्युत्तरम् ।

उक्त शङ्का का उत्तर यह है कि वासनारूप रति आदि भावों की पुनः पुनः अर्थात् यहाँ स्थिरता विवक्षित है अर्थात् रति आदि भाव समग्र ग्रन्थ में बार बार प्रती



भावान्तरस्य वक्ष्यमाणरीत्या व्यभिचारिभावा एव भवन्तीत्यस्यां स्थितौ, रत्याद्यन्यत्व स्यायित्वमिति लक्षणस्य, नाममात्रेण स्थायिषु, प्ररोहाभावात् व्यभिचारितामापन्ने रत्यादिष्वेवातिव्याप्तिः । तस्मादेतद्व्यतिरेकमसङ्गतमिति भावः । यदि च तदतिव्याप्तिवारणा रत्यादिषु प्ररूढत्वं निवेदयेत्, तथापि तत्तद्विभक्त्यस्यान्यतमत्वादनुरयोगि-प्रतियोगि-त्वाभ्यां जगतः प्रवेशेन गौरवमापतेत् । तत्तद्वेदकूटप्रतियोगिकाभाववत्त्वमेवान्यतमत्वमित्यत्र कारे तु न गौरवमिति विभावनीयम् ।

स्थायीभाव के लक्षण के विषय में परमत का उद्धान कर उसका खण्डन करते हैं 'केचित्' इत्यादि । कुछ लोगों का कथन है कि—पूर्वोक्त रति आदि नौ भावों में से अन्य (कोई एक) होना ही स्थायीभाव कहलाने के लिये पर्याप्त परिचय है । परन्तु परिचय पर्याप्त हो नहीं सकता, क्योंकि वे रति आदि भाव तत्तत्सामधारी होने पर भी अप्ररूढ अर्थात् दबे हुए रहते हैं, वहाँ उन्हीं रति आदि भावों में से जो प्ररूढ अर्थात् सख रहता है उसके व्यभिचारी भाव कहलाते हैं । इस स्थिति में यदि रति आदि नामध होने से वे भाव स्थायी भी कहलाने लगें, तब तो, वहाँ भी वे स्थायी कहलाने लगेंगे अप्ररूढ होने के कारण वस्तुतः वे व्यभिचारी हो गये हैं । अतः उक्त परिचय-पत्र (लक्षण-टीका नहीं) । इसके अतिरिक्त उस लक्षण में अन्यतमत्व का प्रवेश कराया गया है अन्यतमत्व पदार्थ उत्तरेद-कूट-प्रतियोगिकाभाववत्त्व रूप है, जिसमें अनेक नस-सन्निविष्ट हैं, अतः उक्त लक्षण गौरव-ग्रस्त होने के कारण भी अप्राप्त-कोटि में जा पड़ है, यह समझना चाहिए ।

प्रसङ्गाद् भावानां प्ररोहाप्ररोही निरूपयति—

प्ररूढत्वाप्ररूढत्वे बहुलपविभावजत्वे ।

बहुविभावजन्यत्वं प्ररूढत्वम्, अल्पविभावजन्यत्वं त्वप्ररूढत्वमित्यर्थः ।

ऊपर के ग्रन्थ में आये हुए 'प्ररूढ' और 'अप्ररूढ' शब्द की व्याख्या करते हैं—'प्ररूढ' इत्यादि । अर्थात् बहुत विभावों से जिसकी उत्पत्ति हो वह प्ररूढ और थोड़े विभावों जिसकी उत्पत्ति हुई हो, वह अप्ररूढ कहलाता है ।

तत्र दाढ्याय प्राचीनसम्मतिं दर्शयति—

तदुक्तं रत्नाकरे—

'रत्यादयः स्थायिभावाः, स्थुभूयिष्ठविभावजाः ।

स्तोकैर्विभावैरुत्पन्ना-स्त एव व्यभिचारिणः ॥' इति ।

भूयिष्ठं विपुलं स्तोकं चाल्पम् । विभावपदमनुभाव-व्यभिचारिभावयोरप्युपलक्षकम् । अत्रैव सङ्गीतरत्नाकरोपात्त-विभावपदोत्तरबहुवचनस्वरस । भूयिष्ठैर्विभावादिभिर्जनिता 'करण-गुणा-कार्यगुणानारभन्ते' इत्युक्तेर्बलवत्तमा रत्यादयः स्थायिभावाः, अल्पैर्विभावादिभिर्जनितास्तु दुर्बला व्यभिचारिणो भवन्तीत्यर्थः ।

प्ररूढ और अप्ररूढ पद की स्वकृत व्याख्या को प्राचीनों के उद्धरण देकर प्रमाणित करते हैं—'तदुक्तं रत्नाकरे' इत्यादि । रत्नाकरकार ने भी उक्त व्याख्या के अनुकूल भाव व्यक्त किये हैं । उन्होंने लिखा है कि प्रभूत विभावों से उत्पन्न हुए रति आदि स्थायी भाव होते हैं, और वे ही अल्प विभाव आदि से उत्पन्न होकर व्यभिचारी भाव कहलाते हैं ।

इदानीं कस्य स्थायिनः कुत्र रसे व्यभिचारित्वमविनाभावित्वं च भवतीत्याख्याति—

एवं च वीररसे प्रधाने क्रोधः, रौद्रे चोत्साहः, शृङ्गारे हासः, व्यभिचारी भवति नान्तरीयकम् ।

मध्यमश्चकारो मिथक्रमः सङ्गत्यनुरोधतः ।





पुंसयो' इत्यादि । स्त्री-पुरुष की, एक दूसरे के विषय में, प्रेम नामक जो चित्त-वृत्ति हो है, उसको रति संज्ञक स्थायीभाव कहते हैं । वही प्रेम यदि गुरु, देवता अथवा पुत्र आ के विषय में हो, तब व्यभिचारीभाव कहलाता है ।

द्वितीयं करुणरसस्थायिभावं शोकं लक्षयति—

**पुत्रादिवियोग—मरणादिजन्मावैकलव्याख्यश्चित्तवृत्तिविशेषः शोकः ।**

पुत्रादीना पुत्रप्रभृत्यभीष्टसम्बन्धिना वियोगान्मरणादेव जन्मोत्पत्तिर्यस्य, ता वैकलव्याख्योऽवसादलक्षण. 'इष्टनाशादिभिश्चेतो वैकलव्यं शोकशब्दभाक्' इत्यन्यत्रोक्तस्य धित्तवृत्तिविशेषो बहुविभावज शोकः करुणरसस्य स्थायिभावो भवतीत्यर्थः ।

अन्ये तु—'इष्ट नाशादनिष्टाप्तेः करुणाख्यो रसो भवेत्' इत्यादिदर्शनादिष्टनाशवदनि रपि वैकलव्यजनकत्वम्, मनुष्याणामिव मनुष्येतराभीष्टप्राणिनाम्, प्राणीतरामीष्टवस्तु विनाशाद्, अनिष्टाना प्राणिनामप्राणिनामप्यापतनाचोत्पन्न चित्तावसादं शोकं करुणर यिनं व्याहरन्ति ।

शोक का लक्षण करते हैं—'पुत्रादि' इत्यादि । पुत्र-प्रभृति इष्ट जनों के वियोग-मरण आदि से उत्पन्न होने वाली व्याकुलता नामक जो एक चित्त-वृत्ति होती है । शोक कहते हैं । यहाँ एक बात और समझने योग्य है । 'इष्टनाशादनिष्टाप्तेः करुणाख्ये भवेत्' अर्थात् इष्ट के विनाश और अनिष्ट की प्राप्ति से करुण नामक रस होता है । प्राचीनोक्ति के अनुसार कतिपय विद्वानों का मत है कि जैसे इष्ट के विनाश से व्याकुलता उत्पन्न होती है, उसी तरह अनिष्ट की प्राप्ति से भी, साथ साथ उस इष्ट अथवा अनिष्ट का मनुष्य होना ही आवश्यक नहीं है, वह मनुष्य भी हो सकता है, मनुष्य से भिन्न प्राणी भी हो सकता है और प्राणी से भी भिन्न कोई अचेतन वस्तु हो सकती है, इस तरह से पर्यवसित यह हुआ कि किसी भी इष्ट पदार्थ के नाश से अथवा किसी भी अनिष्ट पदार्थ की प्राप्ति से जो व्याकुलता होती है, वह शोक और करुण रस का स्थायी भाव भी है इस मत के अनुसार प्रिय कुत्ता का मरण, प्रिय अँगूठी का कहीं खो जाना तथा लिपि गण कर्ज के रुपये मागने के लिये आया हुआ प्यादा आदि को भी आधार बनाकर करुण रस प्रधान काव्य की सृष्टि की जा सकती है ।

ननु लक्षणघटकपुत्रादिपत्न्याश्चापि ग्रहणात् तद्वियोगेऽपि शोकस्थाङ्गीकाराद् विरहहेतुव विप्रलम्भशृङ्गारो निर्विषय' स्यादित्यत आह—

**स्त्रीपुंसयोस्तु वियोगे जीवितत्वज्ञानदशायां वैकलव्यपोषिताया रतेरेव प्राध न्याच्छृङ्गारो विप्रलम्भाख्यो रसः, वैकलव्य तु सञ्चारिमात्रम् ।**

स्त्रीपुंसयो स्त्री, च पुमाश्च तयो', वियोगे विभिन्नस्थानवासे, एकत्रापि दर्शनाद्योगे, जीवितत्वज्ञानदशाया मम प्रणयिजनो जीविति न तु मृत इति ज्ञानस्य स्थितौ, वैकलव्येन पोषिता शृङ्गारस्थाथिरतेरेव प्राधान्याद्धेतो, विप्रलम्भाख्यो विरहहेतुकविप्रलम्भनामा शृङ्गारः ( न करुणः ) रसः, करुणस्थायिचित्तवैकलव्यस्याप्राधान्यादित्यर्थः ।

स्त्री पुरुष के परस्पर वियोग से जो व्याकुलता उत्पन्न होती है, वह शोक तो अवश्य परन्तु वह शोक करुण रस का स्थायीभाव तभी हो सकता है यदि वह प्रेमपात्र मरण-ज्ञान के साथ हो, अन्यथा अर्थात् 'प्रेम-पात्र कही जाता है' ऐसे ज्ञान के रहने वह शोक स्थायीभाव नहीं, बरन् व्यभिचारीभाव मात्र होता है, क्योंकि उस अवस्थ शोक से पुष्ट की गई रति की ही प्रधानता रहती है, अतः वहाँ विप्रलम्भ शृ रस ही होता है ।

करुणरसस्य विषयमभिधाति—

**मृतत्वज्ञानदशायां तु रतिपोषितस्य वैकलव्यस्येति करुण एव ।**

प्रायश्चित्तमरणज्ञाने जाने तु, रतिरपालम्बनस्य विच्छेदाद् दौर्बल्येनाप्रभूतया रत्या विन्म्य कल्याणनिने मनोरैकलव्यम्येन प्राधान्यात् करुण एव रमो न तु शृङ्गार इत्यर्थः।

प्रेम-पात्र के मरण ज्ञान के रहने पर स्त्री पुरुष के वियोग से उत्पन्न व्याकुलता ही गम होती है और रति होती है उस को पुष्ट करने वाली, अतः उस स्थिति में कल्याण रस होगा। यह चान में पहले भी लिखा चुका है।

तत्र विनोपगा—

यदा तु मत्यपि मृतत्वज्ञाने, देवताप्रसादादिना पुनरुज्जीवनज्ञानं कथञ्चित् यात्, तदालम्बनस्यात्यन्तिकनिरासाभावाच्चिरप्रवास इव विप्रलम्भ एव, न करुण ।

मरणज्ञानेऽपि यदि देवताप्रसादादिना केनापि कारणेन, पुनःप्रत्युज्जीवनज्ञानं भवेत्, तर्हि वरप्रदाने दौर्बल्यमहालव्यापिनि परदेशवास इवात्राप्यालम्बनस्य प्रणयिजनस्यात्यन्तविच्छे-  
ताभावात् गतेन प्राधान्याद् विप्रलम्भ एव रम इत्यर्थः ।

प्रेम-पात्र के मर जाने का ज्ञान होने पर भी जब देवता की प्रसन्नता आदि से किसी तरह, उसके पुनः जीवित होने का ज्ञान रहेगा, तब भालयन (प्रेम-पात्र) के सर्वदा के नै विनष्ट न हो जाने के कारण चिरकालिक परदेश-वास की तरह विप्रलम्भ' ही होता है, करुण नहीं।

तं विप्रलम्भमुदाहरति—

यथा-चन्द्रापीड प्रति महाश्वेतावाक्येषु ।

महारवेताया पुण्डरीकमरणज्ञानेऽपि, गगनचारिवचनात् पुनःप्रायुज्जीवनज्ञानस्य जनना-  
लम्बनान्यन्तिकविच्छेदाभावाद् यथा कादम्बरी प्रवन्वे महारवेतोक्तिषु विप्रलम्भशृङ्गार एव  
एतस्याप्राप्तीत्यभिप्रायः ।

इस विप्रलम्भ का उदाहरण दिखलाते हैं—'यथा' इत्यादि । कादम्बरी-प्रवन्व में चन्द्रापीड के प्रति महाश्वेता ने जो वाक्य कहे हैं, उनमें इसी तरह का 'विप्रलम्भ' अनिश्चय हुआ है, क्योंकि पुण्डरीक की मृत्यु की घात को जानती हुई भी महाश्वेता महारवेता की के हात उसके पुनः जीवित होने की घात जान चुकी थी।

एतन्तान्तरसुवन्वस्यति—

केचित्तु—रसान्तरमेवात्र करुण-विप्रलम्भात्यमिच्छन्ति ।

ननु पुनःप्रत्युज्जीवनज्ञानस्थले । तदुक्त दर्पणे—

'मृनोरैकनरस्मिन्, गतवति लोकान्तरं पुनर्लभ्ये ।

विमनागते यदेक-स्तदा भवेत् करुणविप्रलम्भात्य' ॥ इति ।

उस के जीवित हो जाने की आशा है—विश्वास है, वहाँ न 'करण रस' का होना उचित न 'विप्रलम्भ शृङ्गार रस' का, अतः वहाँ 'करण-विप्रलम्भ' नामक एक तृतीय र मानना चाहिए ।

तृतीय शान्तरस्यायिभावं निर्वेदं लक्षयति—

**नित्यानित्यवस्तुविचारजन्मा विषयविरागाख्यो निर्वेदः ।**

नित्यानित्ययोर्वस्तुनोर्ब्रह्मजगतोर्विचाराद्विवेकाजन्म यस्य तादृशः, विषयेभ्योऽस्ति वस्तुभ्यो विरागाख्यो वितृष्णीभावरूपधित्तवृत्तिविशेषो निर्वेद इति सूत्रार्थः ।

अथ निर्वेद का लक्षण करते हैं—'नित्यानित्य' इत्यादि । वेदान्त आदि के द्वारा नि ( ब्रह्म ) और अनित्य ( संसार ) वस्तुओं के विचार करने से जिसकी उत्पत्ति होती उस विषय-विरक्ति ( अनित्य वस्तुओं से वितृष्णा-वैमुख्य ) नामक चित्त-वृत्ति 'निर्वेद' कहते हैं ।

क्षणिको निर्वेदस्तु न स्थायी, किन्तु व्यभिचार्यैवेत्याह—

**गृहकलहजादिस्तु व्यभिचारी ।**

आदिपदमन्येषामपि कादाचित्कनिर्वेदकारणानामुपलक्षकम् । निर्वेदस्य निरन्तरस्य रभावान्न स्थायित्वमित्यवशेषम् ।

घरेलू झगड़ा आदि से उत्पन्न, 'निर्वेद' तो व्यभिचारी भाव कहलाता है, स्थायीभाव न चतुर्य रौद्ररसस्थायिभावं क्रोधं लक्षयति—

**गुरुबन्धुवधादि-परमापराधजन्मा प्रज्वलनाख्यः क्रोधः ।**

गुरुणा पित्रादीनां वन्धूनां च वधादिर्हृत्याऽऽदियैषा तादृशेभ्यः परमापराधेभ्यो ज यस्य, स प्रज्वलनाख्यधित्तस्य दीप्तत्वरूपो वृत्तिविशेषः क्रोधो रौद्ररसस्थायिभाव इत्यर्थः ।

अपराधानां परमत्वं गुरुतमत्वेनासहनीयत्वम् ।

'क्रोध' का लक्षण करते हैं—'गुरुबन्धु' इत्यादि । गुरु, अथवा पुत्र-प्रभृति-बन्धु इत्यादि परम ( असहनीय ) अपराध से उत्पन्न होनेवाली प्रज्वलन ( जलन ) नाम चित्त-वृत्ति 'क्रोध' है ।

रौद्ररस-स्थायिक्रोध-व्यभिचार्यमर्षयोर्भेदं दर्शयति—

अयं च परविनाशादिहेतुः । क्षुद्रापराधजन्मा तु पुरुषवचनासम्भाषणा हेतुः । अयमेवामर्षाख्यो व्यभिचारीति विवेकः ।

अयं परमापराधजन्यः च तु, परेषामपराधिना ( रिपूणा ) विनाशादेर्हेतुनिमित्तं क्रो स्थायी, क्षुद्रोऽवज्ञादिरूपोऽल्पमात्रो योऽपराधः, तस्माज्जन्म यस्य तादृशस्तु चित्तवृत्तिविशेषो ल्पविभावजत्वात् पुरुषवचनं कर्तुं, असम्भाषणमपराधिना सहानालपनमादियैषां ताद कार्याणां हेतुः, अमर्षाख्यो व्यभिचारीभावो भवतीत्युभयोर्विवेकः पार्थक्यमस्तीत्यर्थः ।

कारणगौरवलाघवाभ्यां कार्यगौरवलाघवाभ्यां च क्रोधांमर्षयोर्भेदो बोध्य इत्यभिप्रायः क्रोधः शत्रु के विनाश आदि का कारण होता है । यही जलन रूप वृत्ति यदि कि छोटे मोटे अपराध से उत्पन्न होती है, तब वह शत्रु-विनाश का कारण न होकर के कठोर वचन, अपराधी के साथ बोल-चाल का बन्द करना आदि का कारण होती और तब वह 'अमर्ष' नामक व्यभिचारी कहलाती है, क्रोध नहीं, 'अमर्ष' और 'क्रो में यही भेद है ।

पञ्चम वीररसस्थायिभावमुत्साहं लक्षयति—

**परपराक्रम-दानादिस्मृतिजन्मा औन्नत्याख्य उत्साहः ।**

आत्मा, मानकर वस्तु तथा अलंकाररूप ध्वनि को विश्वनाथ ने गीण बना दिया । पण्डितराज ने केवल रस को काव्यसौन्दर्य का साधन न गानकर सभी अर्थों ( वाच्य, लक्ष्य और व्यङ्ग्य ) को सौन्दर्य का स्वरूप योग्य कारण माना है, अन्य अर्थों में पण्डितराज विश्वनाथ का ही समर्थन करते हैं ।

### काव्य-कारण

इस प्रकरण में मुझे भिन्न-भिन्न आचार्यों के मतों के आधार पर यह विचार करना है कि काव्य का कारण क्या है ?

अच्छा तो पहले यह समझिये कि काव्य-कारण के विषय में प्रधानतया विद्वानों के दो मत हैं । रुद्रट, वामन और पण्डितराज आदि केवल प्रतिभा को काव्य का कारण मानते हैं और दण्डी, वाग्भट और पीयूषवर्ष आदि प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास इन तीनों को काव्य का कारण बतलाते हैं । काव्यमीमांसाकार राजशेखर इन विषय में इन दोनों से कुछ भिन्न ही मत रखते हैं ।

अब मैं उनके विचारों को संक्षेप में यहाँ उपरिचित करता हूँ, जिससे पाठक उन सब विचारों को समालोचनात्मक दृष्टिकोण से पढ़कर अपना मन निश्चित कर सकें ।

दण्डी का कथन है कि 'स्वाभाविक प्रतिभा, प्रयुक्त और दोषहीन शास्त्र-श्रवण अर्थात् व्युत्पत्ति, एवम् परिपूर्ण अभ्यास-अर्थात् पुनः पुनः काव्य बनाते रहना ये सब काव्यसम्पत्ति अर्थात् काव्य की उत्कृष्टता के कारण हैं' ।

इसके आगे उन्होंने एक बात और कही है, यह यह है कि 'पूर्वजन्म की वासना के गुणों से संबद्ध अद्भुत प्रतिभा यदि न भी हो, तथापि शास्त्रश्रवण-अर्थात् व्युत्पत्ति और यत्न-अर्थात् अभ्यास के द्वारा सेवित वाग्देवी सेवकों पर कुछ अनुग्रह अवश्य ही करती है' ।<sup>१</sup>

इन उक्तियों से दण्डी का अभिप्राय ऐसा जान पड़ता है कि उत्कृष्ट काव्य के प्रति प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास ये तीनों कारण हैं पर साधारण काव्य प्रतिभा के अभाव में भी केवल व्युत्पत्ति और अभ्यास से बन सकता है ।

रुद्रट केवल शक्ति (प्रतिभा) को ही कारण मानते हैं और शक्ति का विवेचन इसप्रकार करते हैं—  
'जिसकी प्राप्ति होने पर, समाधिस्थ ( सर्वथा एकाग्र ) मन में अनेक प्रकार के अर्थ स्फुरित होते हैं और कोमल कान्त पदावली दृष्टिगोचर होने लगती है, उसको 'शक्ति' कहते हैं ।'<sup>२</sup>

इसके आगे पुनः वे लिखते हैं कि 'उस शक्ति के दो भेद हैं—एक सहज अर्थात् स्वभावसिद्ध, जो ईश्वर-प्रदत्त अथवा अदृष्ट-जन्म होती है और दूसरी उत्पाद्य-अर्थात् उत्पन्न की जानेवाली, जो

१ 'नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुत च बहु निर्मलम् ।

अमन्दश्चाभियोगोऽस्या' कारण काव्य-सम्पद' ॥

२. 'न विद्यते यद्यपि पूर्ववासनागुणानुबन्धिप्रतिभानमद्भुतम् ।

श्रुतेन यत्नेन च वागुपासिता भ्रुव करोत्येव कमप्यनुग्रहम् ॥'

३. 'मनसि सदा सुसमाधिनि विस्फुरणमनेकधाऽभिधेयस्य ।

अकिल्लयानि पदानि च विमान्ति यस्यामसौ शक्ति' ॥'

परंप्रामाण्येया रिपूणा वा, पराक्रमस्य दानादेय छाप्यकर्मण, स्मृत्याः स्मरणान्जन्म  
य, तादृशधित्तस्योपत्यरूपो वृत्तिविशेष उत्साहो वीररसस्य स्वाभिभाव इत्यर्थः ।

अन्वयः तु—'कार्यात्मेषु संरम्भ स्वेयानुत्साह उच्यते ।' इति लक्षणम्, 'कार्या-  
त्मेयु, नभिरुत्सर्षेण स्वेयान् संरम्भ उत्कट आवेश उत्साह' इति तद्विवरणञ्च स्फुटम् ।  
एतद्दुतरस्य स्वाभिभाव विस्मयं लक्षयति—

अत्र 'उत्साह' का लक्षण लिखते हैं—'रत्पराक्रम' इत्यादि । दूसरे के पराक्रम तथा  
आदि के स्मरण से उत्पन्न होनेवाली उच्चतता नामक चित्त वृत्ति को 'उत्साह' कहते  
कहीं कहीं 'कार्यात्मेषु संरम्भ स्वेयानुत्साह उच्यते' अर्थात् उपस्थित कार्यों में  
उत्साह उत्साह कहलाता है, यह उत्साह का लक्षण किया गया है ।

### अलौकिकवस्तुदर्शनादिजन्मा विकासाख्यो विस्मयः ।

'लौकिकताना लोकोत्तराणा वस्तूना दर्शनादे' साक्षात्कारस्मरणप्रभृतेः, जन्म यस्य  
एव, चित्तस्य विकासरूपो वृत्तिविशेषोऽदुतरसस्य स्वाभिभाव इत्यर्थः ।

अन्वयः तु—'विविधेषु पदार्थेषु, लोकोत्तरीमातिवर्तिषु । विस्फारखेतसो यस्तु स विस्मय  
प्राप्तः ।' इति लक्षणम्, 'लोकोत्तरीमातिवर्तिषु लोकव्यवहारान्तिज्ञान्तेषु, विस्फारो विस्तार ।  
च दृष्टदेतुन्योऽनन्भवित्वज्ञानेन हेतुनुसन्धाने मनोव्यापाररूपः ।' इति तद्विवरणञ्च स्फुटम् ।

अत्र 'विस्मय' का लक्षण करते हैं—'अलौकिक' इत्यादि । लोकोत्तर किसी वस्तु के दर्शन  
पवा स्मरण आदि से उत्पन्न होनेवाली विकास-( आश्चर्य )-नामक चित्त-वृत्ति को  
'विस्मय' कहते हैं ।

सप्तमं न्यानरसस्य स्वाभिभाव हास लक्षयति—

### वाग्ज्ञादिविकारदर्शनजन्मा विकासाख्यो हासः ।

अन्वयस्य वाचि-अर्थेषु, आदिपदेन वेये भूपणे च विकारस्यान्यथाभावस्य दर्शनात्  
प्रति स्मरणादपि ) जन्म यस्य, तादृशधित्तस्य विकासरूपो वृत्तिविशेषो हासो हास्यरसस्य  
स्वाभिभाव इत्यर्थः ।

तदुक्तम्—'वाग्ज्ञादिवैतैरयेतो-विकासो हास इष्यते ।' इति ।

अत्र 'हास' का लक्षण करते हैं—'वाग्ज्ञादि' इत्यादि । दूसरों के अज्ञ, वचन, वेप और  
पत्र में विकार ( अन्यथाभाव-गड़बड़ी ) के दर्शन से ( कहीं कहीं श्रवण से भी ) उत्पन्न  
नेवाली विकार ( गिल जाना ) नामक चित्त-वृत्ति 'हास' कहलाती है ।

एतद्दुतरस्य स्वाभिभाव भय लक्षयति—

### व्याघ्रदर्शनादिजन्मा परमानर्थविषयको वैकल्यख्यः स भयम् ।

व्याघ्रदर्शनस्येवामपि नयोरनरणानाम्, आदिपद सन्निकर्षस्मरणयोश्चोपलक्षणम् ।  
नानपरिपद्यो नरणायनर्थसम्पादक । वैकल्यव्य विदलत्वम् ।

व्याघ्रदर्शनस्येवामपि नयोरनरणानाम्, आदिपद सन्निकर्षस्मरणयोश्चोपलक्षणम् ।  
नानपरिपद्यो नरणायनर्थसम्पादक । वैकल्यव्य विदलत्वम् ।

अत्र 'भय' का लक्षण लिखते हैं—'व्याघ्र' इत्यादि । व्याघ्र आदि के दर्शन ( जिससे  
नानपरिपद्यो नरणायनर्थसम्पादक हो ) से उत्पन्न होनेवाली वैकल्य-विदलता-नामक चित्त-  
वृत्ति 'भय' कहलाती है ।

परिपद्यो नरणायनर्थसम्पादक । वैकल्यव्य विदलत्वम् ।

परमानर्थविषयकत्वाभावे तु स एव त्रासी व्यभिचारी ।

य एव चित्तवृत्त्यन्वयवृत्तिविशेष एव, परमानर्थविषयकत्वाभावे तयोरनरणप्रयोजकत्वा-

भावे क्षुद्रचैकव्यसम्पादकत्वे, त्रासोऽल्पविभावजत्वाद् भयानकरसस्य व्यभिचारी, नतु स्थायीभावो भवतीत्यर्थः ।

अत्र हि कार्यभेदाद् भयत्रासयोर्भेदोऽवधारणीयः ।

'रौद्रशक्त्या तु जनितं चित्तवैक्लव्यदं भयम्' इति परोक्षं लक्षणन्तु चिन्तनीयम्, चित्तवैक्लव्यस्यैव भयत्वात् तत्कारणस्य भयत्वाङ्गीकारे तु चित्तवृत्तिविशेषरूपत्वमङ्गप्रसङ्गात् । यदि व्याघ्रादि-दर्शन-जन्य-विह्वलता से परम अनर्थ-मरण की सम्भावना नहीं हो, तो वह भयानक रस का स्थायीभाव 'भय' न कहलाकर उसी रस का व्यभिचारीभाव 'त्रास' कहलाता है । भय और त्रास में परस्पर यही भेद है ।

भयत्रासयोः स्वरूपभेदे मतान्तरमुल्लिखति—

अपरे तु-औत्पातिकप्रभवत्वासः, स्वापराधद्वारोत्थं भयमिति भयत्रासयोर्भेदमाहुः ।

महावात—वज्रनिर्घातप्रभृत्युत्पातप्रभूतः (स्वल्पः) मनःक्षोभत्वास, स्वापराधद्वारोत्थं गुह्यतरनिजापराधजन्यं बलवच्चित्तवाद्यत्वं तु भयमित्युभयोः कारणभेदाद् भेदमपर आहुरित्यर्थः ।

इह 'उत्पातप्रभवत्वासः स्वापराधोत्थं भयम्' इति मूलपाठं समुचितं । अथौत्पातिक उत्पातजन्यं प्रभव उत्पत्तिर्यस्य स, स्वापराध एव द्वारम्, तस्मादुत्पत्त्यत्र स्वापराधद्वारोत्थमिति कथञ्चिह्लापनीयम् ।

कुछ विद्वान् कहते हैं कि भयङ्कर आंधी, वज्र-पात आदि उत्पातों से उत्पन्न होने वाली विह्वलता का नाम 'त्रास' और अपने अपराधों से उत्पन्न होने वाली विह्वलता का नाम 'भय' है । यही भय और त्रास में भेद है ।

नवमं बीभत्सरसस्थायिभाव जुगुप्सा लक्षयति—

कदर्यवस्तुविलोकनजन्मा विचिकित्साख्यश्चित्तवृत्तिविशेषो जुगुप्सा ।

कदर्याणां घृणोत्पादकत्वात् कुत्सितानां वस्तूनां विलोकनाज्जन्म यस्य, स विचिकित्साख्यश्चित्तवृत्तिविशेषो जुगुप्सा बीभत्सरसस्थायिभाव इत्यर्थः ।

'विचिकित्सा तु सशय' इत्यमरकोशे, 'जुगुप्सा गर्हणाऽर्थानां दोषसन्दर्शनादिभिः' इत्यन्यत्र च दर्शनाद् विचिकित्सास्थाने मूले गर्हणाया उपादानमुचितं प्रतिभाति ।

अथ 'जुगुप्सा' का लक्षण करते हैं—'कदर्य' इत्यादि । किसी घृणित वस्तु के देखने से उत्पन्न होने वाली विचिकित्सा (घृणा) नामक चित्त-वृत्ति को 'जुगुप्सा' कहते हैं ।

इत्थं रसानां स्थायिभावात्लक्षयित्वा विभावानुभावव्यभिचारिभावानल्लक्षयिषुः प्रथमं विभावानल्लक्षयति—

एवमेषां स्थायिभावानां लोके तत्तन्नायकगतानां यान्यालम्बनतयो-  
द्दीपनतया वा कारणत्वेन प्रसिद्धानि, तान्येषु काव्यनाट्ययोव्यज्यमानेषु  
विभावशब्देन व्यपदिश्यन्ते ।

नायकपदं तत्तत्स्थायिभावाश्रयपरम् । आलम्बनत्वमुद्दीपनत्वं च प्रसिद्धौ हेतुः, कारणत्वं च प्रकारः ।

एवममुना प्रकारेण, एषा रत्यादिस्थायिभावानां लोके यानि वस्तूनि, आलम्बनतयो-  
द्दीपनतया वा कारणत्वेन प्रसिद्धानि, तेषु इत्यादिस्थायिभावेषु काव्यनाट्ययो-  
काव्ययोर्व्यज्यमानेषु सत्सु, तान्यालम्बनोद्दीपनकारणानि विभावशब्देन व्यपदिश्यन्ते  
व्यवहियन्ते इत्यर्थः ।



अथ व्यभिचारी पदार्थ का परिचय कराते हैं—'यानि' इत्यादि । रति आदि स्थायीभाव के साथ अनियमित रूप से रहने वाली चित्तवृत्तियों को व्यभिचारीभाव कहते हैं—जै-चिन्ता आदि ।

अथ रसाना विभावानुभावव्यभिचारिभावान् विभज्य दर्शयन्नादौ शृङ्गाररसस्य समा हृत्य दर्शयति—

तत्र शृङ्गारस्य स्त्रीपंसावालम्बने, चन्द्रिका-वसन्त-विविधोपवन-रहस्या नादय उद्दीपनविभावाः, तन्मुखावलोकन-तद्गुणश्रवणकीर्तनादयोऽन्ये सात्त्विक भावाश्चानुभावाः, स्मृतिचिन्तादयो व्यभिचारिणः ।

तत्र तेषु रसेषु । स्त्री च पुमाश्च स्त्रीपुंसौ, नायिका नायकश्च परस्परमालम्बनम् । आदि मादिपदेन मलयानिल-मधुपगुञ्जन-कोकिलकूजनप्रभृतयः संग्राह्याः । तच्छब्देन रतिविषयी-भूतव्यक्तिर्बोध्या । मध्यमादिपदेन ललनालङ्कार-कटाक्षभुजविक्षेपादयो ज्ञेयाः । 'विभ्राः सत्त्वसम्भूताः सात्त्विकाः परिकीर्तिताः' इत्यन्यत्र लक्षिताः, 'स्तम्भः स्वेदोऽथ रोमाश्चः स्वर-भङ्गोऽथ वेपथु । वैवर्ष्यमथु प्रलय इत्यष्टौ सात्त्विका' स्मृता । इति परिगणिताश्च सात्त्विक भावाः । तेषां चेष्टात्वेऽपि गोवलीवर्दन्यायेन पृथगुपादानम् । 'त्यक्तौगम्यमरणालस्यजुगुप्सा व्यभिचारिण' इति व्यवच्छिन्नेभ्योऽन्ये हर्षप्रभृतयोऽन्तिमादिपदावसेया ।

अथ उक्त नव-विध रसों के विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों का पृथक्-पृथक् प्रदर्शन करने के क्रम में सर्वप्रथम शृङ्गाररस सम्बन्धी उन भावों का वर्णन करते हैं—'तत्र' इत्यादि । शृङ्गार-रस के स्त्री-पुरुष आलंबन विभाव, चन्द्र-ज्योत्स्ना, वसन्त श्रुत, अनेक तरह के वाग-वगीचे, एकान्त स्थान आदि उद्दीपन विभाव, प्रेमपात्र के मुख का दर्शन, उसके गुणों का श्रवण और कीर्तन प्रभृति तथा स्तम्भ, स्वेद, रोमाश्च, स्वरभङ्ग, कम्प, विवर्णता, अश्रुपात, प्रलय ये आठों 'सात्त्विक भाव' अनुभाव, स्मरण और चिन्ता आदि व्यभिचारी भाव होते हैं ।

करुणस्यालम्बनादीनि दर्शयति—

करुणस्य बन्धुनाशादय आलम्बनानि, तत्सम्बन्धिगृह्णतुरगाभरणदर्शनादय-स्तत्कथाश्रवणादयश्चोद्दीपकाः, गात्रक्षेपाश्रुपातादयोऽनुभावाः, ग्लानिक्षयमोह-विषाद-चिन्तौत्सुक्य-दीनता-जडतादयो व्यभिचारिणः ।

प्रथमादिशब्देनानिष्टाप्ते संग्रह, 'इष्टनाशादनिष्टाप्ते' इत्याद्युक्ते । गात्राणामप्राप्ता शोक-वेगप्रकर्षाद् विह्वलानामितस्ततो न्यासः क्षेपः ।

अथ करुण-रस के विभावादिकों का वर्णन करते हैं—'करुणस्य' इत्यादि । करुण-रस के इष्टजननों के विनाश आदि आलंबन विभाव, उसके व्यवहार में आने वाली वस्तुओं ( वर, घोड़े, आभूषण आदि ) के दर्शन आदि तथा उसके संबन्ध में कही गई बातों का श्रवण आदि उद्दीपन विभाव, अङ्गों का इधर उधर फेकना और अश्रुपात आदि अनुभव और ग्लानि, क्षय, मोह, विषाद, चिन्ता, उत्सुकता, दीनता और जडता आदि व्यभिचारी भाव होते हैं ।

शान्तस्य विभावानादीन् दर्शयति—

शान्तरसस्थानित्यत्वेन ज्ञातं जगदालम्बनम्, वेदान्तश्रवण-तपोवन-ताप-सदर्शनाद्युद्दीपनम्, विषयारुचि-शत्रुमित्रौदासीन्य-चेष्टाहानि-नासाप्रदृष्ट्या-दयोऽनुभावा, हर्षेन्मादस्मृतिमत्यादयो व्यभिचारिणः ।

जगतोऽनित्यत्वेन ज्ञानमेव तद्विषयकनिर्वेदोत्थापकम् । विषयेषु सासारिकभोग्यवस्तुषु-रुचिरप्रीति । शत्रुमित्रयोरौदासीन्यं समानभाव । चेष्टाहानिनित्यत्वेन प्रवृत्तिराहित्यम् ।



अथ शान्त-रस के विभाषादिकों का वर्णन करते हैं—'शान्त' इत्यादि । शान्त-रस के निम्न रूप से समझा गया संसार बाल्यन विभाव, वेदान्त-शास्त्र का ध्वनन तपोवन तपस्वियों के दर्शन आदि उद्दीपन विभाव, सामारिक वस्तुओं से अरुचि, शत्रु तथा के विषय में उदासीनता ( समान भाव ), निश्चेष्टता, नासिका के अग्र भाग पर वरा-रष्टि को जमा कर रगना आदि अनुभाव और हर्ष, उन्माद, स्मरण, मति आदि व्यभि-भाव होते हैं ।

रस्य विभाषांश्च दर्शयति—

रौद्रन्यागस्तृप्तपुरुषादिरालम्बनम्, तत्कृतोऽपराधादिकोपक', वधवन्धादि-को नेत्रारुण्य-दन्तपीडन-परुषभाषण-शस्त्रग्रहणादिरनुभाव', अमर्ष-वेगौ-चापलादय' नञ्चारिण ।

रागस्तृप्तपराधर्ता पुरुष । प्रादि पदेन तादृग् योषिदपि । तच्छब्दोऽपराधिवोरक । वन्धादिषु फल रस्येति वदुमिति । अमर्षो वेग औन्म्य चापन न पृथक् मयारी ।

अथ रौद्र-रस के विभाषादिकों का वर्णन करते हैं—'रौद्र', इत्यादि । रौद्र-रस के साथ करने वाला पुरुष आदि बाल्यन विभाव, उमके द्वारा किये गये अपराध आदि पन विभाव, आँसू लाल करना, दांत कटव्याना, कठोर भाषण करना, शस्त्र-ग्रहण आदि जिनका फल ( अपराधी का ) रथ अथवा उधन आदि होते हैं, अनुभाव और र्ष, वेग, उग्रता, चञ्चलता आदि व्यभिचारीभाव होते हैं ।

गन्तव्यमन्यमानदर्शनमन्वन्निविभाषणमिवापनो वन्वृन्ता परिचरति—

एष यस्याश्चित्तवृत्तेर्यो विषय, स तस्या आत्मन्यनम्, निमित्तानि चोद्दीपका-न बोध्यम् ।

एष श्चारागुन्त्या, यस्याश्चित्तवृत्तेर्वन्त्य त्यादिभावस्त, यो विषयो गतति, न तस्या वृत्ते स्तापिभावस्य, प्रालम्बनमात्मन्यनविभाव, यानि च तस्या निमित्तानि मरुजानि, रौद्ररसानुद्दीपनविभाव, यानि पुनस्तच्छयाभि, तान्दनुभावयानि च तन्वोपज्ञानि तानि विभाषा न्यर्थ ।

तथा—वीररसस्य द्विरागालम्बनम्, तन्वराक्रमदर्शनायुद्दीपनम्, प्रशरप्रतिप्रशारा-ज्जा, र्वेगादिषु व्यभिचारिभाव प्रभुतरसन्पालौद्विचयमन्धरकृदस्त्वात्मन्यनम्, । तन्धारायुद्दीपनम्, नेत्रविस्फारस्तन्मरोनावादिरनुभाव, वितर्कादिषु व्यभिचारिभाव । रसस्य विह्वलतागामित्पुरुषादिरालम्बनम्, तद्विकृतिरुद्दीपनम्, रदनप्रदशादिरनु-भाव, मनोदेगादिषु व्यभिचारिभाव । गदान्तरमन्य नयापहवन्मात्मन्यनम्, तद्विच्छेद्या-रुग्णम्, सुप्तोत्पलनादिरनुभाव, वायपध्मनादिषु व्यभिचारिभाव । वीमत्स्वर-र सुभुम्भिसस्त रम्बनम्, तन्वरायुद्दीपनम्, निशंयनादिरनुभाव, ग्लान्यादिषु व्यभिचारिभाव न्यन्य र सन्धम ।

के दर्शन आदि उद्दीपन, नेत्रों का विकास, स्तम्भ, रोमाञ्च आदि अनुभाव और वित्त आदि व्यभिचारी भाव हैं। हास्य-रस के विकृत-वाणी-अङ्ग-वेप आदि से युक्त मूर्ति आलवन उसके वे अङ्गादि-विकार उद्दीपन, दांत निपोढ़ना आदि अनुभाव और धम उद्देग आदि व्यभिचारी हैं। भयानक-रस के व्याघ्र आदि भयावह वस्तु आलम्बन, उस भयावह वस्तु की भयङ्कर क्रियायें उद्दीपन, मुख का सूखना, भागना आदि अनुभाव और जड़ता कम्प आदि व्यभिचारी हैं। विभ्रस-रस के घृणास्पद वस्तु आलवन, उसके गन् आदि उद्दीपन, थूकना आदि अनुभाव और ग्लानि आदि व्यभिचारी हैं।

अथ शृङ्गाररसस्य प्रकारद्वयं निरूपयति—

तत्र शृङ्गारो द्विविधः, संयोगो विप्रलम्भश्च । रतेः संयोगकालावच्छिन्नत्वं प्रथमः, वियागकालावच्छिन्नत्वे द्वितीयः ।

संयोग सम्भोगः सँयुक्ता सँयुक्तो वाऽस्मीति बुद्धिरूपोऽन्तःकरणवृत्तिविशेष, वियुक्तो विप्रलम्भो वियुक्ता वियुक्तो वाऽस्मीति बुद्धिरूपोऽन्तःकरणवृत्तिविशेषश्च यस्मिन् काले मर्मा तत्कालवर्तिनी या रति, सा कालस्यावच्छेदकतया संयोगकालावच्छिन्ना सँयुक्तत्वप्रकार ज्ञानसमकालिकी, तत्सत्त्वे प्रथम प्रकारः शृङ्गारस्य संयोगो भवति । रतेर्वियोगकालावच्छिन्नत्वे वियुक्तत्वप्रकारकज्ञानसमकालिकत्वे तु द्वितीय-प्रकार शृङ्गारस्य विप्रलम्भो भवतीत्यर्थः ।

अब रसों के अवांतर भेद और उदाहरण आदि के प्रदर्शन-क्रम में पहले शृङ्गार-के अवान्तर भेद और उदाहरण का प्रदर्शन कराते हैं—‘तत्र’ इत्यादि। शृङ्गार-रस के भेद हैं—एक संयोग और दूसरा विप्रलम्भ। रति जब-स्त्री पुरुषों के संयोग काल में भुक्त होती रहती है, तब ‘संयोग-शृङ्गार’ और जब रति स्त्री पुरुषों के वियोगकाल उपभुक्त नहीं होती रहती है, तब ‘विप्रलम्भ-शृङ्गार’ कहलाता है।

संयोगस्यैकाधिकरणवृत्तित्वरूपता, वियोगस्य च विभिन्नाधिकरणवृत्तित्वरूपता विदुः कृत्य, प्रागुक्त-सँयुक्तत्व-वियुक्तत्वप्रकारकज्ञानरूपता व्यवस्थापयति—

संयोगो न दम्पत्योः सामानाधिकरण्यम्, एकशयनेऽपीर्ष्यादिसद्भावे । लम्भस्यैव वर्णनात् । एवं वियोगोऽपि न वैयधिकरण्यम्, दोषस्योक्तत्वात् । तस्य द्वाविमौ संयोगवियोगाख्यावन्तःकरणवृत्तिविशेषौ, यत् सँयुक्तो वियुक्तस्मीति धीः ।

यदि जायापत्यो सामानाधिकरण्यं संयोगो वैयधिकरण्यं च वियोगः स्यात्, तदा रेकस्या शय्याया शयितयोरपि हृदीर्ष्याया जाप्रत्यां सर्वाभिमतस्य विप्रलम्भस्याभावः, नभिमतस्य संयोगस्य च सद्भाव प्रसज्येत । तयो रन्तःकरणवृत्तिविशेषरूपत्वान्नोक्तं ज्ञानविशेषरूपस्य विप्रलम्भस्यैव तत्र सत्त्वान्न काऽपि हानिरित्याशयः ।

संयोग शब्द का अर्थ यहाँ ‘स्त्री-पुरुषों का एक स्थान पर रहना’ नहीं है, क्योंकि शय्या पर सोते रहने पर भी, यदि ईर्ष्या आदि रहता है, तब विप्रलम्भ शृङ्गार का वर्णन प्राचीन काल से आज तक कवि लोग करते आये हैं। इसी प्रकार वियोग का अर्थ भी यहाँ, ‘अलग-अलग रहना’ नहीं है, क्योंकि दोष उक्त है अर्थात् ऐसा मान पुनः स्त्री-पुरुषों के एक शय्या पर रहने की हालत में ‘विप्रलम्भ-शृङ्गार’ का वर्णन अ हो जायगा। इसलिये ऐसा मानना चाहिए कि ‘संयोग और वियोग’ ये दोनों एक ही चित्त-वृत्तियाँ हैं, जिनके चलते ‘मिला हुआ हूँ’ और ‘विलुब्ध हुआ हूँ’ ये ज्ञान ही अर्थात् ‘मिला हुआ हूँ’ इस प्रकार का मनोभाव ही संयोग है और ‘विलुब्ध हुआ हूँ’ प्रकार का मनोभाव ही वियोग है।

मन्मोगश्चानुसाधति—

तत्रागो यथा—

मयोग और विप्रलय के मध्य में त्रयोग जैसे—

तत्र त्रयोग-विप्रलययो ।

'शयिता मप्रिधेऽप्यनीश्वरा' इत्यत्र निरूपितः ।

निरूपित उत्तमोत्तमसम्बन्धकारणप्रयोजन पूर्वमिति शेष ।

उत्तमोत्तम काव्य के उदाहरण, प्रथम से 'शयिता मप्रिधे' इत्यादि श्लोक में निरूपित हो चुका है ।

'मप्यप्यदीक्षितदंशत तन्मोगश्चत्तरधनेवदाहरण इत्यति—

यत्तु चित्रमीमासागम्—'वागर्थ्याप्रिय ममृच्छौ' इत्यत्र रमध्वनि; निरतिशयप्रेमशान्तिनाभ्युत्पन्नात्' इति, तद् ध्वनिभार्गात्तानुजननिवन्प्रनम्, पार्वतीपरमेश्वरप्रियकृ-कार्परती प्रधाने निरतिशयप्रेमणो गुणीभावान् ।

गुणार्थो प्रानगच्छो निरानपुनकलित इति न द्वालिदनिर्देश । 'वागर्थ्यप्रतिपत्तये । जत पितरौ तन्ने पार्वतीपरमेश्वरौ ।' इति पयस्वाराजिद्यश । वागर्थ्या वाणी-तरभिधेया-यै । ममृच्छान्त्योन्य तरानम्मिलितौ, न तु म्नाचिदपि विधिष्टौ, जगत' स्वावरजाना मसिधिस्य, पितरौ प्रमृज्जयितारौ, पार्वती-परमेश्वरौ निरिजागिरोगौ, वागर्थयो गन्दा-भेधेयौ, प्रतिपत्तये ज्ञानाय, तन्ने नौमौति तरर्थ ।

प्र नतिरुभाभूतयोगीरोगिरोगीरोगार्थ्याश्चिरत्ववारनेषान् तत्स्वरणीभूतरते' प्रया-येन व्यज्यमानत्वार् मन्मोगश्चत्तरधनेरिदनुसरानमिति चित्रमीमानाकर्तुरनिधान धनि-नेरात्तरिस्मन्, ११ श्लोक कवि ( कालिदास ) निष्ठाया गौरोगीरोगविश्राया प्रमुदत्ताद्वा-त्त्वाया रतेन प्रा तन्नेन व्यज्यतया, पार्वतीपरमेश्वरश्चत्तरान्य च तत्सोपस्त्वैनापतया मन्मेरमन्मसादित्याहृतम् ।

अव उपपन्न शीघ्रता द्वारा दिने मये मन्मोग श्चत्तरासादाहरण का मण्डन करने हैं- मन्मोग' इत्यादि । 'चित्रमीमाना' में जो यह श्रिया है कि 'वागर्थ्याप्रिय ममृच्छौ वागार्थ-प्रतिपत्तये, जत पितरौ तन्ने पार्वती-परमेश्वरौ' ( अर्थात् शब्द और अर्थ की तरह परस्पर मटे हुए, मार के प्रती-वनक पार्वती और परमेश्वर ( तिर ) को शब्द और अर्थ के ध्यान के ये, प्रमाण करता ह ) इस श्लोक में श्चत्तर-रम की ध्वनि है, क्योंकि यहा की 'वागर्थ्या-प्र ममृच्छौ' अर्थात् शब्द और अर्थ की तरह मदा मटे हुए कर्मो बडग नहीं रहने पाठे इस पसा से मदा मटे रहने का कारण शिव-पार्वती के निरतिशय प्रेम ध्वनित होता है । यह ध्वनिभार्गा ज्ञान-मूच्छक है । क्योंकि इस श्लोक में पार्वती और परमेश्वर के प्रिय में कवि । रति-यो मार कहगतो है—प्रधान है और शिव पार्वती का परस्पर प्रेम व्यज्यमान । त्वर जो उन ( कविनिष्ठ रति ) की अपेक्षा मौन हो गया है ।

अपेक्षार्थ मप्यप्यप्य—

नाह गुणीभूतस्य रत्यादे रमध्वनिव्यपदेशहेतुत्वं युक्तम्, 'निन्नो रसाय-द्वाराश्चक्षुष्यतया स्थित' इति सिद्धान्तात् ।

'रसाया तस्मिन् न त्वात्कादिरत्न' इति चन्त्रप्रकये वरिष्ठा-द्वारंग ।

रसितत्त्वमन्म—ध्वनिमन्मत्ता उद्वेगानुपनि त्तिये रसाया प्रान्त्ये मसाया साय, मौन्ये वृत्तताया शरित्ताया च म्मृच्छाणि । ध्वनिमन्मन्म—'प्रत-स्थि र गत्यर्थे, यत्तन्नु रसाय । तन्ने रसायश्चत्तरौ मतिरिति मेने ।' इत्या-त्तन्नेन रसाया प्रा मन्मत्ता शरित्ताया च म्मृच्छाणां तत्त्वात् रसाय रसायान्,

गौणत्वे तु रसवदायलद्वाराश्च निर्णयन्ति । तदेवाभिप्रेत्य भट्टमम्मटोऽपीमा कारिकासुपन्नस्यति—अक्रमोऽसंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्योऽलक्ष्यार्थतयाऽङ्गितया स्थितो रसादिः, रसायलद्वारा रसवदायलद्वाराद्, भिन्नोऽङ्गत्वाभावादतिरिक्तोऽस्तीति तदर्थः । एवं सति 'वागर्थाक्ति' इत्यादौ शृङ्गारस्य व्यङ्ग्यत्वेऽपि कविनिष्ठरतिभावाङ्गितयाऽलक्ष्यार्थत्वविरहाच्च निव्यवहाररणात्त्वमिति ।

गौण रति आदि 'यहां रस-ध्वनि है' इस व्यवहार का हेतु नहीं हो सकता अर्थात् गौण रति आदि को लेकर रस-ध्वनि नहीं हो सकती, कारण ? यह सिद्धान्त है—'भिरसायलकारादलंकार्यतया स्थितः' । अर्थात् जिसको अलंकार आदि से शोभित किया जा है, वह ( रस आदि ) रस-भाव आदि को शोभित करने वाले अलंकार रूप रस आदि भिन्न है । अभिप्राय यह है कि अप्रधान रस आदि अलंकार कहलाते हैं, ध्वनि नहीं, अ उक्त स्थल ( वागर्थाक्ति ) में शृङ्गार-रस व्यङ्ग्य होकर भी अलंकार ही कहलायागा, जिस शिव-पार्वती विषयक कवि-निष्ठ भाव अलंकृत होता है, फलतः यह पद्य भाव-ध्वनि उदाहरण हो सकता है, रस-ध्वनि का नहीं ।

विप्रलम्भाख्यं द्वितीयं शृङ्गाररसप्रकारमुदाहरति—

द्वितीयो यथा—

शृङ्गारस्य द्वितीयः प्रकारः ।

‘वाचो माङ्गलिकीः प्रयाणसमये जल्पत्यनल्पं जने  
केलीमन्दिरमारुतायनमुखे विन्यस्तवक्त्राम्बुजा ।  
निश्वासाग्लपिताधरोपरिपतद्वाष्पाद्रवचौरुहा  
बाला लोलविलोचना शिव ' शिव ' प्राणेश मालोक्ते ॥’

प्रयाणसमये प्राणेशस्य प्रवासाय प्रस्थानावसरे, जने परिजने गुरुजने वा, माङ्गलिक कल्याणप्रयोजना 'शिवास्ते सन्तु पन्यान्' इत्यादिका, वाचो वाणी, अनल्पमजस्रं, जल्प व्याहरति सति, केलीमन्दिरस्य कौतुकागारस्य, मारुतायनमुखे गवाक्षाप्रमाणे, विन्यस्तं तदृक्षौत्सुक्येन संलम्बीकृतं वक्त्राम्बुमुखकमलं यया, तादृशी, निश्वासाः सद्योभवद्विप्रयोगजम् नावशाजिस्सरङ्गिर्नासानिलैः रत्नपित्तस्य शोषान्म्लापितस्याधरस्य, उपर्यूर्ध्वभागे, पतद्गिरन्तरं स्वलङ्घिः, वाष्पैरश्रुभिः, आद्रौ किलनौ वक्षोरुहौ कुचौ यस्या, सा लोलविलोचना प्र कारानवधारणात् तरलनयना, बाला मुग्धा, शिवशिव । आ कष्टं, प्राणेशं प्राणनाय आलोक्ते प्रतिषेधाक्षमतया केवलं पश्यति, नत्वपत्रपया प्रयाणनिषेधकवचन किञ्चिदु रयतीत्यर्थः ।

अब 'विप्रलम्भ-शृङ्गार' का उदाहरण देते हैं—'द्वितीयो यथा' इत्यादि । 'वाचो र लिकीः' इत्यादि श्लोक शृङ्गार के द्वितीय प्रकार विप्रलम्भ का उदाहरण है । नायिका सखी अपने मन में सोचती है, अथवा एक सखी दूसरी सखी से कहती है—पतिदेव देश के लिए यात्रा कर रहे हैं, शुभवचिन्तक लोग जोर-जोर से माङ्गलिक वचनों को रहे हैं, परन्तु वह बाला ( मुग्धा ) रति-मन्दिर के वातायनों में मुख-कमल को बाल बैठी है, उसके श्वास प्रबल वेग से चल रहे हैं, जिससे उसके अधर शुष्क होकर ग्लानि चुके हैं और उन अधरों पर गिरकर नीचे की ओर प्रवाहित होने वाली अश्रु धारा उसके उरोज भीग गये हैं, शिव ! शिव !! इस दुर्दशा में पकी हुई वह ( बाला ) च नेत्रों से अपने प्राणेश्वर को देख रही है । उस बेचारी को यात्रा काल में अश्रु पात से । बाले अशकुन का बोध नहीं है, लोक-लज्जा की शका भी नहीं है क्योंकि वह मुग्धा है

उत्पन्नस्योदरगत्यनुपादयति—

अत्राप्यालम्बनस्य नायकस्य, निश्चयान्नाश्रुपातादेरनुभावस्य, विषादचिन्ताऽ-  
योगादेव व्यभिचारिणः सयोगाद् रतिरभिव्यज्यमाना, वियोगकालाच्चिन्तत्वाद्  
विप्रलम्भरसपदव्यपदेशहेतु ।

अत्रापि 'बानो नायकितो' इत्यादिपद्येऽपि । आलम्बनस्य नायिकातिश्रुतेरिति शेष ।

नदीनो विमान्यविनायकभावादिनन्वय । रतेरिदं वियोगकालाच्चिन्तत्वं विप्रलम्भभार-  
रसव्यपदेशानेदानम् ।

इमं श्लोकं नै नायक-रूप आलम्बन, निश्चय, अश्रुपातादि रूप अनुभाव और विषाद,  
चिन्ता, आरोग आदि व्यभिचारी भाव के सयोग से नायिका की रति अभिव्यक्त होती  
है, जो वियोग काल में रहने के कारण 'विप्रलम्भ रस' शब्द से व्यवहृत होती है ।

स्मृताभिनयनन्वयेन पुनश्चादरति—

यथा या—

'आभिर्भूता यदवधि मधुस्यन्दिनी नन्दसूनो'

रान्ति' काचिन्नालनयनाकर्षणे कर्मिणज्ञा ।

खासो दीर्घस्तदवधि मुखे. पाण्डिमा गण्डयुग्मे ।

गून्या वृत्ति कुलमृगदृशां चेतसि प्रादुरानीन् ॥'

अत्रापि तस्मात् कालावस्थान्, नन्दसूनोर्नन्दनन्दनस्य हृद्यचन्द्रस्य, मधुस्यन्दिनी-  
त्येकमेवमेवकृतया मधुस्यन्दिनी, निश्चितनयनाना मकलजोषलोचनानाम्, प्राकर्षणे वशी  
करणे, दर्शनज्ञा दर्शनं तद्वशाद्वरनाथकन्यादि जननीति तथाभूता, प्रथमैव वशीका-  
रिणा, काचिदनिश्चिनोपा, अन्तिर्गण्डयुति, आभिर्भूता प्रकृतभूताऽभूत्, तदवधि तन्मात्र-  
कालावस्थान्, कुलमृगदृशा उन्निर्हरिणाशोभा, रमणरमन्तात् सुो दीर्घं धाम, गण्डयुग्मे  
कपोलदुग्मे, पाण्डिमा पंक्तिभा, चेतसि चित्ते, विनादोन्धेर्गं गून्या निरालम्बना, वृत्ति-  
व्यभिचारस्य प्रादुरानीन् प्राकृतदित्त्वर्ष ।

इदं कार्यकरणयो पौर्वाभिसिपर्वपादतिरापोत्तरलङ्कार । गौहृद्यस्यालम्बनस्य, धा-  
नाश्रुपातास्त, तदवधिपविषादप्र शेष व्यभिचारिणः सयोगाद् व्यज्यमाना, कुलमृगना-  
श्रुतिवियोगकालाच्चिन्तया रतिविप्रलम्भभाररसत्वं भजति ।

विप्रलम्भ रस का दूसरा उदाहरण देते हैं—'त्वा का' इत्यादि । 'आभिर्भूता' इत्यादि  
पद्य भी विप्रलम्भ भ्रंशर रस का उदाहरण है । गौहृद्यमिनी कीर्त्तनायिका अपने मन  
में मोच रही है—जब मैं मधु-वृष्टि करने वाली और जीवनाय के नेत्रों को आहृष्ट करने  
का जादू जानने या गी नन्द-तनय हृद्यचन्द्र की अनिर्वचनीय देह-पति बनार मैं प्रकृत  
हुई तभी मैं कुलमृगनाश्री के मुख में दीर्घ धाम, कपोल-दुग्म में श्वेतता तथा चित्त  
में गून्यवृत्ति ( धामरहित्य ) प्रादुर्भूत हो गई है । यहाँ हृद्यचन्द्ररूप आभवन, धाम  
आदि अनुभाव, व्यदप विषाद् आदि व्यभिचारी भाव के सयोगसे हृद्यमिनी निष्ठ,  
विषादकाठिक रति की अभिव्यक्ति होती है, अतः विप्रलम्भ भ्रंशर का यह उदाहरण हुआ ।

उत्तररति—

यथा या—

'नयनाश्रुता मर्शा. या न रदाचिन् पुरा मेहे ।

आभिर्भूताऽपि जोष. तस्यो मागन्तुकेन इयितेन ॥'

या शोभा, पुत्र प्रसन्नदिशना दूतम्, तन्मात्रस्य संकलप्रगत्य च्छरन्त,

श्रवमर्थं संस्पर्शं ( किमुत समप्रनयननिरोक्षणम् ) हिया भिया वा, न सेहे नामृष्यत्, सा रं नत्वन्त्या, गन्तुकेन जिगमिपुणा निर्णीतविदेश-गमनेनेति यावत्, प्रियेण वल्लभेन, शाली गाढमुपगूढाऽपि, जोषं तूष्णीं तस्थौ, न तु चचाल, नवा निवारयाद्यकारेत्यर्थः ।

नयनाद्यलवमर्थमित्यस्य नयनपद्मस्पर्शमिति विवरणन्त्वर्थासङ्गतेष्विन्त्या ।

पुनः विप्रलम्भ का ही एक और उदाहरण देते हैं—'नयनाञ्जला' इत्यादि । प्रवस्यत् का नायिका की यात किसी से कोई कह रहा है—जो नायिका, ( नवोढा ) पहले न पति-नयन-कोण ( कटाक्ष ) के स्पर्श को भी नहीं सहती थी अर्थात् जो कनखी से पति को अपनी ओर देखते देखकर भाग खड़ी होती थी, वही परदेश जाने के लिये प्रिय से आलिङ्गित होकर भी चुप ही रही—भागने की बात क्या, मुल से भी निवारण नहीं ।

श्रनुभावादिप्रदर्शनेनास्य पद्यस्य विप्रलम्भध्वनित्वं प्रतिपादयति—

इहापि सहजचाञ्चल्यनिवृत्तिर्जडता चानुभावव्यभिचारिणौ ।

इह नयनेत्यादिपद्ये । अपि. 'आविर्भूते'त्यादिपूर्वपद्यप्रतिपाद्यान् विप्रलम्भव्यञ्ज समुच्चिनोति । सहजस्य स्वाभाविकस्य चाञ्चल्यस्य निवृत्तिः स्तिमितीभावोऽनुभाव, तत्रा तथा व्यज्यमाना जडता च व्यभिचारिभावः, प्रिय आलम्बनविभावश्च सम्भूय, नवोढा प्रवसत्पतिकाया वियोगकालावच्छिन्ना रतिं विप्रलम्भपदवीं नयति ।

इस श्लोक में भी स्वाभाविक चञ्चलता की निवृत्ति अनुभाव और जडता व्यभिचारिभाव है । अर्थात् उक्त अनुभाव, व्यभिचारीभाव और प्रियरूप आलम्बनविभाव के सं से यहां भी विप्रलम्भ शृङ्गार व्यक्त होता है ।

मम्मटाद्यभिमतं विप्रलम्भस्य भेदपञ्चकं निरस्यति—

इमं च पञ्चविधं प्राञ्चः प्रवासादिभिरुपाधिभिरामनन्ति । ते च प्रवासां लाप-विरहेष्यां-शापानां विशेषानुपलम्भान्नास्माभिः प्रपञ्चिताः ।

इम विप्रलम्भम् । चस्त्वर्थकः ।

प्राञ्च काव्यप्रकाशकारादयः, इमं विप्रलम्भशृङ्गाररस, प्रवासेनानुरक्तयोरपि गुरुक वशाद् विभिन्नदेशस्थित्या, अभिलाषेण पूर्वरागरूपेण कदाचिदप्यसमागतयोरपि नायक गुणश्रवणादिनैकतरानुरागेण परस्परप्रेप्सया वा, विरहेण समानाधिकरणयोरपि गुरुजनलम् पारवश्यादिप्रतिबन्धेन, ईर्ष्याया मानजनन्या, शापेन वियोगजनक-तपस्विवापिनशेषेण को धिभिर्निमित्तैरुपलक्षितं, पञ्चविधप्रवासादिनिमित्तकप्रकारपञ्चकविशिष्टम्, आमनन्ति कथयन्ति अस्माभिस्तु प्रवासाद्युपाधीना विशेषस्य मियोवैलक्षण्यस्य, अनुपलम्भात् प्रतीतिगोच त्वाभावात्, ते भेदाः प्रवासनिमित्तकादिप्रकारा, न प्रपञ्चिता नैव विस्तरेण वर्णित किन्तुवेकप्रकार एवाय सामान्येनासलक्ष्यक्रमव्यञ्जयचद् गणित इत्यर्थः ।

विशेषानुपलम्भादित्ययं प्रौढिवाद एव, प्रवासादिषु वियुक्तव्यप्रकारकबुद्धेरेकरूपत्वेऽ तद्बुद्धिकारणाना भेदस्य स्फुट प्रतीयमानत्वात्, कार्येऽपि भेदस्यावश्यमभ्युपेयत्वाद्, 'अ मेव हि भेदो भेदहेतुर्वा, यद् विरुद्धधर्माध्यास कारणभेदश्च' इत्याद्यभियुक्तोक्ते । अन्यथा न्यत्रापि भेदाधगमो दुर्घट स्यात् । 'यूनोरेकतरस्मिन्' इत्यादिना लक्षित कथनविप्रलम्भ ह्यमपि प्रकारं प्रागुक्तरत्या व्याहरन्ति केचिदिति प्रेक्षावद्भिः परीक्षणीयम् ।

प्राचीन आचार्यों ने इस विप्रलम्भ रस को प्रवास आदि उपाधियों से पाँच प्रकार माना है परन्तु प्रवास, अभिलाष, विरह, ईर्ष्या और शापरूप पाँच उपाधियों के कारण जो वियोग होता है उनमें किसी वैलक्षण्य की उपलब्धि न होने से हमने विस्तारपूर्वक उनका वर्णन नहीं किया । यहाँ अब प्रवासादि का स्वरूप भी समझ लेना चाहिये अनुरूप

कृष्ट व्युत्पत्ति से उत्पादित होती है<sup>१</sup> ।' इस कथन से यह आशय निकलता है कि प्रतिभा दो प्रकार की होती है, एक अदृष्टजन्य और दूसरी व्युत्पत्ति-जन्य ।

इसके बाद वामन ने भी केवल प्रतिभा को ही काव्य का कारण माना है । उनका कथन है 'कवित्व का बीज प्रतिभान्<sup>२</sup> है ।'

इससे आगे चलकर काव्यप्रकाशकार नम्मट ने पुनः दण्डी के कारणत्रयवाद को अपनाया । वे काव्यप्रकाश में लिखते हैं कि 'शक्ति ( प्रतिभा ) और लोकव्यवहार, शास्त्राध्ययन तथा काव्य-रिशीलन आदि से उत्पन्न निपुणता ( व्युत्पत्ति ) एवम् काव्यश्रु अर्थात् काव्य के निर्माता तथा नालोचयिता से शिक्षा प्राप्त कर तदनुत्तर अन्यास से दोनों ही सम्मिलित रूप से काव्य के कारण<sup>३</sup> हैं ।' नम्मट को इन उक्ति में दण्डी को उक्त उक्ति से नवीनता केवल इतनी है कि व्युत्पत्ति और अन्यास को व्याख्या सुचारुरूप से कर दी गई है ।

वाग्भट इस प्रसङ्ग में लिखते हैं कि—'प्रतिभा काव्य का कारण है, व्युत्पत्ति भूषण है और अन्यास काव्यरचना में प्रगति लाता है<sup>४</sup> ।' इसका स्पष्ट अभिप्राय यह होता है कि काव्य को उत्पन्न केवल प्रतिभा करती है व्युत्पत्ति उत्तम सौन्दर्य लाती है और अन्यास से शीघ्र काव्य तैयार होता है । फलनः बुझा फिरो कर दोनों को वाग्भट कारण मानते हैं ।

पीयूषवर्ष भी वाग्भट की बात को ही दृष्टान्त के साथ दुहराते हैं । उनका कथन है कि—'व्युत्पत्ति तथा अन्यास से युक्त प्रतिभा उत्तम तरह काव्य के प्रति हेतु है, जिसतरह सृष्टिका और जल के सहयोग से बीज लता के प्रति<sup>५</sup> ।' इसका भी अभिप्राय वही होता है कि जैसे लता का बीज उत्पादक, सृष्टिका पोषक और जल सन्वर्धक कारण है, वैसे ही कविता का प्रतिभा उत्पादक, व्युत्पत्ति पोषक और अन्यास सन्वर्धक कारण है ।

अब पण्डितराज इस प्रसङ्ग पर कहते हैं कि—काव्य का कारण केवल प्रतिभा है और प्रतिभा के त्वलभेद से दो कारण हैं, कहीं देवता अथवा नडापुरुष आदि की प्रसन्नता से उत्पन्न अदृष्ट और कहीं विलक्षण व्युत्पत्ति-अन्यास<sup>६</sup> ।

अब यह नो एक विचारणीय वस्तु है कि प्रतिभा क्या चीज है ? इसके रूप के विषय में भी उक्त आचार्यों का परस्पर बड़ा मत-भेद है । दण्डी के हिसाब से 'प्रतिभा' का अर्थ एक प्रकार की बुद्धि है । यद्यपि शब्दतः उन्होंने प्रतिभा को व्याख्या नहीं की है, तथापि प्रतिभा में जिन दो विशेषणों को उन्होंने जोड़ा है, उनसे उनका उक्त अभिप्राय स्पष्ट होता है । उन्होंने एक जगह प्रतिभा का विशेषण 'नैतर्गन्त्री' कहा है और दूसरी जगह 'पूर्वजातनागुगानुवन्धि' । ये दोनों

१. 'तहजोत्पाधा च सा द्विधा भवति, उत्पाधा तु कथञ्चित् व्युत्पत्त्या जन्यते परया ।'

२. 'कवित्वस्य बीज प्रतिभानान्' यस्माद् विना काव्य न निम्पद्यते, निम्पन्न वा हास्यायतन त्यात् ॥

३. 'शक्तिर्निपुणता लोकशास्त्रकाव्याद्यवेक्षणगात् । काव्यशशिस्रयाऽन्यास इति हेतुस्तदुद्भवे ॥'

४. 'प्रतिभा कारण तस्य व्युत्पत्तिस्तु विभूषणम् । नृशोत्यत्तिकृदन्व्यास इत्यादिकवित्तकथा ॥'

५. 'प्रतिभैव श्रुतान्यासतद्विज्ञा कविता प्रति । हेतुर्दन्वुत्तन्वद्वीजोत्पत्तिर्लतानिव ॥'

६. 'तस्य ( काव्यस्य ) च कारणं कविगता केवला प्रतिभा । तस्याश्च हेतुः कचिद्देवतानडापुरुषा-  
दिजन्यनदृष्टम् । कचिच्च विलक्षणव्युत्पत्तिकाव्यकरणाभ्यासौ ।'





अथ 'शान्त-रस' का उदाहरण देते हैं—'शान्तो यथा' इत्यादि। किसी आत्म-ज्ञानी की उक्ति है—मलयपर्वत के पवन और विष में कामिनियों के केश-कलाप और सर्प की फणा में एवम् चाण्डाल तथा ब्रह्मा में तुल्य अर्थात् भेद-भाव-रहित मेरी स्थिति परमात्मा में हो गई है।

उदाहरणे विभावादीन् निर्दिशति—

अत्र प्रपञ्चः सर्वोऽप्यालम्बनम्, सर्वत्र साम्यमनुभावः, मत्यादयः सञ्चारिणः।

सर्वोऽपि प्रपञ्चधराचररूपः क्षणभङ्गुरतया निर्धारित आलम्बनविभावस्तमालम्ब्यैव निर्वेदोद्गमात्, सर्वत्रोत्तमेष्वधमेषु च, अनुकूलेषु प्रतिकूलेषु वा, साम्यं समादृष्टिरनुभावो निर्वेदस्य कार्यत्वात्, मत्यादिपदोपस्थाप्य। धृतिप्रभृतयः सञ्चारिभावाच्च निर्वेदेन स्याथिना सम्भूय शान्तरसास्वादं जनयन्ति।

यहाँ सम्पूर्ण ससार आलम्बन है, सब पदार्थों में समानता की बुद्धि अनुभाव है और मति आदि सञ्चारीभाव हैं।

उक्तोदाहरणे भग्नप्रक्रमत्वमाशङ्क्य निराकरोति—

यद्यपि प्रथमार्धे उत्तमाधमयोरुपक्रमाद्, द्वितीयार्धेऽधमोत्तमवचनं प्रक्रम भङ्गमावहति, तथापि वक्तुर्ब्रह्मात्मकतयोत्तमाधमज्ञानवैकल्य सम्पन्नमिति द्योतनाय क्रमभङ्गो गुण एव।

आवहति जनयति। तथा चाक्रमत्वदोषाद्दुष्टं काव्यमिति विवृतिस्तु चिन्तनीयैव, अक्रमत्वस्य वाचकातिरिक्तक्रमव्यत्यासस्थल एवाङ्गीकारात्।

प्रथमार्धे आदिचरणद्वये, उत्तमस्य मलयानिलस्य रमणीकृन्तलस्य च पूर्वम्, अधमस्य कालकूटस्य भोगिभोगस्य च पश्चाद्निर्देशो य उपक्रान्तः, उत्तरार्धेऽधमस्य श्वपचस्य पूर्वम्, उत्तमस्यात्मभुवश्च पश्चान्निर्देशेन व्यत्यासः कृत इति पूर्वप्रत्युत्थिताकाङ्क्षाविषयीकृतप्रकारेण पश्चादनुक्तेः प्रक्रमभङ्गात् काव्यमिदं दुष्टमिति न विभावनीयम्, यतो ब्रह्मभूयमासादितवतः सर्वत्र समदृशो वक्तुस्तमाधमत्वादिप्रकारकज्ञानशून्यत्वाद् वचसि प्रक्रमभङ्गो वक्तु स्थितः प्रज्ञत्वातिशयमेव प्रकाशयन् गुणत्वमेव प्रयाति, न तु दोषत्वमित्यभिसन्धिः।

यद्यपि उक्त पद्य के पूर्वार्ध में यह क्रम है कि पहले मलय-पवन आदि उत्तम वस्तुओं का निर्देश, बाद में विष आदि अधम वस्तुओं का, परन्तु उत्तरार्ध में उस क्रम को छोड़कर पहले अधम चाण्डाल का, बाद में उत्तम ब्रह्मा का निर्देश किया गया है। अतः क्रम-भङ्ग दोष यहाँ होता है, तथापि 'वक्ता ब्रह्म-रूप हो जाने के कारण उत्तम-अधम के ज्ञान से शून्य हो गया है' इस बात को प्रकाशित करने से 'क्रम-भङ्ग' गुण ही है।

विशिष्य शिष्यप्रतिपत्तये प्रत्युदाहरणमाह—

इदं पुनर्नोदाहार्यम्—

कथिद्भगवद्भक्तस्तदीयसाक्षात्कारमार्शंसति—

'सुरस्रोतस्विन्याः पुलिनमधितिष्ठन् नयनयो-

विधायान्तर्मुद्रामथ सपदि विद्राव्य विषयान्।

विधूतान्तर्ध्वान्तो मधुरमधुरायां चिति कदा,

निमग्नः स्यां कस्यां चन नवनभस्याम्बुदरुचि ॥'

अहं कदा कस्मिन् काले, सुरस्रोतस्विन्या देवनद्या गङ्गायाः, पुलिनं तीरम्, अधितिष्ठन् पुलिने वर्तमानः, नयनयोर्दृशो, अन्तर्मुद्रामभ्यन्तरनिमीलित तत्पूर्वध्यानम्, विधाय कृत्व, अथ तदनु, सपदि शीघ्रं, विषयानिन्द्रियप्राप्त्यबाध्यपदार्थान्, विद्राव्य इवयित्वा, विधूतं

नेत्याद् तिष्ठस्तनन्तर्धान्त मानमागन्तं यस्य, तादृशं सन्, कस्या च नानिर्वचनीयायां,  
पुरमागामातिमनोरमाया, नवनभस्याम्युरदधि नवीनमाद्रपदीयजलदकान्तौ, चिति  
नन्तानि भ्रंष्टपाचन्द्रे, निमग्नो नितरा लीन, स्या भवेयमित्यर्थ ।

पदेऽस्मिन्नन्तर्गतस्य त्रिरागान नौन्दर्यं त्रिषिगङ्गवतीति चिन्त्यम् ।

अथ जिज्ञासुओं के विशद-ज्ञान के लिये 'शान्त-रम' के प्रत्युदाहरण भी दिग्गताते  
—'रम' शब्दों का ही अर्थ है। कोई भगवद्भक्त भगवत्प्राप्ताकार की आशाना करता है—  
रमदी ( गङ्गा ) के तीर में बैठा हुआ मैं अपनी दृष्टि को अन्तर्मुख बनाकर शीघ्र समस्त  
आचारिक विषयों को दूर हटाकर, अत एव अन्तःकरण के अन्वकार ( अज्ञान ) से हीन  
रर भावोन्मास के नवीन जन्म के मुख्य कान्ति वाले किमी ( अनिर्वचनीय ) अतिमधुर  
तन्म ( कृष्णचन्द्र ) में कर निमग्न होऊँगा ?

एतन्निर्वन्द व्यङ्ग्येऽपि, यथा न शान्तरमध्वनिव्यपदेशे स्तथा प्रतिपादयति—

अत्रापि यद्यपि त्रिषयगणालम्बन सुरस्रोतस्विनीतटाद्युद्दीपितो नयननिमी-  
नादिभिरनुभाषित. स्थायी निर्वन्द प्रतीयते, तथापि भगद्वासुदेवात्मन्यनाया  
विरतां गुणीभूत इति न शान्तरमव्यपदेशिते तु ।

अत्रापि च पूर्णपणमुदाहरण । तथा च पूर्वश्लोक एवात्र श्लोक के निर्वन्दस्य शान्त-  
पायिन, त्रिषयगणालम्बन-सुरस्रोतस्विनीतटाद्युद्दीपित-नेत्रनिर्मलनायनुभावमन्यन्वाच्छा-  
तरस्यनिष्पत्तारो न भवति, निर्वन्दस्य व्यङ्ग्यत्वेऽपि नर्वाप्राधान्येन व्यज्यमानाया कवि-  
त्पाया शंकापारिपत्तरतौ नामप्राप्तोत्तनाभावादपुष्टतया भावे, गुणीभावाद् भावध्वने रम-  
एतत्प्राप्त्ये वा व्यपदेशान्दौनित्यादित्याहृतम् ।

यद्यपि एम श्लोक में भी विषयों के अनादररूप आत्मन्यन से अद्वरित गङ्गा के तीर  
पदि उद्दीपन से उद्दीपित दृष्टि के अन्तर्मुखीकरण आदि अनुभवों से प्रतीति योग्य  
नाया गरा स्थायीभाव निर्वन्द प्रतीयमान है, तथापि कृष्णचन्द्र-विषयक कवि-निष्प  
ति ही विशेष वह गीज हो गया है, अत उमके रहने पर भी यहाँ 'शान्त-रम' की  
रति नहीं हो सकती क्योंकि प्रधान स्थायीभाव ही रमरूप में परिणत होता है यह  
होने लियता जा सुता है । तापर्यं यह है कि यहाँ का 'निर्वन्द' कथञ्चित् रमात्कार ही कहला  
या है । एक पान और—यहाँ का 'निर्वन्द' रम यह मूलपाठ आमक है, क्योंकि  
वेद-रममूह शान्त रम का आत्मन्यन है' यह अर्थ उम पाठ से प्रतीत होता है, जो  
ज्ञान नहीं अंधता, क्योंकि ? शान्तरम में त्रिषयों से विमुक्तता अवस्थित मानी गई है,  
रर विषय उम रम का आत्मन्यन कैसे होगा ? अत. 'अनादरणीयत्वेन ज्ञात' यह विशेषण  
रम्य' में जोड़ना पड़ेगा, तब यहाँ मूलपाठ सङ्गत हो सकेगा, एमसे अज्ञा है कि  
पदवाचनानात्मन्यन' ऐसा मूलपाठ माना जाय, जिससे अम का अर्थवर ही न आ सके ।

शान्तरममेवोत्पत्त्ये नमर्षयति—

एतच्च पञ्च मन्त्रिमिताया भगवद्भक्तिप्रधानाया 'करुणालहर्या' गुणनिबद्धमिति  
अप्रधानभावप्राधान्यमेवार्थति ।

अभिप्रेतं त्रिषयारि । तस्मात् करुणालहर्या प्रधान ये नाव ( रति ) तस्य प्राधान्य-  
ये, न तु शान्त-रमिन्दस्य ।

करुणालहर्या अर्थात् त्रिषयारि तन्तत्त्वं तदद्वेऽस्मिन् पदेऽपि यतो भावप्राप्त्यन्तर्भा-  
वम्, 'करुणालहर्या' रतिने रमनात् ज्ञानम् ।

यह पद तद्विज्ज्ञान रचित 'रम-रहरी' का है और उम ग्रन्थ में भगवान् की  
अभि-भाव ( भगवत्प्रेम ) ही प्रधान है, अत एम पद में भी भाव की ही प्रधानता मनुष्या है ।

पुनरन्यथा शान्तरसाप्राधान्यमिह दर्शयति—

शान्तरसाननुगुणश्चायमोजस्त्री गुम्फ इति चानुदाहार्यमेवैतत् ।

श्रोजस्वितया शान्तरसाननुगुणत्वम् । अयं सुरस्रोतस्वीत्यादिश्लोक । श्रोजस्वी वस्त्र  
माणपरिपाठ्यौजोगुणव्यञ्जकः । गुम्फो रचितश्लोकसन्दर्भः । इतिहेतौ । चकारः समुच्चये ।

अस्य श्लोकस्य समासरेफ-संयोग-टवर्गादिघटितत्वाच्छान्तरसप्रतिकूलौजोगुणव्यञ्ज  
कत्वादिपि न शान्तरसध्वन्युदाहरणत्वमुचितमिति भावः ।

दूसरी बात यह है कि इस श्लोक की रचना समास रेफ-संयोग और टवर्ग आदि  
युक्त होने के कारण ओजस्विनी है, जो शान्त-रस के प्रतिकूल पढ़ती है, इसलिये भी इस  
पद्य को शान्तरस का उदाहरण नहीं माना जा सकता है ।

नन्वेवं मलयेत्यादिपद्येषुपि वक्तृनिष्ठ-परमात्मविषयकरते प्रतीतेस्तस्य कथं शान्तरस  
ध्वन्युदाहरणत्वमित्याशङ्कामपास्यति—

पूर्वपद्ये तु 'परमात्मनि स्थितिः' इत्यनेन तत्ताद्रूप्यावगमाद् रतेरप्रतिपत्तिः ।

तस्य परब्रह्मणस्ताद्रूप्यस्य तदैकात्म्यस्य श्रवगमाद् बोधाद् रतेरप्रतिपत्तिरप्रतीतिः ।

तादात्म्ये पूज्यपूजकभावावसायाभावाद् रतेरसम्भवात् प्रतीतिरिति न तत्प्राधान्यस्य  
सम्भव इति तुशब्दव्यङ्ग्यमुदाहरणप्रत्युदाहरणयोर्द्वयमतिरोहितमित्यभिप्रायः ।

यदि कहें कि 'मलयानिलकालवृटयोः .. इस पूर्वोक्त पद्य में भी 'परमात्मा में स्थिति  
का वर्णन है', अतः वहाँ भी भाव की प्रधानता होनी चाहिये, 'शान्त-रस' के उदाहरणरूप  
में उसको कैसे उपस्थित कर दिया ? इसका उत्तर यह है कि वहाँ 'परमात्मा में स्थिति'  
इस उक्ति के द्वारा वक्ता की ब्रह्म-रूपता दिखलाई गई है, अतः परमात्मा में वक्ता का  
प्रेम नहीं प्रतीत होता, क्योंकि प्रेम, प्रेम-पात्र और प्रेम करने वालों में भेद रहने पर ही  
यन सकता है, उन दोनों में ऐक्य-ज्ञान होने पर नहीं ।

अथ रौद्रसं निरूपयति—

रौद्रो यथा—

शिवशरासनभङ्गध्वनिभङ्गसमाधिः समुद्गीपितकोपः परशुरामो ब्रवीति—

'नवोच्छलितयौवन-स्फुरदखर्वगर्वज्वरे, मदीयगुरुकार्मुक गलितसाध्वसं वृश्चति ।  
अयं पततु निर्दयं दलितदृष्टभूद्भ्रूलखलद्रुधिरघस्मरो मम परश्वधो भैरवः ॥'

नवोच्छलितेन नूतनोत्थसितेन, यौवनेन तारुण्येन, स्फुरन् विजृम्भमाणः, अस्त्रवोऽनलो  
गर्वोऽभिमान एव तापकत्वाज्ज्वर-सन्तापो यस्य, तस्मिन्, तथा मदीयगुरोर्ममशस्त्र-  
विद्याध्यापकस्य शम्भो, कार्मुक धनु, गलितसाध्वस निर्भय यथा भवति, तथा वृश्चति  
छिन्दति, उत्कटापराधकारित्वाद्ब्राह्मणानामनि जने, अयमुत्तोल्यमान, दलितेभ्यः, समरे क्षण-  
तेभ्यः, 'दसाना दर्पोद्धतानां, भूश्चता क्षितिपतीना गलेभ्यः कण्ठेभ्यः, स्वलतो निष्पतत,  
रुधिरस्य शोणितस्य, घस्मर-पाता, ममाद्भुतपराक्रमस्य मार्गवस्य, परस्वधः परशु, निर्दयं  
निष्करणं यथा भवति तथा, पतत्वित्यर्थः ।

अब 'रौद्र-रस' का उदाहरण देते हैं—'रौद्रो यथा' इत्यादि । शिव-धनु-भङ्ग से प्रदुष्य  
परशुराम की उक्ति है । नवीन उछलती हुई युवावस्था के कारण बढ़े हुए अत्यधिक  
अभिमानरूप ज्वर से युक्त किसी ने निर्भय होकर मेरे गुरु-शिवजी-के धनुष को तोड़  
ढाला है । अच्छा, अब युद्ध में काटे गये गर्वालें भूषों के गले से चूते हुये शोणित को  
पीने वाला यह मेरा भयङ्कर फरसा उसके ऊपर निर्दयतापूर्वक गिरे ।



पुना रौद्ररसव्यञ्जनक्षमतामेव दर्शयति—

अन्यत्र गुरुस्मरणे सत्यहम्भावविगमस्यावश्यकतया, प्रकृते चाजहत्स्वार् लक्षणांमूलध्वननेन मदीयेत्यनेन गर्वोत्कर्षस्यैव प्रकाशनात् स्फुटं गम्यमाने, विवेकशून्यत्वेन क्रोधस्याधिक्यं गम्यते ।

अन्यत्र क्रोधानुदयावसरे । अहम्भावोऽहङ्कारः । प्रकृते क्रोधोद्रेके । अजहत्स्वार्णो दानलक्षणा, वाच्यस्यापि लक्ष्येण सह । प्रधानप्रतीति विषयत्वात् । अक्रुद्धावस्थार्यां, गुणे स्मरणे, विनयोदयादहङ्कोपशमस्यैवौचित्यम् । सम्प्रति क्रोधदशायान्तु, मदीयेत्यस्त्वं वदेनैर्कविशति वारान् क्षितिनिःक्षत्रियत्वसम्पादननिश्चङ्कं मातृप्रातृवधानुष्ठानपित्रादेशपरिपालनाद्यद्भुतकर्मशालिस्वात्मन्युपादानलक्षणया, व्यज्यमानेन, वीजभूतेन गर्वोत्कर्षेण, विवेकशून्यत्वं द्वारिकृत्य, व्यज्यमानं क्रोधाधिक्यं, रौद्ररसं गोचरयतीति रौद्ररसध्वनेरिदमुदाहरणम् ।

यद्यपि, जहाँ क्रोध का अवसर नहीं रहता, गुरु का स्मरण होने पर विनय-भाव उदित हो जाने से अहङ्कार निवृत्त हो जाता है, परन्तु यहाँ वैसा नहीं हुआ है, यह स्पष्ट है क्योंकि यहाँ गुरु में जो 'मदीय' (मेरे) विशेषण लगाया गया है, वह लाक्षणिक अर्थात् मदीय पद की दृष्टीसे चार पृथ्वी को निःक्षत्रिय बनाने वाले अस्मच्छ्वदार्थ अजहत्स्वार्था (उपादान) लक्षणा है, जिससे अस्मच्छ्वदार्थ (परशुराम) का गर्वोत्कर्ष ध्वनित होता है, उससे परशुराम की विवेकहीनता प्रतीत होती है, (गुरु के सामने अपना गर्वोत्कर्ष दिखलाना विवेकहीनता का सूचक होता है) उस (प्रतीयमान-विवेकहीनता) से भी परशुराम का क्रोधाधिक्य व्यक्त होता है । इस तरह स्थायीभाव 'क्रोध' की सच तरह से पुष्टि होने के कारण यह पद्य 'रौद्र-रस' का उदाहरण होता है ।

प्रत्युदाहरणं व्याहरति—

इदं पुनर्नोदाहार्यम्—

क्रुद्धं परशुरामं कश्चिद् वर्णयति—

‘धनुर्विदलनध्वनिश्रवण-तत्क्षणाविर्भवन्

महागुरुवधस्मृतिः श्वसनवेगधृताधरः ।

विलोचनविनिस्सरद्ब्रह्मलविस्फुल्लिङ्गव्रजो

रघुप्रवरमात्तिपञ्चयति जामदग्न्यो मुनिः॥’

धनुषः शिवकार्मुकस्य विदलनात् खण्डनाद् (उद्भूतः) ध्वनिर्निनादः, तस्य श्रवणं दार्कणनात्, तत्क्षणे सद्यः, आविर्भवन्ती समुत्पद्यमाना, महागुरोः पितुर्जमदग्निमुने वधस्य सहस्रबाहुसूक्तकर्तृकघातस्य, स्मृति स्मरणं यस्य सः, तथा श्वसनस्य क्षत्रियकृता पराधस्मरणोद्भूतक्रोधोद्भावितश्वासस्य, वेगेन रंहसा, धृत कम्पितोऽधरो निम्नोष्ठो यस्य सः, तथा विलोचनाभ्यां क्रोधलोहितनेत्राभ्यां, विशेषेण प्राचुर्येण, निस्सरन् निर्गच्छन् बहलो विपुलो विस्फुल्लिङ्गवज्रोऽग्निकणगणो यस्य, तादृशो रघुप्रवर रामचन्द्रम्, आक्षिपन् धनुर्भङ्गनापराधकारित्वादाक्रोशन्, जामदग्न्यो जमदग्निमुनिं परशुरामो जयति सर्वोत्कर्षेण वर्तते इत्यर्थः ।

रौद्र-रस का प्रत्युदाहरण दिखलाते हैं—‘इदं पुनर्नोदाहार्यम्’ इत्यादि । ‘धनुर्विदलन’ यह श्लोक ‘रौद्र-रस’ के उदाहरणरूप में उपस्थित करने योग्य नहीं है । कोई, क्रुद्ध परशुराम का वर्णन करता है—धनुष टूटने का शब्द सुनते ही, तत्काल, जिनको महागुरु पिता जमदग्नि की सहस्रबाहुतनय द्वारा की गई हत्या का स्मरण हो आया, अतः पण निश्वास-वायु के वेग में नीचे का होठ फड़कने लगा और आँखों से आग की चिनगारि



अथ काव्यप्रकाशकार मम्मट के द्वारा उल्लिखित 'रौद्ररस के उदाहरण' में दूषण दिखला है—'कान्यप्रकाशगत' इत्यादि । मम्मट ने यह पद्य 'रौद्ररस' के उदाहरण दिखलाने के लिये उद्घृत किया है—

'कृतमनुमत दृष्ट वा'.....'करोमि दिशां बलिम् ॥'

'वेणीसंहार' नाटक में द्रोणाचार्य की हत्या से क्रुद्ध अश्वत्थामा की, अर्जुन के प्रति उक्ति है—शास्त्र उठाने वाले 'मर्यादा-रहित, जिन, नर-पशुओं ने यह (द्रोणवध) महापाप किया है या अनुमति दी है अथवा उस कुकर्म को आँखों के सामने होता देखा है—कृष्ण के साथ साथ—उन, भीम, अर्जुन प्रभृति सभी लोगों के शोणित, मज्जा तथा मांस से मैं अकेला ही दिक्पालों की बलि करता हूँ । इस पद्य की रचना 'रौद्र-रस' को स्पष्ट करने में समर्थ नहीं है क्योंकि इसकी रचना में न समास की बहुलता है, न संयुक्तार्थों की और संयुक्ताक्षर-बहुल रचनारूप 'परुषा' वृत्ति अथवा वामन आदि आचार्यों के मत से तादृश गौणी रीति को ही 'रौद्ररस'—व्यञ्जक माना गया है । अतः यहाँ यही मानन पड़ेगा कि कवि में शक्ति की कमी थी, जिससे वह रौद्ररसाभिव्यक्ति की अभिलाषा रख कर भी तद्योग्य पदावली की रचना नहीं कर सका ।

अथ वीररसं विभज्य निरूपयति—

वीरश्चतुर्धा, दान-दया-युद्ध-धर्मैस्तदुपाधेरुत्साहस्य चतुर्विधत्वात् ।

तदुपाधेर्वीरसोपादानस्योत्साहस्य दान-दया-युद्ध-धर्मरूपविषयभेदेन भिन्नतयोपधेयस्य वीररसस्यापि चतुर्भेदकत्वं भवतीत्यर्थः ।

अथ 'वीररस' का विभाग प्रदर्शनपूर्वक निरूपण करते हैं—'वीर' इत्यादि । 'वीररस' चार भेद है क्योंकि वीररस का स्थायीभाव 'उत्साह' दान, दया, युद्ध और धर्मरूप विषय के भेद से चार प्रकार का हो सकता है ।

दानवीरमुदाहरति—

तत्रायो यथा—

विप्रवेपेण याचमानायेन्द्रायादेयकवचादिदानाङ्गीकारमाकलय्य चकितान् सभ्यान् कम्पञ्चतीति—

'कियदिदमधिकं मे यद् द्विजायार्थमित्रे

कवचमरमणीयं कुण्डले चार्पयामि' ।

अकरुणमवकृत्य द्राक् कृपायेन निर्यद्-

बहलरुधिरधारं मौलिमावेदयामि ॥'

मे यस्मै कस्मै चिदपि याचकाय महार्घ्यमपि सदा सोह्लास वितरणात् प्रसिद्धस्य कर्णस्य मम, अर्थयित्रे याचमानाय, द्विजाय वित्राय, अरमणीयं चर्मरूपत्वादसुन्दरम्, सुवर्णनिर्मितत्वात् साधारणो कुण्डले च, यद् अपर्यामि ददामि, इदं तत् कियदधिकम् (प्रत्युत क्षुण्णमेव) द्राग् ऋणित्ति, अकरुणं निर्ययं यथा स्यात् तथा कृपायेन खड्गेन, अवकृत्य छित्त्वा, निर्ययं निस्त्रवन्ती बहला विपुला रुधिरस्य धारा यस्मात् तादृशं मौलिमात्ममस्तकम्, आवेदयामि समर्पयामीत्यर्थः ।

क्षोदीयः कवचादिदानादेव यूयं किमिति चकितः ? अहं तु ब्राह्मणेन याचितः सः स्वशिरोऽपि छित्त्वा समर्पयितुमर्हामीति सारम् ।

उनमें प्रथम अर्थात् दानवीर जैसे—याचक-रूप में ब्राह्मण-वेष धारण करके उपस्थित इन्द्र को कवच और कुण्डल देने के लिये उद्यत देखकर उस दान से चकित सभ्यों के प्र





णस्य दानस्य यज्ञधुत्वस्य तुच्छताया निरूपणम्, तत् तद्दानविषयकोत्साहस्य पोषकम् । शिथिलवन्धात्मिका मृदुलवर्णघटिता कोमलाख्या वृत्तिः । मौलितो 'मौलि'मित्यस्मात्, निर्दि-  
भक्तिकानुकरणात्तसिन् । उद्धता कर्कशवर्णघटितापरुषा वृत्तिः । शिथिला कोमलैव, न तु परुषा।  
ददामीत्यादेर्गर्वप्रकाशमम्भवः ।

अयं भावः—इह पद्ये वर्णनीयार्थानुसारी वृत्तिसञ्चिवेशः सहृदयहृदयङ्गमः । तथा चारि-  
मन्चरणद्वये देयकत्रचादिलघुत्वविभावनाद् दातुस्ताहस्य पुष्टिरिति वीररसोचिता परुषा वृत्तिः।  
तृतीय-चतुर्थचरणयोः 'मौलिम्' इति शब्दात् पूर्वं वक्षु कर्णस्य, गर्वात्साहयोर्वाघनाच्च  
सैव वृत्तिः । तदूर्ध्वं दानीयविप्रस्तावाद्दौद्धत्यपरिहारनश्चताप्रदर्शनयोरौचित्येन तदनुकूल  
कोमला वृत्तिः सञ्चिवेशिता । ददामि वितरामीत्याद्युक्तौ वक्षरि दातृत्वामिमानः प्रतीयते, सम-  
र्पणार्थकावेदयामीति कथनेन तु विनयातिशय इति विवेकः ।

इस पद्य में वृत्ति ( पद-योजना की शैली ) भी उन-उन अर्थों के अनुकूल कहीं पौद  
और कहीं कोमल होने के कारण सहृदयमात्र को चमस्कृत करने वाली है। देखिए—  
पूर्वार्ध में कवच और कुण्डल के समर्पण में तुच्छता का मान—जो उत्साह को शुष्ट करत  
है—कराने के लिये पद-योजना शिथिल ( कोमल ) है और उत्तरार्ध में "मौलि" से  
पहले, वक्ता के गर्व और उत्साह को पुष्ट बनाने के लिये, उद्धत ( प्रौढ़ ) है, उसके बाद  
फिर ग्राहण के विषय में विनय प्रकाशित करने के लिये, विनय के मूलभूत गर्वराहित्य को  
अभिव्यक्त करने वाली कोमल रचना है। इसीलिये 'आवेदयामि—निवेदन करता हूँ—' कहा  
किन्तु 'ददामि—देता हूँ' 'वितरामि—वितरण करता हूँ' नहीं कहा।

प्रत्युदाहरणं दर्शयति—

इदन्तु नोदाहरणीयम्—

'दानवीर' का यह उदाहरण नहीं देना चाहिए—

दानवीरं नरेशं कश्चिद् वर्णयति—

'यस्योद्दामदिवानिशाथिविलसद्दानप्रवाहप्रथा-

माकर्ण्यार्चनिमण्डलागत-वियद्वन्दीन्द्रवृन्दाननात् ।

ईर्ष्यानिर्भरफुल्लरोमनिकर-व्यावल्गादूधस्त्रवत्-

पीयूषप्रकरैः सुरेन्द्रसुरभिः प्रावृट्पयोदायते ॥'

यस्य नृपस्य, उद्दामो निरन्तरप्रवृत्तत्वादनवरुद्धः, दिवानिशं रात्रिन्दिवम्, अर्धिषु यां  
चक्रेषु, विलसन् प्रवर्तमानो यो दानस्य प्रवाहः परम्परा, तस्य प्रथा ख्यातिम्, अचनिमण्ड-  
लाद् भूलोकाद्, आगतस्य वियद्वन्दीन्द्रवृन्दस्य स्वर्गस्तुतिपाठकश्रेष्ठसमूहस्य, आनानामुत्साह-  
आकर्ष्य श्रुत्वा, सुरेन्द्रसुरभिर्देवराजकामधेनु, ईर्ष्याया प्रतिस्पर्धिदानयशस्समुत्कर्षश्रवणासहि-  
ष्णुतया, निर्भरमतिमात्रं फुल्लोऽश्वितो रोमनिकरो लोमपालिर्धस्य, तादृशम्, अत एव व्याव-  
लात् क्षोभेण सञ्चलद्, यद् ऊध स्तनभारः, तस्मात् स्रवतां निर्गलता, 'पीयूषाणा नवीन-  
दुग्धाना, प्रकरैः पूरैः ( हेतुभिः ) प्रावृट्पयोदायते वर्षतुमेघ इवाचरतीत्यर्थः ।

यस्य राज्ञः सार्वदिकदानातिशयश्रवणात् कामधेनुः प्रतिस्पर्धया वर्षामेघ इव नितरा पर-  
प्रवाहयति, तादृशो दानिनामग्रणीरेष राजेति तात्पर्यम् ।

इन्द्र शब्दस्यात्राद्विरूपादानं चारुतां किञ्चिदपकर्षतीति सहृदयैर्वेधम् ।

कवि किसी दानी राजा का वर्णन करता है—भूमण्डल से लौट कर आये हुये स्वर्गी-  
बन्दीजनों के मुख से, उस दान-प्रवाह—जो बिना रुकावट के रातदिन याचकों को दिया  
जाता है—की ख्याति को सुनकर, कामधेनु, ईर्ष्या के कारण अत्यन्त उत्फुल्ल ( कण्टकित

आत्मा मानकर वस्तु तथा अलंकाररूप ध्वनि को विश्वनाथ ने गौण बना दिया। पण्डितराज ने केवल रस को काव्यसौन्दर्य का साधन न मानकर सभी अर्थों (वाच्य, लक्ष्य और व्यङ्ग्य) को सौन्दर्य का स्वरूप योग्य कारण माना है, अन्य अर्थों में पण्डितराज विश्वनाथ का ही समर्थन करते हैं।

### काव्य-कारण

इस प्रकरण में मुझे भिन्न-भिन्न आचार्यों के मतों के आधार पर यह विचार करना है कि काव्य का कारण क्या है ?

अच्छा तो पहले यह समझिये कि काव्य-कारण के विषय में प्रधानतया विद्वानों के दो मत हैं। रुद्रट, वामन और पण्डितराज आदि केवल प्रतिभा को काव्य का कारण मानते हैं और दण्डी, वाग्भट और पीयूषवर्ष आदि प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास इन तीनों को काव्य का कारण बतलाते हैं। काव्यमीमांसाकार राजशेखर इस विषय में इन सबों से कुछ भिन्न ही मत रखते हैं।

अब मैं उनके विचारों को संक्षेप में यहाँ उपस्थित करता हूँ, जिससे पाठक उन सब विचारों को समालोचनात्मक दृष्टिकोण से पढ़कर अपना मत निश्चित कर सकें।

दण्डी का कथन है कि 'स्वाभाविक प्रतिभा, प्रचुर और दोषहीन शास्त्र-श्रवण अर्थात् व्युत्पत्ति, एवम् परिपूर्ण अभ्यास-अर्थात् पुन पुन काव्य बनाते रहना ये सब काव्यसम्पत्ति अर्थात् काव्य की उत्कृष्टता के कारण हैं'।

इसके आगे उन्होंने एक बात और कही है, वह यह है कि 'पूर्वजन्म की वासना के गुणों से संबद्ध अद्भुत प्रतिभा यदि न भी हो, तथापि शास्त्रश्रवण-अर्थात् व्युत्पत्ति और यत्न-अर्थात् अभ्यास के द्वारा सेवित वाग्देवी सेवकों पर कुछ अनुग्रह अवश्य ही करती है'।

इन उक्तियों से दण्डी का अभिप्राय ऐसा जान पड़ता है कि उत्कृष्ट काव्य के प्रति प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास ये तीनों कारण हैं पर साधारण काव्य प्रतिभा के अभाव में भी केवल व्युत्पत्ति और अभ्यास से बन सकता है।

रुद्रट केवल शक्ति (प्रतिभा) को ही कारण मानते हैं और शक्ति का विवेचन इसप्रकार करते हैं— 'जिसकी प्राप्ति होने पर, समाधिस्थ (सर्वथा एकाग्र) मन में अनेक प्रकार के अर्थ स्फुरित होते हैं और कोमल कान्त पदावली दृष्टिगोचर होने लगती है, उसको 'शक्ति' कहते हैं'।

इसके आगे पुनः वे लिखते हैं कि 'उस शक्ति के दो भेद हैं—एक सहज अर्थात् स्वभावसिद्ध, जो ईश्वर-प्रदत्त अथवा अदृष्ट-जन्य होती है और दूसरी उत्पाद्य-अर्थात् उत्पन्न की जानेवाली, जो

१ 'नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुत च बहु निर्मलम् ।

अमन्दश्चाभियोगोऽस्या कारण काव्य-सम्पद ॥'

२. 'न विद्यते यद्यपि पूर्ववासनागुणानुबन्धिप्रतिभानमद्भुतम् ।

श्रुतेन यत्नेन च वागुपासिता भ्रुव करोत्येव कमप्यनुग्रहम् ॥'

३ 'मनसि सदा सुसमाधिनि विस्फुरणमनेकधाऽभिधेयस्य ।

अकिलष्टानि पदानि च विभान्ति यस्यामसौ शक्ति ॥'



विशेषण नतीकृता कन्धरा प्रीवा येन, तादृशश्च, असुरवरो दैत्यश्रेष्ठो वलि, मौलिं मस्तक ( तृतीयचरणारोपणाय ) पुरो भगवतोऽग्रे, न्यस्तवानतित्रिपदित्यर्थ ।

फोई कवि वलि तथा वामनावतार भगवान् का वर्णन करता है—सात ससुरों, स ह्रीपों तथा सात प्रधान पर्वतों से युक्त पृथ्वी को और सात परकोट वाले सम्पूर्ण स्वर्गों भी धरणों से आक्रमण कर लेने के बाद जब भगवान् त्रिविक्रम ने ईपद्दास्य पूर्वक रा वलि की ओर तिरछी नजर से देखा, तब उस असुरराज ने उत्कृष्ट सुख की उत्पत्ति कारण रोमाञ्चित होकर उसी काल में नतानन होकर मस्तक सामने रख दिया। सार यह है कि भगवान् राजा वलि को छुलने के लिये वौने का रूप धर कर उसके झार गये और तीन पग पृथ्वी उससे मागें, उदार चूड़ामणि वलि ने इस साधारण याचना सहर्ष स्वीकार कर लिया, परन्तु भगवान् ने एक पग में समग्र भूलोक और दूसरे पग सम्पूर्ण स्वर्गलोक को नाप लिया, फिर 'तीसरा पग मापने के लिये तुम्हारे पास कन नहीं है, अब अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति कैसे करोगे?' इस मनोभाव को झलकाने के लिये वलि की ओर देख कर कटाच करने लगे, तब वलि उन्हें साक्षात् परमेश्वर समझ उ दर्शन से आनन्दमन्थर हो उठा और तीसरा पग धरने के लिये अपना मस्तक उ भागे रख दिया, इस व्यापार से उसने यह प्रार्थना की कि मेरा मस्तक तो आपने उ तक मापा नहीं, वह मेरा अभी तक अपना है, अब आप उसीको माप कर मेरी प्रति को पूर्ण करें ।

अत एवेत्येतदभिप्रेतमर्थं प्रकाशयति—

इह च भगवद्दामनालम्बनः, तत्कर्तृकमन्दनिरीक्षणोद्दीपितः, रोमाञ्चार्दि रनुभावितः, हर्षादिभिः पोषितः, उत्साहो व्यज्यमानोऽपि गुणः ।

अत्र श्लोके त्रिविक्रमेणालम्बनेन, तत्कृतमन्दालोकनोद्दीपनेन, रोमाञ्चादिभिरनुभा हर्षादिभिर्व्यभिचारिभावैश्च सम्भूयाभिव्यज्यमानो वलिनिष्ठो दानोत्साहो दानवीरसत्वमासा यन्नपि वलिस्तुतेः प्रधानीभूताया उपकारकत्वादङ्गमिति नेदं वीरसत्त्वनेरुदाहरणमित्याशय

प्रमोदपदेनेह सुखमुच्यते, हर्षस्तु तदंशावच्छिन्नावरणभङ्गकश्चित्तृनिविशेष इति हर्षस्य वाच्यत्वम्, न च तस्य वाच्यत्वे व्यभिचारिवाच्यत्वरूपसदोषापातः ।

इस श्लोक में भी यद्यपि भगवान् वामनरूप आलम्बन, तत्कृत ईपद् दर्शनरूप उद्दी रोमाञ्च आदि अनुभाव और हर्ष आदि सञ्चारी भावों के संयोग से वलि का 'उत्साह' क होता है तथापि वह गौण है ।

निदर्शनदर्शनेनोत्साहस्याङ्गत्वमिह समर्थयति—

प्रागन्यगतस्येव प्रकृते राजगतस्याऽपि तस्य राजस्तुत्युत्कर्षकत्वात् ।

हेतौ पञ्चमी ।

प्राग् 'यस्ये'त्यादिश्लोकेऽन्यगतस्य [कामगवीवृत्तेरुत्साह(स्थायिकवीररस)स्य यथाव नीयरजस्तुतेरुत्कर्षकत्वम्, तथा प्रकृते 'साब्धी'त्यादिश्लोके राजा वलिस्तन्निष्ठस्य तस्योत्साह(स्थायिकवीर)स्य स्वकीयस्तुतेरुत्कर्षत्वम् । तस्मादङ्गप्रधानयोः पूर्वत्र भिन्नसं न्धित्वम्, प्रकृते त्वेकसम्बन्धित्वमिति विशेषेऽपि, परोत्कर्षकत्वेनाविशेषादुभयोरप्युत्त् (स्थायिकवीर)योरङ्गत्वमेव नतु प्राधान्यमिति भावः ।

उत्साह को गौण होने का कारण बतलाते हैं—'प्रागन्य' इत्यादि । पूर्व (यस्यो इत्यादि) पद्य में अन्य (कामधेनु) का उत्साह जिस तरह राजा की स्तुति को उ धनाने वाला था, उसी तरह यहाँ राजा (वलि) का उत्साह भी राजा वलि की स्तुति नरकृष्ट बनाता है । अतः इन दोनों पद्यों में स्तुति प्रधान और उत्साह गौण है ।



उत्तरयति—

सत्यम्, अत्राकर्णवेः कर्णवचनानुवादमात्रतात्पर्यकत्वेन कर्णस्तुतौ तात्पर्यविरहात् ।

नात्र तुल्य न्यायावसरः, उभयोस्तौल्याभावात्, तथाहि—‘अकर्णमवकृत्य’ इत्यादि पद्ये कवेर्दानवीर-कर्ण-वचनानुवादमात्रे तात्पर्यम्, न तु कर्णस्य स्तुतौ, तेन कर्णस्तुत्तात्पर्यविषयस्वभावान्नाङ्गित्वम्, नवा वीररसस्य तदङ्गत्वम् । ‘सावित्रीपे’त्यादौ तु स्तुतेरेव वक्तृतात्पर्यविषयत्वात् प्राधान्यमित्युभयोर्वैषम्यमित्याशयः ।

उक्तं शब्दा ठीक है, परन्तु जरा गम्भीरतापूर्वक विचार कर देखिये, वहाँ कवि तात्पर्य केवल कर्ण के वचनों का अनुवाद करने में है, न कि कर्ण की स्तुति करने में ।

ननु कवेरिह कर्णस्तुतौ तात्पर्याभावेऽपि, कर्णस्यैव चेदात्मस्तुतौ तात्पर्यम्, तर्हि कथं स्तुते प्राधान्यमित्याशङ्का निरस्यति—

कर्णस्य च महाशयत्वेनात्मस्तुतौ तात्पर्यानुपपत्तेः स्तुतिरवाक्यार्थ एव । चस्त्वर्थकः । महाशय उदात्तमनाः । तात्पर्यस्यानुपपत्तिरसङ्गतिः । अवाक्यार्थस्तात्पर्यविषयत्वाभावाद् वाक्यार्थवोधाविषयः ।

न हि महाशया आत्मश्लाघिनो भवन्तीति महाशयस्य कर्णस्यात्मस्तुतौ तात्पर्यासम्भवाद् स्तुतेः सत्त्वेऽपि, तात्पर्यविषयत्वाभावाच्च प्राधान्यसम्भवेनेति वीररसस्य गुणीभावात् रसध्वनेरेवेदमुदाहरणमित्याकूतम् ।

यदि आप कहें कि प्रशंसा-सूचक होने से उक्त श्लोक स्तुतिवाक्य तो अवश्य तब रही बात यह कि कवि उस वाक्य का अनुवादक मात्र है, अतः उसका स्तुति तात्पर्य नहीं माना जा सकता, ठीक है, परन्तु मूल वक्ता कर्ण का तात्पर्य अपनी स्तुति में कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि कर्ण महाशय पुरुष है और अपने मुख से अप्प स्तुति कोई छुद्राशय ही कर सकता है । फलतः स्तुति उस वाक्य का तात्पर्य विषयीम् अर्थ नहीं है ।

ननु ‘क्रियदिदम्’ इत्यादिपद्ये प्रतीयमाना स्तुतिरपलपितुमशक्या, तात्पर्यविषयत्वविहाद् यदि न शाब्दधीविषयः, तर्हि कागतिरित्यत आह—

परन्तु वीररसप्रत्ययानन्तरं तादृशोत्साहेन लिङ्गेन स्वाधिकरण्ये साऽनुमीय राजवर्णनपद्ये तु राजस्तुतौ तात्पर्याद्वाक्यार्थतैव तस्याः ।

लिङ्गेन हेतुना । स्वाधिकरण्ये श्रोतुरात्मनि । सा स्तुतिः ।

दानवीररसप्रधानक—शाब्दात्मकवाक्यार्थवोधे पर्यवसन्ने, व्यक्त्या प्रतीतेन कर्णत्वेत्साहेन हेतुना, श्रोत्रात्मनि ‘कर्णं स्तुत्यो ( विभावाद्यभिव्यक्त ) दानविषयकोत्साहवत्त्वात् इत्याकाराऽनुमितिर्जायत इति प्रतीयमाना स्तुतिरत्रानुमितेर्गोचरो ननु शाब्दबोधस्येत्याशयः

इतनी बात अवश्य है कि ‘दानवीर रस’ की प्रतीति हो जाने के बाद उस उत्साह से स्तुति के सहृदयों के हृदय में वह ( कर्ण की स्तुति ) अनुमित होती है । इस तरह से यह जो स्तुति की प्रतीति होती है, वह अनुमितरूप है—शाब्दबोधरूप नहीं । परन्तु जहाँ राज का वर्णन किया गया हो, वहाँ तो राजा की स्तुति में ही श्लोक वाक्य का तात्पर्य रहता । अतः वहाँ स्तुति की प्रधानता माननी ही पड़ती है ।

अथ दयावीररसध्वनिमुदाहरति—

द्वितीयो यथा—

दूसरा दयावीर, जैसे—



प्रकरणमालम्बनादि च प्रकाशयति—

एषा शिवेः कपोतं श्येनं प्रति चोक्तिः । अत्र कपोत आलम्बनम्, तद् व्याकुलीभवनमुदीपनम्, तस्य कृते स्वकलेवरार्पणमनुभावः ।

पाठभेदेन बोधनीयव्यक्तिभेद । तद्गतं कपोतनिष्ठम् । तस्य कृते कपोतस्य जीवनरक्षा धृत्यादिव्यभिचारिभावश्च बोध्यः ।

यह राजा शिवि की प्रथम श्लोक में कवूतर के घच्चे के प्रति [और द्वितीय श्लोक वाज के प्रति उक्ति है । यहां कवूतर का वच्चा आलम्बन है, उसकी व्याकुलता उद्दीपन और उसकी रक्षा के लिये अपने शरीर का समर्पण अनुभाव है । इसी तरह घच्चे व सञ्चारी हैं, यह भी समझ लेना चाहिये । सारांश यह है कि इन सब भावों के संयोग 'दया-वीररस ध्वनि' के व्यवहार का कारण होता है ।

इहोदाहरणे दानवीरध्वनित्वमाशङ्क्य निराकरोति—

न चात्र शरीरदानप्रत्ययाद् दानवीरध्वनित्वापत्तिरिति वाच्यम्, श्येनकं तयोर्भक्ष्यभक्षकभावापन्नत्वेन शिविशरीरस्यार्थिनोऽभावात् तदप्रतिपत्तेः ।

प्रत्ययो ज्ञानम् । श्येनो भक्षकः, कपोतश्च भक्ष्यः । श्येन कपोतशरीरस्यार्थी, शिविशरीरस्येत्यर्थिनोऽभावः शिविशरीरस्य । तदप्रतिपत्तेः शरीरदानाप्रतीतेः ।

अत्र पद्ये कपोतरक्षायै शिविकर्तृक-श्येनोद्देश्यक-शरीरदानं प्रतीयत इति पूर्ववद् दानवीरध्वनेरपीदमुदाहरणमिति पूर्वपक्षः ।

श्येनो हि भक्ष्यस्य कपोतशरीरस्यार्थी, नत्वभक्ष्यस्य शिविशरीरस्य, तस्माच्चक्षकभावेऽत्र दानप्रतीतेरसम्भवाच्च दानवीररसध्वनिरित्युत्तरपक्षश्चावसेयः ।

यहां शरीर-दान की प्रतीति होती है अतः यह पद्य 'दानवार ध्वनि' का ही उदाहरण ऐसी शङ्का नहीं करनी चाहिये क्योंकि वाज का स्वाद्य कवूतर है, अतः वह कवूतर याचक हो सकता है, राजा के शरीर का नहीं, और जिस चीज का याचक जहा नहीं वहां उस चीज का दान कैसे हो सकता है अर्थात् यहां दान की प्रतीति होती ही नहीं ।

ननु शिविकृत शरीरार्पणमेव दानमिति कुतो न दानप्रतिपत्तिरित्याशङ्क्यामभिदधाति— श्येनशरीरनिवेदनस्य कपोतशरीरत्राणोपाधिकतया विनिमयपदवाच्यत्वात् उपाधि प्रयोजनरूपं निमित्तम् ।

यत शिवि कपोतशरीररक्षार्थं तत्परिवर्ते स्वशरीरमार्पितम् । ततो (द्रव्यस्य विनिमयो न तु दानं प्रतीयते, निरुपाधिकस्थल एव दानस्य प्रत्ययादित्याशयः) ।

यदि आप कहें—शिवि के द्वारा शरीर का अर्पण दान नहीं तो क्या है ? इसी का जवाब देते हैं—'श्येनशरीर' इत्यादि । तात्पर्य यह है कि यहाँ कपोत-शरीर की रक्षा के लिये शिवि ने अपना शरीर दिया है, फिर वह दान कैसे कहलाया ? क्योंकि किसी चीज के बदले में दूसरी चीज दी जाती है वह विनिमय ( लेन-देन ) कहलाता है—दान नहीं ।

युद्धवीररसध्वनिमुदाहरति—

तृतीयो यथा—

तृतीय 'युद्धवीर' जैसे—

समराज्जणे सन्नद्धं रावणं श्रीरामो ब्रवीति—

रथो दीनान् देवान् दशवदन । विद्राव्य, वहति,

प्रभावप्रागल्भ्यं त्वयि तु मम कोऽय परिकरः ।

ललाटोद्यज्ज्वाला-कवलितजगज्जालविभवो

भवो मे कोदण्डच्युतविशिखवेगं कलयतु ॥'





करने वाली उसकी वीरता का प्रतिपादन करने के लिये रचना उद्धत अवश्य है, परन्तु उस औद्धत्य में प्रकर्ष नहीं है क्योंकि राम ने उसका तिरस्कार किया है, उसको अपराधकारी का नहीं समझा है अतः वह उनके उस्ताह का आलम्बन होने योग्य नहीं है फिर उसको आलम्बन मानकर रस की प्रतीति नहीं हो सकती। परन्तु भगवान् शङ्ख अत्युत्तम आलम्बन विभाव है और उनको आलम्बन मान कर ही ओजोगुणयुक्त वीरता की सिद्धि होती है, अतः उनके प्रस्ताव में रचना पूर्ण उद्धत है।

धर्मवीररसध्वनिमुदाहरति—

चतुर्थो यथा—

चतुर्थं धर्मवीर जैसे—

अधर्मेणापि शत्रुविजयं विधेहीति वदन्तं युधिष्ठिरो व्याहरति—

‘सपदि विलयमेतु राजलक्ष्मी-रुपरि पतन्त्वथवा कृपाणधाराः ।

अपहरतुतरां शिरः कृतान्तो-मम तु मतिर्न मनागपैति धर्मात् ॥’

राज्यलक्ष्मीः ( मम ), सपदि शीघ्रं, विलयं नाशम्, एतु प्राप्नोतु । अथवा ( मम उपरि, कृपाणस्य खड्गस्य, धारा पतन्तु । ( अथवा ) कृतान्तोऽन्तकः ( मम ) शिर अपहरतुतरां नितरा छिनत्तु । तु पुन ( तथापि ) मम धर्मैकनिष्ठस्य युधिष्ठिरस्य, मतिर्विधि धर्मात्, मनागीपदपि, न, अपैति नापसरतीत्यर्थः ।

राज्यनाश-शरीराघात-शिरश्छेदापेक्षयाऽपि धर्मोपेक्षा मे दुस्सहेत्याशयः ।

चाहे राज्य-लक्ष्मी तुरन्त नष्ट हो जाय अथवा खड्गों की धारों मेरे ऊपर गिँ किंवा स्वयं यम मेरे शिर को काट ले, पर मेरी बुद्धि तो धर्म से अणुमात्र भी विचलित नहीं होती ।

अत्र प्रसङ्गादि प्रतिपादयति—

एषाऽधर्मेणापि रिपुर्जेतव्य इति वदन्तं प्रति युधिष्ठिरस्योक्तिः । अत्र धर्मविषय आलम्बनम्, ‘न जातु कामात्र भयात्र लोभा-द्धर्मं त्यजेज्जीवितस्यापि हेतोः ।’ इत्यादिवाक्यालोचनमुद्दीपनम्, शिरश्छेदाद्यङ्गीकारोऽनुभावः, धृतिः सञ्चारिणी ।

धर्मस्य विषय सम्वन्ध्यनुष्ठानम्, धर्म एव वाऽनुष्ठानोद्देश्यतया विषय । ‘धर्मो नित्यः सुखदुःखे त्वनित्ये, जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः ॥’ इति भारतीयपद्यस्यावशिष्टांशः । आलोचनं समीक्षा ।

यह ‘अधर्म से भी शत्रु को जीतना चाहिये’ ऐसा कहने वाले के प्रति युधिष्ठिर की उक्ति है । यहा धार्मिक विषय आलम्बन है, ‘काम, भय अथवा लोभ के लिये, किं बहुना प्राण के लिये भी धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिये’ इत्यादि वचनों का विचार करना उद्दीपन है, मस्तक कर्तन आदि का स्वीकार करना अनुभाव है और धैर्य सञ्चारीभाव है ।

वीररसस्य प्रकारचतुष्टयवत्त्वेऽर्चि सूचयन्नुपसहरति—

इत्थं वीररसस्य चातुर्विध्यं प्रपञ्चितं प्राचामनुरोधात् ।

प्राचा मम्मटादीनामनुरोधात्, न तु स्वविचारात् ।

इस तरह मम्मट आदि प्राचीन आचार्यों के अनुरोध से वीर-रस के चार भेद दि जाये गये हैं ।

तमेव स्वविचारं प्रकाशयति—

वस्तु तस्तु—बहवो वीररसस्य शृङ्गारस्येव प्रकारा निरूपयितुं शक्यन्ते

तथाहि—प्राचीन एव ‘सपदि विलयमेतु’ इत्यादिपद्ये ‘मम तु मतिर्न मनागपौ

यान् इति चरमपाठव्यव्याप्तेन पदान्तरता प्रापिते सत्यवीरस्यापि सम्भवान् ।  
 प्राप्ते तत्परोक्षप्रकाश प्रागुक्ताने । तत्राहोत्रादेना प्रद्युम्नस्यप्रतिपादनम् ।  
 एतन्निमित्तं इति तन्मात्रादेन प्रद्युम्नस्य स्तार, तर्हि श्रुतारमसद् योग्यमस्यापि  
 प्रत्यय प्रथमं भवेत् । तन्मात्रेण प्रद्युम्नस्यप्रतिपादनं पुनरिति चरमम् ।

अन्तः श्रुतार ही तरह वीर-रत्न के भी प्रमाण ही भेद दिखलाये जा सकते हैं। वे होते,  
 दिग्दर्शक ही ही तरह प्रत्यादि पद्य ही 'मम तु नितिनं मनागपतिमत्तान्'  
 तर्हि 'ममो तर्हि तो योग्य भी नश्य मे विचलित नहीं होती' उस तरह चतुर्थं चरम ही  
 एतत्तर पदान्तर के रूप में परिनिमित्त कर दिया जाय, तब 'सत्य-वीर' भी एक भेद  
 ही नदता है।

प्रत्ययप्रकाशना शब्दों—

न च सत्यम्यापि धर्मान्तिर्गततया धर्मवीररत्न एव तद्गीरन्त्याप्यन्तर्भाव इति-  
 शान्त्यम् ।

अन्तर्भाव धर्म एतिति धर्मविधौ सत्यवीरस्यापि गतायतता नातिच्छ्रयारक्षणासम्भवा  
 इत्यभिप्रायः ।

यदि आप कहें कि मध्य भी धर्म के अन्तर्गत ही जाता है, तब 'सत्य-वीर' ही भी  
 अन्तर्भाव में ही हो जायगा फिर अतिरिक्त भेद मानने की क्या आवश्यकता ?  
 उक्त शक्ति—

दानदयोरपि तदन्तर्गततया तद्गीरयोरपि धर्मवीरान् पृथग्गणनानौचित्यात् ।  
 धर्मरत्नचन्द्रो धर्मरत्नं दित्वास्तु दानदयो परममोक्ष ।

यथा धर्म धर्म एव, तथैव दान स्या चेति तुल्यम्यायात् सत्यवीरस्य दानवीर-दान-  
 सत्यवीरस्यैव परमं न सत्यवीर । तस्मात् प्राचा प्रद्युम्नस्यप्रतिपादना नैवित्त्वात् ।

तब म कहेंगे कि दान और दान भी तो धर्म के अन्तर्गत ही है, फिर 'दान-वीर' और  
 'सत्य-वीर' ही भी एक ही भेद के रूप में गिनना व्यर्थ है।

अन्तर्भावस्य तदन्तर्गततयापि न विस्तार इत्याह—

एव पाठस्य वीरोऽपि प्रतीयते ।

एव-शब्दविस्तारः ।

इसी तरह 'दान-वीर' ही भी प्रतीति होती है।

उक्त शक्ति—

जैसे—हयग्रीव की उपासना से अद्वितीय विद्वत्ता को प्राप्त करने वाला कोई पण्डित सभा में बैठ कर कह रहा है—‘अपि वक्ति’ इत्यादि । यदि स्वयं वृहस्पति अथवा साक्षात् वाग्धिष्ठात्री देवी भी चोलें तथापि हयग्रीव के स्मरण से समस्त वाङ्मय-समुद्र को पान करने वाला यह मैं जागे में उपस्थित हूँ अर्थात् जब मैं वृहस्पति तथा सरस्वती से भी वा में डरने वाला नहीं हूँ तब इस सभा में उपस्थित आप जैसे साधारण पण्डितों की बात क्या ? जिसका मन करे, आकर मुझसे शास्त्रार्थ-विचार कर सकता है ।

स्वोक्तं समर्थयितुमालम्बनाद्याह—

अत्र वृहस्पत्याद्यालम्बनः सभादिदर्शनोद्दीपितो निखिलविद्वत्तिरस्काराभाविता गर्वेण सञ्चारिणा पोषित उत्साहो वक्तुः प्रतीयते ।

स्यायिन उत्साहस्य वृहस्पतिः सरस्वती चालम्बनम्, सभा तद्वद्वत्कण्ठितमण्डली चोद्दीपनम्, सभास्यसकलविद्वत्तिरस्कारोऽनुभावः, पाण्डित्यविषयको गर्वश्च व्यभिचारी वक्तृगतस्य पाण्डित्यवीररसप्रतीतिर्भवतीति शेष ।

यहां वृहस्पति और सरस्वती आलम्बन हैं, सभा आदि का दर्शन उद्दीपन है, सप्त विद्वन्मण्डली का तिस्कार करना अनुभाव है और गर्व सञ्चारीभाव है, इन भावों वक्ता का पाण्डित्य-विषयक उत्साह अभिव्यक्त होता है, जो ‘पाण्डित्य-वीर-रस’ स्थायीभाव होकर उस रस के व्यवहार को प्रश्रय देगा ।

पाण्डित्यवीर युद्धवीरेप्रागुक्तेऽन्तर्भाव्यात्तेपरिहारमाशङ्कते—

ननु चात्र युद्धवीरत्वम्, युद्धत्वस्य वादसाधारणस्य वाच्यत्वादिति चेत् ।

शत्रुयुद्ध-शास्त्रयुद्धयोर्विजिगीषैकमूलकत्वेन युद्धत्वस्योभयत्रापि सत्त्वेनाभेदात् पाण्डित्यवीरस्य युद्धवीर एवान्तर्भवति, नत्वतिरिक्त इति शङ्कापक्षाशयः ।

यदि आप कहेंगे कि यह तो ‘युद्ध-वीर’ ही है क्योंकि वाद-विवाद में भी वीजर्ग रहती है, अतः युद्ध से उसका भी सम्बन्ध हो जाता है ।

समादधाति—

क्षमावीरे किं ब्रूयाः ?

पाण्डित्यवीरस्य युद्धवीरेऽन्तर्भावेऽपि क्षमावीररूप प्रकारो नूतनोऽपलपितुमशक्य एते प्राचा प्रकारपरिगणनमसङ्गतमेवेति भावः ।

तो, मैं भी आप के कथनानुसार कथंचित् वाद को युद्ध मान लेता हूँ किन्तु फिर तो आप की इष्ट-सिद्धि होती नहीं दीखती, क्योंकि ‘क्षमा-वीर’ के सम्बन्ध में आप कहेंगे ? अर्थात् उसका अपलाप तो नहीं किया जा सकेगा ।

क्षमावीरमुदाहरति—

यथा—

क्षमावान् व्याहरति—

‘अपि बहलदहनजालं, मूर्ध्निरिपुर्मे निरन्तरं धमतु ।

पातयतु वाऽसिधारा महमणुमात्रं न किञ्चिदाभाषे ॥’

रिपु शत्रुमें मम मूर्ध्नि शिरसि, बहत्वं भूयिष्ठम्, दहनजालमग्निपुञ्जम्, अपि निरन्तरं धमतु वायुसयोगेन वर्धयतु, असिधारा करवाललता, वा पातयतु, ( तथापि ) तितिष्ठ, अणुमात्रमीषदपि, न किञ्चिद् आभाषे निवारकवचन वदामीत्यर्थः ।

जैसे—शत्रु भले ही मेरे मस्तक पर अग्नि-पुञ्ज को फूंक-फूंक कर बढ़ावे ( प्रज्वलित ) अथवा तलवार को गिरावे, पर मुझे कुछ भी बोलना नहीं है ।

उत्कृष्ट व्युत्पत्ति से उत्पादित होती है<sup>१</sup> ।' इस कथन से यह आशय निकलता है कि प्रतिभा दो प्रकार की होती है, एक अदृष्टजन्य और दूसरी व्युत्पत्ति-जन्य ।

इसके बाद वामन ने भी केवल प्रतिभा को ही काव्य का कारण माना है । उनका कथन है कि 'कवित्व का बीज प्रतिभान्<sup>२</sup> है ।'

इससे आगे चलकर काव्यप्रकाशकार नन्नट ने पुनः दण्डी के कारणत्रयवाद को अपनाया । वे काव्यप्रकाश में लिखते हैं कि 'शक्ति ( प्रतिभा ) और लोकव्यवहार, शास्त्राध्ययन तथा काव्य परिशीलन आदि से उत्पन्न निपुणा ( व्युत्पत्ति ) एवम् काव्यश अर्थात् काव्य के निर्माण तथा तनालोचयिता से शिक्षा प्राप्त कर तदनुसार अन्यास ये तीनों ही सन्मिलित रूप से काव्य के कारण<sup>३</sup> है ।' नन्नट की इन उक्ति में दण्डी की उक्त उक्ति से नवीनता केवल इतनी है कि व्युत्पत्ति और अन्वयन की व्याख्या सुचारुरूप से कर दी गई है ।

वाग्भट इस प्रसङ्ग में लिखते हैं कि—'प्रतिभा काव्य का कारण है, व्युत्पत्ति भूषण है और अन्यास काव्यरचना में प्रगति लाता है<sup>४</sup> ।' इसका स्पष्ट अभिप्राय यह होता है कि काव्य को उत्पन्न केवल प्रतिभा करती है व्युत्पत्ति उसमें सौन्दर्य लाती है और अन्यास से शीघ्र काव्य तैयार होता है । फलतः बुना किरा कर तीनों को वाग्भट कारण मानते हैं ।

पीयूषवर्ष भी वाग्भट की बात को ही दृष्टान्त के साथ दुहराते हैं । उनका कथन है कि—'व्युत्पत्ति तथा अन्यास से युक्त प्रतिभा उत्तम तरह काव्य के प्रति हेतु है, जिसतरह सृष्टिका और जल के सङ्घोग से बीज लता के प्रति<sup>५</sup> ।' इसका भी अभिप्राय वही होता है कि जैसे लता का बीज उत्पादक, सृष्टिका पोषक और जल सन्वर्धक कारण है, वैसे ही कविता का प्रतिभा उत्पादक, व्युत्पत्ति पोषक और अन्यास सन्वर्धक कारण है ।

अब पण्डितराज इस प्रसङ्ग पर कहते हैं कि—काव्य का कारण केवल प्रतिभा है और प्रतिभा के स्थलभेद से दो कारण हैं, कहीं देवता अथवा नडापुरष आदि की प्रसन्नता से उत्पन्न अदृष्ट और कहीं विलक्षण व्युत्पत्ति-अन्यास<sup>६</sup> ।

अब यह नौ एक विचारणीय वस्तु है कि प्रतिभा क्या चीज है ? इसके रूप के विषय में भी उक्त आचार्यों का परस्पर बड़ा मत-भेद है । दण्डी के हिसाब से 'प्रतिभा' का अर्थ एक प्रकार की बुद्धि है । यद्यपि शब्द उनोंने प्रतिभा की व्याख्या नहीं की है, तथापि प्रतिभा में जिन दो विशेषों को उन्होंने जोड़ा है, उनसे उनका उक्त अभिप्राय स्पष्ट होता है । उन्होंने एक जगह प्रतिभा का विशेषण 'नैतान्की' कहा है और दूसरी जगह 'पूर्ववासनायुक्तानुबन्धि' । ये दोनों

१ 'सहजोन्वाधा च सा द्विधा भवति, उत्साधा तु कथञ्चित् व्युत्पत्त्या जन्यते परया ।'

२ कवित्वस्य बीज प्रतिभानन् चरनाद् विना काव्य न निष्पद्यते, निष्पन्न वा हास्यायतन त्यात् ॥

३ 'शक्तिर्निपुणा लोकशास्त्रान्याधवेज्ञात् । काव्यशशिक्षयाऽन्यास इति हेतुत्तदुद्भवे ॥'

४ 'प्रतिभा कारण तस्य व्युत्पत्तिस्तु विभूषणम् । सृष्टोत्पत्तिकृदन्व्यास इत्यादिकविनन्त्रथा ॥'

५ 'प्रतिभैव श्रुतान्याससहिता कविता प्रति । हेतुर्नृदम्बुसन्वद्वीजोत्पत्तिर्लतानिव ॥'

६ 'तस्य ( काव्यस्य ) च कारणं कविगता केवला प्रतिभा । तस्याश्च हेतुः कविदेवतामहापुरषा

दिजन्यनदृष्टम् । कचिच्च विलक्षणव्युत्पत्तिकाव्यकरणान्यासौ ।'



स्थपद्ये तु धृतिरेव ध्वन्यत इति भावध्वनय एवैते, न रसध्वनय इति चेत् ।  
मध्यस्थं पद्यम् 'अपि वहले'त्यादि ।

प्रथम-तृतीयपद्ययोः प्राधान्येन गर्वस्यैव, द्वितीयपद्ये च धृतेरेव व्यभिचारिभावः नतूत्साहस्य स्थायिनः प्रतीतिरिति 'व्यभिचारी तथाऽङ्गित' इत्युक्तेरिति त्रीण्यपि भावः नेरेव, न तु रसध्वनेरुदाहरणानीति शङ्कादलतात्पर्यम् ।

यहां शङ्का यह होती है कि 'अपि वक्ति .....' और 'परिहरतु धराम्' इन दोनों जिनका आप क्रमशः 'पाण्डित्य-वीर' और 'बल-वीर' के उदाहरण मानते हैं—पद्यों में गर्व की ही प्रतीति होती है—उत्साह की नहीं, और 'अपिवहल .....' इत्यादि पद्य में धैर्य की ही प्रतीति होती है—उत्साह की नहीं, अतः ये तीनों पद्य 'रस-ध्वनि' के उदाहरण नहीं हो सकते, वरन, 'भाव-ध्वनि' के उदाहरण हो सकते हैं क्योंकि 'व्यभिचारी तथाङ्गित' इस सिद्धान्त के अनुसार व्यज्यमान व्यभिचारी भावों को 'भाव' माना गया है ।

समादधति—

तर्हि युद्धवीरादिष्वपि गर्वादिध्वनितामेव किं न ब्रूयाः ? रसध्वनिसामान्य-मेव वा किं न तद्व्यभिचारिध्वननेन गतार्थ्ये ?

'तद्व्यभिचारिध्वननेन' इति पाठस्तु सन्दर्भाशुद्धेस्तिरस्कृतः ।

यदि व्यभिचारिप्रतीतेरेव भावध्वनित्वं तेषूच्यते, तदा दानदयायुद्धवीरेष्वपि गर्वस्य, सत्यवीरे च धृतेर्व्यभिचारिभावस्य प्रतीतेर्भावध्वनित्वमुच्यताम्, वीररसध्वनेरुच्छेद एव क्रियताम् । अथवेत्थं सर्वेषु रसध्वनिषु तत्तद्रसव्यभिचारिभावस्यावश्य प्रतीतेः सर्वत्र भावध्वनिरेवाङ्गीक्रियताम्, तेनैव रसध्वनिर्गतार्थीक्रियताम्, इत्थं हि सकलरसतन्त्रव्याकुलीभावः स्यादित्यहो तव मूलच्छेदी पाण्डित्यप्रकर्ष इति समाधानपक्षाशयः ।

परन्तु उक्त शङ्का ठीक नहीं है क्योंकि यदि इस तरह उक्त पद्यों में भावध्वनियों का स्वीकार किया जाय, तब 'युद्ध-वीर' आदि उदाहरणों में भी गर्व आदि भावों की ध्वनियों ही क्यों नहीं मान ली जाय ? क्योंकि दान, दया और युद्ध-वीरों के उदाहरणों में गर्व की और धर्म तथा सत्यवीर के उदाहरणों में धैर्य की प्रतीति अवश्य ही होती है । अथवा जहाँ जिस रस की ध्वनि होती है, वहाँ उस रस के समुचित व्यभिचारी भावों की प्रतीति का होना आवश्यक ही है, फिर उन सब जगहों में उन उन व्यभिचारीभावों की ध्वनियों को ही मान कर 'रस-ध्वनिमात्र' का उच्छेद क्यों नहीं कर दिया जाय ? अर्थात् आपके हिसाब से 'रसध्वनि' नाम की कोई चीज ही साहित्यशास्त्र में नहीं रह जायगी ।

ननु रसध्वनिषु व्यभिचारिभावापेक्षया स्थायिभावस्योत्कटा प्रतीतिरिति तद्वलाद्रसध्वनिव्यपदेशः, उक्तोदाहरणेषु तु गर्वादिभ्यः व्यभिचारिभावस्योत्कटा प्रतीतिरिति भावध्वनित्वमेवोच्यत इति चेत्, न, उभयत्रोत्साहस्यैव स्थायिभावस्योत्कटत्वेन प्रतीयमानत्वात् । किञ्च बलवीरायुद्धाहरणेषुत्साहस्य प्रतीतिर्न भवति, दानदयायुद्धवीरोदाहरणेषु तु भवतीति कस्यचिदुक्तिरपि राजाशेषोपपत्तिविचारवञ्चितैव, उभयत्र वैषम्याननुभवात् । तस्मात् प्राचीनात् वीररसप्रकारपरिगणनमसङ्गतमित्येवाह—

स्थायिप्रतीतिर्दुरपहवा चेत्, तुल्यं प्रकृतेऽपि । अनन्तरोक्तपद्ये तु नोत्साहः प्रतीयते, दयावीरादिषु प्रतीयत इति राजाशामात्रम् ।

दुरपहवत्वेनोत्कटत्व प्रतीतेः । अनन्तरोक्तपद्य 'परिहरतु' इत्यादि ।

यदि आप कहें कि 'रस-ध्वनि' के जो सर्वसम्मत उदाहरण हैं, उनमें व्यभिचारीभावों अपेक्षा स्थायीभावों की प्रतीति उत्कट रूप से होती है, अतः वहाँ रस-ध्वनि मानते, तब मैं कहूँगा—यहाँ ( पाण्डित्य-वीर आदि में ) भी उत्साहरूप स्थायीभाव की उत्कट





कराने वाला एक भी पद इस पद्य में नहीं है, अतः पुत्र-विषयक रति-रूप-भाव-वृत्ति का ही यह उदाहरण है—‘अद्भुत-रस-ध्वनि’ का नहीं, ऐसी शङ्का नहीं करनी चाहिये।

ननु पूर्वापरसन्दर्भपर्यालोचनयाऽत्रापि रतिप्रत्ययो भवत्येवेत्यत्राह—

प्रतीतायां वा तस्यां विस्मयस्य गुणत्वं न युज्यते ।

तस्यां पुत्ररतौ । गुणत्वमप्राधान्यम् ।

प्रकरणपर्यवेक्षणोनात्र पुत्ररतिप्रतीतिर्यद्यानुभविकी, तथापि तस्या अङ्गत्वाद् हतचेत नत्वेन मुख्यतया व्यज्यमानस्य विस्मयस्य प्रधानत्वाच्च रतिभावध्वनि, अपित्वद्भुतरसच्च निरेवेति भाव ।

यदि प्रकरण-पर्यालोचन से यहां पुत्र-प्रीति की प्रतीति होती है यह बात अनुभव-सिद्ध हो, तब भी वह (पुत्र-प्रीति) चैतन्य-लोप की बात से प्रधानतया व्यक्त होनेवाले विस्मय की अपेक्षा गौण ही होगी, विस्मय उसकी अपेक्षा गौण नहीं हो सकता।

अत्रैव भक्तिरसध्वनित्वं केनाप्याशङ्कित निराकरोति—

एवं ‘कश्चिन्महापुरुषोऽयम्’ इति भक्तिरपि, तस्याः ‘पुत्रो ममायं बालः’ इति निश्चयेन प्रतिबन्धादुत्पत्तुमेव नेष्टे। अतस्तस्यामपि विस्मयस्य गुणीभावो न शङ्क्यः एव विस्मयस्यैवाङ्गित्वेन व्यक्तौ । तस्या यशोदाया । ईष्टे शक्नोति । तस्या भक्तौ ।

ननु वदनान्तर्गतविश्वविलोकनाद् यशोदाया ‘कोऽपि महानुभावः पुरुषोऽयम्’ इत्या कारकबुद्धानुत्पन्नाया जायमाना तद्विषयकभक्तिरिहास्ति प्रधानम्, विस्मयस्तु तत्सोपकृता दङ्गमितिपुनर्नायमद्भुतरसध्वनिरिति न शङ्कनीयम्, यशोदाया ‘पुत्रो ममायं बालः’ इत्याकारकनिश्चयात्मकप्रतीतौ जागरूकायां, समाने विषये निश्चयस्य तदितरज्ञानोत्पत्तिप्रतिबन्धकत्वात् ‘महापुरुषोऽयम्’ इति ज्ञानस्य प्रतिबद्धत्वादिहानुत्पत्तेर्भक्ते सर्वथाऽसम्भवादिति तात्पर्यम् ।

इसी तरह ‘यह कोई महापुरुष है’ यह समझ कर भक्ति भी यहा उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि ‘यह बालक मेरा पुत्र है’ इस प्रकार का यशोदा का निश्चय उसकी उत्पत्ति में प्रतिबन्धक है, अतः भक्ति की अपेक्षा भी विस्मय की गौणता अशङ्कनीय ही है।

अथ काव्यप्रकाशकृता दत्तमद्भुतरसध्वनेरुदाहरण दूषयति—

यत्तु सहृदयशिरोमणिभिः प्राचीनैरुदाहृतम्—

‘चित्र महानेष नवावतारः, क्व कान्तरेषाऽभिनवैव भङ्गिः ।

लोकोत्तरं धैर्यमहो ! प्रभावः, काऽप्याकृतिर्नूतन एष सर्गः ॥’ इति ।

चित्रमाक्षर्यम्, एष महान् परमोत्कृष्टः, नवावतारो नूतनो महापुरुषस्याविर्भाव, एषाऽऽशरीरे विद्यमाना कान्तिर्युति क्व ? ( कुत्राप्यन्यत्र न ) अभिनवाऽभूत्पूर्ववास्य भङ्गीरीति लोकोत्तर मनुष्यलोकाप्राप्य, धैर्यं धृति, अहो अद्भुत प्रभावोऽनुभाव, काऽप्यनिर्वचनीयैव आकृतिराकार (अङ्गसन्निवेश) एष (तस्माद् धातु) नूतनोऽभूत्पूर्व, सर्गं सृष्टिरस्तीत्यर्थः

अब काव्यप्रकाशकार द्वारा उपस्थित ‘अद्भुत-रस-ध्वनि’ के उदाहरण को दूषित करने के लिये उसका स्वरूप पहले दिखलाते हैं—‘यत्तु’ इत्यादि। सहृदय-शिरोमणि प्राचीन आचार्यों ने ‘चित्रमहानेष...’ इत्यादि श्लोक को ‘अद्भुत-रस-ध्वनि’ के उदाहरणरूप में लिखा है। उस श्लोक का अर्थ यह है—यह महान् नूतन, अवतार आक्षर्य जनक है, ऐसी कान्ति आज तक कहीं दृष्टिगोचर नहीं हुई, यह चलने, बैठने, बोलने और देखने का ढङ्ग भी सर्वथा नवीन ही है, अलौकिक धैर्य है, विलक्षण-आश्चर्य-चकित क देनेवाला प्रभाव है, अनिर्वचनीय आकार है, यह एक नई सृष्टि है अर्थात् अब तक ऐसा कोई उत्पन्न नहीं हुआ, जरूर इस रूप में यह किसी महापुरुष का आविर्भाव हुआ है यह भगवान् चामन के दर्शन से विस्मित बलि की उक्ति है।

इह विस्मयस्य प्राधान्येन व्यङ्ग्यतयाऽद्भुतरमध्वनिरिति भट्टमम्मट' । तन्क्त खण्डयति—  
 तत्रेद वक्तव्यम्—प्रतीयता नामात्र विस्मय . परन्त्वसौ कथङ्कार ध्वनिव्यप-  
 देशहेतु' ? प्रतिपाद्यमहापुरुषविशेषविषयायाः प्रधानीभूताया' स्तोत्रगतभक्ते. प्रक-  
 र्पकत्वेनाम्य गुणीभूतत्वात् ।

तत्र मम्मटोन्विषये । श्रमो विरमय । व्यङ्कार केन प्रकारेण ।

प्रबोदाहरणे प्रतीयमानोऽपि विस्मयो वर्णनीयमहापुरुषविषयाया भक्तेरङ्गीभूताया  
 उन्विष्येति प्रतीतिरुक्तत्वादात् । तस्मान्महापुरुषविषयकभक्तिप्राधान्याद् भावध्वनेरेवोदाहरणनि-  
 दानत्वेन, तन्मयस्य गुणीभावादित्याशय ।

यहाँ प्रधानतया विस्मय व्यङ्ग्य होता है, अतः यह 'अद्भुत-रम-ध्वनि' का उदाहरण  
 है, एम मम्मट-मत का खण्डन करते हैं—'तत्रेद वक्तव्यम्' इत्यादि । अभिप्राय यह है कि इस  
 पद्य में 'विस्मय' स्वार्थीभाव की प्रतीति होती है, हो, मैं उसका अपलाप करना नहीं  
 चाहता, पर उम विस्मय के कारण यहा अद्भुत-रम-ध्वनि का व्यवहार कैसे हो सकता  
 है ? क्योंकि इस श्लोक में जिस महापुरुष का वर्णन किया गया है, उसके विषय में  
 स्तुति करने वाले ( उल्लि ) की जो भक्ति है, वही यहाँ प्रधान है और विस्मय उसको  
 उल्लिष्ट बनाता है, अतः उसकी अपेक्षा वह गौण हो गया है ।

निर्दानप्रशनेन स्वमत द्रष्टव्यति—

यथा महाभारते गीतासु विश्वरूप दृष्टवतः पार्थस्य—'पश्यामि देवास्तव देव ।  
 देहे. सर्वास्तथा भूतविशेषमहान् ॥' इत्यादौ वाक्यसन्दर्भे ।

पार्थस्य वाक्यसन्दर्भे इति नम्वन्वय ।

यथा भगवतो विश्वरूप विलोक्यार्जुनेनाभिहिताया 'पश्यामि देवास्तव देव । देहे'  
 इत्यादिभगवद्गीतापद्यवाक्यसम्पराया नञि ( भगवद्विषया रति ) प्रतीयमाना प्रधानम्,  
 'पश्यामि देवास्तव देव' इत्यादि विस्मयस्तु भक्तिपोषकतयाऽऽनिति भावध्वनिरद्भुतरमस्याङ्गत्वेन  
 रमण्यत्वात्, तस्यैव प्रकृते 'चित्रम्' उपादानमिति के प्राधान्यमद्भुतस्य चाङ्गत्वमित्यभिव्यञ्चि ।

ऐसे स्थलों पर भक्ति की ही प्रधानता होती है और विस्मय गौण रहता है इसमें  
 एतन्त द्विरुच्यते है—' . इत्यादि । भगवान् ने सुगुण अर्जुन को अपना विराट् रूप  
 दिखाया, जिसको देखकर अर्जुन भगवान् से कहते हैं—'दे देव । मे आपके शरीर में मय  
 देवताओं की तथा नाना तरह के मय प्राणियों को देख रहा हू । इत्यादि गीता के वाक्यों  
 में यद्यपि विस्मय की प्रतीति होती है, तथापि उन भक्ति की अपेक्षा वह गौण है, जो  
 अर्जुन के हृदय में भगवान् के प्रति उत्पन्न हुई । तात्पर्य यह है कि जसे यहा विस्मय की  
 प्रधानता नहीं है, वैसे ही उक्त पद्य में भी उसकी प्रधानता नहीं ही है ।

पर्यायवित्तार—

इत्य चास्य रमालङ्कारत्वमुचितम् ।

तन्क्त प्राचीनोपाद्भुतमध्वनिरुदाहरणस्य । रमानङ्कारत्वं रमण्यत्वाद्भारोदाहरणत्वम् ।

एतद् भारतस्योदाहरणत्वात्पुनरुक्तम्, रमण्यत्वाद्भुतम् ।

पर्यायवित्तार अर्थ वा हुआ कि 'चित्र नामनेष' इत्यादि श्लोक अद्भुत-रम-ध्वनि  
 का उदाहरण नहीं ही करता, अपितु भाव-ध्वनि का उदाहरण ही सकता है, हाँ, विस्मय  
 भी यहाँ यद्-विभाजन्य है, जो तन्मूलात् 'रमण्य' अलङ्कार यहाँ होता ।

रमण्यत्वात्ऽऽनिति निर्णय—

भक्तिर्नात्र प्रतीयत इति चेत्, अस्मिन्कुलितलोचन विदुर्जन्तु सद्भया ।

यदि न भक्तिरुदाहरणे प्रतीयत एव न, परं तस्या प्राधान्यप्रधान्यसंज्ञा, तत्र

सति विस्मयस्यैवात्र प्राधान्येनाद्भुतरसध्वनित्वमेवेति प्राचीनपक्षपातेन कश्चित् कथये  
तर्हि विषयेऽस्मिन् तदस्या परमाप्ताः सहृदया एव भावनयेषन्मीलितनयनं यथा स्यात्, ।  
तथ्यातथ्यं जानन्तु, वयं न किञ्चिद्ब्रूम इति सारम् ।

आग्रहं विहाय सहृदयैर्विहिते विचारे भक्तेरिह प्राधान्यं विस्मयस्य चाप्राधान्यं व्यक्त  
प्रतिभायादिति भावः ।

यदि आप कहें कि 'चित्रं महानेप'..... इत्यादि श्लोक में भक्ति की प्रतीति होती ही  
नहीं, तब मैं इसका उत्तर क्या दे सकता हूँ ? केवल सहृदयों से इतनी प्रार्थना करूँगा कि  
आप जरा आँखें मूंद कर स्वस्थ होकर सोचें और फिर कहें कि यहाँ भक्ति की प्रतीति  
होती है अथवा नहीं अर्थात् दुराग्रह छोड़कर विचार करने से आप को भी यहाँ भक्ति  
की प्रधानता अवश्य अवगत होगी ।

अथ हास्यरसमुदाहरति—

हास्यो यथा—

रसविशेषणतयैव पुंस्त्वम्, अन्यथा 'हासो हास्यं च' इत्यमरात् क्लीबत्वमेव ।  
अब 'हास्य-रस' का उदाहरण देते हैं—'हास्यो यथा' इत्यादि । हास्य जैसे—  
बालिशो नवतार्किकपुत्रो ब्रवीति—

श्रीतातपादैर्विहिते निबन्धे, निरूपिता नूतनयुक्तिरेषा ।

अङ्गं गवां पूर्वमहो पवित्रं, कथं न वा रासभधर्मपत्न्याः ॥'

श्रीतातपादैः श्रीमङ्गि पितृचरणैः, विहिते विरचिते, निबन्धे धर्मानुशासनग्रन्थे, एष  
साम्प्रतमुदीर्यमाणः, नूतनाऽनाविष्कृतपूर्वा, युक्तिस्तर्क निरूपिता निर्धारिता, अहो आश्चर्यम्  
( यदि ) गवां धेनूनाम्, पूर्वमङ्गं पूर्वकायं, पवित्रं मेध्यम्, ( तदा तुल्यन्यायात् ) रासभस्य  
गर्दभस्य, धर्मपत्न्या गर्दभ्या ( पूर्वमङ्गम् ) कथं न वा पवित्रमस्तीति शेषः । गवां पश्चार्ध  
स्यैव धर्मशासनानुमते पवित्रत्वे, पूर्वार्धस्य तत्त्वकथनं तत्तुल्यस्कन्धतया गर्दभ्या अपि  
पूर्वार्धस्य नवीनतर्केण पवित्रत्वोपपादनं चात्र हास्यकरमवसेयम् ।

किसी तार्किक का पुत्र कहता है—श्रीमान् पिताजी से रचे गये निबन्ध में यह एव  
नवीन युक्ति दीख पड़ी कि जब गायों का पूर्व अङ्ग पवित्र है, तब गर्दभे की धर्मपत्नी क  
वह अङ्ग पवित्र क्यों नहीं माना जाय ? अर्थात् गौ और गर्दभी एक समान हैं । धर्मशास्त्र  
में गौ के पश्चार्ध भाग को ही पवित्र कहा गया है, परन्तु यहाँ उसके पूर्वार्ध भाग को पवि  
घोषित किया गया है और तत्सुहृद्य न्याय से गर्दभी के उस भाग को भी पवित्र मानने क  
सलाह दी गई है—यही असंगत बात यहाँ हास्यास्पद है ।

आलम्बनाद्याचष्टे—

तार्किकपुत्रोऽत्रालम्बनम्, तदीया निश्शङ्कोक्तिरुदीपिका, रदनप्रकाशादि  
रुद्रेगादयश्चानुभाव-व्यभिचारिणः ।

तार्किक उष्णाद्भुततर्कवित् । निश्शङ्का दृढोक्ति । रदनप्रकाशो दन्तविद्युतिस्तदादिरत्न  
भावः । उद्रेगादयो व्यभिचारिणः ।

यहाँ तार्किक का पुत्र आलम्बन है, उसका निःशङ्क कथन उद्दीपन है, दांत का निपोढ  
अनुभाव है और उद्रेग आदि सञ्चारी भाव हैं ।

अथ हास्यस्य भेद दर्शयितुं प्राचीनोक्तिमनुवदति—

अत्राहुः—

'आत्मस्थः परसंस्थश्चेत् यस्य भेदद्वयं मतम् ।

आत्मस्थो द्रष्टुरुत्पन्नो विभावेक्षणमात्रतः ॥'

ह्यन्तमपर दृष्ट्वा, विभावञ्चोपजायते ।  
 योऽसौ हास्यरसस्तज्जै, परस्थः परिकीर्तितः ॥  
 उत्तमानां मध्यमानां, नीचानामप्यसौ भवेत् ।  
 श्यवस्थः कथितस्तस्य, पद्भेदा सन्ति चापरे ॥  
 स्मितं च हसितं प्रोक्त-मुत्तमे पुस्त्ये बुधैः ।  
 भवेद् विहसितं चोप-हसितं मध्यमे नरे ॥  
 नीचेऽपहसितं चाति-हसितं परिकीर्तितम् ।  
 ईपत्फुल्लकपोलाभ्यां, कटाक्षैरप्यनुत्त्वणैः ॥  
 अदृश्यदर्शनो हासो-मधुरः स्मितमुच्यते ।  
 वक्त्रनेत्रकपोलैश्चे-दुत्फुल्लैरुपलक्षितः ॥  
 किञ्चिद्विहितदन्द्वा, तदाहसितमिष्यते ।  
 सशब्द मधुर काय-गत वदनरागवत् ॥  
 आकुञ्चिताक्षिमन्द्रं च, विदुर्विहसित बुधाः ।  
 निकुञ्चितासशीर्षञ्च, जिह्मदृष्टिविलोकनः ॥  
 उत्फुल्लनासिको हासो-नान्नोपहसितं मतम् ।  
 अस्थानज आश्रुदृष्टि-राकम्पस्कन्धमूर्धजः ॥  
 शार्ङ्गदेवेन गदितो-हासोऽपहसिताहयः ।  
 स्थूलकर्णकटुध्वानो-त्राप्यपूरप्लुतेक्षणः ॥  
 करोपगूढपार्श्वञ्च, हासोऽतिहसितं मतम् । इति ।

यत्र द्रष्टुरालम्बनविभावदर्शनात् स्वयनुत्पद्यते हानः, न आत्मस्य । यत्र चापरं हसन्त  
 दृष्टोत्पद्यते, न परस्य इति प्रकारद्वय हास्यरसस्य । अस्य हास्यरसस्य विभावस्तु परकीय-  
 हास्यदर्शनादुत्पद्यते । 'प्राध्रयन्वोत्तम-मध्यमा-धमत्वैर्हास्यस्यापि त्रैविध्यं जायते । तस्य  
 हास्यस्य स्मित-हसित-विहसितो-पहसिता-पहसितातिहसितरूपाः पद्भेदाः । तेषु प्रथमं  
 रिक्तमुत्तमे, द्वितीयं मध्यमे, तृतीयं चापरे । 'ननुत्त्वणैरुत्कटैः कटाक्षैरुपलक्षित इति शेषः ।  
 कायगत मस्त्वगतोरप्यापि । मस्त्वगतमिति पाठान्तरम् । वदनरागवन्सुत्रलैहित्यविशिष्टम् ।  
 मन्द्र गन्धोत्पन्नियुतम् । निकुञ्चितानि नकुचितान्धनौ स्मन्वौ शीर्षं शिख्यं यस्मिन्निति  
 ननुत्पद्यते । जिह्वा कुञ्चिता दृष्ट्या विलोकनं यत्र तादृशं । 'प्रत्यानेऽनुचितावनरे जातः ।  
 नास्त्वान्ना प्रमिष्यापस्वन्ना स्मन्वौ मूर्धजः केसाश्च यत्र तादृशः । शार्ङ्गदेव आचार्यः ।  
 स्थूलकर्णकटुध्वानो-त्राप्यपूरप्लुतेक्षणः । स्थूलकर्णकटुध्वानो-त्राप्यपूरप्लुतेक्षणः  
 प्लुतेक्षणः यत्र न । स्मन्वान्नुत्पद्यते हास्यरसस्यारणापावत्स्मिते पार्श्वे यत्र न ।

अथ हास्य के विविध भेदों को दिखाने के लिये प्राचीन आचार्यों की उक्ति का अनुवाद  
 करते हैं—'यन्मन्त्र एतदिति । हास्य-रस के दो भेद हैं—पुरु आत्मस्थ, दूसरा परस्य ।  
 आत्मस्थ उत्तमो कहते हैं, जो विभाव ( हास्य के विषय ) के दर्शनमात्र से उद्भा में स्वयं  
 मनुत्पन्न हो जाता है और जो हास्य-रस दूसरे को है उभा हुआ देखकर उत्पन्न होता है  
 तथा विभाव कारण भी हास्य ही रहता है, उत्तमो हास्य-रस के विशेषतः जन परस्य कहते  
 हैं । यह हास्यरस उत्तम, मध्यम और अधम तीनों भेदों के लक्षणों में उत्पन्न होता है,  
 जब इसकी तीन अवस्थाएँ कहलानी हैं । इसी तरह हास्य के दूसरे दो भेद हैं—स्मित  
 पुस्त्य में स्थित और हसित, मध्यम पुस्त्य में विहित और उपहसित, पृष

अपहसित और अतिहसित होते हैं। जिसमें कपोल अल्प विकसित हों, नेत्रकोण अति विस्तार को प्राप्त नहीं करें, दांत दृष्टि-गोचर न होने पावें और जो मधुर हो, वह हास्मित कहलाता है। जिस हास में मुख, नयन और कपोल विकसित हो जायँ और वही भी थोड़ा दृष्टिगोचर हो जायँ, वह हसित कहा जाता है। जिस हास में शब्द सुनाई फिर भी मधुर हो, जिसके विकार शरीर के सब अङ्गों में उत्पन्न हो जायँ, जिसके होने मुख लाल हो जाय, खाँखें कुछ टेढ़ी हो उठें और गम्भीर हो, उसको बुधगण विह्वल कहते हैं। जिसमें कन्धे और सिर सिकुड़ जायँ, वक्र दृष्टि से देखना पड़े और नाक टूट जाय, उस हास की संज्ञा उपहसित है। जो हास अनवसर का हो जिससे आँखों में आँसू आजाय और कन्धे तथा केश खूब कम्पमान हो उठे उसका नाम शार्ङ्गदेव आचार्य अपहसित रखा है। जिसमें कर्ण को कटु लगनेवाला बहुत जोर का शब्द हो, नेत्र अशु की वाढ़ ली आ जाय और हाथों से पार्श्व-भागों को पकड़ना पड़े, उस हास अतिहसित मानते हैं।

अथ भयानकरसध्वनिमुदाहरति—

भयानको यथा—

अब 'भयानक रस' का उदाहरण देते हैं—'भयानको यथा' इति। भयानक-रस जैशयेनाद्गीतस्य लावकस्य वृत्तं वर्णयति—

'श्येनमम्बरतलादुपागतं, शुष्यदाननविलो विलोकयन् ।

कम्पमानतनुराकुलेक्षणः, स्पन्दितुं नहि शशाक लावकः ॥'

अम्बरतलादाकाशमण्डलात्, उपागत सन्निकृष्टम्, श्येनं पक्षिघातकपक्षिविशेषम्, विलोकयन् पश्यन्, शुष्यद् मृत्योर्भयाच्छोषं गच्छद् आननं मुखमेव विल यस्य, तादृशं, कम्पमाना वेपथुमती तनु शरीर यस्य, तादृशं, तथा आकुले विह्वले ईक्षणे यस्य तादृशं, लावको वर्तकजातीयो लावेति प्रसिद्धं पक्षिविशेष, स्पन्दितुमीषच्चलितुम् (अपि) न शशाक न च क्षम इत्यर्थः ।

मरणं सन्निहितं विभावयन् भीतिविमूढो बभूवेति तात्पर्यम् ।

किसी दर्शक का कथन है कि त्रिवश लावक ( एक प्रकार का पक्षी, जिसे बगोड़ी कहते हैं ) ने जभी गगनतल से झपटते हुये बाज को देखा तभी उसका मुख सूख गया, देह कांपने लगी, आँखें आकुल हो गईं, इस तरह वह हिल भी न सका ।

आलम्बनादि दर्शयति—

अत्र श्येन आलम्बनम्, सवेगापतनमुद्दीपनम्, आननशोषादयोऽनुभावः दैन्यादयः सञ्चारिणः ।

सवेग वेगवदम्बरादापतनं श्येनस्यावसेयम् ।

यहां बाज आलम्बन है, उसका बहुत वेग से झपटना उद्दीपन है, मुख सूखना आदि अनुभाव है और दैन्य आदि व्यभिचारीभाव है ।

अथ बीभत्सरसध्वनिमुदाहरति—

बीभत्सो यथा—

अब 'बीभत्स-रस' का उदाहरण दिखलाते हैं—'बीभत्सो यथा' इति। 'बीभत्स-रस' जैसे-रमशानं वर्णयति—

'नखैर्विदारितान्त्राणां, शवानां पूयशोणितम् ।

आननेष्वनुलिम्पन्ति, हृष्टा वेतालयोषितः ॥'

हृष्टा अजसा विपुलभक्ष्यलाभात् प्रसन्ना, भूतविशेषस्त्रियः, नखैर्विदारितानि पादितानि



लौकिकयोर्हासजुगुप्सयोरपि कर्तृत्वादाश्रय- कश्चिन्नौकिकः पुरुषः स्यादेव । स एवान्न राश्रय- कल्पनीय इति न वैषम्यमित्युत्तरपक्षाभिप्रायः ।

उक्त शङ्का सच है, परन्तु वहाँ उन दोनों भावों के आश्रय किसी दर्शक पुरुष-वि का आक्षेप कर लेना चाहिये अर्थात् ऊपर से उसको समझ लेना चाहिये ।

ननु तदाश्रयाक्षेपाभावे कागतिरित्यत आह—

तदनाक्षेपे तु, श्रोतुः स्वीयकान्तावर्णनपद्यादिव रसोद्बोधे बाधकाभावात् ।

तदनाक्षेपे तु—आश्रयपुरुषविशेषा कल्पनेऽपि । पुरुष स्वकान्तावर्णनपद्यं शृण्वन् लौकिके रतेराश्रयोऽपि यथा शृङ्गारस्थाधिभावस्यालौकिकरतेरप्याश्रयो भवति, तथैव हासजुगुप्सयो लौकिकालौकिकयोरेक एवाश्रय स्यात्, लौकिकभावस्याश्रयोऽवस्थाभेदेनाप्यलौकिकभावश्रयो न स्यादिति नियमस्याभावादिति सारम् ।

यदि उक्त आक्षेप करना नहीं चाहें, तो श्रोता को ही आश्रय समझिये, जहाँ स्वप विषयक वर्णन वाले पद्यों को सुनकर पति को रस का उद्बोध होता है, वहाँ जैसे लौकिक प्रेम और अलौकिक रस दोनों का आश्रय वह पति ही होता है, वैसे यहाँ भी एक ही श्रं को लौकिक हास-जुगुप्सा और अलौकिक हास्य-वीभत्स रस दोनों का आश्रय मान में कोई बाधा नहीं ।

उपसंहरति—

एवं च संक्षेपेण निरूपिता रसाः ।

एवमुक्तप्रकारेण । आलम्बनाद्यनन्ततया रसानामनवधिप्रभेदाना निरूपयितुमनर्हं संक्षेपेणैव निरूपणमवसेयम् ।

इस तरह संक्षेप से रसों का निरूपण समाप्त हुआ ।

अथ रसध्वने रसवदलङ्कारस्य च स्वसम्मतं विषयविभागं निर्दिशति—

एषां प्राधान्ये ध्वनिव्यपदेशहेतुत्वम्, गुणीभावे तु रसालङ्कारत्वम् ।

रसस्य प्राधान्येन व्यङ्ग्यत्वे ध्वनि, अङ्गत्वेन व्यङ्ग्यत्वे तु गुणीभूतव्यङ्ग्यप्रभेदो रसवदलङ्कार इत्युभयोर्विभक्तविषयव्यवस्थेत्यर्थः ।

अथ रसध्वनि तथा रसवत् आदि अलङ्कार के लक्षणों का विभाग करते हैं 'एषाम्' इत्यादि। जहाँ ये रस प्रधानतया व्यङ्ग्य होते हैं, वहाँ 'रसध्वनि' का व्यवहार होता है और जहाँ ये 'रस' अङ्गरूप से व्यङ्ग्य होते हैं, वहाँ 'रसालङ्कार' व्यवहार का होता है ।

उभयोर्विभागे परकीयमत प्रतिपादयति—

केचित्तु—'प्राधान्य एवैषां रसत्वम्, अन्यथाऽलङ्कारत्वमेव । रसालङ्कारव्यपदेशस्त्वलङ्कारध्वनिव्यपदेशवद्, ब्राह्मणश्रमणन्यायात् । एवमसंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यतायामेव, अन्यथा तु वस्तुमात्रम् ।' इत्याहुः ।

एषां-रसाना प्राधान्ये सत्येव रसध्वनित्वम्, अन्यथा-प्राधान्याभावे ( प्रवानीभूतान्यस्य, पोषकत्वे ) तु पुनरलङ्कारत्वं रसवदलङ्कारत्वमेव, नतु ध्वनित्वं भवति । रसाना काव्यात्मतया स्वयमलङ्कार्यत्वादलङ्कार ( रसवदलङ्कार ) त्वस्य व्यवहारस्तु, ब्राह्मणश्रमणन्यायात् तथाहि—यथा पूर्वं ब्राह्मणे पश्चाद् बौद्धसन्न्यासिनि ( श्रमणे ) 'साम्प्रतिकाभावे भूतपूर्वस्यावगति' इति सिद्धान्तेन तात्कालिकब्राह्मणत्वाभावेऽपि प्राचीनब्राह्मणत्वमादाय 'ब्राह्मणश्रमणोऽयम्' इति व्यवहार, यथा वा प्राधान्येन व्यज्यमानतया ध्वनिरूपतां भजत्यलङ्कारे स्वयमलङ्कार्यत्वेन परालङ्कारकत्वलक्षण-तात्कालिकालङ्कारत्वविरहेऽपि भूतपूर्वालङ्कारत्वमादाय 'अलङ्कारध्वनि' इति व्यवहारः, तथैव रसानामलङ्कार्यत्वेऽपि भूतपूर्वगत्या रसालङ्कार-

है विशेष-यदि प्रतिभा का अर्थ अद्वय अथवा संस्कार-विशेष किया जाय—तब समान नहीं होते, क्योंकि अद्वय प्रत्यक्ष से उपरत किया जाता है, फिर वह नैसर्गिक—स्वामाधिक के ही संकला है ? संस्कार भी अनुभवजन्य होने से प्रत्यक्ष-प्रयास-साध्य ही है, स्वामाधिक नहीं, और वह वास्तव रूप ही है, वास्तव गूणादिबन्धी नहीं, अतः यह मानना पड़ेगा कि प्रतिभा का अर्थ उन्हें अद्विष्ट ही अभीष्ट है ।

कदर की भी प्रतिभापरपर्यायशक्ति अद्विष्ट ही होती है, अद्वय अथवा संस्कार नहीं, क्योंकि द्वितीय अद्वय अथवा शक्ति को उन्हें नै व्युत्पत्तिजन्य माना है और व्युत्पत्ति से अद्वय अथवा संस्कार की उत्पत्ति विद्वजान-सिद्धान्त-सम्मत नहीं । हाँ, अद्विष्ट-मान-की व्युत्पत्ति से उत्पत्ति अनुभवसिद्ध और सिद्धान्तगुणैक ही है ।

वामन ने प्रतिभा की व्याख्या शब्दत ही है और प्रतिभा का अर्थ संस्कार माना है । वामन ने भी वामन की व्याख्या की ही उन्हें शब्दों में उद्धरया है, अतः उनके मत से भी प्रतिभा का अर्थ संस्कार ही सिद्ध होता है ।

वामन और धीरुपवर्ष ने न ही प्रतिभा की शब्दत ऊँच व्याख्या की है और न कोई ऐसा विशेषण उसमें जोड़ा है, जिससे यह शान हो सके कि वे प्रतिभा का क्या अर्थ मानते थे । पण्डितराज प्रतिभा की व्याख्या में लिखते हैं कि 'जिनसे काव्य बनसके, ऐसे शब्दार्थों की उत्पत्ति प्रतिभा है' । इस व्याख्या से सिद्ध होता है कि पण्डितराज के विचार से भी प्रतिभा एक प्रकार की अद्विष्ट ही नाम है ।

प्रतिभा का यह व्याख्या उस आशयवाचक से भी समर्थित होती है, जिसमें 'उस अद्विष्ट-विशेष की प्रतिभा कहा गया है, जिसके द्वारा उन्हें नई नई सूत्र पैदा होते' ।

ये ही कुछे वन आचार्यों के मत, अब यदि मैं इन मतों पर आलोचनात्मक दृष्टि डालता हूँ, तो पण्डितराज का ही मत सबसे तथ्य-पूर्ण प्रतीत होता है, क्योंकि कि काव्य बनाने में कवि की सुन्दर पदों तथा अर्थों की योजना ही तो करनी पड़ती है और यह काम अद्विष्ट-विशेष से ही हो सकता है । शक्येवन्दनादिके समान अद्वय से वह सिद्ध रूप में प्राप्त नहीं होता और न गुणवत्त्व संस्कार से ही बन सकता है । हाँ, यह बात मानने योग्य अवश्य है कि धर्मगरी नववर्णनोपपत्त्या-दिनी अद्विष्ट के प्रति अद्वय और संस्कार कारण हो सकते हैं । काव्यकारण के विषय में राजशेखर ने काव्य-मीमांसा में बहुत सुन्दर और विशद विचार किया है, जो मैं पहले भी कर चुका हूँ, अब मैं यहाँ पाठकों के शान्तविशेष के लिये संक्षेप में उनके विचारों को उपस्थित कर देना अवकाश समझता हूँ ।

१. 'कवित्वस्य बीज प्रतिमानम्' की व्याख्या में वामन लिखते हैं कि 'कवित्वस्य बीज संस्कार-विशेष-कीधर' २ शक्ति कवित्वबीजस्य संस्कार-विशेष, या विना काव्य न प्रसरेत्, प्रसृत वा उपहसती-यम् स्यात् ।'
३. (सा) (प्रतिभा) च काव्यवदनादिकैल्लब्धार्थोपस्थितिः ।'
४. अद्विष्टवर्णनवर्णनोपपत्त्यादिनी प्रतिभा माना ।'



एवमन्वहारो बोध्यः । एव-रमधनिन्व रमवदलङ्कारत्वं च, एषा रमानाम्, अस्तलङ्घ-  
ननामनेय, प्रत्यया-मलङ्घनमलायां तु तेषां व्यर्थं वस्तुनात्र, ननु रसा इति  
हेतुद्वारात्त्वयम् ।

हेतुद्वारेण नृदिताविविधांस्तु सूचीकारोत्पन्नं रसालङ्कारत्वोपपत्तौ, तदर्थं भूतपूर्वग-  
त्वात्प्रथमनिर्दिष्टव्युत्पत्तिरिति व्याख्यातारः ।

बुद्ध लोगों का अर्थ है कि जब वे प्रधान हों तभी इनको रम कहना चाहिये, गौंग  
हो जाने पर तो ये अलङ्कार-नात्र इहे जा सकते हैं अर्थात् उनमें तब रम-विशेषण नहीं  
लगाया जा सकता । क्योंकि रम वे तभी तक कहला सकते हैं, जब तक अलङ्कार हैं और  
जब वे गौंग हो जाने से स्वयम् अलङ्कार हो जाते हैं, तब उनमें रम कहलाने की योग्यता  
ही नहीं रह जाती । फिर भी जो लोग गौंग रमों में केवल अलङ्कार पद का प्रयोग न कर  
रसालङ्कार पद का प्रयोग करते हैं, उनको अलङ्कार-ध्वनि पद का प्रयोग जैसा मनश्चना  
चाहिये अर्थात् ध्वनि ( व्यङ्ग्य ) अर्थ को अलङ्कृत करने वालों को अलङ्कार कहा जाता  
है और ध्वनि ( व्यङ्ग्य ) को अलङ्कार । इस स्थिति में जो ध्वनि ( व्यङ्ग्य ) हो गया, वह  
यद्यपि अलङ्कार नहीं कहला सकता, अतः अलङ्कार-ध्वनि ऐसा व्यवहार उचित नहीं,  
तथापि वेमे इहे प्राङ्गन बौद्धमत की दीक्षा लेकर 'ध्रमग' ( बौद्ध-निबुद्ध ) बन जाय,  
तब वर प्राङ्गन नहीं रह जाता, फिर भी लोग उमे पहले प्राङ्गन रहने के कारण 'प्राङ्गन-  
ध्रमग' कहा करते हैं, जिसका अभिप्राय यह रहता है कि इसने प्राङ्गन-बुद्ध ने आकर  
नम्याम लिया है, उन्ही तरह 'अलङ्कारध्वनि' इस व्यवहार का तात्पर्य है—जो पहले  
अलङ्कार था, अब यह ध्वनि है । अब गौंग रमों में जो 'रसालङ्कार' ऐसा व्यवहार होता है,  
उन्का भी आराय लुप्त हो गया अर्थात् जो कभी रम था, वह अभी अलङ्कार है यही तात्पर्य  
यहाँ भी मनश्चना चाहिये । उन लोगों का एक सुत्राव यह भी है कि ये ( त्पायीभाव )  
रम नहीं इहे जाते हैं, जब अलङ्कारकमव्यङ्ग्य के रूप में रहते हैं, अलङ्कारकन हो जाने  
पर तो वस्तु शब्द में ही इनका व्यवहार होता है ।

रसमन्वयनस्य रमधनिन्व यत्त्वोपपत्तेः—

एते चास्तलङ्घ्यकमव्यङ्ग्याः सङ्घट्टयेन रसव्यक्तौ नागिति जायमानायां  
विभावावुभावव्यभिचारिदिनर्शकमस्य ततोऽर्प, सूचीशतपत्रपत्रशतवेधकन-  
स्येवानुज्ञापान् ।

एते-निरूप्यताया, रसा भावाद्बोध प्रमत्तस्वप्नव्यङ्ग्या न सन्मग् लक्ष्य प्रशु-  
भनितया प्रत्ये तु तेषो वाच्यव्यभिचारित्यो-इतो ये तु तादृशा नवन्ति, रसव्यक्तौ  
व्यपेक्षया रम( प्रतीति )प्रतीति, नागिति शांतिर, जायमानाया, अस्तलङ्घन्य वाच्य-  
विभक्तिविभक्त्य, या रसा सूचीरामिक, तस्य मतो विद्यमानत्वाति सूच्या गतमत्रस्य  
व्यङ्ग्य, प्रधाना गतत्व वेधे या अस्तलङ्घन्येव सन्मग् समन्तीनाया, प्रलङ्घनादस्तलङ्घना-  
दित्यम् । यथा सूच्या अस्तलङ्घनवेधे इत्तर इत्येवाणे सूचीरस्तन प्रीयानेइत्ये  
अस्तलङ्घनास्तुमत्तिया न सन्मग् लक्ष्य, तथैव वाच्यविभक्तिविभक्तिव्यङ्ग्य-  
प्रतीति-व्यपेक्षयास्तलङ्घना रसा इति ततोऽप्यशुभदित्या म्ददने न सन्मग् लक्ष्य  
रस इति मया जा एव रसाय इत्येवम् ।

यैरम अस्तलङ्घनव्यङ्ग्य इत्येव हे, क्योंकि माद्यों में रम ज प्रतीति वस्तु  
निरूपी है, अतः विभाव, अनुभाव और व्यभिचारिभावों के विभाव ( प्रतीति ) में  
न ही प्रतीति के लक्ष्य में जो रम वस्तु रसा है, वह अस्तलङ्घन ही है अर्थात् अलङ्कार  
नहीं होता । हेतु—माद्यों की अलङ्कारकमव्यङ्ग्य ही रम कहते हैं ।

ने कितना उपयुक्त दृष्टान्त पेश किया है, शतपत्र कमल के सौ पत्तों को तहाकर रति फिर उस पर सूई चुभोइये, सौ-के-सौ पत्ते निमिपमात्र में विध जायँगे, अब आप सोचि कि वे सब पत्ते एक ही बार विधे, या क्रमशः ? विवेक कहेगा क्रमशः, परन्तु मन ऐ नहीं समझता अर्थात् मन में ऐसा ही प्रतीत होता है कि एक ही बार सब पत्ते विध गं वास्तविकता यह है कि पत्तों के शीघ्र विध जाने से वेध के आगे पीछे का क्रम ज्ञात नहीं पाता, यही रीति यहाँ भी समझनी चाहिये ।

ननु मा क्रम कल्प्यतामित्याशङ्का निराकरोति—

न त्वक्रमव्यङ्ग्याः, व्यक्तेस्तद्धेतूना च हेतु-हेतुमद्भावासङ्गत्यापत्तेः ।

व्यक्तिव्यञ्जनिकप्रतीति । हेतुहेतुमद्भाव. कार्यकारणभाव. ।

विभावादिप्रतीति-रसादिप्रतीत्यो क्रमो नास्त्येवेति वक्तुं न शक्यम्, यतस्तयोः क्रभावे ( यौगपद्ये ) कार्यकारणभावस्यैवासम्भव, कार्योत्पत्त्यव्यवहितप्राक्क्षणावच्छे कार्याधिकरणवर्तिन एव कारणत्वस्य स्वीकारादित्यभिसन्धि ।

अलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य कहने से रसों को अक्रमव्यङ्ग्य नहीं समझना चाहिये अर्थात् हे ही नहीं ऐसा समझना गलत होगा, क्रम है अवश्य, केवल वह ज्ञात नहीं होता, क्रम रहता ही नहीं, तो विभाव आदि की प्रतीति को कारण और रस की प्रतीति कार्य जो माना गया है, वह असङ्गत हो जायगा क्योंकि कार्योत्पत्ति के पूर्वक्षण में वहाँ ( कार्योत्पत्ति देश में ) नियमित रहे वही कारण कहलाता है, फिर तो क और कार्य के मध्य में क्रम ( पूर्वपश्चाद्भाव ) का होना अनिवार्य है ।

अथ भक्तेरतिरिक्तसत्वमाशङ्कते—

अथ कथमेत एव रसाः ? भगवदालम्बनस्य, रोमाञ्चाश्रुपातादिभिरनुभा वितस्य, हर्षादिभिः परिपोषितस्य, भागवतादिपुराणश्रवणसमये भगवद्भक्तैः भूयमानस्य, भक्तिरसस्य दुरपह्ववत्वात्, भगवदनुरागरूपा भक्तिश्चात्र स्थायिभावः ।

अथेति प्रश्नार्थकम् । अत एव नवैव । हर्षादिभिर्व्यभिचारिभावै । भगवद्भक्तै सह दयै । अनुभूयमानस्यास्वाद्यमानस्य । अनुराग प्रीतिरतिरित्यनर्थान्तरम् । स्थायिभाव-रसरूपयोर्भक्त्योर्हास्ययोरिव लौकिकालौकिकत्वाभ्या भेदोऽवसेय ।

स्थायिभाव-विभावादिसमग्रसामग्रीसवलनात् सहृदयभगवद्भक्तानुभवप्रमाणितस्य भक्ति रसस्यापि दशमस्यापलपितुमशक्यतया रसानां नवत्वमेवेति नियमो न सङ्गच्छत इति पूर्वपक्षसाराशः ।

अब भक्ति नामक दशम रस की शङ्का करते हैं—‘अथ’ इत्यादि । रस इतने ( नौ ) ही क्यों है ? क्योंकि भागवत आदि पुराणों के श्रवण करते समय भक्त लोग जिसका स्पष्ट अनुभव करते हैं, वह ‘भक्ति’ नामक दशम रस भी अपलाप करने योग्य नहीं है । साक्षात् भगवान् उस रस के आलम्बन हैं, भागवत-श्रवण आदि उद्दीपन हैं, रोमाञ्च, अश्रुपात आदि अनुभाव हैं और हर्ष आदि सञ्चारीभाव हैं । तथा इसका स्थायीभाव है भगवान् के विषय में प्रेम-रूप ‘भक्ति’ ।

अवान्तरे भक्तिरसस्य शान्तरसेऽन्तर्भावमाशङ्क्य खण्डयति—

न चासौ शान्तरसेऽन्तर्भविष्यति, अनुरागस्य वैराग्यविरुद्धत्वात् ।

असौ भक्तिरसः ।

भक्तिरसस्थायिभावस्य भगवदनुरागरूपत्वाच्छान्तरसस्थायिनो निर्वेदस्य च वैराग्य-रूपत्वाद् विरुद्धस्थायिकस्य रसस्य विरुद्धस्थायिके रसेऽन्तर्भावसम्भवाच्च भक्तेः शान्तेऽन्तर्भाव इति भावः ।

यदि आप कहें कि 'भक्ति-रस' का अन्तर्भाव शान्त-रस में ही हो जायगा, अतः वह निरिक्त नहीं तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि 'भक्ति-रस' का स्थायीभाव अङ्गुराग है, पर 'शान्त-रस' का वैराग्य (निर्वृत्ति), जो दोनों परस्पर विरुद्ध हैं, फिर उन दोनों स्थायीभावों से आधार बनाकर होने वाले 'भक्ति' और 'शान्त' रसों में से कोई एक दूसरे अन्तर्भूत नहीं हो सकता ।

सनादगाति—

उच्यते—भक्तेर्देवादिविषयरतित्वेन भावान्तर्गततया रसत्वानुपपत्तेः ।

'रतिर्देवादिविषया, व्यभिचारी तथाञ्छ्रितः ।

भाव' प्रोक्त-स्तदाभासा ह्यनीचित्यप्रवर्तिताः ॥'

इति हि प्राचां सिद्धान्तात् ।

उच्यते सनादिरिति शेषः ।

देव-गुरु-पितृप्रभृतिविषयकरति, प्राधान्येन अक्षितोऽभिव्यक्तिविषयकृतो व्यभिचारभावध भाव प्रोक्त । अनौचित्येन लौकिकोपपत्तिराहित्येन प्रवर्तिता काव्ये व्यवहृता ना भावाध तदाभासा रनाभासा भावार्थेति कारिकाय । प्राचा काव्यप्रकाशकाराणाम् ।

भक्तेर्देवादिविषयकरतिरूपाया काव्यप्रकाशकारादिप्राचीनालङ्कारिकसिद्धान्तानुमतत्वेन ता भावत्वमेव, ननु रसत्वम्, अतोऽतिरिक्तस्य दशनस्य भक्तिरसस्य न सन्भव इति सा मान्यभाभिप्राय ।

उच्यते इति न दत्तम 'भक्तिरस' है, यह शब्द स्थिर हो चुकी, अब उसका समाधान 'रति' है—'उच्यते' इत्यादि । तात्पर्य यह है कि देवता आदि के विषय में जो रति (प्रेम) होती है, उसी को भक्ति कहते हैं, अतः वह भाव है, रस नहीं, क्योंकि देवता आदि के विषय में होने वाली रति और व्यञ्जनावृत्ति से ज्ञात हुये व्यभिचारीभाव 'भाव' कहलाते हैं और अनुचित रीति से प्रवृत्त रस तथा भाव क्रमशः 'रसाभास' और 'भावाभास' कहलाते हैं यह प्राचीन आचार्यों का सिद्धान्त है ।

तत्रैव पुनश्चाहुते—

न च तद्धि कामिनीविषयाया अपि रतेर्भावत्वमस्तु, रतित्वाविशेषात् । अस्तु वा भगवद्भक्तेरेव स्थायित्वम्, कामिन्यादिरतीनां च भावत्वम्, विनिगम-काभावादिति वाच्यम् ।

यथा कामिनीविषयकरतौ रतित्व, तथैव देवादिविषयकरतिस्वपीति तुल्यताया कामिनी-विषयकरतेरेव कथं स्थायित्वम्, प्रपरासा च रतीना साधारणभावत्वमज्ञाक्रियते ? वेपथ्ये नीचतादिन्नेन पूर्वपक्षः । प्रयत्ना विनिगमकाभावाद् भवदोक्तप्रतिकूल भगवद्वि-परतरतेरेव स्थायित्वम्, कामिन्यादिविषयकरतीनामेव च भावत्वमतीन्द्रियतामिति द्वितीय-पूर्वपक्षः ।

ननु उच्यते—यदि ऐसी ही बात है, तो कामिनी के विषय में जो रति (प्रेम) होती है, उसको भी 'भाव' मानिये, क्योंकि देवतादि विषयकप्रेम और कामिनीविषय प्रेम में कोई भेद नहीं है—अगर दोनों प्रेम ही तो हैं, अथवा भगवद्भक्ति को ही आधार का स्थायीभाव मान लीजिये और कामिनीविषयक रति को ही स्थायीभाव, क्योंकि इसमें कोई भेद नान युक्ति तो है नहीं कि इन दोनों में से अमुक को ही स्थायीभाव मानना चाहिये ।

इतो पूर्वपक्षोनेहमेव सनाधानमाह—

भरतादिमुनिप्रचनानानेवात्र रसभावादिद्व्ययस्थापकत्वेन स्थातन्वययोगान् ।

यत्र साहित्ये, भरतप्रतिमुनिप्रचनानेऽ, न तु साधारणरसोऽस्ति

त्वस्य च व्यवस्थापने स्वातन्त्र्ययोगः सर्वाधिकारिता यतोऽस्ति, तस्मात् स्वेच्छया विपरीतकल्पना नात्र कर्तुं शक्यत इत्याशय ।

‘स्वातन्त्र्यायोगात्’ इति पाठे तु भरतादिभिन्नवचनानां रसभावव्यवस्थापने स्वातन्त्र्याभावादित्यर्थः ।

उक्त शङ्का के उत्तर में मेरा कथन है कि साहित्य में रस-भाव आदि की व्यवस्था भरत-आदि मुनियों के वचनों के अनुसार की जाती है, अतः इस विषय में स्वतन्त्रता का स्थान नहीं है अर्थात् भरत आदि मुनियों ने देवता आदि विषयक रति को भाव और कामिनी-विषयक रति को स्थायीभाव माना है, इसलिये हम लोगों को भी वैसा ही मानना चाहिये ।

उक्तं समर्थयति—

अन्यथा पुत्रादिविषयाया अपि रतेः स्थायिभावत्वं कुतो न स्यात् ? न स्याद् वा कुतः शुद्धभावत्वं जुगुप्साशोकादीनाम् ? इत्यखिलदर्शनवैयाकुली स्यात् ।

अन्यथा-भरतादिवचनानामेव रसादिव्यवस्थापने स्वातन्त्र्यानभ्युपगमे । पुत्रादिविषयत्वं रतेरपुष्टत्वोपलक्षकम् । शुद्धभावत्व स्थायित्वासङ्कीर्णव्यभिचारिभावत्वम् । अखिलदर्शनस्य समस्तसाहित्यशास्त्रस्य, वैयाकुली व्याकुलत्वमव्यवस्थितत्वमिति यावत् ।

कस्यापि रसादिविषये व्यवस्थापकस्यानभ्युपगमे विशुद्धलतर्कसम्पर्कात् सकलं साहित्यशास्त्रमेवानियन्त्रितं स्यादिति भरतादिवचनानां रसादिव्यवस्थापकत्वाङ्गीकार आवश्यक इति भावः ।

यदि रस-भाव आदि के विषय में किसी को प्रामाणिक व्यवस्था देने वाला नहीं माना जाय अर्थात् केवल तर्क से काम लिया जाय, तब तो सकल साहित्य-दर्शन ही उलट-पलट जायगा, क्योंकि उस स्थिति में पुत्र आदि के विषय में जो माता-पिता का प्रेम होता है उसको भी स्थायीभाव और जुगुप्सा तथा शोक को शुद्ध ( स्थायी नहीं ) सञ्चारीभाव क नहीं मान लिया जायगा ?

भक्तेरसत्वस्य स्वीकारे दोषं दर्शयन् प्रसङ्गमुपसंहरति—

रसानां नवत्वगणना च मुनिवचननियन्त्रिता भज्येत, इति यथा शास्त्रमेव ज्यायः इतिहेतौ । शास्त्रं भरताद्यनुशासनमनतिक्रम्य यथाशास्त्रम् । ज्यायः श्रेष्ठम् । यदि भक्तिरसोऽपि दशमो भवेत्, तर्हि भरतमुनिना तत्त्वदृष्टया निर्णयोक्तस्य रसानां नवत्वसङ्ख्ये वच्छिन्नत्वस्य भङ्गः प्रसज्येत, तस्माद् रसभावादिव्यवस्था भरताद्यनुशासनानुसारिष्ये सर्वथा श्रेयसीति सारम् ।

इस तरह भरत आदि मुनियों को व्यवस्थापक मान लेने पर दशम ‘भक्ति-रस’ का स्वीकार न करना ही उचित है, अन्यथा भरतमुनि ने बहुत सोच समझकर जो रसों की संख्या नौ बतलाई है, वह असङ्गत हो जायगी। तात्पर्य यह है कि इन सब विषयों में शास्त्र का अनुसरण करके चलना ही श्रेयस्कर है ।

अथ प्रसङ्गाद् रसानां परस्परमविरोधं विरोध च निर्दिशति—

एतेषां परस्परं कैरपि सहाविरोधः, कैरपि विरोधः । तत्र—वीरशृङ्गारयोः शृङ्गारहास्ययोः, वीराद्भुतयोः, वीररौद्रयोः, शृङ्गाराद्भुतयोश्चाविरोधः । शृङ्गार-वीरत्सयोः, शृङ्गारकरुणयोः, वीरभयानकयोः, शान्तरौद्रयोः, शान्तशृङ्गारयोश्च विरोधः ।

एतेषां रसानाम् । अविरोध उपकार्योपकारकभावो विरोधश्च बाध्यबाधकभावः । चकारो शान्ताद्भुतयोः, वीरवीरभत्सयोश्च तादस्थस्य संप्रहः । तत्र रसानां विरोधमात्रप्रदर्शदर्पणे यथा—

काय दृष्टा-बोभत्स-रौद्र-वीर-भयानके । भयानकेन कश्यपे-नापि हास्यो विरोधभाक् ॥  
 -दोषो हास्यशृंगार-रसान्धानपि तादृग । रौद्रस्तु हास्य-शृंगार-भयानकरैरपि ॥  
 -कानकेन शान्तेन, तथा वीररस्य स्यात् । शृंगार-वीर-रौद्राद्य-हास्य-शान्तेर्भयानक ॥  
 -शान्तस्तु वीर शृंगार रौद्र हास्य-भयानके । शृंगारेण तु बोभत्स इत्याद्याता विरोधिता ॥' इति ।  
 - अत्र रसों का परस्पर अविरोध वीर विरोध का विचार करते हैं—'नेभान्' इत्यादि ।  
 - न रसों का आपस में किसी के साथ अविरोध है और किसी के साथ विरोध । जैसे—  
 वीर और शृंगार में, शृंगार और हास्य में, वीर और अद्भुत में, वीर और रौद्र में एवं  
 शृंगार और अद्भुत में परस्पर अविरोध अर्थात् विरोध नहीं है । शृंगार और बोभत्स में,  
 शृंगार और कश्यप में, वीर और भयानक में, शान्त और रौद्र में तथा शान्त और शृंगार में  
 परस्पर विरोध है ।

एवमस्मान्नामविरोध च प्रदर्श्य, प्रबन्धे नियोक्तिरुद्धरससन्निवेशाभावमुपदिशति—

तत्र कविना प्रहुररसं परिपोषुक्त्वाभेन, तदभिव्यञ्जके काव्ये तद्विरुद्धरसा-  
 दाना निबन्धन न कार्यम् । तथाहि सति, तदभिव्यञ्जकौ विरुद्धः प्रकृतं बाधेत ।  
 मुन्दोपमुन्दन्यायेन बोभयोरुपहति स्यात् ।

तत्र-तेषु रसेषु, प्रकृत नूतन प्रस्तुतं रस, परिपोषुक्त्वाभेन प्रबलकर्तुमिच्छता, कविना,  
 रस्ये विरुद्धरसान्प्रबन्धे, तद्विरुद्धरसान्नाम प्रकृतरस-विरोधिरसविभावादीना, निबन्धनं  
 निवृत्तम्, न कार्यम् । हि सति, तथा प्रकृतरसविरोधिरसान्प्रबलविशेषे सति, तदभिव्यञ्जकौ  
 विरुद्धरसस्य स्वारो पोषितस्य प्रतीतौ, विरोधो रस कदाचित् प्रबल प्रकृतं रस बाधेत ।  
 अतः प्रकृतरस-विरोधिरसयो नमयन्त्ये वा मुन्दोपमुन्दन्यायेन परस्परमुपहतिवशात्  
 न्यादित्यर्थः ।

सौदरो मुन्दोपमुन्दनाभानौ रस्यौ ताडकाभानेकत्रैव विद्यामातन्त्या विरुद्धौ तुल्यजल-  
 चार परस्परमभिजन्तुरितोद्भवोरपिकनितितृप्तम् ।

प्रस्तुत रस को अच्छी तरह पुष्ट करने की चाह यदि कवि को हो अर्थात् यदि उसको  
 पचा हो कि मेरे काव्य में अद्भुत रस का परिपाक पूर्णतया हो, तब उसको चाहिये कि  
 उस रस को अभिव्यक्त करने वाले काव्य में उसने विरुद्ध रस के अङ्गों का वर्णन न करे  
 क्योंकि विरुद्ध रस की अभिव्यक्ति होने पर वह प्रस्तुत रस को बाधित करेगा अथवा  
 मुन्दोपमुन्द न्याय' में दोनों रस नष्ट हो जायेंगे अर्थात् एक का भी परिपाक न हो सकेगा ।  
 मुन्द और उभुन्द की कथा महाभारत में आई है, वे दोनों मोदर भाई थे, प्रजापति के  
 लदान में दोनों ही अल्प हो गये, केवल अपने भाइयों में से एक दूसरे को नार नकता  
 में, जिसकी कोई सम्भावना ही नहीं थी, परन्तु भागी की गति प्रबल होती है, किसी  
 मुन्दरी अल्पता में दोनों जानक हुये, जिसने दोनों में बेर उत्पन्न हुआ और उसके लिये  
 दोनों नारम में लड़ कर नर निद्रे । इस तरह दोनों के समान बलवाली होने के कारण  
 नारम में लड़ कर नष्ट हो जाने के कारण 'मुन्दोपमुन्द' न्याय कहते हैं ।

पञ्चोत्तरात् विरुद्धरसवोरपि ज्वन ननाभेगनसुरागन्त् तन्व प्रररसुपदिशति—

यदि तु विरुद्धरसोपि रसयोरस्य ननाभेग इत्यने, तत्र विरोध परित्यक्त्य  
 मधेयः । तथाहि—विरावस्तामद् द्विविधः स्थितिविरोधो ज्ञानविरोधश्च । आग-  
 नमधिकरणानुक्तिरूपः । द्वितीय—तज्ज्ञानप्रतिबन्धज्ञानकत्वलक्षणम् । तत्रा-  
 गन्तरान्तरे विरोधिन स्थापने प्रथमो निवृत्तते । यथा—नादकगतत्वेन वीररसे  
 पौनोप्ये प्रतिनायके भयानकस्य ।

एवमप्रबन्धे । एवतेऽनिक्रमो कश्चित् स्यात् । एतत्तद्विरोधो - नै-नै-नै-नै-

धिकरणेऽवृत्तिरूपः । द्वितीयो—ज्ञानविरोधः, स च तज्ज्ञानेन विरोधिरसज्ञानेन प्रतिब  
वाध्य ज्ञानं यस्य, तत्त्वरूपः । 'प्रतिबध्य' स्थाने 'प्रतिबद्ध' इति पाठे तु प्रतिबद्धं वा  
ज्ञानं यस्य, तत्त्वरूप इत्यर्थः । 'प्रतिबद्धज्ञानजनकत्वम्' इत्युपपाठः, प्रत्यक्षातिरिक्तज्ञानं प्र  
विषयस्य जनकत्वाभावात् । तत्र—तयोर्विरोधयोर्मध्ये प्रथमः स्थितिविरोधो विरोधिरस  
रधिकरणभेदेन स्थापने निवृत्तो भवति । यथा—नायके वीररसस्य, प्रतिनायके च भया  
रसस्य यदि वर्णनं कविना क्रियेत, तदैकस्मिन्नपि काव्यप्रवन्धे विरोधिनोरपि वीरभया  
रसयो समावेशो विरोधनिवृत्त्या न दोषाय कल्पत इति सारम् ।

अब विरुद्ध दो वा अनेक रसों का समावेश यदि एक काव्य में करना चाहें, तो कैसे  
वह किया जा सकता है ? इसको बतलाते हैं—'यदि तु' इत्यादि । यदि विरुद्ध रसों का एक  
जगह समावेश करना इष्ट हो, तो विरोध का परिहार करके करना चाहिये । विरोध  
परिहार का प्रकार भी समझिये । विरोध का प्रकार दो है—एक स्थिति-विरोध और दूसरा  
ज्ञान-विरोध । स्थिति-विरोध का मतलब है—किसी एक अधिकरण में दोनों का न  
सकना और ज्ञान-विरोध का मतलब है—एक के ज्ञान से दूसरे के ज्ञान का रूक जाना  
अर्थात् एक के ज्ञान होने पर दूसरे का ज्ञान यदि हो ही न सके, तब ज्ञान-विरोध  
कहलाता है । उनमें प्रथम अर्थात् स्थिति-विरोध विरुद्ध रस को भिन्न अधिकरण में स्थापि  
करने से निवृत्त हो जाता है । जैसे—नायक में यदि वीर-रस का वर्णन करना हो, तो प्रा  
नायक ( उसके शत्रु ) में भयानक रस का वर्णन करना चाहिये ।

ननु नायकाद्यवृत्तीनां परब्रह्मवदपरिच्छिन्नानां रसानामेकस्मिन्नधिकरणे समावेशो  
विरोधो वा न सम्भवतीत्यत आह—

रसपदेनात्र प्रकरणे तदुपाधिः स्थायिभावो गृह्यते, रसस्य सामाजिकवृत्ति  
त्वेन नायकाद्यवृत्तित्वात्, अद्वितीयानन्दमयत्वेन विरोधासम्भवाच्च ।

अत्र प्रकरणे विरोध-समावेशादिप्रस्तावे तदुपाधी रसानां स्थिरो धर्मः स्थायिभावः  
वेद्यान्तरस्पर्शशून्यानां सच्चिदानन्दलक्षणानामपरिच्छेद्यानां नायकाद्यधिकरणेऽवृत्ती  
रसानामद्वितीयतया मिथो विरोधस्य समावेशस्य चासम्भव इति तु न विभावनीयम्, २  
इहृत्यं रसपद रसोपाधे रसत्वयोग्यस्य वा स्थायिभावस्य बोधकम् । तस्य चापरिच्छिन्नत  
भावाच्च विरोधो न वा समावेशोऽसम्भवः । तथा चोक्तं काव्यप्रकाशे—'आश्रयैक्ये विरुद्धो  
स कार्यो भिन्नसंश्रयः । रसान्तरेणान्तरितो नैरन्तर्येण यो रस ॥' इति, 'रसपदेनात्र प्रकर  
स्थायिभाव उपलक्ष्यते' इति च ।

इस प्रकरण में 'रस-पद' से उसके उपाधिस्वरूप स्थायीभावों का ग्रहण समझ  
चाहिये क्योंकि रस सामाजिकों ( नाटक के दर्शक तथा काव्य के श्रावक ) में रहता है  
नायक आदि में नहीं । दूसरी बात यह कि रस अद्वितीय आनन्द-मय है अर्थात् ब्रह्म  
है—उसके ज्ञान होते समय अन्य किसी का ज्ञान होता ही नहीं, फिर रसों में परा  
विरोध का होना असम्भव है ।

प्रथमविरोधपरिहारेण समावेशमुदाहरति—

उदाहरणम्—

स्थिति-विरोध कैसे दूर किया जा सकता है, इसका उदाहरण देखिये ।

कश्चन चाटुकारो राजानं स्तौति—

'कुण्डलीकृतकोदण्ड-दोर्दण्डस्य पुरस्तव ।

मृगारतेरिव मृगा, परे नैवावतस्थिरे ॥'

हे राजन् ! समराज्यो, कुण्डलीकृतमत्याकर्षणेन वर्तुलीकृतं कोदण्डं धनुर्धरः

जो दोरंगेजी मुजवरिधी प्रत्य, सतषोक्त, तथाभूतस्य दुराकृतधनुपस्तव पुरोऽप्रे, नृगाराते  
इस्य पुरं नृगा हरिणा उव, परं शत्रुवो नैव प्रवतस्यिरो-मोत्या द्रुत पलायाउक्तिर इत्यर्थ ।

इह नायके वर्णनोपपत्तौ वीररत्नस्य, प्रतिनायकेषु प्रतीपवृत्तेषु च भयानकरस्य समावेशो  
पान दोषाय, तथाऽन्यत्रापि बोध्यम् । नृगशब्दस्य द्विवपादानन्तु क्रियविभक्त्युक्तिं विच्छिनत्ति ।

कांडे ऋषि राजा की चापल्यो करता है—हे राजन् ! युद्ध में जब आपने कान तक खींच  
तुम्हले के समान गोल किये हुये धनुष को हाथ में लिया, तब आपके आगे शत्रु उसी  
ह नहीं ठहर सके, जिस तरह सिंह के आगे मृग नहीं ठहरते अर्थात् धनुष लेकर  
द में आपके जाते ही भय के मारे शत्रु भाग खड़े हुये । यहाँ नायक में 'वीर' और  
तनायक में 'भयानक' का वर्णन किया गया है जो भिन्न अधिकरण स्थिति होने से  
पाधायक नहीं है ।

द्वितीयविरोधनिवर्तनादेऽत्र नमन्निशास्योपायमभिप्राय तदुदाहरण दर्शयति—

रमान्तरस्याविरोधित सन्धिकर्तुरिवान्तरालेऽवस्थापने द्वितीयोऽपि निव-  
ते । यथा मन्त्रिमिनायामाख्यायिकाया काख्यात्रमगतस्य श्वेतकेतोर्महर्षे शान्त-  
सप्रधाने वर्णने प्रस्तुते—'किमिदमनाकलितपूर्वं रूपम् ?', कोऽयमनिर्वाच्यो  
चनरचनाया मधुरिमा ?' इत्यद्भुतरस्यान्तरवस्थापनेन 'वरवर्णिनी' प्रत्यनु-  
पावर्णने ।

मन्त्रिभर्ता विन्दद्भनमंत्रोकारक । प्रन्तरालेर्दयोर्मध्ये । द्वितीयो ज्ञानविरोध । कण्ठ  
तदनुध नदर्शा । प्रना दलितपूर्वनदृश्याद्युत पूर्वम् । वरवर्णिनी तदाख्याऽऽख्यायिकाया नायिका ।

एत प्रथम शान्तस्तदनु श्रुतारो रमथ मिथो विरुद्धौ स्थापितौ ध्रुव दोषाय कल्पेताम्,  
इति विरुद्धोक्तयोर्मध्ये, मन्त्रिकृदिवोभवाविन्द 'मिमिदम्' इत्यादिवान्यद्वयव्यपयोऽद्भु-  
रन्तो न मतिरेरयेत । तथा निन्दिते तन्मयोनेरन्तर्यामनाज्ज्ञानकृता विरोधो निवृत्त इति  
एतेऽपि दोष ।

जब द्वितीय 'ज्ञान-विरोध' को निवृत्त करने की विधि मतलाते हैं—'रमान्तर इत्यादि ।  
पान विरोध भी तब निवृत्त हो जाता है, जब उन दोनों विरोधी रसों के बीच में सन्धि  
सुगन्ध) करने वाले की तरह किसी अविहृद् ( जो उन दोनों रसों का विरोधी न हो )  
न हो स्थापित कर दिया जाता है । जैसे—मेरा ( पण्डितराज की ) आख्यायिका में—  
"याजमने स्थित महर्षि श्वेतकेतु के शान्त रस-प्रधान वर्णन के प्रस्तुत रहने पर 'यह  
ना अननुभूत रूप है, यह कभी अपर्जनीय वचन-परिवादी की मधुरता है,' इस तरह  
गुप्त रस जो मध्य में रख कर वरवर्णिनी-नायक नायिका के प्रति प्रेम का वर्णन किया  
गया है । यहाँ शान्त और श्रुतार इन दो विरोधी रसों के बीच में उन दोनों का ही  
विरोधी अणुन आ गया, जिससे उन दोनों का भी विरोध मिट गया क्योंकि लगातार  
हना ही विरोध का मूल था, वह अब नहीं रहा ।

द्वितीयविरोधनिवृत्तराशद्वरान्तर दाम्पत्य प्रतिपादयति—

यथा वा—

नमरोन्मुशरार-पौरुष वर्णयति—

सुराज्ञानभिरारितश्रा-व्वोन्नि वीरा निमानगा ।

मिलाकन्ने निजान् देवान्, फेरुनारीभिरामृतान् ॥'

सुराज्ञानभिरमन्तराणि ( अन्तराणि ) 'सन्निवृत्त कश्चित्प्रति प्राग्गुणव्यवस्था  
म- रूपव्यवस्थापिता', व्वोन्नि गगने, निमानगा ( नय वनरे एवा स्वर्ग गन्तु )

व्योमयानारुढाः, वीराः शूराः, फेचनारीभिः क्रोष्ट्रीभिः, श्रावृतान् मासलोमेन वेष्टि  
( रणभुवि निष्प्राणान् ) निजान् स्वीयान्, देहान्, विलोकन्ते सोत्साहं परयन्तीत्यर्थः ।

अथवा—कोई कवि युद्ध में मर कर स्वर्ग जाने वाले वीरों के वृत्तान्तों का वर्णन करता है  
( युद्ध में मरे हुये ) वीर जब देवाङ्गनाओं ( अम्पसराओं ) से आलङ्घित होकर, विमानों  
वैठे हुये, आकाश मार्ग से ( स्वर्ग जाते रहते हैं ), तब वे ( रणभूमि में ) निष्प्राण पड़े  
अपने देहों को मादा-सियारों से घिरे हुये देखते हैं ।

उपपादयति—

अत्र सुराङ्गना-मृतशरीरयोरालम्बनयोः शृङ्गारबीभत्सयोरन्तः स्वर्गला  
क्षिप्तो वीररसो निवेशितः । अन्तर्निवेशश्च तदुभयचर्वणाकालान्तर्वर्तिकाला  
चर्वणाकत्वम् । तच्च प्रकृतपद्ये प्रथमार्ध एव शृङ्गारचर्वणोत्तरं वीरस्य चर्वण  
नन्तरं च द्वितीयार्धे बीभत्सस्येति स्फुटमेव ।

अत्रास्मिन् पद्ये । सुराङ्गना शृङ्गारस्य, मृतशरीरश्च बीभत्सस्यालम्बनम् । अन्तर्  
स्वर्गलाभेन पूर्वार्धप्रतिपादितेन, आक्षिप्त उत्साहस्यायिद्वारेण बोधितो वीररसः, शृङ्गार  
भत्सयोरविरोधी, निवेशितक्षर्वणागोचरता नीतः । चस्त्वर्थे । तदुभयस्य विरुद्धरसद्वय  
यौ चर्वणाया कालौ, तदन्तर्वर्ती मध्यगतो य कालः, तत्र चर्वणा यस्य, तत्त्वमन्तर्निवेशे  
इहोदाहरणौ सुराङ्गनालम्बनकशृङ्गाररसचर्वणायाः पश्चात्, शवालम्बनकबीभत्सरस  
णायाश्च प्राक्, विरोधिनीस्तयो रसयोरविरोधसम्पादनाय मध्ये तदुभयाविरुद्धस्य वि  
नीत्साहस्याधिकवीररसस्य सन्निवेशाददोष इत्याशयः ।

इयत् पुनरत्र विभावनीयम्—‘आद्य करुण-बीभत्स-रौद्र-वीर-भयानकै  
दर्पणोक्ते’ शृङ्गारस्य यथा बीभत्सो विरुद्धः, तथैव वीरोऽपि, तस्माद् विरुद्धयोः शृङ्गार-  
त्सयोरविरोधसम्पादनाय कथं वीरस्यान्तरसमावेशः सङ्गच्छते ? तारस्थ्याभावात् ।

यहाँ देवाङ्गनाओं को आलम्बन मान कर शृङ्गार-रस और वीरों के मृतक शरीर  
आलम्बन मान कर बीभत्स-रस की प्रतीति होती है और ये दोनों रस परस्पर विरु  
धतः इन दोनों के मध्य में तदुभयाविरोधी वीर-रस का निवेश किया गया है । ए  
वीर-रस-व्यञ्जक शब्द यहाँ नहीं हैं, तथापि स्वर्ग-लाभ की बात से उसका आशे  
जाता है । अन्तर्निवेश-बीच में प्रवेश-का अर्थ यह है कि परस्पर विरोधी र  
आस्वादन का जो समय है, उसके मध्य के समय में उसका आस्वादन होना । वह  
स्पष्ट ही है क्योंकि उक्त पद्य के पूर्वार्ध में शृङ्गार-रस का आस्वादन होने के बाद वीर  
का आस्वादन होता है और उसके बाद द्वितीयार्ध में बीभत्स-रस का ।

पूर्वक्रमव्यत्यासेनोदाहरणान्तर पुनर्दर्शयति—

‘भूरेणुदिग्धान्’ इत्यादिकाव्यप्रकाशागतपद्यकदम्बे तु प्रथमश्रुतबीभत्स  
श्रीवशाद् बीभत्सचर्वणोत्तरं तत्सामग्र्यात्क्षिप्त-निश्शङ्कप्राणत्यागादिरूपसाम  
कस्य वीरस्य चर्वणो, शृङ्गारचर्वणोति विवेकः ।

‘भूरेणुदिग्धान्’ नवपारिजात-मालारजोवासितबाहुमध्या ।

गाढ शिवाभिः परिरभ्यमाणान्, सुराङ्गनाशिल्लभुजान्तराला ॥

। गितैः क्रव्यसुजां स्फुरद्भिः, पक्षैः खगानामुपवीज्यमानान् ।

। जिताश्वन्दनवारिसेकैः, सुगन्धिभिः कल्पलतादुकूलैः ॥

। नपर्यङ्कतले निषण्णाः, कुतूहलाविष्टतया तदानीम् ।

। रस्यमानाङ्गलनाङ्गुलीभिः-वीरा स्वदेहान् पतितानपश्यन् ॥’



स्ति ध्वन्मालोक-काव्यप्रकाशोद्भूत-परायणात्मकैव वाक्यावरोध । प्रथमं पूर्वं श्रुताऽवगता  
 वरत्स्य वा सामग्री, तद्वशात् तस्या बलाद् बीभत्सस्य चर्चणा, तदुत्तरं तत्सामप्रया  
 वरनास्तादजनककारणकृतेन, आक्षिप्ता प्रतीतिपदबीभत्वतारिता निश्शङ्कप्राणत्यागादि-  
 सामग्री वीररसप्रतीतिकारणकूट यस्य, स तथोक्त, तथाभूतस्य वीरस्य चर्चण आस्तादे  
 ने नति, शृङ्गारस्य चर्चणा भवतीति विवेक पूर्वस्मात् पृथग्विचार इत्यर्थ ।

सुराज्जेत्याद्युदाहरणे पूर्व शृङ्गारस्य, मध्ये तदस्यत्वेन वीरस्य, अन्ते विरोधिनो वी-  
 रस्यास्ताद । 'भूरखुदिग्धान्' इत्याद्युदाहरणे तु पूर्व बीभत्सस्य, मध्ये वीरस्य, अन्ते  
 रस्य चास्ताद इति द्वयोश्चदाहरणयो क्रमनात्रेण भेद ।

'नू-रेणु-दिग्धान्' ... पतितानपश्यन् ॥' ( लल्लुन टीका पृ १८० देखें )

यह युद्ध-भूमि का वर्णन है । युद्ध में मारे गये वीरों को विमानों पर सजे सजाये पलंगों  
 उपर पैदा कर अप्सरायें स्वर्ग ले जा रही थीं और उन्हें उस समय वे अप्सरायें अपनी  
 दुश्मियों के इमारों से युद्ध-भूमि में गिरे हुये उनके मृत शरीरों को दिखला रही थीं तथा  
 वीर बनने इन शरीरों को कौतुक पूर्वक देख रहे थे । हा ! उन मृतक मर्त्य शरीरों में  
 ऐ इत सजीव दिव्य शरीरों में कितना अन्तर था ? मृत शरीर, भू-धूलियों से धूसर,  
 गालियों में रुम कर आलिङ्गित और मासाहारी पक्षियों के शरिर-लिप्त अत एव  
 नचमाने हुये पक्षों से झले जा रहे थे और ये दिव्य देह, नवीन पारिजात-पुष्पों की  
 मालाओं के परागों से सुगन्धित वच वाले, सुराङ्गनाओं के आलिङ्गनों से भरे हुये भुज-  
 गणों से युक्त चन्दन जल के सेकों से सुगन्धित एव कल्प-वह्नियों से प्राप्त दिव्यवस्त्रों के  
 हाता रने हुये, व्यजनों से झले जा रहे थे । इस काव्यप्रकाश के पक्षों में तो पहले बीभत्स-  
 स की सामग्री का प्रवण होने के कारण उसका आस्वाद होता है और तदनन्तर बीभत्स-  
 स की सामग्री में आविष्ट-निर्भयता पूर्वक-प्राण-त्यागादि रूप सामग्री से वीर-रस का  
 आस्वाद हाता है, उसके बाद शृङ्गार का आस्वाद होता है—यह भेद है । अर्थात् पण्डितराज  
 के पद्य में क्रमशः शृङ्गार, वीर और बीभत्स का आस्वाद होता है और काव्य-प्रकाश के  
 पक्षों में बीभत्स, वीर और शृङ्गार का क्रमिक आस्वाद प्राप्त होता है ।

उपसहरति—

इत्थ चोदासीनचर्चणेन प्रतिबन्धकज्ञाननिवृत्तौ, निष्प्रत्यूहः प्रतिबन्धचर्च-  
 षोऽय इति फलितोऽर्थः ।

रूप च उत्पन्नकरणे तु, उदासीनस्य तदस्यत्वान्तरालवर्तिनो वीररसस्य, चर्चणेन  
 प्रत्यक्षरूपगणनेन, प्रतिबन्धक यद् विरोधिरसज्ञान तस्य ( आत्मविशेषगुणानामेवोत्तर-  
 वनास्तिरेतु न्नास्तिनिश्चयान् ) निवृत्तौ विरतौ जातायान्, निष्प्रत्यूहः प्रतिबन्धकाभावान्नि-  
 रन्तराव, प्रतिबन्धचर्चणस्य द्वितीयविरोधिरनास्वादस्य, उदय उत्पत्तिर्भवतीत्यर्थः ।

ज्ञान, अज्ञानवाक्यादित्वान्धनज्ञानोत्पत्तिरूपे प्रतिबन्धकस्य प्रथमज्ञानस्य विलये,  
 प्रतिबन्धक वृत्तान्तरान्तोत्पत्तौ न किंचिद् वाचकमिति भाव ।

इस तरह में फलित यह हुआ कि उदासीन रस के आस्वाद से प्रतिबन्धक विरोधी  
 रस का ज्ञान यथ नष्ट हो जाता है ( क्योंकि जाना के विशेष गुण ज्ञान वादि, अग्रिम ज्ञान  
 में होने वाले विशेष गुणों में नष्ट होते हैं, यह दार्शनिकों का सिद्धान्त है और रूप,  
 रस, गन्ध, स्पर्श, स्नेह, स्थानाधिक द्रवत्व, ज्ञान, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, सत्कार और  
 असत् के विशेष गुण कहलाते हैं यह भी समझना चाहिये ), तब द्वितीय विरोधी रस का  
 आस्वाद निश्चितरूप से होता है ।

विरुद्धरसद्वयस्य प्रकारान्तरेण विरोधनिवृत्तिमाचष्टे—

अङ्गाङ्गिनोः, अङ्गिन्यन्यस्मिन्नङ्गयोर्वा न विरोधः, अङ्गत्वानुपपत्तिप्रज्ञात्।

अङ्ग चाङ्गी च—अङ्गाङ्गिनौ पोपकपोष्यौ, यौ रसौ, तयोर्यदि परस्परं विरोधः स्यात् तदा पोपकस्य तत्र दूषकत्वादङ्गत्वमेव नोपपद्येत, तथाऽन्यस्मिन् रसेऽङ्गिनि प्रधाने, अङ्गो पोपकत्व प्राप्तयोः, मिथ्याविरुद्धयोरपि राजनि सेवकयोरिव, रसयोर्विरोधो नोपपद्येत, परस्त्र याङ्गतया स्वातन्त्र्यनिरहेण विरोधासम्भवादिति रसद्वयविरोधनिवृत्ते प्रकारद्वयमित्यभिप्रायः।  
अथ अन्य प्रकार से विरोध हटाने की युक्ति दिखलाते हैं—‘अङ्गाङ्गिनो’ इत्यादि यदि दो रसों में परस्पर अङ्गाङ्गीभाव अर्थात् पोष्य-पोपक भाव हो, तो विरुद्ध होने। भी उन दोनों में विरोध नहीं होता क्योंकि यदि विरोध हो, तब अङ्ग-अङ्गीभाव ही न-क इसी तरह जहा कोई एक रस अङ्गी-मुख्य-हो और उसके अङ्ग दो ऐसे रस हों जो परस्पर विरोधी कहे जाते हों, तो वहा भी उन अङ्गभूत रसों में विरोध उसी प्रकार नहीं होता जिस प्रकार किसी एक राजा के परस्पर विरोधी सेवकों में वह नहीं होता अर्थात् विरोध दो स्वतन्त्रों में ही हो सकता है और जब स्वतन्त्रता नहीं—दोनों ही एक तीसरे के अङ्ग तब उनमें विरोध कैसा ?

तत्र प्रथम विरोधनिवृत्तिप्रकारमुदाहरति—

यथा—

पुरस्ताधिपतिता गतजीविता प्रेयसीं प्रियो ब्रवीति—

‘प्रत्युद्गता सविनयं सहसा सखीभिः;

स्मेरैः स्मरस्य सचिवैः सरसावलोकैः ।

मामद्य मञ्जुरचनैर्वचनैश्च बाले !,

हा लेशतोऽपि न कथं वद सत्करोषि ॥’

अथि बाले मुग्धे ! अथास्मिन् दिने, सखीभिरालीभिः, सह, सहसा ( मध्यागते ) ऋटिति, सविनय विनयपुरस्सरम्, प्रत्युद्गता सत्करणाय प्रत्युपस्थिता, स्मेरैरीषद्वासवलोकैः, स्मरस्य मदनस्य, सचिवै सूचकतया सहायैः, सरसावलोकैः सानुरागनिरीक्षणैः, मञ्जुर्मनो-रमा रचना विन्यासो येषा, ते तयोक्तास्तादृशैरतिललितैः, वचनैर्भाषणैश्च ( अन्त्यदिनवत् ) हा हन्त ! लेशतोऽपीषदपि, मा, कथं केन कारणेन, सत्करोषि नैव सम्मानयसीति वद कथयेत्यर्थः ।

जैसे—हा ! बाले ॥ बोलो, आज, तुम, सखियों के साथ शीघ्र सामने में विनय पूर्वक उपस्थित होकर, कामभाव को जगाने वाली, विकसित तथा सरस चित्तवनों से और सुन्दर-रचना वाले वचनों से, मेरा कुछ भी सत्कार क्यों न नहीं कर रही हो ?

प्रसङ्गमभिदधाति—

इयं च पुरो निपतितां प्रमीतां नायिकां प्रति नायकस्योक्तिः ।

प्रमीता मृता ।

यह आगे में पढ़ी हुई मृत नायिका के प्रति नायक की उक्ति है ।

उपपादयति—

इह नायिकालम्बना, अश्रुपातादिभिरनुभावै-रावेगविषादादिभिः सञ्चारिभिश्च व्यज्यमाना, नायकगता रति-स्तुल्यसामग्र्यभिव्यक्ते प्रकृतत्वात् प्रधानी भूते तद्गत एव शोके प्रकर्षकत्वादङ्गम् ।

तुल्यया सजातीयया सामग्रया कारणकूटेनाभिव्यक्ते । प्रकृतत्वान्मरणे वृत्ते प्रस्तुतत्वात् तद्गते नायकनिष्ठे । प्रकर्षकत्वादुपकारकत्वात् ।



काव्यनीमाता के विचार इस प्रकार हैं—

‘काव्यकर्म में कवि की ‘सनाधि’ सर्वोत्कृष्ट व्यापार करती है, यह श्यामदेव का मत है। सनाधि मत की स्थापना को कहते हैं। सनाधित्थ चित्त अर्थों को देखना है। ‘अन्यात् काव्य-कर्म में तद से बड़ा लक्ष्यक है, यह नवल का मत है। तगानार काव्य-निर्माण-प्रयत्न को अन्यात् कहते हैं। अन्यात् तद में सर्वविषयक हो सज्जा है और वह तद विषयों में मनुष्य को अतिकुशल बना देता है।

याचावर ( राजशेखर ) का मत है कि सनाधि मानस और अन्यात् वाह्य प्रयत्न है, ये दोनों ही मिलकर शक्ति को प्रकट करते हैं और उन दोनों से प्रकट की गई शक्ति ही काव्य का कारण है। यह शक्ति प्रतिभा और व्युत्पत्ति से बहुत दूर की वस्तु है। शक्ति प्रतिभा और व्युत्पत्ति को उत्पन्न करनी है। शक्तिशाली को ही कुछ भास्तिन होता है और शक्तिशाली ही व्युत्पन्न होता है। शब्द-समूह, अर्थ-समूह, बलह्वारतन्त्र और लक्ष्मि-शैली एव इन्ही तरह की अन्य कवित्वापेक्षित विषयों को जो हृदय में इल्का दे, उसी को प्रतिभा कहते हैं। प्रतिभा होने के लिये ज्ञानने की वस्तु भी परोक्ष के स्नान ही रहनी है और प्रतिभाशालियों के लिये आखों से दूर की वस्तु भी प्रत्यक्ष के स्नान ही जाती है।

यह प्रतिभा दो प्रकार की होती है—क कारयित्री और दूसरी भावयित्री। इन दोनों में प्रधान पुन तीन प्रकार की होती है—तइजा, आहार्या और औपदेशिकी। ये तीनों कवि के उपकारण होने से कारयित्री कहलाती हैं। भावुक-हृदयों का उपकार करने वाली प्रतिभा भावयित्री कहलाती है। वही कवि के श्रम तथा अभिप्राय का शान करती है। कवि-व्यापार-बुझ उसी के चलने सकल होता है, अन्यथा वह निष्फल हो जायगा।

जिनके सुन्दर हैं काव्यनीमाता के ये विचार ? पाठकों को पूर्वोद्धृत नों की अपेक्षा इन विचारों में अवश्य नूतनता प्रतीत होगी। इस प्रसङ्ग के और भी बहुतसे नवीन विचार उक्त ग्रन्थ में बिये गये हैं, जिनको मैं यहा विस्तार-भय से उद्धृत नहीं कर सका हूँ। जिहासुओं को उक्त ग्रन्थ का अध्ययन करना चाहिये।

रस

रस पर कुछ कहने से पूर्व दृश्यकाव्य की उत्पत्ति के विषय में जो शब्द कह देना आवश्यक

१. ‘काव्यकर्मणि कवे सनाधि परं व्याप्रियते’ इति श्यामदेवः। ननन स्जान्ता सनाधिः। सनाधित्थ चित्तनर्थान्तरं पश्यति। ‘अन्यात्’ इति नइलः। अविच्छेदेन शीलवन्मन्यात्। सइि सर्व-गानो सर्वत्र निरविशय औशलनाधत्ते। सनाधिरान्तरः प्रयत्नो वाह्यत्त्वन्त्यालः। तावुभावधि शक्ति लक्ष्मिस्तयन। ‘सा केवल काव्ये हेतुः’ इति याचावरोचः। विप्रत्यक्षि ( दूरवर्तिनी ) सा प्रतिभा-व्युत्पत्तिन्त्यान्। शक्तिवर्तुके हि प्रतिभा व्युत्पत्तिकर्मणी। शक्तित्थ प्रतिभाति, शक्तिश्च व्युत्पद्यते या शब्दप्राननर्थसार्थनल्लहारतन्त्रनुक्तिनार्गनन्त्रपि तथाविधनधिहृदय प्रतिभात्पति सा प्रतिभा। अप्रतिभत्त्व पदार्थसार्थपरोक्ष इव, प्रतिभावत्त पुनरपश्यतोऽपि प्रत्यक्ष इव। सा द्विधा कारयित्री-भावयित्री च। कवेरनुवर्णागा कारयित्री। साऽपि त्रिविधा तइजाऽऽहार्यौपदेशिकी च। नवकल्यो-नुवर्णागा भावयित्री। सा हि क्वेः श्रननभिप्रायश्च भावयति। तथा लडु मत्तिनः क्वेर्वागान्तरः अन्यथा सोऽत्रकेशी त्याव !’ ( काव्यनीमाता )



सत्कार के लिये आगे आना अनुभाव है और हर्ष आदि सञ्चारीभाव हैं, क्योंकि यह बात सब आचार्यों को मान्य है कि नायिका का प्राक्तन प्रेमाचरण नायक के शोक को बाने वाला होता है। यहाँ एक बात विचारणीय यह है कि—यदि आलम्बन ( नायिका ) के नाश हो जाने से नायकनिष्ठ रति की प्रतीति नहीं हो सकती, ऐसा मानते हैं, तब आश्रय ( नायिका ) की विनाश-दशा में नायकनिष्ठ रति की प्रतीति भी कैसे होगी ? क्योंकि इन दोनों प्रकारों में विपमता-स्वीकार करने का कोई उपयुक्त कारण नहीं है। यदि ग्रन्थकार के द्वारा आगे प्रदर्शित की गई रीति के अनुसार स्मरण की गई नायकनिष्ठ रति को शोक का अङ्ग मानते हैं, तब तो स्मरण की गई नायकनिष्ठ रति को भी शोक का अङ्ग मानने में आपत्ति नहीं होनी चाहिये। मुझे तो ग्रन्थकार का आशय यह मालूम पड़ता है कि नायिक की मृत्यु के बाद नायक को नायिका का प्रेम ही स्मरण होता है, अपना प्रेम नहीं, यह समुचित भी है। कारण ? प्राणीमात्र स्वार्थ-पाश में बद्ध है उसे हर समय में अपना ही अभाव खटकता है, फिर उक्त स्थिति में नायक अपने प्रेम के विषय में क्यों सोचे ? जब कि वह अब भी अपने प्रेम का स्थान अनेक बना सकता है। हाँ, नायिका के प्रेम के विषय में वह अवश्य सोच कर सकता है—उसकी याद उसे जरूर आती है और सताती भी क्योंकि वह उसे इस जीवन में ही नहीं जन्मान्तर में भी मिलने को नहीं,—उसका अभासदा खटकता ही रहेगा। अनुभव भी प्रायः इसी तरह का है।

ननु नायकनिष्ठरतिरिदानीमविद्यमाना कथं शोकमुपस्कर्त्यादित्यत्राह—

न च नायिकाया नाशात् तद्गताया रतेरसन्निधानात् कथमङ्गतेति वाच्यम्  
सन्निधानस्याङ्गतायामतन्त्रत्वेन स्मर्यमाणायास्तस्या अङ्गत्वोपपत्तेः।

सन्निधान सन्निकर्षः सत्त्वमिति यावत् । अतन्त्रत्वं कारणत्वेनाविवक्षितत्वम् । नािकाया विनाशात् तन्निष्ठरतेरविद्यमानत्वेन शोकस्योपकारकत्वासम्भव इति च न वाच्यम्  
नायकनिष्ठरतेस्तत्कालमविद्यमानत्वेऽपि, स्मर्यमाणायास्तस्या नायकनिष्ठशोकोत्कर्षकत्वसम्भवादङ्गत्वस्योपपन्नत्वादित्यभिप्रायः ।

यदि आप कहें कि नायिका जब नष्ट हो गई, तब उसका प्रेम भी वर्तमान नहीं है, फिर वह शोक का अङ्ग कैसे हो सकता ? इसका समाधान यह है कि अङ्ग होने में विद्यमान रहना यहाँ अपेक्षित नहीं है, अतः स्मरण किया हुआ प्रेम भी शोक का अङ्ग हो सकता है। तात्पर्य यह है कि मूर्त्तपदार्थ का अङ्ग वर्तमान मूर्त्तपदार्थ ही हो सकता है, परन्तु यहाँ तो ऐसी बात नहीं है अर्थात् जहाँ एक प्रकार की भावना का अङ्ग अन्य प्रकार की भावना को होना है, फिर भावना का विषय वर्तमान रहे या अतीत दोनों बराबर है अर्थात् भावना जैसे वर्तमान की कीजा सकती है, वैसे अतीत की भी।

अन्यस्मिन्नङ्गव्यङ्गत्वमाप्तयो रसयोर्विरोधनिवृत्तिमुदाहरति—

अङ्गयोर्यथा—

तृतीय रस के अङ्गी रहने पर उसके अङ्गभूत विरुद्ध दो रसों का अविरोध, जैसे—  
राजानं चाटुकार कश्चिदभिदधाति—

‘उत्क्षिप्ताः कवरीभरं, विवलिताः पार्श्वद्वय, न्यक्कृताः;

पादाम्भोजयुग, रूषा परिहृता दूरेण चेलाञ्जनम् ।

गृह्णन्ति त्वरया भवत्प्रतिभट—द्दमापालवामभ्रुवां,

यान्तीनां गहनेषु कण्टकचिताः के के न भूमिरुहा ॥’

हे राजन् ! गहनेषु काननेषु, भवद्भिया पलायमानाना भवतो ये प्रतिभटा परिपन्थिन  
द्दमापालाभूमिपा, तेषा या वामभ्रुवोऽङ्गना, तासाम्, कवरीभरं केशपाशम्, उदूर्ध्वं क्षिप्ता  
उचीता सन्त, पार्श्वद्वयमुभे पार्श्वे, विवलितावक्त्रीकृता, पादाम्भोजयुगं चरणकमलद्वय,



रसस्य वाध्यत्वं निर्वक्ति—

बाध्यत्वं च रसस्य प्रबलैर्विरोधिनो रसस्याङ्गैर्विद्यमानेष्वपि स्वाङ्गे  
निष्पत्तेः प्रतिबन्धः ।

स्वाङ्गेषु स्वकीयव्यञ्जनोपयोगिष्वालम्बनादिषु, विद्यमानेषु प्रतीयमानेष्वपि, प्रबलैः परी  
पोषविशेष प्राप्तैः, विरोधिनो रसस्य, अङ्गैरालम्बनादिभिरुपकारकैः ( कर्तृभिः ) निष्पत्ते  
प्रस्तुतरसास्वादपरिपोषस्य, प्रतिबन्धोनिरोध एव रसस्य वाध्यत्वमित्यर्थः । परिपुष्टविरोधि  
रसाङ्गकर्तृकापुष्टाङ्गप्रस्तुतरसास्वादप्रतिबन्धनमेव रसस्य वाध्यत्वमित्याशयः ।

रस के वाधित होने का अर्थ यह है कि विरोधी रस के अङ्गों के प्रबल होने के का  
अपने अङ्गों के वर्तमान रहने पर भी अपनी ( वाध्य रस की ) अभिव्यक्ति का एक जान  
अर्थात् किसी रसके अभिव्यक्त होने की सामग्री ( आलम्बन आदि ) के प्रतीयमान होने  
भी, दूसरे रस की आलम्बन आदि सामग्री के प्रबल ( प्राप्त परिपोष ) होने के का  
उसके अभिव्यक्त न होने का नाम है रस का वाध्य होना ।

व्यतिरेकं दर्शयन् व्यभिचारिभावस्य वाध्यत्वं निर्वक्ति—

व्यभिचारिणो बाध्यत्वं तु तदीयरसनिष्पत्तिप्रतिबन्धमात्रात्, न त्वना  
व्यक्त्या, अभिव्यक्तौ बाधकाभावात् ।

तदीयस्तद्व्यभिचारिभावपोष्यो यो रसस्तस्य निष्पत्तेरास्वादस्य प्रतिबन्धादेव,  
रसवत् स्वकीयास्वादप्रतिबन्धात्, तदास्वादे बाधकाभावादित्यर्थः ।

रसस्य वाध्यत्वे तदास्वादाभावः, व्यभिचारिभावस्य वाध्यत्वे तु ततोप्यरसास्वाद  
इत्युभयोर्व्यतिरेकोऽवसेयः ।

व्यभिचारीभावों का वाध्य होना तो उसके द्वारा जिस रस की अभिव्यक्ति हा  
चाहिये थी, उसका एक जाना ही है, न कि व्यभिचारीभावों की ही अभिव्यक्ति का न  
होना, क्यों कि व्यभिचारीभावों की अभिव्यक्ति में बाधा डालने वाला कोई नहीं है। अर्थात्,  
रस के वाध्य होने पर उस रस का आस्वाद नहीं होता और व्यभिचारीभावों के वाध्य  
होने पर भी उनका आस्वाद होता ही है, परन्तु उन व्यभिचारीभावों से पोषित होने वाले  
रस का आस्वाद नहीं होता, यही रस और व्यभिचारीभावों की वाध्यता में भेद है।

ननु विरोधिरसाभिव्यक्त्या यथा प्रकृतरसास्वादस्य प्रतिबन्धः, तथैव व्यभिचारिभा  
वस्यापि स्वपोष्यरसविरोधिरसाङ्गभूतव्यभिचारिभावाभिव्यक्त्याऽभिव्यक्तिप्रतिबन्धं कुतो नेत्या  
शङ्कामपास्यति—

न च विरोधिरसाङ्गाभिव्यक्त्या प्रतिबन्धान्नाभिव्यक्तिरिति वाच्यम्, तद्व्य  
ञ्जकशब्दार्थज्ञानसमये विरोध्यङ्गाभिव्यञ्जकशब्दार्थज्ञानस्यासन्निधानात् प्रति  
बन्धप्रतिबन्धकभावकल्पने मानाभावात्, भावशबलताया उच्छेदापत्तेश्च ।

विरोधिनो रसस्य पोषकत्वादज्ञाना व्यभिचारिणामभिव्यक्त्याऽऽस्वादेन प्रतिबन्धाद्  
बाधाद्, नाभिव्यक्तिर्व्यभिचारिणामिति शेषः ।

तद्व्यञ्जकौ व्यभिचारिप्रत्यायकौ यौ शब्दार्थौ, तयोर्ज्ञानस्य समये स्थितिकाले असा  
धानाद् चिन्ष्टत्वात्, उभयो शब्दार्थज्ञानयो प्रतिबन्धप्रतिबन्धकभावस्य कल्पनाया प्रमाणा  
भावात् । किञ्च यदि भावज्ञानयो प्रतिबन्धप्रतिबन्धकभावस्य कल्पना स्यात्, तदा भाव  
शबलताया उच्छेदे आपद्येत, तत्रैकभावज्ञानस्यापरभावज्ञानप्रतिबन्धकत्वात् तदनुत्पत्ति  
प्रसङ्गात् । तस्मान्न व्यभिचारिभावाना बाध्यत्वं स्वकीयास्वादप्रतिबन्धात्, अपिपुष्ट स्वपोष्य  
रसास्वादाभावदिति सारम् ।



यदि आप कहें कि जैसे विरोधी रस की अभिव्यक्ति से प्रकृत रस की अभिव्यक्ति रुकती है, उन्हीं तरह विरोधी रसके अद्रभूत व्यभिचारीभावों की अभिव्यक्ति से प्रतिबन्ध जाने के कारण प्रकृत रस के व्यभिचारीभावों की अभिव्यक्ति क्यों नहीं रुक जायगी ? रस उत्तर यह है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अपेक्षा बुद्धि से अतिरिक्त सब ज्ञान दो प्रकृत रहते हैं, अतः जिन व्यभिचारीभावों की अभिव्यक्ति का प्रतिबन्ध आशङ्कनीय हो, उनके अभिव्यञ्जक शब्द और अर्थों का ज्ञान जिस क्षण में होगा, उस क्षणमें प्रतिबन्धक पद से स्वीकरणीय व्यभिचारीभावों के अभिव्यञ्जक शब्द और अर्थों का ज्ञान रहेगा ही नहीं, फिर दोनों ज्ञानों में प्रतिबन्ध-प्रतिबन्धक की कल्पना करने में कोई प्रमाण ही नहीं है। अर्थात् एक काल में रहने वाले दो ज्ञानों में ही एक दूसरे का प्रतिबन्ध (रुकने वाला) प्रतिबन्धक (रोकने वाला) हो सकता है। यहाँ तो दोनों ज्ञान एक काल में रहते ही हैं, अतः प्रतिबन्ध-प्रतिबन्धक भाव नहीं होगा। यदि आप कहेंगे कि ज्ञान के नष्ट हो जाने पर भी उनके सम्कार तो रहेंगे ही, अतः उन सम्कारों में ही प्रतिबन्ध-प्रतिबन्धक भाव की कल्पना करेंगे, तो यह भी ठीक नहीं क्योंकि एक तो उद्बोधक के रहने पर संस्कार का निबन्ध अनुभव-विप्लव है अर्थात् वह नहीं सकता है। दूसरी बात यहाँ कि सम्भव होने पर भी उस तरह के प्रतिबन्ध-प्रतिबन्धक-भाव की कल्पना नहीं करनी चाहिये, अन्यथा 'शय-शयलता' का उच्छेद ही हो जायगा क्योंकि एक पद्य में अनेक विरोधी भावों के होने का ही नाम है 'भावशयलता' और उक्त प्रतिबन्ध-प्रतिबन्धक भाव के मानने पर वह से दूसरे का प्रतिबन्ध हो जाने के कारण एक जगह अनेक विरोधी भाव अभिव्यक्त ही हो सकेंगे।

ननु यत्र रसेऽपि निष्पत्तिप्रतिबन्धे नाभूदित्याशङ्कानिराकरोति—

रसनिष्पत्तेः प्रतिबन्धस्त्वनुभवसिद्ध इति तां प्रत्येव विरोध्यज्ञाना बलवता-  
भिव्यक्तेः प्रतिबन्धकत्व न्याय्यम् ।

एवविरोधिरसादाभिव्यक्त्या रसाभिव्यक्तेः प्रतिबन्धस्तु सहदयानुभवसिद्धत्वात् प्रामा-  
ण्येन, तस्मात् बलवती विरोधिरसादाभिव्यक्तिर्विरोधिरसात्वादस्यैव प्रतिबन्धिका, न तु  
व्यभिचार्यासात्सादस्चेति भावः ।

यदि कहें कि तब रसाभिव्यक्ति का भी प्रतिबन्ध क्यों मानते हैं ? तो, इसका उत्तर यह है कि विरोधी रस के प्रबल अर्थों के रहने पर रसाभिव्यक्ति का प्रतिबन्ध (रुक जाना) अनुभव से सिद्ध है अर्थात् उस स्थिति में रसकी अभिव्यक्ति नहीं होती यह बात सबको अनुभूत है। अतः रसाभिव्यक्ति के प्रति प्रबल-विरोधी रसादर्थों की अभिव्यक्ति को प्रतिबन्धक मानते हैं और व्यभिचारीभावों की अभिव्यक्ति के प्रति उनको प्रतिबन्धक नहीं मानते, क्योंकि उनका प्रतिबन्ध अनुभव से सिद्ध नहीं है।

एतन् प्रथमान्तरेण रसविरोधनिवृत्तिं प्रतिपादयति—

अपे च यत्र साधारणविशेषणमहिम्ना चिन्द्वयोरभिव्यक्तिः, तत्रापि  
विरोधो निवर्तते ।

विरोधिरसत्प्रबलवत्प्रबलवत्त्वे, तुल्यानि नाशरणानि, यानि विशेषणानि, तेषा महिम्ना  
भावेन, तस्मात् विरोधोरपि रसोभिव्यक्तिः यत्राभिव्यक्तिः, तत्रापि तयोर्विरोधो निवर्तते ।  
तस्या तावन्धत्वेनेत्येतरप्रतीतिः सुतरानवच्छेदा त्यादित्यभिमानि ।

एव विरोध-निवृत्ति का एक और उपाय यतलाने है— 'अपे च' इत्यादि । जहाँ ममान  
विरोधों के द्वारा दो सिद्ध रस अभिव्यक्त हो जाते हैं, वहाँ भी उनका विरोध निवृत्त  
। जाता है।

उदाहरति—

यथा—

कश्चिद् राजान स्तौति ।

‘नितान्तं यौवनोन्मत्ता-गाढरक्ताः सदाहवे ।

वसुन्धरां समालिङ्गन्, शेरते वीर ! तेऽरयः ॥’

वीर नृपते ! नितान्तमत्यन्तं, यौवनेन तादृश्येन, उन्मत्ता उद्धता, सदा, आहवे बु-  
गाढ विक्षताङ्गताया विपुल रक्तं रुधिरं येषां, तादृशा, पक्षान्तरे गाढमत्यन्तं रक्ता श्रुणु-  
वसुन्धरा समरभूमिम् मृतत्वात्, पक्षान्तरे नायिका प्रणयात् समालिङ्गन् सम्यगुप-  
ते तव, अरयः शत्रवः, शेरते स्वपन्तीत्यर्थः ।

इह ‘यौवनोन्मत्ता’ ‘गाढरक्ता’ इत्यादिविशेषणवलादरिमरणप्रतीति प्रथमं कर्मण्य-  
भिव्यक्तिं पश्चाच्च शृङ्गाररसाभिव्यक्तिरिति साधारणविशेषणचलेन प्रतीयमानयोर्विरोधयोर्-  
करणशृङ्गाररसयोर्विरोधस्य निवृत्तिः ।

जैसे—हे ! वीर-राजन् ॥ जवानी से अत्यन्त उन्मत्त बने हुये और युद्ध में सर्वदा ब-  
के चत-विचत हो जाने के कारण अत्यधिक रुधिर-प्रवाह से युक्त, दूसरे पक्ष में अत्यन्त ब-  
रक्त आपके शत्रु लोग, मर कर गिर जाने से समर-भूमिको, दूसरे पक्ष में प्रणय से नायिका-  
सम्यक् रूप से आलिङ्गन-बद्ध करके सो रहे हैं । यह किसी कवि से की गई राजा की खु-  
है । यहाँ ‘यौवनोन्मत्त’ ‘गाढरक्त’ इत्यादि शत्रु-मरण-प्रत्यायक विशेषणों से पहले कर-  
रस की अभिव्यक्ति होती है, पश्चात् उन्हीं विशेषणों से शृङ्गार-रस की भी प्रतीति होती है ।  
इस तरह अन्यत्र विरुद्ध कहे जानेवाले करुण और शृङ्गारमें यहा विरोध इस लिये नहीं है  
कि वे दोनों ही यहा एकविध विशेषणों के द्वारा ही अभिव्यक्त हो जाते हैं ।

एवं रसानामविरोधप्रकारानुक्त्वा दोषान् वक्ति—

इत्थमविरोधसम्पादनेनापि निबध्यमानो रसो रसशब्देन शृङ्गारादिशब्-  
नाभिधातुमुचितः, अनास्वाद्यताऽऽपत्तेः । तदास्वादश्च व्यञ्जनामात्रनिष-  
इत्युक्तत्वात् ।

सामान्येन रसशब्देन, विशेषेण शृङ्गारादिशब्दैर्वा रसानामभिधया बोधनमनुचितत्वा-  
यतस्तथासति रसश्चमत्कारापकर्षादास्वादविधुर स्यात् । केवलव्यञ्जनावृत्तिबोध्यत्-  
रसाना चमत्कारकत्वम् । यथा गुडस्य रसनेन्द्रियमात्रसन्निकर्षेण प्रत्यक्षात्मक आस्-  
तथैव रसादेरपि व्यञ्जनयोपस्थापनेनैव । एतच्च ‘कथमपि वाच्यवृत्त्यनाल्लिखितस्यैव व्यञ्-  
चमत्कारित्वेनालङ्कारिकैः स्वीकारात् ।’ इत्यनेनात्रापि प्रागुपन्यस्तम् । ‘व्यभिचारि-  
स्थायिभावाना शब्दवाच्यता ।’ इत्यादिना काव्यप्रकाशे रसदोषप्रकरणौऽप्येतदेव प्रतिपादि-

‘निर्माय नूतनमुदाहरणानुरूपम्’ इत्यादिनाऽऽदौ ग्रन्थकृता कृता स्वकीयोदाहरण-  
प्रतिज्ञा प्रायो दोषमिध्या परित्यक्तेतिह तदुदाहरणद्वयमन्यदीयं क्रमेण दीयते—

‘तामनङ्गजयमङ्गलश्रियं, किञ्चिदुच्चभुजमूललोकिताम् ।

नेत्रयो कृतवतोऽस्य गोचरे, कोऽप्यजायत निरन्तर ॥’ इति ।

‘तामुद्वीक्ष्य कुरङ्गाक्षीं, शृङ्गारे मममन्तरम् ।’ इति च ।

अब रस दोषों का विवेचन करते हैं—‘इत्थम्’ इत्यादि । इस प्रकार विरोध का प-  
कर लेने के बाद भी वर्णनीय रसों का उल्लेख ‘रस’ शब्द अथवा ‘शृङ्गार आदि’ शब्द  
नहीं करना चाहिये, क्योंकि अभिधावृत्ति के द्वारा बोधित होने पर उन रसों में आस्वा-  
(चमत्कार) नहीं रह जाती । अतएव पहले भी कहा जा चुका है कि रस तभी आ-  
वन करने योग्य होता है, जब व्यञ्जनावृत्ति से उनका बोध होता है ।

रसाना व्यञ्जनया गम्यमानानामभिप्राया यो र्ने च क्षतिरित्याशङ्कयानाह—

यत्र विभाषादिभिरभिव्यक्तस्य रसस्य स्वशब्देनाभिधान, तत्र को दोष इति  
व्यङ्ग्यस्य वाच्यीकरणे सामान्यतो वमनाख्यदोषस्य वक्ष्यमाणत्वात् ।  
स्वशब्देन रसशब्देन चकारादिगच्छेन च । सामान्यतोऽविशेषात् । भुक्तस्योद्धरण-  
व्यपनागम्यस्य पुनरभिप्राया बोधनमिति वमनतुल्यत्वात्तदाख्या दोषस्य । ग्रन्थोऽयन-  
इत्यग्रस्य दोषस्यानिरूपणम् ।

व्यङ्ग्यस्य रसस्याभिप्राया बोधने वमनाख्यदोषापातात् वाच्यत्व नोचितमिति सारम् ।

जहा वाच्य विभाषादिको से अभिव्यक्त हुये रस का पुन रम अथवा शब्द आदि पदों  
लेप कर दिया जाय वहा कोन दोष होता है ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि व्यङ्ग्य को  
य यना देने पर 'वमन' नामक दोष होता है, जिसका वर्णन आगे किया जायगा ।  
लेप्य वचना-वृत्ति से ज्ञात अर्थ का पुन अभिधावृत्ति द्वारा ज्ञान करना, चाये हुये अत्र  
गलतने जसा है । अत एव इम दोष का 'वमन' यह नाम करण हुआ । खेद है कि अपूर्ण  
ज्ञान से ग्रन्थ मे इस दोष की चर्चा आगे नहीं हो सकी । अतिल व्यङ्ग्यों में होने वाला  
दोष सामान्य है ।

निरर्था नामान्वयेश्चोपपत्त्या विशेषदोष वक्ति—

आस्वाद्यताऽवच्छेदकरूपेण प्रत्ययाजनकतया, रसस्थले वाच्यवृत्ते कापेय-  
पत्वेन विशेषदोषत्वाच्च ।

रसस्य येन स्वेणास्वाद्यता भवति, तदास्वाद्यताऽवच्छेदक रूप वैयञ्जनमापरोक्षज्ञान-  
त्वम् । प्रत्ययाजनकतयाऽऽस्वाद्यजनकत्वाभावेन । वाच्यवृत्तेरभिधाया । कापेयकत्वत्वेन  
रसोपपत्त्यनुसृत्यत्वेन निरर्थक्येन । दोषविशेषो निरर्थक्य, तय 'न कुर्यान्निष्फल कर्म'  
शब्दिनाऽन्वय निषिद्धम् ।

प्रतिप्राया रसादीना शब्दप्रतीतिनात्र न तु लोकोत्तरचरनट्टारप्राण आस्वाद इत्यभिधाया  
स्वाद्यताऽवच्छेदकरूपेण रसाद्यास्वादजनकत्वान्नाद् रसादीना व्यङ्गयानामपि पुनरभिधया  
रसस्य चेष्टा कापेचेष्टेन निष्फलमिति निरर्थक्यरूपदोषविशेषोऽपीह सम्भवतीत्याकृतम् ।

रस-शब्दारादि पदों से रसों को वाच्य बना देने पर 'निरर्थकत्व' नामक विशेष दोष भी  
॥ हे रसों कि आस्वाद्यतावच्छेदक रूप से प्रतीति-जनक नहीं होने के कारण रस-स्थल  
अभिधा-वृत्ति का प्रयोग रसों की चेष्टा के जसे निरर्थक है । अभिप्राय यह है कि रस  
स्वाद्यतावच्छेदक रूप से प्रतीयमान हो कर ही चमत्कारी होता है और वह रूप है—  
अनावृत्ति के द्वारा अपरोक्ष ज्ञान का विषय होना, अत अभिधा वृत्ति से उसकी प्रतीति  
न पर भी चमत्कार उत्पन्न होता ही नहीं, फिर तो उस वृत्ति के द्वारा रसों की प्रतीति  
मे ही प्रयान व्यर्थ होगा ही । आस्वाद्यतावच्छेदक पद का स्पष्ट अर्थ इस प्रकार समझना  
दिने—रस आस्वाद्य होता है अत आस्वाद्यता उसमें रहती है और रस में रहने वाला  
रस नाम ( अलाधारण ) धर्म उस आस्वाद्यता का अवच्छेदक ( परिचायक ) होता है,  
पदा रूप अनिरूप-अपरोक्ष-ज्ञान विषयत्व अभिप्रेत है ।

दोषोऽयं प्रथम निरूप्य, द्वितीय तृतीय च निरूपयति—

एव स्थायि-व्यभिचारिणामपि शब्दवाच्यत्व दोष ।

एव स्थायि, स्थायिना व्यभिचारिणा न नामाना, शब्दवाच्यत्व रत्यादिशब्देर्हर्षादि-  
दोषोऽयं प्रथम निरूप्य, द्वितीय तृतीय च निरूपयति—

'रसस्योक्ति स्वशब्देन, स्थायित्वादिनापि ।' इति ।

तत्र स्थायिना स्वशब्दवाच्यत्व द्वितीय, व्यभिचारिणा तु स्वशब्दवाच्यत्वं दोष । इहापि पूर्ववद् व्यङ्ग्यत्व एवास्वादो न तु वाच्यत्वे । विशेषस्तु प्रदीपादवसेय

‘सम्प्रहारे प्रहरणं. प्रहाराणा परस्परम् ।

उणत्कारैः श्रुतिगतैरुत्साहस्तस्य कोऽप्यभूत् ॥’ इति पूर्वस्य ।

‘समीडा दयितानने सरुणा मातङ्गचर्माम्बरे,

सत्रासा भुजगे, सविस्मयरसा चन्द्रेऽमृतस्यन्दिनि ।

सेर्ष्या जङ्घसुताऽवलोकनविधौ, दीना कपालोदरे,

पार्वत्या नवसङ्गमप्रणयिनी दृष्टि शिवायास्तु वः ॥’

इत्यपरस्योदाहरणम्, पूर्वत्रोत्साहस्य स्थायिनः, अपरत्र व्रीडादीनां व्यभिचारिणं च स्वशब्देनोपादानात् ।

इसी तरह स्थायीभावों और व्यभिचारीभावों का भी नामोल्लेखपूर्वक वर्णन करना दोष है अर्थात् अभिधा-वृत्ति के द्वारा इन भावों का प्रतिपादन करने पर भी चमत्कार उत्पन्न नहीं होता, वरन् एक प्रकार का वैमुख्य ही श्रोता अथवा द्रष्टाओं को उत्पन्न होता है अतः ऐसा नहीं करना चाहिये ।

चतुर्थं पञ्चम च रसदोष निरूपयति—

एवं विभावानुभावयोरसम्यक् प्रत्यये, विलम्बेन प्रत्यये वा, न रसास्वाद इति तयोर्दोषत्वम् ।

असम्यक् प्रत्ययोऽस्फुटा प्रतीति । विलम्बेन प्रत्ययो वाच्यप्रतीतितृतीयक्षणा प्रतीति । तयोर्विभावानुभावविषयकास्फुटप्रत्यय-विलम्बितप्रत्यययोः । तदुक्तं महम्मतेन ‘कष्टकल्पनया व्यक्तिरनुभाव-विभावयोः ।’ इति । तत्र विभावा सम्यक् प्रत्यय-विलम्बितप्रत्यययोरेक एव चतुर्थ, अनुभावा सम्यक् प्रत्यय-विलम्बितप्रत्यययोस्त्वपर’ पञ्चमो रसदोष

परिहरति रतिं मतिं लुनीते, स्वलतितरा परिवर्तते च भूय ।

इति वत विषमा दशाऽस्य देह, परिभवति प्रसभ किमत्र कुर्म ॥’ इत्येकस्य,

‘कर्पूरधूलिधवलद्युतिपूरधौत-दिङ्मण्डले गिशिररोचिषि तस्य यून् ।

लीलाशिरौशुकनिवेशविशेषकृत्स्नि-व्यक्तस्तनोन्नतिरभूजयनावनौ सा ॥’

इति चापरस्योदाहरणम् ।

इसी प्रकार विभावों और अनुभावों का अच्छी तरह प्रतीत न होना अथवा विलम्बे प्रतीत होना दोष है, क्यों कि ऐसा होने से रस का आस्वादन नहीं होता ।

षष्ठं रसदोष निरूपयति—

समबल-प्रबल-प्रतिकूलरसाङ्गाना निबन्धनन्तु प्रकृतरसपोषप्रतीपिकमिति दोषः ।

समबलाना प्रबलाना वा प्रतिकूलस्य प्रकृतरसविरोधिनो रसस्याङ्गानां विभावादीना निबन्धनं निवेशनम्, प्रकृतरसस्य य पोष पुष्टिस्तस्य सुन्दोपसुन्दन्यायेन, मत्स्यन्यायेन वा प्रतीपिक प्रतीप शत्रुस्तत्कार्यस्य सम्पादकमिति हेतोर्दोष इत्यर्थः ।

विरोधिरसाङ्गाना दुर्बलाना वाध्यतया निबन्धनन्तु न दोष, किन्तु गुण एव—‘विवक्षिं से लब्धप्रतिष्ठे तु विरोधिनाम् । बाच्यानामङ्गभाव वा प्राप्तानामुक्तिरच्छला ॥’ इति ध्वन्यकै, ‘सञ्चार्यादेर्विरुद्धस्य वाध्यत्वेन वचोगुणः ।’ इति दर्पणे च दर्शनात् । उदाहरणन्तु—

‘मानं माकुर्व तन्वङ्गि । ज्ञात्वा यौवनमस्थिरम् ।’ इति श्लेषम् ।

या जिन रम का वर्जन करना कवि को इष्ट हो उस प्रस्तुत रम के विरोधी रमों के ट ( प्रस्तुत रम के अर्द्धों की अपेक्षा लाना चलवाले ) अथवा प्रचल ( प्रस्तुत रम के ही अपेक्षा अधिक चल वाले ) अर्द्धों ( विभावादिर्द्धों ) का वर्जन करना दोष है, क्योंकि नून रम के परिष्कार में बाधक होते हैं ।

न रमदोष निरूपयति—

प्रमथे प्रकृतस्य रसस्य प्रमथान्तरेण विच्छिन्नस्य पुनर्दीपने सामाजिकाना  
 नामप्रयेण रसास्वाद्य इति विच्छिन्नदीपन दोष ।

प्रमथ न दितनानावाक्यमनुदाय, न च ग्रन्थरूपस्तद्वान्तरप्रकरणरूपमथेति प्रदीप-  
 नादिते नन्दर्भदोषे, स्वमानप्रोत्पन्ने परिपोषं प्राप्त्य, प्रमथान्तरेणावान्तरिकान्यविषय-  
 ज्ञान, विच्छिन्नस्य तद्वान्तरप्रवाहस्य रसस्य, पुनर्दीपने भूयोभूयःप्रमथने तानाजि-  
 त मचेतना, नामप्रयेण नादन्त्येन रसास्वादो न भवतीति हेतौ विच्छिन्नस्य रसस्य  
 दीपने दोष । तथा हि—परिपोष गतस्यापि पौनःपुन्येन दीपनम् ॥ रमन्त्य स्याद्  
 'पथ' इति धन्वालोके, 'उपभुलो हि पुनरुपभुज्यमान उपभुज्जुमुनपरिमल इव सद्द-  
 ानान्वादापकर्ष' इति प्रदीपदोषोक्तदोष प्रतिपादितम् ।

उदाहरणम्—कुमाररमन्भवचतुर्थमर्गे रतिविलापप्रकरणे 'अथ नोदपरायणा नती,  
 मा यमवधूचोषिता ।' इत्यादिमन्दर्भोदाहो दीपितस्य, 'अथ ना पुनरेव विडला  
 प्साड्डविभूतरस्तनी ।' इत्यादिना मध्ये दीपितस्य, वसन्तदर्शनप्रस्तावेनावान्तरे  
 निजप्रनादन्य कदास्य कदाविप्रलम्बस्य वा रसस्य 'तमवेद्य वदोद सा वृशम्'  
 तदिना पुनर्दीपन दोष । अथमानमेव शश्वदीपने दोष, अत्रिरसस्य तु शान्तस्य  
 (आगतोदाहो, कदास्य रानायनाहो च पुनःपुनर्दीपने नास्वादापकर्ष, प्रस्तुत परिपोष  
 इति प्रदीपलम्बनम् ।

किन्ती भी प्रमथ ( परस्पर अन्विन वाक्यसमूहात्मक ग्रन्थ अथवा उसका अन्तरे  
 रम ) में जिन रम का वर्जन चल रहा हो, उसका यदि एक बार किसी भी प्रसङ्गान्तर  
 ( दूर परमत्र से ) विच्छेद हो जाय, तब पुन आगे उसका दीपन करने से-विच्छिन्न  
 या को द्वारा उठाने से- 'विच्छिन्न दीपन' नामक दोष होता है, क्योंकि मध्य में विच्छेद  
 जाने से प्रस्तुत रमका आस्वादन सहृदयों को पूर्ण रूप से नहीं होने पाता । यहा  
 शंकर सा नन है कि अन्नभूत रमों का ही पुनः पुनः दीपन दोष है, अन्नी रमों का नहीं,  
 गै कि अन्नी रमों का पुनः पुनः दीपन करने पर भी आस्वाद में किसी तरह की कमी नहीं  
 ती, यन् परिपुष्टि ही होती है अत एव महाभारत आदि में शान्त रस का और रानायन  
 दि में कदा रम का पुनः पुनः दीपन किया गया है ।

रम नान च रमदोष निरूपयति—

तथा नान्तरप्रस्तावनानर्हेऽवसरे प्रस्ताव, विच्छेदानर्हे च विच्छेदः ।

'रहाते प्रमथेदो' इति दर्पणोक्ते सद्दशानुभावच रमाना प्रस्तावाद्योग्येऽवसरे  
 नान्तरप्रस्तावदोष, तथा विच्छेदाद्योग्येऽवसरे विच्छेदश्च नान्तरप्रमथ रमदोष ।

इसी तरह जहा जिन रम का प्रस्ताव नहीं करना चाहिये, वहा उन रम का प्रस्ताव  
 रना रै जहा जिन रस का विच्छेद नहीं करना चाहिये, वहा उन रम का विच्छेद रर  
 ना दोष है ।

रम नान्तरप्रस्तावदोष—

रम—

रमन्वादन-देवयजनादिधर्मवर्णने प्रसक्ते कथाऽपि जामिन्या सह कस्य-  
 च्छु कस्यानुरागवर्णने ।

यथा च—

समुपस्थितेषु महाहवदुर्मदेषु प्रतिभटेषु, मर्मभिन्दि वचनान्युद्गिरत्सु, नायकस्य सन्ध्यावन्दनादिवर्णने चेत्युभयमनुचितम् ।

प्रसक्तं श्रौचित्यात् प्राप्ते । महाहवदुर्मदेषु विकटयुद्धोद्धतेषु । प्रतिभटेषु प्रतिकूलयोधेषु । मर्मभिन्दि मर्मस्पृक्तया हृदयविदारकाणि ।

सन्ध्यावन्दनेत्यादिना प्रथमस्य, समुपस्थितेष्वित्यादिना च द्वितीयस्य दोषस्योदाहरणं दर्शितम् । पूर्वत्र शृङ्गारस्यानवसरे प्रस्ताव । उत्तरत्र तु वीरस्य रौद्रस्य वाऽनवसरे विच्छेद-जैसे—सन्ध्या-वन्दन, देव-पूजन आदि धर्म-वर्णन के प्रस्तुत रहने पर, किसी कामिनी के साथ किसी कामुक का प्रेम-वर्णन अनुचित होने पर भी यदि कर दिया जाय, तो वह दोष होगा । और मर्म भेदी वचनों को बोलते हुये विकट-युद्ध-मद-मत्त, शत्रु-योद्धाओं के उपस्थिति में नायक के सन्ध्या-वन्दन आदि का वर्णन भी अनुचित होने से दोष है । यह प्रथम उदाहरण में शृङ्गार का अनवसर में प्रस्ताव हुआ है । द्वितीय में वीर अथवा रौद्र का अनवसर में विच्छेद कर दिया गया है ।

दशमं रसदोषं निरूपयति—

एवमप्रधानस्य प्रतिनायकादेर्नानाविधानां चरितानामनेकविधायश्च सम्प्रतिनायकसम्बन्धिभ्यस्तेभ्यो नातिशयो वर्णनीयः ।

नायकस्य प्रतिकूल प्रतिनायकः तेभ्यश्चरितादिभ्यः ।

नायकचरितादि-सम्पदपेक्षया प्रतिनायकचरितादि-सम्पद्वर्णनमधिकं न विषेयमतेषामङ्गत्वात्तदतिविस्तृतेर्निषिद्धत्वात् । तदुक्तं भट्टमम्मटेन—‘अङ्गस्याप्यतिविस्तृतिः’ इति इसी प्रकार जिसका प्रधानतया वर्णन करना अभीष्ट नहीं रहता, उस प्रति नायक आदि के नाना प्रकार के चरित्र और अनेक प्रकार की सम्पत्तियों की, नायक (प्रधान व नीय) के चरित्र और सम्पत्तियों से, अधिकता का वर्णन नहीं करना चाहिये ।

ननु तथा वर्णने का हानिरित्यत आह—

तथा सति वर्णयितुमिष्टो नायकस्योत्कर्षो न सिद्ध्येत् ।

नायकचरिताद्यपेक्षया प्रतिनायकचरिताद्यधिकवर्णने विहिते सति, नायकस्यापि प्रतिनायकस्य चोत्कर्षं सिद्ध्येदिति सारम् ।

वैसा करने पर नायक का वह उत्कर्ष सिद्ध नहीं हो सकेगा, जिसका वर्णन करना ही है । अर्थात् प्रतिनायक का ही उत्कर्ष सिद्ध होगा, जो अभीष्ट नहीं है ।

तावता का क्षतिरित्याशङ्कयामभिदधाति—

तत्प्रयुक्तो रसपोषश्च न स्यात् ।

तत्प्रयुक्तः प्रतिनायकोत्कर्षप्रतीतिनिमित्तकः ।

प्रतिनायकोत्कर्षवर्णनस्य प्रकृतरसास्वादविच्छेदकत्वाद्दोषत्वमिति तात्पर्यम् ।

और प्रतिनायक-गत-उत्कर्ष की प्रतीति होवे पर भी तत्प्रयुक्त रस की पुष्टि नहीं होगी पुनश्चाङ्कते—

न च प्रतिनायकोत्कर्षस्य तदभिभावक-नायकोत्कर्षाङ्गत्वात् कथमवर्णनं यत्त्वमिति वाच्यम् ।

तदभिभावकस्य प्रतिनायकपराभवकारकस्य ।

विजेयोत्कर्षो हि वर्णितो विजेतुरुत्कर्षमेव प्रत्याययतीति प्रतिनायकोत्कर्षवर्णनं प्रकृतेऽङ्गमेव, ततस्तस्य कथमवर्णनीयत्वमिति शङ्कापक्षाभिप्रायः ।

है, क्योंकि दृश्यकाव्य के माध्यम से ही मुझे रस का विवेचन करना है और ऐसा इसलिये करना है कि दृश्यकाव्य के द्वारा ही रस का अनुभव स्पष्टरूप से किया अथवा कराया जा सकता है।

हार्दिक आनन्दातिरेक के सञ्चक बच्चों के खेल-कूद ही दृश्यकाव्य की उत्पत्ति के मूल हैं वच्चे जब किसी दृष्ट वस्तु की प्राप्ति करते हैं अथवा जब उनके किसी अनिष्ट का जिस किसी तरह निवारण होता है, तब उनके हृदय में आनन्द की बाढ़ सी आ जाती है, उस आनन्द की बड़ी बाढ़ को वे अपने छोटे हृदय-सरोवर में केन्द्रित नहीं कर पाते। फलतः वह आनन्द हृदय से बाहर आकर उनके अङ्ग-अङ्ग में फूट पड़ता है और वे उछल-कूद मचाने लगते हैं, आनन्द के इस प्रदर्शन में उन आनन्दित बच्चों से सहानुभूति रखने वाले दूसरे बच्चे भी सम्मिलित हो जाते हैं। बच्चों का यह आनन्द-प्रदर्शन ( उछल-कूद ) बड़े अभिभावकों को भी रुचिकर ही प्रतीत होता है।

जब लोगों ने इस तरह के आनन्द-प्रदर्शन के दर्शन से अपना मनोरञ्जन होते देखा, तब कुछ जागरूक और कल्पना-शील हृदय वालों ने इस मनोरञ्जक साधन का अनुकरण करके मनोरञ्जन करने की परिपाटी चलाई। पीछे उस युग के कवियों ने इस सम्बन्ध में कुछ और अधिक सोचकर यह तय किया कि यदि इन अनुकृत उछल कूदों के साथ तदनुकूल वाणी भी रहे तो लोगों का और अधिक मनोरञ्जन हो सकता है। इस निष्कर्ष के अनुसार वे अतीत अथवा वर्तमान कल्पित किंवा सत्य घटनाओं को पद्यबद्ध करके उनका अनुकरण करने-कराने लगे जो वस्तुतः मूल अनुकरण से अधिक रोचक सिद्ध हुआ। आज भी उस तरह के अनुकरणात्मक पद्यबद्ध खेल ग्रामों में यत्र तत्र दृष्टि-गोचर होते हैं।

उन्हीं अनुकरणों का नाम पीछे आकर 'अभिनय' पड़ा। जिस पर पश्चात् अनेक पुस्तकें लिखी गईं, उसके अनेक भेद ( आङ्गिक, वाचिक आदि ) किये गये। इस तरह हमें मानना पड़ता है कि उन्हीं अभिनयों के विकसित रूप आज के दृश्यकाव्य ( नाटक, ड्रामा आदि ) हैं।

प्रारम्भ में उद्घापोह वाले शिक्षित जन उन अभिनयों से आनन्दान्वित होकर यह सोचने के लिये अन्तःकरण के द्वारा विवश किये गये कि नाटकीय वस्तुओं में वह कौन सी वस्तु है जिसमें यह आनन्द छिपा रहता है।

उन तर्कशील मानवों की गवेषणा का विषय वह आनन्द ही साहित्यिक परिभाषा में 'रस' कहा जाता है, क्योंकि व्याकरण की प्रक्रिया के अनुसार 'रस' शब्द का अर्थ होता है वह वस्तु-विशेष जिसका आस्वादन किया जा सके<sup>१</sup>।

बहुत कुछ सोचने विचारने के बाद उन तर्कशील मनुष्यों ने पहले यह तय किया कि नद अथवा नदी को अभिनय करते देख कर जिस प्रेमी अथवा प्रेमिका का स्मरण दर्शकों को हो आता है और उन स्मृतिपथारूढ प्रेमी-प्रेमिकाओं के बार-बार अनुसन्धान करने से एक प्रकार का आनन्द अनुभूत होने लगता है, वह प्रेम का आलम्बन साहित्यिक परिभाषा में विभाव ही 'रस' है। तदनुसार कुछ दिनों तक यह स्थूल सिद्धान्त प्रचलित रहा कि 'आस्वाद्यमान विभाव ही रस है'<sup>२</sup>।

कुछ दिनों के बाद लोगों की विचार-धारा में परिवर्तन हुआ, उक्त सिद्धान्त असंगत प्रतीत

१ 'रस्यते=आस्वाद्यते इति रस'।

२ 'भाव्यमानो विभाव एव रस'।

यदि आप का कि प्रतिनायक के उत्कर्ष ( विजेय ) का वर्णन उसको परास्त करनेवाले विजेता ) नायक के उत्कर्ष का अङ्ग ( पोषक ) ही होता है अर्थात् विजेय के उत्कर्ष का जिन विजेता के उत्कर्ष की ही प्रतीति कराता है—फिर आप प्रतिनायकोत्कर्ष-वर्णन को क्यों अनुचित कहते हैं ?

उत्तरयति—

यान्शस्य प्रतिनायकोत्कर्षवर्णनस्य तदभिभावकनायकोत्कर्षाङ्गतासम्पादकत्वं तान्शस्येष्टत्वात् । तद्विरोधिन् एव निषेध्यत्वात् ।

प्रतिनायकोत्कर्षस्य यावत् वर्णन विजेतृनायकोत्कर्षरूपोपकारकत्वादात्मेव, तावत् निषिध्यते, किन्तु ह्यप्रारम्भे—प्रतिनायकस्य ह्यप्रारम्भस्य जलज्जंटादिवर्णनमिव यन्नायकोत्कर्षरूपकारक, तमेव निषिध्यत इति नारम् ।

उक्त शब्दा का उत्तर यह है कि—प्रतिनायक के उत्कर्ष का जैसा वर्णन विजेता नायक के उत्कर्ष का उपकारक अङ्ग-पोषक हो सके, वैसे वर्णन हमें हृष्ट है—स्वीकृत है—निषेध तो उसी प्रतिनायकोत्कर्ष-वर्णन का किया गया है, जो नायक के उत्कर्ष का विरोधी हो ।

अब प्रतिनायकोत्कर्षस्य नर्वर्णन वर्णन नायकोत्कर्षस्य नाधकमेव, विजेतोत्कर्षस्य नर्वर्णन विजेतरे न्यक्त्वात् तो दोष इत्याशयाने—

न च प्रतिपक्षस्य प्रकृतापेक्षया वर्धमानोऽप्युत्कर्षे स्वाश्रयन्तृतामात्रादेव प्रकृतगतमुत्कर्षमतिशयायेत्, अतो न दोषवत् इति वाच्यम् ।

प्रतिपक्षस्य प्रतिनायकस्य । प्रकृतो वर्धमानो नायकः । स्वम्, उत्कर्षं, तस्याश्रयो च प्रतिनायकः तस्य तन्तृतामात्रात् नरकमं रहननं कृत्वायेत् । मात्रशब्देन प्रस्तुतवैषम्यव्यावृत्तिः । प्रतिनायकोदतिशयिते कुर्यात् वर्धयेदित्यनर्थान्तरम् ।

प्रतिनायकस्य वर्धमानं नरोऽप्युत्कर्षं केवलं तस्याय हन्तेतिहेतोर्नायकस्योत्कर्षं यतो वर्धयति, तस्मात् तस्य दूषयति इति शङ्कितुं गकृतम् ।

यदि आप क्यों कि उक्त उत्तर में जो आप ने 'यादृश तादृश'—'जैसा वैसा'—निवेश किया है, वह ठीक नहीं, क्योंकि प्रतिनायक ( विजेता ) का उत्कर्ष किसी भी तरह—अधिक से अधिक भी वर्णन क्यों न हो, वह ( उत्कर्ष ) अपने आश्रय ( प्रतिनायक ) को मारने वाले नायक के उत्कर्ष को ही बरखादेगा, अर्थात् उच्छेद को मारने वाला—जीतने वाला—और अधिक उच्छेद मिट्ट होगा अतः वैसासमन्त वर्णन दोषाधारक नहीं होता यही कहना चाहिये ।

निगमयति—

एव हि नति महाराज कमपि विपकारजेपमात्रेण व्यापादितवतो वराहस्य शररन्ध्रेण प्रकृतस्य नायकस्य न कोऽप्युत्कर्षं न्यादिति ।

वराहस्य विजयामिमुक्तहोन्तता धोन्तत् । नारस्य सुविभजनीयस्य 'सुख' इति प्रसिद्धस्य धनेचरस्य । इति शब्दो वेदार्थः ।

यदि महाराज ने मारने वाले वराहस्य को तब निजो विजयामिमुक्तहोन्तता धोन्तत् । नारस्य सुविभजनीयस्य 'सुख' इति प्रसिद्धस्य धनेचरस्य । इति शब्दो वेदार्थः ।

उक्त शब्दा का उत्तर देने हैं— नारस्य इति शब्दः । अभिभावकत्वात् कि उच्छेद को किसी प्रकार से मार देने वाला उसने ( सुख से ) तब उच्छेद मिट्ट होगा है, वह बात ठीक नहीं क्योंकि क्योंकि यदि वैसी बात हो, तब तो किसी भी महाराज का जो पर उच्छेदने वाला से मार देने वाला आधारक भी भी उस महाराज से उच्छेद मिट्ट हो जाय, परन्तु वैसा होगा नहीं । उसी तरह यदि नायकोत्कर्ष-वर्णन ही वैसा प्रतिनायकोत्कर्ष-वर्णन—यथा यथा पर कर दिया जाय, तब भी वह भी उच्छेद मिट्ट होगा कि नायक को नायक से मार दिया, यद्यपि उसने नायक को मार भी



एकादशं रसदोषं निरूपयति—

तथा रसालम्बनाश्रययोरनुसन्धानमन्तराऽन्तरा न चेद्, दोषः ।

रसस्य यदालम्बन यश्चाश्रय, तयो रत्युपकारकतयाऽङ्गिभूतयो-रन्तराऽन्तरा मध्ये मध्यम-  
अनुसन्धानमन्वेपणलक्षणं स्मारकमुपादान, चेद् यदि, न स्यात्, तदा तद्दूषणमित्यर्थः  
तदुक्तम्—‘अङ्गिनोऽनुसन्धानम्’ इति ।

इह पूर्ववाक्यघटको यद्यर्थकश्चेच्छब्द उत्तरवाक्ये तच्छब्दोपादानं बलवदपेक्ष  
इत्यनुसन्धेयम् ।

अब ग्यारहवें रस दोष का उल्लेख करते हैं—‘तथा’ इत्यादि । इसी प्रकार रस के आ-  
लम्बन और आश्रय का यदि मध्य मध्य में अनुसन्धान न हो, तो दोष है ।

अङ्गयननुसन्धानस्य दूषकतामुपपादयति—

तदनुसन्धानाधीना हि रसप्रतिपत्तिधारा, तदननुसन्धाने विरता स्यात्

रसस्य प्रतिपत्तिधाराऽऽस्वादप्रवाह, हि यत्, तदननुसन्धानाधीनाऽऽलम्बनाश्रयानुसन्धान-  
प्रयोज्या, अतस्तयोरनुसन्धाने विस्मरणो, विरता विच्छिन्ना, स्यात्, तस्मात् त-  
दूषण रसस्येत्यर्थः ।

उक्त दोष के होने में युक्ति बतलाते हैं—‘तदनु’ इत्यादि । तात्पर्य यह है कि रसास्वाद-  
धारा आलम्बन और आश्रय के पुनः पुनः अनुसन्धान के ही अधीन है, अतः यदि उ-  
अनुसन्धान बीच-बीच में न होगा तो रसास्वाद-धारा विच्छिन्न हो जायगी ।

द्वादशं रसदोषं निरूपयति—

एव प्रकृतरसानुपकारकस्य वस्तुनो वर्णनमपि, प्रकृतरसविरामहेतुत्वाद् दोषः

प्रकृतरसविरामहेतुत्वादिति दूषकताबीजनिर्देशः । विरामो विच्छेदः ।

प्रस्तुतरसस्य यदनुपकारक तद्वर्णनेन प्रस्तुतरसास्वादधाराया विच्छेदात् तस्य  
दोषत्वमित्यर्थः । तदुक्तम्—‘अनङ्गस्य च कीर्तनम्’ इति ।

अब बारहवें दोष का उल्लेख करते हैं—‘एवम्’ इत्यादि । इसी तरह जिस वस्तु का व-  
प्रस्तुत रस का उपकारक न हो, उसका वर्णन भी एक रस-दोष है, क्योंकि उस तरह  
वर्णन भी प्रस्तुत-रसास्वाद धारा को समाप्त कर डालता है ।

त्रयोदश रसदोषं निरूपयति—

अनौचित्यं तु रसभङ्गहेतुत्वात् परिहरणीयम् ।

अनौचित्यं रसास्वादोपयोगिपदार्थसार्थनिष्ठम् । तुशब्दोऽस्य प्रकारान्तरान्त-  
व्यवच्छिन्नन्ति । रसेत्यादिना दूषकताबीजनिर्देशः । रसास्वादव्याघातकारणत्वादौचित्य-  
इति सारम् ।

जो बातें अनुचित हैं, उनका वर्णन रसभङ्ग का कारण होता है, अतः वह स-  
स्याज्य है ।

रसस्य मूर्त्तत्वाभावादासम्भवाद् भङ्गपदार्थमाचष्टे—

भङ्गश्च पानकादिरसादौ सिकतादि-निपातजनितेवारुन्दुता ।

सिकता बालुका । अरुन्दुता मर्मच्छेदिताऽप्रियतेति यावत् ।

यथा पानकरसास्वादस्य बालुकापातो विघातकृत्, तथैवानौचित्यमत्रापि रस-  
स्वादविघात एव भङ्ग इत्याशयः ।

रस तो कोई मूर्त पदार्थ है नहीं, फिर उसका भङ्ग क्या ? इस सन्देह की निवृत्ति  
लिये ‘भङ्ग’ पद की व्याख्या करते हैं—‘भङ्गश्च’ इत्यादि । जिस तरह शरबत आदि

म्बु में गान्धुका आदि के पट जाने से वह गटकने लगना है, उसी तरह रम के आस्वाद में गटकने को रम का भङ्ग कहते हैं ।

अनौचित्य विवृणोति—

तत्र ज्ञानि-देश-काल-वर्णा-श्रम-वयो-ऽवस्था-प्रकृति-व्यवहारादेः प्रपञ्च-ज्ञानस्य तस्य तस्य, यन्लोक-शास्त्रसिद्धमुचितद्रव्य-गुण-क्रियादि, तद्भेद ।

तदनुचित्यम् । चम्पयै । वयोऽवस्थाभेद प्रागेव निगदित । व्यवहार समुदाचार । पञ्चज्ञानस्य सामारिकस्तुव्यूहस्य ( जात्यादिरूपस्य ) ।

अन्य ज्ञानि-देश-कालादेर्यद् द्रव्य-गुण-क्रियादिलोकत शास्त्रतथ सिद्धत्वादुचितं, तन्मनौचित्यमिति ।

अनुचित होने का तात्पर्य यह है कि जिन जिन ज्ञानि, देश, काल, वर्ण, आश्रम, मन्या, चमार और व्यवहार आदि सामारिक पदार्थों के विषय में जो जो लोक और शास्त्र में सिद्ध तथा उचित द्रव्य, गुण अथवा क्रिया आदि हैं, उनसे भिन्न होना ।

अनौचित्यगुणानुचिति—

ज्ञान्यादेरनुचित यथा—गवादेन्तेजोबलकार्याणि पराक्रमादीनि, सिंहादेश्च राधुभागादीनि । स्वर्गे जराव्याध्यादि, भूलोके सुधासेवनादि । शिशिरे जल-पेनारादीनि, ग्रीष्मे वह्निमेवा । ब्राह्मणस्य भृगया, बाहुजस्य प्रतिग्रहः, शूद्रस्य नगमाध्ययनम् । ब्रह्मचारिणो यनेश्च ताम्बूलचर्वणम्, दारोपसंग्रह । बालवृद्धयोः शीमेधनम्, चूनश्च विरागः । दरिद्राणामाढ्याचरणम्, आढ्यानां च दरिद्राचार ।

अनुचित ज्ञानिदिरित्यादिना, देशानुचित स्वर्ग रत्नादिना, कालानुचित शिशिर-तापदिना, वर्णानुचित ब्राह्मणेत्यादिना, आश्रमानुचित ब्रह्मचारीत्यादिना, वयोऽनुचितं ज्येष्ठादिना, व्यवहारानुचित च दरिद्रेत्यादिना विवृतम् ।

जा भागे गवाग्निदार्जाम् । भृगया पशुपतिर्हिमाऽऽद । बाहुज क्षत्रिय । निगमो-द । वणि चन्ताना । दारोपसंग्रह पत्नीपरिचय । अदयो मनी, तदाचरण विपुलव्य-दि । अथ सर्वे तदनुचित्ये स्मभङ्गकारणतया दूषणम् ।

अन्य ज्ञानि आदि के अनुचित बातों का कुछ उदाहरण दिया जाता है—'स्वर्ग' दे 'द्रव्यादि । ज्ञानि-विरुद्ध जैसे—रत्न, माय आदि के तेज और रत्न के कार्य, पराक्रम आदि एवं मिह आदि का र्थाधार आदि । देश-विरुद्ध जैसे—स्वर्ग में वृद्धत्व, रोग प्रभृति और भूतल पर गृह-पात प्रभृति । काल-विरुद्ध जैसे—शीतकाल में जल-विहार प्रभृति और गर्मी के रों में शि-मेधन प्रभृति । वर्ण-विरुद्ध जैसे—ब्राह्मणों का निकर खेलना, पत्रियों का गलेगा और शूद्रों का घेद पढ़ना । आश्रम-विरुद्ध जैसे—ब्रह्मचारी और मन्यामियों का गृह-परचना और स्त्री को स्वीकार करना । अवस्था-विरुद्ध जैसे—बच्चे तथा वृद्धों का र्था-मन और युवकों का वंशानी होना । इसी तरह दरिद्राणा धनिकों के साथ और धनिकों दरिद्रों के साथ आचरण ।

अनुचित विचित्र प्रकृतिभेदनाह—

प्रद्वययो दिव्या, अदिव्या, दिव्यादिव्याश्च धीरोदात्त-धीरोद्धत-धीरललित-रजान्ता उन्मात्-कोध-कामिनीरति-निर्वेदप्रधाना उचमनाधमा-धमाश्च ।

अनुचित मानसप्रवृत्त—वेदा विनीये नभुरन्त्याना एव विवृताह । एतदेव तेषाम्नां स्वप्ना विद्यते एव । बुद्धु-स्वा-स्त्री-पुत्र-पुत्र-मानस्य एते एतां नाशस्तुष भवितु । इति अन्वयः ।

देवैकरूपा इन्द्रादयः, अदिव्या मानवैकरूपा माधववत्सराजादयः, दिव्यादिव्या देवा आं मानवरूपेणावतीर्णा राम-कृष्णादय इति प्रथमं त्रिविधा । ते च—'महासत्त्वोऽतिगम्भी क्षमावानविकल्पन । स्थिरो निगूढाहङ्कारो धीरोदात्तो दृढव्रतः ।' 'मायापर' प्रचण्डधूपले हृद्धारदर्पभूयिष्ठः । स्थेयान् निगूढमानो धीरैर्धीरोद्धत कथितः ।' 'निश्चिन्तो धीरललि कलासक्त सुखी मृदुः ।' 'सामान्यगुणैर्भूयान् द्विजादिकोधोरशान्तः स्यात् ॥' इति लक्ष्मि उत्साहप्रधानधीरोदात्त-क्रोधप्रधानधीरोद्धत-कामिनीरतिप्रधानधीरललित-निर्वेदप्रधानधीर शान्ता इति प्रत्येकं चतुर्धा, पुनरुत्तम-मध्यमा-धमत्वैस्त्रिविधा इति सङ्कलनया पट्टत्रि त्प्रकृतयो बोध्या । शृङ्गाररसेत्वनुकूल-दक्षिण-धृष्ट-शठत्वैः प्रकृतीना चतुर्विधत्वमाकलयन् नान्यिकाप्रकारसङ्कलना तु मदीयरसमञ्जरीसुरभेरवसेया ।

अथ प्रकृति (स्वभाव) विरुद्ध का उदाहरण दिखलाने के क्रम में पहले प्रकृति विभाग करते हैं—'प्रकृतयो' इत्यादि । अलङ्कार शास्त्र के अनुसार तीन प्रकार की प्रकृति (नायक की) होती है—कुछ दिव्य (देवतारूप इन्द्र आदि), कुछ अदिव्य (मनुष्य दुष्यन्त आदि) और कुछ दिव्यादिव्य (जो स्वर्गीय होने पर भी मनुष्यरूप में अथ राम, कृष्ण आदि) होते हैं । इसी तरह उन प्रकृतियों के दूसरे भेद भी होते हैं, जैसे धीरोदात्त नायक, जिनमें उत्साह की प्रधानता रहती है, धीरोद्धतनायक, जिनमें क्रोध प्रधानता होती है, धीर ललित नायक, जिनमें स्त्रीविषयक प्रेम की प्रधानता होती है, धीरशान्त नायक, जिनमें वैराग्य की मुख्यता होती है । इस प्रकार नायक के बारह हुये, फिर उत्तम, मध्यम और अधम नामक तीन भेद और मान लेने से उक्त बारह छत्तीस हो जाते हैं ।

प्रकृत्यनौचित्ये प्रथमं रत्यनौचित्य प्रतिपादयति—

तत्र रत्यादीनां भयातिरिक्तस्थायिभावानां सर्वत्र समत्वेऽपि, रतेः सम्भे रूपाया मनुष्येष्विवोत्तमदेवतासु स्फुटीकृतसकलानुभावं वर्णनमनुचितम् ।

तत्र तासु प्रकृतिषु, रत्यादीना भयातिरिक्तस्थायिभावाना भयभिन्नानामष्टाना रतिप्रवृत्तं सर्वत्र सर्वासु प्रकृतिषु समत्व एकविधत्वे साधारणतया सत्यपि, मनुष्येषु इव उत्तमदेवताषु गौरी-गिरीशप्रभृतिषु, सम्भोगरूपाया रते, स्फुटीकृता स्पष्टमाख्याता सकलानुभावा सर्वे व्यापारा यत्र कर्मणि तद्यथा भवति, तथा वर्णनमनुचितमित्यर्थः ।

पित्रोरिवोत्कृष्टदेवतयो सम्भोगस्य स्पष्टतया वर्णनमनौचित्यादनाचरणीयमेव । उत्तमे-त्युक्त्या मध्यमादिषु कामचार । भयस्याश्रयभेदेन वैषम्याद् भयातिरिक्तानामित्युक्तम् । वस्तुतस्तु रति-क्रोधादीनामप्याश्रयभेदाद् वैषम्यमानुभविकमेवेति तदुपादानमकिञ्चित्कर-मिति विभावनीयम् ।

इन सभी प्रकृतियों (नायकों) में भय के अतिरिक्त रति आदि स्थायीभाव यद्यपि समानरूप से होते हैं, तथापि सम्भोगरूप रति का, जिस तरह मनुष्यों में वर्णन किया जाता है, उसी तरह सब अनुभावों (आलिङ्गन-चुम्बन आदि) को स्पष्ट करके उत्तम देवताओं के विषय में वर्णन करना अनुचित है ।

रत्यनौचित्यवत् क्रोधानौचित्य प्रतिपादयति—

क्रोधस्य च लोकभस्मीकरणपटो-दिनरात्रिव्यत्ययाद्यनेकाश्चर्यकारिणो दिव्येष्विवादिष्येषु ।

चकारेण वर्णनमनुचितत्वादनाचरणीयमित्यनुषङ्गः ।

लोकाना भुवनाना जनानां वा, भस्मीकरणे, पटोः कुशलस्य तथा दिनं च रात्रिश्च दिनरात्री, तयोर्व्यत्ययो दिनस्थाने रात्रिः, रात्रिस्थाने च दिनमिति विपर्यासः, तदादीना-



अपनी माता के विषय में अपने पिता का प्रेम वर्णन करने पर भी सहृदयों को रसस्ता होने लगेगा ।

क्वाचित्कं विपरीतं दृष्टान्तमुपन्यस्य निरस्यति—

जयदेवादिभिस्तु गीतगोविन्दादिप्रबन्धेषु सकलसहृदयसम्मतोऽयं सप्तमदोन्मत्त-मतङ्गजैरिव भिन्न इति न तन्निदर्शनेनेदानीन्तनेन यथा वर्णयितु साम्प्रत तुनाऽरुचि सूच्यते । अयमुक्तं समयं सिद्धान्तः सङ्केतो वा । मतङ्गजैर्दन्तावतै मत्तहस्तिदृष्टान्त समयभेदने निदानमुन्मादं, न तूपपत्तिविवेकं सूचयति । निरस दृष्टान्तः । इदानीन्तनेनाधुनिकेन कविना । साम्प्रतं युक्तम् ।

अनुन्मत्तेन यथोन्मादिव्यवहारो नानुक्रियते, तथैवाधुनिकेन कविना केषाञ्चित् प्रा समयोल्लङ्घनं नानुकरणीयम्, प्राचामनौचित्यस्य तन्महिमातिरेकादिभिरपि तिरोधार्पा शक्यत्वादिति सारम् ।

यद्यपि जयदेव प्रभृति कुछ कवियोंने गीतगोविंद आदि निबन्धों में उत्तम देवता । एक सम्भोगवर्णन अनुभावों के स्पष्टीकरण के साथ किया है, परन्तु उन्होने मदा हाथियों की तरह, सम्पूर्ण सहृदय समाज से आहत उक्त मर्यादा को तोड़ डाला है, & उनके दृष्टान्त से आधुनिक कवियों को वैसा नहीं करना चाहिये ।

चरम व्यवहारानौचित्यं प्रतिपादयति—

तथा विद्या-वयो-वर्णा-श्रम-तपोभिरुत्कृष्टैः स्वतोऽपकृष्टेषु न सबहुमानं वचसा व्यवहर्तव्यम् ।

विद्यादय उत्कर्षे हेतव । सबहुमानेन वचसा विपुलादरसूचकेन वचनेन । वचसे व्यवहारान्तरस्याप्युपलक्षणम् । 'सम्बहुमानेनेति' क्वाचित्कपाठे तु सम्यग् बहुमानं यत्रेति विप्र

विद्यादिभिरुत्कृष्टैः स्वापेक्षयाऽपकृष्टेषु विधीयमानो बहुमानोऽनुचितत्वाद् रसापक इति सारम् ।

अव व्यवहार-विरुद्ध का उदाहरण दिखलाते हैं—'तथा' इत्यादि । इसी प्रकार जो हि अवस्था, वर्ण, आश्रम और तपस्या प्रभृति के कारण उत्कृष्ट हों, उन्हें अपने से अर लोगों के साथ अत्यन्त सम्मान युक्त वचनों से व्यवहार नहीं करना चाहिये ।

यत्र तद्व्यवहारौचित्यं, तदाद—

व्यवहर्तव्यं चापकृष्टैरुत्कृष्टेषु ।

विद्यादिभिरपकृष्टैस्तूत्कृष्टेषु सबहुमानेन वचसा व्यवहरेणीयमित्यर्थ ।

अपकृष्टों को उत्कृष्टों के साथ अत्यन्त सम्मान युक्त वाणी के द्वारा व्यवहार करना चाहिये ।

उत्कृष्टेष्वपि विशेषमभिदधाति—

तत्रापि 'तत्रभवन्' 'भगवन्' इत्यादिभिः सम्बोधनैर्मुनि-गुरु-देवताप्रभृतय एव, न राजादयः, जात्योत्तमैर्द्विजैरेव, नाधमैः शूद्रादिभिः, 'परमेश्वर' इत्यादि-सम्बोधनैश्चक्रवर्तिन एव, न मुनिप्रभृतयः, सम्बोध्याः ।

तत्राप्युत्कृष्टेष्वपि । तत्रभवच्चब्दं पूज्यार्थक । सम्बोधनैर्भिसुखीकरणशब्दै । देवता-पेक्षयाऽपि गुरोरभ्यर्हितत्वाद् गुरुशब्दस्य पूर्वं निर्देशः । द्विजैर्ब्राह्मण-क्षत्रियवैश्यैर्द, चक्र-वर्तिनः सम्राजः ।

उत्कृष्टेष्वपि विषयभेदाद् व्यवहर्तव्येदाश्च व्यवहारस्योचितानुचितत्वे बोधे इत्याशयः । उत्कृष्टों के लिये अपकृष्टों के द्वारा प्रयोग करने योग्य सम्मानसूचक सम्बोधनों का स्थानभेद से विभाग दिखलाते हैं—'तत्रापि' इत्यादि । 'तत्र भवन्' 'भगवन्' इत्यादि

उपनों में मुनि, गुरु और देवता आदि का ही सम्बोधन किया जाना चाहिये, राजा आदि का नहीं। वह भी जो जानि नै उक्तम-अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य हों, वे ही सम्बोधनों का प्रयोग करें, शूद्र आदि नहीं। इसी प्रकार 'परमेश्वर' आदि सम्बोधनों। प्रयोग चक्रवर्तियों के प्रति ही किया जाना चाहिये, मुनि आदि के प्रति नहीं।

रत्नचिन्त्यस्य रत्नमभङ्गस्य प्रनात्यनि—

तथा चहु—

यहां मंत्र मंत्र मनस कर आनन्दवर्धनाचार्य ने ध्वन्यालोक के तृतीय उद्धोत में कहा है—

आनन्दवर्धनाचार्य ध्वन्यालोकतृतीयोद्धोत इति शेषः ।

अनौचित्याद्यते नान्यद् . रत्नमङ्गस्य कारणम् ।

प्रतिद्वौचित्यग्रन्थस्तु . रत्नस्योपनिषत्परा ॥' इति ।

अनौचित्याद्यते अनौचित्यं विना, रत्नमङ्गस्य, अन्यत् कारणं नास्तीति शेषः, यत् प्रसिद्धस्य रत्नमङ्गस्य दुर्गतिरस्य, अनौचित्यस्य, अन्यो योजन, तु पुनः, रत्नस्य, परोक्त्या, उपनिषत् परमनोपनिषत्पर्यन्तम् ।

अनौचित्यमेव रत्नमङ्गस्य प्रधान कारणं, तेन सहस्रवैमुल्यसम्पादनान् । अनौचित्य पुनः रत्नमङ्गस्य प्रकाशयति, यमोपनिषत् परममङ्ग, तस्मादनौचित्यं सर्वथा परिहरणीयमित्यभिप्रायः ।

काव्यप्रमाने तु—'अनौचित्योपनिषत्पर्यन्तम्' इति पाठो दृश्यते ।

अनौचित्य से अनिच्छित रत्न-भङ्ग का कोई कारण नहीं है और प्रसिद्ध अनौचित्य का वर्णन करना ही रत्न में दूरी रत्न की उपनिषत् अर्थात् प्रकाशनोपाय है। अभिप्राय यह है कि अनौचित्य ही रत्न-भङ्ग का प्रधान कारण है, क्योंकि-उमरी से सर्वाधिक वैमुल्य सहस्रद्वयों में होता है, अतः उमरी ( अनौचित्य का ) परिहार अवश्य करना चाहिये और अनौचित्य उमरी तरह रत्नको प्रकाशित करना है, जिस तरह उपनिषत् परममङ्ग का, अतः उसकी रक्षा अवश्य उमरी को करनी चाहिये।

तत्र विद्यमानम्—

यावत्ना त्वनौचित्येन रत्नस्य पुष्टि-स्तावत् तु न वार्यते, रत्नप्रतिकूलस्यैव तस्य निषेधश्चात् ।

अनौचित्याद्यते अनौचित्येन रत्नस्य परिपोष एव स्यात् ( न तु वाय ), तत्परिमाणनौचित्यं तु न निषिद्यते, यतो रत्नप्रतिपोषिण एतन्नौचित्यस्य निषेधत्वमित्यर्थः ।

अनौचित्य-परिहार में भी यह विशेष मनसना चाहिये कि जितने अनौचित्य से रत्न की पुष्टि होती हो, उतने अनौचित्य का परिहार नहीं करना चाहिये, क्योंकि जो अनौचित्य रत्न में प्रति कृत हो, उमरी का निषेध अनुचित है।

इत्युक्तं गुरु-वर्णनेन दृश्यते—

अत एव—

रत्नं निन्दे—

रत्नप्रतिपोषणनौचित्यस्य नर्तनीयत्वमेव । दशाननद्वारि समुत्पितान् ब्रह्मादीन् दैवा-  
रिभ्यो रत्नम्—

अनौचित्यग्रन्थस्य नैव समयस्त्वृष्णीं वहिः स्थीयतां,

रत्नस्य जल्प वृद्धत्पते जडमते ! नैषा सभा वज्रिणः ॥

वीणा संहर नारद ! स्तुतिकथालापैरल तुम्बुरो !

नीता-रत्नकथन-विषयम्—

हे ब्रह्मन् ! अध्ययनस्य वेदपाठस्य, एष समयोऽवसरो नास्ति, तत् तूष्णीं जोष वहि रितो बाह्यस्थले ( त्वया ) स्थीयताम् । हे जडमते ! वाचालत्वादवसरानवबोधाच्च विवेकशून्य बुद्धे ! बृहस्पते ! स्वल्पमतिस्तोकं ( नत्वधिक ) जल्प वद, यत एषा वज्रिण इन्द्रस् ( त्वच्छिष्यस्य ) समा नास्ति । हे नारद ! वीणां महतीं, सहर वादनाद्विरमय । तुम्बुरो ! देवगायक गन्धर्व ! ( तव ) स्तुतिकथालापै प्रशंसावाक्यभाषणै, अलं न किमा फल स्यात्, यत सीताया जानक्या रत्नकं ( 'शिरस्सिन्दूरसरणि' स्त्रीणामारत्नक स्मृतम् इति हलायुधोक्ते ) सीमन्तसिन्दूरलेखैव भक्ष 'भाला' इति प्रसिद्ध कुन्त', तेन भिन्नं विदी हृदयं मनो यस्य, स लङ्केश्वरो रावणः, स्वस्थो न, किन्तु व्याकुलोऽस्तीत्यर्थः ।

ब्रह्मन् ! वेद-पाठ का यह समय नहीं है, चुपचाप बाहर बैठो ! मूर्ख ! बृहस्ते ! यह इन्द्र की सभा नहीं है, कि जब तक मन करे, तब तक अण्टसण्ट बकते रहो, जो कुछ कहना हो, संक्षेप में कह डालो । नारद ! अपनी वीणा को बन्द करो । हे तुम्बुरो ! इस समय स्तुति कथायें—चापलूसी की बातें व्यर्थ हैं, क्यों कि सीता की विरोनियों के भाले से लङ्केश्वर—महाराज रावण का हृदय घायल हो गया है, वे स्वस्थ नहीं हैं ।

उपपादयति—

इति कस्यचिन्नाटकस्य पद्ये, विप्रलम्भशृङ्गाराङ्गीभूत-वीररसाक्षेपकपरमैश्वर्य-परिपोषकतया स्थितदौवारिकवचनस्य ब्रह्माद्यधिक्षेपपरस्यानौचित्यं न दोषः ।

इत्याकारके कस्यचिन्नाटकस्य श्लोके, सीतालम्बनस्य विप्रलम्भशृङ्गारस्य, अङ्गीभूत-पोषकतयाऽङ्गता प्राप्तो यो रावणनिष्ठो वीररस, तस्याक्षेपक व्यञ्जकं यत् ( तदीयं ) परमैश्वर्य लोकोत्तरप्रभुत्व तस्य परिपोषकतया ( हेतुभूतया ) स्थितो रावणद्वारि विद्यमानो यो दौवारिको द्वारपाल, तस्य ब्रह्म-बृहस्पति-नारद-तुम्बुरुतिरस्कारसूचकं यदिदं वचन, तस्य ब्रह्मादीना तिरस्कारानर्हत्वाद् यदनौचित्यं, तन्न दोष-प्रकृतरसोपस्कारकत्वादित्यर्थः ।

किसी नाटक के इस पद्य में, ब्रह्मा आदि के तिरस्कार करने के लिये बोले गये द्वारपाल के वचन का अनौचित्य दोष नहीं है, क्योंकि उस तिरस्कार वचन से रावण के परम ऐश्वर्य की पुष्टि होती है, जिससे वीर-रस का आक्षेप होता है, जो विप्रलम्भशृङ्गार ( रसाभास ) का अङ्ग होता है ।

उदाहरणान्तर दर्शयति—

एवमेव—'अले ले सहः समुप्पाडिअ-हरिय-कुसगंगंथिमयाच्छमालापद वित्ति-विस्संभिअ-बालविहवंदः कअणा बम्हणा' इत्यादिविदूषकवचनेऽपि रेशब्दादिप्रयोगस्य तत् तथा, हास्यानुगुणत्वात् ।

एवमनौचित्यस्य रसोपस्कारकत्वादेव । 'अरे रे सद्य समुत्पाटितकुशाग्रन्यिमयास माला-परिवृत्तिविस्रम्भितवालविधवाऽन्तःकरणं ब्राह्मणा ?' इति प्राकृतच्छाया । 'अरे रे इति नीचसम्बोधनम् । तदनौचित्यम् । तथा न दोषः ।

सद्यस्तत्काल, समुत्पाटिता उत्खाता अत एव हरिता ये कुशाग्रन्ययो दर्भपर्वाणि, तन्मय तट्टपा याऽक्षमाला, तस्या परिवृत्त्या ( परिवर्तनेन ) जयविडम्बनया विस्रम्भित विश्वासिता ( वधितम् ) वालविधवानामन्तःकरणं यैस्तादृशा अरे रे नीचा ब्राह्मणा ?' इत्यादिविदूषकवाक्ये रेशब्दादीना पूजनीयद्विजराजविषये प्रयोगस्य यदनौचित्यं, तत् प्रकृतस्य हास्य रसस्य, यतोनापकर्षकम्, प्रत्युतोत्कर्षकमेव, तस्मान्न दोष इत्यर्थः ।

इसी तरह 'अरे ओ ! तत्काल उखाड़े हुये हरित कुशों की गाठों से बनी हुई जयम लाओं के फेरने से वालविधवाओं के अन्तःकरणों को विश्वासयुक्त बनाने वाले ब्राह्मणों ।





इति प्राचां सूत्रमनुकूलम्, तस्योत्तरसूत्रगतस्य 'क्रमेण' इति पदस्यापकर्षात् कर्षाभ्यां व्याख्याद्वयस्य सम्भवात् ।

मध्यस्थे तु मते करुण-शान्ताभ्यां विप्रलम्भस्य माधुर्यातिशये, यदि सहृदयानामनुभवोऽस्ति, तदा स प्रमाणम् ।

संयोगापेक्षया क्रमेण करुण-विप्रलम्भ-शान्तेष्वधिकं माधुर्यमिति प्रथममते, संयोगपेक्षयाऽधिकं मिथस्तु तुल्यं करुण-विप्रलम्भ-शान्तेषु माधुर्यमित्यन्तिममते च प्राचां मम्मभदाना—'करुणे' विप्रलम्भे तच्छान्ते चातिशयान्वितम्' इति सूत्रमनुकूलत्वात् प्रमाणम तथाहि-तस्य कारिकार्थरूपस्य सूत्रस्य, 'दीप्यात्मविस्तृतेर्हेतुरोजो वीररसस्थितिः । वीभत्स रौद्ररसयोस्तस्याधिक्यं क्रमेण तु ।' इत्युत्तरं यत् कारिकात्मकं सूत्र, तत् 'क्रमेण' इ पदस्यापकर्षेण प्रथमा व्याख्या, तदनपकर्षेण चान्तिमा व्याख्या सम्भवतीति ते मते प्रानानुमते प्रामाणिके । संयोगापेक्षयाऽधिकं मिथस्तु समप्रमाणक माधुर्यं करुण-शान्त्य ततोऽप्यधिकं विप्रलम्भे तिष्ठतीति मध्यम ( द्वितीय )मते तु, यत् करुण-शान्तापेक्षया धिकं विप्रलम्भे माधुर्यमुच्यते, तत्र प्रमाणान्तरानुपलम्भात्, सहृदयानामनुभवो यदि भवे तदा स एवानुभव प्रमाणम्, अन्यथा त्वप्रमाण तन्मतमनादेयमित्यर्थः ।

पूर्वोक्त तीन मतों में से प्रथम और तृतीय मत में 'करुणे विप्रलम्भे' इत्यादि मूल मम्मट का सूत्र प्रमाण हो सकता है, क्योंकि उक्त सूत्र से अग्रिम 'दीप्यात्मविस्तृते रोजोवीररसस्थितिः । वीभत्स-रौद्र-रसयोस्तस्याधिक्यं क्रमेण तु ॥' इस सूत्र में का 'क्रमेण' पद का सम्बन्ध उक्त सूत्र में मान लेने पर प्रथम मतानुकूल व्याख्या और उस का सम्बन्ध वहां नहीं मानने पर तृतीय मतानुकूल व्याख्या हो सकती है। परन्तु मध्यम में उक्त सूत्र किसी भी तरह प्रमाण नहीं हो सकता, अतः यदि सहृदयों का ऐसा अनुभव हो कि करुण और शान्त रसों की अपेक्षा विप्रलम्भ-शृङ्गार में अधिक माधुर्य होता है, इस सहृदयानुभव को ही प्रमाण मान कर मध्यम मत भी ठीक है अन्यथा अप्रामाणिक। के कारण वह मत अग्राह्य है ।

इत्थं शृङ्गारादिरसत्रये माधुर्यस्य स्थितिं प्रतिपाद्य, वीरादिरसत्रयं श्रोजसं स्थितिं प्रतिपादयति वीर-वीभत्स-रौद्रेष्वोजसो यथोत्तरमतिशयः, उत्तरोत्तरमतिशयितायाश्चि दीप्तेर्जननात् ।

यतो वीरापेक्षया वीभत्से, तदपेक्षयाऽपि रौद्रेऽधिका चित्तदीप्तिर्जायते, तस्माद् रसादधिकं वीभत्से, ततोऽप्यधिकं रौद्ररसं श्रोजस्तिष्ठतीत्यर्थः ।

ओज गुण वीर-रस में साधारण, वीभत्स-रस में उससे अधिक और रौद्र-रस सबसे अधिक होता है, क्योंकि ये तीनों रस क्रमशः हृदय में अधिक दीप्ति ( जोश ) करते हैं ।

अथावशिष्टोऽद्भुतादिरसत्रये प्रसादस्य मतभेदाद् गुणान्तरेण सङ्कीर्णमसङ्कीर्णं स्थितिं प्रतिपादयति—

अद्भुत-हास्य-भयानकानां गुणद्वययोगित्वं केचिदिच्छन्ति । अपरे तु प्रसादमाश्रद्भुते हास्ये भयानके च रसे प्रसादं श्रोजस्य गुणौ तिष्ठत इत्येकं मतम् । प्रसादं केवलं तिष्ठतीत्यपरं मतम् ।

अद्भुत, हास्य और भयानक रसों में ओज और प्रसाद दोनों गुण रहते हैं, यह विद्वानों का मत है, इन तीनों रसों में प्रसाद गुण ही रहता है—ओज नहीं, ऐसा मत विद्वानों का है ।

होने लगा, क्योंकि उन परिवर्तित विचार-धारा वाले आलोचकों ने सोचा—यदि आलोकन विभाव ही रस रूप ही, तब उस आलोकन विभाव-स्थानीय नट नें रति आदि के अनुकूल चेष्टाओं के नहीं रहने पर भी उसके दर्शन से आनन्द का अनुभव होना चाहिये, परन्तु वह होता नहीं, अतः विभाव रस नहीं है प्रत्युत उसकी वे चेष्टायें अर्थात् अनुभाव ही रस है जो पुनः पुनः भाव्यमान होकर आनन्द देता है। इस विचार के अनुसार यह सिद्धान्त आमतः स्थिर हुआ कि 'पुनः पुनः अनुसंधायमान अनुभाव ही रस है'।

इस विचार से कुछ समय के लिये लोगों के मन में त्रुटि मिली, परन्तु आगे चलकर लोगों को उक्त विचार में त्रुटि प्रतीत होने लगी और लोगों की गवेषणात्मिका वृद्धि नवीन सिद्धान्त को प्रकट करने के लिये छटपटा उठी।

उक्त सिद्धान्त में असन्तोष का कारण यह हुआ कि लोगों की दृष्टि आलोकन विभाव की चित्त-वृत्तियों पर पड़ी, उनपर दृष्टि पड़ते ही उन्हें भान होने लगा कि ये चित्तवृत्तियाँ ही आनन्ददायिनी हैं—विभाव अथवा उनकी चेष्टायें नहीं, क्योंकि नट अथवा नटी नाना प्रकार की प्रेमपात्रीय चेष्टाओं का प्रदर्शन करके भी तब तक दर्शकों को आनन्दानुभूति नहीं करा पाते, जब तक कि वे प्रेमी की हर्ष, आवेग आदि चित्तवृत्तियों का सफल प्रदर्शन नहीं करते। अतः उन विचारकों ने यह स्थिर किया कि 'पुनः पुनः अनुसंधान के द्वारा व्यभिचारी भाव (हर्षादिक चित्त-वृत्तियाँ) ही रस रूप में परिणत हो जाते हैं'।

इस तरह उक्त तीनों सिद्धान्तों का जब क्रमिक विकास हो चुका, तब उन नतीजों पर आलोचकों होने लगी और आलोचना करने पर विदित हुआ कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारीभाव इन तीनों में से नियन्त्रित किली एक को आनन्ददायक मानना ठीक नहीं, क्योंकि किली किली नें रमणीय-रूप-भाधुरी-नेदुर-नट को देख कर ही आनन्द का अनुभव होता है, तो किली नाटक में नट के आक्षिप्त अभिनयों को देख कर दर्शक मुग्ध हो उठते हैं, एवम् किली नाटक में नट के द्वारा किया गया मनोभावों का रचित्र चित्रण ही लोगों को चतकृत करता है। अतः यह मानना उचित है कि 'इन तीनों भावों में जो जहाँ चतकरी हो, वहाँ वही रस है और चतकार-हीन होने पर कोई भी रस नहीं है'।

इतने पर भी विद्वानों की गवेषणात्मक वृद्धि विरत नहीं हुई, रस-विषयक गवेषणा का क्रम जारी ही रहा, जिससे यह ज्ञात हुआ कि विभाव और अनुभाव की अपेक्षा चित्तवृत्त्यात्मक व्यभिचारी-भाव प्रधान है और उनसे भी रति, शोक, उत्साह, रोष, भय, विस्मय, जुगुप्सा और निर्वेद ये आठ भाव प्रधान हैं, क्योंकि इन आठों में से एक एक भी ऐसा है, जो भिन्न-भिन्न नाटकों में आदि से अन्त तक प्रतीत होता रहता है। जैसे-शृङ्गार रस प्रधान नाटक में रति और क्रम्य प्रधान नाटक में शोक आदि। अन्य हर्ष, स्तुति आदि ऐसे ज्ञात हुये, जो कभी अनुभूत होते थे, कभी नहीं।

इन अनुभव के आधार पर उक्त विद्वानों ने भावों का नाम स्थायी रखा जो नाटक भर में प्रतीतमान थे। इसी तरह वे भाव व्यभिचारी कहलाये, जो कभी कभी अनुभूत होते थे।

इस प्रकार जब विद्वानों की स्थायीभावों का ज्ञान हुआ तब उन्हीं के आधार पर उन लोगों

१. 'अनुभावस्तथा' । २. 'व्यभिचारैव तथा तथा परिणमति ।

३. त्रिषु च एव चतकरी स एव रसः, अन्यथा त्रयोऽपि न'।



यथा शौर्यस्यात्मवृत्तित्वेनावयवसंस्थानविशेषरूपाकारवृत्तित्वाभावेऽपि 'आकारोऽस्य सू इत्यादिव्यवहार' स्वाश्रयाश्रयत्वसम्बन्धेन लक्षणयोपपाद्यते, तथैव गुणानां रसमात्रवृत्ति निर्णयति, 'मधुरा रचना' 'श्लोजस्वीबन्ध' इत्यादयो व्यवहारा स्वाश्रयव्यञ्जकत्वसम्बन्ध लक्षणयोपपादनीया' इति मम्मटभट्टादीनां मतमित्यर्थः ।

इस प्रकार इन गुणों के केवल रस-धर्म ( उन्हीं में रहने वाले ) सिद्ध होने पर, ले का जो—'रचना मधुर है' 'बन्ध श्लोजस्वी है' इत्यादि व्यवहार होता है, वह 'इसका आसुर है' इस व्यवहार के समान लक्षणिक है—मुख्य नहीं। अर्थात् शौर्य आत्मा में रहनेवाले धर्म है, अवयवों के गठन-विशेष-रूप आकार में रह नहीं सकता, फिर 'इसका आकार है' इस व्यवहार को उपपन्न करने के लिये जैसे लक्षणा की शरण लेनी पड़ती है, व प्रकार रस में रहनेवाले गुणों को रचना और बन्ध में रखने के लिये लक्षणा का आश्रय करना चाहिये। यह मम्मटभट्ट आदि प्राचीन विद्वानों का मत है ।

खण्डनाय प्राचीनमते प्रत्यक्षप्रमाणाभाव दर्शयति—

येऽभी माधुर्योऽप्रसादा रसमात्रधर्मतयोक्ताः, तेषां रसमात्रधर्मत्वे मानम् ? प्रत्यक्षमेवेति चेत्, न, दाहादेः कार्यादनन्तगतस्योष्णस्पर्शास्य य भिन्नतयाऽनुभवः, तथाद्रुत्यादिचित्तवृत्तिभ्यो रसकार्येभ्योऽन्येषां रसगतगुणान् मननुभवात् ।

'येऽभी' इत्यारभ्य 'माहशा' इति यावत् सन्दर्भेण परमतखण्डनपूर्वकं स्वमतमुपसिद्धा गुणानां रसमात्रवृत्तित्वे किं प्रमाणमिति प्रश्ने सति, प्रत्यक्षं प्रमाणमस्तीति वक्तुं न शक्या यतो यथाऽग्नेर्दाहादिरूपात् कार्यात् पृथग्दग्नेर्गुणस्योष्णस्पर्शादेः प्रत्यक्षं जायते, न त रसानां कार्येभ्यो ह्युत्यादिवृत्तिभ्यो पृथग् रसगतानां रसनिष्ठानां माधुर्यादीनां गुणां ह्युत्यादिवृत्तित्वादात्म्यात्प्रत्यक्षजायत इत्यर्थः ।

अग्रे कार्यस्य दाहादेर्गुणस्य चोष्णस्पर्शादिभिन्नतया पृथगनुभव, रसानां तु कार्ये ह्युत्यादेर्गुणस्य च माधुर्यादेरभिन्नतया न पृथगनुभव इति गुणानां रसवृत्तित्वे प्रत्यक्षप्रमाणभावो बोध्य इत्यभिसन्धिः ।

अब पण्डितराज गुण के विषय में उक्त प्राचीनों के मत का खण्डन करते हैं 'वेऽ इत्यादि। उनका कथन है कि प्राचीनों ने जो गुणों को केवल रस का धर्म बतलाया है अर्थात् उन्होंने जो यह कहा है कि गुण रस में ही रहते हैं—रचना आदि में नहीं—इस प्रमाण क्या है? आप यदि कहेंगे कि—प्रत्यक्ष ही प्रमाण है क्योंकि उक्तरीति से उन-उ रसों के आस्वाद से हमको उन चित्त-वृत्तियों की उत्पत्ति का अनुभव होता है, तब हम कहेंगे कि—नहीं, जैसे अग्नि का कार्य दाह (जलाना) है और उष्ण स्पर्श उसका (अग्नि) गुण है, इन दोनों का अनुभव हमें अलग-अलग होता है अर्थात् हम जब आग से जल नहीं, तब भी हमें उसके गुण-उष्ण स्पर्श ( गरमी ) का अनुभव होता है, उसी तरह रस के कार्य जो वृत्ति-आदि चित्त-वृत्तियाँ हैं, उनके अतिरिक्त रसों में रहनेवाले गुणों का अनुभव नहीं होता ।

तत्रानुमानं प्रमाणमप्युपन्यस्य निरस्यति—

तादृशगुणविशिष्टरसानां द्रुत्यादि-कारणत्वात् कारणताऽवच्छेदकत्वात् गुणानामनुमानमिति चेत्, ( न ) प्रातिस्विकरूपेणैव रसानां कारणतोपपत्तौ गुणकल्पने गौरवात् ।

तादृशमाधुर्यादिभिर्गुणैर्विशिष्टानां रसानाम् । आदिपदेन दीप्ति-विकासयोर्ग्रहणम् । 'द्रुत्यदिनिष्ठकार्यतानिरूपिता रसनिष्ठा कारणता, किञ्चिद्दर्मावच्छिन्ना, कारणतात्वात्' इत्यादि



कारणभावा' कल्पनीया भवन्तीति सामान्येन कारणत्वाभ्युपगमे लाघवं गुणसिद्धि भवतीति पूर्वपक्षाशय ।

प्राक्प्रतिपादितमम्मटादिमतेन मधुरत्वेन सम्भोगस्य, मधुरतरत्वेन करुणस्य, (शान्त च) मधुरतमत्वेन विप्रलम्भस्य च कारणस्य, द्रुते, अतिद्रुते, अतितमा द्रुतेष्वर्थाः त्रैविध्यात् 'द्रुतिं प्रति माधुर्यवान् सम्भोग' कारणम् 'अतिद्रुतिं प्रति नितरां माधुर्यं करुण. (शान्तश्च) कारणम्, 'अतितमा द्रुतिं प्रति नितरां माधुर्यवान् विप्रलम्भ. कारण इति त्रय सङ्कलनया नव कार्यकारणभावा विशेषरूपेण, त्रयश्च भवदभिमतः सामान्यरूपेणेति सङ्कलनया द्वादशाना कार्यकारणभावाना कल्पनीयत्वाद् भवता लाघवस्थाने गौरवेवापतेदित्युत्तरपक्षाशयः ।

यदि आप कहेंगे कि उक्त कार्यकारणभाव में गुणों का निवेश अवश्य करना पड़े क्योंकि अलग-अलग कार्यकारणभाव मानने पर 'शृङ्गार द्रुति का कारण है' 'करुण द्रुति का कारण है' 'शान्त द्रुति का कारण है' ये तीन, इसी तरह 'वीर दीप्ति का कारण है' 'वीभस्स दीप्ति का कारण है' 'रौद्र दीप्ति का कारण है' ये भी तीन, एवम् 'अद्भुत विका का कारण है' 'हास्य विकास का कारण है' 'भयानक विकास का कारण है' ये भी ती फलतः नौ कार्यकारणभाव मानने पड़ेंगे और 'द्रुति के प्रति माधुर्य' गुणयुक्त रस का है' 'दीप्ति के प्रति ओज गुण युक्त रस कारण है' विकास के प्रति प्रसाद गुण युक्त रस का है' इस तरह से गुणद्वारक कार्यकारणभाव मानने पर तीन ही कार्यकारणभाव होते क्योंकि प्रथम में माधुर्य गुण युक्त होने के कारण शृङ्गार, करुण और शान्त का, द्वितीय ओज युक्त होने के कारण वीर, वीभस्स और रौद्र का, तृतीय में प्रसाद युक्त होने के कारण अद्भुत, हास्य और भयानक का समग्र हो जाता है। इस स्थिति में लाघवात् गुणद्वारक कार्यकारणभाव ही मान्य होंगे, किन्तु यह तर्क भी सङ्गत नहीं है, क्योंकि मम्मटमट शृङ्गारादित्रिक में क्रमशः माधुर्य का वीरादित्रिक में क्रमशः ओज का और अद्भुतादित्रिक क्रमशः प्रसाद का आधिक्य माना है और तदनुसार कार्य में भी द्रुति, अतिद्रुति, दीप्ति अतिदीप्ति इत्यादि रूप से तारतम्य माना है। अतः अलग-अलग नौ विशेष कार्यकारणभाव मानने ही पड़ेंगे और साथ-साथ आप के कथनानुसार उक्त तीन सामान्य का कारणभाव भी होंगे, जो उसी तरह व्यर्थ हैं, जिस तरह गड्ड (घेघ-गलप्रन्थि)। सारा यह हुआ कि गुणद्वारक सामान्य कार्यकारणभाव नहीं माना जा सकता, अतः अनुम प्रमाण से भी गुणों की सिद्धि किंवा रस-धर्मता प्रमाणित नहीं की जा सकती है।

निगमयति—

इत्थं च प्रातिस्विकरूपेणैव कारणत्वे लाघवम् ।

सामान्यकार्यकारणभावत्रयाकल्पनादिति शेषः ।

गुणद्वारक कार्यकारणभाव वाले पक्ष में सामान्य और विशेष के योग से कार्यकारणभावों की संख्या द्वादश हो जाती है, जिसकी प्रक्रिया ऊपर बताई जा चुकी है अं प्रत्येक रस का नाम लेकर (गुण को द्वार न बनाकर) कार्यकारणभाव स्वीकार का पर उक्त रीति से उनकी संख्या नौ ही रहती है, अतः इस पक्ष में ही लाघव भी है।

ननु मम्मटादिरित्या प्रातिस्विकरूपेण कारणतोपगमेऽपि रसधर्मत्वेन गुणा सिध्यन्ते वेत्याशङ्कयामाह—

किञ्चात्मनो निर्गुणतयाऽऽत्मरूपरसगुणत्वं माधुर्यादीनामनुपपन्नम् ।

सध्विदानन्दस्वरूपो निर्गुण आत्मेति वेदान्तसिद्धान्तेन काव्यात्मभूतानां रसानामा निर्गुणत्वस्यौचित्याच्च माधुर्यादिगुणसिद्धिरित्याशयः ।

वस्तुतः उक्त दलीलों से गुणों की रसधर्मतावादी प्राचीनों का कुछ विगडा नहीं, क्योंकि



अब यहाँ यह शङ्का हो सकती है कि जब आप के हिसाब से गुण न रस के धर्म हो सके, और न रसोपाधिभूत रति आदि के अर्थात् गुण कोई पदार्थ ही नहीं सिद्ध हो सका, तब 'शृङ्गार रस मधुर होता है' इत्यादि व्यवहार कैसे बनेगा ? इसका उत्तर यह है कि द्रव्याधि-चित्तवृत्ति-प्रयोजकत्व ( उन चित्तवृत्तियों का परम्परया कारण होना ) ही माधुर्य आदि गुण है, अथवा प्रयोजकतासम्बन्ध से द्रुति आदि चित्तवृत्तियाँ ही गुण हैं अर्थात् उक्त चित्तवृत्तियाँ जब रस आदि के साथ उभारने का ( प्रयोजकता ) सम्बन्ध रखती हैं, तब उन्हें माधुर्य आदि गुण कहते हैं। इस द्वितीय कल्प में प्रयोजकता को सम्बन्ध कोटि में ले आने से यह लाघव होता है कि उसका भान स्वरूपतः हो जायगा अतः प्रयोजकता के भागे प्रयोजकतात्व आदि की कल्पना नहीं करनी पड़ेगी और प्रथम कल्प में उसका भान स्वरूपतः नहीं होगा जिससे प्रयोजकतात्व आदि की कल्पना करनी होगी, अतः गौरव होगा। यदि आप कहें कि इस प्रकार से गुणों का निर्वचन भले ही कर लिया जाय, परन्तु इससे 'शृङ्गार मधुर है' इत्यादि व्यवहार तो उपपन्न नहीं हो सकते, क्योंकि प्रयोजकता वृत्तितानियामक सम्बन्ध नहीं है—अर्थात् उस सम्बन्ध से कोई पदार्थ कहीं रहने वाला नहीं कहला सकता, अत एव कोई दूसरा दृष्टान्तभूत ऐसा व्यवहार भी दृष्टि गोचर नहीं होता। इसका समाधान यह है कि यदि प्रयोजकता को वृत्तितानियामक सम्बन्ध नहीं मानें, तब 'असगन्ध ( औषध ) उष्ण ( गरम ) है' यह व्यवहार कैसे होता ? क्योंकि असगन्ध में उष्णता नहीं है, बरन वह उष्णता का प्रयोजक है। अतः प्रयोजकता सम्बन्ध से असगन्ध को उष्णता का आश्रय मान कर 'असगन्ध उष्ण है' यह व्यवहार जैसे होता है, वैसे उक्त व्यवहार भी होंगे।

ननु इत्यादिप्रयोजकत्वमेव यदि माधुर्यादि, तदाऽदृष्ट-कालेश्वरेच्छादीनां कार्यमात्र-प्रयोजकत्वात् तेष्वपि माधुर्यादिव्यवहार प्रसज्येतेत्यत आचष्टे—

प्रयोजकत्वं चादृष्टादिविलक्षणं शब्दार्थ-रस-रचनागतमेव ग्राह्यम्, अतो न व्यवहारातिप्रसक्तिः ।

चकारो हेत्वर्थकः । अदृष्टादिविलक्षणमदृष्टाद्यवृत्तिः । शब्दार्थाच्च रसाच्च रचनाधेति द्वन्द्वः । अतिप्रसक्तिरतिव्याप्तिः ।

यतोऽदृष्टाद्यवृत्तिः शब्द-तदर्थ-रस-रचनामात्रवृत्तिः इत्यादिप्रयोजकत्वमेव माधुर्यादि गृह्यते, तस्मान्नादृष्टादिषु माधुर्यादिव्यवहारातिव्याप्तिरिति सारम् ।

यदि आप कहें कि इस तरह प्रयोजकता सम्बन्ध से द्रव्यादि रूप माधुर्य आदि गुण त अदृष्ट ( धर्म अधर्म ) काल आदि में भी रह सकते हैं, क्योंकि अदृष्ट, काल, ईश्वरेच्छा आदि कार्यमात्र के प्रयोजक हैं, उनकी प्रेरणा के विना ससार के कोई भी कार्य नहीं होता—एव पत्ता भी नहीं हिळता, अतः द्रुति आदि की प्रयोजकता भी उनमें अवश्य स्वीकर्तव्य होगी, फिर तो आप के हिसाब से 'अदृष्ट मधुर है' इत्यादि व्यवहार भी होने लगेंगे इसका उत्तर यह है कि रस में रहने वाली द्रव्यादि प्रयोजकता असाधारण और अदृष्टादि में रहने वाली साधारण है, अतः यहाँ अदृष्ट आदि से व्यावृत्त ( उनमें नहीं रहने वाली ) शब्द, अर्थ और रचना इन सबों में ही रहने वाली प्रयोजकतासम्बन्ध के रूप में ग्राह्य है, अतः उक्त दोष नहीं होगा।

तथाऽङ्गीकारे फल दर्शयन् स्वमतमुपसंहरति—

तथा च—शब्दार्थयोरपि माधुर्यादेरीदृशस्य सत्त्वाद्दुपचारो नैव कल्प्यः ।  
इति तु मादृशाः ।

ईदृशस्य इत्यादिप्रयोजकत्वरूपस्य । तुना मम्मटादिव्यवच्छेदः ।

तथा च माधुर्यादीनां इत्यादिप्रयोजकत्वरूपताऽभ्युपगमे च, ईदृशस्य इत्यादिप्रयोज





परसन्निकर्षेण सन्धिकार्येण एकजातीयाना सदृशाना वर्णानां विन्यासविशेषो विलक्षणरचना।  
गाढत्वमपरपर्यायो नामान्तर यस्य स ।

भिन्नानामपि शब्दानां व्याकरणानुशिष्टसन्निकर्षविशेषप्रयुक्ताभिन्नत्वप्रकारकप्रतीति  
प्रयोजको गाढत्वनामा श्लेषः शब्दगुण इत्यर्थः ।

अयं शब्द-गुण-निरूपण के क्रम में सर्वप्रथम 'श्लेष' का लक्षण बिलखाते हैं—'तण्हि'  
इत्यादि । भिन्न-भिन्न रूप वाले शब्दों के भी उस योजना-विशेष को 'श्लेष' कहते हैं,  
जो एक जातीय वर्णों से युक्त हो और अत्यन्त सन्निकर्ष (सर्वथा समीप-समीप में  
रहना) से एक ही तरह के शब्दों से बना हुआ सा प्रतीत हो । उस योजना-विशेष का  
दूसरा नाम 'गाढत्व' भी दिया जाता है ।

तत्र प्राचीनसम्मतिं दर्शयति—

यदाहुः—'श्लिष्टमस्पष्टशैथिल्यम्' इति ।

श्लिष्टं श्लेष इति भावे क्तः । अस्पष्टं न स्फुटं शैथिल्यं पदानां भेदो यत्र तत्र,  
'वह्नूनामपि पदानामेकपदवद्भासनात्मा श्लेषः' इत्यन्यत्र दर्शनात् ।

श्लेष के उक्त लक्षण में प्राचीनों की भी सम्मति है—उन्होंने लिखा है कि—श्लेष  
उस रचना-विशेष को कहते हैं, जिसमें शिथिलता (पदों का भेद) स्पष्ट लक्षित नहीं हो।

श्लेषमुदाहरति—

यथा—

कश्चिच्चाटुकारो राजानं वर्णयति—

'अनवरतविद्वद्द्रुमद्रोहिदारिद्र्यमाद्यद्विपोद्दामदपौषविद्रावणप्रौढपञ्चाननः' इ

अनवरत सतत विद्वास एव परार्थजीवितत्वात्, फलगौरवनतत्वाद्वा द्रुमास्तेषां प्रोषं  
पीडाकरत्वाद्द्वैरि, यदारिद्र्य निर्धनत्व, तद्देवानिवारणायत्वान्माद्यधुन्मतीभवन् द्विपो इत्  
तस्य य उद्दामदपौष उत्कटमदराशिः, तस्य विद्रावणो दूरीकरणो प्रौढः प्रगल्भः पञ्चान  
सिंहस्त्वमसीत्यर्थः । इहभिन्नानामपि शब्दानां सन्धिवशोनाभिन्नत्वप्रतिभानं स्पष्टम् ।

जैसे—कोई कवि किसी राजा का वर्णन करता है कि—हे राजन् ! तुम, विद्वत्समाज  
बृहत् (दूसरों के लिये जीने वाले) के सर्वदा द्रोह करने वाले दारिद्र्य रूप मद-भा  
हाधी के उत्कट गर्व-समूह (मद) को नष्ट करने में महान् सिंह हो—अर्थात् तुम्हारे दर्श  
से विद्वानों की दरिद्रता उसी प्रकार नष्ट हो जाती है, जिस तरह सिंह के दर्शन से मद  
मत्त गजों के दानवारि सूख जाते हैं । यहाँ सन्धि करने के कारण भिन्न-भिन्न पद भी  
एक पद के समान प्रतीत होते हैं, अतः यह 'श्लेष' गुण का उदाहरण है ।

द्वितीय प्रसादं लक्षयति—

गाढत्व-शैथिल्याभ्यां व्युत्क्रमेण मिश्रणं बन्धस्य प्रसादः ।

भिन्नानामभिन्नतया भानं गाढत्वम्, भिन्नतया भानन्तु शैथिल्यम्, तयोः क्रमेण श्वादी  
गाढत्वम्, अन्ते शैथिल्यमिति रीत्या, सन्निवेशस्तु बन्धमाणो समाधिगुणो, अत्र व्युत्क्रमेण  
विपरीतक्रमेण—आदौ शैथिल्यमन्ते गाढत्वमिति रीत्या सन्निवेश इति समाधि-प्रसादयोर्भेदः ।

अब 'प्रसाद' गुण का लक्षण देखिये—रचना में गाढता (भिन्न पदों का एक जैसा  
लगना) और शिथिलता (पदों का भिन्न जैसा प्रतीत होना) का विपरीत क्रम से  
मिश्रण अर्थात् रचना का पहले शिथिल और बाद में गाढ होना—'प्रसाद गुण' कहलाता है ।



उदाहरति—

यथा—वक्ष्यमाण-माधुर्योदाहरणे ।

‘नितरा परुषा’ इत्यादौ ।

जैसे कि आगे-माधुर्य के उदाहरण ‘नितरा परुषा’..... इत्यादि श्लोक में है ।

उपपादयति—

तत्र ह्युपनागरिकयैवोपक्रमोपसंहारौ ।

तत्र ‘नितरा’मित्युदाहरणे यत आदेरन्त यावदेकैवोपनागरिका वृत्तिरत समतेत्यर्थः  
वहाँ ‘उपनागरिका’ वृत्ति से ही आरम्भ और उसी से समाप्ति की गई है ।

चतुर्थं माधुर्यं लक्षयति—

संयोगपरह्रस्वातिरिक्तवर्णघटितत्वे सति पृथक्पदत्वं माधुर्यम् ।

सयोगो ह्रस्वानन्तर्यं परो येभ्यस्तादृशा ये ह्रस्ववर्णा एकमात्रिकाक्षराणि, तेभ्योऽतिरिक्तवर्णैर्घटितत्वे सति, पृथक्पदत्वमसंश्लिष्टपदत्वं माधुर्यं गुण इत्यर्थः । सयोगे परे ये ह्रस्वाक्षराणां गुरुत्वं, तद्भिन्नत्वस्य लक्षणं निवेशः, संयोगश्चात्र परसवर्णानिष्पन्नैर्ह्रस्वैर्घटितो गृह्यते, तेन तत्पथे ‘पल्लवाना’मित्यत्र पकारोत्तरह्रस्वाकारस्य लकारद्वयसंयोगकत्वेन गुरुत्वेऽपि न क्षतिः, लकारद्वयसंयोगस्य परसवर्णानिष्पन्नत्वात् । पदाना सहितरिच्छित्वाभावः पृथक्पदत्वम् ।

अव माधुर्यं गुण का लक्षण देते हैं—‘सयोग’ इत्यादि । संयुक्त (स्वर-रहित अक्षर) वर्णों के आगे में रहने से पूर्व के जिन ह्रस्व स्वरों को गुरु संज्ञा होती है, ह्रस्व स्वरों से अतिरिक्त वर्णों की सहायता से रचित होना और पदों का अलग अलग रहना—अर्थात् सन्धि और समास से रहित होना, इन दोनों ‘होने’ को सम्मिलित रूप ‘माधुर्यगुण’ कहते हैं ।

उदाहरति—

यथा—

चाटुकृद्दयित प्रणयिनीं वदति—

‘नितरा परुषा सरोजमाला, न मृणालानि विचारपेशलानि ।

यदि कोमलता तवाङ्गकाना-मथ का नाम कथाऽपि पल्लवानाम् ॥’

हे प्रिये ! यदि तव अङ्गकाना मृदुत्वातिशयेनानुकम्पनीयावयवानां कोमलता विभाव्यते, तदा सरोजानां सरोजन्यत्वेन मृदुतमाना कमलानां, माला सक्, नितरामत्यन्तं, परुषा कर्कशा, प्रतिभाति । मृणालानि विसानि च, विचारे तवाङ्गानि मृणालानि वाऽधिक कोमलानीति विवेचनायामल्पगुणतया पेशलानि योग्यानि न प्रतिभान्ति । अथ तदुभयातुल्यत्वनिर्णये, पल्लवानां किसलयानां कथा त्वद्गुणसाम्यचर्चाऽपि का ? न काऽपीत्यर्थः ।

इह प्रायः पदानि पृथग्भूतानि परसवर्णानिष्पन्नसंयोगनिमित्तकगुर्वक्षराघटितानि चेति माधुर्यं गुण । तच्च प्रागुक्तया समतया, वक्ष्यमाणयाऽर्थव्यक्त्या च सङ्कीर्णम् ।

जैसे—नायक नायिका से खुशामदभरी बातें कहता है—हे प्रिये ! जब-जब मैं तुम्हारे इन कोमल अङ्गों के विषय में सोचता हूँ, तब-तब मुझे कमलपुष्पों की माला अत्यन्त कठोर मालूम पड़ती है, मृणाल तो इस विचार में आने योग्य भी नहीं दीखते कि-ये तेरे अङ्गों के समान कोमल हैं—किं वा नहीं, रहे पल्लव सो जब कमल और मृणालों की वह दृशा है, तब उनकी तो चर्चा भी तुम्हारे अङ्गों के सामने व्यर्थ है । यहाँ यद्यपि पल्लव पद में दो लकारों का ऐसा संयोग है जिसके परे पकारोत्तर अकार को गुरु संज्ञा होती है, तथापि

ने रस को नौ भागों में विभक्त कर दिया। तदनुसार उसके बाद से आज तक शृङ्गार, वीर, करुण, हास्य, भयानक, रौद्र वीभत्स अद्भुत और शान्त ये नव-विध रस सर्वसम्मत हो कर प्रचलित हैं। परन्तु इस विभाग के हो जाने पर फिर विद्वानों के समक्ष 'रस क्या है?' यह प्रश्न विकट रूप में उपस्थित हुआ, क्योंकि इस वर्गीकरण के अनुसार पूर्वोक्त रसस्वरूपबोधक चारों ही मत तथ्यहीन प्रतीत होने लगे।

विद्वानों की वह प्रतीति विलकुल सत्य थी, कारण यह कि एक ही वस्तु अनेक रस का विभाव हो सकती है, जैसे व्याघ्र, वीर, रौद्र और भयानक तीनों रसों का विभाव हो सकता है। इसी तरह अनुभाव भी अनेक रसों का एक हो सकता है, जैसे अश्रुपात, शृङ्गार, करुण और भयानक ये तीनों ही रसों के अनुभाव हैं।

व्यभिचारीभाव भी नियमित नहीं है, चिन्ता आदि व्यभिचारीभाव शृङ्गार, वीर, करुण तथा भयानक इन सभी रसों के पोषक होते हैं।

अब सोचिये कि इस स्थिति में विभाव, अनुभाव और व्यभिचारीभाव इन तीनों में से किसी एक को (चाहे वह चमत्कारी हो अथवा अचमत्कारी) रस कैसे माना जा सकता है, क्योंकि जब ये अनेक रसों में समानरूप से देखे जाते हैं, तब इनमें से एक एक से किसी निश्चित रस की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, अतः लोगों ने स्थिर किया कि—'विभाव अनुभाव और व्यभिचारीभाव इन तीनों का समूह रस है'।<sup>१</sup> इस सिद्धान्त के अनुसार अब उक्त दोष का प्रसङ्ग ही नहीं उठ सकता, क्योंकि विभावादि त्रिक में से एक-एक भले ही अनेक रस साधारण हो, पर उन तीनों का समूह भिन्न-भिन्न रस का भिन्न-भिन्न निश्चित ही रहेगा, अतः अब नियत रस की अभिव्यक्ति सम्भव है।

इसके बाद ही नाट्यशास्त्रप्रणेता भरतमुनि का भाविर्भाव हुआ, उन्होंने अब तक जो रस का स्वरूप अनिश्चय के हिडोले में इधर-उधर झूल रहा था, उसे निश्चित स्थान पर बैठा कर रस की एक ऐसी सुव्यवस्थित परिभाषा बनाई कि 'विभाव, अनुभाव और व्यभिचारीभाव के संयोग, अर्थात् मिश्रण से स्थायीभाव रसरूप में परिणत हो गया है'।<sup>२</sup>

तात्पर्य यह है कि 'जैसे भोजन-विशेषण नमक, तेल और मसाले आदि नाना विध वस्तुओं से बने हुये व्यञ्जनों के साथ मिलाकर भात खाते हैं और व्यञ्जनों के मिश्रण से भात में एक विलक्षण आस्वाद का अनुभव करते हैं, वैसे ही विद्वज्जन भावों (विभावादिकों) और अभिनयों से सम्बद्ध स्थायीभावों का आस्वादन करते हैं'।<sup>३</sup>

इस सिद्धान्त के मूल में वह समालोचना काम करती है, जिसके द्वारा यह विदित होता है कि रति आदि उक्त आठों चित्तवृत्तियों—जो नाटक भर में प्रतीयमान होने के कारण स्थायीभाव कहलाती हैं—को विभाव उत्पन्न करते हैं, अनुभाव उन आठों वृत्तियों से उत्पन्न होते हैं और व्यभिचारीभाव यदा-कदा उनके साथ रह कर उन्हें पुष्ट करते हैं। अतः विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारीभाव उनके उपकरणमात्र हैं, प्रधान वे चित्तवृत्त्यात्मक आठों भाव ही हैं, वे ही अभिनय

१. 'विभावादयश्चय. समुदिता रसा'। २. 'विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्ति'।

३. 'यथा बहुद्रव्ययुतैर्व्यञ्जनैर्बहुभिर्युतम्। आस्वादयन्ति भुञ्जाना भक्तं भक्तविदो जनाः॥

भावाभिनयसम्बद्धान् स्थायिभावास्तथा बुधा'। आस्वादयन्ति मनसा तस्मान्नाट्यरसा' सृष्टा'॥

येषु इत्यन्दि नहीं होता कि-उक्त लक्षण में जो मयोग पद आया है, उसमें ऐसा ही मयोग लिया जाता है जो परमवर्ण ( एक प्रकार की व्याकरणानुसिष्ट मन्धि ) के द्वारा अल्पित एत्वर्णों से युक्त न हो और यात का लक्षणरूप मयोग परमवर्ण द्वारा निष्पन्न नहीं हुआ है, अतः वैसे एत्वर्णों से युक्त ही हुआ ।

पानी मुकुमारता लायति—

**अपरुपवर्णपठित्व मुकुमारता ।**

केवलमन्वर्णपठित्व वनरस्य मुकुमारत्व गुण इत्यर्थ ।

अप मुकुमारता गुण का लक्षण मुन्दि—कटोर वर्णों से मिल अर्थात् केवल वर्णों से रचित होने का नाम 'मुकुमारता' है ।

उदाहरति—

यथा—

नादो ऽपि परान्तराति ॥—

'म्वेदान्मुनान्द्रक्षणशालि-कपोलपालिदोलाचितश्रवणरुत्तलवन्दनीया ।

व्यानन्दमहुरयति स्मरणेन काऽपि. रम्या वगा मनसि मे मन्दिरेक्षणया' ॥'

म्वेदान्मुने धर्मवन्दन्य, नादोऽपि विरि, रूपेन्दुभिः, गात्रिन्या गोभमानाया, म्पोल-पाली गन्धमन्दि, दोलापिताभ्यामितस्तनक्षलरूपा, भवास्थिताभ्या रुत्तलभ्या, वन्दनीया अपर्णाया, काऽपि निर्वर्णता, मन्दिरेक्षणया शृणुनाद्या ( प्रेयस्या ) रम्या मनोरमा, एगाऽपि रम्या, स्मरणेन ( ादि ) व्यानन्दम्, 'प्रदरयन्तुवाऽयतान्यर्थ' ।

उदाहरण—नादक किसी से कहता है कि—वर्णों के जोड़ की मधुन विन्दुओं से शोभित करने—मूल पर इतने हुए कानों के कुण्डलों के कारण अभिनन्दनीय और अनिर्वचनीय, मन्दिरेण नरन यानी नायिका को रमणीय अवस्था, याद आते ही, हृदय में आनन्द को उत्पन्न कर देती है ।

उपपादयो—

अत्र पूर्वार्थे । उत्तरार्थे तु नाद्युच्यमपि ।

यत्र पूर्वार्थे प्रथमविशेषणयो केवलमन्वर्णपठित्वार् मुकुमारता शुद्धा । उत्तरार्थे तु परमवर्णमन्वर्णयोरुक्तं नह्येत । इत्यर्थम् । अत्रोऽप्येककृत्या न गणना । अत्रानु-कृत्येणैव शोभनरूपम्, अत्रस्थित्यवयवकृतेन परितारन्तु 'म्विदेरेणैव गमयन्तु' एतदुपागमना प्रतीत्यमे विधीय लक्ष ।

अत्र पद के पूर्वार्थ ( प्रथम द्वितीय वर्णों ) में मुकुमारता है । उत्तरार्थ ( तृतीय-चतुर्थ वर्णों ) में नाद्युच्ये अर्थात् मुकुमारता वर्णों का लक्षण है ।

यथा—

**अभिनि प्रतीयमानार्थान्वयकत्वमर्थव्यक्तिः ।**

अभिनि प्रतीयमानार्थान्वयकत्वमर्थव्यक्तिः । अत्रानु-कृत्येणैव शोभनरूपम्, अत्रस्थित्यवयवकृतेन परितारन्तु 'म्विदेरेणैव गमयन्तु' एतदुपागमना प्रतीत्यमे विधीय लक्ष ।

यथा—'अभिनि' का अर्थ—'अर्थों के अन्वय कृते प्रतीयमानार्थान्वयकत्वमर्थव्यक्तिः' कृते है ।

उदाहरण—

यथा—'अभिनि' इत्यर्थः ।

नाद्युच्यते ।

यथा—'अभिनि' परमवर्णमन्वर्णयोरुक्तं नह्येत । अत्रोऽप्येककृत्या न गणना । अत्रानु-कृत्येणैव शोभनरूपम्, अत्रस्थित्यवयवकृतेन परितारन्तु 'म्विदेरेणैव गमयन्तु' एतदुपागमना प्रतीत्यमे विधीय लक्ष ।

में आनन्ददायक हैं, और उन्हीं आठों भावों का आस्वादन हम सभ्यगण करते हैं, फिर तो उन्हीं को रस मानना युक्तियुक्त है। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारीभावों को पृथक्-पृथक् अथवा समुदित रूप में रस मानना युक्तिहीन अत एव अनुचित है।

इसके उपरान्त रस के विषय में भरतमुनि की उक्त परिभाषा को प्रमाणभूत मानकर उसकी व्याख्या आरम्भ हुई। भट्ट लोछट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनवगुप्त ये चार आचार्य भरत-सूत्र के प्रधान व्याख्याकार हुये। यद्यपि अभिनवगुप्त के अतिरिक्त प्रथम तीन आचार्यों के व्याख्याग्रन्थ आज उपलब्ध नहीं होते, तथापि काव्यप्रकाश आदि प्रामाणिक ग्रन्थों में उनके मतों का अनुवाद नामोछेखपूर्वक किया गया है, जिससे यह अनुमान किया जा सकता है कि किसी युग में उन आचार्यों के द्वारा रचित नाट्यशास्त्र के व्याख्या ग्रन्थ उपलब्ध हो रहे थे।

उक्त चारों आचार्यों ने रससम्बन्धी भरतसूत्र की भिन्न-भिन्न व्याख्या की है। चारों व्याख्याओं में प्रधानतया दो बातों पर प्रकाश डालने का यत्न किया गया है, एक तो इस पर कि रस का या रसात्मक बोध कैसा है? अर्थात्—ज्ञान के जो अनेक प्रसिद्ध भेद हैं प्रत्यक्ष, अनुभूति और शाब्द आदि उनमें से रस का कौन सा ज्ञान होता है? और दूसरे इस पर कि जिस रस का हमें अनुभव होता है, वह वस्तुतः किस में रहता है? अनुकार्य रामादि में अथवा अनुकर्ता नटादि में, किंवा सहृदय सभ्यों में?

इन दोनों ही प्रश्नों का समाधान उक्त चारों आचार्यों ने अपने-अपने ढङ्ग से अपनी-अपनी व्याख्या में किया है।

( १ ) प्रथम व्याख्याकार भट्ट लोछट ने कहा है कि रस वस्तुतः अनुकार्य रामादि में ही रहता है, परन्तु नट आदि अनुकर्ता में भी राम आदि के आरोप कर लेने के कारण रह सकता है। इनके मत के अनुसार रस का ज्ञान 'सीताविषयक रति से युक्त यह ( नट ) राम है इत्यादि' रूप से होता है जो प्रत्यक्षात्मक है और 'सुरभिचन्दनम्' के समान सामने में उपस्थित विशेष्यभूत नट' अंश में लौकिक तथा सामने में अनुपस्थित सीतादि के अंश में अलौकिक माना जाता है। इनकी व्याख्या मीमांसादर्शन के अनुसार समझी जाती है।

( २ ) द्वितीय व्याख्याकार आचार्य शङ्कुक को लोछट का मत ठीक नहीं जचा। इन्होंने कहा—संसार में सम्यग्ज्ञान, मिथ्याज्ञान, सशयज्ञान और सादृश्यज्ञान ये चार प्रकार के ज्ञान प्रसिद्ध हैं। 'यह राम ही है', 'यही राम है' और 'यह राम है ही' ये तीनों ज्ञान सम्यग्ज्ञान हैं। इन तीनों ज्ञानों में क्रमशः 'इसके राम न होने का' 'इसके अतिरिक्त अन्य किसी के राम होने का' और 'इसके सर्वथा राम न होने का' निवारण होता है। इन्हीं निवारणों को क्रमशः अयोगव्यवच्छेद, अन्ययोगव्यवच्छेद तथा अत्यन्तायोगव्यवच्छेद कहते हैं।

'यह राम नहीं है' इस तरह के उत्तरकालिक वाधज्ञान से पूर्वकाल में होने वाले 'यह राम है' इस तरह के ज्ञान को मिथ्याज्ञान कहते हैं। 'यह राम है वा नहीं' इस प्रकार के एकधर्मिकविरुद्ध विशेषणद्वयावगाही ज्ञान को सशय-ज्ञान कहते हैं। 'यह राम के सदृश है' इस प्रकार के ज्ञान को सादृश्य ज्ञान कहते हैं।

परन्तु अभिनेता नट को देखकर जो उसमें 'यह राम है' इत्यादि ज्ञान हमें होता है, वह उक्त चारों ज्ञानों से भिन्न है, वह उसी तरह का ज्ञान है। जिस तरह का ज्ञान चित्र में घोड़े को देखकर 'यह घोड़ा है' इत्यादि रूप से होता है।

इस तरह के ज्ञान के द्वारा नट को राम आदि समझ लेने पर अभिनय-निपुण नट के कौशल से स्थायीभाव के कारण कार्य और सहकारी अर्थात् विभाव, अनुभाव और व्यभिचारीभाव कृत्रिम होने पर भी स्वाभाविक प्रतीत होने लगते हैं, और तब सहृदय सामाजिक, रामादि वृत्ती सीतादि-विषयक रति की अनुमिति नट में कर लेते हैं। उसी अनुमिति का नाम रस है। इस मत के अनुसार वस्तुतः रस अनुकार्य में ही रहता है, परन्तु उसका आस्वादन अनुमिति द्वारा सामाजिकों को होता है अतः 'सामाजिकों में रस है' ऐसा व्यवहार भी किया जाता है। ज्ञान इस मत में अनुमित्यात्मक सिद्ध हुआ। इनका मत न्यायदर्शन से प्रभावित माना जाता है।

(३) भरतसूत्र के तृतीय व्याख्याकार भट्टनायक को यह मत भी पसन्द नहीं आया। उन्होंने कहा—काव्य के तीन व्यापार होते हैं, अभिधा, भावना और भोगकृत्व इनमें से प्रथम व्यापार के द्वारा काव्य के वाच्यार्थ ज्ञात होते हैं। द्वितीय व्यापार से राम, सीता आदि नाटकीय पात्र साधारण कर दिये जाते हैं अर्थात् व्यक्तिविशेषधर्म—रामत्व-सीतात्व आदि से रहित होकर केवल नायक-नायिका आदि के रूप में उपस्थित करा दिये जाते हैं और तृतीय व्यापार के जरिये रस का अनुभव होता है। परमार्थतः आत्मानन्द में विश्राम ही भोग है अतः वही रस है। इस मत के अनुसार रस सामाजिकों में रहता है और उसका ज्ञान आत्मसाक्षात्काररूप है। यह मत साख्यदर्शनानुयायी कहलाता है।

(४) भरत सूत्र के चतुर्थ व्याख्याकार आचार्य अभिनवगुप्त का मत रस के विषय में सर्वाधिक मान्य है, अत एव प्रचार भी आज तक इसी मत का सबसे अधिक है। इन्होंने भट्टनायक के मत में भी दोष दिखला कर कहा कि 'विभाव, अनुभाव और व्यभिचारीभावों से अभिव्यक्त अर्थात् व्यञ्जनावृत्ति के द्वारा ज्ञात रति आदि स्थायीभाव रस है'। इस मत के अनुसार सामाजिकों की आत्मा में वासनारूप से स्थित अपनी रति आदि चित्तवृत्तियाँ ही रस रूप हो जाती हैं, ज्ञान इस मत के अनुसार शाब्द है, पर शाब्द होकर भी साक्षात्कार रूप है जैसे 'तत्त्वमसि' इत्यादि वाक्यजन्यबोध शाब्द होकर भी साक्षात्कार रूप है।

कुछ नवीन विद्वानों का कथन है कि काव्य-श्रवण अथवा नाटक-दर्शन से विभावादिकों के ज्ञान हो जाने पर सहृदय पुरुष व्यञ्जनावृत्ति के द्वारा रामादिनिष्ठ सीतादिविषयक रति का ज्ञान करते हैं, तदनन्तर सहृदयतासहकृत पुन पुन अनुसन्धान रूप भावनात्मक दोष से सामाजिकों अथवा श्रोतार्थों की अन्तरात्मा अज्ञानावृत्त हो जाती है, फिर उस अज्ञानावृत्त आत्मा में, सीप में चौदो के समान अनिर्वचनीय रति आदि स्थायीभाव उत्पन्न हो जाते हैं और उनका सहृदयों को आत्मचैतन्य के साथ अनुभव होता है उन्हीं रति आदि का नाम रस है।

अन्य विद्वान् कहते हैं कि राम आदि की रत्यादि ज्ञान करने के लिये व्यञ्जना की आवश्यकता नहीं है, न अनिर्वचनीय रति आदि की कल्पना की ही आवश्यकता है। अभिनेता अथवा पाठकों की चेष्टा आदि से सीता आदि की रत्यादि राम आदि में अनुभूत होती है और तदनन्तर उक्त भावनात्मक दोष से अपने को राम आदि समझने वाले सहृदयों में एक भ्रम उत्पन्न होता है कि 'मैं सीताविषयक रतिवाला राम हूँ'। इसी भ्रम को रस समझना चाहिये।

इस तरह रस के विषय में ११ मतों का उल्लेख पण्डितराज ने अपने रसगङ्गाधर में किया है और प्रथम तीन मतों को छोड़ कर शेष नौ मतों में भरत-सूत्र का संगमन भी किया है। परन्तु



दोस्त, शुक, नटनायक और अभिनवगुप्त के नर्तों से निम्न नर्तों की चर्चा अन्यत्र नहीं होख पड़ती, अतः मुझे ऐसा नाखन पड़ता है कि पण्डितराज ने त्वयन् उन नर्तों का आविष्कार अपने प्रत्तर-प्रतिभा के द्वारा किया है।

रत्नों की संख्या के संबन्ध में भी नावा नव-भेद है, अधिक लोग पूर्वोक्त नौ रत्न मानते हैं। किन्तु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शान्तरत्न नहीं मानते विशेषकर नाटक में उत्तको अत्यन्त वक्तव्यते हैं<sup>१</sup>।

भवभूति केवल करण रत्न को ही मानते हैं और अन्य रत्नों को उत्तों के विचार कहते हैं<sup>२</sup>। धाराधाराधोश भोज केवल शृङ्गार को ही रत्न कहते हैं और अन्य रत्नों में रत्नप्रतिदि की ऐतिहास-मूलक वनलाते हैं<sup>३</sup>। नारायण पण्डित अद्भुत को ही रत्न मान कर अन्य रत्नों का प्रत्याख्यान करते हैं<sup>४</sup>।

अग्निपुराण में रत्न का विचार कुछ निम्न ही टङ्क का उपलब्ध होता है। उसमें कहा गया है कि 'वेदान्तदर्शन के द्वारा जो व्यापक नित्य परब्रह्म प्रतिपादित हुआ है, उसमें तद्वत् आनन्द विद्यमान है। वह आनन्द कित्ती कित्ती समय पर प्रकट होता है, उत्तों आनन्दानिव्यक्ति की चैतन्य चमत्कार और रत्न कहते हैं। उस आनन्दानिव्यक्ति का प्रधान विकार हो अहङ्कार है। उस अहङ्कार से अभिमान (नमना) उत्पन्न होता है, जिस नमना में सनत्त त्रिलोकी आवद्ध है। उनी नमता से रति (प्रेम) उत्पन्न होती है। वही रति व्यभिचारीभावों की सनातता से पुष्ट होकर शृङ्गार रत्न कहलाता है। उत्तों के हास्य आदि अनेक भेद हैं। वही रति सत्त्वादि गुणों के प्रत्तर से राग, तीक्ष्णता, गर्व और सकोच इन चार रूपों में परिगत होती है, उनमें राग से शृङ्गार की, तीक्ष्णता से रौद्र की, गर्व से वीर की और सकोच से वीभत्स की उत्पत्ति होती है। अतः त्वभावः ये चार ही रत्न हैं। किन्तु अनन्तर शृङ्गार से हास्य, रौद्र से करण, वीर से अद्भुत और वीभत्स से भयानक की सृष्टि हुई तथा रति के अभावरूप निर्वेद से शान्त की सृष्टि हुई<sup>५</sup>।

१. 'शान्तस्य शनत्ताप्यत्वान्मटे च तदसमवायः। अथावेव रत्ना नाख्ये न शान्तत्नत्र युज्यते ॥'

२. 'एको रत्न कला पत्र निमित्तभेदाद् भिन्नान् पृथक् पृथगिवाश्रयते विवर्तान्।

आवर्तदुदुद-नरङ्गनयान् विचारानन्मो यथा सलिलनेव च तत्तनस्तन् ॥'

३. 'शृङ्गारवीरकरणादभुतरौद्रहास्य-वीभत्सवत्सलनयानञ्जशान्तनान्नः।

आन्नासिपुर्दशरतान् सुषियो वष तु शृङ्गारनेव रत्ननाद् रत्नमानमानः ॥'

'वीराद्भुतादिषु च वेद् रत्नप्रतिदि सिद्धाङ्गुतोऽपि वयञ्चवदाविभानि।

लोकेगनानुगतिकत्वशशुपेगनेना निवर्तयितुनेष परिश्रमो नः ॥'

४. 'रत्ते सारश्चनत्कार सर्वत्राप्यनुभूयते। तच्चनत्कारत्तारत्वे सर्वत्राप्यद्भुतो रत्न ॥

तत्नादद्भुतनेवाइ कृती नारायणो रत्नम् ..... ।

५. अथर ब्रह्म परम सनातननजं विभुम्। वेदान्तेषु वदन्त्येक चैतन्य ज्योतिरोधरम् ॥

आनन्दः तद्वत्त्वस्य व्यज्यते स ब्रह्मचन। 'यजि' सा तस्य चैतन्यचमत्काररत्ताडया ॥

आद्यस्तस्य विकारो यः सोऽङ्कार इति सृष्टः। ततोऽभिमानस्तत्वेद सनातं भुवनवपम् ॥

अभिमानाद् रतिः सा च परिपोषमुपेयुवी। व्यभिचार्यादित्तानान्याञ्छङ्गार इति गीयते ॥

## गुण

इस प्रकरण में मुझे निम्नलिखित विषय-खण्डों पर विचार करना है । ( १ ) गुणों की सख्या, ( २ ) गुणों का काव्य में स्थान और ( ३ ) गुणों के लक्षण ।

( १ ) गुण-निरूपण-परक-मतों को प्रधानतया दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, एक प्राचीनों का मत, दूसरा नवीनों का मत । नवीन-मत में गुणों की सख्या निश्चित सी हो गई है, परन्तु प्राचीन मत में उनकी सख्या सर्वथा अनिश्चित है ।

प्राचीन मत के प्रथम आविष्कारक भरतने श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, सुकुमारता, अर्थव्यक्ति, उदारता और कान्ति ये दश गुण मानते हैं<sup>१</sup> ।

अग्निपुराणकार ने श्लेष, लालित्य, गाम्भीर्य, सौकुमार्य, उदारता, सती और यौगिकी ये सात शब्दगुण<sup>२</sup>, माधुर्य सविधान, कोमलता, उदारता, प्रौढि और सामयिकत्व ये छ. अर्थगुण,<sup>३</sup> एवम् प्रसाद, सौभाग्य, यथासख्य, उदारता, पाक और राग ये छ. उभय गुण-अर्थात् शब्द और अर्थ दोनों के गुण<sup>४</sup> मिलाकर उन्नीस गुण बतलाये हैं ।

वामन ने प्राचीन मत के अनुसार गुणों का विशद विवेचन किया है । प्राचीन मतों में सबसे अधिक प्रचार इन्हीं के मत का हुआ, अत एव परवर्ती मम्मट आदि आचार्यों ने इन्हीं के मत का खण्डन अपने अपने ग्रन्थों में किया है । इनके हिसाब से गुणों की सख्या बीस है, जिनमें दश शब्द गुण और दश अर्थगुण, यद्वा जो नाम दश शब्दगुण के हैं, वे ही अर्थ गुणों के भी रखे गये हैं, किन्तु लक्षणों में भेद कर दिए गये हैं । वे नाम हैं—श्लेष, प्रसाद, समता, माधुर्य, सुकुमारता अर्थ-व्यक्ति, उदारता, ओज कान्ति और समाधि<sup>५</sup> । प्रकृत पुस्तक में वामन के मत का बहुत सुन्दर निरूपण किया गया है

भोजराज ने वामन के दशशब्द गुणों के अतिरिक्त उदात्तता, ऊर्जितता, प्रेयान्, सुशब्दता, सूक्ष्मता गम्भीरता, विस्तर, सक्षेप, समितत्व, भाविक, गति, रीति, उक्ति और प्रौढि ये चौदह अन्य गुण मानकर इनकी सख्या चौबीस कर दी है<sup>६</sup> ।

तद्भेदा. काममितरे हास्याद्या अप्यनेकश । स्वस्वस्थायि विशेषोत्थपरिपोषस्वलक्षणा ॥

सत्त्वादिगुणसन्तानाज्जायन्ते परमात्मन. । रागाद्भवति शृङ्गारो रौद्रस्तैर्दृष्यात्प्रजायते ॥

वीरोऽवष्टम्भज सकोचभूर्वीभत्स इष्यते । शृङ्गाराज्जायते हासो रौद्रात्तु करुणो रस. ॥

वीराच्चाद्भुतनिष्पत्ति स्याद्बीभत्साद्भयानकः । शृङ्गारवीरकरणरौद्रवीरभयानका ॥

बीभत्साद्भुतशान्ताख्याः स्वभावाच्चतुरो रसा । लक्ष्मीरिव विना त्यागान्न वाणी भाति नीरसा ॥

१ 'श्लेष' प्रसाद समता समाधिर्माधुर्यमोज पदसौकुमार्यम् ।

अर्थस्य च व्यक्तिरुदारता च कान्तिश्च काव्यार्थगुणादशैते ॥' ( नाट्यशास्त्र )

२. श्लेषो लालित्यगाम्भीर्यं सौकुमार्यमुदारता । सत्येव यौगिकी चेति गुणा शब्दस्य सप्तधा ॥

३ माधुर्यं सविधान च कोमलत्वमुदारता । पौढि. सामायिकत्व च तद्भेदा. षट् चकासति ॥

४ तस्य प्रसाद सौभाग्य यथासख्यमुदारता । पाको राग इति प्राज्ञैः षट् प्रपञ्चा प्रपञ्चिता ॥

५ श्लेष' प्रसादः समता माधुर्यं सुकुमारता । अर्थव्यक्तिरुदारत्वमोज कान्तिसमाधायः ॥

६. शोषः प्रसादः समता माधुर्यं सुकुमारता । अर्थव्यक्तिस्तथा कान्तिरुदारत्वमुदात्तता ॥

इसके अतिरिक्त दण्डी, वाग्भट और पीयूषवर्ष ने भी गुण पर लेखनी चलाई हैं परन्तु इनके मतों में कोई खास नवीनता नहीं है। दण्डी और वाग्भट तो भरत मत के एक तरह से अनुवादक मात्र हैं। पीयूषवर्ष ने भरत के गुणों में से ही कान्ति को शृङ्गार-रस में और अर्थव्यक्ति को प्रसाद गुण में गतार्थ मानकर उनकी संख्या दश से घटाकर आठ कर दी है।

इस प्रकार इन प्राचीनों में गुणों की संख्या में ही मतभेद नहीं है, अपितु लक्षण में भी परस्पर बहुत अधिक मत-भेद है। फलतः यही कहना पड़ता है कि इन आचार्यों के समय में गुण के संबन्ध में पूर्ण विचार नहीं किया गया, एक ने दूसरे के कथन की निष्पक्ष समालोचना नहीं की, वरन, जिसके मन में जब जो बात आई, उसी को उसने अपने ग्रन्थ में लिख दिया, जिसका कुपरिणाम यह हुआ कि इनके समय तक गुण के विषय में अराजकता की सी रिगति बनी रही।

गुण के विषय में नवीन मत के आविर्भावक प्रथम आचार्य भामह हुए। इन्होंने प्राचीनों के मतों की अत्यधिक समालोचना करके स्थिर किया कि गुण तीन हैं—भोज, प्रसाद और माधुर्य।

भामह ने त्रिगुणवाद का स्थापन तो किया, परन्तु इस मत का पूर्ण प्रचार हुआ मम्मट के समय में। मम्मट ने प्राचीनों के कतिपय गुणों को दोषाभावरूप, कुछ को ध्वनि और गुणीभूत व्यङ्ग्यरूप तथा कुछ को वैचित्र्य मात्र रूप प्रमाणित कर दिया और शेष को इन्हीं तीनों गुणों में गतार्थ कर दिया। तब से आजतक इसी त्रिगुणवाद का प्रचार है। पण्डितराज ने भी गुणों की संख्या के विषय में मम्मट का अनुगमन ही किया है।

( २ ) काव्य में गुणों का क्या स्थान है इसके विषय में वामन तथा भोज का कथन है कि—  
‘काव्य युवती के रूप के तुल्य है, क्योंकि जैसे युवती का रूप शील पातित्रत्य आदि अच्छे गुण और अच्छे-अच्छे अलकारों के योग से अधिक आकर्षक होता है, वैसे ही काव्य भी माधुर्यादिगुण और अनुप्रास तथा उपमादि अलकारों के सम्बन्ध से अधिक रुचिकर होता है, एवम् गुणहीन काव्य यौवनविहीन नायिका के शरीर के समान है, उस स्थिति में जन-प्रिय अलकार भी अप्रीतिकर हो जाते हैं<sup>१</sup>।’ इससे यह सिद्ध होता है कि काव्य में गुण अलकारों की अपेक्षा अधिक अपेक्षित वस्तु है।

भोज ने इस बात को और अधिक स्पष्ट शब्दों में कहा है। वे कहते हैं—‘सालकार होने पर भी गुण-हीन काव्य सुनने योग्य नहीं होता। क्योंकि गुण और अलकार के योग में गुण का योग प्रधान है<sup>२</sup>।’

भोजस्तथान्यदौर्जित्य प्रेयानथ सुशब्दता। तद्वत् समाधि सौक्ष्म्य च गाम्भीर्यमथ विस्तर ॥  
सक्षेप. सम्मितत्व च भाविकत्व गतिस्तथा। रीतिरक्तिस्तथा प्रौढि. “ इत्यादि’।

( सरस्वतकण्ठाभरण )

१ युवतेरिव रूपमङ्गकाव्य स्वदते शुद्धगुणं तदप्यतीव ।

विहितप्रणय निरन्तराभिः सदलकारविकल्पकल्पनाभिः ॥

यदि भवति वचश्च्युत गुणेभ्यो वपुरिव यौवनत्रन्ध्यमङ्गनायाः ।

अपि जनदयितानि दुर्भङ्गत्व नियतमलकरणानि सप्रयन्ते ॥

२ अलकृतमपि श्रव्य न काव्य गुणवर्जितम् । गुणयोगस्तयोर्मुख्यो गुणालकारयोगो ॥

काव्यप्रकाशकार आदि ने भी काव्य में अलकारों की अपेक्षा गुणों की मुख्यता स्वीकार की है, क्योंकि वे कहते हैं कि गुण साक्षात् रस को उत्कृष्ट बनाते हैं और अलकार शब्द-अर्थ के द्वारा।

इस विवेचन से यह निष्कर्ष निकला कि काव्य में गुणों का स्थान अलकारों से ऊपर और रसादि आत्मस्थानीय व्यङ्ग्यो से नीचा है।

( ३ ) गुण के लक्षण के सवन्ध में भी विद्वानों का एकमत्य नहीं है। भरत दोषों का निरूपण करके लिखते हैं कि 'इन दोषों के विपरीत जो कुछ वस्तु हैं वे गुण हैं'।

अग्निपुराणकार कहते हैं कि 'काव्य में विपुल शोभा को जन्म देने वाली वस्तु शब्द गुण है'। 'शब्दप्रतिपाद्य जिस किसी वस्तु को उत्कृष्ट बनानेवाली चीज अर्थगुण है'। और 'शब्द तथा अर्थ दोनों का उपकारक जो हो वह शब्दार्थोभय गुण है'।

दण्डी का कथन है कि 'जो वस्तु विशिष्ट रचना का प्राण हो, वह गुण है'। वामन कहते हैं कि 'काव्य-शोभा-कारक धर्मगुण है'।

इसके अनन्तर यह शका उत्पन्न हुई कि जब शब्द और अर्थ को उत्कृष्ट बनाने वाले पदार्थ-विशेष ही गुण और अलकार भी है, तब इन दोनों में भेद क्या है ?

इसके उत्तर में वामन ने कहा कि 'काव्यशोभा के जन्मदायक धर्मगुण हैं और उस शोभा को अतिशयित करने वाले धर्म अलकार हैं'।

परन्तु आनन्दवर्धन के द्वारा आविष्कृत ध्वनिवाद के अनुसार रसादि अलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यों की काव्यात्मता स्थापित हो जाने पर गुण के विषय में लोगों का मत बदला और मम्मट ने कहा कि 'आत्मा के शौर्य आदि के समान काव्य में अक्षिभूत रस ( असलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य ) के उत्कर्ष धर्म गुण हैं और ये गुण काव्य में अचलस्थिति-अर्थात् अवश्य रहने वाले हैं'। इस कथन से गुणालकार में परस्पर भेद भी सिद्ध हो जाता है—अर्थात् रस के धर्म और काव्य में निमग्न रहनेवाले गुण और शब्दार्थ के धर्म तथा अनियमित रूप में रहनेवाले अलकार हैं। एतन्मूलक ही ध्वनिकारानुयायियों का यह कथन है कि 'शब्द तथा अर्थ काव्य के शरीर हैं, रस आदि आत्मा हैं, गुण शरता आदि के समान हैं, दोष कालत्वादि के तुल्य हैं और अलकार कटककुण्डलादिकों के सदृश हैं'।

यह तो हुई गुण के सामान्य लक्षण की बात, अब विशेष लक्षण की ओर चलिये। प्राचीनों के गुणों के खण्डन हो जाने के बाद जिस त्रिगुणवाद की स्थापना नवीनों ने की उसके अनुसार माधुर्य, ओज और प्रसाद ये जो तीन नाम गुणों के रखे गये, उसके मूल में कोमल-कठोर

१. 'गुणाविपर्यदिषाम्'। २ 'य काव्ये महतीं छायामनुगृह्णाति अस्तौ गुणः'।

३ 'उच्यमानस्य शब्देन यस्य कस्यापि वस्तुनः। उत्कर्षमावद्बन्धो गुण इत्यभिधीयते ॥'

४ 'शब्दार्थांबुपकुर्वाणो नान्नोभयगुणः स्मृतः'।

५ 'एते वैदभ्रमार्गस्य प्राणा दश गुणाः स्मृताः।' ( काव्यादर्श )

६ 'काव्यशोभाया कर्तारो धर्माः गुणाः।' ( अलकारसूत्र )

७ 'काव्यशोभाया कर्तारो धर्माः गुणाः, तदतिशयहेतवस्त्वलकाराः'।-

८ 'ये रसस्याङ्गिनो धर्मा शौर्यादय इवात्मनः। उत्कर्षहेतवस्तेत्युचलस्थितयो गुणाः ॥'

९. 'काव्यस्य शब्दार्थौ शरीरं, रसादिश्चात्मा, गुणा शौर्यादिवत्, अलकाराः कटककुण्डलादिवत्'।

# प्रस्तावना

## अलङ्कार-शास्त्र

‘उपकारकत्वादलङ्कारः सप्तममङ्गलम्’ इति यायावरीयः, ( काव्यमीमासा )

‘उपकारक होने से अलङ्कार ( शास्त्र ) सप्तम अङ्ग ( वेदाङ्ग ) है’

कविराज राजशेखर ने अपने ‘काव्य-मीमासा’ नामक ग्रन्थ के शास्त्र-निर्देशाध्याय में जिस अलङ्कार-शास्त्र की चर्चा की है, वह कौन सा शास्त्र है ? उक्त शास्त्र की परिभाषा क्या हो सकती है ? यह सर्व प्रथम विचारणीय वस्तु है ।

विचार करने से विदित होना है कि उक्त विचार-पुञ्ज को अलङ्कार-शास्त्र कहते हैं, जो राजशेखर के कथनानुसार पञ्चदश विद्या-स्थान<sup>१</sup> काव्य-पदार्थ का शासन करता है अर्थात् काव्यरूप-लक्ष्य के लक्षण जिस शास्त्र में किये गये हों, उक्तका नाम अलङ्कार-शास्त्र है अथवा अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिये यह कहा जा सकता है कि उन विविध आलोचनाओं का नाम अलङ्कार-शास्त्र है, जिनके द्वारा काव्य की बारीकियाँ, अच्छा और बुरापन ज्ञात हो सके ।

इस शास्त्र को साहित्य शास्त्र भी कहते हैं, यद्यपि संस्कृत साहित्य, हिन्दी साहित्य इत्यादि-स्थल में ‘वाङ्मय’ रूप व्यापक अर्थ में भी साहित्यपद का प्रयोग होता है, राजशेखर ने साहित्य शब्द का अर्थ ‘काव्य’ माना है<sup>२</sup>, तथापि शास्त्रपद के साथ प्रयुक्त साहित्यपद का तात्पर्य काव्य-नियामक-विषय ही समझा जाता है ।

## अलङ्कारशास्त्र का प्रारम्भकाल

अलङ्कार के विषय में विचार करनेवाला सबसे प्राचीन निबन्ध ‘अग्निपुराण’ उपलब्ध होता है, उसमें शब्दालङ्कार, अर्थालङ्कार, विभाव और रीति आदि के विवेचन किये गये हैं, अतः अलङ्कार-शास्त्र का मूल अग्निपुराण को ही मानना पड़ेगा । परन्तु इन विवेचनों को शास्त्र कहलाने का गौरव दण्डी, भामह आदि विद्वानों ने प्रदान किया, क्योंकि अग्निपुराण के बाद सबसे प्राचीन अलङ्कार विषयक निबन्ध इन्हीं महात्माओं को प्राप्त हुए और इन्होंने ही सर्व प्रथम काव्य के नियमन करनेवाली आलोचनाओं को अलङ्कारशास्त्र कहना प्रारम्भ किया ।

## अलङ्कारशास्त्र के नामकरण का बीज

यद्यपि उक्त काव्य-नियामक शास्त्र में अलङ्कारों के साथ साथ रस, गुण, दोष आदि सभी काव्याङ्गों का निरूपण किया गया है, तथापि ‘अलङ्कार-शास्त्र’ ही नाम क्यों पड़ा ? इस प्रश्न का उत्तर कुछ विद्वान् यह देते हैं कि नामघटक अलङ्कार पद ‘अलङ्क्रियते अनेन’ इस करणव्युत्पत्ति से अनुप्राप्त आदि का बोधक नहीं, अपि तु ‘अलङ्कृति अलङ्कारः’ इस भावव्युत्पत्ति से दोष-त्याग और गुणालङ्कारादि-ग्रहण प्रयुक्त सौन्दर्य का बोधक है और इस सौन्दर्य के प्रतिपादक होने के कारण उक्त शास्त्र का व्यवहार ‘अलङ्कार-शास्त्र’ नाम से किया गया है । इस तर्क की

१. ‘सकलविद्यास्थानैकायतन पञ्चदश काव्य विद्यास्थानम्’

२. ‘शब्दार्थबोधविवेकसहभावेन विद्या साहित्यविद्या’

और स्वार्थक यह रचना की त्रिविधता ही है, यह समझ कर कुछ लोग गुणों को रचनावृत्ती ही मानने लगे ।

परन्तु आगे चलकर जब यह विभाग किया गया कि शृङ्गार, करुण और शान्तरसों के लिये कोनल, वीर, रौद्र और वीमल रसों के लिये कठोर तथा सभी रसों के लिये स्वार्थक रचना आवश्यक है, तब इन रचनाओं से युक्त रसों के आत्वादन से मन पर पड़ने वाले प्रभाव का भी अन्वेषण किया गया, जिससे यह निश्चय हुआ कि कोनल-रचना-युक्त-रसात्वादन से चित्तद्रुत होता है, कठोर-रचना-युक्त-रसात्वादन से चित्त उदीप्त होता है और स्वार्थक-रचना-युक्त-रसात्वादन से चित्त विकसित होना है ।

कुछ और अधिक गन्भीर आलोचन करने पर यह भी श्रात हुआ कि चित्त पर उक्त प्रकार के प्रभावों को ढालने वाली रचनायें नहीं हैं वरन् रस है, क्योंकि विरुद्ध रस में विरुद्ध रचना उक्त तरह का प्रभाव नहीं ढाल पाती । फलतः यह निर्गम्य हुआ कि कोमल रसों में रहनेवाली आह्लाद-वन्ता ही नाधुर्य, कठोर रसों में रहने वाली उद्दीपकता ही ओज है और शुष्कान्वन में अग्नि के समान शीघ्र चित्त को व्याप्त करने वाली विकासकता ही प्रसाद है ।

इस तरह यह सिद्ध हुआ कि गुण वस्तुन रस-वर्ण हैं परन्तु आरोप के द्वारा 'यह रचना मधुर है' इत्यादि व्यवहार भी होते हैं ।

पण्डितराज के विचार से द्रुति, दीप्ति और विकास ये चित्तवृत्तियाँ ही क्रमशः नाधुर्य, ओज और प्रसाद गुण हैं, रस उनके प्रयोजक हैं, अतः प्रयोजकता सन्ध से रस में भी ये गुण रहने वाले हुये अत एव 'रस मधुर है' इत्यादि व्यवहार किये जाते हैं । एक बात उन्होंने और कही है, वह यह कि जिस तरह रस गुणों के प्रयोजक होते हैं, उसी तरह शब्द, अर्थ और रचना भी, अतः उनमें भी प्रयोजकता सन्ध से वे गुण रहते ही हैं, फिर उपचार के द्वारा 'शब्द मधुर है', 'रचना मधुर है' इत्यादि व्यवहार को सिद्ध करने का प्रयास व्यर्थ है ।

### पण्डितराज जगन्नाथ

पण्डितराज जगन्नाथ तैलङ्ग ब्राह्मण थे<sup>१</sup> । इनके पिता का नाम पेरुमट्ट<sup>२</sup> अथवा पेरुनमट्ट<sup>३</sup> था । इनकी जननी लक्ष्मी नाम से प्रसिद्ध थी<sup>४</sup> । इनके पिता पेरुमट्ट अतिनीय विद्वान् थे । उन्होंने शानेन्द्रभिषु नामक किनी सन्यासी से वेदान्तशास्त्र का, नहेन्द्र नामक विद्वान् से न्याय तथा वैशेषिक दर्शन का, खण्डदेवोपाध्याय से पूर्व मीमांसा का और शेषवीरेश्वर पण्डित से व्याकरण महाभाष्य का अध्ययन किया<sup>५</sup> था । इतना ही नहीं, इन शास्त्रों से भिन्न वेदादि शास्त्रों में भी वे परम प्रवीण थे<sup>६</sup> ।

पण्डितराज ने अपने सर्वविद्याविशारद पिता से ही सब विषयों का अध्ययन किया, परन्तु अपने पिता के गुरु शेषवीरेश्वर से भी प्रायः कुछ पढा था, ऐसा माना जाता है, क्योंकि मनोरमा

१ ' तैलङ्गकुटावतत्तेन पण्डितजगन्नाथेन ' (आसफविलास का आरम्भ )

२. ' न वन्दे पेरुमट्टाख्यन् ' ( पृ० ३ ) ३. प्रागामरण में ।

४. ' लज्जोक्तान्तं महापुरुन् ' ( पृ० ३ ) ५. ' श्रीन्दज्ञानेन्द्रनिश्चो ' ' इत्यादि ( पृ० ३ )

६. रसगगाधर के ' सर्वविद्याधर ' पद से सूचित होता है ।

कुचमर्दन' नामक अपने ग्रन्थ में पण्डितराज ने अपने गुरु के रूप में उनका स्मरण किया है<sup>१</sup>।

पण्डितराज स्वयं भी सब शास्त्रों में प्रगाढ पण्डित थे, विशेष कर दर्शन और साहित्यशास्त्र पर इनका अद्भुत अधिकार था। इस बात की पुष्टि रसगङ्गाधर में स्थान-स्थान पर व्यक्त किये गये विचारों से होती है, अतः इसकी पुष्टि के लिये प्रमाणान्तर की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

पण्डितराज अपने युग के विद्वानों में सर्वाधिक भाग्यशाली समझे जा सकते हैं, क्योंकि ये युवावस्था में ही अपनी विमलविद्या के प्रभाव से तत्कालीन बादशाह शाहजहाँ के कृपा-पात्र बन गये और उन्हीं से 'पण्डितराज' की उपाधि प्राप्त कर उन्हीं के आश्रय में अपनी युवावस्था को सुखपूर्वक बिताये<sup>२</sup>। शाहजहाँतनय दाराशिकोह का वर्णन पण्डितराज ने अपने 'जगदाभरण' नामक निबन्ध में किया है, अतः दाराशिकोह की छत्रच्छाया में भी इनके जीवन का कुछ अंश व्यतीत हुआ था ऐसा भी लोगों का अनुमान है।

### स्थितिकाल

यह निश्चित है कि पण्डितराज शाहजहाँ के दरवार में बहुत दिनों तक रहे और शाहजहाँ के विषय में इतिहास बतलाता है कि १६२८ ई० में उसका राज्याभिषेक हुआ और १६५८ ई० में अपने पुत्र औरङ्गजेब के द्वारा वह कैद कर लिया गया, तथा १६६६ ई० में मर गया, अतः यह निश्चित होता है कि पण्डितराज का भी स्थितिकाल वही है। हाँ यह सम्भव है कि शाहजहाँ के मरण के बाद भी पण्डितराज अपनी स्थिति से इस भूतल को कुछ समय तक कृतार्थ करते रहे हों।

### किंवदंतियाँ

पण्डितराज के विषय में अनेक तरह की किंवदंतियाँ प्रसिद्ध हैं और सभी किंवदंतियाँ कुछ अशों में भिन्न होने पर भी बहुत कुछ मिलती-जुलती हैं, अतः उन किंवदंतियों में तथ्य अवश्य होगा ऐसा मेरा व्यक्तिगत विश्वास है।

कुछ लोगों का कथन है कि 'पण्डितराज अध्ययन के बाद आरम्भ में जयपुर आये और वहाँ उन्होंने एक पाठशाला स्थापित की और वहीं दिल्ली से आये हुये किसी काजी को, मुसलमानों के मजहबी ग्रन्थों को शीघ्र पढ़कर विवाद में परास्त कर दिया। जब वह काजी जयपुर से लौटकर दिल्ली गया तब बादशाह के आगे उसने पण्डितराज की बड़ी प्रशंसा की। बादशाह काजी के मुख से पण्डितराज की प्रशंसा सुनकर प्रसन्न हुआ और पण्डितराज को दिल्ली बुला लिया।

विलासमय दिखी दरवार में बादशाह के कृपाभाजन बने हुये पण्डितराज किसी यवन-कन्या पर आसक्त हो गये और बादशाह की अनुकम्पा से उस यवनी प्रेयसी के साथ पाणि-ग्रहण करने में भी समर्थ हुये। इस तरह इन्होंने अपनी युवावस्था बादशाह के आश्रय में ही सुखपूर्वक बिताई। परन्तु वृद्ध होने पर उस यवन प्रेयसी को साथ लेकर वे काशी चले आये। किन्तु काशी में अप्पय दीक्षित आदि विद्वानों ने 'यवनी-ससर्ग-दूषित' कह कर इनका बहुत अपमान किया और जातिच्युत भी कर दिया।

१ 'अस्मद्गुरुपण्डितवीरेश्वराणाम्.....' (मनोरमाकुचमर्दन)

२ 'दिल्लीवल्लभपाणिपल्लवतले नीतं नवीनं वय' (भामिनीविलास)।

काशी में पण्डितराज अपने को पवित्र सिद्ध करने के लिये गङ्गा-तट पर तब से ऊपर की सीढ़ी पर बैठकर तत्काल रचित स्वकीय पद्यों से ( जिनका संग्रह गङ्गाहरी नाम से प्रकाशित है ) गंगा की स्तुति करने लगे । आपकी स्तुति से गंगा जी प्रसन्न होकर प्रति पद्य पर एक-एक सीढ़ी ऊपर चढ़ती हुई वापनवें पद्य पर आपके निकट पहुँच गई और यवनकन्या सहित आप गंगा जी के पावन जल में समाधिस्थ हो गये ।

ईश्यालु काशीवासी पण्डित-गण्डल पण्डितराज के इस चमत्कार को देख कर चकित हो उठे और उनी दिन से सभी पण्डितराज की स्तुति करने लगे ।'

कुछ लोग कहते हैं कि—'बादशाह की कृपा से अतुल सम्पत्ति पाकर पण्डितराज धनोन्मत्त हो उठे, यौवनरूप बहि में उत्त सम्पत्ति ने घृताहुनि का कान जिया, उनकी विवेक-ज्योति द्रुप्त हो गई और वे अन्ध होकर किसी यवन-नरणी पर आनन्द हो गये । परन्तु कुछ ही मनघ के बाद उत्त यवनी की मृत्यु हो गई । उनके नरण से पण्डितराज के हृदय पर बड़ी चोट लगी, दिहो भी उन्हें अप्रिय प्रतीत होने लगी, अतः वे दिहो छोड़ कर काशी चले आये, जिनु काशी में भी उन्हें शान्ति नहीं मिली, प्रेवत्ती का विरह तो इन्हें सता ही रहा था, साथ ही साथ काशी के पण्डितों ने भी इन्हें सताना आरम्भ कर दिया । यवनी संसर्ग की बात सुन कर काशी के पण्डित वात-वात में इनका अनादर करने लगे । अन्त में पण्डितराज अपने जीवन से ऊव गये और वर्षा की उमरणी हुई गङ्गा की धारा में त्व-निर्मित गंगालहरी का पाठ करते हुये डूब पडे-डूब नरे ।'

एक किंवदन्ती यह भी है कि—'वृद्धावस्था में एक दिन काशी के गङ्गा-तट पर पण्डितराज अपनी यवन-प्रेयस्ती को बगल में दबाये तो रहे थे और इनकी कुछ शिखा खटिया से नीचे लटक रही थी, मुख बल से बका था । इसी समय समय से अप्पचदीक्षित उत्ती घाट पर त्नान करने के लिये आये और एक वृद्ध का पेसा निरुष्ट आचरण देख कर कह उठे —

**'किं निश्शङ्क शेषे शेषे वयसि त्वमागते मृत्यौ ।'**

'इन शेष वय में जब मृत्यु शिर पर लटक रही है—इस तरह निश्शङ्क होकर क्या नो रहे हो ?'—अब भी तो विषय-भोग से मुख मोडो, कुछ ईश्वर का चिन्तन करो ।

इन पद्याश को सुनकर पण्डितराज ने जब मुख निकाल कर उनकी ओर देखा, तब उन्हें पहचान कर दीक्षित जी झट कह उठे —

**'अथवा सुख शयीथा निकटे जागतिं जाह्ववी भवतः ॥'**

'अथवा आप सुख से सोयें, क्योंकि आपके निकट ने गङ्गा जी वर्तमान है ।'

कुछ लोग इत्ते भी कुछ निन्न तरह की किंवदन्ती कहते हैं । उत्तका नाराश यह है कि 'पाठावस्था में ही जयपुरनरेश निरजा राजा जयसिंह जी काशी से इन्हें जयपुर ले आये । कारण यह था कि बादशाह के दरवार में मुहा लोग उक्त जयपुरनरेश पर आक्षेप करते हुये कहते थे कि 'आप लोग वास्तविक क्षत्रिय नहीं हैं, क्योंकि परशुराम जी ने जब इक्षोश वार इस पृथ्वी को नि क्षत्रिय बना डाला, तब आपके पूर्वज वने कैसे ? दूसरे यह कि अरवी भाषा म्त्हन से प्राचीन है' ।



यह आक्षेप जयपुर नरेश को बराबर सटकता था, परन्तु इन आक्षेपों का कोई उपयुक्त उत्तर सूझ नहीं पड़ना था, अतः वे किसी ऐसे प्रतिभाशाली विद्वान् के अन्वेषणमें थे, जो उन आक्षेपों का उत्तर दे सके। पण्डितराज में उन्हें वह स्फुरन्मुखी प्रतिभा दीख पड़ी, उनसे उन्होंने उक्त आक्षेपों की बात कही। पण्डितराज ने उन मुद्दों को निरुत्तर करने की प्रतिष्ठा की, इसके बाद पण्डितराज जयपुर लाये गये। जयपुर आकर पण्डितराज ने कहा कि प्रथम आक्षेप का उत्तर तो मैं अभी दे सकता हूँ, परन्तु द्वितीय आक्षेप के उत्तर देने के लिये मुझे अरबी का अध्ययन करना आवश्यक होगा, इस पर जयपुरनरेश ने आगरे में रह कर पण्डितराज को अरबी पढ़ने का अवसर दिया। जब पण्डितराज ने अरबी का अध्ययन कर लिया, तब जयपुरनरेश उन्हें दिल्ली के साही दरवार में ले गये। वहाँ जाकर पण्डितराज ने प्रथम आक्षेप का उत्तर यह दिया कि 'परशुराम ने पृथ्वी को २१ बार निःक्षत्रिय किया' इस लोकोक्ति का यह अर्थ नहीं हो सकता कि एक भी क्षत्रिय नहीं बचा, क्योंकि यदि वैसा अर्थ माना जाय तब २१ बार वाली बात भ्रम्या हो जायगी—अर्थात् प्रथमवार में ही जब सब क्षत्रिय मारे जा चुके, तब फिर क्षत्रिय आये ही कहाँ से जो फिर-फिर उन्होंने पृथ्वी को निःक्षत्रिय किया? अतः यह मानना होगा कि अधिकतर क्षत्रियों के मर जाने पर भी कुछ क्षत्रियगिण्टु बचे रहे फिर यदि २० बार तक कुछ कुछ क्षत्रिय बच रहे, तो २१ वीं बार भी कुछ बच गये होंगे और वे ही इन क्षत्रिय राजाओं के पूर्वज हैं।

दूसरे आक्षेप के उत्तर में उन्होंने यह कहा कि 'मुसलमानों के 'हदीस' नामक पुस्तक में लिखा है कि 'मुसलमानों को हिन्दुओं से सर्वथा विपरीत आचरण करना चाहिये, वही उनका धर्म है'।

इस वाक्य से सिद्ध होता है कि इस ग्रन्थ के निर्माण से पूर्व हिन्दुओं का कोई धर्म था और धर्म भाषा के बिना हो नहीं सकता, अतः यह भी सिद्ध है कि हिन्दुओं की कोई धार्मिक भाषा थी और वह भाषा संस्कृत से अतिरिक्त हो नहीं सकती, अतः एव यह निर्णीत हो जाता है कि अरबी से संस्कृत भाषा प्राचीन है।

इन उक्तियों को सुनकर गुणग्राही बादशाह शाहजहाँ परम प्रसन्न हुआ और पण्डितराज को अपने यहाँ आदरपूर्वक रख लिया।

इन किंवदंतियों से जो तथ्य निकलते हैं, वे ये हैं—पण्डितराज का बादशाह के दरवार में प्रवेश जयपुर महाराज के द्वारा हुआ। वहाँ पण्डितराज ने किसी यवनी पर आसक्त हो कर उसको अपनी प्रेयसी बनाया। अन्तिम अवस्था में वे काशी में अप्पयदीक्षित आदि विद्वानों से अपमानित हुये। पण्डितराज किसी यवनी सुन्दरी पर आसक्त थे इस बात की पुष्टि उन्ही के बनाये कतिपय पद्यों से भी होती है<sup>१</sup>।

१ 'यवनी नवनीतकोमलाङ्गी, शयनीये यदि नीयते कदापि ।

अवनीतलमेव साधु मन्ये, नवनी भाषवनी विनोदहेतु ॥

न याचे गजालि न वा वाजि राज, न वित्तेषु चित्त मदीय कदापि ।

श्य सुस्तनी मस्तकन्यस्तहस्ता, लवङ्गी कुरङ्गी दृगङ्गी करोतु ॥

सुरुमुनिमुनिकन्ये ! तारये पुण्यवन्तम् ।

## अप्पयदीक्षित और पण्डितराज

कुछ लोग कहते हैं कि पण्डितराज अप्पयदीक्षित के समकालिन नहीं थे, क्योंकि दीक्षित जी के आतुपौत्र नीलकण्ठ दीक्षित अपने नीलकण्ठ-विजय चम्पू में लिखते हैं कि 'यह नीलकण्ठ विजयकाव्य कलियुग के ४७३८ वर्ष वीतने पर लिखा गया है' ।

यह समय ईसवी सन् १६३९ के लगभग होता है, जो शाहजहा का राज्य-काल था । अतः यह सिद्ध होता है कि नीलकण्ठ दीक्षित ही पण्डितराज के समकालीन थे, न कि उनके पितामह-आता अप्पयदीक्षित ।

पण्डितराज अप्पयदीक्षित के समकालीन नहीं थे इसमें दूसरी युक्ति यह दी जाती है कि—'शेष श्रीकृष्ण के पुत्र शेषवीरेश्वर पण्डितराज के पिता के गुरु थे और शेषश्रीकृष्ण के छात्र थे मट्टोजि-दीक्षित, जो अप्पयदीक्षित के समकालीन थे, फिर पण्डितराज अपने पिता के गुरु के पिता के काल में होने वाले दीक्षित के समकालीन कैसे हो सकते हैं ? और जब ये दोनों विद्वान् समकालीन थे ही नहीं, तब इन दोनों में परस्पर विरोध की बात भी निराधार ही है इत्यादि ।'

परन्तु गम्भीर विचार करने पर इन दोनों का समकालीनत्व असंगत नहीं प्रतीत होता, क्योंकि उन दोनों के समकालीन होने में किंवदन्तियों के साथ साथ बहुत कुछ प्रमाण भी प्राप्त होते हैं, जैसे—'सिद्धान्तलेशसंग्रह' के कुमकोणवाले स्वरूपण की भूमिका में एक श्लोक उद्धृत किया गया है, जिसका तात्पर्य यह है कि 'गर्विले द्राविड ( अप्पयदीक्षित आदि ) के दुराग्रहरूप-भूतावेश से गुरुद्रोही मट्टोजिदीक्षित ने भरो सभा में बिना सोचे-समझे पण्डितराज को न्लेच्छ कह दिया था, जिसको धैर्यनिधि पण्डितराज ने उनको ( मट्टोजिदीक्षित को ) मनोरमा का कुच मर्दन करके सत्य कर दिखाया, अर्थात् उनके मनोरमा नामक ग्रन्थ का खण्डन कर दिया और अप्पयदीक्षित आदि ( मट्टोजिदीक्षित के समर्थक ) देखते ही रह गये ।'

दृष्यद्द्राविडदुर्ग्रहग्रहवशान्मिलष्ट गुरुद्रोहिणा,

यन्म्लेच्छेति वचोऽविचिन्त्य सदसि प्रौढेऽपि मट्टोजिना ।

तत्सत्यापितमेव धैर्यनिधिना यत्स व्यमृदनात् कुचम्,

निर्वाध्याऽस्य मनोरमामवशयन्नप्यप्पयाद्यान् स्थितान् ।

'स तरति निजपुण्यैस्तत्र किं ते महत्त्वम् ।

यदि हि यवनकन्या पापिनी मा पुनीहि,

तदिह तव महत्त्व तन्महत्त्व महत्त्वम् ॥

यवनी रमणी विपद-शमनी, कमनीयतमा नवनीततमा ।

उहि जहि वचोऽमृतपूर्णमुखी स सुखी जगतीह यदङ्कगता ॥'

२ 'अष्टत्रिंशदुपस्कृतसप्तशताधिकचतु सहस्रेषु ।

कलिवर्षेषु गतेषु ग्रथित-किल नीलकण्ठविजयोऽयम् ॥'

इस पथ से सिद्ध होता है कि भट्टोजिदीक्षित, अप्पयदीक्षित और पण्डितराज एक काल में ही इस धरा को सुशोभित कर रहे थे ।

एक दृष्टा भी श्लोक इस प्रसंग पर उद्धृत करने योग्य उपलब्ध है जिसका सारांश है कि—  
'अप्पयदीक्षित अपने जीवन के ७२ वें वर्ष के पूर्वार्ध में विश्वजित् याग करने के उद्देश्य से पृथ्वी के धारो ओर भ्रमण करते हुये भट्टोजिदीक्षित आदि सकल विद्वानों को विजय किया और उस प्रसिद्ध पण्डितराज जगन्नाथ ( जो पहले जातिच्युत किये गये थे ) का उद्धार कर दिया । फिर उसी वर्ष के उत्तरार्ध में विश्वजित् याग करके चिदम्बरम् क्षेत्र में सभी सज्जनों के सामने आत्मज्योति को प्राप्त कर गये ।'

यद्दु विश्वजिता यता परिधर सर्वे बुधा निर्जिता,

भट्टोजिप्रमुखाः, स पण्डितजगन्नाथोऽपि निस्तारितः ।

पूर्वेऽर्धे, चरमे, द्विसप्ततितमस्याब्दस्य सद् विश्वजि-

घाजी यश्च चिदम्बरे स्वमभजज् ज्योति' सता पश्यताम् ॥

इस श्लोक के अनुसार भी पण्डितराज, अप्पयदीक्षित और भट्टोजिदीक्षित का समकालीनत्व सिद्ध होता है ।

वात रही उक्त दोनों विरोधी युक्तियों को, पर उनका समाधान भी कठिन नहीं है, क्योंकि प्रथम युक्ति के द्वारा पण्डितराज अप्पयदीक्षित के भातृ-पौत्र नीलकण्ठ दीक्षित के समकालीन सिद्ध किये गये हैं, यदि यह वात मान भी ली जाय, तथापि पण्डितराज और अप्पयदीक्षित के समकालीनत्व में कोई बाधा नहीं होती अर्थात् यह संभव है कि 'नीलकण्ठ-विजय' के निर्माणकाल तक अप्पयदीक्षित जीवित रहे हों । युवक पौत्र को देखने वाले वृद्ध आज भी सर्वथा दुर्लभ नहीं हैं, उस युग में तो लोग और अधिक दीर्घायु होते थे और नीलकण्ठ दीक्षित तो अप्पयदीक्षित के अपना पौत्र भी नहीं, वरन भातृ-पौत्र थे, फिर तो यह सर्वथा सम्भव है कि ३० वर्ष के भातृ-पौत्र के समय में ७२ वर्ष के पितामहभ्राता वर्तमान रहा हो ।

द्वितीय युक्ति का समाधान भी इसी तरह किया जा सकता है—अर्थात् भट्टोजिदीक्षित और अप्पयदीक्षित समकालीन थे, यह वात निर्णोत है और भट्टोजिदीक्षित शेषश्रीकृष्ण के छात्र थे, एव शेषश्रीरेश्वर—जो पण्डितराज के गुरु थे—उनके पुत्र थे, फिर पण्डितराज और अप्पयदीक्षित की समकालीनता में सन्देह करने का कोई अवसर ही नहीं है । हाँ, इतनी बात अवश्य है कि जब पण्डितराज युवक रहे होंगे, तब दीक्षित जो वृद्ध हो गये होंगे, अत एव द्राविड, महाराष्ट्र और तैलङ्ग इन सहभोजी जातियों में उनकी सरपत्नी तथा उनके द्वारा पण्डितराज की जातिच्युति की बात भी सगत होती है ।

### स्वभाव

पण्डितराज का स्वभाव अत्यन्त उग्र था, वे कष्ट सत्य को भी अनायास व्यक्त करने में सकुचित नहीं होने थे । एक समय किसी ने पण्डितराज को अपनी कविता सुनाना चाहा । परन्तु उन्होंने कविता सुनने के पहले ही कह दिया—'मित्र ! यदि आप पूर्ण परिपक्व होने के कारण चूते हुये दाख के रस की मधुरता के गर्व को खर्व कर देने में समर्थ बचनों

के नर्मद हैं, तब तो मेरे सामने सुख से अपनी कविता पढिये। अन्यथा यदि आप उत्त-  
तरह की वाणी के नर्मद न हों तो त्वकृत पापाचरण के सनान अपनी कविता को हृदय से  
बाहर मत कीजिये<sup>१</sup>।

विधाता ने पण्डितराज के स्वभाव में अभिमान को बूट-बूटकर भर दिया था। इनकी गर्वोक्तियों  
सखन सनाज में प्रसिद्ध हैं। वे कहते हैं—‘दुनिया में कविता करने वाले बहुत लोग हैं,  
परन्तु चंद्रिकापाक अर्थात् अत्यन्त मधुर-वाणी का आचार्य मैं ही हूँ, इस पद के अधिकारी होने  
का सौभाग्य दूसरे को कहाँ<sup>२</sup> ?’ किन्तु बड़ी गर्वोक्ति है ? किसी नायिका के वर्णन में आप कहते  
हैं—‘वह नायिका मेरी कविता के सनान<sup>३</sup> मनोहर है ? गर्व को अभिव्यक्त करने की  
कैसी निराली छटा है ? आपकी कविता से जिन्हें आनन्द का अनुभव नहीं होता, उन्हें आप  
जीवित-मृतक कहते हैं।<sup>४</sup>

उग्र स्वभाव के कारण ही पण्डितराज प्रतिष्ठित से प्रतिष्ठित विद्वानों की उक्तियों में दोष  
दिखलाने में नहीं चूकते। अप्यवदीक्षित से तो पण्डितराज का स्वाभाविक विरोध ही था, अतः  
यदि उनके ग्रन्थों का खण्डन उन्होंने दुराग्रहपूर्वक किया है तो उतना अनुचित नहीं, क्योंकि  
विरोधियों का खण्डन सभी करते हैं। परन्तु जिन आनन्दवर्धन, नन्मट आदि विद्वानों का स्थान  
स्थान पर आपने आदर से स्मरण किया है, उनके वचनों में भी यत्र-यत्र दोष-दर्शाने में आप  
बाज नहीं आये हैं।

### धर्म और अन्तिम काल

पण्डितराज ने यद्यपि स्थान-स्थान पर सभी देवताओं का स्मरण मङ्गलरूप में किया है,  
तथापि आप प्रधानतया वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, ऐसा प्रतीत होता है। आपके जीवन का अन्तिम  
भक्तियोग सनय काशी अथवा मथुरा में व्यतीत हुआ।<sup>५</sup>

१. निर्माणे यदि नामिकोऽस्ति नितरानत्यन्तपाकद्रवन्

चंद्रिकामधुनाधुरीनदपरीहारोद्घुराणा गिरान् ।

काव्ये तर्हि सखे सुखेन कथय त्वं सन्मुखे मादृशा,

नो चेद्दुष्कृतनात्मना ह्यमिव त्वा ताद्वहिर्ना कृथा ॥

२ ‘आमूलाद्रत्नसानोर्नलयवलयितादा च ब्रूलात्पयोधे,

यावन्तं सन्ति काव्यप्रगयनपटवस्ते विशङ्क वदन्तु ।

चंद्रिकामध्यनिर्वन्मत्तगरत्तशरीनाधुरीभाग्यभाजा,

वाचानाचार्यताया पदमनुभवितु कोऽस्ति धन्यो नदन्य ॥’

३ ‘सा मानकीनकवितेव मनोऽभिराना

राना कदापि हृदयान्मम नापवाति ।’

४ ‘भुव ते जीवन्तोऽप्यहह मृतकामन्दमतयो,

न वेषामानन्द जनयति जगन्नाथ-भगिति ।’

५ ‘सम्प्रत्यन्धकशासनस्य नगरे तत्त्व पर चिन्त्यते’

यह पाठ नामिनीविलास के कुछ पुस्तकों में है और कुछ पुस्तकों में तो-

‘सम्प्रत्युद्भितवासन मधुपुरीमध्ये हरिः सेव्यते’ ऐसा पाठ है ।

### पण्डितराज के ग्रन्थ

- १—अमृतलहरी—इसमें यमुनाजी की स्तुति की गई है। यह काव्यमाला में मुद्रित हो चुकी है।
- २—आसफविलास—इसमें नवान आसफखॉ का वर्णन किया गया है। काव्यमाला में इसकी कुछ पंक्तियाँ ही प्रकाशित हुई हैं।
- ३—करुणालहरी—इसमें विष्णु की स्तुति है। यह काव्यमाला में मुद्रित है।
- ४—चित्रमीमांसाखण्डन—उसमें अप्पयदीक्षित कृत चित्रमीमांसा का खण्डन है। यह भी काव्यमाला में प्रकाशित हो चुका है।
- ५—जगदाभरण—इसमें ग्राहजहाँतनय दाराशिकोह का वर्णन है। यह भी काव्यमाला में मुद्रित है।
- ६—पीयूषलहरी—यह भी काव्यमाला में तथा अन्यत्र भी मुद्रित है, इसका प्रसिद्ध नाम गगालहरी है।
- ७—प्राणाभरण—यह नेपालनरेश प्राणनारायण का वर्णनपरक खण्डकाव्य है। काव्यमाला में इसका प्रकाशन हो चुका है।
- ८—भामिनीविलास—इसके अनेक संस्करण हो चुके हैं, इसमें पण्डितराज की फुटकर कविताओं का संग्रह है।
- ९—मनोरमाकुचमर्दन—यह भट्टोजिदीक्षित कृत मनोरमा ग्रन्थ का खण्डन है, यह 'हरिदास संस्कृत ग्रन्थमाला' काशी में प्रकाशित है।
- १०—यमुनावर्णन—यह ग्रन्थ आज तक प्राप्त नहीं हुआ, केवल रसगंगाधर में उद्धृत कतिपय अंशों से इस गद्यमय ग्रन्थ का पता चलता है।
- ११—लक्ष्मीलहरी—लक्ष्मी स्तुति परक यह पुस्तक काव्यमाला आदि में छप चुकी है।
- १२—रसगंगाधर—यह ग्रन्थ पाठक के हाथों में है। पण्डितराज की कीर्ति—इसी पर निर्भर है। परन्तु खेद है कि पण्डितराज का यह ग्रन्थरत्न अपूर्ण ही उपलब्ध होता है।

### अन्य जगन्नाथ

संस्कृत साहित्य में ग्रन्थनिर्माण करने वाले अन्य ११ जगन्नाथ नामधारी पण्डितों का भी पता चलता है। परन्तु उनमें एक भी पण्डितराज उपाधिधारी नहीं हुये। उनके बनाये ग्रन्थ-रेखागणित, सिद्धान्तसम्राट्, सिद्धान्तकौस्तुभ, विवादभगार्णव, अतन्द्रचन्द्रिक नाटक, अनङ्ग-विजयभाग, सभातरङ्ग, अद्वैतामृत, समुदायप्रकरण, शरभगजविलास और ज्ञानविलास आदि हैं।

### रसगङ्गाधर के संस्करण

प्रायः रसगङ्गाधर का प्रथम संस्करण जयपुर से काव्यमाला द्वारा हुआ। परन्तु उस संस्करण में शुद्ध पुस्तक की प्राप्ति न होने से तथा ग्रन्थ की अति दुरूहता से स्थान-स्थान पर अशुद्धियाँ रह गईं।

नदनन्तर द्वितीय संस्करण काजी से महानहोपाध्याय गंगाधरशास्त्री जी के तत्त्वावधान में प्रकाशित हुआ। उक्त संस्करण में कतिपय स्थलों पर महानहोपाध्याय जी की टिप्पणी विशेष महत्व रखती है।

इनके बाद जयपुरनिवासी कविशिरोनिधि पण्डितवर मधुरानाथ जी मद्रहून संक्षिप्त सरलाटीका सहित, उन्हीं के तत्त्वावधान में सुस्तम्पादित संस्करण भी विद्वज्जनों के ज्ञानने आ चुका है।

प्रस्तुत संस्करण के गुण-दोषों का विवेचन पाठक ही करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि प्रकाशक की उदारता और सत्प्रयास से यह संस्करण पाठकों को अवश्य सन्तुष्ट करेगा।

## रसगङ्गाधर की टीकाएँ

अन्य अलङ्कार-ग्रन्थों पर अनेकानेक टीका-टिप्पणियाँ लिखी गईं परन्तु अलङ्कार शास्त्र के चरम चूडान्मभूत इन ग्रन्थराट् पर आज तक बहुत कम विद्वानों ने लेखनी चलाई। प्रायः इनका निदान ग्रन्थ की अत्यधिक जटिलता ही है।

रसगङ्गाधर पर वैयाकरण शिरोनिधि नागेश मद्रहून की सबसे प्राचीन टीका उपलब्ध होती है। प्राचीनतम होने के कारण इस टीका की महत्ता अवश्य है, परन्तु वस्तुतः यह टीका नहीं टिप्पणी मात्र है, क्योंकि यह अति संक्षिप्त है। अधिकतर स्थान में मूल का स्वर्ग नहीं किया गया है। जहाँ वहाँ मूल का स्वर्ग किया नो गया है, वहाँ भी प्रायः मूल का खण्डन ही किया गया है जो सर्वत्र समुचित भी नहीं है। इस्ते देता भान होता है कि इन टीका के द्वारा पण्डितराज का ओषोटाहन करना ही नागेश मद्रहून का लक्ष्य था। फिर भी इस लघु टीका के द्वारा पाठकों को कुछ लाभ अवश्य हुआ है, इसमें सन्देह नहीं। मधुरानाथ जी मद्रहून ने अपनी भूमिका में नागेश मद्रहून टीका के बहुत से दोषों का संग्रह किया है।

मद्रहून जी की यह लघु टीका पाठकों के लिये बहुत ही उपकारक सिद्ध हुई है, इसमें सन्देह नहीं, परन्तु अति संक्षिप्त होने के कारण यह भी ग्रन्थ पर चिरज्वाल से अपेक्षित टीका की कमी की पूर्ति नहीं कर सकी।

रसगङ्गाधर का हिन्दी अनुवाद पं० श्री पुरषोत्तम शर्मा चतुर्वेदी जी ने बहुत अच्छा किया है। चतुर्वेदी जी का यह प्रयास बहुत ही श्लाघ्य है। यद्यपि मद्रहून जी ने अपनी भूमिका में यत्र-तत्र इनकी आलोचना की है। मैंने भी एक आध जगह अपनी टीका में इस विषय का निदेश किया है। परन्तु सर्वाश में विचार करने पर अनुवाद उपादेय है, इसमें किसी को विभ्रान्तिपत्ति नहीं हो सकती। इन अनुवाद का उद्देश्य है हिन्दी भाषा के विद्वानों को रसगङ्गाधर का गन्तावदन कराना, इस उद्देश्य की निधि नोल्ह आना इस अनुवाद से हुई है, किन्तु मत्तून के विद्वानों को इन अनुवाद मात्र से मन्योप नहीं होना, क्योंकि इसके साथ मूल नहीं है और कहीं कहीं 'अवच्छेदकानामय भाषा का 'वाच का छाल निकालना कहकर' अनुवाद करना भी छोड़ दिया गया है।

## ‘रुचिरा’ संस्कृत-हिन्दी टीका

प्रस्तुत प्रथम भाग में कविशेखर प० वदरीनाथ झा जी की संस्कृत टीका प्रकाशित हुई है, यह टीका बहुत ही सुन्दर है, इसमें सरल शब्दों के द्वारा ग्रन्थ के मर्म को स्पष्ट करने का सफल प्रयास किया गया है। यह टीका न अधिक विस्तृत है और न अधिक सक्षिप्त ही। मुझे विश्वास है कि इस टीका से विद्वज्जन प्रसन्न होंगे और मध्यम कोटि के विद्वान् भी इस टीका के आधार पर भली प्रकार इस ग्रन्थ का अध्ययन अध्यापन कर सकेंगे। परीक्षार्थी छात्रों के लिये तो यह टीका अत्यधिक उपादेय है।

‘कविशेखर जी’ की संस्कृत टीका के साथ साथ मेरी हिन्दी टीका यत्र-तत्र कुछ विस्तृत हो गई है, जिसका कारण-वैसा करने का मेरा दुराग्रह नहीं वरन जटिल विषयों को अधिक से अधिक सरल बनाने का प्रयासमात्र है। मेरा विश्वास है कि इस विस्तृत विवरण से पाठकों को ग्रन्थ के रहस्यों को समझने में जो सुविधा होगी, वह सक्षिप्त विवरण से नहीं। मैंने राष्ट्र भाषा को पवित्र रखने का भरसक यत्न किया है, तथापि जो श्रुति रह गई हो, उसकी सूचना पाठक मुझे दें, ताकि अग्रिम संस्करण में उसका सशोधन किया जा सके।

एक बात और यह कि कहीं कहीं मुझे समालोचक का रूप धारण कर मूलकार के विरुद्ध भी लिखना पड़ा है। परन्तु वह विरुद्ध आलोचना कहीं तक ठीक हुई है, इसका निर्णय विद्वान् पाठक ही करेंगे। हिन्दी भाषा में भी मैंने ग्रन्थ-ग्रन्थि-विमोचन का प्रयास सर्वत्र ही किया है, सफलता अथवा असफलता का निर्णय करना तो मेरा काम नहीं, वह विश पाठकों का ही कर्तव्य होगा।

### उपकार

रसगङ्गाधर की हिन्दी टीका लिखने में मुझे सबसे बड़ी सहायता पूज्यवर कविशेखर प० श्री वदरीनाथ जी झा की संस्कृत टीका से मिली है। हिन्दी टीका लिखने की मेरी स्वीकृति पाते ही प्रकाशक महोदय ने झाजी की संस्कृत टीका मेरे पास भेज दी थी। इसे एक सुयोग ही कहना चाहिये। यदि उनकी टीका मेरे पास न होती, तो मुझे हिन्दी टीका लिखने में इतनी सुविधा नहीं होती, यह एक निश्चित सत्य है।

कहीं, कहीं—यद्यपि ऐसे स्थल बहुत कम हैं—आप से मेरा मत-भेद भी हुआ है। यद्यपि उचित तो यह था कि मैं अपनी टीका लिखने से पूर्व आप से मिलकर एकवाक्यता कर लेता, परन्तु समयभाव के कारण ऐसा नहीं हो सका। अस्तु, यदि उन मतभेद-स्थलों में मेरे मत सगत हों, तो उसका श्रेय भी आप गुरुजनों को ही प्राप्त है और यदि मेरे मत सगत नहीं हों, तो उसका दोषी मैं हूँ, एवम् उस स्थिति में मैं इस धृष्टता के लिये आदरणीय ‘गुरुवर’ से क्षमा प्रार्थी हूँ।

उपकारकों में दूसरा स्थान है प० श्री पुरुषोत्तम शर्मा जी चतुर्वेदी के अनुवाद का। उनके अनुवाद से भी मुझे स्थान-स्थान पर अत्यधिक सहायता मिली है। इस पुस्तक की भूमिका के विषयविवेचन भाग की तो आधार-भित्ति उनकी भूमिका ही है।

उपकारकों में सम्माननीय मथुरानाथ जी भट्ट का नाम भी स्तुति करने योग्य है। आपके सम्पादित रसगङ्गाधर और उसकी ‘सरला’ टीका से भी मुझे अधिक सहायता मिली है, विशेषतः भूमिका लिखने में तो आपकी भूमिका अधिक पथप्रदर्शक हुई है।

## प्रस्तावना

पुष्टि 'वामन' के सन्दर्भ से भी होती है। उन्होंने कहा है कि 'अलङ्कार-युक्त होने से काव्य का ग्रहण (ज्ञान) करना चाहिये। सौन्दर्य को ही अलङ्कार कहते हैं। अलङ्कार पद भावसाधन होने से अलङ्कृति-परक है। करणव्युत्पत्ति मात्रकृत शब्दों का प्रयोग यमक, उपमा आदि में भी होता है। वह सौन्दर्य काव्य में दोष का त्याग और गुण, अलङ्कार आदि के ग्रहणसे उत्पन्न होता है।'

वस्तुतः 'अलङ्कार शास्त्र' के नामकरण का बीज यह प्रतीत होता है कि दण्डी, मामध, मञ्जुव्रत, व्रत और वामन पर्यन्त जिन प्राचीन आचार्यों ने अलङ्कारशास्त्रसम्बन्धी प्रवृत्तियों की रचना की वे सब के सब ध्वन्यमान अर्थ को वाच्यार्थोपकारक मानकर अलङ्कार-कोटि में ही समाविष्ट किये। अत एव उन लोगों ने काव्य में अलङ्कार को ही सर्व-प्रधान माना, फिर तो 'प्रधान के अनु-मार व्यवहार होते हैं, जैसे अन्य लोगों का आवास रहने पर भी मछलप्रधान ग्राम में 'मछलप्राम' ऐसा व्यवहार होता है।' इस सिद्धान्त के अनुसार उन लोगों के युग में प्रकृतशास्त्र का 'अलङ्कार-शास्त्र' यह नामकरण प्रमाणयुक्त ही था। बाद में 'ध्वन्यालोक' के निर्माता 'आनन्दवर्धन' ने अनेक युक्तियों से काव्य में ध्वन्यमान अर्थ की प्रधानता स्थापित कर दी, तदनन्तर भावी आचार्य ने ध्वन्यमान अर्थों में भी रस आदि असलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यों के ही सर्व प्रधान होने की व्यवस्था की, तदनुसार यद्यपि आज के युग में प्रकृतशास्त्र का नाम उक्त युक्ति से 'ध्वनिशास्त्र' अथवा 'रस शास्त्र' होना चाहिये, तथापि ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हम भारतीय सदा से रूढ़ि के मर्त्त रूढ़े, पि यथा प्रकार ही उस भक्ति को कैसे मुका बैठते? फलतः हम आज भी प्राचीन परम्परा के अनुसार से काव्य-नियामक प्रवृत्तियों के विषय में 'अलङ्कार-शास्त्र' इसी नाम से व्यवहार करते हैं।

## अलङ्कारशास्त्र में उत्तरोत्तर विकास

इस अलङ्कारशास्त्र में जितनी गम्भीर आलोचनार्यें की जाती हैं, उतनी अधिक मर्मस्पर्शिता उसमें उत्तरोत्तर उत्पन्न होती है और उसके फलभूत काव्य में भी अधिकाधिक उपादेयता सम्पन्न होती है।

प्रायः सभी समालोचक एक स्तर से इस बात को स्वीकार करते हैं कि अखिल भाषा साहित्यों में उन्नततम पर सस्कृत वाङ्मय ही है जिसका साहित्य अनादि है और अन्तस्तलस्पर्शी साहित्यकारों के गम्भीरतम विवेचनाओं से क्रमशः मार्मिकता की चरम सीमा पर पहुँच चुका है। प्रायः प्राचीन काल से आज तक सभी आलङ्कारिकों ने अपने अपने निबन्धों में इस बात का मार्मिक विवरण दिया है कि 'कथिरार्थक शब्दों का समुचित सन्निवेशरूप काव्य' किन किन साधनों से मनुष्यों के हृदयपरजन करने में अधिक सक्षम होगा। स्थूल रूप से उनके विचारों को तीन मार्गों में विभक्त कर सकते हैं—

(१) एक गुण यह था, जब विशिष्ट-विशेषवती पद-रचना को ही आलङ्कारिक लोग काव्य का नाम मानते थे, और काव्य के शरीरस्थानीय शब्द तथा अर्थ में परिलक्षित होने वाले

१. 'श. प्र. दन' द्वारा, सौन्दर्यमलङ्कार । अलङ्कारिकलङ्कार । करणव्युत्पत्त्या पुनरलङ्कार-  
नो ननु दोषकारिणु इति । म दोषयुगात्कारकानोपादानान्याम् । ( अलङ्कारसूत्र )

२. 'ननु ननु इति चन्द्रिका चरन्ति, मद्यप्रामादिवद ।'

३. 'शरीरस्थानीय' । ( वामन )



## कृतज्ञता-ज्ञापन

जिन-जिन महानुभावों की कृतियों से मैं इस टीका के प्रणयन में लाभान्वित हुआ हूँ उनके प्रति मैं जिन शब्दों में कृतज्ञता ज्ञापन करूँ, वे शब्द ढूँढे नहीं मिलते। शब्दों के द्वारा कृतज्ञता-प्रकाशन एक प्रथमात्र है। वास्तविक कृतज्ञता-ज्ञापन तो हृदय से होता है, अतः आप महानुभाव मेरी मूक पर सच्ची हार्दिक कृतज्ञता स्वीकार करें, यही मेरी विनम्र प्रार्थना है।

इस कृतज्ञता-ज्ञापन के प्रसङ्ग पर मैं श्रेष्ठिवर बाबू जयकृष्णदास जी गुप्त, अध्यक्ष 'चौखन्वा सस्कृत तोरिज' तथा 'चौखन्वा विद्या भवन' बनारस को भी नहीं भूल सकता, जिनके सहजसौजन्य से मुझे इस टीका के निर्माण का सुअवसर प्राप्त हुआ।

अन्त में अपने अकृत्रिम स्नेही बन्धु प० श्री रामचन्द्र जी झा के प्रति भी हार्दिक कृतज्ञता प्रकाशन करना मैं अपना पावन कर्तव्य समझता हूँ, जिनके सौहार्द से मेरा सबन्ध उक्त कार्यालय से हुआ।

गुरुपूर्णिमा  
सं० २०१२

विनीत—

मदनमोहन झा



# निवेदनम्

‘धातुश्चतुर्मुखीकण्ठशृङ्गाटकविहारिणीम् ।

नित्यं प्रगल्भवाचालामुपतस्थे सरस्वतीम् ॥’

जनजीवने क्षणा आयान्ति यान्ति च तत्र पुण्यास्ते क्षणा यत्र जन किमपि महत्त्व-  
मय कार्यमारभते, समारब्धकर्मपरिसमाप्तये सपरिकरबन्धं प्रयतते, प्रारब्धपरिसमाप्तौ  
परितुष्यति च ।

अहमपि निजजीवनस्य तान् क्षणानतिपुण्यमयान् जाने यत्र निखिललङ्कारग्रन्थ-  
गर्वखर्वणानिपुणस्य श्रीजगन्नाथपण्डितराजनियद्वयस्य रसगङ्गाधराख्यस्य महानिवन्धस्य  
व्याख्या मयाऽऽरभ्यत, प्रत्यूहव्यूहै साकं सङ्गरमुपक्रम्यता तत्परिसमापनाय प्रायत्यत,  
तत्परिसमाप्तौ च वृत्तकृत्यताजन्मा महान्मोदोऽन्वभूयत ।

## रसगङ्गाधरव्याख्यानावसरलाभः

मैथिलत्राह्मणजातीयश्रोत्रियशाखाया लब्धजन्माऽभिनन्दनीयकविकर्मा पूजनीयः कवि-  
शेखरश्रीवदरीनाथमाशर्मा विहारप्रान्तीयमुजफ्फरपुरस्थ-राजकीय-धर्म-समाजसंस्कृतमहा-  
विद्यालयस्थप्रधानाचार्यपदश्चालङ्कर्वन् ‘ध्वन्यालोक-दीधिति’-‘रसमञ्जरी-सुरभी’त्याद्यनेकान्  
व्याख्याग्रन्थान् ‘राधापरिणय’प्रभृतीन् क्रियन्तो मौलिक-संस्कृतकाव्यनिवन्धाश्च निर्माय प्रका-  
शितान् विधाप्य च ततो लब्धदीर्घावकाशो प्राप्ते धर्माचरणचण जीवन यापयन् वार्धक्य-  
प्रभाव-परवशोऽप्यहीनस्फूर्तिं रसगङ्गाधरप्रथमाननस्य चन्द्रिकाख्या संस्कृतभाषामयीं  
व्याख्या विरचय्य प्रकाशनाय चौखम्बा-विद्याभवनाभिधाने वाराणसीगते ग्रन्थालये  
प्रायच्छत् ।

उक्तग्रन्थालयाधिपतिः श्रेष्ठिप्रवर श्रीजयकृष्णदासगुप्तमहोदयश्च तदीया ता व्याख्या  
हिन्दीव्याख्याया सहैव प्रकाशयितु कामयमानो हिन्दीव्याख्यामपि विधातु तमेव लब्धप्रतिष्ठ-  
माचार्यप्रवर प्राक् प्रार्थयामास । पर ततो नकारात्मकमुत्तरमुपलभ्य तदनुमत्यैव मया  
तावतो भागस्य हिन्दीव्याख्या कर्तुं भारभार्षयत् । इत पूर्वमेव मम ‘रसगङ्गाधररहस्य’-  
नामकमेक लघुपुस्तक परीक्षार्थिच्छात्रजनानुरोध-वल-लब्ध-समुद्भव तस्मिन् ग्रन्थालये  
प्रकाशितमासीत् ।

यदा तं भार प्रदातुमुक्तप्रकाशकमहोदयो मम पुर सनुपस्थितोऽभूत् तदा प्रथमं  
रसगङ्गाधरस्य नव्यन्यायभाषासन्देहस्य हिन्दीव्याख्याया दुष्करतामिवानुध्यायन्नह  
त भारमनङ्गीकर्तुमेव मनसाऽनुमतोऽभवम्, परन्तु तदग्रिमक्षण एव वीणापाणिप्रेरित  
किमपि विलक्षणं साहसं मम मानते समचरत् । यत्कल मन्नुत्तात्तद्भारस्वीकारोक्तिनिरस्ततिः  
समभूत् । भारो मयाऽङ्गीकृत । किन्तु यदा तद्भारवहनाय स्कन्धौ योजितौ तदा विविधा  
विन्ना सन्मुखमापतिता । कदाचिदनूढभारौ स्कन्धावेवान्दोलनमिवाकलयन्तौ प्रतीयेतेस्म,  
कदाचित्तमयाभावोऽनुभूयतेस्म, कदाचिदस्वास्थ्यादीनि मार्गरोधकानि प्रतिभान्तिस्म ।-

परमेतान् विद्वान् विद्राव्य यथाकथञ्चिदह तं महान्त भार वहन् व्याख्यानिर्माणस्रणा-  
चप्रेऽसरम् । अस्याच्चाप्रेसरताया तत्साहसमेव सर्वाधिक सहायक समभवत् ।

अन्ततस्तेऽपि दिवसा. समागता यदा रसगङ्गाधरप्रथमाननस्य हिन्दीव्याख्या  
सम्पूर्णा, विशाला प्रस्तावनाऽपि प्रस्तुता, प्रकाशनाय यन्त्रमाहडा च ।

यदा तत्पुस्तक यन्त्रस्थमतिष्ठत्तदा ममान्त-करणे के के भावा. प्रादुर्भूय विनश्यन्तिस्म  
तान् कथ कथयामि, 'मम व्याख्यामवलोक्य विद्वास. किं कथयिष्यन्ति ? स्तोष्यन्ति ?  
निन्दिष्यन्ति वा ?' इत्यादयो भयमिश्रितास्ते भावा आसन्, एतावदेव साम्प्रतं वक्तु  
पारयामि । परन्तु यदा प्रकाशित तत्पुस्तक विदुषा करेषु स्थानमापत्तदाऽसन्तोषस्य कोऽप्य-  
वसरो नोपस्थित, यतो विद्वासो मम व्याख्याया प्रशसा यदि नाकुर्वन् तर्हि निन्दामपि नैव  
प्राकटयन्, प्रत्युत कर्णाकर्णितया तस्या व्याख्याया प्रशसैव श्रुतिपथातिथ्यमयासीत् ।

अथ तेनैव प्रकाशकश्रेष्ठेन श्रेष्ठिवरेण श्रीजयकृष्णदासगुप्तमहोदयेन रसगङ्गाधराग्रिमभाग-  
स्यापि पूर्वभागस्येव सस्कृत-हिन्दी-टीका-द्वयोपेत सस्करण प्रकाशयितुकामेन पुन. स एव  
विख्यातकीर्ति प्रथमभागसस्कृतटीकाकारो द्वितीयभागटीकाकारणायामन्त्रित । किन्तु  
माहशश्रद्धावनतासख्यजनसौभाग्येन जीवन्नपि स वार्धक्यवशात्तौकिकप्रपञ्चवैमुख्यवशाच्च  
द्वितीयभागस्य व्याख्या कर्तुं नैच्छन् । तत पुनस्तदादेशेनैव श्रेष्ठिप्रवरोऽसौ रसगङ्गाधर-  
द्वितीयभागस्य द्वितीयाननाद्युत्प्रेक्षान्तस्य सस्कृत-हिन्दी-भाषा-युगलनिबद्धा व्याख्या विधातु  
मामन्वरुणत् ।

मयापि प्रथमभागगतहिन्दीटीकासाफल्यसमुत्साहितेन सहर्षं तथा विधातु स्वीया  
स्वीकृतिर्वितीर्णा समारब्धा च प्रथमभागगतसस्कृतटीकाकारविधृतचन्द्रिकाख्यैव सस्कृत-  
व्याख्यया सह राष्ट्रभाषाहिन्दीव्याख्यया ।

### परिस्थितिः

भावावेशदशाया विहित एव लेखो भावकेभ्यो रोचत इति प्राय समेषा लेखकाना  
तुल्योऽनुभव । भावावेशदशासम्पत्तिश्च तदैव सम्भवति, यदि नियमत समयापहारक  
किमपि कार्यान्तर न भवेत्, जीवनयापनोपयोगिनोऽर्थस्य कार्कश्यं न तिष्ठेत्, कोऽपि  
व्याधि काय नाक्रामेत्, आधिर्हृदय न चुम्बेत्, लेखकजनोपयुक्तरह प्रकोष्ठाभावो वा  
न भवेत् ।

मम पुरस्तु व्याख्याकरणकाले पुरोदीरितनवर्थप्रतियोगिन एव नियमतोऽतिष्ठन् ।  
यतो महाविद्यालयेऽध्यापकपदासीनस्य मम समयापहारक महाविद्यालयसम्बन्धध्याप-  
नादिकार्यं नियमतस्तिष्ठत्येव ।

अथाधिरेव विधिविधानाधीनोऽवशिष्यते । सोऽपि यादृक् प्रकृतटीकाटीकनकाले समु-  
पस्थितो, न तादृक् प्राक् कदाचिन्मम जीवने । यमवलोक्य नानाविध मनोरथ कुर्वाण आसम्  
यो न ममैव, अपि तु समस्तस्य परिवारस्य प्राणेभ्योऽपि प्रियोऽभवत्, यो लघुनि निज-  
जीवने भविष्णुताया अनेकानि प्रमाणानि प्राकटयत्, यदीया रूपमाधुरी यदीय स्वभाव-  
सौन्दर्यं, यदीय आचारक्रमो नात्मीयानेव, किन्तु तटस्थानपि प्राभावयन्, स सप्तवर्षीयो  
वीरेन्द्रमोहनाभिधस्तनयोऽकस्माच्चिकित्साया अवसरमदत्त्वैव विसूचिकारोगेण रुदतोऽ-

मानपहाय परमपितुः क्रोडे क्रोडितुमिव लोकान्तरमगमत् । हन्त ! भगवन् ! नैतादृशं  
रवसरं कस्मैचिद्देहि ।

दैवदुर्विलासादितयाऽनया दुर्घटनया तादृश आघातो हृदयेऽलगद् येन प्रक्रान्तव्याख्या-  
त्ते सन्भावना समाप्तप्राया सनजनि । परन्तु सनयः सर्वं शनयति । ननापि शोक  
द्वयशः सद्यतामासादयत् । पुनरहं 'वित्रै पुन पुनरपि प्रतिहृन्मनाना' प्रारब्धनुत्तनगुणा  
ऽ परित्यजन्ति' इत्याप्तजनोक्तिननुस्मरन् व्याख्याकर्माणि सल्लोऽभवन् ।

अस्या विषयपरिस्थिते. सुनिश्चित. परिणानोऽयमभवद्यन्नहाविलम्बेन व्याख्याकार्यं  
उपपद्यत । समपद्यत, एतदेव बहु मन्तव्यम् ।

'आत्यन्तिकसिद्धिविलम्बसिद्धयो. कार्यस्य कार्यस्य शुभा विभाति ?'

### संस्कृतव्याख्या

मदीया सत्कृतव्याख्या क्रोडशी सञ्जाताऽस्तीति यद्यपि न मम निर्णेचो विषय, अपि  
तु सहृदयानामालोचनात्मकदृष्टिकोण पुरो निघाय पाठकानामेव, तथापि वक्तव्यमेव नयाप्ये-  
तावद्यदस्या व्याख्याया ग्रन्थकारस्य हृदय स्पष्टु महान् श्रमो विहित यन्नत' प्रतिपादन-  
शैली सरलाकृता, सर्वत्रावतरण-ग्रन्थलापनद्योरनन्तरं साराशो लिखित ।

इयं व्याख्याशैली भवेदन्यैर्व्याख्याकारैरन्यत्र क्षुण्णा, परन्तु नया ज्ञानपुरस्सर न  
कस्यापि शैली सननुहृता । सन्भवति—टीकाकरणे प्रथमप्रवृत्तस्य मन तद्विषयकाचानुयेंण  
बुद्धिगोपेण वा क्रियत्यस्तुद्यो भवेद्युरिति ।

### हिन्दीव्याख्या

व्याख्यानुवादयोर्नदन्तरं भवतीति सर्वानुभवसाक्षिकवस्तु । मदा यद्यपि हिन्दी-  
भाषायामपि व्याख्यैव कृता, नानुवादत्तयापि क्वचित्क्वचिदनुवादशैली-छाया तत्र लभ्येत  
भावकै । तत्र व्याख्या-शैली-सननेक्षित-द्विरुक्त्यादिदोष-प्रस्त-पाङ्क्ति-बुद्धि-परीजिहासैव  
हेतु । सन्भवति—दुल्लहस्यलीय-भावस्फोरण क्रानयमानेनापि नया सर्वथा हिन्दीभाषाया  
न कृत भवेदिति । इदमपि सन्भवति भाषा सर्वथा परिमार्जिता न स्यादिति । यद्यप्येवना-  
दिभिर्दोषैर्नुक निजलेख नुक्त रक्षितुं नया नाल्पं सनवधानं स्वीकृतम् तथापि स्वतः-समानादि-  
विविधशान् स्वल्पैरेवाज्ञरैविशालनर्यजात क्रोडीकृत्या, परतो नव्य-न्याय-शैली-समुद्भू-  
ताया संस्कृतभाषायानुपनिबद्धस्य प्रौढतरस्य निबन्धस्य भाव-स्फोरणं तादृशैः श्रुत्यन्व-  
हिते भाषान्तरे दुष्कर भवतीति ते दोषा नासन्नाविन ।

विरोधं विधास्यन्ति तदा तत्कालादारभ्याहमपि स्वविचारं परिवर्तयिष्यामि, तदनुसारं समुचित सशोधनमपि भाविनि सस्करणे करिष्यामीति ।

### साहाय्यम्

व्याख्याकरणकाले विख्यातकीर्तिभि विद्वच्चूडामणिभिर्नांगशभट्टै कृतया गुरुमर्मप्रकाशाख्यया व्याख्यया, कविवरै श्रीमयुरानायभट्टमहोदयै कृतया सरलाभिधया टिप्पण्या च सयुक्त मूलरसगङ्गाधरपुस्तकम्, विद्वद्वरै श्रीपुरुषोत्तमशर्मचतुर्वेदिमहोदयै लिखित हिन्दोरसगङ्गाधरपुस्तकञ्च ममाग्रेऽवर्तताम् । रसगङ्गाधरस्य तेभ्योऽन्यद्रीकाटिप्पण्यादिकमुपलब्धमपि नास्त्येव । अतो यदल्प महद् वा साहाय्य समभूतत एवेति स्वीकरणे न मम सङ्कोच । भूमिकाभागे तु चतुर्वेदमहोदयाना पुस्तकेन सहैव लब्धप्रतिष्ठस्य समालोचकमूर्धन्यश्रीवलदेवोपाध्यायमहाशयाना भारतीयसाहित्यशास्त्रनामकेन पुस्तकेनपि विपुलसाहाय्य मम कृतमिति सत्यतर वच ।

### धन्यवादज्ञापनम्

येषा पुस्तकेभ्यो मया साहाय्य लब्ध तेभ्यो प्रागुक्तनामधेयेभ्यो विद्वद्भ्यः शतधा-सहस्रधा वा धन्यवादानह मनसा विदधामि । सहैव यैरत्रत्यै सहवासिभिर्वयस्यकल्पैर्विद्वद्भिः साकं समये समये कृता व्याख्येयग्रन्थगूढस्थलविचारवार्ता मार्गदर्शिका समभूत तानपि धन्यवादवचोभिः सवर्धयामि ।

### आलोचकान् प्रति

नवप्रकाशितस्य मौलिकग्रन्थस्य व्याख्याग्रन्थस्य वा समालोचन कर्तव्यमेव विशैरा लोचकै यत आलोचनैव नव-नव-रहस्योन्मेषजननी । परन्तु समालोचकैर्दोषैकहमिर्न भान्यम् । गुणानपश्यन्त पश्यन्तोऽपि वाऽप्रकटयन्तो दोषदृश समालोचका व्रणमात्र-गवेषिकाभिर्मिक्षिकाभिरेवोपमीयन्ते । अतो गुणदोषोभयप्रकटनपरै पक्षपातरहितै स्वय कृतकृतिभी राजशेखराभिनन्दितकोटिकैस्तत्त्वाभिनिवेशिभिरालोचकैर्भवितव्यम् ।

### उपसंहारः

दोषमयेऽस्मिन् प्रपञ्चे न निर्दोष किञ्चित् । लेखका सदोषा, सम्पादका सदोषा, प्रकाशका सदोषा, प्रकाशनयन्त्रमपि सदोषमेव । एव दोषकवलिताना समाजे स्वरूप लभमान पुस्तक सर्वथा निर्दोष स्यादिति दुराशामात्रम् । अत प्रकाशमेष्यतोऽस्य पुस्तकस्य सम्भाविताना दोषाणा कृते क्षमासारान् सत पाठकान् क्षमामह याचे, प्रयाचे च दोषान् सूचयितुम् । सूचिता दोषा कालान्तरे दूरीकर्तुं शक्या भवेयुरित्याशासे ।

अन्ते चाहम्—

‘व्याख्ये मे विदुषा प्रीतिं प्राप्नुतामिति साञ्जलिः ।

करुणाकारिण याचे पार्वती-रमण प्रभुम् ॥’

# प्रस्तावना

## ( द्वितीय भाग )

उपक्रम

‘विना न साहित्यविदा परत्र गुणः कथञ्चित् प्रथते कवीनाम् ।

आलम्बते तत्तद्गमम्भसीव विस्तारमन्यत्र न तैलविन्दुः ॥’ ( न्हक )

वस्तुतः जननीन-कविना-आलोचना का एक दृष्टिकोण है तो दूसरा दृष्टिकोण आलोचना है।

कवि यदि आनन्दानुभूति को मानवों प्रस्तुत करता है तो आलोचक आनन्दानुभवक दृष्टि प्रदान करता है। यदि साहित्यनर्मशालोचकों को नानाविध आलोचनाओं ज्ञानने न जानी तो आज इन वास्तविक, व्यापक तथा कालिदास, भवभूति आदि को कविताओं को गढ़कर स्व नाटकों को देखकर वह आनन्द प्राप्त न कर सकते, जो आज प्राप्त करते हैं।

उन्हीं आलोचकों में से एक सुदृढायनात आलोचक को आलोचनाओं का सिंहावलोकन इस प्रस्तावना द्वारा कराने का प्रयत्न यहाँ किया जा रहा है।

### पूर्वाभास

प्राचीन आलोचकारिक आचार्यों में से कतिपय आचार्यों ने काव्य के उत्तम ( ध्वनि ), मध्यम ( गुणानुभवव्यङ्ग्य ) और अधम ( व्यङ्ग्यव्यङ्ग्य ) ये तीन भेद माने हैं। अन्य ( रसतन्त्रमयवादी ) आचार्यों ने प्रथम दो भेदों को ही स्वीकृत किया है—रसव्यङ्ग्य होने के कारण तृतीय ( अधम ) भेद में उन्हें काव्यत्व अनीष्ट नहीं है।

प्रकृत निवन्ध-प्रणेता गण्डितराज जगन्नाथ ने भी काव्य के उत्तमोत्तम, उत्तम मध्यम और अधम ये चार भेद किये हैं। उत्तमोत्तम मानक प्रथम काव्य-भेद के पुनः न्यूनरूप में पाँच भेद किये गये हैं। इन भेदों का विवरण प्रकृत निवन्ध में निम्न रूप से किया गया है—

‘अनिधा और लक्ष्मणानुलक्ष्मि को प्रकार को जानो है। उनमें प्रथम के पुनः तीन प्रकार होते हैं—रसध्वनि, वस्तुध्वनि और अलङ्कारध्वनि। द्वितीय के भी पुनः दो प्रकार हो जाते हैं—अधोन्तररसनिवन्धवाच्य और अत्यन्तविरन्धुदवाच्य ।’

इन्का मतार्थ यह है कि व्यङ्ग्य अर्थ अथवा व्यङ्ग्य चक्षु के भेद से ‘ध्वनिकाव्य’ का भेद होता है और व्यङ्ग्यार्थ को प्रतीति तब होता है जब कव्य अनिधा अथवा लक्ष्मणानुलक्ष्मि द्वारा अपना अर्थ उपस्थित कर लेते हैं। अनिधा अथवा लक्ष्मणानुलक्ष्मि का जोर अर्थ हात धुद विना व्यङ्ग्य अर्थ प्रकाशित नहीं हो सकता। अतः व्यङ्ग्य अर्थ सर्वप्रथम दो भागों में विभक्त किये जाते हैं—एक वे जो अनिधाद्वारा अर्थार्थज्ञान होने के बाद प्रतीत होते हैं, दूसरे वे जो लक्ष्मणानुलक्ष्मि द्वारा अर्थ-ज्ञानोत्तर हात होते हैं। इनमें पहले को अनिधानुलक्ष्मि व्यङ्ग्य और दूसरे को लक्ष्मणानुलक्ष्मि व्यङ्ग्य कहते हैं। इन्हीं को काव्यप्रकाशकर आदि, तन्मयः ‘विगच्छितान्वयवाच्य’ और ‘अविगच्छितवाच्य’ भी कहते हैं।

‘रसध्वनि’ नामक जो अभिधामूलक ध्वनिभेद कहा गया है उसको ‘असलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य’ और शेष भेदों को ‘सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य’ कहते हैं ।

‘ध्वनि’ शब्द के पाँच अर्थ होते हैं—व्यञ्जक शब्द, व्यञ्जना वृत्ति, व्यङ्ग्य अर्थ, व्यङ्ग्य-वार्थ प्रतीति और व्यङ्ग्य-वार्थ-प्रधान काव्य ।<sup>१</sup> इन पाँचों अर्थों में ‘ध्वनिकार आनन्दवर्धन’ ने ‘ध्वनि’ शब्द का प्रयोग स्थान-स्थान पर किया है । रसगद्गाधरकार प्रायः व्यङ्ग्य और काव्य अर्थ में ही रस शब्द का प्रयोग करते हैं ।

उपर्युक्त पाँचों अर्थों में से अन्तिम अर्थ के अनुसार व्यङ्ग्य-वार्थ-प्रधान सर्वोत्कृष्ट (उत्तमोत्तम अथवा प्राचीन मत से उत्तम) काव्य की सद्भा ‘ध्वनि’ मानी गई है जिसके पाँच भेद पहले लिखे गये हैं ।

रसध्वनि के भेद व्यङ्ग्य-भेद के आधार पर न करके व्यञ्जक-भेद के आधार पर इसलिये किये गये हैं कि रसादिरूप व्यङ्ग्यों की सख्या अनन्त हो जाती है—उनकी गणना सम्भव नहीं । अतः असलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यत्वरूप से वहाँ व्यङ्ग्य का एक ही भेद माना जाता है ।

प्राकाशकारादि के मत से व्यञ्जक-भेद छै प्रकार के होते हैं—प्रबन्ध (पूरा ग्रन्थ), वाक्य, पद, पदैकभाग (प्रकृति-प्रत्यय), वर्ण और रचना । इन भेदों के कारण ही उक्त ध्वनिकाव्य के भी छै भेद वे लोग मानते हैं । किन्तु रसगद्गाधरकार वर्ण तथा रचना को रस-व्यञ्जक न मानकर गुण-व्यञ्जक ही मानते हैं, अतः उनके मत से चार ही भेद होते हैं । यह बात दूसरी है कि रसगद्गाधरकार राग आदि को भी रसव्यञ्जक मानते हैं और तदनुसार और भी भेद हो सकते हैं ।

[ यहाँ तक का विवेचन प्रथम भाग (प्रथमानुसन्) में आ चुका है । प्रसंगवश पूर्वाभास के रूप में, उचित समझकर, यहाँ भी उसका दिग्दर्शन कर दिया गया है ।

सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य नामक ध्वनि-भेदों के निरूपण से द्वितीय आनन्द आरम्भ होता है । मध्य में प्रसङ्गवश अभिधा तथा लक्षणावृत्तियों का और लक्षणानिरूपण के मध्य में ही प्रसङ्ग आ जाने से, ‘उपमा’ तथा ‘रूपक’ अलङ्कारों के भेदों का विशद विचार किया गया है । शेष अंश में अलङ्कारों का निरूपण है । ]

## विषय-विवेचन

### संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य के भेद

वाच्यार्थ की प्रतीति होने के अनन्तर ही व्यङ्ग्यार्थ की प्रतीति होती है, यह सूत्र उपक्रम में सूचित किया जा चुका है । व्यङ्ग्यार्थ दो प्रकार का हो सकता है—पहला वस्तरूप और दूसरा अलङ्काररूप । यद्यपि अलङ्कार भी ‘वस्तु’ के अन्दर आ जाता है, पर यहाँ अलङ्कार का

१ ‘इह हि काव्य पुरुषावतारस्य ध्वनिकारस्य व्यवहारात्—ध्वनतीति ध्वनि शब्द, ध्वन्यते ऽनेनेति ध्वनि शब्दादिशक्ति, ध्वन्यते (य) इति रसादिरर्थ, ध्वनन ध्वनिरिति रसादिप्रतीति ध्वन्यतेऽस्मिन्निति ध्वनि काव्यम् इत्येव ध्वनियोगा उपलभ्यन्ते । इति साहित्यदर्पणभूमिकाया म० म० श्रीदुर्गाप्रसादमहाभागा ।’ (चतुर्वेदीजी के हिन्दी रसगद्गाधर की भूमिका से उद्धृत)





व्यवहार करना और व्यवहार होता है प्रधानानुरोधी । जैसे सामान्य लोगों के रहने पर भी अधिक तर पहलवान से युक्त ग्राम में 'महलग्राम ( पहलवानों का ग्राम )' ऐसा व्यवहार होता है । इस दृष्टिकोण से सोचने पर जहाँ परिवृत्तिसह ( जिनका पर्यायान्तरद्वारा परिवर्तन कर देने पर भी व्यङ्ग्य होता ही रहे ऐसे ) शब्दों की प्रचुरता हो वहाँ शब्दशक्ति रह कर भी प्रधानशक्ति की अनुगामिनी अर्थशक्ति प्रधान सिद्ध होती है, अतः वैसे स्थलों में अर्थशक्तिमूलक ध्वनि का व्यवहार सर्वथा उचित है । इसी तरह जहाँ परिवृत्तिसह ( परिवर्तन को न सह सकने वाले ) शब्दों की अधिकता रहेगी, वहाँ शब्दशक्ति की ही प्रधानता और अर्थशक्ति की अनुगामिता सिद्ध होगी, अतः वैसे स्थलों पर शब्दशक्तिमूलक ध्वनि का व्यवहार सुसगत ही है ।

इसी विश्लेषण से एक और साहित्यिक तथ्य उद्भूत हो जाता है कि जहाँ परिवृत्तिसह तथा परिवृत्तिसह दोनों प्रकार के शब्द समान मात्रा में हों—किन्हीं एक प्रकार के शब्दों की प्रचुरता न हो—वहाँ शब्दार्थोभयशक्तिमूलक व्यङ्ग्य की सत्ता ही माननी पड़ेगी, अतः वैसे स्थलों में 'द्व्युत्थ ( शब्द तथा अर्थ दोनों की शक्तियों से उत्थित )' ध्वनि का ही व्यवहार होगा । फलतः सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य का एक और भेद सिद्ध हो जाता है ।

उपर्युक्त भेदों के अतिरिक्त लक्षणांमूलक ध्वनि-भेदों का प्रसङ्ग इस ग्रन्थ में प्राप्त होता है जिसका सारांश यह है कि रूढिमूला लक्षणा के स्थल में व्यङ्ग्यार्थ का कोर्ष प्रसङ्ग ही नहीं आता । वची प्रयोजनमूला लक्षणा, उसके छै भेद होते हैं—सारोपा गौणी, साध्यवसाना गौणी, जहत्स्वार्था शुद्धा, अजहत्स्वार्था शुद्धा, सारोपा शुद्धा और साध्यवसाना शुद्धा । इन छै भेदों में से केवल जहत्स्वार्था और अजहत्स्वार्था ये दो भेद ही ऐसे हैं जहाँ 'ध्वनिकाव्यता' संभव है, क्योंकि अन्य चार भेद अलङ्काररूप में परिणत हो जाते हैं—अर्थात् गौणी सारोपा रूपक अलङ्काररूप में, गौणी साध्यवसाना अतिशयोक्ति अलङ्काररूप में और शुद्धा सारोपा तथा साध्यवसाना शुद्ध हेतु अलङ्काररूप में परिणत हो जाती हैं । यह सर्वमत-सिद्ध सिद्धान्त है कि जहाँ अलङ्कार का प्रधानता हो जाती है वहाँ ध्वनिकाव्य का लक्षण सघटित नहीं होता । फलतः लक्षणांमूलक ध्वनि के जहत्स्वार्था और अजहत्स्वार्थांमूलक दो भेद होते हैं । प्राचीन ( प्रकाशकार आदि ) आचार्य इन दोनों ( जहत्स्वार्था-अजहत्स्वार्था ) लक्षणाओं को उपादानलक्षणा और लक्षणलक्षणा कहते हैं ।

यहाँ पण्डितराज उक्त ध्वनिभेदों में से द्व्युत्थ ध्वनि को केवल वाक्यगत और अन्य सभी भेदों को पदगत तथा वाक्यगत मानते हैं ।

इस तरह रसगङ्गाधरकार के मत में असलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य नामक ध्वनि के चार, शब्द-शक्तिमूलक ध्वनि के दो, अर्थशक्तिमूलक ध्वनि के आठ, शब्दार्थोभयशक्तिमूलक ध्वनि का एक और लक्षणांमूलक ध्वनि के दो, इस प्रकार कुल सत्रह ध्वनिभेद प्रथमतः होते हैं । उनमें शब्दशक्तिमूलक दो, अर्थशक्तिमूलक आठ और लक्षणांमूलक दो—इन बारह भेदों के पुनः पदगत तथा वाक्यगत भेद से दो-दो भेद हो जाते हैं । फलतः उक्त सत्रह में बारह और जोड़ देने पर कुल उनतीस ध्वनिभेद होते हैं । ध्वनिभेद के विषय में पण्डितराज ने शब्दतः इतनी ही बातें कही हैं ।

### ध्वनिभेद के सम्बन्ध में प्रकाशकारादि के मत

यह पहले लिखा जा चुका है कि प्रकाशकार असलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य के छै भेद और सलक्ष्य-क्रमव्यङ्ग्य भेदों में से अर्थशक्तिमूलक के बारह भेद मानते हैं । साथ-साथ वे उन बारह भेदों के

अलङ्कारों को ही काव्य में चमत्कार का कारण बतलाते थे। मानइ आदि कतिपय विद्वानों की दृष्टि वाच्य से आगेतक गई और उन्होंने व्यङ्ग्य अर्थ को, देखा—तनज्ञा—परन्तु उक्त व्यङ्ग्य अर्थ को भी उन्होंने वाच्य का ही पोषक माना, अतः एव उनके मतानुसार व्यङ्ग्य भी अलङ्कार-श्रेणी में ही रह गया, उससे ऊपर नहीं उठ सका। रद्रद आदि आचार्यों ने वषषि रत्ननाव आदि पदार्थों को भी दृढ़ निश्चाला, तथापि उनमें भी अपने साहित्यिक पूर्वजों का संस्कार अनुवर्तमान था, जिससे उन्होंने वाच्यार्थ का पोषक मान कर रत्ननाव आदि को भी 'रत्नव' 'प्रेय' आदि अलङ्कारों की ही श्रेणी प्रदान की।

(२) बाद में अलङ्कार-जगत् का दूसरा युग आया, जब अग्निधा, लक्षणा और तात्पर्य इन तीनों धृष्टियों से अनिरिक्त व्यञ्जनावृत्ति को स्थापना करने वाले आचार्य आनन्दवर्धन के द्वारा वाच्य और लक्ष्य से भिन्न व्यङ्ग्य अर्थ अनेक प्रकार के वादविवाद के बाद लुप्तस्वरूप में सिद्ध कर दिया गया और वही व्यङ्ग्य अर्थ विश्रान्तिधाम होने के कारण सर्वप्रधान तनज्ञा गया, तथा उक्त लक्ष्य ध्वनिकाव्य का कारण बूझलाया। इत नव्यकाल में आनन्दवर्धन के स्वारस्य के अनुसार मन्मदभट्ट आदि आलङ्कारिकशिरोमणि वस्तु, अलङ्कार और रत्न इन तीनों प्रकार को ध्वनियों को काव्य की आत्मा मानने लगे।

(३) इतके अनन्तर आज वही युग भी उत्पन्न है, जब उक्त तीनों ध्वनियों को काव्यात्मा न मानकर केवल रत्नरूप ध्वनि को ही विद्वज्जन काव्य की आत्मा कहने लगे हैं। तात्पर्य यह हुआ कि उत्तरोत्तर अन्तःकाल की गवेषणा करता हुआ आलङ्कारिकों का हृदय चरन विश्रान्तिधाम रत्न को पाकर ही सुप्रसन्न हो सका।

ऊपर के विवेचनों से यह स्पष्ट हो जाना है कि विश्रान्तिधाम के जन्मदान सत्कृत साहित्यकारों को नर्म-गवेषिणों की दृष्टि उत्तरोत्तर तात्त्विक आलोचन करने में लग्न हुआ।

अलङ्कारशास्त्र की यह नार्मिक आलोचना-पद्धति पण्डितराज जगन्नाथ तन आकर विश्रान्त हो गई। इनके बाद आज तक कितों ने तनत्र काव्यार्थों पर त्वेनान्य आलोचनात्मक निवन्ध की दृष्टि नहीं की। वषषि आज भी सत्कृत का अलङ्कारशास्त्र सर्वथा नवीनता से होन नहीं है, तथापि इतना तो मानना ही पड़ेगा कि रत्नगङ्गाधर का श्रेणी में आने योग्य निवन्ध की रचना न सिर हुई और न आगे हो होने की आशा है।

### रत्नगङ्गाधर

आलोचना अलङ्कारशास्त्र का प्राणमूत है,<sup>१</sup> अतः अलङ्कारशास्त्रतन्वधी ग्रन्थों में उत्कृष्टता और अग्रदृष्टता के तारतम्य-विवेचन करने के लिये सक्ते पहले इती बात पर ध्यान देना होगा कि कित्त ग्रन्थ की आलोचना-पद्धति कैसी है।

इत दृष्टिकोण से विचार करने पर 'रत्नगङ्गाधर' सर्वश्रेष्ठ अलङ्कार-ग्रन्थ सिद्ध होना है, क्योंकि रत्नगङ्गाधर का जिनमा भाग उपलब्ध है और उत्तम अलङ्कारशास्त्र का जो जो विषय प्रतिपादित हुआ है, वह पूर्व के निवन्धों की अपेक्षा अति विशद है और अव्याप्ति, अतिव्याप्ति आदि दोषों से रहित प्रतिपादन शैली के द्वारा स्थिर किया गया है तथा बादयुग के अनुकूल नव्यन्याय का भाषा में वर्णित हुआ है, जिससे अब अलङ्कार-क्षेत्र में जित्त कित्तों की बुद्धि इत्थी वस्तु तनज्ञ कर प्रविष्ट नहीं हो

१. 'संगीतमय साहित्यं सरस्वत्याः तनद्वयम्। पुरुनापातनधुरनन्यदालोचनामृतम् ॥'

पदगत, वाक्यगत तथा प्रबन्धगतरूप से पुनः तीन-तीन भेद करते हैं, अतः उनके मत से अर्थशक्तिमूलक के कुल छत्तीस भेद होने पर ध्वनि के शुद्ध भेद इक्यावन होते हैं। उनका विवरण इस प्रकार है—असलक्ष्यक्रम के प्रबन्धगत, वाक्यगत, पदगत, पदाशगत, वर्णगत और रचनागत छै भेद एव सलक्ष्यक्रम में अभिधामूलक के एकतालिस भेद ( शब्दशक्तिमूलक के पदगत वस्तु, पदगत अलकार, वाक्यगत वस्तु और वाक्यगत अलकार—चार भेद, अर्थशक्तिमूलक के उक्त रीति से छत्तीस तथा उभयशक्तिमूलक का एक भेद ) और लक्षणामूलक के चार ( अर्थान्तरसंक्रमित पदगत, वाक्यगत और अत्यन्ततिरस्कृत पदगत, वाक्यगत )। इस तरह उक्त इक्यावन सख्या सिद्ध होती है।

काव्यप्रकाश में इन भेदों का एक से दूसरे का मिश्रण भी चार प्रकार का माना गया है जिसमें सदेहसंकर, अङ्गाङ्गिभावसंकर तथा एकव्यञ्जकानुप्रवेशरूपसंकर, ये तीन प्रकार के संकर और एक प्रकार की सृष्टि है। तदनुसार एक-एक भेद के इक्यावन भेदों को चौगुने करने पर  $( ५१ \times ५१ \times ४ = ) १०४०४$  ( दस हजार चार सौ चार ) मिश्रित भेद भी होते हैं। इन मिश्रित भेदों में शुद्ध भेदों ( इक्यावन ) को जोड़ देने पर प्रकाशकार के मत से समग्र ध्वनिभेद  $१०४५५$  ( दस हजार चार सौ पचपन ) होते हैं।

### साहित्यदर्पणकार का मत

मूलभूत इक्यावन भेदों को प्रकाशकार के समान दर्पणकार भी मानते हैं, पर मिश्रित भेदों की सख्या में वे प्रकाशकार का विरोध करते हैं। उनका कथन है कि एक तो अपने साथ अपना कोई मिश्रण नहीं हो सकता, दूसरे जब एक भेद का संकर दूसरे के साथ लिख दिया गया तब दूसरे के साथ उस भेद का संकर भी वही वस्तु हुई—अर्थात् जब अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य का अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य के साथ मिश्रण लिखा जा चुका है तब फिर अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य का अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य के साथ मिश्रण कोई अतिरिक्त भेद नहीं रह जाता, अतः ऐसे भेदों की गणना नहीं करना चाहिए। फलतः उनके मत से कुल मिश्रित भेद  $५३०४$  ( पाँच हजार तीन सौ चार ) होते हैं। उनमें शुद्ध इक्यावन भेदों को जोड़ने पर समग्र ध्वनिभेद उनके मत में  $५३५५$  ( पाँच हजार तीन सौ पचपन ) होते हैं।

### साहित्यदर्पणकार के मत का खण्डन

काव्यप्रकाश के सुप्रसिद्ध टीकाकार मैथिल पण्डित श्री गोविन्द ठक्कुर ने उक्त दर्पणकार के मत का खण्डन किया है। उनके कथन का सारांश यह है कि—एक ही ध्वनि यदि भिन्न-भिन्न रूपों में आवे—जैसे कि कहीं दो प्रकार की वस्तुध्वनि हो—तो उनके संकर तथा सृष्टि नानने में कोई बाधा नहीं। अतः 'अपने साथ अपना मिश्रण नहीं हो सकता' यह दर्पणकार का कथन अयुक्त है एव दर्पणकार का यह कथन भी ठीक नहीं है कि 'अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य के साथ अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य के मिश्रण को अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य के भेदों में गिन देने पर अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य के भेदों में वैसे भेदों को गिनना अनुचित है।' क्योंकि जैसे सभी इक्षु(ईख)रस के साधारण दृष्टि से एकरूप होने पर भी रसकोविदों की दृष्टि में पौंडे आदि विशिष्ट ईख के रस तथा साधारण ईख के रस के स्वाद में भेद होता ही है, ऐसी अवस्था में जहाँ पौंडे के रस की अधिकता

और पौंटे के रस की न्यूनता होगी उसे—इन दोनों मिश्रणों को—एक रूप नहीं कहा जा सकता, वैसे ही जहाँ जिस व्यङ्ग्य की प्रधानता होगी वहाँ उस व्यङ्ग्य के साथ अन्य व्यङ्ग्य का मिश्रण माना जायगा और अन्यत्र अन्य का। अतः दर्पणकार की दूसरी युक्ति भी शिथिल हो जाती है। अब यदि यहाँ यह शका हो कि—जहाँ दोनों भेद समान मात्रा में मिश्रित होंगे, किसी एक की प्रधानता नहीं रहेगी, वहाँ एक भेद और मानना पड़ेगा—तो इसका समाधान यह है कि वैसी स्थिति में उस भेद का दोनों नामों में से किसी भी नाम से व्यवहार किया जा सकता है। फिर उसका तीसरा नाम रखने की कोई आवश्यकता नहीं।

### पर्यवसितार्थ

इस तरह पर्यवसित यह हुआ कि प्रकाशकार आदि द्वारा माने गए मूलभूत शक्यावन भेदों में वादस भेदों को पण्डितराज नहीं मानते। वे वादस भेद निम्न हैं—असलक्ष्यक्रम में वर्णगत तथा रचनागत दो, अर्थशक्तिमूलक सलक्ष्यक्रम में कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिसिद्धत्वमूलक चार और इस प्रकार स्वमतसिद्ध अर्थशक्तिमूलक आठ भेदों को प्रबन्धगत नहीं मानने से गुणनप्रक्रिया में घट जाने वाले सोलह। अभिप्राय यह है कि प्रकाशकार आदि व्यञ्जक अर्थ के स्वतः सभवी, कविप्रौढोक्तिसिद्ध और कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिसिद्ध—तीन प्रकार मानते हैं और वे तीनों ही प्रकार वस्तु और अलंकारभेद से दो-दो प्रकार के होते हैं, अतः उनके मत से व्यञ्जक अर्थ छै प्रकार के हो जाते हैं और उनसे अभिव्यक्त होनेवाले अर्थ भी वस्तु एवं अलंकारभेद से दो प्रकार के होते हैं। इस तरह उनके मत से अर्थशक्तिमूलक के जो पहले बारह भेद कहे गये हैं उन बारहों के पदगत, वाक्यगत और प्रबन्धगत होने से समग्र भेद छत्तीस हो जाते हैं। पर पण्डितराज के मत में व्यञ्जक अर्थ चार ही प्रकार के सिद्ध होते हैं और उनसे वस्तु तथा अलंकार द्विविध अर्थ की अभिव्यक्ति होने से आठ भेद बनते हैं और उन आठ के पदगत तथा वाक्यगत होने से सोलह भेद हो जाते हैं।

अब यहाँ विचार यह करना है कि पण्डितराज के मत में यह भेदों की कमी वादच्छिन्न है अथवा युक्तिपूर्ण। इस प्रसङ्ग में ध्वन्यालोक की ओर अनायास ध्यान चला जाता है, क्योंकि ध्वनिविचार में परवर्ती सभी आचार्यों के उपजीव्य ध्वन्यालोककार ही हैं। ध्वन्यालोककार वर्ण और रचना को भी असलक्ष्यक्रम-व्यञ्जक मानते हैं।<sup>१</sup> पण्डितराज उन दोनों को गुणव्यञ्जक कहते हैं। पर वस्तुतः जब वे खास-खास वर्णों तथा रचनाओं को खास-खास रस के प्रति प्रतिकूल अथवा अनुकूल मानते हैं, तब उन्हें रसव्यञ्जक भी मानना ही चाहिये।

ध्वन्यालोककार ने भी कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिसिद्ध की चर्चा नहीं की है और तदनुसार पण्डितराज ने भी उसको नहीं माना है और न मानने में युक्ति भी दी है। यद्यपि नागेश ने पण्डितराजोक्त युक्ति का खण्डन किया है, तथापि इस विषय में पण्डितराज का ही म प्रतीत होता है।

१ 'यस्त्वलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यो ध्वनिवर्णपदादिषु।

वाक्ये सङ्घटनायाञ्च स प्रबन्धेषुपि दीप्यते ॥' (ध्वन्यालोक)

अर्थशक्तिमूलक ध्वनि को प्रबन्धगत मानने या न मानने की बात ध्वन्यालोक में भी विवादास्पद ही है। मूलध्वन्यालोक की कुछ पङ्क्तियाँ ऐसी हैं जिनसे आपातत उक्त ध्वनि का प्रबन्धगत होना सिद्ध होता है, पर प्रसिद्ध रसवादी आचार्य अभिनवगुप्त ने लोचन में उन पङ्क्तियों की जो व्याख्या की है उस व्याख्या के अनुसार वे पङ्क्तियाँ रसध्वनिपरक सिद्ध होती हैं। ध्वन्यालोक की 'दोषिति' टीका के रचयिता कविशेखर आचार्य बदरीनाथ झा जी ने काव्यप्रकाश आदि के स्वारत्यानुकूल उन पङ्क्तियों की व्याख्या में अर्थशक्तिमूलक ध्वनि को ही प्रबन्धगत सिद्ध किया है। पण्डितराज यहाँ अभिनवगुप्त का ही अनुसरण करने हैं। यद्यपि अर्थशक्तिमूलक ध्वनि को प्रबन्धगत न मानने में कहीं किसी ने कुछ भी युक्ति नहीं दी है, तथापि उनकी हृदयगत युक्तियों का तर्क किया जा सकता है, और वे युक्तियाँ प्रायः ये हैं—एक तो प्रबन्ध से किसी एक अर्थ अथवा अलंकार की अभिव्यक्ति नहीं होती यह अनुभवसिद्ध है, दूसरे जिस महाभारतगत गृध्र-गोमायु-सवाद को उक्त ध्वनि के उदाहरणरूप में चुना गया है उसको अनेक वाक्यों का एकवाक्यतापन्न महावाक्यरूप वाक्य भी माना जा सकता है—अर्थात् प्रबन्ध पद से किसी पूरे ग्रन्थ का ही बोध मानना उचित है और वह वैसा नहीं है।

सकर-ससृष्टि-प्रयुक्त होने वाले भेदों के विषय में भी रसगङ्गाधरकार का मत स्पष्ट नहीं है। ध्वन्यालोककार ने ध्वनि-सकर तथा ध्वनि-ससृष्टि का विस्तृत विवेचन किया है। पण्डितराज ध्वनिसकर को भी नहीं मानते अथवा नहीं मानना चाहते ऐसी बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि उभय( शब्द-अर्थ )शक्तिमूलक ध्वनि का निरूपण करते समय 'जहाँ शब्द तथा अर्थ दोनों की शक्तियाँ समानभाव से किसी अर्थ की अभिव्यक्ति में काम करती हैं वहाँ शब्दशक्ति-मूलक और अर्थशक्तिमूलक ध्वनियों का सकर ही मान लिया जाय—अतिरिक्त उभयशक्तिमूलक-ध्वनिभेद मानने की क्या आवश्यकता ?' इस शका के उत्तर में उन्होंने 'व्यङ्ग्यभेद एव सङ्कर-स्येष्टेः' लिखकर ध्वनिसकर की बात स्वीकार की है। फिर भी जो उन्होंने उन भेदों का निरूपण या खण्डन नहीं किया इसके कारणों में एक तो यह हो सकता है कि वे आगे किसी प्रसङ्ग पर उन भेदों की चर्चा करते, पर ग्रन्थ की अपूर्णता से ऐसा नहीं हो सका। दूसरे, उनकी प्रायः ऐसी ही मान्यता है कि 'वे भेद शास्त्रार्थप्रक्रिया से सिद्ध तो किए जा सकते हैं, ध्वनि की महत्ता मिट्टकरने को एकमात्र लक्ष्य मानकर ध्वनिकार ने वैसा किया भी है, पर वस्तुतः उन भेदों में परस्परविलक्षण चमत्कार अनुभूत नहीं होता और जितने भेद माने गए हैं उन सभी के उदाहरण भी प्राप्त नहीं होते। अतः उन भेदों की गणना करना एक प्रकार व्यर्थ ही है'।

मेरे विचार से तो उभयशक्तिमूलक ध्वनि के सन्ध में भी पण्डितराज ने अपनी एकान्त सम्मति नहीं दी है, क्योंकि उसको न माननेवाले मन का भी उन्होंने युक्तिपूर्ण उल्लेख किया है। जो भी हो, ध्वनिसकर के सन्ध में अधिक समभव यही है कि—अग्रिम आनन ( जो दुर्भाग्यवश नहीं लिखा गया ) में पण्डितराज उसका विचार करते। इस आधार पर यदि पण्डितराज के मत से ध्वनिसकर आदि का हिसाब लगावा जाय तो मिश्रित भेद तीन हजार तीन सौ चौन्ठ होंगे और उनमें शुद्ध उनीस भेदों को जोड़ देने पर समग्र भेद तीन सौ तिरानवे हो जायेंगे।

इसके बाद काव्यभेदों में गुणीभूतव्यङ्ग्य आदि का प्रसङ्ग आता है, पर इस अपूर्ण निबन्ध में वे सब प्रसङ्ग नहीं आ सके। उन प्रसङ्गों पर पण्डितराज क्या विचार करते इसकी जानकारी तो

अव असंभव ही है और प्रकाशकार आदि ने इस प्रसङ्ग पर जो कुछ कहा है उसमें अधिक मतभेद किंवा जटिलता नहीं है, अतः उनकी चर्चा यहाँ नहीं की जाती। जिज्ञासुओं को उनके विषय में अपेक्षित जानकारी तत्तद्ग्रन्थों से प्राप्त हो सकती है।

### शब्दशक्तिमूलक व्यङ्ग्यार्थ के विषय में शास्त्रार्थ

द्वितीयानुगत के प्रारम्भ में ही शब्दशक्तिमूलक ध्वनि के लक्ष्य स्थिर करने के लिये एक लम्बा विवरण उपस्थित किया गया है। प्राचीनों के मत से शब्दशक्तिमूलक ध्वनि वहाँ होती है जहाँ अनेकार्थक शब्द हों क्योंकि श्लेष से भिन्न स्थानों पर अनेकार्थक शब्दों का एक ही अर्थ प्रस्तुत रहता है, दूसरे अर्थ का प्रकरण से कोई सम्बन्ध नहीं होता। पर ऐसी स्थिति में भी जो कहीं-कहीं दूसरा अर्थ भी हमें प्रतीत हो जाता है, वह अभिधा से नहीं, अपितु व्यञ्जना से प्रतीत होता है और उसी अप्राकरणिक अर्थ को वैसी स्थिति में शब्दशक्तिमूलक व्यङ्ग्य कहते हैं। तात्पर्य यह कि यदि वहनोर्ह आदि परिहासी कुटुम्बी जनों के भोजन के समय सारे लोग कहें कि 'सैन्धवमानय (सैन्धव लाओ)' तो उसका अर्थ अभिधा से 'नमक लाओ' होगा, क्योंकि प्रकरण (भोजन) से उसी अर्थ का सम्बन्ध है, पर वहाँ उस वाक्य का 'घोडा लाओ' अर्थ भी सहृदयों को घात अवश्य होता है और वह व्यञ्जना से ही होता है।

यहाँ 'अप्राकरणिक अर्थ का बोध अभिधा से क्यों नहीं होता?' इस प्रश्न का उत्तर देने में शास्त्रार्थ उठ खड़ा होता है। प्राचीनों ने उक्त प्रश्न का उत्तर दो प्रकार से किया है, जिसका रूप नकारात्मक है अर्थात् उन दोनों ही प्रकारों में 'उक्त अर्थ का बोध अभिधा से नहीं होता' यह सिद्ध किया गया है। पर पण्डितराज ने उन दोनों प्रकारों का प्रबल युक्तियों के आधार पर खण्डन करके सिद्ध कर दिया है कि—'अभिधा से अप्राकरणिक अर्थ का भी बोध होता है'। उक्त तीनों मतों का सारांश निम्न रूप का है—

१—अनेकार्थक शब्दों का श्रवण होने पर यद्यपि प्रथमतः उस शब्द के सभी अर्थ स्मृति पथ में आते हैं, क्योंकि कोष आदि से उस पद का सकेत समानरूप से सभी अर्थों में ज्ञात हुआ रहता है, पर प्रकरण आदि (सयोगो विप्रयोगश्च..... इत्यादि, जिसका विशद वर्णन इस ग्रन्थ में इसी प्रसङ्ग पर आगे किया गया है) से वक्ता का तात्पर्य किसी एक ही अर्थ में ज्ञात होता है और इस तात्पर्यनिर्णय के होते-होते प्रथम स्मृति विलीन-सी हो जाती है, अतः पुनः पदार्थ का स्मरण होता है और यह द्वितीय वार का स्मरण केवल प्राकरणिक अर्थ का होता है। अतएव अभिधा से उक्तरीत्या स्मृत एकमात्र प्राकरणिक अर्थ का बोध हो पाता है, अप्राकरणिक अर्थ का नहीं। ऐसी स्थिति में अप्राकरणिक अर्थ की स्मृति जब व्यञ्जना की सहायता से होती है तब उसका बोध होता है, अतः वह अप्राकरणिक अर्थ व्यङ्ग्य कहलाता है, वाच्य नहीं। यहाँ यह शङ्का की जा सकती है कि प्रकरण आदि व्यञ्जनाद्वारा होने वाली अप्राकरणिकार्थस्मृति को क्यों नहीं रोकते? तो इसका समाधान यह है कि प्रकरण आदि वैयञ्जनिक स्मृति को नहीं रोकते, क्योंकि व्यञ्जना का प्रादुर्भाव ऐसे ही अर्थों का स्मरण कराने के लिये हुआ है। (यह है प्रथम मत का सारांश)।

२—अनेकार्थक शब्दों से होने वाले अर्थ-बोध में वक्ता के तात्पर्य का निर्णय भी एक हेतु है, अतः कोष आदि द्वारा समानरूप से सभी अर्थों में सकेत ज्ञात होने के कारण अनेकार्थक

शब्द-श्रवणोत्तर सभी अर्थों की सृष्टि होने पर भी अन्वयबोध प्राकरगिक अर्थ का ही होता है, क्योंकि प्रकरण आदि द्वारा वक्ता का तात्पर्य उसी अर्थ में निर्गमित होता है। इस तरह वक्तु-तात्पर्यविषयीभूत अर्थ का जो बोध होता है वह व्यञ्जना के सिवा अन्य किसी उपाय से साध्य नहीं है। व्यञ्जना से होने वाले बोध में वक्ता के तात्पर्य का निर्णय सर्वत्र अपेक्षित नहीं है क्योंकि वहाँ व्यदय अर्थ भी अनेक हों वहाँ वैयञ्जिक बोध में भी तात्पर्यनिर्णय हेतु है किन्तु वहाँ व्यदय अर्थ एक ही हो वहाँ वैयञ्जिक बोध में तात्पर्यनिर्णय हेतु नहीं होता। ( यह है द्वितीय नत का सारांश )।

प्रथम और द्वितीय नत में अन्तर यह हुआ कि प्रथम नत में दुबारा केवल एक अर्थ का स्मरण नानना पड़ता था और प्रकरण आदि के ज्ञान से अप्राकरगिक अर्थ के स्मरण का प्रतिबन्ध (रक्तावट) स्वीकार करना पड़ता था, किन्तु द्वितीय नत में ये दोनों बातें नहीं नाननी पड़नीं।

३—‘अनेकार्थक शब्दों के अनेक अर्थों में प्रकृतादि के द्वारा केवल एक अर्थ का ही स्मरण होता है, अन्य का नहीं’ यह जो प्रथम नत में कहा गया है वह मान्य नहीं हो सकता क्योंकि सत्कार तथा उद्बोधक दोनों के रहने पर स्मरण का न होना असम्भव है। यदि अनेकार्थक शब्द के एक ही अर्थ का स्मरण हो, अन्य का नहीं तो ‘पय सुन्दर है’ इस वाक्य के ‘पय शब्द का अर्थ जब वक्ता के तात्पर्य ( दूध ) के विरुद्ध कोई ‘जल’ कहना है तब जो प्रकृतादि समझनेवाला यह कहना सुना जाता है कि ‘नहागय ! यहाँ इस शब्द का अर्थ दूध है, जल नहीं’ वह नहीं इन सकता, निषेध करने वाले को प्रकरण आदि ज्ञात रहने से अप्राकरगिक ( जल-रूप ) अर्थ उपस्थित ही नहीं होगा, फिर उनका निषेध वह कैसे कर सकता है। अतः प्रथम नत अच्युत है।

द्वितीय नत में वक्तृतात्पर्य-निर्णय को आभिधिक अन्वय-बोध के प्रति कारण नानकर प्राकरगिक अर्थ का ही अभिधा से बोध समर्थित हुआ है पर वह समर्थन असंगत है, क्योंकि आभिधिक अथवा वैयञ्जिक—किसी भी प्रकार के अर्थ-बोध में वक्तृतात्पर्य-निर्णय को कारण नानना अनुचित है। यदि ऐसा कार्यकारणभाव माना जाय. तब शुक आदि पक्षियों के द्वारा उक्त वाक्यों का अर्थबोध ही नहीं होगा, क्योंकि वहाँ वक्ता (पक्षियों) का किसी भी अर्थ में तात्पर्य नहीं रहता। वे ( पक्षी ) तो किसी अर्थ का बोध कराने की इच्छा से वाक्य नहीं बोलने बल्कि सुने हुए वाक्यों को बिना अर्थ समझे दुहरा भर डेते हैं। इस पर यदि शक्य हो कि तात्पर्य-निर्णय का क्या कहीं कुछ उपयोग है ही नहीं तो इसका समाधान यह है कि उनका उपयोग अर्थबोध में नहीं, अपितु बोद्धा की प्रवृत्ति में है अर्थात् अनेकार्थक शब्दों ने अनेक अर्थों को समझ कर भी बोद्धा प्रवृत्त उसी अर्थ में होता है जिनमें वक्ता का तात्पर्य उसे निर्गमित होता है। अतः अनेकार्थक शब्द के सभी ( प्राकरगिक तथा अप्राकरगिक ) अर्थों का अभिधा से बोध नानने में कोई बाधा नहीं। यह बात तो तब हुई जब सभी अनेकार्थक शब्दों के स्थल में अप्राकरगिक अर्थ को भी नियमन प्रतीति माना जाय।

पर यदि वक्तृतात्पर्य के ज्ञान अथवा श्रोता की विशिष्ट बुद्धि-शक्ति को कारण मानकर यह माना जाय कि अप्राकरगिक अर्थ को समझाने वाली व्यञ्जना वहाँ प्रादुर्भूत होती है और वहाँ नहीं, तो वह भी संगत नहीं, क्योंकि तात्पर्य-ज्ञान को वैयञ्जिक बोध-स्थल में कारण नहीं



माना जाता। रही श्रोता को बुद्धि-शक्ति, सो उसे व्यञ्जना का प्रादुर्भावक मानने की अपेक्ष प्रकरणादि के ज्ञान से दबी हुई अभिधाशक्ति को उद्बुद्ध करने वाली ही क्यों न माना जाय वह किसी पद को अप्राकरणिकार्थोपस्थापक अभिधा को उद्बुद्ध न करके व्यञ्जना को उद्बुद्ध करे यह मान्यता युक्तिविहीन है। इस तरह दोनों मत खण्डित हो जाते हैं।

अब यदि कहा जाय कि जहाँ अप्राकरणिक अर्थ अवाधित रहेगा वहाँ उसका बोध मते ही अभिधा से ही पर जहाँ अप्राकरणिक अर्थ जुगुप्सित अतएव वद्विकरणक सेक के समान वाधित रहेगा वहाँ तो उसका बोध अभिधा से नहीं हो सकता, क्योंकि वाध-निश्चय को तद्वत्त्वादि के प्रति सभी प्रतिबन्धक मानते हैं, अतः वैसे अप्राकरणिक अर्थ के बोध के लिये व्यञ्जना की ही शरण लेनी पड़ेगी, क्योंकि वैयञ्जनिक बोध में वाधनिश्चय प्रतिबन्ध नहीं करता, तो इसका समाधान यह है कि जैसे अपहृति, अतिशयोक्ति आदि अलङ्कारों के स्थल में वाच्य अर्थ ही वाधित रहते हैं—अतः शाब्दज्ञान में वाध-निश्चय प्रतिबन्धक नहीं होता वैसे यहाँ भी वाधित अप्राकरणिक अर्थ का बोध अभिधा से ही हो जा सकता है।

इस तरह यह सिद्ध हो जाता है कि अनेकार्थक शब्दस्थल में द्वितीय (अप्राकरणिक) अर्थ का बोध व्यञ्जना द्वारा नहीं, किन्तु अभिधा द्वारा ही होता है। हाँ, प्राकरणिक और अप्राकरणिक अर्थों की उपमा अवश्य ही व्यञ्जना द्वारा प्रतीत होती है।

इस प्रकार प्राचीनों की शिथिल होती हुई युक्ति को बल देने के लिये पण्डितराज ने एक ऐसा स्थल भी ढूँढ निकाला है जहाँ व्यञ्जना के विना द्वितीय अर्थ की प्रतीति नहीं हो सकती। वह स्थल है—योगरूढ शब्दों से बने पद्य।

‘रूढियोंगापहारिणी’ इस नियम के अनुसार योगरूढ शब्दों के रूढ अर्थ ही अभिधाद्वारा ज्ञात हो सकते हैं। वहाँ यौगिक अर्थों का बोध व्यञ्जना से ही करना पड़ेगा। अतः वस्तुतः शब्दशक्तिमूलक ध्वनि का लक्ष्य वैसा ही पद्य हो सकता है जो योगरूढ पदों से बना हो। इतना कह देने के बाद यह भी कहा जा सकता है कि जब योगरूढ-शब्द-स्थल के लिये व्यञ्जना माननी ही पड़ी तब अनेकार्थक शब्दस्थल में भी द्वितीय अर्थ का बोध व्यञ्जना से मानना ही सरल पक्ष है। यह है तृतीय मत का सारांश। यहाँ इस सारांश-सकलन का प्रयोजन यह है कि ग्रन्थगत विशद शास्त्रार्थ को समझने में पाठकों को सुविधा हो।

## शब्द-शक्ति

अब यहाँ शब्दों की उन शक्तियों के सम्बन्ध में विचार करना है जिनके आधार पर उक्त विशाल ‘ध्वनि-प्रासाद’ खड़ा किया गया है। उन शक्तियों के पृथक्-पृथक् विवेचन से पूर्व सामान्य ज्ञान के लिये यह समझ लेना आवश्यक है कि ये शक्तियाँ सख्या में तीन हैं—अभिधा, लक्षणा और व्यञ्जना। यद्यपि अन्य शास्त्रों में अभिधा और लक्षणा ये दो ही शब्द-शक्तियाँ मानी गई हैं तथापि यहाँ अलङ्कार-शास्त्र के माध्यम से ही शब्द-शक्ति के सम्बन्ध में विचार करना है और अलङ्कार-शास्त्र में उक्त तीनों ही शक्तियाँ स्वीकृत हुई हैं, अतः शक्तियों की सख्या तीन ही समझते हुए यह भी समझना चाहिए कि अलङ्कारशास्त्र के समान व्याकरणशास्त्र में भी उक्त

तोन शक्तियों समर्थित हुई हैं। इन शक्तियों का वर्णन शार्लो ने वृत्ति शब्द से भी किया गया है अतएव अलङ्कार-शास्त्र में 'शक्ति' शब्द का प्रयोग केवल अभिधा के लिये ही हुआ है अर्थात् अलङ्कार-शास्त्र में 'शक्ति' पद का अर्थ 'अभिधा' समझना चाहिए।

अलङ्कारशास्त्र के जिन ग्रन्थों में <sup>—</sup>सुल्लिखित है इन वृत्तियों का विवेचन किया गया है वे ग्रन्थ निम्न हैं—

अभिपुराण अभिधावृत्तिनाटका, शब्दव्यापारविचार कालप्रकाश साहित्यदर्पण वृत्तिगानिक और रत्नगङ्गाधर। इनमें अतिपुराणगत वृत्तिनिरूपण कुछ भिन्न ही प्रकार का है उन उम्मीदों का यहाँ तीनों वृत्तियों का विवेचन कर लेने के बाद ही की जायगी।

अभिधावृत्तिनाटका में प्रायः मीमांसकों के मतानुसार अभिधा तथा लक्षणा को ही नामान्तरा दी गई है और व्यञ्जना नहीं मानी गई है। शब्दव्यापारविचार और कालप्रकाश के निर्माता एक ही व्यक्ति (नम्मन्) हैं, उन दोनों मतभेद की सम्भावना ही नहीं है। साहित्यदर्पण भी इस अर्थ में बहुत कुछ प्रकाश का ही अनुगमन करता है। और जो कुछ विशेष है उक्त उद्धृत पद्यपर आगे किया जायगा। वृत्तिवार्तिक के रचयिता अण्दशमोक्ति के मत का तो स्वतंत्र पण्डितराज खंडन ही करते हैं उन वृत्तिविचार में भी उनके मत का खंडन ही इस ग्रन्थ में किया गया है।

## अभिधा

शब्द तथा अर्थ के पारस्परिक संबन्ध-विशेष का नाम अभिधा है। यह संबन्धविशेष शब्द-शक्तिस्वरूप एक स्वरूप पदार्थ है यह कुछ लोगों (मीमांसकों) का मत है। नैयायिक लोग इन संबन्ध-विशेष अथवा अभिधा को 'इस पद से यह अर्थ सम्झना चाहिए' इस रूप में होने वाली अथवा 'यह पद इस अर्थ को सम्झावे' इस रूप में होने वाली ईश्वर की इच्छा अथवा किसी तरह आधुनिक नमुनों की इच्छा मानते हैं। पर यहाँ प्रथम मत ही श्रेष्ठ है क्योंकि द्वितीय मत में एक तो यह प्रतिबन्धी रही हो जाना है कि यदि उत्पन्नक ईश्वरेच्छा को अभिधा माना जाय तो उत्पन्नकारक ईश्वर-ज्ञान को ही अभिधा क्यों नहीं माना जाय ? दूसरे यदि अभिधा को ईश्वरेच्छारूप माना जाय तो लक्षणा (और विशेषण स्वरूप लक्षणा) को भी ईश्वरेच्छारूप क्यों नहीं माना जाय ? फलतः सिद्ध हुआ कि अभिधा का अर्थ है पद और पदार्थ का पारस्परिक संबन्ध और वह एक स्वरूप पदार्थ है—एक प्रकार की शब्द-शक्ति है, इच्छा आदि रूप नहीं।

इसी प्रसंग पर यह भी सम्झ लेना चाहिए कि उक्त अभिधा को समझने का साधन क्या है ? शास्त्र में शक्तिग्रह (अभिधा-ज्ञान) के ये आठ साधन बतलाए गए हैं<sup>१</sup>। व्याकरण, उपनिषद्, ऋषि-आत्मब्रह्म, व्यवहार, वाक्यभेद, विवरण और निश्चय का साक्षिण्य। इन साधनों में व्यवहार को शक्तिग्राहक-भिरोगिनि (मदरे सुख साधन) कहा गया है। अतः, उक्त सुख साधन के आधार पर ही यहाँ इन प्रसंगों को कुछ मीमांसकों की जाना है।

१ शक्तिग्रह व्याकरणोपनिषदोपासनाव्याख्यव्यवहारसुख ।

वाक्यस्य शेषादिवृत्तेर्वदन्ति साक्षिण्यं, सिद्धपदस्य वृद्धा ॥

देखा जाता है कि किसी न्यक्ति से 'गामानय ( गौ को लाओ )' मात्र कहते ही वह गौ को ले आता है। अब यदि वहाँ कोई बालक ( जिसको उक्त वाक्य का अर्थज्ञान नहीं रहता ) उपस्थित रहता है, तो उसे उक्त व्यवहार में उक्त वाक्य का ( अन्त में उस वाक्य के अन्दर आए हुए पदों का भी ) शक्ति-ग्रह होता है और वह इस प्रकार होता है कि पहले बालक प्रत्यक्ष प्रमाण से उन वस्तुओं को देखता तथा सुनता है अर्थात् वाक्य को कान से सुनता है और वक्ता के बोद्धव्य ( जिसके प्रति वक्ता उक्त वाक्य कहता है ) को तथा लाई जाती हुई गौ को आँखों से देखता है। इसके बाद वह बालक बोद्धव्यगत ज्ञान का अनुमान करता है अर्थात् 'इस बोद्धव्य व्यक्ति ने, उक्त वाक्य से अवश्य ही गौ का लाना समझा है, क्योंकि उसकी चेष्टा उमी तरह की हो रही है—वह गौ को ला रहा है' यह समझता है। इसके बाद उस बालक के मन में स्वभावतः यह जिज्ञासा उठती है कि क्यों इसने ( बोद्धव्य ने ) उक्त वाक्य का वही अर्थ ( गौ का लाना ) समझा, दूसरा कोई अर्थ क्यों नहीं समझा, अतः अवश्य ही उस वाक्य का उस ('गामानय' का 'गौ का लानारूप अर्थ') के साथ कोई सम्बन्ध है। इस तरह, उक्त वाक्य तथा उक्त वाक्यार्थ के बीच जिस पारस्परिक सम्बन्ध का ज्ञान तीन प्रमाणों ( प्रत्यक्ष, अनुमान तथा अर्थापत्ति ) की सहायता से, बालक को होता है वही अभिधा है और उस अभिधा का उक्त प्रकार से होने वाला ज्ञान ही व्यवहार द्वारा होनेवाला 'शक्ति-ग्रह' है। पर यह शक्ति-ग्रह अखण्ड वाक्य का अखण्ड वाक्यार्थ में हुआ, अर्थात् उक्त व्यवहार से बालक इतना समझ सका कि 'गामानय' यह एक अखण्ड वाक्य है जिसका 'गौ का लानारूप अर्थ के साथ सम्बन्ध है। यह नहीं समझ सका कि इस वाक्य के अन्दर 'गाम्' एक पद है और उसका सम्बन्ध 'गौ' से है, इसी तरह 'आनय' दूसरा पद है और उसका सम्बन्ध 'लाने' से है। इस तरह का पद-शक्ति-ज्ञान बालक को तब होता है, जब वक्ता कहता है—'गाम् बधान ( गौ को बाँध दो )' 'अश्वम् आनय ( घोड़े को ले आओ )'। तात्पर्य यह कि जब उक्त वाक्य को सुन कर तदनुसार आचरण करते हुए बोद्धव्य को बालक देखता है तब उक्त प्रक्रिया से बालक को उस पद की अभिधा ज्ञात होती है। उसी का नाम 'बोधवोधकभाव' अथवा 'बोधजनकता' किंवा 'तादात्म्य' है।

यहाँ यह भी समझ लेना उचित है कि अभिधा-ज्ञान से शब्दार्थ का ज्ञान कैसे होता है। सबन्धियों के विषय में यह नियम है कि—एक सबन्धी का ज्ञान होने पर दूसरे सबन्धी का अपने आप स्मरण हो आता है, जैसे 'मोहन' का घर देखने पर 'मोहन' का स्मरण तुरन्त हो आता है। इसी नियम के अनुसार हमें किसी भी नाम ( जो एक प्रकार का शब्द है ) के सुनते ही उससे सम्बन्ध रखनेवाली वस्तु का और किसी भी वस्तु के देखते ही उसके नाम का स्मरण हो आता है तथा इस प्रकार से स्मृतिपथ में आए हुए अर्थों का पीछे अन्वयबोध होता है। उक्त नियम के अनुसार शब्दश्रवण के अनन्तर उस शब्द से सम्बन्ध रखने वाले अर्थ का स्मरण उसी को होता है जो उस सम्बन्ध ( अभिधा ) को जानता रहता है। अतः किसी भी शब्द के अर्थ को समझने के लिये इस पूर्वोक्त सम्बन्धरूप अभिधा का ज्ञान आवश्यक है।

## अभिधा के भेद

अभिधा के तीन भेद हैं—रूढि, योग और योगरूढि । कुछ लोग यौगिकरूपि नानका एक चतुर्थ भेद भी मानते हैं । इन सबका सौदाहरण विवरण प्रकृत ग्रन्थ में ही यथास्थान विशद रूप में आया है ।

### वाच्य अर्थ

इन अभिधा किंवा शक्तिनानक वृत्ति से जित्त अर्थ का बोध होता है उसको वाच्य अर्थ कहते हैं । शब्दान्तर में इस प्रकार कह सकते हैं कि उक्त अभिधाशापक साधनों से जित्त अर्थ का बोध होता है उसका नाम वाच्य अर्थ है । यह वाच्य अर्थ अभिवेच, शक्य अथवा मुख्य अर्थ के नाम से भी कहा जाता है ।

### वाचक शब्द

अभिधाशक्ति द्वारा अर्थ का बोध कराने वाला शब्द वाचक कहलाना है ।

### लक्षणा

प्रायः देखा जाता है कि शब्दों का प्रयोग पूर्वोक्त मुख्य अर्थ से अन्य अर्थ में भी कभी-कभी होता है । सहृदय पुरुष अपकार करने वाले से कहता है—‘तुनने बढा उपकार किया, तुन सौ वरत जीओ’ । इन वाक्यों में क्रमशः ‘उपकार’ का अर्थ ‘अपकार’ और ‘जीओ’ का अर्थ ‘नहीं जीओ’ है । पर उक्त दोनों पदों के उक्त दोनों अर्थ हो नहीं सकते, क्योंकि उन अर्थों में उन शब्दों की अभिधा, कोष किंवा व्याकरण अथवा व्यवहार आदि से शात नहीं होती और नव तक किसी शब्द का कोई अर्थ हो नहीं सकता जब तक उस शब्द में उस अर्थ की बोधिका कोई वृत्ति न हो । ऐसी ही स्थिति में, ऐसे ही अर्थों को सिद्ध करने—समझने—के लिये ‘लक्षणा’ की आवश्यकता होती है ।

### लक्षणा का स्वरूप

विश्लेषण करने पर विदित होता है कि शब्द पहले अपने साक्षात् सन्बन्ध—अभिधा के द्वारा वाच्य अर्थ को समझाता है, पर जब वह अर्थ वक्ता के तात्पर्य से विरुद्ध पडना है, तब उन पद के वाच्य अर्थ से सन्बन्ध रखने वाले किसी ऐसे अर्थ को उस पद का अर्थ मानना पडता है जो वक्ता के तात्पर्य के अनुकूल होता है । अभिप्राय यह कि ऐसा अर्थ पद और पदार्थ के पारस्परिक सन्बन्धद्वारा नहीं, अपि तु पद के वाच्य अर्थ से सन्बन्ध रखने के कारण शात होता है ।

स्पष्ट रूप में इन बात को यों भी कह सकते हैं कि पद दो तरह से अर्थ का प्रतिपादन करता है—एक अपने साक्षात्सन्बन्धद्वारा और दूसरे परपरा-सन्बन्ध (अपने सन्बन्धो-वाच्य-अर्थ के सन्बन्ध) द्वारा । इनमें प्रथम सन्बन्ध को अभिधा और द्वितीय सन्बन्ध को लक्षणा कहते हैं । जब केवल प्रथम सन्बन्ध कार्यकारी नहीं होता (वक्ता के तात्पर्य के विपरीत अर्थ का बोधक नहीं हो पाता) तभी द्वितीय सन्बन्ध का उपयोग किया जाता है । अतएव अभिधा प्रथम वृत्ति और लक्षणा अभिधा की पुच्छभूत वृत्ति समझी जाती है । इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि शक्य वाच्य (मुख्य) अर्थ के सन्बन्ध का नाम लक्षणा है । लक्षणा का यही स्वरूप (२३-

प्रकृत निबन्ध में स्वीकृत हुआ है। न्यायवर्शनप्रणेता आचार्यों ने भी लक्षणा के इस स्वरूप का ई समर्थन किया है।

अभिधावृत्तिमातृकाकार मुकुल भट्ट की यह उक्ति भी लक्षणा के इसी स्वरूप की ओर इक्षि करती है। वे कहते हैं—‘शब्द के व्यापार से जिसकी प्रतीति होती है वह अर्थ मुख्य कहलाता है और शब्द के अर्थ द्वारा जो अर्थ शात होता है अर्थात् जिस अर्थ के समझने में मुख्य अर्थ मध्य में पडता है उस अर्थ को लक्ष्य ( लक्षणाद्वारा शात ) समझना चाहिए।’

### लक्षणास्वरूप के विषय में मतान्तर

कतिपय प्राचीन विद्वान् ‘वाच्य अर्थ के सवन्धद्वारा वाच्य अर्थ से भिन्न अर्थ के ज्ञान ( स्मरण )’ को लक्षणा मानते हैं।<sup>१</sup> काव्यप्रकाशकार मम्मटभट्ट-कृत लक्षण से भी लक्षणा का यही प्राचीन-सम्मत-स्वरूप फलित होता है क्योंकि उन्होंने काव्यप्रकाश में कहा है—‘मुख्य अर्थ का वाध रहने पर रूढि अथवा प्रयोजन से जो अन्य अर्थ शात होता है वह शक्ति लक्षणा है शब्द में यह लक्षणा आरोपित की जाती है’।<sup>२</sup> इस लक्षण में ‘अन्य अर्थ जो लक्षित होता है वह लक्षणा है’ इतना अश स्वरूपकथन-परक है और अन्य अश लक्षणा-हेतु-कथनपरक है। इस लक्षण से लक्षणा का उक्त प्राचीनाभिमत स्वरूप ही पर्यवसित होता है।

यद्यपि कतिपय टीकाकारों ने मम्मटीय लक्षणास्वरूपबोधक कारिका की व्याख्या अपने ढङ्ग से करके ‘शक्य-सवन्ध लक्षणा है’ ऐसा अभिप्राय निकाला है, पर वह अभिप्राय वस्तुतः मम्मट का नहीं है, क्योंकि मम्मट ने ‘मुख्यार्थवाधादिन्नयं हेतुः’ लिखकर स्पष्ट शब्दों में शक्य-सवन्ध को लक्षणा का कारण माना है और ‘शक्य-सवन्ध’रूप लक्षणा का कारण शक्यसवन्ध ही नहीं सकता।

भट्टवार्तिककार कुमारिल भट्ट ( मीमांसक ) का लक्षण भी बहुत कुछ इसी ढङ्ग का है। उनका कथन है—‘मुख्य अर्थ का स्वीकार करना यदि अन्य प्रमाण ( प्रत्यक्ष आदि ) से विरुद्ध पडता हो तब अभिधेय ( वाच्य ) अर्थ से सम्बद्ध अन्य अर्थ की जो प्रतीति होती है वह लक्षणा है’।<sup>३</sup> इन सभी मतान्तरों का साराश एक होने से इन सब को एक मतान्तर कह सकते हैं।

कुछ लोग ‘शक्यतावच्छेदकारोप’ को लक्षणा कहते हैं। उनके कथन का अभिप्राय यह है कि मुख्य अर्थ में रहने वाले असाधारणधर्म का मुख्यार्थ से सम्बद्ध अन्य अर्थ में आरोप करना ही लक्षणा का स्वरूप है। जैसे—‘गङ्गा में घोष’ इस वाक्य में गङ्गापदशक्यतावच्छेदक गङ्गात्व का गङ्गापदार्थ-प्रवाह-विशेष से सम्बद्ध तट में आरोप करना। अन्य लोग वक्ता के तात्पर्य ( इच्छा-विशेष ) को ही लक्षणा कहते हैं।

१ शब्दव्यापारतो यस्य प्रतीतिस्तस्य मुख्यता ।

अर्थावसेयस्य पुनर्लक्ष्यमाणत्वमुच्यते ॥

२ ‘शक्यसवन्धेनाशक्यप्रतिपत्तिर्लक्षणा’ इति प्राचा लक्षणम् ।

३ मुख्यार्थवाधे तद्योगे रूढितोऽर्थप्रयोजनात् ।

अन्योऽर्थो लक्ष्यते यत्सा लक्षणारोपिता क्रिया ॥

४. ‘मानान्तरविरोधे तु मुख्यार्थस्यापरिग्रहे ।

अभिधेयाविनाभूतप्रतीतिलक्षणोच्यते ॥’

सञ्चयी। इस ग्रन्थ का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य यही है कि इसमें सभी विषयों की अन्तस्तालस्पष्टिनी आलोचना की गई है। प्राचीनों के निबन्धों में उस प्रकार की आलोचना करने के लिए उतनी सुविधा ही नहीं थी, क्योंकि प्रायः वे सभी निबन्ध पद्यबद्ध थे। पद्यनिर्माण में निपुणतम विद्वान्-या गिनेगिनाय अक्षरों में उन उन शब्दों के सभी अतिशयों को समाविष्ट नहीं कर सकते। काव्य-प्रकाश की कारिकाओं से क्या सभी प्रतिपाद्य विषय स्पष्ट अवगत होते हैं? यदि हाँ, तो फिर मन्मट स्वयं वृत्ति में उन्हीं विषयों को विशद करने की चेष्टा क्यों करते ?

दूसरी सुविधा यह थी कि प्राचीन साहित्य निबन्धकारों के समय में बहुत विषय ऐसे थे, जिनके स्वरूप ही सर्वथा निर्णय नहीं हो सके थे, जैसे वामन आदि के समय में ध्वनि का स्वरूप स्पष्ट नहीं हो पाया था। फिर तादृश विषयों की चरम आलोचना उन निबन्धों में कैसे हो सकती थी? बहुत विषय ऐसे होते हैं जो विकासवाद के सिद्धान्तानुसार क्रमिक आवर्तन-परिवर्तनों से जाना प्रकार की परिस्थितियों का अनुभव कर लेने के बाद ही पूर्ण परिनिष्ठित होते हैं।

काव्यों की जितनी अधिक स्पष्टि होती है, अलङ्कारशास्त्र में गुण-दोषों की गवेषणा, नानाविध उदाहरणों के सामने में रहने से, उतनी ही अधिक मर्माभिमुखी होती है। ऐसा होना समुचित और स्वाभाविक भी है, क्योंकि अनेक प्रकार के लक्ष्यों के उपस्थित रहने पर ही लक्षणसर्वन् प्रचुर विचारों का अवसर प्राप्त होता है, अतः पद्य व्याकरणशास्त्र में यह एक सिद्धान्त ही मान लिया गया है कि 'उत्तरोत्तर मुनि प्रमाणभूत' है<sup>१</sup>।

रसगङ्गाधर में ये सभी सुविधायें जुट गईं। नाट्यशास्त्रप्रवर्तक भरत मुनि से लेकर आनन्द बर्ग, अभिनवगुप्त आदि तक के विद्वानों ने काव्य के जीवानुभूत जिन तत्त्वों की गवेषणा की, यदि-प्रतिवादियों के नानाविध सपथों के बाद सिद्धान्तित होकर पण्डितराज अग्न्याय से प्राकृत भाषायों के निबन्धों में पूर्ण परिनिष्ठित हो चुके थे। अतः उन तत्त्वों के स्थापन में पण्डितराज को आयास नहीं करना पड़ा, केवल पूर्वस्थापित विषयों में मार्मिक परिष्कार करना ही उनके छिद्रे अरिष्ट रदा, चिमटो उन्हीं ने बहुत ही सुन्दर और सफल रीति से सम्पन्न किया है। इस स्पष्टि करने के लिये मैं उदाहरण देना आवश्यक नहीं समझता, अधिकारप्राप्त सङ्घट्ट पाठक में के अन्वयन करने पर स्वयमेव इस बात की सत्यता का अनुभव करेंगे।

### विषयप्रतिपादनशैली

रसगङ्गाधर का प्रतिपादनशैली बहुत ही प्राञ्जल है। वक्तव्य वस्तु का प्रतिपादन ऐसे १ ३, प्रोड तथा माथ साथ मयुर अक्षरों के द्वारा किया गया है, जिसमें सन्देह किंवा अर्थान्त चलावा लो गीटा भा प्रकाश नहीं रह जाता। पद्यबद्ध लक्षण ग्रन्थों में जिस तरह विवश हो के लो र्गोप विषय का संकोच करना पड़ता है अथवा अन्वय के बेर-फेर से अर्थान्त चलावा का अन्तर टोकाकारों को प्राप्त हो जाता है, उस प्रकार इस ग्रन्थ में नहीं होता।

'प्रतिपादनशैली' में इस प्रकार के दोष अत्यधिक मात्रा में दीख पड़ते हैं। उस ग्रन्थ की प्र १३३ पृष्ठों में अत्यधिक अस्पष्ट है, कि अनेकानेक टीका टिप्पणियों के होने पर भी १३३ पृष्ठों में भी अनेकानेक टीका टिप्पणियों की परस्पर विरोधिनी ना १३३ पृष्ठों में भी अनेकानेक टीका टिप्पणियों की ही स्पष्टि हुई। मेरा यह कथन कहाँ तक सत्य

१. 'उत्तरोत्तर मुनि प्रमाणभूत'।

## समीक्षा

यहाँ प्रथम मतान्तर संगत नहीं, क्योंकि शब्द से अर्थ का स्मरण होने में जिसका ज्ञान कारणरूप हो वह पदार्थ शब्द की वृत्ति अथवा शक्ति कहलाता है। वैसा पदार्थ स्मरण नहीं अपि तु सन्बन्धविशेष ही हो सकता है, क्योंकि 'पूर्वोक्त स्मरण ( ज्ञान ) का ज्ञान' लक्ष्य अर्थ के बोध का कारण नहीं है। साराश यह कि ज्ञान का कारण वृत्ति है, ज्ञान ही नहीं। अतः संबन्ध को ही लक्षणा मानना उचित है, न कि वृत्ति को।

यदि किसी तरह मम्मट की कारिका से शक्य-सबन्ध का लक्षणा होना सिद्ध किया जा सके, और अग्रिम तदीय-ग्रन्थ का विरोध परिहृत कर दिया जाय, तब प्रकाशगत लक्षण को ही ठीक माना जा सकता है।

इसी तरह कुमारिलभट्ट के वार्तिक की व्याख्या यदि 'अभिधेयाविनाभूतप्रतीति' पद का 'अभिधेयसन्बन्ध अर्थ की प्रतीति हो जिससे' वह पदार्थ अर्थ मानकर की जाय तब वह लक्षण भी ठीक ही है।

शक्यतावच्छेदकारोप को लक्षणा मानना भी उचित नहीं, क्योंकि वैसा मानने पर—

‘कचतस्त्रस्यति वदनं वदनात् कुचकुड्मलं विभेति ।

मध्याद् विभेति नयनं नयनादधरः समुद्विजति ॥

अर्थात् केश से मुख डरता है, मुख से उत्तुंग स्तन भोत होता है, मध्यभाग ( कटि ) से नयन भयभीत है और नयन से अधर उद्विग्न हो उठता है ।’

इस पद्य में लक्षणा करने का कोई फल नहीं हो सकेगा। तात्पर्य यह कि—यहाँ कच, वदन, कुचकुड्मल, मध्य, नयन तथा अधर शब्द, क्रमशः राहु चन्द्र, कमल, सिंह, हरिण और पृष्ठरूप अर्थ में लाक्षणिक हैं। अब यदि शक्यतावच्छेदकारोप को लक्षणा माना जाय तब कचत्व आदि का राहु आदि में आरोप किया जायगा, पर उससे प्रकृत में कोई लाभ नहीं, क्योंकि उक्त तरह के आरोप से राहु आदि भी केश आदि ही समझे जायेंगे, फिर उनसे चन्द्र आदि के डरने का कोई कारण ही नहीं रह जाता।

अन्तिम मत भी अच्छा नहीं है क्योंकि आगे दिखलाया जायगा कि लक्षणा का एक कारण तात्पर्य की अनुपपत्ति है। यदि तात्पर्य ही लक्षणा हो तब पूरा कार्यस्वरूप ही कारण के पेट में समा जायगा, फिर उक्त दोनों पदार्थों का कार्यकारणभाव कैसे बन सकता है।

## लक्षणा के कारण

अब यहाँ शका यह उठती है कि—लक्षणा किन्हीं कारणों के आधार पर होती है अथवा वैसे ही ? इसके उत्तर में कहना पड़ेगा कि—कारणों के आधार पर ही लक्षणा होती है क्योंकि यदि यों ही लक्षणा की जाय तब सर्वत्र सभी पदों की जिस किसी सबद्ध अर्थ में लक्षणा मान ली जा सकेगी। अब देखना यह है कि वे कारण कौन से हैं जिनके आधार पर लक्षणा होती है। प्रथम कारण वक्ता के तात्पर्य की अनुपपत्ति ( असिद्धि ) है, अर्थात् जब किसी पद के मुख्य अर्थ से वक्ता का तात्पर्य ( जो कुछ वक्ता कहना चाहता है वह वाक्यार्थ ) सिद्ध नहीं हो पाता तब उस पद की लक्षणा होती है।

कुछ लोग अन्वय की अनुपपत्ति को लक्षणा का प्रथम कारण मानते हैं। उनका अभिप्राय है कि—जब मुख्य अर्थ का अन्वय वाक्यान्तर्गत अन्य पद के अर्थ के साथ नहीं हो सके तब लक्षणा होती है। पर यह पक्ष ठीक नहीं है क्योंकि यदि इसी कारण के आधार पर लक्षणा हो तब तो 'गङ्गा में घोप' ऐसा कहने पर जो नियमत. गङ्गा पद की तट में लक्षणा मानी जाती है वह आवश्यक नहीं रह जायगा—अर्थात् घोपपदार्थ में गङ्गापदार्थ का अन्वय नहीं हो सकने के कारण ही जब लक्षणा का आश्रयण करना ठहरा, तब इसकी क्या आवश्यकता कि गङ्गा पद की ही लक्षणा तट में मानी जाय। घोप पद की मीन-शैवाल आदि में लक्षणा मानकर भी 'गङ्गा में मीन अथवा शैवाल' यह अन्वित अर्थ किया जा सकता है।

इसी तरह 'कौओं से दही की रक्षा कीजिए' इस प्रसिद्ध लक्षणोदाहरण में लक्षणा का कोई प्रसन्न ही नहीं रह जायगा, क्योंकि यहाँ अन्वय की अनुपपत्ति नहीं है अर्थात् केवल कौओं से दही की रक्षा कर देने पर भी वाक्य अन्वितार्थक हो ही जाता है।

तात्पर्यानुपपत्ति को लक्षणा का कारण मानने वालों के मत से तो यहाँ लक्षणा का प्रसन्न होता है, क्योंकि वक्ता का तात्पर्य उन सभी प्राणियों से दही की रक्षा करने में है जिनसे दही की बरवादी समभव हो, फिर यदि कौओं से बचाकर भी कुत्तों से दही नष्ट करा दिया जाय तब वक्ता का तात्पर्य अनुपपन्न होता है, अतः काक पद की लक्षणा दध्युपघातक में होती है। इसी तरह अन्यत्र भी दोष हो सकते हैं। अतः तात्पर्यानुपपत्ति को ही लक्षणा का प्रथम कारण मानना चाहिए—अन्वयानुपपत्ति को नहीं।

यदि तात्पर्यानुपपत्तिरूप एक ही कारण लक्षणा का माना जाय तो वक्ता कुछ भी बोले, कुछ भी अर्थ लगावे, उसे रोका नहीं जा सकता, और ऐसी स्थिति में वक्ता का तात्पर्य किस अर्थ में है यह समझना एकदम असंभव हो जाय, अतः लक्षणा के ये दो नियामक कारण और हैं—रूढि (प्रसिद्धि) और प्रयोजन। अतः तात्पर्यानुपपत्ति के अतिरिक्त इन दोनों में से किसी एक का होना भी लक्षणा के लिये अनिवार्य है।

इस सब का सारांश यह हुआ कि—मुख्यार्थ का वक्ता के तात्पर्य के अनुकूल न होना और उस अर्थ में उस शब्द की प्रसिद्धि अथवा कोई प्रयोजन—इन दोनों में से एक—ये लक्षणा के दो कारण हैं। ये जब तक न हों तब तक कोई लक्षणा नहीं हो सकती।

## लक्षणा के भेद

### पण्डितराज का मत

रूढि (प्रसिद्धि) तथा प्रयोजनरूप कारणों के भेद से प्रथमतः लक्षणा के दो भेद होते हैं। उनमें रूढि के कारण होनेवाली लक्षणा को रूढ़ि किंवा निरूढि और प्रयोजन के कारण होनेवाली लक्षणा को प्रयोजनवती लक्षणा कहते हैं। प्राचीन आचार्यों ने रूढ़ि लक्षणा के भेद नहीं माने। पण्डितराज ने भी अरुचिग्रस्त रूप में ही उनके भेद किए हैं, क्योंकि उन्होंने उक्त प्रकार से दो भेद करके कहा है कि उन दोनों (रूढ़ि तथा प्रयोजनवती) भेदों में द्वितीय (प्रयोजनवती) के पुनः दो भेद होते हैं—गौणी तथा शुद्ध। उनमें प्रथम (गौणी) के भी दो भेद होते हैं—सारोपा और साध्यवसाना। और द्वितीय (शुद्ध) के चार भेद होते हैं—जहत्स्वार्था, अजह



त्त्वार्था, सारोपा और साध्यवसाना । इतना कहकर रूडा के दो उदाहरण दिखलाए जिनमें एक बगइ शब्द का सन्ध सादृश्यरूप और दूसरी जगह सादृश्य से निन्नरूप देखा गया, अतः रूडा लक्षणा के भी गौणी और शुद्धा—दो भेद मानते हैं ऐसा लिखा, फिर प्रयोजनवती के उदाहरणों का विचार आरम्भ किया । इस कथन-क्रम से ऐसा प्रतीत होता है कि रूडा लक्षणा के उक्त दो भेदों के विषय में ग्रन्थकार की पूर्ण सन्नति नहीं है । जो कुछ भी हो, इस तरह पण्डितराज के मत से प्रयोजनवती लक्षणा के गौणी सारोपा, गौणी साध्यवसाना, शुद्धा जइत्त्वार्था, शुद्धा अजइत्त्वार्था, शुद्धा सारोपा और शुद्धा साध्यवसाना—ये छै भेद होते हैं । इन छै भेदों में यदि रूडा के दो भेद मानकर उन्हें भी सन्मिलित कर लिया जाय तो कुल लक्षणाभेद आठ और यदि उसका एक ही भेद मान कर सन्मिलित कर लें तो पण्डितराज के मत से कुल लक्षणाभेद सान सिद्ध होते हैं ।

### जहत्स्वार्था और अजहत्स्वार्था का नामान्तर

अन्यत्र जहत्स्वार्था को जइलक्षणा अथवा लक्ष्णलक्षणा और अजहत्स्वार्था को अजइलक्षणा अथवा उपादान-लक्षणा भी कहा गया है ।

### जहदजहत्स्वार्था भेद का निराकरण

वृत्तिवार्तिक के रचयिता अप्यवदोक्षित ने वेदान्तियों के मतानुसार प्रयोजनवती शुद्धा लक्षणा का एक जहदजहत्स्वार्था नामक भेद और माना है । पर प्रकृत ग्रन्थ में उस भेद की कहीं चर्चा ही नहीं हुई है, अतः यह मानना पड़ना है कि पण्डितराज इस भेद को नहीं मानते क्योंकि जहाँ वाचक शब्द अन्य अर्थ के लिये अपने अर्थ ( वाच्य ) को अर्पित कर दे वहाँ जहत्स्वार्था लक्षणा होता है । यह बात दूसरी है कि वह अर्थ को सर्वांश में अथवा किसी अंश-विशेष में छोड़े । इस प्रकार जिस तरह सर्वांश में वाचकद्वारा अपने अर्थ को छोड़ देने की स्थिति में जहत्स्वार्था माना जाता है, उसी तरह किसी अंश-विशेष में वाचकद्वारा अपने अर्थ को छोड़ने की स्थिति में भी जहत्स्वार्था माना जा सकता है, फिर द्वितीय स्थिति में जो एक जहदजहत्स्वार्था नामक नवीन भेद कहा जाता है उसका कोई आवश्यकता नहीं, अर्थात् जिसको आप नवीन भेद मानना चाहते हैं वह जहत्स्वार्था नामक भेद में ही अन्तर्भूत हो जाता है । यह विचार काव्यप्रकाश की प्रदीप तथा उद्योत नामक टीकाओं में व्यक्त किया गया है । वृत्तिदोषिकाकार ने भी कुछ और शास्त्रार्थीय दृष्टि की युक्तियों के आधार पर इसी तथ्य को पुष्ट किया है ।

### लक्षणा के भेदों का उपयोग

लक्षणा के आठ भेदों में निलुटा लक्षणा व्यङ्ग्यरहित होती है, अतः साहित्यशास्त्र में उसका कोई सुन्दर उपयोग नहीं होता, अर्थात् उसके आधार पर न तो कोई ध्वनिकाव्य होता है, न अलंकार । प्रयोजनवती के भेदों में से गौणी सारोपा का रूपक अलंकार में, गौणी साध्यवसाना का अतिशयोक्ति अलंकार में और शुद्धा सारोपा तथा शुद्धा साध्यवसाना ( दोनों ) का हेतुअलंकार में उपयोग होता है । यह बात प्रसङ्गवश पहले भी लिखी जा चुकी है । रहे दो भेद, उनमें से शुद्धा जइत्त्वार्था को मूल मानकर 'अत्यन्तितरकृतवाच्य' और शुद्धा अजइत्त्वार्था को मूल मानकर 'अर्थात्तरकृतमितवाच्य' नामक दो ध्वनिभेद होते हैं ।

### मम्मट का मत

मम्मटभट्ट ने अपने काव्यप्रकाश में लक्षणा के भेद इस प्रकार किए हैं—लक्षणा प्रथमतः दो प्रकार की होती है—रुढ़िमूला तथा प्रयोजनमूला। उनमें प्रयोजनमूला के प्रथमतः दो भेद होते हैं—शुद्धा और गौणी। उनमें प्रथम भेद ( शुद्धा ) के चार भेद हो जाते हैं—शुद्धा उपादान लक्षणा सारोपा, शुद्धा उपादानलक्षणा साध्यवसाना, शुद्धा लक्षणलक्षणा सारोपा और शुद्ध लक्षणलक्षणा साध्यवसाना। गौणी के दो भेद होते हैं—सारोपा और साध्यवसाना। इस तरह प्रयोजनमूला के छै भेद होते हैं। इन छै भेदों के पुन. दो दो भेद हो जाते हैं, क्योंकि प्रयोजन रूप व्यङ्ग्य गूढ ( सहृदयमात्रवेध ) तथा अगूढ ( सर्वजनवेध ) भेद से दो प्रकार का हो सकत है। फलतः मम्मटभट्ट के मत से, रुढ़िमूला का एक और प्रयोजनमूला के वारह—इस तरह समग्र लक्षणाभेद तेरह सिद्ध होते हैं।

यद्यपि अन्य कतिपय आलोचकों ने रुढ़िमूला के भी गौणी शुद्धा भेद मान कर मम्मट के मत से कुल चौदह लक्षणा-भेद माने हैं, पर काव्यप्रकाश में रुढ़िमूला लक्षणा के दो भेदों की कहीं कोई चर्चा नहीं मिलती, अतः मम्मट के मत से उक्त भेद-सख्या सगत नहीं हो सकती। काव्य प्रकाश के प्रसिद्ध टीकाकार वामनाचार्य ने भी अपनी टीका में तेरह भेद ही माने हैं।<sup>१</sup>

### विश्वनाथ का मत

साहित्यदर्पणकार विश्वनाथ कविराज लक्षणा के प्रथमतः दो भेद करते हैं—रुढ़िमूला और प्रयोजनमूला। इन दोनों भेदों के भी उपादानलक्षणा तथा लक्षणलक्षणा-भेद से पुन दो दो भेद मानते हैं। इस तरह सिद्ध किए गए चार भेदों के पुन. सारोपा तथा साध्यवसाना-भेद से दो दो भेद कर देते हैं। इस तरह लक्षणा के आठ भेद-सिद्ध किए जाते हैं। ये आठों भेद पुन गौणी शुद्धा-भेद से दो दो प्रकार के माने जाते हैं। इस प्रकार लक्षणा के प्रधान भेद सोलह सिद्ध किए जाते हैं। इस तरह उनके मत से, १—रुढ़िमूला उपादानलक्षणा सारोपा शुद्धा २—रुढ़िमूला उपादानलक्षणा साध्यवसाना शुद्धा, ३—रुढ़िमूला लक्षणलक्षणा सारोपा शुद्धा ४—रुढ़िमूला लक्षणलक्षणा साध्यवसाना शुद्धा, ५—रुढ़िमूला उपादानलक्षणा सारोपा गौणी, ६—रुढ़िमूला उपादानलक्षणा साध्यवसाना गौणी, ७—रुढ़िमूला लक्षणलक्षणा सारोपा गौणी और ८—रुढ़िमूला लक्षणलक्षणा साध्यवसाना गौणी—ये आठ रुढ़िमूला लक्षणा के और इसी तरह इन्हीं नामों वाले आठ प्रयोजनमूला लक्षणा के भेद होते हैं। इनमें रुढ़िमूला के उक्त आठ ही भेद रह जाते हैं, पर प्रयोजनमूला लक्षणा के उक्त आठों भेदों के पुन. प्रयोजनरूप व्यङ्ग्य के गूढागूढभेद से दो-दो भेद कर दिए जाते हैं। इस तरह प्रयोजनमूला के सोलह भेद सिद्ध होते हैं और ये सोलहों भेद पुन. फल ( प्रयोजन ) के धर्मी तथा धर्मगत होने से दो-दो प्रकार के बन कर बत्तीस हो जाते हैं। इस तरह प्रयोजनमूला के बत्तीस और रुढ़िमूला के आठ—कुल चालिस भेद लक्षणा के कर दिए जाते हैं। किन्तु इतने पर भी दर्पणकार को सन्तोष नहीं हुआ क्योंकि जिस तरह वैयाकरण लोग अर्धमात्रा लाघव से पुत्रोत्सव मनाते हैं<sup>२</sup>,

१. 'तथा च व्यङ्ग्यरहिता रुढ़िलक्षणा एकविधा, उक्तषड्विधा प्रयोजनलक्षणा गूढव्यङ्ग्या-गूढव्यङ्ग्यत्वेन द्विविधा, मिलित्वा लक्षणा त्रयोदशविधा बोध्या।

२. अर्धमात्रालाघवेन पुत्रोत्सव मन्यन्ते वैयाकरणाः।

उसी तरह आलंकारिक लोग भेद-वर्धन से अपनी कृतकृत्यता मानते हैं। फलत उक्त चालीस भेदों को भी पदगत और वाक्यगत मान कर विश्वनाथ कविराज लक्षणा-भेदों को अस्ती तक खींच ले गए हैं।

## विभिन्न मतों की समीक्षा

पाठक कृपया इस सूत्रका ध्यान रखें कि प्रकृतोपयोग तथा चरम विन्दु उक्त पदार्थका सूक्ष्मतन विश्लेषण, इन दो दृष्टिकोणों से लक्षणा के विषय में—किसी भी पदार्थ के विषय में—विचार किया जा सकता है। यह जो भिन्न-भिन्न ग्रन्थ में भिन्न-भिन्न प्रकार का लक्षणा निरूपण दृष्टिगोचर होता है उसका रहस्य बहुत कुछ उक्त दृष्टिकोण-विभिन्नता में ही निहित है। अनिप्राय यह कि—रसगङ्गाधर का लक्षणा विचार सर्वथा अलंकारशास्त्र में उसके उपयोग को दृष्टि में रखकर किया गया है। काव्यप्रकाश का लक्षणा-विचार भी यद्यपि उसी दृष्टिकोण को मुख्य मान कर हुआ है तथापि उसमें कुछ-कुछ दूसरा दृष्टिकोण भी झलकता है। साहित्यदर्पण का लक्षणा-विचार विशुद्ध पदार्थविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से किया गया प्रतीत होता है।

अलंकारशास्त्र में होने वाले उपयोग को दृष्टि में रख कर यदि विचार किया जाय तो वस्तुतः निरूढालक्षणा का भेद दिखलाना ही नहीं, एक तरह से उसकी चर्चा ही निरर्थक है क्योंकि निरूढालक्षणा तो फलतः अभिधा ही है। चिरप्रसिद्धि के कारण जब कोई शब्द अपने योगार्थ को छोड़ कर सदा के लिये अन्य अर्थ में रूढ हो जाता है तब उसमें वाचक शब्द से कुछ अन्तर नहीं रह जाता। जैसे—आज 'लावण्य' शब्द के योगबलबन्ध 'नमस्कीन' रूप अर्थ की ओर किसी का ध्यान भी नहीं जाता, विना अवान्तर शक्य-सम्बन्धादि ज्ञान के उस पद में सौन्दर्य-विशेष की प्रतीति आपानर को होती है। फिर ऐसे निरूढालक्षणा शब्दों में 'यहाँ शक्य का सन्ध क्या है' इत्यादि बातों की छानबीन करना भाषाविज्ञान की दृष्टि से भी कोई विशेष महत्त्व नहीं रखता। अलंकारशास्त्रोपयोगिता की दृष्टि से तो सर्वथा उक्त छानबीन निरर्थक है, क्योंकि अलंकारशास्त्र में शब्द के उपयोगानुपयोग का विचार व्यङ्ग्य अर्थ के आधार पर ही किया जाता है, स्पष्ट शब्दों में ध्वनिनागप्रत्यापक परमाचार्य आनन्दवर्धन ने महाकवियों को यत्नपूर्वक व्यङ्ग्य अर्थ और व्यञ्जक शब्दों को ही पहचानने की सलाह दी है<sup>१</sup>। और उक्त निरूढालक्षणा शब्दों के स्थल में व्यङ्ग्यार्थ रहना नहीं है।

ऐसी स्थिति में कम से कम साहित्यिकों के लिये इतना समझ लेना ही पर्याप्त है कि—लक्षणा का एक निरूढा भेद भी होता है—इससे अधिक को उन्हें आवश्यकता नहीं है। इनो दृष्टिकोण से प्राचीनों ने और मन्मटमट्ट ने भी निरूढालक्षणा के भेद करना उचित नहीं समझा और पण्डितराज ने भी परकोय मत के रूप में—सादृश्य तथा नादृश्यातिरिक्तसन्धमूलक गौणो-शुद्धा—दो भेद उसके लिख कर नौन साध लिया।

पर साहित्यदर्पणकार का दृष्टिकोण दूसरा था—वे लक्षणा का निरूपण शुद्ध पदार्थ-विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से करना चाहते थे, अलंकारशास्त्रोपयोगिता की दृष्टि से नहीं, अतः

१. सौर्धत्तद्व्यक्तिसामर्थ्ययोगीशब्दश्च कश्चन।

यत्ततः प्रत्यभिधेयौ तौ शब्दार्थौ महाकवे ॥ (ध्वन्यालोक)

उन्होंने निरूढालक्षणा के भी आठ भेद खोज निकाले जो उचित हैं, क्योंकि उन्होंने उन आठों भेदों के जो उदाहरण उपस्थित किए हैं वे सर्वथा उपयुक्त हैं, तथा उन्हीं के आधार पर वे भेद माने जा सकते हैं। विस्तार-मय से यहाँ उन उदाहरणों का उल्लेख नहीं किया गया है।

रसगङ्गाधरकार तथा काव्यप्रकाशकार ने प्रयोजनवती गौणीलक्षणा के जहत्स्वार्था-अजहत्स्वार्था भेद नहीं किए क्योंकि उन भेदों का प्रकृत शास्त्र में उपयोग नहीं है और उन आचार्यों की दृष्टि पदार्थविश्लेषण की अपेक्षा प्रकृतोपयोग पर अधिक थी। यद्यपि काव्यप्रकाश के टीकाकारों ने उक्त भेदों को असम्भव भी ठहराया है—कतिपय आलोचकों ने भी उक्त टीकाकारों को युक्तियों को उद्धृत कर दर्पणकार को गलत कहा है, पर वह एक शास्त्रार्थ की शैली है, उस शैली से दर्पणकार के मत को भी ठीक किया जा सकता है। जैसे—

उक्त टीकाकारों ने उक्त भेदों की असम्भविता में युक्ति दी है कि—‘जहाँ प्रयोजनवती गौणीलक्षणा के जहत्स्वार्था-अजहत्स्वार्था भेद कहे जाते हैं वहाँ लक्षणा का वीजभूत ( प्राचीन मत से ) लक्षणारूप ( नवीन मत से ) सबन्ध सादृश्य है अथवा अन्य ? यदि सादृश्य है तब वहाँ अजहत्स्वार्थाभेद नहीं हो सकता, क्योंकि वह भेद तभी होता है जब लक्ष्य अर्थ के अन्दर मुख्य अर्थ भी रहे—उसका त्याग न होता हो और सादृश्य को सबन्ध मानने पर लक्ष्य के अन्दर मुख्य का रहना सम्भव नहीं, क्योंकि अपने में अपना सादृश्य नहीं हो सकता—अर्थात् सादृश्य भेदघटित पदार्थ है, अतः वह दूसरे में दूसरे का ही हो सकता है। यदि सादृश्य से अन्य कोई सबन्ध वहाँ माना जाय तब उस भेद को गौणी नहीं कह सकते, क्योंकि सादृश्यसबन्ध-मूलक लक्षणा को ही गौणी मानते हैं।’ यही है उनकी युक्ति और काव्यप्रकाश का समर्थन करने के लिये वह ठीक भी है, पर साहित्यदर्पण के समर्थन में यह भी तो कहा जा सकता है कि यहाँ सादृश्य पदार्थ को भेदाघटित ही मानते हैं—रूपकालकार में भेदाघटित सादृश्य का ही प्रवेश अधिकारियों ने माना है, अतः अपना सादृश्य अपने में हो ही सकता है और तदनुसार प्रयोजनवती गौणी का अजहत्स्वार्थाभेद मानने में कोई बाधा नहीं। काव्यप्रकाश में जहाँ उक्त विरोधि-युक्ति है वहीं प्रसिद्ध विद्वान् नागेश ने अपने ‘उद्योत’ में इस ( मेरे द्वारा उपस्थिति की गई ) युक्ति का उल्लेख किया है।

व्यङ्ग्य के गूढागूढत्व भेद से होने वाले लक्षणा-भेदों का रसगङ्गाधरकार उल्लेख नहीं करते इसका कारण यह प्रतीत होता है कि—पण्डितराज व्यङ्ग्य की भिन्नरूपता के आधार पर लक्षणा का प्रभेद करना उचित नहीं समझते, क्योंकि व्यङ्ग्य की भिन्नता से शक्यसम्बन्धात्मक लक्षणास्वरूप में किसी तरह की भिन्नता नहीं होती। काव्य के भेद करते समय अवश्य व्यङ्ग्य भेद का मूल्य होता है।

काव्यप्रकाशकार ने व्यङ्ग्य के गूढागूढत्व के आधार पर लक्षणा के भेद माने हैं। इस अर्थ में ‘लक्षणा में एक यह भी वैचित्र्य होता है’ इस बात को प्रकट करना ही उनका सही अभिप्राय हो सकता है। वस्तुतः व्यङ्ग्यभेद लक्षणा के भेदक नहीं हो सकते।

दर्पणकार ने तो व्यङ्ग्य के गूढागूढत्व के आधार पर जो भेद किए वह किए ही, फल की धर्मगत मानकर भी भेद माने, पदगतत्व और वाक्यगतत्व के आधार पर भी भेद

किए। इस भेदपुञ्ज का रहस्य लक्षणास्थलीय विविध वैचित्र्य का विश्लेषण द्वारा प्रकटन ही है। प्रकृतोपयोग की दृष्टि से देखने पर इन भेदों की कोई आवश्यकता नहीं है, यह कथन अभ्रान्त सत्य है। किसी आलोचक का यह कथन कि 'लक्षणा वस्तुतः अर्थ का सवन्ध है, अतः उसका पद अथवा वाक्य में रहना नहीं बन सकता,' कुछ अर्थ नहीं रखता, क्योंकि आखिर लक्षणा को पदनिष्ठ वृत्ति तो सभी मानते ही हैं और आरोप अथवा परम्परासन्ध के आधार पर ही ऐसा मानते हैं, फिर उस रीति से वाक्य में भी उसको क्यों नहीं रक्खा जा सकता? वाक्यलक्षणावादी भी कुछ आचार्य हैं ही। जाति-गुण-क्रिया आदि के आधार पर लक्षणा के भेद नहीं किए गए, अतः जो भेद किए गए वे असंगत हैं ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। लक्षणा का सूक्ष्म विश्लेषण करते समय यदि वैसे भेद भी किए जाँय तो उसको असंगत नहीं कहा जा सकता। किन्तु अलकारशास्त्र में वैसे भेदों का कोई खास उपयोग नहीं है, यह आरम्भ में ही लिखा जा चुका है।

तात्पर्य यह है कि—शुद्ध पदार्थविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से विचार करने के कारण दर्पणकार के वड़े हुए भेद भी अपनी जगह पर ठीक हैं और प्रकृतोपयोग के दृष्टिकोण से विचार करने के कारण रसगङ्गाधरकार तथा काव्यप्रकाशकार के भेद भी सुसङ्गत हैं।

### लक्ष्य अर्थ तथा लाक्षणिक शब्द

लक्षणा द्वारा ज्ञात होने वाले अर्थ लक्ष्य, औपचारिक, लाक्षणिक, अमुख्य आदि नामों से अभिहित किये जाते हैं। इस तरह लक्षणा द्वारा किसी अर्थ के बोधक शब्द को लक्षक किंवा लाक्षणिक कहते हैं।

### व्यञ्जना

वृत्ति-विवेचन-प्रसङ्ग में अब व्यञ्जना का पर्याय प्राप्त है। यद्यपि इस असम्पूर्ण रसगगाधर निबन्ध में व्यञ्जना-निरूपण-प्रकरण नहीं आ सका, तथापि साहित्यशास्त्र में सर्वाधिक महत्त्व रखने वाली इस व्यञ्जना वृत्ति के विवेचन से विरहित यह प्रसङ्ग अधूरा न रहे, इसलिये ग्रन्थान्तर के आधार पर यहाँ व्यञ्जना का विचार प्रस्तुत किया जाता है।

### सामान्य परिचय

शब्द में अभिधा और लक्षणा के अतिरिक्त एक अन्य वृत्ति भी रहती है। उदाहरण रूप में 'चन्द्र-मण्डल उदित हुआ' इस वाक्य को यदि कोई विरहिणी सखी के समक्ष कहती है तो सखी को नायिका का यह अभिप्राय ज्ञात होता है कि 'वह अब अपने जीवन को असम्भव मान रही है,' यदि दूती अभिसारिका से कहती है तो वह (अभिसारिका) समझती है कि 'अभिसार की तैयारी करनी चाहिए,' यदि अभिसारिका ही दूती से कहती है तो वह (दूती) समझती है कि 'चाँदनी में पढ़चाने जाने के भय से यह अभिसार का निषेध कर रही है' इत्यादि।

उक्त वाक्य के ये अर्थ किसी कोष में नहीं लिखे हैं तब इस वाक्य के द्वारा ये और ऐसे ही अन्य अर्थ कैसे ज्ञात होते हैं? इस वाक्य से ये अर्थ ज्ञात होते ही नहीं ऐसी बात तो कोई अनुभव-शक्ति-सम्पन्न जन कह नहीं सकता। अतः मानना पड़ेगा कि इन अर्थों को समझाने की शक्ति भी इस वाक्य में अवश्य है।

पर इस शक्ति को 'अभिधा' नहीं कह सकते, क्योंकि इस वाक्य में रहनेवाली 'अभिधा' व कोप आदि की सहायता से पूर्णरूपेण जानने वाला भी सम्ययता आदि के अभाव में उन अर्थ को नहीं समझ पाता। 'लक्षणा' भी इस शक्ति को नहीं मान सकते, क्योंकि मुख्यार्थवाध औ रूढिप्रयोजनान्यतररूप कारणों के अभाव में 'लक्षणा' का प्रसङ्ग ही नहीं आता—और यह न मुख्य अर्थ का वाध है, न रूढि है, न प्रयोजन, अतः यहाँ 'लक्षणा' नहीं मानी जा सकती फलतः उक्त वाक्य में उक्त अर्थों को समझाने वाली जो एक तीसरी वृत्ति माननी पड़ेगी उसी का नाम 'व्यञ्जना' है।

### लक्षण

व्यञ्जना का जो सामान्य परिचय ऊपर दिया जा चुका है, उसी के आधार पर साहित्यदर्पण कारादि प्रायः सभी आलंकारिक व्यञ्जना का लक्षण इस प्रकार करते हैं—'अभिधा आदि वृत्तियों के विरत हो जाने पर (अपने-अपने अर्थों का बोध कराकर क्षीण हो जाने पर) जिससे अन्य (वाच्य तथा लक्ष्य से भिन्न) अर्थ का बोध होता है उस वृत्ति को व्यञ्जना कहते हैं'।<sup>१</sup>

नागेशभट्ट ने व्याकरणग्रन्थ में व्यञ्जना का लक्षण इस प्रकार किया है—'उस सस्कार विशेष का नाम व्यञ्जना है जो बिना मुख्यार्थवाध की अपेक्षा किये अर्थ का बोध कराता हो, जो मुख्य अर्थ से सवद्ध तथा असवद्ध—दोनों तरह के अर्थों का बोधक होता हो, जो प्रसिद्ध तथा अप्रसिद्ध—दोनों ही प्रकार के अर्थों को अपना विषय बनाता हो और जो वक्ता आदि की विलक्षणता के ज्ञान तथा प्रतिभा आदि से उद्बुद्ध होता हो'।<sup>२</sup>

सारांश यह कि—अभिधा केवल प्रसिद्ध (सकेतित) अर्थों को ही समझा सकती है, अप्रसिद्ध अर्थों को नहीं, और लक्षणा मुख्य अर्थ से सवद्ध अर्थ को ही समझा सकती है और वह भी तब, जब मुख्य अर्थ वाधित हो, किन्तु व्यञ्जना के लिये ऐसी किसी भी शर्त की आवश्यकता नहीं है, वह तो सर्वत्र अप्रतिहत रूप से अपना स्थान बनाती है। अतएव 'चन्द्रमण्डल उदित हुआ' इस वाक्य के पूर्वोक्त अर्थ करने में न तो व्याकरण तथा कोष में उन अर्थों के लिखे रहने की ही आवश्यकता पड़ती है और न मुख्य अर्थ के वाधित होने की।

### अन्य वृत्तियों की अपेक्षा व्यञ्जना की एक खास विलक्षणता

अभिधा तथा लक्षणा ये दोनों वृत्तियाँ शब्द में ही रहती हैं, उनका क्षेत्र शब्द तक ही सीमित है, पर व्यञ्जना का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। यह वृत्ति शब्द (वाक्य, पद, पदैकदेश=प्रकृति तथा प्रत्यय, वर्ण, प्रकरण, प्रबन्ध), अर्थ (वाच्य, लक्ष्य, व्यङ्ग्य) और चेष्टा आदि में समान रूप से रहती है। सारांश यह कि व्यङ्ग्य अर्थ की प्रतीति जिस तरह किसी शब्द विशेष से होती है उसी तरह उक्त सभी व्यञ्जकों (व्यञ्जना के वाधयों) से होती है।

१ 'विरतास्वभिधाषासु ययार्थो बोध्यते पर.।

सा वृत्तिर्व्यञ्जना नाम.....॥' (साहित्यदर्पण)

२. 'मुख्यार्थवाधनिरपेक्षबोधजनको - मुख्यार्थसबन्धासबन्धसाधारणः प्रसिद्धाप्रसिद्धार्थविषयको वक्त्रादिवैशिष्ट्यज्ञानप्रतिभायुद्बुद्ध सस्कारविशेषो व्यञ्जना।' (परमलघुमञ्जूषा)

## व्यञ्जक

व्यञ्जना द्वारा अर्थ-प्रतिपादक, शब्द अर्थ आदि सभी व्यञ्जक कहलाते हैं। 'ध्वनि' शब्द के जो अनेक अर्थ पहले लिखे जा चुके हैं उनमें एक के अनुसार व्यञ्जक को 'ध्वनि' भी कहते हैं।

## व्यङ्ग्य अर्थ

व्यञ्जना द्वारा प्रतीत होने वाले अर्थ को व्यङ्ग्य कहते हैं। उक्त अनेक अर्थों में से एक के अनुसार उसे 'ध्वनि' भी कहते हैं।

## व्यञ्जना के विरुद्ध मत

संस्कृत वाक्य के इतिहास में 'व्यञ्जनावान' एक ऐसा विषय है जिसके विरोध में भिन्न-भिन्न संप्रदाय के आचार्यों द्वारा बहुतेरे आक्षेप किए गए हैं जिनमें से कतिपय प्रमुख आक्षेपों की चर्चा यहाँ की जाती है—

( १ ) अभिधावादी आचार्यों का कथन है कि 'व्यञ्जना' 'अभिधा' में ही गतार्थ है अर्थात् अभिधा से अतिरिक्त व्यञ्जना नाम की कोई वृत्ति नहीं है। तात्पर्य यह कि जिन अर्थों को लोग व्यङ्ग्य कहना चाहते हैं वे अभिधेय (वाच्य) अर्थ ही हैं, उनका बोध भी अभिधा से ही होता है।

( २ ) लक्षणावादी आचार्यों की मान्यता है कि—लक्ष्य से अन्य व्यङ्ग्य कोई वस्तु नहीं है, अतः व्यञ्जना भी लक्षणा से अतिरिक्त वृत्ति नहीं है।

( ३ ) अनुमानवादी आचार्यों का कहना है कि—अभिधा और लक्षणा ये दो ही वृत्तियाँ हैं। अब यदि कुछ ऐसे अर्थ हैं जिनका बोध उक्त दोनों में से किसी भी वृत्ति से नहीं हो पाता तो उक्त स्थिति में भी उन अर्थों का बोध करने के लिये किसी नवीन वृत्ति ( व्यञ्जना ) की आवश्यकता नहीं है, अपितु उस तरह के अर्थों का बोध अनुमान से होता है वही मानना चाहिए।

( ४ ) कुछ लोगों का कथन है कि—व्यञ्जनावृत्ति की बात असंगत है, क्योंकि व्यञ्जना मानने के बाद भी प्रश्न उठेगा कि यह व्यञ्जना स्वरूपसती ( अज्ञात रूप से रहनेवाली ) बोधक है अथवा ज्ञाता ? दोनों ही पक्ष दोषग्रस्त हैं क्योंकि स्वरूपसती व्यञ्जना को बोधक मानने पर व्यञ्जक पद से तदा सभी को व्यङ्ग्य अर्थ का बोध होना चाहिए जो होता नहीं, ज्ञाता व्यञ्जना को बोधक मानना वन ही नहीं सकता, क्योंकि जिस तरह अभिधा-शापक कोष-व्याकरण आदि हैं उस तरह व्यञ्जनाशापक ही कोई नहीं है, फिर व्यञ्जना ज्ञाता हो ही नहीं सकती। अतः व्यङ्ग्य अर्थों का मानस बोध ही मानना चाहिए।

( ५ ) कुछ लोग कहते हैं कि—'अर्थापत्ति-प्रमाण' से व्यङ्ग्य कहे जाने वाले अर्थों का बोध होता है, अतः व्यञ्जना मानने की आवश्यकता नहीं।

( ६ ) अन्य कतिपय विद्वान् कहते हैं कि वे अर्थ 'चूचनबुद्धिवेद्य' ही हैं जिनको आप व्यङ्ग्य कहते हैं।

उपर्युक्त सभी आक्षेपों के मूल में रहस्यभूत वस्तु एक यही है कि ध्वनिस्थापक आनन्दवर्धन से पूर्व स्वतन्त्र व्यङ्ग्य अर्थ की सत्ता से प्रायः विद्वन्मण्डली अपरिचित ही थी, अतः जब उक्त

ध्वनिस्थापक आचार्य ने 'ध्वन्यालोक' नामक विलक्षण निबन्ध बना कर व्यङ्ग्य और व्यञ्जना की स्थापना ही नहीं, अपितु साहित्यशास्त्र में प्रमुखता भी सिद्ध कर दी तब विद्वन्मण्डली में एक तूफान-सा उठ पड़ा। पुरानी लीक पर आँख मूँद कर चलने वाले विद्वानों ने व्यञ्जना का विरोध किया, व्यञ्जना के विरोध में युक्तियाँ खोजी जाने लगीं, निबन्ध बनने लगे। इस तरह ध्वनिकार के वाद में और पहले भी उक्त व्यञ्जनाविरोधी मतों की सृष्टि हुई। पर ध्वन्यालोक के निष्पन्न अध्येता आलकारिकों ने और महावैयाकरण नागेश भट्ट ने अपने निबन्धों में उक्त आक्षेपों का सुन्दर तथा प्रबल युक्तियों के आधार पर खण्डन कर ध्वनि ( व्यञ्जना ) का स्थापन किया और आचार्य आनन्दवर्धन को अलकारशास्त्र का सर्वश्रेष्ठ मौलिक आलोचक सिद्ध कर दिया।

यद्यपि आनन्दवर्धन को 'ध्वनि' के विषय में व्याकरण के मूलभूत सिद्धान्त ( ध्वनि व्यङ्ग्य स्फोटोत्पत्तिक शब्द ) से प्रेरणा अवश्य मिली थी, पर इससे उनकी मौलिकता पर आँच नहीं आती। क्योंकि 'ध्वनि' शब्द की चर्चा रहने पर भी नागेश से प्राचीन व्याकरणशास्त्रीय निबन्धप्रणेतार किसी आचार्य ने प्रथम रूप से व्यञ्जनावृत्ति का निरूपण अपने निबन्धों में नहीं किया। अस्तु, उक्त आक्षेपों का समाधान सक्षेप में यहाँ प्रस्तुत किया जाता है।

### प्रथम आक्षेप का खण्डन

व्यञ्जना अभिधा में गतार्थ तभी हो सकती है जब व्यङ्ग्य अर्थ वाच्य अर्थ में गतार्थ हो जाय- अर्थात् व्यङ्ग्य तथा वाच्य अर्थों की एकरूपता सिद्ध हो सके। किन्तु वस्तुस्थिति उन दोनों अर्थों की एकरूपता सिद्ध नहीं होने देती, क्योंकि वाच्य अर्थ का बोद्धा पद-पदार्थ-ज्ञान वाला कोरा वैयाकरण भी होता है और व्यङ्ग्य अर्थ का ज्ञाता सद्दय ही होता है, वाच्य जहाँ विधिरूप रहता है वहीं व्यङ्ग्य निषेधरूप हो जाता है, वाच्य जिस पद का एक रहता है उससे होने वाले व्यङ्ग्य अनेक हो जाते हैं, वाच्य का ज्ञान पड़ले होता है व्यङ्ग्य का पीछे, वाच्य का विषय दूसरा रहता है व्यङ्ग्य का दूसरा और वाच्य का आश्रय शब्द मात्र होता है व्यङ्ग्य का आश्रय शब्द, शब्द का एकदेश, अर्थसंघटना आदि सभी होते हैं। इतने भेदों के रहने पर व्यङ्ग्य वाच्य नहीं हो सकता और जब वाच्य से भिन्न व्यङ्ग्य अर्थ सिद्ध है तब वाच्यार्थबोधक वृत्ति से भिन्न व्यङ्ग्यार्थबोधक वृत्ति भी माननी ही पड़ेगी, नाम उस वृत्ति का व्यञ्जना रखें अथवा और कुछ।

अभिधा की गति अधिक से अधिक वाक्यार्थ तक होती है ( वस्तुतः पदार्थ तक ही ) और व्यङ्ग्य अर्थ वाक्यार्थज्ञान के बाद विदित होता है फिर वहाँ तक अभिधा की गति सम्भव भी नहीं है। और भी बहुत सी युक्तियाँ इस प्रसङ्ग पर ग्रन्थों में दी गई हैं, पर यहाँ उन सबका उल्लेख सम्भव नहीं।

### द्वितीय आक्षेप का खण्डन

लक्षणा में व्यञ्जना गतार्थ तब हो सकती जब नियमतः व्यङ्ग्य अर्थ का बोध मुख्य अर्थ के वाधित रहने पर ही होता, पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वहाँ भी व्यङ्ग्य अर्थ का बोध होते देखा जाता है जहाँ मुख्य अर्थ वाधित नहीं रहता। दूसरे, लक्षणा वृत्ति नियमतः अभिधा की अपेक्षा करती है—अभिधा जब तक अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर लेती तब तक लक्षणा का



इसका अनुभव काव्यप्रकाश के मर्मज्ञ पाठक स्वयं कर सकते हैं, अतः काव्यप्रकाश के उद्धरण देकर प्रस्तुत प्रस्तावना का कायवर्धन व्यर्थ है।

रत्नगङ्गाधर की प्रतिपादनशैली इन दोषों से सर्वथा निर्मुक्त है। यद्यपि इस ग्रन्थ की शैली में नव्यन्याय के ढङ्ग की (अवच्छेदकनावच्छिन्न से युक्त) भाषा अपनाई गई है, जिससे नव्यन्याय से सर्वथा परिचय नहीं रखने वाले अल्पज्ञ व्यक्तियों को आपाततः यह ग्रन्थ कठिन प्रतीत होता है, तथापि यह कठिनता निम्न प्रकार की वस्तु है, इसके रहने पर भी उक्त दोषों का प्रसक्त नहीं आता। वस्तुतः इस कठिनता का अनुभव नव्यन्याय की शैली से परिचित पाठकों को होता भी नहीं है।

कुछ लोग यहाँ यहाँ प्रश्न उठा सकते हैं कि साहित्य ग्रन्थ में नव्यन्याय की भाषा अपनाई ही क्यों जाय, जिससे वेचारे नव्यन्यायानभिज्ञ पाठक इस ग्रन्थ के रसास्वादन से वञ्चित रहें? मैं समझना हूँ कि इसका उत्तर 'उत्त वादयुग से पूछना चाहिये, जिसमें विना उत्त भाषा को अपनाये या उत्त शैली का अनुसरण किये, कित्ती का निवन्ध पण्डितमण्डली की प्रखर कसौटी पर खरा उतर ही नहीं सकता था। सत्कृत साहित्य का वह एक बड़ा ही विचित्र वादयुग था, उत्त युग में एक, दूसरे का खण्डन करने के लिये मुँह बाये खड़ा रहता था। यदि कित्ती के ग्रन्थ में भाषाछूत अथवा शैलीछूत किंवा विषयजन्य थोड़ी भी शिथिलता आ जाती थी, तो अविलम्ब ही प्रतिवादी उसको टुकड़े टुकड़े करके दूर फेंक देते थे, फलन लेखक को क्रीति के बदले अक्रीति ही हाथ आती थी। अतः पण्डितराज को निवृत्त होकर उत्त प्रकार की प्रौढ भाषा और शैली का ग्रहण करना पड़ा, क्योंकि प्रतिवादियों के प्रहार से बचने के लिये वही एक रास्ता था।

इस प्रकार की भाषा तथा शैली को अपनाने का दूसरा कारण यह भी रहा होगा कि इस ग्रन्थ के निर्माण से पूर्व साहित्यशास्त्र को उत्ती भाषा और शैली के अभाव के कारण, प्रौढ पण्डित हीनदृष्टि से देखते थे और विद्या की यह पवित्र शाखा नटभार्या हो रही थी, सभी उत्त पर अधिकारी होने का दावा करते थे, अथवाचरे सत्कृतज्ञ भी साहित्यशास्त्र में अपनी चोंच गड़ाने लगे थे, यह स्थिति साहित्यमर्मज्ञ पण्डितराज को तक्ष नहीं हुई, अतः उन्होंने जानबूझ कर इस ग्रन्थ में उत्त प्रौढशैली को अपनाया। उनका उद्देश्य पूर्ण भी हुआ। इस ग्रन्थ के निर्माण ही जाने के बाद अलङ्कारशास्त्र एक अभेद्य दुर्ग हो गया। अब इस शास्त्र में साधारण सत्कृतज्ञों का प्रवेश ही ही नहीं सकता। प्रौढ पण्डितों के लिये भी अब यह शास्त्र हीन दृष्टि से देखने योग्य नहीं समझा जाता है। इस शास्त्र पर वे ही विद्वान् दावा कर सकते हैं, जो इसके उचित अधिकारी हैं। मेरी तो यहाँ तक धारणा है कि विना उत्त शैली को अपनाये विषय का तलस्पर्शी विश्लेषण होना ही नहीं, जिसका आभास पाठकों को अत्रिण सन्दर्भ से प्राप्त होगा।

### विषयों का स्पष्ट और तलस्पर्शी विश्लेषण

पण्डितराज ने रत्नगङ्गाधर में विषयों का जैसा स्पष्ट और तलस्पर्शी विश्लेषण किया है, वैसा अन्य अलङ्कार-ग्रन्थों में मिलना दुर्लभ है। इस ग्रन्थ में जिस विषय को पकड़ा है, उक्तका मूर्तरूप नानो पाठकों के समझने खड़ा कर दिया है। इस बात की जांच करने के लिये इस ग्रन्थ का रसनिरूपण देखिये। अभिनवगुप्त के मन की व्याख्या काव्यप्रकाश में मन्मट ने और

प्रसङ्ग ही नहीं आता, पर व्यञ्जना में ऐसा नियम नहीं है, वह तो चेष्टा ( इशारे ) आदि में भी रहती है, फिर वही अभिवा की अपेक्षा क्या ? लक्षणा द्वारा नियमन मुख्य अर्थ से सन्दर्भ अर्थ ही ज्ञात होता है, पर व्यञ्जना द्वारा कहीं सुल्पाथ से उदर, कहीं अन्वय और कहीं अन्वय-अन्वय सभी तरह के अर्थ ज्ञात होते हैं । ऐसी स्थिति में व्यञ्जना को लक्षणा से गलत कहना सुराग्रह मात्र है ।

### तृतीय आक्षेप का खण्डन

अनुमान में हेतु का निर्दोष होना आवश्यक ही नहीं, अतिवर्ध भी है, अतः अनुमान से व्यर्थ अर्थ नहीं समझे जा सकते । न्यायग्रन्थों में जिन पाँच दोषों का निरूपण किया गया है उनमें से यदि एक भी दोष हेतु में रहेगा तो उस हेतु से अनुमिति नहीं हो सकती । पर व्यञ्जना में यह बात नहीं होती, वहाँ हेतु ( व्यञ्जक ) दुष्ट हो अथवा अशुद्ध, उससे व्यर्थ अर्थ की प्रतीति होती ही है और वाक्य में अत्यन्त सूक्ष्म हेतुओं में दोष का रहना निश्चितप्रमाण है । दूसरी बात यह कि अशुद्धता में किसी तरह अनुमिति के कारण सुधार भी लौट तो चेष्टा आदि से होने वाले व्यर्थ-बोध तब में वनका सुचना उर्वधा अतन्त्र है, अतः व्यञ्जना अनुमान में भी अन्तर्भूत नहीं हो सकती ।

### चतुर्थ आक्षेप का खण्डन

चतुर्थ आक्षेप में व्यङ्ग्यों का मानस बोध मानने की बात कही गई है जो सगत् नहीं है क्योंकि मानस बोध से वैचक्षणिक बोध में विरहगता उपलब्ध होती है । इन यदि भावना द्वारा दुष्प्रवृत्त-शुभप्रवृत्त आदि के वृत्तान्तों को अपने अन्दर लाकर उनका मानस बोध करने है तब वैसा आनन्द नहीं आता, वैसा उन्हीं वृत्तान्तों का काव्यरस्य द्वारा वैचक्षणिक बोध करने पर आता है, अतः मानना उचित है कि वैचक्षणिक बोध मानस बोध से भिन्न वस्तु है । अब रहा इन आक्षेप का वह अर्थ जिसे व्यञ्जना का स्वरूपको अथवा ज्ञात जितनी भी रूप में बोधक न हो सकने की बात कही गई है, पर उस मुक्तियों को भी वही अन्दर दृढ़ से आत्मारिक्तों ने सुलझाया है । उन्होंने कहा है कि—व्यञ्जना स्वरूपको ही बोधक होती है—अर्थात् व्यञ्जना को रहना नर चाहिए, वनका ज्ञात होना आवश्यक नहीं है । यदि यह शक्यता काय कि—नर सभी को सदा व्यञ्जना से अर्थबोध क्यों नहीं होता ? तो इसका समाधान यह है कि—व्यर्थ बोधके प्रति वासना ( प्राकृतिक और इदानीं तन स्कारादिदोष ) कारण है, अतः जिनमें वह वासना नहीं रहती अथवा वह कर भी प्रसृत रहती है, उनको व्यर्थ बोध नहीं होता ।

### पञ्चम आक्षेप का खण्डन

पञ्चम आक्षेप में 'वर्धनति मे व्यर्थ बोध को बात कही गई है जो अनुचित नहीं है क्योंकि वर्धनति अनुमान से भिन्न वस्तु नहीं है, क्योंकि जिन तरह अनुमान व्याप्ति रहने पर होता है वही तरह वर्धनति भी व्याप्ति के रहने पर ही बोधक होती है । 'जोवति वात्र गोष्ठयान् अविद्यमानश्चैव' अर्थात् इन गोष्ठों में अनुभवित्त चैत्र कीता है' ऐसा कहने पर जो चैत्र का बाहर कहीं रहना ज्ञात होता है वही को वर्धनति का उदाहरण माना जाता है, पर वस्तुतः यह अनुमान का ही उदाहरण है—अर्थात् 'जो कीता है वह कहीं न कहीं अवश्य रहता है' इन तरह की व्याप्ति निश्चित रहने पर ही उक्त वाक्य से चैत्र का बाहर रहना ज्ञात होता है, अतः

यहाँ अनुमान का ही यह प्रकार हुआ कि—'चैत्र बाहर कहीं अवश्य है, क्योंकि यहाँ नहीं है और जीवित है ।'

इस तरह जब अर्थापत्ति अनुमानरूप सिद्ध हुई, तब उससे व्यङ्ग्यबोध की बात चल ही नहीं सकती क्योंकि अनुमान से व्यङ्ग्य-बोध के न हो सकने की बात पहले कही जा चुकी है ।

### षष्ठ आक्षेप का खण्डन

'सूचन बुद्धि' भी अनुमान का ही एक प्रकार है, क्योंकि विक्रेता अँगुली के इशारे से जो अपने सहायकों को मूल्य आदि की बात समझा देता है, वही 'सूचन बुद्धि' का उपयोग माना जाता है और वहाँ विक्रेता के इशारे से उनके सहायकों को उस वस्तु का [ज्ञान इसलिये हो जाता है कि पहले उसे यह व्याप्ति ज्ञात करा दी गई रहती है कि मैं यदि एक अँगुली दिखाऊँ तो तुम उसका अर्थ २० समझ लेना, फलतः वह अनुमान ही हुआ और अनुमान से व्यङ्ग्यना की अगता-र्थता की बात दुहराने की आवश्यकता नहीं है ।

### एक चतुर्थ वृत्ति भी है

शास्त्रों में उक्त तीन वृत्तियों से भिन्न एक चतुर्थ वृत्ति ( तात्पर्य ) का भी उल्लेख हुआ है । यह वाक्य की वृत्ति मानी जाती है अर्थात् यह वृत्ति पद में नहीं, अपितु पद-समूहात्मक वाक्य में ही रहती है । इस वृत्ति से पदार्थों के सम्बन्ध का बोध होता है । इस वृत्ति को मानने में युक्ति यह दी जाती है कि—वाक्यान्तर्गत पदों में रहने वाली अभिधा अपने अर्थों का बोध कराकर विरत ( क्षीण ) हो जाती है, अतः उस वृत्ति से एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के साथ सम्बन्ध नहीं जोड़ा जा सकता—अर्थात् दो पदार्थों का सम्बन्ध उस वृत्ति से ज्ञात नहीं हो सकता, अतः उस सम्बन्ध का बोध कराने के लिये तात्पर्यवृत्ति की आवश्यकता मानी जाती है । इस युक्ति के आविष्कारक आचार्य 'अभिहितान्वयवादी' कहलाते हैं, जिसका अर्थ होता है अभिहित = अभिधा द्वारा बोधित अर्थों का अन्वय = सम्बन्ध, अन्य पदार्थों के साथ होता है ऐसा कहने वाले । दूसरे आचार्य ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि अन्वित अर्थ का ही अभिधा से बोध होता है—अर्थात् अन्वयांश का भी बोध अभिधा से ही हो जाता है, उसके लिये किसी अन्य वृत्ति का मानना आवश्यक नहीं । ऐसे आचार्य 'अन्विताभिधानवादी' कहलाते हैं ।

नैयायिक लोग सम्बन्धांश को आकांक्षा-भास्य मानते हैं—अर्थात् 'राजा का पुरुष' ऐसा कहने पर राजा और पुरुष का बोध तो उन दोनों पदों की अभिधा से होता है, पर सम्बन्ध ( स्वस्वामिभाव ) का बोध अपने आप हो जाता है, क्योंकि राजा पुरुष अंश में और पुरुष राजा अंश में साक्षात् है, अतः सम्बन्धांश-बोधक वृत्ति की आवश्यकता नहीं होती ।

सारांश यह हुआ कि यह वृत्ति एकदेशीय है, गौण है । अतएव पहले उक्त तीन वृत्तियों के साथ इसकी चर्चा नहीं की गई ।

### अभिपुराणगत वृत्ति-विचार

पहले लिखा जा चुका है कि—वृत्ति-विचार के अन्त में अभिपुराणगत वृत्ति-विचार प्रस्तुत किया जायगा, अतः अब अभिपुराण का वह अंश हिन्दी रसगङ्गाधरकार श्रीमान् आचार्य पुरुषोत्तमशर्मा चतुर्वेदी जी की भूमिका से उद्धृत किया जाता है—

‘साहित्यशास्त्र’ में सर्वप्रथम वृत्तियों का विचार अग्निपुराण में ही किया गया है। अग्निपुराण में तीन प्रकार के अक्षरों का वर्णन है—शब्दाक्षर, अर्थाक्षर और शब्दार्थाक्षर। इनमें शब्दार्थाक्षरों के वर्णन में ही वृत्तियों का भी विचार है। वहाँ ‘अभिव्यक्ति’ नाम से एक शब्दार्थाक्षर माना गया है, जिसका विवरण करते हुए अग्निपुराणकार ने लिखा है—‘शब्द से अर्थ के प्रकट होने को अभिव्यक्ति कहते हैं। उनके दो भेद हैं—श्रुति (अभिधा-लक्षणा) तथा आक्षेप (व्यञ्जना)। उनमें शब्द का अपने अर्थ को उचित करना श्रुति कहलाता है। श्रुति दो प्रकार की है—नैमित्तिकी (किसी निमित्त = प्रयोजन को मानकर होने वाली) और पारिभाषिकी (किसी परिभाषा को मानकर होनेवाली—अर्थात् लक्षि)। बिना किसी निमित्त के छिद्र पर लक्ष्य को परिभाषा करते हैं, उनके द्वारा होनेवाली श्रुति पारिभाषिकी की कहलाती है। नैमित्तिकी और पारिभाषिकी दोनों ही श्रुतियाँ मुख्या (अभिधा) और औपचारिकी (लक्षणा) इन प्रकार दो तरह की होती हैं। जिन श्रुति के द्वारा, अपने वाच्य में जिसकी स्थिति स्वरूप हो रही है वेना अर्थात् वाच्य अर्थ को ठीक-ठाक प्रतिपादन न करने वाला शब्द किसी निमित्त (प्रयोजन अथवा लक्षि) के कारण मुख्य से भिन्न अर्थ का वाचक हो जाता है वह श्रुति औपचारिकी मानी जाती है और उसे ही लाक्षणिकी (लक्षणाकार) कहते हैं। गौरी लक्षणा युगों के योग (अर्थात् सादृश्य) के कारण होती है। वाच्य अर्थ से सम्बन्ध अर्थ की प्रतीति को लक्षणा कहते हैं।

वाच्य अर्थ के साथ (साधारण) सम्बन्ध द्वारा, समीपता द्वारा, समवाय द्वारा, विपरीतता द्वारा और क्रिया के योग द्वारा लक्षणा पाँच प्रकार की मानी गई है। गौरी लक्षणा युगों के अन्तर्गत होने के कारण अन्तः प्रकार की होती है। जहाँ लोक-संवादा का उद्देश्य न करते हुए (अर्थात्—पारम्परिक सन्ध को न छोड़ते हुए) व्यक्ति के द्वारा ‘गौरी’ के अर्थ की इच्छा से अन्य वस्तु का धर्म अन्य वस्तु में आरोपित किया जाता है उसे इत शास्त्र में लक्षणा कहते हैं।

श्रुति (अभिधा लक्षणा) द्वारा न प्राप्त होने वाला अर्थ उचित वृत्ति के द्वारा लक्ष्यों को प्रकट होना है वह वृत्ति ‘आक्षेप’ कहलाती है और वहाँ ध्वनि है, क्योंकि ध्वनि के द्वारा वहाँ शब्द और अर्थ अपने को गौरी बनाकर अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं पर जहाँ किसी विशेष को बताने की इच्छा से निषेध न होता है उसे भी आक्षेप कहते हैं।<sup>१</sup>

१ ‘प्रकटन्मभिव्यक्ति, श्रुतिराक्षेप इत्यपि। तस्या भेदौ श्रुतित्वात् शब्दं स्वार्थमनर्थात् ॥ अवेष्टनैमित्तिकी पारिभाषिकी द्विविधैव च। लक्षणा परिभाषेति तत्र स्वाम्पारिभाषिकी ॥ सुरगौ-पचारिकी चेति सा च ना च द्विधा द्विधा ॥ सा(स्वा)भिधेयत्त्वत्तद्वृत्तिरुत्पत्त्यर्थत्वं वाचक। यथा शब्दो निमित्तेन केनचित् औपचारिकी ॥ ना च लाक्षणिकी गौरी लक्षणा युगयोगतः। अभिधा विनाभूतप्रतीतिर्लक्षणे व्यते ॥ अभिधेयेन सम्बन्धात् समीप्यात् समवायतः। वैपरीत्यात् क्रिया-योगात् लक्षणा पञ्चधा मता ॥ गौरी युगानामानन्त्यादनन्ता, तद्विच्छेदा। अन्यधर्मत्वमोन्द्वय लोकेनानामुपरोधिना। सन्धगाधोपदे यत्र स लनाधिरिह स्मृतः ॥ श्रुतेरन्धनानोर्धो यन्तद्भाति लक्षेत्तान् ॥ स आक्षेपो ध्वनिः स्यात्त ध्वनिना व्यज्यते यत्र ॥ शब्देनार्थेन यत्रार्थं कृत्वा स्व-सुवार्थान् ॥ प्रतिषेध इवेत्येवो विशेषाभिधित्वा ॥ लनाक्षेपं कुर्वन्त्यत्र.....’

## उपमा और रूपक में भेद

‘मुख चन्द्रः—अर्थात् मुख चन्द्र है’ यह जो रूपक का प्रसिद्ध उदाहरण है वही गौणी सारोप लक्षणा का भी उदाहरण होता है। तात्पर्य यह कि रूपकस्थल में सर्वत्र नियमतः सारोपा गौणी लक्षणा रहती ही है। लक्षणा यहाँ चन्द्रपद की चन्द्रसदृश अर्थ में होती है, चन्द्रसादृश्यरूप धर्म में नहीं, क्योंकि बैसा करने पर चन्द्रपदार्थ (चन्द्रसादृश्य) का मुखपदार्थ के साथ अन्यत्र नहीं हो सकेगा, क्योंकि दो नामार्थों में अभेद से अतिरिक्त सम्बन्ध नहीं होता यह नियम है और यह चन्द्रसादृश्य का मुख के साथ अभेद बाधित है। फलतः ऐसे स्थलों में चन्द्र आदि पदों की स्वसदृश अर्थों में ही लक्षणा माननी पड़ती है और तदनुसार ‘चन्द्रसदृश से अभिन्न मुख’ इत्यादि रीति से ही बोध मानना पड़ता है।

अब प्रश्न उठता है कि—जब ‘मुख चन्द्र’ इस रूपकस्थल में ‘चन्द्रसदृश से अभिन्न मुख’ ऐसा बोध होता है तब ‘चन्द्रसदृशम् मुखम् चन्द्र इव मुखम्’ इस उपमा से उक्त रूपक में भेद क्या रहा—अर्थात् ये दो अलङ्कार कैसे हुए, क्योंकि इन उपमावाक्यों से भी ‘चन्द्रसदृश से अभिन्न मुख’ ऐसा ही बोध होता है। प्राचीन आचार्य तीन प्रकार से इसका समाधान करते हैं।

( १ ) प्रथम समाधान का सारांश यह है कि—रूपकस्थल के समान उक्तरूपकस्थल में चन्द्र तथा सत्सदृश अर्थ की उपस्थिति एक चन्द्रपद से ही होती है, अतः यहाँ एकपदोपादान रूप युक्ति के बल से व्यञ्जना का उत्थान होता है जिससे उक्त सामान्यबोध के बाद मुख में चन्द्र का ताद्रूप्य प्रतीत होता है और उक्त उपमास्थल में चन्द्र तथा सत्सदृश अर्थ की उपस्थिति एक पद से नहीं, अपितु दो पदों (चन्द्र और सदृश अथवा इव) से होती है, अतः एकपदोपादानरूप युक्ति के अभाव में व्यञ्जना का उत्थान नहीं होता, फलतः यहाँ चन्द्रताद्रूप्य की प्रतीति मुख में नहीं होती। इस तरह से सिद्ध यह हुआ कि उपमा और रूपक के स्वरूप में यद्यपि कोई भेद नहीं होता, तथापि फलाश (लक्षणा के फल अंश) में भेद होने से दोनों अलङ्कारों में भेद हो जाता है।

( २ ) द्वितीय समाधान का सारांश यह है कि—रूपकस्थल में लाक्षणिक चन्द्रपद से यद्यपि चन्द्रसदृश रूप में ही अर्थ की उपस्थिति होती है, तथापि मुख के साथ अन्यबोध होता है चन्द्र रूप में ही—अर्थात् रूपकस्थल में ‘चन्द्राभिन्न मुख’ ऐसा ही बोध होता है। क्योंकि उन-उन पदों की लक्षणा के ज्ञान को—उन-उन पदों के शक्यतावच्छेदक (चन्द्रत्व आदि) जिसमें प्रकार हों और लक्ष्य (मुख आदि) जिसमें विशेष्य हों ऐसे—बोध के प्रति हेतु मानते हैं। यहाँ यदि कहें कि पदार्थ की उपस्थिति और पदार्थ के शाब्दबोध में जो समानाकारता का नियम है—अर्थात् यह जो नियम है कि जिस रूप से पदार्थ की उपस्थिति हो, शाब्दबोध भी उसी रूप से हो, उसका क्या होगा ? अभिप्राय यह कि आप जिस तरह बोध करते हैं उसमें उक्त नियम का विरोध होता है—अर्थात् चन्द्रसदृश रूप में पदार्थोपस्थिति और चन्द्ररूप में पदार्थबोध मानने में उक्त नियम का अतिक्रमण होता है, तो इसका उत्तर यह है कि लाक्षणिक पदों से होनेवाले बोधों में इस तरह की विलक्षणता होती है यह अनुभव से ही सिद्ध है, अतः उक्त समानाकारकतानियम को लाक्षणिक बोध से अन्यस्थलपरक मानना चाहिए। इस तरह उपमा से रूपक का स्वरूपशान्कृत तथा फल-शान्कृत दोनों ही प्रकार का भेद स्पष्ट है।

( ३ ) तृतीय समाधान का अभिप्राय यह है कि—सादृश्य दो तरह का होता है, एक में भेद का प्रवेश माना जाता है और दूसरे में नहीं—अर्थात् एक मत से 'तद्भिन्न में तद्गत अधिकतर धर्मों का रहना' सादृश्य है और दूसरे मत से 'तद्गत अधिकतर धर्मों का रहना' मात्र सादृश्य है, उन दोनों में भेद का ज्ञान आवश्यक नहीं है। इन दो तरह के सादृश्यों में से प्रथम—अर्थात् भेदघटितसादृश्य उपमा का नियामक है और द्वितीय—अर्थात् भेदाघटितसादृश्य गौण सादृश्य लक्षणा का। अतः उपमास्थल में चन्द्र का भेद मुख में ज्ञात होता है और रूपकस्थल में उसका वस्ते में अभेद। इस तरह दोनों के स्वरूप-ज्ञान में ही भेद सिद्ध हो जाता है, फिर फलज्ञानकृत भेद तक जाना व्यर्थ ही है।

उपर्युक्त तीन प्रकार के समाधान प्राचीनों के हैं। नवीन विद्वान् (अप्पयदीक्षित आदि) तो उक्त तीनों प्रकारों से भिन्न एक चतुर्थ प्रकार से ही उक्त प्रश्न का उत्तर करते हैं। उनके कथन का सारांश यह है कि—रूपकस्थल में लक्षणा होती ही नहीं, लक्षणा के बिना ही 'मुख चन्द्र' इत्यादि स्थलों में मुख तथा चन्द्र का अभेदान्वय होता है। "—'मुख चन्द्र नहीं है' इस तरह के वाधनिश्चय की विद्यमानतादशा में 'चन्द्राभिन्न मुख' यह अभेदान्वयबोध कैसे हो सकता है" इस प्रश्न का उत्तर वे यह देते हैं कि—जैसे आहार्यबोध को वाधनिश्चय नहीं रोकते, वैसे शब्दबन्ध बोध को भी नहीं रोकते ऐसा मानना चाहिए। अतएव 'अत्यन्तास्त्यपि क्षर्ये ज्ञान शब्दः करोति हि—अर्थात् जो अर्थ (आकाशपुष्प आदि) वस्तुतः दुनिया में नहीं भी रहते, उनका भी ज्ञान शब्द करा ही देता है' यह प्राचीनों का कथन भी सगत होता है।

अथवा रूपकस्थल में आहार्य शब्दबोध ही मानना चाहिए और आहार्यबोध को वाधनिश्चय नहीं रोकते यह सर्वमतसिद्ध सिद्धान्त है। 'प्रत्यक्षात्मक ज्ञान ही आहार्य होता है' यह एक नियम है, फिर परोक्षात्मक शब्दज्ञान आहार्य कैसे हो सकता है? इसके उत्तर में उनका कहना है कि—उक्त नियम में कोई प्रमाण नहीं है, अर्थात् प्रत्यक्ष-परोक्ष सभी ज्ञान आहार्य हो सकते हैं। इस मत के अनुसार रूपकस्थल में सादृश्य का बोध होता ही नहीं और उपमास्थल में वह होता है, अतः दोनों में भेद स्वतः सिद्ध है।

उपर्युक्त नवीन मत का खण्डन पण्डितराज ने किया है और खण्डन में युक्ति यह दी है कि—चमत्कारी साधारणधर्म जब-तक उपस्थित नहीं होता तब-तक उपमा के समान रूपक की भी सिद्धि नहीं होती यह बात सभी सहृदयों के अनुभव से सिद्ध है, अन्यथा 'यह नगर चन्द्रमण्डल है' इतने वाक्य को छुन लेने पर भी जो रूपक ज्ञात नहीं होता, वही रूपक, उक्त वाक्य में नगर का 'सकलकल' विशेषण कह देने पर जो ज्ञात होने लगता है वह नहीं सगत होगा। तात्पर्य यह कि 'कलकलशब्दसहित' और 'सकलकलायुक्त' इन दो अर्थों वाले उक्त श्लिष्ट विशेषण के श्रवण होने पर एक विशेषणविशिष्टस्वरूप साधारणधर्म की उपस्थिति होने से रूपक ज्ञान होता है, अन्यथा नहीं। यह बात 'मुखचन्द्र' आदि प्रसिद्ध रूपकस्थल में भी है, अर्थात् वहाँ भी आह्लादकत्व आदि साधारणधर्म की उपस्थिति होने पर ही रूपक ज्ञात होता है। अन्तर इतना ही है कि अप्रसिद्ध साधारणधर्मबोधक पद के उच्चारण की अपेक्षा होती है, अन्यथा उसकी उपस्थिति नहीं हो पाती और प्रसिद्ध साधारणधर्मबोधक पद के उच्चारण की अपेक्षा नहीं होती, उसके बिना भी उसकी उपस्थिति हो जाती है।

इस तरह यह सिद्ध हुआ कि रूपकस्थल में भी साधारणधर्मोपस्थिति आवश्यक है। अब आप सोचें कि—यदि साधारणधर्मवस्वरूप सादृश्य का प्रवेश रूपक में नहीं माना जाय तब भी साधारणधर्म की अनुपस्थितिदशा में रूपक सिद्ध नहीं होता, चमत्कार की प्रतीति नहीं होती, सो क्यों ? आचार्य अभेदबुद्धि तो साधारणधर्म की अनुपस्थितिदशा में भी हो सकती थी। फलतः रूपकस्थल में लक्षणा अवश्य होती है और फिर भी जो उपमा तथा रूपक दो अलंकार माने जाते हैं उसका कारण प्राचीन मर्तो में कथित रूपकस्थलीय ताद्रूप्यप्रतीति ही है।

## अलंकारों का उद्गम

अलंकारों का उदय प्रायः वाङ्मय के साथ ही हुआ, क्योंकि संस्कृतवाङ्मय के प्रथम ग्रन्थ ऋग्वेद की ऋचाओं में अलंकार का प्रयोग प्राप्त होता है। यद्यपि वैदिक साहित्य में अलंकारशास्त्र का निर्देश नहीं मिलता, तथापि मूलभूत अलंकार—उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति आदि के अत्यन्त सुन्दर उदाहरण हमें वैदिक साहित्यों और उपनिषदों में उपलब्ध होते हैं। अलंकारों में उपमा अत्यन्त प्राचीन है। इसका सन्ध कविता के प्रथम आविर्भाव से ही है। इसीलिये कर्तव्य आचार्य उपमा को अन्य सभी अर्थालंकारों की जननी मानते हैं<sup>१</sup> और राजशेखर उपमा को कवि माता कहते हैं<sup>२</sup>। इस उपमा का तो उदाहरण ऋग्वेद में प्राप्त होता ही है साथ साथ अन्य अलंकारों के भी उदाहरण प्राप्त होते हैं। उपाविषयक एक ऋचा में एक साथ चार उपमाओं का प्रयोग किया गया है—

‘अभ्रातेव पुंस एति प्रतीची, गर्तारुगिन्न सनये धनानाम् ।

जायेव पत्य उशती सुवासा, उपा हस्त्रेव निरिणीते अप्स ॥’ ( ऋ. वे. १।१२४।७ )

अतिशयोक्ति अलंकार का भी प्रयोग किया गया है—

‘द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, समानं वृक्षं परिपस्वजाते ।

तयोरन्यः पिप्पलु स्वाद्वत्यनश्नन्नयो अभिचाकशीति ॥’ ( ऋ. वे. १।१६४।२० )

रूपकालंकार का सुन्दर प्रयोग कठोपनिषद् के एक मन्त्र में किया गया है—

‘आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु ।

बुद्धिं तु सारथिं विद्धि, मनः प्रग्रहमेव च ॥’ ( कठोपनिषद् १।३।३ )

इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि वैदिक मन्त्रों में अलंकारों की सत्ता स्पष्टतः विद्यमान है। यही क्यों ? उपमाशब्द भी ऋग्वेद ( ५।३।४।९, १।३।१।२५ ) में उपलब्ध होता है जिसका अर्थ सायण ने किया है—उपमान या वृष्टान्त। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि इतने प्राचीन काल में उपमा का शास्त्रीय विवेचन प्रस्तुत किया गया था। यह सामान्य निर्देश मात्र है।

इसके बाद निरुक्त तथा निघण्टु में उपमा अलंकार का विवेचन शास्त्रीय ढङ्ग पर उपलब्ध होता है। निघण्टु में वैदिक उपमा के द्योतक बारह निपातों ( अव्ययों ) का उल्लेख मिलता है।

इती प्रसङ्ग में यास्क ने उपमा के अनेक भेद तथा गार्ग्य नामक वैयाकरण द्वारा रचित उपमा-लक्ष्य का वर्णन अपने ग्रन्थ में किया है। गार्ग्य निरुक्तकार यास्क से भी प्राचीन आचार्य हैं। उनका उपमा-लक्षण इस प्रकार है—'उपमा वशो होती है जहाँ एक वस्तु दूसरी वस्तु से भिन्न होते हुए भी वस्तु के सदृश हो।' साथ-साथ गार्ग्य ने यह भी कहा है कि—'उपमान नामान्यतः उपनेय की अपेक्षा अधिकगुणयुक्त होता है, पर कहीं-कहीं न्यूनगुणयुक्त उपमान से भी अधिक-गुणयुक्त उपनेय की तुलना की जाती है<sup>१</sup>।' यह उपमालक्षण मन्मथ के उपमा-लक्षण<sup>२</sup> से बहुत कुछ मिलता-जुलता है।

यास्क ने अपने ग्रन्थ में पाँच प्रकार की उपमा का वर्णन किया है। उपमाद्योतक निपात-इव, यथा, न, चित्, तु और आ हैं। इन वाचक पदों का प्रयोग रहने पर यास्क के अनुसार 'कर्पोपमा' होती है। 'भ्राजन्तो अग्नयो यथा' ( ऋ वे १।५०।३ ) = 'अग्नि के समान चमकते हुए' यह कर्पोपमा का उदाहरण है। 'भूतोपमा' वहाँ होती है जहाँ उपनेय स्वयम् उपमान बन जाता है। 'रूपोपमा' वहाँ होती है जहाँ उपनेय उपमान के साथ स्वरूप के विषय में समता रखता है। 'मिद्वोपमा' में उपमान स्वतः-भिन्न रहता है और एक विशिष्ट गुण या कर्म के द्वारा अन्य वस्तुओं से बढकर रहता है। 'वत्' प्रत्यय के जोड़ने पर यह उपमा निम्न होती है, जैसे—'ब्राह्मणवत्,' 'वृषलवत्'। अग्निम भेद 'अर्थोपमा' है जिसका दूसरा नाम 'उत्तोपमा' है। यह पश्चात्कालिक आलङ्कारिक का रूपकालङ्कार है।

इस विवेचन से यह प्रतीत होता है कि यास्क के समय में अलङ्कार का शास्त्रीय विवेचन आरम्भ हो चुका था।

इसके अनन्तर पाणिनि के समय में उपमा की यह शास्त्रीय कठरना नवत्र त्वीकृत हो चुकी थी यह स्पष्ट प्रतीत होता है, क्योंकि पाणिनि की अष्टाध्यायी में उपमा, उपमान, उपमित तथा सामान्य जैसे अलङ्कारशाल के पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया गया है।<sup>३</sup>

इसके बाद भगवान् पतञ्जलि ने भी पाणिनि के द्वारा प्रयुक्त 'उपमान'पद की व्याख्या नद्वाभाष्य ( २।१।५५ ) में की है। उनका कथन है कि—'नान उत वस्तु की सजा है जो किसी अज्ञान वस्तु के निर्धारण के लिये प्रयुक्त की जाती है। 'उपमान' नाम के समान होता है और वह किसी वस्तु का अत्यन्त रूप से नहीं प्रत्युत सामान्य रूप से निर्देश करता है, वत्—'गौरिव गवयः' = गाय के समान नीलगाय होती है<sup>४</sup>। यद्यपि काव्यपट्टनि ने चमत्कार-विहीन होने के कारण 'गौरिव गवयः'

१. उपमा यत् अतत् तत्सदृशमिति गार्ग्यः। तदासा कम ज्यायसा वा गुणेन प्रत्याततनेन वा कनीयास वा प्रत्यात वोपनीयते, अथापि कनीयसा ज्यायात्सन्। ( निरुक्त २।१३ )

२. सादृश्यमुपमाभेदे। ( काव्यप्रकाश )

३. तुल्यार्थैरुत्तुलोपमाभ्यां तृतीयान्यतरस्यान्। ( २।१।७२ )

उपमानानि सामान्यवचनैः। ( २।१।५५ )

उपमित व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे। ( २।१।५६ )

४ मान हि नाम अनिर्ज्ञातार्थमुपादीयते अनिर्ज्ञातमर्थं ज्ञात्यामीनि। तत्समीपे वत् नात्पन्नाय मिमीते तद् उपमानम् गौरिव गवय इति। ( पाणिनि पर नद्वाभाष्य २।१।५५ )

४ भू० २० गं० द्वि०



उपमालङ्कार का उदाहरण नहीं हो सकता, तथापि शास्त्रीय तथा ऐतिहासिक दृष्टि से पतञ्जलि का यह उपमानिरूपण महत्त्व रखता है। अलङ्कारों के सम्बन्ध में अब तक जिन बातों का निर्देश किया गया है वे अलङ्कारशास्त्र के प्रारम्भिक युग की कही जा सकती हैं—अर्थात् अलङ्कारशास्त्र का इतिहास जब से आरम्भ होता है उससे पहले की वे बातें हैं, क्योंकि अलङ्कारशास्त्र का इतिहास भरत के नाट्यशास्त्र से ही आरम्भ होता है।

यद्यपि कुछ विद्वान् अग्निपुराण को नाट्यशास्त्र से भी प्राचीन मानते हैं और तदनुसार अलङ्कारशास्त्रीय इतिहास का आरम्भ नाट्यशास्त्र से न मानकर अग्निपुराण से मानते हैं, पर नवीनतम अन्वेषणों से निश्चित रूप में यह बात सिद्ध हो चुकी है कि अग्निपुराण का वह भाग—जिसमें अलङ्कारशास्त्रीय विषयों का वर्णन प्राप्त होता है—उनका प्राचीन नहीं है, अपितु उसका काल भोजराज तथा विश्वनाथ कविराज के मध्य का है, अतः अलङ्कारों के विकास का मूल खोजने के लिये, पाणिनि की अष्टाध्यायी और पतञ्जलि के महाभाष्य के बाद भरत के नाट्यशास्त्र की ओर ही अग्रसर होना पड़ता है।

भरत का नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र का आदिग्रन्थ ही नहीं, अपितु अलङ्कारशास्त्र का विश्वकोष है। इसमें नाट्योत्पत्ति, नाट्यगृह, अलङ्कार, छन्द, नृत्यकला, रस, अभिनय, सङ्गोत आदि का सुन्दर और साङ्गोपाङ्ग वर्णन उपलब्ध होता है। भरत के पहले यद्यपि राजशेखर के द्वारा काव्यमीमांसा में वर्णित इतिहास के अनुसार अलङ्कारशास्त्र की उत्पत्ति हो चुकी थी, तथापि आज उन ग्रन्थों को उपलब्धि न होने के कारण अलङ्कार तथा रस के सर्वप्रथम विवेचन का श्रेय भरत को ही प्राप्त है।

नाट्यशास्त्र के सत्रहवें अध्याय में वाचिक अभिनय निरूपण-प्रसङ्ग पर अलङ्कारों का भी निरूपण किया गया है। पर अलङ्कारनिरूपण होने के बावजूद भी इस महानिबन्ध का नाम नाट्यशास्त्र ही हुआ और 'अलङ्कारशास्त्र' यह नाम प्रागभाव रूप में उसके अन्दर समाविष्ट रहा।

'अलङ्कारशास्त्र' यह नाम सप्ताह में तब प्रकट हुआ जब आचार्य भामह का आविर्भाव इस धराधाम में हुआ। यद्यपि भरत और भामह के मध्य का लंबा काल अलङ्कारशास्त्रीय विवेचनों से सर्वथा शून्य ही रहा हो यह संभव नहीं है—भामह ने अपने ग्रन्थ में मेधावी रुद्र नामक किसी एक अलङ्कारशास्त्रीय ग्रन्थप्रणेता आचार्य और उनके नातिपत्य सिद्धान्तों का उल्लेख किया भी है, पर उनका ग्रन्थ आज प्राप्त नहीं होता। फलतः भामह ही स्वतन्त्र अलङ्कारशास्त्र के प्रथम आचार्य माने जाते हैं।

भामह का 'काव्यालङ्कार' ही अलङ्कारशास्त्र का प्रथम ग्रन्थ है। भामह ने यद्यपि रसवादी आचार्य भरत से ही प्रेरणा प्राप्त की है, पर ये भरत के समान रसवादी न रह कर अलङ्कारवादी बन गए। इसका कारण यह हुआ कि भामह श्रव्यकाव्य के विविध उपादानों का विवेचन करने के लिये प्रवृत्त हुए थे और उन्हें श्रव्यकाव्यों में रस की प्रधानता अभीष्ट नहीं थी—दृश्यकाव्यों में ही रस की मुख्यता उन्हें मान्य थी। अतः भामह ने अपने काव्यालङ्कार में मुख्यतया अलङ्कारों का ही विवेचन किया। यह बात दूसरी है कि काव्यस्वरूप दोष, गुण आदि अन्य काव्यतत्त्वों का भी वर्णन उनके ग्रन्थ में उपलब्ध होता है, उद्देश्य उनका अलङ्कारों की व्यवस्था करना ही था। उनके लिये ऐसा करना उचित भी था क्योंकि वे अलङ्कार को ही काव्य में मुख्य मानते थे।

भामह ने जब अलकारशास्त्र का स्वतन्त्र अस्तित्व कायम कर दिया तब इस शास्त्र को विकसित करने वाले बहुतेरे आचार्य हुए जिन्होंने इस शास्त्र के भिन्न-भिन्न अङ्गों का विश्लेषण सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में करके इस शास्त्र को चरम विकास की अवस्था में पहुँचा दिया। इन अलकारशास्त्र-विकासक आचार्यों में भामह के बाद दण्डी, वामन, उद्भट, रुद्रट, आनन्दवर्धन, अभिनवगुप्त, ज्ञानक, भोजराज, मम्मट, रुच्यक, विश्वनाथ, वाग्मट, जयदेव, विद्याधर, विद्यानाथ, अप्पयदीक्षित, पण्डितराज जगन्नाथ आदि प्रमुख हैं।

ये आचार्य 'काव्य में सुलङ्गता किस तत्त्व की है' इस प्रश्न के उत्तर में यद्यपि भिन्न-भिन्न मत रखते हैं, तथापि अलकारतत्त्व का अपलाप किसी ने नहीं किया और प्रधान अथवा गौण रूप में अलकारों का विवेचन सभी ने अपने अपने ग्रन्थ में सुन्दर ढङ्ग से किया है।

इस तरह सुदीर्घ काल में भिन्न भिन्न आचार्यों के द्वारा जो अलकारतत्त्व का विश्लेषण हुआ उसमें दृष्टिकोण से मतभेद का होना स्वाभाविक ही था, वह मतभेद भी एक अंश में नहीं, प्रत्युत अनेक अंशों में हुआ है, जैसे—अलकारों के मूलभूत तत्त्व के विषय में, अलकारों के स्वरूप के विषय में, अलकारों से अलङ्कृत होनेवाले काव्यतत्त्व के विषय में और अलकारों की संख्या के विषय में मतभेद दृष्टिगोचर होता है।

अलकारशास्त्र के आदि आचार्य भामह ने वक्रोक्ति को समस्त अर्थालकारों का मूल माना है<sup>१</sup>। अतिशयोक्ति ही भामह की वक्रोक्ति है क्योंकि वक्रोक्ति का लक्षण भामह ने नहीं किया और अतिशयोक्ति का लक्षण 'निमित्ततो वचो यत्तु लोकातिक्रान्तगोचरम्—अर्थात् वह उक्ति जिसमें लोक (साधारण जन) के कथन का अतिक्रमण (उल्लङ्घन) किया गया हो।' इस तरह से करके उसके साथ वक्रोक्ति की समता दिखलाई है। वक्रोक्ति से भिन्न उक्ति को भामह 'वार्ता' कहते हैं<sup>२</sup>।

आनन्दवर्धन भी इस विषय में भामह के ही अनुयायी प्रतीत होते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 'समी अलकारों में मूलतत्त्व के रूप में अतिशयोक्ति रक्खी जा सकती है। अतिशयोक्ति जिस अलकार के अन्दर विराजती रहती है उसी में कविप्रतिमाहेतुक चारुत्वातिशय का योग रहता है, फलतः वैसा अलकार ही वस्तुतः अलकार है, इससे भिन्न तरह के अलकार तो केवल नाम भर के अलकार हैं, अतः अलङ्करणयोग्यतासपादक होने के कारण अतिशयोक्ति ही सकल-अलकाररूप है<sup>३</sup>।'

१—'सैषा सर्वत्र वक्रोक्तिरनयार्थो विभाव्यते।

यलोऽस्या कविना कार्यः कोऽलकारोऽनया विना ॥'

२—'गतोऽस्तमर्कः भातीन्दुर्यान्ति वात्साय पक्षिणः।

इत्येवमादि किं काव्यम् ? वार्ताभेना प्रचक्षते ॥'

३. 'अतिशयोक्तिर्गर्भता सर्वालकारेषु शक्यक्रिया। तत्रातिशयोक्तिर्यमलकारमधितिष्ठति कवि-प्रतिभावशाक्तस्य चारुत्वातिशययोगोऽन्यस्य त्वलङ्कारमात्रतैवेति सर्वालकारशरीरस्वीकरणयोग्यत्वे-नाभेदोपचारात्सैव सर्वालकाररूपा।'

दण्डी 'स्वभावोक्ति' को आदिअलकार कहते हैं। उपमादि अलकारों का मूल उनकी दृष्टि में भी वक्रोक्ति ही है<sup>१</sup>।

रुद्रट औपम्य, वास्तव, अतिशय और श्लेष को अलकारमूल मानते हैं। एकावलीकार विधाधर औपम्य, विरोध, तर्क आदि को अलकारमूल कहते हैं। अलकारों के स्वरूप में भी भेद प्राप्त होता है। भामह के विचार से जो वक्रोक्ति 'लोकातिक्रान्त गोचर वचन' रूप सिद्ध होकर सभी अलकारों का मूलभूत सामान्य अलकार था, वह वामन के विचार से 'सादृश्यात् लक्षणा वक्रोक्ति' होकर अर्थालकारविशेष हो गया, और रुद्रट के विचार से वही वक्रोक्ति अपह्व मूलक शब्दालकाररूप हो गया।

वामन ने आक्षेपनामक एक अलकार मानकर उसके दो भेद किए हैं, पर मम्मट ने उनमें से एक भेद को प्रतीप अलकार का और दूसरे को समासोक्ति अलकार का रूप दे दिया। यह तो एक दिग्दर्शनमात्र है, सूक्ष्मदृष्टि से अध्ययन करने पर भिन्न-भिन्न आलकारिकों के मत से अनेक अलकारों के स्वरूप भिन्न-भिन्न हो जाते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो परवर्ती आचार्यों ने जो पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा किए गये तत्त्व अलकारों के लक्षणों का खण्डन करके नवीन-नवीन लक्षण प्रस्तुत किए हैं वह कैसे संभव हो पाता? आखिर एक लक्षण का खण्डन कर अन्य लक्षण का निर्माण करना लक्षणीय वस्तु के स्वरूप को भिन्न सिद्ध करना ही तो है।

अलकार्यं कहे जाने वाले काव्यतत्त्व के विषय में भी प्रचुर मतभेद उपलब्ध होता है। अलकार-सम्प्रदायवादी आचार्य शब्द और मुख्य वाच्यार्थ को ही अलकारों से अलकृत होनेवाले काव्यतत्त्व के रूप में स्वीकार करेंगे, दूसरा रास्ता ही नहीं है, क्योंकि वे रस आदि प्रतीयमान काव्यतत्त्व को काव्य में मुख्य मानते ही नहीं हैं। वक्रोक्तिजीवितकार कुन्तक ने वस्तुस्वभाव को ही अलकार्यं कहा है<sup>२</sup>। ध्वनिवादी आचार्यों ने ध्वन्यमान अर्थ (वस्तु-अलकार-रसादिरूप त्रिविध व्यङ्ग्य) को अलकार्यं माना है। रसवादी आचार्यों ने केवल असलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यनाम से व्यवहृत होने वाले रस आदि व्यङ्ग्यों को अलकार्यं कोटि में रखा है। रसगङ्गाधरकार ने तो कवितात्पर्यं विषयीभूत मुख्य वाक्यार्थ (ऐसा अर्थ उनके विचार से कहीं रसादि, कहीं तद्भिन्न व्यङ्ग्य, कहीं रमणीय वाच्यार्थ भी हो सकता है) को अलकारों से उपस्कृत होने वाला कहा है<sup>३</sup>।

१. 'श्लेष सर्वासु पुष्पाति प्रायो वक्रोक्तिषु श्रियम् ।

द्विधाभिन्न स्वभावोक्तिर्वक्रोक्तिश्चेति वाङ्मयम् ॥' ( काव्यादर्श )

'स्वभावोक्तिरालकारः । वक्रोक्तिशब्देन उपमादयः सकीर्णपर्यन्ता अलकारा उच्यन्ते ।'

( हृदयगमा टीका )

२. 'अलङ्कारकृतां येषां स्वभावोक्तिरलङ्कृतिः ।

अलङ्कार्यतया तेषां किमन्यदवतिष्ठते ॥

शरीरं चैदलकारः किमलङ्कुरतेऽपरम् ।

आत्मैव नात्मनः स्कन्धं कचिदप्यधिरोहति ।'

३. 'इयं चैवभेदोपमा । वस्त्वलङ्काररसरूपाणां । प्रधानव्यङ्ग्यानां । वस्त्वलङ्कारयोर्वाच्ययोश्चोप-  
स्कारकतया पञ्चधा ।' ( भट्ट मथुरानाथ कृत सस्करण, पृष्ठ २२५ )

रसगङ्गाधर में पण्डितराज ने भी की है, परन्तु रसगङ्गाधर के अध्ययन के बिना काव्यप्रकाशमात्र के अध्ययन से क्या उस मत का स्वरूप स्पष्ट होता है? भट्टनायक का मत तो काव्यप्रकाश में और अधिक अस्पष्ट है। 'स्वगतत्वेन रस का बोध नहीं हो सकता' इतना कहकर 'प्रकाश' मौन हो जाता है। 'क्यों नहीं स्वगतत्वेन रस का बोध हो सकता है? इस स्वाभाविक जिज्ञासा की शान्ति करने के लिये कुछ लिखना प्रकाशकार को आवश्यक नहीं प्रतीत हुआ। किन्तु पण्डितराज पाठकों की जिज्ञासा को समझते थे, उन्होंने स्वगतत्वेन रसप्रतीति न हो सकने का कारण मार्मिक शब्दों में विशदरूप से लिखा है।

'नवों रसों के रति आदि ९ स्थायीभाव हैं' इतना सभी आलंकारिक लिखते हैं, मम्मटभट्ट ने भी लिखा है, परन्तु क्यों ये स्थायीभाव हैं? ये ही क्यों स्थायीभाव हैं? व्यभिचारीभाव (हृषं आदि) भी स्थायी क्यों नहीं कहलाते? इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिये रसगङ्गाधर का अध्ययन आवश्यक होगा, अन्यथा स्थायीभावों के विषय में स्पष्ट ज्ञान होना असम्भव है।

शृङ्गाररस के दो भेद हैं, सयोग और वियोग इतना सभी कहते हैं और साहित्य से थोड़ा भी संबन्ध रखने वाले सभी लोग जानते भी हैं, परन्तु सयोग और वियोग से यद्वा क्या विवक्षित है इस बात की किसी ने भी नहीं लिखा, फिर यदि साधारण पाठक सयोग का अर्थ सामानाधिकरण्य (एक जगह रहना) और वियोग का अर्थ वैयधिकरण्य (भिन्न स्थान पर रहना) समझें, तब इसमें उनका क्या दोष?

वस्तुतः सयोग और वियोग पद के अर्थ यद्वा सामानाधिकरण्य तथा वैयधिकरण्य नहीं विरक्षित हैं, क्योंकि यदि ऐसा माना जाय, तो मानावस्था में जो एक शय्यासीन दम्पति में भी वियोग माना जाता है, एवम् एक जगह नहीं रहने पर भी मान आदि के न रहने पर परस्पर प्रेम की वर्तमानता दशा में जो सयोग वर्णित होता है, वह असंगत हो जायगा, अतः सयोग तथा वियोग पद से यहाँ वे चिच्छृत्तियाँ विवक्षित हैं, यत्प्रयुक्त 'सयुक्त हूँ' और 'वियुक्त हूँ' इन तरह की बुद्धि होती है। यह है रसगङ्गाधर का विश्लेषण।

कितना गिनाया जाय, पाठकों को पद पद पर रसगङ्गाधर में पण्डितराज का विषय-विश्लेषण पाणिग्रह परिन्दित होगा, अलंकार-प्रकरण में पण्डितराज की यह विश्लेषणचातुरी और अधिक प्रष्ट हुई है। परन्तु उम प्रकरण से प्रस्तुत भाग का संबन्ध नहीं है, अतः उस प्रकरण का विवेचन द्वितीय भाग की प्रस्तावना में ही देखिये

### पद-रचना-सबन्धी अनुपम मार्मिक विचार

पद्यों काव्य की आत्मा व्यक्त अर्थ है, परन्तु उस व्यक्त अर्थ का भी आधार शरीरस्थानीय पद-रचना (शब्द) ही है अतः काव्य में पद-रचना का भी एक स्वतन्त्र महत्व है। कान्ता-काव्य-रचना जो एक काव्यका प्रमुख प्रयोजन माना गया है, उसके लिये विनेयों की अभिमुख रचना शब्द-रचना में पद-रचना ही प्रथम है। यदि सर्व प्रथम सामने आनेवाली पद-रचना ही श्रेष्ठ न हो सकेगी, तब उससे आगे बढ़कर अर्थ समझने की चेष्टा ही श्रेष्ठ होगी। अतः पद-रचना-कौशल सर्वोपरि समपेक्षित है। आकर ग्रन्थों में कहा गया है—'शब्द-रति भट्टार भी काश है, वस्तुतः वचनों की अलंकरणि सुप्त तथा तिष्ठ की

अलकारों की सख्या के विषय में तो सबसे अधिक मतभेद है। प्रायः किन्हीं दो आलकारिकों के मत इस विषय में समान नहीं हैं।

नाट्यशास्त्र में अनुप्रास, उपमा, रूपक और दीपक इन चार ही अलकारों का नाम-निर्देश मिलता है, अतः मानना पड़ेगा कि मूलभूत अलकार ये ही चार हैं जिनमें एक (अनुप्रास) शब्दालंकार है और तीन अर्थालंकार। इन्हीं चार अलकारों से विकसित तथा परिवर्धित होकर कुबलयानन्द ने अलकारों की सख्या २२५ तक पहुँच गई है, जो प्रायः अलकारों के सन्ध में नवसे बड़ी सख्या है। अन्य आलकारिक इन्हीं दो सख्याओं के मध्य की भिन्न-भिन्न सख्या अलकारों की मानते हैं, जैसे—काव्यादर्शकार दण्डो अलकारों की सख्या ३५ मानते हैं। अलकारसारसंग्रह-प्रणेता उद्भट मट्ट अलकारों की सख्या ४१ वनलाते हैं। सरस्वतीकण्ठाभरण-रचयिता भोजराज शब्दालंकार २४, अर्थालंकार २४ और उभयालंकार भी २४—कुल अलकार-सख्या ७२ कहते हैं। काव्यानुशासनकार हेमचन्द्र शब्दालंकार ६ और अर्थालंकार २९—कुल अलंकार-सख्या ३५ मानते हैं। वाग्भट्टालंकार वाग्भट्ट शब्दालंकार ४ और अर्थालंकार ३५—कुल ४९ अलंकार-सख्या लिखते हैं। काव्यानुशासनकार वाग्भट्ट द्वितीय ६३ अर्थालंकार और ६ शब्दालंकार—कुल ६९ अलकारों की गणना करते हैं।

काव्यप्रकाशकार मम्मट कुल अलंकारसख्या ६७ मानने हैं जिसमें शब्दालंकारों की सख्या ६ और अर्थालंकारों की सख्या ६७ है। मम्मट मट्ट ने काव्यप्रकाश में निम्नलिखित अलकारों का खण्डन अथवा त्वत्तन्मत अलकारों में अन्तर्भाव दिखलाया है—१-अत्युक्ति, २-अनुगुण, ३-अनुशा, ४-अनुपलब्धि, ५-अनुमान, ६-अर्थगति, ७-अत्य, ८-अवशा, ९-असम्भव, १०-असम्भ, ११-उदाहरण, १२-उन्मीलित, १३-उपमान, १४-उल्लास, १५-उल्लेख, १६-ऊर्जस्वि, १७-प्रेतिह्य, १८-गूढोक्ति, १९-छेकोक्ति, २०-जानि, २१-निरुक्ति, २२-परिकर, २३-पणिगाम, २४-पिहित, २५-पूर्वरूप, २६-प्रत्यक्ष, २७-प्रस्तुताङ्कुर, २८-प्रहर्षग, २९-प्रेय, ३०-प्रौढोक्ति, ३१-भाषा, ३२-मिथ्याध्यवसिति, ३३-नुद्रा, ३४-युक्ति, ३५-रत्नावली, ३६-रमवत्, ३७-ललित, ३८-लेश, ३९-लोकोक्ति, ४०-वर्धमान, ४१-वाक्यार्थरूपक, ४२-विकल्प, ४३-विकत्वर, ४४-विचित्र, ४५-वितर्क, ४६-विधि, ४७-विवृत्तोक्ति, ४८-विशेष, ४९-विषाद, ५०-शब्द, ५१-सम्भव, ५२-सनाहित और ५३-इतु।

इनमें कतिपय अलकारों का पण्डितराज ने अपने रत्नगगाधर में सत्युक्ति पुनः स्थापन किया है।

साहित्यदर्पणकार विश्वनाथ कविराज ६ शब्दालंकार और ७२ अर्थालंकार—कुल ७८ अलंकार मानते हैं। शमी तरुण मानह, रुद्रट, वामन आदि आलंकारिकों का भी अलंकार सख्या-विषयक मत समान नहीं है।

अलंकारों की सख्या के विषय में दृष्टिगोचर होनेवाला यह मतभेद कोई आश्चर्य में डालने-वाली बात नहीं है क्योंकि उक्ति की विचित्रता ही अलंकाररूप में परिणत होती है और उक्ति-वैचित्र्य की कोई ह्यत्ता नहीं है—वह अनन्त है—‘अनन्ता वाङ्मयस्यास्य गेयस्येव विचित्रता’ यह सिद्धान्त बहुत ही प्राचीन है। अतः जिस आचार्य को जितने प्रकार के उक्ति वैचित्र्य प्रतिभा-सित हुए उतने उतने प्रकार के अलंकारों की कल्पना कर लो।

अब तक जितने प्रकार के अलङ्कारों की कल्पना की जा चुकी है, मविष्य में उनसे और अधिक प्रकार के अलङ्कारों की कल्पना की जा सकती है ।

### अलङ्कार की सामान्य परिभाषा

‘काव्यशोभाकरान् धर्मान् अलङ्कारान् प्रचक्षते’ ( काव्यादर्श )

इस परिभाषा के द्वारा आचार्य दण्डी को उन सभी काव्यतत्त्वों का समग्र अभीष्ट है जो काव्य में चमत्कारोत्पादक हैं । इस तरह उनके हिसाब से प्रसाद, माधुर्य आदि गुण ही नहीं, प्रत्युत नाट्य के शोभाविधायक अङ्ग—सन्धि, सन्ध्यङ्ग, वृत्ति आदि भी अलङ्कार शब्द के अर्थ हैं । उन्होंने स्पष्ट रूप में लिखा है कि ‘शास्त्रान्तर में जो तत्त्व सन्ध्यङ्ग, वृत्त्यङ्ग, लक्षण आदि पदों से अभिहित हुए हैं वे सभी मुझे अलङ्काररूप से ही श्रेष्ठ हैं’<sup>१</sup> ।

इस व्यापकता को हटाने के लिये कतिपय आचार्यों ने कहा—

‘काव्यशोभायाः कर्तारो धर्माः गुणाः, तदतिशयहेतवस्त्वलङ्काराः’ ।

अर्थात् काव्य में शोभा उत्पन्न करनेवाले तत्त्व गुण हैं और गुण के द्वारा उत्पन्न शोभा को अतिशयित करनेवाले तत्त्व अलङ्कार हैं ।

पर इन उल्लेखों से वस्तुस्थिति सर्वथा स्पष्ट हुई नहीं, अतः भिन्न भिन्न आलङ्कारिकों के फुटकर उल्लेखों के आधार पर प्रस्तुत अलङ्कारतत्त्व की कुछ और छान वीन करना आवश्यक है ।

आनन्दवर्धन ने अलङ्कार की मूल भावना का निर्देश इन शब्दों में किया है—‘अलङ्कारो हि चारुत्वहेतुः प्रसिद्धः—अर्थात् अलङ्कार काव्य में चारुता के कारणरूप से प्रसिद्ध तत्त्व है’<sup>१</sup> अभिनव गुप्त ने अलङ्कार को सदा ही विच्छिन्ति प्रकार स्वीकार किया है । कुन्तक ने अलङ्कार स्वरूप में दो बातों पर विशेष जोर दिया है—वैचित्र्य और कविप्रतिभानिर्वर्तितत्व । यद्यपि ये दोनों लक्षणा काव्य की ही मूल कल्पना के साथ सम्बद्ध हैं, तथापि अलङ्कार में भी इनका अस्तित्व अवश्य रहता है ।

अलङ्कार को विचित्र और चारुत्वसम्पन्न होना ही चाहिए और इसके लिये आवश्यक है कि वह कवि की प्रतिभा के द्वारा प्रस्तुत किया जाय । इसीलिये भिन्न आलङ्कारिकों ने अपने ग्रन्थों में अलङ्कार के प्रसङ्ग में विच्छिन्ति, चारु, सुन्दर आदि विशेषणों का प्रयोग किया है । अतः यह सिद्ध हुआ कि विच्छिन्तिविशेष का सामान्य अभिधान अलङ्कार है—‘वैचित्र्यमलङ्कारः’<sup>१</sup> कुन्तक को इस अलङ्कारत्वमीमासा का प्रभाव अवान्तरकालीन आलङ्कारिकों पर विशेषरूप से पड़ा है । मम्मट भी अलङ्कार को वैचित्र्यरूप ही मानते हैं । वही अलङ्कार काव्य का शोभाधायक हो सकता है जो विचित्रता या रुचिरता उत्पन्न करे । वे अलङ्कार के साथ रसजन्य चमत्कार के भी पक्षपाती हैं, परन्तु रस के अभाव में अलङ्कार के ही कारण उक्ति की विचित्रता में किसा प्रकार का हास नहीं होता । मम्मट की स्पष्ट उक्ति है—‘यत्र तु नास्ति रसः तत्र उक्तिवैचित्र्यमात्र-पर्यवसायिनः’<sup>१</sup> ।

१. ‘यच्च सन्ध्यङ्ग-वृत्त्यङ्ग-लक्षणाद्यागमान्तरे ।

व्यावर्णितमिदं चेष्टमलङ्कारतयैव नः ॥’ ( काव्यादर्श )

'हेतु' को अलङ्कार की श्रेणी में स्थान न देने का कारण मम्मट ने स्पष्टतः वैचित्र्य का अभाव कहा है—'वैचित्र्याभावात्तु हेतुर्नालङ्कारः।' रथक भी इस विषय में कुन्तक से प्रभावित हैं। वे भी अलङ्कार को कविप्रतिभोत्थित मानते हैं। सदेहालङ्कार के विषय में उनका कहना है—'कविप्रतिभोत्थिते सदेहे संदेहालङ्कारः।' 'भ्रान्ति' अलङ्कार के विषय में भी कविप्रतिभोत्थित भ्रान्ति को ही उन्होंने अलङ्कार कहा है।

इन विवेचनों से कुन्तक की दृष्टि में अलङ्कार का सामान्य स्वरूप होगा—'कविप्रतिभोत्थितः विच्छित्तिविशेषः अलङ्कारः' अर्थात्—कवि की प्रतिभा से उत्पादित विच्छित्ति विशेष-चमत्कार का एक प्रकार ही अलङ्कार है। पर यह परिभाषा भी व्यापक हो जाती है और काव्यत्व नियामक सभी तत्त्वों को अपने अन्दर समेट लेती है, अत यदि उक्त परिभाषा में कथित प्रतिभोत्थित विच्छित्तिविशेष का सबन्ध शब्द अथवा अर्थ के साथ जोड़ दें, अर्थात् यह कहें कि 'शब्द अथवा अर्थ में रहने वाले कविप्रतिभोत्थित विच्छित्ति विशेष, का नाम अलङ्कार है' तो अलङ्कार की सही-सही सामान्य परिभाषा बन जाती है।

'शब्दार्थयोरस्थिरा ये धर्माः शोभातिशायिनः।

रसादीनुपकुर्वन्तो तेऽलङ्कारा भङ्गदादिवत् ॥'

अर्थात् शब्द-अर्थ के अनियत शोभातिशयी और रस आदि के उपकारक धर्मों का नाम अलङ्कार है। यह नाम लौकिक भङ्गद आदि अलङ्कारों की समता के कारण प्रचलित है। इस परिभाषा में दो विशेषणों पर ध्यान देना है—एक 'अस्थिरा' और दूसरा 'रसादीनुपकुर्वन्तः'। इनमें से प्रथम विशेषण गुणों को अलङ्कार-श्रेणी से पृथक् करने के लिये कहा गया है। गुणों में भी सभी अन्य अलङ्कारत्व नियामक तत्त्व विद्यमान रहते हैं, पर वे काव्य के स्थिर (नियत) धर्म हैं और अलङ्कार है अस्थिर (अनियत)। दूसरा विशेषण अलङ्कारों के कर्तव्य की ओर इङ्गित करता है, अर्थात् काव्यवाक्य के मुख्य अर्थ को उपकृत करना—पुष्ट बनाना ही अलङ्कारों का कर्तव्य है, उस कर्तव्य से विमुख तत्त्व अलङ्कार पद से अभिहित हो ही नहीं सकते।

यहाँ पण्डितराज अलङ्कारनिरूपण के आरम्भ में अवतरणरूप से लिखते हैं कि—'अथास्य प्रागभिहितलक्षणस्य काव्यात्मनो व्यङ्ग्यस्य रमणीयताप्रयोजका अलङ्कारा निरूप्यन्ते।' इस अवतरणग्रन्थ में 'रसादे' न लिख कर 'व्यङ्ग्यस्य' जो लिखा गया है उससे पण्डितराज का यह अभिमत निकाला जाता है कि—'पण्डितराज त्रिविध ( वस्तु, अलङ्कार तथा रसादि ) व्यङ्ग्यों को काव्यात्मा मानते हैं।' किन्तु उपमानिरूपण प्रकरण में एक स्थल पर पण्डितराज लिखते हैं—'इयं चैवभेदोपमा वस्त्वलङ्काररसरूपाणां प्रधानव्यङ्ग्यानाम् वस्त्वलङ्कारयोश्चोपस्कारकतया पञ्चधा।' प्रसङ्गवश पहले भी यह पङ्क्ति टिप्पणी में उद्धृत की जा चुकी है। इसका अर्थ है—'उपमा पाँच प्रकार की होती है क्योंकि वह ( उपमा ) कहीं वस्तुरूप प्रधानव्यङ्ग्य को, कहीं अलङ्काररूप प्रधानव्यङ्ग्य को, कहीं रसादिरूप प्रधानव्यङ्ग्य को—इस तरह त्रिविध व्यङ्ग्य को—और कहीं प्रधान वाच्यवस्तु को तथा कहीं प्रधानवाच्य अलङ्कार को अलङ्कृत करती है।' इस उल्लेख से तो पण्डितराज की काव्यात्मत्वविषयक धारणा कुछ निश्चिती ही प्रतीत होती है, क्योंकि यह निश्चित है कि जिन तत्त्व को जो काव्यात्मा माना है वह उसी तत्त्व को अलङ्कार्य

वतलाता है। इस हिसाब से यदि पण्डितराज त्रिविध व्यङ्ग्य मात्र को काव्यात्मा मानते होते वाच्यवस्तु (अलकार) को अलंकार्य (उपस्कार्य) नहीं कहते। ऐसा लगता है कि पण्डित सभी प्रकार के रमणीय अर्थों को काव्यात्मा मानने वाले हैं। इस धारणा की पण्डितराज की अन्य उक्ति से भी होती है। उपमालक्षण में सादृश्य का विशेषण 'वाक्यार्थोपस्कारकम्' कहा गया है, 'व्यङ्ग्यार्थोपस्कारकम्' नहीं। इससे स्पष्ट है कि पण्डितराज के रमणीय वाच्यार्थ के रहने पर भी, अर्थात् रमणीय व्यङ्ग्य अर्थ के नहीं रहने पर भी, वाच्य को काव्य मानते हैं। विचार करने की बात है कि—काव्यात्मभूत तत्त्व के अभाव में भी काव्यत्व माना जा सकता है ? नहीं। अतः माना जाता है कि पण्डितराज आलंकारिक जगद्व्यभिवादी होते हुए भी रमणीयतावादी हैं।

उक्त अवतरण के बाद उपमानिरूपण से अलंकारनिरूपण प्रकरण आरम्भ होता है। अलंकार सामान्य की परिभाषा—जो विशेषविषयक जिज्ञासा के प्रति सामान्य ज्ञान को कारण मानने वालों के मत से आवश्यक समझी जाती है—नहीं दी गई है।

यद्यपि नागेश ने उक्त अवतरणग्रन्थ में ही अलंकारसामान्यलक्षण, खोज निकाला है। अर्थात् नागेश की दृष्टि में उक्त अवतरण का 'व्यङ्ग्यस्य रमणीयताप्रयोजकाः' यह अर्थ अलंकारसामान्य का लक्षण है। फलतः नागेश के कथनानुसार पण्डितराज का अलंकारसामान्य लक्षण हुआ 'व्यङ्ग्यरमणीयताप्रयोजककाव्यधर्मत्व'। पर यह सगत नहीं जान पड़ता, क्योंकि कृपूर द्रिखलाया जा चुका है कि पण्डितराज अलंकार को केवल व्यङ्ग्य अर्थ की रमणीयता का प्रयोजक नहीं मानते हैं। वस्तुतः स्पष्ट उल्लेख नहीं रहने पर भी पण्डितराज के मत से अलंकारसामान्य का लक्षण—'कविप्रतिभानिर्वर्तितमुख्यवाक्यार्थोपस्कारकसुन्दरशब्दार्थधर्मत्व' समझा जा सकता है, क्योंकि स्मरणालंकारनिरूपण में एक जगह पण्डितराज ने लिखा है—'प्रधानव्यङ्ग्यव्यावृत्त्यर्थं पुनरुपस्कारकत्वं सर्वेषु अलंकारलक्षणेषु देयम्', सप्तदशालंकारगत रमणीय विशेषण की व्याख्या—'चमत्कारीणित्यर्थः' इन शब्दों में करके कहा—'एतच्च विशेषणं सामान्यालंकारलक्षणप्राप्तमेव । एवमुपस्कारकत्वमपि बोध्यम्'। इसी तरह भ्रान्तिमान् अलंकार के लक्षण का विवरण करते हुए कहा है—'चमत्कारीति । कविप्रतिभानिर्वर्तित इत्यर्थः' इन उल्लेखों से उक्त अलंकारसामान्यलक्षण ही फलित होता है, जो बहुत कुछ पूर्वोक्त कुन्तक के विचार से प्रभावित है।

रसगगाधर ग्रन्थ में निम्न ७० अलंकारों का निरूपण किया गया है—

१. उपमा, २ उपमेयोपमा, ३ अनन्वय, ४ असम, ५ उदाहरण, ६ स्मरण, ७ रूपक, ८ परिणाम, ९ ससन्देह, १० भ्रान्तिमान्, ११ उल्लेख, १२ अपहृति, १३ उत्प्रेक्षा, १४ अतिशयोक्ति, १५ तुल्ययोगिता, १६ दीपक, १७ प्रतिवस्तूपमा, १८ दृष्टान्त, १९ निदर्शना, २० व्यतिरेक, २१ सङ्घोक्ति, २२ विनोक्ति, २३ समासोक्ति, २४ परिकर, २५ श्लेष, २६ अपस्तुतप्रशंसा, २७ पर्यायोक्ति, २८ व्याजस्तुति, २९ आक्षेप, ३० विरोध, ३१ विभावना, ३२ विशेषोक्ति, ३३ असंगति, ३४ विषम, ३५ सम, ३६ विचित्र, ३७ अधिक, ३८ अन्योन्य, ३९ विशेष, ४० व्याघात, ४१ कारणमाला, ४२ एकावली, ४३ सार, ४४ काव्यलिङ्ग, ४५ अर्थान्तरन्यास, ४६ अनुमान, ४७ यथासख्य, ४८ पर्याय, ४९ परिघृति, ५० परिसख्या



५१ अर्थापत्ति, ५२ विकल्प, ५३. समुच्चय, ५४. समाधि, ५५ प्रत्यनोक, ५६. प्रतीप, ५७. प्रौढोक्ति, ५८ ललित, ५९. प्रहर्षण, ६०. विषादन, ६१. उच्छास, ६२. अवशा, ६३. अनुशा, ६४ तिरस्कार, ६५ लेश, ६६. नदगुण, ६७. अतदगुण, ६८ मीलित, ६९ सामान्य और ७० उत्तर। यहाँ अन्तिम उत्तरालकारनिरूपण में ही अकस्मात् ग्रन्थ खण्डित होकर समाप्त हो गया है। इस प्रकार समाप्ति होने के दो ही कारण हो सकते हैं। एक तो लिखते समय ही लेखक को अकस्मात् मृत्यु हो जाना और दूसरा किसी कारणवश अग्रिम अंश का पण्डितराज-लिखित मूल प्रति से नष्ट हो जाना। जो भी हो, इस स्थिति में आज यद्यपि पण्डितराजामित अलकारों की सख्या बतलाना असंभव है तथापि इनका निश्चिन है कि पण्डितराज अलकार-निरूपण में चन्द्रालोकीय अर्थालकारानुक्रमणिका को ही आधार मानकर चले हैं, क्योंकि उक्त सत्तर अलकारों में केवल उदाहरण, सार, अनुमान और तिरस्कार ये चार ही अलकार ऐसे हैं जो चन्द्रालोकीय अर्थालकारानुक्रमणिका से बहिर्भूत हैं। चन्द्रालोककार पीयूषवर्ष जयदेव ने अपनी अनुक्रमणिका में सौ अलकारों का निर्देश किया है जिसमें उत्तरालकारपर्यन्त अलकारों में से आवृत्ति, दीपक, परिकराङ्कुर, प्रस्तुताङ्कुर, व्याजनिन्दन, अत्तभव, अल्प, मालादीपक, साधक, कारकदीपक, विकस्वर, सभावन, मिथ्याध्यवृत्ति, रत्नावली, पूर्वरूप, उन्मूलित और निर्मूलित इन सोलह अलकारों को चर्चा पण्डितराज ने त्वन्त्र अलकार के रूप में न करके अन्य अलकारों में ही उनका अन्तर्भाव दिखलाया है। फलतः उत्तर के आगे चन्द्रालोकगत सूक्ष्मपिहित, व्याजोक्ति, गूढोक्ति, विवृणोक्ति, युक्ति, स्तोकोक्ति, ऐकोक्ति, वक्रोक्ति, त्वभावोक्ति, भाविक, उदात्त, अत्युक्ति, निरुक्ति, प्रतिषेध, विधि और हेतु ये सोलह अलकार वच जाते हैं। इन सोलहों के सवन्ध में पण्डितराज क्या लिखते, इन्हें त्वन्त्र अलकार मानते अथवा नहीं, यह आज नहीं कहा जा सकता। इतना अवश्य कहा जा सकता है कि पण्डितराजामित अलकारों की सख्या भी प्रायः सौ के लगभग ही होती।

## ( १ ) उपमा

आरम्भ में अति उपयुक्त उपमा-लक्षण कहा गया है। तदनन्तर लक्षण में निविष्ट पदों के फल स्पष्ट किए गए हैं। इसके बाद कल्पितोपमा—जिसमें उपमान कल्पित पदार्थ रहता है, अतः जिसे प्राचीन आलकारिक अलकारान्तर की सहा प्रदान करते हैं—को उपमा के अन्दर सयुक्तिक नंगृहीत किया गया है। इसके अनन्तर साधारणधर्म के विषय में विचार करते हुए 'विन्वप्रति-विन्वभाव' तथा 'वस्तुप्रतिवस्तुभाव' का इतना सुन्दर विश्लेषण किया गया है जैसा अन्यत्र उपलब्ध नहीं होता। इसके बाद एक सुन्दर उदाहरण उपस्थित किया गया है। इनके अनन्तर प्राचीन आचार्यों के द्वारा रचित उपमालक्षणों की आलोचना की गई है जिसमें अप्ययदीक्षित, विद्यानाथ, मन्मथ, अलकारसर्वस्वकार, अलकाररत्नाकरकार आदि के लक्षणों का सयुक्तिक खण्डन किया गया है। इसके अनन्तर प्राचीनोक्त पञ्चोत्त भेदों को गिनाकर उनके उदाहरण दिए गए हैं। इसके बाद 'इहान्यानपि भेदानन्ये निगदन्ति—' से आरम्भ करके कतिपय प्राचीनमतसिद्ध अन्य भेदों की चर्चा की गई है और उनमें से कुछ का खण्डन किया गया है। इत्थं प्रसङ्ग में यत्र-तत्र अप्ययदीक्षित के मत का भी खण्डन किया गया है। इसके बाद उपस्कार्यभेद से उपमा के पाँच भेद करके उनके उदाहरण दिए गए हैं। इसी प्रसङ्ग में अलकार से अलकार भी उपस्कार्य

कैसे हो सकता है इस बात की सुन्दर मोमांसा की गई है जो अन्यत्र अप्राप्य ही है। इस तरह पचीस भेद मानने वाले प्राचीनों के मत से प्रत्येक के पञ्चविध हो जाने से एक सौ पचीस और वत्तीस भेद मानने वाले प्राचीनों के मत में एक सौ साठ भेद हो सकने हैं यह बात कही गई है। इसके बाद पण्डितराज ने अपनी प्रतिभा के बल से और बहुत भेदों की उद्भावना की है। साधारण धर्म के अनुगामी, केवल विन्वप्रतिविन्वभावापन्न, उभय, वस्तुप्रतिवस्तुभावकरभित्त विन्वप्रतिविन्व भावापन्न, उपचरित और केवल शब्दात्मक भेद मानकर उपमा के भेद किए गए हैं और सभी भेदों के सटीक उदाहरण भी उपस्थित किए गए हैं। इसके बाद भी 'प्रकारान्तर च सुधीभिः स्वयमुच्चेतुं शक्यम्' कह कर एक विलक्षण भेद और दिखलाया गया है जिसमें उपमा को ही उपमा का साधारणधर्म सिद्ध किया गया है। उदाहरण मा इस भेद का देखने योग्य दिया गया है। अन्त में भेदों के सम्बन्ध में 'इयमेवभेदा प्राचीनैर्भेदैर्गुणने वागगोचरं भूमान भजमाना नेयत्तामर्हति' लिख कर ही ग्रन्थकार ने सन्तोष किया है। इसके बाद शब्दबोध का विचार विशद रूप से किया गया है जो अलकारशास्त्र को न्याय आदि शास्त्रों के समान प्रौढि प्रदान करता है। अन्ततः यह निश्चित है कि उपमा का जैसा मर्मरूपशी तथा विशद विचार इस ग्रन्थ में हुआ है वैसा किसी अन्य ग्रन्थ में नहीं हुआ है।

## ( २ ) उपमेयोपमा

उपमेयोपमा को यद्यपि पण्डितराज उपमा का ही प्रभेद मानते हैं,<sup>२</sup> तथापि इसका निरूपण उन्होंने स्वतन्त्र अलकार के रूप में किया है और लक्षण, उदाहरण आदि सब कुछ अलग लिखे हैं। उनका उल्लेख है कि इसके भी उपमा की तरह अनन्त भेद हो सकते हैं<sup>३</sup>। उपमेयोपमा निरूपण में भी अप्पयदीक्षित, अलकारसर्वस्वकार तथा विमर्शिनीकार के मतों का खण्डन किया गया है।

## ( ३ ) अनन्वय

अनन्वय निरूपण में लक्षण, उदाहरण तथा प्रत्युदाहरण दिखलाने के बाद भेदकथन है। उपमा के समान अनन्वय का भी पहले पूर्णलुप्त भेद माना गया है, फिर पूर्णभेद के पूर्णोपमा की तरह छै भेद हो सकने की बात कही गई है। लुप्तभेद में धर्मलुप्त के पुनः पाँच भेद मान कर वाचकलुप्त भेद भी दिखलाया गया है। धर्मवाचकोभयलुप्तभेद भी स्वीकृत हुआ है। असुन्दर होने के कारण इसके उपमानलुप्तादि भेद नहीं हो सकते इस कथन से भेदविवरण समाप्त किया गया है। इसके बाद रत्नाकर के त्रिविध अनन्वयलक्षण तथा उदाहरणों का उल्लेख करके खण्डन किया गया है और अलकारसर्वस्वकार तथा अप्पयदीक्षित की उक्तियों का भी खण्डन किया गया है।

१. 'यथा लताया. स्तबकानतायाः स्तनावनत्रे नितरां समासि ।

तथा लता पल्लविनी सगर्वे शोणाधराया. सदृशी तवापि ॥'

२. 'मुखमिव चन्द्र इति प्रतीये, चन्द्र इव मुख मुखमिव चन्द्र इत्युपमेयोपमायां च सादृश्यस्य चमत्कारित्वाज्ञातिप्रसङ्ग. शङ्कनीय., तयो. सग्राह्यत्वात् ।' ( उपमानिरूपणे )

'अथास्या एव भेद उपमेयोपमा निरूप्यते—' ( उपमेयोपमानिरूपणस्यावतरणग्रन्थः )

३. 'एव पूर्णालुप्तादयोऽप्यस्याः ( उपमेयोपमायाः ) -उपमाया इव प्रायशः सर्वेऽपि भेदाः सम्भवन्ति ।'

## ( ४ ) असम

अलकार-संसार में अत्यन्त-समर्थित 'असम' अलकार को मान कर इन अलकार का निरूपण करते समय लक्ष्मीलेख के बाद सर्वप्रथम पण्डितराज कहते हैं कि 'यद्यपि असम-पदार्थ अनन्वय में नियन्त-व्यङ्ग्य होता है, तथापि वहा वह अलकार पदव्यवहार्य होने योग्य नहीं होता, क्योंकि वहाँ वह अनन्वय के चमत्कार का ही बोधक रहता है, इत्थिलिये रूपक-दीपक आदि में नियन्तः अभिव्यक्त होने पर भी उपमा अलकारपद से व्यवहृत नहीं होंगी। जहाँ 'असम' वाच्य रहता है वहाँ वह त्वन्त्र चमत्कार का उत्पादक होता है, और तब उत्तको त्वन्त्र अलकार भी मानना ही चाहिए।' रत्नाकर के मत का खण्डन वहाँ भी हुआ है। यह शङ्का भी की गयी है कि—'असनालकार' ध्वनन से ही चमत्कार उत्पन्न होता है ऐसा मानकर 'अनन्वय' का अस्वीकार क्यों नहीं कर दिया जाय ? उत्तर में कहा गया है कि उपमा ध्वनन से ह्यार्थता मान कर शोषकादि का भी अपलाप क्यों नहीं कर देते ? इत्यादि। अन्त में वह भी कह दिया गया है कि प्राचीन इस अलकार को नहीं मानते।

## ( ५ ) उदाहरण

यह अलकार भी अलकारजगत् के आचार्यों का वदुनन नहीं प्राप्त कर सका है। पर पण्डितराज का तन्मर्थन इने प्राप्त है। 'सामान्य-विशेष का वाच्य अवयवावयविभाव' इतका तन्मर्थन स्वरूप है। इव, यथा, निदर्शन, दृष्टान्त आदि शब्दों को इस अलकार का बोधक माना गया है। इव और यथा शब्द सादृश्य-वाचक हैं, सामान्यविशेषभाव के बोधक वे कैंते ही सकते हैं इतक का के समानान में कहा गया है कि—अभिधावृत्ति द्वारा भले ही इव और यथा पद सामान्य-विशेषभाव के बोधक नहीं हों, पर लक्षणावृत्ति द्वारा तो ही इतक सकते हैं। अन्यथा उपेक्षा-बोधक भी ये पद नहीं हो सकेगे। 'अनन्तरत्नप्रभवस्य'—इतक कालिदासीय प्रतिद्ध पद्य में पण्डितराज यही (उदाहरण) अलकार मानते हैं। 'अर्थान्तरन्यास' से इतने वैलक्षण्य यह माना गया है कि—इतने अवयवावयविभावबोधक इवादि पद प्रयुक्त होते हैं और सामान्य विशेष दोनों अर्थों का अन्वय एक ही विषय (क्रिया) के साथ होता है, अर्थान्तरन्यास में ये दोनों अर्थ नहीं होती। सामान्य-विशेषात्मक दो पदार्थों में सादृश्य उल्लिखित हो नहीं हो सकता, अतः उभय में भी इतकी गतार्थता नभव नहीं। अन्त में वह भी कह दिया गया है कि—सामान्य एव अलकार को उपमा में ही गतार्थ मानते हैं और 'सामान्य' विशेष से अतिरिक्त नहीं होता—अतः सादृश्योच्छास को व्यवस्था दे देते हैं।

## ( ६ ) स्मरण

पण्डितराजकृत स्मरणालकार के लक्षण में बहुत कुछ नवीनता है। अलकारसर्वत्व, रत्नाकर आदि में 'नदृश्यपदार्थानुभवजन्य त्वृत्ति' को स्मरणालकार माना गया है। अन्यत्र भी स्मरण-पदार्थ का स्वरूप अनुभवजन्यत्वघटित ही प्रायः माना गया है। पर पण्डितराज का कथन है कि—यदि तदृशानुभवजन्य स्मरण को ही अलकार माना जाय तब जहाँ तदृशपदार्थ के स्मरण से स्मरणोद्बोधकत्वेन स्मरण उत्पन्न होता है वहाँ स्मरणालकार नहीं हो सकेगा। उदाहरण में वैसा (स्मरणप्रयोज्य स्मरण का) सुन्दरतन उपस्थित किया गया है। अतः पण्डितराज ने

‘सादृश्यज्ञान से उद्बुद्ध जो सस्कार उससे साक्षात् अथवा परम्परया सम्पन्न होनेवाले स्मरण को स्मरणालङ्कार माना है। यह लक्षण उक्त सभी स्मरणों में सघटित होता है।

### ( ७ ) रूपक

पण्डितराजकृत रूपक-विचार भी अतलस्पर्शा और विशद है। लक्षण ही पहले विलक्षण है। विलक्षणता नवीनपदार्थ-निर्वचनांश में नहीं है, अपितु परम्परागत रूपकपदार्थ के स्फुटीकरणांश में है। परमत को समीक्षा भी सुन्दर ढङ्ग से की गई है। रत्नाकर ने उपमान-उपमेय के अभेद की तरह कार्य-कारण के अभेद को भी रूपक माना है, पर पण्डितराज ने उसका सयुक्तिक खण्डन करके सादृश्यमूलक—फलतः उपमानोभेय के—तादात्म्य को ही रूपक कहे जाने का प्रमाण पत्र दिया है। अप्ययदीक्षित का खण्डन करना तो पण्डितराज के आवश्यक कर्तव्यों में था अतः उस कर्तव्य की पूर्ति रूपकनिरूपण में भी खूब की गई है। रूपक के प्रभेदों के विषय में भी पण्डितराज ने अपनी मौलिक प्रतिभा का चमत्कार परिपूर्ण मात्रा में दिखलाया है।

आरम्भ में प्रकाशकारादिसम्मत आठ भेदों का साद्वोपाद्ग चर्चा की गई है। इसी प्रसङ्ग में परम्परितरूपकवर्णनियामक आरोपद्वय का उपायोपेयभाव कैसे संभव है? ‘शशिपुण्डरीक’ आदि में पुण्डरीकरूपक का व्यवहार कैसे होता है क्योंकि पुण्डरीक-तादात्म्य की प्रतीति नहीं होती, प्रतीति होती है शशितादात्म्य की, तदनुसार शशिरूपक का व्यवहार होना चाहिए, इत्यादि शङ्काओं का विलक्षण समाधान उपस्थित किया गया है जो सर्वथा नवीन प्रतीत होता है। तदनन्तर पण्डितराज ने अपनी नवनवोन्मेषशालिनी बुद्धि से अनेक नवीन भेदों की कल्पना की है, जिसमें वाक्यार्थरूपक की कल्पना सर्वथा नवीन शत होती है। इसी अवसर पर ‘रूपक में विम्ब प्रति विम्बभाव नहीं होता’ इस प्राचीन मत का प्रबल युक्तियों के आधार पर खण्डन किया गया है। अन्त में नव्यन्याय की शैली से शाब्दबोध का विचार करके अलङ्कारशास्त्रीय आलोचना पद्धति को एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया गया है।

### ( ८ ) परिणाम

‘उपमान जहाँ उपमेयरूप से ही प्रकृत कार्य में उपयुक्त होता हो, स्वतन्त्रतया नहीं, वहाँ परिणाम होता है’ यह लक्षण पहले किया गया है। फिर ‘परिणाम में विषय का अभेद विषयों में उपयोगी सिद्ध होता है, रूपक में ऐसा नहीं होता’ यह परिणाम तथा रूपक में परस्पर भेद बतलाया गया है। इसके बाद समानाधिकरण परिणाम के वाक्यगत समासगत दो भेद और व्यधिकरण परिणाम का एक भेद इस तरह कुल तीन भेद करके उन भेदों के उदाहरण प्रस्तुत किये गए हैं और दीक्षितोक्त व्यधिकरण परिणामोदाहरण का खण्डन किया गया है, सर्वस्वकारकृत लक्षण उदाहरण दोनों का सयुक्तिक खण्डन किया गया है और ‘केचित्’ कह कर उन प्राचीनों का मत उपस्थित किया गया है जो परिणाम को रूपक से भिन्न अलङ्कार नहीं मानते और कहते हैं कि—कहाँ केवल उपमेय अपने रूप में प्रकृतकार्य में उपयुक्त नहीं सिद्ध होता, अतः आरोप्यमाण ( उपमान ) से अभिन्न रूप में स्थित होकर उपयुक्त होता है ऐसी जगह आरोप्यमाण परिणाम होता है। कहीं आरोप्यमाण ( उपमान ) अपने रूप से, उपयुक्त न हो सकने के कारण उपमेय से अभिन्न होकर उपयोग ( लाभ ) करता है वहाँ विषयपरिणाम होता है।

र वस्तुतः ये दोनों ही प्रकार रूपक के ही हैं, क्योंकि उपमेयतावच्छेदक तथा उपमानतावच्छेदक-  
रं से किसी एक को आगे रख कर निश्चित किया जाने वाला उपमान अथवा उपमेय ही रूपक-  
ता स्वरूप है। अन्त में परिणामवाक्य के शाब्दबोध का विचार किया गया है।

### ( ९ ) ससन्देह

वैसे तो अलङ्कार आदि सभी काव्यतत्त्वों के निरूपण में पण्डितराज ने अपनी विलक्षण  
वेदता का परिचय दिया है, पर ससन्देहालङ्कार के निरूपण में तो आपकी प्रतिभा दर्शनीय है।  
वेलक्षण लक्षण, पवित्र पदकृत्य-कथन-प्रणाली, उदाहरणों की अनुपम अनुरूपता। कहाँ तक कहा  
गया। अस्तु, एक लक्षण लिख लेने के बाद 'यद्वा' कहकर दूसरा भी लक्षण किया गया है।  
लक्षण के बाद पहले प्राचीनों के हिसाब से शुद्ध, निश्चयगर्भ और निश्चयान्त इन तीन भेदों  
का उल्लेख करके उन भेदों के उदाहरण दिए गये हैं। उन उदाहरणों में वर्णित सशय में  
पिटारी में वन्द कटक-कुण्डलादि की तरह अलङ्कार-व्यवहार माना गया है, अर्थात् स्वय-  
म्पान वाक्यार्थरूप वे सशय उपस्कारकता के अभाव से केवल स्वरूपयोग्यता के कारण  
अलङ्कारपद से व्यवहृत होते हैं। सादृश्यमूलक सशय ही अलङ्काररूप होता है, इस सिद्धान्त के  
प्रमर्शन में प्रत्युदाहरणरूप से विचित्र हृदयग्राही तत्कालरचित वाक्य उपस्थित किया गया है।  
अद्भुत धैर्य, वीर्य और गाम्भीर्य से युक्त तथा एक क्षण के लिये भी प्राणप्रिया सीता को  
समीप से हटाने में अक्षम भगवान् रामचन्द्र को जो पहले देख चुका था, वह उनको दीन तथा  
प्रेयाविरहकातर देखकर 'यह राम हैं अथवा नहीं' इस सशय में पड़ गया।' भाव नाधुर्य  
तो इस व्याख्या से परत में आ गया, अब पदमाधुरी भी देखें—

‘त दृष्टवान् प्रथममद्भुतधैर्यवीर्य-गाम्भीर्यमक्षणविमुक्तसमीपजानिम् ।

वीच्याथ दीनमब्रलाविरहव्यथार्तं रामो न वायमिति संशयमाप लोक ॥’ ( पृ ५६४ )

कैसी सीधी-सादी पर कितना गहरा अन्तर डालने वाली भाषा है। 'अबला' पद की ध्वनि  
केतनी मार्मिक है। अपने लिये भगवान् राम को उतना दुःख नहीं, जितना उस 'अबला'  
के लिये है। सन्देहालङ्कार आरोपमूलक होता है, पर विमर्शनीकार उसको अध्यवसानमूलक  
भी मानते हैं, उदाहरण भी यथासाध्य उपयुक्त उपस्थित करते हैं। किन्तु पण्डितराज की  
कमौटी पर कसे जाने के बाद वह उदाहरण भी आरोपमूलक ही ठहरता है। सशयालङ्कार-  
निरूपण में अनेक बार भिन्न-भिन्न प्रसङ्ग पर दीक्षितमत की आलोचना की गई है और सभी  
आलोचनाओं का निष्कर्ष दीक्षित के विरुद्ध ही निकला है। अभिनव भेद भी बहुतेरे किए गए हैं।  
वन्यालोककार आनन्दवर्धन का स्मरण विशद रूप में और अत्यादर के साथ यहाँ किया गया है।

### ( १० ) भ्रान्तिमान्

लक्षण-कथन के बाद सर्वप्रथम यह कहा गया है कि अलङ्कार का नाम वस्तुतः भ्रान्ति है  
भ्रान्तिमान् नहीं, भ्रान्तिमान् तो वह वाक्सन्दर्भ कहला सकता है, जिसमें वार्तिकचिद्वत  
भ्रान्ति का अनुवाद किया जाता है। इस अलङ्कार के मूल में भी सादृश्य का रहना पण्डितराज  
भावश्यक मानते हैं। अनात्मक एक ही निश्चय को अलङ्कार सिद्ध करने के लिये पण्डितराज ने  
लक्षण में 'निश्चय.' ऐसा एकवचनान्त प्रयोग किया है ताकि भ्रान्तिसमूहात्मक उल्लेखालङ्कार  
५, ६ भू० २० ग० द्वि०

में भ्रान्ति-लक्षण-प्राप्ति का निरास हो । दीक्षितोक्त लक्षण का खण्डन करते समय उनके द्वारा उत्तरोत्तर भ्रान्ति के उदाहरणरूप में उद्धृत निम्न पद्य की आलोचना की गई है—

‘शिञ्जानैर्मञ्जरीति स्तनकलशयुग चुम्बितं चञ्चरीकैः,

तत्रासोह्लासलीलाः किसलयमनसा पाणयः कीरदृष्टाः ।

तल्लोपायालपन्त्यः पिकनिनदधिया ताडिताः काकलोकै-

रित्य चौलेन्द्रसिंह त्वदरिमृगदृशा नाप्यरण्यं शरण्यम् ॥’ (पृ ५९७)

चोल-नरेश की यह स्तुति है । कवि कहता है—‘राजन् ! तुम्हारे शत्रुओं की कामिनियों के लिये अरण्य भी शरण-दायक नहीं हो सका, क्योंकि चञ्चरीकों ने उनके स्तनकलशयुग को मञ्जरी भ्रम से चूम लिया, उनके भय से उहसित ललित लीलाओं वाले करों को कीरों ने किसलय भ्रान्ति से काट खाया, और उनके वारणार्थ अनाप-शनाप वकतीं हुईं उन कामिनियों को कौओं ने कौकिल-कलरव-भ्रम से ताड़ना दी ।’

कितना अच्छा पद्य है । पण्डितराज की आलोचना से पूर्व प्रायः इस पद्य में किसी को कोई दोष नहीं दिखलाई पटा था—दीक्षित जैसे मर्मज्ञ विद्वान् ने अपने ग्रन्थ में इस पद्य को आदर के साथ स्थान दिया । पर पण्डितराजीय आलोचना के बाद वही पद्य दोष का आकर बन गया । पण्डितराज इस पद्य को उद्धृत करके प्रकृत निबन्ध में लिखते हैं—

“तत्र विचार्यते स्तनकलशयुगे हि न तावन्मञ्जरीसादृश्यं कविसमयसिद्धम्, येन तन्मूला चञ्चरीकाणां भ्रान्तिरुपनिबध्येत । दोषान्तरमूला तु सा नालङ्कारः । अपि च धर्मिणि कलशरूपकानुवादेन मञ्जरीभ्रान्तिरूपमलङ्कारान्तरमुपनिबध्यमानमुद्वेजकमेव सहृदयानाम् । न हि सादृश्यमूलैकालङ्कारावच्छिन्ने सादृश्यमूलमलङ्कारान्तर शोभते” । प्रत्युत कलशरूपकेण मञ्जरीसादृश्यतिरस्काराच्च । ‘तत्रासोह्लासलीला. किसलयमनसा पाणय. कीरदृष्टा’ इत्यत्र विधेयाविमर्शाद्विधेयान्तरमाकाचितम् । कीरैर्दृष्टा इति तु भाव्यम् । जाता इत्यध्याहारेऽपि विवक्षितस्याविधेयत्वमविवक्षितस्य च विधेयत्वं प्रसज्येत । एव ‘तल्लोपायालपन्त्यः पिकनिनदधिया ताडिताः काकलोकै’ इत्यत्र न तावत्पिकनिनदा-स्ताडनयोग्या. काकानाम् येन तद्धिया आलपन्त्यस्तैस्ताड्येरन् । नापि पिकनिनदभ्रम आलपन्तीषु सम्भवति । सम्भवन् वा न सादृश्यमूल । पिकनिकरधियेति तु भाव्यम् । ‘ इत्यादि ।” (पृ ५९७)

अन्त में सर्वस्वकारकृत भ्रान्ति-लक्षण को भी पण्डितराज ने कुलक्षण सिद्ध कर दिया है ।

## ( ११ ) उल्लेख

लक्षण (तदीय पदकृत्य) कथन के बाद शुद्ध (अलङ्कारान्तर से अमिश्रित) उल्लेख का एक उदाहरण दिया गया है । ईदृशोदाहरण-दान-प्रयास उन आलङ्कारिकों के मुखमुद्रणार्थ किया गया है जो उल्लेखालङ्कार को नियमत अलङ्कारान्तर से मिश्रित ही मानते हैं । इसके बाद सकीर्ण भेदों व उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं । इसी प्रसङ्ग में दीक्षितमत का खण्डन किया गया है । दीक्षितजी ने अपभ्रुतिसकीर्ण उल्लेख में अतिव्याप्तिनिराकरणार्थ उल्लेखलक्षण में ‘निषेधास्पृष्ट’ विशेषण जोड़ने की बात कही है उसका खण्डन पण्डितराज ने यह कह कर किया है कि यदि सकीर्ण उल्लेख आपको

सप्तमीसुदारतां लक्षयति—

कठिनवर्णघटनारूपविकटत्वलक्षणोदारता ।

टवर्गादिकठोरवर्णघटितत्वं बन्धस्योदारता गुण इत्यर्थ ।

अब 'उदारता गुण' का लक्षण परखिये—रचना का टवर्ग आदि कठोर वर्णों से युक्त होना—जिसे विकटत्व भी कहते हैं—'उदारता गुण' कहलाता है ।

उदाहरति—

यथा—

शिवस्य ताण्डव भक्तो वर्णयति—

‘प्रमोदभरतुन्दिदलप्रमथदत्ततालावली-

विनोदिनि विनायके डमरुडिण्डिमध्वानिनि ।

ललाटतटविस्फुटन्नवकृपीटयोर्निच्छटा-

हठोद्धतजटोद्भटो गतपटो नटो नृत्यति ॥’

प्रमोदभरेण तुन्दिलैरानन्दातिशयेनोत्फुल्लैः, प्रमथं शङ्करपारिषदैः दत्ताभिर्विहिताभिः, तालावलीभिः कालक्रियामानबोधककरध्वनिपरम्पराभिः, विनोदिनि कौतूहलमृति, विनायके गणेशे, डमरुं डिण्डिमं च वाद्यविशेषं ध्वनयति वादयतीति तच्छ्रीले सति, ललाटतटात् कपालस्थलात्, विस्फुटन्ती प्रकटीभवन्ती कृपीटयोर्नरनेशुद्धा प्रभा यस्य तादृशः, हठेन नृत्याभिनिवेशेन, उद्धताभिर्दृष्टं विकीर्णाभिः, जटाभिः, उद्भटो विकट, गतपटो दिगम्बर-त्वाभिर्वसन, नटो नर्तकः शिवो नृत्यतीत्यर्थः ।

जैसे—कोई भक्त शिवजी के ताण्डव-नृत्य का वर्णन करता है—भाल-देश से फूटकर निकलती हुई अग्नि की नवीन-छटा से युक्त और हठ से (नृत्याभिनिवेश से) ऊपर उछाली हुई जटा के कारण विकट लगने वाले नगे नटराज (शिव) नाच रहे हैं, अति आनन्द से फूले हुये प्रमथ लोगों के द्वारा दी गई तालियों से विनोद-मग्न गणेशजी डमरु और डिण्डिम (वाद्यविशेष) को बजा रहे हैं ।

अत्र परोक्तिमाक्षिपति—

‘पदानां नृत्यत्प्रायत्वं विकटता’ इति काव्यप्रकाशटीकाकारा व्याचक्षते । उदाहरन्ति च—‘स्वचरणविनिविष्टैर्नूपुरैर्नर्तकीनां, ऋटिति रणितमासीत्’ इत्यादि । तत्र तेषामेतादृशीं विकटत्वलक्षणासुदारतामोजस्यन्तर्भावयन् काव्यप्रकाशकारः कथमनुकूल इति त एव जानन्ति ।

ऋटिति स्थानेऽनुकरणार्थको ऋणतीति, स्वचरणस्थाने सुचरणेति पाठश्च साधीयान् । तत्र तस्मिन् विषये । तेषा टीकाकाराणाम् ।

काव्यप्रकाशाख्यातृभिर्यत् ‘पदानां नृत्यत्प्रायत्वं विकटता’ इत्युदारताया लक्षणं कृत्वा ‘स्वचरणे’त्याद्युदाहरणं दर्शितम्, तत्र समीचीनम्, उदारताया ओजस्यन्तभावो कुर्वत काव्यप्रकाशात्मकमूलप्रत्युक्तोऽभिमतो विरुद्धत्वादित्याशयः ।

यहाँ कुछ अन्य विद्वानों का असंगत मत है, जिसका अब खण्डन करते हैं—‘पदानाम्’ इत्यादि । काव्यप्रकाश के टीकाकार व्याख्या करते हैं कि ‘पदों के नाचने से प्रतीत होने का नाम विकटता है’ और उदाहरण देते हैं—‘स्वचरणविनिविष्टे . . .’ इत्यादि । इस विषय में पण्डितराज का कथन है कि—टीकाकार के अभिमत इस तरह की विकटता से अभिन्न उदारता का ओजगुण में अन्तर्भाव करने वाले मूलकार (मम्मट) उनके अनुकूल कैसे हुये अर्थात् मूलकार और टीकाकार में एकवाक्यता कैसे हुई—इसे वे ही जानें ।

तानेवानभिमतं प्रकाशयति—

न ह्यत्रौजसो वैपुल्येन प्रतिभानमस्ति । 'विनिविष्टैर्नूपुरैर्नर्त'— इत्यत्र सन्नप्यो-  
जसो लवो न चमत्कारी । नापि तत्र नृत्यत्प्रायत्वं वर्णानामनुभवन्ति सहृदया ।  
अशान्तरे तु माधुर्यमेव ।

हि यत् अत्र 'स्वचरणे'त्याद्युदाहरणे ओजसो गुणस्य, वैपुल्येन बहुलतया प्रतिभान  
प्रतीतिर्नास्ति, 'विनिविष्टैर्नूपुरैर्नर्त'— इत्येतावदर्थे सयुक्तपकारटकाररेफघटितत्वात् सन् विद्य-  
मानोऽपि, ओजसो लवो लेश, वैपुल्याभावाद् वीराद्योजस्विरसाभावाच्च चमत्कारी न भवति,  
वर्णानां नृत्यत्प्रायत्वस्यानुभवोऽपि सहृदयानामत्र न भवति, अशान्तरे 'स्वचरणे'त्याद्यर्थो  
बहुत्र तु पुनर्माधुर्यमेवास्ति, तस्मान्मात्रौजो गुण इत्यर्थः ।

अत्रौजसो लेशतो माधुर्यस्य तु बाहुल्येन सद्भावात् पदनृत्यत्प्रायत्वाननुभवाच्च  
टीकाकर्तुर्द्वारताया लक्षणोदाहरणे न नमीचिने इति सारम् ।

अत्र उक्त मूलकार और टीकाकार में होने वाले विरोध का स्वरूप तथा उसमें युक्ति  
यत्नलते हैं— न पद्य इत्यादि । स्वचरण 'इत्यादि पद्य में प्रचुर रूप से ओजोगुण  
भाषित नहीं होता । यद्यपि 'विनिविष्टैर्नूपुरैर्नर्त' इस अंश में कुछ ओज है, पर वह  
चमत्कारी नहीं और उम पद्य में महदर्थों को नाचते से पदों का अनुभव भी नहीं होता ।  
अन्य अंशों में माधुर्य का ही अनुभव होता है । कहने का नाराश यह है कि—उक्त  
पद्य में ओज अगर है भी तो अशत और माधुर्य प्रचुर-मात्रा में है और नाचते हुये से पद  
भी नहीं हैं, अतः टीकाकार ने जो उदाहरता के लक्षण और उदाहरण दिखलाये हैं, वे ठीक  
नहीं और मूल ग्रन्थ से विरुद्ध भी है ।

अष्टममोजो लक्षयति—

सयोगपरहस्वप्राचुर्यरूपं गाढत्वमोजः ।

नयोग' परो वैभ्यस्तादृशाना हस्ववर्णाना प्राचुर्य विपुलत्वमेव रूप यस्य, तद्गाढत्व  
वर्णादीनानोजो गुण इत्यर्थः ।

अत्र 'ओजोगुण' का लक्षण सुनिये—गाढता को 'ओजोगुण' कहते हैं और गाढता कहते  
हैं—आगे में स्थित सयुक्त अक्षरों से गुरु बने हुये हस्व स्वरों की बहुलता को ।

उदाहरति—

यथा—

चाडकृत् क्षितिपति स्तौति—

'साहङ्कारसुरासुरावलिकराकृष्टभ्रमन्मन्दर-

क्षुभ्यत्नीरधिवल्गुवीचिवलयश्रीगर्वसर्वङ्कषा ।

वृष्णातान्यदमन्दतापसकुलैः सानन्दमालोकिता

भूमीभूषण । भूपयन्ति भुवनाभोगं भवत्कीर्त्तय ॥'

हे भूमिभूषण धरालङ्कार नृप । साहङ्कारायां भवलाभिमानायां, सुरासुरावलेर्देवदानव-  
पुत्रैः, करैरालङ्केन, 'यत् एव भ्रमता घूर्णमानेन, मन्दरेण मन्यानदम्भीभूतपर्वतेन, क्षुभ्यतो  
विलोचनात् मन्दलन, क्षीरधेर्दुग्धममुद्रस्य, बल्यूना सुन्दराणां, वीचिवलयानां तरङ्गमञ्जलानां,  
धियः श्लोभायां, गर्वस्य श्वेतिमान्निगन्त्य, सर्वङ्कषां नर्वापहारकारिणां, वृष्णया विपासया  
प्रेमया वा, तान्यद्भिर्व्यप्रानवद्भिः, 'मन्दरंरुन्दरं, तापसकुलैरमरत्वलाभनिमित्तकनपत्या-  
पराचयगर्षं, सानन्दं रूपनादरयादनृतत्रमेण नागादम्, आलोकिता दृष्टा, भवतः कीर्त्तय,  
भुवनानाम्, आभोगं विस्तार, भूपयन्त्यल्लुर्वन्तान्यर्थः ।

अत्रोक्तमयोगनिमित्तकगुरुत्वप्राप्तहस्ववर्णप्राचुर्यादोजोगुण ।



जैसे—कोई चाटुकार राजा की स्तुति करता है—हे धरालङ्कार ! अत्यधिक अभिमानशाली देवों और दानवों की पङ्क्तियों से खिंचे हुये, अत एव घूमते हुये, मन्दराचल से पुण्ड्र बने हुये वीर—सागर की मनोहर तरङ्गों के समूह की शोभा के गर्व को सर्वथा नष्ट करने वाली और प्यास से व्याकुल तपस्वियों के झुण्डों से ( तृषा—शान्ति का साधन समझ कर ) आनन्द पूर्वक देखी गईं आपकी कीर्तियाँ सम्पूर्ण संसार को शोभित करती हैं । यहाँ अग्रिम सयोग निमित्तक गुरुता को प्राप्त करने वाले ह्रस्व स्वरों की अधिकता है, अतः 'ओजोगुण' का उक्त लक्षण संबन्धित हुआ ।

उदाहरणान्तरमाह—

यथा वा—'अयं पततु निर्दयम्' इत्यादिप्रागुदाहृते ।

प्राग्रौद्ररसनिरूपणो । 'नवोच्छलित-' इत्यादिपद्ये ।

अथवा, 'रौद्र-रस' के निरूपण-प्रसङ्ग में उल्लिखित 'अयं पततुः.....' इत्यादि पद्य को 'ओजोगुण' का उदाहरण समझना चाहिये ।

नवमीं कान्तिं लक्षयति—

अविदग्धवैदिकादिप्रयोगयोग्यानां पदानां परिहारेण प्रयुज्यमानेषु पदेषु लोकोत्तरशोभारूपमौज्ज्वल्यं कान्तिः ।

यथा—'नितराम्' इत्यादिप्रागुदाहृते ।

असहृदयाना वैदिकप्रभृतीना प्रयोगोचितानि यानि पदानि, तानि विहाय, सहृदयै कविभि प्रयुज्यमानानि यानि पदानि, तेषु, याऽलौकिकी शोभा, सौचोज्ज्वलत्वरूपा कान्तिरिति सारम् ।

अत्र विदग्धमात्रप्रयोज्यपदबाहुल्यात् कान्ति , पूर्वोक्तमाधुर्यार्थव्यक्तिभ्या सङ्कीर्णा ।

अब 'कान्तिगुण' का लक्षण देखिये—सहृदयता—शून्य वैदिक आदि लोगों के प्रयोग करने योग्य पदों को छोड़कर, सहृदयों के प्रयोग करने योग्य पदों में जो एक अलौकिक शोभा होती है—जिसको उज्वलता भी कहते हैं—उसी ( शोभा ) को 'कान्ति' गुण कहते हैं ।

जैसे कि—'नितरा परुषा . . . ' इत्यादि पूर्वोदाहृत पद्य में । इस पद्य में सहृदयों के प्रयोग करने योग्य पदों की प्रचुरता रहने के कारण 'कान्ति' गुण है और 'माधुर्य' तथा 'अर्थव्यक्ति' गुण भी हैं, अतः तीन गुणों का सकर यहाँ माना जायगा ।

दशमं शब्दगुण समाधिं लक्षयति—

बन्धगाढत्व—शिथिलत्वयोः क्रमेणावस्थापनं समाधिः ।

बन्धस्य प्राग्गाढत्वं पश्चाच्छिथिलत्वमेवं क्रमेण, न तु प्रसादवद्व्युत्क्रमेण, अवस्थापन विन्यसन समाधिरित्यर्थ ।

अब 'समाधि' गुण का लक्षण करते हैं—रचना की गाढता और शिथिलता को क्रम से रखना—अर्थात् पहले गाढ रचना का और पश्चात् शिथिल रचना का होना—'समाधि' गुण कहलाता है ।

स्वोक्तिं प्राचीनसम्मत्या द्रढयति—

अनयोरेव प्राचीनैरारोहावरोहव्यपदेशः कृतः ।

अनयोर्वन्धस्य गाढत्वशिथिलत्वयोरेव, प्राचीनैर्वाग्मनादिभि , आरोहावरोहयो , व्यपदेशो व्यवहार कृत इत्यर्थ ।

आरोहो गाटन्वम्, अवरोहश्च शैथिल्यं वन्यस्य क्रमेण प्राचीनैः 'वयदृजप्रमितवल्ह-  
गदाभिघात-नम्रूर्णितोद्युगलस्य चुयोवनस्य । स्त्यानात्रवदघनशोणितशोणपाणि-रुत्तसधि-  
वति कचास्तव देवि । भीम ।' इत्यत्रोदाजहे ।

इन्हीं—गाडता और शिथिलता को प्राचीन वामन षादि वाचार्य आरोह और  
अवरोह शब्द से कहते हैं ।

प्रमादान् नमाधेर्यतिरेक दर्शयति—

क्रम एव हि तयोः, प्रसादादस्य भेदक, तत्र हि तयोर्व्युत्क्रमेण वृत्तेः ।

तयोर्गाटन्व-शैथिल्ययो ऋन पूर्वापरीभाव एवास्य समाधे प्रसादाद् भेदक, हि यत-  
नत्र प्रमादे तयोर्व्युत्क्रमेण वृत्ति, इह तु क्रमेणेत्युक्तमेव प्रसादरूपणे प्राक् ।

प्रमाद और नमाधि गुण में परस्पर भेद दिखलाते हैं—'रून एव' इत्यादि । गाडता  
और शिथिलता का भिन्न क्रम से रहना ही प्रमाद और इस समाधि गुण को परस्पर  
भेद बनाना है, क्योंकि प्रमाद गुण में ये दोनों ( गाडता और शिथिलता ) विपरीत क्रम  
में रहती हैं । तापर्य यह है कि प्रमाद गुण में पहले शिथिलता और पश्चाद् गाडता तथा  
नमाधि गुण में प्रथम गाडता और पश्चात् शिथिलता रहती है ।

नमाधिनुदाहरति—

यथा—

कवि कश्चिद् वर्णयति—

'स्वर्गनिर्गतनिरर्गलगङ्गा-तुङ्गभङ्गुरतरङ्गसखानाम् ।

केवलामृतमुचा वचनाना, यस्य लास्यगृहमास्यसरोजम् ॥'

स्वर्गनिर्गताया निपतिताया, निरर्गलाया निष्प्रतिबन्धाया, गङ्गाया मन्दाकिन्या,  
तुङ्गा उचा, भङ्गुरामनशाालिनश्च ये तरङ्गा, तन्मखाना तत्तुल्याना, केवलामृतमुचा पीयूष-  
रात्रि प्रवाह्यता, वचनाना, लास्यगृहं नृत्यायतनमुक्तीनात्पद, यत्न, आस्य मुखमेव सरोज  
मलनस्तोत्यर्थ ।

नमाधि का उदाहरण जैसे—

कवि किसी का वर्णन करता है—जिसका मुख-कमल, स्वर्ग से निकली हुई, अत एव  
नविभ्रं होकर प्रवाहित होने वाली मन्दाकिनी की ऊँची-नीची अर्थात् लचकनी हुई  
हरों के मित्र ( अर्थात् उनके समान ) तथा केवल अनृत वरसाने वाले वचनों का  
अस्य-गृह है अर्थात् जिसके मुख में सर्वदा ऐसे वचन विराजमान रहते हैं ।

उपमादयति—

अत्रारोह प्रथमेऽर्धे, तृतीयचरणे त्ववरोह ।

'अत्र न्दार्गैत्यादिपद्ये, ऽधमेऽधे प्रथमद्वितीयचरणयो, आरोहो गाटन्वम्, तृतीयचरणे  
अरोह शैथिल्यनिधि नमाधिः गाटन्व-शैथिल्ययो क्रमेण नाङ्गवेगात् । इह 'तृतीयचरणे'  
न्यत्र बहुत्रंहिरिति केषांश्चिद्विवरणं चिन्त्यम्, बहुत्रंहिणा तस्योत्तरार्धपरत्वान्युत्तमं  
दृक्चतुर्थचरणे वन्यशैथिल्याप्रतीतिर्नगरमन्वदामम्भगात् ।

उक्त श्लोक के प्रारंभ में आरोह (गाडता) और तृतीय चरण में अवरोह (शिथिलता) है ।

अत्रैव पूर्वो माधुर्यमाहुर्यं निगदन्त्योत्तरार्धेऽन्युत्तमं चति—

गङ्गेत्यादीं माधुर्यस्य व्यञ्जकेषु वर्णेषु सत्त्वापि, दीर्घममामान्त-रूपानितया न  
तस्य प्ररोहः । उत्तरार्धे तु नोऽपि ।

उक्तोदाहरणे पूर्वो गङ्गेत्यादिपद्येऽधमेऽधे प्रथमद्वितीयचरणयो नमाधिः गाटन्वम्, तृतीयचरणे

दीर्घसमासघटकत्वेन पृथक्पदत्वविरहाच्च माधुर्यस्य प्ररोहः ( दाढ्यम् ), उत्तरार्धे तु दीर्घसमासाभावान्माधुर्यस्य प्ररोहोऽपीति माधुर्यसङ्कीर्णः समाधिरस्तीत्यर्थः ।

यद्यपि यहाँ गङ्गा आदि पदों में माधुर्य-गुण के व्यञ्जक वर्ण हैं, तथापि वे पद लसमास के मध्य में पद गए हैं, अतः माधुर्य गुण पुष्ट नहीं हो सकता, हाँ, उत्तरार्ध में ( माधुर्य ) भी अवश्य है, क्योंकि उधर लम्बे समास नहीं हैं । इस तरह यहाँ समा और माधुर्य का सङ्कर है, ऐसा समझना चाहिये ।

शब्दगुणनिरूपणमुपसहरति—

एते दश शब्दगुणाः ।

एते श्लेषादयो दश शब्दगुणा निरूपिता इत्यर्थः ।

ये ही दश शब्द गुण हैं ।

अर्थार्थगुणेषु प्रथमं श्लेष निरूपयत्क्षयति—

एवं क्रियापरम्परया, विदग्धचेष्टितस्य, तदस्फुटत्वस्य, तदुपपादकयुक्तेश्च सामानाधिकरण्यरूपः संसर्गः श्लेषः ।

एवं शब्दगुणवत्, विदग्धचेष्टितस्य चतुरचेष्टाया, तदस्फुटत्वस्य तच्चेष्टाया अव्यक्तत्वस्य, तदुपपादिकायास्तद्व्यापारसाधिकाया युक्तेरुपायस्य च यत् सामानाधिकरण्य एकस्मिन्नधिकरण्ये क्रियापरम्परया पूर्वापरीभूतानेकक्रियाभिः, ( वर्णितत्वाद् ) वृत्तित्वम् तद्वूपो य संसर्गः स श्लेष इत्यर्थः ।

चातुर्येण कार्यविधानस्य, तद्वोपनस्य, तत्साधकोपायस्य चार्थस्य क्रमिकानेकक्रियाभिरैकत्रैव मिथस्सम्बन्धकरणपूर्विका घटना श्लेषनामाऽर्थगुण इति सारम् ।

‘क्रियापरम्पराया’ इति षष्ठ्यन्तपाठे तु क्रियापरम्पराया विदग्धचेष्टितादीना सामानाधिकरण्यं बोध्यम् ।

एतदुदाहरणन्त्वमसककवेर्यथा—

‘दृष्ट्वैकासनसंस्थिते प्रियतमे पश्चादुपेत्यादरा—

देकस्या नयने पिघाय विहितक्रीडानुबन्धच्छलम् ।

ईषद्विक्रितकन्धर सपुलक प्रेमोहसन्मानसा—

मन्तर्हासलसत्कपोलफलका धूर्तोऽपरा चुम्बति’ ॥ इति ।

धूर्तश्चतुरो नायकः, एकासनसंस्थिते एकस्मिन्नेवास्तरण उपविष्टे, प्रियतमे ज्येष्ठाकनि प्रेयस्यौ, दृष्ट्वा निभृत दूरादवलोक्य, तद्दृष्टिपथं परिहरन् पश्चात् पृष्ठतः, आदरादतर्कितालिङ्गनकौतुकात्, उपेत्योपगत्य, विहितं कृतं क्रीडानुबन्धस्याक्षिणिमीलनरूपलीलानुष्ठानस्य छलम् उभयत्र तुल्यप्रेमाभावाद् व्याजं येन, तादृश, एकस्याः कनिष्ठाया, नयने पिघाय कराभ्या निमील्य, ईषद्विक्रितकन्धरो ग्रीवाधिकनमने कदाचित् कनिष्ठा रहस्य जानीयादिति मिय किञ्चिदिव कुटिलितग्रीव, सपुलकः स्वाभीष्टसिद्धिसाक्षिग्यसम्भूतहर्षात् सरोमाह, प्रेम्ण सपतन्यपेक्षयाऽऽत्मनि पतिप्रणयाधिक्यावधारणादुद्भूतया प्रीत्या, उल्लसदामोदमान मानस्यस्यास्तादृशीम्, अन्तर्हासेन रहस्यभेदमिया स्मितरूपाव्यक्तहृदितेन, लसच्छोभमानं कपोल फलक सञ्चिक्वैकगण्डतल यस्यास्तथाभूताम्, अपरा ज्येष्ठां चुम्बतीत्यर्थः ।

अत्रैकस्या वचनेनावरस्याश्चुम्बनं विदग्धचेष्टितम्, तस्यास्फुटत्वमपरयाऽज्ञातत्वात् तदुपपादकयुक्तिश्च नयननिमीलपूर्वक क्रीडानुष्ठानम्, तेषां पश्चाद्वागमन-नयननिमीलनलीला विधान-चुम्बनरूप-क्रमिकक्रियाणा च सामानाधिकरण्येन निबन्धत श्लेषः ।



तृतीया समता लक्षयति—

प्रक्रमाऽभङ्गेनार्थघटनात्मकमवैषम्यं समता ।

प्रक्रम आरम्भक्रमस्तस्याभङ्गेनानन्यथाकरणेन, याऽर्थस्य घटना, तद्रूपम् अवैषम्यं विमताऽभाव समतेत्यर्थ ।

आदौ येन शब्देन यस्यार्थस्योपादनं क्रियेत, तेनैव न तु तत्पर्यायेण, अन्तं यावत्निर्वाहो यत्र विधीयेत, तत्र समतेत्याशय ।

अव 'समता गुण' का लक्षण सुनिये—विषमता के अभाव को 'समता गुण' कहते हैं और विषमता का अभाव कहते हैं—आरम्भ का क्रम जिससे भग्न न होने पावे, इस तरह की अर्थयोजना को अर्थात् आरम्भ में जिस तरह का आर्थिक क्रम रखा गया हो, अन्त तक उस क्रम का निर्वाह करना ही 'समता' है ।

उदाहरति—

यथा—

भगवद्भक्तो वक्ति—

‘हरिः पिता, हरिर्माता, हरिर्भ्राता, हरिः सुहृत् ।

हरिं सर्वत्र पश्यामि, हरेरन्यत्र भाति मे ॥’

भाति रोचते, मे मह्यम् । अन्यत् स्फुटमेव ।

जैसे—कोई भक्त कहता है—( मेरे ) हरि ही पिता हैं, हरि ही माता हैं, हरि ही भाई हैं और हरि ही सखा हैं । मैं सब स्थानों में हरि को ही देखता हूँ, मुझे कहीं भी हरि से भिन्न वस्तुदृष्टिगोचर नहीं होती ।

उपपादयति—

अत्र 'विष्णुर्भ्राता' इत्यादिनिर्माणे प्रक्रमभङ्गात्मकं वैषम्यम् ।

‘न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके, य’ शब्दानुगमादते ।

अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते ॥’

इत्यभियुक्तोक्ते' शब्दस्यापि शाब्दिकनये शाब्दबोधविषयत्वादिह हरिशब्दस्य विष्णु-शब्देन परिवृत्तौ, प्रक्रान्तहरिपदाभावाद् वैषम्ये नानुदाहरणत्वं स्यादिति तात्पर्यम् ।

यहाँ यदि 'हरि भाई हैं' की जगह 'विष्णु भाई हैं' ऐसा कह दिया जाय तो प्रक्रम-भङ्गरूप विषमता हो जायगी, यद्यपि 'हरि' और 'विष्णु' पद के अर्थ में कोई भेद नहीं है, तथापि शब्द और अर्थ में एक ऐसा तादात्म्य है कि एक अर्थ भी दो तरह के शब्दों के द्वारा प्रतिपादित होने पर दो जैसे लगने लगता है, अतः हरि शब्द से आरम्भ करने पर उसी शब्द से समाप्ति भी करनी चाहिये, तभी समता की रक्षा होगी अन्यथा विषमता दुवार है ।

चतुर्थं माधुर्यं लक्षयति—

एकस्या एवोक्तेर्भङ्गचन्तरेण पुनःकथनात्मकमुक्तिवैचित्र्यं माधुर्यम् ।

एकस्यैवार्थस्य, भङ्गचन्तरेण भिन्नेन प्रकारेण, पुनरुपादानमुक्तिवैचित्र्यं यत्, तदेव माधुर्यमित्यर्थ । इहोक्तेरर्थस्येति विवरणन्तु 'एवोऽर्थ' इत्यग्रिमवृत्तिप्रन्यानुरोधेन विहितम् ।

अव 'माधुर्यं गुण' ( अर्थगत ) का लक्षण करते हैं—एक ही अर्थ को भिन्न भिन्न भङ्गी (प्रकार) से पुनः पुनः कहना यह जो उक्ति की विचित्रता है, उसे 'माधुर्य-गुण' कहते हैं ।

दशहरति—

यथा—

भक्तो भागीरथीं भाषते—

‘विधत्ता निश्शङ्क निरवधिसमाधि विधिरहो,  
सुखं शेषे शेता हरिरविरत नृत्यतु हरः ।  
कृतं प्रायश्चित्तैरलमथ तपोदानयजनैः,  
सवित्री कामाना यदि जगति जागर्ति भवती ॥’

भगवति गप्ते ! कामाना स्वर्गादिविषयक्सकलाभिलाषाणा, सवित्री पूरयित्री, भवती, यदि श्रहो ! जगति भूलोके, जागर्ति सावधाना तिष्ठति, अथ तदा, विधिर्ब्रह्मा, निश्शङ्कं कर्तव्याभावानिस्तन्देहं, निरवधि निस्सीम समार्धि विधत्ताम्, हरिर्विष्णुः सुख सनिर्वृति शेषेऽनन्तभोगशय्याया, शेता स्वपितु, हरः शिवः, अत्रिरतं सतत नृत्यतु, प्रायश्चित्तैः पाप-नाशकानुष्ठानविशेषैः, कृतमलम्, अन्यथैव तत्साध्यसिद्धे, तपोदानयजनैस्तपसा दानेन यद्देन चाल न किमपि प्रयोजनमित्यर्थ ।

जैसे—कोई भक्त भगवती भागीरथी से कहता है—ब्रह्मा ( कुछ भी कर्तव्य नहीं रहने के कारण ) मन्देश रहित होकर, अनन्त समय तक समाधि में बने रहें, विष्णु भगवान् शेष-शय्या पर सुखपूर्वक सोते रहें और शिवजी भी सदा ताण्डव-नृत्य में मग्न रहा करें, मुझे उन सबों से कुछ प्रयोजन नहीं। अब मेरे लिये प्रायश्चित्तों ( पाप-नाशक अनुष्ठान विशेष ) की भी कोई आवश्यकता नहीं और तप, दान तथा यज्ञ ये सब भी अब मेरी दृष्टि में व्यर्थ हैं, जब कि हे जगन्मात ! सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली तू ससार में ( मेरे लिये ) सावधान होकर खड़ी है ।

उपपादयति—

अत्र विध्यादिभिर्नास्ति किमपि प्रयोजनमित्येषोऽर्थः, समाधिविधानादि-प्रेरणारूपेणोक्तिवैचित्र्येणाभिहितः, अन्यथाऽनवीकृतत्वापत्तेः ।

‘त्रोदाहरणे भवत्या सत्या विधिहरिप्रभृतीना किंप्रयोजनमित्येतादृश एक एवार्थ समाधिविधान-सुखशयनादिप्रवर्तनास्वरूपेण नवनवेन प्रकारेणोक्त इति माधुर्यम् । अन्यथा कथनप्रकारनवनवत्वाभावे ‘सदा चरति खे भानु, सदा वहति मारुत ।’ इत्यादाविकात्राप्य-नवीकृतत्वदोषस्यापातः स्यादित्यर्थ ।

यहाँ ‘ब्रह्मा-आदि से कुछ भी प्रयोजन नहीं है’ इसी एक अर्थ को ‘समाधि में बने रहें’ इत्यादि प्रेरणात्मक उक्ति-वैचित्र्य से कहा गया है, अन्यथा ‘अनवीकृतता’ नामक दोष आ जाता ।

पद्मर्मा सुकुमारता लक्षयति—

अक्राण्डे शोकदायित्वाभावरूपमपारुण्यं सुकुमारता ।

अक्राण्डेऽवसरे शोकदायित्वं शोकजनकं च पारुण्यं कठोरता, तदभावश्च सुकुमारतेत्यर्थः । अत्र ‘सुकुमारता-गुण’ का लक्षण दिखलाते हैं—अपारुण्य ( कठोरता के अभाव ) को ‘सुकुमारता’ कहते हैं और कठोरता का अभाव कहते हैं—बिना खास अवसर के शोक न देने को ।

उदाहरति—

यथा—‘त्वरया याति पान्योऽयं प्रियाविरहकातर’ ।

प्रियाया विरहान् कतरस्सत्त पान्य पधिकेऽयं त्वरया शीघ्रं याति गृह गच्छतीत्यर्थः

जैसे कि—यह पथिक प्रियतमा के वियोग से डरता हुआ शीघ्रता से जा रहा यह एक स्त्री की किसी दूसरी स्त्री के प्रति उक्ति है ।

उपपादयति—

‘प्रियामरणकातरः’ इत्यत्र शोकदायिनो मरणशब्दस्य सत्त्वात् पारुष्य इदञ्चाश्लीलतादोषव्याप्यम् ।

त्वरयेत्याद्युदाहरणो विरहशब्दस्य मरणशब्देन परिवर्तने च, विरहस्य दुःखजनकरवे शोकजनकत्वाभावादपारुष्यम्, मरणस्य त्वालम्बननाशरूपतया शोकजनकत्वेन पारुष्या क्रमेणोदाहरणप्रत्युदाहरणत्वे स्फुटे । इदं पारुष्यं च ब्रीडा-जुगुप्साऽमङ्गलव्यञ्जक त्रिविधस्याश्लीलतादोषस्य व्याप्यं तृतीयप्रकारतयाऽन्तर्गतमित्यर्थः ।।

यहीं यदि ‘प्रियतमा के मरण से डरता हुआ’ ऐसा कह दिया जाय, तो शोक-‘मरण’ पद के आ जाने से पद्य में कठोरता आ जायगी । यह कठोरता अमङ्गल-व्य ‘अश्लीलता’-नामक दोष के अन्तर्गत है ।

षष्ठीमर्थव्यक्तिं लक्षयति—

**वस्तुनो वर्णनीयस्यासाधारण-क्रियारूपयोर्वर्णनमर्थव्यक्तिः ।**

वर्णनीयस्य वस्तुन पदार्थस्य तदेकजातिमात्रवृत्तितयाऽसाधारणे इतरव्याप्त क्रियारूपे व्यापारावयवसस्थाने, तयोर्वर्णनमर्थव्यक्तिरित्यर्थः ।

अथ ‘अर्थव्यक्तिगुण’ का लक्षण कहते हैं—जिस वस्तु का वर्णन करना हो, उसका असाधारण ( खास ) कर्तव्य और रूप का वर्णन करना ‘अर्थव्यक्ति’ गुण कहलाता है ।

उदाहरति—

यथा—

नायक सखायं प्रचीति—

‘गुरुमध्ये कमलाक्षी, कमलाक्षेण प्रहर्तुकामं माम् ।

रदयन्त्रितरसनाग्रं, तरलितनयनं निवारयाञ्चक्रे ॥’

गुरुणां श्वश्रुप्रभृतीनां मध्ये स्थिता कमलाक्षी नलिननयना प्रिया, कमलाक्षेण पद्मबीजेन, प्रहर्तुकाम ताडयितुमिच्छु, माम्, रदैर्दन्तैर्यन्त्रित निपीडित रसनाया जिह्वाया अग्रं यत्र, तद्यथा स्यात् तथा, तरलिने चञ्चलीकृते नयने च यत्र, तद्यथा स्यात्तथा मैव काशीरिति निवारयाञ्चक्रे निवारितवतीत्यर्थः ।

इह कमलवदीर्घनयनरूपस्य रूपस्य, जिह्वाप्रदन्तनिपीडन-लोचनचञ्चलीकरणरूपयोरसु चित्ताचरणनिवारणसूचकक्रिययोश्च ललनाजनमात्रवृत्तीना वर्णनादर्थव्यक्तिः ।

जैसे—नायक अपने मित्र से कहता है—सास-ननद आदि गुरुजनों के बीच में वैठी हूँ कमल से नेत्रों वाली ( नायिका ) ने कमल के बीजों से अपने ऊपर प्रहार करने के लिए उद्यत मुझको घाँतों से जीभ के अग्रभाग को दबा कर तथा नेत्रों को चञ्चल बना कर (नचाकर) रोक दिया—सूचित कर दिया, कि ऐसा न कीजियेगा, अन्यथा बड़ी हँसी होगी यहाँ नायिका के कमलवत्-दीर्घ-नयनात्मकरूप और जीभ के अग्रभाग को दबाने तथा नेत्रों के चञ्चल करने-रूप कतव्यों का वर्णन किया गया है, अतः ‘अर्थव्यक्तिगुण’ का लक्षण संघटित हुआ ।

अर्थव्यक्ते स्वभावोक्त्यलङ्काररूपतामाचष्टे—

अयमेवेदानीन्तनैः स्वभावोक्त्यलङ्कार इति व्यपदिश्यते ।

अयमर्थव्यक्तिगुण एव, इदानीन्तनैराधुनिकैर्विद्वद्भिः, स्वभावोक्त्यलङ्कार इति व्यपदिश्यते व्यवहियते ‘स्वभावोक्तिस्तु हिम्मादे स्वक्रिया-रूपवर्णनम्’ इत्यादिभिरित्यर्थः ।

इन्हीं को आधुनिक विद्वज्जन 'स्वभावोक्ति' जलझार कहते हैं ।

सन्मनुदारता लक्ष्यति—

'सुम्बनं देहि मे भायें ! कामचाण्डालतृप्तये' इत्यादिग्राम्यार्थ-  
परिहार उदारता ।

त्रिविध हि शब्दा—नागरिका औन्नगरिका ग्राम्याश्च । तत्रोत्तमप्रकृतौ वक्षरि  
नादिवृत्तीयशब्दाद्यर्थत्यानौचित्येन यद्ग्राम्यत्व दोषः, तदन्वय उदारतेत्यर्थः ।

ग्राम्यमिह सर्वमोदारताया उदाहरण सन्भवतीति पृथङ् न प्रतिपादितम् ।

अब 'उदारता गुण' का लक्षण दिखलाते हैं—'सुम्बनं देहि मे भायें' नाम चाण्डाल-  
रूपे अर्थात् 'बरी मेहरिया । तू काम-रूप चाण्डाल को तृप्त करने के लिये मुझे  
अपना एक सुम्बन दे' इत्यादि ग्राम्य (गमैया) बातों का परित्याग करना ही  
'उदारता' कहलाता है । तापर्य यह है कि शब्दों की तीन श्रेणियाँ मानी गई हैं, जिनमें  
भाषा आदि शब्द तृतीय श्रेणी के कहे जाते हैं, अतः उत्तम कोटि के वक्ताओं को उनका  
प्रयोग नहीं करना चाहिये । इस गुण का उदाहरण जल्ग करके इसलिये नहीं दिखलाया  
गया कि उक्त तृतीय श्रेणी के शब्दों से अतिरिक्त सब शब्दों का प्रयोग होने पर उक्त गुण  
का उदाहरण सम्भव है, जिनका समझना सरल है ।

अष्टमभोजे लक्ष्यति—

एकस्य पदार्थस्य बहुभिः पदैरभिधानम्, बहूनां चैकेन, तथैकस्य  
वाक्यार्थस्य बहुभिर्वाक्यैः, बहुवाक्यार्थस्यैकवाक्येनाभिधानम्, विशेष-  
णानां साभिप्रायत्वं चेति पञ्चविधभोजः ।

एकपद-प्रतिपाद्यस्यार्थस्यानेकैः पदैः प्रतिपादन प्रथमः प्रकारः, अनेकपदप्रतिपाद्य-  
स्यार्थस्यैकेन प्रतिपादनं द्वितीयः प्रकारः, एकाक्यप्रतिपाद्यार्थस्यानेकैर्वाक्यैः प्रतिपादनं  
तृतीयः प्रकारः, अनेकवाक्यप्रतिपाद्यार्थस्यैकेन वाक्येन प्रतिपादनं चतुर्थः प्रकारः, सार्व-  
विशेषाक्यत्वं च पञ्चमः प्रकार इति प्रकारपञ्चान्यतनत्वभोज इत्यर्थः ।

अब 'भोजगुण' (अर्थगत) का लक्षण देखिये—'भोजगुण' के पाँच भेद हैं—१ एक  
पद से कहने योग्य अर्थ का अनेक पदों के द्वारा कथन । २. अनेक पदों से कहने योग्य  
अर्थ का एक पद से कथन । ३ एक वाक्य से कहने योग्य अर्थ का अनेक वाक्यों के द्वारा  
प्रतिपादन । ४. अनेक वाक्यों द्वारा प्रतिपादन करने योग्य अर्थ का एक वाक्य के द्वारा  
प्रतिपादन । ५. विशेषणों का सप्रयोजन होना-निरर्थक नहीं होता ।

तत्र प्रचीननम्मतिं दर्शयति—

चण्डाल—

'पदार्थे वाक्यरचना, वाक्यार्थे च पदाभिधा ।

प्राँडिव्यास-समासौ च साभिप्रायत्वमस्य च ॥' इति ।

दिह्यन्ते—

पूर्वार्धप्रतिपाद्यं द्वयम्. व्यास-समासौ चेति चतुःप्रकारा प्राँडि. साभिप्रा-  
यत्वं चेति पञ्चप्रकारभोज इत्यर्थः ।

पदार्थस्य वाक्येन, वाक्यार्थस्य पदेन प्रतिपादनम्, एकाक्यार्थस्यानेकवाक्यैः प्रति-  
पादनं व्यासः, अनेकवाक्यार्थस्यैकवाक्येन प्रतिपादनं समास्येति प्रकारचतुष्टयत्वा प्राँडि,  
अस्य विशेषः साभिप्रायत्व सार्वक्यत्वं चेति पदप्रकारभोज इत्यर्थः ।



इह वाक्यपदं योग्यतादिमतस्तद्ग्रहितस्य च पदसमूहस्य बोधकं बोध्यम् । इतरथाऽपि पदं वक्ष्यमाणौ 'सरसिजे-'त्याद्युदाहरणे प्रथमचरणस्य वाक्यत्वं न स्यात् ।

ओज के उक्त पाँच भेदों के विषय में प्राचीन आचार्यों की भी सम्मति है, उन्होंने लिखा है—एक पद के अर्थ में वाक्य की रचना, वाक्य के अर्थ में एक पद का कथन तथा किसी बात का विस्तार और सन्नेप करना, यह चार प्रकार की प्रौढ़ि—अर्थात् वर्णन करने की विचित्र निपुणता और विशेषणों का सप्रयोजन होना—इस प्रकार से ओज के पाँच भेद होते हैं ।

प्रौढेरतिरिक्तप्रकारत्वभ्रमनिवारणार्थमभिधत्ते—

प्रौढिः प्रतिपादनवैचित्र्यम् ।

उक्तिवैचित्र्यरूपा प्रथमप्रकारचतुष्टयबोधिका प्रौढिर्न प्रकारान्तरमित्याशय ।

प्राचीनों की कारिका में 'प्रौढ़ि' से ओज का कोई खास छद्म भेद विवक्षित नहीं है, किन्तु प्रतिपादन की विचित्रता मात्र विवक्षित है, ऐसा समझना चाहिये ।

ओजसः प्रथम प्रकार पदार्थे वाक्यरचनारूपमुदाहरति—

यथा—

प्रभातं वर्णयति—

'सरसिजवनबन्धु-श्रीसमारम्भकाले,

रजनिरमणराज्ये नाशमाशु प्रयाति ।

परमपुरुषवक्त्रा-दुद्गतानां नराणां,

मधुमधुरगिरां च प्रादुरासीद् विनोदः ॥'

सरसिजवनबन्धो सूर्यस्य, श्रिय कान्ते समारम्भस्य प्रारम्भस्य, काले प्रभातसमये, रजनिरमणराज्ये चन्द्रसुषमावैभवे, आशु, नाश लोप प्रयाति सति, परमपुरुषस्येश्वरस्य वक्त्रान्मुखादुद्गतानामुत्पन्नानां नराणां ब्राह्मणानां, मधुमधुरगिरां विनोद क्षौद्रमधुरसौतमन्त्रो-च्चारणकौतुकं प्रादुरासीदभवदित्यर्थ ।

जैसे कि—ओज के प्रथम भेद ( पद के अर्थ में वाक्य-रचना ) का उदाहरण—जिस समय कमल-कानन के बान्धव ( अकारण हितैषी ) भगवान् सूर्य की शोभा का प्रारम्भ हो रहा था—अर्थात् सूर्य उदित हो रहे थे और निशा-नाथ चन्द्र कारज्य शीघ्रता से नष्ट हो रहा था—अर्थात् चन्द्र अस्त हो रहे थे, उस समय परम पुरुष ( जगदीश ब्रह्मा ) के मुख से उत्पन्न हुए मनुष्यों ( अर्थात् ब्राह्मणों ) का और मधु के समान मधुर वचनों ( अर्थात् वेदों ) का विनोद प्रकट हुआ । यह प्रभात का वर्णन है, जिसका सारांश है कि प्रातःकाल में ब्राह्मणों ने वेद-पाठ करना प्रारम्भ किया ।

उपपादयति—

अत्रोषसीत्येकपदार्थस्याभिधानाय प्रथमचरणः ।

अत्रोदाहरणे, उषसीत्येकपदेन प्रतिपाद्यस्य प्रभातस्य बोधनाय सरसिजेत्यादिराद्यचरणः समस्तैकपदरूप उपात्त इत्यर्थः ।

यहाँ 'प्रातःकाल में' इस एक पद के अर्थ में पूर्वार्ध के दो चरण ( जो वाद्वा रूप हैं ) वनाये गये हैं ।

अग्नेऽप्येवमूहितुमुपदिशति—

इत्याद्यग्नेऽपि बोध्यम् ।

अग्नेऽप्येवमुपपादनमूहनीयमित्यर्थः ।

। और 'ग्राहणों' तथा 'वेदों' इन एक-एक पदों के अर्थ में आगे के हेतु चरण की रचना की गई है, अतः यह 'पद के अर्थ में पद की रचना' का उदाहरण हुआ ।

द्वितीय प्रकारसुदाहरति—

'खण्डितानेत्रकञ्जालि-मञ्जुरञ्जनपरिडिता ।

मण्डिताखिलदिक्प्रान्ता-श्चण्डाशोभान्ति भानवः ॥'

खण्डिताया इतरल्लनात्त्यनीतरात्रिक-प्रातरुपेतपतिप्रतिकूलानरणानगमोदितदुःखना-  
मिग्या नेत्रकण्ठलेनयननत्तिनध्रेण्या, मञ्जुनि सुन्दरे, रञ्जने शोणिससम्यादने, पण्डिता  
मिग्या, मण्डिता प्रभया प्रकाशेन भूषिता अखिला दिक्प्रान्ता आशान्ता यैस्तादृशा,  
चण्डाशो मूर्धस्य, भानव किरपा, भान्ति शोभन्त इत्यर्थ ।

अथ 'वाक्य के अर्थ में पद की रचना का उदाहरण सुनिये—खण्डिता नायिकाओं के नेत्र-कमलों की पट्टियों को सुन्दरतया रंगने में निपुण तथा दिग्भागों को भूषित करने वाली सूर्य की किरणें शोभित हो रही हैं ।

उत्पादयति—

अत्र 'यस्या' पराङ्गनागेहात् पति' प्रातर्गृहेऽञ्जति' इति वाक्यार्थे खण्डिता पदाभिधानम् ।

'यस्या' इत्यादिवाक्यप्रतिपाद्यार्थस्यैकेन खण्डितापदेन प्रतिपादनादत्रौजसो द्वितीयः प्रकार इत्यर्थ ।

यहा 'जिसका पति दूसरी नायिका के घर से प्रातःकाल में अपने घर आवे' इस वाक्यार्थ के स्थान में केवल 'खण्डिता' पद का प्रयोग किया गया है ।

तृतीय प्रकारसुदाहरति—

'अयाचित. सुख दत्ते, याचितश्च न यच्छति ।

सर्वस्व चापि हरते, विधिरुच्छृङ्खलो नृणाम् ॥'

उच्छृङ्खल स्वातन्त्र्यादुन्मुक्तवन्धन, नृणा विधिदेवम्, अयाचितोऽप्रार्थित, सुखं, दत्ते  
वितरति, याचितश्च पुन' सुखं न यच्छति न ददाति, अपि तु सर्वस्वं पूर्वसञ्चितसफलधन-  
मपि हरते नागयतीत्यर्थ ।

अथ 'एक वाक्य के अर्थ में अनेक वाक्यों का कथन' का उदाहरण देखिये—कोई दीन यन्नि अपने भाग्य को कोसता है । कहता है—उच्छृङ्खल देव ( भाग्य ) विना मांगे सुख ना है और मांगने पर नहीं देता, वरन् उसका सर्वस्व भी लूट लेता है ।

उत्पादयति—

अत्र हैवाधीन सर्वमित्येकस्मिन् वाक्यार्थे नानावाक्यरचनात्मको व्यासपद-  
च्यो विस्तर ।

एकवाक्यार्थस्य ऋत्तिर्भिर्वाक्यैरभिधानादिह व्यासरूप श्लोकास्तृतीय' प्रकार' ।

यहा 'मद कुट्ट भाग्य के अधीन है' इस एक वाक्य के अर्थ में अनेक वाक्य का कथन ना है, अतः यह विस्तर है, जिसको प्राचीन आचार्य 'व्यास' कहते हैं ।

चतुर्थ प्रकारसुदाहरति—

'तपस्यतो मुनेर्वक्त्राद् वेदार्थमधिगत्य स' ।

वासुदेवनिविष्टात्मा, विवेश परमं पदम् ॥'

तपस्यतस्तप कुर्वत, मुने, वक्त्रान्मुखात्, स, वेदार्थम्, अधिगत्य ज्ञात्वा, वासुदेवे  
वति परब्रह्मणि निविष्ट प्रविष्ट आत्मा मनो यत्य, सादृश परमं पदं मुक्तिपदवीं

विवेशेत्यर्थः । 'आत्मा क्लेशवरे, यत्ने, स्वभावे, परमात्मनि । चित्ते, धृतौ च, बुद्धौ च परव्यावर्तनेऽपि च ।' इति धरणिकोशादात्मपदमिह मनोवाचकमवसेयम् ।

'अत्र 'अनेक वाक्यों के अर्थ में एक वाक्य की रचना' का उदाहरण देखिये—को किसी भक्त के विषय में कहता है कि—उसने तपस्या करते हुए मुनि के मुख से वेद के अर्थ को समझ कर वासुदेव भगवान् में मन को लगा कर मोक्ष को प्राप्त किया ।

उपपादयति—

अत्र 'मुनिस्तपस्यति' 'तद्वक्त्रात् स वेदार्थमधिगतवान्' 'तदनन्तरं वासुदेवं परब्रह्मणि मनः प्रावेशयत्' 'ततश्च मुक्तोऽभूत्' इति वाक्यार्थकलापः शतृ-क्त्व बहुव्रीहिभिस्तिङ्न्तेन चानुवाद्यविधेयभावेनैकवाक्यार्थीकृतः ।

वाक्यार्थकलाप उल्लिखितवाक्यचतुष्टयार्थसमूहः । तपस्यत इत्यत्र शतृप्रत्ययः । अधिगत्येत्यत्र क्त्वाप्रत्ययः । तृतीयचरणे बहुव्रीहि । विवेशेति च तिङन्तम् । अनुवाद्यमुद्देश्यम् । वाक्यचतुष्टयप्रतिपाद्यार्थानामुद्देश्यविधेयभावेन सम्बन्धितानामेकवाक्यप्रतिपाद्यतासम्पादनात् समास श्रोजसत्त्वर्थः प्रकारोऽत्र बोध्यः ।

यहां ( १ ) मुनि तपस्या करते हैं । ( २ ) उनके मुख से उसने वेद के अर्थ को समझा । ( ३ ) उसके बाद भगवान् में मन लगाया और ( ४ ) तदुत्तर मोक्ष को प्राप्त किया, इतने वाक्यों के अर्थों का समूह शतृ-प्रत्यय ( तपस्यतः ), क्त्वा-प्रत्यय ( अधिगत्य ) और बहुव्रीहि समास ( वासुदेव निविष्टास्मा ) के द्वारा अनुवाद्य रूप से और तिङन्त ( क्रिया विशेष ) के द्वारा विधेय रूप से लिख कर एक वाक्यार्थ के रूप में कर दिया गया है ।

विशेषणस्य साभिप्रायत्व विवृणोति—

साभिप्रायत्व च प्रकृतार्थपोषकता ।

प्रकृतस्य प्रस्तुतविशेष्यस्य पोषकत्वमुपस्कारकत्व विशेषणस्य साभिप्रायत्वमित्यर्थः ।

विशेषण की साभिप्रायता से यहाँ यह तात्पर्य है कि जो वर्णन चल रहा है, उसको पूरा करना अर्थात् उसमें सहायता पहुँचाना ।

पञ्चमं प्रकारमुदाहरति—

यथा—

भक्तो भगवन्तं प्रार्थयते—

'गणिकाऽजामिलमुख्यानवता भवता वताहमपि ।

सीदन् भवमरुगते, करुणामूर्ते न सर्वथोपेक्ष्यः ॥'

हे करुणामूर्ते प्रत्यक्षकारुण्यरूप भगवन् ! गणिका विदेहनगरस्था पिङ्गलाभिधा वेश्या अजामिलस्तद्यामा कान्यकुब्जदेशोद्भूतो दासीपतिद्विजस्तौ मुख्यौ येषां, तान् पतितान्, श्रवता नरकाद् रक्षता, भवता, भव ससार एव क्लेशकरत्वान्मरुगते निर्जलदेशादटस्तत्र सीदन् यातनामनुभवन्, वत हन्त ! अहमपि सर्वथा नितरां न उपेक्ष्य उपेक्षणीय इत्यर्थः । पिङ्गलाऽजामिलयो कथा श्रीमद्भागवते प्रसिद्धा ।

जैसे कि—हे करुणामूर्ते ! गणिका ( पिङ्गला नाम की एक वेश्या ) और अजामिल ( एक, दासी-पति द्विज ) आदि ( पापिजनों में ) मुख्यजनों की रक्षा करने वाले भाग्य संसार रूप मरुस्थल ( निर्जल ) गड्ढे में जो मैं सीदित हो रहा हूँ उसकी उपेक्षा नई कीजियेगा । यह एक भक्त की भगवान् से प्रार्थना है ।

उपपादयति—

अत्रोपेक्षाऽभावे करुणामूर्तित्वं पोषकम् । पापिष्ठत्वात् करुणायाम् अभावे, प्रकृतेऽस्याः सम्पादनाय गणिकेत्यादि, सीदन्निति च ।

यज्योऽपि जागिके दयनीय न कदाचिदुपेक्षते, तदा साक्षात्करगामूर्तिं क्यमुपे-  
 ष्तिनुर्हति कर्गामूर्तिं भगवतो विशेषणमनुपेक्षया' सावकम्, पात्रातिरायाचरणान्  
 मस्तिन् कर्गाया अरुन्वतिसम्भवे पतितेष्वपि भगवतो दयालुताया बोधकत्वाद् गणिके-  
 न्यादिविशेषणं करतोत्यादने साधकम्, दुस्त्रिनोऽनुपेक्षणीयत्वाद् सीदन्ति निजविशेषण  
 स्तत्प्रेषणाया सावकमिहास्तीति विशेषणसाभिप्रायत्वम् ।

यहां 'उपेक्षा न कीजियेगा' इस बर्ण को पुष्ट करने के लिये भगवान् में 'कर्गामूर्ति'  
 विशेषण लगाया गया है, जिससे यह निश्चय होता है कि जब साधारण कारगिक भी किसी  
 दीन की उपेक्षा नहीं करता, तब आप कर्गामूर्ति होकर मेरी उपेक्षा कैसे करेंगे—नहीं  
 कर सकते । पर यदि महान् पापी समझ कर कर्गा न करें, तो यह भी आपके स्वभाव के  
 अनुकूल नहीं है, इसी बात को प्रमाणित करने के लिये गणिका आदि का दृष्टान्त दिया  
 गया है और अपना विशेषण 'सीदित होता हुआ' लिखा है । इस तरह यहाँ एक भी पद  
 निष्प्रयोजन नहीं है, सब में कुछ न कुछ अभिप्राय है ।

न्वमी कान्ति लक्षयति—

दीप्तरमत्वं कान्तिः ।

दीप्ता स्फुटप्रतीयमानतद्योज्ज्वले रसो यत्र, तन्व कान्तिरित्यर्थः ।

अब 'कान्ति गुण' का लक्षण देखिये—दीप्ति-रसत्व को 'कान्ति' कहते हैं ।

दीप्तरमत्वं विवृणोति—

तत्र स्फुटप्रतीयमानरसत्वम् ।

रसप्रतीतिं स्फुटताऽपिलम्बितोत्तमि ।

स्पष्टतया रस के प्रतीत होने को दीप्तरमत्व कहते हैं । शीघ्र उत्पन्न होना ही रस-प्रतीति  
 की स्पष्टतया यहाँ विवक्षित है, यह भी समझना चाहिये ।

उदाहरणार्थान्मन्वूनता परिहरति—

उदाहरण च वर्णितमेव रसप्रकरणे, वर्णयिष्यते च ।

प्रग् रमनिहपणे 'शयिता' इत्यादिना वर्णितम्, अत्र वर्णयिष्यते चालहारप्रमत्तेन  
 उदाहरणमितां नोपन्यस्तमित्याशयः ।

इसके उदाहरण रसप्रकरण में 'शयितामविधे' इत्यादि पद्य के द्वारा दिखलाया जा  
 चुका है और बागे भी दिखलाया जायगा, अब यहाँ नहीं दिखलाया गया ।

वगम मनाधि लक्षयति—

अवर्णितपूर्वोऽयमर्थः पूर्ववर्णितच्छाया वेति कवेरालोचनं मनाधिः ।

प्रथमवर्णमानोऽयं केनानि पूर्व न वर्णित इत्यवर्णितपूर्वोऽयोनिरित्यन्वयः प्रसिद्धः,  
 मनाधि इति केनानि वर्णितस्त्वैवार्थान्य छाया ( माह्वय ) यस्मिन्नाह्वयोऽन्यच्छयोनिरिति-  
 प्रसिद्धेऽस्तीति कवेः कविकृतं यदालोचनं विभावनं, तत् मनाधिः । तत्रवर्णितपूर्वत्वान्तेन  
 प्रथमं, पूर्ववर्णितच्छायात्वलोचनन्तु द्वितीयं प्रकारं मनाधेरिति नारम् ।

अब 'मनाधिगुण' का लक्षण पढ़िये—कवि जब किसी वस्तु का वर्णन करने लगता है,  
 तब वह सोचता है कि इस वस्तु का वर्णन पहले किसी ने नहीं किया है? अथवा किसी  
 के द्वारा पूर्व-वर्णित वस्तु का यह ( मेरा वर्णनीय वस्तु ) छाया मात्र है? इस तरह की  
 चिन्ता की आलोचना को 'मनाधि गुण' कहते हैं । तात्पर्य यह निकला कि मनाधि के दो  
 भेद हैं, एक 'यह बर्ण पूर्व वर्णित नहीं है' इस तरह का आलोचन और दूसरा 'यह पूर्व  
 वर्णित की छाया है' इस प्रकार का आलोचन ।

आलोचनस्य ज्ञानविशेषरूपतयाऽऽत्मगुणत्वेनार्थगुणत्वसम्पादनायाह—

ज्ञानस्य विषयतासम्बन्धेनार्थनिष्ठत्वादर्थगुणता ।

ज्ञानं समवायेनात्मनि विषयतया तु सम्बन्धेन विषये ज्ञेयार्थे तिष्ठतीति ज्ञानविशेषरूपा-  
लोचनस्यार्थगुणत्वमुपपद्यत इत्याशयः ।

अब 'आलोचन ज्ञान-विशेष-रूप है, अतः वह आत्मा में रहेगा—अर्थ में नहीं, फिर वह अर्थ-गुण कैसे होगा ?' इस शङ्का का समाधान करते हैं—'ज्ञानस्य' इत्यादि । समाधान का आशय यह है कि ज्ञानात्मक आलोचन यद्यपि समवायसम्बन्ध से आत्मा में रहेगा, तथापि विषयतासम्बन्ध से ज्ञान के विषय अर्थ में भी रहता ही है, अतः उसे अर्थ गुण मानने में कोई आपत्ति नहीं आती ।

तयोः प्रथमं प्रकारमुदाहरति—

आद्यो यथा—'तनयमैनाकगवेषण—' इत्यादौ ।

काव्यतृतीयप्रकारनिरूपणे प्रागेव व्याख्यातमिदं गद्यम् । इह भगवत्या भागीरथ्या हिमाचलभुजायमानत्वं पूर्वं केनापि न वर्णितमिति 'सद्योमुण्डितमत्तद्वृणचिबुकप्रस्पर्धिनारङ्ग-  
कम्' इत्यादाविव कविना केवल प्रतिभयैव कल्पितम् ।

अब समाधि गुण के प्रथम भेद का उदाहरण देते हैं—जैसे कि 'तनय मैनाक.....' इत्यादि गद्य में । इस गद्य का पूर्व-रूप काव्य के तृतीय भेद के उदाहरण के रूप में पहले दिखलाया जा चुका है, इसकी व्याख्या भी वहा की जा चुकी है । इस गद्य में हिमालय की भुजा के रूप में गङ्गा की उम्रेचा की गई है, जो सर्वथा नवीन कल्पना है, पहले किसी ने इस तरह की कल्पना नहीं की, अतः यह प्रथम भेद का उदाहरण हुआ ।

द्वितीयप्रकारोदाहरणस्य बाहुल्य दर्शयन् वामनमतमुपसंहरति—

द्वितीयस्तु प्रायशः सर्वत्रैव' इत्याहुः ।

प्रायशो बाहुल्येन 'कविरनुहरतिच्छायाम्' इत्युक्ते । केवल सर्वत्रैवेत्युक्तौ तु प्रथम-  
प्रकारविलोपप्रसङ्ग । उदाहरणान्वेषणे तु नायिकानयननलिनयो' सादृश्यस्य कविसमय-  
प्रसिद्धत्वे, निजनयनप्रतिबिम्बैरम्बुनि बहुश' प्रतारिता काऽपि । नीलोत्पलेऽपि विमृशति,  
करमर्पयितुं कुसुमलावी ।' इत्येव ज्ञेयम् । आहुरित्यस्य पूर्वोक्तेन 'जरत्तरास्तु' इत्यनेनान्वय ।

द्वितीय भेद अर्थात् अन्यच्छायायोनि अर्थ का उदाहरण तो प्रायः सर्वत्र ही मिल सकता है अर्थात् अधिकतर वर्णन इसी तरह का होता है, जिससे पूर्व वर्णित की छाया रहती है । यह है अति प्राचीन आचार्य वामन आदि का सिद्धान्त ।

अथ परमतमखण्डितमभ्युपगत भवतीति प्राचीनतरमतं निराकरोति—

अपरे त्वेषु गुणेषु कतिपयान् प्रागुक्तैस्त्रिभिर्गुणैर्वक्ष्यमाणदोषाभावालङ्का-  
रैश्च गतार्थयन्तः, कांश्चिद्द्वैचित्र्यमात्ररूपतया, क्वचिद् दोषतया च मन्यमाना  
न तावतः स्वीकुर्वन्ति ।

अपरे वामनादिभ्यो नवीना मम्मटादयस्तु । त्रिभिर्माधुर्यैर्जप्रसादै' । वक्ष्यमाणा ये  
दोषाभावा अलङ्काराश्चै' । गतार्थयन्तो निष्प्रयोजनीकुर्वन्त' । तावतो दशशब्दगुणान् दशार्थ-  
गुणांश्च न स्वीकुर्वन्ति । इतरदनुपदं स्फुटीमविष्यति ।

अब गुण के विषय में वामन आदि से नवीन मम्मट आदि आचार्यों के मत की उल्लेख करते हैं—'अपरे तु' इत्यादि । मम्मट आदि विद्वान् तो २० गुण नहीं मानते हैं, क्योंकि वे इन २० गुणों में से कुछ को पूर्वोक्त स्व सम्मत माधुर्य, ओज और प्रसाद इन तीन गुणों में गतार्थ कर देते हैं, कुछ को आगे वर्णित होने वाले दोषों के अभावरूप मान लेते हैं और कुछ को अलङ्कारस्वरूप कह कर उदा देते हैं । इसी तरह कुछ को विचित्रता मान



इस तरह यह सिद्ध होता है कि प्राचीनों के मत में सब जगह व्यञ्जक ( रचना ) व्यङ्ग्य ( माधुर्य आदि ) का लाक्षणिक प्रयोग हुआ है। अतएव ओज गुण का ओजोव्यञ्ज-रचना में अन्तर्भाव समझ लेना चाहिये।

समताया गुणत्वं निरस्यति—

समता तु सर्वत्रानुचितैव, प्रतिपाद्योद्भटत्वानुद्भटत्वाभ्यामेकस्मिन्नेव प-  
मार्गभेदस्येष्टत्वात् ।

सर्वत्रेति समतान्वयि । उद्भटत्वमुद्भटत्वम् ।

यत् क्वचिदेकस्मिन्नेव पद्ये, यत्रांशे वाच्यमुद्भटत्वम्, तत्रोद्भटा रचनेष्टा, यत्रत्वशे वाच्य-  
मनुद्भटत्वम्, तत्र कोमलैव रचनेष्टा, तस्मात् सर्वेषु पद्येषु सर्वांशे रचनाया एकविधत्वमन-  
चित्याद्दोष इति मार्गभेदरूपा समता न गुण इत्यभिप्रायः ।

अब समता की बात सुनिये—सब जगह तो वह ( समता ) अनुचित ही है, क्योंकि  
वक्तव्य अर्थ के उद्भट होने से उद्भट और उसके अनुद्भट होने से अनुद्भट रचना का ए-  
ही श्लोक में होना इष्ट है।

तदुदाहरण दर्शयति—

यथा—

सुकवित्वाभिमानाध्मातहृदय कश्चित् परं विपश्चित् ब्रूते—

‘निर्माणो यदि मार्मिकोऽसि नितरामत्यन्तपाकद्रव-

न्मृद्धीकामधुमाधुरी-मदपरीहारोद्धुराणां गिराम् ।

काव्यं तर्हि सखे । सुखेन कथय त्वं सम्मुखे मादृशां,

नो चेद् दुष्कृतमात्मना कृतमिव स्वान्ताद्बहिर्मा कृथाः ॥’

हे सखे । यदि त्वम् अत्यन्तपाकेनातिशयितपकतया, द्रवन्त्या सरसीभवन्त्या, मृद्धं  
काया द्राक्षाया, मधुनो मधुररसस्य, माधुर्यामिष्टताया, मतस्याभिमानस्य, परीहारे निर-  
करणे, उद्धुराणामुद्युक्तानां शक्तानां वा, गिरा काव्यवाचा, निर्माणे रचने, मार्मिको मर्म-  
( कुशल ) असि, तर्हि मादृशा मत्तुल्यानामत्युत्कृष्टकाव्यरचनाकुशलानां, सम्मुखे पुर-  
स्वरचितं काव्यं, सुखेन, कथय, नोचेत् तदमार्मिको यद्यसि तदा, आत्मना कृतं दुष्क-  
पातकमिव, तत् काव्यं, स्वान्तात्मनस’, बहिर्मा कृथा नितरा गोपयेत्यर्थः ।

जैसे—हे सखे । यदि तुम अत्यन्त पक जाने के कारण चूते हुये दाख के मधुर रस व  
मधुरता के मद की हटा देने में समर्थ वचनों की रचना में कुशल हो, तब अपने काव्य  
को मेरे जैसे लोगों के सामने सुखपूर्वक कहो। परन्तु यदि ऐसा ( मृद्धिका-मधुर-वर्ण  
निपुण ) न होओ, तो जिस तरह अपने किये हुये पाप को किसी के सामने प्रकट नह  
किया जाता, उसी तरह उस ( अपने काव्य ) को अपने हृदय से बाहर न करो—मन ही म-  
रख लो, जवान पर मत आने दो ।

उपपादयति—

अत्र पूर्वार्धे तृतीयचरणे च लोकोत्तरनिर्माणप्रतिपादके यो मार्गो न स-  
चतुर्थचरणे कदर्यकाव्यप्रतिपादक इति वैषम्यमेव गुणः ।

मार्गो वर्णरचनारीति । कदर्यं कृत्सितम् । गुणत्वमुपकारकत्वम् ।

‘निर्माणे’ इत्यादावेकस्मिन्नेव पद्ये तृतीयचरणान्त यावद् वाच्यस्य लोकोत्तरनिर्मा-  
स्योद्भटत्वाद्भटता रचना, तुरीयचरणे तु वाच्यस्य कृत्सितकाव्यस्यानुद्भटत्वादनुद्भटैव रचने  
विषमतैवोपकारकत्वाद्गुण ‘वक्तृ-वाच्य-प्रवन्धानामौचित्येन क्वचित् क्वचित् । रचना  
चृत्ति-वर्णना-मन्यथात्वमपीष्यते ।’ इत्युक्ते—प्रत्युतसमतायामन्नकृतायां दोष एव स्यादित्याशयः

यहा सर्लौकिक काव्य-निर्माण का प्रतिपादन करने वाले आदि तीन चरणों में जिस मान (वर्ण-रचना की रीति) का ग्रहण किया गया है, उसका कदर्प (कुसित-हीन) काव्य-निर्माण का प्रतिपादन करने वाले चतुर्थ चरण में ग्रहण नहीं किया गया अर्थात् प्रथम तीन चरणों का वाच्य अर्थ उद्धृत था, अतः वहां तदनुकूल उद्धृत वर्ण-विन्यास ही किया गया और चतुर्थ चरण का प्रतिपाद्य अर्थ अनुद्धृत था, अतः वहां का वर्ण-विन्यास अनुद्धृत-शिथिल-रखा गया, इस तरह यहा विषमता ही गुण (उपकारक) है और यष्टि समता-एक ही रीति-कर दी जाती, तो दोष ही कहलाता ।

न्ते सुकुमारतायाश्च दोषाभावरूपत्वाद् गुणत्व निरस्यति—

प्रान्यत्व-कष्टत्वयोस्त्यागान् कान्ति-सौकुमार्ययोरगतार्थता ।

प्रान्यत्वदोषाभावरूपतया नन्ते, श्रुतिकडुत्वलक्षणकष्टत्वदोषाभावरूपतया च सुकुमारताया गतार्थता तदभावान्तर्भावाद् गुणत्वाभाव इत्यर्थः ।

कष्टत्वमिह दुग्ध्रवत्वम्, न तु दुर्हृत्व तस्यार्थवृत्तित्वात् । ओजो व्यञ्जकवर्णघटितत्वरूपत्वभावरूपता, माधुर्यव्यञ्जकवर्णघटितत्वरूपसौकुमार्यस्यासम्भवाच्चिन्तनीयेति केषां चिदाज्ञेपस्तु, परंपरुषवर्णघटित सौकुमार्य परुषवर्णघटितत्व च कष्टत्वमभिधानैरुभयो परस्परभावरूपता व्यवस्थापयद्भिर्निरस्तः ।

अब रही कान्ति और सुकुमारता, वे भी प्राग्यता और कष्टत्व नामक जो दोष हैं, उनके अभाव में अन्तर्भूत हैं—अर्थात् कान्ति ब्राम्त्व-दोषाभाव-स्वरूप है और श्रुतिकडुत्व-रूप-कष्टत्व-दोषाभाव-स्वरूप सुकुमारता है । तात्पर्य यह है कि यहा 'कष्टत्व' का मतलब 'दुर्हृता' नहीं है, क्योंकि वह अर्थ में रहने वाला दोष है और यहां शब्द-गुण को दोष में गतार्थ करने का प्रयत्न चल रहा है, फिर शब्द-गुण अर्थ-दोष में कैसे गतार्थ किया जा सकता था । यहा नागेश ने लिखा है कि कष्टत्व दोष का लक्षण है 'ओजोव्यञ्जकवर्णघटितत्व' और सुकुमारत्व-गुण का लक्षण है 'माधुर्यव्यञ्जकवर्णघटितत्व' अतः ये (कष्टत्व और सुकुमारत्व) एक दूसरे का अभावरूप नहीं हो सकते, फिर सुकुमारता को कष्टत्व के अभाव में गतार्थ करने की मूलोक्त बात असङ्गत है । परन्तु विचार करने पर नागेश का कथन ही अन्तर्भूत प्रतीत होता है, क्योंकि मम्मट ने कष्टत्व का लक्षण 'परुषवर्णघटितत्व' किया है और प्राचीनों ने सुकुमारता का लक्षण 'अपरुषवर्णघटितत्व' कहा है, अब देखिये—कि सुकुमारता, कष्टत्व के अभावरूप सिद्ध होता है या नहीं ? कहना पड़ेगा कि अवश्य, फिर जो नागेश ने अपने मन से लक्षणों की कल्पना करके मूल की अतद्धति दिखलाई है, पर किसी तरह मूल ग्रन्थ का खण्डन करने का दुराग्रह मात्र है ।

प्रसादेऽन्तर्भावादर्थव्यक्ति निराकरोति—

प्रसादेन चार्थव्यक्तेरिति ।

प्रसादेन गुणेन स्पष्टप्रतीतिजनकत्वरूपाया अर्थव्यक्तेश्च गतार्थतेति शेषः । इत्थं च वामनेन—

'पदन्यासस्य गाटन वदन्योज कर्वाश्चरा । श्रुत्यत्मोजना मिश्रं प्रनाद च प्रचन्ते ॥

यत्रैकपदव्याव पदाना भूयसानपि । अनालक्षितमन्धीना न श्लेष परमो गुण ॥

प्रतिपाद्य प्रतिश्लोमेकमार्गपरिग्रहः । दुर्बन्धो दुर्दिभाश्च मनतेति गुणो न्त ॥

आरोन्त्यवरोरन्ति क्रमेण यतयो हि यत् । समाधिर्नानि न गुणस्तेन पूजा सरस्वती ॥

दन्धे दृक्कन्दत्व च माधुर्यं कथितं वुर्षः । बन्धस्याजरटत्व च सौकुमार्यमुदाहृतम् ॥

दिकटन च बन्धस्य कथयन्ति खुदारताम् । पश्चादवगतिर्वाचि पुरस्तादिव वस्तुतः ॥

यद्यार्थव्यक्तिहेतुत्वात्, सोऽर्थव्यक्ति स्मृतो गुणः । श्रौञ्जत्व्य कान्तिरित्याहुर्गुणं गुणविगारदा ॥

इति प्रतिपादितानां दशानामपि शब्दगुणानामन्तर्भावादिभिर्निराकरणं समाप्तमिति मन्वन्तीति निश्चयः ।



अब केवल 'अर्थ-व्यक्ति गुण' अवशिष्ट रह जाता है, परन्तु प्रसाद गुण के मान लेने पर उसकी भी आवश्यकता नहीं रह जाती अर्थात् प्रसाद गुण में ही वह भी गतार्थ हो जाते हैं। इस प्रकार अति प्राचीन आचार्यों का अभिमत, गुणों की विंशति संख्या असङ्गत है यह बात सिद्ध हो गई।

अथार्थगुणानामपि दशाना निरसनमारभते—

अर्थगुणेष्वपि—श्लेषः, ओजस आद्याश्चत्वारो भेदाश्च, वैचित्र्यमात्ररूपानां गुणान्तर्भावमर्हन्ति ।

वामनोक्तस्य श्लेषस्थौजस्समासान्तप्रकारचतुष्टयस्य च क्षोदिष्टचमत्कृतिजनकत्वेन हुत्यादिविचित्रवृत्तिरूपत्वासम्भवाच्च गुणत्वमिति तात्पर्यम् ।

अब वामन आदि अति प्राचीन आचार्यों से स्वीकृत दश अर्थ-गुणों का खण्डन आरम्भ करते हैं—'अर्थ-गुणेष्वपि' इत्यादि। अर्थ-गुणों में भी श्लेष और ओज-गुण के पहले चार भेद तो विचित्रता मात्र हैं, अतः उन्हें गुणों के अन्तर्गत मानना समुचित नहीं है।

वैचित्र्यमात्रस्य गुणत्वाङ्गीकारे दोषमाह—

अन्यथा प्रतिश्लोकमर्थवैलक्षण्याद् गुणभेदापत्तेः ।

यदीदृशार्थवैचित्र्यस्यापि गुणत्वमभ्युपगम्येत, तर्हि सर्वेषु श्लोकेषु यत्किञ्चिदर्थवैचित्र्यस्य सत्त्वात् तत्रापि गुणत्वाभ्युपगमे गुणप्रकारबाहुल्यमापद्येतेत्यभिसन्धिः ।

अन्यथा ( विचित्रतामात्र को गुण मान लेने पर ) प्रत्येक श्लोक में कुछ न कुछ अर्थों की विचित्रता अवश्य रहती है, वे सब विलक्षणतायें गुण कहलाने लगेंगी, जिनकी गणना भी असम्भव हो जायगी।

ओजःपञ्चमप्रकारसहितं वामनोक्तार्थगुणसप्तकं दोषाभावरूपतादर्शनेन निरस्यति—

अनधिकपदत्वात्मा प्रसादः, उक्तिवैचित्र्यवपुर्माधुर्यम्, अपारुष्यशरीरं सौकुमार्यम्, अग्राम्यत्वरूपोदारता, वैषम्याभावलक्षणा समता, साभिप्रायत्वात्मकः पञ्चम ओजसः प्रकारः, स्वभावस्फुटत्वात्मिकाऽर्थव्यक्तिः, स्फुटरसत्वरूपकान्तिश्च, अधिकपदत्वा-नवीकृतत्वा-मङ्गलरूपाश्लील-ग्राम्य-भग्नप्रक्रमा-पुष्टार्थरूपाणां दोषाणां निराकरणेन, स्वभावोक्त्यलङ्कारस्य, रसध्वनि-रसवदलङ्कारयोश्च स्वीकरणेन च गतार्थानि ।

यथासङ्गमन्वयः ।

अधिकपदत्वरूपदोषाभावरूपत्वात् प्रसाद, अनवीकृतत्वदोषाभावरूपत्वान्माधुर्यम्, अमङ्गलरूपाश्लीलत्वदोषाभावरूपत्वात् सुकुमारता, ग्राम्यत्वदोषाभावरूपत्वादुदारता, भग्न-प्रक्रमत्वदोषाभावरूपत्वात् समता, अपुष्टार्थत्वदोषाभावरूपतया साभिप्रायविशेषणत्वात्मक ओजसः पञ्चमप्रकार, स्वभावोक्त्यलङ्काररूपतयाऽर्थव्यक्ति, रसप्राधान्ये रसचनिरूपतया साप्राधान्ये तु रसवदलङ्काररूपतया कान्तिश्च नैव गुणत्वेन गणनामर्हतीति सारम् ।

दश अर्थगुण मानने वाले वामन आदि के मत के अनुसार पद का अधिक न होना प्रसाद है, उक्ति की विचित्रता माधुर्य है, कठोरता का न होना सुकुमारता है, ग्राम्यता का न होना उदारता है और विषमता का न होना समता है, एव पदों का साभिप्राय होना ओज-गुण का पाचवा भेद है। ये सब क्रमशः अधिक पदत्व, अनवीकृतत्व, अमङ्गलत्व, अश्लीलता, ग्राम्यता, भग्न-प्रक्रमता और अपुष्टार्थता रूप दोषों के निकाल देने से गतार्थ हो जाते हैं। अर्थात् ये दोषों के अभावमात्र हैं, गुण नहीं। इसी तरह किसी वस्तु का स्वभाव का स्पष्ट वर्णन करना जो अर्थ-व्यक्ति गुण है वह स्वभावोक्ति अलङ्कार में गतार्थ

है और रस का स्पष्टतया प्रतीयमान होना जो कान्ति गुण है, वह रस की प्रधानता रहने पर रस-ध्वनि में अन्यथा रसवत् अलङ्कार में गतार्थ है ।

समाधि निराकरोति—

समाधिस्तु कविगतः काव्यस्य कारण, न तु गुण' ।

प्रालोचनात्मकज्ञानरूपत्वादात्मगुणो न तु रसवृत्ति कविनिष्ठ समाधिस्तु न गुण, किन्तु काव्यस्य कारणमित्यर्थ ।

अब वचा केवल समाधिगुण, वह भी गुण नहीं, अपि तु काव्य का कारण है, क्योंकि उसका स्वरूप आलोचनात्मक माना गया है और आलोचन एक प्रकार का ज्ञान है, अतः वह कवि की आत्मा में रहेगा, रस किंचा अर्थ में नहीं, फिर उसे अर्थ गुण कैसे कहा जा सकता ? यदि उसे विषयता सम्बन्ध से अर्थ में रहने के कारण अर्थ का गुण माना जाय, तब तो—

ननु काव्यकारणत्वेऽपि नमाधे कृतो न गुणत्वमित्यत आह—

प्रतिभाया अपि काव्यगुणात्त्वापत्ते' ।

यदि हि काव्यस्य कारणमपि गुण स्यात्, तर्हि प्रागुक्ता प्रतिभाऽपि काव्यस्य कारणत्वात् गुण स्यादित्त्वापत्ते समाधिरपि न गुण इत्यभिसन्धिः ।

प्रतिभा भी काव्य का गुण हो जाय, क्योंकि आलोचन और प्रतिभा दोनों ही एक प्रकारके ज्ञान हैं और कवि में रहते हैं तथा विषयता सम्बन्ध से अर्थ में भी रह सकते हैं, फिर यदि प्रतिभा को काव्य-कारण माना जाता है, तब आलोचन को ही गुण क्यों माने ?

निगमयति—

अतल्य एव गुणा इति मम्मटभट्टादयः ।

प्रत उक्तेतुभिः, त्रयो माधुर्यैजःप्रनादा एव, न तु श्लेषादयोऽपि गुणा मम्भवतीति मम्मटभट्टादयः प्राहुरित्यर्थ ।

अतः अन्त में यही सिद्ध हुआ कि गुण तीन ही हैं, दश या बीस नहीं । यह है—मम्मट आदि विद्वानों की विचार-पद्धति ।

पः प्रान्निक्तगुणाना म्बिता रचनान्वन्तर्भाविक्यनाद्रचनाज्ञानस्यापेक्षाया ता क्रमेण निरूपयन्नादौ माधुर्यव्यञ्जरचना निरूपयति—

तत्र दृग्दर्शजिताना वर्गाणा प्रथम-वृतीयै, शभि-रन्तस्त्रैश्च घटिता, नैक-द्वयेन प्रथुत्तैरनुस्वार-परसवणं शुद्धानुनासिकैश्च शोभिता, वक्ष्यमाणै सामान्यतो विशेषतश्च निभिद्धै सयोगाद्यैरचुम्बिता. अवृत्तिर्मृदुवृत्तिर्या रचनाऽऽनुपूर्व्या-रिमका माधुर्यस्य व्यञ्जिका ।

तत्र ताः रचनानु । नैकद्वयेन नामोप्येन । परमवर्णैस्त्वशदेशेनिरस्यवर्णै । शुद्धै र्नेवर्ण-रचनानिर्णै । अतिप्रद प्रररणात् नमाननाप्रपरम् । प्रानुपूर्वा धातवणप्रत्ययविषयताऽऽन्ये-दक तत्क्षणैरन्तररूपत्वम् ।

आनुपूर्व्या रचना यदि दृग्दर्शतिरिक्तगर्गचतुष्टयवर्ण प्रथम-वृतीयान्तै, नानि-श-पत्तै, नैकद्वयेनैवैरन्तैश्च घटिता, प्रथुत्तैरनुस्वार-परसवणैश्चै ललनामिन्द्रुक्षा, अनुपद-निषेत्स्यमानयोगादिररिता, नमाननानुऽऽन्यनमाना या स्थान, तर्हि ना माधुर्यस्य गुणस्य व्यञ्जिका भवतीत्यर्थ ।

अब तत्त्व-गुण-प्रथम-रचना-निरूपण के क्रम में सर्व प्रथम माधुर्य-गुण-प्रथम-रचना का निरूपण करते हैं—ता इत्यादि । आनुपूर्वी (क्रम बद्ध वर्ण-विन्यास) न्याय वह

रचना माधुर्य गुण को अभिव्यक्त करती है, जो, टवर्ग से भिन्न वर्गों के प्रथम और तृतीय वर्गों अर्थात् क-ग, च-ज, त-द, प-ब, इन अक्षरों, तथा झ-ष-स एव य-र-ल-व से युक्त, समीप समीप में प्रयुक्त किये गये अनुस्वारों, परसवर्णों और केवल अनुनासिकों से शोभित, भागे वर्णित होने वाले, साधारणतया और विशेषरूपेण निषिद्ध सयोगादिकों से रहित और समास से शून्य अथवा छोटे-छोटे कतिपय समासों से युक्त हो ।

तद्वर्गचतुष्टयघटक-व्यवच्छिन्न-द्वितीयचतुर्थवर्णविषये विशेषमाह—

द्वितीय-चतुर्थास्तु वर्गा गुणस्यास्य नानुकूलाः, नापि प्रतिकूलाः, दूरतया सन्निवेशिताश्चेत् ।

वर्गं भवा वर्गा वर्णा ।

टवर्गातिरिक्तवर्गचतुष्टयस्यावशिष्टा द्वितीयाश्चतुर्थाश्च वर्णा अस्य माधुर्यगुणतय, अनुकूल उपकारका न भवन्ति, यदि दूरतया विप्रकर्षेण सन्निवेशिता, तदा प्रतिकूला विरोधिनोऽपि न भवन्ति, किन्तूदासीना एवेत्यर्थः ।

टवर्ग से अतिरिक्त चार वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण अर्थात् ख-व, छ-झ, थ-ध, फ-भ, यदि दूर-दूर में प्रयुक्त किये गये हों, तो वे न माधुर्य गुण के अनुकूल होते हैं, न प्रतिकूल, अर्थात् उदासीन रहते हैं—उनके रहने और न रहने से कुछ बनता, बिगड़ता नहीं ।

तत्रापि विशेषमभिधत्ते—

नैकट्येन तु प्रतिकूला अपि भवन्ति, यदि तदायत्तोऽनुप्रासः ।

यदि तदायत्तस्तदधीनोऽनुप्रासो भवति, तर्हि नैकट्येन सामीप्येन सन्निवेशितास्ते द्वितीयादिवर्णा माधुर्यस्य प्रतिकूला अपि न तूदासीना भवन्तीत्यर्थः ।

यदि समीप-समीप में उनका प्रयोग हुआ हो और उनसे अनुप्रास भी बन जाते हों, तब प्रतिकूल भी हो जाते हैं ।

अत्रैव परकीय मतमाचष्टे—

अन्ये तु—वर्गस्थानां पञ्चानामप्यविशेषेण माधुर्यव्यञ्जकतामाहुः ।

टवर्गातिरिक्तवर्गघटकानां पञ्चानामपि ( न तु द्वितीयचतुर्थभिन्नाना ) वर्णानाम् अविशेषेण तुल्यतया नैकट्यनिवेशादिविचारराहित्येन वा, माधुर्यगुणव्यञ्जकतामन्ये वदन्तीत्यर्थः ।

वर्गद्वितीयचतुर्थवर्णानां नैकट्येन प्रयुक्तानामोजोगुणव्यञ्जकत्वस्यानुपदं वक्ष्यमाणत्वात्तत्र विचाररमणीयमिति बोध्यम् ।

टवर्ग से भिन्न वर्गों के पाचो अक्षर समान रूप से माधुर्य को अभिव्यक्त करते हैं ऐसा भी कुछ विद्वानों का मत है ।

माधुर्यगुणव्यञ्जकरचनानुदाहरति—

उदाहरणम्—

भगवद्भक्त स्वान्त बोधयति—

‘ता तमालतरुकान्तिलङ्घिनीं, किङ्करीकृतनवाम्बुदत्विषम् ।

स्वान्त । मे कलय शान्तये चिर, नैचिकीनयनचुम्बितां श्रियम् ॥’

हे स्वान्त मानस । तमालतरोस्तापिच्छद्भुमस्य, कान्ते श्यामद्युते, लङ्घिनीमति-यिनीं, किङ्करीकृता विजितत्वादासीकृता नवाम्बुदस्य नवीनमेघस्य त्विच्छुविर्यया दृशीम्, नैचिकीना धेनुना नयनैश्चुम्बिता प्रेम्णा विलोकिता, श्रिय श्रीकृष्णशोभा, मे म शान्तयेऽन्तस्सुखाय, चिर चिन्तय भावयेत्यर्थः ।

‘ह स्वान्तेत्यत्यामन्त्रितमञ्जोत्तरम्—‘आमन्त्रितमविद्यमानवन्’ इत्यनेनाविद्यमान-  
 न्तत्वे पदान्तरत्वाभावात्तन्मैत्यस्य न आदेगश्चिन्तनीय ।

एवमाधुर्ग्य व्यञ्जक रचना का उदाहरण देखिये—कोई भक्त अपने अन्तःकरण से  
 कहता है—‘हे मेरे मन ! तू, शान्ति के लिये चिरकाल तक उम धी-शोभा की भावना  
 कर, जो तमाल तरु की कान्ति ( श्यामद्युति ) को लौंघ गई है—अर्थात् उससे भी अधिक  
 श्यामलता-मनोहर है, और जिम्मे नवीन जलद की धुति को दाम बना लिया है—अर्थात्  
 टमको पराजित कर दिया है—अपने नामने तुच्छ बना डाला है, एव जो गायों के नेत्रों ने  
 लुग्गिन ( इकट्ठक देरी गई ) है । नारायण है कि नवाम्बुद-श्यामल भगवान् गोपाल की  
 शोभा का स्मरण नदा करता रह ।

पुनरादाहृति—

यथा वा—

‘स्वेदान्नुसान्द्रकणशालिकपोलपालि-

रन्त स्मितालसविलोकनवन्दनीया ।

आनन्दमद्भुरयति स्मरणेन काऽपि,

रन्या वशा मनसि मे मदिरैज्जणाया ॥’

पद्यमिदं नप्रमद्वनिर्देश प्राग्बिभृत्तमेवैतीह केवल द्वर्गपरिहाराय परिवर्तितपदमात्र  
 व्याख्यायते—अन्त स्मितेनाभ्यन्तरन्यतयाऽप्यस्फुटान्तेन, अलसविलोकनेन मदभ्रनादिप्रयुक्ता-  
 नस्तु निर्गन्धेन, यदाऽन्त निमित्त यत्र तादृशेनालसविलोकनेन, वन्दनीयेत्यर्थ ।

अथवा, जने—जिम्मे कापोल-फलक यवन घर्म-जल-विन्दुओं ने शोभित है और जो  
 आन्तर ( अग्रदृष्ट ) मन्द हाम एव अलसाई हुई चितवनों ने प्रदाया करने योग्य है, उस  
 मदमय नयन वाली नायिका की रमणीय और अनिर्वचनीय अवस्था, स्मरण करते ही मेरे  
 मन में आनन्द को पनपा देती है ।

पुनरादाहृतिपतामुपपाद्यति—

प्रथमे पद्येऽतिशयोक्त्यलङ्कृतस्य भगवद्वधानौत्सुक्यस्य भगवद्विषयकर-  
 तेर्वा व्यन्यमानायाः शान्त एव पर्यवसानान् तद्गतमाधुर्यस्याभिव्यञ्जिका रचने-  
 यम् । द्वितीये तु स्मृत्युपप्रवधशृङ्गाररसस्य ।

प्रथमे ‘तान्’ न्यादिपद्ये गोविन्दश्रियस्तमालनरकान्तिलुन-नवान्बुदद्विड्दाताकरण-  
 मन्मन्मन्मन्नादतिशयोक्त्यलङ्कारोपस्तृतस्य भगवद्वधानौत्सुक्यरूपव्यभिचारिभावस्य, विनि-  
 गमनपरिहाय भगवद्विषयकरतिशयस्य वा व्यन्यमानस्य प्रधानव्यङ्ग्य-मान्तरनोपस्कारक-  
 तया शान्तरमयुक्तिमाधुर्यगुणस्य व्यञ्जिका रचनाऽस्ति । द्वितीये ‘स्वेदान्नु-’ इत्यादिपद्येऽपि  
 व्यन्यमानेन मदिशोभादान्मन्युतितपव्यभिचारिभावेन पोषिते शृङ्गाररसे वर्तमानस्य माधु-  
 र्यस्य व्यञ्जिका रचनाऽस्तीत्यर्थः ।

‘‘रंती’ इत्यत्र ‘रक्तिमन्मन्’ इति रूपवत् ।

यहा प्रथम श्लोक में गोपाल की शोभा का समग्रन्ध, तमाल-तरु कान्ति-लघन में और  
 नय-जलद-कान्ति-दार्ढ्यकरण में द्विपदादा गया है, अत अतिशयोक्ति अलङ्कार है,  
 जिम्मे वर भगवान् के ध्यान की उमुक्ता ( व्यभिचारीभाव ) अथवा वर भगवान् के  
 विषय में प्रेम ( स्थायीभाव ) अलङ्कृत होता है, जो व्यन्य है, परन्तु ये दोनों भाव यहा  
 अपनी स्वतन्त्र मत्ता नहीं रखते, दरन घर्म व्यन्य शान्त रस के पोषक है, अत यहा की  
 रचना आन्तरम-गत माधुर्य गुण की व्यञ्जिका होती है । द्वितीय श्लोक में नायिका की  
 वसा के स्मरण ( व्यभिचारीभाव ) में पुष्ट हो कर अभिगम्य होने वाले शृङ्गार-  
 माधुर्य की रचना प्रकृत करती है ।

ओजोव्यञ्जकरचना निरूपयति—

नैकट्येन द्वितीय-चतुर्थवर्गवर्ण-टवर्ग-जिह्वामूलीयो-पध्मानीय-विसर्ग-सकारबहुलैर्वर्णैर्घटितो ऋय्-रेफान्यतरघटितसंयोगपरह्रस्वैश्च नैकट्येन प्रयुक्तौ लिङ्गितो दीर्घवृत्त्यात्मा गुम्फ ओजसः ।

द्वितीयैश्चतुर्थैश्च टवर्गातिरिक्तवर्गचतुष्टयवर्णैः, टवर्गेण, जिह्वामूलीयेनोपध्मानीयेन विसर्गेण, सकारेण च बहुलैर्भूयिष्ठैः, समीप्येन प्रयुक्तैर्वर्णैः, घटित, पञ्चमवर्णातिरिक्तवर्गपञ्चकवर्णात्मकेन ऋय्प्रत्याहारेण रेफेण वा घटितो य संयोगः, स परो येभ्यस्तादृशैर्ह्रस्ववर्णैश्च नैकट्येन प्रयुक्तैर्युक्तः, दीर्घसमासरूपश्च गुम्फो रचनाविशेष ओजसो व्यञ्जक इत्यर्थः अत्र ओजो-व्यञ्जक रचना का निरूपण करते हैं—‘नैकट्येन’ इत्यादि। वह गुम्फ (रचना-विशेष) ओजोगुण का व्यञ्जक होता है, जो समीप-समीप में प्रयुक्त टवर्गातिरिक्त वर्णों के द्वितीय और चतुर्थ अर्थात् ख-घ आदि वर्णों टवर्ग के पाचो अक्षरों औ जिनमें जिह्वामूलीय, उपध्मानीय, विसर्ग तथा सकार ये अक्षर अधिक हों—ऐसे अक्षरों र बना हुआ, वर्णों के आदि चार-चार अक्षररूप क्षय प्रत्याहार अथवा रेफ के द्वारा बने हुए संयोग जिनके आगे हों ऐसे समीप-समीप में प्रयुक्त ह्रस्व स्वरों से युक्त, एवं बदे-ब समास वाला होता है।

विशेषमाचष्टे—

अस्मिन् पतिताः प्रथम-तृतीयवर्ग्या गुणस्यास्य नानुकूला नापि प्रतिकूला संयोगाघटकाश्चेत् । तद्धटकास्त्वनुकूला एव । एवमनुस्वारपरसवर्णा अपि ।

अस्मिन् गुम्फे, पतिता गुम्फघटका, प्रथमे काद्या, तृतीया गाद्याश्च ये वर्ग्या वर्ग चतुष्टयघटका वर्णा, ते माधुर्यव्यञ्जकत्वादस्यौजोगुणस्य, अनुकूला न भवन्ति, यदि संयोगस्याघटकास्तदा प्रतिकूला अपि न किन्तूदासीना भवन्ति । त एव पुनस्संयोग घटका ओजसो व्यञ्जकत्वादुपकारका एव भवन्ति । इत्थमनुस्वार-परसवर्णा अपि संयोग घटका उदासीना संयोगघटकास्त्वनुकूला एव भवन्तीत्यर्थः ।

इस ओजोगुण व्यञ्जक रचना-विशेष के मध्य में आगत वर्णों के प्रथम और तृतीय-अर्थात् क-ग आदि वर्ण यदि संयुक्त न हों, तब ओजोगुण के न अनुकूल होते हैं, न प्रतिकूल, और यदि संयुक्त हों, तब तो अनुकूल ही हो जाते हैं। इसी तरह अनुस्वार और प सवर्ण को भी समझना चाहिये अर्थात् वे भी ओज के अनुकूल, प्रतिकूल कुछ नहीं होते।

उदाहरति—

यथा—‘अय पततु निर्दय दलितदृप्त-’ इत्यादौ प्रागुदाहृते ।

न वोच्छलित-’ इत्यादिनाऽऽरम्भोऽस्य पद्यस्य । गुम्फोऽय ऋय्-सयोगादिघटितत्वा दोजसो व्यञ्जक, किन्तु टवर्गशून्य ।

जैसे—‘अय पततु निर्दयम् . . ’ इत्यादि श्लोक में। इस पद्य का आरम्भ ‘नवोच्छलित-’ इत्यादि वाक्यों से है, और पहले रौद्र-रस आदि के उदाहरणों में लिखे जा चुके हैं। यद्यपि इस पद्य में टवर्ग के वर्ण नहीं आवे, तथापि क्षय प्रत्याहार तथा संयोग आदि से युक्त होने के कारण यह पद्य ओजोगुण व्यञ्जक रचना का उदाहरण होता है। (ह्रस्व में भूपण कवि की रचना प्रायः इसी गुण की अभिव्यञ्जिका है) ५

प्रसादव्यञ्जकरचनां निरूपयति—

श्रुतमात्रा वाक्यार्थं करतलबदरमिव निवेदयन्ती घटना प्रसादस्य ।

या घटना वर्णविशेषनियमरहिता श्रवणैर्नैव सद्य करतलस्थितं वदरमिव सर्वांशैर्वाक्यार्थं निवेदयन्ती वाक्यार्थबोधिका भवति, सा प्रसादगुणस्य व्यञ्जिकाऽस्तीत्यर्थः ।

अथ प्रमादगुण—व्यञ्जक रचना का निरूपण करते हैं 'प्रमादात्' इत्यादि । जिसके सुनते ही वाक्य का अर्थ हाथ के घेर की तरह दीखने लगे—उसके समझने में कुछ भी बाधा नही करना पड़े—वही रचना प्रसादगुण—व्यञ्जिका कहलाती है ।

अत्र विशेषमाह—

अथ च सर्वसाधारणो गुणः ।

अथमेतद्वदनाव्यङ्ग्यो गुणः प्रमादस्तु नवैषु रसेषु सर्वाभिरुचिनासु च साधारणः, केवल-  
मिह वाच्यार्थस्य ऋषित्तिप्रतीतिविषयत्वमपेक्ष्यत इति भावः ।

यह ( प्रमाद ) गुण सब रसों में सब भावों में रहता है, इस गुण की अभिव्यक्ति भी सब प्रकार की रचनाओं में हो सकती है, वरतें वे रचनायें ऋषिति अर्थबोधक हों ।

उदाहरणविषये ब्रवीति—

उदाहरणान्यत्र प्रायशो मदीयानि सर्वाण्येव पद्यानि । तथापि यथा—

यद्यपि मदनितानि नर्त्राण्येव प्रायशो बाहुल्येनात्र प्रसादव्यङ्ग्यरचनायानुदाहरणानि,  
मन्तानि निशिष्यनिर्देशन्यापेक्षं नास्ति तथापि दिग्दर्शनाय किञ्चिद्विशेष्यते ।

प्रायः मेरे (पण्डित राज के) सभी पद्य इस गुण के उदाहरण हो सकते हैं, तथापि जैसे-  
नानिर्ना सुगम मदनरां परिवोधयति—

'चिन्तामीलितमानसो मनसिज', सख्यो विहिनप्रभा .

प्राणेश' प्रणयाकुल , पुनरसावास्ता समस्ता कथा ।

एतत्त्वां विनिवेदयामि मम चेदुक्ति हितां मन्यसे,

सुग्धे । मा कुरु मानमानमिदं राकापतिर्जेष्यति ॥'

हे सुग्धे ' त्वदस्थानमानदुराग्रहणं मनमिजं कामं, का परिणतिरस्य स्यादिति चिन्तया  
मालिनं मनुचितं माननं यस्य, तादृशोऽस्ति, नत्य महत्पर्यथं विपरीतफलशुद्ध्या विहीन-  
प्रभानिस्तेजन्ता मन्ति, प्राणेश प्रियतमश्च प्रणयेनाकुलं स्वापराधानाकलनाद्व्यप्रचि-  
त्तोऽस्ति, ( एतदाकल्प्य मानाद्विरम, अथवा ) प्रभौ त्वजनदौस्थ्यस्य ममस्ता कथा पुन-  
रान्ता तिष्ठतु ( न कथयामि, किन्तु ) चेद् यदि, मन मदा हिताचरणपरायणाया उक्ति  
हिता स्वोपकारिणीं मन्यते, तर्हि, 'श्रुत्वा पूर्णचन्द्रोदयमनये, मान मा कुरु, अन्यथा, इदं  
निर्गन्तव्यं त्वमपि रोपकचुपितमिदं तवाननं राकापतिं पूर्णचन्द्रो यातनाविधानेन मक-  
रदोऽपि सुगमाप्रकरणं जेष्यति' ज्येतत् त्वा विनिवेदयामि कथयामांस्त्यर्थः ।

सुग्धा मानिनी नायिका को सभी समझा रही है कि तेरे दुराग्रह को देख कर 'हमका  
क्या परिणाम होगा' इस चिन्ता से कामदेव का मन मनुचिन्त हो रहा है, नयिका विपरीत  
फल की आशा में कान्तिहीन हो गई है और प्राण-नाथ प्रेम के कारण अधीर हो उठे  
हैं—अब भी तो मान का त्याग कर, अच्छा, इन बातों को छोड़ भी दे, फिर भी यदि  
मेरे कथन को अच्छा मानती है—जैसाकि परापर मानती आ रही है—तो तुझसे इतना  
निवेदन कर देती हू कि सुग्धे ! तू अभी मान कर, अन्यथा हम सुन्दर सुग्ध को पूना का  
घोंट जान लेना—कौप से सुग्ध के कल्पित हो जाने के कारण कलड़ी चन्द्र की भी सुरमा  
रू जायगी । ऐसी सुग्धता जिस काम की जिसे चतने अपना चित भी समझ में  
न आ सके—

उपदेशयति—

अत्र सर्वावच्छेदेन प्रसादाभिव्यक्तञ्चमं अशभेदेन तु माधुर्योक्तोऽभि-  
व्यक्तञ्चमपि, मनमिजान्तस्य माकुर्वाद्वा माधुर्याभिव्यक्तिस्तुत्वान्—  
इत्यादौरेजोगमकत्वात् ।

अत्रास्मिन् पद्ये मनसिज इत्यन्ते 'मा कुरु' इत्यादौ चाशे माधुर्यव्यञ्जकताया, सह इत्यादावंशे चैजोव्यञ्जकताया दर्शनादशतो माधुर्यौजोव्यञ्जकत्वेऽपि, सर्वैरशैर्भक्तित्यर्थं समर्पणात् सर्वाशे प्रसादाभिव्यञ्जकत्वमेवेतिसारम् ।

यह सम्पूर्ण श्लोक प्रसाद गुण को व्यक्त करता है, क्योंकि इसकी रचना ऐसी है, जिस वाक्य के अर्थ को समझने में कोई कठिनता नहीं होती । हाँ ! इस श्लोक का कोई-कोई अंश ऐसा भी है, जो माधुर्य और ओज को भी अभिव्यक्त करता है, जैसे—'चिन्ता-मीलित मानसो मनसिजः' और 'मा कुरु मानमाननमिदम्' ये दोनों अश माधुर्य को अभिव्यक्त करते हैं, तथा 'सख्यो विहीनप्रभा' इत्यादि भाग ओज को ध्वनित करता है ।

अत्रौजोव्यञ्जकरचनाया अप्रसक्तिमाशङ्क्य निरस्यति—

नन्वत्र शृङ्गाराश्रयस्य माधुर्यस्याभिव्यक्तये तदनुकूलाऽस्तु नाम रचन ओजसस्तु कः प्रसङ्गो यदर्थं तदनुकूलवर्णविन्यास इति चेत्, नायिकामां पशान्तये कृतानेकयन्त्रायास्तदीयं हितमुपदिशन्त्याः सख्या सक्रोधत्वस्य व्यञ्जनीयतया तथाविन्यासस्य साफल्यात् ।

शृङ्गार आश्रयो यस्येति विग्रह । तदनुकूला माधुर्यव्यञ्जिका । क' प्रसङ्गो वीरादिरसा-प्रतीते । तथा विन्यासस्य-ओजोव्यञ्जकवर्णरचनाया । साफल्यात् सार्थकत्वात् ।

इह वीरादिरसाव्यञ्जनादोजोव्यञ्जकरचनाया निरर्थकत्व न शङ्कनीयम्, व्यङ्ग्यसखीक्रोधो-पहितरौरसप्रतीत्या तद्वृत्त्योजोरचनाया सार्थकत्वस्य स्फुटं सत्त्वादिति सारम् ।

यदि यहां यह शङ्का की जाय कि यहां शृङ्गार-रस की प्रधानता है, अतः उस रसमें रहने वाले माधुर्य गुण को अभिव्यक्त करने के लिये तदनुकूल रचना ठीक है, परन्तु ओज का तो यहां कोई प्रसङ्ग ही नहीं है, क्योंकि वह ( ओज ) वीर-रस का गुण है और यहा रस है शृङ्गार, फिर ओजोगुण के अनुकूल रचना क्यों की गई ? इसका समाधान यह है कि सखियों ने नायिका के मान को शान्त करने के लिये अनेक प्रयत्न किये पर नायिका ने अपने हठ को नहीं छोड़ा, अब भी उसके हित का ही उपदेश सखियां कर रही थीं, किन्तु नायिका उसका ग्रहण नहीं कर रही थी, इस स्थिति में सखियों का क्रोधयुक्त हो उठना स्वाभाविक है, उसी क्रोधयुक्तता को अभिव्यक्त करने के लिये ओजो गुण के अनुकूल वर्ण-विन्यास भी अश-विशेष में किया गया है और वह सफल है ।

उत्तरपक्ष समर्थयति—

किं बहुना—रसस्यौजस्विनोऽमर्षादेर्भावस्य चाधिवक्ष्यामपि, वक्तरि क्रुद्ध-तया प्रसिद्धे, वाच्ये वा क्रूरतरे, आख्यायिकादौ प्रबन्धे वा पुरुषवर्णघटनेष्यते ।

यतो ह्योजोव्यञ्जकरचनाया रौद्रादिरसामर्षादिभावव्यञ्जनस्थल एव नैव नियतत्वम्, प्रतो यत्र रौद्रादिरसस्य, अमर्षादिभावस्य च यत्र न विवक्षा, तत्रापि क्रोधित्वेन प्रख्याते वक्तरि, अतिकर्कशे ( दारुणतरे वा ) वाच्ये, दीर्घसमासोचिताख्यायिकादौ प्रबन्धे च 'वक्तृ-वाच्य-प्रबन्धानामौचित्येन क्वचित् क्वचित् । रचना-वृत्ति-वर्णानामन्यथात्वमपीष्यते ।' इति मम्मटोक्तैर्वक्तृ-वाच्य-प्रबन्धानुरोधेनौजोव्यञ्जकरचना दृश्यते, तस्मादुत्तरपक्ष एव न्ययगित्याकृतम् ।

५

अधिक कहने सुनने की कोई आवश्यकता नहीं, जहा ओजस्वी रस ( वीर आदि ) और अमर्ष प्रभृतिभाव ( जो ओज गुण के आश्रय के रूप में प्रसिद्ध है ) नहीं भी वर्णनीय है, वहा भी यदि वक्ता क्रोधी के रूप में प्रसिद्ध हो, अथवा वर्णनीय अर्थ क्रूरतामय हो, आदि लेखनीय निबन्ध आख्यायिका आदि हो, तो कठोर वर्णों का विन्यास इष्ट है ।

पूर्वोदाहरणे माधुर्यमाह्वर्यादमङ्गीर्णमुदाहरणमाह—

यथा वा—

मफो भगवन्त भापते—

‘वाचा निर्मलया सुधामधुरया या नाथ ! शिञ्जा मदा-

स्ता स्वप्नेऽपि न सस्पृशाम्यहमहम्भावावृतो निखप. ॥

इत्यागशशतशालिनं पुनरपि स्वीयेषु मा विभ्रत-

स्त्वत्तो नास्ति दयानिधिर्यदुपते ! मत्तो न मत्त' पर ॥’

हे नाथ 'यदुपते' निर्मलया स्फुटया निर्दोषया वा, सुधामधुरयाऽमृतमिष्टया, वाचा, मद्यमादौ, या कर्णव्यगिष्ठा त्वमदा व्यतार्थी, अहम्भावोऽभिमानस्तेनावृत आच्छन्न, निखप कर्तव्यव्यवनेचितलज्ञान्य, अह स्वप्नेऽपि का कथा जागरणस्य, ता शिक्षा, न सस्पृशामि नानुनिष्ठां न स्मरामि वा, इत्यागशशतशालिनैर्वरूपकापराधशतविधायिन मा, पुनरपि तत्रापि, स्वर्गिचान्तीयजनमध्ये, विभ्रतो गणयत पुष्पतो वा त्वत्तत्स्वत्सकाशान्, परोऽन्यो दयानिधि कारुणिकमो मत्तो मत्सकाशान् परो मत्त क्षीवोऽज्ञानोपहतान्तरात्मा वा नास्तीत्यर्थ ।

अच्छा, यदि माधुर्य और ओजोगुण से मङ्गीर्ण प्रसाद के उदाहरण में आपत्ति उठती है, तो, जाने दीजिये उमको अब शुद्ध प्रसाद गुण का ही उदाहरण लीजिये—हे नाथ ! आप ने अमृत तुल्य मधुर और निर्मल वाणी के द्वारा, जो शिञ्जा दी, उमसे अहङ्कार से आच्छन्न तथा निर्लज्ज से मपने में भी नहीं टूटा-स्मरण करता । हे यदुपते ! इस तरह सैकड़ों अपराधों से युक्त होने पर भी मुझको आत्मीय जनों से गिनने वाले आपसे अधिक कोई दयालु नहीं है, और मुझ से अधिक कोई मत्त ( पागल ) नहीं है ।

उत्पादनति—

अत्र गुणान्तरासमानाधिकरण' प्रसाद ।

‘अत्र माधुर्यौजसा वा न प्रसाद' मङ्गीर्ण, किन्तु स्वतन्त्र इत्यर्थ ।

यहा अन्य गुणों से अभिधित अर्थात् केवल-प्रसाद गुण है ।

‘अयोक्तरचनासु नामान्येन विशेषेण च ध्रुवणोद्देशकत्वाद्दर्शनीयाना निरूपणमवतारयति—

इदानीं तत्तद्गुणव्यञ्जनरूपाया निमित्ते परिचयाय, सामान्यतो विशेषतश्च वर्जनीय किञ्चिन्निरूपयते—

वर्णानां स्वानन्तर्यं सङ्घट्टयेकपदगतत्वे किञ्चिदध्वज्यम् ।

निमित्ते रचनाय ।

त्रिनिदित्यनेन ध्वजितस्य क्षम्यता सूच्यते ।

स्वानन्तर्यं स्वाव्यवहितोत्तरत्वात्, वर्णानां, त्रिनिदीपत, ‘अध्वज्य ध्रुवोऽप्रियत्वादनर्हं तदा भाति, यदि एत पदगतमेवस्मिन्नेव पदे तद्वर्णान्तर्येति चेत्तद्व्यर्थ ।

अत्र उक्त गुणों की अभिव्यक्त करने की शक्ति रखने वाली रचना के परिचय कराने के लिये, साधारणतया-अर्थात् त्रिनको सब रसों में छोड़ना चाहिये और त्रिनिदीपतया—अर्थात् त्रिनको किसी-किसी रस में ही लेना चाहिये, सब में नहीं, राज्यों का उद्देश्य निरूपण किया जाता है । एक बार भी यदि तद्वर्ण एक ही पद में लगातार दो बार प्रयुक्त हो, तो तद्व्यर्थ मानने में कुछ भ्रम का एतना ही, अतः ऐसा नहीं करना चाहिये ।

उदाहरति—

यथा—‘कुरुभसुरभि, विततगात्र, पल्लमित्राभाति' इत्यादौ ।

कुरुभ उद्वज । पल्ल नाम् । अत्र रसगतस्य, तगरद्वयस्य, लक्ष्यस्य चैव-  
वपदस्य सङ्घट्टयत्तद्व्यञ्जनं किञ्चिदध्वज्यत्वात् रत्नोपमिति भावः ।



जैसे—ककुभसुरभि ( कुट्टज पुष्पके समान सुगन्धित ), विततगात्र ( विस्तृत & वाला ), और पल्लमिवाभाति ( मांस सा दीखता है ), इत्यादि स्थलों में । तात्पर्य यह कि यहां क्रमशः क-क, त-त और ल-ल ये अक्षर एक ही एक ही पद में लगातार दो-चार प्रयुक्त होने के कारण अश्रव्य हो गये हैं ।

विशेषमाचष्टे—

असकृच्चेदधिकम् ।

एकपदघटकाना वर्णानामसकृदनेकवारं यदि स्वानन्तर्यं, तर्हि तदधिक नितराम व्यत्वाद्दर्जनीयमित्याशयः ।

यदि एक ही पद में अनेक बार एक ही अक्षर लगातार प्रयुक्त हों, तब तो और अधि अश्रव्यता-दोष आ जाता है ।

उदाहरति—

यथा—‘वितततरस्तरुरेष भाति भूमौ’ ।

अत्रैकपदघटकस्य तकारस्य द्वि स्वानन्तर्यमधिकमश्रव्यम् । अतो न क्षम्यमित्याशय जैसे—‘वितततर . . ’ इत्यादि मूलोक्त व्याक्य में । यहा एक ही पद में लगातार तीन बार तकार का प्रयोग हुआ है ।

स्वानन्तर्यस्य पृथक्पदघटकत्वेऽप्यश्रव्यत्वमाह—

एवं भिन्नपदगतत्वेऽपि ।

एवमेकपदवत् ।

इसी प्रकार भिन्न-भिन्न पदों में भी एक ही अक्षर के बार-बार आने से भी कुछ अश्रव्य प्रतीत होता है ।

उदाहरति—

यथा—‘शुक ! करोषि कथं विजने रुचिम्’ इत्यादौ ।

अत्र पृथक्पदघटकयो ककारयो सकृदानन्तर्यमीषदश्रव्यमिति ज्ञेयम् ।

जैसे—‘शुक ! करोषि . . ’ इत्यादि मूलोक्त वाक्य में । यहां भिन्न-भिन्न पदों में ककार का एक बार प्रयोग हुआ है ।

पृथक्पदघटकत्वेऽसकृत् स्वानन्तर्यस्यातिवर्ज्यत्वमभिदधाति—

असकृद्भिन्नपदगतत्वे ततोऽप्यधिकम् ।

तत पूर्वापेक्षयाऽप्यधिकमश्रव्यम् ।

भिन्न पदों में भी बार-बार एक अक्षर का प्रयोग और अधिक श्रवण-पीडा-दायक होता है ।

उदाहरति—

यथा—‘पिक ! ककुभो मुखरीकुरु प्रकामम्’ ।

ककुभोदिश । इह भिन्नपदघटककारासकृदानन्तर्यमधिकमश्रव्यम् ।

जैसे—‘पिक ! ककुभो . . ’ इत्यादि मूल के पदों में । यहा भिन्न-भिन्न पद में ककार का चार बार प्रयोग हो गया है । वाक्य का अर्थ यह है कि ‘रे कोकिल ! तू, दिवाओं को यथेच्छ अपनी गूँज से भर दे’ ।

इत्थ स्वानन्तर्यस्याश्रव्यत्व प्रतिपाद्य, स्ववर्गानन्तर्यस्य तत् प्रतिपादयति—

एवं स्ववर्गानन्तर्यं सकृदेकपदगतत्वे किञ्चिदश्रव्यम् ।

एवं स्वानन्तर्यवत् ।

। प्रकार जिन वर्ग का अक्षर पूर्व में आ चुका हो, उसके साथ-साथ उसी वर्ग के अक्षर का प्रयोग, यदि एक पद में और एक बार किया जाता है, तो वह भी कानों में चढ़ता है।

दाहरण—

यथा— वितयस्ते मनोरथ ।'

वितयो नित्यम् ।

अत्र तकार-पकारयोरेकवर्गषट्कयोरेकवर्गयोरानन्तर्यं किञ्चिदश्रव्यम् ।

जैसे—'वितयस्ते मनोरथ' (तुम्हारा मनोरथ विकृत है) इस वाक्य में 'त' और 'थ' का।

गोपनाह—

अनष्टश्चेन्नधिकम् ।

अनष्टं स्ववर्गान्तर्यं वर्गानां यदि स्यात्, तदा नित्यं तदश्रव्यमित्यर्थः ।

एक पद में एक वर्ग के भिन्न-भिन्न वर्गों की यदि बार-बार आवृत्ति हो तो और बुरा अश्रव्य होता है।

दाहरण—

यथा— वितयतर वचन तव प्रतीमः ।'

वर्गाणां प्रथमद्वितीययो, तृतीयचतुर्थयोर्वा षर्णयोर्यत् सकृदसकृद्वाऽऽनन्तर्यं, नितरामश्रव्यमित्यर्थः ।

यह एक वर्ग के वर्णों का सह-प्रयोग [प्रथम के बाद द्वितीय का और तृतीय के चतुर्थ का हो, तभी अश्रव्य होता है ।

तदतिरिक्तानामिषदश्रव्यत्वमाचष्टे—

प्रथमतृतीययो-द्वितीयतृतीययोर्वाऽऽनन्तर्यं तु तथा नाश्रव्यम्, किन्त्वीनिर्माणमार्मिकैकवेद्यम् ।

सकृदिति शेषः ।

तथा प्रथमद्वितीयानन्तर्यवदधिकम् । ईषत्त्वस्य विवरणं निर्माणेत्यादि ।

यथा प्रथमद्वितीययो सकृदानन्तर्यमश्रव्यं, तथा प्रथमतृतीययोर्द्वितीयतृतीययोर्वाऽऽनन्तर्यं नाधिकमश्रव्यम्, किन्तु निर्माणे काव्यरचनाया ये मार्मिका ( निपुणतया ) तन्मात्रवेद्यमत्यल्पमित्यर्थः । उदाहरणन्तु 'निगदति खग शुक्रोऽयम्' इत्यादि ज्ञेयम् ।

एक वर्गीय प्रथम और तृतीय तथा द्वितीय और तृतीय अक्षरों का सहप्रयोग तो उतना अश्रव्य नहीं होता—बहुत कम होता है, जिसको रचना-मर्मज्ञ जन ही समझ सकते हैं ।

असकृत्तदानन्तर्यस्य नितरामश्रव्यत्वमाह—

एतदप्यसकृच्चेत्, ततोऽधिकत्वात् साधारणैरपि वेद्यम् ।

एतत् प्रथमतृतीययोर्द्वितीयतृतीययोरानन्तर्यमपि, यद्यसकृत् स्यात्, तर्हि तत्राश्रव्यत्वस्याधिक्यात् साधारणैर्निर्माणमार्मिकभिन्नैरपि ज्ञेयत्व भवतीत्यर्थः ।

यह ( प्रथम-तृतीय और द्वितीय-तृतीय का सहप्रयोग ) भी यदि बार-बार हो, तब उसे साधारण शिष्टिन भी समझ सकते हैं ।

क्रमेणोदाहरति—

यथा—'खग । कलानिधिरेष विजृम्भते ।' 'इति वदति दिवानिशं स धन्यः।'।

इह पूर्वत्र खकार-गकार-ककाराणां वर्गद्वितीय-तृतीयप्रथमानामसकृदानन्तर्यात्, परत्र च दकार-तकार-दकाराणां वर्गतृतीय-प्रथम-तृतीयानामसकृदानन्तर्यादधिकाश्रव्यत्वम् ।

जैसे—'खग । कला' 'इत्यादि और 'इति वदति दिवा ...' इत्यादि मूल लिखित वाक्यों में । यहाँ प्रथम वाक्य में ख-ग-क' रूप वर्ग के द्वितीय-तृतीय और प्रथम अक्षरों का अनेक बार सहप्रयोग है, एवं द्वितीय वाक्य में 'द-त-द' रूप वर्ग से तृतीय-प्रथम और फिर तृतीय का अनेक बार सहप्रयोग हुआ है ।

वर्गपञ्चमवर्णानन्तर्यविषये विशेषमाह—

पञ्चमानां मधुरत्वेन स्ववर्गानन्तर्यं न तथा ।

वर्गपञ्चकस्य ये पञ्चमा ङकारादयो वर्णा, तेषां स्ववर्गैः सहानन्तर्यं मधुरत्वात् तथाऽश्रव्यं न भवतीत्यर्थः ।

पाँचों वर्गों के पञ्चम अर्थात् 'अमङ्गण' मधुर अक्षर हैं, अतः उनमें से किसी भी वर्ण का अपने-अपने वर्ग के किसी भी भिन्न अक्षर के साथ प्रयोग अश्रव्य नहीं होता ।

उदाहरति—

यथा—'तनुते तनुतां तनौ ।'

अत्र नकारस्य तकारेण सहासकृदानन्तर्यं नैवाश्रव्य मधुरत्वात् ।

जैसे—'तनुते तनुता तनौ' अर्थात् 'शरीर में कृशता का विस्तार करता है' इस वाक्य में नकार का तकार के साथ अनेक बार अव्यवधानेन प्रयोग हुआ है, फिर भी अश्रव्यता नहीं हुई ।

विशेषमभिदधाति—

स्वानन्तर्यं त्वध्रव्यमेव ।

कर्णपन्नानामपि स्वानन्तर्यमध्रव्यमेव, न तु मधुरम्, स्ववर्गघटकत्वान्यानन्तर्यस्यैव मधुरत्वम् ।

'अमङ्गल' इन पञ्चम वर्गों में भी किसी एक ही वर्ण का साथ ही साथ चार-चार प्रयोग तो अध्रव्य होना ही है ।

उदाहरति—

यथा—'मम महती मनसि व्यथाऽचिरासीत् ।'

इह मसरस्य मकारेणैवानकृदानन्तर्यमध्रव्यम् ।

जसे—मम मत्ता मनसि व्यथाऽचिरासीत्' अर्थात् 'मेरे मन में बड़ी व्यथा उन्पन्न हुई' इस वाक्य में मसर का प्रयोग ।

प्रागुक्तानामपवादनाह—

एतानि चाध्रव्यत्वानि गुरुव्यवायेनापोद्यन्ते ।

गुरुव्यवायेन गुरुवर्णव्यवधानेन । अपोद्यन्ते चाध्यन्ते ।

प्राग्यावन्त्यध्रव्यत्वानि कथितानि, तत्र नर्वत्र यदि गुरुरज्वर्णो व्यवधान भवेत्, तदाऽध्रव्यत्वदोषस्य वाच्यं स्यात् ।

पूर्व में जिनकी अध्रव्यतायें कहीं गई हैं, वे सब तब दूर हो जाती हैं, जब दो अध्रव्य व्यञ्जनों के बीच में गुरु स्वर रख दिया जाता है ।

उदाहरति—

'सञ्जायतां कथङ्कार काके कैका-कलस्वनः ।'

इह गुरुभिराकारैकाराकारैर्व्यवधानात् ककारस्यासकृत् स्वानन्तर्यमपि नाध्रव्यम् । अनेने प्रथमान्तपाठे सन्वोधनम्, तत्रेत्यध्याहार । यत्तु टीकाया सहन्यन्तपाठस्यैव युक्तत्वनिमित्तम्, तच्चिन्त्यम्, प्रथमान्तपाठे अनेने वर्णसमुदायावृत्त्या यमकस्य कामान् पष्ठी-त्त्वरुपाङ्गीकारे तत्रेत्यध्याहारानपेक्षणात् ।

जसे—'सञ्जायतां कथङ्कार काके कैका-कलस्वनः'—अर्थात् 'कौवे में मयूर-वाणी सा मधुर शब्द कैसे हो' इस वाक्य में यद्यपि ककार का लगातार अनेक बार प्रयोग हुआ है, तथापि वह अध्रव्य नहीं लगता, क्योंकि बीच-बीच में आदर आदि गुरु स्वर आ गये हैं ।

दार्ढ्याय पुनरुदाहरति—

यथा च—

नान्य परावृत्तानि—

'यथा यथा तामरलायतेक्षणः मया सराग नितरा निषेविता ।

तथा तथा तत्पदार्थेव सर्वतो-विकृष्य मामेकरस चकार सा ॥

ना शतशोऽनुभूता प्रनिद्धा वा, तामरलायतेक्षणः मरोजदीर्घनयना नसा, मरगा मप्रत्ये नितरामन्वन्त, यदायथा येन येन प्रकारेण, निषेविता परिचरिता भावितोपयुक्ता वा, तथा तस्य तेन तेन प्रकारेण तत्त्वकया गुरुकृतमात्रगोपदेशभङ्गितिरित्, नाप, नर्वत्र मरोम्नो विषेन्त्य, विदुषाकृष्य, एकरसं स्वमात्रसत्प्रमित चतारेत्स्य ।

अत्र 'या-ता' 'या त' 'या त' स्वर्येषु यकारस्य स्वर्येषु तकारेणान्—' योषा-त' गुरुव्यवधानात् अध्रव्यम् । एव 'मा मे' इत्यदौ स्वानन्तर्येण चामको योष्य ।

अथवा जैसे—‘यथा यथा’ इत्यादि पद्य में। इसका अर्थ है—नायक अपने मित्र से कहता है अथवा स्वयं सोचता है कि—मैंने उस कमलनयनी नायिका का प्रेमपूर्वक ज्यों-ज्यों पूर्णतया सेवन किया, त्यों-त्यों उसने मुझे, तत्त्व-कथा (गुरुप्रदत्त ब्रह्मोपदेश) की तरह, सब ओर से खींच कर, एक-रस कर दिया—अर्थात् जैसे ब्रह्मज्ञानी को सर्वत्र ब्रह्म ही केवल दीख पड़ता है, वैसे मुझे भी सब जगह वही नायिका दिखाई देने लगी है। यहाँ ‘था-ता-’ ‘था त’ ‘था त’ इन अंशों में थकार का स्ववर्गीय तकार के साथ अव्यवधानेन प्रयोग, दीर्घ आकार-स्वर के मध्य में रख देने से अश्रव्य नहीं हुआ।

तदाह—

इदन्तु दीर्घव्यवाये ।

दीर्घत्वाद् येषा गुरुत्व, तद्वधवधानस्येदमुदाहरणम् ।

गुरु स्वर दो प्रकार के होते हैं—दीर्घ और ह्रस्व, जिनके आगे में सयुक्त व्यञ्जन होता है। उनमें से पूर्वोक्त उदाहरणों में दीर्घ होने के नाते गुरु स्वरों के मध्य में आ जाने के कारण अश्रव्यता निवृत्त हो गई—यह दिखाया गया है।

येषा पुनर्लन्यूनामपि सयोगपरकत्वेनातिदेशिक गुरुत्व तद्वधवधानमुदाहरति—

सयोगपरव्यवाये तु—

‘सदा जयानुषङ्गाणा-मङ्गानां सङ्गरस्थलम् ।

रङ्गाङ्गणमिवाभाति, तत्तत्तुरगताण्डवैः ॥’

सदा सतत, जयेऽनुषङ्ग सम्बन्धो येषा, यद्वा जय एवानुषङ्ग आनुषङ्गिकफलं येषां, तथाभूतानाम्, अङ्गाना गङ्गादक्षिणतटस्थदेशविशेषाणां तद्वासिना वा, सङ्गरस्थल युद्धस्थानम्, तत्तत्तुरगताण्डवैस्तेषा तेषां तुरगाणामश्वाना ताण्डवैर्मुहुर्मण्डलाकारसञ्चारणरूपोद्धतनृत्यै रङ्गाङ्गणमिव नृत्यशालाप्रस्थलमिव आभाति शोभत इत्यर्थ ।

अत्र चतुर्थचरणौ ह्रस्वस्य सयोगपरकत्वप्राप्तगुरुत्वस्यावर्णस्य व्यवाये स्वानन्तर्य तकारस्य नाश्रव्यम् ।

अब ह्रस्व होने पर भी जो स्वर आगे में सयुक्त व्यञ्जन के रहने से गुरु हो गये हैं उनके मध्य में आ जाने से अश्रव्यता की निवृत्ति का उदाहरण देखिये—सदा जयानु इत्यादि। कवि अङ्ग देश के राजाओं का वर्णन करता है कि—जय जिनका सर्वदा आनुषङ्गिक-स्वाभाविक फल रहा—अर्थात् जो सदा विजयको ही पाते रहे—कभी पराजित नहीं हुये, उन अङ्गदेश-वासियों का युद्ध-स्थल उन-उन (विलक्षण) अश्वों के नृत्यों (गति-विशेषों) से नाटक-घर के प्राङ्गण सा भासित होता है। यहाँ चतुर्थ चरण में तकार का वार-वार लगातार प्रयोग हुआ है, फिर भी अश्रव्यता नहीं, क्योंकि सयुक्त व्यञ्जन के आगे में रहने से गुरु बना हुआ अकार बीच में आ गया है।

उक्तापवादे विशेषमभिषत्ते—

इदन्तु बोध्यम्—गुरुयोर्यवघायक-स्तयोरेव वर्णयो-रानन्तर्यकृतमश्रव्यत्वमपवदति, तेनात्र [थकारतकारानन्तर्यकृतदोषापवादेऽपि] तकारथकारानन्तर्यकृतमश्रव्यत्वमनपनोदितमेव ।

अपवदति वाधते । अत्र ‘यथायथा’ इत्यादिपद्ये । अनपनोदितमनिरस्त विद्यमानमेवेति यावत् ।

ययोर्वर्णयोर्मध्यपाती गुरु, तयोरेव वर्णयोरानन्तर्यस्याश्रव्यत्व व्यपोहति, नतु तदुत्तरस्थास्यापि, तस्माद्यथेत्यादिपद्ये गुर्वाकारव्यवहितयोस्थायेति यातेति थकारतकारयोरेवानन्तर्यस्याश्रव्यत्वं व्यापोढम्, नतु तथेति तथेति तकारथकारयोरपि, ततस्तदंशेऽश्रव्यताऽस्त्येवेत्याशयः ।

यहाँ एक घात और समझने योग्य यह है कि—जिन दो वर्णों के बीच में गुरु स्वर

जन्ता है, उन दोनों वर्णों के सामीप्य ( एक के बाद एक की स्थिति ) से उत्पन्न अश्रव्यता के ही वह गुरु दूर करता है, अतः 'यया-यया तामरसा ' इत्यादि पूर्वोक्त पद्य में 'धा-न' 'धा-न' इस अद्य में जो धकार के अनन्तर तकार आया है, उनका दोष दूर हो जाने पर भी तकार के बाद यकार के आने से जो अश्रव्यता उत्पन्न होती है, वह बनी ही नहीं-उमङ्गी निवृत्ति नहीं हुई, क्योंकि उसके मध्य में कोई गुरु स्वर नहीं, अपि तु ह्रस्व स्वर है।

अध्वान्तर वदति—

एव च्यादीना संयोगोऽपि प्रायेणाश्रव्यः ।

एवमुन्मन्त्रवत् च्यादीना त्रिप्रसृताना ( त्रयाणां चतुर्णां वा ) वर्णानां, संयोगोऽपि प्रायेण यद्गुणो भवतीत्यर्थः । प्रायेणेति क्वचित् च्यादिसंयोगस्याप्यश्रव्यत्वं सूचयति ।

इसी प्रकार तीन अथवा तीन से भी अधिक वर्णों का संयोग भी प्रायः अश्रव्य होता है। यहाँ प्राय-पद इस बात को सूचित करता है कि कहीं-कहीं तीन-चार वर्णों का संयोग भी अश्रव्य नहीं होता।

उदाहरन्मुनमहरति—

'राष्ट्रे तगोष्ट्रथ परितश्चरन्ति' इत्येवमादयः श्रुतिकाटवभेदा अन्येऽप्यनुभवानुसारेण बोध्याः ।

श्रुतिकटव श्रुतिकटवम् ।

जैसे—'हरिणीप्रेक्षणा यत्र ' इत्यादि । अर्थात्—जहां मृगी सी चपल और विशाल नयनों वाली गृहिणी ( घर की मालिकिन ) दृष्टि-गोचर नहीं होती, वह गृह सब सम्पत्तियों से भरा पूरा होने पर भी वन है—निर्जन वन के एकान्त वास जैसा ही वहां का वास मन हूस होता है । यहां पूर्व-पद 'हरिणी' शब्द के आगे पकार और रेफ का संयोग है ।

अभिन्नपदकत्वे दीर्घानन्तर्यं संयोगस्य नाश्रव्यमित्याह—

एकपदगतस्य तु तथा नाश्रव्यम् ।

किञ्चिदश्रव्यं तु भवत्येवेति तथा शब्देन सूच्यते ।

यदि दीर्घस्वर और उसके आगे का संयोग एक ही पद में हों, तब वैसी अश्रव्यता नहीं होती ।

उदाहरति—

यथा—'जाग्रता विचितः पन्थाः, शात्रवाणां वृथोद्यमः ।'

वृथा व्यर्थ उद्यमो यत्र, तादृश शात्रवाणां शत्रूणां पन्थाः, मया जाग्रता विचितोऽन्विष्ट इत्यर्थः । इह जाग्रतेत्येकपदघटकत्वे दीर्घानन्तर्यं प्रतिसंयोगस्य तु तथा नाश्रव्यम् ।

जैसे—'जाग्रता ' इत्यादि—अर्थात्—व्यर्थ उद्योग वाले शत्रुओं के मार्ग को मैंने सावधानतापूर्वक खोज निकाला । यहां 'जाग्रता' इस एक पद में 'जा' के आगे 'ग-र' का संयोग उतना अश्रव्य नहीं होता ।

सयोगान्तरे विशेषमभिधत्ते—

परसवर्णकृतस्य तु संयोगस्य सर्वथा दीर्घाद् भिन्नपदगतत्वाभावान्मधुर त्वाच्चानन्तर्यं न मनागप्यश्रव्यम् ।

परसवर्णनिष्पन्नो हि संयोग पूर्वपदावयवत्वात् सर्वथा भिन्नपदघटक एकपदाघटको न मधुर' सुश्रवश्च भवतीति तस्य दीर्घानन्तर्यं नेषदप्यश्रव्यं भवतीत्यर्थः ।

पर-सवर्ण से बने हुए संयोग का दीर्घ स्वरके अनन्तर विद्यमान होना, नाम मात्र में अश्रव्य नहीं होता, क्योंकि वह संयोग सर्वथा भिन्न पद-गत नहीं होता और मधुर भी होता है ।

उदाहरति—

यथा—'तान्तमालतरुकान्ति-' इत्यादिपद्ये ।

पूर्वमुदाहृते ।

जैसे—'तान्तमाल-तरु-कान्ति लङ्घिनीम् ' इत्यादि पूर्वोक्त पद्य में ।

इह 'तान्ते'ति 'नीङ्कि'मिति संयोगस्य दीर्घानन्तर्यं भिन्नपदगतत्वाभावाच्च श्रव्यमित्याह—

अत्र 'ता'मित्यत्र 'नी'मित्यत्र च परसवर्णस्य पूर्वपदभक्ततया न संयोगो भिन्नपदगतः ।

भक्तत्वमवयवत्वम् ।

उक्त श्लोक के 'तान्त और नीङ्कि' इन दोनों स्थानों में जो परसवर्ण हुआ है, व पूर्व-पद का अङ्ग है, अतः यह संयोग भिन्न-पद में होने वाला नहीं कहा जा सकता ।

ननु 'हलोऽनन्तरा संयोग' इति सूत्रभाष्ये प्रत्येक हलवर्णानां संयोगसंज्ञायां श्रव्य व्यवस्थापना-तत्पक्षे 'तान्ते'त्यादौ संयोगस्य भिन्नपदघटकत्वमस्त्येवेति चेत्, उरप्रते- तथासति नकारस्य पूर्वपदावयवत्वाभावात् तेन व्यवहितस्य संयोगस्य न दीर्घाव्यवहित परत्वमिति न दोष इत्याह—

प्रत्येक संयोगसंज्ञेति पक्षेऽपि भिन्नपदगतः संयोगो न दीर्घाव्यवहितपरः ।

यदि आप कहें कि व्याकरण-भाष्य के कर्ता पतञ्जलि ने 'प्रत्येक संयोगसंज्ञा'-अर्थ

समुक्त व्यञ्जनों में प्रत्येक व्यञ्जन को पृथक्-पृथक् सयोग कहना चाहिये' यह पक्ष भी माना जाता है, तदनुसार तो उक्त न्यय में 'न' और 'त' आदि दोनों अलग-अलग सयोग कहे जायेंगे, फिर 'त' रूप सयोग भिन्न पदगत कहलायगा, इमका उत्तर यह है कि उक्त रीति से 'त' रूप सयोग भिन्न पदगत अवग्य हुआ, परन्तु वह दीर्घ स्वर से अव्यवहित अग्रिम वर्ण ही नहीं हुआ, क्योंकि मध्य में 'नकार' व्यवहित है। नारायण यह सिद्ध हुआ कि समुदाय के सयोगसङ्ग मानिये, चाहे प्रत्येक को, यहा अध्व्यता नहीं हो सकती।

अन्वयमपि 'नव-अनुद-' इत्यत्र दीर्घैकादेशस्य पूर्वापरपदद्वयावयवत्वे निगतिः, परपदागतस्य 'शु' इति सयोगस्य, पूर्वपदावयवदीर्घाकारादानन्तर्यं भिन्नपदघटकत्वं चास्त्ये-  
 ज्ञाध्रुत्वं उपरिहरमिति चेत्, न, भिन्नपदगतत्वमित्यस्यैकपदाघटकत्वपरत्वान्, अन्वयदीर्घैकादेशस्य पूर्वपदस्याप्यवयवत्वेन सयोगघटितपरपदघटकत्वादेकपदाघटकत्वस्या-  
 नानाम दोष ज्ञात्—

'नवानुद-' इत्यत्र त्वैकादेशस्य पदद्वयभक्ततया दीर्घाद्भिन्नपदगतत्वे सत्य-  
 व्यवहितोत्तरत्वं यद्यपि परसवर्णकृतसयोगस्य भवति, तथाप्यत्र भिन्नपदगतत्व-  
 मेकपदगतभिन्नत्व विवक्षितमित्यदोषः ।

हमारी श्लोक के 'नवानुद' पद में 'नव' शब्द के अन्तिम स्वर 'अ' और 'अनुद' शब्द के आदि स्वर 'अ' के स्थान में जो 'आ' दीर्घ हुआ है, वह व्याकरण के नियमानुसार एकादेश है, अतः यह व्याकरण के 'अन्तादिवच्च' सूत्र के बल में दोनों पदों का अवयव माना जाता है, हमारे जो यह पूर्व पद का अवयव माना जायगा, तब 'शु' में जो सयोग है, वह यद्यपि भिन्न-पद-गत है, दीर्घ से आगे है, तथा उसके बीच में कोई व्यवधान भी नहीं है, अतः यह यहा अध्व्यता दोष हो सकता था। तथापि यहा 'भिन्न-पद-गत' सयोग उसे ही माना गया है, जो किसी एक पद के अन्तगत न हो, अतः कुछ दोष नहीं होता। नारायण यह है कि 'नव' और 'अनुद' पद यद्यपि भिन्न-भिन्न हैं, तथापि समान हो जाने के कारण 'नवानुद' रूप एक पद हो गया है, अतः अध्व्यता का अवसर नहीं रहा।

एक दाशब्दान्तरस्य परमवर्णानिगन्तस्य भिन्नपदघटकस्य सयोगस्य सकृदपि प्रयोगेऽ-  
 न्ययत्वे चेत्, तदा किमुतामरूपसयोग इत्याद्यानि—

अनरुत्तु सुतराम् ।  
 प्रप्रव्यन्वमिति शेषः ।  
 परोक्त भि-पद-गत सयोग यदि चार-चार आवे, तब और अधिक कर्णकट्ट हो जाता है ।

वशादिति—  
 यथा—'एषा प्रिया मे क गता त्रपाकुला ।  
 ए-पेति 'अति' सयोगयोर्भिन्नपदगतयोर्दीर्घाकारानन्तर्यात् दोषः ।  
 जैसे—'एषा प्रिया मे क गता त्रपाकुला—अर्थात्—'यह मेरी प्रियसी लजा मे व्याकुल होकर  
 चली गई' इस वाक्य में। यहा उक्त प्रकार का सयोग चार-चार आया है—अर्थात् 'प्र' और  
 'त्र' इन दो स्थानों पर है ।

अन्वयेनाप्र-रत्वेन वाक्यस्य सा अतिरिक्ताकाप्-सातमभिरगति—  
 ए-पेति चाल्पस्य काव्यस्य पञ्चत्वमिन्न प्रतीयते ।  
 पञ्च उच्यते ।  
 पञ्च गरीरन्वेवाश्वत्स काव्यस्य सवर्णमित्येव अतिरिक्ताकाप्-  
 उक्त अध्व्यतायै कारणसी पञ्चता ( ए-पेति ) जैती तर्गा है



ताओं के कारण काव्य की सरस धारा में स्कावट पैदा हो जाती है, अतः इनका परिहार करना नितान्त आवश्यक है।

अश्रव्यान्तरमाचष्टे—

अथ स्वेच्छया सन्ध्यकरणं सकृदप्यश्रव्यम् ।

स्वेच्छयेत्यनेन प्रकृतिभावव्यवच्छेद । सन्धिः सन्धिकार्यं यणादि ।

सूत्रापेक्षया सकृदपि यदि सन्धिकार्यं न क्रियेत, तदप्यश्रव्यं स्यादित्यर्थः ।

अब सन्धि के नियमों के सम्बन्ध में सुनिये। अपनी इच्छा से (न कि व्याकरण-नियम से) एक बार भी सन्धि का नहीं करना अश्रव्य होता है।

उदाहरति—

यथा—‘रम्याणि इन्दुमुखि । ते किलकिञ्चितानि ।’

किलकिञ्चित् ‘स्मितशुष्करदित-हसित-त्रास-क्रोध-श्रमादीनाम् । साङ्कर्यं किलकिञ्चि मभीष्टतमसङ्गमादिजाद्वर्षात् ।’ इत्युक्तलक्षणम् । अत्रेकारद्वयस्य सूत्रप्राप्तोऽपि सर्वणं उपेक्षित इत्यश्रव्यता ।

जैसे—‘रम्याणि’ इत्यादि-अर्थात् ‘हे चन्द्रवदने ! तुम्हारे ये किलकिञ्चित् (अजन के सगम आदि हेतुओं से उत्पन्न हर्ष के कारण होने वाले ईषत्-हास्य, शुष्क-रोद क्रोध, भय और श्रम आदि भावों का मिश्रण) बड़े रमणीय हैं’। यहाँ ‘रम्याणि’ पद अन्तिम और ‘इन्दुमुखि’ पद का आदिम इकार का ऐच्छिक सन्धि-विरह अश्रव्य है।

प्रगृह्यसंज्ञया प्रकृतिभावे सकृत् सन्धिकार्याकरणे नाश्रव्यत्वम्, असकृत्त्वश्रव्यत्वमेवेत्याह प्रगृह्यताप्रयुक्तं त्वसकृदेव ।

सकृत् सन्ध्यकरणस्य दुष्टत्वे तु विधायकशास्त्रवैयर्थ्यं प्रसज्येत ।

प्रगृह्यसंज्ञा के कारण जो सन्धि नहीं की जाती वह बार-बार आवे, तभी अश्रव्य है, केवल एक बार आने से नहीं।

उदाहरति—

‘अहो अमी इन्दुमुखीविलासाः’ ।

अत्र द्विरवादेशदीर्घरूपसन्धिकार्याकरणं प्रगृह्यसंज्ञाप्रकृतिभावप्रयुक्तमित्यश्रव्यता ।

जैसे—‘अहो अमी’ इत्यादि-अर्थात् ‘चन्द्रमुखी नायिका के ये विलास आश्चर्यजनक हैं’। यहाँ ओ + अ और ई + इ में।

एवं ‘लोप शाकल्यस्य’ इति सूत्रेण य-वयोर्लोपस्यासिद्धताप्रयुक्तमसकृद् विरलेष सन्धिकार्यानिनुष्ठानमप्यश्रव्यमित्युपदिशति—

एवमेव च य-व-लोपप्रयुक्तम् ।

उदाहरति—

‘अपर इषव एते कामिनीनां दृगन्ताः’ ।

अत्रासकृद्यलोपस्यासिद्धत्वाद्गुणवृद्धिरूपसन्धिकार्यानिनुष्ठानादश्रव्यत्वम् । वस्तुतस्तु सन्धिविश्लेषतादोषः । ‘इषव’ इत्यत्र ‘इव त’ इति पाठान्तरम् ।

इसी तरह ‘य’ और ‘व’ के लोप हो जाने के कारण जो सन्धि नहीं की जाती, वह यदि बार-बार आवे तो कर्णकटु प्रतीत होती है, जैसे—‘अपर इषव ...’ इत्यादि अर्थात् ‘कामिनियों के ये कटाक्ष दूसरे बाण हैं’ यहाँ अ + इ और अ + ए में।

स्वकीयकाव्य एतद्दोषमाशङ्क्य परिहरति—

कथं तर्हि—



ये ऊपर कहे गये अश्रव्यों के सभी भेद सभी काव्यों में वर्जनीय हैं, चाहे किसी रस क वर्णन हो, इन अश्रव्यताओं का परिहार करना ही समुचित है। यहाँ यह विशेष समझना चाहिये कि 'श्रुतिकटुत्व' और यह 'अश्रव्यत्व' दो दोष हैं, एक नहीं, क्योंकि 'श्रुतिकटुत्व' का अर्थ है 'कठोर-वर्ण-युक्त रचना का कान में उद्वेग पैदा करना' जो मधुर-रसों का प्रति कूल और ओजस्वी रसों का अनुकूल है, अतः अनित्य दोष है और काव्य-विशेष ( मधुर रस वाले काव्य ) में ही त्याज्य है। परन्तु पूर्वोक्त अनेकविध अश्रव्यत्व का सामान्य अर्थ है 'उन-उन वर्णों के अनन्तर उन-उन वर्णों के आगमन आदि अनेक कारणों से रचना क सुनने योग्य न होना, चाहे वह कोमल वर्णों से ही क्यों न बनी हो' यह दोष सब रसों क प्रतिकूल ही है, अतएव नित्य है और सभी प्रकार के काव्यों में त्याज्य है।

अथ रसविशेषानुसार काव्यविशेषे वर्जनीयान् दोषान् वक्तुमुपक्रमते—

अथ विशेषतो वर्जनीयाः। तत्र मधुररसेषु ये विशेषतो वर्जनीया अनुपद वक्ष्यन्ते त एवौजस्विष्वनुकूलाः, ये चानुकूलतयोक्ताः, ते प्रतिकूला इति सामान्यतो निर्णयः।

तत्र तेषा मध्ये। मधुररसेषु माधुर्यगुणाश्रयेषु शृङ्गार-करण-शान्तरसेषु। श्रुतप 'दीर्घसमास'मित्यादिना वक्ष्यन्ते। ओजस्विष्वोजोगुणाश्रयेषु वीर-वीभत्स-रौद्ररसेषु अनुकूला उपकारकत्वादवर्जनीया। अनुकूलतयोक्ता मधुररसेष्विति शेष, टवर्गवर्जितेत्यादि पूर्व कथिता। प्रतिकूला विरोधिन ओजस्विरसेष्विति शेष।

मधुररसापकारका ओजस्विरसोपकारका, ओजस्विरसापकारकाश्च मधुररसोपकार भवन्तीति साधारणतया निर्णयोऽस्तीत्यर्थ।

अथ विशेषतया वर्जनीयों ( अर्थात् जो रस-विशेष के अनुसार काव्य-विशेष में। त्याज्य हैं, सब काव्यों में नहीं ) का निरूपण किया जाता है। उनमें से जो दोष मधुर रसों में विशेष रूप से निषिद्ध हैं और जिनका प्रतिपादन अभी किया जायगा, वे ओजस्वी रसों के अनुकूल होते हैं—अर्थात् वहाँ उनका रहना उचित ही नहीं आवश्यक भी और जो दोष मधुर-रसों के अनुकूल कहे गये हैं, वे ओजस्वी रसों के प्रतिकूल होते हैं अतः उन दोषों से उन रसों को बचाना चाहिये। यह एक साधारण नियम है।

मधुररसेषु प्रतिकूलतया वर्जनीयान् गणयन्नादावसकृत्प्रयोग एव दूषकान् ब्रवीति—

मधुररसेषु दीर्घसमास ऋयुघटितसयोगपरह्रस्वस्य, विसर्जनीयादेशसकार जिह्वामूलीयो-पध्मानीयानां टवर्ग-ऋया, रेफ-हकारान्यतरघटितसयोगस्य, ह्रस्व-ल-म-न-भिन्नानां स्वात्मना सयोगस्य, ऋयुद्वयघटितसंयोगस्य चासकृत् प्रयो नैकट्येन वर्जयेत्।

मधुरेषु, न त्वोजस्विषु रसेषु व्यङ्ग्येषु दीर्घसमास ऋयादिशब्दप्रतिपाद्याना नैकट्येना कृत्प्रयोग च वर्जयेदित्यन्वय। पञ्चमवर्णातिरिक्ता वर्गपञ्चकघटका विंशतिर्वर्णा ऋयुसञ्ज्ञक तद्घटित सयोग परो यस्मात् तादृशस्य ह्रस्वस्य, विसर्जनीयो विसर्गस्तत्स्थानिकादेशभूत-सकारस्य, अच-परस्य काखभ्या पूर्वस्यार्धविसर्गाकारस्यविसर्जनीयादेशस्य जिह्वामूलीयस्य, अच-परस्य पफाभ्या पूर्वस्यार्धविसर्गाकारस्योपध्मानीयस्य च विसर्जनीयादेशस्य टवर्गस्य, ऋय ( अस्सयुक्तस्य ), रेफहकारयोरन्यतरेण घटितस्य सयोगस्य, लकार-मकार-नकारातिरिक्तानां हला व्यञ्जनवर्णानां स्वात्मना घटितस्य सयोगस्य च नैकट्येनैककृत् प्रयोग दीर्घसमासं च वर्जयेदित्यर्थ।

अथ मधुर-रसों के प्रतिकूल वस्तुओं को गिनाते हैं—'मधुर' इत्यादि। लभ्ये समास, जिनके आगे श्य प्रत्याहार के वर्णों अर्थात् वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अक्षरों के सयोग हों—ऐसे ह्रस्वस्वर, विसर्ग, विसर्ग के स्थान में आदेश-द्वारा आये

हुये मकार, जिहानृतीय, उपध्मानीय, टवर्ग के वर्ण, प्रत्येक वर्ग के आद्य चार अक्षर, रेफ अक्षरा हकार-द्वारा बने हुये मयोग, ल, म और न के अतिरिक्त अन्य व्यञ्जनों के उन्हीं के साथ मयोग—अर्थात् उनके द्विख और वर्णों के प्रथम से लेकर चतुर्थ पर्यन्त के वर्णों में से किन्हीं दो वर्णों के मयोग, इन सवों के समीप-समीप में वार-वार प्रयोगों को मधुर-रसों में छोड़ना चाहिये ।

प्रथम मन्त्रदसकृत्य प्रयोगो ययोर्वर्जनीयौ, तावाह—

मवर्णमयद्वयघटितसंयोगस्य. शभिन्नमहाप्राणघटितसयोगस्य सकृदपीति ननेप ।

नाना प्राणमवर्णमयद्वयघटितसंयोगस्य यद्वय प्रत्येक वर्णद्वय तेन घटितस्य संयोगस्य, तथा ननेप नानातिरिक्तमहाप्राणप्रयत्नवद्विवर्णमयद्वयघटितसंयोगस्य चतुर्थवर्णघटितस्य संयोगस्य ननेप, मन्त्रदसि किमुतामन्त्र, प्रयोग मधुररसेषु वर्जयेदित्यर्थ ।

मवर्ण—अर्थात् जिनके न्यान एव प्रथम एव से हों—ऐसे वर्णों के प्रथम से चतुर्थ तक के वर्णों से बने हुये मयोग और म-प-म के अतिरिक्त किसी महाप्राण अक्षर के द्वारा बने हुये मयोग का एक बार भी प्रयोग मधुर-रसों में नहीं करना चाहिये । यह सचेपत मधुर-रसों में वर्जनीयों का विवरण दिया गया है ।

प्रथम वर्जनीयानुदाहरणमुदाहरति—

दीर्घममानो यथा—

प्रभिरिति ननेपति—

‘लोलालकायलि—उलन्नयनारविन्द—

लीलायशब्दितलोकधिलोचनाया ।

सायाहनि प्रणयिनो भवन व्रजन्त्या—

श्रेतो न कस्य हरते गतिरङ्गनाया ॥’

हीरा वज्रमणय इव शुक्लतया स्फुरन्त शोभमाना ये रदना दन्तास्तेषां शुभ्रिण्या स्वच्छतया, शोभि शोभनशीलम्, किञ्च सान्द्रं घनममृत ( मण्डलेऽधरे च ) यत्र तादृशम्, एणविलोचनाया मृगनयनाया, वदन मुख, विधाय विरचय्य, विदुषा वरेण्य श्रेयान्, ( न त्वनभिज्ञ ) वेद्या ब्रह्मा, पुनरुक्तमिव पुनरुच्चारितपदमिव निष्प्रयोजन, चन्द्रविम्बमिन्दु-मण्डल, कथं न दूरीकरोति कुतो न दूरे निक्षिपतीति न जाने, यद्वा नन्वकाक्षा दूरीकरोत्येवेत्यर्थः ।

जिनके आगे क्षय प्रत्याहार के वर्णों के संयोग हों—ऐसे ह्रस्व स्वरों का समीप-समीप में अधिक प्रयोग, जैसे—'हरि-स्फुरद्ददन' ' इत्यादि । नायिका के मुख को देखता हुआ कोई अपने मन में सोचता है कि—हीरों के समान चमकते हुये दांतों की स्वच्छता से शोभित और सघन अमृत ( अधर-विम्ब-रस ) से युक्त मृग-नयनी नायिका के मुख को बनाकर विद्वानों में श्रेष्ठ विधाता पुनरुक्त के समान ( निरर्थक ) चन्द्र-विम्ब को क्यों नहीं हटा देता—अब भी गगन में उसे क्यों उगा रखा है ?

उपपादयति—

अत्र 'अश्रब्दपर्यन्तं शृङ्गारानुगुणम्, शिष्टन्तु रमणीयम् । उत्तरार्धे ककार-तकाररूपभयद्वयसंयोगस्य सन्त्वेऽपि, प्राचुर्याभावान्न दोषः । यदि तु 'दन्तांशुकान्तमरविन्दरमापहारि, सान्द्रामृतम्' इत्यादि क्रियते, तदा सर्वमेव रमणीयम् ।

इह क्रमेण फ-द-भरूपैकमात्रभयघटितात् 'स्फु-द्र-भि'-रूपसंयोगत्रयात् पूर्ववर्तिना मकारयोःकारस्य च ह्रस्वानां प्राचुर्यं शृङ्गाररसस्यानुपकारकम् । शिष्टं तदतिरिक्तं तु दोषराहित्यात् सुन्दरम् । उत्तरार्धे केतिककारतकारयोः संयोग सन्नपि प्राचुर्यविरहाच्च दूषकः । यदि तु प्रथमचरणे 'दन्तानामशुभि किरणैः कान्त मनोहरम्, अरविन्दस्य पद्मस्य रमाया श्रियोऽपहारि' इत्यर्थकं दन्तेत्यादिपाठान्तरं क्रियते, तर्हि तादृशसंयोगपरह्रस्वाभावात् सर्वमेव सुन्दरमित्यर्थः ।

पूर्वोक्त पद्य में 'अभि' शब्द पर्यन्त की रचना शृङ्गार-रस के प्रतिकूल है, क्योंकि यहां क्रम से 'फ-द-भ' रूप क्षय से बने हुये 'स्फु-द्र-भि' रूप संयोग से पूर्व में स्थित अकार-द्वय तथा एक उकार रूप स्वरों की अधिकता समीप-समीप में है । अवशिष्ट अश इस पद्य का सुन्दर है—शृङ्गार के अनुकूल है । यद्यपि उत्तरार्ध में 'पुनरुक्त' पद में ककार और तकार का संयोग है तथापि ऐसे संयोगों की अधिकता नहीं रहने के कारण दोष-रूप वह नहीं होता और यदि इसी पद्य के प्रथम चरण को 'दन्तांशुकान्त' ' ' इत्यादि मूलोक्त रूप में परिवर्तित कर दिया जाय, तब सम्पूर्ण पद्य निर्दोष रमणीय हो जा सकता है । परिवर्तित पाठ का अर्थ यह होगा कि—'दांतों की किरणों से मनोहर और कमल की शोभा को चुराने वाला' ( मुख ) ।

तृतीयमुदाहरति—

विसर्गप्राचुर्यं यथा—

इहोदाहरणानुरोधाद् विसर्गपदं तत्स्थानिकयोः सकारश्चुत्वनिष्पन्नशकारादेशयोर्बोधकम् ।

विसर्गो—अर्थात् विसर्ग के स्थान में आदिष्ट हुये 'स' और 'श' की अधिकता जैसे—नायको विभावयति—

'सानुरागास्सानुकम्पाश्चतुराशीलशीतला' ।

हरन्ति हृदयं हन्त ! कान्तायास्स्वान्तवृत्तयः ॥'

अनुरागेण सहिता सानुरागा, अनुकम्पया कृपया समेता सानुकम्पा, चतुरा पर-वशीकरणकुशला, शीलेन विनयार्जवादिसद्वृत्तेन शीतला क्रोधाद्यौष्ण्यरहिता सन्तापहारका वा, कान्ताया स्वान्तवृत्तयो मनोव्यापारा, हन्त वत ! मे हृदयं हरन्ति वशीकुर्वन्तीत्यर्थः ।

नायक मोचना है कि—नन्दरियो की प्रेम ने युक्त और दया ने मृदुल तथा चतुर और विनय आदि अरुचे वाचरणों में शीतल चित्तवृत्तिया, हाथ । हृदय को हरण किने लेती हैं ।  
उपपादयति—

अत्र शकारद्वयसंयोगान्तं पूर्वार्धं माधुर्याननुगुणम् ।

एतं विनर्गस्थानिकमकारस्य, तन्पानिकराकारस्य, शकारद्वयमयोगन्त्र च 'श्री'ति पर्यन्तं पूर्वार्धं प्राचुर्यनोजस्विरनानुकूलान्मानुररन्प्रतिकूलमिति वर्जनीयम् । क्विदन्त्याशक्तिकले पूर्वार्धं प्रयुक्तं पूर्वार्धशब्दोऽन्यत्र, माधुर्यशब्दश्च तदाश्रयणेषु लाक्षणिकः ।  
पूर्व पद्य में दो प्रकारों के संयोग पर्यन्त पूर्वार्ध का भाग मधुर-रन्म के प्रतिवृत्त हैं ।

विनर्जनीयाशक्तिजिज्ञामूलीयप्राचुर्यमुदाहरति—

जिज्ञामूलीयप्राचुर्यं यथा—

जिज्ञामूलीय की अधिकता, जैसे —

विश्रोगिनी नवीं ब्रूते—

‘कालतकुलिशायाताऽकेऽपि खेलन्ति वाताः-  
कुशलमिह कथं वा जायतां जीविते मे ।  
अयमपि वत ! गुञ्जन्नालि ! माकन्दमौली,  
चुलुक्यति मदीयां चेतनां चञ्चरीक ॥’

हे आलि ! कथय, यत कलित कृत कुलिशस्य वञ्जन्य घात इव घातो यस्यै सयः-  
प्राणहारण, केऽपि विशेषेण वर्णयितुमगत्या, वाता मलयानिला, खेलन्ति लताभि-  
नीजन्त इव वहन्ति । अपि च-अथ पुरःस्थ, नाकन्दमौली रनालप्रितरे, गुञ्जन् निस्वनन्,  
चयरांशे मधुर, मदीया चेतना नता वत ' चुलुक्यति चुलुक्यसलिनमिव निःशेषी-  
करोति, तस्मान्मे मम जीविते जीवने, कुशलकल्याण कथमिह वा जायताम्, न कथनपीत्यर्थः ।

विरहिणी नायिका सखी ने कहती है—वज्र के समान बाधात करने वाले न जाने कौन मे वायु ( मलयानिल ) खेल रहे हैं—लताओं के नाथ खेलते से बहरहे है, फिर, भला ! मेरे जीवन में कल्याण कैसे उत्पन्न हो सकता और है नहि ! नवसे बड़ी खेद की बात तो यह है कि काम के शिखरों पर गूँजता हुआ यह अमर भी मेरी चेतना ( ज्ञान-  
दाकि ) को चुलुक्य किने जा रहा है—नष्ट करता जा रहा है ।

उपपादयति—

अत्र द्वितीयजिज्ञामूलीयपर्यन्तमननुगुण माधुर्यस्य । यदि च—‘कथय कथ-  
मिवाशा जायता जीविते मे. मलयभुजगवान्ता वान्ति वाता कृतान्ता. ।’ इति  
विधीयते, तदा नाय दोषः ।

ए प्रथमचरणे जिज्ञामूलीयस्य द्विरुवात्स्य प्राचुर्यं शृणारस्य प्रतिकूलत्वाद्दर्जनीयम् ।  
मल्यायलस्यनर्पनुखनिस्त्रता विरहिणामन्तज्ञा वाता वान्तात्यर्थकपायान्तरकरणे तु जिज्ञा-  
मूलीयाभावाद्दोषाभावः । वान्तपदस्य लाक्षणिकत्वाच्च नापीलना ।

उप 'डूके में द्वितीय जिज्ञामूलीय पर्यन्त का भाग माधुर्य के अनुकूल नहीं है । यदि यहाँ पर '... ननु निजम्. ...' इत्यादि मूलोक्त के रूप में प्रथम और द्वितीय चरणों को परिवर्तित कर दिया जाय, तब यह दोष नहीं रहता । परिवर्तित पाठ का अर्थ ( जो पद्य पाठ में नहीं था ) यह होगा कि 'मल्याचल पर रहने वाले मर्गों ने वान्त ( उनके मुख में निकले हुए ) विरहिणियों के लिये हृत्नान्तरूप वायु कहे हैं' ।

हीरा वज्रमणय इव शुक्लतया स्फुरन्त शोभमाना ये रदना दन्तास्तेषां शुभ्रिष्णा स्वच्छतया, शोभि शोभनशीलम्, किञ्च सान्द्रं घनममृत ( मण्डलेऽधरे च ) यत्र तादृशम्, एणविलोचनाया मृगनयनाया, वदन मुख, विधाय विरचय्य, विदुषा वरेण्य श्रेयान्, ( न त्वनभिज्ञ ) वेद्या ब्रह्मा, पुनरुक्तमिव पुनरुच्चारितपदमिव निष्प्रयोजनं, चन्द्रबिम्बमिन्दु-मण्डल, कथं न दूरीकरोति कुतो न दूरे निक्षिपतीति न जाने, यद्वा नन्काका दूरीकरोत्येवेत्यर्थः ।

जिनके आगे क्षय् प्रत्याहार के वर्णों के सयोग हों—ऐसे ह्रस्व स्वरों का समीप-समीप में अधिक प्रयोग, जैसे—‘हरि-स्फुरद्ददन ’ इत्यादि । नायिका के मुख को देखता हुआ कोई अपने मन में सोचता है कि—हीरों के समान चमकते हुये दातों की स्वच्छता से शोभित और सघन अमृत ( अधर-बिम्ब-रस ) से युक्त मृग-नयनी नायिका के मुख को बनाकर विद्वानों में श्रेष्ठ विधाता पुनरुक्त के समान ( निरर्थक ) चन्द्र-बिम्ब को क्यों नहीं हटा देता—अब भी गगन में उसे क्यों उगा रखा है ?

उपपादयति—

अत्र भ्रंशब्दपर्यन्तं शृङ्गाराननुगुणम्, शिष्टन्तु रमणीयम् । उत्तरार्धे ककार-तकाररूपमयद्वयसंयोगस्य सत्त्वेऽपि, प्राचुर्याभावात्त दोषः । यदि तु ‘दन्तांशुकान्तमरविन्दरमापहारि, सान्द्रामृतम्’ इत्यादि क्रियते, तदा सर्वमेव रमणीयम् ।

इह क्रमेण फ-द-भरूपैकमात्रमयघटितात् ‘स्फु-द्र-भि-’रूपसयोगत्रयात् पूर्ववर्तिना मकारयोरुकारस्य च ह्रस्वाना प्राचुर्यं शृङ्गाररसस्यानुपकारकम् । शिष्ट तदतिरिक्तं तु दोषरहित्यात् सुन्दरम् । उत्तरार्धे क्तितकारतकारयोः संयोग सन्नपि प्राचुर्यविरहाच्च दूषकः । यदि तु प्रथमचरणे ‘दन्तानामंशुभिः किरणैः कान्तमनोहरम्, अरविन्दस्य पद्मस्य रमाया श्रियोऽपहारि’ इत्यर्थकं दन्तेत्यादिपाठान्तरं क्रियते, तर्हि तादृशसयोगपरह्रस्वाभावात् सर्वमेव सुन्दरमित्यर्थः ।

पूर्वोक्त पद्य में ‘भि’ शब्द पर्यन्त की रचना शृङ्गार-रस के प्रतिकूल है, क्योंकि यहाँ क्रम से ‘फ-द-भ’ रूप क्षय् से बने हुये ‘स्फु-द्र-भि’ रूप संयोग से पूर्व में स्थित अकार-द्वय तथा एक उकार रूप स्वरों की अधिकता समीप-समीप में है । अवशिष्ट अश इस पद्य का सुन्दर है—शृङ्गार के अनुकूल है । यद्यपि उत्तरार्ध में ‘पुनरुक्त’ पद में ककार और तकार का संयोग है तथापि ऐसे संयोगों की अधिकता नहीं रहने के कारण दोष रूप वह नहीं होता और यदि इसी पद्य के प्रथम चरण को ‘दन्तांशुकान्तम्’ इत्यादि मूलोक्त रूप में परिवर्तित कर दिया जाय, तब सम्पूर्ण पद्य निर्दोष रमणीय हो जा सकता है । परिवर्तित पाठ का अर्थ यह होगा कि—‘दातों की किरणों से मनोहर और कमल की शोभा को चुराने वाला’ ( मुख ) ।

तृतीयमुदाहरति—

विसर्गप्राचुर्यं यथा—

इहोदाहरणानुरोधाद् विसर्गपदं तत्स्थानिकयोः सकारक्षुत्वनिष्पन्नशकारादेशयोर्बोधकम् । विसर्गो—अर्थात् विसर्ग के स्थान में आदिष्ट हुये ‘स’ और ‘श’ की अधिकता जैसे—नायको विभावयति—

‘सानुरागास्सानुकम्पाश्चतुरारशीलशीतला’ ।

हरन्ति हृदयं हन्त ! कान्तायास्त्वान्तवृत्तयः ॥’

अनुरागेण सहिता सानुरागा, अनुकम्पया कृपया समेता सानुकम्पा, चतुरा पर-वगीकरणकुशला, शीलेन विनयार्जवादिदृष्टेन शीतला क्रोधाद्यौष्ण्यरहिता सन्तापहारका वा, कान्ताया स्वान्तवृत्तयो मनोव्यापारा, हन्त वत ! मे हृदयं हरन्ति वशीकुर्वन्तीत्यर्थः ।

नायक सोचता है कि—सुन्दरियों की प्रेम से युक्त और दया से मृदुल तथा चतुर और विनय वादि अच्छे वाचरणों से शीतल चित्तवृत्तियाँ, हाय ! हृदय को हरण किये लेती हैं ।

उपपादयति—

अत्र शकारद्वयसंयोगान्तं पूर्वार्धं माधुर्याननुगुणम् ।

इह विसर्गस्थानिकमकारस्य, तत्स्थानिकशकारस्य, शकारद्वयसंयोगस्य च 'शी'ति पर्यन्तं पूर्वार्धं प्राचुर्यनोजस्विरसानुकूलत्वान्मधुररसप्रतिकूलमिति वर्जनीयम् । कियदन्त्याशक्तिकले पूर्वार्धं प्रयुक्तं पूर्वार्धशब्दोऽव्यये, माधुर्यशब्दश्च तदाश्रयरसेषु लाक्षणिक ।

पूर्व पद्य में दो शकारों के संयोग पर्यन्त पूर्वार्ध का भाग मधुर-रस के प्रतिकूल हैं ।

विसर्जनीयादेशजिह्वामूलीयप्राचुर्यमुदाहरति—

जिह्वामूलीयप्राचुर्यं यथा—

जिह्वामूलीय की अधिकता, जैसे —

वियोगिनी सखीं व्रूते—

‘कलितकुलिशयाताःकेऽपि खेलन्ति वाताः-

कुशलमिह कथं वा जायतां जीविते मे ।

अयमपि वत । गुञ्जन्नालि । माकन्दमौलौ,

चुलुकयति मदीयां चेतनां चञ्चरीकः ॥’

हे आलि ! कथय, यतः कलित कृत कुलिशस्य वज्रस्य घात इव घातो यैस्ते सद्यः-प्राणहारकाः, केऽपि विशेषेण वर्णयितुमशक्या, वाता मलयानिलाः, खेलन्ति लताभिः व्रीडन्त इव वहन्ति । अपि च—अयं पुरःस्थः, माकन्दमौलौ रसालशिखरे, गुञ्जन् नित्वनन्, चञ्चरीको मधुकर, मदीया चेतना सज्ञा वत । चुलुकयति चुलुकस्यसलिलमिव निश्शेषी-करोति, तस्मान्नेमम जीविते जीवने, कुशल कल्याणं कथमिह वा जायताम्, न कश्चनपीत्यर्थः ।

विरहिणी नायिका सखी से कहती है—वज्र के समान आघात करने वाले न जाने कौन से वायु (मलयानिल) खेल रहे हैं—लताओं के साथ खेलते से बहरहे हैं, फिर, भला ! मेरे जीवन में कल्याण कैसे उत्पन्न हो सकता और हे सखि ! सबसे बड़ी खेद की बात तो यह है कि वाम के शिखरों पर गुँजता हुआ यह भ्रमर भी मेरी चेतना (ज्ञान-शक्ति) को चुल्लू किये जा रहा है—नष्ट करता जा रहा है ।

उपपादयति—

अत्र द्वितीयजिह्वामूलीयपर्यन्तमननुगुणं माधुर्यस्य । यदि च—‘कथय कथ-मिवाशा जायतां जीविते मे, मलयमुजगवान्ता वान्ति वाताः कृतान्ताः ।’ इति विधीयते, तदा नायं दोषः ।

इह प्रथमचरणे जिह्वामूलीयस्य द्विस्मात्तस्य प्राचुर्यं शृङ्गारस्य प्रतिकूलत्वाद्दर्जनीयम् । मलयाचलस्यसर्पमुखनिष्ठता विरहिणामन्तका वाता वान्तीत्यर्थक्यादान्तरकरणे तु जिह्वामूलीयामात्रादोषाभावः । वान्तपदस्य लाक्षणिकत्वाच्च नास्तीलता ।

उक्त श्लोक में द्वितीय जिह्वामूलीय पर्यन्त का भाग माधुर्य के अनुकूल नहीं है । यदि यहाँ पर ‘कथय कथमिवाशा’..... इत्यादि मूलोक्त के रूप में प्रथम और द्वितीय चरणों को परिवर्तित कर दिया जाय, तब यह दोष नहीं रहता । परिवर्तित पाठ का अर्थ ( जो पूर्व पाठ में नहीं था ) यह होगा कि ‘मलयाचल पर रहने वाले सर्पों से वान्त ( उनके मुख से निकले हुए ) विरहियों के लिये कृतान्तरूप वायु कहते हैं’ ।



विसर्गस्थानिकोपध्मानीयप्राचुर्यमुदाहरति—

उपध्मानीयप्राचुर्यं यथा—

उपध्मानीयों की अधिकता, जैसे:—

निर्विण्ण परामृशति—

‘अलकाऽफणिशावतुल्यशीला-नयनान्ताऽपरिपुङ्खितेषु लीलाः ।

चपलोपमिता खलु स्वयं या, वत । लोके सुखसाधनं कथं सा ॥’

यस्या खिया अलकाश्वूर्णकुन्तला फणिशावतुल्यशीला सर्पशिशुसदृशकुटिलस्वभावाः सन्ति, तथा यस्या नयनान्ता कटाक्षा परिपुङ्खितेषूणामारोपितपक्ष-वाणाना लीला इव लीला येषां तादृशास्तीक्ष्णतमाः सन्ति, किञ्च या स्वयं खलु चपलया विद्युत्तयोपमिताऽति-चञ्चलाऽस्ति, सा स्त्री, लोके कथं वत । सुखस्य सौख्यस्य साधन सम्पादिका स्यादित्यर्थः ।

कोई दुःखी जन अपने मन में सोचता है कि—जिसके केश सर्प के बच्चों के तुल्य स्वभाव वाले हैं, जिसके कटाक्ष पङ्ख वाले वाणों की सी लीला दिखलाने वाले हैं और जो स्वयं विद्युच्छता सरीखी है, वह ( स्त्री ) संसार में सुख का साधन कैसे हो सकती ?

उपपादयति—

अत्र द्वावुपध्मानीयावेव न शान्तानुगुणौ ।

अत्र श्लोकेऽन्येषा शान्तरसानुकूलत्वेऽपि, पूर्वार्धघटकं विसर्गस्थानिकोपध्मानीयद्वयं केवल माधुर्यापकर्षकत्वाच्छान्तरसस्य प्रस्तुतस्य प्रतिकूलत्वाद् वर्जनीयमित्याशयः ।

जिहामूलीयोपध्मानीयोदाहरणयो ‘कुण्डोऽकऽपौ च’ इति सूत्रस्य वैकल्पिकतादादेश-विधायकत्वेन विसर्गस्थितौ नायं दोषः सम्भवतीति विभावनीयम् ।

उक्त श्लोक में और सब शान्त रस के अनुकूल हैं, परन्तु दोनों उपध्मानीय केवल उस ( शान्त रस ) के अनुकूल नहीं हैं ।

टवर्गस्य भ्रयां च प्राचुर्यमुदाहरति—

टवर्ग-भ्रयां प्राचुर्यं यथा—

घ्राह्मणवशिष्टन्यायेन टवर्गस्य पृथगुपादानम् ।

टवर्ग और झय् अर्थात् वर्गों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ वर्णों की अधिकता जैसे:—

न्यङ्कृतो नायको मानिनीमनुनयन्नभिदधाति—

‘वचने तव यत्र माधुरी सा, हृदि पूर्णा करुणा च कोमलेऽभूत् ।

अधुना हरिणाक्षि ! हा कथं वा, कटुता तत्र कठोरताऽऽविरासीत् ॥’

हे हरिणाक्षि ! यत्र तव कोमले वचने साऽनुभूतपूर्वा माधुरी, कोमले हृदि पूर्णा करुणा च मानात् पूर्वमभूत्, अधुना मानसमये, हा ! तत्र तव वचने कटुता, हृदि कठोरता च कथं वाऽऽविरासीदुदभूदित्यर्थः ।

अत्रोत्तरार्धे टकारठकारात्मकटवर्गस्य ककारथकारादीनां भ्रया च नैकत्वेन प्राचुर्यं मधुरतमविप्रलम्भप्रतिकूलत्वाद् वर्जनीयम् । ‘कोमले’ इत्यस्य सम्बोधनत्वापेक्षया वचन-हृदयविशेषणत्वमेवाधिकमत्कारकम् ।

नायक किसी नायिका से कहता है कि—हे हरिणनेत्रे ! तेरे जिस वचन में वह अनिर्वचनीय मधुरता थी और जिस कोमल हृदय में पूरी दयालुता थी, हाय ! आज उन्हीं दोनों ( वचन और हृदय ) में ( क्रमशः ) कटु और कठोरता कैसे उत्पन्न हो गई ! यहा उत्तरार्ध में टकार-टकार रूप टवर्ग और ककार थकार आदि रूप झय् की समीप-समीप में ही अधिकता है ।

अत्रैव पाठान्तरदर्शनेन दोषं परिहरति—

‘अधुना सखि ! तत्र हा कथं वा, गतिरन्यैव विलोक्यते गुणानाम् ।’ इति त्वन्गुणम् ।

इदानीं सख्या लज्जिरियम् । गुणानां मञ्जुरत्वादीनां गतिरन्यैव विलोक्यते, तत्स्थाने कदत्वादीनामुपलम्भादित्यर्थं क्रोत्तरार्धपाठपरिवर्तने तु टवर्गाद्यभावाद्दोषाभावः ।

यही यदि सखी की उक्ति के रूप में ‘अधुना सखि’ इत्यादि मूलोक्त रीति से उत्तरार्ध को बदल दिया जाय, तब मञ्जुरतम विप्रलम्भ शृङ्गार के अनुकूल हो जायगा । बदले हुए पाठ के अनुसार अर्थ यह होगा कि—‘हे सखि ! अब उन्हीं दोनों ने गुणों की गति दूसरी ही क्यों दृष्टिगोचर होती है’ ।

रेफघटितसंयोगस्य प्राचुर्यमुदाहरति—

रेफघटितसंयोगस्यासकृत् प्रयोगो यथा—

रेफों के द्वारा बने हुये संयोग का बार-बार प्रयोग जैसे :—

अनुपमन्मन्यामन्याऽभिषत्ते—

‘तुला मनालोक्य निजामखर्वं, गौराङ्गि ! गर्वं न कदापि कुर्याः ।

लसन्ति नानाफलभारवत्यो-लताः कियत्यो गहनान्तरेषु ॥’

हे गौराङ्गि ! प्रतिवेशियुवतीषु निजा तुला त्वञ्जीयोपनाम्, अनालोक्य, अखर्वं विपुलं गर्वमनुपमत्वाभिमानं, कदापि न कुर्यां, यतो गहनान्तरेषु काननप्रदेशेषु, नानाफलानां भारोऽस्त्यास्त्विति नानाफलभारवत्यो कियत्यो भूयस्य, लता ( ताडस्य ) लसन्ति शोभन्त इत्यर्थः ।

अत्र रेफघटितसंयोगप्राचुर्यं शृङ्गाररसप्रतिफलम् ।

अपने को अनुपम मानने वाली किसी नायिका से कोई दूसरी नायिका कहती है कि—हे गोरे अङ्गों वाली ! अपनी तुलना न देख कर तुझे अत्यधिक गर्व नहीं करना चाहिये । बनों के मध्य में विविध फलों के भार से झुकी हुई कितनी लतायें शोभित हो रही हैं । यहा रेफों के द्वारा बने हुये संयोगों का बार-बार प्रयोग हुआ है, जो शृङ्गार-रस के प्रतिफल है ।

पाठपरिवर्तनेन दोषं परिहरति—

यादं तु ‘तुलामनालोक्य महीतलेऽस्मिन्’ इति निर्मायते, तदा साधु ।

पाठपरिवर्तनावेकस्य रेफसंयोगस्याभावान्न दोष इत्याशयः । किन्तु तथापि रेफघटित-संयोगद्वयस्य तादवत्स्यात् कथं न प्राचुर्यमिति विभावनीयम् । इह हकारघटितसंयोग-प्राचुर्योत्तराण्युत्तरान्तु—‘विरानल्लिताऽपगुह्य प्रणयिजनौ गुह्यमन्म वदत’ इत्यनेन कथञ्चन विधेया ।

उक्त पद्य के प्रथम चरण की जगह में ‘तुलामनालोक्य’ इत्यादि मूलोक्त रीतिसे पाठ-परिवर्तन कर दिया जाय, तब ठीक हो जाय । परिवर्तित वश का अर्थ यह होगा, कि—‘इस पृथ्वी पर समानता न देख कर’ ।

लकार-नकार-नकारभिन्नाना व्यङ्गनवर्णानां स्वेनैव संयोगस्य प्राचुर्यमुदाहरति—

हलां ल-म-न-भिन्नानां स्वात्मनासंयोगस्यासकृत् प्रयोगो यथा—

ल, म और न से भिन्न व्यञ्जनों का उन्हीं व्यञ्जनों के साथ संयोग का बार-बार प्रयोग, जैसे—

खण्डिता नायकमुपालभते—

‘विगणय्य मे निकाय्यं, तामनुयातोऽसि, नैव तन्न्याय्यम् ।’

हे शठ ! मे मम निकाय्यं भवनं, विगणय्य विहाय, तामन्यां प्रेयसीम्, यत् त्वम् अनुयातोऽनुगतोऽसि, तन्नैव न्याय्यमुचितमस्तीत्यर्थः । अत्र यकारस्यासकृत् स्वसंयोगो विप्रलम्भप्रतिकूलत्वाद्दोषः ।

खण्डिता नायिका उपपत्ति से कहती है कि—मेरे घर की अवहेलना करके ( त् ) उस ( सपत्नी ) के पीछे लगा फिरता, यह न्यायोचित नहीं है । यहां यकार 'का वार-वार संयोग, विप्रलम्भ शृङ्गार के प्रतिकूल होने से दोष है ।

नकारादिवर्णत्रयव्यवच्छेदकारणं भणति—

ल-म-नानां स्वात्मना संयोगस्तु न तथा पारुष्यमावहति ।

आवहति जनयति । ल-म-नभिन्नानां हलां स्वात्मनासंयोगो यथाऽश्रव्यता जनयति तथा ल-म-नानां नेति तद्विभक्तत्वं हलां निवेशितमिति भावः ।

ल, म और न का जो अपने आप के साथ संयोग होता है, वह इतना कठोर नहीं होता ।

उदाहरति—

यथा—

लक्षिता नायिकामालि पृच्छति—

‘इयमुल्लसिता मुखस्य शोभा, परिफुल्लं नयनाम्बुजद्वयं ते ।

जलदालिमयं जगद् वितन्वन्, कलितः कापि किमालि । नीलमेघः ॥’

हे आलि ! इयं ते मुखस्य शोभा श्री, उल्लसिता नितरामुज्ज्वलिता यदस्ति, यच्च ते नयनाम्बुजद्वयं परिफुल्लं परितो विकसितमस्ति, तत्, जलदालिमयं वपुःप्रभया नीरद-श्रेणीमयं जगद्विश्वं वितन्वन् नीलमेघस्तत्त्वेनाध्यवसित-कृष्णचन्द्रः, किं कापि कलितो विलोकितो मिलितो वाऽभूत् ? । अन्यथेदृशोक्तासासम्भवादित्यर्थः ।

अत्र लकारद्वयसंयोगस्य द्वि प्रयोगेऽपि नाश्रव्यत्वम् । एवं मकारद्वय-नकारद्वय-संयोगेऽपि ज्ञेयम् । तदुदाहरणन्तु शृणुयमेव ।

जैसे—सखी लक्षितागोपी से कह रही है कि—हे सखि ! तेरे मुख की यह शोभा उल्लास युक्त हो रही है, और तेरे दोनों नेत्र-कमल पूरे खिल रहे हैं, यह क्यों ? क्या, कहीं, सम्पूर्ण संसार को मेघ-माला मय बनाने वाला नील मेघ ( भगवान् कृष्ण ) मिल गया था ? यहां लकार-लकार का संयोग दो वार आया है, फिर भी अश्रव्यता प्रतीत नहीं होती ।

ऋयद्वयसंयोगमुदाहरति—

ऋयद्वयघटितसंयोगस्य यथा—

मधुरविप्रलम्भप्रतिकूलतयाऽश्रव्यत्वमिति शेषः ।

क्षय् प्रत्याहारान्तर्गत वर्णों का वार-वार संयोग, जैसे—

नायको मानिनीं व्रवीति—

‘आ साय सलिलभरे, सवितारमुपास्य सादरं तपसा ।

अधुनाऽब्जेन मनाक् तव, मानिनि ! तुलना मुखस्यात्ता ॥’

अथि मानिनि ! आसाय सायसन्ध्यापर्यन्त सलिलभरे वारिपूरे, सवितार सूर्यं सादर-मुपास्य, पूजयित्वा, तपसा तद्रूपतपस्यया, अब्जेन कमलेन, अधुना तद्वितीयदिने माना-चसरे तव मुखस्य तुलना समता, मनागीपत्, आत्ता लब्धेत्यर्थः ।

दूती वयवा सखी किं वा नायक मानिनी नायिका से कहते हैं, कि—हे मानिनि ! सन्ध्या काल तक गहरे जलमें रहकर आदर-पूर्वक सूर्य भगवान् की उपासना करने के बाद उसी तपस्या के बल से अब कमल ने तेरे मुख की किञ्चिन्मात्र शोभा प्राप्त की है ।

उपपादयति—

अत्र द्वितीयाधर्मरम्यम् ।

अत्र वकारजकारयोः पकारतकारयोश्च भयो संयोग उत्तरार्धे द्विल्लातो दोषावह ।

यहां उत्तरार्ध रमणीय नहीं है, क्योंकि वकार-जकार और तकार-पकार-रूप शब्द का संयोग दो बार आ गया है, जो दोष है ।

तत्परिहाराय पाठं परिवर्तयति—

‘सरसिजकुलेन सम्प्रति, भामिनि ! ते मुखतुलाऽधिगता ।’ इति तु साधु ।

भयद्वयसंयोगाम्बावादिति तु साधु सम्यक् । इह तुरीयचरणाद्यस्य भामिनीति सम्बोधन-पदस्याविद्यमानवद्भावात् तवेत्यस्य त आदेशो दुर्लभ इति तवेत्येव तत्स्थाने पठनीयम्, अन्यथाच्युतसंस्कारतात्यान् ।

यदि ‘सरसिजकुलेन’ इत्यादि मूलोक्त-रूप में उत्तरार्ध को परिवर्तित कर दिया जाय, तब दोष के हट जाने से पद्य रमणीय हो जाय । परिवर्तित पाठ का यह अर्थ होगा कि—‘हे मानि ! अब जाकर कमल-कुल ने तेरे मुख की तुल्यता प्राप्त की है’ । यहां परिवर्तित पाठ में ‘ते’ का प्रयोग ठीक नहीं है, क्योंकि उससे पूर्व ‘भामिनि’ यह सम्बोधन पद है, जिसको व्याकरण के अनुसार अविद्यमानवद्भाव हो जायगा, फिर पद से पर नहीं होने के कारण ‘ते’ आदेश होगा ही नहीं, अतः ‘तव’ ऐसा ही पाठ मानना चाहिये, अन्यथा च्युतसंस्कारता नामक बलङ्कार-दोष हो जायगा ।

भयद्वयसंयोगत्त्वसकृद्दुष्ट, सवर्णभयद्वयसंयोगस्तु सकृदपि दुष्ट इत्युदाहरणम्—

सवर्णभयद्वयघटितसंयोगस्य सकृत्प्रयोगो यथा—

सवर्ण शब्द से बने हुये संयोग का एक बार प्रयोग जैसे—

नायके मानिनीननुनयन् ब्रूते—

‘अयि ! मन्दस्मितमधुरं वदनं तन्वङ्गि ! यदि मनाक्कुरपे ।

अधुनैव कलय शमितं, राकारमणस्य हन्त ! साम्राज्यम् ॥’

अयि तन्वङ्गि क्रोमलावयवे ! त्व यदि वदनं मन्दस्मितेनाव्यकृतसितेन, मधुर मनोहरं, मनागोपदपि कुरपे, तर्हि अधुनैव न तु कालान्तरे, राकारमणस्य पूर्णिमानन्दस्य, साम्राज्यं लुप्तमैकाधिपत्य, हन्त ! ( हर्षे ) शमितं निर्वर्तितं, क्लय जानीहीत्यर्थ ।

इह ‘मनाक्कुरपे’ इत्यत्र सवर्णकारद्वयघटितसंयोगस्य सकृदपि सत्त्वाद्दोषः ।

नायक मानिनि नायिका से अनुनयभरी बात कहता है कि—हे कृशाङ्गि ! यदि तू अपने मुख को, थोड़ा भी मन्द-हास से मनोहर बना ले, तब हर्ष की बात होगी कि रजनीपति चन्द्रमा का साम्राज्य ( शोभा के विषय में एकाधिपत्य ) अभी-अभी शान्त हो जायगा, ऐसा तू निश्चित समझ । यहाँ ‘मनाक्कुरपे’ इस अर्थ में दो सवर्ण शब्द रूप वकार का संयोग एक बार भी प्रयुक्त होने से अशुभ हो गया है ।

सवर्णभयद्वयघटितसंयोगनिषेधस्य निषेधान्तरैर्गतार्थत्वनाशद्वय निरस्यति—

नन्वत्र ककारद्वयसंयोगस्य हल्घटितस्वात्मसंयोगत्वेनैव निषेधात्, व-ख-संयोगस्य महाप्राणसंयोगनिषेधविषयत्वान्, वृतीयसंयोगस्य चासम्भवात्, सवर्णभयद्वयसंयोगनिषेधो निरवकाश इति चेत्, न, सकृत्प्रयोगविषयत्वेनास्य पार्थक्यात् । अन्यथा ‘मनाक्कुरपे’ इति निर्दोष स्यात् ।

इह ककारद्वयसंयोग', क-ख संयोगश्चेति द्वावेव सवर्णभ्रूयघटितसंयोग' सम्भवति; न तृतीय' कश्चित्, तथा च-ककारद्वयसंयोगस्य हल्स्वात्मसंयोगनिषेधेनैव, क-ख संयोग तु महाप्राणघटितसंयोगनिषेधेनैव निषिद्धत्वात् सवर्णभ्रूयसंयोगनिषेधो यदत्र विशिष्य विधीयते, तन्निरर्थकमेवेति पूर्वपक्षे—

हल्स्वात्मसंयोग-महाप्राणघटितसंयोगयोरसकृत्प्रयोग एव दुष्टतया निषेध', सवर्णभ्रूयसंयोगस्य तु सकृत् प्रयोगेऽपि दुष्टतया निषेध पृथगपेक्षित एव, न तु ततो गतार्थ' । पृथगेतन्निषेधानुपादाने तु 'मनाक्कुक्षे' इत्यत्रासकृत् संयोगाभावाद् दोषाभावः प्रसज्येतेत्युत्तरम् । क-खसंयोगस्तु 'सम्यक् खेलसि' 'मनाक् खिद्यते' इत्यादावूहनीय' ।

सवर्ण भ्रूय का संयोग दो ही प्रकार का हो सकता है, एक ककार-ककार का, दूसरा ककार-खकार का, तृतीय प्रकार का सवर्ण भ्रूय का संयोग सम्भव ही नहीं है, अतः यह शङ्का हो सकती है कि सवर्ण दो क्षरों का संयोग जो पृथक् करके निषिद्ध माना गया है, वह व्यर्थ है—उसका कहीं अवकाश ही नहीं रह जाता, क्योंकि ककारद्वय संयोग ( जो उक्त पद्य में आया है ) का निषेध तो—व्यञ्जनों का जो अपने आपके साथ संयोग निषिद्ध माना गया है—उसी से हो जाता है और जहाँ क ख संयोग रहेगा, वहाँ महाप्राणों के संयोग का जो निषेध किया गया है, उसी से वह गतार्थ हो जायगा । इसका उत्तर यह है कि व्यञ्जनों का अपने आपके साथ संयोग अथवा महाप्राणों का संयोग बार-बार प्रयुक्त होने पर ही दुष्ट होता है, अतः उसका निषेध भी उसी स्थिति में किया गया है और सवर्ण भ्रूय का संयोग एक बार भी प्रयुक्त होने पर दुष्ट है, अतः उसका निषेध पूर्व निषेध से गतार्थ नहीं हो सकता—अर्थात् ये तीन दोष भिन्न-भिन्न हैं, फिर अलग-अलग उनका निषेध करना भी आवश्यक ही है । यदि सवर्ण भ्रूय का संयोग भी बार-बार आने पर ही दुष्ट माना जाय, तब 'मनाक् गुरुषे' यह निर्दोष ही हो जायगा, क्योंकि बार-बार यहाँ उक्त संयोग नहीं है ।

महाप्राणप्रयत्नवद्वर्णघटितसंयोगमुदाहरति—

महाप्राणघटितसंयोगो यथा—

'अयि मृगमदविन्दुं चेद्बाले बाले समातनुषे ।' उत्तरार्थं तु प्राचीनमेव ।

अत्र महाप्राणप्रयत्नवता भकारेण घटित संयोगो दुष्ट । मात्रापूर्तावपि, चेच्छब्दस्य प्राङ्निवेशेन सम्भवन्ती छन्दःकलशुद्धि' प्रायो महाप्राणसंयोगदर्शनार्थमेवोपेक्षिता । अधुनैव महाप्राणसंयोगनिषेधस्यासकृत् प्रयोगविषयता व्यवस्थाप्य, तत्सकृत्प्रयोगे पुनरेतदुदाहरणप्रदर्शनं कथं सङ्गच्छत इति चिन्त्यम् । इह पद्ये चरणद्वयमुपात्त प्राचीनस्य 'अयि मन्दस्मितमधुर'मित्यादिपद्यस्य पूर्वार्धं विधाय श्लोकपूर्तिविधेया ।

महाप्राण प्रयत्न वाले वर्णों से बने हुये संयोग का प्रयोग जैसे—पूर्वोक्त 'अयि मन्दस्मित' इत्यादि श्लोक के पूर्वार्ध को 'अयि मृगमदविन्दुम्' इस मूलोक्त के रूप में परिवर्तित कर देने पर । यहा महाप्राण भकार के साथ दकार का संयोग दोषयुक्त है । अर्थ इस परिवर्तित अंश का यह है कि 'हे बाले ! यदि ललाट पर कस्तूरी की विन्दी लगा लोगी, तब . . ' । उत्तरार्ध तो वही रहेगा, जिसका अर्थ पहले लिखा जा चुका है । यहाँ एक बात विचारने की यह है कि जब ग्रन्थकार ने पूर्व में यह सिद्धान्त कर दिया है कि महाप्राण वर्ण से बने हुये संयोग बार बार प्रयुक्त होने पर ही दुष्ट है, तब फिर महा प्राणघटित संयोग का 'अयि मृगमद . . ' इत्यादि उदाहरण कैसे दिखलाया, क्योंकि यहाँ महाप्राणघटित संयोग का प्रयोग एक ही बार हुआ है, बार-बार नहीं ।

अथ मधुररसेषु व्यङ्गनीयेषु वर्जनीयान्तराणि प्रतिपादयति—

एवं त्वप्रत्ययं, यङन्तानि, यङ्लुगन्तान्यन्यानि च शाब्दिकप्रियाण्यपि मधुर-  
रसे न प्रयुञ्जीत ।

एवमुक्तसंयोगवत् कविर्भावार्थकं त्वप्रत्ययं, यङन्तयङ्युगन्तानि, पराणि चेदृशानि  
कृतद्वितान्तानि शाब्दिकप्रियाणि न प्रयुञ्जीतेत्यर्थः । अथ निषेधो विपुललक्ष्यानुरोधादसकृत्-  
प्रयोगविषयक एव, सकृत्प्रयोगे तेषां दुष्टत्वाभावात् । अत एव, 'अलमतिचपलन्वान् स्वप्न-  
मायोपमत्वात्' इत्याद्येवान्यत्र दुःश्रवत्वेनोदाहृतम् । त्वादीनामसकृत्प्रयोगे कर्कशत्वं स्फुटमेव ।

जैसे उक्त अश्रव्यों का मधुर-रस प्रधान काव्यों में त्याग करना आवश्यक है, उसी  
प्रकार-‘त्व’ प्रत्यय, यङन्त, यङ्लुगन्त तथा अन्य इसी प्रकार के प्रयोग ( कृदन्त तद्धि-  
तान्त आदि ) यद्यपि वैयकरण लोगों को प्रिय लगते हैं, तथापि मधुर-रस में उनका  
प्रयोग नहीं करना चाहिये ।

अथ ध्वनिकारानुमतानि मधुररसेषु वर्जनीयान्याह—

एवं व्यङ्ग्यचर्चणातिरिक्तयोजनाविशेषापेक्षा-नापाततोऽधिकचमत्कारिणोऽ-  
नुप्रासप्रबन्धान् यमकादीन् सम्भवतोऽपि कविर्न निवध्नीयात् ।

ये व्यङ्ग्यरसादिचर्चणाया अतिरिक्त यत्नविशेषरूप योजनाविशेषमपेक्षन्ते, तात्, आपा-  
ततस्तत्काल एव ( न तु परिणामे ) चमत्कारिण परिणतिचमत्कारतुच्छान्, अनुप्रास-  
यमक-शब्दश्लेष-चित्रप्रभेदानतिदुर्घटान् वाचकालङ्कारान्, प्रतिभाप्रभावेण कथञ्चन सम्भ-  
विनोऽपि, रसाद्यास्वादस्य पृथग्यत्ननिर्वर्त्यत्वेन प्रतिबन्धकान्, कविर्मधुररसव्यञ्जने प्रस्तुते,  
न प्रयुञ्जीतेत्यर्थः । अत एवोक्तं ध्वनिकृता—‘रसाक्षिप्ततया यस्य बन्ध शक्यञ्चिो भवेत् ।  
अपृथग्यत्ननिर्वर्त्य सोऽलङ्कारो ध्वनौ मत ॥’ इति ।

व्यङ्ग्यों के आस्वादन कराने के लिये जो यत्न करना पड़ता है, उसमें पृथक् यत्न  
जिनके समावेश में अपेक्षित हो जाय, ऐसे, ऊपरी तौर से ( न कि गहरी दृष्टि से विचार  
करने पर ) अधिक चमत्कार-जनक भी प्रतीत होने वाले अनुप्रास के सन्तुष्टों तथा यम-  
कादिकों का, यद्यपि वे कवि के साध्य हों, तथापि समावेश न करना चाहिये, यह कवि के  
लिये ध्यान देने योग्य परामर्श है ।

तेषां वर्ज्यताया निमित्तनभिधत्ते—

यतो हि ते रसचर्चणायामनन्तर्भवन्तः सहृदयहृदयं स्वाभिमुख विद्वान्ना  
रसपराङ्मुखं विदधीरन् ।

अनुप्रासादीनां प्रतीते स्वैचित्र्यविशेषेण रसाद्यास्वादान्तर्भावाभावात् सदा रस-  
कपरायणस्य सहृदयहृदयस्य स्वाभिमुखीकरणेन रसाद्यास्वादपराङ्मुखीकरणे  
सम्भवात्, ते मधुररसेषु वर्जनीया इत्यर्थः ।

रस-प्रधान काव्य में अनुप्रास आदि के निबन्ध नहीं करने का वीज है  
वे अधिक और प्रधान हो जायगें, तो उनका समावेश रस के आस्वादन में  
और वे सहृदय जन के हृदय को अपनी ओर खींच लेंगे, इस कारण रस-  
देंगे—अर्थात् सहृदय जन उनके चमत्कार के चक्कर में पड़कर रसात्वाद में  
रह जायगें ।

‘विप्रलम्भे विशेषतः’ इत्युक्तं विप्रलम्भश्चकारध्वनौ विशेषेण त

विप्रलम्भे तु सुतराम् ।

ते वर्जनीया इति शेषः ।

विप्रलम्भ-शृङ्गार में तो खासकर अनुप्रास आदि के समावेश का प्रयास नहीं करना चाहिये।

तत्र हेतुं प्रतिपादयति—

यतो मधुरतमत्वेनास्य निर्मलसितानिर्मितपानकरसस्येव, तनीयानपि स्वा  
तन्त्र्यमावहन् पदार्थः, सहृदयहृदयारुन्तुदतयान सर्वथैव सामानाधिकरण्यमर्हति।  
सामानाधिकरण्यमेकत्र वृत्ति ।

यतोऽस्य विप्रलम्भस्य सम्भोगाद्यपेक्षयाऽधिकमधुरत्वात् तदास्वादे विलक्षणपानक  
रसास्वाद इव स्वतन्त्रास्वादकस्य वस्त्वन्तरस्य लेशतोऽपि सम्पर्कः सर्वथा सहृदयहृदयो  
द्वेजक स्यात्, तस्मादनेन सहानुप्रासादीनां समावेशो न विधेय इत्याशय ।

विप्रलम्भ-शृङ्गार में अनुप्रास आदि के प्रयास नहीं करने के सबन्ध में अधिक साव  
धान रहने का कारण यह है कि विप्रलम्भ शृङ्गार सब रसों से अधिक मधुर माना गया है  
और इसी कारण, उसे शुद्ध चीनी के बनाये हुये शरबन की उपमा दी गई है, उसमें  
यदि थोड़ी मात्रा में भी कोई ऐसी चीज मिल जाय, जिसका स्वाद अपनी स्वतन्त्र  
सत्ता रखता हो, तो वह सहृदयजनों के हृदय में बड़ी मार्मिक पीडा पहुंचाती है, विप्र-  
लम्भ शृङ्गार में अनुप्रास आदि ठीक वैसी ही चीजें हैं, अतः उसके साथ उनका रहना  
सर्वथा अनुचित है।

एतत्प्रघटकोक्तमर्थं प्रमाणयति—

यदाहुः—

ध्वनिकारा इति शेषः ।

‘ध्वन्यात्मभूते शृङ्गारे यमकादिनिवेशनम् ।

शक्तावपि प्रमादित्वं, विप्रलम्भे विशेषतः ॥

इह शृङ्गारपद मधुररसमात्रपरम् । आदिपदेन स्वतन्त्रप्रयत्नापेक्ष्यलङ्कारान्तरपरिमह' ।  
शक्तौ प्रतिभाया सत्यामपि प्रमादित्व कवेरनवधानता दोष । विप्रलम्भस्य मधुरतमत्वात्तत्र  
विशेषेण तेषा निषेध' ।

जैसा कि ध्वनिकार आनन्दवर्धनाचार्य ने भी कहा है—‘ध्वन्यात्मभूते . . ’ इत्यादि—  
अर्थात् यदि कवि में ऐसी शक्ति हो कि ध्वनि-काव्य में अनायास यमक आदि की रचना  
कर सके, तब भी जिस ध्वनि-काव्य को आत्मा शृङ्गार रस है, उसमें यदि कवि वैसा  
यमक आदि का निवेश ) करे तो कहना चाहिये कि उसकी असावधानता है जो उसने  
उन्हें ( यमकादिकों को ) शृङ्गार प्रधानकाव्य में आ जाने दिया और यदि विप्रलम्भ शृङ्गार  
प्रधान काव्य में वे ( यमक आदि ) आ गये, तब तो विशेष-रूप से कवि की असावधा-  
नता समझी जायगी ।

निषेधप्रतिप्रसवमाख्याति—

ये तु पुनरक्तिष्टतयाऽनुन्नतस्कन्धतया च न पृथग्भावनामपेक्षन्ते, किन्तु  
रसचर्चणायामेव सुसुखं गोचरीकर्तुं शक्याः, न तेषामनुप्रासादीनां त्यागो युक्तः।  
अक्तिष्टताऽकठिनप्रयत्ननिष्पाद्यता । अनुन्नतस्कन्धत्वमनुत्कटत्वम् । सुसुखमतिसुखेना-  
नायासमिति यावत् ।

ये पुनरनुप्रासादयोऽप्यपृथग्यत्ननिष्पाद्या अपृथग्भावनाविषयीभावयोग्याश्च, रसप्रति-  
कूलत्वाभावात्तेषा नैव निषेध इति तात्पर्यम् ।

जो अनुप्रास आदि क्लिष्ट और विस्तृत न होने के कारण पृथक् ( रसनिवेश प्रयत्न  
से ) पल की अपेक्षा नहीं रखते और न रसास्वाद से पृथक् आस्वाद की ही आवश्यकता

रखते, किन्तु रस-परिपाक के लिये जो प्रयत्न किया जाय, उसी से बन जा सकते हैं, उन अनुप्रासादिकों को छोड़ देना भी उचित नहीं।

मधुररसानुकूलमनुप्रासमुदाहरति—

यथा—

सखी नायिका व्याहरति—

‘कस्तूरिकातिलकमालि । विधाय साय,  
स्मेरानना सपदि शीलय सौधमौलिम् ।

प्रौढि भजन्तु कुमुदानि मुदामुदारा-

मुल्लासयन्तु परितो हरितो मुखानि ॥’

हे आलि ! साय कस्तूरिकातिलक भाले विधाय, स्मेराननेपद्धसितमुखी, त्व सौधस्य सुधा(शुक्चिचूर्णलेप)अवलप्रासादस्य, मौलिं शिखर, सपदि शीघ्र, शीलयाध्यास्स्व, तथा च तेन कुमुदानि मुदामुदारा प्रौढिमतिशयितोल्लास भजन्तु प्राप्नुवन्तु, हरितो दिशश्च परितो विष्वक्, मुल्लान्यप्रभागान् उल्लासयन्तु, उल्लासयन्त्वित्यर्थ ।

अत्र वृत्त्यनुप्रास शृङ्गाररसापृथग्यत्ननिष्पन्नत्वादानुकूल एवेति न निषिद्ध ।

जैसे—‘कस्तूरिकातिलक ... इत्यादि । सखी नायिका से कहती है—हे सखि ! तू सायकाल में कस्तूरी का तिलक लगाकर शीघ्र मन्द मन्द हँसती हुई अटारी पर चढ़ जा, जिससे कुमुद अपार हर्ष को प्राप्त कर लें—अर्थात् पूर्णरूप से विकसित हो उठें और दिशायें अपने मुखों को पूर्णतया उल्लसित बना लें उनके प्रारम्भिक भाग अच्छी तरह प्रकाशमय हो जायें । यहाँ अनुप्रास हैं, परन्तु कवि उनके लिये पृथक् यत्न किया हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता, वरन ऐसा ही प्रतीत होता है कि शृङ्गाररस के लिये जो कवि का यत्न हुआ है, उसी से अनुप्रासों की भी सृष्टि हो गई है और इन अनुप्रासों का आस्वादन भी रस के आस्वादन के साथ ही हो जाता है, अतः ऐसे अनुप्रास कोमल रसों में भी ग्राह्य हैं ।

माधुर्यगुणाश्रयरसव्यञ्जकरचनादोषप्रदर्शनमुपसहरति—

इत्थमेते प्रसङ्गतो मधुररसाभिव्यञ्जिकायां रचनायां सङ्क्षेपेण निरूपिता दोषाः ।

इहौजस्वि-प्रसङ्ग-रसाभिव्यञ्जकरचनयोर्वर्जनीयानामनभिधानान्न्यूनता न शङ्कनीया, ‘मधुररसेषु येऽनुकूला, त एवौजस्विरसेषु प्रतिकूला’ इति प्रागेवौजस्विरसप्रतिकूलाना सामान्येनाभिधानात्, प्रसादगुणस्य सर्वरसरचनासाधारण्येन तद्व्यञ्जकरचनाया वर्जनीयत्वाभावाच्च ।

इस तरह प्रसंग भा जाने के कारण मधुर-रसों को अभिव्यक्त करने वाली रचना में होने वाले इन दोषों का निरूपण संक्षेप में कर दिया गया है ।

प्रसङ्गाद् वैदर्भी रीतिं निरूपयति—

‘एभिर्विशेषविषयैः, सामान्यैरपि च द्रूपणै रहिता ।

माधुर्यभारभङ्गुर-सुन्दर-पद-वर्णविन्यासा ॥

व्युत्पत्तिमुद्गिरन्ती, निर्मातुर्या प्रसादयुता ।

ता विबुधा वैदर्भी, वदन्ति वृत्तिं गृहीतपरिपाकाम् ॥’

एभिर्भुक्तै सामान्यैर्विशेषैश्च द्रूपणै रहिता, माधुर्यभारेण भङ्गुराणामतिन्दुरागमत एव सुन्दराणा पदाना वर्णाना च विन्यासो यत्र, सा, या निर्मातु कवे- व्युत्पत्तिं अन्वया-स्त्रादिनिपुणता मुद्गिरन्ती सूचयन्ती, प्रसादेन गुणेन व्यञ्जकतया युता, ता एव विबुधा रसास्वादपरिनिष्ठा यस्या, तादृशीं वैदर्भीं वृत्तिं रीतिं, विबुधा चदन्तीत्यर्थ । अस्या एवोपनागरिकावृत्तिरिति नामान्तर



अब प्रसङ्ग-प्राप्त वैदर्भीरीति का निरूपण करते हैं—'एभि' इत्यादि। विद्वज्जन उस रचना-विशेष को 'वैदर्भीरीति' कहते हैं, जो उक्त विशेष और साधारण-दोनों प्रकार के दोषों से रहित हो, जिसमें माधुर्य-गुण के भार से भरे हुये अतएव सुन्दर पदों और वर्णों का विन्यास हो, जिससे बनाने वाले (कवि) की व्युत्पत्ति प्रकाशित होती हो जे प्रासद गुण से युक्त हो और जिसमें रस का पूर्ण परिपाक हुआ हो। इसी रीति को कुछ लोग उपनागरिक वृत्ति के नाम से पुकारते हैं।

अस्या. प्रसिद्धिं दर्शयति—

अस्यामुदाहृतान्येव कियन्ति पद्यानि ।

अस्या वैदर्भ्या रीतौ, उदाहृतानि शृङ्गाररस-माधुर्यगुणोदाहरणतयोक्तानि, कियन्त्य-  
नल्पामि पद्यान्येवोदाहरणानीति न तदपेक्षेत्याशयः ।

इस रीति के उदाहरण हो सकने वाले कितने ही पद्य पूर्व में कहे जा चुके हैं।

तथापि सहृदयहृदयविनोदायोदाहरति—

यथा वा—

मानिनीमालि प्रेषान् वा बोधयति—

'आयातैव निशा, निशापतिकरैः कीर्णं दिशामन्तरं

भामिन्यो भवनेषु भूषणगणैरुल्लासयन्ति श्रियम् ।

वामे ! मानमपाकरोषि न मनागद्यापि रोषेण ते

हा हा !! बालमृणालतोऽप्यतितमां तन्वी तनुस्ताम्यति ॥'

हे वामे मानग्रहिते ! निशा आयाता प्राप्तैव ( न तु निशारम्भे विलम्ब ) दिशामन्तरं मध्यं निशाकरस्य करैः किरणैः कीर्णं व्याप्तमुल्लासितमिति यावत्, भामिन्योऽपरा-मानवत्यश्व, विलासोचितकालमालोच्य, भवनेषु भोगावासेषु, भूषणगणैः परिहितालङ्कार-निकरैः, श्रियं शोभासुल्लासयन्ति वर्धयन्ति, त्वं पुनरद्यापीदानीमपि मानं न अपाकरोषि न त्यजसि, तेन रोषेण बालान्मृणालादपि, अतितमा नितमां तन्वी कोमला, ते तनुस्ताम्यति क्लाम्यतीत्यर्थः । अत्रोक्तलक्षणा वैदर्भी रीति । अतितमामित्यत्र तकारस्य स्वानन्तर्यादश्रव्यत्व विभावनीयम् ।

अथवा, जैसे—

नायक नायिका से कह रहा है :—प्रेयसि ! अब रात आधी गई, उसके आने में थोड़ा भी विलम्ब नहीं है, विश्वास न हो तो देख निशा-नाथ चन्द्र-देव की किरणों से दिशाओं के अन्तराल व्याप्त हो चुके हैं और मानिनी स्त्रियां मान छोड़कर आभूषणों से क्रीडा-मन्दिरों में शोभा को बढ़ा रही है। हे वामे ! ससार भर से विपरीत ही आचरण करने वाली ! तू अब भी मान को किञ्चित् भी कम नहीं कर रही है। हाय ! हाय ! देख तो नवीन मृदाल से भी अत्यन्त दुर्बल यह तेरा शरीर तेरे ही रोष के कारण क्लान्त हो रहा है। जाने दे, यदि मेरे ऊपर दया नहीं करती, तो मतकर, परन्तु अपने इस सुकोमल शरीर पर तो दयाकर। यहां वैदर्भीरीति के उक्त सभी लक्षण घटते हैं।

एतद्रचनाया स्वलनपरिहाराय कवेरवधानातिशयस्यापेक्षा प्रतिपादयति—

अस्याश्च रीतेर्निर्माणे कविना नितरामवहितेन भाव्यम् । अन्यथा तु परि-  
पाकभङ्गः स्यात् ।

अन्यथाऽवधानाभावे ।

इस रीति के निर्माण करने में कवि को अत्यन्त सावधानी से धरतना चाहिये, अन्यथा परिपाक का भङ्ग हो जायगा—रस में जितनी मासुरी आनी चाहिये, उतनी नहीं । सकेगी ।

अमरककवरेनवधानेनोपहित परिपाकभङ्गमुदाहरति—

यथाऽमरककविपद्ये—

जैसा कि अमरक कवि के पद्य में हुआ है—

मुग्धावृत्त वर्णयति—

‘शून्य वासगृह विलोक्य, शयनादुत्थाय किञ्चिच्छनै-  
निद्राव्याजमुपागतस्य सुचिरं निर्वर्ण्य पत्युर्मुखम् ।  
विप्रबन्धं परिचुम्ब्य, जातपुलकामालोक्य गण्डस्थलीं  
लज्जानम्रमुखी प्रियेण हसता वाला चिरं चुम्बिता ॥’

वासगृह क्रीडागारं, शून्य प्रियातिरिक्तलोकरहित, विलोक्य निलीनसहचरीसद्भाव-  
सन्देहाद् विशेषेण दृष्ट्वा, शयनान् तल्पान्, किञ्चिदीपदेव ( तावन पार्श्वपरिवर्तनोप-  
न्यात्तेनाप्यपलपितु शक्यत्वात् ) शनैर्यथाभूषणम्णत्कारो न भवेत् तथा मन्दम्, अपर-  
कायेनैवोत्थाय, निद्राव्याजमनुरागजिज्ञासवा दृत्कनिद्राविडम्बनम्, उपागतस्य लब्धवत्,  
पत्यु स्वामिनो न तु परिचयप्राचुर्यविरहाद्बलभस्य, सुत्र सुचिर जागरणशङ्कया सुदीर्घकालं,  
निर्वर्ण्य निद्रानिर्णयाय निष्प्रेषणमवेक्ष्य, विलम्बं सविश्वास यथा स्यात् तथा गाढ, परिचुम्ब्य  
परितः कपोल-नयनादिषु चुम्बित्वा, तेन जातपुलकामुद्भिन्नरोमाञ्चा, गण्डस्थलीं कपोल-  
पालिम्, आलोक्य, लज्जा सापन्नपा, अत एव नम्रमुखी नतानना, वाला पोडशवार्पिकी  
( मुग्धा ), हसता स्वामीधनायासलाभहेतुकहासमृता, प्रियेण, चिर लज्जाऽपगमपर्यन्तं,  
चुम्बिताऽभूदित्यर्थ ।

समानकर्तृक-प्राक्कालिकक्रियाया क्तवो विधानात्तदर्थमिह पत्राद्यजन्तलज्जापदपार्थ-  
क्यमवसेयम् ।

कोई मुग्धा नायिका के आचरणों का वर्णन करता है कि—वाला ( मुग्धा नायिका )  
क्रीडागृह को जनों से शून्य देखकर—प्रियप्राणेश—मात्र को वहाँ पाकर धीरे धीरे शय्या से  
कुछ उठी और निद्रा का व्याज किये हुये ( न कि वस्तुतः सोये हुये ) पति के मुख को  
चिरकाल तक निहार कर ( पति के निद्रा-मग्न हो जाने के विश्वास से ) लगी उसके मुख  
को अच्छी तरह चूमने, पर चूमने के बाद जब उसने देखा कि पति के कपोल-प्रदेश रोमा  
ञ्चयुक्त हो उठे हैं, तब लज्जा के मारे उसका मुख नीचा हो गया, पति के सामने उसकी  
दृष्टि टिक न सकी। फिर क्या था ? पतिमहाशय उठ बैठे और हँस हँस कर घण्टों मुग्धा  
पत्नी को चूमते रहे ।

व्यपादयति—

अत्र ‘उत्थाय किञ्चिच्छनैः’ इत्यत्र सवर्णञ्जयद्वयसंयोगः, तत्रापि नैकट्येन  
सुतरामश्रव्य । एव भ्युत्थितसयोगपरह्रस्वस्यापि । तथा ‘शनैर्निद्रा’ इत्यत्र  
‘निर्वर्ण्य पत्युर्मुखम्’ इत्यत्र च रेफघटितसयोगस्य, भ्युत्थितसयोगपरह्रस्वस्य  
च प्राचुर्यम् । विलम्बम्’ इत्यत्र महाप्राणघटितस्य, ‘लज्जा’ इत्यत्र स्वात्मसवर्ण-  
ञ्जयद्वयघटितस्य, ‘मुखी प्रियेण’ इत्यत्र भिन्नपदगतदीर्घानन्तरस्य संयोगस्य,  
तथा क्त्वाप्रत्ययस्य पञ्चकृत्वः, लोकनेश्च द्विः प्रयोगः कवेनिर्माणसामग्रीदारिद्र्य  
प्रकाशयति ।

‘उत्थाय किञ्चिच्छनैः’ इत्यत्र तद्ययोश्च्योश्च सवर्णभयो नामोप्येन संयोग एक,  
भ्युत्थयघटितसयोगद्वयात् पूर्वयोर्ह्रस्वोकारेकारयो सत्त्वादपरश्च दोष, ‘निद्रा’ इत्यत्र ‘पत्यु’  
इत्यत्र च क्रमेण दकार-तकाररूपभ्युत्थितसयोगत पूर्ववर्तिन इकाराक्षर

प्राचुर्य, 'शनैर्निद्रा' 'निर्वर्ण्य' 'पत्युर्मुखम्' इत्यत्र रेफघटितसयोगस्य प्राचुर्यं च दोष, 'विस्रब्धम्' इत्यत्र धकाररूपमहाप्राणघटितसयोगस्य प्रयोगो दोष, 'लज्जा' इत्यत्र ऋयो जकारस्य स्वात्मना सवर्णऋया सयोगस्य प्रयोगो दोष, 'मुखी प्रियेण' इत्यत्र पृथक्पद-घटकस्य दीर्घकारानन्तर-पकाररेफसयोगस्य प्रयोगो दोष, 'विलोक्य' 'उत्थाय' 'निर्वर्ण्य' 'परिचुम्ब्य' 'आलोक्य' इति पञ्चवारान् क्त्वाप्रत्ययस्य प्रयोगो दोष, 'विलोक्य' 'आलोक्य' इति द्विलोक्यधातो प्रयोगो दोषश्च कवे रचयितु, निर्माणसामग्रीदारिद्र्यं काव्यरचनाकारणी-भूताया व्युत्पत्युद्भावितप्रतिभाया राहित्यमल्पत्व वा प्रकाशयति बोधयतीति कविभिर्वैदभी-रीतिनिर्माणे सावधानैर्भाव्यमिति भाव ।

उक्त पद्य में 'उत्थाय' और 'किञ्चिच्छनैः' इन दो स्थानों पर दो दो सवर्णक्षरों ( तकार-थकार और चकार-झकार ) का सयोग है और वह भी समीप-समीप में, अतः अतिशय अश्रव्य है । इसी तरह इसी स्थान पर उक्त क्षरों के द्वारा बने हुये सयोग जिनके आगे हैं, उन ह्रस्वों ( उकार और इकार ) का भी प्रयोग हुआ है । तथा 'शनैर्निद्रा' और 'पत्युर्मुखम्' इन दो जगहों पर रेफ के द्वारा बने हुये सयोग की और क्षरों के द्वारा बने हुये सयोग जिनके आगे हैं, उन ह्रस्वों की अधिकता है । एवम् 'विस्रब्धम्' इस जगह महा प्राणों के द्वारा बना हुआ सयोग, 'लज्जा' इस जगह दो सवर्ण क्षरों का अपने ही साथ सयोग और 'मुखी प्रियेण' इस जगह भिन्न पदगामी दीर्घ के वाद का सयोग है । इसी प्रकार क्त्वा-प्रत्यय का पाँच बार ( विलोक्य, उत्थाय, निर्वर्ण्य, परिचुम्ब्य और आलोक्य, इन पदों में ) और 'लोक्य' धातु का दो बार ( विलोक्य और आलोक्य में ) प्रयोग किया गया है, जिससे कवि के पास रचना की सामग्री की कमी सूचित होती है ।

'महीयसा दोषोद्धोषणमात्मन एव दूषण भवती'त्यभियुक्तोक्तिं स्मरंस्ततो विरमति—  
इत्यल्ल परकीयकाव्यविमर्शनेन ।

परकीयकाव्यदोषालोचनेनालम् 'परस्वभावकर्माणि न प्रशंसेन्न गर्हयेत्' इति भगव-द्वादरायणोक्तेरित्यर्थ ।

पर, जाने दीजिये, दूसरों के काव्यों की आलोचना करना व्यर्थ है ।

प्रक्रान्त सविशेषरसनिरूपणमुपसहरति—

इति सङ्क्षेपेण निरूपिता रसाः ।

रसाना प्रकारानन्त्याद् विस्तरेण वर्णयितुमशक्यत्वम् ।

इस प्रकार रसों का सक्षेप से निरूपण समाप्त हुआ ।

रसध्वनिरूपणानन्तर प्राप्तावसरतया भावध्वनिं निरूपयितुमाचष्टे—

अथ भावध्वनिर्निरूप्यते—

अथ भाव-ध्वनि का निरूपण करते हैं:—

प्रथम भावस्य ज्ञानाय लक्षणं पृष्ट्वा परोक्तं तत् खण्डयति—

अथ कि भावत्वम् ?, विभावानुभावभिन्नत्वे सति, रसव्यञ्जकत्वमिति चेत्,  
रसकाव्यवाक्येऽतिव्याप्त्यापत्तेः ।

रसव्यञ्जके काव्यवाक्ये विभावानुभावभिन्नत्वस्य रसव्यञ्जकत्वस्य च सत्त्वाद् भाव-  
क्षणातिव्याप्तेरिदं लक्षणं न सम्यगित्यभिसन्धि ।

यहा सर्व प्रथम विचारणीय वस्तु यह है कि 'भाव' किनको कहते हैं ? उनका लक्षण क्या है ? यदि कोई कहे कि 'विभावों और अनुभावों के अतिरिक्त जो रसों के व्यञ्जक हों-जिनसे रस व्यक्त हों, उन्हीं को 'भाव' कहते हैं, तो, यह समुचित नहीं, क्योंकि रसों के प्रतिपादक काव्य की पदावली में इस लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाती है-अर्थात् रस-प्रति-

पादक काव्य के वाक्य विभावों और अनुभावों से अतिरिक्त हुई हैं और रस-व्यञ्जक भी हैं, अतः उनको भी 'भाव' कहना पड़ेगा ।

ननु शब्दस्य व्यञ्जकत्वविरहान् कुतोऽतिव्याप्तिरत आह—

अर्थद्वारा शब्दस्यापि व्यञ्जकत्वात् ।

साक्षादव्यञ्जकत्वेऽप्यर्थद्वारेण परम्परया शब्दस्यापि व्यञ्जकत्वात् । तदुक्तम्—'शब्द-  
बोध्यो व्यनक्त्यर्थः, शब्दोऽप्यर्थान्तराश्रयः' । एकस्य व्यञ्जकत्वे तदन्यस्य सहकारिता ।  
इति । इत्थं सहकारिव्यञ्जकत्वाच्छब्दस्यातिव्याप्तिस्तदवर्त्यैवेत्याशयः । वस्तु तस्तु गीतना-  
द्यादिसंवादात्वाद्यर्थान्तराश्रयस्य रसव्यञ्जकत्वस्य ध्वनिकारादिभिर्निर्णीतत्वेन न  
शब्दस्यार्थद्वारैव व्यञ्जकत्वम् । तथा च नाप्रिननिवेशत्वावसरः ।

यदि वादी कहे कि रस के व्यञ्जक तो अर्थ होते हैं, शब्द नहीं, फिर शब्द-समूह-रूप  
वाक्य में उक्त लक्षण की अतिव्याप्ति कैसे होगी, तो इसका उत्तर यह है कि साक्षात् रस  
व्यञ्जक अर्थ ही भले हों पर उन अर्थों के द्वारा शब्द भी रस-व्यञ्जक माने जाते हैं, अतः एव  
विद्वानों का कथन है कि 'शब्द-बोध्यो व्यनक्त्यर्थः शब्दोऽप्यर्थान्तराश्रयः' । एकस्य व्यञ्ज-  
कत्वे तदन्यस्य सहकारिता—अर्थात् 'अर्थ शब्दों के द्वारा अवगत होकर व्यञ्जक होता है,  
और शब्द भी अर्थों का आश्रय-वाचक हो कर ही ( न कि निरर्थक ) व्यञ्जक होता है,  
अतः एक के साक्षात् व्यञ्जक होने पर दूसरा सहकारी होता है' । वस्तुतः तो ध्वनिकार  
आदि ने शब्दों को भी साक्षात् व्यञ्जक माना है, तदनुसार अर्थद्वारा वाक्य को व्यञ्जक  
मानने की आवश्यकता भी नहीं है ।

शब्दस्य साक्षादव्यञ्जकत्वमनुसंधानात् दोषवारणाय लक्षणे निवेश विधाय निरस्यति—

द्वारान्तरनिरपेक्षत्वेन व्यञ्जकत्वे विशेषिते त्वसम्भवः प्रसज्येत, भावस्यापि  
भावनाद्वारैव व्यञ्जकत्वात्, भावनायामतिव्याप्त्यापत्तेश्च ।

विभावादिभिन्नत्वे सति साक्षादसव्यञ्जकत्वमिति लक्षणे तु दोषद्वयं स्यात्, रसस्य  
पुनःपुनरनुसन्धानरूपाया भावनाया एव साक्षादव्यञ्जकत्व, भावस्य तु भावनाद्वारैव रसव्य-  
ञ्जकत्वमस्तीति साक्षादसव्यञ्जकत्वस्य भावेऽप्यभावादसम्भव एकः, साक्षादसव्यञ्जिकाया  
भावनायामतिव्याप्तिश्च द्वितीयो दोष इत्येतन्निवेशोऽसङ्गत इत्यभिप्रायः ।

वादी कह सकते हैं कि इसी लक्षण में 'जो किसी को द्वार न बना कर रसों का व्यञ्जक  
हो' इस तरह व्यञ्जक में एक विशेषण और लगा देंगे, तब तो वाक्य में अतिव्याप्ति नहीं  
होगी, क्योंकि वह अर्थ को द्वार बना कर व्यञ्जक है, परन्तु ऐसा करने पर लक्षण में अस-  
म्भव दोष ही वा जायगा—अर्थात् यह भाव का लक्षण कहीं भी सघटित नहीं हो सकेगा,  
क्योंकि जिनको सब लोग भाव मानते हैं, वे भी भावना ( वार-वार अनुसन्धान ) के  
द्वारा ही व्यञ्जक होते हैं । दूसरे, भावना में अतिव्याप्ति भी हो जायगी, क्योंकि बिना  
किसी के द्वार बनाये वही रसों की व्यञ्जिका होती है । वस्तुतः तो उक्त रीति से शब्द भी  
बिना किसी को द्वार बनाकर व्यञ्जक होता ही है, अतः वही तथा भावना में उक्त लक्षण  
की अतिव्याप्ति ही होगी—असम्भव नहीं ।

ननु काव्यवाक्येऽतिव्याप्तिं वारयितुं शब्दभिन्नत्वे सतीत्यपि लक्षणे प्रवेक्ष्यतामिच्छन्ति  
निराकरोति—

अत एव च [ विभावानुभावभिन्नत्वस्येव ] शब्दभिन्नत्वस्यापि तद्विशेषणत्वे  
न निस्तारः ! प्रधानध्वन्यमानभावे रसव्यञ्जकताऽभावादव्याप्त्यापत्तेश्च ।

निस्तारो निर्वाहः ।

अत एव-भावनायाः साक्षादसव्यञ्जकत्वाच्छब्दभिन्नत्वाच्च तत्र ।

एवं भावध्वनौ भावस्य प्राधान्येन व्यज्यमानतया रसव्यञ्जकत्वाभावाद् भावलक्षणाव्याप्ते शब्दभिन्नत्वनिवेशेनापि न निर्वाह इति सारम् ।

इसी लिये व्यञ्जक में 'शब्द-भिन्नत्व' विशेषण जोड़ने पर भी उद्धार नहीं हो सकत अर्थात् यदि 'विभावों और अनुभावों से अतिरिक्त तथा शब्द से भिन्न जो रसों का व्यञ्ज हो, वह 'भाव' है' ऐसा भी लक्षण बनावें, तब भी झुटकारा नहीं, क्योंकि भावना ( शब्द से भिन्न है ) में अतिव्याप्ति रहेगी ही । एवम् भाव-ध्वनि-स्थल में जो भाव प्रधा- तथा अभिव्यक्त होता है, वह रसों का व्यञ्जक नहीं होता, अतः उसमें लक्षण की अभ्याप्ति भी होगी—अर्थात् उस भाव में लक्षण संघटित नहीं होगा ।

भावध्वनाव्याप्तिमात्रवारणमाशङ्क्य खण्डयति—

न च तत्रापि प्रान्ते रसोऽभिव्यज्यत एवेति वाच्यम्, भावध्वनिविलोप- प्रसङ्गात् ।

तत्र भावध्वनावपि प्रान्ते भावध्वनानन्तरमन्ते भावेन रसस्य व्यञ्जन भवत्येव, ततश्च भावस्यापि रसव्यञ्जकत्वाव्याप्तिरिति वक्तुं नैव शक्यम्, यतो भावध्वनावपि यदि पर्यन्ते रसप्रतीति स्वीक्रियेत, तर्हि तत्रापि रसस्यैव प्राधान्याद् रसध्वनित्वमेव स्यान्न तु भावध्व- नित्वमिति भावध्वनेर्विलोप एव भवेदतो न तत्र पर्याप्तिकी रसप्रतीतिरङ्गीकार्येति तात्पर्यम् ।

यदि वादी यह तर्क उपस्थित करे कि जहाँ भावकी ध्वनि प्रधान होती है, वहाँ भी भाव-ध्वनि के बाद अन्त में रस की ध्वनि होती ही है, अतः उस तरह के भावों में रस- व्यञ्जकता है ही । इसका समाधान यह है कि यदि भाव-ध्वनि-स्थल में भी अन्त में रस की अभिव्यक्ति मान लेंगे, तब तो वहाँ भी रस की ही प्रधानता हो जाने से रस-ध्वनि का ही व्यवहार होने लगेगा, फलतः 'भाव-ध्वनि' का साहित्यिक जगत् में उच्छेद ही हो जायगा, अतः भाव-ध्वनि-स्थल में रस की ध्वनि नहीं माननी चाहिये ।

पुनरिहाशङ्क्य समादधाति—

भावचमत्कारप्रकर्षाद् भावध्वनित्वम्, रसस्तु तत्र व्यज्यमानोऽप्यचम- त्कारित्वान्न ध्वनिव्यपदेशहेतुरित्यपि न शक्यं वदितुम्, चमत्काररहितरस- व्यक्तौ मानाभावात् ।

ननु भावध्वनिस्थले प्रथम भावप्रतीतिः, पश्चाद्रसप्रतीतिश्च भवति, किन्तु तत्र रसप्रती- तेश्चमत्कारकत्वाभावाच्च रसध्वनिव्यवहारः, अपि तु भावप्रतीतिश्चमत्कारितया भावध्वनि- व्यवहार एव स्यादिति चेत्, न, 'लोकोत्तरचमत्कारप्राण' 'रसे सारश्चमत्कार' सर्वत्राप्यनु- भूयते' इत्याद्युक्तेरनुभावाच्च चमत्कृतिरहिताया रसप्रतीतेरङ्गीकृतौ मानाभावादिति भावः ।

यदि इस पर भी वादी यह कहे कि 'भाव-ध्वनि' स्थल में भी भाव की अभिव्यक्ति के बाद अन्त में रस की अभिव्यक्ति यद्यपि अवश्य होती है, तथापि वहाँ 'रस-ध्वनि' का व्यवहार इस लिये नहीं होता कि रसाभिव्यक्ति में वहाँ कोई चमत्कार नहीं रहता और भाव की अभिव्यक्ति में चमत्कार रहता है अतः 'भाव-ध्वनि' का व्यवहार होता है, परन्तु यह कथन भी वादियों का ठीक नहीं, क्योंकि चमत्कार-हीन रस की अभिव्यक्ति में कोई प्रमाण नहीं—रस चमत्कार-हीन होता ही नहीं ।

तदेव समर्थयति—

रसे हि धर्मिप्राहकमानेनानन्दांशाविनाभावस्य प्रागेवावेदनात् ।

येन सहृदयसभवेतप्रत्यक्षरूपप्रमाणेनात्र धर्मिणो रसस्य प्रहणं ज्ञानं साधनं वा भवति, तद्धर्मिप्राहक मानम्, तेन यतः सच्चिदानन्दमयो ब्रह्मसनाभिरेव रसो ज्ञापितः, तस्मात् तस्य

रसस्य चमत्काराभिन्नानन्दं विनाऽभावाद् रसाभिव्यक्तिश्चमत्कारिण्येव, न तु कदापि तद्र-  
हिता, स्त्रीक्रियत इति प्राग् रसनिरूपणोऽपि प्रतिपादितमित्यर्थः ।

यह बात पहले ही कही जा चुकी है कि जिस सहृदयानुभव-रूप प्रमाण से रस पदार्थ की सिद्धि होती है, उसी प्रमाण से यह भी सिद्ध है कि रसमें आनन्द ( चमत्कार ) अश का अविनाभाव ( उसके विना न होना ) है—अर्थात् रस चमत्कार स्वरूप ही जब है, तब चमत्कार-रहित रस की सत्ता कैसे हो सकती है ।

इदानीं भावध्वनौ पर्यन्तिकीं रसाभिव्यक्तिमभ्युपगत्यापि तद्भावलक्षणं वृषयति—

अस्तु वा प्राधान्येन ध्वन्यमानस्यापि भावस्य प्रान्ते रसाभिव्यञ्जकत्वम् ;  
तथापि देश-काल-वयोऽवस्थादिनानापदार्थघटिते पद्यवाक्यार्थे तथाप्यति-  
व्याप्तिः, तस्य विभावानुभावभिन्नत्वे सति रसाभिव्यञ्जकत्वात् ।

तथापि भावध्वनावव्याप्यापत्तिवारणोऽपि । तथापि विभावानुभावभिन्नत्वे सति, शब्द-  
भिन्नत्वे सति रसाभिव्यञ्जकत्वमिति कथनेऽपि । विभावानुभावभिन्नत्वे सतीति शब्दभिन्नत्वे  
सतीत्यस्याप्युपलक्षणम् ।

अथवा भावध्वनावपि चरमदशाया रसाभिव्यक्तिरस्तु, तथापि न तवेष्टसिद्धिः, यतो  
ध्वन्यमानभावस्य रसाभिव्यञ्जकत्वाङ्गीकारेण तत्रोक्तपूर्वाया भावलक्षणाव्याप्तेर्वारणोऽपि,  
काव्यवाक्यार्थस्य देशकालाद्यनेकपदार्थघटितस्य विभावानुभावभिन्नत्वेन शब्दभिन्नत्वेन  
रसाभिव्यञ्जकत्वेन च, तत्र भावलक्षणातिव्याप्तेर्जागरूकत्वादित्याशयः । इह 'न भावहीनोऽस्ति  
रसो न भावो रसवर्जितः' इत्यभित्युक्तोक्तेर्भावध्वनावपि विवाहप्रवृत्तभृत्यानुगतराजवद् रसस्य  
प्रतीतिरल्पचमत्कारा भवन्ती, राजानुगतविवाहप्रवृत्तभृत्यवद् भावस्य प्रतीतिश्चमत्कारोत्कर्ष-  
निबन्धनं प्राधान्यं न विलोप्युमर्हतीत्येवाभ्युपगमपक्षस्य निदानम् ।

अब यदि वादी कहें कि रस की अपेक्षा भाव के गौण होने पर भी वाच्य की अपेक्षा  
प्रधान होने के कारण, अथवा विवाह में दूल्हे वने हुये दीवान आदि नौकर के पीछे चलते  
हुये राजा की तरह ( क्योंकि वहां राजा की अपेक्षा दूल्हा की प्रधानता रहती है ) रस की  
अपेक्षा भाव की प्रधानता होने के कारण काव्य में 'भाव-ध्वनि' का व्यवहार हो सकता है,  
तो हम प्रधानतया ध्वनित होने वाले भाव को भी पर्यन्त में रस-व्यञ्जक मान लेते हैं,  
परन्तु तब भी भाव का उक्त लक्षण ठीक नहीं माना जा सकता, क्योंकि देश-काल अवस्था  
और स्थिति आदि ( जो विभाव-अनुभाव से भिन्न हैं ) अनेक पदार्थों से बने हुये श्लोक के  
वाक्यार्थ में अतिव्याप्ति हो जायगी, क्योंकि वह विभाव और अनुभाव से अतिरिक्त भी है  
और रस का व्यञ्जक भी है । साराश यह है कि यह लक्षण किसी भी प्रकार से सङ्गत नहीं  
हो सकता ।

पुनर्लक्षणान्तरमुपक्षिप्य निरस्तयति—

नापि रसाभिव्यञ्जकचर्वणाधिषयचित्तवृत्तित्व तत्त्वम्, भावादिचर्वणाया-  
मतिप्रसङ्गवारणाय चर्वणाधिषयेति चित्तवृत्तिविशेषणमिति वाच्यम् ।

‘कालागुरुद्रवं सा, हालाहलवद् विजानती नितराम् ।

अपि नीलोत्पलमालां, वाला व्यालावलि किलामनुते ॥’

इत्यत्र हालाहलसदृशत्वप्रकारज्ञानेऽतिव्याप्तेः, तस्य विप्रलम्भानुभावत्वेन  
रसाभिव्यञ्जकचर्वणाधिषयत्वात्, चित्तवृत्तित्वाच्च ।

ननु रसाभिव्यञ्जकत्वे सति, चर्वणाधिषयोभूतत्वे च सति, चित्तवृत्तित्वमेव  
लक्षणमस्तु, रसाभिव्यञ्जकत्वमात्रविशेषणे भावचर्वणाद्यानति-याप्तेर्वार

भूतत्वमपि चित्तवृत्तिविशेषणमुपात्तम्, तथा च भावादिचर्चणाया चर्चणाविषयत्वाभावाच्चा-  
तिव्याप्तिरिति पूर्वपक्षः ।

‘सा दयनीयदशापन्नत्वेन प्रसिद्धा, बाला सदसद्विवेकविधुरा मम सखी, कालागुरुद्रवं  
कृष्णागुरुरसमपि हालाहलवत् गरलतुल्यं, विजानती, नीलोत्पलानां कुवलयाना, मालामपि,  
व्यालावलिं कृष्णसर्पश्रेणीम्, आमनुते सर्वथा मन्यते, इत्यर्थके नायक प्रति वियोगिन्या  
सख्योक्ते ‘काले’त्यादिपद्ये, नायिकानिष्ठस्य कालागुरुद्रवाधिष्ठानकस्य हालाहलसादृश्यप्रकारक-  
चित्तवृत्तिविशेषरूपस्य ज्ञानस्य विप्रलम्भशृङ्गाररसानुभावत्वाद् रसाभिव्यञ्जकतया चर्चणा-  
गोचरतया च तत्रातिव्याप्ति स्यादतो नेद लक्षण युक्तमित्युत्तरपक्षः ।

नागेशमद्वस्तु—लक्षणोऽस्मिन्ननुभावभिन्नत्वमपि निवेश्यातिप्रसङ्गं वारयन्ति ।

अब यदि कोई यह लक्षण बनावे कि ‘उस चित्तवृत्ति को ‘भाव’ कहते हैं, जो रस को  
अभिव्यक्त करनेवाली चर्चणा ( आस्वाद ) का विषय हो—उस आस्वाद में आ जाती हो ।  
यहां ‘रसाभिव्यञ्जक चित्तवृत्ति का नाम भाव है’ इतना ही लक्षण करने पर भावों की चर्चणा  
( आस्वाद ) में अतिव्याप्ति हो जायगी, क्योंकि वह भी रस को अभिव्यक्त करती है और  
चित्तवृत्ति रूप भी है, अतः ‘चर्चणा-विषय’ यह विशेषण चित्तवृत्ति में लगाया गया,  
जिससे उक्त अतिव्याप्ति का वारण हो गया, क्योंकि चर्चणा, चर्चणा का विषय नहीं होती,  
यह समझना चाहिये । परन्तु यह लक्षण भी ठीक नहीं, क्योंकि—‘अगर-काष्ठ को जहर के  
समान समझने वाली वह बाला ( भले बुरे के ज्ञान से शून्य मेरी सखी ) नील-कमलों की  
माला को भी, मानो, सर्पों की पङ्क्ति मानती है’ एतदर्थक, नायक के प्रति विरहिणी की  
सखी के द्वारा कहे गये ‘कालागुरुद्रव सा... ..’ इत्यादि पद्य में जो ‘कालागुरु ( अगर )  
को जहर के समान समझती है’ इत्याकारक नायिका के ज्ञान का वर्णन किया गया है, उस  
ज्ञान में अतिव्याप्ति हो जायगी, क्योंकि वह ज्ञान विप्रलम्भ शृङ्गार का अनुभव है—वियोग  
कालिक प्रेम के चलते ही उत्पन्न हुआ है, अतः उसका आस्वाद होता है और वह आस्वाद  
रस का व्यञ्जक भी होता है, इस तरह वह ज्ञान रसाभिव्यञ्जक चर्चणा का विषय है और  
चित्तवृत्ति रूप भी, क्योंकि ज्ञान चित्तवृत्ति रूप ही माना जाता है । नागेश भट्ट उक्त लक्षण  
में ‘अनुभावभिन्नत्व’ यह एक और विशेषण जोड़ कर अतिव्याप्ति का वारण करते हैं । यहाँ  
हिन्दी रसगङ्गाधर के निर्माता पुरुषोत्तम शर्मा चतुर्वेदीजी लिखते हैं कि—‘इस स्थान  
पर, सहृदयभावक को, जो जहर की बरावरी का ज्ञान हो रहा है, उसमें लक्षण की अति  
व्याप्ति हो जायगी । वह ज्ञान विप्रलम्भ शृङ्गार का अनुभाव है—उसके द्वारा उत्पन्न हुआ  
है... ..’ इत्यादि’ परन्तु चतुर्वेदी जी का यह कथन सङ्गत नहीं जँचता, क्योंकि—सहृदय भावक  
को जहर की बरावरी का ज्ञान कैसे होगा ? उस ज्ञान की उत्पत्ति तो वियोग कालिक प्रेम  
से होती है, और सहृदय वियुक्त प्रेमी नहीं रहता, हाँ, नायिकानिष्ठ उक्त ज्ञान का ज्ञान  
सहृदय को अवश्य होता है । परन्तु वह ज्ञान—ज्ञान, न अनुभाव ही है न रस व्यञ्जक ही ।

गत्यन्तरविरहाद् भावत्वमखण्डोपाधि मन्यमानाना मतमपाकरोति—

नाप्यखण्डम्, तत्त्वे मानाभावात् ।

भावत्वमिदमखण्डमेव, तेन नास्य लक्षणनिर्देशापेक्षेत्यपि निगदितुं न शक्यम्, भाव-  
त्वस्याखण्डोपाधित्वाङ्गीकारेऽनुगतप्रतीत्यादिज्ञापकमानाभावाद्, भावत्वस्यान्यथाऽपि निर्वकु  
शक्यत्वाच्च ।

यदि वादी कहें कि भावत्व अखण्ड उपाधि है, अतः उसके लक्षण करने की कोई  
आवश्यकता नहीं, तो यह भी उचित नहीं, क्योंकि—भावत्व को अखण्ड उपाधि मानने में  
अनुगत प्रतीति आदि जो ज्ञापक प्रमाण हो सकता है, वह नहीं है, उसे अखण्ड  
उपाधि विना माने भी निर्वाह हो सकता है, फिर वैसा मानना निरर्थक भी है ।

इत्थं परकीयलक्षणानि प्रतिक्षिप्य, स्वकीय लक्षणमुपक्षिपति—

अत्रोच्यते—

विभावादिव्यज्यमान-दर्षाद्यन्यतमत्वं तत्त्वम् ।

विभावादिभिव्यज्यमानत्वे सति, दर्षाद्यन्यतमत्वं भावत्वम् । दर्षादयश्चतुर्विंशदनन्तरं निरूपयिष्यन्ते । विशेषणानुक्तौ वाच्यहर्षादिषु, विशेष्यानुक्तौ च रसादिष्वतिव्याप्तिः ।

अन्यतमत्वस्य लक्षणकुक्षिप्रवेशे गौरव, तत्परिहरणं च मया प्रागेवोपन्यस्तमवसेयम् ।

उक्त रीति से परकीय-भाव लक्षणों का खण्डन करके अब स्व-सम्मत सिद्धान्तभूत 'भाव' का लक्षण करते हैं—'अत्रोच्यते' इत्यादि । विभाव आदि से ध्वनित किये जाने वाले हर्ष आदिकों ( जिनकी गणना भागे की जायगी ) में से एक एक का नाम 'भाव' है ।

स्वलक्षणं प्राचीनोक्त्या द्रढयति—

यदाहु.—

'व्यभिचार्यञ्चितो भावः' इति ।

अङ्कितोऽभिव्यक्तिविषयीभूतो व्यभिचारी भावः स्यादिति तदर्थः । अन्यत्र तु प्राधान्ये-नाभिव्यक्तो व्यभिचारी, अपुष्ट स्थायी च भावः कथितः ।

जैसा कि प्राचीनों ने भी कहा है—'व्यभिचार्यं इत्यादि । अर्थात् ध्वनित होने वाले व्यभिचारी-भाव को 'भाव' कहते हैं ।

अधुना दर्षादिभावनानामभिव्यक्तिं मतत्रयभेदेन क्रमात् त्रिविधा दर्शयन् प्रथमं सिद्धान्तमतेन दर्शयति—

हर्षादीनां च सामाजिकगतानामेव स्थायिभावन्यायेनाभिव्यक्तिः ।

न्यायस्तुल्यता ।

वासनारूपेण सामाजिकानां हृदये स्थितानां काव्यनाट्योपस्थापितैरविरुद्धैर्विरुद्धैश्च भावैरभिभूतानां स्वाभिव्यक्तिसामग्र्या यथा स्थायिभावानां स्थिराऽभिव्यक्तिः, तथैव प्रागानुपपन्नव्रवता हर्षादीनामपि स्थिरैवाभिव्यक्तिरिति रसनिरूपणे प्रागुपन्यस्त प्रथमं सिद्धान्तमतम् ।

भाव किस तरह ध्वनित होते हैं ? इस प्रश्न के उत्तर में भिन्न-भिन्न विद्वानों ने तीन तरीके बतलाये हैं, अब ग्रन्थकार उन्हीं तीनों तरीकों का क्रमशः प्रदर्शन करने के क्रम में सर्व-प्रथम सिद्धान्त-भूत तरीके का उल्लेख करते हैं—'हर्षादीनाञ्च इत्यादि । सामाजिकों नाटकदिके देखनेवालों और काव्यके पढ़ने सुनने वालों में वासनारूप से जो हर्षादिक रहते हैं, उन्हीं की स्थायीभावों की तरह अभिव्यक्ति होती है—अर्थात् वासनारूप से सामाजिकों के रहने वाले और काव्य अथवा नाटक से उपस्थित किये गये अनुकूल तथा प्रतिकूल सभी तरह के भावों से नहीं दवाने योग्य स्थायीभावों की जैसे अपनी अभिव्यक्ति सामग्री से स्थिर अभिव्यक्ति होती है, उसी प्रकार प्रधान बने हुये हर्ष आदि भावों की भी स्थिर अभिव्यक्ति होती है ।

द्वितीयं मतनाट्ये—

साऽपि रसन्यायेनेति केचित् ।

साऽभिव्यक्तिः ।

सामाजिकानां हृदये स्वभावतो विद्यमानोऽपि पिहितो विभावाद्यभिव्यक्तिमानस्या सत्त्वो-दृष्टेकेण पिधानस्य निवर्तने स्थायिभावोपहितो भग्नावरणद्विदानन्द एव यथा रसत्वेनाभिव्य-ज्यते, तथैव विभावाद्यभिव्यक्तिसामग्र्या सत्त्वोदृष्टेकेण भग्नावरणद्विद्विदिशिष्टा अपि सामाजिकहृदयेऽभिव्यज्यन्ते इति रसनिरूपणे केचिदित्यनेनोपन्यस्तं



कुछ विद्वानों का कथन है कि भावों की अभिव्यक्ति रस की तरह होती है जैसे, सामाजिकों में स्वभावतः रहने वाला भी आत्मानन्द अविद्या से ढका रहता है काव्यगत अलौकिक व्यापार से उस अविद्यात्मक आवरण की निवृत्ति हो जाने पर आत्मानन्द प्रकाशित हो उठता है और उसी आवरणमुक्त स्थायीभाव से उपहित चित्त को रस कहा जाता है, उसी तरह आवरणमुक्त चिद्विशिष्ट हर्ष आदि भाव भी साम के हृदय में अभिव्यक्त होते हैं।

तृतीयं मतमुपादत्ते—

व्यङ्ग्यान्तरन्यायेनेत्यपरे मन्यते ।

व्यङ्ग्यान्तरं रसमिच्छं वस्तुरूपमलङ्काररूपं च ।

वाचकशब्दाद् वाच्योपस्थितावपि वक्तृबोद्धव्यादिवैशिष्ट्ये सत्यनुरणनन्यायेन यथा चस्त्वलङ्काररूपो व्यङ्ग्योऽर्थः श्रोतृणा हृदयेऽभिव्यज्यते, तथैव विभावादिवाचकतत्तच्छब्द-प्रत्ययान्तरमनुरणनन्यायेन हर्षादयो भावा अपि श्रोतृणा हृदयेऽभिव्यज्यन्त इति रस-निरूपणोऽपर इत्यनेनोपन्यस्तं तृतीयं मतम् ।

अन्य विद्वानों का यह भी मत है कि अन्य व्यङ्ग्यों की तरह भावों की अभिव्यक्ति होती है—अर्थात् जैसे काव्य तथा नाटक के शब्दों से वाच्यार्थों की उपस्थिति हो जाने के बाद वक्ता एव बोद्धव्य आदि के ज्ञान-द्वारा वस्तु अलंकाररूप संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य अर्थ सहृदयों के हृदय में अभिव्यक्त होते हैं, उसी प्रकार हर्ष आदि भाव भी संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य के रूप में ही अभिव्यक्त होते हैं।

अथैषा भावानामभिव्यक्तौ कारण परीक्षते—

विभावानुभावौ चात्र व्यञ्जकौ, न त्वेकस्मिन् व्यभिचारिणि ध्वन्यमाने, व्यभिचार्यन्तरं व्यञ्जकतयाऽवश्यमपेक्ष्यते, तस्यैव प्राधान्यापत्तेः ।

अत्र भावव्यञ्जने विभावानुभाववेव व्यञ्जकौ, न तु स्वातिरिक्तो व्यभिचारिभावो व्यञ्जकः, अन्यस्य व्यभिचारिणोऽभिव्यक्तिदुक्षिप्रवेशे कदाचित् तस्यैव प्राधान्यस्य सम्भव इति व्यभिचार्यन्तरस्य व्यञ्जकत्वमत्र नाङ्गीक्रियत इत्याकृतम् ।

अब इन भावों के व्यञ्जक कौन हो सकते हैं ? इस बात की परीक्षा करते हैं—‘विभावानुभावौ’ इत्यादि। विभाव और अनुभाव ये दो ही भावों के व्यञ्जक हैं, व्यभिचारीभाव नहीं, यदि एक व्यभिचारी ( जिसको प्रधान व्यङ्ग्य होने के नाते भाव कहते हैं ) के ध्वनित करने में दूसरे व्यभिचारी को व्यञ्जक मानना आवश्यक समझा जायगा, तब वही ( व्यञ्जक व्यभिचारीभाव ही ) प्रधान हो जायगा। कारण यह है कि जैसे यह ( भाव माना जाने वाला ) व्यभिचारीभाव अभिव्यक्त होता है वैसे ही वह ( व्यञ्जक माना जाने वाला ) भी अभिव्यक्त होता है और व्यञ्जकता उसमें अधिक है। अतः भावों के दो ही ( विभाव और अनुभाव ) व्यञ्जक मानना उचित है।

प्रकरणादीना तात्पर्यनियामकत्वेन व्यभिचार्यन्तरस्य व्यञ्जकतयाऽभ्युपगमेऽपि न प्राधान्यापत्ते सम्भव इति व्यभिचार्यन्तरस्यापि व्यञ्जकत्वमभ्युपेयमेवेति सिद्धान्तपक्षमाह—

वस्तुतस्तु—प्रकरणादिवशात् प्राधान्यमनुभवति कस्मिंश्चिद्भावे, तदीयसाम-ग्रीव्यङ्ग्यत्वेन नान्तरीयकतया तन्निमानमावहतो व्यभिचार्यन्तरस्यङ्ग्यत्वेऽपि न चति। यथा गर्वादावमर्षस्य, अमर्षादौ वा गर्वस्य ।

प्रकरणादिवलात् कस्मिंश्चिद्भावे प्रधाने सति, तद्भावेस्य व्यञ्जिका या सामग्री, तथैवा-विनाभावित्वेन यतो व्यज्यमानोऽपरो भावो भवति, तस्मात् स्वल्पतया भासमानोऽपि परो-व्यभिचारिभाव प्रधानभावस्याङ्गमेव भवति, न त्वङ्गीति विभावानुभाववद् व्यभिचार्यन्तरस्य

भावव्यञ्जकताङ्गीकारे न तत्प्राधान्यापत्तिः । अत एव गर्वादौ भावेऽङ्गिनि, व्यभिचार्यन्तरस्या-  
नर्तस्य, अमर्षादौ चाङ्गिनि गर्वस्याङ्गत्व न विरुद्धमित्यभिप्रायः ।

वस्तुतः तो जब प्रकरण आदि के बल से कोई एक भाव प्रधान हो जायगा, तब उसको ध्वनित करने वाली सामग्री के द्वारा, अन्यभाव से रहित केवल प्रधान भाव ध्वनित ही नहीं हो सकता, इस कारण यदि कोई अन्य भाव ध्वनित हो भी जाय और वह प्रकरण प्राप्त भाव की अपेक्षा दुर्बल होने के कारण उसका अङ्ग बनकर रहे तो कोई हानि नहीं— अर्थात् प्रकरण आदि की सहायता से प्रबल बना हुआ एक भाव जब प्रधान हो जायगा, तब दूसरा भाव अन्यथासिद्ध के रूप में अभिव्यक्त होकर भी दुर्बल रहेगा, अतः प्रधान हो नहीं सकता, इसलिये यदि विभाव अनुभाव की तरह व्यभिचारीभाव को भी भावों का व्यञ्जक माना जाय तो किसी हानि की सम्भावना नहीं है । जैसे कि गर्व के प्रधानतया व्यङ्ग्य होनेपर अमर्ष अङ्ग और 'अमर्ष के प्रधान व्यङ्ग्य होने पर गर्व अङ्ग होता है ।

नन्वेकस्मिन् भावेऽङ्गिनि परस्य भावस्याङ्गत्वे, गुणीभूतव्यङ्ग्यत्वं, न तु भावध्वनित्वं तत्र स्यादित्याशङ्क्य सनादवाति—

न चैवं सति गुणीभूतव्यङ्ग्यत्वापत्तिः, पृथग्विभावानुभावाभिव्यक्तस्यैव ( भावस्य ) गुणीभूतव्यङ्ग्यव्यपदेशहेतुत्वात् ।

यत्र प्रधानभावव्यञ्जिकाया विभावानुभावरूपतानप्रथा भिन्नया सानप्रथा भावान्तरन-  
भिव्यज्यते, तत्रैव तस्य भावान्तरस्य गुणीभूतव्यङ्ग्यव्यवहारकारणत्वम्, न त्वङ्गत्वेनैव ।  
प्रकृते तूमयोरैकैव सामग्री व्यञ्जिका, तस्मान्नात्र गुणीभूतत्व सम्भवतीति भावः ।

यदि आप कहें कि इस तरह भाव-ध्वनि-स्थल में एक भाव को अङ्गीरूप में और दूसरे भाव को अङ्ग रूप में व्यङ्ग्य मानने पर वह काव्य 'गुणीभूत व्यङ्ग्य' कहलायगा 'भाव-ध्वनि' नहीं, तो इसके उत्तर में ग्रन्थकार का कथन है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि प्रधान भाव को व्यक्त करने वाले विभाव और अनुभाव से अतिरिक्त विभाव और अनुभाव से जो गौण भाव व्यक्त होता है, अत एव प्रधान भाव के व्यङ्ग्य होने पर जिसका व्यक्त होना आवश्यक नहीं, अपि तु आकस्मिक है, वही काव्य में गुणीभूत व्यङ्ग्य-व्यवहार का कारण होता है, भाव-ध्वनिस्थल में तो अङ्गभूत भाव भी उन्हीं विभाव-अनुभावों से अभिव्यक्त हुआ रहता है, जिनसे अङ्गीभाव ध्वनित होता है, अतः वहाँ का अङ्गभूत भाव-व्यङ्ग्य, गुणीभूत-व्यङ्ग्यता का नियामक नहीं बन सकता ।

उक्तमर्थं समर्थयति—

अत एव नान्तरीयकस्य भावस्य ध्वननं भवति । अन्यथा गर्वादिध्वने-  
रुच्छेद एव भवेत् ।

अत एवाभिन्नसामग्रीव्यङ्ग्यत्वादेव नान्तरीयकयोर्नित्यसन्वदयोर्भावयोर्गुणप्रधानभावा-  
भावः । अन्यथा—तत्रापि गुणप्रधानभावाभ्युपगमे गर्वादिभावध्वनाव्यप्यनर्पादिभावानामभिन्न-  
सामग्रीव्यङ्ग्याना वलाद् गुणीभूतव्यपदेशे सर्वत्र प्रकृते, भावध्वनिव्यपदेशस्य सर्वथा लोप एव  
स्यादित्यर्थः ।

जिनलिये उक्त रीति से आकस्मिक भाव ही अङ्गभूत होने पर गुणीभूत व्यङ्ग्यता का कारण होता है, इसीलिये भावध्वनिस्थल में प्रधान भाव से भिन्न उसी भाव की ध्वनि होती है, जो नान्तरीयक रहता है—प्रधान भाव के ध्वनित होने पर जिसका ध्वनित होना आवश्यक होता है—अर्थात् जो प्रधान भाव-व्यञ्जक-सामग्री से ही व्यक्त हुआ रहता है । तात्पर्य यह है कि भाव-ध्वनि स्थल में प्रधान भाव से भिन्न उस भाव की ध्वनि नहीं, जिसका प्रधान-भाव-ध्वनि के साथ ध्वनित होना निश्चित नहीं है । -  
भाव-ध्वनि के साथ नियमत ध्वनित होने वाले अङ्गभूत भाव भी

व्यवहार के कारण हों, तब ) गर्वादिभावध्वनि का लोप ही हो जाय, कारण यह कि गर्वादि-प्रधान-भाव-ध्वनि-स्थल में अङ्गरूप से नियमतः ध्वनित होने वाले अमर्ष आदि को लेकर गुणीभूत व्यङ्ग्य काव्य का व्यवहार ही सर्वत्र हो जायगा ।

विभावस्य भावे निमित्तकारणता वक्ति—

विभावस्त्वत्र व्यभिचारिणो निमित्तकारणसामान्यम्, न तु रसस्येव सर्वथैवालम्बनोद्दीपने अपेक्षिते ।

अत्र भावध्वनौ । यथा रसे व्यञ्जनीये विभावस्यालम्बनतयोद्दीपनतया चापेक्षा भवति तथा व्यभिचारिभावे व्यञ्जनीये न भवति, किन्तु व्यभिचारिभावं प्रति विभावस्य निमित्तकारणतैव सामान्यत इत्यर्थः ।

विभावपद से यहां व्यभिचारीभाव के साधारण निमित्तकारण का ग्रहण समझन चाहिये, न कि रस की तरह उसका सर्वथा आलम्बन और उद्दीपन होना अपेक्षित है ।

विशेषमाह—

यदि तु क्वचित् सम्भवः, तदा न वार्यते ।

क्वचित् कस्मिंश्चिद्, भावे व्यञ्जनीये सति, आलम्बनविभाववदुद्दीपनविभावस्यापि यदि सम्भव स्यात्, तदा ते आलम्बनोद्दीपने न वार्यते । अत एवाग्रे रसाभासोदाहरणप्रसङ्ग उद्दीपनस्याप्युपादानं नासङ्गतम् ।

यदि कहीं किसी खास भाव की ध्वनि में विभाव का आलम्बन और उद्दीपन होना भी सम्भव हो, तो उसका निषेध भी नहीं करना है । अत एव आगे रसाभास के उदाहरण प्रसङ्ग में आलम्बन के जैसे उद्दीपन की भी की गई चर्चा असंगत नहीं होती है ।

भावरूपता प्राप्तान् हर्षादीन् क्रमेणोद्दिशति—

हर्षादयस्तु—

हर्ष-स्मृति-व्रीडा-मोह-धृति-शङ्का-ग्लानि-दैन्य-चिन्ता-मद-श्रम-गर्व-निद्रा-मति-व्याधि-त्रास-सुप्त-विवोधा-ऽमर्षा-ऽवहित्थोग्रतोन्माद-मरण-वितर्क-विषादात्सुक्या-ऽऽवेग-जडता-ऽऽलस्या-ऽसूया-ऽपस्मार-चपलताः । प्रतिपक्षकृतधिकारादिजन्मा निर्वेदश्चेति त्रयस्त्रिंशद् व्यभिचारिणः । गुरुदेव-नृप-पुत्रादिविषयारतिश्चेति चतुस्त्रिंशत् ।

भावानामिहोदेशक्रमः प्राचीनग्रन्थप्रतिकूलः ।

हर्षप्रभृतयस्त्रयस्त्रिंशद् व्यभिचारिभावा गुर्वादिविषयकरतिश्चेति चतुस्त्रिंशद् भावा सन्तीत्यर्थः ।

इह गुर्वादिविषयकरतिरिति 'रसावस्थः पर भाव स्थायिता प्रतिपद्यते ।' 'रत्यादिश्वेनि रङ्ग स्याद्देवादिविषयोऽथवा । अन्याङ्गभावभाग् वा स्यात्तदा स्थायिशब्दभाक् ।' 'रत्यादयोऽप्यनियते रसे स्युर्व्यभिचारिणः' 'सञ्चारिणः प्रधानानि देवादिविषयारति । उद्वुद्धमात्र स्यायी च भाव इत्यभिधीयते ।' इत्यादिदर्शनात् सामग्रीविरहेणाप्राप्तसमावर्तितमन्येषामपि स्थायिभावानामुपलक्षणम् ।

अब भावों का परिगणन करते हैं—'हर्षादयस्तु' इत्यादि । भावों की कुल संख्या ३४ है । उनमें से—हर्ष, स्मृति, व्रीडा, मोह, धृति, शंका, ग्लानि, दैन्य, चिन्ता, मद, श्रम, गर्व, निद्रा, मति, व्याधि, त्रास, सुप्त, विवोध, अमर्ष, अवहित्या, उग्रता, उन्माद

नारा, वितर्क, विपाद, सौन्दर्य, आवेग, जडता, कालस्य, असूया, अपत्नार, अपलता और प्रति पर्षा के द्वारा किये गये तिरस्कार आदि से उत्पन्न हुआ निवेद ये ३३ व्यभिचारी हैं और सौन्दर्यवाँ है गुरु, देवता, राजा और पुत्र आदि के विषय में होने वाला प्रेम ।

ननु पुत्रादिविषयकरतित्यायिक वात्सल्यनामकं रसान्तरमेवान्यत्रोक्तमिति कुतोऽत्र तद्वर्तमानत्वेन गानेत्याशङ्कानिराकरोति—

एतेन वात्सल्याख्यं पुत्राद्यालम्बन रसान्तरमिति परास्तम्. उच्छृङ्खलताया मुनिवचनपराहित्यान् ।

रससङ्ग्रहाकारे भरतमुनिवचनस्यैव व्यवस्थापकत्वं यत् प्राग् रसनिरूपणेऽनायत्याऽ-  
इहोदन्तु अत्रल्लेनैव मुनिना पुत्रादिविषयकरतेर्नाल्लेन व्यवस्थापनात् वात्सल्यरसोऽ-  
न्त्याति सारम् ।

अब किसी किसी विद्वान् ने जो 'वात्सल्य' को रस माना है, उसका सङ्घटन करते हैं—  
'एतेन इत्यादि'। अभिप्राय यह है कि पुत्र आदि विषयक प्रेम को उक्त भावों की श्रेणी में क्यों गिनते हैं? जब कि अन्य विद्वान् उसको 'वात्सल्य' नामक रस मानते हैं और पुत्र आदि को उस रस का आलम्बन आदि। इस शङ्का के उत्तर में ग्रन्थकार कहते हैं कि 'वचनरत्न' नामक कोई रस नहीं हो सकता, क्योंकि भरत मुनि ने ऐसा नहीं माना है और उच्छृङ्खलता उनके भागे चल नहीं सकती, अतः भरत मुनि के कथनानुसार उसे भाव मानना ही उचित है।

इदन्तंनेच्छो हर्षादीन् निरूपयितुमुद्यत उदेशान्नेपादौ हर्षं निरूपयति—

तत्र—

ऋष्याप्यादिजन्मा सुखविशेषो हर्षः ।

ऋष्यान्मादिजन्मा सुखविशेषो हर्ष इति तत्रपदम् । भावत्वेनास्य चित्तवृत्तिविशेषरूपता ।  
नव क्रमशः उक्त भावों में से एक एक का निरूपण, लक्षणोदाहरणादि-प्रदर्शन द्वारा करते हैं।

( अन्वितपित वस्तु की प्राप्ति आदिसे जो एक तरह का सुख उत्पन्न होता है, उसे 'हर्ष' कहते हैं। )

श्रावित्वमर्षं वैश्वानरे चहात्याहुनागद् दशाष्टिमुनन्ददीयनपि लक्षणं वक्षि—

तदुक्तम्—

देव-भर्तृ-गुरु-स्वामिप्रसादः प्रियसङ्गमः ।

ननोरयाति-रप्राप्यमनोहरधनागमः ॥

तथोत्पत्तिश्च पुत्रादिविभागे यत्र जायते ।

नेत्र-वक्त्रप्रसादश्च प्रियोक्ति पुलकोद्गमः ॥

अशुल्लेदाद्यञ्चानुभावो हर्ष तनादिशेत् ॥ इति ।

न्तां पति स्वामी त्वधिपति । पुत्राद्युत्पत्तिर्नन्तं हर्षस्य निमित्तानि विभावो, नेत्र-  
प्रसादश्च नैमित्तिकं ननुभावाश्च यत्र जायन्ते, तं हर्षनादिशेदित्यन्वयः ।  
हर्ष का वैशिष्ट्य प्राचीनों ने भी इसी तरह की है, जैसे— देवनाद इत्यादि  
जिनका जन्म यह है कि—देवता, पति, गुरु और स्वामी ( अधिपति ) की प्रसन्नता, प्रिय  
पनागम, इच्छित वस्तु की प्राप्ति, दुर्लभ और लोभ-लसक धन का लाभ  
या जन्म जिनके विभाव होते हैं और नेत्र तथा मुख की प्रसन्नता प्रि-  
और प्रसवेद आदि जिनके अनुभाव होते हैं, उसको हर्ष कहना चाि

उदाहरति—

उदाहरणम्—

नायक सखायं कथयति—

‘अवधौ दिवसावसानकाले, भवनद्वारि विलोचने दधाना ।

अवलोक्य समागतं तदा मामथ रामा विकसन्मुखी बभूव ॥’

अवधौ प्रतिज्ञातागमनसमयसीमनि, दिवसस्यावसानकाले गोधूलिसमये, भवनस्य द्वारि दूरादेव मम दिदृक्षया विलोचने रणरणकातिरेकेणोमे अपि नयने, दधाना संयोजयन्ती रामा, तदा तदवसरे समागतं प्राप्त माम्, अवलोक्य, अथ हर्षोद्भवानन्तरं, विकसन्मुखी विहसद्वदना, बभूवेत्यर्थः ।

उदाहरण देखिये—‘अवधौ ’ इत्यादि । नायक अपने मित्र से कहता है कि—मेरे आगमन के अवधि-दिन की गोधूलि वेला थी, प्रियतमा ने घर के द्वार पर अपनी आँखें विछ्वा रखी थीं—मेरे दर्शन की प्रतीक्षा में उसकी आँखें एकटक द्वार की ओर लगी थीं, उसी समय उसने मुझे आया हुआ देखा, फिर क्या था, हर्ष से उसका मुख खिल उठा ।

अत्र हर्षस्य विभावमनुभाव चाह—

अत्रावधिकाले प्रियागमनं विभावः, मुखविकासोऽनुभावः ।

विभावानुभावज्ञानं भावज्ञानसाधनम् ।

यहां प्रियका आगमन विभाव और मुख का खिल उठना अनुभाव है ।

स्मृतिं निरूपयति—

संस्कारजन्यं ज्ञानं स्मृतिः ।

अनुभवज्ञानाना क्षणत्रयमात्रावस्थायित्वे विलम्बेन स्मरणानुपपत्ते स्मृतिं प्रति ज्ञानस्य कारणता निरस्य चिरस्थायिनः संस्कारस्यैव कारणता निर्णयन्ति नैयायिका रत्यनुभवजन्य-संस्कारजन्य ज्ञानं स्मरणमवसेयम् । तदुक्तम्—‘स्मृतिः पूर्वानुभूतार्थविषयं ज्ञानमुच्यते ।’ इति ।

किन्हीं वस्तुओं के दर्शनात्मक-श्रवणात्मक आदि ज्ञान से जो हृदय में संस्कार उत्पन्न होता है और उस संस्कार से जो ज्ञान होता है, उसका नाम ‘स्मृति’ है । दार्शनिकों के विचारानुसार सभी ज्ञान (अपेक्षा बुद्धि को छोड़कर) तीन ही क्षण रहते हैं, अतः ज्ञान को स्मरण के प्रति कारण नहीं माना जा सकता, इसलिये अनुभव-जन्य-संस्कार से उत्पन्न ज्ञान को स्मरण कहा गया है, यह विशेष यहाँ समझना चाहिये ।

उदाहरति—

यथा—

नायको विमृशति—

‘तन्मञ्जु मन्दहसितं श्वसितानि तानि,

सा वै कलङ्कविधुरा मधुराऽऽननश्रीः ।

अद्यापि मे हृदयमुन्मदयन्ति हन्त !,

सायन्तनाम्बुजसहोदरलोचनायाः ॥’

३३

द्वितीयचरणान्ते समुच्चयार्थकश्चकार आक्षेप्य, अथवा—‘गामरव पुरुष पशुम्’ इत्यत्रेव तदर्थप्रतीतिर्बोध्या ।

सायन्तनाम्बुजस्य निमीलन्मुखकमलस्य सहोदरसदृश लोचनं यस्या सा तादृशी, वित्तासभ्रमेण वस्तुतस्त्वानन्दातिरेकेण निमीलन्नयनाया प्रेयस्या, तत् पूर्वानुभवैक-

मञ्जलि ]

गोत्राभूतं नहुमुषं नन्दहसितं त्मिदम्, तानि श्वसितानि अनादिजन्मबाला, सा कलङ्क-  
विश्रुत निष्कन्हासत एव नूनेन्दुमुषनागेश्याऽपि नशुत मनेहरा, आनन्दश्रीर्विनशोभा च  
( लम्बानि ) हन्त ' वत ' , ने न्न इदं नानसम्, अशुनाऽसादिष्यत्सेऽपि, उन्नद-  
मन्त्ररुतं कुर्वन्दीर्घम् ।

वैभे—

नायक रूपे नन नं सोचता है अथवा किली मित्र से कहता है कि—सायंकालिक  
कर्मों के मनाम, र्घ-सुत्रित तयनों वाली प्रेयसी का वह सुन्दर नन्द हाल, वैशाल, वह  
निष्कल और मशर सुत की शोभा, हाय ! वास भी मेरे हृदय को पागल बना रही हैं ।  
विनाशार्थे प्रतिनादयति—

विन्ताविशेषोऽत्र विभाव, भ्रून्ति-गात्रनिश्चलत्वाद्य जाज्ञेपगन्या अनुभावा ।

विन्ताविशेषस्त भावन्त्यन्तरहस्त्य स्तुतौ निमित्ततया विभावत्तम्, अशुता-  
स्वाश्लेषोऽप्यगता भ्रून्ति-मूर्ताना च कर्षत्वाद्गुणावक्रमाकलनीयम् ।

यहां एक तरह की विन्ता विभाव है, भ्रू-लना का उन्नयन, शरीर क निरलीभवन-  
आदि जो वाच्य नहीं हैं, फिर भी वाच्य से ललस नं का जाने हैं—अनुभाव है ।

इदं हरणे विस्मयान्ति-सनाशहृय निरस्त्यति—

यथापत्रास्या एव स्मृतेः सञ्चारिण्या . नायिकाहूपत्य विभावस्य. हन्तपद-  
गन्त्यत्य हृदयत्रैक्यरूपाणुभावस्य संयोगाद् विप्रलम्भरस्ताभिष्यक्ते रसध्वनित्वं  
शक्यते उक्तुम् . तथापि स्मृतेरेवात्र पुरस्फूर्तिफलावमत्कारित्वाच्च तदुध्वनित्वमुक्तम् ।

विनास्त्यलम्बनस्य । पुरोऽष्टे स्तुते प्रतीतिर्यस्या सा पुरस्फूर्तिरुक्त, तस्या भाव-  
सत्त्वम् । तदुध्वनित्वं स्तुतिव्यनितम् ।

नन्वस्तिन्दुहरणे नायिकाहनालम्बनविभावस्य, हन्तपदस्य अथहृदयत्रैक्यरूपाणु-  
भावस्य, स्तुतेलम्बनविचारिणास्य च नायकनिष्ठरतौ उन्वन्त्वाद् विप्रलम्भानिरेवेति  
शङ्का—शक्यत्वात्तलम्बनत्वात् सच्यतरीह विप्रलम्भप्रतीतौ, पुरो भावित्वाद्-  
विश्वमन्त्ररूपाच्च स्तुतिप्रतीते, स्तुतेभावध्वनित्वमेवावेति समाधानम् ।

यद्यपि यहां नायिकाहृत्त विभाव 'हन्त' अथवा 'हाय' पद से व्यक्त होने वाला हृदय  
का विकलरूप अनुभाव और स्तुतिरूप सञ्चारीभाव के संयोग से विप्रलम्भ-प्रहार-रस  
की अभिव्यक्ति होती है, अतः यहां रस-ध्वनि है ऐसा कहा जा सकता है, तथापि भाव-  
ध्वनि इमलिये कही गई कि पहले स्तुति की ही प्रतीति होती है और चमत्कारिणी  
भी है हा । पश्चात् उक्त रस भी ध्वनित हो सकता है, तो हो, पर उल्लेख उतना चमत्कार  
नहीं होगा ।

तु तन्मन्दस्य बुद्धिविभवाभूतार्थवाक्याद् बुद्धिविशेषरूपाया स्तुतेरपि तद्वाच्यतया  
अप्येह स्तुतिव्यनित्वमिच्छा नन्दयेत समदयति—

तदांशुद्धिस्त्यप्रचारागच्छिन्ने शक्तिरिति नये-बुद्धेः शक्यताऽवच्छेदकानु-  
गमकतया न वाच्यतासंस्पर्शः । बुद्धिस्त्यत्वं शक्यताऽवच्छेदकमिति नयेऽपि  
स्तुतेनेषु स्मृतेर्गर्धकियेद्यतैव ।

तन्मन्दस्य प्रकरणशाब्द पदप्रदादिनाऽर्धवोचकस्य वरान्त-दर्शनादेवत्वज्ञानार्थ-  
व्यापारोपाय, बुद्धिविभवाऽवच्छेदकमिति-तन्मन्दतागच्छिन्ने शक्ति । न च  
नये-शक्यताऽवच्छेदकमेवावच्छेदकमिति, शक्यताऽवच्छेदकता नामास्तेऽपि, तेषामनु-  
गमकतया बुद्धिविभवाऽवच्छेदकत्वस्योपलक्षणत्वेनैवावच्छेदकत्वमेव, न तु नामात्तम्, ।

इत्यस्मिन् प्रथममते बुद्धे शक्यताऽवच्छेदकानुगमकधर्मकुक्षिप्रवेशेऽप्युपलक्षणतया वाच्यत्वाभावाद् ध्वन्यमानत्वमक्षतमेव । तच्छब्दस्य बुद्धिविषयत्वावच्छिन्ने शक्तिरिति मतेऽपि बुद्धित्वेन सामान्यधर्मेण स्मृतेर्वाच्यतायामपि स्मृतित्वेनासाधारणधर्मेणावाच्यावाद् ध्वनितं न किञ्चिद्वाधकमिति द्वितीयमतेऽपि दोषभावो बोध्यः ।

ननु द्वितीयमते बुद्धित्वेनाभिधया बोध्यमानाया एव स्मृते स्मृतित्वेन व्यङ्ग्यताङ्गीका 'शयिता सविधे' इत्यादौ प्रागुपात्तस्य—'व्यङ्ग्यस्य कथमपि वाच्यवृत्त्यनालिङ्गितस्यैव चमत्करित्वादित्यालङ्कारिकसमय' इति स्वकीयग्रन्थस्य विरोधः स्फुट एवेति चेत्, उच्यते—वाच्यताऽवच्छेदको व्यङ्ग्यताऽवच्छेदकश्च प्रतीतिविषयो जातिरूपस्तदन्यो वा यत्रैक एव धर्मो भवति, तत्रैव तदर्थस्य न व्यङ्ग्यता चमत्कारिता वा, यत्र तु सामान्यविशेषभावदिनाऽपि तद्धर्मयोस्तनीयानपि भेदः, तत्र नायं नियमः, तथा च 'शयिते'त्यादौ वाच्यताऽवच्छेदकस्य मनोरथत्वस्य, व्यङ्ग्यताऽवच्छेदकस्येच्छात्वस्य च घटत्व—कलशत्ववद्वैक्यम् इह तु बुद्धित्व—स्मृतित्वयोर्गुणात्वज्ञानत्ववत् सामान्यविशेषभावाद् भेदस्तस्मात्तदौ इति व्याख्यातारः ।

यहां एक शङ्का यह होती है कि जब तत्पद का वाच्य 'बुद्धि-विषयीभूत अर्थ' है तब तो बुद्धि भी उसके वाच्य की श्रेणी में आगई और स्मृति भी एक प्रकार की बुद्धि (ज्ञान) ही है, अतः स्मृति यहां व्यङ्ग्य कैसे होगी ? क्योंकि वाच्य अर्थ को आलङ्कारिक लोग व्यङ्ग्य नहीं मानते, इसी शङ्का का उत्तर ग्रन्थकार देते हैं—'तदादे' इत्यादि । अग्नि प्रायः यह है कि तत्पद के घट-पट आदि अनेक अर्थ हैं, फिर हरिप्रभृति पद के जैसे व (तत्पद) भी नानार्थक क्यों नहीं माना जाय ? यह प्रश्न जब उठा, तब सभी दार्शनिकों ने एक स्वर से समाधान किया कि अर्थ के अनेक होने से कोई पद नानार्थक नहीं होत वरन् किसी पद में अनेक अर्थ निरूपित अनेक शक्ति मानने से वह पद नानार्थक होत है, यदि किसी पद में अनेक अर्थ निरूपित होकर भी शक्ति एक ही हो, तब वह पद एक अर्थक ही कहलाता है और शक्ति के एक होने के नियम ये हैं कि यदि शक्य एक हो, तब शक्ति एक, यदि शक्य अनेक भी हों और शक्यतावच्छेदक एक हो, तब भी शक्ति एक, यथा वह भी अनेक ही हों, तब भी शक्यतावच्छेदकतावच्छेदक के एक होने पर शक्ति एक ही होती है, सारांश यह कि शक्य के पीछे यदि कहीं कोई अनुगमन एक धर्म हो, तो शक्ति एक होती है । इस पर प्रश्न उठा कि तत्पद में शक्ति एक है ? या अनेक ? इसका उत्तर भी सबों ने समान ही दिया कि—एक । इसके बाद यह प्रश्न सामने आया कि—क्यों अर्थात् ऊपर जो शक्ति को एक बनाने वाले अनेक नियम बतलाये गये हैं, उनमें से यह कौन सा नियम लागू होता है ? इसके उत्तर में दार्शनिकों के दो मत हो गये । कुछ लोगों का मत है कि बुद्धिस्थ जो प्रकार (भेदक विशेषण) तदवच्छिन्न अर्थात् तद्विशिष्ट में तत्पद की शक्ति है । जैसे—घटत्व—पटत्व आदि प्रकार (भेदक विशेषण) को बुद्धिस्वरूप लेने पर तद्विशिष्ट घट-पट आदि में तत्पद की शक्ति होती है । इस मत के अनुसार तत्पद से घट-पटादि का बोध असाधारण अर्थात् घटपटादिरूप में ही होता है । इस बात को कुछ लोग 'बुद्धि-विषयतावच्छेदकत्वोपलक्षितधर्मावच्छिन्न में तत्पद की शक्ति है' इस रूप से भी कहते हैं, तात्पर्य एक ही है । इस तरह से शक्ति मानने पर यद्यपि तत्पद के शक्य घट-पट आदि अनेक होते हैं, शक्यतावच्छेदक (उक्त प्रकार) घटत्व पटत्व आदि भी अनेक ही होते हैं, तथापि शक्यतावच्छेदक घटत्वादिकों का अनुगमन करने वाला, शक्यतावच्छेदकतावच्छेदक, बुद्धिस्थत्व अथवा बुद्धिरूप उपलक्षक धर्म एक ही है, अतः शक्ति एक ही होगी और तत्पद नानार्थक नहीं होगा । अन्य लोगों का मत ससे कुछ भिन्न है, उनका कथन यह है कि—तत्पद की शक्ति बुद्धिस्थत्वावच्छिन्न में है

इस मत के अनुसार तत्पद से घट आदि का बोध असाधारण घट आदि के रूप में नहीं होता, अपि तु साधारण बुद्धिस्थ के रूप में। इसप्रकार शक्ति मानने पर तत्पद के शक्य घटादि तो अनेक हुये, पर शक्यतावच्छेदक बुद्धिस्थत्व एक ही हुआ और अनुगत भी, अतः इस मत में भी अनेक अर्थ निरूपित एक ही शक्ति तत्पद की सिद्ध हुई, इस मत में शक्यतावच्छेदकतावच्छेदक पर्यन्त, अनुगम के लिये अनुधावन नहीं करना पड़ता, यह लाघव है। फलतः इस मत के अनुसार भी तत्पद नानार्थक नहीं कहा सकता। अस्तु, ये तो हुये दार्शनिकों के झगड़े। अब प्रकृत में विचार यह करना है कि उक्त दोनों मतों में से किसी भी मत के अनुसार स्मृति ( जिसकी ध्वनि यहा मानते हैं ) तत्पद का वाच्य होती है या नहीं? उत्तर यह है कि—नहीं, क्योंकि प्रथम मत के अनुसार तत्पद के अर्थ में बुद्धि का स्थान तीसरे दर्जे—अर्थात् शक्यतावच्छेदकतावच्छेदक में है और किसी भी पद की वाच्यता शक्य और शक्यतावच्छेदक तक ही सीमित रहती है अर्थात् शक्य और शक्यतावच्छेदक ही पद के वाच्य होते हैं, उसके आगे शक्यतावच्छेदकतावच्छेदक नहीं वाच्य होता, दूसरी बात यह कि बुद्धि यहां शक्यतावच्छेदकों का अनुगम कराने के लिये उपलक्षण मात्र है, विशेषण नहीं, फिर वह वाच्य हो भी कैसे सकता है? द्वितीय मत के अनुसार यद्यपि बुद्धि शक्यतावच्छेदक है और विशेषण भी-उपलक्षण नहीं, अतः वह तत्पद का वाच्यार्थ अवश्य हो गया और स्मृति भी बुद्धिरूप होने से वाच्य हो गई, तथापि बुद्धित्व इस सामान्यरूप से ही स्मृति वाच्य हुई, स्मृतित्वरूप से तो स्मृति व्यङ्ग्य ही होगी और इस रूपभेद के कारण स्मृति के व्यङ्ग्य होने में कोई बाधा भी नहीं होगी। वादी यदि कहें कि—पहले आप कह आये हैं कि वही अर्थ व्यङ्ग्य हो सकता है, जिसमें किसी भी तरह वाच्य-वृत्ति ( अभिधा ) का स्पर्श न हो, अत एव आपने 'शयिता सविधे ...' इत्यादि पद्य में मनोरथत्वरूपेण वाच्य वन चुकी चुम्बनेच्छा को व्यङ्ग्य नहीं माना है, फिर यहां आप बुद्धित्वेन रूपेण वाच्य बनी हुई स्मृतिको व्यङ्ग्य कैसे मानते हैं? यह तो आपकी परस्पर विरुद्ध बातें होती हैं, इसका समाधान यह है कि वाच्यतावच्छेदक और व्यङ्ग्यतावच्छेदक ( चाहे वह जातिरूप हो या अन्य कोई ) धर्म जहा एक ही रहता है, वहीं वह अर्थ व्यङ्ग्य नहीं होता और चमत्कारी भी नहीं, जैसे 'शयिता ...' इत्यादि पद्य में मनोरथत्व और इच्छात्व जो क्रमशः वाच्यतावच्छेदक और व्यङ्ग्यतावच्छेदक है—एक ही जाति है—अर्थात् जैसे घटत्व और कलसत्व में कोई भेद नहीं है, वैसे उन दोनों में भी भेद नहीं है, अतः मनोरथत्वरूप से वाच्य हो जाने पर इच्छात्वरूप से व्यङ्ग्य नहीं होता।

पर यहां ऐसी बात नहीं है—अर्थात् बुद्धित्व और स्मृतित्व एक नहीं है, इन दोनों में सामान्यविशेषभाव है, अतः गुणत्व और ज्ञानत्व के जैसे ये दोनों दो धर्म हैं, फिर बुद्धित्वेन रूपेण वाच्य होने पर भी स्मृतित्वेन व्यङ्ग्य होने में क्या आपत्ति हो सकती है? किंवा विरोध कैसे होगा? अर्थात् न कोई आपत्ति होगी, न कोई विरोध होगा।

स्मृतेरिह पदप्रकाशयत्व व्यवस्थापयति—

तस्याश्चात्र वाक्यवेद्यत्वेऽपि, पदस्यैव कुर्वद्रूपत्वात् पदध्वनिविषयत्वम् ।  
एतेन भावानां पदव्यङ्ग्यत्वे न वैचित्र्यमिति परास्तम् ।

तस्याः स्मृतेः । वाक्येन तन्मञ्ज्वत्यादिना । पदस्य तच्छब्दस्य । कुर्वद्रूपत्व वैलक्षण्य-  
नपूर्वशक्तिरेति यावत् । एतेन पदप्रकाशयव्यङ्ग्यत्वापि चमत्कारित्वातिशयानुभवेन ।

स्मृतेर्येषक यद्यपि समस्तमेव वाक्यमिदम्, किन्तु तच्चमत्कारापेक्षयाऽधिक्यमत्कार-  
स्तत्त्वदव्यङ्ग्यस्मृतेरेवानुभूयत इति प्राधान्यात् पदप्रकाशयध्वनित्वमेवात्र प्रसिद्धम् । एता-  
वताभावानां पदप्रकाशयत्वे नैव चमत्कारो भवतीति वदन्तः प्रत्युक्ताः, तत्रापि चमत्कारानु-



भक्तित्वात्, 'विच्छित्तिशोभिनैकेन भूषणेनेव कामिनी । पदद्योत्येन सुकषेर्षनिना भाति भारती ।' इति ध्वनिकारानुमतत्वाच्च ।

यद्यपि यहा सम्पूर्ण वाक्य से ही स्मृति भवगत होती है, तथापि तत्पद ही कुर्वद्रूप है—अर्थात् वह एक पद ही स्मृति को ध्वनित करने में अग्रसर है, अतः यह 'पद-ध्वनि का ही लक्ष्य माना जाता है । इससे लोगों की जो यह धारणा है कि—भाव यदि 'पद' के द्वारा ध्वनित हों, तो उनमें कुछ विचित्रता ( चमत्कार ) नहीं होती, उसे नष्ट हं जाना चाहिये ।

प्रसङ्गादत्र पद्ये पदान्तरव्यङ्ग्य प्रकाशयति—

सायन्तनाम्बुजोपमानेन नयनयोरुत्तरोत्तराधिकनिमीलनोन्मुखत्वध्वननद्वारा तस्या आनन्दमग्नताप्रकाशः ।

नेत्रयो सायङ्कालिककमलोपमया प्राक् कमिकनिमीलनोन्मुखत्वं, पश्चात्तायिकाया आनन्दमग्नत्व च व्यज्यत इत्याशयः ।

यहा नेत्रों को जो सायंकालिक कमलों की उपमा दी गई है, उससे यह अभिव्यक्त होता है कि नेत्र उत्तरोत्तर ( आगे आगे ) अधिक मुद्रित होते जा रहे हैं, जिससे नायक की आनन्द मग्नता ध्वनित होती है ।

प्रत्युदाहरणमाह—

‘दरानमत्कन्धरबन्धमीष-न्निमीलितस्निग्धविलोचनाब्जम् ।

अनल्पनिश्वासभरालसाङ्ग, स्मरामि सङ्ग चिरमङ्गनायाः ॥’

दरमीपदामन् नम्रीभवन् कन्धरावन्धो प्रीवाभागो यत्र, तम्, निमीलिते आनन्दातिरेकेण लज्जातिशयेन वा मुद्रिते, विलोचनाब्जे नयनकमले यत्र, तम्, अनल्पेन भूयसा, निश्वासभरेण विलासायासजन्यनिश्वासितभारेणालसानि शिथिलत्वात् क्रियानुमुखानि अङ्गानि यत्र तादृश च, अङ्गनाया ललनाया, सङ्ग चिर स्मरामीत्यर्थः ।

अब स्मृति-भाव का प्रत्युदाहरण देखिये । नायक अपने मित्र से कहता है कि—मैं चिरकाल तक, नायिका के उस सङ्ग का स्मरण करता रहता हूँ, जिसमें गरदन कुछ झुकत रहती है, प्रीति पगे, नयन कमल कुछ कुछ मुद्रित होते रहते हैं और अङ्ग अत्यधिक श्वा के कारण अलसाये होते हैं ।

समीक्षते—

इत्यत्र स्मृतिर्न भावः, स्वशब्देन निवेदनादव्यङ्ग्यत्वात् । नापि स्मरणा लङ्कारः, सादृश्यामूलकत्वात्, सादृश्यमूलकस्यैव स्मरणालङ्कारत्वम्, अन्यस्य तु व्यञ्जितस्य भावत्वमिति सिद्धान्तात् । किन्तु विभाव एव सुन्दरत्वात् कथञ्चिद्रसपर्यवसायी ।

अत्र पद्ये स्मरामीति स्ववाचकशब्दवाच्यत्वाद् व्यङ्ग्यत्वाभावेन स्मृतिर्न भावः । न चैषा स्मृति स्मरणालङ्कारः, सादृश्योद्भाविताया एव स्मृतेरलङ्कारत्वस्य व्यवस्थापयिष्यमाणत्वात् । असादृश्यमूलिकायास्तु व्यङ्ग्याया स्मृतेर्भवित्वम्, वाच्यायास्त्वर्थमात्रता । एव स्थिताविह मनोहरस्य नायिकारूपालम्बनस्यैव माहात्म्यात् कन्वरेषजमन-न्युनेषन्निमीलनाद्यनुभावस्य, तत्कारणतयाऽऽक्षिप्तस्य लज्जात्मकव्यभिचारिणश्च ससर्गाज्ञायकनिष्ठरते शृङ्गाररसे पर्यवसानमित्याशयः । राजानकरुष्यकस्तु—वैसादृश्यमूलिकामपि स्मृति स्मरणालङ्कारमङ्गीकृत्य 'शिरीषमृद्वीगिरिषु प्रपेदे, यदा यदा दु खशतानि सीता । तदा तदाऽस्या भवनेषु सौत्य-लक्षाणि द्यौ गलद्भ्रु राम ।' इत्युदाहणम् ।

यहा जिस स्मृति की प्रतीति होती है, उसे 'भाव' नहीं मान सकते, क्योंकि वह मात्रात् स्मृति-वाचक 'स्मरामि' पद से ज्ञात होने से वाच्य है व्यङ्ग्य नहीं, स्मरणालङ्कार यहा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि किसी समान वस्तु के अनुभव से उत्पन्न स्मरण को ही 'स्मरणालङ्कार' मानते हैं और यहा का स्मरण किसी समान वस्तु के अनुभव से उत्पन्न नहीं हुआ है। इस तरह सिद्धान्त यह स्थिर हुआ कि सादृश्यमूलक स्मरण 'स्मरणालङ्कार' होता है और जो सादृश्य मूलक नहीं हो, वह स्मरण यदि व्यङ्ग्य रटे, तो 'भाव' कहलाता है, अतः यहाँ का स्मरण सादृश्यमूलक और व्यङ्ग्य न होने के कारण 'अलङ्कार' अथवा 'भाव' कुछ नहीं है। अब आप पूछ सकते हैं कि यदि ऐसी बात है तो यहा चमत्कार का बीज ही क्या है, जिससे इस पद्य को काव्य कहते हैं ? इसका उत्तर यह है कि इस में वणिग नायिकारूप विभाव ही रमणीय होने के कारण किसी तरह शृङ्गार-रस के रूप में पर्यवसित होता है और चमत्कार पैदा करता है, अतः एव इस श्लोक को काव्य कहते हैं। यहा कथञ्चित् पद से जो अस्वारम्य सूचित होता है, वह यह है कि केवल विभाव तो रसरूप में परिणत हो नहीं सकता, अतः प्रीवा के नञीभाव और नेत्रों के मुद्रण को अनुभाव मानकर उसके कारणरूप में लज्जारूप सञ्चारी का आशेष करना पड़ेगा, जो क्लेश-प्रद है।

ब्रीडा निरूपयति—

स्त्रीणां पुरुषमुखवावलोकनादेः, पुमां च प्रतिज्ञाभङ्ग-पराभवादेरुत्पन्नो वैवर्ण्याधोमुखत्वादिकारणीभूतश्चित्तवृत्तिविशेषा ब्रीडा ।

पराभवो वैरिभूत । वैवर्ण्यं वर्णान्यथाभाव । पुरुषमुखवावलोकनादिजन्य स्त्रीवृत्ति, प्रतिज्ञाभङ्गादिजन्यश्च पुरुषवृत्तिवैवर्ण्यादिजनकश्चित्तवृत्तिविशेषो ब्रीडा लज्जेत्यर्थः । तदुक्तम्— 'सद्वैवर्ण्ये तसो ब्रीडा वैवर्ण्याधोमुखत्वात्' इति ।

अब ब्रीडा ( लज्जा ) का लक्षण करते हैं—'क्लेशान्' इत्यादि। स्त्रियों में पुरुष-मुख-दर्शन आदिमें और पुरुषों में प्रतिज्ञा-भङ्ग एव पराजय आदि से उत्पन्न होने वाली और विवर्णता एव ननानता आदि अनुभावों को उत्पन्न करने वाली जो एक तरह की चित्त-वृत्ति है, उसका नाम 'ब्रीडा' है।

उदाहरति—

यथा—

नायको मुग्धावृत्तं सञ्जाय व्याहरति—

'कुचकलशयुगान्तर्मासकीन नखाङ्क,

सपुलकननु मन्दं मन्दमालोकमाना ।

विनिहितवदन मां वीज्य वाला गवाजे,

चकितनतनताङ्गी सद्यः सगो विवेश ॥'

वाला मुग्धा, कुचकलशयुगान्तर्मासकीन नखाङ्क, ( रहसि ) सपुलकननु हर्षोद्भूतरोमाञ्जलि-शरीर यथा स्यात् तथा, मन्द मन्द जनैर्गणैः, आलोकनाना पश्यन्ती, गवाजे तद्दर्शनार्हवात्, विनिहितवदन स्थापितमुञ्जं ( पश्यन्तं ) मा वीज्य चकितान्याध्वेन, नतनतानि नन्नतमानि च लज्जास्तानि यस्यास्ताङ्गी, मद्यन्तकाले, मन्मर्गं गृह विवेशेत्यर्थः ।

जैसे—नायक अपने मित्र से कहता है कि—अलशों के समान विशाल तथा उन्नत दोनों उरोजों के मध्य में मेरे द्वारा ही किये गये नख-घत के चिह्न को पुलकितान्गी होकर धीरे-धीरे देवती हुई उम मुग्धा नायिका ने ज्यों ही क्षरोत्त में मुख डाले हुये ( अपनी और

देखते हुये ) हमें देखा, त्यों ही वह चकित होकर अपने अङ्गों को सिकोड़ती हुई घर में भाग गई ।

उपपादयति—

अत्र प्रियस्य दर्शनम्, तेन नायिकाकर्तृकलङ्कुचान्तर्वर्तिप्रियनखक्षतावलो-  
कनजन्य-हर्षावेदकतत्पुलकादेर्दर्शनं च विभावः । सद्यः सदनप्रवेशोऽनुभावः ।  
तेन प्रियेण ।

ताभ्यां विभानुभावाभ्यां प्राधान्येन लज्जाया व्यञ्जनाल्लज्जाध्वनेरिदमुदाहरणम् ।

यहां नायिका को प्रियतम का दिखाई देना और उसके उरोजों में प्रिय के नख-क्षत के देखने से उत्पन्न हुये हर्ष की सूचना देने वाले रोमाञ्च आदि का प्रियतम को दीख जाना विभाव है तथा तुरत घर में भाग जाना अनुभाव है । इन दोनों विभावानुभावों से प्रधानतया लज्जा ध्वनित होती है, अतः यह पद्य 'भाव-ध्वनि' का उदाहरण हुआ ।

पुनरुदाहरति—

यथा वा—

नायक. सखायमाख्याति—

'निरुद्धय यान्ती तरसा कपोतीं, कूजत्कपोतस्य पुरो ददाने ।

मयि स्मिताद्रं वदनारविन्दं, सा मन्दमन्दं नमयाम्बभूव ॥'

मयि, तरसा वेगेन कोपात् प्रासादा यान्ती कपोतीं पारावतवधूं, निरुद्धयावरुद्धय, कूज-  
तो रिरंसया कलकलं कुर्वत, कपोतस्य, पुरोऽग्रे, ददाने स्थापयति, सति, स्मितेनाद्रं स्तिमितं  
वदनं, मन्दमन्दं सा प्रेयसी, नमयाम्बभूव नम्रीचकारेत्यर्थः ।

अथवा जैसे—'निरुद्धय यान्तीम्.....' इत्यादि पद्य में । किसी मित्र के प्रति नायक का कथन है- कि जब मैं वेग से दूर भाग कर जाती हुई कबूतरी को बलजोरी रोक कर ( कामातुरता के कारण ) कूजता हुआ कबूतर के आगे रख रहा था, तब उस नायिका ने ( मेरे आचरण को देखकर ) मन्द-हास से आर्द्र, मुख-कमल को धीरे धीरे नीचा कर लिया ।

उपपादयति—

पूर्वत्र त्रास इवात्रापि हर्षो लेशतया सन्नपि व्रीडाया अनुगुण एव । प्रियकर्तृकं  
कपोतस्याग्रे कपोत्याः समर्पणं विभावः, वदननमनमनुभावः ।

यथा पूर्वत्र 'कुचकलशो'त्यादौ चकितत्वेन लेशतया प्रतीयमानल्लासो लज्जायाः पोषक-  
त्वादनुगुण एव, न तु प्रतिकूल, तथैवात्र 'निरुद्धये'त्यादौ स्मितवदनत्वेन प्रतीयमानो  
हर्षोऽपि न प्रतिकूल किन्तु व्रीडाया पोषक एवेत्यर्थः ।

जैसे 'कुच-कलश ...' इत्यादि पद्य में नायिका में 'चकित' विशेषण लगानेसे त्रास ईपत् अभिव्यक्त होकर भी लज्जा के अनुकूल ( पोषक ) हुआ है, उसी तरह यहाँ ( निरुद्धय यान्तीम् इत्यादि पद्य में ) 'मन्दहास से आर्द्र' इस मुख-विशेषण से हर्ष किञ्चित् अभिव्यक्त होकर भी लज्जा का पोषक ही होता है, विरोधी नहीं । नायक का कबूतर के आगे कबूतरी का रखना विभाव है और नायिका का मुख नीचा करना अनुभाव है, जिनसे यहाँ 'व्रीडा-भाव' अभिव्यक्त होता है ।

मोहं निरूपयति—

भयवियोगादिप्रयोज्या वस्तुतत्त्वानवधारिणी चित्तवृत्तिर्मोहः ।

भयवियोगप्रभृतिभिर्व्याकुलत्वं, तेन च मोहो जन्यत इति प्रयोज्यत्वं निवेशितम् । मोहे सति च कस्य वस्तुनस्तत्त्वावधारणं न भवतीति तदाख्यानम् । भयादिजन्यव्याकुलत्वजन्यो

वस्तुतत्त्वानवधारणजनकश्चित्तवृत्तिविशेषो मोह इत्यर्थः । तदुक्तम्—‘मोहो विवृत्तता भीति-  
दुःखावेगानुचिन्तनैः । घूर्णनाज्ञानपतन-भ्रमणादर्शनादिकृत् ॥’ इति ।

अव मोह का निरूपण करते हैं—‘नय’ इत्यादि । उस चित्त-वृत्ति को ‘मोह’ कहते हैं जिसकी उत्पत्ति भय-वियोग आदि से उत्पन्न व्याकुलता के कारण होती है और जिसके कारण किसी भी वस्तु की यथार्थता को समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है—अर्थात् मोह के उत्पन्न हो जाने पर मनुष्य का अन्तःकरण शून्य सा हो जाता है, जिससे वह किसी भी चीज को यथार्थरूप से समझने की शक्ति को खो देता है ।

नवीनमतमाह—

‘अवस्थान्तरशबलिता सा तथा’ इति तु नव्याः ।

सा चिन्ताख्या वक्ष्यमाणैव वस्तुतत्त्वानवधारणरूपमवस्थान्तर गता चित्तवृत्तिरेव तथा मोहास्येति तु नव्या कथयन्तीत्यर्थः ।

नवीन विद्वानों का मत है कि ‘चिन्ता’ नाम की जिस चित्त-वृत्ति का वर्णन आगे किया जायगा, वही जब एक खास अवस्था तक पहुँच जाती है, तब ‘मोह’ नाम से पुकारी जाती है—अर्थात् चिन्ता जब इस दशा को पहुँच जाती है कि सूझना-समझना सब बन्द हो जाय, तब उसे मोह कहते हैं अतः चिन्ता से पृथक् उसकी (मोह की) गणना नहीं करनी चाहिये ।

उदाहरति—

उदाहरणम्—

बालया मोहावस्थाव्यापार वर्णयति—

‘विरहेण विकलहृदया, विलपन्ती दयित । दयितेति ।

आगतमपि तं सविधे, परिचयहीनेव वीक्षते बाला ॥’

विरहेण विकलहृदया व्याकुलमना, अत एव दयित ! दयित ! कासीति विलपन्ती, सा बाला, सविधे समीपे, आगतमपि, त दयित, परिचयहीनाऽसञ्जातपरिचयेव, वीक्षते पश्यति, न तु किमपि कथयतीत्यर्थः ।

अव मोह का उदाहरण देखियेः—

एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि—‘प्यारे-प्यारे’ की रट लगाती हुई उस सुग्ध नायिका का हृदय विरह से इतना कातर हो गया है कि पास में आये हुये भी प्रिय को इस तरह देखती रह जाती है, जैसे उसके साथ उसका कभी का कोई परिचय ही न हो ।

अत्र विभावानुभावौ दर्शयति—

अत्र कान्तवियोगो विभावः, इन्द्रियवैकल्यं लज्जाद्यभावश्चानुभावः ।

इन्द्रियाणां वैकल्यं प्राह्याप्राहणम्, तच्चात्र परिचितचरस्य पत्युश्चक्षुषा विपयीकरणेऽपि परिचयाभावात्, लज्जाऽभावश्च बालात्वेऽपि पुरस्त्यस्य पत्युस्तयादर्शनादवगतौ विभावानुभावौ नायिकाया मोहरूप भाव व्यङ्ग्यः ।

उक्त पद्य में प्रिय का विरह विभाव है और इन्द्रियों (चक्षु आदि) की विकलता (ज्ञान-शक्ति का लोप) तथा लज्जा आदि का अभाव अनुभाव है । लज्जा का अभाव यहां इन वान से प्रतीत होता है कि नायिका घाला होकर भी पति के सामने में (जब बाला की लज्जालुता प्रसिद्ध है) अपरिचित सी देखती रह जाती है । उक्त विभाव और अनुभावों से मोहभाव की ध्वनि होती है ।

पुनरुदाहरति—

‘शुण्डादण्डं कुण्डलीकृत्य कूले, कल्लोलिन्याः किञ्चिदाकुञ्चिताक्षः ।  
नैवाकर्षत्यम्बु, नैवाम्बुजालि, कान्तापेतः कृत्यशून्यो गजेन्द्रः ॥’

कान्ताया प्रियहस्तिन्या अपेतो विरहितः, कल्लोलिन्या सरितः, कूले तटे, शुण्डादण्डं शुण्डाहस्त एव दीर्घत्वादण्डस्त, कुण्डलीकृत्य लम्बमपि वर्तुल विधाय, कृत्यशून्यः स्वविधे-  
यज्ञानविधुर, गजेन्द्रो हस्तिराज, अम्बु नद्याजलं, दिनान्तरवत्, नैवाकर्षति करेण नैव पिबति,  
अम्बुजालि सरसिजश्रेणी चापि प्राग्वत्, नैवाकर्षति नैव गृह्णातीत्यर्थः ।

अत्र कान्तावियोगो विभाव, सरित्तेऽपि सलिलाद्यनाकर्षणमनुभावश्च वस्तुतत्त्वानव-  
धारणरूप मोहमवगमयत । ‘कृत्यशून्य’ इति विशेषणैनाभिहितप्रायो मोह इत्यस्मात्पूर्वमेवो-  
दाहरण रुचिर प्रतिभाति ।

अथवा, जैसे—‘शुण्डादण्डम्’..... इत्यादि पद्य में । कोई दर्शक कहता है कि—  
हथिनी से वियुक्त हाथी निश्चेष्ट होकर, सूँढ़ को वर्तुलाकार बना कर और नेत्रों को कुछ  
कुछ सिकोब कर नदी के तट पर खड़ा तो है, परन्तु न जल को खींचता है और न कमलों के  
पङ्क्ति को । यहाँ कान्ता का वियोग विभाव है और नदी के तट पर रह कर भी जल तब  
कमलों को न खींचना अनुभाव है, जिससे मोह व्यक्त होता है ।

धृति निरूपयति—

लोभशोकभयादिजनितोपप्लवनिवारणकारणीभूतश्चित्तवृत्तिविशेषो धृतिः ।

लोभ-शोक-भयादिभिर्जनितस्य, उपप्लवस्य चित्तक्षोभरूपोपद्रवस्य, निवारणो कारणी  
भूतश्चित्तवृत्तिविशेषो धृतिरित्यर्थः । तदुक्तम्—‘अभीष्टार्थस्य सम्प्राप्तौ स्पृहा पर्याप्तता धृति’  
सौहित्य-वदनोह्लास-सहासवचनादिकृत् ।’ इति ।

अब ‘धृति’ का निरूपण करते हैं—‘लोभ’ इत्यादि । उस चित्त-वृत्ति का नाम ‘धृति’ है  
जिसके कारण लोभ, शोक और भय आदि से उत्पन्न होने वाले उपद्रव शान्त हो जाते हैं

उदाहरति—

उदाहरणम्—

धीरं परामृशति—

‘सन्तापयामि हृदयं, धावं धावं धरातले किमहम् ।

अस्ति मम शिरसि सततं, नन्दकुमार’ प्रभुः परमः ॥’

अहं ( लोभेनाभिभूत ) सतत धरातले ( इतस्तत् ) धाव धावं धावित्वा धावित्वा  
हृदय मन, किं कुतः सन्तापयामि पीयामि । यत् परमं सर्वोत्कृष्टं, प्रभु सर्वं कर्तुमर्ह्यु  
मन्यथा वा कर्तुं समर्थं, नन्दकुमार’ कृष्णचन्द्र, मम शिरस्यस्त्येधेत्यर्थः ।

इह नन्दकुमारस्य शिरस्थत्वकथनेन भारभूतत्वप्रतीतिश्चारुताहानिरिति ‘अस्ति ममाग्रे  
इति पाठ समीचीन प्रतिभाति ।

८

‘धृति-भाव’ का उदाहरण देखिये.—

किसी धैर्य-शाली पुरुष का मानसिक विचार है कि—मैं व्यर्थ भूतल पर इधर-उधर  
दौड़-दौड़ कर अपने हृदय को क्यों सतस कर रहा हूँ । मेरे शिर पर प्रभुवर नन्दनन्दन  
सर्वदा विराजमान हैं—मुझे चिन्ता करने की क्या आवश्यकता ? वे स्वयं सब बातों की  
व्यवस्था कर ही लेंगे ।

विभाजदुभाजवाह—

अत्र विवेकश्रुतसम्पत्त्यादिविभावः, चापलाद्युपशमोऽनुभावः ।

श्रुतसम्पत्तिः शास्त्रज्ञानसम्पत् । धैर्यं विवेकाद्युद्भूतं चापल्युपशमयति ।

उक्त पद्य में विवेक और शास्त्र-ज्ञान-रूप-सम्पत्ति आदि विभाव है तथा चञ्चलता आदि का निवृत्ति अनुभाव है ।

शङ्कते—

ननु चोत्तरार्धे चिन्ता नास्तीति वस्तुनोऽभिव्यक्ते कथमस्य धृतिभावध्व-  
नित्प्रमिति चेत् ।

'न चिन्ता नम जीवने यदि हरिर्विध्वम्भरो गीयते' इत्यादौ वाच्य इव चिन्ताऽभाव  
उत्तरार्धेऽस्तीत्यादौ वस्तुस्यो व्यङ्ग्य इति नाय भावध्वनिः, किन्तु वस्तुध्वनिरेवेति शङ्का ।

यहां यह शङ्का होती है कि उक्त पद्य के उत्तरार्ध से तो 'मुझे चिन्ता नहीं है' यह  
वस्तु ध्वनित होती है, फिर इस पद्य को धृति-भाव-ध्वनि का उदाहरण कैसे कहते हैं ?

उत्तरयति—

तस्य धृत्युपयोगितयैवाभिव्यक्ते ।

तस्य चिन्ताऽभावव्यङ्ग्यस्य ।

उक्त शङ्का का उत्तर यह है कि 'मुझे चिन्ता नहीं है' इस वस्तु की ध्वनि वहां प्रधान-  
रूप से नहीं होती, वरन्, धृति-भाव से पोषकरूप में ही, अर्थात् चिन्ता का अभाव  
धैर्य में उपयोगी है, अतः उसका ध्वनित होना धृति की ध्वनि में सहायक ही होता है,  
वाचक नहीं ।

शङ्का निरूपयति—

किमनिष्टं मम भविष्यतीत्याकारश्चित्तवृत्तिविशेषः शङ्का ।

भाव्यनिश्चिताकारकस्त्वानिष्टचिन्तनात्मकश्चित्तवृत्तिविशेषश्शङ्कैत्यर्थः । तदुक्तम्—

परञ्चैर्यान्मदोपादे शङ्काऽनिष्टस्य चिन्तनम् ।

वैवर्ण्य-कल्प-वैस्वर्ग्य-पार्श्वालोक्य-त्यशोपकृत् ।' इति ।

चिन्तनं सम्भावनम् । परञ्चैर्यादिविभागो वैवर्ण्यदिक्षातुभावः शङ्कायाः ।

'मेरा क्या अनिष्ट होगा' इस तरह की चित्तवृत्ति का नाम 'शङ्का' है ।

उदाहरति—

उदाहरणम्—

वैवर्ण्यवद्वा सङ्केतस्यलं गन्तुनशक्त्वा त्वानिष्ट शङ्कनाना नायिका सर्वा भाषते—

'विविधञ्चित्तया मया न यात, सखि ! सङ्केतनिकेतनं प्रियस्य ।

अधुना वत । किं विधातुकामो, मयि कामो नृपतिः पुनर्न जाने ॥'

हे सखि ! विविधचित्तिय दैवैव निप्रलब्धया, मया, वत 'हन्त' प्रियस्य प्रणयपान्त्रवे-

नापरिहार्यानुरोधस्य, सङ्केतनिकेतनं सङ्केतहितरह, न यात नैव गतम्, श्रुतुना वैवर्ण्येणया  
न तु स्वच्छायाऽस्मिन्नपराधे मया कृते मति, नृपतिः प्रहृत्यैव शूर आशामज्ञात् कुम्भो युवजनाना-  
शास्त्राद् राजा, कामो मन्मथ, मयि कृतागति, पुनः, किं विधातुकाम किं चिकीर्षुरस्तीति न  
जाने नावगच्छामीत्यर्थः ।

उदाहरण लीजिये । दैववशा से नकैत-स्थल पर जाने में कनमर्थ वनी हुई नायिका  
स्व-ननोगत अनिष्ट-शङ्का का वर्णन सर्वा से करती है.—हे सखि ! विधाता ने मुझे धोखा

दिया, जिससे मैं प्रिय के सकेत-स्थान पर न जा सकी। अब भय है कि न जाने, महाराज कामदेव मेरे विषय में क्या करना चाहते हैं।

उपपादयति—

अत्र राजापराधो विभावः, मुखवैवर्ण्यादय आक्षेप्या अनुभावाः।

मुखवैवर्ण्यादीनां साक्षाच्छब्दानुक्तत्वादाक्षेप्यत्वम्।

इस श्लोक में राजा का अपराध करना विभाव है और मुख का विवर्ण हो जाना आर्षा अनुभाव हैं। यद्यपि यहाँ ये अनुभाव कहे नहीं गये हैं, तथापि आक्षेप ( ऊपर ) से उनका ज्ञान कर लिया जाता है।

शङ्कां चिन्ताया व्यतिरेचयति—

इयन्तु भयाद्युत्पादनेन कम्पादिकारिणी, न तु चिन्ता।

इयं शङ्का भयमुत्पाद्य कम्पाद्यनुभावं जनयति, चिन्ता पुनर्न जनयतीति कम्पादिजनकत्वमेव शङ्कायाश्चिन्तापेक्षया वैषम्यम्।

उक्त चित्त-वृत्ति ( जिसको शङ्का कह आये हैं ) चिन्ता नहीं कही जा सकती, क्योंकि शङ्का भय को उत्पन्न कर तद्वारा शरीर में कम्प आदि को उत्पन्न करती है और चिन्ता ऐसा नहीं करती, यह दोनों में भेद है।

ग्लानिं निरूपयति—

आधिव्याधिजन्य-बलहानिप्रभवो वैवर्ण्य-शिथिलाङ्गत्व-दृग्भ्रम-णादिहेतुर्दुःखविशेषो ग्लानिः।

आधिर्मनोव्यथा। व्याधिपदं क्षुदाद्युपलक्षकम्। दुःखविशेषश्चित्तवृत्तिविशेष एवेति न प्रक्रममङ्ग, नापि भावसामान्यलक्षणासमन्वय'। उक्तञ्चान्यत्र—'रत्यायासमनस्तापक्षुत्पिपासादिसम्भवा। ग्लानिर्निष्प्राणता कम्प-कार्यानुत्साहितादिकृत् ॥' इति। आधिव्याधिजन्याया बलहानेस्त्वघ्नो वैवर्ण्यादिजनकश्चित्तवृत्तिविशेषो ग्लानिरिति सारम्।

अब 'ग्लानि का निरूपण करते हैं—'आधि' इत्यादि। उस दुःख-विशेष को 'ग्लानि' कहते हैं, जो मानसिक व्यथा और शारीरिक रोग आदि के कारण उत्पन्न दुर्बलता से पैदा होती है तथा विवर्णता, अङ्गों की शिथिलता और आंखों में चौंध आना आदि अनुभावों को जन्म देती है।

उदाहरति—

यथा—

वियोगिनीदशां वर्णयति—

'शयिता शैवलशयने, सुषमाशेषा नवेन्दुलेखेव।

प्रियमागतमपि सविधे, सत्कुरुते मधुरवीक्षणैरेव ॥'

नवोद्यन्ती, इन्दुलेखा चन्द्रकलेव, सुषमा परमशोभैव शेषोऽवशिष्टांशो यस्या तादृशी, शैवलस्य शयने शय्याया शयिता सुप्ता विरहिणी, सविधे तल्पसमीपे, आगतमपि, प्रियं दयितं, मधुरैर्मनोरमैर्वीक्षणैरालोकनैरेव, न त्वभ्युत्थानादिभिः, सत्कुरुते सम्मानयतीत्यर्थः।

जैसे—'शयिता ...' इत्यादि पद्य में। एक सखी दूसरी सखी से वियोगिनी के वृत्तान्त का वर्णन करती है कि—नवीन चन्द्र-कला के समान जिसमें परम-शोभा है। शेष वचन गढ़ है, वह सेवाल की सेज पर सोई हुई सुन्दरी समीप में आये हुये भी प्रिय-पति का सत्कार केवल मधुर चित्तवर्णों से ही करती है, ( अभ्युत्थान आदि से नहीं ) अर्थात् विरह-वेदना से उसके अङ्ग इतने दुर्बल अत एव शिथिल हो गये हैं कि प्रियतम के आने पर भी उठ नहीं सकती, चोल नहीं सकती।

विनावादि प्रतिपादयति—

अत्र प्रियविरहो विभावः मधुरवीक्षणैरेवेत्येवकारेण बोध्यमाना प्रत्युद्गम-  
चरणानिपतना-श्लेषादीनां निवृत्तिरनुभावः ।

इह प्रियविरहपदं तत्रत्याधिसम्भूतवल्हानिर सन्दर्भशुद्धयनुरोधात् । निवृत्तिरनुभावः ।  
उक्त पद्य में प्रियतम का विरह विभाव है और 'मधुरवीक्षणैरेव' यहाँ के एवकार से  
ज्ञात कराई गई, स्वागत के लिये सामने जाने, प्रगान करने और आलिङ्गन करने आदि की  
निवृत्ति अनुभाव है ।

अत्रोत्तररूपे भ्रमभ्रमिनाशहृद्य निरत्यति—

न चात्र भ्रमः शङ्क्यः कारणाभावान् ।

इह भ्रमस्य प्राधान्येन घञ्चित इति न शङ्कीयम्, बहुतरशारीरव्यापारस्य तत्कारणत्वेन  
वदयनानस्य प्रकृतेऽसत्त्वादित्यर्थः ।

यहाँ भ्रम-भाव ही प्रधानतया घञ्चित होना है, ऐसी शङ्का नहीं करनी चाहिये  
क्योंकि भ्रम के जो कारण अधिक शरीर-व्यापार आदि वर्जित किये जायेंगे, उनका यहाँ  
अभाव है—अर्थात् शारीरिक भ्रम का वर्जन यहाँ नहीं है, फिर अकारण भ्रम की प्रतीति  
हो, तो कैसे ?

ग्लाने परकीय लक्ष्णमुपन्यस्य निराकरोति—

केचित्तु—व्याध्यादिप्रभव-बलनाश ग्लानिमाहुः तेषां नते चित्तवृत्त्यात्म-  
केषु भावेषु नारात्पाया ग्लाने कथं समावेश इति ध्येयम् ।

व्याध्यादिजन्यबलभाव एव ग्लानिरिति केषांचिन्मतमवुक्तम्, अभावत्वत्वादीकारे  
ग्लानेरवमत्कारणत्वात्, चित्तवृत्तिरूपत्वाभावेन भावत्वामात्राच्चेत्याशयः ।

लुब्ध लोभ 'रोगादि से होने वाले बल-नाश ( बल का अभाव ) को ही 'ग्लानि'  
कहते हैं । परन्तु उनके मत में यह बात विचारणीय है कि जब सभी भाव चित्त-  
वृत्तिरूप माने जाते हैं, तब उन भावों में इस नाश ( अभाव जो चित्तवृत्तिरूप नहीं  
हो सकता ) रूप ग्लानि का समावेश कैसे होगा ? अर्थात् नहीं हो सकता, अतः उनका  
कथन असंगत है ।

परकीयलक्षणे भरतौल्लक्षणसमादात् सङ्गतिनाशहृद्य च इदमिति—

यद्यपि—बलस्यपचयो ग्लानिराधिव्याधिसमुद्भवः । इति लक्षणवाक्या-  
दपचयशब्देन नाश एव प्रतीयते, तथापि प्रागुक्तानुपपत्त्या बलनाशजन्यं दुःख-  
मेव बलापचयशब्देन विवक्षितम् ।

भरतमुनिलक्षणे बलापचयस्यैव ग्लानित्वप्रतिपादनात् प्रमादिकं ग्लानेरभावरूपत्वं दृश्य-  
मस्ति, किन्तु भावानां चित्तवृत्तिरूपत्वस्य प्रतिपादिकाद्या भरतमुनेरेव प्रागुक्तेस्तान्पर्यानु-  
पपत्तेरपानवचयस्य तत्रत्यदुःखविशेषे लक्षणया पूर्वपरमङ्गतिर्धेयेत्यस्मिन्निवृत्तिः ।

यद्यपि प्राचीनों के 'आधि ( मनोव्यथा ) और व्याधि ( रोग ) से उत्पन्न होने वाला  
बल का अपचय ग्लानि है इस लक्षण-वाक्य में जो अपचय पद आया है, उससे  
बल का नाश ही प्रतीत होता है तथापि पूर्वोक्त अनुपपत्ति के कारण बल के नाश से  
उत्पन्न होने वाला दुःख ही यहाँ 'बलापचय' पद से वक्षा का विवक्षित है, ऐसी व्याख्या  
करनी चाहिये ।

दैन्यं निरूपयति—

दुःख-दारिद्र्या-पराधादिजनितः स्वापकर्षभाषणादिहेतुवित्त-  
वृत्तिविशेषो दैन्यम् ।



दुःखादिजन्य स्वापकर्षभाषणादिजनकश्चित्तवृत्तिविशेषो दैन्यमित्यर्थः ।

अब 'दैन्य-भाव' का निरूपण करते हैं—'दुःख' इत्यादि । किसी प्रकार के दुःख दरिद्रता तथा अपराध आदि कारणों से उत्पन्न होकर जो चित्तवृत्ति अपने आप के विषय में हीन शब्द-पयोग आदि का कारण होती है, उसी चित्तवृत्ति को 'दैन्य' कहते हैं ।

उदाहरति—

उदाहरणम्—

वैदेहीं विवास्य रामचन्द्रोऽनुत्पति—

'हतकेन मया वनान्तरे, वनजाक्षी सहसा विवासिता ।

अधुना मम कुत्र सा सती, पतितस्येव परा सरस्वती ॥'

हतकेन हतभाग्येन विनष्टौचित्तीविचारेण वा, मया रामेण, सहसा सपदि ( अविचार्यैव वनान्तरे काननमध्ये, विवासिता निर्वासिता, वनजाक्षी नलिननयना ( कोमलाङ्गतया स्वप्रतिकर्तुमक्षमा ) सती पतिव्रता ( कथमपि पत्यन्तरानङ्गीकारिणी ) सीता, अधुना सम्प्रति पतितस्य पातित्यप्रयोजकपापाचरणाद् भ्रष्टस्य द्विजस्य, परा स्मृत्यादिसकलशास्त्रमूलत्वात् सर्वोत्कृष्टा, सरस्वती श्रुतिवाणीव, मम साऽनुभूतपूर्वा, कुत्र ? क्व ? मिलिष्यतीत्यर्थः ।

उदाहरण लीजिये—'हतकेन ' इत्यादि । हत-भाग्य होने से मैंने पहले जिस कमल-नयनी ( सीता ) को वन में निर्वासित कर दिया, पतित पुरुष को वेद-वाणी की तरह, वह पतिव्रता अब मुझे कहां मिल सकती है ?

प्रकरणादि दर्शयति—

सीतां परित्यक्तवतो भगवतः श्रीरामचन्द्रस्येयमुक्तिः । अत्र सीतापरित्यागरूपोऽपराधस्तज्जन्यं दुःखं वा विभावः, पतितसान्ध्यरूप-स्वापकर्षभाषणमनुभावः ।

तज्जन्यमपराधसमुद्भूतम् । अपराधदुःखयोर्विभावत्वे विकल्पस्य बीजं विनिगमनाविरह

सीता को वन में निर्वासित कर देने के बाद भगवान् रामचन्द्र की यह अनुत्तापोक्ति है । यहा सीता का परित्याग अथवा परित्याग-जन्य दुःख विभाव है और अपने विषय में 'पतित के समान' यह हीन कथन अनुभाव है, जिससे 'दैन्य व्यक्त होता है ।

प्राचीनसम्मत्या स्वोक्तिं द्रढयति—

यदाहुः—

'चित्तौत्सुक्यान्मनस्तापाद् दौर्गत्याच्च विभावतः ।

अनुभावात्तु शिरसोऽभ्यावृत्तेर्गात्रगौरवात् ॥

देहोपस्करणत्यागाद् दैन्य भावं विभावयेत् ॥' इति ।

'दौर्गत्यादेरनौजस्य दैन्य मलिनताऽदिकृत् ॥' इति च ।

दौर्गत्यं दारिद्र्यम् । शिरसोऽभ्यावृत्ति पुन पुनर्घूर्णनम् । गात्राणामज्ञाना गौरवगुरुत्वं मन्दसञ्चारत्वम् । देहस्योपस्करण प्रसाधनम् । विभावन ज्ञानम् । अनौजस्यमोजोहीनता । मनस्तापादिजन्य शिरोऽभ्यावृत्त्यादिजनकं चित्तवृत्तिविशेष दैन्य जानीयादित्यर्थः ।

दैन्य भाव के विषय में प्राचीनों ने भी लिखा है कि 'चित्त की उत्सुकता, मानसिकता और दरिद्रता इन विभावों से तथा शिर का चार-चार हिलाना, शारीरिक-प्रसाधनों का परित्याग और अङ्गों के भारीपन इन अनुभावों से 'दैन्य भाव' को पहचानना चाहिये और यह भी लिखा है कि-दुर्गति आदि के कारण जो ओजस्विता नष्ट हो जाती है—उसका कारण ही जाता है, उसी का नाम 'दैन्य' है । वह मालिन्य आदि का जनक होता है ।

इहोपमालङ्कारस्य दैन्यभावोपकारकत्वं प्रतिपादयति—

अत्र हतकेन मया विवासिता, न तु विधिनेत्यस्यार्थस्य पतितोपमयैव परिपोषः, न तु शूद्राद्युपमया, यत् शूद्रस्य जात्यैव श्रुतिदौर्लभ्यं विधिना कृतम्, पतितस्य तु ब्राह्मणादेर्विधिना श्रुतिसुलभत्वे स्वभावेन कृतेऽपि, तेनैव तथाविध पापमाचरता स्वतः श्रुतिदूरीकृतेति तस्य पतितेन साम्यम्, तस्याश्च श्रुत्येत्युपमालङ्कारो दैन्यमेवालङ्करोते ।

‘सर्वं वाक्यं सावधारण भवतीति सिद्धान्तेन मयेति कथनात् तु विधिनेत्यस्य प्रतीति । शूद्रोपमया ‘शुपलस्येव’ इति पाठकलग्नलभ्यया । जात्यैव शूद्रत्वेनैव जन्मनैव वा ‘न स्त्री-शूद्रौ वेदमधीयीयाताम्’ इत्यादिश्रवणात् । स्वभावेन निसर्गेण जात्या जन्मना वा । तेन ब्राह्मणादिना । तथाविधं पातित्यप्रयोजकम् । तस्य रामस्य । तस्या सीताया । यथा पतितो द्विजो जन्मना सुलभामपि श्रुतिं पातकाचरणात् स्वयं दूरीकरोति, तथैव जात्या सुलभामपि सीतामहं स्वाविवेकाद् दूरीकृतवानितिवादिनि रामे पतितद्विजसादृश्यमेवोचितम्, न तु शूद्रसादृश्यम्, शूद्रस्य जात्या श्रुतिसुलभताया असम्भवात् । तथा च रामे पतितसादृश्य सीताया च श्रुतिसादृश्यमेवोपमालङ्कारोऽत्र वाच्यो व्यङ्ग्य स्वापकर्षभाषणजनकं दैन्यमुपस्करोति न तूपमास्मृतिर्ना प्रधानीभवतीति न गुणीभूतव्यङ्ग्यत्वसन्देह इति सारम् ।

यहां हतभाग्य मैं ने सीता को निकाल दिया है—‘न कि विधाता ने’—इस अर्थ की पुष्टि ‘पतित’ की उपमा से ही होती है, शूद्रादिक की उपमा से नहीं, क्योंकि शूद्रादिक के लिये तो विधाता ने शूद्र-जाति में जन्म देकर ही श्रुति (वेद) दुर्लभ कर दी है (‘न स्त्री-शूद्रौ वेदमधीयीयाताम्’ अर्थात् स्त्री और शूद्र वेद न पढ़ें, यह शास्त्रीयवचन उक्त कथन का मूल है) परन्तु ब्राह्मणादिक जो पतित हो जाते हैं, उनके लिये तो विधाता ने स्वभावतः श्रुति सुलभ कर दी थी—अर्थात् ब्राह्मणादि उच्च कुल में जन्म देकर वेद पढ़ने का अधिकार दे दिया था पर उन्होंने वैसा पाप करके स्वयं श्रुति को दूर कर दिया अर्थात् वे स्वयं पतित बनकर वेद पढ़ने के अधिकार से वञ्चित हो गये । इसलिये रामचन्द्र की पतित से समानता और सीता की श्रुति से समानता, यह जो वाच्य उपमा अलङ्कार है, वह दैन्य भाव को ही अलङ्कृत करता है अर्थात् उपमा अलङ्कार यह दैन्य का पोषक है—अङ्ग है । अतः यहां ‘उपमा अलङ्कार ही प्रधान है’ इस तरह की शङ्का का अवसर नहीं है ।

दैन्योपकारकत्रय दर्शयति—

तथा मयेति सेति चोपादानलक्षणाभूलध्वनिभ्यां कृतघ्नत्वकृतज्ञात्व-निर्दयत्व-दयावतीत्वाद्यनेकधर्मप्रकाशनद्वारा तदेव परिपोष्यते, सेति स्मृत्या च लेशतः प्रतीयमानया ।

अत्र मयेत्यस्मच्छब्दस्य कृतघ्नत्व-निर्दयत्वादिधर्मविशिष्टत्वाद्यर्थे, सेतितच्छब्दस्य च कृतज्ञात्व-दयावतीत्वादिधर्मविशिष्टत्वाद्यर्थे च, तत्तदतिशयबोधनरूपप्रयोजनवत्या स्वार्थस्याप्युपादानादुपादानलक्षणाया सत्त्वान् प्रतीयमानोऽर्थोऽपि दैन्यमुपस्करोति, तथा पूर्वानुभूतार्थकेन सेतितच्छब्देन परिपोषकतामप्राप्तिरहितान् सूक्ष्मतया प्रतीयमाना स्मृतिरपि दैन्यमेवोपस्करोतीति सारम् ।

‘एतकेन इत्यादि श्लोक में ‘मया’ और ‘सा’ इन दोनों पदों में प्रयोजनमूला उपादान लक्षणा है, जिससे ‘मया’ का ‘जिसे उसने अत्यन्त कष्टावस्था में भी नहीं छोड़ा, उस मैंने’ यह और ‘सा’ का ‘बन-बास की सहचरी उसे’ यह वाच्यार्थ-भिहित लक्ष्यार्थ

होता है, जिससे राम की कृतघ्नता तथा निर्दयता एवं सीता की कृतज्ञता तथा दया लुता आदि अनेक धर्म ध्वनित होकर दैन्य भाव को ही पुष्ट करते हैं। इसी तरह अनुभू तार्थक 'सा' इस तत्पद से जो स्मृति की थोड़ी सी (प्रचुर सामग्री के अभाव से पुष्ट नहीं) प्रतीति होती है, उससे भी दैन्य-भाव की ही पुष्टि होती है। अतः यहाँ दैन्यभाव ही प्रधान व्यङ्ग्य रहा। कृतघ्नता आदि गुणीभूत रहे। इसलिये यह पद्य दैन्य-भाव-ध्वनि का उदाहरण हुआ।

चिन्ता निरूपयति—

इष्टाप्राप्त्यनिष्टप्राप्त्यादिजनितो ध्यानापरपर्यायो वैवर्ण्य-भूलेखना-  
धोमुखत्वादिहेतुश्चित्तवृत्तिविशेषश्चिन्ता ।

इष्टस्याप्राप्तिरनिष्टस्य च प्राप्तिश्चिन्ताया कारणम् । ध्यानमपरपर्यायो यस्य सः । भूलेखनमधोमुखत्वं च चिन्तयाः कार्यम् । अस्याः कम्पाद्यजनकतया शङ्कतो भेदः । चित्त-  
वृत्तिविशेषस्य विशेष्यतया विशेषणपदाना पुंस्त्वमेवोचितमिति पाठः परिवर्तितः ।

अब 'चिन्ता-भाव' का निरूपण करते हैं—'इष्टा' इत्यादि । अभिलषित वस्तु का प्राप्त न होना और अनभिलषित वस्तु का प्राप्त हो जाना आदि कारणों से उत्पन्न होने वाली तथा विवर्णता, भूमिका लिखना और मुख का नीचा हो जाना आदि अनुभावों को उत्पन्न करने वाली एक तरह की चित्तवृत्ति को 'चिन्ता-भाव' कहते हैं। इसी चिन्तात्मक चित्तवृत्ति को 'ध्यान' भी कहते हैं।

प्राचीनसम्मतिं दर्शयति—

यदाहुः—

'विभाषा यत्र दारिद्र्यमैश्वर्यभ्रंशन तथा ।

इष्टार्थापहृतिः शश्वच्छ्वासोच्छ्वासावधोमुखम् ॥

सन्तापः स्मरणं चैव कार्श्यं देहानुपस्कृतिः ।

अधृत्तिश्चानुभावाः स्युः, सा चिन्ता परिकीर्त्तिता ॥ इति ।

वितर्कोऽस्याः क्षणे पूर्वं पाश्चात्ये वोपजायते ।' इति ।

'ध्यान चिन्ता द्वितानाप्तेः सन्तापादिकरी मता ।' इति च ।

दारिद्र्यैश्वर्यभ्रंशनयो पृथगुपादानाद्दारिद्र्यं जन्मसिद्धमैश्वर्यभ्रंशनं च पश्चाद् भूतमव-  
सेयम् । स्मरणं नष्टार्थानाम् । वितर्को भावो वक्ष्यमाणलक्षणः । अस्याश्चिन्तायाः । पूर्वं  
क्षणे पाश्चात्ये परस्मिन् क्षणे वा ।

प्राचीनों ने भी 'चिन्ता' की परिभाषा इसी तरह की-की है। जैसे—'विभाषा' इत्यादि-  
अर्थात् जिस चित्त-वृत्ति में दारिद्र्यता, ऐश्वर्य (राज्य आदि) से च्युत हो जाना और इष्ट  
वस्तु का अपहरण विभाव (उत्पादक कारण) हों, और वार-वार श्वास तथा उच्छ्वास,  
नीचा मुख, सन्ताप, स्मरण, कृशता देह को परिष्कृत न करना और धैर्य का अभाव ये  
अनुभाव (उत्पाद्य कार्य) हों, उसे 'चिन्ता' कहते हैं। इसके पहिले अथवा पिछले  
क्षण में वितर्क (जिसकी परिभाषा आगे की जायगी) उत्पन्न हुआ करता है। कुछ लोगों  
ने ऐसा भी कहा है कि—'हितवस्तु की अप्राप्ति से जो ध्यान (विचार-परम्परा) होता है,  
उसका नाम 'चिन्ता' है, वह सन्ताप अदिका उत्पादक होती है।

उदाहरति—

उदाहरणम्—

नायिकामवलोक्य नायकं चिन्तयति—

'अधरद्युतिरस्तपल्लवा, मुखशोभा शशिकान्तिलङ्घिनी ।

अकृतप्रतिमा तनुः कृता, विधिना कस्य कृते मृगीदृशः ॥'

मृगदृशो नायिकाया', अस्त' कान्त्या निर्जित' पल्लव' किसलयं यया तादृशी, अधरस्य द्युति, शशिनध्वन्द्रस्य कान्ते' सुपमाया लङ्घिनी विजयिनी मुखस्य शोभा श्री', अकृताऽ-विहिता प्रतिना तुल्याकृतिर्यस्यास्तादृशी तनुश्च, कस्य धन्यस्य यून' कृते प्रयोजनाय, विधिना विद्यात्रा कृता रचिताऽभूदित्यर्थ' ।

उदाहरण देखिये । किसी सुन्दरी को देख कर कोई नायक अपने मन में सोचता है कि—विधाता ने किस ( धन्य युवक ) के लिये इस मृगनयनी नायिका के, अधर—कान्ति को, पल्लवों को जीतनेवाली, मुख—शोभा को चन्द्र—कला को मात देने वाली और शरीर को अमृत—प्रतिम—सदृश—द्वितीय रहित—अर्थात् अनुपम, बनाया ।

विभावादि प्रतिपादयति—

अत्र तदप्राप्तिर्विभावः, अनुतापादय आक्षेप्या अनुभावाः ।

तस्या पूर्ववर्णितनायिकाया अप्राप्तिश्चिन्ताया कारणतया विभाव', अनुतापशश्वच्छ्वासो-च्छ्वासप्रभृतयश्च शब्दानुक्तत्वेऽपि कार्यतया गम्यमाना अनुभावा अत्र सन्तीत्यर्थ' ।

यहां नायिका की अप्राप्ति विभाव है और आक्षेप के द्वारा ज्ञात होने वाले अनुताप आदि अनुभाव हैं ।

श्रौच्छुक्त्वध्वनिमत्राशङ्क्य निराकरोति—

न चात्रौत्सुक्यध्वनिरिति वाच्यम्, 'कस्य कृते' इत्यनिर्धारितधर्म्यात्मबनाया-श्चिन्ताया एव प्रतीयमानतया सतोऽप्यौत्सुक्यस्यैतद्वाक्येन प्राधान्येनाबोधनात् ।

इह नायिकाया अप्राप्तत्वात्तत्प्राप्तिविषयकोत्कटेच्छारूपस्वैवौत्सुक्यस्य प्राधान्येन व्यञ्जनात्तदध्वनित्वमेवेति पूर्वपक्षस्य—'कस्य कृते' इत्यनेन 'क' खलु युवा धन्य' इत्यादिवत्, अनिर्धारितमनिश्चित भोक्तारं धर्मिण विषयतयाऽऽलम्बमानायाश्चिन्ताया एवात्र प्रथम प्राधान्येन प्रतीते, श्रौत्सुक्यस्य तु पक्षाद्गौणतया च प्रतीतेर्न तद्वनित्वमिति समाधानम् ।

नायिका की अप्राप्ति से उसकी प्राप्ति के विषय में होने वाली उत्कट इच्छारूप 'औरसुक्य-भाव' ही यहा प्रधानतया ध्वनित होता है, ऐसी शङ्का नहीं करनी चाहिये, क्योंकि 'कस्य कृते—अर्थात् किसके लिये' इस वाक्य—खण्ड से किसी अनिश्चित पुरुष के विषय में होने वाली चिन्ता ही ध्वनि होती है, अतः यद्यपि वक्ता में उस नायिका के लिये उत्सुकता है अवश्य, तथापि वह इस वाक्य से प्रधानतया नहीं बोधित होती । तात्पर्य यह है कि यदि उक्त पद्य में 'कस्य कृते ...' इत्यादि अशको हटा कर उसकी जगह 'धन्यजनस्य हेतवे' इस तरह से रचना की गई होती, तब उत्सुकता ही प्रधानतया ध्वनित होती, परन्तु उस पदके रहने पर तो चिन्ता ही प्रधानरूप से व्यक्त होती है, पीछे यदि उत्सुकता भी गौणरूप से व्यक्त होगी, तो होती रहे, वह ध्वनि काध्य—व्यवहार का कारण नहीं हो सकती । फलतः यहा 'चिन्ता—भाव—ध्वनि का ही व्यवहार होना उचित है ।

मदं निरूपयति—

मन्त्राद्युपयोगजन्मा, उल्लासाख्यः, शयनहसितादिहेतुश्चित्तवृत्ति-विशेषो मदः ।

उपयोग सेवनम् । उल्लासाख्य उल्लासापरपर्याय ।

सब 'मद—भाव' का निरूपण करते हैं—'मन्त्राद्यु' होने वाली और शयन—रोदन आदि अनुभावों को एक चित्त—वृत्ति है, उसको 'मद' कहते हैं ।

मदं उत्पन्न  
५ जो

लक्षणो प्राचीनसम्मतिं दर्शयति—

यदाहुः—

‘सम्मोहानन्दसन्दोहो मदो मद्योपयोगजः । इति ।

व्यामोहात्मन सम्मोहस्यानन्दस्यसन्दोह समवाय सम्भेदो वा मदस्तत्रोभयोरनुभवात्  
जैसा कि प्राचीनों ने भी कहा है—‘सम्मोहा ’ इत्यादि, अर्थात् मद्य के सेवन  
उत्पन्न होने वाले, सम्मोह और आनन्द के मिश्रण का नाम मद है ।

प्रकृतिभेदेनानुभावभेदं प्रतिपादयति—

तत्रोत्तमे पुरुषे स्वापोऽनुभावः । मध्यमे हसितगाने । नीचे तु रोद  
परुषोक्त्यादि ।

एतत्—‘अमुना चोत्तम’ शेते, मध्यो हसति गायति । अधमप्रकृतिश्चापि परुषं वा  
रोदिति ।’ इति दर्पणानुकूलमपि, ‘उत्तमसत्त्व प्रहसति, गायति तद्वच्च मध्यमप्रकृति’  
परुषवचनाभिधायी शेते रोदित्यधमसत्त्व ।’ इति प्रदीपस्य तु प्रतिकूलमेवेति ज्ञेयम् ।

मदके उत्पन्न होने पर उसका अनुभाव ( कार्य ) उत्तम पुरुष में स्वाप होता है—अर्थात्  
मद ( नशा ) से उत्तम पुरुष सो जाता है, मध्यम कोटि का पुरुष हँसता और गाता  
और नीचे पुरुष रोता तथा गाली गलौज बकता है । यद्यपि यह कथन ‘काव्य-प्रदीप’  
उत्तमसत्त्वः प्रहसति, गायति तद्वच्च मध्यमप्रकृतिः । परुष-वचनाभिधायी शेते रोदित्य  
धमसत्त्वः ॥ अर्थात् मद के कारण उत्तम-स्वभाव वाला पुरुष हँसता है, मध्यम-स्वभा  
वाला पुरुष गाता है और अधम-स्वभाव वाला पुरुष गालियाँ देता है, सोता है और रो  
ता है । इस वचन से विरुद्ध है, तथापि अनुभव ‘रसगङ्गाधरकार’ के ही मत में साची हो  
ती है, और ‘दर्पणकार’ भी इन्हीं के मत में सम्मति दिये हैं, क्योंकि उन्होंने लिखा है—  
‘अमुना चोत्तमः शेते मध्यो हसति गायति । अधमप्रकृतिश्चापि परुष वक्ति रोदिति ॥ अ  
इसका वही है, जो रसगङ्गाधरकार के कथन का है ।

मद त्रिधाविभज्य तत्तत्स्वरूपं दर्शयति—

अयं च मदस्त्रिविधः—तरुणमध्यमाधमभेदात् । अव्यक्तासङ्गतवाक्यैः सु  
मारस्खलद्रत्या च योऽभिनीयते, स आद्यः । भुजाक्षेप-स्खलित-घूर्णितादिभिः  
मध्यमः । गतिभङ्ग-स्मृतिनाश-हिक्का-च्छर्द्यादिभिरधमः ।

अव्यक्तैरस्फुटाक्षरैरसङ्गतैरसम्बद्धार्थकैश्च वाक्यैः । सुकुमाराऽनुद्धता स्खलन्ती मध्ये  
मध्ये नुद्यन्ती चासौ गति सुकुमारस्खलद्रति, तथा । योऽभिनीयत इत्यस्याग्रिमवाक्य  
द्वयेऽपि सम्बन्ध । हिक्का ‘हिचकी’ इति भाषाया प्रसिद्धा । छर्दिर्वमनम् ।

इस मद के तीन भेद हैं—तरुण, मध्यम और अधम । उनमें से जिसका अभिन  
( प्रदर्शन ) अस्फुट अक्षर वाले और असम्बद्ध अर्थ वाले वाक्यों, तथा अस्यन्त मृदु  
एव फिमलनी हुई चाल से किया जाता है, वह तरुण-मद कहलाता है । जिसका अभि  
नय वाहुओं के हथर-ठथर फेकने, फिसल पड़ने और घूमने आदि से किया जाता है, वह  
मध्यम-मद कहलाता है । इसी तरह जिसका अभिनय गति के रक जने, स्मृति के न  
हो जाने और हिचकी तथा वमन आदि से किया जाता है, वह अधम मद होता है ।

मध्यमपुरुषगत तरुणमदमुदाहरति—

उदाहरणम्—

मत्तवृत्त वर्णयति—

‘मधुरतरं स्मयमान, स्वस्मिन्नेवालपञ्चानैः किमपि ।  
कोकनदयस्त्रिलाकी-मालम्बनशून्यमीक्षते क्षीबः ॥’

शंखोन्नतं, नशुरतरानिमुन्दर स्तयमान ईपद्रसत्, स्वस्मिन्नेवान्गतमेव, त्रिभुज-  
मन्दद्रुम्, शनैर्मन्दमव्यक्तम्, आलम् प्रलयम्, तथा परितो विलोकनेन नदात्तलाचनदवा  
त्रिलोकी लंकरणं, क्रोडनदयत् रसान्दुजवदरपीडुर्वत्, आलम्बद्वयं निर्लक्ष्यं यथास्त्यत्  
त्येकमे पञ्चतोम्यर्थ ।

ददाहरण देविने । किमी नरो वाज का वर्गन हे कि—मदमत्त ननुष्य अत्यन्त सुन्दर  
नरीके मे मन्द-मन्द हँसता हुआ और अपने आप से धीरे-धीरे कुछ बातें सा करता हुआ,  
तथा मद के कारण अरुण नयन-कान्ति मे त्रिलोकी को रक्त कमल सी बनाता हुआ शून्य  
की ओर देख रहा है—ज्यात् उमके देखने का कोई लज्ज नहीं है ।

विभावानुभावाँ दर्शयति—

अत्र नादकद्रव्यमेव नं विभाव'. अव्यक्तालापाद्यनुभाव' ।

नादकद्रव्याणा मैत्रैयविजयातीना न्चेन पानम् ।

यहां नादक पदार्थ का सेवन विभाव है और अस्फुट बोलना आदि अनुभाव हैं ।

इह स्वभावोक्त्यलङ्कार प्राधान्यमाशङ्क्य निरस्यति—

अत्र मत्तस्वभाववर्णनस्य तन्निष्ठमद्वयव्यञ्जनार्थत्वान्मदभाव एव प्रधानमिति  
न स्वभावोक्त्यलङ्कारस्य प्राधान्यम्. अपि तु तद्धन्युपस्कारकत्वमेव ।

'स्वभावोक्तिस्तु हिन्मादे स्वक्रिया-रूपवर्णनम्' इत्युल्लङ्घनस्य स्वभावोक्त्यलङ्कारस्य,  
शंखनात्रवृत्तिव्यापारवर्णनादिह प्राधान्यमिति शङ्काया —नन्वभाववर्णनमत्र मत्तनिष्ठमद-  
भावस्य व्यञ्जनार्थमेव कृतमिति स्वभाववर्णनस्य मदभावधनेत्यकारकत्वमेव, न तु प्राधान्य  
मित्युत्तरम् बोध्यम् ।

यहां मत्त-पुरुष के स्वभाव-वर्णन होने के कारण 'स्वभावोक्ति' अलङ्कार की प्रधानता  
है, ऐसी शङ्का नहीं करनी चाहिये, क्योंकि मत्त-स्वभाव का वर्णन यहां केवल उमके मद  
को अभिव्यक्त करने के लिये किया गया है, अतः ध्वनि होने वाला 'मदभाव' ही प्रधान  
और वाच्यस्वभावोक्ति अलङ्कार उमका पोषक है ।

ननु तथापि नेह मदध्वनि सम्भवति, प्राधान्येन व्यञ्ज्यमानस्यापि मदस्य नदात्कन्दि-  
तनत्यर्थकेन क्षीयवदेनाभिप्रायाऽपि बोधनात्, 'क्रयनापि वाच्यवृत्त्यनाल्लिङ्गितस्यैव व्यङ्ग्यस्य  
चमत्कारत्वं' इति प्राक् प्रतिपादनात्, अतः स्वभावोक्त्यलङ्कार एव चमत्कारितया प्रधानं,  
न तु मदभाव इत्यस्चेददाहरणान्तरं दर्शयति—

इदं वा पुनरुदाहरणम्—

मत्त प्रिय ब्रूते—

'मधुरसान्मधुरं हि तयाधरं. तरुणि ! मद्रुने विनिवेशय ।

मम गृहाण करेण करान्जुज पपपतामि हहा । ममभूतले ॥

हे तरुणि ' यतस्त्वव श्रवरो मधुरसादपि मधुरोऽस्ति, अतस्त्वं मद्रुने विनिवेशय,  
त्रिं यत् —हहा हा । हन्त' ममभूतले भूतले, पपपतामि पतामि, अतः करेण मम करान्जुजं  
गृहाण ममालम्बस्त्वेत्यर्थ ।

यहाँ यह कहा जा सकता है कि यद्यपि व्यञ्ज्यमान मद स्वभावोक्ति अलङ्कार मे प्रधान  
है, तथापि मद-ध्वनि नहीं कही जा सकती, क्योंकि 'हीन' शब्द का अर्थ 'मत्त' है, अतः  
उमके विशेषण रूप मे मद भी जा जाता है, और पहले यह सिद्धान्त मन्-ध्वनि मे  
स्वीकृत हो चुका है कि 'किमी भी प्रकार मे जिनमे वाच्य-वृत्ति  
वही—  
व्यङ्ग्य चमत्कारी होता है', फिर तो अगत्या वाच्य स्वभावोक्ति

ही उक्त पद्य को काव्य मानना पड़ेगा, अर्थात् यह पद्य 'मद-भाव-ध्वनि' का उदाहरण नहीं होगा, इसी अभिप्राय से दूसरा उदाहरण दिखलाते हैं—'इदं वा उदाहरणम्—अथवा, यह उदाहरण लीजिये । मत्त नायक अपनी प्रेयसी से कहता कि—हे तरुणि ! मधु के रस से भी अधिक मधुर अपने अधर को मेरे मुख में रख दे और मेरे कर-कमल को अपने हाथ से पकड़ ले, देख तो, ज-ज-जमीन पर गि-गि-गिरता जा रहा हूँ ।

उपपादयति—

अत्रापि स एव विभावः, अधिकवर्णोच्चारणादिरनुभावः । पूर्वार्धगता प्राम्योक्तिः, उत्तरार्धे च तरुणीकरेऽम्बुजोपमेयतया निरूपणीये, स्वकरस्य तदुपमेयतया निरूपणं च, मदमेव पोषयतः ।

स एव मादकद्रव्यसेवनरूप एव । अधिकवर्णोच्चारणं चतुर्थचरणे । आदिपदेन प्रथम-तृतीयचरणरसज्ञतार्थकालापग्रहणम् । प्राम्योक्तिद्वितीयचरणे—'अधरं मद्दने विनिवेश्य' इति प्राम्यजनवदुक्तिः, तृतीयचरणे तरुणीकरस्य समुचितं कमलोपमेयत्वेन प्रतिपादनं विहाय स्वकरस्यैव तथा कथनमित्यसङ्गतिश्चोमे सम्भूय मदस्यैवोपकारिके इति मदध्वनिरिह ज्ञेयः ।

यहाँ भी वही ( मादक-द्रव्य-सेवन ही ) विभाव है और अधिक वर्णों का उच्चारण आदि अनुभाव है । पूर्वार्ध का प्राम्य ( मेरे मुख में अपने अधर को धर दे, यह ) वचन और उत्तरार्ध में स्त्री के हाथों को कमल की उपमा देने की जगह अपने हाथ को उसकी उपमा देना भी 'मद-ध्वनि' को ही पुष्ट करते हैं ।

श्रमं निरूपयति—

बहुतरशारीरव्यापारजन्मा निश्श्वासा-ङ्गसम्मर्द-निद्रादिकारणी-भूतः खेदविशेषः श्रमः ।

शारीरव्यापारो घूरगमन-बहुभारवहनादि श्रमस्य कारणतया विभावः, निश्श्वासा-दयश्च कार्यतयाऽनुभावा । खेदो दुःखामिन्नश्चित्तवृत्तिविशेष एव ।

अब 'श्रम-भाव' का निरूपण करते हैं—'बहुतर' इत्यादि । खेद नामक उस चित्त-वृत्ति विशेष को 'श्रम' कहते हैं, जो अत्यधिक शारीरिक कार्य करने से उत्पन्न होता है और निश्श्वास, अङ्गदाई तथा निद्रा आदि अनुभावों की उत्पत्ति में कारण होता है ।

प्राचीनसम्मर्ति दर्शयति—

यदाहुः—

'अध्व-व्यायाम-सेवाद्यैर्विभावैरनुभावकैः ।

गात्रसंवाहनै-रास्यसङ्कोचै-रङ्गमोटनैः ।

निश्श्वासैर्जम्भितैर्मन्दैः पादोत्क्षेपैः श्रमो मतः ।' इति ।

'श्रमः खेदोऽध्वगत्यादेर्निद्राश्वासादिकृन्मतः ।' इति च ।

अध्वा च व्यायामश्च सेवा चाद्या येषां तैर्विभावैः, गात्रसंवाहनादिभिरनुभावैश्च श्रमो ज्ञेयः । अध्वपदं तत्र गमनपरम् । संवाहनं श्रमापनयनाय पीडनमर्दनादि । अङ्गानां मोटनं तदर्थं नमनम् ।

जैसा कि प्राचीनों ने भी कहा है—'अध्व-व्यायाम' इत्यादि-अर्थात् मार्ग-गमन, व्यायाम-करण और सेवन आदि विभावों से तथा शरीर दबवाना, मुख का सिकुड़ जाना, अङ्गदाई लेना, निश्वास स्वीचना, जम्भा का छाना-हून सद्य अनुभावों से श्रम का ज्ञान होता है । कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा है कि—'श्रम खेदो.....' इत्यादि-अर्थात्

मार्ग-नामन आदि से उत्पन्न होने वाले और निद्रा तथा निश्वास आदि को उत्पन्न करने वाले खेद को श्रम कहते हैं ।

श्रमग्लान्योर्भेदमाचष्टे—

अयं च सत्यपि बले जायते, शारीरव्यापारादेव जायते न तु ग्लानिः, अतो ग्लानेः श्रमस्य च भेदः ।

ग्लानेराधिव्याधिजन्यबलहानिजन्यत्वात्, श्रमस्य च बलसद्भावेऽपि शारीरविपुलव्यापारजन्यत्वान्मियो वैलक्षण्यमिति सारम् ।

श्रम और ग्लानि में परस्पर यह भेद है कि श्रम बल के रहने पर भी अत्यधिक शारीरिक व्यापार करने से उत्पन्न होता है और ग्लानि-आधि व्याधि आदि से बल की हानि होने पर ही उत्पन्न होती है ।

उदाहरति—

उदाहरणम्—

नायको विपरीतसुरतवृत्तं सखाय कथयति—

‘विधाय सा मद्बदनानुकूलं, कपोलमूल हृदये शयाना ।

चिराय चित्ते लिखितेव तन्वी, न स्पन्दितुं मन्दमपि क्षमाऽऽसीत् ॥’

सा तन्वी, कपोलस्य मूलं मद्बदनानुकूलं तदीयमुखसंयोगयोग्यं विधाय, हृदये ममोरसि शयाना सती ( श्रमेण ) चित्रे लिखिता इव, मन्दमोषदपि स्पन्दितु चलितु क्षमा समर्था नासीदित्यर्थः ।

अब ‘श्रम-भाव’ का उदाहरण देखिये :—नायक अपने मित्र को विपरीत-रति के वाद की स्थिति कह रहा है कि—वह कृशाङ्गी अपने कपोल-मूल भाग को मेरे मुख के सामने करके मेरे वक्षस्थल पर सो गई और चित्रलिखित की तरह, बहुत देर तक, थोड़ी भी नहीं हिल सकी ।

विभावादिदर्शयति—

अत्र विपरीतसुरतरूपः शारीरव्यापारो विभावः, स्पन्दराहित्य-शयनादयोऽनुभावाः ।

स्फुटम् ।

यहाँ विपरीत-रति-रूप शारीरिक कार्य विभाव है और हिल न सकना, तथा सो जाना आदि अनुभाव हैं ।

इह निद्राध्वनित्वमाशङ्क्य निराकरोति—

न चात्र निद्राभावध्वननेन गतार्थतेति शङ्क्यम्, सुषुप्तौ हि ज्ञानराहित्येनैव यन्नराहित्यान्मन्दमपि स्पन्दितुं न क्षमाऽऽसीदित्यस्यानतिप्रयोजनकत्वापत्तेः, शीघ्राऽभिहिततया तस्या व्यङ्ग्यत्वानुपपत्तेश्च । श्रमे त्वानुगुण्यमुचितम् ।

चित्रलिखितत्वोपमया, व्यज्यमाना निद्रैवात्र प्रधानमिति निद्राध्वनिरैवात्र न तु श्रमध्वनिरिति पूर्वपक्ष — चित्रलिखितत्वदृष्टान्तेन सुषुप्तिरूपनिद्राया एव व्यपनात्, सुषुप्तेश्च ज्ञाननामान्यशून्यत्वादात्मातिरिक्तविषयकज्ञानशून्यत्वाद्वा यन्नराहित्ये सुखमवगन्तु योग्ये, यन्नराहित्यप्रतीत्यर्थं चतुर्थचरणोपादानस्य वैयर्थ्यं स्यात्, तस्य स्पष्टावगमार्थकत्वाङ्गीकारेऽपि, शयानेतिशीघ्रात्तुना निद्राया प्रकारतयाऽभिधाबोधत्वेन व्यङ्ग्यत्वाभावात् ध्वनित्व न स्यादिति नैव निद्राध्वनिरत्रेत्युत्तरपक्षश्च बोध्यः । श्रमे व्यपनोपकारकत्वमेवेति न दोष इत्याशयः ।



यदि 'श्रम-भाव' के लक्ष्य उक्त ( विधाय 'हृत्यादि ) श्लोक और अन्य भी इसी त के श्लोक ही हों, तब 'श्रम-भाव-ध्वनि' मानना व्यर्थ है, क्योंकि वह 'निद्रा-भाव-ध्वनि' में ही गतार्थ हो जायगा, जैसे 'विधाय' 'हृत्यादि' पद्य में 'चित्र-लिखित की तरह' उपमा से निद्रा-भाव ध्वनित होता है, यह शङ्का नहीं करनी चाहिये, क्योंकि यदि निद्राभाव को प्रधान व्यङ्ग्य मानेंगे, तब, 'थोड़ी भी नहीं हिल सक्ती' यह क निष्प्रयोजन हो जायगा, कारण यह कि निद्रावस्था में ज्ञान के नियमतः न होने से का न होना निश्चित ही है । यदि आप कहें कि निद्रा की बात से विदित होने वाले य राहित्य को और अधिक स्पष्ट करने के लिये यदि किसी शब्द से कह भी दिया ग तथापि निद्रा को व्यङ्ग्य मानने में कोई बाधा थोड़े ही होती है ? इस पर मैं कहता हूँ हूँ, भाइ ! उससे बाधा नहीं होती, ठीक है, पर शिष्ट धातु से जो निद्रा को वाच्य दिया गया, उससे तो उसके व्यङ्ग्य होने में बाधा जरूर होगी, क्योंकि वाच्य-वृत्ति अस्पष्ट अर्थ को ही व्यङ्ग्य माना जाता है । अतः यहाँ 'श्रम-भाव-ध्वनि' का स्वीकार उचित है और जब यहाँ 'श्रम-भाव' को प्रधान व्यङ्ग्य मान लेते हैं, तब उसके अनु होने के नाते निद्रा आदि का वाच्य रूप में वर्णन अनुकूल ही होता है ।

गर्व निरूपयति—

**रूप-धन-विद्यादिप्रयुक्तात्मोत्कर्षज्ञानाधीनपरावहेलनं गर्वः ।**

रूपादिप्रयोज्यो य आत्मन उत्कर्षस्तज्ज्ञानजन्यं यत्परेषामवहेलनं तिरस्कारात्मिकां चृत्तिं सैव गर्व । अवहेलनस्य भावत्वसम्पत्तये चित्तवृत्तिपर्यन्तानुधावनम् । तदुक्तम्—

'गर्वो मदः प्रभाव-धी-विद्या-सत्कुल-जन्मभि ।

अवज्ञा-सविलासाद्गदर्शना-विनयादिकृत् ॥' इति ।

अब 'गर्व-भाव' का निरूपण करते हैं—'रूपधन' इत्यादि । रूप, धन और विद्यादि के कारण अपने उत्कर्ष का ज्ञान होने से जो दूसरों की अवहेलना ( तिरस्कार ) करने का मनोभाव पैदा होता है, उसी मनोभाव ( अवहेलनात्मक चित्तवृत्ति ) 'गर्व' कहते हैं ।

उदाहरति—

उदाहरणम्—

विद्याप्राप्तितो प्रवीति—

'आमूलाद् रत्नसानोर्मलयवलयितादा च कूलात् पयोधे-

र्यावन्तः सन्ति काव्यप्रणयनपटवस्ते विशङ्कं वदन्तु ।

मृद्वीकामध्य-निर्यन्मसृणरसभूरीमाधुरीभाग्यमाजां,

वाचामाचार्यतायाः पदमनुभवितुं कोऽस्ति धन्यो मदन्त्यः ॥'

रत्नसानो सुमेरो 'सर्वेषामेव वर्षाणा मेरुत्तरत स्थित' इत्यभिधानाद् आमूलान्मूल-मभिव्याप्य, मलयेन चन्दनगिरिणा वलयिताद्वेष्टितात् पयोधेर्दक्षिणसमुद्रस्य, आकूलाच्च तटमभिव्याप्य च, यावन्त काव्यस्य प्रणयने निर्माणे पटवो निपुणा सन्ति, ते विशङ्कं निस्तन्देह यथास्यात्तया, मृद्वीकाना परिपक्वद्राक्षाणा मध्यात्, निर्यती निस्सरन्ती मसृणा घना च या रसस्य भूरी निर्भर ( प्रवाह ) तस्या माधुरी मधुरतैव सौभाग्य भजन्तीति तद्भाज, तादृशीनां वाचामाचार्यताया पदं प्रतिष्ठाम्, अनुभवितुमविगन्तुं मदन्त्य, धन्य पुण्यवान् कोऽस्तीति वदन्त्वित्यर्थ ।

उदाहरण देखिये । पण्डितराज की ही उक्ति है कि—सुमेरु पर्वत की तरहटी से लेकर मलयाचल से घिरे हुये समुद्र के तट तक, जितने काव्य-निर्माण में निपुण जन हैं, वे

निरशङ्क होकर कहें कि—दाखों के अन्दर से निकलती हुई चिकनी रस-धारा की मधुरता का भाग्य जिन्हें प्राप्त है—जो उसके ममान मधुर हैं, उन वचनों के आचार्य-पद का अनुभव करने के लिये मुझसे भिन्न कौन पुरुष धन्य है, यह सौभाग्य और किसी को प्राप्त हो सकता है ? तात्पर्य यह कि मुझ जैसा मधुर वचन बोलने वाला, सरस कविता करने वाला मैं ही हूँ, दूसरा नहीं ।

विभावानुभावौ दर्शयति—

अत्र स्वकीयकविताया अनन्यसाधारणताज्ञानं विभाव', पराधिक्षेपपरैसादृ-  
शवाक्यप्रयोगोऽनुभावः ।

अनन्यसाधारणताऽनुव्यता सर्वोच्छेतेति यावत् । पराधिक्षेपपरस्यान्यतिरस्कारतात्पर्य-  
वस्य, एतादृशस्य 'आमूला'दित्यादिरूपस्य ।

यहां अपनी कविताओं में सर्वोच्छेता का ज्ञान विभाव है और अन्य कवियों का तिर-  
स्कार करने के लिये इस तरह के वाक्य का प्रयोग करना अनुभाव है ।

इह प्रतीयमानासूयाया गर्वपोषकत्वमाह—

इमं चासूयाऽपि लेशतः पुष्णाति ।

अत्र वक्ष्यमाणलक्षणाऽसूया पराधिक्षेपेण किञ्चित् प्रतीयमानाऽपि सर्वस्योपकारि-  
तयाऽङ्गमेवेत्यर्थः ।

'आमूलात् ' इत्यादि पद्य में अभिव्यक्त होने वाले 'गर्व' को परतिरस्कार के द्वारा  
किञ्चित् प्रतीयमान असूया भी पुष्ट ही करती है अर्थात् असूयागर्व का अङ्ग ही हो सकती  
है, अङ्गी नहीं ।

वीररसध्वनि-गर्वध्वन्योर्भेद दर्शयति—

उत्साहप्रधानो गूढगर्वो हि वीररसध्वनिः, अयन्तु गर्वप्रधान इति तस्मादस्य  
विशेषः ।

वीररसध्वनादुत्साहस्य स्यायित्वेन प्राधान्यम्, गर्वस्य तु व्यभिचारितया कादाचित्क-  
त्वम्, गर्वध्वनौ उत्साहस्याप्रत्ययात् प्रत्ययेवाऽङ्गत्वात्तुर्वस्यैव प्राधान्यमित्युभयोर्भेद इत्यर्थः ।

वीर-रस की ध्वनि में उत्साह प्रधान रहता है, अत एव प्रकट भी, और गर्व गुप्त रहता  
है, अत एव अप्रधान भी, और गर्व-भाव-ध्वनि में गर्व ही प्रधान तथा प्रकट होता है,  
उत्साह की प्रतीति इसमें होती ही नहीं, यदि होती भी है तो गौणरूप से । यही वीर-रस-  
ध्वनि से गर्व-भाव-ध्वनि में विशेष भेद है ।

तदेवोपपादयति—

तथाहि—

वीररसप्रसङ्गे प्रागुदाहृते 'अपि वक्ति' इत्यादिपद्ये गीष्पतिना गिरामधिदेव-  
तयाऽपि साकमह वदिष्यामीति घचनेनाभिव्यक्तस्योत्साहस्य परिपोषकतया स्थितः  
सर्वेभ्यः परिणतेभ्योऽहर्माधक इति गर्व, न तु प्रकृतपद्य इव नास्त्येव महीतले  
मदन्य इति स्फुटोदितेन सोल्लुण्ठवचनेनानुभावेन प्राधान्येन प्रतीयमानः ।

पूर्वपाठानुरोधात् 'यदि वक्ति' इत्यत्र 'अपि वक्ति' इति पठितम् ।

'अपि वक्ति' इत्यादि प्रागुक्तपाण्डित्यवीरोदाहरणपद्ये गीष्पत्यादिनाऽपि ~~उक्त~~ कथा कति-  
प्यानीत्युक्त्या प्राधान्येनोत्साहो व्यङ्ग्य, ततश्च नवापेक्षयाऽहनुकृत  
त्वेनैव व्यज्यत इति वीररसध्वनि । 'आमूलात्' इत्यादिपद्ये तु  
सोत्प्राप्तोक्त्या प्राधान्येन गर्वस्यैव व्यङ्गनाद् गर्व इति वीररस

ऊपर जो वीररस और गर्वभाव की ध्वनियों में विशेष बतलाया गया है, उसी का अ उपपादन करते हैं—‘तथाहि’ इत्यादि से—अर्थात् वीर-रस के प्रसङ्ग में जो ‘अपि वक्तिगि पतिःस्वयम्’ यह उदाहरण दिया गया है, उसमें ‘बृहस्पति और वाग्देवी सरस्व के साथ भी मैं वाद् करूँगा’ इस कथन से जो उत्साह ध्वनित होता है, उसको ‘स पण्डितों से मैं अधिक हूँ’ इस रूप में ध्वनित होने वाला गर्व पुष्ट करता है, न कि ‘आ छात् ...’ इत्यादि पद्य की तरह ‘भूलोक में मुझ से भिन्न नहीं ही है’ इस प्रकार स वर्णित खिदाने वाले वचन रूप अनुभाव से प्रधानतया प्रतीत होता है ।

निद्रा निरूपयति—

### श्रमादिप्रयोज्यं चेतस्सम्मीलनं निद्रा ।

चेतस्सम्मीलनं पुरीतभाडीप्रवेशाभिरिन्द्रियप्रदेशावस्थानम् । तदुक्तम्—

‘चेतस्सम्मीलनं निद्रा श्रमकृममदादिजा ।

जृम्भाऽक्षिमीलनोच्छ्वास-गात्रभङ्गादिकारणम् ।’ इति ।

श्रमस्य तल्लक्षणौ निद्राजनकत्वेनोपादानात् प्रयोज्यत्वमिह जन्यत्वमेवावसेयम् । अ एवानुपद श्रमं निद्राया विभावं वक्ष्यति ।

अब ‘निद्रा-भाव’ का निरूपण करते हैं—‘श्रमादि’ इत्यादि । श्रम-आदि के कारण हो वाले चित्त-सम्मीलन अर्थात् पुरीतत् नामक नाड़ी से चित्त के प्रवेश को ‘निद्रा’ कहते हैं ।

‘श्रमादिविभावस्योक्तत्वादनुत्पाननुभावानेवाह—

नेत्रनिमीलन-गात्रनिष्क्रियत्वाद्योऽस्या अनुभावाः ।

अस्या निद्रायाः ।

आँखों का मुद्रित हो जाना, अङ्गों का निश्चेष्ट हो जाना आदि इसके अनुभाव हैं ।

उदाहरति—

उदाहरणम्—

‘नायको ब्रवीति—

‘सा मदागमनवृंहिततोषा, जागरेण गमिताखिलदोषा ।

बोधिताऽपि बुबुधे मधुपैर्न, प्रातराननजसौरभलुब्धैः ॥’

मदागमनेन प्रवासान्ममागमनेन वृंहितो वर्द्धितस्तोष आह्लादो यस्यास्तादृशी, तथा जागरेण विपुलालापविलासप्रयुक्तनिद्राऽभावेन गमितं यापितमखिलं समस्तं दोषा रात्रिर्यथा, तादृशी, प्रातः प्रभाते, आननजे मुखजन्ये सौरभे सुगन्धौ लुब्धैर्लोलुपैः, मधुपैर्भ्रमरैः, बोधिता जागरिताऽपि, सा, न बुबुधे नाचिचेतदित्यर्थ ।

उदाहरण देखिये । नायक किसी से कहता है कि—मेरे आगमन से उसकी प्रसन्नता बहुत बढ़ गई और उसने जग कर सम्पूर्ण रात बिता दी, प्रातःकाल में ( जब वह निद्रित हो गई थी ) मुख के सुवास के लोभी भ्रमरों से जगाने पर भी वह नहीं जग सकी ।

विभावानुभावौ ब्रूते—

रात्रिजागरणश्रमोऽत्र विभावः, मधुपैर्बोधामावोऽनुभावः । ५

यहा रात्रि-जागरण-जन्य श्रम विभाव है और भ्रमरों के जगाने पर भी न जगना अनुभाव है ।

भक्ति निरूपयति—

शास्त्रादिविचारजन्यमर्थनिर्द्धारणं मतिः ।

मात्राणां लोकवृत्तादीनां च विचारेणोत्पन्नमर्थस्य वस्तुनो निर्धारणं निर्णयरूपचित्तवृत्ति-  
वृत्तिरित्यर्थः । तदुच्यम्—

‘नीतिनार्गानुसृत्यादेरर्थनिर्धारणं नतिः ।

स्मेरतावृत्तिसन्तोषौ बहुमानश्च तद्भवा ॥’ इति ।

अथ ‘मति-भाव’ का लक्षण करते हैं—‘शालुदि’ इत्यादि । शास्त्र तथा लौकिक  
वृत्तान्तों के विचार से जो किसी वस्तु के विषय में निर्गवात्मक चित्त-वृत्ति उत्पन्न होती है  
उसे ‘मति कहते हैं ।

विभावस्य लक्षण एवोक्तवान् केवलाननुभावान् वक्ति—

अत्र निरशाङ्कतदर्धानुष्ठान-संशयोच्छेदाद्योऽनुभावाः ।

अत्र मती । तदर्थस्य निर्णीतार्थस्यानुष्ठानं विधानम् ।

निरशाङ्क होकर निर्णीत काम को करना और सन्देह का विनाश आदि इसमें ( मति  
में ) अनुभाव होते हैं ।

उदाहरति—

उदाहरणम्—

उद्भूतमतिः कश्चिद्विभावयति—

‘निखिलं जगदेव नश्वरं, पुनरस्मिन् नितरां क्लेशवरम् ।

अथ तस्य कृते कियानयं, क्रियते हन्त । मया परिश्रमः ॥’

यदा, निखिल समस्तं जगद् विश्वमेव नश्वरं नाशशाल्मस्ति, अस्मिन् जगति, क्लेशवरं  
शरीरं पुनर्नितरां नश्वरमस्ति, अथ तदा, तस्यादिनश्वरक्लेशवरस्य कृते पोषणानिश्चाय,  
हन्त । मया, अयं कियान् परिश्रमः क्विच्यते इत्यर्थः । मूढवन्मम दिनश्वरतमवस्तुपोषणाय  
परिश्रमस्य करणमिति निर्णयान्मतिरिहावसेद्य ।

उदाहरण देखिये । कोई विरक्त व्यक्ति कहता है कि—जब यह समस्त संसार ही नाश-  
वान् है—अर्थात् इसमें किसी वस्तु की स्थिरता नहीं और फिर इस संसार में भी यह  
शरीर अत्यन्त ही नाशवान् है—‘जगद्दूष्वं न जानामि विधाता किं विधास्यति’—के अनुसार  
एक क्षण के बाद इस शरीर की क्या गति होगी, कुछ भी पता नहीं, हाय ! तब भी मैं इस  
क्षणमधुर शरीर के लिये कितना परिश्रम करता हूँ ।

विभावानुभावौ वक्ति—

‘शरीरमेतज्जलबुद्बुदोपमम्’ इत्यादिशास्त्रपर्यालोचनमत्र विभावः, हन्तपद-  
गन्या स्वनिन्दा राजसेवादिविरतिविवृण्णता चानुभावः ।

विरतिनिवृत्तिः ।

यहां ‘शरीरमेतज्जलबुद्बुदोपमम्’ ( अर्थात् यह शरीर जल के बुलबुले के समान है )  
इत्यादि शास्त्र का पर्यालोचन विभाव ( पुनः पुनः विचार ) है और ‘हन्त’ पद से प्रतीत  
होने वाली अपनी निन्दा राज-सेवा आदि से निवृत्ति तथा वृष्णारहित होना आदि  
अनुभाव हैं ।

नन्वत्र शान्तरसध्वनिरेव न क्यमित्यत आह—

भगिति मतेरेव चमत्काराद् ध्वनिव्यपदेशहेतुता, न शान्तस्य, विलम्बेन  
प्रतीतेः ।

इतोऽत्र भगिति प्रतीयमाना मतिरेव नितरां चमत्कारिणी, शान्तरसस्तु विलम्बेनास्वा-  
दनानोऽल्पचमत्कारकृत्, ततो मतिध्वनिरेवात्र न शान्तरसध्वनिरित्याशयः ।

जिसलिये यहा शीघ्र प्रतीयमान मति-भाव का चमत्कार अधिक है और शान्त रस का  
आस्वाद विलम्ब से होता है, अत एव अपेक्षाकृत उसका चमत्कार भी न्यून है, इसलिये

मति-भाव-ध्वनि ही उक्त पद्य को काव्य-कोटि में लाती है, शान्त-रस-ध्वनि नहीं & शान्त-रस-ध्वनि यहां नहीं होती, मति-भाव-ध्वनि ही होती है।

व्याधिं निरूपयति—

**रोगविरहादिप्रभवो मनस्तापो व्याधिः ।**

व्याधिरोगयोरभेदेऽन्यत्र प्रसिद्धे चित्तवृत्तिरूपत्वासम्भवात् तन्न्यमनस्तापोल्लेख  
अथ 'व्याधि-भाव' का निरूपण करते हैं—'रोग' इत्यादि । रोग और  
आदि से उत्पन्न होने वाले मन के ताप को 'व्याधि' कहते हैं । रोग और व्याधि  
पर्याय हैं, यह बात प्रसिद्ध है, फिर रोग को व्याधि न कहकर रोगजन्य मानसिक  
व्याधि-भाव कहने का तात्पर्य यह है कि—'सभी भाव चित्त-वृत्ति-स्वरूप है, इस  
के अनुरोध से चित्त-वृत्त्यात्मक मनस्ताप को ही व्याधि-भाव माना जा सकता  
रोग को नहीं, यह विशेष यहां समझना चाहिये ।

लक्षण एव विभावोक्तेरनुभावान् वक्ति—

**गात्रशैथिल्य-श्वासादयोऽत्रानुभावाः ।**

अङ्गों की शिथिलता और श्वास आदि व्याधि-भाव में अनुभाव होते हैं ।

प्राचीनसम्मतिं प्रतिपादयति—

यदाहुः—

**'एकैकशो द्वन्द्वशो वा त्रयाणां वा प्रकोपतः ।**

**वातपित्तकफानां स्युर्व्याधयो ये ज्वरादयः ॥**

**इह तत्प्रभवो भावो व्याधिरित्यभिधीयते ।'**

लोके वात-पित्त-कफानां मध्ये प्रत्येकं द्वयोर्द्वयोच्चायाणां त्रयाणां वा दोषाणां प्रकोप  
ये ज्वरादयो भवन्ति, इह साहित्ये तत्प्रभवस्तदुत्पन्नो मनस्तापश्चित्तवृत्तिविशेषो व्याधि  
उच्यत इत्यर्थ ।

जैसा कि प्राचीनों ने भी लिखा है कि 'एकैकशो ...' इत्यादि । अर्थात् वात, कफ  
और कफ नामक दोषों में से एक-एक, दो-दो अथवा तीनों के प्रकोप से जो ज्वर  
रोग उत्पन्न होते हैं, उनसे उत्पन्न हुई चित्त-वृत्ति को साहित्य शास्त्र में 'व्याधि' कहते

उदाहरति—

**उदाहरणम्—**

वियोगव्यथिता नायिकां वर्णयति—

**'हृदये कृतशैवलानुषङ्गा, मुहुरङ्गानि यतस्ततः क्षिपन्ती ।**

**तदुदन्तपरे मुखे सखीना-मतिदीनामियमादधाति दृष्टिम् ॥'**

इयं वियोगिनी, हृदये वक्षसि कृतः शैवलस्यानुषङ्ग सम्बन्धो यस्या यया वा, ता  
तथा मुहुर्वार वार यतस्तत इतस्तत, अङ्गानि क्षिपन्ती, तदुदन्तपरे नायकवृत्तान्त  
परायणे सखीनां मुखे, अतिदीना दृष्टिमादधाति निक्षिपतीत्यर्थ ।

मुख इत्येकवचनेन सर्वासामेकस्यैक वृत्तस्य कथनं सूचयते ।

विरह-पीडित नायिका का वर्णन है कि—विरहिणी नायिका सेज पर पड़ी है, स  
ने विरह-ताप को शान्त करने के उद्देश्य से उसके वक्ष पर सेवारों को दृष्टि छो  
फिर भी वह नायिका वार-वार अङ्गों को इधर उधर पटक रही है, अथ बेचारी स  
क्या करे, कुछ उपाय नहीं सूझता, आखिर सब सखियां मिल कर उसके वि  
सम्यन्ध की धातें करने लगीं, तब नायिका ने प्रिय-कथापरायण सखियों के मुख पर  
दृष्टि डालने लगी ।

त्र पद्ये व्याधे विभावानुभावौ दर्शयति—

विरहोऽत्र विभावः, अङ्गत्वेपादिरनुभावः ।

यहा विरह विभाव है और अङ्गों का पटकना आदि अनुभाव हैं ।

त्रास निरूपयति—

भीरोर्घोरसत्त्वदर्शन-स्फूर्जधुश्रवणादिजन्मा चित्तवृत्तिविशेषस्त्रासः ।

घोरसत्त्वाना भयानकप्राणिना दर्शनात्, स्फूर्जयोर्वप्रमिर्घोषस्य श्रवणाच्च जन्मोत्पत्ति-  
य, तादृशो भीरो कातरस्य चित्तवृत्तिविशेषस्त्रास इत्यर्थः ।

अथ 'त्रास' का निरूपण करते हैं—'भीरो.' इत्यादि । भीरु ( डरपोक ) व्यक्ति हृदय में व्याघ्र आदि भयानक प्राणियों के दर्शन और विजली की कड़क के श्रवण आदि जो एक तरह की चित्त-वृत्ति उत्पन्न होती है उसका नाम 'त्रास' है ।

अनुभावानाह—

अनुभावान्नास्य रोमाञ्च-कम्प-स्तम्भ-भ्रमादयः ।

स्तम्भश्चेष्टाप्रतीघात । विभावद्वय तु लक्षण एवोक्तम् ।

रोमाञ्च, कम्प, निश्चेष्टता और भ्रम आदि त्रास-भाव के अनुभाव होते हैं ।

प्राचीनसम्मतिं दर्शयति—

यदाहु —

'औत्पातिकैर्मन'क्षेपस्त्रासः कम्पादिकारकः ।'

उत्पातसूचकैरौत्पातिकैर्घोरसत्त्वदर्शनादिभिर्जन्यो मनस क्षेपश्चपलात्मकवृत्तिविशेष ।

प्राचीनों ने भी कहा है कि—उत्पातकारक वस्तुओं से होने वाले मन के विक्षेप को 'त्रास' कहते हैं और वह कम्प आदि का जनक होता है ।

उदाहरति—

उदाहरणम्—

नायक सखाय वक्ति—

'आलीपु केलीरभसेन वाला, सुहुर्ममालापमुपालपन्ती ।

आरादुपाकर्ण्य गिरं मदीया सौदामनीयां सुषमामयासीत् ॥'

आलीपु सखीना मध्ये, केलीरभसेन क्रीडाकौतुकेन, मम सम्बन्धिनमालाप सुहु' उपा-  
ल्पन्ती विदधती, वाला सुग्धा, आराद् दूरे मदीया गिरम् वाचमुपाकर्ण्य निशम्य, सौदामनीया

आसौद्यादविरप्रभतया चपलासम्बन्धिर्नी, सुषमाम् अयासीद् विद्युदिव सद्यस्तिरोऽभूदित्यर्थः ।  
'आलापमुपालपन्ती' इत्यत्र 'वाचमुवाच कौत्स' इत्यत्रेवाधिकपदत्वम् ।

उदाहरण देखिये । नायक अपने मित्र से कहता है कि—सुग्धा नायिका खेल के वेग  
सखियों के बीच में मेरे सम्बन्ध की बातें कह रही थी, परन्तु दूर से ज्यों ही मेरी

सखा सुनी, त्यों ही विजली की शोभा को प्राप्त कर गई—अर्थात् देखते ही भाग गई ।  
विभावानुभावौ दर्शयति—

अत्र पत्या स्ववचनाकर्णन विभावः, पलायनमनुभावः ।  
'शब्दानामनुशासनमाचार्येण' इत्यत्रेव पत्येति कर्तरि कृतीया । इह स्वशब्देन नायिका-

अनुशासनमाचार्येण, किन्तु 'निजस्वात्मादिशब्दाना प्रधानीभूतक्रियाकर्तृपरामर्शित्वम्' इति  
व्यक्तिविरोधाज्ञोचित ।

यहा पति के द्वारा स्वकीय वचन का श्रवण करना विभाव और भाग जाना अनुभाव है ।

अथ 'सुप्त-भाव' का उदाहरण लीजिये । 'हे निर्दय ! हे मिथ्याभाषणों के समुद्र मेरे अञ्जल को छोड़ दे, मुझे तेरे प्रेम का अच्छा परिचय प्राप्त हो चुका ।' इस तरह कहा हुई और लगातार आंसू बहाती हुई आभूषणविहीन कृशाङ्गी को, हे कवयाणकारिणि निद्रे !! तेरे बिना कौन लाकर उपस्थित कर सकता ? हे देवि ! इस तरह प्रिया-समाप्त करा देने का सौभाग्य केवल तुझे ही प्राप्त है ।

प्रकरणमाह—

एषा प्रवासगतस्य स्वप्नेऽपि प्रियामेवं भाषिणीं दृष्टवतो निद्रां प्रति कस्यचिदुपि अपिरत्राप्रयोजन प्रतिभाति ।

यह उक्त रीति से कहती हुई प्रियतमा को स्वप्न में भी देखने वाले किसी प्रवा नायक की उक्ति है ।

ननु वस्तुनो रसस्य चापि व्यङ्ग्यत्वादिह कथं भावध्वनिरेव व्यपदिश्यत इत्यत आह—

'यद्यप्येवम्भूतायाः प्रियतमावस्थाया निवेदनेन निद्रे । मम भवत्या महानु-  
कारः कृतः' इति वस्तु, विप्रलम्भशृङ्गारश्चात्र प्रतीतिपथमवतरति, तथापि पुरः-  
स्फूर्तिकतया स्वप्रध्वननमत्रोदाहृतं न प्रान्ते तयोर्ध्वननं निरोद्धुमीष्टे ।

अत्रोदाहरणे 'निद्राकर्तृकप्रियतमानिवेदनरूपमहोपकारविधानात्मकवस्तुनः शृङ्गाररसस्य च व्यञ्जनाद् वस्तुध्वनि-रसध्वन्योरपि यद्यपि सद्भाव, किन्तु तयो पश्चात् प्रतीतिरिति ताभ्यामङ्गभूताभ्यां सह पूर्वप्रतीतिकत्वात् प्रधानस्य स्वप्नभावध्वने साङ्ख्यमिति तद्ध्वनि व्यपदेश एवेति सारम् ।

यद्यपि 'हे निद्रे ! तू ने प्रिया की एतादृश दशा ( परूष भाषण, रोदन और आभूषण-  
त्याग आदि ) का ज्ञान कराकर मेरा महान् उपकार किया है' इस वस्तु तथा विप्रलम्भ-  
शृङ्गार दोनों की प्रतीति यहां होती है, तथापि पहले स्वप्न की ही स्फूर्ति ( प्रतीति ) होती  
है, अतः इस पद्य को स्वप्न-भाव-ध्वनि का ही उदाहरण कहा गया है, परन्तु अन्त में उक्त  
वस्तु और रस भी ध्वनित होंगे, स्वप्न-भाव-ध्वनि, उन्हें रोक नहीं सकती ।

जागरणलक्षणं विबोधं निरूपयति—

निद्रानाशोत्तरं जायमानो बोधो विबोधः ।

निद्रानाशस्य भावत्वाभावाद् बोध इति, बोधस्य चान्यदाऽपि सम्मवाप्तिद्रेत्यादि च लक्षणैः निवेशितम् । तदुक्तम्—'निद्राऽपगमहेतुभ्यो विबोधश्चेतनागमः । जृम्भाऽङ्गभङ्ग-  
नयनमीलनाङ्गावलोककृत् ।' इति ।

अथ 'विबोध-भाव' का निरूपण करते हैं—'निद्रानाश' इत्यादि । निद्रा के नष्ट होने के  
वाद जो बोध होता है, उसको 'विबोध' कहते हैं ।

विभावाननुभावांश्च दर्शयति—

निद्रानाशश्च तत्पूर्ति-स्वप्नान्त-बलवच्छब्दस्पर्शादिभिर्जायत इति त एवात्र  
विभावाः । अक्षिमर्दन-गात्रमर्दनादयोऽनुभावाः ।

तत्पूर्ति निद्रापूर्ति । स्वप्नान्त स्वप्नप्रदशाऽवसानम् । स्पर्श परकृत । निद्रानाशस्य  
यानि कारणानि, तान्येव विबोधस्यापीति निद्रानाशकारणान्येवंविबोधे विभावा ऋक्षिमर्दनाद-  
यश्चानुभावा भवन्तीत्यर्थः ।

निद्रा का नाश निद्रा के पूर्ण हो जाने से स्वप्न के अन्त हो जाने से और प्रवण शब्दों  
के श्रवण से तथा किसी के स्पर्श से होता है, इसलिये वे विबोध के विभाव हैं और अर्ध-  
मलना, शरीर मलना आदि अनुभाव है ।

उदाहरणवाहुल्यसम्भवादाह—

तत्र सङ्क्षेपेणोदाहरणम्—

यद्यपि इस भाव के उदाहरण बहुत हो सकते हैं, तथापि संक्षेप से ही वे दिखलाये जाते हैं।

स्वप्नोपलभ्यमानप्रेयसीसान्निध्यो मेघगर्जितापगतनिद्रा खिद्यमान कथित् प्रवासो सत्त्वायमाह्वयति—

‘नितरा हितयाऽद्य निद्रया मे, बत यामे चरमे निवेदिताया’ ।

सुदृशो वचन शृणोमि यावन्मयि तावत् प्रचुकोपवारिवाहः ॥’

अथ, चरमे यामे चतुर्थे प्रहरे, मे मम, नितरा हितया परमोपकारिक्या, निद्रया स्वप्नदशया, निवेदिताया प्रापिताया, सुदृश प्रेयस्या आलपितुमुद्यताया, वचन, यावदह शृणोमि, तावद्वत, मयि, वारिवाहो जलधर प्रचुकोप प्रकृपित इव जगर्जेत्यर्थः ।

नायक अपने मित्र से कहता है कि—मेरा अत्यन्त हित चाहने वाली निद्रा से (स्वप्नावस्था से) रात के अन्तिम प्रहर में उपस्थित की गई सुनयना प्रेयसी का वचन जब तक सुनूँ-सुनूँ तभी मेरे ऊपर जलधर प्रकृत हो उठा—उसने अपने भीषण गर्जन से मेरे सुखद स्वप्न को भग्न कर दिया ।

विभावमनुभाव चाह—

अत्र गजितश्रवणं विभावः, प्रियावचनश्रवणोपज्ञासनाशोऽनुभावस्तून्नेय ।

उन्नेय साक्षाच्छब्दानुक्तोऽपि वतशब्देनावगमनीय ।

यहां मेघ-गर्जन का श्रवण विभाव और प्रिया के वचन सुनने के लिये जो उल्लास स्वप्नावस्था में उत्पन्न हुआ था, उसका विनाश अनुभाव है, परन्तु उस अनुभाव का वर्णन स्पष्ट शब्दों में यहाँ नहीं किया गया, अतः ‘वत’ पद से उसका तर्क कर लेना चाहिये ।

मतान्तरेण विवोध निरूपयति—

केचिद्विद्याध्वसजन्यमप्यमुमामनन्ति । तेषां मते—

‘नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा, त्वत्प्रसादान्मयाऽच्युत ।

स्थितोऽस्मि गतसन्देहः, करिष्ये वचनं तव ॥’

इति गीतापद्यमुदाहार्यम् ।

अविद्याया ससारनिदानभूताज्ञानस्य ध्वंसेन विनाशेन जन्य ज्ञानमपि केचिद् विवोधभाव मन्यन्ते, तेषां मते—‘हे अच्युत गोविन्द ! त्वत्प्रसादात् तत्त्वोपदेशनात्मकञ्चदनुप्रहात्, मम मोहो देहात्मभ्रमो नष्ट, मया स्मृतिरात्मस्मरणच लब्धा पुनरवाप्ता, साम्प्रत गतसन्देहः कर्तव्याकर्तव्यसंशयरहित, स्थितोऽस्मि । तेन तव वचन करिष्ये त्वदादेश पालयिष्यामी’—त्यर्थकं ‘नष्टो मोहः’ इत्यादिभगवद्गीतापद्यमत्रोदाहरणीयम्, तत्राविद्याध्वसजन्यविवोधस्य सत्त्वादित्यर्थः ।

कुछ लोग ‘विवोध’ को अविद्या के नाश से उत्पन्न होने वाला भी मानते हैं, उनके मत के अनुसार ‘नष्टो मोहः’ इत्यादि गीता के श्लोक को ‘विवोध-भाव-ध्वनि’ का उदाहरण समझना चाहिये । उस गीता-श्लोक का अर्थ यह है कि—हे भगवन् ! आपकी अनुकम्पा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मुझे स्मृति प्राप्त हो गई अर्थात् जिन सख्यों को मैं भूल रहा था, वे मुझे पुनः समझ में आ गये । अब मैं मन्देहरहित होकर स्थित हूँ, आपके कथन का अन्तराशः पालन करूँगा । यह महाभारत युद्ध में मोह-प्रस्त अर्जुन का उपदेश सुन लेने के बाद भगवान् कृष्णचन्द्र के प्रति उक्ति है ।



सिंहावलोकनन्यायेन पूर्वोदाहरणौऽसूयाध्वनिमाशङ्क्य निरस्यति—

न तु वारिवाहविषयाया असूयाया एवात्र वाक्यार्थतेति शङ्क्यम्, विबोधप्रतीतौ हि सत्यां तस्मिन्ननौचित्यावगमे सत्यनुचितविबोधजनकत्वेन वारिवाहेऽसूयाया विलम्बेन प्रतीतेः; परमुखनिरीक्षकत्वात् ।

वाक्यार्थता वाक्यार्थबोधप्राधान्यम् । तस्मिन् विबोधे । परमुखनिरीक्षकत्वमसूयापराधीनप्रतीतिकत्वम् ।

‘नितरा’मित्याद्युदाहरणौ परमोपकारकनिद्राभङ्गक-मेघविषयकासूयाया एव प्राधान्यव्यङ्ग्यत्वादसूयाध्वनिरेवेति तु न शङ्कनीयम्, इहासूयाप्रतीतेः परसापेक्षत्वेन प्रथममुत्पत्तुशक्तत्वात् । तथाहि—प्रथममिह विबोधस्यैव प्रतीतिर्जायते, तदनु स्वप्नस्य सुखकरत्वेन विबोधानौचित्यस्य प्रतीति, तदनन्तरमनुचितविबोधकारणगर्जितविधायकत्वेन मेघविषयकासूयाया प्रतीतिरिति विलम्बेन भवन्ती परसापेक्षाऽसूया न प्राधान्यमर्हतीति सारम् ।

‘नितरां हितया’..... इत्यादि पूर्वोक्त पद्य का प्रधान वाक्यार्थ मेघ के विषय में होने वाली असूया है, यह शङ्का करना समुचित नहीं, क्योंकि जब पहले विबोध-भाव की प्रतीति हो जायगी, तब उस विबोध में अनौचित्य का—अनवसर में होने का—ज्ञान होगा और उसके बाद अनुचित विबोध को उत्पन्न करने वाले मेघ में असूया होगी । अतः वह असूया परमुखापेक्षिणी—अर्थात् स्वोपपादक विबोध का मुँह जोहने वाली है, इसीलिये उसकी प्रतीति भी विलम्ब से ही होगी, फिर वह प्रधान वाक्यार्थ कैसे हो सकती है ?

उक्तार्थं समर्थयितुमसूयाया विषयं विशदीकरोति—

स्यादपि तस्या अपि प्राधान्यम्, यदि वारिवाहे निष्करुणत्वादिबोधकं किञ्चिदपि स्यात् ।

तस्या-असूयाया ।

यदीह पद्येऽपि ‘भ्रात ! तावदहं शठेन विधिना निद्रादरिद्रोक्त’ इत्यादौ विधे शठत्वमिव, मेघस्य निर्दयत्वादि किमप्यसूयाव्यञ्जक विशेषणमुपात्त स्यात्, तदैवासूयाया प्राधान्येन व्यङ्ग्यत्व स्यात्, न च तथा, तस्मान्नासूयाध्वनिरिति भाव ।

उक्त पद्य में असूया की भी प्रधानता हो सकती थी, यदि ‘भ्रातस्तावदहं शठेन विधिना निद्रा-दरिद्रोक्तः—अर्थात् हे भाई ! तब तक शठ विधाता ने मेरी निद्रा को भग्न कर दिया’ यहाँ जैसे विधाता को शठ कहा गया है, उसी तरह वहाँ भी मेघ के विषय में निर्दयता आदि का बोध कराने वाली कुछ बातें वर्णित रहतीं । परन्तु उस तरह की एक भी बात यहाँ वर्णित नहीं है, अतः यहाँ असूया-ध्वनि नहीं हो सकती ।

स्वप्नध्वनिशङ्कामपि निराकरोति—

नापि स्वप्नध्वनिः, वारिवाहनादेन तन्नाशस्यैव प्रतिपत्तेः ।

यतो मेघस्य गर्जितेन स्वप्ननाशस्यैव प्रतीतिरत्र भवति, अत स्वप्नध्वनिरपि न सम्भवतीत्यर्थः । नष्टत्वेन प्रतीयमानस्य स्वप्नस्य प्राधान्येन व्यङ्ग्यत्वासम्भवादित्याशय ।

उक्त पद्य में स्वप्न-भाव की ध्वनि है, यह बात भी नहीं कही जा सकती, क्योंकि मेघ के गर्जन से उसके (स्वप्न के) नाश की ही प्रतीति होती है, फिर विनष्ट रूप से ज्ञात होने वाला वह स्वप्न प्रधान व्यङ्ग्य कैसे हो सकता ?

अथ जीवनाहरणकर्तृत्वावगमकस्य वारिवाहपदस्य, कोपनप्रकृतिकत्वावगमकरूपेण त्रियापदस्य वा सत्त्वादसूयाध्वनि, स्वप्नभावस्य प्रशमेन भावशान्तिध्वनिं च पर्यवेक्ष्य, ताभ्यां सहासूयाध्वने साङ्कर्यमभ्युपगच्छति—

अस्तु वा स्वप्नभावप्रशमेनासूयया च सहास्य सङ्करः ।

साङ्कर्येऽप्यङ्गिता विबोधध्वनेरेवेत्याकृतम् ।

यदि कहें कि 'नितरा हितया . . .' इस पद्य में मेघ के लिये 'वारिवाह' पद का प्रयोग किया गया है और वारिवाह पद का जल ढोने वाला (पनभरा) भी एक अर्थ होता है, अतः इस प्रकार के हीन शब्द के प्रयोग से मेघ के प्रति असूया व्यक्त हो सकती है और मेघ-गर्जन से स्वप्न-नाश की बात तो आप स्वयम् ऊपर कह आए हैं, अतः स्वप्न-भाव-प्रशम की ध्वनि आप के विचार से भी होती ही है, तो इस पर ग्रन्थकार कहते हैं कि—ठीक है, इस तरह यहाँ इन दोनों ध्वनियों के साथ विबोध-भाव-ध्वनि का सङ्कर ही रहे। अभिप्राय यह है कि—इस तरह सङ्कर मान लेने पर भी अङ्गी विबोध-ध्वनि ही होगी और उक्त दोनों ध्वनियाँ उसके अङ्ग होकर रहेंगी।

व्युत्पत्तिदाढ्याय प्रत्युदाहरति—

इदन्तु नोदाहायम्—

'गाढमालिङ्गथ सकला, यामिनीं सहतस्थुषीम् ।  
निद्रा विहाय स प्रात-रालिङ्गथ चेतनाम् ॥'

स प्रकान्त पुमान्, गाढं दृढमालिङ्गथ समाश्लिष्य सकला सम्पूर्णा यामिनीमभिव्याप्य, सहतस्थुषीं साक स्थितवती, निद्रामेका नायिकामिव, प्रात प्रभाते, विहाय, अथ चेतना सञ्ज्ञामपरा नायिकामिव, आलिङ्गित्यर्थ ।

अब पाठकों के ज्ञान को दृढ करने के उद्देश्य से विबोध-भाव का प्रत्युदाहरण-भी दिखलाते हैं—'इदन्तु नोदाहायम्'—अर्थात् यह उदाहरण नहीं देना चाहिये। जो पुरुष रात भर साय रहने वाली (एक नायिका के समान) निद्रा का प्रगाढ आलिङ्गन करके रहा, वही प्रात-काल में उस (निद्रा) को छोड़कर (दूसरी नायिका के समान) चेतना-सञ्ज्ञा-का आलिङ्गन कर लिया।

कुतो नेदमुदाहरणीयमित्याह—

विबोधस्य चेतनापदवाच्यत्वात् ।

चेतना-विबोधयोरभेदादिह चेतनापदेनाभिधीयमानस्य विबोधस्य व्यदशत्वेऽपि प्रागु-क्तरीत्या न चमत्कारिता ।

यहाँ विबोध चेतना पद से वाच्य ही हो गया है, अतः यह पद्य विबोध-भाव-ध्वनि का उदाहरण नहीं हो सकता।

अपि तु समासोक्त्यलङ्कार एवात्र चमत्कारक इति प्रतिपादयति—

यथा कश्चित् सत्यप्रतिज्ञो द्वाभ्यां नायिकाभ्या द्वौ कालानुपभोगार्थं वच्चा, यथोचिते काल एकामुपभुज्य कालान्तरे प्रवृत्ते ता विहायापरा भुङ्क्ते, तथैवायं रात्रौ निद्रा, प्रातश्चेतनामिति समासोक्तेरेवेह प्रकाशनात् ।

इह प्रस्तुतेन विबुद्धपुरुषेणाप्रस्तुतस्य द्विपत्नीकसत्यप्रतिज्ञपुरुषस्य व्यधनात्समासोक्त्य-लङ्कारस्येदमुदाहरण, न तु विबोधध्वनेरित्यभिप्राय ।

'गाढमालिङ्गथ' इत्यादि पूर्वोक्त पद्य में वर्णित, रात में निद्रा का और प्रात-काल में चेतना का आलिङ्गन करने वाले प्रस्तुत पुरुष में उस अप्रस्तुत तथा सत्य-प्रतिज्ञ पुरुष का व्यवहार आरोपित है, जो दो नायिकाओं को उपभोग के लिये दो पृथक्-पृथक् समय देकर, यथोचित समय पर एक नायिका को भोगने के बाद, दूसरे समय में, उसे छोड़कर, दूसरी नायिका को भोगता है। अतः यहा समासोक्ति अलङ्कार प्रधान—चमत्कारी-है। भाव-ध्वनि तो यहां है ही नहीं।

अमर्षं निरूपयति—

**परकृतावज्ञादि-नानापराधजन्यो मौनवाक्पारुष्यादिकारणीभूतश्चित्तवृत्तिविशेषोऽमर्षः ।**

शत्रुकृतास्तिरस्कारप्रभृतयो ये नानापराधास्तज्जन्य', मूकीभाव-कठोरभाषणादिजन-  
खाभिनिविष्टत्वरूपश्चित्तवृत्तिविशेषोऽमर्ष इत्यर्थ । तदुक्तम्—'निन्दाक्षेपापमानादेरमर्षो  
भिनिविष्टता । नेत्रराग-शिरःकम्प-भ्रूमङ्गो-तर्जनादिकृत् ।' इति ।

अथ 'अमर्ष-भाव' का निरूपण करते हैं—'परकृता' इत्यादि । उस चित्त-वृत्ति  
नाम 'अमर्ष' है, जो दूसरे के किये हुये अप्रमान आदि अनेक अपराधों से उत्पन्न हो  
और मौन ( चुप्पी ) तथा कठोर-भाषण आदि को उत्पन्न करती है ।

विभावाननुभावाश्च दर्शयति—

प्राग्वत् कारणानां कार्याणां च क्रमेण विभावानुभावत्वम् ।

अमर्षस्य परकृतावज्ञादीनि कारणानि विभावा , मौनादीनि कार्याणि चानुभावा इ  
इति सारम् ।

पहले ही की तरह यहाँ भी कारणों ( परकृत अपमान आदि अनेक अपराधों )  
विभाव और कार्यों ( मौन आदि ) को अनुभाव समझ लेना चाहिये ।

उदाहरति—

उदाहरणम्—

मानिनीवृत्तं वर्णयति—

'वक्षोजाग्र पाणिनाऽऽमृश्य दूरे, यातस्य द्रागाननाब्जं प्रियस्य ।

शोणाग्राभ्यां भामिनी, लोचनाभ्यां, जोषं जोषं जोषमेवावतस्थे ॥'

वक्षोजाग्र कुचतट, सहसा, पाणिना करेण, आमृश्य संस्पृश्य, ( सखिधौ ताडनादि  
सम्भवात् ) द्राग् ऋटिति, दूरे यातस्य गतस्य, प्रियस्य कृतागतसो वक्षभस्य, आननाब्जं मुख  
कमलम्, भामिनी कोपना नायिका, शोणाग्राम्या रक्तकोणाभ्यां, लोचनाभ्यां, जोषं जोषं  
निर्निमेष दृष्ट्वा दृष्ट्वा, जोष तूष्णीमेव, अवतस्थेऽस्थादित्यर्थ । इहाग्रशब्दो द्विरुपात् ।

उदाहरण देखिये । कुचों के अग्रभाग को हाथ से मलकर दूर भागे हुये प्रियतम  
के मुख-कमल को, क्रोध-युक्त नायिका लाल-लाल आंखों से देख-देखकर ही चुप  
रह गई ।

विभावादि प्रकाशयति—

इह त्वाकस्मिकस्तनाग्रस्पर्शो विभावः, नयनारुण्यनिर्निमेषनिरीक्षणे  
अनुभावौ ।

लक्षणघटकादिपदप्राणविभावानुभावसद्भावसूचकस्तुशब्दः । निर्निमेषनिरीक्षणमिह  
सेवन-वीप्सार्थकाभ्यां जुषतिणमुल्भ्यां प्रकृतिप्रत्ययाभ्यां सूच्यते । निर्निमेषनिरीक्षण  
मौनस्याप्युपलक्षणम् ।

यहाँ अकस्मात् स्तनों के अग्रभागों को छूना विभाव है और नेत्रों की रक्तता तथा  
टकटकी लगाकर देखना अनुभाव है ।

ननु क्रोधामर्षयो स्थायिव्यभिचारिणो कार्थ्यकारणैक्ये मिय' कथ भेद इत्यत आह—

ननु क्रोधामर्षयोः स्थायि-सञ्चारिणोर्भावयोः कि भेदकमिति चेत्, विषयता-  
चैलक्ष्यमेवेति गृहाण ।

विषयताया वस्तुनोरुभयोरवस्थाया वैलक्षण्यमेव भेदक जानीहीत्यर्थ ।

यहां यह प्रश्न हो सकता है कि स्थायी-भाव क्रोध और ध्यमिचारी भाव वमर्ष में क्या भेद है? इसका उत्तर यह है कि वैसे भेद कुछ नहीं है, फिर भी दोनों (क्रोध और वमर्ष) की विषयता अर्थात् अवस्था में जो वैलक्षण्य-भेद है, वही क्रोध वमर्ष में परस्पर का भेदक होता है।

ननु मयोर्विषयताभेद उद्यमवधार्यत इत्यतोऽभिधत्ते—

तत्र तु गमक ऋटिति परविनाशादौ प्रवृत्तिर्वचनवैमुख्यादिक चेति कार्य-वैलक्षण्यम् ।

तत्र विषयतावैलक्षण्ये तु । यतस्तस्यैव भावस्योक्त्यावस्थाया क्रोधरूपतया परविनाशादौ प्रवृत्ति कार्य भवति, अनुक्यावस्थायान्तर्वमर्षरूपतया वचनवैमुख्यादिक कार्य भवतीति नोद्यमयो कार्यवैलक्षण्येव विषयतावैलक्षण्यज्ञापकमित्यर्थः ।

क्रोध और वमर्ष की अवस्था में जो वैलक्षण्य ( भेद ) है, उसका ज्ञान दोनों के कार्य-वैलक्षण्य अर्थात् भिन्न-भिन्न तरह के कार्यों से करना चाहिये । तापर्य यह कि क्रोध का कार्य शीघ्र दूनरों के विनाश में प्रवृत्ति होती है और वमर्ष का कार्य केवल चुप रह जाना आदि होता है । माराश यह सिद्ध हुआ कि एक ही भाव जब कोमलावस्था में रहता है, तब वमर्ष कहलाता है और जब उक्टावस्था को प्राप्त कर लेता है, तब क्रोध कहलाना है ।

अवहित्यं निरूपयति—

त्रीडादिभिर्निमित्तैर्हर्षाद्यनुभावानां गोपनाय जनितो भावविशेषोऽवहित्यम् ।

हर्षाद्यनुभावानां 'हर्षस्त्रिष्टावापेर्मेन प्रनाशेऽश्रुगद्गदादिकर' इत्युत्प्रेष्यप्रवृत्तीनां हर्षादिकाकार्याणां, गोपनायाश्च वाय, त्रीडादिभिः 'त्रीडा-भय-वाष्ट्य-कौटिल्य-गौरव', निमित्तैर्हेतुभिः जनित उन्नादित, भावविशेषश्चिन्तित्विद्विगोऽवहित्यमित्यर्थः ।

अब 'अवहित्य नामक भाव' का निरूपण करते हैं—'त्रीडा इत्यादि । हर्ष आदि भावों के जो अनुपात आदि अनुभाव (कार्य) होते हैं, उनको छिपाने के लिये लज्जा आदि कारणों से उत्पन्न होने वाली चिन्त-वृत्ति को 'अवहित्य कहते हैं ।

प्राचीन्सन्मतिं दर्शयति—

तदुक्तम्—

'अनुभावपिधानार्थेऽवहित्यं भाव उच्यते ।

तद्विभाव्य भय-त्रीडा-वाष्ट्य-कौटिल्य-गौरव' ॥'

विधान गोपनम् । विभाव्यनुनादनीय तदवहित्यम् । वाष्ट्यं प्रगल्भता गौरवं महत्त्वम् । इमं वाच को प्राचीनों ने भी कहा है, जैसे—'अनुभावपिधानार्थे' इत्यादि । अर्थात् अनुभावों को छिपाने के लिये जो भाव उत्पन्न होता है, उसे 'अवहित्य' कहते हैं । वह भय, लज्जा, घृष्टता, कुटिलता आदि गौरव इन सब कारणों से उत्पन्न किया जाता है ।

उदाहरति—

यथा—

कुनाहतावहित्यं वर्धयति—

'प्रसङ्गे गोपानां गुण्यु महिमानं यदुपते-

त्पाकर्ष्यं स्त्रियत्पुलकितकपोला कुलत्रधूः ।

विषज्जालाजालं ऋगिति वमत. पत्रगपने .

फणायां साश्वर्यं कथयतितरा तात्त्वविधिम् ॥'

गुरुषु गुरुजनसमीपे, गोपानां प्रमङ्गे कालियदमनादिकथाप्रस्तावे, यदुपतेः श्रीकृष्णस्य, महिमानमुत्कर्षम्, उपाकर्ष्य श्रुत्वा, स्वियन्तौ घर्मभाजौ पुलकितौ जातरोमाञ्चौ च कपोलौ यस्यास्तादृशी, कुलवधू कुलीनाऽकुलटा वधूर्गोपाङ्गना, प्रणयजस्वेदरोमाश्चापहवाय, विष-ज्वालाना जालं समुदाय, ऋगिति सत्वर वमतो मुखशतान्निष्कासयत, पञ्चगपतेः कालिय नागस्य, फणायां, ( तस्य ) ताण्डवविधिमुद्धतनृत्यविधान, साक्षर्यमाक्षर्येण सहितं, कथय-तितरा मुहुर्वदतीत्यर्थ । इह व्रीडया प्रणयजस्वेदरोमाश्चयोगोपनम् ।

जैसे—गोपजनों ने प्रसङ्ग-वश, गुरुजनों के मध्य में, कृष्ण की महत्ता का वर्णन किया जिसको निकट में रहने वाली किसी कुलाङ्गना ने भी सुन लिया, जिससे उसके कपोलों पर प्रेम के कारण सात्विक भाव के चिह्न पसीना और रोमाञ्च उत्पन्न हो गये। कुलवधू ने देखा कि अब तो मेरा कृष्ण के प्रति प्रेम लोगों पर प्रकट होना चाहता है, बस, उसने झट से विष-ज्वाला के समूह को लगातार उगलते हुये अहिराज कालिय के फणों पर कृष्ण के नृत्य का आश्चर्य-सहित वर्णन करना प्रारम्भ कर दिया, जिससे लोग समझें कि यह स्वेद और रोमाञ्च कृष्ण से प्रेम के कारण नहीं, अपि तु उनके पराक्रम के वर्णन के कारण हुये हैं ।

विभावानुभावविधत्ते—

अत्र व्रीडा विभावः, तादृशकालियकथाप्रसङ्गोऽनुभावः ।

तादृशस्य विषज्वालाजालवमनकारिणः । प्रणयजन्यौ स्वेदरोमाञ्चौ लम्बयाऽऽक्षर्य-जन्यत्वेनापहतौ ।

यहां लज्जा विभाव है और भयङ्कर कालिय नाग के फणों पर ताण्डव करने की कथा का प्रसङ्ग अनुभाव है ।

इत्थं व्रीडाप्रयोज्यमवहित्यमुदाहृत्य भयादिप्रयोज्यस्य तस्योदाहरणानामूह्यत्वमाचष्टे—

एवं भयादिप्रयोज्यमप्युदाहार्यम् ।

अवहित्यमिति शेष ।

इसी प्रकार भय आदि के द्वारा उत्पन्न होने वाले अविहृत्य-भाव का भी उदाहरण समझ लेना चाहिये ।

उग्रता निरूपयति—

अधिचेपापमानादिप्रभवा किमस्य करोमीत्याद्याकारा चित्तवृत्तिरुग्रता ।

अधिचेपो निन्दा, अपमानस्तिरस्कार, आदिपदेन राजापराधस्य, अविद्यमानदोषोद्धो-षस्य, चौरग्रहणस्य च परामर्शः । निन्दादिजन्यो बन्धुवधादिजनकः क्रूरतारूपक्षित्तवृत्ति-विशेष उग्रतेत्यर्थः ।

अब 'उग्रता-भाव' का निरूपण करते हैं—'अधिक्षेप' इत्यादि । निन्दा और अपमान आदि से उत्पन्न होने वाली 'इसका क्या कर डालूँ' इस तरह की चित्त-वृत्ति को 'उग्रता' कहते हैं ।

प्राचीनसम्मतिं दर्शयति—

यदाहुः—'नृपापराधोऽसद्वेषकीर्त्तनं चोरधारणम् ।

विभावाः स्यु-रथो बन्धो वधस्ताडनभर्त्सने ॥

एते यत्रानुभावास्तदौघ्यं निर्दयतात्मकम् ।' इति ।

उग्रताया नृपापराधादयो हेतवो विभावा, बन्धादीनि कार्याणि चानुभावा । अस्य किं

करोमीत्याकारा चित्तवृत्ति क्रूरत्वं निर्दयत्वमित्यनर्थान्तरम् ।

जैसा कि प्राचीनों ने भी लिखा है—'दूरापराध' इत्यादि। अर्थात् राजा का अपराध, दूरे दोषों का कथन और अपने चोरों को रख लेना ये जिसमें विभाव हों और वाधना, मारना, पीटना और धमकाना ये अनुभाव हों, उसे 'उग्रता' कहनी चाहिये, निर्दयता जिसका दूसरा रूप है।

उदाहरति—

यथा—

गाण्डीवनिन्दयोग्रतामापन्नोऽर्जुनो युधिष्ठिर तर्जयति—

'अवाप्य भङ्ग खलु सङ्गराङ्गणौ, नितान्तमङ्गाधिपतेरमङ्गलम् ।

परप्रभावं मम गाण्डिवं धनु-र्विनिन्दतस्ते हृदयं न कम्पते ॥'

हे युधिष्ठिर ! सङ्गराङ्गणे युद्धस्थले, अङ्गाधिपतेरङ्गदेशस्वामिनः कर्णात्, नितान्तमत्यन्तम्, अमङ्गलं वीराणां कृतेऽशुभम्, भङ्ग ( पराङ्गमहीनत्वरूपस्त्वदोषान् ) पराजयम्, अवाप्य लब्ध्वा, ममानिर्वचनीयविक्रमस्यार्जुनस्य, परप्रभावसुकृष्टानुभाव, गाण्डिव तदाह्वयं, धनुष्वाप विशेषेण निन्दतोऽधिपति, ते तव, हृदयं न कम्पते ? इत्यर्थः ।

जैसे—समर-भूमि में अङ्गराज कर्ण से अत्यन्त अमङ्गल ( वीरों के लिये अशोभन ) पराजय को प्राप्त करके, आज तू मेरे परम प्रभावशाली गाण्डीव धनुष की निन्दा करता है ! तेरा हृदय कम्पित नहीं होता ॥

प्रकरणमाचष्टे—

एषा कर्णेन पराभूतं, गाण्डिव निन्दन्त, युधिष्ठिरं प्रति घनञ्जयस्योक्तिः ।

विशेषणयुगं युधिष्ठिरस्य । गाण्डीवशब्दो ह्रस्वमघ्योऽपि द्विरूपकोरोऽनुशिष्टः । घन-  
षयोऽर्जुनः ।

यह कर्ण से पराजित और गाण्डीव की निन्दा करते हुये युधिष्ठिर के प्रति अर्जुन की उक्ति है ।

विभावानुभावौ प्रकाशयति—

युधिष्ठिरकर्तृका गाण्डिवनिन्दाऽत्र विभावः, वधेच्छाऽनुभावः ।

निर्दोषस्य गाण्डिवस्य निन्दा विभावः, युधिष्ठिरकर्मकवधेच्छा चानुभावोऽत्र बोध्यः ।

यहा युधिष्ठिर के द्वारा की गई गाण्डीव की निन्दा विभाव है और मारने की इच्छा अनुभाव है ।

अमर्षादुग्रताया अभेदनाशङ्क्य निरस्यति—

न चामर्षोऽग्रतयोर्नास्ति भेद इति वाच्यम्, प्रागुदाहृतेऽमर्षध्वनानुग्रताया अप्रतीतिः ।

पूर्वोक्ते 'वक्षोजाम्रम्' इत्याद्यमर्षध्वन्युदाहरणे वधेच्छारूपानुभावप्रतीतिरभावाद्ग्रताया अप्रतीतिः, इह तु वधेच्छाप्रत्ययात्प्रतीतिरपीति वधेच्छारूपानुभावभेद एवामर्षादुग्रताया भेदको ज्ञेय इति सारम् ।

'अमर्ष और उग्रता में कुछ भेद नहीं है' ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये, क्योंकि पूर्व में जो अमर्ष-ध्वनि का उदाहरण ( वक्षोजाम्रम्'' इत्यादि पद्य ) दिया गया है, उसमें उग्रता की प्रतीति नहीं होती और यहा होती है, इस बात का परिचय आवको दोनों उदाहरणों को मिलाकर देखने पर मिल सकता है । तात्पर्य यह कि अमर्ष निर्दयतारूप नहीं और उग्रता तद्रूप होती है ।

तर्हि क्रोधोऽग्रतयोरेवैक्यमास्तान्नित्याशङ्क्यामाह—

नाप्यसौ क्रोधः, तस्य स्यादित्वेन. अस्याः सञ्चारिणीत्वेन भेदात् ।

क्रोधो हि गुरुबन्धुवधादुत्पन्न उत्कटावस्थो रौद्ररसस्य स्थायीभावः, असावुग्रता तु वागपराधजन्यत्वात् क्रोधापेक्षयाऽल्पमात्रव्यभिचारिभाव इत्युभयोर्विभावभेदाद्भेद इत्यभिसन्धिः।

उग्रता को क्रोधरूप भी नहीं कह सकते, क्योंकि क्रोध स्थायीभाव है और उग्रता सञ्चारीभाव, अतः दोनों में भेद स्पष्ट है। स्पष्ट बात यह है कि एक ही चित्त-वृत्ति जब गुरु-बन्धु-वधादि महान् अपराधों से उत्पन्न होती है, तब क्रोध कहलाकर रौद्ररस का स्थायीभाव बनती है और जब निन्दा आदि साधारण वाचिक अपराधों से वही चित्त-वृत्ति उत्पन्न होती है, तब उग्रता नामक सञ्चारीभाव कहलाती है।

उन्मादं निरूपयति—

**विप्रलम्भ-महापत्ति-परमानन्दादिजन्माऽन्यस्मिन्नन्यावभास उन्मादः ।**

विप्रलम्भात् प्रियजवियोगात्, महापत्तेर्महत्या विपत्तेः, परमानन्दादेरुत्कृष्टाह्लादप्रभृतेष्व जन्मोत्पत्तिर्यस्य, स, अन्यस्मिन् वस्तुनि, अन्यस्य वस्तुनोऽवभासस्तदभाववद्विशेष्यक तत्प्रकारकज्ञानं भ्रमात्मकश्चित्तवृत्तिविशेष उन्मादो भाव इत्यर्थः ।

अब 'उन्माद-भाव' का निरूपण करते हैं—'विप्रलम्भ' इत्यादि। प्रिय-वियोग गुरुतर-विपत्ति और परम आनन्द आदि कारणों से जो अन्य वस्तु में अन्य वस्तु का भ्रम उत्पन्न होता है, उसी भ्रमात्मक चित्त-वृत्ति को 'उन्माद' कहते हैं।

उन्मादलक्षणस्य भ्रान्तिमात्रेऽतिव्याप्तिं वारयितुं विशेषणं जन्मान्तमुपात्तम्, सर्वेषां भ्रमाणां साधारणधर्मवद्भ्रमिज्ञानादिप्रतिनियतहेतुजन्यत्वेन विप्रलम्भाद्यजन्यत्वादित्याह—

**शुक्तिरजतादिज्ञानव्यावृत्तये जन्मान्तम् ।**

विशेषणमुपात्तमिति शेषः ।

शुक्तिधर्मिकरजतत्वप्रकारकभ्रमात्मकज्ञानस्य विप्रलम्भाद्यजन्यत्वेन नोन्मादत्वमित्याशयः ।

सभी भ्रमों में उन्माद का लक्षण न चला जाय, इसलिये अवभास (भ्रम) में 'जन्मान्त' विशेषण लगाकर विप्रलम्भ आदि कारणों का निर्देश किया गया है, जिससे शुक्ति आदि में जो रजत आदि का भ्रम दूरत्व-चाकचिक्यादि दोषों से होता है, उसमें उन्माद लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होती, क्योंकि वह भ्रम वियोग आदि कारणों से उत्पन्न नहीं होता।

उदाहरति—

उदाहरणम्—

विप्रयोगोन्मत्तावृत्तं दृती निवेदयति—

**'अकरुणहृदय । प्रियतम । मुञ्चामि त्वामितः परं नाहम् ।**

**इत्यालपति कराम्बुज-मादायालीजनस्य विकला सा ॥'**

'हे अकरुणहृदय प्रियतम । त्वामित पर न मुञ्चामि' इति (वाक्यं) विकला विप्रलम्भेनोद्दिग्धहृदया सा नायिका, आलीजनस्य सखीसमुदायस्य, कराम्बुज हस्तकमलं प्रियतम भयाद् आदाय गृहीत्वा, आलपति व्याहरतीत्यर्थः ।

उदाहरण देखिये। वह, सखी के कर-कमल को पकड़ कर 'हे दयाहीन-हृदय वाले प्रियतम ! मैं ( जो छोड़ चुकी सो छोड़ चुकी ) अब इसके बाद तुझे छोड़ती ही नहीं।' इस तरह विकल होकर बातें करती रहती है।

प्रकरण-विभावानुभावान् प्रतिपादयति—

एषा प्रवासगत स्वनायिकावृत्तान्तं पृच्छन्तं [ नायक ] प्रति कस्याश्चित् सन्देशहारिण्या उक्तिः । प्रियविरहोऽत्र विभावः, असम्बद्धोक्तिरनुभावः ।

सन्देशहारिण्या दूत्या । प्रियभ्रमेण सखीं प्रत्युपादानादुक्तेरसम्बद्धता ।

यह अपनी नायिका के समाचार पृच्छते हुये किसी प्रवासी के प्रति संदेश लेकर जाने वाली दूती की उक्ति है। प्रिय का विरह यहां विभाव और असम्बद्ध वार्तालाप अनुभाव है।

उन्मादस्य व्याध्यन्तर्भावेऽपि पृथगुपादानस्य प्रयोजन प्रकाशयति—

उन्मादस्य व्याध्यन्तर्भावे सम्भवत्यपि, पृथगुपादान व्याध्यन्तरापेक्षया वैचित्र्यविशेषस्फोरणाय।

स्फोरण प्रकाशनम्।

उन्मादोऽपि व्याधिरेव, किन्त्वस्य व्याध्यन्तरापेक्षयाऽधिक चमत्कारकत्वमिति सूचयितुं पृथक्कथनमित्याशयः।

यद्यपि व्याधि-भाव में ही उन्माद का भी अन्तर्भाव हो सकता था, तथापि अन्य व्याधियों की अपेक्षा इस उन्माद-व्याधि में कुछ विलक्षण विचित्रता है यह दिखलाने के लिये इसका पृथक् ग्रहण किया गया है।

मरण निरूपयति—

रोगादिजन्या मूर्च्छारूपा मरणप्रागवस्था मरणम्।

आदिपदेन निप्रलम्भप्रभृतिपरामर्शः। मरणाञ्जीवोद्गमनात् प्रागवस्था पूर्वकालिकस्थितिः। तदुक्तं प्रदीपे—

‘जीवस्योद्गमनारम्भो मरणं परिकीर्तितम्।

सम्मोहेन्द्रियसङ्गलानि-गात्रविक्षेपणादिकृत् ॥’ इति।

इन्द्रियाणां सम्यग्ग्लानिर्विषयग्रहणाक्षमता।

अब ‘मरण-भाव’ का निरूपण करते हैं—‘रोगादि’ इत्यादि। रोग आदि से उत्पन्न होने वाली जो मरण के पहिले की मूर्च्छारूप अवस्था है, उसको मरण कहते हैं।

ननु प्राणनिष्क्रमणरूप मरण कुतो न गृह्यत इत्याशङ्का निरस्यति—

न चात्र प्राणवियोगात्मक मुख्य मरणमुचितं ग्रहीतुम्, चित्तवृत्त्यात्मकेषु भावेषु तस्या प्रसक्तेः।

मुख्यमरणस्य शरीरप्राणसम्बन्धव्यञ्जनरूपत्वाच्चित्तवृत्त्यनात्मकत्वाद्भावत्वान्न ग्रहणम्।

‘मरण-भाव’ में प्राण-वियोगात्मक (प्राणों का छूट जाना रूप) मुख्य मरण का ग्रहण करना उचित नहीं, क्योंकि भावों को जब चित्तवृत्ति रूप मानते हैं, तब उन में मुख्य मरण का प्रसङ्ग नहीं आता, कारण यह है कि वह चित्त-वृत्ति रूप नहीं है।

मुख्यमरणे भावत्वाभावस्य हेतुमाह—

भावेषु च सर्वेषु कार्यसहवर्तितया शरीरप्राणसंयोगस्य हेतुत्वात्।

सर्वेषु हर्षादिभावेषु कार्यसहवर्तितया तत्तच्चित्तवृत्तिरूपव्यापारानुकूलत्वेन, यत् शरीर-प्राणसंयोगो हेतुः, अतो मुख्य मरण न भाव इत्यर्थः। प्राणवियोगोत्तरं चित्तवृत्तेरभावान्न तस्य तत्त्वमित्याशयः।

मुख्य मरण का भावों में ग्रहण नहीं करने का दूसरा कारण यह भी है कि हर्ष आदि सभी भावों के प्रति शरीर-प्राण-संयोग कारण है और कारण भी ऐसा नहीं कि कार्योत्पत्ति के पूर्व क्षण में ही रहे, अपितु ऐसा कि जो कार्य के साथ-साथ भी वर्तमान रहे। इस स्थिति में मुख्य मरण को भाव कैसे कहा जा सकता? क्योंकि उसके साथ शरीर-प्राण संयोग का रहना असम्भव है।



उदाहरति—

उदाहरणम्—

मुमूर्धुनायिकावस्थां वर्णयति—

‘दयितस्य गुणाननुस्मरन्ती, शयने सम्प्रति या विलोकिताऽऽसीत् ।

अधुना खलु हन्त । सा कृशाङ्गी, गिरमङ्गीकुरुते न भाषिताऽपि ॥’

या कृशाङ्गी वियोगव्यथादुर्वलावयवा सम्प्रति इत किञ्चित्क्षणमेव पूर्वं, दयितस्य प्रियत-  
मस्य, गुणान्, अनुस्मरन्ती ध्यायन्ती, शयने तल्पे, विलोकिता दृष्टाऽसीदभूत् । हन्त ।  
अधुनाऽस्मिन् क्षणे, सा, भाषिता सखीभिः किञ्चिदुक्ताऽपि, गिरं नाङ्गीकुरुते सञ्ज्ञाशून्यतया  
न प्रतिवक्तव्यार्थ ।

अब ‘मरण-भाव’ का उदाहरण देखिये । एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि—  
जिसको, अभी प्रियतम के गुणों का स्मरण करते हुये, शय्या पर देखा था, हाय ! वह  
कृशाङ्गी, इस समय, बुलाने पर भी नहीं बोलती, उसकी वाक्शक्ति नष्ट हो गई है ।

विभावानुभावविदधाति—

प्रियविरहोऽत्र विभावः, वचनविरामोऽनुभावः ।

वचनविरामो भाषणशक्तिनिवृत्ति ।

प्रियतम का वियोग यहां विभाव और वाक्शक्ति का नष्ट हो जाना अनुभाव है ।

इह मरणध्वने पदप्रकाशयतां दर्शयति—

हन्तपदस्यात्रात्यन्तमुपकारकत्वाद् वाक्यव्यङ्ग्योऽप्यय भावः, पदव्यङ्ग्य-  
तामावहति ।

अत्र पद्ये, यद्यपि सम्पूर्ण वाक्येन मरणभावो व्यज्यते तथापि हन्तपदस्य दुःखातिरेक-  
बोधकतया पदान्तरापेक्षयाऽत्यन्तं तत्रोपकारकत्वात् पदव्यङ्ग्य एवात्र स भाव उच्यते,  
प्रावान्येन व्यपदेशादित्यर्थ ।

इस पद्य में यद्यपि सम्पूर्ण वाक्य से मरण-भाव व्यक्त हुआ है, तथापि वह (मरण-  
भाव) पद-व्यङ्ग्य ही कहलाता है, क्योंकि ‘हन्त’ पद ही दुःखाधिक्य के बोधक होने के  
कारण उसकी अभिव्यक्ति में अधिक उपकारक है ।

परकीयमतं निरस्यति—

एतेन भावस्य पदव्यङ्ग्यतायां नात्यन्तं वैचित्र्यमिति परास्तम् ।

एतेन पदव्यङ्ग्यस्यापि मरणभावस्यात्रातिचमत्कारकताया अनुभूयमानत्वेन ।

इससे (ऊपर के पद्य में मरण-भाव को हन्त-पद-व्यङ्ग्य सिद्ध कर देने से) ‘भाव  
यदि पद से व्यङ्ग्य हो, तो उसमें अधिक विचित्रता नहीं रहती’ यह कथन परास्त  
हो जाता है ।

विप्रलम्भध्वने कर्णध्वनेर्वाऽत्र कुतो न व्यपदेश इत्याशङ्कानि निवारयति—

‘दयितस्य गुणाननुस्मरन्ती’त्यनेन व्यज्यमान ‘चरमावस्थायामपि तस्या  
दयितगुणविस्मरणनाभू’र्दात वस्तु, विप्रलम्भस्य शोकस्य वा चरममभिव्यक्तस्य  
पोषकम् ।

व्यज्यमानमिति वस्तुविशेषणम् । प्रकृते भटिति प्रत्युज्जीवनासम्भवाद् विप्रलम्भासम्भ-  
वति कर्णस्यायिशोकोपादानम् ।

इह व्यङ्ग्येन वस्तुना पोषितस्य विप्रलम्भस्य, वस्तुतः शोकस्थाधिककर्णस्य पार्यान्ति-

प्रतीतिविषयत्वेन न प्रावान्यम्, मरणभावस्य तु प्रायनिक्वचनत्कारिप्रतीतिविषयतया तत्त्व-  
मेति तदध्वनिव्यपदेश एव, न तु रसध्वने, न वा वस्तुध्वनेर्व्यपदेश इत्याशयः ।

उक्त पद्य में 'दयितस्य गुगाननुधमरन्ती-अर्थात् प्रियतम के गुणों का स्मरण करती  
है' इस कथन से यह वस्तु अभिव्यक्त होती है कि 'उस नायिका को अन्तिम अवस्था में  
प्रियतम के गुणों का विस्मरण नहीं हुआ' और इस व्यञ्ज्यमान वस्तु से उक्त पद्य के  
पारा सय से अन्त में अभिव्यक्त होने वाले विप्रलम्भ-शृङ्गार अथवा करुण-रस की  
प्रति होती है। तात्पर्य यह है कि वैसे तो प्रायः भाव-ध्वनि-स्थल में सर्वत्र अन्त में  
कभी न किसी रस की भी ध्वनि होती ही है, परन्तु खालकर मरण-भाव-ध्वनि-स्थल  
में विप्रलम्भ-शृङ्गार अथवा करुण-रस की ध्वनि अन्त में नियतः होती है, अतः यहाँ  
भी अन्त में उक्त दोनों रसों में से किसी एक की अभिव्यक्ति होगी और साथ-साथ यहाँ  
उक्त वस्तु भी ध्वनित हुई है, फिर भी व्यवहार यहाँ भाव-ध्वनि का ही होगा, क्योंकि  
इसके अन्त में उक्त दोनों रसों को आकृष्ट करता है ।

मरणभावस्य विप्रलम्भ-करुणयोरपि पोषकत्वं विषयभेदेन दर्शयति—

अथ च भावः स्वव्यञ्जकवाक्योत्तरवर्तिना वाक्यान्तरेण सन्दर्भघटकेन  
नायिकादे प्रत्युज्जीवनवर्णने विप्रलम्भस्य, अन्यथा तु करुणस्य पोषक  
इति विवेकः ।

अथ मरणरूपो भावः । चत्वर्ये । स्व मरणम् । सन्दर्भ प्रवन्धो महावाक्यमिति  
चावत् । प्रत्युज्जीवन पुनर्जीवनम् । अन्यथा प्रत्युज्जीवनाभावे ।

अथ मरणभाव एकस्मिन् प्रवन्धे स्वव्यञ्जक यद्वाक्य, तदुत्तरवर्तिना वाक्यशेषरूपेण  
यदि केनापि वाक्यान्तरेण नायिकाद्यालम्बनस्य पुनर्जीवन प्रतिपादितं भवति, तदा इत्य-  
विच्छेदाद् विप्रलम्भशृङ्गारस्य पोषकत्वं भवति, पुनर्जीवनस्य वर्णनाभावे तु रतिविच्छेदात्  
करुणस्य पोषक इति विषयभेदादस्य तदुभयपोषकत्वमिति सारम् ।

ऊपर जो यह कहा गया है कि मरण-भाव-ध्वनि-स्थल में शृङ्गार अथवा करुण अन्त  
में अवरय ध्वनित होता है, उससे क्या यह समझा जाय कि दोनों रस ध्वनित होते हैं ?  
या एक ? इसका उत्तर यद्यपि यह अनापाम दिया जा सकता है कि—'एक', क्योंकि दोनों  
का एक जगह ध्वनित होना अयम्भव है, परन्तु 'एक' के निर्णय हो जाने पर भी यह  
सन्देह बना ही रहता कि वह एक कौन ? शृङ्गार अथवा करुण ? यदि परिस्थितिभेद से  
दोनों ही उस 'एक' में जा सकते हैं, यह ग्रन्थ का तात्पर्य समझा जाय, तब यह जिज्ञासा  
स्वभावत उत्पन्न होती है कि 'यह परिस्थिति-भेद' क्या है ? अर्थात् किस परिस्थिति में  
विप्रलम्भ ध्वनित होगा और किस परिस्थिति में करुण ? इस जिज्ञासा की शान्ति के  
लिए यह विवेक करना चाहिये कि—मरण-भाव, सन्दर्भ में, इस वाक्य ( मरण-भाव-  
व्यञ्जक वाक्य ) के अनन्तर आने वाले दूसरे वाक्य से यदि नायिका आदि के पुनर्जीवन  
का वर्णन किया गया हो, तब विप्रलम्भ का अन्यथा करुण का पोषक होता है—अर्थात्  
मरण-भाव-व्यञ्जक वाक्य की अपेक्षा सन्दर्भगत अप्रिम वाक्य से नायिका आदि के  
पुनर्जीवन के वर्णन होने पर विप्रलम्भ-शृङ्गार अन्त में ध्वनित होता है और यदि अप्रिम  
वाक्य से नायिका आदि के पुनर्जीवन का वर्णन हो, तब करुण-रस ध्वनित होता है ।

सुखमरणमुदाहरणकारणं भवति—

कवयः पुनरसु प्राधान्येन न वर्णयन्ति, अमङ्गलप्रायत्वात् ।

पुनरशाब्दस्त्वर्थकः । न वर्णयन्ति शृङ्गार इति शेषः । तदुक्तम्—'रतिविच्छेदहेतुस्वा-  
न्मरण नैव वर्णयते ।' इति । करुणे तु तद्वर्णनमपीष्टमेव, यथा-रघुवशोऽष्टमसर्गं ।

कवि लोग इस मरण-भाव का प्रधानतया वर्णन नहीं करते, क्योंकि यह भाव एक

तरह से अमङ्गल सा है। यह निषेध शृङ्गार रस के विषय में ही समझना चाहिये, कर्म में नहीं अत एव 'रघुवंश' के अष्टम सर्ग में कालिदास ने करुण की पुष्टि के लिये इस रस का वर्णन किया है, शृङ्गार में ही यह निषेध समुचित भी जान पड़ता है, क्योंकि 'रविच्छेदहेतुत्वान्मरणं नैव वर्णयते—अर्थात् रस-विच्छेद का हेतु हो जाने के कारण रस का वर्णन नहीं किया जाता है' के द्वारा जो मरण-वर्णन-निषेध का बीज (रस-विच्छेद दिखलाया गया है, वह शृङ्गार में ही सहृदित होता है करुण में नहीं—अर्थात् मरण-वर्णन से शृङ्गार रस का ही विच्छेद सम्भव है, करुण का नहीं।

वितर्कं निरूपयति—

**सन्देहाद्यनन्तरं जायमान ऊहो वितर्कः ।**

सन्देहात् संशयात्, आदिपदेन विपर्ययाच्चानन्तरं जायमान ऊहोऽध्याहारश्चित्तव्यतिरेकविशेषो वितर्क इत्यर्थः । तदुक्तम्—'तर्को विचार सन्देहाद् भ्रूशिरोऽङ्गुलिनर्तकः ।' इति अत्र 'वितर्कभाव' का लक्षण करते हैं—'सन्देहा' इत्यादि । सन्देह आदि के अनुरूप होने वाला जो ऊह (एक प्रकार का विचार) है, उसे 'वितर्क' कहते हैं।

चिन्तादिव्यावृत्तये वदति—

स च निश्चयानुकूलः ।

प्राक् सन्देहो विपर्ययो वा, मध्ये सम्भावनारूपो वितर्कः, अन्ते च निश्चय इति वितर्कस्यैव निश्चयजनकत्वं, न तु चिन्तादेरिति स्फुटम् ।

वितर्कं निश्चय का जनक होता है—अर्थात् वितर्क के बाद निश्चयात्मकज्ञान उत्पन्न होता है ।

उदाहरति—

‘यदि सा मिथिलेन्द्रनन्दिनी, नितरामेव न विद्यते भुवि ।

अथ मे कथमस्ति जीवित, न विनाऽऽलम्बनमाश्रितस्थितिः ॥’

सा मिथिलेन्द्रनन्दिनी जानकी, यदि नितरामेव भुवि न विद्यते सर्वथा परलोकमेवागात्, अथ तदा, मम रामस्य, जीवित जीवनं, कथं केन प्रकारेणास्ति, यत—आलम्बनमाधार विना, आश्रितस्याधेयस्य, स्थिति कापि न भवतीत्यर्थः ।

जानकीजीवनं विना मञ्जीवनासम्भवान्मञ्जीवनेनैव जानकीजीवन सम्भावनीयमिति सारम् ।

अब इस 'वितर्क-भाव' का उदाहरण लीजिये । यदि जनकनन्दिनी (सीता) पृथिवी पर सर्वथा है ही नहीं—अर्थात् परलोक चली गई, तब फिर मेरा जीवन किस तरह वर्तमान है, क्योंकि आधार के बिना आधेय (आधार में रहने वाला पदार्थ) की स्थिति कहीं नहीं रहती । अभिप्राय यह कि जानकी ही मेरे जीवन का आधार है, उसके नहीं रहने पर मेरे जीवन का नहीं रहना भी निश्चित है । एतावता यह सिद्ध हो गया कि अब मेरा जीवन है, तो जानकी भी कहीं अवश्य जीवित है ।

प्रसङ्ग-विभावानुभावानाह—

स्वात्मनि भगवतो रामस्यैषोक्तिः । भुवि सीताऽस्ति न वेत्ति सन्देहोऽत्र विभावः । भ्रूक्षेप-शिरोऽङ्गुलिनर्तनमाक्षिप्तमनुभावः ।

स्वात्मनि स्वगतं वितर्कणम् । शिरोनर्तनमङ्गुलिनर्तनं वितर्काज्जायते २२ आक्षिप्त शब्दानुक्तत्वात् ।

यह भगवान् रामचन्द्र की अपने मन में उक्ति है । यहां 'सीता पृथ्वीपर है अथवा नहीं' यह सन्देह विभाव है और पद्य में वर्णित न होने पर भी आक्षेप के द्वारा ज्ञात हो चाले भ्रू-चालन और मस्तक तथा अङ्गुलियों का नर्तन अनुभाव है ।

चिन्तैव कुतो न वितर्क इत्याशङ्का निरस्यति—

न चात्तो चिन्तेति शक्यं वदितुम्, चिन्ताया नियमेन निश्चयं प्रत्यप्रयोजन्याम् ।

यत्चिन्ताया कदाचिदेव निश्चयो जायते, वितर्कं तु सर्वदा नियमेन निश्चयो भवतीति चिन्ताना नियतपूर्ववर्तित्वविरहाक्षिप्तयाजनकत्वादितर्काद् भेदो बोध्य इत्यभिप्रायः ।

‘उक्त पद्य में चिन्ता-भाव ही ध्वनित होता है’ यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि चिन्ता नियमतः निश्चय का जनक नहीं होती—अर्थात् चिन्ता से कदाचित् कहीं निश्चयात्क ज्ञान की उत्पत्ति भले ही हो जाय, परन्तु यह नियम नहीं है कि चिन्ता से सदा सर्वत्र निश्चयात्क ज्ञान का उदय होगा ही और वितर्क से नियमतः निश्चय की उत्पत्ति होती है, यही चिन्ता तथा वितर्क में भेद है, अतः प्रकृत पद्य में वितर्क ही ध्वनित होता है, न चात को स्वीकार करने में आपत्ति नहीं होनी चाहिये ।

वितर्कस्यो नियमेनेत्यन्यतुल्ये खातवन्निवेशे प्रमत्तं पुनस्तयोरैक्यं निवारयति—

‘किं भविष्यति’ ‘कथं भविष्यति’ इत्याद्याकारायाश्चिन्ताया ‘इदमित्यं भविष्यति’ इत्याकारस्य वितर्कस्य विषयवैलक्षण्यत्वात् ।

किं भविष्यतीत्याकारकथनरूपचिन्ताया अनिर्धारितो विषय इदमित्यं भविष्यति इत्याकारकस्योक्तैक्येऽपि विषयवैलक्षण्यत्वात् इत्याकारस्य वितर्कस्य तु विधिनिर्धारितो विषय इत्युभयोर्विषयभेदाद् भेद इत्यनिमित्तिव ।

यदि आप कहें कि उक्त वितर्क-लक्षण में ‘नियमतः’ पद का निवेश तो नहीं किया जा, फिर जो भेद उन दोनों में ऊपर दिखलाया गया है, वह कैसे सिद्ध होगा ? इसका उत्तर यह है कि जाने दीजिये, यदि उक्त प्रकार भेद सिद्ध नहीं हो सकता, तो न हो, न दोनों में विषय के भेद से भेद सिद्ध है । विषय-भेद इस प्रकार है कि चिन्ता का आकार होता है ‘किं भविष्यति’ ‘कथं भविष्यति’—अर्थात् ‘क्या होगा’ ‘कैसे होगा’ इत्यादि, तब चिन्ता का विषय अनिर्णीत रहता है और वितर्क का आकार होता है ‘इदमित्यं भविष्यति’ इत्यादि—अर्थात् ‘प्रायः यह ऐसा हो सकता है’ यह सम्भावनात्मक, अतः वितर्क का विषय कुछ निर्णीत सा रहता है ।

नन्वत्र चरनवरणेऽर्थान्तरन्यानाल्लक्षणानां कथं भावध्वनित्वमिष्यत आह—

‘न चिन्ते’त्यादिनोक्तोऽर्थान्तरन्यासोऽप्यस्मिन्नेवानुकूलः ।

सामान्येन विशेषसमर्थनरूपोऽर्थान्तरन्यासात्तद्विरोधेऽपि प्रतीयमानोऽस्मिन् वितर्कभावविरोधकत्वाद्दृष्टव्यं न तु चिन्ताया, तेन नाल्लक्षण्यं न वा चिन्तायाः प्राधान्यं सम्भवीत्याशयः ।

उक्त पद्य में ‘न विनालम्बनमाधित-स्थिति’—अर्थात् ‘विना आधार के आधेय की स्थिति नहीं रहती’ इस कथन के द्वारा जो अर्थान्तरन्यास लक्ष्य वाच्य होता है, वह ही वितर्क में ही अनुकूल पढ़ना है, चिन्ता में नहीं । तात्पर्य यह है कि सामान्य (आधार) विना आधेय की स्थिति का अलम्बन-कथन) से विशेष (जानकी के जीवन के विना) जीवन के जीवन का अलम्बन-वर्णन) का समर्थन करना ही तो यहां अर्थान्तरन्यास लक्ष्य है, जिसमें प्रतिपाद्य वस्तुका निर्णय होता है, तो वितर्क का विषय है, चिन्ता का विषय तो अनुनिर्णीत ही रहता है, फिर उसके समर्थन की आवश्यकता ही नहीं होती ।

विषाद निरवयति—

इष्टामिद्धि-राजगुर्वाद्यपराधादिजन्योऽनुतापो विषादः ।

मरुता प्रदाम्पिनाप्यनीदृश्यं सिद्धे राशौ गुरुत्वात्तन्मेषा नहीयमानपराधाद्योत्पन्नं किमिदं विमिति पक्षात्तानरूपधितवृत्तिविशेषो भाव इत्यर्थः । तदुक्तम्—

‘उपायाभावजन्मा तु विषाद सत्त्वसङ्क्षयः ।

निश्वासासोच्छ्वासहृत्ताप-सहायान्वेषणादिकृत् ॥’ इति ।

अब ‘विषाद-भाव’ का निरूपण करते हैं—‘इष्टा-सिद्धि’ इत्यादि । बहुत प्रयास पर भी अभीष्ट अर्थ के सिद्ध न होने से तथा राजा और गुरु आदि पूज्य जनों राध आदि के करने से उत्पन्न होने वाली ‘यह क्या हुआ’ अथवा ‘मैंने यह क्या इत्याकारक पश्चात्तापस्वरूप चित्त-वृत्ति को ‘विषाद’ कहते हैं ।

उदाहरति—

उदाहरणम्—

कर्णे मृते युद्धविजयाञ्जिराशो दुर्योधन स्वजीवितं व्याहरति—

‘भास्करसूनावस्तं, याते जाते च पाण्डवोत्कर्षे ।

दुर्योधनस्य जीवित ! कथमिव नाद्यापि निर्यासि ? ॥’

हे दुर्योधनस्य कर्णैकप्राणस्य दशाधिकाक्षौहिणीपतिवन्दितस्य प्रबलप्रतापपरा षड्वस्य वा मम जीवित ! भास्करसूनौ सूर्यसुते कर्णे, अस्तं यातेऽन्तं प्राप्ते सति, पाण्डु उत्कर्ष आधिक्ये च जाते सति, अद्यापीदानीमपि, कथमिव कुतो हेतोः, न नियमैव निर्गच्छसीत्यर्थ ।

इह भास्करसूनुत्वेनास्तङ्गतमनौचित्यं सूच्यते । स्वोच्चारितस्य दुर्योधनपदस्य कर्णत्वादिलक्ष्यताऽवच्छेदकविशिष्टे स्ववाच्ये लक्षणया दुःखातिशयव्यञ्जकत्वादर्थान्तरसङ्घातवाच्यध्वनि । इवशब्द खत्वादिवाद् वाक्यालङ्कारे ज्ञेय ।

उदाहरण देखिये । कर्ण के मर जाने के बाद विजय से निराश बने हुये दुर्योधन अपने जीवन के प्रति यह कथन है कि—सूर्य-पुत्र कर्ण के अस्त हो जाने पर ( या पुत्र पद से कर्ण का बोध कराने से उसके अस्तगमन का औचित्य सूचित होता है पाण्डवों के उत्कर्ष ( विजय ) की भी सिद्धि हो जाने पर, हे कर्ण को ही अपना समझने वाले, अथवा ग्यारह अक्षौहिणियों के नायकों से वन्दित होने वाले, किं प्रबल-पराक्रमों से अनेक बार पाण्डवों के छुट्टे छुट्टानेवाले दुर्योधन के जीवन ! तू क्यों नहीं निकल रहा है ? क्या अब भी कोई दुःख देखना शेष है ?

विभावानुभावौ प्रतिपादयति—

अत्र स्वापकर्ष-परोत्कर्षयोर्दर्शनं विभावः, जीवितनिर्याणाशसा, तदवदननमनादि चानुभावः ।

आशांसा कामना । तथाऽऽक्षिप्त सहचरत्वेनागूरितम् । आदिना निष्प्रभत्वादि । यहां अपने अपकर्ष और शत्रुओं के उत्कर्ष का देखना विभाव है और प्राण लने की कामना करना तथा उसके द्वारा आक्षिप्त होने वाला मुख का नम्र होना अनुभाव है ।

विषादध्वनिं प्रकृते द्रढयितुमर्थान्तरध्वनेरङ्गत्वमाचष्टे—

अस्मिन्नेव च विषादध्वनौ दुर्योधनस्येत्यर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्यग्रहकः ।

च हेतौ । अनुप्राहको दुःखातिशयावगमकत्वादुपस्कारको न तु प्रधानम् । इस पद्य में यद्यपि ‘दुर्योधनस्य’ इस लाक्षणिक पद से ( लघुवार्थ का स्वरूप श्लोकार्थ लिखते समय लिखा जा चुका है ) ‘अर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्य’ नामकी ध्वनि भी होती है, तथापि वह प्रधान नहीं है, अपि तु उक्त विषाद-ध्वनि पोषक मात्र है ।

गानध्वनिमाशङ्क्य निरस्यति—

न चात्र त्रामभावध्वनित्वं शङ्क्यन्, परवीरस्य दुर्योधनस्य त्रासलेशस्या-  
योगान् ।

परवीरस्योत्क्रष्टवीरस्य ।

इस पद्य में त्राम-भाव की ध्वनि है, यह शङ्का तो किसी भी तरह नहीं की जा सकती,  
कि उत्क्रष्ट वीर नायक दुर्योधन में लेशतोऽपि त्राम का होना असम्भव है ।

चिन्ताध्वनित्वमप्याशङ्क्य निरस्यति—

नापि चिन्ताध्वनित्वम्, युद्धा मरिष्यामीति तस्य व्यवसायात् ।

युद्धा न त्वत्त्वादि त्यक्त्वा । व्यवसायान्निर्घारणात् । चिन्ताया न निश्चयः ।

चिन्ता-भाव की ध्वनि भी यहां नहीं कही जा सकती, क्योंकि दुर्योधन का यह हृद  
निश्चय है कि 'युद्ध करके ही मरूँगा, धम-स्याग करके नहीं।' तात्पर्य है कि यदि यहां  
चिन्ता होती, तो उक्त निश्चय नहीं हो सकता, कारण यह कि चिन्ता से किसी प्रकार का  
निश्चय नहीं होता यह बात पहले भी प्रसङ्गवश लिखी जा चुकी है ।

दैन्यध्वनित्वमप्याशङ्क्य निरस्यति—

नापि दैन्यध्वनित्वम्, सकलसैन्यक्षयेऽपि विपदस्तेनागणनात् ।

यतो दुर्योधनेन विपदो न गणितास्तस्माद्दुःखादिदैन्यविभावाभावात् दैन्यध्वनि-  
रिति भावः ।

दैन्य-भाव की ध्वनि मानना भी यहां ठीक नहीं, क्योंकि दुर्योधन उस कोटि का मनुष्य  
ही नहीं था, कि कभी दैन्य का अनुभव करे, जब उसके समग्र सैनिकों का विनाश हो  
चुका, तब भी उसने विपत्ति को नहीं गिना ।

वीररसध्वनित्वमप्याशङ्क्य निरस्यति—

न वा वीररसध्वनित्वम्, मरणस्य शरणीकरणे परापकर्षजीवितस्योत्साह-  
स्याभावात् ।

परस्य परिपन्थिनोऽपकर्षो जीवितं प्रधानं यस्य, तादृशोत्साहस्य सर्वथा स्वापकर्षनिर्णये  
मरणमेव शरणमिदानीमिति निर्धारणदशायामसम्भवात्तत्र वीररसध्वनिरिति सारम् ।

वीर-रस की ध्वनि भी यहाँ मानने योग्य नहीं, क्योंकि वीर-रस का स्थायीभाव जो  
उत्साह है, उसका प्राग है, शत्रुओं का अपकर्ष—अर्थात् जब तक शत्रुओं में अपने से  
अपकृष्टता का ज्ञान रहता है, तभी तक उत्साह भी रहता है और यहाँ तो दुर्योधन ने  
शत्रु की शरण ले ली है, जिससे यह सिद्ध हो जाता है कि उसने अब शत्रुओं को अपने  
से अपकृष्ट समझ लिया है, फिर उसमें उत्साह का रहना असम्भव है और उत्साह  
( स्थायीभाव ) के अभाव में वीर-रस-ध्वनि सर्वथा असम्भव है ।

दार्ढ्याय प्रत्युदाहरति—

इदं पुनरत्र नोदाहार्यम्—

व्रतं उत्तरं सारयिर्मर्जुनं कथयति—

‘अधि पवनरयाणा निर्दयानां हयानां,

• श्लथय गतिमहं नो सङ्गरं द्रष्टुमीहे ।

श्रुतिविवरममी मे दारयन्ति प्रकुप्यद्—

भुजगनिभसुजानां त्राहुजानां निनादाः ॥’

अधि सारये । पवनरयाणा वायुतुल्यवेगाना निर्दयाना क्रूराणा हयानामश्वाना गति  
श्लथय मन्दोक्तरु, अहं सङ्गरं युद्धं द्रष्टुं नेहे नेच्छामि, यतः प्रकुप्यन्तोऽतिदुष्यन्तो ये

भुजगा सर्पास्तन्निभास्तत्सदृशा भुजा बाहवो येषां तथाभूतानां बाहुजानां क्षत्रि  
अमी श्रूयमाणा निनादा वीरगर्जितशब्दा, मे मम श्रुतिविवरं कर्णविलं दारयन्ति प  
त्यर्थ' । अत्र 'ममी मे' इति स्वासकृदावृत्तिर्न शोभते ।

'अयि पवनरयाणाम्'..... इत्यादि पद्य को विषाद-ध्वनि के उदाहरण में ना  
चाहिये, जिसका अर्थ यों है—अयि सारथे ! तू पवन के समान वेगवाले इन  
गति को मन्द कर दे, मैं युद्ध देखना नहीं चाहता । क्रुद्ध सर्पों के समान बाहु  
क्षत्रियों के नाद मेरे कानों के छिद्रों को विदीर्ण कर रहे हैं—उन्हें सुन-सुन कर  
के परदे फटे जा रहे हैं । यह कायर विराट-पुत्र 'उत्तर' की अपने सारथि वृहष्पा  
धारी अर्जुन के प्रति उक्ति है ।

उपपादयति—

अत्र त्रासस्यैव प्रतीयमानत्वेन विषादस्याप्रतीतेः ।

उत्तरस्य भीरुत्वप्रकाशेन त्रास एवात्र प्राधान्येन प्रतीयते, न तु विषाद इति न  
चनिरियम् ।

यहाँ त्रास-भाव ही प्रधानतया प्रतीत हो रहा है, जतः विषाद-भाव क  
नहीं हो सकती ।

ननूत्तरीययुद्धोद्यमापराधजानुतापरूपस्य विषादस्यापि प्रतीतिरत्र दुरपलपेत्याशङ्क्या  
लेशतया प्रतीतौ वा त्रास एवानुगुण्यौचित्येन ध्वनिव्यपदेशायोग्यत  
सूक्ष्मतया प्रतीयमानस्याप्यत्र विषादस्य प्रधानव्यङ्ग्यत्रासोपस्कारकत्वमेव, न  
व्यवहारस्य योग्यता ।

यदि कहें कि उत्तर ने जो युद्धोद्योगरूप अपराध किया, तज्जन्य अनुताप (   
का उसमें उदय होना स्वाभाविक है, अतः विषाद की प्रतीति यह। अवश्य होत  
मैं कहूँगा कि—हाँ ! लघुमात्रा में विषाद की प्रतीति यहाँ होती है, यह बात  
परन्तु प्रधानतया अभिष्यक्त होने वाले त्रास का पोषक होना ही उसके लिये  
अतः वह ( विषाद ) इस योग्य नहीं है कि उसको लेकर इस पद्य में ध्वनि का  
किया जा सके ।

औत्सुक्य निरूपयति—

अधुनैवास्य लाभो ममास्त्वितीच्छा, औत्सुक्यम् ।

'अधुनैव न तु विलम्बेन, अस्य वस्तुनो लाभो ममास्तु' इत्याकारिकोत्कटेच्छैव,  
औत्सुक्यमित्यर्थ । तदुक्तम्—

'इष्टानवाप्तेरौत्सुक्य कालक्षेपा सहिष्णुता ।

चित्ततापत्वरस्वेद-दीर्घनिश्चसितादिक्लृत् ॥' इति ।

अव 'औत्सुक्य-भाव' का निरूपण करते हैं—'अधुना' इत्यादि । किसी वस्तु के विप  
में जो इस तरह की इच्छा होती है कि 'अमुक वस्तु मुझे अभी प्राप्त हो जाय' उस (इच्छा)  
को 'औत्सुक्य' कहते हैं ।

विभावमनुभावाश्वाह—

इष्टविरहादिरत्र विभावः, त्वराचिन्तादयोऽनुभावाः ।

अभीष्ट वस्तु का अभाव आदि यहाँ विभाव और शीघ्रता एवम् चिन्ता आ  
अनुभाव होते हैं ।

प्राचीनसम्मतिं दर्शयति—

यदाहुः—

‘सञ्जातमिष्टविरहादुद्दीप्तं प्रियसंस्मृतेः ।

निद्रया तन्द्रया गात्रगौरवेण च चिन्तया ॥

अनुभावितमाख्यातमौत्सुक्य भावकोविदैः ।’ इति ।

प्रियसंस्मरणरूपोद्दीपनविभावदर्शनमिह नवीनम् । अनुभावितमनुभावनव्यापारकर्माकृतम् ।

जैसा कि प्राचीनों ने भी कहा है— सञ्जात’ इत्यादि—अर्थात्—अभीष्ट वस्तु के अभाव से उत्पन्न, प्रिय के स्मरण से उद्दीप्त और निद्रा, तन्द्रा, अङ्गों का भारीपन, एवम् चिन्ता से अनुभावित भाव को भाव-विशेषज्ञों ने ‘औत्सुक्य’ कहा है ।

उदाहरति—

उदाहरणम्—

प्रवामाश्रितवर्तमानो नायक कामयते—

‘निपतद्वाष्पसंरोध-मुक्तचाञ्चल्यतारकम् ।

कदा नयननीलाब्जमालोकेय मृगीदृशः ॥’

निपततो निर्गलतो वाष्पस्याश्रुण संरोधेन संस्तम्भेन मुक्तं त्यक्तं चाञ्चल्यं याभ्यां तादृश्यौ तारके कनीनिके यस्य तथाभूतम्, मृगीदृशो नयननीलाब्ज नेत्रेन्दीवरम्, कदा कस्मिन् क्षणे, आलोकेय पश्येयमित्यर्थ ।

अत्र प्रियानयनदर्शनोत्कटेच्छारूपौत्सुक्यस्य प्राधान्येन प्रतीयमानतया ध्वनिव्यपदेश-हेतुत्वम् ।

उदाहरण देखिये । प्रवास से लौटनेवाला नायक अपने मन में कामना करता है कि—( प्रवाम के लिये मेरी यात्रा के समय अपशकुन के भय से ) जिसकी पुतली ने गिरते हुए आँसुओं के रोकने से चञ्चलता छोड़ दी थी—स्थिर हो रही थी, क्योंकि यदि वह थोड़ी भी हिलती तो सम्भव था कि आँसू गिर पड़ते, मृगाक्षी के उस नयनरूप नीलकमल को कब देखूँगा ।

आवेग निरूपयति—

अनर्थातिगयजनिता चित्तस्य सम्भ्रमाख्या वृत्तिगवेगः ।

अर्थात्तान्यनिष्ठघटनात्मकेनानर्थातिशयेनोत्पादिता सम्भ्रमाख्या त्वरणरूपा चित्तवृत्ति-रद्वेगपरपर्याय आवेग इत्यर्थ । दर्पणे तु हर्षजोऽप्यावेग उच्यते—‘आवेग’ सम्भ्रम-स्तत्र हर्षजे पिण्डिताहता । उत्पातजे स्रस्तताऽह्ने, ध्रुमाद्याकुलताऽभिजे । राजविद्रवजादेन्तु गह्वरनागादियोजनम् । गजादे स्तम्भकम्पादि, पास्वाद्याकुलताऽनिलात् ॥’ इति ।

अथ ‘आवेग’ का निरूपण करते हैं—‘अनर्था’ इत्यादि । अत्यधिक अनर्थों के कारण उत्पन्न होने वाली चित्त की सभ्रम नामक वृत्ति को ‘आवेग’ कहते हैं, जिसका उद्देग भी अपर पर्याय है । दर्पणकार ने तो आवेग को हर्ष-जन्य भी माना है, जैसे—उन्होंने कहा है—‘आवेगः सम्भ्रमस्तत्र हर्षजे पिण्डिताहता । उत्पातजे स्रस्तताह्ने’ इत्यादि—अर्थात् आवेग सम्भ्रम को कहते हैं, वह दो प्रकार का होता है, एक हर्षज, दूसरा उत्पातज । हर्षज आवेग में अङ्गों की मिकुड़न होती है और उत्पातज में अङ्गों की सिधिलता । इत्यादि ।

उदाहरति—

उदाहरणम्—



रामे युद्धार्थमागते रावणभार्योद्विग्ना स्वगत वक्ति—

‘लीलया विहितसिन्धुबन्धनः, सोऽयमेति रघुवंशनन्दनः ।  
दर्पदुर्विलसितो दशाननः, कुत्र यामि ? निकटे कुलक्षयः ॥’

लीलया न त्वायासेन विहित सिन्धोर्बन्धनं येन, तादृश , स वालिवधादिवराक्रमप्रसिद्धः, अयं पुरो लक्ष्यमाण , रघुवंशनन्दनः श्रीराघवः, एत्यागच्छति, न त्वागमिष्यति, दशाननो रावणो मत्पतिश्च दर्पदुर्विलसित स्ववीर्यगर्वाचरितदुर्व्यवहार उत्कृष्टभिमानो वाऽस्तीति कुत्र यामि विपत्प्रतीकारार्थं क्व गच्छामि ? कुलस्य वंशस्य न त्वेकस्य क्षयो नाशो निकटे सन्निधावस्तीत्यर्थः ।

उदाहरण देखिये—लीला से समुद्र में सेतु तैयार कर देने वाले वे-वालि आदि का बंध करने से प्रसिद्ध—रघुकुलभूषण रामचन्द्र जी आ रहे हैं, न कि आवेंगे और रावण-मेरा पति-है, दर्पान्ध-कर्तव्याकर्तव्य का विचार नहीं करने वाला-किसी भी परिस्थिति में नर नहीं पढ़ने वाला-अब मैं कहाँ जाऊँ, कुल का विनाश निकट आ गया-रक्षा का कोई भी उपाय दिखाई नहीं पड़ता ?

प्रकरणविभावानुभावानाह—

एषा स्वात्मनि मन्दोदर्या उक्तिः, रघुनन्दनागमनसत्र विभावः, कुत्र यामीत्ये तद्व्यङ्ग्यः स्थैर्याभावोऽनुभावः ।

स्थैर्याभावश्चाश्रयम् ।

यह मन्दोदरी की आत्मगत उक्ति है। रामचन्द्र का आगमन यहाँ विभाव है और ‘कुत्र यामि—अर्थात् कहाँ जाऊँ’ इस उक्ति से व्यक्त होने वाला स्थिरता का अभाव ( चञ्चलता ) अनुभाव है ।

चिन्ताध्वनित्वमत्राशङ्क्य निराकरोति—

न चात्र चिन्ता प्राधान्येन व्यज्यत इति शक्यते वक्तुम्, कुत्र यामी स्फुटं प्रतीतेन स्थैर्याभावेनोद्वेगस्येव चिन्ताया अप्रत्यायनात् । परन्त्वावेगचणायां तत्परिपोषकतया गुणत्वेन चिन्ताऽपि विषयीभवति ।

गुणत्वेनाङ्गत्वेन । विषयीभवति प्रतीतिगोचरीभवति । यतोऽत्र कुत्र यामीत्युक्त्या स्पष्टो बोध्यमानश्चाश्रयरूपोऽनुभाव आवेगस्यैव न तु चिन्ताया प्राधान्येन व्यञ्जकः, तस्मान् चिन्ताध्वनि, किन्तु प्रधानीभूता वेगप्रत्ययोपकारकत्वाच्चिन्ताऽपि तत्रैव भासत इति सारम् ।

‘लीलया……’ इत्यादि पद्य में चिन्ता ही प्रधान व्यङ्ग्य है यह शङ्का नहीं करनी चाहिये, क्योंकि ‘कुत्र यामि—कहाँ जाऊँ’ इस कथन के द्वारा प्रतीत होने वाली चञ्चलता से जिस तरह उद्वेग झलकता है, उस तरह चिन्ता नहीं । हाँ, इतनी घात अवश्य है कि ‘आवेग-भाव’ के आस्वाद में उसके पोषक होने के नाते गौरूप से चिन्ता भी विषय होती है ।

जडता निरूपयति—

चिन्तो-त्कण्ठा-भय-विरहे-ष्टानिष्टदर्शनश्रवणादिजन्यावश्यकर्तव्यार्थप्रतिसन्धान-विकला चित्तवृत्तिर्जडता ।

‘चिन्तोत्कर्ष-’ इति पाठान्तरम् । इष्टानिष्टयो प्रियाप्रिययोर्दर्शन श्रवण च । प्रति सन्धानमनुस्मृतिनिर्धारण वा । चिन्तादिजन्याऽवश्यकर्तव्यार्थानुसन्धानशून्या चित्तवृत्तिर्जडतेत्यर्थः ।

जब 'जड़ता' का निरूपण करते हैं—'चिन्ता' इत्यादि। उस चित्त-वृत्ति को 'जड़ता' कहते हैं, जिसका जन्म चिन्ता, उत्कण्ठा, भय, विरह और प्रिय-जन के अनिष्ट देखने-सुनने आदि से हुआ हो, एवम् जिस (चित्तवृत्ति) में अवश्य करने योग्य कार्यों का स्मरण अथवा निर्णय न होने पावे।

जडताया मोहात् प्राक् पश्चाच्चोत्पत्तिमाह—

इयं च मोहात् पूर्वतः परतश्च जायते ।

इयं जडता मोहात् पूर्वा परा च चित्तस्य वृत्तिरित्यर्थ ।

यह जडता मोह से पहले तथा पीछे भी हुआ करती है।

तत्र प्राचीनसम्मतिं दर्शयति—

यदाहुः—

'कार्याविवेको जडता पश्यत' शृण्वतोऽपि वा ।

तद्विभावाः प्रियानिष्टदर्शनश्रवणौ रुजा ॥

अनुभावास्त्वमी तूष्णीम्भाव-विस्मरणादयः ।

सा पूर्वं परतो वा स्यान्मोहादिति विदां मतम् ॥'

ज शब्द 'समुच्चयार्थक' । विदां रसाद्यास्वादकुशलानाम् ।

जैसा कि प्राचीनों ने भी कहा है 'कार्याविवेको' इत्यादि-अर्थात् देखते तथा सुनते हुये भी कर्तव्य का विवेक न होना जडता कहलाती है। प्रिय अथवा प्रिया के अनिष्टों का देखना-सुनना, तथा किसी प्रकार की दुस्सह पीडा ये उसके विभाव हैं, और चुप हो जाना मूल जाना आदि अनुभाव हैं। वह मोह से पहले पीछे भी उत्पन्न हुआ करती है। यह विज्ञों का मत है।

उदाहरति—

उदाहरणम्—

विरहिणी सहचरी व्याहरति—

'यदवधि दयितो विलोचनाभ्यां, सहचरि । दैववशेन दूरतोऽभूत् ।

तदवधि शिथिलीकृतो मदीयै-रथकरणैः प्रणयो निजक्रियासु ॥'

हे सहचरि 'दैववशेन भाग्यन्वितपर्ययेण, दयित प्रिय, विलोचनाभ्यां दूरतोऽभूत् परोक्षमगत्, तदवधि मदीयै करणैश्श्रवणादिभि, निजक्रियासु स्वजन्यप्रनोन्वाढकव्यापारेषु, प्रणय आसक्ति, शिथिलीकृता न्यूनीकृतेत्यर्थ' । इहायशब्दोऽनुप्रासमात्रप्रयोजनक' । 'प्रणयो लज' इत्यत्र सन्धावश्लीलत्वम् ।

उदाहरण लीजिये। कोई विरहिणी सखी से कहती है कि—हे सदा साथ रहने वाली नगि । दुर्भाग्य-वश जब से प्रियतम लाखों से ओझल हुये, तब से मेरी इन्द्रियों ने अपने श्यापारों से प्रेम करना छोड़ दिया-अर्थात् तब से न मुझे लाखों से सृष्टता, न कानों से सुनाई पड़ता, न त्वचा से स्पर्श का बंध होता, न नाक से किसी चीज की गन्ध का पता चलता और न जिह्वा से किसी रस का स्वाद ही परख में जाता है। तात्पर्य यह कि नमी इन्द्रियाँ बेकार हो गई हैं।

विभावानुभावौ प्रतिपादयति—

प्रियविरहोऽत्र विभावः. करणैश्श्रवणादिभिः क्रियासु तत्तन्प्रमितिषु प्रणयस्य शिथिलीकरणमनुभावः ।

तत्तन्प्रमितिषु चाहुपादि-प्रत्यक्षरूपात् ।

यहा प्रिय का विरह विभाव है और लाख-कान आदि इन्द्रियों का क्षपने-अपने व्या-

पारो-अर्थात् ज्ञानों में प्रेम शिथिल कर देना-आँख आदि से रूप आदि का जैसा चाहिये वैसा ज्ञान न होना अनुभाव है ।

मोहान्बद्धताया वैलक्षण्यं दर्शयति—

मोहे चक्षुरादिभिश्चाक्षुषादेरजननम्, इह तु प्रकारविशेषवैशिष्ट्येन बाहुल्येनाजननमिति तस्मादस्य विशेषः ।

प्रकारविशेषवैशिष्ट्येन समुचिततत्तत्प्रकारकत्वेन । बाहुल्येन भूमा, तेन क्वचिदुचित प्रकारकप्रतीतिजननमनुमन्यते । मोहे चक्षुरादीना सर्वथा व्यापारविरामाच्चाक्षुषादिप्रत्यक्षाणा मनुत्पत्तिरेव, जडतायां तु चक्षुरादीना व्यापारस्य शैथिल्याच्च तु विरामात्, चाक्षुषादिप्रत्यक्षाणां समुचितै प्रकारैरनुत्पत्तिर्न त्वनुचितैः प्रकारैरनुत्पत्ति, क्वचित्तूचितेनापि प्रकारेणोत्पत्तिरिति मोहजडतयोः कार्यभेदाद्भेद इत्याशयः ।

मोह और जडता में यह भेद है कि-मोह में चक्षुरादि इन्द्रियाँ सर्वथा व्यापार हीन हो जाती हैं, जिससे चाक्षुष आदि ज्ञानों की उत्पत्ति ही नहीं होती, परन्तु जडता में ऐसी घात नहीं होती-अर्थात् उसमें चक्षुरादि इन्द्रियों का व्यापार सर्वथा नष्ट नहीं होता, वरन् शिथिल मात्र पड़ जाता है, जिससे चाक्षुषादि प्रत्यक्षों की उत्पत्ति तो होती है, किन्तु समुचित प्रकार से नहीं होती । तात्पर्य यह कि मोह में आँखों से सूझता ही नहीं और जडता में सूझता तो है, पर विशेषरूप से परिचय नहीं हो पाता । इसी तरह अन्य इन्द्रियों के सम्बन्ध में भी समझना चाहिये । यहां मूल में 'बाहुल्येन' पद आया है, जिसका अर्थ प्रायः है कि जडता में कभी कभी इन्द्रियों से समुचित ज्ञान भी हो जाता है, पर मोह में कभी भी वैसा नहीं होता ।

उक्तं समर्थयति—

अत एवोदाहरणे-‘शिथिलीकृतः’ इत्युक्तं, न तु ‘त्यक्तः’ इति ।

अत एव जडताया चक्षुरादिभिः स्वव्यापारात्यागादेव ।

जिस लिये जडता में इन्द्रियों के व्यापार सर्वथा नष्ट नहीं होते, किन्तु शिथिल मात्र पड़ते हैं, अत एव 'यदवधि'..... इत्यादि उदाहरण में 'शिथिलीकृतः' अर्थात् 'शिथिल कर दिया' ऐसा ही कहा गया है, 'त्यक्तः' अर्थात् 'छोड़ दिया' ऐसा नहीं कहा गया ।

आलस्य निरूपयति—

अतितृप्ति-गर्भ-व्याधि-श्रमादिजन्या चेतसः क्रियाऽनुमुखताऽऽलस्यम् ।

अत्र क्रियानुमुखता यदि व्यापारविषयकप्रवृत्तिप्रयोजकत्वाभाव, तदाऽभावरूपतयाऽऽलस्यं भावो न भवेत्, तस्माज्जाड्यविशेषात्मकं क्रियामान्यर्थमेवालस्यम् । तदुक्तम्-‘आलस्य श्रमगर्भाद्यैर्जाड्य जृम्भाऽऽसितादिकृत्’ इति । न चैव जडतया सहभेदापत्ति जडतया प्रकारव्यत्यासेन चाक्षुषादिज्ञानजनकत्वम्, अस्य तु समुचितेनैव प्रकारेणेति 'कार्यभेदेनोभयोर्भेदस्य जागरूकत्वादिति विभावनीयम् ।

अथ आलस्य का निरूपण करते हैं-‘अतितृप्ति’ इत्यादि । अस्यन्त तृप्ति, गम रोग और परिश्रम आदि के कारण चित्त का कर्तव्य-क्रियायों के प्रति उन्मुख न होना 'आलस्य' है ।

पुनर्जडता-ग्लानिभ्यामालस्यं व्यतिरेचयति—

अत्र च नासामर्थ्यम्, नापि कार्याकार्यविवेकशून्यत्वम् । तेन कार्याकरणरूपस्यानुभावस्य तुल्यत्वेऽपि, ग्लानेर्जडतायाश्चास्य भेदः ।

ग्लानौ जडतायामालस्ये च कार्याकरणरूपोऽनुभाव एक एवेति तेषामभेदो न शक्यनीय

नलस्य इति ग्लानिने भेदस्य, जडताया कार्याकार्यविवेकान्यत्वं नलस्य इति जडताग्रथ भेदस्य स्फुटत्वादिति तात्पर्यम् ।

ग्लानि, जडता और बालस्य इन तीनों ही भावों में 'कार्यों का न करना' रूप अनुभवमान है अर्थात् उक्त तीनों भावों की स्थिति में मनुष्य व्यापारहीन हो जाता है, अतः इन तीनों भावों में अनेक की-अर्थात् ये तीनों भाव एक ही हैं, भिन्न नहीं, इस तरह की शक्य नहीं करनी चाहिये, क्योंकि ग्लानि में कार्य करने की शक्ति नहीं रह जाती और बालस्य में वह रहती है, अतः ग्लानि से एव जडता में कर्तव्याकर्तव्य का विवेक नष्ट हो जाता है और बालस्य में वह नष्ट नहीं होता, अतः जडता से भी 'बालस्य' भिन्न ही है ।

उदाहरति—

उदाहरणम्—

रजनीं रजनीं पृच्छन्तीं सर्वांमलना वदति—

'निखिलां रजनीं प्रियेण दूरा-दुपयानेन विवोधिता कथाभिः ।

अधिकं न हि पारयामि वक्तुं सखि । ना जल्प तवायसी रसज्ञा ॥'

हे सखि 'दूराद्विप्रदृष्टदेशाद् उपयानेनोपागतेन, प्रियेण, कथानिर्विविधवार्तालपैः, ( हेतुभिः ) लज्जाभिर्वा, निखिला सनस्ता रजनीमन्विय्याप्य, विवोधिता जागरिताऽस्मीत्यहं ननु विक्र बहु न क्तुं न पारयामि न शक्नोमि, तं ना जल्प सुहृता प्राणी, तव रसज्ञा इति, अयसी तौ हनिन्ति ताऽस्ति, यदेवं जल्पनेऽपि न भ्रान्त्यतीत्यर्थः ।

लज्जान्नापि उपायसी रसज्ञा स्यात् तदेव सकलप्ररत्नानामुत्तरं वक्तुं शक्नुयादिति भावः ।  
उदाहरण लज्जिने—पतिदेव दूर से लाये थे, ( यहाँ 'दूर' पद यद्यपि देशकृत दूरी का ही बोधक है, परन्तु व्यञ्जनया वह कालकृत दूरी का भी बोधक होता है—अर्थात् 'दूर मे लाये थे' इस कथन से यह व्यङ्ग्य होता है कि 'दिलम्ब से लाये थे' ) वे, मुझे कथाओं से-विविध वार्तालापों से-रात भर जगाये रहे । अतः मैं अधिक बोल नहीं सकती, तू बात न कर, मातुम पडता है तेरी रसज्ञा ( रसना-जिह्वा ) लोहे की बनी है, यह बात नहीं है कि वह रस का ज्ञान करने के लिये ही बार-बार प्रयास कर रही है, फिर भी तम निगेटी को बार-बार व्यापार करने में रुद्ध भी तो धकना चाहिये, पर वह तो पडती ही नहीं ।

इति- प्रतिपादयति—

एषा हि प्रियागमनद्वितीयदिवसे सुहृन्निशावृत्तान्तं पृच्छन्तीं सर्वां प्रति रज-निजागरणजनितालस्याया कस्याश्चिदुक्तिः ।

उन्मिन् दिने द्विय आगतस्तस्माद् द्वितीयास्तिन् दिने ।

यह, पति के आगमन के द्वितीय दिन में, पुनः पुनः रात का समाचार पृच्छनी हुई मैंने के प्रति, रात्रि-जागरण से बलसाई हुई किसी नायिका का कथन है ।

विनवन्नुभावौ प्रकशयति—

अत्र रजनिजागरणं विभावः, अधिकसन्भाषणाभावोऽनुभावः ।

यहां रात्रि का जागरण विभाव और अधिक वार्तालाप का अभाव अनुभाव है ।

उदाहरण-अन्त्ये वैलम्ब्यान्तरं वर्णयति—

जडतायां मोहान् पूर्ववर्तित्वमुत्तरवर्तित्वं वा नियमम्, न तत्रेत्यपरो विरोधः ।

रजनिनियमेन मोहान् पूर्व पर वर्तयते, न तत्रेत्यन्वित्वमप्येतेऽप्यपि दोष इत्यादि ।

'जडता-भाव' के विषय में यह नियम है कि वह मोह से पहले व्यवा पड़े हुआ वर्तनी है पर बालस्य में ऐसा नियम नहीं है अर्थात् 'बालस्य भाव' के पूर्व व्यवा पश्चात्

मोह का होना आवश्यक नहीं है' यह भी एक जड़ता से आलस्य में भेद है। इस भेद मान पाठकों को ऊपर के उदाहरण में अवश्य होना चाहिये, अत एव उदाहरण विलाने बाद इस विषय की चर्चा की गई है।

ननु सुरतलीलानामतिगोप्यत्वात् तत्रैव कथाशब्दस्य जहत्स्वार्थलक्षणायां व्यङ्ग्यश्रमातिशय एव प्रधानमिह स्यादित्याशङ्कामंशतोऽभ्युपगमेन निरस्यति—

गोपनीयविषयत्वाद् यदि कथाभिरित्यविवक्षितवाच्यम्, तदा श्रमोऽपरिपोषकः, श्रमजन्ये ह्यालस्ये श्रमस्य पोषकताया अवार्यत्वात्।

इह कथाभिरित्यत्र लक्षणामूलव्यञ्जनया श्रमस्य बोध्यत्वमभ्युपगम्यते, किन्तु श्रमस्य व्यङ्ग्यत्वेऽपि, जनकत्वेनालस्यपोषकतयाऽङ्गत्वमेव, न प्राधान्यमतो न श्रमघ्निरित्यभिसिन्धि।

यहाँ एक और भी बहुत ही मार्मिक अत एव समझ लेने योग्य विचार यह है कि—कथा 'निखिलां रजनीम्'... इत्यादि पूर्वोक्त पद्य में 'कथाभिः' यह पद वाच्य वार्तालापरूप अर्थ का बोध करा कर कृतार्थ हो जाता है? कभी नहीं, यद्यपि आगे की जागरणोक्ति उस अर्थ से भी उपपन्न सी लगती है तथापि जागरण की वार्तालापहेतुक उपपत्ति भावुकों के हृदय में रमती नहीं, रमना तो दूर रहे, उस उपपत्ति के मूल में तथ्य का घल है ही नहीं, अत एव वह उपपत्ति बाधित है—चिरकाल पर मिले हुये दग्गपत्ति वार्ता में ही रात बिता देंगे, क्या यह सम्भव है? नहीं, निधुवन-विनोद के बिना उनमें प्रमोद असम्भव है। बोलने वाली नायिका का भी 'कथाभिः' पद से सुरत-सम्भोग का बोध करना ही उद्देश्य है, हाँ, वाच्य-वृत्त्या उस गोपनीय अर्थ का बोध कराकर वह निर्लज्ज नहीं बनना चाहती, अत एव 'लीलाभिः' न कह कर उसने 'कथाभिः' कहा, जिसका वाच्य (वार्तालाप) अर्थ अविवक्षित है—अर्थात् वह पद सुरतरूप अर्थ में लाक्षणिक है, इस तरह वाच्यार्थ-ज्ञान की शक्ति से कुछ अधिक शक्ति अर्जित करने वाले सहृदय भले ही उस पद के लक्ष्यार्थ (सम्भोग) को समझ लें, पर वक्त्री नायिका, सकल साधारण जनों से दी जाने वाली 'निर्लज्जा' उपाधि से तो बच ही गई। एक बात और, वह यह कि उक्त प्रकार से 'कथाभिः' पद को सम्भोगरूप अर्थ में लाक्षणिक मान लेने पर इस पद्य का इङ्कित निम्नलिखित अर्थ की ओर भी मुझे प्रतीत होता है। सरस समयस्का सखी, चिरमिलित प्रियतम के साथ, रात बिता कर प्रातःकाल मिली हुई सखी से, रात्रिकृत-सम्भोग-सुख की बात, खोद खोद कर, पूछ रही है। परन्तु सलज्जा नायिका साफ साफ वह बात कहना न ही चाहती और हृधर उधर की घातें घता कर उस बात का आभास करा देने पर भी सखी मानती नहीं, आखिर आजिज आकर नायिका उससे कहती है कि—कह तो दिया, दूर से आये हुये प्रिय के साथ कथा करने में रात भर जगी रही, अधिक बोल बुलवा कर तड़ मत करो, मैं समझती तो हूँ कि—तू मुझसे साफ शब्दों में कुछ कहलाना चाहती है, पर मैं इससे अधिक कुछ न कहूँगी, कह भी नहीं सकती, बोलने में 'आलस्य' हो रहा है और साफ साफ कहने में रस भी नहीं आता, तू जो अपनी बात साफ साफ लोगों से कहती फिरती है, वह तो इसलिये कि तेरी जिह्वा नाममात्र की रसज्ञा है, वस्तुतः वह लौह निर्मित पट्टिका है, अतः संक्षिप्त कथन में रस का अनुभव नहीं कर पाती। इस तरह जीभ को लौहमय कह कर उस जीभ वाली पर भी यह आक्षेप किया गया कि तू लोहे की बनी है, तेरा हृदय लोहे का बना है, नहीं तो, इस तरह क्यों पूछती? मेरे 'कथा' पद का लक्ष्यार्थ को क्यों नहीं समझती?

यद्यपि इस तरह की व्याख्या किसी ने अभी तक कहीं लिखी नहीं, पर मेरे मन में लगा कि यह व्याख्या भी हो सकती है, वस, लेखनी ने उसको कागज पर उतार दिया, अब इसका निर्णय सदसद् विवेक पाठक ही करेंगे। अस्तु, प्रकृत में ग्रन्थकार का कथन है कि यदि उक्त रीति से 'कथाभिः' पद को अविवक्षितवाच्य (लाक्षणिक) मानना युक्ति सङ्गत है, तब तो उस लाक्षणिक पद के लक्ष्यार्थ (सम्भोग)

'श्रम-भाव' नवे में व्यङ्ग्य होगा, फिर भी उसी की ध्वनि यहाँ क्यों नहीं मानते ?  
 चका उत्तर यह है कि—जब आलस्य की उत्पत्ति में श्रम को एक पृथक् कारण कहा  
 जा है, तब तो श्रमज-आलस्य-स्थल में उसकी प्रतीति होगी ही, पर, पितृस्थानीय  
 श्रम के माने पुत्रस्थानीय आलस्य के पोषकरूप में ही। अतः श्रम से परिपोषित  
 आलस्यभाव को प्रधानतया ध्वनित होने में कोई बाधा नहीं, क्योंकि पोषक श्रम  
 जग पद जाता है।

ननु श्रमात्स्ययो सर्वत्र सद्दीर्घविषयत्वे विभावभेदोक्तिरफलात्त्यादित्याशङ्कानपनयति—  
 अतिवृष्याद्विजनिते त्वालस्ये श्रमाद् विविक्तविषयत्व बोध्यम् ।

आदिना गर्भादिप्रवृत्तम् । श्रमजन्य एवालस्ये श्रमसद्दीर्घविषयता, गर्भादिजन्ये तु  
 विविक्तविषयता एव सन्नात्र विभावभेदोक्तेर्नैकान्यमिति भावः ।

यदि भ्रमभाव से अनिश्रित आलस्यभाव का उदाहरण कहाँ होगा, यह समझना चाहें,  
 तो—अतिवृत्ति आदि कारणों से उत्पन्न 'आलस्य' में समझिये।

अन्या निरुच्यति—

परोत्कर्षदर्शनादिजन्यः परनिन्दादिकारणीभूतश्चित्तवृत्तिविशेषोऽसूया ।

असूयायां परोत्कर्षदर्शनादयो विभावाः, परनिन्दादयश्चानुभावाः । तदुक्तम्—

'असूयाऽन्यगुणद्वीनानौद्धत्यादसहिष्णुता ।

दोषोद्घोष-त्रुविभेदावहा-त्रोषेक्षितादिदृशू ॥' इति ।

त्रोषेक्षितानि निजावरदंशनादीनि ।

जब 'असूया-भाव' का निरूपण करते हैं—'परोत्कर्ष' इत्यादि। उम चित्त-वृत्ति  
 का नाम 'असूया' है, जिसके, विभाव (कारण) दूसरे का उत्कर्ष देखना आदि हैं और  
 अनुभाव (कार्य) दूसरे की निन्दा आदि हैं।

असूयायां सञ्ज्ञान्तरमाह—

इनामेवासहनादिशब्दैर्व्यवहरन्ति ।

इनामसूयाम् । असहनमसहिष्णुता ।

इसी असूया को 'असहन' अथवा 'असहिष्णुता' आदि शब्दों से भी कहते हैं।

उदाहरति—

यथा—

गमोत्कर्षमज्ञमाना राजानो वदन्ति—

'कुत्र शैवं धनुरिदं, क चाय प्राकृतः शिशुः ।

भङ्गस्तु सर्वसंहर्त्रा, कालेनैव विनिर्मितः ॥'

इदं गैवं शिवसन्धन्वि वतु कुत्र ? अयं प्राकृतो मानव शिशुर्वालो रामश्च क्वास्ति,  
 दुनयोर्धनया असन्भवत्, धनुषोभङ्गस्तु, सर्वेषां न्यावरजज्ञानानां संहर्त्रा विनागकेन  
 कालेनैव ननु रामेण विनिर्मितः कृतोऽभूदित्यर्थः । विनिर्मति रचनायानेव प्रयोगः क्वि-  
 न्द्राद्यभिदोऽपीहान्यदाकृत इत्याल्लेचनीयम् ।

जैसे—कहाँ यह शिव का धनुष और कहाँ यह साधारण मानव-बालक, इसका भङ्ग तो  
 पार के अमन्त पदार्थों का सहार करनेवाला काल ने ही कर दिया। तान्पर यह है कि  
 तत्काल तक पड़े रहने के कारण, यह धनुष अपने आप ही शीर्ष हो गया था अन्यथा  
 पका भङ्ग करना इस साधारण सत्रियकुमार-रामचन्द्र-के वश का नहीं है।

प्रकरण-विभावानुभावान् दर्शयति—

एषा भङ्गहरकामुकस्य रामस्य पराक्रममसहमानानां तत्रत्यानां राजामुक्तिः ।

राम, २६ २० गं०

अत्र च श्रीमहाशरथिबलस्य सर्वोत्कृष्टताया दर्शनं विभावः, प्राकृतशिशुपदगान्निन्दाऽनुभावः ।

तत्रत्यानां सीतापरिणयनार्थमुपस्थितानाम् ।

यह, शिव-धनुष को तोड़ने वाले रामचन्द्र के पराक्रम को न सहते हुए-उस समापस्थित राजाओं का कथन है । यहां श्रीमान् दशरथतनय रामचन्द्रजी के बलमें सर्वोत्कृष्टता का ज्ञान विभाव है और 'प्राकृतशिशु-साधारण बालक' इस पद से व्यक्त होने वाले राम की निन्दा अनुभाव है ।

शुद्धामसूयामुदाहृत्यामर्षसङ्कीर्णामुदाहरति—

‘तृष्णालोलविलोचने कलयति प्राचीं चकोरव्रजे,  
मौनं मुञ्चति किञ्च कैरवकुले कामे धनुर्धुन्वति ।  
माने मानवती जनस्य सपदि प्रस्थातुकामेऽधुना,  
धातः । किं नु विधौ विधातुमुचितो धाराधराढम्बरः ॥’

उद्यन्तमेव चन्द्रमम्बुदैराच्छन्नमुदीचय सकलघटनासम्पादकं विधातारं कश्चिदाक्रे हेधातविधे । अधुना रजनीमुखे चन्द्रोदयावसरे, तृष्णया चन्द्रिकापिपासया लोले विलोचने तादृशे, चकोरव्रजे जीवञ्जीवसमूहे, प्राचीं दिशं कलयति पश्यति सति, किञ्च कैरवकुमुदसमुदये, मौनं दैनिकमुद्रणं मुञ्चति त्यजति सति, तथा कामे मन्मथे सहायसम्विजयाय धनुर्धुन्वति बाणमारोपयितुमधिज्यं कुर्वति कम्पयति वा सति, अपि च माने जनस्य भामिनीनिकरस्य माने प्रणयकोपे, स्वावस्थानासम्भावनामालोच्य सपदि प्रस्थातुकामे प्रयियासति सति, विधौ चन्द्रे, धाराधराढम्बरो मेघाच्छादनं, किं नु विधातुमुचितो युक्तः ? कथमपि नोचित इत्यर्थः ।

अब असूयाभाव का एक ऐसा उदाहरण उपस्थित करते हैं, जिसमें अमर्षभाविमिश्रण हुआ है—उदीयमान चन्द्र को अकस्मात् घन-घटा से आच्छन्न होते हुए दे कोई सहृदय पुरुष विधाता को कोसता है कि—हे विधे ! अभी-जब कि चन्द्र-ज्योत्सना-लोलुप चकोर-चय, पूरव दिशा की ओर आशा-भरी अत एव चञ्चल नजरों से रहा है, कुमुद-कुल-दिवस-कृत मुद्रण को छोड़ रहा है—विकसित हो रहा है, का अपने धनुष को धुन रहा है—कपा-कपा कर टट्टार शब्द कर रहा है, और मानिनिमान शीघ्र भागने ही वाला है—अकस्मात् इस तरह 'चन्द्रमा पर मेघ का आवरण देना क्या तेरा समुचित है ? कभी नहीं, यह आपने बहुत बुरा काम किया ।

व्यपादयति—

अत्रापि यद्यपि तदीयोच्छृङ्खलतादि[दर्शन]जन्या, अनुचितकारित्वरूपनिप्रकाशानुभाविता, कविगता, विधात्रालम्बनाऽसूया व्यज्यत इति शक्यते क्वत्थापि कार्यकारणयोस्तुल्यत्वादभिव्यक्तेनामर्षेण शवलितैवासौ न विवित्तप्रतीयते ।

तदीया विधातृसम्बन्धिनी, उच्छृङ्खलता स्वच्छन्दान्वारिता । प्रकाश प्रत्यय । । त्रालम्बना विधातृविषयिका । कार्यकारणयोस्तुल्यत्वादसूयाऽमर्षयोरनुभावविभावयोस्कालोपस्थितत्वात् ।

‘तृष्णो’त्याद्युदाहरणे यद्यप्यसूया प्रतीयते, किन्तु साऽमर्षेण सङ्कीर्णतया न तस्मात्त्वेदं शुद्धामसूयोदाहरणमिति तात्पर्यम् ।

यहां भी विधाता के विषय में कविकी असूया अभिव्यक्त होती है जिसका विभाव पद्य में वर्णित विधाता की उच्छृङ्खलता है और अनुभाव है, प्रतीति-पद्य में आने

तुचितकारितारूप विधाता की निन्दा, यह बात यद्यपि कही जा सकती है, तथापि तना अवश्य मानना पड़ेगा कि यहां शुद्ध असूया की पृथक् प्रतीति नहीं होती, वरन, असूया के जो अनुभाव-विभाव ( कार्य कारण ) हैं, उन्हीं से अभिव्यक्त होने वाले अमर्ष-भाव से मिश्रित असूया की ही प्रतीति होती है। सारांश यह हुआ कि यहा उक्त (असूया और अमर्ष) भाव-द्वय-ध्वनियों का सकर है, यही कहना समुचित है।

ननु 'कुत्र शैवम्' इत्यादावप्यमर्षेण ननु शैवासूया प्रतीयत इत्युदाहरणद्वयस्य तुल्य-वेत्यत आह—

नहि विधातुरपराध इव भगवतो रामस्यापराधोऽस्ति, येन कवेरिव वीराणामप्यमर्षोऽभिव्यज्येत ।

यथाऽत्र विधातुरपराधान् तस्मिन् कवेरमर्ष, न तथा तत्र रामस्यापराधोऽस्ति, येन वीराणां राजामर्ष प्रतीयेत, तस्मात्तत्रामर्षप्रतीते शुद्धोदाहरणमेव तदित्याशय ।

'तृष्णालो' इत्यादि पद्य में जैसे विधाता के अपराधी होने के कारण उनमें त्वि का अमर्ष व्यक्त होता है, वैसे 'कुत्र शैवम्' इत्यादि प्रथम असूया-भाव के उदाहरण में वीरों का राम के प्रति अमर्ष व्यक्त नहीं हो सकता, क्योंकि राम अपराधी नहीं हैं, अतः यह शक्य की जा सकती है कि, वह उदाहरण भी अमर्ष-मिश्रित असूया का है। तापर्य यह कि उस उदाहरण को शुद्ध असूया-भाव का समझना चाहिये।

ननु तत्रापि रामस्य शैवधनुर्भङ्गनमेवापराध इत्यतोऽभिधत्ते—

स्वभावो हि महोन्नतक्रियानिष्पादन वीराणाम् ।

यतोऽन्युकृष्टकार्यकरण वीराणां स्वभाव एव तेन शैवधनुर्भङ्गनं रामस्य स्वभाव एव नत्वपराध इत्यर्थः ।

यदि कहें कि शिवजी के धनुष को तोड़ डालना क्या राम का अपराध नहीं है ? तो, इसका उत्तर यह होगा कि नहीं, क्योंकि अत्यन्त उन्नत ( जिमको दूसरे न कर सके, दूसरे ) कार्यों का करना वीर-पुरुषों का स्वभाव है—वे किसी को दुःखी बनाने की भावना से ऐसा नहीं करते, अतः शिव-धनुर्भङ्ग करना रामचन्द्रजी के स्वभाव में ला जाता है, इसको उनके अपराधों में नहीं गिन सकते।

नन्वत्र वस्तुनो ध्वननात्तन्मयाध्वनिरित्याशङ्का ननादप्राति—

अत्राप्रस्तुतचन्द्रवृत्तान्तेन प्रस्तुतराजकुमारादिवृत्तान्तस्य ध्वननात्तास्त्यसूयाध्वनित्वमिति तु न वान्यम्. एकध्वनेर्ध्वन्यन्तराविरोधित्वात् ।

चन्द्रोदयानिरिक्रिदिनादिकाले तादृशचन्द्रवृत्तान्तस्याप्रस्तुतत्वम्, कस्मिन्निद्राजकुमारोऽन्युत्कर्षमवलम्बमान एवास्मिन्विपदापातनरूपवृत्तान्तस्य च विवक्षितत्वान् प्रस्तुतत्वम् । एहाप्रस्तुताभिधानेन प्रस्तुत-प्रणनाद् वाच्योऽप्रस्तुतप्रणामालंकारस्तन्नेपितन्तु वस्तुध्वनि । प्रान्तामिह वस्तुध्वनिरपि, न तेनासूयाध्वनेर्हानि, यतो नैकस्य ध्वनेरपरिण ध्वनिना मह विरोध, अपि तु मिय नापेक्षत्वादिषु नाह्येन, नैरपेक्षे तु ननुध्वनिरित्याशय ।

इदन्तु चिन्तनीयम्—

अप्रस्तुतप्रशानाया व्यज्यमानस्य वस्तुनो वाच्योपस्कारकत्वेन गुणाभावेऽपि क्व वस्तुध्वनिरिति ।

यदि क्षाप करे कि यहां वस्तुत चन्द्रमा का वृत्तान्त प्रमद्वप्राप्त नहीं है, अतः यह मानना पड़ेगा कि उसके द्वारा प्रमद्व-प्राप्त राजकुमारादिकों का वृत्तान्त ध्वनित होता है, तापर्य यह है कि 'तृष्णालो' इत्यादि श्लोक चन्द्रोदय से भिन्न काल में उम राजकुमार को लक्ष्य करके कहा गया है, जो मय तरह से उन्नति कर ही रहा था, तब तक



अकस्मात् उसके ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। इस स्थिति में उक्त राजकु वृत्तान्त को ध्वनित करने के लिये ही चन्द्र-वृत्तान्त का वर्णन किया गया है, या अवश्य माननी पड़ेगी और इस तरह से 'अप्रस्तुत से प्रस्तुत का ज्ञान' रूप अ प्रशंसा अलङ्कार ही वाच्य होकर भी प्रधान है, अर्थात् असूया-ध्वनि यहाँ है ही इसका उत्तर यह है कि यदि यहाँ उक्तरीति से प्रस्तुत राजकुमारादिका-वृत्तान्त होता है, तो, हो, उससे असूया-भाव की ध्वनि होने में बाधा नहीं होगी, क्यों ध्वनि का दूसरी ध्वनि का विरोधी होना कोई निश्चित नियम नहीं है।

विरोधाङ्गीकारे दोषं दर्शयति—

अन्यथा महावाक्यध्वनेरवान्तरवाक्यध्वनिभिः, तेषां च पदध्वनिभिः सामानाधिकरण्यं कुत्रापि न स्यात् ।

महावाक्यध्वनि' समस्तप्रबन्धप्रधानव्यङ्ग्य । अवान्तरध्वनयस्तदन्तर्गतवाक्यव्यङ्ग्या । तेषामवान्तरवाक्यध्वनीनाम् । ध्वनिद्वयस्य विरोधाभ्युपगमे सामानाधिकरण्यात् सङ्करसृष्टिव्यवहारविलोप' प्रमज्येतेति भाव' ।

यदि एक ध्वनि दूसरी ध्वनि का विरोध करे—अर्थात् एक ध्वनि दूसरी ध्वनि एक स्थान पर नहीं रह सकती यह सिद्धान्त यदि माना जाय, तब, कहीं भी, २ की ध्वनियों का अवान्तर वाक्यों की ध्वनियों के साथ रहना और अवान्तर वाक्यध्वनियों का पदों की ध्वनियों के साथ रहना सङ्गत ही न हों । सारांश यह कि का सङ्कर आलङ्कारिकों की अभिमत वस्तु है। अतः उक्त पद्य में भी दो ध्वनियों का अनुचित नहीं है ।

अपस्मार निरूपयति—

वियोग-शोक-भय-जुगुप्सादीनामतिशयाद् ग्रहावेशादेश्चोत्पन्नं धिविशेषोऽपस्मारः ।

मनस्तापरूपाणां व्याधीनामन्तर्गतस्यापस्मारस्य चित्तवृत्तिविशेषरूपतया भूतदुष्कम्—'मनश्चेपस्त्वपस्मारो ग्रहाद्यावेशनादिज' । भूपात-कम्प-प्रस्वेद-फेन-कारक' ॥' इति । मनसो नाडीविशेषनिवेशेन घूर्णनं मनश्चेप' । ग्रहा' पूतनादय' ।

अब 'अपस्मार-भाव' का निरूपण करते हैं 'वियोग' इत्यादि । वियोग, इत्यादि तथा घृणा आदि की अधिकता एवं भूत-प्रेत के लग जाने आदि से उत्पन्न । मानसिक व्याधि-विशेष-को 'अपस्मार' कहते हैं ।

व्याधिसामान्योपादानेनैव गतार्थत्वेऽपस्मारस्य पृथगुपादाने प्रयोजनं प्रतिपादयति व्याधित्वेनास्य कथनेऽपि, विशेषाकारेण पुनः कथनं बीभत्स-भय-रस्यैव व्याघेरङ्गत्वं, नान्यस्येति स्फोरणाय ।

विशेषाकारेणापस्मारत्वेन विशेषघर्मेण । स्फोरणाय प्रकाशनाय । बीभत्स-सयोरङ्गत्वमपस्मारस्यैव न तु व्याध्यन्तरस्येति वैलक्षण्यं बोधयितुं पृथगुपादानमिति यद्यपि पूर्व में जो सामान्यतः 'व्याधि-भाव' का निरूपण किया जा चुका है, इस अपस्मार नामक व्याधिका भी कथन हो जाता है, तथापि विशेष रूप (अपस्मार) का कथन इस लिये हुआ है कि 'बीभत्स' और 'भयानक' रस (अपस्मार) व्याधि अङ्ग हो सकती है, अन्य नहीं, यह बात स्पष्ट हो जाय ।

विप्रलम्भे विशेषमाह—

विप्रलम्भे तु व्याध्यन्तरस्यापि च ।

अप्रत्वमिति शेष । विप्रलम्भेऽन्येषां व्याधीनामपत्मारस्य चाप्रत्वमित्यर्थः ।  
विप्रलम्भशृङ्गाररसमें तो क्या अपत्मार, क्या अन्य, सभी व्याधीर्यो बह्न हो सकती हैं ।

उदाहरति—

उदाहरणम्—

श्रीकृष्णागमनभ्रदणाक्षितचित्तस्य कसस्य वृत्तं वर्णयति—

‘हरिमागतमाकण्ये मधुरामन्तकान्तकम् ।

कम्पमानः श्वसन् कसो निपपात महीतले ॥’

कसो भोजपति, अन्तकस्य नर्वमहारकस्याप्यन्तक सहारक, हरि श्रीकृष्ण, मधुरा स्वव्यार्थमागतम्, आकण्य, भयेन, कम्पमान ध्वमध्व महीतले निपपातेत्यर्थः ।

उदाहरण देखिये । कवि, कृष्ण के आगमन को सुनकर विक्षिप्त हुये कस के घृत्तान्त का वर्णन करता है कि—अन्तक ( यमराज ) का भी अन्त करने वाले भगवान् कृष्णचन्द्र को मधुरा में अपने वध के लिये आगत सुनकर, कस काँपता हुआ तथा श्वास खींचता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा ।

विभावमनुभावाक्षाह—

अत्र भय विभावः, कम्प-श्वास-पतनादयोऽनुभावाः ।

यहाँ भय विभाव है और काँपना, श्वास खींचना तथा गिरना आदि अनुभाव हैं ।

चपलता निरूपयति—

अमर्षादिजन्या वाक्पारुष्यादिकारणीभूता चित्तवृत्तिश्चपलता ।

अत्रामर्षादिजन्यवागित्यादि पाठस्तु विशेषद्वयस्य ‘गुणानां च परार्थत्वादसम्बन्धः नमत्तान्’ इति नीनासकसिद्धान्तेनान्वयानम्भवान् समासस्य दुर्बलतयोपेक्षितः । अमर्षादि-जन्या वाक्पारुष्यादिजनिका च चित्तवृत्तिश्चपलतेत्यर्थः ।

जब ‘चपलता’ का निरूपण करते हैं—‘अमर्षा इत्यादि । अमर्ष आदि विभावों से उत्पन्न होने वाली और क्रुद्धभाषण आदि अनुभावों को उत्पन्न करने वाली चित्त-वृत्ति ‘चपलता’ कहलाती है ।

प्राचीनमन्मति दर्शयति—

यदाहुः—

‘अमर्ष-प्रातिकुन्ध्यैर्या-राग-द्वेषाश्च मत्सरः ।

इति यत्र विभावाः स्युः रनुभावस्तु भर्त्सनम् ॥

वाक्पारुष्य प्रहारश्च ताडनं वध-दन्धने ।

तन्नापलमनालोच्य कार्यकारित्वमुच्यते ॥’ इति ।

प्रातिकूल्य विरदावरणम् । चकारो भिन्नम् । प्रहारोऽन्तादिभिः । ताडनं हस्तपादादिभिः । ननालोच्य दुर्बलवृत्तिविचारमहत्त्वा कार्यकारित्वम् ।

जैसा कि प्राचीनों ने भी कहा है ‘अमर्ष-प्रतिकुन्ध्यैर्या इत्यादि । अर्थात् जिन चित्त-वृत्ति में अमर्ष, प्रतिकूलता, ईर्ष्या, प्रेम, द्वेष और अमहिष्युता ये विभाव हों और धनकाना, उचन की कठोरता, चोट पहुँचाना, पीटना, वध करना और दन्धन में डाल देना ये अनुभाव हों, उन को ‘चपलता’ कहने हैं, जिसको आप ‘दिना मोचे मनसे कार्य कर बैठना’ समझिये ।

उदाहरति—

उदाहरणम्—

हिरण्यकशिपुः प्रह्लादं वदति—

‘अहितव्रत ! पापात्मन् ! मैवं मे दर्शयाननम् ।

आत्मानं हन्तुमिच्छामि, येन त्वमसि भावितः ॥’

अहित मदपकारक भगवद्दास्यमेव व्रतं नियतविधेयं यस्य, तत्सम्बुद्धौ हे अहितव्रत  
पित्रपकाराचरणादेव हे पापात्मन् ! प्रह्लाद ! त्वं मे मह्यम्, एवं घृष्टवत् सस्मितम्, आ-  
सुखं, मा दर्शय, दूरं गच्छ, येन मदीयेनात्मना शरीरेण, त्वं भावित उत्पादितोऽसि, तं  
दुष्टोत्पादकमात्मानं स्व, हन्तुमिच्छामीत्यर्थः ।

उदाहरण देखिये—रे अहितव्रत ! ( भगवान् की दासत्तारूप मेरे अनिष्टकर नियम  
का पालन करने वाला ) पापात्मन् ! ( पितृविरोध रूप पाप का आचरण करने वाला )  
प्रह्लाद ! तू घृष्ट के जैसे अपना हँसता चेहरा मत दिखा । तुझे तो मैं लाख उपाय करने  
भी न सुधार सका और न मार ही सका। अब मैं आत्म-हत्या ही करना चाहता हूँ, क्योंकि  
तुझ को पैदा करने का अपराध तो मैंने ही किया है ।

प्रसङ्गविभावानुभावानाह—

एषा भगवदनुरक्तिविघटनोपायमपश्यतः, प्रह्लादं प्रति, हिरण्यकशिपोरुक्तिः  
भगवद्द्वेषोत्थापितः पुत्रद्वेषोऽत्र विभावः, आत्मवधेच्छा परुषवचनं चानुभावः  
पुत्रे स्वतो द्वेषासम्भवादद्वेषाधीनद्वेषोपादानम् ।

यह प्रह्लाद के प्रति हिरण्यकशिपु की उस समय में उक्ति है, जब उसकी भगवद्भक्ति  
को विघटित करने का कोई उपाय उसे नहीं सूझ रहा था। भगवान् में द्वेष रहने के कारण  
भगवत्पक्षपाती पुत्र में भी होने वाला द्वेष यहाँ—विभाव है और आत्म-हत्या करने की  
इच्छा और कठोर वचन अनुभाव हैं ।

अमर्षध्वनित्वमाशङ्क्य खण्डयति—

न चामर्ष एवात्र व्यज्यत इति वाच्यम्, सदैव भगवदनुरागिणि प्रह्लादे  
हिरण्यकशिपोरमर्षस्य चिरकालसम्भृतत्वेनात्मवधेच्छाया इदम्प्रथमतानुपपत्तेः,  
इदम्प्रथमकार्यस्य चेदम्प्रथमकारणप्रयोज्यतया प्राचीनचित्तवृत्तिविलक्षणया एव  
चपलताख्यचित्तवृत्तेः सिद्धेः ।

अत्र हिरण्यकशिपुवृत्तेरमर्षस्यैव प्रधानव्यङ्ग्यत्वं न सम्भवति, यत प्रह्लादस्य भगवद्-  
नुरागो नाद्यतन एव, किन्तु चिरकालिक इति तज्जन्योऽमर्षोऽपि चिरसञ्चित एव भवेत्,  
ततस्तज्जन्याया हिरण्यकशिपोरात्मवधेच्छाया इय प्रथमा यस्या सेदम्प्रथमा, तस्या भाव-  
स्तत्ता प्रथमोत्पत्तिरेषा न युज्यते । किञ्च यथात्मवधेच्छारूपस्य पूर्वतो विलक्षणस्य कार्यस्य  
कारण पूर्वतो विलक्षणा चित्तवृत्तिः काचिन्मन्यते, तदा सैवापूर्वा चित्तवृत्तिश्चपलता सिद्धयति,  
तस्मात्प्रात्रामर्षध्वनि, अपि तु चपलताध्वनिरेवेत्यभिप्राय ।

यहाँ हिरण्यकशिपुवृत्ती अमर्ष-भाव ही प्रधान रूप से व्यक्त होता है यह शङ्का नहीं  
करनी चाहिये, क्योंकि सदा से ही भगवान् के साथ प्रेम करने वाले प्रह्लाद के प्रति हिर-  
ण्यकशिपु का अमर्ष भी नवीन नहीं अपि तु पुराना था, फिर यदि इस अमर्ष को ही उसके  
आत्म-वधेच्छा का कारण माना जाय, तब तो इस आत्म-वधेच्छा का प्रथम-प्रथम होना  
नहीं सिद्ध होता कारण यह कि अमर्षरूप कारण के पहले भी रहने से उक्त वधेच्छारूप  
कार्य का भी पहले होना सम्भावित है, और यह आत्मवधेच्छारूप कार्य हो रहा है आर  
पहले पहल, अतः उसका कारण भी कोई नवीन-आज ही होने वाला अवश्य होना चाहिये  
अतः उक्त वधेच्छा के कारणरूप में प्राचीन अमर्षात्मकचित्तवृत्ति से विलक्षण चपलता  
नामक चित्तवृत्ति की सिद्धि हो जाती है ।

पुनरपर्याऽऽशुभ निराश्रोति—

नचामर्षप्रकर्ष एवात्मवषेच्छादिकारणमभिव्यज्यतामिति वाच्यम्. प्रकर्षत्यापि  
शभाविकविलक्षणलक्षणताया आवश्यकतया तस्यैव चपलतापदार्थत्वात् ।

स्वाभाविकवृत्तिलक्षणलक्षणतया मास्वाभाविकविलक्षणलक्षण, तस्या भवस्तना ।  
हृद्यमर्षप्रकर्षत्वात्त्ववषेच्छाहृद्यकृत्य कारणत्वेन व्यष्टनमिहास्तामित्यपि वक्तुं न शक्यम्,  
त माश्रयामर्षिन्या प्रकृत्यामर्षस्य विलक्षणताऽवगच्छं त्वाकार्या, अन्यथाऽऽत्मव-  
च्छाहृद्यविलक्षणकृत्यामम्भव, तथा च स कारणनिष्ठो विलक्षणलक्षण प्रकर्ष एव चपल-  
ताऽस्तानि सर्वथा चपलताया सिद्धिरिति भाव ।

यदि आप कहें कि 'हिरण्यकशिपुके मन में काम-वध की इच्छा जब आज पहले पहल  
उत्पन्न हो रही है, तब उसका कारण भी कोई नवीन ही काम का बुद्धा है, यह अवश्य  
मानना पड़ेगा, क्योंकि यदि प्राचीन कर्म से कामवध की इच्छा हो सकती, तो पहले  
भी होती' ये मन्त्र तर्क ठीक है, तथापि इस नवीन कामवधेच्छा रूप कार्य को जन्म देने के  
लेने एक क्षमिन्व चपलताख्यचित्तवृत्ति की कल्पना करना व्यर्थ है, क्योंकि उसी पुरानी  
कर्मपातक-वृत्ति में केवल एक नवीन प्रकर्ष की कल्पना कर लेनेसे काम बन जाता है  
अर्थात् हम यह कहेंगे कि कर्म से जब तक साधारण था, तब तक काम-वध की इच्छा नहीं  
हुई, पर जब वही कर्म चिरकालानुवृत्त होने से आज प्रकृत (उत्कट) हो गया, तब उत्क  
इच्छा हुई। परन्तु हम जोड़ तोड़ से भी आप का मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि  
चपलता नहीं माननी पड़े, यही तो आप का मनोरथ है, जिसकी पूर्ति उस तरह से बात  
बनाने पर भी सम्भव नहीं, कारण यह कि स्वाभाविक कर्म से तद्गत प्रकर्ष का बुद्ध  
विलक्षण ही लक्षण करना पड़ेगा, अन्यथा फिर विलक्षण कार्य सम्भव ही रह जायगा  
और जब कर्म में विलक्षण प्रकर्ष मान लेंगे तब तो चपलता सिद्ध हो ही जायगी अर्थात्  
हम उसी विलक्षण प्रकर्ष को चपलता मान लेंगे।

निर्वेद निरूपयति—

नीचपुरुषेष्वक्रोशनायिज्ञेष्व्याधि-नाडन-दाग्निद्येष्टविरुपरमम्पद-  
गनादिभिः. उत्तमेषु त्ववज्ञादिभिर्जनिता विषयविद्वेषाख्या. रोदनदीर्घ-  
श्वाम-दीनमुखतादिकारिणी चित्तवृत्तिनिर्वेदः ।

श्रान्तिपानाधिकेनये मानान्यविज्ञेयभावद् द्राव्यगवशिष्टन्यायेन प्यगुनादानम् । उन-  
मेपु एतेति चेत् ।

अननपुरमेवाश्रान्तिपानादिजन्या, अननपुरमेववशादिलज्या, रोदनदिजनिक च विषय-  
वेषरता चित्तवृत्तिरे निर्वेद उच्यते । अत्य स्थायिनिर्वेदाद्भेदमनुत्पदं वक्ष्यति ।

अथ 'निर्वेद' का निरूपण करने हैं—'नीच-पुरुषे' इत्यादि । अलम्बन-भेद से 'निर्वेद'  
दो प्रकार का होता है, एक नीच पुरुष में होने वाला और दूसरा उत्तम-पुरुष में होने  
वाला । जिनमें नीच पुरुष-गत-'निर्वेद' उम चित्तवृत्ति को कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति,  
गाली गलौज, निरस्कार, रोग, नार खाना, दरिद्र होना, कर्म-वस्तु की क्षमति और दूसरे  
की सम्पत्ति का दर्शन आदि में होती है और उत्तम-पुरुष-गत-'निर्वेद' उम चित्त-वृत्ति  
का नाम है, जिसकी उत्पत्ति क्षय-आदि में होती है, अनुभाव दोनों 'निर्वेद' के—  
रोदन, जोर-जोर से श्वाभ्रण, मुँह पर दैन्य-ये मय होते हैं । इम  
वृत्ति का दूसरा नाम विषयों से द्वेष भी है । स्पष्ट मतलब यह है  
गाली आदि देने से जैसे क्रोध होता है और तन्पुत्र जो विकार  
ऐक वेसे ही क्रोध और तन्मन्य विकार उत्तम

उदाहरति—

उदाहरणम्—

वैदेहीविरही श्रीरामो लक्ष्मणं भणति—

‘यदि लक्ष्मण ! सा मृगेक्षणा, न मदीक्षासरणिं समेष्यति ।

अमुना जडजीवितेन मे, जगता वा विफलेन किं फलम् ॥’

हे लक्ष्मण ! सा मृगेक्षणा सीता, यदि मदीक्षासरणिं मद्दृष्टिपथं, न समेष्यति नाः  
मिष्यति, तदा, अमुना विफलेन विपरीतफलजनकेन, जडजीवितेन हृतजीवनेन जगता विद्वे  
वा, मे मम किं फलं स्यान्न किमपि फलमित्यर्थः ।

तद्दर्शन एव मे जीवनं जगच्च सफलमिति भावः । इह प्रियाविरहो विभावः, जीव  
जगत्त्रिफलत्वामिधानञ्चानुभावः । ‘किं फलमित्यनेन पौनरुक्त्यवारणाय विफलेनेत्यस्  
विपरीतफलजनकेनैति व्याख्यानेऽपि फलपदस्य द्विरुपादानात् कथितपदत्व दुष्परिहरमेव  
उत्तरवाक्ये तच्छब्दानुपादानमविमृष्टविधेयतामावहति ।

अथ उदाहरण देखिये । वैदेही-विरह-कातर रामचन्द्रजी लक्ष्मण से कह रहे हैं वि  
हे लक्ष्मण ! यदि वह मृगाक्षी ( सीता ) मेरे नयन-पथ में न आवेगी-अर्थात् य  
मुझे उसके दर्शन नहीं होंगे तब इस जड़-अर्थात् गति-हीन-जीवन से अथवा विपरी  
फलजनक जगत् से क्या फल है । मेरे लिये न यह जीवन काम का है, न यह जगत्-अर्था  
सीता के दर्शन प्राप्त होते रहने पर ही मेरा जीवन सार्थक हो सकता है और मेरे लिये य  
संसार भी तभी सार्थक है । यहाँ प्रिया-विरह को विभाव और जीवन तथा जगत्  
निष्फलत्वकथन को अनुभाव समझना चाहिये ।

निर्वेदसद्भावेन शान्तरसञ्चनिरेव न कुत इत्यत आह—

नित्यानित्यवस्तुविवेकजन्यत्वाभावान्नासौ रसपदव्यपदेशहेतुः ।

यतोऽसौ निर्वेदः शान्तरसस्थायिनो निर्वेदाद्भिन्नकारणजन्यत्वाद् भिन्नः, तस्मान्ना  
शान्तरसञ्चनिव्यवहारः । कारणभेदस्तु तस्य निर्वेदस्य नित्यानित्ययोर्वस्तुनोर्विवेकेन जन्य  
त्वात्, अस्य चाक्रोशनादिना जन्यत्वात् स्फुट एव वेद्यः ।

‘निर्वेद’ शान्त-रस का स्थायिभाव है, अतः ‘यदि लक्ष्मण.....’ इत्यादि पद्य में शान्त  
रस की ध्वनि है, ‘निर्वेद-भाव’ की नहीं, ऐसी शक्का नहीं करनी चाहिये, क्योंकि निरु  
और अनित्य वस्तुओं के विवेक से जिसकी उत्पत्ति होती है, वही ‘निर्वेद’ शान्त-रस का  
स्थायीभाव होता है, और जो ‘निर्वेद’ भाव रूप होता है, उसकी उत्पत्ति तो नित्यानित्य  
वस्तु-विवेक से नहीं होती, वरन आक्रोशन आदि कारणों से होती है, जो पहले कहा ज  
चुका है, अतः यहाँ का ‘निर्वेद’ शान्त-रस-पद से व्यवहार करने योग्य नहीं है ।

इत्थमपरानुद्देशकमेण भावान् निरुप्य देवादिविषयकरतिभावमुदाहरति—

देवादिविषया रतिर्यथा—

भक्तो भगवन्त भाषते—

‘भवद्द्वारिक्रुध्यज्जय-विजय-दण्डाहतिदलत् ,

किरीटास्ते कीटा इव विधिमहेन्द्रप्रभृतयः ।

वितिष्ठन्ते युष्मन्नयनपरिपातोत्कलिकया,

वराका के तत्र क्षपित्तमुर ! नाकाधिपतयः ॥’

हे क्षपित्तमुर ! मुरारे ! यत्र भवद्द्वारि, क्रुध्यतोरनवसरेऽननुमतप्रवेशात् क्रुप्यतो  
जयविजययोस्तदाख्यद्वारपालयो, ( वारणाय मुहुर्विधीयमानाभि ) दण्डाहतिभिर्वेत्त्राघातै

दलन्ति विशीर्णमिवन्ति क्षिरीटानि शिरोमण्डनानि येषां तादृशा, विधिमहेन्द्रप्रभृतयो  
 प्रद्येन्द्रादयः, क्रीडा इव निवार्यमाणा अपि निरुद्धेणा, युष्माकं नयनयोः परिपातस्य सन्द्यङ्-  
 निक्षेपस्य उत्कलियोत्कम्भया, वितिष्ठन्ते, तत्र, वराका दयनीया, नाकाधिपतय स्वर्गकदेश-  
 त्वाग्नि कुबेरप्रभृतय, के ? न केऽर्पान्यर्थः ।

उक्त रीति में अन्य तैत्तिम भावों का निरूपण कर चुकने के बाद, अब देवादि  
 विषयक रतिभाव का ( इमका लक्षण करना यहा आवश्यक नहीं था, अतः ) उदाहरण  
 दिखलाते हैं—'देवादि विषयक रतिर्यथा' अर्थात् देवादि विषयक रतिभाव का उदाहरण,  
 जैसे—कोई भक्त भगवान् से कहता है कि—हे मुर-रिपो ! क्रोधयुक्त जय-विजय नामधारी  
 द्वारपालों के दण्ड-प्रहारों में जिनके किरीट टूटे जा रहे हैं, वे ब्रह्मा और महेन्द्र आदि  
 देवता, आपके दृष्टि-पातकी-युक्त वार अच्छी तरह देखलेने भर की-उत्कण्ठा में आप के  
 द्वार पर खड़े रहने हैं, फिर वेवारे स्वर्ग के स्वामी यम, कुबेर आदि वहा कौन होते हैं !  
 अर्थात् जहा ब्रह्मा और इन्द्र आदि की वह दशा है, वहा यम-कुबेर आदि को कौन पृच्छता है ।

इह वस्तुध्वनिगद्गानभ्युपेत्य भावध्वनि स्थापयति—

अत्रापमानसहन्-भगवद्द्वारनिषेवण-भगवत्कटाक्षपाताभिलाषादिभिर्ब्रह्मा-  
 दिगता भगवदालम्बना रतिर्नाभिव्यज्यते. अपि तु भगवद्वैश्वर्यमवाङ्मनसगोचर  
 इति चेत्, तथापि तादृशभगवद्वैश्वर्यवर्णनानुभावितया कविगनभगवदालम्बन-  
 रत्या ध्वनित्वमचतमेव ।

अत्र पद्येऽपमानसहनादिभिर्व्यञ्जैर्ब्रह्मादिनिष्ठा भगवद्विषया रतिरभिव्यज्यत इति  
 भावध्वनिरिति वक्तुं न शक्यते, यतो विपुलपनादिलाभाशयाऽपि तथा सम्भवः, किन्तु  
 भगवद्द्वारि स्वयम्प्रभूगानपि प्रादादीना तथा स्थित्या भगवद्वैश्वर्यस्यावर्णनीयत्वमचिन्त्यत्वं  
 च वस्तुप्राप्त्यान्वेन व्यज्यत इति वस्तुध्वनिरैवेति पूर्वपक्षाभिप्रायः, व्यज्यता प्राग् वस्तु  
 प्राप्यान्वेन, तथापि पर्यन्ते भगवत्स्तथाविधैश्वर्यस्य वर्णनेनानुभावेन कविनिष्ठाया भगवद्विष-  
 याया रतेर्व्यञ्जने वाग्भावाद् रतिभावध्वनिरस्त्येवेत्युत्तरपक्षाभिप्रायः ।

उक्त पद्य में जो ब्रह्मादिकों कि—अपमान सहना, भगवान् के द्वार का सेवन करना,  
 और उनके कटाक्षपात की इच्छा रखना इत्यादि बातें वर्णित हुई हैं, उनसे भगवान् के  
 विषय में उनकी ( ब्रह्मादिकों का ) प्रेम नहीं अभिव्यक्त होता, क्योंकि प्रेम के अभाव में  
 भी अत्यधिक घनादि लाम की वाशा से ब्रह्मादिकों का वैसा आचरण हो सकता है, अतः  
 यह कहना चाहिये कि यहाँ सर्व-साधन-सम्पन्न ब्रह्मा आदि के उम तरह द्वार पर खड़े  
 रहने में—'भगवान् का ऐश्वर्य अवर्णनीय तथा अचिन्तनीय है' यह वस्तु व्यक्त होती है इस  
 पूर्वपक्ष के उत्तर में ग्रन्थकार का कथन है कि—आरम्भ में उक्त वस्तु ही प्रधानतया ध्वनित  
 होती है, तो, होवे, मुझे कोई आपत्ति नहीं, परन्तु अन्त में कवि का भगवद् विषयक प्रेम  
 तो अवश्य ध्वनि होता है, क्योंकि उम प्रकार के भगवद्वैश्वर्य का वर्णन करना उक्त प्रेम  
 का ही फल ( अनुभाव ) है, माराश यह कि उक्त पद्य को देव-विषयक-रति-भाव-ध्वनि  
 का उदाहरण मानने में किसी तरह की बाधा नहीं है ।

अत्र रतिप्रतीति पक्षाद्भवत्वेनाप्रयान्त्वाद्भावध्वनित्वव्यपदेशो दुर्वट इत्येवैवदाहर-  
 णान्तमूढे—

इदं वीदाहरणम्—

भरी भगवन्त वदति—

'न धन न च राज्यसम्पद, नहि प्रियाभिन्नेकमर्थये ।

मयि चेहि मनागपि प्रभो ! कन्णाभङ्गितरङ्गिता दशम् ॥'

हे प्रभो ! अहं धनं नार्थये न याचे, राज्यसम्पदं च नार्थये, विद्यामपि नार्थये, किन्तु 'करुणामङ्गितरङ्गितां दयोद्रेकोच्छलिता, दृशां, त्वं मयि, वेहि निक्षिप' इतीदं केवलमेकमेव, अर्थय इत्यर्थः । अत्र घनाद्युपेक्ष्य भगवद्दयार्द्रदृक्पातमात्रार्थनया रतिः प्राधान्येन व्यत्य इति रतिभावध्वनेरुदाहरणमिदमवसेयम् ।

पूर्वपक्षी यदि कहे कि यहां उक्त वस्तु की प्रतीति पहले होती है और कविगत रति की पश्चात्, अतः प्रधान, वस्तु कहलायगी और रति तदुपेक्षया गौण, फिर गौण रति को लेकर भाव-ध्वनि का व्यवहार करना उचित नहीं, तो छोड़िये उस पद्य को, यह दूसरा उदाहरण लीजिये । भक्त भगवान् से कहता है कि—हे प्रभो ! मैं धन नहीं चाहता, राज्य की सम्पदा नहीं चाहता और न विद्या ही चाहता हूँ । मैं तो एक ही चीज चाहता हूँ, और वह यह कि तू मेरे ऊपर करुणा की शैली से शोभित अपनी दृष्टि थोड़ी भी डाल दे ।

तदाह—

अत्र घनाद्युपेक्षाशून्यस्य भगवद्दयार्द्रदृक्पाताभिलाषो हि भगवत्यन्तानुरक्तिं व्यनक्ति ।

अतो रतिभावध्वनिरिति शेषः ।

यहां धन आदि की अपेक्षा से रहित भक्त की भगवान् के करुणामयकटाक्ष-पात की अभिलाषा उनके विषय में उसके अनुराग को व्यक्त करती है । अतः इस पद्य को रतिभाव-ध्वनि का उदाहरण मानने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिये ।

उपसंहरति—

एवं सञ्ज्ञेपेण निरूपिता भावाः ।

एवमुक्तप्रकारेण, सञ्ज्ञेपेण भेदप्रभेदानिरूपणात् समासेन, भावाश्चतुर्दशान् निरूपिता इत्यर्थः ।

अथ सञ्ज्ञेपतः भावों का निरूपण समाप्त हुआ ।

ननुक्तातिरिक्तानामपि मात्सर्यादिभावानां लक्ष्येषु निरीक्षणाद् भावानां चतुर्दशान् सख्यानमसङ्गतमित्याशङ्क्य समादधाति—

अथ कथमस्य सङ्घथानियमः, मात्सर्योद्वेग-दम्भेर्ष्या-विवेक-निर्णय-क्लैव्य-क्षमा-कुतुकोत्कण्ठा-विनय-संशयघाष्टर्यादीनामपि तत्र तत्र लक्ष्येषु दर्शनादिति चेत्, न, उक्तेष्वेवैषामन्तर्भावेण सङ्घथान्तरानुपपत्तेः ।

अस्येति सामान्याभिप्रायेणैकवचनम् ।

उक्तातिरिक्तानामपि मात्सर्यादीनां लक्ष्येषूपलम्भात् सङ्घथानियमोऽसङ्गत इति शङ्काया-मात्सर्यादीनामुक्तेष्वेव भावेषु यथायथमन्तर्भावात् सङ्घथानियमो नासङ्गत इति समाधानम् ।

अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि भावों की संख्या ३४ ही हैं, यह नियम कैसे किया जा सकता ? जब कि काव्य आदि में अनेक स्थलों पर मात्सर्य, उद्वेग, दम्भ ( कपट ), ईर्ष्या, विवेक, निर्णय, क्लैव्य ( कायरपन ), क्षमा, कौतूहल, उत्कण्ठा, विनय, संशय और घृष्टता आदि भाव भी दृष्टिगोचर होते हैं । इसका उत्तर यह है कि ऊपर गिनाये गये मात्सर्य आदि भावों का भी पूर्वोक्त ३४ भावों में ही समावेश हीं जाता है, अतः पृथक् उनकी गणना करना अयुक्त है ।

कुत्र कस्यान्तर्भाव सम्भवतीति प्रतिपादयति—

असूयातो मात्सर्यस्य, त्रासादुद्वेगस्य, अवहित्याख्याद्भावदम्भस्य, अमर्षादीर्ष्याया, मतेर्विवेक-निर्णययोः, दैन्यात् क्लैव्यस्य, धृतेः क्षमायाः, औत्सुक्यात्

कुतुकोत्कण्ठयो, लज्जाया विनयस्य, तर्कात् संशयस्य, चापलाद्वाप्यस्य च वस्तुतः सूक्ष्मे भेदेऽपि, नान्तरीयकतया तदनतिरिक्तस्यैवाध्यवसायात् ।

यद्यप्यसूयादितो मात्सर्यादीनामीपद्भेदोऽस्त्येव, किन्त्वसूयादीना मात्सर्यादीना च मियो नियतनम्वन्धरूपाविनाभावादभेदारोप, तथा च मात्सर्यादीनानसूयादिरूपतयाऽवधारणात् भावाना सङ्ख्याधिक्यस्य सम्भव इत्यभिप्राय ।

अथ किसका अन्तर्भाव कहां होगा इस बात का प्रतिपादन करते हैं—'असूयानो' इत्यादि । अर्थात् मात्सर्य असूया में, उद्वेग त्रास में, दुग्ध अवहित्या में, ईर्ष्या अमर्ष में, विवेक और निर्णय मति में, बलैव्य दैन्य में, क्षमा घृति में, कौतूहल और उत्कण्ठा और दुःख्य में, विनय लज्जा में, संशय तर्क में और घृता चपलता में समाविष्ट हो जाते हैं । यद्यपि यहा जिस भाव का समावेश जिस भाव में किया गया है, दोनों में अर्थात् मात्सर्य आदि और असूया आदि में परस्पर सूक्ष्म भेद है, तथापि वे भाव एक दूसरे के विना नहीं रहते, अतः उन्हें उनसे पृथक् नहीं माना गया । तात्पर्य यह है कि जहा असूया रहती है, वहां मात्सर्य अवश्य रहता है, फिर उन दोनों को दो भाव मानना पर्यर्थ है, इसी तरह अन्य अन्तर्भूत होनेवाले और अन्तर्भूत करने वाले भावों के विषय में भी समझना चाहिये ।

ननु सूक्ष्मभेदे सत्यपि क्यमभेदारोप इत्याशङ्कयामाह—

मुनिवचनानुपालनस्य सन्भव उच्छृङ्खलताया अनौचित्यात् ।

यदि सूक्ष्मभेदमपि भावाना गणयित्वा, सङ्ख्याधिक्यमूरीक्रियेत, तर्हि 'एकपद्माशब्द भावा' इति भरतमुनिकृता व्यवस्था भज्येत, तद्व्यवस्थोत्पन्नस्यानुचितत्वात् सूक्ष्मभेदो न गणनीय इत्याशय ।

सूक्ष्म भेद रहने पर भी उक्त भावों को एक मान लेने का कारण यह है कि उस तरह से उन-उन भावों को एक मान लेने से जब कोई इति नहीं होती और साथ-साथ भरत मुनि के वचन की रक्षा भी हो जाती है, तब उच्छृङ्खलता करना अनुचित है अर्थात् भरत ने भावों की संख्या ३४ ही मानी है, अतः हम को भी उनकी संख्या उतनी ही माननी चाहिये ।

व्यभिचरिभावत्वेन प्रसिद्धानामप्येषा कुत्रचिद्भावान्तरे विभावता, क्वचिच्चानुभावता च भवतीत्युक्तोपपादयति—

एषु च सञ्चारिभावेषु मध्ये केचन कोषाञ्चन विभावा अनुभावाश्च भवन्ति । तथाहि—ईर्ष्याया निर्वेदप्रति विभावत्वम्, असूयां प्रति चानुभावत्वम् । चिन्ताया निद्रां प्रति विभावत्वम्, औत्सुक्यं प्रति चानुभावतेत्यादि स्वयमूल्यम् ।

ईर्ष्याया निर्वेदजनकत्वात्तद्विभावत्वमसूयाजन्यत्वाच्च तदनुभावत्वम्, चिन्ताया निद्राजनकत्वात्तद्विभावता, औत्सुक्यजन्यत्वाच्च तदनुभावता, यथा भवति, तथैवान्यत्र विभावानुभावभावो भावाना स्वयमूहनीय इत्यर्थः ।

पूर्वोक्त सञ्चारीभावों में से कुछ भाव कहीं-कहीं दूसरे भावों के विभाव और अनुभाव भी हो जाते हैं । जैसे—ईर्ष्याभाव निर्वेदभाव का विभाव और असूयाभाव का अनुभाव होता है, इसी तरह चिन्ताभाव निद्राभाव के प्रति विभाव और औत्सुक्यभाव के प्रति अनुभाव होता है । इसी प्रकार अन्य भावों के विषय में स्वयं ऊपर कर लेना चाहिये । यहा चिन्ता को निद्रा का विभाव मानना अनुभव-विरुद्ध प्रतीत होता है ।

प्रयः नप्राप्त रसाभाम निरूपयति—

अथ रसाभास' तत्र—

तत्र रसाभासे निरूपणीये लक्षणमाह—

अनुचितविभावालम्बनत्वं रसाभासत्वम् ।



अनुचितं विभावमालम्बत इत्यनुचितविभावमालम्बनस्तस्य भावस्तत्त्वमनुचितविभावकत्वं रसाभासत्वमित्यर्थ ।

अथ 'रसाभास' का निरूपण करते हैं—'अथ रसाभास' इति—अर्थात् अथ रसाभास का निरूपण आरम्भ होता है । जहाँ रस का आलम्बन-विभाव अनुचित हो, वहाँ उसे रसाभास कहते हैं ।

अनौचित्यनिर्वचन एकदेशिमतमुपन्यस्यति—

विभावादावनौचित्यं पुनर्लोकानां व्यवहारतो विज्ञेयम्, यत्र तेषाम् 'अनुचितम्' इतिधीरिति केचित् ।

यद्विभावविशेष्यकमनुचितत्वप्रकारकं ज्ञानं सभ्याना जायेत, तद्विभावनिष्ठं सभ्यसमवेतानौचित्यप्रकारकज्ञानविशेष्यत्वमेवानौचित्यमस्तीति केचिद्वदन्तीति सारम् ।

आलम्बन-विभाव का अनौचित्य लौकिक-व्यवहार से समझना चाहिये—अर्थात् जिसके विषय में लोगों की 'यह अनुचित है' इस तरह की बुद्धि हो, उसी विभाव को अनुचित जानना चाहिये । यह कुछ विद्वानों का मत है ।

तन्मतमपास्य मतान्तरमुपन्यस्यति—

तदपरे न क्षमन्ते, मुनिपत्न्यादिविषयकरत्यादेः संग्रहेऽपि बहुनायकविषयाया अनुभयनिष्ठायाश्च रतेरसङ्ग्रहात् । तत्र विभावगतानौचित्यस्याभावात् । तस्मादनौचित्येन रत्यादिविशेषणीयः । इत्थं चानुचितविभावमालम्बनाया बहुनायकविषयाया अनुभयनिष्ठायाश्च सङ्ग्रह इति । अनौचित्यं च प्राग्वदेव ।

इतिर्मतसमाप्तिसूचक । इदमुच्यते—

अनुचितविभावकत्वमेव यदि रसाभासस्य लक्षणं स्यात्, तर्हि मुनिगुरुपत्नीप्रभृतिविषयकरतेरनुचितविभावकत्वेन तत्राव्याप्तेर्वारणेऽपि, बहुनायकविषयाया अन्यतरमात्रनिष्ठायाश्चरतौ विभावस्य सभ्यसमवेतानौचित्यप्रकारकज्ञानविशेष्यत्वाभावादनौचित्यविरहात् तत्राव्याप्ति स्यादेव । न च तत्र तत्त्वे प्रमाणाभाव, 'उपनायकसंस्थायाम्' इत्यादिवक्ष्यमाणशब्दस्य सभ्यानुभवस्य च जागरूकत्वात् । तस्मादनुचितविभावकत्वमिवानुचितरत्यादिकत्वमपि रसाभासत्वम् । तथा च बहुनायकविषयकानुभयनिष्ठरत्योरप्यनौचित्यान्नाव्याप्तिरिति न कोऽपि दोष । अनौचित्य तु पूर्वमतवत् सभ्यसमवेतानौचित्यप्रकारकज्ञानविशेष्यत्वमेव । रत्यादीत्यादिपदोपादानात् सर्वस्थायिसङ्ग्रहात् करुणाभासादौ न दोष ।

परन्तु रसाभास के उक्त लक्षण को दूसरे लोग नहीं मानते । वे कहते हैं—उस लक्षण से यद्यपि मुनि-पत्नी, गुरु-पत्नी आदि के विषय में होनेवाली रति का संग्रह हो जाता है, क्योंकि मुनिपत्नी आदि इतर मनुष्य की रति के लिये अनुचित (अयोग्य) हैं, यह बात लोगों की बुद्धि कचूल करती है, तथापि किसी नायिका की अनेक नायकों के विषय में जो रति होती है, और नायक-नायिका दोनों में से केवल एक में जो रति होती है, उनका संग्रह नहीं होगा, क्योंकि वहाँ विभाव अनुचित नहीं है अतः रसाभास के लक्षण में 'अनुचित' विशेषण विभाव में न लगा कर रति आदि स्थायिभावों में लगाना चाहिये—अर्थात् यह लक्षण बनाना चाहिये कि—'जिसके रति आदि स्थायिभाव अनुचित रूप से प्रवृत्त हुये हों, वे रसाभास कहलाते हैं' । इस तरह से लक्षण करने पर उन सब रतियों का संग्रह हो जाता है, जो मुनिपत्नी आदि के विषय में होती है, अथवा अनेक नायक के विषय में होती है, किंवा एकनिष्ठ है, क्योंकि इन तीनों लक्षणों में रति की प्रवृत्ति अनुचित रूप से होती है । अनौचित्य की परिभाषा इस मत में भी वही है—अर्थात् जिस रति को लोग अनुचित समझते हैं, वही अनुचित-प्रवृत्त रति है । इसी तरह अन्य स्थायीभावों के सम्बन्ध में भी समझना चाहिये ।

रसाभासस्य रमत्वेन, भावाभासस्य च भावत्वेन विरुद्धत्वमविरुद्धत्वं च मतभेदेनावष्टे—  
तत्र 'रसाद्याभासत्व रसत्वादिना न समानाधिकरणम्, निर्मलस्यैव रसादि-  
त्वात्, हेत्वाभासत्वमिव हेतुत्वेन' इत्येके । 'नह्यनुचितत्वेनात्महानिः, अपि तु  
सदोपत्वादाभासव्यवहार', अश्वाभासादिव्यवहारवत्' इत्यपरे ।

प्रयमेनादिपदेन भावस्य, चरमेण च मनुष्याभासादीना ग्रहणम् । निर्मलस्य दोषरहि-  
तस्य । आत्महानिं स्वरूपहानिरन्यत्त्वमिति यावत् । एकेऽपरे कथयन्तीति शेषः ।

दुष्टो हेतुर्हेत्वाभामस्तत्त्वस्य हेतुत्वस्य च यथैकाधिकरणावृत्तित्वं विरोधस्तथैव दुष्टो रसो  
भावोऽपि, रसागतानो भावाभासश्च, तत्त्वस्य रसत्वस्य भावत्वस्य च नैकत्र स्थितिः, दोष-  
रहितस्यैव रसत्वस्य भावत्वस्य स्वीकारादिति प्रथमं मतम् । यथाऽश्वस्य पट्टत्वादिदोषा-  
ज्ञान्वन्वस्य हानि, किन्त्वश्वभासव्यवहारमात्रम्, तथैव रस-भावयोरपि दुष्टत्वे न रसत्व-  
भावत्वयोरभास, किन्तु रसाभास-भावाभासव्यवहारमात्रमिति द्वितीयं मतम् । तत्र  
प्रथममते, धूनानुमितिनिरूपितहेत्वाभासत्वस्य, दाहानुमितिनिरूपितहेतुत्वस्य चैकत्रैव वहाँ  
दर्शनादष्टान्तासिद्धिरुचिबीजम् ।

अथ रसाभास और भावाभास, रस और भाव ही हैं अथवा उनसे भिन्न इस प्रश्न का  
उत्तर मतभेद से देते हैं—'न' इत्यादि । कुछ विद्वानों का कथन है कि रसाभासत्व और  
रसत्व इसी तरह भावाभासत्व और भावत्व समानाधिकरण ( एक जगह रहने वाले )  
धर्म नहीं हैं—अर्थात् रसाभास, रस और भावाभास, भाव नहीं कहला सकते—क्योंकि  
रस अथवा भाव उन्मी को कहना चाहिये, जो निर्मल हो, जिसमें किसी तरह का अनौचित्य  
नहीं हो, और जब उसमें अनौचित्य आजाय, तब उसे रस या भाव नहीं कहना चाहिये,  
भले ही रसाभास ( रस-सा भासित होने वाला ) और भावाभास ( भाव-सा धामासित  
होने वाला ) कहलें । इसमें दृष्टान्त की आवश्यकता हो तो, नैयायिकों के हेत्वाभास  
को ले सकते हैं, अर्थात् वे हेत्वाभासत्व और हेतुत्व को समानाधिकरण नहीं मानते—  
हेत्वाभास को हेतु नहीं कहते । दूसरे विद्वान् कहते हैं कि—'रस में ( रति में ) दोष का  
जाने से आत्म-हानि ( स्वरूपनाश ) नहीं होती अर्थात् जैसे निर्दुष्ट स्थायीभाव रस होते  
हैं, उसी तरह सदोष भी रस ही हैं, केवल दोष की सूचना देने के लिये उन्हें धामास  
कहते हैं, जैसे दोषयुक्त अश्व को लोग अश्वभास कहते हैं, पर रहता है वह अश्व ही ।'

रतेरनुचितविभावकत्वात् प्रथम, बहुविपयकत्वाद् द्वितीय, अनुभयनिष्ठत्वाच्च तृतीयः  
प्रकारो रसाभासस्य । तत्र प्रथम प्रकारमुदाहरति—

उदाहरणम्—

राजरमगीकानुचरत वर्णयति—

शतेनोपायाना कथमपि गतः सौघशिखरं,

सुधाफेनस्वच्छे रहसि शयिता पुष्पशयने ।

विदोध्य क्षामाङ्गीं चकितनयनां स्मेरवदना,

सनिश्वास श्लिष्यत्यहह सुकृती राजरमणीम् ॥'

उपायाना जनेन बहुभिरुपायै, कथमपि केनापि प्रकारेण, सौघशिखरं शुक्तिनूर्णव-  
त्तिनप्रासादशृङ्गं, गतं प्राप्तं, सुधाफेनस्वच्छेऽनृतफेनरवेते, पुष्पशयने कुमुदतल्पे, रहस्ये-  
कान्ते शयिता सुप्ता, राजरमणीं नृपवह्निभा, विदोध्य स्पर्शादिना जागरयित्वा, क्षामाङ्गीं  
रमणीं, च चकितनयना कोऽयं जागरयित्वाशङ्कया चकितान्ती, स्मेरवदनामयं मे प्रियं इति

परिचये प्रमोदे न विहसन्मुखीं, ( ताम् ) सुकृती धन्य, ( स' ) अहह आश्चर्यं निश्वासेन-सहितं सनिश्वासं यथास्यात् तथा श्लिष्यत्यालिङ्गतीत्यर्थ ।

उदाहरण लीजिये । कवि कहता है कि-वह पुण्यशाली पुरुष धन्य है, जो सैकड़ों उपार्यों के द्वारा, किसी प्रकार महलों की चोटी पर पहुँचकर, एकान्त में अमृत-फेन के समान धवल पुष्पशय्या पर सोई हुई कृशाङ्गी राजाङ्गना को जगाता है और जगने पर जब उसकी आँखें एक बार चमक उठती हैं, तथा मुख-कमल खिल उठता है, तब निःश्वाम के साथ उसका आलिङ्गन करता है । यहाँ एक बात यह समझ लेने योग्य है कि 'रसाभास' के उक्त लक्षण से तीन भेद रसाभास के सिद्ध होते हैं-विभाव के अनौचित्य से रति में अनौचित्य आ जाने से एक, अनेक नायकों के विषय में होने के कारण रति के अनुचित हो जाने से द्वितीय और एकनिष्ठ होने के कारण रति के अनुचित हो जाने से तृतीय भेद होता है । जिनमें यह प्रथम भेद का उदाहरण है ।

विभावाद्याह—

अत्रालम्बनमनुचितप्रणया राजमणी । रहो रजन्याद्युद्दीपनम् । साहसेन राजान्तपुरे गमनम्, प्राणेषूपेक्षा, निश्वासाश्लेषादयश्चानुभावाः । शङ्कादयश्च सञ्चारिणः ।

अनुचित परपुरुषविषयकत्वादयुक्तं प्रणयो यस्या सा ।

यहाँ जिसके साथ प्रेम करना अनुचित है, वह राजाङ्गना आलम्बन-विभाव है । एकान्त और रात्रि का समय आदि उद्दीपन-विभाव हैं । साहस करके राजा के अन्तःपुर में जाना, प्राणों की परवाह न करना, साँस का जोर-जोर से चलना और आलिङ्गन करना आदि अनुभाव हैं, तथा शङ्का आदि सञ्चारीभाव हैं ।

रसाभासत्वमुपपादयति—

निषिद्धालम्बनकत्वाच्चास्या रतेराभासत्वं रसस्य ।

अस्या अत्र प्रतीयमानाया रते, निषिद्ध परपुरुषत्वाद्द्विहितमालम्बनं यस्यास्तत्त्वाद् रसाभासत्वमित्यर्थ । अनुचितविभावकत्वप्रयुक्तो रसाभासस्य प्रथम प्रकारोऽयमित्याशयः । यहाँ रति का आलम्बन-राजाङ्गना-लोक तथा शास्त्र से निषिद्ध है, अतः रस आभास-रूप हो गया है ।

अत्र तृतीयप्रकारोदाहरणत्वमाशङ्कते—

न चात्र 'चकितनयनाम्' इत्यनेन परपुरुषस्पर्शात्रासाभिव्यक्त्या रतेरनुभय-निष्ठतेत्याभासताहेतुर्वाच्यः ।

अत्र 'चकितनयनाम्' इति नायिकाविशेषणेन परपुरुषस्पर्शजन्यस्य तस्यान्नासस्यैव व्यज्यमानतया रते राजरमण्यवृत्तित्वं तृतेरनुभयनिष्ठतया रसाभासत्वं, न तु रतेरनुचित-विभावकत्वेनेति पूर्वपक्षाभिप्राय ।

यहां राजाङ्गना का जो 'चकितनयना' विशेषण है, उससे यह प्रतीत होता है कि राजाङ्गना को पर-पुरुष-स्पर्श से त्रास हुआ है, और तब यह सिद्ध हो जाता है कि नायिका को उस नायक से प्रेम नहीं है, अतः रति के एकनिष्ठ (एकाङ्गी) होने से जो रसाभास का तृतीय भेद कहा गया है, उसका यह उदाहरण है, विभाव के अनौचित्य प्रयुक्त रति के अनुचित हो जाने से होनेवाले प्रथम भेद का नहीं, यह किसी की शङ्का है ।

उत्तरयति—

अस्याश्च चिराय तस्मिन्नासक्ताया अन्तपुरे परपुरुषागमनस्यात्यन्तमसम्भा-चनया, क एप मां बोधयतीत्युचित एव त्रासः । अनन्तरं च परिचयाभिव्यक्त्या,

सोऽय मत्प्रियो मर्दयं प्राणानपि तृणीकृत्यागत इति ज्ञानादुत्पन्नं हर्षमभिव्य-  
ञ्जयन् 'स्नेरवदनाम्' इति विशेषणं रतिं तद्विधायामपि व्यनक्ति, परन्तु प्राधान्यं  
नायकनिष्ठाय एव रतेः सकलवाक्यार्थत्वात् ।

तदंशं नायिकानिष्ठानपि । सकलवाक्यार्थत्वात् मन्पूर्वावाक्यव्युत्पत्त्यात् । आदौ  
परिचयान्ते नायिकाया सहना निद्रातो जागरणान् समुचिता चकितेत्यादिविशेषणेन त्रास-  
प्रतीतिरेव, पश्चात् परिवन्दे नति प्रणयमूलकनदीयनाहसानुष्ठानज्ञानजन्यहर्षव्यञ्जकेन 'स्नेर-  
वदनाम्' इति विशेषणेन नायिकानिष्ठाऽपि रतिरभिव्यज्यत एवेति रतेर्नानुभयनिष्ठताऽत्रा-  
भासन्वप्रयोजिका, किन्त्वनुचितविभावतैवेति नारम् । यदीह नायिकाया सर्वथा त्रास एव  
स्यात्, तर्हि हर्षव्यञ्जकं वदनस्नेरत्वं व्य स्यात्, अत स्नेरत्वव्यञ्जकहर्षेण व्यज्यमानाया  
नायिकानिष्ठरतेर्न प्राधान्यम्, एकदेशव्युत्पत्त्यात्, अपि सकलवाक्येन व्यज्यमानाया  
नायकनिष्ठरतेरेव प्राधान्यमिति च विभावनीयम् ।

उक्त शब्दा का उत्तर यह है कि नायिका त्रिकाल से उस नायक में यद्यपि आसक्त  
थी, तथापि इस सुरक्षित पन्त-पुर में पर-पुरुष का आगमन अत्यन्त ही असम्भव है,  
फिर यह कौन सुते जगा रहा है इस तरह की भावना से नायिका में त्रास का उदय हुआ  
है, न कि पर-पुरुष-स्पर्श के खाल से । अत एव, वाद में परिचय प्राप्त होने पर 'यह तो  
मेरा वही प्रेमी है, प्राण के मोह को भी छोड़ कर यहाँ तक मेरे लिये ला पहुँचा है'  
इस प्रकार के ज्ञान से नायिका को अत्यन्त हर्ष हुआ, इस बात को व्यक्त करने वाला  
'स्नेरवदना' यह विशेषण 'अकितनयना' के अत्यवहित आगे नायिका में लगाया गया है,  
फिर तो उसी विशेषण से 'नायिका का भी प्रेम नायक में है' यह बात भी स्पष्ट व्यक्त  
हो जाती है, हा इतनी बात अस्मय है कि प्रधानता यहाँ नायकनिष्ठ रति को ही है,  
क्योंकि मन्पूर्व वाक्य का तात्पर्य वही है । तात्पर्य यह कि जब इस तरह से नायिका  
का भी प्रेम नायक में सिद्ध हो जाना है, तब यह एकनिष्ठ रति का उदाहरण नहीं हो  
सकता, फलतः यह प्रथम भेद का ही उदाहरण है यह निर्विवाद-सिद्ध है ।

द्वितीयप्रकारमुदाहरति—

यया वा—

पुषलां चरितं वर्णयति—

'भवनं कर्णावती विशन्ती. गमनाज्जालवलाभलालसेषु ।

तरणेषु विलोचनाञ्जमाला-मय वाला पथि पातयन्मूव ॥'

कुण्डिदागच्छन्ती वाला, पथि मार्गे, ( स्वश्रीययौवनमौन्दर्याङ्घ्रिदृष्टयैस्तदपौरुषगन्ध-  
नात् ) भवनं निज-गृहं, विशन्ती प्रविशन्ती, गमनस्य प्रतिनिवर्तनस्य, आशान्भवस्वदेश-  
लेशगन्धादि लभायप्रिगमान, लल्लेषु लोलुपेषु, मकरेषु मर्वेषुनुयायेषु तरणेषु कर्णावती  
पुगलुमरुणदितदयादिलोचनाञ्जमाला कृतमूलमूवकत्रोन्लक्याञ्जवरनगाम्, अथ पातय-  
न्मूव निविजेनेत्यर्थः ।

इह तादृशदृष्टिनिष्ठेपणव्यज्यमानाया रतेन्स्वेषेविति यहवचनेन बहुविप्रत्यावगमाद्  
रसाभासद्वितीयाप्रकारोदाहरणमिदम् ।

अथ रामामास के द्वितीय भेद का उदाहरण देखिये । कवि कहता है कि—गृह में प्रवेश  
करती हुई बाला ने जब देखा कि मुझ से जाने की विश्विन्मात्र-आज्ञा-प्राप्तिरूप लाभ  
के लोकी युवक-मण्डल रास्ते पर खड़ा है, तब कर्णावती उस बाला ने उन युवकों  
पर एक साथ नयन-कमलों की माटा गिरा दी—स्नेहमरी चितवन से उनकी ओर देवकर  
जाने की अनुमति दे दी ।

तदाह—

अत्र कुतश्चिदागच्छन्त्याः पथि तदीयरूपयौवनगृहीतमानसैर्युवभिरनुगम्य  
मानायाः कस्याश्चिद् भवनप्रवेशसमये, निजसेवासार्थक्यविज्ञानाय, गमना  
ज्ञापनरूपलाभलालसेषु तेषु, परमपरिश्रमस्मरणसञ्जातकरुणाया गमनाद्वादान  
निवेदकस्य विलोचनाम्बुजमालापरिचेष्यानुभावस्य वर्णनादभिव्यज्यमाना रति  
बहुवचनेन बहुविषया गम्यत इति भवत्ययमपि रसाभासः ।

स्फुटम् ।

कोई नवयौवना नायिका कहीं से आ रही थी, रास्ते में मनचले तरुणों का एक पूर  
दल उसके पीछे हो लिया, होता भी क्यों नहीं, जब कि उस सुन्दरी ने अपने रूप और  
यौवन से उस ( दल ) का हृदय-हरण कर लिया था । पर उन युवकों को नयनसुख  
के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगा, एक वाणी सुनने के लिये भी वे बेचारे तरसते ही रहे  
आखिर उस सुन्दरी का घर भी आ गया, वह अपने घर में घुसने लगी, अब वे युवक  
क्या करते, रास्ते पर खड़े हो गये, उनके मन में यह लालसा उठ रही थी कि 'यदि अब  
भी यह सुन्दरी और न कुछ तो न सही—कम से कम अपने श्रीमुख से जाने की आज्ञा  
भी दे दे, तो हम अपनी सेवा को सार्थक समझ लें' । भगवान् ने समझा, उस सुन्दरी के  
हृदय में उनके अथक परिश्रमों को याद कर दया उमड़ आई, अतः उसने 'मैं आप सबों  
को जाने की आज्ञा देती हूँ' इस अर्थ के सूचक-वचन-प्रयोग तो नहीं—मधुर-दृष्टि निचेष  
उनके ऊपर जरूर किया, ( फिर क्या था, वे युवक अपने को कृतार्थ समझते हुये हृदय-  
उधर विखर गये ) । यहाँ दृष्टि-निचेषरूप अनुभाव के वर्णन से नायिका की रति अभि-  
व्यक्त होती है और वह भी 'तरुणेषु' इस बहुवचन-प्रयोग के द्वारा अनेक नायकों में  
प्रतीत होती है, अतः यह पद्य भी रसाभास ( अनेक नायक विषयक रतिरूप द्वितीय भेद )  
का उदाहरण होता है ।

तृतीयप्रकारमुदाहरति—

यथा वा—

नवोदावृत्तं वर्णयति—

‘भुजपञ्जरे गृहीता, नवपरिणीता वरेण वधूः ।

तत्कालजालपतिता, बालकुरङ्गीव वेपतेऽनितराम् ॥’

नवपरिणीता नवोदा ( अनुत्पन्नप्रणया ) वधू, वरेण परिणेत्रा ( न तु प्रियेण )  
भुजरूपे पञ्जरे गृहीता बलाद्धृता ( गाढमालिङ्गिता ) तत्काल सद्य, जाले पतिता, बाला, कुरङ्गी  
हरिणीव, मुक्त्युपायानुपलम्भात्, रतेरनुद्धवेन त्रासाच्च, नितरामत्यन्त वेपते कम्पत इत्यर्थः ।  
अच्छा अब तृतीय भेद का भी उदाहरण देख लीजिये। एक सखी दूसरी सखी से कहती  
है—नवविवाहित दुलहीन को पति ने बाहुरूप पिजड़े में पकड़ लिया, अतः वह बेचारी  
तत्काल जाल में फँसी हुई बच्ची हरिणी की तरह कांप रही है ।

उपपादयति—

अत्र रतेर्नववध्वा मनागप्यस्पर्शादनुभयनिष्ठत्वेनाभासत्वम् ।

नायकमात्रे तिष्ठन्ती रतिरिह नायिकायामीषदपि न तिष्ठतीत्यनुभयनिष्ठा रसार्थरूपैव ।  
उक्त पद्य से यह प्रतीत होता है कि अभी केवल नायक में ही प्रेम का प्रादुर्भाव हुआ  
है, नायिका में प्रेम का स्पर्श भी नहीं हुआ है, इस स्थिति में यह प्रेम ( रति ) अनुभय-  
निष्ठ ( एक तरफा ) है, अतः यह पद्य रसाभास ( अनुभयनिष्ठ रतिरूप तृतीय भेद )  
का उदाहरण होता है ।

उक्तप्रकारत्रये प्रामाणिकता दर्शयति—

तथा चोक्तम्—

‘उपनायकमंस्थाया, मुनिगुरुपत्नीगताया च ।

बहुनायकविषयायां. रतौ तथानुभयनिष्ठायाम् ॥’ इति ।

रसामास के उक्त तीनों भेदों में प्राचीनोंने भी साक्षिता की है। उन्होंने कहा है कि यदि नायिका की रति उपनायक (जार) में हो, अथवा नायक की रति मुनि किंवा गुरु की पत्नी के विषय में हो, अथवा एक नायिका की रति अनेक नायकों के विषय में हो, अथवा नायक-नायिका में एक ही तरफ से रति हो, तब वह रति रस नहीं रसाभास कहलाती है। यहा एक बात विचारने योग्य यह प्रतीत होती है कि—इस प्रचीनोक्त कारिका में ‘उपनायकनिष्ठायाम्’ और ‘मुनिगुरुपत्नीगतायाम्’ ये दोनों ही पद क्यों कहे गये हैं? दोनों पदों की आवश्यकता तो नहीं मालूम पड़ती, क्योंकि उपनायकनिष्ठ रति से मुनिपत्न्यादिगत रति भी संगृहीत हो जाती है, कारण यह कि मुनिपत्नी आदि में जिसकी रति होगी, वह मुनिपत्नी का उपनायक ही होगा, फिर उन दोनों की रति उपनायक निष्ठ कहलायगी, यदि कहें कि वहां मुनिपत्नी आदि की रति नायक में नहीं रहती, तब मैं कहूंगा कि अनुभयनिष्ठ रति से समग्र हो जायगा। एक बात और वह यह कि उक्त कारिका से रसाभास के चार भेद प्रतीत होते हैं, पर ग्रन्थकार ने तो तीन ही भेद दिखलाये हैं, जो ठीक भी हैं, अत इस प्राचीन कारिका में कुछ असंगति अवश्य है।

उक्तयोदाहरणसङ्ग्रहार्थमभिधत्ते—

अत्र ‘मुनिगुरु’ शब्दयोरुपलक्षणपरतया राजादेरपि ग्रहणम्

आदिपदेनागम्यपत्नीकानां शिष्यादीनां परिग्रहो बोध्यः ।

उक्त प्राचीन कारिका में मुनि और गुरु पद उपलक्षण हैं, अतः उन पदों से राजा शिष्य आदि का भी ग्रहण करना चाहिये। अतः ‘शतेनोपायानाम्’ इत्यादि प्रथम उदाहरण का समग्र हो जाता है।

रस-तदाभासयोरैकत्र संगत्यात् पृच्छति—

अथात्र किं व्यङ्ग्यम् ?—

‘व्यानम्राञ्जलिताञ्चैव, स्फारिता’ परमाकुला’ ।

पाण्डुपुत्रेषु पाञ्चाल्या, पतन्ति प्रथमा दृशाः ॥’

पाञ्चाल्या द्रौपद्या, प्रथमा परिचयानन्तरमाया, दृशो दृश्य, पाण्डो पुत्रेषु शुभ्रिष्ठिता-दिषु क्रमेण शुभ्रिष्ठिरं गौरवाजानम्रा दिनता, भीमसेने नानाचलिताक्षरला, ‘प्रजुने प्रभावो-त्कर्षात् स्फारिता विज्ञामिता, ननुक्रमहृदेययोश्च नौन्दर्यातिशयान् परमाकुला प्रत्युन्मुकाय, पतन्तीत्यर्थः’ ।

अत्र पथे रसो रसाभासो वा व्यङ्ग्य रति प्रगुणादूतम् ।

अच्छा, अथ यह विचार कीजिये कि ‘पाण्डवों के ऊपर, द्रौपदी की प्रथम दृष्टिया अतिनम्र चञ्चल, विकसित और परम ध्याकुल होती हुई गिरती है’ एतदर्थक ‘यान्ता’ ‘’ इत्यादि पद्य में क्या व्यङ्ग्य है? रस? अथवा रसाभास?

विशेषाव्याख्यानप्रदार्निपुरस्कारे नवीनमने रसाभासस्य व्यङ्ग्यत्वावयति—

अत्र व्यानम्रतया धर्मात्मनाप्रयोज्य शुभ्रिष्ठिरं नभञ्जित्वम्, चलिततया न्यू-लाकारताप्रयोज्य भीमसेने नानाचलिताक्षरम्, स्फारिततया जलाकिरशोर्ध्वप्रयोज्य ननु-मर्जुने सठर्षत्वम्, परमाकुलतया परममौन्दर्यप्रयोज्यं ननुलसहृदेययोर्-मु

च व्यञ्जयन्तीभिर्दृग्भिः पाञ्चाल्या बहुविषयाया रतेरभिव्यञ्जनाद् रसाभास एवेति नव्याः ।

अत्र द्रौपदीदृष्टिविशेषणचतुष्टयेन युधिष्ठिरादिनिष्ठ-धर्मात्मताऽऽदिप्रयोज्यानि भक्ति-त्रास-हर्षौत्सुक्यानि व्यञ्जमानानि, द्रौपदीनिष्ठां युधिष्ठिराद्यनेकनायकविषयकत्वाद्नुचिता रतिं प्राधान्येन व्यञ्जन्तीति शृङ्गाररसाभासत्त्वं नवीना मन्यन्त इति सारम् ।

इह शौर्यस्यादृश्यतया यथा श्रवणपदोपन्यास', तथा धर्मात्मताया अपीति तत्रापि तदुपन्यास उचित' ।

उक्त विचार के प्रसङ्ग में नवीन विद्वानों का कथन है कि यहां रसाभास ही व्यङ्ग्य है, रस नहीं, क्योंकि 'अतिनम्र' इस विशेषण से धर्मात्मा होने के कारण युधिष्ठिर के विषय में भक्ति को, 'चञ्चल' इस विशेषण से स्थूल काय होने के कारण भीमसेन के विषय में त्रास को, 'विकसित' इस विशेषण से अलौकिक शूरता की बात श्रुत होने के कारण अर्जुन के विषय में हर्ष को और 'परम व्याकुल' इस विशेषण से अति सुन्दर होने के कारण नकुल तथा सहदेव के विषय में उत्सुकता को अभिव्यक्त करनेवाली दृष्टियों के वर्णन से द्रौपदी की अनेक नायक विषयक रति ध्वनित होती है ।

प्राचीनमते तत्र रसत्वमेव व्यवस्थापयति—

प्राञ्चस्त्वपरिणेतृबहुनायकविषयत्वे, रतेराभासतेत्याहुः ।

अपरिणेतार' परिणयकर्तृभिश्चा बहुवोऽनेके नायका विषया यस्या सैव रतीरसाभास । प्रकृते द्रौपदीनिष्ठरतेर्बहुनायकविषयकत्वेऽपि, नायकानां परिणेतृत्वाद् विशेषणाभावप्रयोज्य-विशिष्टाभावाच्च रसाभासत्वम्, अपित्वनौचित्याप्रतीत्या रसत्वमेवेति प्राचीनानां मतम् । इह प्राचीनमतस्य गरीयस्त्वं पश्चान्निर्देश' सूचयति । यत्त्वत्र टीकायां तुना सूचितमरुचिवीज लक्षणे परिणेतृभेदानिवेशादपरिणेतृबहुनायकविषयकत्व इवात्रापि रतेरनौचित्यस्य भान-सुकम्, तत्र युक्तम्, रतेरनौचित्यावभासे लोकशास्त्रगर्हितत्वस्यैव हेतुतया, महाभारतप्र-कृतप्रकरणपर्यालोचनया तदसम्भवात्, विशेषपञ्चेन्द्रोपाख्यानदर्शनेन नायकबहुत्वादिति विभावनीयम् ।

प्राचीन विद्वानों के मत से उक्त रलोक में रस ही व्यङ्ग्य है, रसाभास नहीं, क्योंकि वे विधिवत् पाणिग्रहण न करने वाले अनेक नायक के विषय में होनेवाली रति को ही रसा-भास मानते हैं, यहां तो पाँचों पाण्डव द्रौपदी के विधिवत् पाणि-ग्रहण करनेवाले ही हैं, अतः उन पाँचों के विषय में होनेवाली द्रौपदी की रति रसाभास नहीं कहला सकती, वरन शुद्ध रस ही कहलायगी । यहां 'प्राञ्चस्तु' इस 'तु' शब्द से अरुचि सूचित होती है, और उसका कारण यह है कि एक नायिका का अनेक नायकों से प्रेम करना हरहालत में अनु-चित ही है, चाहे वे नायक विधिवत् पाणिग्रहण कारक हों अथवा उदासीन । और लक्षण में भी इस तरह का कोई निवेश नहीं किया गया है, जिससे पाणिग्रहण करनेवाले अनेक नायकों के विषय में होनेवाली रति रसाभास-सञ्ज्ञा से मुक्त की जा सके । यह है नागेश का अभिप्राय । कुछ लोगों का यह भी कथन है कि नागेश का यह अरुचिप्रदर्शन समुचित नहीं है कारण यह कि लोक और शास्त्र से निन्दित होने से ही तो रति का अनौचित्य सिद्ध होता है, और महाभारत ( जो धर्मग्रन्थ तथा अपने युग का इतिहास ग्रन्थ भी है ) के पर्यालोचन से द्रौपदी का पांच पाण्डवों के साथ प्रेम करना निन्दित नहीं समझा जाता, अतः प्राचीनों का मत ठीक ही है ।

रसाभास विभजते—

तत्र शृङ्गाररस इव शृङ्गाररसाभासोऽपि द्विविधः—संयोगविप्रलम्भभेदात् ।

तत्र रसाभासेषु, यथा शृङ्गाररसो द्विविधः, तथा सयोगशृङ्गाररसाभासो विप्रलम्भशृङ्गाररसाभासश्चेति तदाभासोऽपि द्विविधस्तुल्यन्यायात् । एवं वीररसाभासभेदा अप्यूहनीया इत्यभिप्रायः ।

जैसे सम्भोग और विप्रलम्भ भेद से शृङ्गार रस दो प्रकार के होते हैं, उसी तरह शृङ्गार रसाभास भी दो प्रकार के होते हैं ।

तत्र विप्रलम्भाभासोदाहरणमात्रस्य वक्ष्यमाणत्वेन न्यूनता परिहरति—

सयोगाभासस्त्वनुपदभेदोदाहृतः ।

नव्यमते—‘व्यानम्रा’ इत्यादिना, प्राचीनमते तु ‘भुजपञ्चरे’ इत्यादिना, तेन न्यूनता न शङ्कनीयत्व्याशयः ।

सम्भोगशृङ्गार रसाभास का उदाहरण ‘भुजपञ्चरे’ इत्यादि अभी ही ऊपर कह आये हैं।

विप्रलम्भाभासमुदाहरति—

विप्रलम्भाभासो यथा—

वैदेहीविरहव्याकुलस्य दशाननस्य दशा वर्णयति—

‘व्यत्यस्तं लपति क्षणं, जणमथो मौनं समालम्बते,

सर्वस्मिन् विदधाति किं च विषये दृष्टिं निरालम्बनाम् ।

श्वासं दीर्घमुरीकरोति, न मनागङ्गेषु धत्ते धृति,

वैदेहीकमनीयताकवलितो हा हन्त । लङ्केश्वरः ॥’

हा हन्त । वैदेहा जानक्या, कमनीयतया स्पृहणीयसौन्दर्येण, कवलितो वशीकृतचेता, लङ्केश्वरो रावण, क्षण व्यत्यस्तमसङ्गतं लपति भाषते ( प्रलपति ) अथो क्षण मौनं समालम्बते मूक्रीभवति, किञ्च सर्वस्मिन् प्रियेऽप्रिये च विषये, निरालम्बना शून्या, दृष्टिं विदधाति करोति, तथा दीर्घमायतं, श्वासम्, उरीकरोति वहति, एवम्, अङ्गेषु स्वावयवेषु, मनागङ्गेषु, धृतिं स्थिरता न धत्ते न धारयतीत्यर्थः ।

विदधातीत्यत्र निक्षेपार्थको विदधातीति पाठोऽधिकशोभते ।

अब विप्रलम्भाभास का उदाहरण देखिये—सीता के सौन्दर्य से वशीकृत रावण की दशा व्यत्यन्त शोचनीय है । वह क्षणभर अट-सट कुछ बकता है, तो क्षणभर चुप्पी माध लेता है । सभी वस्तुओं पर दृष्टि डालता है, पर एक भी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती । वह जोर-जोर से सांस खींचता है और उसके अङ्गों में तनिक भी स्थिरता नहीं रहती—कभी हाथ और कभी पैर पटकता है, उससे थोड़ी देर भी शान्त नहीं रहा जाता ।

उपपादयति—

अत्र सीतालम्बनेय लङ्केशगता विप्रलम्भरतिरनुभयनिष्ठतया जगद्गुरुपत्नी-विषयकतया चाभासता गता, व्यत्यस्त लपतीत्यादिभिरुक्तिभिर्व्यज्यमानैरुन्माद-प्रम-मोह-चिन्ता-व्याधिभिस्तथैवाभासतां गतैः प्राधान्येन परिपोष्यमाणा ध्वनिव्यपदेशहेतुः ।

इह नांताविषयिकाया विप्रलम्भशृङ्गारस्याचिन्या रते रावणमात्रनिष्ठतया जगद्गुरु-रामचन्द्रपत्नीविषयकतया च द्विविधानौचित्याद् विप्रलम्भशृङ्गाररसाभासत्वम् । ना हि—‘क्षण व्यत्यस्त’मित्यादिना व्यज्यमानेनोत्साहेन, ‘क्षणमथो’ इत्यादिना व्यज्यमानेन श्रनेण, ‘सर्वस्मिन्’ इत्यादिना व्यज्यमानेन मोहेन, ‘श्वासं’मित्यादिना व्यज्यमानया चिन्तया, ‘न मना’मित्यादिना व्यज्यमानेन व्याधिना च भावेनानौचित्यप्रवृत्ततया भावाभासेन परिपो-ष्यते इति प्रधानीभूता विप्रलम्भशृङ्गाररसाभासध्वनिव्यपदेशस्य हेतुर्भवतीति सारम् ।



यहां सीता के विषय में जो रावण का विरहकालिक प्रेम है, वह अनुभयनिष्ठ अर्थात् रावणमात्र में है, सीता में नहीं और वह जगद्गुरु रामचन्द्र की पत्नी के विषय अतः उस प्रेम में द्विविध अनौचित्य आ गया, जिससे वह 'आभास' रूप है। उस (प्रेम) को पुष्ट करनेवाले उन्माद, श्रम, मोह, चिन्ता और व्याधि ये सञ्चारीभाव भी जगद्गुरु पत्नी विषयक होने के कारण 'आभास' रूप ही हैं, इन सञ्चारीभावों के व्यञ्जक क्रम अट-संठ घोलना, चुप्पी साधलेना, 'आलम्बनरहित' देखना, जोर-जोर से खींचना और अङ्गों में स्थिरता का न होना ये अनुभाव हैं। सारांश यह कि यहां रसा भी व्यङ्ग्य होता है और भावाभास भी, परन्तु भावाभास पोषक है—अङ्ग है और रसा पोष्य है—अङ्गी है, अतः रसाभास ही इस पद्यको ध्वनि कहे जाने का कारण है, भास नहीं।

शृङ्गारवद् रसान्तराणामप्यनौचित्यप्रवृत्तत्वे रसाभासतां व्यवस्थापयति—

एवं कलहशीलकुपुत्राद्यालम्बनतया वीतरागादिनिष्ठतया च वर्यस्य शोकः, ब्रह्मविद्यानधिकारिचाण्डालादिगतत्वेन च निर्वेदः, कदर्य-कातरादि त्वेन पित्राद्यालम्बनत्वेन वा क्रोधोत्साहौ, ऐन्द्रजालिकाद्यालम्बनत्वेन विस्मयः, गुर्वाद्यालम्बनतया च हासः, महावीरगतत्वेन भयम्, यज्ञीयपशुवस सृष्ट्मासाद्यालम्बनतया वर्यमाना जुगुप्सा च रसाभासाः ।

यथा रतेर्मुन्यादिपत्नीविषयत्वेनानौचित्याच्छृङ्गाराभासता, तथैव कलहशीलो य कुपु स्तद्विषयस्य वीतरागपुरुषनिष्ठस्य च शोकस्यानौचित्यात् करुणाभासता, ब्रह्मविद्याया वि नस्यानधिकारिणो ये चाण्डालादयस्तद्विषयत्वेन वर्ण्यमानस्य निर्वेदस्यानौचित्याच्छ्रान्ताभास कदर्यो नीच कातरो भीरुस्तद्विषयत्वेन वर्ण्यमानस्य क्रोधस्य रौद्राभासता, उत्साहस्य वीराभासता, ऐन्द्रजालोपजीवक ऐन्द्रजालिकस्तद्विषयकत्वेन विस्मयस्याद्भुताभासता, गुरुज दिविषयकत्वेन हासस्य हास्याभासता, महावीरनिष्ठत्वेन भयस्य भयानकाभासता, यज्ञी वध्यतया यज्ञसम्बन्धिनी ये पशवस्तेषां यानि वसासृष्ट्मासादीनि मञ्जारुधिरमासप्रमृती तद्विषयत्वेन वर्ण्यमानाया जुगुप्सायाश्च बीभत्साभासता च ज्ञेयेत्याशयः ।

अब शृङ्गार की तरह अन्य रस भी अनुचित रूप में प्रवृत्त होने पर रसाभास हो जाते हैं इस बात की व्यवस्था करते हैं—'एव कलह' इत्यादि। जैसे शृङ्गार रस का स्थायीभाव (रति) उक्त रीति से अनुचित होने पर शृङ्गार रसाभास होता है, उसी तरह अन्य रस के स्थायीभाव भी अनुचित होने पर तत्तद्रस के आभास रूप होते हैं। जैसे—करुण का स्थायीभाव (शोक) यदि कलहकारी कुपुत्र आदि के विषय में अथवा विरक्त पुत्र आदि आश्रय में वर्णित हो, शान्त रस का स्थायीभाव (निर्वेद) यदि ब्रह्म-विद्याध्ययन के अधिकार से वञ्चित चाण्डाल आदि आश्रय में वर्णित हो, रौद्र और वीर रस के स्थायीभाव (क्रोध और उत्साह) यदि दीन अथवा कायर आश्रय में किंवा पिता आदि विषय में वर्णित हों, अद्भुत रस का स्थायीभाव (विस्मय) यदि ऐन्द्रजालिक आदि विषय में वर्णित हो, हास्य रस का स्थायीभाव (हास) यदि गुरु आदि पूज्यों के विषय में वर्णित हो, भयानक रस का स्थायीभाव (भय) यदि किसी महावीर रूप आश्रय में वर्णित हो और बीभत्स रस का स्थायीभाव (जुगुप्सा) यदि यज्ञीय पशु के मरण शोणित, तथा मांस आदि के विषय में वर्णित हो, तो क्रमशः करुणरसाभास, श्रान्तरसाभास, रौद्ररसाभास, वीररसाभास, अद्भुतरसाभास, हास्यरसाभास, भयानकरसाभास और बीभत्सरसाभास होते हैं।

तदुदाहरणाप्रदर्शनकारणमाह—

विस्मृतिभयाच्चाभी नेहोदाहृताः सुधीभिरुन्नेया' ।

प्रत्येकनेयामुदाहरणप्रदर्शने प्रत्यविस्तर स्यादिति शृङ्गाराभासोदाहरणेनैव सुवांभिस्त-  
द्वह स्नातीपुलाकन्यायेन विधेय इत्यर्थः ।

इन सब रसाभासों के अलग-अलग उदाहरण दिखलाने में प्रत्य के अतिविस्तृत हो जाने का भय था, अतः वे नहीं दिखलाये गये, विद्वानों को स्वयं उनका उद्घरण करना चाहिये ।

विशेषव्यविरहान् ननालेनैव भावाभासान् निरूपयति—

एवमेवानुचितविषया भावाभासाः ।

एवमेव रसानासत्रदेव, अनुचितविषया अनुचितालम्बनका अनुचिताश्रयनिष्ठा वा वर्तमाना हर्षादयः पूर्वोक्ता भावा भावाभासा भवन्ति 'तदाभासा अनौचित्यप्रवर्तिता' इति प्राचीनभिज्ञानादित्यर्थः ।

इसी तरह हर्ष आदि पूर्वोक्त भाव भी यदि अनुचित आलम्बन के विषय में कथवा अनुचित वाक्य में वर्णित हों, तो भावाभास कहलाते हैं ।

ननालेनैव भावानासमुदाहरति—

यथा—

अनुचिनरति प्रवर्तनी प्रिया स्मरन् वदति—

'सर्वेऽपि विस्मृतिपथं विषया' प्रयाता

विद्याऽपि खेदकलिता विमुखीवभूव ।

सा केवलं हरिणशावकलोचना मे;

नैवपयाति हृदयादधिदेवतेव ॥'

( सम्प्रति प्रियाविरहे ) सर्वेऽपि, विषयास्तत्तदिन्द्रियैरनुभवनीया पदार्थाः, विस्मृति-  
पथ प्रयाता सुहृन्सुसन्वीयनाना अपि विस्मृता एवाभूवन्, ( चिरसेविता ) विद्याऽपि,  
खेदकलिना पराङ्गनाप्रणयावधारणैर्यथाकथायिताशयेव, विमुखीवभूव सान्मुह्यं विहाय दूर  
जगत् केवलमेका, सा हृष्टपूर्वा, हरिणशावकलोचना कुरङ्गशिशुनयना, अधिदेवतेव हृदया-  
दिष्टवृदेवतेव, मे नम हृदयात्, नैवपयाति नैव नित्तरतीत्यर्थः ।

जैसे—मनी विषय विस्मृति के मार्ग पर पहुँच गये—भूल से गये और विद्या भी जिसकी  
सेवा मैंने चिरकाल तक की थी—खिन्न होकर मुझे पराङ्गना—प्रणयी समझ कर ईर्ष्या से  
कटरितहृदया होकर—विमुख हो गई, परन्तु केवल वह बाल हरिण के समान नयन वाली  
यात्रा विषया त्री देवी के समान बनी बैठी है, हृदय से कभी निकलनी ही नहीं ।

प्रकृतं प्रदर्शयति—

गुण्ठने विद्याभ्याससमये तदीयकन्यालावण्यगृहीतमानसस्य, अन्यस्य वा  
कन्यचिद(ति)प्रतिषिद्धगमनां स्मरतो देशान्तर गतस्येयमुक्तिः ।

गुण्ठनं गुरोर्गृहम् । 'अप्रतिषिद्धगमनाम्' इति पाठे तु निषिद्धालम्बनकन्वामावाद्भावा-  
न्तैव दुर्घटा स्यादिति प्रसिद्धघटकाव्द कल्पितः । इह गुण्ठन्या तदन्त्या वा कचिद-  
न्त्याऽलम्बनम् विषयो यस्याः सा स्मृतिरनौचित्यप्रवृत्तत्वाद् भावाभासरूपा, व्यङ्ग्याभ्या  
व्यतिरेकेणालम्बनानुगतिरन्यनाणा स्मृतिभावानामन्वयनिष्पदेशस्य बीजमवसेयम् ।

विद्याभ्यास करते समय, गुरु-पुत्री के लावण्य से मोहित मनवाले पुष्टर ही कथवा  
जिनका सम्भोग लयन्त ही निषिद्ध समझा जाता है, ऐसी किसी कामिनी का स्मरण करते  
हुए किसी अन्य की उस समय में यह उक्ति है, जब वह उससे दूर हो गया था ।

व्यङ्ग्य व्यतिरेकस्य स्मृत्तत्त्वं प्रतिपादयति—

अत्र च स्वात्मत्यागात्यागाभ्या स्मृत्तत्त्वादिषु विषयेषु चिरसेविताया

विद्यायां च कृतघ्नत्वम्, अस्यां च लोकोत्तरत्वमभिव्यज्यमानं व्यतिरेकवपुः  
स्मृतिमेव पुष्पातीति सैव प्रधानम् ।

चिरं सेवितैरपि स्रक्चन्दनादिविषयैः, चिरं सेवितया विद्यया च सेवकस्य स्वात्मन-  
स्त्यागं कृत इति तयोरकृतज्ञत्वम्, अस्यां नायिकायान्त्वल्पकालानुध्यातायामपि सतत-  
स्मृतिसंसक्ततया त्यागमकृतवत्यामपूर्वं कृतज्ञत्वं च व्यज्यमानं व्यतिरेकालङ्कारस्वरूपं स्मृति-  
भावस्यैवोपकारकमितीह भावाभासध्वनिरेव, नत्वलङ्कारध्वनिरित्याशयः ।

यहां चिरसेवित स्रक्, चन्दन आदि विषय और चिर-सेवित विद्या—जो इस पद्य में उप-  
मान रूप से आये हैं—में, अपने को छोड़ देने के कारण, कृतघ्नता तथा अल्पपरिचित  
उस मृगाक्षी—जो यहां उपमेय रूप से आई है—में अपने को अभी तक न छोड़ने के कारण,  
अलौकिक कृतज्ञता अभिव्यक्त होती है, अतः उपमान से उपमेय में आधिक्य-वर्णन रूप  
'व्यतिरेक' अलङ्कार यहां व्यङ्ग्य है अवश्य, तथापि इस पद्य को अलङ्कार-ध्वनि नहीं कहा  
जा सकता, क्योंकि वह व्यङ्ग्य 'व्यतिरेक' यहां उस प्रधान 'स्मृति-भाव' का ही पोषक है,  
जो अनुचित प्रवृत्त होने के कारण आभास रूप है । फलतः इस पद्य को 'भावाभास-ध्वनि'  
ही मानना चाहिये ।

वस्तुव्यङ्ग्योपमाया अपि भावाभासाङ्गत्व दर्शयति—

एवं च त्यागाभावगत सार्वदिकत्वं व्यङ्ग्यन्त्यधिदेवतोपमाऽपि ।

यथाऽधिष्ठात्री देवता स्वाधिष्ठानं न जानु त्यजति, तथेयमङ्गनाऽपि ममहृदय न त्यजती-  
तिवाच्योपमाऽपि, परित्यागाभावस्य सार्वकालिकत्वं व्यङ्ग्य वस्तु बोधयन्ती, चमत्कृतिमत्यपि  
स्मृतेरङ्गमेव, न प्रधानमिति भावः ।

इसी तरह 'अधिदेवतेव' इस पद से वाच्य होनेवाली उपमा चमत्कारजनक होकर  
भी 'स्मृति-भाव' का अङ्ग ही है, प्रधान नहीं, क्योंकि इस उपमा से यह वस्तुध्वनित होती  
है कि जैसे अधिष्ठात्री देवी अपने अधिष्ठान को कभी नहीं छोड़ती, वैसे यह मृगाक्षी भी  
मेरे हृदय को कभी नहीं छोड़ती, अतः यह समझना चाहिए कि यह उपमा त्यागाभाव  
( न छोड़ने ) में सार्वदिकता-चिरस्थायिता को व्यक्त करने के लिये ही केवल गढ़ी गई है ।

भावाभासत्वमुपपादयति—

एषा चानुचितविषयकत्वादानुभयनिष्ठत्वाच्च भावाभासः ।

एषा स्मृति । अनुचितविषयकत्वमालम्बनस्य निषिद्धत्वात्, अनुभयनिष्ठत्वं च नायक-  
मात्रवृत्तित्वात् ।

यह स्मृतिभाव नहीं, भावाभास है—इसलिये कि इसका विषय गुरुकन्या अथवा  
अन्य कोई अगम्या नायिका अनुचित है, और यह स्मृति अनुभयनिष्ठ भी है—अर्थात् नायिका  
तो स्मरण करती नहीं, अतः एक तरफा है ।

विषयभेदादिहैव भावध्वनित्वमप्याह—

यदि पुनरियं तत्परियोतुरेवोक्तिः, तदा भावध्वनिरेव ।

नायिकाया पत्युरेवोक्तिरेषा यदि प्रकरणे नावधार्येत, तदा निषिद्धालम्बनकत्वानुभय-  
निष्ठत्वयोरभावान्स्मृतिभावाभासध्वनि, किन्तु स्मृतिभावध्वनिरेवेति भावः ।

यदि माने कि 'सर्वेऽपि.....' इत्यादि पद्य वर्णनीय नायिका के परिणेता ( पति ) क  
ही उक्ति है, तब इस पद्य को 'भावध्वनि' का ही उदाहरण समझना चाहिये ।

भावशान्ति निरूपयति—

अथ भावशान्तिः—

निरूप्यत इति शेषः ।

## भावस्य प्रागुक्तस्वरूपस्य शान्तिर्नाशः ।

प्रागुक्तं विभावानुभावव्यज्यमान-हर्षायन्यतमत्व स्वरूपं यस्येति बहुमोहि । विभावा-  
दिव्याऽहर्षायन्यतमनाग एव भावशान्तिरित्यर्थः ।

अथ 'भावशान्ति' का निरूपण करते हैं । अच्छा, पहले उसका लक्षण देखिये—जिनके स्वरूप पूर्व में वर्णित हो चुके हैं, उन हर्ष आदि भावों में से किसी भाव के नाश को 'भाव-  
शान्ति' कहते हैं ।

विशेषमाचष्टे—

सचोत्पत्त्यवच्छिन्न एव ग्राह्यः, तस्यैव सहृदयचमत्कारित्वात् ।

यत स भावनाश उत्पद्यमान एव ( न तु स्थित्यवच्छिन्न ) सहृदयाद्वादक, तस्मात्  
न एवात्र प्रश्न इत्यर्थः ।

वह भाव-नाश उत्पत्त्यवच्छिन्न (उत्पत्ति-कालिक) ही लेना चाहिये—अर्थात् भाव के उत्पन्न होते ही उसके नाश का वर्णन होना चाहिये, उसके काम कर चुकने के बाद का नहीं क्योंकि उत्पत्तिकालीन भावनाश ही सहृदयों को चमस्कृत करता है ।

उदाहरति—

उदाहरणम्—

मानिन्या सद्योऽमर्षञ्चम वर्णयति—

'मुञ्चसि नाद्यापि रूपं, भामिनि । मुदिरालिरुटियाय ।

इति तन्व्या पतिवचनैरपायि नयनाञ्जकोणशोणरुचिः ॥'

'हे भामिनि ! कोपने ! अयापीदानीमपि, रूपं कोपं मानं न मुञ्चसि न त्यजसि, (परय) मुदिरालिर्मेघनाला, उदियायोदिताऽभूत्' इति पतिवचनैः, तन्व्या कृशाङ्ग्या ( मानिन्या ) नयनाञ्जकोणयोर्लोचनकमलप्रान्तयोः, शोणरुचिर्मानोपहिता रक्तच्छवि, अपायि व्यनाशी त्यर्थः । मानिनी परमोदीपनकादम्बिनीसनाहश्रवणात् सद्यः प्रससादेति भावः ।

उदाहरण लीजिये—'अपि ! कोपमयि !! अब भी तू रोप का त्याग नहीं करती, देख तो, घन-घटा घिर आई' इत तरह पति के वचनों ने, कृशाङ्गी के नयन-कमल के कोने में जो रक्त छवि थी, उसे पी गया—वह उत्पन्न होने के साथ ही समाप्त हो गई ।

विभावानुभावौ दर्शयति—

इह तादृशप्रियवचनश्रवण विभावः, नयनकोणगत-शोणरुचेर्नाशः, तद-  
भिव्यक्तः प्रसादो वाऽनुभावः ।

तादृश मुदिराल्युदयबोधकम् । प्रियवचनश्रवणस्यामर्षभावशान्तिजनकत्वेन विभावत्वम् ।  
नयनकोणशोणरुचिनाशस्य नाशमर्षनाशाजन्यत्वाद्विकल्पः ।

यहां प्रियतम की घन-घटा वाली बातों का सुनना विभाव है और नेत्र-कोण की रक्त-  
एवि का नाश अनुभाव है । यदि कहे कि नेत्र की लाली का नाश तो रोप-नाश का साक्षात्  
कार्य नहीं हो सकता—अर्थात् रोप-नाश से प्रसन्नता होगी और प्रसन्नता से कोपमूलक  
नेत्र-रक्तता का नाश होगा, तो मैं कहूंगा कि ठीक है, तब नेत्ररक्तता के विनाश के अभि-  
व्यक्त प्रसन्नता को ही अनुभाव समझिये ।

उपपादयति—

उत्पत्तिकालावच्छिन्नो रोपनाशो व्यङ्ग्यः ।

रोपेऽमर्षस्तेनात्रामर्षभावशान्तिरिति नारम् ।

उक्त विभाव और अनुभावों से उत्पत्ति के समय में ही रोप

भावोदयं निरूपयति—

तथा—

**भावोदयो भावस्योत्पत्तिः ।**

पूर्वोक्तलक्षणस्य कस्यचिद्भावस्योदय उत्पत्तिरास्वादपदवीं गतो भावोदयो भवतीत्यर्थः ।

अब 'भावोदय' का निरूपण करते हैं । पहले उसका लक्षण देखिये—पूर्वोक्त हर्ष आदि में से किसी भी भाव की उत्पत्ति को 'भावोदय' कहते हैं ।

उदाहरति—

**उदाहरणम्—**

प्रियापराधवोधात् सद्यो मानिन्या वृत्तं वर्णयति—

'वीक्ष्य वक्षसि विपक्षकामिनी हारलक्ष्म दयितस्य भामिनी ।

अंसदेशवलथीकृतां क्षणादाचकष निजबाहुवृक्षरीम् ॥

( आलिङ्गन्तीं काचित् ) दयितस्य वक्षस्य, वक्षसि हृदये, विपक्षकामिन्या प्रागुपभुक्त-प्रतिनायिकाया, हारलक्ष्म गाढालिङ्गनोद्गतमुक्तामालाचिह्न, वीक्ष्य विशेषेण दृष्ट्वा, ( अपराधनिश्चयात् ) भामिनी रोषवती सती, असदेशयोर्दयितस्कन्धप्रान्तयो, वलयीकृता मण्डलाकारेण सयोजिता, निजबाहुवृक्षरीं स्वभुजलताम्, क्षणात् सद्यः आचकर्ष-अमर्षोदयादा-कृक्षदित्यर्थः ।

उदाहरण देखिये—कोई कामिनी एकान्तस्थित प्रियतम के दोनों कन्धों पर हाथ रखकर गले मिल रही थी, तब तक अकस्मात् उसकी दृष्टि प्रियतम के वक्षस्थल में उगे हुए सौत के हार-चिह्न पर पड़ी, फिर क्या था, तुरत वह कामिनी से भामिनी ( कोपना ) बन उठी और कन्धे पर से अपनी बाहु-लता को खींच लिया ।

विभावमनुभावं व्यङ्ग्य च प्रतिपादयति—

अत्रापि दयितवक्षोगत-विपक्षकामिनीहारलक्ष्मदर्शनं विभावः, प्रियासंदेश-वलथीकृतनिजबाहुलताऽऽकर्षणमनुभावः, रोषोदयो व्यङ्ग्यः ।

इहापि रोषपदमर्षवोधकम्, तेनामर्षभावोदयध्वनिर्बोध्यः ।

यहां भी प्रियतम के वक्षस्थल पर सौत के हार का चिह्न देखना विभाव और उसके कन्धे पर से लिपटी हुई भुजलता का खींच लेना अनुभाव है, भिनसे रोष-भाव का उदय व्यङ्ग्य होता है ।

भावशान्ति-भावोदययोर्विषयैकमाशङ्क्य विषयविभाग दर्शयति—

यद्यपि भावशान्तौ भावान्तरोदयस्य, भावोदये वा पूर्वं भावशान्तेरावश्य-कत्वान्नानयोविविक्तो व्यवहारस्य विषयः, तथापि द्वयोरेकत्र चमत्कारविरहात्, चमत्काराधीनत्वाच्च व्यवहारस्य, अस्ति विषयविभागः ।

यत्रैकभावस्य शान्ति, तत्रापराभावस्योदय आवश्यक, यत्र पुनरेकभावस्योदय, तत्र पूर्वमपराभावस्य शान्तिरवश्यमपेक्ष्यत इति भावशान्ति-भावोदययोः सर्वत्र सङ्कीर्णत्वात् स्वतन्त्रो व्यवहारस्य विषयो न सम्भवतीति शङ्काया—नह्येकत्रैव तत्रभावस्य शान्तेरुदयस्य च चमत्कारिता, नवा चमत्कारितां विना व्यवहारप्रवृत्तिरिति निर्णये, यत्र भावशान्तिचमत्कार, तत्र भावशान्तिव्यवहार, यत्र तु भावोदयचमत्कार, तत्र भावोदयव्यवहारो भवतीति तयोर्व्यवहारस्य विषय परसाङ्ग्यै सत्यपि स्वतन्त्र एवेति समाधानम् ।

यद्यपि यह निश्चित है कि जहां किसी भाव की शान्ति होती है, वहां किसी दूसरे भाव का उदय भी होता ही है, इसी तरह जहां किसी भाव का उदय होता है, वहां उसके पहले

जिसी धतिरिक्त भाव की शान्ति अवश्य हुई रहती है, फिर तो भावशान्ति और भावोदय के एक दूसरे से अमिश्रित लक्षणों का मिलना अपम्भव है, तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि इन दोनों के अलग-अलग व्यवहार करने योग्य लक्षण नहीं हैं, क्योंकि एक जगह दोनों चमत्कारी नहीं होते अर्थात् भावशान्ति की जगह में भावान्तर का उदय निश्चित रह कर भी चमत्कारी नहीं रहता, इसी तरह भावोदय की जगह में प्राक्तनभाव की शान्ति नियमत रहने पर भी चमत्कार जनक नहीं होती और व्यवहार चमत्कार के अधीन है— अर्थात् जिसमें चमत्कार रहता है, उसी का व्यवहार होता है, अतः इन दोनों के पृथक् पृथक् व्यवहार हो सकते हैं।

भावनन्धि निरूपयति—

एवम्—

**भावसन्धि-रन्योन्यानभिभूतयो-रन्योन्याभिभवनयोग्ययोः सामानाधिकरण्यम् ।**

अन्योन्य परस्परमनभिभूतयोरवाधितप्रतीतिचमत्कारयो, अन्योन्याभिभवनयोग्ययो-र्मिपप्रतीतिचमत्कारवाचनसमर्थयो ( अविरोद्धयोस्तुल्यवलयो ) द्वयोर्भावयो, सामानाधिकरण्यमेकदेशैककालावच्छिन्नचमत्कारिप्रतीतिविषयत्व भावसन्धिरित्यर्थ ।

सुन्दोपसुन्दन्यायेन मियोवाधने प्रतीतिचमत्काराभावात्, ताटस्थ्ये परस्परवाधना-क्षमयोस्तु नन्विप्रयोज्यविजातीयचमत्कारसमशिरस्त्रचमत्कारविरहाच्च क्रमेण विशेषणद्वय-सार्थक्यम् । तदुक्तम्—‘भावयो सन्धिरुभयसामप्रीयोगेन परस्परविमर्द’ इति । ‘सन्धिरैक-कारत्वेन तुल्यकक्षयोरत्वाद’ इति च ।

अथ ‘भाव-सन्धि’ का निरूपण करते हैं । सर्वप्रथम उमका लक्षण देखिये—एक दूसरे से दये हुये न हों, पर एक दूसरे को दवाने की योग्यता रखते हों, ऐसे दो भावों के सामानाधिकरण्य ( एक जगह रहने ) को ‘भाव-सन्धि’ कहते हैं । तात्पर्य यह हुआ कि जिन दो भावों में से कोई एक दूसरे की प्रतीति और चमत्कार को वाधित करने की क्षमता रखता हो, परन्तु वाधित करे नहीं, ऐसे—अर्थात् अविरोद्ध और तुल्यवल दो भावों की सहस्थिति को भावसन्धि कहते हैं । यहा यदि लक्षण में ‘एक दूसरे से दये हुये न हों’ यह पूर्व शर्त नहीं कहा जाय, तब उन दो भावों की सहस्थिति में अतिव्याप्ति हो जायगी, जो, परस्पर वाधक होने के कारण अप्रतीयमान अत एव चमत्कारहीन होकर तटस्थ बने पड़े रहते हैं । इसी तरह यदि ‘एक दूसरे को दवाने की योग्यता रखते हो’ यह द्वितीय शर्त लक्षण में न रखा जाय, तब उन अद्वाङ्गिभावापन्न दो भावों की सह-स्थिति में अतिव्याप्ति हो जायगी, जिनकी सह-स्थिति से कोई खास चमत्कार नहीं उत्पन्न होता, अतः दोनों शर्तों का निवेद सार्थक है ऐसा समझना चाहिये ।

उदाहरति—

उदाहरणम्—

वयस्सन्धिमार्टाया अनूटाया सांताया रामचन्द्रे प्रथमं क्वमातं वर्णयति—

‘यौवनोद्गमनितान्तशङ्किता, शीलशौर्यवलकान्तिलोभिता ।

सकुचन्ति विकसन्ति राघवे, जानकीनयननीरजधियः ॥’

यौवनस्योद्गमनेनारम्भेन नितान्त गह्विता युवदर्शने नवा-रितयौवनसौजातिव्यभावा-दुत्पन्नशङ्का, ( राघवस्य ) शीलेन सद्गुणेन, शौर्येण विक्रमेण, वलेन शारीरिकरामनर्पेन, वलन्त्या लावण्यप्रभया च ( प्रत्यङ्निपयेण ) लोभिता उदारचित्तलोभाय, जानक्या सांताया नयने एव नीरजे कमले, तयोधिप्रय जोभा, राघवे रामचन्द्रे ( पतन्त्या ) सकुचन्ति

लम्बया निमीलन्ति, विकसन्ति—श्रौत्सुक्येनोन्मीलन्ति चेत्यर्थः । इह यौवनोद्गमस्योभयत्रान्वयः, उन्मीलननिमीलनयोश्च कालातिलाघवेन यौगपद्यव्यवहारः ।

उदाहरण देखिये । एक सखी दूसरी सखी से कहती है—दोनों में ( सीता तथा राम में ) यौवन अंकुरित हो जाने के कारण अत्यन्त शङ्कायुक्त और राम की सच्चरित्रता, शूरता, शारीरिक बल और कान्ति के कारण लोभयुक्त कुमारी सीता के नेत्र-कमलों की शोभायें, रघुनन्दन रामचन्द्र के विषय में, संकुचित और विकसित हो रही हैं । भावार्थ यह है कि नवांकुरित सीताजी ने जब प्रथम प्रथम यौवनोन्मुख, सच्चरित्र, वीर, वलिष्ठ और सुन्दर रामचन्द्रजी को देखा, तब उनकी आंखें उन्हें देखने में कुछ संकुचित हो रही थीं क्योंकि उनके हृदय में उस समय एक तरह की शङ्का भी उपस्थित थी, जो किसी नव युवक को देखते समय किसी भी अंकुरयौवना के लिये स्वाभाविक है । और कुछ विकसित भी हो रही थीं, क्योंकि उस विलक्षण यौवनोन्मुख रामजी के प्रति उनके मन में लोभ भी था । इसी बात का वर्णन एक सखी दूसरी सखी से कर रही है ।

विभावाद्याह—

अत्र भगवद्देशरथिगतस्य लोकोत्तरयौवनोद्गमस्य, तादृशस्यैव शीलशौर्या-  
देश्च दर्शनं विभावः, नयनगत-सङ्कोचविकासावनुभावः, व्रीडौत्सुक्ययोः  
सन्धिर्व्यङ्ग्यः ।

तादृशस्य लोकोत्तरस्य । नयनद्युते' सङ्कोचेन व्रीडा, विकासेन चौत्सुक्यमिह समकक्षतया-  
ऽऽस्वाद्येते इति भावसन्धिध्वनि ।

यहां भगवान् रामचन्द्रजी में लोकोत्तर यौवन की उत्पत्ति का तथा उसीतरह के लोकोत्तर चरित्र-वीरता आदि का दर्शन विभाव है और आंखों का संकुचित होना तथा विकसित होना अनुभाव है । जिनसे लज्जा और औत्सुक्य इन दो भावों की सन्धि व्यङ्ग्य होती है—अर्थात् नेत्र-संकोच से लज्जा और नेत्र-विकास से औत्सुक्य समानरूप से ध्वनित होते हैं, अतः यह पद्य 'भाव-सन्धि-ध्वनि' का उदाहरण होता है ।

भावशबलत्वं निरूपयति—

तथा—

भावशबलत्वं भावानां वाध्यबाधकभावमापन्नानामुदासीनानां वा  
व्यामिश्रणम् ।

विरुद्धत्वान्मिथोवाध्यबाधकभावं प्राप्तानाम्, अथवाऽविरुद्धत्वात् तदस्थानां भावानां,  
व्यामिश्रणं स्वस्वव्यञ्जकपृथग्-वाक्यजप्रतीतिविषयत्वपूर्वकैकमहावाक्यजन्यचमत्कारकवैयञ्ज-  
निक-प्रतीतिविषयत्वं शबलत्वमित्यर्थः ।

जो परस्पर विरोधी होने के कारण एक दूसरे का बाधक हों, अथवा जो उदासीन-  
अर्थात् न परस्पर बाधक न परस्पर सहायक हों, ऐसे अनेक भावों के मिश्रण को 'भाव-  
शबलता' कहते हैं ।

तथा शबलत्व विवृणोति—

एकचमत्कृतिजनकज्ञानगोचरत्वमिति यावत् ।

एक महावाक्यजन्य चमत्कृतिजनकं यद्वैयञ्जनिकज्ञानं, तद्विषयत्वमित्यर्थः ।

मिश्रण शब्द का अर्थ यहां यह है कि यद्यपि भिन्न-भिन्न वाक्य से भिन्न-भिन्न भाव  
अभिव्यक्त होते हों, तथापि उन सब वाक्यों को मिलाकर जो एक सम्पूर्ण पद्यरूप महा-  
वाक्य बने, उससे जो एक व्यञ्जना वृत्ति के सहारे चमत्कारी ज्ञान हो, उसमें उन सब  
भावों का भासित हो जाना ।

उदाहरति—

उदाहरणम्—

सीता विवास्यानुशयान श्रीरामध्वन्तयति—

‘पाप हन्त मया हतेन विहित, सीताऽपि यथापिता,  
सा मामिन्दुमुखी विना वत वने किं जीवित धारयति ? ।  
आलोकेय कथं मुखानि कृतानां, किं ते वदिष्यन्ति मा,  
राज्यं यातु रसातल पुनरिदं, न प्राणितु कामये ॥’

( यज्ञभूमिसमुत्पन्ना वह्निपरीक्षितशीला ) सीताऽपि ( भुशुपवादभिया ) यत्, यापिता राज्यान्त्या निष्कास्य वनं गमिता, हन्त ! हतेन दुष्टेन दुर्दैवोपहतबुद्धिना वा मया, तत् सीतानिर्वाणनं पापं कृतमविधेयं विहितम् । सा शतशः सुपरीक्षितप्रणया, इन्दुमुखी सीता, सा विना ( एकाकिनी ) वने, वत ! जीवितं किं धारयति ? नैव वारयिष्यति । कृतं तादृश-पापकर्माऽहं कृतिना प्राज्ञजनानां मुखानि, कथम्, आलोकेयं लज्जया पश्येयम् ? । ते कृतिनः ( पापिनः ) मा, किं वदिष्यन्ति किं कथयिष्यन्ति ? । यदयं मर्यतदनुष्ठितं तदिदं राज्यं, पुनः, रसातलं यातुं विनश्यतु । अहं प्राणितुमतः परं जीवितुं, न कामये नेच्छामि दुःख-दुर्गो दग्धाजीवनान्मरणस्यैव श्रेयस्त्वादित्यर्थः ।

उदाहरणं देखिये । सीता जी को वन में निर्वाणित कर देने के बाद राम का कथन है कि मैं बड़ा दुर्बुद्धि हूँ, तभी तो सीता को भी ( जिसका शील अग्नि में परीक्षित हो चुका था ) निकाल दिया, यह मुझसे बहुत बड़ा पाप किया गया, हाय ! क्या वह ( जिसका मुझ में क्षमीय प्रेम है ) मेरे विना वन में जी सकती है ? मैं भले धार्मिकों का मुझ कैसे देखूँगा ? वे मुझे क्या कहेंगे ? यह राज्य ( जिसके लिये मैंने यह पाप किया है ) रसातल में चला जाय, मैं जीना नहीं चाहता ।

उपपादयति—

अत्र मत्स्य-सूया-विषाद-स्मृति-वितर्क-श्रीडा-शङ्का-निर्वेदानां प्रागुक्तस्वस्ववि-भावजन्यमना शबलता ।

एषा ‘पाप’मित्यादिना व्यज्यमानाया मते, ‘हतेने’त्यादिना व्यज्यमानाया स्वविषय-कासूयाया, ‘सीताऽपि’त्यादिना व्यज्यमानस्य विषादस्य, ‘से त्यनेन व्यज्यमानाया स्मृते, ‘मामिन्दुमुखी’त्यादिना व्यज्यमानस्य वितर्कस्य, ‘आलोकेये’त्यादिना व्यज्यमानाया व्रीडाया, ‘स्मिन्’त्यादिना व्यज्यमानाया शङ्काया, ‘राज्यं मित्यादिना व्यज्यमानस्य निर्वेदस्य न भावस्य शबलत्वमेकमहावाक्यत्रयैरेषा निरुक्तमत्कारजनकप्रतीतिविषयत्वमन्तान्वयः ।

यहां अपने अपने विभाव से अविषयक होने वाले मति, असूया, विषाद, स्मृति, वितर्क, व्रीडा, शङ्का और निर्वेद इन भावों का मिश्रण ( शबलता ) है—अर्थात् ‘मैंने पाप किया’ इसमें मति, ‘दुर्बुद्धि’ इस आत्मविशेषण में स्वविषयक असूया, ‘सीता को भी’ इसमें विषाद, ‘वह इन्द्रमुखी’ इसमें स्मृति, ‘मेरे विना जी सकती है’ इसमें वितर्क, ‘मैं भले धार्मिकों का मुझ कैसे देखूँगा’ इसमें व्रीडा, ‘वे मुझे क्या कहेंगे’ इसमें शङ्का और ‘यह राज्य रसातल में चला जाय, मैं जीना नहीं चाहता’ इसमें निर्वेद, ये भाव व्यक्त होते हैं और इन सब भावों का समग्र ग्लोबलजन्यबोध में भाव होता है, अतः यह ‘मार-शबलता-स्वनि’ हुई ।

कथं प्रशास्यमाना वृद्धं भाग्यवत्त्वलक्षणमुपन्यस्य निरस्यति—

यत्तु काव्यप्रकाशटीकाकारैः—‘उत्तरोत्तरेण भावेन पूर्वपूर्वभाषोपमर्दः शबलता’ इत्यभ्यधीयत; तत्र, ‘पश्येत् कश्चिज्जलं चपलं रे । सा त्वराऽहं कुमारी, हन्तालन्व



वितर, हहहा । व्युत्क्रमः कासि यासि ।' इत्यत्र शङ्काऽसूया-धृति-स्मृति-श्रम-  
दैन्य-मत्यौ-त्सुक्यानामुपमर्दलेशशून्यत्वेऽपि शबलताया राजस्तुतिगुणत्वेन  
पञ्चमोक्तासे मूलकृतैव निरूपणात् ।

'इत्थ पृथ्वीपरिवृष्ट । भवद्विद्विषोऽरण्यवृत्ते, कन्या कश्चित् फलकिसलयान्याददानाऽभि-  
धत्ते ॥' इति काव्यप्रकाशोद्धृतपद्यस्यान्तिमं चरणद्वयम् । तत्र 'पश्येत् कश्चि'दित्यनेन  
शङ्काया, 'चल चपल रे' इत्यनेनासूयाया, 'का त्वरा' इत्यनेन धृते, 'अह कुमारी' इत्यनेन  
स्मृते, 'हस्तालम्ब वितर' इत्यनेन श्रमस्य, 'हहहा' इत्यनेन दैन्यस्य, 'व्युत्क्रम' इत्यनेन  
मते, 'कासि यासि' इत्यनेनौत्सुक्यस्य च भावस्य व्यज्यमानतया व्यामिश्रणाद् भावशबल-  
ताया वर्णनीयरजविषयकरतिभावेऽङ्गतया भावशबलतालङ्कारः ।

तत्र काव्यप्रकाशव्याख्याकारेण भावशबलता लक्ष्यता-उत्तरोत्तरेण-उत्तरोत्तरमभिव्य-  
क्तिविषयेण भावेन, पूर्वपूर्वमभिव्यक्तस्य भावस्य, उपमर्दोऽभिमव' शबलत्वम्' इति यदुक्तम्,  
तदसङ्गतम्, यतस्तन्मते बाध्यबाधकभावापचानामेव भावानामुपमर्दस्य सम्भवे शबलताया  
स्वीकारे, 'पश्येत् कश्चि'दित्यादावुदासीनानामेव शङ्कादिभावाना व्यामिश्रणाच्छबलताया  
वर्ण्यराजरतिभावाङ्गतया भावशबलतालङ्कारोदाहरणत्वेन काव्यप्रकाशपञ्चमोक्तासे गुणीभूत-  
व्यङ्ग्योदाहरणप्रसङ्गे नैतत्पद्य यदुक्षिखितं, तद्विरुद्धं स्यात्, शङ्कादिभावाना मिथो बाध्यबाध-  
कत्वाभावात् । तटस्थानामपि भावाना व्यामिश्रणं शबलत्वमिति मन्मते तु न कोऽपि तद्विरोध  
इति मूलऽतिकूला टीकाकृदुक्तिर्हयैवेत्याकृतम् ।

काव्य-प्रकाश के टीकाकार ने जो यह लिखा है कि 'अग्रिम-अग्रिम भाव से पूर्व पूर्व  
भाव के उपमर्द ( दबा दिये जाने ) का नाम 'शबलता' है', वह ठीक नहीं, क्योंकि 'पश्ये-  
त्कश्चित् ....' इत्यादि पद्य में यद्यपि 'पश्येत् कश्चित्', 'चल चपलरे', 'का त्वरा', 'अह  
कुमारी', 'हस्तालम्ब वितर', 'हहहा', 'व्युत्क्रमः', और 'कासि यासि', इन वाक्यांशों से  
क्रमशः अभिव्यक्त होने वाले शङ्का, असूया, धृति, स्मृति, श्रम, दैन्य, मति और औत्सुक्य,  
इन भावों के मिश्रणरूप शबलता है, तथापि वह राजविषयक स्तुति-अर्थात् कविनिष्ठ  
राजविषयक रतिभाव का अङ्ग है, प्रधान नहीं, अतः भावशबलता ध्वनि यहां नहीं कहला  
सकती—अर्थात् ध्वनि यहां कविनिष्ठ भाव की ही है भावशबलता तो अलङ्कार है, यह  
कथा मूलकार-मम्मट ने ही पञ्चम उल्लास में गुणीभूतव्यङ्ग्य निरूपण के प्रसङ्ग पर कही  
है । तात्पर्य यह कि यदि टीकाकारों के अनुसार उत्तरोत्तर भाव से पूर्व-पूर्व भाव के उपमर्द  
को शबलता मानी जाय, तब पूर्वोक्त रीति से 'भावशबलता यहां राजस्तुति का अङ्ग है'  
यह मूलकार का कथन असंगत हो जाय, क्योंकि उक्त भाव एक दूसरे का लेश मात्र भी  
उपमर्द नहीं करते, अतः उनके हिसाब से यहा शबलता हुई ही नहीं, फिर उपका अङ्ग  
होना कैसे संभव हो सकता ? फलतः मूलकार के कथन से ही विरुद्ध होने के कारण टीका  
कार का उक्त कथन सर्वथा अमान्य है ।

नन्वात्मविशेषगुणाना स्वोत्तरविशेषगुणानाशयत्वस्य तार्किकैरङ्गीकरणाच्चित्तवृत्तिविशे-  
पाणा भावानामिच्छादिवदात्मविशेषगुणत्वादुत्तरोत्तरभावस्य पूर्वपूर्वभावाभिभावकत्वेन 'पश्ये'  
दित्यादावपि शङ्कादीना मिथस्ताटस्थस्याभावादेककालिकामिव्यक्त्यसम्भवाच्च कथं शबलत्वं  
स्यादिति मूलविरोधस्तुल्य एवेति शङ्का निराकरोति—

स्वोत्तरविशेषगुणेन जायमानस्तु नाशो न व्यङ्ग्यः, नवोपमर्दपदवाच्यः,  
नापि चमत्कारी ।

न तुल्य, शङ्कादीनामात्मविशेषगुणत्वेन स्वोत्तरविशेषगुणजन्यनाशस्य व्यञ्जनावृत्त्य-

दोषत्याद् विलक्षणयोगार्थमेवमर्थपदवाच्यत्वात् अथमन्तरजन्तुविरुद्धाय भाद्रशवत्व-  
म्यताऽन्मभवान्, तथा च तन्नत एव मूलविरोध इत्याशय ।

यदि बार कहें कि चित्त-वृत्ति रूप भावों का नैराशिकों के विद्वान्तके अनुसार इच्छा  
आदि विनेप गुणों में समावेश होता है और 'आमवृत्ती विनेप गुणों का उन्नतभाव  
विनेप गुणों में नाम हो जाता करता है' यह नियम है अत पूर्व भाव का नाश होने  
उत्तर भाव की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती, तो मैं कहूंगा कि उक्त विद्वान्त अपनी जगह पर  
शुद्ध है, परन्तु यहां हमसे कान नहीं लिया जा सकता, क्योंकि अग्नि विनेप गुण में होनेवाला  
पूर्व गुण का नाश व्यर्थ नहीं हो सकता अर्थात् व्यञ्जनावृत्ति में हमारा दोष  
होना सम्भव नहीं, यदि उम नाश को व्यर्थ मान भी लिया जाय, तो टीकाकार के 'उप-  
मर्द' पद का वह वाच्य नहीं होता, क्योंकि उपमर्द पद का वाच्य विलक्षण मयोंग है, यदि  
कथञ्च उक्त नाश को उपमर्द पद का वाच्य भी मान लें, तो उम नाश में कोई घनकार  
नहीं है, अत वह भावरादलना रूप नहीं हो सकता ।

निर्गन्तिनाह—

तस्मान्—

'नारिकेलजल-जीर-सिता-कदलमिश्रणे ।  
विलक्षणो यथाऽऽस्वाद्भो-भावात् सहतौ तथा ॥'

नारिकेलजलस्य, जीरस्य दुग्धस्य, सिताया श्वेतगर्दराय, कदलस्य रम्भास्य  
च मिश्रणे मित्र संयोजने, यथैकेन वस्तुना वन्वन्तरास्वादस्योपमर्दो न क्रियते, किन्त्वान्वा-  
दवैलक्षण्यमेव विधीयते, तथैव भावाना मयत्वस्वमहतावति नोपमर्दो किन्त्वास्वादवैलक्षण्य-  
मेवेत्यर्थ ।

अत यह मानना चाहिये कि जैसे नारियल के जल, दूध, चीनी और बेतों के मिश्रण  
में विलक्षण स्वाद उत्पन्न हो जाता है, उसी तरह भावों के मिश्रण में भी होता है । माराश  
यह कि—पूरांक नारियल के जल, दूध आदि मिश्रण पर एक कदले का स्वाद नष्ट नहीं  
करता किन्तु मय मिलकर, अपना अपना स्वाद रखने लगे, एक नया स्वाद भी उत्पन्न कर  
देने हैं, उसी तरह भाव भी अपना अपना स्वादान्न करवाने लगे एक नया स्वादान्न भी  
उत्पन्न कर देने हैं ।

भाद्रगान्ध्याग्निवन्विचतुष्टयस्य भवधन्ति व्यवसायगति—

अत्रेदं दोष्यम्—

च एते भाद्रगान्ध्यादयस्तन्विमदलताष्टयस्य उदाहरणं तेषुपि भाद्रधन्य एव,  
विद्यमानतया चर्व्यमारोपिष्य, उन्पत्यजन्तिमन्-जिन्धुव्यस्यन्-मन्धीयमान-  
त्वपरन्परमनादिऊरपन्तै. प्रयारैश्चर्व्यमाणेषु भावेष्वेव प्राधान्यस्योचित्यात् .  
चमन्तुतेलत्रेज विद्वान्तेः ।

एते भाद्रगान्धि-भाद्रोदय-भाद्रद्वय-भाद्रगान्ध्यादयो देवतेभ्यः, ते सर्वेऽपि  
भाद्रान्ध्या एव बोद्धव्या, तेषु विद्यमानान्नायैरेवेकात्मकेषु भावेषु यथा स्वादान्नमेव  
चित्तता प्रवृत्तयं न तु धर्मस्य विद्यमानत्वात् तद्वत्, तथैव भावोदयान्ध्यादयो-  
पान्तेन, भाद्रगान्धिपत्तौ, विद्यमानत्वात्पान्तेन, भाद्रद्वयपत्तौ एतौ मन्ध्यादयो-  
पान्तेन, भाद्रगान्ध्यापत्तौ परन्परमनादिऊरपन्तै च विद्यमानत्वात्पान्तेन प्रयारै-  
श्वारान्ध्यादयो भावेषु, धर्मस्य भाद्रगान्ध्यादयो प्रयारै, ननु एते प्राधान्योचित्यात्  
प्राधान्युचिततम, यतश्चमन्तुतेलत्रेजस्य प्राधान्यं निश्चितिविधि भाद्रगान्ध्यादयो प्राधान्यमित्यमरः ।

अथ भाव-शान्ति आदि ध्वनियों भी भाव-ध्वनियों ही हैं, अतिरिक्त नहीं, इस स्वकी सिद्धान्त की व्यवस्था करते हैं—‘अत्रेद बोध्यम्’ इत्यादि । ये जो ऊपर भाव-शान्ति, भाव-दय, भावसन्धि और भाव-शबलता की ध्वनियों उदाहरणों के द्वारा दिखलाई गई हैं, भी भाव-ध्वनियां ही हैं । कारण यह—कि जहां आप, हम-सभी भावध्वनियों मानते अर्थात् भावों का आस्वादन करते हैं, वहां भी तो भावों की एक अवस्था-विद्यमानता रहा है, फिर भी जिस तरह वहां भावों का ही प्राधान्य माना जाता है, उस विद्यमान अवस्था का नहीं, उसी तरह जहां आप भावशान्ति आदि की ध्वनियां मानते हैं, वहां यही मानना चाहिये कि विनष्ट होते हुये, उत्पन्न होते हुये, एक दूसरे से सटते हुये अथवा एक साथ रहते हुये भावों का ही आस्वादन होता है, अतः वहां भी भावों का ही प्राधान्य है, उन विनाश, उत्पत्ति, सन्धि, शबलता ( मिश्रण ) रूप अवस्थाओं का नहीं, क्योंकि चमत्कार का विश्राम भाव की चर्चणा ( आस्वाद ) में ही जाकर होता है केवल अवसामात्र में नहीं, और साहित्य में प्राधान्य को चमत्कार-मूलक माना गया है ।

धर्मधर्मिप्राधान्ये विनिगमनाविरहमाशङ्क्य समादधाति—

यद्यप्युत्पत्ति-विनाश-सन्धि-शबलतानां तत्सम्बन्धिनां भावानां च समानायां चर्चणाविषयतायां, न प्राधान्यं विनिगन्तुं शक्यते, तथापि स्थितौ भावे प्रधानतायाः क्लृप्तत्वाद् भावशान्त्यादिष्वपि तेष्वेव शान्तिप्रतियोगित्वादिभिर्व्यञ्ज्यमानेषु तस्याः कल्पयितुमौचित्यात् ।

विनिगन्तु निर्धारयितुम् । इह भावशान्त्युदयोपादानक्रमविपर्यासमूलं चिन्त्यम् स्थितौ विद्यमानावस्थापक्षत्वविशिष्टभावध्वनौ । तेषु भावेषु । शान्ते प्रतियोगिता सम्बन्धि वैशिष्ट्यमिति यावत् । उत्पत्त्याद्यवस्थाविशिष्टानां भावानामेकास्वादे भावानामेव प्राधान्यं नतूत्पत्त्याद्यवस्थानामिति निर्धारणं यद्यपि दुष्करम्, तथापि ‘एकत्र निर्णीतं शास्त्रार्थोः परत्रापि सञ्चरति’ इति रीत्या भावध्वनौ विद्यमानावस्थायां भावस्य चैकास्वादविषयत्वेऽपि चमत्कारानुभवाद्भावस्यैव प्राधान्यं यथाऽवधार्यते, तथैवोदयावस्था-प्रशाम्यदवस्था-सन्धीः मानावस्था-समानाधिकरणावस्थाभिः सहाप्येकास्वादविषयत्वे भावानामेव प्राधान्यमुचित्वादेवधारणीयमित्यभिप्रायः ।

यद्यपि उत्पत्ति, विनाश, सन्धि और शबलता का तथा इन अवस्थाओं से सम्बन्ध रखनेवाले भावों का-दोनों का-आस्वादन समान रूप में होता है—अर्थात् भाव और उनके अवस्थायें समान रूप से आस्वाद ( चर्चणा ) के विषय होते हैं, अतः कौन प्रधान और कौन अप्रधान—अर्थात् भावप्रधान हैं या उनकी उक्त अवस्थायें यह निर्णय होना असम्भव है, तथापि जब स्थिति ( विद्यमानता ) की अवस्था में भावों की ही-न कि अवस्था की-प्रधानता स्वीकृत हो चुकी है, तब भाव-शान्ति आदि में भी शान्तिप्रतियोगित्व आदि रूप से अर्थात् शान्तिविशिष्टत्वेन, उत्पत्तिविशिष्टत्वेन, सन्धिविशिष्टत्वेन और शबलताविशिष्टत्वेन रूपेण अभिव्यक्त होने वाले तत्तद्भावों की ही प्रधानता माना उचित है, क्योंकि ‘एकत्र निर्णीतः शास्त्रार्थो वाचकाभावेऽपरत्रापि सञ्चरति’ अर्थात् ‘एक जगह निर्णय किया गया विषय, किसी खास वाचक के न रहने पर, दूसरी जगह भी माना जाता है’ यह सिद्धान्त है ।

अन्यथाऽनुपपत्त्यापि तत्र भावप्राधान्यं निर्धारयति—

किञ्च यदि भावशान्त्यादौ भावो न प्रधानम्, किन्तु तदुपसर्जनकशान्त्यादिरेवेत्यभ्युपेयते, तदा व्यञ्ज्यमानभावेष्वभिहिततत्प्रशमादिषु काव्येषु भावप्रशमादिध्वान्तित्वं न स्यात् ।

न भाव उपनर्जनमप्रधान यत्र, स तदुपनर्जनक । यदिति भावशान्त्यादिध्वनौ शान्त्यादेरेव, ननु भावस्य प्राधान्य स्वीक्रियते, तर्हि यत्र काव्येषु भावस्य व्याप्यता, शान्त्यादेस्तु वाच्यता, तत्र भावशान्त्यादिध्वनित्वव्यवहारो भवति भावप्राधान्यात्, सम्प्रति शान्त्यादेरेव प्राधान्याभ्युपगमे स नैव स्यात्, शान्त्यादेर्वाच्यत्वान्, तस्माद्भावनप्राधान्य-मेवाभ्युपेयमित्याशय ।

यदि आप यह मानेंगे कि भावशान्ति आदि में भाव प्रधान नहीं है, अपि तु गौण हैं— अर्थात् वे शान्ति आदि अवस्थायें ही प्रधान हैं, जिनके विशेषण रूप से वहा भाव रहते हैं, तब जहा भावव्यङ्ग्य रहते हैं और उनकी शान्ति आदि अवस्थायें वाच्य रहती हैं, वहां आप के हिसाब से भावशान्ति आदि की ध्वनिया नहीं हो सकेगी ।

तदेवोपपादयन्नादौ तादृश भावध्वनिमुदाहरति—

तथा हि—

राण्डिनादृत वर्णयति—

‘उपसि प्रतिपक्षनायिका-सदनादन्तिकमञ्जति प्रिये ।

सुदृशो नयनाब्जकोणयो-रुदियाय त्वरयाऽरुणद्युतिः ॥’

उपसि प्रभाते, प्रिये वल्लभे, प्रतिपक्षनायिकासदनात् सपत्नीगृहान्, अन्तिक समीपम्, अयत्यागच्छति सति, सुदृशो नायिकाया, नयनाब्जकोणयोर्नेत्रकमलप्रान्तभागयो, अरुणद्यु-तिरुत्सर्पजन्या रक्तान्ति, त्वरया मृटिति, उदियायोत्प्रेद इत्यर्थ ।

देखिये । एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि—जब प्रियतम प्रात काल में विरो-धिनी नायिका ( सपत्नी ) के घर से अपने घर आये, तब सुन्दर नयनवाली नायिका के नेत्रकमल के कोनों में क्षट अरुणकान्ति उदित हो गई ।

‘प्रत काव्येऽनर्पभावस्योदयो यद्यप्युत्पूर्वकेणेण्घातुनाऽभिहित, किन्त्वमर्पभावो व्यङ्ग्य-एवेति भवत्येवामर्पभावोदयध्वनिव्यपदेश, भवन्मते तूदयस्यैव प्रधानस्य वाच्यत्वान् न न स्यादित्याह—

अत्रोत्पूर्वकेणैतिना भावोदयस्य वाच्यतयैव प्रत्यायनात् ।

यहां ‘उदियाय’ इस क्रियापदघटक उत्पूर्वक इण् धातु से उदय की प्रतीति वाच्य रूप से ही कराई जा रही है, अत आपके हिसाब से यहा भावोदय की ध्वनि नहीं हो सकती ।

अप्रधानप्रयुक्तमेव व्यवहारोपपत्तिमाशङ्क्य निराकरोति—

( ननु ) उदयस्य वाच्यत्वेऽपि भावस्यावाच्यत्वाद्ध्वनित्वं सुखमिति चेत्, प्रधानस्य व्यपदेशानोपयिकत्वेऽप्रधानकृतव्यपदेशस्यानुपपत्तेः ।

श्रौपयित्त्वं प्रयोजकम् ।

ननु एतोऽत्र यद्यपि वाच्य, किन्त्वमर्पे भावस्तु व्याप्य एवास्तीति तमादादेव भावध्वनि-व्यवहार उपपद्येतेति गङ्गायाम्, ‘प्रधानेन व्यपदेशा भवन्ति’ इति मित्दान्तेन प्रधानश्रौ-प्यस्य वाच्यत्वेन ध्वनित्वाप्रयोजकत्वेऽप्रधानस्यानर्पभावस्य व्यङ्ग्यस्यापि प्राधान्याभा-वात् ध्वनिप्रयोजकत्वात् ननु तादिति ननाभानम् ।

यदि आप कहें कि उदय के वाच्य हो जाने पर भी अनर्पभाव तो वाच्य नहीं होता, अत यहा अनर्पभावोदय की ध्वनि मानने में कोई बाधा नहीं, तो यह भी सगत नहीं, क्योंकि आपके हिसाब से तो भावोदय आदि ध्वनिस्थल में उदय आदि ही प्रधान होते हैं, अत जब प्रधान ( उदय ) ही वाच्य हो जाने के कारण ध्वनि शब्द से व्यवहार होने योग्य नहीं रहा, तब अप्रधान ( अनर्पभाव ) प्रयुक्त ध्वनि का व्यवहार करना समुचित नहीं ।

स्वमतेऽनुपपत्त्यभावं दर्शयति—

अस्मन्मते तूत्पत्तेर्वाच्यत्वेऽप्युत्पत्त्यवच्छिन्नामर्षस्य प्रधानस्यावाच्यत्वाद् युक्त एव भावोदयध्वनिव्यपदेशः ।

भावस्यैव तत्र प्राधान्यमभ्युपगच्छतामस्माकं मते त्ववच्छेदकतयाऽप्रधानस्योदयस्य वाच्यत्वेऽपि, प्रधानस्य भावस्य व्यङ्ग्यत्वेन ध्वनित्वमुपपन्नमेवेत्याकृतम् ।

हाँ ! हमारे मत के अनुसार यहां अमर्ष-भाव-ध्वनि का व्यवहार अवश्य हो सकता है, क्योंकि हम भावोदय आदि में भी भाव को ही प्रधान मानते हैं, उदय आदि को नहीं, अतः अप्रधान उदय के वाच्य हो जाने पर भी प्रधान भाव (अमर्ष) के वाच्य नहीं—व्यङ्ग्य होने के कारण भावोदय-ध्वनि मानने में कोई आपत्ति नहीं होती है ।

भावप्राधान्यानभ्युपगमे भावशान्तिध्वनित्वानुपपत्तिमपि दर्शयति—

एवं व्यज्यमानभावप्रतियोगिकस्य प्रशमस्य वाच्यत्वे भावशान्तिध्वनित्वं न स्यात् ।

एवं भावोदयवत् व्यज्यमानो भावः प्रतियोगी यस्य तादृशस्य प्रशमस्य भावशान्ते ।

यत्र काव्ये भावो व्यङ्ग्यस्तच्छान्तिस्तु वाच्याऽस्ति, तत्र भावशान्तिध्वनिव्यवहारो भवति, स इदानीं न स्यात्, त्वन्मते प्रधानीभूताया शान्तेर्वाच्यत्वादिति सारम् ।

इसी तरह आपके मत में जहाँ शान्ति ( नाश ) का प्रतियोगी-अर्थात् जिसकी शान्ति वर्णनीय हो, वह भावव्यङ्ग्य है और शान्ति वाच्य है, वहाँ भावशान्ति की ध्वनि नहीं होगी। तदुदाहरति—

यथा—

मानिन्या अमर्षभावशान्तिं वर्णयति—

‘क्षमापणैकपदयोः, पदयोः पतति प्रिये ।

शेमुः सरोजनयना-नयनारुणकान्तयः ॥’

प्रिये दयिते, क्षमापणस्य स्वकृतापराधमर्षणस्य, एकपदयोरसाधारणस्थानयो, पद-योश्चरणयो, पतति सति, सरोजनयनाया पद्माद्या, नयनयोरमर्षजनिता, अरुणकान्तयो रक्तद्युतय, शेमुर्विनेशुरित्यर्थः । अत्र नेत्रारुणकान्तिशान्त्याऽमर्षभावो व्यङ्ग्य, तच्छान्तिस्तु वाच्येति भावशान्तिध्वनित्वं सिद्धम्, इदानीं भावप्राधान्यानभ्युपगमे शान्तेर्वाच्यत्वात् तत्र सिध्येत्, तस्माद्भावस्यैव प्राधान्यमभ्युपेयमित्याशयः । इह क्षमतेरादन्तत्वाभावात् पुको दौर्लभ्येन क्षमापणपदसाधन नामघातुप्रक्रियया कथञ्चन विधेयम् ।

जैसे—एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि-क्षमा करवाने के एक ( सर्व प्रधान ) स्थान चरणों पर पति के गिरते ही सरसिज के समान नयनवाली नायिका के नयनों की अरुण कान्तियां शान्त हो गईं । यहां शान्ति के वाच्य होने पर भी उस शान्ति का प्रतियोगी अमर्षभाव नेत्रगत अरुणकान्ति के कारण रूप में व्यङ्ग्य है, अतः यहां भावशान्ति ध्वनि होती है, आप के हिसाब से वह नहीं होगी ।

शान्त्यादिप्राधान्यवादी पुनरशङ्कते—

ननु शब्दवाच्यानां प्रशमादीनामरुणकान्त्यैवान्वयादरुणकान्तिप्रशमादेरेव वाच्यत्व पर्यवसितम्, न तु तादृशप्रशमादिव्यङ्ग्यस्य रोषप्रशमादेः, व्यङ्ग्य-व्यञ्जकभेदस्यावश्यकत्वात् ।

नन्वत्र ‘शेमु’-रिति पदेन वाच्याऽपि शान्तिर्यतोऽरुणकान्त्यैवान्वेति, तस्मादारुणकान्तिशान्तिरेवात्र वाच्या, नत्वरुणकान्तिशान्तिव्यङ्ग्या रोपरूपामर्षशान्तिरपि, व्यङ्ग्यस्य

व्यञ्ज ( वाच्य ) त्व न पृथक्त्वाद्भावगान्तिष्वन्वित्वेऽत्र किमपि न वाच्य-  
मिति प्रवृत्तयः ।

यदि आप कहें कि भावशान्त्यादि स्वयं में शान्ति आदि की ही प्रधानता मानने पर भी 'उपपत्ति प्रतिपत्तः' इत्यादि तथा 'इमावंगेक' इत्यादि पदों में भावोदयादि-  
ध्वनि मानी जा सकती है, क्योंकि—उक्त दोनों पदों में जो उदय और शान्ति वाच्य है,  
उनका अन्वय अलग्गति और अलग्गकान्ति के साथ है, अतः अलग्गति का उदय तथा  
अलग्गकान्ति की शान्ति भले ही वाच्य हो जाय, परन्तु प्रथम पद में अलग्गति के उदय  
में व्यक्त होने वाला अमर्षभाव का उदय तथा द्वितीय में अलग्गकान्ति की शान्ति से  
अभिव्यक्त होने वाली अमर्षभाव की शान्ति वाच्य नहीं होते । कारण, व्यङ्ग्य और  
व्यञ्जक ( वाच्य ) पृथक्-पृथक् होते हैं—यह मानना आवश्यक है । तात्पर्य यह कि  
अलग्गति के उदय और अलग्ग कान्ति की शान्ति के वाच्य होने पर भी अमर्ष का उदय  
और शेष ( अमर्ष ) की शान्ति व्यङ्ग्य ही रहे, क्योंकि अलग्गति का उदय और अलग्ग-  
कान्ति की शान्ति व्यञ्जक हैं और अमर्षोदय तथा अमर्षशान्ति हैं व्यङ्ग्य ।

स्वरूपक्षदास्यर्षमवान्तराहा विधान निरस्यति—

न चास्त्यव्यङ्ग्यरोपस्थैव वाच्यीभूतप्रशामाद्यन्वय इति वाच्यम्, वाच्य-  
व्यङ्ग्यप्रतीत्योरानुपूर्व्येण सिद्धतया, वाच्यान्यवबोधवैलाया वाच्यै सह व्यङ्ग्या-  
न्ययानुपपत्तेः ।

आनुपूर्व्यं नम ।

ननु 'मेतु' रित्येतत्तदभिहिताया शान्ते, वाच्यया नयनारण्यान्या, व्यञ्जमानेन  
रोपेन ( अमर्षेण ) सहैवान्वय इति भावगान्तेर्वाच्यत्वात् पुनरपि ध्वनिष्वन्वित्वे दुर्घटनेवेत्या-  
क्षेपस्य, वाच्यव्यङ्ग्यप्रतीत्यो कर्षकारणभावात् कर्मिष्वन्वित्यावश्यकतया यौगपद्यात्मन्याद्  
व्यङ्ग्यस्य रोपस्यान वाच्यया गान्त्या न च वाच्यार्थचोपक्रमे व्यङ्ग्यार्थानुपपत्तिवैतरेन्द्या-  
त्मन्याद् अत्र रोपस्य वाच्यगान्त्याऽन्वयाभाव्याद् भावगान्तिध्वनिष्वन्वित्वे स्तोत्रैरेति समाधानम् ।

यदि हम कहें कि—वाच्य नयनारण्यकान्ति में व्यङ्ग्य होने वाले अमर्ष का ही वाच्य  
उदय तथा शान्ति के साथ अन्वय है—अर्थात् हम व्यङ्ग्य का ही वाच्य के साथ अन्वय  
मान लेते हैं, तात्पर्य यह कि इन तरह मान लेने पर भावोदय तथा भावशान्ति में  
वाच्यता हो जायगी, तो आप कहेंगे, यह अयुक्त है । क्योंकि यह मानी हुई बात है कि  
पहले वाच्य की प्रतीति ( जो कारण है ) होती है, फिर व्यङ्ग्य की ( जो कार्य है ), अतः  
यह मानना पड़ेगा कि—जिस समय वाच्यों का अन्वय होता है, उस समय व्यङ्ग्य  
उपस्थित ही नहीं हो सकता, फिर बनाउये वाच्यों के साथ व्यङ्ग्यों का अन्वय कैसे ?

उच नमर्षति—

अन्यथा 'सुदृग्गो नयनार्णकणेय' इत्यस्यान्यो न न्यात् ।

प्रत्यया वाच्यव्यङ्ग्यप्रतीति निषेधनकारणं, 'सुदृग्गो' इत्यादि वाच्यस्य नापिवाचा  
सुदृग्गस्य नयनार्णकणेयस्य रोपेऽनेन गान्त्यात् वाच्यव्यङ्ग्यत्वात्, तन्मात्रं  
नयनार्णकणेयस्य शान्त्यात् इति ननु पूर्वोक्तम् ।

यदि वाच्य और व्यङ्ग्य का अन्वय मान लिया जाय, तब 'उपपत्ति' इत्यादि  
प्रथम पद में 'सुदृग्गो नयनार्णकणेय' के साथ अमर्षों के होने में 'यद् जो अधिष्ठान  
काक है, तबका अन्वय नहीं हो सकेगा, क्योंकि अधिष्ठान शरत् का कर्ता अथवा कर्म  
के द्वारा ही किया में अन्वय होगा और यहाँ उक्त शक्ति में 'उपपत्ति' इस क्रिया का  
कर्ता मान लिया गया व्यङ्ग्य अमर्ष, वाच्य अलग्गति नहीं, फिर कहिये, कसे उस अमर्ष  
रूप कर्ता में तथा उसके द्वारा उदय क्रिया में उक्त अधिष्ठान का अन्वय होगा—अर्थात्

अमर्ष-चित्त की घृति है, नयन में वह आवेगा कहां से ? फलतः उक्त पद्य में अनन्विता-  
र्थक-असंगत-हो जायगा, अतः वाच्यशान्ति आदि का अरुणकान्ति आदि के साथ ही  
अन्वय मानना ठीक है, सारांश यह कि इन पद्यों में भावशान्ति आदि वाच्य नहीं हो  
सकती। और जब वह वाच्य नहीं होगी, तब भावशान्ति आदि की ध्वनियों में  
भावों की अप्रधानता और शान्ति आदि की ही प्रधानता मान लेने पर भी कोई दोष  
नहीं होगा।

उत्तरयति—

मैवम् ।

एवं 'क्षमे'-त्याद्युदाहरणो वाच्यव्यङ्ग्ययोरन्वयाभावादानुपपत्तिविरहाद् भावस्य भाव-  
शान्त्यादावप्राधान्यं, मा नैवेत्यर्थः ।

पर ऐसा नहीं कह सकते-अर्थात् भावशान्ति आदि की ध्वनियों में भावों की  
अप्रधानता और शान्ति आदि की प्रधानता नहीं मान सकते।

भावप्राधान्यसमर्थनायापत्तिप्रकाशकं स्थलान्तरमाचष्टे—

एवमपि—

उक्तोदाहरणयोरनुपपत्त्यभावेऽपि ।

क्योंकि उक्त दोनों श्लोकों में उक्त रीति से किसी तरह की अनुपपत्ति नहीं होने  
पर भी:—

अननुनयेऽपि मानापगमं वर्णयति—

'निर्वासयन्तीं धृतिमङ्गनानां, शोभां हरेरेणदृशो घयन्त्याः ।

चिरापराधस्मृतिमांसलोऽपि, रोषः क्षणप्राद्युणिको बभूव ॥'

अङ्गनानां गोपनितम्बिनोना, धृतिं घैर्यं, निर्वासयन्तीं दूरे गमयन्तीं, हरेर्गोविन्दस्य,  
शोभा श्रियं, घयन्त्या नयनाभ्यां पिवन्त्या, एणदृशो मृगाक्ष्या मानिन्याः, चिरापराधस्मृत्या  
दीर्घकालकृतापरास्मरणेन, मासल' पुष्टोऽपि रोषोऽमर्षं क्षणप्राद्युणिकोऽचिरस्थाय्यतिथि-  
वर्बभूवेत्यर्थः ।

अननुनयाभावेऽपि हरिशोभेक्षणाक्षिप्तचित्ता सा सद्य प्रससादेति सारम् ।

एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि—स्त्रियों के घैर्यं को निर्वासित करती हुई  
अर्थात् निकाल फेंकती हुई भगवान् कृष्णचन्द्र की शोभा को जभी मानिनी मृगाक्षी ने  
पिया—सादर देखा, तभी ध्रुत दिनों तक लगातार किये गये अपराधों के स्मरण से  
परिपुष्ट बना हुआ भी रोष (अमर्ष) एक क्षण भर का मेहमान हो गया—नहीं उठर सका।

आपत्तिं प्रतिपादयति—

इत्यादावपि भावप्रशमध्वनित्वापत्तेः, भावस्य वाच्यत्वेऽपि प्रधानस्य तत्प्रश-  
मस्य व्यङ्ग्यत्वात् ।

'निर्वासयन्ती'मित्यादिपद्येऽपि भावाप्रधान्यवादिमते भावशान्तिध्वनित्वमापद्येत,  
रोषभावस्याप्रधानस्य वाच्यत्वेऽपि प्रधानीभूतायास्तच्छ्रान्ते क्षणप्राद्युणिकीभवनव्यङ्ग्यताया  
सद्भावात् । भावप्राधान्यवादिमते तु रोषस्य वाच्यत्वान्नात्र तत्त्वापत्तिरिति भावः ।

उक्त श्लोक में आप के मत से भावशान्ति की ध्वनि हो जायगी, कारण यह कि आप  
के हिसाब से अप्रधानभाव (रोष-अमर्ष) के वाच्य होने पर भी प्रधान शान्ति वाच्य  
नहीं, अपितु 'क्षणप्राद्युणिक'—अर्थात् 'क्षणभर के मेहमान' पद से व्यङ्ग्य ही है।

तत्रैव पुनराशङ्क्य समाधत्ते—

उभयोरप्यवाच्यत्वमपेक्षितमिति चेत्, प्रागुक्तपद्यद्वये शमत्वोदयत्वाभ्यां  
शमोदययोर्वाच्यत्वादानुदाहरणत्वापत्तेः ।

भावस्य तच्छान्त्यादेश वाच्यत्वाभाव एव भावशान्त्यादिध्वनित्वमिति स्वीकारे तु 'निर्वाण-  
यन्ती'मित्यादौ भावस्य वाच्यत्वादायत्तिवारण स्यादिति न वाच्यम्, यतस्तथा स्वीकारे  
'उपनी'त्यादौ 'क्षमे त्यादौ च क्रमेणोदयस्य ज्ञान्तेषु वाच्यत्वाद् ध्वनित्वमित्यपि नोपपद्यत  
इति तान्पर्यम् ।

उदि आप कहें कि प्रधान और अप्रधान दोनों की अवाच्यता-अर्थात् व्यङ्ग्यता  
अपेक्षित है, तादृश्य यह कि जहा भाव और उसके शान्ति आदि दोनों ही व्यङ्ग्य रहे, वहाँ  
भावशान्ति आदि की ध्वनि मानेंगे, अत उक्त पद्य में शान्ति के व्यङ्ग्य रहने पर भी भाव  
( रोप ) के वाच्य हो जाने से भावशान्ति-ध्वनि की आपत्ति नहीं हो सकती, तत्र मे  
कहना हू कि इस तरह मानने पर यहा तो आपत्ति का वारण हो जायगा, परन्तु पूर्वोक्त  
दोनों पद्यों ( उपमि . इत्यादि और सनापगैक . इत्यादि ) में उदयरूप से उदय  
( फिर वह अमर्ष का हो चाहे अरुणघृति का ) और इयों तरह शान्तिरूप से शान्ति  
( फिर वह रोप की हो चाहे अरुणकान्ति की ) वाच्य हो गये हैं, अतः वे पद्य उन दोनों  
ध्वनियों के उदाहरण नहीं हो सकेंगे ।

ननु मा भूत तदुदाहरणद्वये ध्वनित्वमित्यत आह—

उप्रापत्तिस्तु महद्दयानामनुचितैव ।

साहित्ये महद्दयानुभवस्यैव प्रधानप्रानाप्त्याङ्गीकारान् महदर्थै स दोषोऽनुभवविरोधात्  
नाहुं न शक्यत इत्यभिनव्यि ।

उक्त आपत्ति को स्वीकार कर लेना-कह देना—कि हम तो इन्हें भावोदय और  
भावशान्ति की ध्वनिया मानते ही नहीं, महदर्थों के लिये अनुचित है—अर्थात् साहित्य  
जगत में अनुभवविद् वस्तु का अपलाप कम से कम महदर्थों को नहीं करना चाहिये ।

निगमयति—

तस्मान्भावप्रशमादिष्वपि प्राधान्येन भावानामेव चमत्कारित्वम्, प्रशमादे-  
स्नूपसर्जनत्वम्, अतो न तस्य वाच्यतादोषः ।

अपिशब्दो भावम्यतिसनुवाचरु ।

तस्माद् यथा भावस्वितौ भावानामेव प्राधान्यं त्यितेस्त्वप्राधान्यं, तथैव भावशान्त्यादि-  
ष्वपि भावानामेव प्राधान्यं, ज्ञान्त्य, देस्त्वप्राधान्यं स्वीकार्यम् । तथाचाप्रधानाना शान्त्या-  
दीनां वाच्यत्व न ध्वनित्वस्य विषयमिति चारम् ।

भावध्वनेर्भावस्वित्त्वनेर्धैकरूपतया पृथगुपादानस्याभावो बोध्यः ।

अत यह मिथ होता है कि भावशान्ति आदि की ध्वनियों में भी भाव ही प्रधान  
रहते हैं और चमत्कारी भी, शान्ति आदि तो उपसर्जन अर्थात् गौण ही रहते हैं, अत एव  
शान्ति आदि का वाच्य हो जाना भी कोई दोष नहीं, माराश यह कि शान्ति आदि के  
वाच्य हो जाने पर भी यदि भाववाच्य नहीं होंगे—व्यङ्ग्य होते रहेंगे, तत्र भावशान्त्यादि  
की ध्वनियां मानी जा सकती हैं ।

नन्वेव वैलक्षण्यभावात्तदानीं भावध्वनेर्भावशान्त्यादिभ्यः पृथगुपादानस्य निःप्रयोजन-  
पन्थासन्निरतो वैलक्षण्यं प्रदर्शयति—

इदं पुनर्भावध्वनिभ्यो भावशान्त्यादिष्वनीना चमत्कारवैलक्षण्ये निदानम्—

यदैकत्र चर्चणायां भावेषु म्यित्यवच्छिन्नामर्षादित्वम्, अमर्षादित्यनेव वा  
प्रकारः, अन्यत्र तु प्रशमात्स्यात्वविरपीति ।

निदान मूलम् । एतन्न शुद्धभावध्वनिषु । स्थित्यवच्छिन्नत्व म्यितिविशिष्टम् ।  
अमर्षम्यतान् प्रकृतत्वादुत्पत्तेः । विशेष्यस्याप्यवर्तकतया विशेष्यभावस्य चमत्कारकत्वाद्



‘अमर्षादित्वमेव वा’ इति द्वितीयकल्पोपादानम् । अन्यत्र भावशान्त्यादिध्वनिषु । इतिनिदान समाप्तिसूचक ।

भावध्वनिषु स्थित्यवस्थापन्नत्वविशिष्टस्यामर्षादित्वस्य, वस्तुतः केवलामर्षादित्वस्य प्रकारतयाऽमर्षादित्वप्रकारकचर्चणैव चमत्कारिणी, भावशान्त्यादिध्वनिषु तु प्रशाम्यदवस्थापन्नत्वादिविशिष्टामर्षादित्वस्य प्रकारतया प्रशाम्यदवस्थापन्नत्वादिविशिष्टामर्षादित्वप्रकारकचर्चणायाश्चमत्कारित्वमिति चमत्कारकचर्चणायां भावध्वनिध्वमर्षत्वादिनाऽमर्षादीनामेव भानम्, भावशान्त्यादिध्वनिषु तु प्रशाम्यदवस्थापन्नत्वादिविशिष्टामर्षत्वादिनाऽमर्षादीनां भानमित्येषविशेष इत्यभिप्रायः ।

अब यहां यह शङ्का उपस्थित होती है कि यदि उक्तरीति से भावध्वनि और भावशान्त्यादि ध्वनि में समानता सिद्ध कर देते हैं—अर्थात् उन दोनों में कोई वैलक्षण्य नहीं मानते, तब भावध्वनि से पृथक् भावशान्त्यादि ध्वनि का उल्लेख व्यर्थ है, इस शङ्का के उत्तर में ग्रन्थकार उक्त समानता के रहने पर भी उन दोनों में भिन्न तरह के वैलक्षण्य का प्रतिपादन करते हैं—‘इदं पुनः’ इत्यादि । भावध्वनियों की अपेक्षा भावशान्त्यादिध्वनियों के चमत्कार (आह्लाद) में विलक्षणता है और उस विलक्षणता का कारण यह है कि भावध्वनियों में भावों की चर्चणा (आस्वादन) स्थितिरूप एक अवस्थाविशिष्ट अमर्ष आदि के रूप में होती है और भावशान्त्यादि ध्वनियों में स्थलभेद से शान्ति, उदय आदि अनेक अवस्थाविशिष्ट अमर्ष आदि भावों की चर्चणा होती है, वस्तुतः तो भावध्वनियों में केवल अमर्ष आदि के रूप में ही भावों की चर्चणा होती है यही कहना चाहिये, क्योंकि वहां स्थितिरूप अवस्था को जोड़ना व्यर्थ है, कारण यह कि विशेषण किसी सजातीय के वारणके लिये लगाया जाता है—जैसे ‘श्वेत अश्व’ यहां श्वेत-विशेषण श्याम अश्व के वारण के लिये आता है—यहां तो ‘स्थित्यवस्थापन्न’ इस विशेषण से किसी का वारण नहीं होता, क्योंकि भावध्वनियों में सभी भाव स्थित्यवस्थापन्न रहते हैं । अभिप्राय यह हुआ कि भावध्वनियों में होने वाली चर्चणा में केवल भावों (अमर्षादिकों) का ही भान होता है, अतः तज्जन्य चमत्कार शुद्ध भावास्वादजन्य आह्लादरूप पर्यवसित हुआ, और भावशान्त्यादिध्वनियों में होनेवाली चर्चणा में शान्ति-उदय आदि अवस्था सहित अमर्षादि भावों का भान होता है, अतः तज्जन्य चमत्कार शान्ति-उदय आदि सहित भावास्वादजन्य आह्लाद रूप फलित होता है । स्पष्ट शब्द में यों कह सकते हैं कि कच्चे आम के आस्वाद से उत्पन्न होने वाले और पके आम के आस्वाद से उत्पन्न होने वाले आनन्दों में वस्तु के एक होने पर भी जैसा अन्तर है, ठीक वैसा ही अन्तर शुद्ध भावास्वादजन्य और शान्त्याद्यवस्था सहित भावास्वादजन्य चमत्कार में है ।

ननु भावशान्त्यादिषु रसशान्त्यादीनां निरूपणं कृतो न कृतमित्यत आह—

रसस्य तु स्थायिमूलकत्वात् प्रशमादेरसम्भवः, सम्भवे च न चमत्कार इति स न विचार्यते ।

रसानां स्रक्सूत्रन्यायेनाधारतया मूलभूतेषु स्थायिभावेषु प्रशाम्यदवस्थादिसम्बन्धसत्त्वे तेषां स्थायित्वस्यैव विलोपप्रसङ्गात् तदवस्थासम्बन्ध सम्भवति, यदित्वभिव्यक्तेरस्त्विश्वरत्वात्-भिष्टप्रशाम्यदाद्यवस्थामेव रसेष्चारोप्य गौणो रसशान्त्यादिव्यवहारः सम्भवतीत्युच्यते, तदा ततश्चमत्कारो न स्याद्, आरोपस्य चमत्काराजनकत्वात्, तस्माद्रसशान्त्यादयो न निरूप्यन्त इत्यर्थः ।

५१

अब भाव के जैसे रसों के भी उदय शान्ति आदि की ध्वनियां क्यों नहीं होती इसका विचार करते हैं—‘रसस्य तु’ इत्यादि । अभिप्राय यह है कि रसों की उदय-शान्ति आदि अवस्थाएँ नहीं हो सकती, क्योंकि उनका मूल है स्थायीभाव, और यदि उसकी भी उत्पत्ति तथा-शान्ति आदि अवस्थाएँ होने लगीं, तब तो उसका स्थायित्व ही नष्ट हो

शाय, जादि से अन्ततक 'मङ्गुत्र' न्याय से उमका बना रहना ही तो उममें स्थायित्व है, यदि वही न रहे, तब उसमें और साधारण भावों में भेद ही क्या रहेगा ? यदि कहें कि स्थायीभाव के स्थिर रहने पर भी उमकी अस्मिन्प्रकृति तो स्थिर रहनेवाली चीज नहीं है, अतः उमके उत्पत्ति-विनाश तो हो सकने हैं, फिर उन्हीं उत्पत्ति-विनाशों को हममें आरोप करके गौण रम शान्यादि का व्यवहार हो सकता है, तब उमका उत्तर यह है कि आरोप अमकारजनक नहीं होता, अचमत्कारी होने के कारण ही रसशान्ति आदि की ध्वनियां नहीं मानी जाती हैं ।

अथ 'उपपादयिष्यते च स्याद्यादीनामपि सलक्ष्यक्रमव्यग्रत्वम्' इति प्राक् प्रतिज्ञाता रमादीना मलक्ष्यक्रमव्याप्यतामपि व्यवस्थापयति—

सोऽय निगदितः सर्वोऽपि रसादिलक्ष्णो व्यङ्ग्यप्रपञ्च स्फुटं प्रकरणे, ऋणिति प्रतीनेषु विभावानुभावव्यभिचारिषु, सहृदयनमेन प्रमात्रा, सूक्ष्मेणैव समयेन प्रतीयत इति हेतुहेतुमतो. पौर्वापर्यक्रमस्यालक्ष्णादलक्ष्यक्रमो व्यपदिश्यते । यत्र तु विचारवेद्य प्रकरणम्, उन्नेया वा विभावादयस्तत्र सामग्री-विलम्बाधीन चमत्कृतेर्मान्यर्चमिति संलक्ष्यक्रमोऽप्येव भवति ।

हेतुहेतुमतो कारणार्थयोर्वाच्यविभावादि-व्यग्ररसादिप्रतीत्यो । पौर्वापर्यं पूर्वापरी-भावात् । अलक्ष्यक्रमज्ञानम् । मान्यर्चं विलम्ब । निगदितो रसनिहरणादेतत्पर्यन्तं निक्षिपितं नरोऽप्यय रसादिलक्ष्णे रसादिस्वरूपो व्यग्रप्रपञ्चो व्यग्रननुदाय, प्रकरणे प्रवृत्ते, स्फुटं स्पष्टवेद्ये मति, अत एव विभावानुभावव्यभिचारिभावेषु ऋणिन्यविलम्बेन प्रतीतेषु जातेषु सत्सु, मलक्ष्यक्रमेणानुभावकेन, प्रमात्राऽऽस्वादकनुदयेण, सूक्ष्मेणाल्पिष्टैर्नैव समयेन, प्रतीयत प्रत्यापत इति वाच्यव्याप्यप्रतीति-मत्स्य संश्लेषेण सन्त्यगलक्षणादलक्ष्यक्रमव्यग्र इति व्यवहारः । यत्र पुनः प्रकरणमलक्ष्यतया विचारेण वेद्यम्, क्वचित् प्रकरणस्य स्फुटत्वेऽपि विभावादय उदेया प्रलक्ष्णादुत्तरीया एव मन्ति, तत्र कारणस्य प्रकरणविभावादिप्रत्ययस्य विलम्बेन, कार्यस्य रसादिप्रत्ययस्य विलम्बे औपयत्तिक एवेति अवितादृशस्यले रमादि-प्रतीते मलक्ष्यक्रमत्वस्यापि व्यवहार इत्याशयः ।

'उपपादयिष्यते च स्याद्यादीनामपि सलक्ष्यक्रमव्यग्रत्वम्' अर्थात् 'स्याधीभाव आदि-रस भाव आदि-भी मलक्ष्यक्रमव्यग्रत्व होते हैं, इस बात का उपपादन आगे कहेंगे' इस तरह की प्रतिज्ञा प्रत्यकार ने पहले की जा चुकी है, तदनुसार रमादिकों की मलक्ष्य क्रमता की व्याख्या करते हैं—'नो-दन् इत्यादि, यह जो पूर्वांश रम-भाव आदि व्यग्रों का समुदाय है, वह जहाँ प्रकरणस्पष्ट हो, वहाँ विभाव, अनुभाव और सञ्चारीभाव की प्रतीति शीघ्र हो जाने से अतिमलक्ष्य पुरणों को बहुत ही थोड़े समय में प्रतीत हो जाता है, अतः अनुभवकर्ता सहृदय को कारण और कार्य की पूर्वापरता का क्रम लक्षित नहीं होता, इसलिये यह (रसभावादि) अलक्ष्यक्रम कहा जाता है। परन्तु जहाँ प्रकरण विचार करने के बाद समझने योग्य हो और जहाँ प्रकरण के स्पष्ट रहने पर भी विभाव आदि का प्रतिगति न होने के कारण उग्र करना पड़े, वहाँ सामग्रीममवधान के विलम्ब प्रयुक्त अमकार में भी उग्र मन्परता आ पाती है—अतः वेनी जगद में रमभाव आदि एक व्यग्रों का समूह मलक्ष्यक्रम भी होता है ।

तदेव सञ्ज्ञा दान्ति—

यथा—

'तन्पगताऽपि च सुगनु' इति प्रागुदाहृते (४१ पृष्ठे) पद्ये 'सन्प्रति' इत्येत-  
दर्याविगतिविलम्बेन ।

एतत्पद्यघटकस्य सम्प्रतीति पदस्य 'प्राङ्मनवोढात्वेन तस्याः सङ्कोचोऽन्यविध आसीत्, अथुना प्रियप्रवासपूर्वरजन्या तु सङ्कोचोऽपि सङ्कुचित इवाभू'—दित्यादेरर्थस्यावगमः पूर्वा-परसन्दर्भार्थानुसन्धानादेव लभ्य इति व्यङ्ग्यस्य रतिभावस्य सलक्ष्यक्रमतैवेति भावः ।

जैसे—'तल्पगतापि च सुतनुः...' इत्यादि पूर्वोदाहृतपद्य में 'सम्प्रति' पद का अर्थ विलम्ब से ज्ञात होता है—अर्थात् 'पहले नवोढा होने के नाते नायिका में संकोच की मात्रा अधिक थी, परन्तु अब प्रियगमन की पूर्वरात्रि में भावी विरह के ज्ञान के कारण वह सङ्कोच कुछ क्षिथिल पड़ गया, इत्यादि अर्थ की प्रतीति प्रकरण के विचार कर लेने के बाद ही होती है, अतः यहाँ शृङ्गार रस सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य ही है ।

ननु रसादीनामसंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यताया सार्वत्रिकी प्रसिद्धिरेतावता विरुध्यतीत्यत आह—

न खलु धर्मिग्राहकमानसिद्धं रत्यादिध्वनेरलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यत्वम् ।

येन प्रमाणेन धर्मिणः सिद्धिर्भवति, तद्धर्मिग्राहक मानमुच्यते, तच्चात्र रसादौ सहृदय-हृदयानुभव एव ।

रसादिध्वनेरसंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यमात्रत्वस्य ज्ञापकं धर्मिग्राहकं यदि किमपि मानमुपलभ्येत तर्हि तदवश्यमनिच्छताऽप्यभ्युपेय स्यात्, तस्यानुपलम्भे तु सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यत्वस्यापि स्वीकारे न किमपि बाधकमित्याशयः ।

रति आदि की ध्वनि की अलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यता धर्मिग्राहक मान से सिद्ध नहीं है—अर्थात् अलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यतारूप धर्म का धर्मो ( आश्रय ) जो रस आदि है, उसका ग्राहक ( उसको सिद्ध करनेवाला ) मान ( प्रमाण ) सहृदयों का अनुभव है, उससे उनका अलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यता सिद्ध नहीं होती, तात्पर्य-यह है, कि सहृदयों का अनुभव यह नहीं कहता कि रसादि अलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य ही हों, कहीं कहीं संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य रूप में भी रसादिकों का अनुभव सहृदयजन करते हैं ।

उक्तं समर्थयति—

अत एव लक्ष्यक्रमप्रसङ्गे—

अत एव रसादिध्वनेरलक्ष्यक्रममात्रत्वाभावादेव ।

विवाहवार्ताश्रवणसलक्ष्यपार्वतीवृत्त वर्णयति—

‘एवंवादिनि देवर्षी, पार्श्वे पितुरघोमुखी ।

लीलाकमलपद्मणि, गणयामास पार्वती ॥’ इति ।

कुमारसम्भवषष्ठसर्गघटक पद्यमिदम्, पार्वतीविवाहनिर्णयाय हिमवदन्तिकं शिवेन-प्रति तोऽङ्गिरा हिमवन्तं यदा तद्दृष्टमशिश्रवत् तात्कालिकस्थितिवर्णनपरम् ।

देवर्षीवङ्गिरसि, एवंवादिनि प्राङ्निर्दिष्टशिवसन्देश वदति सति, पितुर्हिमाचलस्य, पार्श्वेपार्श्वसमीपे स्थिता पार्वती, अघोमुखी कुमारीजनमुलभस्वविवाहवृत्तश्रवणजलज्जया नतानना, लीलाकमलस्य स्वहस्तस्थितपद्मस्य, पद्मणि दलानि, गणयामासेत्यर्थः ।

जिसलिये रसभाव आदि की ध्वनियां भी सलक्ष्यक्रमहोती हैं, अत एव लक्ष्यक्रमों के प्रसङ्ग में 'एवंवादिनि देवर्षी' इत्यादि पद्य को आनन्दवर्धनाचार्य ने ध्वन्यालोक में उदाहरण रूप से उद्धृत किया है । यह पद्य 'कुमारसम्भव' का है । इसका पूर्व-सङ्ग तथा अर्थ यह है—पार्वती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उसे पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वचन दिया । तदन्तर लोकरीति के निर्वाहार्थं शिवजी ने अङ्गिरा ऋषि को पार्वती की मंगनी के लिये हिमालय के पास भेजा । जब देवर्षि जी हिमालय से पार्वती के विवाह सम्बन्धी बातें कर रहे थे, तब की बात कवि कह रहा है कि—देवर्षि जब इस

नरह यातें करने लगे, तब पिता के पास देटी हुई पार्वती नीचा मुन्व करके खेलने के लिये रणे हुये कमलों के पत्ते को गिनने लगी ।

रसादयति—

‘अत्र कुमारीस्याभाव्याद्रप्यधोमुन्वत्वविशिष्टस्य लीलाकमलपत्रगणनस्योप-  
पत्त्या मनाविलम्बेन नारदकृतविद्याहादिप्रमङ्गविज्ञानोत्तर त्रीडायाश्चमत्करणा-  
ल्लङ्घ्यक्रमोऽय ध्वनि’ इति प्राहुरानन्दवर्धनाचार्याः । ‘रमभावादिरयो ध्वन्यमान  
एव न वान्य तथापि न सर्वोऽल्लङ्घ्यक्रमस्य विषय ।’ इति चाभिनवगुप्तपाठाचार्याः ।

देवपिरिहासिता न तु नारद, ‘त्रयादिरममप्रम्यनुदाहरणवस्तुषु । ऋषो नोदया-  
मासु, प्रत्युवाच न भूपरम् ।’ इत्यनेन तत्रत्येन ततः पूर्वेण पद्येन, ‘देवर्षावदिरसि’ इति  
महिनायकृतेनद्विवरणेन च तथैवावधारणात्, विवाहवार्तायं शिवप्रहितेवैवृषिषु नारदस्यानु-  
ल्लेयाथ । अत्र हि पार्वत्या वदननमन लीलाकमलपत्रेण च कुमारीत्वभावादपि सम्भवतीति  
न ऋषित्वेव तत्रानारदस्य लज्जाया भावगोपनरूपान्दित्याया वा व्यसने ध्वनम्, किन्तु ‘इद  
व्यापारद्वयमन्या स्वाभाविकम्, उत भावान्तरप्रयुक्तम्’ इति जिज्ञासाया विवाहवृत्तान्तवर्णना-  
त्मकप्रकरणपर्यालोचनया किञ्चिद्विलम्बेनेति लज्जाऽवहित्या वा व्यभिचारिभावोऽत्र सलक्ष्यक्र-  
मस्याप्य एव, ज्मस्य स्फुट प्रतीयमानत्वादित्यानन्दवर्धनाचार्योक्तिरपि रसादीना इति  
सलक्ष्यक्रमस्योक्तानां प्रमाणम् । तथा ‘रमभावादिरयो रमादिरय’ पदार्थ ( यद्यपि )  
ध्वन्यमानो व्यज्यमान एवास्ति, न तु वान्य तथापि ( व्यज्यमानन्वेऽपि ) स सर्वोऽ-  
सलक्ष्यक्रमस्यैव न विषय, ( किन्तुस्फुटे प्रकरणादौ ) इति सलक्ष्यक्रमस्यापि विषय’  
इति लेखनेऽभिनवगुप्ताचार्योक्तिरपि प्रमाणमिति स्मराम् ।

उक्त पद्य को उद्धृत करने के बाद आनन्दवर्धनाचार्य का कथन है कि—यहां जो पार्वती  
की अधोमुख होकर लीला-कमल-पत्र-गिनने की बात वर्णित है, वह तो यालिकाजन-  
सुलभ-स्वभाव के कारण भी हो सकती है, अतः शुरु शुरु में लज्जा की प्रतीति नहीं होती,  
किन्तु जब ‘अङ्गिराऋषि की हिमालय से पार्वती के विवाह की बात हो रही थी’ इस प्रसङ्ग  
का ज्ञान कुछ क्लेश ने होता है, तब लज्जा झलकती है अतः लज्जारूप सञ्चारीभाव यहां  
सलक्ष्यक्रमस्यैव है । यद्यपि मूल में ‘देवपि’ पद का अर्थ नारद मान कर व्याख्या की गई  
है, परन्तु उक्त पद्य के पूर्व आये हुये कुमारमग्भव के पद्य और महिनाय की टीका के देखने  
से अङ्गिरा ही देवपि पद का अर्थ सगत प्रतीत होता है । अभिनवगुप्ताचार्य ( ध्वन्यालोका  
की टीका लेखन के निर्माता ) का भी यह कथन है कि ‘रमभाव आदि पदार्थ स्पष्ट ही  
होते हैं, वाक्य नहीं, तथापि सभी रम भाव आदि असलक्ष्यक्रमस्यैव के लक्ष्य नहीं होते  
अर्थात् ये सलक्ष्यक्रम भी होते हैं ।’

रसादीना मलक्ष्यक्रमस्यापि गणे दोनमाश्रुते—

स्यादेतन्—

यथा रसादि सलक्ष्यक्रमस्य विषय स्यात्,—अनुरणनभेदगणनप्रस्तावे  
‘अर्थसाधनमूलस्य द्वादश भेदा’ इत्यभिनवगुप्तोक्ति, ‘तेनाय द्वादशात्मक’ इति  
नन्मटोक्तिश्च न मद्गच्छेत्, वन्त्यल्लक्ष्यत्मा द्विविधेन वाच्येन स्वतस्मन्म-  
यिन्व-अविश्रंतीतिनिपदान्-अविनिन्दवक्तृप्रोक्तोक्तिनिपत्रन्वैभिन्नपाथिभि  
सैविधमापनेन पदान्मना वन्त्यल्लक्ष्योक्ति रसादेरप्यभिन्दुल्लक्ष्यत्वाद्द्वादशत्व-  
प्रमद्धान् ।

रसादीना संलक्ष्यक्रमत्वं यदि स्वीक्रियते, तर्हि संलक्ष्यक्रमस्य वस्तुरूपस्यालङ्कार-  
रूपस्य च व्यङ्ग्यार्थस्य व्यञ्जको यो वाच्यार्थो वस्तुरूपोऽलङ्काररूपश्चेति द्विविध, तस्य  
स्वतस्सम्भवित्वेन कविप्रौढोक्तिनिष्पन्नत्वेन कविनिबद्धवक्तृप्राढोक्तिनिष्पन्नत्वेन च प्रकारेण  
प्रत्येकं त्रैविध्यात् षट्प्रकारा वस्तुध्वनयः षट्प्रकारालङ्कारध्वनय इति मिलिता द्वादश-  
प्रकारा संलक्ष्यक्रमा अर्थशक्त्युद्भवध्वनयो यथा भवन्ति, तथैवेदानीं रसादिध्वनयोऽपि  
षड्विधवाच्यव्यङ्ग्यतया षड्विधास्ततोऽधिकाः स्युः, तथाच सङ्कलनादष्टादशविधत्वे  
संलक्ष्यक्रमध्वनेरर्थशक्त्युद्भवस्य, अभिनवगुप्ताचार्यैर्मम्मटभट्टैश्चोक्तम् द्वादशविधत्वं प्रकारा-  
धिक्याद् विरुद्धं स्यात्, तस्माद्रसादीना संलक्ष्यक्रमता नाङ्गीकरणीयेति भावः ।

अब यहाँ एक बहुत बड़ी शक्का यह होती है कि यदि रसभाव आदि को भी संलक्ष्य-  
क्रमव्यङ्ग्य मानते हैं, तो संलक्ष्यक्रमध्वनियों की गणना करते समय जो 'अर्थशक्त्युद्भव  
ध्वनि के चारह भेद हैं' यह अभिनवगुप्त की और 'इस तरह अर्थशक्त्युद्भवध्वनि चारह  
प्रकारके हैं' यह मम्मट की उक्ति कैसे संगत होगी, क्योंकि, व्यञ्जक अर्थ के दो भेद  
हैं—एक वस्तुरूप और दूसरा अलङ्काररूप और उन दोनों भेदों में से प्रत्येक के स्वतः  
सम्भवी ( अर्थात् ससार में मिल सकने वाला ) कविप्रौढोक्तिसिद्ध ( अर्थात् कविकल्पित  
कथनमात्र से सिद्ध ) और कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिसिद्ध ( अर्थात् कविके द्वारा वर्णित  
वक्ता की प्रौढोक्ति मात्रसे सिद्ध ) इन तीन तीन, उपाधियों से तीन तीन भेद होते हैं, इस  
तरह से व्यञ्जकवाच्य अर्थ ६ प्रकार के हो जाते हैं, उनसे व्यङ्ग्य भी वस्तु अलङ्कार दोनों  
होते हैं, अतः पहले चारह भेद होते थे, अब तो वस्तु अलङ्कार के जैसे रस आदि भी छवो  
व्यञ्जकों से व्यङ्ग्य होंगे, फिर अर्थशक्तिमूलक ध्वनियों के भेद चारह की जगह अठारह  
हो जायेंगे ।

समादधाति—

अत्रोच्यते—

प्रकटैर्विभावानुभावव्यभिचारिभिरलक्ष्यक्रमतयैव व्यज्यमानो रत्यादिः  
स्थायिभावो रसीभवति, न संलक्ष्यक्रमतया । रसीभावो हि नाम ऋगिति जाय  
मानालौकिकचमत्कारविषयस्थायित्वम् । संलक्ष्यक्रमतया व्यज्यमानस्य रत्यादेस्तु  
वस्तुमात्रतैव न रसादित्वमिति तेषामाशयस्य वर्णनेन न तदुक्तीनां विरोधः ।

व्यवच्छेदार्थकेनैव फारणो न संलक्ष्यक्रमतयेति लभ्यते । रसीभवत्यरसो रस सम्पद्यते ।  
ऋगिति जायमानस्यालौकिकचमत्कारस्य विषय कारणत्वेन गोचर स्थायी स्थायिभावो यस्य  
स तादृशस्तस्य भावस्तत्त्वम् । तेषामभिनवगुप्तादीनामाशयस्य वर्णनेन व्याख्यानेन ।  
प्रकटैः स्फुटप्रतीयमानैर्विभावादिभिः, अलक्ष्यक्रमतयैव ( नतु संलक्ष्यक्रमत्वेन ) व्यज्य-  
मानो रत्यादिः स्थायिभावो रसीभवत्यरसोऽपि लोकोत्तरचमत्कारजनकत्वेन रस सम्पद्यते,  
यतो ऋगितिजायमानालौकिकचमत्कारविषयस्थायित्वमेव रसीभावोऽस्ति, विभावादीनाम्  
स्फुटत्वेन संलक्ष्यक्रमतया व्यज्यमानस्तु रत्यादिर्न रसस्तादृशचमत्कारजनकत्वाभावात्,  
किन्तु वस्तुमात्र केवल व्यङ्ग्यवस्तु भवतीत्ययमेवार्थोऽभिनवगुप्तादीना तात्पर्यद्विषयो वर्णयंत  
चेत्, तर्हि संलक्ष्यक्रमस्य रत्यादे रसत्वाभावाद् वस्त्वन्तर्भावाच्च वस्तुध्वनिप्रकारैरेवैतत्प्रका  
राणामपि गतार्थतया न प्रकाराधिक्यप्रयुक्तं पूर्वाचार्यमतविरोध इत्याशयः ।

रसादीना संलक्ष्यक्रमताया रसादित्वस्यैवाभावाच्च रसादिप्रकाराधिक्यप्रयुक्त प्राचीनोक्ति  
विरोध इति सारम् ।

उक्त शब्दा का उत्तर यह है कि 'जो रति आदि स्थायीभाव स्पष्ट प्रतीत होने वाले विभाव, अनुभाव और व्यभिचारीभावों के द्वारा अमलध्वजक्रम के रूप में व्यक्त होता है, वही रस रूप होता है और जो रत्यादि सलक्ष्यक्रम के रूप में अभिव्यक्त होता है, वह रसरूप नहीं होता। वर्यं कि रसरूप होने का अर्थ ही यह है कि कार्यरूप में होने वाले कलौकिक चमकार का शीघ्र कारणरूप में स्थायीभाव विषय बन जाय-अर्थात् स्थायीभाव के अनुभव में होने वाले आह्लाद का शीघ्र होना ही स्थायीभाव का रस होना कहलाता है। इस तरह से यह सिद्ध हुआ कि सलक्ष्यक्रम के रूप में ध्वनित होने वाला स्थायीभाव (रति आदि) रस किंवा भाव नहीं होता, किन्तु वस्तुनात्र रहना है' यदि हम तरह से क्षमिन्नगुण आदि के क्षमिप्राय का वर्णन कर दिया जाय, तब उक्त आपत्ति नहीं होती, तापर्य यह कि इस तरह से उनके अप्रिभाव का वर्णन कर देने पर 'अर्थरक्तिमूल ध्वनियों के कारण भेद है' इत्यादि उक्तियों का विरोध नहीं होता, क्योंकि सलक्ष्यक्रम के रूप में ध्वनित होनेवाले रति आदि का वस्तुनात्र मान लेने पर वस्तुव्यङ्ग्य के जो ६ भेद होते हैं, उन्हीं में वे भी आजाते हैं, फिर ताप्रयुक्त ६ मरुता और बढ़ जाने से उक्त ध्वनियों की सग्या अठारह तक पहुँच जाने की कोई सम्भावना ही नहीं रह जाती।

नर्वात्रामन्वदन्मन्वेन प्रसिद्धस्य रत्यादेरिहोत्तमलक्ष्यक्रमत्व व्यनुपपद्यत इत्याशङ्क्यानाह—

उपपत्तिस्त्वर्थेऽस्मिन् विचारणीया ।

एत्र रत्यादीनां सलक्ष्यक्रमत्वस्य स्वीकारेऽर्थे, उपपत्ति सत्तित्तु विचारणीया सहृदयै-  
विन्निर्वायेत्यर्थः ।

तथाच'हर्नागोभट्ट — 'विभावादिप्रतीते रसप्रतीतेषु सूक्ष्मकालान्तरत्वरूपस्य क्रमस्य सादृश्यात्कर्मणः, तस्य विगलितवेद्यान्तरत्वात्तस्या रसत्वमप्राप्तम् । विगलितवेद्यान्तरत्वं च सकलमरुद्वानुभवमाश्रितमिति तत्रापि सम्मतमिति तदुपपत्तिर्नोपपत्त्या । नञ्चास्तु—  
यत्पूर्वमिदं प्रकरणमिदं नमद्वित्यर्थे व्यञ्जकत्वात् तन्मन्त्रिभिर्भावादिज्ञानोत्तरं जायमानरस-  
प्रतीतिविभावविराजतेभ्यां विद्यमानकालाच्छेदेन चालक्ष्यक्रमत्वम् । तत्र प्ररसादिज्ञान-  
चित्तमेतन्निभावादिज्ञानोत्तरेऽपि पूर्वोदाहरणेऽक्षतमेव, नहि विभावादिज्ञानस्य तन्मन्त्रकस्य  
नान्यथा—'द्वानुभवम्, अस्मिन् तन्मन्त्रस्य, एतदेवामित्यस्य 'अर्थरक्तिमूलस्य द्वाश-  
भेदः' इत्यभिव्यक्तुमेतिर्दिशित्वाद्यार्थेभ्यां क्रमोऽपि व्यपन्न इत्यमित्यस्य लक्ष्यक्रमत्वो-  
त्तिर्नोपपत्तिरिति, नहि विभावादिप्रतीतिरहितयत्किंचिद्द्विधाच्यार्थमात्रप्रतीतिं विगलितवेद्या-  
न्तरत्वात्तदुपपत्तिरिति, येन तन्मन्त्रप्रश्लेषेऽपि रसत्वहासि स्यादित्यहम् ।

सलक्ष्यक्रमरूप में व्यङ्ग्य होने पर ही रत्यादि रस तथा भाव हैं, अन्यथा वस्तुनात्र इस अर्थ में युक्ति यथा हो सकती है पर विचारने की बात है। नागोभट्ट प्रहा अपनी टीका में यह युक्ति चलाने हैं कि रस आदि की ( जिन्हो अमलध्वजक्रममन्त्र रूप माना जाता है ) सभी धार्मिक 'विगलितवेद्यान्तर-अर्थात् 'रस (रत्यादि) ज्ञान के समय जिन्हीं भी अन्य आशय पदार्थों का सम्पर्क न करने काग मानते हैं, वत पण्डितराज को भी यह मान्य होगा। सलक्ष्यों का अनुभव भी उसको मानने में लाई है। फिर विभाव आदि की प्रतीति और रति आदि की प्रतीति में जो सूक्ष्म काल का अन्तर होता है, जिसे क्रम कहा जाता है, उसमें प्रतीति जहा सलक्ष्यों को हो जाती है, वहाँ विभावादिओं के और रति आदि के पृथक् पृथक् प्रतीत होने के कारण, रति आदि की प्रतीति के समय में भी विभावादिओं की प्रतीति पृथक् धनी रहेगी और जब वह धनी रहेगी तब विगलितवेद्या-  
न्तरता नहीं रहेगी यह बात स्पष्ट है और साथ ही यह भी स्पष्ट है कि उस हालत में वह रूप रति रत्यादि रूप नहीं है सकता, वत सलक्ष्यक्रमरूप से व्यङ्ग्य होने पर रत्यादि वस्तुनात्र है, रत्यादि नहीं, यह ध्यान युक्तिगणन सिद्ध हो जाता है।

ननु रत्यादीनां संलक्ष्यक्रमताया रसत्वाभावो यद्यभिनवगुप्तादीनामभिमतः स्यात्, तर्हि तेन 'रसभावादिरर्थो ध्वन्यमान एव' इत्यत्र संलक्ष्यक्रमरस्यादितात्पर्येण रसपदस्योपादानं न स्यादित्याशङ्कयामभिघत्ते—

'रसभावादिरर्थः' इत्यत्र रसादिशब्दो रत्यादिपरः ।

अभिनवगुप्तोक्तवाक्यघटको रसादिशब्दो लक्षणया रत्यादिबोधक एव, तन्मतेऽसंलक्ष्यक्रमतायामेव रसत्वस्याङ्गीकारात् । तथाच प्रकृते न कश्चिद् विरोध इत्यभिसन्धि ।

यहां आप कह सकते हैं कि यदि 'अभिनवगुप्त' का यह अभिमत होता कि संलक्ष्यक्रमरूप से व्यङ्ग्य होने पर रति आदि वस्तुमात्र है, रसादि नहीं, तब यह कैसे कहते कि 'रसभाव' आदि अर्थ यद्यपि व्यङ्ग्य ही होते हैं, वाच्य नहीं, तथापि सभी असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य के ही विषय नहीं हैं।' अर्थात् इस कथन से तो यह सिद्ध हो जाता है कि संलक्ष्यक्रमरूप से व्यङ्ग्य होने वाले रत्यादि को भी वे रसादिरूप मानते हैं। इसका उत्तर यह है कि अभिनवगुप्त की उस उक्ति में रस और भाव पद रति और व्यभिचारी भावपरक हैं अर्थात् रस आदि पद का अर्थ वहां रति आदि ही समझना चाहिये। नागेश भट्ट अपनी टीका में इस प्रसङ्ग पर एक और नवीन बात कहते हैं, जो बहुत मार्मिक तथा संगत प्रतीति होती है। उनके कथन का भाव यह है कि कोई पद अथवा पदार्थ वक्ता आदि की विलक्षणता और प्रकरण आदि का साथ होने पर ही व्यञ्जक होता है, अतः यह सिद्ध होता है कि तरसहित विभावादिकों का ज्ञान होने के अनन्तर रस आदि की प्रतीति होती है, और विभाव आदि के ज्ञान तथा रस आदि की प्रतीति के मध्य में होनेवाले क्रम (पूर्वपश्चाद्भाव) के संलक्षित न होने के कारण रसादिध्वनि को असंलक्ष्यक्रम कहा जाता है। अतः प्रकरण आदि के ज्ञान में विलम्ब होने से विभाव आदि के ज्ञान में विलम्ब हो भी जाय, तथापि, 'तरसगताऽपि च सुतनुः ...' इत्यादि उदाहरण में अलक्ष्यक्रमता में कोई बाधा नहीं होती। क्योंकि विभावादिकों के ज्ञान और उसके उपपन्न करने वाले प्रकरणादि के ज्ञान के क्रम को लेकर अलक्ष्यक्रमता नहीं मानी जाती, अपितु विभावादिकों के ज्ञान तथा उससे उपपन्न होने वाले रस आदि के ज्ञान के क्रम को लेकर मानी जाती है। अब इस विचार के अनुसार—'अर्थशक्तिमूलक ध्वनि के चारह भेद होते हैं' इस मग्गटादि के कथन में कोई विरोध नहीं होता, तब रही अभिनवगुप्त की वह उक्ति, जिसमें कहा गया है कि रसभावादि में सभी अलक्ष्यक्रम के ही विषय नहीं हैं—अर्थात् कोई कोई संलक्ष्यक्रम का भी विषय होता है। उसका आशय यह समझना चाहिये कि किसी किसी—अर्थात् विभावादि से भिन्न-उदासीन-वाच्यार्थ के ज्ञान और रसादि के ज्ञान का क्रम लक्षित हो भी सकता है। यदि कहे कि किसी भी क्रम के ज्ञान का स्वीकार कर लेने पर विगलितवेद्यान्तरता का अभाव उक्त रीति से क्यों नहीं हो जयगा, तो इसका उत्तर यह है कि विभावादि ज्ञान के बिना अन्य किसी वाच्यार्थ के ज्ञान होने पर भी विगलितवेद्यान्तरता होती है इस बात में सहृदयों का अनुभव गवाही नहीं देता,—अर्थात् विगलितवेद्यान्तरता का मूल तन्मयता है और वह तन्मयता रसादि के रूप में परिणत होने वाले विभावादिज्ञान से ही होती है यह बात अनुभवसिद्ध है, अतः विभादि के ज्ञान के बिना अन्य किसी वाच्यार्थ के ज्ञान होने पर विगलित वेद्यान्तरता का न होना ही स्वाभाविक है, फिर उससे रस आदि के रसत्वादि की हानि होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठ सकता। यही है नागेश भट्ट की नवीन बात, इसकी मार्मिकता पाठक स्वयं समझेंगे। उक्त प्रसङ्ग ऐसा है, जिसमें भिन्न-भिन्न आचार्यों के मतों का विचित्र तरह से समिश्रण हो गया है, अतः मैं जिज्ञासुजनों की आकांक्षा का अनुभव करता हुआ उन मतों का सक्षेप में कुछ विश्लेषण कर रहा हूँ। पण्डितराज जगन्नाथ (प्रकृत ग्रन्थ के निर्माता) असंलक्ष्यक्रम रहने पर ही रत्यादि रसादि हैं और





है कि 'एवं वादिनि'..... इस पद्य में अन्त में महादेव के प्रति पार्वती की रति भी तो प्रतीत होती है, फिर इस पद्य को रस ध्वनि का ही उदाहरण क्यों नहीं मानते इस शङ्का का उत्तर उक्त ग्रन्थ से दिया गया है, अत एव आगे आनन्दवर्धन लिखते हैं कि 'इह तु सामर्थ्यादिसम्यग्भिचारिमुखेन रसप्रतीति।' अर्थात् यहाँ मध्य में व्यभिचारीभाव ( लज्जात्मकवस्तु ) के व्यङ्ग्य हो जाने से उसके द्वारा अन्त में अभिव्यक्त होने वाले रस की प्रतीति ( संलक्ष्यक्रम ) है। यदि लज्जात्मक भावध्वनि के विषय में उक्त शङ्का-समाधान किये गये होते, तब यह ( इह तु इत्यादि ) पङ्क्ति असंगत हो जाती। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि पण्डितराज का मत यहाँ ठीक नहीं है। उसके ठीक न होने के और भी कारण हैं। जैसे—पण्डितराज के हिसाब से जब रसादिध्वनि संलक्ष्यक्रम तथा अलक्ष्यक्रम दोनों हैं, तब 'अर्थशक्तिमूलक ध्वनि के अठारह भेद हो जायेंगे, फिर बारह ही कैसे कहे' यह जो भापत्ति उन्होंने स्वयं परमत में दी है, वह अपने मत में क्यों नहीं लगेगी ? वे भी तो अर्थशक्तिमूलक ध्वनि के आठ ही भेद माने हैं, उनको तो अपने सिद्धान्त के अनुसार संलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य-रसादि को लेकर चार भेद और मानना चाहिये, यह बात दूसरी है कि कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिसिद्ध नामक भेद को नहीं मानने के कारण तन्मूलक चार भेदों को वे नहीं मानते। रसादि को संलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य होने में उन्होंने ने जो युक्ति दी है, उसका भी सुन्दर और विद्वानों को जँचने योग्य खण्डन नागेश ने कर दिया है, जिसको मैं पूर्व में दिखला चुका हूँ। अब रहे मम्मट, वे अपनी जगह पर ठीक हैं, क्योंकि वे चिर प्रसिद्धि के अनुसार रसादि ध्वनियों को अलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य मात्र मानते हैं, और ऐसी बात कहीं भी उन्होंने नहीं लिखी, जिससे उस मान्यता में विरोध पड़ता हो। पण्डितराज जो अपने मत के अनुसार अभिनवगुप्त के साथ उनकी उक्ति में भी विरोध दिखला कर उनके आशय का वर्णन अपने ढङ्ग से इस प्रसङ्ग पर किये हैं, वह तो निरर्थक ही मालुम पड़ता है। नागेश भट्ट ने इस प्रसङ्ग पर जो कुछ कहा है, वह उनकी अपनी चीज है, जिससे पण्डितराज के मत का तो खण्डन हो ही जाता है साथ-साथ ध्वन्यालोककार के मत में भी यह प्रश्न उठ खड़ा होता है कि यदि वे 'एवं वादिनि'..... इत्यादि पद्य में लज्जात्मक व्यभिचारी को संलक्ष्यक्रम हो जाने के कारण वस्तु मात्र मानते हैं अथवा पण्डितराज के कथनानुसार लक्ष्यक्रम भाव ही मानते हैं तो कैसे ? क्योंकि नागेशोक्त रीति से यहाँ भी संलक्ष्यक्रमता नहीं होती। अभिनवगुप्त का मत भी नागेश की रीति से असंगत ही हो जाता है। यद्यपि नागेश ने उनके मत को संगत बनाने का प्रयास किया है, परन्तु वह प्रयास अभिनवगुप्त की उक्ति के स्वाभाविक स्वारस्य के अनुकूल नहीं मालुम पड़ता। मम्मट नागेश की फसौटी पर भी खरे उतरते हैं, हो सकता है कि नागेश ने भी अपने शब्दों में मम्मट के हृदय को ही व्यक्त किया हो।

अथ रसादिध्वनेर्व्यञ्जकानुपदिशन्नादौ प्राचीनमतमुपन्यस्यति—

तदित्थं निरूपितस्यास्य रसादिध्वनिप्रपञ्चस्य पद-वर्ण-रचना-वाक्य-प्रबन्धैः पदैकदेशैरवर्णात्मकै रागादिभिश्चाभिव्यक्तिमामनन्ति ।

इत्यमेवं निरूपितस्य लक्षणोदाहरणादिभिर्विवेचितस्य, अस्य, रसादिध्वने प्रपञ्चस्य-समूहस्य, पदै. सुप्तिङन्तैरनन्वितैकार्यबोधकप्रयोगार्हवर्णरूपै, वर्णैरकाराद्यक्षरै, रचनाभिर्वर्ण-पदगुम्फलक्षणाभि, वाक्यैर्योग्यताऽऽकाङ्क्षाऽऽसत्तिमत्पदकदम्बै, प्रबन्धै महावाक्य-स्वरूपै, पदैकदेशै प्रकृतिप्रत्ययादिरूपपदावयवै, अवर्णात्मकैर्ध्वनिरूपैर्गीतवाद्यादिसम्बन्धिभी रागै आदिपदप्राह्याभिश्चेष्टाभिश्च, अभिव्यक्ति चर्वणाम्, आमनन्ति प्रतिपादयन्ति प्राञ्च इति शेषः ।

अथ उक्त रस आदि की ध्वनियों का व्यञ्जक क्या क्या हो सकता है, इस विचार के

प्रमत्त में पहले प्राचीनों का मत दिखलाते हैं—'द्विन् इत्यादि। पूर्वोक्त रीति से जिन रसादि-ध्वनि-मनूह का निरूपण किया गया है, उसकी अभिव्यक्ति पदों, वर्णों, रचनाओं, वाक्यों, प्रयुक्तों ( ग्रन्थों ) और पद के अंशों एवं जो अक्षर रूप नहीं हैं, उन रागादिकों से मानते हैं—अर्थात् स्थलभेद से ये सभी रसादि ध्वनियों के व्यञ्जक होते हैं।

न्तु सर्वत्र वाक्यत्रैव रसादिभिरुक्तिर्दानात् क्यनेकस्य तद्व्यञ्जकस्य व्यञ्जकोच्यत-  
स्यागहा मनसि निरात्राभिदयति—

तत्र वाक्यगतानां पदानां सर्वेषामपि स्वार्थोपस्थितिद्वारा वाक्यार्थज्ञानो-  
पायत्रे नमानेऽपि। कुर्वद्रूपतया चमत्कारायोगव्यवच्छिन्नत्वेन कस्यचिदेव ध्वनि-  
व्यपदेशहेतुत्वम्।

उक्तान्त्वा कारणत्र प्रयोजकत्वं वा। कुर्वद्रूपता विलक्षणालम्बिता। चमत्कारायोगव्यव-  
च्छिन्नत्वं नियतचमत्कारमद्विन्दम्।

यद्यपि वाक्यार्थबोधे पदानों-स्थिते कारणता वाक्यवद्व्यञ्जना सर्वेषामेव पदानां स्वस्व-  
बोधोपपादनेन तुल्यैव वाक्यार्थबोधोपयोगिता भवतीत्येकस्य कस्यचिद् तद्व्यञ्जकस्य  
रसादिपदव्यञ्जकत्वमन्वय, किन्तु लक्ष्यवर्गयोगात् अत्रिद्रेकस्यापि पदस्य विलक्षणालम्बितता  
नियतचमत्कारमद्विन्द्येन रसादिपदव्यञ्जकत्वा दानात् पदानामपि रसादिव्यञ्जकत्वमद्विन्द्यत  
इति तात्पर्यम्।

यद्यपि वाक्य के अन्दर जितने पद रहते हैं, वे सभी अपने अपने अर्थ को उपस्थित  
करके, समान रूप से ही वाक्यार्थ के ज्ञान का कारण होते हैं, अतः वाक्यार्थ ज्ञानोत्तर होने  
वाली ध्वनियों का निमित्त ( व्यञ्जक ) पदमनूहात्मक वाक्य ही सिद्ध होता है, कोई एक  
पद नहीं, फिर 'पदध्वनि' इस व्ययहार में क्या युक्ति है? यह है चहां शक्य, और ठक्कर  
यह है कि शक्य के उपपादन में कही गई बातें नहीं हैं, तथापि वाक्यवद्व्यञ्जक पदों में से कोई  
एक ही पद कुर्वद्रूप-अर्थात् काम कर जाने वाला ( विलक्षण अलम्बित ) जहां रहता है,  
वहा वही पद चमत्कारायोगव्यवच्छिन्न-अर्थात् नियतचमत्कारविशिष्ट होता है, तात्पर्य  
यह कि और पद ऐसे रहते हैं, जिनमें चमत्कार का योग निरन्तर नहीं रहता, अतः वैसी  
जगह में वह पद ही वाक्य के ध्वनिकाव्य कहलाने का कारण होता है।

पदस्य रसादि-रसानित्य व्यवस्थाप्योदाहरति—

यथा—

'मन्त्रमन्त्रिणः' इत्याद्य 'मन्त्र' इत्याद्य ।

विशिष्टपदवाक्यत्वेन वा व्यञ्जकत्वमिति विनिगमनाविरहेण घटादौ दण्डचक्रादेः कारणत्वस्येव प्रत्येकमेव व्यञ्जकतायाः सिद्धिरिति प्राञ्चः ।

अभ्यर्हितत्वाद्गचनाशब्दस्य पूर्वप्रयोगः ।

रचनानां वर्णानां च स्वातन्त्र्येण व्यञ्जकत्वं नास्ति, किन्तु पदानां वाक्यानां वा घटकत्वेनैवेति पदवाक्यनिष्ठा या रसादिव्यञ्जकता, तदाश्रयघटकत्वेन विशेषणीभावात् तदवच्छेदकोटौ प्रविष्टत्वं, नतु व्यञ्जकत्वमिति यद्यपि सुखेन वक्तुं शक्यम्, तथापि यथा घटं प्रति दण्डविशिष्टचक्रादे कारणत्वम्, आहोस्विच्चक्रादिविशिष्टदण्डस्येत्यमेकतरपक्षपाति युक्तेरभावाद् दण्डे चक्रादौ च प्रत्येक पर्याप्त्यैव घटनिरूपितकारणता स्वीक्रियते, तथैव प्रकृते पदवाक्यविशिष्टरचनात्वेन रसव्यञ्जकता, उत रचनाविशिष्टपदवाक्यत्वेनेति संशयं विनिगमनाविरहात् प्रत्येकमेव पदत्वेन वर्णत्वेन रचनात्वादिना च रसादिव्यञ्जकताऽभ्युपगम्यत इत्येवं वर्णानां रचनादीनां च रसादिव्यञ्जकत्व सिद्धमिति प्राचीनाव दन्तीत्यर्थः ।

रचना और वर्ण, पदों और वाक्यों के अन्तर्गत हो कर ही व्यञ्जक हो सकते हैं, अतः यद्यपि यह कहा जा सकता है कि रचना तथा वर्ण से युक्त पद और वाक्य ही व्यञ्जक हैं स्वतन्त्रतया वर्ण और रचना नहीं, वे व्यञ्जकतावच्छेदक-कोटि-प्रविष्ट अर्थात् व्यञ्जक विशेषणों की श्रेणी में रहने वाले मात्र हैं, तथापि रचना और वर्ण से युक्त पद-वाक्य व्यञ्जक हैं अथवा पद और वाक्य से युक्त रचना और वर्ण व्यञ्जक हैं इन दोनों पक्षों में किसी एक पक्ष को प्रमाणित करने वाली कोई युक्ति जब नहीं है, तब रचना, वर्ण, पद और वाक्य में प्रत्येक की व्यञ्जकता सिद्ध हो जाती है। जैसे कि घट का कारण चक्रसहित दण्ड माना जाय अथवा दण्डसहित चक्र, इनमें एक पक्ष को प्रमाणित करने की जब कोई युक्ति नहीं है, तब-चक्र और दण्ड दोनों पृथक् पृथक् कारण मान लिये जाते हैं। तब यह कि वर्ण और रचना को भी पृथक् पृथक् स्वतन्त्र व्यञ्जक मानना अनुचित नहीं। ऐसा प्राचीन विद्वानों का मत है ।

तत्र नवीनमतमभिधत्ते—

वर्णरचनाविशेषाणां माधुर्यादिगुणाभिव्यञ्जकत्वमेव, न तु रसाभिव्यञ्जकत्वम्, गौरवान्मानाभावाच्च ।

वर्णविशेषा रचनाविशेषाश्च माधुर्यगुणस्यैव व्यञ्जका, न पुनर्माधुर्यगुणाश्रयाणां, रसानाम्, यतः क्लृप्ताधिकरसादिव्यञ्जकाङ्गीकारे व्यञ्जकसङ्ख्याऽऽधिक्यनिवन्धनं गौरवम्, वा रचनानां रसादिव्यञ्जकत्वे प्रमाणवैधुर्यं च, तस्माद् वर्णानां रचनानां च रसादिव्यञ्जकत्वा नास्तीत्यभिप्रायः ।

नवीन विद्वानों का मत उससे भिन्न है। वे कहते हैं कि वर्णविशेष और रचनाविशेष (वैदर्भी आदि) माधुर्य आदि गुणों के ही व्यञ्जक होते हैं, उन गुणों के आश्रयीभूत रसों के नहीं, क्यों कि ऐसा मानने में एक तो व्यर्थ रसादिकों के व्यञ्जकों की संख्या बढ़ती है, दूसरे, इसमें कोई प्रमाण भी नहीं है ।

नतु यदि वर्णादिषु माधुर्यव्यञ्जकताऽस्ति, तर्हि तदाश्रयरसादिव्यञ्जकताऽप्यस्त्येव, यतो गुणिनो व्यञ्जकता विना गुणानां व्यञ्जकत्वेन न सम्भवतीत्याशङ्का निराकरोति— ५०

न हि गुण्यभिव्यञ्जनं विना गुणाभिव्यञ्जकत्वं नास्तीत्यस्ति नियमः, इन्द्रियत्रये व्यभिचारात् ।

गुणाभिव्यञ्जकास्तदाश्रयव्यञ्जका भवेयुरेवेति नास्ति नियमः, यतो घ्राण-रसन-श्रोत्र-रूप-इन्द्रियत्रये तस्य व्यभिचारो दृश्यते, तथाहि— घ्राणेन्द्रिय गन्धस्य गुणस्य व्यञ्जकं न तु

तदाश्रयस्य पृथिव्या, रसनेन्द्रिय रसस्य व्यञ्जनं, नतु रसवतो जलस्य, श्रोत्रेन्द्रियं च गन्धस्य व्यञ्जक, न तु गन्धाधारस्य गगनस्य । इत्थं च माधुर्यव्यञ्जकताऽन्यथाऽनुपपत्त्या वर्णादीना रसाभिव्यञ्जकताकल्पनं नैव सम्भवतीति विभावनीयम् ।

यदि कोष्ठं कष्टे किं पर्णं और रचना को माधुर्यं आदि गुणों के व्यञ्जक मानने पर गुण के आश्रय रस आदि के भी व्यञ्जक मानना ही पड़ेगा, क्योंकि जो गुणी ( गुण के आश्रय ) का व्यञ्जक नहीं, वह गुणों का व्यञ्जक हो ही नहीं सकता—अर्थात् गुणों के आश्रयों की अभिव्यक्ति के बिना गुणों की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, तो में कहूँगा—यह कथन संगत नहीं है, क्योंकि 'गुणी की अभिव्यक्ति के बिना गुणों की अभिव्यक्ति नहीं होती' यह नियम नाक, जीभ कान इन तीनों इन्द्रियों में व्यभिचरित होते देखा गया है—अर्थात् इन तीनों इन्द्रियों से गुणों की अभिव्यक्ति के बिना भी गुणों की अभिव्यक्ति होती है। जैसे—नाक से गन्ध ( गुण ) की अभिव्यक्ति होती है और उसके आश्रय पृथिवी की नहीं, जीभ से रस की अभिव्यक्ति होती है और रसाश्रय जल आदि की नहीं एवम् कान से शब्द की प्रतीति होती है और शब्दाश्रय आकाश की नहीं ।

गुणादिव्यक्तिरसस्यादर्शनेन स्वपक्षे दोष परिहरन् नवीनमतमुपसहरति—

इत्थं च स्वस्वव्यञ्जकोपनीतानां गुणिना गुणानामुदासीनानां च यथा परम्परोपश्लेषेणोदासीन्येन वा तत्तत्प्रमितिगोचरता, तथा रसानां तद्गुणानां चाभिव्यक्तिविषयतेति तु नव्या ।

स्वस्वव्यञ्जकैर्वर्णादिभिः, उपनीताना बोधिताना, गुणिना पृथिव्यादीना, गुणाना गन्धादीनाम्, उदासीनाना गुणगुणिभावेन मियोऽसम्बद्धाना पदार्थाना च प्रमितिगोचरता प्रमात्मकप्रत्यक्षविषयता, कदाचित् उपश्लेषेण गुणाना गुणिना मिथस्सम्बद्धत्वेन, कदाचित् पुनरौदासीन्येन मिथोऽसम्बद्धत्वेन च क्या भवति, तथा गुणिना रसाना, गुणाना माधुर्यादीना चाभिव्यक्तिविषयताऽऽस्वादगोचरता, कदाचिन्मिलितत्वेन, कदाचिच्च पार्यक्येन भवतीति व्यस्यया, रसाद्यव्यञ्जकत्वेऽपि माधुर्यादिव्यञ्जकता वर्णादीना नासम्भवित्तीति तु नव्या वदन्तीत्यर्थ ।

प्रमलक्ष्यकमपक्षे प्रवन्ध-वाक्य-पद-तर्दश-वर्ण-रचनाव्यङ्ग्यत्वेन पञ्चविधत्व स्वीकुर्वन्ति प्राचीनैर्वर्णविशिष्टाना रचनाविशिष्टानामिव च पदवाक्यादीना रसादिव्यञ्जकताया नत्तान्ननादिव्यञ्जकताऽवच्छेदकनया तद्व्यञ्जकत्वाभावेऽपि विशिष्टव्यङ्ग्यव्यञ्जकभावकल्पने विनिगमनाविरहेण गौरवाद् दण्डादिषु घटादिकारणतेव प्रत्येक रसादिव्यञ्जकता कल्प्यते ।

नर्तनैस्तु हृदयविरोधिभिः पृथगापि गुणगुणिना प्रतीति मन्यमानैर्वर्णादिषु माधुर्यादिगुणानात्रव्यञ्जकताऽशीक्रियते, रसादिव्यञ्जकता तु गौरव-प्रमाणभावादिप्रदर्शनेन निराक्षिप्त इति गारम् ।

एव तरह जैसे अपने अपने व्यञ्जकों—अर्थात् पाँचों ज्ञानेन्द्रियों से उपस्थित कराये गये गुण गुण और तद्विरक्त तदस्थ पदार्थ कभी परस्पर समिलित रूप से, कभी उदासीन रूप से उन उन यथार्थ ज्ञानों से विषय होते हैं, वैसे ही रस ( गुणी ) और गुण ( माधुर्यादि ) भी अभिव्यक्ति के विषय होते हैं—अर्थात् वे पृथक् पृथक् व्यञ्जकों ( वाक्य पद आदि और रचना आदि ) से उपस्थित किये जाते हैं, और फिर कभी समिलितरूप से तथा कभी उदासीन रूप से गृहीत ( ज्ञात ) होते हैं। तार्थ्य यह कि वर्णों और

रचनाओं को रसों का व्यञ्जक मानना समुचित नहीं, उन्हें केवल माधुर्यादि र व्यञ्जक मानना चाहिये ।

रचनाया रसादिव्यञ्जकतामुदाहरति—

उदाहरणन्तु—

‘तान्तमाल—’ इत्यादि प्रागुक्तमेव ।

अत्र भगवद्विषयकरतिभावद्वारा शान्तरसस्य तन्निष्ठमाधुर्यगुणस्य च व्यञ्जिका र इति रचनाया गुणव्यञ्जकतानिरूपणप्रसङ्गेन प्रागुक्तमनुसन्धेयम् ।

वर्णों तथा रचनाओं के द्वारा गुणों की अभिव्यक्ति का उदाहरण ‘तां तमालत छविनीम्...’ इत्यादि पहले ( पृ० २३४ में ) कह ही चुके हैं ।

वाक्यस्य रसादिव्यञ्जकतामुदाहरति—

वाक्यस्य व्यञ्जकतायामपि ‘आविर्भूता यदवधि—’ इत्यादि च ।

प्रागुक्तेऽस्मिन् पद्ये समस्तमेव वाक्य विप्रलम्भशृङ्गाररसस्य व्यञ्जकम् ।

वाक्य जहाँ व्यञ्जक हुआ हो, वैसे उदाहरण भी ‘आविर्भूता यदवधि मधुस्यन्दि चनो...’ इत्यादि ( पृ० १४१ में ) कहे ही जा चुके हैं ।

प्रबन्धस्य रसव्यञ्जकतामुदाहरति—

प्रबन्धस्य तु ‘योगवाशिष्ठ-रामायणे शान्त-करुणयोः, रत्नावल्यादि शृङ्गारस्य व्यञ्जकत्वान्निदर्शनानि प्रसिद्धानि ।

योगवाशिष्ठ प्रबन्ध शान्तरसस्य, रामायणं प्रबन्ध करुणरसस्य, रत्नावली प्रबन्धो शृङ्गाररसस्य व्यञ्जका इति प्रबन्धव्यञ्जकतोदाहरणानि बोध्यानि ।

अब प्रबन्ध ( ग्रन्थ ) जहाँ व्यञ्जक होते हैं, वैसे उदाहरण देखिये—सम्पूर्ण ये ग्रन्थ से शान्तरस और समस्त रामायण ग्रन्थ से करुणरस अभिव्यक्त होते हैं, रत्नावली आदि ग्रन्थ शृङ्गाररस के व्यञ्जक होने के नाते प्रसिद्ध ही हैं ।

प्रबन्धस्य भावव्यञ्जकतामुदाहरति—

मन्निर्मिताश्च पञ्चलहर्यो भावस्य ।

गङ्गालहरीप्रभृतय पञ्च लहर्यं प्रबन्धा गङ्गाऽदिविषयकरतिभावस्य व्यञ्जका इ पण्डितराज रचित पांचों लहरियां ( करुणालहरी, गगालहरी आदि ) भाव-के उदाहरण होती हैं ।

पदावयवस्य रसव्यञ्जकतामुदाहरति

पदैकदेशस्य च ‘निखिलमिदं जगदण्डकं वहामि’ इति करूपतदि रसस्य प्रागेवोदाहृतः ।

बलवीररसोदाहरणप्रसङ्गेन प्रागेवोदाहृतेऽत्र पद्ये ‘जगदण्डक’मिति पदावयव स्तद्धितप्रत्ययो ब्रह्माण्डस्य क्षोदिष्ठतां द्वारीकृत्योत्साहस्थायिकबलवीररसस्य इत्यर्थं ।

‘निखिलमिदं जगदण्डकं वहामि’ यहां करूप तद्धित ( पदैकदेश ) वीररसव्यञ्ज यह भी पहले ( पृ० १६६ में ) कहा जा चुका है ।

रसार्णामहरागादीना व्यञ्जकता नन्दयानुभवनिर्द्धेवेति प्रतिपादयति—

एव रागादिभिरपि व्यञ्जयत्वे सहृदयद्वयमेव प्रमाणम् ।

व्यञ्जयत्वे रसादीनामिति शेषः । रागादिव्यञ्जकता सहृदयानुभवसाञ्चित्त्वेति तदुदाहरण प्रदर्शितमित्यर्थः ।

एसी तरह ध्वर्गात्मक राग आदि भी रसादि के व्यञ्जक होते हैं—इसमें सहृदयों के य ही प्रमाण है ।

व्यञ्जयति—

एवमेवा रसादीना प्राधान्येन निरूपितान्युदाहरणानि ।

एवमुक्तरीत्या, एषा रसादीना प्राधान्येन ध्वनितया प्राङ्निरूपितानामुदाहरणानि निरूपितानि ज्ञेयानित्यर्थः ।

इस तरह से प्रधान रहने के कारण ध्वनिरूप रसादिकों के उदाहरण निरूपित हो चुके ; समझना चाहिये ।

गुणीभूतव्यञ्जयत्वे रसादीनामुदाहरणपेक्षायामाह—

गुणीभावे तु वच्यन्ते, नामानि च ।

रसादीना गुणीभावेऽप्राधान्ये गुणीभूतव्यञ्जयतामुदाहरणानि रसवत्प्रेयःर्जस्व्यादीनि नामानि नाल्लक्षणप्रकरणे वच्यन्ते प्रतिपादयिष्यन्त इत्यर्थः ।

जब ये रस आदि गौण-अप्रधान-हो जाते हैं, तब उनके क्या क्या नाम पड़ते हैं व उनके उदाहरण क्या हो सकते हैं, ये सब बातें आगे कही जायगी—अर्थात् रस आदि के गौण हो जाने पर 'रसवत् प्रेय और ऊर्जस्वि इन नामों के अलंकार होते हैं, यह व तथा उनके उदाहरण अलंकार प्रकरण (द्वितीय आनन) में कहे जायेंगे । वेद है कि पण्डितराज की यह प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं हो सकी । यह ग्रन्थ अपूर्ण ही उपलब्ध था है और जितना भाग उपलब्ध है, उसमें यह विचार नहीं आ सका है )

तत्र विशेषमाचष्टे—

तत्र प्राधान्य एवैषां रसादित्वम्, अन्यथा तु रत्यादित्वमेव ।


एषा रसादीना प्राधान्य एव विगलितवेद्यान्तरसञ्चिदानन्दस्वरूपतासम्भत्ते रसादित्वं इति, अन्यथाऽप्राधान्ये तु तादृशप्रताविरहात् स्थायिमात्रात्मस्त्वाद् रत्यादित्वं केवलं ज्ञेयमित्यर्थः ।

यहां भी विद्वानों में मतभेद है । कुछ विद्वानों का कथन है कि ये रस आदि प्रधान ने पर ही रसादि हैं और गौण हो जाने पर रत्यादिनात्र अर्थात् वस्तुमात्र होते हैं ।

न्तु गुणीभावे यदि रसादिन्वाभावो भवेत्, तर्हि गुणीभूतस्य रसवदलंकारेति विरसवत् स्वनुगामित्वात्पेक्षायामाह—

नाप्युनि रसपट तु रत्यादिपरमित्येके । अस्त्येव रसादित्वं, किन्तु न ध्वनि-पदेऽप्युत्त्वमित्यपरे ।

इति तैलङ्गितराजर्षिःशङ्करायविरचिते रसगङ्गाधरे प्रथममाननं नन्दरूपम् ।



रसवदलङ्कारेति नामघटकरसपदस्य रसत्वयोग्यरत्यादिस्थायिभावेषु लक्षणति प्रागुक्त नियमाङ्गीकर्तृणां केषाञ्चिन्मतम् । अन्येषां तु-रसादीनामप्राधान्ये न रसादित्वस्य विलोप किन्तु प्राधान्यविरहाच्च ध्वनिव्यवहारस्य कारणत्वमिति मतम् । तत्र पूर्वमत एव लक्षण पेक्षा, नतूत्तरमत इति बोध्यम् ।

विद्यानाभिनिकेतन-मिथिलाऽन्तःपातिसरिसवप्राप्ते ।

विद्यानाथसुतश्रीवदरीनाथेन निर्मिता कुतुकात् ॥ १ ॥

राधाऽच्युतपदनखविधु-समर्पिता चन्द्रिका सेयम् ।

लभता रसगङ्गाधर-ससक्ता शाश्वतीं सुषमाम् ॥ २ ॥

आशानखमित ( २०१० ) विक्रम-समासहःपूर्णिमासूर्ये ।

रसगङ्गाधरविवृतिर्वाणीरूपयाऽगमत् पूर्तिम् ॥ ३ ॥

चिन्ताजरादिपण्डीकृतपण्डस्यापि मे नूनम् ।


साहसमेव विवरण, पण्डितराजातिगूढभणितीनाम् ॥ ४ ॥

उपकृतिरितोऽपि तावत्, किन्तु भवेदेव केषाञ्चित् ।

मदपि न्यूनमतीनामिति प्रतीते समाश्वसिमि ॥ ५ ॥

इति मैथिलश्रोत्रियपण्डितश्रीवदरीनाथशर्मनिर्मिताया रसगङ्गाधर-

चन्द्रिकायां प्रथममानन सम्पूर्णम् ।



यदि कहें कि जय गौण हो जाने पर ये रसरूप नहीं होते, तब उस अवस्था के 'रसवत्' हत्यादि नामों में रस आदि पदों का प्रयोग कैसे होता है? इसका उत्तर यह है कि उन नामों में रसादि पद रत्यादि का ही बोधक है। यहां दूसरे विद्वानों का कथन इससे भिन्न है, वे कहते हैं कि गौण हो जाने पर भी उनमें रसत्व अथवा भावत्व रहते ही हैं, केवल गौण हो जाने के कारण वे काव्य में ध्वनि व्यवहार के हेतु नहीं होते ।

इति दरभङ्गामण्डलान्तर्गत नवानी ग्रामनिवासी, मैथिलब्राह्मणवंशावतसध्याकरण-

न्याय-साहित्याचार्य, मुजफ्फरपुरस्थ राजकीय संस्कृत महाविद्यालय प्रधान

साहित्याध्यापक 'प० श्री मदनमोहन झा' द्वारा निर्मित रसगङ्गाधर

( प्रथम आनन ) की हिन्दी व्याख्या समाप्त हुई ।



॥ श्री ॥

विद्याभवन संस्कृत ग्रन्थमाला

११

—

पण्डितराजश्रीजगन्नाथविरचितः

# रसगङ्गाधरः

‘चन्द्रिका’ संस्कृत-हिन्दीव्याख्योपेतः

( द्वितीयाननस्योत्प्रेक्षान्तो भागः )

व्याख्याकार —

व्याकरण-न्याय-साहित्याचार्य-

पण्डित श्री मदनमोहन झा

मुजफ्फरपुरस्थराजकीयसंस्कृतनहाविद्यालयस्य साहित्यप्रधानाध्यापकः



चौखम्बा विद्याभवन, चौक, वाराणसी-१

—



प्रकाशक—

चौखम्बा विद्या भवन  
चौक, वाराणसी-१

( पुनर्मुद्रणादिकाः सर्वेऽधिकाराः प्रकाशकाधीनाः )

The Chowkhamba Vidya Bhawan

Varanasi-1

( INDIA )

1957

मुद्रक—


विद्याविलास प्रेस,

वाराणसी-१

॥ श्री. ॥

# रसगङ्गाधरः

‘चन्द्रिका’-संस्कृत-हिन्दीव्याख्योपेतः



द्वितीयमानवृत्तम्

अथ संलक्ष्यक्रमध्वनिनिरूप्यते—

शङ्कर-सुज-भरसीरुह-वृत्त्यनयनाम्बुजद्वन्द्वा ।  
गौरी गौरिव वत्से प्रणत-जने वत्सला जयति ॥  
जयति जगज्जन-पालन-दक्षी, दक्षाध्वरध्वसी ।  
मन्मय-भयन-प्रथितो गिरिजा-कामाद्गुर' गन्धु ॥  
गुरु-करुणानृत-विन्दु' पुष्यै' प्राप्तश्चिर जयति ।  
यः पीतो सुग्धानामुक्तिषु वैदग्ध्यमातनुते ॥  
पित्रोर्ज्यत्यहेतु' स्नेहोत्कर्ष' सदा सुलभ ।  
मिच्छा मन्त त-ल्लतिका येनोदय-शास्त्रिनं श्रयते ॥  
सदृश्यज्जातिहृद्या निरवया 'चन्द्रिका' जयतान् ।  
रसगङ्गाधरसगात्सर्वाभावात्सलावण्या ॥

अथ प्रथमानने रसादिरूपासंलक्ष्यक्रमध्वनिनिरूपणानन्तरं द्वितीयमाननमारभमाणं प्रथमं संलक्ष्यक्रमध्वनिनिरूपणं प्रतिजानीते—अथेत्यादिना ।

अथ शब्दोऽयमानन्तर्यायकः । तथा चासंलक्ष्यक्रमध्वनिनिरूपणानन्तरमिति तान्-  
यांपि । संलक्ष्य-सम्यक्-प्रतीतिपयमवतरन् क्रम' कार्यकारणयो पौर्वापर्यम्, यत्र स  
ध्वनि व्यञ्जकविशेषः, निरूप्यते शब्दप्रयोगात्मक-न्यापार-प्रयोज्य-ज्ञान-विषयो विधीयत  
इति तदर्थः । मया प्रन्यकारेणेति शेषः ।

अचपत् चरत्वा न्हू से, भह-भह् उपि धाम ।

भेरे नाम मे रने, नवन विमल पन-रगाम ॥

प्रथमं ज्ञाननं मे रम आदि क्षमलप्रयत्नध्वनि के निरूपण कर लेने के बाद अथ  
द्वितीयं ज्ञानन के क्षारम्भ में संलक्ष्यक्रमध्वनि निरूपण की प्रतिज्ञा करते हैं— अथेत्यादिने ।  
अथ शब्द यहाँ ज्ञानन्तर्यायक है । संलक्ष्यक्रम का तात्पर्य यह है कि जिस ध्वनि में  
कार्य ( ध्वनि ) और कारण ( विभाव आदि का ज्ञान ) का क्रम-पूर्वापर्यं अर्थात्—क्रम  
पश्चात्ताप दर्शित होता है । निरूपण शब्द का अर्थ होता है, यह शब्द प्रयोगात्मक-न्यापार,  
जिसमें जिज्ञास्यवर्षा का ज्ञान हो सके । रम प्रकरण में ध्वनिशब्द शब्द अर्थ में

प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार मूल का अनुवाद यह होता है कि असलक्ष्यक्रमध्वनि निः  
के बाद सलक्ष्यक्रमध्वनि का निरूपण किया जाता है।

सलक्ष्यक्रमध्वनि विभजते—

स च तावद्द्विविधः शब्दशक्तिमूलोऽर्थशक्तिमूलश्च । तत्राद्यो द्विवि  
व्यङ्ग्यस्य वस्तुत्वालंकारत्वाभ्यां द्वैविध्यात् । द्वितीयोऽपि वस्त्वलंकारात्मना लोक-  
सिद्धेन, तथाभूतेनैव प्रतिभा-मात्र-निवर्तितेन च व्यञ्जकेनार्थेन चतुर्विधेन  
वस्त्वलंकारात्मनो द्विविधस्य व्यङ्ग्यस्य प्रत्येक व्यञ्जनादष्टमूतिः ।

तावद् आदौ स्थूलतयेति तात्पर्यार्थः । स सलक्ष्यक्रमध्वनि द्वे विधे प्रकारौ यस्यासौ  
द्विप्रकारक इत्यर्थः । तत्र प्रथम, शब्दशक्ति शब्दनिष्ठाव्यञ्जना मूल कारण यस्य स ।  
द्वितीयोऽर्थशक्ति अर्थनिष्ठा व्यञ्जनामूल कारण यस्य स । शब्दव्यञ्जनावोध्य आर्थव्यञ्जना-  
वोध्यश्चेत्यर्थः । तत्र तयोर्मध्ये, आद्य शब्दशक्तिमूल पुनर्द्विप्रकारक, यतो व्यङ्ग्य वस्तुह्य-  
मलकाररूपश्चेति द्विविधं भवति । द्वितीय अर्थशक्तिमूल पुनरष्टविध, यतो व्यञ्जकोऽर्थो  
द्विविध - वस्तुरूप, अलंकाररूपश्च । द्विविधोऽप्यसौ लोकसिद्धत्वेन, प्रतिभामात्रनिवर्तित्वेन च  
रूपेण पुनर्द्विविध । अर्थात् वस्तुत्वालंकारत्वभेदेन द्विविधोऽपि व्यञ्जकोऽर्थः क्वचित् लोके  
सभावना-विषयतया लोकसिद्धो भवति, क्वचिच्च केवल कविकल्पनाप्रसूततया कल्पितो  
भवति । एवञ्च व्यञ्जकस्यार्थस्य चत्वारो भेदा जायन्ते । चतुर्विधैस्तै पृथक् पृथक् वस्तुरूपो-  
ऽलंकाररूपश्चार्थो व्यज्यते इति सिद्धमस्याष्टविधत्वम् ।

सलक्ष्यक्रमध्वनि के भेद दिखलाते हैं—त च इत्यादि से । सलक्ष्यक्रमध्वनि के प्रथमतः  
दो भेद होते हैं—पहला शब्दमूल अर्थात् जिसके मूल में शब्दनिष्ठव्यञ्जनावृत्ति काम  
करती रहती हो और दूसरा अर्थशक्तिमूल अर्थात् जिसके मूल में अर्थनिष्ठव्यञ्जना  
काम करती हो । उनमें प्रथम—शब्दशक्तिमूलध्वनि के पुनः दो भेद होते हैं । क्योंकि  
वस्तु और अलंकारभेद से व्यङ्ग्य दो प्रकार के होते हैं । फलतः—१-शब्दशक्तिमूल  
वस्तुध्वनि और २-शब्दशक्तिमूल अलंकारध्वनि, ये दो प्रकार प्रथम भेद के सिद्ध हुए ।  
द्वितीय—अर्थशक्तिमूलध्वनि के आठ भेद होते हैं, क्योंकि व्यञ्जक अर्थ प्रथमतः दो  
प्रकार के हो सकते हैं—पहला वस्तुरूप और दूसरा अलंकाररूप, फिर इन दोनों ही प्रकार  
के दो दो प्रकार हो सकते हैं—लोकसिद्ध ( लोक में हो सकनेवाला ) वस्तु और कवि-  
कल्पनामात्रप्रसूत ( जो लोक में सम्भव विषय नहीं हैं, फिर भी कवियों की कल्पना से  
सिद्ध किए गए हैं ) वस्तु । इसी तरह अलंकार भी उक्त दोनों प्रकार के हो सकते हैं ।  
इस तरह से व्यञ्जक अर्थ के चार भेद हो जाते हैं । इन चारों में प्रत्येक से कहीं वस्तु  
और कहीं अलंकार ध्वनित होते हैं । इन आठों भेदों के नाम पाठकों की सुविधा के लिए  
नीचे दिए जाते हैं—१-स्वतःसंभवि-वस्तु से वस्तुध्वनि, २-स्वतःसंभवि-वस्तु से  
अलंकारध्वनि, ३-स्वतःसंभवि-अलंकार से वस्तुध्वनि, ४-स्वतःसंभवि-अलंकार से अलंकार-  
ध्वनि, ५-कविप्रौढोक्तिसिद्धवस्तु से वस्तुध्वनि, ६-कविप्रौढोक्तिसिद्धवस्तु से अलंकार-  
ध्वनि, ७-कविप्रौढोक्तिसिद्ध-अलंकार से वस्तुध्वनि, ८-कविप्रौढोक्तिसिद्ध-अलंकार से  
अलंकारध्वनि ।

ननु अर्थशक्तिमूलध्वनेरष्टविधत्वोक्तिरसगता, मम्मटादिभिः लोकसिद्धकृतिप्रतिभा-  
मात्रनिवर्तिताविव कविकल्पितवक्तृप्रतिभानिर्वर्तिताभिधानमप्येक व्यञ्जकार्थस्य भेदमङ्गीकृत्य  
तस्य द्वादशविधत्वप्रतिपादनादित्यत आह—

प्रतिभानिर्वर्तितत्वाविशेषाच्च कवितदुम्भितवक्तृप्रौढोक्तिनिष्पन्नयोरर्थयोर्न  
पृथग्भावेन गणनोचिता, उम्भितोम्भितादेरपि भेदान्तरप्रयोजकतापत्तेः । न च



व्यञ्जक मानकर तत्प्रयुक्त भेद भी नहीं मानना चाहिये । वस्तुतः कविवर्णित वक्ता की से भिन्न कोई रहता नहीं—उसके द्वारा कवि ही अपनी कल्पना को रूप देता है । अतः पण्डितराज का कथन उपयुक्त है । प्राचीन मत के समर्थन में आग्रह रखनेवाले नागो महोदय ने अपनी टीका में—जैसे वृद्धों की उक्तियों से बच्चों की उक्तियों में अधि लालित्य होता है, उसी तरह कवि की उक्ति से कविवर्णित वक्ता की उक्ति में अधि चमत्कार अनुभूत होता है, अतः तन्मूलक पृथक् भेद समुचित ही है । उसके आ ( कविवर्णित वक्तावर्णित वक्ता की उक्ति ) की प्रतीति प्रणिधान द्वारा ही हो सकती अन्यथा नहीं, अतः उसमें चमत्कार नहीं रह जाता, इसीलिए उन सबों की पृथक् गणना नहीं की जा सकती—इत्यादि कहकर प्राचीन मत की पुष्टि की है ।

उपसहरति—

एवं साकल्येन दशभेदोऽयम् ।

पूर्वोक्तरीत्या संलक्ष्यक्रमध्वने दशभेदा बोध्या ।

इस प्रकार संलक्ष्यक्रमध्वनि के कुल भेद दस होते हैं । अर्थात् शब्दशक्ति मूलध्वनि के दो और अर्थशक्तिमूलध्वनि के आठ भेद हैं ।

नानार्थकशब्दस्थले सयोगादिभिरेकस्मिन्नर्थेऽभिधायानियन्त्रितायां द्वितीयोऽर्थो व्यञ्जनया बोध्यते, स एव शब्दशक्तिमूलध्वनिलक्ष्यस्थल इति प्राचीनाभिमत सिद्धान्त मत-भेदेन समालोचयितुमुपक्रमते—

तत्र केचिदाहुः—नानार्थस्य शब्दस्य सर्वेष्वर्थेषु संकेतग्रहस्य तुल्यत्वाच्छ्र-  
तमात्र एव तस्मिन् सकलानामर्थानामुपस्थितौ, शब्दस्यास्य कस्मिन्नर्थे तात्पर्य-  
मिति संदेहे च सति, प्रकरणादिकं तात्पर्यनिर्णायकं पर्यालोचयतः पुरुषस्य  
सति तन्निर्णये, तदात्मकपदज्ञानजाया एकार्थमात्रविषयायाः पुनः पदार्थोपस्थिते-  
रनन्तरमन्वयबोध इति नये द्वितीयायाः पदार्थोपस्थितेः प्राथमिक्या इव न  
कुतो नानार्थगोचरतेति प्रकरणादिज्ञानस्य तदधीनतात्पर्यनिर्णयस्य वा पदार्थो-  
पस्थितौ प्रतिबन्धकत्वं वाच्यम्, अन्यथा शब्दबुद्धेरपि नानार्थविषयत्वापत्तिः ।

नानार्थकशब्दस्थले केषांचिदभिमतोऽन्वयबोधप्रकार प्रदर्शयते-नानार्थस्येत्यादिना ।  
अयमाशय—नानार्थकशब्दश्रवणानन्तर प्रथम सर्वेषामर्थानामुपस्थिति ( स्मृति ) जायते,  
तत्तत्सकलार्थनिरूपितसंकेतस्य तस्मिन् शब्दे समानरूपेण गृहीतत्वात् । ततः 'अत्र कस्मिन्  
अर्थे वक्तुस्तात्पर्य'मिति सन्देह उत्पद्यते श्रोतु । अथ श्रोता सन्देहनिवृत्त्यर्थं तात्पर्यनिर्णायक  
प्रकरणादिकं पर्यालोचयति । पर्यालोचनेन च तेन तात्पर्य-निर्णयो जायते । तदनन्तरं  
पुनरेकार्थमात्रविषयकोपस्थितिद्वारोपस्थितार्थविषयकान्वयबोधो भवतीति क्रमः । ननु हेतु-  
भूतस्य पदज्ञानस्य क्षणिकतया विनष्टत्वेन कथमेकार्थविषयिणी पुनः पदार्थोपस्थितिरित्यत  
आह—तदात्मकेति । तात्पर्यज्ञानात्मकेति तदर्थः । 'पयो रमणीयम्' इत्यादौ सन्देहनिवर्त-  
नाय क्रियमाणे 'अत्रत्य पय पद दुग्धतात्पर्येणोच्चारितम्' इत्याकारके तात्पर्यनिर्णये पय  
आदिकं पद भासते इति तत्तात्पर्यज्ञानमेव पदज्ञानात्मकं सम्पद्यते इति तात्पर्यम् । १

ननु कथमियं द्वितीयोपस्थितिरकार्थमात्रविषया ? प्राथमिक्यामिव तत्रापि सर्वेष्वर्थो-  
कुतो न भासेरन् इत्यत आह—प्रकरणादिज्ञानस्येति । इदमत्र रहस्यम्—द्वितीयस्यामुप-  
स्थितौ प्रकरणादिनिर्णयतात्पर्यविषयीभूत एक एवार्थो भासते नान्य, प्रकरणादिज्ञानस्य  
प्रतिबन्धकत्वस्वीकारात् । ननु व्यवहिततयोपस्थितिः काले नष्टस्य तस्य प्रतिबन्धकत्वसम्भ-

वर्तान्यत आह—तदधीनेति । प्रकरणज्ञानस्य नष्टत्वेऽपि तत्रान्यतात्पर्यनिर्गम्योपस्थितिस्त्व-  
लंनस्य प्रातबन्धरुत्व नन्भवतीति भाव । नानार्थकपदजन्यऽतदन्वयविषयस्योपस्थिति  
प्रति तदर्थविषयकरतात्पर्यनिर्णय प्रतिबन्धक इत्याकारक प्रतिबन्ध-प्रतिबन्धकभाव आत्येव  
इति नरत्पर्य । अन्यथेति । उक्तप्रतिबन्ध-प्रतिबन्धकभावास्वीकारे इत्यर्थ । उपस्थिते-  
रप्रतिबन्धे उपस्थितानामर्थानां शाब्दबोधे भाननियमेन नानार्थस्यले शाब्दबोधोऽपि नानार्थ-  
विषयक आपतेत , अनुभवनिर्दूष तत्र तात्पर्यविषयकार्यमात्रविषयकशाब्दबोध, अत उक्त-  
प्रतिबन्ध-प्रतिबन्धकभावोऽवगन्धमज्ञीकार्य इति तात्पर्यम् ।

अथ शब्दशक्तिमूलध्वनि के विषय में विचार करते हैं—यत्र केचित् इत्यादि से । मन्मत  
आदि प्राचीन धालकारिकों का मत है कि शब्दशक्तिमूलध्वनि का उदाहरण वहाँ ही  
होता है, जहाँ अनेकार्थकशब्दों की अभिधाशक्ति प्रकरण आदि के द्वारा एक अर्थ में  
नियन्त्रित हो जाती है—अर्थात् वैसे स्थलों में अप्राकरजिक अर्थ वाच्य न होकर शब्द-  
निष्ठव्यञ्जनावृत्ति से व्यङ्ग्य होता है, उसी को शब्दशक्तिमूलध्वनि कहते हैं । इस  
मत का मूलभूत आधार क्या है ? इसी का विचार इस प्रकरण में मतभेद सहित किया  
गया है । इस प्रसंग पर सर्वप्रथम नानार्थकशब्दों ने होने वाले बोध की रीतियाँ दिग्ग-  
हार्द गई हैं । नानार्थकशब्दों में समानरूप से सभी अर्थों की शक्ति ज्ञात रहनी है—  
अर्थात् हम जानते रहते हैं कि हरिशब्द विष्णु, सूर्य, अश्व, सिंह आदि सभी अर्थों का  
वाचक है । अत उम तरह के शब्दों के ध्रुवण होने पर उन सभी अर्थों का स्मरण एक  
साथ हो जाता है । फिर यह सन्देह उत्पन्न होता है कि वक्ता का तात्पर्य किस अर्थ में  
है । अर्थात् वक्ता ने किस अर्थ का बोध कराने के लिये यहाँ इस नानार्थक शब्द का  
प्रयोग किया है । इस सन्देह की निवृत्ति के लिये श्रोता वक्ता के तात्पर्य को निर्णय  
करनेवाले प्रकरण आदि की पर्यालोचना करता है, जिससे उक्त सन्देह की निवृत्ति हो  
जाती है । अर्थात् यह निश्चिनरूप से ज्ञात हो जाता है कि वक्ता ने यहाँ अनुक्त  
नानार्थक पद का प्रयोग अनुक्त अर्थ का वाच्य कराने के लिये ही किया है । इसके बाद  
उम एकमात्र अर्थ की—जो प्रकरण पर्यालोचन से उक्तविश्रित-ज्ञात हो चुका रहना  
है—उक्त उपस्थिति ( स्मृति ) होनी है । यदि आप यहाँ यह प्रश्न करें कि किसी अर्थ  
की स्मृति में उम अर्थ के बोधक पद का ज्ञान कारण होने के नाते अपेक्षित होता है,  
और यहाँ जो पद का ज्ञान ( ध्रुवण ) हुआ था, वह मध्य में उक्त समय के व्यवधान  
हो जाने से नष्ट हो जायगा, क्योंकि अपेक्षा बुद्धि से अतिरिक्त सभी ज्ञान दो एक मात्र  
रहकर नष्ट हो जाते हैं, ऐसा व्यवन्मत सिद्धान्त है । ऐसी स्थिति में पुन अर्थ स्मरण  
की बात कैसे कहते हैं ? तो इसका समाधान यह है कि मध्य में जो 'अनुक्त पद का अनुक्त  
अर्थ का बोधक कराने के लिये पता चोटा है' इत्याकारक तात्पर्य निर्णय हुआ है, उसमें  
वा नानार्थक पद भी भावित होता है, अत यह निर्णय ही परज्ञानरूप सिद्ध हो जाता  
है, फिर पुन उम अर्थ के स्मरण होने में कोई बाधा नहीं होगी । इस तरह से पुन उम  
एकमात्र अर्थ के स्मरण होने के अनन्तर उम एक मात्र अर्थ का अन्यबोध जाना है,  
यह नानार्थक शब्दस्थल में शाब्दबोध की एक रीति है । यद्यपि हम रीति में यह एक  
शरा की जा सकती है कि वैसे नानार्थक शब्द के ध्रुवण के अन्वयानिर्णयनरक्षण में होने-  
वाले प्रथम पदार्थ स्मरण में उम पद के सभी ( प्राकरजिक-अप्राकरजिक ) अर्थ विषय होने  
में अर्थात् यह स्मरण स्वार्थविषयक होता है, वैसे तात्पर्यनिर्णयनरक्षणिक द्वितीय  
पदार्थस्मरण में भी वैसे सभी अर्थ विषय क्यों नहीं होते ? तो हमारा उत्तर यह है कि  
प्रकरण आदि का ज्ञान अथवा ( यदि वह कि उक्त एकमात्र रहने वाला प्रकरण आदि का  
ज्ञान तो नष्ट हो चुका रहेगा, तब ) अन्वयुक्त होनेवाला तात्पर्य निश्चय—जो उम द्वितीय  
स्मरण की रीति पर वर्तमान रहेगा—उक्त अप्राकरजिक अर्थों के स्मरण में प्रतिबन्धक हो

जायगा, अतः द्वितीय स्मरण प्राकरणिक अर्थमात्र विषयक ही होगा, अप्राकरणिकार्थ-विषयक नहीं। यदि ऐसा प्रतिबन्धप्रतिबन्धकभाव नहीं माना जाय तो शाब्दबोध भी उन सभी (प्राकरणिक तथा अप्राकरणिक) अर्थों का मानना पड़ेगा, जो सर्वथा अनुभव विरुद्ध है।

उक्तान्वयबोधक्रमानुसारेण 'सयोगो विप्रयोगश्चे' त्यादिकारिकारं सगमयति—

अत एवोक्तम्—'अनवच्छेदे विशेषस्मृतिहेतवः' इति। अनवच्छेदे तात्पर्य-सदेहे। विशेषस्मृतिरेकार्थमात्रविषया स्मृतिः।

अत एवेति। नानार्थस्थले शाब्दबोधक्रमस्योक्तरीत्योपपादनीयत्वादेवेत्यर्थः। उक्तमिति। 'सयोगो विप्रयोगश्चे'त्यादिहरिकारिकायामिति शेषः। अनवच्छेदशब्दार्थमाह—तात्पर्य-सन्देह इति। विशेषस्मृतिपदार्थं स्फोटयति—एकार्थेति। अयंभाव—उक्तरीत्या नानार्थक-शब्दस्थले सकेतितसकलार्थोपस्थित्यनन्तर सति तात्पर्यसदेहे, संयोगादय स्वज्ञानाधीन तात्पर्यनिर्णयद्वारा तात्पर्यविषयार्थातिरिक्तसकेतितार्थविषयकोपस्थिते प्रतिबन्धकरणेनैकार्थ-मात्रविषयकोपस्थिते कारणानि भवन्ति।

पूर्वोक्त अन्वय बोध की रीति को प्रमाणित करने के लिये प्राचीनोक्त कारिका की तदनुसार व्याख्या करते हैं—अत एव इत्यादि से। नानार्थकपदस्थल में उक्तरीति से शाब्दबोध होने के कारण ही कहा गया है कि—वक्ता का तात्पर्य किस अर्थ में है, इस तरह के सन्देह होने पर संयोग, वियोग, साहचर्य, विरोध, प्रयोजन, प्रकरण आदि एक अर्थमात्र विषय द्वितीय स्मरण के कारण होते हैं—अर्थात् नानार्थक शब्दों के श्रवण से, सभी सकेतित अर्थों की उपस्थिति होने के बाद, तात्पर्य सन्देह होने पर, संयोग आदि, ज्ञात होकर तात्पर्य निर्णय द्वारा, अप्राकरणिक अर्थों की उपस्थिति को रोक कर, एक प्राकरणिक अर्थमात्र की, पुन उपस्थिति के कारण होते हैं।

उक्तविचारसरणे प्रकृतोपयोगित्व दर्शयति—

इत्थञ्च सुरभिमांसं भक्षयतीत्यादेर्वाक्याज्जायमाना द्वितीया प्रतीतिर्गवाद्युप-स्थितेरभावात् कथं स्यादिति तदुपस्थित्यर्थं व्यञ्जनाव्यापारोऽभ्युपेयः।

इत्थञ्चेति। उक्तरीत्या नानार्थकशब्दस्थले तात्पर्यविषयीभूतैकार्थमात्रविषयकोपस्थितं समर्थितायाम्। द्वितीयेति गवादिविषयिकेत्यर्थः। कथं स्यादिति। तात्पर्यज्ञानस्य प्रतिबन्धकस्य सत्त्वादिति भावः। अयमाशय—यदा सुगन्धिमास भक्षयत्याद्युत्तादौ शालकादि 'सुरभिमास भक्षयती'ति वाक्य प्रयुङ्क्ते, तदा तत्र तस्य वाक्यस्य 'सौरभमय मासम्, सुरभे (गो) मासम्' इति द्वावप्यर्थौ वक्षुरभिप्रेतौ तिष्ठत, बोधोऽपि द्वयोरर्थयोर्यायते, अत एव विदग्धस्य श्रोतुरावुत्तादेर्जायमाना जुगुप्सा समुपपद्यते, इति वस्तुस्थितिः। परन्तु तत्राश्लीलाः विषयकोपस्थितं भोजनरूपप्रकरणज्ञानजन्यतात्पर्यनिर्णये न प्रतिबद्धेति तद्विषयको बोधोः मिथया न शक्यते सम्पादयितुमिति तदर्थं व्यञ्जनाव्यापार-स्वीकार आवश्यकः। एवमादिरे शब्दशक्तिमूलवर्णनैर्लक्ष्यस्थल इति प्रोक्तप्रकरणस्य चरम विवक्षितमवसेयम्।

उक्त विचार से निकलने वाले प्रकृतोपयोगी निष्कर्ष का निर्देश करते हैं—इत्थ इत्यादि से। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि जब शाले आदि ऐसे—जो गाली देने अधिकारी रहते हैं, व्यक्ति—वह नोई आदि' ऐसे व्यक्ति, जिन्हें गाली दी जा सकती है—के प्रति 'सुरभि मास खाता है' इत्यादि वाक्य का प्रयोग करते हैं, तब वक्ता का 'गाय का मास खाता है' इस अर्थ का बोध कराना भी अभीष्ट रहता है। परन्तु अभिध वृत्ति में उस अर्थ का बोध हो नहीं सकता, क्योंकि उक्त रीति से द्वितीय उपस्थिति





उपस्थितिकाल में भी उक्त प्रतिबन्धक जब वर्तमान है, तब वह प्रतिबन्ध अवश्य को द्वितीयशक्ति से भी अप्राकरणिक अर्थ की उपस्थिति नहीं होने देगा। यह बात निम्न है कि—एक बार प्रतिबन्ध कर लेने पर प्रतिबन्धक कृतार्थ हो जाता है अथवा उस सामर्थ्य नष्ट हो जाता है, वस्तुतः प्रतिबन्धक जब तक रहता है, तब तक बार-बार प्रबन्ध करता ही रहता है। अन्यथा उक्त द्वितीय शक्ति की कल्पना की आवश्यकता क्या थी? प्रथम शक्ति से ही जो प्रथम प्राकरणिक अर्थ की उपस्थिति होती है, उस द्वितीय बार अप्राकरणिक अर्थ भी क्यों नहीं भासित हो जायगा? प्रतिबन्धक तो के हिसाब से एक बार प्रतिबन्ध कर चुकने के कारण अपना सामर्थ्य खो चुका रहे अतः प्रतिबन्धक के रहने पर प्रतिबन्ध मानना ही पड़ेगा, जिससे द्वितीय शक्ति से इष्टसिद्धि नहीं हो सकती, फिर यह द्वितीय शक्ति की कल्पना ही अप्रामाणिक है। प्रामाणिक भी हो, तो यही कहना पड़ेगा कि वह कुछ विशेष स्थलों पर ही मान सर्वत्र नहीं।

ननु उपस्थितिव्यप्रतिबन्धकभावाद्गीकारे वैयञ्जनिकाप्राकरणिकार्थविषयकोपस्थितेरपि कुतो न प्रतिबन्ध इत्याशङ्क्य समाधत्ते—

न च प्रकरणादिज्ञानस्य तादृशपदजन्यार्थोपस्थितिसामान्य एव प्रतिबन्धकत्वाद् व्यक्त्याऽपि कथमर्थान्तरोपस्थितिरिति वाच्यम्, धर्मिग्राहकमानेनाप्राकरणिकोपस्थापकतयैव तादृशव्यक्तेरुल्लासान्तदजन्योपस्थितिं प्रत्येव प्रकरणादिज्ञानस्य प्रतिबन्धकत्वकल्पनात्। व्यक्तिज्ञानस्योत्तेजकत्वकल्पनाद्वा।

तादृशेति प्राकरणादिभिन्नेत्यर्थः। अर्थपदार्थान्वय्यर्थकं पदमेतत्। व्यक्तयेति व्यञ्जनयेत्यर्थः। अर्थान्तरेति अभिधावृत्त्यनुपस्थाप्यार्थेत्यर्थः। धर्मिग्राहकमानेनेति। धर्मी व्यञ्जना तद्ग्राहकं मानम् अनुभवसिद्धानानार्थस्थलीयाप्राकरणिकार्थविषयकोपस्थितिः, तद्रूपेण प्रमाणेनेत्यर्थः। तादृशेति अर्थान्तरोपस्थापकेत्यर्थः। तदजन्येति व्यञ्जनावृत्त्यजन्येत्यर्थः। विनिगमकाभावाद्वा—व्यक्तिज्ञानस्येत्यादि।

सामान्यतो नानार्थकपदजन्यप्राकरणिकार्थविषयकोपस्थितिं प्रति प्रकरणादिज्ञानस्य तन्न्यतात्पर्यनिर्णयस्य वा प्रतिबन्धकत्वे व्यञ्जनयापि अप्राकरणाकार्यविषयकोपस्थितिर्न स्यादिति शङ्कायाः, धर्मिग्राहकमानेनोक्तप्रतिबन्धप्रतिबन्धकभाववदकप्रतिबन्धदले व्यञ्जनावृत्त्यजन्येति निवेशेन न वैयञ्जनिकोपस्थितिप्रतिबन्ध इति समाधान बोध्यम्।

अथवा अस्तु सामान्य एव प्रतिबन्धप्रतिबन्धकभावः, मास्तु च व्यञ्जनावृत्त्यजन्यत्वनिवेशः, तथापीष्टसिद्धिः सम्भवतीत्याह—व्यक्तिज्ञानस्येत्यादि। अयभावः—नानार्थकपदजन्यप्राकरणाकार्योपस्थितिं प्रति तदर्थनिरूपितनानार्थकपदनिष्ठव्यञ्जनाज्ञानस्योत्तेजकत्वमङ्गीकृततादृशोत्तेजकाभावविशिष्टोक्तप्रकरणादिज्ञानस्योकोपस्थितिं प्रति प्रतिबन्धकत्वं कल्पनीयम् इति

अब उक्त प्रतिबन्धक, व्यञ्जनावृत्ति से होनेवाले अप्राकरणिक अर्थ की उपस्थिति का प्रतिबन्ध क्यों नहीं करता इस शंका का समाधान करते हैं—न च इत्यादि से। या आप कहें कि प्रकरण आदि का ज्ञान अथवा तज्जन्य तात्पर्यनिर्णय, नानार्थक पद प्राकरणिक से भिन्न सभी प्रकार के अर्थों की (अभिधाजन्य अथवा व्यञ्जनाजन्य उपस्थितियों का प्रतिबन्धक है, फिर व्यञ्जना से भी उक्त अप्राकरणिक गोमोस आ अर्थों की उपस्थिति कैसे होगी? तो, इसका उत्तर यह है कि जब वैसे स्थलों पर अप्राकरणिक अर्थ की उपस्थिति कराने के लिये ही व्यञ्जनावृत्ति का उत्थान माना गया है, तब भी यदि व्यञ्जना से होनेवाली उपस्थिति को उक्त प्रतिबन्धक रोक ही दे, तो व्यञ्जना का उत्थान ही व्यर्थ हो जाय, अतः व्यञ्जनावृत्ति से भिन्न वृत्ति (अभि



‘हरि’रित्यादौ विष्णुविषयकबोधेच्छयोच्चरितत्वाभावज्ञाने अन्य ( सिंहादि ) बोधे रितत्वज्ञाने वा विष्णुविषयकबोधापत्ति । न चेष्टोऽसौ बोध इति वाच्यम्, अनुभवं न च तत्र तादृशबोधवारणायोक्तज्ञानयो प्रतिबन्धकत्वं कल्प्यमिति वाच्यम्, हरिपदजन्यविष्णुविषयकबोध प्रति—‘इदं हरिपदं विष्णुबोधेच्छयोच्चरितम्’ इत्याकार प्रहस्य हेतुत्वकल्पने एव लाघवात् । एव सिद्धे तात्पर्यनिर्णयस्य शाब्दबोधहेतुत्वे शब्दश्रवणानन्तरं सकेतज्ञस्य पुरुषस्य प्रथम सर्वेऽर्था उपतिष्ठन्ते, ततस्तात्पर्यसदे ततश्च प्रकरणादिभिस्तात्पर्यनिर्णयकारणैस्तात्पर्यनिर्णय समुत्पाद्यते, तदनन्तरं तात्पर्यनिर्णयस्यान्वयबोधो भवति नान्यस्य, इत्थञ्च तात्पर्यविषयीभूतस्यैवार्थस्यान्वयबोधो पूर्वकल्पे समाश्रिताया एकमात्रविषयस्मृतेर्नापेक्षा, नापि द्वितीयोपस्थितौ तात्पर्यनिर्णयानवारणाय तात्पर्यनिर्णयस्य प्रतिबन्धकत्वकल्पनापेक्षा इति ।

अब नानार्थक शब्दों से होनेवाले शाब्दबोध की रीति के सम्बन्ध में द्वितीय मत को उपस्थित करते हैं—अपरे तु इत्यादि से । अभिप्राय यह है कि कम से कम नानार्थक शब्द से होनेवाले शाब्दबोध के प्रति स्वतन्त्ररूप से तात्पर्य निश्चय को कारण मानना आवश्यक है, अन्यथा जब श्रोता जानता रहता है कि वक्ता ने विष्णु का बोध कराने के लिए हरिपद का प्रयोग नहीं किया है, अथवा यही जानता रहता है कि वक्ता सिंह आदि ( विष्णु से भिन्न ) का बोध कराने की इच्छा से हरिपद बोला है, तब भी हरिपद श्रवण के बाद उस श्रोता को विष्णु का बोध हो जाना चाहिये, क्योंकि शक्तिज्ञान आदि सभी ( शाब्दबोध के ) कारण छुटे ही हुए हैं । यदि आप कहें कि कौन कहता है कि उस स्थिति में विष्णु का बोध नहीं होता ?—होता ही है, तो यह तर्क मान्य होने योग्य नहीं है, क्योंकि उस स्थिति में विष्णु का बोध नहीं होता ऐसा ही लोगों का अनुभव है । विष्णुविषयक बोध के प्रति ‘यह हरिपद विष्णु का बोध कराने के लिए वक्ता से बोला गया है’ इत्याकारक तात्पर्यनिश्चय को कारण मानने पर तो उक्त स्थिति में विष्णुविषयक बोध का न होना ठीक बनता है, क्योंकि अन्य कारणों के रहने पर भी उक्त तात्पर्यनिर्णयरूप कारण का उपस्थिति में अभाव है । इस तरह तात्पर्यनिश्चय की शाब्दबोध हेतुता सिद्ध हो जाने पर पूर्व मत में जो प्राकरणीक अर्थमात्र की द्वितीय बार स्मृति माना गई है, उसकी अपेक्षा नहीं रह जाती और न रहती है आवश्यकता, अप्राकरणीक अर्थों के उपस्थिति में प्रकरणादिज्ञान के प्रतिबन्धकत्व कल्पना की, क्योंकि नानार्थक शब्द श्रवण के बाद उन सभी प्राकरणीक तथा अप्राकरणीक, अर्थों—जिनकी शक्ति नानार्थक शब्द में गृहीत है—की उपस्थिति ( स्मृति ) होगी, ( यहाँ तक पूर्वमत में भी मान्य है ) पर अन्वयबोध होगा उन उपस्थित अर्थों में केवल प्राकरणीक का ही, क्योंकि शाब्दबोध के कारणों में अन्यतम तात्पर्यनिर्णय उसीके अनुकूल है और यह अनुकूलता इसलिए है कि प्रकरणज्ञान ही तात्पर्य का निर्णायक होता है और प्रकरणज्ञान ‘सुरभिर्मांसा इत्यादि स्थान पर सुगन्धित मांस के समान किसी एक ही अर्थ के विषय में रहता है । यह तो स्पष्ट ही है । इस मत में पूर्वमत की अपेक्षा लाघव है क्योंकि अभिधान अत्र अप्राकरणीकार्थविषयक बोध-वारण के लिए पूर्वमत में प्रकरणज्ञान में अप्राकरणीकार्थ उपस्थिति की प्रतिबन्धकता माननी पड़ती थी और प्राकरणीकार्थमात्रविषयक द्वितीय स्मृति स्वीकृत करनी पड़ती थी, इस मत में शाब्दबोध के प्रति तात्पर्यनिश्चय को कारण मान लेने से उक्त बोध-वारण अन्यथा ही सिद्ध है, अतः उन दोनों में एक भी न माननी पड़ती ।

एतद्वीत्या शाब्दबोधोपपादनेऽपि व्यञ्जनावृत्तेरावश्यकत्वं दर्शयति—

एव च प्रागुपदिशितनानार्थस्थले प्रकरणादिज्ञानाधीनात्तात्पर्यनिर्णयात्प्राक



उत्तर यह है कि हाँ, व्यञ्जना से उसका बोध सिद्ध किया जा सकता है, क्योंकि वैयञ्जि बोध के प्रति नियमता तात्पर्यनिर्णय कारण नहीं है। नियमत' से मेरा मतलब यह कि जहाँ अनेक व्यञ्जनों की सम्भावना हो, उनके बोध में भी तात्पर्य निर्णय को कामाना जा सकता है। आप यहाँ यह भी पूछ सकते हैं कि सभी वैयञ्जनिक बोधों के तात्पर्यनिर्णय को कारण क्यों नहीं माना जा सकता? इसके उत्तर में मैं कहूँगा जब उक्त स्थल में अतात्पर्यविषयीभूत अप्राकरणिक अर्थ के बोध कराने के लिये व्यञ्जना की कल्पना की गई है, तब उस तरह के बोध में तात्पर्यनिर्णय को कारण माना जा सकता है?

अनुपदोक्तव्याख्याने 'संयोगो विप्रयोगश्चेति हरिकारिकायाः, अनेकार्थस्येति मम्मट रिकायाश्वासगतिमापाद्य निराकरोति—

नन्वेकमात्रगोचरस्मृतेस्तच्छाब्दबुद्धावनपेक्षितत्वे 'विशेषस्मृतिहेतवः, प्राचां ग्रन्थः कथं संगच्छते? कथं वा प्रकरणादिज्ञानस्यापरार्थोपस्थानप्रतिबन्धकत्वविरहे संयोगाद्यैरनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकताया नियन्त्रणोक्तिश्चेत्? इत्थम्—स्मृतिशब्दस्य निश्चयपरतया विशेषस्मृतिशब्देन विशेषविषयतात्पर्यनिर्णयो गृह्यते। संयोगाद्यैर्वाचकताया नियन्त्रणचैकार्थमात्रविषयकतात्पर्यनिर्णयजननद्वारा शाब्दबुद्धानुकूलत्वम्। अवाच्यार्थोऽतात्पर्यार्थः। एव च ग्रन्थासंगतिरित्यपि वदन्ति।

उक्तिश्चेत्यस्य 'कथं संगच्छते' इत्यत्रानुषङ्गः। वदन्तीति। अन्ये इति भू पूर्वस्मिन् कल्पे प्राकरणिकार्थमात्रविषयिणी द्वितीया स्मृति स्वीकृतेति तत्र 'विशेषस्मृतिहेतवे इति हरिकारिकाग्रन्थ स्वरसतोऽनुकूल। एवं तत्र कल्पे प्रकरणादिज्ञानस्यान्यार्थोपस्थितिप्रतिबन्धकत्वमास्थीयते इति तत्कल्पव्याख्यावसरे प्रदर्शितया रीत्या संयोगादिकर्तृकानेकात्म्यशब्दनिष्ठवाचकतानियन्त्रणपरको मम्मटग्रन्थोऽपि सगतो भवति, परमस्मिन् द्वितीयकल्पे एकार्थमात्रविषयकस्मृतेरावश्यकता निरस्ता प्रतिबन्धप्रतिबन्धकभावोऽपि प्रत्याख्यात इति तयोर्ग्रन्थयोरेतद्रीत्या योजनं सम्भवतीति शङ्काशयः। अस्मिन् कल्पे हरिकारिकास्थस्मृतिशब्दस्य निश्चयपरत्व व्याख्याय 'तात्पर्यसन्देहे संयोगादयः विशेषविषयकतात्पर्यनिर्णयहेतवो भवन्ति' इति। एवं 'संयोगाद्यैर्वाचकताया नियन्त्रण'मित्यस्य एकार्थमात्रविषयकतात्पर्यनिर्णयकरणेन शाब्दबोधानुकूलत्वमित्यर्थं विधाय तयोर्ग्रन्थयोर्योजनं सुखेन संभवतीति च समाधानाशयो बोध्यः।

अब उक्त द्वितीय मत में 'संयोगो विप्रयोगश्च' इत्यादि हरिकारिका तथा 'अनेकार्थस्य इत्यादि मम्मटकारिका असंगत हो जायगी, इस पूर्वपक्ष का खण्डन करते हैं—नः इत्यादि से। अभिप्राय यह है कि 'संयोगो विप्रयोगश्च' इत्यादि हरिकारिका का वह अश-जिसमें कहा गया है कि ये सब (संयोग आदि) स्मृति विशेष के कारण होते हैं—प्रथम मत में सगत होता है, क्योंकि उस मत में प्राकरणिकार्थमात्रविषयक द्वितीय स्मृति मानी गई है। इसी तरह 'अनेकार्थस्य शब्दस्य' इत्यादि मम्मटोक्त कारिका में वर्णित वाचकता नियन्त्रणवाली बात भी उस मत में ठीक जेंचनी है, क्योंकि उस मत में प्रकरणादि ज्ञान को प्रतिबन्धक मानकर अप्राकरणिक अर्थ स्मरण के रूकने की पद्धति अपना गई है। पर इस द्वितीय मत में तो उन दोनों कारिकाओं के वे अश असंगत ही। जायगें, क्योंकि इस मत में न एकार्थमात्रविषयक द्वितीय स्मरण माना गया है और प्रतिबन्ध प्रतिबन्धकभाव की ही आवश्यकता समझी गई है। इस पूर्व पक्ष के खण्ड

में यह बात कही गई है कि उन हरिश्चरिका में पठित 'स्मृति' शब्द का अर्थ है 'निश्चय', जिसमें 'विशेषस्मृतिरेव' का अर्थ होता है—विशेषविषयक-तार्पर्यनिर्णय के कारण। इस द्वितीयमत में भी इस बात की अमंगति नहीं होती, क्योंकि मयोग आदि के द्वारा तार्पर्यनिर्णय की बात इस मत में भी मानी ही गई है। इसी तरह मन्मत की उक्त शक्तिका में आई हुई वाचकता नियन्त्रणवाली बात का अभिप्राय है कि मयोगविज्ञान से प्रेरण एक अर्थविपरक तार्पर्यनिर्णय द्वारा अनेकार्थक दृष्टनिष्ठ वाचकताशक्ति का एकधर्मप्रविपरक शब्दबोध के अनुकूल हो जाना। अत्र इस अर्थ की भी अमंगति द्वितीय मत में नहीं होती, क्योंकि अभिधाजन्य शब्दबोध को एकार्थमात्रविपरक मान लेने से इस मत में भी उक्त अनुकूलता की रक्षा हो जाती है। द्वितीयमत के अनुसार मन्मतके शक्तिप्रकृत 'अत्रान्यार्थ' में अत्रान्यार्थ का अभिप्राय अतः पर्याय है, जो सर्वथा उपयुक्त है। क्योंकि, नानार्थम्यत् में व्यङ्ग्य होनेवाला अप्राकरजिक अर्थ तार्पर्यविपरक रहता ही नहीं है।

ननु संज्ञानेऽपि पदज्ञानस्य कारणत्वेन शक्तिनाशप्रकारणिकार्थबोधानन्तर ताव-  
दज्ञानान्तरात्तन्म्य नष्टत्वात् कथं व्यञ्जनयापि अप्राकरजिकार्थबोध इत्यागमत्र मनाधाने—

अथ प्राकरणिकार्थबोधानन्तर तादृशपदज्ञानस्योपरमात् कथं व्यक्त्वादि-  
नार्थान्तरधी सूत्रपादेति चेत्? मैत्रम्, प्रथमार्थप्रतीतेर्व्यापारस्य सत्त्वाद्-  
बोध इत्येके। अर्थप्रतीतिं शक्यतावच्छेदकस्यैव पदस्यापि विशेषणतया भाना-  
त्प्राथमिकशक्त्यर्थबोधस्यैव पदज्ञानत्वादित्यपरे। आदृत्त्या पदज्ञानं सुलभ-  
मित्यपि कश्चिन्।

तादृगेति। तान्यर्थज्ञानान्तरकस्यार्थ। तस्यैव सन्निहितत्वादिति भावः। गकारदलत्या-  
गयोऽवन्म एव स्फुटं हत। उन्तरदलागयल्लदेवमवगन्तव्य—तान्यर्थज्ञानोन्तरं प्रथम  
प्राकरणिकार्थस्य शक्त्या बोधस्ततो व्यञ्जनयाऽप्राकरणिकार्थस्येति इमे यद्यपि तृतीयः—भा-  
निर्णयप्रक्रियेणोपमने क्षणिक तान्यर्थज्ञानान्तर पदज्ञान विन्ध्यमिति मत्स्यम्, तथापि द्वितीय-  
पदज्ञाने गकारार्थबोधरूपस्तदीयो व्यापारस्तुर्तावच्छेदे तिष्ठतीति तद्व्यापारान्तरकमन्वयेन तस्य  
सुलभं बोधवत्त्वम्। इति एके प्रथाना इत्यर्थः। प्रथवा 'न नोऽस्ति प्रत्ययो लोके य-  
गच्छानुगमते। अन्विष्टमिव इत सर्वं शब्देन भामते ॥' इति तद्व्यञ्जिता पदज्ञानार्थबोधे  
गकारान्तरकस्यैव पदमपि विशेषणतया भामते। तथा च व्यञ्जनार्थबोधान् पूर्वच्छेदे य-  
गकारार्थबोधो भवेत्, तस्मिन् पदमपि भामते इति अयन्निष्ठ पदज्ञानमिति भावः।  
इति प्रथमे मतान्तरत्वादिन इत्यर्थः। कश्चिन् नानार्थक पदमन्वयं पदज्ञानानुपादयति।  
तस्मिन् 'अन्विष्टमिवेति' इति सूचितं। तदर्थं तु व्यञ्जनान्तरकस्यैव व्यञ्जनार्थ-  
ज्ञानोन्तरमिति बोधम्।

पदज्ञान की जिस तरह अभिधाजन्य बोध के प्रति कारण माना जाता है, उसी तरह  
पदज्ञानान्तरक बोध के प्रति भी, फिर इस द्वितीय मत में व्यञ्जना से अप्राकरजिक  
अर्थ का बोध कैसे होगा, क्योंकि पदज्ञानरूप कारण नहीं है? इसका समाधान  
इस प्रकार है— इत्यादि से। इस द्वितीय मत में, मरमयम पद का अर्थान्तरकज्ञान,  
पदज्ञानान्तरकपरिधिनि, तदुन्तर तार्पर्यनिर्णय, तदुन्तर अभिधाजन्य प्राकरजिक अर्थ का  
पदज्ञान, तदुन्तर व्यञ्जनावृत्तिजन्य अप्राकरजिक अर्थ का बोध होता है यही तो प्रथम है।  
इस क्रम में कहा जाता है कि प्रथम पदज्ञान दो पद एक रह कर तृतीय तार्पर्यनिर्णय  
में विन्ध्य हो जायगा, पूरा पदज्ञानरूप मान लिया गया तार्पर्यनिर्णय भी अभिधा-  
जन्यप्राकरजिकार्थबोधोत्तर पद में विरत हो जायगा, फिर व्यञ्जिक बोधण में

पदज्ञान नहीं रह सकता, अतः व्यञ्जना से भी अप्राकरणिक अर्थ का बोध कैसे होगा ? इसका प्रधानाचार्यों के मत से समाधान यह है कि तात्पर्यनिर्णय के बिना तृतीयचरण में वैयञ्जनिक बोध होता है, उस चरण में यद्यपि सीधे तरीके से तात्पर्य निर्णय नहीं हो पाता, यह बात ठीक है, तथापि द्वितीय चरण में जो अभिधा जन्यबोध होता है, वह अन्त में तात्पर्यनिर्णय का व्यापार होता है और वह व्यापार तृतीय वैयञ्जनिक बोधचरण में भी रहता है, जिस (सबन्ध) के द्वारा उक्त तात्पर्यनिर्णय भी तृतीयचरण में रहेगा, अतः उक्त आपत्ति नहीं दी जासकती है। अन्य विद्वानों का मत है कि शाब्दबोध में जिस तरह शक्यतावच्छेदक (अर्थगतधर्म) भासित होता है, उसी तरह शक्यांशके विशेषणरूप से पद भी भासित होते हैं, अतएव भर्तृहरि ने कहा है—'न सोऽस्ति ...' इत्यादि। (पूरी कारिका सस्कृत टीका में देखिये) अर्थात्—'ऐसा कोई अर्थबोध जगत में नहीं है, जिसके पीछे शब्द नहीं हो। प्रायः सभी अर्थबोध शब्दों से मिश्रित ही होते हैं।' अतः वैयञ्जनिक बोध से पूर्वचरण में होनेवाला अभिधाजन्य बोध ही पदज्ञानरूप होता है। कुछ लोगों का यह भी कथन है कि नानार्थक पद की आवृत्ति द्वारा पदज्ञान को सुकर बना लिया जायगा।

प्राचीनमतमुपसहरति—

तदित्थं नानार्थस्थलेऽनुरणनीयं व्यञ्जनं शब्दशक्तिमूलम्, शब्दस्य परिवृत्त्यसहत्वादिति ध्वनिकारानुयायिनो वर्णयन्ति ।

तदिति। तत् तस्मात् पूर्वोक्तव्याख्यानादित्यर्थः । इत्थम् पूर्वोक्तप्रकारेण । अनुरणनीयम् सलक्ष्यक्रमम् । व्यञ्जनम् ध्वनिम् । शब्दस्य परित्व्यसहत्वादिति शब्दशक्तिमूलत्वे हेतु । पर्यायान्तरेणऽबोधनादिति तदर्थः । ध्वनिकार आनन्दवर्धनो ध्वन्यालोकप्रणोता, तदनुयायिनो मम्मटभट्टादयः । शब्दशक्तिमूलस्य सलक्ष्यक्रमभेदस्य ध्वनेर्लक्ष्य नानार्थस्थलीयाप्राकरणिकार्थ इति साराशः ।

अब प्राचीन मत का उपसहार करते हैं—तदित्थम् इत्यादि से। इस तरह नानार्थक शब्द स्थल में जो अप्राकरणिक अर्थ व्यङ्ग्य होता है, वह अनुरणनीय और शब्दशक्ति मूलक कहा जाता है। अनुरणनीय उसे इसलिये कहा जाता है कि जिस तरह मन्दिर आदि में एक बार किसी वाद्य के शब्द होने पर बाद में भी उस शब्द की प्रतिध्वनि होती रहती है और उस ध्वनि तथा प्रतिध्वनि के मध्य में रहनेवाला अन्तराल स्पष्ट लक्षित होता है, उसी तरह कारणरूप वाच्यार्थज्ञान के बाद जिस वस्तु एवम् अलकाररूप व्यङ्ग्य का ज्ञान होता है, उन दोनों के बीच का व्यवधान स्पष्ट प्रतीत होता है। इस प्रकार के व्यङ्ग्य को सलक्ष्यक्रम भी कहा जाता है। शब्दशक्तिमूलक उसे इसलिये कहते हैं कि उसके मूल में काम करने वाली व्यञ्जना शब्दनिष्ठ है। यहाँ शब्दशक्ति से अभिधा का ग्रहण उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि यदि यहाँ शक्ति का अर्थ अभिधा किया जाय तो 'अर्थशक्तिमूल' जहाँ कहा जाता है, वहाँ शक्ति का अर्थ क्या करेंगे? अतः मेरे विचार से इन दोनों जगहों पर शक्ति का अर्थ व्यञ्जना ही करना चाहिये। यदि आप कहें कि जहाँ शाब्दी व्यञ्जना मानी जाती है, वहाँ अर्थ भी तो रहता ही है, फिर उस व्यञ्जना को अर्थनिष्ठ ही क्यों नहीं माना जाय? इसका उत्तर यह है कि ऐसे स्थलों पर शब्द ऐसे रहते हैं, जिन्हें बदला नहीं जा सकता अर्थात् 'सुरभिमांस' इत्यादि स्थल में सुरभि आदि शब्दों के स्थान में तत्पर्याय सुगन्धि अथवा 'गो' पद नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वे दोनों पद नानार्थक नहीं हैं, अतः मानना पड़ेगा कि शब्द की महिमा से ही वहाँ व्यङ्ग्य हुआ है। जहाँ ऐसे व्यङ्ग्य रहते हैं, जो व्यञ्जक पद के स्थान में पर्यायान्तर के प्रयोग करने पर भी हो सकें, वहाँ मानना पड़ता है कि अर्थ की महिमा व्यङ्ग्य करने में सहायक है, अतः वैसे स्थलों में व्यञ्जना को अर्थनिष्ठ मानकर अर्थशक्ति-

मूल का व्यवहार होता है। इस प्रकार में उपर दिखाने गये विचार धनिकार आनन्द-  
ार्थन के अनुयायी सम्मत आदि के हैं।

अभिहित प्रथमे प्रत्यक्ष स्वमतसुखान्तादि सुखोक्त मतद्वयमात्रेण—

अन्ते तत्र प्रत्यवतिष्ठन्ते । यत्तावदुक्तमेकार्यमात्रमपि पदार्थोपस्थिति-  
नन्दन्यत्रोद्येऽपेक्ष्यत इति तदन्तरम् । नानार्थोदर्थद्वयोपस्थिताद्यपि प्रकरणादि-  
ज्ञाना गिनतापर्यमस्मिन्नैव विवक्षितार्थशाब्दबोधोपपत्तेः । एकार्यमात्रोपस्थित्य-  
पेक्षया नानाभावात् । अपरार्थोपस्थ्यापकमानन्तरा पदज्ञानस्य मत्त्वेन तदुप-  
स्थितेरेषोपस्थित्याद्यः ।

अत्रेति । तदुक्तोक्तमन्ते इत्यर्थः । प्रत्यवतिष्ठन्ते इति । विद्वद् प्रतिपाद्यन्तान्ति  
प्रथमे । तत्रान्ते प्रा—यत्तावदिति । यत्र मन्त—नानार्थोपस्थित्या प्राकरणा-  
दित्येवमन्तयोरी भवति नान्यत्वेनदुस्वस्मिन् वस्तु । तत्रान्यत्वात्प्रबोधे एतौ न  
स्वतन्त्रे जिनाना (तत्र के विनाह) ज्ञानागिनोऽपि प्रथममते तात्पर्यनिर्णयोरन्तरमर्थन प्रवि-  
ष्टौ । जिनानोपस्थितिर्नानात्वेन । तत्र नान्यत्वापेक्ष्यादुपस्थित्यात् तदन्तरबोध इति  
तदभिप्रायः । परमेवम दुक्तम्, "नेरयोपस्थितावपि नावदबोधोपकारणभूतेन प्रकरणाद्विज्ञान-  
जननात्पर्यमैवैवानीदृशप्रथमप्रविष्टमन्तयोरीपपत्तेः । एकार्यमात्रविपरकतित्योपस्थिते-  
रन्तरमन्तव्यत इति । ननु द्वितीयोपस्थित्येव तात्पर्यमन्तोपयोग इति द्वितीयोपस्थिति  
तात्पर्यमन्तविपरकमन्तव्यत प्रा—अपरेति । तदुक्तमित्येवमिति । परमयोपस्थिते-  
पत्त्यर्थः । द्वितीयोपस्थितित्वात्तदुक्तमन्तपेक्ष्यापेक्ष्यतादि तद्वेदितनानापर्यमन्तव्येव स्थात्,  
नेपर्यमन्तविपरकमन्तव्योपस्थित्यन्तमन्तव्यत परमन्तव्य विद्वानन्तव्येति भावः ।

अथ अन्त्यकार प्रकृतप्रमत्त में अपना मत बनवाने के लिये पहले पूर्वोक्त दोनों मतों  
का खण्डन करते हैं—अन्ते इत्यादि से। प्रथम मत में कहा गया है कि नानार्थस्यट में  
प्राकरणािक अर्थ के बोध के सिद्ध करने के लिये तदर्थमात्र की उपस्थिति अपेक्षित है,  
अतः प्रथम बार मन्त अर्थों की उपस्थिति होने पर भी द्वितीय बार पृथक् प्राकरणािक  
अर्थमात्र की उपस्थिति माननी चाहिए। परन्तु यह कथन उचित नहीं है क्योंकि  
जिन उद्देश—प्राकरणािक अर्थमात्र का अन्वय बोध है। अप्राकरणािक अर्थ का नहीं—ही  
सिद्धि के लिये आवश्यक वह प्रमाण है, उसकी पूर्ति नानार्थोपस्थित्यात्तदन्तरबोध के  
प्रति प्रकरणादि ज्ञानार्थन तात्पर्यनिर्णय के कारण मान लेने से ही जाती है अर्थात्  
प्रकरणादि के ज्ञान से होने वाला तात्पर्यनिर्णय प्राकरणािक अर्थबोध से ही उत्पन्न  
होगा अतः प्राकरणािक अर्थबोध को नहीं फिर इसके लिये एक अर्थमात्रविपरक द्वितीय  
उपस्थिति ही अपेक्षा करने में कोई प्रमाण नहीं रह जाता। दूसरी बात यह है कि यदि  
आपके मन्तव्य के लिये द्वितीय उपस्थिति माननी जाय, तब भा वह द्वितीय उपस्थिति  
एक अर्थ विपरक ही होगी मन्तव्य अर्थ विपरक नहीं, किन्तु यह अन्तर्भव है, क्योंकि मन्तव्य  
अर्थ ही उपस्थिति करानेवाली पदज्ञान आदि सामग्री वर्तमान है। ऐसी स्थिति में द्वितीय  
उपस्थिति का ही हूत पर लेने पर भी अप्राकरणािक अर्थ का अन्वयबोध तभी रहेगा,  
अतः तात्पर्यनिर्णय को नानार्थन पदज्ञानपदबोध के प्रति बाध माना जायगा। फिर  
ले द्वितीय उपस्थितिकारी मान भिन्न ही सिद्ध होती है।

अन्तर्भव इत्यन्तमन्तव्यत—

न न प्रकरणाद्विज्ञान तदधीनतापर्यमान वा परार्थोपस्थाने प्रतिबन्धक-  
मिति मन्तव्य वस्तुम् । मन्तव्यतदुद्बोधद्वये मन्तव्ये मन्तव्ये प्रतिबन्धक-  
त्वात्तदुद्बोधत्वात् ।



पदज्ञानात्मकसामग्र्या सत्त्वेन द्वितीयोपस्थितिरपि नानार्थविषयिकैव स्यादिति यदुक्तम्, तन्न, सामग्रीघटकप्रतिबन्धकाभावरूपसामान्यकारणविरहात्, किमत्र प्रतिबन्धकमिति चेत् । प्रकरणादिज्ञानम्, तदधीनतात्पर्यज्ञानं वा वस्तुतस्तात्पर्यज्ञानमेवेति शकायां समाधानमाह- संस्कारेति । अनुभवजन्य संस्कारस्तदुद्बोधकश्चेत्येतद्द्वये विद्यमाने स्मृतिर्भवत्येव, ताह शस्थितौ तत्प्रतिबन्ध सकलतन्त्रविरुद्धः । एवञ्च प्रकृते प्राकरणिकार्थस्येवाप्राकरणिकार्थस्यापि संकेतग्रहसमयेऽनुभवो जात एव, तज्जन्य संस्कारश्च समान एव प्राकरणिकाप्राकरणिकयोरर्थयोः सुरक्षितः श्रोतुरात्मनि सम्प्रति पदज्ञानमुद्बोधकमपि तुल्यमेवेति प्राकरणिक प्राकरणिकयोरुपस्थितिर्दुर्वारैवेति भावः ।

यदि आप कहें कि नानार्थकस्थल में अप्राकरणिक अर्थ के अन्वयबोधन होने ; तात्पर्यनिर्णय का नानार्थकशब्दजन्य शब्दबोध के प्रति कारण होना हेतु नहीं किन्तु एकार्थमात्रविषयक द्वितीय पदार्थस्मरण ही है, अर्थात् द्वितीय पदार्थस्मरण प्राकरणिकार्थमात्र विषयक ही होता है, अतएव अनुपस्थित अप्राकरणिक अर्थ ; अन्वयबोध नहीं होता, और द्वितीय पदार्थस्मरण में पदज्ञान आदि सामग्री के रहने भी अप्राकरणिक अर्थों का विषय नहीं होने का रहस्य यह है कि प्रकरण आदि का ज्ञान अथवा तदधीन तात्पर्यनिर्णय, अप्राकरणिक अर्थविषयकस्मरण में प्रतिबन्धक है । किन्तु, यह कथन भी संगत नहीं, क्योंकि अनुभवजन्य संस्कार और उस संस्कार के उद्बोधक सामग्री के रहने पर भी स्मरण रुक गया हो, ऐसी बात कहीं देखी नहीं गई । अर्थात् जब शक्तिज्ञान के अवसर पर प्राकरणिक अप्राकरणिक सभी अर्थों का अनुभव हो चुका है, तज्जन्यसंस्कार आत्मा में सुरक्षित है, तब पदज्ञानरूप उद्बोधक के जुटने पर उन सभी अर्थों का स्मरण नहीं हो, किन्तु एक ही अर्थ का स्मरण हो यह कैसे संभव है? कहने का सारांश यह है कि अपेक्षित कारण के समवधान में स्मरण नहीं रुकता है, उक्त प्रतिबन्धक की बात आमक है ।

अन्यत्रादृष्टस्यापि स्मृतिप्रतिबन्धस्यात्रैवाङ्गीकारे का बाधेत्याक्षिप्य निरस्यति—

अत्रैव स्मृतावयं प्रतिबन्ध-प्रतिबन्धकभावः कल्प्यते, न स्मृत्यन्तरे इत्यप्य हृदयङ्गमम्, तादृशकल्पनाया निष्फलत्वात्, अनुभवविरुद्धत्वाच्च ।

अथभाव — सफला चेन्नवीनापि कल्पना संभवति, परमिय स्मृत्यन्तरे अदृष्टा केव नानार्थकस्मृतौ क्रियमाणा नूतना प्रतिबन्धप्रतिबन्धकभावकल्पना तु निष्फलेति न संभवत्ये सा । कुत अस्या कल्पनाया निष्फलत्वमिति चेत् ? तत्कल्पनाद्वारा साधनीयस्य प्राकरणि कार्यमात्रविषयकबोधस्य तां विनापि शाब्दबोधतात्पर्यनिर्णययोनियतेन कार्यकारणभावेन सिद्धत्वादिति बोध्यम् । उपायस्योपायान्तरादूषकत्वात् सा कल्पनापि नानुचितेत्यत आह— अनुभवेति । इय कल्पना अनुभवविरुद्धापीति भावः ।

यदि आप कहें कि अन्यत्र स्मरण का प्रतिबन्ध नहीं देखा गया है, तो भले ही देखा गया हो, हम नानार्थक शब्दस्थलीय स्मरण के विषय में ही उक्त प्रतिबन्धक कल्पना करते हैं ? परन्तु यह भी मन में प्रतीत होने योग्य बात नहीं है, क्योंकि ऐसी कल्पना करने में कोई खास फल नहीं है, अर्थात् इस कल्पना के द्वारा अ नानार्थक पद से प्राकरणिक अर्थमात्र का बोध हो, यही तो सिद्ध करना चाहते हैं, कि वह नानार्थक पदजन्य शाब्दबोध के प्रति तात्पर्यनिर्णय का कारण अवश्य मान पड़ेगा, अन्यथा निर्वाह है ही नहीं यह कह कर पहले उसके विना भी सिद्ध किया जा चुका है । दूसरा कारण यह है कि स्मृति-प्रतिबन्धवाली बात अनुभव से भी विरुद्ध है ।

अनुभवविगेः दर्शयति—

तथा हि नानार्थशक्तिविषयवृद्धमस्कारशालिना प्रकरणज्ञानप्रतामपि पयो-  
मणीयमित्यादेर्वाक्यात्प्रथममर्थद्वयोपस्थितिरनुभवमिदम् । अन एव पयोरम-  
णीयमित्यादिवाक्यमकस्मादाकणितवद्भिः प्ररुग्णाणाभिज्ञैः प्रकरणज्ञा पांसुर-  
गादा वक्तुस्तात्पर्यं बोध्यन्ते, नूनमस्य दुग्धे तात्पर्यं शब्दस्य, न तु जल इति ।  
अत्र च प्रकरणादिज्ञान नानार्थशब्दाज्जायमानामप्राकरणिकायोपस्थितिं प्रति  
वदनीयात्तत्त्वयमेने तदानीमनुपस्थितजला, प्रकरणज्ञा जलतात्पर्यं निषेधेयुरित्य-  
द्वयमन एवाप्रमप्राकरणिकार्योपस्थापनप्रतिबन्धकभावे प्रकरणादिज्ञानस्य ।

दृढमस्कार इति । मन्कारे दृढत्वपरिपक्वानुभवजन्यत्वम्, तेषामपिपक्वानुभव-  
जन्यामस्कारवतां पयोमणीयमित्यादिवाक्यान्त्यत्रिदेवार्थद्वयोपस्थितावपि न  
भन्ति । अत एवेति । नानार्थशब्दात्प्रकरणज्ञानमपि अर्थद्वयोपस्थितेरनुभवमिदम्यादेवे-  
त्यर्थः । विषये वाक्स्मृद्वर्गयति—यदि चेति । अनुपस्थितजला इति हेतुगर्भं विरोध-  
णम् । तदुपस्थितेभ्यामादिति भावः । अहद्वयंगम इति अमनोरम इत्यर्थः, प्रलुपित  
इति भावः । अदमित्त्वात्—पय आदिनानार्थके शब्दे दुग्धजलोभनार्थनिरूपित  
मार्शानां शक्तिप्रयोगे येषां ज्ञातः, तेषामान्मनि तच्छक्तिविषय मन्कारोऽपि नुष्टं नमुपपन्नः,  
अतन्ने पयोगमणीयमिति वाक्यमाकर्ण्य नूनमेव दुग्धजलान्मकमुनय वाच्यार्थं स्मरन्ति-  
दुग्धप्रकरणज्ञाने विद्यमानेऽपि । अन्यथा श्रुतीकवाच्येन दुग्धप्रकरणज्ञानशालिना केनापि-  
पिरुग्धेन दृढ, एषवाक्यं श्रुतस्तत्कालगतान् अत एवाप्रकरणज्ञानं प्रति 'पय-  
पदस्याप्र दुग्धे तात्पर्यं न तु जले' इति वक्तृतात्पर्यबोधनावसरे, जलतात्पर्यनिषेधोऽनगतो  
भवेत्, भवन्मतातुम्भारं दुग्धप्रकरणज्ञानेन जलोपस्थिते प्रतिबन्धे प्रकरणस्य निषेध-  
रान्मनि जलानुपस्थितत्वात् अप्राप्तस्य च निषेधानभवात् । नन्मते तु नर्वा नमप्यगम्,  
वक्तृतापोपस्थिते नमपितत्वात् ।

एष अनुभव विरोध का स्पष्टीकरण करते हैं—ज हत्यादि मे । जिनको नानार्थक  
स्पष्ट में विविध अर्थनिरूपित शक्तिज्ञान ही कुछ ऐसा लभूरा हुआ है कि मस्कार द  
नहीं हो सका, उनको यदि नानार्थक पद ध्रुवण के बाद सभी अर्थों का स्मरण  
नहीं होता, तो यह दूसरी बात हुई, पर जिनको नाना अर्थ (जल दूध रूप)  
निर्भरित शक्ति का ठोस ज्ञान हुआ है, पूव उन शक्ति का मस्कार भी नुष्ट है, उनके  
मानने जब कोई 'पय रमणीय है' एसा वाक्य बोलता है, तब उन्हें प्रकरणज्ञान रहने  
पर भी एक वाक्य में दूध और जल दोनों अर्थों का स्मरण होता है, पर एक अनुभव-  
मिद विषय है । अतएव अकस्मात् एष वाक्य को सुननेवाले नयागत प्रकरणज्ञ शक्तियों  
को प्रकरणज्ञ न्यायो श्रोता, वक्ता के तात्पर्य को समझाने हुए कहते हैं कि 'पय' पद का  
प्रयोग करनेवाले वक्ता का तात्पर्य दूध में है, जल में नहीं । यदि तात्पर्य के बोधनानुसार  
प्रकरणज्ञान नानार्थक शब्द में होनेवाले अप्राकरिक कार्यविषयक स्मरण को रोक दे,  
तो एष मया श्रोता को स्वयं जल का स्मरण, नहीं होगा, फिर दूसरे को समझाने  
परम यह 'जल में वक्ता का तात्पर्य नहीं है, यह निषेध भी क्यों होगा ?' अर्थात् प्राप्त  
हा निषेध नहीं हो सकता है । ऐसी निमित्त में प्रकरणादिज्ञान को अप्राकरिकार्यो-  
पस्थिति का प्रतिबन्धक मानना उचित नहीं ।

प्रकरणज्ञाने प्रकरणादिज्ञानाप्राकरणिकेऽर्थतात्पर्यविषयतया निर्णीते नदी-  
गावदोषान्तरमतात्पर्यविषयीभूतार्थदोषो जायमानो वदतुनद्वयवारमाध

इति । तत्र किमयं नानार्थस्थले सर्वत्रैव व्यञ्जनोच्चासः, आहोस्वित्कचिदेः सम्मतम् ? नाद्यः । प्राकरणिकाप्राकरणिकयोरर्थयोः शाब्दबुद्धौ सर्वत्राभ्युपगमानायां तात्पर्यज्ञानकारणतायाः कल्पनस्य नैरर्थक्यापत्तेः ।

तदर्थविषयकशाब्दबोधं प्रति तदर्थविषयकतात्पर्यनिर्णयस्य हेतुत्वेन 'सैन्धवमात्यादिनानार्थस्थले प्रकरणज्ञानेन सैन्धवपदस्य ल्वणरूपार्थे तात्पर्यनिर्णयात् तस्यैव शक्त्या शाब्दबोधो नाश्वस्य । एवञ्च यदि क्वचित् अश्वबोधोऽप्यभिप्रेतोऽनुभवति तदा तत्र स बोधोऽन्यथाऽनुपपन्न इति तदर्थव्यञ्जनाव्यापारस्वीकार इति यदुक्तं प्राक् विचार्यते—तत्र किमयमित्यादिना । अयमाव — भवदुक्तेऽस्मिन् प्रकारे द्वौ कल्पौ स नानार्थकस्थले सर्वत्र व्यञ्जनावृत्तिस्वीकार इत्येकः, क्वचिदेव, तत्स्वीकार, इति द्वि तयोर्मध्ये प्रथमो न युक्त, सर्वत्र व्यञ्जनाङ्गीकारे प्राकरणिकस्य शक्त्या, अप्राकरणिकार्थस्य व्यञ्जनया सर्वत्रैव बोधोऽङ्गीकृतः स्यात्, तथात्वे च शाब्दबोधे तात्पर्यनिर्णयकारणताकल्पन व्यर्थमेव भवेत्, तद्धि नानार्थकस्थलेऽप्राकरणिकार्थबोधवारणाय स्वी एवञ्च वैयञ्जनिकाप्राकरणिकार्थबोधस्य सार्वत्रिकत्वे तद्वैयर्थ्यं स्पष्टमेव ।

अब द्वितीय मत का खण्डन करते हैं— तदप्युच्यते इत्यादि से । द्वितीय मत में कहा गया है कि प्रकरण आदि के ज्ञान से प्राकरणिक अर्थ में वक्ता के तात्पर्य का होता है, तदनन्तर तात्पर्यनिर्णयरूप कारण की सहायता से अभिधाजन्य अन्व केवल प्राकरणिक अर्थ का होता है, उसके बाद होनेवाला अप्राकरणिक अर्थ व्यक्त होता है । उसमें प्रश्न यह होता है कि नानार्थकस्थल में अप्राकरणिक अर्थ का बोध के लिए सर्वत्र व्यञ्जना का प्रादुर्भाव मानते हैं, या कतिपय स्थानविशेष में ही ? पक्ष सगत नहीं हो सकता, क्यों कि जब व्यञ्जना से सर्वत्र नानार्थक शब्द अप्राकरणिक अर्थ का बोध आप मान ही लेते हैं, तब तात्पर्यनिर्णय को नानार्थक शब्द अभिधा द्वारा अन्वयबोध के प्रति कारण मानना व्यर्थ हो जाता है । अर्थात् पहले निर्णय को कारण मानकर अभिधा से अप्राकरणिक अर्थ के बोध को रोक देते हैं पीछे फिर सर्वत्र व्यञ्जना से उसी अप्राकरणिक अर्थ का बोध मान लेते हैं, इसमें सी बुद्धिमत्ता सिद्ध होती है ? इससे तो कहीं अच्छा है कि तात्पर्यनिर्णय को क माने और अभिधा से ही अप्राकरणिक अर्थ का भी बोध मान लें ।

शाब्दबोधे तात्पर्यनिर्णयकारणतायाः सार्थक्यमाशक्यते—

न च शक्तिजबोधे सा कल्प्यते, व्यक्तिजबोधस्तु तात्पर्यज्ञानं भवतीति तत्स्थाने शक्तिजबोधवारणाय तत्कल्पनमिति वाच्यम् ;

शक्तिजबोधः अभिधाजन्यशाब्दबोधः । नानार्थस्थले इति शेषः । व्यक्ति व्यञ्जनावृत्तिजन्यशाब्दबोधः । तत्स्थाने व्यञ्जनावृत्तिजन्यबोधस्थाने । तत्कल्पनम् तात् कारणताकल्पनम् । शक्तिजन्यबोधे तात्पर्यज्ञानस्य कारणत्व कल्प्यते । एवञ्च नानार्थस्थले शक्त्या अप्राकरणिकार्थबोधो न जायत इति सफलं तत्कल्पनम्, व्यञ्जनाज तन्न कल्प्यत इति व्यञ्जनया स जायत एवेत्यन्यदेतत् इति शङ्काशयः ।

शाब्दबोध के प्रति तात्पर्यनिर्णय को कारण मानने में पूर्वपक्षीय युक्ति का करते हैं—'नच' इत्यादि से । यदि आप कहें कि अभिधाजन्य बोध के प्रति तात्पर्य को कारण मानते हैं, और व्यञ्जनाजन्य बोध के प्रति तो नहीं, ऐसी स्थिति में ना शब्द से अप्राकरणिक अर्थ का अभिधा द्वारा बोध न हो, किन्तु वैयञ्जनिक तो हो इसलिए तात्पर्यनिर्णय को कारण मानना चाहिए ।

भाषणे—

अतात्पर्यार्थबोधस्य नार्थत्रिकन्वे तस्य शक्तिजनायामपि बाधकाभावान् ।

प्रप्राक्प्रतिकार्यबोधनिगोष एव तात्पर्यज्ञानकारणताकल्पनान्त्योद्देश्यम् । एवम् यदि यदपि प्राक्प्रतिकार्यबोधो नाभविष्यत्, तदैव तत्कल्पन नार्थकमभविष्यत्, व्यञ्जनात् तद्व्यञ्जनाकारे तु सुर्ध्वं तत् । प्रत्यन्तं अप्राक्प्रतिकार्यबोधेन नर्ध्वं जायत एव, तर्हि तात्पर्यं जायताम्, व्यञ्जनात् वा, न कोऽपि विगोष इति शक्तिजन्यतद्वोध एव नर्ध्वनापी-  
स्ताम्, तथाहीकारे च तात्पर्यज्ञानकारणताया व्यञ्जनात्प्रानापर्यवक्तव्या तदकल्पन-  
शक्यं अतएव अतन्नामलक्षयितनेवेति मनाधानस्याभिप्रायो विद्म्ये ।

अथ उक्त युक्ति का खण्डन करते हैं— वाच्य इत्यादि मे । उक्त युक्ति भी आप का लन नहीं है, क्योंकि जब आप तात्पर्यार्थ से भिन्न अप्राक्प्रतिकार्य का भी सर्वत्र बोध करते हैं, तब उसको अभिधाजन्य ही मान लेने में क्या आपत्ति है ? अर्थात् नानार्थक-  
न में जब सर्वत्र अप्राक्प्रतिकार्य का भी बोध आपको अभिमत हो है, तब उह  
मेधा मे हो अथवा व्यञ्जना से हो दोनों बराबर है ।

न प्रचरान्तरं तात्पर्यज्ञानकारणताकल्पनाया नास्त्वनाशक्यते—

अथ नानार्थशब्दादर्थद्वयोपस्थितौ सत्या प्रकरणादिना सत्येकस्मिन्नर्थे  
पर्यन्तिर्णये तस्यैवार्थस्य प्रथम शब्दद्वयद्विर्जायते. नापरार्थस्येति नियम-  
णाय शक्तिजतदर्थशब्दद्वयौ तदर्थतात्पर्यज्ञान हेतुरिष्यते । अन्यथा तात्पर्य-  
पयतयानिर्णीतस्यार्थस्येवातथाभूतस्यापरस्याप्यर्थस्य प्रथम शब्दधी न्यान् ।  
अन्तर तु तात्पर्यविषयार्थबोधात्तात्पर्यविषयार्थविषयापि शब्दधीरिष्यत इति  
जन्यतावच्छेदककोटौ शक्तिजत्व निवेश्यत इति चेन् ?

नानार्थशब्दादिति । नृगमि-नेन्धवादिपदादित्यर्थ । अर्थद्वयोपस्थितौ इति । प्राक्-  
प्रप्राक्प्रतिकार्यबोधो न्युत्तौ इत्यर्थः । तस्यैवेति । प्राक्प्रतिकार्यस्यैवेत्यर्थः । अपरा-  
स्येति । अप्राक्प्रतिकार्यस्येति अथ । शक्तिजन्यदर्थशब्दद्वयौ इति । अभिधा-  
जन्यनानार्थस्यप्राक्प्रतिकार्यबोधो इति भावः । अन्येति । नार्थकारणभावा-  
त्तरे इत्यर्थः । अतथाभूतस्येति । अतात्पर्यविषयस्येत्यर्थः । प्रथममिति । प्राक्प्रति-  
कार्यबोधो इत्यर्थः । अन्तरमित्यन्त्याभिनेन 'बोधाति'ति पञ्चम्यन्तेनान्वयः । इत्येते  
न परान्तरेति शेषो बोध्यः । तज्जन्यतेति । तात्पर्येति तज्जन्येत्यर्थः । प्रत्येकमाह-  
—नानार्थस्येते सर्वत्रैव व्यञ्जनेत्यादि नानार्थशब्दजन्यबोध प्रत्याभिप्रायतया तात्पर्य-  
ज्ञानेवत्यस्य पर्यवर्षं यदापादित तत्र नमानांन्म्, नानार्थस्यप्राक्प्रतिकार्यबोधोपस्थितानन्तर  
प्राक्प्रतिकार्यबोधोपस्थिते प्राक्प्रतिकार्यबोधस्य प्रथम बोधो अत्रानि अत्रुभयव-  
त्तत्कल्पनादिको नित्य, न चोपार्थकारणभावाभावे न तात्पर्ये, अप्राक्प्रति-  
कार्यबोधोपस्थिते एव तात्पर्यज्ञानकारणताया व्यञ्जनात्प्रानापर्यवक्तव्या तदकल्पन-  
शक्यं अतएव अतन्नामलक्षयितनेवेति मनाधानस्याभिप्रायो विद्म्ये । अन्तरमि-  
ति • अत्रुभयवत्कल्पनादिकान्तरप्राक्प्रतिकार्यबोधोपस्थिते तात्पर्यज्ञानकारणताया व्यञ्जनात्प्राना-  
पर्यवक्तव्या तदकल्पनशक्यं अतएव अतन्नामलक्षयितनेवेति मनाधानस्याभिप्रायो विद्म्ये । अन्तरमि-  
ति • अत्रुभयवत्कल्पनादिकान्तरप्राक्प्रतिकार्यबोधोपस्थिते तात्पर्यज्ञानकारणताया व्यञ्जनात्प्राना-  
पर्यवक्तव्या तदकल्पनशक्यं अतएव अतन्नामलक्षयितनेवेति मनाधानस्याभिप्रायो विद्म्ये ।

अब फिर प्रकारान्तर से अभिधाद्वारा बोध के प्रति तात्पर्यनिर्णय की कारणता समर्थन करने का प्रयास करते हैं—अर्थ इत्यादि से। यहाँ पूर्वपक्षवालों का अभिप्राय यह है कि—नानार्थक शब्द से अर्थद्वय ( प्राकरणिक तथा अप्राकरणिक ) की उपस्थिति के बाद जब प्रकरण आदि के ज्ञान से एक ( प्राकरणिक ) अर्थ में तात्पर्य का निर्णय जाता है, तब उसी ( प्राकरणिक ) अर्थ का पहले शाब्दबोध होता है अन्य ( अप्राकरणिक ) का नहीं यह एक अनुभवसिद्ध नियम है, उसी की रक्षा करने के लिये नानार्थक शब्दजन्य अभिधाद्वारा बोध के प्रति तात्पर्यनिर्णय को कारण मानना आवश्यक हो जाता अन्यथा प्राकरणिक तात्पर्यार्थ के समान ही अप्राकरणिक अतात्पर्यार्थ का भी पहले शाब्दबोध हो जायगा। तात्पर्यार्थबोध के बाद तो अतात्पर्यार्थ का भी शाब्द अनुभव सिद्ध होने के कारण इष्ट है, अतः तात्पर्यनिर्णयरूप कारण का कार्य अभिजन्यबोध को ही मानते हैं। अर्थात् यदि सामान्यतः नानार्थक शब्दजन्यबोधमात्र प्रति तात्पर्यनिर्णय को कारण मान लेंगे, तो व्यञ्जना से जो पीछे अप्राकर अतात्पर्यार्थ का बोध होता है वह भी न हो सकेगा और उसका अनुभव सिद्ध होना निश्चित ही है, अतः अभिधाजन्यबोध के प्रति तात्पर्यनिर्णय को कारण मानना ही उचित है। वहाँ भी उसको कारण न मानें यह तो हो नहीं सकता, क्योंकि अभिधा अप्राकरणिक अतात्पर्यार्थ का बोध नहीं होता यह भी अनुभव सिद्ध है।

खण्डयति—

मैवम् । 'सोऽव्यादिष्टभुजङ्गहारवलयस्त्वां सर्वदोमाधवः' इत्यादौ श्लेषाद्भव प्रकृतेऽपि प्रकृताप्रकृतयोरर्थयोर्बोधस्य स्वीकारे बाधकाभावात् ।

'मैवमि'ति । प्राक्तनमूलग्रन्थेनोत्थापितायाः शङ्कायां खण्डनार्थकं पदद्वयं 'सोऽव्यादि'त्यादिपञ्चम्यन्तो ग्रन्थश्च तत्र हेतूपन्यासपरः । इष्टे = अभिमते, भुजङ्गसर्पस्य, हारश्च वलयश्च, ते = मात्यककण्ठे ( भूषणविशेषौ ) यस्य, तादृशं स = प्रसिद्धमाधव = मृदानीपतिः शिव त्वां सर्वदा पायादिति शिवपक्षेऽर्थः । कृष्णपक्षे तु—भुजङ्गस्य हार—हरण यस्य तादृशं यद्वलम् ( वयस्यो श्लेषस्थले ऐक्यस्वीकारादित्यत्र तेन = गरुडेनेत्यर्थः, याति = सचरतीति तादृशं सर्वदं—सकलपदार्थप्रदाता माधव—पतिस्त्वां पायादित्यर्थो बोध्यः । एष प्रकृतोपयोगी वक्तव्यार्थः—नानार्थस्थलेऽप्राकार्यबोधाय व्यञ्जनाज्ञासो नावश्यक, 'सोऽव्यादि'त्यादौ श्लेषकाव्यर्थले यथा विष्णुरूपौ द्वावप्यर्थो अभिधाशक्तयैवावगम्येते, तथा तत्रापि द्वयोरपि प्राकरणिकरणिकयोरर्थयोरभिव्ययैव बोधस्य सम्भवात् ।

अब उक्त प्रकारान्तर का भी खण्डन करते हैं—मैवम् इत्यादि से। अभिप्राय यह अभिधा से प्राकरणिक अर्थ का ही बोध होता है अप्राकरणिक का नहीं, इस विषय सिद्धान्त-सा मानकर जो आपने पूर्वोक्त विविध प्रपञ्चों की रचना की है वह ठीक नहीं क्योंकि 'सोऽव्यात्' इत्यादि श्लेषकाव्यस्थल में जैसे दो अर्थ वाच्य ( अभिधा से होनेवाले ) होते हैं, वैसे नानार्थक शब्दस्थल में प्राकरणिक तथा अप्राकरणिक अर्थों का अभिधा से ही बोध मान लेने में कोई बाधा नहीं है। सोऽव्यात् ' इत्येक श्लेषकाव्य के दो अर्थ ये हैं—'जिनको सर्पों से बने हार और कण्ठ प्रिय हैं, वे उ ( शिव ) सदा तुम्हारी रक्षा करें,' और 'जिसके वल को सर्पों का हरण ( संहार ) उस ( गरुड़ ) के द्वारा जाने आनेवाले तथा सब कुछ देनेवाले माधव ( लक्ष्मी तुम्हारी रक्षा करें ।

दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोर्वैपम्यं शङ्कते—

न च दृष्टान्तेऽर्थद्वयेऽपि प्रकरणसाम्यात्तात्पर्यज्ञानमस्तीति युगपद्द्वयं



एव सति तात्पर्यज्ञानस्यानुपयोगमाशङ्क्य निरस्यति—

तर्हि तात्पर्यज्ञानस्य कुरुपयोग इति चेत् ? अस्मिन्नर्थेऽयं शब्दः प्रमाण-  
मयमर्थः प्रमाणवेद्य इत्यादिनिर्णये प्रवृत्त्याद्युपयोगिनीति गृहाण ।

ननुक्तरीत्या तात्पर्यज्ञानस्य शाब्दबोधकारणत्वे निरस्ते तस्य निरुपयोगित्वमेवापततीति  
शकायामाह-अस्मिन्नित्यादि । अयमभिप्राय — नानार्थस्थले शब्दश्रवणानन्तर नानाविधमर्थ  
शाब्दयन् श्रोता कस्मिन्नर्थे वक्तुरत्र तात्पर्यमिति सन्दिहीत, सन्दिग्धश्च क्वापि कार्ये न  
प्रवर्तेत, प्रवृत्त्यर्थमेव च कार्यबोधक वाक्यं प्रयुज्यते, अतस्तादृशस्थितौ श्रोता तात्पर्यज्ञान-  
सहकारेण नानार्थकस्य पदस्यार्थविशेषे प्रमाणत्व निर्णीयते, अर्थविशेषस्य च प्रमाणवेद्यत्वम्,  
तेन वक्तुरभिमतो कार्ये तस्य प्रवृत्तिर्भवतीति तात्पर्यज्ञानस्योपयोगः सिद्धयति ।

यदि आप कहें कि उक्त रीति से जब तात्पर्यज्ञान को शाब्दबोध के प्रति कारण नहीं  
माना जायगा, तब उसका उपयोग ही क्या होगा ? इसका उत्तर यह है कि इस अर्थ  
में यह शब्द प्रमाणभूत है और इस शब्द का यही अर्थ प्रामाणिक है इत्यादि बातों के  
निर्णय—जो प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति में उपयोगी होता है—में तात्पर्यज्ञान का उपयोग  
है । अर्थात् नानार्थक शब्दश्रवण के बाद अनेक अर्थों को समझानेवाला श्रोता यह  
सन्देह अवश्य करेगा कि वक्ता का तात्पर्य किस अर्थ में है ? और उस सन्देह की दशा  
में उसकी प्रवृत्ति किसी कार्य में नहीं हो सकती, और कार्यबोधक वाक्य का प्रयोग  
किया जाता है किसी कार्यविशेष में व्यक्तिविशेष की प्रवृत्ति कराने के लिये ही । अतः  
वैसी स्थिति में श्रोता तात्पर्यज्ञान की सहायता से यह निर्णय करता है कि यहाँ अमुक  
नानार्थकशब्द अमुक अर्थ में ही प्रमाण है, अमुक अर्थ ही प्रामाणिक है । इस निर्णय से  
श्रोता वक्ता के अभिमत अर्थ में प्रवृत्त होता है ।

नानार्थस्थले सर्वत्र व्यञ्जनोपपत्तेः, क्वचिदेवेति कल्पद्वये प्रथमल्पीय वक्तव्यमुपसंहरति—

इत्थं च नानार्थस्थलेऽपि तात्पर्यधियः कारणतायां शिथिलीभवन्त्याम-  
तात्पर्यार्थविषयशाब्दबुद्धिसम्पादनाय व्यक्तिस्वीकारोऽनुचित एव शक्त्यैव  
बोधद्वयोपपत्तेः ।

नानार्थस्थलेऽपीत्यत्रापि पदेनैकार्थस्थले तात्पर्यज्ञानकारणतायां सुतरा शैथिल्य सूच-  
यति । इदमत्र रहस्यम्—शुकादिवाक्यात्, देवताप्रसादेन पूर्वजन्मसंस्कारेण वा मूर्ख-  
वालककृतोत्तमकाव्याच्च वक्तृतात्पर्याभावनिश्चयेऽपि बोधोदयेन तस्य शाब्दबोधे हेतुत्व न  
सभवति । वक्तृतात्पर्याभावनिश्चयश्च वक्तुस्ततस्तदर्थाबोधात् । किञ्च अस्मात् पदात् अर्थद्वय-  
विषयको बोधो जायते तात्पर्यं तु केति न जानीम, इति शकलजनानुभवविरोधात् न  
तस्य हेतुत्वम् । अत एव 'पय आनय' इत्युक्ते अप्रकरणज्ञस्य दुग्ध जल वाऽऽनेयमिति  
प्रश्न सगच्छते । न चैव 'हरि' रित्यादौ विष्णुविषयकबोधेच्छयोच्चरितत्वाभावज्ञाने तदन्य-  
सिंहादिविषयकबोधेच्छयोच्चरितत्वज्ञाने वा विष्णुविषयकबोधापत्ते पूर्वोक्तायां का गतिरिति  
वाच्यम्, बोधो भवत्येव किन्तु तयो ज्ञानयोस्तत्र बोधेऽप्रामाण्यग्रहजनकतया प्रवृत्त्यादिर्न-  
भवतीतिस्वीकारात् । एतेन तयो ज्ञानयोस्तादृशबोध प्रति प्रतिबन्धकत्वमिति परास्तम् ।  
तात्पर्यधियः इति । तात्पर्यज्ञानस्येत्यर्थः । उक्तरीत्या तात्पर्यज्ञानस्य कारणता यदा  
निरस्ता, तदा नानार्थकपदात् शक्यैवातात्पर्यविषयस्यापि अप्राकरणीकार्यस्य बोध  
तदर्थं तत्र व्यञ्जनावृत्तिस्वीकारो नावश्यक इति भावः ।

नानार्थकस्थल में भी सर्वत्र व्यञ्जना का प्रादुर्भाव होता है, इस पक्ष के खण्डन  
वक्तव्य का उपसंहार करते हैं—इत्यत्र इत्यादि से । एकार्थकस्थल की तो बात ही





का प्रादुर्भाव होता है सर्वत्र नहीं, अतः 'सर्वत्र व्यञ्जना के प्रादुर्भाव मानने पर जो अभिधा से उसकी गतार्थता सिद्ध की गई है उसका अवसर नहीं आयगा' यह कथन भी आपका सगत नहीं हो सकता, क्योंकि स्थलविशेष में ही व्यञ्जना का प्रादुर्भाव होगा इसका कोई कारण नहीं है। यदि आप कहें कि 'अमुक् पद व्यङ्ग्य का बोध कराने के लिये वक्ता से प्रयुक्त हुआ है' इस तरह के वक्तृतात्पर्य का ज्ञान ही व्यञ्जना की क्वाचित्कता का कारण है, तो यह भी उचित नहीं है, क्योंकि आप व्यञ्जनाजन्यबोध के प्रति तात्पर्यज्ञान को कारण मानते ही नहीं फिर उस प्रकार कैसे कह सकते हैं? दूसरी बात यह है कि यदि आप व्यञ्जनाजन्यबोध के प्रति तात्पर्यज्ञान को कारण मानना भी चाहें तो यह भी नहीं मान सकते, क्योंकि उस तरह का कार्यकारण-भाव व्यतिरेक व्यभिचार से दूषित होने के कारण असंभव है। अर्थात् जिस अर्थ में वक्ता का तात्पर्य नहीं रहता उसका भी व्यञ्जना से बोध होता है जैसे 'प्रससार शनैर्वायुः विनाशे तन्वि ते तदा' ( हे कृशाङ्गि ! तुम्हारे वियोगकाल में मन्द-मन्द हवा वही ) इत्यादि स्थल में अप्राकरणिक अपान-पवन-निस्सरण और नायिका-मरणरूप अर्थ की प्रतीति सभी सहृदयों को व्यञ्जना से होती है, अतएव ऐसे स्थलों में अश्लीलता नामक काव्य दोष माना गया है। क्या उस अश्लील अर्थ में कवि का तात्पर्य माना जा सकता है? कभी नहीं। कौन ऐसा कवि होगा, जो जान-बूझकर अपनी कविता को अश्लीलता दोष का लक्ष्य बनायेगा?

व्यञ्जनोंल्लासस्य क्वाचित्कत्वनियामक्रमपरं हेतुमाशक्य खण्डयति—

अथ श्रोतुः शक्तिविशेषो व्यक्तेरुल्लासे हेतुः, स च फलबलाच्चमत्कारिण्ये-  
वार्ये व्यक्तिमुल्लासयति नाचमत्कारिणीति सिद्ध व्यञ्जनोल्लासस्य क्वाचित्कत्व-  
मिति चेत् ? न, हन्तैवं स नियन्त्रितशक्तेरेव वोल्लासकोऽस्त्विति कृतं नानार्थ-  
स्थले व्यक्तिकल्पनया ।

शक्तिविशेष इति । बुद्धिशक्तिविशेष इत्यर्थः । स शक्तिविशेषः । नियन्त्रितेत्यस्य प्रकरणादिनेत्यादि । अयमभिप्रायः—बुद्धि व्यक्तिभेदेन नानाविधा भवति, कस्यचन बुद्धि स्थूलमप्यर्थं न गृह्णाति, कस्यचित् स्थूलं गृह्णाति अपि सूक्ष्मं न गृह्णाति, कस्यचित्पुन सूक्ष्ममपि । एवञ्च यत्र सूक्ष्मार्थग्रहणप्रवणबुद्धिविशिष्टः श्रोता, तत्र तस्य बुद्धि नानार्थस्थले व्यञ्जनामुल्लासयति, यत्र न स तादृशस्तत्र तस्य बुद्धिर्नोल्लासयति ताम् । यत्राप्युल्लासयति तत्रापि चमत्काराधायक एवार्थे, तत्रैव तदुल्लासस्य साफल्यसंभवात् । एवञ्च तस्य क्वाचित्कत्वेन हेतुविरह इति शका । समाधानं तु 'तथा सति श्रोतु' सा बुद्धिशक्तिस्तत्र तत्र स्थलविशेषे नानार्थकरय शब्दस्य सयोगादिभिर्नियन्त्रितामभिधाशक्तिमेवोल्लासयतु, तावत्तैवैष्टसिद्धेरिति मुधैवायं व्यञ्जनाकल्पनायास इत्याकारकं वेदितव्यम् ।

व्यञ्जना की क्वाचित्कता में एक अन्य कारण की आशका करके खण्डन करते हैं— 'अथ श्रोतु' इत्यादि से । श्रोता का बुद्धिशक्ति-विशेष व्यञ्जना की क्वाचित्कता का कारण है, अर्थात् बुद्धि व्यक्तिभेद से भिन्न भिन्न प्रकार की होती है । किसी की बुद्धि स्थूल वस्तु को भी नहीं समझ पाती, किसी की बुद्धि स्थूल वस्तु को समझती हुई भी सूक्ष्म को नहीं समझ सकती, किसी की बुद्धि सूक्ष्म से सूक्ष्म बात को भी समझ लेती है, यह एक प्राकृतिक स्थिति है । ऐसी स्थिति में जहाँ सूक्ष्मार्थग्रहण समर्थ बुद्धिवाला श्रोता रहता है, वहाँ उसकी बुद्धि नानार्थकस्थल में व्यञ्जना को उद्भूत करती है और जहाँ उस तरह का श्रोता नहीं रहता, वहाँ उसकी बुद्धि व्यञ्जना को उद्भूत नहीं कर पाती । एवं जहाँ व्यञ्जना उद्भूत होती है वहाँ भी चमत्कारी अर्थ के विषय में ही, अचमत्कारी अर्थ के विषय में नहीं, क्योंकि चमत्कारी अर्थ में ही व्यञ्जना की सफलता संभव है ।



णिकार्थबोधोऽपि अभिधाशक्त्यैवाभिमत' सा च शक्ति प्रकृते यस्य अग्रहीता विस्मृता वा न तस्य तदर्थबोधप्रसंग ।

व्यञ्जनोद्भास की काचित्कता को मान लेने पर भी, नानार्थकस्थल में अप्राकरणिक अर्थ का बोध व्यञ्जना से होता है, इस मत को असंगत सिद्ध करते हैं—किंच इत्यादिसे 'उद्भास्यकालकरवाल "' इत्यादि पूरा पद्य संस्कृत टीका में उद्धृत है । जिसके अर्थ होते हैं । एक वाच्य और दूसरा व्यङ्ग्य । वाच्य अर्थ यह है कि कठोर और बलवा सिंहनादवाले जिस राजा ने शत्रुओं के प्राणहर होने से यमराजस्वरूप खड्ग के धार रूपी जल के फैलाव को बढ़ाकर, समग्र में उस धाररूपी जलके द्वारा, तीनों लोक प्रसिद्ध शत्रुओं का समग्रप्रभाव शान्त कर दिया । और व्यङ्ग्य अर्थ यह है कि—जिह्वा देव ( इन्द्र ) ने कठोर और सबल गर्जन से युक्त तथा काली कान्तिवाले नवीन घनघ को प्रकट करके, धारावाहिक जलवृष्टि से शत्रुभूत अग्निओं का त्रिलोकी विख्यात ताप व सर्वथा शान्त कर दिया । उक्त श्लोक प्राचीनों के मत से अनेक अर्थों का व्यञ्जन स्थल है । पर यहाँ यह अनुभव सिद्ध वस्तु है कि व्यञ्जना से उसी को अप्राकरणिक अर्थ का बोध होता है, जिसको उक्त श्लोकवाक्य में अप्राकरणिक अर्थ की भी अभिधा ज्ञात रहती है और उस अभिधा का विस्मरण नहीं हुआ रहता है । उसको नहीं होत जिसको अप्राकरणिक अर्थ के द्वारा शक्तिज्ञान नहीं हुआ है अथवा ज्ञान होने पर किसी कारण से शक्ति का विस्मरण हो गया है । परन्तु अब आपके मत जैसे ( अज्ञातशक्ति अथवा विस्मृतशक्ति ) व्यक्ति को भी व्यञ्जना से इन्द्र पक्षी अप्राकरणिक अर्थ का बोध हो जाना चाहिये, क्यों कि वह अर्थ चमकारी है, अतः श्रोत की बुद्धिशक्ति उस अर्थ के बोध के लिये व्यञ्जना को उपपन्न कर देगी । मेरे मत में यह दोष नहीं हो सकता, क्यों कि मैं नानार्थस्थल में व्यञ्जना नहीं मानता, अभिधा ही दोनों अर्थों का बोध हो जाता है ऐसा मानता हूँ, और अभिधा से भी वहाँ बोध नहीं मानता हूँ, जहाँ वह ज्ञात हो, अविस्मृत हो । फिर जिसको उक्त श्लोक में इन्द्रपक्षी अर्थ की अभिधा ज्ञात ही नहीं, अथवा ज्ञान होने पर भी विस्मृत हो चुकी है, उसको उस अर्थ का बोध कैसे प्रसक्त हो सकता है ?

एतद्दोषोद्धारायाशक्ते—

न च येन शब्देन योऽर्थो व्यव्यते तस्य शब्दस्य तदर्थगतशक्तिज्ञानं तदर्थव्यक्तेरुद्भासे हेतुरिति वाच्यम्, 'निःशेषच्युत-' इत्यादौ रमणव्यक्त्यनापत्तेः न ह्यधमपदस्य कस्यचिद्रमणे शक्तिग्रहोऽस्ति । सति वा तस्मिंस्तेनैवोपपत्तौ व्यक्तिकल्पनवैयर्थ्यापत्तेश्च ।

रमणेति । नायककर्तृकसमोगत्यर्थ' । तस्मिन्निति । अधमपदे रमणार्थनिरूपितशक्तिग्रहे इत्यर्थ' । तेनैवोपपत्तौ इति । शक्तिग्रहेणैव रमणरूपार्थस्य बोधोपपत्तौ इत्यर्थ' । अत्र 'येन शब्देने'त्यादिमूलोक्तकार्यकारणभावाङ्गीकारे 'उद्भास्ये'त्यादौ प्रागुक्तदोषो नापत्तेः अग्रहीतद्वितीयार्थशक्तिकस्य विस्मृतद्वितीयार्थशक्तिकस्य वा पुरुषस्य इन्द्रपक्षीयार्थनिरूपितशक्तिग्रहस्य तच्छ्लोकवाक्येऽसत्त्वेन तदर्थनिरूपितव्यञ्जनावृत्तेस्तत्रानुद्भासात् इति शक्यं दलस्याशय' । 'निःशेषे'त्यादौ रमणार्थनिरूपितशक्तिग्रहस्याधमपदेऽभावेन तद्वदनिष्ठतदर्थनिरूपितव्यञ्जनाया उक्तकारणाभावानुद्भासेन सर्वानुभूतरमणरूपार्थाभिव्यक्तेस्तत्रानापत्ति रमणार्थनिरूपितशक्तिग्रहोऽधमपदेऽस्तीति दुराग्रहे शक्यैव रमणप्रतीतौ तत्र व्यञ्जनावृत्तिकल्पनस्य सर्वसम्मतस्य वैयर्थ्यापत्तिरतस्तादृशकार्यकारणभावाश्रयणमसम्भवमित्युत्तर दलाशय ।



जायगा । किन्तु नानार्थस्थल में व्यञ्जना के उल्लासक अभिधाशक्ति के ज्ञान से ही अप्राकरणिक अर्थ का बोध क्यों नहीं मान लेते, व्यर्थ व्यञ्जनोल्लास की कल्पनावयं करते हो ? इसके उत्तर में यह कहा जायगा कि यहां इस प्रकार की शका नहीं की जा सकती, क्योंकि नानार्थकस्थल में शक्ति का ज्ञान भले ही अप्राकरणिक अर्थ में भी रहे, पर वह उसका बोध नहीं करा सकता, क्योंकि वह शक्ति प्रकरण आदि के ज्ञान से नियन्त्रित हो चुकी है—अप्राकरणिक अर्थ के विषय में वेकार कर दी गई है, अतः व्यञ्जना की कल्पना वहाँ आवश्यक है, उसके उल्लासक के रूप में नियन्त्रित होने पर भी अप्राकरणिकार्थ निरूपित शक्ति ज्ञान कार्य करेगा यह बात दूसरी है । इस उपपाद के द्वारा पूर्व पक्षियों ने यह सिद्ध किया कि—‘उल्लास्य ’ इत्यादि पद्य नानार्थक व्यञ्जक वाला स्थल है, अतः वहाँ व्यञ्जना का प्रादुर्भाव तब होता यदि अप्राकरणिक अर्थ में शक्ति का ज्ञान रहता, जब वह ज्ञान है ही नहीं तो व्यञ्जना का प्रादुर्भाव नहीं होगा । पर पूर्वपक्षियों का उक्त कथन भी उचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि व्यञ्जनोल्लास शक्तिज्ञान को कारण मानने पर व्यर्थ का गौरव उठाना पड़ता है । यदि आप यह कहें कि उसके बिना काम ही नहीं चल सकता, तो वह भी ठीक नहीं, क्योंकि जिस शक्ति ज्ञान को आप व्यञ्जना का उल्लासक मानते हैं, उसी से अप्राकरणिक अर्थ के बोध के सिद्ध किया जा चुका है । यदि आप कहें कि नियन्त्रणवाली बात को आप क्यों भूलते हैं ? तो मैं कहूँगा कि मैं भूलता नहीं हूँ, किन्तु उसका खण्डन पहले ही कर दिया गया है अतः उसको मानता नहीं हूँ । यही बात ‘तद्धेतोरेव’ इत्यादि न्याय के द्वारा ग्रन्थकार व्यक्त की है । न्याय का पूरा स्वरूप ‘तद्धेतोरेव तदस्तु किं तत्कल्पनया’ यह है । अर्थात् यदि कारण के कारणसे ही काम चल सकता है तो बीच में एक और कारण की कल्पना व्यर्थ है । उत्तरपक्ष का सारांश यह हुआ कि ऐसी जगह व्यञ्जना की कल्पना निरर्थक है अथान्यथाशक्ते—

अथास्त्वप्राकरणिकोऽप्यर्थः शक्तिवेद्य एवान्वयधीगोचरः परतु यत्र न बाधितः स्यात् । यत्र तु बाधितस्तत्र ‘जैमिनीयमलंघन्ते रसनायामयं द्विजः इत्यादौ जुगुप्सितोऽर्थो वह्निना सिञ्चतीत्यादौ वह्निकरणकसेक इवाबोधोपहत एव स्यात् । बाधनिश्चयस्य तद्वत्ताज्ञानं प्रति प्रतिबन्धकतायाः सर्वजनसिद्धत्वात् व्यक्तेस्तु बाधितार्थबोधकत्वं धर्मिप्राहकमानसिद्धमिति व्यक्तिवादिनामदोष इति ‘जैमनीय’मित्यादिवाक्यस्य ब्रमश अत्र द्विजं जिह्वाया जैमनीयम् = मीमासा शास्त्रम् अलम् अत्यर्थं धारयति इति’ ‘ब्राह्मणोऽयं जिह्वाया जैमिनि-विष्टा धारयतीति च वाच्यव्यङ्ग्यार्थावसेयौ । इदमिह वक्तव्यरहस्यम्—तद्भाववत्तानिश्चयात्मकस्य बाधनिश्चयस्य तद्वत्ताज्ञानं प्रति प्रतिबन्धकत्वं सर्वानुमतम्, अत एव ‘वह्निना सिञ्चती’ति वाक्यात् ‘सिकं वह्निकरणकत्वान्’ इति बोधो न भवति सेको वह्निकरणकत्वाभाववान् इत्याकारकस्य बाधनिश्चयस्य वर्तमानत्वात् अत एव चाबोधोपहतार्थक तादृश वाक्यत्रयै प्रयुज्यते, एवञ्च तादृशबाधनिश्चयाभावस्थले सुरमिमास भक्षयतीत्यादौ अभिधावेद्यस्य प्राकरणिकार्थस्यान्वयबोधे सम्पन्नेऽपि ‘जैमनीयमलं’मित्यादौ अप्राकरणिकार्थस्य शक्त्यन्वयबोधो न सम्पत्तुमर्हति बाधनिश्चयप्रतिबद्धत्वादिति तदर्थं व्यञ्जनाऽवश्यकी । ननु बाधनिश्चयमत्त्वे व्यञ्जनयापि कथमन्वयबोध इत्यत आह—व्यक्तेस्तु इति । धर्मिप्राहकमानेन व्यञ्जनाया बाधितार्थबोधकत्वं स्वीक्रियत एवेति भावः । बाधनिश्चयप्रतिबन्धतावच्छेदककुक्ष्यै पञ्चनिक्रवोपेतरवोधस्यैव निवेश इति तत्त्वम् ।

अथ नानार्थकस्थल में व्यञ्जना मानने वाले पूर्वपक्षी अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिए कुछ नयी युक्ति देते हैं—अथास्तु इत्यादि से । पूर्वपक्षियों का कहना है कि अच्छे



मूल में उद्धृत वाक्यों के 'सरस्वती के पृथ्वी पर अवतीर्ण होना' और 'प्रासादों के शिखरों का सूर्य से मिलना' रूप अर्थ बाधित हैं, अर्थात् ऐसा हो नहीं सकता। अतः ऐसे स्थलों पर वाच्य अर्थों का अभिधा से बोध सिद्ध करने के लिए जिस उपाय का अवलम्बन करना पड़ता है, उसी से नानार्थकस्थलों में भी बाधित अप्राकरणिक अर्थ का बोध अभिधा के द्वारा ही सिद्ध हो सकेगा। अन्यथा उस उपाय का अवलम्बन नहीं करने पर—प्रायः सभी अलंकारों में वाच्य अर्थों का बोध सिद्ध करने के लिये व्यञ्जना का स्वीकार करना पड़ेगा। सारांश यह हुआ कि अलंकारप्रधान काव्यों के अधिकांश अर्थ प्रायः बाधित ही रहते हैं, पर बाधित होने पर भी उन अर्थों का बोध सब लोग अभिधा से ही मानते हैं और आप भी मानते हैं, तब फिर नानार्थकस्थल में ही बाधित अप्राकरणिक अर्थ के बोध के लिए व्यञ्जना का आश्रयण क्यों किया जाय ? तब रही बात यह कि कहीं बाधित अर्थ का बोध अभिधा से कैसे होता है ? बाधनिश्चय उसमें प्रतिबन्ध क्यों नहीं करता ? इसका उत्तर मूलकारने रूपक पर विचार करते हुए, स्वयं लक्षणा प्रकरण में दिया है। जिसका सारांश यह है कि बाधनिश्चय को शब्दजन्यबोध से अन्य बोध के प्रति ही प्रतिबन्धक मानना चाहिये, और आहार्य योग्यताज्ञान मान लेना चाहिये। फिर बाधित अर्थ का भी अभिधा से बोध होने में कोई बाधा नहीं।

उपसंहति—

तस्मान्नानार्थस्याप्राकरणिकेऽर्थे व्यञ्जनेति प्राचां सिद्धान्तः शिथिल एव ।  
 'तस्मादि'ति प्रागुक्त-युक्ति-कलापोपसम्राहकम् । 'नानार्थस्येत्यत्र नाना अर्था यस्ये  
 ति बहुव्रीहिणा नानार्थक पदमुच्यते । पूर्वोक्तयुक्तिमि नानार्थकपदस्थलेऽप्राकरणिक-  
 स्यात् एव वक्तुस्तात्पर्यविषयस्याप्यर्थस्य शक्त्यैवान्वयबोध उपपादिते तदर्थं तत्र व्यञ्जना-  
 वश्यक्येति तादृश एवाभिधामूलव्यञ्जनोदाहरणस्थल इति प्राचीनाना मम्मटादीना सिद्धान्तो  
 निर्युक्तिकत्वादसगत इति भाव ।

अब प्राचीन मतों का उपसंहार करते हैं—तस्मात् इत्यादि से। उक्त विचारों से यह सिद्ध हुआ कि नानार्थकस्थल में अप्राकरणिक अर्थों का बोध व्यञ्जना से होता है—यह प्राचीनों का सिद्धान्त कमजोर ही है। अर्थात् नानार्थक शब्दस्थल का अप्राकरणिक अर्थ ही शब्द-शक्ति मूलध्वनि का लक्ष्य है—इस प्राचीनोक्ति में कोई युक्ति नहीं है, अतः वह असगत ही है।

प्राचीनमतस्याशिकरूपेण युक्तिसगतत्वं कथञ्चित् स्वीकरोति—

प्राकरणिकाप्राकरणिकयोरर्थयोरुपमायां तु सा कदाचित्स्यादपीत्यत्रा-  
 स्माक प्रतिभाति ।

'उपामाया तु' इत्यत्र 'तुना' अप्राकरणिकार्थे सा व्यवच्छिद्यते । सा व्यञ्जना ।  
 अत्र भाव—

'दुर्गालघितविग्रहो मनसिज सम्मीलयस्तेजसा,

प्रोद्यद्राजकलो गृहीतगरिमा विष्वग्भृतो भोगिभि ।

नक्षत्रेशकृतेक्षणो गिरिगुरौ गाढा रुचिं धारयन् ,

गामात्रम्य विभूतिभूपिततनू राजत्युमावल्लभ ॥'

इत्यादौ 'उमावल्लभ' पदस्य, उमानामिकाया राश्या वल्लभ पति भानुदेवनामा  
 नृपति, उमाया पार्वत्या वल्लभ शिवश्चेति द्वावर्थौ, तयो प्रथम प्राकरणिको द्वितीय-  
 ध्याप्राकरणिक । एवञ्च प्राकरणिकेऽर्थे प्रकरणेन तत्पदाभिधाया नियन्त्रितायामप्रा-  
 करणिक पार्वतीवल्लभरूपोऽर्थो न वाच्योऽपि तु व्यङ्ग्य, तथाऽप्राकरणिकार्थबोधनप्रयोज्य-

नयजाराभिधायित्वं पश्यन् ना प्रमादोदिति प्राक्प्रणिजाप्राक्प्रणिक्रयो नृपगित्री-  
 र्दमालंकारोऽपि व्यग्र इति प्राग् ध्यानमस्ति । पण्डितराजन्तु उक्तरीत्याऽप्राक्प्रणिकार्य-  
 न्यापि वाच्यत्वं व्यवस्थाप्योपमालंकारमात्रस्य व्यवहृत्यमङ्गुलते । परमत्रापि न पण्डित-  
 राजस्य नर्पणा निर्भङ्ग, तन्मूल्यान्वयवात्त ग्रंथे 'रुद्राद्यदिति' स्यादपीत्यत्रत्यापिगच्छय  
 न्निर्भङ्गार्थं प्रयुक्ते । तद्व्याजय तादृशाप्राक्प्रणिकार्यमादाय वाच्यत्वात्प्रदायकत्वं  
 माभूदिति चन्दमानोपमाया अर्थापनिवेशत्वस्यापि नभव इति चोच्यम् । उक्तश्लोके विज्ञे-  
 पणनदाना द्वयो पञ्चयोर्जायमाना- पृथक् पृथगर्था विस्तारभेदेनात्र न लिखिता इति  
 नागिन्यदर्पणतो जिज्ञासुभिन्ने विज्ञेया ।

प्राचीन मत के कुछ अंश में युक्तिमगत् होने के नाते पण्डितराज अपनी सम्मति  
 दिग्गताते हैं—प्राक्प्रणिजा इत्यादिमे । आशय यह है कि मन्कृतटीका में उद्धृत 'दुर्गां वित' ।  
 इत्यादि श्लोक में 'उमावहम' पद के दो अर्थ हैं, एक—उमा नाम की रानी का बहम  
 प्रियपति भानुदेव नाम का राजा, और दूसरा—उमा पार्वती का बहम शिव । उन  
 दोनों अर्थों में प्रथम प्राक्प्रणिक, दूसरा अप्राक्प्रणिक है । ऐसी स्थिति में प्रकरण से  
 प्राक्प्रणिक राजारूप अर्थ में उमावहम पद की अभिधा नियन्त्रित हो जायगी, अतः  
 वाच्य अर्थ वही होगा । अप्राक्प्रणिक शिवरूप अर्थ होगा व्यङ्ग्य और अप्राक्प्रणिक अर्थ  
 का बोध अप्रामादिक न समझा जाय, इसलिए 'उमावहम-शिव—जैसा उमावहम राजा,'  
 इत्याकारक प्राक्प्रणिक तथा अप्राक्प्रणिक अर्थ का उपमालंकार भी व्यङ्ग्य है—यह  
 प्राचीनों का मत है । पर पण्डितराज उक्त रीति से अप्राक्प्रणिक अर्थ को भी वाच्य ही  
 मानते हैं, अतः उनके मत से केवल उक्त उपमा अलंकार ही व्यङ्ग्य है ।

मयानिमत् शब्दगासिमूलव्यञ्जनेदाहरणस्यल दर्शयितुमुपमन्माननोति—

एवमपि योगरूढिस्थले रूढिज्ञानेन योगापरहरणस्य सकलतन्त्रनिद्धतया  
 रूढ्यनधिकरणस्य योगार्थालिङ्गितस्यार्थान्तरस्य व्यक्ति विना प्रतीति-  
 र्दूरुपपादा ।



यह बात सभी मतों में मान्य है। अतएव 'पङ्कज' पद से पङ्क से जन्म ग्रहण करनेवाले शैवाल आदि का बोध न होकर केवल तादृश कमलरूप रूढ्यर्थ का ही बोध होता है। परन्तु कहीं-कहीं एक ही योगरूढ पद से रूढ्यर्थ के बोध हो जाने के बाद योगार्थ की भी प्रतीति देखी जाती है। (वैसे स्थल तुरत मूल में ही आगे दिखलाये जायेंगे) वह प्रतीति अभिधा से तो हो नहीं सकती, क्योंकि उस प्रतीति में सहायक योगशक्ति का रूढिशक्ति से बाध हो गया रहता है। अतः अगत्या उस प्रतीति को उपपन्न करने के लिये व्यञ्जनावृत्ति का ही अवलम्बन करना पड़ेगा अर्थात् वही ऋद्धशक्तिमूलकध्वनि का स्थान है।

उदाहरति—

यथा—

‘अबलानां श्रियं हृत्वा वारिवाहैः सहानिशम् ।

तिष्ठन्ति चपला यत्र स कालः समुपस्थितः ॥’

अत्राशक्तानां द्रव्यमपहृत्य जलवाहकैः पुरुषैः सह पुंश्चल्यो रमन्त इत्यर्थान्तरं न तावदबला-वारिवाह-चपलाशब्दैर्योगरूढ्या शक्यते बोधयितुम्, मेघत्वविद्युत्वाद्यघटितस्यैव तस्यार्थस्य प्रतीतेः। अन्यथा चमत्कारो न स्यात्। अतएव न योगशक्त्यापि केवलया। रूढ्यर्थासंवलितार्थबोधकत्वस्य तस्या रूढिसमानाधिकरणाया असंगतेः। पुंश्चलीत्वादेः सर्वथैव तदविषयत्वात्।

अबलेति। चपला = विद्युतो वारिवाहै = मेघै सह अबलाना = नायिकाना श्रिय = शोभा हृत्वा = अपहृत्य यत्र = यरिमन, काले इति यावत् अनिशम् = सततम् तिष्ठन्ति = वर्तन्ते, स कालः = वर्षासमय, समुपस्थित = समागत इति वाच्योऽर्थः। अत्र ‘अशक्ताना’मित्यादिमूलोक्तार्थोऽपि प्रतीयते, तस्याश्च प्रतीति अबला-वारिवाहचपला-पदेभ्यो योगरूढिशक्त्या न संभव, अशक्तत्वमेघत्वविद्युत्त्वघटितस्य अशक्तमेघविद्युद्रूप-स्यैवेति यावत्, अर्थस्य तत्पदनिष्ठयोगरूढिशक्तिविषयत्वात्, प्रतीयमानस्य मूलोक्तार्थस्य च अशक्तत्वमेघत्वविद्युत्वाद्यघटितत्वात्। अन्यथेति। मूलोक्तार्थस्याप्रतीतौ, अशक्तत्वमेघत्व-विद्युत्वादिघटितस्यैव तस्य प्रतीतौ वेत्यर्थः। अयमाशयः—अत्र मूलोक्तार्थप्रतीतिरपलापे वाच्यार्थमात्रस्याचमत्कारित्वेन प्रकृतपदस्य काव्यत्वमेव न स्यात्, काव्यत्वस्य चमत्कारा-धीनत्वात्। तदर्थप्रतीतिस्वीकारेऽपि तत्र मेघत्वादिवाच्यधर्ममानसमाने पुनः स एव चमत्काराभावनिबन्धनो दोष इति मूलोक्तरूपेणैव तदर्थप्रतीति स्वीकर्तव्या भवेदगत्या साहित्यरसिकानाम्। ननु योगरूढिशक्त्या मूलोक्तार्थप्रतीत्यसम्भवेऽपि केवलयोगशक्त्या वारिवाहादिपदनिष्ठ्या, तत्प्रतीति सम्भवतीत्यपि न युक्तमित्याह—अत एवेति। वक्ष्य-माणयुक्तेरित्यर्थः। तामेव युक्तिमाह—रूढ्यर्थासंवलिति। रूढ्यर्थेन असवलित अघटित अभिश्रित इति यावत् योऽर्थः, तद्वोधकत्वस्येति भावः। तस्या योगशक्तेः। रूढिसमाना-धिकरणाया इति, रूढ्या शक्त्येति यावत् समानम् एकम् अधिकरणम् पदरूप स्थिति-प्रदेशो यस्या तस्या रूढिशक्तिसकीर्णया इति यावत्। एतत्पदार्थस्य ‘तस्या’ इति पष्ठयन्तार्थेऽन्वयः। असंगतेरिति पूर्वोक्त ‘बोधकत्वस्ये’त्यनेनान्वितम्। अयमाशयः—योग-रूढा अबलावारिवाहचपलाप्रभृतय शब्दा वाच्यवृत्त्या न केवल योगार्थं बोधयितु क्षमन्ते इति।

ननु फलवलात् तथा कल्प्यत इत्यत आह—पुंश्चलीति। आदिना पुरुषत्व-रतिन्व-परिग्रहः। तदविषयत्वादिति। योगशक्त्यविषयत्वादित्यर्थः। योगरूढपदेभ्यो वारिवाहा-



अत्र नैवाश्चर्यकारी चाञ्चल्यगुणरहितानां कमलानां चाञ्चल्यगुणाधिकेन तव लोचनेन शोभायास्तिरस्कारः, आश्चर्यकृन्तु हरिणानां तद्गुणयुक्तानां तस्याः स इति वाच्यार्थे पर्यवसन्नेऽपि रूढिनिर्मुक्तकेवलयोगमर्यादया मूर्खपुत्राणामतएव प्रमत्तानां नेतृभिश्चोराद्यैः, श्रियो धनस्य हरणं सुशकम्, न तु गवेषकाणामत एवाप्रमत्तानामिति जलजनयनमृगशब्देभ्यः प्रतीयमानोऽर्थः कथं नाम व्यञ्जनाव्यापारं विनोपपादयितुं शक्यते ।

जलजनयनमृगेति । काव्ये डलयोरैक्यात् मूर्खरूपस्य नयतीति नयनमिति व्युत्पत्त्या नेतृत्वेन चौररूपस्य, मृगयन्तीति मृगा इति व्युत्पत्त्या गवेषकरूपस्य चार्थस्य लाभः । 'मृग-अन्वेषणे' इत्यदन्ताच्चुरादिधातोः पचाद्यच् । तथा च योगरूढिशक्त्याऽस्य पद्यस्यायमर्थः—कमलेषु चञ्चलतागुणेनास्तीति तदपेक्षया समधिकतद्गुणशालिना तव नेत्रेण तेषां कमलानां शोभायस्तिरस्कारः समुचित इति नाश्चर्यकारी । परन्तु सामान्यतश्चञ्चल तव नेत्रं वनवासिनामिति चञ्चलानां मृगाणाम् शोभायास्तिरस्कारः यत्करोति तदाश्चर्यकारि इति ।

एतद्वाच्यार्थावगत्यनन्तरमपि जलजनयनमृदानाम् पग रूढिरहितकेवलयोगशक्त्या-योऽयमर्थः प्रतीयते—नेतृभिश्चोराद्यैर्मूर्खतनयानामतएव प्रमादकारिणा धनापहरणं भवितुमर्हति, परन्तु ये गवेषका अतएव सावधाना गुप्तस्थानवासिनश्च तेषां धनापहरणं चौरैर्न शक्यते विधातुमिति, तस्यार्थस्य प्रतीतिरियं न व्यञ्जनावृत्तिसहकारमन्तरा क्तुं शक्या 'रूढियोगापहारिणी'तिन्यायमूलोक्तयुक्तेरिति सारांशः ।

अब 'यथा वा' कहकर योगरूढि स्थल का ही एक और उदाहरण दिखलाया जाता है—वाञ्चल्य इत्यादि से । योगरूढिशक्ति से इस पद्य का अर्थ होता है कि साधारण चञ्चलत्वारूपगुण से युक्त तेरा नेत्र, सर्वथा उस (चञ्चलता) गुण से हीन कमलों की शोभा का तिरस्कार करे, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं । पर अत्यधिक अर्थात् तुम्हारी आँखों से भी अधिक, चञ्चलता गुणशाली मृगों की शोभा का भी जो तेरा नेत्र तिरस्कार करता है, वह अत्यन्त आश्चर्य की बात है । इस वाच्यार्थ की प्रतीति हो जाने के अनन्तर रूढिरहित केवल योगशक्ति के बल से एक और अर्थ यहाँ प्रतीत होता है । वह यह है—मूर्खों के पुत्र अतएव असावधान रहनेवालों के धन का अपहरण, (चोरी) आदि कर सकते हैं, पर गवेषक अर्थात् हर बात की खोज रखनेवाले अतएव पूर्ण सावधानता बरतनेवालों के धन का नहीं । सारांश यह है कि—काव्य में 'ड' और 'ल' एको क माना गया है, अतः 'जलदपद' का जडज-मूर्खपुत्र, 'नयति-ले जो जाय' इस व्युत्पत्ति से 'नयन' पद का नेता-चौर और 'मृगयन्ति-जो खोज करे' इस व्युत्पत्ति से 'मृग' पद का गवेषक-सदा सावधान, अर्थ भी केवल योगशक्ति की रीति से होता है, जिनके अन्वय से उक्त द्वितीय वाक्यार्थ तैयार होता है । इस द्वितीय अर्थ का बोध व्यञ्जनावृत्ति के विना नहीं हो सकता, क्योंकि योगरूढपद रूढिशक्ति से अमिश्रित केवल योगशक्ति से अर्थ के बोध कराने में सर्वथा अक्षम होते हैं । अतः यह भी शब्दशक्तिमूलध्वनि का लक्ष्य है ।

योगरूढिस्थले केवलयोगशक्त्या नार्थान्तरप्रतीतिरिति स्वाभिमत सिद्धान्तैश्च अन्याचार्यमतैः सवादयति—

अतएव पङ्कजादिपदेभ्यः पङ्कजनिकर्तृत्वेन कुमुदाद्युपस्थितिर्लक्षणयैवेति नैयायिका मन्यन्ते । अतएव च 'ईशानो भूतभव्यस्य स एवाद्य स उ श्वः' इति वेदान्तवाक्ये किमैश्वर्यविशिष्टं कश्चिज्जीवोऽत्र प्रतिपाद्यते उतेश्वर इति संशये

जीव एवेति पूर्वपक्षे च 'शब्दादेव प्रमित' इति नूत्रितमुत्तरमीमासाकारैर्वाङ्मया-  
णचरणे ( ब्रह्मसूत्रे १।३।२५ ) ।

अत एवेति। योगार्थमात्रयोगरूपशब्दादलाभादेवेत्यर्थः । अथ भावः—यत् योगरू-  
पशक्तिविशिष्ट पङ्कजपद पङ्कजनिकृत्वविशिष्ट स्मरणमेव वाच्यमृत्वा ननुपस्थापयितुं क्षमते,  
न केवलयोगमर्थाद्या पङ्कजनिकृत्वमुदादि अतस्त्वनुपस्थिति विज्ञोपिता चेतत्रापि पङ्क-  
जपदस्य लक्षणा नमाश्रयणीयेति नयायिज्ञाना मन्तव्यम् । न केवल नैयायिकैरेव नमर्थितोऽयं  
मिदान्त, अपि तु वेदान्तिभिरपि उच्यते—अत एव चेति । उक्त एवार्थः । 'ज्ञान  
रूपस्य 'अङ्गुष्ठमात्रं पुरुषो ज्योतिरिवा प्रमक' इत्यादिग्रन्थः । कठवल्लीस्यमिदम् ( चतुर्-  
वर्ती । १३ ) । 'अथ वर्तमानकाले न एव प्रपुष्पमात्रं उच्यते विवेकविशिष्टं भूतभव्यस्य  
ज्ञानं अस्ति । श्वो भविष्यकाले न एव भवितेत्यर्थः । अस्मिन् वेदान्तवाक्ये ऐश्वर्य-  
विशिष्टस्य स्मरणन ज्ञानं प्रतिपादनमुत् ऐश्वर्येति न गतम् । अत एव, अङ्गुष्ठपरिमाणस्य  
लिङ्गस्य प्रमाणभवात् इति पूर्व पक्षः । तत् मिदान्तार्थं भगवान् वाङ्मयायण 'शब्दा-  
देवेति नूत्रमन्वयत, तस्यायमाशयः—परमान्मवात्र प्रतिपाद्य इति प्रमितम्, कुत,  
शब्दादेव, 'ज्ञानशब्दादिति तदर्थः । 'ज्ञानशब्द' परमान्मनि योगरूपा, अतः केवलयोग-  
मर्थाद्या ऐश्वर्यविशिष्टजावस्य ततो बोधो न स्यात्, 'शब्दयोगपरिमाणान् । ननु अङ्गुष्ठ-  
मात्र इति लिङ्गस्य परमान्मनि विरोध इति चेत् ? नन्यम्, जीवे 'ज्ञान इति श्रुतिरेव  
भिरुक्तम् । लिङ्गानुचोर्विरोधे च श्रुतेरेव प्राबन्ध्यम्, 'श्रुतिलिङ्गवाच्यप्रकरणस्थानयमार्याना  
पारदौर्बन्धनमर्थविप्रकर्यादिति' जैमिनिमूत्रान् । अङ्गुष्ठमात्रजावानुवादेन ब्रह्मभेदप्रतिपादन-  
परतया अङ्गुष्ठमात्रत्वलिङ्गयानुपपत्तिरपि परिहर्तुं शक्या इति ।

अथ ग्रन्थकार 'योगरूपपद, केवल योगशक्ति से किसी अर्थ का बोध नहीं कराता  
है' इस स्वमममत सिद्धान्त में अन्य भाचार्यों की सम्मति दिखलाते हैं—अनप  
इत्यादि से। योगरूपाशक्तिवाला 'पङ्कज' पद, जिस लिये पङ्क से जन्म ग्रहण करनेवाले कमल  
का ही अभिधा द्वारा बोधक होता है, केवल योगशक्ति द्वारा पङ्क से जन्म ग्रहण  
करनेवाले कुमुद आदि का नहीं, अतएव यदि कहीं पङ्कजपद से कुमुद आदि का बोध  
कराना अभीष्ट रहता है, तो उसके लिये पङ्कजपद में कुमुद आदि अर्थ की लक्षणा  
नैयायिक लोग मानते हैं। इसी तरह वेदान्ती विद्वान् भी योगरूपपद से केवल  
योगार्थ का बोध नहीं मानते हैं। देखिए—कठवल्ली नामक शाखा में 'अङ्गुष्ठमात्रं पुरुषो-  
ज्योतिरिवाधूमक' अर्थात् निर्धूम अग्निज्योति के समान अङ्गुष्ठप्रमाण एक पुरुष है'  
इत्यादिरूप से आरम्भ करके 'ईशानो भूतभव्यस्य' इत्यादि मूलोक्त वाक्य कहा  
गया है। जिसका अर्थ यह है कि आज—वर्तमानकाल में अङ्गुष्ठमात्र प्रमाणवाला यह  
पुरुष ही भूत और भावी का ईशान अर्थात् मालिक है और भविष्यकाल में भी वही  
मालिक रहेगा। यहाँ यह सन्देह होता है कि यह ऐश्वर्यशाली किसी जीव का वर्जन न  
अथवा परमात्मा परमेश्वर का? इसके उत्तर में पहले यह कहा गया कि जीव का, क्योंकि  
अङ्गुष्ठ प्रमाणरूपविद्य परमात्मा में नहीं हो सकता। तदनन्तर उक्त सन्देह का निराकरण  
करने के लिये उत्तरमीमासा ( ब्रह्मसूत्र ) का भगवान् वेङ्क्याय ने मिदान्तभूत  
'शब्दादेव प्रमित' यह सूत्र घनाया। जिनका अर्थ यह है—कि उक्त उपनिषद् वाक्य में  
परमात्मा का ही वर्जन किया गया है जीव का नहीं, यह बात 'ज्ञानशब्द से ही  
प्रमित—व्यापाररूप में निश्चित है। सूत्रकार का आशय है कि 'ज्ञानशब्द परमात्मा  
अर्थ में योगरूप है, अतः केवल योगमर्थादा से ऐश्वर्यशाली जीव का बोधक यह नहीं  
हो सकता है। यहाँ यदि कोई यह आपत्त करे कि भगवान् वेङ्क्याय का उक्त वाक्य  
कैसे संगत हुआ, क्योंकि 'ज्ञानशब्द का परमात्मा अर्थ करने पर 'अङ्गुष्ठमात्र प्रमाण' यह

लिङ्ग विरुद्ध हो जाता है ? इसका समाधान यह है कि परब्रह्म अर्थ करने पर लिङ्ग विरोध होता है, पर जीव अर्थ करने पर तो 'ईशान' यह श्रुति ही विरुद्ध हो जाती है। ऐसी स्थिति में श्रुति का अनुरोध करना ही उचित है लिङ्ग का नहीं, क्योंकि—सूत्रकार जैमिनि ने श्रुति, लिङ्ग, वाक्य, प्रकरण आदि में उत्तरोत्तर को दुर्बल माना है।

उपसहरति—

तस्मादर्थान्तरमिह न शक्तिवेद्यम् अपि तु व्यक्तिवेद्यमेव ।

तस्मादिति । रूढेर्योगापरित्वादेवेत्यर्थ । अर्थान्तरम् केवलयोगमर्यादाप्राप्तम् ।

इह अबलानामित्यादौ । शक्तिवेद्यमिति । शक्त्या योगरूढिशक्त्या वेद्य ज्ञेयमित्यर्थ । व्यक्तिवेद्यमिति । व्यक्त्या शब्दशक्तिमूलव्यञ्जनया ज्ञातव्यमिति भाव ।

प्रकृत प्रसङ्ग पर स्वमत का उपसहार करते हैं—तस्मात् इत्यादि से । उक्त विवरणों से यह सिद्ध होता है कि 'अबलानाम् ...' और 'चाञ्चल्य' इत्यादि, योगरूढ-पदरचित पद्यों में जो दूसरे—अप्राकरणिक अर्थ प्रतीत होते हैं, वे अभिधा के द्वारा नहीं, अपि तु व्यञ्जना के द्वारा ज्ञात होते हैं ।

ननु शक्त्यवेद्यत्वेऽपि लक्षणावेद्यत्वमेवास्तु किं व्यञ्जनयेत्यत आह—

यथाश्रुतार्थस्यैवोपपत्तेर्बाधाभावेन लक्ष्यमित्यपि न शक्यं वक्तुम् । तात्पर्यार्थबोधस्तु तदर्थबोधोत्तरं बोध्यः । स एव तु कथं स्यादित्युपायोऽयं विचिन्त्यते । नह्यपहर्तृ-व्यवहारो वक्त्रा विवक्षित इति श्रोतुर्बोधे कश्चिदु-पायोऽस्ति ऋते सहृदयहृदयोन्मिषितादस्माद्वापाराः

यथाश्रुतार्थस्येति । श्रुतं शब्दमिति यावत् अनतिक्रम्य प्रवर्तते इति तादृशो योऽर्थ तस्येत्यर्थ । श्रुतशब्दस्वारस्यसिद्धार्थस्येति यावत् । वाच्यार्थस्येति परमार्थ । उपपत्तेरिति । अन्वयबोधसिद्धेरिति भाव । बाधाभावेनेति । अन्वयायोग्यत्वविरहेणेत्यर्थ । अयं भाव — 'अबलाना श्रियम्' इत्यादौ 'नायिकाना शोभा हृत्वा विद्युतो मेघै सह रमन्ते' इति रीत्या तत्तत्पदार्थस्यान्वयसभवे, मुख्यार्थबाधतद्योग-रूढिप्रयोजनान्यतररूपलक्षणाकारणघटक-मुख्यार्थबाधात्मककारणविरहेण तत्र 'अशक्ताना धनमपहृत्य वारिवाहकै पुरुषै सह पुश्वत्यो रमन्ते' इति प्रतीयमानार्थादौ तद्वाक्यस्य तद्वाक्यघटकपदानां बालक्षणा न सभवतीति ।

ननु अन्वयानुपपत्तिर्न लक्षणाबीजम् 'काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम्' नक्षत्र दृष्ट्वा वाच विसृजेत्' इत्यादौ लक्षणानुपपत्तेरिति तात्पर्यानुपपत्तिरेव लक्षणाबीजमकामेनाऽप्यङ्गीकार्यम् । तथा च प्रकृतेऽपि वक्तुर्द्वितीयार्थविषयकतात्पर्यस्यानुपपत्तिरस्तीति सभवति तत्र लक्षणेत्यत आह— तात्पर्यार्थेति । द्वितीयार्थेति तदर्थ । तदर्थेति । योगरूढिलभ्यार्थेत्यर्थ । स इति । द्वितीयार्थ-बोध इत्यर्थ । अयमिति । व्यञ्जनाङ्गीकाररूप इत्यर्थ । अपहर्तृव्यवहार 'चाञ्चल्ययोगि' इति पद्ये चौरव्यवहार । ऋते विना । सहृदयेति । सहृदयानां काव्यार्थभावनापरिपक्व-बुद्धीनां सचेतसहृदयेभ्य उन्मिषितात् उत्थितात् इत्यर्थ । सहृदयगृहीतादिति यावत् । अस्माद् व्यञ्जनारूपात् । चाञ्चल्ययोगीत्यादौ प्रथमार्थप्रतीतिवैलाया यदि 'अपहर्तृव्यवहारोऽत्र वक्त्रा विवक्षित' इति तात्पर्यं श्रोतुर्विदितमभविष्यत्, तदा तदनुपपत्तिमूलकं लक्षणा तत्रार्थं कर्तुं श्रोताऽपारमिष्यत्, परन्तु तत्तात्पर्यार्थज्ञानार्थमेव व्यञ्जनाव्यापारस्वीकार इति निदमिह व्यञ्जनाया आवश्यकत्वम् । अपरस्तु तद्ज्ञानसाधकं उपायो नास्त्येवेति भाव ।

अयं लक्षणा से भी उक्त स्थलों में अप्राकरणिक अर्थ का बोध नहीं हो सकता, यह दिखलाते हैं—प्रयास्यत इत्यादि से । अभिप्राय यह है कि नैयायिकों की तरह लक्षणा से ही

योगरुटि स्थल में अप्राकरगिक अर्थ का बोध मान लेने की बात भी सगत नहीं हो सकती, क्योंकि मुख्य अर्थ का बाध रहने पर ही लक्षणा होती है और वहाँ मुख्य अर्थ का बाध नहीं रहता, अर्थात् 'अवलानां धियम्' इत्यादि पूर्वोक्त पदों में 'नायिका-ओं की शोभा का अपहरण करके विजलियाँ मेवों के साथ रहती हैं' इत्यादि रीति में जब वाच्य अर्थ का अन्वय हो ही जाता है, तब लक्षणा का प्रसंग ही वहाँ कैसे उठ सकता है ? क्योंकि लक्षणा के कारणों में एक मुख्य अर्थ का अन्वय न हो सकना (बाध) भी है। यदि आप कहें कि 'काकों से दही की रक्षा कीजिए' इत्यादि स्थलों पर अन्वय की अनुपपत्ति न रहने पर भी लक्षणा होती है अतः तात्पर्य की अनुपपत्ति ही लक्षणा का कारण है अन्वय की अनुपपत्ति नहीं, फिर तो उक्त योगरुटिस्थलों में लक्षणा हो ही सकती है, क्योंकि 'दुर्बल पुरुषों के धन का अपहरण करके कुलटायें जल टोनेवालों के साथ रमण करती हैं' इस अप्राकरगिक अर्थ में—जिसमें वक्ता का तात्पर्य है—अनुपपत्ति स्पष्ट है। रम प्रकार यह कथन भी आपका अज्ञानमूलक ही कहा जा सकता है, क्योंकि रम का तात्पर्य उक्त अप्राकरगिक अर्थ में है इसका ज्ञान ही श्रोता को पहले कैसे होगा ? उन्नी ज्ञान के लिये तो मैं व्यञ्जना मानने की सम्मति दे रहा हूँ और आप उन्नी व्यञ्जना का गणन करने के लिये लक्षणा की बात चला रहे हैं यह कैसे हो सकता है ? अर्थात् 'चाञ्चल्ययोगि' इत्यादि स्थलों में प्रथम अर्थ की प्रतीति के समय में 'चोरवाली वान भी वक्ता का विप्रतिष्ठ है' इस तरह का तात्पर्य श्रोता को यदि ज्ञात रहता, तो यह उक्त अर्थ की अनुपपत्ति से उक्त अर्थ में उक्त पद्यवचक एक वा अनेक पदों की लक्षणा कर भी सकता था, पर वह तात्पर्य ही श्रोता को प्रथमार्थ ज्ञानकाल में ज्ञात नहीं रहता। यदि उक्त तात्पर्यज्ञान के लिये उपाय का अन्वेषण करना चाहें तो व्यञ्जना की कारण लेनी पड़ेगी दूसरा कोई उपाय मिलेगा ही नहीं। और जब व्यञ्जना मान लेंगे तब लक्षणा की आवश्यकता ही नहीं रहेगी व्यञ्जना में ही उक्त अर्थ का बोध मित्र हो जायगा।

यथा प्रति-कान्तरापि तादृशस्त्वेषु न्नाश्रयणान्गित्याह—

अमन्वत्राप्युगम् ।

प्रागुच्यन्ति नरपिनाशिन्य प्रन्यत्रापि योगरुटिन्यले वाच्यप्रदर स्वस्मिन्वोते तिभेन गत्यनमन्गिति भावः ।

उक्त तरह योगरुटि पदों के द्वारा रचित अन्य काव्यस्थलों में भी चाहिए।

योगरुटिस्थले 'अवलानाम्' न्यादिषु त्रित्वावर्धप्रतान्यपत्याप दूरीकरोति—

तादृशार्थप्रतिपत्तिरेव नास्तीति तु गाढतरशब्दार्थव्युत्पत्तिमन्वृणीकृतान्त-ररणैर्न शक्यते वक्तुम् ।

तादृशेति । त्रित्वावर्धः । गाढतरेति । गाढतरस्या प्रन्यत्राधारणया कल्पयन्त्येति तात गत्यनमो व्यञ्जना शब्देन मत्सर्गाहृतानि चिह्नगाहृतानि व्यञ्जनावबोधमन्वृणीकृतान्ता-साधितान्ताति वाच्य प्रन्यत्रापि उच्यन्ते एतन्नास्ति तास्मान् गति प्रन्यार्थ, येन त्रित्वार्थः । 'अवलानाम्' न्यादिषु त्रित्वावर्धप्रतान्येति त एव वस्तु प्रन्यपत्ति ने प्रन्यत्रा-गन्तव्यमाश्रयणान्गित्या, ये तु गत्यनमन्ता पृष्ठा व्यञ्जनावबोधमन्वृणीकृतान्ते न तथा व्यञ्ज-रिति नर् ।

उक्त पदों में उक्त अप्राकरगिक अर्थों की प्रतीति होती ही नहीं है, ऐसा तो ये ही मान कर सकते हैं जो अक्षरज्ञ होंगे—चापदार्थमात्र को समझने की क्षमता रखते होंगे, अर्थात् जिन लोगों के हृदय दृग्द और अर्थों की गाढ़ी स्वरूपति में नैवे होंगे, वे कर्ना भी उक्त व्यञ्ज्य अर्थों का अपहरण नहीं कर सकते ।

इदानीम् 'अनेकार्थस्य शब्दस्य' इत्यादि मम्मटोक्तशब्दशक्तिमूलव्यञ्जनासंग्रहकारिकास्थाने भिन्नविधैव संग्रहकारिका कर्तव्येत्याह—

तथा चैत्थ संग्रहः—

‘योगरूढस्य शब्दस्य योगे रूढ्या नियन्त्रिते ।

धियं योगस्पृशोऽर्थस्य या सूते व्यञ्जनैव सा ॥’

योगरूढिशक्तिविशिष्टस्य पदस्य योगशक्तौ रूढिशक्त्या नियन्त्रिताया या वृत्तियोगशक्तिलब्धव्यस्यार्थस्य बोध जनयति, सैव शब्दशक्तिमूला व्यञ्जनेत्यर्थः । योगशक्तेर्नियन्त्रणश्चात्र ‘रूढियोगापहारिणो’तिन्यायेन कार्याक्षमत्वविधानमिति बोध्यम् ।

अथ स्वमतानुसारं शाब्दी (अभिधामूल) व्यञ्जना का लक्षण करते हैं—तथा इत्यादि से । योगरूढ पद की योगशक्ति जब रूढिशक्ति से ‘रूढियोगापहारिणो’ अनुसार नियन्त्रित कर दी जाती है—कार्याक्षम बना दी जाती है, तब योगशक्ति द्वारा लाभ करने योग्य अर्थ का बोध जिस वृत्ति से होता है, उसी का नाम है ‘व्यञ्जन अर्थात् शब्दशक्तिमूलाव्यञ्जना वही कहलाती है । अथ ऐसा ही संग्रह करना चाहिए न कि ‘अनेकार्थस्य शब्दस्य ’ इत्यादि मम्मटोक्त जैसा ।

मम्मटादिप्राचीनाचार्याणां हृदय स्फोरयति—

एवं स्थिते नानार्थस्थलेऽप्युपमायाः प्राकरणिकाप्राकरणिकार्थगतायाः प्रतिपत्तयेऽवश्यं वाच्यया व्यञ्जनयैवाप्राकरणिकस्याप्यर्थस्य प्रतिपत्तावलं क्लिष्टकल्पनयेत्याशयेन प्राचीनैरुक्तं नानार्थव्यञ्जकत्वमपि न दुष्यति ।

अवश्यं वाच्ययेति । अर्थापत्तेः प्रमाणान्तरत्वस्य सिद्धान्तेऽस्वीकारादिति भावः । क्लिष्टंति । नानार्थस्थलीयाप्राकरणिकार्थबोधाय प्राक् प्रतिपादितयेत्यर्थः । यद्यप्युक्तरीत्या नानार्थस्थले व्यञ्जना विनाप्यप्राकरणिकार्थबोधनिर्वाहः सम्भवति, तथापि नानार्थस्थलेऽपि प्राकरणिकाप्राकरणिकार्थवर्तिन्या उपमाया बोधाय साऽवश्यमङ्गोक्तव्या स्यादप्राकरणिकार्थस्य वाच्यत्वव्यवस्थापयद्भिरपीति तयैवाप्राकरणिकार्थबोधोऽपि स्वीक्रियताम्, तदर्थं पूर्वोक्ता क्लेशबहुला कल्पना वृथैवेति प्राचामभिप्रायो वर्णनीयः ।

अथ मम्मट आदि प्राचीन आचार्यों के प्रकृत प्रसंग पर प्रतिपादित मतों का जो मूलभूत सत्य रहस्य है उसका विश्लेषण करते हैं—एव स्थिते इत्यादि से । नानार्थक स्थल में अप्राकरणिक अर्थ का बोध व्यञ्जना से होता है यह प्राचीनों का मत है । उसकी जो स्थिति विश्लेषण करने पर होती है वह पूर्व सन्दर्भों में स्पष्ट हो चुकी है । अर्थात् युक्तिरूपी कसौटी पर परीक्षित होने से वह मत उज्ज्वल नहीं सिद्ध हो सका । तथापि एक बात उसमें सर्वथा सत्य है जो सबको मान्य होने योग्य है । वह यह है कि नानार्थक स्थल में अर्थद्वय का बोध अभिधा से सिद्ध हो जाने पर भी उन दोनों (प्राकरणिक तथा अप्राकरणिक) अर्थों की उपमा अभिधा से ज्ञात नहीं होती, किन्तु व्यञ्जना से ही । ऐसी स्थिति में जब कि वहाँ व्यञ्जना की कल्पना किसी न किसी तरह करनी ही पड़ी, तब उस व्यञ्जना से ही अप्राकरणिक अर्थ का भी बोध हो ही जायगा इस प्रकार व्यर्थं श्लेशप्रद अनेक कल्पनायें नहीं करनी पड़तीं, यह प्राचीनों का अभिप्राय नानार्थव्यञ्जनास्थल में भी दोषावह नहीं कहा जा सकता ।

प्राचीनोक्तनानार्थशक्तिनियामकान् सयोगादीन् निरूपयितुमुपक्रमते—

तत्र नानार्थशक्तिनियमनाय तैः संयोगादयो निरूपिताः—

‘सयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधता ।

अर्थः प्रकरणं लिङ्गं शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः ॥

नामध्व्यमौचिती देगं कालो व्यक्ति स्वरादयः ।

शब्दार्थस्यानवच्छेदे विरोपन्मृतिहेतवः ॥'

तत्रेति । निरूपिताया व्यक्त्यागमिन्यर्थः । तं प्राधान्यं । भर्तागमिनिमित्तवाग्यपर्यङ्ग-

प्रत्ययस्य कारिका । एते मयोगान्य शब्दार्थस्यान्वयच्छेदे नन्देते तदुक्ते ग्हातेषु विरोप-

न्मृतिहेतवो निरूपितव्ये च्यर्थः । उपनिन्दानामनेरेगान्तरत्वात्प्रार्थनात्पर्यन्तिगताग-

तन्मात्रार्थविवरणान्यवबोधनम् इति भावः ।

अथ प्रत्यकार नामार्थक शब्दों की शक्तियों के नियन्त्रण करनेवाले प्राचीनभिन्नत

मयोग आदि के निन्दन करने का उपक्रम करते हैं— १. शब्दादि मे । अप्राकरगिक अर्थ

की अभिव्यक्ति स्थलों में अनेक अर्थों की अभिधाशक्ति को रोकने के लिये—अर्थात्

अभिधाशक्ति को केवल अप्राकरगिक अर्थ का बोधक सिद्ध करने के लिये—प्राचीन

भाषाचार्यों ने जिन 'मयोग' आदि (१५ प्रतिबन्धकों) का निरूपण किया है वे इस प्रकार हैं—

१ मयोग, २ विरोध, ३ साहचर्य, ४ विरोध, ५ अर्थ, ६ प्रकरण, ७ लिट्, ८ अन्य

शब्दमगिति, ९ नामध्व्यं, १० क्षौबिद्य, ११ देग, १२ काल, १३ व्यक्ति, १४ स्वर,

और १५. आदिपदप्रत्यय चेटा । ये सब 'हम शब्द का यहाँ क्या अर्थ है' हम तरह के

सन्देह होने पर निर्णय के कारण होते हैं । अर्थात् हम सबों के द्वारा श्रोता 'यका का

कौन सा अर्थ अभिमत है' हम बात का निर्णय करने में समर्थ होता है ।

हरिहरिगोत्रान् मयोगान्निन्दन्तो व्यानित्यागुगर्तो प्रयमोन् मयोग व्याचरे—

तत्र—

मयोगो नामार्थशब्दशक्यान्तरपृत्तितया अप्रसिद्धत्वे सति तच्छब्दव्यवृत्ति-

तया प्रसिद्ध मन्वन्थः ।

यथा—'मशब्दचक्रो हरिः' इत्यत्र शब्दचक्रयोः मयोगो भगवन्मात्रनिष्ठतया

प्रसिद्धो भगवति हरिणाच्छब्दाभिधाया नियमेनावस्थापकः न त्वयुधत्वेनायुध-

नामान्यमयोगे पाशाङ्गादिमयोगो वा उल्लङ्घ्याभावात् । न चार्थो लिङ्गा-

न्तर्गत इति मन्तव्यम् । शक्यान्तरे नियमेनावृत्तेरेव प्रवृत्ते लिङ्गत्वान् । मशब्दच-

योस्त्रिन्द्यादिनापि कदाचिच्चारणमभावात् ।



तस्य सयोगस्य भगवति प्रसिद्धत्वविरहेण विशेषदत्तेन व्यावृत्तेः । दत्तद्वयाभावादिति । पूर्वोक्ते स्थलद्वये पूर्वस्मिन् प्रथमदलस्य द्वितीयस्मिन् द्वितीयदलस्याभावादित्यर्थः । नन्वेवं लिङ्गरूपनियामकान्तर्भाव एवास्य सयोगस्य, नेत्याह—नचासाविति । असा सयोगः । नियमेनावृत्तेरिति । कालत्रयावच्छिन्नश्रुतिशून्यत्वस्येत्यर्थः । प्रकृते अभिधानियाम कोक्तकारिकायाम् । लिङ्गत्वादिति । तत्त्वेन ग्रहणादित्यर्थः । शक्यान्तरे यस्य स्थिति कदापि न सभाविता तदेवात्र लिङ्ग विवक्षितम्, शङ्खचक्रसयोगस्तु न तथा तस्य इन्द्रादावप्रसिद्धत्वेऽपि कादाचित्कसभावनाविषयत्वात् ।

अथ उक्त शक्तिनियामक सयोग आदि की व्याख्या करने के प्रसङ्ग में सर्वप्रथम सयोग की व्याख्या करते हैं—तत्र सयोगो इत्यादि से । सयोग उस सबन्धविशेष को कहते हैं जो नानार्थक पद के किसी एक अर्थ में प्रसिद्ध हो, और उसी पद के अन्य अर्थों में अप्रसिद्ध हो । अर्थात् नानार्थक पद के जिस अर्थ के बोध को रोकना हो, उस अर्थ में जिसकी स्थिति लोकविख्यात नहीं हो और नानार्थक शब्द के जिस अर्थ के बोध को रोकना नहीं हो उस अर्थ में जिसकी स्थिति लोकप्रसिद्ध हो, ऐसे सब (संयोग, जन्यजनकभाव आदि) संबन्धों को यहाँ सयोग कहा जाता है, केवल काणाददर्शन-प्रसिद्ध संयोग को ही नहीं । उदाहरण देखिए—‘शङ्ख चक्र सहित हरिः’ इस वाक्य में ‘हरि’ शब्द नानार्थक है—अर्थात् उसके विष्णु, इन्द्र, सूर्य आदि अनेक अर्थ हो सकते हैं । परन्तु यहाँ हरि पद का अर्थ विष्णु ही होता है इन्द्र आदि नहीं, क्योंकि शङ्ख चक्र का संबन्ध (संयोग)—जिसकी स्थिति केवल विष्णु में ही प्रसिद्ध है, इन्द्र आदि में नहीं—हरिपद की अभिधाशक्ति को नियमितः विष्णुरूप अर्थ में ही केन्द्रित कर देता है । ‘आयुध-सहित हरिः’ इस वाक्य में हरिपद की अभिधा विष्णुरूप अर्थ में नियन्त्रित नहीं होगी क्योंकि, आयुध का संयोग विष्णु से भिन्न इन्द्र आदि अर्थ में भी अप्रसिद्ध नहीं है—अर्थात् इन्द्र आदि भी किसी न किसी आयुध (अस्त्र) का धारण करते ही हैं । इसी तरह ‘पाशा-अङ्कुश सहित हरिः’ इस वाक्य में भी विष्णु-अर्थ में हरि पद की अभिधा नियमित नहीं होगी, क्योंकि पाशाङ्कुश का संयोग विष्णु में प्रसिद्ध नहीं है । अर्थात् इन दोनों वाक्यों में हरि पद से इन्द्र आदि का भी बोध होता है । यहाँ यदि कोई यह शका करे कि लिङ्ग नामक जो एक नियामक गिनाया गया है उसी में यह सयोग भी अन्तर्भूत हो जायगा यतः शङ्ख-चक्र भी एक तरह से भगवान् विष्णु का चिह्न ही है ? तो यह युक्त नहीं होगा, क्योंकि यहाँ लिङ्ग से ऐसा चिह्न विशेष लिया जाता है जो—जिसका चिह्न बनाया हो—उससे अन्य में कभी (कालत्रय में) संभावित नहीं हो । शङ्खचक्र सयोग तो ऐसी चीज नहीं है, जो कभी विष्णु से भिन्न इन्द्र आदि में संभावित नहीं हो—अर्थात् शङ्ख चक्र का संयोग इन्द्र आदि में प्रसिद्ध भले ही न हो, पर इन्द्र आदि यदि उनका धारण कर लें तो उन्हें उससे कोई रोकेगा तो नहीं, अतः उन दोनों चीजों के सयोग की संभावना तो इन्द्र आदि में की ही जा सकती है ।

विप्रयोग व्याचष्टे—

विप्रयोगो विश्लेषः ।

यथा—‘अशङ्खचक्रो हरिः’ इत्यत्र तयोरेव विश्लेषस्तथा । अत्र हि विश्लेषनियत-पूर्ववर्तिनः सश्लेषस्य प्रागुक्तदलद्वयाक्रान्तत्वमपेक्ष्यते । तेनायुधसामान्यविभागः, पाशाङ्कुशादिविभागो वा न तथा । यद्यप्यत्र गुणतया वर्तमानस्तादृशसयोग एवाभिधानियमन्नायालम्, तथापि गुणप्रधानयोः संनिपाते प्रधानानुरोध एव



उपस्थिति में प्रधान का अनुरोध करना ही न्यायतः संगत है, अतएव विभाग को पृथक् नियामक माना गया। अर्थात् विभाग पदार्थ के पेट में संयोग यद्यपि आ जाता है तथापि प्रधान वहाँ विभाग ही रहेगा अतः विभाग को नियामक मानना ही उचित है अथवा—मानिए 'शङ्ख-चक्र-रहित हरि' इस वाक्य में भी संयोग को ही अभिधा नियामक, तथापि अभिधानियामकों की श्रेणी में पृथक् विभाग का ग्रहण यह दिखला के लिये किया गया है कि संयोग दो प्रकार से अभिधा का नियामक होता है—एक केवल संयोग के रूप में और दूसरा 'विप्रयोग' का विशेषण बनकर। वस्तुतः विप्रयोग पृथक् नियामक नहीं है।

साहचर्यं व्याकरोति—

साहचर्यमेकस्मिन् कार्ये परस्परापेक्षित्वम् ।

यथा—'रामलक्ष्मणौ' इत्यत्र लक्ष्मणसाहचर्यं रामशब्दस्य ।

कश्चिदेकलक्ष्मणमपि कार्यविशेषं सम्पादयितुं न प्रभवति, किन्तु कमप्यपरमपेक्ष्यैवेत्यकारिका तयोर्द्वयो परस्परापेक्षैव साहचर्यमित्यर्थः ।

उदाहरति—यथेति । रामशब्दस्येत्यस्याग्रेऽभिधानियामकमिति शेषो बोध्यः किमपि युद्धादि कार्यं रामो लक्ष्मणो वा मिथोऽपेक्षयैव कर्तुं शक्नोतीति तयो परस्परापेक्षात्मक साहचर्यं यद्यप्युभयत्र विश्राम्यति तथापि रामशब्द एव नानार्थको न लक्ष्मणशब्द इति 'रामलक्ष्मणौ' इत्यत्र लक्ष्मणसाहचर्यं रामपदस्याभिधा दशरथापत्ये नियमयति, तेन तत्र रामपदान्न परशुरामादेर्बोध इति भावः ।

अब 'साहचर्य' की व्याख्या करते हैं—साहचर्य इत्यादि से । किसी एक कार्य में दो व्यक्तियों की परस्पर अपेक्षा का नाम 'साहचर्य' है। जैसे—'राम और लक्ष्मण' इस वाक्य में 'राम' पद के—रघुनाथ, परशुराम, बलराम आदि अनेक अर्थ हो सकते हैं। परन्तु लक्ष्मण का साहचर्य (साथ-साथ युद्ध आदि करना) राम पद की अभिधा को रघुनाथ (दशरथ पुत्र) रूप अर्थ में नियन्त्रित कर देता है, अतः यहाँ 'राम' पद का अर्थ रघुनाथ ही होता है, परशुराम आदि नहीं। यद्यपि साहचर्य दोनों ओर से ही होता है—अर्थात् जैसे लक्ष्मण का साहचर्य राम में है, वैसे राम का साहचर्य भी लक्ष्मण में तथापि लक्ष्मण का साहचर्य ही नियामक हुआ क्योंकि राम शब्द ही यहाँ नानार्थक है, लक्ष्मण शब्द का अर्थ निश्चित ही है।

शङ्कते—

अथ किमिदं परस्परापेक्षित्वं यत्किञ्चित्कार्ये, सर्वेषु कार्येषु वा ? नाद्यः, घटाद्यव्यावर्तनाद्द्वयसाहचर्यस्यापि रामपदशक्तिनियामकतापत्तेः । न द्वितीयः, लक्ष्मणसाहचर्यस्यापि निवारणापत्तेः । पक्षद्वयेऽपि रामायोध्ये रघुरामावित्यत्रानियमापत्तेश्च ।

परस्परापेक्षित्वनाम द्विविधं सम्भवति, यत्किञ्चित्कार्याधिकरणकं सकलकार्याधिकरणकञ्च । तयो कौदशमिह तदभिप्रेतमिति अथेत्यादिप्रत्येनाशङ्क्य समाधत्ते—नाद्य इति । यत्किञ्चित्कार्याधिकरणकं परस्परापेक्षित्वमत्र नाभिप्रेतुं शक्यमित्यर्थः । कुत इति चेन्नत्राह—घटादीति । रामेण सह यत्किञ्चित्कार्याधिकरणकं साहचर्यं घटस्यापि सम्भवतीति तस्यापि रामघटौ इत्यत्र रामपदाभिधानियामकत्वं सर्वजनानभिप्रेतं प्रसज्येत इत्यर्थः । सकलकार्याधिकरणकमपि परस्परापेक्षित्वं न विवक्षितुमर्हमित्याह—न द्वितीय इति । तस्यानर्हत्वे हेतुमाह—लक्ष्मणेति । सकलकार्याधिकरणकं तल्लक्ष्मणस्यापि रामेण सह नास्ति, एकले-

नादि रामेन किन्ता र्नागा क्वादिनि त्दम माह्वयन्त्याप्यग्र्ये उमत्तम  
इत्यत्र त्दमत्तमात्रादिनापि रामपदाभिधानि नक्तानामनेतिरुपाम् ।

पञ्चमपाठानां शेषमा—पञ्चद्वयेऽप्यंति । प्रतीश्याय निर्जियत्वा रथोश्च रामर्जन-  
कालेऽप्यन्तत्वात् तौ रामेन सर्वत्र प्रविशन्ति तत्रैव रामेन त्वत्त्वात्तमेव 'रामायणे'  
रघुनामो इत्यादी रामपदमित्याया पानिज्जनन्वनेतिरुपाम् ।

माह्वयके समन्वये कृद्गतकार्ये उदाते है—यद्य ह्य्यादिसे । माह्वयके त्वरूप-  
निर्णय में जो परस्पर अपेक्षा की बात कही गई है उसका अभिप्राय—किमी एक कार्य में  
दो व्यक्ति परस्पर अपेक्षा करते हैं, अथवा सभी कार्य में दो व्यक्ति परस्पर अपेक्षा करते  
हैं उन दोनोंमें वरा है अर्थात् जो दो व्यक्ति किमी एक कार्यको माय-माय करते हैं, उन दोनों  
में माह्वयक समझा जायगा अथवा जो दो व्यक्ति सभी कार्य को माय ही करते हैं—  
कभी अलग होकर किमी कार्य को नहीं करते हैं, उनमें माह्वयक का जायगा । उदात्त—  
यहां एक भी पण टीक नहीं जैवता, क्योंकि प्रथमपण मानने पर घट कादि के माह्वयक को  
भी रामपद की अभिधा के नियमन से रोक नहीं जा सकेगा—अर्थात् 'राम और घट'  
ऐसे वाक्य में भी घट का माह्वयक राम पद की अभिधा को नियन्त्रित करने लगेगा—  
राम पद से किसी एक ही राम का बोध होने लगेगा, क्योंकि किसी एक कार्य—जब  
भरने कादि—में राम और घट की भी परस्पर अपेक्षा रहती ही है । द्वितीया पण को  
स्वीकृत करने पर त्दमत्त का माह्वयक भी राम पद की अभिधा का नियामक नहीं हो  
सकेगा—अर्थात् 'राम और त्दमत्त' इस वाक्य में जो द्वागन्धयुक्त राम का ही बोध  
होता है वह नहीं बन सकेगा, क्योंकि राम और त्दमत्त के भी सभी कार्य माय-माय  
नहीं होने, पृथक्-पृथक् भी वे दोनों कुछ कार्य को करते ही हैं अतः उन दोनों में भी  
माह्वयक सिद्ध नहीं हो सकेगा और दोनों ही पदों में 'राम और अपेक्षा' पदम् 'रघु  
और राम' इन वाक्यों में राम पद की अभिधा नियन्त्रित नहीं हो सकेगी अर्थात् इन  
वाक्यों में भी रामपद से जो द्वागन्धतत्त्व का ही बोध होता है वह नहीं बन सकेगा,  
क्योंकि अपेक्षा तथा रघु का राम के माय उक्त प्रकार का माह्वयक समन्वय है,  
अर्थात् माह्वयक उक्त माय-माय किमी एक कार्य के अथवा सभी कार्य को करने में  
माना गया है तब निर्जिव अपेक्षा और दिवगत रघु के माय वह राम का ही नहीं  
सकता है । इस तरह से माराण यह निकला कि माह्वयक का यह त्दमत्त समन्वय ही है ।

माह्वयक नियमनानाम् निरूपणम्—

न च नानार्थपदसमभिव्याप्तपदान्तरार्थस्य प्रसिद्ध न च तत्तत्तत् । न  
चैव जन्मन्व-दापन्व जन्मजनकभाव-स्वामिभृत्यभाव-स्वस्वामिभावादिरनेऽग्रिधः ।  
तेन रामत्तमनां । भक्तारामां रामदशरथां रामदाम्नां । रामारोप्ये, इत्यादी  
माह्वयक नियमनमिति वाच्यम् । त्दमत्तादिमत्तपदोपेक्षया चरुदिमत्तव्यत्या-  
विगिष्टतया मन्त्राद्यत्र इत्यत्रापि माह्वयकस्यैव नियमनतास्ते ।

प्रसिद्ध इति । न च तत्तत्तत् इति शेषः । तत् तत्तत्तत् । तत्तत्तत्तत् राम-  
त्तमत्तम् ( रामत्तम् तत्तत्तम् ) । तत्तत्तत् तत्तत्तत् तत्तत्तत्तत् प्रसिद्ध  
तत्तत्तत् तत्तत्तत्तत् । तत्तत्तत्तत् । तत्तत्तत्तत् । तत्तत्तत्तत् । तत्तत्तत्तत् ।  
तत्तत्तत्तत् तत्तत्तत्तत्तत्तत्—तेनेति । तत्तत्तत्तत् तत्तत्तत्तत्तत्तत्, तत्तत्-  
तत्तत् तत्तत् तत्तत्तत्, तत्तत्तत्तत् तत्तत् तत्तत्तत्तत्, तत्तत्तत्तत् तत्तत् तत्तत्-  
तत्तत्तत् । तत्तत्तत्तत् तत्तत्तत्तत्तत् तत्तत्तत्तत्तत् । तत्तत्तत्तत् तत्तत्तत्तत्तत्  
तत्तत्तत्तत् तत्तत्तत्तत्तत् तत्तत्तत्तत्तत् तत्तत्तत्तत्तत् तत्तत्तत्तत्तत् ।

राणा तस्य तस्यार्थस्य रामे प्रसिद्धा साहचर्यात्मका रामपदस्य दशरथापत्येऽभिधा नियमन्तीति भाव । उत्तरमाह—लक्ष्मणादीति । रामलक्ष्मणौ इत्यत्र रामपदसमभिव्याहृत लक्ष्मणपदार्थस्यैकजन्यत्वरूप संबन्धो यथा रामे प्रसिद्धस्तथैव सशङ्खचक्रो हरिरित्यत्रानानार्थहरिपदसमभिव्याहृतशङ्खचक्रपदार्थयो सयोगरूप संबन्धो हरौ प्रसिद्ध इति तयो संबन्धयोर्न किमपि वैलक्षण्यम्, एवञ्च सशङ्खचक्रो हरिरित्यत्रापि साहचर्यस्यैव नियामकं समवति पृथक् संयोगस्योपादानं व्यर्थमित्यभिप्राय ।

अथ साहचर्य का दूसरा लक्षण करके उसका भी खण्डन करते हैं—न च—इत्यादि से यदि यह कहा जाय कि 'साहचर्य' का वह लक्षण नहीं बन पाता तो न सही, या लक्षण हो सकेगा—नानार्थक पद के आगे या पीछे उच्चरित पद के अर्थ का नानार्थक पद व किसी एक अर्थ के साथ जो प्रसिद्ध संबन्ध वही 'साहचर्य' है । और वह सम्बन्ध—पुत्र-माता-पिता से जन्म ग्रहण करना, पति-पत्नी होना, पिता-पुत्र होना, स्वामी-सेवक होना तथा माल-मालिक होना, प्रभृति स्थान-भेद से अनेक प्रकार का होता है । अतः राम और लक्ष्मण, सीता और राम, राम और दशरथ, राम और हनुमान्, एवम् राम और अयोध्या इत्यादि सभी स्थानों में 'साहचर्य' राम पद का अभिधा-नियामक हो सकता है ( इ स्थानों में क्रमशः उक्त सम्बन्ध 'साहचर्य' रूप होते हैं, यह समझना चाहिए ) । परन्तु यह लक्षण भी सगत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस तरह (नानार्थक पद और उसमें निकटस्थित पद दोनों के अर्थों के प्रसिद्ध ) सम्बन्ध को आप 'साहचर्य' मानते हैं, उसी अनुसार लक्ष्मण आदि का जो राम के साथ सम्बन्ध है उसकी अपेक्षा शङ्खचक्र व जो राम के साथ सयोग-सम्बन्ध है उसमें कोई भेद नहीं है, अतः वह संयोग-सम्बन्ध भी इसके अनुसार साहचर्य कहला सकता है फिर 'शङ्खचक्र-सहित राम' इत्यादि स्थल में भी साहचर्य से ही रामपद की अभिधा का नियमन हो जाने के कारण 'सयोग' को पृथक् नियामक मानने से अन्यवस्था हो जायगी ।

उक्त साहचर्यस्वरूपस्वीकारेऽपि साहचर्यसयोगयोर्विषय-विभाग समवतीत्याशक्य निराकुरुते—

न च सशङ्खचक्र इत्यादौ यत्र संबन्धः सयोगरूपस्तत्राद्यस्य यत्र च संबन्धान्तरं तत्र तृतीयस्यावकाश इति वाच्यम्, संयोगस्यैव पृथक्कारे बीजाभावात् ।

आद्यस्य सयोगस्य । यत्र च रामलक्ष्मणौ इत्यादौ । संबन्धान्तरमेकजन्यत्वादिकम् । तृतीयस्य साहचर्यस्य । उक्तरीत्या सर्वेषु सम्बन्धेषु साहचर्यपदार्थतया वर्णितेषु, तत्र सयोगोऽप्यन्तर्मुक्त इति यद्यपि सत्यम्, तथापि सयोगस्थले सशङ्खचक्र इत्यादौ सयोगो नियामक, संबन्धान्तरस्थले रामलक्ष्मणौ इत्यादौ च साहचर्यं तथैत्येव विभजने सयोगसाहचर्ययोरुभयो कृतार्थता सम्भवतीति शकादलस्याशय । सर्वेषा संबन्धाना समानतया साहचर्यपदार्थान्तर्भावे प्रसक्ते किमिति सयोग एव पृथक् नियामकतया परिगण्यते ? संबन्धान्तरमेव कुतो न पृथक् क्रियते इत्यत्र कारण नास्तीत्युक्तमेव विभजनमित्युत्तरपक्षाभिप्रायो बोध्य ।

यदि आप कहें कि जहाँ नानार्थक पद के अर्थ के समीपवर्ती पद के अर्थ के साथ सयोग सम्बन्ध रहेगा वहाँ—'शङ्खचक्रसहित राम' इत्यादि स्थल में प्रथम नियामक (सयोग) का लक्ष्य मानेंगे और जहाँ उस तरह का सम्बन्ध संयोग से भिन्न होगा वहाँ—'राम और लक्ष्मण' इत्यादि स्थल में तृतीय नियामक (साहचर्य) का उदाहरण कहेंगे, तो यह भी समुचित नहीं क्योंकि जब सभी सम्बन्ध समान हैं, तब 'सयोग' सम्बन्ध को ही पृथक् नियामक मानने में कोई हेतु नहीं दृष्टिगोचर होता अर्थात् निर्हेतुक पृथक्करण की रीति से किसी भी सम्बन्ध का पृथक्करण किया ही जा सकता है ।

मन्वन्वित्प्रयुक्तं वाच्यं वाच्यं वाच्यं—

नच यत्र संयोगः शब्दोपात्तस्तत्र स एव नियामकः, यत्र तु मन्वन्विभात्रं न तु मन्वन्वित्प्रयुक्तं साहचर्यम् . अत एव मशह्चक्र इति संयोगस्य, रामलक्ष्मणा-  
यिति च साहचर्यस्योदाहरणमिति वाच्यम् : मलक्ष्मणो रामो विलक्ष्मणो राम  
इत्यत्र संयोगविभागयोर्गुणयोरप्रतीत्या साहचर्योदाहरणतायां प्रसक्त्या मशह-  
चक्र इत्यादेरपि तदुदाहरणताया एवौचित्यात् ।

मन्वन्विभात्रमित्यत्र शब्दोपात्तमित्युच्यते । मात्प्रत्ययान्तमित्यत्र—न विविति ।  
अत एवेति । तथा विभागोपात्तमित्यत्र । संयोगान्तमित्यत्र मन्वन्वित्प्रयुक्तं तन्म-  
न्यमित्यत्र तस्य मन्वन्विभात्रमित्यत्र तथाच न मन्वन्वित्प्रयुक्तं नियाम-  
कत्वं . यथा मशहचक्रस्य मशहचक्रेण न इति पदेन संयोग उपपन्नः । रामलक्ष्मणा-  
यित्यत्र मन्वन्वित्प्रयुक्तं न केनपि पदेनोपात्तम् । एतत् शब्दोपात्तत्वं संयोगस्यैव प्रयुक्तं  
उच्यते इति भावः । उदाहरति—मलक्ष्मण इत्यादि । प्रत्य भावः—संयोगविभात्रं न्यायस्य  
प्रसिद्धौ तु संयोग मलक्ष्मणो रामो विलक्ष्मणो राम इत्यत्र न प्रतीतिः परम्परसन्धि-  
प्रतीतिरिति पदेनोपात्तम् । रामलक्ष्मणा-  
यित्यत्र मलक्ष्मणो राम इति प्रयोगस्योपात्तत्वं लक्ष्म-  
णप्रतीतिरिति संयोगेन राम इति प्रतीतिरिति मन्वन्वित्प्रयुक्तं । एवं च संयोगप्रतीतिं विलक्ष्मणो राम  
इत्यत्र लक्ष्मणप्रतीतिरिति संयोगेन राम इति प्रतीतिरिति तथाच विभागस्य संयोगपूर्व-  
त्वात् । अतः तदनुपात्तमित्यत्र तस्य संयोगस्य प्रतीतिरिति तत्त्वं । एतत् तदु-  
दाहरणस्य मन्वन्वित्प्रयुक्तं न संयोगस्यैव नैव शब्दोपात्तत्वं । तथा च मशहचक्र इत्यादे-  
रपि मन्वन्विभात्रमित्यत्र संयोगस्यैव एव मन्वित्प्रयुक्तं । अत्रापि संयोगप्रतीतिं भवति माया ।  
इति । अत्र 'संयोगविभात्रं' प्रतीतिरिति मूल विवृत्तम् । 'मन्वित्प्रयुक्तं' पठित्वात्  
संयोगस्यैव मन्वित्प्रयुक्तं संयोगस्यैव विवृत्तं न वेति मन्वित्प्रयुक्तं मन्वित्प्रयुक्तं इति ।

अथ 'संयोग' को ही शृङ्खल करने में सीजका उद्भावन करके खण्डन करते हैं—  
इत्यादि में । यदि आप को कि जहाँ शब्द में संयोग मन्वन्वित्प्रयुक्तं कहा गया हो वहाँ संयोग  
को नियामक मानना चाहिए और जहाँ केवल मन्वन्वित्प्रयुक्तं ही शब्द में कहा गया हो वहाँ  
साहचर्य को नियामक मानना चाहिए । अत एव 'मशहचक्रे हरि' इस समूहन वाक्य  
में साहचर्य 'म' पद में और 'मशहचक्रमहित हरि' इस द्वितीय वाक्य में महित पद में  
संयोग मन्वन्वित्प्रयुक्तं के कहे जाने का कारण 'म' संयोग नियामक होगा और 'राम और लक्ष्मण'  
इस वाक्य में केवल मन्वन्वित्प्रयुक्तं (राम-लक्ष्मण) के शब्दों को कहे जाने के कारण—अर्थात् 'एत-  
त्त्वत्वात्' मन्वन्वित्प्रयुक्तं के शब्दों में नहीं कहे जाने के कारण—'साहचर्य' नियामक होगा—ने  
यह भी श्रुत ही है, क्योंकि संयोग और विभागन्यायस्य प्रसिद्ध एव प्रहरे के गुण है ।  
द्वितीय प्रतीति 'मलक्ष्मणो राम' 'विलक्ष्मणो राम'—अर्थात् 'लक्ष्मण-मन्वित्प्रयुक्तं राम' 'लक्ष्मण-  
महित राम' इन वाक्यों में नहीं होती, क्योंकि परम्पर मते नहीं रहने पर भी परदेन-  
मन्वित्प्रयुक्तं राम-लक्ष्मण में 'लक्ष्मण-मन्वित्प्रयुक्तं राम' केसा परदेन होता है और इस तरह में जब  
संयोग ही प्रतीति यहाँ नहीं होती यह बात सिद्ध हो गई, तब 'लक्ष्मण-मन्वित्प्रयुक्तं राम'  
यहाँ विभाग ही भी प्रतीति नहीं होती यह बात माननी पड़ेगी क्योंकि संयोग  
नियामक गुण ही नाम विभाग है । ऐसी स्थिति में इन दोनों स्थानों में साहचर्य को  
नियामक मानना होगा कि 'मशहचक्रमहित राम' यहाँ भी साहचर्य को ही नियामक  
मानना चाहिए होगा—अर्थात् ऐसे परदेन के लिये मशह और मशह ही नाम के शब्दों में  
संयोग रहना आवश्यक नहीं है अर्थात् रहने पर भी उस परदेन विभाग ही मशह

उदाहरण—मशहचक्र इत्यादि संयोगस्यैव मन्वित्प्रयुक्तं ।

है, अतः यहाँ भी संयोगगुण की प्रतीति नहीं ही होती है यही कहना पड़ेगा, क्योंकि संयोग की प्रतीति वहीं मानी जाती है जहाँ दो चीजें परस्पर सयुक्त रहती हैं।

शङ्कापक्षमुपसहरति—

इति चेत् ?

इतीति पूर्वोक्तसमाहक । साहचर्यस्य काऽपि व्याख्या सामञ्जस्यकरी नाभूत्, अथ च गतिरित्याशय ।

इस तरह से जब साहचर्य का एक भी लक्षण ठीक नहीं हो सका, तब—

सिद्धान्तयति—

उच्यते—संयोगशब्दस्य सम्बन्धसामान्यपरतया यत्र शब्दोपात्तं प्रसिद्ध सम्बन्धसामान्य शक्तिनियामकं तदाद्यस्य, यत्र तु द्वन्द्वादिगतं सम्बन्धेषु केवलस्तदा तत्साहचर्यस्योदाहरणमिति प्राचामाशयात् । इत्थं च सगाण्डीवोऽर्जुनः इति संयोगस्य, गाण्डीवार्जुनाविति साहचर्यस्योदाहरणम् ।

उच्यते इत्यस्य वक्ष्यमाणवाक्यार्थं कर्म । आद्यस्य संयोगस्य । द्वन्द्वादिगत इति । द्वन्द्वादिसमासघटक इत्यर्थः । केवल इति । शब्दोपात्त इति शेषः । अयमभिप्रायः—शक्तिनियामकेषु कथित संयोगशब्दं सम्बन्धसामान्यपरं । एवञ्च कोऽपि सम्बन्धो यत्र शब्दतो बोधितः प्रसिद्धश्च सन् शक्तिं नियमयति तत् संयोगस्योदाहरणम्, यथा सगाण्डीवोऽर्जुन इति । अत्र गाण्डीवस्य संयोगाख्य सम्बन्धः स शब्देन बोधितः सन् सहस्रबाहु-श्वेतगुण-त्तरविशेषयुधिष्ठिरानुजाद्यनेकार्थकस्यार्जुनशब्दस्याभिधा युधिष्ठिरभ्रातरि नियमयति । यत्र तु द्वन्द्वादिसमासघटकं प्रसिद्धं सम्बन्धेषु शब्दोपात्तं, न सम्बन्धः तत्साहचर्यस्योदाहरणम्, यथा गाण्डीवार्जुनौ इति । अत्र द्वन्द्वादिघटकतया प्रसिद्धं गाण्डीवार्जुनरूपं सम्बन्धी एव, अतो गाण्डीवसाहचर्यम् अर्जुनपदशक्तिनियामकमिति । अत्र 'प्राचामाशय' इत्युक्त्या स्वाशयं निषेधति प्रन्थकारः । अथैवं संलक्ष्यमाणो रामो विलक्ष्यमाणो राम इत्यादौ किं नियामकमिति चेत् ? साहचर्यमेव बोद्धव्यम् । प्रथमस्थले कस्यापि सम्बन्धस्य शब्दानुपात्तत्वेन द्वितीयस्थले च विभागस्याप्रतीत्या संयोगविप्रयोगोदाहरणताया असम्भवात् । 'रामलक्ष्मणौ इत्यत्र साहचर्येणोभयोर्युगपदेव नियमनमिति नान्योन्याश्रयः । साहचर्यसादृश्यसदृशयोरेव सहप्रयोगनियमात्' इति वैयाकरणसिद्धान्तमञ्जूषाया नागेशः ।

अब 'साहचर्य' के विषय में सिद्धान्तभूत बातों का प्रतिपादन करते हैं—उच्यते इत्यादि से । अभिप्राय यह है कि नियामकों की परिगणनवाली कारिका में संयोग का अर्थ न्यायप्रसिद्ध गुण नहीं है किन्तु सम्बन्ध-सामान्य अर्थात् सभी सवन्धः । ऐसी स्थिति में यदि आप कहें कि तब तो और विचित्र बात हो गई, क्योंकि साहचर्य का भी अर्थ आपने सम्बन्ध-सामान्य ही किया है, अब संयोग का अर्थ भी सम्बन्ध-सामान्य कर रहे हैं फिर संयोग और साहचर्य के पृथक्करण में कौन सा कारण होगा ? तो मैं कहूँगा—हाँ, है तो संयोग तथा साहचर्य दोनों का अर्थ सवन्ध-सामान्य ही, तथापि विभाग में भेद है और वह यह है कि—जहाँ कोई भी सम्बन्ध शब्द द्वारा प्रतिपादित होकर शक्ति का नियामक होता है वहाँ प्रथम अर्थात् संयोग का उदाहरण समझना चाहिए और जहाँ द्वन्द्व आदि समास के द्वारा केवल सवन्धी कहा गया रहता है वहाँ साहचर्य का उदाहरण समझना चाहिए यही प्राचीनों का आशय है । इस तरह से 'गाण्डीव-सहित अर्जुन' ऐसा कहने पर संयोग और 'गाण्डीव और अर्जुन' ऐसा कहने पर साहचर्य, अर्जुन पद की अभिधा का नियामक होगा अर्थात् इन दोनों स्थलों में क्रमशः संयोग और साहचर्य के सहयोग से अर्जुन पद का अर्थ पाण्डुपुत्र ही होगा कार्ववीर्य अर्जुन आदि नहीं ।





भिधानियमने भार्गवरूपरामपदार्थनिश्चय समपेक्षित, एव रामपदाभिधानियमने कार्त  
चौर्यरूपार्जुनपदार्थ-निश्चय आवश्यक, अन्यथा निरोधप्रतिसन्धानविरहात् तौ निश्चर्याः  
तयो पदयोरभिधानियमाधीनाविति ज्ञानाश्रयोऽन्योन्याश्रयोऽत्र दुर्वारः, अतो यत्रैकं प  
निश्चितार्थकमपरश्च नानार्थकतया सन्दिग्धार्थक तत्रैव विरोधिताप्रथमप्रभेदस्योदाहरण  
युक्तम्, यथा 'रामरावणौ' इत्यत्र रावणपदस्यार्थो निश्चित इति स्मृततद्विरोधप्रतिसंधाने  
नानार्थकस्य रामपदस्याभिधाया दशरथपुत्रे नियमनमि'त्याचष्टे ।

अब इस प्रसङ्ग पर खण्डन करने के लिये अप्पयदीक्षित के मत का अनुवाद करते हैं—यत्त इत्यादि से । दीक्षितजी अपने वृत्तिवार्तिक नामक ग्रन्थ में प्राचीनोक्त उदाहरण क  
खण्डन करते हुए कहते हैं कि—'राम ( परशुराम ) और अर्जुन ( सहस्रबाहु ) में वच्य  
घातकभाव ( मारनेवाला और मरनेवाला होना ) रूप विरोध है, अतः राम-अर्जुन क  
सहप्रयोग रहने पर एक दूसरे की अभिधा का नियामक होता है अर्थात् राम र  
परशुराम का ही बोध होता है दशरथपुत्र आदि का नहीं, इसी तरह अर्जुन से सहस्रबाहु  
का ही बोध होता है पाण्डुपुत्र आदि का नहीं यह जो प्राचीनों का कथन है वह ठीक  
नहीं, क्योंकि जब रामपद की अभिधा परशुराम में नियन्त्रित हो जायगी, तब उसके  
विरोध का अनुसन्धान होने पर अर्जुनपद की अभिधा का नियमन सहस्रबाहु में होगा  
और अर्जुनपद की अभिधा का सहस्रबाहु में नियमन हो जाने पर उसके विरोध क  
अनुसन्धान से रामपद की अभिधा का नियमन परशुराम में हो सकेगा, इस तरह र  
एक पद की अभिधा के नियमन में द्वितीय पद की अभिधा के नियमन की अपेक्षा होने  
के कारण 'अन्योन्याश्रय' दोष का प्रसङ्ग आ जाता है, अतः विरोधिता का वह प्राचीनोक्त  
उदाहरण असंगत है । अतः ऐसा समझना चाहिए कि जहाँ एकपद निश्चित अर्थवाला हो  
अर्थात् अनेकार्थक नहीं हो और दूसरा पद अनेकार्थक होने से अनिश्चित अर्थवाला हो,  
वहाँ निश्चितार्थक पद के अर्थज्ञान होने पर उसके विरोध में स्मरण से नानार्थक पद की  
अभिधा का जो नियमन होगा वही विरोधिता का उदाहरण है, जैसे—'राम और  
रावण' । अर्थात् यहाँ रावण पद का अर्थ निश्चित है, उसके विरोध के अनुसन्धान से राम  
पद की अभिधा दशरथ-पुत्ररूप अर्थ में नियन्त्रित होती है ।

दीक्षितोक्त निराचष्टे—

तत्र तावद्रामरावणयोरिति व्यवस्थातार्थान्यतरपदकमुदाहरणं विरोधि-  
ताया नियामकत्वस्य न युक्तम् । रामलक्ष्मणयोरित्यत्रेवात्रापि साहचर्यस्यैव  
नियामकत्वात् ।

तत्रेति । दीक्षितोक्तावित्यर्थः । तावत् आदौ । अनुपदमग्रे दोषान्तरमपि प्रदीयत  
इति भावः । व्यवस्थितार्थान्यतरपदकमिति । व्यवस्थितो निश्चित अर्थो यस्य तादृश-  
मन्यतरत् द्वयोरेक पद यत्र तथाभूतमित्यर्थः । नियामकत्वस्येत्यस्योदाहरणमित्यत्रा-  
न्वयो बोध्यः, 'रामरावणौ' इति विरोधिताया नियामकत्वस्योदाहरणमसंगतम्, 'रामलक्ष्मणा'-  
वित्यत्र यथा साहचर्यं नियामक तथैव प्रकृतेऽपि तदेव नियामकं सम्भवतीति पृथक् प्रसिद्ध-  
वैरात्मकविरोधिताया नियामकेषु गणनाया वैयर्थ्यात् इत्याशयः ।

अब दीक्षितमत का खण्डन करते हैं—तत्र इत्यादि से । दीक्षित का उक्त मत अयुक्त है,  
क्योंकि पहले उन्होंने प्रसिद्ध वैररूप विरोधिता का जो 'राम और रावण' यह उदाहरण  
दिल्लालाया है वही ठीक नहीं होता क्योंकि 'राम और लक्ष्मण' यहाँ जैसे साहचर्य  
नियामक होता है वैसे वहाँ भी साहचर्य ही नियामक हो सकता है ।

—अस्मि शान्तिरिति— वैश्वदेवमात्रस्य निगन्ति—

न च लक्ष्मणस्य चर्य रामस्य प्रसिद्धम् । न तु राज्यमाहचर्यमिति वाच्यम्  
प्रसिद्धतत्त्वन्वयस्त्वन्वयैव तत्त्वमाहचर्यपदार्थकत्वात् । पितृ-भ्रातृ-जायापत्य-  
भृत्य-नगरीणां भवन्वयस्यैव रिपो भवन्वयस्यापि लोकप्रसिद्धत्वात् ।

रामलक्ष्मणौ मात्रावत इति रामस्य लक्ष्मणस्य चर्यं प्रसिद्धम् । रामराज्यौ तत्र परि-  
पालयन्त इति राज्यमाहचर्यं रामे न तथा । तथा च स्य तत्र प्रत्येकं प्रत्येकं राज्यौ ग-  
त्य स्तारावेति शाराशब्दात्—प्रसिद्धेति ।

प्रसिद्धं तत्त्वन्वयं ( तत्र न च भवन्वय ) यस्य तत्त्वन्वयं च । अन्तेन मात्रावत  
प्रसिद्धं न राज्यं भवन्वय एव प्रत्येकानामराम लक्ष्मणाचार्यपदार्थं इति प्राण्यर्थमित-  
येत् । अथा यथा अन्तर्जनकभावसोऽङ्गत्वदानान्यस्वन्वयमिभावादि पितृभ्रातृजायापत्य-  
भृत्यनां प्रसिद्ध इति मात्राचर्यमित्यर्थवत्प्यराज्यभावान्तरं ज्ञाते भवन्वयोऽपि प्रसिद्ध  
इति तस्यापि मात्राचर्यमित्यर्थवत्त्वन्वय इत्येति भावः ।

दृष्टान्त और शार्थान्तिक में विषमता ही लाशका करके ठमका निराम करते हैं—न च  
इत्यादि । यदि आप कहें कि राम और लक्ष्मण साथ-साथ चलते फिरते थे, अतः राम  
में लक्ष्मण का साहचर्य ( साथ-साथ चलना ) प्रसिद्ध है, पर राम और राज्ञ तो कभी  
कहीं भी साथ साथ विचरण किए नहीं, अतः उन दोनों का साहचर्य सर्वथा अप्रसिद्ध है ।  
ऐसी स्थिति में राम-लक्ष्मण के दृष्टान्त में राम-राज्य में साहचर्य की नियामक घटना  
उचित नहीं, तो मैं कहूंगा कि यहाँ साहचर्य का अर्थ साहचरण आप गलत समझ रहे हैं,  
क्योंकि यहाँ साहचर्य का अर्थ दो व्यक्तियों का प्रसिद्ध जिन किसी तरह का भवन्वय ही है,  
न कि साहचरण यह पहले घटनाया जा चुका है तदनुसार जैसे, पिता भ्राता की पुत्र,  
मेरक और नगर का भवन्वय प्रसिद्ध होने के कारण साहचर्य कहलाता है, उसी तरह शत्रु  
का भी भवन्वय ( वष्यवातक भाव ) प्रसिद्ध होने से, साहचर्य कहला सकता है ।

मात्राचर्यमित्यर्थवत्त्वन्वय इति प्रसिद्धं रामलक्ष्मणौ इति तत्र मात्राचर्येण  
प्रसिद्धं तत्त्वन्वयमात्रं प्रसिद्धत्वेन न प्रतिरिक्तं श्रा—

एव स्थितेऽपि विरोधितायां पृथग्गणने मिश्रत्यादेरपि तथा गणनापत्तेः ।  
एव स्थितेऽपि । मात्राचर्यस्य नियमस्त्वन्वयस्यैव । मिश्रत्यादेरपि तत्र-  
विरोधितायां गणनापत्तेः । तत्रेति । पृथग्गणने । मात्राचर्येण मिश्रत्यादेरपि तत्र-  
विरोधितायां गणनापत्तेः । मिश्रत्यादेरपि तत्र-विरोधितायां गणनापत्तेः । न  
तत्र-विरोधितायां गणनापत्तेः । तत्रेति । पृथग्गणने । मात्राचर्येण मिश्रत्यादेरपि तत्र-  
विरोधितायां गणनापत्तेः । मिश्रत्यादेरपि तत्र-विरोधितायां गणनापत्तेः ।

उक्त स्थिति में भी यदि प्रसिद्ध वेरन्वय विरोध ही साहचर्य से पृथक् मात्रा ही मात्र,  
तब मिश्रण ५ दि ही भी पृथक्-अभिधानियामकी में गणना करनी पड़ेगी ।

—अस्मि शान्तिरिति—  
तत्त्वमाहचर्येणोदात्तमित्यत्त्वत्पुत्रावर्णनमप्युदात्तमेव ।  
तत्त्वमाहचर्येणोदात्तमित्यत्त्वत्पुत्रावर्णनमप्युदात्तमेव ।  
तत्त्वमाहचर्येणोदात्तमित्यत्त्वत्पुत्रावर्णनमप्युदात्तमेव ।  
तत्त्वमाहचर्येणोदात्तमित्यत्त्वत्पुत्रावर्णनमप्युदात्तमेव ।

अतः यहाँ कहना पड़ता है कि जैसे प्राचीनों के द्वारा दिया गया शिरोधिता का  
उदाहरण ( राम-लक्ष्मण की उन दोनों ही गति है ) समान है, ऐसे भावसे द्वारा शिरोधिता  
गया शिरोधिता का उदाहरण ( राम और राज्ञ ) भी समान ही है ।

दीक्षितोक्तमुदाहरण निरस्यसम्प्रति तत्सिद्धान्तमपि खण्डयति—

‘अन्यतरपदस्य व्यवस्थितार्थत्व एव’ इत्याद्यप्यसंगतमेव । हरिनागस्य त्यादावुभयोरव्यवस्थितार्थत्वेऽप्येकवद्भावाभिव्यक्तेन विरोधेन धर्मिविशेष विशेषितेनापि युगपद्धर्मिविशेषद्वयेऽभिधाया नियन्तु शक्यत्वात् ।

हरीति । हरिश्च नागश्चेति समाहारद्वन्द्वे ‘येषां च विरोधः शाश्वतिकः’ इत्येकवद्भावश्च एवाह—एकवद्भावेति । धर्मिविशेषाविशेषितेनेति । धर्मिविशेषेण=(विरोधस्य आश्रयीभूतेन केनापि प्राणिना अविशेषितेन अविशिष्टीकृतेनेत्यर्थः, अविशेषित इत्यस्वार्थणिजन्तात् क इति भावः । अथवा धर्मिविशेषेण सजातो विशेषो यस्य तेनेत्यर्थः तारकादित्वादितजिति भावः । उभयथाऽपि यस्य विरोधस्य धर्मी विशेषरूपेण नोक्तस्तद्व्येन विरोधेनेति तात्पर्यम् । युगपत् एकदैव, न तु क्रमशः । अयमभिप्रायः—यत्रैकपदेकार्थकतया निश्चितार्थकमपरञ्च नानार्थकतया सन्दिग्धार्थकम् ( यथा रामरावणौ इत्यत्र तत्रैव विरोधिताप्रथमभेदस्योदाहरणं सम्भवतीति यदुक्तं दीक्षितेन, तत्र विचारसहम्, हां नागस्य ( यत्र पदद्वयमपि नानार्थकम् ) इत्यत्र विरोधितया हरिनागपदयोरभिधाद्वयं क्रमशः सिंहगजरूपार्थयोरैकदैव नियमनदर्शनात् । नन्वेवमन्योन्याश्रयापातः कुतो नैवेत्त, तृतीयस्य विरोधव्यञ्जकस्यैकवद्भावस्य वर्तमानतया अन्योन्याश्रयविरहात् । एतं वाह—एकवद्भावाभिव्यक्तेत्यादिना । एकवद्भावश्च द्वयोः समानतयैव विरोधं प्रत्याययति, तु ‘अयं विरोधकर्ता अयञ्चविरोद्धव्य’ इति विशेषरूपेण । तदेव सूचयति—धर्मिविशेषेण न्यादिना । इति ।

दीक्षितोक्त उदाहरण का खण्डन करके अब उनके सिद्धान्त का भी खण्डन करते हैं—अन्यतर इत्यादि । दूसरे, आपने जो यह कहा है कि ‘दो पदों में कोई एक पद जब निश्चित अर्थवाला अर्थात् एकार्थक रहेगा, तभी प्रसिद्ध वैररूप विरोधिता से अभिधा का नियमन होगा’ यह भी अयुक्त ही है, क्योंकि ‘हरिनागस्य’ इत्यादि स्थल—जहाँ, दोनों पद अनिश्चितार्थक ही हैं—अर्थात् हरिपद के भी सिंह, विष्णु अश्व आदि अनेक अर्थ सम्भावित हैं, और नागपद के भी गज, सर्प आदि विविध अर्थ हो सकते हैं—में, प्रसिद्ध वैररूप विरोधिता से हरि और नाग पद की अभिधा क्रमशः सिंह तथा गजरूप अर्थों में एक ही बार नियन्त्रित होती है । यदि आप कहें कि अन्योन्याश्रय क्यों नहीं होता ? तो इसका उत्तर यह है कि क्रमशः दोनों पदों की अभिधा का नियन्त्रण करने पर अन्योन्याश्रय का अवसर हो सकता था, पर यहाँ एक ही बार दोनों पदों की अभिधा नियन्त्रित होती है, फिर अन्योन्याश्रय का अवसर ही कहाँ है ? दूसरी बात यह है कि दो के रहने पर ही अन्योन्याश्रय होता है, यहाँ तो विरोध को अभिव्यक्त करनेवाला तीसरा एक वचन (‘हरिनागस्य’ में षष्ठी विभक्ति का एक वचन) भी है अर्थात् ‘येषां च विरोधः शाश्वतिकः’ इस पाणिनि सूत्र से उक्त प्रयोग में द्वन्द्वसमासोत्तर एकवद्भाव हुआ है, जिससे हरि और नाग पद के अर्थों में शाश्वतिक विरोध अभिव्यक्त होता है और वह विरोध भी एकवद्भाव से दोनों में समानरूप से ही व्यक्त होता है, ‘यह विरोध करनेवाला है और इसका विरोध किया जाता है’ इस विशेषरूप से नहीं । यही बात भूल की ‘धर्मिविशेषाविशेषिता’ इस पङ्क्ति के द्वारा प्रतिपादित हुई है ।

दीक्षितोक्तमेवाशान्तरं दूषयति—

यदपि ‘रामार्जुनगतिस्तयो’रिति शब्दान्तरसन्निधेरुदाहरणम्, इति स एवाह । तदप्यसत् । त्वया निरूपिते शब्दान्तरसन्निधेरुदाहरणे ‘निपधं पश्य भृशृतम्’, ‘नागो दानेन राजते’, इत्यत्र चाभिधाया नियतविषयतां विनान्वय-



और दान का त्याग, अर्थ समझ लिया जाय, तब उन अर्थों की परस्पर संगति ही बैठेगी। परन्तु 'रामार्जुनगतिस्तयोः' इस वाक्य का यदि 'उन दोनों वर्णनीय व्यक्तियों राम और अर्जुन जैसी वीरता है' यह अन्य अर्थ भी कर लिया जाय, तथापि अन्व ही जाता है, फिर इस वाक्य को शब्दान्तरसन्निधि का उदाहरण आपने कैसे दिया ? अर्थात् परशुरामवाचक 'राम' पद के सन्निधान से 'अर्जुन' पद की सहस्र में और सहस्रवाहुवाचक 'अर्जुन' पद के सन्निधान से 'राम' पद की अभिधा परशु में नियमित होती है यह आपका तारपर्यं तब संगत होता, यदि आपके निजसः शब्दान्तरसन्निधि के उक्त उदाहरणों से मिलती-जुलती स्थिति यहाँ भी होती, ऐसी रि तो है नहीं, एक जगह नियन्त्रण के बिना अन्वय अनुपपन्न है, और दूसरी जगह उ बिना भी वह उपपन्न है, इस विलक्षणता के रहते दोनों जगह समानरूप से शब्दाः सन्निधि को ही नियामक मानना सर्वथा अनुचित है।

अथापि प्रतीयमाना 'रामार्जुनगतिस्तयो' रिति विरोधितोदाहरणस्यासंगतिमुद्ग निरस्यति—

एवमपि काव्यप्रकाशगतस्य 'रामार्जुनगतिस्तयो'रिति विरोधितोदाहः स्यासंगति' स्थितैवेति चेत् ? न, तयोः कयोश्चित्प्रसिद्धविरोधयो रामार्जुनः रामार्जुनसदृशी गनिराचरणमिति तदर्थवर्णने विरोधेन प्रस्ताववशात्प्रती युगपद्भार्गवकार्तवीर्ययो रामार्जुनशब्दाभिधाया नियमनस्योपपत्तेः ।।

एवमपीति । दीक्षितोक्तेरसगतावपीत्यर्थ । स्थितैवेति । अन्योन्याश्रयदोषस्य द तोक्तस्यानिरासादिति भाव । तदर्थेति । उदाहरणार्थेत्यर्थ । प्रस्ताव प्रकरणम् । पदिति । तथा च नान्योन्याश्रय इति भावः ।

'रामार्जुनगतिस्तयो' रित्यत्र दीक्षितोक्तान्योन्याश्रयदोषस्तदा सम्भवति, यदि विरोधोप- स्थापक किमपि तृतीय वस्तु न भवेत्, अपि च रामपदस्यार्थे भार्गवरूपे निर्णयिते स्मृतवद् विरोधप्रतिसंधानेनार्जुनपदस्य, एवम् अर्जुनपदस्य कार्तवीर्यरूपार्थे निश्चिते तद्विरोधप्रति- संधानेन रामपदस्य अभिधाया क्रमशो नियमनमभिप्रेत स्यात् । इह तु तन्नास्ति, किन्तु मूलोक्तार्थानुसारेण 'तयो'रितिपदद्वारा प्रकरण तृतीयमेव वस्तु विरोधमुपस्थापयति, तेन च युगपदेव भार्गवकार्तवीर्यरूपयोरर्थयो रामार्जुनपदाभिधानियमनमिति नान्योन्याश्र- यापातप्रयुक्ताऽऽसंगतिरित्याशयः ।

उक्त खण्डन-मण्डन के वाद भी विरोधिता के 'रामार्जुनगतिस्तयोः' इस उदाहरण में असंगति रहती ही है, इस शंका का उद्भावन करके उत्तर देते हैं—एवमित्यादि । यदि कोई कहे कि उक्तरिति से दीक्षित के मत का खण्डन हो जाने पर भी काव्य- प्रकाश में उक्त विरोधिता का 'रामार्जुनगतिस्तयो' यह उदाहरण तो संगत नहीं होगा अर्थात् दीक्षित ने जो वहाँ अन्योन्याश्रय दोष लगाया था, वह अभी भी वर्तमान ही है ? तो यह उचित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ अन्योन्याश्रय दोष तब होता यदि विरोध को उपस्थित करनेवाली कोई तृतीय वस्तु नहीं होती, और राम पद का परशु- रामरूप अर्थ निमित्त हो जाने पर उसके विरोध की स्मृति से अर्जुन पद की, एवम् सहस्रवाहुरूप अर्थ निमित्त हो जाने पर उसके विरोध की स्मृति से रामपद का अभिधा का क्रमश नियन्त्रण अभिमत होता, परन्तु यहाँ ऐसी बात है नहीं, क्योंकि उक्त वाक्य का अर्थ यहाँ यह है कि 'तयो अर्थात् उन दोनों प्रसिद्ध-वैरभाव वाले व्यक्तियों क रामार्जुनगति अर्थात् राम-अर्जुन के समान आचरण है।' इस तरह से 'तयो' पद से ज्ञात होनेवाला प्रकरण ( तृतीय वस्तु ) यहाँ विरोध को उपस्थित करता है, जिससे



अर्थाः सम्भवन्ति । परन्तु आतपपदार्थेन सह सहानवस्थानरूपा विरोधिता आतपभावरूप छायापदार्थस्यैवेति तथा विरोधितया छायापदस्याभिधा आतपभावरूपेऽर्थे नियम्यते इति भावः ।

अब 'विरोधिता' के द्वितीय भेद का उदाहरण दिखलाते हैं—सहान इत्यादि 'छाया और आतप' इस वाक्य में छाया शब्द के सूर्य-पत्नी, कान्ति, प्रतिबिम्ब और आतप क अभाव आदि अनेक अर्थ हो सकते हैं, परन्तु 'आतप' पद का जो निश्चित अर्थ धूप है उसके साथ 'सहानवस्थान' ( साथ-साथ नहीं रह सकना ) रूप विराध, आतपभाव रूप छाया पदार्थ को ही है, अतः उस विरोध से 'छाया' पद की अभिधा आतपभाव रूप अर्थ में नियन्त्रित हो जाती है ।

अर्थ निरूपयति—

अर्थः प्रयोजनं चतुर्थ्याद्यभिधेयम् ।

चतुर्थ्यादीति । अत्र तुमनादि आदिपदग्राह्यम् । चतुर्थ्यादिप्रतिपाद्य प्रयोजनमर्थ-पदार्थ इत्यर्थः ।

'अर्थ' की व्याख्या करते हैं—अर्थः इत्यादि । चतुर्थी विभक्ति आदि के द्वारा अभिहित होनेवाले 'प्रयोजन' को 'अर्थ' कहते हैं ।

उदाहरति—

यथा—'स्थाणुं भज भवच्छिदे' इत्यादौ भवच्छेदनादि स्थाणुपदस्य भवे । संसारयात्रानिवृत्त्यर्थं शिवमुपास्वेत्युदाहरणार्थः । छेदनादीत्यस्य प्रयोजनमिति शेषः । भवे । अभिधानियामकमिति शेषः ।

स्थाणुभजेत्युदाहरणो 'भवच्छिदे' इत्यत्रत्य चतुर्थीप्रतिपाद्य भवच्छेदनरूप प्रयोजन निश्शाखतरुशिवादिनानार्थकस्य स्थाणुपदस्याभिधा शिवे नियमयति, निश्शाखतरुभजनेन भवच्छेदरूपप्रयोजनासिद्धेरितिभावः ।

उदाहरण देखिए—जैसे 'स्थाणुं भज भवच्छिदे—अर्थात् संसार से छुटकारा पाने के लिए स्थाणु का भजन करो' इस वाक्य में 'स्थाणु' पद के शिव तथा शुष्क तरु दोनों अर्थ हो सकते हैं, परन्तु वक्ता का अभिलषित 'भवच्छेद'रूप प्रयोजन की सिद्धि शिव से ही सम्भव है शुष्कतरु से नहीं, अतः उक्त प्रयोजन से 'स्थाणु' पद की अभिधा शिव रूप अर्थ में नियन्त्रित होती है ।

शङ्कते—

नन्वर्थस्य लिङ्गात्को भेदः ? न च लिङ्गमनन्यसाधारणस्तद्धर्मः, अर्थस्तु तद्भजनादेः कार्यम्, न तु तद्गतो धर्म इति स्फुट एव भेद इति वाच्यम् भवच्छेदजनकभजनकर्मत्वस्य काष्ठावृत्तिभवधर्मत्वादिति चेत् ?

अनन्यसाधारण इति । अन्यस्मिन् विवक्षितादेकमादतिरिक्ते साधारणो यो न भवति—एकमात्रवृत्तिरिति यावत् ।

'अर्थ'निरूपणप्रकरणोक्ता सर्वेऽपि तच्छब्दा शिवबोधका । कार्यमिति फलमित्यर्थः । भवच्छेदजनकेति । भवच्छेदजनिकाया भजनक्रिया, तत्कर्मत्वस्य तज्जन्यफलाश्रयत्वस्यैत्यर्थः । काष्ठावृत्तीति । अनेनानन्यसाधारणत्व सूचितम् ।

भवच्छेदस्य शिववृत्त्यसाधारणधर्मत्वाभावेऽपि भवच्छेदजनकभजनकर्मताया काष्ठावृत्तितया शिवासाधारणधर्मत्वेन 'अनन्यसाधारण' शिवधर्म' शिवस्य लिङ्गम्, भवच्छेदकरूप-प्रयोजन तु शिवभजनस्य फल न तु शिववृत्तिधर्म' इति प्रकृतोदाहरणोलिङ्गार्थयोर्भेद इत्यस्य वक्तुमशक्यत्वेन कोऽत्र लिङ्गार्थयोर्भेद इति शकाशयो बोध्यः ।





प्राचीनाभिमत लिङ्गार्थयोर्वैलक्षण्य प्रदर्शयति—

लिङ्गत्वेकपदार्थः कोपादि, अनन्वित एव यः पदार्थान्तरेण प्रकृतशक्य-  
धर्मता शक्यान्तरव्यावृत्तां च भजते, उक्तधर्मस्तु न तथेत्यपि केचित् ।

एकपदार्थ इत्यस्यैव विवरण पदार्थान्तरेणानन्वित इत्यादि । कोपादिरिति । कुपितो  
मकरध्वज इत्यादाविति भाव । उक्त इति । भवच्छेदजनकभजनकर्मत्वरूप इत्यर्थ । न  
तथेति । पदार्थान्तरेणानन्वित प्रकृतशक्यधर्मो नेत्यर्थ । नानार्थस्थले येन केनापि पदा-  
र्थान्तरेणानन्वित सन् अभिमतशक्यवृत्तिरभिमतैतरशक्यावृत्तिश्च-अर्थात् एकस्यैव पद-  
स्यार्थभूत असमस्ताखण्डैकपदार्थ इति यावत् यो धर्म स लिङ्गम्, यथा कुपितो मकरध्वज  
इत्यत्र कोप । भवच्छेदजनकभजनकर्मत्वरूपो धर्मस्तु असमस्ताखण्डैकपदार्थो न परस्प-  
रान्वयवशेनैव तस्य तादृशाकारसम्पत्तेरिति न तस्मिन्मिति तयोर्भेदं केचिदाचक्षत इति  
भाव । अत्र 'केचिदि'त्यनेनारुचि सूच्यते, सा च तथाङ्गीकारे 'देवस्य त्रिपुराराते'रित्यत्र-  
देवपदाभिधानियमनानापत्तिप्रसङ्गरूपा बोध्या, त्रिपुरारातित्वस्याखण्डैकपदार्थत्वविरहेण लिङ्ग-  
त्वाभावात् । न च शब्दान्तरसन्निधेरुदाहरणमेतद्भवतीति वाच्यम्, पदद्वयस्य नानार्थक-  
त्वाभावेन 'नानार्थपदैकार्यमात्रससर्ग्यर्थान्तरवाचकपदमभिव्याहार'रूपायाः अन्यशब्द-  
सन्निधेरिहाप्रसगात् । न च 'नियतार्थकशब्दसामानाधिकरण्य शब्दान्तरसन्निधिरिति  
प्राचीनमतानुसारेण निस्तार, 'करणे राजते नाग' इत्यादावव्याप्त्या 'कुपितो मकरध्वज'  
इत्यादावतिव्याप्त्या च तादृशान्यशब्दसन्निधेर्निर्वक्तुमशक्यत्वात् । पण्डितराजमते तु  
लिङ्गोदाहरण तद्भवतीति तल्लक्षणानुसन्धानेन विज्ञेयम् ।

अब लिंग और अर्थ में प्राचीनाभिमत वैलक्षण्य का उल्लेख करते हैं—लिंग तु इत्यादि ।  
प्राचीन विद्वान् उक्त आशका का समाधान इस प्रकार देते हैं—लिंग उसको कहते  
हैं जो एक पद का अर्थ हो,—अर्थात् जो किसी अन्य पद के अर्थ से अनन्वित न होकर  
ही नानार्थक शब्द के अभिमत अर्थ में रहता हो और अनभिमत अर्थ में नहीं रहता  
हो । जैसे—'कुपितो मकरध्वज' इत्यादि स्थल में कोप आदि, क्योंकि 'कोप' कुपितरूप  
एक पद का अर्थ है, और मकरध्वजपद के अभिप्रेत कामदेवरूप अर्थ में रहता है,  
तथा उस पद के अनभिप्रेत अर्थ मकराकारध्वजारूप अर्थ में नहीं रहता है । पूर्वोक्त  
भवच्छेदजनक भजन कर्मत्वरूपधर्म तो किसी एक पद का अर्थ नहीं है अपि तु अनेक  
पदों के अर्थों का मिलितरूप है, अतः वह लिंग नहीं कहा जा सकता ।

प्रकरण निरूपयति—

प्रकरण वक्तृश्रोतृबुद्धिस्थता ।

वक्ता च श्रोता चेतद्वन्द्व, तयो बुद्धयो तिष्ठति यत्, तदभाव इत्यर्थ, वक्तृश्रोतृज्ञान-  
विषयतेतियावत् । प्रकरण प्रस्ताव इत्यनर्थान्तरम् ।

अब 'प्रकरण' की व्याख्या करते हैं—प्रकरण इत्यादि । वक्ता और श्रोता दोनों की  
बुद्धि में किसी वस्तु का रहना प्रकरण कहलाता है । प्रकरण का दूसरा पर्यायवाची  
शब्द प्रस्ताव है ।

उदाहरति—

यथा—राजानं सर्वोध्य केनचिद्भृत्येनोक्ते 'सर्वं जानाति देव.' इति वाक्ये  
देवपदस्य युष्मदर्थे ।

युष्मदर्थे इति । सर्वोध्ये राजनि इत्यर्थ, सर्वोध्यस्यैव युष्मदर्थत्वात् । इतः अत्रे-  
भिमानियमनमिति शेष । प्रकरण देवपदस्याभिधा युष्मदर्थे नियमयतीति भाव ।



अर्थात् । नागपदस्य गजसर्पौ वाच्यौ । अतस्तत्पदद्वयमपि नानार्थकम् । अत्र करपदस्य शुण्डातिरिक्ते नागपदस्य च गजातिरिक्तेऽर्थे स्वीकृते परस्परमन्वयासभवेन वाक्यार्थासपत्तिरिति उक्तरूपो नागपदसमभिव्याहार करपदस्य तादृशकरपदसमभिव्याहारश्च नागपदस्य क्रमशः शुण्डादण्डे गजे चाभिधा नियमयतीति साराशः ।

उदाहरण दिखलाते हैं—यथा इत्यादि । पाणि, हाथी का सूँढ़ और किरण इन तीनों अर्थों में समानरूप से 'कर' पद की अभिधा ज्ञात होती है । इसी तरह 'नाग' पद की अभिधा भी हाथी और सर्प इन दोनों ही अर्थों में एक ही तरह त्रिदित होती है, अतः 'करेण राजते नाग' अर्थात् नाग कर से शोभित होता है' इस वाक्य में 'कर' और 'नाग' दोनों ही पद अनेकार्थक हैं । अब यहाँ यदि 'कर' पद के 'सूँढ़' से अन्य हाथ या किरण आदि अर्थ किये जाँय, इसी तरह 'नाग' पद का हाथी से अन्य सर्प अर्थ लिया जाय, तब उन अर्थों में परस्पर अन्वय नहीं बन सकेगा, जिससे वाक्य का कुछ अर्थ ही सम्पन्न नहीं होगा, अतः 'नाग' पद की सन्निधि से 'कर' पद की 'सूँढ़' में और 'कर' पद की सन्निधि से 'नाग' पद की 'हाथी' में अभिधा नियमित हो जाती है । इसी से उक्त वाक्य का यहाँ 'सूँढ़' से हाथी शोभित होता है' ऐसा ही अर्थ अवगत होता है ।

अत्रापाततो जायमानामन्योन्याश्रयभ्रान्तिं निराकरोति—

नचात्रैकशब्दशक्तिनियमनपरशब्दशक्तिनियमोऽपेक्षते येनान्योन्याश्रयः स्यात्, किंतु करनागशब्दयोरर्थान्तरग्रहणेऽन्वयानुपपत्त्या युगपदेव शक्तिर्नियम्यते ।

नचेति । नहीत्यर्थः । अर्थान्तरेति । हस्तसर्पेत्यर्थः । 'करेण राजते नाग' इत्यत्र 'रामार्जुना' वित्यत्रेव करशब्दशक्तिनियमो नागशब्दशक्तिनियमन नागशब्दशक्तिनियमो वा करशब्दशक्तिनियमन नापेक्षते अपि तु करनागशब्दयोर्हस्तसर्पादिरूपेऽर्थे गृह्यमाणे प्रसज्यमानयाऽऽन्वयानुपपत्त्या युगपदेवोभयो पदयोः शक्तिर्नियम्यत इति नान्योन्याश्रयावसर इति भावः । वृत्तिवार्तिकेऽप्यदीक्षितस्तु "न ह्यत्र समभिव्याहृतशब्देन तदर्थप्रतिपादनमभिधानियमनायापेक्ष्यते, किंतु स्वार्थेन गृहीतससर्गोऽर्थे व्युत्पन्नो य' शब्द तत्समभिव्याहारमात्रम् । तथा च यथा सबन्धिदर्शनात् सबन्ध्यन्तरस्मृतिस्थले गृहीतसबन्धस्य सबन्धिनो दर्शनमात्र सबन्ध्यन्तरस्मरणायापेक्ष्यते, न तु तद्दर्शान्तर तत्सबन्धस्मरणमपीति नान्योन्याश्रय, तथेहापी" त्यादिरमणीयमाख्यत् ।

अथ, यहाँ आपाततः प्रतीत होनेवाली अन्योन्याश्रय-दोष भ्रान्ति का निराकरण करते हैं—न च इत्यादि । 'अन्यशब्द-सन्निधि' का जो उदाहरण पूर्व में दिखलाया गया है, उसमें 'कर' शब्द की अभिधा के नियमन में 'नाग' शब्द की अभिधा का नियमन अपेक्षित नहीं है और न 'नाग' शब्द की अभिधा के नियमन में 'कर' शब्द की अभिधा का नियमन अपेक्षित है, क्योंकि 'कर' और 'नाग' पद के क्रमशः 'सूँढ़' और 'हाथी' से अन्य अर्थ ( किरण तथा सर्प आदि ) ज्ञात हो जाने पर परस्पर अन्वय के ही असंभव हो जाने से एक साथ ही दोनों शब्दों की अभिधा नियमित होती है, अतः एव यहाँ अन्योन्याश्रय दोष का कोई प्रसङ्ग ही नहीं उठ सकता है ।

प्राचीनोक्तं खण्डयति—

देवस्य पुरारातेरिति प्राचामुदाहरणे सुरत्वभूपत्वाभ्यां देवपदान्नगरारित्वासुरविशेषारित्वाभ्यां पुरारातिपदान्चोपस्थितेरुभयोरपि नानार्थत्वादर्थान्तरस्वीकारेऽप्यन्वयोपपत्तेश्च कथं शक्तेनियमः स्यात् ?

अर्थान्तरेति । भूपनगरारिरूपेत्यर्थः । अथ भावः—प्राचीना काव्यप्रकाशकारादयः



पाठान्तरमाश्रित्योदाहरणसंगति कुर्वत प्रदीपकारादेर्मतमवतार्य निरस्यति—

अथ 'देवस्य त्रिपुरारातेः' इति पाठस्तथापि पदान्तरोपस्थापितस्य त्रिपुरासुरवैरित्वस्य लिङ्गतया लिङ्गोदाहरणत्वमेवास्य स्यात्, न तु शब्दान्तरसन्निध्योदाहरणत्वमिति वदन्ति ।

पदान्तरेति । त्रिपुरारातेरितीत्यर्थ । अस्येति । देवस्य त्रिपुरारातेरितिवाक्यस्येत्यर्थं वदन्तीति । वृत्तिवार्तिकदादौ दीक्षितादय इति भाव । अयमाशय —यद्यपि मूलकाव्य प्रकाशग्रन्थे 'देवस्य पुराराते'रित्येव पाठ तथापि गोविन्दठक्कुर स्वकीये प्रदीपाभिधानं काव्यप्रकाशव्याख्याने देवस्य त्रिपुरारातेरितिपाठमेव प्रतीकतया धृतवान् । तथापाठं त्रिपुरारातिपदस्य शिवे रूढे सर्वसम्मततया कोशादिसमर्थिततया च पूर्वोक्लिखितमूलग्रन्थप्रतिपादितरीत्या तद्वाक्यस्य शब्दान्तरसन्निध्योदाहरणत्व समवतीति तत्तात्पर्यम् । दिक्षितादन्यस्तादृशपाठविशिष्टस्यापि तद्वाक्यस्य तदुदाहरणत्व खण्डयन्तीत्यनुवदति ग्रन्थकार तथापीत्यादिना । तच्च निगदव्याख्यातमेवेति नेह प्रतन्यते ।

अब पाठान्तर मानकर उक्त उदाहरण को संगत बनानेवाले 'प्रदीपकार' आदि के मत का खण्डन करते हैं—अथ इत्यादि । आशय यह है कि यद्यपि काव्यप्रकाश के मूल में 'देवस्य पुरारातेः' ऐसा ही पाठ है, परन्तु 'गोविन्द ठक्कुर' ने स्वकृत 'प्रदीप' नामक 'प्रकाश' की टीका में 'देवस्य त्रिपुरारातेः' ऐसा ही पाठ माना है, तदनुसार उक्त उदाहरण हो सकता है, क्योंकि 'त्रिपुराराति' पद, सबके मत से शिवरूप अर्थ में योगरूढ है, कोश आदि से भी उस पद की योगरूढता समर्थित है अतः पूर्वोक्त रीति से उस पद का सांनिध्य 'देव' पद की अभिधा का नियमन 'देवता' में कर सकता है, यह है प्रदीपकार का तात्पर्य । परन्तु अप्पय दीक्षित आदि उसका भी खण्डन करते हैं । उनका कथन है कि यदि 'त्रिपुरारातेः' ऐसा पाठ मानते हैं तब तो 'त्रिपुराराति' पद से उपस्थित होने वाला त्रिपुरासुरवैरित्वरूप धर्म अनन्यसाधारण होने से शिव का लिङ्ग ही हो जाता है, अतः उक्त वाक्य 'लिङ्गरूपनियामक का उदाहरण होगा, 'शब्दान्तरसन्निधि' का नहीं ।

पूर्वग्रन्थे वदन्तीत्यनेन सूचितामरुचिं स्फोरयति—

तत्रैकपदार्थः कोपादिः पदार्थान्तरेणानान्वित एव यः प्रकृतशक्यधर्मतां शक्यान्तरव्यावृत्ततां च भजते स लिङ्गपदेनात्रोक्त इति प्राचामाशये तु नोक्तदोषः ।

तत्रेति । 'देवस्य त्रिपुराराते' इति पाठे इत्यर्थ । कोपादिरिति दृष्टान्तोक्ति । नोक्तदोष इति । उक्तवाक्ये लिङ्गोदाहरणत्वप्रसंगरूपो दोषो नेत्यर्थः । तथा च समवति तस्य शब्दान्तरसन्निध्योदाहरणत्वमिति भाव । अर्थनिरूपणप्रस्तावे व्याख्यातोऽय प्राचामाशय । तदनुसारमिह वैरित्व न लिङ्ग त्रिपुरासुररूपपदार्थान्तरान्विततयैव तस्य शक्यान्तरव्यावृत्तत्वात् । इत्यमिदानीं समर्थितमपि प्राचामुदाहरण ग्रन्थकारानभिमतमेवेति अर्थनिरूपण एव 'केचित्तु' इत्यनेन सूचिताया अरुचेरुपपादनावसरे प्रपञ्चितम् ।

अब दीक्षितद्वेषी पण्डितराज दीक्षितमत का खण्डन करने के लिये वस्तुतः अनभिमत रहने पर भी प्राचीन मत का मण्डन करते हैं—तत्रैक इत्यादि । यदि प्राचीनों का अभिप्राय इस प्रकार से वर्णित हो कि लिङ्ग उस धर्मविशेष का नाम है, जो भुखण्ड एक पद का अर्थ होकर—अर्थात् अन्य पद के अर्थ से अभिश्रितरूप से ही—नानार्थक पद के अभिप्रेत अर्थ में रहता हो और अनभिप्रेत अर्थ में नहीं रहता हो जैसे 'कुपितः मकरध्वजः' इस वाक्य में कोप आदि, तब तो दीक्षित के द्वारा 'देवस्य त्रिपुरारातेः' इस वाक्य का लिङ्गोदाहरणत्वकथन ठीक नहीं ही है, क्योंकि उक्त अभिप्रायवर्णन के अनुसार 'वैरित्व'

धर्म शिव का शिवा नहीं हो सकता, क्योंकि, त्रिपुरासुर पदार्थ के अन्वय करने पर ही, यह, 'उय' पद के अनभिप्रेत राजान्प अर्थ में स्थापित होना है अर्थात् 'उय' परिश्रम तो गता में भी रह ही सकता है, त्रिपुरासुरपरिश्रम गता में नहीं रहता, पर उय धर्म का रूप अन्वय में तयार होता है, और शिवा का यहाँ अर्थ है अनन्वित धर्म, अतः प्राचीनों का 'उयम् त्रिपुराराते' उय वाक्य को शब्दान्तरमसिधि का उदाहरण मानना उचित ही है।

काव्यप्रकाशटीकाकारों ने 'शोचिन्त्युष्टुराभिहितं शब्दान्तरमसिधेः स्वयमनूप दूयति—  
यत् शब्दान्तराद्यभिचरितन्त्र सन्निधि नामानाधिकरणम् उति काव्य-  
प्रकाशटीकाकारैरुक्तम्, तत् 'करेण राजते नाम' इत्याद्यावल्यापनात्तन्नियाम-  
कान्तरन्त्र गवेषणे गौरवान् 'रूपितो मकरपत्रः' उति तन्मूलोक्ते लिङ्गोदा-  
हरणेऽतिव्यापनाद्योपेक्षम् ।

अत्राभिचरितन्त्रेति । अर्थान्तरा प्रत्यापरन्त्येत्परं । निरतार्थस्त्विति यावा ।  
प्रशंसयाराभिः निरतार्थस्त्विति नामानाधिकरणं शब्दान्तरमसिधिरित्युक्तम् । तत्  
दूयति । 'करेण राजते नाम' इति शब्दान्तरमसिधिरुदाहरणेऽप्याचार्ये तत्र स्वनामपठयो-  
रेकात्म्याभिः निरतार्थस्त्वितिगता । न च तत्र निरामसान्तरमन्वेष्यामिति मान्यम्,  
गौरवान् । कथयित्वा गौरवात्तोरुदाहरणे 'रूपितो मकरपत्रः' इत्यत्र लिङ्गोदाहरणतया काव्य-  
प्रकाशटीकाकारैरेऽतिव्यापनात्तन्नियामकान्तरमसिधिरिति भावः ।

काव्यप्रकाश के टीकाकारों के द्वारा ही शब्द 'अन्वयशब्दमसिधि' की व्याख्या का रूप उत  
करते हैं—यत् इत्यादि । 'काव्यप्रकाश' के टीकाकार 'शोचिन्त्युष्टुर' आदि ने जो यह कहा  
कि निश्चिन्तार्थक शब्द के सामानाधिकरण्य ( समान विभक्ति होने ) का नाम 'अन्वयशब्द  
मसिधि' है, यह ठीक नहीं, क्योंकि यह लक्षण 'शब्दान्तरमसिधि' के 'करेण राजते नाम'  
इस प्रयोग उदाहरण में स्पष्टित नहीं हो सकेगा, क्योंकि यहाँ एक भी पद निश्चिन्तार्थक  
नहीं है—अर्थात् पर और नाम दोनों ही पद नानार्थक होने से अनिश्चित अर्थगाने ही है ।  
यदि कहें कि यहाँ दूसरे नियामक का अन्वेषण कर लिया जायगा—अर्थात् 'करेण राजते  
नाम' यह शिवा अन्वय नियामक का ही रूप माना जायगा, अन्वयशब्दमसिधि का नहीं,  
तो यह भी समुचित नहीं होगा, क्योंकि जब मेरी रीति से यह 'शब्दान्तरमसिधि' का  
ही उदाहरण हो सकता है, तब अर्थ उमके शिवा अन्वय नियामक के अन्वेषण का गौरव  
क्यों उठाया जाय । दूसरी बात यह कि उक्त लक्षण अनिश्चिन्तार्थोपपन्न भी है अर्थात्  
'रूपितो मकरपत्रः' इस वाक्य—जो आप के हिमाय में शिवा का उदाहरण है—में भी  
उक्त लक्षण स्पष्टित हो जायगा क्योंकि यहाँ भी 'रूपित' पद निश्चिन्तार्थक है और उमका  
सामानाधिकरण्य भी मकरपत्र पद के साथ ही है । अतः टीकाकारों की उक्त व्याख्या  
उपेक्षा के ही योग्य है ।

अतः नै निश्चिन्तार्थः—  
सामान्य कारणता ।

अन्वयशब्दमसिधि का अर्थ सामान्य कारणता है—सामान्य इत्यादि । कारण होने का नाम 'सामान्य'  
है । कारण उमही कहते हैं, जो क वंके अन्वयशब्दमसिधि के शब्दों में निश्चिन्तार्थ  
रहता है।

उदाहरण—

यथा—'मधुना मत्त' इति शब्दमसिधिरिति उदाहरणम् ।

वसन्ते इति । अभिधा नियमयतीति शेषः । अर्थान्तरेऽवर्तमाना कोकिलमदकारणतः 'मधु क्षौद्रं जले क्षौर मध्ये पुष्परसे मधु । दैत्ये चैत्रे वसन्ते च जीवाशोके मधुदुमे' इति विश्वकोशादनेकार्यकस्य मधुशब्दस्य शक्तिं वसन्तरूपार्थे नियमयतीति भावः ।

उदाहरण दिखलाते हैं—यथा इत्यादि । मधुशब्द के मद्य, वसन्त आदि अनेक अर्थ होते हैं । परन्तु 'मधुना मत्तः कोकिलः अर्थात् कोयल मधु से मत्त हो रही है' इस वाक्य में 'मधु' पद की अभिधा, कोकिलमद-कारणता से वसन्तरूप अर्थ में नियन्त्रित हो जाती है—अर्थात् कोकिलों में मदोत्पत्ति का कारण वसन्त ही हो सकता है, मद्य आदि नहीं । अतः यहाँ 'मधु' पद से वसन्त का ही बोध होता है, मद्य आदि का नहीं ।

खण्डनाय परकीयोक्तिमनुवदति—

'अत्र कोकिलमादने मधोरेव शक्तिर्न तु मधुनः । मादकत्वं मधुन्यपीति न लिङ्गम्' इति वदन्ति ।

मधो वसन्तस्य । मधुनो मद्यस्य । मादकत्व सामान्यतो मदकारणत्वम् । मधुन्यपीति मद्येऽपीत्यर्थः । वदन्तीत्यस्य काव्यप्रकाशव्याख्यातार इति शेषः । अनेनात्रारुचि सूचिता । अस्याभिप्राय स्वयमग्रे विशदयेत् प्रन्थकृदिति नेह व्याख्यापेक्षा ।

खण्डन करने के लिये अन्य आचार्य की उक्ति का अनुवाद करते हैं—अत्र इत्यादि । 'मधुना मत्तः कोकिल' इसको 'लिङ्ग' का ही उदाहरण क्यों नहीं माना जाय ? इस शका के उत्तर में कुछ लोग कहते हैं कि साधारणतया मद का कारण मद्य भी है, पर कोकिल के मद का कारण वसन्त ही है, अतः मादकत्व वसन्त का लिङ्ग नहीं हो सकता ।

पूर्वसूचितामरुचिमाह—

तत्र सामर्थ्यं लिङ्गान्तर्गतमेव कुतो न स्यात्, इति शङ्कायाः कथमेतदुत्तरं संगच्छते ?

तत्रेति । मधुनेत्युदाहरणविषयीभूतमित्यर्थः, । अस्याः शङ्कायास्तदुत्तरं न भवितुं मर्हतीति भावः ।

पूर्वोक्त उत्तर में 'वदन्ति' पद से सूचित अरुचि का स्पष्टीकरण करते हैं—तत्र इत्यादि । "सामर्थ्यं" "लिङ्ग" के अन्तर्गत क्यों नहीं हो जाता—इसको उससे भिन्न क्यों माना जाता है ? इस शका का उक्त उत्तर कैसे हो सकता है ?

पराभिमतमुत्तरसगतिप्रकारमुपपाद्य खण्डयति—

न च मादनसामर्थ्यस्य सुरावृत्तितया नासाधारणधर्मतारूपं लिङ्गत्वमिति वाच्यम्, मादनसामर्थ्यस्य सुरावृत्तित्वेऽपि कोकिलमदनसामर्थ्यस्य वसन्तासाधारणतया लिङ्गत्वस्य दुर्वारत्वात् ।

मादनेतिकरणल्युङन्तम् । लिङ्गनामासाधारणो वस्तुधर्मः । मादनसामर्थ्यं तु सुरावसन्तयो साधारणम्, अतो न तद्वसन्तस्य लिङ्गम् । एवञ्चोक्तशङ्काया तदुत्तरं सगतमेवेति शङ्काशयः । सामान्यस्य मादनसामर्थ्यस्य मद्येऽपि वर्तमानतया वसन्तासाधारणधर्मत्वासमवेऽपि कोकिलकर्मकमादनसामर्थ्यस्य वसन्तमात्रवृत्तितया तदसाधारणधर्मत्वेन लिङ्गत्वे स्थितेन तस्योत्तरस्य सगतिरिति तु समाधानाशयो वेदितव्यः ।

उक्त उत्तर को सगत बनाने के लिये प्रतिपत्तियों के द्वारा दी गई युक्ति का उपपादन करके खण्डन करते हैं—न च इत्यादि । यदि आप कहें कि 'लिङ्ग' उस वस्तु-धर्म को कहा जाता है, जो असाधारण हो—अर्थात् उसी वस्तु में रहता हो, अन्य में नहीं । मादकत्व तो मद्य और वसन्त दोनों में रहनेवाला साधारण धर्म है, अतः वह वसन्त का लिङ्ग नहीं

हो सकता, वही मेरे उत्तर का भाग्य है, फिर वह मगत क्यों नहीं होगा ? तो यह भी हीन नहीं, क्योंकि देवल मादक्य भने ही साधारण धर्म ही, पर कोटिलमादक्य तो साधारण नहीं है—यह देवल वसन्त में ही रहनेवाला धर्म है, अतः उसको वसन्त का 'हिन्' मानने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती, फिर उक्त उत्तर असगत ही दूरता है।

यदिति शैविन्मादक्यमप्यस्य तदप्यस्यविशेषोऽपि न त्वोद्योः उचित-  
मिति—

न च प्राणिमात्रमादनसामर्थ्यस्य मधुन' कोटिलमादनसामर्थ्यमप्यस्तीति  
वाच्यम्, एव नति नामर्थस्य वाच्यता त्रियामदक्यमसगतं स्यात्, न तु  
मधुन उति स्वे चिविरोधश्च भवेत् ।

प्राणिमात्रमादनसामर्थ्येऽत्र प्राणिमात्रमादनस्य सामर्थ्यं नमिन तत्प्रेति  
व्यभिचयस्यो वाच्यम् । प्राणिमात्रमादनस्येति तु पाठः सामर्थ्यात्, मधुन  
मस्य । एव नति । मदक्यमि शैविन्मादनसामर्थ्यमिति उच्यते । वाच्येति ।  
प्रमितं सामर्थ्यं । पराधारात्वाभावादि भावः । स्वोन्निविरोध इति । 'अत्र  
कोटिलमादके इत्यादिगनुदितप्रत्ययदस्यस्यविरोध उच्यते' । मान्य प्राणिमात्र-  
मादनसामर्थ्यात्तित्वात् शैविन्मादनसामर्थ्यापि तत्रापीत्यं 'मधुन मन शैविन्'  
इत्यत्र मधुनस्य मदनसामर्थ्येऽपि अन्ययोपपत्तौ नापिनिवन्मनस्यस्यस्येव ।  
उच्यतेवाच्ये 'शैविन्मादके मधोऽप्य नमिन् मधुन' इति स्वोन्निविरोधो दूरजन-  
योग्यो नव ।

यदि आप कहें कि कोटिल-मादक्य भी वसन्त का हिन् नहीं हो सकता, क्योंकि  
वह भी साधारण धर्म नहीं है—अर्थात् मधु एव ऐसी वस्तु है, जिसमें प्राणिमात्र को  
मग बना देने की शक्ति है—यह ( मधु ) कोटिल को भी मग कर दे सकता है, अतः  
कोटिल मादक्य भी मधु और वसन्त दोनों में रहनेवाला साधारण धर्म ही है, तो  
यह कथन भी समुचित नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति में 'सामर्थ्य' को अभिधानियामक  
मानना ही असगत हो जायगा—अर्थात् उक्त कोटिल के मधु का कारण मधु और वसन्त  
दोनों हैं, तब 'मधुन मन शैविन्' इस वाक्य में मधुपद का मधु अर्थ करने पर भी  
अन्यत्र पेट ही ज यागा, फिर अभिधानियामन की अपेक्षा ही नहीं होगी अतः सामर्थ्य  
ही अभिधानियामक मानना व्यर्थ होगा । दूसरी बात यह है कि—उक्त वाक्य पूर्व में  
'न तु मधु' ऐसा विवरण मधु में कोटिलमादन सामर्थ्य का निगम कर चुके हैं, तब  
अब उक्त मधु में कोटिलमादन-सामर्थ्य का अर्थ कर कैसे करते हैं ? यह तो आपसी  
परस्पर-रिद्ध बात हो रही है ।

यदप्यस्य शैविन्मादनसामर्थ्येऽपि न त्वोद्योः उचित-  
मिति—  
प्रमितं सामर्थ्यं पुनर्लिङ्गमप्रत्युत्तम् ।

यदप्यस्य शैविन्मादनसामर्थ्येऽपि न त्वोद्योः उचित-  
मिति—  
प्रमितं सामर्थ्यं पुनर्लिङ्गमप्रत्युत्तम् ।

प्रमितं कि शैविन्मादनसामर्थ्येऽपि न त्वोद्योः उचित-  
मिति—  
प्रमितं सामर्थ्यं पुनर्लिङ्गमप्रत्युत्तम् ।



यही प्रसिद्ध है कि कोयल वसन्त से मत्त हुआ करती है, अतः प्रसिद्ध मादनसामर्थ्य को उक्त वाक्य में मधुपद की अभिधा का नियामक माना जा सकता है, तो यह भी अनुचित ही है, क्योंकि प्रसिद्ध-मादन-सामर्थ्य, वसन्त का असाधारण धर्म ही हो जाता है, फिर तो वह लिंग के अन्तर्गत ही आ जायगा।

स्वसम्मत लिङ्गसामर्थ्योर्भेदमाह—

शाब्दत्वाशाब्दत्वाभ्यामेकानेकपदार्थत्वाभ्या वा विशेषस्तु स्यात् ।

विशेषो भेद । लिङ्ग शब्दजन्यबोधस्य विषयो भवति । यथा कुपितो मकरध्वज इत्यत्र कोपाश्रयाभिन्न काम इति बोधस्य कोपो विषयो भवति । सामर्थ्यं तु न शाब्दबोधविषय, अपि तु शाब्दबोधानन्तर मानसबोधस्य विषय । यथा—‘मधुना मत्तं कोकिल’ इत्यत्र मधुकरणकमदाश्रय पिक इति शब्दजन्यबोधे कोकिलमादनकारणतारूपं सामर्थ्यं न विषय । पश्चात् मानसबोधे तद्भासते इत्यन्यदेतत् । एवञ्च सिद्धो लिङ्गसामर्थ्योर्भेदः । ईदृशभेदस्य पूर्वमनुक्तत्वात् कोपसाधनस्य तत्राप्युल्लेखसमवाच्च भेदान्तरमाह—एकानेकेति । लिङ्गमेकपदार्थरूपम् । यथा—कोप कुपितपदार्थः । कोकिलमदकारणतात्मक सामर्थ्यं तु कोकिलमत्ततृतीयाविभक्तिरूपानेकपदार्थ इति द्वयोर्भेद इति तात्पर्यम् ।

अथ लिंग और सामर्थ्य में स्व-सम्मत भेद का उल्लेख करते हैं—शाब्द इत्यादि । ‘लिंग’ शब्दजन्य-बोध का विषय होता है । जैसे—‘कुपितो मकरध्वज.’ इस वाक्य से होनेवाले ‘कोपाश्रय से अभिन्न काम’ इस बोध में ‘कोप’ ( लिंग ) विषय होता है । ‘सामर्थ्य’ तो शब्द-जन्य-बोध का विषय नहीं होता है, जैसे ‘मधुना मत्तः कोकिलः’ इस वाक्य से होनेवाले ‘मधुकरणकमद का आश्रय पिक’ इस बोध में कोकिल-मद-कारणता, विषय नहीं होती । पीछे मानस-बोध का विषय वह भी होता है, यह बात दूसरी है । इस तरह से लिंग और सामर्थ्य में भेद किया जा सकता है । अथवा ‘लिंग’ एक पद का अर्थ रहता है, जैसे—कुपितपद का कोप और ‘सामर्थ्य’ अनेक पदों का मिश्रित अर्थ होता है, जैसे—कोकिल-मद-कारणता उक्त वाक्य में कोकिल, मत्त और तृतीया-विभक्ति इन सबों का सम्मिलित अर्थ है । इस तरह से भी उन दोनों नियामकों में परस्पर भेद सिद्ध किया जा सकता है ।

औचित्तीं निर्वक्ति—

औचित्ती योग्यता ।

योग्यता च सवन्धविशेषाश्रयत्वसभावनेति मन्तव्यम् ।

अथ ‘औचित्ती’ की व्याख्या करते हैं—औचित्ती इत्यादि । योग्यता को ‘औचित्ती’ कहते हैं ।

उदाहरति—

यथा—‘पातु वो दयितामुखम्’ इत्यत्र दयितामुखकर्तृकरणकर्मत्वाक्षिप्त-कामार्तानां सबोध्यपुरुषाणां त्राण हि तस्याः सांमुख्येनैव भवति, न तु मुखमात्रेण, वैमुख्ये तेन त्राणायोगात् । अतस्त्राणार्हत्वं वदन-सांमुख्योभयप्रत्या-यकस्य मुखशब्दस्य ।

५-

मुखशब्दस्येत्यस्याग्रे साम्मुख्ये शक्तिं नियमयतीति शेषः । पातु वो दयितेति वाक्ये दयितामुखकर्तृकरणक्रियाकर्मत्वेन कामार्ताः सबोध्यपुरुषा आक्षिप्यन्ते । एवञ्च तेषां रक्षणं दयितायाः साम्मुख्येनैव सम्भवति तथासत्येव कामार्तिशमननिदानभूतनिधुवनविनोदादिप्रवृत्ते, न तु मुखमात्रेण, वैमुख्ये तस्याकिञ्चित्करत्वात् । तथा च रक्षणसवन्धाश्रयत्व-



ही' इस बात की सूचना के लिए उसकी सार्थकता होती है। परमात्मा अर्थ करने पर तो वह व्यर्थ ही हो जायगा, क्योंकि परमात्मा तो सदा सर्वत्र रहता ही है—ज्यापक है, फिर उसके लिए 'यहाँ है' ऐसा कहना व्यर्थ है—अर्थात् उसका कहीं भी न रहना अब सम्भावित ही नहीं है, तब देशविशेष की चर्चा किसका धारण करेगी ?

उदाहरणान्तर प्रदर्शयति—

एव 'वैकुण्ठे हरिर्वसति' इत्यत्रापि बोध्यम् ।

वैकुण्ठरूपो देशो नानार्थकस्य हरिपदस्य शक्तिं विष्णौ नियमयतीति भाव ।

'देश' का एक दूसरा भी उदाहरण दिखलाया जाता है—एवम् इत्यादि । 'वैकुण्ठ में हरि वास करते हैं' इस वाक्य में 'वैकुण्ठ रूप देश' से विष्णु, अश्व, सिंह आदि अनेक अर्थों के वाचक 'हरि' पद की अभिधा, विष्णुरूप अर्थ में नियन्त्रित होती है ।

उभयोरुदाहरणयो प्रदर्शने हेतुभूतं विशेषमाह—

एकत्रार्थान्तरपदग्रहेऽधिकरणोक्तिवैयर्थ्यम्, अपरत्र तु तदधिकरणत्वाप्रसिद्धिरिति विशेषः ।

एकत्र आद्ये । अर्थान्तरेति । परमात्मवानरादावित्यर्थः, अपरत्र अन्तिमे । भात्यत्रेति वाक्ये परमेश्वरपदस्य परमात्मरूपार्थग्रहणो अत्रेत्यधिकरणकीर्तनवैफल्यम्, वैकुण्ठे हरिरिति वाक्ये तु हरिपदस्य वानरादिरूपार्थ-बोध तस्यार्थस्य वैकुण्ठरूपाधिकरणाप्रद्विधाऽसंगतिरिति भेदप्रकटनार्थमेवोदाहरणद्वयदानमिति भाव ।

उक्त दोनों उदाहरणों में जो भेद है, उसका स्पष्टीकरण करते हैं—एकत्र इत्यादि । 'यहाँ परमेश्वर सुशोभित हो रहा है' इस वाक्य में परमेश्वर पद का परमात्मा अर्थ समझ लेने पर 'यहाँ' इस अधिकरण का उल्लेख व्यर्थ हो जाता है और 'हरि वैकुण्ठ में निवास करते हैं' इस वाक्य में हरि पद का अश्व, सिंह आदि अर्थ समझ लेने पर वाक्य ही असंगत हो जायगा, क्योंकि, 'उन अर्थों ( अश्व, सिंह आदि ) का वैकुण्ठ में रहना अप्रसिद्ध है । यही दोनों उदाहरणों में भेद है ।

कालं निरूपयति—

कालो दिवसादिः ।

आदिपदेन रात्र्यादिपरिग्रह । दिनरात्र्याद्यात्मक खण्डकालं सूर्यादिक्रियारूपं, तावत्कालस्थायी वस्तुविशेषरूपो वेति सिद्धान्तितः ।

अब 'काल' की व्याख्या करते हैं—कालो इत्यादि । दिन, रात्रि आदि को 'काल' कहा जाता है ।

उदाहरति—

'चित्रमानुदिने भाति' इत्यादौ चित्रभान्वादिपदानां सूर्यादिषु, एवं 'चातुर्मास्ये हरिः शेते' इत्यस्य ।

इत्यादावित्यत्रादिपद 'चित्रमानू रात्रौ भाती'त्यादिवाक्यसमाहकम् । 'सूर्यादिषु' इत्यत्रत्यमादिपद बह्वधादिपरम् । सूर्यादिषु अभिधानियमनमिति शेष । दिनरूपकालं चित्रमानुपदस्य सूर्येऽभिधा नियमति, दिने चित्रमानुपदार्थान्तरस्य बह्वधादेर्वाधात, उदाहरणान्तरमाह—एवमिति । चातुर्मास्यात्मकं काल-हरिपदस्य शक्तिं विष्णौ नियमयति चातुर्मास्यव्यापकशयनस्य विष्णुकर्तृकरथैव प्रसिद्धत्वादिति भाव ।

उदाहरण दिखलाया जाता है—चित्र इत्यादि । 'दिन में चित्रमानु शोभित होता है' इस वाक्य में 'दिनरूप काल' से, सूर्य और अग्नि दोनों अर्थों के वाचक 'चित्रमानु' पद की



नायक प्रसिद्धतम व्याकरणग्रन्थ में कहा है कि 'सामर्थ्य' अर्थात् कार्यकारणभाव ही एक मुख्य अभिधा-नियामक है, 'सयोग आदि' उसी के अभिव्यञ्जक होते हैं ।

अथ सलक्ष्यक्रमध्वन्युदाहरणप्रदर्शनप्रसंगे प्रथम शब्दशक्तिमूलालंकारध्वनिमुदाहरणम्—

तत्र शब्दशक्तिमूलालंकारस्य ध्वनिर्यथा—

‘करतलनिर्गलदविरलदानजलोह्लासितावनीवलयः ।

धनदाप्रमहितमूर्तिर्जयतितरां सार्वभौमोऽयम् ॥’

तत्रेति । दशविधसलक्ष्यक्रमध्वनिमध्य इत्यर्थ । अलंकारस्येत्यस्योपमेत्यादि प्राचा मतेन । ग्रन्थकारमते तु रूपकेत्यादिस्तस्य बोध्य । कश्चित् कवि कमपि राजान स्तौति-करतलेत्यादि । करतलात् पाणिपुटकात्, निर्गलता स्यन्दमानेन, अविरलसततम्, दानस्य दीनोद्देश्यकत्यागस्य, जलेन धारिणा, उह्लासितं आनन्दित, अवनीवलय भूमण्डलो, येन स, तथा धनदानां धनदानपराणाम्, अग्रे आदौ, महिता पूजिता स्तुतेति यावत्, मूर्ति स्वरूप यस्य स, अय वर्णनीय, सार्वभौम चक्रवर्ती राजा, जयतितराम् अतिशयेन सर्वोत्कृष्ट इति वाच्योऽर्थः । ध्वन्यर्थस्तु करतलात् शुण्डादण्डात्, निर्गलता, अविरल, दानजलेन मदधारिणा उह्लासितं अवनीवल्यो येन स तथा धनदस्य कुबेरस्य, अग्रे पुर, महिता प्रशसिता, मूर्तिर्यस्य, स अय सार्वभौम दिग्गजो, जयतितरामिति बोध्यः । नागेशस्तु ध्वन्यर्थमिन्द्रपरकमाह । तत्र पक्षे करतलेति विशेषणवाक्यस्य करतलनिर्गलदविरलदानजलेन ऐरावतेन, इति क्रमेणार्थः । सार्वभौम इन्द्र । अन्यत् सर्वं समानमेव ।

अब शब्दशक्तिमूलक ध्वनियोंके उदाहरण दिखलाये जाते हैं—तत्र इत्यादि । पूर्वोक्त दशविध सलक्ष्यक्रमध्वनियोंमें शब्दशक्तिमूलक अलंकारध्वनिजैसे—‘करतल’ इत्यादि । कोई कवि किसी राजा की स्तुति करता है—हाथ से गिरते हुए सतत ‘दान’-सकल्पके जल से समस्त भूमण्डल को आनन्दमग्न कर देनेवाला तथा धन दायकों में सर्वप्रथम पूजितमूर्तिवाला, यह चक्रवर्ती राजा सबसे उत्कृष्ट है, यह वाच्य अर्थ है । इसके अतिरिक्त यहाँ एक व्यङ्ग्य अर्थ भी है, जैसे—सूँड़ से निरन्तर चूते हुए मद-जल से पृथ्वीमण्डल को आनन्दित कर देनेवाला तथा धनद-कुबेर के आगे प्रशंसितस्वरूप वाला यह सार्वभौम ( दिग्गज ) सर्वोत्कृष्ट है । नागेश ने व्यङ्ग्यार्थ पक्ष में सार्वभौम पद का अर्थ इन्द्र किया है, तदनुसार ‘करतल ’ इत्यादि विशेषणवाक्य का अर्थ ऐरावत किया है, यह भी समझ लेना चाहिये ।

उपपादयति—

अत्र राजप्रकरणे कर दान-धनद-सावभौमशब्दानां शक्तौ संकोचितायामपि तन्मूलकेन ध्वननेन प्रतीयमानस्यार्थान्तरस्याप्रस्तुतस्याभिधानं सा भूदिति प्रकृता-प्रकृतयोरुपमानोपमेयभावः प्रधानवाक्यार्थतया कथयत इत्युपमालंकारध्वनिः ।

अत्र उक्तपद्ये । घटकत्व सप्तम्यर्थः । तस्य च शब्दानामिति षष्ठी प्रकृत्यर्थेऽन्वयः । राजप्रकरणे विद्यमाने इति शेष । संकोचितायामिति । प्रकरणरूपनियामकेन हस्तवितरण-दातृजनभूपरूपायैष्विति भावः । अर्थान्तरेति । गजवृत्तान्तेत्यर्थः । इन्द्रवृत्तान्तेत्यर्थो वा । प्रकृताप्रकृतयोरिति । नृपदिग्गजयो नृपमहेन्द्रयोर्वा इत्यर्थः । उपमानोपमेयभावात् इति । अय सार्वभौम ( चक्रवर्ती ) सार्वभौम ( दिग्गज इन्द्रो वा ) इवेत्याकारक इत्यर्थः । प्रधानवाक्यार्थतयेति । वाच्यार्थापेक्षया प्राधान्येनेत्यर्थः । अयमेव ध्वनिव्यपदेशहेतुः । राजप्रकरणोक्तेऽरिम्न पद्ये वर्तमानाना द्वदर्थकाना करयानादिपदाना शक्ति हस्त वितरणाद्यर्थेषु प्रकरणेन नियम्यते, तथा च गजादिवृत्तान्तरूपोऽप्रकान्तोऽर्थोऽभिधामूल-



पर ही कामिनी मुखचुम्बनरूप अप्रस्तुत व्यवहार व्यङ्ग्य होता है। वह व्यङ्ग्यः असम्बद्ध न होवे इसलिये प्रस्तुत चन्द्र और दिशा के व्यवहार में नायक तथा नायिका का व्यवहार आरोपित होता है, जिससे 'आरोपित नायक व्यवहारवाला चन्द्र आरोपित नायिका व्यवहारवाली पूर्वदिशा का मुख (पूर्वभाग तथा आनन) को चूमता है' ऐ वाक्यार्थ सम्पन्न होता है। अतः उक्त पद्यांश, संस्कृतटीका में उद्धृत लक्षण के अनुसमासोक्ति अलंकार का उदाहरण कहलाता है। प्रकृत में अत्र कहना यह है कि जैसे स्थल पर कामिनीमुखचुम्बनादि व्यवहार व्यङ्ग्य होकर भी, वाच्य अर्थ के पोषक अल्प चमत्कार युक्त होने के कारण, गौण हो जाने से ध्वनिकाव्यव्यवहार का हेतु होता, अपितु गुणीभूतव्यङ्ग्य नामक मध्यम काव्यव्यवहार का ही हेतु होता है, अतः 'करतल'..... इत्यादि प्रकृत पद्य में भी, दिग्गज वृत्तान्त अथवा तन्मूलक अलंकार, व्यङ्ग्य होकर भी, वाच्य राजवृत्तान्त के पोषक होने के कारण गौण ही रहे अतः उस व्यङ्ग्य को लेकर उक्त पद्य को ध्वनिकाव्य का उदाहरण बतलाना ठीक नहीं है, हूँ-गुणीभूतव्यङ्ग्यकाव्य का उदाहरण वह हो सकता है।

पूर्वग्रन्थप्रतिकूलमाशक्य निरस्यति—

न चोपमा प्रकृतार्थोपस्कारिका न भवतीति शक्यं वदितुम्, 'उल्लास्य कालकरवाल्महाम्बुवाहम्', 'भद्रात्मनो दुरधिरोहतनोः' इत्यादौ प्राचीनाना पद्ये 'करतल'—इत्यादि प्राग्गुदाहृतपद्ये च व्यङ्ग्योपमया प्रकृतस्य राज्ञः प्रकर्षस्य सकलानुभवसिद्धत्वात् । अनुभवापलापे तु समासोक्ताव्यप्रकृतव्यवहारस्य प्रकृतोपस्कारकत्व नेति सुवचत्वात् ।

प्रकृतार्थोपस्कारकेति । वाच्यार्थशोभासपादिकेत्यर्थः । वाच्यार्थोपस्कार्यैव सेति भावः । उल्लास्येति । इदं पद्यं प्राक्... टीकायामुद्धृतं व्याख्यातम् । भद्रात्मनोरिति । '... विशालवशोन्नते कृतशिलीमुखसग्रहस्य । यस्यानुपप्लुतगते' परिवारणस्य दानाम्बुसेकसुभग सतत करोऽभूत् ॥' इत्यवशिष्टं पद्यांशः । भद्रात्मनः कल्याणमूर्तेः, धुरधिरोहतनो दुःखेन अधिरोहः आक्रमणं यस्मिन्, तादृशी तनु शरीरं यस्य तस्य विशालवशोन्नते विशाला महती, वशस्य कुलस्य, उन्नतिः समृद्धिर्यस्य तस्य, कृतशिलीमुखसग्रहस्य कृत शिलीमुखानां बाणानां सग्रहः सञ्चयो येन तस्य, अनुपप्लुतगते अबाधितबोध-प्रसरस्य, तथा परिवारणस्य रिपुरोधसमर्थस्य, यस्य राज्ञः, करपाणि, सतत सर्वदा दानाम्बुसेकसुभग त्यागोद्देश्यकसलिलस्यन्दसुन्दरः, अभूत् इति प्रस्तुतोऽर्थः । दुरधिरोहतनो कष्टारोहणीयशरीरस्य कृतशिलीमुखसग्रहस्य कृतमदलोभिभ्रमरनिकरसञ्चयस्य, विशालवशोन्नते महामेरुदण्डस्य, अनुपप्लुतगते मन्दगमनस्य, यस्य भद्रजातीयस्य परिवारणस्य उत्कृष्टगजस्य, करशुण्डादण्डः सतत, दानाम्बुन मज्जलस्य सेकेन सुभग अभूत् इति चाप्रस्तुतार्थो बोध्यः । उल्लास्य, भद्रात्मनः, करतलेत्यादिपद्येषु व्यवहारसमारोपाभावात् समासोक्तिः, अपि तु अप्रस्तुतार्थस्यासंबन्धाभिधानतावारणाय प्रस्तुतार्थप्रस्तुतयोरुपमा व्यङ्ग्याऽऽस्थीयते, तथाच व्यङ्ग्यभूतयोपमया प्रस्तुतस्य राज्ञः प्रकर्षस्य सकलानुभवसिद्धः । तथा च व्यङ्ग्यभूतोपमा प्रस्तुतवाच्यार्थोपस्कारिका न भवतीति वक्तुमयोग्यम्, अनुभवसिद्धस्यापि व्यङ्ग्योपमानिष्ठस्य प्रकृतोपस्कारकत्वस्यापलापे वादिसम्मतस्य समासोक्तिस्थलीयाप्रस्तुतार्थवृत्तिप्रस्तुतार्थोपस्कारकत्वस्याप्यपलापः कृतो भवेदीति भावः ।

पूर्वग्रन्थके प्रतिकूल आशंका करके उसका समाधान करते हैं—न च इत्यादि । यदि आप कहें कि 'करतल'... इत्यादि पद्य में व्यङ्ग्य होनेवाला उपमा अलंकार वाच्यार्थ का





अनेकार्थक सार्वभौम पद से उपस्थित कराया गया है। तात्पर्य कहने का यह कि सम सोक्तिस्थल में विशेष्य वाचक शब्द अनेकार्थक नहीं रहता है और व्यङ्ग्योपमास्थल विशेष्य-वाचक शब्द अनेकार्थक रहता है, इस तरह से दोनों स्थलों में स्पष्ट अन्तर रहने पर भी आप एक ही प्रकार का विचार क्यों करते हैं ? इस शंका के उत्तर में ग्रन्थक का कथन है कि उक्त अन्तर के रहने से विवेच्य विषय में तो कोई अन्तर होता नहीं फिर उसके रहने या न रहने से क्या ? अर्थात्—व्यङ्ग्योपमा स्थल में व्यवहारी ( प्राकरणिक राजा आदि ) अनेकार्थक शब्द से बोधित हुआ रहता है, इससे अप्राकरणिदिग्गज आदि की उपमा में जो प्राकरणिक नृप आदि अर्थ के प्रति उपकारभाव है, क्या रुद्ध हो जायगा ? कथमपि नहीं, उसको रोकनेवाला वह कौन होता है ? और व उपमा की उपकारकता नहीं रहेगी, तब उसकी गौणता निश्चित है, तथा तत्प्रयुक्तगुणभूतव्यङ्ग्यता भी उस पद्य की अनिवार्य ही है।

व्यङ्ग्योपमा येन गुणीभूता न भवति; तादृश युक्त्यन्तरमुद्भाव्य खण्डयति—

नचात्रोपमादीनामलंकाराणां स्वभावतः सुन्दरत्वात्काव्यप्रवृत्त्युद्देश्यतया च वस्तुमात्रे गुणीभावो न संभवति, यथा वस्तुमात्रेणाभिव्यक्तानामलंकाराणाम् तुल्यन्यायत्वात् । अप्रकृतव्यवहारस्य तु समासोक्त्यवयवस्य निरलंकारतया वस्तुन्युपस्कारकत्वं समासोक्ताविवरुद्धमिति वाच्यम्, एवमपि 'बाधेऽदृष्टेऽन्यसाम्यात्किं दृष्टेऽन्यदपि बाध्यताम्' इति न्यायेनोक्तयुक्तेः शिथिलत्वात्, अपराङ्गताया दुरपहवत्वात् ।

सुन्दरत्वादित्यस्य वस्त्वपेक्षयेत्यादिवोधः । स्वभावतः सुन्दरस्यापि शृंगारादेः क्वचिद् गौणतादर्शनादाह—काव्यप्रवृत्त्युद्देश्यतया चेति । अन्यथा नानार्थकपदकदम्बकरभित्तपद्यनिर्मितिरूपकविप्रयासवैफल्यपत्तिरिति भावः । वस्तुमात्र इति । प्रकृतार्थ इत्यर्थः । यथा वस्तुमात्रेति । 'निशितशरधियर्पर्यत्यनङ्गो, दृशि सुदृश स्वबल वयस्यराले । दिशि निपतति सा च यत्र तत्र व्यतिकरमेत्य समुन्मिषन्त्यवस्था ॥' इत्यादाविति भावः । तुल्येति । उक्तहेतोस्तुल्यत्वादिति भावः । समासोक्त्यवयवस्येति । अवयवत्व निरलङ्कारत्वे हेतुरिति भावः । उक्तयुक्तेरिति । दृष्टान्तप्रदर्शनरूपयुक्तेरित्यर्थः । वाच्या व्यङ्ग्यथा वा उपमाद्यलङ्कारा स्वभावतो रमणीया अन्यथा तेषामलङ्कारत्वमेव भज्येत । अपि च करतलेत्यादिविविधकाव्यनिर्माणेकविप्रवृत्तेरुद्देश्यमपि व्यङ्ग्यथालङ्कारप्रत्यायनमेव, अन्यथा तादृशद्वयर्थकपदघटितकाव्यनिर्माणवैयर्थ्यम् । एवञ्च यथा निशितशरेत्यादिप्रागुक्तपद्ये वस्तुमात्रव्यङ्ग्यविरोधालङ्कारस्य वस्त्वपेक्षया नगुणत्वम्, तथाऽत्रापि नोपमाया व्यङ्ग्यथाया गुणत्वम् । अत एव 'व्यज्यन्ते वस्तुमात्रेण यदालकृतयस्तदा । ध्रुव ध्वन्यङ्गता तासा काव्यवृत्तेस्तदाश्रयात् ॥' इत्युक्तध्वनिकृता प्रकाशकृता च समुद्धृतम् । नन्वेव समासोक्तौ कथमप्रकृतव्यवहारस्य गौणत्वमङ्गीक्रियते इति चेत्तत्राह—अप्रकृतव्यवहारस्य तु इत्यादि । तत्राप्राकृतव्यवहार समासोक्त्यवयव इति नालङ्कारता तस्य, अलङ्कारस्यैव च स्वतः सुन्दरत्व मयाऽऽस्थितम् । तथा च समासोक्तावप्रकृतव्यवहारस्य व्यङ्ग्यस्यापि प्रकृतोपकारकत्वं तन्मूलक गुणत्वञ्च युक्तमिति शङ्कादलस्याशयः । शङ्कादलोकमलकाराणां स्वभावसुन्दरत्वादिक सत्यम्, पर तु करतलेत्यादौ तादृशेऽन्यकाव्ये वा अप्रकृतार्थनिरूपितोपमाया व्यङ्ग्यनावोधाया प्रकृतार्थोपेक्षयद्यनुमसिद्धतयाऽपलापानर्हम्, तर्हि तस्या व्यङ्ग्योपमाया अपराङ्गता तत्प्रयुक्तगुणता च केन वार्येत ? 'यथा वस्तुमात्राभिव्यक्तेत्यादिना प्रदर्शितो दृष्टान्तस्तु अकिञ्चित्कर एव, तत्राप्युक्तयुक्त्या व्यङ्ग्यथालङ्काराणां गुणत्वमेव न ध्वन्यङ्गत्वमिति मदभिप्रायात् । एतदर्थवोधक एव प्रकृतं



वप्रकृतव्यवहारेण प्रकृतस्योपस्कारणोऽपि न समासोक्तेरपराङ्गत्वम्, प्रकृताप्रकृत-  
घटितत्वात्, एवमिहापिस्यादिति । तथापि समासोक्तेरिवास्यापि प्रभेदस्य गुणी-  
भूतव्यङ्ग्यत्वापत्तेः, अस्येव वा समासोक्तेरपि ध्वनिव्यपदेश्यत्वापत्तेः ।

उपमाशरीरघटकमिति । उपमाशरीरसम्पादकसामग्र्यन्तर्गतमित्यर्थ । तत उपमात् ।  
तै उपमानोपमेयसाधारणधर्मै । तस्या उपमाया । इत्यञ्चेति । उपमानोपमेयसाधारण-  
धर्माणा मिलितानामेवोपमापदार्थत्वे चेत्यर्थ । उपस्कारे इति । परिष्कारे इत्यर्थ । पोषणे  
इति यावत् । अपरत्वाभावादिति । उपमापदार्थभिन्नपदार्थत्वविरहादित्यर्थ । गुणीभूत  
व्यङ्ग्यत्वापत्तेरिति । विशिष्टस्योपमाशरीरत्वेऽपि उपमेयांशस्य राजादेर्न व्यङ्ग्यत्वम्,  
शक्त्यैव तज्ज्ञाभात् । एवञ्चोपमाशरीरघटकव्यङ्ग्यशास्य दिग्गजादेरुपमानस्योपमाशरी-  
घटकवाच्याशस्योपमेयस्यापेक्षयाऽऽधिकचमत्कारित्वविरहेण गुणीभूतव्यङ्ग्यत्वस्य दुर्वारत्वा  
दिति भाव । अस्येव उपमाप्रभेदस्येव । प्रकृतं वाच्यम् अप्रकृत व्यङ्ग्यमित्युभयविधमङ्ग-  
मादाय समासोक्ति सम्पद्यते । तत्र व्यङ्ग्यमप्रकृतम् वाच्यस्य प्रकृतस्य यद्यप्युपस्कारक  
नियमतस्तिष्ठति, तथापि यथा समासोक्तिरपराङ्गमिति न व्यपदिश्यते, अपरपदेन विव-  
क्षितस्य प्रकृतस्य समासोक्तिशरीरान्तर्गततया वस्तुतोऽपरत्वाभावात्, तथैव करतलेत्यादौ  
दिग्गजादिरूप व्यङ्ग्यमुपमानम्, राजादिरूप वाच्यमुपमेयम्, करतलेत्यादिसमानविशेषण-  
विशिष्टत्वरूप साधारणधर्मं च त्रिविधमङ्गमादायोपमा सम्पद्यते । तत्र साधारणधर्मशेन  
( सादृश्याशेन ) वाच्यस्य राजादेरुपमेयस्योपस्कारेऽपि नोपमाया अपराङ्गत्वम् अपरत्वे-  
नाभिमतस्योपमेयस्योपमाशरीरघटकतया वस्तुतोऽपरत्वाभावादिति शकादलाशय । एव-  
मपराङ्गत्वासिद्धावपि समासोक्तिसाम्यनिश्चये तत्रेवात्रापि गुणीभूतव्यङ्ग्यत्वमुचितम्, समासो-  
क्तिस्थलीयव्यङ्ग्यत्वस्य वाच्यानतिशायित्ववत् प्रकृतोपमास्थलीयव्यङ्ग्यस्यापि वाच्यानतिशायि-  
त्वात् । भवदुक्तरतीत्या प्रकृतोपमाया इव समासोक्तेरपि ध्वनिव्यवहारविषयत्व वा समुचित-  
मिति च समाधानदलाशयो बोध्यः । 'अलंकाराणामुद्दीपनविधया रसाद्युपयोगित्वेनालम्बना-  
पेक्षयोद्दीपनेऽधिकचमत्कारित्वस्य सर्वानुभवसिद्धतया करतलेतिपदवाच्यालवनविभावापेक्षया-  
तिशायित्वाद् ध्वनित्वमव्याहृतमेव । रसाद्यपेक्षया गुणीभूतव्यङ्ग्यत्व त्विष्टमेव । समासोक्तौ तु  
'आगत्य सम्प्रति वियोगविसंश्रुलाङ्गीम्' इति सखीशिक्षावाक्येऽप्रकृतनायकवृत्तान्ताध्यारोप-  
विना तदनुपपत्तेर्गुणीभूतव्यङ्ग्यत्व स्पष्टमेव । यत्र तु तस्यापि रसाद्युपकारकतया वाच्या-  
दतिशायित्वम्, प्रागुक्तरतीत्या तत्रास्तु नाम ध्वनित्व तस्या । न चैवमप्युमाकृतोत्कर्षमादा-  
यास्तु ध्वनित्वम्, अलंकारध्वनिरिति तु कथमिति वाच्यम्, 'अलंकारकृतोत्कर्षध्वनानेवा-  
लङ्कारध्वनिरिति व्यवहारात्' इति नागेशोऽत्र रुचिरमालोचयदित्यवगन्तव्यम् ।

अथ 'करतल'..... इत्यादि पद को गुणीभूतव्यङ्ग्य सिद्ध करने में जो व्यंग्य उपमा की  
अपराङ्गता रूप युक्ति दी जाती है, उसकी प्रसिद्धि की आशंका करके खण्डन करते हैं—  
अथ इत्यादि । प्रस्तुत वाच्य और अप्रस्तुत व्यंग्य इन दोनों अर्थों को लेकर समासोक्ति  
'अलंकार सम्पन्न होता है । उसमें अप्रस्तुत व्यंग्य यद्यपि नियमत वाच्य प्रस्तुत का पोषक  
रहता है, तथापि समासोक्ति अपरांग नहीं मानी जाती है । क्योंकि अपराङ्ग शब्दगत  
अपर पद से विवक्षित प्रस्तुत, समासोक्ति-शरीर प्रविष्ट होने के कारण वस्तुतः अपर-  
अन्य-नहीं होता । उसी तरह 'करतल' ..' इत्यादि पद में दिग्गज आदि व्यंग्य उपमान,  
राजादिरूप वाच्य उपमेय और 'करतल' इत्यादि समानविशेषण—विशिष्टत्वरूप साधा-  
रण धर्म इन तीनों अर्थों को लेकर उपमा अलंकार सम्पन्न होता है, उसमें सादृश्य (साधा-  
रण धर्म) अर्थ से वाच्य राजारूप उपमेय के पोषण होने पर भी उपमा अपराङ्ग नहीं



समर्थयितुमुचिता नोपमालंकारस्य । रूपकालङ्कार एवेदशेषु स्थलेषु व्यङ्ग्यो नोपमा इति भावः ।

‘उल्लास्य ...’, ‘भद्रात्मनो’.....’, और ‘करतल’.....’ इत्यादि पद्यों में अलंकार ही व्यग्य होता है, ‘उपमा’ अलंकार नहीं, इस स्व-सिद्धान्त का भव प्रति करते हैं—अन्यच्च इत्यादि । अभिप्राय यह है कि ‘विद्वन्मानसहस्र ...’ इत्यादि काव्य-स्थल में श्लिष्ट मानसपद से बोधित चित्त और सरोवर रूप अर्थ-द्वय में अर्थ-ओरोप होता है, यह बात सबों के अनुभव से सिद्ध है, तथा सभी अलंकारिक विद्वानों को मान्य भी है । वहाँ जव यह विचार करते हैं कि अस्यन्त भिन्न प्रकार के उन दोनों अर्थों में अभेद का आरोप क्यों होता है—उसका मूल क्या है ? तब मानस रूपक पद से बोधित होने के अतिरिक्त कोई मूल नहीं मिलता है अर्थात् एक पद से उपस्थित होने के कारण ही सर्वथा भिन्न होने पर भी वे दोनों अर्थ एक जैसे ( अभिन्न जैसे ) प्रतीत होते हैं । यह अभिन्न जैसा प्रतीत होना अमुचित है । कारण, ‘एक पद से उपस्थापित अनेक अर्थ भी एक जैसे ही भासित होते हैं’ यह सर्व-मान्य सिद्धान्त है । इस स्थिति में ‘उल्लास ...’, ‘भद्रात्मनो’.....’, और ‘करतल ...’ इत्यादि पद्यों में तथा इसी तरह के अन्य पद्यों में भी जव प्रस्तुत वाच्य और अप्रस्तुत व्यग्य अर्थों की उपस्थिति एक ही पदों से होती है, तब उन अर्थों में अभेद का आरोप अमुचित है, तथा अभेदोप मूलक रूपक अलंकार का व्यग्य होना ही मानने योग्य है । उन सब पद्यों में प्रस्तुत और अप्रस्तुत अर्थों में उपमानोपमेय भाव को व्यग्य मानना असंगत है । तात्पर्य यह हुआ कि ये पद्य रूपकालंकार-ध्वनि के उदाहरण कहे जा सकते हैं, उपमा अलंकार ध्वनि के नहीं ।

‘उल्लास्य ...’ इत्यादिषु अभेदाध्यवसाननिरसनसमीहया श्लेषस्थलाद् वैलक्षण्य प्राचा मभिमतमुपपाद्य तस्याकिञ्चित्करतामाह—

श्लेषे द्वयोरर्थयोर्वाच्यत्वम् एककालत्वं च । इह त्वेकस्य वाच्यत्वम्, अपरस्य व्यङ्ग्यत्वं भिन्नकालत्व चेति । एतावन्मात्रेणैवैकपदोपात्तत्वप्रयुक्तमभेदाध्यवसानं न शक्यं त्यक्तुम्, व्यङ्ग्यताया भिन्नकालत्वस्य चाभेदप्रतिपात्तात् बाधकत्वात् ।

इह तु ‘उल्लास्य’-इत्यादौ तु । इति पूर्वग्रन्थसमाप्तौ । प्रतिपत्तौ ज्ञाने । यत्र द्वयर्थक पदघटितकाव्यस्थले प्रकरणादयोऽभिधानियामका न तिष्ठन्ति, अत एव द्वावप्यर्थौ वाच्यवृत्तौ प्रतीयेते, तत्रैव श्लेषः । एवञ्च श्लेषस्थले द्वयोरर्थयोर्वाच्यत्व समकालीनज्ञानविषयत्व निश्चितम् । ‘उल्लास्य’-इत्यादौ तु अभिधानियामकस्य प्रकरणस्य सत्त्वेन राजरूपार्थोऽभिधाय नियमनात् प्रकृतार्थस्यैव वाच्यत्वम्, अप्रकृतस्येन्द्रादिरूपार्थस्य व्यङ्ग्यत्वमेव । अत एव तयोर्भिन्नकालज्ञानविषयत्वमपि निर्णीतम्, तथा च कथं श्लेषस्थलदृष्टान्तेनात्र प्रकृताप्रकृतयोरभेदाध्यवसानमित्याक्षेपः । प्रकृताप्रकृतयोरभेदज्ञाने एककालीनत्व वाच्यत्व वा न नियामकम्, न वा व्यङ्ग्यत्व भिन्नकालत्व वा प्रतिबन्धकम् इति श्लेषस्थलात् तादृशवैलक्षण्यवर्तमानमपि न किञ्चित्करम्, एकपदबोधितत्वप्रयुक्तमभेदाध्यवसानमत्रापि भवेदेवेति समाधानम् ।

श्लेष स्थल से व्यंग्योपमा-स्थल में वैलक्षण्य दिखलाकर उसकी अकिञ्चित्करता वर्णन करते हैं—श्लेषे इत्यादि । अनेकार्थक पदों से निर्मित जिस काव्य के स्थल अभिधा को नियन्त्रित करने वाले प्रकरणादि नहीं रहते हैं, अत एव दो अर्थ वाच्य वृत्ति ( अभिधा ) से ही प्रतीत होते हैं, वहाँ श्लेष होता है । इस स्थिति में यह निश्चित



अलङ्कारान्तरस्यापि शब्दशक्त्युद्भवसलक्ष्यक्रमध्वनित्व प्रतिजानीते—

एवमलङ्कारान्तरमपि शब्द शक्तिमूलानुरणनस्य विषयः ।

उपमाद्यतिरिक्ता अपि अलङ्कारा सलक्ष्यक्रमनामकशब्दशक्त्युद्भवध्वनेर्लभजन्ते इत्यर्थः ।

इसी तरह अन्य अलङ्कार भी शब्द-शक्ति-मूलक सलक्ष्यक्रम-ध्वनि में लसकते हैं ।

विरोधाभासालङ्कारध्वनिमुदाहरति—

यथा यमुनावर्णने—'रविकुलप्रीतिमावहन्ती नरविकुलप्रीतिमावहति ।  
रितप्रवाहा सुवारितप्रवाहा ।'

रवे सूर्यस्य, कुले वशे प्रीतिं प्रेमाणमावहन्ती भजमाना, नराणा मनुष्याणा, वीणां पक्षिणा च कुले समूहे प्रीतिं भजते । यमुनेति प्रकान्त कर्तृपद बोध्यम् । अवारित' अप्रतिबद्ध', प्रवाहो यस्या सा, शोभन वार्जल, तत्सजात यस्येति सुवारितम्, तादृश प्रवाहो यस्या सा इति पारमार्थिको विवक्षितोऽर्थः ।

अब 'विरोधाभास'-अलङ्कार-ध्वनि का उदाहरण दिखलाया जाता है—यथा इत्यादि । 'रविकुल ...' इत्यादि मूलोद्धिखित गद्यांश 'यमुना वर्णन' के प्रसङ्ग में लिखा गया है, जिसका वास्तविक अर्थ यह है कि 'सूर्यनन्दिनी-यमुना' सूर्य कुल में प्रेम रखती हुई मनुष्यों और पक्षियों के समुदाय में प्रेम रखती है, और अप्रतिबद्ध-धारावाली तथा सुस्वादु सलील से युक्त प्रवाहवाली है ।

उपपादयति—

इह नराणां वीणां च कुलस्य प्रीतिमावहतीति प्रकृतेऽर्थे सिद्धे रविकुलप्रीतिं नावहतीति द्वितीयोऽप्रकृतोऽर्थः विरोधश्च । एवमन्यत्रापि ।

विरोधश्चेति । अलङ्कारो ध्वन्यते इति शेष अन्यत्रापि । 'अवारितप्रवाहा सुवारितप्रवाहा' इत्यत्रेत्यर्थः । अभिधावृत्त्या पूर्वोद्धिखितप्रकृतार्थबोधानन्तरम्, अभिधा-मूलव्यञ्जनया 'न रविकुलप्रीतिमावहति', 'सुवारितप्रवाहा' इत्येताभ्यां विशेषणाभ्यां क्रमशः 'सूर्यकुलप्रीतिं नावहति', 'साधुप्रतिबद्धप्रवाहा' इति प्रथमविशेषणद्वयार्थविरुद्धोऽप्रकृतोऽर्थः प्रतीयत इति भवतीति विरोधाभासालङ्कारध्वनेरुदाहरणमिति भावः ।

उक्त गद्यांश में प्रकृतोपयोगी वक्तव्यों का उपपादन करते हैं—इह इत्यादि । उक्त गद्यांश में अभिधावृत्ति से जब पूर्वोक्त प्रस्तुत अर्थ का बोध हो जाता है, तब शब्दशक्ति मूला व्यञ्जना से, 'न रविकुलप्रीतिमावहन्ती' और 'सुवारित-प्रवाहा' ये दोनों विशेषण अपने पूर्वोक्त अर्थ से भिन्न और 'रविकुल-प्रतिमावहन्ती' तथा 'अवारित-प्रवाहा' इन दोनों विशेषणों के उक्त अर्थ के विरुद्ध अर्थों (सूर्यकुल में प्रेम नहीं रखती तथा सुन्दर ढङ्ग में अवरुद्ध धारावाली) को अभिव्यक्त करते हैं । उन विरुद्ध अर्थों में विरोध अलङ्कार में अभिव्यक्त होता है । इस तरह यह गद्यांश, विरोधाभासालङ्कार-ध्वनि का उदाहरण सम्पन्न होता है ।

अपिपदाभाव एव विरोधाभासस्य व्यङ्ग्यत्वम्, तत्पदसत्त्वे तु तस्य वाच्यत्वमेवेत्याह—  
यदि तु रविकुलप्रीतिमावहन्त्यपि न रविकुलप्रीतिमावहति । अवारितप्रवाहापि सुवारितप्रवाहा इत्यपिरन्तर्भाव्यते तदा विरोधांशस्यापिनोक्तत्वाद्द्विद्वितीयार्थस्य च तदाक्षिप्तत्वान्न ध्वनित्वम् ।

अपिपद विरोधवाचकमिति नये रविकुलेत्यादियमुनावर्णनपरे गद्ये मूलोक्तरीत्याऽऽपि





कमलिन्या, किसलया दलानि, मृणालनिर्मितकंकणादि च दवदहनस्य चनाग्ने, राशि समूहः भवतीति शेषः अत्र नलिनीत्वादिजातीना दहनत्वजात्या विरोधस्य विरहोद्दीपकत दहनत्वोपचारेण परिहारात्तदाभासालङ्कारः । इदं पद्य वाच्यविरोधाभामालङ्कारोदाहणत काव्यप्रकाशकृता लिखितम् । तत्र शक्ते-ननु इत्यादि । अयं भाव — अत्रापिशब्दो विरो पस्थापको नास्ति, अतो विरोधाश्रयीभूतयोर्नलनीत्वदवदहनत्वयोर्वाच्यत्वेऽपि विरोधाश्रय व्यङ्ग्यत्वमेव स्वीकर्तव्यं भवेत्, तथा च कथमिह वाच्यविरोधाभासोऽलङ्कार इति ।

विरोध के प्रसङ्ग में प्राचीनों के द्वारा उद्धृत एक उदाहरण में कुछ शका उपस्थि करते हैं—ननु इत्यादि । 'मृणालवलय्यादि' इत्यादि वाक्यांश, जिस पद्य का है, वह सगु पद्य संस्कृत टीका में उद्धृत है । नायिका के पक्ष की एक दूती, नायक से कहती है— हे सुभग ! ( जो कभी सुधि न ले, पर नायिका उसके विरह में मरने पर उद्यत होवे, उसको भाग्यशाली क्यों नहीं कहा जाय ? ) ( यद्यपि जानबूझकर अपनी इच्छा से, तुम वियुक्त नहीं हुए थे, तथापि ) दैव-योग से होनेवाले तेरे 'वियोग-वज्र' के आपतन के बाद से ( समानरूप से प्राणहर होने के कारण वियोग को वज्र कहा गया है ) इस मृगाक्षी के लिये कमलिनी के कोमल किसलय और मृणाल के बने कङ्कण, वन के वह्नि-पुञ्ज हो गए थे । यहाँ, विरहोद्दीपक होने के कारण वह्नि-भाव के आरोप से पश्चात् विरोध की शान्ति होने पर भी पहले आपाततः कमलजाति और वह्निजाति में विरोध सा प्रतीत होता है, अतः यहाँ 'विरोधाभास' नाम का अलंकार माना जाता है । इस पद्य को वाच्य अलंकार के प्रकरण में प्राचीनों ने उदाहृत किया है । अब शंका होती है कि जब यहाँ 'अपि शब्द' नहीं है, तब 'विरोध' वाच्य तो होगा नहीं, आखिर उसे व्यङ्ग्य ही मानना पड़ेगा, फिर यह पद्य वाच्य-विरोधाभास का उदाहरण होगा, तो कैसे ? ( एक बात यहाँ समझने की है—जिन दो अर्थों में यहाँ विरोध प्रतीत होते हैं, वे मृणालवलय और वनवह्नि यद्यपि वाच्य हैं, पर उन दोनों का विरोध वाच्य नहीं है, व्यङ्ग्य है, अतः ऐसी शका की गई है ) ।

शक्तिस्वर्यस्यापातसुभग समाधानमुक्त्वा खण्डयति—

न च विरोधविशिष्टाभेदस्य संसर्गत्वाद्वाच्यार्थबोधविषयतया विरोधस्य वाच्यत्वमिति वाच्यम्, विरोधाभेदयोः परस्परविरुद्धत्वेनैककालावच्छेदेनैकसंसर्गत्वस्यानुपपत्तेः । नामार्थयोरभेदस्यैव संसर्गतया विरोधस्यापि संसर्गत्वे मानाभावाच्च, पर्यन्ते दवदहनराशिपदस्य सदृशलाक्षणिकतया विरोधांशस्य तिरोधानाच्च ।

विरोधविशिष्टाभेदस्येति । अभेदे विरोधवैशिष्ट्य सामानाधिकरण्यसंबन्धेनेति भावः । वाच्यार्थबोधविषयतयेति । अन्विताभिधानवादिमतेनेदम् । तन्मतेऽन्वयाशेऽपि शक्तिस्वीकारादिति भावः । यद्यप्यभिहितान्वयवादेऽपि तात्पर्यवृत्त्युपस्थापितस्यान्वयागस्य वाक्यार्थबोधविषयत्वम् सम्भवति, तथापि तावता तस्य वाच्यत्व न संभवति, अपितु तात्पर्यार्थत्वमिति बोध्यम् । मृणालवलय्यादिपदार्थस्य दवदहनराशिपदार्थस्य च मिथोऽभेदसंसर्गान्वय, निपातातिरिक्तसमानाधिकरणनामार्थयोरभेदातिरिक्तसंबन्धोऽव्युत्पन्न इति सिद्धान्तात् । स चाभेदः प्रकृते न केवल संसर्गतया विवक्षितोऽपि तु विरोधविशिष्टः । तत्राचोक्तपदार्थद्वयविषयकबोधे स संबन्धोऽपि भासेत इति विरोधो वाच्यो जात इति शका । उत्तरयति—विरोधाभेदयोरिति । विरोधोऽभेदश्चेति परस्परविरोधिपदार्थद्वयम्, अत एकस्मिन् काले तयोर्द्वयोर्मिश्रणेनैकसंबन्धत्व न युक्तमित्यर्थः । ननु भेदाभेदघटिततादात्म्यवदुपपत्ति स्यादित्यत आह—नामार्थयोरिति । नामार्थद्वयस्य संसर्गरूपेण शुद्धोऽभेद एव

प्रसिद्ध इति विरोधविशिष्टस्य तस्य सन्नर्गत्वमप्रामाणिकमिति भाव । तादान्यस्य ससर्गत्व तु तन्त्रान्तरं प्रसिद्धमिति तात्पर्यम् । ननु प्रतीत्यन्यथानुपपत्तिरेव मानमिन्यत आह—पर्यन्ते इति । पर्यवसान इत्यर्थः । काव्यन्वोपयोगिवाक्यार्थबोधानन्तरं मृणालवलय्यादि न द्वदहनराशिरिति बन्धप्रतिसन्धाने द्वदहनराशिपदस्य तत्त्वदर्शे लक्षणाऽवश्यमपितव्या तथा च द्वदहनराशिनदृशं मृणालवलय्यादिति पार्ष्णिक्बोधे जाते विरोधोऽत्र भावेतापि न, तथा च कथं तस्य सवन्धघटकत्वमिति भावः । इत्यत्र मध्योक्त समाधानममगतमिति नन्वित्यादिना सनुन्यापिता शका स्थिरेति बोद्धव्यम् ।

पूर्व शङ्कित अर्थ का एक असिद्धान्तीय समाधान कहकर उसका खण्डन करते हैं—न च इत्यादि । 'मृणाल वलयादिवन-दहनराशि.' यहाँ मृणाल-वलय पदार्थ का द्वदहनराशि पदार्थ के साथ अभेद सम्बन्ध से अन्वय होता है । क्योंकि निपात से अतिरिक्त दो प्राति-पादिकार्थों में अभेद से अन्य सम्बन्ध अयुक्त माना जाता है । वह यहाँ केवल अभेद के रूप में नहीं, किन्तु विरोध से युक्त होकर उक्त पदार्थ-द्वय का सम्बन्ध बनता है । और अन्विताभिधानवाद्यियों के मतानुसार, वाक्य से होनेवाले वाच्यार्थ-बोध में, सम्बन्ध भी भासित होता है अन्यथा अमवद्ध अर्थों का अन्वय ही नहीं बन सकेगा । अतः विरोध को वाच्य माना गया है—अर्थात् वाच्य अर्थ के बोध में जो भासित होता है, उसी को तो वाच्य कहा जाता है, और यहाँ उक्त रीति से विरोध भी सम्बन्धगत होकर वाच्यार्थ-बोध में भासित हुआ है, अतः वह भी वाच्य कहा जायगा । परन्तु यह समाधान ठीक नहीं है, क्योंकि विरोध और अभेद ये दोनों परस्पर विरोधी पदार्थ हैं, अतः वे दोनों एक ही काल में सम्मिलित रूप से एकसम्बन्ध रूप नहीं हो सकते—अर्थात् विरोधयुक्त अभेद को एक सम्बन्ध नहीं माना जा सकता । सारांश यह कि—जिन दो पदार्थों में विरोध होता है उनमें अभेद नहीं हो सकता और जिन दो पदार्थों में अभेद होता है उनमें विरोध नहीं हो सकता, अतः किसी भी हालत में साथ नहीं रह सकनेवाले विरोध और अभेद को मिलाकर एक सम्बन्ध मानना असङ्गत है । यदि आप कहें कि भेद और अभेद को मिला कर जैसे तादात्म्य नाम का एक सम्बन्ध माना जाता है, वैसी ही विरोध और अभेद को मिलाकर एक सम्बन्ध क्यों नहीं माना जा सकता ? हाँ, माना जा सकता था, यदि तादात्म्य के समान यह 'विरोधयुक्त अभेद' भी कहीं सम्बन्ध रूप से प्रसिद्ध होता, वह तो है नहीं, सर्वत्र दो प्रातिपदिकार्थों के सम्बन्धरूप में शुद्ध अभेद ही प्रसिद्ध है, अतः 'विरोधयुक्त अभेद' का सम्बन्धरूप होना अप्रामाणिक है । यदि आप कहें कि विरोध की प्रतीति होती है और वह प्रतीति तबतक नहीं बन सकती, जबतक 'विरोधयुक्त अभेद' को सम्बन्ध न माना जाय, अतः ( इस अनुपपत्तिरूप प्रमाण से ) वैसा माना जायगा । तो यह भी ठीक नहीं । क्योंकि अन्त में 'द्वदहन-राशि' पद को स्वसदृश अर्थ में लाक्षणिक ही मानना पड़ता है, अतः विरोध अत्र तिरोहित हो जाता है—अर्थात् लक्षणा के बाद सादृश्य सम्बन्ध की ही प्रतीति होती है, विरोध की प्रतीति होती ही नहीं । फिर उसकी अनुप-पत्ति के बल पर 'विरोधयुक्त अभेद' को आप सम्बन्ध कैसे सिद्ध कर सकते हैं ? तात्पर्य है कि यद्यपि 'मृणाल वलय आदि' के 'दावानलसमूह' होने में विरोध है, तथापि विरहिणी के लिये तापकर होने से उनको उसके समान मानने में कोई विरोध नहीं है । इस तरह से यह बीच का समाधान बन नहीं सकता, अतः यह शका बनी रही कि 'उक्त पद्य वाच्य विरोधाभास' का उदाहरण कैसे होगा ?

नन्वित्यादिना कृतानाशका समाधत्ते—

मैवम् ।

उक्तशका न युक्तेति भावः ।

अथ उक्त शका का खण्डन करते हैं—'मैवम्' इति । अर्थात् उक्त शका उचित नहीं ।

शकाया अयुक्तत्वे हेतुमाह—

उक्तपद्यस्य विरोधोदाहरणतामात्रे तात्पर्यात्, व्यङ्ग्यत्वेऽपि तथात्वस्यान-  
पायात् । वाच्यविरोधोदाहरणतायां त्वपिरन्तर्भाव्यः ।

उक्तपद्यस्येति । अभिनवनलिनीत्यादिपद्यस्येत्यर्थः । उदाहरणतामात्रेति । मात्रपदेन  
वाच्यत्वनिरास । तथात्वस्य विरोधत्वस्य । अनपायादिति । अनाशादित्यर्थः । अभिनव-  
नलिनीति पद्येऽपि पदाभावेन विरोधो वाच्यो न भवति चेत्, न भवतु, तावता न क्विश्चिद-  
सामञ्जस्यम्, व्यङ्ग्यविरोधमादायापि प्रकाशकारस्याभिमतसिद्धे । तस्य विरोधोदाहरण-  
प्रदर्शन एव तात्पर्यम्, न तु विरोधस्य वाच्यत्वे इति भावः । यदि तु वाच्यविरोधोदाहरण-  
मेवैतत्पद्यमित्याग्रहः, तदा मृणालवल्याद्यपि दवदहनराशिरिति रीत्या अपिपदान्तर्भावो  
विधेय एव ।

उक्त शका क्यों उचित नहीं, इसका हेतु अब कहते हैं—‘उक्त’ इत्यादि । काव्यप्रकाश-  
कार का उद्देश्य केवल विरोध का उदाहरण दिखलाना है, वह विरोध वाच्य हो अथवा  
व्यङ्ग्य इससे उन्हें प्रयोजन नहीं । अतः यदि उक्त पद्य में ‘अपि पद’ के न रहने से विरोध  
वाच्य न भी होता—व्यङ्ग्य ही होता है, तथापि प्रकाशकार की अभीष्ट सिद्धि ही होती  
जाती है । फिर वहाँ किसी तरह की असङ्गति की आशंका निर्मूल है । वाच्य-विरोधाभासा-  
लंकार का उदाहरण दिखलाना यदि अभीष्ट होगा, तब ‘अपि’ पद का पाठ करना ही  
पड़ेगा अर्थात् वैसा ही उदाहरण खोजना होगा, जहाँ अपि पद से विरोध वाच्य होता हो ।

उक्तकाव्यप्रकाशग्रन्थसगतिसाधक मतान्तरमाह—

केचित्तु—‘विरोधस्य व्यङ्ग्यत्वेऽपि विरोधिद्वयस्य वाच्यतामात्रेण विरोधा-  
भासस्य वाच्यालङ्कारव्यपदेशोपपत्तिः । इत्थमेव चांशान्तरस्य व्यङ्ग्यत्वेऽप्ये-  
कांशमादाय समासोक्त्यादीनामपि वाच्यालङ्कारव्यपदेशः’ इत्याहुः ।

‘मृणालवल्यादिदवदहनराशि’ इति प्रकाशग्रन्थे अपिपदस्यासत्त्वेन विरोधाशस्य  
व्यङ्ग्यत्वेऽपि मृणालवल्यादिदवदहनराशिरूप विरोधिद्वय वाच्यमेव, तावतैव ‘अत्र  
विरोधाभासालङ्कारो वाच्य’ इति व्यवहारो भवति, यतो विरोधाशो विरोधिद्वयाशश्च मिलि-  
त्वैव विरोधाभासशरीरम् । तत्रैकस्याशस्य व्यङ्ग्यत्वेऽपि अन्यस्याशस्य वाच्यत्वेन विरोधा-  
भासस्य वाच्यत्व सुस्थम् । यथा समासोक्त्यालंकारस्य प्रकृताप्रकृतघटितस्य, अप्रकृता-  
शस्य व्यङ्ग्यत्वेऽपि वाच्यत्वव्यवहार इति भावः । अत्र ‘केचित्तु’ इत्यनेनारुचि सूच्यते ।  
तद्दीज च समासोक्त्यादिषु गत्यन्तराभावेन तथा स्वीकारेऽपि विरोधाभासस्थले पूर्वोक्त-  
रीत्या वाच्यत्वव्यङ्ग्यत्वयो स्फुटभेदे समभवति तादृशक्लिष्टकल्पना वृथेत्यादि बोध्यम् ।

उक्त ‘प्रकाश-ग्रन्थ’ को सगत सिद्ध करने के लिये अन्य विद्वानों के द्वारा कहे गये एक  
भिन्न प्रकार का उल्लेख करते हैं—‘केचित्तु’ इत्यादि । कुछ लोगों का कथन है कि  
‘मृणाल वल्यादिदव-दहन-राशि.’ इत्यादि स्थल में ‘अपि पद’ के न रहने से ‘विरोध’ व्यङ्ग्य  
है, वाच्य नहीं, यह बात यद्यपि सत्य है, तथापि जिनका विरोध व्यङ्ग्य होता है, वे विरोधी-  
द्वय-अर्थात् मृणालवलय आदि और दवदहनराशि तो वाच्य हैं,—तावतैव यहाँ विरोधा-  
भास अलंकार वाच्य कहलायगा । तात्पर्य यह कि विरोध अश और विरोधी-द्वय अश ये  
दोनों अश मिलकर ही तो विरोधाभास अलंकार का शरीर बनते हैं, उनमें एक अश  
( विरोध ) के व्यङ्ग्य होने पर भी और अश के वाच्य होने से विरोधाभास अलंकार में  
वाच्यत्व का व्यवहार होगा, जैसे—प्रस्तुत वाच्य और अप्रस्तुत व्यङ्ग्य इन दोनों अशों को  
मिलकर घनने वाले समासोक्ति अलंकार में एक अश के व्यङ्ग्य रहने पर भी वाच्यत्व  
व्यवहार होता है । यहाँ ‘केचित्तु’ से कुछ अरुचि सूचित होती है, जिसका धीज यह है

किं समामोक्ति आदि में निरुपाय होकर वैसा मान लेते हैं, पर यहाँ तो ऐसी बात नहीं है—अर्थात् यहाँ 'अपि' पद के रहने पर विरोधाभास वाच्य और उसके नहीं रहने पर वह व्यङ्ग्य, इम तरह से जब स्पष्ट भेद संभव है, तब क्यों उस तरह की कष्ट-कल्पना की जाय ?

शब्दशक्तिमूलव्यतिरेकालङ्कारध्वनिनुदाहरति—

यथा वा—

‘कृष्णपक्षाधिकरुचि. सदासम्पूर्णमण्डल. ।

भूपोऽय निष्कलङ्कात्मा मोदते वसुधातले ॥’

कृष्णस्य भगवत्, पक्षे अशो ( न तु सामारिकविषयाशो इति भाव ) अधिका रुचि-प्रीतिर्यस्य स, सद्भि मञ्जनै, आपूर्ण व्याप्त, मण्डल राष्ट्र यस्य स, निष्कलङ्क पवित्र, आन्मा यस्य स, अय कश्चन वर्णनाय, भूप राजा वसुधातले, मोदते, प्रमोदतीति प्रकृतोऽर्थः । कृष्णपक्षेऽसितपक्षे, अधिकरुचि विशदकान्ति, सदा सर्वदा, सम्पूर्णमण्डल पूर्णविव, ( न तु कदापि चन्द्रवत् खण्डितविव इति भाव ) निष्कलङ्कात्मा कलङ्गगून्य-स्वरूप इति राजविशेषणीभूत एव चन्द्रवैधर्म्यबोधकोऽप्रकृतोऽर्थः ।

अथ शब्दशक्ति-मूलक 'व्यतिरेक अलङ्कार' ध्वनि का उदाहरण देते हैं—यथा वा इत्यादि । जिसकी कृष्ण भगवान् के पक्ष ( अश ) में ( न कि सामारिक विषय के अश में ) अधिक रुचि है, जिसका राष्ट्र मण्डल सज्जनों से परिपूर्ण है, जिसकी आत्मा निष्कलङ्क है, ऐसा यह राजा, भूतल पर मोद पा रहा है । यह है प्राकरगिक अर्थ, और इसके अतिरिक्त अप्राकरगिक अर्थ भी है, जिसके द्वारा राजा में चन्द्र से वैधर्म्य दिखलाकर आधिक्य सिद्ध किया जाता है, जैसे चन्द्र कृष्णपक्ष में कान्तिहीन हो जाता है, पर यह राजा कृष्णपक्ष में भी अधिक कान्तिशाली है, चन्द्रमण्डल सदा पूर्ण नहीं रहता और यह राजा सदा पूर्णमण्डल रहता है, चन्द्र कलकी है, यह निष्कलङ्क है ।

उपपादयति—

अत्र भगवत्पक्षाधिकप्रीत्यादिलक्षणे प्रकृतभूपोपयोगित्वात्प्रकृतोऽर्थे शक्त्या प्रतीतिपथमवतीर्णे द्वितीयोऽर्थोऽप्रकृतो वैधर्म्यात्मा तत्प्रयुक्तो व्यतिरेकश्च ।

भगवन्पक्षाधिकप्रीत्यादिलक्षणो योऽर्थोऽनुपदनुक्त, स एव कुतः प्रकृत इत्यत आह— प्रकृतभूपोपयोगित्वादिति । प्रतीतिपथमवतीर्णे इति । बोधविषये जात इत्यर्थः । द्वितीय इति । पूर्वोक्तिरित्यत्र चन्द्रवैधर्म्यबोधक इत्यर्थः । वैधर्म्यात्मा इति । वैधर्म्यरवरूप इत्यर्थः । व्यतिरेकश्च इति । ध्वन्यत इति शेष । भूपोऽत्र प्रकृत, तदुपयोगित्वात् भगवन्पक्षाधिक-रुचिलक्षण उक्तार्थोऽपि प्रकृत इति तस्मिन्नर्थे प्रकरणेनाभिधा नियम्यते, अतः स एवार्थो वाच्यः । असितपक्षेऽधिककान्तिरित्यादिचन्द्रवैधर्म्यात्मा अर्थस्तु अप्रकृतत्वान् न वाच्य, अपि तु व्यङ्ग्य, तत्प्रयुक्तो व्यतिरेकालङ्कारोऽपि व्यङ्ग्य । तथा च शब्दाना परिवृत्यसह-त्वेन भवतोऽप्य शब्दशक्तिमूलव्यतिरेकालङ्कारध्वनेर्लक्ष्यमिति भावः ।

उक्त श्लोक में प्रकृतोपयोगी विषयों का उपपादन करते हैं—'अत्र' इत्यादि । उक्त पद्य, राजा के प्रकरण में कहा गया है, अतः राजा प्राकरगिक अर्थ है, और तदुपयोगी होने से 'भगवत्पक्ष में अधिक रुचि रखने वाला' इत्यादि पूर्वोक्त अर्थ भी प्राकरगिक है, अतः प्रकरण में, उक्त प्राकरगिक अर्थों में पदवाच्य के अन्तर्गत पदों की अभिधाशक्ति नियन्त्रित हो जाती है—वे ही अर्थ वाच्य-कोटि में आते हैं और 'कृष्णपक्ष में अधिककान्तिशाली' इत्यादि चन्द्र वैधर्म्य अप्राकरगिक अर्थ तो उक्त वाच्य अर्थ की प्रतीति हो जाने के बाद व्यञ्जना से ज्ञात होते हैं—व्यङ्ग्य कोटि में आते हैं, इसी व्यङ्ग्य अर्थके आधार पर उपमान

चन्द्र से उपमेय राजा में आधिक्य-प्रतिपादनरूप 'व्यतिरेकालकार' भी व्यङ्ग्य होता यहाँ के शब्द बदले नहीं जा सकते हैं अतः यह पद्य शब्द-शक्ति मूलक व्यतिरेकाल ध्वनि का उदाहरण सिद्ध होता है ।

अत्र व्यज्यमानस्य व्यतिरेकस्य गुणीभूतत्वमाशक्य निरस्यति—

न चात्र व्यतिरेकस्य कविगत राजावपयकरतिभावात्कर्षकतया गुणीभूतस्य ध्वनिव्यपदेशहेतुत्वं, प्रधानस्यैव ध्वनिव्यपदेशहेतुत्वादिति वाच्यम्, उदास वक्तरि तत्त्वार्थकथनपरस्यास्य पद्यस्य वक्तृगत रतिव्यञ्जकत्वासगतेः, गुणीभूतस्याप्यर्थस्य वाच्यार्थापेक्षया प्रधानतया ध्वनिव्यपदेशहेतुतायाः प्राचीनैः स्वीराश्च । अन्यथा—

‘निरुपादानसभारमभित्तावेव तन्वते ।

जगच्चित्र नमस्तस्मै कलाश्लाघ्याय शूलिने ॥’

इत्यत्र व्यतिरेकध्वनित्वं तैरुक्तमसंगतं स्यात् । व्यतिरेकस्य भगवद्विषयकरतिभावाङ्गताया अनुभवसिद्धत्वात् ।

कविगतेति । कविगत कविहृदयवर्त्ती, यो राजविषयक वर्णनीयनृपोद्देश्यक, इति भावः । भक्त्यपरपर्याय प्रेमभाव, तस्य उत्कर्षकतया पोषकतयेत्यर्थः । अत्र व्यतिरेकस्य गुणीभूतत्वे हेतुः । उदासीन इति । रतिरोषोभयानाविष्ट इत्यर्थः । अत्र सतीति शेषः । तत्त्वार्थेति । यथास्थितार्थेत्यर्थः । वक्तु रतिभावाविष्टत्वे पद्यस्यास्य राजस्तुतिपरकत्वेन व्यतिरेकस्य गुणीभूतत्वेऽपि ध्वनित्वं स्थापयति—गुणीभूतस्यापीत्यादिना । अन्यथेति । तथानङ्गीकार इत्यर्थः । निरुपादानेति । उपादानसभारः सामग्रीसमूहः 'तूलिकादिक तद्रहितं यथा स्यात्तथेति क्रियाविशेषणम् । अभित्तावेव शून्य एव, चित्रं जगत् नानाविध विश्वम्, तन्वते विस्तारयते, सृजते इति यावत्, तस्मै अनिर्वचनीयस्वरूपाय, कलया चन्द्र-षोडशभागेन, श्लाघ्याय स्पृहणीयाय शूलिने शिवाय नम इत्यर्थः । पक्षे चित्रमालेख्यम् । कला आलेख्यक्रियाकौशलम् । तं प्राचीनैः रतिभावाङ्गताया इति । रतिभावपोषकत्वेनाङ्गत्वम् इति भावः । कृष्णपक्षेतिपद्य राज्ञः स्तुतौ केनापि कविना प्रयुक्तम् । तथा च कविनिष्ठराजविषयकरतिभाव एवात्र प्रधानव्यङ्ग्यः । व्यतिरेकस्तु व्यज्यमानोऽपि तत्पोषकतया गुणीभूतो न ध्वनिव्यवहारहेतुः प्रधानव्यङ्ग्यस्यैव ध्वनित्वप्रयोजकतास्वीकारात् इति शङ्का । नेदं पद्य राज्ञः स्तुतौ प्रयुक्तम्, वक्तुरुदासीनत्वान् । अपि तु वास्तविकार्थवर्णनपरमेव पद्यमेतत् । तथा च नास्मात्पद्यात् कविनिष्ठराजविषयकरतेरभिव्यक्तिः । तदनभिव्यक्तौ च न व्यङ्ग्यस्य व्यतिरेकस्योत्कर्षकत्वं गुणत्व वेति चोत्तरम् । अथवा 'आस्तामिदं पद्यं राजस्तुतिपरमेव, भवतु च कविगतराजविषयकरतिभावपोषकतया व्यतिरेकस्य गुणीभावः, तथापि व्यतिरेकध्वनित्वमिह सुस्थमेव, पार्यन्तिकव्यङ्ग्यरतिभावापेक्षया गुणत्वेऽपि वाच्यापेक्षया व्यतिरेकस्य प्राधान्यसत्त्वात्, 'इदमुत्तममतिशयिनि व्यङ्ग्ये वाच्याद् ध्वनिर्वुधै कथित' इति ध्वनिलक्षण कुर्वता प्राचीनेन वाच्यमात्रापेक्षया प्रधानस्यैव व्यङ्ग्यस्य ध्वनिव्यपदेशहेतुना सूचनात् । अतएव—'निरुपादानसभारः—' इति पद्ये भगवद्विषयकरतिभूतपोषकतयाऽनुभवसिद्धत्यापि व्यङ्ग्यस्य व्यतिरेकालकारस्य ध्वनित्वव्यपदेशहेतुत्वं प्राचीनैः प्रदर्शितं सगच्छत इति भावः ।

उक्तं पद्यं मे 'व्यतिरेक' व्यङ्ग्य होने पर भी गौण है, अतः वह ध्वनि-व्यवहार का हेतु नहीं हो सकता, इस तरह की आशंका और उसका लण्डन अब करते हैं—न चात्र इत्यादि ।

'कृष्णपञ्चाधिक रचि ...' इत्यादि पद्य में कविने किसी राजा की स्तुति की है, अतः इस पद्य में वर्णनीय राजा के प्रति कवि-हृदयगत प्रेमभाव ही प्रधान रूप में अभिव्यक्त होता है। यद्यपि उक्त रीति से व्यतिरेक अलंकार भी यहाँ व्यङ्ग्य होता है पर वह प्रधान-व्यङ्ग्य इविवगत रतिभाव का पोषक होने के कारण गुणीभूत है, अतः वह ध्वनि-व्यवहार के हेतु होने योग्य नहीं है फिर कैसे इस पद्य को व्यतिरेक ध्वनि का उदाहरण मानते हैं ? इस तरह की आशङ्का नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक तो यह कि उक्त पद्य का रक्ता, राजा की चापलूसी करने वाला नहीं है, वह एक उदासीन व्यक्ति है, अतः उसने इस पद्य में जो कुछ कहा है, वह त्रास्तविक स्थिति का वर्णन है—झठी प्रशंसा नहीं, फिर इस पद्य में राजा के प्रति रक्ता का प्रेमभाव कैसे व्यक्त हो सकता है ? वह तो वही होता है, जहाँ रक्ता झटमूठ की प्रशंसा करना हो। और जब यहाँ उक्त प्रेमभाव व्यक्त नहीं होगा, तब उक्त व्यतिरेकरूप व्यङ्ग्य की प्रधानता मानना ही जायगी। दूसरा कारण यह भी है कि—जो व्यङ्ग्य किसी दूसरे व्यङ्ग्य की अपेक्षा गौण भी हो, पर वाच्य अर्थ की अपेक्षा प्रधान हो, तो उक्त व्यङ्ग्य को भी ध्वनिव्यवहार का नियामक प्राचीनों ने माना है, अतः एव ध्वनिशास्त्र का लक्षण, 'इदमुत्तममतिशयिनि व्यङ्ग्ये वाच्याद् ध्वनिर्बुधै कथित' अर्थात् वाच्य अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारी व्यङ्ग्य अर्थ के रहने पर 'ध्वनि' नामक उत्तम काव्य कहा जाता है' ऐसा उन्होंने बताया है। यदि ऐसी बात नहीं होती, तब 'निस्पादान इत्यादि अर्थात् विना सामग्री के अभिव्यक्ति—निराधार—में ही ससार-चित्र को बनाने वाले अतएव प्रशंसनीय कला-कौशलवाले शिव जी को मेरा नमस्कार है' इस पद्य को व्यतिरेकालंकार ध्वनि का उदाहरण, प्राचीन आचार्य कैसे मानते ? तात्पर्य यह कि इस पद्य से भा सर्व प्रधानरूप में कविगत भगवद्विषयक प्रेमभाव ही व्यक्त होता है और व्यतिरेक उक्त प्रेमभाव के अङ्ग (पोषक) रूप में ही व्यङ्ग्य होता है, ऐसा यद्यपि सर्वों का अनुभव है, तथापि जैसे भावध्वनि की अपेक्षा गौण होने पर भी वाच्य अर्थ की अपेक्षा प्रधान होने के कारण, यहाँ व्यतिरेक को ध्वनिव्यवहार का नियामक मानते हैं, उसी तरह पूर्वोक्त प्रकृत पद्य में व्यतिरेक ध्वनि का व्यवहार करने में कोई बाधा नहीं है।

शब्दशक्तिमूलवस्तुध्वनिमुदाहरति—

शब्दशक्तिमूलवस्तुध्वनिर्यथा—

'राज्ञो मत्प्रतिकूलान्मे महद्भयमुपस्थितम् ।

बाले ! वारय पान्थस्य वासदानविधानत ॥

पान्थ कामनि नययैवना वक्ति—

हे बाले ! त्वम्, मत्प्रतिकूलान् मत्विद्वेष्यापारद्रवणान् रात्रं नृपान्, उपस्थित प्राप्त पान्थस्य पथिकस्य, न नम, महद् प्राणोपघातक भय वासन्थ निवानस्थानस्य दानस्य, विधानत करणान्, वारय इत्यापाततो वाच्योऽर्थ प्रतीयते। मत्प्रतिकूलान् वियोगिनो नमर्नवेद्वेजक्तया ह्येगप्रदात (अभ्येषा तु सुखद एव न इति भाव) रात्रश्चन्द्रान् उपस्थित, पान्थस्य वियोगिन (एतेनेच्छातिशय व्यञ्जने) नम महत् प्राणहरन्, भयम् क्रामार्तिपम्, वासन्थ निवानस्थानस्य दानस्य नभोगान्मदस्य, विधानत वारय श्रीकुरु, अर्थात्—विरान्मन्ता विरहकातरतया परमोन्कणित नामयसुर्दायमान-धन्दो नितरानुद्वेजति अत उपभोग देहि इति च व्यङ्ग्योऽर्थ ।

अथ शब्दशक्तिमूलक वस्तु ध्वनि का उदाहरण दिखलाते हैं—शब्द इत्यादि। शब्द शक्तिमूलक वस्तुध्वनि का उदाहरण 'राज्ञो मत्प्रतिकूलान्मे' इत्यादि पद्य होता है। यह पद्य, पथिक के द्वारा किसी युवती के प्रति कहा गया है। इस पद्य से पहले आपा-

ततः वाच्य रूप में यह अर्थ प्रतीत होता है कि वाले—युवावस्था के प्रथम सोपान पर पग रखने वाली सुन्दरि ! राजा मुझ से सर्वथा विरुद्ध है, अतः उससे महान् ( प्राण-हानि-कर ) भय उपस्थित हो गया है, मैं एक पथिक हूँ, यहाँ मेरा कोई रक्षक नहीं, अतः तुम अपने यहाँ जगह देकर उस भय से मुझे बचाओ । पर, अभिधामूलव्यञ्जना से यहाँ यह अर्थ विदित होता है कि मैं पथिक हूँ—चिरकाल से बाहर-बाहर ही घूमता रहा हूँ, अतः प्रेयसी-समागम-सुख से वञ्चित हूँ । चित्त उत्कण्ठित हो रहा है, अब तक तो किसी किसी तरह उस उत्कण्ठा का दमन करता रहा, पर अब दमन सम्भव नहीं । यह आकाश में चमकने वाला राजा ( चन्द्र ) मेरे विरुद्ध खड़गहस्त होकर खड़ा हो गया है, यह मेरे प्राण लेकर ही छोड़ेगा, अतः हे सुन्दरि ! वास और दान ( स्थान और संभोग ) के विधान से अर्थात् अपने पास रखकर संभोग की सुविधा से मेरे प्राणों की रक्षा कर । सन्नेप में व्यङ्ग्यार्थ का अभिप्राय यह हुआ कि यह चन्द्र, चिरविरही अत एव नितान्त उत्कण्ठित मुझको उद्विग्न कर रहा है, अतः संभोग का अवसर दो । यह व्यङ्ग्यार्थ उक्त वाच्य अर्थ से अधिक चमत्कारी है अतः प्रधान है, अत एव इस व्यङ्ग्य के आधार पर यह पद्य 'ध्वनि' कहलाने योग्य है ।

उपपादयति—

अत्रोपभोगं देहीति वस्तु राजपदशक्तिमूलानुरणनविषयः । राजपदाच्चन्द्रो-पस्थितावेव चन्द्रजनितभयवारणकारणत्वेनोपभोगस्याभिष्यक्ते ।

राजपदेति । राजपदनिष्ठा या शक्तिरभिधात्मिका तन्मूलक यदनुरणन व्यञ्जना, तस्य तज्जन्यबोधस्य विषय इत्यर्थः । तत्र हेतुमाह—राजपदाच्चेत्यादिना । चन्द्रेति । चन्द्रजनित चन्द्रोदयप्रयोज्यमित्यर्थः यत् भयं कामपीडाधिक्यसंभावनात्मकम्, तस्य वारण शान्ति, तत्कारणत्वेनेत्यर्थः । अत्र पूर्वोक्तो द्वितीयोऽर्थः राजपदनिष्ठाभिधामूल-व्यञ्जनयैव बोध्यते, राजपदजन्यचन्द्ररूपोद्दीपकप्रतीत्यनन्तरमेव चन्द्रजन्योद्वेगशमनहेतु-तया उपभोगरूपार्थप्रतीति । एवञ्चाभिव्यञ्जकस्य राजपदस्य परिवृत्त्यसहतया शब्दशक्ति-मूलवस्तुध्वनेरुदाहरणमेतत् पद्य भवतीति भावः ।

पूर्वोक्त उदाहरण में अपेक्षित विषयों का प्रतिपादन करते हैं—अत्र इत्यादि । यहाँ उपभोग-प्रदान की याचनारूप वस्तु ( वात ), राजपद की शक्ति जिसका मूल है, उस अनुरणन ( व्यञ्जना ) का विषय है अर्थात् राजपदनिष्ठ अभिधामूलक व्यञ्जनावृत्ति से वह वस्तु अवगत होती है, क्योंकि राज पद से 'चन्द्ररूप' अर्थ की उपस्थिति होने पर ही चन्द्रोदय से उत्पन्न कामपीडात्मक भय की निवृत्ति के कारणरूप में, उपभोग की अभिव्यक्ति होती है—यदि 'राज' पद का अर्थ 'चन्द्र' न हो तो इस श्लोक से उपभोगवाली वात निकल ही न सके । अतः इस व्यञ्जना का मूल 'राज' पद की अभिधा ही है ।

अलकारध्वनित्वमस्य पद्यस्याशक्य निराकरोति—

न चात्र नृपचन्द्रयोरुपमानोपमेयभावः भेदापोहरूप रूपक वा तथा-स्त्विति वाच्यम्, इह नृपरूपस्यार्थस्य चन्द्ररूपार्थगोपनमात्रार्थमुपात्तत्वेन युगपदुल्लसितोपमानोपमेयकयोरुपसारूपकयोस्तात्पर्यविषयताया अयोगात् ।

भेदापोहेति । अभेदेत्यर्थः । तथास्त्विति । अनुरणनविषयोऽस्त्वित्यर्थः, युगप-दिति । युगपत् एककालावच्छेदेन, उल्लसिते प्रतीतिपथमवर्ताने, उपमानोपमेये ययोस्तयो-रित्यर्थः । अयोगात् अयुक्तत्वात् । करतलनिर्गलदित्यादाविव प्रकृतेऽपि वर्णनीयो नृप-ध्वन्द्र इवेत्युपमालकार नृपश्चन्द्र इति रूपकालकारो वा प्रत्येतु शक्यते, तथा चालकारध्वने-रेवेदमुदाहरण न वस्तुध्वनेरिति शङ्का । ध्वर्थक राजपद प्रयुज्य चन्द्ररूपविवक्षितार्थ-

गोपनीयैव वक्ता नृपरूपोऽर्थ इहोपात्त । तथा चात्रोपमा रूपकं वा वक्तुस्तात्पर्यविषयो न भवितुमर्हति यत् उपमारूपकयो स्थले एकस्मिन् क्षण एव द्वयोरुपमानोपमेययो प्रतीतिर्जायते, इह तु गोपनकारणस्य नृपरूपार्थस्य प्रथम प्रतीतिः, गोपनीयस्य चन्द्ररूपार्थस्य च पश्चान् । अतो नात्रालंकारध्वनिसंभावनेति च समाधानम् ।

उक्त पद्य को अलंकार-ध्वनि का उदाहरण क्यों नहीं माना जाय, यह शका तथा उसका उत्तर भव कहते हैं—न चात्र इत्यादि । 'करतल ....' इत्यादि पूर्वोक्त पद्य में जिस-तरह 'सार्वभौमः सार्वभौम इव अर्थात् राजा दिग्गज के समान' यह उपमा अलंकार व्यङ्ग्य माना जाता है, उसी तरह 'राज्ञोमत् . . ' इत्यादि प्रकृत पद्य में भी 'राजा ( नृप ) राजा ( चन्द्र ) के समान' यह उपमा व्यङ्ग्य मानी जा सकती है अथवा उपमान तथा उपमेय का अभेदरूप रूपक व्यङ्ग्य माना जा सकता है, अत इम पद्य को अलंकारध्वनि का उदाहरण मानना उचित है, वस्तु-ध्वनि का नहीं, यह शका यहाँ नहीं करनी चाहिए क्योंकि यहाँ 'राज' शब्द का 'राजा'-अर्थ केवल 'चन्द्र' रूप अर्थ का गोपन करने के लिये गृहीत हुआ है, अर्थात् कवि ने अपने अभिप्राय को गुप्त रखने के लिये ही दो अर्थ वाले पद का प्रयोग किया है—उसका अन्य कोई उद्देश्य नहीं । अत 'चन्द्र' रूप अर्थ की प्रतीति हो जाने के बाद 'राजा' रूप अर्थ की प्रतीति रहेगी नहीं और उपमा अथवा रूपक तब होते हैं, जब उपमान और उपमेय की प्रतीति एक साथ हो अन्यथा सादृश्य अथवा अभेद होगा किन् दोनों का ? तात्पर्य यह है कि—जब तक 'राज' पद का 'राजा' अर्थ प्रतीत होता रहेगा, तब तक 'चन्द्र' अर्थ नहीं ज्ञात होगा और जब 'चन्द्र' अर्थ ज्ञात हो जायगा, तब 'राजा' रूप अर्थ का भूत पूर्व ज्ञान भ्रम ( झूठ ) सिद्ध हो जायगा । अत उपमा अथवा रूपक यहाँ वक्ता के तात्पर्य का विषय नहीं है—वक्ता को यह अभीष्ट नहीं है कि यहाँ अलंकार व्यङ्ग्य हो ।

अथैव वाक्यभेदापत्तिर्नेत्याह—

न चाससृष्टार्थद्वयबोधने वाक्यभेद इति वाच्यम् , तुल्यकक्षतया द्वयोरसं-सृष्टयोरर्थयो. प्रतिपिपादयिषित्व एव तस्याभ्युपगमात् । इह त्वाच्छादकप्रती-तिसमये आच्छाद्याऽप्रतीति, आच्छाद्यप्रतीतौ चाच्छादकन्यग्भावा एवेति नास्ति तुल्यकक्षता ।

अनसृष्टेति । असवद्वैत्यर्थ । वाक्यभेद इति । वाक्यद्वयकल्पनाप्रसङ्ग इति भावः । तुल्यकक्षतयेति । समानावस्थकतयेत्यर्थ । प्रतिपिपादयिषित्व इति । प्रतिपादयितुमिष्ट इत्यर्थे प्रत्युपसर्गकात् प्यन्तपद्मातोरिच्छार्थे सनि तदन्तात् क्तप्रत्यये प्रतिपिपादयिषतेति तस्य भाव इत्यर्थः । तस्य वाक्यभेदस्य । आच्छादकेति । नृपरूपार्थेत्यर्थः । आच्छाद्येति चन्द्ररूपार्थेत्यर्थः । न्यग्भावस्तिरोधानम् । राज्ञो मत्प्रतिकूलेति पद्ये प्रतीतमानयोर्नृपचन्द्र-त्पयोरर्थयो मय उपमानोपमेयभावात्मकरय अभेदानकरस्य वा सवन्धयारवाकारे तयो-रर्थयो बोधाय वाक्यद्वय कल्पनीय रयान्, नष्टदुश्चरित शब्द-सङ्घर्षार्थं गमयतीति नीत्या एकमान् वाक्यादर्पद्वयविषयबोधस्य निदान्तविरुद्धत्वात् इति गतापक्ष्याभि-प्रायः । अत्र शब्दश्रुतेः सादिन्यले नमकज्ञो परस्परमवद्धो द्वावथा वानु प्रतिपादयितु-मिष्टो, नृपेव वाक्यद्वयकल्पनावश्यकता । इह तु आच्छादकस्य ( गोपनकेतो ) नृपर-पार्थस्य प्रतीतिकाले आच्छाद्यस्य ( गोप्यस्य ) चन्द्ररूपार्थस्य प्रतीतिरेव न, एवम् आच्छा-द्यस्य चन्द्ररूपार्थस्य प्रतीतिमये आच्छादकस्य नृपरूपार्थस्य न प्रतीतिः । अर्थान्— नृपरूपार्थस्याभिधेया पूर्वम् प्रतीतिः, चन्द्ररूपार्थस्य च व्यञ्जन्या पश्चान्न्यय इति न तथोस्तुल्यकक्षता, अतो न वाक्यद्वयकल्पनावसर, अन्यथा व्यञ्जन्यले सर्वत्रैव तथा



कल्पना प्रसज्येतेति समाधान-पक्षाभिप्रायो वोध्यः । नागेशस्तु, बाले इति संबोधनेना व्यङ्ग्यस्य वाच्यायमानताकरणान्न ध्वनिव्यपदेशहेतुत्वमित्याचष्टे । -

यदि आप कहें कि इस तरह से जब आप प्रकृत पद्य में नृप और चन्द्र इन दो अर्थों में सादृश्य अथवा अभेद—उपमा अथवा रूपक-सम्बन्ध नहीं मानते और दोनों अर्थों की प्रतीति मानते हैं, तब तो उन दो अर्थों के बोधार्थ दो वाक्य भी मानने पड़ें क्योंकि 'एक बार उच्चारित पद एक ही अर्थ का बोधक हो सकता है' इस नियम के अनुसार असम्बद्ध दो अर्थों का बोध एक वाक्य से नहीं किया जा सकता । तो यह तर्क आपका सगत नहीं है, क्योंकि वाक्यभेद वहाँ होता है जहाँ शब्दश्लेष आदि के स्थान में—समान कक्षा ( अवस्था ) वाले दो अर्थों का प्रतिपादन करना, वक्ता का अभी रहता है । पर यहाँ तो दोनों अर्थ समकक्ष नहीं हैं । एक ( नृपरूप ) है, गोपन कर वाला और दूसरा ( चन्द्ररूप ) है, गुप्त होने वाला । अतः गोपक अर्थ की प्रतीति समय में गोप्य अर्थ की प्रतीति नहीं रहती और गोप्य अर्थ की प्रतीति हो जाने पर गोपक अर्थ तिरोहित हो जाता है । यहाँ नागेश महोदय का कहना है कि 'बाले' इ संबोधन पद से गोपनीय ( व्यङ्ग्य ) अर्थ स्पष्ट झलकता है—वाच्य अर्थ के समान । जाता है अतः उसके आधार पर इस पद्य को 'ध्वनिकाव्य' नहीं कहा जा सकता ।

काव्यप्रकाशोक्त शब्दशक्तिमूलवस्तुध्वनेरुदाहरणं परीक्षते—

काव्यप्रकाशे तु—'शनिरशनिश्च तमुच्चैः' इत्यादिकमुदाहृत्य 'अत्र विरुद्धौ द्वावपि त्वदनुवर्तनार्थमेकं कार्यं कुरुत् इति ध्वन्यत' इत्युक्तम् । तच्च 'द्वौ शन्यशनी उदारानुदारौ चैकं कार्यं हननं भानं च' इति व्याख्यातृभिर्व्याख्यातम्, तत्र शन्यशन्योर्हननक्रियाकर्तृत्वान्वयेऽप्युदारानुदारयोर्भानकर्तृत्वत्पदार्थविशेषणयोस्तत्प्रकारविशेषणयोर्वा साक्षाद्भानकर्तृत्वान्वयाभावात् कथमेककार्यकारित्वसंगतं स्यात् ।

शनिरिति । 'शनिरशनिश्च तमुच्चैर्निहन्ति कुप्यसि नरेन्द्र । यस्मै त्वम् । यत्र प्रसीदसि पुन स भात्युदारोऽनुदारश्च ।' इति पूर्णम् पद्यम् । हे नरेन्द्र । यस्मै त्वं कुप्यसि, तम्—शनिरर्हविशेष अशनि शनिविरोधी वस्तुतो वज्रम्, उच्चैरतिशयेन, निहन्ति । यत्र पुनं—पुन शब्दस्त्वर्थे, सप्तम्यर्थो विषयत्वम्, तथा च यत्पुरुषविषये तु इत्यर्थः । प्रसीदसि प्रसन्नो भवसि, स पुरुषो देवदत्तादि उदारो दाता महान् वा, अनुदार उदारविरोधी वस्तुतोऽनुगतदार नृपदत्तैश्वर्येणाप्रवासात्, सन् भातीत्यर्थः । हननं भानञ्चेति । कुरुतः इत्यनुपङ्गः । कर्तृत्वान्वये इति । कर्तृत्वस्य अन्वये सवन्धे इत्यर्थः । उदारानुदारयोरिति । तत्पदार्थयोरिति भावः । भानकर्त्रिति । भानक्रियाया कर्ता य पद्यस्थतत्पदस्य अर्थं बुद्धिस्थ, तस्य विशेषणयोरित्यर्थः । तत्प्रकारेति । तस्य भानकर्तृत्वत्पदार्थस्योद्देश्यतया विशेष्यभूतस्य, प्रकार विशेषणीभूतो य विधेयरूपो देवदत्तादि, तस्य विशेषणयोरित्यर्थः । वा शब्दस्योत्तरपक्षदाढ्यसूचकतयाऽऽयमेव पक्षो युक्त इति वोध्यम् । कर्तृत्वान्वयाभावादिति । कर्तृत्वमवन्धाभावादित्यर्थः । एवञ्च 'उदारानुदारयोरिति सप्तम्यन्तम् न तु पृष्ठयन्तमिति भावः । पूर्वत्र शन्यशन्योरित्यपि तथैवेति वोध्यम् । मूलोद्धृत प्रकाशग्रन्थव्याख्यानं न युक्तम्, यतस्ततो व्याख्यानात् । 'उदारानुदारौ मानरूपमेकं कार्यं कुरुत' इत्यस्यापि वस्तुव्यङ्ग्यरूपता सिद्धयति, तच्च न सम्भवति, विचारासहत्वात् । तथाहि—शनिरशनिरित्यादिपद्ये भातीति क्रियाया कर्ता स इति उक्तं, तस्य विशेषणम् उदारोऽनुदारश्चेति, अथवा न इत्युद्देश्यस्य साक्षान् विशेषणं देवदत्तादिविधेयं, तस्य

विशेषणसुदारादि, उभयथापि मानक्रियाकर्तृत्वस्य उदारानुदागपदार्थयोर्न माक्षान् सवन्ध । गन्यशान्योस्तु हननक्रियाकर्तृत्वस्य सवन्धोऽस्तीति तदशमादाय 'विरुद्धौ द्वा-  
वर्षात्यादि प्रकाशग्रन्थस्य सगतावपि व्याख्याग्रन्थोऽसगत एवेति भाव ।

अथ काव्यप्रकाशोक्त, शब्दशक्तिमूलध्वनि के उदाहरण पर विचार करते हैं—काव्य इत्यादि । काव्यप्रकाश में 'शनिरशनिश्च' इत्यादि—जो संस्कृत टीका में उद्धृत है—पद्य शब्दशक्तिमूलक वस्तु-ध्वनि का उदाहरण कहा गया है । कवि का कथन है—  
हे राजन् ! आप जिसके ऊपर क्रुद्ध होते हैं, उसको शनि (ग्रहविशेष) और 'अशनि' (शनि का विरोधी वस्तुतः वज्र) दोनों मारते हैं । और आप जिसके ऊपर प्रसन्न होते हैं वह उदार (दानशील) तथा अनुदार (उदार से भिन्न, वस्तुतः अनु=अनुगत दारा=पत्नी वाला) शोभित होता है अर्थात् आपके दान से धनी होकर प्रवासी नहीं होता अतः उसे वियोगजन्य कष्ट कभी नहीं सहना पड़ता । इस उदाहरण का उल्लेख करके काव्यप्रकाश में कहा गया है कि—“इस श्लोक में 'विरोधी भी दोनों तुम्हारी अनुवृत्ति के लिये एक कार्य करते हैं' यह बात व्यक्त होती है ।” और व्याख्याकारों ने इसकी यह व्याख्या की है—“दोनों शनि और अशनि एवम् उदार और अनुदार । एक-कार्य=मारना और सुशोभित होना ।” अथ यहाँ पण्डितराज का कथन है कि उक्त व्याख्या ग्रन्थसगत नहीं प्रतीत होती, कारण, उससे जो यह अभिप्राय निकलता है कि 'उदार तथा अनुदार शोभारूप एक कार्य को करते हैं' यह वस्तु भी यहाँ व्यङ्ग्य होती है, वह अनुचित है, क्योंकि शनि और अशनि में मारना क्रिया के कर्तृत्व का सवन्ध है, अतः उन दोनों का 'मारना' रूप एक कार्य यद्यपि हो सकता है, तथापि दूसरी क्रिया 'सुशोभित होना' का कर्ता 'वह' है, उदार और अनुदार नहीं, उदार और अनुदार तो 'वह' पद के अर्थ (बुद्धिस्य) के, अथवा उसके अर्थ के विशेषण (देवदत्त आदि तत्पदार्थ के विधेय) के विशेषण हैं । अतः उनका 'सुशोभित होना' रूप क्रिया के साथ साक्षात् सवन्ध न हो सकने के कारण 'एक कार्य करने वाला होना' नहीं बन सकता अर्थात् 'उदार' और 'अनुदार' जब 'सुशोभित होना' क्रिया के कर्ता ही नहीं हैं, किन्तु कर्ता के विशेषण अथवा उसके विशेषण के विशेषण हैं, तब 'शोभित होना' उनका कार्य नहीं हो सकता ।

प्रकाशग्रन्थस्याशयं स्पष्टीकरोति—

अतो विरुद्धौ द्वावित्यादि प्रथमार्धविषयम् । द्वितीयार्धे तु विरोधाभास एव ।

अथ भाव—उक्तपद्ये 'शनिरशनिरित्यशो विरोधाभासालंकारो न न भवति, एकध-  
मिगतत्वेन विरुद्धनिर्देश एव तथास्वीकारात् । अशब्द' मनुच्यार्थक एव । एवञ्च पद्य-  
प्रथमार्धभागस्य 'विरुद्धौ द्वौ (शन्यशनी) त्वदनुवर्तनार्थम् हननत्पन्नेक कार्यं कुरुत'  
इति वस्तुव्यञ्जकत्वं न भवति । उत्तरार्धभागे तु न वस्तुध्वनिमभावना, तत्र पूर्वोक्तरी-  
त्यैककार्यकरणाप्रतीतिः । किं तु उदार अनुदारन्तस्मिन्न इत्येव विरोधालंकारध्वनिरेव ।  
चकारस्य मनुच्यार्थकत्वात् । अप्यर्थकत्वे तु विरोधस्य वान्यतैव । विरोधपरिहारस्तु  
अनुगतद्वार इत्यर्थकरणेन इति ।

प्रकाशग्रन्थ के आशय को स्पष्ट करते हैं—अत इत्यादि । उक्त अनुपपत्ति से यह मानना पड़ता है कि प्रकाशकार ने जो उक्त पद्य में 'विरोधी भी दो पदार्थ आपके अनु-  
सरण के लिये एक कार्य करते हैं' इस तरह के व्यङ्ग्य की बात कही है, वह पद्य के  
पूर्वार्ध के विषय में ही, उत्तरार्ध के विषय में नहीं अर्थात् उक्त पद्य के 'शनिरशनि'  
इत्यादि पूर्वार्ध में विरोधाभास अलंकार व्यङ्ग्य नहीं माना जा सकता । क्योंकि एक  
धर्मों में दो विरुद्ध पदार्थों के निर्देश करने पर ही वह होता है—जो यहाँ नहीं है ।  
'व' शब्द यहाँ मनुच्यार्थक है, विरोधार्थक नहीं । इयं स्थिति में उस अंग में उक्त वस्तु

का व्यङ्ग्य होना मानने योग्य होता है। पर पद्य के उत्तरार्ध भाग में वस्तुध्वनि की संभावना ही नहीं है, क्योंकि उस अक्ष में 'उदार तथा अनुदार' का एककार्यकारिस्व-प्रतीत नहीं हो सकता, यह पहले कहा जा चुका है। अतः उत्तरार्ध में 'विरोधाभास अलंकार' ही व्यक्त होता है, ऐसा मानना चाहिए अर्थात् 'उदार अनुदार है' यह विरोध—जिसका पीछे 'अनुगतदारावाला' अर्थ से परिहार हो जाता है—पहले प्रतीत होता है, अतः विरोधाभास अलंकार की अभिव्यक्ति मानी जायगी। पर यह बात भी 'च' पद को समुच्चयार्थक मानने पर ही उचित होगी, यदि 'च' को 'अपि' के तुल्य मानकर विरोध की वाच्य बना दिया जाय, तब विरोधाभास व्यङ्ग्य नहीं, वाच्य होगा। सारांश यह हुआ कि उक्त व्याख्या-ग्रन्थ असंगत ही है।

उक्तव्याख्याग्रन्थस्यापि सगतिं कुर्वन् तैरनुक्त तत्रत्य विशेषं प्रदर्शयति—

कर्तर्यभेदेनान्वयमात्रेण कुरुत इत्यस्योपपत्तिश्चेत् ? अस्तु द्वितीयार्धेऽपि विरुद्धौ द्वावित्यादि वस्तु व्यङ्ग्यम् । पर त्वर्धद्वयेऽपि विरोधाभासालंकार-शबलितमेव । शत्रुविरुद्धस्य शत्रुत्वासंभवादेकस्य शन्यशानिकर्तृकहननकर्म-त्वायोगेनाद्यार्धे उदारत्वानुदारत्वयोरेकाधिकरणवृत्तित्वायोगाद्द्वितीयार्धे च विरोधस्य स्फुटत्वात् ।

कर्तरीति । तत्पदार्थे इत्यर्थः । अन्वयेति । उदारानुदारपदार्थयोरिति भावः, उपपत्ति-सगति । अर्धद्वयेति । पूर्वार्धे उत्तरार्धे चेत्यर्थः । शबलितम् मिलितम् । उक्तवस्तुव्यङ्ग्य-मित्यनुषङ्ग । शत्रुविरुद्धस्येत्यादि । शत्रुविरोधी शत्रुर्न भवति, अपितु मित्रमेवेति भावः । मानत्रियाकर्तारि तत्पदार्थेऽभेदसंबन्धेनावितयोरुदारानुदारपदार्थयोरपि मानत्रियायाम-न्वयलाभे उक्तपद्यस्योत्तरार्धेऽपि वस्तुध्वनिः समवति । एवञ्च प्रागुक्तप्रकाशग्रन्थो न पूर्वार्धमात्रविषयकोऽपि उत्तरार्धविषयकोऽपि । एवं तद्व्याख्याग्रन्थोऽपि पूर्वोद्धृत सगत एवेति चेत् ? सत्यम् । परन्तु अर्धद्वयेऽपि विरोधाभासालंकारमिश्रितवस्तुध्वनिरेव न केवलवस्तुध्वनिः । एवञ्च वस्तुध्वनिमात्रमुल्लिखन् प्रकाशकारः, विरोधाभासालंकारमिश्रण-मव्याचक्ष्ण, पूर्वार्धे विरोधाभासालंकारसंभावनाविरह प्रतिपादयन् वा व्याख्याता स्थूल दृष्टिरेव । अथ कथं पूर्वार्धे विरोधाभासः, अलंकारत्वमूलयुक्तिरवरूपैकधर्मिकविरुद्धनिर्देशा-भावस्योक्तत्वादिति चेन्न, शन्यशन्योर्विरोधस्यालंकारत्वासंभवेऽपि विरोधिशत्रोर्विरोध्यन्तर-मित्रत्वादेकस्य विरोधिद्वयकर्तृकहननकर्मत्वायोगेन तमिति पदवाच्ये एकारिभन् शनिकर्तृकहनन-कर्मत्वस्य, शनिविरोध्यशनिकर्तृकहननकर्मत्वस्य च विरोधस्य तथाभूततयाऽऽलंकारत्वात् । शन्यशन्योर्विरोध एव कथं प्रतीयेतेति न वाच्यम्, अशनिरित्यत्र नवो विरुद्धार्थकत्वात् । न चैव विरोधस्य वाच्यत्वमेवेति शक्यम्, शन्यशन्योर्विरोधस्य वाच्यत्वेऽपि तन्मूलकहननकर्म-त्वयोर्विरोधस्य व्यङ्ग्यत्वात् । व्यङ्ग्यविरोधपरिहारस्तु राज्ञः अप्रतिहताज्ञत्वज्ञानप्रयुक्त इति बोध्यम् । केचित्तु विरोधिनोरपि एकशत्रुसंभवाच्च तादृशहननकर्मत्वयोर्विरोध इत्याहुः । उदारत्वानुदारत्वयोर्विरोध तत्परिहारश्चानुपपद्यते पूर्वप्रकरणे दर्शित एवेति तत एव ज्ञेयम् ।

अब उक्त व्याख्याग्रन्थ को भी सगत सिद्ध करते हुए इस प्रसंग पर प्राचीनों से अधिकृत कुछ विशिष्ट बातों को कहने हैं—कर्तृ इत्यादि । 'शोभित होना' रूप क्रिया का कर्ता है तत्पद का अर्थ और उसमें अभेद संबन्ध से अन्वित होते हैं 'उदार तथा अनु-दार' पद के अर्थ, इस तरह से 'उदार' और 'अनुदार' पद के अर्थों का भी शोभित होना रूप एक क्रिया का करना बन सकता है अतः उक्त व्याख्याग्रन्थ भी ठीक है तथा 'विरोधी भी दोनों' इत्यादि मूलग्रन्थ भी पूर्वार्धमात्रविषयक न होकर उत्तरार्ध-

विषयक भी हो सकता है अर्थात् उत्तरार्ध में भी 'विरोधी दो पदार्थ आपके अनुवर्तनार्थ एक कार्य करते हैं' यह वस्तु व्यङ्ग्य माना जा सकता है, ऐसा यदि कहा जाय, तो प्रत्यकार उसको स्वीकृत करते हैं। उनका कथन है कि पूर्वार्ध उत्तरार्ध दोनों भागों से ठक वस्तु व्यङ्ग्य होती है अवश्य, परन्तु विरोधानाम अलंकार से मिश्रित वस्तु व्यङ्ग्य होती है, शुद्ध वस्तु व्यङ्ग्य नहीं। अतः केवल वस्तुध्वनि की बात लिखनेवाले प्रकाशकार तथा विरोधानाम के मिश्रण वाली बात को व्याख्या नहीं करने वाले अथवा पूर्वार्ध में विरोधानाम की समावना नहीं है ऐसा कहनेवाले व्याख्याकार दोनों ही स्पृष्ट दृष्टि वाले हैं। यदि कहा जाय कि पूर्वार्ध में विरोधानाम अलंकार की बात आप कैसे कहते हैं? क्योंकि एक धर्मा में दो विरुद्ध बातों का निर्देश रहने पर वह होता है यह पहले कहा जा चुका है, तो मैं कहूँगा, ठीक है, इस नियम के अनुसार शनि और अशनि का विरोध अलंकाररूप नहीं हो सकता, क्योंकि शनित्व और अशनित्व का निर्देश एक धर्मा में नहीं किया गया है। परन्तु शत्रु का विरोधी शत्रु नहीं हो सकता अर्थात् जिन दो व्यक्तियों में विरोध रहता है, उन दोनों में से किसी एक का जो तृतीय विरोधी होगा, वह अन्य का मित्र ही हो सकता है शत्रु नहीं। इस म्यनि में परस्पर विरोधी दो का एक कोई वच्य नहीं हो सकता, अतः 'तम्' पद के अर्थ में जो शनिकर्तृहृत्तननकर्मता और शनिमिन्न (अशनि) कर्तृहृत्तननकर्मता यहाँ वर्णित है, वह विरुद्ध है। साथ साथ यह विरोध पृथक्मिक भी है अतः उस विरोध के आधार पर पूर्वार्ध में भी विरोधानाम अलंकार मानने में किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। यदि आप कहें कि यह विरोध (जिसको अलंकाररूप मानते हैं) तब सिद्ध हो सकता है, यदि पहले शनि और अशनि में विरोध सिद्ध हो जाय, पर वह प्रथम विरोध ही कैसे सिद्ध होगा? तो इसका उत्तर है कि अवश्य सिद्ध होगा, क्योंकि 'न शनि = अशनि' यहाँ नञ् विरोधार्थक है। यदि आप कहें कि तब तो विरोध वाच्य ही हो गया, आप उसको व्यङ्ग्य बनला रहे हैं, वह कैसे? तो मैं कहूँगा नहीं जी, उस विरोध को मैं व्यङ्ग्य नहीं बनलाता, वह तो वाच्य है ही, परन्तु तन्मूलक उक्त हनन कर्मता के विरोध को मैं व्यङ्ग्य बतला रहा हूँ, जो सर्वथा उपयुक्त है। राजा अप्रतिहत वासा वाला है अतः उसके मन से दो परस्पर विरोधी व्यक्ति भी एक तृतीय का हनन कर सकते हैं, इस बात के ज्ञान में उक्त व्यङ्ग्यविरोध का परिहार होता है। लुब्ध लोग यह भी कहते हैं कि 'दो परस्पर विरोधी का भी एक तीसरा शत्रु हो सकता है अतः उक्त हनन-कर्मता-द्वय में कोई विरोध नहीं है'। उदार और अनुदार में जो विरोध है तथा उसका जिस तरह से परिहार होता है, वे सब बातें पूर्वप्रतीक की व्याख्या में लिखी जा चुकी हैं।

अर्थशक्तिमूलकानुसंगप्रदर्शनं प्रथम स्वतःसम्भवा वस्तुना वस्तुध्वनिमुदाहरति—

अर्थशक्तिमूलकानुसंगप्रदर्शनं यथा—

‘गुञ्जन्ति मञ्जु परिणो गन्वा यावन्ति संनुद्यन् ।

आवर्तन्ते विवर्तन्ते सरसीषु मधुघ्नताः ॥’

अथ नञ्क आदिवाचिक कथयति—मधुघ्नता मधु एव प्रवर्तन्ति स्वमौल्यमेतन्प्रति-  
जानन्तातिने प्रसरा इत्यर्थः एतेन प्रसराया वस्तुमानस्यतानस्यत्वैक्यं, भावित्वात्मकमे-  
वावन्तुत्वैक्यं दर्शयति अथ अत्यन्ते । परिणः शत्रुत्वम् अनेन मधुघ्नताया मधुघ्नत्वमव्युत्पत्ता  
व्युत्पत्ते । मधु मधोहृत् गुञ्जन्ति गन्वा दूरमुत्प्रेतेति भावः प्रसरायवन्तौचित्यम् ।  
संनुद्यन् सरस्या इति भावः, यावन्ति वेत्तापतन्ताति भावः । (इवरीया) सरसीषु मधोघ्नता  
आवर्तन्ते आवर्तन्ति, विवर्तन्ते परावर्तन्ति इति वच्यम् ।

अथ अर्थशक्तिमूलक ध्वनि के उदाहरण प्रदर्शन के प्रसङ्ग में पहले स्वतःसम्भवा

वस्तु से वस्तु-ध्वनि का उदाहरण दिखलाया जा रहा है—अर्थ इत्यादि। कोई नायक किसी नायिका से कहता है—मधुव्रत- जिन्होंने केवल मधु-पान करने का व्रत ले रखा है—अर्थात् अमर, ( यहाँ मधुव्रत पद से कवि को यह व्यक्त करना है कि—सम्प्रति मधु के लाभ नहीं होने से वे विकल हैं, और भावी मधुलाभ की आशा से प्रसन्न भी हैं ) चारों तरफ ( इससे मधुव्रतों की मधुगवेषणाजन्य व्यग्रता सूचित होती है ) मनोहर गुञ्जन कर रहे हैं, दूर जाकर फिर उसी तरफ दौड़ रहे हैं, इस तरह बार बार सरोवरों में आते और जाते हैं।

उपपादयति—

अत्र मधुव्रतकर्तृकमञ्जुगुञ्जनाद्यैर्वस्तुभिः कविकल्पितत्वविरहेण स्वतःसम्भविभिरासन्नसरसिजोत्पत्तिध्वननद्वारा शरदागमनैकद्वयरूप वस्तु व्यज्यते ।

गुञ्जन्तीति पद्ये वाच्यवृत्त्या वर्णितानि मधुव्रतकर्तृकमञ्जुगुञ्जनादीनि वस्तूनि स्वतःसम्भवीनि न तु कविकल्पितानि, तैश्च प्रथम सरसि सरोजानामुत्पत्तिरासन्नेति व्यज्यते तद्द्वारा च शरदतोरगमो निकट इति ध्वन्यते, तथा च भवतीदं पद्य स्वतःसम्भविना वस्तुना वस्तुध्वनेरुदाहरणमिति भावः ।

उक्त पद्य में प्रकृतोपयोगी विषयों का प्रतिपादन करते हैं—अत्र इत्यादि। उक्त पद्य में वाच्यवृत्ति ( अभिधा ) के द्वारा जो अमरों के गुञ्जन आदि वर्णित हुए हैं, वे सबके सब स्वतःसम्भवी—ससार में स्वाभाविक रूप से होने वाले—हैं अर्थात् कविकल्पित नहीं हैं। उन वस्तुओं से पहले यह व्यक्त होता है कि 'अब सरोवरों में कमलों की उत्पत्ति होने ही वाली है—निकट है, और इस व्यङ्ग्य के द्वारा बाद में यह ध्वनित होता है कि शरद् ऋतु का आगमन अब सन्निकट ( नजदीक ) है।

काव्यप्रकाशोक्त स्वतःसम्भविना वस्तुना वस्तुध्वनेरुदाहरणमालोचयति—

काव्यप्रकाशे तु—'अरससिरोमणिधुत्ताणमग्गिमो—' इत्याद्युदाहृत्य 'ममैवोपभोगयोग्य इति वस्तु व्यज्यते' इत्युक्तम् । तत्र केन वस्तुनेदं वस्तु व्यज्यते ? न तावदलसशिरोमणित्वादिकान्तविशेषणैः, तेषां धात्र्यादिवृद्धस्त्रीनिरूपितत्वेन तवैवोपभोगयोग्य इत्यादिरूपेणैव व्यङ्ग्यस्य वक्तव्यतापत्तेः । विशेषणानां कामिनीनिरूपितत्वे तु ममवेत्यादिव्यङ्ग्यचाकारः स्यात् । नापि परिफुल्लविलोचनत्वेन, तस्य हर्षभावानुभावत्वेन हर्षव्यञ्जकताया एव क्लृप्तत्वात् । मदुपभोगयोग्यत्व हि हर्षभावस्य विभावः । न ह्यनुभावैविभावो व्यज्यत इति तद्विभावव्यञ्जनं शक्यं वक्तुम् । केवलस्य परिफुल्लविलोचनत्वस्य ममैवेत्यादिव्यङ्ग्यव्यञ्जने सामर्थ्याभावात् । पुत्रागमनधनप्राप्त्यादिविभावकेऽपि हर्षभावे परिफुल्लविलोचनताया अनैकान्तिकत्वादिति ।

अलससिरोमणिधुत्ताणमग्गिमो पुत्ति धणसमिद्धिमश्रो ।

इश्र मणिण्ण णञ्चङ्गी पफुल्लविलोअणा जाअ्रा ॥ इति पूर्णा गाथा ।

अलसशिरोमणिधूर्तानामग्रणी पुत्रे धनसमृद्धिमय ।

इति भणितेन नताङ्गी परिफुल्लविलोचना जाता ॥ इति तच्छाश्रु ।

अलसशिरोमणिरिति । पतिवरा प्रति धात्र्या प्ररोचनोक्ति पूर्वार्धम्, उत्तरार्धं तु कवेः । प्रकरणाच्चायमित्यध्याहारः । हे पुत्रि । अनेन स्वस्य तदीयहितचिन्तकत्वं ध्वन्यते । अथ वरोऽलसाना निरुद्योगाना, शिरोमणि श्रेष्ठः, धूर्ताना शठानाम्, अग्रणी प्रधानः, धनसमृद्धिमय धनसमृद्धिप्रचुरः, इति भणितेन भाषणेन, नताङ्गी काचन कुमारी, परिफुल्ले हर्षविकसिते,

विशिष्टे लोचने यस्याः, तादृशी जाता अभूदित्यर्थः । अत्रालसत्वेनान्यत्र गमनाभावः, धूर्तत्वेन नभोगे गुणानादरः, अतृप्तत्वं वा, धनमन्वृद्धिमयत्वेन कृपणतया परस्मै अदातृत्वम्, स्वस्यै दातृत्व वा धनोपार्जनहेतुकप्रवामाभावो वा, व्यज्यते । एतद्व्यङ्ग्यज्ञानेन नायिकाया ह्योऽभूत्, तन्मूचनायैव परिपुह्लविलोचनेति नायिकाविशेषणम् । अत्र 'ममैवोपभोगयोग्य इति वस्तु व्यज्यते' इति यदुक्तं काव्यप्रचाराकृता तत्र विचार्यते—तत्र केनेत्यादिना । तन्पथ-प्रतिपादितेन केन वस्तुनेत्यर्थः । धात्र्याद्रीति । पुत्रान्यामन्त्रणेन तेषां तन्निहपितत्वमिति भावः । कामिनीनिहपितत्वे इति । पुत्रिभाषितेनेत्यनयो पदयोः पद्येऽप्रवेशः तथा नभव । तन्वेति । परिपुह्लविलोचनान्वस्येत्यर्थः । हर्षभावाद्भावात्सेनेति । हर्षाद्व्यभिचारिभावकार्य-त्वेनेत्यर्थः । विभावः कारणम् । तन्मन्त्र एव हर्षोऽद्यात् । नहीत्यस्य वक्तुं गव्यमित्यत्रान्वयः । तत्रविभावेति । हर्षादिभावविभावैत्यर्थः । हिन्दमन्त्रितमशक्यन्ते हेतुमाह—केवलम्येति । विशिष्टस्य तच्च तु निदान्तनिहमिति भावः । विलोचनताया इति । सन्वेन तस्या इति शेषः । अर्तवान्निहन्वाद्द्व्यभिचारिन्वात् । अदि' प्रकृतपद्ये पुत्रान्यामन्त्रण भणितेनेति क्व्यु-त्तिन्वाद्यकृद् पदद्वयभावित्यन्, तदा कामिन्या स्वगतोक्तिरेव पद्यन्तेतत्रभविष्यत् । तयान्ते कालमन्निरोमणिरित्यादिजान्तविशेषणानि कामिनोनिहपितानि स्युः । तदेव च तेभ्यो विोपपेन्य प्रतिघनानस्य व्यङ्ग्यस्य ममैवेत्यादिप्रकारोक्त आचारो भवेत् । तयोः पदयोः मन्त्रे तु प्रकृतपद्यच्छकान्तविशेषणानि धात्रानिहपितानि एव च तेभ्यः ज्ञायमानस्य व्यङ्ग्यस्य तवैवोपभोगयोग्य इत्येवाकारो भवेत् न तु ममैवेति । अथ कामिनी-निष्टेन प्रपुह्लविलोचनत्वेन व्यङ्ग्यावगतौ स्वीक्रियमाणाय व्यङ्ग्यस्य तदाकारता नभवति, नेत्याह—नापीति । प्रपुह्ललोचनचक्षान हर्षस्य कार्यम्, मदुपभोगयोग्यत्वञ्च हर्षस्य कारणम् । एवञ्च प्रपुह्लविलोचनत्वेन कार्येण स्वकारणस्य हर्षस्याभिव्यक्तिर्नभवेत्पि स्वकारणकारणस्य मदुपभोगयोग्यत्वस्याभिव्यक्तिर्न संभवति । व्यमिति चेत् ? श्रूयताम्—हर्षं विनाऽऽनुपपद्यमाने प्रपुह्लविलोचनञ्च हर्षं व्यङ्ग्यं शक्नोति, न तु मदुपभोगयोग्यत्वं वस्तु, व्यङ्ग्यव्यङ्ग्ययोर्द्वारिभूतस्य हर्षस्य मदुपभोगयोग्यत्वातिरिक्तपुत्रागमनादिनापि नभवेत् प्रपुह्ललोचनताया मदुपभोगयोग्यत्ववस्तुव्यङ्ग्येऽनामध्यादिति भावः ।

अथ 'काव्यप्रकाश' में कथित, अर्थशक्तिमूलक स्वतन्मभवि वस्तु मे वस्तुध्वनि के उदाहरण की पर्यालोचना करने हैं—काव्यप्रकाशे तु इत्यादि । काव्यप्रकाश में 'अलस शिरोमणि' इत्यादि पद्य—जो सस्कृत टीका में उद्धृत है—को स्वतःसंभवी वस्तु मे वस्तुध्वनि का उदाहरण कहा गया है । यह पद्य, स्वयंवर के समय में, विवाह के इच्छुक उपस्थित युवकों का परिचय करानेवाली धाय (उपनाता) के द्वारा, वरण करनेवाली कन्या के प्रति कहा गया है । धाय, कन्या से कहती है कि—'हे पुत्रि ! (इमं मदीयं धनं मे कन्या के प्रति धाय की हिनेच्छुता अभिव्यक्त होती है) यह (वर) आलसियों का शिरोमणि, धूर्तों में प्रधान और धनमन्वृद्धि से परिपूर्ण है ।' वर धाय का इतना कहना था कि उम नताद्री की आँखें खिल उठीं । (यह उच्यते कवि का कथन है) यहाँ 'अलसशिरोमणि' इस विवेक-पद्य में नायक का लक्ष्य गमनाभाव, 'धूर्तप्रगण्य' से समोह में गुणों का ध्यान न रखना अथवा संभोग से वृत्ति का अनुभव न करना, 'धनमन्वृद्धिमय' से कृपणता तथा तद्द्वारा दूसरे को दुःख न देना अथवा अपने को यथेच्छ चीजों का देना किंवा धन-उपार्जन के लिये विवेक-ज्ञान की आवश्यकता का न होना व्यक्त होते हैं । इन लक्ष्यों का ज्ञान होने से कन्या को हर्ष हुआ, जिसकी सूचना नायिका के मन पर विवाह के वर्णन में मिलती है । इस उदाहरण पर प्रकाशकार कहते

हैं—'इस पद्य से 'यह वर' मेरा ही उपभोग्य है' यह 'वस्तु' ध्वनित होती है।' यहाँ काव्य प्रकाशकार से यह प्रष्टव्य है कि उक्त वस्तु किस वस्तु से ध्वनित होती है ?—'आलसियं के शिरोमणि' इत्यादि नायक के विशेषणों से तो यह वस्तु ध्वनित हो नहीं सकती क्योंकि वे विशेषण धातु आदि किसी वृद्धा स्त्री के द्वारा कहे गए हैं, अतः यदि उन विशेषणों से ध्वनित होता तो व्यङ्ग्य का आकार 'तेरा ही उपभोग-योग्य है' ऐसा होता 'मेरा इत्यादि' नहीं। यह आकार तो व्यङ्ग्य का तब होता, यदि वे विशेषण नायिका के द्वारा कहे गए होते अर्थात् इस पद्य में यदि 'पुत्रि' और 'भणितेन' ये दोनों पद न होते, तब यह पद्य नायिका की स्वगत उक्ति के रूप में समझा जाता और उस स्थिति में 'अलसशिरोमणि' इत्यादि विशेषण नायिका के द्वारा कहे गए समझे जाते। पर जब वे दोनों पद हैं, तब तो वे विशेषण नायिका से अन्य किसी के द्वारा कहे गए ही समझे जा सकते हैं। यदि आप कहें कि नायिका का जो 'परिफुल्लविलोचना' यह विशेषण दिया गया है, उससे अर्थात् नायिका के नयन-विकाश के वर्णन से अभिव्यक्ति मानने पर व्यङ्ग्य का वह आकार हो सकता है, तो यह भी उचित नहीं। क्योंकि नयन विकास हर्ष का कार्य है अतः नयन-विकाश-रूप कार्य से हर्षरूप-कारण का ही ध्वनित होना निश्चित है, अन्य वस्तु का नहीं। यदि आप यह कहना चाहें कि नयन-विकास का कारण हर्ष है, और हर्ष का कारण 'मदुपभोगयोग्यत्व' है, फिर जिस तरह नयन-विकाश से उसके कारण हर्ष की अभिव्यक्ति मानते हैं, उसी तरह उस कारण के कारण 'मदुपभोगयोग्यत्व' की भी अभिव्यक्ति मान लेने में क्या आपत्ति है ? तो मैं कहूँगा कि और कोई आपत्ति तो नहीं है, परन्तु नयन-विकास में, अपने कारण (हर्ष) के कारण (उपभोग) की अभिव्यक्ति करने की सामर्थ्य नहीं है, अतः वह हो नहीं सकती, यही आपत्ति है। सामर्थ्य क्यों नहीं है इस शका का उत्तर तो स्पष्ट है कि नयन-विकास उपभोग का व्यभिचारी है अर्थात् नयन-विकास हर्ष से होता है यह निश्चित है, पर यह निश्चित नहीं है कि वह हर्ष उपभोग-योग्यता के ज्ञान से ही हुआ हो—पुत्र के आगमन, धन की प्राप्ति आदि अनेक कारण हैं, जिनसे उत्पन्न हर्ष की अवस्था में नयन-विकास हो सकता है। तात्पर्य यह हुआ कि नयन-विकाश हर्ष के विना नहीं होता, अतः उससे हर्ष की अभिव्यक्ति होती है, पर उस हर्ष के कारण—जब कि वे अनेक हो सकते हैं—की निश्चित रूप में, अभिव्यक्ति, नयन-विकास से, नहीं हो सकती है।

उक्तशकाया युक्ततामाह—

सत्यम् ।

उक्ता शका समुचितेति भाव ।

उक्त आशका सर्वथा समुचित है ।

उक्तशकाया समुचितत्वेऽपि प्रकाशग्रन्थस्य सुसंगतमभिप्रायं प्रकटयति—

'इध भणिम्मि' इत्याद्यर्थवशप्रापितालसशिरोमणित्वादि विशेषणश्रवण-विशिष्टप्रफुल्लविलोचनत्वेन मदुपभोगयोग्यत्वलक्षणविभावाभिव्यक्तिद्वारा हर्षभावोऽभिव्यज्यते । तत्र द्वारीभूताविभावाभिव्यक्तिमादाय काव्यप्रकाशग्रन्थसंगतिः ।

इध भणीति । इति भणितेनेत्यादिपद्योत्तरार्धगतपदानां योऽर्थस्तद्वशेन तद्वलेन प्रापितं साधितं यत् अलसशिरोमणिरित्यादिकान्तविशेषणानां नताङ्गीकर्तृक श्रवणं, तद्विशिष्ट-प्रफुल्लविलोचनत्वधर्मणेति भावः । वैशिष्ट्यश्चात्र सामानाधिकरण्यसंबन्धेन बोध्यम् । विभावेति । हर्षाख्यभावकारणेत्यर्थः । द्वारीभूत इति । मध्यगत इत्यर्थः । अयमाशयः— केवलेन प्रफुल्लविलोचनत्वेन हर्षस्थेवाभिव्यक्तिः सम्भवति, न तु मदुपभोगयोग्यत्वस्य, परमत्र न केवलं प्रफुल्लविलोचनत्व व्यञ्जकम्, अपि तु अलसशिरोमणित्वादिकान्तविशेषणश्रवणसह-

कृतमेव । ननु किमिह पद्ये तादृशश्रवणसहकारप्रापकमिति चेन्न, इति भणितेनेत्युक्तया तद्विशेषणश्रवणानन्तरमेव नायिकाया विलोचने प्रफुल्ले इत्यर्थप्रतीति । तथा च तादृशेन विशिष्टेन धर्मेण प्रथम हर्षस्य कारणीभूत मदुपभोगयोग्यत्वमेव व्यज्येत, तद्व्यञ्जनद्वारा च पश्चान् हर्षभावोऽप्यभिव्यज्येत । केवलस्य प्रफुल्लविलोचनत्वस्य पुत्रागमनादिविभावके हर्ष-भावेऽपि सत्त्वेन मदुपभोगयोग्यत्वापेक्षया व्यभिचरितत्वेऽपि विशिष्टस्य तस्य न तदपेक्षया व्यभिचरितत्वमिति साराश । इत्यञ्च हर्षभावस्य चरमव्यङ्गधन्वेऽपि मध्यगतस्य द्वारभूतस्य मदुपभोगयोग्यत्वरूपस्य व्यङ्ग्यस्याश्रयण विधाय प्रकाशग्रन्थसगतिर्विधेयेति ।

अथ प्रकाशग्रन्थ के सुसगत अभिप्राय का वर्णन करते हैं—इय इत्यादि । अभिप्राय यह है कि केवल नयन-विकास से 'हर्ष' की ही अभिव्यक्ति हो सकती है, मदुपभोग-योग्यत्व की नहीं, यह सर्वथा सत्य है । परन्तु यहाँ केवल नयन-विकास व्यञ्जक नहीं है अपि तु 'अलसशिरोमणि' इत्यादि जो कान्त के विशेषण है, उनके श्रवण से सहकृत नयन-विकास व्यञ्जक है और उस श्रवण को सहकारी रूप में उपस्थित करता है, पद्य में आया हुआ 'इति भणितेन-धाय का इतना कहना था कि'—यह पद । इस तरह श्रवण से विशिष्ट नयन-विकास से पहले हर्ष का विभाव ( कारण ) 'मदुपभोगयोग्यत्व' ( मेरा उपभोग्य है ) व्यक्त होता है, तदुत्तर उस कारण की अभिव्यक्ति के द्वारा उसका अनुभाव ( कार्य ) 'हर्ष' अभिव्यक्त होता है । उनमें से हर्षरूप व्यभिचारी भाव की अभिव्यक्ति में द्वारभूत विभाव ( हर्षभाव का कारण मदुपभोगयोग्यत्व ) की अभिव्यक्ति को लेकर काव्यप्रकाशग्रन्थ सगत हो जाता है । अर्थात् काव्यप्रकाशकार का आशय है कि धाय के कहे हुए 'अलसशिरोमणि' इत्यादि नायक के विशेषणों के सुनने के साथ नेत्र के विल उठने से प्रथमत नायिका का यह अभिप्राय ध्वनित होता है कि 'यह मेरे ही उपभोग के योग्य है' और उसके बाद हर्षभाव । काव्यप्रकाशकार के इस आशय को समझ लेने के बाद कोई आपत्ति नहीं रह जाती अर्थात् व्यञ्जक में व्यभिचार-दोष जो दिया जाता था, वह अब नहीं हो सकता, क्योंकि शुद्ध नयन-विकास, पुत्र आदि के आगम प्रभृति कारणों से उत्पन्न हर्ष की दशा में भी होता है, अतः वह मदुपभोग-योग्यत्व का व्यभिचारी भले ही हो, पर उन नायक-विशेषणों के सुनने के साथ होने वाला नयन-विकास तो अन्य कारणजन्य हर्ष की दशा में नहीं होता—अपि तु 'यह मेरा उपभोग्य है' इस तरह के ज्ञान से उत्पन्न हर्ष की स्थिति में ही होता है, अतः वह विशिष्ट-नयन-विकास उसका व्यभिचारी नहीं—मननियत है ।

पूर्वोक्तरीत्याऽभिव्यक्त्याश्रयणे सभवन्ती भावध्वने सलक्ष्यक्रमत्वापत्तिमिष्टापत्त्या परिहरति—

न च भावध्वनेः सलक्ष्यक्रमत्वापत्तिः, द्वारस्य सलक्ष्यक्रमत्वादिति वाच्यम्, उष्ट्रापत्ते । न चापसिद्धान्तः तस्य प्रागेवोद्धारात् ।

भावध्वनेरिति । हर्षभावध्वनेरित्यर्थः । द्वारस्येति । हर्षकारणमदुपभोगयोग्यत्वाभिव्यक्ति-न्परस्येत्यर्थः । अपसिद्धान्त मिद्धान्तविरोधः । तस्येति । अपसिद्धान्तत्वस्येत्यर्थः । तथा च मिद्धान्त एवायमिति भावः । मदुपभोगयोग्यत्वलक्षणविभावाभिव्यक्तिद्वारा प्रफुल्लविलो-चनत्वेन हर्षभावाभिव्यक्तौ स्वीकृतायाम् 'भावशान्त्यादिरक्रम' इति मिद्धान्तविरोधः, नमस्तु लक्ष्यत्वादिति यद्यपि मन्वयम्, तथापि क्वचित् सलक्ष्यक्रमोऽपि रगादिर्भवतीति प्रथमानान्तभागोक्तस्वसिद्धान्तेन तस्य मिद्धान्तस्य मङ्गलविषयत्वबोधनेन त्रिभिन्-ममज्ञमिति भावः । एतद्विषयको विशदो विचारो मङ्कृतप्रथमानन्तन्दिन्दोऽनाया-द्रष्टव्यः ।



उक्त रीति से अभिव्यक्ति मानने पर 'भावध्वनि' भी सलक्ष्यक्रम हो जायगी, इस आपत्ति को आपत्ति नहीं मानकर इष्ट मान लेने की बात कहते हैं—न च इत्यादि। उक्त विशिष्ट प्रकार के नयन-विकास से मद्दुपभोगयोग्यस्वरूप विभाव की अभिव्यक्ति के द्वारा हर्षभाव की अभिव्यक्ति मानने पर 'भाव आदि की ध्वनि अलक्ष्यक्रम ही होती है' इस प्राचीनसिद्धान्त का विरोध होता है, यह बात यद्यपि सत्य है, तथापि स्थितिविशेष—जिसका विश्लेषण प्रथम आनन के अन्त भाग में किया गया है—में रस-भाव आदि की ध्वनि भी सलक्ष्यक्रम होती है, यह जो पण्डितराज का सिद्धान्त है, उसके अनुसार कोई विरोध नहीं होता। इस प्रसंग का विशद विचार, प्रथमानन की मेरी हिन्दी टीका में देखना चाहिए।

स्वतःसभविना वस्तुनाऽलकारध्वनिमुदाहरति—

‘मृद्वीका रसिता सिता समशिता स्फीतं निपीतं पयः,  
स्वर्यातेन सुधाऽप्यधायि कतिधा रम्भाधरः खण्डितः ।  
तत्त्वं ब्रूहि मदीयजीव ! भवता भूयो भवे भ्राम्यता  
कृष्णोत्थक्षरयोरयं मधुरिमोद्गारः कचिन्नक्षितः ॥’

कश्चन भक्त स्वात्मान पृच्छति—हे मदीयजीव आत्मन् ! भूय पुन पुन, भवे ससारे भ्राम्यता भ्रमणशीलेन, ( अत्र कृतेन पुण्यविशेषेण स्वर्गं प्राप्तं, पुन क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकमुपाश्रित, एवरीत्या पुन पुन स्वर्गादागमनमत्र भूयो भवभ्रमणम् ) ( अत्र लोके ) मृद्वीका द्राक्षा, रसिता आस्वादिता, सिता खण्डशर्करा, समशिता सम्यक्भक्षिता, स्फीत विशुद्ध, पय दुग्धम्, निपीत विशेषेण पानकर्मीकृतम्, स्वर्यातेन स्वर्गं गतेन ( कर्तृ-विशेषणमेतद् ) सुधा पीयूषम्, अधायि ( घेत् पाने इत्यस्य कर्मणि वाच्ये लुङि रूपम् ) अपायीत्यर्थः । कतिधा कतिभिः प्रकारै रम्भाया तन्नामकाप्सरस, अधर, खण्डित दष्ट आस्वादित इति भाव । एवञ्च नानाविधमधुरपदार्थरसास्वादोऽनुभूतस्त्वया, इदानीञ्च कृष्ण-नाममाधुरी अपि आस्वाद्यते, अतस्त्वामह पृच्छामि, यत् कृष्णेति द्वयोरक्षरयोर्यादृशो मधुरिमोद्गार माधुर्योद्रेकोऽस्ति, तादृशस्तेषु पूर्वोक्तेषु पदार्थेषु क्वचित् एकत्रापि लक्षित अनुभूत ? एतदुत्तरप्रसंगे सत्यमेव त्वया वक्तव्यम्, अन्यथा निर्धारणीयस्य निर्धारण न सभवेत्, कृष्णनाममाधुर्यसदृश माधुर्यं क्वापि नानुभूतं भवेदिति वक्तुस्तात्पर्यम् ।

अथ स्वतःसभवी वस्तु से अलकार-ध्वनि का उदाहरण देते हैं—मृद्वीका इत्यादि। कोई भक्त अपनी आत्मा से पूछता है—हे मेरे जीव ! तू ने बार-बार स्वर्ग से इहलोक तक का चक्कर लगाया है—अर्थात् इस लोक में पुण्य-विशेष का उपार्जन कर मरणोत्तर स्वर्ग गया और पुण्य के क्षीण हो जाने पर 'क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोक विशन्ति' के अनुसार पुनः ससार में जन्म ग्रहण किया, तेरा यह गमनागमन अनेकों बार हो चुका है। इस भ्रमण के प्रसङ्ग में तू ने अनेक आस्वाद्य पदार्थों के आस्वादन किए—इस लोक में दाख को चक्खा, चीनी की चासनी ली, दूध का यथेच्छ पान किया, और स्वर्ग जाकर पीयूष का पान भी किया एवम् अनेक प्रकार से रम्भा ( एक अप्सरा ) के अधरों को भी काटा। अथ कृष्णनाम की माधुरी का भी तू आस्वादन कर रहा है, इसलिये मैं तुझ से पूछता हूँ, सच सच बतलाना—'कृष्ण' इन दो अक्षरों में जैसा माधुर्योद्गार है, वैसा माधुर्योद्गार कहीं अन्यत्र ज्ञात हुआ ?—मेरा विश्वास है कि वह माधुरी तुझे अन्यत्र कहीं नहीं मिली होगी।

उपपादयति—

अत्र निष्कृष्टजीवसबोधक-परिदृश्यमानस्थूलदेहेन्द्रियादिचेतनाचेतनसघा-  
तात्मकास्मत्पदबोधकर्तृकप्रश्नविषयेणार्थेन वस्तुना तथाभूतेन भगवन्नाम्नोऽ-  
नेकजन्मवृत्तान्ताध्यक्षीकरणकारणयोगसिद्धिविशेषतादात्म्याध्यवसायरूपातिशयो-  
क्तिर्व्यज्यते ।

निष्कृष्टेति । निष्कृष्ट परिदृश्यमानैतच्छरारपृथङ्कृत, जीव आत्मा, नबोध्यो यस्मिन्,  
परिदृश्यमान, स्थूलदेहेन्द्रियादिचेतनाचेतनमंघातात्मक अस्मन्पदबोध्य कर्ता यस्मिन्,  
तादृगेन, प्रश्नविषयेण वृत्तीतिपदजिज्ञामितेन, अर्थेन मधुरिमोदाराद्यादिल्लेख्येभ्यः । तथा-  
भूतेनेति । स्वतन्मभिविनेत्यर्थः । नाम्न इति षष्ठ्यन्तस्य तादान्याध्यवसायेत्यत्रान्वय ।  
अनेकेति । नानाजन्मवर्षित्तिजन्मान्धारप्रत्यर्थाकरणे कारणभूतो यो योगान्दानजन्य-  
मिद्विविशेष तस्मिन्नित्यर्थः । भगवन्नाम्न उपमानस्य योगमिद्विविशेषे उपमेये तादान्या-  
ध्यवसाय इति भावः । एतेन भगवन्नाम्न उपमेयतया विषयस्तेन उपमानतया विषयिणः योग-  
मिद्विविशेषस्य निगरणे व्यसतिशयोक्तिः, विषयनिगरणे तन्मनगादिति परारतम् । अय-  
भावः—आत्मा द्विविधः, एक शरीरादितः पृथग्भूतो निरवच्छिन्न द्वितीयश्च शरीराद्यव-  
च्छिन्न अस्मच्छब्दबोध्यः । तयोः प्रथमः नबोध्यत्वेन, द्वितीयश्च, प्रश्नकर्तृत्वेनात्र वर्णितः ।  
प्रश्नविषयीभूतञ्च मधुरिमोदारादिरूप स्वतन्मभिविगनुव्यञ्जकम् । व्यङ्ग्यशक्तिशयोक्त्य-  
लङ्कारः । भगवन्नाम्नरूपेणोपमानेनानेकजन्मवृत्तान्तप्रत्यर्थाकरणकारणयोगमिद्विविशेषस्योपमे-  
यस्य निर्गम्य व्यनमत्रातिशयोक्तिस्वरूपम् । अतीतजन्मवृत्तान्तज्ञानभावकयोगजनिद्विल्लब्ध-  
मवन्वविहीन प्रति अतीतजन्मवृत्तान्तज्ञानविषयकप्रश्नस्यान्यथानुपपत्तिश्च तदलङ्काराभि-  
व्यक्तौ बीजमिति ।

अथ उक्त पद्य में प्रकृतोपयोगी विषयों का उपपादन करते हैं—अत्र इत्यादि । शान्ति  
में आत्मा दो प्रकार की मानी गई है—एक शरीर आदि से पृथग्भूत-निरवच्छिन्न और  
दूसरी देह-इन्द्रिय आदि से मिश्रित-शरीराद्यवच्छिन्न जो 'मै' पद से समझा जाता है ।  
उन दोनों में प्रथम अर्थात् निरवच्छिन्न आत्मा का नबोध्य रूप में और द्वितीय अर्थात्  
शरीराद्यवच्छिन्न आत्मा का प्रश्नकर्ता के रूप में यहाँ वर्णन किया गया है । प्रश्न का  
जो विषय है—वैसी माधुरी कहीं देखी ? आदि—वही यहाँ स्वतः सर्व-सत्य-विकल्पित  
नहीं व्यञ्जक अर्थ है और व्यङ्ग्य है अतिशयोक्ति अलङ्कार । भगवन्नाम्नरूप उपमान के  
द्वारा अनेक जन्म की बातों के प्रत्यक्षीकरण में कारणरूप योग-मिद्वि-विशेषारम्भक उप-  
मेय का निगरण करके वर्णन करना ही यहाँ अतिशयोक्ति का स्वरूप है । इस अति-  
शयोक्ति की अभिव्यक्ति में मूलभूत रहस्य यह है कि जो सर्वज्ञ नहीं है उसमें अनेक  
जन्म की बातों का पृथक् वनता नहीं है और सर्वज्ञता प्राप्त होती है योग-मिद्वि से, जो  
यहाँ मात्रात् वर्णित नहीं है, अतः यह कल्पना करनी पड़ती है कि प्रश्नकर्ता ने भगव-  
नाम्न को योगसिद्धि से अभिन्न समझकर योगसिद्धि के स्थान में भगवन्नाम्न का वर्णन  
किया है । हिन्दी रमनगाधरकार चतुर्वेदीजी का यहाँ एक अज्ञेय यह है कि उपमान ने  
उपमेय के निगरण होने पर अनिशयोक्ति होती है और यहाँ उपमेय में ही उपमान का  
निगरण हुआ है—अर्थात् भगवन्नाम्न उपमेय है तथा योगमिद्वि-विशेष उपमान, अतः  
अनिशयोक्ति की अभिव्यक्ति यहाँ नहीं होगी । परन्तु मुझे 'पण्डितराज ने इस तरह की  
मोटी गलती होगी' यह बात मगत नहीं ज्ञेयनी । अतः मैं कहता हूँ कि उपमानोपमेय  
भाव तो विवक्षाधीन ही होता है, फिर भगवन्नाम्न के ही उपमान और योगमिद्वि-  
विशेष को ही उपमेय क्यों नहीं मान लिया जाय ? योगमिद्विविशेष के प्रसंग पर  
भी ऐसा पद्य कहा जा सकता है । मेरी समझ में यहाँ पण्डितराज का आशय है ।

शकते—

अथ प्रश्नविषयस्यात्र नानाजन्मगतवृत्तान्तरूपतया तद्वजं प्रत्येव प्रमौचित्येनानभिज्ञ स्वजीवं प्रति प्रष्टुमयोग्यत्वात्प्रश्नान्यथानुपपत्त्या आक्षिप्तवाच्यसिद्धयङ्गत्वेन गुणीभूतव्यङ्ग्यरूपा वा, प्रागुक्तातिशयोक्तिरिह कध्वनिव्यपदेशहेतुः स्यात् ?

तज्जमिति । नानाजन्मवृत्तान्तज्ञमित्यर्थ । प्रश्नान्यथानुपपत्त्येति । अतिशयोक्ति कल्पनमन्तरा तादृशप्रश्नस्यासम्बद्धादुक्तिकतयेत्यर्थ । अर्थापत्तेः प्रमाणान्तरत्वविरहादाहवाच्येति । यो यज्जानाति तं प्रत्येव तद्विषयक प्रश्न क्रियते इति साधारणे नियमे वर्तमानं 'मृद्धीके'तिपद्ये अतीतानागतज्ञानसाधकयोगजसिद्धिहीनतया नानाजन्मवृत्तान्तानभि-स्वजीव प्रति, कृत 'मृद्धीकादिपदार्थेषु कृष्णनाम्नीव मधुरताऽनुभूता किमि'त्यादिना जन्मवृत्तान्तविषयक प्रश्नोऽनुपपन्न सन् स्वोपपादिका कृष्णनाम-योगजसिद्धिविशेषयोस्तादात्म्याध्यवसायरूपाम् अतिशयोक्तिमवश्यमाक्षिपेत् । एवञ्चार्थापत्तिप्रमाणवेद्य एवातिशयोक्त्यलकारोऽत्र न व्यञ्जनावबोध्य, 'अनन्यलभ्यो हि शब्दार्थः' इति सिद्धान्तात् । अर्थापत्तिर्न मानान्तरमपि तु व्यञ्जनाफलीभूतमेवेति स्वीकारे यद्यपि प्रकृते उक्तातिशयोक्त्यलकारस्य व्यङ्ग्यत्व समर्थयितुं शक्यम्, तथापि तद्व्यङ्ग्य गुणीभूतमेव वाच्योक्तप्रश्नविषयीभूतार्थोपपादकतया वाच्यसिद्धयङ्गत्वात् । तथा च तस्यालकारस्य व्यङ्ग्यत्वे च्चनिव्यपदेशहेतु न युक्तमिति भावः ।

अब उक्त विषय के सम्बन्ध में एक शंका करते हैं—अथ इत्यादि । 'जो जिस विषय को जानता रहता है, उसीसे उस विषय का प्रश्न किया जाता है' यह एक साधारण नियम है । तदनुसार यहाँ योगसिद्धि से रहित अतएव अनेक जन्म की बातों को न समझ सकनेवाले अपने जीव से उक्त अनेक जन्मविषयक बातों का पूछना तब तक नहीं बन सकता, जब तक कृष्ण नाम और योगसिद्धि में परस्पर अभेद ( अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाता है ) न समझ लिया जाय । इस तरह से यह सिद्ध हुआ कि प्रश्न के अन्यथा न बन सकने के कारण यहाँ अतिशयोक्ति का आक्षेप होगा और इस तरह के आक्षेप को ही अर्थापत्ति ( प्रमाण ) कहते हैं, अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार अर्थापत्तिप्रमाण से समझने योग्य माना जायगा, व्यञ्जना से समझने योग्य नहीं । क्योंकि 'अनन्यलभ्यो हि शब्दार्थः—अर्थात् जो अर्थ अन्य किसी प्रमाण से ज्ञात हो सके, उसी को शब्दशक्ति से ज्ञात होने योग्य समझना चाहिए' । यदि कहा जाय कि 'अर्थापत्ति' कोई नवीन प्रमाण नहीं है, व्यञ्जना फलीभूत ही है अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार व्यङ्ग्य माना जा सकता है, तो मैं कहूँगा, ठीक है, इस दृष्टिकोण से देखने पर अतिशयोक्ति का यहाँ व्यङ्ग्य होना सिद्ध हो सकता है, परन्तु व्यङ्ग्य होकर भी वह अलंकार यहाँ गौण ही होगा, क्योंकि उक्त प्रष्टव्य विषय—जो वाच्य है—कसगति उस व्यङ्ग्यके द्वारा ही होती है, अतः वह वाच्यसिद्धि का अङ्ग है और वाच्यसिद्धि के अङ्गभूत व्यङ्ग्य, 'गुणीभूतव्यङ्ग्य' नामक मध्यम काव्य के व्यवहार का साधक होता है 'ध्वनि'नामक उत्तम काव्य-व्यवहार का नहीं ।

२३

प्राचीनैरुक्ते स्वतः मभविना वस्तुनाऽलंकारध्वनेरुदाहरणोऽपीय शका समानैवेति दर्शयति—

इत्यमेव च 'तदप्राप्तिमहादुःख'—इत्यत्राप्यतिशयोक्तेरर्थापत्तिविषयत्व गुणीभूतव्यङ्ग्यत्व वा युक्तम् । अनेकजन्मोपभोग्यदुःखसुखराशिभ्यां तदप्राप्ति

महादुःखतश्चिन्ताविपुलाहादयोरनिगरणेऽशेषपापपुण्यपुञ्जनाशकताया अनुप-  
पत्ते । तद्दुःखदुःखानां स्वस्वफलोपहितपापपुण्यनाशकताया एवान्यत्र कृम-  
त्वान् । निगरणे तु तयोस्तत्राशकताबुद्ध्युपपत्तिः ।

निति । 'तदप्राप्तिमहादुःखविलंकारोपनातना । तश्चिन्ताविपुलाहादधीनमुच्यते  
नया ॥ चिन्तयन्ती जगन्मूर्ति परब्रह्मवन्ममिषम् । निरञ्चान्त्या रुक्तिं गताऽन्या गौण-  
कन्त्या ॥' इति ग्लोकद्वयं विष्णुपुराणे पञ्चमांशे त्रयोदशाध्याये ( २१ २२ ) वर्तते, उदा-  
हृतं वाच्यप्रकाशे चतुर्थोऽङ्काले । भगवतो ब्रजवल्हमस्य रामलीलाया नर्वा गोपालबालि-  
नन्मिलिता परन्तु कावनेका गोपकन्या पन्थादिभिः संरक्षकैर्निर्दिष्टा तत्र सगन्तु नगरायत् ।  
न च भगवन्संगमालाभेन महादुःखमापत्, तेन दुःखेन तस्या नर्वापि पातकानि विनष्टानि,  
अपि च कृपाचन्द्रचिन्तनजन्याधिकृतानन्देन तस्या सकलपुण्यत्रयोऽपि जातः । एवं-  
रात्र्या जगदुत्पत्तिकारण परब्रह्मत्वरूपं कृपां चिन्तयन्ती ना निरञ्चानामावन्धामापाय  
मौलमलमन इति प्रसंगमगतिपुरस्तरस्तरयो बोध्यः । नृत्तिसमये निरञ्चान्त्या तत्र 'नास्य  
प्राणा मनुजानन्ति अत्रैव ममवर्तयन्ते' इति श्रुतिमिदं प्रति । स्वन्वलोपहितेति ।  
तद्दुःखदुःखसुखफलजन्यैर्भयैः । अत्र कृपाप्राप्तिजन्यमहादुःखत्वाद्योपनापनागन्तवनेवं  
कृपाचिन्तनजन्यानन्दमन्दोऽस्य पुण्यपुञ्जनाशकत्वं यद्वाच्यवृत्त्या वर्णितम्, तदवगमने-  
कञ्चनोभोग्यदुःखसुखमनूहान्याम् तदप्राप्तिमहादुःखतश्चिन्ताविपुलाहादयोऽनिगरणे सूच-  
यति - अर्थात् कृपाप्राप्तिमहादुःखेन नह नानाजन्मभोग्यदुःखस्य तथा कृपाचिन्ता-  
प्रयत्नानन्देन नह नानाजन्मभोग्यदुःखस्य तादृश्यमात्रिपत्ति, अन्यथा तदप्राप्तिमहादुःख-  
तश्चिन्ताविपुलाहादयोरुपनापुण्यनाशकत्वं वाच्यवृत्त्या वर्णनात्मन्गगन्याय यथाचपुण्य-  
जन्ये ये दुःखसुखे तद्दुःखसुखयोगेव तन्वानपुण्यनाशकताया अन्यत्र निश्चितत्वेन प्रकृतं ना-  
प्राप्तिजन्यदुःखतश्चिन्तनजन्यसुखयोरनेकजन्महृत्पापपुण्यनाशकताया अन्वन्मवात् । पूर्वोक्त-  
तादृश्याज्ञेने तु तन्मन्मवाति एव 'दृष्टं त्वेत्यादाविव 'तदप्राप्ति'त्यत्रापि कृपाप्राप्ति-  
जन्यदुःखतश्चिन्ताजन्यानन्दाभ्या महानेकजन्मभोग्यदुःखसुखयोस्तादाचारोनेहनाति-  
शयोक्तिरर्थापत्तिवैधतया व्यञ्जयतामेव न भजते, अर्थात्नेर्नान्तरन्वारवांकारे च  
व्यञ्जयता भजमानपि वाच्यनिर्देशनया गुणाभूता न अन्विष्वहारेतुरिति नाव ।

प्राचीनों ने स्वतःसमग्री वस्तु से वस्तु-ध्वनि का जो उदाहरण दिया है, उसमें भी उक्त  
भाषाज्ञा समानरूप में उपस्थित होती है यही बात अब कहीं जा रहा है - इयमेव च  
इत्यादि । 'तदप्राप्ति' इत्यादि दोनों पद्य-जो सस्कृत टीका में उद्धृत है - विष्णुपुराण  
( पञ्चम अंश, त्रयोदश अध्याय २१।२२ ) के है, वाच्यप्रकाश के चतुर्थ उद्भाग में - उदा-  
हृतं हुए है । भगवान् ब्रज-वल्हम की रामलीला में सभी गोप-कन्यायें सम्मिलित होती  
थीं, परन्तु कोई एक गोप-बाला, पति आदि नरहकों द्वारा रोक दिये जाने के कारण  
उम ( रामलीला में ) सम्मिलित नहीं हो सकी, जिसमें उसको नितान्त दुःख हुआ  
पर उमों दुःख में उमके सभी पाप नष्ट हो गए ( पाप के फल दुःख को भोग लेने से  
पाप नष्ट होने हैं ) और धनरयान के निरन्तर-चिन्तन में उमने असीम आनन्द भी हुआ  
जिसमें उमके ससृष्टं पुण्य भी क्षीण हो गए ( पुण्य का फल सुख है जब उमके भोग  
में पुण्य समाप्त हो जाता है ) । इस तरह समार-कारण-परब्रह्म स्वल्प-कृपाचन्द्र की  
चिन्ता करती हुई वह, निरञ्चान्त अवस्था के पाकर मुक्त हो गई । प्रकरण के अनुसार  
यही उन दोनों पद्यों का अर्थ है । यहाँ 'भगवान् के न मिलने के कारण उत्पन्न महादुःख'  
में सकल पापों के नष्ट हो जाने की बात तथा भगवान् के स्मरण में उत्पन्न आनन्द से  
पुण्य-समूह के नष्ट होने की बात जो वाच्यरूप में वर्णित है, वह तब तक सगन नहीं

हो सकती, जब तक उन दोनों ( दुःख और आनन्द ) का क्रमशः अनेक जन्मों में भोगे जानेवाले, दुःखों और सुखों के साथ तादात्म्य न समझा जाय । क्योंकि शास्त्रों में जो दुःख जिन पापों के फल हैं और जो सुख जिन पुण्यों के फल हैं उन्हें ही उन पापों और उन पुण्यों का नाशक माना जाता है और ये कृष्ण-वियोग-दुःख और कृष्ण स्मरण सुख तो उन लौकिक पाप पुण्यों के फल हैं नहीं । अतः 'उन पाप पुण्यों के फल-रूप सुख-दुःखों के साथ इन वियोग-दुःख और स्मरण-सुख का तादात्म्य'—जो अतिशयोक्तिरूप है—मानना पड़ेगा—तभी वे सुख-दुःख उन पुण्य-पापों के नाशक हो सकेंगे । इस स्थिति में यहाँ भी अतिशयोक्ति, पूर्वोक्त युक्ति से अर्थापत्ति—वेद्य होकर व्यङ्ग्य ही नहीं होगी, अथवा वाच्यसिद्धि का अंग बन कर, मध्यम-काव्य-व्यवहार के हेतु होगी—ध्वनिकाव्यता का नियामक नहीं हो सकती ।

आशक्य समाप्यते—

न च वस्तुमात्राभिव्यक्तस्यालंकारस्य न गुणीभूतव्यङ्ग्यत्वम्—

'व्यज्यन्ते वस्तुमात्रेण यदालङ्कारस्तदा ।

ध्रुव ध्वन्यगता तासां काव्यवृत्तेस्तदाश्रयात् ॥'

इति सिद्धान्तानिति वाच्यम्, बाधे दृढे सिद्धान्तमात्रेणात्र ध्वनित्वस्य स्थापयितुमशक्यत्वादिति चेत् ?

- व्यज्यन्ते इति । ध्वन्यालोकस्थेय कारिका । वाच्येन वस्तुमात्रेण न तु सालंकारेणापि, अलङ्कारयोऽलंकारा, यदा व्यज्यन्ते, तदा व्यङ्ग्यत्वकाल तामामलङ्करीना ध्रुव नियमेन, ध्वन्यङ्गता ध्वनिरूपता वाच्यवस्त्वपेक्षयाऽलङ्कारत्वेनैवातिशायितया ध्वनित्वनिर्वाहकतेति यावत्, भवतीति शेष । कुत इति चेत् ?—काव्यस्य कविव्यापारस्य वृत्ते प्रवृत्ते सव्यङ्ग्योऽर्थ आश्रय उद्देश्यतयाऽऽलंबन यस्या सा तदाश्रया तस्या भावस्तदाश्रयत्वम्, तदुद्देश्यकत्वम्, तरमादित्यर्थ । इह तदाश्रयादिति भावप्रधानो निर्देश । व्यज्यन्ते इति ध्वनिकारोक्तसिद्धान्तानुसारेण 'मृद्वीका' 'तदप्राप्ती'त्यादौ वस्तुना व्यज्यमानाया अतिशयोक्तेर्ध्वनिव्यवहारप्रयोजकता समुचितेति शङ्का । वाच्यसिद्धयङ्गत्वहेतुकगौणतात्मिकाया ध्वनित्वबाधक्युक्तौ विद्यमानाया ध्वनिकुक्तसिद्धान्तमात्रेण ध्वनित्वस्थापन नोचितमिति समाधानम् ।

उक्त आशका के उत्तर के रूप में एक आशंका करके उसका समाधान करते हैं—न च इत्यादि । यदि आप कहें कि अलंकार शून्य-केवल, वस्तु से ध्वनित होने वाले अलंकार गुणीभूत व्यङ्ग्य नहीं हो सकते, कारण, यह सिद्धान्त है कि—'व्यज्यन्ते'..... इत्यादि अर्थात् जब केवल ( अलंकार-शून्य ) वस्तु से अलंकार ध्वनित होते हैं तब वे निश्चित रूप से काव्य को ध्वनि ( उत्तमोत्तम ) बनाते हैं, क्योंकि ऐसे पद्यों में काव्य का व्यवहार उन्हीं अलंकारों के आधार पर होता है—उनमें वे अलंकार ही चमत्कार-विशेष के जनक होते हैं ।' तो यह ठीक नहीं । कारण, जब एक सुदृढ बाधक युक्ति उपस्थित की जा चुकी है—अतिशयोक्ति को वाच्य-सिद्धि का अङ्ग घतलाया जा चुका है, तब केवल सिद्धान्त के बल पर—ध्वन्यालोक की कारिका के आधार पर—इन पद्यों को ध्वनि नहीं सिद्ध किया जा सकता ।

अथ प्रश्नविपर्ययेत्यादिना समुत्थापितामाशङ्कामुपसहरति—

सत्यम्,

'मृद्वीका', 'तदप्राप्ती'त्यादौ व्यज्यमानाया अतिशयोक्तेर्गुणीभूततया ध्वनित्वप्रयोजता न भवतीति शका युक्तेति भाव ।

अब उक्त भाशका-ग्रन्थ का उपसहार करते हैं—‘सत्यम्’ इति । आपका कथन सत्य है—‘मृद्रीका’ ‘तदप्राप्ति’ इत्यादि पद्यों में अतिशयोक्ति जब वाच्यसिद्धि का अङ्ग हो जाती है, तब वह उन पद्यों को ‘ध्वनि’ नहीं बना सकती । परन्तु—

नमाधत्ते—

यादृशव्यङ्ग्यप्रतिपत्तिं विना यत्र वाच्यस्य सत्रेथाप्यनुपपत्तिस्तत्र तद् वाच्यसिद्धयङ्गम् । यत्र प्रकारान्तरेणापि तस्योपपत्तिं शक्या कर्तुम् न तत्र तथा ।

प्रतिपत्तिमिति । ज्ञानमित्यर्थ । अनुपपत्तिरिति । असंगतिरित्यर्थ । तदिति । व्यङ्ग्यमित्यर्थ । प्रकारान्तरेणेति । व्यङ्ग्यज्ञानातिरिक्तेन प्रकारेणेत्यर्थ । तथा वाच्यनिदधयङ्गम् । यत्र व्यङ्ग्यमेव केवलं न तु वाच्यादिक, वाच्यार्थं नोपपत्तिकं कर्तुं प्रभवति, तत्रैव तद्व्यङ्ग्यं वाच्यनिदधयङ्गं स्वीकर्तुं योग्यम् । यथा—‘अग्निमरतिमल्महृदयता प्रलयं मूर्च्छां तमं शरीरमादम् । मरणञ्च जलदभुजगजं प्रमह्यं द्रुते विषं वियोगिनीनाम्’ ॥ इत्यादौ विषय-व्यङ्ग्यं हालाहलमेव केवलं जलदभुजगते वाच्यस्य रूपस्य सिद्धिकृत् । अन्यथा जलदस्य भुजगत्वायोगेन, भुजग इव जलद इति पूर्वपदार्थप्रधानोपमितसमासाश्रयणेनोपमालङ्कारापत्तेः । व्यङ्ग्यधाभिन्वनेनाध्वनिर्न तु जले भुजगत्वोपपत्तेरुत्तरपदार्थप्रधानत्पत्तिरिति । यत्र पुन व्यङ्ग्येनाध्वयितुं योग्यस्य वाच्यस्य तदतिरिक्तम् ( व्यङ्ग्यातिरिक्तम् ) अपि नाधकं नभवति, तत्र व्यङ्ग्यं न गुणीभूतमङ्गीक्रियत इति भावः ।

अब सिद्धान्तभूत समाधान उपस्थित करते हैं—यादृश इत्यादि । उत्तर का अभिप्राय यह है कि उक्त पद्यों में अतिशयोक्ति यदि वाच्यसिद्धि का अङ्ग हो तब न वह गुणीभूत होगी, वस्तुतः वाच्य-सिद्धि का अङ्ग वह नहीं है । कारण, वह व्यङ्ग्य वहाँ वाच्यसिद्धि का अङ्ग होता है, जिसके ज्ञान के बिना, जहाँ वाच्य की सिद्धि सत्रेथा नहीं होती, अर्थात् व्यङ्ग्य ज्ञान के अतिरिक्त कोई उपाय जहाँ वाच्यार्थ का साधक नहीं रहता वहाँ व्यङ्ग्य वाच्य-सिद्धि का अङ्ग कहलाता है और जहाँ वाच्य, किसी दूमरी तरह से भी सिद्ध किया जा सके, वहाँ व्यङ्ग्य वाच्य-सिद्धि का अङ्ग नहीं होता ।

पूर्वोक्तमिद्वान्तान्वाङ्कारेऽनुपपत्तिं दर्शयति—

अन्यथा हि ‘नि शेषव्युत्तचन्दनं स्तनतटम्’ इत्यत्राधमत्वासिद्धयङ्गत्वाद्दूतीरमणस्य वाच्यसिद्धयङ्गगुणीभूतव्यङ्ग्यत्वापत्तेः ।

वाच्येति । वाच्यसिद्धयङ्गत्वं यदगुणीभूतव्यङ्ग्यं तत्त्वापत्तेरित्यर्थः । व्यङ्ग्येन वाच्य-सिद्धे नभवमात्रेण तस्य गुणाभावाङ्गीकारे ‘नि शेषे’त्यादौ दूतीरमणरूपस्य व्यङ्ग्यस्याधमन्वरूपवाच्यनाधकत्वात्तन्भवेन गुणीभूतत्वम्, तत्प्रयुक्तं पद्यस्य न्यूनताव्यव्यव च प्रयुज्येतेति भावः । उक्तमिद्वान्तान्वाङ्कारे तु नानुपपत्तिः, परवेदनानभिज्ञतया तु खदानृत्वेनाप्येनाधमन्वन्यं निर्देयं नभवन्त्या दूतीरमणस्य व्यङ्ग्यस्यानन्यमाधारणवाच्यनाधकत्व-विरहात् ।

पूर्वोक्त नियम को न मानने पर होने वाली अनुपपत्ति का उल्लेख करते हैं—अन्यथा इत्यादि । यदि उक्त नियम न माना जाय, तब तो प्रथमानन में उदाहरत ‘नि शेषव्युत्तचन्दनं स्तनतटम्’ इत्यादि ध्वनि के उदाहरण में भी ‘दूतीरमण-रूप व्यङ्ग्य वाच्य-सिद्धि का अङ्ग हो जायगा, क्योंकि वाच्य-नायक की अधमता को वह सिद्ध करना है । उक्त नियम के मानने पर यह आपत्ति नहीं होती । कारण, वाच्य-अधमता की सिद्धि प्रकारान्तर से भी वहाँ हो जाती है अर्थात् नायिका के दुःख-दर्द को न समझ कर बराबर उसे दुःख-दान से भी नायक की अधमता सिद्ध हो जाती है ।

उक्तसिद्धान्तानुसारेण 'मृद्धीके'ति पद्ये व्यज्यमानातिशयोक्तिर्न वाच्यसिद्धयङ्गमित्यु-  
पपादयति—

प्रकृते च भगवन्नाम्नि योगसिद्धितादात्म्याध्यवसायरूपामतिशयोक्तिं विनापि  
भगवन्नामोच्चारणमाहात्म्यप्राप्तसार्वज्ञ्यबुद्ध्याऽपि प्रश्नोपपत्तेर्न गुणीभूतव्यङ्ग्यत्वम् ।

प्रकृते मृद्धीकेति पद्ये । भगवन्नामेति । भगवन्नाम्न उच्चारणस्य माहात्म्येन प्राप्तं यत्  
सार्वज्ञ्यम् तस्य बुद्ध्या ज्ञानेनेत्यर्थः । अयमभिप्रायः—मृद्धीकेति पद्ये वक्ता स्वकीय जीव  
भगवन्नामोच्चारणबललब्धसर्वज्ञताक बुद्ध्याऽपि 'मधुरिमोद्गार क्वचिच्छिक्षित' इत्यादिना-  
नाजन्मवृत्तान्तविषयक प्रश्नं कर्तुं शक्नोतीति तादृशप्रश्नात्मकस्य वाच्यस्य सिद्धिर्न  
नियमतो भगवन्नामयोगसिद्धिविषययोस्तादात्म्याध्यवसायरूपा व्यज्यमानामतिशयो-  
क्तिमपेक्षते । एवञ्च न तदतिशयोक्तिरूप व्यङ्ग्य वाच्यसिद्धेरङ्गमिति । 'तदप्राप्ती'ति  
प्रकाशोदाहरणे सा आपत्तिरस्तीत्यन्यदेतत् ।

उक्त नियम के अनुसार 'मृद्धीका'....' इत्यादि पद्य में अभिव्यक्त होने वाली अति-  
शयोक्ति वाच्य-सिद्धि का अंग नहीं होती, इस बात का अब उपपादन करते हैं—प्रकृते  
इत्यादि । अभिप्राय यह है कि 'मृद्धीका ..' इत्यादि पद्य में वक्ता अपनी आत्मा को  
भगवन्नाम की महिमा से सर्वज्ञ बनी हुई जान कर भी उससे जन्मान्तर-वृत्तान्त-विषयक  
प्रश्न कर सकता है अर्थात् जन्मान्तर-वृत्तान्त-विषयक प्रश्न—जो वाच्य है—उसकी सिद्धि  
आत्मा के विषय में भगवन्नाम-माहात्म्य-मूलक सर्वज्ञता-ज्ञान से भी हो जाती है, अतः  
उस प्रश्न को सिद्ध करने के लिये भगवन्नाम में योगसिद्धि के तादात्म्य का आरोप—  
जिसको अतिशयोक्ति के रूप में अभिव्यक्त करते हैं—अपेक्षित नहीं है । अतः यहाँ व्यङ्ग्य  
होनेवाली अतिशयोक्ति गुणीभूत नहीं है । तात्पर्य यह कि वह व्यङ्ग्य उस पद्य को ध्वनि-  
काव्य की श्रेणी में अवश्य ला सकता है ।

भगवन्नामोच्चारणमाहात्म्येत्याद्यनुपदोक्तरीतेरनुसरणेऽपि उक्तापत्तिसजातीयामेवापत्ति-  
माशङ्क्य निरस्यति—

एतेनासंबन्धे सम्बन्धरूपातिशयोक्तिर्नामोच्चारणमाहात्म्यप्रभवसार्वज्ञ्या-  
ध्यवसायेऽपि स्थितेति स दोषस्तदवस्थ इति परास्तम् । भगवन्नामोच्चारणस्या-  
चिन्त्यमाहात्म्यतायाः पुराणप्रसिद्धत्वात् ।

एतेनेति । वक्ष्यमाणहेतुनेत्यर्थः । स्वात्मनि भगवन्नामोच्चारणमाहात्म्यप्राप्तसार्वज्ञ्यबुद्ध्या  
तथा प्रश्न इति कथनेऽपि असंबन्धे संबन्धरूपातिशयोक्तिर्विद्यत एव, भगवन्नामोच्चारणे  
सर्वज्ञतासंबन्धविरहिणि तादृशसंबन्धकल्पनात्, तथा चातिशयोक्तिद्वयमपि वाच्यसिद्धय-  
ङ्गतया गुणीभूतमेवेति कथनं न सम्यक्, वेदपुराणादौ भगवन्नामोच्चारणमाहात्म्यस्य  
मकलामीष्टार्थसाधकतायाः प्रसिद्धत्वात् । तथा च वस्तुत एव भगवन्नामोच्चारणे सर्वज्ञ-  
तायाः संबन्धं न तु कल्पितं स इत्यसंबन्धे संबन्धरूपातिशयोक्तिर्नात्रेति बोध्यम् ।  
एवञ्च मृद्धीकेति पद्यं स्वतः सभविना वस्तुनाऽलङ्कारध्वनेरुदाहरणं संभवतीति भावः ।

उक्त रीति के अनुसरण करने पर भी उसी प्रकार की आपत्ति दिखलाकर पुनः खण्डन  
करते हैं—एतेन इत्यादि । यदि आप कहें कि भगवन्नाम की महिमा से जीवको सर्वज्ञ  
समझना भी एक प्रकार की ( असंबन्ध में संबन्धरूप ) अतिशयोक्ति ही है अर्थात्  
भगवन्नामोच्चारण का सर्वज्ञता के साथ कोई संबन्ध वस्तुतः है नहीं, फिर जो संबन्ध  
माना जायगा वह अतिशयोक्ति का ही एक प्रकार होगा और इस स्थिति में उक्त दोष  
प्रश्न उसी तरह वर्तमान रहेगा अर्थात् दोनों ही अतिशयोक्तियाँ वाच्य-सिद्धयङ्ग होकर  
गीभूत हो जायँगी, तो यह तर्क आप का समुचित नहीं, कारण, भगवन्नामोच्चारण का

माहात्म्य भचिन्त्य है अर्थात् उमसे सब कुछ हो सकता है, यह बात पुराणों में जब प्रसिद्ध है, तब भगन्नामोच्चारण का सर्वज्ञता से संबन्ध सिद्ध है, अत यहाँ असंबन्ध में संबन्ध-रूप अतिशयोक्ति का कोई प्रसंग ही नहीं आता ।

ऋद्धीकृतिपद्यस्य गुणीभूतव्यङ्ग्यत्वमभ्युनेत्योदाहरणान्तरमवतारयति—

अथवा मास्तु प्रागुक्तमुदाहरण वस्तुनोऽलङ्कारव्यञ्जकतायाः, इदं तु भविष्यति—

‘न मनागपि राहुरोधशंका न कलङ्काधिगमो न पाण्डुभावः ।

उपचीयत एव कापि शोभा परितो भामिनि । ते मुखस्य नित्यम् ॥’

मन्त्री नायिका कथयति—अयि भामिनि कामिनि । ते तव, मुखस्य आननस्य, कापि अनेर्वचनीया शोभा, परितः सर्वतोभावेन, उपचीयते वर्धत एव । (अत्र ) मनागपि ईपदपि राहुरोधशङ्का राहो रोधस्य आक्रमणस्य, शङ्का भय, नास्ति, न वा कलङ्काधिगम कलङ्कसंबन्धो वर्तते, पाण्डुभाव पाण्डुताऽपि नास्त्येव । राहुप्रासत्रासमुक्तस्य, निष्कलस्य, सुवर्णवर्णस्य तवाननस्य उपमा वर्धतोभावेन मदा वर्धनानैव विद्यते न तु कदापि चन्द्रवत् क्षीयत इति भाव ।

‘ऋद्धीका ...’ इत्यादि पद्य को गुणीभूत व्यङ्ग्य मान कर स्वतःसम्भवी वस्तु से अलङ्कार-ध्वनि का दूसरा उदाहरण उपस्थित करते हैं—अथवा इत्यादि । स्वतःसम्भवी वस्तु जहाँ अलङ्कार की व्यञ्जिका होती है, वैसा उदाहरण यदि पूर्वोक्त पद्य (ऋद्धीका इत्यादि) नहीं हो सकता है, तो न होवे ‘न मनागपि ...’ इत्यादि पद्य तो होगा । यह पद्य सखी के द्वारा नायिका के प्रति कहा गया है । सखी कहती है कि हे सुन्दरि ! तेरे मुख की कोई (अनिर्वचनीय) शोभा सब तरह से सदा बढ़ती ही रहती है । इस मुख में, न तो राहु के आक्रमण का थोड़ा भी भय है, न कलङ्क का संबन्ध है और न पाण्डुरता (सफेदी) है ।

उपपादयति—

अत्र राहुरोधशङ्काभावादिभिर्निरपेक्षैर्वस्तुभिर्व्यतिरेकालङ्कारो व्यज्यते ।

अत्रेति । न मनागपीत्यादिपद्य इत्यर्थः । राहुरोधेति । कलङ्काधिगमाभावपाण्डुत्वाभावावादिपदप्राप्तौ । निरपेक्षैरिति । व्यङ्ग्यव्यतिरेकोदासीनैरित्यर्थः । अत्र राहुरोधशङ्काभावादीनि वस्तूनि वाच्यवृत्त्या वर्ग्यमानानि तादृशानि सन्ति, येषां साधनाय व्यङ्ग्यव्यत्यापेक्षा नास्ति अतस्तादृशैर्वस्तुभिः स्वतःसम्भविभिः उपमानादिन्दोरपेक्षया उपमेयस्य सुज्ञत्याधिक्यरूपो व्यतिरेकालङ्कारो ध्वन्यत इति पद्यनेतद्व्यङ्ग्योदाहरण नन्पद्यत इति भावः ।

प्रकृतोपयोगी विषयों का उपपादन करते हैं—अत्र इत्यादि । उक्त पद्य में ‘राहु के आक्रमण का भय न होना’ आदि ऐसी ऐसी उदासीन वस्तुएँ हैं जिनकी सिद्धि में व्यङ्ग्य (व्यतिरेकालङ्कार) की अपेक्षा नहीं होती, अतः उन वस्तुओं के द्वारा जो व्यतिरेकालङ्कार (उपमान चन्द्र से उपमेय मुख में आधिक्य) ध्वनित होता है, वह इस पद्य में ध्वनिकाव्य-व्यवहार—का कारण होता है ।

स्वतःसम्भविनाऽऽलङ्कारेण वस्तुध्वनिमुदाहरति—

‘नदन्ति मददन्तिन परिलसन्ति वाजिब्रजा’;

पठन्ति विरुदावलीमहितमन्दिरे वन्दिन’ ।

इदं तद्वधि प्रभो ! चद्वधि प्रवृद्धा न ते.

युगान्तदहनोपमा

नयनकोणशोणश्रुति ॥’



कवि कमपि नृपविशेष वक्ति—हे प्रभो सर्वसमर्थ ! अहितमन्दिरे त्वदीयशत्रु भवने, मददन्तिन मदशालिनो गजा , मदपदे अर्श आद्यजिति भाव । नदन्ति चीत्कुर्वन्ति, वाजिब्रजा तुरगततय , परिलसन्ति शोभन्ते, वन्दिन स्तुतिपाठका , विरुदावलीं स्तुतिपरम्परा, पठन्ति गायन्ति । परमिद सर्वं मदमत्तदन्तिनादादिक तदवधि तावत्कालपर्यन्त भवतीति शेष , यदवधि यावत्कालपर्यन्तम्, युगान्तदैहनोपमा प्रलयकालिकाभितुल्या, ते तव, नयनकोणशोणद्युति नेत्रकोणारुणकान्ति , न प्रवृद्धा समुपचितेत्यर्थ ।

अब स्वतःसभवी अलंकार से वस्तुध्वनि का उदाहरण दिखलाते हैं—नदन्तीत्यादि । कोई कवि राजा से कहता है—हे प्रभो ! आपके शत्रुओं के भवन में मदमत्त गज चीकार करते हैं, अश्वों की श्रेणियाँ शोभित होती हैं, और वदीजन विरुदावली ( स्तुति ) पढ़ते हैं । परन्तु ये सब तब तक हैं, जब तक प्रलयकालिक अग्नि-शिखा के समान, आपके नेत्र-कोण की अरुण आभा नहीं बढ़ी है ।

उपपादयति—

अत्र युगान्तदैहनोपमया यदैव तव कोपोदयस्तदैव रिपूणां सम्पदो भस्मसाद्भवन्तीति वस्तु व्यज्यमान राजविषयकरतिभावेऽङ्गमपि वाच्यापेक्षया सुन्दरत्वाद् ध्वनिव्यपदेशहेतुः ।

नदन्तीतिपद्ये युगान्तदैहन उपमानम्, नयनकान्तिरुपमेयभूता, तयोरुपमा च, वाच्यानि, तथा चोपमया तव कोपोदयाव्यवहितोत्तरक्षण एव शत्रुसम्पत्तयो भस्मसात् भविष्यन्तीति वस्तु व्यज्यते, तच्च व्यङ्ग्य यद्यपि प्रधानव्यङ्ग्ये कविनिष्ठराजविषयकरतिभावे पोषकत्वादङ्गम्, तथापि वाच्यार्यापेक्षयाऽऽधिकचमत्कारशालित्वात्प्रधानमिति ध्वनिव्यवहारनिदान सपद्यत इति भाव । 'वाच्यातिशायिनि व्यङ्ग्ये ध्वनिस्तत्काव्यमुत्तमम्' इति प्राचीना भिमतध्वनिलक्षणानुरोधिवचनमिदं पण्डितराजस्य । 'शब्दार्थौ यत्र गुणीभावितात्मानौ कम्प्यर्थमभिव्यङ्क्तस्तदाद्यम्' इति स्वकृतध्वनिलक्षणे तु 'गुणीभावितात्मानौ' इति विशेषेणानापराङ्गव्यङ्ग्यस्य निरास एव । 'कृष्णपक्षाधिकरुचि इति शब्दशक्तिमूलालङ्कारध्वन्युदाहरणोपपादनावसरे स्फुटमेतत् ।

उक्त पद्य में अपेक्षित विषयों का उपपादन करते हैं—अत्र इत्यादि । इस पद्य में 'प्रलयकालिक अग्नि शिखा के समान नेत्रकोण की अरुण आभा' यह जो वाच्य उपमा अलंकार है, उससे यह वस्तु व्यङ्ग्य होती है कि 'जभी आपके हृदय में क्रोध का उदय होगा, तभी शत्रुओं की सारी सम्पत्तियाँ भस्म हो जायँगी ।' यद्यपि यह व्यङ्ग्य कविगत राज-विषयक प्रेमभाव-जो इस पद्य से प्रधान रूप में अभिव्यक्त होता है—का अङ्ग-पोषक है, अतः उसकी अपेक्षा गौण है, तथापि वाच्य अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारी होने के कारण प्रधान है, अतः एव इस पद्य में ध्वनि ( उत्तमोत्तम ) काव्य के व्यवहार करने का कारण होता है ।

गुर्णभूतव्यङ्ग्यत्वमस्याजक्य निरस्यति—

न च भस्मीकरणपटुत्वरूपस्य साधारणधर्मस्योपमानिष्पादकत्वाद् व्यङ्ग्यस्य वाच्यसिद्धयङ्गत्व शङ्क्यम्, उपात्तशोणत्वरूपसाधारणधर्मेणापि तन्निष्पत्तेः संभवात् । उपमेयीभूतशोणद्युतिगतस्य भस्मीकरणपटुत्वरूपसाधारणधर्मस्योपमानिष्पादकत्वेऽप्युपमेयव्यङ्ग्यकोपगतभस्मीकरणपटुत्वरूपस्यातथात्वाच्च ।

व्यङ्ग्यस्येति । व्यङ्ग्यशरीरघटकतया तस्य व्यङ्ग्यत्व बोध्यम् । तन्निष्पत्तेरिति । उपमानिष्पत्तेरित्यर्थ । विनिगमनाविरहेऽप्याह—उपमेयीभूतेति । उपमेयव्यङ्ग्यकोपेति ।

उपमेयेन नयनक्रोपद्युत्या, व्यङ्ग्यो यः क्रोपस्तद्गतेत्यर्थः अतयान्वागिति । उपमाया अन्वि-  
 यादक्यादित्यर्थः । उपमानोपमेययो दुगान्तदहननयनक्रो-द्युत्यो माधारणो धर्मो  
 भस्मीकरणपटुत्वम्, तच्च न वाच्यम् अपि तु 'रिपुन्पदो भस्मनाद्भविच्छन्ताति व्यङ्ग्यवस्तु-  
 शरीरप्रविष्टतया व्यङ्ग्य मदेव वाच्यासुपमां निरादयति तथा च वाच्यमिद्वेदरभूतं  
 तद्व्यङ्ग्यं व्य ध्वनिव्यपदेशहेतुरितिशङ्कादलाशयः । भस्मीकरणपटुत्वमिह न तयो  
 माधारणो धर्मः, अपि तु वाच्य शोणत्वमेव, यथा दुगान्तदहन गौणस्तथा नयनक्रोपद्युति-  
 रिन्द्रभिप्रायात् । तथा च तद्व्यङ्ग्यं भस्मीकरणपटुत्व न वाच्यमिद्विष्णुमिति ध्वनिव्यपदेश-  
 हेतुर्नधितुनहतीति च मनाधानाशयः । तु भस्मीकरणपटुत्वशोणत्वयोस्त्वयो' माधारण-  
 धर्मत्वमभवे विनिगमनाविरहेण भस्मीकरणपटुत्वस्यैव माधारणधर्मता कुतो न ? तथा च  
 पुनर्गुणभूतत्वशङ्का तदवस्थैवेति चेत् । भस्मीकरणपटुत्व व्योपमेयभूताया नयनक्रोपद्युते-  
 र्धर्मत्वमेव तेनोपमेयेन व्यङ्ग्यो यः क्रोपस्तस्यापि न माधारणधर्मः । एवञ्च नयनक्रोपद्युति-  
 निष्ठ भस्मीकरणपटुत्वमेवोपमानान्विर्तकम् न तु तद्व्यङ्ग्यक्रोपनिष्ठम्, तस्य तस्मिन् शरोऽनु-  
 परिधते । तथा च क्रोपगतभस्मीकरणपटुत्वान्मङ् व्यङ्ग्यमादाय ध्वनिन्वेन वाधेन्याग-  
 यादिति द्वितीयस्योत्तरन्यामिप्रायः ।

यदि आप कहें कि यहाँ प्रत्येकालिक क्षमिरूप उपमान और नयन-क्रोप की अरुण-  
 कान्ति रूप उपमेय में साधारण धर्म (उपमालंकार का एक अंश) 'भस्म करने की क्षमता'  
 है, जो वाच्य नहीं है, अपि तु व्यङ्ग्य है और व्यङ्ग्य होकर ही उपमा अलंकार का संपादक  
 होता है । ऐसी स्थिति में वाच्य (उपमा) की सिद्धि में अङ्गभूत-अत एव गौण वह  
 व्यङ्ग्यध्वनि कहे जाने का कारण कैसे होगा ? तो यह उचित नहीं । कारण, 'भस्म करने  
 की क्षमता' को यहाँ में साधारण मानता ही नहीं । मैं वाच्य अरुणता को ही साधारण  
 धर्म मानता हूँ अर्थात् 'जिस तरह प्रत्येकालिक अग्नि अरुण होती है, उसी तरह नयन-  
 क्रोप की कान्ति अरुण है' यही कवि का अभिप्राय है । ऐसी स्थिति में 'भस्म करने की  
 क्षमता रूप व्यङ्ग्य वाच्य-मिद्धि का अङ्ग नहीं होता अतः ध्वनि कहे जाने का हेतु होगा ।  
 इनके पर भी यदि आप कहें कि जब दोनों (भस्म करने की क्षमता और अरुणता) धर्म  
 साधारण हो सकने हैं, तब 'भस्म करने की क्षमता' को ही क्यों न साधारण धर्म माना  
 जाय ? तो मैं कहूँगा-मानिए उसी को साधारण धर्म, तथापि कोई क्षति नहीं । कारण,  
 यहाँ दो तरह की 'भस्म करने की क्षमता' है—एक उपमेय नयन-क्रोप-कान्तिगत, और  
 दूसरी, उस उपमेय से व्यङ्ग्य-क्रोपगत । उन दोनों में उपमेयगत उक्त धर्म भले ही  
 उपमामपादक होने के कारण वाच्य-मिद्धि का अङ्ग होवे पर व्यङ्ग्य-क्रोपगत वह धर्म  
 किसी का अङ्ग नहीं है, क्योंकि उपमासम्पादनङ्ग में उसकी उपस्थिति ही नहीं रहती,  
 अतः उस क्रोपगत-भस्मीकरणपटुत्व-रूप प्रधान व्यङ्ग्य के आधार पर इस पद्य को  
 ध्वनिकाव्य कहने में कोई बाधा नहीं होती ।

उदाहरणान्तरमाह—

निर्मिच्छं ज्ञानरूपात्मतिघनमुदरं चेपु गोत्रांगनेपु  
 द्राघिष्ठस्वर्णदण्डभ्रमभृतमनसो हन्त धित्सन्ति पादान् ।  
 \* यै संभिन्ने दलाप्रप्रचलहिनकरौ दाडिमीवीजवृद्ध्या  
 चञ्चूचाञ्चल्यनञ्चन्ति च शुक्रशिशवस्तैऽशवः पान्तु भानो ॥'

चं च सूर्यकिरणान् न्नाति—ज्ञानरूपाया तत्त्वताम् अतिघनम् निविडनम् उदरं  
 नयनमग, निर्भिच्छ विदार्य, गोत्रा भूमि, गतेषु प्राप्तेषु चेपु किरणेषु, द्राघिष्ठस्य अतिदीर्घस्य,  
 स्वर्णदण्डस्य सुव विचित्रदण्डस्य अनेन प्रान्त्या नून पूर्ण मनोऽन्तकरणेन जग तादृशा-

सन्त शुकशिशव शुकशावका, हन्त आश्चर्यम्, पादान् स्वचरणान् धित्सन्ति स्थापयितु-  
मिच्छन्ति । सघनपल्लवशालितरुविवरमार्गेण भुवमवतीर्णेषु सूर्यकिरणेषु तिर्यक् प्रसृतरवर्ण  
दण्डभ्रान्त्या तिर्यक्प्रसृतशाखासु स्थित्यभ्यासिन शुकशिशवश्चरणान् स्थापयितुमिच्छन्तीति  
भाव । किञ्च ( ते एव शुकशिशव ) यै किरणैः संभिन्ने मिश्रिते ( अत एवारुणवर्ण )  
दलाना पत्राणाम्, अत्रे पुरोभागे, यः प्रचलश्चपलो, हिमकण तरिमन्, दाडिमीवीजबुद्ध्या  
दाडिमफलबीजभ्रमेण, चञ्चूचाश्चल्यम् चञ्चुचपलताम्, अञ्चन्ति कुर्वन्ति, ते भानो सूर्यस्य,  
अशव. किरणा, पान्तु रक्षन्तु । अस्मान् युष्मान् वेति शेष । नागेशस्तु द्राघिष्ठेस्यस्य  
जनविशेषणत्वमास्थाय 'पादान् धित्सन्ती'त्यस्य सूर्यकिरणान् ग्रहीतुमिच्छन्तीति  
व्याचख्यौ । अत्र वाच्यो भ्रान्तिमदलकार ।

स्वतःसंभवी अलंकार से वस्तुध्वनि का एक दूसरा भी उदाहरण देते हैं—निर्भिद्य  
हृत्थादि । कवि सूर्य-किरणों की स्तुति करता है—तरुओं के अति घने मध्य-भाग को भेद  
कर जिनके भूतल पर आ जाने के बाद, शुकों के बच्चे विशाल-सुवर्ण-दण्ड के भ्रम से  
परिपूर्ण मनवाले होकर-अर्थात् 'ये सुवर्ण के दण्ड हैं' इस तरह के मानसिक भ्रम के  
कारण-पैर रखने लगते हैं, और ( वे शुक के बच्चे ही ) जिनसे मिश्रित पत्तों के अग्रभाग  
में स्थित चञ्चल हिमबिन्दुओं पर अनार के दाने समझ कर चोंच चलाने लगते हैं वे  
सूर्य-किरणों ( हमारी अथवा तुम्हारी ) रक्षा करें ।

उपपादयति—

अत्र भ्रान्तिभृतां तिरश्चामप्येवमानन्द जनयतीति जगदानन्दहेतुर्भगवानिति  
व्यज्यते । एवंरूपाया भ्रान्तेर्लोकैऽपि संभवात्स्वतःसंभवित्वम् ।

भ्रान्तिभृतामिति । भ्रान्तानामित्यर्थः । तिरश्चामपीति । अपिपदेन 'वा कथा मनुष्या-  
णाम्' इत्यर्थो द्योत्यते । अत्र वाच्येन भ्रान्तिमदलङ्कारेण 'तिरश्चामपीत्यादि मूलोक्त वस्तु  
व्यज्यते, एतादृशी भ्रान्तिर्लोकैऽपि संभवतीति तस्या स्वतःसंभवित्वं विज्ञेयम् । एवञ्च  
स्वतःसंभविनाऽलङ्कारेण वस्तुध्वनेरुदाहरणमेतदिति भावः ।

अब उक्त पद्य में प्रकृतोपयोगी विषयों का उपपादन करते हैं—अत्र हृत्थादि । यहाँ  
यह व्यङ्ग्य होता है कि जब भगवान् सूर्य भ्रान्त पक्षियों को भी इतना आनन्द देते हैं,  
तब वे ( सूर्य ) अवश्य ही संसार के सुखों के निदान हैं । इस तरह का भ्रम लोक में भी  
सम्भावित है—अर्थात् काव्यनिक नहीं है—अतः यह वाच्य 'भ्रान्तिमत्' अलंकार स्वतः  
संभवी है । सारांश यह कि भ्रान्तिमत् अलंकार से उक्त वस्तु की अभिव्यक्ति होने के  
कारण यह पद्य स्वतःसंभवी अलंकार से वस्तुध्वनि का उदाहरण होता है ।

स्वतःसंभविनाऽलङ्कारेणालङ्कारध्वनिमुदाहरति—

‘उदित मण्डलमिन्दो रुदित सद्यो वियोगिवर्गेण ।

मुदितं च सकलललनाचूडामणिशासनेन मदनेन ॥’

कविश्चन्द्रोदय वर्णयति—इन्दोश्चन्द्रमसो मण्डलम् गोलकम्, उदितम्—नभसि दृष्टि-  
गोचरमभवत् । उदितमित्यत्र कर्तरि क्तः । वियोगिनाम् वियोगिनश्च वियोगिन्यश्चेति 'पुमान्  
स्त्रिये'त्येकशेषः, तेषां वर्गेण समूहेन, सद्यः उदयसमकालमेवेति यावत्, रुदितम्, नपुंसके  
भावे क्तः । च पुनः सकलानां सर्वासां, ललनानां स्त्रीणाम्, चूडामणि शिरोधार्यमिति  
यावत्, शासन यस्य तेन, मदनेन कामदेवेन, मुदितम् मोदोऽनुभूत इत्यर्थः ।

अब स्वतःसंभवी अलंकार से अलंकार-ध्वनि का उदाहरण उपस्थित करते हैं—  
देत हृत्थादि । कवि चन्द्रोदय का वर्णन करता है—व्यों ही चन्द्रमण्डल का उदय हुआ,

स्योंही विरही और विरहिणियों का दल रो उठा तथा सभी कामिनियों पर शासन करने वाला कामदेव खिल उठा—उसने प्रसन्नता का अनुभव किया ।

उपपादयति—

अत्र समुच्चयेन क्रियायौगपद्यात्मना कार्यकारणपौर्वापर्यविपर्ययात्मिकातिशयोक्तिः ।

अत्र 'उदितम्' इति पद्ये । कार्यकारणेति । कार्यकारणयोर्त्पौर्वापर्यम्-पूर्वपथाद्भावस्तस्य विपर्ययो वैपरीत्यम् प्रकृते समकालीनत्वमिति यावत्, आन्मा स्वरूप यस्या सैत्यर्थः । अतिशयोक्तिरित्यस्य व्यज्यते इति शेषः । अत्र 'उदितम्', 'रदितम्', 'मुदितम्' इति द्विधात्रयस्य चाच्य यौगपद्यम् ( समकालीनत्वम् ) समुच्चयालङ्कारः, स्वतः सभवी, तेनेन्दुमण्डलोदयस्य कारणतया पूर्वभाविन, रोदननोदयोश्च कार्यतया पश्चाद्भाविनो नमकालिकत्वकथनात्मकोऽतिशयोक्त्यलङ्कारो ध्वन्यत इति स्वतः सभविनाऽलङ्कारेणालङ्कारध्वनिरत्र मन्पद्यते इति भावः ।

उपपादन करते हैं—अत्र इत्यादि । उक्त पद्य में 'उदित होना, रोना और मुदित होना' इन तीन क्रियाओं का एक साथ होना समुच्चयालङ्कार कहलाता है । जो स्वतः सम्भवी वाच्य है, उससे कार्य-कारण-पौर्वापर्य-विपर्ययरूप अतिशयोक्ति अलङ्कार व्यङ्ग्य होता है—अर्थात् यहाँ जो पदार्थ वर्णित है, उनमें चन्द्रोदय कारण है और रोना आदि कार्य, अतः चन्द्रोदय की प्रथमता और रोदन आदि की पश्चाद्भाविता निश्चित है, परन्तु यहाँ उन सबों के साथ-साथ होने का वर्णन किया गया है—यह एक प्रकार की अतिशयोक्ति है ।

एषु स्वतः संभवी व्यञ्जकः ।

व्यञ्जक इत्यत्र जात्यभिप्रायेणैकवचनम् । पूर्वोक्तेपूदाहरणेषु व्यञ्जका अर्था वहिरपि सम्भाव्यमानत्वात्स्वतः सभविन सन्तीति भावः ।

पूर्वोक्त उदाहरणों में व्यञ्जक अर्थ ऐसे हैं, जो बाह्य जगत् में भी हो सकते हैं अतः वे स्वतः सम्भवी ( व्यञ्जक ) कहे जाते हैं ।

कविप्रौढोक्तिसिद्धवस्तुना वस्तुध्वनिमुदाहरति—

'तदवधि कुशली पुराणशास्त्रस्मृतिशतचारुविचारजो विवेकः ।

यदवधि न पदं दधाति चित्ते हरिणकिशोरदृशो दृशोर्विलासः ॥'

कविर्विदुशति—पुराणानां शास्त्राणां स्मृतीनाञ्च शतस्य यश्चारु रमणीयो विचारस्तत्रान्यो विवेकः ससारपरमात्मनोर्भेदज्ञानम्, तदवधि तावत्कालपर्यन्तम्, कुशली अक्षुण्ण-स्तिष्ठतीति यावत् । यदवधि यावत्कालपर्यन्तम्, हरिणकिशोरस्य नृगशावकस्य, दृग्वि दृक् यस्यास्तस्या नृगनयनाया इति यावत्, दृशो नयनयो, विलासः कटाक्षोऽदि, चित्ते हृदये, पद चरण, न दधाति स्थापयतीत्यर्थः । रमणीकटाक्षोपहृतचेतन पुनो विवेको नश्यतीति भावः ।

अब कविप्रौढोक्तिसिद्ध वस्तु से वस्तु-ध्वनि का उदाहरण दिखलाते हैं—'तदवधि' इत्यादि । कवि कहता है—संकटों पुराणों, शास्त्रों तथा स्मृतियों के सुन्दर विचारों से उत्पन्न विवेक ( ससार और परब्रह्म में भेद-ज्ञान ) तभी तक सङ्कुशल-अक्षुण्ण रहता है, जब तक नृग-शावक-नयना नायिका के नयनों का विलास ( कटाक्ष आदि ) हृदय में स्थान ग्रहण नहीं करता ।

उपपादयति—

अत्र कामिनीदृग्विलासे चेतसि पदमर्पितवती विवेकस्य नास्ति कुशल-

मिति वस्तुना दृग्विलासकर्तृकपदार्पणस्य लोकसिद्धत्वाभावात्कविप्रौढोक्ति-  
निष्पन्नेन सुनिषण्णे तस्मिन् का कुशलचर्चा विवेकस्येति वस्तु व्यज्यते ।

सुनिषण्णे सुस्थिते । अत्र कामिनीदृग्विलासो यदा हृदये पद निघत्ते तदा विवेकस्य  
कुशलम् ( निष्प्रत्यूहा स्थिति ) नास्तीति वस्तु वाच्यम्, तच्च कविप्रौढोक्तिमात्रसिद्धम्,  
अचेतनदृग्विलासे पदार्पणकर्तृत्वस्य लोकेऽप्रसिद्धत्वात् । तथा च तादृशेन तेन वस्तुना  
'नायिकानयनविलासस्य हृदये पदार्पणमात्रे यदि विवेकनाशस्तीर्हि सुस्थिते तस्मिन् विवेक-  
सत्तायाश्चैव के'ति वस्तु व्यज्यमान सत् भवत्यस्य पद्यस्य ध्वनिव्यपदेशहेतुरिति भाव ।

उपपादन करते हैं—अत्र इत्यादि । 'कामिनी का नयन-विलास जब हृदय में पैर  
रखता है, तब विवेक का कुशल नहीं', यह जो वस्तु यहाँ वाच्य है, वह कवि-कल्पना-  
मात्र-प्रसूत है वास्तविक नहीं, क्योंकि अचेतन-नयन-विलास का हृदय में पैर रखना  
लोकरीति से असम्भव है । इस तरह कविप्रौढोक्तिसिद्ध उस अर्थ से यह वस्तु व्यक्त  
होती है कि—'जब नायिका-नयन-विलास के हृदय में पदार्पणमात्र से विवेक का  
अकुशल होने लगता है, तब उसके वहाँ सुस्थिर हो जाने पर विवेक की कुशल-चर्चा ही  
क्या की जा सकती है ?'

शिष्यबुद्धिवैशद्यायोदाहरणाभासमस्य प्रदर्श्य निरस्यति—

‘कस्मै हन्त फलाय सज्जन । गुणग्रामार्जने सज्जसि,  
स्वात्मोपस्करणाय चेन्मम वचः पथ्यं समाकर्णय ।  
ये भावा हृदय हरन्ति नितरां शोभाभरैः सम्भृता-  
स्तैरेवास्य कलेः कलेवरपुषो दैनंदिनं वर्तनम् ॥’

कवि कमपि पृच्छति—हे सज्जन ! कस्मै फलाय गुणग्रामार्जने गुणसमूहोपार्जने,  
सज्जसि तत्परोऽसि । हन्त इति खेदसूचकम् । स्वात्मोपस्करणाय स्वात्मान भूषयितुं, चेत  
यदि, गुणग्रामार्जने सज्जसीति शेषः, तदा पथ्य हितकरम्, मम मदीय, वच वचनम्,  
समाकर्णय शृणु । किं तत् श्रोतव्यमित्याह—ये भावा इति । शोभाभरै सौन्दर्यसमुद्भयै,  
सम्भृता परिपूर्णा, ये भावा पदार्था, नितरामत्यन्तम्, हृदयं मन, हरन्ति वशीकुर्वन्ति,  
तैरेव, गुणपदव्यपदेश्यै पदार्थै न तु कुरुपैरगुणैरित्यर्थः, कलेवरपुषः देहपोषकस्य,  
उदरभरेरिति यावत्, अस्य वर्तमानस्य, कले कलियुगस्य, दैनंदिनम् प्रात्यहिकम्, वर्तनम्  
वृत्ति, भवतीति शेष । हे सज्जन ! निजात्मोत्कृष्टतासम्पादनाय गुणगणवरणे तव प्रबला  
श्रुतिर्न केवल विफला, अपि तु अनिष्टकरी, यत दुष्टशिरोमणिरय कलि हृदयहारिणो गुणा-  
नेव जग्ध्वा स्वकीय वपु पुष्यति, अर्थात् कलियुगावताराणा दुर्जनानामाक्रमण गुणिनामेवो-  
परि प्रथम भवति अतोऽकाल एव प्रायो गुणिना मरण जायत इति भाव । नागेशस्त्वत्र  
'सज्जनगुणग्रामार्जने' इति समस्त पद मत्वा सज्जनाना गुणग्रामस्य अर्जने इति व्याख्या-  
मकार्षीत् ।

अब यहाँ एक ऐसा उदाहरण उपस्थित किया जाता है, जिसमें आपाततः कवि  
प्रौढोक्तिमिद्ध वस्तु से वस्तुध्वनि मालूम पड़ती है, पर वस्तुतः वह है नहीं—कस्मै  
इत्यादि । कवि किसी से पृच्छता है—हे सज्जन ! तू किस फल के लिये गुण-गण के उपार्जने  
में सलग्न हो रहा है—अर्थात् अन्य आवश्यक कार्यों से भी विमुख होकर रात-दिन गुण  
प्राप्ति के लिये ही जो तू तत्पर रहा करता है, वह किसलिये ? क्या इसलिये कि गुणों  
से आरामा शोभित होती है अर्थात् अपनी आत्मा को अलङ्कृत करने के लिये गुणों का  
र्जन करता है ? यदि यही बात हो तो मैं तेरे ही हित के लिये एक बात कहता हूँ,

उमे सुन । वह यह है कि जो वस्तुएँ शोभा-समूह से परिपूर्ण होने के कारण हृदय-हारिणी होती हैं—जिन वस्तुओं के दर्शन से मानव-मन सुख हो जाया करता है, उन्हीं वस्तुओं ने शरीर-शोषक—पेटू—इस कलियुग का दैनिक आहार सन्त्रु हुआ करता है । तात्पर्य यह हुआ कि आत्म-शोभा-बंधक गुणों के उपार्जन में किसी की प्रवृत्ति केवल व्यर्थ ही नहीं होती, अपि तु अनिष्टकारिणी भी होती है, क्योंकि यह दुष्टराज-कलियुग मनोरम गुणों को ही छात्राकर जीता है अर्थात् कलियुगावतार दुर्जनों का आक्रमण पहले गुणियों के ऊपर ही होता है, अतएव गुणियों का मरण प्रायः असमय में ही हुआ करता है, अत-हे मज्जन ! इस गुण-ग्रहण प्रवृत्ति को छोड़ दो । नागेश यहाँ 'सज्जन पद' को सन्बोधन नहीं मानते । वे 'मज्जन-गुण-आमार्जनै' इस पद को समस्त मानकर 'सज्जनों के गुण-गणों के उपार्जन में' ऐसा अर्थ करते हैं । वह अर्थ भी असंगत नहीं है ।

उपपादयति—

इह यद्यपि रमणीया. पदार्या कलेनित्यमदनीया इति वस्तुना प्रौढोक्तिसि-  
द्धेन मर्तु कामयसे चेद् गुणप्राप्तौ यतस्त्वेति वस्तु व्यज्यते. तथापि तस्य पर्यायो-  
क्षात्मनो वाच्यापेक्षया सुन्दरताविरहाद् गुणीभूतत्वमेव । अलकारा हि वाच्य-  
सौन्दर्यसारा प्रायश स्वान्तर्गतं प्रतीयमानं पृष्टतः कुर्वन्ति ।

'कलेन हन्त' इति पद्ये र्यर्णाया' पदार्या गुणपदव्यपदेशिन कलेनोञ्जा इति क्वि-  
प्रौढोक्तिनिद्ध वस्तु वाच्यम्, तदेव च 'मर्तु कामयसे चेद् गुणप्राप्तौ यतस्व' इत्याकारेण  
भन्धन्तरेण व्यङ्ग्यम्, अतस्तद्व्यङ्ग्य पर्यायोक्तालकारत्वम्, 'पर्यायोक्त विना वाच्यवाच-  
कत्वेन यद्भव' इति तद्व्यङ्ग्याद् । एवञ्च वाच्यत्वव्यङ्ग्यत्वोभयदशावत् एकत्वेन वस्तुन  
केन तपेणाधिकत्वमन्कारित्वन् इति विचारे द्विद्वारेण वाच्यत्वेनैवेति निर्दिष्टोऽनुभवनाभिष्टो  
जायते । यतो वाच्यायनौन्दर्यप्रधाना अलंकारा र्वमध्यपतित व्यङ्ग्य चमन्काराद्ये  
पश्चान्यद् कुर्वन्ति । तथा चात्र वर्तमानमपि व्यङ्ग्य गुणीभूतमेवेति गुणीभूतव्यङ्ग्यत्वेनैव व्य-  
वहारो दुक्तो न तु ध्वनिवैनेति भावः ।

उपपादन करते हैं—इह इत्यादि । उक्त पद्य में 'गुण कहे जानेवाले रम्य पदार्थ कलियुग  
के खाद्य है' यह कवि-प्रौढोक्तिसिद्ध वस्तु वाच्य है और वही वस्तु 'भारना चाहते हो तो  
गुणों की प्राप्ति के लिये यत्न करो' इस तरह की भिन्न भंगी में व्यंग्य भी है । अतः वह  
व्यंग्य 'पर्यायोक्त अलंकार' रूप हो जाता है, क्योंकि 'वाच्य-वाचकभाव से अन्य भंगी के  
द्वारा किए गए वस्तुवर्णन को ही 'पर्यायोक्त अलंकार' कहते हैं । ऐसी स्थिति में  
जब एक ही अर्थ वाच्य तथा व्यङ्ग्य दोनों रूपों में अवगत हो तब—उन दोनों में से  
किस रूप में वह अर्थ अधिक चमत्कारी है, यह विचार जब प्रस्तुत होगा, तब यही कहा  
जायगा कि वाच्यरूप में कारण, अलंकारों में वाच्यार्थक चमत्कार ही प्रधान रहता है,  
अतः वे (अलंकार) अपने मध्य में टपके हुए व्यंग्य के चमत्कार को प्रायः दबा देते हैं ।  
सारांश यह है कि यहाँ का व्यंग्य गुणीभूत है अतः उसके दल पर इन पद्य को गुणीभूत-  
व्यंग्य नामक मध्यम काव्य ही कहा जा सकता है ध्वनि नामक उत्तम काव्य नहीं ।

क्विप्रौढोक्तिनिद्धेन लंकारेण वस्तुध्वनेरगाररणाह—

शेवा के पूर्वदेवा समिति मन नर' नन्ति के वा पुरस्ता—

देवं जल्पन्ति तावत्प्रतिभटपृतनावतिन क्षत्रवीरा ।

यावन्नायाति राजन्नयनविपयनामन्तकत्रासिन्मूर्ते !

मुग्धारिप्राणदुग्धारानमन्त्रणरचित्स्वत्कृपाणो मुज्जह. ॥'

क्वि क्वापि राजान स्तांति—हे प्रन्तत्रासिन्मूर्ते' अन्तव्वद् चमत्कार, आभिर्नि

भयोत्पादिका मूर्ति' स्वरूप यस्य, तादृश, अथवा अन्तकस्यापि त्रासिनी मूर्तिर्यस्येत्यर्थः । राजन् ! प्रतिभट्टपृतनावर्तिन भवदीयशत्रुसेनास्थायिन, क्षत्रवीरा क्षत्रियवीरा, 'समिति युद्धे, मम, पुरस्तात् अग्रे, देवा सुरा, के, पूर्वदेवा असुरा के, नर' नृशब्दस्य जसन्त रूपम्, मनुष्या इत्यर्थः, च के सन्ति, देव-दानव-मानवा ममाग्रे तुच्छा इति भावः, एव पूर्वोक्तप्रकारेण, तावत् तावत्कालपर्यन्तम्, जल्पन्ति वदन्ति, यावत्, मुग्धानाम्— मोहग्रस्तानाम्, श्रीणा शत्रूणा, प्राणा एव दुग्धम् सुखपेयत्वात्, तस्य अशनेन भक्षणेन, मसृणा सिनग्धा, रुचि कान्ति यस्य स, त्वत्कृपाण भवदीयखड्ग, भुजङ्ग सर्प, व्यस्तरूपकमिदम्, नयनविषयताम् नेत्रगोचरताम्, न आयाति प्राप्नोति । पूर्वतो निजशौर्यकथा कुर्वन्तोऽपि शत्रुसैनिकवीरास्तवकरालकरवालमालोक्य सहसा मौनमालबन्त इति भावः ।

अब कविप्रौढोक्तिसिद्ध अलंकार से वस्तुध्वनि का उदाहरण कहते हैं—देवा इत्यादि । कवि किसी राजा की स्तुति करता है—हे यम के समान भयोत्पादक मूर्ति वाले राजन् ! आपके शत्रु की सेना में रहने वाले क्षत्रिय-वीर 'युद्ध में मेरे सामने देव तथा दानव कौन होते हैं और ये मानव तो नितान्त ही तुच्छ हैं' इस तरह की बहकी हुई बातें तभी तक बनाते हैं, जब तक मोहग्रस्त शत्रु के प्राणरूप दुग्ध के पीने से चिकनी कान्तिवाला आपका खड्ग-भुजङ्ग, उनकी आँखों के समक्ष उपस्थित नहीं होता । सारांश यह कि समरभूमि में पहले से अपनी वीरता की प्रशंसा करते हुए भी शत्रुपक्षीय वीरगण आपकी तलवार को देखकर सहसा चुपची साध लेते हैं ।

उपपादयति—

अत्र कविप्रौढोक्तिसिद्धेन रूपकेण त्वय्युद्यतकरवाले सति का परेषां जीवन-स्याशेति वस्तु व्यज्यते ।

वाच्येन कृपाणभुजङ्गयो रूपकालकारेण वस्तुतः कृपाणस्य भुजङ्गरूपताया असमवात् कविकल्पितेन, 'त्वय्युद्यते'त्यादिमूलोक्तवस्तुव्यञ्जनात् कविप्रौढोक्तिसिद्धालकारेण वस्तुध्वनेरुदाहरणमिदं पद्य सम्पद्यत इति भावः ।

उपपादन करते हैं—अत्र इत्यादि । उक्त पद्य में वस्तुतः कृपाण का भुजङ्गरूप नहीं हो सकने के कारण, कविकल्पित कृपाण तथा भुजङ्ग के वाच्यरूपक ( अलंकार ) से 'जब आप तलवार उठा लें तब शत्रुओं के जीने की क्या आशा है' यह वस्तु ध्वनित होती है ।

कविप्रौढोक्तिनिपन्नवस्तुनाऽऽलंकारध्वनेरुदाहरण दर्शयति—

'साहङ्कारसुरासुरावलिकराकृष्टभ्रमन्मन्दर-

क्षुभ्यत्क्षीरधिवल्गुवीचिवलयश्रीगर्वसर्वकषाः ।

तृष्णाताम्यदमन्दतापसकुलैः सानन्दमालोकिता

भूमीभूषण ! भूषयन्ति भुवनाभोग भवत्कीर्तयः ॥'

कवि कमपि राजानं स्तौति—हे भूमीभूषण धराशोभाकर ! अहकारेण गर्वेण, सहिता ये सुरा देवा असुरा दैत्याश्च तेषाम्, आवले' समूहस्य, करैः पाणिभि, कृष्टेन, अत एव भ्रमता मन्दरेण मन्दराचलेन, क्षुभ्यत क्षोभविशिष्टस्य, क्षीरधे समुद्रस्य, वीचिवलयस्य तरङ्गपरम्पराया, या श्री शोभा तस्या, गर्वस्य सर्वकषा. समूलनाशिका, तथा तृष्णया पिपासया, ताम्यता व्याकुलीभवताम्, अमन्दाना बहूनाम्, तापसानां तपस्विनाम्, कुलं समूहैः, सानन्दं तृपानिवृत्तिमाघनत्ववुद्विजन्यानन्दसहितं यथा स्यात्तथा

त्रियाविरोपनिवृत्तम्, आलोकितो दृष्टा, भवकीर्तिः भवदीपकशक्तिः, भुवनाभोग मन्तर-परिभर भूयन्ति अलङ्कुर्वन्तीत्यर्थः ।

अब कवि प्रौढोक्तिसिद्धवस्तु में अलंकारध्वनि का उदाहरण दिखलाते हैं—साहकार इत्यादि । कवि किसी राजा की स्तुति करता है—हे पृथिवीभूषण ! गर्वयुक्त देव-दानवों की पत्नी के हाथों से खींचे हुए अतपव धूमते हुए मन्तर पर्वत से उड़थ किए जा रहे दुग्ध-सागर के सुन्दर तरङ्ग-समूह की शोभा के गर्व को समूल नष्ट कर देनेवाली—अर्थात् उससे भी सुन्दर और तृष्णा से घबराए हुए अनेक तपस्वि-समूहों के द्वारा ( तृष्णा शान्ति का माधन समझकर ) महर्षि देखी गई आपकी कीर्तियों समस्त संसार को सुशोभित कर रही है ।

उपमाव्यति—

अत्र कीर्तेः सानन्दालोकनेन वस्तुना कविकल्पितेन दुग्धभ्रान्तिस्तापस-गता व्यस्यते ।

साहकारेति पद्ये वहि संभाव्यमानाविगदात् कविप्रौढोक्तिमिदम् तृणाऽऽहुरतापसमनु-वाच्यरूपेण तैस्त्वन्मानन्दालोकनात्मकं वस्तु वाच्यरूपेण वर्णितम् । तेन तान्मात्मनवेन-शौचधिरूपकदुग्धप्रमत्तं शान्तिमदलंकाररूपत्वं ध्वनेन कविप्रौढोक्तिमिदं वस्तुमूलक-लं-कारध्वनेन गहरणता प्रतिपद्यते प्रकृतपद्यमिति भावः ।

उपपादन करते हैं—अत्र इत्यादि । उक्त पद्य में तृणात्तर तपस्वियों के द्वारा कीर्ति का महर्षि अवलोकनरूप कविकल्पितवस्तु वाच्यरूप में वर्णित हुई है, जिसमें तपस्वियों के हृदय में होने वाली दुग्धभ्रान्ति ध्वनित होती है ।

शब्दे—

न च सानन्दालोकनस्यैव चालुपभ्रान्तिरूपतया व्यङ्ग्यव्यञ्जकयोरविवेको व्यङ्ग्यत्वानुपपत्तिश्चेति वाच्यम्

अविवेक इति । अनेक इत्यर्थः । व्यङ्ग्यत्वमभ्युपेक्षेयम्, वस्तुतत्पदं नैत्याह— व्यङ्ग्यत्वेति । तस्य वाच्यत्वादिति भावः । प्रकृते व्यङ्ग्यत्वेनाभिमतं तादात्म्यं दुग्धभ्रान्ति-दुग्धत्वमाववत्या कीर्ते दुग्धप्रकारकवाङ्मयज्ञानरूपैव पर्यवस्यति वाङ्मयज्ञानेन च सानन्दालोकनद्वारा व्यङ्ग्यत्वेनाभिमतः । तथा च वाङ्मयप्रमत्तैव व्यङ्ग्यम्, तस्यैव व्यङ्ग्यत्वमिदमिति, तद्य न दुग्धं व्यङ्ग्यव्यञ्जकयोर्नैतस्य मन्तरभ्रान्तिद्वारा व्यङ्ग्य-कस्य वाच्यत्वे तदभिहितं व्यङ्ग्यत्वेनाभिमतत्वापि वाच्यत्वेन व्यङ्ग्यत्वान्माववत्यागत् ।

इस प्रसंग पर एक शका की जाती है—न च इत्यादि । उक्त पद्य में तपस्वि-हृदय-गन जिस दुग्धभ्रान्ति को व्यङ्ग्यमाना जाता है, वह वस्तु दुग्ध में निरूप पदार्थ में दुग्धत्वप्रकारक वाङ्मयज्ञानरूप ही पर्यवसित होता है और वाङ्मय ज्ञानरूप महर्षि अवलोकन पदार्थ को ही व्यञ्जक भी कहा जाता है । इस स्थिति में वाङ्मय भ्रम ही व्यङ्ग्य तथा व्यञ्जक दोनों निरूप होता है, जो मनुष्य नहीं है । क्योंकि सभी शक्तों में व्यङ्ग्य और व्यञ्जक को निरूप—शे—वस्तु माना गया है । दूसरी बात यह कि वाच्य व्यञ्जक में बनिष्ठ व्यङ्ग्य भी वाच्य ही हो गया अतः वह व्यङ्ग्य हो भी नहीं सकता ।

अन्वय—

वस्तुन एकत्वेऽपि कीर्तिरूपविशेष्यामृत्तिदुग्धत्वप्रकारकत्वान्माववत्यात्वेन सानन्दालोकनत्वेन च व्यङ्ग्यव्यञ्जकविवेकस्य व्यङ्ग्यत्वान्माववत्यात्वेन वाच्य-ताया अभावान् व्यङ्ग्यत्वस्य चोपपत्तेः ।

उत्तरोक्त्या यद्यपि व्यङ्ग्य व्यञ्जक वाङ्मयानविवेकत्वमेव वस्तु तदपि तयोर्भेदो



विद्यते, भ्रमात्मकज्ञाने विशेष्यभूता या कीर्ति' तत्राविद्यमानं यद्गुणत्वम्, तत्प्रकारकज्ञानत्व रूपभ्रमत्वेन रूपेण चाक्षुषज्ञानविशेषस्य व्यङ्ग्यत्वात् । सानन्दावलोकनत्वेन रूपेण च तस्य व्यञ्जकत्वात् । वाच्यव्यङ्ग्ययोरैक्येऽपि वाच्यतावच्छेदकव्यङ्ग्यतावच्छेदकयोर्भेदेन उक्तभ्रमस्य व्यङ्ग्यत्वमप्युपपन्नमेव । कीर्तिरूपविशेष्यावृत्तिदुग्धत्वप्रकारकभ्रान्तिवसानन्दावलोकनत्वयो क्रमशो व्यङ्ग्यतावच्छेदकवाच्यतावच्छेदकयोर्भेद स्पष्ट एव । एकस्यापि वस्तुनो भिन्नरूपेण वाच्यत्वव्यङ्ग्यत्वयोर्न विरोध इति भाव ।

उक्त शका का उत्तर दिया जाता है—वस्तुन इत्यादि । यद्यपि उक्त रीति से व्यङ्ग्य तथा व्यञ्जक दोनों ही चाक्षुषज्ञानरूप एक वस्तु सिद्ध होते हैं, तथापि उन दोनों ( व्यङ्ग्य तथा व्यञ्जक ) में भेद है—कीर्ति को दूध समझना ही तो भ्रम है, अतः उस भ्रम में विशेष्य है कीर्ति और प्रकार है दुग्धत्व । इस तरह से व्यङ्ग्य चाक्षुषभ्रम का आकार होता है 'कीर्ति को दूध समझना' । और व्यञ्जक चाक्षुषज्ञान का आकार होता है 'कीर्ति को सहर्ष देखना' । अब देखिए कि इन दोनों में भेद है अथवा नहीं ? आपको भी कहना पड़ेगा कि 'है' । अब रही दूसरी बात वह यह कि वाच्य, व्यङ्ग्य कैसे हो सकता है ? उसका उत्तर यह है कि एक भी पदार्थ अवच्छेदक-भेद से वाच्य और व्यङ्ग्य हो सकता है अर्थात् जिस रूप में वाच्य होता हो, उससे भिन्नरूप में वही पदार्थ व्यङ्ग्य भी हो सकता है, अतः यहाँ चाक्षुषज्ञानरूप एक पदार्थ भी रूपभेद से वाच्य तथा व्यङ्ग्य होता है अर्थात् वाच्य होता है 'सहर्ष अवलोकन' के रूप में और व्यङ्ग्य होता है 'दूध समझने' के रूप में ।

उक्तार्थे प्राचा सम्मतिं दर्शयति—

तथा चाहुः—'यदेवोच्यते तदेव व्यङ्ग्यम्, यथा तु व्यङ्ग्यं न तथोच्यते' इति ।

आहुरिति । मम्मटभट्टा इति शेष । यदेवेति । यद्वस्तु उच्यते वाच्यवृत्त्या वर्ण्यते, तदेव वस्तु व्यङ्ग्यमपि, परन्तु यथा येन प्रकारेण, व्यञ्जनावृत्तिगम्यत्वम्, तथा तेन प्रकारेण न उच्यते अभिधावृत्तिबोध्यत्वनेत्यर्थ । पर्यायोक्तालकारनिरूपणो मम्मटभट्टस्य काव्यप्रकाशग्रन्थगतेयुः पक्ति । रूपभेदे एकस्यापि वस्तुनो वाच्यता व्यङ्ग्यता च सम्भवतीति तदर्थः ।

उक्त अर्थ में प्राचीनों की सम्मति दिखलाई जाती है—तथा चाहुः इत्यादि । मम्मट ने काव्यप्रकाश के अलंकार प्रकरण में पर्यायोक्त-अलंकार-निरूपण के प्रसङ्ग पर 'यदेवोच्यते' इत्यादि पङ्क्ति लिखी है, जिसका अभिप्राय यह है कि—'जो कहा जाता है—जो वाच्य है—वही व्यङ्ग्य है—वस्तुतः दोनों एक हैं, तथापि जिस रूप में व्यङ्ग्य है उस रूप में वाच्य नहीं है ।' तात्पर्य यह कि कहने की शैली जब बदल दी जाती है, तब एक भी वस्तु दूसरी हो जाती है, अतः रूपभेद हो जाने पर एक ही वस्तु वाच्य और व्यङ्ग्य दोनों हो सकती है, इस सिद्धान्त का समर्थन मम्मट ने भी किया है ।

कविप्रौढोक्तिसिद्धान्तकारेणालंकारध्वनिमुदाहरति—

'दयिते रदनत्विषां मिषादयि, तेऽमी विलसन्ति केसराः ।

अपि चालकवेषधारिणो मकरन्दस्पृह्यालवोऽल्यः ॥'

नायको नायिका वक्ति—अयि दयिते प्रिये ! ते तव, रदनत्विषा दन्तकान्डीनाम्, मिपात् व्याजात्, अमी प्रत्यक्षदृश्यमाना, केसरा किंजल्का, विलसन्ति विशेषेण शोभन्ते । अपि च अलकवेषधारिण केशस्वरूपतामापन्ना, इमे, मकरन्दस्पृह्यालव परागलोभिन, अल्य भ्रमरा', विलसन्तीत्यर्थ । नैता रदनकान्तय किन्तु केसरा, एव नैते अलका' एतन्तु भ्रमरा इति भाव ।

अथ कविप्रौढोक्तिमिदं अलङ्कारमे अलङ्कारध्वनि का उदाहरण देते हैं—दयिते इत्यादि । नायक नायिका ने कहता है—हे प्रिये ! तेरे दशन-किरण-न्याज से ये केसर शोभित हो रहे हैं और कच-कलाप का वेप धारण किए हुए ये पराग के लोभी भ्रमर हैं ।

उपपादयति—

अत्र पूर्वोत्तरार्धवतिनीभ्यामपह्नुतिभ्यां न त्वं नारी किं तु नलिनीति तृतीया-पह्नुतिर्व्यज्यते ।

‘दयिते’ इति श्लोके द्वावगहुन्व्यल्कारौ वाच्यौ, तयोरेकं रदनत्विट्त्पमुपमेय निषिध्य केशररूपोपमानत्वापनत्वं । द्वितीयश्चालङ्कारपमुपमेय निषिध्यालितपोपमानत्वापनत्वं । ताभ्यां नारीत्पोपमेयनिषेधेन कमलिनीत्पोपमानत्वापनत्वायास्तृतीयापह्नुतेर्ध्वननान् अलङ्कारेणालङ्कारध्वनेरुदाहरणमिदं भवतीति भावः ।

उपपादन करते हैं—अत्र इत्यादि । उक्त पद्य में दशन-किरणरूप उपमेय का निषेध करके केसररूप उपमान का स्थापनस्वरूप एक और कच-कलापरूप उपमेय का निषेध करके भ्रमररूप उपमान का स्थापनस्वरूप द्वितीय अपह्नुति अलङ्कार वाच्य है । उन दोनों अपह्नुति अलङ्कारों से नारीरूप उपमेय का निषेध करके कमलिनीरूप उपमान का स्थापनस्वरूप तृतीय अपह्नुति अलङ्कार ध्वनित होता है अर्थात् ‘ये दन्तों की किरणों नहीं अपि तु केशर हैं, और ये केश नहीं अपि तु भ्रमर हैं’ इन वर्णनों से यह अभिव्यक्त होता है कि यह नारी नहीं, अपि तु नलिनी है ।

एषु प्रौढोक्तिनिष्पन्नो व्यञ्जकः ।

पूर्वोक्तेषु उदाहरणेषु व्यञ्जकत्वेनाभिप्रेतो वाच्यार्थः वहिःसभाव्यमानताविरहेण कवि-कल्पित इति भावः ।

उक्त उदाहरणों में व्यञ्जक अर्थ प्रौढोक्तिमिदं हैं अर्थात् उक्त उदाहरण पद्यों के वाच्य अर्थ ऐसे हैं, जो वाह्यजगत् में सभावित नहीं है, बत कवि-कल्पित हैं ।

स्वल्पभेदेन ध्वनेः शब्दशक्त्यर्थशक्तिमूलकत्वव्यपदेशदोषोपनिषन्व्यति—

यद्यपि शब्दशक्तिमूलकत्वमर्थशक्तिमूलकत्वं चेत्युभयमपि सकलव्यङ्ग्य-साधारणम् । शब्दार्थयोरनुसन्धानं विना व्यङ्ग्यस्यैवानुल्लासान् । तथापि परिवृत्तसहिष्णूनां शब्दानां प्राचुर्यं तत्प्रयुक्तप्राधान्यात्सत्या अप्यर्थशक्तेरप्राधान्याच्च व्यङ्ग्यस्य शब्दशक्तिमूलकत्वेनैव व्यपदेशः । परिवृत्तिसहिष्णूनां तु प्राचुर्येऽर्थ-शक्तेरेव प्राधान्यात्सत्या अपि शब्दशक्तेः प्रधानानुगुण्यार्थतया मल्लप्रामादिवत्प्रधानेनैव व्यपदेशः ।

अनुसन्धानं ज्ञानम् । अनुल्लासादिति । अन्निव्यन्नेरित्यर्थः । नन्या इति वर्तमानाया इत्यर्थः । एवमप्येवमपि । प्रधानानुगुण्यार्थतयेति । प्रधानस्य यदानुगुण्यमात्कृत्य तदर्थतया तन्मन्पादकतयेत्यर्थः, प्रधानोपकारणतयेति चावत् । सर्वत्र ध्वनिकाव्यम्यले व्यङ्ग्यप्रतिपत्त्यर्थं शब्दस्यार्थस्य च ज्ञानमावश्यकम्, अन्यथा व्यङ्ग्यप्रतिपत्तिरेव न स्यात्, शब्दार्थयोरेकस्यापि व्यङ्ग्यत्वेऽपरस्य न्यूनतः नहायकत्वात्, अतः शब्दशक्तिमूलकत्वमर्थशक्तिमूलकत्वमन्वेष्टव्यमित्येषु तिष्ठत्येव, एवञ्च कश्चिन् व्यङ्ग्ये शब्दशक्तिमूलकत्वव्यपदेशं क्वचिन्वाप्य-गाम्निमूलकत्वव्यपदेशं क्वचिन्वाप्येति चेदित्यं दोषप्रस-व्यङ्ग्यार्थप्रधानेषु शब्देषु विविधा शब्दा-न्वितानि, जेचन परिवृत्तनहा येया परिवर्तने व्यङ्ग्यप्रतीतिर्भवति, केचन पुनः परिवृत्तिसहा येया परिवर्तनेऽपि व्यङ्ग्यप्रतीतिर्भवत्येव । तयोः परिवृत्तिसहिष्णूनां शब्दानामादिशब्दं यत्र तिष्ठति, तत्र शब्दशक्तेः प्राधान्यम् अर्थशक्तेः वर्तमानाया अपि नायकत्वमावश्यम्,

एव यत्र परिवृत्तिसहिष्णुनामेव शब्दानामाधिक्यम्, तत्रार्थशक्तेरेव प्रधानता शब्दशक्ते विद्यमानाया अपि प्रधानोपकारकतैव । तथा च 'प्रधानेन व्यपदेशा भवन्ति मल्लग्रामादिव इति रीत्या प्रथमस्थलीयध्वनौ शब्दशक्तिमूलकत्वव्यपदेश, द्वितीयस्थलीयध्वनौ चार्थशक्तिमूलकत्वव्यपदेश इति भाव ।

ध्वनि कहीं शब्द-शक्तिमूलक कही जाती है और कहीं अर्थशक्तिमूलक, क्यों इसका बीज अब दिखलाया जाता है—यद्यपि इत्यादि । ध्वनिकाव्य के स्थल में सर्वत्र व्यङ्ग्य अर्थ की प्रतीति के लिये पहले शब्द तथा वाच्य अर्थ का ज्ञान होना आवश्यक है, अन्य व्यङ्ग्य अर्थ का ज्ञान ही नहीं सकता, क्योंकि शब्द और अर्थ इन दोनों में से एक व्यञ्जक होने पर भी दूसरा नियमतः सहायकरूप में अपेक्षित रहता है, अतः शब्द-शक्तिमूलकता और अर्थशक्तिमूलकता ये दोनों ही सब व्यङ्ग्यों में यद्यपि साधारण रूप रहती हैं, तथापि जहाँ ऐसे शब्दों की बहुलता हो जिनका परिवर्तन न किया जा सके अर्थात् जिन्हें बदल देने पर व्यङ्ग्य की प्रतीति न हो सके, वहाँ शब्द-शक्ति की प्रधान-समझी जाती है और अर्थशक्ति ( रहने पर भी ) की गौणता मानी जाती है, अतः वैसे स्थल के व्यङ्ग्यों को शब्दशक्तिमूलक ही कहा जाता है । परन्तु जहाँ ऐसे शब्दों की अधिकता हो जिनका परिवर्तन किया जा सके अर्थात् जिनके बदले में पर्यायवाची अर्थ शब्दों का निवेश करने पर भी व्यङ्ग्य की प्रतीति हो सके, वहाँ अर्थशक्ति की मुख्यता मानी जाती है और शब्दशक्ति रह कर भी अर्थ-शक्ति की सहायिका ही रहती है, अतः वैसे स्थल के व्यङ्ग्यों को अर्थशक्तिमूलक ही कहा जाता है । जैसे किसी ग्राम में माँ ( पहलवानों ) की अधिकता रहने पर उस ग्राम को मल्लग्राम कहा जाता है, पर उसमें यह अर्थ नहीं होता कि उस ग्राम में पहलवान के अतिरिक्त लोग रहते ही नहीं । बस वही रीति यहाँ भी समझनी चाहिए । सारांश यह निकलता है कि परिवर्तित न होने योग्य शब्दों की अधिकता में शब्दशक्तिमूलक और परिवर्तित होने योग्य शब्दों की अधिकता में अर्थशक्तिमूलक, व्यङ्ग्य का व्यवहार होता है ।

ध्वने शब्दार्थोभयशक्तिमूलकत्वव्यवहारे कारणं प्रदर्शयति—

यत्र तु काव्ये परिवृत्तिं सहमानानामसहमानानां च शब्दानां नैकजातीय-प्राचुर्यम्, अपि तु साम्यमेव, तत्र शब्दार्थोभयशक्तिमूलकस्य व्यङ्ग्यस्य स्थितिरिति द्व्युत्थो ध्वनिः ।

शब्दानामिति । निर्धारणे षष्ठी । तादृशशब्दाना मध्ये इति तात्पर्यार्थः । यस्मिन् काव्ये परिवृत्तिसहा परिवृत्तिसहाश्व शब्दा समसख्या एव, नैकजातीया अधिकास्तस्मिन् काव्ये व्यङ्ग्यस्य शब्दार्थोभयशक्तिमूलकत्वेन द्व्युत्थध्वनित्वव्यवहार प्रवर्तत इति भाव ।

अब जो कहीं-कहीं शब्दार्थोभयशक्तिमूलक ध्वनि कही जाती है, वह क्यों ? इसका कारण वतलाते हैं—यत्र तु इत्यादि । जिस काव्य में परिवर्तित होने योग्य और परिवर्तित न होने योग्य दोनों प्रकार के शब्द समान मात्रा में ही हों—किसी एक तरह के शब्दों की अधिकता न हो, तो वैसे काव्य में होने वाले व्यङ्ग्यों का मूल, शब्द और अर्थ दोनों की शक्तियाँ होती हैं, अतः उन व्यङ्ग्यों को द्व्युत्थ अर्थात् शब्दार्थोभयशक्तिमूलक कहा जाता है ।

द्व्युत्थध्वनेरन्यत्रगतार्थतामाशक्य निरस्यति—

न चाय शब्दशक्तिमूलकतयैवार्थशक्तिमूलकतयैव वा व्यपदेशुं शक्यः, विनिगमकाभावात् । नापि शब्दशक्तिमूलकार्थशक्तिमूलकयोः संकरेण गतार्थयितुम्, व्यङ्ग्यभेद एव संकरस्येष्टेः । इह तु व्यङ्ग्यस्यैक्येन तस्यानुत्थानात् ।

अयं शब्दार्थोभयशक्तिमूलकतया व्यपदिष्टो ध्वनि शब्दशक्तिमूलकतया अर्थशक्तिमूल-

प्रिया वा पुत्रो न व्यपदिश्यते इत्युक्तिर्न सम्भवति, तयोरेकत्रव्यपदेशनिदानिकाया युक्तौ-  
भावात् । ननु विनिगनकामावे द्वयोः नकर एवाश्रयता किं न्वन्तमेदकल्पनदेत्यपि न  
नर्माचीन्म, गवदशक्त्या एकोऽर्पशक्त्या च कश्चिदपरो व्यङ्ग्यो यत्र प्रतीयते, तत्रैव ध्वनि-  
नकरत्वेष्टत्वात् । अत्र व्यङ्ग्यस्य शब्दायोन्यगच्छिमूलत्वैक्येन तस्याप्रसंगादिति भावः ।

एक शक्ता—न च इत्यादि । पूर्वोक्त प्रकार का कर्थात् उभय-शक्तिमूलक व्यङ्ग्य न  
शब्द शब्दशक्तिमूलक कहा जा सकता है और न केवल कर्थाशक्तिमूलक, क्योंकि जहाँ  
शोनों ( शब्द और कर्था ) की शक्ति समानरूप से काम करती हो, वहाँ किसी एक ही  
शक्ति को मूल मान कर तदनुकूल व्यवहार करने में युक्ति नहीं है । यह भी वाप नहीं  
कह सकते कि ऐसे व्यङ्ग्यों को शब्दशक्तिमूलक और कर्थाशक्तिमूलक व्यङ्ग्यों का सकर-  
स्वरूप मान लिया जाय, क्योंकि जहाँ दोनों शक्तियों से निर-निर व्यङ्ग्य अभिव्यक्त  
होते हैं वहाँ संकर माना जाता है । यहाँ तो दोनों शक्तियों से एक ही व्यङ्ग्य ज्ञात होता  
है, अतः सकर का यहाँ प्रसंग नहीं है ।

उदाहरणम्—

दृष्टुष्यध्वनेरिति भावः ।

अथ उभयशक्त्युद्भव—ध्वनि का उदाहरण देजिए ।

अथ पराश्रयति—

‘रम्यहासा रसोल्लासारसिकालिनिषेविता  
सर्वाङ्गशोभासंभारा पद्मिनी कस्य न प्रिया ॥’

रम्य’ सुन्दर, हास हास्य विक्रान्तो वा यस्या सा, रम्यश्चरन् नकरन्दस्य  
वा उल्लास अभिवृद्धिर्यस्या सा, रमिमान रसज्ञान जनानाम्, आलिनिः ममूहैः रमिर्नै-  
रलिभिर्नरैर्वा निषेविता समाश्रिता, तथा सर्वेषु अङ्गेषु शोभाया सभारो नमूहो यस्या सा  
पद्मिनी विशिष्टलक्षणलक्षिता नयिका कमलिनी वा, मन्द सहृदयस्य, प्रिया प्रीतियात्र न  
भवतीति शेषः । तादृशा क्रान्तिनी कमलिनी च नर्वजनप्रियेति भावः । अत्र कमलिनीक्रान्ति-  
न्योत्पन्नानोपनेदभावो व्यङ्ग्यः, न च शब्दायोन्यगच्छिमूलः, हास-रसालिनिपद्मिनीगवदान्  
परिच्यन्तत्वात्, नकरान्तराया तन्महत्वात् ।

कवि रूपने मन में सोचता है—जिसका ‘हास’ ( हँसी, अन्यत्र विज्ञास ) सुन्दर है,  
जिसमें ‘रस’ ( शृङ्गार, अन्यत्र पराग ) भरा है, जो ‘रसिकालि’ ( रमिक जनो की पति,  
अन्यत्र रसिक भ्रमर ) में सेवित है और जिसके सब अङ्ग शोभात्मय हैं, वह ‘पद्मिनी’  
( एक विशिष्ट लक्षणवाली नायिका, अन्यत्र कमलिनी ) किसे प्रिय नहीं कर्थात् नर्व-  
प्रिय होती है ।

दृष्टुष्यध्वनिर्वन्धिविरोधमाह—

अथ च वाक्यमात्रे । पदसमूहश्च वाक्यम् । तेनास्य नानार्थानानार्थघटित-  
समासविषयत्वेऽपि न विरोधः । न तु शुद्धैकपदे. तस्मिन्नानार्थानानार्थयो-  
रसमावेशान् ।

तेनैकैः । पदसमूहान्मकवाक्यनिष्ठत्वेनेत्यर्थः । अन्य दृष्टुष्यध्वने । न विरोध इति ।  
तन्वाक्यगतपरदान्यादाय पदसमूहत्वादिनि भावः । मात्रपदव्यवर्तमाह—न इति ।  
अथ गवदायोन्यगच्छिमूलो ध्वनि वाक्य एव भवति, अनेकार्थकैः शब्दकैः नञविभक्त्यव्यपदि-  
त्स्य दृष्टुष्यध्वनिचरयोऽकल्प्य तत्रैव नमत्वात् । नन्वेवं नमन्ते पदे दृष्टुष्यध्वनेः नमनो न  
भवेदिति चेत् तस्य नमनपदस्यानेकपदकयक्यव्यपदितत्वे तत्र तन्मन्वे विरोधान्-

वात् । न च पदस्य वाक्यत्व कथमिति वाच्यम् , पदसमूहस्यैव वाक्यत्वेनावान्तरपदा-  
दाय समस्तपदस्य वाक्यत्वात् । एवञ्चासमस्ते एकस्मिन् पदे द्व्युत्थो ध्वनिर्न समस्त  
फलितम् , तत्रानेकार्थकैकार्थकद्विविधशब्दयो समावेशासम्भवादित्यभिप्राय ।

उभयशक्त्युद्भव-ध्वनि के सबन्ध में कुछ विशिष्ट बातें कही जा रही हैं—अ-  
इत्यादि । यह शब्दार्थोभयशक्तिमूलक ध्वनि केवल वाक्य में होती है, क्योंकि एक  
और अनेकार्थक दोनों तरह के शब्दों का रहना—जो उभयशक्तिमूलक ध्वनि का हेतु  
वाक्य में ही सम्भव है । ऐसी स्थिति में यह ध्वनि समस्त पद में नहीं हो सकेगी यह  
नहीं उपस्थित किया जा सकता, क्योंकि पदसमूह का ही नाम वाक्य होता है  
अवान्तर पदों को लेकर समस्त एक पद भी वाक्य कहा जा सकता है अर्थात् समस्त  
पद भी यदि एकार्थक और अनेकार्थक पदों से युक्त हो, तो उसमें भी यह ध्वनि हो स-  
कती है—इससे उभयशक्तिमूलक ध्वनि को वाक्यमात्रगत मानने में कोई विरोध नहीं हो  
सकता, शुद्ध ( असमस्त ) एक पद में यह ध्वनि नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें एक  
और अनेकार्थक दोनों तरह के शब्दों का समावेश असम्भव है ।

द्व्युत्थध्वनिसबन्धिमतान्तरमाह—

अन्ये तु—‘अर्थशक्तिमूलकत्वव्यपदेशो नानार्थप्रकाशकशब्दशक्त्युल्लास-  
सामान्यशून्यत्वं तन्त्रम् , विषयप्राचुर्यात् । शब्दशक्तिमूलकत्वव्यपदेशो तु न  
शक्त्युल्लास्यत्वसामान्यशून्यत्वं तथा, विषयदौर्लभ्यापत्तेः । न हि नानार्थशब्द-  
त्रघटितं पद्यं प्रचुरविषयम् , अतः शब्दशक्तिमूलकत्वेनैवायं शक्यव्यपदेशो ष-  
इत्यप्याहुः ।

उल्लास्यत्वेति । जन्यत्वेत्यर्थः । सामान्यशून्यत्वमिति । सामान्याभाव इत्य-  
तन्त्र नियामकम् , कारणमिति यावत् । अत इति । शब्दशक्तिमूलकत्वव्यपदेशोऽर्थश-  
क्तास्यत्वसामान्यशून्यत्वस्यातन्त्रत्वादेवेत्यर्थः । अयमिति । द्व्युत्थो ध्वनिरित्यर्थः ।  
व्यङ्ग्यार्थोपस्थापका अनेकार्थका शब्दा सर्वथा न स्युस्तत्रैवार्थशक्तिमूलकध्वनिव्यव-  
स्तथाचार्यशक्तिमूलकध्वनित्वव्यवहारे नानार्थकशब्दशक्त्युल्लास्यत्वसामान्याभावो हेतु-  
ईदृशानि बहूनि अर्थशक्त्युद्भवव्यङ्ग्यप्रधानानि काव्यानि मिलेर्युत्रैकस्यापि नानार्थकशब्द-  
प्रयोगो न भवेत् । शब्दशक्तिमूलकध्वनित्वव्यवहारे तु अर्थशक्त्युल्लास्यत्वसामान्याभावो  
हेतुः । अर्थात् तत्रैव शब्दशक्तिमूलकध्वनित्वव्यपदेशो भवेत् यत्र काव्ये सर्वाणि प-  
नानार्थोपस्थापकान्येव स्युः, एकमपि पदमेकार्थक न भवेदिति नाङ्गीकर्तुं शक्यम्  
व्यङ्ग्यार्थोपस्थापककेवलानेकार्थकशब्दघटितकाव्यस्यात्यल्पमुपलब्धे । तथा च शब्दश-  
क्तिमूलकध्वनिकाव्ये अनेकार्थका एकार्थकाश्चोभयविधा शब्दा भवेयुरिति सिद्धम् । ए-  
‘रम्यहासा’ इत्यादि शब्दार्थोभयशक्तिमूलकत्वेनाभिमत काव्य शब्दशक्तिमूलकत्वेनैव  
हेतुं शक्यमिति पृथक् तस्य गणना मुधेति साराशः । ‘अन्ये तु’ इत्यनेनात्रारुचि सूनि-  
तद्वीजस्रैतत्-यत् प्राचीनोक्तरीत्या तृतीयभेदसम्भवे तत्त्यागे कारणाभावः । कुत्रापि  
लक्ष्याल्पता तद्भेदपरित्यागाय नालम् , अपि तु लक्ष्यासम्भव इति तत्त्वम् ।

अव उभयशक्तिमूलकध्वनि के विषय में मतान्तर का उल्लेख करते हैं—अन्ये इत्य-  
जहाँ व्यङ्ग्य अर्थ को उपस्थित करने वाले शब्दों में एक भी अनेकार्थक न हो, वहीं  
शक्तिमूलक ध्वनि का व्यवहार होता है, अतः यह सिद्ध होता है कि अर्थशक्ति-  
ध्वनि के व्यवहार में व्यङ्ग्य का अनेकार्थक शब्द की शक्ति से सर्वथा आविर्भूत न  
रहना कारण है । और इस तरह का कार्य-कारण-भाव इसलिये मान्य हो सकता है  
ऐसे बहुतेरे अर्थशक्तिमूलक ध्वनिकाव्य मिल सकते हैं, जहाँ एक भी शब्द अनेक



साध्यवसाना, तथा जहत्स्वार्था अजहत्स्वार्था च। तासु आद्याश्चत्वारो भेदा क्रमशो रूप-  
तिशयोक्तिहेत्वलकाररूपे परिणमन्ते। फलतो जहत्स्वार्था अजहत्स्वार्थेति द्वावेव भेद-  
ध्वन्याधारता प्रतिपद्येते इति लक्षणामूलौ द्वौ ध्वनिकाव्यस्य प्रभेदौ सम्पद्येते इति भावः।

अब लक्षणामूलध्वनि के निरूपण का प्रारम्भ किया जाता है—तत्र इत्यादि। लक्षण  
(जिसका लक्षण आगे कहा जायगा) के दो भेद होते हैं—एक रुढिमूलक और दूसरा प्रयोजन  
मूलक। उन दोनों में रुढिमूलक लक्षणा का व्यङ्ग्य से कोई संबन्ध ही नहीं रहता, अतः  
यहाँ ध्वनि के प्रसङ्ग में प्रयोजनमूलक लक्षणा की ही चर्चा की जाती है। प्रयोजनमूलक  
लक्षणा छः प्रकार की होती है—गौणी सारोपा, गौणी साध्यवसाना, शुद्धा सारोपा, शुद्ध  
साध्यवसाना तथा जहत्स्वार्था और अजहत्स्वार्था। इन छहों प्रकारों में आदि के पा  
प्रकार रूपक, अतिशयोक्ति, हेतु आदि अलंकारों के रूप में परिणत हो जाते हैं—अर्थात्  
उन सब भेदों में व्यङ्ग्य की प्रधानता नहीं रहती है। फलतः जहत्स्वार्था और अजहत्-  
स्वार्था ये दोनों भेद ध्वनि के आधार होते हैं—अर्थात् इन दोनों भेदों में व्यङ्ग्य अर्थ  
प्रधानता रहती है, अतः लक्षणामूलक ध्वनि-काव्य के दो भेद सम्पन्न होते हैं।

जहत्स्वार्थामूल ध्वनिमुदाहृतं प्रतिजानीते—

तयोर्जहत्स्वार्थामूलो यथा—

लक्षणामूलयोर्द्वयोर्ध्वन्योर्मध्ये जहत्स्वार्थामूलध्वनेरुदाहरण नीचैर्निर्दिष्टं बोध्यमिति भाव-  
उन दोनों में जहत्स्वार्था-मूलक ध्वनि का उदाहरण नीचे दिखलाया जाता है—

‘कृतं त्वयोन्नतं कृत्यमर्जितं चामलं यशः।

यावज्जीवं सखे ! तुभ्यं दास्यामो विपुलाशिषः ॥’

हे सखे ! त्वया उन्नतं महत् प्रशसनीयमिति यावत् कृत्य कार्यम्, कृत विहितम्।  
पुन अमल निर्मलम्, यश कीर्ति, अर्जित प्राप्तम्। ( वय ) यावज्जीव जीवनपर्यन्त  
विपुलाशिष बहून् आशीर्वादान्, तुभ्यं दास्याम वितरिष्याम इत्यर्थः।

हे सखे ! तूने बहुत प्रशंसनीय कार्य किया है और विमल यश प्राप्त किया है।  
जब तक जीते रहेंगे तब तक तुझे भूरि-भूरि आशीर्वाद देंगे।

उपपादयति—

इयं कस्यचिदपकारिणं प्रत्युक्तिः। त्वया कृतेऽप्यपकारे परमखेदहेतौ मधु-  
मेव यो भाषेय, न परुष तस्मिन्नेवं जातीयके मयि पापमाचरतस्तव पापिष्ठ-  
कथं शक्यते वक्तुमिति व्यङ्ग्यम्।

प्रत्युक्तिरिति। प्रकृते लक्षणाश्रयणनिदानकथनमेतत्। व्यङ्ग्याकारमाह—त्वयेत-  
दिना। कृतमित्यादिपद्य कश्चित् कमप्यपकारक जन प्रति ब्रूते, अत उन्नतादिपद  
मुख्यार्था बाधितास्तेन तेषा पदाना हीनादौ लक्षणा। तथा च ‘त्वया हीन कृत्य कृत  
मलिन दुर्यशोऽर्जितम् अतो वय तुभ्य यावज्जीवन शापान् दास्याम’ इति वाक्यार्थो नि-  
द्यते। अरिभक्त्यै उन्नतादिपदवाच्यार्थानामसबन्धात् लक्षणाया जहत्स्वार्थात्वम्।  
वाक्यार्थेन ‘त्वया कृते’ इत्यादि मूलोक्ताकार वस्तु व्यज्यते। तदेव व्यङ्ग्य लक्षणाया प्र-  
जनमिति भावः।

उपपादन करते हैं—इयमित्यादि। उक्त पद्य, किसी अपकार करने वाले मित्र के प्र  
अपर मित्र के द्वारा कहा गया है, अतः उन्नत आदि पद के मुख्य ( वाच्य ) अर्थ वा-  
हैं—अर्थात् अपकारक के प्रति कोई यह नहीं कहता कि ‘तूने बड़ा अच्छा काम किया’  
अतः उन पदों की ‘हीन’ आदि अर्थ में लक्षणा करनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में उक्त  
वाक्य का अर्थ यह हो जाता है कि ‘तूने परम हीन कर्म किया है और गन्दा अ

कमाया है, अतः हम यावज्जीवन तुझे शापते रहेंगे।' इस अर्थ में उन्नत आदि, पद्योक्त पदों के वाच्य अर्थों का सन्बन्ध बिलकुल नहीं है, अतः यह लक्षणा जहत्स्वार्था कहलाती है। इस लक्षणानुलक वाक्यार्थ में यहाँ यह ध्वनित होता है कि 'तेरे द्वारा अत्यन्त खेद-कर अपकार किए जाने पर भी जो मधुर वाणी का ही प्रयोग करता है—परुष कथा नहीं कहना चाहना, ऐसे मुझ मित्र के ऊपर पापाचरग करने वाले तेरे पापों का वर्णन कैसे किया जा सकता है? अर्थात् तेरे पाप अविर्गनीय हैं—तू सप्तर में सबसे नीच है।' यही अर्थ यहाँ लक्षणा का प्रयोजन है, यह भी समझना चाहिए।

अजहत्स्वार्थामूल ध्वनिमुद्राहरति—

अपरानूलो यथा—

‘वधानं द्रागेव द्रुदिमरमणीयं परिकरम्  
किरीटे बालेन्दु नियमय पुन पन्नगगणैः ।  
न कुर्यास्त्वं हेलामितरजनसाधारणधिया  
जगन्नाथस्याय सुरधुनि समुद्धारसमय ॥’

जगन्नाथो गगा स्तौति—अदि सुरधुनि 'देवन्द्रे' एतेन 'एतावत्कालपर्यन्त देवैरेव मह तव नबन्ध आनीत, न माद्येन पापिना सह'ति व्यज्यते। जगन्नाथस्य एतन्नामकस्य मम, अय, समुद्धारसमय समुद्धारकाल, अस्तीति शेष। निषिद्धस्याद्यात्मनामोच्चारणस्य कारणेन वचुरापुरतातिशयो व्यज्यते। न्दु अस्तु तवोद्धारकाल मया किं कर्तव्यमित्याकाङ्क्षायामाह वयानेति। त्व द्रुदिन्ना दृष्टत्वेन रमणीय सुन्दरम्, दृष्टमत एव रमणीयमिति यावत्। परिकर कृष्टि, द्राक् शीघ्र, वधान। नमोद्धाराय शीघ्रं कटिबन्ध कुर्वति भाव। पुनन्वं किरीटे सुकृटे, बालेन्दु कलान्मक चन्द्र, पन्नगगणैः सर्पसमूहैः, नियमय वधान। अन्यथा मंत्रमे बालेन्दु किरीटाञ्जयेत। लोकेऽपि कथन नमर्थो जतो व्याघ्रादिदृहीत जनमुद्धर्तुं प्रवर्तमाना कटिबन्धशिरोभूषणादिकं दृढं विधने। पुनन्वम् इतरजनमावारणी या धां दुद्विस्तया, हेलां अविहेलनाम्, न कुर्या मा कुरु। त्वद्भक्तिभरुर्गद्दये मयि 'अन्यजन्तुन्वोऽयम्' इति बुद्धया उदासंनता न भज्त्वेति भाव।

यह पद्य जगन्नाथकृत 'गगालहरी' नामक स्तोत्र-ग्रन्थ का है। पण्डितराज गगा की स्तुति करते हैं—हे सुरादि ! ( ऐसा कह कर कवि यह अभिन्यक्त करना चाहते हैं—कि 'अब तक तुम्हारा नबन्ध पुण्यात्मा देवताओं से ही था, मुझ जैसे पापियों ने नहीं') अन्य साधारण मनुष्यों के समान समझ कर मेरी अविहेलना न करना, यह जगन्नाथ के उद्धार का समय है, अतः दृढता के कारण सुन्दर-अर्थात् दृढतर तथा रम्य परिकर शीघ्र बाँध लो—मेरे उद्धार के लिये कमर कस लो और किरीट वाली बालचन्द्र को सर्पसमूहों से पुनः स्थिर कर लो, अन्यथा कदाचित् वह हृदयदी में किरीट से दूर न जा पड़े। लोक में भी कोई सामर्थ्य-शाली मनुष्य व्याघ्र आदि हिंसक जन्तुओं से प्रसन्न प्राणी का उद्धार करने समय, पहले कटिबन्ध और पगड़ी आदि शिरोभूषण को दृढ कर लेना है।

उपमादयति—

अत्र जगन्नाथस्येत्यनेन शक्य एवानेकपापविशिष्टत्वेन लज्यते। पापाना पदान्तरेणानिर्वाच्यत्वं व्यङ्ग्यम्।

जगन्नाथपदस्य गज्यायौ यो ध्वनिविशेषस्तन्मात्रज्ञानेन न तदीयोद्धारवाक्य-कला क्वचित्स्मरति, अतस्तदर्थमात्रे ननाविषयाचकृतिरिति जगन्नाथे जगन्नाथपदस्य लज्जा। लक्षणापे च विविधनापविशिष्टजगन्नाथात्मन्यव्यतिविशेषे लक्षणापेन्याप्युपादानादजहत्स्वार्थान्वम्। लक्षणाप्रयोजनभूतम् पदान्तराप्रतिपादपापकचम् व्यङ्ग्यम्।



उपपादन करते हैं—अत्र हरयादि । 'जगन्नाथ' पद का वाच्य अर्थ जो एक विशेष होता है, उसका बोध यदि केवल व्यक्तिविशेष के रूप में ही जगन्नाथ पद से तो उसके उद्धार की कोई आवश्यकता सिद्ध नहीं हो सकती—अर्थात् यदि एक मात्र की हैसियत से किसी का उद्धार आवश्यक समझा जाय, तब जगन्नाथ का ही किसी अन्य का भी समझा जा सकता है । अतः मानना पड़ता है कि यहाँ जगन्नाथ का वाच्य अर्थ शुद्ध रूप में बाधित है, जिससे विविध-पापकारी जगन्नाथात्मक विशेषरूप अर्थ में जगन्नाथ पद की लक्षणा होती है और वह लक्षणा अजहस्वार्थ लाती है, क्योंकि उक्त लक्ष्य अर्थ में जगन्नाथरूप मुख्य अर्थ का त्याग नहीं हुआ है तरह की लक्षणा को प्राचीन विद्वान् 'उपादानलक्षणा' कहते हैं । पापों का अन्य पद से प्रतिपादन न किया जा सकता—अर्थात् जगन्नाथ के पाप ऐसे हैं जिनका उपादान शब्दान्तर से हो ही नहीं सकता, इस अर्थ का बोध करना उक्त लक्ष्य प्रयोजन है, और इस प्रयोजन का बोध होता है व्यञ्जना से, अतः यह पद्य अजहस्वार्थ लक्षणा मूलध्वनि का उदाहरण होता है ।

प्राचीनोक्तमजहस्वार्थोदाहरण समीक्षते—

कुन्ताः प्रविशन्तीत्यादौ तु वाच्यगततैदृष्यादि लक्ष्यम् ।

कुन्ता प्रविशन्तीति अजहस्वार्थलक्षणायाः प्रसिद्धमुदाहरणम्, अचेतनतयाः क्रियान्वयासंभवेन बाधितार्थकस्य कुन्तपदस्य उपात्तमुल्लेखार्थं कुन्तधारिपुरुषे लक्षणाश्रयणीयत्वात् । कुन्तधारिषु कुन्तपदवाच्यार्थगततीक्ष्णताप्रतीति प्रयोजनम् । व्यञ्जनाव्याच्यम् 'वाच्यगततैदृष्यादि लक्ष्यम्' इति मूलपङ्क्तिलापन त्वेवविधयम्—तैदृष्यादि लक्ष्यम् प्रत्येयमित्यर्थः । अथवा लक्ष्यपद लक्ष्यवृत्तितया व्यङ्ग्यमित्यर्थे लाक्षणिकपूर्वोदाहरणे पापानामनिर्वाच्यत्वात्मक व्यङ्ग्य न वाच्यार्थवृत्ति, अत्रोदाहरणे तु तैदृष्यतथाभूतमिति भेदप्रदर्शनायाग्र ग्रन्थः ।

अजहस्वार्था लक्षणा के प्राचीनोक्त उदाहरण की समीक्षा करते हैं—कुन्ता इस प्राचीनों ने अजहस्वार्था लक्षणा का उदाहरण दिया है 'कुन्ताः प्रविशन्ती—भाले घुस रहे हैं' । यहाँ अचेतन भालों का स्वतःप्रवेशक्रिया में अन्वय बाधित है कुन्त पद की स्वार्थसयुक्तपुरुष अर्थात् कुन्तधारी में लक्षणा होती है । कुन्तगतता की कुन्तधारी में प्रतीति करना लक्षणा का प्रयोजन है, जिसकी सिद्धि व्यञ्जना से है । 'वाच्यगततैदृष्यादिलक्ष्यम्' इस मूलपङ्क्ति में 'लक्ष्यम्' का अर्थ है 'प्रत्येयम्' प्रतीयमान । इस ग्रन्थ के द्वारा उक्त स्वाभिमत उदाहरण से प्राचीनोक्त उदाहरण भेद दिखलाया गया है अर्थात् उक्त उदाहरण में पापों की अनिर्वाच्यत्वरूप जगन्नाथ पद के वाच्य अर्थ में रहनेवाला धर्म नहीं है, और प्राचीनों के उदाहरण तीक्ष्णत्वरूप व्यङ्ग्य कुन्त पद के वाच्य अर्थ—भालों—में रहनेवाला धर्म है—इस दिखलाना ही प्रकृत ग्रन्थ का उद्देश्य है ।

पदध्वनिवाक्यध्वन्योर्विभाजक विशेष वर्णयति—

तदेवमेते प्रागुक्ता द्व्युत्थातिरिक्ता सर्वेऽपि ध्वनय एकस्मिन् वाच्ये यदं दमात्रगतास्तदा पदध्वनितया व्यपदिश्यन्ते । नानापदगतताया तु वाच्य नितयेति ।

एकस्मिन् वाच्ये यद्येकपदमात्रगता इति । एकपदार्थगता इति पिण्डार्थः । नात्र गततायामिति । ध्वनीनामिति शेषः । पूर्वोक्तो द्व्युत्थो ध्वनि वाक्य एव भवति न पदं प्रागप्युक्तमेव । तदितरे प्रागुक्ता सर्वे ध्वनयः पदे वाक्ये च भवन्ति । तत्र यदा

चिद्वेकस्यैव पदस्य वाच्यान् व्यङ्ग्यम् प्रतीयते तदा तस्मिन् काव्ये पदगतध्वनिव्यवहार ।  
यदा तु अनेकपदाना वाच्येभ्यो व्यङ्ग्यप्रतीतिस्तदा तत्र वाक्यध्वनिव्यपदेश इति भाव ।

अत्र पद ध्वनि और वाक्य-ध्वनि की पहचान के लिये दोनों में रहनेवाले अन्तर का उल्लेख किया जाता है—तदेव इत्यादि । शब्दार्थोभयशक्तिमूलक ध्वनि केवल वाक्य में होती है, पद में नहीं और तदतिरिक्त सभी ध्वनियों पदगत तथा वाक्यगत दोनों तरह की होती हैं । जहाँ एक ही पद के वाच्यार्थ से व्यङ्ग्य अर्थ की प्रतीति होती हो, वहाँ पदगत और जहाँ अनेक पदों के वाच्यार्थों से उसकी प्रतीति हो, वहाँ वाक्यगतध्वनि का व्यवहार होता है ।

अभिधानिरूपणमवतारयति—

अथ केयमभिधा नाम यन्मूलं प्रथम निरूपितोऽयं ध्वनिप्रपञ्चः ।

यन्मूलो ध्वनिप्रभेदः प्रथम निरूपितस्तदभिधापदार्थं क इति जिज्ञासितमिति भाव ।

अत्र अभिधा-निरूपण की अवतारणा की जाती है—अथ इत्यादि । यहाँ अब यह जिज्ञासा उठती है कि जिसको मूल मानकर, सर्वप्रथम, ध्वनि के अनेक भेदों का निरूपण किया गया है, वह 'अभिधा' क्या चीज है ? अर्थात् 'अभिधामूलकध्वनि' इस सजा के अन्तर्गत 'अभिधा' की क्या परिभाषा है यह यहाँ की एक स्वाभाविक जिज्ञासा है ।

जिज्ञासाशान्तिं प्रतिजानीते—

उच्यते—

अभिधापदार्थं कथ्यत इति भाव ।

उक्त जिज्ञासा की शान्ति के लिये प्रतिज्ञा करते हैं कि अब 'अभिधा' पदार्थ कहा जा रहा है ।

अभिधा लक्षयति—

शक्त्याख्योऽर्थस्य शब्दगतः, शब्दस्यार्थगतो वा सवन्धविशेषोऽभिधा ।

शक्त्याख्य इति । शक्ति आख्या पर्यायान्तर यस्य स इत्यर्थः । विनिगमनाविरहा-  
दाह—शब्दस्येति । शब्दार्थयो संबन्धविशेषो बोध्यबोधकभावत्पोऽभिधापदार्थः । स च  
सबन्धविशेषोऽर्थप्रतियोगिक शब्दानुयोगिक, शब्दप्रतियोगिकोऽर्थानुयोगिको वेल्यत्रैकतर-  
पक्षपातियुक्तिरूपाविनिगमना नास्तीत्युभयविधोऽपि तादृशः संबन्ध अभिधापदार्थतयाऽभि-  
मतः । तमेव संबन्धविशेषं शक्तिपदेनापि प्रतिपादयन्ति सुधिय इति भावः ।

अभिधा का लक्षण करते हैं—शक्त्याख्य इत्यादि । शब्द और अर्थ के परस्पर संबन्ध को 'अभिधा' कहते हैं । उस संबन्ध को, शब्द का मानकर अर्थ में रहनेवाला और अर्थ का मानकर शब्द में रहनेवाला भी कहा जा सकता है—इन दोनों में से किसी एक पक्ष को मान लेने के लिये कोई प्रबल युक्ति नहीं है । उस संबन्ध विशेष को विद्वज्जन 'शक्ति' नाम से भी पुकारते हैं ।

अभिधाविषयकाणि मतान्तराणि प्रदर्शयति—

सा च पदार्थान्तरमिति केचित् । 'अस्माच्छब्दादयमर्थोऽवगन्तव्य इत्याका-  
रेश्वरेच्छैवाभिधा । तस्याश्च विषयतया सर्वत्र सत्त्वात्पटादीनामपि घटादिपद-  
वाच्यता स्यात् । अतो व्यक्तिविशेषोपधानेन घटादिपदाभिधात्व वाच्यम्' इत्य-  
परे । 'एवमपीश्वरज्ञानादिना विनिगमनाविरहः स्यात्, अतः प्रथममतमेव  
न्यायः' इत्यपि वदन्ति ।

केचिदिति, वैयाकरणमीमानकादयः । अपर इति, नैयायिकाः । एवमिति । उत्तराचार्या-  
दिपक्षवारणोऽपीत्यर्थः । ना चाभिधा सवेतापरपर्यायाः श्वरेच्छास्मान्, अपि तु तदतिरिक्ता

एव बोध्य-बोधकभावरूपा, बोधकतारूपा, बोध्यतारूपा, ( शब्दार्थयोः ) तादात्म्यरू  
वेति वैयाकरणमीमांसकादयः आमनन्ति । नैयायिकास्तु—‘अस्मात् पदादयमर्थो बोद्ध  
इत्याकारिका शब्दप्रकारिकाऽर्थविशेषिका, ‘इदं पदममुमर्थं बोध्यतु’ इत्याकारिकाऽ  
प्रकारिका शब्दविशेषिका वा या ईश्वरेच्छा, तद्रूपं सकेत एवाभिधापदार्थः, न पदार्थान्त  
मिति स्वीकुर्वन्ति । ईश्वरीयेच्छाया एकवाचित्यत्वाच्च घटपदाभिधात्वेन विवक्षिता  
( ईश्वरेच्छा ) घट इव पटोऽपि विषयतासंबन्धेन तिष्ठतीति पटस्यापि घटपदवाच्यताप्रस  
अतः ‘घटपदजन्यबोधविषयतावान् घटो भवतु’, ‘पटपदजन्यबोधविषयतावान् पटो भवतु’  
इत्यादिरीत्या घटादिरूपं वस्तुविशेषमुपाधीकृत्येश्वरेच्छायास्तत्पदाभिधात्वं स्वीकर्तव्यम्,  
अर्थात् एकाऽपीश्वरेच्छा उपाधिभेदेन भिद्यत इति घटोपहिता ईश्वरेच्छा घटमात्रे पटोपहिता  
च पट एव विषयतया तिष्ठेत् तथा च पटादीनां घटादिपदवाच्यताप्रसंगो नेति स्वमत  
व्याख्याश्च कुर्वन्ति । अन्ये पुनः ‘यथा ईश्वरेच्छा सर्वविषयिणी नित्या, एका च, तथैव  
ईश्वरज्ञानमपि सर्वविषयकं नित्यमेकमेवेति तस्यैवाभिधात्वम् कुतो नेति विप्रतिपत्तौ  
जागरिताया विनिगमनाविरहादुभयोरपि ( ईश्वरीयेच्छेश्वरीयज्ञानयोः ) अभिधात्वकामे  
नापि स्वीकरणीयं स्यात् तथा च गौरवापत्तिः, अतः ‘पदार्थान्तरमेवाभिधा’ इति वैयाक  
रणमीमांसकानां मतमेव सम्यक् इति व्याचक्षते । ‘सकेतात् शक्तिप्रहः’ इति वदन्तो  
वैयाकरणादयोऽपि उक्तेश्वरेच्छा शक्तिप्रहप्रयोजिका मन्यन्त इत्यन्यदेतत् ।

अब ‘अभिधा’ के विषय में भिन्न-भिन्न शास्त्रकारों के भिन्न-भिन्न मतों का उल्लेख  
करते हैं—सा च इत्यादि । उक्त ‘अभिधा’ संकेत अर्थात् ईश्वरीय इच्छा-रूप नहीं  
है, अपितु उससे भिन्न—बोध्य-बोधकभावरूप, बोधकतारूप, बोध्यतारूप अथवा  
( शब्दार्थ के ) तादात्म्यरूप—ही है । यह है वैयाकरण, मीमांसक आदि का कथन ।  
नैयायिकों का कथन है कि ‘अभिधा’ कोई अतिरिक्त वस्तु नहीं, अपितु ईश्वरीय-इच्छा  
स्वरूप ही है । और ‘अभिधा’ के रूप में स्वीकृत ईश्वरीय इच्छा के दो आकार हो सकते  
हैं—एक ‘अमुक पद से अमुक अर्थ का बोध करना चाहिए’ और दूसरा—‘अमुक पद  
अमुक अर्थ का बोध करावे’ । यद्यपि उक्त दोनों आकारों से तात्पर्य एक ही निकलता  
है, तथापि पण्डितगण, विशेषण-विशेष्य-भाव के भेद से उक्त दोनों आकारों में अन्तर  
मानते हैं अर्थात् प्रथम आकार में ‘पद’ होता है विशेषण और अर्थ होता है विशेष्य,  
अतः वह अर्थविशेष्यक इच्छा कही जाती है । और द्वितीय आकार में अर्थ ही हो जाता  
है विशेषण और पद हो जाता है विशेष्य, अतः वह पदविशेष्यक इच्छा कही जाती है ।  
इस तरह की ईश्वरीय इच्छा को ही ‘सकेत’ भी कहते हैं । परन्तु नैयायिकों के इस मत में  
एक दोष उपस्थित होता है कि ईश्वरीय इच्छा एक होती है तथा निरय होती है अतः  
ईश्वर की एक इच्छा भी सर्वविषयक होती है अर्थात् घट पद के लिये जो इच्छा उनकी  
होगी उसका विषय जैसे घड़ा होगा, वैसे कपड़ा भी । सारांश यह कि ईश्वरीय इच्छा  
विषयतासंबन्ध से घट और पट दोनों में रह जायगी । इस स्थिति में गढ़वही यह हो  
सकती है कि घट पद का वाच्य अर्थ पट भी कहलाने लगेगा । इस दोष के निराकरणार्थ  
उन्हें यह कहना पड़ेगा कि घट-पट आदि वस्तु विशेष को उपाधि बनाकर भिन्न भिन्न पदों  
की भिन्न भिन्न तरह की ही अभिधा माननी चाहिए अर्थात् ईश्वरीय इच्छा के एक होने पर  
भी उपाधिभेद से वह भिन्न हो जायगी—विषयतासंबन्ध से घटोपहित ईश्वरेच्छा केवल  
घट में और पटोपहित ईश्वरेच्छा केवल पट में रहेगी, अतः पट आदि घटादि पद के वाच्य  
नहीं हो सकेंगे । तात्पर्य यह कि ‘घड़ा घट-पद-जन्य-बोध का विषय होवे’, ‘कपड़ा पट-  
पद-जन्य बोध का विषय होवे’ इत्यादि रीति से घट आदि वस्तु-विशेषरूप उपाधि से  
उपहित ईश्वरीय इच्छा को उन-उन पदों की अभिधा कहेंगे । किन्तु इतने पर भी अन्य

वेदानों का इस मत पर यह आक्षेप होता है कि यदि ईश्वरीय इच्छा को अभिधा माना जाय, तब ईश्वरीय ज्ञान अथवा यत्न को अभिधा क्यों नहीं माना जाय ? अर्थात् ईश्वरीय इच्छा से तदीय ज्ञान अथवा यत्न में कोई अन्तर नहीं है—जैसे इच्छा एक है, नित्य है और सर्वविषयक है उसी तरह ज्ञान और यत्न भी। उनकी इच्छा का जो विषय होगा, वह उनके ज्ञान तथा यत्न का भी विषय होगा ही। फलतः किसी विशिष्ट युक्ति के अभाव में उन तीनों को ही अभिधा मानना पड़ेगा। अतः प्रथम मत अर्थात् अभिधा को भिन्न पदार्थ मानना ही उचित है।

दीक्षितोक्त खण्डयति—

यत्तु वृत्तिवार्तिके 'शक्त्या प्रतिपादकत्वमभिधा' इत्यप्यद्यदीक्षितैरुक्तम् तत्तु च्छम्, उपपत्तिविरोधात् । तथा हि—इह शब्दाज्जायमानायामर्थोपस्थितौ कारणीभूत यदीयज्ञान सा शब्दवृत्तिरभिधाख्या लक्ष्यतया प्रस्तुता । प्रतिपादकत्वस्य च प्रतिपत्तिहेतुत्वरूपस्य शब्दगतस्य न ज्ञानं प्रतिपत्तौ कारणम् । अतः कथं नाम प्रतिपादकत्वमभिधेत्युच्यते ? अथ प्रतिपादकत्व प्रतिपत्त्यनुकूलव्यापाररूपं ज्ञान सदेवोपयुज्यते प्रतिपत्तावित्युच्येत, एवमपि शक्त्येत्यनेन शब्दगतार्थगता वा काचिच्छक्तिः प्रतिपत्तिहेतुतया विवक्षिता, सैवाभिधेति 'अभिधया प्रतिपादकत्वमभिधा इति लक्षणं पर्यवसन्नम्' । तथा च स्फुटैवासागतिरात्माश्रयश्च । न चाभिधातः शक्तिरतिरिक्ता शब्दजन्यप्रतिपत्तिप्रयोजिना काचिदस्तीत्यत्र प्रमाणमस्ति ।

उपपत्तिविरोधादिति । युक्तिविरोधादित्यर्थः । युक्तिविरोधनेव प्रकृत्यति—तथाहीति । विवक्षितेति । शक्येति तृतीयाश्रयगादिति भावः । स्वज्ञाने स्वज्ञानस्यापेक्षिततयाऽन्माश्रयस्य स्पष्टत्वादनगतिमुपपादयति न चेति । न हीन्यर्थः । वृत्तिवार्तिकखण्डे स्वकाश्रयऽप्यद्यदीक्षितेन 'शक्त्या प्रतिपादकत्वमभिधे'ति लक्षण कृतम्, परन्तु तत्र युक्तम्, यज्ज्ञानं शब्दजन्यार्थोपरिधतौ कारणम्, तस्या अभिधानामिकाया शब्दनिष्ठाया वृत्तेर्लक्षणकरणप्रसङ्गे 'एतदनिष्ट प्रतिपादकत्वमस्तीत्येतज्ज्ञानमात्रेणार्थज्ञानानुदयात् अर्थज्ञाननिहापितकारणताविरहितानविषयस्य, शब्दनिष्टस्य प्रतिपत्ति(ज्ञान)हेतुत्वरूपस्य प्रतिपादकत्वस्याभिधान्वानभवेन तस्या लक्षणत्वात् । प्रतिपादकत्वनाम प्रतिपत्त्यनुकूलो व्यापार, स च ज्ञात मनेव प्रतिपत्तावुपयुक्तो भवति, तथा च प्रतिपत्तिकारणीभूतज्ञानविषय शब्दनिष्ठो व्यापारविशेष अभिधेत्यर्थकमुक्तलक्षण मनीचीनमिति यदि कथ्यते, तथापि न निस्तारं यत् शक्येति लक्षणघटकनृतीयान्तपदेन शब्दगतया अर्थगतया वा कस्याधिच्छक्ते प्रतिपत्तिहेतुता दाक्षितस्य विवक्षितेति प्रतीयते, प्रतिपत्तिहेतुभूताशक्तिरेव चाभिधा, तथा च 'अभिधया प्रतिपादकत्वमभिधेति पर्यवसने लक्षणे आन्माश्रयापात', अभिधाज्ञानेऽभिधाज्ञानापेक्षणात्, शब्दजन्यबोधप्रयोजिकाया अभिधातो भिन्नायाऽन्त्याधन शक्ते प्रमाणमिद्वन्वेन अन्गतिशक्ति भावः । नानेशरतु धान्येन धन्वान् इत्यत्रेव शक्येत्त्राभेदार्थिना तृतीयामाश्रयाय दाक्षितमनं समर्थयति न्यच्चिदित्यपि बोध्यम् ।

अभिधा के सदन्ध में अप्यद्यदीक्षित के द्वारा स्वीकृत मत का खण्डन किया जाता है—यत्तु इत्यादि । 'वृत्तिवार्तिक' नामक अरने ग्रन्थ में 'अभिधा' का लक्षण करते हुए दीक्षितजी ने लिखा कि—'शब्द में रहनेवाली शक्तिद्वारकप्रतिपादकता का नाम 'अभिधा' है ।' परन्तु युक्तिविरुद्ध होने के कारण उनका उक्त लक्षण असंगत है । युक्तिविरोध देखिए—जिसका ज्ञान, शब्द से होनेवाली अर्थोपस्थिति में कारण होता है, उस

शब्द निष्ठ 'अभिधा' नामक वृत्ति का लक्षण यहाँ घनाना है। अब हम विचार करें कि उस 'अभिधा' का लक्षण 'दीक्षित' से बन सका ? 'प्रतिपादकता' शब्द का अर्थ होता। प्रतिपत्ति ( ज्ञान ) के कारण में रहनेवाला धर्म अर्थात् अर्थप्रतिपादक शब्द में रहनेवाला विशेष, परन्तु उस धर्म का ज्ञान शब्दजन्य अर्थोपस्थिति में कारण होता नहीं अर्थात् 'अमुक शब्द प्रतिपादक है' इस तरह के ज्ञान से किसी अर्थ का स्मरण नहीं होता, अतः 'प्रतिपादकत्व' को 'अभिधा' का लक्षण कैसे कहा जा सकता है ? यदि आप कहें कि 'प्रतिपादकता' का अर्थ उक्त धर्म नहीं है, अपितु ज्ञानजनक व्यापार अर्थात् शब्द में राखी गई वह क्रिया, जिससे अर्थ का ज्ञान होता हो। अब उक्त लक्षण बन सकता है, क्योंकि उक्त क्रिया स्वयं ज्ञात होकर ही अर्थोपस्थिति का कारण होती है, अतः उक्त दीक्षित वाक्य का सार यह होगा कि अर्थोपस्थिति का कारण जो ज्ञान उसका विषय जो शब्दगत व्यापार ( क्रिया ) विशेष, वह अभिधा है। तो उस रीति से भी उक्त लक्षण संभव नहीं होता, कारण, आपने जो लक्षण में 'शक्त्या अर्थात् शक्तिद्वारक' यह विशेषण जो है उससे अर्थोपस्थिति में कारणीभूत शब्दगत अथवा अर्थगत कोई शक्ति ही आप विवक्षित जान पड़ती है और वही शक्ति 'अभिधा' है, अतः आपके कथनानुसार : लक्षण वाक्य का पर्यवसित रूप यह होता है कि 'अभिधा के द्वारा प्रतिपादन करने नाम अभिधा है' और इस पर्यवसित रूप में दो-दोष स्पष्ट दीख पड़ते हैं, एक असंगत और दूसरा आत्माश्रय। अर्थात् शब्दजन्य अर्थ-बोध में जो कारण हो, ऐसी अभिधा भिन्न कोई शक्ति जब प्रमाण-सिद्ध है नहीं, तब उक्त लक्षण नहीं बन सकता है और शक्ति को अभिधा से अभिन्न मान लेने पर अभिधा के लक्षण में अभिधा का प्रवेश जाने से आत्माश्रय स्पष्ट ही है अर्थात् अभिधा के ज्ञान करने में अभिधा ज्ञान का अपेक्षा हो जाना ही यहाँ 'आत्माश्रय' दोष है। नागेश यहाँ 'धान्येन धनवान्' की तरह 'शब्द' इस तृतीया विभक्ति का अभेद अर्थ मानकर दीक्षितमत का समर्थन करते हैं। हिन्दी गंगाधरकार चतुर्वेदीजी नागेशकृत समाधान को असंगत बतलाते हुए कहते हैं कि 'शब्द' और धन में सामान्य विशेषभाव होने से अभेदान्वय हो सकता है, पर शक्ति अभिधा दोनों विशेष ही हैं, अतः यहाँ अभेदान्वय नहीं बन सकता। बात उनकी है। परन्तु मुझे वृत्तिवार्तिक के स्वार्थ से ऐसा प्रतीत होता है कि दीक्षित ने यहाँ 'शब्द' पद का प्रयोग वृत्ति अर्थ में ही किया है। अतः नागेश का समाधान हो सकता है।

अभिधा विभजते—

सेयमभिधा त्रिविधा—केवलसमुदायशक्तिः, केवलावयवशक्तिः, समुदायवयवशक्तिसंकरश्चेति ।

अवयवार्था प्रतिभासिका शक्तिः केवलसमुदायशक्तिः, अवयवार्थमात्रप्रतिभासिका शक्तिः केवलावयवशक्तिः, अवयवार्थप्रतिभासद्वारा समुदायार्थप्रतिभासिका शक्तिः समुदायशक्तिसंकर इति भावः ।

अब अभिधा का विभाग करते हैं—सेय इत्यादि। पूर्वोक्त अभिधा तीन प्रकार की है—केवल समुदायशक्ति अर्थात् जो अवयवार्थ को भासित न करे, केवल अवयवशक्ति अर्थात् जो समुदायार्थको भासित न करे, और समुदाय तथा अवयवों की मिश्रण अर्थात् जो अवयवार्थ के भानद्वारा समुदायार्थ को भासित करे।

उपपादनपूर्वकमभिधाभेदानुदाहरति—

आद्याया डित्यादिकमुदाहरणम्, तत्रावयवशक्तेरभावात्। द्वितीयायास्तु। कपाठकादिः, तत्र धातुप्रत्ययशक्तिबोध्ययोरर्थयोरन्वयेनोत्पत्तिसत्तात्पाककर्तृत्वार्थादन्तेऽर्थान्तरस्यानवभासेन समुदायशक्तेरभावात्। तृतीयायाः पङ्कजा उह धातूपपदप्रत्ययरूपावयवशक्तिवेद्यानां पङ्कजाननकर्तृणामाकाङ्क्षादिवशात्

प्रकाशमानान् पङ्कजनिकर्तृरूपादर्थादतिरिक्तस्य पद्मत्वविशिष्टस्य प्रत्ययेन तदर्थं समुदायशक्तेराप कल्पनाद्भयोः संकरः ।

आद्याया इति । केवल समुदायशक्तिरित्यर्थ । तत्र टित्यादिशब्दे । द्वितीयाया इति । केवलावयवशक्तिरित्यर्थ । तत्र पाचकपाठकपदादौ । ऋते विना । तृतीयाया इति, समुदायावयवमिश्रितशक्तिरित्यर्थ । उभयो समुदायावयवशक्त्यो । डित्यादिरव्युत्पन्नप्रातिपदिकम् केवलसमुदायशक्तेरुदाहरणम्, तत्र प्रकृतिप्रत्ययादिरूपावयवस्वैवाभावेन तच्छक्तिरप्यभावान् । पाचकराठकादिपदानि केवलावयवशक्तेरुदाहरणभूतानि, यतस्तत्र पच् श्रादि धानो ष्वुल्प्रत्ययस्य चावयवभूतस्य शक्त्याऽवगम्यमानयो पाकर्तृरूपयोरर्थयो परस्परमन्वये सति प्रतीत्मानो य विक्लितजनक्यापाराश्रयत्पोऽर्थस्तदितरो न कोऽप्यर्थ प्रतिभासत इति समुदायशक्तिर्न कल्प्यते । पङ्कादिपदम् समुदायावयवशक्तिमरस्त्योदाहरणम्, यतस्तत्र जन्धातु-पङ्कुरूपपद-उप्रत्ययात्मकावयवशक्तिभ्यात् पङ्कावधिक्-जन्मकर्तृरूपादर्थानि निर्वाहस्तेनानमितस्य शैवालादेरपि क्रोडीकरणत्, अत पद्मत्वविशिष्टरूपार्थभासिका समुदायशक्तिरपि कल्प्यत इति भाव ।

अत्र पूर्वोक्त अभिधा-प्रकारों के उदाहरण उपपादनपूर्वक दिखलाते हैं—आद्याया इत्यादि । केवल समुदायशक्ति के उदाहरण 'डित्य' आदि अव्युत्पन्न प्रातिपदिक होते हैं, क्योंकि उनमें प्रकृति-प्रत्यय आदि अवयव रहते ही नहीं, अत अवयवशक्ति का वहाँ प्रसङ्ग ही नहीं आता । केवल अवयवशक्ति के उदाहरण होते हैं 'वाचक', 'पाठक' आदि पद । क्योंकि उनमें धातु 'पच्' आदि और प्रत्यय ष्वुल् = अक आदि की शक्ति से अवगत होने वाले दो अर्थों ( धातु के अर्थ 'पाक' और प्रत्ययार्थ 'करनेवाला' ) के अन्वय से प्रकाशित होनेवाले—'पाक करने वाला'—इस अर्थ के अतिरिक्त किसी अन्य अर्थ की प्रतीति नहीं होती, अत यहाँ समुदाय-शक्ति का अभाव है । समुदाय तथा अवयवों की शक्ति के मिश्रण के उदाहरण होते हैं 'पङ्कज' आदि पद । उपपद पङ्क, धातु जन्, प्रत्यय ड, इन तीन अवयवों के योग से पङ्कज पद बना है । उनमें से उपपद का अर्थ 'कीचड़' धातु का अर्थ 'उत्पन्न होना' और प्रत्यय का अर्थ 'वाला' है । परस्पर साकाङ्क्ष रहने के कारण जब उन सब अर्थों का अन्वय होता है, तब 'कीचड़ में उत्पन्न होनेवाला' यह अर्थ प्रकाशित होता है । किन्तु 'पङ्कज' पद से केवल इतना ही अर्थ प्रकाशित नहीं होता, क्योंकि ऐसी स्थिति में कीचड़ से उत्पन्न होने वाले शैवाल आदि सभी पदार्थ पङ्कज कहलाने लगेंगे । अत यह मानना पड़ता है कि उक्त अवयवों का शक्ति से भिन्न एक समुदायशक्ति भी यहाँ है, जिसके द्वारा 'कमलत्व' जाति से युक्त पदार्थ की प्रतीति होती है । वह कमलत्वजाति-युक्त पदार्थ भी पङ्क से उत्पन्न होनेवाला ही है अत अवयव और समुदाय दोनों की शक्तियों का मिश्रण यहाँ समझा जाता है ।

श्रमोपामभिधाप्रभेदाना प्राचीनै प्रयुज्जानि पर्यायान्तराणि दर्शयति—

एता एव विधा रूढि योग-योगरूढिशब्दैर्व्यपदिश्यन्ते ।

विधा प्रकारा । श्रमिधाया प्रागुज्जाना केवलसमुदायशक्ति-केवलावयवशक्ति-समुदायावयवशक्ति-नकरान्तर-प्रभेदानानेव इमशो रूढि-योग-योगरूढिशब्दैर्व्यवहार प्राचीनै क्रियत इति भाव ।

प्राचीन वाचार्थों के द्वारा उक्त अभिधा-प्रभेदों का व्यवहार भिन्न नाम ने किया है, इसी बात का उद्देश्य करते हैं—एता इत्यादि । प्राचीन धातुशास्त्रिक केवल समुदायशक्ति रूढि शब्द से, केवल अवयवशक्ति का योग शब्द ने और समुदायावयवशक्ति रूढि शब्द से व्यवहार करते हैं ।

दीक्षितोक्तौ पूर्वोक्तदूषणान्यतिदिशति—

यत्तु—‘अखण्डशक्तिमात्रेणैकार्थप्रतिपादकत्वं रूढिः । अवयवशक्तिमात्रसापेक्षं पदस्यैकार्थप्रतिपादकत्वं योगः । उभयशक्तिसापेक्षमेकार्थप्रतिपादकत्वं योगरूढिः ।’ इति वृत्तिवार्तिकेऽप्यदीक्षितैरुक्तम्, तन्न । अभिधालक्षणोक्तदूषणानामिहापि दुर्वारत्वात् ।

दूषणानामिति । प्रतिपादकत्वनिष्ठतत्त्वासम्भवासगत्यात्माश्रयणामित्यर्थः । अखण्ड-अवयवविभागरहितकेवलसमुदायनिष्ठा या शक्ति, तथा या पदनिष्ठैकार्थप्रतिपादकता सा रूढिः, केवलावयवशक्तिसापेक्षा या पदनिष्ठैकार्थप्रतिपादकता सा योगः, एवम् समुदाय-अवयवोभयशक्तिसापेक्षा या पदनिष्ठैकार्थप्रतिपादकता सा योगरूढिरित्यर्थकानि यानि मूलोक्तानि रूढि-योग-योगरूढीना लक्षणानि वृत्तिवार्तिकाभिधाने निबन्धे दीक्षितमहाभागेन कृतानि, तानि न सम्प्रश्चि, प्रतिपत्तिहेतुत्वरूपशब्दगतप्रतिपादकत्वज्ञानस्यार्थ-प्रतिपत्तिं प्रत्यहेतुत्वादसम्भव, अभिधात शक्तेरन्यत्वाभावादसगति, स्वज्ञाने स्वज्ञानापेक्षणादात्माश्रय इत्येषामभिधालक्षणोक्तदूषणानामत्रापि दुर्वारत्वादिति भावः ।

अथ इस प्रसङ्ग पर भी दीक्षित के मत का खण्डन करते हैं—यत्तु इत्यादि । ‘अखण्ड-अर्थात् अवयव-विभाग-रहित केवल समुदायनिष्ठ-शक्ति से पद में रहनेवाली एक भा की प्रतिपादकता का नाम ‘रूढि’ है । केवल अवयवशक्ति की अपेक्षा करनेवाली पदनि प्रतिपादकता का नाम ‘योग’ है और समुदायशक्ति तथा अवयव शक्ति दोनों की अपेक्षा करनेवाली प्रतिपादकता का नाम ‘योगरूढि’ है ।’ ये लक्षण क्रमशः रूढि, योग और योगरूढि के अप्यदीक्षित ने अपने वृत्तिवार्तिक नामक निबन्ध में किये हैं, परन्तु वे लक्षण ठीक नहीं हैं, क्योंकि उनके अभिधा लक्षण में जो सब दोष दिखलाये गए हैं, वे सभी दो यहाँ भी हो सकते हैं और उन दोषों का वारण भी नहीं किया जा सकता—अर्था शब्दगत प्रतिपादकता का अर्थ, प्रतीति का हेतु होना ही होता है और उस प्रतिपादक का ज्ञान अर्थ की प्रतीति में कारण नहीं होता, अतः उक्त लक्षणों में असम्भव दोष । जायगा, शक्ति से भिन्न रूढि आदि कोई वस्तु होती नहीं अतः असगति दोष भी होगा एवम् शक्ति के ज्ञान में शक्ति-ज्ञान की अपेक्षा हो जाने से आरमाश्रय दोष का अवसर भी जायगा ।

अथेदानीमश्वगन्धादिकतिपयविशिष्टशब्दानां शक्तिरुक्तेषु अभिधाभेदेषु कुत्रान्तर्भेदोतीति विचारयितुमुपक्रमते—

अथ अश्वगन्धा अश्वकर्ण-मण्डप-निशान्त-कुवलयदिशब्देषु का शक्तिरिति ।

मूलोक्ता अश्वगन्धादय शब्दानां सर्वे ध्यर्थकाः, तत्रैकस्यार्थस्य समुदायशक्त्या (रूढ्या) द्वितीयस्यावयवशक्त्या (योगेन) सर्वेभ्यः शब्देभ्यः प्रतीतिर्भवति, अतस्तेषु शब्देषु का शक्ति ? केवलसमुदायशक्ति केवलावयवशक्ति समुदायावयवशक्तिसकरो वेति विचारणीयमिति भावः ।

अथ अश्वगन्धा आदि कतिपय शब्दों की शक्ति, उक्त अभिधा-प्रभेदों में अन्तर्भूत हो सकती है अथवा नहीं इत्यादि विचार का आरम्भ करते हैं—अथ इत्यादि । यहाँ अब विचारणीय यह है कि अश्वगन्धा, अश्वकर्ण, मण्डप, निशान्त और कुवलय आदि पदों में उक्त तीनों भेदों में से कौन-सी शक्ति है ? इस तरह का विचार यहाँ इसलिये उठता है कि पूर्वोक्त सभी शब्दों के दो-दो अर्थ हैं अर्थात् अश्वगन्धा शब्द के एक प्रकार का औषध, अश्वगन्ध और घोड़ों के गन्धवाली, अश्वकर्ण शब्द के एक औषध और घोड़े का कान, मण्डप शब्द के मँड़वा (गृह विशेष) और भात का मँड़ पीनेवाला, निशान्त

शब्द के ग्रह और रात्रि का ह्यन् (प्रभात) तथा लुक्त्वं पद के रात्रि में विकसित होनेवाला कमल और पृथ्वीमण्डल अर्थ होते हैं। इन अर्थों में प्रथम-प्रथम अर्थमनुदाय शक्ति ( रुडि ) द्वारा और द्वितीय द्वितीय अर्थ अवयवशक्ति ( योग ) द्वारा प्रतीत होते हैं। अतः यहाँ किसी एक शक्ति से कार्य नहीं बन सकता।

पूर्वजिज्ञानिना गच्छि नतभेदेन इत्यदिष्टं तावन्नयमननाह—

अत्र केचिन्—'अश्वगन्धारसं पिवेत् इत्यादिषु विषयविशेषे केवलमनुदाय-शक्ति'। अश्वगन्धा वाजिशाला. इत्यादिषु तु केवलयोगशक्ति'। समुदायावयव-शक्त्योरभयोरेकशब्दाश्रयत्वे कथं केवलत्वविशेषितयोरान्वयद्वितीयभेदयोः प्रम-च्चिरिति तु न शक्यम् । समुदायावयवशक्तिवेद्योरर्थयोर-न्वयेन तादृशशक्तयोः केवलत्वस्य साम्राज्यात् । इदमेव हि केवलत्वमिह विवक्षितम् . यदन्वया योग्यार्थ-बोधकत्वम् । सकरस्त्वन्वययोग्यार्थबोधकयोरेवेति न तस्यात्र प्रसक्ति' इत्याहुः ।

अश्वगन्धादिगण्डे अत्रिन् केवलमनुदायशक्ति' इति केवलयोगशक्ति'. यथा— 'अश्वगन्धारसं पिवेत्' इत्यादौ औषधत्वान्वयेन प्रयुक्ते प्रथमा, 'अश्वगन्धा वाजिशाला इत्यादौ अश्वगन्ध गन्धो इत्यामित्यर्थत्वान्वयेन प्रयुक्ते द्वितीया । यदनाह कर्त्ता तादृशशक्ति-द्वयत्वमावेश एकरिन्त गण्डे, अश्वगन्धारसि मद्भावेन केवलमनुदायशक्ते, समुदायशक्ते-रपि नत्वेन केवलवयवशक्तेष्वान्वयविधि गृह्य आभातन् समुद्रेति तस्यापि अवयवशक्ति-बोधार्थान्वयायोग्यार्थबोधकत्वहनस्य केवलत्वस्य समुदायशक्तौ, समुदायशक्तिबोधार्थान्वययोग्यार्थबोधकत्वहनस्य केवलत्वस्यावयवशक्तौ विवक्षितेन नामप्रत्ये तादृशशक्त्या नान्वयान् । योगरत्नरत्नपर्याय संकरस्तु नैतादृशत्पते मन्मथानि, परन्परान्वययोग्यार्थद्वयबोधक-भेदयोरेव तन्वर्वाकागत् । प्रकृते चाश्वगन्धविनिगिद्योषधिरुचोरर्थयो निषोऽन्वययोग्य-त्ववैराह्य इति भाव ।

अब पूर्व जिज्ञाना की शक्ति के लिये मतभेद से उत्तर करते हैं—यत्र इत्यादि । एक प्रश्न के उत्तर में कुछ लोगों का कथन है कि—'अश्वगन्धारसं पिवेत्—अर्थात् अश्वगन्ध का रस पीवे' इत्यादि स्थल-विशेष—जहाँ औषधरूप अर्थ में अश्वगन्धा पद प्रयुक्त हुआ हो—में केवल समुदायशक्ति ( रुडि ) माननी चाहिए । और 'अश्वगन्धा वाजिशाला—अर्थात् घोंघों के गन्ध वाली घुड़माल' इत्यादि स्थलविशेष—जहाँ वाजिशालारूप अर्थ में अश्वगन्धा पद प्रयुक्त हुआ हो—में केवल अवयवशक्ति ( योग ) माननी चाहिए । यद्यपि यहाँ यह शका की जा सकती है कि जब समुदायशक्ति ( रुडि ) और अवयवशक्ति ( योग ) दोनों के लक्षणों में 'केवल' विशेषण लगाया गया है, अर्थात् जब समुदायार्थमात्र बोधक पद में रुडिशक्ति और अवयवार्थ मात्र-बोधक पद में योगशक्ति मानी गई है, तब अश्वगन्धा इन एक पद में ही दोनों शक्तियों केने मानी जा सकती हैं अर्थात् यहाँ रुडि शक्ति मानी नहीं जा सकती, क्योंकि यह पद अवयवार्थ का भी बोधक, स्थान-विशेष में होता है, योगशक्ति भी नहीं मानी जा सकती, क्योंकि स्थानविशेष में यह पद समुदायार्थ का भी बोधक होता है; तद्यपि यह कहा जा सकता है कि 'केवल' विशेषण का अभिप्राय यहाँ अन्य अर्थ का बोधक नहीं होना नहीं है, अपितु अर्थ के साथ अनियत न हो सकनेवाले अर्थ का बोधक होना है अर्थात् यहाँ समुदायार्थ ऐसा होगा, जिसका अन्वय अवयवार्थ के साथ नहीं बन सकेगा, वहाँ केवल समुदायशक्ति मानी जायगी और यहाँ अवयवार्थ ऐसा होगा, जिसका अन्वय समुदायार्थ के साथ नहीं बन सकेगा, वहाँ केवल अवयवशक्ति मानी जायगी । अब आप सोचिए कि अश्वगन्धा पद में ये दोनों केवल विशेषण-विशिष्ट शक्तियाँ रह सकती हैं या नहीं? मैं कहूँगा कि अवयव रह सकती हैं, क्योंकि अश्वगन्धा पद का औषधरूप



समुदायार्थ ऐसा है ही, जिसका वाजिशालारूप अवयवार्थ के साथ अन्वय नहीं । इसी तरह बोद्धे के गन्धवाली घुडसालरूप अवयवार्थ भी ऐसा ही है, जिसका समुदायार्थ के साथ अन्वय नहीं हो सकता । आप कहेंगे—इस स्थिति में दोनों शक्ति के मिश्रण-रूप अभिधा के तृतीय भेद ( योगरूढि ) से इसमें क्या अन्तर रहा ? तो इसका उत्तर यह है कि मिश्रण वहाँ माना जाता है, जहाँ ऐसे दो अर्थों का बोध होता हो, जो परस्पर अन्वित हो सकें, जैसे पङ्कज पद के स्थल में कमलरूप समुदायार्थ और कीचड़ से उत्पन्न होनेवाला रूप अवयवार्थ परस्पर अन्वित होने योग्य हैं अर्थात् कमल भी कीचड़ से ही उत्पन्न होता है अतः 'कीचड़ से उत्पन्न होनेवाला कमल' ऐसा अन्वित अर्थ ज्ञात होता है । अश्वगन्धा पद के दोनों अर्थ ऐसे नहीं हैं जो परस्पर अन्वित हो सकें, अतः यहाँ शक्ति-द्वय मिश्रण का प्रसङ्ग ही नहीं आता ।

तादृशकैवल्यविवक्षाया मानाभावात् मतान्तरमाह—

अन्ये तु—'अश्वकर्णादिशब्देषु नाभिधायाः प्रथमद्वितीययोर्विधयोः प्रसक्तिः कैवल्यविरहात् । परन्तु संकरस्य द्वौ भेदौ—योगरूढियौगिकरूढिश्चेति । तत्र चस्योदाहरण पङ्कजादिशब्दाः । द्वितीयस्य त्वश्वकर्णादयः' इत्याहुः ।

अश्वगन्धा-अश्वकर्णादिशब्देषु कैवल्यविशेषितयोः प्रथमद्वितीयभेदयोरप्रसक्त्या तत्संहाय सकरस्य यौगिकरूढिनामकोऽप्येको भेद स्वीकार्य इति भावः ।

'कैवल्य' विशेषण का जो अर्थ पूर्व मत में किया गया है, उसमें कोई प्रभाव नहीं, अतः मतान्तर का उल्लेख करते हैं—अन्ये तु इत्यादि । अन्य विद्वानों का कथन है कि अश्वगन्धा अश्वकर्ण आदि पदों में अभिधा के प्रथम अथवा द्वितीय अर्थात् रूढि किंवा योगभेद प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि वहाँ एक ही पद में दोनों तरह की शक्तियों के रहने के का केवलत्व नहीं होता । अतः सकारात्मक तृतीय अभिधा भेद के पुनः दो भेद मानने चाहिए एक योगरूढि और दूसरा यौगिकरूढि । उनमें से प्रथम भेद का उदाहरण है पङ्कज पद और द्वितीय भेद का अश्वगन्धा, अश्वकर्ण आदि पद ।

सकरस्य योगरूढिशब्देनैव प्रसिद्धैर्मतान्तरमाह—

'चतुर्थ एवायमभिधाया भेदः' इत्यप्यन्ये ।

अभिधापदसंबद्धेनैवकारेण सकरभेदनिरासः । यौगिकरूढिनामक भेदान्तरं न सकरं अपि तु अभिधाया एव । तथा चाभिधायाश्चत्वारो भेदा इति भावः ।

योगरूढि से भिन्न सकर का भेद कहीं प्रसिद्ध नहीं, अतः तृतीय मत दिखलाते हैं चतुर्थ इति । कुछ लोगों का यह भी कथन है कि यह यौगिकरूढि नामक सकारात्मक तृतीय अभिधा भेद का उपभेद नहीं है, अपितु स्वतन्त्ररूप से अभिधा का ही एक भेद है अर्थात् अभिधाके चार (रूढि, योग, योगरूढि और यौगिकरूढि) भेद हैं, तीन ही न

सिद्धान्तमाह—

'अखण्डा एव हि शब्दाः । तत्र समासेषु पदानाम् 'कृत्तद्धिततिङन्तेषु प्रकृतिप्रत्ययानां विभागः काल्पनिक एवेति कुत्रास्ति योगशक्तिः ? विशिष्टं विशिष्टार्थं रूढेरेवाभ्युपगमात्' इत्यपि वदन्ति ।

हिस्त्वर्थे । तत्रेति । अखण्डानां शब्दानां मध्य इत्यर्थः । पदानि द्विविधानि, इत्स्व न्यसमस्तानि च । द्विविधान्यपि अखण्डानि-निरवयवानि । लघुपायेन शब्दज्ञानाय शाब्दिक स्वशास्त्रप्रक्रियानिर्वाहार्थम् समासे पदानां कृदन्ते तद्धितान्ते तिङन्ते च प्रकृतिप्रत्यय काल्पनिको विभागः स्वीकृतः । एषा च शाब्दिकानां सिद्धान्तभूता सरणिः । तथा च—'पदेन वर्णा विद्यन्ते वर्णेष्ववयवा न च । वाक्ये पदानामत्यन्तं प्रविभागे

यते ॥' इत्यादि । एवञ्च योगशक्तेरवसर एव नास्ति । विशिष्टपदवाक्यादेर्विशिष्टार्थे ढरेवेति भावः । अभिधाया रट्याख्य एक एव भेद इति तात्पर्यम् ।

अथ अभिधा के संबन्ध में सिद्धान्तभूत मत का उल्लेख करते हैं—अखण्डा इति । दो प्रकार के होते हैं, एक समास करके बनाए गए और दूसरे समासरहित । दोनों प्रकार के पद अखण्ड हैं—निरवयव हैं । केवल लघु उपाय से शब्द ज्ञान कराने के ये वैयाकरणों ने अपने शास्त्र की प्रक्रिया के निर्वाहार्थ समास में भिन्न-भिन्न पदों का र कृदन्त, तद्धितान्त तथा तिङन्त पदों में प्रकृति प्रत्ययों का काल्पनिक विभाग माना है अर्थात् वस्तुतः ये सब विभाग हैं नहीं । अतः एव उन्होंने कहा है—'पदेन वर्णा घन्ते 'इत्यादि अर्थात् पदों में वर्ण नहीं, वर्णों में अवयव नहीं और वाक्यों में पदों । विभाग भी नहीं है ।' इस युक्ति के अनुसार योगशक्ति का कहीं प्रसङ्ग आ ही नहीं होता । अतः यह मानना चाहिए कि अखण्ड पद की अखण्ड पदार्थ में और अखण्ड क्य की अखण्ड वाक्यार्थ में केवल रूढि ही शक्ति है । तात्पर्य यह हुआ कि अभिधा का डि नामक एक ही भेद है, तीन अथवा चार नहीं ।

शङ्कते—

अथ—

'गीष्पतिरप्याङ्गिरसो गदितु ते गुणगणान् सगर्वो न ।

इन्द्र. सहस्रनयनोऽप्युत्तरूप परिच्छेत्तुम् ॥

इत्यादौ रूढ्यर्थमादाय पुनरुक्त्यापत्ति ।

अथेति । अभिधाया उक्तस्य भेदत्रयत्पभेदचतुष्टयस्य वा स्वीकृतेरुत्तरमित्यर्थः । गीष्पतिरिति । राजवर्णनमिदम्—हे राजन् ! गीष्पति वाच स्वामी अपि, आङ्गिरस 'हृत्पति', ते तव, गुणगणान् पराक्रमौदार्यादिगुणसमूहान्, गदितु वक्षुम्, सगर्वो आह्वारो न भवतीति शेषः । तथा सहस्रनयनोऽपि नेत्रसहस्रसहितोऽपि, इन्द्र, ते, गदितुत्तरूपम् आश्चर्यकर स्वरूप, परिच्छेत्तुम् अर्थात् इत्यत्तदा निश्चेत्तुम्, सगर्वो नेत्तर्यः । 'राजन्' त्वयि इत्यन्तो गुणा सन्ति, यान् अपरिमितवाक्शक्तिर्हृत्पतिरपि वर्णयितुं न शक्नु, एवम् तव रूपे वर्तमानाया आश्चर्यकरिताया इत्यत्ता निश्चेतु नयनमहत्त्वशाली इन्द्रोऽपि । 'समर्थ', अस्माकं स्वल्पवाक्शक्तिना नेत्रद्वयशालिना तु कथं वा ? सर्वथा अवर्णनीया तव गुणा, इत्यन्तारहितश्च रूपमिति भावः । अत्राङ्गिरस्तेन्द्रशब्दौ रटिशाब्दयोश्च हृत्पति-वराजौ बोधयत । गीष्पतिमहस्रनयनशब्दौ च योगरटिशक्त्या तात्रेवाभिधत्त । एवञ्च गीष्पतिसहस्रनयनपदयोश्च रूढ्यर्थमादाय पुनरुक्तिदोषापातः स्पष्ट एवेति भावः ।

इस प्रमह पर एक शका का उल्लेख करते हैं—अथ इत्यादि । आप कहेंगे कि इतना ख होने पर भी—'गीष्पतिरपि' अर्थात् ( हे राजन् ! ) 'गीष्पति'—वाणी के अधिपति गी-आङ्गिरस-वृहस्पति आपके पराक्रम, औदार्य आदि गुण-गणों का यथावत् वर्णन करने का गव नहीं कर सकते और सहस्र-नयन-हजार चक्षुवाले भी इन्द्र आपके आश्चर्यजनक रूप की इत्यत्ता को बतलाने का घमड नहीं कर सकते । तात्पर्य यह कि 'आप में इतने गुण हैं, जिनको वाचस्वात भी नहीं कह सकते, एवम्—आपका रूप आश्चर्यजनक है, जिसका माप कर सकना हजार नेत्रवाले इन्द्र के लिये भी सम्भव नहीं है, फिर हम अरु वाक्शक्ति-वालों तथा दो नयनवालों की बात ही क्या ? साराण यह कि आपके गुण सर्वथा अवर्णनीय हैं और रूप इत्यन्त-रहित है ।' इत्यादि पद्य में रूढ्यर्थ को लेकर पुनरुक्ति दोष होने लगेगा अर्थात्—'गीष्पति' और 'सहस्रनयन' पद योगरूढ हैं, अतः उन दोनों पदों से ही योग तथा रूढि दोनों शक्तियों के मिश्रण से क्रमशः 'वाणी का अधिपति आङ्गिरस'

और 'हजार नेत्रवाला इन्द्र' इन अर्थों का बोध हो ही जाता है, फिर 'आङ्गिरस' और 'इन्द्र' पदों का प्रयोग पुनरुक्तिदोष प्रस्त है ।

उक्तापत्ते समाधानाभासमुपपाद्य खण्डयति—

न चैवंविधपदद्वयसमभिव्याहारस्थले योगरूढपदस्यावयवार्थमात्रबोधकत्वम्, तावन्मात्रस्यैव प्रकृतोपयोग्यातिशयविशेषसमर्पकत्वात् इति वाच्यम् । एवमपि योगरूढपदस्य रूढिशक्तेरनियन्त्रणेन योगार्थमात्रप्रतिपादकताया अनुपादानादुक्तदोषस्यानुवृत्तेः । एकेनैव पदेन योगार्थरूढ्यर्थयोरुभयोरप्यावश्यकयोरर्थयोरुपास्थितिसंभवेन द्वितीयपदप्रयोगस्य नैरर्थक्यापत्तेश्च, इति चेत् ।

अतिशयेति । राजनिष्ठगुणाद्यतिशयेत्यर्थ । अनियन्त्रणेन असकोचेन । शक्तिसकोचकानां प्रकरणादीनामभावादिति भाव । अनुपादानादिति । अप्रहणादित्यर्थ । अज्ञानादिति यावत् । शक्तिनियामकप्रकरणादिसत्त्वेऽप्याह—एकेनैवेति । आवश्यकयोरिति । पदद्वयोत्प्लेखबलेनोक्तातिशयव्यञ्जनार्थमिति भाव । उक्तपुनरुक्त्यापत्तिं तदैव सभवति, यदि गोष्पतिसहस्रनयनपदे योगार्थेन सह रूढ्यर्थमपि बोधयेताम् परन्तु तदेव नास्ति, ईदृशरूढयोगरूढोभयविधशब्दप्रयोगस्थले योगरूढपदस्य योगार्थमात्रबोधकत्वस्वीकारेण तयोपदयोर्वागधिपति-नेत्रसहस्रविशिष्टमात्रबोधकत्वात् । कुत ईदृशस्थले योगरूढपदस्य योगार्थमात्रबोधकत्वमिति चेत् तावन्मात्रस्यैव राजादिगतगुणरूपयोरवर्णनीयत्वलक्षणातिशयव्यञ्जकत्वेनावश्यकत्वात्, रूढ्यर्थस्य पदान्तरेण बोधनाच्चेति समाधानमापातत समाप्तमानमपि न युक्तम्, शक्तिनियामकस्य प्रकरणादेरसत्त्वेन गोष्पतिसहस्रनयनरूपयोर्गोरूढपदयो रूढिशक्तेरनियमनेन योगार्थमात्रबोधकताया अज्ञानात् रूढ्यर्थबोधे अचारिते पुनरुक्त्यापत्तेस्तादवस्थ्यात् । प्रकरणादिनियामकसत्त्वाङ्गीकारे पुनस्तथा सभवेऽपि आङ्गिरसेन्द्रादिरूपद्वितीयपदप्रयोगनैरर्थक्यापातदोषस्य दुर्वारत्वाच्च । कथं तन्नैरर्थक्यमिति च दित्यम्—योगरूढ रूढन्न पद प्रयुज्य पुनरुक्तिभियां प्रकरणादिना योगरूढपदस्य रूढशक्तेरनियमन व्यर्थम् । यत तथाकरणे एकेन पदेन रूढ्यर्थस्य द्वितीयेन योगार्थस्य च बोध एव तु उद्देश्यम् । तस्योद्देशस्य पूर्तिं एकेन योगरूढपदेनापि सभवति । न च प्रकरणादिना सकोचे कथं द्वयोरर्थयोर्लाभ एकस्मात् पदादिति वाच्यम्, अभिधानियामकप्रकरणोक्तस्वसिद्धान्तानुसारेण सत्यावश्यकत्वे द्वयोरर्थयोर्बोधस्योत्पत्तौ बाधकाभावादिति भाव ।

उक्त शका के आपाततः एक समाधान का उल्लेख कर उसका खण्डन करते हैं—न चैव इत्यादि । यदि कोई कहे कि इस तरह जहाँ रूढ और योगरूढ दोनों प्रकार के शब्दों का प्रयोग हुआ हो, वहाँ गोष्पति आदि योगरूढ पद केवल अवयवार्थ ( योगार्थ ) के बोधक होते हैं, समुदायार्थ ( रूढ्यर्थ ) के नहीं, क्योंकि ऐसे स्थानों में अवयवार्थ ही प्रस्तुत विषय के उपयोगी विशिष्ट प्रकार के अतिशय को उपस्थित करनेवाला रहता है अर्थात् वर्णनीय राजा के गुण-रूपों को अवर्णनीय सिद्ध करने में गोष्पति तथा सहस्रनयन पद के योगार्थ ही सहायक होते हैं रूढ्यर्थ नहीं । तात्पर्य यह कि इस तरह से योगरूढ पद को केवल योगार्थोपस्थापक मान लेने पर पुनरुक्ति नहीं होगी, परन्तु यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि एक तो यह कि जब प्रकरण आदि कोई नियामक है नहीं, तब योगरूढ ( गोष्पति आदि ) पद की रूढिशक्ति नियन्त्रित नहीं हो सकेगी और अनियन्त्रण की स्थिति में वह पद योगार्थमात्र का प्रतिपादक है, ऐसा निश्चय ही नहीं हो सकता, अर्थात् योगरूढ पद रूढ्यर्थ का भी बोध कराएगा ही, किसी के कथन मात्र से वह स्केगा नहीं, अतः उक्त दोष ( पुनरुक्ति ) बना ही रहा, हटा नहीं । दूसरा यह कि यदि किसी तरह नियामक ( प्रकरणादि ) को खोजकर उक्त योगरूढ पदों को

दश स्थल में योगार्थमात्र के बोधक बना भी देंगे, तब भी यह आपत्ति तो बनी । रहेगी कि जब योगरूढ ( गीष्पति महत्तनयन ) पद से ही योगार्थ और व्यर्थ दोनों के बोध हो सकते हैं, तब पृथक् रूढपद ( आङ्गिरस और इन्द्र ) के प्रयोग यों किये जायँ, अर्थात् वे पद व्यर्थ हो जाते हैं । सारांश यह कि प्रकरण आदि को त्रयमक मानकर द्वितीय पद प्रयोग को सार्थक बनाना ममुचित नहीं । अभिधानियाक प्रकरणोक्त स्व-सिद्धान्त के अनुसार आवश्यकता होने पर दो अर्थों का बोध एक पद माना जा सकता है । अतः पुनरुक्ति दोषवाली शका पूर्ववत् बनी रह जाती है ।

सिद्धान्तभूत नमाधानमाह—

अत्राहु — एकपदोपात्तत्वादन्तरङ्गाकाङ्क्षावशेन प्रथम योगार्थरूढ्यर्थयोरत्रये सति समुल्लसितस्य विशिष्टार्थस्यैव पदान्तरार्थेनान्वयः, न तु तयोरेव विशालितयोरिति यद्यपि न्यायसिद्धोऽर्थ तथापि शक्त्याऽर्थस्य प्रतिपादने स्यादेवम् । लक्षणाया तु योगरूढेन योगार्थमात्रप्रतिपादनेन न किञ्चिद्वाधकमस्ति । नापि द्वितीयपदप्रयोगस्य नैरर्थक्यम् । तथा सति रूढ्यर्थबोधनेन गतार्थेन योगरूढत्वेन प्रतिपाद्यमानस्य योगार्थस्य पङ्कजाक्षीत्यादाविव नान्तरीयकत्वशङ्कया कुर्वताया अपहृतौ प्रकृतोपयोग्यातिशयविशेषव्यञ्जनस्य पाक्षिकत्वापत्तेः । द्वितीयदयोगे तु तेनैव रूढ्यर्थप्रतिपादने सिद्धे योगरूढपदप्रतिपाद्यस्य योगार्थस्य नान्तरीयकत्वशङ्कया अयोगात्कुर्वद्रूपत्वेन व्यङ्ग्यविशेषव्यञ्जकत्व नियमेन सेद्ध्यति ।

एकपदोपान्तेति । अन्तरङ्गत्वे हेतुरयम् । समुल्लसितस्य नन्पन्नस्य । विशिष्टार्थयेति । वाक्स्वाम्यभिज्ञाङ्गिरसस्य, सहत्तनयनाभिन्नेन्द्रस्य चेत्यर्थ । पदान्तरंति । आङ्गिमेन्द्रपदार्थाभ्यामिति भावः । तयो योगार्थरूढ्यर्थयो । विशकलितेति । पदान्तरार्थेनान्वय इत्यस्यानुपपन्नः । गीष्पतिमहत्तनयनमदलम्ब्ययोगार्थरूढ्यर्थयो परस्परमनन्वितयो प्राङ्गिरसेन्द्रपदार्थाभ्या महान्वयो नेति भावः । योगार्थमात्रबोधकत्वानुपादानप्रयुक्तपुस्तकिरूपमाद्यदोषु दुष्टस्य रूढपदप्रयोगनैरर्थक्यत्प द्वितीय दोषमुद्धरति—नापीति । तथा सति रूढ्यर्थमात्रबोधकद्वितीयपदानुपादाने सति । नान्तरीयकत्वेति । मुख्यतात्वर्थावेपयत्वैत्यर्थः । पाक्षिकेति । नान्तरीयकत्वशङ्कया अभावे इष्टनिश्चि नभवन्वर्थात्यर्थः । अत एवाग्रे नियमेनेति वक्ष्यति । कुर्वद्रूपत्वेनेति । कार्यजननोन्मुखत्वेनेत्यर्थः । योगशक्तिदिशक्तिभ्या गीष्पतिपदेनाभिहितयो वाक्स्वाम्याङ्गिरसरूपयोरेव महत्तनयनपदेनाभिहितयोत्रनहत्तनयनरूपयोरेत्यर्थो प्रथममभेदान्वयः, श्रोतृममेवैतत्तद्विषयकान्वयजिज्ञानान्महाज्ञाया एकपदोपात्तत्वज्ञानमूलकान्तरङ्गत्वेन प्रागुच्यत् ततस्तथाऽन्वितस्य गीष्पतिपदार्थस्याङ्गिरसपदार्थेन, एवमन्वितस्य महत्तनयनपदार्थरूपेन्द्रपदार्थेन सहाभेदान्वयः, न तु अनन्वितस्य गीष्पतिपदवाच्ययोगार्थरूढ्यर्थसमुदायस्याङ्गिरसपदार्थेन, एव महत्तनयनमदलम्ब्ययोगार्थरूढ्यर्थसमुदायस्येन्द्रपदार्थेन, तदन्वयजिज्ञानान्मिकाया आकाश्या भिन्नपदोपात्तत्वज्ञानमूलकवहिरङ्गत्वेन पश्चादुच्यन् । तथा च 'आङ्गिरस' वाक्स्वामिन आङ्गिरसः, इन्द्र सहत्तनयनाभिन्न इन्द्र' इत्याकारकान्वयबोध नमन्यते, न च नानगतः, घटो नीलघटो न वा दण्डवान् रक्तदण्डवान् वा' इत्यादिसंशयनिवर्तकस्य तन्मनानाकारस्य 'घटो नीलघटो दण्डवान् रक्तदण्डवान्' इत्याकारकस्य विधेयकोटावधिभावगाहिनेऽन्वयबोधस्य त्वाने स्वीकारात् । परमिय रीति' गीष्पतिमहत्तनयनादिपदस्य वाक्स्वामि स्वीकृत्य शक्त्याऽर्थप्रतिपादने बोध्या । तादृशस्य योगरूढपदस्य लक्षणिकत्वमनीकृत्य लक्षणाया योगार्थमात्र-

प्रतिपादने गीष्पत्यादियोगरूपदलक्ष्ययोगार्थस्याङ्गिरसादिरूपदार्थेनान्वये तु कार्ष्णि वाधा नास्तीति सुगमोऽय पन्था । इत्यश्च पूर्वोक्तं पुनरुक्तिदोष परिहृतोऽभूत् । आङ्गिरसेन्द्रादिरूपदप्रयोगे गीष्पतिसहस्रनयनादियोगरूपद रूढ्यर्थबोधनेन गतार्थमिति तादृश पदेन प्रतिपाद्यमानोऽपि योगार्थं पङ्कजाक्षीत्यादौ पङ्कजनिकर्तृरूपार्थवत् तात्पर्याविषय इति शक्यता तस्य योगार्थस्य कुर्वद्रूपता ( कार्यकारिता ) नश्येत्, तथा चाङ्गिरसो वाक्यवृत्तिं वर्तमानेऽपि तव गुणान् वक्तुमसमर्थः, इन्द्र सहस्रनयनत्वेऽपि तव रूपं परिच्छेत्तुमशक्य इत्यर्थबोधनद्वारा राजगतावर्णनीयगुणरूपशालितात्मकातिशयव्यञ्जन न स्यात्, उक्त शंकाया अनुत्पानेऽङ्गीकृते च तदतिशयव्यञ्जन स्यादपीति वैकल्पिक तदतिशयव्यञ्जन भवेत्, गीष्पतिसहस्रनयनादियोगरूपदप्रयोगे सत्यपि आङ्गिरसेन्द्रादिरूपरूपदस्य प्रयोगे तु आङ्गिरसादिपदेनैव रूढ्यर्थप्रतिपादने जाते गीष्पत्यादिपदप्रतिपाद्यस्य योगार्थस्य तात्पर्यविषयत्वशका न भवितुमर्हति, तन्नाभार्थमेव पृथक् योगरूपदप्रयोगात् । तथा च तस्य योगार्थस्य कुर्वद्रूपताऽभ्युपगमात् तिष्ठति, तेनोक्तातिशयव्यञ्जनं नियमतो जायते, नर्वाकल्पिक एवञ्च द्वितीयपदप्रयोगनैरर्थक्यापत्तिरपि प्रागुक्ता समाहितेति भाव ।

अब उक्त शंका का सिद्धान्तभूत समाधान करते हैं—अत्राहुः इत्यादि । 'गीष्पति आङ्गिरसः' यहाँ योगरूपदशक्ति के द्वारा 'गीष्पति' का अर्थ होता है वाणी का पति बृहस्पति और रूढशक्ति के द्वारा 'आङ्गिरस' पद का अर्थ होता है केवल बृहस्पति । इस स्थिति में इन दोनों पदों के अर्थों का अन्वय किस तरह से हो, इस प्रश्न के उत्तर में यह कहा जायगा कि 'गीष्पति' पद से जो दो (योगार्थ तथा रूढ्यर्थ—वाणी का पति एवं बृहस्पति) अर्थ उपस्थित हैं, उन्हीं दोनों में परस्पर अन्वय होगा, क्योंकि 'वे दोनों अर्थ एक पद उपस्थित हुए हैं' इस ज्ञान से श्रोता की अन्वयविषयक जिज्ञासारूप आकाङ्क्षा उन दोनों अर्थों के विषय में पहले उदित होगी, अतः वही आकाङ्क्षा अन्तरङ्ग होगी । एकपदोपस्थापित दो अर्थों का परस्पर अन्वय जब तक नहीं हो जायगा, तब तक दोनों अर्थों का अन्वय आङ्गिरस पद के रूढ्यर्थ ( बृहस्पति ) के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि 'दो पदों से वे अर्थ उपस्थित हुए हैं' इस ज्ञान के कारण उन दोनों अर्थों के विषय में अन्वय-जिज्ञासारूप आकाङ्क्षा पश्चात् उदित होगी, अतः एव वहिरङ्ग होगी । निर्णय के अनुसार पहले 'वाणीपति से अभिन्न बृहस्पति' इस प्रकार से 'गीष्पति' पदोपस्थापित अर्थों का अन्वय हो चुकने के बाद उस अन्वित अर्थ का 'आङ्गिरस' पदोपस्थापित रूढ्यर्थ ( बृहस्पति ) के साथ 'बृहस्पति, वाणीपति से अभिन्न बृहस्पति' इस प्रकार से अन्वय होगा और इस तरह से अन्वय करने में कोई आपत्ति भी नहीं हो सकती, क्योंकि 'घट नील घट है कि नहीं, दण्डवाला रक्त दण्डवाला है कि नहीं' इस सन्देह निवृत्ति के लिये 'घटो नीलघट अर्थात् घट नील घट है' और 'दण्डवान् रक्तदण्डवान् अर्थात् दण्डवाला रक्त दण्डवाला है' इस तरह के विषय अंश में अधिक ( उद्देश्य अंश कुछ अधिक ) अर्थ को विषय बनानेवाले शब्दबोध को नवीन विद्वानों ने स्वाकृत किया है । उक्त सन्देह की निवृत्ति 'नीलो घटः अर्थात् घट नील है' इस बोध ( निश्चय ) नहीं हो सकता, क्योंकि समान आकारवाले निश्चय को ही समान आकारवाले सन्देह का निवर्तक माना जाता है । इस तरह से यह सिद्ध हुआ कि जैसे 'घटो घटः अथ घट घट है' 'दण्डवान् दण्डवान् अर्थात् दण्डवाला दण्डवाला है' इत्यादि बोध के होना पर भी 'घटो नीलघटः अर्थात् घट नीलघट है,' 'दण्डवान् रक्तदण्डवान् अर्थात् दण्डवाला रक्तदण्डवाला है' इत्यादि बोध होते हैं, उसी तरह 'बृहस्पति बृहस्पति' इस तरह के बोध के न हो सकने पर भी बृहस्पति वाणीपति से अभिन्न बृहस्पति है इस तरह का बोध हो ही सकता है । यही रीति 'इन्द्रः सहस्रनयनः' इत्यादि में भी समझ लेनी

हिप । अब उक्त स्थल पर पुनरुक्ति दोष की शंका वारित हो गई अर्थात् 'बृहस्पति ह्मपति' इस तरह के बोध में ही पुनरुक्ति लगती है, 'बृहस्पति वाणीपति से अभिन्न ह्मपति' इस तरह के बोध में नहीं । परन्तु इस तरह ने पुनरुक्ति दोष का उद्धार तब ज्या जाना चाहिए, जब गीप्पति और आङ्गिरम दोनों पदों को वाचक ही माना जाय और दोनों पदों के शक्य अर्थ का ही अन्वय करना अभीष्ट हो । यदि गीप्पति आदि योगरूढ पद को लाक्षणिक मान लिया जाय अर्थात् उस पद से लक्षणा वाणीपतिरूप योगार्थमात्र की उपस्थिति मानी जाय, तब तो उक्त योगार्थ का आङ्गिरम के रूढार्थ ह्मपति के माय अन्वय होने में कोई बाधा ही नहीं रह जाती अर्थात् गीप्पति—वाणी ग पति, आङ्गिरम—बृहस्पति इस तरह का अन्वयबोध सर्वसम्मत ही है । तात्पर्य यह हुआ कि इस रीति से भा वहाँ पुनरुक्ति का उद्धार किया जा सकता है और यह रीति एक रीति में सरल भी पडती है । अब रह जाती है आपकी वह शंका, जिसमें कहा गया कि गीप्पति आदि योगरूढ पद से ही योगार्थ (वाणीपति) और रूढार्थ (बृहस्पति) दोनों अर्थों का बोध हो ही जायगा, फिर पृथक् रूढ पद (आङ्गिरम आदि) का प्रयोग व्यर्थ है । परन्तु वह शंका भी उचित नहीं, क्योंकि योगरूढ पद से पृथक् यदि रूढ पद का प्रयोग नहीं किया जायगा, तब योगरूढ (गीप्पति आदि) पद रूढार्थ का बोध कराकर नूतार्थ हो जायगा, अतः उससे योगार्थ का प्रतिपादन होने पर भी, वह (योगार्थ) नान्तरीयक समझा जायगा अर्थात् यह समझा जायगा कि वक्ता का प्रतिपाद्य अर्थ है रूढार्थ ही, परन्तु उसके लिये उतने प्रयोग कर दिया है योगरूढ पद का, अतः अनिवार्य होने के कारण उस पद से योगार्थ का भी बोध हो जाता है, किन्तु वह (योगार्थ) वक्ता का अभिप्रेत नहीं है । आप कहेंगे ऐसे नान्तरीयक अर्थ का बोध कहीं दिखलाया जा सकता है ? तो प्रत्यकार कहते हैं—हाँ, देखिए—पङ्कजाक्षी पद का प्रयोग करनेवाले वक्ता का 'कमलसदृशनेत्रवाली' यही अर्थ अभिप्रेत रहता है, 'कीचड से उत्पन्न होनेवाले कमल के समान नेत्रवाली' यह अर्थ नहीं, और पङ्कजाक्षी पद के अन्तर्गत जो पङ्कज लक्ष है उससे उस अर्थ की भी प्रतीति तो अवश्य होती है क्योंकि वह पद योगरूढ है । अतः जंमे यहाँ प्रतीयमान होने पर भी 'कीचड से उत्पन्न' यह लक्ष नान्तरीयक समझा जाना है—वक्ता का तात्पर्य विषय नहीं समझा जाता, वैसे ही उक्त स्थल में भी समझा जायगा । आप पूछेंगे कि इससे क्या हुआ ? अर्थात् गीप्पति आदि योगरूढ पद से नान्तरीयकरूप में ही सही, योगार्थ का भी बोध होगा तो ? तब विगडा क्या ? किसी रूप में उतका बोध कराना ही तो अभीष्ट है । इस पर प्रत्यकार का कथन है कि नान्तरीयकरूप में योगार्थ का बोध यहाँ हुआ है ऐसी शंका यदि श्रोताओं को हो जायगी तब उस योगार्थ (वाणीपति आदि) में कुर्वद्वरूपता नष्ट हो जायगी अर्थात् वह अर्थ कार्यकारी (कारगर) नहीं समझा जायगा और जब वह अर्थ कार्यकारी नहीं समझा जायगा, तब प्रकृतोपयोगी जो एक प्रकार का विशिष्ट अतिशय उक्त अर्थ के द्वारा व्यक्त होता था, वह नहीं होगा अर्थात् उक्त अर्थ में जो राजा की अवर्णनीय गुणशालिता आदि व्यक्त होती थी वह नहीं होगी । यदि किसी कारण से किसी को उक्त स्थिति में भी उक्त योगार्थ में नान्तरीयकत्व की शंका नहीं होगी, तब उतको उक्त अर्थ से उक्त अतिशय की अभिव्यक्ति यद्यपि हागी, तथापि इस तरह ने वह अभिव्यक्ति पात्रिक हो जायगी अर्थात् एक पत्र (नान्तरीयकत्वशंका के अभाव) में होगी और एक पत्र (नान्तरीयकत्व शंका के हो जाने पर) में नहीं होगी । और जब योगरूढ (गीप्पति आदि) से पृथक् रूढ (आङ्गिरम आदि) का भी प्रयोग किया जाता है, तब योगरूढ पद से प्रतिपादित होनेवाला योगार्थ नान्तरीयक नहीं समझा जा सकता, क्योंकि रूढ पदका पृथक् प्रयोग कर लेने के बाद भी जो वक्ता ने पृथक् योगरूढ पद का भी प्रयोग किया है, उसमें उतका यही अभिप्राय समझा जायगा कि योगार्थ का बोध कराना वक्ता का परम अभिप्रेत है और जब ऐसा समझा जायगा तब उस योगार्थ में कुर्वद्वरूपता (कार्यकारिता)

प्रतिपादने गीष्पत्यादियोगरूपदलक्ष्ययोगार्थस्याङ्गिरसादिरूपदार्थेनान्वये तु व बाधा नास्तीति सुगमोऽयं पन्था । इत्थञ्च पूर्वोक्त पुनरुक्तिदोषः परिहृतोऽभूत् । अ सेन्द्रादिरूपदप्रयोगे गीष्पतिसहस्रनयनादियोगरूपदं रूढ्यर्थबोधनेन गतार्थमिति त पदेन प्रतिपाद्यमानोऽपि योगार्थं पङ्कजाक्षीत्यादौ पङ्कजनिकर्तृरूपार्थवत् तात्पर्याविषय शङ्कया तस्य योगार्थस्य कुर्वद्रूपता ( कार्यकारिता ) नश्येत्, तथा चाङ्गिरसो वाक् वर्तमानेऽपि तव गुणान् वक्तुमसमर्थं, इन्द्र सहस्रनयनत्वेऽपि तव रूप परिच्छेत् इत्यर्थबोधनद्वारा राजगतावर्णनीयगुणरूपशालितात्मकातिशयव्यञ्जन न स्यात्, शंकाया अनुत्थानेऽङ्गीकृते च तदतिशयव्यञ्जन स्यादपीति वैकल्पिक तदतिशयव्यञ्जन र गीष्पतिसहस्रनयनादियोगरूपदप्रयोगे सत्यपि आङ्गिरसेन्द्रादिरूपरूपदस्य प्रयोगे आङ्गिरसादिपदेनैव रूढ्यर्थप्रतिपादने जाते गीष्पत्यादिपदप्रतिपाद्यस्य योगार्थस्य त विषयत्वशका न भवितुमर्हति, तस्माभार्थमेव पृथक् योगरूपदप्रयोगात् । तथा च योगार्थस्य कुर्वद्रूपताऽभ्युष्णा तिष्ठति, तेनोक्तातिशयव्यञ्जन नियमतो जायते, नवैकति एवञ्च द्वितीयपदप्रयोगनैरर्थक्यापत्तिरपि प्रागुक्ता समाहितेति भावः ।

अत्र उक्तशका का सिद्धान्तभूत समाधान करते हैं—अत्राहुः इत्यादि । ' आङ्गिरसः' यहाँ योगरूपशक्ति के द्वारा 'गीष्पति' का अर्थ होता है वाणी का पति व और रूढशक्ति के द्वारा 'आङ्गिरस' पद का अर्थ होता है केवल बृहस्पति । इस में इन दोनों पदों के अर्थों का अन्वय किस तरह से हो, इस प्रश्न के उत्तर में यह कहा जायगा कि 'गीष्पति' पद से जो दो (योगार्थ तथा रूढ्यर्थ—वाणी का पति एव बृहस्पति) अर्थ उपस्थित हैं, उन्हीं दोनों में परस्पर अन्वय होगा, क्योंकि 'वे दोनों अर्थ एक पद से उपस्थित हुए हैं' इस ज्ञान से श्रोता की अन्वयविषयक जिज्ञासारूप आकाङ्क्षा उन्हीं दोनों अर्थों के विषय में पहले उदिन होगी, अतः वही आकाङ्क्षा अन्तरङ्ग होगी । उन एकपदोपस्थापित दो अर्थों का परस्पर अन्वय जब तक नहीं हो जायगा, तब तक उन दोनों अर्थों का अन्वय आङ्गिरस पद के रूढ्यर्थ ( बृहस्पति ) के साथ नहीं हो सकता क्योंकि 'दो पदों से वे अर्थ उपस्थित हुए हैं' इस ज्ञान के कारण उन दोनों अर्थों के विषय में अन्वय जिज्ञासारूप आकाङ्क्षा पश्चात् उदित होगी, अत एव बहिरङ्ग होगी । इस निर्णय के अनुसार पहले 'वाणीपति से अभिन्न बृहस्पति' इस प्रकार से 'गीष्पति' पदोपस्थापित अर्थों का अन्वय हो चुकने के बाद उस अन्वित अर्थ का 'आङ्गिरसपदोपस्थापित रूढ्यर्थ ( बृहस्पति ) के साथ 'बृहस्पति, वाणीपति से अभिन्न बृहस्पति' इस प्रकार से अन्वय होगा और इस तरह से अन्वय करने में कोई आपत्ति भी नहीं हो सकती क्योंकि 'घट नील घट है कि नहीं, दण्डवाला रक्त दण्डवाला है कि नहीं' इस सन्देह निवृत्ति के लिये 'घटो नीलघटः' अर्थात् घट नील घट है' और 'दण्डवान् रक्तदण्डवान्' अर्थात् दण्डवाला रक्त दण्डवाला है' इस तरह के विधेय अश में अधिक ( उद्देश्य अश कुछ अधिक ) अर्थ को विषय बनानेवाले शाब्दबोध को नवीन विद्वानों ने स्वाकृत किया है । उक्त सन्देह की निवृत्ति 'नीलो घटः अर्थात् घट नील है' इस बोध ( निश्चय ) नहीं हो सकता, क्योंकि समान आकारवाले निश्चय का ही समान आकारवाले सन्त का निवर्तक माना जाता है । इस तरह से यह सिद्ध हुआ कि जैसे 'घटो घटः अथ घट घट है' 'दण्डवान् दण्डवान्' अर्थात् दण्डवाला दण्डवाला है' इत्यादि बोध के न हो सके पर भी 'घटो नीलघटः अर्थात् घट नीलघट है,' 'दण्डवान् रक्तदण्डवान्' अर्थात् दण्डवा रक्तदण्डवाला है' इत्यादि बोध होते हैं, उसी तरह 'बृहस्पति बृहस्पति' इस तरह बोध के न हो सकने पर भी बृहस्पति वाणीपति से अभिन्न बृहस्पति है इस तरह बोध हो ही सकता है । यही रीति 'इन्द्रः सहस्रनयनः' इत्यादि में भी समझ से

।हिप् । अव उक्त स्थल पर पुनरुक्ति दोष की शंका वारित हो गई अर्थात् 'बृहस्पति इन्स्पति' इम तरह के बोध में ही पुनरुक्ति लगती है, 'बृहस्पति वाणीपति से अभिन्न इन्स्पति' इम तरह के बोध में नहीं। परन्तु इम तरह से पुनरुक्ति दोष का उद्धार तब ज्या जाना चाहिप, जब गीष्पति और आङ्गिरस दोनों पदों को वाचक ही माना जाय और दोनों पदों के शक्य अर्थ का ही अन्वय करना अभीष्ट हो। यदि गीष्पति आदि योगरूढ पद को लाक्षणिक मान लिया जाय अर्थात् उस पद से लक्षणाया वाणीपतिरूप योगार्थमात्र की उपस्थिति मानी जाय, तब तो उस योगार्थ का आङ्गिरस के रुद्ध्यर्थ इहस्पति के साथ अन्वय होने में कोई बाधा ही नहीं रह जाती अर्थात् गीष्पति—वाणीपति, आङ्गिरस—बृहस्पति इस तरह का अन्वयबोध सर्वसम्मत ही है। तात्पर्य यह है कि इम रीति से भा वहाँ पुनरुक्ति का उद्धार किया जा सकता है और यह रीति उक्त रीति से सरल भी पढती है। अब रह जाती है आपकी वह शंका, जिममें कहा गया कि गीष्पति आदि योगरूढ पद से हा योगार्थ (वाणीपति) और रुद्ध्यर्थ (बृहस्पति) दोनों अर्थों का बोध हो ही जायगा, फिर पृथक् रूढ पद (आङ्गिरस आदि) का प्रयोग अर्थ है। परन्तु वह शंका भी उचित नहीं, क्योंकि योगरूढ पद से पृथक् यदि रूढ पद का प्रयोग नहीं किया जायगा, तब योगरूढ (गीष्पति आदि) पद रुद्ध्यर्थ का बोध कराकर कृतार्थ हो जायगा, अतः उससे योगार्थ का प्रतिपादन होने पर भी, वह (योगार्थ) नान्तरीयक समझा जायगा अर्थात् यह समझा जायगा कि वक्ता का प्रतिपाद्य अर्थ है रुद्ध्यर्थ ही, परन्तु उसके लिये उमने प्रयोग कर दिया है योगरूढ पद का, अतः अनिवार्य होने के कारण उस पद से योगार्थ का भी बोध हो जाता है, किन्तु वह (योगार्थ) वक्ता का अभिप्रेत नहीं है। आप कहेंगे ऐसे नान्तरीयक अर्थ का बोध कहीं दिखलाया जा सकता है ? तो ग्रन्थकार कहते हैं—हाँ, देखिए—पङ्कजाक्षी पद का प्रयोग करनेवाले वक्ता का 'कमलसदृशनेत्रवाली' यही अर्थ अभिप्रेत रहता है, 'कीचड से उत्पन्न होनेवाले कमल के समान नेत्रवाली' यह अर्थ नहीं, और पङ्कजाक्षी पद के अन्तर्गत जो पङ्कज अश है उससे उस अर्थ की भी प्रतीति तो अवश्य होती है क्योंकि वह पद योगरूढ है। अतः जंमे यहाँ प्रनीयमान होने पर भी 'कीचड से उत्पन्न' यह अश नान्तरीयक समझा जाता है—वक्ता का तात्पर्य विषय नहीं समझा जाता, वैसे ही उक्त स्थल में भी समझा जायगा। आप पूछेंगे कि इससे क्या हुआ ? अर्थात् गीष्पति आदि योगरूढ पद से नान्तरीयकरूप में ही सही, योगार्थ का भी बोध होगा तो ? तब बिगडा क्या ? किसी रूप में उसका बोध कराना ही तो अभीष्ट है। इस पर ग्रन्थकार का कथन है कि नान्तरीयकरूप में योगार्थ का बोध यहाँ हुआ है ऐसी शंका यदि श्रोताओं को हो जायगी तब उस योगार्थ (वाणीपति आदि) में कुर्वद्रूपता नष्ट हो जायगी अर्थात् वह अर्थ कार्यकारी (कारगर) नहीं समझा जायगा और जब वह अर्थ कार्यकारी नहीं समझा जायगा, तब प्रकृतोपयोगी जो एक प्रकार का विशिष्ट अतिशय उस अर्थ के द्वारा व्यक्त होता था, वह नहीं होगा अर्थात् उस अर्थ से जो राजा की अवर्णनीय गुणशालिता आदि व्यक्त होती थी वह नहीं होगी। यदि किसी कारण से किसी को उक्त स्थिति में भी उक्त योगार्थ में नान्तरीयकत्व की शंका नहीं हागी, तब उमको उस अर्थ से उक्त अतिशय की अभिव्यक्ति यद्यपि होगी, तथापि इस तरह से वह अभिव्यक्ति पाक्षिक हो जायगी अर्थात् एक पक्ष (नान्तरीयकत्वशंका के अभाव) में होगी और एक पक्ष (नान्तरीयकत्व शंका के हो जाने पर) में नहीं होगी। और जब योगरूढ (गीष्पति आदि) से पृथक् रूढ (आङ्गिरस आदि) का भी प्रयोग किया जाता है, तब योगरूढ पद से प्रतिपादित होनेवाला योगार्थ नान्तरीयक नहीं समझा जा सकता, क्योंकि रूढ पदका पृथक् प्रयोग कर लेने के बाद भी जो वक्ता ने पृथक् योगरूढ पद का भी प्रयोग किया है, उससे उसका यही अभिप्राय समझा जायगा कि योगार्थ का बोध कराना वक्ता का परम अभिप्रेत है और जब ऐसा समझा जायगा तब उस योगार्थ में कुर्वद्रूपता (कार्यकारिता)



हेगी, जिससे उक्त विशिष्ट अतिशय की अभिव्यक्ति नियमतः होगी, पूर्वोक्त पाश्चिक नहीं ।

उपसहरति—

एषा पदद्वयोपादानस्थले गतिरुक्ता ।

यत्र रूढ-योगरूढोभयविधपदप्रयोगस्तत्र प्रागुपदर्शिता निर्वाहरीति कथितेति : 'गीष्पतिरथाङ्गिरसः...' इत्यादि प्रकरण का उपसहार करते हैं—एषा इत्यादि जो रीति दिखलाई गई है, वह वहाँ के लिये, जहाँ एक ही अर्थ के बोधक योगरूढ दोनों प्रकार के पद प्रयुक्त हों ।

नन्वेव यत्र केवल योगरूढ पद प्रयुज्य रूढ्यर्थस्य योगार्थप्रतीतिद्वारकविधं प्रत्यायन क्रियते, तत्र कुर्वद्रूपताया अपहति कुतो नेत्याह—

यत्र तु 'पुष्पधन्वा विजयते जगत्त्रत्करुणावशात्' इत्यादावेकेनैव रूढ्यर्थोपस्थितियोगार्थं । रा निःसारत्वाद्यवगमश्च भवति, तत्र कविकृत रूढपदान्तरानुपादानपूर्वकपुष्पधन्वपदोपादानप्रतिसंधानेन तदीययोगार्थं द्रूपताधान बोध्यम् ।

'कामदेव, त्वत्करुणावशात् त्वदीयदयाकारणात्, जगत् ससारम्, विजयते' मूलोक्तवाक्ये यद्यपि पुष्पधन्वेति योगरूढमेव पदं केवलम् प्रयुक्तम्, तथा च तत्र कामदेव रूपरूढ्यर्थमात्रबोधनेन गतार्थेन तेन पदेन प्रतिपाद्यमानस्य पुष्पात्मकधनुर्धारिरूपस्य योगार्थस्य नान्तरीयकत्वशक्या कुर्वद्रूपताया अपहतौ योगार्थद्वारकनि सारत्वव्यञ्जन कथं भवेदिति शका सम्भवति तथापि वर्तमानेषु कामदेवार्थकेषु बहुषु रूढपदेषु किमिति कवि पुष्पधन्वरूपं योगरूढमेव पदं प्रायुङ्क्त, तदवश्यमत्र कवे योगार्थप्रत्यायनद्वारा कस्यचनानि शयस्याभिव्यक्तिरभिलषितेति प्रतिसंधानेन रूढ्यर्थबोधनगतार्थेनापि पुष्पधन्वरूपयोगरूढ पदेन प्रतिपाद्यमाने योगार्थे नान्तरीयकत्वशकानुत्थानपूर्वककुर्वद्रूपताज्ञान भवतीति नोक्तं ह्याया सभव इति भावः ।

जब आपने यह सिद्धान्त-सा मान लिया कि जहाँ केवल योगरूढ पद का प्रयोग रूढ है, वहाँ उस पद से प्रतिपादित होनेवाला योगार्थनान्तरीयक-कुर्वद्रूपसारहित (कार्याप हो जाता है, अतः उससे किसी विशिष्ट अतिशय की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, जहाँ केवल योगरूढ पद का प्रयोग है और उसी से रूढ्यर्थ तथा योगार्थ की प्रतीति द्वारा किसी अतिशय की भी प्रतीति होती है, वह कैसे? अर्थात् वहाँ कुर्वद्रूपता हानि क्यों नहीं होती? हम शका का समाधान अब करते हैं—यत्र तु इत्या 'पुष्पधन्वा' इत्यादि अर्थात् हे भगवन् ! पुष्पधन्वा ( कामदेव ) तेरी दया से ही सं का विजय करता है' इत्यादि स्थानों में जहाँ 'पुष्पधन्वा' आदि एक योगरूढ पद से कामदेवरूप रूढ्यर्थ और 'फूलों के धनुषवाला' इस योगार्थके द्वारा कामदेव की निस्सा ( दुर्बलता ) दोनों अर्थ ज्ञान होते हैं—वहाँ यद्यपि उक्त रीति से योगार्थ में कुर्वद्रूप ( कार्यकारिता ) का विनाश हो जाना चाहिए परन्तु होता नहीं है, क्यों? इसलिये श्रोता जब यह सोचते हैं कि कामदेव के वाचक बहुतेरे रूढ पदों के उपस्थित रहें भी उन सबों को छोड़कर 'पुष्पधन्वा' इस योगरूढ पद का ही प्रयोग वक्ता ( कवि क्यों किया है? अवश्य कवि को योगार्थ के द्वारा किसी विशिष्ट अर्थ की अभिव्यक्ति करनी है, तब केवल 'पुष्पधन्वा' इस योगरूढ पद से भी प्रतिपादित योगार्थ में नायकत्व की शका नहीं होती, अतः कुर्वद्रूपता का विनाश नहीं होता ।

उपसहरति—

तदित्थं द्वितीयपदस्योपादानेऽनुपादाने वा न क्षतिः ।

पूर्वोक्तरीत्या सर्वत्र सामञ्जस्यसम्भवेन योगरूढपदप्रयोगे सति पृथक् रूढपदस्य प्रयो-  
ऽप्रयोगे वा न काप्यनुपपत्तिरिति भावः ।

उपसहार करते हैं—तदित्यम् इत्यादि । उक्त विवरणों से यह सिद्ध हुआ कि योगरूढ  
रूढ दोनों तरह के पदों का प्रयोग किया जाय अथवा केवल योगरूढ पद का ही-  
नों स्थितियों में कोई आपत्ति नहीं, अर्थात् दोनों रीतियाँ चल सकती हैं ।

स्थलान्तरेऽपि पूर्वोक्तम् रीतिनतिदिशति—

एवं जात्यन्तरविशिष्टवाचकपदसमभिन्नाहारेऽपि ।

कस्यचित् प्रयुक्तस्य योगरूढस्य शब्दस्य समीपे यदि तदीयरूढ्यर्थगतजातिभिन्नजाति-  
वेशिष्टार्थवाचक पदान्तर प्रयुज्यते, तदा तद्योगरूढं पद तत्र लक्षणया योगार्थमात्रप्रति-  
पादक भवतीति भावः ।

कतिपय भिन्न स्थानों में भी उक्त रीति का ही अनुसरण करना पढ़ना है इसका  
उल्लेख करते हैं—एवम् इत्यादि । जहाँ किसी ऐसे योगरूढ पद का प्रयोग हो जिसके  
समीप ही उस योगरूढ पद के रूढ्यर्थ से भिन्न जातीय अर्थ का वाचक दूसरा पद भी  
प्रयुक्त हो, वहाँ भी उक्त रीति से योगरूढ पद को लक्षणया केवल योगार्थ का बोधक  
मानना पड़ेगा ।

तादृशं वाक्यनुदाहरति—

‘दिशि दिशि जलजानि सन्ति कुमुदानि’ इत्यत्रापि जलजादिपदानां लक्ष-  
णया योगार्थमात्रबोधकत्वम्, योगशक्त्युल्लासितस्य तु तादृशार्थस्य रूढ्यर्थोप-  
श्लिष्टत्वेन स्वातन्त्र्येण कुमुदादावन्वयायोगान् ।

‘प्रतिदिश जलोत्पन्नानि कुमुदानि वर्तन्ते’ इत्यर्थके मूलोक्तवाक्ये जलनेति योगरूढ पदं  
लक्षणया जलावधिकोत्पत्तिशालिरूपयोगार्थमात्रप्रतिपादकम्, तत्पदवाच्यरूढ्यर्थकमलगत-  
कमलत्वजातिभिन्नकुमुदत्वजातिविशिष्टार्थवाचककुमुदपदसमभिन्वाहारान् । ननु किमर्थ-  
मिह लक्षणायाम्, जलजपयनिष्ठयोगशक्त्यैव लक्षणालभ्यार्थस्य लाभादित्यत आह—योगश-  
क्त्युल्लासितस्येत्यादि । अत्र भावः—यद्यपि जलपदनिष्ठयोगशक्त्यापि जलावधिकोत्पत्तिशालि-  
रूपोऽर्थो बोध्यते, परन्तु स योगार्थं तत्पदनिष्ठरूढ्यर्थकबोधकमलत्वजातिविशिष्टार्थमिलित  
एव प्रतीतिविपर्ययतथा च भिन्नजातिविशिष्टमिलितस्य तस्य योगार्थस्य भिन्नजातिविशि-  
ष्टार्थं कुमुदपदवाच्येऽन्वयो न भवितुमर्हतीति लक्षणया योगार्थमात्रबोधकत्वं जलजादि-  
पदानामावश्यकमिति ।

उक्त प्रकार के वाक्यों का निर्देश करते हैं—दिशि दिशि इत्यादि । ‘सभी दिशाओं में  
जल से उत्पन्न होनेवाले कुमुद हैं’ एतदर्थक मूल वाक्य में ‘जलज’ पद यद्यपि कमलरूप  
अर्थ में योगरूढ है, तथापि यहाँ कमलत्व जाति से भिन्न कुमुदत्व जाति से विशिष्ट  
(कुमुद) अर्थ के वाचक कुमुद पद के साथ प्रयुक्त होने पर उस (जलज) पद की  
जल से उत्पन्न होनेवाला’ इस योगार्थ में लक्षणा समझनी चाहिए, अन्यथा जलज पदार्थ  
का कुमुदपदार्थ के साथ अभेदेन अन्वय नहीं हो सकेगा । यदि कोई कहे कि ‘जल से  
उत्पन्न होनेवाला’ इस अर्थ में जलज पद की लक्षणा करने की क्या आवश्यकता है, वह  
अर्थ तो उस पद की योगशक्ति से अभिहित होता ही है ? तो प्रत्यकार कहते हैं—हाँ,  
पता तो ठीक है, पर कमलरूप रूढ्यर्थ से मिश्रितरूप में, अत कमल से मिश्रित उस  
योगार्थ का कमल से भिन्नजातीय कुमुद अर्थ के साथ अन्वय नहीं हो सकेगा, अतः  
जलज पद को ऐसे स्थलों पर लाक्षणिक मानना ही पड़ेगा, जिससे वह पद योगार्थ का  
प्रतिपादन करे, कुमुद से विरुद्ध कमल का नहीं ।

उपसंहरति—

इत्थमभिधा निरूपिता ।

उक्तप्रकारकमभिधाया निरूपणमवसितमिति भाव ।

उपसहार—उक्त रीति से आरब्ध अभिधा-निरूपण अब यहाँ समाप्त हुआ ।

वाचकवाच्ययो परिचयं कारयति—

अनया य. शब्दो यमर्थं बोधयति स तस्य वाचकः । इयं च यस्य शब्दस्य यस्मिन्नर्थेऽस्ति तस्य सोऽर्थोऽभिधेयः ।

पूर्वोक्तत्रिप्रकारकाभिधावृत्यन्यतमद्वारा य शब्दो यस्यार्थस्य बोधकः स शब्दस्तस्यार्थस्य वाचकः कथ्यते । एवम् यस्य पदस्य अभिधा निरूपकतासबन्धेन यस्मिन्नर्थे तिष्ठति, सोऽर्थस्तस्य पदस्य अभिधेयो वाच्यो वा व्यवहियत इति भाव ।

अब वाचक तथा वाच्य का परिचय कराते हैं—अनया इत्यादि । पूर्व में जो अभिधा के भेद दिखलाये गये हैं, उनमें से किसी एक के द्वारा जो शब्द जिस अर्थ का बोधक होता है, वह उसका वाचक कहलाता है और जिस शब्द की यह अभिधाशक्ति जिस अर्थ में रहती है, वह अर्थ उस शब्द का अभिधेय-वाच्य समझा जाता है । शब्द की शक्ति अर्थ में 'निरूपकता' सबन्ध से रहती है यह भी समझना चाहिए ।

इदानीमुपाधीनामेवाभिधेयत्व न व्यक्तीनामित्युपपादयति—

स च जातिगुणक्रियायादृच्छिकात्मकः । तत्र जातिर्गोत्वादिः संस्थानविशेषा भिव्यङ्ग्या प्रत्यक्षसिद्धा गवादिपदानामभिधेया । अनुमानसिद्धा च घ्राणरसनत्वादिघ्राणरसनादिपदानाम्, आनन्त्यात्, व्यभिचाराच्च व्यक्तीनामभिधेयताया अकल्पनात् ।

स इति । अभिधेय इत्यर्थः । जातिगुरोति । जातिर्गोत्वादिर्जातिवाचकशब्दानाम्, गुण शुक्लादिर्गुणवाचकपदानाम्, क्रिया पाकादि क्रियावाचकशब्दानाम्, तथा यादृच्छिकं यदृच्छया निष्पन्नं देवदत्तादि सज्ञाशब्द सज्ञाशब्दानामभिधेय इत्यर्थः । जातेर्द्विविधत्वेन विशेषतस्ता विवृणोति—तत्रेति । चतुर्विधेषु अभिधेयेषु इत्यर्थः । संस्थानविशेषेण आकृति विशेषेण अवयवसघटनेनेति यावत्, अभिव्यङ्ग्या, आश्रयस्य गवादे प्रत्यक्षतया प्रत्यक्षसिद्धा गोत्वादिजाति । घ्राणादीनामतीन्द्रियत्वेन तन्निष्ठा जातिरपि तथेति घ्राणत्वरसनत्वादिजातिरनुमानेन सिद्धा न प्रत्यक्षप्रमाणेनेति भावः । ननु व्यक्तीनामेवाभिधेयता कुतो नास्ति कियत इत्यत आह—आनन्त्यादिति । व्यक्तिषु शक्तिस्वीकारे व्यक्तीनामानन्त्येन शक्त्या नन्त्यम् तत्प्रयुक्तं गौरवम्, वस्तुतस्तु सकलव्यक्तीना शक्तिप्रहकालेनोपस्थितिसम्भवं उपस्थापकाभावात्, तथा चोपस्थितासु कियतीषु व्यक्तिष्वेव शक्तिप्रहो भवेत्, न सर्वासु व्यक्तिषु । तथात्वे च अग्रहीतशक्तीनामपि व्यक्तीना तस्मात् पदात्वबोधस्यानुभविकत्वेन व्यभिचार एवेति न व्यक्तिषु शक्तिरिति भावः । उपाधिशक्तिवादपक्षे तु न शक्त्यान्त्यम्, गोत्वादिजातेरेकत्वात्, न वा व्यभिचार तस्या जात्यादेरुपाधे सकलव्यक्तिषु सत्त्वात् ।

अब जाति आदि उपाधि ही शब्द का वाच्य है, व्यक्ति नहीं, इसी बात का उपपादन युक्तिपूर्वक करते हैं—स च इत्यादि । वाच्य अथवा अभिधेय अर्थ चार प्रकार के हैं—जाति, गुण, क्रिया और यादृच्छिक । उनमें गोत्व सब गौओं = गाय बैलों में रहने वाला सामान्य धर्म जिसके कारण उन्हें 'गौ' कहा जाता है—आदि धर्म जाति कहा जाता है । वह जाति अवयवों के विशिष्ट प्रकारक गठन से अभिव्यक्त होती है ( क्योंकि गाय बैलों के अवयव गठन जिस तरह के होते हैं, वैसे अन्य प्राणियों के नहीं—सभी प्राणियों के अवयव गठन [ अङ्गरचना ] भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं ) और आश्रय ( गाय-बैल )

प्रत्यक्षसिद्ध होने से प्रत्यक्षसिद्ध है। वही जाति 'गौ' आदि शब्दों का वाच्य-अर्थ। जो आश्रय प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं रहता, उसमें रहनेवाली जाति भी प्रत्यक्ष सिद्ध ही होती, अतः उस तरह की जाति अनुमान से सिद्ध होती है, जैसे प्राग ( नासि-न्द्रियवाची ) रसन ( जिह्वेन्द्रियवाची ) शब्दों का वाच्य अर्थ 'प्रागन्व', 'रसनत्व' आदि जातियाँ। ये जातियाँ अनुमान से सिद्ध हैं, प्रत्यक्ष से नहीं क्योंकि इन जातियों के आश्रय जो प्रागेन्द्रिय तथा रसनेन्द्रिय हैं उनका प्रत्यक्ष किसी भी इन्द्रिय से नहीं होता—ये इन्द्रिय जतीन्द्रिय हैं, अतः तद्गत जातियाँ भी जतीन्द्रिय हैं। एक बात ध्यान में रख लेनी चाहिये कि प्रत्यक्ष देख पढ़ने वाले हड्डी या चमड़े इन्द्रिय नहीं हैं, अपितु उनके भीतर काम करने वाला तत्त्व जिसका प्रत्यक्ष हमको किसी तरह नहीं होता है। यहाँ, प्रवृत्ति निवृत्ति के योग्य होने के कारण गौ आदि व्यक्तियों को ही गौ आदि शब्दों का अभिप्रेय अर्थ क्यों नहीं माना जाय, इस तरह की आशंका नहीं करनी चाहिये, कारण आनन्द्य और व्यभिचार दोष के प्रसङ्ग से व्यक्तियों को पदवाच्य नहीं माना जा सकता है। अभिप्राय यह है कि गाय-बैलों की सत्या मत्सर में अन्त है, अतः यदि उन व्यक्तियों में गोपद की शक्ति मानी जाय, तब वह शक्ति भी अन्त होगी जिससे व्यर्थ का गौरव होगा। वस्तुतः तो गोपद का शक्तिग्रह जिस षग में किसी को होगा, उस षग में उसके जानने सनी गाय-बैल उपस्थित रहेंगे नहीं, अतः जो उपस्थित रहेंगे उन्हीं में गोपद की शक्ति ज्ञात होगी, फिर अनुपस्थित गाय-बैलों का भी दोष जो होना है—अनुभवसिद्ध है—वह तो शक्तिज्ञानरूप कारण के बिना ही होगा। अतः व्यभिचार दोष लगना है।

उक्त व्यभिचारदोष वारयितुं नाशङ्कते—

न च ज्ञातगोत्वादिह्यग्य गोत्वादिज्ञानरूपया वा प्रत्यासत्या प्रत्यक्षेण परि-  
कल्पितासु सकलतदीयव्यक्तिव्यभिधायया कल्पने नास्ति दोष इति वाच्यम् ।

ज्ञानानं सामान्यं प्रत्यासत्तिरिति मतेनाह—ज्ञातगोत्वादीति । सामान्यज्ञानं प्रत्या-  
सत्तिरिति मतेनाह—गोत्वादिज्ञानेति । प्रत्यक्षेणेति । अलौकिकेनेति भावः । अयमभिप्रायः—  
प्रत्यक्षो द्विविधो लौकिकोऽलौकिकश्च । तत्र लौकिकप्रत्यक्षहेतुभूतो लौकिकः सकृदपि पद्विषयः,  
अलौकिकप्रत्यक्षकारणभूतोऽलौकिकः सकृदपि विदितेषु सामान्यलक्षणान्तर एव  
तस्य लक्षणपदस्य स्वल्पपरतया सामान्यं लक्षणं स्वल्पं यत्येति व्युत्पत्त्या सामान्यतया  
प्रत्यासत्तिरित्यर्थः, तथा च बहुरादीन्द्रियसंयुक्तो गवादिस्तद्विशेष्यं गौरिति ज्ञानं च ज्ञातं,  
तत्र ज्ञाने गोत्वं प्रकारस्तत्र तेन गोत्वल्पेण सकृदपि गवा इति मन्त्रलोपविषयक ज्ञानं  
जायते । परन्तु सामान्यपदेनात्र न गोत्वादिजातिरेव विवक्षिता अपि तु—मन्त्रानां भाव  
इति योगार्थसुसारेण गवाद्यपि सामान्यम् । तेन च गोत्वरेण सामान्येण सकृदपि संगोपेन  
इतिभूतते गवादिज्ञाने जाते मन्त्रलोपभूतलविषयकं गोमन्त्रं भूतलान्याकारं ज्ञानं  
जायते । एवञ्च यत्र तद्गवादिनाशाकन्तरं तद्गवादिबन्धो भूतलस्य स्मरणं जातं, तत्र गवाद्यात्म-  
कसामान्यलक्षणया सर्वेण तद्गवादिबन्धो भूतलानां ज्ञानं न स्यात्, सामान्यस्य तद्गवादिस्तत्र  
तदानीमभावात्, अतः सामान्यज्ञानं प्रत्यासत्तिः, लक्षणशब्दस्य च विषयोऽर्थः, तेन  
सामान्यं लक्षणं विषयो यस्य तादृशस्य ज्ञानस्य प्रत्यासत्तिरिति न्यायसिद्धिः सिद्धान्तः ।  
प्रश्नेन च पदद्वयसुसारेण सामान्यलक्षणान्तरालौकिकसकृदपि मन्त्रगोत्वादीनामुप-  
स्थितत्वात् तत्र गोपदशक्तिप्रसङ्गस्य सुलभतया व्यतिशक्तिवदेषोपि व्यभिचारदोषप्रसङ्गो  
नास्तीति ।

उक्त व्यभिचारदोष को हटाने के लिये एक आशंका करते हैं—न च इत्यादि । अभि-  
प्राय यह है कि प्रत्यक्ष दो प्रकार के होते हैं, एक लौकिक और दूसरा अलौकिक । उनमें

लौकिकप्रत्यक्ष के कारणीभूत लौकिक सन्निकर्ष ६ प्रकार के होते हैं, अलौकिक प्रत्यक्ष के कारणीभूत अलौकिक सन्निकर्ष ३ प्रकार के होते हैं। उनमें एक है सामान्य लक्षण। 'सामान्य (धर्मविशेष) है लक्षण (स्वरूप) जिसका' इस व्युत्पत्ति के अनुसार सामान्यरूप प्रत्यासत्ति (सन्निकर्ष=सम्बन्ध) उसका अर्थ होता है। इस अलौकिक सन्निकर्ष के बल से अर्थात् चक्षुःसंयुक्त गोविशेष्यक 'गौः' इत्याकारक ज्ञान के बाद उस ज्ञान में जो प्रकार हुआ है—गोत्व, उस गोस्वरूप अलौकिक सम्बन्ध सकल गोविषयक 'गावः' इत्याकारक ज्ञान होता है। परन्तु सामान्य पद से सन्निकर्ष में गोत्व आदि जाति ही विवक्षित नहीं है, अपितु 'समानानां भावः' इस के अनुसार गो आदि व्यक्ति भी सामान्य कहलाता है, अतः संयोग सम्बन्ध से। भूतल में 'गोमद् भूतलम्' इत्याकारक ज्ञान के बाद गोरूप सामान्य (सन्निकर्ष सकलभूतलविषयक 'गोमन्ति भूतलानि' इत्याकारक ज्ञान होता है। इमं स्थिति जहाँ चक्षुःसंयुक्त गो का नाश हो गया है, वहाँ जब उस गो से संयुक्त भूतल 'गोमद् भूतलम्' इस तरह का स्मरण होगा, तब भी जो सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्ति से सकल भूतलविषयक 'गोमन्ति भूतलानि' इत्याकारक स्मरण होता है, वह अब नहीं हो सकेगा, क्योंकि सामान्यरूप से ग्रहण करने योग्य चक्षुःसंयुक्त गो का विनाश हो चुका है, अतः वह सम्बन्ध नहीं बन सकता। अतः ज्ञातसामान्य को प्रत्यासत्ति न मानकर सामान्य-ज्ञान को प्रत्यासत्ति मानना चाहिये। अब उक्त स्थल में भी दोष नहीं होगा, क्योंकि सामान्य (गो) के विनिष्ट हो जाने पर भी उसका ज्ञान रहता है और वही सम्बन्धरूप होता है। इस पक्ष के अनुसार सामान्य लक्षणाशब्द में लक्षण पद का अर्थ विषय मानकर सामान्य है लक्षण = विषय जिसका, ऐसा ज्ञान प्रत्यासत्ति है या अर्थ समझना चाहिए। (इस विषय में अधिक जिज्ञासा रखने वालों को सिद्धान्त मुक्तावली आदि पदार्थशास्त्र-ग्रन्थ का अवलोकन करना चाहिये।) प्रकृत में व्यक्तिसक्तिवादी नैयायिकों का कथन है कि उक्त सामान्य लक्षणाप्रत्यासत्ति से सभी गो व्यक्तिशक्तिग्रह काल में उपस्थित रहेंगे, अतः उन सभी व्यक्तियों में गो पद की अभिगृहीत होगी, फिर उक्त व्यभिचार दोष होगा ही नहीं, अतः व्यक्ति में ही शक्ति मानना चाहिये, उपाधि में नहीं।

समाधत्ते—

सामान्यप्रत्यासत्तेर्निराकरणात् ।

अथ भाव — सामान्यलक्षणास्वीकारो व्यर्थ, तदस्वीकारेऽपि एकत्र गोत्वाद्या चक्षुःसयोगात् देशान्तरस्थगवादेरपि बोधसभवात्, एवं व्यतीतगवादेरपि बुद्ध्या विषयी गोत्वाद्याश्रयत्वेन ज्ञानसत्त्वात्, व्यक्तिशक्तिवादेऽपि व्यवहारेण प्रथमतः समुपस्थितव्यक्तिग्रहे पश्चात् श्रवापोद्वापन्यायेन पुरुषान्तरात् गामानयेत्येतच्छ्रवणानन्तरं राण्यानयतो मध्यमवृद्धान् दृष्ट्वा व्यक्तिविशेषे गृहीताया अपि शक्तेस्तज्जात्या रवधारणाच्च । यत्तु पर्वतीयधूमे सामान्यलक्षणामन्तरा व्याप्तिग्रहो न स्यादिति नैव रूपेण महानसीयधूमे व्याप्तिग्रहात् । ननु प्रसिद्धधूमे व्याप्तिरेव गृहीतवानुपस्थित्या 'धूमो वह्निव्याप्यो न वा' इति सशयो न स्यादिति चेन्न, प्रसिद्धमत्वेन व्याप्तिनिश्चयेऽपि धूमत्वेन तत्सशयसभवात् । एवञ्च सामान्यलक्षणाय सिद्ध । किञ्च सामान्यस्य सम्बन्धत्वम् असम्बन्धवृत्तिकमेव, तत्तदनुयोगिता विशिष्टसम्बन्धस्य कदाप्यननुभवात्, सम्बन्धस्य द्विष्टस्वरूपतया तत्तदनुयोगित्वमानस्यायुक्तत्वात्, सम्बन्धस्य विशिष्टबुद्धिनियामकत्वध्रौव्येण तदनियामक

स्वप्नमन्त्रवाच । इत्यत्र मानान्तद्वया नत्येवेति तद्वत्त्वेनेत्यन्वितास्वप्नं न  
भवतीति ।

अत्र एक वादांका का समाधान करते हैं—मानान्त इत्यादि। एक रीति से व्यभिचार-  
पारण नहीं किया जा सकता क्योंकि मानान्तद्वया प्रत्यापत्ति के बल पर ही तो एक  
कारण किया जाता है पर मानान्तद्वया मानक लौकिक सन्निकर्ष का लक्षण कर दिया  
गया है। अन्निप्रत्य यह कि मानान्तद्वया मानने की कोई आवश्यकता नहीं है।  
उसको न मानने पर भी मोक्ष के लाभ एक गो में बहुसंयोग होने पर स्वसंयुक्त-  
तन्त्रेण समवाय रूप लौकिक सन्निकर्ष से ही वेदान्तरत्न गायों का ज्ञान किया  
जा सकता है। इसी तरह अतीत जनमान गायों को भी बुद्धिविषय बनाकर एक संबन्ध  
से प्रच्यव्व किया जा सकता है। मानान्तद्वया के बिना भी महान्तर्माय धूम में धनवरूप  
से ही व्याप्तिसिद्ध मानक पर्वतीय धूम में भी उसी व्याप्तिसिद्ध की विषयता मानी  
जा सकती है। दूसरी बात यह कि सभी संबन्ध यत्किञ्चित्प्रतियोगिक और यत्किञ्चित्प्र-  
योगिक होते हैं और इस मानान्तद्वया वाचके संबन्ध में बहुयोगिता-प्रतियोगिता की  
समीचीनता नहीं, अतः वह संबन्धरूप नहीं माना जा सकता। तीसरी बात यह कि  
सभी संबन्ध विविष्ट बुद्धि के नियामक होते हैं और यह मानान्त विविष्ट बुद्धिनियामक  
है नहीं, अतः उसको संबन्ध कहना असम्भव है।

तुच्छदुर्बलत्वेन मानान्तद्वयात्वात्कारेऽप्याह—

गौरवदोषत्यानुद्धारात् ।

मानान्तद्वया मन्त्रगोचरिषु शक्तिप्रवृत्त संभवं व्याख्यात व्यभिचारवारेऽपि  
व्यक्तान्तद्रुत्तान्तशक्तिप्रवृत्तगौरवं व्यतिशक्तिवादे दुर्बलत्वेनेति भव ।

यदि 'तुच्छदुर्बल' व्याप्य से मानान्तद्वया मान नी ली जाय, तथापि व्यक्तिगति-  
वाद पक्षसंगत नहीं यही बात अब बतलते हैं—गौरव इत्यादि। मानान्तद्वया के बल  
से सकल गो व्यक्ति में गौरव-शक्ति-प्रवृत्त के संबन्ध बनाने पर भी व्यक्ति की जनन्तता  
के कारण शक्ति की जनन्तता से होनेवाला गौरवदोष व्यक्तिगतिवाद पक्ष में बना ही  
रह जाता है।

प्रकाशान्तरेनेत्यन्वितास्वप्नपारं परस्मै-जनं गौरवयोगतुच्छद्वितान्त्रेण दृश्यते—

एतेन शक्तिप्रवृत्तयोपस्थितिशास्त्रवेधेनां सनातप्रकारकतयैव हेतुहेतु-  
मद्भागाद्गृहीतमन्वेतानामपि षड्विधिशेषाणामन्वयबोधविषयताय उपपाद-  
नेऽपि न निस्तारः ।

एतेनेति । गौरवयोगतुद्धारेण्यं । मन्त्रप्रकारकतयैवैत्यत्रैवैवरे मन्त्रवेधे-  
श्चापिबद्धवेधः । शक्तिप्रवृत्तयोपस्थितिशास्त्रवेधेषु पूर्वपूर्वत्वोत्तरोत्तरं प्रति हेतुता ।  
सा च मन्त्रप्रकारकता न तु मन्त्रवेधेऽप्यस्या । अयं हि तत्रकारकत्वमिति प्रति-  
तत्रकारक शक्तिप्रवृत्त, एवम् तत्रकारकत्ववेधेऽपि तत्रकारकेनित्यमितिहेतुरिति  
तत्रैव कारकत्वमभवत्, न तु तत्रकारकत्वविशेषकत्वमिति प्रति तत्रकारकत्वविशेषक-  
तातिप्रवृत्त, एवं तत्रकारकत्वविशेषकत्वमभवत् इति तत्रकारकत्वविशेषकत्वमितिहेतु-  
रिति रीतिः । एवम् गोचरविशेषे जातस्यापि शक्तिप्रवृत्त गोचरकारकता, तेन शक्ति-  
प्रवृत्तैव गोचरकारकत्वं व्यतिशक्तिवत् सुनित्यमिति तत् । एवम् गोचरकारकत्व-  
प्रयोगित्यैव गोचरकारक इत्यन्वितास्वप्नान्तद्वयात्वात्कारेऽपि भवेत् । इत्यत्र मन्त्र-  
शक्तिषु शक्तिप्रवृत्तान्तद्रुत्तान्तद्वयात्वात् न प्रवृत्तानि यद्यपि वक्तुं शक्यं, तथापि  
यत्किञ्चित्त्वैव वेदांकारेणैव उक्तमन्त्रवेधेणैव तावत्स्थाविति भव । वस्तुतस्तु

समानप्रकारकतयैव कार्यकारणभावः शक्तिग्रहपदार्थोपस्थितिशाब्दबोधाना न सगतः, सति गोत्वप्रकारकशक्तिग्रहेणाश्वविशेष्यकोपस्थितेरेवं गोत्वप्रकारकोपस्थित्या गं कारकाश्वविशेष्यकशाब्दबोधस्य च प्रसंगादिति विभावनीयम् ।

अस्य ग्रन्थस्य व्याख्याया भट्टमहोदयैरुल्लिखिता— ' .. अर्थात् यत्प्र यद्विशेष्यकश्च शक्तिग्रह स तत्प्रकारकतद्विशेष्यकपदार्थोपस्थितिं प्रति हेतु, एव यत्प्र यद्विशेष्यिका च पदार्थोपस्थिति' सा तत्प्रकारकतद्विशेष्यकशाब्दबोध प्रति हेतु । त व्यक्तीनामनन्ततया येषु व्यक्तिविशेषेषु शक्तिग्रहो न जातस्तद्विषयकशाब्दबोधस्य ( रीत्या ( गोत्वेन प्रकारेण ) सिद्धि स्यात् । इत्येव समर्थनेऽपि न दोषमुक्ति, व्या वारणोऽपि अनन्तशक्तिकल्पनगौरवस्य असमाहितत्वात्' इति सरला ( टीका ) सा न वेति निश्चिन्वन्तु विद्वांस ।

अत्र उक्त व्यभिचार दोष के वारणार्थ अन्य विद्वानों के द्वारा प्रतिपादित हो एक भिन्न रीति का भी खण्डन उक्त गौरव दोष के अवारित रह जाने के कारण करते हैं—पुतेन इत्यादि । शक्तिग्रह, पदार्थोपस्थिति और शाब्दबोध इन तीनों में अभिन्न के प्रति पूर्व पूर्व कारण है और वह कार्यकारणभाव समानप्रकारकतया जाता है, समानविशेष्यकतया नहीं, अर्थात् तत्प्रकारक उपस्थिति के प्रति तत् शक्तिग्रह और तत्प्रकारक शाब्दबोध के प्रति तत्प्रकारक उपस्थिति को कारण कह है, न कि तत्प्रकारक तद्विशेष्यक उपस्थिति के प्रति तत्प्रकारक तद्विशेष्यक श और तत्प्रकारक तद्विशेष्यक शाब्दबोध के प्रति तत्प्रकारक तद्विशेष्यक उपस्थिति इस तरह से कार्यकारणभाव मान लेने पर यदि गो आदि पदों की शक्ति सकल गो में गृहीत न भी हो अर्थात् उपस्थित कतिपय व्यक्ति में ही गो पद की शक्ति तथापि उक्त व्यभिचार दोष नहीं लग सकता, क्योंकि उपस्थित गोव्यक्ति में जो ज्ञान होगा, उसमें भी प्रकार गोत्व ही रहेगा, अतः वह शक्तिज्ञान गोत्व कहलायगा, और उससे गोत्वप्रकारक उपस्थिति होगी, एवम् उस उपस्थिति से व्यक्तियों का भवगाहन करनेवाला बोध भी होगा, जिन व्यक्तियों में शक्ति ज्ञा हुई थी, कारण, वे बोध भी गोत्वप्रकारक ही होंगे । तात्पर्य यह कि जब कार्यका में विशेष्यरूप से व्यक्ति को नहीं रक्खा गया, तब विशेष्य कोई हो, उससे प्रयोजन रहता नहीं, केवल गोत्वप्रकारक हो जाने से सभी व्यक्तियों का ब जा सकता है । परन्तु यह रीति भी इसलिये असंगत मानी जाती है कि श अनन्तता इस रीति के अवलम्बन करने से भी बनी रह जाती है अर्थात् शक्तिग्रह उपस्थित होनेवाली गोव्यक्तियों की भी सख्या निश्चित नहीं की जा सकती अनन्त गोव्यक्ति में शक्ति माननी ही पड़ेगी और तब शक्त्यानन्त्य दोष हो ही ज वस्तुतः तो ऊपर लिखी गई समानप्रकारकतया कार्यकारणभाव स्वीकार का बात वन भी नहीं सकती, कारण उस तरह से कार्यकारणभाव स्वीकृत करने प प्रकारक शक्तिग्रह से अश्वविशेष्यक उपस्थिति एवम् गोत्वप्रकारक उपस्थिति विशेष्यक बोध भी होने लगेंगे ।

पूर्वोक्तरीत्या व्यक्तिशक्तिवादपक्ष निरस्य जात्याद्युपाधिशक्तिवादपक्षः स परमास्मिन् पक्षे व्यक्तेरवाच्यतया बोधो न स्यात्, तथात्वे च लौकिकव्यवहारो दिति शका मनसि कृत्वा उपाधिशक्तिवादपक्षे व्यक्तिबोधोपायमाह—

व्यक्तीनां प्रत्ययस्त्वाक्षेपाल्लक्षणया वेत्यन्यदेतत् ।

व्यक्ति बिना जात्यादि अनुपपन्नमिति अनुपपन्नेन जात्यादिना व्यक्तेर आक्षेपधार्थापत्तिप्रमाणमेव । न्यायनये चानुमानमेव तत् । अथवा जातेरन्वयाः

तेवाचकस्य पदस्य व्यक्तौ लक्षणा । एवञ्चोपाधिशक्तिवादपक्षेऽपि व्यक्तेर्बोधो न दुष्कर भाव । तदर्थविषयकशाब्दबोध प्रति तदर्थविषयकवृत्तिज्ञानाधीनोपस्थितेहेतुत्वेना-  
लक्ष्यार्थस्य शाब्दबोधविषयता न स्यादिति लक्षणापक्ष एव श्रेयान् इति परे ।

उक्त रीति से व्यक्तिशक्तिवाद का खण्डन करके उपाधिशक्तिवाद का स्थापन किया । परन्तु इस वाद में भी एक नई शका यह उपस्थित हो जाती है कि जब जाति, आदि उपाधियाँ ही पद-वाच्य हुईं तब व्यक्ति का बोध पद से कैसे होगा ? और व्यक्ति का बोध नहीं होगा, तब सांसारिक व्यवहार कैसे चलेंगे ? क्योंकि व्यवहार यक्तियों का ही उपयोग हो सकता है, उपाधियों का नहीं, इसी शका को मन में कर उपाधिशक्तिपक्ष में व्यक्ति के बोध का उपाय अब दिखलाते हैं—व्यक्तीनाम् आदि । जाति, गुण, क्रिया आदि उपाधियाँ व्यक्ति के बिना रह नहीं सकतीं, अतः पद प्रवगत होने पर भी ये उपाधियाँ तब तक अनुपपन्न ही रहेंगी, जब तक व्यक्ति का रूप न होगा, अतः आक्षेप से व्यक्ति का भी बोध हो जायगा, जैसे—‘पीनोऽय देवदत्त’ । न भुङ्क्ते’ अर्थात् मोटा ताजा यह देवदत्त दिन में नहीं खाता, इस वाक्य का ‘रात्रि-जन’ अर्थ शक्ति से यद्यपि ज्ञात नहीं होता, तथापि भोजन के बिना ‘मोटा-ताजा रा’ असंभव है, अतः उससे रात्रिभोजन का आक्षेप हो जाता है । यह आक्षेप नितियों के मत से अर्थापत्ति और नैयायिकों के मत से अनुमान-प्रमाण के अन्तर्गत है भी समझ लेना चाहिए । अथवा जाति आदि उपाधियों का अन्वय वाक्यघटक पदार्थ के साथ बाधित है, अतः जाति आदि उपाधिवाचक पदों की सर्वत्र व्यक्ति में प्राणा होगी, अभिप्राय यह कि उपाधिशक्तिवादपक्ष में व्यक्ति का बोध लक्षणा से होगा । दूसरा (लक्षणावाला) पक्ष ही ठीक है, प्रथम (आक्षेपवाला) नहीं, ऐसा अन्य ज्ञानों का कथन है, क्योंकि किसी अर्थ के शाब्दबोध में जब वृत्ति-ज्ञान के द्वारा उस अर्थ की उपस्थिति को कारण माना गया है, तब आक्षेप से उपस्थित अर्थ शाब्दबोध के लिये नहीं हो सकते । कुछ लोग व्यक्ति का बोध सर्वत्र व्यञ्जना से ही मानते हैं ।

तातेर्महत्त्वमुपपादयन् वज्रगत्या जातिशक्तिवादपक्षं पुष्पाति—

अयं च जातिरूपः शब्दार्थः प्राणद इत्युच्यते । प्राणं व्यवहारयोग्यतां ददाति प्राणदयतीति व्युत्पत्तेः ।

अयं जातिरूपोपाधि पदार्थस्य प्राणप्रद । न्तु किञ्चाम जाते प्राणप्रदत्वमित्याह—  
गमिन्यादि । प्राणपदार्थमेव विवृणोति—व्यवहारयोग्यतामिति । दाधात्वर्थम् स्फोरयति—  
प्राणदयतीति । व्यवहारयोग्यतासम्पादनमेव जाते प्राणदत्वमिति भाव ।

अब जातिरूप उपाधि का महत्त्व दिखलाते हुए उपाधिशक्तिवाद पक्ष की पुष्टि करते—अयं च ह्यथादि । यह जातिरूप अर्थ शब्द को प्राण देनेवाला कहा जाता है, क्योंकि प्राण में व्यवहारयोग्यता का सम्पादन यह जाति ही करती है । तात्पर्य यह कि यहाँ व्यवहारयोग्यता-सम्पादन ही प्राण-प्रदान के समान महत्त्व रखता है ।

जाते व्यवहारयोग्यतासम्पादकत्वे युक्तियुक्तामाप्तजनसम्मतिं दर्शयति—

तदुक्तम्—‘गौ स्वरूपेण न गौर्नाप्यगौ, गोत्वाभिसबन्धाद्धारैः’ इति ।

तदुक्तमिति । प्रकारकृतेति शेष । वाक्यपदीयनामकस्य प्रसिद्धनिबन्धस्येदं वाक्यम्, गराकृता च तत्काव्यप्रकाशे उद्धृतम् ।

जाति की प्राणप्रदता में आप्तजन की सम्मति दिखलाते हैं—तदुक्तम् इत्यादि । ‘गौ-  
रूपेण न गौ. .’ इत्यादि परिक्रम वाक्यपदीय की है, जिसको मम्मटभट्ट ने अपने काव्य-  
प्रकाश नामक निबन्ध में उद्धृत किया है ।



उक्तवाक्यस्य व्याख्या कुरुते—

अस्यार्थः—गौः सास्नादिमान् धर्मीस्वरूपेण अज्ञातगोत्वकेन धर्मिस्वरूपमात्रेण न गौः न गोव्यवहारनिर्वाहकः । नाप्यगौः नापि गोभिन्न इति व्यवहारस्य निर्वाहकः । तथा सति दूरादनभिव्यक्तसंस्थानतया गोत्वाग्रहदशायां गवि गौरिति गोभिन्न इति वा व्यवहारः स्यात् । स्वरूपस्याविशेषाद्घटे गौरिति गवि चागौरिति वा व्यवहारः स्यादिति भावः । गोत्वाभिसंबन्धाद्गोत्ववत्तया ज्ञानात् गौर्गोशब्दव्यवहार्य इति ।

गौरिति मूलवाक्यस्थपदस्य व्याख्यामाह—सान्नादीति । स्वरूपेणेति मूलस्थपदव्याख्या—अज्ञातगोत्वेनेत्यादि । न गौरिति मूलवाक्याशस्य तात्पर्यमाह—न गोव्यवहारेति । नाप्यगौरिति तदशस्याशयमाह—गोभिन्न इतीति । तथा सतीति । धर्मिस्वरूपमात्रेण व्यवहारनिर्वाहकत्वाङ्गीकारे सतीत्यर्थः । गौरिति व्यवहारे इष्टापत्या आह—गोभिन्न इतीति । अविशेषादिति । व्यक्तिस्वरूपाणां स्वतोऽव्यावृत्तत्वादिति भावः । सास्नादिमद्धर्मिमात्रज्ञानेन गौ गोभिन्न इति वा व्यवहारो न भवितुमर्हति, दूरत्वदोषेण जातिव्यञ्जिकाया आकृतेरभिव्यक्त्या गोत्वाज्ञाने सास्नादिमति धर्मिणि गौ गोभिन्न इति वा व्यवहारस्याननुभवात् । अपि च धर्मिस्वरूपज्ञानमात्रस्य व्यवहारप्रयोजकत्वे व्यक्तिस्वरूपस्य स्वतोऽव्यावृत्ततया गोभिन्ने घटादावपि गौरिति गवि चागौरिति व्यवहार प्रवर्तते । अतः गोत्वादिजातिमत्ताज्ञानमेव गौरित्यादिव्यवहारप्रवर्तकमिति साराशः । ननु 'गौ स्वरूपेण न गौ' इत्येतावतैव विशिष्टज्ञाने विशेषणज्ञान कारणमिति सिद्धान्तानुसारम् गौरिति विशिष्टज्ञाने विशेषणज्ञानविधया गोत्वज्ञानस्योपयोगे सिद्धे पुनः 'नाप्यगौ' इत्यश किमर्थं इति चेन्न, व्यवहारमात्रस्य धर्मज्ञानसाध्यतासूचनाय तदुल्लेखात् । तथा चाभावज्ञानेऽपि प्रतियोगितावच्छेदकज्ञानस्य हेतुत्वेन गोत्वज्ञानमन्तरा गोभिन्न इति ज्ञानमपि न सम्भवति ।

अत्र उक्त वाक्यपदीय-वाक्य की व्याख्या करते हैं—अस्यार्थं इत्यादि । उक्त वाक्यपदीय वाक्य का अर्थ यह है कि गाय अर्थात् सास्नादिमान्—गले में चमड़ी लटकनेवाला—प्राणी, स्वरूपतः ज्ञात होने पर भी तब तक गोनामक प्राणी के व्यवहार का निर्वाहक नहीं हो सकता, जब तक उस प्राणी में रहनेवाली 'गोत्व' जाति ज्ञात न हो जाय । इसी तरह उक्त जाति के ज्ञान होने से पूर्व ज्ञान तक स्वरूपतः ज्ञात होकर भी उक्त प्राणी 'यह गोभिन्न है' इस व्यवहार का भी निर्वाहक नहीं हो सकता । स्पष्ट अर्थ यह हुआ कि स्वरूप किसी का स्वतः व्यावर्तक नहीं होता अर्थात् कोई न कोई स्वरूप सभी चीजों में रहता ही है, अतः एक चीज से दूसरी चीजों को पृथक् करनेवाला उनका स्वरूप नहीं, अपितु उन चीजों में रहनेवाला खास-खास धर्म ( जाति आदि ) होता है । ऐसी स्थिति में स्वरूपतः ज्ञात होकर भी कोई वस्तु उस व्यावर्तक धर्म ज्ञान से पूर्व न 'यह अमुक वस्तु है' इस व्यवहार का और न 'यह अमुक वस्तु से भिन्न है' इसी व्यवहार का निर्वाहक हो सकती है । यदि उक्त व्यावर्तक धर्म के ज्ञान से पूर्व भी कोई पदार्थ व्यवहारनिर्वाहक हो, तब तो उस अवस्था में भी गाय में 'यह गाय है' अथवा 'यह गाय से भिन्न है' ऐसा व्यवहार होने लगे, जिस अवस्था में दूर से दिखाई पड़ने पर गाय की वह आकृति जो जाति को अभिव्यक्त करती है—ज्ञात नहीं होती, केवल इतना ज्ञात होता है कि यह कोई एक चीज है । एवं जाति-ज्ञान के बिना पदार्थ को विशिष्ट व्यवहारनिर्वाहक मानने पर गो से भिन्न पदार्थ-घट आदि में भी गाय का, और गाय में गोभिन्न का व्यवहार होने लगेगा, क्योंकि यह पहले भी कहा जा चुका है कि केवल प भेदक नहीं होता । इस तरह से सिद्ध हुआ कि 'इसमें गोत्व जाति है' इस

प्रकार से जातिविशिष्टरूप में ज्ञात होने पर ही गाय, गो शब्द से व्यवहार करने योग्य होती है ।

गुणक्रियादिव्यभिधेयत्ववद् विचारसुन्धापयति—

गुण शुद्धादिः शुद्धादिपदानामभिधेय । क्रिया चलनादिशब्दानाम् ।

शुक्लीनीलादिपदानां शुक्लीनीलादिगुणेषु शक्तिरतस्ते गुणास्तेषां पदानां वाच्या । चलनादिपदानाम् उत्तरदेशसंयोगानुसूत्रव्यापारादिव्यक्रियासु शक्तिरतस्तेषां शब्दानां तां क्रियां वाच्या इत्यर्थः ।

अब गुण और क्रियारूप वाच्य उपाधि के सम्बन्ध में विचार करते हैं—गुण इत्यादि । शुद्ध, नील, पीत आदि पदों की शक्ति उजला, हरा, पीला आदि गुणों में है, अतः वे गुण उन पदों के वाच्यार्थ कहलाते हैं । इसी तरह चलन, पचन आदि पदों की शक्ति उत्तरदेशसंयोगानुसूत्र, एवम् विक्रियनुसूत्र व्यापारों में है, अतः वे व्यापार ( क्रियायें ) उन पदों के वाच्यार्थ होते हैं ।

अत्राशक्य सनावत्ते—

शुद्धादीनां चलनादीनां च प्रतिव्यक्तिभेददर्शनादानन्त्यव्यभिचाराभ्यां व्यक्तिशक्तिवाददोषाभ्यामिहापि क्लृप्तीकरणमिति चेत्, तेषां लाघवात्प्रत्यभिज्ञात्रलाघवैकताया अभ्युपगमात् ।

इहापीति । गुणक्रिययोरभिधेयत्वेऽपीत्यर्थः । चेदित्यत्यात्रे तत्रेति शेषो बोधः । वक्रादितिर्यग्गतपटादिगतयोश्च शुक्लगुणयोर्भेदोऽनुभूयते, एव गुडतगुडलगतयो पक्वक्रिययोरपि भेदो दृश्यते, तेन गुणक्रिययोरनेकत्वं सिद्धयति, तथा च व्यक्तिशक्तिवादे यावानन्त्यव्यभिचारदोषो सम्भूताम्, तावत्रापि समापत्तेतामिति शक्यं न युक्ता, नानान्वेगौरवात्, लाघवात् गुणक्रिययोरैकताया एव स्वीकारान् । ननु लाघव नानुभवविरुद्धमङ्गीकारयितुं प्रभवतीति चेन्न, सवेषु शुक्लादिगुणेषु सर्वास्तु चलनादिक्रियास्तु च 'स एवायं शुक्लो गुणः, सैवेयं चलनक्रिया' इत्याकारिकाया प्रत्यभिज्ञाया लाघवसहस्रताया गुणक्रियायैकतानियामकत्वात् ।

अब वहाँ एक शंका और उसका समाधान करते हैं—शुद्धादीनाम् इत्यादि । 'वक्र आदि पदियों की तथा वक्र आदि पदार्थों की शुक्लता में भेद का अनुभव होता है । इसी तरह गुड की तथा चावल की पाक-क्रियाओं में भी भेद दिखाई पड़ता है । इससे यह सिद्ध होता है कि शुद्ध गुण अनेक है और पाक-क्रिया भी अनेक है । इस स्थिति में व्यक्तिशक्तिवाद पक्ष में जो आनन्त्य और व्यभिचार दोष उपस्थित होने थे, वे दोनों दोष यहाँ ( उपाधिशक्तिवाद पक्ष में ) भी लगेंगे' ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शुद्ध आदि गुणों तथा पाक आदि क्रियायों को अनेक मानने में गौरव है, अतः उनको एक ही मानते हैं । यदि आप कहेंगे कि लाघव के बल पर अनुभव-विरुद्ध वस्तु नहीं मानी जा सकती तो यह ठीक नहीं, क्योंकि सभी शुद्ध गुणों में 'यह वही शुद्ध गुण है' और सभी पाक-क्रियाओं में 'यह वही पाक-क्रिया है' ऐसी प्रत्यभिज्ञा लाघवमूलक होता है, वे प्रत्यभिज्ञायें ही उक्त गुणों और क्रियाओं को एक सिद्ध करती हैं ।

अत्रार्थे प्राचीनोक्तिं प्रमाणयति—

तदुक्तम्—'गुणक्रियायदृच्छानां वस्तुत एकरूपाणामाश्रयभेदाद्भेद इव लक्ष्यते इति ।

उक्तमिति । प्रकाशकृता नन्मटेनेति शेषः । यथा प्रतिबिम्बाधाराणाम् कृपाणसुन्दर-तैलादीनां भेदादेकनप्यानन्तं नानारूपतया भासते, तथैव गुणक्रियाद्यपि आश्रयभेदेनैव भिन्न-तया प्रतीयते, न तु वस्तुतस्तेषु भेद इति भावः ।

प्राचीनों की उक्ति को उद्धृत करके उक्त वात को प्रमाणित करते हैं—तदुक्तम् इत्यादि । मूलोक्त वाक्य काव्यप्रकाशकार मम्मट का है, जिसका अभिप्राय यह है कि जैसे—प्रतिबिम्ब के आधार तलवार, दर्पण, तैल आदि के भेद से एक भी मुख अनेक प्रकार के ज्ञात होते हैं, उसी तरह एकजातीय गुण और क्रियाओं में भी आश्रय के भेद से ही भेद सा लक्षित होता है, वस्तुतः उनमें भेद रहता नहीं ।

मम्मटोक्तिफलितमाह—

तथा च भेदप्रतीतिभ्रम एवेति भावः । इदमुपलक्षणम् । उत्पत्तिविनाश-प्रतीतिरपि तथैव, वर्णनित्यतावादे गकाराद्युत्पत्तिविनाशप्रतीतेर्भ्रमत्वस्य स्वीकारात् ।

तथा चेति । गुणाना क्रियाणाञ्च मियो भिन्नत्वेन भ्रमस्याश्रयभेदप्रयुक्तत्वस्वीकारेण वस्तुतोऽभेदाङ्गीकारे चेत्यर्थः । भ्रम इति । वक्रशौक्लधात् पटशौक्य भिन्नमित्यादय प्रतीतय भ्रान्तिरूपा एव न प्रमारूपा इत्यर्थः । प्रकाशोक्त्या यद्यपि भेदप्रतीतेरेव भ्रमत्व सिद्धयति, तथापि तस्या उपलक्षणत्वेन गुणक्रियादिषु उत्पत्तिविनाशप्रतीतीनामपि भ्रमत्व बोध्यमित्याह—इदमुपलक्षणमित्यादिना । एतेन गुणाना क्रियाणा च नित्यता एकता च साधिता । नन्वेतादृशभ्रमत्वस्वीकारोऽभिनव एव न प्राचीनसम्मतो नेत्याह—वर्णैति । वर्णनित्यतावादिनो वैयाकरणा गकारादिषु वर्णेषु जायमानामुत्पत्तिविनाशप्रतीतिं भ्रमरूपा स्वीकुर्वन्ति, तद्वदिहापीति न काचन नवीनतेति भावः ।

अब उक्त मम्मटोक्ति का फलितार्थ दिखलाया जाता है—तथा च इत्यादि । एकजातीय गुण और क्रियाओं में परिलक्षित होनेवाला परस्पर का भेद जब आश्रय-भेद मूलक सिद्ध कर दिया गया, तब 'वक्र के उजलेपन से वक्र का उजलापन भिन्न है' इत्यादि तरह की भेद-प्रतीतियाँ भ्रान्तिरूप ही हैं, प्रमारूप नहीं, ऐसा समझना चाहिए । इतना ही नहीं, गुण और क्रियाओं में उत्पत्ति तथा विनाश की जो प्रतीति होती है वह भी भ्रम है । तात्पर्य यह कि एकजातीय गुण तथा एकजातीय क्रियाएँ एक हैं और निरय । इस तरह की प्रतीतियों की भ्रमरूपता वैयाकरणों को भी अभिमत हैं, क्योंकि वे वर्णनित्यतावाद पक्ष में 'गकार उत्पन्न हुआ, गकार विनष्ट हुआ' इत्यादि प्रतीतियों को भ्रम रूप मानते हैं ।

यादृच्छिकात्मकमभिधेय स्फुटयति—

यादृच्छिकस्तु वक्ता स्वेच्छया द्वित्यादिशब्दाना प्रवृत्तिनिमित्तत्वे संनिवेशितो धर्मः ।

द्वित्यादिपदाना प्रवृत्तिनिमित्तभूत वक्त्रा स्वेच्छया कल्पित धर्मविशेषो यादृच्छिकात्मको वाच्य इति भावः ।

अब यादृच्छिक उपाधि के विषय में स्पष्टीकरण करते हैं—यादृच्छिकस्तु इत्यादि । वक्ता के द्वारा अपने हृच्छानुसार 'द्विथ' आदि पदों के प्रवृत्ति-निमित्त रूप में मान लिया गया धर्म 'यादृच्छिक' कहलाता है ।

कोऽसौ धर्म इति मतभेदेनाह—

स च 'परम्परया व्यक्तिगतश्चरमवर्णाभिव्यङ्ग्योऽखण्डः स्फोटः' इत्येके । 'आनुपूर्व्यवच्छिन्नो वर्णसमुदायः' इत्यपरे । 'केवला व्यक्तिरेव' इतीतरे ।

द्वित्यादिसज्ञाशब्दाना वाच्यो यादृच्छिको धर्म अखण्डस्फोट एव, य. पूर्व-पूर्ववर्णाङ्ग-भवजन्यसस्कारसहकृतेन चरमवर्णनाभिव्यज्यते । वर्णसमुदायेन तदभिव्यक्तिस्तु असम्म-वैव, आशुविनाशिना वर्णाना समुदायस्य सिद्धे । ननु स स्फोटोऽर्थनिष्ठः कथमिति चेत्त्राह-

परन्तरयेति । साक्षात्सम्बन्धेन यद्यपि स स्फोट आकाशो तिष्ठति, शब्दानानाकाशदेश-  
त्वाद्, तथापि नातुपित्रादिसकैतसम्बन्धेन स अर्थव्यक्तौ तिष्ठेदिति केषाञ्चित्तस्य  
भावः । अतिरिक्तस्फोटोद्भासकारे फलाभावाद्वाह-आनुपूर्व्येति । उकारोत्तरत्वविशिष्टकारोत्तर-  
त्वविशिष्टकारोत्तरत्वविशिष्टयन्त्रोत्तरत्वविशिष्टाकारत्वल्पाणुपूर्व्या अवच्छिन्नः परिमित-  
वर्णसमुदाय एव स धर्म इत्यपरेषा मतम् । वर्णानां जन्यत्वेन समुदायसम्भवाद्वाह—  
केवेलेति । तत्तन्मानव्यक्तिरेव इत्यादिपदानामर्थ इतीतरेषा मतम् ।

वह धर्म कौन-सा है, इसका निर्णय मतभेद ने करते हैं—स च इत्यादि । अल्प-  
स्फोट (शब्दब्रह्म) ही इत्य आदि संज्ञा शब्दों का वाच्य यादृच्छिक धर्म है । वह स्फोटरूप  
धर्म, पूर्व-पूर्व वर्णों के अनुभव से उत्पन्न सत्कार की सहायता से अन्तिम वर्ण के द्वारा  
अभिव्यक्त होता है । वर्णसमुदाय से उसकी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि केवल  
एक क्षण रहकर विनष्ट हो जानेवाले वर्णों का समुदाय बन ही नहीं सकता । वह  
स्फोट यद्यपि साक्षात् (सम्भवाय) सम्बन्ध से आकाश में ही रहता है क्योंकि शब्दों  
का देश आकाश ही माना जाता है, तथापि परम्परा अर्थात् माता-पिता के सकेनरूप  
सम्बन्ध से संज्ञा में रहता है । यह एक ( प्रधान वैयाकरण ) विद्वान् कहते हैं । अति-  
रिक्त स्फोट मानने में कोई फल नहीं, अतः इ, इ, ए, यू, अत्त्व (इत्यत्त्व) रूप आनुपूर्वी  
से अवच्छिन्न-परिमित- ( नपा-तुला ) वर्णसमुदाय ही यादृच्छिक धर्म है, यह अपर  
विद्वानों का मत है । आशुविनाशी वर्णों का समुदाय बन ही नहीं सकता, अतः संज्ञा  
( वह व्यक्तिविशेष जिसकी यह संज्ञा नानी गई है ) ही वह धर्म है और संज्ञा शब्दों  
का वाच्य है, यह अन्य पण्डितों का कथन है ।

उक्तमतत्रये वैलक्षण्यं दर्शयति—

तत्राद्यमतद्वये विशेषणज्ञानाद् विशिष्टप्रत्ययः । तृतीयमते च निविकल्प-  
कात्मकः प्रत्ययः ।

उक्त मतत्रये प्रथमयोर्द्वयोर्नतयो स्फोट, वर्णसमुदायो वा धर्म इत्यादिपदानाम-  
भिधेय साधित, एवञ्च इत्यादिपदात्प्रथमं तद्वर्णज्ञानं जायते, ततस्तदाश्रितव्यक्तिज्ञानम्,  
ततश्च विशेषणविशेष्यभावावगाहि तद्वर्णविशिष्टव्यक्तिज्ञानं सविकल्पकान्मक समुत्पद्यते ।  
तृतीयमते तु व्यक्तिरेव केवला इत्यादिपदाभिधेय सिद्धेति तन्मते इत्यादिपदान् व्यक्ति-  
मात्रस्य प्रकारताविशेषताशून्यं निर्विकल्पकात्मकत्वेन ज्ञानं जायत इति भावः ।

उक्त तीनों मतों में जो वैलक्षण्य है, उसका निर्देश करते हैं—तत्र इत्यादि । उक्त  
तीनों मतों में प्रथम तथा द्वितीय मत के अनुसार क्रमशः स्फोट और वर्ण-समुदायरूप  
यादृच्छिक धर्म इत्य आदि संज्ञाशब्दों के वाच्य सिद्ध किए गए, अतः उन दोनों मतों में  
पहले इत्य आदि पदों से उस धर्म ( स्फोट अथवा वर्णसमुदाय ) का ज्ञान होता है,  
उसके बाद उस धर्म से वाच्य के द्वारा व्यक्ति ( संज्ञा ) का ज्ञान होता है, तदनन्तर  
विशेषण-विशेष्यभावावगाह, उस धर्म से विशिष्ट व्यक्ति का सविकल्पक ज्ञान होता है ।  
तृतीय मत में तो केवल व्यक्तिविशेष इत्य आदि पद का वाच्य सिद्ध हुआ, अतः उस मत  
में इत्य आदि पद से व्यक्तिमात्र का प्रकारता-विशेष्यता से शून्य-निर्विकल्पकान्मक—  
ज्ञान होगा है ।

उपाधिशक्तिवादफलितार्थनाह—

तदित्यं चतुष्टयो शब्दानां प्रवृत्तिरिति दर्शनं व्यवस्थितम् ।

उक्तोपाधिशक्तिवादप्रघटकेनेन फलितम्, अत्र चतुर्विधं शब्दानां प्रवृत्तिनिमित्तम्,  
जातिरूपं, गुणरूपम्, स्वरूपम्, यादृच्छिकरूपम् । अत्रार्थे व्याकरणतान्माध्यकारस्य

भगवत पतञ्जलेरपि सम्मति - 'चतुष्टयी शब्दाना प्रवृत्ति, जातिशब्दा, गुणशब्दा, क्रियाशब्दा, यदृच्छाशब्दाश्चतुर्था' इति तदुल्लेखात् । दर्शनम् मतम् ।

अथ उपसंहार के रूप में उपाधिशक्तिवादपक्ष का फलितार्थ बतलाते हैं—तद्विषयम् इत्यादि । उक्त उपाधिशक्तिवादपरक प्रकरण से यह फलित हुआ कि—शब्दों के प्रवृत्तिनिमित्त चार प्रकार के होते हैं—जाति, गुण, क्रिया और यादृच्छिक । इस पक्ष को व्याकरण महाभाष्यकार भगवान् पतञ्जलि भी प्रमाणित करते हैं, क्योंकि 'चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिः, जातिशब्दाः, गुणशब्दाः, क्रियाशब्दाः, यदृच्छाशब्दाश्चतुर्थाः' ऐसा उन्होंने लिखा है ।

उपाधिशक्तिवादे मतान्तरमाह—

सर्वेषां शब्दानां जातिरेवार्थः । गुणक्रियाशब्दानां गुणक्रियागतायाः, यदृच्छाशब्दानां च बालवृद्धशुकाद्युदीरिततत्तच्छब्दवृत्तेस्तत्तत्समयभिन्नार्थवृत्तेर्वा जातेरेवाभिधेयता संभवात् । इति जातिशक्तिदर्शनम् ।

सर्वेषामिति । जातिगुणक्रियायदृच्छाशब्दानामित्यर्थ । शब्दनिष्ठजाते परम्परयाऽर्थवृत्तित्वकल्पने गौरवादाह—तत्तत्समयेति । बालत्वयुवत्ववृद्धत्वरूपेत्यर्थ । उपाधिचतुष्टये शक्तिकल्पनापेक्षया जातिरूपोपाधावेव सर्वत्र शक्ति । सर्वेषु शुक्लादिगुणेषु शुक्ल-शुक्ल इत्यभिन्नाकारानुगतप्रतीत्या गुणत्वव्याप्यशुक्लत्वादिजाते, एवम् गुडतण्डुलादिगतासु भिन्नासु पाकादिक्रियासु यद्वशात्पाक पाक इत्यनुगतप्रतीति तस्या क्रियात्वव्याप्यपाकत्वादिजाते स्वीकारात् । नन्वेव शुक्लत्वपाकत्वादिजातिसिद्धौ तत्र गुणवाचकाना क्रियावाचकानाश्च शब्दाना शक्तिर्भवतु, यदृच्छाशब्दाना कथं जातौ शक्तिः, तेषामेकव्यक्ति-वाचकत्वेन जातिवाचकत्वासंभवात् इति चेन्न, बालवृद्धशुकाद्युदीरिताना डित्यादिपदाना मियो भिन्नतया तेषु आनुपूर्वीव्याप्याया डित्यत्वादिजातेरङ्गीकारात्, न च शब्दनिष्ठा-यास्तस्या जातेरर्थे परम्परासम्बन्धेनैव स्थिते कल्पनीयतया गौरवेण नेय रीतिरुचितेति वाच्यम्, 'बाल्ये दृष्टोऽयं देवदत्तो यौवनेऽन्य सवृत्त' इत्याद्यनुभवबलात् बाल्य-यौवन-वार्धक्यरूपावस्थाभेदेन डित्यादिव्यक्तेरपि भिन्नतया तासु व्यक्तिषु डित्यत्वादिजातिसिद्धया तत्रैव यदृच्छाशब्दाना शक्तिरित्याशयादिति भाव ।

अब उपाधिशक्तिवाद के ही दूसरे मत का उल्लेख करते हैं—सर्वेषाम् इत्यादि । जाति, गुण, क्रिया और यादृच्छिक इन चार उपाधियों में शक्ति मानने की अपेक्षा केवल जातिरूप उपाधि में सर्वत्र शक्ति मानने में लाघव है, अतः ऐसा मानना ही समुचित है । तात्पर्य यह कि सभी शुक्ल आदि गुणों में 'शुक्ल शुक्ल' इस तरह की एकाकार अनुगत प्रतीति से गुणत्व-व्याप्य अर्थात् गुणत्व से अरूपदेशवृत्ति शुक्लत्व आदि जाति मान ली जायगी, और गुण तण्डुल आदि में रहनेवाली भिन्न भिन्न क्रियाओं में जिसके चलते 'पाक-पाक' ऐसा एक प्रकार का ज्ञान होता है, उस क्रियात्व-व्याप्य पाकत्व आदि जाति का स्वीकार कर लिया जायगा । यदि आप कहें कि हाँ, इस तरह से गुणवाचक तथा क्रियावाचक शब्दों को जातिवाचक माना जा सकता है, परन्तु यदृच्छा शब्दों को कैसे जातिवाचक माना जा सकता है, क्योंकि उन शब्दों का वाच्य एक एक व्यक्ति होता है और एक व्यक्तिमात्र में रहने वाला धर्म जातिरूप हो नहीं सकता, तब इसका उत्तर यह है कि बाल, वृद्ध, शुक आदि से उच्चरित होकर एक भी डित्य आदि पद अनेक हो जाते हैं, अतः उन सभी डित्य शब्दों में रहनेवाली आनुपूर्वीव्याप्य डित्यत्व जाति मानी जा सकती है, अथवा वचपन, यौवन तथा वार्धक्यरूप अवस्थाभेद से एक भी व्यक्ति अनेक हो जाता है, अतएव 'वचपन में देखा गया देवदत्त युवावस्था में उसका हो गया' जैसी प्रतीति उत्पन्न होती है । इस स्थिति में अर्थवृत्ति डित्यत्व जाति भी

सिद्ध की जा सकती है। अतः सर्वत्र जातिरूप उपाधि में ही शक्ति की रूपना करनी चाहिये।

लक्षणाभूतध्वनिरूपणानन्तर लक्षणातिरूपणे संगतिं दर्शयितुमाह—

अथ केयं लक्षणा, यन्मूलञ्चरमं निरूपितो ध्वनिः ।

जहत्स्वार्याऽजहत्स्वार्याभेदेन द्विविध, अभिधामूलध्वन्यपेक्ष्याऽन्तिनो यन्मूले ध्वनि-  
प्राब्धिरूपित, सा लक्षणा केति जिज्ञासितमिति भावः । एतेन चरमध्वनिरूपणलक्षणा-  
निरूपणयोः प्रकृतोपपादकत्वरूपोपोद्धातसंगतिर्दर्शिता ।

लक्षणाभूतक ध्वनियों के निरूपण के बाद लक्षणा-निरूपण करने में संगति दिखलाने के लिये कहते हैं—अथ इत्यादि। जिसको मूल मानकर आपने अन्तिम (अभिधामूलक-ध्वनियों के वादवाली) जहत्स्वार्या तथा अजहत्स्वार्या-भेद से द्विविध ध्वनियों का निरूपण किया है, वह लक्षणा क्या वस्तु है? अर्थात् अब लक्षणा पदार्थ की जिज्ञासा है। इस कथन से लक्षणाभूतकध्वनिरूपण तथा लक्षणातिरूपण में प्रकृतोपपादकत्वरूप उपोद्धात नामक सङ्गति दिखलाई गई।

उक्तजिज्ञासाशमनं प्रतिजानीते—

उच्यते—

लक्षणापदार्थ इति शेषः ।

उक्त जिज्ञासा-शान्ति की प्रतिज्ञा करते हैं—उच्यते इति। अब लक्षणापदार्थ कहा जाता है।

लक्षणाया लक्षणमाह—

शक्यसन्बन्धो लक्षणा ।

यत्किञ्चिच्छक्यार्थप्रतियोगिको यत्किञ्चिदर्थानुयोगिकः संबन्धविशेषो लक्षणापदार्थ इति भावः । स च नवन्धविशेषः स्थलभेदेन नानाविध इति स्वयं मूलवृत्तवानुपदं स्फुटी-  
करिष्यते । शब्दवृत्तिरूपस्यास्य लक्षणापदार्थस्य स्वप्रतियोगिवाचकत्वसंबन्धेन पदनिष्ठत्वं बोध्यम् तार्किकमतानुसार्यैतल्लक्षणालक्षणम् । मीमांसकास्तु 'शक्यादशक्योपस्थितिरूपे'-  
त्याह । 'शक्यतावच्छेदकारोपो लक्षणा' इत्यपि केचित् । अन्वयानुपपत्तिहानिपूर्वशक्य-  
त्वेन गृहीतार्थसंबन्धज्ञानेनोद्भुद्भुदशक्तिनस्कारबोधे लक्षणेति व्यवहारः । वस्तुतो भग-  
वदिच्छायाः सन्मात्रविद्यन्वातीरादावपि गणादिपदस्य शक्तिरवेति तु वैयाकरणम् ।

अब लक्षणा का लक्षण करते हैं—शक्य इत्यादि। जिस किसी पद के शक्यार्थ (अभिधावृत्ति द्वारा बोध्य अर्थ) का जिस किसी पदार्थ के साथ जो संबन्ध, उसको लक्षणा कहते हैं। वह संबन्ध भिन्न-भिन्न स्थान पर भिन्न-भिन्न प्रकार का हो सकता है यह बात ग्रन्थकार स्वयं स्पष्ट रूप से मूल में ही कहेंगे। यद्यपि वह संबन्ध अर्थ में रहेगा, तथापि स्व-(सम्बन्ध)प्रतियोगी-(शक्य अर्थ)वाचकत्व संबन्ध से पद में रहने के कारण उक्त संबन्धरूप लक्षणा पदनिष्ठवृत्ति ममज्ञानी चाहिये। यह लक्षणा का लक्षण तार्किक मत के अनुसार किया गया है। मीमांसक लोग शक्य अर्थ से अशक्य अर्थ की उपस्थिति को लक्षणा मानते हैं। कुछ लोग शक्यतावच्छेदक धर्म (प्रवाहत्व वादि) के आरोप को लक्षणा कहते हैं। वैयाकरण लोग लक्षणा को अनिश्चित वृत्ति मानते ही नहीं, वे शक्ति के ही दो भेद करते हैं—एक प्रधान और दूसरा गौण और उस गौणशक्ति में लक्षणा का व्यवहार होता है, ऐसा कहते हैं।

लक्षणावीजं निश्चेतुं रचिरं विचार प्रचारयति—

तस्याच्चार्योपस्थापकत्वे मुख्यार्थतावच्छेदके तात्पर्यविषयान्वयितावच्छे-

दकताया अभावो न तन्त्रम् । शक्यतावच्छेदकरूपेण लक्ष्यमानस्य स्वीकारात् । किं तु तात्पर्यविषयान्वये मुख्यार्थतावच्छेदकरूपेण मुख्यार्थप्रतियोगिकताया अभावो रूढिप्रयोजनयोरन्यतरञ्च तन्त्रम् । मुख्यार्थान्वयानुपपत्तेः तन्त्रत्वे तु 'काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम्' इत्यत्र लक्षणोत्थान न स्यात् ।

तस्या इति । लक्षणाया इत्यर्थः । अर्थोपस्थापकत्व इति । लक्ष्यार्थविषयकस्मरण-जनने इत्यर्थः । मुख्यार्थतावच्छेदक इति । शक्यतावच्छेदक इत्यर्थः । प्रवाहत्वादाविति यावत् । तात्पर्येति । तात्पर्यविषयीभूतो योऽन्वयः सबन्ध — तद्विशिष्टतावच्छेदकताया इत्यर्थः । तन्त्रमिति । कारणमित्यर्थः । शक्यतेति । प्रवाहत्वेन रूपेत्यर्थः । लक्ष्येति । तटादीत्यर्थः । तात्पर्यविषयान्वय इति । तात्पर्यविषयीभूते सबन्धविशेषे इत्यर्थः । 'काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम्' इत्यादौ तात्पर्यविषये अवध्यवधिमद्भावाद्दौ सबन्धे दध्युपघातकत्वेन रूपेण काकादिरूपमुख्यार्थप्रतियोगिकताया सत्त्वादाह—मुख्यार्थतावच्छेदकरूपेणेति । तथा चोक्त-सबन्धे काकत्वेन रूपेण काकप्रतियोगिकताया अभावोऽक्षत इति भावः । लक्षणोत्थान न स्यादिति । 'काकावधिकदधिरक्षणम्' इत्याकारकस्यान्वयस्योपपन्नत्वेन मुख्यार्थान्वयानुपपत्ति-रूपकारणस्य विरहादिति भावः । अयमत्र निर्गलितार्थः—अन्वयानुपपत्तिस्तात्पर्यानुपपत्ति-र्चा लक्षणाबीजमिति मतद्वैधे प्राप्ते प्रथम मतम् न युक्तं, तथा सति 'काकेभ्यो दधिरक्ष्यताम्', 'नक्षत्रं दृष्ट्वा वाचं विसृजेत्' इत्यादौ लक्षणानुपपत्तेः, 'काकावधिकदधिरक्षणम्', 'नक्षत्रदर्श-नोत्तरकालिकवाग्विसर्जनम्' इत्यादिरीत्याऽन्वयस्योपपन्नत्वात् । तात्पर्यानुपपत्तेर्लक्षणाबीजत्वे स्वीकृतेऽपि 'मुख्यार्थतावच्छेदकाधिकरणकस्तात्पर्यविषयान्वयितावच्छेदकताया अभावः', 'तात्पर्यविषयान्वयाधिकरणको मुख्यार्थतावच्छेदकरूपेण मुख्यार्थप्रतियोगिकताया अभावो वा तात्पर्यानुपपत्तिपदार्थः इति मतद्वैधे समाहिते प्रथममतमसगतमेव, 'गगाया घोषः' इत्यादौ प्रसिद्धे लक्षणोदाहरणे शैत्यत्वपावनत्वादिफलव्यञ्जनसौविध्याय गगात्वेनैव रूपेण तदबोधस्यालकारिकैः स्वीकारेण लक्षणाविरहप्रसंगात् । तत्र तात्पर्यविषयीभूत सबन्ध-तदघोषयो आधाराधेयभावः, तन्नियामक सयोगो वा, तद्विशिष्टता तटे । एवञ्च तदनिष्ठया-स्तादृशान्वयिताया अवच्छेदकता मुख्यार्थतावच्छेदके गगात्वे एवेति न तदभाव कारण-त्वेनाभिमतः स्यादिति भावः । अतो द्वितीय मतमेव सम्यक्, तथा च तत्र गगात्वेन रूपेण तदभानेऽपि तात्पर्यविषयीभूतस्य उक्ताधाराधेयभावात्मकस्यान्वयस्य गगात्वेन रूपेण तदप्रतियोगिकताया तस्मिन्नन्वये गगारूपमुख्यार्थप्रतियोगिकताया अभावस्य वर्तमानतया रूढिप्रयोजनयोरन्यतरस्य शैत्यत्वपावनत्वादेश्च सत्त्वेन लक्षणा भवतीति । इदमत्र विचारणी-यम्—शक्यतावच्छेदकरूपेण लक्ष्यमानस्वीकारकथा ग्रन्थोक्ता कथं सगतेति । यत् 'कचतस्त्रस्यति वदनं, वदनात् कुचकुड्मलं विभेति । मध्याद्विभेति नयनं नयनादधरं समु-द्विजति' ॥ इत्यत्र क्रमशः कचवदनकुचमध्यनयनाधरपदानां राहुचन्द्रकमलसिंहमृगपल्लव-रूपार्थेषु लक्षणायाम् कचत्वादिरूपशक्यतावच्छेदकरूपेण राह्वादिलक्ष्यमानस्वीकारे त्रासा-देरनुपपत्तिः । किञ्च 'काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम्' इत्यत्र काकपदस्य दध्युपघातके लक्षणायाम् काकचरूपशक्यतावच्छेदकरूपेण दध्युपघातकात्मकलक्ष्यमानाङ्गीकारे तत्रत्यतात्पर्यविषयान्व-येऽवध्यवधिमद्भावे काकत्वरूपमुख्यार्थतावच्छेदकरूपेणैव काकात्मकमुख्यार्थप्रतियोगिक-ताया सत्त्वेन तदभावरूपस्य ग्रन्थकृदभिमतस्य लक्षणाकारणस्यासघटनमेवापद्येत । पर्याप्ति-निवेशेन 'मुख्यार्थतावच्छेदकरूपेण मुख्यार्थमात्रप्रतियोगिकताया अभावस्तन्त्रम्' इत्या-शयोपवर्णनेन यद्यपि नैव दोष उक्तावध्यवधिमद्भावे काकत्वेन रूपेण विडालादिसकलदध्युप-

घातकप्रतियोगिकत्वस्यैव सत्त्वेन काकल्पमुख्यार्थमात्रप्रतियोगिकताया अभावस्य साम्ना-  
ज्यात्, तथापि प्रथमदोषो दुरुद्धर एव ।

अब लक्षणा का कारण क्या है, इस विषय में कुछ विलक्षण विचार उपस्थित किया जाता है—तस्याश्च इत्यादि । इस प्रतीक का स्पष्ट अर्थ यह है कि—लक्षणा के कारण के सधन्य में दो मत हैं, एक मत के अनुसार अन्वय की अनुपपत्ति लक्षणा का कारण है—अर्थात् उस पद की लक्षणा किसी अर्थ में होती है, जिसके शक्य अर्थ का अन्वय, वाक्य-घटक अन्य पदार्थ के साथ नहीं हो सकता हो । परन्तु यह मत संगत नहीं है क्योंकि 'काकेभ्यो दधि रच्यताम्', 'नक्षत्र दृष्ट्वा वाच विसृजेत्' अर्थात् 'कौवों से दही की रक्षा करें', 'तारे देखकर बोलना चाहिए' इत्यादि जो लक्षणा के प्रसिद्ध उदाहरण हैं ( इन दोनों वाक्यों में क्रमशः काक तथा नक्षत्र पद की दृष्ट्युपघातकमात्र और रात्रि में लक्षणा होती है, क्योंकि वक्ता का यह तात्पर्य नहीं हो सकता कि कौवों से दही की रक्षा की जाय और कुत्ते आदि से नहीं, इसी तरह द्वितीय वाक्य का यह अभिप्राय नहीं हो सकता कि यदि आकाश के मेघाच्छन्न रहने से तारे नहीं दीख पड़े, तब बोला ही न जाय, अतः 'दही पर जिन-जिन प्राणियों से उपद्रव होने की सम्भावना हो, उन सबों से दही की रक्षा की जाय, एवम् रात में बोले, इन वक्त्रभिप्रेत अर्थों की सिद्धि के लिए उक्त लक्षणा आवश्यक होती है ) वहाँ अब लक्षणा नहीं हो सकेगी, क्योंकि उक्त कारण ( अन्वय की अनुपपत्ति ) का वहाँ अभाव है अर्थात् 'कौवों से दही की रक्षा करें', 'जब तारे दीख पड़ें तब बोलें' इस तरह से काक और नक्षत्र पद के शक्यार्थों का भी रक्षा करने और बोलने के साथ अन्वय हो ही सकता है । द्वितीय मत के अनुसार तात्पर्यानुपपत्ति लक्षणा का कारण कहा जाता है, जो ठीक है, क्योंकि इस मत के अनुसार उक्त उदाहरणों में तथा अन्य उदाहरणों में भी काम बन जाता है । परन्तु इस मत में भी यह विप्रतिपत्ति उपस्थित होती है कि तात्पर्यानुपपत्ति का क्या आशय ? क्या मुख्यार्थतावच्छेदक—अर्थात् मुख्य अर्थ में रहनेवाले और अन्य किसी में न रहनेवाले धर्म ( जैसे गंगा में गंगात्व ) में तात्पर्य विषयान्वयितावच्छेदकता अर्थात्—जिस अन्वय में वक्ता का तात्पर्य हो, उस अन्वय के अन्वयी—उस अन्वय से विशिष्ट वस्तु में रहनेवाला जो धर्म तत्ता का अभाव रहे, तब लक्षणा हो, यह आशय है ? कहने का अभिप्राय कि तात्पर्यानुपपत्ति से क्या आशय है कि मुख्यार्थता-वच्छेदक और तात्पर्यविषयान्वयितावच्छेदक धर्म यदि दो रहें, एक नहीं, तभी लक्षणा हो ? अथवा—क्या वक्ता के अभिमत अन्वय में मुख्यार्थतावच्छेदक ( उक्त गंगात्व आदि जैसे धर्म ) रूप से मुख्यार्थप्रतियोगिकता अर्थात्—मुख्यार्थीय होने का अभाव रहे, तब लक्षणा हो, यह आशय है ? सारांश यह कि तात्पर्यानुपपत्ति से क्या यह कहना है कि वक्ता का जिस अन्वय में तात्पर्य हो वह अन्वय अपने रूप में मुख्य अर्थ का न रहे ? इन दोनों में प्रथम आशय नहीं माना जा सकता, क्योंकि उक्त आशय के मान्य होने पर 'गंगाया घोष अर्थात् गंगा में गोष्ठ' इस प्रसिद्ध लक्षणा के उदाहरण में लक्षणा नहीं की जा सकेगी क्योंकि यहाँ शैत्यत्व-पावनत्व की अभिव्यक्ति के अनुरोध से आलंकारिक विद्वान् शक्यतावच्छेदक ( गंगात्व ) रूप से ही लक्ष ( तट ) का भाव मानते हैं, अतः यहाँ गंगात्वरूप मुख्यार्थतावच्छेदक में तात्पर्यविषयान्वयितावच्छेदकता का अभाव नहीं रहेगा अर्थात् यहाँ तात्पर्य विषयीभूत अन्वय है—तट और घोष का मरोग-मूलक आधारार्थभाव, उक्त अन्वय का अन्वयी होगा तट, अन्वयिता रहेगी तट में और उस अन्वयिता का अवच्छेदक होगा वही गंगात्व, क्योंकि उसी रूप से तट का अन्वय अभीष्ट है, अन्यथा शैत्यत्व पावनत्व व्यङ्ग्य नहीं हो सकेगा । इस तरह से मुख्यार्थतावच्छेदक गंगात्व में तात्पर्य विषयान्वयितावच्छेदकता ही रह गई फिर उक्त अभाव वहाँ नहीं रहेगा । अब परिशेषात् द्वितीय आशय ठीक समझना चाहिए क्योंकि उस आशय



के अनुसार 'गंगायां घोषः' में लक्षणा हो सकती है क्योंकि गंगास्वरूपेण आखिर भाग तो तट का ही होता है, अतः उक्त आधाराधेयभाव-सम्बन्ध का प्रतियोगी तट होगा नकि गंगा, इसलिये उस अन्वय (सम्बन्ध) में मुख्यार्थ-(गंगा)-प्रतियोगिकता का अभाव अक्षुण्ण है। रूढि और प्रयोजन इन दोनों में से किसी एक का रहना भी पृथक् लक्षणा का कारण है। उक्त उदाहरण में शैत्यत्वपावनत्व-प्रतीतिरूप प्रयोजन है ही।

लक्षणापदार्थतयाभिमतस्य शक्यसम्बन्धस्य स्थलभेदेन भेद दर्शयति—

'गङ्गायां घोषः' इत्यत्र सामीप्यम्, 'मुखचन्द्रः' इत्यादौ सादृश्यम्, व्यतिरेक-लक्षणायां विरोधः 'आयुर्वृतम्' इत्यादौ कारणत्वादयश्च संबन्धा यथायोग्य, लक्षणाशरीराणि।

व्यतिरेकलक्षणेति। 'उपकृत बहुनाम—' इत्यादौ। यथायोग्यम् यथासम्भवम्। लक्षणाशरीराणीति। लक्षणाया स्वरूपाणीत्यर्थः। अत्र नागेश—'लक्षणाज्ञानकार्यतावच्छेदकं च तादृशशक्यसम्बन्धप्रकारकलक्ष्यविशेष्यकशाब्दबुद्धित्वमिति प्राचीनालकारिकमतम्। तदनन्तरञ्च व्यञ्जनया तादृशशक्यतावच्छेदकप्रकारकलक्ष्यबोध इति च।' एतेन शक्यतावच्छेदकरूपेण लक्ष्यमान मूलोक्तम् कटाक्षितम्।

अब शक्य सम्बन्धरूप लक्षणा का स्वरूप स्थलभेद से भिन्न भिन्न होता है इस स्पष्टीकरण के लिये तादृश स्थलों का उल्लेख करते हैं—गंगायाम् इत्यादि—'गंगायां घोषः' में गंगा और घोष का संबन्ध-सामीप्य, 'मुखचन्द्रः' में मुख और चन्द्र का सम्बन्ध-सादृश्य, अपकारी के प्रति कथित 'आप ने बड़ा उपकार किया' इत्यादि विपरीत लक्षणा में अपकारी और अपकार्य का संबन्ध-विरोध, 'आयुर्वृतम्' में आयु और वृत का सम्बन्ध कार्यकारणभाव आदि यथायथ लक्षणारूप होते हैं।

लक्षणाया भेदान् दर्शयति—

इय तावद्द्विविधा, निरूढा प्रयोजनवती च। तत्रापि द्वितीया द्विविधा, गौणी शुद्धा च। तत्राद्या सारोपा, साध्यवसाना चेति द्विविधा। अन्त्या चतुर्विधा—जहत्स्वार्था, अजहत्स्वार्था, सारोपा, साध्यवसाना चेति प्रयोजनवती षड्विधा सम्पद्यते।

इयमिति। लक्षणेत्यर्थः। तावत् आदौ। अन्यत् स्पष्टम्।

अब लक्षणा के भेद लिखे जाते हैं—इयमित्यादि। प्रथमतः लक्षणा के दो प्रकार होते हैं—एक निरूढा और दूसरा प्रयोजनवती। उनमें से भी द्वितीया (प्रयोजनवती) के दो प्रभेद होते हैं—गौणी और शुद्धा। इन दो प्रभेदों में से गौणी के पुनः दो उपभेद होते हैं—सारोपा और साध्यवसाना और शुद्धा के चार उपभेद—जहत्स्वार्था, अजहत्स्वार्था, सारोपा तथा साध्यवसाना। इस तरह से प्रयोजनवती-लक्षणा के छः भेद बनते हैं (दो गौणी के, चार शुद्धा के)।

निरूढलक्षणाया उदाहरणानि प्रदर्शयति—

तत्र निरूढलक्षणाया अनुकूलप्रतिकूलानुलोमप्रतिलोमलावण्यादय उदाहरणम् नीलादयश्च।

लावण्यादय इत्यादिपदेनालेख्यगतगजादिवोधकगजादिपदाना समूहो बोध्यः। नीलादय इत्यादिपदेन सर्वेऽपि गुणिपरा गुणवाचका कृष्णपीतादय शब्दा सगृह्यन्ते।

अब निरूढा लक्षणा के उदाहरण दिखलाये जाते हैं—तत्र इत्यादि। उक्त लक्षणा-प्रभेदों में से निरूढ लक्षणा के उदाहरण होते हैं—अनुकूल, प्रतिकूल, अनुलोम, प्रतिलोम

और लावण्य भादि तथा नील आदि । यहाँ मूल के प्रथम भादि पद से चित्रगत गज आदि के बोधक गज प्रभृति पद सगृहीत होते हैं, एवम् द्वितीय भादि पद से सभी (नील, पीत, कृष्ण भादि) गुणवाचक वे पद लिए जाते हैं, जो गुणी के बोध कराने के उद्देश्य से बोले जाते हैं ।

उपपादयति—

‘धर्मस्यायमनुकूल. इत्यादौ मुख्यार्थस्य कूलानुगतत्वादेर्वाधात् अनादि-प्रयोगप्रवाहवशादेकवस्तुप्रवणत्वात्मना कूलानुगतादिरूपशक्यस्य सादृश्येन सबन्धेनानुकूलादिशब्दैरनुगुणादयो लक्ष्यन्ते । एव नीलादिपदानां लाघवाद्-गुणगतजातेरेव शक्यतावच्छेदकतया गुणद्रव्ययोः ‘नीलो घट’ इत्यादौ सामानाधिकरण्येनान्वयस्यानुपपत्ते. समवायात्मना गुणरूपशक्यस्य सबन्धेन नीलादिशब्दैर्गुणिनो लक्ष्यन्ते ।

अनुकूलपदस्य ‘कूलमनुगत’ इति व्युत्पत्तियोगात् कूलानुगतत्वविशिष्टो मुख्य (वाच्य) अर्थ । तस्य चार्थस्य ‘धर्मस्यायमनुकूल’ इत्यादौ वाध, एवञ्च तत्र एकवस्तुप्रवणत्व- ( तत्रैकमसक्तत्व )रूपेण कूलानुगतात्मकानुकूलपदशक्यस्य सबन्धेनानुकूलपदमनुगुणरूपमर्थ लक्षयति, अस्याश्च लक्षणायाम् तादृशार्थे तस्य पदस्यानादिप्रयोगप्रवाहत्वात् एतत्कारणम् । एव प्रतिकूलपदस्य ‘कूलप्रतिगत’ इति व्युत्पत्त्या कूलविरुद्धत्वोऽर्थ शक्य, स च ‘धर्मस्यायं प्रतिकूल’ इत्यादौ वाधित इति तस्य पदस्य विरुद्धत्वात्मकेन सादृश्यसबन्धेन विनुञ्जत्पर्ये एटिमूला लक्षणा । अनुलोमशब्दस्य ‘लोम अनुगतम्’ इति व्युत्पत्त्या आनुपूर्व्येण स्थित कचो वाच्य । तस्य चार्थस्य ‘अनुलोमजातिसकर’ इत्यादौ वाध इति आनुपूर्व्यात्मकेन सादृश्यसबन्धेन तादृशव्यक्तिविशेषे लक्षणा । एव प्रतिलोमपदस्य विरुद्धमजातिविशेषवति व्यक्तिविशेषे लक्षणा बोध्या । लवणभाववाचकस्य लावण्यपदस्य च हृदयगमत्वत्पसादृश्यसबन्धेन उपनाविशेषे लक्षणा ज्ञेया । एव नीलादिपदानामिति । अत्र भाव-‘नीलो घट’, ‘नील रूपम्’, इत्युभयविधव्यवहारस्यानुभविक्तया नीलादिपदानां गुणे गुणिनि वा शक्तिरिति विप्रतिपत्तौ गुण एव शक्तिरङ्गीकार्या, आश्रयभेदेन भिन्नानां नीलादिगुणानां शक्यतावच्छेदकत्वत्वाकारापेक्षया गुणगतनीलत्वादिजाते शक्यतावच्छेदकत्वाङ्गीकारे लाघवात् । एवञ्च गुणवाचकानां नीलादिपदानां द्रव्यवाचकानां घटादिपदानाञ्च ‘नीलो घट’ इत्यादौ सहप्रयोगे गुणद्रव्ययोः सामानाधिकरण्यनियानकाभेदेनान्वयस्यानुपपत्ते समवायत्पेण गुणरूपशक्यस्य सबन्धेन नीलादिपदानां तद्गुणविशिष्टेषु एटिमूला लक्षणा भवतीति ।

उक्त उदाहरणों में प्रकृतोपयोगी बातों का उपपादन करते हैं—धर्मस्य इत्यादि । ‘अनुकूल’ पद का मुख्य अर्थ है ‘कूल—नदी तट का अनुगत—अनुगामी’ । परन्तु यह धर्म का अनुकूल है’ इस तरह के वाक्यों में जब हम अनुकूल पद का प्रयोग करते हैं, तब उस पद का उक्त मुख्य अर्थ वाधित प्रतीत होता है क्योंकि नदी तट का कोई प्रसंग ही वहाँ नहीं है, अतः ‘एकवस्तुप्रवणत्व—एक वस्तु की तरफ झुकना’ रूप ( अनुकूल पद के शक्यार्थ के ) सादृश्य सबन्ध से अनुकूल पद की अनुगुण अर्थ में लक्षणा होती है । प्रतिकूल पद का मुख्य अर्थ है कूलविरुद्ध । परन्तु ‘धर्म का प्रतिकूल’ इस वाक्य में वह अर्थ वाधित है, अतः विरुद्धस्वरूप सादृश्यसबन्ध से उक्त पद की विमुख अर्थ में लक्षणा समझी जाती है । अनुलोम पद का मुख्य अर्थ है आनुपूर्व्येण ( क्रम से ) स्थितकेश । परन्तु ‘अनुलोम जाति सकर’ इत्यादि स्थल में उक्त अर्थ के वाधित होने से उक्त पद की

आनुपूर्व्यात्मक सादृश्यसंबन्धमूलक सकरजातीय व्यक्तिविशेष में लक्षणा होती है। प्रतिकूल पद की विरुद्धक्रमजातीय व्यक्ति विशेष में लक्षणा होती है। इसी तरह लवण-भाव ( नमकीन ) अर्थ के वाचक लावण्य पद की हृदयगमत्व सादृश्यसंबन्ध से सौन्दर्य विशेष में लक्षणा होती है। ये सभी उदाहरण सादृश्यसंबन्ध-मूलक हैं। अन्यसंबन्ध-मूलक लक्षणा के उदाहरण नील, पीत दिखलाये गये हैं। अभिप्राय यह है कि 'नील घड़े' और 'नील रूप' दोनों तरह के व्यवहार होते हैं। इस स्थिति में उन पदों की शक्ति गुणी ( धर्म—द्रव्य ) में मानी जाय अथवा गुण ( धर्म ) में, यह विचार जब उठता है, तब निष्कर्ष यही निकलता है कि गुण में ही शक्ति मानी जानी चाहिए, क्योंकि गुण को शक्य मानने पर गुणगत-नीलत्व आदि अनुगत जाति को शक्यतावच्छेदक होने से लाघव होता है। गुणी में शक्ति मानने पर तो अननुगत गुणों को शक्यतावच्छेदक हो जाने से गौरव होगा। अब जहाँ—'नील घड़े' इत्यादि स्थानों पर गुणवाचक (नील आदि) तथा द्रव्यवाचक ( घड़े आदि ) शब्दों का साथ साथ प्रयोग पाया जाता है, वहाँ सामानाधिकरण्य नियामक अभेद संबन्ध से गुण द्रव्यों का परस्पर अन्वय नहीं हो सकता, अतः गुणरूप शक्य के समवायात्मक संबन्ध से नील आदि पदों की उन गुणों से युक्त घट आदि द्रव्यों में लक्षणा होती है। उक्त सभी उदाहरणों में लक्षणा का कारण रूढि (अनादि परम्परा ) है—अतः ये लक्षणायें रूढिमूला कहलाती हैं।

उक्तेषु निरूढलक्षणोदाहरणेषु विशेषमाह—

तत्राद्यवर्गे सादृश्यसम्बन्धेन द्वितीयवर्गे च तदितरसम्बन्धेन लक्षणायाः प्रवृत्तेर्निरूढायामपि गौणीत्वशुद्धत्वाभ्यां द्वैविध्यमामनन्ति ।

आद्यवर्गे—अनुकूलप्रतिकूलादिषु । द्वितीयवर्गे इति । नीलादिष्वित्यर्थः । सादृश्यसम्बन्धमूलिका गौणी, तदितरमूलिका च शुद्धा, लक्षणेति सिद्धान्तः । तथा च अनुकूलप्रतिकूलानुलोमप्रतिलोमलावण्यादिषु पदेषु स्वीकृताया निरूढलक्षणायाः सादृश्यसम्बन्धमूलकत्वेन गौणीत्वम्, नीलपीतादिषु शब्देषु स्वीकृताया लक्षणाया समवायसम्बन्धमूलकत्वेन शुद्धात्वञ्च प्रसक्तमिति निरूढलक्षणाया अपि गौणीत्वशुद्धात्वभेदेन भेदद्वयं भवतीति भावः । यद्यपि सयोगे सति, 'दण्डी देवदत्त' इति च सत्यपि सादृश्ये 'सिंहवान् देवदत्त' इति विशिष्टबुद्धेरदर्शनात् सादृश्यं न सम्बन्ध, विशिष्टधीयोग्यस्यैव सम्बन्धत्वात्, तथा च गौणी न लक्षणाप्रभेद इति केचिदाक्षिपन्ति तथापि चक्षुरादर्घटनैल्यादिषु सयुक्तसमवायादिवत् विशिष्टबुद्धययोग्यस्यापि तत्सदृशनिष्ठस्य तन्निरूपितसादृश्याधिकरणत्वरूपपरम्परासम्बन्धस्य सम्बन्धत्वाङ्गीकारे बाधकाभावात्, 'उपकृतं बहु तत्रे'त्यादिव्यतिरेकलक्षणास्थले तन्निरूपितविरोधाधिकरणत्वरूपपरम्परासम्बन्धमात्रेण लक्षणावत्पत्या 'साक्षात्सम्बन्धे विशिष्टबुद्धियोग्यसम्बन्धेनासत्येव लक्षणा' इति नियमाभावाच्च, नासावाक्षेपं समुचित इति बोध्यम् । इदं त्वत्रावधारणीयम्—प्राक् सामान्येन निरूढलक्षणामुक्त्वा पश्चात् 'गौणीत्वशुद्धात्वाभ्यां द्वैविध्यमामनन्ती'त्युल्लिखन् मूलकारं पण्डितराजं निरूढलक्षणाया गौणीत्वे स्वकीयामसम्मतिमिव प्रकटयति, तत्र किं वीजमिति ।

रूढिमूलक लक्षणा के उक्त दो श्रेणी के उदाहरणों में विशेष दिखलाकर मद्रूपेद का उरथान करते हैं—तत्राद्यवर्गे इत्यादि । सादृश्यसंबन्ध मूलक लक्षणा गौणी और सादृश्य से अन्यसंबन्ध मूलक लक्षणा शुद्धा कही जाती है, यही जब सिद्धान्त है, तब रूढि-मूलक लक्षणा के भी दो भेद होने चाहियें, क्योंकि रूढि-मूलक लक्षणा के जो उदाहरण ऊपर दिखलाये गये हैं, उनमें भी दो श्रेणी के उदाहरण हैं, एक श्रेणी ( अनुकूल, प्रतिकूल, अनुलोम, प्रतिलोम और लावण्य आदि ) में लक्षणा का मूल सादृश्य संबन्ध है और दूसरी

श्रेणी ( नील, पीत आदि ) में साध्य से अन्य सनवायसवन्ध लक्षणा के मूल हैं। अतः लुटि-मूलक लक्षणा के भी दो भेद ( गौणी और शुद्धा ) कुछ विद्वान् मानते हैं। यहाँ एक विचारणीय प्रश्न यह है कि पहले मानान्य रूप से निरुद्ध लक्षणा का उल्लेख करके पीछे 'कुछ लोग गौणी शुद्धा भेद से निरुद्ध लक्षणा के भी दो प्रकार मानते हैं' इस तरह लिखते हुए मूलकार ने निरुद्ध लक्षणा के गौणी भेद में अपनी अस्मन्ति सूचित की है, वह क्यों ?  
 नारोपसाध्यवसानन्द्योरर्थं विवृणोति—

विषयविषयिणी पृथङ्निर्दिष्टयोरभेद आरोपः । अपृथङ्निर्दिष्टे विषये विषयभेदोऽध्यवसानम् । तत्राद्येन सहिता सारोपा । द्वितीयेन तु साध्यवसाना । विषयविषयिणीरिति । चारोप्यने स विषयः च्या लुटादिः । च आरोप्यने स विषयः च्या चन्द्रादिः । पृथङ्निर्दिष्टयोरिति । पृथङ्चरितयोरित्यर्थः, अपृथङ्निर्दिष्टे इति । विषयिणा निर्गमो इत्यर्थः । आद्येन आरोपेण । द्वितीयेन अध्यवसानेन ।

प्रयोजनवती लक्षणा के छः भेद पूर्व में प्रतिपादित हो चुके हैं। उनमें से 'शुद्धा प्रयोजनवती के दो भेदों—नहन्स्वार्था और अजहन्स्वार्था—के उदाहरण तो ध्वनि प्रकरण में दिए जा चुके हैं। रहे चार भेद—गौणी सारोपा, गौणी साध्यवसाना, शुद्धा सारोपा और शुद्धा साध्यवसाना । इनके विषय में इतनी बात तो ऊपर के ग्रन्थ से विदित हो ही जाती है कि—लक्षणा अब साध्य सवन्ध के रूप में प्रवृत्त होनी है, तब गौणी कहलानी है और जब अन्य किसी सवन्ध के रूप में प्रवृत्त होनी है तब शुद्धा । अतः अवशिष्ट सारोपा और साध्यवसाना पदों का अर्थ अब बनलाने हैं—विषयविषयिणी इति । विषय—जिसमें आरोप किया जाता है वह, जैसे सुख आदि—और विषयी—जिसका आरोप किया जाता है वह, जैसे चन्द्र आदि—दोनों का अलग-अलग निर्देश करके किया जानेवाला अन्वय 'सारोप' कहलाता है और विषय का अलग निर्देश न करके उसके साथ न किया जाने वाला विषयी का अन्वय 'अध्यवसान' कहलाता है । उन दोनों में आरोपसहित लक्षणा सारोपा और साध्यवसान से कुछ लक्षणा साध्यवसाना कही जाती है ।

गौण्यो सारोपसाध्यवसानलक्षणयोर्दाहरणो वक्ष्यति—

उदाहरणानि च 'सुखं चन्द्रः' इत्यादीनि गौण्याः सारोपायाः । 'पुरेऽस्मिन् सौधशिखरे चन्द्रराजी विराजते' इत्यादीनि च तस्याः साध्यवसानायाः ।

'सुखं चन्द्रः' इत्यादी चन्द्रवदस्य स्वसङ्घो लक्षणा, तन्वदशक्यायत्वेन्दोर्नहे न सहानेयान्वदन्य वाधितत्वात् । सा च लक्षणा गौणी, साइव्यन्वन्वन्मूलकत्वात्, नारोपा च, विषयविषयिणीसुखचन्द्रयोर्तन्मयोर्निर्देशात् । इत्येव लक्षणा लज्जालकारस्य बीजम् । पुरेऽस्मिन्निति । अस्मिन् चरिन्नाश्रिद् वानेये, पुरे नगरेः सौधशिखरे प्रासादोपरिभागे, चन्द्रराजे इन्दुश्रेणी, चन्द्रराजित्सेनाध्यवसिता इत्यन्वयनिर्गमसुखमञ्जिरिति यवद्, विराजते विशेषेण शोभते इत्यर्थः । तस्या इति गौण्या इत्यर्थः । अत्रापि चन्द्रशब्दस्य स्वसङ्घो ( सुखे ) लक्षणा, सौधशिखरे चन्द्रस्थितेर्वाजित्वात् । सा च लक्षणा साध्यवसानमूलकत्वात् गौणी, विषयस्य सुखत्यानिर्देशेन साध्यवसानेति भावः । इत्येव लक्षणा अतिशयोक्त्यकारविशेषस्य हेतुः ।

व० गौणी सारोपा तथा साध्यवसाना लक्षणा के उदाहरण दिखलाने हैं—उदाहरणानि च इत्यादि । 'सुखं चन्द्रः' इत्यादि स्थल से चन्द्रवद की स्वसङ्घ से लक्षणा होती है, क्योंकि चन्द्रवद के मुख्य अर्थ—इन्दु—का सुख के माय अन्वय वाधित है। यह लक्षणा साध्यसवन्धमूलक होने से गौणी और विषय सुख तथा विषयी चन्द्र दोनों के पृथक् निर्दिष्ट रहने से सारोपा कही जाती है। यही लक्षणा रूपक अलंकार का बीज है। 'पुरेऽस्मिन्...' इत्यादि अर्थात् इस नगर में अट्टालिकाओं के निवास

पर चन्द्रमा की श्रेणी वस्तुतः कामिनी की सुन्दर चमचमाली हुई मुख पङ्क्ति शोभित होती है' यहाँ भी चन्द्र पद की मुख में सादृश्यसंबन्धरूप लक्षणा है क्योंकि कोठों पर चन्द्रपङ्क्ति की स्थिति बाधित है। परन्तु यहाँ विषय मुख का पृथक् निर्देश नहीं किया गया है—'चन्द्रराजी' पद से ही उसका भी बोध कराया गया है, अतः यह साध्यवसाना कही जाती है। यही लक्षणा अतिशयोक्ति का एक प्रकार का बीज है।

उक्तसारोपास्थलेऽन्वयप्रकारमुपदर्शयति—

अत्राद्यायां विषयिप्रतिपादकैश्चन्द्रादिशब्दैर्लक्षणयोपस्थापितानां चन्द्रादि-सदृशानामभेदेन ससर्गेण मुखादिशब्दोपस्थापितैर्मुखत्वादिविशिष्टैर्मुखादि-भिरन्वयः।

आद्यायामिति। 'मुख चन्द्र' इत्यादिस्थलीयसारोपलक्षणायामित्यर्थः। विषयिप्रतिपादकैरिति। उपमानबोधकैरित्यर्थः। 'मुख चन्द्र' इत्यादौ उपमानबोधकैश्चन्द्रादि-पदैर्लक्षणया चन्द्रसदृशा उपस्थाप्यन्ते। उपमेयबोधकैर्मुखादिशब्दैश्चाभिधया मुखत्वादिविशिष्टा मुखादयः उपस्थाप्यन्ते। ततश्चोपमानोपमेयबोधकपदोपस्थापितलक्ष्यार्थवाच्यार्थयोरभेदान्वय सम्पद्यते। तेन 'चन्द्रसदृशाभिन्न मुखम्' इति शाब्दबोध फलितः।

गौणी सारोपा लक्षणा के स्थल में शाब्द-बोध—प्रकार का वर्णन करते हैं—अत्र इत्यादि। 'मुखं चन्द्र' इत्यादि स्थल में विषयिप्रतिपादक—उपमान बोधक—चन्द्र आदि पदों से लक्षणा के द्वारा चन्द्र सदृश की उपस्थिति होती है और विषय-प्रतिपादक—उपमेयबोधक—मुख आदि पदों से अभिधा के द्वारा मुख आदि की उपस्थिति होती है। उपस्थिति के बाद उन लक्ष्य और वाच्य अर्थों में परस्पर अभेद संबन्ध से अन्वय होता है, अतः 'चन्द्र सदृश से अभिन्न मुख' ऐसा बोध फलित होता है।

ननु सदृशरूपधर्मिलक्षणाया गौरवात् सादृश्यरूपधर्मलक्षणैव कुतो नाङ्गीक्रियत इत्यत आह—

सादृश्यरूपधर्मिलक्षणायां तु तेन सह मुखादीनामन्वयो न स्यात्, नामार्थयोरभेदातिरिक्तसंसर्गेण विशेष्यविशेषणभावस्यानुपपत्तेः।

तेनेति। सादृश्यात्मक लक्ष्यार्थेनेत्यर्थः। अयमाशयः—'मुखचन्द्र' इत्यादि गौण-सारोपलक्षणोदाहरणे विषयिवाचकस्य चन्द्राचिपपस्य स्वसदृशधर्माणिलक्षणाश्रयणे गौरवापत्तिरिति सादृश्ये धर्म एव लक्षणाऽऽश्रयणीयेति कथं न युक्तम्, तथासति चन्द्रपदोपस्थाप्य चन्द्रसादृश्यरूपलक्ष्यार्थस्य मुखपदोपस्थाप्यमुखत्वविशिष्टरूपवाच्यार्थेन सहान्वयाभावप्रसङ्गात्। न च स्वरूपसम्बन्धेनान्वय सम्भवतीति वाच्यम्, 'नामार्थयोरभेदातिरिक्तसम्बन्धोव्युत्पन्न' इति निमयस्य जागरूकत्वात्। अभेदान्वय एव भवत्विति तु न पक्तुं शक्यम्, सादृश्यमुखयोरभेदस्य बाधितत्वात्। अतः धर्मिलक्षणैव स्वीकर्तव्येति।

सदृशरूप धर्मों में लक्षणा मानने की अपेक्षा सादृश्यरूप धर्म में लक्षणा मानने पर आघव है अतः वही क्यों नहीं मानी जाय इस शङ्का का समाधान अब करते हैं—सादृश्य इत्यादि। 'मुखचन्द्र' इत्यादि स्थल में चन्द्र आदि पद की लक्षणा सदृश-धर्मों में न मानकर सादृश्यरूप धर्ममात्र में मान ली जाय यदि, चन्द्र पद के लक्ष्य अर्थ चन्द्र सादृश्य का मुख पदार्थ के साथ अन्वय नहीं हो सकेगा। यदि आप कहे कि स्वरूप सम्बन्ध से अन्वय हो सकता है, तो वह ठीक नहीं, कारण, दोनामार्थों (प्रातिपदिकार्थों) में परस्पर अभेद सम्बन्ध से ही अन्वय होता है अन्य सम्बन्ध से नहीं, ऐसा नियम सर्व सममत है। अभेदान्वय ही हो यह तो कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि सादृश्य और मुख अभिन्न हो नहीं सकता। अतः, सदृशरूप धर्मों में ही चन्द्र आदि उपमान वाचक पदों की लक्षणा माननी चाहिए।

शङ्कने—

नन्वेव सति बोधावैलक्षण्याच्चन्द्रसदृशं मुखमित्युपमानेः मुख चन्द्र इति रूपकस्य कथं भेदः । न च सदृशविशेषणचन्द्रसंबन्धासंबन्धाभ्यामिति वाच्यम् । बोधस्य वैलक्षण्यामात्रेण पृथगलङ्कारताया असिद्धेः । अन्यथा मुखं चन्द्र इवेत्यत्र चन्द्रसदृशमित्येतद्गतात्पृथगलङ्कारतापत्तिरिति चेत् ?

एव नतीति । वर्मिलक्षणयाऽभेदेनान्वयाङ्गीकारे सतीत्यर्थः । धर्मलक्षणया 'नानार्थ-  
यो रिति व्युत्पत्तौ लक्ष्यार्थातिरिक्तनानार्थविषयकत्वेन सकोचमङ्गीकृत्य भेदान्वये तु बोध-  
वैलक्ष्यं सम्भवतीति भावः । बोधावैलक्ष्येति । उपमायानपि अभेदेनैव बोधादिति भावः ।  
उपनाल्लक्ष्योभेदनिर्द्देश्यं बोधवैलक्ष्यं दर्शयति—न चेति । सदृशविशेषणेत्यादि ।  
सदृशे विशेषणभूतो यश्चन्द्रस्तत्संबन्धतदसंबन्धाभ्याम् ससर्गतया भासतानाम्यामित्यर्थः ।  
बोधवैलक्ष्यमिति शेषः । बोधवैलक्ष्यमात्रेणालङ्कारभेदः खण्डयति—बोधस्य वैलक्ष्य-  
मात्रेणेति । अन्ययेति । बोधवैलक्ष्यमात्रेणालङ्कारभेदाङ्गीकारे इत्यर्थः । अयं भावः—  
गौणसारोपलक्षणात्स्थले धर्मिलक्षणयाऽभेदान्वयाङ्गीकारे 'मुख चन्द्र' इति तादृशलक्ष-  
णामूलके रूपके, 'चन्द्रसदृशम् मुखमित्युपमायाश्च 'चन्द्रसदृशाभिन्नं मुखम्' इति  
समानाकारकत्वेन बोधस्य जायमानतया रूपकोपनयो को भेद इति शङ्का जागर्ति ।  
'भिन्नपदोपस्थाप्ययोरेवार्थयोः ससर्गं ससर्गनर्दादया भासते इति नियमेन 'चन्द्रसदृशं  
मुखम्' इत्युपनात्स्थले चन्द्रपदान् चन्द्ररूपार्थत्वेऽपस्थितौ, सदृशपदान् लक्षणया चन्द्र-  
प्रतियोगिकसादृश्याश्रयरूपार्थत्वेऽपस्थितौ तयोर्भेदः ससर्गनर्दादया भासते भिन्नपदोप-  
स्थाप्यत्वात्, तथा च 'चन्द्राभिन्नं यन्सदृशं तदभिन्नम् मुखम्' इति बोधः । 'मुखं चन्द्र'  
इति रूपकस्थले च चन्द्रपदस्य तत्सदृशे लक्षणिकतया तत्संज्ञकपदार्थत्वात् ससर्गत्वापि  
लक्ष्यधटकतया चन्द्रसदृशयो संबन्धस्य ससर्गविधया न भानमिति तत्र 'चन्द्रसदृशाभिन्नं  
मुखम्' इति बोधः । एवञ्च रूपकोपनयोर्बोधवैलक्ष्यसिद्धया भेदः सिद्धयेदिति तु न सनी-  
चीनम्, बोधवैलक्ष्यमात्रेणालङ्कारभेदे 'मुखं चन्द्र इव' 'चन्द्रसदृशं मुखम्' इत्युपना-  
लक्ष्यत्वेन सर्वसम्मतयोरपि स्थलयोरलङ्कारभेदस्याङ्गीकर्णीयतापत्तेः, यतः—इवेति निपा-  
तस्य द्योतकत्वेन 'चन्द्र इवेत्यत्र रूपकोरित्या चन्द्रसदृशयो संबन्धस्य ससर्गनर्दादया न  
भानमिति प्रागुक्तरूपकस्थलीय एव बोधाकारः । 'चन्द्रसदृशम्' इत्यत्र च पूर्वोपदर्शितो  
भिन्नाकारो बोध इति तयो स्थलयोरपि बोधवैलक्ष्यसिद्धिः । 'निपाता वाचका' इति  
पक्षेऽपि इवशब्दः सादृश्यवाचकः सदृशवाचको वेति परद्वय संभवति परन्तु परद्वयेऽपि  
'चन्द्रसदृशम्' इत्यतो बोधवैलक्ष्यं तत्र दुष्परिहरनेव यतः इवपदस्य सादृश्यवाचकत्वपक्षे  
प्रतियोगित्वस्य संसर्गविधया भानेन 'चन्द्रप्रतियोगिकं सादृश्यम्' इत्यादिबोधाकारः,  
'चन्द्रसदृशम्' इत्यत्र तु पूर्वोक्त एव । तस्य सदृशवाचकत्वपक्षे 'चन्द्र इव' इत्यत्र  
त्वप्रतियोगिकाश्रयत्वस्य संसर्गत्वेन भाने 'चन्द्रप्रतियोगिकसादृश्याश्रयाभिन्नं मुखम्' इति  
बोधाकारः । 'चन्द्रसदृशम्' इत्यत्र पुनः स एव । इत्यत्र बोधवैलक्ष्यमात्रेणालङ्कारभेदाङ्गी-  
करणकस्य शिथिलीभूते पूर्वोक्तो 'रूपकोपनयो कथं भेदः' इति पूर्वः पक्षो यथास्थित इति ।

अथ एक भाशंका उपस्थित की जाती है—नन्वेवम् इत्यादि । अभिप्राय यह है कि—  
जब आप गौण-सारोपा-लक्षणा के स्थल में चन्द्र आदि पद की धर्मी में लक्षणा  
मानकर मुख के साथ अभेदान्वय ही मानते हैं, तब 'मुखचन्द्र' इस रूपक तथा  
'चन्द्र के समान मुख' इस उपमा—दोनों में 'चन्द्रसदृश से अभिन्न मुख' यह एक

प्रकार का ही बोध होगा, फिर इन दोनों अलकारों में भेद क्या रहा ? अर्थात् इन दोनों स्थलों पर दो भिन्न अलकार क्यों और कैसे मानते हैं ? एक ही क्यों नहीं मान लेते ? यदि कोई कहे कि उक्त दोनों स्थलों के बोध में विलक्षणता हो सकती है। कारण, 'भिन्न-भिन्न पदों से उपस्थित होनेवाले दो अर्थों का सबन्ध ही ससर्ग-मर्यादा-सबन्ध रूप से भासित होता है' इस नियम के अनुसार 'चन्द्रसदृशमुख' इस उपमा-स्थल में चन्द्र तथा सदृशरूप अर्थों की क्रमशः चन्द्र तथा सदृश पद से उपस्थिति होने से उन दोनों का अभेद, सबन्धरूप से भासित होता है—अर्थात् वहाँ 'चन्द्र से अभिन्न जो सदृश उससे अभिन्न मुख' ऐसा बोध होता है। परन्तु 'मुखचन्द्र' इस रूपकस्थल में चन्द्र पद से ही लक्षणावृत्ति के द्वारा चन्द्र तथा सदृश पदार्थ की उपस्थिति होती है, अतः उन दोनों अर्थों का सबन्ध संबन्धरूप से भासित नहीं होता अर्थात् वहाँ 'चन्द्र सदृश से अभिन्न मुख' यही बोध होता है। इस तरह बोध में वैलक्षण्य सिद्ध हो जाने पर उन अलकारों में भी भेद सिद्ध होगा। परन्तु यह कथन सगत नहीं है क्योंकि यदि बोध में विलक्षणता होने से अलकार में भेद सिद्ध किया जाय, तब 'चन्द्र इव मुखम्—चौद सा मुख और चन्द्रसदृश मुखम्—चन्द्रतुल्य मुख' इन दोनों स्थानों—जो सर्वसम्मति से उपमा के ही लक्ष्य हैं—में भी दो अलकार मानने पड़ेगे, क्योंकि इन दोनों स्थानों पर भी बोध में विलक्षणता हो जाती है। देखिए—'इव' यह निपात है, अतः द्योतक है, इस दृष्टिकोण से विचार करने पर उक्त रूपक स्थलीय रीति से 'चन्द्र इव मुखम्' में—चन्द्र और सदृश पदार्थ का संसर्ग भासित नहीं होगा, फिर तो वैसा ही बोध होगा, जैसा ऊपर रूपकस्थल में दिखलाया गया है और 'चन्द्रसदृशमुखम्' में चन्द्र तथा सदृश पदार्थ का सबन्ध (अभेद) भासित होगा, अतः वहाँ का बोध भिन्न तरह का होगा। 'निपात वाचक है' अतः 'इव भी वाचक है' इस दृष्टिकोण से भी विचार करने पर बोध में विलक्षणता बनी ही रहती है, जैसे—'इव' सादृश्यवाचक है अथवा सदृशवाचक, यह विकल्प उठता है परन्तु दोनों पक्षों में यहाँ कोई खास लाभदायक अन्तर नहीं होता क्योंकि इव का अर्थ सादृश्य मानने पर उसके साथ चन्द्र का सबन्ध होगा प्रतियोगित्व, जिससे 'चन्द्र इव' में 'चन्द्रप्रतियोगिक सादृश्य' इत्यादि रीति से बोध होगा और 'चन्द्र सदृश' इत्यादि में वही बोध रहेगा, जो पहले कहा जा चुका है। 'इव' का अर्थ सदृश करने पर 'चन्द्र इव' में 'स्वप्रतियोगिकाश्रयत्व' का सबन्धरूप से भाव होगा, जिससे बोध होगा 'चन्द्रप्रतियोगिक सादृश्याश्रय से अभिन्न मुख' और 'चन्द्रसदृश' में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं। इस तरह बोधवैलक्षण्य से अलकारभेदवाला सिद्धान्त जब शिथिल है तब वह शका बनी रही कि रूपक और उपमा में क्या भेद है ?

उक्ताशङ्काया प्राचामभिमत मतभेदेन समाधानत्रय प्रतिपादयिष्यन् तावत् प्रथम-मतमाह—

अत्र केचित्—'रूपकस्योपमातः स्वरूपसंवेदनांशमादायावैलक्षण्येऽपि लक्षणाफलीभूतताद्रूप्यसवेदनमादाय वैलक्षण्य निर्वाधम् । ताद्रूप्यसवेदनं च विषये मुखादौ विषयितावच्छेदकस्य चन्द्रत्वादेः सप्रत्ययः । ननु लक्षणाप्रयोज्यादपि तत्सदृशबोधात्कथ नाम ताद्रूप्यप्रत्यय' स्यात्, उपायस्याभावाद्भेद-ज्ञानेन प्रतिबन्धाच्च । अन्यथा चन्द्रसदृशं मुखमित्यत्रापि ताद्रूप्यप्रत्ययप्रसङ्ग इति चेत्, मैयम् । श्लेषस्थल इवात्राप्येकशब्दोपादानोत्थस्य व्यञ्जनस्योपाय-त्वाद्वैयञ्जनिकबोधस्य बाधवृद्धयप्रतिबन्धत्वाच्च । अथ चन्द्रतत्सदृशयोरेवैकपदोपात्तत्वाच्चन्द्रसदृशे चन्द्रताद्रूप्यस्य प्रत्ययो यथाकथञ्चिदस्तु, न तु मुखत्ववि-  
रूपे मुखे । अनुभवसिद्धश्च सर्वेषां 'वक्त्रे चन्द्रमसि स्थिते किमपर. शीवांशु-

रुज्जृम्भने' इत्यादौ विषये विषयिताद्रूप्यस्य प्रत्यय इति सत्यम् । स्वताद्रूप्यवद-  
भेदबुद्ध्या स्वताद्रूप्यस्य सुबोधतया तस्मिन्नपि तस्य सिद्धे ' इत्याहुः ।

अत्रेति । उक्ताशक्यामित्यर्थः । 'केचिन्' इत्यस्य अप्रिमेण 'आहु' इत्यनेन  
सबन्धः । स्वतपसवेदनेति । शाब्दबोधेत्यर्थः । ताद्रूप्यसवेदनम् ताद्रूप्यप्रतीतिः ।  
अत्र 'ताद्रूप्यमात्रसवेदनमित्यर्थः' । एतेन भेदाभेदोभयप्रधानोपमा असाधारणरूपेणोप-  
मानोपमेययोर्भेदः, साधारणरूपेण त्वभेद इत्यलंकारसर्वस्वरुद्रूपान्यविरोध इत्यपास्तम्'  
इति नागेशः । ताद्रूप्यसवेदनघटकताद्रूप्यपदार्थ स्फोरयितुमाह—ताद्रूप्यसवेदन चेति ।  
शङ्कते—नन्वित्यादि । उपायस्येति । शक्तिलक्षणान्यतररूपस्येत्यर्थः । तत्रापि लक्ष-  
णास्वीकारे का बाधेत्यत आह—भेदेति । अन्यथेति । भेदज्ञानत्याप्रतिबन्धकत्वे इत्यर्थः ।  
इत्यत्रापि । उपमायामप्येत्यर्थः । ताद्रूप्येति । ताद्रूप्यमात्रेत्यर्थः । उपाय दर्श-  
यति—श्लेषस्थल इवेत्यादि । प्रतिबन्धक निरस्यति—वैयञ्जनिकेत्यादि । तत्सदृश-  
योरेवेति । अत्रेवपदेन मुखन्वविशिष्टमुखन्यवच्छेदः । तदेवाह—न त्विति । सदृशत्वेन  
रूपेण सुबोधस्थिते सन्वादाह—मुखत्वेति । इष्टापत्तिं परिहरति—अनुभवेति । स्वताद्रूप्यव-  
दिति । चन्द्रताद्रूप्यवान् य सदृशस्तदभेदबुद्धयत्यर्थः । तस्मिन् विषये । तस्य ताद्रूप्यप्रत्य-  
यस्य । अयमभिसन्धि—'सुख चन्द्र' इति रूपके, 'चन्द्रसदृश मुखम्' इत्युपमायाञ्च यद्यपि  
क्रमशो लक्षणाप्रयोज्य, अभिधाप्रयोज्यश्चोक्ताकारक समान एव प्राथमिको बोध इति  
तदशमादाय तयोर्न किञ्चिद् वैलक्षण्यम्, तथापि रूपके लक्षणाया प्रयोजनमूलकतया  
उक्तप्रथमबोधानन्तर प्रयोजनभूत उपमेये मुखे उपमानतावच्छेदकस्य चन्द्रत्वस्य प्रत्ययो  
व्यञ्जनाया जायते, उपमाया तु न तथेति वैलक्षण्यं सिद्धयति । रूपकस्थले लक्षणाया  
चन्द्रसदृशस्यैव बोधान् उक्त प्रयोजनभूत प्रत्ययो न भवितुं शक्नोति, तथा प्रत्यये कारण-  
त्वेन समावितयो शक्तिलक्षणयोरेकतरस्याप्यभावात्, 'मुखं न चन्द्र' इति बाधनिश्चयस्य  
मुखाधिकरणकचन्द्रत्वप्रतीतौ प्रतिबन्धकत्वाच्च । कारणविरहेऽपि प्रतिबन्धकसत्त्वेऽपि च  
यदि तत्र तथाप्रतीतिरनुमन्यते, तर्हि उक्तोपमायामपि सा स्वीकरणीया स्यात्, तुल्यत्वात्,  
इति तु न वक्तुं योग्यम्, श्लेषस्थले यथा एकशब्दोपादानोत्था व्यञ्जना श्लेषाधारभूत-  
योरर्थयोस्ताद्रूप्यबोधे हेतुः, तथा रूपकेऽपि चन्द्रतत्सदृशयोरेकेनैव चन्द्रपदेन लक्षणाया  
उपस्थापनादुन्विताया व्यञ्जनाया शक्तिलक्षणयो समकक्षाया वृत्ते तयोरेकपदोपस्थित-  
योरर्थयोस्ताद्रूप्यप्रतीतौ कारणत्वात्, बाधनिश्चयप्रतिबन्धतावच्छेदककुक्षौ वैयञ्जनिकबोधाति-  
रिक्तत्वनिवेशेन तादृशप्रतीतिरप्रतिबन्धाच्च । उपमाया तु उत्थापकविरहेण व्यञ्जनाया अनु-  
त्थानात् । ननु एकपदोपादान-युक्ति-समुत्था व्यञ्जना यदर्थद्वयबोधकैकपदप्रयुक्ता तदर्थयोरेव  
ताद्रूप्यं गमयेत्, तथा च प्रकृते चन्द्रसदृशे एव चन्द्रताद्रूप्यस्य प्रतीतिर्व्यञ्जनाया, न मुख-  
त्वविशिष्टे मुखे । न च तावत्तैव सामञ्जस्येनेष्टापत्तिरिति वाच्यम्, 'मुखरूपे चन्द्रे वर्त-  
माने द्वितीयोऽयं चन्द्र' किमर्थमुदयते' इत्यर्थके 'वक्त्रे चन्द्रमसी'त्यादौ आरोपविषये उप-  
मेये मुखे आरोपविषयिण उपमानस्य चन्द्रस्य ताद्रूप्यस्य प्रतीतिरनुभवसिद्धत्वादिति चेन्न,  
चन्द्रताद्रूप्यवान् य सदृशस्तदभेदस्य मुखे बोधे चन्द्रताद्रूप्यस्यापि तत्र सुबोधत्वात् तद-  
भिनाभिन्नस्य तदभिन्नत्वनियमान् इति । अत्र केचिदित्यनेनारुचि सूचिता । तद्वीज तु  
स्वरूपसवेदनकृतवैलक्षण्यसम्भवेन फलकृतवैलक्षण्यपर्यन्तानुधावन व्यर्थमिति ।

उक्त आशङ्का के समाधान प्राचीनों ने तीन प्रकार से किये हैं । उनमें प्रथम  
प्रकार पहले दिखलाते हैं—अत्र केचित् इत्यादि । उक्त शङ्का के विषय में कुछ



लोगों का कथन है—यद्यपि 'मुखचन्द्र' इस रूपक से 'चन्द्रसदृश मुख' इस उपम में स्वरूप-सवेदन-प्राथमिक बोध—भिन्न तरह का नहीं होता—अर्थात् रूपकस्थल में लक्षणा मानने पर जैसा बोध होता है, उपमास्थल में लक्षणा नहीं मानने पर भी वैसा ही बोध होता है, अतः उस (प्राथमिक शाब्दबोध) अंश को लेकर उन दोनों स्थानों (रूपक तथा उपमा) में कोई विलक्षणता नहीं होती, तथापि रूपकस्थल में लक्षणा प्रयोजनमूला ही हुई रहती है, अतः प्राथमिक बोध के बाद लक्षणा का प्रयोजन-रूप जो ताद्रूप्य सवेदन होता है, उस अंश को लेकर होनेवाली विलक्षणता में किसी प्रकार की बाधा नहीं। और 'ताद्रूप्य-सवेदन' से यहाँ अभिप्राय है कि मुख आदि के विषय में विषयितावच्छेदक अर्थात् चन्द्रत्व आदि की सम्यक् प्रतीति (सारांश यह कि रूपक और उपमा दोनों स्थानों पर यद्यपि पहले 'चन्द्र सदृश मुख' यह एक प्रकार का ही बोध होता है, तथापि रूपक में सादृश्य की उपस्थिति लाक्षणिक चन्द्र आदि पद के द्वारा होती है और उपमा में इव आदि वाचक पद के द्वारा। और रूपकस्थलीय लक्षणा, रुढ़ि के न रहने के कारण प्रयोजनमूलक ही सिद्ध होती है, तदनुसार रूपक में लक्षणा का प्रयोजन होता है चन्द्र तथा मुख में 'अभेद का बोध' और उपमा में लक्षणा नहीं होती, अतः वहाँ प्रयोजन का प्रसङ्ग ही नहीं आता कि 'अभेद का बोध' भी नहीं होता। फलतः उपमा में केवल सादृश्य का ही बोध होता है और रूपक में लक्षणा के प्रयोजन (अभेद) का भी व्यञ्जना से बोध होता है। यही उक्त दोनों स्थानों में रूपक और उपमा नाम से भिन्न-भिन्न दो अलंकार मानने में युक्ति है।) रूपक-स्थल में लक्षणा के द्वारा चन्द्र आदि पद से चन्द्र सदृश आदि का बोध होता है, तो होवे, परन्तु-उस (चन्द्र सदृश बोध) से ताद्रूप्य (मुख आदि में चन्द्र आदि के अभेद) की प्रतीति कैसे होगी? क्योंकि एक तो उक्त अभेद-बोध को सिद्ध करनेवाला कोई उपाय नहीं है अर्थात् किसी अर्थ के बोध में शक्ति अथवा लक्षणा ही तो कारण होती है, और यहाँ अभेद अंश में न किसी पद की शक्ति है न लक्षणा, अतः अभेद का बोध नहीं होगा। दूसरा यह कि 'चन्द्रसदृश मुख' यह जो ज्ञान होता है, उसके साथ ही 'मुख चन्द्र नहीं है' इस तरह के भेद का ज्ञान भी होगा ही क्योंकि भेद ज्ञान, सादृश्यज्ञान का व्यापक है—अर्थात् सादृश्यज्ञान-स्थल में भेदज्ञान रहता ही है और जिन दो पदार्थों में भेद का ज्ञान रहता है, उनमें अभेद का ज्ञान हो नहीं सकता, क्योंकि बाधनिश्चय को सभी लोग प्रतिबन्धक मानते हैं। यदि उपाय के अभाव और प्रतिबन्धक की सत्ता में भी उस तरह का अभेद-बोध हो, तब उपमास्थल में भी 'चन्द्रसदृश मुख' इस बोध के बाद उक्त अभेदबोध का प्रसङ्ग होने लगेगा। यह आशङ्का यहाँ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसे श्लेष-स्थल में अनेक अर्थों के बोध के लिये एक पद का ग्रहण रहने के कारण उठी हुई व्यञ्जना उन दो अर्थों के अभेदज्ञान का उपाय मानी जाती है, उसी तरह यहाँ भी चन्द्र तथा तत्सदृश रूप दो अर्थों के बोध के लिये एक लाक्षणिक चन्द्र पद के ग्रहण द्वारा उचित व्यञ्जना (जो अभिधा और लक्षणा के समान ही बोधनियामक वृत्ति है) को उन दोनों अर्थों में अभेदज्ञान का उपाय माना जा सकता है। अब बात रही बाधनिश्चय से प्रतिबन्ध होने की, सो वैयञ्जनिक बोध में बाधनिश्चय प्रतिबन्धक नहीं होता क्योंकि वैयञ्जनिक बोधातिरिक्त बोध के प्रति ही उसको प्रतिबन्धक माना जाता है। उपमा-स्थल में एक पद का ग्रहण नहीं रहता अपितु दो पदों का, अतः वहाँ व्यञ्जना का उद्घान नहीं होता, यह ध्यान रखना चाहिये। यदि आप कहें कि एकपदोपादानरूप युक्ति से उचित व्यञ्जना उस एक पद से अवगत होनेवाले दो अर्थों में ही अभेदबोध करा सकती है, तदनुसार चन्द्ररूप एक पद से अवगत होनेवाले चन्द्रमा तथा तत्सदृश में व्यञ्जना के द्वारा अभेद हो, परन्तु मुखत्व से युक्त मुख में चन्द्र का अभेद कैसे प्रतीत होगा, क्योंकि मुख की उपस्थिति तो उस चन्द्र पद से नहीं होती, और अनुभव स सिद्ध है 'वक्त्रे चन्द्र-

‘मसि’... ‘इत्यादि अर्थात् मुखरूप चन्द्र की वर्तमानता में यह दूसरा चन्द्र किसलिये उदित होता है’ में विषय-उपमेय-मुख में विषयी-उपमान-चन्द्र के अभेद की प्रतीति । तात्पर्य यह कि व्यञ्जना के बल पर चन्द्र तथा चन्द्रसदृश का अभेद ज्ञात होने पर भी चन्द्र तथा मुख का अभेद ज्ञात नहीं हो सकता । तो इसका समाधान यह है कि— कहना आपका यद्यपि सच है, तथापि व्यञ्जना से जब चन्द्र-सदृश में चन्द्र का अभेद ज्ञात हो जायगा, तब जिस मुख को चन्द्रसदृश से अभिन्न समझा जा चुका है, उस मुख में भी चन्द्र का अभेद ज्ञात हो ही जायगा, क्योंकि ‘जो जिसके अभिन्न से अभिन्न होता है वह उससे भी अभिन्न होता है’ यह एक न्याय-सम्मत बात है । अतः रूपक स्थल में विषयी का अभेद विषय में अवश्य प्रतीत होता है ।

उच्चारार्थेर्द्वितीय मतमुपदर्शयति—

अन्ये तु—‘चन्द्रादिपदेभ्यो लक्षणया चन्द्रसदृशत्वेनापि रूपेणोपस्थितानां मुखादीनां चन्द्रत्वेन रूपेणैव मुखादिपदोपस्थापितैः सहाभेदान्वयबोधो जायते । तत्तत्पदलक्षणाज्ञानस्य तत्तत्पदशक्यतावच्छेदकप्रकारकलक्ष्यानवयबोधत्वावच्छिन्नं प्रति हेतुतायाः पदार्थोपस्थितिशाब्दबोधयोः समानाकारत्वस्यानुभवसाक्षिकवैलक्षण्यकलाक्षणिकबोधातिरिक्तविषयतायाश्च कल्पनान् । अत एव गङ्गायां घोष इत्यत्र तदत्वेनाप्युपस्थितस्य तदस्य गङ्गात्वेनान्वयबोधस्तत्प्रयोज्यः शैत्यपावनत्वादिप्रत्ययश्च सगच्छते । प्रकृते तु विषयिचन्द्रादिनिष्ठासाधारणगुणवत्वप्रत्ययः फलम् । न हि चन्द्रत्वप्रतीतिं विना मुखे चन्द्रत्वनियतगुणवत्त्वधीः शक्योपपादयितुम् । ताद्रूप्यपदेन तदसाधारणगुणवत्त्वमेव प्राचीनैरुक्तम् । इत्थं च स्वरूपसंवित्तिकृतः फलीभूतसंवित्तिकृतश्चोपमातो रूपकस्य भेदः स्फुट एव’ इति वदन्ति ।

‘अन्ये’ इत्यस्याग्निनेण ‘वदन्ति’ इत्यनेनान्वयः । चन्द्रादिपदेभ्य इति । उपमानवाचकस्य इति भावः । लक्षणया इति । गौम्या सारोपया इति भावः, चन्द्रसदृशत्वेनेति । लक्ष्यतावच्छेदकेनेति भावः । चन्द्रत्वेनेति । शक्यतावच्छेदकेनेति भावः । उपस्थापितैरिति । मुखादिभिरुपमेयैरिति शेषः । ननु प्राचीनां शक्यसंबन्धप्रकारकलक्ष्यविशेष्यकशाब्दद्वन्द्वित्वं लक्षणाज्ञानकार्यतावच्छेदकमज्ञीडुर्वन्तीति कथमित्य बोध इत्यत आह— तत्तत्पदेति । ‘तत्तत्पदानां—चन्द्रादीनाम्—या लक्षणा—चन्द्रादिपदनिष्ठा या शक्यसंबन्धरूपा लक्षणा वृत्तिरित्यर्थः, तस्या यद् ज्ञानम् चन्द्रादिपद तत्सदृशं लक्षणिकमित्याकारम्, तत्, तत्तत्पदशक्यतावच्छेदक—चन्द्रादिपदशक्यतावच्छेदकं चन्द्रत्वादिरित्यर्थं प्रचारो यस्मिन् तादृशो य लक्ष्यानवयबोधत्वावच्छिन्न—मुखादिविशेष्यकाः नवै बोधा—तम् प्रति कारणम्’ इत्याकारकार्यकारणभावस्येत्यर्थः । एतद् विवृण्वती ‘सत्त्वा’ न समीचीनेति द्रष्टव्यं विः । नन्वेवमपि उपस्थितिशाब्दबोधयो समानाकारत्वनिश्चयो भज्येत इत्यत आह—पदार्थेति । अनुभवसाक्षिक वैलक्षण्यं यत्र तादृशो यो लक्षणिकबोधः तदतिरिक्तविषयताया इत्यर्थः । उक्तकल्पनाया आवश्यकतामाह—अत एवेति । शक्यतावच्छेदकप्रकारकलक्ष्यबोधादेवेत्यर्थः । तदत्वेनापीत्यत्रापिना समीपत्वसमुच्चयः । ननु प्रकृते प्लामाव इत्यत आह—प्रकृते त्विति । असाधारणगुणवत्त्वेति । विजातीयतादृशत्वादीत्यर्थः । चन्द्रत्वन्वितेति । चन्द्रत्वस्मनियतेत्यर्थः । चन्द्रत्वानाधिकरणावृत्तीति यावत् । नन्वेव प्राचीनाभिनतसिद्धान्तविरोधः, ताद्रूप्यनवेदनस्य तै फलत्वेनोक्त्यादित्यत आह—ताद्रूप्यपदेनेति । इत्यं चेति । रूपकस्य तत् तादृशो बोधे तथाविधे प्ले

चाङ्गीक्रियमाणो चेत्यर्थ । उपमातो रूपकस्येति । उपमाया तथाबोधाभावात् साधारणस्यैव गुणस्य प्रतीतिश्चेति भावः । अत्रायं विशदोऽर्थ—चन्द्रादिपदनिष्ठलक्षणाज्ञानस्य चन्द्रादिपद-शक्यतावच्छेदकप्रकारकलक्ष्यार्थविशेष्यकबोधप्रति कारणत्वकल्प्यते एवम् यत्प्रकारिका यद्वि-शेष्यिकोपस्थितिर्यत्र तत्र तत्प्रकारक तद्विशेष्यक एव बोध इति नियमस्य लक्षणाजन्यबोधाति-रिक्तविषयकत्वञ्च स्वीक्रियते, लक्षणाजन्योपस्थिति-तज्जन्यबोधयोर्भिन्नाकारत्वस्यानुभवसिद्ध-त्वात् । तेन मुखचन्द्र इति रूपकस्थले गौणसारोपलक्षणया चन्द्रपदात् चन्द्रसदृशत्वेन रूपेण मुखस्योपस्थितावपि तस्य मुखपदोपस्थापितमुखेन सहान्वयबोध, चन्द्राभिन्न मुखमित्याकारकश्चन्द्रत्वेनैव रूपेण भवति । लक्षणास्थले च तादृश कार्यकारणभाव उपस्थितिशाब्दबोधयोर्भिन्नाकारत्वञ्चाकामेनापि स्वीकरणीयमेव, अन्यथा गङ्गाया घोष इत्यत्र शैत्यपावनत्वप्रतीतिर्न स्यात् । तत्स्वीकारे तु तदत्वेनाप्युपस्थितस्य तदस्य गङ्गा-त्वेन रूपेणान्वयबोधे तत्प्रयुक्ता तथाविधप्रतीतिरुपपद्येत । ननु तत्र तथाविधप्रतीतिरूप-फलसिद्धयर्थं तथाङ्गीकारस्य युक्तत्वेऽपि मुखचन्द्र इत्यादौ तत्स्वीकारे किं फलमिति चेन्न, प्राचीनैस्तादृश्यपदेन विवक्षितस्य विजातीयाह्लादकत्वरूपचन्द्रनिष्ठासाधारणगुणवत्त्वस्य मुखे प्रतीते फलत्वात् । न च मुखे चन्द्रनिष्ठा साधारणगुणवत्त्वप्रतीतिसपादने तत्र चन्द्राभेद-प्रतीते कथमपेक्षेति वाच्यम्, चन्द्रत्वसमनियतगुणवत्त्वप्रतीतिश्चन्द्रत्वप्रतीतिमन्तरोपपाद-यितुमशक्यत्वात् । समनियतवस्तुद्वयमध्यगतमेक नापरव्यतिरेकेण स्थातु प्रभवति । एव-ञ्चोपमापेक्षया रूपके न केवल फलात्मकप्रतीतिकृत एव भेद अपि तु प्राथमिकस्वरूपप्रती-तिकृतोऽपीति । अत्रापि मते ग्रन्थकृतोऽरुचि प्रतीयते । तद्बीज तु प्रसिद्धिविरुद्धस्योक्त-कार्यकारणभावस्य उपस्थितिशाब्दबोधयोर्भिन्नाकारत्वस्य चास्वीकारोऽपि सामञ्जस्य सम्भव-तीति बोध्यम् ।

पूर्वमत में लक्षणा के फलरूप से प्रतीत होनेवाले विशेष के आधार पर उपमा से रूपक में विलक्षणता दिखलाई गई है, परन्तु शाब्दबोध में भी जब वैलक्षण्य हो सकता है, तब फलकृत वैलक्षण्यपर्यन्त अनुधावन व्यर्थ है, इस अरुचि को ध्यान में रखकर द्वितीय मत का उल्लेख करते हैं—अन्ये तु इत्यादि । अन्य विद्वान् उपमा से रूपक में भेद दिखलाने के लिये निम्नलिखित बातें कहते हैं । रूपकस्थल ( मुखचन्द्र ) में चन्द्र आदि पद की चन्द्रसदृशरूप अर्थ में गौणी सारोपा लक्षणा हुई रहती है, अतः चन्द्र पद से—मुख आदि की ही सही—परन्तु 'चन्द्र-सदृशत्व' रूप से प्रतीति होती है अर्थात् लक्षणा के द्वारा चन्द्रसदृश का ही ज्ञान होता है, केवल चन्द्र किंवा मुख का नहीं, यह बात यद्यपि सत्य है, तथापि उक्त रूपकस्थल में मुख आदि पदों से मुखत्वविशिष्ट रूप में उपस्थित मुख आदि अर्थों के साथ चन्द्र पदार्थ का चन्द्रत्वरूप से ही अभेदान्वय होता है, चन्द्रसदृशस्वरूप से नहीं । तात्पर्य यह कि 'मुखचन्द्र' इत्यादि वाक्य से अर्थ की उपस्थिति 'चन्द्र सदृश मुख' इस रूप में होती है, परन्तु अन्वयज्ञान 'चन्द्र से अभिन्न-मुख' इसी रूप में होता है अर्थात् ऐसे स्थानों पर अर्थ की उपस्थिति अन्य रूप से और अन्वयबोध अन्य रूप से होते हैं । यदि कोई कहे कि यह कैसे हो सकता है ? अर्थात् मुखचन्द्र इत्यादि रूपकस्थल में उपस्थिति 'चन्द्रसदृश मुख' की और अन्वयबोध 'चन्द्राभिन्न मुख' का कैसे बूझ सकते हैं ? क्योंकि प्राचीन आचार्यों ने लक्षणाज्ञान को शक्यसम्बन्धप्रकारक लक्ष्यविशेष्यक बोध के प्रति ही कारण माना है, तदनुसार उक्त स्थान पर 'चन्द्र सदृश से अभिन्न मुख' इस एक रूप में ही अर्थ की उपस्थिति तथा अन्वयबोध दोनों होने चाहिएँ । साथ-साथ प्राचीनों ने उपस्थिति और शाब्दबोध में समानरूपता का सिद्धान्त माना है अर्थात् किसी पद से जिस रूप में जिस अर्थ की उपस्थिति होती है, उसी रूप में उस अर्थ का

अन्वयबोध भी होता है, ऐसा सिद्धान्त स्वीकार किया है। तदनुसार भी उक्तस्थल में पदाद्योपस्थिति तथा शाब्दबोध में एकरूपता ही होनी चाहिए, आपके कथनानुसार विभिन्न रूपता नहीं। तो इसका समाधान यह है कि हम लक्षणा ज्ञान को लाक्षणिक पद-शक्यतावच्छेदक अर्थात् चन्द्रत्व आदिप्रकारक और लक्ष्य अर्थात् मुख-आदिविशेष्यक बोध के प्रति कारण मानते हैं और उपस्थितिशाब्दबोध की समानरूपतावाले सिद्धान्त को लाक्षणिक पदजन्य बोध से अतिरिक्त विषय में ही स्वीकार करते हैं अर्थात् सामान्य नियम यद्यपि ऐसा है कि उपस्थिति और शाब्दबोध एकरूप हो, तथापि लक्षणा के स्थान पर उन दोनों में भिन्नरूपता भी हो सकती है, ऐसा हम मानते हैं और ऐसा इसलिये मानते हैं, कि लक्षणास्थल पर उपस्थिति तथा शाब्दबोध में भिन्नरूपता अनुभव से सिद्ध है। इस तरह की हमारी मान्यता के आधार पर ही 'गङ्गा में घोष (वयान-गाँव) इस प्रसिद्ध लक्षणा के उदाहरण में लाक्षणिक गङ्गा पद से उपस्थिति तटत्वरूप से अथवा सामीप्यरूप से तट की होती है और घोष पदार्थ के साथ अन्वयबोध गङ्गात्वरूप से होता है, जिससे शीतलता तथा पावनता की अभिव्यक्ति होती है' यह विश्लेषण सगत होता है। अन्यथा (लक्षणाज्ञान को शक्यसम्बन्धप्रकारक अन्वय-बोध के प्रति कारण तथा उपस्थिति-शाब्दबोध में एकरूपतावाले सिद्धान्त को मान लेने पर) उक्त विश्लेषण की असंगति स्पष्ट है। यदि आप कहें कि वहाँ तो शीतलता आदि की अभिव्यक्ति एक फल है, अतः वैसा माना जा सकता है, परन्तु प्रकृत में तो कुछ फल है नहीं, फिर वैसा क्यों माना जाय ? तो इसके उत्तर में प्रकृत पत्रवालों का विनम्र कथन है कि यहाँ भी विषयी अर्थात् उपमान-चन्द्र आदि में रहनेवाले असाधारण गुण (विजातीय आहादकत्व आदि) की मुख में प्रतीति होना फल है। यदि आप कहें कि इस फल के लिये मुख में चन्द्रत्व की प्रतीति कराने का क्या प्रयोजन है ? चन्द्रसादृश्य की प्रतीति होने पर भी उक्त फल की सिद्धि क्यों नहीं होगी ? तो इसका उत्तर यह है कि जो गुण चन्द्रत्व के समनियत हैं अर्थात् चन्द्रत्व के साथ ही जो गुण रह सकते हैं, उसके बिना नहीं, उन गुणों की प्रतीति मुख में तब तक नहीं हो सकती, जब तक उसमें चन्द्रत्व की प्रतीति न हो जाय। तात्पर्य यह कि मुख में चन्द्रगत आहादकत्व आदि-गुणों की प्रतीति सिद्ध करने के लिये पहले उसमें चन्द्रत्व की प्रतीति को सिद्ध करना आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है। पूर्वमत में ताद्रूप्यप्रतीति को जो प्रयोजन कहा गया है, उसमें ताद्रूप्य पद से असाधारण गुण ही विवक्षित है। इस तरह उपमा से रूपक में स्वरूपसवित्ति (प्राथमिक शाब्दबोध) और फलीभूत सवित्ति (लक्षणाप्रयोजन की प्रतीति) दोनों ही विलक्षण होते हैं, अतः दोनों में भेद स्पष्ट है।

उत्तमानञ्जल्यसाधकं तृतीयं मतमाह—

अपरे तु—'भेदकरन्वित सादृश्यमुपमाजीवातुभूतम्, भेदकरन्वितं च गौणसारोपलक्षणाया इति स्फुटे भेदे कृत फलकृतवैलक्षण्यपर्यन्तानुधावनेन। पञ्चेऽस्मिन्भेदगर्भसादृश्यप्रतिपत्तेस्ताद्रूप्यप्रतीति कथं नाम फलं भवितुमीष्टे इत्यनुपपत्ति परिहर्तुमायासांऽपि नापनतोत्यपरमनुकूलम्' इत्यप्याहुः।

अन्वित विशिष्टम्। सादृश्यस्य धर्मतन्त्रेऽतिरिक्तत्वे च भेदागर्भत्वादिति भावः, जीवातुजीवन्मैधम्। उपमाप्रयोजकमिति निन्दार्य। स्फुटे भेदे इति। उग्नान्ना चन्द्राभिन्नं चन्द्रनद्वयमिति बोधः। रूपके तु चन्द्रसादृशमिन्वेवेति भावः। पदेऽस्मिन्निति। अन्य अपरमनुकूलमित्यत्र नवन्धः। तद्भिन्नत्वे सति तद्भातभूयोधर्मवन्धम् सादृश्यमित्येकं पक्षः। तन्मतानुसारेणोपमाया प्रयोजक सादृश्य भेदाभेदघटितमिति तत्रत्यबोधे भेदो भासते। सादृश्य नोच्चारणम् अपि तु धर्मान्तरमेवाखण्डमिति द्वितीयं पक्षः। तद्वीत्या रूपकस्य प्रयो-

जकं सादृश्य न भेदघटितमिति तत्रत्यबोधे भेदो न भासते । एवञ्चोपमारूपकयो स्वरूप एव भेदः सिद्धयतीति पश्चात्कालिकवैयञ्जनिकबोधविषयीभूतफलवैलक्षण्यमादाय तयो भेदसाधनायासो विफल एव । एतद्रीत्यनुसरणोऽयमपि लाभो यत् मुखचन्द्र इत्यादिरूपके लक्षणाया प्रयोजनमूलकतया, व्यञ्जनया मुखे चन्द्रताद्रूप्यप्रतीतिरिति प्रयोजन यदुक्तम्, तत्र विषये पूर्वमतयो 'व्यञ्जनयाऽपि मुखे चन्द्रताद्रूप्यप्रतीति कथं स्यात् ? लक्षणाया भेदघटितसादृश्यभावेन तस्या बाधितत्वात्' इति शकाया जागरिताया तत्समाधानाय बाधनिश्चयप्रतिबन्धतावच्छेदककुक्षौ वैयञ्जनिकबोधातिरिक्तविषयत्वनिवेश कर्तव्यो भवति यथा, तथा नारिमन् मते भेदाघटितस्यैव सादृश्यस्यात्र कल्पे स्वीकारेणोक्तनिवेश विनापि ताद्रूप्यप्रतीति सम्भवात् इति भावः ।

अनुपदोक्त द्वितीय मत में भी ग्रन्थकार की अरुचि-सी प्रतीति होती है जिसका कारण यह ज्ञात होता है कि अप्रसिद्ध कार्यकारणभाव तथा उपस्थिति-शब्द बोध की भिन्नरूपता को अस्वीकृत करने पर भी जब निर्वाह हो सकता है, तब व्यर्थ उन दोनों बातों का स्वीकार क्यों किया जाय ? अत एव अब तृतीय मत का उल्लेख करते हैं—अपरे तु इत्यादि । कतिपय विद्वानों का कथन है कि जब सादृश्य पदार्थ के स्वरूप के विषय में दो मत मान्य हैं जिनमें एक के अनुसार 'उससे भिन्न होकर उसमें रहनेवाले अधिकतर धर्मों से युक्त होना' ही सादृश्य पदार्थ है और दूसरे के अनुसार सादृश्य एक अखण्ड भिन्न धर्म ही है । तब क्यों नहीं इन दोनों मतों के अनुसार उपमा और रूपक को विभक्त कर दिया जाय ? अर्थात् प्रथम मत-सिद्ध भेद तथा अमेद दोनों में सम्मिलित सादृश्य पदार्थ को उपमा का प्रयोजक मान लिया जाय और द्वितीय-मत-सिद्ध भेदांशरहित सादृश्य पदार्थ को रूपक का नियामक समझा जाय । तदनुसार 'चन्द्रसदृश मुख' इत्यादि उपमा-स्थल में 'चन्द्र से भिन्न होकर भी चन्द्रवृत्तिगुणयुक्त मुख' और 'मुखचन्द्र' इत्यादिरूपक स्थल में केवल 'चन्द्रवृत्तिगुणयुक्त मुख' ये दो प्रकार के बोध होंगे । इस तरह से जब स्वरूप सवेदन-प्रयुक्त भेद ही दोनों स्थलों पर स्पष्ट हो जाता है, तब फल-प्रयुक्त भेद का अनुसरण निरर्थक है । 'लक्षणा से जब भेदघटित सादृश्य की प्रतीति पहले हो जाती है, तब पीछे व्यञ्जना से भी ताद्रूप्य (अमेद) की प्रतीति कैसे होगी' इस आशका के उत्तर में पूर्व के दोनों मत वालों को जो यह कहना पड़ता था कि 'वैयञ्जनिक बोध में बाध-निश्चय प्रतिबन्धक नहीं होता' वह भी इस मत में नहीं कहना पड़ता, क्योंकि इसके अनुसार भेद से अभिभूत सादृश्य का ही बोध रूपकस्थल में लक्षणा से माना जाता है ।

प्राचीनमतवर्णनसमाप्ति सूचयन्नाह—

तदित्थं प्राचामाशयो मतभेदेन वर्णितः ।

इत्थं पूर्वोक्तप्रकारेण । आशय अभिप्राय । मतभेदेनेति । 'केचित्', 'अन्ये', 'अपरे' इति त्रिभिः प्रतीकैः प्रतिपादितेन मतत्रयेणेत्यर्थः ।

अब प्राचीन तीन मत की व्याख्या को समाप्त करने की सूचना देते हैं—तदित्थमित्यादि । 'केचित्', 'अन्ये' और 'अपरे' इन तीनों प्रतीकों के द्वारा प्राचीन आचार्यों के अभिप्रायों का वर्णन किया जा चुका ।

॥

खण्डयितु नवीनमत प्रपञ्चयति—

नव्यास्तु—'मुख चन्द्र, वाहीको गौ.' इत्यादौ चन्द्रादीनां मुखादिभिः सह सम्भवति लक्षणां विनैवाभेदेन ससर्गेणान्वयबोधः । बाधनिश्चयप्रतिबन्धतावच्छेदककोटावनाहार्यत्वस्येव शाब्दान्यत्वस्यापि निवेश्यत्वात् । अत एव

[रूपणम्]

अत्यन्तासत्यपि ह्यर्थे ज्ञानं शब्दः करोति हि' इति प्राचां प्रवादोऽपि सगच्छते । न च 'बहिना सिद्धति' इत्यतो वाक्यादपि शाब्दबोधोपपत्तिः । योग्यताज्ञान-  
विरहात् । मुख चन्द्रः, गौर्वाहीकः, इत्यादौ त्विष्टचमत्कारप्रयोजकताज्ञानाधी-  
नाया इच्छायाः सत्त्वादाहार्ययोग्यताज्ञानसाम्राज्यम् । अत एव शाब्दबोधे योग्य-  
ताज्ञानस्य कारणत्वोक्तिः प्राचां संगच्छते ।

नव्या इति । अप्ययदीक्षितादय इत्यर्थः । अस्य दूरस्थेन 'आहु' इति क्रियापदे-  
नान्वयः । ननु मुखं न चन्द्र इत्यादिवाधज्ञानसत्त्वेन कथं तथाबोध इत्यत आह—  
वाधेति । अनाहार्येति । वाधज्ञानसत्त्वेऽपि इच्छारूपोत्तेजकवशादाहार्यस्य जायमानत्वा-  
'ति भावः । इदमिन्द्रियसन्निर्वाहजन्यत्वदोषविशेषाजन्यत्वयोरप्युपलक्षणम् । अत एवेति ।  
यानिवेशादेवेत्यर्थः । अत्यन्तासत्यपीति । पदार्थे सर्वथाऽऽवर्तमानेऽपि शब्दात्तदर्थ-  
वेषयको बोधो भवत्येवेति तदर्थः । अत एव 'शशशृङ्गं पश्य' इत्यादिवाक्यश्रवणोत्तर  
लोकानां दर्शनोन्मुखी प्रवृत्तिः सगच्छते । प्रसिद्धे शृङ्गपदार्थे शशीयत्वभ्रमेण तादृशी  
प्रवृत्तिरिति केचिन् । बाह्यार्थे वाधितेऽपि बौद्धार्थस्यावाधितस्य सत्त्वात्तथैत्यपि बहवः ।  
न चेत्यस्यैवमिति शेषः । शाब्दान्यत्वनिवेशे इति तदर्थः । योग्यताज्ञानविरहादिति ।  
योग्यता च परस्परसंबन्धे वाधाभावः । पदार्थे तत्र तद्वत्ता योग्यता परिकीर्तिता ।  
इत्यन्ये । एकपदार्थेऽपरपदार्थसंबन्धो योग्यतेति तदर्थः । नन्वेव प्रकृतेऽपि योग्यताज्ञाना-  
भावात्कथं बोधोऽत आह—मुखमिति । इष्टेति । इष्टं अभिलषितं यं चमत्कार  
लोकोत्तराहाद इत्यर्थः । ज्ञानेति । 'चन्द्राभिन्नं मुखमित्यादिबोधश्चमत्कारप्रयोजक'  
इत्याद्याकारकेत्यर्थः । इच्छाया इति । 'चन्द्रप्रतियोगिकाभेदसंबन्धवन्मुखमिति बोधो मे  
जायताम्' इत्याकारिकाया इत्यर्थः । आहार्येति । वाधकालीनेच्छाजन्येत्यर्थः । योग्यता-  
ज्ञानेति । 'चन्द्रप्रतियोगिकाभेदसंबन्धवन्मुखम्' इत्याद्याकारकेत्यर्थः । अत एवेति ।  
वाधनिश्चयप्रतिवध्यतावच्छेदककोटौ शाब्दान्यत्वनिवेशादेवेत्यर्थः । शाब्दबोधे शाब्द-  
बोधन्वावच्छिन्ने । अयमभिप्रायः—'मुखं चन्द्र' इत्यादीनि यानि गौणसारोपालक्षणे-  
दाहरणत्वेन प्राचामभिमतानि तेषु लक्षणा नावश्यकी, ननु लक्षणा विना 'मुखं न चन्द्र'  
इत्यादिवाधनिश्चये वर्तमाने चन्द्रमुखादिपदवाच्यार्थयोः कथमभेदान्वयबोधः, तद्वत्ता-  
बुद्धिः प्रति तदभाववत्तात्मकवाधानिश्चयस्य प्रतिबन्धकत्वादिति चेन्न, वाधनिश्चयप्रतिव-  
ध्यतावच्छेदकदले यथा अनाहार्यत्वादिकं निवेश्यते, तथा शाब्दान्यत्वस्यापि निवेशनी-  
यत्वात्—अर्थात् 'लौकिकसन्निकर्षाजन्यद्रोषविशेषाजन्यानाहार्यशाब्दान्यबुद्धिन्वावच्छिन्न  
प्रति वाधनिश्चयः प्रतिबन्धकः' इत्याकारकस्यैव प्रतिवध्यप्रतिबन्धकभावस्य त्वाकारात् ।  
तथा च वाधितार्थविषयकोऽपि शाब्दबोध उक्ताकारकः स्यादेव । 'अत्यन्ता नन्यपि'  
इति प्राचीनोक्तिरपि अत एव सगता भवति । शाब्दबोधस्यापि बोधनिश्चयेन प्रतिबन्धे  
तदसंगतिः स्पष्टैव । न चैव रीत्या 'बहिना सिद्धति' इति वाक्यादपि 'बहिकरणकं सेक'  
इत्याकारको वाधितार्थविषयकः शाब्दबोधः अपाद्येत इति वाच्यम्, शाब्दबोधकारणो-  
न्यतमस्य योग्यताज्ञानस्य विरहेण तथाबोधोपत्तेरभावात् । 'करणक्रियाभावसंबन्धेन  
'बहिमान् सेक' इत्याकारकः योग्यताज्ञानं नास्तंति तान्यर्थम्, अथ नुत्र चन्द्र इत्या-  
दावपि योग्यताज्ञानं नास्त्येवेति कथं तत्र तादृशो बोध उपपाद्यते इति तु नाश-  
ङ्क्यम् स्वाभाविकयोग्यताज्ञानसत्त्वेऽपि आहार्ययोग्यताज्ञानस्य सत्त्वात् बहिना सिद्ध-  
तीत्यत्र तु नाहार्ययोग्यताज्ञानस्यापि संभवः, तज्जनकेच्छान्ना विरहान् निःप्रयोज-

नेच्छाया अदर्शनात् । मुख चन्द्र इत्यादौ तु जायते योग्यता ज्ञानेच्छा, इष्ट-  
चमत्कारप्रयोजकज्ञानप्रयोज्यत्वेन तस्यास्तत्र सप्रयोजनत्वात् । 'शाब्दबुद्धित्वावच्छिन्ने  
योग्यताज्ञान कारणम्' इति कार्यकारणभाव' प्राचीनाभिमत, बाधनिश्चयप्रतिबन्धताव-  
च्छेदककोटौ शाब्दान्यत्वनिवेशस्वीकारादेव सगन्तुमीप्ते । अन्यथा तु तादृशकार्यकारणभा-  
ववारणीयस्य शाब्दबोधस्य बाधनिश्चयरूपप्रतिबन्धकेनैव वारणे तदसगतिरेवापतेत् इति ।

अप्यप्यदीक्षित आदि नवीन विद्वान्, उक्त उपमा और रूपक में भेद सिद्ध करने के  
लिये कुछ नवीन ही युक्ति बतलाते हैं जिसका खण्डन यद्यपि आगे ग्रन्थकार को करना  
है तथापि खण्डन करने के लिये ही पहले उनके मत का उपपादन करते हैं—नव्यास्तु  
इत्यादि । नवीन विद्वानों का कथन है कि 'मुख चन्द्र है' 'वाहीक ( बेल का चरवाहा )  
गो ( बेल ) है' इत्यादि जो गौण सारोपलक्षणा के प्राचीनाभिमत-उदाहरण हैं  
उनमें लक्षणा की कोई आवश्यकता नहीं है । यदि आप कहें कि 'वह है' इत्यादि बोध  
के प्रति 'वह नहीं है' इत्यादि बाधनिश्चय प्रतिबन्धक होता है, इस नियम के अनुसार  
'मुख चन्द्र नहीं है', 'वाहीक गो नहीं है' इत्यादि बाध-निश्चय-दशा में लक्षणा के विन  
( लक्षणा के द्वारा चन्द्र आदि पदों का तत्सदृश अर्थ नहीं करने पर ) 'मुख चन्द्र से अभिन्न  
है', 'वाहीक गो से अभिन्न है' इत्यादि तरह के अभेदान्वयबोध कैसे हो सकते हैं ? तो  
इसका उत्तर यह है कि बाध-निश्चय से प्रतिबद्ध होनेवाले ज्ञान के पीछे जिस तरह  
अनाहार्य आदि विशेषण जोड़े जाते हैं, उसी तरह शाब्दबोध से अन्य यह एक और  
विशेषण जोड़ना चाहिए । तात्पर्य यह है कि 'शुक्ति रजत नहीं है' इस बाधनिश्चय के  
रहने पर भी 'मुझे इस शुक्ति में रजत की बुद्धि होवे' इस इच्छा के बल से जो  
शुक्ति के विषय में 'यह रजत है' इस तरह का ज्ञान होता है, उसी को आहार्य ज्ञान  
कहते हैं, वह बाध-निश्चय से नहीं रुकता, अतः बाधनिश्चय-प्रतिबन्धतावच्छेदक-  
कोटि में अनाहार्यत्व का निवेश किया जाता है । उसी तरह जब उक्त कोटि में शाब्दा-  
न्यत्व का भी निवेश कर दिया जायगा, तब बाधितार्थविषयक भी शाब्दज्ञान होगा ।  
अतएव प्राचीनों ने जो यह कहा है कि 'अर्थ की अत्यन्त अवर्तमानता अवस्था में भी  
शब्द अपना कार्य करता ही है—अपने अर्थ का ज्ञान कराता ही है'—वह भी सगत  
होता है । यदि बाध-निश्चय से शाब्दज्ञान भी रुकता, तब तो उक्त कथन असगत ही  
होता, क्योंकि जो अर्थ ( जैसे वन्ध्या का पुत्र ) ससार में है ही नहीं, वह तो सर्वथा  
बाधित है, फिर शब्द से उसके ज्ञान की बात कैसे कही जा सकती है ? यदि कहा  
जाय कि बाधित अर्थ का भी शाब्दबोध मानने पर 'आग से सींचता है' इस  
वाक्य से भी 'अग्निकरणक सेचन' यह शाब्दबोध होने लगेगा । तो इसका समाधान  
यह है कि शाब्द-बोध के अनेक कारणों में से एक जो बाधाभावरूप योग्यता  
का ज्ञान है, उसके नहीं रहने से उक्त शाब्दबोध नहीं होगा—अर्थात् सेचन किसी तरह  
वस्तु से ही हो सकता है, आग से नहीं इस तरह का बाध-निश्चय रहने पर बाधाभाव-  
रूप योग्यता का ज्ञान—जो शाब्दबोध के कारणों में से एक है—हो नहीं सकता, अतः  
उक्त बोध की आपत्ति नहीं दी जा सकती । इस पर आप कह सकते हैं कि 'मुख चन्द्र है'  
इत्यादि स्थल में भी तो बाधनिश्चय है अतः बाधाभावरूप योग्यता का ज्ञान होगा नहीं,  
फिर कैसे वहाँ लक्षणा के विना अभेदबोध की बात करते हैं ? तो मैं कहूँगा कि कहना  
आपका सत्य है, परन्तु वहाँ आहार्य ( बाधकालिक इच्छाजन्य ) योग्यता-ज्ञान हो जाता  
है । यदि आप कहें कि यह तो आपने ऐसी बात कही, जिसके अनुसार पुन 'आग से  
सींचता है' यहाँ भी बाधित अर्थ का बोध प्राप्त हो जायगा अर्थात् आहार्य योग्यता-  
ज्ञान वहाँ भी मान लिया जा सकता है । तो इसका उत्तर यह है कि नहीं भाई, वहाँ  
आहार्य योग्यता-ज्ञान भी नहीं हो सकता । कारण, बाधकालीन इच्छाजन्य ज्ञान को

ही तो आहार्य कहते हैं, और किसी वस्तु की इच्छा निष्प्रयोजन होती नहीं, अतः वहाँ जननी इच्छा का अभाव रहता है। आप कहेंगे कि—'मुख चन्द्र है' इत्यादि स्थल में कौन सा प्रयोजन है, जो बाधकालिक ज्ञान की जननी इच्छा को उत्पन्न करता है? तो मैं कहूँगा—'हाँ, वहाँ यह ज्ञान है कि 'मुख चन्द्र से अभिन्न है' इत्याकारक ज्ञान चमत्कार ( जलौकिक आनन्द ) का प्रयोजक ( परम्परया कारण ) है। अतः 'चन्द्र से अभिन्न मुख' इस तरह का ज्ञान मुझे होवे यह इच्छा होती है। बाधनिश्चय से रकनेवाले ज्ञान के पीछे शाब्दान्य विशेषण जोड़ने की बात मान लेने पर ही 'योग्यताज्ञान, शाब्दबोध ने कारण है यह प्राचीनों की उक्ति सगत होती है। अन्निप्राय यह है कि बाधनिश्चय रहने पर शाब्दबोध न होवे इसलिये बाधाभावरूपयोग्यता-ज्ञान को शाब्द-बोध के प्रति कारण माना जाता है। अब आप सोचिये कि यदि बाध-निश्चय-प्रतिबन्धतावच्छेदक कोटि में शाब्दान्यत्व निवेश नहीं किया जाता अर्थात् शाब्दज्ञान भी बाधनिश्चय से रोका जाता, तब तो उसीसे वह एक ही जाना फिर उनको रोकने के लिये योग्यताज्ञान को कारण मानना व्यर्थ हो जाता।

मुख चन्द्र इत्यादौ लक्षणां विनैवान्मेदान्वयबोधोपपादकं प्रकारान्तरमाह—

आहार्य एव वाऽभेदान्वयबोधोऽस्तु । सास्तु बाध बुद्धि-प्रतिबन्धतावच्छेदककोटौ शाब्दान्यत्वम् । सा चास्तु शाब्दबुद्धौ योग्यताज्ञानस्य कारणत्वम् । आहार्यं प्रात्यक्षिकमेवेति । नयमश्च ।

नियन्त्रेति । अस्य 'सा चास्तु' इति पूर्वतनेन विद्यापदेनान्वयः । अयं भाव— आहार्ययोग्यतान्तरूपनेन मुख चन्द्र इत्यादौ वाच्यार्थयोरभेदान्वयबोधोपपादने गौरवच्छेदुद्भाव्याने तर्हि तत्र वाच्यार्थयोरभेदान्वयबोध एवाहायोऽङ्गीकृत्य । अर्थात् मुख न चन्द्र इति बाधनिश्चयगन्नामानपि 'चन्द्रानिन्न मुखम्' इति बोधो जायतान् इतिच्छया तादृगं शाब्दबोधो भवतु । बाधनिश्चयस्तु न त बोध प्रतिबन्ध्यात्, तर्थात्प्रतिबन्धतावच्छेदककोटौ अनाहार्यत्वस्य निवेष्टत्वात् । एवञ्च बाधनिश्चयप्रतिबन्धतावच्छेदककोटौ शाब्दान्यत्वनिवेशोऽपि न कर्मणो भवतीति द्वितीयम् लाघवम् । अथ च अनाहार्यत्व बाधितापरिविषयस्य शाब्दबोधस्य बाधनिश्चयेनैव प्रतिबन्धे, आहार्यस्य च तस्येष्टत्वे, योग्यताज्ञानस्य शाब्दबोधे कारणत्वमपि नाप्रयोज्यं भवतीति तृतीयम् लाघवम् । ननु प्रत्यक्षान्वयमेव ज्ञान्नाहार्यं भवतीति निदमव्याजोर्गोऽत्र बाध इति चेत्, तस्य निष्पत्त्य स्वाकारात्, अतिशयोक्त्यादिषु बहुषु अल्लंकारेषु आहार्यशाब्दबोधत्याहुनवसिद्धत्वात् इति ।

मरोपा लक्षणा के स्थल में अर्थात् 'मुखचन्द्र' इत्यादि रूपक में लक्षणा के विना भी अभेदान्वय हो सकता है। इस बात को निश्चय करने के लिये नवीन विद्वानों के द्वारा दी गई एक दूसरी युक्ति का उल्लेख करते हैं—आहार्य एव इत्यादि । आहार्य योग्यता-ज्ञान मान कर रूपक स्थल में लक्षणा के विना वाच्य दो अर्थों के ही अभेदान्वय को उपपन्न करने में यदि आप गौरव की उद्भावना करें, तो छोट्टिये उन दो अर्थों में वहाँ जो बाधित वाच्य अर्थों के अभेदान्वय-बोध को ही आहार्य मान लीजिये । अर्थात् 'मुख चन्द्र नहीं है' इस तरह के बाधनिश्चय की दशा में भी 'चन्द्र से अभिन्न मुख' इत्याकारक वचन मुझे होवे इस इच्छा में वैसा शाब्दबोध हो जाय । बाधनिश्चय तो उस बोध का रोक नहीं सकता, क्योंकि बाधनिश्चय ने रकने वाले ज्ञान के पीछे 'अनाहार्य विनियोग उदा हुजा है । इस रीति को अङ्गीकृत करने पर बाधनिश्चय ने रकनेवाले ज्ञान के पीछे 'शाब्दज्ञान में अन्य' यह विशेषण भी नहीं जोड़ना पड़ता यह दूसरा लाघव है । और बाधित अर्थविषयक अनाहार्य शाब्दबोध, अब बाधनिश्चय की प्रतिबन्धकता में ही रक जायगा, तथा बाधित अर्थविषयक भी आहार्य



शाब्दबोध इष्ट हो गया, अतः शाब्दबोध के प्रति योग्यताज्ञान को कारण मानने की आवश्यकता नहीं रह जाती, यह तृतीय लाघव है। यदि कोई कहे कि 'प्रत्यक्ष-ज्ञान ही आहार्य होता है, शाब्दबोध आदि परोक्ष ज्ञान नहीं' यह जो एक नियम है शाब्दबोध को आहार्य मानने पर उसका विरोध होगा, तो इसके उत्तर में कहना है कि उस नियम को मैं नहीं मानता अर्थात् परोक्ष ज्ञान को भी मैं आहार्य मानता हूँ, अतिशयोक्ति आदि कतिपय अलंकारों में आहार्य शाब्दबोध अनुभव-सिद्ध है।

उक्तार्थं द्रढयितुमाह—

अवश्यं मुखचन्द्र इत्यादौ पराभिमतसारोपलक्षणोदाहरणे वाच्यार्थयोरेवाभेदान्वयोऽभ्युपगन्तव्यः, न तु वाच्य-लक्ष्ययोः। अन्यथा 'राजनारायणं लक्ष्मीस्त्वामालिङ्गति निर्भरम्' 'पादाम्बुज भवतु मे विजयाय मञ्जुमञ्जीरशिञ्जितमनोहरमम्बिकायाः' इत्यादौ क्रमेणोपमारूपकयोरुपमितविशेषणसमाधीनयोर्लक्ष्मीकर्तृकालिङ्गनमञ्जुमञ्जीरशिञ्जितमनोहरत्वयोरनुपपत्तिर्निर्णायिकारूपकोपमयो. प्राचीनैस्तत्र तत्र निबद्धा विरुद्धा स्यात्। आद्यपद्ये उपमाया इव रूपकस्यापि स्वीकारे बाधकस्य तुल्यतया तन्निर्णायकताया असंगते। द्वितीयपद्ये रूपकस्यापि स्वीकारे बाधकाभावेन तन्निवर्तकताया अयोगात्।

पराभिमेति। एतेन लक्षणाया स्वाभिमतत्व निरस्यति, वाच्यार्थयोरेवाभेदान्वयाङ्गीकारात्। अभेदान्वय इति। आहार्याभेदान्वय इति भावः। एवकारव्यवच्छेद्यमाह—न त्विति। अन्यथेति। वाच्यार्थलक्ष्यार्थयोरेवाभेदान्वयाङ्गीकारे इत्यर्थः। अस्य विरुद्धेत्यत्रान्वय उपमितविशेषणसमासेति। क्रमशः 'उपमित व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे', 'मयूरव्यसकादयश्चे'ति सूत्रद्वयविहितेत्यर्थः। तत्र तयोरङ्गीकारे या अनुपपत्ति सा वैपरीत्ये निर्णायिकेत्यखण्डार्थः। बाधकस्येति। तत्कर्तृकालिङ्गनासम्भवस्येत्यर्थः। बाधकाभावेनेति। तादृशमनोहरत्वासम्भवाभावेनेत्यर्थः। 'राजनारायणम्' इत्यत्र यदि राजा नारायण इवेति विग्रह्य 'उपमित व्याघ्रादिभिः'रित्यनेन समासे उपमालकार स्वीक्रियेत, तदा नारायणसदृशो राजेति बोधे लक्ष्मीकर्तृकालिङ्गनस्य पद्योक्तस्यानुपपत्ति सत्कुलोत्पन्नाभि साध्वीभि रमणीभि पतिसदृशबुद्ध्या कस्यापि पुंस आलिङ्गनासम्भवात्, अतस्तत्र राजा चासौ नारायण इति विग्रह्य मयूरव्यसकादयश्चेति समासे रूपकालकारोऽङ्गीकार्यः, तथा च राजाभिन्नो नारायण इति बोधे लक्ष्मीकर्तृकालिङ्गनमुपपद्यते। एवम् 'पादाम्बुजम्' इति पद्ये यदि पादरूपमम्बुजमिति विग्रह्य मयूरव्यसकादित्वात्समासे रूपकालकार स्वीक्रियेत, तदा पादाभिन्नमम्बुजमिति बोधेऽम्बुजस्य प्राधान्येन तत्र मञ्जुमञ्जीरशिञ्जितमनोहरत्वस्य श्लोकप्रतिपादितस्यानुपपत्तिः, अम्बुजे तस्यासम्भवात्, अतस्तत्र पाद अम्बुजमिव इति विग्रह्य 'उपमित व्याघ्रादिभिः'रिति समासे उपमालकारोऽङ्गीकर्तव्यः, तथा च अम्बुजसदृशपाद इति बोधे प्रधानीभूते पादे उक्तमनोहरत्वमुपपद्यते। इति प्राचीनैरुक्तम्, तच्च तदैव संगत भवेत्, यदि रूपकस्थले लक्षणामस्वीकृत्य वाच्यार्थयोरेवाहार्याभेदान्वयमनुमन्यते लक्षणा कृत्वा वाच्यार्थलक्ष्यार्थयोरेवाभेदान्वये तु राजनारायण इत्यत्र उपमारूपकयोरुभयोरपि नारायणसदृशो राजा इत्याकारके एव बोधे उपमायामिव रूपकेऽपि लक्ष्मीकर्तृकालिङ्गनस्यानुपपत्त्या उपमाया तदनुपपत्ते रूपकसाधकत्व प्राचोक्तमसंगतमेव। एवम् पादाम्बुजम् इत्यत्रापि उपमारूपकयोरुभयोरपि वाच्यलक्ष्ययोर्बोधे आस्थिते अम्बुजसदृशपाद इत्येव बोधे उपमायामिव रूपकेऽपि मञ्जुमञ्जीरशिञ्जितमनोहरत्वस्य सम्भवतया तदनुपपत्ते। रूपक-

वाचकत्वं प्राचीनोक्तमनगं स्यात् । अतः सुखं चन्द्र इत्यादीं चन्द्र वाच्यार्थयोगे ह्येवं-  
मेवान्तरः स्वीकार्यात् इति शब्दः ।

उक्त नवीन मत को हट करने के लिये कहा जाता है—अवगम्यन् इत्यादि । उपर  
नवीनों के मत में जो यह कहा गया है कि 'सुखचन्द्र इत्यादि प्राचीनान्निन  
सारोप लक्षणा के उदाहरणों में—अर्थात् रूपक स्थल में—दो वाच्यार्थों ( सुख और  
चन्द्र ) का ही अनेदान्वय होता है वाच्य ( सुख ) और लक्ष्य ( चन्द्रमण्डल ) का  
नहीं, वह विचारदृष्टि से अवगम्य मानने योग्य है । अन्यथा प्राचीनों की ही निम्नोद्धृत  
उक्ति अमंगल हो जायगी । प्राचीनों ने कहा है कि—'राजनारायणम्' अर्थात् लक्ष्मी  
नाम ( राजनारायण ) का हट आलिङ्गन कर रही है—वह आपका त्याग कभी नहीं करती  
यहाँ यदि 'राजा नारायण इव' ऐसा विग्रहवाक्य मानकर 'उपनिर्ण व्याघ्र दिग्नि  
सामान्याप्रयोगे' इस पाणिनिचुत्र से समास हुआ माना जाय और तदनुसार अल्कार  
उपना स्वीकृत किया जाय, तब 'नारायणसदृश राजा' ऐसा बोध होगा, जिससे पद्य में  
वर्णित लक्ष्मीकर्तृक आलिङ्गन की अनुपपत्ति हो जायगी, क्योंकि लक्ष्मीलोकान्न मास्वी  
रनगियों के द्वारा पति के मनान समझ कर किसी पुरुष का आलिङ्गन असम्भव है ।  
अतः वहाँ 'राजा चासौ नारायण' ऐसा विग्रहवाक्य मानकर 'नयूरव्यसकादयश्च  
इम पाणिनिचुत्र से समास हुआ है, ऐसा समझना चाहिये और तदनुसार अल्कार  
रूपक मानना चाहिये । ऐसा मानने पर 'राजा से अभिन्न नारायण' यह बोध होगा,  
जिससे लक्ष्मी का आलिङ्गन उपपन्न होता है । इसी तरह 'पादान्बुजम्' अर्थात् सूरों के  
सुन्दर शब्द से चित्त को दुरा लेनेवाले लक्ष्मीका के चरणानुगत, आप लेंगों के विजय  
के लिये हों—आप सब को विजय-प्रदान करें' इस पद्य में यदि 'पादलक्ष्मन् अन्बुजम्'  
ऐसा विग्रहवाक्य मानकर 'नयूरव्यसकादयश्च' इस चुत्र से समास करके रूपकालंकार  
स्वीकृत हो, तब 'चरण से अभिन्न कमल' ऐसा बोध होगा, जिससे प्रधानता रहेगी  
कमल की, अतः श्लोक में प्रतिपादित 'सञ्जुनञ्जोरमिञ्जितमनोहरत्व' अनुपपन्न हो  
जायगा, क्योंकि कमल में उसकी संभावना नहीं है, इसलिये वहाँ 'पादः अन्बुजनिव'  
ऐसा विग्रहवाक्य मानकर उपनिव समास तथा तन्मूलक उपना अलंकार स्वीकृत  
करना चाहिये । इस रीति से होनेवाले 'कमलसदृश चरण' इस बोध में प्रधानी-  
भूत चरण में उक्त विशेषण उपपन्न होता है ( यही है प्राचीनों की उक्ति ) । अब  
सोचिये कि रूपकस्थल में यदि वाच्य और लक्ष्य का अनेदान्वय है, तब उक्त  
कथन संगत होगा ? नहीं, क्योंकि वैसा मानने पर तो 'राजनारायणम्' ने उपना  
माने या रूपक, दोनों ही स्थितियों में बोध होगा 'नारायणसदृश राजा' एक यही, अतः  
उपना के मनात रूपक में भी लक्ष्मीकर्तृक आलिङ्गन उक्त युक्ति में अनुपपन्न ही  
रहेगा । इसी तरह 'पादान्बुजम्' में भी रूपक माने अथवा उपना, दोनों ही अवस्थायों  
में बोध होगा 'अन्बुजसदृश पाद' एक यही । अतः पाद की प्रधानता दोनों ही अलंकारों  
में समास रूप से बनी रहेगी । फिर रूपक में सञ्जुनञ्जोरमिञ्जितमनोहरत्व की  
अनुपपत्ति नहीं होगी । रूपकस्थल में दो वाच्यार्थों में ही अनेदान्वय मानने पर उक्त  
कथन संगत हो सकता है, क्योंकि उस नान्यता के अनुसार दोनों अलंकारों में बोध  
भिन्न तरह का हो जाता है । सारांश यह कि 'सुखचन्द्र' आदि जिनके सारोप लक्षणा  
के उदाहरण प्राचीनों ने माने हैं, उन सभी न्यायों पर लक्षणा वस्तु नहीं होती,  
वाच्य वाचक का ही आहार्य अनेदान्वयबोध होता है ।

अल्लहयस्यले लक्षणाया निवावचनात्वाय सुखयाने—

न च सुखचन्द्रादीं समासे क्वचिदस्तु नाम प्रागुच्यतीत्या लक्षणां विनापि  
बोधोपपत्तिः, व्यस्ये तु लक्षणाया नास्ति वाचकमिति वाच्यम् । 'दृषया

सुधया सिञ्च हरे मां तापमूर्च्छितम्' इत्यादौ व्यासेऽप्यनुपपत्तेः ।

प्रागुक्तरीत्येति । नवीनोक्ताहार्यशाब्दबोधोपपादनन्यायेनेत्यर्थः । अस्य प्रतीकस्य 'प्राचीनोक्तेत्यर्थः' इति नागेशटीका भ्रामिकैव । नास्ति बाधकमिति । प्राचीनोक्तानुपपत्तिरूप बाधक नारित. तस्य राजनारायण इत्यादिसमासस्थल एव दर्शितत्वादिति भावः । कृपयेति । हे हरे भवतापेन मूर्च्छामापन्न मा स्वकृपारूपपीयूषधारया सिञ्च येन भवतापजनिता मूर्च्छा मे निवर्तेत इत्यर्थः । अनुपपत्तेरिति । व्यस्तरूपकस्थलेऽपि वाच्यार्थलक्ष्यार्थयोरभेदान्वयसमर्थने वाक्यार्थान्वयानुपपत्तेरिति भावः । इदमाकृतम्— 'रूपकस्थले लक्षणा न भवति, किन्तु वाच्ययोरेवोपमानोपमेययो वाधितोऽपि अभेदान्वयबोध स्वीकार्य आहार्यरूप' इत्यस्य सिद्धान्तस्य दृढीकरणे या प्राचीनोक्तयु-पपत्तिर्युक्तित्वेन पुरस्कृता नवीनै, सा राजनारायण इत्यादि समासस्थल एव, ततश्च तद्दृष्टान्तेन समासस्थले रूपके त्यज्यता लक्षणा, स्वीक्रियताश्च वाच्यार्थयोरेवाहार्य-भेदबोध, व्यासस्थले लक्षणया वाच्यार्थलक्ष्यार्थयोरभेदान्वयबोधाङ्गीकारे न क्षतिरिति पूर्व-पक्षे, 'कृपया सुधया' इत्यादौ उपमानवाचकस्य सुधापदस्य स्वसदृशे लक्षणया सुधास-दृशया कृपया इति बोधे वाक्यार्थो नोपपद्येत, सुधातुल्याया कृपाया सेचनकरणताया असंभवेत्वात्, अतो व्यस्तरूपकस्थलेऽपि सुधाऽभिज्ञया कृपया इत्यादि रीत्या वाच्य-ार्थयोरेवाहार्यभेदान्वयबोध आस्थेयः । तथा च न वाक्यार्थानुपपत्तिः सुधया अभिज्ञाया कृपाया सेकक्रियाकरणत्वस्य संभवेत्वात् इति समाधानं नवीनस्येति ।

व्यस्त रूपकस्थल में लक्षणा मानी जा सकती है, इस आशङ्का का समाधान अब करते हैं—न च इत्यादि । यदि कोई कहे कि रूपकस्थल में लक्षणा नहीं होती—दो वाच्यार्थों का आहार्य अभेदान्वय-बोध होता है, इस बात को सिद्ध करने के लिये नवीनों ने जो दृष्टान्त दिया है वह समास-स्थल में ही, अतः उस (राजनारायण तथा पादाम्बुज) दृष्टान्त से समास के स्थल में कहीं लक्षणा के विना भी भले ही अभेदान्वय-बोध सिद्ध हो जाय, परन्तु व्यासस्थल में (जहाँ समास के न रहने पर भी रूपक होता है) लक्षणा मानने में कोई बाधा नहीं है । तो इसका उत्तर है कि 'कृपया सुधया' अर्थात् हे हरे ! ताप (सांसारिक पीडा) से मूर्च्छित मुझको कृपारूप सुधा से सींचिए !' इत्यादि व्यस्त रूपकस्थल में भी लक्षणा मानने पर वाक्यार्थ की अनुपपत्ति हो जाती है अर्थात् 'कृपया सुधया' में जो रूपक है, वहाँ यदि विषयी—उपमानवाचक (सुधा) पद की स्वसदृश में लक्षणा मानी जाय, तब 'सुधासदृश कृपा' ऐसा बोध होगा, जो अनुपपन्न है, क्योंकि कृपा से सेचन नहीं हो सकता, अतः मानना पड़ेगा कि यहाँ भी लक्षणा नहीं होती, अपि तु सुधा और कृपा पदों के वाच्य अर्थों का ही आहार्य अभेदान्वय बोध होता है, तदनुसार सिद्ध होनेवाले 'सुधा से अभिन्न कृपा' इस बोध में कोई अनुपपत्ति नहीं होती, क्योंकि सुधा से कृपा को अभिन्न समझ लेने पर सुधागत सेचन-योग्यता, कृपा में भी प्राप्त हो जाती है ।

व्यासेऽनुपपत्तिपरिहारमाशङ्क्य समाधत्ते—

न च सिञ्चतेरपि विषयीकरणे लक्षणया नानुपपत्तिः । उत्प्रेक्षाद्यतिरिक्ताति-शयोक्त्यपह्नवादिष्वआहार्यज्ञानेनैवोपपत्तौ लक्षणया बीजाभावादनुभवविरोधाच्च ।

सिञ्चतेरपीति । अत्रापिना सुधापदस्य लक्षणाविषयत्व समुच्चयते । अत्र 'अपिरेवार्थः' इति चित्रणवतो नागेशस्याभिप्रायो दुर्ज्ञेय एव । विषयीकरणे । लक्ष्यीकरणे । लक्षणयेति । अस्य पदस्य 'विषयीकरणे' इति पूर्वतनेन पदेन सवन्धः । नानुपपत्तिरिति । वाक्यार्थान्वयानुपप-

त्तिर्नेत्यर्थः । उन्प्रेक्षादीति । अत्रादिपदेन भेदप्रधानाना दृष्टान्तादीना ग्रहणं बोध्यम् । अप-  
ह्वादीति । अत्रादिपदेनाभेदप्रधानाना परिणानादीना संग्रहः । बीजाभावादिति । समर्थक-  
युक्तिविरहादित्यर्थः । अतिशयोक्त्यादिरीतिरेवानुसर्तव्या नोत्प्रेक्षादिरीतिरित्यत्र विनिगमका-  
भावादाह—अनुभवेति । अभेदप्रधानेष्वलंकारेषु वाच्ययोराहार्याभेदबोधस्यैवानुभवसिद्धत्वा-  
दिति भावः । इदमत्र तत्त्वम्—‘कृपया सुधया’ इत्यादिकाव्यवाक्ये प्रकृततया कृपोपमेयभूता  
सुधा चाप्रकृततयोपमानरूपा, तथा उपमानवाचकस्य सुधापदस्य स्वसदृशे लक्षणेति प्राचीन-  
सिद्धान्तस्वीकारे सुधासदृशकृपाकरणकं सेकः इति बोधस्य जायमानस्यानुपपत्तिरिति सुधा-  
पदवाच्यार्थस्यैव कृपापदार्थेन सहाहाय्यभिदान्वयबोध इति यदुपपादित नवीनैस्तद् व्यर्थम् ,  
सिद्धेति क्रियापदस्यापि योजनरूपार्थे लक्षणासङ्गीकृत्य सुधानदृशकृपाकरणिकायोजनक्रि-  
येति वाक्यार्थ-निष्पत्तौ अनुपपत्तिविरहेण व्यस्तरूपकस्थले लक्षणाया वाचकं नास्तीति  
प्राचीनमतसमर्थिका शंका । उन्प्रेक्षादौ भेदप्रधानेऽलंकारे भेदबोधपुरस्सरस्यैव वैयञ्जिका-  
भेदबोधस्य चमत्कारित्वमिति तत्राहार्योऽप्यभेदबोधोऽचमत्कारितया काव्यमर्मज्ञैः सहद-  
यैर्नान्नीकनुं योग्यः, किञ्च तत्र ‘मन्ये’ ‘शङ्के’ ‘इवा’दिपदानां भेदसूचकाना सत्त्वेन  
अभेदबोधो विरुद्ध एव भवेत् अत एवोत्प्रेक्षाया संभावनाया अपि आहार्यत्व स्वीक्रियते  
अभेदबोधस्तु दूरापास्त इति तदर्थः । एवञ्च तत्र भवतु उपमानवाचकाना पदाना स्व-  
सदृशे लक्षणा । किन्तु अतिशयोक्त्यादावभेदप्रधानेऽलंकारेऽभेदबोध एव चमत्कारक  
भेदबोधस्तत्र भवत्येव नेति तत्र यथा वाच्यार्थयोरेवाहार्याभेदान्वयबोध स्वीक्रियते, न तु  
लक्षणाया लक्ष्यार्थवाच्यार्थयोस्तथैव रूपकेऽपि ( समस्ते व्यस्ते च ) अभेदप्रधाने वाच्य-  
योरेवाहार्याभेदान्वयबोधस्वीकारेण सामञ्जस्ये तस्यैवाचित्ये च लक्षणाश्रयणे युक्तिविरहः,  
अनुभवविरोधश्चेति समाधानमिति । अत्र ‘न च सिद्धतेरपि विषयीकरणे’ इति प्रतीक्सुपा-  
दाय ‘अतिशयोक्तौ विषयिणः ( उपमानस्य ) एव यथा विषयीकरणम् ( उपनेयतया  
स्थापनम् ) तथाऽत्रापि ‘कुरु’ इत्यस्य ( विषयस्य ) स्थाने सिद्धेति विषयिणः प्रयोगः ।  
अतिशयोक्तिसवलने चायमर्थः—‘तापमूर्च्छितस्य ममोपरि सुधासेचनसदृशीं कृपा कुरु’  
इतीत्यादि, ‘सरला’ नितान्तनसगतैव, कृपयेतिवृत्त्यान्त-भाभितिद्वितीयान्त-पदघटितोक्त-  
वाक्यात्तादृशार्थप्रतिपत्तेरसम्भवात् ।

अव न्यासस्थल में पूर्वोक्त अनुपपत्ति के परिहार की आशङ्का करके समाधान करते  
हैं—न च इत्यादि । यदि आप कहें कि ‘कृपया सुधया’... इत्यादि तरह के स्थानों में केवल  
उपमानवाचक सुधा पद ही लाक्षणिक नहीं है, अपि तु ‘सिद्ध’ यह क्रियापद भी योजन  
रूप अर्थ में लाक्षणिक है, अतः यहाँ बोध होता है कि ‘सुधासदृश कृपा से मुझे युक्त  
बनाओ ।’ इस बोध में कोई खास अनुपपत्ति नहीं है अतः प्राचीनों के कथनानुसार  
न्यासस्थल में लक्षणा मानी जा सकती है, तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि अतिशयोक्ति,  
अपह्नव, परिणाम आदि अलंकारों—जो अभेद-प्रधान हैं, अतः अभेद का बोध ही चमत्कारी  
होता है, अर्थात् जहाँ भेद का बोध होता ही नहीं—में जैसे लक्षणा के बिना ही आहार्य  
अभेदान्वय बोध मानकर सब कार्य सिद्ध कर लेते हैं, वैसे ही अभेदबोध के चमत्कारी होने  
के कारण रूपक ( चाहे वह समस्त हो भधवा व्यस्त ) में भी आहार्य अभेदान्वय बोध  
मानकर सब ठीक हो जाते हैं, तब लक्षणा मानने में कोई वीज नहीं दीखता । हाँ,  
उत्प्रेक्षा, दृष्टान्त आदि जिन अलंकारों में भेद की ही प्रधानता रहती है, अतः पीछे भी  
व्यञ्जना के द्वारा भेदज्ञानपूर्वक अभेदबोध ही होता है, चमत्कार भी उसी तरह के बोध  
में अनुभूत होता है, वहाँ आहार्य-अभेद-बोध भी सहदय-जन-मनोविरुद्ध है, दूसरी बात  
यह कि उत्प्रेक्षा में ‘मन्ये, शङ्के, इव’ आदि पद भेदसूचक रहते हैं, अतः अभेद का बोध

विरुद्ध भी पड़ता है, इसीलिये उत्प्रेक्षा में सभावना को भी आहार्य माना गया है, अभेद बोध तो दूर की बात ठहरी। वहाँ उपमानवाचक पदों को स्वसदृश अर्थ में लक्षणिक मानना युक्तिसंगत हो सकता है। यदि आप कहें कि जब दोनों प्रकार के अलंकार होते हैं—अतिशयोक्ति आदि अभेदप्रधान और उत्प्रेक्षा आदि भेदप्रधान, तब रूपक को द्वितीय कोटि के अलंकारों की श्रेणी में ही क्यों न रक्खा जाय अर्थात् रूपक को भी भेदप्रधान मानकर लक्षणावाली बात को संगत क्यों नहीं माना जाय ? तो इसका उत्तर यह है कि आखिर अनुभव के आधार पर ही तो काव्यशास्त्र की यह विशाल भित्ति खड़ी है, अतः उस अनुभव का अपलाप किसी भी स्थिति में नहीं किया जा सकता। तात्पर्य यह कि रूपक में अभेदबोध का ही चमत्कार अनुभव से सिद्ध है, अतः उसको भेदप्रधान अलंकारों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।

उक्तानुभवविरोधस्य विसवादग्रस्तत्वात् रूपकस्थले वाच्यार्थयोरआहार्याभेदान्वयबोधसाधक युक्त्यन्तरमाह—

अपि चोपमानवाचकस्य चन्द्रादिपदस्य रूपके उपमानसदृशे लक्षणा इति हि प्राचां समयः। तत्र च लक्ष्यतावच्छेदकं सादृश्यम्। तच्च समानधर्मरूपम्। स च लक्ष्यांशे सुन्दरत्वादिना विशेषरूपेण प्रतीयते, उताहो सामान्यरूपेण ? नाद्यः। सुन्दरं मुखं चन्द्र इत्यादौ पौनुरुक्त्यापत्तेः। न चैवमादावुपात्तधर्मके रूपके तद्धर्मतिरिक्तो धर्म एव लक्ष्यतावच्छेदकीभूतसादृश्यरूप इति वाच्यम्। अनुभवविरोधात्।

‘अङ्कितान्यक्षसंघातैः सरोगाणि सदैव हि।

शरीरिणां शरीराणि कमलानि न संशयः ॥’

इत्यादौ श्लेषभित्तिकाभेदाध्यवसितधर्म विना धर्मान्तरस्य सर्वथैवास्फूर्तेश्च।

समय' सिद्धान्त । तत्र रूपकस्थले । समानधर्मरूपमिति । तद्विघ्नत्वे सति तद्गत-भूयोधर्मवत्त्वस्यैव सादृश्यपदार्थत्वादिति भावः । स च समानधर्मश्च । सामान्यरूपेणेति । सादृश्यत्वेन रूपेणेत्यर्थः । सुन्दरत्वादिनां विशेषरूपेणेति प्रथमकल्प दूषयति—नाद्य इति । तत्र हेतुमाह—सुन्दरं मुखमित्यादि । पौनुरुक्त्यापत्तिं निराकर्तुमाशङ्कते—न चेति । एवमादौ इति । इत्यादावित्यर्थः । अत्रादिपदस्य प्रकारार्थत्वात्तत्प्रयोजकधर्ममाह—उपात्तेति । तद्धर्मिति । उपात्तधर्मान्याहादकत्वादिरित्यर्थः । समाधत्ते—अनुभवविरोधादिति । तादृशस्थले उपात्तस्य सुन्दरत्वादिधर्मस्यैव लक्ष्यतावच्छेदकतयाऽनुभवादिति भावः । तथानुभवे मतभेदस्यापि सभवादाह—अङ्कितानीति । अक्षणां इन्द्रियाणां, पद्माक्षणाञ्च, संघातैः समूहैः, अङ्कितानि व्याप्तानि, सरोगाणि रोगैः सहितानि सरोवरगतानि च, शरीरिणां प्राणिनां, शरीराणि देहा, कमलानि कमलरूपा सन्तीत्यत्र सन्देहो नास्तीत्यर्थः । श्लेषेति—शब्दश्लेषनिमित्तको यो विशेषणार्थयोरभेदाध्यवसायस्तद्विषयां भूतो योऽक्षसंघातव्याप्तवसरोगतत्वरूपो धर्मस्तमित्यर्थः । धर्मान्तरस्येति । शरीरकमलोभयसाधारणस्येति भावः । अस्फूर्तेरिति । ध्यानपथानारूढत्वादित्यर्थः । रूपकस्थले उपमानवाचकपदस्य स्वसदृशे लक्षणेति प्राचा सिद्धान्ते लक्ष्यतावच्छेदकसादृश्यस्य समानधर्मरूपस्य लक्ष्यांशे = उपमेये, सुन्दरत्वादिना विशेषरूपेण प्रतीतिर्न सभर्वाति, तथा सति 'सुन्दरं मुखं चन्द्र' इत्यादिरूपकस्थले 'मुखं चन्द्र' इत्येतावती वाक्यादेव चन्द्रसदृश सुन्दरं मुखमित्यर्थप्रतीत्या सुन्दरपदस्य पुनरुक्तत्वापातात् । तादृशोक्तधर्मकरूपकस्थले सुन्दरत्वेतर एवाहादकत्वादिधर्म सादृश्यरूपो विवक्ष्येत इति तु न शक्य स्वीक-

तुम्, तत्र तस्यानुभववान् । तादृशानुभवसमर्थकदुराग्रहे च तत्र त्र्यङ्घ्रिनिवहोऽपि 'अङ्कितानि' इत्यादिपद्ये पुनरुक्त्यापत्तिर्वृद्धरैव, तत्रोक्तान् अस्संघाताङ्कितत्व-रोगन्वेत्येतद्विषयत्वात् श्लेषभित्तिनाभेदाध्यवसितधर्मान् अपरस्य उपमानोपनेयसाधारणस्य वर्तस्य बुद्धिपथानारोहात् तत्स्यैव धर्मद्वयस्य लक्ष्यतावच्छेदन्तयोपनेयाशे प्रतीतिसमर्थने च पुनरुक्त्यापत्तेः स्पष्टत्वात्प्रति भाव ।

उपर जो अनुभवविरोध की बात कही गई है, उसमें मतभेद हो सकता है अर्थात् कुछ लोग ऐसा भी दुराग्रह दिखला सकते हैं कि रूपकरथल में भेद का अनुभव होता है, अतः अब रूपकस्थल में वाच्यार्थद्वय के ही आहार्याभेदान्वय को सिद्ध करनेवाली दूसरी युक्ति देते हैं—अपि च इत्यादि । रूपक-स्थल में उपमानवाचक चन्द्रादि पदों की स्वसदृश अर्थ में लक्षणा होती है, यह प्राचीनों का सिद्धान्त है तदनुसार लक्ष्यतावच्छेदक (लक्ष्य-सदृश अर्थ में रहने वाला धर्म) होगा सादृश्य और सादृश्य का विशिष्ट रूप होता है समान धर्म । दोनों ( उपमान तथा उपमेय ) ने रहनेवाला कोई एक धर्म, वह एक धर्म भी दो प्रकार का हो सकता है—एक विशेष और दूसरा सामान्य । अब हम और आप विचार करें कि वह समानधर्म रूपक स्थल में लक्ष्य-उपमेय (मुख आदि)—अश में विशेष रूप से अन्वित होता है अथवा सामान्यरूप से ? यदि आप कहेंगे—विशेषरूप से, तो वह ठीक नहीं होगा, क्योंकि उस स्थिति में 'सुन्दर मुखचन्द्र' इत्यादि व्यवहार में आनेवाला रूपक नहीं बन सकेगा । कारण, जब चन्द्र का सादृश्य मुखरूप लक्ष्य अशमें सुन्दरत्वात्मक विशेषरूप से अन्वित होगा, तब तो 'मुखचन्द्र' इतने से ही 'चन्द्र के समान सुन्दर मुख' यह अर्थ हो ही जायगा, फिर 'सुन्दर' पद की योजना पुनरुक्तिदोषग्रस्त हो जायगी । यदि आप कहना चाहेंगे कि ऐसे स्थलों—जहाँ कोई एक साधारण धर्म उक्त हो—में उस उक्त धर्म से अन्य धर्म-विशेष को ही लक्ष्य में रहनेवाले धर्म-सादृश्य का रूप दिया जायगा, अर्थात् 'सुन्दर मुखचन्द्र' इत्यादि स्थानों में चन्द्रसादृश्य का अन्वय मुख में सुन्दरत्वरूप से न मान कर अन्य गौरव आदि रूप से ही माना जायगा, फिर तो पुनरुक्ति नहीं होगी, तो यह कथन भी आपका समुचित नहीं हो सकेगा, क्योंकि सुन्दरत्व आदि पूर्वोक्त रूप से अन्य गौरव आदिरूप से सादृश्य का अन्वय अनुभव में नहीं आता । यदि आप ऐसा दुराग्रह करेंगे कि वह अनुभव में आता है, तो उस दुराग्रह के बल पर कर लीजिए किसी तरह वहाँ निर्वाह । परन्तु 'अङ्कितान्यत्संघातैः' अर्थात् इस में कुछ सन्देह नहीं कि देहधारियों की देह कमल हैं, क्योंकि ये दोनों ( देह और कमल ) ही 'अक्षौ' ( देह में इन्द्रियों और कमल में कमलगाइयों ) के समूह से चिह्नित हैं और दोनों ही 'सुरोग' ( एक जगह रोगयुक्त, दूसरी जगह सुरोवर में रहनेवाले ) हैं' इत्यादि श्लेषमूलक रूपक-स्थल में पुनरुक्ति हो ही जायगी, क्योंकि यहाँ देह और कमल दोनों में रहनेवाले 'अक्षसंघात' से चिह्नित होने और सुरोग होने से अन्य किसी धर्म की स्फूर्ति होती नहीं अतः लक्ष्यतावच्छेदक सादृश्य का अन्वय विशेषरूप से मानने पर उन्हीं दोनों रूपों से कमल का सादृश्य देह में अन्वित होगा, फिर तो 'अङ्कितान्यत्संघातैः' और 'सुरोगाणि' ये दोनों विशेषण पुनरुक्त हो ही जायेंगे । यद्यपि वस्तुतः कमल और देह में रहनेवाला कोई एक धर्म नहीं है क्योंकि उक्त दोनों विशेषणों के दोनों पक्षों में भिन्न-भिन्न अर्थ हो जाते हैं; तथापि श्लेष के बल से उन दोनों अर्थों में अभेद का अध्यवसाय ( आरोप ) कर लिया जाता है, अतः 'सुरोगत्व' आदि रूप से उसको एक धर्म मान लिया जाता है ।

उपमानपदलक्ष्यतावच्छेदकस्य समानधर्मात्मकस्य सादृश्यस्य लक्ष्याशे नानान्य-रूपेण प्रतीतिरिति द्वितीयकल्पं दूषयितुमाह—

नान्त्य- । सादृश्यस्य शब्दोपात्तत्वेनोपमात्वापत्तेः । न च सादृश्यस्य वा-

च्यतायामेवोपमाव्यपदेशः । 'नलिनप्रतिपक्षमाननम्' इत्यादौ तदभावापत्तेः ।

नान्त्य इति । सामान्यरूपेणोपमानपदलक्ष्यतावच्छेदक लक्ष्याशो प्रतीयते इति पक्षो न युक्त इत्यर्थः । तत्र हेतु दर्शयति—सादृश्यस्येति । शब्दोपात्तेति । लक्षणयेति भावः । उपमात्वापत्तिपरिहारायाशकते—न चेति । अत्र तु सादृश्यस्य लक्ष्यतेति भावः । उक्ता-माशका निरस्यति—नलिनेति । आनन मुखम् , नलिनप्रतिपक्षम् कमलाऽमित्रम् इत्यर्थः । तदभावेति । उपमात्वाभावेत्यर्थः । प्रतिपक्षपदस्य सादृश्ये न शक्तिरपि तु लक्षणेति तात्पर्यम् । मुख चन्द्र इत्यादिरूपकस्थले चन्द्रपदस्य स्वसदृशो लक्षणाया लक्ष्यतावच्छेदकस्य सादृश्यस्य मुखरूपलक्ष्याशो सादृश्यत्वात्मकसामान्यरूपेण प्रतीतौ चन्द्रसदृश मुखमित्यत्रेव सादृश्यस्य लक्षणया शब्दोपात्ततया तत्रापि उपमालकारप्रसक्तौ रूपकोच्छेदापत्तिः । सादृश्यस्याभिधाबोव्यत्वे एवोपमा, रूपके तु तस्य लक्षणाबोध्यत्वमिति न तत्रोपमाप्रसक्तिरिति तु युक्तम् , नलिनप्रतिपक्षमाननमित्यादौ सादृश्यस्य प्रतिपक्षपदलक्ष्यत्वेऽपि उपमादर्शनात् । तथा च रूपकस्थले लक्षणेति प्राचा पक्षो नोचितः, किन्तु वाच्ययोरेव तत्राहार्याभिदान्वयबोध इति नवीनाभिमतकल्प एव श्रेयानिति भावः ।

अथ द्वितीय प्रकार—उपमानवाचक पद के लक्ष्यतावच्छेदक समानधर्मात्मक सादृश्य का सामान्य (सादृश्यत्व) रूप से लक्ष्य (उपमेय) अंश में मान पक्ष का खण्डन करते हैं—नान्त्य इत्यादि । 'मुखचन्द्र' इत्यादि रूपक स्थल में चन्द्र पद की स्वसदृशरूप अर्थ में लक्षणा है इस प्राचीनाभिमत पक्ष में यदि आप कहें कि लक्ष्यतावच्छेदक सादृश्य का मुखरूप लक्ष्य अंश में सामान्य (सादृश्य) रूप से अन्वय होता है तो वह भी सगत नहीं । कारण, उस स्थिति में जैसे 'चन्द्रसदृश मुखम्' इस स्थल पर सादृश्य शब्द से उक्त रहता है, उसी तरह 'मुखचन्द्र' इस स्थल पर भी सादृश्य चन्द्र शब्द से लक्षणा के द्वारा उक्त हो गया, अतः प्रथम स्थल के समान द्वितीय स्थल में भी उपमा अलकार ही होने लगेगा । सादृश्य के वाच्य होने पर ही उपमा होती है यह दुराग्रह तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि 'नलिनप्रतिपक्षमाननम्' अर्थात् मुख कमल का प्रतिद्वन्द्वी ( शत्रु ) है' इत्यादि स्थानों पर भी उपमा नहीं हो सकेगी । कारण, यहाँ भी 'प्रतिपक्ष' पद का सादृश्य वाच्य नहीं—अपितु लक्ष्य ही है । यदि सादृश्य के लक्ष्य होने पर भी यहाँ उपमा मान्य होती है, तब सभी रूपक-स्थलों में सादृश्य की लक्ष्यता दशा में उपमा ही हो जायगी, फिर तो रूपक का उच्छेद ही हो जायगा, अतः रूपकस्थल में लक्षणा होती ही नहीं, दो वाच्यार्थों का ही आहार्य अमेदान्वय-बोध होता है यह नवीनों की रीति ही ठीक है ।

'नलिनप्रतिपक्षमाननम्' इत्यादौ उपमात्वाभावरयेष्टत्वेऽपि नवीनमतसमर्थक युक्त्यन्तरमुपदर्शयति—

किं च 'विद्वन्मानसहंस—' इत्यादौ श्लिष्टपरम्परितरूपके श्लेषनिष्पत्तौ श्लेषभित्तिकाभेदाध्यवसानेन मानसवासित्वरूपे भूपहंसयोः सादृश्ये सिद्धे सदृशलक्षणा मूलस्य भूपे हसरूपकस्य सिद्धिः । तस्यां च सत्यां सरोमनोरूपार्थद्वयाभिधानलक्षणस्य श्लेषस्य निष्पत्तिरिति परस्पराश्रयः । न हि रूपकास्फूर्तौ सरोरूपेऽर्थे मानसशब्दस्य तात्पर्यं वेदयितुं किञ्चित्प्रमाणमवतरति । स्फुरिते तु रूपके तद्भूटकसादृश्यान्वयानुपपत्तिरूपेण प्रमाणेनार्थद्वयाभेदबोधफलकस्य तद्भुयप्रतिपादनात्मनः श्लेषस्य निष्पत्तिः ।

विद्वदिति । विदुषा मानस हृदयमेव मानसाख्य सर इति श्लिष्टरूपकम्, तत्र हंस ।

जलचरपक्षिविशेषत्वत् । तत्र विहारकारकेति तात्पर्यम्, वैरिणाम् शत्रूणां, कमलाद्या लक्ष्म्या, सकोच विनाश एव कमलानां पद्मानाम्, असंकोच विकाश, तत्र दीप्तयुते । सूर्यं दुर्गाणाम् युद्धकालिकसुरदासनर्थस्थानविशेषाणाम्, अनार्गणम् अगवेपणम् अप्रतिनपराक्रमितया सम्नुद्धयुद्धप्रियत्वादिति भाव, एव, दुर्गाया पार्वत्या, मार्गणम् गवेपणम्, तत्र नीललोहित शिवरूप । समित युद्धस्य, स्वीकार एव समिधा काष्ठाना स्वीकारः तत्र वैश्वानर अग्ने, सत्ये तस्ये, प्रीते. प्रणयस्य, निधाननेव, सत्या शिवप्रथमपत्न्यां, अप्रीते रोषस्य, विधानम्, तत्र दक्षप्रजापते, विजयस्य शत्रुपराजयस्य, प्राग्भाव ग्रथनसत्ता एव विजयस्य अर्जुनस्य, प्राग्भाव पूर्वोत्पत्ति, तत्र भीम भीमस्तेनत्वत्प, प्रभो वरवीर वीरश्रेष्ठ राजन् । त्वम् वैरञ्चम् ब्रह्मण सवन्धि, वन्तरशतम् शतं वर्षाणि यावत् स्वर्काय साम्राज्यम्, उच्चै उन्नत, क्रिया विदध्या इत्यर्थके विद्वन्मानसहस्र, वैरिंकमलासकोचदीप्तयुते, दुर्गामार्गणनीललोहित, समित्स्वीकारवैश्वानर । सत्यप्रीतिविधानदक्ष, विजयप्राग्भावभीम, प्रभो, साम्राज्यं वरवीर, वन्तरशत वैरञ्चमुच्चै. क्रिया ॥' इत्यादावित्यर्थ । श्लेषेति । श्लेषमूलकम् यत् अभेदारोपणम् तेनेत्यर्थ । तस्याम् तपकसिद्धौ । तदुद्धतेति । लक्ष्यतावच्छेदकेत्यर्थ । अर्थद्वयेति । सरोमनोल्पेत्यादि । अभेदबोधेति । अभेदबोध एव फलं यस्य तस्येत्यर्थ । उभयार्थप्रतिपादनरूपस्य श्लेषस्याभेदबोध एव फलमिति भाव । अयं तात्पर्यार्थ—रूपकस्थले लक्षणाङ्गकारे विद्वन्मानसहस्रेत्यादिपद्येऽन्योन्याश्रयापत्या परम्परितरूपकसिद्धिर्न स्यात्, ननु कथं तत्रान्योन्याश्रय इति चेत् १ तथा हि—प्राचाननुसारेण सदृशलक्षणांमूलक रूपक सादृश्यप्रतीतिमन्तरा न भविनुमर्हति, सादृश्यप्रतीतिश्च प्रकृते श्लेषनिष्पत्त्यनन्तरम्, यतः श्लेषनिष्पत्त्युत्तरेणैव श्लेषमूलकभेदाश्रयवसानेन भूपहस्यो मानसवासिन्वरूपस्य नादृश्यस्य स्फुरण भवति । एवञ्च तपकस्योत्पत्तौ श्लेषस्यापेक्षा सिद्धा श्लेषस्योत्पत्तौ रूपकापेक्षाऽपि वर्तते, यतः रूपकसिद्धयनन्तरमेव सरोमनोत्पत्त्यर्थद्वयाभिधानात्मनः श्लेषस्य स्फुरणं भवति । ननु श्लेषस्फुरणे रूपकापेक्षया किं बीजमिति चेदित्यम्—रूपकसिद्धिदशायाम् मानसपदस्य सरोवररूपार्थे तात्पर्यावगमकं प्रमाण नास्ति । रूपकस्फुरणोत्तरम् तु रूपकशरीरप्रविष्टसादृश्यस्य श्लेष विना अनुपपत्तिरिति तदनुपपत्तिरूपेण प्रमाणेन श्लेषस्य स्फुरणम् जायते, येन सरोमनोत्पत्त्यर्थद्वयस्याभेदबोध फलति । इति ।

'नलिनप्रतिपचमाननम्' इत्यादि में उपमा है ही नहीं, ऐसा मान लेने पर भी नवीन विद्वान् अपने मत के समर्थन में अन्य युक्ति बतलाते हैं—किं च इत्यादि । 'विद्वन्मानसहस्र' इत्यादि सम्पूर्ण पद्य संस्कृत टीका में उद्धृत है । अर्थ है—'हे विद्वानों के हृदयरूप मानसरोवर के हसरूप अर्थात् सर्वदा उसमें विहार करनेवाले, हे शत्रुओं की लक्ष्मी के सकोच (न्यूनता) रूप कमल-विकास के लिये सूर्यरूप, हे (युद्ध के लिये) किला न टूटनेरूप पार्वती के दूँदने में शिवरूप, हे युद्धरूप समिधा (लक्ष्मी) के स्वीकार करने में अग्निरूप, हे सत्य-प्रेमरूप सती (महादेव की प्रथम पत्नी) की अप्रीति करने के लिये दक्षरूप, हे शत्रुओं के पराजयरूप अर्जुन से पूर्व उत्पन्न होने में भीमरूप, वीरश्रेष्ठ राजन् । आप ब्रह्माजी के सौ वर्षों तक साम्राज्य को उन्नत करते रहें ।' प्रकृत में कहना यह है कि यदि रूपकस्थल में लक्षणा मानी जाय, तब उक्त (विद्वन्मानस' इत्यादि) पद्य में अन्योन्याश्रय दोष जाने लगेगा, जिससे परम्परित रूपक की सिद्धि नहीं होगी । अन्योन्याश्रय दोष कैसे होने लगेगा इसका उत्तर सुनिये—प्राचीनों के अनुसार सारोप लक्षणांमूलक रूपकालंकार सादृश्य की प्रतीति



के विना हो नहीं सकता और प्रकृत पद्य में सादृश्य की प्रतीति श्लेष की प्रतीति वाद में हो सकती है, क्योंकि मानस आदि पद में श्लेष की प्रतीति हो जाने के ही श्लेषमूलक अभेदारोप से उपमान हंस और उपमेय भूप दोनों में रहनेव मानसवासित्वरूप साधारणधर्मात्मक सादृश्य की प्रतीति होती है । इस त रूपक की उत्पत्ति में श्लेष की अपेक्षा सिद्ध हो गई। इसी तरह श्लेष की उत्पत्ति रूपक की अपेक्षा भी है, क्योंकि राजा को हंस समझनेरूप रूपक की प्रतीति हो ज के वाद ही सरोवर और मन इन दो अर्थों के प्रतिपादनरूप श्लेष की ओर ध्य जाता है । यदि कोई कहे कि श्लेष की प्रतीति में रूपक की अपेक्षा होने का का क्या है ? तो समझिए—जब तक रूपक की प्रतीति नहीं हो जाती—राजा को ह नहीं समझ लिया जाता—तब तक मानस पद कहने से वक्ता का सरोवर में तात्पर्य है, इस बात का ज्ञान करानेवाला कोई प्रमाण ही नहीं है । हाँ, रूपक प्रतीति हो जाने के अनन्तर रूपक के पेट में प्रविष्ट सादृश्य की अन्यथा अनुपर्ण रूप प्रमाण से श्लेष की प्रतीति होने लगती है अर्थात् जब राजा को हंस समझ लि जाता है तब यह जिज्ञासा स्वभावतः उठती है कि राजा और हंस में कौन-सा ऐ साधारण धर्म है—सादृश्य है, जिसके आधार पर राजा को हंस से अभिन्न समझा ग है ? तब विचार करने पर पता चलता है कि और तो कोई साधारण धर्म इन दोनों में नहीं, अतः अवश्यमेव मानस पद में श्लेष है, अर्थात् इस एक पद से वक्ता मन अ सरोवर दोनों का बोध कराना चाहता है । जब वक्ता का उक्त तात्पर्य अवगत हो जाता है, तब अनायास ही 'मानसवासित्व'रूप साधारण धर्म का ज्ञान हो जाता है और उस श्लेष ( एक पद से दो अर्थों के प्रतिपादन ) से उन दोनों ( मन तथा सर ) अर्थों में अभेद की प्रतीति फलित होती है ।

उपसंहरति—

अतो नामार्थयोरभेदान्वयसरणिरेव रूपकस्थले रमणीया ।

उक्तानेकविधानुपपत्तिवारणानुरोधेन रूपकस्थले वाच्यार्थयोरेवाहार्याभेदान्वयबोध न तु लक्ष्यवाच्ययोरिति नवीनाभिमतमार्ग एव ज्यायान् इति भाव । वाच्यार्थयोर्भेदे स्वीकृते विद्वन्मानसहस इत्यादावपि न काचिदनुपपत्तिरिति बोध्यम् ।

अब नवीन-मत का उपसंहार करते हैं—अतो इत्यादि । उक्त सभी युक्तियों के आधार पर यह निश्चितरूप से कहा जा सकता है कि रूपकस्थल में नवीनों की बात ( दो वाच्य अर्थों का ही आहार्य अभेदान्वय बोध होता है ) ही उत्तम है—उनका मार्ग ही सुन्दर है, प्राचीनों का नहीं अर्थात् रूपकस्थल में लक्षणा रहती है यह प्राचीनों का कथन उचित नहीं है ।

प्राचीनाभिमतमन्यदपि दूपयति—

‘सदृशलक्षणायाः फलं रूपके ताद्रूप्यप्रत्यय इत्यपि न हृदयङ्गमम् । तत्सदृश इति शब्दात्सादृश्यप्रत्यये सत्यपि ताद्रूप्यप्रत्ययापत्ते’ इत्याहुः ।

रूपकस्थले उपमानवाचकपदस्य स्वमदृशे यत्लक्षणा समाश्रियते, तस्य फलम् उपमेये उपमानताद्रूप्यप्रतीतिरिति यदुक्तं प्राचीनैस्तदपि न हृदयप्राहकम्, ययो माद्रूप्यप्रतीयते तयोस्ताद्रूप्य पश्चात् प्रतीयते इति प्राचीनोक्तिनिष्कर्षे निर्गलिते चन्द्रमदृश इत्यादिपदान् माद्रूप्यप्रतीतिस्थलेऽपि चन्द्रताद्रूप्यप्रतीतिप्रसगात् । अतो नितान्तमयुक्तं प्राचीन इति भाव ।

प्राचीनों के द्वारा प्रतिपादित एक अन्य युक्ति का भी नवीन विद्वान् एण्डन करते

हैं—सदृश इत्यादि । प्राचीनों ने जो यह कहा कि रूपकस्थल में विषयिवाचक पद की स्वसदृश में लक्षणा होती है और उसका फल होता है विषय में विषयी के ताद्रूप्य की प्रतीति, वह भी हृदयग्राही नहीं, क्योंकि यदि ऐसा हो, तब 'तत्सदृश' ( उसके सदृश ) इस शब्द से सादृश्य का बोध होने पर भी ताद्रूप्य की प्रतीति होने लगेगी । अतः प्राचीनों का मत असंगत ही है ।

नवीनमतखण्डनोपक्रम इरुते—

अत्रेदं विचार्यते—यत्तावदुच्यते नामार्थयोरभेदान्वयबोधेनैवोपपत्तौ रूपके नास्ति लक्षणेति, तत्र चमत्कारिसाधारणधर्मानुपस्थितिदशायामुपमालङ्कारस्येव रूपकालङ्कारस्यापि नास्ति निष्पत्तिश्चमत्कारो वेति सकलहृदयसिद्धम् । कथमन्यथा 'भारत नाकमण्डलम्', 'नगरं विधुमण्डलम्' इत्यादिवाक्यश्रवणानन्तरमनुन्मिषन्त्या रूपकप्रतिपत्ते सुपूर्वालङ्कृत-सकलकलादिशब्दश्रवणोत्तरमेव समुन्मेषः सर्वेषाम् । इत्यमेव च मुखं चन्द्र इत्यादिप्रसिद्धोदाहरणेषुऽपि, इयास्तु विशेषः—यदेकत्र साधारणो धर्मः प्रसिद्धतया नियमतः स्वबोधकश्रुतिं नापेक्षते । इतरत्र त्वप्रसिद्धतया तथा । एव स्थिते साधारणधर्मवत्त्वरूपं सादृश्य यदि रूपकमध्य न प्रविशेत्तदा कथमिव धर्मविशेषानुपस्थितिदशायां रूपकं न पर्यवस्येत् । चमत्कारं वा न जनयेत् । उपमानोपमेययोराहार्याभेदबुद्धेरनन्यापेक्षपर्यवसानायाः साम्राज्यात् ।

नास्ति लक्षणेति । अत्र नागेश—'मास्तु लक्षणा । नामार्थयोश्चाभेदान्वय एवास्तु, न च वाद्यज्ञान प्रतिबन्धकम् । सादृश्यज्ञानरूपदोषस्योत्तेजकत्वात् । एतज्ज्ञानं च प्रसिद्धसादृश्यकस्थले साधारणधर्मानुपादाने एकसवन्धिज्ञानादपरसवन्धिस्मरणन्यायेन । साधारणधर्मस्तृतौ दोषविशेषसहकारेण शब्दादभेदप्रत्ययः । शङ्खे पीतत्वामाव-निश्चये काचकामलादिदोषेण तत्पीतत्वप्रत्ययभवत् । रूपके आहार्यबुद्धिरिति प्राचीनव्यवहारे वाद्यबुद्धिकालिकत्वमात्रे आहार्यपद लाक्षणिकम् । इवशब्दादिसमभिव्याहारे तु तेन भेदगर्भसादृश्यस्यैवोपस्थापनान्नाभेदप्रतीतिरिति मम प्रतिभाति ।' इति । शाब्दार्थकुशलो नागेशस्तादृशी रुचिरा शाब्दार्थपद्धतिं प्रादुरभावयत् यत्र पण्डितराजस्य नवीनमतखण्डनयुक्तिं क्वलीकृतेव प्रतिभातीत्यत्र न मनागपि सन्देहः, परन्तु तथ्याशस्तत्राल्पीयानेव, यतः सादृश्यज्ञानस्य दोषता न क्वापि प्रसिद्धा । किञ्च अभेदबोधे सादृश्यज्ञानस्योत्तेजकत्वमपि असमञ्जसमिव प्रतीयते, भेदगर्भत्वे सादृश्यस्याभेदविरोधित्वात् तदगर्भत्वे पुनस्तत्तैव कृतार्थतायामभेदबोधस्य सुधात्वापत्ते । सदृशलक्षणाकल्पनापेक्षया सादृश्यज्ञानस्योत्तेजकत्वकल्पने लाघवमपि नास्त्येवेति मदीयो दृष्टिकोणः । नास्ति लक्षणेत्यन्तेन नवीनमतमनूद्य तत्र दोष दर्शयितुमाह—तत्रेत्यादिना । चमत्कारी च साधारणधर्मस्तदनुपस्थित्यर्थः । नास्ति निष्पत्तिश्चमत्कारो वेति । यतो न चमत्कारस्ततो न निष्पत्तिः, अलंकारस्य चमत्कारप्राणत्वादित्यर्थः । भारतमिति । भारतम् महाभारताभिधौ ग्रन्थः, नाकमण्डलम् स्वर्गमण्डलरूप इत्यर्थः । नगरमिति । नगरं वर्णनीयं कश्चन स्थानविशेषः, विधुमण्डलम् चन्द्रमण्डलरूप इत्यर्थः । अनुन्मिषन्त्या रूपकप्रतिपत्तेरिति । अनुदीयमानस्य रूपकज्ञानस्येत्यर्थः । सुपूर्वालङ्कृत इति । 'सुपूर्वालङ्कृतं भारत नाकमण्डलम् ।' इति पूर्णवाक्यश्रवणोत्तरमिति भावः । 'स्यात् सुपूर्वा देवसभा' इति कोशेन देवनभाशोभितं स्वर्गमण्डलम्, आदिपर्वनविराटपर्वेत्यादिरीत्या कृतैः भागविशेषैः शोभितम् भारतमिति च तदर्थः ।

सकलकलेति 'सकलकलं नगर विधुमण्डलम्' इति पूर्णवाक्यम् । सकला कला चन्द्रि-  
यस्मिन् इति विधुपक्षे, कलकलै सहितमिति च नगरपक्षेऽर्थः । समुन्मेष इति  
अस्य रूपकप्रतिपत्तेरिति प्राक्तनेन संबन्धः । सर्वेषाम् सहृदयविदुषाम् । मुखं च  
इत्यादि प्रसिद्धरूपके न तथेति भ्रान्तिनिरासायाह—इत्यमेवेति । ननु कथमयमित्यका  
प्रसिद्धोदाहरणे साधारणधर्मबोधकपदविरहेऽपि रूपकप्रतिपत्तेर्जायमानत्वादित्यत आह-  
इयानिति । एकत्र मुखं चन्द्र इत्यादि प्रसिद्धरूपकोदाहरणे । इतरत्र 'भारतं नाकमण्डल  
इत्याद्यप्रसिद्धतदुदाहरणे । तथेति । स्वबोधकश्रुतिमपेक्षत इत्यर्थः । कथमिवेति । वे  
कारणेनेति तात्पर्यम् । कथमिवेत्यस्य कथमपीति नागेशटीका तु वाक्यार्थविरुद्धैव । अ-  
न्यापेक्षेति । अन्यत् साधारणधर्मादिकं नापेक्षत इत्यनन्यापेक्षम्, तादृशं पर्यवसान  
चरमं स्वरूपं यस्यास्तस्या इत्यर्थः । सदृशलक्षणायास्तु साधारणधर्मापेक्षं पर्यवसान  
मिति भावः । अत्रापि 'रूपकस्य तु' इति नागेशविवरणमसमञ्जसमेव, आहार्यभेदवो  
कल्पस्यापि रूपकपरतयैवोपस्थापिततया पूर्वसंबन्धविच्छेदकस्य 'तु'पदस्यासंगते । अत्र  
मत्र पिण्डार्थः—'नगरं विधुमण्डलम्', 'भारतं नाकमण्डलम्' इत्येतावदुक्तावपि आहार्य  
भेदवोधो नवीनमतप्रदर्शितरीत्या सम्भवतीति तावद् वाक्यश्रवणानन्तरम् तत्र रूपकालंका  
बुद्ध्या स्फुरणीयम्, स्फुर्यते तु न, तावता सिद्धयति, यत्—साधारणधर्मानुपस्थिति  
दशायाम् उपमालंकार इव रूपकालंकारोऽपि न भवति, चमत्कारकारणस्य साधारणधर्मस्य  
प्रतीतेः अत एव सकलकल-सुपर्वालंक्रतेति शब्दश्रवणोत्तरं पूर्वोक्तवाक्ययो रूपकालंका  
बुद्धिः स्फुरति । न चाप्रसिद्धोदाहरण एवैषा स्थितिः मुखं चन्द्र इत्यादिप्रसिद्धोदा  
तु साधारणधर्मानुपस्थितिदशायामपि रूपकबुद्धिः स्फुरत्येवेति भ्रमितव्यम्, तत्र  
साधारणधर्मापस्थितिदशायामेव रूपकोन्मेषात् । तत्र साधारणधर्मस्य सुन्दरत्वादेः प्री-  
तया तद्वोधकशब्दश्रवणस्य नापेक्षा, अप्रसिद्धसाधारणधर्मस्थले तु तस्यापेक्षेत्य-  
तत् । एवञ्च रूपकस्थले साधारणधर्मात्मकस्य सादृश्यस्य गर्भीकरणायोपमानवाच-  
स्वसदृशे लक्षणेति प्राचा पक्षः निष्प्रतिपक्ष एवेति ।

अत्र ग्रन्थकार नवीनों के मत का खण्डन आरम्भ करते हैं—अत्रेदं विचार्यते इत्या-  
उक्त नवीन विद्वानों के मत के विषय में यह विचार किया जाता है—उन्होंने  
सर्वप्रथम यह कहा कि 'दो नामार्थों' (दो पदों के वाच्यार्थों) के आहार्य भेदा  
बोध से ही निर्वाह हो जाता है, अतः रूपक के स्थल में लक्षणा नहीं होती' वह  
निकों की दृष्टि से भले ही ठीक जँचे, पर सहृदय साहित्यिकों की दृष्टि से समुचित  
प्रतीत होता । कारण, अलंकारों की कल्पना चमत्कार के आधार पर की गई है ।  
तक चमत्कार का अनुभव न हो तब तक कोई अलंकार नहीं माना जा सकता, अतः  
'गौरिव गवयः' अर्थात् गाय के सदृश गवय' इस वाक्य में उपमा नहीं मानी जाती  
'चन्द्र इव मुखम्' अर्थात् चाँद सा मुख' इसमें वह मानी जाता है । इस स्थिति  
यह बात सभी सहृदयों के हृदय में आने योग्य होगी कि जिस तरह चमत्कारज  
किसी साधारण (उपमान तथा उपमेय दोनों में रहनेवाले आह्लादकता आदि)  
की अनुपस्थिति अवस्था में उपमा अलंकार नहीं माना जाता, उसी तरह चमत्कार  
साधारण धर्म के अभाव में रूपक अलंकार भी नहीं बन सकता, क्योंकि उपमा  
का कारण उस साधारण धर्म का ज्ञान ही होता है और जब वही नहीं रहेगा,  
चमत्कारप्राण अलंकार हो तो कैसे ? यदि ऐसी बात न होती, तो जो 'भारतं ना-  
कमण्डलम्' अर्थात् भारत (महाभारत ग्रन्थ अथवा भारतवर्ष) स्वर्गप्रदेश है'  
'नगरं विधुमण्डलम्' अर्थात् नगर चन्द्र विम्ब है' केवल इन वाक्यांशों को सुन

के वाद सहृदयों के हृदय में रूपक अलंकार का अनुभव नहीं होता और उन्हीं वाक्यों के साथ क्रमशः 'सुपर्वालकृत अर्थात् स्वर्गपक्ष में देव सभा-सुशोभित और ग्रन्थपक्ष में सुन्दर पर्व-सभा, वन, विराट आदि से और भारतवर्षपक्ष में सुन्दर पर्वों त्योहारों से सुशोभित' और 'सकलकल अर्थात् चन्द्रपक्ष में सब कलाओं चन्द्रिकाओं से, नगरपक्ष में कलकल शब्दों से युक्त' इन दोनों विशेषणों को सुन लेने पर सब के मन में रूपक की प्रतीति उदित हो जाती है, वह क्यों ? दोनों अवस्थाओं में अन्तर तो केवल यही होता है कि पहले साधारण धर्म का ज्ञान नहीं होता और पीछे उक्त दोनों विशेषणों के सुन लेने पर वह हो जाता है। यह स्थिति रूपक के अप्रसिद्ध उदाहरणों में ही होती है, यह बात नहीं, 'मुखचन्द्र' इत्यादि प्रसिद्ध रूपकोदाहरणों में भी साधारण धर्मज्ञान होने पर ही रूपक की बुद्धि जागती है। हाँ, अप्रसिद्ध और प्रसिद्ध उदाहरणों में इतना अन्तर अवश्य है कि अप्रसिद्ध स्थल में साधारण धर्म का ज्ञान होने के लिये नियमतः साधारण धर्म बोधक पद के श्रवण की अपेक्षा होती है और प्रसिद्ध स्थल में उसके लिये नियमतः बोधक-पद-श्रवण की अपेक्षा नहीं होती अर्थात् 'मुख और चन्द्र का साधारण धर्म आह्लादकत्व आदि इतना प्रसिद्ध है कि बोधकपद के अभाव में भी 'मुखचन्द्र' कहने पर आप से आप ज्ञात हो जाता है, परन्तु 'नगरं विधुमण्डलम्' इत्यादि अप्रसिद्ध स्थल में वह साधारण धर्म (सकलकलत्व आदि) तब तक ज्ञात नहीं होता, जब तक उसके बोधक पदों का श्रवण न हो जाय। सारांश यह कि साधारण धर्म का ज्ञान (चाहे वह प्रसिद्धि के कारण आप से आप हो अथवा बोधक पद के द्वारा हो) हो जाने पर ही रूपकालंकार का भी बोध होता है, यह निर्विवाद सत्य है। इस प्रसंग में यह भी सोचने योग्य है कि यदि रूपक के मध्य में सादृश्य (जिसका निष्कृष्ट-स्वरूप साधारण धर्म होता है) का प्रवेश नहीं हुआ रहता, तब 'भारतम्', 'नगरम्' इत्यादि उक्त स्थानों पर साधारण धर्म की अनुपस्थितिदशा में भी रूपक क्यों नहीं पर्यवसित होता ? तथा चमत्कार की ही उत्पत्ति क्यों नहीं होती ? नवीन मत के अनुसार तो उन दोनों बातों को होना ही चाहिए, क्योंकि उनके हिसाब से रूपक का नियामक जो आहार्य अभेद-बुद्धि है, वह उस दशा में भी हो ही सकती है। कारण, आहार्यभेद-बुद्धि के होने में सादृश्य आदि किसी अन्य बात की अपेक्षा नहीं है—वह अनन्यापेक्षपर्यवसान है।

साधारणधर्मानुपस्थितिदशायामाहार्यभेदबुद्धेरप्यभाव इत्येतदुपपादिका युक्तिमाशक्य निरस्यति—

न चाहार्यापदार्थद्वयाभेदबुद्धौ तच्चमत्कारे वा साधारणधर्मविशेषज्ञानं प्रयोजकमिति शक्य वक्तुम् ।

'यद्यनुष्णो भवेद्वह्निर्यद्यशीत भवेज्जलम् ।

मन्ये दृढव्रतो रामस्तदा स्यादप्यसत्यवाक् ॥'

इत्यादौ साधारणधर्मस्याप्रत्ययेऽपि बह्वथनुष्णत्वादीनामभेदप्रत्ययोपगतेः । न चोपमानोपमेयस्थल एवायं नवीनो विशेष इति वाच्यम् । ईदृशविशेषकल्पने मानाभावात् । साधारणधर्मानुपस्थितिदशायामपि 'मुख यदि चन्द्रः स्यात् वृद्धा भूयवस्थितं न स्यात्' इत्यादौ तादृशप्रतीत्युपगमाच्च ।

विशेषज्ञानमिति । तथा च तदभावादभेदबुद्धिरपि न स्यादिति भावः । यद्यनुष्ण इति । वह्निर्यदि अणुष्णो भवेत्, जलम् यदि शैत्यहीनं स्यात्, तदा दृढव्रत स्थिर-सत्यवादित्वप्रतिज्ञा, राम', असत्यवागपि मिथ्यावक्त्राऽपि स्यात्—अर्थात्—यथाऽनल-सलिलयोरनुष्णत्वाशीतलत्वे असंभविनी, तथा दृढव्रतस्य रामस्यासत्यवादित्वमप्यसंभवी-

त्यर्थः । साधारणधर्मेति । वह्यनुष्णत्वाद्यसत्यवाक्त्वयोरित्यादि । वह्यनुष्णेति । वह्यनुष्णत्वादिनामसत्यवाक्त्वेन सद्भाभेदप्रत्ययोपगतेरिति भावः । अत्र 'वह्यथादावनुष्णाद्यभेदप्रतीतेरित्यर्थः' इति नागेशटीका तु 'वह्यनुष्णत्वादीनामभेदप्रत्ययोपगते' इति मूलक्षरस्वारस्यप्रतिच्छलैव । नागेशानुयायिनी सरलापि तथैव । मदुक्तीत्या ग्रन्थलापनसभवे तादृशप्रतिकूलव्याख्याकरणस्य प्रयोजनमपि नास्त्येव । न चोपमेति । वह्यनुष्णत्वाद्यसत्यवाक्त्वयोस्तु नोपमानोपमेयत्वविवक्षितम् । अत एव तत्र रूपकादिकं न । अभेदबुद्धिस्तु तत्रास्तीति भावः । नन्वन्यथानुपपत्तिरेव मानमिति चेत् तत्राह—साधारणेति । मुखयदीति । मुख यदि चन्द्राभिन्नं भवेत्, तदा धरास्थितं न भवेत्, चन्द्रस्य धरागतत्वासमवादित्यर्थः । तादृशेति । अत्र नवीनमते चन्द्रमुखयोरुपमानोपमेयभावविवक्षाधीनरूपकसत्त्वेनाभेदप्रतीत्युपगमादित्यर्थः । प्राचीनमतेऽभेदबुद्धावपि सादृश्याप्रतीतेर्न रूपकमिति भावः । आहार्याभेदबोधे साधारणधर्मज्ञानस्य प्रयोजकतया तदभावे तादृशाभेदबोधस्याप्यभावेन साधारणधर्मानुपस्थितिदशाया रूपकानुन्मेषस्य रूपकस्थलीयसदृशलक्षणापक्षसाधकत्वं न युक्तमिति कथनं नोचितम्—यद्यनुष्ण इत्यादिपद्ये साधारणधर्मानुपस्थितावपि अभेदबुद्धेरुदयात् तत्र पद्य उपमानोपमेयभावो नास्ति, उपमानोपमेयभावस्थले एव च साधारणधर्मस्याभेदबुद्धिप्रयोजकता कल्प्यत इत्यपि न सम्यक् 'मुख यदि चन्द्रं स्यात्' इत्यादानुपमानोपमेयभावस्थलेऽपि साधारणधर्मानुपस्थितौ अभेदप्रतीतेर्जायमानत्वात् । तस्मादभेदबुद्धौ साधारणधर्मज्ञानस्य प्रयोजकताया दुर्वचतया साधारणधर्मानुपस्थितिदशायामप्यभेदबुद्धेर्निर्बाधतया तादृशदशायामापततो रूपकानुन्मेषस्य रूपकस्थले सदृशलक्षणासाधकतया प्राचा पक्ष एव समीचीनो न नवीनानामिति भावः ।

साधारण धर्म की अनुपस्थिति में आहार्य अभेद बुद्धि भी नहीं होगी इस बात को सिद्ध करने के लिये शंका करके खण्डन करते हैं—न च इत्यादि । यदि आप कहें कि दो पदार्थों के आहार्य अभेद ज्ञान का अथवा उसके चमत्कार का प्रयोजक है साधारण धर्म का ज्ञान, अतः साधारण धर्म का ज्ञान नहीं रहने पर वे दोनों बातें नहीं होतीं, तो यह ठीक नहीं, क्योंकि—'यद्यनुष्णो'.....'अर्थात् यदि आग अनुष्ण हो जाय और जल अशीतल हा जाय, तब यह भी संभावना की जा सकती है कि दृढव्रत ( सत्य-प्रतिज्ञ ) राम मिथ्याभाषी भी हो जाय' इत्यादि स्थानों में वह्नि की अनुष्णता आदि तथा असत्यवादिता इन दोनों पदार्थों में किसी प्रकार के साधारण धर्म का ज्ञान नहीं रहने पर भी अभेद-प्रतीति मानी गई है । यदि आप कहेंगे कि उपमानोपमेय भाव जहाँ रहता है, वहीं इस तरह के नवीन विशेष ( साधारण धर्म की अनुपस्थिति में अभेद बोध भी नहीं होता ) की कल्पना करेंगे अर्थात् उक्त पद्य में वह्नि की अनुष्णता आदि तथा असत्य वाक्त्व में उपमानोपमेय भाव की विवक्षा नहीं है, अतएव रूपक आदि भी यहाँ नहीं माना जाता, और साधारण धर्म की अनुपस्थिति में अभेदबोध नहीं होने की बात हम उपमानोपमेयभावस्थल में ही कहते हैं, अतः वह बात यहाँ लागू नहीं होगी—साधारण धर्म की अनुपस्थिति में भी अभेदबोध होगा, तो यह कथन भी आपका सगत नहीं होगा क्योंकि एक तो 'उपमानोपमेयभावस्थल में ही उक्त कल्पना की स्वीकृति में कोई प्रमाण नहीं है । दूसरे मुख यदि....' अर्थात् मुख यदि चन्द्र होता तो भूमि पर स्थित नहीं होता इत्यादि में उपमानोपमेय भाव के रहने पर भी साधारण धर्म की अनुपस्थिति में अभेदबोध माना जाता है ।

सदृशलक्षणापक्षेऽसंगतिमाशङ्क्य समाधत्ते—

ननु रूपकप्रतीतेरुपमानाभेदविषयत्वविरहे 'सिंहेन सदृशो नाय किन्तु सिंहे

नराधिपः' इत्यादौ निषेध्यविधेययोरसङ्गतिरिति चेत्, न । अनुपदमेव प्राचीन-  
मतद्वयेऽपि रूपकै ताद्रूप्यप्रतिपत्तेः स्वीकारस्य प्रतिपादनात् ।

रूपकप्रतीतिरिति । रूपकालकारबुद्धौ उपमानस्याभेदो विषयो न भवतीति स्वीकारे  
इत्यर्थः । रूपकस्थले वाच्ययोराहार्याभेदबोधो न भवति किन्तु सदृशलक्षणा भवतीति  
प्राचीनपक्षाश्रयणे इति यावत् । सिंहेन सदृश इति । अयं वर्णनीय कश्चन नराधिप  
राजा, सिंहेन सदृश सिंहतुल्यो न, अपितु सिंह एवेत्यर्थः । निषेधेति । सिंहसदृशा-  
भेदेत्यर्थः । विधेयेति । सिंहाभेदेत्यर्थः । मतद्वय इति । 'अन्ये तु, अपरे तु' इति प्रती-  
काभ्यानुपदर्शितयोर्द्वयोर्नतयोरित्यर्थः । रूपकस्थले वाच्ययोरुपमानोपमेययोराहार्याभेदबोधो  
न भवति अपि तु उपमानवाचकस्य सदृशलक्षणयोपमानसदृशाभेदस्यैव बोधो भवति  
चेत् ? तर्हि सिंहेन इति काव्यवाक्ये सिंहसदृशाभेदस्य निषेधः सिंहाभेदस्य विधानञ्च  
यत्क्रियते तन्न सगच्छेत् भवद्वात्या 'सिंहो नराधिप' इत्यशेषि सिंहपदस्य सदृशालक्षणि-  
कतया सिंहसदृशाभेदस्यैव विधेयताऽवगमात् तद्विधेयताऽवगमे च सिंहेन सदृशो न  
इत्यशेन तस्यैव निषेधानुपपत्ते इति शका नोचिता, सदृशलक्षणोपपादकप्राचीनमतद्वयेऽपि  
रूपकस्थले उपमानोपमेययोरभेदबोधस्त्योपपादितत्वात् । एकस्मिन् मते चन्द्रादिपदेभ्यो  
लक्षणया चन्द्रसदृशत्वेनापि रूपेणोपस्थितानां मुखादीनां चन्द्रत्वेनैव रूपेण मुख्यादिपदो-  
पस्थापितैः सहाभेदान्वयबोधः समर्थितः । तद्युक्तिस्तत्रैव द्रष्टव्या । अपरत्र मते भेदा-  
करन्वित सादृश्यं रूपकजीवातुभूतमङ्गीकृत्य तादृशबोध उपपादितः । इति ।

अव 'रूपक-स्थल में विषयिवाचक पद की स्वसदृश में लक्षणा होती है' इस प्राचीन-  
पक्ष में असंगति की आशंका करके खण्डन करते हैं—ननु इत्यादि । 'सिंहेन सदृश' ..  
इत्यादि अर्थात् यह ( कोई वर्णनीय ) राजा सिंह के समान नहीं, परन्तु सिंह है'  
इत्यादि स्थानों पर सिंहसदृशाभेद का निषेध और सिंहाभेद का विधान किया गया  
है । अब सोचिये कि यदि रूपक की प्रतीति में उपमान का अभेदविषय नहीं होता  
रहता अर्थात् उपमेय में उपमान के अभेद-ज्ञान के बिना भी रूपक सिद्ध हो जाता.  
तो उक्त निषेध और विधान दोनों ही असंगत हो जाते, क्योंकि प्राचीनों के मतानुसार  
'सिंहो नराधिप.' इस रूपक में भी सिंह पद सदृशलक्षणिक ही माना जायगा और  
तदनुसार उसका अर्थ होगा 'सिंहसदृश से अभिन्न राजा' । इस स्थिति में सिंहसदृशाभेद  
की विधेयता प्रतीत होगी, और जब उत्तर अंश से उसकी विधेयता विदित होगी, तब  
पूर्व ( सिंहेन सदृशो नायम् ) अंश से उसी का निषेध बन नहीं सकता । यह है शका ।  
उत्तर है कि—अभी थोड़ा पहले प्राचीनों के भी अन्तितन ( 'अन्ये तु' 'अपरे तु' इन दो  
प्रतीकों के द्वारा वर्णित ) दो मतों में इस बात का प्रतिपादन किया जा चुका है कि  
रूपक में सदृशलक्षणा के बाद भी ताद्रूप्य ( अभेद ) का बोध होता है ( देखिये—उन  
दोनों मतों की व्याख्या ) ।

प्राचीननते पुनरपरामत्तगतिमाशङ्क्य निरस्यति—

अथ विधेयकोटौ प्राचा मते सादृश्यापि प्रविष्टतया तन्निषेधानुपपत्तिस्तथापि  
स्थितैश्चेति चेत्, भेदघटितसादृश्यरूपाया उपमाया एव निषेध्यत्वात् तिरोभूत-  
भेदसादृश्यलक्षणस्य रूपकस्य विधेयत्वाच्च नानुपपत्तिः ।

विधेयकोटाविति । 'सिंहो नराधिप' इत्यश इत्यर्थः । प्रविष्टतयेति । उपमानवाचकस्य  
सदृशलक्षणिकत्वादिति भावः । तथापीति । ताद्रूप्यप्रतिपत्यङ्गीकारेऽपीत्यर्थः । उपमाया  
एवेति । अत्रैवपदेन सादृश्यस्य विधिनियेधयोर्व्यावृत्तिः । तिरोभूतभेदेति । तिरोभूतो भेदो

यस्मिन् सादृश्ये इति बहुव्रीहिः । भेदाघटितेति तदर्थः । पूर्वोक्ते प्राचीनमतद्वये उपमानोपमेययोस्तादृश्यप्रतीतिरुपपादनेऽपि सदृशलक्षणाबलबन्धस्योपमानसादृश्यस्यापि प्रतीतिरुपमेये स्यादेव तथा च 'सिंहेन सदृशो' ' इत्यादौ सादृश्यनिषेधासगतिर्भवेदेवेति शका, नात्र सादृश्य निषेध्य विधेय वा, अपि तु भेदाघटितसादृश्यात्मिकोपमा निषेध्या भेदाघटितसादृश्यात्मक रूपकञ्च विधेयम् इति तात्पर्यवर्णनम् समाधानमिति भावः ।

प्राचीनों के मत में एक अन्य तरह की असंगति की आशंका करके खण्डन करते हैं—अथ इत्यादि । यदि आप कहें कि प्राचीनों के उक्त दोनों मतों में उपमान तथा उपमेय के अभेद का प्रतिपादन भले ही किया गया हो, तथापि सदृश लक्षणा के बल से उपमान के सादृश्य की भी प्रतीति उपमेय में होगी ही और जब उसकी प्रतीति होगी, तब फिर 'सिंहेन सदृशो नायम्' इस भाग के द्वारा उसी का निषेध तो अनुपपन्न होता ही रहेगा, तो यह कहना उचित नहीं, कारण, सादृश्य जब दो प्रकार के माने जाते हैं—एक भेदाघटित—जो उपमा का मूल होता है और दूसरा भेदाघटित अर्थात् जिसमें भेद अशतिरोहित—छिपा हुआ हो—जो रूपक का मूल होता है, तब सादृश्य का ही निषेध और उसी का विधान दोनों एक साथ बन सकते हैं । सारांश यह कि भेदाघटित-सादृश्यमूलक उपमा का निषेध और भेदरहित-सादृश्य मूलक रूपक का विधान ही यहाँ विवक्षित है ।

प्राचीनमते दर्शितामनुपपत्तिं परिहर्तुमाह—

यदप्युक्त रूपके लक्षणास्वीकारे 'राजनारायणम्' इत्यत्र 'पादाम्बुजम्' इत्यत्र चोपमारूपकयोर्बाधकतया रूपकोपमयोनिर्णायकतया च लक्ष्मीकर्तृकालिङ्गनमञ्जुमञ्जीरशिञ्जितत्वयोरनुपपत्तिः प्राचीनैरुक्ता विरुद्धा स्यादित्यादि, तदपि न । रूपके उपमानतावच्छेदकरूपेण तत्सदृशप्रत्ययस्योपपादितत्वेन 'राजनारायणम्' इत्यादौ विशेषणसमासायत्तस्य रूपकस्य स्वीकारे प्रधानीभूतोत्तरपदार्थस्य नारायणसदृशस्यापि नारायणत्वेनैव प्रतीतेर्लक्ष्मीकर्तृकालिङ्गनकर्मताया अनुपपत्तेरभावात् । उपमाया उपमितिसमासायत्तायाः स्वीकारे तु प्रधानीभूतपूर्वपदार्थस्य राज्ञो राजत्वेनैव प्रत्ययात्तादृशकर्मताया अनुपपत्तेः । 'पादाम्बुजम्' इत्यादावपि रूपकस्य स्वीकारे प्रधानीभूतोत्तरपदस्यास्याम्बुजसदृशस्याम्बुजत्वेनैव प्रतीतेर्मञ्जुमञ्जीरशिञ्जितमनोहरताया अनुपपत्तेः । उपमितिसमासायत्तोपमायां तु प्रधानस्य पादस्य पादत्वेनैव प्रतीतस्य नास्ति तस्या अनुपपत्तिरिति न कोऽपि दोषः ।

उपमारूपकयोर्बाधकतया इत्यादि । राजनारायणमित्यत्रोपमाया बाधकतया रूपकस्य निर्णायकतया च लक्ष्मीकर्तृकालिङ्गनस्यानुपपत्तिः, पादाम्बुजमित्यत्र रूपकस्य बाधकतया उपमाया निर्णायकतया च मञ्जुमञ्जीरशिञ्जितत्वस्यानुपपत्तिरित्यर्थः । उपमानतावच्छेदकेति । चन्द्रत्वादिनेत्यर्थः । विशेषणसमासेति । मयूरव्यंसक इति समासेत्यर्थः । उपमितिसमासेति । 'उपमितं व्याघ्रादिभि -' इति समासेत्यर्थः । तादृशेति । लक्ष्मीकर्तृकालिङ्गनेत्यर्थः । तस्या इति । मञ्जुमञ्जीरशिञ्जितमनोहरताया इत्यर्थः । अन्यत् निगदन्त्यात्प्रतीति नेह प्रतन्यते ।

अथ प्राचीनों के मत में जो दोष नवीनों ने लगाया था, उसका उद्धार करते हैं—यदप्युक्तम् इत्यादि । नवीनों ने सर्वप्रथम यह दोष लगाया है कि रूपक में लक्षणमानने पर प्राचीनों का 'राजनारायणम्' में 'लक्ष्मीकर्तृक आलिङ्गन' को उपमा का बाधक

और रूपक का निर्णायक मानना, तथा 'पादाम्बुजम्' में 'मञ्जुमञ्जीरशिञ्जितमनोहरत्व' को रूपक का बाधक और उपमा का साधक मानना, विरुद्ध हो जायगा। परन्तु वस्तुतः वह प्राचीनों के मत में भी विरुद्ध होता नहीं। कारण, वह विरुद्ध तब होता यदि 'राजनारायणम्' में रूपक मानने पर भी 'लक्ष्मीकर्तृक आलिङ्गन' अनुपपन्न होता, इसी तरह 'पादाम्बुजम्' में उपमा मानने पर भी 'मञ्जुमञ्जीरशिञ्जितमनोहरत्व' उपपन्न नहीं हो सकता परन्तु वह होता नहीं, क्योंकि प्राचीनों के द्वितीय मत में यह कहा जा चुका है कि रूपकस्थल में चन्द्र आदि उपमानवाचक पद से लक्षणा के द्वारा तत्सदृश अर्थ की उपस्थिति होने पर भी अन्वयबोध उस उपस्थित अर्थ का उपमानतावच्छेदक-चन्द्रत्व आदि-रूप से ही होता है। अतः 'राजनारायणम्' में 'मयूरव्यसकादयश्च' इस पाणिनि सूत्र से विशेषणसमास मान कर रूपक स्वीकार करने पर प्रधान माने जाने वाले नारायणसदृशरूप उत्तरपदार्थ की भी प्रतीति अन्वयबोध में नारायणत्व रूप से ही होगी और जब नारायण से अभिन्न राजा को समझ लिया जायगा, तब उसका लक्ष्मी के द्वारा किये जानेवाले आलिङ्गन का कर्म होना अनुपपन्न नहीं होगा-उचित ही होगा। और 'उपमित व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे' इस पाणिनि सूत्र से उपमित समास मानकर उपमा मानने पर तो प्रधान माने जानेवाले राजारूप पूर्वपदार्थ का राजारूप में ही बोध होगा-नारायणसदृशरूप उत्तरपदार्थ विशेषणरूप में यथावत् पढ़ा रहेगा और जब राजा राजा मात्र समझा जायगा-नारायण से अभिन्न नहीं, तब उक्त आलिङ्गन अनुपपन्न होगा। इसी तरह 'पादाम्बुजम्' में रूपक मानने पर प्रधान माने जानेवाले 'अम्बुजसदृश'रूप उत्तरपदार्थ की प्रतीति अन्वय बोध में अम्बुजत्वरूप से ही होगी और जब अम्बुज प्रधान तथा चरण अभेदेन उसका विशेषण समझ लिया जायगा तब उक्त 'मनोहरत्व' उपपन्न-उचित नहीं होगा। उपमित समास मानकर उपमा मानने पर तो प्रधान होनेवाले 'चरण' रूप पूर्वपदार्थ की प्रतीति अन्वयबोध में चरणरूप से ही होगी-अम्बुज सदृशरूप उत्तरपदार्थ अभेदेन विशेषण बन कर गौण रूप में पढ़ा रहेगा, और जब पाद की प्रधानता समझी जायगी, तब उक्त मनोहरत्व उपपन्न होगा। सारांश यह है कि प्राचीन मत के अनुसार भी उक्त स्थलों पर किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होती, अतः उनका मत ठीक है।

'पादाम्बुजम्' इत्यत्रोक्तरीतेरसम्भवमाशङ्क्य समाधत्ते—

न चोपमितसमासे पूर्वपदार्थस्योपमेयस्योपमेयतावच्छेदकतयैव प्रतीतिरिति न युक्तम् । 'वक्त्रे चन्द्रमसि' इति प्रागुक्तरूपक इवोपमानताद्रूप्यवदभेदबुद्ध्यात्तत्तद्रूप्यस्यात्रापि प्रतिपत्तुं शक्यत्वान्नक्षणायास्तुल्यत्वादिति वाच्यम् । उपमितिसमासे भेदघटितसादृश्यस्य लक्ष्यकोटिप्रविष्टतया वैलक्षण्यस्य वक्ष्यमाणत्वात् ।

उपमानताद्रूप्येति । उपमानसदृशयोरेकपदोपात्तत्वेनोपमानताद्रूप्यवत्सदृशाभेदबुद्ध्या उपमेये उपमानताद्रूप्यस्योपमायामपि ज्ञातुं शक्यत्वान्निवृत्त्यर्थः । तत्र हेतुमाह—लक्षण्येति । रूपक इवोपमितसमासेऽपि सादृश्यवाचकेशब्दाभावेन लक्षणया सत्त्वेन तस्यास्तुल्यत्वादिति भावः । वक्ष्यमाणत्वादिति अथोपमितसमासे इत्यादिनाऽस्मिन्नेव प्रकरणे इति भावः । 'पादाम्बुजम्' इत्यत्रोपमितसमासे पूर्वपदार्थस्य पादरूपस्योपमेयस्योपमेयतावच्छेदकपादत्वेनैव प्रतीतिरिति यदुक्तं तन्न युक्तम् 'वक्त्रे चन्द्रमसि' इति पूर्वोक्तरूपकस्थले यथा लक्षणया चन्द्रसदृशस्य चन्द्रस्य चैकपदोपस्थाप्यत्वप्रयुक्ताभेदाध्यवसानेन ताद्रूप्ये चन्द्रताद्रूप्यवता सदृशपदार्थेनाभेदात् सुखेऽपि चन्द्रत्व प्रतीयते, तथैव प्रकृते उपमाया-मपि इवशब्दाभावात् उपमानवाचकस्याम्बुजपदस्य स्वसदृशे लक्षणया अकामेनाप्यङ्गाकर्त-



व्यतया अम्बुजताद्रूप्यवत्सदृशपदार्थाभेदात् पादेऽम्बुजत्वप्रतीतेरिति शका, उपमितसम भेदघटित सादृश्य लक्ष्यकोटिप्रविष्ट, विशेषणसमासे तु तदघटित सादृश्य तथेति लक्षणार् स्तुल्यत्वेऽपि, उपमारूपकयोर्वैलक्षण्यस्याग्रे प्रतिपादनात् उपमितसमासे पादाद्बुजमित् भेदघटितसादृश्यस्य प्रतीत्या पादेऽम्बुजताद्रूप्यप्रतीतेरभाव इति समाधानमिति भाव ।

‘पादाद्बुजम्’ में उक्त रीति की असभावना की शङ्का करके खण्डन करते हैं—चेत्यादि । ‘उपमित समास’ में पूर्वपद के अर्थ पाद आदि उपमेय की प्रतीति उपमेय वच्छेदक-पादत्व-आदि के रूप में नहीं हो सकती । कारण, ‘पादाद्बुजम्’ में आदि सादृश्यवाचक पद तो है नहीं, अतः उपमित समास मानने पर भी ‘अर्ह रूप उत्तरपद की जब सदृशार्थ में लक्षणा ही माननी पड़ेगी, तब जैसे ‘वक्त्रे च मसि स्थिते किमपर. शीतांशुरुज्जृम्भते’ पूर्वोक्त रूपक में, ‘चन्द्रसदृश’ में ‘च का ताद्रूप्य मान लेने पर, ‘चन्द्रसदृश’ के साथ मुख का अभेदान्वय होने के कारण, ३ में भी चन्द्र का ताद्रूप्य आप मान चुके हैं, उसी तरह यहाँ भी ‘अम्बुजसदृश’ में ‘प का अभेदान्वय होने के कारण ‘पाद’ में भी ‘अम्बुजताद्रूप्य’ की प्रतीति हो ज चाहिए । और ऐसी स्थिति में उक्त अनुपपत्ति यहाँ बनी रहेगी । यह है यहाँ शंभ उत्तर यह है कि उपमितसमास में भेद-घटित सादृश्य, लक्ष्यमध्य में प्रविष्ट रह है और विशेषणसमास में भेद-रहित सादृश्य लक्ष्यमध्य में प्रविष्ट रहता है, ४ दोनों स्थलों पर समान रूप से लक्षणा के रहने पर भी उपमा तथा रूपक में विलक्ष- विलक्षण बोध होता है ( यह बात आगे कही जानेवाली है ) । सारांश यह है कि ‘पादाद्बुजम्’ में उपमित समास मानने पर लक्षणा द्वारा भी भेदघटित सादृश्य की ही प्रतीति होगी, अतः ‘पाद’ में ‘अम्बुज’-ताद्रूप्य की प्रतीति नहीं होगी ।

प्राचीनमते नवीनैरारोपितमनुपपत्यन्तरमनूद्य समाधत्ते—

यदप्युक्त सादृश्यस्य शब्देनोपादानादुपमात्वापत्तिरिति तदपि न । भेदा- करम्बितसादृश्यविशिष्टस्य रूपके लक्ष्यत्वादुपमाव्यपदेशस्याप्रसक्तेः ‘सादृश्य- मुपमाभेदे’ इति तत्सिद्धान्तात् ।

भेदाकरम्बितेति भेदाघटितेत्यर्थ । प्राचीनमते रूपकस्थले उपमानवाचकस्य स्वसदृशे लक्षणायाम् लक्ष्यतावच्छेदकस्य सादृश्यस्य लक्ष्याशे सादृश्यत्वात्मकसामान्यरूपेण प्रतीतौ सादृश्यस्य लाक्षणिकोपमानवाचकपदेनोपादानात् उपमान्वापत्तिरिति दोषो यदुक्तो नवीनै, तत्प्राचीनाशयाज्ञानविलसितम्, ‘भेदे सति सादृश्यम् उपमा’ इत्युपमालक्षण दुर्बता प्राचा मते रूपके उपमात्वाप्राप्ते, तत्र भेदाघटितस्यैव सादृश्यस्य लक्ष्यतावच्छेदकतया तैरुप- पादनात् इति भाव ।

प्राचीन मत में नवीनों के द्वारा आरोपित एक दूसरी अनुपपत्ति का अनुवाद करके समाधान करते हैं—यदप्युक्तम् इत्यादि । रूपक-स्थल में उपमान वाचक पद की स्वसदृश में लक्षणा होती है इस प्राचीन मत में, लक्ष्यतावच्छेदक-सादृश्य की लक्ष्य ( उपमेय ) अंश में सामान्य ( सादृश्य ) रूप से प्रतीति मानने पर सादृश्य का शब्द द्वारा ग्रहण होने के कारण ऐसे स्थानों में उपमा अलकार होने लगेगा, रूपक नहीं हो सकेगा, यह जो दोष नवीनों ने दिया है, वह भी समुचित नहीं है ।<sup>12</sup> कारण, रूपक स्थल में भेदरहित सादृश्य लक्ष्यमध्य में प्रविष्ट है, अतः उपमा का कोई प्रसङ्ग ही वहाँ नहीं उठ सकता, क्योंकि ‘सादृश्यमुपमाभेदे—अर्थात् भेदविशिष्ट सादृश्य उपमा कहते हैं’ इस लक्षण के अनुसार उपमाव्यवहार के लिये भेद का प्रतीयमान ना आवश्यक माना गया है ।

पुनरन्यथा नवीनाभिन्ता शब्दरूपाप्य खण्डयति—

ननु यत्र भेदघटितसादृश्यवति वक्त्रा लक्षणया मुखं चन्द्र इति प्रयुक्तम् तत्र तथाप्युपमालङ्कारापत्तिः स्थितैवेति चेत्, भेदघटितसादृश्यप्रतिपिपादयिषाकाले लक्षणया तद्वति शब्दप्रयोगस्य विरुद्धत्वान् । लक्षणायास्ताद्रूप्यप्रतिपिपादयिषाधीनत्वान् । न हि प्रयोजनमनुद्दिश्य लटिव्यतिरिक्त्या लक्षणयाऽर्थप्रतिपिपादयन्त्यार्थः । भेदताद्रूप्ययोर्विप्रतिषिद्धत्वेन युगपत्प्रतिपच्युद्धत्युपारोहासमवाच्च ।

तद्वति भेदघटितसादृश्यवति सुखानाविर्ये । शब्दप्रयोगस्येति । लक्षणिकचन्द्रादिद्वन्द्वप्रयोगस्येत्यर्थः । ननासगतोपमास्यले भेदघटित रूपस्थले तदघटितत्वात् सादृश्य रूपण्य बोध्यत इति भवदभिमतम्, तथा च सादृश्यप्रयोगस्य वक्षुरिच्छाधीनत्वान् भेदघटितं सादृश्य ननुसि कृत्वा वक्त्रा यत्र 'सुखचन्द्र' इति प्रयुज्यते, तत्र भेदघटितसादृश्यस्य शब्दोपात्ततया पूर्वोक्तोपमात्वापत्तिः स्थितैवेति शङ्का, प्रयोजनमूलायाः लक्षणायास्तादृशस्थले ताद्रूप्यप्रतिपादनेच्छाधीनतया भेदघटितसादृश्यप्रतिपादनेच्छाकाले लक्षणिकशब्दप्रयोगस्यानुवितत्वम्, भेदताद्रूप्यो परस्परविरुद्धतया एकालावच्छेदेन बुद्धिविषयत्वसमवाच्च । लटिमूला लक्षणा तु तत्र नभवत्येव न तादृशप्रयोगस्य परस्परगतत्वविरहादिति समाधानमिति नाव ।

अब पुन नवीनों के द्वारा प्राचीनों के मत में उठाई गई एक आशंका का समाधान करते हैं—ननु इत्यादि । नवीन विद्वान् यदि कहें कि समासगत उपमा के स्थल में भेदयुक्त और रूपक के स्थल में भेद से अयुक्त सादृश्यलक्षणा द्वारा बोधित होता है, यही तो प्राचीनों का अभिमत है अर्थात् सादृश्य के दोनों प्रकार ( भेदयुक्त तथा तदयुक्त ) उन्हें इष्ट हैं, फिर तो उन दोनों प्रकारों में से किसका प्रयोग कहीं किया जाय यह बात वक्ता के ही अधीन रही, अत जहाँ वक्ता 'सुखचन्द्र' इस वाक्य में 'चन्द्र' शब्द का प्रयोग 'भेदयुक्त सादृश्यविशिष्ट' अर्थ में करे, वहाँ 'सुखचन्द्र' में उपमा की आपत्ति हो ही जायगी तो इसका उत्तर यह है कि वक्ता जिस समय में भेदघटित सादृश्य के प्रतिपादन की इच्छा करेगा, उस समय में वह सदृशलाङ्गिक पद का प्रयोग कर ही नहीं सकता, क्योंकि लक्षणा ताद्रूप्य के प्रतिपादन की इच्छा के अधीन है—अर्थात् ताद्रूप्य का जब प्रतिपादन करना हो, तभी लक्षणा की जा सकती है अन्यथा नहीं । कारण शिष्टजन लटिव्यतिरिक्त लक्षणा के द्वारा निष्प्रयोजन अर्थप्रतिपादन नहीं करते । अर्थात् लटिमूलक लक्षणा से अन्य लक्षणार्थों में प्रयोजन का होना आवश्यक है और यहाँ ताद्रूप्य के अतिरिक्त अन्य कोई प्रयोजन हो नहीं सकता, अत भेदप्रतिपिपादयिषाकाल में सदृशलाङ्गिक पद का प्रयोग विरुद्ध है । यह तो कहा ही नहीं जा सकता कि भेद और अभेद दोनों की प्रतीति हो, क्योंकि भेद और अभेद दोनों परस्पर विरुद्ध हैं वे एक साथ ज्ञाता की बुद्धि में आरुढ़ नहीं हो सकते अत ऐसा कथन असंगत है ।

प्राचीनमते बोधनानां पुनरन्यथा शङ्कते—

अथोपमितसमासे पुरुषव्याघ्र इत्यादानुत्तरपदस्य स्वार्थसदृशे लक्षणैवोपगन्तव्या । अन्यथा बोधकाभावेन समासे सादृश्यप्रत्ययो न स्यात् । न च व्याघ्र इवेतीवशब्दस्तद्वोधक इति वाच्यम् । तस्य समासे संबन्धाभावान् । सति च संबन्धे तन्निवृत्तेरयोगान् । निवर्तकशास्त्रस्याभावान् । विग्रहवाक्यगतस्त्विवशब्दः स्वघटितवाक्यस्योपमाप्रतिपादकत्वं सन्पादयितुमीष्टे, न वाक्या-

न्तरस्य । तस्य विवरणत्वानुपपत्तेश्च । न हि विवरणीयवाक्यगतशब्दाप्रतिपाद्य-  
स्यार्थस्य विवरणं युज्यते । इत्थञ्च लक्षणाया एवाभ्युपगम्यतया सत्यां च तत्र  
योजनीभूतताद्रूप्यप्रतिपत्तौ कथमुपमा द्विलुप्ता तत्र प्राचीनैरुक्तेति चेत् ।

स्वार्थसदृशे इति । व्याघ्रसदृशे इत्यर्थः । अन्यथेति । लक्षणानभ्युपगमे इत्यर्थः ।  
बोधकसत्तामाशक्ते—न चेति । तस्य इवशब्दस्य । तन्निवृत्तेरिति । इवशब्दनिवृत्तेरि-  
त्यर्थः । तत्र हेतुमाह—निवर्तकेति । शास्त्रेति । सूत्रेत्यर्थः । ननु विग्रहवाक्यगत इवशब्द-  
समासे सादृश्य बोधयेदिति चेत्त्राह—विग्रहवाक्यगतस्त्विति । वाक्यान्तरस्य समास-  
वाक्यस्य । समासे मास्तु सादृश्यप्रतीतिरित्यत आह—तस्येति । विग्रहवाक्यस्येत्यर्थः ।  
तामेवानुपपत्तिं स्फुटीकरोति—न हीत्यादिना । इत्थञ्चेति । उक्तानुपपत्तौ चेत्यर्थः । तदिति ।  
लक्षणेत्यर्थः । कथमुपमेति । ताद्रूप्यप्रतीत्या रूपकस्यैव प्रसङ्गादिति भावः । द्विलुप्तेति ।  
वस्तुस्थितिकथनमेतत्, न तु तत्र शङ्काविषयता । उपमाया एव शकाविषयत्वे तद्गत  
द्विलुप्तत्वादे स्वतः शकाविषयतेति तु अन्यत् । अत्र 'उत्करीत्या धर्मवाचकयो सत्त्वेन  
कथं धर्मवाचकलुप्तोक्तेत्यर्थः' इति नागेशव्याख्याऽशोभनैव, यतस्तद्रीत्या उपमाया न  
शङ्कनीयता, किन्तु तस्या द्विलुप्तात्वे इति प्रतिभाति, तच्च न, साधारणधर्मवाचकस्य 'शूर'  
इत्यादेर्लोपस्य स्पष्टत्वात्, सादृश्यवाचकलोपस्योक्तशकाक्रान्तत्वसंभवेऽपि न ग्रन्थकृद-  
भिमत्त्वम्, 'अत्रोच्यते' इत्यादिना दीयमानस्योत्तरस्य तदनुपयुक्तत्वात् । अत एव  
'वाचकलोपस्तु' इत्यादिना पृथगुपपादनं सगच्छते । अत 'उपमा कथम्' इत्येव प्रत्या-  
शयः । तुष्यद्दुर्जनन्यायेनोपमाऽभ्युपगमेऽपि तस्या साधारणधर्मलुप्तात्वमेव सम्भवति,  
न वाचकलुप्तात्वम्, एवञ्च द्विलुप्ता कथम् इति वा ग्रन्थाभिप्रायः । साधारणधर्मलोपांशे न  
काऽपि शक्तेति साराशः । नागेशस्तु तस्यापि शकनीयतामभिप्रैति । स प्रायः ताद्रूप्यमेव  
साधारणधर्मम् बुध्यते, अत एवाप्येऽपि 'नन्वेवमपि ताद्रूप्यप्रतीत्या कथं धर्मलुप्तत्वम्' इति  
विवृणुते । ( कश्चिद्रीकाकारस्त्वत्र सर्वत्र नागेशच्छिद्रगवेषणपरोऽत्रायुक्तामपि नागेशोक्तिमनु-  
वदन् शोच्य एव । ) अन्यत् सुगमम् ।

प्राचीन मत में एक नवीन दोष की भाशका करते हैं—अथोपमित इत्यादि ।  
'पुरुषव्याघ्र' इत्यादि उपमितसमास में व्याघ्र आदि उत्तरपद की स्वार्थसदृश ( अर्थात्  
व्याघ्रसदृश आदि ) अर्थ में लक्षणा ही माननी पड़ेगी, अन्यथा समास में सादृश्य बोधक  
शब्द न रहने के कारण सादृश्य का बोध नहीं हो सकेगा । 'व्याघ्र इव पुरुष' इस  
विग्रहवाक्य में आए हुए 'इव' शब्द को तो सादृश्य का बोधक कहा नहीं जा सकता,  
क्योंकि समास में ( पुरुषव्याघ्र इस पद में ) उस 'इव' शब्द का सवन्ध नहीं है । यदि  
समास में उसका सवन्ध रहता, तो उसकी निवृत्ति नहीं होती—अर्थात् उसका ध्रुवण  
अवश्य होता, क्योंकि उसको निवृत्त करनेवाला कोई सूत्र व्याकरण में नहीं है । समास  
में 'इव' शब्द का सवन्ध रहे अथवा न रहे, विग्रहवाक्य में तो अवश्य है, वही  
समास में भी सादृश्य का बोधक होगा, यह भी नहीं कहा जा सकता । कारण, जिस  
वाक्य में 'इव' रहेगा, उसीके अर्थबोध में वह सादृश्य का भान करा सकता है अतः वह  
'इव' शब्द उसी वाक्य को उपमाप्रतिपादक बना सकता है, दूसरे वाक्य को नहीं—  
अर्थात् 'व्याघ्र इव पुरुष' इस विग्रहवाक्य में आए हुए 'इव' शब्द के बल पर इसी  
वाक्य में उपमा मानी जा सकती है, 'पुरुषव्याघ्र' इस समस्त वाक्य में नहीं । यह भी  
नहीं कहा जा सकता कि समास में सादृश्य का बोध होता ही नहीं, क्योंकि यदि  
'पुरुषव्याघ्र' इस समासवाक्य में सादृश्य का बोध नहीं होवे, तब 'पुरुष' व्याघ्र इव'  
इस वाक्य के द्वारा उस समासवाक्य का विवरण करना असंभव हो जाय । कारण,

जिस वाक्य का विवरण किया जाता है, उसमें आए हुए शब्दों से जो अर्थ प्रतिपादित नहीं होते, उन अर्थों का विवरण करना उचित नहीं अर्थात् मूल में जो अर्थ है ही नहीं वह व्याख्या में आ नहीं सकता है। अतः 'पुरुषव्याघ्र' इत्यादि स्थान में उत्तरपद की स्वार्थसदृश में लक्षणा माननी ही पड़ेगी। अब यदि कहा जाय कि जब लक्षणा मानी जायगी, तब तो उक्त युक्ति से लक्षणा का प्रयोजन ताद्रूप्य (अभेद) भी मानना ही पड़ेगा। फिर प्राचीनों ने 'पुरुषव्याघ्र' आदि में रूपक मान कर द्विलुप्ता—(धर्मवाचक लुप्ता) उपमा कैसे मान ली ?

समाधत्ते—

अत्रोच्यते—उपमितसमासस्य भेदघटितोपमानसादृश्यविशिष्टोपमेये शक्ते-  
स्तद्घटकीभूतोपमानशब्दस्य भेदघटितसादृश्यविशिष्टे निरूढलक्षणाया वा  
स्वीकाराददोषः ।

शक्तेरिति । 'समासे खलु भिन्नैव शक्तिः पङ्कजशब्दवत्' इति शाब्दिका । विशिष्ट-  
शक्तौ गौरवमागूरयतो नैयायिकस्य रीत्या आह—तद्घटकीभूतेति । समासगतेति तदर्थः ।  
अथ भावः—पुरुषव्याघ्र इत्यादि समासगोपमास्थले नोपमानवाचकस्य व्याघ्रादिपदस्य  
स्वार्थसदृशे लक्षणा, पुरुषव्याघ्र इति समस्तसमुदायस्य भेदघटितव्याघ्रसादृश्यविशिष्ट-  
पुरुषरूपार्थे भिन्ना शक्तिरेव, अथवा पुरुषव्याघ्र इति समुदायघटकव्याघ्रपदस्य भेदघटित-  
स्वार्थसादृश्यविशिष्टे निरूढे लक्षणा, उभयथापि ताद्रूप्याप्रतीतौ रूपकाप्रसंगेणोपमात्व  
सुस्थम् । वाचकलुप्तात्वसमर्थन परमवशिष्यते, तदत्रे विधात्यतेऽनुपदम् इति ।

अब उक्त आशंका का समाधान करते हैं—अत्रोच्यते इत्यादि । उक्त आशंका  
का उत्तर यह है कि 'पुरुषव्याघ्र' इत्यादि समासगत उपमा-स्थल में उपमानवाचक  
व्याघ्र आदि पदों की स्वार्थसदृश में प्रयोजनमूला लक्षणा है ही नहीं, अपितु 'पुरुष  
व्याघ्र' इस समस्त समुदाय की भेदघटित व्याघ्रसादृश्यविशिष्ट पुरुषरूप अर्थ में एक  
भिन्न शक्ति ही है। इसी तरह की शक्ति को वैयाकरण लोग 'समासशक्ति' कहते हैं।  
उन्होंने कहा भी है—'समासे खलु भिन्नैव शक्तिः पङ्कजशब्दवत् अर्थात् 'पङ्कज' पद  
की योगशक्ति से यद्यपि कीचड से उत्पन्न होनेवाले शैवाल आदि अनेक वस्तुओं का  
बोध प्राप्त था, तथापि समुदायशक्ति से केवल कमल का ही बोध होता है, उसी तरह  
सभी सामासिक पदों में एक भिन्न शक्ति रहती है।' अथवा उक्त-समुदाय-घटक  
'व्याघ्र' पद की भेदघटित स्वार्थ-सादृश्य विशिष्ट में निरूढ लक्षणा ही मान लेनी चाहिए।  
दोनों ही प्रकारों से यहाँ ताद्रूप्य की प्रतीति नहीं होगी, अतः रूपक का कोई प्रसङ्ग ही  
नहीं रहेगा, फिर उपमा अपनी जगह पर सुस्थिर रहेगी। यद्यपि इतना कहने पर भी  
यह शंका बनी ही रही कि—द्विलुप्ता उपमा कैसे हुई, क्योंकि साधारण धर्म का अभाव  
रहने पर भी सादृश्यवाचक का अभाव नहीं है। कारण, उक्त रीति से समासशक्ति  
द्वारा 'पुरुषव्याघ्र' यह समुदाय अथवा निरूढ लक्षणा द्वारा 'व्याघ्र' पद, सादृश्य  
का बोधक हो ही जाता है। तथापि इसका उत्तर ग्रन्थकार तुरत आगे देंगे, ऐमा  
समझना चाहिए ।

स्थलाद्गुरेऽपि उक्तरते स्वीकरणीयतामतिदिशति—

इयमेव निपातानामिवादीनां द्योतकतानये मुखं चन्द्र इवेत्यादौ, वाचक-  
लुप्तायामुपमायां च गतिरनुसरणीया ।

इयमेवेति । अस्य 'गति रित्यत्रान्वयः' । उपमानशब्दस्य भेदघटितसादृश्यविशिष्टे  
निरूढलक्षणारूपेति तदर्थः । निपातानामिति । एतच्चेवादीनां द्योतकत्वे युक्तिप्रदर्शनम् ।

‘निपाता द्योतका’ इति कियता शाब्दिकाना सिद्धान्त । द्योतकतान्ये इति । एते सिद्धान्तसिद्धनिपातवाचकतान्ये न तादृशगत्यनुसरणस्यापेक्षेति सूच्यते । वाचकलुप्तताय मिति । तद्धिद्गौरीत्यादावित्यर्थ । पुरुषव्याघ्र इत्यत्र यथा व्याघ्ररूपोपमानवाचकपद-भेदघटितसादृश्यविशिष्टे निरूढा लक्षणा स्वीक्रियते, तथैवेवादीना निपाताना द्योतकत्वमि-नीतावाश्रीयमाणाया ‘मुख चन्द्र इव’ इत्यादावपि चन्द्रपदस्य सादृश्यविशिष्टे लक्ष-स्वीकर्तव्या अन्यथा वाचकविरहेण द्योतकस्येवपदस्य वाचकसत्त्व एव कार्यकारित्वेन सादृश्यप्रत्ययो न स्यात्, तदभावे उपमात्वमपि नैव भवेत् । तद्धिद्गौरीत्यादौ वाचकलुप्त-पमालंकारस्थलेऽपि पुरुषव्याघ्र इत्यत्र दर्शिता रीतिरेवाश्रयणीया विशेषाभावादिति भाव-

कतिपय अन्य स्थानों में भी उक्त रीति का अनुसरण करना पड़ता है, इसका स्पष्टीकरण करते हैं—इयमेव इत्यादि । ‘पुरुष-व्याघ्र’ में जैसे व्याघ्ररूप उत्तरपद की भेदघटित सादृश्यविशिष्ट अर्थ में निरूढ लक्षणा माननी पड़ी है, उसी तरह, जिनके मत में निपात ( इव आदि ) द्योतक हैं वाचक नहीं, उनके हिसाब से ‘मुख चन्द्र इव’ इत्यादि स्थानों में भी ‘चन्द्र’ आदि पद की सादृश्य-विशिष्ट अर्थ में निरूढ लक्षणा माननी पड़ेगी । अन्यथा वाचक के अभाव में सादृश्य की प्रतीति ही नहीं होगी, अत एव उपमा भी नहीं होगी । द्योतक ( इव आदि ) तो रह कर भी कार्यकारी नहीं होगा, क्योंकि द्योतक वाचक की सत्ता में ही अपने अर्थ को द्योतित कर सकता है । ‘तद्धिद्गौरी’ इत्यादि वाचकलुप्तोपमा स्थल में भी उसी रीति का आश्रयण करना चाहिए, जिस का आश्रयण ‘पुरुषव्याघ्र’ में किया गया है । अन्तर केवल इतना होगा कि ‘तद्धिद्गौरी’ में पूर्वपद की लक्षणा होगी, और ‘पुरुषव्याघ्र’ में उत्तरपद की लक्षणा होती है । ‘तद्धिद्गौरी’ में उपमेय नायिका आक्षिप्त है, साधारण धर्म गौरत्व उक्त है और ‘पुरुष-व्याघ्र’ में उपमेय पुरुष कहा हुआ है, तथा साधारण धर्म नहीं कहा हुआ है । वाचक का अभाव दोनों स्थानों पर समान है ।

ननु ‘पुरुषव्याघ्र’, ‘तद्धिद्गौरी’त्यादौ कथं वाचकलुप्तता, उपमानवाचकपदानामेव लक्षणया सादृश्यप्रतिपादकत्वादित्यत आह—

वाचकलोपस्तूपमानाद्यकरम्बितसादृश्यतद्विशिष्टान्यतरप्रतिपादकशब्दशून्य-त्वादुपपादनीयः ।

उपमानाद्यकरम्बित इति । उपमानादिवाचकपदानुपस्थाप्य इति तात्पर्यार्थ । वाक्ये इवानुपादाने वाचकलुप्तत्वायाह—सादृश्येति । समसदृशाद्यप्रयोगे तत्त्वायाह—तद्विशिष्टेति । सादृश्यविशिष्टेति तदर्थ । तद्धिद्गौरीत्यादौ यद्यपि सादृश्यस्य लक्षक तद्विषय विद्यते, तथापि न तावता वाचकलुप्तत्वहानि, तदर्थम् पृथक् इव-सम-सदृशादिपदाना प्रयोगोऽपे-क्षित । तदप्रयोगे सादृश्यलक्षकोपमानवाचकपदसत्त्वेऽपि वाचकलुप्तत्वमक्षतमेवेति भाव ।

‘पुरुषव्याघ्र’ ‘तद्धिद्गौरी’ इत्यादि स्थानों में जब उपमानवाचक ‘व्याघ्र’ ‘तद्विद्’ आदि पद की स्वार्थ सदृश में निरूढ लक्षणा मान ली गई, तब वे ही पद सादृश्य के प्रतिपादक समझे जायेंगे, अतः उन स्थलों में ‘वाचकलुप्ता’ उपमा का व्यवहार कैसे किया जाता है, इसका उत्तर अब देते हैं—वाचकलोपस्तु इत्यादि । उक्त शब्द का उत्तर यह है कि उपमान आदि में विशिष्ट सादृश्य के प्रतिपादक पदों के रहने पर भी शुद्ध सादृश्य अथवा सादृश्यविशिष्ट-अर्थात् सदृश अर्थ के प्रतिपादक पदों के नहीं रहने के कारण वाचकलोप का व्यवहार किया जा सकता है—अर्थात् पृथक् ‘इव’ ‘मम’ ‘सदृश’ आदि पदों के रहने पर ही वाचक की सत्ता समझी जाती है, और पृथक् उनके नहीं रहने पर उपमानवाचक पद से लक्षणा के द्वारा अथवा समासदात्मिक के द्वारा सादृश्य का प्रतिपादन होने पर भी सादृश्य-वाचक का लोप ही माना जाता है ।

प्राचीनमतद्रूपक नव्यमतोक्तं युक्त्यन्तर निराकर्तुमाह—

यच्च 'विद्वन्मानस' इत्यत्र दूषणमभिहित तद्रूपकप्रकरणे परिहरिष्यते ।

दूषणमिति । रूपकस्थले नदृशलक्षणापक्षे प्राचीनाभिमते विद्वन्मानस इत्यादौ पर-  
स्परश्रय, 'ग्लेखरूपक्यो' सिद्धयो परस्परसिद्धयपेक्षत्वात् । इति परिहरिष्यते इति ।  
तत्राय परिहार—परम्परितेऽन्योन्याश्रयो नाशङ्कनीय सकलसिद्धे कल्पनामयत्वेन कल्प-  
नायाश्च स्वप्रतिभाधीनत्वात् । शिल्पिभिः परस्परवष्टम्भमात्राधीनस्थितिकाभिः शिल्पेष्टका-  
भिर्गृहविशेषनिर्माणञ्च । इति ।

प्राचीनों के मत को दूषित सिद्ध करने के लिये नवीनों के द्वारा प्रदर्शित एक अन्य युक्ति का निराकरण करते हैं—यच्च इत्यादि । 'विद्वन्मानस' इत्यादि में अन्योन्याश्रय दोष की बात जो कही गई है, उसका परिहार ग्रन्थकार रूपक बल्कार के प्रकरण में करेंगे । रूपकप्रकरणोक्त परिहार का स्वरूप निम्नलिखित समझना चाहिए—  
'परम्परित रूपक में अन्योन्याश्रय की बाशका नहीं करनी चाहिए । कारण, काव्य-जगत् की सभी बातें कल्पनामय होती हैं और कल्पना, कल्पक—कवि की प्रतिभा के अधीन की वस्तु है । कहने का अभिप्राय यह है कि अन्योन्याश्रय आदि दोष ठोस जगत् में ही बाधक हो सकते हैं, काल्पनिक जगत् में नहीं । अथवा ठोस जगत् में भी अन्योन्याश्रयग्रस्त भी कतिपय कार्य होते ही हैं । जैसे—शिल्पीजन, केवल एक दूसरे के आधार पर स्थिर रहने वाले ईंटों तथा शिलाखण्डों से विशिष्ट भवनों का निर्माण कर ही लेते हैं । वृक्ष तथा वीज के अन्योन्याश्रय का बाधक न होना प्रसिद्ध ही है ।

दूषणान्तरमपि परिहरति—

यदप्युक्तम् रूपके सदृशलक्षणाया. फलं ताद्रूप्यप्रत्ययो न युज्यते । तत्सदृश इति शब्दजबोधानन्तरमपि तथा प्रत्ययापत्तेरिति, तन्न । तत्सदृश इत्यत्र लक्षणाया अभावेन ताद्रूप्यप्रत्ययस्यापादनायोगात् । ताद्रूप्यप्रत्ययो लक्षणायाः फलमिति प्राचां समयः । महाभाष्यादिग्रन्थानामस्मिन्तेवानुकूलत्वाच्च । नव्यनये तु तेषामाकुलीभावः स्यादिति दिक् ।

तथेति । ताद्रूप्येत्यर्थ । तत्सदृश इत्याकारकशब्दजन्यबोधोपादपि ताद्रूप्यप्रतीत्यापत्या रूपके सदृशलक्षणायास्ताद्रूप्यप्रतीतिफलञ्चकथन प्राचा न युक्तमिति नव्यमतोक्त आक्षेप अलिङ्घिन्कर एव, लक्षणाफलत्वेनैव ताद्रूप्यप्रतीति प्राचीनैः सिद्धान्तिततया तत्सदृश इत्यत्र लक्षणाविरहेण तदापत्तेरयोगात् । एवञ्च रूपके लक्षणाऽवश्यमधीकर्णीयेति भाव । रूपके लक्षणा भवतीत्यत्र युक्त्यन्तरमाह—नहाभाष्यादीति । तथा च 'पुरयोगादाख्यायाम्' इति सूत्रे भाष्यम्—'भिन्नानामभेदाभावात्, कथं पुनरतस्मिन् न इत्येतद्भवति । चतुर्भिः प्रकारैस्ताद्रूप्यनारोप्यते, न तु सुल्यम् । तात्त्व्यान्, ताद्वर्त्यात्, तत्सानीप्यात् तत्साहचर्यान्, इति । तात्त्व्याद्यथा 'नञ्चा हसन्ति' । ताद्वर्त्याद्यथा—'ज्यो ब्रह्मवत्' । तत्सानीप्याद्यथा—'गङ्गाया घोष' । तत्साहचर्याद्यथा—'कुन्तान्प्रवेशय' इति । भाष्येणानेन गम्यते यद्रूपके सदृशलक्षणा भवतीति । नव्यमते तु वाच्ययोरेवाहायभिदे 'चतुर्भिः प्रकारैस्ताद्रूप्यनारोप्यते न तु सुल्यम्' । इत्यादेरनगति स्पष्टैवेति साराश ।

नवीनों के द्वारा प्राचीन मत में लगाए गए अन्य दोष का परिहार करते हैं—यदप्युक्तम् इत्यादि । नवीनों ने जो यह दोष दिया है कि—रूपकस्थल में सदृशलक्षणा का फल ताद्रूप्य-प्रतीति को मानना समुचित नहीं, क्योंकि यदि ऐसा माना जाय, तब 'तत्सदृश' इस शब्द से उत्पन्न बोध के बाद भी ताद्रूप्य की प्रतीति होने

लगेगी। सो यह दोष अकिञ्चित्कर है। कारण, 'तत्सदृश' इस पद में लक्षणा है, अतः ताद्रूप्य-प्रतीति की आपत्ति वहाँ नहीं दी जा सकती। 'ताद्रूप्य-प्रतीति लक्षणा का प्रयोजन-फल है' यह प्राचीनों का सिद्धान्त है, न कि 'सादृश्य-ज्ञान का प्रयोग है' यह। अतः 'नवीनो' का यह दोष देना व्यर्थ है। 'रूपकस्थल में लक्षणा होती इस प्राचीन सिद्धान्त का समर्थन व्याकरण के महाभाष्य आदि सर्वमान्य ग्रन्थों में होता है। 'पुयोगादाख्यायाम्' इस सूत्र के भाष्य में—'दो भिन्न पदार्थों में अजब नहीं हो सकता, तब फिर 'अतस्मिन् स अर्थात् जो, जो नहीं है, उसमें यह वह इस तरह का व्यवहार कैसे होता है, यह शंका करके उत्तर दिया गया है कि—ऐसे रूप पर चार तरह से भिन्न पदार्थ में भिन्न पदार्थ का ताद्रूप्य (अभेद) आरोपित होता है। मुख्य ताद्रूप्य नहीं रहता यह बात सत्य है। चार प्रकार ये गिनाये गए हैं—तास्त्वय्ये से, यथा—'मञ्जा हसन्ति अर्थात् मञ्ज हँसते हैं।' यहाँ मञ्जस्थ पुरुषों में मञ्ज का ताद्रूप्य आरोपित है। ताद्धर्म्य से, यथा—'जटी ब्रह्मदत्त. अर्थात् जटावाला ब्रह्मदत्त।' यहाँ केशरूप मुख्य जटी का ताद्रूप्य, केशरूप धर्मवाले ब्रह्मदत्त में आरोपित हुआ है। तस्मात्प्रकार से, यथा—'गंगायां घोष. अर्थात् गंगा प्रवाह में वथान (गोष्ठ)।' यहाँ प्रवाह का ताद्रूप्य तट में आरोपित होता है। तत्साहचर्य से, यथा—'कुन्तान् प्रवेशय अर्थात् कुन्त (वरुण) को प्रविष्ट कराओ।' यहाँ कुन्तधर पुरुषों में कुन्त-ताद्रूप्य आरोपित है। भाष्यग्रन्थ के इन प्रश्नोत्तरों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि 'मुखचन्द्र' इत्यादि रूपकस्थल में भी चन्द्रताद्रूप्य मुख में आरोपित होता है और मुख में चन्द्रताद्रूप्यारोपण प्राञ्जल प्रकार सदृशलक्षणा ही है। नवीनों के मतानुसार 'मञ्जा हसन्ति' आदि दो वाच्यार्थों का आहार्य अभेदान्वय-बोध ही होगा, फिर तो उक्त भाष्यग्रन्थ में असंगति स्पष्ट ही है।

साध्यवसानलक्षणास्थले बोध विचारयति—

'साध्यवसानायाञ्च 'चन्द्रराजी विराजते' इत्यादौ चन्द्रादिशब्दैर्लक्षणा मुखत्वेनोपस्थितस्यापि मुखादेः शाब्दबोधश्चन्द्रत्वादिना भवति, लक्षणाज्ञानस्यैव माहात्म्यात्' इत्येके ।

चन्द्रराजीत्यत्र विषयिणां चन्द्रराजिपदबोधेनोपमानेन विषयस्योपमेयस्य मुखनिगरणात् साध्यवसानलक्षणा, तेनात्रातिशयोक्त्यलकार । अत्र चन्द्रपदनिष्ठलक्षणात् मुखस्य मुखत्वेनोपस्थितिर्भवति, तथापि बोधो मुखस्य चन्द्रत्वेन जायते । ननु कथमेतत् उपस्थितिशाब्दबोधयो समानाकारत्वनियमादिति चेन्न, तस्य नियमस्यानुभवसाक्षिकत्वेन क्षण्यकलाक्षणिकबोधान्यबोधविषयकत्वस्य आगुपपादिनत्वात् तदेतदाह लक्षणाज्ञानस्यैवेति ।

अब साध्यवसाना लक्षणा के स्थल में शाब्दबोध का विचार करते हैं—साध्यवसानायाञ्च इत्यादि । 'पुरेऽस्मिन् सौधशिखरे चन्द्रराजी विराजते' अर्थात् इस नगर प्रासादों की छत पर चन्द्रों की श्रेणी शोभित हो रही है। यहाँ 'चन्द्रराजि' पद अवगत होनेवाले चन्द्ररूप उपमान (विषयी) से उपमेय (विषय) मुख का निगम हो गया है—अर्थात् 'चन्द्रराजि' पद से ही लक्षणावृत्ति के द्वारा मुख का बोध कर लिया गया है, अतः पृथक् मुख पद का उल्लेख नहीं किया गया। अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलकार होता है। यहाँ 'चन्द्र' पद की मुख में साध्यवसाना लक्षणा है, अतः चन्द्र पद से यद्यपि मुखत्वविशिष्ट मुख की उपस्थिति लक्षणा के द्वारा हो है तथापि शाब्दबोध चन्द्रत्वेनैव रूपेण होता है अर्थात् मुख को चन्द्ररूप में समझा जाता है, मूलरूप में नहीं। आप कह सकते हैं कि जब उपस्थिति और शाब्दबोध में समानरूपता का नियम है, तब ऐसा क्यों और कैसे होगा? इसका उत्तर है कि लक्षणा के ज्ञान की महिमा से ऐसी बात होगी अर्थात् साध्यवसाना लक्ष

के स्थल में मुखत्वरूप से उपस्थिति होने पर भी चन्द्रत्वरूप से शाब्दबोध का होना अनुभवसिद्ध है, अत उपस्थिति-शाब्दबोध में समानरूपता सिद्ध करनेवाले नियम में लाङ्गिक बोध से अन्य बोधविषयकत्व का निवेश कर दिया जायगा। यह बात प्रसङ्गवश पहले भी कही जा चुकी है। यह कुछ प्रधान विद्वानों का मत है।

उपस्थितिशब्दबोधयो समानाकारत्वनियमे उच्यते चोच्चात्स्वीकर्तुमतेनाह—

‘लक्षणाया मुखत्वेन मुखादेः शाब्दबोधे वृत्ते व्यञ्जनायैकशब्दोपात्तत्वप्रादुर्भूतया चन्द्रत्वेन बोधः’ इत्यपरे।

चन्द्रपदस्य वाच्योऽर्थवच्चन्द्र, लक्ष्योऽर्थस्तु मुखम्। तथा च चन्द्रपदनिष्ठलक्षणावृत्त्या मुखस्य मुखत्वेनैव रहणोपस्थितिः शाब्दबोधश्च तेनोपस्थितिशब्दबोधयो समानाकारत्वनियमो रक्षितः। पश्चात् चन्द्रपदनिष्ठया व्यञ्जनावृत्त्या मुखस्य चन्द्रत्वेन बोधः प्रकृतोपयोगी सन्नद्यते ननु कुतोऽत्र व्यञ्जनाप्रादुर्भाव इत्याह—एकशब्दोपात्तत्वेति। चन्द्रतुल्यमुखबोधनाय चन्द्रतुल्येतिपदद्वयप्रयोगमकृत्वा केवलचन्द्रपद यत्रयुक्तं, तेन सा व्यञ्जनाप्रादुर्भाव्यते इति भावः।

उपस्थिति और शाब्दबोध में समानाकारत्ववाले नियम को सार्वत्रिक माननेवाले अन्य विद्वानों के मतानुसार साध्यवसाना-स्थल में बोध का विचार करते हैं—लक्षणा इत्यादि। अन्य विद्वानों का मत है कि ‘चन्द्रराजी विराजते’ इत्यादि स्थलों में चन्द्रपद में रहनेवाली लक्षणावृत्ति से मुख की मुखत्वरूप से उपस्थिति होती है और शाब्दबोध भी उसी रूप से होता है अर्थात् लक्षणा के ज्ञान से भी चन्द्र पद द्वारा मुखरूप में ही मुख पहले समझा जाता है। अनन्तर व्यञ्जना के द्वारा मुख का चन्द्रत्व रूप से बोध होता है, और यहाँ व्यञ्जना के उत्थान का कारण है एकशब्दोपात्तत्व अर्थात् ‘चन्द्र’ इस एक ही पद के द्वारा चन्द्र और मुख दोनों का बोध कराना। सारांश यह कि चन्द्रतुल्य मुख का बोध कराने के लिये वक्ता को चन्द्र और मुख इन दोनों पदों का प्रयोग करना चाहिये था, परन्तु वेसा न करके केवल चन्द्र पद का जो प्रयोग वक्ता ने किया है उसी से यहाँ व्यञ्जना का प्रादुर्भाव होता है, जिसके बल से पहले मुखरूप समझ लिये गये पदार्थ को भी पीछे चन्द्ररूप समझ लिया जाता है।

उच्यते द्वये शाब्दबोधे पदार्थभानरीति मत्तमेदेन दर्शयति—

नतद्वयेऽप्यस्मिन् मुखादौ चन्द्रत्वभानसामग्र्या मुखत्वादेः स्वधर्मस्य भानं निवार्यते। इत्थं चैकस्मिन्धर्मिणि चन्द्रत्वादीनां मुखत्वादीनां च साक्षाद् भाननेव सारोपातोऽस्या विच्छेदकम्। अपरे तु ‘निवार्यत एव विरुद्धभानसामग्र्या स्वधर्मस्य भानम्। रजतत्वभानसामग्र्या शुक्तित्वस्याभानान्’ इति वदन्ति। मतेऽस्मिन् विषयतावच्छेदकास्फूर्तिस्त्वया।

न निवार्यत इति। अनुभवविद्वद्विरुद्धधर्मद्वयभानानुरोधेन विरुद्धभानसामग्र्या प्रतिबन्धकत्वावच्छेदकत्वादेः लक्षणावृत्त्युपस्थाप्यत्वनिवेशादिति भावः। मुखत्वादीनां चेति। एकमेवत्याप्यानामिति बोध्यम्। नाज्ञादिति। सारोपात्ता तु चन्द्रत्वस्य चन्द्रसदृशे भानाद्वाक् तत्र भानमिति परस्परया तद्भानमिति भावः। अस्या विच्छेदकमिति। नाध्यवसानाया नेदन्नित्यर्थः। एकधर्मविधिरपक्रोभयमान तु समानमिति भावः। लक्षणा-ज्ञानमाहान्यात् मुखादेः प्राथमिकः शाब्दबोध एव चन्द्रत्वादिना भवतु, व्यञ्जन्या वा द्वितीयस्तादृशो बोधो भवतु, उभययापि प्रतिबन्धप्रतिबन्धकभावे उच्यते चोच्चात् मुखादौ मुखत्वादेः स्वधर्मस्य भाने चन्द्रत्वभानसामग्री प्रतिबन्धिका न भवति। तथा च चन्द्रराजी-



त्याद्युक्तसाध्यवसानलक्षणास्थले 'चन्द्रत्ववान् मुखत्ववोश्च मुखपदार्थ' इत्याकारो बोधो जायत इति फलितम् । एतद्रीत्यनुसरणे च साध्यवसानलक्षणाया पूर्वोक्तरीत्या मुखपदार्थं चन्द्रत्वस्य मुखत्वस्य च साक्षादेव भानम्, सारोपलक्षणाया मुख चन्द्र इत्यादौ तु चन्द्रपदस्य स्वसदृशे लाक्षणिकतया चन्द्रत्वस्य प्रथमम् सदृशपदार्थं भानम् सदृशपदार्थस्य मुखे भानमिति परम्परया चन्द्रत्वस्य मुखे भानमित्येवोभयोरलक्षणयोर्भेद इति भावः । साध्यवसानलक्षणास्थले विरुद्धधर्मद्वयभान नानुभवसिद्धम्, तथा च विरुद्धभानसामग्रया प्रतिबन्धकत्वे नोक्तविध सकोच प्रामाणिक इति येषा मत, तदनुसारेणाह—अपरे त्वित्यादि । स्वधर्मस्येति । मुखत्वादेरित्यर्थः । दृष्टान्तविधयाऽऽह—रजतत्वेति, दूरत्वचाक-चिष्यादिदोषविशेषसहकृतचक्षु सन्निकर्षादिसामग्रया शुक्तौ रजतत्वभानस्थले यथा शुक्ति-त्वस्य भान न भवति, विरुद्धरजतत्वभानसामग्रया प्रतिबन्धकत्वात्, तथैव चन्द्रराजी-त्याद्युक्तसाध्यवसानलक्षणास्थले मुखे चन्द्रत्वभानसामग्रया प्रतिबन्धेन चन्द्रत्वविरुद्ध-मुखत्वस्य भान नैव भवति । तथा चैतद्रीत्या तत्र चन्द्रत्ववान् मुखपदार्थ इत्येव बोधा-कार इति भावः । नन्वस्मिन् मते सारोपात् साध्यवसानाया किम् भेदकमित्यत आह-मतेऽस्मिन्निति । विषयतावच्छेदकेति । लक्ष्यतावच्छेदकेत्यर्थः । मुखत्वे यावत् । तथेति । सारोपातोऽस्या विच्छेदकमित्यर्थः । सारोपाया मुखे मुखत्वस्य भान भवति, साध्यवसा-नाया तु उक्तरीत्या तस्य भान न भवतीत्येव द्वयोर्विशेष इति भावः । सारोपाया मुखादिषु लक्ष्यतावच्छेदकस्य—आह्लादकत्वादे साधारणधर्मस्य भान भवति । साध्यवसानाया तु मुखे चन्द्रत्वस्यैव भान न तु आह्लादकत्वादेरिति ग्रन्थाशय वर्णयन् नागेशस्तदनुयायी सरलाकारश्च स्थूलदृगेव, चन्द्रत्वभाने तत्राह्लादकत्वभानस्य निश्चितत्वात्, यत्र यत्र चन्द्रत्व तत्र तत्राह्लादकत्वमिति व्याप्ते ।

उक्त दोनों मतों के अनुसार उक्तस्थलीय शब्दबोध में पदार्थों का भान किस तरह से होता है—इस बात का वर्णन मतभेद से यहाँ करते हैं—मतद्वये इत्यादि । सारांश यह है कि—विरुद्ध धर्म के भान के प्रति विरुद्ध धर्म के भान की सामग्री प्रति बन्धक होती है यह यद्यपि सामान्य नियम है, तथापि अनुभव के आधार पर उस नियम में 'लक्षणा वृत्ति के द्वारा जो उपस्थित नहीं होता हो, उस विरुद्ध धर्म के भान के प्रति' ऐसा सकोच कर दिया जाता है । अतः प्रकृत में प्रथम मत के अनुसार लक्षणा ज्ञान की महिमा से मुख का पहला ही शब्दजन्य बोध चन्द्रत्वरूप से होवे, अथवा द्वितीय मत के अनुसार व्यञ्जना से द्वितीय बोध उस रूप से होवे, दोनों ही मतों में चन्द्रत्वरूप विरुद्ध धर्म के भान की सामग्री से मुख में मुखत्वरूप निजी धर्म का भान रोका नहीं जाता । अर्थात्—'चन्द्रत्व और मुखत्व दोनों धर्मों से युक्त मुख पदार्थ' इस रूप में दोनों धर्मों का मुख में साक्षात् ही भान होता है और इन ( चन्द्रत्व और मुखत्व ) दो धर्मों का साक्षात् भान होना ही सारोपा लक्षणा से साध्यवसाना लक्षणा को भिन्न बनाता है, क्योंकि सारोपा ( मुखचन्द्र ) में भी यद्यपि उक्त दोनों धर्मों का मुख में भान होना है, तथापि साक्षात् नहीं, परम्परा से । अर्थात्—वहाँ चन्द्र पद की लक्षणा स्वार्थसदृश में होती है, अतः पहले चन्द्रत्व का भान सदृश अंश में होता है, पीछे जब सदृश का भान मुख में हो जाता है, तब परम्परया चन्द्रत्व का २<sup>री</sup> मुख में भान सिद्ध होता है । यह है कुछ लोगों का मत । परन्तु अन्य लोगों का मत इसमें भिन्न है । उनका कहना है कि साध्यवसाना लक्षणा के स्थल में दो विरुद्ध धर्मों का एक पदार्थ में भासित होना अनुभव से निम्न नहीं, अतः उक्त सामान्य नियम में उक्त प्रकार का सकोच नहीं किया जा सकता और जब उक्त सकोच नहीं किया जायगा, तब जहाँ दूरत्व, चक्रचकी आदि दोषों से सीपी में चाँदी का भ्रम होता है, वहाँ जैसे

सीपी को भासित करनेवाली सामग्री चाँदी के भान को रोक देती है, वैसे ही यहाँ भी मुख में चन्द्रत्व को भासित करनेवाली सामग्री ( कारण ) उसमें मुखत्व के भान को अवश्य रोक देगी। अर्थात् साध्यवसाना लक्षणा के स्थल में 'चन्द्रत्व से युक्त मुख पदार्थ' इस रूप से एक ही धर्म ( चन्द्रत्व ) भासित होगा, मुखत्व नहीं। इस मत के अनुसार केवल चन्द्रत्व का भान होना ही साध्यवसाना को सारोपा से पृथक् करता है अर्थात् साध्यवसाना स्थल में केवल चन्द्रत्व का ही मुख में भान होता है और सारोपा में चन्द्रत्व का भान तो होता ही है, साथ-साथ मुखत्व का भी भान होता है।

उक्ताशयमेव विशदयति—

वस्तुतस्तु साध्यवसानाया विषयतावच्छेदकधर्मभानं यदि सहृदय-हृदयप्रमाणकम्, तदा तद्वारणाय कारणकल्पनाऽनुचितैव। शुक्तिरजतभान-स्थले तु शुक्तिवत्त्वेन भाने पुरोवर्तिनि रजतत्वभान सर्वयैव विरुद्धत्वाद्रजतत्व-भानसमय शुक्तिवत्त्वभाननिवारणभावश्यकम्। न चेहापि तथा, अनुभवाविरुद्ध-त्वात्। यदि तु तत्र प्रामाणिकं तदा सांचितैव।

विषयतावच्छेदकधर्मोति। मुखत्वादीत्यर्थः। सहृदयेति। सहृदयानुभवसिद्धमित्यर्थः। कारणेति। विरुद्धभान प्रति विरुद्धभानसामग्रया प्रतिबन्धकत्वरूपेत्यर्थः। अनुचितेति। अनुभवसिद्धस्यापलापे सर्वत्र तथा प्रसङ्ग इति ह्यनौचित्यमिति भावः। सर्वयैव विरुद्ध-त्वादिति। तथाननुभवादिति भावः। 'चन्द्रराजा विराजते' इत्यादि साध्यवसानालक्षणा-स्थले सहृदया यदि चन्द्रत्वमुखत्वोभयधर्मवान् मुखपदार्थ इत्याकारकमनुभवं कुर्वन्ति, तर्हि मुखे मुखत्वभाननिरासाय विरुद्धभानसामग्रया प्रतिबन्धकत्वकल्पन व्यर्थम्। कार्या-नुरोधेन कारणस्य कल्पना, कार्यं चेदनुभवसिद्धं तदा तत्प्रतिबन्धकनिर्वचनमनुचितमेवेति तात्पर्यम्। यदि तु तादृशननुभवं सहृदया न कुर्वन्ति, अपि तु चन्द्रत्ववान् मुखपदार्थः इत्याकारकमेवानुभव कुर्वन्ति, तर्हि मुखे मुखत्वभानवारणायोक्तप्रतिबन्धप्रतिबन्धकभावः कल्पनीय एव। शुक्तौ रजतभानस्थले तु रजतत्वभानदर्शायां शुक्तिवत्त्वभान न भवतीति सर्वानुभवसिद्धतया निर्णीतम् अतस्तत्र रजतत्वभानसामग्रयाः शुक्तिवत्त्वभानं प्रति प्रतिबन्ध-कत्वं सर्वसम्भत्या कल्पनीयमेवेति भावः।

उक्त ग्रन्थ के भाशय का ही स्पष्टीकरण करते हैं—वस्तुतस्तु इत्यादि। वास्तविक वात तो यह है कि कार्य के अनुभार कारण की कल्पना की जाती है, अतः किसी कारण की कल्पना करने से पूर्व यह देखना चाहिए कि वह कार्य अनुभवरूप प्रमाण से सिद्ध है अथवा नहीं, यदि कार्य अनुभवसिद्ध हाव, तब तदनुसार उसके कारण की कल्पना करनी चाहिए, अन्यथा नहीं। ऐसी स्थिति में 'चन्द्रराजा विराजते' इत्यादि साध्यवसाना लक्षणा के स्थल में विषयतावच्छेदक अर्थात् मुखत्व के भान का अभावरूप कार्य यदि सहृदयजनों के अनुभव से सिद्ध हो, तब तो उसके लिये चन्द्रत्व के भान की सामग्री को प्रतिबन्धक कारण के रूप में कल्पित करना हा चाहिए, जैसे उक्त ग्रन्थस्थल में रजतत्व-भासक सामग्री में शुक्तिवत्त्वभान प्रतिबन्धकता की कल्पना की जाती है। और यदि उक्त अभावरूप कार्य सहृदय-हृदय प्रमाण से सिद्ध नहीं हो अर्थात् यदि सहृदयजन उक्त साध्यवसाना स्थल में चन्द्रत्व तथा मुखत्व दोनों का मुख में अनुभव करते हों, तब तो उक्त प्रतिबन्धक कारण की कल्पना नहीं ही करनी चाहिए, ऐसी निराधार कल्पना की भी नहीं जा सकती है। ग्रन्थकार का स्वरस यहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि वे साध्यवसाना स्थल में चन्द्रत्व तथा मुखत्व दोनों के भान को अनुभव-सिद्ध मानते हैं, उन वे उक्त प्रतिबन्धक की कल्पना के पक्ष में नहीं हैं। ठीक भी है।

सामूहिक रूप से एक कार्यकारणभाव अथवा प्रतिबन्ध-प्रतिबन्धकभाव तो बन नहीं सकता। कारण, उस स्थिति में व्यभिचारादि अनेक दोषों के प्रसङ्ग उठ खड़े होंगे, अतः लक्ष्यभेद से भिन्न भिन्न ही वे कल्पित होंगे। इस स्थिति में जब उक्तस्थल पर चन्द्रत्व और मुखत्व दोनों के भान का अनुमोदन सहृदय हृदय करते हैं, तब मुखत्व के भान को रोकने के लिये प्रतिबन्धक की कल्पना होगी ही नहीं, क्योंकि प्रतिबन्ध ही अप्रसिद्ध है। शुक्ति रजत-भान-स्थल की बात भिन्न है, अर्थात् वहाँ दूर में चकचक करता हुआ सीपी का टुकड़ा पड़ा रहता है, द्रष्टा को दूरत्व तथा चाकचिक्यादि दोषों से युक्त चक्षुःसन्निकर्षरूप सामग्री से उस सीपी के टुकड़े में रजत का भ्रम हो जाता है अर्थात् द्रष्टा उस भागे में पड़े हुए टुकड़े को चाँदी समझ लेता है और जब वह उसको चाँदी समझ लेता है तब फिर उसको सीपी कैसे समझ सकता है अर्थात् उस स्थिति में वास्तविक होने पर भी शुक्तित्व का भान सर्वथा विरुद्ध पड़ता है, अतः वहाँ रजतत्वभान-सामग्री को शुक्तित्वभान के प्रति प्रतिबन्धक मानना आवश्यक हो जाता है। एक बात और रसगङ्गाधर के आधुनिक टीकाकारों ने यहाँ नागेशकृत सस्कृत टिप्पणी को आधार बनाकर कहा है कि 'आह्लादकत्व' आदि साधारण धर्म का भान मुख में साध्यवसाना के स्थल पर नहीं होता, यही 'विषयतावच्छेदकार्स्फूर्तिस्तथा' इस ग्रन्थ का आशय है, अग्रिम ग्रन्थ की व्याख्या भी इसी आशय के अनुसार उन्होंने की है। परन्तु लाख विचार करने पर भी मेरे मन में यह बात जँचती नहीं, क्योंकि आह्लादकत्व आदि साधारण धर्म विषयता वच्छेदक अथवा लक्ष्यतावच्छेदक नहीं हो सकता। देखिए—मुख में चन्द्रत्व का आरोप होता है, उस आरोप का विषयी होता है चन्द्र और विषय मुख, अथवा यों समक्षिण-चन्द्र पद की मुख में लक्षणा होती है, अतः मुख लक्ष्य होता है, और मुख में रहनेवाला धर्म होगा विषयता अथवा लक्ष्यता का अवच्छेदक, फिर वह मुखत्व न होकर आह्लादकत्व आदि साधारण धर्म कैसे हो जायगा? अवच्छेदक होता है—अन्यून और अनति प्रसक्त धर्म, और आह्लादकत्व को आप स्वयं साधारण धर्म बतलाते हैं—मानते हैं। दूसरी बात चन्द्रत्व का भान मुख में होता है यह आपका, मेरा और सब का सिद्धान्त है और जहाँ चन्द्रत्व भासित होगा, वहाँ आह्लादकत्व अवश्य भासित होगा, क्योंकि चन्द्रत्व का व्यापक धर्म आह्लादकत्व है और व्याप्य की सत्ता में व्यापक की सत्ता निश्चित रहती है, यदि चन्द्रत्व का भान होने पर भी आह्लादकत्व का भान नहीं हो, तब चन्द्रत्व भान का अर्थ ही क्या हुआ? अतः मेरे विचार से नागेश की टिप्पणी (यहाँ की) असंगत है।

लक्षणानिरूपणानन्तरमिदानीमलङ्कारनिरूपण प्रतिजानीते—

अथास्य प्रागभिहितलक्षणस्य काव्यात्मनो व्यङ्ग्यस्य रमणीयताप्रयोजका अलङ्कारा निरूप्यन्ते—

अथेति । लक्षणानिरूपणानन्तरमित्यर्थ । अभिहितलक्षणस्येति । उक्तस्वरूपस्येत्यर्थ । काव्यात्मन इति । काव्यप्राणभूतस्येत्यर्थ । काव्यजगति सर्वतो मुख्यस्येति यावन । अत्र 'भेदे पट्टीयम् । काव्यात्मनो यद् व्यङ्ग्यं तस्येत्यर्थ । यद्वा काव्यात्मन इत्यलङ्कारा इत्यनेनान्वेति ।' इति नागेशविवरण मगत न वेति सुधीभिरालम्बनीयम् । व्यङ्ग्यस्येति । रसादेरित्यर्थ । रमणीयताप्रयोजका इति । शोभासम्पादका इत्यर्थ । अलङ्कारा निरूप्यन्त इति । अलङ्कारविषयज्ञानानुकूला शब्दा प्रयुज्यन्त इत्यर्थ ।

अथ अलङ्कारनिरूपण का उपक्रम करते हैं—अथेत्यादि । लक्षणा के निरूपण के बाद अथ जिमका लक्षण पहले कहा जा चुका है, और जो काव्य की आत्मा है, उस रसादिरूप व्यङ्ग्य की शोभा के सम्पादक अलङ्कारों का निरूपण किया जाता है ।

अलङ्कारेषु स्वतः प्रथममुपनालङ्कारविचारः स्युच्छिन्नवतायते—

तत्रापि विपुलालङ्कारान्तर्वतिन्युपमा तावद्विचार्यते—

तत्रासीति । तेष्वलङ्कारेष्वप्यन्ये । विपुलेत्यादि । बहुलङ्कारमध्यविश्लेष्ये । एत-  
च्चोपमाविचारस्य प्रायस्य हेतुन्याम्परं विशेषणम् । तावद् आदौ । सादृश्यमूलकेषु  
बहुवलङ्कारेषु उपनोपजीव्यभूतेति प्राक् तद्विचारः प्रसूयत इति भावः ।

उपमा अलङ्कार का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है—तत्रापीत्यादि । उपमा  
अलङ्कार बहुतेरे अलङ्कारों के अन्दर वर्तमान रहता है—अर्थात् सादृश्यमूलक जितने  
अलङ्कार हैं उन सभी अलङ्कारों का उपजीव्य उपमा ही है अतः अलङ्कारों में भी सर्व-  
प्रथम उपमा का विचार किया जाता है ।

उपनालङ्कारस्य लक्षणं लिख्यते—

सादृश्यं सुन्दरं वाक्यार्थोपस्कारमुपमालङ्कृतिः ।

वाक्यार्थोपस्कारकमिति । वाक्यार्थशोभावर्धकमिति । यस्मिन् रमणीये सादृश्येऽ-  
भिहिते सति वाक्यार्थः स्पृष्टव्यो मनस्युज्ज्वलमानावते, तादृशं सादृश्येनोपमालङ्कारतया  
व्यनाद्रेयत इति भावः ।

उपमा अलङ्कार का लक्षण करते हैं—सादृश्यमित्यादि । वाक्यार्थ को शोभित करने  
वाले सुन्दर सादृश्य का नाम 'उपमालङ्कार' है ।

लक्षणपदकं 'सुन्दर'पदं स्वयं व्याचष्टे—

सौन्दर्यं च चमत्कृत्याधायकत्वम् । चमत्कृतिरानन्दविशेषः सहृदयहृदय-  
प्रमाणकः ।

चमत्कृत्यादि । चमत्कृतेः आवयकत्वम्, सन्गदकत्वमिति । चमत्कृतिप्रदायम्  
स्त्रोरप्यति—चमत्कृतिरित्यादि । आनन्दविशेष इति । विलक्षणानन्द इत्यर्थः । अलौकिक-  
कहा इति यावद् । सोऽपि न साधारणजनादुन्वसिद्ध इत्याह—सहृदयेत्यादि । सचेत-  
सानुनवेन सिद्ध इति भावः । इत्यहं 'येन सादृश्येन प्रतिगदितेन सहृदयहृदयेषु  
दोऽन्वित्विनन्दः आनन्द' पदं निदध्याद् तादृशं सादृश्यं यदि वाक्यार्थस्योज्ज्वलना-  
न्मादकं स्यात्, तदा तद् सादृश्यमुपमालङ्कार' अर्थत इति लक्षणान्तर्गते वेदितव्यम् ।

लक्षणवाक्य में आए हुए 'सुन्दर' पद की व्याख्या करते हैं—सौन्दर्यमित्यादि ।  
लक्षण में 'सुन्दर' पद का अर्थ है सौन्दर्यविशिष्ट और सौन्दर्य का अभिप्राय यहाँ 'चम-  
त्कारजनक' होना है । 'चमत्कार' का अर्थ है वह विलक्षण आनन्द, जिसको सहृदयों का  
हृदय प्रमाणित करता है । इस तरह लक्षणवाक्य का फलित अर्थ यह होता है कि—  
'वाक्यार्थ को शोभित करनेवाले जिस सादृश्य से सहृदयों के हृदय में एक विलक्षण  
आनन्द उत्पन्न हो, उस ( सादृश्य ) को उपमालङ्कार कहते हैं ।'

पदद्वयं दर्शयति—

अनन्वये च 'गगनं गगनाकारम्' इत्यादौ सादृश्यस्य द्वितीयसब्रह्म-  
चारिणिवर्णनात्रार्थनुपात्तत्वेन स्वयमप्रतिष्ठानादचमत्कारितैव । अत एव  
तस्यान्वयाभावादनन्वय तमाहुः । व्यतिरेके 'तवाननस्य तुलनां दधातु जलजं  
कथम्' इत्यादौ चमत्कारिणो निषेधस्य निरूपणाय प्रतियोगिनः सादृश्यस्य  
निरूपणमचमत्कारकमेव । एवमभेदप्रधानेष्वपि रूपकापह्नुतिपरिणामभ्रान्ति-  
मदुल्लेखादिषु, भेदप्रधानेषु दृष्टान्तप्रतिवस्तूपमादीपकतुल्ययोगितादिषु चम-

त्कारिषु तत्तन्निष्पादकतयावस्थितस्यापि सादृश्यस्य चमत्कारिताविरहेण नास्त्युपमालङ्कृतित्वम् ।

सत्रह्यचारीति । सदृशेत्यर्थः । रवयमिति स्वस्यापर्यवसानादित्यर्थः । अत एवेति । सादृश्यस्य तात्पर्यविषयताविरहादेवेत्यर्थः । तस्येति । सादृश्यस्येत्यर्थः । 'आहु' इति क्रियापदस्याकाक्षापूरकम् 'आलङ्कारिका' इति कर्तृपदमध्याहार्यम् । लक्षणे 'सुन्दर'-मित्यस्य निवेशेन 'गगनम्' इत्याद्यनन्वयालङ्कारोदाहरणे नातिव्याप्तिः, तत्र सादृश्यस्याचमत्कारित्वात् । ननु कथं तस्याचमत्कारित्वमिति चेत् ? इत्यम्—अनन्वयालङ्कारे वर्णनीयस्य सदृशान्तरं नास्तीति बोधनार्थमेव केवलं रवसादृश्यमुपादीयते, अतो वर्णितमपि सादृश्यं तत्र तात्पर्यविषयतां नालवते । अनन्वय इति नामकरणमपि तात्पर्याविषयतया तस्य सादृश्यस्यानव्याभावादेव सगच्छते । एवञ्च तस्याचमत्कारित्वं स्पष्टमेव । स्थलान्तरेऽपि सुन्दरेति विशेषणबलेनातिव्याप्तिवारणं दर्शयति—व्यतिरेके इत्यादिना । 'तवाननस्य' इत्यादिव्यतिरेकालङ्कारोदाहरणे यद्यपि सादृश्यस्य वर्णनं तिष्ठति, तथापि तच्चमत्कारकं न भवति, यतो निषेधोऽत्र प्रधानश्चमत्कारी । सादृश्यं तु तन्निषेधप्रतियोगितयोपात्तमपि अप्रधानं सदचमत्कार्येवेति भावः । अन्यत्रापि समासेन तद्विशेषणव्यावर्त्यतामुदृश्यति—एवमभेद इत्यादिना । अभेदप्रधानेषु इति । चमत्कारितया प्रतीयमानाभेदेऽप्यित्यर्थः । भेदप्रधानेषु इति । भेदबोधप्रयुक्तचमत्कारशालिष्वित्यर्थः । तत्तन्निष्पादकतयेति । रूपकादीनां दृष्टान्तादीनाञ्चालङ्काराणां सम्पादकतयेति भावः । अयं भावः—उपजीव्यतया वर्तमानं सादृश्यमेव रूपकादीन् दृष्टान्तादींश्चालङ्कारान् निष्पादयति, तत्र प्रथमवर्गोऽभेदगर्भं सादृश्यं नियामकम्, द्वितीयवर्गं च भेदगर्भं तत् तथा, अतः उभयत्र वर्गं 'वाक्यार्थोपस्कारकसादृश्यात्मकं' सामान्यमुपमालक्षणं प्रसक्तम् । परन्तु सादृश्य-विशेषणतया लक्षणे प्रविष्टं चमत्कारार्थकं सौन्दर्यम् तत्प्रसक्तिं वारयति, तत्र रूपण-दृष्टान्तीकरणादीनां विभिन्नजातीयचमत्कारविधायित्वेऽपि सादृश्यस्याचमत्कारित्वात् इति ।

लक्षणं मे 'सुन्दर सादृश्य' इस विशेषणविशिष्ट कथन का फल दिखलाते हैं—अनन्वये च इत्यादि । 'गगनम् ...' अर्थात् आकाश आकाश ही जैसा है' इत्यादि अनन्वयालङ्कार में भी यद्यपि सादृश्य वर्णित रहता है, तथापि वह सुन्दर-चमत्कारी नहीं होता, क्योंकि उसका वर्णन 'वर्णनीय आकाश आदि का अन्य कोई पदार्थ सदृश नहीं है' इस बात को सिद्ध करने मात्र के लिये किया गया रहता है, अतः वर्णित होकर भी वह सादृश्य वक्ता का तात्पर्यविषयभूत नहीं रहता, तात्पर्यविषय नहीं होने के कारण ही उसका वाक्यार्थ में अनन्वय भी नहीं होता, इसी आधार पर 'अनन्वय' यह नामकरण भी हुआ है । तात्पर्य यह कि विवक्षित पदार्थ ही चमत्कारी होता है, और अनन्वयस्थल में सादृश्य विवक्षित नहीं रहता, अतः चमत्कारी भी नहीं होता । 'तवाननस्य ..' अर्थात् जलज—( डलयो साभ्यात् जड़जात, फलतः स्वयं भी जड़ )—कमल, तुम्हारे मुख की तुलना का धारण कैसे करे ?' इत्यादि व्यतिरेकालङ्कार में सादृश्य का निषेध चमत्कारजनक होता है, अतः उस निषेध के प्रतियोगी ( जिसका निषेध किया जा रहा है उम ) सादृश्य का वर्णन नान्तरीयक होने से किये जाने पर भी चमत्कारशून्य ही होता है । इसी तरह अभेदप्रधान रूपक, रसबहुति, परिणाम, भ्रान्तिमान् तथा उल्लेख आदि अलङ्कारों में और भेदप्रधान दृष्टान्त, प्रतिवस्तुपमा, दीपक एवं तुल्ययोगिता आदि चमत्कारी अलङ्कारों में यद्यपि उन अलङ्कारों को सिद्ध करने के लिये सादृश्य रहता है, तथापि वह चमत्कारी नहीं होता ।

भिप्राय यह है कि रूपक आदि ( दो भागों में विभक्त कर कथित ) सभी अलङ्कार

सादृश्यमूलक हैं—सादृश्य के बिना उन अलङ्कारों की सिद्धि नहीं हो सकती और सादृश्य भी दोनों भागों में दो प्रकार के रहते हैं । प्रथम ( रूपक आदि ) भाग में अनेद-घटित और द्वितीय ( दृष्टान्त आदि ) भाग में भेदघटित अतएव प्रथम भाग के अलङ्कारों में प्रधानतया अनेद की प्रतीति होती है और द्वितीय भाग के अलङ्कारों में प्रधानतया भेद की प्रतीति होती है । परन्तु किसी तरह का सादृश्य वर्जित रहने पर 'वाक्याथोपकारसादृश्य' यह सामान्य उपमालक्षण यद्यपि उन अलङ्कारों में प्रसक्त हो सकता था क्योंकि 'सादृश्यनुपमाभेदे' इस मन्मदकृत लक्षण में जिस तरह से 'भेद' का निवेश किया गया है, उस तरह से पण्डितराज के उक्तलक्षण में नहीं, तथापि पण्डितराज के अनुसार सादृश्य में 'सुन्दर' विशेषण लगाने से इन अलङ्कारों की व्यावृत्ति हो जाती है । कारण, इन अलङ्कारों में रूपण आदि हीं, भिन्न भिन्न तरह के चमत्कारों के जनक होते हैं, अतएव भिन्न भिन्न अलङ्कार भी माने जाते हैं । सादृश्य, मूलरूप में रहकर भी इन सब जगहों पर चमत्कारशून्य ही रहता है । सारांश यह कि 'सुन्दर' इस विशेषण के निवेश से अपहुति, व्यातिरेक और रूपक आदि अलङ्कारों में उपमालक्षण की अतिव्याप्त नहीं होती ।

प्रतीति उपनेद्योपमायाच्चातिव्याप्तिनाशंकेष्टापत्त्या परिहरति—

मुखमिव चन्द्र इति प्रतीपे, चन्द्र इव मुखं मुखमिव चन्द्र इत्युपमेयोप-  
मायां च सादृश्यम्य चमत्कारत्वात्प्रातिप्रसङ्ग शङ्कनीय तयोः सङ्ग्राह्यत्वात् ।

तयोन्तादृशप्रतीपोपमेयोपमयो । सप्राह्यत्वादिति । चिन्मीमालोकोपमालक्षणदूष-  
णावसरे इति भाव । अयमाशय—प्रतीपे ( मूलोक्तप्रकारके ) उपनेद्योपमाया च यद्यपि  
सादृश्य चमत्कारकं तिष्ठति, अतस्तयोत्तचोपमालक्षणस्यातिव्याप्ति स्यादिति शङ्का-  
नोचिता, पण्डितराजन्तानुमार तयोत्तचोपमालक्षणस्यातिव्याप्ति इति । प्रतीपेत्यादिनामकरण  
प्राचीन्मतानुसारेण । वस्तुतस्तु तत्रोपमेवेति सारांश । अत्र "नव्यास्तु यत्र चन्द्रा-  
द्युपमानप्रतियोगिकमादृशदानुयोगित्वबुद्धिकृतक्षमत्काररतत्रोपमालङ्कारत्वम् । अनन्वये तु न  
स्वमादृश्यबुद्धिकृत स, किन्तु निरुपमत्वबुद्धिकृत इति नेपमानत्वम् । उपनेद्योपमायामपि  
न परस्परसादृश्यबुद्धिकृतः स किन्त्वन्तरोरेव साम्यं न तृतीय एतत्सदृश इति बुद्धिकृत  
इति तस्यामपि न तत्त्वम् । मुखमिव चन्द्र इति प्रतीपेऽपि मुखादौ सादृश्यबुद्धिकृत एव  
न, तदनुयोगित्वबुद्धिकृत इति तत्रापि न तत्त्वम् 'अहनेव गुरुः' इति प्रतीपेऽपि उपमान-  
तिरस्त्वन्वक्त एव स न तु सादृश्यबुद्धिकृत इति न तत्रापि तत्त्वम् । अलङ्कारभेदे च  
चमत्कारनिदानभेद एव निदानम् । रूपकोन्नेक्षादौ तथा क्लृप्तत्वाद्, सहृदयानुभवनादि-  
कृत्वाच्च । एतेन सादृश्यस्याप्रतिष्ठानं यदि सादृश्याप्रतीतिरनुभवविरोधः । यदि भेदगर्भे  
तदप्रतीतिस्तदा भेदशानिवेशेन तद्विपर्यये किं फलम् । उपनेद्योपमावत्तस्याप्युत्तुपमान-  
मित्ययस्तम्' इत्याहुः" इति नागेशः ।

अत्र प्रतीप तथा उपमेयोपमा अलङ्कार में अतिव्याप्ति की बाधाका करके दृष्टापत्ति  
द्वारा उसका निराकरण करते हैं—मुखमिव इत्यादि । 'मुख सा चर्चा इम प्रतीपालङ्कार  
में तथा 'चर्चा सा मुख और मुख सा चर्चा इम उपमेयोपमा अलङ्कार में सादृश्य  
चमत्कारी रहा है, अब उन दोनों में उपमा का लक्षण अतिव्याप्त होगा, ऐसी बाधाका  
नहीं पैरना चाहिए । कारण, उन दोनों स्थलों में उपमालक्षण का प्रसङ्ग ही नहीं है  
है अर्थात् में उन दोनों को उपमा से भिन्न अलङ्कार मानना ही नहीं है, अपि तु उपमा  
के अवान्तरभेद के रूप में ही उन दोनों को संगृहीत करना चाहता है ।

उचोपमालक्षणत्वाव्याप्तिनाशं क्य निरस्यति—

ननु 'त्वयि कोपो ममाभाति सुधांशाविव पावकः' इत्यादावुपमानस्या-

त्यन्तमसम्भावितत्वात्सादृश्यमेव न तावत्प्रतिपत्तुं शक्यम्, चमत्कारस्तु पुनः केन स्यादिति चेत्, कविना हि खण्डशः पदार्थोपस्थितिमता स्वेच्छया सम्भावितत्वेनाकारेण चन्द्राधिकरणकमनलं प्रकल्प्य तेन सह साम्यस्यापि कल्पने बाधकाभावात् । कल्पितमसत्सादृश्यं कथं चमत्कारजनकमिति तु न वाच्यम्, परमसुकुमारीभवत्कनकनिर्मिताङ्गया मणिमयदशनकान्तिनिर्वासित ध्वान्तायाः कान्ताया भावनया पुरोऽवस्थापिताया आलिङ्गनस्याह्लादजनकत्वदर्शनात् । उपमानोपमेययोः सत्यत्वस्य लक्षणे प्रवेशाभावाच्चात्र दोषलेशोऽपि ।

त्वयि कोप इति । त्वयि = वर्णनीयाया कस्याचन सुन्दर्याम्, वर्तमान, क्रोध चन्द्रे विद्यमानो वह्निरिव मम प्रतिभाति = मया प्रतीयत इत्यर्थः । उपमानस्येति । चन्द्राधिकरणकवह्नैरित्यर्थः । प्रतिपत्तुम् ज्ञातुम् । उत्तरयति—कविना द्वीत्यादिना । खण्डश इति । प्रतिपदं पृथक् पृथक् इत्यर्थः । स्वेच्छया संभावितत्वेनेति । स्वेच्छानुसारम् 'यथेव स्यात्' इति सम्भावन्याविषयीभूतेनेत्यर्थः । अत्र 'स्वेच्छया असम्भावितत्वेन न तु सत्येन रूपेण' इति नागेशो विवृणुते, तन्नातीवशोभनं प्रतिभाति । अयं भाव—'त्वयि कोप' इत्यादौ उपमानतया वर्णितश्चन्द्राधिकरणकोऽनलो नितान्तमसभव', चन्द्रेऽनलस्य कदाप्युपलंभाभावात् । एवञ्च तत्प्रतियोगिक सादृश्यं ज्ञातुमयोग्यम्, अप्रसिद्धपदार्थप्रतियोगिकसादृश्यस्याप्यसम्भवात् । अज्ञाते च सादृश्ये चमत्कार एव न भवितुमर्हति, चमत्कारस्य सादृश्यज्ञानाधीनत्वात् । तथा च कथमत्रोपमेति शङ्कायाम् इदमुत्तरयत्—चन्द्रः प्रसिद्ध, अनलोऽपि प्रसिद्ध, एवञ्च तयोः पृथक् पृथक् स्मरणं कवेरात्मनि भवेत् । तथोपस्थिते पर पुन कवि स्वेच्छानुसारं यथेव स्यादिति सभावनाविषयीभूतेन रूपेण चन्द्रवर्तिनो वहे कल्पना कुर्यात्, तथा कल्पनानन्तरञ्च कल्पितेन तेन चन्द्राधिकरणकेन वह्निना सह नायिकानिष्ठकोपस्य सादृश्यकल्पना सम्भवति बाधकाभावात् इति । अथापि शङ्कते—कल्पितमित्यादिना । यत् कल्पितमत एवासदित्यर्थः । समाधत्ते—परमेत्यादि । परमसुकुमारीभवता अतिकोमलीकृतेन, कनकेन—सुवर्णेन, निर्मितानि अङ्गानि यस्यास्तस्या इत्यर्थः । सुवर्णवर्णाया इति यावत्, मणिमयेति । मणिमयाना मणिरचिता नाम् दशानाम्, कान्तिभिः किरणैः, निर्वासित दूरीकृतम्, ध्वान्तमन्धकारो यया तस्या इत्यर्थः । काल्पनिकतया वस्तुतोऽवर्तमानस्य सादृश्यस्य चमत्कारित्वमनुपपन्नम्, नानुपपन्नम्, दृश्यते हि कनकमयाङ्गी विकिरन्मणिदन्तकान्ति कामिनीं पुरो विद्यमाना भावयतो भावुकस्य तदालिङ्गनभावने आनन्दः । काल्पनिकमपि वस्तु भावुकानानन्दयतीति भावः । नन्वेव भवतु कल्पितस्यापि सादृश्यस्य चमत्कारजनकता, तथापि लक्षणे उपमानोपमेययोर्निवेशेन तयोः सत्यत्वस्यापेक्षिततया कथमुक्तस्थले निर्वाहोऽत आह—उपमानोपमेयेति । लक्षणे उपमानोपमेययोर्निवेशोऽपि तयोः सत्यत्वं न निविष्टमिति न कथि-द्वौप । काल्पनिकतयाऽमत्येऽपि उपमानोपमेये समादाय सम्भवत्युपमालङ्कार इति परमार्थः ।

स्थलविशेष में उक्त उपमालक्षण की अच्युति की आशङ्का करके समाधान करते हैं—ननु इत्यादि । 'त्वयि कोपो'—अर्थात् तेरे अन्दर का क्रोध मुझे चन्द्रवर्ती आग के समान प्रतीत होता है इत्यादि स्थल में जो उपमान है 'चन्द्रवर्ती आग' आदि, वह सर्वथा असम्भव वस्तु है । ऐसी स्थिति में उस वस्तु का सादृश्य समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि जब कोई वस्तु हो, तब तो उसका सादृश्य समझ में आवे—जो वस्तु है ही नहीं, उसका सादृश्य कैसा ? और जब सादृश्य ही समझ में नहीं आयेगा, तब चमत्कार होगा किससे ? कारण, उपमा में चमत्कार, सादृश्यज्ञान के अधीन है यह

सर्वसम्मान वान है, अतः ऐसे स्थलों पर उपमा का उक्त लक्षण संघटित नहीं हो सकता। यह शङ्का नहीं करनी चाहिए। कारण, ऐसे स्थलों पर 'चन्द्र में जाग' इस सम्मिलित पदार्थ की अप्रतिद्रि होने से उपस्थिति की संभावना नहीं रहने पर भी कवि को खण्डशः चन्द्र और जाग की उपस्थिति हो सकती है, क्योंकि पृथक्-पृथक् वे दोनों ही पदार्थ प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार खण्डशः पदार्थों की उपस्थिति हो जाने के बाद, कवि अपनी इच्छा के अनुसार सभावित रूप से—अर्थात् 'यदि चन्द्र में जाग हो' इस रूप से चन्द्र में जाग की कल्पना करता है और जब कल्पना के आधार पर 'चन्द्रवर्ती जाग' यह सम्मिलित पदार्थ तैयार हो चुकेगा, तब उसके सादृश्य की भी कल्पना कर लेने में कोई बाधक नहीं। यदि कोई कहे कि—कल्पित सादृश्य तो असत् (निव्या) हुआ फिर उससे चमत्कार की उत्पत्ति कैसे होगी—निव्या वर्णन के श्रवण से क्या वानन्द प्राप्त होगा ? तो इसका उत्तर यह है कि वानन्द सत्य वस्तु से ही प्राप्त हो ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि जब भावुक जन भावना के द्वारा, किसी ऐसी कामिनी, जिसके अङ्ग, कोमल बने कमल से बने हों तथा जिसने मगिमय दन्तकिरणों से बन्धकार को दूर कर दिया हो—को अपने पुरोभाग में उपस्थित कर उसका बालिङ्गन करते हैं, तब उस निव्या बालिङ्गन से भी वामन्द वानन्द की उत्पत्ति होती हुई देली जाती है। बात रही लक्षण की, सो उसमें उपमान उपमेय के सत्य होने का निवेश किया नहीं गया है। अतः उपमान के कल्पित होने पर भी 'उपमा' मानने में दोष का लेश भी नहीं है।

कल्पितोपमानोपमेयभावविशिष्टं स्थलान्तरमपि दर्शयति—

अत एव

'स्तनाभोगे पतन्भाति कपोलाकुटिलोऽलक' ।

शशाङ्कविन्वतो नेरौ लम्बमान इवोरगः ॥'

इत्यादावपि नानुपपत्तिः ।

अत एवेति । उपमानोपमेययो चन्द्रत्वत्प लक्षणेऽनिवेशादेवेत्यर्थ । स्तनाभोगे इति । चन्द्रविन्ववन्नक्षत्रवर्तुलनीतिशालिने नादिकाया कपोलदेशात् तदीये नेरव-  
न्दोरोन्ते कुचप्रदेशे पतत्, कुटिल, केश, चन्द्रविन्वाद, नेरशिखरे लम्बमानः  
दृग्गर्भ इव शोभत इत्यर्थ । नानुपपत्तिरिति । उन्मालङ्कारव्याप्तित्वा अनुपपत्तिर्ने-  
त्यर्थ । अत्रापि यद्यपि चन्द्रविन्वावधिक्रनेरशिखराधिक्रपाकलम्बमानोर्गल्पमुपमानं,  
तस्य नादृश्यत्वं स्वतोऽलभावित्वात्काल्यन्किन्नेव, तथापि पूर्वप्रतिपादितदिशोपमात्स्वीकारे  
बाधकं नास्तीति भावः ।

कल्पित उपमान वाला एक अन्य उदाहरण भी दिखलाया जाता है—अत एव इत्यादि। लक्षण में उपमानोपमेय की सत्यता का निवेश नहीं करने के कारण ही— 'स्तनाभोगे' अर्थात् नेर पूरे, ऊँचे स्तनों पर कपोलतट से गिरता हुआ कुटिल केश, चन्द्रमण्डल से सुमेरु पर्वत के शिखर पर लटकते हुए काले नाग-सा प्रतीत होता है' इत्यादि में भी उपमा बलह्वार स्वीकार करने में किसी तरह की अनुपपत्ति नहीं होती। अर्थात् यहाँ भी 'चन्द्रमण्डल ने नेरु पर लटकता हुआ साँप' यह जो उपमान है वह भी स्वतः अङ्गभव होने से कल्पित, अनप्य वस्तु ही होगा, अतः 'उपमा' कैसे होगी, यह शङ्का हो सकती थी, परन्तु जिन युक्तियों ने 'त्वपि कोप' इत्यादि में 'उपमा' मान ली गई है, उन्हीं युक्तियों से यहाँ भी उपमा मानी जा सकती है।

एतादृशस्येऽन्यत्र वर्णितं नतान्तरमलङ्कित्य खण्डयति—

परे तु अत्याः कल्पितोपमाया उपमानान्तराभावफलकत्वेनालङ्कारान्त-



रतामाहुः । तन्न । सादृश्यस्य चमत्कारितयोपमान्तर्भावस्यैवोचितत्वात् सन्निरूपितत्वस्य लक्षणे प्रवेशाभावात् । उपमानान्तराभावफलकत्वं ह्युप विशेषत्वे साधकम्, न तूपमाबहिर्भावे ।

उपमानान्तराभावफलकत्वेनेति । उपमानान्तरम् अन्यदुपमानम्, तस्य, अभाव-  
अयोग्यता, फल यस्यास्तादृशत्वेनेत्यर्थः । अलङ्कारान्तरताम् अन्यालङ्कारत्वम् । सति  
रूपितत्वेति । सता सत्येन, उपमानेन, निरूपित सादृश्य स्यात् इत्यस्येत्यर्थः । उपमा  
विशेषत्वे उपमाया विलक्षणभेदत्वे । उपमाबहिर्भावे उपमान्यालङ्कारत्वस्वीकारे । अत्र-  
नैतादृश वस्त्वन्तर ससारे समुपलभ्यते, यत् कपोलात् स्तनपरिसरे पतत' कुक्षित  
कचस्योपमेयस्योपमानभाव भजेतेति कचेस्तात्पर्येण उपमाया पर्यवसानाभावादलङ्कार-  
रान्तरमेवेति शकाया, चमत्कृतिकरस्य सादृश्यस्य स्पष्ट प्रतीते 'सुन्दर ( चमत्कार  
जनकम् ) सादृश्यमुपमा' इति लक्षणानुसारम् उपमाया रवीकारे बाधकज्ञास्ति । सत्ये  
नोपमानेन निरूपित सादृश्य भवेदिति तु प्रकृतलक्षणे न निविष्टम् । उपमानान्तर नातीति  
प्रतीतिरिह फलभूतेत्येतावताऽपि उपमात्वनिरासो न भवति, प्रत्युत विशिष्टोपमात्वमेव  
सिद्धयतीति च समाधानस्याशयो बोध्यः ।

इदं स्थलों में कुछ विद्वानों के द्वारा माने गए मतान्तर का उल्लेख करके स्पष्ट  
करते हैं—परे तु इत्यादि । अन्य विद्वानों का कथन है कि—“स्तनाभोगे” इत्यादि  
काव्यों में कल्पित उपमा का फल है 'अन्य किसी उपमान का न होना'—अर्थात् कवि  
ऐसी उपमा द्वारा यह सिद्ध करना चाहता है कि ससार में ऐसी वस्तु है ही नहीं, जिसके  
साथ, कपोल से स्तन पर गिरते हुए केशरूप उपमेय की समानता कही जाय, अतः  
यहाँ 'उपमा' न मानकर कोई दूसरा ही अलङ्कार माना जाना चाहिए ।” परन्तु उनका  
यह कथन समुचित नहीं है । कारण, ऐसे काव्यों में चमत्कारी सादृश्य की स्पष्ट प्रतीति  
होने के कारण इसका उपमा अलङ्कार में ही अन्तर्भाव करना उचित है, क्योंकि सादृश्य  
का 'सत् पदार्थ से निरूपित होना' प्रकृत उपमालक्षण में निविष्ट नहीं है—अर्थात्  
उपमान सत्य रहे ऐसी बात लक्षण में नहीं कही गई है । रही आपकी यह बात कि—  
'इस कल्पित उपमा का फल अन्य उपमान का न होना है', सो यह बात तो इसको  
एक विलक्षण प्रकार की उपमा सिद्ध करती है, इससे, इसका उपमा से बहिष्कार नहीं  
सिद्ध होता ।

शङ्कते—

अथ

'विलसत्यानन तस्या नासाग्रस्थितमौक्तिकम् ।

आलाक्षतवुधारलेप राकेन्दारिव मण्डलम् ॥'

इत्यादी साधारणधर्मस्याभावात् कथमुपमानिष्पत्तिः ? बुधमौक्तिकयोरेकैक-  
मात्रवृत्तित्वात् ।

अथेतिपद प्रक्रान्तविषयभिन्नविषयारम्भसूचकम् । विलसतीति । नासाग्र, स्थित,  
मौक्तिकम् मुक्ताभूषणम्, यरिमन्, तत्, तस्या वर्णनीयनायिकाया, आननम्, मुखम्,  
आलक्षित' दृष्टिगोचरभूत, दुधरय तन्नामस्य नक्षत्रविशेषस्य, आश्लेष सम्बध  
( मयोग' ) यरिमन्, तादृशम्, आश्लेषदुधमिति यावत्, तथा पाठस्तु मार्धावान  
-मौक्तिकयोरेत्यादिप्रमप्रयानुरोधान्, राकेन्दो' पूर्णमाचन्द्रस्य, मण्डलम्, एव, विलसति  
गोभत इत्यर्थः । अत्र बुध तदाश्लेषो वा राकेन्दुमण्डलमात्रवृत्तीधर्म, आनने तद-

मभवात् । एवम् मौक्तिकम् आननमात्रवृत्तीवर्म, चन्द्रमण्डले तस्यावर्तमानत्वात् । तथा च नैकौऽपि धर्मस्तथाविधो य उपमानोपमेययो चन्द्रमण्डलाननयोद्भवयो साधारणः स्यात् । साधारणधर्माभावे च क्यमुपमालङ्कारत्वम् साधारणधर्मोपस्थितेरुपमाकरणत्वस्य लक्षणानिरूपणे स्थिरीकृतत्वात् इति शङ्का ।

अब एक भिन्न तरह की आशङ्का करते हैं—अथ इत्यादि । 'विलसत्याननम्' इत्यादि अर्थात् नासिका के अग्रभाग में वर्तमान है मुक्ताभूषण जिसमें, ऐसा, उस-वर्णनीय नायिका-का मुख, बुध-तारा-के संयोग से युक्त पूर्णिमा-चन्द्र के मण्डल सा सुशोभित हो रहा है ।' इत्यादिक में साधारण धर्म के न होने के कारण उपमा अलङ्कार किस तरह सिद्ध हो सकता है ? क्योंकि साधारण धर्म की उपस्थिति को ही उपमा का कारण माना गया है, उसके बिना उपमा हो ही नहीं सकती । 'बुध'-अथवा 'मोती' तो साधारण धर्म हो नहीं सकता । कारण, वे दोनों एक-एक में ही रहनेवाले धर्म हैं—अर्थात् 'बुध' केवल उपमान ( चन्द्रमण्डल ) में रहनेवाला है, उपमेय ( मुख ) में उसकी सभावना ही नहीं । इसी तरह 'मोती' केवल उपमेय ( मुख ) में रहनेवाला है, उपमान ( चन्द्रमण्डल ) में नहीं । ऐसी स्थिति में यहाँ उपमा का न होना ही उचित होगा यह है शङ्का ।

उक्ताशङ्काया असत्समाधानद्वयं तावत् प्रतिपाद्य खण्डयति—

न चात्र यदि नासाप्रस्थितमौक्तिकं तस्या आननमालक्षितधुधारश्लेष राकेन्दोर्मण्डलमिव विलसतीति तादृशराकेन्दुमण्डलनिरूपितसादृश्यप्रयोजक-विलासाश्रयस्तादृशमाननमिति तात्पर्यम् तदा विपूर्वकलसत्यर्थशोभाविशेष एष समानो धर्मः यदि च तादृशमिन्दुमण्डलमिव यत्तादृशमाननं तद् विलसतीति तादृशसादृश्यावच्छिन्नमाननमुद्दिश्य विलासाश्रयत्व विधेयतया विवक्ष्यते तदा-स्या लुप्रापमान्वात्पद्ममिव मुखमित्यादाविवाहादकत्वादिधर्मं उन्नेय इति वाच्यम् । उपमानोपमेयशोभयोरपि वस्तुतोऽसाधारणत्वात् ।

'कोमलातपशोणाभ्रसन्ध्याकालसहोदरः ।

कषायवसनो याति कुङ्कुमालेपनो यति ॥'

इत्यादौ धर्मान्तरस्याप्रतिभानादसुन्दरत्वाच्च कोमलातपादीनामसाधारणत्वात्कथमुपमेति चेत्,

तादृशराकेन्दुमण्डलेति । बुधारश्लेषविशिष्टराकेन्द्रित्यर्थः । एवमग्रेऽपि । प्रथमोत्तरं दूषणमाह—उपमानोपमेयेति । द्वितीयोत्तरान्योक्तप्रतिदोषहरणे निर्वाहेऽप्यप्रसिद्धोदाहरणे दोषमाद्यसाधारणमाह—कोमलेति । कोमलातपत्वम् शोणाभ्रं च सन्ध्याकाल-विशेषणम्, बहुव्रीहेः । अत एव कोमलातपादीनामिति वक्ष्यति । एवञ्च कोमलं अनुद-वेगकर, आतपो यस्मिन्, तथा शोणम् रक्तवर्णम् अश्रुं मेघो, यस्मिन्, तादृशो य नन्ध्याकालः, तस्य, सहोदरः नदणः, कषायम् कषायद्वयप्रवरञ्जितम्, वसनं यस्य तादृशं तस्मात् कुङ्कुमालेपनं कृतकुङ्कुमलेपो यति यातोन्वर्थः । 'विलसत्याननम्' इत्यत्र नाधारणधर्माभावात् क्यमुपमेति शङ्काया 'नानामौक्तिकगोभित तनायिकानन, बुधाश्लेषविशिष्टमिन्दुमण्डलमिव विरसतीति रीन्यान्वयोपपादने बुधाश्लेषविशिष्टं यत् राकेन्दु-मण्डलम्, तन्निरूपितं यत् सादृश्यं, तन्प्रयोजको यो विलासः, तस्याश्रयो नासाप्रमौक्ति-कविशिष्टं मुक्तमिति कवेस्तात्पर्यावगनेन विपूर्वकलमध्वान्वर्थशोभाविशेष एव साधारणधर्मः'

इत्युत्तर न सम्भवति, उपमानेन्दुमण्डलगतशोभायाः, उपमेयानननिष्ठशोभायाश्च मि  
भिन्नत्वेन साधारणधर्मत्वासम्भवात् । बुधाश्लेषविशिष्टचन्द्रमण्डलसदृश यन्नासामौक्ति  
शोभित मुख, तत् विलसतीति रीत्यान्वयकरणेन तादृशसादृश्यानुयोग्याननमुद्दि  
विलासाश्रयत्व विधीयत इति कवेस्तात्पर्यवर्णने 'पद्ममिव मुखम्' इत्यादिवत् साधार  
धर्मलोपोपमैव—अर्थात् आह्लादकत्वादिरूप साधारणधर्म ऊहनीय इत्यपि न तस  
शकाया समुचित समाधानम्, तेन समाधानेन प्रसिद्धसाधारणधर्मके चन्द्रमुखार्  
निर्वाहेऽपि 'कोमलातप ' इत्यादिलक्ष्येषु निर्वाहासम्भवात् । तथाहि—अत्र कोमलातपत्  
शोणाभ्रत्व च सध्याकालात्मकोपमानमात्रगतधर्मद्वयम् । कपायवसनत्वम् कुङ्कुमालेपत्  
च यतिरूपोपमेयमात्रवर्तिधर्मयुगलम् । अतस्तेषु नैकोऽपि धर्म उपमानोपमेयोभयसाधारण  
यातीति क्रियाया पूर्वीत्या विधेयत्वेन पूर्वसिद्धत्वाभावे न साधारणधर्मता सम्बन्धि  
लुप्तोपमात्वमङ्गीकृत्य साधारणधर्मोन्नयनरीतिरपि न भवितुमर्हति पूर्वोक्तेभ्यो धर्मभ्यो  
न्यस्य कस्यचन धर्मस्य ध्यानपथानागमनात्, बलात्तादागमने कारिते तस्याचमत्क  
रित्वात् । एवञ्च 'विलसती'त्यादौ साधारणधर्माभावे कथमुपमेति शङ्का यथास्थितेति भाव

तव तक उक्त आशङ्का का एक असिद्धान्ती समाधान कहकर खण्डन करते हैं—  
च इत्यादि । स्पष्ट अभिप्राय यह है कि—'विलसति ...' इत्यादिक में साधारण धर्म  
अभाव में उपमा कैसे होगी, इस आशङ्का के दो समाधान हो सकते हैं—(१) 'नासिका  
अग्रभाग में मुक्ताभूषण धारण करनेवाला उसका मुख बुधालिङ्गित चन्द्रमण्डल  
समान सुशोभित हो रहा है' इसका तात्पर्य यदि यह हो कि 'पूर्वोक्त विशेषणविशिष्ट मु  
पूर्वोक्त विशेषणयुक्त चन्द्रमण्डल द्वारा निरूपित सादृश्य को सिद्ध करनेवाली शोभा  
आश्रय है' तब तो वह शोभा विशेष ही साधारण धर्म हो जाता है । और—(२) य  
यह अभिप्राय हो कि 'उक्त विशेषणविशिष्ट, पूर्णिमाचन्द्र के सदृश उक्त विशेष  
युक्त मुख, सुशोभित हो रहा है ( विलास का आश्रय बन रहा है )' और इस री  
से इस श्लोक में उस तरह के चन्द्रमण्डल से निरूपित सादृश्य के अनुयोगी मुख  
उद्देश्य मानकर विलासाश्रयत्व ( शोभा के आश्रय होने ) को विधेय बनाना  
हो, तब यह लुप्तोपमा ( साधारणधर्मलोपोपमा ) होगी, अतः जिस तरह 'कम  
सदृश मुख' इत्यादि में 'आह्लादकत्व' आदि साधारण धर्म का ऊह कर लिया जाता  
उसी तरह किसी साधारण धर्म का ऊह कर लेना चाहिए । अतः यहाँ किसी तरह  
गड़बड़ी नहीं । सारांश यह कि पूर्वोक्त श्लोक में यदि 'विलसति' इस क्रियापद  
अर्थ शोभा विशेष को सादृश्य का प्रयोजक ( कारण ) माना जाय तब तो वह शो  
विशेष ही साधारणधर्मरूप हो जाता है और यदि वैसा न मानकर उस शोभा-वि  
को केवल विधेय माना जाय तब विधेय के अपूर्व ( पूर्व सिद्ध नहीं ) होने के का  
वह साधारण धर्म नहीं हो सकता, अतः यहाँ लुप्तोपमा हो जाने से चन्द्र और  
के किसी अन्य साधारण धर्म ( सुन्दरत्व आदि ) की कल्पना कर ली जानी चाहिए  
ऐसा यदि आप कहें—तो यह सङ्गत नहीं हो सकता । कारण, परमार्थतः उपमेय  
उपमान की शोभा भी अपने अपने में रहनेवाली असाधारण ही होती है । अर्थात् स  
दृष्टि से विचार करने पर मुख की और चन्द्र की शोभा भी भिन्न-भिन्न सिद्ध होनी  
एक नहीं, अतः उसको साधारण धर्म ठहरानेवाला प्रथम उत्तर नहीं बनता और द्वि  
उत्तर से 'चन्द्र सा मुख' इत्यादि प्रसिद्ध उदाहरणों में काम चल जाने पर भी  
'कोमलातप ' इत्यादि अर्थात् कोमल ( अनुद्वेगकर ) धूप और लाल लाल वादल  
सायकाल का सहोदर ( समान ), कपायवस्त्रधारी तथा केसर के लेप वाला सन्यासी  
रहा है ।' इत्यादि स्थलों में काम नहीं चल सकता, क्योंकि, यहाँ लुप्तोपमा मान

साधारण धर्म का ऊह कर लेनेवाली युक्ति बन नहीं सकती । कारण, यहाँ कोई ऐसा धर्म ध्यान में आता ही नहीं, जो साधारण हो सके, यदि खींच-खाँचकर किसी वैसे धर्म को लाया भी जाय, तो वह असुन्दर होगा—चमत्कार (आह्लाद) से शून्य होगा । अर्थात् चन्द्र और मुख का साधारण धर्म आह्लादकत्व आदि प्रसिद्ध है, अतः वाचक पद के अभाव में भी वह ध्यान में आ जाता है, परन्तु प्रकृत में सायकाल और यति का कोई वैसे धर्म प्रसिद्ध नहीं है, अतः बिना कहे वह ध्यान में नहीं आता, बलात् किसी धर्म को ध्यान में लाने पर भी वह आनन्ददायक नहीं होता । रहे पद्य में कथित कोमलातपस्व, शोणाभ्रत्व, कषायवसनत्व और केसरलेप धर्म, सो वे साधारण नहीं असाधारण हैं अर्थात्—इन चारों में प्रथम दो केवल उपमान-सायकाल-में रहनेवाले धर्म हैं और अग्रिम दो केवल उपमेय-सन्ध्यासी में रहनेवाले । फलतः ऐसे स्थानों—जहाँ कोई साधारण धर्म नहीं रहता—में उपमा कैसे होती है यह आशङ्का जैसी की तैसी बनी रही ।

इदानीं सिद्धान्तभूत समाधान लिख्यते—

अत्राहुः—उपमेयगतानामुपमानगतानां चासाधारणानामपि धर्माणां सादृश्यमूलेनाभेदाध्यवसायेन साधारणत्वकल्पनादुपमासिद्धिः ।

अभेदाध्यवसायेनेति । अभेदारोपेणेति भावः । अत्र नागेश —“न चैकधर्मवत्त्वमि-  
वोपमानवृत्तिधर्मसदृशधर्मवन्वमप्युपमाप्रयोजकमस्तु किन्मुनाऽभेदाध्यवसायेनेति वाच्यम् ।  
साधारणधर्मणोपमानोपमेययोर्भेदप्रतीतिकृतचमत्कारस्योपमायामिदृश्य धर्मयोर्भेदाध्यव-  
सान विनानुपपत्तेः । तथा चोच्चमलद्वारसर्वत्वकृता—‘भेदाभेदप्रधानोपमे’ति बोध्यम्”  
इत्याचष्टे । अत्र भावः—उक्तोदाहरणेषु केचन उपमेयमात्रगता केचन उपमानमात्रगता  
एव धर्मा बुध-मौक्तिक-कोमलातपादयः, अत एव ते न साधारणा इति यद्यपि सत्यम्,  
तथापि असाधारणानामपि तेषां धर्माणां मिथः सादृश्यमस्तीति नापलापार्हम् । एवञ्च  
तन्सादृश्यनेव मूल भूत्वा तेषु असाधारणेष्वपि धर्मेषु अभेदम्-एक्यम्-आरोपयति  
अर्थात् तेषु धर्मेषु सादृश्यं विदन्तो जनास्तन्मूलकं तेष्वभेदनपि विदन्ति । तथा च  
भवन्ति ते असाधारणा अपि धर्माः साधारणा । अत एव तेषु स्थलेषु उपमा-सिद्धौ न  
काचिन् वाधाऽवतिष्ठति इति ।

अब उक्त आशङ्का का सिद्धान्ती समाधान करते हैं—अत्राहु इत्यादि । उक्त आशङ्का का सिद्धान्तभूत समाधान यहाँ यह कहा जाता है कि—ऐसे स्थानों पर केवल उपमान और उपमेय में रहनेवाले धर्मों के असाधारण होने पर भी, उन धर्मों में रहनेवाले परस्पर सादृश्य के कारण, उन धर्मों में अभेद का आरोप करके उनको साधारण मान लिया जाना है । अर्थात्—‘बुध’ तथा ‘मौक्तिक’ और ‘कोमल धूप’ तथा ‘केसर के लेप’ आदि के परस्पर भिन्न होने पर भी उनमें जो क्रमशः शृङ्खला तथा अरुणता आदि गुणमूलक समानता है, उसके द्वारा उन्हें अभिन्न मानकर ‘बुध से अभिन्न मोती’ वार ‘कषायवस्त्र से अभिन्न केसरलेप’ आदि को साधारण धर्म मान लिया जाता है । अतः उन स्थलों में असाधारण धर्म के भी साधारण हो जाने से उपमा सिद्ध हो जाती है ।

पुनरुक्तस्थलेषु उपमाया अस्तिद्विनन्यप्रकारेणाशक्य समाधत्ते—

न च भ्रमात्मकेनाहार्याभेदबोधेन कथं नाम कुङ्कुमालेपकोमलातपादीनां वस्तुनो भिन्नानां साधारणत्वसिद्धयेऽत्यन्तमसन्नभेदः सेद्धुं शक्नुयात्, भ्रमेणार्थसिद्धेरभावादिति वाच्यम् । प्रागुक्तेऽपि ‘त्वयि कोपो : . .

शाविव पावकः' इत्यादावुपमानोपमेययोरत्यन्तासत्त्वेऽपि कल्पनामात्रतो यथा निष्पत्तिस्तथैव प्रकृते साधारणधर्मस्यापीति व्यक्तमुपपादयिष्यामः ।

भ्रमात्मकेनाहार्याभेदबोधेनेति । आहार्याभेदबोधस्य तदभाववति तद्वत्तावगाहित्वाद् भ्रमत्व बोध्यम् । अत्यन्तमसन्निति । सर्वथा मिथ्याभूत इत्यर्थः । सेदुम् सिद्धो भवितुम् । भ्रमेणार्थसिद्धेरिति । न हि रज्जौ सर्पभ्रमेऽपि सर्पस्तत्रोपलभ्यत इति भावः । प्रागुक्त इति । यत इत्यादि । 'त्वयि 'इत्यादावुपमानोपमेययोरिति । यद्यपि चन्द्राधिकरणकानलरूपोपमानवत् नायिकाधिकरणककोपरूपोपमेयं न सर्वथा मिथ्याभूतम्, तथापि उपमान-सादृश्ययोरुभयोर्मिथ्यात्वे तस्योपमेयत्वमपि मिथ्यैव, उपमानोपमेयत्वयोर्मिथ-सापेक्षत्वादिति बोध्यम् । बुधमौक्तिकयो कुङ्कुमालेपकोमलातपयोश्च वस्तुतो भेद एवानुभवसिद्ध इति तयोर्द्वयोर्द्वयो स्वतः साधारणत्व न भवितु योग्यम्, अतस्तयो साधारणत्वसिद्धं सादृश्यमूलकोऽभेद आरोप्यते । एवञ्च तत्रत्याभेदबोधस्य आहार्यत्वम् फलितम् आहार्यञ्च ज्ञानं सर्वत्र भ्रमात्मकमेव भवति । तथा च 'भक्षितेऽपि लशुने न शान्तं व्याधि'रिति न्यायस्यैवावतारो जातः । अर्थात् भ्रमेण भ्रमविषयीभूतोऽर्थो न सिद्धयति एवञ्चाहार्याभेदज्ञानेनापि पूर्वोक्तयोर्वस्तुतो भिन्नयोर्नाभेद सिद्धयेदित्यत्र शङ्का । 'त्वयि कोपो 'इत्यादिपूर्वोक्तस्थले उपमानोपमेये एव सर्वथाऽसती यद्यपि, तथापि यथा कल्पनामात्रतस्तत्रोपमानोपमेयभावो भवति, तथैव प्रकृते उक्तधर्मयोरसतोऽपि साधारणत्वस्य कल्पनया सत्त्वं भवेदिति च समाधानम् । एतत्समाधानगतपदार्थस्य स्पष्टमुपपादनं ग्रन्थकृता स्वयमग्रे विधास्यते ।

फिर उक्त स्थलों में अन्य युक्ति से उपमा की असिद्धि की आशङ्का करके खण्ड करते हैं—न च इत्यादि । यदि आप कहेंगे कि—'यह जो आहार्य ( अपनी इच्छा कल्पित ) अभेद का ज्ञान है, वह भ्रमरूप है—सर्वथा मिथ्या है, अतः उसके द्वारा 'बुधमौक्तिक' तथा 'कुङ्कुमलेप कोमलातप' आदि वस्तुतः सर्वथा भिन्न धर्मों को उन्हें साधारण बनाने के लिये किया जानेवाला सर्वथा अवर्तमान अभेद कैसे सिद्ध हो सकता है ? क्योंकि भ्रम से किसी पदार्थ की सिद्धि नहीं होती—रस्ती को भ्रम साँप समझ लेने पर भी वह साँप नहीं हो जाता', तो इसका समाधान यह है कि 'त्वयि कोपो ममाभाति...' इत्यादि में जैसे उपमान तथा उपमेय के सर्वथा भिन्न होने पर भी केवल कल्पना के आधार पर उपमा की सिद्धि की जाती है, वैसे ही प्रकृत उदाहरण में साधारण धर्मों की भी कल्पना से सिद्धि की जा सकती है—इस विषय का स्पष्टतया उपपादन हम आगे करेंगे । यहाँ एक बात यह समझ लेने योग्य है कि 'त्वयि कोपो ' इस पद्य में 'चन्द्र में आग' जिस तरह से अप्रसिद्ध अतएव मिथ्या है, उस तरह से यद्यपि 'नायिका में कोप' अप्रसिद्ध अतएव मिथ्या नहीं है तथापि उपमान-चन्द्र में आग तथा उसका सादृश्य ये दोनों जब मिथ्या हैं, तब 'नायिका में कोप' इसका उपमेय होना भी मिथ्या हो ही जायगा, क्योंकि उपमान उपमेय ये परस्पर सापेक्ष पदार्थ हैं—एक के सिद्ध होने पर ही दूसरा सिद्ध हो सकता है अतः यहाँ 'उपमानोपमेययोरत्यन्तासत्त्वेऽपि' ऐसा लिखा गया है ।

विशेषमाह—

अयमेव बिम्बप्रतिबिम्बभाव इति प्राचीनैरभिधीयते ।

अयमेवेति । सादृश्यमूलाभदाध्यवसाय एवेत्यर्थः । वस्तुतो भिन्नयोरपि वस्तुतोय सादृश्यज्ञानमूलक आहार्याभेदबोध स एव प्राचीनैरालङ्कारिकैः 'बिम्बप्रतिबिम्बभाव'पदे प्रतिपाद्यत इति भावः ।

एक विशिष्ट वात कहते हैं—अयमेव इत्यादि । वस्तुतः भिन्न होने पर भी दो वस्तुओं में जो सादृश्यमूलक अभेदारोप होता है, उसीको प्राचीन आलङ्कारिक लोग 'विन्वप्रतिविन्वभाव' कहते हैं ।

प्रागुक्तरीत्योऽहरणान्तरेऽप्युपमासिद्धिं दर्शयति—

एवम्

'भुजो भगवतो भाति चञ्चश्चाणुरचूर्णने ।

जगन्मण्डलसंहारे वेगवानिव धूर्जटिः ॥'

अत्र धूर्जटिभगवद्भुजयोरकारेण सादृश्याभावात्प्रकारनिर्मुक्तस्य केवलभान-  
स्याप्रयोजकतया चाणूरचूर्णननिमित्तकचाञ्चल्यवत्त्वजगन्मण्डलसंहारनिमित्तक-  
वेगवत्त्वयोरभेदाध्यवसानेनाभिन्नधर्मप्रकारकभानविशेष्यत्वस्य साधारणधर्मस्य  
सिद्धेरुपमासिद्धिः ।

एवमिति । उक्तोदाहरणे उपमासिद्धिवदित्यर्थः । भुजो ' इत्यादि । भगवत्  
कृष्णस्य, चाणूरस्य तन्नामकस्य दैत्यविशेषस्य, चूर्णने ढलने, चञ्चत्वात्  
चाञ्चल्ययुक्त, भुजो बाहु', जगन्मण्डलस्य बद्धाण्डस्य, महारं विनाशने, वेगवान् रघ-  
गाली, धूर्जटि शिव', इव, भाति शोभते इत्यर्थः । अत्र प्रकृतपद्ये । वृत्तिन्व सप्तन्वर्थः,  
तस्य च दूरस्थोपमासिद्धिपदार्थकदेशे उपमायामन्वयः । अथवा प्रतिपाद्यत्व तदर्थः ।  
तथा च प्रकृतपद्यप्रतिपाद्ययोर्धूर्जटिभगवद्भुजयोरित्यर्थः । प्रकारनिर्मुक्तस्येति । निष्कार-  
कस्येत्यर्थः । निर्विषयस्येति यावत् । तदर्थस्त्वेव स्पष्टीकरणायाह—केवलेति । अप्रयोजक-  
तयेति । सादृश्यानियामकतयेति भावः । चाणूरचूर्णनेत्यादि । चाणूरचूर्णनं निमित्त  
यस्य, तादृश यत् चाञ्चल्यम्, तद्वत्त्वं च, जगन्मण्डलस्य संहारो निमित्तं यस्य, तादृशो  
यो वेगस्तद्वत्त्वं चेद्वन्द्वं, तयोरित्यर्थः । अभेदाध्यवसानेनेति । आहार्याभेदज्ञानेनेत्यर्थः ।  
अभिन्नधर्मप्रकारकैति । अभिन्न एक, धर्म उक्तविशेषणविशिष्टचाञ्चल्यवत्त्ववेगवत्त्वत्पो  
विषय, प्रकारो विशेषण यस्मिन्, तादृश यत् भानम्, तद्विशेष्यत्वस्येत्यर्थः । प्रथमा-  
न्तार्थसुल्यविशेष्यकबोधवादिना नैयायिकानां मतेनेदृशोक्तिः । ननु 'भुजो भगवतो भाती'ति  
पद्ये क्यनुपमाया सिद्धिः ? तस्तिद्धौ समणेशितस्य साधारणधर्मप्रत्ययस्याभावात्, न  
च शिवकृष्णभुजयोरुपमानोपमेयतया विवक्षितयोरकार एव तद्येति वान्वयम्, तयोरकार-  
रसान्यस्य विरहात् । न च भातीति त्रिचापदबोधं भानमेव साधारणधर्मोऽस्त्विति  
शक्यम्, प्रकारतया विषयाविशेषितस्य भानमात्रस्य सादृश्याप्रयोजकतया तत्त्वान्भवा-  
दिति चेन्न, अभिन्नधर्मप्रकारकभानविशेष्यत्वस्य साधारणधर्मत्वात् । कथनेतादिति चेत् ?  
इत्थम्—'चाणूरचूर्णने' 'जगन्मण्डलसंहारे' इत्यन्त्यो सप्तन्वोर्निमित्तत्वमर्थः, तस्य च  
चाञ्चल्यवेगवत्त्वयोरन्वयः । तथा च चाणूरचूर्णननिमित्तकचाञ्चल्यवत्त्वम्, जगन्मण्डल-  
संहारनिमित्तकवेगवत्त्वं चेति धर्मद्वयं फलितम् । तयोश्च सादृश्यमूलकाभेद आरोप्यते ।  
एवमभिन्नतामापन्न वस्तुतो भिन्नमपि तद्वर्तमानेकं सम्पद्यते, तथा सम्पन्नश्च धर्म  
प्रकारतः भानेऽन्वेति, तादृशभानविशेष्यत्वं च धूर्जटिभगवद्भुजयोरुपमानोपमेययो  
वर्तमानं सत् साधारणधर्मता भजत इति भावः ।

उक्त रीति से ही अन्य लक्ष्य में भी उपमा की सिद्धि दिखलाते हैं—एवम् इत्यादि ।  
इसी तरह 'भुजो भगवतो भाति' अर्थात् चाणूर नामक दैत्य को चूर्ण करने में चञ्चलता-  
युक्त भगवान्—श्रीकृष्ण—की भुजा, संसार के संहार करने में वेगयुक्त शिव जी के समान

प्रतीत होती है' इत्यादि पद्यों में भी समझना चाहिए। अभिप्राय यह है कि—यहाँ 'शिवजी' और 'भगवान् की भुजा' में आकार की समता है ही नहीं और केवल—अर्थात् विषय रूप विशेषण से शून्य भान ( क्रिया ) सादृश्य का प्रयोजक हो नहीं सकता—अर्थात् 'प्रतीत होते हैं' केवल इतना कहने से किन्हीं दो पदार्थों में सादृश्य की सिद्धि नहीं हो सकती, अतः 'चाणूर को चूर्ण करना' जिसका निमित्त है उस चाञ्चल्ययुक्तारूप और 'ससार का सहार' जिसका निमित्त है उस 'वेगयुक्तारूप' भानक्रिया के विशेषणों में अभेद मान लेने से यह सिद्ध हुआ कि—यहाँ उक्त अभिन्न धर्म जिसके विषयरूप से विशेषण हैं उस 'भान' क्रिया का विशेष्य होना ( जो कि शिव और भुजा दोनों में रहता है ) साधारण धर्म हुआ और तब उपमा की सिद्धि हुई। यहाँ एक बात यह समझ लेने योग्य है कि—शाब्दबोध में प्रथमान्त पद के अर्थ को मुख्य विशेष्य माननेवाले नैयायिकों के मतानुसार उक्त साधारण धर्म की सिद्धि होती है, वैयाकरणों के मतानुसार नहीं। कारण, उनके मत से शाब्दबोध में क्रिया, मुख्य विशेष्य होती है, अतः उनके मतानुसार 'भानक्रिया' ही मुख्य विशेष्य होगी, फिर तो 'भान विशेष्य' का आश्रय शिव और भगवद्भुज' इस तरह का अन्वय ही नहीं बन सकेगा।

अत्र विशेषमाह—

तत्र चाणूरजगन्मण्डलयोर्वस्तुतो भिन्नयोर्महाकाव्यत्वादिना सादृश्याद् विम्बप्रतिविम्बभावः । चूर्णनसंहारयोश्चाञ्चल्यवेगवत्त्वयोस्त्वाश्रयभेदाद्भिन्नयो रपि वस्तुत एकरूपतैवेति वस्तुप्रतिवस्तुभावः ।

तत्रेति । धर्मयोर्मध्ये इत्यर्थः । तौ धर्माविव क्रमशो निर्दिशति—चाणूरेत्यादिना । अत्र भाव —अत्र शब्दत प्रतीयमानस्य धूर्जटिभगवद्भुजयो सादृश्यस्योदरे चाणूरजगन्मण्डलयो, चूर्णनसंहारयो, चाञ्चल्यवेगवत्त्वयोश्च सादृश्यानि शब्दमन्तरापि प्रतीयन्त एव । तत्र चाणूरो जगन्मण्डलश्च वस्तुतो भिन्नौ पदार्थौ, परन्तु तावुभावपि महाकाव्यौ विशालौ अतस्तयोर्महाकाव्यत्वादिना समानधर्मेण सादृश्यमस्तीति प्राक् परिभाषितो विम्बप्रतिविम्बभावस्तयो । चूर्णनसंहारौ चाञ्चल्यवेगवत्त्वे च वस्तुत एकौ एव पदार्थौ, भेदमान तु तयोराश्रयभेदमूलकम् शब्दभेदमूलकश्च, अतस्तयोर्न विम्बप्रतिविम्बभाव अपि तु वस्तुप्रतिवस्तुभाव इति । एषश्च 'वस्तुतो भिन्नयोरपि ययोर्द्वयोः पदार्थयो समानधर्मप्रयुक्तसादृश्यमूलकमभेदाध्यवसान, तयोर्विम्बप्रतिविम्बभाव, एवं यौ द्वौ पदार्थौ वस्तुतो न भिन्नौ, किन्तु आश्रयभेदेन शब्दभेदेन च भिन्नाविव प्रतीयेते, तयोर्व्यत्राभेदाध्यवसानम्, तत्र तयोर्वस्तुप्रतिवस्तुभाव इति तयोर्भावयोर्भेदो बोध्यः ।

अब यहाँ का विशेष बतलाया जाता है—तत्र इत्यादि । तात्पर्य यह है कि—यहाँ शिव और भगवद्भुज में साक्षात् तथा परम्परा से रहनेवाले छै धर्म हैं, चाणूर और जगन्मण्डल ( जो पदार्थ, किसी भी सम्बन्ध से किसी पदार्थ में रहनेवाला होता है, उसको धर्म माना जाता है ), चूर्णन और सहार एव चाञ्चल्य और वेग । इन धर्मों में चाणूर और जगन्मण्डल, वस्तुतः भिन्न पदार्थ हैं परन्तु उन दोनों में महाकाव्य—विशाल होने से समानता है, अतः उन दोनों धर्मों में पूर्वोक्त परिभाषा के अनुसार 'विम्ब प्रतिविम्ब भाव' है और 'चूर्णन तथा सहार' एवं 'चाञ्चल्य तथा वेग' वस्तुतः भिन्न पदार्थ नहीं हैं, अपितु एक हैं, भेद तो इन सब में केवल आश्रय ( आधार ) के भेदप्रयुक्त भासित होते हैं, अतः इन दोनों में वस्तु-प्रतिवस्तुभाव है । सारांश यह हुआ कि—जहाँ वस्तुतः भिन्न दो पदार्थों में समानधर्मप्रयुक्त सादृश्य की प्रतीति होने के कारण अभेद माना जाय वहाँ 'विम्बप्रतिविम्बभाव' होता है और जो दो पदार्थ वस्तुतः भिन्न नहीं हों, पर भिन्न भिन्न आश्रय में रहने के कारण तथा भिन्न-भिन्न शब्दों से प्रतिपादित

ने के कारण भिन्न से लक्षित हों, उन दो पदार्थों का जहाँ ( भिन्न से प्रतीत होने के समय में भी ) अभेद माना जाय, वहाँ उनका 'वस्तु प्रतिवस्तुभाव' होता है ।

लक्षणनिरूपणनुपसहरति—

इत्येवं निरूपितमुपमालक्षणम् ।

उक्तप्रकारेण त्रियमाणमुपमालङ्कारस्य निरूपणमवसितमिति भावः ।

लक्षणनिरूपण का उपसहार करते हैं—इत्येवम् इत्यादि । उक्त रीति से किया जाने-वाला उपमा का निरूपण समाप्त हुआ ।

उदाहरणनिरूपणं प्रतिजानीते—

अथैवमुदाह्रियते—

अथेति । लक्षणनिरूपणानन्तरमित्यर्थः । इयम् उपमा । लक्षणनिरूपणात्परमिदानीमुपमाया उदाहरण दीयत इति भावः ।

उदाहरणनिरूपण की प्रतिज्ञा करते हैं—अथेत्यादि । लक्षणनिरूपण के बाद अब उपमा का उदाहरण दिया जाता है ।

उदाहरण प्रदर्शयति—

‘गुरुजनभयमद्विलोकनान्तःसमुदयदाकुलभावमावहन्त्याः ।

दलदरविन्दसुन्दरं हा हरिणदृशो नयनं न विस्मरामि ॥’

नायक स्वसत्त्वाय प्रति कथयति—‘हा’ इति खेदसूचकम् । वर्ण्यमानेय स्थितिर्नि-  
तान्तं खेदावहा भवेति भावः । गुरुजनानाम् वयोवृद्धानां श्वधादीनाम् भयम् तत्समो  
निर्लज्जताचरणप्रयुक्ता भीतिः, मद्विलोकनम् चेति द्वन्द्वः । तयो, अन्तर्मध्ये, समुदयन्तम्  
प्रादुर्भवन्तम्, आकुलभावम् क्षणिकनयनविकासदृष्टिगतनुद्रणात्मिका व्यग्रताम्, आव-  
हन्त्या धारयन्त्या हरिणदृशः नृगनयनायाः दलन् विकसत्, अरविन्दम् कमलम् इव,  
सुन्दरं रमणीयम् नयनं नेत्रम्, एकवचनेनैकनयनकरणककटाक्षवीक्षणं व्यज्यते । न विस्म-  
रामि पुनः पुनः स्मरामीति भावः ।

अब उपमा का उदाहरण दिखलाया जाता है—गुरुजन इत्यादि । नायक अपने  
सखा से कहता है—आह ! एक तरफ, सास आदि गुरुजनों का भय और दूसरी-तरफ  
मेरा अवलोकन, इन दोनों के बीच उत्पन्न होनेवाली घबराहट को धारण करनेवाली  
मृगाक्षी की ईषत्विकसित होते कमल सी सुन्दर आँखों को मैं नहीं भूल पाता—आज भी  
उस आँख की याद बराबर आती ही रहती है ।

उपपादयति—

अत्र दलदरविन्दशब्दस्योपमानवाचकस्य सुन्दरशब्देन सामान्यवचनेन  
समासे प्रतीयमानोपमा सकलवाक्यार्थस्य विप्रलम्भशृङ्गारस्य स्मृत्युपस्कर-  
णद्वारोपस्कारकतयालङ्कारः ।

अथेति । उक्तपद्ये इत्यर्थः । षट्कञ्च सप्तन्यर्थः, तस्य च शब्दस्येति पठ्यन्तार्थेन  
सहान्वयः । तथा च एतत्पद्यषट्कदलदरविन्दशब्दस्येत्यर्थः प्लितः । सामान्यवचने-  
नेति । साधारणधर्मवाचकनेत्यर्थः । समासे इति । ‘उपमानानि’ इत्यादि सूत्रेणेति भावः ।  
अत एव न श्रौतोऽन्याह-प्रतीयमानेति । आर्याति भावः । नकलवाक्यार्थस्येति । सकल-  
वाक्यतात्पर्यविषयीभूतस्येत्यर्थः । सन्पूर्वपद्यव्यङ्ग्यस्येति यावत् । शृङ्गारस्येत्यत्योपस्कार-



कतयेत्यत्रान्वयः । उपस्कारकतया शोभाधायकतया । एतच्च 'अलंक्रियते मुख्यवाक्यार्थो रसादिरनेने'ति व्युत्पत्तिलब्धस्यालङ्कारत्वयोग्यत्वस्य सम्पत्तेः सूचकम् । अत्र भावः— अत्र पद्ये 'दलदरविन्द'पदबोध्यमुपमानम्, 'सुन्दर'पदबोध्य साधारणधर्म, 'नयन'-पदबोध्यमुपमेयं समासशक्त्या उपमानवाचकस्य लक्षणया वा बोध्यम् सादृश्यम् च मिलित्वा उपमाऽलङ्कार सम्पद्यते, वाच्यस्य स्मरणस्य शोभाजननद्वारा व्यङ्ग्यस्य मुख्यवाक्यार्थस्य विप्रलम्भशृङ्गाररसस्य शोभाकरणात् । सा चोपमा न श्रौती, इवादेरभावात्, अपि तु समासगता आर्या इति ।

प्रकृतोपयोगी बातों का उपपादन करते हैं—अत्रेत्यादि । यहाँ उपमानवाचक 'दलदरविन्द' पद का साधारणधर्मवाचक सुन्दर पद के साथ 'उपमानानि सामान्य वचनैः' इस पाणिनिसूत्र से समास होने पर जिस उपमा (सादृश्य) की प्रतीति होती है, वह इसलिये उपमाअलङ्काररूप होती है कि उससे वाच्य स्मृति के शोभा सम्पादन द्वारा सम्पूर्ण पद्य से मुख्यतया अभिव्यक्त होनेवाले विप्रलम्भशृङ्गार का शोभा सम्पादन होता है ।

आशंक्य समाधत्ते—

न चात्र स्मृतिः प्रधानतया ध्वन्यत इति वक्तुं शक्यम्, न विस्मरामीति स्मृत्यभावनिषेधमुखेन स्फुटभावेदनात् । नापि पूर्वार्धगतत्रासौत्सुक्ययोः परस्परामिभवकामयोः संधिः प्रधानम्, तस्य नायिकागतत्वेनानुवाद्यत्वात्, उत्तरार्धगतस्मृत्यङ्गत्वाच्च ।

स्मृतिः स्मृतिभावः, तथा च भावध्वनेरिदमुदाहरणं न रसध्वनेरिति भावः । पुनरन्यदाशक्यते—नापीति । त्रासेति । गुरुजनभयमद्विलोकनपदबोध्ययोर्गुरुजनभयमद्विलोकनयोर्मध्ये व्याकुलत्वोदयेन द्वयोरपि तुल्यकक्षत्वम्, अत आह—परस्परिति । परस्परम् अन्योन्यम्, अभिभवे दलने, काम इच्छा ययोस्तयोरित्यर्थः । तस्य संधेः स्मृत्यङ्गत्वादिति । परम्परया भयत्राससधेरपि स्मृतिविषयत्वादिति भावः । इदमाकृतम्—'गुरुजने'तिपद्ये 'न विस्मरामी'त्यनेन विस्मरणस्य—स्मृत्यभावस्य निषेधोऽभिधीयते, तेन च स्मृतिरभिव्यज्यते इति स्मृतिभावध्वनिरेवात्र कृतो नाङ्गीक्रियत इति शङ्काया इदमुत्तरयत्, सत्यमत्र स्मृतिरभिव्यज्यते, परन्तु सा अभिव्यक्तिरतिस्फुटेति वाच्यायमाना स्मृतिर्ध्वनिकाव्यताप्रयोजिका न भवितुमर्हतीति । एवम् पूर्वार्धगताभ्याम् भयविलोकनाभ्यामभिव्यज्यमानाऽपि त्रासौत्सुक्ययोर्भावयोः संधिः प्रकृतपद्यस्य भावसधिध्वनिलक्ष्यतां सपादयितुं न क्षमते, तस्य नायिकागततयाऽनुवाद्यत्वेन उत्तरार्धगतस्मृत्यङ्गत्वेन चाप्राधान्यात् अप्रधानानुसारिकाव्यत्वव्यवहारस्यानुचितत्वात् । इति ।

आशङ्का करके समाधान करते हैं—न चेत्यादि । आप कहेंगे कि—'स्मृतिभाव' ही यहाँ प्रधान व्यङ्ग्य क्यों नहीं माना जाय अर्थात् जब यहाँ विप्रलम्भशृङ्गार भी अभिव्यक्त होता है और स्मृतिभाव भी, तब जो विप्रलम्भध्वनि ही यहाँ मानते हैं, स्मृतिभावध्वनि नहीं, ऐसा क्यों ? इसका समाधान यह है कि स्मृति यहाँ 'न विस्मरामि' (मुझे विस्मृत नहीं होता) इस पद से स्मृति के अभाव के निषेधरूप में स्पष्ट ही सूचित कर दी गई है—वाच्य जैसी बना दी गई है, अतः उसके बल पर इस पद्य को ध्वनि नहीं कहा जा सकता । इसी तरह पूर्वार्ध के 'भय और विलोकन' से अभिव्यक्त होनेवाले समकक्ष अतएव एक दूसरे को दबाने की कामना करनेवाले त्रास और औत्सुक्य-भावों की संधि, प्रधान व्यङ्ग्य नहीं हो सकती क्योंकि यह भाव सधिवाक्यार्थ

में उद्देश्यभूत नायिका के विशेषणों से अभिव्यक्त होती है, अतः वह भी अनुवाद्य ही होगी और उत्तरार्ध में वर्णित स्मरण का अङ्ग भी है, इन दोनों ही कारणों से भावसधि प्रधान नहीं हो सकती ।

निकृष्टार्थना २—

तस्माद् भावसन्ध्युपमालङ्काराभ्यामुपस्कृता स्मृतिर्हापदगम्यः सन्तापोऽनु-  
भावश्च विप्रलम्भनेवोपस्कृदत इति तस्यैवात्र प्राधान्यम् ।

तरनादिति । स्मृति-त्रासौत्सुक्यसन्ध्यो प्रधानव्यङ्ग्यत्वविरहादित्यर्थः । विप्रलम्भ-  
शृङ्गारोऽत्र प्रधानव्यङ्ग्यः, स्मृतिभाव हापदयोः सतापरुोऽनुभावश्च तस्य पोषकौ ।  
स्मृतिभावस्य च त्रासौत्सुक्ययो सधि उपमालङ्कारश्च पोषकौ इति भावः ।

उक्त शङ्कापनाशान के बाद निकलने वाले सारांश का अब निर्देश करते हैं—तस्मात्  
इत्यादि । तस्मात् यह सिद्ध हुआ कि इस पद्य में विप्रलम्भशृङ्गार ही प्रधान व्यङ्ग्य है और  
स्मृतिभाव तथा 'हा'पद से अवगत होने वाला सतापरुप अनुभाव, उस (विप्रलम्भ-  
शृङ्गार) के पोषक हैं । एवं 'त्रास तथा उत्सुकता' इन दोनों भावों की सधि और  
'उपमा' 'स्मृतिभाव' को पुष्ट करते हैं ।

प्राचीनालङ्कारिकोचोपमालङ्कारान्यालोचयितुमुपक्रममाणस्तावद्दीक्षितकृतलक्षणमालो-  
चयति—

अप्ययदीक्षिताः पुनश्चित्रमीमांसायाम्—'उपमितिक्रियानिष्पत्तिमत्सादृश्यवर्ण-  
नमदुष्टमव्यङ्ग्यमुपमालङ्कारः । स्वनिषेधापर्यवसायि सादृश्यवर्णनं वा तथा-  
भूतम् तथा' इति लक्षणद्वयमाहुः । तच्चिन्त्यन् । वर्णनस्य विलक्षणशब्दात्मकस्य  
विलक्षणज्ञानात्मकस्य वा शब्दवाच्यताविरहेणार्थालङ्कारताया बाधात् । तस्य  
सवधैवाव्यङ्ग्यत्वादव्यङ्ग्यत्वविशेषणवैयर्थ्याच्च ।

'दीक्षिता' इत्यस्य, 'आहुः' इत्यत्र सन्बन्धः । 'चित्रमीमांसा' तत्कृतालङ्कारनिरूपणपरो  
ग्रन्थः । खण्डयति—तच्चिन्त्यमिति । चिन्त्यत्वे हेतुमाह—वर्णनस्येत्यादिना, शब्दोऽपि  
शब्दवाच्य इति मते नायं दोषोऽत आह—विलक्षणज्ञानेति । अव्यङ्ग्यत्वाद् व्यङ्ग्यत्वा  
भावात् । 'यैन सादृश्येन उपमितिक्रियायाः-तुलनाया' सिद्धिर्भवेत्, तादृश, दोषरहित,  
व्यङ्ग्यताविहीनश्च, सादृश्यनुपमा' इति दीक्षितकृतप्रथमलक्षणस्य स्वस्य (उपमाया)  
निषेधे यस्य पर्यवसानं न भवेत्, तादृशमदोषत्वाव्यङ्ग्यत्वविशेषणविशिष्टं सादृश्यस्य  
वर्णनम् उपनेति च द्वितीयलक्षणस्य—स्वरूपं पर्यवस्यति । परन्तु तत्र युक्तम्, विचारा  
सहत्वान् । तथाहि—वर्णनन्नाम विलक्षण शब्दराशि विलक्षणः ज्ञानसन्दोहो वा, सम्य-  
थापि न तस्य शब्दवाच्यता सम्भवति, तत्र शब्दशक्तेरभिधाया अप्रहणात् । एव  
स्थितौ, तस्य (वर्णनस्य) अर्थालङ्कारिता बाधितैव । शब्दोऽपि शब्दाना शक्य इति  
मते वर्णनस्य शब्दात्मकवक्तृत्वे कथंविददोषेऽपि ज्ञानात्मकत्वे तस्यैव दोषो दुर्वार एव ।  
किञ्च तादृश वर्णनं न कदापि व्यङ्ग्य स्यादिति लक्षणोऽव्यङ्ग्यत्वविशेषणस्य व्यावर्त्याला-  
माद् धैर्यम् स्पष्टम् इति भावः ।

प्राचीन आचार्यों के द्वारा किए गये लक्षणों की आलोचना के प्रसङ्ग में सर्वप्रथम  
अप्ययदीक्षितकृत लक्षण की आलोचना करते हैं—अप्ययदीक्षिता इत्यादि । अप्यय-  
दीक्षित ने 'चित्रमीमांसा' नामक अपने अलङ्कारशास्त्रीय निबन्ध में दो प्रकार के  
उपमा-लक्षण बनाए हैं । जिनमें एक का अभिप्राय है कि—'उस सादृश्यवर्णन को

उपमा अलङ्कार कहते हैं, जिसमें कोई दोष न हो, जो व्यङ्ग्य न हो अर्थात् वाच्य हो, और जिससे उपमिति क्रिया-तुलना-की सिद्धि होती हो ।' तथा द्वितीय का भाशय यह है कि 'उपमा के निषेध में जिसका पर्यवसान न होता हो—अर्थात् जिससे अन्ततोगत्वा उपमा का निषेध सिद्ध न होता हो—ऐसे दोषहीन अथवा अव्यङ्ग्य सादृश्य-वर्णन को उपमा कहते हैं ।' परन्तु ये दोनों ही लक्षण असङ्गत हैं । कारण, इन दोनों लक्षणों में 'सादृश्यवर्णन' को उपमालङ्कार माना गया है, और वर्णन होता है शब्दात्मक अथवा ज्ञानात्मक—अर्थात् वर्णन की ये दो रीतियाँ हो सकती हैं, एक वाह्य और दूसरी मानस, उन दोनों में वाह्यवर्णन शब्द के रूप में होता है और मानस वर्णन ज्ञान के रूप में । ऐसी स्थिति में शब्दों के शब्दवाच्य न होने के कारण, और यदि किसी तरह शब्दों को शब्द-वाच्य मान भी लिया जाय, तथापि ज्ञान के तो सर्वथा शब्दवाच्य न होने के कारण, वर्णन का अर्थालङ्कार होना बाधित हो जाता है । सारांश यह कि जिस वस्तु में शब्द की अभिधाशक्ति रहती है, वह वस्तु वाच्य होती है, उसे ही अर्थ कहा जाता है, और वही वाच्य वस्तु जब साक्षात् अथवा परम्परा से रस आदि को सुशोभित करती है, तब वह अर्थालङ्कार कहलाती है । ऐसी परिस्थिति में जिसमें शब्द की अभिधा नहीं—जो शब्दवाच्य नहीं—उसे ( अर्थात्-वर्णन को ) अर्थालङ्कार मानना नितान्त अनुचित है । दूसरे, शब्दारमक अथवा ज्ञानात्मक वर्णन, किसी भी दशा में व्यङ्ग्य हो ही नहीं सकता, अतः 'सादृश्यवर्णन' में 'अव्यङ्ग्य' विशेषण भी व्यर्थ है ।

दीक्षितलक्षणस्य सङ्गतिमाशक्य निराचष्टे—

अथ यदि वर्णनविषयीभूतं तादृशसादृश्यमुपमेत्युच्यते, तदा यथा गौस्तथा गवय इत्यत्रोपमालङ्कारापत्तेः । एवं 'कालोपसर्जने च तुल्यम्' इत्यादावपि । अशिष्यत्वादिना प्रधानप्रत्ययार्थवचनसादृश्यस्यात्रापि प्रतिपादनात् ।

तादृशमिति । अदुष्टाव्यङ्ग्येत्यादिविशेषणविशिष्टमित्यर्थः । कालोप सर्जन इति । पाणिने सिद्धान्तकौमुदीस्थम् सूत्रमेतत् । इत्यादावपीति । उपमालङ्कारापत्तिरित्यस्यानुपपन्नम् । अत्रादिपदग्राह्य किमिति चिन्तनीयम् । अत्रापीति । कालोपसर्जनयोरपीत्यर्थः । अयं भावः—सादृश्यवर्णनस्योपमालङ्कारत्वे यौ दोषौ उक्तौ, तौ, यद्यपि 'वर्णनविषयीभूतस्य तादृशसादृश्यस्य तत्त्वे तात्पर्यविषयतया विवक्षिते न प्रसजत', तथापि दोषान्तरापातो दुर्वार एव । तथाहि—'यथा गौस्तथा गवयः' इत्यस्मिन् वाक्येऽपि गो-गवययो तुलनासाधक दोषहीन वाच्य सादृश्यमस्तीति उपमालङ्कारः प्रसजेत् । एवम् 'कालोपसर्जने च तुल्यम्' इति पाणिनीयसूत्रवाक्येऽपि तदापत्तिरापतेत् । कथमिति चेदित्यम्—'प्रधानप्रत्ययार्थवचनमर्थस्यान्यप्रमाणत्वात्' इति सूत्रम्, 'प्रत्ययार्थः प्रधान भवतीत्येव रूप वचनमशिष्यम् ( शास्त्रद्वारा नानुशासनीयम् ) । अस्यार्थस्य अन्यप्रमाणत्वात्—'प्रत्ययार्थप्राधान्यस्य लोकसिद्धत्वात्—'इत्यर्थकम् उक्त्वा 'कालोपसर्जने च तुल्यम्' इति सूत्रमुक्तम् । तस्यायमाशयः—'अतीताया रात्रे' पश्चार्धेन आगामिन्या पूर्वार्धेन च सहित कालः ( दिवस ) अद्यतनः । 'विशेषणमुपसर्जने' इत्यादि यत् प्राक्तनैराचार्यैरनुविहितम्, तत्रापि अशिष्यत्वम् तुल्यम्, लोकत एव सिद्धे । अर्थात् प्रत्ययार्थः प्रधानम् इत्यादि वचनम् यथा अशिष्यम्, तथा अद्यतनोऽयं कालः, विशेषणं हि उपसर्जनं भवतीत्यादिकमपि अशिष्यम् । अत्र प्रधानप्रत्ययार्थवचनस्य कालोपसर्जनयोश्च अशिष्यत्वरूपसामान्यधर्मेण सादृश्य प्रतिपाद्यते, ततश्चात्रापि उपमा स्यात् इति ।

दीक्षितकृत लक्षण को सङ्गत सिद्ध करने के लिये पूर्वपक्ष करके खण्डन करते हैं—

अथ इत्यादि । यदि आप कहें कि-वर्णन के विषय-अर्थात् वर्णन में आनेवाले उक्त विशेषणों से युक्त सादृश्य उपमा है ( यही दीक्षित का तात्पर्य है ) अत उक्त दोष नहीं हो सकते, तब मैं कहूँगा कि-ठीक है, वे दोष नहीं हो सकते, परन्तु दूसरे दोष तब भी होंगे । जैसे-उक्त लक्षण के अनुसार 'जैसा वैल होता है वैसा ही गवय ( नील गाय ) होता है' इस वाक्य में उपमालङ्कार हो जायगा, क्योंकि दोषरहित वाच्यसादृश्य यहाँ है । इसी तरह 'कालोपसर्जने च तुल्यम्' ( पाणिनि सूत्र १।२।५७ ) इत्यादि में भी उपमालङ्कार की आपत्ति हो जायगी । कारण, यहाँ भी 'अशिष्यत्व-अनुशासन न करने योग्य होने-' रूप सामान्य धर्म से काल और उपसर्जन का 'प्रधान प्रत्ययार्थवचन'रूप उपमान के साथ सादृश्य का प्रतिपादन है । इस द्वितीय दोष का स्पष्ट विवरण इस प्रकार है—'प्रधानप्रत्ययार्थवचनमर्थस्यान्यप्रमाणत्वात्' यह है प्रथम सूत्र, जिसका भाशय है कि 'प्रत्यय का अर्थ प्रधान हो', इस तरह का वचन बनाना व्यर्थ है—नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि यह बात लोक से ही सिद्ध है । इसके बाद में—'कालोपसर्जने च तुल्यम्' यह सूत्र है, जिसका अभिप्राय है कि जैसे प्रत्ययार्थ की प्रधानता का नियामक वचन, लोकसिद्ध होने के कारण, नहीं बनाना चाहिए, वैसे ही 'विगत रात्रि के उत्तरार्ध से लेकर आगामिनी रात्रि के पूर्वार्ध तक का काल अद्यतन है' इस तरह का कालविधायक वचन तथा 'विशेषण उपसर्जन है' इस प्रकार का उपसर्जनत्वनियामक वचन भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये सब बातें भी लोक से ही सिद्ध हैं । अब आप प्रधानप्रत्ययार्थ वचन का सादृश्य काल तथा उपसर्जन में देख सकते हैं ।

द्वितीयदोषवारणमाशक्य निराकरोति—

न चात्र वचनभेदस्य दोषस्य सत्त्वाददुष्टत्वविशेषणो वारणं भविष्यतीति वाच्यम् । एतद्वाक्योपप्लुतवाक्यान्तरप्रतिपादितैकोपमेयके सादृश्ये तथाप्यति-प्रसङ्गात् ।

अत्रेति । 'कालोपसर्जने च तुल्यम्' इत्यत्रेत्यर्थ । उपप्लुतेति । कल्पितेत्यर्थ । वाक्यान्तरेति । 'काल प्रधानप्रत्ययार्थवचनेन तुल्य', 'उपसर्जनम् प्रधानप्रत्ययार्थवचनेन तुल्यम्' इत्याकारकेत्यर्थ । 'कालोपसर्जने' इत्यस्य द्विवचनान्ततया 'तुल्यम्' इत्यस्यैक-वचनान्ततया वचनभेदरूपदोषस्य विद्यमानत्वेन नात्रोपमालङ्कारापत्तिः, लक्षणेऽदुष्टत्ववि-शेषणस्य तद्धारकस्य प्रवेशादिति शङ्का, सग्राहकमेतदेकं वाक्य भङ्क्त्वाकल्पितयोरेकोपमेय-घटितयो पूर्वोक्तयोर्वाक्ययो प्रत्येकस्मिन् तदापत्तिस्तथापि, तद्दोषस्याभावादिति च समा-धान बोध्यम् ।

द्वितीय दोष नहीं हो सकता इस तरह की आशङ्का करके पुन उस दोष को स्थिर करते हैं—न चात्र इत्यादि । यदि कोई कहे कि लक्षण में 'अदुष्टत्व' विशेषण जुड़ा हुआ है और यहाँ 'कालोपसर्जने' इस उद्देश्य अंश के द्विवचनान्त तथा 'तुल्यम्' इस विधेय अंश के एकवचनान्त होने से 'वचनभेद'रूप दोष वर्तमान है, अत यहाँ उपमा की आपत्ति नहीं हो सकती, तो यह कथन आपका सत्य है, परन्तु 'कालोपसर्जने' यह एक संग्राहक वाक्य है, अत जब इस वाक्य को तोड़कर 'कालः प्रधानप्रत्ययार्थवचनेन तुल्य', 'उपसर्जन प्रधानप्रत्ययार्थवचनेन तुल्यम्' इस तरह के दो वाक्यों की कल्पना कर ली जायगी, जिसमें क्रमशः 'काल' और 'उपसर्जन'रूप एक-एक उपमेय रहेगा, तब उन दोनों वाक्यों से प्रतिपादित होनेवाले 'सादृश्य' में उक्त दोष तथापि लग ही जायगा, क्योंकि उस तरह के वाक्यों में 'वचन-भेद'रूप दोष नहीं रह जाता ।

पर्यवसायित्व अर्थात् जो सादृश्य भास्त्रिर में अपने निषेध के रूप में परिणत नहीं होता हो' यह विशेषण भी जोड़ना निरर्थक हो जाता है, क्योंकि 'तवाननस्य तुलनां क्थानु जलज कथम् अर्थात् कमल तेरे मुख की तुलना कैसे प्राप्त करे' इत्यादि व्यतिरेक में, तथा 'मुख मुखमिवाभाति अर्थात् मुख, मुख जैसा ही शोभित होता है' इत्यादि भनन्वय में, अन्ततः अपने निषेध के रूप में पर्यवसित हो जाने वाले सादृश्य में उपमात्व का निराकरण करना जो उस विशेषण का फल था, वह 'चमत्कारी सादृश्य' कह देने से ही सिद्ध हो जाता है। कारण, उन दोनों अलङ्कारों में क्रमशः 'कमल में मुख का सादृश्य नहीं है' इस तरह का कमलनिष्ठ सादृश्य का अभाव और 'मुख का सादृश्य कहीं नहीं है' इस तरह का सर्वथा सादृश्य का अभाव ही चमत्कार-जनक होता है, अभाव के प्रतियोगीरूप में नान्तरीयक होने के कारण कथित सादृश्य नहीं यह बात पहले ही कही जा चुकी है।

न्नु 'उपमितिक्रियानिष्पत्तिमत्' 'स्वनिषेधापर्यवसायी'ति विशेषणद्वय न लक्षणशरीरघटकम्, अपि तु 'अत्रत्यवर्णनपदस्य 'चमत्कारजनकज्ञानविषयीभूतानुयोगिक सादृश्य लक्षणप्रविष्ट'मित्यर्थे' तात्पर्यग्राहकम्, तथा च न तद्वैयर्थ्यनापायतामर्हतीत्यतो शेषान्तरमाह—

किञ्च

'स्तनाभोगे पतन्भाति कपोलात् कुटिलोऽलकः ।

शशाङ्कविम्बतो मेरौ लम्बमान इवोरगः ॥'

इत्यादौ मुख्यवाक्यार्थत्वेनानलङ्कारभूतायामुपमायामतिव्याप्तिः । उपमिति-क्रियानिष्पत्तिमत्सादृश्यवर्णनस्यादुष्टाव्यङ्ग्यत्वस्य चात्रापि सत्त्वात् । न चैयमप्युपमा लक्ष्येति वाच्यम् । ध्वन्यमानोपमानिवारणप्रयासस्य वैयर्थ्यपत्तेः । न ह्यत्राभेदप्रधानोत्प्रेक्षा शक्या वक्तुम् । कल्पितोपमाया निर्विषयत्वप्रसङ्गात् ।

'व्यापार उपमानाख्यो भवेद्यदि विवक्षितः ।

क्रियानिष्पत्तिपर्यन्तमुपमालङ्कृतिस्तु सा ॥'

इति स्वकृतसूत्रेऽलङ्कारभूतोपमाया एव लक्ष्यत्वेनाभिधानात् । अलङ्कारभूतोपमालक्षणत्वे तदेवादुष्टाव्यङ्ग्यत्वविशेषितमिति तत्रैव पुनरभिधानाच्च । न ह्यत्रोपमानोपमेयसादृश्यादुपमास्वरूपादस्ति कश्चिदतिरिक्तो वाक्यार्थः, येनोपमा तमलङ्कुर्यात् ।

स्तनाभोगे इति । व्याख्यातमिदं पुरस्तात् । मुख्यवाक्यार्थत्वेनेति । तथा च न वाक्यार्थोपस्कारकत्वमिति भावः । एतच्च 'अलङ्करोती'ति योगलब्धम् । तत्कल्पितमाह—अलङ्कारेति । अतिव्याप्तौ हेतूपन्यासनुबन्धेन लक्षणार्थं सघटयति—उपमिति क्रियेति । सङ्ग्राह्यत्वमाशङ्कयते—न चेति । प्रतिबन्धा तदुत्तरमाह—ध्वन्यमानेति । अलङ्कारान्तरानुद्भाव्य सादृश्याप्रतीतियुक्तिकं लक्षणाप्रसङ्गमाशङ्कयते—न ह्यत्रेति । समाधानमाह—कल्पितेति । अनलङ्कारभूतोपमाया अपि लक्षणमिदमिति मनसि कृत्वा तद्विषयं दीक्षितवचनानुद्धारति—व्यापार इति । उपमानाख्यः तुलनात्मकः, व्यापार क्रिया, उपमिति-क्रियानिष्पत्तिपर्यन्तम् तुलनासिद्धिं यावत्, यदि विवक्षितः वक्तुरभिप्रेतः, तर्हि, सा, उपमालङ्कृतिरिति तदर्थः । वक्तव्यम् स्फुटोक्तुन् दीक्षितोक्तमन्यदप्युद्धारति—अलङ्कारभूतोपमालक्षणत्वे इति । अत्रत्योपमाया अनलङ्कारत्वं स्फुटयितुमाह—न ह्यत्रोपमेनेति । अयं भावः—उपमिति क्रियानिष्पत्तीत्यादिविशेषणत्योकायं तात्पर्यग्राहकत्वस्वीकारे यद्यपि

में जब आप को अलङ्काररूप किसी उपमा का संग्रह करना अभीष्ट हो गया, तब व्यङ्ग्य अतएव अलङ्काररूप न होनेवाली उपमा का भी संग्रह करना ही उचित था, फिर व्यर्थ उसके वारण का प्रयास क्यों ? आप कहेंगे—यहाँ किसी तरह की उपमा है ही कहाँ ? क्योंकि उपमा में सादृश्य की प्रधानता होती है और यहाँ प्रधानता है साँप तथा केशों के अभेद की, अत यहाँ उल्लेख है, फिर उक्त आपत्ति कैसे आपने दे डाली ? किन्तु यह कथन आपका सङ्गत नहीं, ऐसा मानने से कल्पितोपमा, निर्विषय हो जायगी—उसका कहीं लक्ष्य ही नहीं रह जायगा। यह तो आप कह नहीं सकते कि मैं 'कल्पितोपमा' नहीं मानता, कारण, 'चित्रमीमासा' नामक निबन्ध में आपने इसे स्वीकृत किया है। अलङ्काररूप होनेवाली—अर्थात् किसी अपने से भिन्न मुख्य अर्थ को सुशोभित करने वाली उपमा का ही आपने यह लक्षण बनाया है अलङ्कार रूप उपमा का नहीं, यह बात आपकी अन्य उक्तियों से भी सिद्ध होती है, क्योंकि आपने, 'व्यापार उपमानास्त्यो अर्थात् जब उपमान नामक क्रिया ( तुलना ) का क्रिया की सिद्धि पर्यन्त कहना अभीष्ट हो, तब उपमा अलङ्कार होता है' इस सूत्र में अलङ्काररूप उपमा को ही लक्ष्य कहा है। इतना ही नहीं, वहाँ पर आपने पुनः कहा है कि 'अलङ्काररूप उपमा के लक्षण में 'अदुष्ट और अव्यङ्ग्य' ये दो विशेषण और जोड़ देने चाहिएँ।' एक बात पर ध्यान दीजिये—'स्तनाभोगे' इस पद्य के विषय में जो पण्डितराज ने यह कहा है कि यहाँ उपमा के स्वरूप ( उपमान, उपमेय और सादृश्य ) से भिन्न कोई वाक्याथ है ही नहीं, फिर यहाँ की उपमा अलङ्कृत करे तो किसको ? अतः यह उपमा अलङ्काररूप नहीं होती, वह कैसे सङ्गत होगा, क्योंकि वस्तुतः यदि बात है अर्थात् उपमास्वरूप से अन्य वाक्यार्थ नहीं है, तब पण्डितराज ने स्वयं जो इस पद्य में उपमालङ्कार माना है, वह कैसे ? कारण, उनके लक्षण में साफ साफ सादृश्य का वाक्यार्थोपस्कारक होना अपेक्षित माना गया है, अत उनके लक्षण के अनुसार यहाँ उपमालङ्कार नहीं होना चाहिए। यदि उक्त श्लोकवाक्य से शृङ्गार को अभिव्यक्त मान कर उसको मुख्य वाक्यार्थ माना जाय, और उसको उपस्कृत करने के कारण यहाँ की उपमा को अर्थालङ्कार कहा जाय, तब दीक्षित के मत में भी मेरे विचार से कोई दोष नहीं होता।

ननु श्रलङ्करोतीति योगबोधितोपस्कारकत्वस्यालङ्कारसामान्यस्वरूपत्वेन विशेषलक्षणेण तदनिवेशोऽपि क्षत्यभाव—अर्थात् अलङ्कारपदयोगार्थशून्ये लक्ष्ये पूर्वोक्तातिव्याप्तिर्न संभवदुक्तिकेत्यत आह—

अपि च लक्षणे सादृश्यविशेषणं निरर्थकम् । 'उपमितिक्रियानिष्पत्तिमद्रवर्णनमुपमा' इत्येतावतैव स्वाभीष्टार्थलाभात् ।

सादृश्यस्यैव वर्णनम्, उपमितिक्रियानिष्पत्तिकरम्—अर्थात् सादृश्यादन्यस्य कस्यचिद्वर्णने तुलनाया सिद्धिर्नैव भवितुमर्हति, तथा च 'उपमितिक्रियानिष्पत्तिवर्णनमुपमा' इत्येतदत एव लक्षणत्वे दीक्षिताभिप्रेतप्राप्तौ 'सादृश्योक्ति' लक्षणे निरर्थकैव । एवञ्च दीक्षितकृतमुपमालक्षण न समीचीनमिति भाव ।

अलङ्कार पद का योगार्थ ही दूसरे को सुशोभित करनेवाला होता है—शोभाजनक हुए बिना कोई पदार्थ, अलङ्कार, हो ही नहीं सकता, फिर यदि अलङ्कारों के विशेष लक्षण में उस तरह का वाक्यार्थोपस्कार आदि विशेषण नहीं भी जोड़ा जाय, तथापि हानि नहीं हो सकती अर्थात् पूर्व में जो आपने लक्षण की अतिव्याप्ति दिखलाई है, वह वस्तुतः होती नहीं, क्योंकि अलङ्कार इस नामपद से ही उसका वारण, हो जायगा, अतः अन्य दोष दिखलाया जाता है—अपि च इत्यादि। उक्त दोनों लक्षणों में वर्णन के साथ जो 'सादृश्य का' यह विशेषण जोड़ा गया है, वह निरर्थक है, क्योंकि 'उपमिति

इदमपि लक्षण न सम्यक्, 'हृदयं साधर्म्यम्' इत्येतावत् एव लक्षणत्वे संभवति अन्य-विशेषणानां लक्षणोक्तानां निरर्थकत्वादिति भावः ।

प्राचीनों के एक अन्य लक्षण की भी आलोचना करते हैं—एवम् उपमानोपमेय इत्यादि । जिस तरह पूर्वोक्त लक्षण सब असङ्गत सिद्ध हुए हैं, उसी तरह प्राचीनों का 'उपमानोपमेयत्व' इत्यादि अर्थात् उपमानोपमेयभाव के योग्य दो वस्तुओं के सुन्दर सादृश्य को काव्यज्ञ जन उपमा कहते हैं' लक्षण भी असङ्गत ही है, क्योंकि यह लक्षण व्यर्थ विशेषणों से युक्त अर्थात्-साधर्म्य के साथ केवल हृद्य-सुन्दर-विशेषण का जोड़ना ही उपमालक्षण में काफी है, फिर जो इस लक्षण में अन्य विशेषण जोड़े गये हैं, वे सब के सब व्यर्थ ही हैं ।

मम्मटोक्त लक्षण परीक्षते—

एवं काव्यप्रकाशोक्तमपि 'साधर्म्यमुपमाभेदे' इति लक्षणं नातीव रमणीयम् । व्यतिरेके निषेधप्रतियोगिनि सादृश्येऽतिव्यापनात् । न च पर्यवसितत्वेन साधर्म्यं विशेषणीयमिति वाच्यम् । अनन्वयस्थसादृश्यस्यापर्यवसायित्वेनैव वारणे भेदविशेषणवैयर्थ्यापत्तेः । काव्यालङ्कारप्रस्तावे लौकिकालौकिकप्रधान-वाच्यव्यङ्ग्योपमासामान्यलक्षणकरणानौचित्याच्च ।

अरमणीयत्वे हेतुमाह—व्यतिरेक इति । घटकत्व सप्तम्यर्थः । तथा च व्यतिरेक-घटकसादृश्ये इति तात्पर्यार्थः । अतिव्याप्तिनिरासाय शक्ते—न चेति । उत्तरयति-अनन्वयेति । भेदपदस्य पर्यवसितत्वार्थं तात्पर्यग्राहकत्वाङ्गीकारे तद्दोषाभावादोषान्तरमाह—काव्यालङ्कारेति । काव्यप्रकाशाभिधाने परमप्रसिद्धे निबन्धे मम्मटेन 'सादृश्यमुपमाभेदे' इति उपमायां लक्षणं कृतम् । उपमानोपमेययोः भेदे सति, भिन्नपदार्थयोः उपमानोपमेयभावे सतीति यावत् सादृश्यमुपमेति तदर्थः । परमिदमपि लक्षणं न समीचीनम्, पूर्वोक्ते निषेधप्रतियोगिनि व्यतिरेकालङ्कारघटके सादृश्ये तस्याप्यतिव्याप्तेः । पर्यवसितत्वेन साधर्म्यं विशेषिते—अर्थात् यस्य निषेधे पर्यवसानं न भवेत् तादृशो-स्वरूपेऽवतिष्ठमाने इति यावत्-सादृश्ये लक्षणघटकतया विवक्षितेऽपि न निस्तारः, तथा सति तेनैव विशेषणेन निषेध-पर्यवसायिनोऽनन्वयालङ्कारस्थस्यापि सादृश्यस्य वारणे सिद्धे तद्वारकस्य 'भेदे' इति विशेषणस्य वैयर्थ्यापत्तेः । न च भेदपदस्य तादृशार्थ एव तात्पर्यग्राहकतया लक्षणं निर्दुष्ट-मिति वाच्यम्, काव्यशास्त्रप्रसिद्धालङ्कारलक्षणनिर्माणप्रकरणे लौकिकीलौकिकी प्रधानाम्, वाच्याम् व्यङ्ग्या च—सर्वविधामिति यावत्-उपमा संगृह्यते लक्षणस्य निर्मातुमनौचित्यात् इति भावः ।

अब मम्मट भट्ट के लक्षण की पर्यालोचना करते हैं—एवं काव्य इत्यादि । अन्य लक्षणों के समान ही 'काव्यप्रकाश' में मम्मट के द्वारा लिखा गया 'साधर्म्यमुपमाभेदे अर्थात् भेद रहने पर अर्थात् उपमान उपमेय के दो रहने पर सादृश्य का नाम उपमा है ।' यह लक्षण भी अधिक सुन्दर नहीं है । कारण, इसकी भी पूर्वोक्त, व्यतिरेकालङ्कारस्य निषेधप्रतियोगी सादृश्य में अतिव्याप्ति हो जाती है । 'साधर्म्य' में पर्यवसित-अर्थात् जो सादृश्य अपने रूप में ही पर्यवसित होता हो-अन्त तक अपने रूप में रहे, तात्पर्य यह कि निषेधरूप में जो परिणत न होता हो ऐसा, यह विशेषण लगाने से भी लक्षण को निर्दुष्ट नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि उस विशेषण के लगाने पर जिस तरह व्यतिरेकस्थलीय निषेध में पर्यवसित होनेवाले सादृश्य का वारण होगा, उसी तरह उसी विशेषण से अनन्वयस्थलीय निषेधरूप में परिणत होनेवाले सादृश्य का भी वारण हो ही जायगा, फिर 'भेदे अर्थात् भेद रहने पर' यह विशेषण निरर्थक हो जायगा-अर्थात्

विवक्षितस्य कविकल्पिततया उपमानगुणत्वेनाप्रसिद्धेस्तत्राव्याप्ते, प्रसिद्धगुणत्वेन रूपेणोपमानस्य कापि प्रसिद्धिविरहेण लक्षणेऽप्रसिद्धदोषावताराच्चेति भावः ।

एक दूसरे लक्षण का भी खण्डन करते हैं—एवम् इत्यादि । 'प्रसिद्धगुणेन' अर्थात् गुण धर्म ( गुण क्रिया आदि ) जिनके प्रसिद्ध हों अर्थात् कविकल्पित न हों, ऐसे उपमान के साथ, जिनके धर्म प्रसिद्ध न हो, ऐसे उपमेय का जो सादृश्य उसको उपमा कहते हैं' यह अलङ्काररत्नाकर का लक्षण भी ठीक नहीं है । कारण, अन्ततः निषेधरूप में परिणत हो जानेवाले व्यतिरेकस्थलीय सादृश्य में इसकी भी अतिव्याप्ति हो जाती है । यदि आप 'अपने रूप में पर्यवसित होनेवाले' ऐसा विशेषण सादृश्य में लगाकर लक्षण को ठीक बनाना चाहेंगे, तो भी वह ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि उस स्थिति में श्लेषमूलक उपमा के स्थल में लक्षण की अव्याप्ति ही हो जायगी अर्थात् श्लिष्ट शब्द जो उपमान का धर्म माना जाता है, प्रसिद्ध नहीं होता अतः वहाँ यह लक्षण सङ्घटित नहीं हो सकेगा । इतना ही नहीं, वस्तुतः यह लक्षण अप्रसिद्ध ही है अर्थात् कहीं भी सङ्घटित नहीं हो सकता कारण, ऐसा उपमान कहीं मिल ही नहीं सकता, जो प्रसिद्ध गुण वाले के रूप में प्रसिद्ध हो । सारांश यह कि चन्द्र आदि उपमान भी चन्द्ररूप में ही प्रसिद्ध रहता है, 'आहादकत्व वाला चन्द्र' इस रूप में नहीं ।

परकीयलक्षणपर्यालोचनसमाप्ति सूचयति—

इत्यलं परकीयदूषणगवेषणया ।

परेषा दूषणान्वेषण व्यर्थमिति तत्परिहीयत इति भावः ।

अब परकीयलक्षणसमाप्ति की सूचना देते हैं—इत्यलम् इत्यादि । दूसरों का दोषान्वेषण करना निरर्थक है, अतः अब उसको समाप्त करते हैं ।

पुनः प्रकृतानुसरण सूचयति—

प्रकृतमनुसरामः ।

पुनः प्रकृतानुपमाविचारं प्रवर्तयाम इति भावः ।

अब पुनः प्रस्तुत विषय पर आने की सूचना देते हैं—प्रकृतेत्यादि । अब अन्य बातों को छोड़कर पुनः प्रसङ्गप्राप्त उपमा के सम्बन्ध में विचार करते हैं ।

प्राचीनाभिमतोपमाभेदानानुदाहरणप्रदर्शनं प्रतिजानीते—

अस्याश्चोपमायाः प्राचामनुसारेण केचिद् भेदा उदाह्रियन्ते ।

प्राचा प्रकाशकारादीनाम् । अन्यत् स्पष्टम् ।

इस उपमा के प्राचीनमतसिद्ध कुछ भेदों के उदाहरण दिखलाए जाते हैं ।

उपमाभेदान् प्राचीनाभिमतान् प्रदर्शयति—

तथा हि—उपमा द्विविधा, पूर्णा लुप्ता च । पूर्णा तत्र—श्रौती आर्थी चेति द्विविधा भवन्ती वाक्य-समास तद्धितगामितया षोढा । लुप्ता च—उपमानलुप्ता, धर्मलुप्ता, वाचकलुप्ता, धर्मोपमानलुप्ता, वाचकधर्मलुप्ता, वाचकोपमेयलुप्ता, धर्मोपमानवाचकलुप्तेति तावत्सप्तविधा, तत्रोपमानलुप्ता—वाक्यगता समासगता चेति द्विविधा । धर्मलुप्ता—समासगता-श्रौती, आर्थी । वाक्यगता-श्रौती, आर्थी । तद्धितगता च-आर्थ्येव, न श्रौती । इति षड्विधा । वाचकलुप्ता—समासगता, कर्मक्यजगता, आधारक्यजगता, क्यजगता, कर्मणमुल्लगता, कर्तृणमुल्लगता चेति षड्विधा । धर्मोपमानलुप्ता—वाक्यगता, समासगता चेति



अनन्वय में एक ही वस्तु उपमान तथा उपमेय दोनों रहती है, अतः उपमान-उपमे दो रहे एतदर्थक 'भेदे' विशेषण उपमा-लक्षण में लगाते थे, जिससे अनन्वय में उस प्राप्ति न हो, परन्तु अब-जब कि आप सादृश्य में पर्यवसित विशेषण लगा देते हैं- वह विशेषण व्यर्थ हो जाता है, कारण, व्यतिरेक की तरह अनन्वय में भी उसी विशेषण से काम चलनेवाला है। यदि आप कहें कि-'भेदे' विशेषण की व्यर्थता नहीं। सकती, मैं लक्षणा आदि के द्वारा उसी का अर्थ 'पर्यवसित' मान लूँगा। पर हत पर भी निस्तार नहीं। कारण, इस तरह विशेषणवैयर्थ्यदोष से मुक्ति मिल जाने पर लक्षण में दूसरा दोष आ ही जाता है और वह, यह कि काव्योपयोगी अलङ्कारों लक्षण बनाते समय लौकिक, अलौकिक, प्रधान, वाच्य और व्यङ्ग्य सभी तरह उपमाओं को सगृहीत कर लेनेवाले साधारण उपमा-लक्षण का घनाना अनुचित है तात्पर्य यह कि 'चमत्कारित्व' विशेषण जब सादृश्य में नहीं लगाया जाता, तब य (साधर्म्यमुपमाभेदे) ऐसा सामान्य लक्षण हो जाता है, जिससे 'जैसी गाय, वै गवय' इत्यादि सभी तरह की उपमाएँ पकड़ी जा सकती हैं परन्तु यह बात उचित नहीं होती, क्योंकि काव्यालङ्कार का लक्षण निर्माण करने चले हैं, अतः उचित हो कि उसी तरह का लक्षण बनाते, जिससे केवल काव्य में उपयुक्त होनेवाली चमत्कारि उपमाओं का संग्रह होता, गोगवय आदि की अचमत्कारिणी उपमाओं का नहीं।

उक्तयुक्त्यैवालङ्कारसर्वस्वोक्त लक्षण खण्डयति—

अत एव 'भेदाभेदतुल्यत्वे साधर्म्यमुपमा' इत्यलङ्कारसर्वस्वोक्तमपि लक्षणं तथैव।

अत एवेति । प्रकाशलक्षणोक्तदोषसमूहादेवेत्यर्थः । तथैवेति नातीव रमणीयमित्यर्थः । भेदस्य अभेदस्य च समानरूपेण भासमानत्वे सति सादृश्यम् उपमा इत्यर्थकं 'भेदाभेदतुल्यत्वे साधर्म्यमुपमे'ति अलङ्कारसर्वस्वग्रन्थोक्तं लक्षणमपि न भव्यम्, काव्य-प्रकाशलक्षणोक्तदूषणानामत्रापि वर्तमानत्वादिति भावः ।

अलङ्कारसर्वस्वकारकृत लक्षण की पर्यालोचना करते हैं—अतएव इत्यादि। 'भेद तथा अभेद दोनों के समानरूप से भासित होते रहने पर जो सादृश्य हो, उसे उपमा कहते हैं' यह अलङ्कारसर्वस्व में लिखित लक्षण भी वैसा ही है—अर्थात् काव्य-प्रकाश-लक्षण के समान अधिक सुन्दर नहीं है, क्योंकि उनके लक्षणों में जो दोष दिये गये हैं, वे इस लक्षण में भी हो जाते हैं।

अपरमपि लक्षणं पर्यालोचयति—

एवं 'प्रसिद्धगुणेनोपमानेनाप्रसिद्धगुणस्योपमेयस्य सादृश्यमुपमा' इत्यलङ्काररत्नाकरोक्तमपि न भव्यम् । श्लेषमूलकोपमायां तादृशाशब्दात्मकस्य धर्मस्य कविनैव कल्पनात् तेन रूपेणोपमानस्याप्रसिद्धेश्च ।

एवमिति । व्यतिरेकेऽतिव्यापनादित्यर्थः । प्रसिद्धगुणेनेति । प्रसिद्धा ख्याता कल्पिता नेति यावत्-गुणा गुणक्रियारूपधर्मा, यस्य तादृशेन, उपमानेन, सह, अप्रसिद्ध-गुणस्य तादृशधर्मवत्तया न प्रसिद्धस्य, उपमेयस्य, सादृश्यमुपमा कथ्यते इत्यर्थः । ननु पर्यवसितत्वेन विशेषणाच्च दोष इत्यत आह—श्लेषमूलकेति । दोषान्तरमाह—तेन रूपेणेति । अलङ्काररत्नाकरोल्लिखितमिदं लक्षणमपि न युक्तम्, व्यतिरेकस्थलीयसादृश्ये पर्यवसाने निषेधरूपेण परिणस्यमानेऽतिव्याप्ते । न च पर्यवसितेतिविशेषणदानेन तदोष-निरासे लक्षणं सम्यगिति वाच्यम्, श्लेषमूलकोपमास्थले श्लिष्टशब्दस्य साधारणधर्मतया

[निरूपणम्]

वक्षितस्य कविकल्पिततया उपमानगुणत्वेनाप्रसिद्धैस्तत्राव्याप्ते, प्रसिद्धगुणत्वेन रूपेणो-  
मानस्य कापि प्रसिद्धिविरहेण लक्षणेऽप्रसिद्धदोषावताराच्चेति भावः ।

एक दूसरे लक्षण का भी खण्डन करते हैं—एवम् इत्यादि । 'प्रसिद्धगुणेन' अर्थात् गुण धर्म ( गुण क्रिया आदि ) जिनके प्रसिद्ध हों अर्थात् कविकल्पित न हों, ऐसे उपमान के साथ, जिनके धर्म प्रसिद्ध न हो, ऐसे उपमेय का जो सादृश्य उसको उपमा कहते हैं, यह अलङ्काररत्नाकर का लक्षण भी ठीक नहीं है । कारण, अन्ततः निवेधरूप में परिणत हो जानेवाले व्यतिरेकस्थलीय सादृश्य में इसकी भी बति-गति हो जाती है । यदि आप 'अपने रूप में पर्यवसित होनेवाले' ऐसा विशेषण सादृश्य में लगाकर लक्षण को ठीक बनाना चाहेंगे, तो भी वह ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि उस स्थिति में श्लेषमूलक उपमा के स्थल में लक्षण की अव्याप्ति ही हो जायगी अर्थात् श्लिष्ट शब्द जो उपमान का धर्म माना जाता है, प्रसिद्ध नहीं होता अतः वहाँ यह लक्षण सङ्घटित नहीं हो सकेगा । इतना ही नहीं, वस्तुतः यह लक्षण अप्रसिद्ध ही है अर्थात् कहीं भी सङ्घटित नहीं हो सकता कारण, ऐसा उपमान कहीं मिल ही नहीं सकता, जो प्रसिद्ध गुण वाले के रूप में प्रसिद्ध हो । सारांश यह कि चन्द्र आदि उपमान भी चन्द्ररूप में ही प्रसिद्ध रहता है, 'आहादकत्व वाला चन्द्र' इस रूप में नहीं ।

परकीयलक्षणपर्यालोचनसमाप्ति सूचयति—

इत्यलं परकीयदूषणगवेषणया ।

परेषा दूषणान्वेषणं व्यर्थमिति तत्परिहीयत इति भावः ।

अथ परकीयलक्षणसमाप्ति की सूचना देते हैं—इत्यलम् इत्यादि । दूसरों का दोषा-  
वेषण करना निरर्थक है, अतः अब उसको समाप्त करते हैं ।

पुनः प्रकृतानुसरणं सूचयति—

प्रकृतमनुसारासः ।

पुनः प्रकृतानुपमाविचारं प्रवर्तयाम इति भावः ।

अथ पुनः प्रस्तुत विषय पर आने की सूचना देते हैं—प्रकृतेत्यादि । अब अन्य बातों को छोड़कर पुनः प्रसङ्गप्राप्त उपमा के सम्बन्ध में विचार करते हैं ।

प्राचीनाभिमतोपमाभेदानामुदाहरणप्रदर्शनं प्रतिजानीते—

अस्याश्चोपमायाः प्राचामनुसारेण केचिद् भेदा उदाह्रियन्ते ।

प्राचा प्रकाशकारादीनाम् । अन्यत् स्पष्टम् ।

इस उपमा के प्राचीनमतसिद्ध कुछ भेदों के उदाहरण दिखलाए जाते हैं ।  
उपमाभेदान् प्राचीनाभिमतान् प्रदर्शयति—  
तथा हि—उपमा द्विविधा, पूर्णा लुप्रा च । पूर्णा तत्र—श्रौती आर्यी चेति  
द्वेषा भवन्ती वाक्य-समास-तद्धितगामितया षोढा । लुप्रा च—उपमानलुप्रा,  
धर्मलुप्रा, वाचकलुप्रा. धर्मोपमानलुप्रा, वाचकधर्मलुप्रा, वाचकोपमेयलुप्रा,  
धर्मोपमानवाचकलुप्रेति तावत्सप्तविधा, तत्रोपमानलुप्रा—वाक्यगता समासगता  
चेति द्विविधा । धर्मलुप्रा—समासगता-श्रौती, आर्यी । वाक्यगता-श्रौती,  
आर्यी । तद्धितगता च-आर्ध्वेव, न श्रौती । इति षड्विधा । वाचकलुप्रा—  
समासगता, कर्मक्यगता, आधारक्यगता. क्यङ्गता, कर्मणमुल्लगता, कर्तृण-  
मुल्लगता चेति षड्विधा । धर्मोपमानलुप्रा—वाक्यगता, समासगता चेति

द्विविधा । वाचकधर्मलुप्ता क्विबगता समासगता चेति द्विविधैव । वाचकोपमे-  
यलुप्ता त्वेकविधा । धर्मोपमानवाचकलुप्ता तु समासगतैकविधा । इति ।

तत्र पूर्णलुप्तयोर्मध्ये । तत्र तासां सप्तानां मध्ये । इतरभिगदव्याख्यातमिति नेह  
प्रतन्यते ।

उपमाभेदों का निर्देश करते हैं—तथा हि इत्यादि । उपमा दो प्रकार की है—पूर्णा  
तथा लुप्ता । उनमें से पूर्णा उपमा श्रौती एवं आर्थीभेद से दो तरह की होती है, और  
उन दोनों भेदों में से प्रत्येक भेद वाक्यगामी, समासगामी और तद्धितगामी—इस तरह  
तीन प्रकार के होते हैं, अतः पूर्णोपमा छः प्रकार की होती है । सारांश यह कि पूर्णो-  
पमा छः प्रकार की है—श्रौती वाक्यगता, आर्थी वाक्यगता, श्रौती समासगता, आर्थी  
समासगता, श्रौती तद्धितगता और आर्थी तद्धितगता । रही अब लुप्ता । उसके पहले  
सात भेद होते हैं—उपमानलुप्ता, धर्मलुप्ता, वाचकलुप्ता, धर्मोपमानलुप्ता, वाचकधर्मलुप्ता,  
वाचकोपमेयलुप्ता और धर्मोपमानवाचकलुप्ता । उन सातों भेदों में से पुनः, उपमानलुप्ता  
के दो भेद—वाक्यगत और समासगत । धर्मलुप्ता के पाँच भेद—श्रौत समासगत, आर्थ  
समासगत, श्रौत वाक्यगत, आर्थ वाक्यगत और तद्धितगत केवल आर्थ । तद्धितगत  
का श्रौतभेद नहीं होता । वाचकलुप्ता के छः भेद—समासगत, कर्मार्थकक्यजगत,  
आधारार्थकक्यजगत, क्यङ्गत, कर्मार्थकणमुल्लगत और कार्यार्थकणमुल्लगत । धर्मोपमान  
लुप्ता के दो भेद—वाक्यगत और समासगत । वाचकधर्मलुप्ता के भी दो भेद—किप्प्रत्यय  
गत और समासगत । वाचकोपमेयलुप्ता का एक भेद—क्यच्प्रत्ययगत । धर्मोपमान  
वाचकलुप्ता का भी एक भेद—समासगत । उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और सादृ-  
श्यवाचक ये चार उपमा के अङ्ग हैं । ये चारों अङ्ग जहाँ शब्दद्वारा स्पष्ट कथित रहते  
हैं, वहाँ पूर्णोपमा और इन अङ्गों में से कहीं एक का, कहीं दो का और कहीं तीन का  
अभाव जहाँ रहता है, वहाँ लुप्तोपमा होती है । श्रौती तथा आर्थी भेद का रहस्य  
यह है कि—शब्दशक्तिस्वभाववैचित्र्य के कारण जहाँ 'यथा', 'इव' इवार्थक 'वा' तथा  
इवार्थक 'वति प्रत्यय' सादृश्य के वाचक रहते हैं, वहाँ शब्दश्रवणानन्तर तुरत उपमा-  
नोपमेय का परस्पर सादृश्य ज्ञात हो जाता है, अतः वहाँ श्रौती, उपमा कहलाती है  
और 'तुल्य', 'सदृश', 'सम' और 'तुल्यार्थक वतिप्रत्यय' आदि जहाँ सादृश्य के वाचक  
रहते हैं, वहाँ शब्दश्रवणोत्तर उपमानोपमेय में से किसी एक का ही दूसरे में सादृश्य  
ज्ञात होता है, पश्चात् अर्थतः परस्पर सादृश्य की प्रतीति होती है, अतः वहाँ आर्थी उपमा  
कही जाती है ।

प्राचीनाभिमतभेदसख्यासङ्कलन कुरुते—

एवं साकल्येनैकोनविंशतिर्लुप्ताभेदाः पूर्णाभेदैः सह पञ्चविंशतिः क्रमेणोदा-  
ह्रियन्ते ।

एवं पूर्वोक्तप्रकारेण । स्फुटमन्यत् ।

पूर्वोक्त प्रकार से सब मिलाकर लुप्ता के उन्नीस भेद होते हैं । पूर्णा के छः भेदों को  
इनमें जोड़ देने से सब पच्चीस भेद सिद्ध हुए । अब क्रमशः इन भेदों के उदाहरण दिखाए  
जाते हैं ।

वाक्यगतां श्रौती पूर्णोपमामुदाहरति—

तत्र पूर्णा श्रौती वाक्यगता यथा—

‘प्रीष्मचण्डकरमण्डलभीष्मज्वालसंसरणतापितमूर्तेः ।

प्रावृषेय इव वारिधरो मे वेदनां हरतु वृष्णिवरेण्यः ॥’

तत्रेति । पञ्चविंशतेर्मध्ये इत्यर्थः । अत्र 'पञ्चविंशतीना मध्ये' इति व्याचक्षणांशो वैयाकरणशिरोमणिर्नागेशः । 'विंशत्याद्या सदैकन्वे' इति नियम इतो नारमरदिति न विभाषयन्नपि निर्णेतुं शक्नोमि । प्रीमिति । भक्त प्रार्थयते—प्रावृषेय्य वर्षर्तुसमुद्भव, वारिधर जलधर, यथा, प्रीप्सरस्य निदाघस्य चण्डकान्तमण्डलस्य सूर्यमण्डलस्य, भीष्मा भयङ्करी, ज्वाला तानो, यत्र, तादृशे देशे सत्सरणेन गमनेन, तापिता, मूर्ति शरीरं यस्य, तादृशस्य मनुष्यस्य, वेदना सतापपीडा, हरति, तथा वृष्णिवरेण्य नवनोरदानो सुरारि प्रीमचण्डकरमण्डलवन् निदाघकालीनसूर्यमण्डलवत्, भीष्मा ज्वाला यस्य, तादृशेन, संसरणेन सत्सारेण, जनमरणाभ्यामिति यावत् तापिता मूर्तिर्यस्य तादृशस्य, मे मनः, वेदना भवतापपीडा, हरतु दूरीकरोत्वित्यर्थः ।

उदाहरण दिखलाने का उपक्रम करते हैं—तत्र इत्यादि । पूर्वोक्त पञ्चीस उपमाप्रभेदों में से पूर्णा श्रौती वाक्यगता जैसे—'प्रीप्स च... ।' भक्त भगवान् से याचना करता है—वर्षा ऋतु का जलधर (मेघ), जिसतरह, प्रीप्स ऋतु के सूर्यमण्डल की भयङ्कर ज्वालावाले प्रदेश में सञ्चरण करने से सतप्त-शरीरवाले मनुष्य की वेदना को दूर कर देता है, उसी तरह यादवश्रेष्ठ-घनश्याम भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र-प्रीप्सकालीन सूर्यमण्डल की भयङ्कर ज्वाला के समान ज्वाला वाले सत्सार (जन्म-मरण) से सतप्त शरीरवाले मेरी वेदना का हरण करें ।

उपपादयति—

अत्र प्रावृषेय्य इत्यनेन वारिधरविशेषणेन नैराकाङ्क्षयात्, इवेन समास इत्येष पाठान्नित्यत्वाभावाद् वारिधरेणापि नेवस्य समासः । एषा चोपमानोप-मेययोर्वारिधरभगवतोर्वेदनाहरणकर्तृत्वस्य साधारणधर्मस्य सादृश्यबोधकस्येव-शब्दस्य चाभिधानात्पूर्णा सादृश्यस्य श्रुत्या बोधनाच्छ्रौती ।

वाक्यगतत्वं रफुटयति—अत्रेति । उक्तपद्ये प्रावृषेय्य इति वारिधरस्य विशेषणम् इति तरिभन्नेव साकाङ्क्षम्, न इवार्ये, अतः प्रावृषेय्यशब्दस्य इवशब्देन सह समासो न प्राप्तः । वारिधरस्य विशेष्यस्य इवार्ये साकाङ्क्षत्वेऽपि 'सुप्सुपे'त्यनित्यशास्त्रप्रपञ्चभूतस्य 'इवेन समासो विभक्त्यलोपश्च' इत्यस्याप्यानित्यत्वेन वैवक्षिकं च न भवतीति वाक्यगतत्व-मस्या उपमाया बोध्यम् । पूर्णात्व विविनक्ति—एषा चेति । उपमानोपमेयसाधारणधर्म-सादृश्यानानुपमानाज्ञाना चतुर्णां शब्दैरुपादानात् पूर्णात्वमुपमाया इति भावः । श्रौतीत्वमाह-सादृश्यस्येति । परस्परनिरूपितरथेति शेषः । श्रुत्या श्रवणोत्तरनेवेत्यर्थः । इवशब्दशक्ति-त्वाभाव्यात् स्वश्रवणानंतरमविलम्बेनैवोपमानोपमेययो परस्पर सादृश्यं प्रतीयते, न तत्र वाक्यार्थज्ञानापेक्षा भवतीति श्रौतीय भवति, इति भावः ।

उपपादन करते हैं—अत्र इत्यादि । यहाँ 'प्रावृषेय्य' पद के साथ 'इव' शब्द का समास प्राप्त ही नहीं है, क्योंकि प्रावृषेय्य पदार्थ, वारिधर पदार्थ का विशेषण है, अतः वह उसी अंश में साकाक्ष है इवाथअंश में नहीं और समास होता है परस्परसाकाक्षार्थ वाचक पदों में । वारिधर यह विशेष्यभूत पदार्थ यद्यपि इवार्थ में साकाक्ष है, अतः वारिधर पद के साथ इव पद का समास प्राप्त है, तथापि वह नहीं किया जायगा । कारण, 'इवेन समासो विभक्त्यलोपश्च' यह समासविधायक वचन, 'सुप्सुपा' इस वैकल्पिकशास्त्र के प्रपञ्चभूत होने से वैकल्पिक है और वैकल्पिकशास्त्रों की प्रवृत्ति वक्तों के अधीन हुआ करती है । अतः यह उपमा वाक्यगत कहलाती है । पूर्णोपमा यह इस लिये कहलाती है कि उपमा के चारों भङ्ग ( उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और सादृश्य ) यहाँ शब्दतः उक्त हैं—अर्थात् मेघरूप उपमान, कृष्णरूप उपमेय, वेदना का

हरण करना रूप साधारण धर्म तथा इवार्थ-सादृश्य-इन चारों उपमाओं के शब्दतः उक्त रहने के कारण यह उपमा पूर्णा कहलाती है। इसी तरह पूर्वोक्त विचार के अनुसार 'इव' पद से सादृश्य के बोध होने के कारण यह उपमा श्रौती समझी जाती है।

वाक्यगतामार्थी पूर्णोपमामुदाहर्तुमाह—

पूर्णा आर्थी वाक्यगता यथा—

यत्प्रकारिकोपमा वाक्यगता आर्थी पूर्णा च भवति, स प्रकारो निम्ननिर्दिष्टो द्रष्टव्य इति भाव ।

वाक्यगत आर्थी पूर्णोपमा जैसे—

उदाहरति—

‘प्राणापहरणेनासि तुल्यो हालाहलेन मे ।

शशाङ्क केन मुग्धेन सुधांशुरिति भाषितः ॥’

काचन विरहिणी चन्द्रं प्रति वक्ति-अयि शशाङ्क ! मृगाङ्क ! कलङ्किन् ! चन्द्र इति यावत्, त्व, प्राणस्य, अपहरणेन, हेतुना, मे मत्कृते, हालाहलेन उभ्रेण विषेण, तुल्य सदृश, अमि भवसि । केन अज्ञातनामगोत्रेण, मुग्धेन मोहाच्छब्देन जडेनेति यावत्, सुधाशु पीयूषकिरण, इति पदेनेति शेष, भाषित त्व कथित इत्यर्थः । प्राणहरणकारित्वेन विषकल्पस्य तव सुधाशुपदेन व्यवहारो मोहप्रस्तस्यैव कार्यम् न विवेकिन इति भाव । अत्र हालाहलस्योपमानस्य, शशाङ्कस्योपमेयस्य, प्राणहरणकारित्वस्य साधारण-धर्मस्य सादृश्यस्य च शब्दतः उपादानात् पूर्णात्वम्, तुल्यपदेन सादृश्यस्य प्रतिपादना-दार्थीत्वम् 'हालाहलेन तुल्य' इति व्यस्तप्रयोगात् वाक्यगतत्वम् च बोध्यम् ।

उदाहरण दिखलाया जाता है—प्राणापहरणेन इत्यादि । चन्द्रमा के प्रति किसी विरहिणी नायिका की उक्ति है—हे शशाङ्क-कलङ्कमय चन्द्र प्राणापहारी होने के कारण, तुम, मेरे लिये, गरल के समान हो । न जाने, किस मूढ़ ने तुम्हें 'सुधांशु' कह दिया । सारांश यह कि जो प्राणहरण करनेवाला है, उसे, विष नहीं, तो विषतुल्य, अवश्य कहना चाहिए, सो न कहकर उसे अमृतकिरण कह देना मुग्धता के अतिरिक्त क्या हो सकता है ? यहाँ हालाहलरूप उपमान, शशाङ्करूप उपमेय, प्राणहरणरूप साधारण धर्म और सादृश्य—इन चारों अंकों का शब्द द्वारा प्रतिपादन होने के कारण उपमा पूर्णा कहलाती है । 'तुल्य' पद से सादृश्य का बोध होने के कारण वह आर्थी कही जाती है । 'हालाहलेन तुल्यः' यहाँ समास न करने के कारण वाक्यगत उपमा समझनी चाहिए ।

समासगता श्रौती पूर्णोपमामुदाहर्तुमाह—

पूर्णा श्रौती समासगा यथा—

यत्प्रकारिकोपमा समासगता पूर्णा श्रौती व्यपदिश्यते, स प्रकारोऽधो निर्दिश्यते इति भाव ।

समागत श्रौती पूर्णोपमा जैसे—

उदाहरण निर्दिशति—

‘हरिचरणकमलनखगणकिरणश्रेणीव निर्मला नितराम् ।

शिशिरयतु लोचनं मे देवव्रतपुत्रिणी देवी ॥’

भक्त गङ्गा प्रार्थयते—हरे विष्णो, चरणौ कमलौ इवेत्युपमितसमास, न तु रूपक-

समास', तत्र 'नञ्गण'प्रतिपादनस्योपमाया' साधकत्वात् रूपकस्य बाधकत्वाच्च, तेन कमलतुल्यौ चरणाविति पर्यवसितार्थ', तत्र यो नञ्गण' नञ्समूह', तस्य किरणश्रेणी प्रभापुञ्जमिव, नितरामत्यन्त, निर्मला स्वच्छा, देवत्रतेन भीष्मेण, पुत्रिणीं पुत्रवती भीष्म-जननीति यायत्, देवी ऐश्वर्यमयी, गङ्गा, मे मम, लोचन नयन, शिशिरयतु शीतलयतु इत्यर्थ' ।

उदाहरण का निर्देश करते हैं—हरिचरण इत्यादि । भक्त कामना करता है—भगवान् विष्णु के चरणकमलों के नखसमूह की किरणों की पङ्क्ति के समान अत्यन्त निर्मल, भीष्म की माता, गङ्गादेवी मेरे नयनों को शीतल करे—गङ्गाजी के दर्शन से मेरी आँखें आनन्द प्राप्त करें ।

उपपादयति—

अत्रेवेन समासः ।

'किरणश्रेणीव' इत्यत्र किरणश्रेणीशब्दस्य इवशब्देन सह समास आश्रीयते, तेनोपमाया' समासगतत्वम्, हरिपादनञ्जप्रभारूपस्योपमानस्य, गङ्गारूपस्योपमेयस्य, निर्मलत्वरूपस्य साधारणधर्मस्य सादृश्यस्य चोपादानात्पूर्णात्वम्, 'इव'पदेन सादृश्यप्रतिपादनात् श्रौतीत्वञ्चावगन्तव्यम् ।

उपपादन देखिए—अत्रेत्यादि । 'हरिचरण' ' इस पद्य में 'इव' शब्द के साथ 'किरण-श्रेणी' शब्द का समास हुआ है, अतः यह उपमा समासगत होती है । पूर्णा और श्रौती होने की युक्ति पूर्ववत् समझनी चाहिए ।

समासनामार्थी पूर्णोपमानुदाहर्तुमाह—

पूर्णा आर्थी समासगा यथा—

व्याख्या पूर्ववत् ।

समासगत आर्थी पूर्णोपमा जैसे—

उदाहरणं निर्दिश्यते—

'आनन्दनेन लोकानामातापहरणेन च ।

कलाघरतया चापि राजन्निन्दूपमो भवान् ॥'

कवि' राजानं स्तौति—राजन् । भवान्, लोकाना जनानाम्, आनन्दनेन सुखविशेष-विधायित्वेन, आतापस्य सन्तापस्य, अपहरणेन दूरीकरणेन, कलाघरतया कलाना चतु-पष्टिकलानाम्, ज्योत्स्नायाश्च धारकत्वेन च हेतुना इन्दूपमः चन्द्रतुल्य' वर्तत इत्यर्थ' । उक्ताना चतुर्णामङ्गाना शब्दत प्रतिपादनात्पूर्णात्वम्, 'इन्दूपम' इति समस्तप्रयोगात् समासगतत्वम्, तुल्यार्थकेनोपमापदेन सादृश्याख्यानात् आर्थीत्वञ्चात्रोपमाया वेदितव्यम् ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—आनन्दनेन इत्यादि । कवि राजा की स्तुति करता है—हे राजन् । आप मनुष्यों को आनन्दित करने से तथा उनका सन्ताप हरण करने से और कलाओं के धारण करने से चन्द्र के समान हैं । यहाँ की उपमा, उक्त चारों अङ्गों के शब्दत' उपात्त रहने से पूर्णा, सादृश्यवाचक तुल्यार्थक उपमा शब्द के रहने से आर्थी और 'इन्दूपम' पद में समास होने से समासगत होती है ।

श्रौतीमार्थीच तद्वितगतां पूर्णोपमानुदाहर्तुमाह—

पूर्णा श्रौती आर्थी च तद्वितगा यथा—

व्याख्यात्रापि प्राग्वदवगन्तव्या ।

धौती तथा आर्था—दोनों प्रकार की तद्धितगता पूर्णोपमा जैसे—

उदाहरणं निर्दिश्यते—

‘निखिलजगन्महनीया यस्याभा नवपयोधरवत् ।

अम्बुजवद्विपुलतरे नयने तद्ब्रह्म सश्रये सगुणम् ॥’

भक्तो षक्ति—निखिलेन समग्रं, जगता ससारेण, महनीया पूज्या, यस्य सगुणस्य ब्रह्मणः, आभा कान्ति. नवपयोधरवत् नूतनजलधारेयव, वियत इति शेषः । एवम् यस्य ब्रह्मणो, नयने नेत्रे, अम्बुजवत् कमलतुल्ये, विपुलतरे सुविशाले, वर्तेते इति शेषः, तत् सगुण सस्वरूपम् मायाविग्रहधारीति यावत्, ब्रह्म भगवन्त कृष्णम्, सश्रये आश्रये तस्य शरणगतो भवामीत्यर्थः ।

उदाहरण का निर्देश करते हैं—निखिलेति । किसी भक्त का कथन है—जिसकी प्रभा, नूतन घनघटा के समान सम्पूर्ण ससार से पूज्य है तथा जिसके नेत्र, वारिज की तरह बहुत बड़े-बड़े हैं, उस सगुण-अपनी माया से शरीर धारण करने वाले-ब्रह्म-भगवान् कृष्ण-का आश्रयण करता हूँ, उसके शरणागत होता हूँ ।

उपपादयति—

अत्र पूर्वार्धे वतेः ‘तत्र तस्येव’ इति सादृश्ये विधानाच्छ्रौती उत्तरार्धे ‘तेन तुल्यम्’ इति विधानात्सादृश्यवदर्थकतया आर्था ।

‘निखिल ...’ इति पद्ये ‘नवपयोधरवत्’ इत्यत्र ‘तत्र तस्येव’ इति पाणिनिसूत्रेण इवार्थे सादृश्ये वतिप्रत्ययो विहित इति तदशे श्रौत्युपमा । ‘अम्बुजवत्’ इत्यत्र ‘तेन तुल्य क्रिया चेत् वति’ इति पाणिनिसूत्रेण तुल्यार्थे सादृश्यविशिष्टार्थे सप्रत्ययः कृत इति तदशे आर्था सेति भावः । पूर्णात्वं पूर्ववत् रवयमनुसन्धेयम् । तद्धितगामित्वं तु स्पष्टमेव ।

उपपादन करते हैं—अत्र इत्यादि । ‘नवपयोधरवत्’ इस पद में ‘वतिप्रत्यय’ का विधान, ‘तत्र तस्येव’ इस पाणिनीसूत्र से ‘इव’ के अर्थ ( सादृश्य ) में हुआ है, अतः उस अंश में श्रौती और ‘अम्बुजवत्’ इस पद में उसका विधान ‘तेन तुल्य क्रिया चेद्वतिः’ इस पाणिनिसूत्र से ‘तुल्य’ के अर्थ—‘सादृश्ययुक्त’ में हुआ है, अतः उस अंश में आर्था उपमा मानी जाती है । पूर्णात्वं का अनुपन्धान पूर्वोक्त रीति से स्वयं कर लेना चाहिए ।

पूर्णोपमोदाहरणप्रदर्शनानन्तरमिदानीं लुप्तोपमोदाहरणप्रदर्शनप्रसङ्गे प्रथमं वाक्यगतामुपमानलुप्तोपमासुदाहृतमाह—

उपमानलुप्ता वाक्यगा यथा—

चत्प्रकारिकोपमा उपमानलुप्ता भवति, स प्रकारो निर्दिश्यत इति भावः ।

वाक्यगत उपमानलुप्तोपमा जैसे—

उदाहरणं निर्दिश्यते—

‘यस्य तुलामधिरोहसि लोकोत्तरवर्णपरिमलोद्धारैः ।

कुसुमकुलतिलक चम्पक न वय त जातु जानीमः ॥’

कवि कथयति—अयि, कुसुमकुलतिलक पुष्पमण्डलश्रेष्ठ, चम्पक लोकोत्तरस्य अलौकिकस्य, वर्णस्य रूपस्य, तादृशस्य परिमलस्य गन्धस्य, च उद्गारै उद्गिरणैः प्रकृत्यैरितेति यावत्, यस्य पदार्थस्य, तुलाम् समताम्, अधिरोहसि प्राप्नोसि, त्वमिति कर्तृपदमध्याहार्यम् । त त्वन्निष्ठतुलाप्रतियोगिभूत पदार्थम्, वय, जातु कदाचिदपि, न जानीमः नाउ-सन्दम्भ इत्यर्थः । चम्पकस्योपमेयस्योपमानमिह न प्रतिपादितमिति लुप्तोपमानत्वम्, ‘यस्य तुला’ इत्यत्र समासाभावाद् वाक्यगतत्वञ्चात्र बोध्यम् ।

उदाहरण का निर्देश करते हैं—यस्य तुला इत्यादि । कवि का कथन है—हे पुष्पों के सिरताज चम्पक ! अलौकिक रूप और सुगन्ध के प्रकाशन से तुम, जिस चीज की समता को पाते हो, उसको हम कभी नहीं जान पाते । सारांश यह कि तुम्हारा सादृश्य किसी पुष्प में नहीं है—पुष्पों में तुम बेजोड़ हो । चम्पक का उपमान, यहाँ लुप्त है—नहीं प्रतिपादित है, अतः यह उपमानलुप्ता हुई । 'यस्य तुला' यहाँ पर समास नहीं किया गया है, अतः वाक्यगत उपमा होती है ।

अल्पव्यत्यासेन इदमेव पद्य समासगताया अपि तस्या उदाहरणं सम्भवतीति प्रतिपादयति—

यत्तुलनामधिरोहसीत्याद्यचरणनिर्माणे इयमेव समासगा ।

'यस्य तुलामधिरोहसि' इति प्रथमचरणस्थाने 'यत्तुलनामधिरोहसि' इति समासघटितपाठकल्पने इदमेव पद्य समासगाया उपमानलुप्ताया उदाहरण भवेदिति भावः ।

इसी श्लोक के प्रथम चरण को यदि 'यत्तुलनामधिरोहसि' के रूप में बदल दिया जाय, अर्थात् 'यस्य' को पृथक् न रखकर उसका 'तुलना' शब्द के साथ समास कर दिया जाय, तब यही श्लोक समासगत उपमानलुप्तोपमा का उदाहरण होगा ।

अत्रालङ्कारान्तरत्वमाशंक्य निरस्यति—

उपमानाभावेन सादृश्याभावस्य पर्यवसानात्सादृश्यपर्यवसानस्य चोपमाजीवितत्वादलङ्कारान्तरमेवात्र नोपमानलुप्तेति नाशङ्कनीयम् । यस्य तुलामारोहसि न तं वय जानीम इत्युक्त्या अस्माकमसर्वज्ञत्वाद्दस्मद्गोचरः कोऽपि तत्रोपमानं भविष्यतीति सादृश्यपर्यवसानमस्तीत्युपमानलुप्तैवेयमुपमा नालङ्कारान्तरम् ।

उपमानाभावेनेति सादृश्याभावपर्यवसाने हेतुक्ति । उपमानस्य सादृश्यनिरूपकतया, निरूपकाभावे निरूप्यस्याभाव पर्यवस्यतीति भाव । यरयेति । यत इत्यादि । इत्युक्त्येति । अन्यथा स नास्तीत्युक्ति स्यादिति भाव । 'यस्य तुला ' इत्यत्रोपमान नास्तीति तन्निरूपितं सादृश्यमपि नास्तीति पर्यवसाने नात्रोपमा संभवति, तस्या सादृश्यपर्यवसानप्राणत्वादिति शङ्का नोचिता । यत 'यत्सदृशस्त्वमसि, तं न जानीम' इति कथनेन 'तत्रोपमानभूत कश्चन पदार्थो विद्यतेऽवश्यम्, परन्तु सर्वज्ञताविरहादस्माकमसौ न प्रत्यक्ष' इति प्रतीयते । एवञ्च सादृश्यपर्यवसानं नास्तीति वक्तुं न शक्यम्, अतः उपमानलुप्तोपमाऽत्र निरावाधेति भाव ।

'यस्य तुला' " इस पद्य में उपमा नहीं हो सकती, कोई दूसरा ही अलङ्कार मानना पड़ेगा, इस तरह की भाशङ्का करके उसका खण्डन करते हैं—उपमानाभावेन इत्यादि । 'यस्य तुला' " इस पद्य में उपमान का अभाव है—उपमेयभूत चम्पक के उपमान का निषेध किया गया है । ऐसा करने से अन्ततः सादृश्य का भी अभाव सिद्ध हो जाता है । अर्थात् यह सिद्ध हो जाता है कि चम्पक का किसी पदार्थ के साथ सादृश्य नहीं है और ऐसी स्थिति में यहाँ उपमानलुप्तोपमालङ्कार नहीं हो सकता । कारण, उपमा का जीवित है अन्त तक सादृश्य का प्रतीत होते रहना, जो यहाँ नहीं है अर्थात् यहाँ वाक्यार्थ की समाप्ति सादृश्य के निषेध में होती है सादृश्य में नहीं, अतः यहाँ कोई दूसरा ही अलङ्कार है, ऐसी भाशङ्का नहीं करनी चाहिए । कारण, यहाँ जो यह कहा गया है कि—'तुम जिसकी समता को पाते हो, उसको हम नहीं जानते', उससे चम्पक का कहीं सादृश्य नहीं—यह सिद्ध नहीं होता, अपितु यह सिद्ध होता है कि 'सर्वज्ञ नहीं होने के कारण हम जिस पदार्थ को नहीं जान पाते, ऐसा कोई पदार्थ चम्पक का उपमान



है' इस तरह सादृश्य में ही पर्यवसान होता है। अतः यहाँ अलङ्कारान्तर नहीं, उपमान लुप्ता उपमा ही है।

प्राचीनोक्ति खण्डयति—

एतेन

‘दुंदुंणंतो हि मरीहसि कंटककलिआइं केअइवणाइं ।

मालइकुसुमसरिच्छं भमर भमंतो न पावहिसि ॥’

इत्यत्रासमालङ्कारोऽयमुपमातिरिक्त इति वदन्तोऽलङ्काररत्नाकरादयः परस्ताः ।

एतेनेति । उक्तरीत्या सादृश्यपर्यवसानेनेत्यर्थ । अत्रापि तत्प्राप्तिस्तत्र दुर्लभेत्युक्तं न तु नास्तीति भावः । दुंदुणतो इति । ‘दु दु कृत्वा हि मरिष्यसि कण्टककलितानि केतकीवनानि । मालतीकुसुमसदृशं भ्रमरं भ्रमन्नं प्राप्स्यसि’ इति छाया । हे भ्रमर ! केतकीवनानि, कण्टककलितानि कण्टकमयानि, अतस्तत्र, त्व, दु दुं कृत्वा एतच्च वैकल्यकालिकभ्रमररवानुकरणम्, मरिष्यसि मरणमेव लप्स्यसे नानन्दम् । सत्यं जानीहि, भ्रमरश्चपि रसमयं परिमलप्रचुरं पुष्पान्तरं गवेषयितुमितस्ततः सर्वत्र सञ्चरन्नापि, मालतीकुसुमसदृशं मालतीपुष्पसमानं पुष्पान्तरं, न प्राप्स्यसि नासादयिष्यसीति तदर्थः । एषा च स्वसौभाग्यं सूचयन्त्या कस्याश्चन नायिकाया स्वप्रियतमसमीपे भ्रमरं प्रत्युक्तिः । तेन—मुधैव त्वं नायिकान्तरमन्विष्यन् कष्टमनुभवसि, मादृशी नापरा प्राप्तुं शक्येति प्रियतम प्रति नायिकया व्यज्यते । अत्रापि ‘मालतीकुसुमसदृशं न प्राप्स्यसी’त्युक्त्या न मालतीकुसुमस्योपमानाभावः पर्यवस्यति, अपि तु अस्मद्गोचरः कश्चन पदार्थस्तवोपमानभूत इत्येव । तथा च पर्यवसितसादृश्यमुपमाजीवातुभूतमस्तीति उपमास्वीकारेऽत्र न काचिद् बाधा । एवञ्चात्रासमनामकमुपमातिरिक्तमलङ्कारं समर्थयन्तोऽलङ्काररत्नाकरादयो न युक्ताभिधायिन इति भावः ।

प्राचीनोक्ति का खण्डन करते हैं—एतेन इत्यादि । ‘दुंदुंणंतो...’ अर्थात् हे भ्रमर ! तुम, कांटों से भरे हुए केतकी (कैवड़ा) के वनों में ढूँँ करते हुए मरोगे, पर फिरते-फिरते भी मालती के फूल के समान दूसरे फूल को नहीं पा सकोगे । यह अपने सौभाग्यातिशय की सूचना देती हुई किसी नायिका की प्रियतम के समीप भ्रमर के प्रति उक्ति है । अतः प्रियतम के प्रति नायिका का यह अभिप्राय इस पद्य से व्यक्त होता है कि हे मेरे लालची प्रियतम ! व्यर्थ, तुम, विलक्षण सुन्दरी की खोज में इधर उधर क्या भटक रहे हो—कष्ट उठा रहे हो, विश्वास रक्खो, लाख घूमने पर भी मुझ जैसी सुन्दरी रमणी तुझे नहीं मिल सकेगी । इस पद्य में ‘असम’ नाम का एक दूसरा ही अलङ्कार है, उपमा नहीं ऐसा ‘अलङ्काररत्नाकर’ आदि का कथन है । परन्तु पूर्वोक्त विचार के अनुसार उनका यह कथन खण्डित हो जाता है—अर्थात् ‘यस्य तुला...’ इस पद्य के समान यहाँ भी यह कहा गया है कि ‘मालतीफूल के तुल्य दूसरे फूल का मिलना कठिन है’ न कि ‘मालती फूल के समान कोई नहीं है’ यह, अतः इस उक्ति से उपमान का निषेध पर्यवसित नहीं होता, अपितु हम लोगों से अज्ञात कोई तेरा उपमान होगा यही फलित होता है । इस स्थिति में पर्यवसान में सादृश्य के वर्तमान रहने के कारण यहाँ उपमा निर्वाचन रूप से मानी जा सकती है, फिर ‘असम’ नामक अलङ्कारान्तर की कल्पना व्यर्थ पद्य निराधार है ।

श्रौती वाक्यगता धर्मलुप्तोपमासुदाहर्तुमाह—

धर्मलुप्ता श्रौती वाक्यगता यथा—

वाक्यगताया श्रौत्या धर्मलुप्तोपमाया य प्रकारं स प्रदर्शयति इति भावः ।

वाक्यगत श्रौती धर्मलुप्तोपमा जैसे—

उदाहरणं निर्दिश्यते—

‘कलाधरस्येव कलावशिष्टां विल्वनमूला लवलीलतेव ।  
अशोकमूलं परिपूर्णशोका सा रामयोषा चिरमध्युवास ॥’

लवलीलता ‘हरफारेवडी’ इति भाषया प्रसिद्धा । अशोकमूलमिति । ‘उपान्व-’ इति सूत्रेणाधारस्य कर्मसंज्ञा । कवि रावणापहृता लङ्कागतां सीता वर्णयति—कलाधरस्य चन्द्र-  
मत्त, अशशिष्टा अद्यान्तरमपि शेषमूला, कला ज्योत्स्ना, इव, विल्वन छिन्नं, मूलं यस्या-  
स्तादृशी, लवलीलता लताविशेष इव, परिपूर्णं यथावविविशुद्धं, शोको यस्या तादृशी,  
सा धैर्यपातित्रय्यादिगुणवत्तया प्रसिद्धा, रामस्य, योषा पत्नी, सीता, चिर चिरकाल-  
पर्यन्तम्, अशोकमूलम् अशोकतरोर्मूले, अध्युवास निवासं चक्रे इत्यर्थः । अत्राशोकमूले  
निम्नन्तां परिपूर्णशोकेति विरोधो व्यज्यते । एवम् सीतेत्यनुक्त्वा ‘रामयोषेति कथनेन  
‘निर्घ्राहुरुत्सर्गस्य भगवतो रामचन्द्रस्यापि प्रियतमा चेदीदृशीं विरतिनाम्, तर्हि  
वल्बहुर्विषेविलसितम्’ इत्याद्यर्थोऽभिव्यज्यते । उपमाद्वयेन सीतायाः क्षीणता पान्दुता  
तयापि क्रान्तिनता च प्रतीयन्ते । अत्र सीतानिष्ठस्य कलाधरकलावर्ललतयोः सादृश्यस्य  
निघानञ्च साधारणधर्मः क्षीणत्वानुरत्वादिर्गोच इति धर्मलुप्ता बोध्या ।

उदाहरण का निर्देश करते हैं—कलाधर इत्यादि । कवि का कथन है कि—क्षीण होने पर भी बची हुई चन्द्र की कलासी और जड़ कटी हुई हरफारेवडीसी, शोक से भरी हुई, वह रामचन्द्र की धर्मपत्नी-भगवती सीता, चिरकाल तक, अशोकतरु की जड़ में निवास करती रही । यहाँ ‘अशोकमूल में बसती हुई शोक से भरी’ इस उक्ति से विरोधाभास अलङ्कार व्यक्त होता है । सीता न कहकर ‘रामयोषा’ कहने से यह अनिव्यक्त होता है कि ‘जब सब कुछ कर सकने में समर्थ भगवान् रामचन्द्र की प्रेयसी भी इस तरह की विपत्ति में जा फँसी, तब दुर्दैव का दुर्विलास ही बलवान् है ।’ जिस धर्म के कारण सीता ने कलाधरकला और लवलीलता का सादृश्य कहा गया है, वह साधारण धर्म यहाँ उक्त नहीं है, अतः धर्मलुप्ता होती है ।

धर्मलुप्तानधिष्ठित्य विचारनेञ्च प्रवर्तते—

‘श्रीभ्रमचण्डकरमण्डल’ इति प्रागुदाहृते पूर्णाया उदाहरणे प्रावृषेण्यो वारि-  
धर इव यो वृष्णिवरेण्यः स ने वेदनां हरित्विति वृष्णिवरेण्यमात्रगतत्वेन वेद-  
नाहरणकर्तृत्वं विवक्षितम्, वारिधरसादृश्यं च श्यामत्वादिना यदि. तदा तत्रा-  
त्येषा बोध्या ।

श्यामत्वादिनेति । विवक्षितमित्यनुपङ्ग । तत्रापि ‘श्रीभ्रमचण्ड-’ इति पद्येऽपि । एषा धर्मलुप्तोपमा । श्रीभ्रमचण्डेति पद्ये ‘नेषो यथा सन्ततस्य वेदना हरति, तथा गण्डवनेष्टो हरि ने वेदना हरतु’ इति वस्तुतान्तर्याविचारणेन वेदनाहरणकर्तृत्वात्मस्तुलं साधारण-  
धर्मसादृश्यं प्राक् पूर्णात्वमुक्तम्, इदानीं च ‘नेष इव यो हरिः स ने वेदना हरतु’ इति तान्तर्याविचारणे वेदनाहरणकर्तृत्वं हरिनाशान्वादि न साधारणधर्म, एवञ्च नैषह्यो मादृश्यं यथा न चैदनाऽनुत्तेनैव धर्मेण वस्तुत्वं न्याय, अतस्तथात्वे तत्रापि धर्मलुप्तोपमैव न पूर्णा-  
पनेत्युच्यते इति भावः ।

धर्मलुप्ता के आधार पर एक विचार किया जाता है—श्रीभ्रम इत्यादि । ‘श्रीभ्रमचण्ड-’ यह पद्य पहले पूर्योपमा के उदाहरणरूप में लिखा जा चुका है अर्थात् ‘जैसे बर्षाकालिक नैष सतस जन की वेदना का हरण करता है, वैसे यादवों में श्रेष्ठ-हरि, मेरी वेदना का

हरण करें' ऐसा अभिप्राय वक्ता का माना गया है। तदनुसार, वेदनाहरणकर्तृत्वरु साधारण ( मेघ और हरि दोनों में रहने वाले ) धर्म के उक्त रहने से पूर्णोपमा ठीक थी परन्तु 'मेघ के समान जो हरि, वह, मुझ सन्तप्त की वेदना का हरण करें' ऐसा अभिप्राय यदि वक्ता का माना जाय, तब तो 'वेदनाहरणकर्तृत्व' साधारण धर्म ही नहीं सकत क्योंकि इस अभिप्राय के अनुसार, वह केवल हरि में अन्वित होता है—मेघ में उसका सम्बन्ध रह नहीं जाता, अतः अगत्या मेघ और हरि का सादृश्य 'श्यामत्व आदि' धर्म जो उक्त नहीं है—से ही कहना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में वह पद्य भी धर्मलुप्तोपमा का उदाहरण होगा, पूर्णोपमा का नहीं।

तत्र पूर्णोपमास्वीकारे लुप्तोपमास्वीकारे च यो विशेषस्तं दर्शयति—

इयांस्तु विशेषः—यत्पूर्णायां वृष्णिवरेण्यमात्रमुद्दिश्य प्रावृषेण्यवारिधर सादृश्यप्रयोजकं तादृशवारिधरसादृश्याभिन्न वा वेदनाहरणकर्तृत्वं विधेयमित्युपमाविधेयिका धीः। धर्मलुप्रायां तु वारिधरसादृश्यावच्छिन्नवृष्णिवरेण्यमुद्दिश्य वेदनाहरणकर्तृत्वमात्रं विधेयमित्युपमोद्देश्यतावच्छेदिका।

सादृश्यमतिरिक्त पदार्थ इति मतमनुसृत्याह—प्रावृषेण्य इति। सादृश्य धर्मरूपमेव नातिरिक्त पदार्थ इति मतमनुसृत्याह—तादृशेति। प्रावृषेण्येत्यर्थः। अवच्छेदिकेत्यस्येतीति शेषो बोध्यः। अयं भाव—'म्रीप्मचण्ड—' इति पद्ये पूर्णोपमायामङ्गीक्रियमाणाया 'मेघसादृश्यप्रयोजकं मेघसादृश्याभिन्न वा यत् वेदनाहरणकर्तृत्वम्, तद्वान्, हरिः इति नैयायिकरीत्या, प्रथमान्तार्यमुख्यविशेष्यको बोधो भवति। तत्र च बोधे केवली न तु विशेषणविशिष्ट हरिरुद्देश्यतया, भासते, 'सादृश्यमतिरिक्त' पदार्थ' इति मते मेघसादृश्यप्रयोजकम्, 'सदृशस्य भाव' सादृश्य धर्मरूपम् नातिरिक्त' पदार्थ' इति मते च मेघसादृश्याभिन्नं वेदनाहरणकर्तृत्वम् ( वेदनाहरणम् ) च लोड्यविधेयतया भासते। सादृश्यमेव चोपमा अत एव उपमा विधेया यस्मिन् तादृश स शाब्दबोधो व्यपदिश्यते। तत्र पुनः लुप्तोपमाया स्वीक्रियमाणाया 'मेघसदृशो हरि, वेदनाहरणकर्तृतावान्' इति नैयायिकाभिमतो बोधः। तत्र च बोधे हरिरुद्देश्यभूत इति तद्विशेषणीभूतम् उपमापर्यवसायि सादृश्यमुद्देश्यतावच्छेदकतया भासते, अत उपमा उद्देश्यतावच्छेदिका कथ्यते इति।

उक्त पद्य में पूर्णोपमा मानने पर तथा लुप्तोपमा मानने पर जो अन्तर होता है, उसका स्पष्टीकरण करते हैं—इयांस्तु विशेष इत्यादि। उक्त रीति से उक्त पद्य में पूर्णोपमा मानने पर, पद्यवाक्य से 'हरि, मेघ के समान वेदनाहरणकर्ता होवे' ऐसा बोध होता है। इस बोध में केवल निर्विशेषण हरि होता है उद्देश्य और वेदनाहरणकर्तृत्व ( वेदनाहरण ) विधेय। यह विधेयभूत वेदनाहरणकर्तृत्व, एक ( सादृश्य एक अतिरिक्त पदार्थ है, इस ) मत के अनुसार मेघ के सादृश्य का प्रयोजक-सम्पादक-है, और दूसरे (सदृश का भाव-धर्म-है सादृश्य, अतिरिक्त पदार्थ नहीं, इस ) मत के अनुसार सादृश्यरूप ही है। उभयथा—उक्त बोध में सादृश्य, विधेय होता है। और सादृश्य ही उपमा है। अतः यह बोध उपमाविधेयक कहा जायगा। लुप्तोपमा मानने पर तो उक्त श्लोकवाक्य से होनेवाला बोध उपमाविधेयक नहीं कहा जा सकेगा। कारण, उस दशा में जो 'मेघसदृश हरि, मेरी वेदना का हरणकर्ता होवे' यह बोध होगा, उसमें मेघ के सादृश्य से विशिष्ट हरि होगा उद्देश्य और केवल वेदनाहरणकर्तृत्व विधेय, अतः सादृश्य—अर्थात् उपमा, उद्देश्यता का अवच्छेदक होगी विधेय नहीं। तात्पर्य यह कि लुप्तोपमा की रीति से होनेवाले वाक्यार्थबोध में उपमा उद्देश्यभाग में आ जायगी, विधेयभाग में नहीं।

वाक्यगतानार्थी धर्मलुप्तोपमानुदाहृतुनाह—

धर्मलुप्ता आर्थी वाक्यगता यथा—

व्याख्या अग्वद ।

वाक्यगत आर्थी धर्मलुप्तोपमा जैले—

उदाहरण निर्देशरूपे—

‘क्रोपेऽपि वदं तन्वि तुल्यं क्रोचनदेन ते ।

उत्तमानां चिकारेऽपि नापैति रमणीयता ॥’

नायको मानिनीं द्रुते—तन्वि ' तुवलाहि ' ते तत्र. वदन् तुल्यम् क्रोपेऽपि क्रोधव-  
त्प्रायान्ति, स्वत्यावस्थायां तु वक्तव्यमेव इति भावः, क्रोचनदेन रक्तकमलेन, तुल्यम्  
मनात्, वर्तते इति शेषः । सानान्येनेत्तनर्थेदेशेण समर्थयति—उत्तमानान् इति । चिकारे-  
ऽपि कुतश्चन कारणान् विद्वतिप्राप्त्यापि, उत्तमाना स्वभावत्वं उन्वराणा पदार्थानां,  
रमणीयता सौन्दर्यं, नापैति न दूरं गच्छतीत्यर्थः । इत्थं वदन्क्रोचनद्वये सादृश्ययोक्त-  
साधारणधर्मत्यावृत्तवर्द्धलुप्तत्वेन, तुल्यपदेन सादृश्याभिधानाद्यार्थात्त्वं, सानानान्वाद्  
वाक्यगतत्वज्ञो-नाया बोद्धव्यम् ।

उदाहरण का निर्देश करते हैं—क्रोपेऽपि इत्यादि । नायक, मानिनी नायिका से  
कहता है—हे दुर्बल अर्धवाली ! तेरा मुख क्रोधावस्था में भी रक्तकमल के समान है ।  
ऐसा होना समुचित ही है । कारण, विकृत होने पर भी उत्तम पदार्थों का सहज सौन्दर्य  
नष्ट नहीं होता । यहाँ उपमा तथा अर्थान्तरन्यास इन दोनों बलकारों की संघट्टि  
है । रक्तकमल तथा मुख का तुल्य सिद्ध करनेवाले रक्तना कोमलता आदि धर्म उक्त  
नहीं हैं, बत यहाँ की उपमा धर्मलुप्ता कही जाती है । इसी तरह तुल्य' पद से सादर्य  
का प्रतिपादन होने से वह आर्थी तथा असनस्त वाक्य में रहने से वाक्यगत भी मानी  
जाती है ।

एत्रस्मिन्नेव पद्ये समासगता श्रौतीन् आर्यान्, तद्विगतानार्थोद्धे धर्मलुप्तोपमानुदा-  
हृतुनाह—

धर्मलुप्ता समासगा श्रौत्यार्थी तद्विगतार्थी च यथा—

श्रौत्या आर्या समासगताया आर्यास्ताद्विगततायाध धर्मलुप्तोपमायाः अकारोऽनि-  
धीयत इति भावः ।

समासगत श्रौती-आर्यां लौर तद्विगत आर्थी धर्मलुप्तोपमा जैले—

उदाहरण निर्देशरूपे—

‘सुधेव वाणी वसुधेव नृतिः सुधाकरश्रीसदृशी च कीर्तिः ।

पयोधिकल्पना नतिरासफेन्द्रोर्महीतलेऽन्यस्य नहीति मन्ये ॥’

आवे अगति—सुधा अमृतम्. इव, वाणी वक्त्रं, वसुध पृथ्वी, इव नृतिं स्वहन्म्,  
सुधाकरस्य चन्द्रस्य प्रिया कल्प्या सदृशीं मनात् कीर्तिं यत् पयोधिकल्पना मनुक-  
तुल्या नानि इद्विध नहातते यदि कल्पविदमि तर्हि, आसफेन्द्रो आसफेन्द्रमन्ना  
अपिद्वय नक्कावत्येव, अन्यत्, न, इति मन्ये सम्भवनात्यर्थः । अस्मिन् पद्ये सुधेव  
वसुधेवसुधेव समासगता श्रौती धर्मलुप्तोपमा, इवेत्त उपमाने विन्यक्तलोभ्य इति  
समासाश्रयान्, इवपदेन सादृश्याभिधानम्, सादृश्याभिधाने साधारणधर्मत्या-  
वृत्तवाद् । सुधाकरश्रीसदृशीत्यत्र च समासगता आर्या धर्मलुप्तोपमा, प्रिया सदृशीति

तृतीयासमासात्, सदृशपदेन सादृश्यप्रतिपादनात्, निर्मलत्वादे समानधर्मस्यानभिधानाच्च 'पयोधिकल्पे'त्यत्र तद्धितगता आर्थी धर्मलुप्तोपमा, तुल्यार्थककल्परूपतद्धितप्रत्ययेन सादृश्यस्य बोधात् धीरत्वादे समानधर्मस्याकथनाच्चेति भावः ।

उदाहरणका निर्देश करते हैं—सुधेव इत्यादि । कवि का कथन है कि इस धरात पर, अमृत-सी वाणी, पृथिवी-सी मूर्ति, चन्द्रकान्ति-सी कीर्ति और समुद्र-सी बुद्धि किसी की है, तो नबाब आसफखान की ही, दूसरे की नहीं, ऐसा मैं मानता हूँ । इस पद्य में 'सुधा इव तथा वसुधा इव' इन दोनों अंशों में 'इवेन समासो विभक्त्यलोपः' इस वार्तिक से समास होने के कारण, समासगत, 'इव' पद से सादृश्य का प्रतिपादन रहने से श्रौती और माधुर्य, गाम्भीर्य आदि साधारण धर्म की उक्ति न रहने से धर्मलुप्ता उपमा होती है । 'सुधाकरश्रीसदृशी' इस अंश में 'श्री' पद का 'सदृशी' पद साथ तृतीयासमास होने से समासगत, 'सदृश' पद से सादृश्य-कथन के कारण भाव और निर्मलत्व आदि धर्म के अकथन से धर्मलुप्ता उपमा मानी जाती है । 'पयोधिकल्पा' इस अंश में कल्परूप तद्धितप्रत्यय से सादृश्य के बोध होने से तद्धितगता तथा आर्थी और धैर्य आदि धर्म की अनुक्ति से धर्मलुप्ता उपमा कही जाती है ।

ननु कल्पप्रत्ययस्येषदसमाप्त्यर्थे विधानात् कथं 'पयोधिकल्पे'त्यंशे उपमा, सादृश्यस्य तत्त्वरूपत्वादित्यत आह—

ईषदसमाप्तिरपि भङ्गयन्तरेण सादृश्यमेव ।

भङ्गयन्तरेणेति । शैलीभेदेनेत्यर्थः । पयोधिकल्पेत्यत्र कल्पप्रत्यय ईषदसमाप्त्यविहितस्तथा च 'मति पयोधेरीषन्न्यूनै'ति शब्दार्थो बुध्यत इति यद्यपि सत्यम्, तथापि ईषन्न्यूनत्व सादृश्य एव पर्यवस्यतीति भावः ।

कल्पप्रत्यय का विधान, 'ईषत् असमाप्ति अर्थात् थोड़ा कम होना' अर्थ में होता है, अतः उससे सादृश्य का बोध होगा नहीं फिर 'पयोधिकल्पा' इस अंश में उपमा कैसे मानी जा सकती है ? इस शङ्का का उत्तर देते हैं—ईषदसमाप्ति इत्यादि । उस शङ्का आपकी ठीक नहीं है । कारण, 'थोड़ा कम होना' भी दूसरे ढङ्ग से सादृश्य होता है । तात्पर्य यह कि जहाँ लोग 'कमल के समान मुख' ऐसा बोलते हैं, वहाँ ऐसा भी कहा जा सकता है कि 'मुख, कमल से थोड़ा ही कम है।' अर्थात् दोनों वाक्यों में समानता का ही बोध होता है, केवल कहने की शैली भिन्न है ।

समासगता वाचकलुप्तोपमा दर्शयति—

वाचकलुप्ता समासगा—'दलदरविन्दसुन्दरम्' इति प्रागुदाहृते पद्ये ।

सामान्यत उपमालङ्कारोदाहरणप्रदर्शनावसरे 'गुरुजनभय' इति पद्यसुल्लिखितम् तच्च भेदविशेषविचारे समासगतवाचकलुप्तोपमाया एवोदाहरण भवितुमर्हति, 'दलदरविन्दसुन्दर'मित्यत्र सादृश्यप्रतीतावपि तद्वाचकविरहात् ।

समासगत वाचकलुप्तोपमा का उदाहरण है पूर्व में उल्लिखित 'गुरुजनभय' इत्यादि पद्य का 'दलदरविन्दसुन्दरम् अर्थात् कुछ विकसित होनेवाले कमल के समान सुन्दर' यह अंश । तात्पर्य यह कि यहाँ वाचक—'इव तुल्य' आदि के विना ही समास कर्मसिद्धि से सादृश्य की प्रतीति होती है, अतः यहाँ की उपमा वाचकलुप्ता मानी जायगी ।

वाचकलुप्ताया भेदान्तराप्युदाहर्तुमाह—

कर्माधारक्यज्जाता क्यङ्गता च यथा—

कर्मार्यकक्यज्जाताया आधारार्थकक्यज्जाताया क्यङ्गतायाश्च वाचकलुप्तोपमाया प्रकारं प्रदर्शयति इति भावः ।

कर्मार्थक तथा लाघारार्थक क्यच्प्रत्यय और क्यङप्रत्यय के द्वारा सन्पन्न होनेवाली वाचकलुप्तोपमा का प्रकार दिखराना जाता है—

उदाहरण निर्दिश्यते—

‘मलयानिलमनलीयति मणिभवने काननीयति क्षणत’ ।  
विरहेण विकलहृदया निर्जलमीनायते नहिला ॥’

दूती नायकनिकटे विरहिण्या दशा वर्णयति—( न ) नहिला नायिका, मलयानिल्म् मलयानिलपवनम् दक्षिणानिलनिति यावन्, अनलीयति अनलम् = अग्निम् इव आचरति, अग्निसदृश तस्मिन् चेटते इति भाव, मणिभवने मणिमयप्रानादे, कननीयति कानने = वने इव आचरति, वनमध्यगतेव तत्र व्यवहरताति भाव ( फलतः ) इत्यतः विरहेण क्षणिकप्रियवियोगेन, विकलहृदया = व्याकुलचित्ता, च्छ निर्जलमीनायते निर्जले = जलसून्यप्रदेशे स्थितो यः नान् = मत्स्यः न इवाचरतीत्यर्थः । अथवा ऋषिद्वय नामान्य-विरहिणीवर्गननिदम् । अत्र ऋषे ‘ना’ इति नाध्याहार्यम् ।

उदाहरण का निर्देश करते हैं—मलयानिल इत्यादि । दूती, नायक से, विरहिणी नायिका की दशा का वर्णन करती है—क्षणिक प्रियविरह से व्याकुलहृदयवाली ( वह ) नायिका, मलयपवन के साथ अग्नि का सा आचरण करती है—दक्षिण दिशा से बाने वाली हवा को अग्नितुल्य समझती है और मणिनिर्मित प्रसाद में बैसा ही आचरण करती है जैसा वन में किया जाता है—मणिमयवन में रहना वन में रहने के समान उसे प्रतीत होता है । फलतः यही कहना पड़ता है कि वह जलरहित स्थान में पड़ी हुई मछली के समान, सनी आचरण करती है—बैतरह दृष्टपटा रही है । अथवा सामान्य विरहिणी के विरहदशावर्णन-प्रसङ्ग में कवि की यह उक्ति है । इस पद्य में ‘वह’ इस, किसी त्रास नायिका के बोधक पद का लघ्याहार नहीं करना पड़ेगा । पद्य का स्वारस्य ऐसा ही प्रतीत होता है, अतएव कवि ने पद्य में कहीं ‘सा’ नहीं कहा है ।

उपपादयति—

अत्रानलमिवाचरतीत्यर्थेऽनलशब्दात् ‘उपमानादाचारे’ इति सूत्रेण, कानन इवाचरतीत्यर्थे काननशब्दाच्च तत्सूत्रस्थेन ‘अधिकरणाच्च’ इति वार्तिकेन क्यच् । निर्जलमीनशब्दाच्च ‘कर्तुः क्यङ् सलोपश्च’ इति क्यङ् ।

अत्रेति । ‘मलयानिल’ इत्यादिपद्ये इत्यर्थः । अन्यन् निगदव्याख्यानेव । एवञ्च ‘अनलीयतीति कर्मक्यङ्गताया’, ‘काननीयतीत्याधारक्यङ्गताया’, ‘निर्जलमीनायते’ इति च क्यङ्गताया वाचकलुप्ते पनाया उदाहरणानि भवन्तीति भावः ।

उपपादन करते हैं—अत्रानल इत्यादि । यहाँ ‘अग्नि के समान आचरण करती है’ इस अर्थ में अनल शब्द से और ‘वन में जैसा आचरण किया जाता है वैसा व्यवहार करती है’ इस अर्थ में, सप्तम्यन्त होने के कारण अधिकरणार्थक कानन शब्द से ‘क्यच्’ प्रत्यय होता है । दोनों जगहों पर क्यच्प्रत्ययविधायक क्रमशः ‘उपमानादाचारे’ यह सूत्र और उन्मी सूत्र का ‘अधिकरणाच्च’ यह वार्तिक है । निर्जलमीन शब्द से ‘निर्जल स्थान में रहनेवाले मत्स्य का सा आचरण करती है’ इस अर्थ में ‘क्यङ्’ प्रत्यय होता है । प्रत्ययविधायक सूत्र है ‘कर्तुः क्यङ् सलोपश्च’ । नाराद यह कि ‘अनलीयति’ यह कर्मक्यजात, ‘काननीयति’ यह आधारक्यजान और ‘निर्जलमीनायते’ यह क्यङ्गत, वाचकलुप्तोपमा के उदाहरण होते हैं ।

ननु ऋषिद्वय वाचकलुप्तोपाम्, क्यच्क्यङ्प्रत्यययोर्वाचक्योर्वेदानान्वादिभ्यत आह—

आचारमात्रार्थकतया क्यच्क्यङोः प्रकृत्यैव लक्षणया स्वस्वार्थसादृश्य-

प्रतिपत्तिरिति नये सादृश्यवाचकाभावाद् वाचकलुप्ता । अनलीयतीत्यादिसमुदायस्यैवानलादिसादृश्यप्रयोजकाचरणकर्तृशक्तत्वमिति नयेऽपि सादृश्यसादृश्यविशिष्टमात्रवाचकाभावाद्वाचकलुप्ता ।

क्यचक्यङ्प्रत्ययावाचारमात्रस्य वाचकौ न सादृश्यस्य । न चैव कथं तत्प्रत्ययस्थले सदृशाचारप्रतीतिरिति वाच्यम्, तत्प्रत्ययप्रकृतीना स्वार्थसदृशे लाक्षणिकत्वात् । अर्थात् 'अनलीयती'त्यादौ प्रत्ययभागतः केवलाचारस्यैव बोधः, प्रकृतिभागतश्च अनलसदृशादेरर्थस्य । तथा चात्र सादृश्यलक्षकस्य स्थितावपि सादृश्यवाचकस्य स्थितिर्नास्त्येवेति वाचकलुप्ता सुस्थेति भावः । ननु नेद युक्तम्, अत्र मते इवादीना द्योतकतानये सर्वत्रैव वाचकाभावाद्वाचकलुप्तास्वापत्ते, 'चन्द्रप्रतिपक्षमाननम्' इत्यत्रापि तदापत्तेश्च, प्रतिपक्षपदेन सादृश्यस्य लक्ष्यत्वादित्यतः समाधानान्तरमाह—अनलीयतीत्यादीति । अयं भावः उपमाङ्गभूत'वाचक'पदेन यथाकथञ्चित् सादृश्यप्रतिपादका एव गृह्यन्ते, अत एव द्योतकानामिवादीना लक्षकानां प्रतिपक्षादिपदानां च सत्त्वेन वाचकलोपव्यवहारः तथा च प्रकृते क्यचक्यङ्प्रकृतिभ्यां लक्षणयाऽपि सादृश्यप्रतिपत्तौ वाचकलोपव्यवहारः कथमिति शङ्का यद्यपि युक्ता, तथापि 'वाचक' इति शब्देन सादृश्य-सादृश्यविशिष्टान्यतरमात्रबोधका एव विवक्षिता । क्यचक्यङ्प्रकृतयस्तु स्वार्थसादृश्यविशिष्टलक्षका इति न तावन्मात्रबोधकाः, अतस्तत्सत्त्वेऽपि वाचकलोपव्यवहारः । एवञ्च उक्तान्यतरमात्रबोधकाभाव एव वाचकलोप इति तत्त्वम्, अत एव च 'अनलीयति' इत्यादौ न प्रकृतिप्रत्यययोः पृथक् पृथक् अर्थे शक्तिर्लक्षणा वा, अपि तु प्रकृतिप्रत्ययसमुदायस्यैव अनलादिसदृशाचरणकर्तृरूपार्थे शक्तिरिति मतेऽपि न दोषः, आचारादिरूपाधिकस्याप्यर्थस्य बोधकतया उक्तान्यतरमात्रबोधकाभावरूपवाचकलोपस्य साम्राज्यात् इति ।

वाचकलुप्ता यहाँ कैसे हुई इस आशङ्का का समाधान करते हैं—आचार इत्यादि । तात्पर्य यह है कि 'अनलीयति' इत्यादिकों में जब 'अनल के समान आचरण करनेवाला' इस अर्थ में क्यचप्रत्यय होता है, तब तो सादृश्य का वाचक वह क्यचप्रत्यय ही हो गया फिर वहाँ 'वाचकलुप्ता' कैसे इस आशङ्का के दो उत्तर हो सकते हैं । एक यह कि 'क्यच अथवा क्यङ् प्रत्यय, केवल आचार अर्थ के वाचक हैं, सादृश्य की प्रतीति, उन प्रत्ययों के प्रकृतियों (अनल आदि शब्दों) की स्वार्थ—(अनल आदि)—सदृश अर्थ में लक्षणा होने के कारण होती है' इस नैयायिकों के मत में सादृश्य का वाचक कोई नहीं हुआ अर्थात् प्रकृतिभाग भी सादृश्य का लक्षक ही हुआ, वाचक (अभिधावृत्ति के द्वारा बोधक) नहीं, अतः इन प्रत्ययों के रहने पर वाचकलुप्ता का व्यवहार समुचित ही है । दूसरा यह कि केवल सादृश्य अथवा केवल सादृश्यविशिष्ट अर्थ के बोधक पद का न रहना ही यहाँ 'वाचकलोप' कहा जाता है अर्थात् सादृश्य अथवा सादृश्यविशिष्ट (सदृश) का बोधक पद यदि साथ साथ किसी अन्य अर्थ का भी बोधक हो, तब उसके रहने पर भी सादृश्यवाचक का अभाव ही समझा जायगा, तदनुसार उक्त मत में प्रकृतिभाग के लक्षणा द्वारा सादृश्यबोधक होने पर भी उसके साथ साथ अनल आदि स्वार्थ का भी बोधक हो जाने से वाचकलुप्ता हो जाती है । वस्तुतः यही उत्तर ठीक है,—पहला नहीं, क्योंकि यदि वाचक का अर्थ अभिधाशक्ति द्वारा सादृश्यप्रतिपादक किया जाय और तदनुसार सादृश्यलक्षक पद के रहने पर वाचकलोप माना जाय, तब तो अलिखित प्रतिपक्षमाननम् अर्थात् कमल के प्रतिद्वन्द्वी मुख' इत्यादि में भी वाचकलुप्ता उपमा मानी जानी चाहिये, क्योंकि 'प्रतिपक्ष पद सादृश्य का वाचक नहीं लक्षक है और निपातद्योतक है' इस मत में इव आदि के रहने पर भी वाचकलुप्ता का व्यवहार होने लगेगा । अतः 'वाचक' का अर्थ किसी भी तरह सादृश्य का प्रतिपादक होता है,

केवल अभिधा द्वारा प्रतिपादक नहीं, अतः उक्त स्थानों में वाचकलुप्ता नहीं हो सकती ।  
हाँ, इतनी बात अवश्य है कि तभी कोई पद सादृश्य का वाचक माना जायगा, जब वह केवल सादृश्य अथवा सदृश का बोधक रहेगा । अत एव 'अनलीयति' इत्यादि प्रयोगों में 'प्रकृति-प्रत्ययसमुदाय की ही 'अनल आदि के सदृश आचरण कर्ता'रूप अर्थ में अभिधाशक्ति है, प्रकृतिप्रत्यय, पृथक् पृथक् अर्थ के वाचक अथवा लक्षक नहीं हैं' इस वैयाकरणाभिमत पक्ष में भी आपत्ति नहीं होती अर्थात् इस मत के अनुसार भी यहाँ वाचकलुप्ता ठीक हो जाती है । कारण, इस मत के अनुसार उक्त प्रकृतिप्रत्यय-समुदाय, केवल सादृश्य किंवा सदृश का बोधक नहीं होता, अपितु उससे अधिक आचार आदि का भी बोधक होता है ।

वाचकलुप्तोपमाया एव भेदान्तरमुदाहर्तुमाह—

कर्तृकर्मणमुत्पाता यथा—

कर्त्तर्यकणमुल्प्रत्ययप्रतिपादाया कर्त्तर्यकणमुल्प्रत्ययप्रतिपादायाश्च वाचकलुप्तोपमाया प्रकारं प्रदर्श्यते इति भाव ।

कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य णमुल्प्रत्ययों के द्वारा सिद्ध होनेवाली वाचकलुप्तोपमा जैसे—

उदाहरण निर्दिश्यते—

‘निरपाय सुधापाय पयस्तव पिवन्ति ये ।

जहुजे निर्जरावासं वसन्ति भुवि ते नराः ॥’

जहुजे ' गङ्गे । ये नराः, निरपाय निःप्रत्यूह निरन्तरमिति यावत्, क्रियाविशेषण-मेतत्, तव गङ्गाया, पयः जलम्, सुधापायम् सुधामिव, पिवन्ति, ते, नराः, भुवि भूलोक एव, निर्जरावासम् निर्जरा देवास्ते इव, वसन्ति सुखेन निवास कुर्वन्तीत्यर्थः ।

किसी भक्त की उक्ति है—हे गङ्गे ! जो मनुष्य अमृत के समान तेरे जल का निर्विघ्न पान करते हैं, वे धरातल पर, देवताओं की तरह, वास करते हैं ।

उपपादयति—

अत्र सुधापायमिति सुधामिव, निर्जरावासमिति निर्जरा इवेति 'उपमानात् कर्मणि च' इति कर्मणि चकारात्कर्तृयुपमाने उपपदे णमुल् ।

अत्र 'निरपायम् ' इति पथे । सुधापायमिति । इत्यत्रेत्यर्थः । सुधामिवेति अत्र च 'कर्मणि उपपदे' इत्यत्रान्वयः । अत्रेऽप्येवमेव । सुधामिवेति कर्मणि उपमाने उपपदे सुधापायमित्यत्र, निर्जरा इवेति कर्त्तरि उपमाने उपपदे निर्जरावासमित्यत्र च क्रमशः पाधातो वन्धातोश्च 'उपमानात् कर्मणि च' इति पाणिनिसूत्रेण णमुल्प्रत्ययो भवति । तथा च पूर्ववत् णमुल् सादृश्यतद्विशिष्टान्यतरवाचकत्वविरहान् वाचकलुप्तेति भावः ।

उपपादन करते हैं—अत्र इत्यादि । यहाँ 'सुधापायम्' में सुधारूप कर्म उपमान के उपपद (समीपवर्ती पद) रहते और 'निर्जरावासम्' में निर्जरूप कर्ता उपमान के उपपद रहते 'उपमानात् कर्मणि च' इस पाणिनिसूत्र से णमुल् प्रत्यय हुआ है । तथापि उक्त सूत्र में 'कर्ता' का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, तथापि 'च' से उसका समग्र होता है । ततः 'सुधापायम्' का सुधा की तरह और 'निर्जरावासम्' का निर्जर-उपेता की तरह अर्थ होता है । इस तरह सादृश्य अथवा सदृश मात्र का वाचक णमुल् हुआ नहीं, अतः इस उपमा को वाचकलुप्ता कहते हैं ।



एवमेकलुप्तमुदाहृत्य 'द्विलुप्तमुदाहर्तुमाह—

धर्मोपमानलुप्ता वाक्यगा समासगा च यथा--

धर्म उपमानश्च यत्र लुप्ते तिष्ठत, तादृश्या वाक्यगताया समासगतायाश्चोपमाया प्रकार प्रदर्शयत इति भाव ।

धर्मोपमानलुप्ता—अर्थात् जिसमें साधारण धर्म तथा उपमान दोनों लुप्त रहते हैं ऐसी—वाक्यगत और समासगत उपमा जैसे—

उदाहरण निर्दिश्यते—

'गाहितमखिलं विपिनं परितो दृष्टाश्च विटपिनः सर्वे ।

सहकार न प्रपेदे मधुपेन तथापि ते समं जगति ॥'

कविराचष्टे—हे सहकार सुगन्धिरसाल ! मधुपेन भ्रमरेण, यद्यपीत्यध्याहारलब्धम्, अखिलम् सम्पूर्णम्, विपिनम् वनम्, गाहितमालोडितम्, परितः चतुर्दिक्षु, सर्वे विटपिनस्तरव, दृष्टा अवलोकिताश्च, तथापि, जगति ससारे, ते तव, सम समान वस्तु, न प्रपेदे नोपलब्धम् इत्यर्थः । अप्रस्तुतप्रशसेयम्, अप्रस्तुतात् भ्रमरामृतान्तात् प्रस्तुतस्य गुणितद्गवेषकयो वृत्तान्तस्य प्रतीति । अत्र 'ते सम न प्रपेदे' इत्युक्त्या 'तव सदृश' कश्चित्पदार्थो भ्रमरागोचरे स्थलेऽस्त्यवश्यम्' इत्यर्थप्रतीत्या उपमा, सा च धर्मलुप्ता, अगोचरोपमानप्रतियोगिकोपमेयसहकारानुयोगिकसादृश्यप्रयोजकसाधारणधर्मस्यानुपादानात् उपमानलुप्ता च, उपमानस्य स्पष्टमनुल्लेखात् । तथा चाप्रस्तुतप्रशसोपमयो सङ्कर इति भाव ।

उदाहरण का निर्देश करते हैं—गाहित इत्यादि । कवि का कथन है—हे सहकार-सुगन्धित आम ! भ्रमरों ने सम्पूर्ण कानन छान डाला और चारों तरफ सभी तरु देख डाले, तथापि, ससार में, तेरे जैसा एक पदार्थ भी नहीं पाया । यह है 'अप्रस्तुत प्रशसा' क्योंकि अप्रस्तुत भ्रमर तथा आम के वृत्तान्त से, प्रस्तुत गुणी तथा उसके अन्वेषक का वृत्तान्त ज्ञात होता है । और उस अप्रस्तुतप्रशसा का पोषक है 'समम्' पद से वाच्य उपमा, जिसमें उपमान और उसका वह धर्म—जो उपमेय-आम में भी रहनेवाला हो—लुप्त हैं, अतः यह धर्मोपमानलुप्ता हुई ।

उक्ताकारके 'गाहितम्' इत्यादिपद्ये उपमाया वाक्यगतत्वमेव । तथा च अत्रतरणे 'समासगा चे'ति कथन विरुद्धम्, अत पाठान्तरेण समासगतत्वमुपपादयति—

'तथापि ते समम्' इति हित्वा 'भवत्समम्' इति यद्यार्या शुद्धैव विधीयते तदेदमेवोदाहरण समासगायाः ।

शुद्धैवेति । प्रथमपाठे गीति, आर्याविकृतिरूपा परिवर्तितपाठे च शुद्धा आर्या इति भाव । 'तथापि ते समम्' इत्यस्य स्थाने 'भवत्समम्' इति पाठाश्रयणो समासगतधर्मोपमानलुप्तोपमाया उदाहरण बोध्यमिति भाव ।

'गाहित' इत्यादि पद्य को ही पाठभेद के द्वारा समासगत धर्मोपमानलुप्तोपमा का उदाहरण बनाते हैं—तथापि इत्यादि । उक्त पद्य में 'तथापि ते समम्' की जगह पर यदि 'भवत्समम्' पाठ कर दिया जाय, तब यह पद्य ही समासगत धर्मोपमानलुप्तोपमा का उदाहरण हो जायगा । छन्दःशास्त्र की दृष्टि से दोनों पाठ ठीक होंगे, क्योंकि प्रथम पाठ के अनुसार 'गीति' छन्द होता है जो आर्या का विकृतरूप है और द्वितीय पाठ के अनुसार शुद्ध 'आर्या छन्द' हो जाता है ।

वाचकधर्मलुप्तोपमानुदाहर्तुमाह—

वाचकधर्मलुप्ता किङ्गता यथा—

वाचक—सादृश्यप्रतिपादक इवादि, साधारणधर्मश्च लुप्तौ यत्र, तादृशोपमायाः किङ्गतायाः प्रकार उच्यते इति भावः ।

किंप्रत्ययगत वाचकधर्मलुप्तोपमा जैसे—

उदाहरण निर्दिश्यते—

‘कुचकलशेष्वबलानामलकायामथ पयोनिधेः पुलिने ।

क्षितिपाल कीर्तयस्ते हारन्ति हरन्ति हीरन्ति ॥’

कवि राजान स्तौति—हे क्षितिपाल राजन्’ ते तव, कीर्तय यशासि, अबलाना कामिनीना, कुचकलशेषु कलशाकारेषु कुचेषु, हारन्ति हारवदाचरन्ति, अलकायाम् अलकानगर्याम्, हरन्ति हरवदाचरन्ति, एवम्, पयोनिधेः समुद्रस्य, पुलिने तटे, हीरन्ति हीरकवदाचरन्तीत्यर्थः ।

उदाहरण का निर्देश करते हैं—कुच इत्यादि । कवि किसी राजा की स्तुति करता है—हे धराधीश ! आप की कीर्तियाँ कामिनीयों के कलशाकार कुचों पर हार ( मोती की माला ) के समान आचरण करती हैं, अलकापुरी में शिवजी के सदृश आचरण करती हैं और समुद्र के तट पर हीरों के तुल्य आचरण करती हैं ।

उपपादयति—

अत्र हारहरहीरशब्दा आचारार्थके किंपि लुप्ते घातवः । तत्र हारादिशब्दा लक्षणया हारादिसादृश्यं बोधयन्ति । लुप्तोऽपि स्मृतः किञ्चाचारमिति पक्षे वाचकधर्मलोप स्पष्ट एव । हारादिशब्दा एव लक्षणया तादृशसादृश्याभिन्नमाचारमिति पक्षे सादृश्यस्येव धर्मस्यापि तन्मात्रबोधकाभावाल्लोप एव ।

अत्र ‘कुच’ इत्यादि पद्ये । किंपि । ‘सर्वप्रातिपदिकेभ्यः किञ्चा वक्तव्य’ इति । नानधानुत्थवार्तिकविहिते इत्यादि । घातव इति । तथा च हारन्तीत्यादिप्रयोगसिद्धिरिति भावः । तत्र उक्तप्रयोगेषु । आचारमिति । बोधयतीति श्रेयः । तादृशेति । हारादीन्धर्य’ । तदित्युचितम् । अभिन्नमिति । सादृश्यस्य धर्मरूपत्वादिति भावः । हारहरहीरशब्देभ्यः आचारार्थेषु किंप्रत्ययेषु विहितेषु तेषां सर्वापहारलोपे ‘सनाद्यन्ता घातवः’ इति घातुत्वे हारहरहीरघातुभ्यः लडाडौ हारन्ति, हरन्ति, हीरन्तीति च प्रयोगाः सिद्धयन्ति । तेषु प्रयोगेषु किंप्रत्ययप्रकृतिभूता हारादिशब्दा स्वार्थसादृश्ये लाक्षणिका, अतः हारादिशब्दानां स्वार्थरूपसादृश्येतरार्थवाचकत्वेन केवलसादृश्यप्रतिपादकत्वानामान् वाचकलोप, आचाररूपसाधारणधर्मवाचककिंप्लोपस्तु स्पष्ट एवेति उपमायाः वाचकधर्मोभयलुप्तता सिद्धा । ननु लुप्तोऽपि पुनः स्पष्ट किंप्रत्यय एव आचाररत्नमर्थं बोधयतीति पक्षे तथा वक्तुं शक्यम्, एतन्पदानुसारं साधारणधर्मरूपसाधारणबोधकानां हारादिपदानां वर्तमानतया धर्मलोपाभावादिति चेन्न, सादृश्यमात्रबोधका एव यथा प्रकृतशास्त्रे ‘वाचकाः’ कथ्यन्ते, तथैव धर्ममात्रबोधका एव धर्मवाचका विवक्षितास्तथा च हारादिशब्दा ‘अधिकत्वापि

प्रतिपादकतया न सादृश्यवाचका न वा धर्मवाचका अतो धर्मवाचकयोर्लोप इति विवक्षणीयत्वादिति भाव ।

उपपादन करते हैं—अत्र इत्यादि । यहाँ हार, हर और हीर शब्द से पहले आचार्य अर्थ में 'सर्वप्रातिपदिकेभ्यः क्तिन्वा वक्तव्यः' इस वार्तिक से क्तिप् प्रत्यय होता है जिसका पीछे लोप हो जाता है । इस तरह से वे शब्द 'सनाद्यन्ता धातवः' इस पाणिनि सूत्र से धातु संज्ञा हो जाने के कारण धातु बन जाते हैं । उन्हीं धातुओं से लट्-ति या तिङ्प्रक्रिया करके 'हारन्ति' आदि प्रयोग सिद्ध होते हैं । अब यहाँ दो पक्ष हो सकते हैं जिनमें एक के अनुसार हार आदि शब्द लक्षणा के द्वारा हार आदि के सादृश्य केवल बोधक होते हैं अर्थात् हार आदि शब्द से हारादिसादृश्य का बोध होता है और 'आचार' का बोध लुप्त क्तिप्प्रत्यय से ही स्मरण द्वारा होता है—अर्थात् लोप जाने के बाद भी स्मृत होकर क्तिप्प्रत्यय ही 'आचार' का बोधक होता है । इस पक्ष में धर्म ( आचार ) का लोप स्पष्ट ही है—अर्थात् आचार का बोधक क्तिप् का लोप चुका है । रहा वाचक—सादृश्यप्रतिपादक—का लोप, सो वह भी है ही क्योंकि केवल उस ( सादृश्य ) का बोधक पद कोई नहीं है अर्थात् हार आदि शब्द लक्षणा के द्वारा केवल सादृश्य का बोध नहीं कराते अपितु हार आदि का भी । दूसरे पक्ष के अनुसार 'क्तिप्' जब चला गया, तब उससे किसी अर्थ का बोध कैसा ? फलतः हार आदि शब्द लक्षणा के बल से सादृश्य और आचार दोनों के अर्थात् हार आदि के सादृश्य से अभिन्न आचार के बोधक होते हैं । इस पक्ष में यद्यपि सामान्यतः आचार के बोधक हार आदि शब्द वर्तमान हैं, तथापि उनका लोप ही समझा जाता है । इस पक्ष में हम यह कहें कि जिस तरह अन्य किसी अर्थ के साथ साथ सादृश्य का भी बोधक पद के रहने पर भी केवल सादृश्य-बोधक पद के नहीं रहने से 'सादृश्य' का लोप समझा जाता है उसी तरह अन्य अर्थ के साथ साधारण धर्म के बोधक पद के रहने पर भी केवल साधारणधर्मबोधक पद के नहीं रहने पर साधारण धर्म का लोप ही समझना चाहिए । इस सिद्धान्त के अनुसार प्रकृत में हार आदि शब्द केवल आचार के बोधक नहीं हैं अतः उनका लोप समझा जा सकता है ।

वाचकधर्मलुप्तोपमाया भेदान्तरमुदाहर्तुमाह—

वाचकधर्मलुप्ता समासगा यथा—

समासगताया वाचकधर्मलुप्तोपमाया प्रकार प्रदर्शयति इति भाव ।

समासगत वाचकधर्म ( उभय ) लुप्ता यथा—

उदाहरणं निर्दिश्यते—

'शोणाधरांशुसंभिन्नास्तन्वि ते वदनाम्बुजे ।

केसरा इव काशन्ते कान्तदन्तालिकान्तयः ॥'

नायिकां प्रति नायकस्योक्ति —हे तन्वि । ते, वदनाम्बुजे कमलतुल्ये मुखे शोणस्य रक्तवर्णस्य, अधरस्य निम्नरदनच्छदस्य, अशुभि किरणै, सम्भिन्ना मिश्रा, कान्तानाम् कमनीयानां, दन्तानां दशनानाम्, आले पङ्के, कान्तय प्रभा, केसरा, इव काशन्ते ।

उदाहरण का निर्देश करते हैं—शोणा इत्यादि । नायक का कथन है—हे तन्वि ! कमलसदृश तेरे मुख में अरुणवर्ण अधर ( निम्नोष्ठ ) की कान्ति से मिश्रित क्षीमनीय दन्तपङ्क्ति की कान्तियाँ केसरों की तरह प्रकाशित हो रही हैं ।

उपपादयति—

अत्र वदनाम्बुजयोरभेदविवक्षया विशेषणसमासे दन्तालिकान्तीनां केसर-सादृश्योक्तिरसङ्गता स्यात् । यतो ह्यम्बुजतादात्म्यसाधक दन्तालिकान्तीनां

केसरतादात्म्य न तु केसरसादृश्यम् । उपमितसमासे तु वदनाम्बुजयोर्धर्मिणो-  
पोरौपम्ये केसरदन्तालिकान्तीनामपि तद्धर्माणामौपम्योक्तिरुचितैव । अतोऽ-  
धिकरणतावच्छेदकोपमामादाय वाचकधर्मलुप्तोदाहृता । विधेयतावच्छेदिका तु  
पूर्णैव ।

विशेषणसमास इति । मयूरव्यसकेत्यादिसूत्रेणेति भाव । अधिकरणेति । वद-  
नाम्बुजेत्यत्रत्यामित्यर्थ । अत्रच्छेदिका त्विति । उपमेति शेष, कान्तय' केसरा इव  
काशन्ते इत्यत्रत्येति भाव । अत्र भाव—'वदनाम्बुजे' रूपकमुपमा चेत्यलङ्कारद्वय  
सभवति, वदनाम्बुजयोरभेदप्रतिपादनेच्छाया 'मयूरव्यसकादयश्चे'ति विशेषणसमासकर-  
णेन रूपकस्य, तयो सादृश्यप्रतिपादनेच्छाया'मुपमित व्याघ्रादिभि सामान्याप्रयोगे'  
इत्युपमितसमासविधानेन उपमायाश्च प्राप्तत्वात् । परन्तु उपमितसमासेनोपमैव स्वीकर्तु-  
मुचिता, दन्तकान्तिकेसरयोरुपमाया पद्योत्तरार्धोक्ताया तत्रैव सङ्गते, रूपकाश्रयणे तु  
सा अत्रसङ्गतैव भवेत् । यत् रूपके मुखकमलयोस्तादात्म्य प्रतीयेत, तथा चाग्रेऽपि दन्त-  
कान्तिकेसरयोस्तादात्म्यरूपस्य मुखकमलतादात्म्यसाधकस्य रूपकस्यैवोक्तिरुचिता न चेतत्र  
रूपकमुक्त कविना, तर्हि तत्रापि रूपक नाश्रयणीयम् । फलत वदनाम्बुजयोर्धर्मिणोरुपमित-  
समासाधीनोपमैव स्वीकरणीया, तथात्वे च तद्धर्माणा केसरदन्तालिकान्तीनाम् उपमानि-  
बन्ध समुचित एव । एवञ्चात्रोपमाद्वय सम्पद्यते, तत्र दन्तकान्त्यादेरधिकरणत्वेन उक्ते  
वदनाम्बुजपदार्थे विशेषणतया भासमाना ( अधिकरणतावच्छेदिका ) या उपमा, तामा-  
दाय पद्यमिद वाचकधर्मलुप्तोपमाया उदाहरणम्, तत्र वाचकस्य इवादे धर्मस्य सुन्दर-  
त्वादेश्चानुपादानात् । विधेयकोटौ भासमाना दन्तकान्तिकेसरयोरुपमा तु पूर्णैव, उपमान-  
भूतस्य केसरपदार्थस्य उपमेयभूतस्य दन्तकान्तिपदार्थस्य, सादृश्यस्य काशनरूपसाधारण-  
धर्मस्य चोक्ते । इति ।

उपपादन करते हैं—अत्र इत्यादि । स्पष्ट अभिप्राय यह है कि—इस पद्य में दो  
उपमायें हैं, एक वदनाम्बुज पद में, जो अधिकरणतावच्छेदक होती है, क्योंकि दन्त  
कान्ति और केसररूप धर्मों का आधार है वदन और अम्बुजरूप धर्मों, और उन  
धर्मियों की विशेषणकोटि में ही पढ़ जाती है वह सादृश्यरूपा उपमा । दूसरी उपमा  
है 'दन्तकान्तियों केसर के समान प्रकाशित होती हैं' इस अंश में, जो विधेयतावच्छेदक  
होती है । कारण, उक्त धर्मोंरूप उद्देश्य में विहित होनेवाले ( विधीयमान ) उक्त  
धर्म के विशेषणभाग में इस उपमा की स्थिति है । इन दोनों उपमाओं में द्वितीय तो  
पूर्णा ही है अर्थात्—उपमान केसर, उपमेय दन्तावलीकान्ति, इवार्थ सादृश्य और  
प्रकाशित होना रूप साधारण धर्म इन चारों अङ्गों की उक्ति इस उपमा में है । फलत.  
यह उपमा, प्रकृत में ( लुप्तोपमा का ) उदाहरण नहीं हो सकती । अतः प्रथम-अधि-  
करणतावच्छेदकीभूत उपमा को लेकर यहाँ वाचकधर्मलुप्ता का उदाहरण दिया गया है  
ऐसा समझना चाहिए । यदि आप कहें कि वदनाम्बुज में निश्चितरूप से उपमा मानी  
ही कैसे जा सकती है ? कारण, वहाँ यदि मुख और कमल का तादात्म्य ( अभेद ) वक्ता  
का विवक्षित माना जाय, तब तो विशेषण अर्थात् 'मयूरव्यसकादयश्च' से समास मान  
कर मुख्यरूप कमल ऐसा रूपक भी माना जा सकता है, तो इसका समाधान है कि-  
नहीं, रूपक नहीं माना जा सकता, क्योंकि यदि ऐसा माना जाय, तब दन्तकान्तियों  
में जो केसरसादृश्य का कथन है अर्थात् पद्य के उत्तरार्ध द्वारा जो केसर और दन्तकान्ति  
का सादृश्यमूलक उपमानोपमेयभाव वर्णित हुआ है, वह असङ्गत हो जायगा, क्योंकि  
मुख में अम्बुजतादात्म्य को अर्थात् तन्मूलक रूपक अलङ्कार को सिद्ध करनेवाला हो

सकता है, दन्तकान्तिर्यों में केसर का तादात्म्य अर्थात् तादात्म्यमूलक केसरदन्तकान्ति का रूपकात्मक वर्णन, न कि दन्तकान्ति में केसर का सादृश्य अर्थात् सादृश्यमूलक उन दोनों की उपमा, और है यहाँ उन दोनों की उपमा ही 'केसरा इव कान्तयः काशन्ते' इन शब्दों में वर्णित । अतः यह सिद्ध होता है कि वदनाम्बुज में भी 'अम्बुज सा मुख' इस विग्रह में उपमित समास ( उपमितं व्याघ्रादिभिः सूत्र से समास ) मानकर उपमा ही माननी चाहिये अर्थात् वदन में अम्बुज का सादृश्य ही कविविद्वित्त वस्तु स्वीकृत होनी चाहिए, अम्बुजतादात्म्य नहीं और इस मान्यता के अनुसार कोई असङ्गति भी नहीं होती, क्योंकि वदनाम्बुजरूप धर्मी अश में जब उपमा मान लेते हैं, तब उनके धर्म केसर तथा दन्तकान्ति में भी उपमा का वर्णन समुचित ही है । सारांश यह कि जब तक धर्म में तादात्म्य ज्ञात नहीं होता, तब तक धर्मी में वह ज्ञात नहीं हो सकता । ऐसी स्थिति में धर्मरूप केसर और दन्तकान्ति में जब स्पष्ट कथित रहने के कारण सादृश्य ही ज्ञात होता है तादात्म्य नहीं, तब उन धर्मों के धर्मी वदन और अम्बुज में भी सादृश्य ही समझना पड़ेगा, तादात्म्य नहीं ।

भेदान्तराप्युदाहर्तुमाह—

वाचकोपमेयलुप्ता क्यज्जाता धर्मोपमानवाचकलुप्ता समासगा च यथा—

वाचकमुपमेयश्च यत्र लुप्ते तिष्ठत तादृश्या क्यच्प्रत्ययगताया एव धर्म उपमानम् वाचकश्च यत्र लुप्तास्तिष्ठन्ति, तादृश्या समासगतायाश्चोपमाया प्रकार प्रदर्शयते इति भाव ।

वाचक तथा उपमेय इन दो के लोपवाली क्यज्जात उपमा का और धर्म, उपमान एवं वाचक इन तीनों के लोपवाली समासगत उपमा का प्रकार दिखलाया जाता है ।

उदाहरण निर्दिश्यते—

‘तया तिलोत्तमीयन्त्या मृगशावकचक्षुषा ।

ममायं मानुषो लोको नाकलोक इवाभवत् ॥’

नायक स्वसखाय प्रति षक्ति—तिलोत्तमीयन्त्या तिलोत्तमाभिधाना काचित्स्वर्गीया रमणी तयेवाचरन्त्या, मृगशावकस्य हरिणशिशो चक्षुषी इव चक्षुषी यस्यास्तया, वक्तुर्मनोगतया कयाचन कामिन्या, हेतुना ( हेतावत्र तृतीयेति भाव ) अय, मम, मानुषो, लोक, नाकलोक स्वर्गलोक, इव, अभवत्—मनुष्यलोक एव मया स्वभोगभाग्यमुपलब्धमित्यर्थ ।

उदाहरण का निर्देश करते हैं—तया इत्यादि । नायक अपने सखा से कहता है—तिलोत्तमा ( स्वर्गीय अप्सरा ) के समान आचरण करती हुई इस मृगाक्षी के कारण मेरा यह मनुष्यलोक स्वर्गलोक सा हो गया—इस लोक में ही स्वर्गीय सुख भोगने का सौभाग्य मुझे मिल गया ।

उपपादयति—

तिलोत्तमीयन्त्येति तिलोत्तमाभिवात्मानमाचरन्त्येत्याचारार्थके क्यचि तिलोत्तमापदस्य तिलोत्तमासादृश्ये लाक्षणिकतया वाचकस्य, स्फुटत्वेन प्रतीयमानतया आत्मन उपमेयस्य चानुपादानाल्लोपः । स्वयं तु सा नोपमेया । आचारकर्मण उपमानस्य तिलोत्तमारूपस्य तत्कर्त्र्यामुपमेयायामुपमानत्वासङ्गतेः । अत आत्मैवात्रोपमेयतयोन्नेयः । मृगशावकचक्षुषेति मृगशावकस्य चक्षुषी इव चक्षुषी अस्या इति ‘सप्तम्युपमानपूर्वस्य’ इति समासोत्तरपदलोपौ ।

मृगशावकपदस्य मृगशावकचक्षुःसदृशलक्षणिकत्वपक्षे वृत्तेर्विंशत्यर्थवाचकता-  
पक्षेऽपि स्वस्वमात्रबोधकपदाभावात्त्रयाणां लोप ।

वाचकस्येति । इवशब्दस्यैवार्थः । उपनेयानुपादाने हेतुनाह स्फुटत्वेनेति । स्वयं चित्ति,  
तिलोत्तमीयन्तीति पदबोधनाधिक्यैवार्थः । तन्कर्त्त्रामिति । आचारकर्त्त्रामित्यर्थः । उप-  
मानान्वानंगतेरिति । उपमानोपनेययोः समानरूपत्वस्योपमाया नयानकत्वादिति भावः ।  
तिलोत्तमानिवात्मान्मात्ररतीति विग्रहे तिलोत्तनाशब्दात् 'उपमानादाचारः' इति सूत्रेणा-  
चारार्थक्यचप्रत्यये आचारस्येत्वे दीर्घे धातुत्वे तिलोत्तमीयघातो' शतुप्रत्यये तत्प्रयुक्त-  
कायेषु च कृत्येषु 'तिलोत्तमादन्ती'ति सिद्धयति, तस्य तृतीयान्तं रूपमत्र निर्दिष्टम् । अत्र  
चादसादृश्यप्रतीतेरुपमा, सा च वाचकरोपनेयलुप्ता, उपमानोपनेयसादृश्यनाधारणधर्माणा  
चतुर्णानुपमाज्ञाना मध्ये तिलोत्तमारूपोपमानाचाररूपनाधारणधर्मयोः तिलोत्तमापदक्यञ्च-  
याभ्यानुन्तेऽपि सादृश्यवर्गनीयनायिकान्मरूपोपनेययोरनुन्तेऽस्मात् । नन्वेवं सादृश्योपने-  
ययोः प्रतीतिरेवात्र कथम् ? तद्व्रतीतौ च कथमत्रोपमा इति न वाच्यम् तिलोत्तमापदस्य  
स्वसदृशे लक्षणिकतया सादृश्यस्य, स्फुटतया आक्षेपेणान्मरूपोपनेयस्य च प्रतीतेः । न  
चैवम् तिलोत्तमापदस्यैव सादृश्यवाचकत्वेन वाचकलोपो नास्त्विति शङ्क्यम्, तिलोत्तमाप-  
दस्य सादृश्यमात्रवाचकत्वाभावेन पूर्वोक्तदिशा वाचकलोपव्यवहारस्यास्तत्वात्, न च कथ-  
मत्र वर्णनीयनायिकाया-आत्मा उपनेयतया स्वीच्यते नायिकाया एवोपनेयत्व कृतो न ?  
स्वीकृते च तथात्वे कथनुपनेयलोप' तदुवाचकस्य 'तया' इत्यस्य सत्त्वादिति वक्तव्यम्,  
उपमानोपनेययोः समानरूपताया उपमाया तन्त्रतया नायिकाया उपनेयत्वात्तत्वात्, उपमा-  
नतयाऽभिमतायास्तिलोत्तमाया आचारकर्त्तृत्वेन उपनेयतया शङ्कयमानाया नायिकाया आ-  
चारकर्त्तृत्वेन समानरूपताया विरहात् । आचारकर्त्तृत्वशालिन्यां वर्णनीयनायिकायानुपनेयतया  
स्वीकृतायाम् आचारकर्त्तृभूतायास्तिलोत्तमाया उपमानता असङ्गता स्यात् उपमानता च  
तस्या न न्यस्तु शक्या उपमानान्तराप्रतीतिरेव च तदुपमानतादुरोधेन तत्समानरूपस्य  
आचारकर्त्तृणो वर्णनीयनायिकाया आत्मन एवोपनेयतौन्नेयेति भावः । मृगशावकच-  
क्षुष्येत्त्र मृगशावकस्य चक्षुषी इव चक्षुषी चक्षुः इति विग्रहे समानोपरपदलोपयो  
कृतयो मृगशावकचक्षुरिति प्रयोगो निपद्यते, तस्य तृतीयान्तं रूपमत्रोल्लिखितम् मृग-  
शावकचक्षुषेति । अत्रापि रमणीयसादृश्यप्रतीत्या समानगोपनालङ्कारः, स च धनोपमान-  
वाचकलुप्त, उक्तान चतुर्णानुपमाज्ञाना मध्ये वर्णनीयनायिकाचक्षुरूपोपनेयस्य चक्षु-  
पदेनोपादानेऽपि मृगशावकचक्षुरूपरोपमानत्वं, विशालन्वादे साधारणधर्मस्य साद-  
ृश्यस्य च प्रतिपादकविरहेऽनुपादानात् । न च प्रतिपादकमत्वे तेषां लुप्तत्वेनाभिमन्त्य-  
मानानां त्रयाणामज्ञाना प्रतीतिरेव न स्यात्, तद्व्रतीतौ चोपमालङ्कारो न भवेदिति  
सर्वं विवक्षितं व्याख्येयं स्यादिति वाच्यम्, नैयात्रिकीत्या मृगशावकपदस्य मृगशावक-  
चक्षुःमदृशे लक्षणिकतया उपमानसादृश्यद्वाराक्षेपेण विशालन्वादे साधारणधर्मस्य च  
प्रतीतेः । अतिरिक्तमानगच्छित्वात्तत्त्वात् शाब्दिकानां रीत्या मृगशावकचक्षुरिति मनुदाद-  
स्यैव मृगशावकचक्षुःमदृशचक्षुर्विशिष्टद्वयार्थे गत्त्वेन उपमानसादृश्यद्वो प्रतीतेः । अथा-  
नयोर्लोप एव कथमित्य स्थितौ व्यवहर्तुं योग्य इति न्यायवित्तु शक्यम्, तन्मात्रवाचक-  
त्वविरहेण तया नभवं इति पूर्वमुक्तत्वादिति भावः ।

उपपादन करते हैं—तिलोत्तम इत्यादि । यहाँ 'तिलोत्तमानिवात्मानमात्ररति  
वर्थात् अपने में तिलोत्तमा ( एक स्वर्गीय जप्सरा ) के समान सावरण करती है' इन

अर्थ में तिलोत्तमा पद से 'आचारार्थक क्यच् प्रत्यय' करने से 'तिलोत्तमीय' धातु जाती है, उससे 'शतृ' प्रत्यय करने से 'तिलोत्तमीयन्ती' यह रूप स्त्रीलिङ्ग में तैय होता है, उसीका तृतीयान्त रूप तिलोत्तमीयन्त्या यहाँ प्रयुक्त हुआ है। इस पद उपमालङ्कार है, क्योंकि तिलोत्तमारूप उपमान का सुन्दर सादृश्य आत्मरूप उपमें प्रतीत होता है। साधारण धर्म है आचार। आप कहेंगे—'तिलोत्तमीयन्त्या' में 'ह्व' आदि है, न 'आत्मा' शब्द है फिर 'सादृश्य' और उपमेय (आत्मा) की प्रती कैसे होगी और जब इन दोनों उपमाओं की प्रतीति नहीं होगी, तब उपमा होगी कैसे इसका उत्तर यह है कि 'तिलोत्तमा पद' स्वार्थसदृश में लाक्षणिक है अतः सादृश्य प्रतीति तो अवश्य होगी, परन्तु वह (सादृश्य) लुप्त समझा जायगा, क्योंकि उस बोधक तिलोत्तमा पद केवल उसीका बोधक नहीं है। आत्मारूप उपमेय अत्य स्पष्ट है, अतः वाचक पद के अभाव में भी आक्षेप से उसका बोध हो जायगा। इ तरह से अब यह समझने में कठिनता नहीं होनी चाहिए कि यहाँ उपमाओं में तिलोत्तमा पद से एक स्वर्गीय नायिकारूप उपमान और क्यच् प्रत्यय से आचर रूप धर्म उक्त हैं, और सादृश्य तथा उपमेय (वर्णनीय नायिका की आत्मा) लुप्त अतः यह उपमा वाचकोपमेयलुप्ता का उदाहरण होती है। यदि आप कहें कि—वर्णनीय नायिका की आत्मा यहाँ उपमेय है यह बात जँचती नहीं, क्योंकि तिलोत्तमारूप उपमान का उसके समान आचरण करनेवाली वर्णनीय नायिका ही उपमेय मान पड़ती है और उसको उपमेय मान लेने पर उपमेय का लोप यहाँ नहीं कहा जा सकता कारण, उस नायिकारूप उपमेय का बोधक पद इस पद्य में वर्तमान है 'तया', इसके समाधान में मेरा कथन है कि—हाँ जी, ऊपर ऊपर से देखने पर वर्णनीय नायिका उपमेय प्रतीत होती है, परन्तु वह उपमेय हो नहीं सकती, क्योंकि उसको उपमेय मान लेने पर तिलोत्तमा का उपमान होना ही असंभव हो जायगा और उसका उपमान होना तो यहाँ इतना प्रकट सत्य है कि उसका परित्याग किया ही नहीं जा सकता तात्पर्य यह कि तिलोत्तमा से अतिरिक्त उपमान होने योग्य कोई पदार्थ यहाँ नहीं है, यहाँ विच्छिन्ति के लिये कवि का प्रमुख प्रयास, तिलोत्तमा को उपमानरूप चुनना ही है। आप घबड़ाते होंगे कि यह कौन सी पहेली बतलाई जा रही है—वर्णनीय नायिका के उपमेय होने पर तिलोत्तमा उपमान नहीं हो सकती और उसीकी आत्मा को उपमेय मानने पर तिलोत्तमा का उपमान होना बन जाता है? समक्षिण-प्रेष क्यों होता है, किन्हीं दो पदार्थों का उपमानोपमेय होना उन दोनों के अधिक-अधिक समानरूप होने पर निर्भर है—किसी तरह की विरूपता रहने पर उपमानोपमेय भाव घनता ही नहीं, ऐसी स्थिति में वर्णनीय नायिका—जो 'आचरण क्रिया' की कर्त्री है—यदि, उपमेय हो जाती है, तब तिलोत्तमा जो आचरणक्रिया का कर्म है—उपमान कैसे हो सकेगी? एक कर्ता और दूसरा कर्म इन दोनों में समानरूपता कैसी? अतः 'तिलोत्तमीयन्त्या' इस सिद्ध रूप में वाचक पद के न रहने पर भी उपमेयरूप में वर्णनीय नायिका की 'आत्मा' का तर्क आवश्यक है क्योंकि वह (आत्मा) भी आचरण क्रिया का कर्म है। इस बात को स्पष्ट समझने के लिए उस पद के विग्रहवाक्य पर ध्यान दीजिए—'तिलोत्तमाभिव आत्मानम् आचरन्त्या' इसमें 'आत्मान' कर्म है न? और 'तिलोत्तमाम्' भी? अतः वह आत्मा ही उपमेय है, पर उसका बोधक पद, पद्य में है नहीं, अतः उपमेय का लोपपक्ष नितान्त अनवद्य है—हृद्य है। इसी पद्य का 'मृगशावकचक्षुषा' यह अश धर्मोपमानवाचकलुप्ता का उदाहरण होता है। कारण, इस पद का अर्थ है—मृगछाँने की आँखों के समान आँखें हों जिसकी ऐसी नायिका। यहाँ उक्त अर्थ वाले 'मृगशावकस्य चक्षुषी ह्व चक्षुषी यस्याः' इस विग्रह में 'सप्तम्युपमानपूर्वस्य' इस 'अनेकमन्यपदार्थे' सूत्र के भाष्यवार्तिक से समास हुआ है और उत्तर पद (उपमानवाचक चक्षुष् पद) का लोप हुआ है। इस समस्त पद से उक्त अर्थ

निकालने के दो तरीके हो सकते हैं । एक नैयायिकों का यह तरीका है कि 'मृगशावक-चक्षुपा' पद के 'मृगशावक' पद की 'मृगशिशु के नेत्रों के सदृश' इतने अर्थ में लक्षणा मान ली जाय और तदुत्तर उपमेयवाचक चक्षुप् पद जो श्रूयमाण है, के साथ समास किया जाय । दूसरा तरीका वैयाकरणों का यह है कि पदों की शक्ति से भिन्न एक समासशक्ति माननी चाहिए अर्थात् जिन पदों की शक्ति से जो अर्थ निकलता है, उन्हीं पदों में समास कर देने के बाद समासशक्ति के द्वारा, उससे कुछ अधिक अर्थ निकाल लेना चाहिए । लक्षणा करने की आवश्यकता नहीं । इस रीति के अनुसार 'मृगशावक-चक्षुपा' इस समस्त पदसमुदाय का ही उक्त अर्थ हो जाता है, दोनों ही पदों में यहाँ धर्म, उपमान और वाचक ये तीनों उपमाङ्ग लुप्त समझे जाते हैं क्योंकि यहाँ जो उपमान—मृगशावकचक्षु, धर्म—विशालता, चपलता आदि तथा वाचक—सादृश्यबोधक इव आदि होते हैं, उनमें से केवल एक-एक का बोधक पद यहाँ नहीं है अर्थात् सम्मिलित रूप से इन अर्थों के साथ अन्य अर्थों का भी बोधक समस्त पद अथवा लक्षणा द्वारा पूर्वपद अवश्य होता है परन्तु एक एक अर्थ का बोधक एक-एक पद नहीं है । ध्यान रहे कि उपमा के अङ्ग तभी उक्त अर्थात् अलुप्त समझे जाते हैं, जब पृथक् पृथक् उनके वाचक पद हों, अन्य अर्थ के वाचक पदों से किसी तरह इन अर्थों के बोध होने पर भी ये लुप्त ही समझे जाते हैं ।

प्राचीनाभिमतोपमाभेदाना सङ्कलन कुरुते—

इति पञ्चविंशतिरुपमाभेदाः ।

इति इत्यम् पूर्वोक्तप्रकारेण उपमाया पञ्चविंशतिभेदाः प्राचीनैरुक्ता इति भावः ।

इस तरह उपमा के पचीस भेद प्राचीनों के द्वारा कहे गए, समास हुए ।

उक्तपञ्चविंशतिभेदेभ्योऽन्यानपि भेदान् अन्यैरुक्तान् प्रदर्शयति—

इहान्यानपि भेदानन्ये निगदन्ति—वाचकलुप्ता षड्विधोपवणिता । 'कर्तुर्युपमाने' इति णिनौ सप्तम्यपि दृश्यते । कोकिल इवालपति कोकिलालापिनीति । तथाष्टम्यपि—'इवे प्रतिष्ठितौ' इति कनि 'लुम्मनुष्ये' इति लुपि चञ्चेवेत्यर्थे 'चञ्चा पुरुष' सोऽय चः स्वहित नैव जानीते' इत्यत्र । नवम्यपि—आचारकिपि पदान्तरेण प्रतिपादिते समाने धर्मे दृश्यते । 'आह्लादि वदनं तस्याः शरद्राकामृगाङ्कति' इत्यादौ ।

अन्यैरालङ्कारिकैरन्येऽपि उपमाया भेदा कथ्यन्ते, तेषु तावन् वाचकलुप्ताया भेदान्तरनभिधातु वक्ति वाचकेत्यादि । समासकर्मक्यच्-आधारक्यच्-क्यच्-कर्मणमुल् कर्तृणमुल्गता वाचकलुप्तोपमाया षड्भेदा प्राक् प्रतिपादिताः, परन्तु तस्या सप्तमोऽष्टमो नवमश्च भेदा भवितुमर्हन्ति । कोकिल इवालरतान्वयं 'कर्तुर्युपमाने ( ३।२।७९ )' इति पाणिनिस्त्रेण 'णिनिप्रत्यये' कृते निष्पद्यमाने 'कोकिलालापिनो'न्यत्र सप्तमो भेदः । अत्रोपमा वर्तते, परन्तु वाचक 'इवादि'लुप्त इति भावः । 'चञ्चा पुरुष' अर्थात् चः पुरुष स्वकीय हित कन्याण न वेत्ति, न चञ्चा तृणनिर्मितपुरुषप्रतिष्ठितिरिव' इत्यत्राष्टमो भेदः । 'इवे प्रतिष्ठितौ ( ५।३।९ )' इति सूत्रेण तृणार्थकान् चञ्चाशब्दान् इवार्ययुक्ते प्रतिष्ठितौवर्थे कन्प्रत्यये 'लुम्मनुष्ये ( ५।३।९८ )' इति सूत्रेण कनो लोने चञ्चा इति रूप निष्पद्यते । चञ्चा तृणनिर्मितप्रतिष्ठितिरिवेति तस्यार्थः । एव चात्राप्युपमालङ्कारो भवति । किन्तु इवादिर्वाचको लुप्त इति भावः । एवम् 'आह्लादि' इत्यादि अर्थात् आह्लादि आनन्ददायकम्, तस्या नायिकाविशेषस्य, वदनम् मुखम्, गरद शरत्कालीना, या राका



पूर्णिमा, तस्या, मृगाङ्क चन्द्र, इव, आचरति' इत्यत्र नवमो भेदः । शरद्राकामृगाङ्क-शब्दात् आचारार्थे क्तिप्प्रत्यये तस्य लोपे, धातुत्वे तत्प्रयुक्तिवादिकार्येषु सत्सु 'शरद्राकामृगाङ्कती'ति प्रयोग सिद्धयति । शरद्राकामृगाङ्क इवाचरतीति तदर्थ, अतोऽत्रोपमा स्पष्टा, परन्तु वाचको लुप्त एव । नन्वय भेद वर्मवाचकोभयलोपे उक्त इति चेन्न, यत्र धर्मो नोक्तस्तत्र तद्भेदप्रसङ्ग, इह तु 'आह्लादि' इति भिन्नविशेषणद्वारा स उक्त एवेति तस्य भेदस्याप्रसङ्गादिति भाव ।

प्राचीनों ने जो पचीस भेद कहे हैं, उनसे अन्य भी कुछ उपमा के भेद अन्य लोग कहते हैं । उन्हीं भेदों का विवरण किया जाता है—इहान्यानपि इत्यादि । समासगत, कर्मव्यजात, आधारव्यजगत, व्यङ्गत, कर्मणमुत्गत और कर्तृणमुत्गत ये छः भेद वाचकलुप्तोपमा के प्राचीनों के द्वारा कहे गए हैं, परन्तु 'कोकिल इवालपति अर्थात् कोयल के समान आलाप करती है' इस अर्थ में 'कर्तृणुपमाने ( ३।२।७९ )' इस पाणिनिसूत्र से 'णिनि प्रत्यय' करके बनाए जाने वाले 'कोकिलालापिनी' इस पद में उसका सातवाँ भेद भी देखा जाता है—अर्थात् यहाँ भी सुन्दर सादृश्यरूप उपमा है और इवादि के न रहने के कारण वह वाचकलुप्ता है । 'इवे प्रतिकृतौ ( ५।३।९ )' इस सूत्र से 'कन्' प्रत्यय करके 'लुम्नमुष्ये ( ५।३।९८ )' इस सूत्र से उसका लुप् ( लोप ) कर देने पर चञ्चा शब्द बनता है, उसका अर्थ होता है तृण ( घास ) से बनी हुई प्रतिकृति के समान, क्योंकि शुद्ध चञ्चा शब्द का अर्थ है 'घास' और तद्धितप्रत्यय ( लुप्त कन् ) का अर्थ है 'बनी हुई प्रतिकृति के समान' । अब, इस तरह से बने हुए इस 'चञ्चा' शब्द का प्रयोग जब 'चञ्चापुरुष...' अर्थात् वह पुरुष घास से बनी प्रतिकृति के समान है जो अपने हित को नहीं समझता' इत्यादि काव्य में किया जाता है, तब वहाँ उपमा होती है और वह भी वाचकलुप्ता । कारण, वाचक इवादि का यहाँ लोप है, अतः यह वाचकलुप्तोपमा का आठवाँ भेद भी देखा जाता है । इसी तरह वाचकलुप्ता का नवाँ भेद भी दृष्टिगोचर होता है । जैसे—'आह्लादि...' अर्थात् उस ( नायिकाविशेष ) का आनन्ददायक मुख शरत्पूर्णिमा के चन्द्र के तुल्य आचरण करता है' इत्यादि वाक्य में, क्योंकि 'शरत्पूर्णिमा चन्द्र के समान आचरण करता है' इस अर्थ में 'शरद्राकामृगाङ्क' पद से आचारार्थक क्तिप्प्रत्यय करने पर 'शरद्राकामृगाङ्कति' प्रयोग बनता है, जिसमें उपमा स्पष्ट है और सादृश्यवाचक 'इव' आदि नहीं है । आचारार्थक क्तिपगत धर्मवाचकलुप्ता नामक जो एक भेद माना गया है उसमें तो यह भा नहीं सकता । कारण, यहाँ दूसरे पद ( आह्लादि अथवा आनन्ददायक ) से धर्म उक्त है ।

उपमानलुप्तोपमाया भेदान्तरं दर्शयति—

उपमानलुप्ता वाक्यसमासयोर्द्विविधोपवर्णिता, तृतीयापि दृश्यते—

'यच्चोराणामस्य च समागमो यच्च तैर्वधोऽस्य कृतः ।

उपनतमेतदकस्मादासीत्तत्काकतालीयम् ॥'

इत्यत्र काकतालशब्दयोर्लक्षणया काकागमनतालपतनबोधकयोरिवार्थे 'समासाच्च तद्विषयात्' इति ज्ञापकात्समासे काक इव ताल इव काकतालमिति काकताल-समागमसदृशश्चोराणामस्य च समागम इत्यर्थः । ततः काकतालमिवेति द्वितीय इवार्थे पूर्वोक्तेनैव सूत्रेण छप्रत्यये तालपतनजन्यकाकवधसदृशश्चोर-कर्तृको देवदत्तवध इत्येवं स्थिते प्रत्ययार्थोपमायामुपमानस्य तालपतनजन्य-काकवधस्यानुपादानादुपमानलुप्ता ।

वाक्य-समासगतत्वेन उपमानलुप्तोपमाया द्वावेव भेदौ प्रागुपपादितौ, परन्तु 'चोरा-

गाम् लुब्धानाम्, अस्य देवदत्तादिव्यक्तिविशेषस्य, च, समागम' सम्मिलनम् यत्, अभूत्, तै चौरै, अस्य पूर्वोक्तव्यक्तिविशेषस्य, ववक्ष, यत्, कृत, एतत्, अकस्मात् उपननम्—इय दुर्घटना आकरिमिकी सम्पन्ना, अतः, तत् तस्या घटनाया आकरिमिका-भिगननम्, काकतालीयम्, आसीत् अभूत् इत्यर्थके पथिकजनदुर्दशावर्णनपरे 'यचौरा-गाम् ' इत्यादिपद्ये तृतीयोऽपि तस्या भेदो दृश्यते । अस्य पद्यस्य कस्मिन्नशे उपनेति चेत् ? काकतालीयम् इत्यशे सा बोध्या । कथमिति चेत् ? इत्यम्—काकतालशब्दावत्र लक्षणया काकागमनतालपतनयोर्बोधकौ । तयोश्च 'काक इव ताल इव' इत्यर्थे 'समासाच्च तद्विपयात्' इति ज्ञापकेन समासे कृते 'काकतालम्' इति रूपं सम्पद्यते । 'काकागमन-तालपतनयो सद्दशम्' इति तस्य सार्वत्रिकोऽर्थः । प्राकरणिकश्च काकतालसमागमसद्दश-श्रौरागामस्य देवदत्तादेर्व्यक्तिविशेषस्य च समागम' इत्यर्थः । तदनन्तरम् 'काकतालमिव' इति विग्रहे द्वितीय इवार्ये तेनैव सूत्रेण छप्रत्यये तस्येवदेशे 'काकतालीयम्' इति प्रयोग-सिद्धयति, ततश्च 'तालपतनजन्यो यादृश काकस्य वषस्तादृश एव चौरै' कृतो देवदत्ता-देर्व्यक्तिविशेषस्य वव' इत्यर्थः प्रकरणसहकारेण बुध्यते । अतोऽत्र द्वे उपने भवतः । एका समानार्थरूपा, द्वितीया च प्रत्ययार्थरूपा । तत्र द्वितीया प्रत्ययार्थरूपा उपमा प्रकृते उदा-हरणभूता । यतस्तस्यानुपमाया तालपतनजन्यकाकवधरूपं यदुपमानम् तस्य 'काक-तालीय'मित्यत्र लोपोऽस्ति तदर्थबोधकं पदं तत्र नास्तीति भावः ।

उपमान लुप्तोपमा के अन्य भेद दिखलाये जाते हैं—उपमान इत्यादि । उपमान लुप्तोपमा के दो भेद—वाक्यगत और समासगत—पहले वर्णित हो चुके हैं, परन्तु उसका तीसरा भेद भी देखा जाता है । जैसे—'यचौराणाम् ' अर्थात् चौरों का और इस ( देवदत्त भादि व्यक्तिविशेष ) का जो समागम हुआ और उन चौरों ने इसका वध जो किया—यह दुर्घटना बचानक हो गई, अतः वह 'काकतालीय' हुई । यह किसी पथिक की दुर्दशा का वर्णन है । यहाँ 'काकतालीय' पद के 'काक' और 'ताल' शब्द से, लक्षणद्वारा, काक ( कौए ) के वागमन और ताल ( ताड़ ) के पतन का बोध होता है । इन दोनों लाक्षणिक पदों का 'इव ( = सा )' के अर्थ में 'समासाच्च तद्विपयात् ( पा३।१०६ )' इस ज्ञापक से समास हो जाता है, जिससे 'काकतालम्' रूप बनता है । इस समस्त शब्द का अर्थ होता है 'कौए के बाने के समान और ताड़ के गिरने के समान ।' 'काक इव ताल इव काकतालम्' इस विग्रहवाक्य के अनुसार ऐसा ही अर्थ उचित भी है । परन्तु प्रकृत में पद्य के अन्य पदों के सहयोग से 'काकतालम्' का अर्थ किया जाता है—'कौए और ताड़ के समागम ( एक के वागमन के साथ दूसरे का पतन ) के समान चौरों का और इस ( व्यक्तिविशेष ) का समागम । इस काकताल' शब्द से दूसरे इव के अर्थ में—अर्थात् 'काकतालमिव' इस अर्थ में—उसी ( समासाच्च तद्विपयात् ) सूत्र से 'इ=इय' प्रत्यय करने से 'काकतालीय' पद सिद्ध होता है । उक्त प्रक्रिया के अनुसार 'काकतालीय' पद का अर्थ हुआ—चौरों के द्वारा किया गया उम ( देवदत्त भादि व्यक्तिविशेष ) का वध, तालपतन से होने वाले काकवध के समान है । अत्र यहाँ दो उपमार्ये होती हैं । एक समानार्थरूप—अर्थात्—काकतालशब्दगत और दूसरी प्रत्ययार्थरूप—अर्थात्—काकतालीय पद के प्रत्यय ( इय ) अशगत । इन दोनों उपमार्ये में से द्वितीय अर्थात् प्रत्ययार्थरूप उपमा 'उपमानलुप्ता' का उदाहरण होती है, क्योंकि इन उपमा में तालपतन से होने वाला काकवधरूप उपमान लुप्त है—अर्थात्—'काकतालीय' पद में उसका बोधक अंश नहीं है । वाचकलुप्ता इसको नहीं कह सकते हैं । कारण, 'इय' प्रत्यय ही यहाँ सादृश्य का वाचक है । यह भेद तद्विगत हुआ, अतः पूर्वोक्त वाक्यगत और समासगत भेदों में भिन्न हुआ ।

प्राचीनैरनुक्तमेक भेद प्रदर्शयति—

वाचकोपमानलुप्ता तु नाम्नैव न निर्दिष्टा । साप्यत्र प्रकृत्यर्थे दृश्यते—

वाचकोपमानलुप्तात्मको भेद प्राचीनैर्नामतोऽपि नोक्त, उदाहरणास्फुरणमेव तत्र प्रायो हेतु । परन्तु 'काकतालीयम्' इत्यत्रैव छप्रत्ययप्रकृतिभागस्य 'काकतालम्' इति समासस्यार्थभूतोपमा, तद्भेदोदाहरणतया पुरं स्थापयितुं शक्या, 'काकतालसमागमसमानश्चोराणामस्य च समागम' इति तत्रत्योपमाशरीरघटककाकतालसमागमरूपोपमानसादृश्ययो 'काकतालम्' इत्यत्र लुप्तत्वात्, तन्मात्रवाचकविरहादिति भाव ।

प्राचीनों से अनुक्त एक नवीन उपमाभेद की चर्चा करते हैं—वाचक इत्यादि । वाचकोपमानलुप्ता नामक भेद का तो प्राचीनों ने नाम भी नहीं लिया । क्यों नहीं लिया इसका कारण प्रायः उन लोगों के सामने उदाहरण की अनुपलब्धि ही रही होगी, परन्तु 'काकतालीयम्' में जो छ प्रथम हुआ है उसकी प्रकृति अर्थात् 'काकतालम्' के अर्थ में उसका उदाहरण मिल सकता है । क्योंकि यहाँ जो 'समासार्थोपमा' शब्द से उपमा दिखलाई गई है, उसमें उपमान है 'काकतालसमागम' जिसका वाचक यहाँ कोई शब्द नहीं और न सादृश्य का ही प्रतिपादक कोई शब्द है ।

भेदान्तर प्रकटयति—

धर्मोपमानलुप्ता वाक्यसमासयोर्द्विविधैवोक्ता । सा चात्रापि तृतीयचरणोक्तधर्मनिरासे प्रत्ययार्थे दृष्टा ।

तृतीयचरणोक्तेति । 'उपनतमेतदकस्मात्' इत्यस्य स्थाने चरणान्तरनिर्माण इत्यर्थ । वाक्यसमासगामितया द्वौ भेदौ धर्मोपमानलुप्तोपमाया प्रागुक्तौ । किन्तु तद्धितगामितया तृतीयोऽपि तस्या भेदः सम्भवति । स यथा—'यञ्चोराणाम्' इत्यस्मिन्नेव पद्ये तृतीयचरण प्रकारान्तरेण परिवर्त्य विरच्येत, तदा काकतालीयशब्दघटकप्रत्ययार्थोपमायाम् । तत्रोपमानलोप प्रागुपपादित एव । धर्मलोपश्च धर्मबोधकतृतीयचरणपरिवर्तनवार्ताया स्पष्टीकृतः ।

धर्मोपमानलुप्तोपमा के दो भेद—वाक्यगत तथा समासगत—पहले कहे जा चुके हैं, पर उसका 'तद्धितगत' एक तीसरा भेद भी हो सकता है । जैसे—यदि 'यञ्चोराणाम्' इत्यादि पूर्वोक्त पद्य के तृतीयचरण (उपनतमेतदकस्मात्) जो धर्मबोधक है—को हिन्दी अनुवादकार चतुर्वेदीजी के शब्दों में यों बदल दिया जाय कि—'किमिति द्रमो वय मिदमासीद्वत् काकतालीयम्' तब प्रथमार्थ (छ = ईय से बोध्य) उपमा धर्मोपमान लुप्ता हो जाती है ।

भेदान्तर प्रतिपादयति—

वाचकधर्मलुप्ता क्विप्समासयोर्द्वयोरेव कथिता । सापि 'चञ्चा पुरुषः सोऽयं योऽत्यन्तं विषयवासनाधीनः' इत्यत्र स्वहिताकरणरूपस्य धर्मस्यानुपादाने कनो लोपे विलोक्यते ।

क्विप्समासगतत्वेन द्वौ भेदौ वाचकधर्मलुप्ताया उपमाया पूर्वं प्रतिपादितौ । परन्तु 'यो नितरा ससारजालकवलीकृतस्वान्त परलोकनिमित्त न चेष्टते, स, पुरुषः चञ्चा तृणरचितप्रतिकृतिसमान' इत्यर्थक 'चञ्चापुरुष सोयम्' इति मूलोक्तवाक्यघटकचञ्चाशब्दार्थे तद्धितगाम्यपि तृतीयो भेदो भवितुं शक्नोति । 'चञ्चा'शब्दे यथोपमा भवति, तथा प्राक् प्रतिपादितमेव । किन्तु तत्र 'स्वहित नैव जानीते' इत्यशेन स्वहितज्ञानाकरणरूपधर्म आसीत् । इदानीं तदशपरिवर्तने धर्मलुप्ताऽपि तत्र सञ्जायत इति भाव ।

द्विप् और समास में होनेवाले दो भेद वाचकधर्मलुप्तोपमा के प्राचीनों ने कहे हैं, पान्नु तद्वित में भी एक तृतीय भेद उसका देखा जाता है। जैसे पूर्वोक्त पद्य के 'ञ्छापुत्थ मोऽग्रम्' इस अक्ष के आगे, 'अपना हित नहीं करना' रूप बोधकधर्म 'य' स्वहित नैव जानीते' इस भाग को 'योऽन्यन्त विषयवासनाधीन' अर्थात् जो अन्यन्त ही सांसारिक धनपुत्रादिविषयविषयक सत्कार का वशीभूत है इस रूप में बदल देने पर 'ञ्च्' प्रत्यय के लोप की जगह में।

उपनहरति—

एव च द्वात्रिंशद् भेदाः ।

निगदव्याख्यातनिदम् ।

इस तरह से अत्र उपमा के बत्तीस भेद हो गये अर्थात् प्राचीनों ने पहले पचीस भेद कहे और पीछे अन्य विद्वानों के मतानुसार सात भेद और अधिक अभी बतलाये गये, दोनों का योग बत्तीस हुआ।

प्राचीनोक्तभेदानालोचयति—

अत्रेदमवधेयम्—कर्मधारक्यचि क्यञ्चि च वाचकलुप्तोदाहरणं प्राचाम-सङ्गतमिव प्रतीयते धर्मलोपस्यापि तत्र सभवात् । न च क्यञ्चाद्यर्थ आचार एव साधारणधर्मोऽस्तीति वक्तव्यम् । धर्ममात्ररूपस्याचारस्योपमाप्रयोजकत्वाभावात् । 'नारीयते सपन्नसेना' इत्यादौ वृत्त्यन्तरनिवेदितैः कातरत्वादिभिरभिन्न-तयाध्यवसितस्याचारस्योपमानिष्पादकत्वात् । यदि च क्यञ्चि आचारमात्र-मुपमानिष्पादकं स्यात्तदा 'त्रिविष्टपं तत्त्वलु भारतायते' इत्यादौ सुप्रसिद्धत्वा-दिरूपाचारोपस्थितावप्युपमालङ्कृतेरनिष्पत्तेः, तस्यैव च 'सुपूर्वभिः शोभित-मन्तराश्रितैः' इति चरणान्तरनिर्माणे तस्या निष्पत्तेः क्यञ्चाद्यर्थः साधारणोऽपि नोपमा प्रयोजयति । उपमाप्रयोजकतावच्छेदकत्वेण साधारणधर्मवाचक-शून्यत्वस्यैव धर्मलोपशब्देनाभिधानात् । अन्यथा 'मुखरूपमिदं वस्तु प्रफुल्ल-मिव पङ्कजम्' इत्यादौ पूर्णोपमापत्तेरिति दिक् ।

धर्मलोपस्यापीति । अत्र नागेश —'उपमानाचारो इत्यत्रोपमानाचारनिर्दिष्ट-तमेव दृश्यते । उदाहरणे च पुत्रपदस्य पुत्रकर्मवाचरमङ्गे लक्षणेति वैयाकरणने च सुतरा धर्मलोपः । न चैतन्मते त्रिविष्टपं तत्त्वलु भारतायते इत्यत्र क्यञ्चोऽनुपपत्तिः । भारताचारमङ्गाचारस्य त्रिविष्टपद्वृत्तेरप्रतिदे । 'सुपूर्वभिः शोभितम्' इत्यन्त रूपाणा-भेदाध्यवसाय एव न सादृश्याध्यवसाय इति वाच्यम् । एकशब्दोपान्तत्वेनाभेददुद्धेरेव शब्दत्वसाधन्ये सादृश्यदुद्धेरेप्युपपत्तेः इत्याहुरिति । ननु नारीयते इत्यादौ आचा-रस्य साधारणधर्मत्वमस्तीत्यत्र आह—नारीयति । व्युत्पत्तेरिति । व्युत्पत्तेरिति । आचार-मात्रमिति । नात्रपदेन द्विविधमिच्छतयाध्यवसितत्वव्यवच्छेदः । तस्यैव पदस्य । तस्या-उपमालङ्कृते । साधारणोऽपि । उपमानिश्रोऽपि । ननु क्यञ्चाद्युपमाप्रयोजकत्वोपमाप्रयोज-कत्वानावेषेपि साधारणत्वमभेदधर्मवान्मन्त्राच्च क्य लोपमन्मवोऽत आह—उपमेति । 'अनलोपयति, कान्नीयति, निर्जलमानायते' इत्यादौ क्रमशः कर्मार्थक्यञ्चकारार्थक्यञ्च-कर्मार्थक्यञ्चद्व्यप्रत्ययान्ते प्रयोगे यथा सादृश्यस्य वाचक पदस्यास्ति, तथा साधारणधर्म-स्यापि वाचक पद नाल्पेवेति तत्प्रयोगवदितम् 'मत्यानिच्छन्तीयति' इत्यादि प्राप्-तपयम् वाचकधर्मलुप्तोपमाया एवोदाहरणं भवितुमर्हति, न त्रैवन्वाचकलुप्तोपमाया ।

तथा च कर्माधारक्यच्यङ्गतत्वेन वाचकलुप्ताया भेदत्रय प्राचीनैरङ्गीकृतमसङ्गतमेव । उपमानोपमेयोभयवृत्तितयाऽऽचार एव साधारणो धर्मस्तद्वाचकश्च क्यच्यङ्गहादिरत्रास्तीति तु न वक्तु योग्यम्, अन्यसाधारणपदार्थभेदाध्यवसायरहितस्याचारस्योपमाप्रयोजकत्वविरहात् । अत एव 'सुप्रसिद्ध स्वर्गो महाभारतग्रन्थ इवाचरती'त्यर्थके 'त्रिविष्टप तस्त्वलु भारतायते' इत्यादौ सुप्रसिद्धत्वरूपाचारप्रतीतावपि तावदुपमालङ्कारो न निष्पद्यते, यावत् 'मध्यभागस्थितै देवै पक्षे तथाविधै आदिसमाप्रभृतिग्रन्थाध्यायै- शोभितम्' इत्यर्थक 'सुपर्वभिः शोभितमन्तराश्रितै' इति श्लिष्ट चरणान्तर तत्र न योज्यते । ननु 'नारीयते सपत्नसेना' इत्यादौ शत्रुसेना नारीवाचरतीत्यर्थके वाक्ये केवलान्धारमेव साधारणधर्माश्रित्योपमानिष्पत्ति कथं भवतीति चेन्न, व्यञ्जनावृत्तिबोध्यकातरत्वादिपदार्थाभिन्नतयाऽध्यवसितमाचार साधारणधर्मतया विदित्वैव तत्रोपमानिष्पत्ते । केवलान्धारमादाय तत्रापि नोपमानिष्पत्तिरिति साराशः । एवञ्चोभयनिष्ठोऽपि क्यच्यङ्गवर्ध आचार उपमाप्रयोजको नेति समुदितार्थः । अथ मास्ताम् केवलस्याचारस्योपमाप्रयोजकत्वम्, किन्तु तावता तस्योभयनिष्ठत्वेन प्राप्ता साधारणधर्मपदव्यवहार्यता तु न निवारिता स्यात् । अनिवारिताया च तस्याम्, कथमिह धर्मलोपव्यवहारस्तद्वाचकस्य क्यजादेः सत्त्वादित्यपि न मनोरमम्, यादृशो धर्म उपमा प्रयोजयति तादृशधर्मवाचकपदशून्यतायामेव धर्मलोपव्यवदेशात् । अत एव 'मुखरूपमिदं वस्तु प्रफुल्लमिव पङ्कजम्' इत्यादौ वस्तुत्वरूपसाधारणधर्मस्य सत्त्वेऽपि धर्मलुप्तोपमैव व्यवहियते न पूर्णोपमा । इत्थं च प्रकृते उपमाप्रयोजकरूपरहितस्य केवलान्धारस्य क्यजादिवाच्यत्वेऽपि धर्मलोपव्यवहार एव न्याय्य इति भावः ।

प्राचीनोक्त भेदों की आलोचना करते हैं—अत्रेदमवधेयम् इत्यादि । प्राचीनों ने जो उपमा के पचीस भेद दिखलाये हैं, उनमें एक बात ध्यान देने योग्य है । वह यह है कि—'मलयानिलमनलीयति'... इस पूर्वोक्त पद्य में 'अनलीयति, काननीयति और निर्जलमीनायते' इन अंशों को क्रमशः कर्मार्थक क्यच्, आधारार्थक क्यच् तथा क्यङ्गत वाचकलुप्ता का उदाहरण बतलाना उनका सङ्गत-सा नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि वहाँ धर्मलोपव्यवहार भी सम्भावित है । सारांश यह कि वे भेद, वाचक और धर्म दोनों के लोप में आ सकते हैं, केवल वाचक के लोप में नहीं । यदि आप कहना चाहें कि उपमान और उपमेय दोनों में रहनेवाला 'आचार' ही साधारण धर्म है और उसका वाचक क्यच् आदि यहाँ वर्तमान ही है फिर धर्मलोप की सम्भावना कैसे की जा सकती है, तो यह भी ठीक नहीं । कारण, केवल आचार अर्थात् जिसका कोई निश्चित रूप नहीं है, वह उभयनिष्ठ होकर भी उपमा का प्रयोजक नहीं होता अर्थात् वैसे आचार को साधारण धर्म मानकर उपमा अलङ्कार नहीं बन पाता । अतएव 'त्रिविष्टपं तस्त्वलु भारतायते—अर्थात् सुप्रसिद्ध स्वर्ग, भारत ( महाभारत ) सा आचरण करता है' इत्यादि स्थानों में सुप्रसिद्धत्वरूप उभय ( स्वर्ग और महाभारत ग्रन्थ ) निष्ठ आचार की उपस्थिति रहने पर भी तब तक उपमालङ्कार नहीं निष्पन्न होता, जब तक 'सुपर्वभिः शोभित मन्तराश्रितैः अर्थात् मध्य में रहनेवाले सुपर्वों' ( एकत्र देवताओं, अन्यत्र आदि, समा प्रभृति पर्वों ) से शोभित' यह श्लिष्ट विशेषण, उसमें नहीं जोड़ा जाता है । तात्पर्य यह है कि 'एक विशेषण से युक्त होना' यह शब्दात्मक साधारण धर्म की प्रतीति होने पर ही उपमा बन पाती है, उससे पहले आचार की प्रतीति होने पर भी नहीं, इससे सिद्ध होता है कि केवल आचार उपमाप्रयोजक नहीं होता । आप कहेंगे—यदि ऐसी बात होती, तब 'नारीयते सपत्नसेना अर्थात् शत्रुओं की सेना नारी—स्त्री सा आचरण करती है' इत्यादि स्थानों में उपमा कैसे होती है ? अर्थात् यहाँ 'आचार' से भिन्न

कोई साधारण धर्म है नहीं, फिर उपमा कैसे मानी जाती है ? तो, हमका उत्तर है कि केवल 'आचार को साधारण धर्म मानकर यहाँ उपमा नहीं मानी जाती, अपितु व्यञ्जना से जब कातरता आदि की प्रतीति होती है और उस कातरता आदि के साथ क्यच् प्रत्यय के अर्थ आचार का अभेद समझ लिया जाता है, तब उपमा बन पाती है अर्थात्—जब यह समझ में आता है कि जैसे नारियों कातर होती हैं वैसे शत्रुओं की सेना कातर है, तब उपमा का बोध होता है। सारांश यह कि इस दृष्टान्त से भी आप केवल आचार को उपमाप्रयोजक नहीं सिद्ध कर सकते। यदि आप कहें कि अच्छा, आप ही की बात रहे—केवल 'आचार' उपमा का साधक नहीं होवे, पर उपमान तथा उपमेय दोनों में रहने के कारण वह साधारण धर्म तो जरूर है, फिर उसके वाचक क्यच् आदि के रहने पर धर्मलोप का व्यवहार कैसे किया जा सकता है ? तो, मैं कहूँगा— अवश्य किया जा सकता है, क्योंकि किसी तरह के साधारण धर्म के रहने पर साधारण धर्म की सत्ता नहीं समझी जाती, अपितु जो धर्म, उपमाप्रयोजकतावच्छेदकरूप से युक्त हो अर्थात् जिस तरह के धर्म के रहने पर उपमा की सिद्धि हो, उस तरह के धर्म की उपस्थिति कराने वाले पद की सत्ता में ही साधारण धर्म की सत्ता समझी जाती है। अतएव 'मुखरूपमिदम् वस्तु' इत्यादि अर्थात् मुखरूप यह वस्तु विकसित कमल मी है' इत्यादि स्थानों में पूणोपमा नहीं होती, आप के हिसाब से तो पूणोपमा ही यहाँ होनी चाहिए क्योंकि वस्तुत्व—जो मुख और कमल दोनों में रहता है—रूप धर्म यहाँ उक्त ही है। मेरे हिसाब से यह भी धर्मलुप्तोपमा होगी, कारण, वस्तुत्व एक ऐसा सामान्य धर्म है जो सभी चीजों में रहता ही है, अतः वह उपमाप्रयोजक हो ही नहीं सकता और दूसरा कोई साधारण धर्म उक्त नहीं है। अन्ततः यह सिद्ध हुआ कि उपमाप्रयोजक साधारण धर्म के न रहने पर धर्मलोप का ही व्यवहार होना समुचित है, चाहे उपमा का अप्रयोजक कोई उभयनिष्ठ धर्म उक्त ही क्यों न हो। इस स्थिति में उक्त स्थल पर केवल आचार अर्थात्—उपमा के अप्रयोजक आचार—के क्यच् आदि के द्वारा उक्त होने पर भी 'धर्मलोप' का व्यवहार होगा।

दार्शितोक्तं च्छड्यति—

यच्चाप्ययदीक्षितैरस्मिन्नेव प्रस्तावे 'धर्मलुप्रा वाक्यसमासतद्धितेषु दर्शिता द्विर्भावोऽपि दृश्यते । 'पटुपटुर्देवदत्तः' इत्यत्र 'प्रकारे गुणवचनस्य' इति सादृश्ये द्विर्भावविधानान्' इति निगदितं तत्तुच्छम् । अत्र च वाचकस्याप्यनुदानाद्वाचकधर्मलुप्रायामेतदाधिक्यमुद्भावयितुमुचितम्, न धर्मलुप्रायाम् । धर्ममात्रलुप्राया एव धर्मलुप्राशब्देन तैर्विवक्षणात् । अन्यथा एकलुप्रास्त्वेव द्विलुप्राणां त्रिलुप्रायाश्च ग्रहणात्पृथग्गुपादानमसम्बद्धमेव स्यात् । न चात्र वाचकस्य द्विर्भावस्यैव सत्त्वान्नास्ति लोपः, अपि तु धर्ममात्रस्येति वक्तुं शक्यम् । द्विर्भावस्य सादृश्यवाचकत्वोक्तेर्भाष्यकैयटादिविरुद्धत्वात् । तदुक्तं कैयटेन 'प्रकारे गुणवचनस्य' इति सूत्रे सिद्धं त्विति प्रतीक्ष्युपादाय—'द्विवचनस्य प्रकृतिः स्थानी इति तदर्थो विशेष्यते न तु प्रकारः । तत्र सर्वस्य गुणवचनत्वाद् व्यभिचाराभावान् । तद्ग्रहणाद्गुणवचनो यः शब्दो निर्जातस्तस्य सादृश्ये द्योत्यं द्वे भवत इति सूत्रार्थः' इति ।

प्रकारे गुणवचनस्य' इति सूत्रेण सादृश्यायं द्विवचन्य विधीयमान्तया 'पटुपटुर्देवदत्त' इत्यंके 'पटुपटुर्देवदत्त' इत्यत्रापि वाचकनमानतद्धितगामितया प्राञ्चनैरुपदर्शिताया धर्मलुप्तोपमाया एक प्रकारो दृष्टिगोचरो भवतीति यदुक्तं दार्शितोक्तं सन्निधानम्, सादृश्यवाचकस्याप्यत्रानुक्तया, वाचकधर्मोभेदलुप्तोपमाप्रभेदेऽपु प्रकारस्यास्य

गणयितुमौचित्यात् । ननु उभयलुप्तात्वेऽपि धर्मलुप्तात्वस्यानपायाद्दीक्षितोक्तिर्नासमीचीनेति चेन्न, धर्ममात्रलुप्ताया एव धर्मलुप्तापदेन दीक्षितैर्विवक्षितत्वात् । यदि द्विलुप्तादावपि एकलुप्तापदप्रयोगोऽभिमतोऽभविष्यत्, तर्हि एकलुप्ताप्रभेदेऽप्येव द्विलुप्तात्रिलुप्तादीनामपि ग्रहणे पृथक् तेषां भेदानां ग्रहणमसम्बद्धमेवाभविष्यत् । द्विर्भावोऽत्र सादृश्यवाचको वर्तत एवेति न तल्लोप इति तु न वक्तुमर्हम्, द्विर्भावस्य सादृश्यवाचकताया भाष्यकैयटादितोऽसिद्धत्वात् । मूलोद्धृताया कैयटोक्तेरयं सार—‘प्रकारे गुणवचनस्ये’ति सूत्रे गुणवचनत्वप्रकारस्य विशेषणं द्विर्भावस्थानिनं पटुशब्दादेवेति विकल्पे, प्रकारस्य सादृश्यस्य सर्वत्र गुणत्राचित्वनियमात् व्यभिचारवारकस्य तद्विशेषणस्य वैयर्थ्यापत्त्या तद् विशेषणवलात् ‘गुणवाचकात् शब्दात् सादृश्ये द्योत्ये द्वित्वं भवती’ति सूत्रस्यार्थं सम्पद्यते इति । अस्मिन् कैयटग्रन्थे द्विर्भावस्य सादृश्यद्योतकत्वमेव कण्ठरत्रेणोक्तम् न तद्वाचकत्वम् । एवञ्च सादृश्यवाचकविरहात् धर्मवाचकलुप्तोदाहरणमेवेदं द्वित्वम् न धर्ममात्रलुप्ताया इति भावः । अत्र—‘द्विर्भावस्य सादृश्यद्योतकत्वेऽपि शक्तत्वरूपवाचकत्वाभावाद् वाचकलोप इति तत्र ( पण्डितराजस्य ) हृदयम् । तत्तु इवादेर्योतकतानये चन्द्र इव मुखमित्यत्र, चन्द्रसुहृन्मुखमित्यत्र च वाचकलुप्ताव्यवहाराभावात् सादृश्यतद्विशिष्टान्यतरबोधकाभावस्यैव वाचकलुप्ताव्यवहारप्रयोजकत्वस्य वाच्यत्वेन द्योतकस्यापि बोधकत्वानपायेन नास्ति वाचकलोप इति तदाशयात् अवबोधमूलकमिति चिन्त्यमिदम् ।’ इति नागेशो रुचिरमाख्यत् ।

दीक्षितोक्ति का खण्डन करते हैं—यच्च इत्यादि । ‘धर्मलुप्तोपमा के वाक्यगत, समासगत और तद्धितगत ये तीन प्रकार, प्राचीनों के द्वारा दिखलाये गये हैं, परन्तु उसका चौथा प्रकार भी ‘पटुपटुदेवदत्त’ इत्यादि द्विर्भावस्थल में दीख पड़ता है, क्योंकि यहाँ ‘प्रकारे गुणवचनस्य ( ८।१।१२ )’ इस सूत्र से सादृश्य अर्थ में पटुशब्द को द्वित्व हुआ है, जिसके अनुसार उसका अर्थ होता है—‘पटु ( चतुर ) सदृश देवदत्त’ अर्थात् यहाँ सादृश्य की प्रतीति, ‘पटुपटु’ इस द्विर्भाव से, होती है, अतः यहाँ उपमा है इसमें किसी को आपत्ति नहीं, साथ साथ सादृश्यनियामक धर्म के ग्रहण न होने से इस उपमा के धर्मलुप्ता होने में भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, अतः धर्मलुप्ता का यह चौथा प्रकार भी होता है’ यह कथा, इसी प्रसङ्ग पर अल्पय दीक्षित ने कही है जो समुचित नहीं, कारण यहाँ जैसे धर्मवाचक पद का उपादान नहीं है, उसी तरह सादृश्यवाचक पद का भी उपादान नहीं है, ऐसी स्थिति में धर्म और वाचक दोनों के लोप वाले भेद अर्थात् धर्मवाचकलुप्तोपमा के भेद में इस उपमा का उल्लेख करना उचित था, न कि केवल धर्मलुप्ता के प्रभेद में । धर्मवाचकोभयलुप्ता होने पर भी धर्मलुप्ता तो यह उपमा हुई ही, अतः उन्होंने ऐसा कहा, यह तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि धर्मलुप्ता शब्द से केवल धर्मलुप्ता का ही ग्रहण करना उनका अभीष्ट मालूम पड़ता है । यदि ऐसा न होता—अर्थात् धर्मलुप्ता शब्द से धर्मवाचकोभयलुप्ता का भी ग्रहण करना उनका अभिमत होता, तब तो एकलुप्ता के प्रभेदों में ही द्विलुप्ता और त्रिलुप्ता के भेद भी समगृहीत हो ही जाते, फिर पृथक् द्विलुप्ता और त्रिलुप्ता के भेदों को गिनाना व्यर्थ ही होता । द्विर्भाव ही यहाँ सादृश्य का वाचक है, अतः वाचकलोप का व्यवहार यहाँ नहीं किया जा सकता, यह कहना भी सङ्गत नहीं हो सकता, क्योंकि द्विर्भाव, सादृश्य का वाचक है, यह कथा भाष्य और कैयट आदि ग्रन्थों से विरुद्ध पड़ती है । अर्थात् भाष्यकैयटादि ग्रन्थों से द्विर्भाव का सादृश्यद्योतक होना ही सिद्ध होता है सादृश्यवाचक होना नहीं । देखिए, ‘प्रकारे गुणवचनस्य’ इस सूत्र में ‘सिद्ध तु’ इस प्रतीक को लेकर कैयटकार क्या कहते हैं । उनके कथन का भाव है कि ‘प्रकार’ अर्थात् सादृश्य, सदा सर्वत्र गुणवाचक ही होता है, जाति अथवा क्रिया

का वाचक नहीं, ऐसी स्थिति में 'गुणवचन यह विशेषण, 'प्रकार' में लगाया नहीं जा सकता अर्थात् 'गुणवाची सादृश्य में' ऐसा अर्थ नहीं किया जा सकता. क्योंकि 'सम्भवच्चमिचाराभ्या स्याद्विशेषणमर्थवत् अर्थात् कोई विशेषण किसी भी विशेष्य में तभी साधक होता है, जब उस विशेषण के अर्थ की, उस विशेष्य में कहीं सम्भावना हो और कहीं उस विशेषणार्थ का व्यभिचार भी हो ऐसा सिद्धान्त है। तात्पर्य यह कि गुणवाचकत्व का कहीं भी व्यभिचार (जन्माव) न रहने के कारण 'प्रकार' में 'गुण वचन विशेषण' नहीं जोड़ा जा सकता। परिशेषात् वह स्थानी ( जिसको द्वित्व करना कभीष्ट हो उस पदु आदि शब्द ) का विशेषण होता है। अतः तदनुसार उक्त सूत्र का यह अर्थ होता है कि 'सादृश्य घोतित करना हो, तो उस शब्द को द्वित्व कर देना चाहिए, जो निश्चितरूप से गुणवाची ज्ञात हो।' इससे सारांश यह सिद्ध हुआ कि द्विर्भाव सादृश्य का घोटक है वाचक नहीं, अतः 'पदुपदुद्वेवदत्त' यह वाचकधर्मलुप्ता का उदाहरण है केवल धर्मलुप्ता का नहीं। नागेश यहाँ दीक्षितमत के समर्थन में कहते हैं कि 'इस प्रकरण में 'वाचक' शब्द का अर्थ 'अभिधावृत्ति के द्वारा सादृश्य का बोधक' नहीं है, अपितु 'किमी भी युक्ति से सादृश्य अथवा सादृश्ययुक्त अर्थ का बोधक है, और ऐसे किसी शब्द के न होने पर वाचक का लोप माना जाता है। अन्यथा 'इव' आदि को घोटक मानने वालों के मत में 'चन्द्र इव सुखम्' इस स्थल पर और उसको वाचक माननेवालों के मत में भी 'चन्द्रसुखम्सुखम्' इस स्थल पर वाचकलुप्ताका व्यवहार होने लगेगा जो होता नहीं, अतः घोटक द्विर्भाव को भी सादृश्यबोधक होने से वाचक कहलाने में बाधा नहीं रहने के कारण दीक्षित ने यहाँ धर्मलुप्ता मानी है। नागेश की यह मानाना सुन्दर है—युक्तियुक्त है, अतः दीक्षित-मत के खण्डन में ग्रन्थकार का यहाँ दुराग्रह ही क्षलकता है।

दीक्षितोक्तमन्यदपि निरन्यति—

इद् चान्यत्तस्मिन्नेव प्रस्तावे चित्रमीमांसाकृद्भिरभ्यधीयत—

'नृणां च सेवमानानां संसारोऽप्यपवर्गति ।

तं जगत्यभजन्मर्त्यश्चञ्चा चन्द्रकलाधरम् ॥'

अत्र किष्कनोर्लोपे प्रत्येकं वाचकधर्मलोप उभयत्रापि तद्वचनीयमेव । कनो वाचकस्य लोपेऽपि तं चन्द्रकलाधरमभजन्निति चन्द्रकलाधरमभजनराहित्यरूपस्य धर्मस्य चञ्चामर्त्यसाधारणस्योक्तत्वात्कथं तावद्धर्मस्य लोपः ।

इदं चान्धाडिति । वक्ष्यमाणमन्यद्वेत्थ्यं । डिब्लोपे तयोर्त्वेर्लुक्त्वेऽपि क्तलोपे न युक्त्वनिष्पत्तिः—क्त इति । 'च शिव, सेवमानानाम् भजनाम्, नृणाम् नृणाणां, ननारोऽपि जगदपि, अपवर्गति अपवर्गो मोक्ष' स इवाचरति-मोक्षतुल्यो भवति तं चन्द्रकलाधरम् शिवम्, अमज्ज अस्वेमानो, मन्यं ननारो पुत्र्य, जगति चया लुण्-विनपुनान्त्रेव इत्यर्थके 'नृणाम्' ' इत्यादि मूलोत्पद्ये डिप्पदान् क्तगतत्वात् वाचकधर्म-लुप्तेःमा च्छुद्वाजहार चित्रमीमांसकारो दीक्षित', तन् मनोरमम्, 'अपवर्गति' इत्यत्र वाचकस्य डिप्प साधारणधर्मस्य सुखमपवर्गदेशे वस्तुतो लुण्ठया डिप्पे तदुत्तेर्लुक्त्वेऽपि 'चया' इत्यत्र वाचकस्य क्तो लुण्ठेऽपि शिवमज्जगाहिन्यात्मकस्य चयामन्योभ्यवृत्तेः साधारणधर्मस्य 'तं चन्द्रकलाधरमभजन्' इत्यनेनोक्तत्वात् धर्मलोपानामेव क्तो तदुत्ते-र्युक्तत्वात् । क्तोर्त्वे चैवन्वाचकत्वेव न धर्मलुप्तेति भावः ।

दीक्षित की दूसरी उक्ति का भी खण्डन करते हैं—इदं चान्य इत्यादि। इसी प्रसङ्ग पर चित्रमीमांसकार अप्यदीक्षित ने एक दूसरी बात भी कही है और वह यह कि 'नृणाम्' अर्थात् जिसे नेवते हुए ननुष्यो का संसार भी मोक्ष ना वाचरण करने



लगता है—मोक्षतुल्य हो जाता है, उस चन्द्रकलाधर ( शिव ) को न भजने वाला संसारी पुरुष, संसार में चञ्चा है—तृणनिर्मित पुतले के समान है' इस श्लोक में 'अपवर्गति' पद में 'क्विप्' प्रत्यय का और 'चञ्चा' पद में 'कन्' प्रत्यय का लोप है, अतः इन दोनों पदों में प्रत्येक से वाच्य होने वाली उपमा वाचकलुप्ता तो हुई है, क्योंकि सादृश्य वाचक क्विप् और कन् प्रत्यय लुप्त हैं, साथ साथ धर्मलुप्ता भी है परन्तु सर्वांश में उनका यह कथन ठीक नहीं है। कारण, क्विप्भाग में संसार तथा मोक्ष दोनों को समान बनाने वाले 'सुखमयत्व' आदि साधारणधर्म के लोप की बात सत्य होने पर भी कन् भाग में तृणरचित पुतले तथा मनुष्यों को तुल्य सिद्ध करने वाला 'शिव के भजन से रहित होना' रूप साधारण धर्म, 'तं चन्द्रकलाधरमभजन्' पद से उक्त ही है, अतः उसके लोप की बात असत्य हो जाती है।

दीक्षितमतसमर्थकमवान्तरपूर्वपक्ष कृत्वा खण्डयति—

न चोपमेयमर्त्यविशेषणतयोपात्तस्य चन्द्रकलाधरभजनराहित्यस्य सादृश्योपसर्जने चञ्चायामनन्वयान्न साधारण्यमिति वाच्यम् ।

'यद् भक्तानां सुखमयः संसारोऽप्यपवर्गति ।

तं शम्भुमभजन् मर्त्यश्चैवात्महिताकृतेः ॥

इति पाठे धर्मश्रवणमप्युभयत्रापि संभवति' इति स्वोक्तेरसङ्गतत्वापत्तेः । इहाप्युपमेयसंसारविशेषणतयोपात्तस्य सुखमयत्वस्य सादृश्योपसर्जनेऽपवर्गेऽन्वयाभावात्कथङ्कारं धर्मस्य साधारण्यम् ।

यद्भक्तानामिति । यस्य शम्भो, भक्तानाम् सेवकानाम्, संसारोऽपि जगदपि सुखमयः सन्, अपवर्गति मोक्षतुल्यो भवति, तं शम्भुम्, अभजन्, मर्त्यं संसारी, आत्मन स्वस्य, हितस्य कल्याणस्य, अकृते अकरणाद्धेतो चञ्चैव तृणरचितपुतलिकातुल्य एवेत्यर्थः । असंगतिमुपपादयति इहापीति । कथकारमिति, कथ कृत्वैत्यर्थं नृणाम्... इत्यादि प्रागुक्तपद्ये 'अभजन्' इति उपमेयभूतस्य मर्त्यस्य विशेषणरूपेण कथितम् अतस्तदर्थस्य मर्त्यपदार्थ एवान्वयो भवेत्, नोपमानभूतचञ्चापदार्थे, तस्य स्वार्थसादृश्यविशेषणतया पदार्थैकदेशत्वात् । तथा च शिवभजनराहित्यं न साधारणो धर्मः, यश्च साधारणो धर्मः स्वहिताकरणादि स अनुक्त एवेति तत्र धर्मवाचकोभयलुप्तात्वकथन दीक्षितस्य सम्यगेवेति शकाया तत्र तथाङ्गीकारे 'यद्भक्तानाम्' इत्यत्रापि उपमेयभूतस्य संसारस्य विशेषणरूपेण कथितस्य सुखमयत्वधर्मस्य, अपवर्गपदलक्ष्यार्थसादृश्यविशेषणत्वेन गुणीभूते पदार्थैकदेशे च अपवर्गपदार्थेऽन्वयासम्भवेन साधारणत्वाभाव एव प्रसक्ते 'यद्भक्तानाम्' इत्यत्र तदेव सुखमयत्वमादाय उभयत्रापि ( क्विप्कन्भागयो ) साधारणधर्मश्रवणकथन तदीयमेव विरुद्धयेत इति च समाधानस्याभिप्रायो बोध्यः ।

दीक्षितमत को सङ्गत सिद्ध करने के लिये मध्य में एक पूर्वपक्ष करके उसका खण्डन करते हैं—न च इत्यादि । अभिप्राय है कि—“आप-जो 'शिवजी के भजन से रहित होने' को साधारण धर्म बतलाकर दीक्षितोक्ति का खण्डन करते हैं, वह तो ठीक नहीं है, क्योंकि 'शिवजी के भजन से रहित होना' साधारण ( उपमान तथा उपमेय दोनों में रहने वाला ) धर्म हो ही नहीं सकता, हो भी कैसे, जब कि 'अभजन्' यह विशेषण, उपमेय-संसारी पुरुष-के लिये पद्य में आया है अर्थात्-उस अभजन् पदार्थ-भजनराहित्य-का अन्वय उपमेय-मर्त्य-में ही हो सकता है, उपमान चञ्चा-तृणरचित पुतला-का नहीं, क्योंकि चञ्चा पदार्थ स्वयं सादृश्य का विशेषण है-गौण है-पदार्थ का एक देश है, पदार्थ नहीं” यह एक पूर्वपक्ष मात्र है, सिद्धान्त नहीं, क्योंकि इसका समाधान यों दिया जा सकता है कि—यदि इस तरह से 'शिवभजनराहित्य' को आप साधारण

धर्म नहीं बनने देते हैं, तब 'पूर्वोक्त 'नृणाम्' इत्यादि पद्य को ही कुछ काट छाँट कर 'यद्भक्तानाम्' अर्थात् जिसके भक्तों का ससार भी सुखमय होकर मोक्षतुल्य हो जाता है, उम शब्द का भजन नहीं करनेवाला मनुष्य, अपना हित न करने के कारण चणरचित पुतले के समान ही है।' ऐसे पाठ में दोनों तरफ (अपवर्गति और चञ्चा) साधारण धर्म के श्रवण की भी सभावना हो सकती है अर्थात् इस परिवर्तित पद्य में दोनों स्थल पर केवल वाचकलुप्ता ही होगी धर्मलुप्ता नहीं, क्योंकि धर्म श्रुत ही है लुप्त नहीं' इन शब्दों में जो दीक्षितजी ने स्वयं 'सुखमयत्व' को साधारण धर्म सिद्ध करने की चेष्टा की है, वह असङ्गत हो जायगी क्योंकि 'सुखमयत्व भी, सुखमय ससार' रूप में उपमेय-ससार-का विशेषण है उपमान-अपवर्ग-का नहीं। कारण अपवर्ग स्वयम् सादृश्य का विशेषण है-गौण है-पदार्थ का एक देश है, उसी तरह जिस तरह उक्त 'शिव-भजनराहित्य' है।

पुन दीक्षितमतसमर्थक पूर्वपक्षमुल्लिख्य निराकरोति—

उपमेयगतत्वेनोपमानगतत्वेन वोपात्तस्य धर्मस्य शाब्द उभयान्वयेऽस्त्यपि वस्तुत उभयवृत्तित्वज्ञानमेव साधारणताया नियामकमिति चेत्, चन्द्रकलाधर भजनराहित्येऽपि दीयतामेवमेव दृष्टिः ।

यदन्वयितया य' पदार्थ उच्यते, तस्य तत्रैव शाब्द अन्वयो भवतीति सिद्धान्तः । तथा चोपमेयान्वयितयोक्तस्य धर्मत्योपमेय एव, उपमानान्वयितयोक्तस्य च धर्मत्योपमान एव शाब्द अन्वयो भवेत् नोभयत्रेत्यपि सत्यम्, तथापि यस्मिन् धर्मे वस्तुगत्योपमेयोपमानोभयवृत्तित्वज्ञान भवति, स धर्म साधारण इति चेत् 'यद्भक्तानामित्यादिपद्ये' शाब्द-सरण्योपमेये ससारमात्रेऽन्वीयमानत्यापि वस्तुगत्यापि सधारमोक्षोभयवृत्तित्वेन ज्ञायमानस्य सुखमयत्वस्य साधारणत्वसम्पत्तये निरुच्येत, तदा 'नृणाम्' इत्यादि पूर्वोक्तपद्ये चन्द्रकला-धरभजनराहित्यस्यापि नावारणन् स्विकरणीयमेव तुल्यन्यायात्, यथा सुखमयत्वम् उप-मेयान्वयितयोक्तमपि वस्तुगत्योपमेयोपमानोभयवृत्ति, तथा चन्द्रकलाधरभजनराहित्यमपि उपमेयमात्रान्वयितया कथितमपि वस्तुगत्योपमेयोपमानोभयवृत्तीति भावः ।

पुन' प्रकारान्तर से दीक्षितमतसमर्थनप्रयास का निराकरण करते हैं—उपमेय इत्यादि। यदि आप कहें कि केवल उपमेय के विशेषणरूप में अथवा केवल उपमान के विशेषणरूप में कहे गये धर्मों का अन्वय शाब्दबोध में उसी पदार्थ के साथ होगा, जिसके विशेषणरूप में वह कहा गया रहेगा यह बात सत्य है, तथापि यद्भक्तानाम् ' इस पद्य में 'सुखमयत्व' साधारण धर्म माना जा सकता है, क्योंकि किसी धर्म को साधारण धर्म के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसका शाब्द अन्वय दोनों ( उपमेय तथा उपमान ) के साथ होता हो, अपितु यह आवश्यक है कि वस्तुतः वह धर्म दोनों में रहता हो-रहनेवाला समझा जाता हो, सुखमयत्व ऐसा है अर्थात् उपमेय ससार तथा उपमान अपवर्ग दोनों में वस्तुत रहता है, तो मैं कहूँगा कि आपका कथन सर्वथा सत्य है, परन्तु इसी दृष्टिकोण से 'नृणाम्' ' इत्यादि पद्य के चन्द्रकलाधरभजन-राहित्य को भी क्यों नहीं देखते ? अर्थात् इस दृष्टि से विचार करने पर वह भी साधारण धर्म माना जा सकता है, क्योंकि सुखमयत्व के समान वह भी वस्तुगत्या उपमेय मर्त्य पुरुष और उपमान चञ्चा दोनों में रहता ही है। तात्पर्य यह कि इस तरह की समान स्थिति में एक को साधारण धर्म आप मानियेगा और दूसरे को नहीं, यह हो नहीं सकता, फलतः दोनों को साधारण धर्म मानना पड़ेगा ।

दीक्षितमतसमर्थिका युक्तिश्चा कश्चिद्वीकरोते—

यदि चोपमेयतावच्छेदकतयैव चन्द्रकलाधरभजनराहित्यं मम विवक्षितम्,

साधारणधर्मश्च स्वात्महिताकरणरूपः स चात्र लुप्त एवेति शपथेन स्वाभिप्रायः प्रकाशयते तदा निवारितोऽयं दोषः । तुष्यतु भवान् ।

उपमेयतावच्छेदकतयेति । उपमेयान्वयिविशेषणतयेति भावः । शपथेनेत्यादि । मौखिकशपथेन हृदयनिहितसत्यस्यापलापोऽयम्, तावता भवत एव तुष्टिर्न मम तथापि शपथमर्यादारक्षणाय प्रसङ्गेऽस्मिन् मौनमेवावलम्बेऽहमिति भावः । यदि भवान् शपथपूर्वकमिदं वक्तुं पारयेद्यत् 'नृणाम्' इति प्रथमपद्ये चन्द्रकलाधरभजनराहित्यमत्यजनरूपोपमेयगामितयैव वक्तुरभिप्रेतम्, अतः स साधारणधर्मो न भवितुमर्हति, यश्च स्वहिताकरणरूपो धर्मसाधारणतया वक्तुरभिमतः स लुप्त एवेति तत्र वाचकधर्मलुप्तात्वकथनसुसङ्गतमेव । 'यद्भक्तानाम्' इति द्वितीयपद्ये च सुखमयत्वसाधारणतया विवक्षितवक्तुरतस्तत्र तस्योपादाने न धर्मलुप्तात्वमिति, तदा न कश्चिदत्र दोष इति साराशः ।

दीक्षितमतके समर्थनमें दी गई एक दूसरी युक्ति को (अनिच्छा से ही सही परन्तु) स्वीकार करते हैं—यदि इत्यादि । यदि आप शपथ खाकर अपना अभिप्राय इस रूप में प्रकट करें कि—'नृणाम्' इत्यादि पद्य में जो धर्म—महादेवभजनराहित्य उक्त है, वह उपमेय ससारी जीव के विशेषणरूप में ही वक्ता का विवक्षित है, अतः साधारण नहीं कहा जा सकता और आत्महिताकरण (अपना हित न करना) जो वक्ता का साधारण धर्म के रूप में अभिप्रेत है, वह लुप्त है ही, इसलिए 'वहाँ वाचकधर्मलुप्ता है' इस तरह का दीक्षितजी का कथन सङ्गत है, और 'यद्भक्तानाम्' इत्यादि द्वितीय पद्य में 'सुखमयत्व' उक्त है, उसकी विवक्षा वक्ता ने साधारण धर्म के रूप में ही की है, अतः 'वहाँ साधारण धर्म का श्रवण है' यह कथन भी दीक्षितजी का अनुचित नहीं । तो मैं भी आपकी शपथमर्यादाकी रक्षा का भावना से इस स्थल को निर्दोष मान लेता हूँ । परन्तु है यह मौखिक शपथ के द्वारा हृदयस्थित सत्य का अपलाप ही । इससे मादृश जन की मनस्तुष्टि नहीं हो सकती, आप भले ही सन्तोष का अनुभव कर लें ।

अन्यदपि दीक्षितोक्तमालोचयन् तत्र व्याकरणाशुद्धिं प्रकाशयति—

इदमप्यन्यत्तैरेव वाचकोपमेयलुप्तायामुदाहरणनिरमीयत—

'रूपयौवनेनलावण्यस्पृहणीयतराकृतिः ।

पुरतो हरिणाक्षीणामेष पुष्पायुधीयति ।'

इदं च पद्यमपशब्ददुष्टमवैयाकरणतां कर्तुः प्रकाशयति । तथाहि पुरत इति नगरवाचिनः पुरशब्दान्तसिलि हरिणाक्षीणां नगरादित्यर्थस्यासङ्गते । नहि पूर्ववाचकः पुरशब्दः कापि श्रूयते । पूर्वशब्दान्तु 'पूर्वाघरावराणामसिपुरधवश्चैषाम्' इत्यसौ पुरादेशे च पुर इति भाव्यम्, न तु पुरत इति । अत एव 'अमुं पुरः पश्यसि देवदारुम्' इति प्रायुङ्क्त महाकविः । एवमेव 'मुखस्य पुरतश्चन्द्रो निष्प्रभः—इत्यप्रस्तुतप्रशसा' इति द्वितीयप्रकरणरम्भेऽप्यपशब्दित तैः तथा चाहुर्वैयाकरणाः—'पत्या पुरतः परतः', 'आत्मीय चरण दधाति पुरतो निम्नोन्नतायां भुवि', 'पुरतः सुदती समागत माम्' इत्यादयः सर्वेऽपि व्याकरणाज्ञानमूला अपशब्दाः" इति ।

रूपयौवनेति । रूपेण गौरत्वादिना, यौवनेन युवावस्थया, लावण्येन 'मुक्ताफलेषुच्छायाया' इत्यादिपरिभाषिताभ्यन्तरधर्मविशेषेण, च, स्पृहणीयतरा अतिशयेन कामनाविषयीभूता, आकृति आकारो यस्य तादृश एष वर्णनीय पुरुषविशेष, हरिणाक्षीणाम्

नृगनयनानाम्, पुरतः अग्रे, पुष्पायुधीयति पुष्पायुध कामः स इवाचरतीत्यर्थः । कर्तुः दीक्षितस्य । तसिलीति । अत्र 'इद् विन्त्यम् । तदप्राप्ते । आयादित्वात्तसावित्युचितम् ।' इति नागेश । महाकवि कालिदासः । तं अप्पयदीक्षितैः । पुनरत्र नागेश—'इद् विन्त्यम् । 'पुरतः इति निपाताङ्गीकारात् । अत एव 'इय च तेऽन्या पुरतो विडम्बना' इति कालिदासः, 'पश्यामि तामित इतः पुरतश्च पश्चात्' इति भवभूतिश्च सङ्गच्छते' इति केचित् । अन्ये तु 'दक्षिणोत्तराभ्यामतसुच्' इत्यत्रातसुच् एव पुवङ्गावेन सिद्धेऽतसुच्चिधानमन्यस्मादपीति ज्ञापनाय । तेन पञ्चाद्यजन्तात्पुरशब्दात्तस्मिन्नित्यसिद्धिः । इत्याहुः । वस्तुतस्तु—'पुर अग्रगमने' इति चौरादिकाणिजभावे इगुपधलक्षणे के 'सार्वविभक्तिकरतसि' इति बोध्यम्' इति समुचितः दीक्षितमतेन सह क्विसम्प्रदायमपि समर्थितवान् । वैयाकरणा इति । प्राञ्च इत्यादि । रूपयौवनेति पद्ये 'पुरतः' इति प्रयोगो व्याकरणदिशाऽऽशुद्धः, क्विविवक्षितार्थे 'पुर' इति प्रयोगस्यैव शब्दानुशासनसिद्धत्वादिति साराशः । अन्यत् सुगमम् ।

दीक्षितजी की एक अन्य उक्ति में आलोचना द्वारा व्याकरणाशुद्धि दिखलाते हैं—इदमप्य इत्यादि । दीक्षितजी ने ही वाचकोपमेयलुप्तोपमा के उदाहरण में यह दूसरा पद्य भी बनाया है—'रूपयौवन इत्यादि अर्थात् जिसका आकार रूप (वर्ण), युवावस्था और लावण्य से स्पृहणीय है, ऐसा वह नायक, नृगाक्षियों के आगे कामदेव का सा आचरण करता है ।' यह पद्य अपशब्द (अशुद्ध शब्द) रूप दोष से दुष्ट है, अतः रचयिता का वैयाकरण न होना इससे सूचित होता है । देखिए—'पुरतः' शब्द की सिद्धि, यदि नगरवाची पुर शब्द से, तसिल् (वस्तुतः 'तसि' कहना चाहिये, क्योंकि 'तसिल्' की प्राप्ति यहाँ नहीं होती) प्रत्यय करके, की जायगी, तब उसका अर्थ यहाँ होगा 'भृगाक्षी के नगर से' जो प्रकृत में सङ्गत नहीं होगा । पूर्व (आगे) अर्थ का वाचक 'पुर' शब्द कहीं (कोश आदि में) सुना नहीं जाता—देखा नहीं जाता, अतः पूर्ववाची पुर शब्द से 'तसि' प्रत्यय करके उक्त प्रयोग को सिद्ध करने की बात चलायी ही नहीं जा सकती । रहा पूर्व शब्द, सो उससे 'पूर्वाधराः' इत्यादि मूलोक्त सूत्र से 'असि' प्रत्यय करने पर 'पुर' आदेश द्वारा 'पुर' प्रयोग बनता है, 'पुरतः' नहीं । अतः एव महाकवि कालिदास ने 'अमु पुर पश्यसि देवदारुम्' यह प्रयोग किया है । एक जगह की बात नहीं, इसी तरह दूसरी जगह—चित्रमीमांसा के द्वितीय प्रकरण के आरम्भ में भी दीक्षितजी ने 'मुखस्य पुरतश्चन्द्रो निष्प्रभः' इत्यादि लिखकर वही गलती की है । 'पुरतः' शब्द के अशुद्ध होने के कारण ही तो वैयाकरण लोग कहते हैं—'पत्या पुरतः परतः', 'आत्मीय चरण दधाति पुरतः', 'पुरतः सुदती समागतम्' इत्यादि सभी शब्द अशुद्ध हैं और इन अशुद्धियों के होने में मूल है निर्माताओं का व्याकरणत्रिपयक अज्ञान । नागेश का यहाँ कथन है कि 'पुरतः' शब्द अशुद्ध नहीं है, तीन तरह से उस पद की सिद्धि की जा सकती है । एक निपात मानकर, दूसरा पञ्चादित्वात् अच्प्रत्ययान्त पुर शब्द से ज्ञापक द्वारा 'अतसुच्' प्रत्यय करके और तीसरा 'पुर अग्रगमने' धातु से चौरादिक गिच् नहीं करने पर 'इगुपधज्ञा प्रीकिर क' इस सूत्र से 'क्' प्रत्यय करके बनाए गए 'पुर' शब्द से सार्वविभक्तिक 'तसि' प्रत्यय करके । इन तीनों प्रकारों में तृतीय प्रकार सर्वोत्तम है । इस तरह से यह प्रयोग केवल शुद्ध है इतना ही नहीं, महाकवि लोगों ने इसका प्रयोग भी बहुत जगह किया है । जैसे कुमारसम्भव में कालिदास ने 'इय च तेऽन्या पुरतो विडम्बना' कहा है । भवभूति ने उत्तररामचरित में 'पश्यामि तामित इतः पुरतश्च पश्चात्' लिखा है । इस तरह के महाकविप्रयुक्त पदों को लेकर जो पण्डितराज, दीक्षितजी पर कटाक्ष करते हैं, उससे दीक्षितजी के प्रति पण्डितराज का हार्दिक विद्वेष ही अधिक व्यक्त होता है ।

पूर्वोक्तभेदाया उपमाया पुनः प्रकारान्तरेण भेदान् वक्ति—

इयं चैवं भेदोपमा वस्त्वलङ्काररसरूपाणां प्रधानव्यङ्ग्यानां वस्त्वलङ्कारयोर्वाच्ययोश्चापस्कारकतया पञ्चधा ।

पूर्वोक्तभेदाया उपमाया अलङ्कार्यभेदेन पुनः पञ्च प्रकारा भवन्ति, वस्त्वलङ्काररसभेदेन त्रिविधाना प्रधानव्यङ्ग्यानां वस्त्वलङ्कारभेदेन द्विविधयोर्वाच्ययोश्च स्थलभेदेनालङ्कार्यत्वात् । एवञ्च प्राधान्येन व्यङ्ग्यभूतवस्तूपकारिका एका, प्राधान्येन व्यङ्ग्यभूतालङ्कारोपकारिका द्वितीया, प्राधान्येन व्यङ्ग्यभूतरसाद्यलक्ष्यक्रमोपकारिका तृतीया, प्राधान्येन वाच्यवस्तूपकारिका चतुर्थी, प्राधान्येन वाच्यालङ्कारोपकारिका च पञ्चमी उपमा भवतीति भावः ।

अब पुनः प्रकारान्तर से उपमा के भेद करते हैं—हयं चैवं इत्यादि । अभी अभी जो उपमा के भेद दिखलाये जा चुके हैं, उन सभी भेदों के पुनः पाँच पाँच भेद होते हैं, क्योंकि किसी दूसरे अर्थ को अलङ्कृत करने के कारण ही तो उपमा अलङ्काररूप होती है और अलङ्कृत होने वाले अर्थ पाँच प्रकार के होते हैं । जैसे—१-वस्तुरूप प्रधान व्यङ्ग्य, २-अलङ्काररूप प्रधान व्यङ्ग्य, ३-रसादिरूप प्रधान व्यङ्ग्य, ४-वस्तुरूप प्रधान वाच्य, और ५-अलङ्काररूप प्रधान वाच्य । उपमा, स्थलभेद से इन पाँचों अर्थों की उपस्कारिका-उपकारिका अर्थात्-शोभिका होती है ।

एषु पञ्चसु प्रकारेषु प्रथम प्रकारमुदाहरतुमाह—

तत्र व्यङ्ग्यवस्तूपस्कारिका यथा—

तत्रेति । उक्तपञ्चभेदमध्य इत्यर्थः । उपमाया येन प्रकारेण व्यङ्ग्यवस्तूपस्कारण भवति, स प्रकारो निर्दिश्यत इति भावः ।

उक्त पाँच भेदों में से व्यङ्ग्य वस्तु को शोभित करने वाली उपमा जैसे—

उदाहरणं निर्दिश्यते—

‘अविरतपरोपकरणव्यग्रीभवदमलचेतसां महताम् ।

आपातकाटवानि स्फुरन्ति वचनानि भेषजानीव ॥’

अविरतम् निर्विरामम् सततमिति यावत्, परोपकरणेषु परकीयोपकारसम्पादनेषु, व्यग्रीभवन्ति अव्यग्राणि व्यग्राणि भवन्तीत्यभूततद्भावे च्चि विषयान्तरे कदापि व्यग्रता नानुभवन्त्यपि परोपकारविषये व्यग्रतामनुभवन्तीति भावः, अमलानि विशुद्धानि रागद्वेषादिशून्यानीति यावत्, चेतासि हृदयानि, येषां, तेषाम्, महताम् महापुरुषाणाम् आपातकाटवानि प्रागनुभूयमानकटुत्वकानि, वचनानि, भेषजानि औषधानीव, स्फुरन्ति प्रकटीभवन्तीत्यर्थः ।

उदाहरण का निर्देश करते हैं—अविरत इत्यादि । कवि का कथन है—जिनके विशुद्ध-रागद्वेषादिशून्य-हृदय, सतत परोपकार में व्यग्र रहते हैं अर्थात् जिनके मन में अन्य प्रकार की व्यग्रता न रहने पर भी परोपकार करने की व्यग्रता सदा बनी रहती है, उन महापुरुषों के, पहले कटु प्रतीत होनेवाले वचन औषधों के समान स्फुरित-प्रकट-होते हैं ।

उपपादयति—

अत्र तादृशि वचनान्यर्थद्वारा सेवमानस्य मनागप्यक्षुभ्यतः परिणामे परमं सुखं भवतीति प्राधान्येन व्यङ्ग्यस्य वस्तुन उपस्कारिका भेषजोपमा ।

तादृशीति । आपातकाटवानीत्यर्थः । अर्थद्वारा सेवमानस्येति । अर्थज्ञानपुरस्सर तथा चरत इत्यर्थः । मनागपि ईपदपि । अक्षुभ्यत इति । प्रारम्भिककटुत्वभयेन सभाव्यमान

वैल्लयं नासादयत इत्यर्थः । अत्र 'ताडयि' इत्यादिनूलोक वस्तु 'आपातकटवानि' इति पदेन, प्रधानन्या व्यज्यते । इदमेव वस्तुव्यङ्ग्यनत्र काव्यजीवातुनूतम्, न रसादिरिति तात्पर्यम् । व्यङ्ग्यनेन्मर्मम् भेदजानीवेति पूर्णा भेदजोपमा, भूप्रति-प्रतिपाद्यमानेन प्रारम्भकटोररि परिणामसुखदस्य भेदजस्य सादृश्येन परिपुष्टोऽनौ व्यङ्ग्योऽर्थः चमत्कृति-नधिक्रा जनयतीति भावः ।

उपपादन करते हैं—अत्र इत्यादि । यहाँ 'जो मानव ऐसे वचनों का नेवन अर्थत करता है अर्थात् अर्थ समझकर इन वचनों के अनुसार व्यवहार करना है और कटुता के भय से जरा भी विडम्ब नहीं होता—वचनसेवन से पराङ्मुख नहीं होता, उसे परिणाम में परम सुख प्राप्त होता है' यह अर्थ, 'आपातकटवानि' पद से व्यङ्ग्य होता है । यही व्यङ्ग्य, इस पद्य में, प्रधान है—काव्यव्यवहार का कारण है और इस व्यङ्ग्य को शोभित करता है 'भेदजानीव' पद में वाच्य होने वाली लौपथ की पूजोपमा । मारांश यह कि लौपथ-सादृश्य से परिपुष्ट होकर वह अर्थ और अधिक चमत्कार को उत्पन्न करता है ।

द्वितीय प्रकारसुगहर्तुनाह—

व्यङ्ग्यालङ्कारोपस्कारिका यथा—

प्राग्बत् व्याख्या ।

व्यङ्ग्य लङ्कार को शोभित करनेवाली उपमा जैसे—

उदाहरणं निर्दिश्यते—

'अङ्गायमानमलिके मृगनाभिपङ्कम्,  
पङ्केरुहाक्षिवदनं तव वीक्ष्य विभ्रम् ।  
उल्लासपल्लवितक्रीमलपक्षमूला-  
ञ्चञ्चूपुटं चपलयन्ति चकोरपोताः ॥'

नायको नायिकानिकटे चाटुकारिता कुरते—हे पङ्केरुहाक्षि कमललोचने 'अलिके भालदेशे, अङ्गायमानम् त्रिहायमानम् चन्द्रगतश्यामचिह्नसदरामिति यावत्, मृगनाभिपङ्कम् कस्तूरीकाश्रयम्, विभ्रत् दधानम्, तव, वदनं सुखम्, वीक्ष्य दृष्ट्वा, उल्लासेन आहादेन, पल्लवितानि विकसितानि, क्रीमलानि, पक्षणा, मूलानि आरम्भभागा देश तादृशा, चकोरपोता चकोरगणा शिशव चञ्चूपुटम्, चपलयन्ति चञ्चलं कुर्वन्तीत्यर्थः । कलहृत्यस्तूरिकाश्रयविन्दुवन्दितललटतटे तवान्ने चन्द्रभ्रमेण चकोरकिशोरका आन्न्देन क्रीमलानि पक्षमूलानि पल्लवयन्तश्चन्द्रिकायानकामन्या चञ्चूपुटं चपलं विदधतीति तद्भावः ।

उदाहरण का निर्देश करते हैं—अङ्गायमान इत्यादि । नायिका के प्रति नायक की चाटुक्ति है—हे कमललोचने ! भालदेश में कलह (चन्द्रगत चिह्नविशेष) के समान कस्तूरीकाश्रय को धारण करते हुए तुम्हारे मुख को देखकर, आनन्दातिरेक में जिनकी आँवों की जड़े विकसित हो गई हैं ऐसे चकोरों के बच्चे, अपने चोंच को चपल बना रहे हैं—अर्थात् चन्द्रभ्रम से तेरे मुख की चोड़नी को चमत्कार के लिये आनुर हो रहे हैं ।

उपपादन—

अत्र प्राधान्येन व्यङ्ग्ये आरप्यमाणचन्द्रके भ्रान्तिमत्यलङ्कारे उपपादकस्य भालस्यमृगमदपङ्कविषयकस्याङ्गाभेदारोपस्याङ्गसादृश्यरूपदोषमूलकत्वाद्दोषमात्रालङ्कारः ।

नन्वत्रोत्तमालङ्कारो नैवात आह—अत्र प्राधान्येनेत्यादि । व्यङ्ग्ये इति वाक्यव्यङ्ग्ये

इत्यर्थ । अलङ्कारे इति । सतीति शेष । उपपादकस्येत्यस्य तस्येत्यादि । अत्रालङ्कार इति । तथा च तदुपस्कारकत्वमस्या स्पष्टमिति भाव । अङ्कायमानमिति पद्ये समप्र वाक्यतः स भ्रान्तिमानलङ्कारो व्यज्यते, यत्र चकोरकिशोरकर्तृकचञ्चूपुटचपलनान्यथात्पपत्या मुखे चन्द्राभेदारोपो भवति । स चारोपो न तावत् सेद्धु शक्नोति, यावत् ललाट देशस्थकस्तूरीद्रवे, कलङ्काभेदारोपो न भवेत्, अतः सोऽप्यारोपो विधीयते । नन्वेवमङ्कायमानमित्यनेनाङ्काभेद एव बोध्येत, तथा चात्रोपमाया अत्र एव नास्तीति चेन्न, अङ्काभेदारोपस्याङ्कासादृश्यरूपदोषाऽमूलकतयाऽऽवश्यकस्य तत्सादृश्यस्यैवाङ्कायमान इत्यनेन बोधनात् सादृश्यस्यैव चोपमात्वात् । कस्तूरीद्रवेऽङ्कासादृश्यबोध शाब्द, तस्मिन् तदभेद बोधस्तु आर्थ इति रहस्यम् । एवञ्च व्यङ्ग्यभ्रान्तिमदलङ्कारोपस्कारकत्वमुपमाया स्पष्टमिति भाव ।

उपपादन करते हैं—अत्र प्राधान्येन इत्यादि । ‘अङ्कायमान-’ इत्यादि पद्य में सम्पूर्ण वाक्य से प्रधानरूप में ‘भ्रान्तिमान्’ अलङ्कार अभिव्यक्त होता है अर्थात् नायिका का मुख को चकोर के बच्चे चन्द्र समझते हैं, अत एव चन्द्रिकापान की कामना से बार बार अपने चोंचों को चञ्चल करते हैं, फलतः यह सिद्ध हुआ कि यहाँ ‘भ्रान्तिमान्’ अलङ्कार में चन्द्र का आरोप मुख में किया जाता है और इस आरोप का साधक ललाटदेश में लगे कस्तूरीद्रव में कलङ्क के अभेद का आरोप और इस द्वितीय आरोप का मूल है कस्तूरीद्रव में रहने वाले अङ्क (कलङ्क) के सादृश्यरूप दोष का ज्ञान सादृश्य ही उपमा है, जो यहाँ ‘अङ्कायमान’ पद में ‘क्यङ्’ प्रत्यय का वाच्य अर्थ है तात्पर्य यह कि ‘अङ्कायमान’ पद से अङ्क का अभेद बोधित नहीं होता, अपितु अङ्क का सादृश्य ही, पीछे इस सादृश्य के ज्ञान से कस्तूरीद्रव में अङ्क का अभेद अर्थित विदित होता है । यहाँ उपमा (सादृश्य), व्यङ्ग्य भ्रान्तिमान् अलङ्कार का उपस्कारक है—पोषक है, क्योंकि उस सादृश्य के ज्ञान से कस्तूरीद्रव में अङ्काभेद का ज्ञान और इस अभेदज्ञान से मुख में चन्द्राभेदरूप भ्रान्तिमान् का ज्ञान होता है ।

तृतीयप्रकारोदाहरण पूर्वोल्लिखित स्मारयति—

रसोपस्कारिका तु ‘दलदरविन्द—’ इत्यत्र प्रागेवोदाहृता ।

उपमासामान्योदाहरणत्वेन प्रागुल्लिखितस्य ‘गुरुजन’ इत्यादिपद्यस्य ‘दलदरविन्दसुन्दरम्’ इत्यंशे वर्तमाना समासगतोपमा सरलवाक्यार्थभूतस्य विप्रलम्भशृङ्गारस्य शोभिकेति भाव ।

तृतीय प्रकार के उदाहरण का—जो पहले ही लिखा जा चुका है—स्मरण कराते हैं—रसोपस्कारिका इत्यादि । ‘गुरुजन’ इत्यादि पद्य, पहले ( सामान्य उपमा का उदाहरण दिखलाने के समय में ) लिखा जा चुका है । उस पद्य के ‘दलदरविन्दसुन्दरम्’ अंश में जो उपमा है, वह रसोपस्कारिका कही जा सकती है, क्योंकि उस उपमा से उस पद्य का प्रधान व्यङ्ग्य विप्रलम्भशृङ्गार ( रस ) शोभित होता है ।

भेदपरिगणने न्यूनताभ्रम निराकुरुते—

रसपदेनासलक्ष्यक्रमस्योपलक्षणाद्भावाद्युपस्कारिकाप्यत्रैवान्तर्भाव्या ।

रस्यते = आस्वाद्यते इति व्युत्पत्तियोगादत्र शास्त्रे प्रायोऽसलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यमात्रे रसपदप्रयोग क्रियते, अत एव ‘वाक्यं रसात्मक काव्यमिति’ विश्वनाथ, एवञ्च प्रकृते ‘वस्त्वलङ्काररसरूपाणाम्’ इति परिगणनपरे वाक्यांशे रसपदेन भावादीना समग्रोऽभीष्ट । तेन भावाद्युपस्कारिका अपि उपमा सगृहीता एवेति न कापि न्यूनतेति भाव ।

यहाँ अलङ्कार्यभेद से जो उपमा के भेद किये गये हैं, उनमें रस की चर्चा है, पर भाव आदि की नहीं, अतः जो न्यूनता का भ्रम उत्पन्न हो सकता था, उसकी निवृत्ति के लिये लिखते हैं—रसपदेन इत्यादि । इम साहित्यशास्त्र में प्रायः सभी अलङ्कार्यक्रम ध्यङ्ग्यों के लिये 'रस' पद प्रयुक्त होता है, क्योंकि 'रस्यते=भास्वाद्यते इति रस' अर्थात् जो भास्वादित हो उसे रस कहा जाता है' इस व्युत्पत्ति के अनुसार भाव आदि सभी अलङ्कार्यक्रम ध्यङ्ग्य रस पद के अर्थ हो सकते हैं । इस स्थिति में यहाँ कोई न्यूनता नहीं दीख पड़नी अर्थात् भाव आदि को उपस्कृत करनेवाली उपमाओं का भी समावेश रसोपस्कारिकाओं में ही हो जाता है ।

'भावाद्युपस्कारिका' इत्यत्रादिपदप्राह्ययो रसाभासभावाभासयोरुपस्कारिकाया उपमाया उदाहरणभूत पूर्वोक्तपद्यद्वयं स्मारयते—

यथा—'नैवापयाति हृदयादधिदेवतेव', 'वन्यकुरङ्गीव वेपते नितराम्' इत्यादिषु प्रागुदाहृतेषु ।

'नैवापयाति' इति पद्यम् भावाभासोदाहरणप्रदर्शनावसरे, 'वन्यकुरङ्गीव' इति च रसाभासोदाहरणप्रदर्शनकाले अयमानने सनुल्लिखितम् तत्रैव द्रष्टव्यम् । तत्र प्रथमपद्यस्याधिदेवतोपमाऽनुचिततया भावाभासरूपा गुरुकन्याविषयिणीं स्मृतिमुत्करोति, एव द्वितीयपद्यस्य बालकुरङ्गीव उपमा, रतेर्नववध्वा मनागप्यस्पर्शादनुभयनिष्ठत्वेनाभासरूप शृङ्गाररससुपत्करोतीति भावः ।

'भावाद्युपस्कारिका' इस मूलोक्त पङ्क्ति के आदि पद से सप्रहीत होनेवाले रसाभास तथा भावाभास को शोभित करनेवाली उपमाओं के उदाहरणभूत पूर्वोत्तिखित दो पद्यखण्डों का स्मरण दिलाते हैं—यथा इत्यादि । 'नैवापयाति' इत्यादि पद्य भावाभास के उदाहरण लिखते समय और 'वन्यकुरङ्गीव' इत्यादि पद्य रसाभास के उदाहरण लिखते समय प्रथम आनन में दिखलाये गये हैं, अतः सम्पूर्ण पद्य वहाँ देखे जा सकते हैं । उन दोनों में से प्रथम पद्य की 'अधिदेवतेव' यह उपमा, अनुचित होने के कारण भावाभासरूप गुरुकन्याविषयक प्रधान स्मृतिभाव को सुशोभित करती है । इसी तरह द्वितीय पद्य की 'बालकुरङ्गीव' यह उपमा, नववधू में रति की सर्वथा भवर्तमानता से अनुभयनिष्ठ ( केवल नायकनिष्ठ ) होने के कारण आभासरूप शृङ्गाररस को सुशोभित करती है ।

चतुर्य प्रकारसुदाहर्तुमाह—

वाच्यवस्तुपस्कारिका यथा—

व्याख्या तु प्राग्वत् ।

वाच्य वस्तु को सुशोभित करनेवाली उपमा जैसे—

उदाहरण निर्दिश्यते—

'अमृतद्रवमाधुरीभृत. सुखयन्ति श्रवसी सखे गिर ।

नयने शिशिरीकरोतु मे शरदिन्दुप्रतिम सुख तव ॥'

अथ त्वमन्नाय ब्रूते—हे मते मित्र, अमृतद्रवस्य पायूरसम्प, या नाशुरी मनु-रता, त्वमन्नाया या नाशुरी, ता, विभ्रति धारयन्तीति तादृशा, तव, गिर- वचनानि, मे, श्रवणी श्रोत्रे, सुखयन्ति आनन्दयन्ति । मन्प्रति, शरदिन्दुप्रतिम गरुडन्द्रवृत्त्य, तव, सुखम्, मे, नयने नेत्रे, श्रपि, शिशिरीकरोतु शीतलजतु । सुषोपमन्वर्षावचनश्रवणेन कर्णा मन्प्रति, परन्तु गरुडन्द्रनिभम् तवान्नं न पश्यदत एवावृत्त मन नेत्रद्वय त्वन्सुनाविलोकनेन वृष्णिमभिलाषतीति तदपि त्वया पूर्णानामित्यर्थः ।



उदाहरण का निर्देश करते हैं—अमृतद्रव इत्यादि । एक मित्र दूसरे मित्र से कहत है—हे सखे ! अमृतरस की मधुरता के समान मधुरता को धारण करनेवाले तेरे वचन मेरे कानों को सुखी कर रहे हैं पर तेरे मुखदर्शन की प्यासी मेरी आँखें तरस ही रही हैं, अतः मैं चाहता हूँ कि शरच्चन्द्र के तुल्य तेरा मुख मेरी आँखों को शीतल करे ।

उपपादयति—

अत्र नयनशिशिरीकरणरूपे वस्तुनि वाच्ये मुखस्य शरदिन्दूपमोपस्कारिका । अमृतद्रवेति पद्ये यद्यपि रसादिव्यङ्ग्यो नास्ति, तथापि वाच्यार्थस्य चमत्कारित्वेन पण्डितराजकृतलक्षणानुसारेण काव्यत्वम् । तत्र चमत्कारजनक नयनशिशिरीकरणरूपं वाच्यं वस्तुं मुखोपमेयिका शरच्चन्द्रोपमानिकोपमा शोभयतीति भावः ।

उपपादन करते हैं—अत्र इत्यादि । उक्त पद्य में 'आँखों को शीतल करना' जो वाच्य वस्तु है, उसको मुख में दी गई शरच्चन्द्र की उपमा शोभित करती है—पुष्ट करती है ।

पञ्चम भेदमुदाहर्तुमाह—

वाच्यालङ्कारोपस्कारिका यथा—

प्राग्वत् व्याख्येयम् ।

वाच्य अलङ्कार को शोभित करनेवाली उपमा जैसे—

उदाहरण निर्दिश्यते—

'शिशिरेण यथा सरोरुह दिवसेनामृतरश्मिमण्डलम् ।

न मनागपि तन्वि शोभते तव रोषेण तथेदमाननम् ॥'

नायकस्य नायकदूत्या वा नायिका प्रत्युक्तिः—सरोरुह कमलम्, यथा, शिशिरेण शिशिरर्तुना तदागमेनेति लक्ष्यार्थः, शैत्येन वा, 'हेतौ तृतीया तथाग्रेऽपि' अमृतरश्मिमण्डलम् चन्द्रमण्डलम्, यथा, दिवसेन दिनेन, मनागपि ईषदपि न, शोभते, तथा, हे तन्वि ! इदम्, तव, आननम् मुखम् ( अपि ) रोषेण क्रोधेन, ईषदपि न शोभते । शोभाकुलं तव मुखम्, शैत्यगलितम् कमलमिव, दिवसम्लानम् चन्द्रमण्डलमिव च, शोभा विहीनं भवतीत्यर्थः ।

उदाहरण का निर्देश करते हैं—शिशिरेण इत्यादि । नायक की अथवा उसकी दूती की नायिका के प्रति उक्ति है कि—जैसे शिशिर ऋतु के आगमन से कमल और दिन से चन्द्रमण्डल थोड़ा भी शोभित नहीं हो पाता, उसी प्रकार, तेरा यह मुख, रोष से थोड़ा भी शोभित नहीं होता—ऐसा सुन्दर मुख क्रोध के कारण फीका-फीका सा दृष्टि गोचर होता है ।

उपपादयति—

अत्र वाच्यस्य दीपकस्योपमोपस्कारिका ।

'शिशिरेण' इति पद्येऽप्रस्तुतयोः कमलचन्द्रमण्डलयोः प्रस्तुतस्य मुखस्य च शोभाभावरूपे एकस्मिन् धर्मेऽभिसम्बन्धाद्दीपकालङ्कारो वाच्यः । स एव च प्रधानः प्रकृतः पद्यस्य काव्यत्वनियामकः । यथातथापदबोध्य उपमालङ्कारश्च वाच्योऽपि तस्य दीपकस्य पोषक एवेति भावः ।

उपपादन करते हैं—अत्र इत्यादि । 'शिशिरेण' इत्यादि पद्य में अप्राकरणिक कमल तथा चन्द्रमण्डल का और प्राकरणिक नायिकामुख का शोभित न होने रूप एक धर्म के साथ सम्बन्ध वर्णित होने के कारण दीपकालङ्कार वाच्य है, अधिक चमत्कारी

होने के कारण वही प्रधान है—प्रकृत पद्य को काव्य सिद्ध करनेवाला है और 'यथा-न्तया' पद से अवगत होनेवाला उपमालङ्कार वाच्य होकर भी न्यून घमत्कारी होने के कारण गौण है—उम दीपक का ही शोभाघायक है—पोषक है ।

ननु वत्त्वलङ्कारयोरिव रसमद्यापि वाच्यत्वेन षोडा वक्तुमुचितेयमत आह—

रसादिस्तु न वाच्य इति प्रागेवाभिहितम् ।

असलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यत्वेनाभिनता रसरसाभासभावभावाभासाद्यो व्यङ्ग्या एव भवन्ति न वाच्या इति पूर्वमुक्तम्, अतः पञ्चमैव न षोडा इति भावः ।

रस आदि जो बलक्ष्यक्रम कहे जाते हैं—व्यङ्ग्य ही होते हैं, वाच्य नहीं, यह बात पहले ही कही जा चुकी है, अतः बलङ्कार्यभेद से उपमा के पाँच ही भेद कहे गये, 'वाच्यरसोपस्कारिका' नामक छठा भेद नहीं ।

आशङ्क्य समाधते—

अथ कथमलङ्कारस्यालङ्कारान्तरोपस्कार्यत्वमुच्यते । प्रधानस्यैवालङ्कार्यत्वादिति चेत् मैवम् . अलङ्कारस्योपमादंर्ध्वन्यमानतायां प्राधान्याद्रसादिवदलङ्कारान्तरोपस्कार्यत्वे न कोऽपि तावदस्ति विरोधः । एवमेव मुख्यतया वाच्यतायामपि । यथा ह्यापणादौ विक्रीयमाणताया वनकतादङ्कस्य रत्नाद्यलङ्कारान्तरोपस्कार्यत्वे तस्यैव च कामिनीकर्णालङ्कारताया पुनः प्रधानान्तरसानिध्यात्तादङ्कस्य तद्वनरत्नानां च साक्षात्परम्परया च कणादिशोभोपस्कारकतया यथा तदलङ्कारत्वम्, एवमेव रसाद्रिसानिधये रूपकादस्तदुपस्कारकस्यालङ्कारान्तरस्य च रसाद्यलङ्कारनेति ।

प्रधानस्यैवेति । अलङ्कारस्त्वप्रधाननेवेति भावः । वाच्यतायामपीत्यत्र न विरोध इत्यनुपपन्नः । दृष्टान्तविधयाऽऽह—यथा इत्यादि । प्रधानान्तरेति । प्रथमप्रधानतादृष्टापेक्षयाऽन्यस्य कामिनीकर्णप्रधानस्यैव । तदलङ्कारत्वम् कर्णालङ्कारत्वम् । रसाद्यलङ्कारनेति । रसादिरूपालङ्कार्यनिस्तिपालङ्कारनेत्यर्थः । यः प्रधानः न अलङ्कार्यो भवति, यत्र गौणः स अलङ्कार इति वस्तुस्थितिः । तथा चोपमाया वाच्यालङ्कारोपस्कारकत्वमूलत्वे भेदो न सम्भवति, उक्तयुक्त्या वाच्यालङ्कारस्योपस्कार्यत्वामन्भवदिति शङ्का, यत्रोपमादिरलङ्कारो व्यङ्ग्यः, अत एव प्रधानतत्र नोऽपि रसादिवत् अन्येनालङ्कारेणोपस्क्रियत इत्यत्र न कस्यापि विमतिः । एवञ्च यत्र वाच्योऽपि कश्चिदलङ्कारः रसादिराहित्येन न्वय काव्य जीवातुभूतो मुख्यो भवेत् ( यथा 'शिशिरेण ' इत्यादिपद्ये दीपकालङ्कारः ) तत्र, तस्य, भिन्नेन तदपेक्षयाऽल्पवचनकारित्वाद् गुणोभूतेनालङ्कारेण, उपस्करणं नन्ववन्द्येव, विरोधाभावात् । रसव्यञ्जककाव्ये तु साक्षात् रसोपकारकाः ये अलङ्कारा ये वा रसोपस्कारकालङ्कारोपस्कारका अलङ्कारा ते सर्वेऽपि साक्षान्परम्परया वा रसोपस्कारका एव व्यवहियेरन् । रीतिरियं लौकिकालङ्कारदृष्टान्तनिर्द्धेव, विपणिगतकनकनिर्मिताद्रत्नाद्यलङ्कारेणार्थाद्यनक्षिधानेन स्वयं प्रधानोभूते रत्नाद्यलङ्कारान्तरोपस्कार्यत्वव्यवहारस्त, कर्णगते पुनस्तन्मिन् सर्वप्रधानस्य कर्णस्यैवोपस्कार्यत्वेन तयोर्द्वयोरप्यलङ्कारयोर्उपस्कारकवनात्रव्यवहारस्य च दर्शनादिति भावः ।

क्या अलङ्कार भी अलङ्कार को शोभित करता है ? इस शङ्का का समाधान करने हैं—अथ इत्यादि । यदि कोई कहे कि यह पाँचवा भेद तो ठीक नहीं हुआ अर्थात् एक अलङ्कार दूसरे अलङ्कार से उपस्कृत-शोभित-नहीं हो सकता, क्योंकि उपस्कार्य-अलङ्कार्य-कोई प्रधान होता है और अलङ्कार तो स्वयं गौण होता है अतएव अलङ्कार कहलाना

है-दूसरे को शोभित करने वाला समझा जाता है, फिर वह अलङ्कार्य कैसे होगा ? तो इसका समाधान यह है कि जहाँ अलङ्कार-उपमा आदि-प्रधानरूप में ध्वनित होता रहता है, वहाँ वह उसी तरह दूसरे वाच्य अलङ्कारों से शोभित होने वाला माना जाता है, जिस तरह कोई रस आदि, यह सिद्धान्त सर्वमतसिद्ध है। फिर जहाँ-‘शिशिरेण’ इत्यादि तरह के काव्यों में—अलङ्कार वाच्य होकर भी रस आदि प्रधानान्तर के न रहने के कारण स्वयं प्रधान है—चमत्कारी है अतएव काव्य का प्राणभूत है, वहाँ वही भी रस आदि के समान अथवा ध्वनिभूत अलङ्कार के समान, अन्य अल्पचमत्कारी अतएव गौण अलङ्कार से शोभित होने का सौभाग्य क्यों नहीं प्राप्त कर सकता ? अवश्य कर सकता है। तात्पर्य यह कि प्रधानता ही तो अलङ्कार्यता का मूल है, फिर जहाँ रस आदि न हों और कोई वाच्य अलङ्कार ही अपने उज्ज्वल चमत्कार से पदावली को काव्य कहलाने का सौभाग्य प्रदान करे, वहाँ तो उस अलङ्कार को ही मुख्यता की पगड़ी मिलेगी, अतः वैसी स्थिति में पोषकरूप में वर्णित यदि कोई दूसरा अलङ्कार रहेगा, तब उससे वह ( प्रधान अलङ्कार ) अलकृत हो सकता है। हाँ, जहाँ रस आदि सर्वप्रधान की सत्ता रहेगी, वहाँ सभी अलङ्कार उसी को अलकृत करेंगे—आपस में उन अलङ्कारों का अलङ्कार्यालङ्कारकभाव नहीं होगा। यह रीति लौकिक अलङ्कारों में भी देखी जाती है—जब सोने का बना ताटङ्क ( कर्णाभरण ) दूकान में विकता रहता है, तब वही प्रधान रहता है, अतः उस काल में रत्न आदि दूसरे अलङ्कारों से वह शोभित होता है अर्थात् ताटङ्क अलङ्कार्य और रत्न आदि अलकृत करने वाला समझा जाता है, पर जब वही ताटङ्क कामिनी के कानों में झूलता हुआ रहता है, तब वह प्रधान नहीं रह जाता—उस स्थिति में कामिनी के कान ही प्रधान हो जाते हैं, अतः ताटङ्क अलङ्कार्य नहीं कहलाता, ताटङ्क तथा रत्न आदि सभी कान के अलङ्कार कहे जाते हैं।

भेदा सङ्कल्यन्ते—

एवं च प्राचां मते पञ्चविंशतिभेदायाः पुनः पञ्चविधतायां सपादशतं भेदाः । द्वात्रिंशद्भेदवादिनां तु षष्ठ्युत्तर शतम् ।

एव चेति । अलङ्कार्यभेदेनालङ्कारभेदस्वीकारे चेत्यर्थः । पूर्णाया षट्सुपायाश्चैकोनविंशतिरिति ये पञ्चविंशतिभेदा उपमायाः प्राचीनतमैरुक्तास्तेषां प्रत्येकस्य पुनरलङ्कार्यभेदेनानुपद पञ्चविधत्वप्रतिपादने जाते साकल्येन पञ्चविंशत्यधिकशतं भेदा उपमाया निष्पद्यन्ते । मध्यकालिकैश्च कैश्चिदाचार्यैर्लुप्ताया एकोनविंशत्यधिका सप्त अन्येऽपि भेदा कथिता । तन्मतानुसारं द्वात्रिंशद्भेदानां पुनः पञ्चविधत्वे षष्ट्याधिकशतभेदा उपमाया जायन्त इति भावः ।

भेदों का सङ्कलन किया जाता है—एव च इत्यादि । इस प्रकार से जिन प्राचीनों के मत में पहले उपमा के पचीस भेद हुए थे, उनके मत में अब एक सौ पचीस भेद हो गये, क्योंकि पूर्वोक्त पचीस भेदों में से प्रत्येक के और पाँच-पाँच भेद अब दिखाये गये हैं और जिन प्राचीनों के मत में पहले बत्तीस भेद हुए थे, उनके मत में अब प्रत्येक के पाँच पाँच हो जाने के कारण एक सौ साठ भेद हुए ।

उपमाभेदान्तराणामपि संभावना सूचयति—

इतश्चान्येऽपि प्रभेदाः कुशाग्रीयधिषणैः स्वयमुद्भावनीयाः ।

इत इति । उक्तेभ्यो भेदेभ्य इत्यर्थः । प्रभेदा इति । उपमाया इति भावः । कुशाग्रीयधिषणैरिति । कुशाग्रीया कुशाग्रसवन्धिनी कुशाग्रतुल्येति यावत् धिषणा बुद्धिर्येषां तौ तीक्ष्णबुद्धिभिरिति भावः । स्वयमिति । प्राचीनोक्तिसाहाय्यविरहेऽपि इति तात्पर्यम्, उद्भावनीया उह्या ।

उपमा के जितने प्रभेद ऊपर दिखलाये जा चुके हैं, उन सबों से भिन्न और और भेद भी हो सकने हैं, जिनका उह तीक्ष्णदृष्टियों को स्वयं कर लेना चाहिए।

इदं अनुद्भावनीयत्वेनोक्तान् उपमायाः प्रभेदान् निर्दिदिषुः प्रथमम् समानधर्मवैलभ्य-  
नूलात् तान् निर्दिशति—

तत्र क्वचिदनुगाम्येव धर्मः । क्वचिच्च केवलं विन्व-प्रतिविन्वभावमापन्नः ।  
क्वचिदुभयम् । क्वचिद्वस्तुप्रतिवस्तुभावेन करन्वित विन्व-प्रतिविन्वभावम् ।  
क्वचिद्वस्तुप्युपचरितः । क्वचिच्च केवलशब्दात्मकः ।

तत्रेति । उद्भावनीयेषु भेदेष्वित्यर्थः । क्वचिदिति । कस्याचनोपमायामित्यर्थः । एव-  
मत्रेऽपि । अनुगामीति । महानिर्दिष्टोऽपि एकेन रूपेणोपमानोपनेययोस्त्वोरनुगमनकर्ता  
इत्यर्थः । अत्रैवकारेण धर्मस्य विन्व-प्रतिविन्वभावापन्नत्वं व्यचिच्छयते । धर्मः उपमानो-  
पनेयोभयनाधारगो गुणक्रियादि । केवलमिति । अनुगामित्वरहितमित्यर्थः । विन्वप्रति-  
विन्वभावमिति । पृथग्निर्दिष्टत्वे नति वस्तुतो भिन्नत्वे च नति गदृग्मूलकमभेद-  
मित्यर्थः । आपन्न इति । प्राप्त इत्यर्थः । अत्र 'धर्मः' इत्यनुपपद्यते । उनमिति अनुगा-  
मित्वं विन्व-प्रतिविन्वभावं चेत्यर्थः । अत्र 'आपन्न धर्मः' इत्यन्यानुपपत्तो बोध्यः । अयं  
च नातिरिक्तो भेदः, अत एवाप्रिमा 'तृतीयोऽपि त्रिविधः' इति 'पट्टो धर्मः' इति चोक्ति-  
नङ्गच्छते । तस्यातिरिक्तभेदत्वे तु 'चतुर्थः' सम्म इति चोक्तिः स्यात् । वस्तुप्रतिवस्तु-  
भावेनेति । एन्त्वेऽपि आप्रचभेदप्रयुक्तभेदेनेत्यर्थः । करन्वितम् मिश्रितम् । विन्वप्रति-  
विन्वभावमित्यस्यात्रे 'आपन्नो धर्मः' इति पूर्वोक्तस्यानुपपत्तो वेद्यः । अनन्वरीति । मित्या-  
भूतोऽपीत्यर्थः उपचरितः आरोपितः । अत्रापि 'धर्मः' इत्यन्यानुपपत्तः । केवलशब्दान्मक  
इति । गुणक्रियादिरूपो न किन्तु समानशब्दरूपः धर्म इत्यर्थः । एतेन पुनः पञ्चमोपमा  
विभजेति बोद्धव्यम् ।

उद्भावनीय भेदों में से तब तक समानधर्म की विलक्षणता से होनेवाले भेदों का  
उल्लेख स्वयं ग्रन्थकार करते हैं—तत्र इत्यादि । १—किसी किसी उपमा में समानधर्म  
केवल अनुगामी अर्थात् एक बार निर्दिष्ट होकर एक ही रूप से उपमान तथा उपमेय  
दोनों में सहस्रित होनेवाला रहता है । २—किसी किसी उपमा में समान धर्म केवल  
विन्वप्रतिविन्वभावापन्न होता है अर्थात् उपमान तथा उपमेय के धर्म वस्तुतः दो  
हैं, अनः पृथक् पृथक् निर्दिष्ट भी रहते हैं, पर सादृश्यमूलक, उन दोनों धर्मों में  
अभेद माना गया रहता है अथवा विन्वप्रतिविन्वभावापन्न और अनुगामी दोनों एक  
साथ होते हैं । ३—किसी किसी उपमा में विन्वप्रतिविन्वभावापन्न धर्म वस्तुप्रतिवस्तु-  
भाव से मिश्रित रहता है अर्थात् विन्वप्रतिविन्वभावापन्न धर्म के विशेषणरूप में एक  
ऐसा धर्म कहा रहता है जो वस्तुतः एक ही होता है पर उसका निर्देश भिन्न शब्दों के  
द्वारा दो आश्रय में दो बार किया गया होता है । ४—किसी उपमा में समानधर्म मित्या  
होकर भी आरोपित रहता है । ५—और किसी उपमा में समानधर्म केवल शब्दरूप  
होता है गुणक्रियादिरूप नहीं ।

तत्रानुगामिधर्मवस्तुप्रतिवस्तुभावात्—

तत्रायो यथा—

सप्तमम् ।

उपमा के उन धर्ममूलक भेदों में पहला—अर्थात् अनुगामि धर्मवाला भेद जैसे—  
उदाहरण निर्दिश्यते—

‘शारिन्दुरिवाहादजनको रघुनन्दनः ।

वनस्रजा विभाति स्म सेनचाप इवानुदः ॥’

शरदिन्दुः शरत्कालीनश्चन्द्रः ( अत्र शर द्वशेषरोन धूलिधूसरतादिदोषमुक्ताकाश-सूचनद्वारा चन्द्रमसश्चन्द्रिकातिशयशालित्वमावेद्यते तेन चाह्लादजननेऽप्याधिक्य प्रतीयते, तदुपमानत्ववर्णनेनोपमेये रघुनन्दनेऽपि तत्सूच्यते ) इव, आह्लादस्य आनन्दविशेषस्य, जनक सम्पादक, रघुनन्दन राघवो राम, वनस्रजा वनमालया आपादतललम्बमालयेति यावत् । इन्द्रचापेन विद्युता, सहित, अम्बुदो मेघ इव, विभाति स्म विशेषेणाशोभत इत्यर्थः ।

उदाहरण का निर्देश करते हैं—शरदिन्दु इत्यादि । कवि का कथन है कि—शरत्काल के चन्द्रमा के समान आनन्ददायक भगवान् रामचन्द्र वनमाला से इन्द्रधनुष ( विद्युत् ) से युक्त मेघ के समान शोभित हो रहे थे ।

उपपादयति—

अत्र पूर्वार्धे सकृन्निर्देशाद्धर्मोऽनुगामी ।

‘शरदिन्दुः’ इति पद्यस्य पूर्वार्धभागे आह्लादजनकत्वरूपो धर्मः ‘आह्लादजनक’ इति पदेनैकवारमेव निर्दिष्ट एकेनैव रूपेण उपमानोपमेययोश्चन्द्ररामचन्द्रयोरन्वेतीति तस्यानुगामित्वम् बोध्यम् ।

उपपादन करते हैं—अत्र इत्यादि । ‘शरदिन्दुः’ इत्यादि श्लोक के पूर्वार्ध भाग में ‘आनन्दजनकः’ इस शब्द के द्वारा ‘आनन्ददायकता’ धर्म एक ही वार उक्त होकर एक रूप से ही उपमान और उपमेय—चन्द्र तथा रामचन्द्र—दोनों में अन्वित हो जाता है, अतः यह धर्म अनुगामी कहा जाता है ।

द्वितीयभेदस्योदाहरणभूत पूर्वोक्तपद्यं स्मारयति—

केवलबिम्ब-प्रतिबिम्बभावापन्नः ‘कोमलातपशोणाध्र-’ इत्यत्र बोध्यः ।

‘कोमलातप-’ इत्यादि पद्य पूर्वमुपमाप्रकरणप्रारम्भे समुल्लिखितम् । तत्र कोमलातपकुङ्कुमालेपनयो क्रमशः सन्ध्याकालरूपोपमानयतिरूपोपमेयमात्रनिष्ठयो सादृश्यमूल-कामेदाध्यवसाय इति तस्य धर्मस्य बिम्ब-प्रतिबिम्बभावापन्नत्वम् इति भावः । अधिक तत्रैव विवेचित जिज्ञासुभिरवलोकनीयम् ।

केवल बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नधर्म वाली उपमा का उदाहरण होता है ‘कोमलातप-’ इत्यादि। पूर्वोक्तपद्य । यहाँ ‘कोमलातपः’ केवल उपमान सन्ध्याकाल में रहने वाला है और ‘कुङ्कुमालेपन’ केवल उपमेय यति में रहने वाला, अतः उन दोनों में से एक भी उपमानोपमेय का साधारण धर्म होने योग्य यद्यपि नहीं है, तथापि समान होने के कारण उन दोनों धर्मों में अभेद का आरोप कर लिया जाता है, जिससे उन दोनों धर्मों को एक समझ कर उपमा की सिद्धि होती है । यह भिन्न धर्मों का आरोपित अभेद ही बिम्बप्रतिबिम्बभाव है, यह बात पहले लिखी जा चुकी है ।

उभयविधधर्मयुक्तामुपमा प्रकटयति—

द्वितीयार्धे तूभयम् ।

‘शरदिन्दुः—’ इति पद्यस्योत्तरार्धभागेऽम्बुदोषमानिका रघुनन्दनोपमेयिका या उपमा वर्तते, तत्र द्वौ धर्मौ साधारणौ—एक ‘विभाति स्म’ इति पदबोध्यो भानक्रियारूपः, स चानुगामी, सकृन्निर्दिष्टत्वात् एकरूपेणोपमानोपमेययोरन्वितत्वाच्च, द्वितीय वनस्रगिन्द्रचाप रूप, स च बिम्ब प्रतिबिम्बभावापन्न, वस्तुतो भिन्नत्वात् सादृश्यमूलकामेदाध्यवसायाच्चेति भावः । अत्र ‘द्वितीयार्धे’ इत्यस्य ‘कषायवसनो याति इत्यादी’ इति टीका कुर्वाणो नागेशो नोचितभाषी, तत्र द्वितीयोपमाया एवाभावात् । या चैकोपमा तत्रास्ति, तस्यां

धर्मस्य केवलविम्बप्रतिविम्बभावात्तन्वस्य व्यवस्थापनान् अनुगामिधर्मस्य विरहान् इत्याकल्नीयम् ।

जिस उपमा में साधारण धर्म अनुगामी तथा विम्बप्रतिविम्बभावापन्न दोनों तरह के होते हैं, उसका उदाहरण 'शरदिन्दु-' इत्यादि पद्य का ही उत्तरार्ध—'वनत्वजा विभाति स्म सेन्द्रचाप इवाम्बुद' होता है, क्योंकि यहाँ 'विभाति स्म' पदबोध्य शोभनक्रियारूप धर्म उक्त युक्ति से अनुगामी है और वनमाला तथा इन्द्रचापरूप धर्म उक्त रीति में है विम्बप्रतिविम्बभावापन्न ।

तृतीयो भेद पुनत्रिधा विभज्यते—

तृतीयाऽपि त्रिविधः—विशेषणमात्रयोर्विशेष्यमात्रयोस्तद्युगलयोर्वा वस्तुप्रति-  
वस्तुभावेन करन्वितः ।

वस्तुप्रतिवस्तुभावकरन्वितविम्बप्रतिविम्बभावापन्नधर्ममूलको यो भेद उक्तन्तस्य पुन-  
द्वयो भेदा सम्भवन्ति वस्तुप्रतिवस्तुभावकरन्वणस्य त्रिधा सम्भवात् । तथाहि—विशेषण-  
मात्रगतवस्तुप्रतिवस्तुभावेन करन्वणम्, विशेष्यमात्रगतवस्तुप्रतिवस्तुभावेन करन्वणम्,  
विशेषणविशेष्योभयगतवस्तुप्रतिवस्तुभावेन करन्वणम् । वस्तुप्रतिवस्तुभावपरिचय प्रागेव  
दत्त, अत्रेऽप्युदाहरणेषु दायितेति भावः ।

तृतीय भेद के पुन तीन अवान्तर भेद करते हैं—तृतीयाऽपि इत्यादि । वस्तुप्रति-  
वस्तुभाव से मिश्रित विम्बप्रतिविम्बभावापन्न समान धर्म के भी तीन प्रकार हो सकते  
हैं—एक केवल विशेषणों के वस्तुप्रतिवस्तुभाव से मिश्रित, द्वितीय केवल विशेष्यों के  
वस्तुप्रतिवस्तुभाव से मिश्रित और तृतीय विशेषण विशेष्य दोनों के वस्तुप्रतिवस्तुभाव  
से मिश्रित ।

तेषु विशेषणमात्रगतवस्तुप्रतिवस्तुभावेन करन्वणमुदाहर्तुमाह—

तत्राद्यो यथा—

स्पष्टम् ।

केवल विशेषणों के वस्तुप्रतिवस्तुभाव से मिश्रित, जैसे—

उदाहरण निर्दिश्यते—

‘चलद्भृङ्गमिवान्भोजमधीरनयनं मुखम् ।

तदीय यदि दृश्येत कामः क्रुद्धोऽस्तु किं ततः ॥’

चलन्त सञ्चरन्ती, दृष्टा भ्रमरा, यत्र, तादृशम्, अन्भोजम् कमलम्, इव, अर्वाङ्ग  
चपले, नयने नेत्रे, यस्मिन्, तादृश, तदीय वर्गनीयनायिकामन्वन्धि, मुखम्, यदि,  
दृश्येत अवलोक्येत, ( सम्भावनेयम् ), तदा, कामः कामः, क्रुद्ध उचित, अस्तु भवतु,  
तत तत्मानन्दोपात्, किम् ? न किमसीति यावत् । अन्द्भ्रमरान्भोजतुल्यप्रेयसीमुख-  
विलोकनौषधे वर्तमाने कामरोगरोगो न दुस्माध्य इत्यर्थः ।

उदाहरण का निदान करते हैं—चलद्भृङ्ग इत्यादि । जिनके मध्यभाग में भ्रमर  
सञ्चरण कर रहे हों, उस कमल के तुल्य चपल नेत्रों वाला उसका मुख यदि दृष्टिगोचर  
होवे, तब कामदेव, क्रुद्ध हाना रहे, उसका क्या ?

उपपादयति—

अत्र चलनाधीरत्वयोर्विशेषणयोर्वस्तुत एन्रूपयोरपि शब्दद्वयेनोपादाना  
द्वस्तुप्रतिवस्तुभावः । तद्विशेषणकयोश्च चृङ्गनयनयोर्विम्बप्रतिविम्बभावः । इति  
वत्करम्भ्रतोऽयमुच्यते ।

‘चलद्भृङ्ग-’ इति पद्येऽम्भोजमुपमानम् मुखद्वोपमेयम्, तयो साधारणधर्म-पूर्वोक्त-दिशा विम्बप्रतिविम्बभावापन्न चलद्भृङ्गाधीरनयनत्वरूपः, तत्र विशेषणीभूतयोश्चलनाधीरत्वयोर्वस्तुप्रतिवस्तुभावः, वस्तुत एकरूपत्वेऽपि शब्दद्वयेनोल्लेखादिति विशेषणमात्र-गतवस्तुप्रतिवस्तुभावकरम्बितविम्ब-प्रतिविम्बभावापन्नधर्ममूलकत्वमस्या उपमाया उपपद्यत इति भावः ।

उपपादन करते हैं—अत्र इत्यादि । यहाँ ‘चलन’ और ‘अधीरत्व’ ये दोनों विशेषण वस्तुतः एकरूप हैं—अर्थात् इन दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है, तथापि उस एक ही अर्थ का प्रतिपादन दो भिन्न-भिन्न शब्दों के द्वारा किया गया है, अतः उनका वस्तुप्रतिवस्तुभाव है और वे जिनके विशेषण हैं उन विशेष्यों ‘भ्रमर’ तथा ‘नेत्र’ का विम्बप्रतिविम्बभाव है, क्योंकि वस्तुतः भिन्न होने पर भी समान होने के कारण उन्हें अभिन्न माना गया है, अतः यह विम्बप्रतिविम्बभाव वस्तुप्रतिवस्तुभाव से मिश्रित कहलाता है ।

केवलविशेष्यगतवस्तुप्रतिवस्तुभावकरम्बणमुदाहर्तुमाह—

तत्र द्वितीयो यथा—

स्पष्टम् ।

केवल विशेष्यों के वस्तुप्रतिवस्तुभाव से मिश्रित, जैसे—

उदाहरण निर्दिश्यते—

‘आलिङ्गितो जलधिकन्यकया सलीलं,

लग्नः प्रियङ्गुलतयेव तरुस्तमालः ।

देहावसानसमये हृदये मदीये,

देवश्चकास्तु भगवानरविन्दनामः ॥’

भक्त कामयते—प्रियङ्गुलतया तन्नामकसुवर्णवर्णलताविशेषण लग्न ससक्त तमालस्तरु तमालाभिधश्यामच्छविटपिविशेष, इव, जलधिकन्यकया लक्ष्म्या, सलीलम् सविलासम्, आलिङ्गित आरिलष्ट, भगवान् आनिमाद्यैश्वर्यशाली, अरविन्दनामो देव विष्णुदेव, देहावसानसमये मृत्युकाले, मदीये हृदये चकास्तु भासतामित्यर्थः ।

उदाहरण का निर्देश करते हैं—आलिङ्गित इति । किसी भक्त की अभिलाषा है—प्रियङ्गुलता से सटे हुए तमालवृक्ष के समान, लक्ष्मी से लीलापूर्वक आलिङ्गित भगवान् पद्मनाभ देव ( विष्णु ) मरणसमय में मेरे हृदय में भासित हों ।

उपपादयति—

अत्रालिङ्गितत्वलग्नत्वयोर्वस्तुप्रतिवस्तुभावः । तद्विशेष्यकयोश्च जलधिकन्या-प्रियङ्गुलतयोर्विम्ब प्रतिविम्बभावः । इत्ययमपि तत्करम्बित एव ।

‘आलिङ्गित—’ इति श्लोके प्रियङ्गुलतालग्नतमालतरु जलधिकन्यालिङ्गितविष्णुलप-स्योपमेयस्योमानम्, तत्रालिङ्गितलग्नपदार्थयोर्विशेषणविधया वर्णितौ ‘जलधिकन्याप्रियङ्गुल-तापदार्था सादृश्यमूलकाभेदाध्यवसायशालितया विम्ब-प्रतिविम्बभावापन्नौ साधारणधर्मतया व्यवस्थितौ विशेष्यभूतालिङ्गितत्वलग्नत्वे च वस्तुप्रतिवस्तुभावापन्ने एकरूपैव वस्तुन शब्द-भेदेनाश्रयभेदेन च प्रतिपादनादिति सिद्ध विम्बप्रतिविम्बभावस्य वस्तुप्रतिवस्तुभावेन करम्बणम् इति भावः ।

उपपादन करते हैं—अत्रालिङ्गितत्व इत्यादि । ‘आलिङ्गितः—’ इस पद्य में ‘आलिङ्गित होना’ और ‘सटना’ ये जो विशेष्यभूत पदार्थ हैं, वे वस्तुप्रतिवस्तुभावापन्न हैं, क्योंकि वास्तविकरूप में वे दोनों एक ही चीज हैं, केवल भिन्न-भिन्न आश्रय में रहने के कारण

और भिन्न-भिन्न शब्दों से उक्त होने के कारण भिन्न से प्रतीत होते हैं। और उन विशेष्यों के विशेषणरूप में वर्णित जलधिक्कन्या ( लक्ष्मी ) तथा प्रियङ्गुलता में विन्वप्रतिविन्व भाव है, क्योंकि ये दो वस्तुतः दो हैं किन्तु समानता के कारण आरोपित जमेद को लेकर एक समझे जाते हैं। अतः यहाँ का विन्वप्रतिविन्वभाव भी वस्तुप्रतिवस्तुभाव से मिश्रित है।

वृत्तीयनेदस्य वृत्तियसुरभेदनुदाहृताह—

तत्र वृत्तीयो यथा—

स्पष्टम् ।

विशेषण-विशेष्य दोनों के वस्तुप्रतिवस्तुभाव से मिश्रित जैसे—

उदाहरणं निर्दिश्यते—

‘दशाननेन दृष्टेन नीयमाना बभौ सती ।

द्विरदेन मदान्धेन कृष्यमाणेव पद्मिनी ॥’

अथर्वशि—दृष्टेन गर्विणा, दशाननेन रावणेन, नीयमाना अपहियमाना, सती पतिव्रता सीता, मदान्धेन मदमत्तेन, द्विरदेन गङ्गेन, कृष्यमाणा नाचमाना, पद्मिनी कमलिनी इव बभौ शुशुभे इत्यर्थः ।

उदाहरण का निर्देश करते हैं—दशाननेन इत्यादि । ऋषि की उक्ति है—दृष्ट—गर्वीले दशानन—रावण से अपहृत की जाती हुई सती सीता, मदमत्त हाथी से खींची जाती हुई कमलिनी सी, शोभित हुई ।

उपपादयति—

अत्र विशेषणयोर्दृष्टत्वमदान्यत्वयोर्विशेष्ययोश्च नीयमानत्वकृष्यमाणत्वयोर्वस्तुप्रतिवस्तुभावेनोभयतः सन्पुटितो दशाननद्विरदयोर्विन्वप्रतिविन्वभावः । इत्ययमपि तत्करन्वितः ।

‘दशाननेने’ति पद्ये मदान्धद्विरदकर्तृकर्मभूता कमलिनी उपमानम्, दृष्टदशानन-कर्तृकन्यनकर्मभूता सीता चोरमेया । तत्र सादृश्यनूलकाभेदाध्यवसायविशिष्टौ द्विरद-शाननौ विन्व-प्रतिविन्वभावापन्नौ साधारणवर्णनां ग्राह्ये, तयोर्विशेषणभूते दृष्टमदान्धेन, विशेष्यभूते नीयमानत्वकृष्यमाणत्वे च वस्तुप्रतिवस्तुभावापन्नानि, एकत्वेऽपि पृथङ्निर्दिष्ट-त्वादिति भावः ।

उपपादन करते हैं—अत्र इत्यादि । ‘दशाननेन—’ इस पद्य में ‘दृष्टता’ और ‘मद-मत्तता ये दोनों विशेषण, वस्तु प्रतिवस्तुभावापन्न है, क्योंकि ये दोनों पदार्थ वस्तुतः दो नहीं हैं एक हैं, पर भिन्न भिन्न लाक्षण्य में रहने के कारण और भिन्न-भिन्न शब्दों से अभिहित होने के कारण भिन्न जैसे प्रतीत होते हैं। इसी तरह ‘नीयमाना अर्थात् अपहृत की जाती हुई और ‘कृष्यमाणा अर्थात् खींची जाती हुई ये दोनों विशेष्य भी वस्तु प्रतिवस्तुभावापन्न हैं, क्योंकि ये दोनों भी लाक्षण्य तथा मदान्धेद के कारण ही भिन्न हैं अन्यथा एक ही हैं। और इन दोनों वस्तुप्रतिवस्तुभावापन्न पदार्थ के मध्य में है विन्वप्रतिविन्वभावापन्न ‘दशानन तथा द्विरद’, ये विन्वप्रतिविन्वभावापन्न हन्ति, हैं कि वस्तुतः दो पदार्थ हैं, पर सादृश्यनूलक जमेद का आरोप हो जाने से एक समझे जाते हैं। अतः यह विन्वप्रतिविन्वभाव, दोनों तरफ से वस्तुप्रतिवस्तुभाव द्वारा मन्गुटित कहा जाता है ।

साधारणवर्णनैर्विन्वनूलका उपमाया पद्य भेदा परिगणिता, इदानीं तन्मास्त्रनूलक एवारविप्रस्त पद्यो भेद उच्यते—

‘विमलं वदनं तस्या निष्कलहृमृगाहृति’ इत्यत्र वैमन्यनिष्कलहृत्वयोर्वस्तुत



एकरूपयोर्विम्बप्रतिविम्बभावनिर्मुक्तं वस्तुप्रतिवस्तुभावमापन्नोरुपमानिष्पादकत्वं यद्यस्ति तदा शुद्धं वस्तुप्रतिवस्तुभावमापन्नोऽप्येष षष्ठो धर्मः ।

निर्मल तत्रायिकाननम् निर्मलचन्द्रवदाचरतीत्यर्थके 'विमलम्—' इत्यादिमूलोक्तकाव्यवाक्ये उपमालङ्कारोऽस्ति, तत्र च वैमल्यनिष्कलङ्कत्वयोः साधारणधर्मता स्वीकार्या, तयोश्च धर्मयोर्न विम्बप्रतिविम्बभाव, वस्तुतो भिन्नत्वाभावात्, अपि तु वस्तुप्रतिवस्तुभाव एव, वस्तुत एकत्वेऽपि शब्दाश्रययोर्भेदेन भेदात् पुन सादृश्यमूलकाभेदाच्च । तथा च विम्बप्रतिविम्बभावशून्यशुद्धवस्तुप्रतिवस्तुभावापन्नोऽपि साधारणधर्मो भवतीति सिद्धम् । तादृशधर्म उक्तपञ्चविधभेदेभ्यो भिन्न इति षष्ठो भेदस्तन्मूलकश्चोपमाया अप्येकोऽधिको भेदो भवेदिति भावः । परमीदृशधर्मस्योपमाप्रयोजकत्व युक्तं न वेति मतभेदप्रस्तमतो मूले 'यद्यस्ति' इति यदिपदं प्रयुक्तं ग्रन्थकृता तेनेदृशधर्मस्योपमाप्रयोजकत्वेऽरुचि सूच्यते, तद्वीजञ्चाह नागेश स्वटीकायाम्— "एकोऽप्यर्थो भिन्नशब्देनोपात्तो भिन्न इव प्रतीयते । अत एव 'उदेति सविता ताम्रस्ताम्र एवास्तमेति च' इत्यादौ 'रक्त एवास्तमेति च' इति पाठे दुष्टतेति प्राञ्च । प्रकृते सबन्धिभेदादपि भेदप्रत्ययस्तयोः । भिन्नरूपेण प्रतीयमानस्य च न साधारणता । साधारणीकरणस्य च न कश्चिदुपाय विना विम्बप्रतिविम्बभावापन्नैकधर्मसम्बन्धित्वम् । तथा च शब्दाङ्गभेदेन प्रत्यये, सम्बन्धिभेदाच्च भेदप्रत्यये, विम्बप्रतिविम्बभावापन्नैकधर्मसम्बन्धित्वेन तयोरभेदाप्यवसाये साधारणत्वमस्येति कथं शुद्धस्योपमानिष्पादकत्वम् । अत एव प्राञ्च विम्बप्रतिविम्बभावकरम्बित एवायमित्याहुरिति' इति ।

साधारण धर्म की विविधरूपता के कारण अभी-अभी उपमा के पाँच भेद गिनाये गए हैं, अब पुनः साधारण धर्म की ही एक खास विलक्षणता के कारण छठा भेद भी उपमा का दिखलाते हैं—विमलम् इत्यादि । 'विमलम्—इत्यादि अर्थात् उस नायिका का निर्मल मुख कलङ्करहित चन्द्रमा के समान आचरण करता है ।' यहाँ 'निर्मलता और निष्कलङ्कता' में वस्तुतः कोई भेद नहीं है—एक हैं, पर शब्दभेद तथा आश्रयभेद के कारण भिन्न सा मानकर पीछे उन दोनों में सादृश्यमूलक अभेद मानते हैं, अतः यह वस्तुप्रतिवस्तुभाव हुआ, विम्बप्रतिविम्बभाव नहीं, क्योंकि वह वस्तुतः भिन्न पदार्थों में सादृश्यमूलक अभेद मानने पर होता है । ऐसी स्थिति में यदि इस तरह के विम्बप्रतिविम्बभाव से रहित शुद्ध वस्तुप्रतिवस्तुभावापन्न धर्म को भी उपमा का साधक माना जाय, तब यह साधारण धर्म का छठा प्रकार होगा । परन्तु यहाँ 'यदि माना जाय' ऐसा कहकर ग्रन्थकार इस तरह के धर्म को उपमासाधक मानने में अपनी अरुचि सूचित करते हैं । उसका कारण, नागेशभट्ट ने अपनी टीका में स्पष्ट किया है, जिसका आशय यह है कि—भिन्न-भिन्न शब्दों से कहा गया एक अर्थ भी भिन्न सा प्रतीत होता है । अतएव 'उदेति सविता ताम्रस्ताम्र एवास्तमेति च—अर्थात् सूर्य ताम्रवर्ण ( लाल ) उदित होता है और ताम्रवर्ण ही अस्त होता है' यहाँ द्वितीय वाक्य यदि 'रक्त एवास्तमेति च' ऐसा कर दिया जाय, तब दोष ही जाने की बात प्राचीनों ने लिखी है । और प्रस्तुत स्थल में तो निर्मलत्व तथा निष्कलङ्कत्व धर्म के सम्बन्धी मुख तथा चन्द्र भी भिन्न हैं, इस कारण भी उन दोनों में भेद माना जाना चाहिये । अतः इस तरह से भिन्न रूप में प्रतीत होने वाले धर्म को तब तक साधारण नहीं माना जा सकता, जब तक किन्हीं विम्बप्रतिविम्बभावापन्न एक धर्म से उसका सम्बन्ध नहीं जोड़ा जायगा । अतः यह सिद्ध हुआ कि—वस्तुप्रतिवस्तुभावापन्न धर्म, शब्दभेद और सम्बन्धी—आश्रय—भेद के कारण भिन्न ही प्रतीत होते हैं । ऐसी दशा में केवल वस्तुप्रतिवस्तुभावापन्न धर्म को उपमा का साधक कैसे माना जा सकता है ? अतएव प्राचीनों का कथन है कि वस्तुप्रतिवस्तुभाव, विम्बप्रतिविम्बभाव से मिश्रित ही रहता है ।

‘विमल वदनम्—’ इत्यादौ वस्तुप्रतिवस्तुभावाङ्गीकारस्यावश्यकतैव नास्तीत्याशङ्क्य समाधत्ते—

न च ‘कोमलातपशोणाभ्रसन्ध्याकालसहोदर’ इत्यादौ यतिसन्ध्याकालयो-  
रूपमाया धर्मान्तरस्यानवगमात् कुङ्कुमालेपकषायवसनयोः कोमलातपशोणाभ्र-  
योश्च बिम्बप्रतिबिम्बभावो यथावश्यमभ्युपेयः, प्रकृते तु न तथा वस्तुप्रतिवस्तु-  
भावः । वदनमृगाङ्गयोः सौन्दर्यरूपसाधारणधर्मस्य प्रतीयमानत्वेन धर्मान्तरान-  
पेक्षणादिति वाच्यम् । एवं तर्हि ‘यान्त्या मुहुर्वलितकन्धरमानन तदावृत्तवृन्तशत-  
पत्रनिभ वहन्त्या’ इति भवभूतिपद्येऽपि प्रतीयमानेन सौन्दर्येणैव सामान्येन  
निर्वाहे कन्धरावृन्तयोर्विम्बप्रतिबिम्बभावस्य बलितत्वावृत्तत्वयोर्वस्तुप्रतिवस्तु-  
भावस्य च सकलैरालङ्कारिकैः स्वीकारो विरुद्धः स्यात् । अतो यथास्थित-  
मेव साधु ।

उपमासिद्धौ समपेक्षितस्यान्यथाऽसम्पद्यमानस्य साधारणधर्मस्य सिद्धयर्थम् द्वयोर्धर्म-  
योर्विम्बप्रतिबिम्बभावो वस्तुप्रतिवस्तुभावो वा कल्प्यत इति वस्तुस्थिति । एवञ्च ‘कोम-  
लातप ’ इत्यादि प्रागुदाहृते पद्ये निबन्धमानाया यत्तुपमेयिकाया सन्ध्याकालोपमानिका-  
यानुपमायाम् कोऽप्यपर’ साधारणधर्मो न स्फुरतीत्यगत्योपमेयवृत्तिकुङ्कुमालेपादेरुपमानवृ-  
त्तिकोमलातपादेश्च बिम्ब-प्रतिबिम्बभावनाश्रित्य साधारणत्व कल्प्यते । ‘विमल वदनम्—’  
इत्यादि प्रकृतकाव्ये तु वदनवन्द्योरुपमाया साधकः सौन्दर्यरूप- साधारणधर्म-अनुक्तोऽपि  
प्रसिद्धतया प्रतीतिपद्यमवतरतीति धर्मान्तरस्यापेक्षैव नास्ति । सौन्दर्यस्य साधारणधर्मत्वेना-  
ङ्गीकारे लुप्तोपमात्वं स्यात् परन्तु तावता काऽपि हानिर्नास्तीति वैमल्यनिष्कलत्वयोर्वस्तु-  
प्रतिवस्तुभावकल्पना नावश्यकी, तथा च तन्मूलको भेदोऽसङ्गत इति शकाया इद समाधानं  
यत् ‘भुग्नवृन्तविशिष्टशतदलकमलनुत्य वार वार भुग्नशिरोम्रवं मुञ्च धारयन्त्या वारं  
वार परावृत्य पश्यन्त्येति यावत् , गच्छन्त्या पद्ममलयनया मालन्या, मम हृदये, पीयूष-  
गरलाभ्या व्याप्त कटाक्ष’ गाढ निखात इव’ इत्यर्थके मालतीप्रथमदर्शनानन्तर माधवेन  
स्वसुहृदं मकरन्द प्रति कथिते ‘यान्त्या मुहुर्वलितकन्धरमानन तदावृत्तवृन्तशतपत्रनिभ  
वहन्त्या । दिग्धोऽञ्जतेन च विपेण च पद्मलाद्या, गाढ निखात इव मे हृदये कटाक्ष’  
इति भवभूतिपद्ये स्वतः प्रतीतिपद्यनुपेयुषा सौन्दर्यरूपसाधारणधर्मणोपमाया सिद्धिमम्भ-  
वेऽपि कन्धरावृत्तयोर्विम्बप्रतिबिम्बभाव बलितत्वावृत्तत्वयो वस्तुप्रतिवस्तुभावश्च कल्प्यते,  
तथा प्रकृतेऽपि सौन्दर्यस्य साधारणधर्मतानम्भवेऽपि वैमल्यनिष्कलत्वयोर्वस्तुप्रतिवस्तु-  
भाव कल्पनीय एव । इदमत्र रहस्यम्—यदि सौन्दर्यादेः साधारणत्व क्विविबलितमभवि-  
ष्यन्, तदा वैमल्यादेरुपादान निष्प्रयोजनमापत्स्यत्, अतो वस्तुप्रतिवस्तुभावो विन्ध्यप्रति-  
बिम्बभावो वा यथानम्भवेतादृशस्थले क्वैरभिमतो बुध्यते, अत एव चमत्कारोऽप्यति-  
शयितो भवति, अन्यथा तु न मन्थर एव स्यादिति भावः ।

‘विमलम्—’ इत्यादि पद्य में वस्तुप्रतिवस्तुभाव की आवश्यकता ही नहीं है इस  
वाशका, का उपपादन तथा समाधान करते हैं—न च इत्यादि । आप कहेंगे—उपमा  
की सिद्धि के लिये किसी साधारण धर्म का प्रतीयमान होना आवश्यक है, अतः जहाँ  
किसी साधारण धर्म की स्वभावतः प्रतीति नहीं होती, वहाँ उपमान और उपमेय में  
रहने वाले भिन्न-भिन्न धर्मों का विन्ध्यप्रतिबिम्बभाव अथवा वस्तुप्रतिवस्तुभाव कल्पित  
होता है, जिससे वह साधारण बन जाता है यही तो वस्तुस्थिति है, अतः ‘कोमलातप—’  
इत्यादि पूर्वोदाहृत पद्य में यति और संध्याकाल की उपमा को सिद्ध करने के लिये

कुङ्कुमलेप आदि और कोमल आतप आदि के विम्बप्रतिविम्बभाव की कल्पना भले ही आवश्यक समझी जाय, क्योंकि वहाँ किसी साधारण धर्म की स्वभावतः प्रतीति नहीं होती, परन्तु 'विमल वदनम्—' इत्यादि स्थल में विमलता तथा निष्कलङ्कता के वस्तुप्रतिवस्तुभाव की कल्पना आवश्यक नहीं समझी जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ उपमान चन्द्र और उपमेय मुख दोनों में रहने वाले परमप्रसिद्ध सौन्दर्यरूप स्वाभाविक साधारण धर्म की प्रतीति कहे बिना भी हो रही है, उसीको लेकर उपमा सिद्ध हो जायगी। किन्तु यह कथन आपका समुचित नहीं, कारण, यदि ऐसी बात हो, तब 'यान्त्या मुहुः—' इत्यादि ( सम्पूर्ण पद्य सस्कृत टीका में देखना चाहिए )—अर्थात् दृष्टे डठल वाले कमल के तुल्य बार-बार तिरछी गरदन वाले मुख को धारण करती हुई—बार बार लौटकर देखती हुई—उस सघन पद्मवाले नयनों से युक्त नायिका ( मालती ) ने, जाते हुए, अमृत और विष दोनों से सना हुआ एक कटाक्ष, कसकर, मेरे हृदय में मार-सा दिया' इस, मालती के प्रथम दर्शन के बाद माधव के द्वारा अपने मित्र मकरन्द के प्रति कहे गए भवभूतिरचित पद्य में कमलमुख के साधारण सौन्दर्य से ही उपमा की सिद्धि हो सकती थी, फिर जो सभी आलंकारिकों ने वहाँ 'गरदन' और 'वृन्त' में विम्बप्रतिविम्बभाव तथा 'झुकने' और 'तिरछे होने' में वस्तुप्रतिवस्तुभाव माना है—वह विरुद्ध हो जायगा, क्योंकि आपके हिसाब से वहाँ भी ऐसा मानने की आवश्यकता नहीं थी। अतः जैसा मैंने माना है, वही ठीक है—अर्थात् 'विमलं वदनम्—' में विमलता और निष्कलङ्कता के शुद्ध वस्तुप्रतिवस्तुभाव अथवा विम्ब-प्रतिविम्बभाव से मिश्रित वस्तु-प्रतिवस्तुभाव की कल्पना करनी ही चाहिए। तात्पर्य यह कि—ऐसे स्थलों में सौन्दर्य आदि प्रसिद्ध धर्म को साधारण मानकर उपमा बाँधने पर कोई खास चमत्कार नहीं हो सकता—पुरानी कल्पना को दुहराने में कोई आनन्द नहीं आता, इसलिये तो कवि ने विमल और निष्कलङ्क तथा तिरछी गरदन और टेढ़े डठल का पद्य में वर्णन किया है, अन्यथा उसकी आवश्यकता ही क्या थी ?

चतुर्थं भेदमुदाहर्तुमाह—

उपचरितो यथा—

यस्यामुपमाया साधारणधर्म उपचरित ( आरोपित ) भवति, सोपमा प्रदर्शयति इति भाव ।

उपचरित—अर्थात्—आरोपित समान धर्म वाली उपमा जैसे—

उदाहरण निर्दिश्यते—

'शतकोटिकठिनचित्तः सोऽहं तस्याः सुधैकमयमूर्तेः ।

येनाकारिषि मित्रं स विकलहृदयो विधिर्वाच्यः ॥'

येन विधात्रा, शतकोटिवत् वज्रवत्, कठिनं कठोर, चित्त मन, यस्य तादृशं स-सीतानिर्वासनादिविविधानर्थकारी, अहं रामचन्द्र, सुधैकमयमूर्तेः केवलामृतनिर्मिताऋष्या, तस्या सीताया, मित्रं पतिरिति यावत्, अकारिषि ( कृधातो कर्मणि लुङि उत्तम-पुरुषैकवचने रूपम् ) कृत इति तदर्थं, स, विकलहृदय, हृदयहीन, सति हृदये नैतादृशं कुर्यादिति भाव, विधि विधाता, वाच्य निन्दनीय । सीतानिर्वासनकर्मणा मम निन्दा-नोचिता, अपि तु सर्वज्ञतामाप्तवतोऽपि मादृशेन कठोरचेतसा सह ता योजयते । विधेरेव सा योग्येत्यर्थः ।

उदाहरण का निर्देश करते हैं—शतकोटि इत्यादि । जिस विधाता ने, वज्र के समान कठोर चित्तवाले उस सुभक्तको केवल अमृत से बनी हुई मूर्ति वाली उस ( सीता ) का मित्र ( पति ) बना दिया, उस हृदयहीन विधाता की निन्दा होनी चाहिए । अर्थात्

सीतापरिव्याग से डोप जो मुझे कलङ्कित करते हैं, वह उचित नहीं, निन्दा तो होनी चाहिए उस विधाता की, जिसने जान-बूझकर इस तरह का अनमेल सम्बन्ध कराया ।

प्रकरणं बोध्यते—

एषा सीतां विवासितवतः स्वात्मगता रामस्योक्तिः ।

शतश्लोकीति गार्ग्यः ज्ञापयदात्मनेन प्राणेभ्योऽपि त्रियां सीतां निवासितवतो राम-  
चन्द्रस्य मनोभावरूप इति भावः ।

प्रसङ्ग बतलाया जाता है—एषा इत्यादि । 'शतश्लोकी-' यह पद्य उन रामचन्द्र की स्वगत उक्ति है, जो सीता को वन में निकाल चुके थे ।

उपपादयति—

अत्र काठिन्यं पार्थिवो धर्मश्चित्ते उपचरितः ।

शतश्लोकीति श्लोके शतश्लोकीचित्तयोरुपमाया साधारणधर्मतया निविष्टं काठिन्यं वस्तुतो न साधारणम्, पृथिवीवर्तिनस्तस्य धर्मस्य पृथिवीविकारभूते शतश्लोकी सत्त्वगन्धर्वोऽपि अनूर्ते चित्ते सत्वासन्मवात्, तथापि आरोपेण तस्य चित्तश्रुतिता स्वीक्रियत इति सधर्म उपचरित उच्यते ।

उपपादन करते हैं—अत्र इत्यादि । 'शतश्लोकी-' इस पद्य में वज्र और चित्त की जो उपमा है, उसमें साधारण धर्म होता है 'कठिनता', पर वह वस्तुतः चित्त में है नहीं, क्योंकि 'कठिनता' एक प्रकार का पृथिवीधर्म है, अतः पृथिवी के विकारभूत वज्र में रह-सकता है, अनूर्त चित्त में नहीं, अतएव चित्त में वह आरोपित होकर ही रहेगा ।

पञ्चमं प्रनेदनुदाहर्तुमाह—

केवलशब्दात्मको यथा—

उपमाया यस्मिन् प्रकारे साधारणधर्म केवलशब्दात्मको भवति, न प्रकार प्रकारयत इति भावः ।

केवल शब्दरूप समान धर्म को लेकर होनेवाली उपमा जैसे—

उदाहरणं निर्दिशयते—

'यत्र वसन्ति सुमनसि मनुजपशौ च शीलवन्तः सर्वत्र समाना मन्त्रिणो मुनय इव ।'

यत्र राज्ये, शीलवन्तः मन्त्रिणो, मन्त्रिणः मन्त्रिणाः, सुमनसि पण्डिते, मनुज-पशौ महामूर्खे, च सर्वत्र, समाना एकत्र समानादरकारिणः, अपत्र समदृष्टे अत एव सुत्य, इव, समन्तीत्यर्थः ।

उदाहरण का निर्देश करते हैं—यत्र इत्यादि । किसी राज्य का वर्गन है कि-जहाँ मन्त्रिणाः मन्त्रिण लोग मुनियों के समान रहते हैं क्योंकि वे विद्वान् और महामूर्खों में समान हैं अर्थात् मुनि सब में समदृष्टि हैं और मन्त्री सब में समान आदर करने वाले हैं ।

उपपादयति—

इन्द्रोपमानोपनेयगतस्यार्थस्यैकस्याभावाच्चन्द्र एव धर्मः ।

'यत्र वसन्ति-' इत्यादि शब्दे सुमन्मन्त्रिणोदनाया न कश्चिदर्थः साधारणधर्म, धर्मवाचकतयोनास्तस्य 'समान'पदस्य उपमानोपनेययोर्भेदात्वात्, तथा च न शब्द एवोभयत्र स्वनिश्चयवक्तव्यनिमित्तात्तद्व्यवस्थान्त्वेन विशेषणमवत समानधर्मपदा प्रति-पद्यत इति भावः ।

उपपादन करते हैं—अत्रोपमानोप इत्यादि । 'यत्र वसन्ति—' इस काव्य में मुनि और मन्त्री की जो उपमा है, उसमें कोई ऐसा अर्थरूप साधारण धर्म नहीं, जो उपमान तथा उपमेय दोनों में रहनेवाला हो । तात्पर्य यह कि साधारणधर्म का बोधक पद है यहाँ 'समानाः', पर इस पद का मुनि और मन्त्री पक्ष में एक अर्थ नहीं होता, अतः यह मानना चाहिए कि—वह शब्द ही यहाँ साधारणधर्मरूप है । इसी उपमा को अन्यत्र शब्दी उपमा कहा गया है ।

धर्मवैचित्र्यमूलकभेदान्तराणामपि सम्भावना प्रकटयति—

एवमेतेषां धर्माणां व्यामिश्रणं च सम्भवति ।

पूर्वोक्ताना पञ्चविधाना साधारणधर्माणा परस्परसङ्घरोऽपि भवितुमर्हति । तथा च तत्प्रयुक्तोपमाप्रभेदसंख्याऽपि भूयो वर्धतेति भावः ।

धर्म की विविधरूपता के कारण होनेवाले उपमाप्रभेदों में और अधिक भेदों की संभावना करते हैं—एवमेतेषामित्यादि । जिस तरह शुद्धरूप से साधारण धर्म के पाँच भेद किए गये हैं, उसी तरह परस्पर मिश्रण से उनके और अधिक भेद किए जा सकते हैं । कहने का तात्पर्य यह कि उक्त पञ्चविध धर्मों के मिश्रण से उपमा के धर्ममूलक भेद और अधिक बढ़ सकते हैं ।

धर्ममिश्रणप्रयुक्तसम्भावितोपमाप्रभेदोदाहरण प्रतिज्ञापुस्तं निर्दिश्यते—

यथा—

श्यामलेनाङ्कितं भाले बाले केनापि लक्ष्मणा ।

मुखं तवान्तरा सुप्तभृङ्गफुल्लाम्बुजायते ॥

नायक कथयति—अयि वाले ! केनापि, श्यामलेन श्यामवर्णेन, लक्ष्मणा चिह्न कस्तूरीतिलकादिनेति यावत्, भाले ललाटे अङ्कित चिह्नित, तव, मुखम्, अन्तरा मध्ये, सुप्ता निश्चलतया स्थिता, भृङ्गा भ्रमरा, यत्र, तादृश, यत्, फुल्ल विकसितम्, अम्बुज कमल, तदिव, आचरतीत्यर्थः ।

धर्ममिश्रण का उदाहरण दिखलाते हैं—यथा इत्यादि । जैसे—श्यामलेन इत्यादि अर्थात्—हे बालिके ! किसी काले चिह्न ( कस्तूरी-तिलक आदि ) से कपाल पर चिह्नित तैरा मुख, जिसके मध्य में असर सोए हुए हों ऐसे विकसित कमल के समान आचरण करता है ।

उपपादयति—

अत्र भालगताङ्कप्रसुप्तभृङ्गौ बिम्बप्रतिबिम्बभावमापन्नौ क्यङ्कर्थे आचारेऽनु गामिन्यभेदमापद्य स्थितौ ।

'श्यामलेन—' इति पद्येऽम्बुजमुखयोरुपमोपनिबद्धा, तत्र 'अम्बुजायते' इति प्रयोग-घटकक्यङ्प्रत्ययार्थ आचार उपमाने अम्बुजे उपमेये मुखे चैकरूपेणान्वीयमानोऽनुगामी साधारणधर्म । मुखस्याम्बुजवदाचरण च बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नयो—सादृश्यबलारोपिता-भेदयो—भालगताङ्गान्तरासुप्तभृङ्गयो सम्बन्धित्वासादनमेव । एवञ्चात्र बिम्बप्रतिबिम्ब-भावापन्नस्यानुगामिनश्च धर्मस्य मिश्रण जातमिति भावः ।

उपपादन करते हैं—अत्र इत्यादि । 'श्यामलेन—' इस पद्य में कमल तथा मुख की उपमा वर्णित हुई है, उसमें 'ललाटतट का काला चिह्न' और 'मध्य में सोए हुए भ्रमर' ये दोनों बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न हैं, और वे 'अम्बुजायते' पद में जो 'क्यङ्' प्रत्यय है उसके अर्थ आचाररूप अनुगामी धर्म से अभिन्न होकर स्थित हैं । अभिप्राय यह कि कमल और मुख की उपमा में आचरण एकरूप से उपमानोपमेय में अन्वित होने के

कारण अनुगामी धर्म है और मुख का कमल के समान आचरण, यहाँ, विम्बप्रतिविम्ब-भावापन्न ( सादृश्यमूलक अभेद से युक्त ) ललाटगत चिह्न और मध्यसुप्त भृङ्ग से सम्बन्ध रखना ही है अतः यहाँ विम्बप्रतिविम्बभावापन्न तथा अनुगामी धर्मों का मिश्रण है ।

तथाविधमुदाहरणान्तरमपि दर्शयति—

यथा वा—

‘सिन्दूरारुणवपुषो देवस्य रदाङ्कुरो गणाधिपतेः ।

सन्ध्याशोणाम्बरगतनवेन्दुलेखादितः पातु ॥’

सिन्दूरेण रञ्जद्वयविशेषेण, अरुण रक्तं, वपुः शरीर, यस्य, तस्य, गणाधिपते गणेशस्य, देवस्य, सन्ध्याया सायङ्कालस्य, शोणे रक्ते, अम्बरे आकाशे, गता स्थिता, या, नवस्य नूतनस्य, इन्दो चन्द्रस्य, लेखा कला, सा इव आचरितः, रदाङ्कुरः दन्ताङ्कुरः, पातु रक्षतु, पुष्मान् अस्मान् वेति शेष इत्यर्थः ।

अथवा जैसे—सिन्दूर से अर्थात् सिन्दूर के लेप से अरुण वर्ण शरीर वाले गणेश देव का, सायंकाल के लाल आकाश में स्थित चन्द्रकला के समान आचरण करनेवाला, दन्ताङ्कुर, आपकी अथवा मेरी रक्षा करे ।

उपपादयति—

अत्र सिन्दूरसन्ध्याभ्यां गणाधिपगगनाभ्या च विम्बप्रतिविम्बभावमापन्नाभ्यां [ धर्माभ्या ] सम्पादिताभेदेन विशिष्टधर्मेणाभेदेनावस्थित. क्यङ्-र्थोऽनुगामी ।

अयमाशय—‘सिन्दूरारुण—’ इति पद्येऽरुणत्वशोणत्वे शब्दाश्रययोर्भेदेन भिन्ने अपि परमार्थत एकरूप इति वस्तुप्रतिवस्तुभावापन्ने तदन्विते सिन्दूरसन्ध्ये वस्तुतो भिन्ने अपि सादृश्यमूलकाभेदारोपविशिष्ट इति विम्बप्रतिविम्बभावापन्ने तदन्विते गणपतिगगने अपि पुन तथाविधतया विम्बप्रतिविम्बभावापन्न एव । एवञ्च वस्तुप्रतिवस्तुभावापन्नारुणत्वशोणत्वविशिष्टविम्बप्रतिविम्बभावापन्नसिन्दूरसन्ध्याऽभेदबुद्धिविपर्ययोक्तगणपतिगगनरूप । विम्बप्रतिविम्बभावापन्नो विशिष्ट एको धर्मः सम्पद्यते, तदभिन्नश्च लेखायितपदगतक्यङ्प्रत्ययार्थरूप आचारोऽनुगामी धर्मः यद्बलात् दन्ताङ्कुरचन्द्रलेखयोरुपमा निध्यति । यद्यपि प्रसिद्धौ अल्पशोभाविशेषरूपतामाश्रित्यापि आचारस्यानुगामित्वं नन्भवति, तथापि तादृशगणपतिगगनरूपतामादायैवाचारस्यानुगामित्वम् कवितात्पर्यविपर्ययोभूतम्, अन्यथा तदुल्लेख एव निष्फल स्यादिति ।

उपपादन करते हैं—अत्र इत्यादि । ‘सिन्दूरारुण—’ इस पद्य में ‘सायङ्काल के लाल आकाश की चन्द्रकला’ के साथ ‘सिन्दूर से अरुण वर्ण शरीर वाले गणेशजी के दन्ताङ्कुर’ की तुलना की गई है—इन दोनों पदार्थों की उपमा बाँधी गयी है, और इस उपमा का साधक है ‘लेखायित’ पद में आप हुए क्यङ् प्रत्यय का अर्थ ‘आचार’रूप समान धर्म, जो अनुगामी है, परन्तु केवल विपयोऽल्लेखरहित आचार उपमा का प्रयोजक होता नहीं, अतः ‘गणपति तथा आकाश’ के साथ उस आचार का अभेद कल्पित होता है—अर्थात् ‘दन्ताङ्कुर’ और ‘चन्द्रकला’ का समान आचार यही माना जाता है कि एक गणेश का है और दूसरा आकाश का । आपके मन में शङ्का होगी कि जब गणेश और आकाश ही एक वस्तु नहीं, तब उन दोनों का सम्बन्धी आचार कैसे एक होगा ? शङ्का ठीक है, पर आप को समझना चाहिये कि कल्पना के द्वारा गणेशजी और आकाश को भी एक कर लिया जाता है अर्थात् इन दोनों में विम्बप्रतिविम्बभाव भिन्न होने पर भी सादृश्यमूलक अभेद—माना जाता है । आप पुनः शङ्का करेंगे कि—इन दोनों में सादृश्य ही कौन सा

है, यन्मूलक अभेद माना जायगा ? इसके उत्तर में कहा जाता है कि एक (गणेशजी) सिन्दूर से अरुणवर्ण शरीर वाले हैं और दूसरा (गगन) सन्ध्या से लाल है यही सादृश्य है। यदि इस पर भी आप पूछेंगे कि यह कौन सादृश्य हुआ ? एक का सम्बन्ध सिन्दूर से है और दूसरे का सन्ध्या से, फिर सादृश्य कैसा ? यह प्रश्न भी आपका असङ्गत नहीं, परन्तु उत्तर भी बहुत उपयुक्त है कि इन दोनों में भी-अर्थात् सिन्दूर और सन्ध्या में भी-विम्बप्रतिविम्बभाव माना जाता है-भिन्न होने पर भी सादृश्यमूलक अभेद स्वीकृत होता है। और इन दोनों के सादृश्य का मूल है अरुणत्व और शोणत्व। आप कहेंगे कि ये दोनों भी तो एक जैसे नहीं ज्ञात होते, तो मैं कहूँगा कि-हैं तो ये दोनों एक ही वस्तु, परन्तु शब्द तथा आश्रय (जिनमें ये रहते हैं इन पदार्थ) के भेद से भिन्न जैसे भासित होते हैं। आप कहेंगे कि-हुआ न-किसी तरह इस भेद भासित हो गया, तब अभेद कैसे भासित होगा ? उत्तर है कि-भेद भासित होने के बाद पुनः अभेद की कल्पना की जाती है। वस्तुतः अभिन्न में किसी कारणसे भेद भासित होने के बाद जो अभेद कल्पित होता है उसीको तो 'वस्तुप्रतिवस्तुभाव' कहते हैं। फलतः यहाँ 'अरुणत्व और शोणत्व' वस्तुप्रतिवस्तुभावापन्न हैं, 'सिन्दूर-सन्ध्या' और 'गणेश-आकाश' विम्बप्रतिविम्बभावापन्न हैं और 'आचार' अनुगामी है। अतः यहाँ धर्मों का मिश्रण समझा जाता है।

धर्ममिश्रणस्य प्रकारान्तर दर्शयति—

क्वचिद्धेतुहेतुमद्भावेन ।

हेतुहेतुमद्भावेनेत्यस्याग्रे धर्मस्य व्यामिश्रणमिति शेषो बोध्य । 'श्यामलेन—' 'सिन्दूरारुण—' इत्यनयोर्यथा विम्बप्रतिविम्बभावापन्नधर्माणाम् अभेदेनानुगामिन्याचारे व्यामिश्रणम्, तथा क्वचित् हेतुहेतुमद्भावेन तथाविधधर्मस्यानुगामिनि व्यामिश्रणमिति भावः ।

धर्ममिश्रण का दूसरा प्रकार दिखलाया जाता है—क्वचित् इत्यादि। अर्थात्-जैसे उक्त उदाहरणों में, अभेद सम्बन्ध से विम्बप्रतिविम्बभावापन्न धर्मों का अनुगामी धर्मों में मिश्रण हुआ है, उसी तरह कहीं हेतुहेतुमद्भावसम्बन्ध से भी उक्त धर्मों का मिश्रण हो सकता है।

उदाहरण निर्देष्टुमाह—

यथा—

स्पष्टम् ।

जैसे—

उदाहरण निर्दिश्यते—

'खलः कापट्यदोषेण दूरेणैव विसृज्यते ।

अपायशङ्किभिलोकैर्विषेणाशीविषो यथा ॥'

कवि कथयति—अपाय विनाश, शङ्कन्ते, ये, तथाविधै निजविनाशशङ्काकुलैरिति यावत्, लोकै, विषेण विषरूपदोषेण, आशीविष सर्प, यथा, दूरेण दूरत, एव, विसृज्यते त्यज्यते, तथैव, खल नीचाशयो जन, कापट्यदोषेण कपटरूपदूषणेन, दूरत परिहियत इत्यर्थः ।

उदाहरण का निर्देश करते हैं—खलः इत्यादि। कवि का कथन है—जिस तरह, विषरूप दोष के कारण, सर्प, दूरतः परिहृत होता है-लोग उसके पास फटकते तक नहीं, उसी तरह, कपटरूप दोष के कारण अपने विनाश की आशङ्का करनेवाले लोगों से खल-नीचाशय मनुष्य-दूर ही छोड़ दिया जाता है।

उपपादयति—

अत्र कापट्यं विप च विम्बप्रतिविम्बतां गतं दूरतो विसर्जनेऽनुगामिनि हेतुः ।

‘खल कापट्य—’ इति पद्ये सर्पखलयोरुपमाया ‘दूरतो विसर्जनम्’ अनुगामी—  
एकरूपेण द्वयोरन्वयी—साधारणो धर्मः, तत्र च ‘विपकपटता’रूपो विम्बप्रतिविम्बभावा-  
पन्न—भेदेऽपि सादृश्यमूलकाभेदविशिष्ट—धर्मो हेतुरिति—अनुगामिविम्बप्रतिविम्ब-  
भावापन्नयोर्धर्मयोः कार्यकारणभावेन मिश्रण जातम् । तयोर्विम्बप्रतिविम्बभाव विना  
भिन्नप्रकरणत्वेन दूरविसर्जने भेदप्रतीत्याऽनुगामित्वमेव न स्यादिति भावः ।

उपपादन करते हैं—अत्र इत्यादि । ‘खल.—’ इस श्लोक में ‘खल’ की उपमा ‘सर्प’  
के साथ दी गई है, जिसमें ‘दूर से छोड़ देना’ अनुगामी साधारण धर्म है और उसके  
कारण हैं ‘विप’ और ‘कपट’रूप विम्बप्रतिविम्बभावापन्न धर्म । अर्थात् जब तक विप और  
कपट में विम्बप्रतिविम्बभाव—सादृश्यमूलक अभेद—नहीं मान लिया जायगा, तब तक  
भिन्न प्रकरण के होने से ‘दूर से छोड़ देने’ में भी भेद प्रतीत होता रहेगा, फिर वह  
अनुगामी—एकरूपेण अन्वित होने वाला—धर्म ही नहीं सकता । भवत यहाँ अनुगामी  
और विम्बप्रतिविम्बभावापन्न धर्मों का मिश्रण कार्य कारणरूप होने से हुआ है ।

हेतुहेतुमद्भावेन धर्मयोर्मिश्रणस्योदाहरणान्तर दर्शयितुमाह—

यथा वा—

स्पष्टम् ।

अथवा जैसे—

उदाहरण निर्दिश्यते—

‘रूपवत्यपि च क्रूरा कामिनी दुःखदायिनी ।

अन्तःकाटवसम्पूर्णा सुपक्ववेन्द्रवारुणी ॥’

रूपवती बाह्यसौन्दर्यशालिनी, अपि, अन्तःकाटवेन अन्तर्गतकटुत्वेन, सम्पूर्णा नर्वतो-  
भावेन युक्ता, सुपक्वा अतिपरिपाकावस्था गता ( एतच्च बाह्यसौन्दर्यमम्पत्तिवृत्तनाय )  
इन्द्रवारुणी फलविशेष ( नारुन इति भाषाया प्रसिद्ध ) इव, रूपवत्यपि, क्रूरा कटोरहृदया,  
कामिनी नायिका, दुःखदायिनी क्लेशप्रदा, भवतीत्यर्थः ।

उदाहरण का निर्देश करते हैं—रूपवत्यपि इत्यादि । रूपवती ( बाह्य सौन्दर्य से  
युक्त ) होकर भी क्रूरहृदय वाली नायिका, अन्दर कटुपन से भरी हुई परिपक्व इन्द्र-  
वारुणी ( नारुन ) की तरह, दुःख देने वाली होती है ।

उपपादयति—

अत्र रूपवत्त्वदुःखदायित्वयोर्द्वयोरनुगामिनोर्मध्ये कौर्यकाटवे विम्बप्रति-  
विम्बभावापन्ने दुःखदायित्वेन सह हेतुहेतुमद्भावेन मिश्रिते, अपरेण तु  
शुद्धसामानाधिकरणत्वेन ।

अपरेण रूपवत्त्वेन शुद्धसामानाधिकरणत्वेनेति । एतेन दुःखदायित्वेनापि कौर्यकाटवयो-  
सामानाधिकरणस्यनस्येव, परन्तु न शुद्धम्, अपि तु हेतुहेतुमद्भावविशिष्टमिच्छ्यं फलिन ।  
अथै भाव—इन्द्रवारुणीकामिन्योरुपमाया ‘रूपवत्यपि—’ इति पद्योपनिबद्धायाम्,  
रूपवत्त्वदुःखदायित्वरूपो द्वावनुगामिनाधारणधर्मो कौर्यकटुत्वान्मर्कौ च द्वौ विम्बप्रतिविम्ब-  
भावापन्नौ तयाविद्यौ धर्मौ तत्र दुःखदायित्वन्प्रति कौर्यकाटवे कारणे—अर्थात् नायिका-  
निष्ठदुःखदायित्व प्रति कौर्य कारणम् तथा इन्द्रवारुणीनिष्ठदुःखदायित्व प्रति काटव  
कारणम् । एवम विम्बप्रतिविम्बभावापन्नयोः कौर्यकाटवयोः दुःखदायित्वस्य चानुगामिन



हेतुहेतुमद्भावविशिष्टसामानाधिकरण्येन मिश्रणम्, तथाविधयोस्तयोरनुगामिनो रूपवत्त्वस्य च शुद्धसामानाधिकरण्येन मिश्रणमिति ।

उपपादन करते हैं—अत्र इत्यादि । 'रूपवत्यपि—' इस उदाहरण में इन्द्रवारुणी और कामिनी की उपमा के साधक, दो—'रूपवती होना' और 'दुःख देने वाली होना'—अनुगामी साधारण धर्म हैं । उन दोनों धर्मों में से एक—'दुःखदायित्व'रूप अनुगामी धर्म के साथ 'क्रूरता' और 'कटुता'रूप विष्वप्रतिविष्वभावापन्न धर्म कार्यकारणभाव-विशिष्ट सामानाधिकरण्यसंबन्ध से मिश्रित है, क्योंकि कामिनी में 'क्रूरता' दुःख देने का कारण है और इन्द्रवारुणी में 'कटुता', इसी तरह दुःखदायित्व और 'क्रूरता—कटुता' एक आधार ( कामिनी—इन्द्रवारुणी ) में रहते भी हैं । 'रूपवत्त्व' के साथ 'क्रूरता' और 'कटुता' का मिश्रण शुद्ध हेतुहेतुमद्भावरहित सामानाधिकरण्यसंबन्ध से होता है ।

उपसहरति—

एवमन्यैरपि व्यामिश्रणं बोध्यम् ।

एवम् उक्त्वा । अन्यै = अनुगामिधर्मातिरिक्तैः, पूर्वोक्तपञ्चविधमाधारणधर्मान्तर्गतैर्धर्मैः ।

उपसहार करते हैं—एवम् इत्यादि । इसी तरह ( पूर्वोक्त रीति से ही ) अन्य धर्मों से भी मिश्रण समझ लेना चाहिए ।

उपमाया उक्तेभ्यो भेदेभ्योऽन्येऽपि भेदाः सम्भवन्तीति सूचयितुमाह—

प्रकारान्तरं च लक्ष्यानुसारेण सुधीभिः स्वयमुन्नेतुं शक्यम् ।

लक्ष्यदर्शनेन सुधयः उपमायाः प्रकारान्तराणि स्वयमूहितु पारयन्तीति भावः ।

विद्वज्जन, उदाहरणों के आधार पर, उपमा के अन्य भेदों का भी ऊह, स्वयं कर ले सकते हैं ।

स्वयमुन्नेयत्वेनोक्त प्रकारान्तरमुपमाया दर्शयितुमाह—

यथा—

स्पष्टम् ।

जैसे—

उदाहरण निर्दिश्यते—

'यथा लतायाः स्तबकानतायाः स्तनावनम्रे नितरां समाऽसि ।

तथा लता पल्लविनी सगर्वे शोणाधरायाः सदृशी तवापि ॥'

नायको नायिका कथयति—स्तनावनम्रे कुचभारविनते । ( एतच्च स्तबकानतलता-साम्यसिद्धयर्थम् ) त्वम्, स्तबकैः पुष्पगुच्छैः, आनताया नम्रीभूताया, लताया वल्लभ्या, यथा येन प्रकारेण, नितराम् अस्यन्तम्, समा सदृशी, असि वर्तसे, तथैव हे सगर्वे स्तोपमानत्वलाभजन्यगौरवयुक्ते ! पल्लविनी रक्तवर्णनवकिसलयवती ( एतच्च शोणाधरनायिका-सादृश्यसिद्धिकरम् ), लता, अपि, शोणाधराया अरुणरदनच्छदाया, तव सदृशी तुल्या वर्तते इत्यर्थः ।

उदाहरण का निर्देश करते हैं—यथा लताया इत्यादि । नायक की नायिका के प्रति उक्ति है—हे स्तनों से झुकी हुई ! जिस तरह तू फूलों के गुच्छों से नमी हुई लता के अत्यन्त समान है, उसी तरह, हे सगर्वे—भपने को लता का उपमान समझकर गर्व करने वाली !—पल्लवों से युक्त लता भी लाल अधर वाली तेरे समान है ।

उपपादयति—

अत्र स्तनावनम्राहं स्तबकानताया लताया उपमानमस्मीति गर्वं मा विद्ध्याः ।

यत् शोणाधराया उपमेयायास्तत्रापि पल्लविनी लतोपमानं भवतीति वाक्यार्थं यथातथापदप्रतिपाद्या कान्तोपमानिका लतोपमेयिकोपमा निष्पादिका । अस्यां चोपमायां निरूपकनासन्ध्वेनोपमानोपमेयगते द्वे उपमे समसदृशशब्दाभ्यां प्रतिपादिते विन्ध्व-प्रतिविन्ध्वभावमापन्ते साधारणधर्मतया स्थिते । तत्र निरूप-  
कनासन्ध्वेन प्रधानीभूतोपमोपमानकान्तागतायामुपमाया प्रतिविन्ध्वभूतायां गुच्छस्वनयोर्वस्तुप्रतिवस्तुभावापन्नमननम्रीभवनविशेषणयोर्विन्ध्वप्रतिविन्ध्वभा-  
वमापन्नयोः साधारणधर्मत्वम् । एव तेनैव सन्ध्वेन लताहूपोपमेयगतायां विन्ध्वभूतायामुपमायामधरपल्लवयोः ।

उपमानिध्यादेवेति । एव च वाक्ययोपस्कारिकेयत्वेनेति भावः । विन्ध्वप्रतिविन्ध्वभा-  
वमानन्ते इति । अत्र 'यद्यपि समनदृशशब्दान्धा प्रतिप्रादितोपनयोर्वस्तुप्रतिवस्तुभाव एव,  
तथापि तद्विशेषणयो शोणाधरणादिकास्तवकावदन्नलनयोर्विन्ध्वप्रतिविन्ध्वभाव आधरयक  
इति भावः' इति नगेशः । उपमानोपमेयसाधारणधर्मसादृश्यानि समदृश्यैर्पेवोपमा, न  
नादृश्यमात्रमिति उपमाया विन्ध्वप्रतिविन्ध्वभावानुत्पत्तोत्तरवितैवेति तु मन प्रतिमाति ।  
तत्रेति । तयोदसनयोर्नैध्व इत्यर्थः । निरूपकनेति । प्रतियोगितेनैध्व इति नगेशः । प्रवान्-  
भूतोपमेति । यथातथापदप्रतिपाद्येनैध्वः । उपमानेति । कान्तैर्यः । उपमाया प्रति-  
विन्ध्वभूतायामिति । समगद्वप्रतिपाद्यायामित्यर्थः । तेनैव सन्ध्वेनेति । निरूपकना-  
सन्ध्वेनेत्यर्थः । विन्ध्वभूतायानुपमायामिति । सदृशशब्दप्रतिपाद्यायामित्यर्थः । अधर-  
पल्लवयोरेति । कान्तालताविशेषणयोर्विन्ध्वप्रतिविन्ध्वभावमापन्नयोः साधारणधर्मत्वमिति  
शेषः । अयं भावः—'यथा लताया—' इति पद्ये तिल उपमा' इति तासु 'यथा त्व लता-  
मङ्गा, तथा, लता तव सदृशी' इत्याकारिका यथा-तथापदप्रतिपाद्या उपमा प्रधानम्,  
'स्तनभारान्नटाऽहं पुष्पगुच्छभारान्नटाया लताया उपमानभूतास्मि—तथापिवा बहरी-  
न्वलोक्ष्यद्भिः महदर्थैः 'स्तनभारमहुरा कामिनी वैद्य बहरी'त्येवं रूपेण तस्यात्लता  
मया सह विधीयते—इति गर्वो न करणाय । अत्रसाधारणालिन्या उपमेयभूतायास्तत्रापि  
नवास्मिल्यकोनलाया लताया उपमन्वात्—रत्नरदनच्छदा स्वानुसरयद्भिः नवे-  
तोमि 'नृतनारनदलोमलवहराविष लता इत्येवंरात्या लता महापि तव तुल-  
नात्' इति व्यङ्ग्यभूतप्रधानाख्यायैत्य निरादकत्वात् अलहरणाच्च । अस्त्य प्रधान-  
भूतायानुपमाया कान्ता उपमानभूता लता उपमेयभूता यथा-तथापदप्रतिपाद्य नादृश्यं  
चेति शीघ्रज्ञानि स्तथानि । साधारणधर्मश्च विचारवेद्यः । विचारे च । 'सन्ध्व-  
न्ना त्व, तवकावतलताया' ममा, पल्लविनी लता, शोणाधरायान्तव मङ्गा इति  
द्वे उपमे एव साधारणधर्मत्वे भ्रवगन्धेने । तन् उपमानोपमेयशुनित्वे एव कस्यापि पदा-  
यस्य साधारणधर्मता भवति, इमे उपमे तु नेलीपमानोपमेयवर्तनीं शुनिगान्ध्यामन्ध-  
न्धवत्यात्तुरपादिति चेत, निरूपकना तान्ध्यामन्धप्रतियोगितया वा मध्वदहाया  
त्तुरपात् । उल्लसनेनेपमाद्वयमथे प्रयमान्तराद्वप्रतिपाद्या उपमा, निरूपकनासन्ध्वेन  
न्ध्वोक्तने प्रवान्भूतोपमोपमाने च कान्तायाम् द्वितीया—सदृशशब्दप्रतिपाद्या—उपमा च,  
तेनैव सन्ध्वेन न्ध्वोपमाने प्रधानभूतोपमोपमेये च लताया वर्तते इति माराशः । न चैव-  
मपि तयोदसनयोर्वैक्याप्रशुनित्वेन साधारणत्व क्यामिति वाच्यम्, विन्ध्वप्रतिविन्ध्वभावा-  
पन्नवैक्यात् । तत्र, प्रयमोपमा, अविस्त्वादिनान्ददृशात्पुष्पगुच्छनान्धक्याजारग-  
धर्मनूलकत्वात्प्रतिविन्ध्वत्वा, द्वितीयोपमा च तदपेक्षया विस्त्वादिरोमाधराधरपल्लवान्ध-

साधारणधर्ममूलकत्वाद्धिम्बरूपेति विवेक । अथानयो प्रधानोपमाया साधारणधर्मरूपयो-  
रुपमयो' क कीदृशश्च साधारणधर्म इति चेत् ? प्रधानाया उपमायारुपमानभूताया कान्ताया  
निरूपकतासम्बन्धेन वर्तमाना या 'सम'-शब्दप्रतिपाद्योपमा प्रतिविम्बभूता तत्र विम्ब-  
प्रतिविम्बभावापन्नतयैकीभूतौ गुच्छस्तनौ साधारणो धर्मः । तौ च गुच्छस्तनौ, 'स्तव  
कानताया', 'स्तनावनम्रे' इति पदद्वयबोध्ययोर्नमननम्रीभवनयोः वस्तुप्रतिवस्तुभावापन्नयो-  
र्विशेषणीभूताविति वस्तुप्रतिवस्तुभावकरम्बितविम्बप्रतिविम्बभावापन्नोऽत्र साधारणधर्मः ।  
प्रधानाया उपमाया उपमेयभूताया लताया निरूपकतासम्बन्धेन तिष्ठन्ती या 'सदृश'पद  
प्रतिपाद्या विम्बभूता द्वितीयोपमा, तत्र विम्बप्रतिविम्बभावापन्नतयैकीभूतावधरपल्लवौ तथा ।  
वस्तुप्रतिवस्तुभावशून्यतया शुद्धविम्बप्रतिविम्बभावापन्न इह सधर्म इति बोध्यम् । पूर्वं  
मुदाहृतासूपमासु अन्यविधा साधारणधर्मा उक्ता, अत्र तु उपमाद्वयमेवोपमाया-  
साधारणो धर्म इति वैचित्र्यमिति ।

उपपादन करते हैं—अत्र इत्यादि । 'यथा लतायाः—' इत्यादि पद्य से तात्पर्याय  
निकलता है कि—'हे सुन्दरि ! 'स्तन-भार से झुकी हुई मैं, पुष्प के गुच्छों से लदी हुई  
अतएव नमी हुई लता, का उपमान हूँ—किसी पुष्पगुच्छावनत लता को देखकर कविगण,  
'यह लता, स्तनभार से झुकी हुई कामिनी के समान है' इस रूप में मुझसे लता की  
तुलना करते हैं, मेरी तुलना लता से नहीं' यह अभिमान न करो, क्योंकि जब लाल  
अधर वाली तू उपमेय होती है—अर्थात् लाल अधर को लेकर तेरी तुलना करनी होती  
है, तब पल्लवयुक्त लता तेरा उपमान होती है—अर्थात् लाल अधरवाली तुझ तन्वी को  
देख कर कवि लोगों के द्वारा 'यह कामिनी पल्लवशोभित लता के समान है' इस रूप में,  
तेरी भी तुलना लता से की जाती है ।" इस तात्पर्यार्थ ( वाक्यार्थ ) को सिद्ध करती है  
'यथा और तथा' पदों से प्रतिपादित होनेवाली वह उपमा, जिसमें सुन्दरी नायिका (तू)  
उपमान है और लता उपमेय । अतः यह ( यथा-तथा-पद प्रतिपाद्य ) उपमा प्रधान  
है । इस प्रधान उपमा के तीन आवश्यक अङ्ग—उपमान सुन्दरी ( तू ), उपमेय लता  
और यथा-तथा पदों से भवगत होनेवाला सादृश्य-स्पष्ट हैं, पर चौथा अङ्ग—साधारण  
धर्म—उतना स्पष्ट नहीं है, वह गम्भीर विचार से विदित होता है और विदित यह  
होता है कि—इस प्रधान उपमा का साधारण धर्म भी दो उपमायें ही हैं—एक 'तू लता  
के समान है' यह पूर्वार्धगत 'सम' शब्द के द्वारा प्रतिपादित होने वाली और दूसरी  
'लता तेरे सदृश है' यह उत्तरार्धगत 'सदृश' शब्द के द्वारा प्रतिपादित होने वाली ।  
आप शका कर सकते हैं कि—उपमायें कैसे उपमा के साधारण धर्म होंगी, क्योंकि साधारण  
धर्म वह पदार्थ होता है जो उपमान और उपमेय में रहे और ये उपमायें तो उस ( प्रधा-  
न ) उपमा के उपमान अथवा उपमेय में रहने वाले पदार्थ हैं नहीं, तो, इसका समा-  
धान यह है कि—'निरूपकता' सवन्ध से ये दोनों उपमायें क्रमशः प्रधान उपमा के  
उपमान और उपमेय में रहने वाले धर्म होते हैं—अर्थात् उपमा का निरूपक होता है उप-  
मान और आश्रय उपमेय, अतः पूर्वार्धगत, समशब्दप्रतिपाद्य (तू लता के समान है यह)  
उपमा अपने उपमान 'तू' में निरूपकता सवन्ध से रहती है और वही 'तू' प्रधान  
( यथातथापदबोध्य ) उपमा में भी उपमान है, फलतः यह उपमा, प्रधान उपमा के  
उपमान में रहने वाली वस्तु सिद्ध हुई, इसी तरह, उत्तरार्धगत, 'सदृश'पदप्रतिपाद्य  
( लता तेरे समान है, यह ) उपमा अपने उपमान लता में उक्त सम्बन्ध से रहती है  
और वही लता प्रधान उपमा में उपमेय है, फलतः यह उपमा प्रधान उपमा के उपमेय  
में रहने वाली वस्तु सिद्ध हो गई । आप कहेंगे—इस विवरण के बाद भी यह समझ में  
नहीं आता कि—ये उपमायें साधारण कैसे होंगी, क्योंकि ये दोनों उपमायें दोनों ( उपमान  
तथा उपमेय ) में रहने वाली नहीं हैं—एक केवल उपमान में और दूसरी केवल उपमेय

में रहती है, तो इसके उत्तर में यह कहा जाता है कि—इन दोनों उपमाओं को विम्बप्रति-विम्बभावापन्न होने के कारण एक मानकर दोनों में रहनेवाली समझ लिया जाता है। तात्पर्य यह कि विम्बप्रतिविम्बभावापन्न होकर ये दोनों उपमायें प्रधान उपमा में साधारण-रूप होती हैं। धर्मरूप इन दोनों उपमाओं में से प्रधान उपमा के उपमान 'कान्ता' में निरूपकता सम्बन्ध से रहनेवाली—अर्थात् 'तू लता के समान है'—यह उपमा प्रतिविम्ब-रूप है। कारण, इस उपमा को सिद्ध करनेवाला साधारण धर्म—'स्तन और गुच्छ'—अपेक्षाकृत अचिरस्थायी है अतः यह उपमा भी अचिरस्थायिनी होगी। और प्रधान उपमा के उपमेय 'लता' में उक्त सम्बन्ध से रहनेवाली—अर्थात् 'लता तेरे सदृश है' यह—उपमा है विम्बरूप। कारण, इस उपमा को सिद्ध करनेवाला साधारण धर्म—'लाल अधर और लाल पल्लव' अपेक्षाकृत चिरस्थायी है, अतः यह उपमा भी चिरस्थायिनी मानी जायगी। स्पष्ट तात्पर्य यह कि विम्ब चिरस्थायी होता है जैसे—मुख और प्रतिविम्ब अचिरस्थायी जैसे दर्पण में पड़ी मुख की छाया। इनमें से प्रतिविम्बरूप उपमा में, वे 'स्तन' और 'फूलों के गुच्छ' विम्बप्रतिविम्बभावापन्न होकर साधारणधर्मरूप हैं, जो वस्तुप्रतिवस्तु भावापन्न 'नमन' और 'नन्नीभवन' ( झुकना और नमना ) के विशेषणरूप में स्थित हैं और इसी तरह विम्बरूप उपमा में 'अधर' और 'पल्लव' विम्बप्रतिविम्बभावापन्न होकर साधारणधर्मरूप हैं। तात्पर्य यह हुआ कि प्रतिविम्बरूप उपमा में साधारण धर्म, वस्तु-प्रतिवस्तुभाव से मिश्रित विम्बप्रतिविम्बभावापन्नरूप है, और विम्बरूप उपमा में केवल विम्बप्रतिविम्बभावापन्नरूप—यहाँ वस्तुप्रतिवस्तुभाव का मिश्रण नहीं है। इन मन्त्रका सारांश यह हुआ कि प्रकृत पद्य में तीन उपमायें हैं जिनमें एक प्रधान है और दो विम्ब-प्रतिविम्बभावापन्न होकर उस प्रधान उपमा को सिद्ध करनेवाली साधारणधर्मरूप। और साधारणधर्मरूप होनेवाली दो उपमाओं में से प्रथम उपमा का साधारणधर्म है वस्तुप्रतिवस्तुभाव से मिश्रित विम्बप्रतिविम्बभावापन्न तथा द्वितीय उपमा का है केवल विम्बप्रतिविम्बभावापन्न। दो उपमाओं का ही तृतीय उपमा में समानधर्म होना इस उदाहरण की विचित्रता है, अतएव इस तरह की उपमा को एक नवीन उपमाप्रभेद के रूप में गिना जाना समुचित ही है।

आशङ्क्य समाधत्ते—

न च तेन सदृश इत्यादौ तन्निरूपितसादृश्याश्रयस्योपमेयस्य, तस्य सदृश इत्यादौ च तत्सम्बन्धिसादृश्याश्रयस्योपमानस्य प्रतीतेः सिद्धत्वात्प्रकृते च सदृशीतिशब्दान्निवेद्यमानेऽप्युपमानभावे कथं नाम लताया उपमेयतेति वाच्यम्। सदृशशब्दप्रतिपाद्यधर्मभूतोपमायामुपमानत्वेऽपि यथातथाशब्दवेद्योपमायां लताया उपमेयभावे बाधकाभावात्।

तन्निरूपितेति। तत्प्रतियोगिकेन्वयः। सादृश्याश्रयस्येति। सादृश्यानुयोगिन इन्वयः। तत्सम्बन्धिसादृश्याश्रयस्येति। तदनुयोगिकसादृश्यप्रतियोगिन इन्वयः। 'चन्द्रेण नदयाम्' इत्युक्तौ चन्द्रप्रतियोगिकसादृश्यानुयोगिनो मुक्तादेरुपमेयस्य प्रतीतिः, 'मुपम्य नदयः' इत्युक्तौ पुन मुक्तानुयोगिकसादृश्यप्रतियोगिनश्चन्द्रादेरुपमानस्य प्रतीतिर्भवतीति सिद्धं वन्तु। एवञ्च प्रकृते 'लता तव नदर्यां' इत्युत्तरार्धगतौ कथा त्वदनुयोगिकसादृश्यप्रतियोगिलता-यामुपमानत्वस्य प्रतीतिः तस्या ( लताया ) उपमेयत्व मूलोक्तमन्त्रमिति गजाना समाधानं यत्—तदुक्त्या लतायामुपमानता प्रतीयत इति नान्या कथा, परन्तु सा उपमानता नदयपदप्रतिपाद्यधर्मभूतोपमाकृता। मूलोक्त लताया उपमेयत्व पुनर्यथातथापदप्रतिपाद्य-प्रधानोपमाकृतमिति न कोऽपि विरोध इति। एकस्मिन् पद्ये नतीवनेनानुपमानात् एव एव पदार्थं कस्यायनोपमायामुपमानरूपं कस्यायिन् पुनरुपमेयस्यो भवितुमर्हति विरोधाभा-

वादिति भाव । अत्र 'चन्द्रस्य सदृशम्' अर्थात् चन्द्रस्य सादृश्यं वहति इत्युक्तौ सादृश्यं चन्द्रस्य सम्बन्धि भवति तदाधारश्चोपमान भवति [ चन्द्रसम्बन्धि सादृश्यं गृह्यते तस्याधार चन्द्र एव स्यात् ] सादृश्यस्य ( उपमाया ) निरूपकं च उपमेयं भवति' इति सरलाकारकृत विवरणं युक्तमयुक्तं वेति साहित्यमर्मज्ञैरेव निश्चेयम् ।

एक शब्दा और उसका समाधान लिखते हैं—न च इत्यादि । 'उससे सदृश है' ऐसा कहने पर 'उससे' का अर्थ चन्द्र आदि का उपमान होना और 'सदृश' पद का अर्थ मुख आदि का उपमेय होना प्रतीत होता है, क्योंकि 'उससे' इस तृतीयान्त से उपमा के निरूपक का बोध होता है और उपमा का निरूपक होता है उपमान । इसी तरह 'उसका सदृश' ऐसा कहने पर 'उसका' का अर्थ सादृश्य का सम्बन्धी—आश्रय—मुख आदि का उपमेय होना और 'सदृश' पद का अर्थ—उपमानिरूपक—चन्द्र आदि का उपमान होना विदित होता है । इस स्थिति में 'लता तव सदृशी, अर्थात् लता तेरे सदृश है' इस शब्द से साफ 'तेरे' का अर्थ नायिका का उपमेय होना और लता का उपमान होना ज्ञात होगा फिर मूल में लता को उपमेय बतलाना असङ्गत है इस शब्दा का उत्तर यह है कि—हाँ, उक्त धर्मभूत उपमा में लता की उपमानता जो प्रतीत होती है वह सर्वथा ठीक है, किन्तु साथ ही 'यथा तथा' पद से प्रतिपादित होने वाली प्रधान उपमा में उसकी ( लता की ) उपमेयता भी ठीक ही है । सारांश यह कि मूल में प्रधान उपमा के हिसाब से लता को उपमेय कहा गया है, अतः वह ठीक है और आपने जो लता के उपमेय होने की बात कही है, वह धर्मभूत गौण उपमा के हिसाब से, अतः वह भी ठीक ही है । तात्पर्य यह कि एक भी वस्तु, एक ही जगह अनेक उपमाओं के रहने पर किसी उपमा का उपमान और किसी उपमा का उपमेय हो सकती है, इसमें कोई विरोध नहीं होता ।

पुन प्रकारान्तर सूचयति—

एवमन्येऽपि प्रकाराः ।

पूर्वोक्तप्रकारवत् प्रकारान्तरमपि सम्भवतीति भाव ।

जिस तरह पूर्व के अभिनव प्रकार सब उपमा के हुए हैं, उसी तरह और भी नवीन प्रकार उसके हो सकते हैं ।

तत्प्रकारान्तरमेवोदाहरणप्रदर्शनेन स्पष्टयति—

'यथा तवाननं चन्द्रस्तथा हासोऽपि चन्द्रिका ।

यथा चन्द्रसमश्चन्द्रस्तथा त्वं सदृशी तव ॥'

यथा तव मुखं चन्द्राभिन्नम्, तथा तव हासोऽपि ज्योत्स्नाऽभिन्न एव । अपि च यथा चन्द्रतुल्यश्चन्द्र एव नापरस्तथा त्वत्सदृशी त्वमेव नान्येत्यर्थः । अत्र पूर्वार्धे द्वयो-रूपकयोरुत्तरार्धे च द्वयोरनन्वययोरुपमा । एवञ्च विलक्षण एवायमलङ्कारेणालङ्कारस्योप-माया प्रभेद इति भावः ।

पूर्वसभावित उपमा के प्रकारान्तर को उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं—यथा इत्यादि । कोई नायक नायिका से कहता है—( हे प्रिये ) जैसे तेरा मुख चन्द्रमा है वैसे तेरी हँसी भी चाँदनी है, और जैसे चन्द्रमा चन्द्रमा के समान है—अर्थात् उसका कोई दूसरा उपमान नहीं है, वैसे तू तेरे सदृश है—अपने जैसी आप ही है—अर्थात् तेरी भी तुलना किसी अन्य वस्तु से नहीं हो सकती । यहाँ पूर्वार्ध में दो रूपकों की उपमा है और उत्तरार्ध में दो अनन्वयों की । अतः अलङ्कारों में परस्पर उपमानोपमेय भाव वाला यह एक विलक्षण ही उपमा का प्रभेद सिद्ध होता है ।

उपमंहरति—

एभिर्भेदैः प्रागुक्तानां सधर्माणां भेदानां यथासम्भवं गुणाने बहुतरा भेदा भवन्ति ।

अत्रपद ये भेदा उक्ता ये च धर्मवैलक्षण्यमूलक प्रागुक्ता ये च प्राचीनानिन्ता पूर्णा-  
लुप्तस्य प्रभेदा दर्शितास्तेषां स्वेषां परस्पर गुणनेऽतिप्रभूता उपमानेदा जायन्ते  
इति भावः ।

वन्नी जो कुछ भेद दिखलाये गये हैं, तथा धर्मवैलक्षण्यमूलक कुछ भेद पहले जो  
कहे गए हैं और पूर्णा-लुप्तभेद से प्राचीनों के लभिनत जितने भेद गिनाए गये हैं, उन  
सबों को गुणित करने पर उपमा के बहुतेरे भेद हो जाते हैं ।

पुनः प्रकारान्तरण उपमाया भेद कृते—

तथा धर्माणां वाच्यतायां वाच्यधर्मा बहुधोक्ता । व्यङ्ग्यत्वे व्यङ्ग्यधर्मा  
धर्मलोपे गदितैव । लक्ष्यतायां यथा—

अत्र भावः—उपमायामपेक्षिता साधारणधर्मा इति च वाच्य, इति च लक्ष्य, इति च व्यङ्ग्य  
व्यङ्ग्य भवितुमर्हन्ति, तदनुसारमुपमा वाच्यधर्मा, लक्ष्यधर्मा, व्यङ्ग्यधर्मा चेति  
त्रिविधा भवति, तत्र वाच्यधर्माया उपमाया अनेकान्युदाहरणानि प्रागुद्धिखितानि, व्यङ्ग्य-  
धर्माया अपि धर्मलोपोदाहरणप्रदर्शनावसरे कथितान्युदाहरणानि, लक्ष्यधर्माया उदा-  
हरणानं परमवशिष्यते, अतस्तदुपक्रमनारचयतीति ।

पुनः प्रकारान्तर से उपमा के भेद दिखलाने के लिये लिखते हैं—तथा इत्यादि ।  
उपमा का एक भावश्यक बहू साधारणधर्म तीन प्रकार का हो सकता है—एक वाच्य,  
दूसरा लक्ष्य और तीसरा व्यङ्ग्य । तदनुसार उपमा भी तीन प्रकार की कही जा सकती  
है—एक वाच्यधर्मा—जहाँ धर्म वाच्य कर्थात् क्षमिषावृत्तिबोध्य हो, दूसरी लक्ष्यधर्मा—  
जहाँ धर्म लक्ष्यगाने विदित होता हो और तीसरी व्यङ्ग्यधर्मा—जहाँ धर्म की प्रतीति  
व्यङ्गना से होती हो । उनमें प्रथम ( वाच्यधर्मा ) के बहुतेरे उदाहरण पहले ही दिए  
जा चुके हैं और तृतीय ( व्यङ्ग्यधर्मा ) के उदाहरण भी धर्मलुप्तोपमा के प्रकरण में कह  
दिये गये हैं, अतः द्वितीय ( लक्ष्यधर्मा ) का उदाहरण दिखलाना अवशिष्ट है, वह जेने—

उदाहरण निर्दिश्यते—

‘सर्प इव शान्तनूर्ति श्वेवाय मानपरिपूर्णः ।

क्षीत्र इव सावधानो सर्कट इव निष्क्रियो नितराम् ॥’

अधिवाङ्मिन् वक्ति—अयम् आजेस्य अधिन् पुन्यविशेष, सर्प इव शान्तनूर्ति  
शान्तिमयकाय, श्व उक्तर, इव, मानेन ममानेन, परिपूर्णं सर्वतोभावेन मयुक्तं, श्वेवः  
उगमन, इव सावधानं मननं, सर्कटं वानर, इव, नितराम् सर्वथा निष्क्रियं निष्क्रेष्ट  
वर्तत इत्यर्थः ।

उदाहरण का निर्देश करते हैं—सर्प इत्यादि । कोई किसी पर आक्षेप करता हुआ  
कहता है—यह सर्प की तरह शान्तनूर्ति है, कुत्ते की तरह मन्मानपूर्ण है, पागल की  
तरह सावधान है, और बन्दर की तरह अग्न्यन्त निष्क्रेष्ट है—सुपचाप बंदा रहता है ।

उपमाददति—

इत्यत्रोपमानमहिम्ना शान्तनूर्त्यादिशब्दैर्विन्द्या धर्मा लक्ष्यन्ते ।

उपमानमहिम्नेति । उपमानेषु सर्पादिषु शान्तनूर्तिशब्दैरेवमिदानीं भावः । धर्मा  
लक्ष्यन्ते इति । लक्ष्यतावच्छेदकेऽपि लक्ष्येति मतेनेदम् । सर्पादयोऽप्योपमानभूता

पदार्थास्तादृशा सन्ति, यत्र शान्तमूर्तित्वादिक नास्ति, प्रत्युत तद्विरुद्धमशान्तमूर्तित्वादिकमेवास्ति, अतस्तादृशोपमानप्रभावेण उपमेयेऽपि इदपदार्थं लक्षणया शान्तमूर्तित्वादि विरुद्धा एव धर्मा प्रतीयन्ते, तथा च अशान्तमूर्तित्व-तिरस्कारपात्रत्व-प्रमत्तत्व चपलत्वानि, क्रमशः शान्तमूर्तिमानपरिपूर्णसावधाननिष्क्रियपदाना लक्ष्यार्थभूतानि, अत्र सर्पदेरिद पदार्थस्य चोपमाया साधारणधर्मभूतानीति भाव ।

उपपादन करते हैं—इत्यत्र इत्यादि । 'सर्प इव—' इस पद्य में सर्प आदि ऐसे उपमान कहे गये हैं, जिनमें शान्तमूर्तित्व आदि वर्णित धर्म तो नहीं ही रहते, प्रत्युत उसके विरुद्ध अशान्तमूर्तित्व आदि ही रहते हैं, अतः ऐसे उपमानों के बल से शान्तमूर्ति, मानपरिपूर्ण, सावधान और निष्क्रिय पदों की क्रमशः अपने विरुद्ध धर्म-अशान्तमूर्तित्व, तिरस्कृतत्व, असावधानत्व और चञ्चलत्व में लक्षणा करनी पड़ती है, जिससे यह अर्थ सिद्ध होता है कि यह सर्प के समान अशान्त, कुत्ते के समान तिरस्कृत, पागल के समान असावधान और बन्दर के समान चपल है । इस तरह यहाँ सर्प आदि के साथ एक पुरुषविशेष की जो उपमा दी गई है उसमें अशान्तमूर्तित्व आदि लक्ष्य धर्म साधारण होते हैं ।

उपमाया उपस्कारकत्व पर्यालोचयितुमाह—

इय चोपमा मुख्यार्थस्य क्वचित्साक्षादुपस्कारिणी क्वचिच्चोपस्कारकान्तोपस्करणद्वारा । तत्र साक्षादुपस्कारिणी प्राग् बहुधोदीरिता ।

'सुन्दर वाक्यार्थोपस्कारक सादृश्यमुपमा' इति प्रकृतोपमालक्षणम् । तथा चोपमाया उपस्कारकत्वं नियतम् । तच्चोपस्कारकत्व द्विधा सम्भवति साक्षात् परम्परया च । तत्र साक्षादुपस्कारकत्वं प्रागुदाहृतेषु पद्येषु विदितपूर्वमेवेति न पुनरिह तदुदाहरणप्रदर्शनमपेक्षितमिति भाव ।

उपमा की उपस्कारकता की पर्यालोचना करने के लिये कहते हैं—इयं च इत्यादि । प्रकृत उपमालक्षण में खास कर उपमा का उपस्कारक होना बतलाया गया है—अर्थात् उपमा मुख्य अर्थ को उपस्कृत ( शोभित ) करती है यह बात निश्चित है, अतः इसके विषय में यह एक समझ लेने की बात है कि उपमा कहीं साक्षात् मुख्य अर्थ को उपस्कृत करती है और कहीं परम्परा से अर्थात् मुख्य अर्थ को उपस्कृत करनेवाले किन्हीं दूसरे पदार्थ ( वस्तु अथवा अलङ्कार ) को उपस्कृत करने के द्वारा । उनमें साक्षात् उपस्कारक उपमा के अनेक उदाहरण पहले दिखलाये जा चुके हैं ।

परम्परयोपस्कारिकामुपमामुदाहर्तुमाह—

परम्परया यथा—

मुख्यार्थोपस्कारकान्यपदार्थोपस्करणद्वारा मुख्यार्थोपस्कारकोपमाया प्रकारोऽभिधीयत इति भाव ।

परम्परया मुख्य अर्थ को उपस्कृत करनेवाली उपमा जैसे—

उदाहरण निर्दिश्यते—

'नदन्ति मददन्तिनः परिलसन्ति वाजिब्रजाः

पठन्ति विरुदावलीमहितमन्दिरे बन्दिनः ।

इदं तद्वधि प्रभो यद्वधि प्रवृद्धा न ते

युगान्तदहनोपमा नयनकोणशोणद्युतिः ॥'

कविर्नरपतिं स्तौति—हे प्रभो ! अहिताना तव शत्रूणा, मन्दिरे भवने, मददन्तिन' मदमत्ता गजा नदन्ति चीत्कारं कुर्वन्ति, वाजिब्रजा अश्वगणा, परिलसन्ति शोभन्ते,

एवम्, वन्दितं स्तुतिशब्दा पुण्या, विरदावलीम् कीर्तिगायाम्, पठन्ति उच्चारयन्ति । परमिदं सर्वम्, तद्वधि तावत्कालपर्यन्तम्, यद्वधि यावत्कालपर्यन्तम्, युगान्तदहनोपमा प्रलयकालिकानुत्पन्त्या, ते तव, न्यनदो नेत्रयो, मंगयो कोणभागयो, शोभा श्रवणा, द्युति कान्ति, न, प्रवृद्धा अधिक, अभूत् इत्यर्थ ।

उदाहरण का निर्देश करते हैं—नदन्ति इत्यादि । किसी राजा की स्तुति कवि करता है—हे प्रभो ! आपके मन्दिर ( घर ) मद्मत्त हाथी तुमुल नाद करते हैं, अश्वों के समूह शोभित होते हैं और वन्दीजन विरदावली (यशोगाथा) पढ़ते हैं । परन्तु ये सब तब तक हैं, जब तक कि प्रलयकालिक अग्नि के समान आपके नेत्रकोण की अलग आभा बची नहीं है ।

उपमाद्वयति—

अत्र मुख्यायस्य राजविषयाया कविरतेरुपस्कारकस्य यदैव तव कोपोदय-स्तदैव रिपूणा सन्पदो भस्मसाद् भविष्यन्तीति वस्तुन उपस्कारिका नयन-कोणशोणद्युतेर्युगान्तदहनोपमा ।

नदन्तीति पद्ये क्वचिन्निष्ठा राजविषयिणा रति ( भाव ) प्रधानतयाऽभिव्यज्यते इति न एव मुख्याय, तस्य च 'शत्रुनन्दो नयनकोणशोणद्युतिप्रवृद्धपवधिकञ्चक्यनेन' व्यज्यमानम् 'तव कोपोदये अणेनैव शत्रूणा नन्दनयो भस्मीभूता भवेयु' इति वस्तुपस्कारकम् तस्य उपस्कारिका नयनकोणशोणद्युत्पनेदिना प्रत्यक्कालिकानुत्पमानिषोपमा एवदोनमाया अन्या परन्तरण मुख्यायभूतभावोपस्कारकञ्च निद्विमिति भाव ।

उपपादन करते हैं—अत्र इत्यादि । 'नदन्ति—' इस पद्य से प्रधानतया भाव ( कवि का राजा के विषय में प्रेम ) अभिव्यक्त होता है, अत वही ( भाव ही ) यहाँ मुख्य वाक्यार्थ समझा जायगा । इस मुख्य वाक्यार्थ को शोभित करता है 'जमी तेरा क्रोध उड़ित होगा, तभी शत्रुओं की नमी सन्पत्तियाँ भस्मीभूत हो जायँगी' यह वस्तुव्यङ्ग्य, जो 'हाथी बाट्टि शत्रुममृद्धि तब तक है जब तक आपकी आँवों की लाल कान्ति नहीं बड़ी' इस वर्णन से विदित होता है और इस वस्तुव्यङ्ग्य को शोभित करनेवाली है नयनकान्ति में दी गई प्रलयकालिक अग्नि की उपमा । अन्ततः इस उपमा का परस्परया मुख्य अर्थ ( उक्तभाव ) का उपस्कारक होना सिद्ध हो गया ।

भेदान्तरप्रतिपादनाय स्पर्शीकृतते—

इय चेवयथावाग्निशब्दैर्वाचकै प्रतिपादिता वाच्यालङ्कार । लज्यापि चालङ्काराणा दृश्यते ।

इयुपमा यदा मादृश्यवाचके द्वयथावाग्निभिः शब्दैः प्रतिपाद्यते, तदा वाच्यालङ्कार कथ्यते । यदा पुन लज्जया प्रतिपाद्यते—लाभिकशब्दैर्वादा मादृश्यप्रतीतिर्भवति, तदापि अलङ्काररूपा स्पर्शिका इति भाव ।

भेदान्तर सिद्ध करने के लिये एक स्पर्शीकरण करते हैं—इय चेव इत्यादि । यह उपमा, जब मादृश्यवाचक शब्द इव, यथा, वा आदि के द्वारा वर्णित होती है, तब वाच्य अलङ्कार कहलाती है । परन्तु यह उपमा लज्ज्य होकर भी अलङ्काररूप होती हुई कीच पटनी है—अर्थात् लाक्षणिक शब्दों के द्वारा मादृश्य की लज्जरूप में उपस्थिति होने पर भी लज्जा, अलङ्कार होती है ।

वाच्योपमाया उदाहरणानि पूर्वोक्तानि सर्वाणि प्रज्ञानि । लज्जोपमाया उदाहरण-प्रदर्शनायह—

यथा—

लज्जोपमा-प्रकारोऽभिधान इति भाव ।



वाच्य उपमा के उदाहरण वे सभी पद्य होते हैं, जो पहले उदाहृत हो चुके हैं, लक्ष उपमा का उदाहरण जैसे—

उदाहरण निर्दिश्यते—

‘नीवीं नियम्य शिथिलामुपसि प्रकाश-

मालोक्य वारिजदृशः शयनं जिहासोः ।

नैवावरोहति कदापि च मानसान्मे

नाभेर्निभा सरसिजोदरसोदरायाः ॥’

नायको निजसुहृद प्रति प्रतिपादयति—उपसि प्रभातसमये, प्रकाशम् सूर्यागमसूचि कामुज्ज्वलताम्, आलोक्य दृष्ट्वा, तत्रिसमाप्तिसूचकप्रकाशदर्शनानन्तरमिति यावत् नीवीं ऋटिप्रदेशस्थिताधोवस्त्रग्रन्थिम्, नियम्य बध्वा, शयन शय्या, जिहासो हातुमिच्छे वारिजदृश कमलनयनाया, नायिकाया, सरसिजोदरसोदराया कमलगर्भसमानाया नाभे उदरगतगर्तविशेषस्य, निभा शोभा, कदापि कस्मिंश्चिदपि क्षणे, मे मम, मानसात् हृदयात्, नैव, अवरोहति अपयाति इत्यर्थः ।

उदाहरण का निर्देश करते हैं—नीवीम् इत्यादि । नायक अपने मित्र से कहता है— रात बीत चुकी थी । प्रभातकालिक प्रकाश फैलता आ रहा था । कमलतुल्य लोच वाली वह कामिनी, रात के रतिसम्मर्द से, शिथिलित नीवीं ( वस्त्रग्रन्थि ) को नियमित ( बाँध ) कर शय्या छोड़ना चाहती थी । उस काल में, कमलगर्भ की सगी वहन, उस की नाभि की जो शोभा दीख पड़ी, वह मेरे हृदय से, कभी उत्तरती ही नहीं ।

उपपादयति—

अत्रैकोदरप्रभवत्वरूपस्य मुख्यार्थस्य बाधात्तदीयशोभालक्षणसमानांशद्वस्त्वस्य प्रयोजनस्य सत्त्वात्सोदरपदेन सदृशो लक्ष्यते । आर्थो च तत्रोपम प्रतीयमाना । अवरोहतिलक्ष्यस्य विषयतया स्मृतिशून्यीभवनस्य निषेधेन प्रतीयमानायाः स्मृतेरुपस्कारिका ।

अत्रेति । ‘नीवीम्-’ इति पद्य इत्यर्थः । मुख्यार्थस्येति । सोदरपदेत्यादि । शोभा लक्षणेति । शोभारूपो य समान अश = भाग तद्भरत्वस्येत्यर्थः । तत्र नाभौ । प्रतीयमानेति । अस्तीति शेष । अवरोहतिलक्ष्यस्येति । तत्पदलक्ष्यार्थस्येत्यर्थः । विषयतया स्मृतिशून्यीभवनस्येति । विषयतासबन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकस्मृत्यभावस्येत्यर्थः । ‘नीवं नियम्य-’ इति पद्ये सोदरपदस्यैकोदरजन्यत्व वाच्योऽर्थः, स च प्रकृते बाधित, नाभं तत्त्वस्यासभवात्, अतस्तत्( सोदर )पद सदृशरूपार्थे लक्षणिकमङ्गीक्रियते । लक्षणा चैव प्रयोजनमूला । प्रयोजनञ्च सरसिजोदरशोभात्मकसमानभागहारित्वम् । यथा सोदर विधातु समीपात् अपरस्य सोदरस्य समानभागहारी भूत्वा समागच्छति, तथैवेव वर्णनीयनायिकानाभि कमलोदरशोभासमानभाग् भूत्वा समागतेति लक्षणाया प्रयोजनरूपेण प्रतीयत इति तात्पर्यम् । एवञ्च—लक्षणाया सोदरपदात्सादृश्योपस्थितौ—कमलोदरनाभ्योरुपमाऽवगता भवति । तत्र समानशोभाशालित्वमर्थभूत साधारणो धर्मः, अत एवेरूपमा आर्थो । उपस्कारिका च सा पद्यप्रधानव्यङ्ग्यस्य स्मृतिभावस्य । ननु स्मृतिरत्र कथं प्रतीयतेति चेन्न, बाधितावतरणात्मकमुख्यार्थस्य ‘अवरोहति’ इति क्रियापदस्य विषयतया स्मृतिशून्यीभवनरूपार्थे लक्षणाऽकामेनाप्यङ्गीकरणीयैव । तथा च तत्पदबोधस्य स्मृतिविषयत्वाभावरूपतात्पर्यार्थस्य ‘न’ इति निषेधेन स्मृते सुप्रतीयमानत्वादिति भावः ।

उपपादन करते हैं—अत्र इत्यादि । 'नीचीं नियम्य—' इस पद्य में नाभि का विरोपण दिया गया है—सरसिजोदरसोदर—कमलगर्भ की सर्गी बहन, जिसका मुख्य ( अभिधावृत्ति-बोध-वाच्य ) अर्थ होता है—'एक पेट से उत्पन्न होनेवाली ।' परन्तु यह मुख्य अर्थ यहाँ बाधित—अनन्वित—है, अतः इस पद्य की 'समान' अर्थ में प्रयोजनमूला लक्षणा करनी पड़ेगी और प्रयोजन है—शोभा में समान भाग ग्रहण करना—अर्थात् विधाता के यहाँ से शोभा के वितरणकाल में दोनों को उसका बराबर हिस्सा मिलना । इस तरह जब सोदर पद्य की लक्षणा से 'सादर्य' की उपस्थिति होती है, तब यहाँ बायीं—अर्थमूलक उपमा की सिद्धि होती है । यह लक्ष्य उपमा सम्पूर्ण पद्य से प्रधानतया अभिव्यक्त होने वाले स्मृति-भाव की उपस्कारिका-पोषिका—है । स्मृति यहाँ कैसे अवगत होगी ? यह तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि 'उतरना' रूप मुख्य अर्थ बाधित होने के कारण 'अवरोहति' पद्य की लक्षणा करनी पड़ती है 'विषयतया स्मृतिशून्याभवन-नाभिकान्ति के विषय में विस्मरण होने—में, और उसके साथ 'न' के योग से अर्थात् 'विस्मृत होने' के निषेध से स्मृति अभिव्यक्त होती है ।

लक्ष्योपमाबोधकशब्दान्तराणि निर्दिश्यन्ते—

एवं प्रतिभटप्रतिमहादिशब्दानां तदीयन्यग्भवतदीयशोभारूपसर्वस्वापह-  
रणादेः प्रयोजनस्य सत्त्वात्सादृश्यवति लक्षणैव न व्यञ्जना । मुख्यार्थस्य  
बाधात् । प्रयोजने पुनर्व्यञ्जनैवेति ।

उद्योत्पले सोदरपद्यस्य नन्दो लक्षणा, तथैव 'चन्द्रप्रतिभट मुखम्', 'चन्द्रप्रतिमल्ल  
मुखम्' इत्यादौ प्रतिभटप्रतिमहादिपदानामपि नादृश्यविशिष्टे लक्षणा प्रयत्नस्य चन्द्रा-  
घ-रूपप्रतीतिं द्वितीयस्य चन्द्रशोभामर्बन्वापहरणप्रतीतिं प्रयोजनत्वात्, केचिद् एता-  
द्यत्पले प्रतिभटप्रतिमहादिपदेभ्यो व्यञ्जना नादृश्यविशिष्टार्थप्रतीतिं प्रतिपादयन्ति,  
तत्र युक्तम्, तेन शब्दानां लक्षणायेषु बाधितेषु समुल्लसति नादृश्यविशिष्टार्थे लक्षणाया  
प्रयत्नेन व्यञ्जनाया अयोगात् । प्रयोजने व्यञ्जनाऽस्तीत्यत्र न केनानपि दिनानि । तथा  
चैतादृशपद्यप्रतिपत्त्येवमपि लक्ष्यमूलात्मा भवतीति भावः ।

सोदर पद्य की तरह अन्य उपमालक्षक शब्दों का निर्देश करते हैं—एवम् इत्यादि । सोदर  
पद्य की तरह 'प्रतिभट' 'प्रतिमह' आदि पदों की भी स्थलविरोप में 'उसे नीचा कर देना'  
'उमकी शोभारूप सम्पत्ति का हरण कर लेना' आदि प्रयोजन की प्रतीति के लिए 'नदश'  
अर्थ में लक्षणा की जाती है । तात्पर्य यह कि—'चन्द्र का प्रतिभट मुख', 'चन्द्र का प्रति-  
मह मुख' इत्यादि स्थान में भी लक्षणा के द्वारा ही प्रतिभट, प्रतिमह आदि पदों में  
( चन्द्र ) सदृश का बोध होता है । अतः किमी का यह कथन कि ऐसे स्थलों में उक्त पदों  
से व्यञ्जना के द्वारा सदृश का बोध होता है सर्वथा अमूल्य है, क्योंकि ऐसे स्थल पर  
उक्त पदों का मुख्य अर्थ बाधित रहता है और बाधित अर्थ में पद्य की लक्षणा ही होती है  
व्यञ्जना नहीं, व्यञ्जना तो अन्य सभी वृत्तियों में अवगत नहीं हो सकने वाले अर्थ में  
ही माना जाना है । हाँ, उक्त प्रयोजन की प्रतीति व्यञ्जना में ही होती है इनमें किमी  
का भी मनभेद नहीं हो सकता । माराश यह हुआ कि उक्त ( चन्द्रप्रतिभट मुख आदि )  
स्थल में भी लक्ष्य उपमा होती है ।

व्यङ्ग्यपदेषुपमाया अल्लारन्व समर्पयन्ति—

केचिद् व्यङ्ग्यार्थेषु चेषुपमाल्लारः ।

स्थलविरोपे व्यञ्जनाभिव्यक्तिः स्वमुखा मुखार्थोन्मत्तकवदल्लारणा भ-  
तीति भावः ।

व्यङ्ग्य होने पर भी उपमा अलङ्काररूप होती है, इस बात का समर्थन करते हैं—  
कचित् इत्यादि। कहीं स्थलविशेष में (जहाँ मुख्य अर्थ कोई दूसरा रहता है वहाँ)  
व्यङ्ग्य होकर भी उपमा, दूसरे को अलङ्कृत करने के कारण, अलङ्काररूप होती है।

उदाहरणं निर्देष्टुमाह—

यथा—

स्पष्टम् ।

जैसे—

उदाहरण निर्दिश्यते—

‘अद्वितीयं रुचात्मानं मत्वा किं चन्द्रं हृष्यसि ।  
भ्रूमण्डलमिदं मूढं केन वा विनिभालितम् ॥’

अथि चन्द्र ! त्व, रुचा कान्त्या, आत्मानम् स्वम्, अद्वितीयम् अनुपमम्, मत्वा  
स्वीकृत्य, किं, हृष्यसि हर्षमनुभवसि ? अनुचितोऽयं तव हर्षानुभव इत्यर्थः । तत्र हेतु  
माह—मूढं वस्तुतत्त्वानभिज्ञ ! केन जनेन, इदं निखिल, भ्रूमण्डलम् जगत्, विनिभालितम्  
विशेषणं दृष्टम् ? न केनापीति भावः । अज्ञातेऽत्र भ्रूमण्डलस्य कापि प्रदेशे तवोपमानभूत  
पदार्थं सम्भवतीति तदर्थः ।

उदाहरण का निर्देश करते हैं—अद्वितीयमिति । हे चन्द्र ! तू अपने को कान्ति से  
अद्वितीय समझ कर क्या हृष्ट हो रहा है—क्यों इतना इतरा रहा है ? अरे मूर्ख ! इस  
विस्तृत जगत् को किसने खोज देखा है—न जाने कहाँ क्या मिल जाय !

प्रसङ्गमवगमयति—

कस्यचिद्विदेशस्थितस्य किरणैरात्मानं सन्तापयन्तं चन्द्रं प्रत्येषोक्तिः ।

विदेशस्थितो ( विरही ) नायकः सन्तापकत्वेनानुभूयमानं चन्द्रमुद्दिश्य ‘अद्वितीयम्’  
इति पद्यं वक्तव्यं भावः ।

प्रसङ्ग का ज्ञान कराते हैं—कस्यचित् इत्यादि । ‘अद्वितीयम्—’ यह पद्य, किसी  
विदेशवासी—अर्थात् विरही नायक का, किरणों से अपने को संतप्त करते हुए चन्द्रमा के  
प्रति कथन है ।

उपपादयति—

अत्र च अस्ति मम प्रियायाः कदापि बहिरनिर्गतायाः, अत एव त्वयाप्य  
दृष्टाया आननं त्वत्सदृशमिति प्रतीयमाना उपमा मूढपदेन ध्वन्यमानायां चन्द्र-  
विषयायां वक्तृगतायामसूयायामलङ्कारः ।

अत्र चेति । प्रतीयमानेत्यत्रास्यान्वयः । प्रतीयमाना उपमेति । अत्र ‘अनुपमान-  
स्योपमेयत्वकल्पनात्मकप्रतीपस्यैव व्यङ्ग्यत्वम् मूढपदस्वारस्यात्, चमत्कारातिशयाच्च,  
‘किं हृष्यसि’ इत्येतत्स्वारस्याच्चेति केचित्’ इति नागेशः । ‘अद्वितीयम्—’ इति पद्ये  
उत्तरार्धेनोपमा व्यज्यते । या मम प्रियसी दूरस्थिता कदापि भवनाद् बहिः पदं न दधाना  
त्वया न दृष्टा, तस्या मुखं तव समानमिति तस्या उपमाया आकारः । एव रीत्या व्यङ्ग्या  
पीयसुपमा अलङ्काररूपा, मूढपदाभिव्यज्यमानचन्द्रविषयकवक्तृपुरुषनिष्ठासूयाभावस्य मुख्य-  
वाक्यार्थस्योपस्करणादिति ।

उपपादन करते हैं—अत्र च इत्यादि । ‘अद्वितीयम्—’ इस पद्य में उत्तरार्ध से उपमा  
अभिव्यक्त होती है—अर्थात् यह अभिव्यक्त होता है कि मेरी प्रियतमा, जो कभी घर से  
बाहर नहीं निकली अतएव जिसे तू भी देख नहीं पाया, उसका मुख तेरे समान है ।

इस तरह व्यङ्ग्य होकर भी यह उपमा इमलिये बलहाररूप होती है कि-वह, नूट पद से ध्वनित होने वाली चन्द्रमा के विषय में वक्ता की 'असूया (भाव)—जो इस पद्य का मुख्य वाक्यार्थ है—को उपलब्ध-बलं हृत-करती है।

शंभितमन् मनीषिणे—

एतेनाप्ययदीक्षितैरुपमालक्षणे दत्तमव्यङ्ग्यत्वविशेषणमनुत्तमेव । नहि व्यङ्ग्यत्वालङ्कारत्वयोरस्ति कश्चिद्विरोधः । प्राधान्येन व्यङ्ग्यतायां तु प्रधानत्वालङ्कारत्वयोर्विरोधादलङ्कारलक्षणं तत्र नातिप्रसङ्गीदित्युपस्कारकत्वेन पुनर्विशेषणीयम् । न त्वव्यङ्ग्यत्वेन प्रागुक्त्यामसूयालङ्कारोपमायामव्याप्त्यापत्ते । विशिष्टोपनादिस्थले विशेषणाद्युपमानां वाच्यसिद्धयङ्गत्वया गुणीभूतव्यङ्ग्यत्वम् । सिद्धार्थस्योपस्करणाभावात् नालङ्कारत्वमिति न वाप्यसङ्गतिः ।

एतेनेति । एतेनर्पाच्ये । अस्मिन् प्रागुक्तसूय-समुच्चये । प्राधान्येन व्यङ्ग्यता-मिति । अलङ्कारत्वेन प्राधान्येन व्यङ्ग्यतायामिति । नातिप्रसङ्गीदिति । नतिप्रसङ्ग-स्यादिति । उद्युक्तसूयत्वेन नाद्युक्तस्योपमात्व स्वीकृतं स्यात्तदा 'अद्वितीयम्— इति पद्यन्वितासूय-व्यङ्ग्यत्वात् व्यङ्ग्योपमाया मन्त्रो न स्यात्, अतः उपमालङ्कारकत्वात् व्यङ्ग्य-विशेषण-तया शंभितैः कृतोऽव्यङ्ग्यत्वनिर्देशोऽनुत्तमेन । द्युक्तं वैतत् अतो व्यङ्ग्यत्वालङ्कार-त्वयोर्विरोधो नास्ति तयोर्विरोधे वाच्यत्वालङ्कारत्वयोगि विरोध इतो न भवेत् विशेषा-भावात् । नन्व नैतत्, यत् प्रधानत्वालङ्कारत्वयोर्विरोधोऽस्ति, प्रधानत्वालङ्कारत्वेन-लङ्कारत्वसम्भवात्, अतो यत्र प्रधानत्वालङ्कार एवमिच्छ्यते, तत्र नाद्योपमादाव-लङ्कारलक्षणप्रसक्तिरितिमाय सर्वेऽलङ्कारलक्षणे तु वाक्याधोपस्कारकत्व-निर्देशोऽनुत्त-मेन विन्मन्निविन्दन्भावानन्माधोपस्कारकत्वनिवृत्त्या वा उपमा प्रागुक्तान्तर-विन्मन्निविन्द-भूतयोर्विरोधयोगेति उपमा न्वच्ये, परन्तु ना व्यङ्ग्य, एव तद्वारण्य-लक्षणेऽव्य-ङ्ग्यत्वविशेषण-शंभितोत्-कृतमिति चेत्, एवविरोधमाया वाच्यप्रधानमभूतोपमासावक-तया वाच्यसिद्धयङ्गत्वेन गुणीभूतव्यङ्ग्यत्वमिति पूर्वसिद्धार्थगोमाधोपस्कारकविरोधे-तत्र-लङ्कारत्वत्वोपसम्भवात् निवृत्त्यालङ्कार-विरोध-लङ्कारत्वं न्वचि, ताद्युक्तवन्मन्मोपमा तु वाच्य-माधोपमानमाधोपस्कारकं न सिद्धार्थोपस्कारकत्वेन भावः ।

अप्ययदीक्षित के मत की मनीषा करते हैं—पूतेन इत्यादि । 'अद्वितीयम्— इत्यादि, व्यङ्ग्य उपमा के लक्ष्य प्राप्त होने से यह सिद्ध होता है कि-अप्ययदीक्षित ने बलहार-रूप उपमा के लक्षण में 'अव्यङ्ग्यत्व विशेषण जो लगाया है अर्थात् उन्होंने जो यह सिद्ध किया है कि व्यङ्ग्य न होने पर ही 'सादर्य' उपमा है, वह सर्वथा अनुचित है क्योंकि व्यङ्ग्यता बलहारता में कोई विरोध नहीं है । विरोध यदि है तो प्रधानता और बलहारता में—अर्थात् प्रधान व्यर्थ बलहार नहीं हो सकता । परन्तु प्रधान व्यङ्ग्य बलहार नहीं हो सकता यही वास्तविक बात हुई, अतः प्रधान व्यङ्ग्य में बलहार का लक्षण सदृष्टि नहीं हो इसके लिए उपाय करना आवश्यक है, जो उसके लिए क्या उपमा क्या अन्य बलहार मनीषा बलहारों के लक्षणों में 'वाक्याधोपस्कारक'—अर्थात् 'मुख्य वाक्यार्थ को शोभित करने वाला-विशेषण उपेक्षा चाहिए, 'अव्यङ्ग्य' 'व्यङ्ग्य न रहना' यह विशेषण नहीं, क्योंकि यदि 'वाक्याधोपस्कारक' ही जगह 'अव्यङ्ग्य' यह विशेषण जोड़ा जायगा, तब तब 'असूया' को बलहृत करने वाली व्यङ्ग्य उपमा में उपमालङ्कार की अस्मिति हो जायगी—अर्थात् 'अद्वितीयम्' इस पद्य में जो व्यङ्ग्य होकर भी प्रधान नहीं है और प्रधान 'असूया' को बलहृत भी करती है तब उपमा का बलहाररूप में संग्रह नहीं हो सकेगा । 'वाक्याधोपस्कारक' विशेषण से तो दोनों

घाते वन जाती हैं—अर्थात् जो उपमा प्रधान रूप में अभिव्यक्त होगी, उसका निराकरण भी होगा क्योंकि उस तरह की उपमा वाक्यार्थोपस्कारक नहीं होगी—स्वयं वाक्यार्थ रूप रहेगी, और उक्त असूयोपस्कारक उपमा का समग्र भी होगा, क्योंकि यहाँ 'असूया' प्रधान वाक्यार्थ है और उसको अलङ्कृत करने वाली उपमा व्यङ्ग्य होकर भी अप्रधान ही है। आप कहेंगे—यदि 'अव्यङ्ग्य' के बदले 'वाक्यार्थोपस्कारक' विशेषण उपमालक्षण में जोड़ा जायगा, तब विशिष्टोपमा—अर्थात् विम्बप्रतिविम्बभावापन्न साधारण धर्म से बनने वाली उपमा आदि अलङ्कारों के स्थल पर विम्बप्रतिविम्बभावापन्न विशेषणों के परस्पर होने वाली व्यङ्ग्य उपमा के वारण के लिये 'अव्यङ्ग्य' विशेषण लगाना ही उचित है, क्योंकि प्रधान उपमा के उपस्कारक होने के कारण 'वाक्यार्थोपस्कारक' विशेषण उसका वारण नहीं हो सकता, तो यह कथन अकिञ्चित्कर है, क्योंकि वैसे स्थलों पर यह विशेषणों की उपमा, वाच्य प्रधान उपमा के साधक होने से वाच्यसिद्धि का अभाव होती है, अतएव उसको गुणीभूत व्यङ्ग्य मानना पड़ेगा और इस स्थिति में वह अलङ्काररूप हो ही नहीं सकती, क्योंकि किसी पूर्वसिद्ध अर्थ को अलङ्कृत करने के कारण ही कोई अर्थ अलङ्काररूप होता है और यह विशेषणों की उपमा (सादृश्य) का पूर्वसिद्ध अर्थ को अलङ्कृत करती नहीं, अर्थात् यह जिस प्रधान उपमा को अलङ्कृत करती है, वह पूर्व सिद्ध अर्थ नहीं है, अपितु स्वयं साध्यरूप है। फलतः 'अलङ्कार' इति नामकरण से ही उस उपमा का वारण हो ही जायगा, उसके लिये 'अव्यङ्ग्य' विशेषण अलङ्कार लक्षण में आवश्यकता नहीं है।

पुनरन्यामप्ययदीक्षितोक्तिं समीक्षते—

यच्चापि “सेयमुपमा संचेपतस्त्रिविधा—कचित्स्ववैचित्र्यमात्रविश्रान्ता । यथा ‘सच्छिन्नमूलः क्षतजेन रेणुः’ इत्यादौ । कचिदुक्तार्थोपपादनपरा । यथा ‘अनन्तरत्नप्रभवस्य’ इत्यादौ । कचिद् व्यङ्ग्यप्रधाना सा” इति तैरेव द्रविणशिरोमणिभिरभ्यधीयत । तदप्यहृद्यमेव । ‘नयने शिशिरीकरोतु मे शरदिन् प्रतिमं मुखं तव’ इति वाच्यवस्तुपस्कारिकायाः शरदिन्दूपमाया अक्रोडीकरणात् अलङ्कारभूतोपमासु स्ववैचित्र्यमात्रविश्रान्ताया उपमायाः सङ्ग्रहे को नाम ध्वन्यमानायास्तस्या निरासायाव्यङ्ग्यत्वविशेषणदानदुराग्रहः ? अहो महदेवेदमन्ययम्—यदलक्षणीयायाः सङ्ग्रहः, लक्षणीयायाश्चासङ्ग्रह इति । प्राचीनानां तूपमा सामान्य लक्ष्यतां ध्वन्यमानाया इवास्या अपि सङ्ग्रहो नानुचितः । न तु स्वयत्नेन ध्वन्यमानोपमां निरस्य कण्ठरवेणालङ्कारभूतोपमालक्षकस्य । यदि प्रबन्धव्यङ्ग्योपस्कारकत्वेनेयं सङ्गृह्यत इत्युच्यते, तदा ‘स्ववैचित्र्यमात्रविश्रान्ता’ इति स्वोक्तिर्विरुद्धा स्यात् । ‘अनन्तरत्नप्रभवस्य’ इत्यत्र गुणसमूहसमानाधिकरण एको दोषो दोषत्वेन न स्फुरतीत्यस्यार्थस्य पूर्वार्धप्रतिपादितार्थसमर्थनात्मकस्य सामान्यरूपस्य विशेषरूपोदाहरणप्रदर्शनमन्तरेण सम्यगना कलनादिन्दुकिरणसमानाधिकरणोऽङ्क उदाहृतः, न तूपमानतया निर्दिष्टः, सामान्याद्विशेषस्य भेदाभावेनोपमितिक्रियाया अनिष्पत्त्या उपमालङ्कृतेरत्रानवतारादुदाहरणालङ्कारोऽयमतिरिक्तः । यथा ‘इको यणचि’ इति वाक्यार्थस्य सामान्यस्य विज्ञानायादकोकारे दधीकारस्य य इति वाक्यान्तरेण तद्विशेष उदाह्रियते तद्वदत्रापि तत्प्रसङ्गे विवेचयिष्यामः ।

सच्छिन्नमूल इति । ‘सच्छिन्नमूलः क्षतजेन रेणुस्तस्योपरिष्ठात्पवनावृत्त । अङ्गारशेषस्य हुताशनस्य पूर्वोत्थितो धूम इवाऽवभासे’ । इति सम्पूर्णम् पद्यम् । ( रघुवंशे सप्तम-

द्वितीयमाननम्

नेहपणम् ]

i) अजस्य एवर्गनामिदं चैव न्ययति—इतजेन रधिरेण, छिनमूलं कृतमूलदेश-  
 च्छेदः, तस्य रधिरेण, उपरिधात् उपरिभागे, पवनावृतः, वायुप्रेरितः न अत्रडुपुत्रो-  
 त्येत, तेषु धूलि, अहाररोपस्य अहारमात्रावत्यया स्थितस्य, हुताशनस्य अग्नेः,  
 पूर्वोन्वितः अहारवत्यात् प्राक् धूमावत्याया प्रसृत, धूमः, इव, अत्रमाने शुशुभे ।  
 इति तदर्थः । अनन्तरत्नैति । 'अनन्तरत्नप्रभवस्य तस्य हिमं न नौभाग्यविलोपि जातम् ।  
 एको हि दोषो गुणक्षत्रिपाते निमज्जतोन्दो किरणोपिवाहः ॥' इति मन्मूः ग्लोकः ।  
 'कुमारमवे हिनाल्यवर्गनामिदम्—हिमं प्रालेयम्, अनन्तरत्नप्रभवस्य अगजनीरत्नो-  
 नित्यायानभूतस्य, यस्य हिनाल्यस्य, नौभाग्यविलोपि सौन्दर्यनाशक, न, जातम् अमूर्त्,  
 हि यत, गुणक्षत्रिपाते गुणमूहे, एको, दोषः, इत्यो चन्द्रमसः, किरणेषु ज्योत्स्नासु,  
 अत्र क्लृप्तः, इव, निमज्जति विलीयत इति तदर्थः ) । तैरेवेति । अल्पवर्दीक्षितैरेवेत्यर्थः ।  
 अविशिरोनपिभिरिति । अविडदेशीयज्जनुत्प्रेरित्यर्थः । एतेन तस्य तद्वद्देशान्त्व प्रती-  
 यते । स्वत्येति । तवेत्यर्थः । गलुचित इत्यत्यानुष्णः । तथा च गलुचितो न—अनुचित  
 एवेति भावः । इयमिति । स्ववैविध्यमात्रविभ्रान्तेत्यर्थः । विरडा त्यादिति । अत्र "बन्तु-  
 तस्य उपनासानान्यलक्षणस्यापि प्रकृतत्वेनोपनासानान्यत्वेवाय विभागः । उपनासो-  
 नयतावच्छेदकरोर्भेदाच्चात्येवोपनिमित्तिनिपाति । अत एव स्यनुपनेत्येवोक्तम्, न त्व-  
 डार इति । 'नयने शिशिरोक्तोरेणु ने शरदिन्दुप्रदिम सुत्र तव' इत्यत्र तु उचायौपपादन-  
 परैव सुत्रकृत्कृतपनर्नकशिशिरान्तरात्स्य कश्चुत्तयेन्दूपनयैवोपपत्ते । उचायौपपादनेत्यत्र  
 बोधार्थस्योपपादनमुक्तार्थे बोपपादनमित्यर्थद्वयम् विनिगमनाविरहात् इति न दोष इति  
 विन्ययनिदमिति बोध्यम् ।' इति नागेशः । उचायोपपादनपरोपनायात्तदुक्तमुदाहरण  
 इत्ययति—अनन्तेति । स्फुरतांश्चत्वार्यत्येति । तृतीयवर्णप्रतिपाद्यत्येत्यर्थः । उपमान-  
 त्वेनानिर्दिष्टत्वे हेतुमाह—नामान्येति । अन्वतारादिति । अत्याग्रे तथा चेति शेषः ।  
 अलक्षारोऽयमनिरिक्त इति । अत्र 'अन्वत्ता माहसो माहूर्त्त्वा त्वं त्वाहसो भव' इत्यमिन-  
 रस्य च नर्वसन्मानत्वेन तद्वद्विहापि नानान्यवर्णानिरोपनमिदित्त्रियान्तिनेत्पनालक्षारव-  
 संनवाहुदाहरणान्क्षारो मान्वातिरिक्त इति तदारायाञ्चिन्त्यनेतत् । इति नागेशः । उ-  
 चोकारे दधीक्षारस्य य इति । अत्र व्यपि मूले 'उचारे दध्युदकेक्षारस्येति पाठो दृश्यते,  
 ापि सुलगततया नागेशान्तिनत एव पाठो मया मूले समावेशितः । तत्प्रमदने इति ।  
 गहरणालक्षारमग इत्यर्थः । स्ववैविध्यमात्रविभ्रान्तत्वेन, उचायौपपादनत्वेन,  
 तत्प्रमानत्वेन बोधाधिना यदुपनाया तत्रेपनैविध्यमुक्तं दक्षितेन तत्र युक्तम्,  
 नन्दने क्षिशिरोक्तोरेणु' इति प्रागुच्चार्यवत्प्रकारात्प्रागुच्चार्योपपादनता, उचाय-  
 योना न स्ववैविध्यमात्रविभ्रान्ता, वाच्यवत्प्रकारात्प्रागुच्चार्योपपादनता, तत्राभावादिनि  
 त्वान्वायाऽयुपपत्ते, न वा व्युत्पन्नता चमत्करिणी व्युत्पत्तस्य तत्राभावादिनि  
 तात्पर्यम् । परतन्तद्व्युत्त्व तदुक्तं यत् अन्वत्तोभासन्ताद्व्यवहारेणान्तरालक्षारं वा  
 न्ववैविध्यमात्रविभ्रान्ता 'मन्त्रमूल' इत्यादिस्पर्शात् उपना ( जात्यनाम् न  
 तु अलक्षार ) तस्या अलक्षारभूतोपनामेक्यपनवमं मन्त्रं श्रियते, या तु अन्वत्तोभा-  
 सत्वेनालक्षारभूता अत एव लक्षितु योग्या व्युत्पन्नता, तस्याः, लक्षारोऽप्यायव-  
 निवेनेन निराकारं विधीयते इति । ननु शर्वान्तरिपि स्ववैविध्यमात्रविभ्रान्तोपनाया  
 मन्त्रो विहित इति नैतन्मनापि बोधायने चेतः, उपनासानान्यलक्षणं एवैतम् प्राक्

तत्सङ्ग्रहस्य दोषानाधायकत्वेऽपि अलङ्कारभूतोपमालक्षण रचयतस्तव कृते तत्सङ्ग्रह दोषाधायकत्वध्रौव्यात् । न च प्रबन्धव्यङ्ग्यस्य रसादेरुपस्कारकतया 'सच्छिन्नमूल- इत्यत्रत्याया तथाविधाया अन्यस्या अपि उपमाया सङ्ग्रह उचित एवेति वाच्यम् तथा सति तथाविधोपमाया स्ववैचित्र्यमात्रविश्रान्तत्वकथनस्य विरुद्धत्वापत्ते । अन्य र्थोपस्कारिकोपमा स्ववैचित्र्यमात्रविश्रान्ता न भवितुमर्हतीति तत्त्वम् । मयापि सामान्यं उपमाया एव लक्षण कृतं नालङ्कारभूतोपमाया इति तु भवता वक्तुमयोग्यम्, तथा सा व्यङ्ग्योपमानिरसनायासस्य वैयर्थ्यापातात् । 'अनन्तरत्न—' इति पद्ये उक्तार्थोपपाद परोपमा इति यदुक्तं तेनैव, तदपि नोचितम्, तत्रोपमाया एवासत्त्वात् । तथा हि- 'विधिरत्नोत्पादकस्य हिमालयस्य सौन्दर्यं दूरीकर्तुं प्राप्तेय न प्रभवतीति तत्पथपूर्वार्थस्य' समर्थनाय, 'गुणसमूहममानाधिकरण ( गुणगणयुक्ते वस्तुनि विद्यमान ) एको दो लोकदृष्टौ दोषरूपेण न प्रतिभासते' इत्यर्थो वर्णित कविना, स च तावत् स्पष्टो न भवति यावत् तादृशमुदाहरण दृष्टिपथ नावतरति, अतस्तादृशोदाहरणप्रदर्शनाय कविना गुणगणरिच्छेन्दुकिरणगत अङ्क उपन्यस्त, नतु उपमानभावेन । ननूपमानभावेनैव तस्मिन् स्वीकारे का क्षति ? क्षतिस्तु कापि न, परन्तु तत्र तस्योपमानत्व सम्भवत्येव नेत्यसमं सम् । कुतो न तत्र तस्योपमानत्व सम्भवतीति चेत् ? जातन्तु—भिन्नयोरेव पदार्थरूपमानोपमेयभावो भवतीति सर्वसम्मता प्रसिद्धि, इह तु गुणसमूहगतैकदोषस्य च किरणगतकलङ्कस्य च सामान्यविशेषभावमापन्नस्य 'नहि निर्विशेष सामान्य भवति' सिद्धान्तेन मिथोभेदाभावात् उपमानोपमेयभावो न भवितुमर्हति । एवञ्चात्रोपमालङ्क नास्ति, अपि तु उदाहरणालङ्कार एवोपमानो भिन्न । स चालङ्कारस्तत्र भवति, सामान्यरूप किञ्चिदुक्त्वा तद्विशेष वाक्यान्तरद्वारा प्रतिपाद्यते, यथा 'इको यणो ( इक स्थाने यण् स्यादचि ) इति सामान्यकथनानन्तर स्फुट तत्प्रतिपत्त्ये ( दध्युद इत्यत्र ) 'उकारे परे दधिशब्दघटकेकारस्य य' इति विशेष प्रतिपाद्यते स च विशेष उदाहरणशब्देन शाब्दिकैर्व्यवहियते । अस्यालङ्कारस्य विषये विशदमग्ने ग्रन्थकृता विवेचिधीयेत, अतोऽत्र नाधिकं तद्विषये कथ्यते इति भाव ।

पुनः अप्पयदीक्षित की ही एक अन्य उक्ति की समीक्षा करते हैं—यद्यपि इत्या अप्पयदीक्षित ने ही जो यह कहा कि—सन्धेप में यह उपमा तीन प्रकार की है—१-अपनी विचित्रता में ही पूर्ण हो जानेवाली अर्थात् दूसरे किसी को अलङ्कृत नहीं क वाली, जैसे—'सच्छिन्नमूलः—( सम्पूर्ण पद्य सस्कृतटीका में देखिये ) ( रघुवर् सर्ग ) ( अज का युद्धवर्णन है । कवि की उक्ति है—घोड़े-हाथी आदि के पैरों से उठी जिस धूलि की जब रुधिर ने काट दी अर्थात् रुधिर से आर्द्र हो जाने के कारण जिस ध का संबन्ध धरातल से विच्छिन्न हो गया, वायु के द्वारा रुधिर से ऊपर उड़ा दी वह धूलि, अङ्गारे-मात्र-बची हुई आग के पहले से ऊपर उठे, धूँ के समान शोभित रही थी । )' इत्यादि में । ( यहाँ सम्पूर्ण पद्य का अर्थ उपमारूप है, उससे अन्य अर्थ पुष्टि नहीं होती, अतः यह उपमा अपने आप में पूर्ण है । ) २—कहीं उक्त अर्थ को वि करने वाली, जैसे—'अनन्तरत्नप्रभवस्य—( सम्पूर्ण श्लोक सस्कृतटीका में देखिये ( कुमारसम्भव में हिमालय का वर्णन है—अगणित रत्नों के उत्पत्ति-स्थान हिमालय सौभाग्य को, हिम ( पाला ) नष्ट नहीं कर पाया—हिम के कारण हिमालय की सुन्द में कोई अन्तर नहीं हुआ । कारण, एक दोष, गुणों के समूह में विलीन हो जाता है उसकी ओर किसी का ध्यान ही नहीं जाता, जैसे चन्द्रमा की किरणों में कलङ्क । इत्यादि में । ( यहाँ कलङ्क की उपमा, हिम से हिमालय के सौभाग्य नष्ट न हो सकने

उक्त अर्थ को सिद्ध करती है।) और ३—कहीं ऐसी उपमा होती है, जिससे व्यङ्ग्य (रस वादि) प्रधान अर्थ उपस्कृत होता रहता है। वह भी सुन्दर नहीं, क्योंकि 'नयने शिशिरीकरोतु—अर्थात् शरत्कालिक चन्द्र के तुल्य तेरा मुख, मेरी बाँखों को शीतल करे' यहाँ जो वाच्य अर्थ को सुशोभित करनेवाली शरच्चन्द्र की उपमा है, उसका उक्त तीनों प्रकारों में से किसी में भी समावेश नहीं हो सका। इस वर्गीकरण को देखकर पुनः उपमा के लक्षण में आप के द्वारा निवेशित 'व्यङ्ग्यत्व' विशेषण, स्मृतिपथ में, आ जाता है। अर्थात्—जब आपने अलङ्कारभूत उपमा का वर्गीकरण करते समय, 'अपनी ही विचित्रता में पूर्ण हो जाने वाली उपमा' का भी समग्रह किया है,—तब व्यङ्ग्य उपमा को उपमा की श्रेणी से हटाने के लिये लक्षण में 'व्यङ्ग्य न हो' यह विशेषण देने का दुराग्रह आपको क्यों है यह समझ में नहीं आता। ओहो! यह बड़े अन्याय की बात है कि—जिसका लक्षण नहीं बनाना है (जो अलङ्काररूप है ही नहीं) उसका समग्रह किया गया है और जिसका लक्षण बनाना उचित है (जो अलङ्काररूप है) उसका समग्रह नहीं किया है—उन्को छोड़ दिया गया है। तत्पर्य यह कि स्ववैचित्र्यमात्रविश्रान्त उपमा—जो वस्तुतः उपमा नहीं है—को आपने उपमा की श्रेणी में गिना है और व्यङ्ग्य उपमा—जो वस्तुतः उपमा है—को उपमा की श्रेणी से निकाल बाहर किया है, यह बात सर्वथा न्याय-विरुद्ध है। प्राचीनों ने भी, 'अपनी विचित्रता में ही पूर्ण हो जाने वाली उपमा' को उपमा की श्रेणी से बहिष्कृत करने का कोई प्रयास नहीं किया है—अर्थात् उन्होंने भी उपमा का ऐसा ही लक्षण बनाया है, जिससे उक्तविध उपमा का भी समग्रह होता है, अतः यह अनौचित्य—यदि वस्तुतः अनौचित्य है—तो उनमें भी है, यह आप नहीं कह सकते, क्योंकि प्राचीनों ने व्यङ्ग्य उपमा के वारण के लिये भी कोई यत्न नहीं किया है, अतः यह सिद्ध है कि उन्होंने सामान्यतः उपमा-पदार्थ का लक्षण बनाया है—अलङ्कारभूत उपमा का नहीं। ऐसी स्थिति में उनके लिये 'स्ववैचित्र्यमात्रविश्रान्त उपमा' का भी समग्रह करना अनुचित नहीं कहा जा सकता, पर आपने तो उपमालक्षण में 'अव्यङ्ग्य'—विशेषण के द्वारा व्यङ्ग्य उपमा—जो आपके हिसाब से अलङ्कारभूत नहीं होती—को बहिष्कृत करके स्पष्ट शब्दों में यह सिद्ध कर दिया है कि जिनमें (आपने) अलङ्कारभूत उपमा का ही लक्षण किया है, ऐसी स्थिति में आपको 'अपने आप में परिपूर्ण होने वाली' वस्तुतः अलङ्कारभूत उपमा की गणना उपमा की श्रेणी में नहीं करनी चाहिए थी, किन्तु आपने गणना की है, अतः आप अपने को 'अनुचितकारिता' दोष में मुक्त नहीं कर सकते। यह भी आप नहीं कह सकते हैं कि 'मन्दिन्नमूल — आदि पद्यों में जिन तरह की उपमा है उसका समग्रह इसलिए किया गया है कि वह समग्र ग्रन्थ में अनिश्चय होने वाले वाच्य रस वादि की उपस्कारिका रहती है', क्योंकि यदि वह उपमा किसी व्यङ्ग्य को उपस्कृत करती है, तब वह 'स्ववैचित्र्यमात्रविश्रान्त' नहीं कहा जा सकता और आपने उसके वेशा ही कहा है अतः आपकी उक्ति अपनी ही उक्ति में विरुद्ध हो जायगी। इसी तरह आपने जो 'अनन्तरत्नप्रभवान्य— इस पद्य की चर्चा उक्तयोपराटक उपमा के उदाहरणरूप में की है, वह भी गलत है। काज, वस्तुतः उन पद्य में उपमा अलङ्कार है ही नहीं, क्योंकि 'कलङ्क का निदेश वहाँ उपमान के रूप में नहीं हुआ है, तो भी कैसे, जब कि वह (चन्द्रकिरण का कलङ्क) एक विशेषरूप है और 'गुणमनूगत एक दोष' उर्माका सामान्यरूप, जिनमें कोई भेद नहीं होता और उपमा दी जानी है किसी भिन्न पदार्थ में ही। तत्पर्य यह हुआ कि सामान्य-विशेषणवाले दो पदार्थों में वस्तुतः भेद नहीं होता, अतएव 'न हि निविशेप सामान्य भवति—अर्थात् विशेष में भिन्न सामान्य कोई चीज नहीं होती' ऐसा निश्चय माना गया है, ऐसी स्थिति में विशेषरूप चन्द्रकिरणगत कलङ्क के साथ सामान्यरूप गुणमनूगत एक दोष की तुलना नहीं की जा सकती है। अतः ऐसा मानना चाहिए कि उक्त पद्य के पूर्वार्ध में कथित बात



के समर्थन में उत्तरार्ध के द्वारा यह एक सामान्य बात कही गई है कि—'गुणसमूह के साथ रहने वाला एक दोष दोषरूप से ध्यान में नहीं आता।' यह सामान्य बात, जब तक कोई विशेष उदाहरण नहीं दिया जाय, तब तक अच्छी तरह समझ में नहीं आती, इसलिए, 'चन्द्रमा की किरणों के साथ रहने वाले कलङ्क' का उदाहरण दिया गया है, अतएव यह 'उदाहरण' नाम का उपमा से एक अन्य ही अलङ्कार है। वह (उदाहरणालङ्कार) वहाँ होता है, जहाँ एक वाक्य के द्वारा किसी सामान्य बात के कथन के बाद, दूसरे वाक्य द्वारा विशेष बात कहकर उक्त सामान्य बात का स्पष्ट ज्ञान कराया जाय। जैसे 'इको यणचि (अर्थात् किसी स्वर के आगे रहने पर पीछे रहने वाले इ, उ, ऋ, लृ इन वर्णों के स्थान में क्रमशः य, व, र, ल ये चार वर्ण हो जाते हैं)' इस सामान्य बात को समझाने के लिए यह कहा जाता है कि "जैसे—'दध्युकम्' इस प्रयोग में उदक पद के उकार के परे दधि पद के इकार को यकार हो गया।" व्याकरणशास्त्र में यह उदाहरण नाम से प्रसिद्ध भी है, उसी तरह काव्य में चमत्कारजनक ऐसी स्थिति में उदाहरणालङ्कार होता है, जैसे 'अनन्तरत्न—' इस पद्य में हुआ है। आगे जब उदाहरणालङ्कार का प्रकरण आवेगा, तब और अधिक इसके विषय में विचार किया जायगा।

पुन दीक्षितोक्तिमेवालोचयति—

यच्चाप्यदीक्षितैः 'लुप्तयां तु नैवं भेदाः। तस्यां साधारणधर्मस्यानुगामितानियमात्' इत्युक्तम्, तन्न। 'मलय इव जगति पाण्डुर्वल्मीक इवाधिघरणि धृतराष्ट्र' इत्यत्रानुगामिधर्मस्याप्रत्ययाश्चन्दनानां पाण्डवानाम्, सर्पाणां दुर्योधनादीनां च बिम्बप्रतिबिम्बभावस्यैव प्रतिपत्तेः।

मलय इवेति। जगति ससारे, पाण्डु' तन्नामको महाभारतख्यातो राजा, पाण्डवाना जनक इति यावत्, मलय मलयाचल', इव, (येन चन्दनकल्पा सुखदायका पाण्डवा जनिता) धृतराष्ट्र स्वनामप्रसिद्धो नृप, कौरवाणां पितेति यावत्, च अधिघरणि (अधीत्यव्ययेन धरणिशब्दस्याव्ययीभावसमास) तेन धरण्यामित्यर्थ, वल्मीक घामलूरविवरम्, इव, (येन सर्पवद्दुःखदायका कौरवा उत्पादिता) इत्यर्थ। लुप्तोपमायां साधारणधर्मो नियमतोऽनुगाम्येव भवतीति तत्र धर्मवैचित्र्यमूला प्रागुक्ता. प्रभेदा न जायन्त इति यत्कथित दीक्षितमहाभागेन, तदपि न समीचीनम्, 'मलय इव' इति काव्ये मलयपाण्डवो वल्मीक-धृतराष्ट्रयोश्चोपमाद्वये लुप्तसाधारणधर्मे, अनुगामिसाधारणधर्मस्याप्रतीत्या प्रथमोपमायां बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नयोश्चन्दनपाण्डवयो, द्वितीयोपमायां तथाविधयो सर्पकौरवयोश्च साधारणधर्मतया स्वीकरणीयत्वात्। तथा च लुप्तोपमायामपि यथासम्भव धर्मवैचित्र्यप्रयुक्ता' भेदा भवन्त्येवेति भावः।

पुन. दीक्षित के कथन की आलोचना करते हैं—यच्च इत्यादि। अप्यदीक्षित ने जो यह कहा है कि—'लुप्तोपमा में तो इस तरह के (साधारणधर्म की विचित्रता के कारण होने वाले) भेद नहीं होते, क्योंकि उसमें साधारणधर्म का अनुगामी होना निश्चित है अर्थात् लुप्तोपमा में साधारणधर्म अनुगामी ही होता है, अन्य किसी प्रकार का नहीं' वह भी सङ्गत नहीं। कारण, 'मलय इव—अर्थात् जगत् में पाण्डु—पाण्डवों का पिता, मलयाचल के तुल्य है (जिसने चन्दन के समान सुखदायक पाण्डवों को उत्पन्न किया) और धृतराष्ट्र—कौरवों का पिता, इस पृथ्वी पर, वल्मीक (दुर्वेद का भिण्डा) के समान है (जिसने साँपों के समान दुःखदायी कौरवों को उत्पन्न किया)।' इस धर्मलुप्ता में कोई अनुगामी समान धर्म विदित नहीं होता, अतः समान धर्म की पूर्ति के लिये चन्दनों और पाण्डवों का तथा सर्पों और दुर्योधन आदि कौरवों का बिम्ब प्रतिबिम्बभाव ही मानना पड़ेगा।

अत्र विन्वप्रतिविन्वभावत्यासम्भवनाशक्य समाधत्ते—

न च शब्देनोपात्तत्वं विन्वप्रतिविन्वभावे तन्त्रमित्याग्रहो विदुषामुचित ।  
श्रौतत्वार्थत्वाभ्यां विन्वप्रतिविन्वभावस्य द्वैविध्यौचित्यात् । अत एवाप्रस्तुतप्र-  
शसादौ प्रकृताप्रकृतवाक्यार्थयोरौपम्यमवयव-विन्वप्रतिविन्वभावमूल सङ्गच्छते ।

शब्देनोपात्तत्वमिति । विन्वप्रतिविन्वभावाधारतया विवक्षितयो पदार्थयोरिति भाव ।  
तन्त्रम् नियामञ्चम् । विन्वप्रतिविन्वभावस्य द्वैविध्ये प्रमाणानुपन्यस्यति—अत एवेति ।  
तस्य द्वैविध्यादेवेति तदर्थः । तयोरेव पदार्थयो विन्वप्रतिविन्वभावो भवति यौ शब्दे-  
नोपात्तौ तिष्ठत । एवञ्च पूर्वोक्तस्थले चन्दनपाण्डवानाम्, नर्पदुयोधनादीनाञ्च विन्व-  
प्रतिविन्वभावो न भवेत्, तेषां शब्देनात्रानुपादानादिति शङ्काशयः । तादृशान्येने नाना-  
भावः, अतः शब्देनोपादानस्थले श्रौत तेनानुपादानस्थलेऽपि अर्थतः प्रतीतौ पुनः अर्थ  
इति द्विविधो विन्वप्रतिविन्वभावः । अर्थस्यापि तस्याङ्गीकारादेवाप्रस्तुतप्रमानाद्यलङ्कारे  
प्रस्तुतवाक्यार्थबोधकपदविरहेऽपि विन्वप्रतिविन्वभावापन्नावान्तरार्थद्वयत्पसाधारणधर्मव-  
लेन प्रकृताप्रकृतवाक्यार्थयोरुपमाप्रतीदनाना सङ्गतिमानादयति अतो 'मलय— इति पद्ये  
उपमासिद्धयर्थं शब्देनानुपात्तानामपि चन्दनादीनां विन्वप्रतिविन्वभावो भवितुमर्हतीति  
च समाधानाशयः ।

एक शका और उसका समाधान करते हैं—न च इत्यादि । 'विन्वप्रतिविन्वभाव के  
लिये उन पदार्थों का—जिनका विन्वप्रतिविन्वभाव अभीष्ट हो—शब्द के द्वारा उपात्त होना  
अपेक्षित है' यह भाष्य कम से कम विद्वानों के लिये उचित नहीं, कारण, औचित्य  
इसीमें है कि शब्द से उपादानस्थल में श्रौत और शब्दतः उपादान नहीं रहने पर भी  
अर्थतः प्रतीत होने पर अर्थ—इस तरह से दो प्रकार का विन्वप्रतिविन्वभाव माना  
जाय अत एव तो अप्रस्तुतप्रशंसा आदि अलङ्कारों में अप्रस्तुत और प्रस्तुत वाक्यार्थों  
में सादृश्य सङ्गत होता है, जिसका मूल रहता है उन वाक्यार्थों के अवयवों का विन्व-  
प्रतिविन्वभाव । यदि अर्थ विन्वप्रतिविन्वभाव नहीं माना जाय, तब प्रस्तुत वाक्यार्थ के  
साथ अप्रस्तुत वाक्यार्थ का सादृश्य कैसे बन सकता है ? क्योंकि वहाँ प्रस्तुत वाक्यार्थ  
का प्रतिपादक एक भी शब्द उल्लिखित नहीं रहता । यहाँ अनुवंदीजी कृत हिन्दी  
अनुवाद में लिखा गया है कि—'वहाँ (अप्रस्तुतप्रशंसा में) अप्रस्तुत वाक्यार्थ का  
प्रतिपादन करने के लिये कोई शब्द नहीं होता ।' पर यहाँ सुमे अनुवादक का प्रमाद  
प्रतीत होता है, क्योंकि अप्रस्तुत अर्थ ही शब्दतः कहा गया रहता है, जिससे प्रस्तुत  
अर्थ गम्यमान होता रहता है ।

पुनः प्रकारान्तरेणोपमाया अष्टौ भेदान् प्रदर्शयति—

इयमपि रूपकवत्केवलनिरवयवा, मालारूपनिरवयवा, समस्तवस्तुविषय-  
सावयवा, एकदेशविवर्तिसावयवा, केवलश्लिष्टपरम्परिता, मालारूपश्लिष्टपरम्प-  
रिता, केवलशुद्धपरम्परिता, मालारूपशुद्धपरम्परिता चैत्यष्टया ।

इयमपि उपमापि । यथा रूपके केवलनिरवयवाद्योऽष्टौ भेदा भवन्ति, तथोपमाया-  
नापि ये भेदा सम्भवन्तीति भावः । अन्यन्तु गणनम् ।

उपमा के अन्य आठ भेद दिखलाते हैं—इयमपि इत्यादि । यह उपमा भी रूपक की  
तरह केवल निरवयवा, मालारूप निरवयवा, समस्तवस्तुविषया सावयवा, एकदेश-  
विवर्तिसावयवा, केवल श्लिष्टपरम्परिता, मालारूप श्लिष्टपरम्परिता, केवल शुद्धपरम्परिता  
और मालारूप शुद्धपरम्परिता—इस तरह आठ प्रकार की होती है ।

एतद्भेदाष्टकगत केवलत्व निरवयवत्वञ्च विवृणुते—

तत्रोपमायां केवलत्वं मालानन्तर्गतत्वं निरवयवत्वं चोपमान्तरनिरपेक्षत्वम् ।

तत्रेति तासा मध्य इत्यर्थः । एकस्योपमेयस्य यत्रानेकान्युपमानानि निर्दिष्टानि भवन्ति,

तत्रोपमाया मालरूपत्वम्, तादृशमालारूपता यत्र न भवति, तत्र तस्या केवलत्वम्, एवम् यत्र कस्याश्चिदुपमाया अन्योपमानैरपेक्ष्येण सम्पत्तिस्तत्र तथाविधायास्तस्या उपमाया निरवयवत्व भवतीति भावः ।

इन भेदों में प्रयुक्त 'केवल' तथा 'निरवयव' पदों का अर्थ करते हैं—तत्र इत्यादि । जहाँ एक ही उपमेय के अनेक उपमान कहे जाते हैं, वहाँ उपमा मालारूप मानी जाती है और जहाँ एक उपमा दूसरी उपमा की अपेक्षा करती हो वहाँ उपमा सावयवा कही जाती है, अतः केवल निरवयवा में 'केवल होने' का अर्थ है—किसी मालारूपा उपमा के अन्तर्गत न होना और 'निरवयव होने' का अर्थ है—किसी अन्य उपमा की अपेक्षा न करना ।

अन्यभेदोदाहरणप्रदर्शनायास्य भेदस्योदाहृतत्व प्रकटयति—

इयं च शतशः प्रागेवोदाहृता ।

इयं च केवलनिरवयवा च । केवलनिरवयवाया उपमाया उदाहरणानि प्राग् बहुश प्रदर्शितानीति न पुनस्तदुदाहरणप्रदर्शनमावश्यकमिति भावः ।

इस-केवल निरवयवा-के सैकड़ों उदाहरण पहले दिखाये जा चुके हैं, अतः पुनः इस भेद का उदाहरण दिखलाना आवश्यक नहीं है ।

द्वितीयभेदमुदाहर्तुमाह—

मालारूपनिरवयवा यथा—

स्पष्टम् ।

मालारूप निरवयवा उपमा, जैसे—

उदाहरण निर्दिश्यते—

‘आह्लादिनी नयनयो रुचिरैन्दवीव

कण्ठे कृतातिशिशिराम्बुजमालिकेव ।

आनन्दिनी हृदि गता रसभावेनेव

सा नैव विस्मृतिपथं मम जातु याति ॥’

नायकस्य सुहृद प्रत्युक्ति —नयनयो नेत्रयुगलावच्छेदेन, आह्लादिनी सुखविशेषविधायिनी, ऐन्दवी चान्द्री, रुचि कान्ति, इव, कण्ठे ग्रीवाया, कृता धृता अतिशिशिरा अत्यधिकशीतला, अम्बुजमालिका कमलस्रक्, इव, हृदि हृदये, गता प्रादुर्भूता, आनन्दिनी, आनन्ददायिका, रसभावना रसास्वाद, इव, सा तव पूर्वपरिचिता, प्रेयसी, जातु कदाचिदपि, मम, विस्मृतिपथम् विस्मरणमार्गम्, नैव याति गच्छति । सदैव सा मम स्मृतिविषय एव तिष्ठतीत्यर्थः ।

उदाहरण का निर्देश करते हैं—आह्लादिनी इत्यादि । प्रेमी नायक अपने मित्र से कहता है—नेत्रों में आह्लाद भरने वाली चन्द्रकला की तरह, कण्ठ में पहनी गई अतिशीतल कमल माला की तरह और हृदयस्थ आनन्ददायक रसास्वाद की तरह, वह प्रेयसी कभी भी मेरे विस्मृति के मार्ग में नहीं जाती—उसको मैं कभी भूल नहीं पाता ।

द्वितीयभेदस्योदाहरणान्तर निर्देष्टुमाह—

यथा वा—

स्पष्टम् ।

अथवा जैसे—

उदाहरणं निर्दिश्यते—

‘कलेव सूर्यादमला नवेन्दो’ कृशानुपुञ्जात्प्रतिमेव हैमी ।  
विनिर्गता यातुनिवासमध्यादध्यावभौ राघवधर्मपत्नी ॥’

कवेरक्ति—( अनाया अनन्तरम् ) सूर्याद् रविविन्वाद् विनिर्गता वहिरागता ( अनाया सूर्यविन्वे चन्द्रमस्तत्तिरोधानादेवसुक्ति ) इन्दो चन्द्रस्य, नवा नूतना, अमला निर्मला, कला ज्योत्स्ना, इव, कृशानुपुञ्जात् अग्निममूहाद्, विनिर्गता, हैमी सुवर्णमयी, प्रतिमा प्रतिवृत्ति, इव च, यातुनिवासमध्याद् राज्ञावासगर्भाद्, विनिर्गता, राघवस्य राम-चन्द्रस्य, धर्मपत्नी सीता, अध्यावभौ अधिक सुशुभे इत्यर्थः ।

उदाहरण का निदेश करते हैं—कलेव इत्यादि । कवि का कथन है—( अनायास्या तिथि के बाद ) सूर्य से निकली हुई ( अनायास्यातिथि में चन्द्रमा सूर्यविग्व में समा जाता है—इस गाल्तीय प्रसिद्धि के अनुसार ऐसा कथन है ) निर्मल नवीन कला की तरह और अग्निसमूह से निकली हुई सोने की प्रतिमा की तरह राक्षसों के भावान ( लहा ) के मध्य से निकली हुई रामचन्द्र की धर्मपत्नी-भगवती सीता-अधिक सुशोभित होने लगी ।

उभयोपयोग्यत्वमप्युच्यते—

पूर्वमनुगामिना धर्मेण भिन्नदेशकालावच्छेदेन, अत्र तु विन्वप्रतिविन्व-भावमापन्नेनैकदेशकालावच्छेदेनेति विशेष । अत्राधिकद्विप्रतिपे वाच्यार्थे उपमे उपस्कारिके । अत्यन्तिकविनाशहेतुत्वेन देदीप्यमानत्वेन च साधारण्येन सूर्यमण्डलस्य निष्कलङ्कताभिव्यञ्जकत्वेन भस्मीभवनहेतुत्वेन कृशानुपुञ्जस्य च लङ्काप्रतिविन्वता । मालालपत्वं चात्रैकपमेयकानेकेपनासामानाधिकरण्यात् ।

पूर्वमिति । ‘आहादिर्न—’ इति पये इत्यर्थः । धनेरोति । आहादिन्वादिनेत्यर्थः । हेतां नृताया । अत्रच्छेदेनेति । वर्तमानेनेति शेष, तस्य च ‘धर्मेण’ इत्यत्रान्वय, भिन्नदेशकालावच्छिन्नेन अनुगामिना धनेरोति तात्पर्यम् । उपमेति शेष । तथा च पूर्वत्र पये लाङ्कार्यहेतु-कोपमेति पदवमितार्थः । एवमप्येति । अत्रेति । ‘कलेव—’ इति द्वितीयपये इत्यर्थः । विनेत्रो भेद । सूर्यमण्डलस्येति । अस्य लङ्काप्रतिविन्वतेत्यत्रान्वय । सामानाधिकरण्यादिति । उप-मान्तरनिरपेक्षत्वान्निरवयवत्वमित्यपि बोध्यम् । अयं भाव—‘आहादिर्न—’ ‘कलेव—’ इति पयद्वयमपि मालालपरिग्वनवोपमोदाहरणम्, उभयत्रोपमेयत्वेनोपमानानाद्य बहु-त्वेनमालात्वात् उपमान्तरापेशराहित्येन निरवयवत्वाच्च । परन्तु प्रथमपदे उपमानमनादक-नाधारणो धर्म आहादकत्वादि अनुगामी, एकरूपेणोपमानोपमेययोरन्वितत्वात्, भिन्न-देशकालावच्छिन्नश्च, उपमानोपमेययो—चन्द्रकालादिनायिकयोर्भिन्नदेशकालस्यादित्येन तद्व-मांगमपि तत्त्वात् । द्वितीयपये चोपमानाधिक-साधारणो धर्म सूर्ययातुधानावाग्मध्य-स्तुभयूषाधिकविनिर्गतत्वम् एवम् अग्निपुञ्जायातुधानावस्तुभयूषावधिकविनिर्गतत्वम् विन्व-प्रतिविन्वभावपक्ष, सूर्यावधिकविनिर्गतत्व-यातुनिवासावधिकविनिर्गतत्वयोरेव क्विपुञ्जावधि-रुविनिर्गतत्वयातुधानावासावधिकविनिर्गतत्वयोर्वन्तुतो भिन्नपक्षेपि आत्यन्तिकविनाशहेतु-त्वेदेदीप्यमानत्वान्याम् सूर्य लङ्कायातुनिवासयो मादृश्येनाभेदागोरान् एवम् निष्क-लङ्काभिव्यञ्जकत्वमस्मीभवनहेतुत्वान्याम् अग्निपुञ्जलङ्कान्क्यातुनिवासयोश्च मादृश्येन तत्त्वा-

रोपात्, यथा चन्द्रकलाविनाशहेतुर्देदीप्यमानश्च सूर्यः तथा लङ्कारूपयातुनिवासोऽपि सीता-सम्भावितविनाशहेतु सुवर्णमयतया देदीप्यमानश्च, एवम् यथा अग्निपुञ्जम् सुवर्णप्रतिमाया निष्कलङ्कताभिव्यञ्जकम् भस्मीभावकारणञ्च, तथैव लङ्काऽवासोऽपि सीताया निष्कलङ्कताभिव्यञ्जक सम्भावितभस्मीभावहेतुश्चेति तात्पर्यम्, अभिन्नदेशकालावच्छिन्नश्च स धर्मः, प्रतिपदि सूर्याच्चन्द्रस्य, अमायां रावणवधे प्रतिपद्येव लङ्कात सीतायाश्च चिनिर्गमेण कालैक्यात्, देशैक्य तु आकाशरूपव्यापकदेशमादाय, नान्या गति, अग्निपुञ्जावधिकसुवर्ण प्रतिभाविनिर्गम-लङ्कावधिकसीताविनिर्गमयोर्देशकालैक्य तु अग्निपुञ्जलङ्कयोर्विम्बप्रतिविम्ब-भावे तत्सम्बन्धिसकलपदार्थानाम् एकत्वेन भानाद् बोध्यम्, एवञ्च धर्मवैलक्षण्यकृत एव द्वयोरुदाहरणयोर्विशेष । प्रथमपद्यगता तिस्र उपमा व्यङ्ग्यस्मृतिभावोपस्करणादलङ्कार-रूपा, द्वितीयपद्ये द्वे उपमे वाच्याधिकशोभारूपमुख्यार्थोपस्करणात्तथाभूते, इति ।

उक्त दोनों पद्यों में प्रासङ्गिक वक्तव्य का उपपादन करते हैं—पूर्वम् इत्यादि । 'आह्लादिनी—' और 'कलेव—' ये दोनों ही श्लोक, मालारूप निरवयवोपमा के उदाहरण होते हैं, क्योंकि इन दोनों श्लोकों में एक-एक उपमेय की तुलना अनेक अनेक उपमानों से कर के उपमा की माला ( समूह ) तैयार कर दी गई है, और दोनों पद्यों की उपमायें ऐसी हैं जो अपने अवयवभूत किसी पदार्थ की उपमा की अपेक्षा नहीं करती हैं । फिर भी दोनों पद्यों की उपमाओं में पूर्ण अन्तर है और वह अन्तर यह है कि प्रथम पद्य की उपमा को सम्पन्न करने वाला साधारण धर्म 'आह्लादकत्व आदि' अनुगामी है—अर्थात् एकरूप से उपमान तथा उपमेय दोनों में अन्वित हो जाने वाला है और है भिन्न देशकालावच्छिन्न—अर्थात् उपमान चन्द्रमरीचि आदि और उपमेय नायिका के देश और काल भिन्न हैं—एक आकाश की चीज और दूसरी धरा की वस्तु, इसी तरह एक सदा की चीज एव दूसरी वर्तमानमात्र की वस्तु, ऐसी स्थिति में उन भिन्नकालिक भिन्नदेशिक पदार्थों के धर्म भी भिन्नकालिक और भिन्नदेशिक ही हो सकते हैं । द्वितीय पद्य की उपमा का साधक साधारणधर्म 'सूर्य से और राक्षसों के आवास-लङ्का-से निकला हुआ होना' एवम् 'अग्निपुञ्ज से और लङ्का से निकला हुआ होना'रूप विम्ब-प्रतिविम्बभावापन्न—अर्थात् सूर्य और राक्षसनिवास-लङ्का एवम् अग्निपुञ्ज और लङ्का यद्यपि वस्तुतः दो पदार्थ हैं तथापि सादृश्यमूलक इन दोनों में अभेद का आरोप कर लिया जाता है जिससे ये दोनों पदार्थ एक से होकर साधारण धर्म बन जाते हैं, इन दोनों में से सूर्य और लङ्का में सादृश्य यह है कि एक चन्द्रकला के विनाश का कारण है और दीप्तिशाली, और दूसरा भी सीता के विनाश का कारण है ( क्योंकि यदि सीता और कुछ दिनों तक लङ्का में रहती, तो, उसका विनाश अवश्य हो जाता ) और सुवर्ण-मय होने से दीप्तिशाली है, इसी तरह अग्निपुञ्ज और लङ्का में यह सादृश्य है कि एक सुवर्णप्रतिमा की विशुद्धता का हेतु है और दूसरा सीता की विशुद्धता का कारण ( क्योंकि सीता कैसी विशुद्धचरिता है इसका परिचय ससार को उसके लङ्कानिवास से ही प्राप्त हुआ ) और दोनों दोनों के भस्म हो जाने के निमित्त भी हैं ( तात्पर्य यह कि आग सुवर्ण को जलाती है और लङ्का सीता को जला सकती थी ) इस तरह से विम्बप्रतिविम्ब-भावापन्न होने के कारण ही यह धर्म एकदेशकालावच्छिन्न भी है—अर्थात् उक्त धर्मों में विम्बप्रतिविम्बभाव-सादृश्यमूलक अभेद-जब मान लिया गया, तब इसके सम्बन्धी सभी पदार्थ-देश-काल आदि-एक ही माने जायेंगे, चन्द्रकला और सीता का सामान धर्म तो इसलिये भी एक देश और एक काल का समझा जा सकता है कि चन्द्रकला अमावस के बाद प्रतिपत् तिथि को सूर्य से निकलती है और सीता भी अमावस में रावण वध के बाद शुक्लप्रतिपत् में लङ्का से निकली थी, देश दोनों का व्यापक आकाश माना जा सकता है । उक्त दोनों श्लोकों में प्रथम श्लोक की तीन उपमायें स्मृतिभाव

को अलङ्कृत करने के कारण और द्वितीय श्लोक की दो उपमायें वाच्य अधिक शोभा को अलङ्कृत करने के कारण अलङ्काररूप होती हैं।

चृतीयभेदनुदाहर्तुमाह—

समस्तवस्तुविषया सावयवा यथा—

स्यष्टम् ।

समस्तवस्तुविषया सावयवा उपमा जैसे ।

उदाहरण निर्दिश्यते—

‘कमलति वदनं यस्यामलयन्त्यलका मृणालतो वाहू ।

शैवालति रोमावलिरद्भुतसरसीव सा वाला ॥’

व्येति—यस्याम् वालायाम्, वदनं मुखम्, कमलति कमलनिवाचरति, अलका केशाः, अलयन्ति अल्य-भ्रमरा-इवाचरन्ति, वाहू भुजाः, मृणालं मृणाले इवाचरतः, रोमावलि रोमराजिः, शैवालति शैवाल इवाचरति, ना वाला, अद्भुतसरसी कौतुकावहम-रोवरम्, इव, प्रतीयत इति शेष । अत्र चतुर्थे उपमानादाचारेऽर्थे ‘सर्वप्रातिपदिकेभ्यः क्त्विवा वल्च्य’ इति क्त्विप् ।

उदाहरण का निर्देश करते हैं—कमलति इत्यादि । कवि का कथन है—जिसमें मुख कमल के तुल्य, अलक भ्रमरों के तुल्य, भुजाएँ मृणालों के तुल्य और रोमावली सेवाल के तुल्य आचरण करती है, वह वाला एक अद्भुत सरसी-सी प्रतीत होती है । यहाँ किसी किसी ने ‘यस्याम् अलयन्ति’ ऐसा विभाग न मानकर ‘यस्या मलयन्ति’ ऐसा विभाग माना है और तदनुसार ‘केश मल-सर्प-के समान आचरण करते हैं’ ऐसा अर्थ किया है, परन्तु ‘मल’ पद का ‘सर्प’ अर्थ यदि कोश में किया भी गया हो तो प्रसिद्ध नहीं है । दूसरी बात यह कि जब इस क्लिष्टरूपना के बिना भी सगत अर्थ जो मैंने लिखा है—किया जा सकता है, तब यह विडम्बना व्यर्थ ही है ।

तस्यैव प्रमेदत्स्योदाहरणान्तरं वातुमाह—

यथा वा—

स्यष्टम् ।

अथवा जैसे ।

उदाहरणान्तरं निर्दिश्यते—

‘ज्योत्स्नाभमञ्जुहसिता सकलकलाकान्तकान्तवदनश्रीः ।

राकेव रम्यरूपा राघवरमणी विराजते नितराम् ॥’

कवि कथयति—ज्योत्स्नाम् चन्द्रिकां, मञ्जु मनोहर, हसितम् हामो, यस्याः, ना, तथा, मन्त्रं पूर्णकला, कलाकान्तं चन्द्र, रव, कान्ता कमनीय, वदनश्रीः सुखदलविद्यत्या ना, राघवन् राघव, रमणी रमणी, रम्य रूप यस्यास्तादृशी, राधा पूर्णिमा, इव, नितराम् अत्यन्तम्, राजते शोभत इत्यर्थः ।

उदाहरण (द्वितीय) का निर्देश करते हैं—ज्योत्स्ना इत्यादि । कवि कहता है—जिनका हाम चाँदनी के समान सुन्दर है, जिसकी सुन्दरान्ति पूर्णचन्द्र के समान कमनीय है, वह राघव (राघवचन्द्र) की रमणी—सौता—रमणीयरूपवाली राधा—पूर्णिमा के समान, अत्यन्त शोभित हो रही है ।

पदद्वयेऽपि मन्त्रात्तेन वल्च्यं क्विप्ति—

अत्र सर्वेषामुपमानानां शब्दैरेवाभिधानान् समस्तवस्तुविषयाः अङ्गोपमा-भिनिष्पाद्यमानत्वाच्च साक्षाद्भवति ।

उक्तोदाहरणद्वये सर्वेषामवयवरूपाणाम् अवयविरूपाणाञ्च उपमानानाम् ( प्रथमपद्ये कमलभ्रमरमृणालशैवालसरसीनाम्, द्वितीयपद्ये ज्योत्स्नाचन्द्रराकानाम् इति यावत् ) ( अत्र सरसीराके अवयविरूपे उपमाने अन्यान्यवयवरूपाण्युपमानानीति विवेक ) शब्दत-प्रतिपादनात् उपमायाः समस्तवस्तुविषयत्व बोध्यम् । तथा च सकलोपमानानां शब्दाभिधेयत्वमेव समस्तवस्तुविषयत्वमिति भावः । अङ्गभूताभिः—कमलवदनयो, अल्यलकयो, मृणालबाहो, शैवालरोमावल्योश्च प्रथमपद्ये ज्योत्स्नाहासयो, चन्द्रवदनश्रियोश्च द्वितीयपद्ये उपमाभिः प्रधानयो—सरसीबाल्यो राकाराघवरमण्योश्चोपमयो सम्पाद्यमानतया उपमाया अत्र सावयवत्वमवगन्तव्यमिति भावः ।

उक्त दोनों उदाहरणों में प्रकृतोपयोगी बातों का विश्लेषण करते हैं—अत्र इत्यादि । उक्त दोनों पद्यों में से प्रथम में चार उपमार्ये—मुख की कमल के साथ, अलकों की भ्रमरों के साथ, भुजाओं की मृणालों के साथ और रोमावली की सेवाल के साथ—अङ्गभूत हैं, ये अङ्गभूत उपमार्ये, प्रधान—अङ्गीभूत—उपमा—बाला की सरसी के साथ—को सम्पन्न करती हैं—अर्थात् उन अङ्गभूत उपमाओं के बिना यह पाँचवी उपमा हो ही नहीं सकती थी, अतः यह मुख्य उपमा 'सावयवा' कही जाती है, इसी तरह द्वितीय पद्य में दो उपमार्ये—एक हास की ज्योत्स्ना के साथ और दूसरी वदनश्री की पूर्णचन्द्र के साथ वाली—अङ्गभूत हैं और तीसरी राघवरमणी की राका के साथ वाली उपमा अङ्गीभूत है और यहाँ भी अङ्गभूत उपमार्ये अङ्गीभूत उपमा की साधिकाये हैं, अतः यहाँ की भी मुख्य उपमा सावयवा है । दोनों ही श्लोकों में जितनी उपमाएँ हैं, उन सभी के उपमान शब्दतः कथित हैं, उनमें एक भी उपमान ऐसा नहीं है जिसका अर्थतः आक्षेप करना पड़ता हो अतः इन दोनों पद्यों की उपमार्ये 'समस्तवस्तुविषया' कही जाती हैं । फलतः सिद्ध हुआ कि सभी उपमानों का शाब्द वर्णन ही 'समस्तवस्तुविषय' पद का अर्थ है ।

चतुर्थं भेदमुदाहर्तुमाह—

एकदेशविवर्तिनी सावयवा यथा—

स्पष्टम् ।

एकदेशविवर्तिनी सावयवा उपमा जैसे ।

उदाहरण निर्दिश्यते—

‘मकरप्रतिमैर्महाभटैः कविभी रत्नसमैः समन्वितः ।

कविताऽमृतकीर्तिचन्द्रयोस्त्वमिहोर्वीरमणासि कारणम् ॥’

कवि कमपि नृप स्तौति—हे उर्वीरमण राजन् !, मकरप्रतिमैः ग्राहतुल्यै, महाभटै रणशूरैः सैनिकै, रत्नसमै रत्नतुल्यै, कविभिः कवित्वकलासमन्वितैर्विद्वद्भिः, समन्वित युक्त, त्वम्, इह ससारे, कवितामृतकीर्तिचन्द्रयो अमृतकल्पकविताया चन्द्रसदृशकीर्तेश्च, कारणम् हेतु उत्पादक इति यावत्, असि वर्तसे इत्यर्थः ।

उदाहरण का निर्देश करते हैं—मकर इत्यादि । कवि किसी राजा की स्तुति करता है—हे राजन् ! मकरों—ग्राहों—के समान बढ़े-बढ़े योद्धाओं से तथा रत्नों के तुल्य कवियों से युक्त तू, इस ससार में, अमृततुल्य कविता और चन्द्रतुल्य कीर्ति के कारण हो—अर्थात् अमृत जैसी कविता और चन्द्रमा के समान यश को उत्पन्न करते हो ।

उपपादयति—

अत्रोत्तरार्धे उपमितसमास एव, विशेषणसमासवेद्यस्य तादात्म्यस्य प्रकृतोऽनुपयोगात् । राज्ञो जलधेरुपमाशब्देनानभिहिताऽप्यङ्गोपमाभिराक्षिता प्रतीयते, इत्येकदेशविवर्तनादेकदेशविवर्तिनी ।

उपमितसमास इति । 'उपमित व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे' इति सूत्रकृत समास इत्यर्थः । विशेषणसमास इति । 'मयूरव्यसकादयश्च' इति सूत्रविहित समास इत्यर्थः । एकदेशविवर्तनादिति । एकदेशे ( अवयवे ) विवर्तनात्-स्वरूपगोपनेन अन्यथात्वेन वर्तनात्, अथवा एकदेशे विशेषण-स्फुटतया वर्तनादित्यर्थः । अधिकं रूपके स्फुटीभविष्यति । 'मकर—' इति पद्योत्तरार्धघटकयो 'कवितानृत-कीर्तिचन्द्रपदयो' 'कविता एव अनृत', 'कीर्तिरेव चन्द्र' इति विगृह्य विशेषणसमासोऽपि सम्भवति, परन्तु तथासमासे कविता-नृतयो' कीर्तिचन्द्रयोश्च यत्तादात्म्यम् ( अभेद ) प्रतीयेत, तस्य प्रकृते उपयोगो नास्ति, राजनि समुद्रतादात्म्यस्याविवक्षितत्वात्, अतः 'कविता अनृतमिव', 'कीर्ति चन्द्र इव' इत्येव विगृह्योपमितसमास एव तत्राश्रयणीयः । तथा च तयोस्तयो पदार्थयोरुपमायां प्रतीताया प्रथमार्धे स्पष्टयोश्च द्वयोरुपमयो, तद्वलात् राजसमुद्रयोरशाब्दोऽप्युपमालङ्कार आक्षिप्तः सन् अवगम्यत इत्युपयोगसिद्धिः । अत एव—अशविशेषे शब्दत कथितत्वात् अशविशेषे च अर्थतः प्रतीयमानत्वादेकदेशविवर्तिनीयनुपमा, अज्ञाच्चिन्तितभयोरुपमाविधानान् नावयवा चेति भावः ।

उपपादन करते हैं—अत्रोत्तरार्धे इत्यादि । 'मकर—' इस पद्य के उत्तरार्धगत 'कविता-नृत' और 'कीर्तिचन्द्र' पदों में विशेषणसमास ( 'मयूरव्यसकादयश्च' इस पाणिनिसूत्र-कृत समास को विशेषणसमास कहते हैं ) भी हो सकता था, यदनुसार कविता और अनृत में तथा कीर्ति और चन्द्र में तादात्म्य ( अभेद )—अर्थात् रूपकालङ्कार-प्रतीत होता, परन्तु उन पदार्थों के तादात्म्य का प्रस्तुत प्रसङ्ग में—अर्थात् कवि विवक्षित राज-समद्रोपमासिद्धि में—कोई उपयोग नहीं, प्रत्युत बाधकत्व ही सम्भव है, अतः उपमित-समास ( 'उपमित व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे' इस पाणिनिसूत्र से होने वाले समास को उपमितसमास कहते हैं ) ही मानना चाहिए—जिसका उक्त कविउद्देश्य की सिद्धि में उपयोग है । यहाँ राजा और समुद्र की उपमा, यद्यपि शब्दत उक्त नहीं है, तथापि महाभरतों की मकरों के साथ, कवियों की रत्नों के साथ, कविता की सुधा के साथ और कीर्ति की चन्द्र के साथ दी गई अद्भूत उपमाओं से आक्षिप्त होकर वह प्रतीत होती है, अतः एक देश ( एक भाग ) में अन्यथारूप से—अर्थात् गुप्तरूप से—प्रतीत होने के कारण यह एकदेशविवर्तिनी उपमा कही जाती है । साथ साथ सावयवा भी यह उपमा कही जाती है, क्योंकि अवयव और अवयवी अर्थात्—अद्भूत और अद्भूत-दोनों की उपमा यहाँ की गई है ।

पद्यमं भेदमुदाहर्तुमाह—

केवलश्लिष्टपरम्परिता यथा—

स्पष्टम् ।

केवल श्लिष्टपरम्परित उपमा, जैसे—

उदाहरण निर्दिश्यते—

'नगरान्तर्महीन्द्रस्य महेन्द्रमहितप्रियः ।

सुरालये खलु क्षीवा देवा इव विरेजिरे ॥'

कवि कथयति—महेन्द्रवत् इन्द्रवत्, नाहिता पूजिता, श्रीं नम्यतिर्दस्य, तस्य, महीन्द्रस्य राष्ट्रं, नगरान्तं नगरमध्ये, सुरालये सुराया मद्यस्य, प्रालये गृहे, सुगन्धाम् देवानाम्, आलये सुनेरौ च, क्षीवा-मत्ता, देवा, इव, खलु निश्चयेन, विरेजिरे शृंगु-भिरे इत्यर्थः ।



उदाहरण का निर्देश करते हैं—नगरा इत्यादि। कवि का कथन है—जिसकी सम्पत्ति इन्द्रसम्पत्ति की तरह सुपूजित है, उस महीपति के नगर के अन्तर्गत, 'सुरालय' (मदिरालय तथा देवों के आलय-सुमेरु) में, नशेवाज लोग, देवताओं की तरह शोभित होते थे।

उपपादयति—

अत्र श्लेषोपस्थापितेन सुमेरुणा मदिरागारस्योपमा क्षीबानां देवोपमाया उपाय इति श्लिष्टपरम्परिता, अन्योन्योपायतारूपस्यैव परम्परितत्वस्येह परिभाषणात्। मालारूपताविरहाच्च केवला।

मदिरागारस्योपमेति। सुरालये इति भावः। नन्वेवं श्लिष्टत्वेऽपि कथं परम्परितत्वमत आह—अन्योन्योपायतारूपस्यैवेति। परस्पोपायभावस्येति तदर्थः। अत्र 'सावयवानां परस्परसमर्थकत्वेऽपि नोपायता। ज्योत्स्नाया हसितत्वारोपं विनापि औज्वल्यादिना सीताया राकासाम्यसिद्धेः। इह तु मदिरागारेषु सुमेरुपमा विना क्षीबेषु देवोपमाया न किञ्चित्साधर्म्यम्। तरिमध्व तादृशसादृश्यप्रतीतिमूलाभेदमापन्न सुरालयवृत्तित्वमेव। तथा मदिरागारेषु सुमेरुपमायां च क्षीबेषु देवोपमा विना न साधारणधर्म इत्यन्योन्योपायता। अन्योन्याश्रयपरिहारस्तु रूपकप्रकरणे वक्ष्यते' इति नागेशः। 'सकलसिद्धे कल्पनामयत्वेन, कल्पनायाश्च स्वप्रतिभाधीनत्वात् शिल्पिभिः परस्परवद्वम्भमात्रस्थितिकाभिः शिलेष्टकाभिर्गृहविशेषनिर्माणञ्च नान्योन्याश्रयदोष' इति रूपकप्रकरणोक्त समाधान बोध्यम्। 'नगरान्तर्मही—' इति श्लोके निबद्धाया उपमाया श्लिष्टपरम्परितत्व नागेशविवरणेनैव स्पष्टम्, केवलत्वञ्च एकस्योपमेयस्यानेकोपमाननिर्देशात्मकमालारूपत्वाभावात् श्रवगन्तव्यम्।

उपपादन करते हैं—अत्र इत्यादि। 'नगरान्त—' इस पद्य में आये हुए 'सुरालय' पद का प्रासङ्गिक अर्थ है 'मद्यगृह'। परन्तु श्लेष के द्वारा उसी पद से 'सुरों का आलय-सुमेरु' अर्थ की भी उपस्थिति हो जाती है, अतः 'सुमेरु के समान मद्यगृह' इस तरह की श्लेषमूलक उपमा यहाँ भी सिद्ध होती है और यह उपमा ही प्रधान-नशेवाजों में देवताओं की उपमा का उपाय है—अर्थात् विना उस उपमा के नशेवाजों के साथ देवताओं की उपमा बन ही नहीं सकती। अतः इस उपमा को श्लिष्टपरम्परिता कहते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि—जहाँ श्लिष्टशब्दप्रतिपाद्य अर्थों की उपमा मुख्य उपमा की साधिका हो, वहाँ 'श्लिष्टपरम्परिता उपमा' होती है। यहाँ 'परम्परित' शब्द का परिभाषित अर्थ है 'एक दूसरे की उपमा का उपाय होना'—एक उपमा के विना दूसरी उपमा का न बन सकना। यहाँ नागेशजी ने अपनी ओर से कुछ सुन्दर विचार किया है, जिसका सारांश यह है—'यद्यपि 'सावयवा' उपमा में भी समर्थ्य समर्थकभाव रहता है—अर्थात् अङ्गभूत उपमायें मुख्य उपमा की और मुख्य उपमा अङ्गभूत उपमाओं की समर्थिका होती हैं, पर वहाँ उपायोपेयभाव नहीं होता—अर्थात् एक के विना भी दूसरी उपमा हो सकती है। जैसे—पूर्वोक्त 'ज्योत्स्नाभमञ्जुहसिता—' पद्य में हास की तुलना चन्द्रिका से न करने पर भी 'उज्ज्वलता' आदि प्रसिद्ध समान धर्म को लेकर सीता में पूर्णिमा की उपमा सिद्ध हो सकती है। परन्तु परम्परित उपमा में ऐसा नहीं हो सकता—वहाँ एक उपमा के विना दूसरी उपमा नहीं बन सकती। जैसे प्रकृत पद्य—'नगरान्तर्मही—' में मद्यगृह की तुलना सुमेरु से न करने पर नशेवाजों में देवताओं की उपमा नहीं दी जा सकती, क्योंकि नशेवाजों और देवताओं में कोई समान धर्म दृष्टिपथ में नहीं आता, और जब श्लेष के बल से मद्यगृह तथा सुमेरु में उपमा मान ली जाती है, तब उस एक में रहना ही देवताओं और

नशेवाजों का समानधर्म हो जाता है, इसी तरह मद्यगृह और सुमेरु का साधारण धर्म होता है देवताओं और नशेवाजों की उपमा। इस तरह से ये दोनों उपमायें परस्परा-पेक्ष हैं। यद्यपि इस स्थिति में अन्योन्याश्रय दोष की शङ्का हो जाती है, पर उसका परिहार रूपकालङ्कार के प्रकरण में स्वयं ग्रन्थकार करेंगे।” रूपकप्रकरण में अन्योन्या-श्रयपरिहार के लिये कहा गया है कि—काव्यजगत् की सभी बातें काव्यपत्रिक हुआ करती हैं और कल्पना कवि के अधीन है। तात्पर्य यह कि ठोस जगत् में भी अन्योन्याश्रय दोष है काव्यपत्रिक जगत् में नहीं। दूसरी बात यह कि—ठोस जगत् में भी कहीं कहीं अन्योन्याश्रय कुछ बिगाड़ नहीं पाता—जैसे अन्योन्याश्रित—केवल एक दूसरे पर अवलम्बित—होकर भी ईंटे और पत्थर के टुकड़े बड़े बड़े भवन तैयार कर देते हैं।

षष्ठ भेदसुदाहर्तुमाह—

मालारूपशिल्पपरम्परिता यथा—

स्पष्टम् ।

मालारूप शिल्पपरम्परित उपमा जैसे—

उदाहरण निर्दिश्यते—

‘महीभृतां खलु गणो रत्नसानुरिव स्थितः ।

त्व काव्ये वसुधाधीश वृषपर्वेव राजसे ॥’

कवि कथयति—हे वसुधाधीश राजन् । महीभृता पर्वततुल्याना राज्ञा, गणो समूहे, खलु निश्चयेन, रत्नसानु सुमेरु, इव, स्थित वर्तमान, त्व, काव्ये शुक्राचार्यकल्पकवित्व-विषये, वृषपर्वा दैत्यराज, इव, राजसे शोभते इत्यर्थ ।

उदाहरण का निर्देश करते हैं—महीभृताम् इत्यादि । कवि की उक्ति है—हे राजन् ! ‘महीभृतां’—पर्वत के तुल्य राजाओं—के समुदाय में सुमेरु की तरह स्थित आप, ‘काव्य’—शुक्राचार्य के तुल्य कवित्व—के विषय में वृषपर्वा—दानवों का एक प्रसिद्ध राजा—के समान शोभित होते हैं ।

उपपादयति—

अत्र श्लेषोपस्थिताभ्यां पर्वतशुक्राभ्या राजकाव्ययोरुपमे मेरुवृषपर्वभ्या राज उपमयोरुपायः ।

महीभृताम्—इति पद्ये ‘राजान पर्वता इव’, ‘त्व सुमेरुरिव’, ‘कवित्व शुक्राचार्य इव’ पुन ‘त्व दैत्यराज इव’ इति चतसृणामुपमाना माला, तत्र नृपकवित्ववाचकमहीभृत्-काव्य-पदगतामङ्गशब्दरलेषोपस्थापितपर्वतशुक्ररूपार्थाभ्या सह राजकवित्वयो ये द्वे उपमे प्रती-येते, ते सुमेरुदैत्यराजाभ्या सह वर्णनीयस्य राज उपमयो स्पष्टमुपवर्णितयोरुपायभूते, श्लेषमूलकोपमाभ्या विना साधारणधर्मास्फुरणेन सुमेरुदैत्यराजोपमयोरात्मलाभानम्भवात् । एवञ्चात्रत्योपमाया मालारूपशिल्पपरम्परितत्व स्पष्टमिति भावः ।

उपपादन करते हैं—अत्र इत्यादि । ‘महीभृताम्—’ इस पद्य में ‘महीभृत्’ और ‘काव्य’ पद शिल्प हैं, श्लेष के द्वारा अप्रकान्त पर्वत और शुक्राचार्य की उपस्थिति होती है, ऐसी स्थिति में श्लेषोपस्थापित वे अप्रकान्त अर्थ असम्भन्न न हो जायें, इसलिये ‘राजा पर्वत के समान’ और ‘कवित्व शुक्राचार्य के समान’ इस तरह की दो उपमायें मानी जाती हैं, ये दोनों उपमायें, सुमेरु और दैत्यराज के साथ दी गई राजा की दो उपमाओं को भिन्न करने वाला उपाय है, क्योंकि उन दोनों उपमाओं के विना साधारण धर्म की अनुपस्थिति में ये दोनों उपमायें घन नहीं सकतीं । अतः यह उपमा ‘शिल्प-परम्परिता’ कही जाती है, और एक से अधिक ( दो ) होने से ‘मालारूप’ ।

आशङ्क्य समाधत्ते—

नन्वत्र पर्वतानामिव राज्ञां शुक्र इव कवित्वे इत्येवंरूपा उपमा कथं प्रत्येतुं शक्या । उपमानोपमेयशब्दयोः पार्थक्याभावादिति चेत्, श्लेषे होकशब्दोपात्तत्वेन रूपेणाभेदाध्यवसानस्यैव तेनैव साधर्म्येण सादृश्याध्यवसानस्यापि सुवचत्वात्, तस्यैव च प्रकृते प्रयोज्योपमानुकूलत्वात् ।

अप्रत्यये हेतुमाह—उपमानोपमेयशब्दयोरिति । उत्तरयति—श्लेषे इति । तेनैवेति । एकशब्दोपात्तत्वेनेत्यर्थ । अभेदाध्यवसानमेव कुतो नाङ्गीक्रियत इत्यत आह—तस्यैव च इति उपमानोपमेययो पृथक्पृथक्शब्दाभ्यामुपस्थितावेवोपमा प्रतीयते । 'महीभृताम्—' इत्यत्र तु 'महीभृताम्' 'काव्ये' इति च श्लिष्ट एक एक एव शब्द श्रूयते, तथा च पर्वतराज्ञो शुक्रकवित्वयोश्चोपमा प्रत्येतुमशक्या, रूपकश्च प्रत्येतु शक्यम्, इति शङ्कादलस्याशय । श्लेषस्थले एकशब्दोपात्तत्वयुक्त्या यथा श्लिष्टयोरर्थयोरभेदोऽध्यवसीयते, तथैव एकशब्दोपात्तत्वेनैव साधर्म्येण श्लेषविषयीभूतयोरर्थयो सादृश्यमपि अध्यवसितुं योग्यम् । ततश्चैकशब्दोपात्तत्वात्मकसमानधर्मेण महीभृताम् ( पर्वताना राज्ञा च ) काव्यस्य (शुक्रस्य कवितायाश्च ) परस्परमुपमा प्रत्येतु शक्या । प्रसिद्धयनुरोधेन श्लिष्टयोरर्थयोरभेदमध्यवसायरूपकमेव कुतो नाङ्गीक्रियत इति तु न शक्य वक्तुम्, रूपकस्य 'रत्नसानुरिव' 'वृषपर्वेव' इति प्रधानोपमाप्रतिकूलत्वात्, उपमायाश्च तदनुकूलत्वात् । इत्यश्च यत्र रूपकमङ्गीभूतम् तत्राङ्गीभूतेषु श्लिष्टार्थेषु अभेदाध्यवसाय, यत्र पुनरुपमाऽङ्गीभूता तत्राङ्गीभूतेषु श्लिष्टार्थेषु सादृश्याध्यवसाय एवेति च समाधानाशय ।

एक शङ्का और उसका समाधान करते हैं—नन्वत्र इत्यादि । आप कहेंगे कि—'महीभृताम्—' इस पद्य में 'पर्वतों के समान राजे' और 'शुक्र के समान कवित्व' ये दोनों उपमायें नहीं बन सकतीं, क्योंकि वहाँ उपमा बनती है, जहाँ उपमान और उपमेय के बोधक पद पृथक् पृथक् उपात्त हों, यहाँ तो 'महीभृत्' और 'काव्य' ये एक एक शब्द ही क्रमशः पर्वत और राजा तथा शुक्र और कवित्व के बोधक हैं, अतः यहाँ इन श्लिष्ट अर्थों में परस्पर अभेद ही समझा जायगा और तदनुसार अलङ्कार बनेगा रूपक, न कि उपमा । तो इस आशङ्का का समाधान यह है कि जैसे एकशब्दोपात्तत्व ( एक शब्द से ज्ञात होने ) रूप युक्ति से श्लिष्ट अर्थों में अभेद आरोपित होता है, वैसे ही एकशब्दोपात्तत्वरूप समान धर्म के बल से उन ( श्लिष्ट ) अर्थों में परस्पर सादृश्य भी समझा जा सकता है, अतः 'महीभृत्' इस एक पद से उपात्त पर्वत और राजा में तथा 'काव्य' इस एक पद से अवगत शुक्र और कवित्व में सादृश्य ( उपमा ) मानने में कोई आपत्ति नहीं है, उन अर्थों में अभेद भी जब समझा जा सकता है, तब वही क्यों नहीं समझा जाय—अर्थात् रूपक ही क्यों नहीं माना जाय यह तर्क तो उपस्थित किया नहीं जा सकता, क्योंकि आगे जो 'राजा ( वर्णनीय वृषति ), सुमेरु और वृषपर्वा ( दैत्यराज ) के समान' ये दो मुख्य उपमायें स्पष्ट शब्दों में वर्णित हैं, उनके अनुकूल 'राजे पर्वतों के समान और कवित्व शुक्र के समान' ये उपमायें ही होती हैं 'राजारूप पर्वत और कवित्वरूप शुक्र' ये रूपक नहीं । तात्पर्य यह हुआ कि जहाँ अङ्गी ( प्रधान ) अलङ्कार भी रूपक ही हो, वहाँ, अङ्गीभूत श्लिष्ट अर्थों में भी अभेदारोप करके रूपक माना जाना चाहिये और जहाँ अङ्गी अलङ्कार उपमा हो, वहाँ अङ्गीभूत श्लिष्ट अर्थों में एकशब्दोपात्तत्वरूप साधारण धर्म के कारण उपमा ही मानी जाय यही उचित है ।

सप्तम भेदमुदाहर्तुमाह—

केवलशुद्धपरम्परिता यथा—

केवल न तु मालारूपा, शुद्धा न तु रिल्घा, परम्परिता-उपायोपेयभावयुक्ता उपमा ययेति भाव ।

केवलशुद्धपरम्परित उपमा जैसे ।

उदाहरण निर्दिश्यते—

‘राजा युधिष्ठिरो नान्ना सर्वधर्मसमाश्रय’ ।

द्रुमाणामिव लोकानां मधुमास इवाभवन् ॥’

कवि कथयति—सर्वधाम्, धर्माणाम्, समाश्रय रक्षक इति यावत्, नान्ना युधिष्ठिर युधिष्ठिरनामक इति भाव राजा प्रजाखञ्जे महाभारतप्रनिद्धो भूपतिः, द्रुमाणां तद्भागान्, इव, तत्सदृशानामिति यावत्, लोकानाम् जनानाम्, इत्ने इति श्लेष, मधुमानं चैत्रमानं, इव, अभवत् । यथा चैत्रे तरवः पुष्पिताः फलिनाश्च न्वग्निं तथा तत्राज्ये जनता सदा सन्वृद्धिमयी अतिशुद्धित्यर्थः । अत्र मालारूपताविग्रहात् केवलत्वम्, श्लेषाभावान्शुद्धत्वम्, अन्योन्योपायतात्पर्यान्परम्परित्वमिति बोध्यम् ।

उदाहरण का निर्देश करते हैं—राजा इत्यादि । कवि का कथन है—सब धर्मों का आश्रय ( रक्षक ) युधिष्ठिर नामधारी राजा, लोगों के लिये ऐसा था, जैसा तरुओं के लिये चैत्रमास—अर्थात् चैत्रमास के वृक्षों के समान उसके राज्य में सब लोग खूब फूलने-फलते ( सुखसन्वृद्धिमय ) थे । यहाँ ‘चैत्रमास’ और ‘युधिष्ठिर’ की उपमा के बिना ‘तरुओं’ और ‘लोगों’ की उपमा सिद्ध नहीं हो सकती, और न ‘तरुओं और लोगों’ की उपमा के बिना ‘चैत्र’ और ‘युधिष्ठिर’ की उपमा सिद्ध हो सकती है, अतः यह उपमा परम्परिता है, श्लेषरहित है, अतः शुद्धा है और उपमानों की माला नहीं है—एक ही उपमान है, अतः केवल है ।

अथ न भेदमुदाहरणम्—

मालारूपशुद्धपरम्परिता यथा—

स्पष्टम् ।

मालारूप शुद्धपरम्परित उपमा जैसे ।

उदाहरण निर्दिश्यते—

‘मृगतां हरयन्मध्ये वृक्षता च पटीरयन् ।

शुश्रुता सर्वभूपानां त्वमिन्द्रवसि भूतले ॥’

कवि कथयति—हे राजन्, मृगता मृगवदाचरता, सर्वभूतानां सर्वप्राणिनां मध्ये, हरयन् हरिं सिंह तद्वदाचरन्, वृक्षता वृक्षवदाचरता, सर्वभूतानां मध्ये, पटीरयन् पटीरचन्दन तद्वदाचरन्, त्वम्, शुश्रुतान् शुश्रुतागि तारा तद्वदाचरता, सर्वभूतानां मध्ये, भूतले इन्द्रवसि इन्द्रुरिवाचरसि इत्यर्थः । सर्वप्राणानि किन् । अत्रैकैक्य गजहस्तयोपमेयस्य इति वदुःसमाननिर्देशान्नलान्वम्, श्लेषाभावान्शुद्धत्वम्, परम्परिताद्योपेयभावान्परम्परित्वमिन्द्रवसिगन्तव्यम् ।

उदाहरण का निर्देश करते हैं—मृगताम् इत्यादि । कवि कहता है—हे राजन् ! इस सत्सार में यदि सब प्राणी मृगमदरा आचरण करते हैं तो आप उनमें सिंह के समान आचरण करते हैं, यदि वे वृक्ष के तुल्य आचरण करते हैं तो आप उनमें चन्दन के समान आचरण करते हैं, और यदि वे तारों के समान आचरण करते हैं तो आप उनमें अष्ट के समान आचरण करते हैं । यहाँ राजारूप उपमेय के लिये अनेक उपमानों का निर्देश किया गया है, अतः यह उपमा मालारूपा है, श्लेष न रहने के कारण शुद्धा है और परस्पर एक दूसरे की उपायभूत होने के कारण परम्परिता है ।

विशेषमाह—

उपमानयोः परस्परमुपमेययोश्चानुकूल्ये उपमयोरेषोपायता निरूपिता ।

पूर्वोक्तासु यासु परम्परितोपमासु परस्परोपायता प्रदर्शिता, तत्रोपमाद्वयाङ्गभूतमुपमानद्वयमुपमेयद्वयञ्चाविरोधि, परन्तु तयोर्विरुद्धत्वेऽपि उपमाद्वयस्योपायता मिथ्यं सम्भवतीति भावः ।

एक विशेष की चर्चा करते हैं—उपमानयोः इत्यादि । पूर्वोक्त जिन परम्परित उपमाओं में दो उपमाओं के परस्पर उपायभूत होने की बात कही गई है उनमें दोनों उपमाओं के उपमान उपमेय अनुकूल थे—अविरोधी थे, पर उनके परस्परविरोधी रहने पर भी उपमाओं में एक दूसरे का उपाय होना बन सकता है, अतः वैसी स्थिति में भी परम्परित उपमा हो सकती है ।

तथाविधमुदाहरण प्रदर्शयितुमाह—

प्रातिकूल्ये उपायता यथा—

उपमानोपमेययोः परस्पर विरुद्धत्वेऽपि उपमाद्वयस्य मिथ्यं उपायता यत्र भवति तादृशमुदाहरण प्रदर्शयति इति भावः ।

उपमान और उपमेय में परस्पर विरोध होने पर दो उपमाओं में जहाँ उपायोपेय भाव होता है, वैसा उदाहरण दिखलाया जाता है ।

उदाहरण निर्दिश्यते—

‘राजा दुर्योधनो नाम्ना सर्वसत्त्वभयङ्करः ।

दीपानामिव साधूनां ऋक्भावात् इवाभवत् ॥’

नाम्ना दुर्योधनं दुर्योधननामा, सर्वसत्त्वभयङ्करं सकलप्राणिभयजनकं राजा, साधूनाम् सज्जनानां, कृते तथा अभवत्, यथा दीपानां, कृते, ऋक्भावात् वृष्टिविक्रमो महावायुः, भवतीत्यर्थः ।

उदाहरण का निर्देश करते हैं—राजा इत्यादि । कवि कहता है—सब प्राणियों के लिये भयङ्कर दुर्योधन नामक राजा, सज्जनों के लिये वैसा ही था, जैसा प्रदीपों के लिये वृष्टि-मिश्रित विशकल वायु ।

उपपादयति—

अत्रोपमानयोर्दीपऋक्भावातयोरन्योन्यमुपमेययोश्च साधुदुर्योधनयोः प्रातिकूल्येऽप्युपमयोः परस्परमानुकूल्यादुपायतैव ।

‘राजा दुर्योधनो—’इत्यस्मिन् पद्ये द्वे उपमे—दीपसाध्वोरेका, ऋक्भावात्दुर्योधनयोश्च द्वितीया, तत्र द्वितीया मुख्या, प्रथमाऽङ्गभूता यद्यपि अनयोरुपमयोरुपमानभूतौ, दीपऋक्भावातौ एवम् उपमेयभूतौ साधुदुर्योधनौ परस्पर विरुद्धौ, तथापि तत्तदुपमानोपमेयकोपमाद्वयस्य परस्परमुपायता भवति, विरोधिद्वय-वर्गद्वयस्य सादृश्ययो विरोधाभावादिति भावः ।

उपपादन करते हैं—अत्रोपमान इत्यादि । ‘राजा दुर्योधनो—’ इस पद्य में दो उपमायें हैं—एक साधुओं की दीपों के साथ और दूसरी दुर्योधन की ऋक्भावात् के साथ । इन दोनों उपमाओं के उपमान—दीप और ऋक्भावात्, एवम् उपमेय—साधु और दुर्योधन यद्यपि परस्पर प्रतिकूल हैं—विरोधी हैं, तथापि इन विरोधी तत्त्वों को लेकर बनाई गई उक्त दोनों उपमाओं में अङ्गाङ्गिभाव और उपायोपेयभाव—अर्थात् एक दूसरे का उपाय होना—हो सकता है—होता भी है, क्योंकि उपमाओं में परस्पर विरोध नहीं है, प्रत्युत

अनुकूलता ही है। तात्पर्य यह कि 'जैसे मोहन, मोहन का विरोधी है वैसे राघव, माधव का विरोधी है' ऐसा कहने पर उन सादृश्य वाले पदार्थों में भले ही विरोध प्रतीत हो, पर उन दोनों सादृश्यों में तो कोई विरोध देख पड़ता नहीं, प्रत्युत बाधार की समानता के कारण अनुकूलता ही शकती है, उन्नी तरह यहाँ भी समझना चाहिए।

प्रागुदाहृता प्रातिकूल्ये केवलपरम्परितोपना इदानीं मालारूपा वा प्रातिकूल्ये उदाह्रियते—

एवम्—

‘सरोजतामथ सतां शिशिरर्तषताधुना ।  
दर्भतां सर्वधर्माणा राज्ञानेन विद्भितम् ॥’

इत्यादौ मालारूपनायामपि ।

एवमिति । पूर्वोक्तरीत्यैवेत्यर्थः । अथ च ‘मालारूपतायामपि’ इत्यस्याने शेषमूले ‘प्रातिकूल्ये उपायता’ इत्यत्रान्वयः । सरोजतामिति । मूलवदाचरता मता मध्ये शिशिर-तुवदाचरतानेन राजा दर्भवदाचरता सर्वधर्माणा मध्ये विद्भितदेशवदाचरितनित्यर्थः । विद्भिते च यदा दर्भा न प्ररोहन्ति तथास्मिन् राज्ञि धर्मा न प्ररोहन्तीति भावः । अत्रेकस्य राज-उपनेयस्य स्वभावत्पट्टीकरणाद्योपमानद्वयनिदेशात् मालारूपत्वमुपनाया, सरोजनिशिरसौ सज्जनृपयोश्च प्रातिकूल्येऽपि उपायतानत्वात् परम्परितत्वम्, रतेपानावात् शुद्धत्वमेति बोध्यम् ।

प्रातिकूल्य में भी परस्पर उपायोपेयभाव वाली मालारूप शुद्धपरम्परितोपना का उदाहरण दिखला रहे है—एवम् इति । ‘राजा दुर्योधने—’ हम पद्य में जैसे उपमान से उपमान की और उपमेय से उपमेय की प्रतिकूलता रहने पर भी परम्परित उपमा मानी गई है, उसी तरह ‘सरोजनाम्—’ अर्थात् कमलों के समान आचरण करनेवाले मजनों के मध्य में शिशिरजल के तुल्य आचरण करनेवाले इस राजा ने, इस समय, दर्भ (कुशा) के समान आचरण करने वाले सब धर्मो के मध्य में, विद्भित देश (जहाँ दर्भ नहीं बढ़ुरित होते) के समान आचरण किया है। इत्यादिक मालारूप उपमाओं में भी वही बात-उपमान ने उपमान की और उपमेय से उपमेय की प्रतिकूलता है। तात्पर्य यह कि प्रतिकूलता में पहला उदाहरण शुद्ध केवल परम्परिता का है और दूसरा मालारूप शुद्धपरम्परिता का।

उपनाया भेदान्तर विज्ञोति—

उपमेयाना स्वस्वोपमानानुपमानानानुपमानतायां रज्ञोपमा ।

स्वस्वोपमानानुपमानानामिति । एतद्योपमेयोपनायामतिव्यापितिरानाम् । तत्रोपमेय स्वोपमानस्वैवोपमानं भवतीति स्वोपमानानुपमानत्वमिति तन्मन्वाज्यस्य नानि-व्याप्तिः । यत्र द्विद्विदुपमेय स्वोपमानमित्यस्य कस्यचित् पदार्थस्योपमानं भवति, तत्र रज्ञोपमा । नाय मिलोऽन्तर, नामान्दलज्जाकान्तदयोपमाना एव प्रमेद इति भावः ।

उपमा का हो एक अभिनव प्रमेद विचलाने के लिये पहले उस प्रमेद के योग्य न्यति का स्पर्शकरण करते हैं—उपमेयानाम् इत्यादि। जब कोई उपमेय अपने उपमान ने निश्च किन्नी पदार्थ का उपमान बन जाय, तब उस उपमा को ‘रज्ञोपमा’ कहते हैं। यहाँ ‘अपने उपमान ने निश्च किन्नी पदार्थ का’ ऐसा कथन ‘उपमेयोपमा में अतिव्याप्ति दोष के निराकरणार्थ है, क्योंकि उपमेयोपमा में भी उपमेय, उपमान बनता है, पर अपने उपमान का ही, यह समझना चाहिए।

रशनोपमासुदाहर्तुमाह—

यथा—

स्पष्टम् ।

रशनोपमा जैसे ।

उदाहरण निर्दिश्यते—

‘वागिव मधुरा मूर्तिर्मूर्तिरिवात्यन्तनिर्मला कीर्तिः ।

कीर्तिरिव जगति सर्वस्तवनीया मतिरमुष्य विभोः ॥’

कवि कमपि राजानं स्तौति—अमुष्य अस्य, विभो राज्ञ, मूर्ति शरीर, वागिव वाणीवत्, मधुरा, वाचि माधुर्यं सरसत्वम्, मूर्तौ च तत् सौन्दर्यमिति विवेकः, कीर्ति यशः, मूर्तिरिव, अत्यन्तनिर्मला नितान्तविमला, जगति ससारे, सर्वैः स्तवनीया स्तुत्य प्रशसनीयेति यावत्, मति बुद्धि, कीर्तिरिव, वर्तत इति शेषः । अस्य राज्ञो वाङ्मूर्तिः कीर्तिमतिषु उत्तरमुत्तर प्रति पूर्वं पूर्वमुपमानभूतमिति भावः ।

उदाहरण का निर्देश करते हैं—वागिव इत्यादि । किसी राजा की प्रशंसा में कवि का कथन है—इस राजा की जैसी मधुर वाणी है वैसी ही मधुर मूर्ति (शरीर) और जैसी निर्मल मूर्ति है वैसी ही निर्मल कीर्ति, एवं जैसी संसार में सर्वस्तुत्य इसकी कीर्ति है वैसी ही इसकी बुद्धि भी सर्वस्तुत्य है ।

पूर्वोदाहरणगत विशेषमाह—

इयं धर्मभेदे ।

उत्तरशनोपमोदाहरणे माधुर्यनिर्मलत्वादयः साधारणधर्मा मिथो भिन्ना इति भावः ।

भिन्न-भिन्न साधारण धर्म के रहने पर उक्त उदाहरण में रशनोपमा हुई है ।

धर्मैक्ये रशनोपमासुदाहर्तुमाह—

धर्मैक्ये तु—

सप्तम्यर्थस्याग्रिमपद्येन सम्बन्धः । तुना पूर्वव्यवच्छेदः ।

साधारण धर्म के एक रहने पर तो ।

उदाहरण निर्दिश्यते—

‘भूधरा इव मत्तेभा मत्तेभा इव सूनवः ।

सुता इव भटास्तस्य परमोन्नतविग्रहाः ॥’

कवि स्वाभिमत कमपि नरपतिं स्तौति—तस्य राज्ञ, भूधरा पर्वता इव, मत्तेभा मदमत्ता गजा, मत्तेभा, इव, सूनव पुत्रा, सुता पुत्रा, इव, भटा योद्धार, परमोन्नत-विग्रहा अतिविशालदेहा सन्तीत्यर्थः । अत्र परमोन्नतविग्रहत्वमेक एव तिस्रषु उपमासु साधारणो धर्मः ।

उदाहरण का निर्देश करते हैं—भूधरा इव इत्यादि । कवि किसी राजा की स्तुति करता है—उस राजा के पर्वतों के समान मदमत्त हाथी, मदमत्त हाथियों के समान पुत्र और पुत्रों के समान योद्धागण, अति विशाल काय वाले हैं । यहाँ एक, ‘विशाल काय होना’ ही तीनों उपमाओं में साधारण धर्म है ।

रशनोपमा धर्मलुप्तसुदाहर्तुमाह—

धर्मलोपे तु तस्येत्यस्यानन्तरम् ‘भटा इव युधि प्रजाः’ इति बोध्यम् ।

‘भूधरा इव—’ इति पद्ये ‘तस्य’ इत्यस्याग्रे ‘योद्धार इव युद्धे प्रजाः-जनताः-मन्ती’-

त्यर्थके 'भटा इव युधि प्रजा' इति पाठे समाश्रिते तदेव पद्य धर्मलुप्ताया रशनोपमाया उदाहरण सम्पद्यत इति भावः ।

धर्मलुप्ता रशनोपमा के उदाहरण दिखलाने के लिये कहते हैं—धर्मलोपे इत्यादि । 'भूधरा इव—' इसी पद्य में 'तस्य' के भागे यदि 'भटा इव युधि प्रजा.—अर्थात् योद्धानों के ही समान युद्ध में प्रजाएँ हैं' ऐसा पाठ कर दिया जाय तो वही पद्य धर्मलुप्ता रशनोपमा का उदाहरण समझा जायगा ।

उपसहरति—

इयमेवभेदा प्राचीनैर्भेदैर्गुणने वागगोचर भूमानं भजमाना नेयत्तामर्ह-  
तीति दिक् ।

इयनिति । उपमेत्यर्थः । वागगोचर वाचा प्रतिपादयितुमनर्हम् । भूमानम् अति-  
शयम् भजमाना आत्तादयन्ती । मदुक्तानामभिनवाना भेदाना प्राचीनोक्तैर्भेदैः सह गुणने  
उपमाया इयन्तो भेदा भवेयुर्गोपामियत्तया परिच्छेद कर्तुमशक्य इति भावः ।

उपसहार करते हैं—इयम् इत्यादि । इस तरह इन अभिनव भेदों का प्राचीन भेदों  
के साथ गुणा करने पर उपमा के इतने अधिक भेद हो जाते हैं कि—उनको कहा नहीं जा  
सकता, अत एव उनकी इयत्ता—निश्चितसख्या—असभव है ।

उपमाया ध्वनित्वमाह—

एषैव च यदा सकलेन वाक्येन प्राधान्येन ध्वन्यते तदा परिहृतालङ्कार-  
भावा ध्वनिव्यपदेशहेतुः ।

एषैव उपमैव । प्राधान्येनेति । एतेन गौणतया ध्वनने न ध्वनिव्यपदेशहेतुरपि तु  
व्यङ्ग्यालङ्कार एवेति सूचितम् । यदेयमुपमा सम्पूर्णवाक्यस्य प्रधानभूतो व्यङ्ग्यार्थो भवति,  
तदाऽलङ्कारत्व तत्र न तिष्ठति, प्रधानत्वेन तस्य स्वयमलङ्कार्यत्वात् । अपि च प्रधानतया  
यस्मिन् काव्ये ध्वन्यते सा, तत्काव्ये तामेव ध्वन्यमानामुपमामादाय ध्वनिनामक्तोत्त-  
मकाव्यत्वेन व्यपदिश्यत इति भावः ।

अब उपमा ध्वनि का विचार करते हैं—एषैव च इत्यादि । यही उपमा जब सम्पूर्ण  
वाक्य से प्रधानरूप में ध्वनित होती है तब उसकी अलङ्कारता नष्ट हो जाती है—अर्थात्  
वह अलङ्कार नहीं रह जाता है और काव्य के 'ध्वनि' (उत्तमोत्तम) कहे जाने का  
कारण हो जाती है । तात्पर्य यह हुआ कि उपमा जब वाच्य रहती है तब वह वाच्या-  
लङ्कार कहलाती है और जब उपमा गौणरूप में व्यङ्ग्य होती है तब व्यङ्ग्य अलङ्कार  
कहलाती है, साथ-साथ वह काव्य—जिसमें इन दोनों प्रकारों में से किसी एक प्रकार  
की उपमा रहती है—'चित्र-काव्य' कहलाता है । परन्तु जब प्रधानरूप में सम्पूर्ण वाक्य  
से उपमा ध्वनित होती है, तब उसको अलङ्कार नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अलङ्कार  
का मतलब होता है दूररे (प्रधान) को अलङ्कृत करने वाला स्वयं गौण, और इस  
तरह की उपमा से युक्त काव्य 'चित्र' न कहलाकर 'ध्वनि' कहलाता है, उर्मा उपमा के  
बल पर, चाहे अन्य कोई वस्तु या रस आदि न भी ध्वनित होता हो ।

ननु ध्वन्यमानायानपि उपमायाम् 'अलङ्कारध्वनि' इति रीत्याऽलङ्कारव्यवहारे भवति  
नोऽनुना इय मन्च्छनामित्यत आह—

अस्यां चालङ्कारव्यपदेशः कदाप्यलङ्कारभावमप्राप्तेषु मञ्जूपादिगतेषु कट-  
कादिष्विवालाङ्काराणागतधर्ममात्रस्पर्शनिबन्धनः ।

धर्ममात्रेति । उपमान्वेत्यर्थः । मात्रपदेनालङ्कारत्वव्यवच्छेदः । यानि कदाचिन्नि-  
रुदापि कामिनीकाव्यरत्नेपनीभाष्ये नापु-विज्ञेयतया वणिम् मञ्जूपादानेव गुरक्षितानि,



तेष्वलङ्कारणक्रियाशून्येष्वपि कट्टकादिषु यथा कामिनीकायगतालङ्कारणक्रियाविशिष्टकट्टकादि-  
वर्तिकट्टकत्वधर्मस्य सत्त्वेनालङ्कारव्यवहारस्तथैव या उपमा प्राधान्येन ध्वन्यमानैव,  
अत एवालङ्कृतिकरणताशून्या, तस्यामपि, अलङ्कृतिकरणताविशिष्टवाच्योपमागतोप-  
मात्वधर्मविशिष्टत्वेन स्वरूपयोग्यतया कथंचिदलङ्कारव्यवहार इति भावः । प्राचीनास्त्वत्र  
'ब्राह्मणश्रमणन्यायेनालङ्कारव्यपदेश' साधयामासु परन्तु तदुचितं न प्रतिभाति, स्थल  
भेदेनोपमादेर्भिन्नतया प्राधान्येन ध्वन्यमानस्योपमादे प्रागप्यलङ्कारत्वाभावात् तन्न्याय-  
स्याप्रसक्ते ।

प्रधानरूप में ध्वनित होनेवाले उपमा आदि में 'अलङ्कार' शब्द से व्यवहार होने  
का कारण बतलाते हैं—अस्यां च इत्यादि । प्रधानरूप में ध्वनित होनेवाले उपमादिक,  
किसी को अलङ्कृत नहीं करते, अतः वैसे उपमादिकों को अलङ्कार कहना—'अलङ्कार-  
ध्वनि' शब्द से उनका व्यवहार करना—यद्यपि उचित नहीं है, तथापि जैसे कभी आभूषण  
के काम में नहीं लाये गये—केवल सम्पत्ति के रूप में अथवा बेचने के लिये तिजोरी में  
बन्द करके रक्खे गये 'कढ़े' आदि में—वस्तुतः आभूषण के रूप में धारण किये गये  
'कढ़े' आदि के धर्म (कढ़ा का आकार-प्रकार) से युक्त होने के कारण—'कढ़ा' का  
व्यवहार होता है, उसी तरह कभी किसी को अलङ्कृत नहीं करने वाले उपमादिकों में  
भी, वस्तुतः अलङ्कृत करनेवाले उपमादिकों के धर्म (उपमात्व) से युक्त होने के  
कारण अलङ्कार का व्यवहार होता है । प्राचीनों ने तो ऐसी स्थिति में 'ब्राह्मणश्रम-  
न्याय' से अलङ्कारव्यवहार को सिद्ध किया है जिसका अभिप्राय यह है कि—जैसे श्रम  
(सन्यासी) की कोई जाति नहीं होती, फिर भी ब्राह्मणकुल से सन्यास ग्रहण करने  
कारण, पूर्वकालिक ब्राह्मणत्व को लेकर उसको 'ब्राह्मणश्रमण' कहा जाता है, उसी त  
प्राधान्येन ध्वन्यमानतादशा में अलङ्कार न होने पर भी पूर्वकालिक अलङ्कारभाव  
लेकर उस दशा में भी उपमा आदि को अलङ्कार कहा जाता है, परन्तु यह बात सही  
नहीं प्रतीति होती, क्योंकि कभी (पूर्व में) ब्राह्मण रहने पर ही सन्यासावस्था में  
उसको ब्राह्मण कहा जाता है, यहाँ तो वैसी बात नहीं है—अर्थात् जब स्थल के भेद  
उपमा (सादृश्य) आदि भिन्न भिन्न माना जाता है—तब जो उपमा आदि प्रधानरूप  
ध्वनित होता है, वह कभी अलङ्कार नहीं रहा—पहले भी किसी को अलङ्कृत नहीं किया  
फिर यहाँ 'ब्राह्मणश्रमण' वाला न्याय प्राप्त ही कहाँ होता है ?

उपमाध्वनि विभजते—

कचिदसौ शब्दशक्तिमूलानुध्वननविषयः । कचिदर्थशक्तिमूलानुध्वनन  
विषयः ।

उपमाध्वनिर्द्विविध—शब्दशक्तिमूलानुरणनरूप एक, अर्थशक्तिमूलानुरणनरूपश्च द्वितीय  
अनुरणनरूपत्वकथनेनास्य ध्वने सलक्ष्यक्रमता प्रतिपाद्यते । शब्दशक्तिमूलत्वञ्च शब्दान  
परिवृत्यसहत्वात्, अर्थशक्तिमूलत्वञ्च तेषा तत्सहत्वादिति भावः ।

उपमाध्वनि का विभाग करते हैं—कचित् इत्यादि । उपमा की ध्वनि दो प्रकार की  
होती है—एक शब्दशक्तिमूलक और दूसरी अर्थशक्तिमूलक—अर्थात् जहाँ शब्द ऐसे हों  
जिनके स्थान पर पर्यायवाची दूसरे शब्दों का निवेश कर देने पर उपमा की ध्वनि न  
हो सके, वहाँ शब्दशक्तिमूलक और जहाँ शब्दों को पर्यायवाची अन्य शब्दों से परिवर्तित  
कर देने पर भी उपमा ध्वनित हो सके वहाँ अर्थशक्तिमूलक उपमाध्वनि होती है । ये  
दोनों ही ध्वनियाँ अनुध्वनन-अनुरणनरूप कही जाती हैं, क्योंकि इन ध्वनियों में  
च्यङ्गय्यञ्जक का क्रम उसी तरह लक्षित होता रहता है जिस तरह ध्वनि प्रतिध्वनि का  
अतएव इस तरह की ध्वनियों को संलक्ष्यक्रम भी कहते हैं ।

प्रथमं प्रकारनुदाहर्तुनाह—

आद्यो यथा—

शब्दशक्तिमूलकोरमाध्वनिर्दयेति भाव ।

पहली—शब्दशक्तिमूलक—उपमाध्वनि, जैसे—

उदाहरण निर्दिश्यते—

‘अविरलविगलदानोदकधारासारसिक्कधरणितल ।  
धनदात्रमहितमूर्तिर्जयतितरां नार्वभौमोऽयम् ॥’

अथ क्वपि राजान स्तौति—अविरलं मततम्, विगलना पतता, दानोदकस्य दानो-  
द्देश्यकमद्भ्यजलस्य, धारायाः, आनारेण वर्षणेन, (‘धारामन्नात आमार’ इति कोशा-  
नुसारमानारपदनैव गतार्थतया ‘धारा पदमनर्पकमिति केचित्, ‘मति विशेषणवाचक-  
पदमभवधाने विशिष्टवाचकपदाना विशेषमात्रपरत्वम्’ इति न्यायेन ‘नर्वाचक’—’ इति  
कालिदानप्रयोगवत् धारापदं नार्पकमित्यन्ते ) सिक्कमात्रोद्धृत, धरणितलम् धरातल, येन  
तादृशं, तथा धनदाना वनदायकाना धनिकजनानाम्, अत्रे, महिता पूजिता—नर्वाधिकशब्द-  
त्वेन प्रशान्ति-मूर्ति स्वरूपं द्रव्य, तथाविधश्च, अत्रं अविमनोगत, नार्वभौम सर्वभूमेश्वर  
चक्रवर्तीति यावत्, जयतितराम् नितान्त नर्वोत्क्रेषं वर्तते इति प्राकरणिकोऽर्थः । अविरलं  
गलना, दानोदकधारानारेण मदजलवृष्टया, निलं धरणितल येन, तादृज तथा धनस्य  
कुत्रेत्स्य, अत्रे महिता मूर्तिर्यस्य, तादृशश्च, अयं नार्वभौम उदग्दिग्गज, जयतितराम्,  
इति चात्राकरणिकोऽर्थः । अत्रानेकार्यकाना दान धनद नार्वभौमादिपदानमभिधा यद्यपि  
प्रकरणेन राजपञ्चायेषु निरन्त्रिता, अतो दिग्गजपञ्चायोऽप्यो न वान्य, तयानि व्यञ्ज्या  
नोऽर्थो भवत्येवावगत । एवंप्राहृतोऽर्थोऽन्वदो ना भूदिति राजदिग्गज्योरपमा  
कन्त्यत इति शब्दशक्तिमूलोपमाध्वनिरत्र निध्यताति भाव ।

उदाहरण का निर्देश करते हैं—अविरल इत्यादि । कवि का कथन है—जिसने  
निरन्तर गिरते हुए दानजल ( मद्भ्यज के जल ) की धारावाहिक वृष्टि से धरातल को  
सिक्क कर दिया है और जिसका स्वरूप धनदायकों के आगे पूजित है—प्रशस्त है—ऐसा  
यह नार्वभौम ( समग्र पृथ्वी का अधिपति ) सर्वोत्कृष्ट है और—जिसने मतत गिरते  
हुए मद जल ( दानवारि ) की धारावाहिक वृष्टि से पृथ्वीतल को आर्द्र कर दिया है  
तथा जिसकी मूर्ति ( स्वरूप ) कुत्रे के आगे पूजा-प्रशामा-पार्ता है, ऐसा यह नार्व-  
भौम ( उत्तर दिशा का दिग्गज ) सब से परमोत्कृष्ट है । यहाँ ‘प्रकरण’ ( एक  
अभिधानियामक ) से ‘दान धनद-नार्वभौम’-आदि पदों की शक्ति राजपञ्चीय अर्थों में  
नियन्त्रित हो गई है, अतः प्रथम ( राजपञ्चीय ) अर्थ ही वाच्य होता है परन्तु दूसरा  
( दिग्गजपञ्चीय ) अर्थ भी शाब्दी व्यञ्जना से ज्ञान होता है । इन स्थिति में द्वितीय  
वस्तुतः अर्थ का बोधक पद्य नहीं समझा जाय, इमल्लिने ‘दिग्गज के समान राजा’ यह  
उपमा अल्टार भी व्यञ्जना से अवगत होने वाला नाना जाता है । इन तरह से  
शब्दशक्तिमूलक उपमाध्वनि का यह पद्य उदाहरण होता है ।

उपमाध्वनेरदाहरणान्तर निर्देष्टुमाह—

यथा वा—

उपमाध्वनेरदाहरणान्तरं यदेत्यर्थः ।

अथवा जैसे ।

उदाहरण निर्दिश्यते—

‘विमलतरमतिगभीरं सुपवित्रं सतत्त्ववत्सुरसम् ।  
हंसावासस्थानं मानसमिह शोभते नितराम् ॥’

कवि कथयति—विमलतरम् कामक्रोधादिराहित्येनातिस्वच्छम्, अतिगभीरम् प्रबल धैर्यसयुक्तम्, सुपवित्रम् कुवासनाहीनम्, सतत्त्ववत् बलवत्, सुरसम् शृङ्गारादिनवविध-रसपेशलम्, हंसावासस्थानम् परमात्मस्थितिस्थानम्, मानसम् मनः, इह जगति, नितरा सर्वथा, शोभते शोभामधिगच्छतीति प्राकरणिकोऽर्थः । विमलतरम् पङ्कादिरहितम्, अतिगभीरम् पातालतलचुम्बि, सुपवित्रम् बाह्यविकारहीनम्, सतत्त्ववत् जलजन्तुभि-सहितम्, सुरसम् शोभनसलिलम्, हंसावासस्थानम् नानाविधराजहंसाश्रयीभूतम्, मान-सम् तन्नामकं सर, इह जगति, नितरामत्यन्तम्, शोभत इति चाप्राकरणिकोऽर्थः ।

उदाहरण का निर्देश करते हैं—विमल इत्यादि । कवि का कथन है—अत्यन्त निर्मल ( क्रोध आदि से शून्य ), अत्यन्त गभीर ( धैर्ययुक्त ) अतिपवित्र, बलशाली, रसिक और परमात्मा का निवासस्थान मन, इस संसार में अत्यन्त शोभित होता है—यह प्राकरणिक अर्थ और—अत्यन्त निर्मल ( पङ्क आदि से रहित ) अत्यन्त गहरे, अत्यन्त पवित्र, प्राणियों ( जलजन्तुओं ) से युक्त, सुन्दर जल वाले और राजहंसों का निवासस्थान मानससरोवर इस संसार में अत्यन्त शोभित होता है—यह है अप्राकरणिक अर्थ ।

उपपादयति—

अत्रानेकार्थानामपि शब्दानां प्रकरणेन कृतेऽपि शक्तिसङ्कोचे तन्मूलकेन ध्वननेन प्रतीयमानस्य, सरोवररूपस्यार्थान्तरस्याप्रस्तुतस्याभिधानं मा भूदिति प्रकृताप्रकृतयोरुपमानोपमेयभावः प्रधानवाक्यार्थतया कल्प्यते ।

अत्रेति । विमलतरमित्यादिपद्ये इत्यर्थः । अत्र ‘उदाहरणद्वये’ इति नागेशटीका न सङ्गता, अत्रे ‘सरोवररूपस्यार्थान्तरस्य’ इति स्पष्टमभिधानात् । ‘विमलतरम्—’ इति पद्ये क्रियापदमपहाय सर्वे शब्दा द्वयर्थका । परन्तु मनोवर्णनप्रकरणे पद्यमिदमुक्तम्, अतस्त-दनुकूलेष्वर्थेषु तेषां शब्दानां वाचकताशक्ति प्रकरणबलाक्षियम्येत । तथा च तत्पक्षीय एवार्थो वाच्य सरोवरपक्षीयश्चार्थः शब्दशक्तिमूलकव्यञ्जनया बोध्यः । असम्बद्धतया तद्दोषोऽसङ्गतो न भवतु इति सरोवरमनसोरुपमा व्यज्यत इति शब्दशक्तिमूलकोपमाध्वनि-रत्रेति भावः ।

उपपादन करते हैं—अत्र इत्यादि । ‘विमलतरम्—’ इस पद्य के सभी पद प्रायः अनेकार्थक हैं, पर प्रकरण है यहाँ मन का, अतः मन-पक्षीय अर्थ में, उन पदों की शक्ति, प्रकरण के द्वारा, नियन्त्रित हो जाती है, जिससे वाच्यवृत्ति के द्वारा मन-पक्षीय अर्थ ही अवगत होता है, किन्तु शाब्दी व्यञ्जना से सरोवरपक्षीय अर्थ का ज्ञान भी होता है—वह भी रोका नहीं जा सकता । इस स्थिति में सरोवरपक्षीय अर्थ के बोधक होने के कारण यह पद्य असम्बद्ध अर्थ का प्रतिपादक नहीं समझा जाय इस भय से उन दोनों ( सरोवर और मन ) अर्थों में उपमान-उपमेय-भाव की कल्पना की जाती है, अतः यह भी पद्य शब्दशक्तिमूलक उपमाध्वनि का उदाहरण होता है ।

द्वितीय प्रकारमुदाहर्तुमाह—

द्वितीयो यथा—

अर्थशक्तिमूलकोपमाध्वनिर्यथेत्यर्थः ।

अर्थशक्तिमूलक उपमाध्वनि, जैसे—

उदाहरण निर्दिश्यते—

‘अद्वितीयं रुचात्मानं दृष्ट्वा किं चन्द्रं दृष्यसि ।  
भूमण्डलमिदं सर्वं केन वा परिशोधितम् ॥’

अन्तःपुरमात्रमद्वारिण्या सुप्रमागालिन्या निजप्रेयस्या मुखनालोक्य बहिरागतस्य  
कन्यचित् पुन चन्द्रमसं प्रत्युक्ति—‘चन्द्र’ रत्ना कान्त्या, अद्वितीयं निरूपणम्,  
आत्मानं, दृष्ट्वा इत्या ( ज्ञानमानान्द्वार्यकोऽत्र इति ), किं, दृष्यसि गर्वमहम्बन्धि ? तत्र  
तव गर्वानुभव मनुवित इति भाव । तत्र हेतुनाह—भूमण्डलमित्यादिना । केन जनेन,  
( वागव्यो हेतुपर ) इव, र्वम्, भूमण्डलम्, परिशोधितम् गवेपितम् ( न केनातीति  
भाव । तथा च मन्त्रग्राम्यपरिशोधितेऽत्र मनारे तथाविधमपि वन्तु लब्धुं शक्यम्,  
यनवोपनानता भजेतेति भाव । अत्रैवान्तःपुरे वर्तमानाया मन प्रियतमाया आनन तव  
तुला विभर्तीति तात्पर्यम् ।

उदाहरण का निर्देश करते हैं—अद्वितीयम् इत्यादि । सदा अन्तःपुर में ही रहने  
वाली अपनी परमसुन्दरी प्रेयसी के मुख को देखकर बाहर निकले हुए किसी पुरुष की  
चन्द्रमा के प्रति उक्ति है कि—हे चन्द्र ! तुम कान्ति के कारण अपने को अद्वितीय समझ  
कर क्या गर्व कर रहे हो ? किसने इस समग्र पृथ्वीमण्डल को टूटा है ?—इस अनन्त  
पृथ्वीमण्डल में एक से एक सुन्दर वस्तु है, कहीं तुम से सुन्दर वस्तु मिल सकती है ।  
तात्पर्य यह कि यहीं अन्तःपुर में रहने वाली मेरी प्रियतमा का मुख तुम ने कहीं ढककर  
सुन्दर है ।

उपपादयति—

अत्र मूढादिपदाप्रयोगादसूयादेरप्रत्ययान्तुल्यतयोपमैव व्यङ्ग्या ।

अत्रेति । ‘अद्वितीयम्’ इति मूढादिपदाघटिते पद्ये इत्यर्थः । असूयादेरप्रत्ययादिनि ।  
असूयादिभावानभिधत्तेरित्यर्थः । अत्र ‘अत्र मूढादिपदाप्रयोगेऽपि किं चन्द्रं दृष्यस्य-  
जेपेणासूया व्यङ्ग्या न वेति ननुदर्थैर्विभाव्यम्’ इति नागे । विरहिण उक्तौ मूढादिपदा-  
प्रयोगेऽपि असूयाऽभिधत्तुम् शक्या, उदाहरणं चन्द्रं प्रति विरहितोऽन्त्यामन्भवत् ।  
परमिदं पद्यं न विरहिण उक्तिरपि तु कान्तासत्त्वत्वेति क्वमिदमन्त्याभिधत्तिसन्भावना ?  
तन्मात्रं नादिकान्ते चन्द्रोपमानभाव एवा वन्तुमिद्रेत तथा दोषमेवात्र प्रशान्त्ययेति  
दुत्तमुच्यमानि । प्रागपि पद्यमिदमस्मिन्नेव प्रकरणे उदाहरणम्, परन्तु तत्र मूढपद  
प्रयुक्तम् । विरहिणोऽस्मिन्पदादिना, अन्तःपुराया प्रशान्त्यया, उरला चाभिधत्त-  
मानापि अन्त्योपकारिकं अलङ्कारत्वात् । अत्र तु मूढपदं न प्रयुक्तं संयोगिनोक्ति-  
स्वादिना, अतो नत्रामूयाऽभिधत्तिः, किन्तु उरमेव प्रशान्त्यया । केन पद्यमिदमस्यंगमि-  
नूलोचनाधनेऽदाहरणं मन्ययत इति भावः ।

उपपादन करते हैं—अत्र इत्यादि । इसी प्रकरण में यह पद्य पहले भी उदाहरण  
हो चुका है, पर वहाँ ‘मूढ’ पद का प्रयोग हुआ है और विरही की उक्ति मानी गई है,  
अतः वहाँ ‘असूया’ मुख्य व्यङ्ग्य होती है जिसको व्यङ्ग्य उपमा अलङ्कार करती है,  
अतः वह पद्य व्यङ्ग्य उपमा अलङ्कार का उदाहरण करा गया है । किन्तु यहाँ इस  
पद्य में ‘मूढ’ पद का प्रयोग नहीं किया गया है जिससे यह विरही की उक्ति नहीं कही  
जा सकती, प्रयुक्त मयोगी की उक्ति है, अतः असूया यहाँ अभिधत्त नहीं होती अतः  
मुख्यरूप में उपमा ही अभिधत्त होती है, अतएव यह पद्य अर्थगतिसूत्रक उपमा-  
ध्वनि का उदाहरण होता है । यहाँ नागेन का कथन है कि “इस पद्य में ‘मूढ’ पद का  
प्रयोग न होने पर भी ‘हे चन्द्र ! तू गर्व क्यों करता है’ इस उक्ति में वाग्य के द्वारा

‘असूया’ अभिव्यक्त होती है अथवा नहीं, इसका विचार सहृदयों को करना चाहिए।” इस कथन से, ‘नागेश यहाँ भी असूया की अभिव्यक्ति मानते हैं’ ऐसा भासित होता है, पर मुझे नागेश का दृष्टिकोण उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि उद्दीपक चन्द्र के प्रति विरही के हृदय में असूया होती है, अतः पूर्व पद्य-जो विरही की उक्ति है—में असूया की अभिव्यक्ति ठीक है, पर यहाँ तो यह पद्य विरही की उक्ति है नहीं—एक पत्नी के साथ रहनेवाले की उक्ति है, फिर उसके लिये चन्द्रमा सुखद ही है कष्टदायक नहीं, ऐसी स्थिति में यहाँ भी असूया की अभिव्यक्ति मानना कहाँ तक सङ्गत है इस बात का भी विचार सहृदय जन ही करेंगे।

इदानीमुपमास्थलीयशाब्दबोधविचारमारभते—

अथात्र सादृश्यस्य पदार्थान्तरत्वे बोधो विचार्यते—अरविन्दसुन्दरमित्यत्र अरविन्दनिरूपितसादृश्यप्रयोजकं लक्ष्यते । तच्च सुन्दरपदार्थैकदेशेन सौन्दर्यणाभेदसंसर्गेणान्वेति । तेनारविन्दनिरूपितसादृश्यप्रयोजकाभिन्नसौन्दर्यवदभिन्नमिति धीः । निपातातिरिक्तनामार्थयोर्भेदान्वयस्याव्युत्पन्नत्वाद्भेदानुसरणम् । एकदेशान्वयस्तु देवदत्तस्य नपतेत्यादाविवात्राप्यभ्युपेयः । ‘समासस्यैव विशिष्टार्थे शक्तिः’ इत्येके । ‘अरविन्दपदमेव लक्षणया सर्वार्थबोधकं सुन्दरपदं तु तात्पर्यं ग्राहकम्’ इत्यपरे ।

अत्रेति । उपमाप्रकरणे इत्यर्थः । सादृश्यस्य पदार्थान्तरत्वे इति । ‘चन्द्र इव सुन्दरमुखम्’ इत्यादौ चन्द्रमुखोभयवृत्तिसौन्दर्यात्मकसमानधर्म एव सादृश्यम् नातिरिक्तमिति नैयायिका, मीमांसकास्तु स धर्म सादृश्यस्य साधकं सादृश्यं तु पदार्थान्तरमेवेति मन्यन्ते तयोरन्तिमे पक्षे इति भावः । लक्ष्यत इति । अरविन्दपदेनेति शेषः । अभेदानुसरणमिति । प्रयोजकसौन्दर्ययोरिति भावः । ‘पदार्थं पदार्थेनान्वेति न पदार्थैकदेशेन’ इति न्यायविरोधे प्राप्ते आह—एकदेशान्वयस्तु इति । ननु नित्यसाकाङ्क्षस्थले तथाङ्गीकारेऽपि अत्र न तथेति चेदत एव मतान्तरमाह—समासेति । अत्र मते गौरवान्मतान्तरमाह—अरविन्दपदमेवेति । सादृश्यमतिरिक्तं पदार्थं न समानधर्मरूप इति मीमांसकाभिमतं पक्षे तत्तदुपमाप्रतिपादकवाक्येभ्यः कीदृशं कीदृशो बोधो जायते ? कथं च तादृशो बोधो जायते इति विचारः सम्प्रति प्रकान्तस्तत्र प्रथमं ‘अरविन्दसुन्दरम्’ इति समासगतोपमाप्रतिपादकवाक्याज्जायमानस्य बोधस्य विषये विचारः क्रियते, तत्रापि पूर्वम् पदार्थनिरूपणमपेक्षितम्, पदार्थज्ञानमन्तरा वाक्यार्थज्ञानासम्पत्तेरिति पदार्थो निरूप्यते—निपातातिरिक्तनामार्थयोरभेदान्वय एवेति अरविन्दपदार्थसुन्दरपदार्थयोरभेदान्वयः करणीयः, स चारविन्दपदवाच्यार्थपुरस्कारे न सम्भवति, तादृशवाक्यस्थले अरविन्दाभिन्नसुन्दरमिति बोधस्य तादृशबोधेच्छाकालिकसुन्दरपदपूर्वप्रयोगनियमज्ञानाधीनवाधप्रस्त्वत्वात्, अतोऽरविन्दपदस्य स्वनिरूपितसादृश्यप्रयोजके लक्षणा, तथा चारविन्दपदस्यारविन्दनिरूपितसादृश्यप्रयोजकं लक्ष्योऽर्थः । सुन्दरपदस्य च सौन्दर्यवदित्यर्थः । एवञ्चारविन्दपदलक्ष्यार्थस्याभेदसंसर्गेण सुन्दरपदार्थैकदेशे सौन्दर्येऽन्वयः । ननु कथं प्रयोजकपर्यन्तमरविन्दपदस्य लक्षणा क्रियते ? स्वनिरूपितसादृश्ये एव क्रियता रूपाणां, तस्य च लक्ष्यार्थस्य प्रयोजकतासवन्धेन सौन्दर्येऽन्वयो विधीयताम् इति चेन्न तथा सति पुनः नामार्थयोरभेदातिरिक्तं सवन्धोऽव्युत्पन्न इति नियमव्याकोपप्रसङ्गात् । प्रयोजकान्ते तादृशोऽर्थे लक्षणया तु लक्ष्यार्थस्य प्रयोजकान्तस्याभेदेनैवान्वय इति न तद्व्याकोपः । न चैव तन्नियमरक्षणेऽपि ‘पदार्थं पदार्थेनान्वेति न पदार्थैकदेशेन’ इति नियमव्याकोपः

प्रमत्त एव । सुन्दरपदार्थैकदेशे मौन्दर्थेऽन्वयव्यवहारादिति वाच्यम्, 'दिवदत्तस्य नमा इत्यत्र देवदत्तपदार्थस्य पुत्रपुत्रकन्यापुत्रान्तरानन्तपुत्रपदार्थैर्नाभूत्प्रथमपुत्रकन्यान्यतरयो-  
 र्यदाऽन्वय इत्यनापि न लभ्यते, तथाऽत्रापि न लभ्य इत्यागत्यात् । इत्यत्रारविन्दसुन्दर-  
 मिति वाक्यात् प्रगविन्दमित्यदिनाइत्यप्रयोजकमित्येव न मौन्दर्थम्, तद्वदभिनम्  
 (सुखादि) इति बोधः नश्यते । व्याख्यास्तु 'ममाने खलु भिन्नैव शक्तिः पञ्ज-  
 शब्दवत्' इत्युक्त्या ममाने शक्तिविरुद्धं स्वीकृतं, तथा च तन्मतासुपर न 'अविन्द-  
 सुन्दरम्' इति पदान्तरात् पदार्थोपनिधिनि, अत्रि तु ममत्वात् तस्मात् मन्मतात्  
 पदान् पूर्वोक्तार्थवन्तितोऽविन्दवत्त्वैरीली विगिष्ट एवार्थ उच्यन्ति भवति शाब्दबोध-  
 विद्वद्भवति । अस्मिन् मने न लभ्यता न वा कस्यापि निम्नस्य व्याप्तेः, तद्वद-  
 यानो वा एकदेशान्वयप्रमत्तो वा भवतीति सुगोऽयं पन्था । केचित्तु अविन्दपदस्यैव  
 स्वन्त्रित्वेनाइत्यप्रयोजकमित्येव मौन्दर्थवदभिनमित्येतावदर्थे लक्षणा, सुन्दरपदं पुन 'अ-  
 विन्दपदमत्र एतादृशे (उत्पन्नं) अर्थे लाक्षणिकम् इत्यर्थे तात्पर्यप्राहन्, यथा  
 'गर्भागया नद्या घोष इत्यादौ तात्पर्यस्य गर्भारतनान्तरलक्षणे गर्भारपदं तात्पर्यप्राह-  
 नर्थाञ्छियते । तात्पर्यप्राहकत्वज्ञान स्वममभिव्याहृतपदगतिबोधकत्वम् । अस्मिन्मनि पदं  
 अन्वयादिहेतुो नास्ति इति भावः ।

अब उपमाप्रतिपादक वाक्यों से होने वाले शाब्दबोध के विषय में विचार करते हैं—अथात्र इत्यादि । इस प्रकार को समझने के लिये आवश्यक है कि पहले 'शाब्दबोध' क्या वस्तु है यह समझ लिया जाय अतः सङ्घेप में शाब्दबोधपदार्थ का विस्लेषण कर दिया जाता है । [ शाब्दबोध पद का सीधा भा अर्थ होता है शब्द से होनेवाला (अर्थ का) ज्ञान । इसके दो विभाग किये जा सकते हैं, एक-किन्ना एक शब्द से होने वाला (अर्थ-) ज्ञान और दूसरा अनेक शब्दों के समूह (वाक्य) से होने वाला (अर्थ-) ज्ञान । इन दोनों में प्रथम-अर्थात् एकशब्द जन्म अर्थ ज्ञान सरल है, उसमें अधिक बखेडा नहीं होता । मान लीजिए कि-आपने किमी के सुन्द से 'चन्द्र' ऐसा शब्द सुना, सुन लेने के बाद—यदि आपको चन्द्र पद की शक्ति ज्ञान है तो आपको उस पद से चन्द्रत्व धर्म से युक्त चन्द्रमा का ज्ञान होगा, आपका वह (चन्द्रत्वविशिष्ट चन्द्र इस तरह का) ज्ञान ही चन्द्र पद से होने वाला शाब्दबोध कहलायगा । पर द्वितीय अर्थात् पदमनूहात्मक वाक्य से होने वाला ज्ञान अपेक्षा उससे कुछ कठिन है—उसमें बहुतरे बखेडे होते हैं । कारण, एक वाक्य में अनेक पद होते हैं और जिस वाक्य में जिनसे पद होने हैं, उनमें से प्रत्येक पद के पृथक् पृथक् अर्थ ज्ञान हो जाने के बाद उन अर्थों के अन्वय-पारस्परिक सम्बन्धों—का ज्ञान करना पडना है, सम्बन्धज्ञान हो जाने पर परस्परसम्बन्धरूप से उन पदों का मन्तृष्टि अर्थ—वाच्यार्थविपरक—ज्ञान हो जाता है उसी को द्वितीय विभागीय शाब्दबोध कहा जाता है, इस प्रकार के शाब्दबोध को 'वाक्यार्थज्ञान', 'अन्वयबोध' आदि नामों से भी विद्वत्जन अभिहित करते हैं । कल्पना लीजिए कि-आपने 'रामो राम गच्छति' ऐसा वाक्य किसी से सुना, सुन लेने के बाद यदि आप, एक वाक्य के अन्तर्गत 'राम', 'रामम्' और 'गच्छति' इन तीनों पदों के अर्थ ज्ञानते रहेंगे, और साथ साथ उन अर्थों के पारस्परिक सम्बन्ध से भी परिचित रहेंगे तो उस वाक्य से 'रामाभिराभ्यवृत्ती, रामरूपोत्पन्नगच्छति' इत्यर्थे 'गायुः', जन्मान्तरिक वर्यापार अर्थवत्-राम से अमित-रामरूप-आश्रय में रहने वाला, रामरूप अस्मिन् प्रदेन के साथ होने वाले सयोग का उपादान और वर्तमान काल में होने वाला व्यापार (क्रिया-वर्तमानकाल) ऐसा वाक्यार्थबोध आप को होगा । यद्यपि—उक्त वाक्य में 'राम' और 'रामम्' इन सजावाचक पदों का अर्थ व्यक्तिविरुद्ध और न्यान-

विशेष समझ लेना कठिन नहीं, रहा 'गच्छति' यह क्रिया-पद, उसमें दो अंश हैं एक- 'गम्' ( जिसको गच्छ आदेश-विकार-हो जाता है ) धातुरूप प्रकृति और दूसरा- 'ति' प्रत्यय, उनमें प्रकृति-धातु-का अर्थ है ( उत्तरदेश- )सयोगानुकूलव्यापार-अर्थात् आगे के प्रदेश से सयुक्त करा देने वाली कर्ता की क्रिया जो पादविचेप ( पैर का उठाना बैठाना )रूप है और ति प्रत्यय के अर्थ होते हैं आश्रय, वर्तमान काल, एवम् एकत्व सख्या। अब इन अर्थों के अन्वयसम्बन्ध को समझिये-राम का प्रत्ययार्थ आश्रय के साथ अभेदसम्बन्ध है, एवम् उस आश्रय का और काल का क्रिया के साथ वृत्तिव-सम्बन्ध है और सख्या का तिङ्गर्थ आश्रय ( कर्ता ) के साथ समवायसम्बन्ध है। इसी तरह ग्राम का उक्त धात्वर्थ के एक अंश-सयोग-के साथ निष्ठत्वसम्बन्ध है। स्पष्ट अभि-प्राय हुआ कि-धात्वर्थ में दो अंश रहते हैं, एक फलअंश और दूसरा क्रियाअंश, उन दोनों में से प्रथम अंश में कर्म का अन्वय होता है और द्वितीय अंश में तिङ्गर्थ का। एवम् कर्म से अन्वित प्रथम धात्वर्थांश का भी अन्त में द्वितीय धात्वर्थांश में ही अन्वय हो जाता है, फलतः धात्वर्थ-क्रिया, शाब्दबाध में मुख्य विशेष्य होती है। ( ऊपर लिखे गये वाक्यार्थबोध में इन सब बातों को मिलाकर देखिये। ) शाब्दबोध की यह शैली ( जिसके हिसाब से क्रिया मुख्य विशेष्य होती है ) वैयाकरणों की है। नैयायिकों की शाब्दबोधशैली इससे भिन्न है। वे प्रथमान्त पद के अर्थ को ही शाब्दबोध में मुख्य विशेष्य बनाते हैं। विस्तार के भय से उस शैली की विशद चर्चा यहाँ नहीं की जाती है। जिज्ञासुओं को इसके लिये मुक्तावली के शब्दखण्ड आदि देखने चाहिए। वाक्य के अर्थ को स्पष्टरूप में समझने और समझाने के लिये शाब्दबोध की उक्त शैली से परिचित होना अत्यन्त आवश्यक है, अतः इस प्रकरण में यह समझाया गया है कि-उपमा, कितने प्रकार के वाक्यों से वर्णित हो सकती है और उन वाक्यों से कैसा-कैसा शाब्द बोध होता है। ] उपमावाक्यों के शाब्दबोध समझने से पूर्व एक बात और समझ लेने योग्य है। उपमा के लक्षण से यह बात विदित हो चुकी है कि-'सादृश्य' का ही नाम उपमा है। परन्तु वह सादृश्य क्या वस्तु है इस विषय में दो मत हैं। मीमांसक आदि का मत है कि-'सादृश्य' एक अतिरिक्त पदार्थ है-उसे किसी अन्य पदार्थ के अन्तर्गत नहीं माना जा सकता परन्तु नैयायिकों का मत इससे भिन्न है। वे कहते हैं कि-सादृश्य कोई अतिरिक्त पदार्थ नहीं है, दो वस्तुओं में परस्पर जो एक से धर्म रहते हैं उन्हें ही सादृश्य कहा जाता है। उदाहरण के द्वारा इस मतभेद को स्पष्ट समझ लीजिए-किसी ने कहा-'उसका मुख चन्द्र सदृश है, क्योंकि वे दोनों सुन्दर हैं' यहाँ मीमांसकों के मतानुसार 'सुन्दरता' और 'सादृश्य' भिन्न-भिन्न पदार्थ हैं, सुन्दरता सादृश्य को सिद्ध करने वाली है, किन्तु स्वयं सादृश्यरूप नहीं है। नैयायिकों के मतानुसार तो सुन्दरता ही सादृश्य है, उससे भिन्न सादृश्य कोई वस्तु नहीं। तात्पर्य यह निकला कि मीमांसक आदि के कथनानुसार सादृश्य एक स्वतन्त्र पदार्थ है और नैयायिकों के कथनानुसार समानधर्मरूप। अब यहाँ पहले सादृश्य को अतिरिक्त पदार्थ मानकर शाब्दबोध का विचार किया जा रहा है-पहले 'अरविन्दसुन्दरम्-अर्थात् कमल-सुन्दर' इस समासगत उपमाप्रतिपादक समस्त वाक्य को लीजिए। इस वाक्य में दो पद हैं- एक अरविन्द, दूसरा सुन्दर। इन दोनों पदों में से 'अरविन्द' पद का वाच्य अर्थ यद्यपि कमल है, तथापि वह अर्थ यहाँ बाधित है-अर्थात् सुन्दर पदार्थ के साथ शुद्ध कमलरूप वाच्य अर्थ का अन्वय नहीं हो सकता, अतः लक्षणा के द्वारा, उस ( अरविन्द ) पद का अर्थ यहाँ 'अरविन्दनिरूपित सादृश्यप्रयोजक' इतना बढ़ा करना पड़ता है। तात्पर्य यह कि 'सादृश्य' ही मध्य में आकर अरविन्द पदार्थ और सुन्दर पदार्थ को जोड़ता है, उसके बिना वे दोनों पदार्थ जुट ही नहीं सकते-अन्वित नहीं हो सकते। फलतः अब 'अरविन्द-सुन्दरम्' का अर्थ हो जाता है 'अरविन्दमिव सुन्दरम्'-अर्थात् कमल-सा सुन्दर। 'इव ( सा )' का अर्थ सादृश्य है, और उस सादृश्य का निरूपक होता है उपमान-

अरविन्द, अतः 'सादृश्य' 'अरविन्द' से निरूपित कहलाता है। अभिप्राय यह कि-अरविन्द और सादृश्य के सम्बन्धरूप से मध्य में 'निरूपित' शब्द जोड़ना पड़ता है। अथ इस 'अरविन्दनिरूपित सादृश्य' का अन्वय 'सुन्दर' पद के अर्थ-'सौन्दर्ययुक्त' के साथ करना है। 'सुन्दर' पद के इस समग्र अर्थ के साथ उक्त सादृश्य का कोई सम्बन्ध बन नहीं पाता, अतः उसके एक देश-एक भाग-सौन्दर्य के साथ 'सादृश्य' का अन्वय करना पड़ता है। सादृश्य को अतिरिक्त पदार्थ मानने वालों के हिसाब से 'सौन्दर्य' सादृश्य का प्रयोजक-साधक-होता है, अतः अरविन्द पद के लक्ष्य अर्थ में 'प्रयोजक' को भी समेट लेना पड़ता है। इस तरह से 'अरविन्दनिरूपित सादृश्यप्रयोजक' इस अरविन्द पद के लक्ष्य अर्थ का 'सुन्दर' पद के अर्थ-'सौन्दर्ययुक्त'-के एक भाग 'सौन्दर्य' के साथ अभेद सम्बन्ध से अन्वय होता है अतः इन दोनों अर्थों के मध्य में 'अभिन्न' शब्द जोड़ना पड़ता है। इस प्रकार से अथ 'अरविन्दसुन्दर' का अर्थ होता है 'अरविन्द से निरूपित सादृश्य के प्रयोजक से अभिन्न सौन्दर्य से युक्त'। इस अर्थ का भी सुन्न आदि विशेष्य के साथ अभेदसम्बन्ध से अन्वय होता है, अतः 'अरविन्दसुन्दर' पद का शाब्दबोध होता है 'अरविन्द से निरूपित सादृश्य के प्रयोजक से अभिन्न सौन्दर्य से युक्त से अभिन्न'। आप कह सकते हैं कि-अरविन्द पद की लक्षणा, 'प्रयोजक'पर्यन्त में करना व्यर्थ है, सादृश्यपर्यन्त में ही लक्षणा करनी चाहिये-अर्थात् 'अरविन्दनिरूपित सादृश्य' इतना ही अरविन्द पद का लक्ष्य अर्थ मानना चाहिए और उसका अन्वय, 'सौन्दर्य' के साथ 'प्रयोजकता' सम्बन्ध में कर लेना चाहिए। इस तरह करने पर शाब्दबोध में 'प्रयोजक' के भागे जो 'अभिन्न' शब्द ( सम्बन्धसूचक ) जोड़ना पड़ता था वह नहीं जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अथ 'प्रयोजक' यह शब्द ही सम्बन्धबोधक के रूप में जोड़ा गया है। इसका उत्तर यह है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि 'निपातों ( च, वे, तु, हि आदि ) से अन्य दो प्रातिपदिकों के अर्थों का भेद से-अर्थात् अभेदातिरिक्त सम्बन्ध से परस्पर अन्वय उस स्थिति में नहीं होता, यदि वे दोनों प्रातिपदिक समान विभक्ति वाले हों' ऐसा नियम है। इस नियम के अनुसार 'सादृश्य' का 'सौन्दर्य' के साथ 'प्रयोजकता' सम्बन्ध से अन्वय नहीं हो सकता। कारण, 'सादृश्य और सौन्दर्य' दोनों ही, क्रमशः 'अरविन्द और सुन्दर' इन दो प्रातिपदिकों के ही अर्थ हैं। अतः लक्षणा के द्वारा अरविन्द पद का प्रयोजकपर्यन्त अर्थ मानकर उसका सौन्दर्य के साथ अभेदसम्बन्ध में अन्वय करना पड़ता है। अब रही आशङ्का एक यह कि अरविन्द पद के लक्ष्य अर्थ-प्रयोजकपर्यन्त का अन्वय जो आपने सुन्दर पदार्थ के एकदेश सौन्दर्य के साथ किया है, वह कैसे? क्योंकि 'पदार्थ' पदार्थेनान्वेति न तु पदार्थकदेशेन-अर्थात् पदार्थ दूसरे किसी पूरे पदार्थ के साथ ही अन्वित होता है, पदार्थ के एक भाग के साथ नहीं' ऐसा नियम है, इस नियम के अनुसार अरविन्दपदार्थ ( प्रयोजकान्त ) का अन्वय पूरे सुन्दर पदार्थ ( सौन्दर्ययुक्त ) के साथ होना चाहिए, पदार्थ के एक भाग ( सौन्दर्य ) के साथ नहीं। इसके समाधान में यह कहा जाता है कि-आपने अपने सर्वथा ठीक कही है, पर कहीं कहीं, अगत्या एक देश ( एक भाग ) के साथ भी अन्वय करना पड़ता है। जैसे—'देवदत्तन्य नसा अर्थात् देवदत्त का नाती' यहाँ पर 'देवदत्त पदार्थ' का अन्वय, 'नाती पदार्थ' के एक हिस्से के साथ किया जाता है। तार्पर्य यह है कि—'नसा-नाती' पद का अर्थ होता है 'पुत्र का पुत्र' अथवा 'कन्या का पुत्र'। दोनों ही अर्थों में देवदत्त का सम्बन्ध, प्रथम पुत्र अथवा कन्या के साथ हो सकता है, पुत्र पुत्र अथवा कन्या पुत्र के साथ नहीं। उसी तरह यहाँ भी अरविन्द पद के लक्ष्यार्थ का अन्वय, सुन्दर-पदार्थ के एक हिस्से-सौन्दर्य के साथ कर लिया जाता है। कुछ लोग ( वैयाकरण ), 'अरविन्दसुन्दर' इस समस्त पद में पद-शक्ति के अतिरिक्त एक समास-शक्ति मानते हैं, अतः वे उस समस्त शक्ति के द्वारा ही 'अरविन्दसुन्दर'



पद का 'अरविन्दनिरूपित सादृश्यप्रयोजक सौन्दर्ययुक्त' इतना बड़ा अखण्ड अर्थ क लेते हैं। इस मत में 'अरविन्द और सुन्दर' इन दो पदों का खण्ड-खण्ड अर्थ कुछ होत ही नहीं है, फिर अन्वय आदि का क्षमेला उठे तो कैसे ? और जब अन्वय का क्षमेला ही समाप्त, तब एकदेशान्वय का कोई प्रसङ्ग ही नहीं आता। अन्य लोग (नैयायिक मतानुयायी) अतिरिक्त समास-शक्ति मानने में गौरवदोष बतलाकर लक्षणापन्न क ही ठीक मानते हैं, पर अरविन्द पद की लक्षणा मानते हैं 'अरविन्दनिरूपित सादृश्य प्रयोजक सौन्दर्ययुक्त' इतने अर्थ में। अब बात रही यह कि—यदि 'अरविन्द' प की लक्षणा ही उतने अर्थों में मान ली जाती है, तब 'सुन्दर' पद किस रोग क औषध है ? अर्थात् उक्त वाक्य में उसका प्रयोग व्यर्थ हो जाता है, तो इस उत्तर में नैयायिकों का कहना है कि—'सुन्दर' पद तात्पर्यग्राहक है—अर्थात् उत अर्थों के बोध कराने के लिये वक्ता ने यहाँ 'अरविन्द' पद का प्रयोग किया है, इस बात का ज्ञान श्रोताओं को कराने के लिये 'सुन्दर' पद का प्रयोग किया गया है। ऐस लक्षणा कहीं-कहीं अनिवार्यतः करनी पड़ती है। जैसे—'गभीरायां नद्यां घोषः अर्थात् गहिरी नदी के तट में वथान' यहाँ पर नदी पद की लक्षणा 'गभीरनदी-तट' में की जात है और 'गभीर' पद को तात्पर्यग्राहक माना जाता है, अन्यथा ( अर्थात् यदि नदी पद क लक्षणा केवल नदीतट में की जाय—गभीर नदीतट में नहीं, तब ) गभीर पदार्थ क अन्वय, नदी पदार्थ के साथ न बन सके, क्योंकि नदी पद का लक्षणाया जो नदीतट अ हुआ है उसमें गभीरता सम्भव नहीं है। इस पक्ष में भी एक पद का ही उतना बड़ अर्थ हो जाने के कारण न अन्वय करने का क्षमेला उठता है, न एकदेश के साथ अन्वय-करणरूप दोष का प्रसंग ही आता है।

शाब्दबोधप्रदर्शनपुरस्सर द्वितीयमुपमाप्रतिपादक वाक्यमुल्लिखति—

तथा अरविन्दमिव सुन्दरमित्यत्रेवार्थे सादृश्येऽरविन्दस्य निरूपितत्व संसर्गेणान्वयः। तस्य च प्रयोजकतासंसर्गेण सौन्दर्ये। एवं चारविन्दनिरूपितसादृश्यप्रयोजकसौन्दर्यवदभिन्नमिति।

वदभिन्नमितीति। बोध इति शेष। एवमत्रेऽपि। 'अरविन्दमिव सुन्दरम्' इति व्यस्तं वाक्यम्, तेनात्र वाक्यगतोपमा। सादृश्यमत्रेवपदेन वाच्यम्, तत्रोपमानभूतस्यारविन्द-पदार्थस्य निरूपितत्वसम्बन्धेनान्वयो भवति। सादृश्यस्य च सुन्दरपदार्थकदेशे सौन्दर्ये प्रयोजकतासम्बन्धेनान्वयो जायते। सुन्दरपदार्थस्य सौन्दर्यवतो मुखादावभेदसम्बन्धेन स। तथा च अरविन्दनिरूपित यत्सादृश्य, तत्प्रयोजकं यत्सौन्दर्यं, तद्वता अभिन्न मुखादीति वाक्यार्थबोध सम्पद्यत इति भावः।

शाब्दबोध का विचार करने के लिये अब उपमा-प्रतिपादक द्वितीय वाक्य का उल्लेख करते हैं—तथा इत्यादि। 'अरविन्दमिव सुन्दरम् (कमल सा सुन्दर)' यह समासरहित उपमाप्रतिपादक वाक्य है, यहाँ 'इव' शब्द उक्त हुआ है, अतः इस वाक्य से अवगत होनेवाली उपमा वाक्यगता कहलायगी। 'इव' का वाच्य अर्थ है 'सादृश्य' उसमें अरविन्द-कमल-इस उपमान का अन्वय 'निरूपितत्व'सम्बन्ध से होता है और सादृश्य का अन्वय सुन्दर पदार्थ-सौन्दर्ययुक्त-के एकदेश-सौन्दर्य के साथ 'प्रयोजकता'-सम्बन्ध से किया जाता है। सुन्दर पद के अर्थ का मुख आदि अनुक्त विशेष्य के साथ अभेदसम्बन्ध से अन्वय होता है यह निश्चित ही है, अतः शाब्दबोध में 'अरविन्द' और 'सादृश्य' शब्द के बीच 'निरूपित' शब्द 'सादृश्य' और 'सौन्दर्य' के बीच 'प्रयोजकता'-शब्द एवम् 'सौन्दर्ययुक्त' के आगे 'अभिन्न'पद जोड़ दिये जाते हैं जिससे उक्त वाक्य का शाब्दबोध होता है 'कमल से निरूपित सादृश्य के प्रयोजक सौन्दर्य से युक्त अभिन्न (मुख आदि)।

तदर्थं तथापि च तृतीय वाच्यमुद्धृति—

अरविन्दमिवेत्यत्र त्वरविन्दनिरूपितसादृश्यवदिति ।

‘अरविन्दमिव’ इति तृतीये उपमाप्रतिपादकवाक्ये साधारणधर्मबोधकं सुन्दरगादिपदं नोक्तम्, अतोऽत्र वाच्यगता धर्मलुप्तेन । अत्रोत्पन्नस्यारविन्दपदार्थस्य निमित्तत्व-सम्बन्धेन इवाये सादृश्येऽन्वयः, सादृश्यस्य च स्वरूपसम्बन्धेनोत्पन्ने सुखादीं तथा चागविन्दनिरूपितं सादृश्यं, तद्वत्सुखादीनि बोधो भवतीति भावः ।

अत्र उपमा-प्रतिपादक तृतीय वाक्य का उल्लेख सादृश्यबोध दिखलाने के लिये करते हैं—अरविन्दमिव इत्यादि । ‘अरविन्दमिव ( कमल मा ) इत्य तृतीय वाक्य ने नमान धर्मबोधक ‘सुन्दर गादि पद उक्त नहीं हैं, अत यहाँ वाच्यगत धर्मलुप्तोपमा कही जाती है । यहाँ भी अरविन्द ( उपमान ), ‘इव’ पद के अर्थ—सादृश्य—ने ‘निरूपितत्व’-सम्बन्ध ने अन्वित होता है और ‘सादृश्य’ सुत्र कादि क्तुक उपमेय ने ‘स्वरूप’-सम्बन्ध ने, अतएव इत्य वाक्य ने ‘अरविन्द’ ने निरूपित सादृश्यवाला ( सुत्र ) इत्य तरह का सादृश्यबोध होता है ।

आयत्तानेका नन्मि हृत्त उभावने—

निपातजन्योपस्थितिप्रयोज्यप्रकारतानिरूपितविशेष्यता ; निपातजन्योपस्थितिप्रयोज्यविशेष्यतान्यतरभिन्नविशेष्यतासंसर्गेण नामार्थप्रकारकबोध एव विशेष्यतया विभक्तिजन्योपस्थितेर्हेतुत्वादिवाच्यस्य नवर्यस्यैव भेदसंसर्गेण नामार्थविशेष्यत्वे विशेषणत्वे च न दोषः ।

निपातजन्योपस्थितिप्रयोज्यप्रकारतेति । निपातार्थानिष्टप्रकारतेति भावः । निरूपितविशेष्यतेति । निपातार्थानिरूपितविशेष्यतेति भावः । निपातजन्योपस्थितिप्रयोज्यविशेष्यतेति । निपातार्थानिष्टविशेष्यतेति भावः । इवार्थस्येति । सादृश्यस्येत्यर्थः । नन्मस्येति । भेदादिति । भेदमनगरेति । भेदसमागच्छ अन्नेतेरसम्बन्धेषु परिभाषित, तथा चाभेदातिभिन्नसरोरेति तदर्थः । नामार्थविशेष्यत्व इति । नामार्थनिरूपितविशेष्यत्वे इत्यर्थः । नामार्थानिष्टप्रकारतानिरूपितविशेष्यतायामिति यावत् । ‘इवार्थस्य’ इति प्राप्तनेनास्य सम्बन्धः । विशेषणत्व इति । नामार्थानिष्टविशेष्यतानिरूपितप्रकारतायामित्यर्थः । न दोष इति । उच्यते नमावविशेष्यते दोषो नोपपद्यते । अथनत्र विशदोऽर्थः—सादृश्यबोधस्य विशेष्ये द्वे भवे प्रतिष्ठिते । आत्मनिष्ठप्रत्ययस्य बोध इत्येकं नन्म्, विशेष्यनिष्ठप्रत्ययस्य बोध इति च द्वितीयम् । अत्र द्वितीयं नन्मे आत्मज्ञानोपगतज्ञानादिस्वरूपस्य भ्रमंमवधानेऽपि ‘गजा पुत्र्य’ इत्यादीं स्वत्वादिस्वरूपबोधविशेष्यतान्मन्वयेन गजादिप्रकारज्जुद्धवैधेयत्वान्भवविशेष्यस्य वाच्यस्य भेदसम्बन्धावच्छिन्नविशेष्यतान्मन्वयेन नामार्थप्रकारकत्वोपि विशेष्यता विनाशित्वात्सन्धिपक्षे हेतुत्वम् वाच्यम् । तथा च पूर्वोक्तोपस्थितौ प्रथमस्यत्वेऽविन्दस्य निमित्तत्वसम्बन्धेनैवापे सादृश्ये, सादृश्यस्य च प्रयोज्यत्वसम्बन्धेन सुन्दरपदार्थकांशो मन्वये एव द्वितीयस्यत्वेऽविन्दस्य नैर्बन्ध सम्बन्धेन तत्रैव सादृश्ये सादृश्यस्य च स्वरूपसम्बन्धेन सुखादीं तथा अन्वया अस्तुप्रयत्नान्, तेषामन्वयोपेतानि निमित्तत्व-प्रयोज्यत्व-स्वरूपान्मन्वयेन सादृश्यविशेष्यतान्मन्वयेन अरविन्दमेव सत नामार्थप्रकारकतया उक्तं संस्कारमावच्छेदकं सादृश्यबोधकं मन्वयेऽपि सादृश्यस्यैव तदर्थं सुत्रपदार्थानाम् विशेष्यतानोपस्थिते उक्तान् एव सुन्दर-सुखान्मन्वयेन जन्मदना कारणत्वबोधकं तदन्वयत्वादिनि चैदं गृह्यते—सुत्रपदार्थकसम्बन्धोपरे

कार्यतावच्छेदकसम्बन्धविधया न भेदसम्बन्धावच्छिन्नविशेष्यतासामान्य निवेश्यते, अपि तु निपातार्थनिष्ठोपस्थितप्रकारतानिरूपितयत्किञ्चिदर्थनिष्ठविशेष्यता—निपातार्थनिष्ठोपस्थितप्रकारविशेष्यतान्यतरभिन्नत्वेन सङ्कुचितैव विशेष्यता तथात्वेन प्रवेश्यते। एवञ्च प्रकृते निरूपितत्वसम्बन्धावच्छिन्नविशेष्यतासम्बन्धेनारविन्दप्रकारकसादृश्यबोध, प्रयोजकत्वसम्बन्धावच्छिन्नविशेष्यतासम्बन्धेन सादृश्यप्रकारकसौन्दर्यबोध, एव स्वरूपसम्बन्धावच्छिन्नविशेष्यतासम्बन्धेन सादृश्यप्रकारकमुखादिवोधश्च नोक्तकार्यकारणभावघटककार्यतावच्छेदककुक्षिपतिता भवन्ति, एषु त्रिषु बोधेषु प्रविष्टाया प्रथमविशेष्यताया इवरूप-निपातार्थनिष्ठतया द्वितीय-तृतीययोश्च विशेष्यतयो इवरूपनिपातार्थनिष्ठोपस्थितप्रकार-तानिरूपिततया कार्यतावच्छेदककोटिप्रविष्टविशेष्यतान्यतरभिन्नत्वाभावात्। अत एव 'घटो न पट' इत्यादौ पटस्य प्रतियोगितासम्बन्धेन नवर्थे भेदे भेदस्य च स्वरूपसम्बन्धेन घटेऽन्वयेन 'पटप्रतियोगिकभेदवान् घट' इत्याकारको बोध सर्वसम्मत समुपपद्यते। कार्यकारणभावस्य सङ्कुचितविषयतया नवर्थो यथा प्रातिपदिकार्थं प्रति विशेष्यो विशेषणश्च भवति तथा इवार्थोऽपीति साराश इति।

अब हृदयस्थित एक शङ्का का समाधान करते हैं—निपात इत्यादि। अभिप्राय यह है कि शाब्दबोध के दो तरीके हैं, एक के अनुसार कार्य (बोध) और कारण (पदार्थों पस्थिति आदि) को श्रोता की आत्मा में इकट्ठा किया जाता है। इस तरीके को शास्त्रीय भाषा में 'आत्मनिष्ठप्रत्यासत्ति से बोध' कहा जाता है। दूसरे तरीके के अनुसार कार्य-कारण को विषय (प्रकार, विशेष्य आदि) पर जुटाया जाता है, शास्त्रीय भाषा में इसको 'विषयनिष्ठप्रत्यासत्त्या बोध' कहते हैं। सारांश यह कि—बोध आदि सम्बन्धविशेष के द्वारा आत्मा में लाया जा सकता है और सम्बन्धविशेष के द्वारा विषय में भी लाया जा सकता है। वे सम्बन्धविशेष क्रमशः समवाय और विशेष्यता आदि होते हैं। विषयनिष्ठप्रत्यासत्त्या बोध-पक्ष में यह नियम माना जाता है कि 'भेदसम्बन्धावच्छिन्न-विशेष्यता (अभेद से अन्यसम्बन्धमूलक विशेष्यभाव) सम्बन्ध से शाब्दबोध (किसी प्रातिपदिक के अर्थ का अन्वयबोध) उसी विशेष्य पर होगा जिस (विशेष्यभूत अर्थ) की उपस्थिति, विभक्ति (सु-औ-जस् आदि) के द्वारा हुई होगी—अर्थात् भेदेन किसी प्रातिपदिकार्थ का अन्वय विभक्त्यर्थ में ही होगा प्रातिपदिकार्थ में नहीं। तात्पर्य यह हुआ कि प्रातिपदिकार्थ में जब अन्वय होगा तब अभेदसम्बन्ध से ही। ऐसा नियम इसलिये माना जाता है कि 'राजा पुरुष.' इत्यादि वाक्यों से स्वस्वामिभावसंसर्गावच्छिन्न-विशेष्यतासम्बन्ध से राजप्रकारक पुरुषबोध-अर्थात् 'राजा का पुरुष' ऐसा बोध—अनुभवविरुद्ध है। तात्पर्य यह कि यदि वैसा नियम न माना जाय, तब यहाँ ऐसा बोध भी होने लगेगा। अब आइये प्रकृत में—उपर्युक्त दो वाक्यों से जो आपने क्रमशः 'अरविन्दनिरूपितसादृश्यप्रयोजकसौन्दर्ययुक्त से अभिन्न मुख' और 'अरविन्दनिरूपित सादृश्यवाला मुख' ये दो शाब्दबोध किये हैं, वे कैसे? क्योंकि उक्त नियम के अनुसार ये शाब्दबोध नहीं हो सकते हैं। कारण प्रथम वाक्य में अरविन्द, इव और सुन्दर तथा द्वितीय वाक्य में अरविन्द, इव और मुख आदि सभी प्रातिपदिक हैं, अतः इन सर्वों के अर्थों का परस्परअन्वय अभेदसम्बन्ध से ही होना चाहिए, फिर जो 'निरूपितत्व'सम्बन्ध से 'अरविन्द' का इवार्थ-सादृश्य में, 'प्रयोजकत्व'सम्बन्ध से 'सादृश्य' का 'सौन्दर्य' में एवम् द्वितीय वाक्य में 'सादृश्य' का 'स्वरूप' (वाला) सम्बन्ध से मुख आदि में अन्वय किया गया है, वह अनुचित है। यह है हृदयस्थित शङ्का। इसके समाधान में ग्रन्थकार कहते हैं कि—उक्त नियम में 'भेदसम्बन्धावच्छिन्न विशेष्यता-सम्बन्ध से' यहाँ जो विशेष्यता प्रविष्ट की जाती है वह सामान्यतः—सब विशेष्यतायें नहीं, अपितु निपातजन्योपस्थितप्रयोज्यप्रकारतानिरूपितविशेष्यता—अर्थात् निपात

( ह्रस्व, नञ् आदि ) के अर्थों को प्रकार ( विशेषण ) बनाकर विशेष्यभूत किसी अन्य ( प्रातिपदिकार्थ, धात्वर्थ आदि ) में रहनेवाली विशेष्यता और निपातजन्योपस्थिति-प्रयोज्य विशेष्यता-अर्थात् किसी अन्य अर्थ को प्रकार बनाकर निपातार्थ में रहनेवाली विशेष्यता-इन दोनों में से किसी एक विशेष्यता से भिन्न विशेष्यता ही । तात्पर्य यह कि 'भेदेन किसी प्रातिपदिकार्थ का अन्वय, विभक्त्यर्थ में ही होगा, प्रातिपदिकार्थ में नहीं' यह नियम निपात से भिन्न प्रातिपदिक के अर्थ में ही लागू होता है-अर्थात् निपातरूप प्रातिपदिक का अर्थ, प्रातिपदिक के अर्थों के साथ और किसी भी प्रातिपदिक का अर्थ, निपातरूपप्रातिपदिकार्थ के साथ भेदसम्बन्ध से भी अन्वित हो सकता है । माराश यह निकला कि निपातार्थ, अभेदातिरिक्तसम्बन्ध से भी प्रातिपदिकार्थ में और अन्यप्रातिपदिकार्थ भी, अभेदातिरिक्तसम्बन्ध से निपातार्थ में विशेषण हो सकते हैं । अब इस सङ्घुचित कार्यकारण-भाव के अनुसार प्रकृत में कोई अनौचित्य नहीं रहा, क्योंकि ह्रस्व' निपात है, अतः उसके अर्थ-सादृश्य में अरविन्दपदार्थ का निरूपितत्व सम्बन्ध से विशेषण होना और उसी निपातार्थ का 'प्रयोजकत्व'सम्बन्ध से सौन्दर्य में विशेषण होना बन सकता है । इसी तरह द्वितीय वाक्य में भी समझना चाहिये । नञ् निपात के स्थल में भी यही बात होती है-अर्थात् 'घटो न पट. ( घड़ा कपड़ा नहीं है )' यहाँ उक्त सामान्य नियम के अनुसार पट का भेदसम्बन्ध ( प्रतियोगिता ) से नञ् अर्थ में और नञ् अर्थ ( भेद ) का स्वरूपसम्बन्ध से घट में अन्वय नहीं होना चाहिये था, परन्तु सङ्घुचित नियम के अनुसार वैसा होता है, अतः इस वाक्य से 'पटप्रतियोगिक-भेदवान् घट अर्थात् पट के भेद से युक्त घट' ऐसा शाब्दबोध बनता है । नञ् निपात का स्थल शाब्दबोध के विचार में प्रसिद्ध है, अतः प्रकृत में दृष्टान्तरूप से 'नञ् अर्थस्यैव' ऐसा मूल में कहा गया है ।

तथाविध चतुर्थ वाक्य समुल्लिखति—

अरविन्दमिव भातीत्यत्रारविन्दनिरूपितसादृश्यस्य प्रकारतासम्बन्धेन धात्वर्थेऽन्वयादरविन्दसादृश्यप्रकारकधीविशेष्य इति ।

इतीति बोध इति शेष । धान्वर्यमाह—धीति । 'अरविन्दमिव भाति' इति वाक्ये भातीति क्रियापदादतिरिक्तोऽश प्राग्वदेव, अतस्तावतोऽशस्य 'अरविन्दनिरूपित सादृश्यम्' इति बोधोऽपि पूर्ववदेव । अत्रागिष्ट भातीति क्रियापदम् । तत्र भाधातो ज्ञानमर्थ, तत्रेवा-र्यस्य सादृश्यस्य 'प्रकारता'सम्बन्धेनान्वय, तस्य ( ज्ञानस्य ) च विशेष्यतासम्बन्धेन कर्तुरे नुजादावन्वय । तिङर्थोऽपि विवक्षित । अथवा कृतिवाचकस्य तस्य विनेप्ये लक्षणा, अस्मिन् कन्ने न विशेष्यतासम्बन्ध । तथा च अरविन्दनिरूपित सादृश्य प्रकारो यस्या, तादृशी या धी ( ज्ञानम् ) तद्विशेष्यभूतम् सुखादीति बोध पर्यवस्यति । इय नैयायिकानां शैली, वेदाकरणशैलीनाममाश्रये तु 'अरविन्दनिरूपितसादृश्यप्रकारक सुखादिविनेप्यक ज्ञानमिति बोधो भवेदिति भाव ।

उपमा-प्रतिपादक चतुर्थ वाक्य का उल्लेख करते हैं—अरविन्द इत्यादि । 'अरविन्द-मिव भाति ( कमल सा ज्ञान होता है )' इस वाक्य में 'अरविन्दमिव' इतना अज्ञ तो पहले जैसा ही है, अतः उसमें होनेवाला बोध—'अरविन्द से निरूपित सादृश्य'—भी परिचित ही है । रहा 'भाति' यह क्रियापद, उसमें प्रकृतिभाग-भाधातु-का अर्थ 'ज्ञान' है, उस ( ज्ञान ) के साथ उक्त सादृश्य का 'प्रकारता' सम्बन्ध से अन्वय होता है और ज्ञान का मुग्य आदि के साथ 'विशेष्यतासम्बन्ध से, अतः इस वाक्य का शाब्द-बोध—'अरविन्दनिरूपित सादृश्य जिनका प्रकार है' ऐसे ज्ञान का विशेष्य ( मुग्य आदि ) ऐसा होता है । इस शाब्दबोध में धात्वर्थज्ञान के भागे जो 'विशेष्य' जोड़ा गया है,

वह नैयायिकों की शाब्दबोधशैली के अनुसार, क्योंकि वे शाब्दबोध में प्रथमान्तपद के अर्थ को मुख्य ( विशेष्य ) बनाते हैं। पर वैयाकरण वैसा नहीं करते, वे धातु के अर्थ को ही शाब्दबोध में सब से मुख्य बनाते हैं। उनके अनुसार यहाँ 'अरविन्द से निरूपित सादृश्य जिसमें प्रकार है तथा मुख जिसमें विशेष्य है ऐसा ज्ञान' यह बोध होगा।

पञ्चम तथाविध वाक्यमुपदर्शयति—

तत्रैव सौन्दर्येणोति धर्मोपादाने तृतीयार्थः प्रयोज्यत्वं धात्वर्थे भाने इवार्थे सादृश्ये वान्वेति । तेन सौन्दर्यप्रयोज्यारविन्दनिरूपितसादृश्यप्रकारकधीविशेष्य इति ।

तत्रैवेति । अरविन्दमिव भातीति वाक्य एवेत्यर्थः । तृतीयार्थाभिन्न प्रयोज्यत्वम् अन्वये कर्तुं । भानस्य सौन्दर्यप्रयोज्यत्वे विसवादादाह—इवार्थे इति । इतीति बोध इति शेषः । 'सौन्दर्येणारविन्दमिव भाति' इति वाक्ये साधारणधर्मवाचकसौन्दर्यपदोत्तरतृतीयाविभक्ते प्रयोज्यत्वम् वाच्यम्, तस्य भाधात्वर्थज्ञाने इवार्थसादृश्ये वाऽभेदेनान्वयः । वाशब्दस्योत्तरपक्षदाढ्यसूचकतया सादृश्य एवान्वयो ग्रन्थकाराभिमत इति बोध्यम् । तथा च तस्माद् वाक्यात् 'सौन्दर्यप्रयोज्यं यदरविन्दनिरूपितसादृश्यं, तत्प्रकारिका या धी तद्विशेष्यभूत मुखादी'ति बोधो निष्पद्यत इति भावः ।

उपमा-प्रतिपादक पञ्चम वाक्य का उल्लेख करते हैं—तत्रैव इत्यादि । यदि पूर्वोक्त वाक्य ( अरविन्दमिव भाति ) में ही 'सौन्दर्येण' यह साधारणधर्मबोधक अश भी जोड़ दिया जाय, तब उपमा-प्रतिपादक पाँचवाँ वाक्य होगा 'सौन्दर्येणारविन्दमिव भाति ( सुन्दरता के कारण कमल सा ज्ञात होता है )' यह । यहाँ 'सौन्दर्येण' पद में जो तृतीया विभक्ति है उसका अर्थ है 'प्रयोज्यत्व (साध्यता)' और उसका अन्वय होता है 'भा'धातु के अर्थज्ञान में अथवा इव के अर्थसादृश्य में वस्तुतः सादृश्य में ही समझना चाहिये । अन्य अंशों के अन्वय कहीं तथा कैसे होते हैं यह पूर्ववाक्य के विवरण में बतलाया जा चुका है, अतः तदनुसार अब इस वाक्य का शाब्दबोध होता है कि—'सौन्दर्य-प्रयोज्य—अर्थात् सौन्दर्य से सिद्ध करने योग्य—जो अरविन्दनिरूपित सादृश्य, वह जिसमें प्रकार है ऐसे ज्ञान का विशेष्य मुख आदि' ।

तथाविध षष्ठ वाक्यमुपदर्शयति—

तथा गज इव गच्छति, पिक इव रौतीत्यादावुपमानपदानां तत्कर्तृक-क्रियायां लक्षणया गजादिगमनादिसदृशगमनाद्यनुकूलकृतिमानिति ।

'गज इव गच्छति' इति वाक्ये गजपदस्य स्वकर्तृकक्रियाया लक्षणा, तेन गजपदस्य गजगमन लक्ष्योऽर्थः, इवार्थ सादृश्यम्, गम्धात्वर्थो गमनम् ( सयोगानुकूलो व्यापार ) तिङर्थो नैयायिकरीत्या कृति ( यत्न ), एवम् 'पिक इव रौति' इति वाक्ये पिक-पदस्योपमानबोधकस्य स्वकर्तृकरवणक्रियाया लक्षणा, तेन, तस्य पदस्य 'पिकरवणमर्थः', इवार्थ सादृश्यम्, रुधात्वर्थो रवणक्रिया, तिङर्थ कृति, एषामर्थानां परस्परमन्वये कृतेष्व प्रथमान्तपदार्थेऽनुक्ते देवदत्तादौ स्वरूपेणान्वये क्रमशः 'गजगमनसदृशगमनानुकूलकृतिमान्, एवम् पिकरवणसदृशरवणानुकूलकृतिमान् देवदत्तादि' इति बोधो पर्यवस्यत इति भावः ।

उपमाप्रतिपादक छठे वाक्य का उल्लेख करते हैं—तथा इत्यादि । 'गज इव गच्छति ( हाथी सा चलता है )' और 'पिक इव रौति ( कोयल सा बोलता है )' इत्यादि वाक्यों में 'गज-पिक' आदि उपमानबोधक पदों की स्वस्वकर्तृक क्रिया में लक्षणा होती है—अर्थात् ऐसे स्थलों में गज तथा पिक पद का अर्थ लक्षणा के द्वारा क्रमशः

गज का गमन और पिक का रवग (बोलना) होता है, 'इव' का अर्थ सादृश्य है यह अनेक बार कहा जा चुका है, 'गम् (गच्छ)' और 'रु' धातु के अर्थ हैं—'क्रमशः' गमन (आगे के देश से समुक्त करा देने वाला क्रियाविशेष) और रवग (बोलना), 'ति'-प्रत्यय का अर्थ होता है नैयायिकों के हिसाब से 'वृत्ति' (इयत्), इसका अन्वय प्रथमान्त पद के अर्थ-देवदत्त आदि के साथ होता है। इस तरह के इन अर्थों का परस्पर अन्वय करने पर वाक्यार्थ बोध होता है—'हाथी के गमन के समान गमन के अनुकूल चल करने वाला' और 'कोयल की बोली के समान बोली के अनुकूल चल करने वाला'।

आशङ्कते—

ननु घटो न पश्यतीत्यत्र घटान्विताभावस्य दर्शने कर्मतासंसर्गेणान्वय-वारणाय धात्वर्थनिष्ठविशेष्यतानिरूपितप्रकारतासंसर्गेण शाब्दबोध प्रति विशेष्यतया विभक्त्यर्थोपस्थितेहेतुत्वम्। एवं च गज इव गच्छति, पिक इव रौतीत्यादौ नेत्राद्यर्थस्य सादृश्यस्य धात्वर्थेऽन्वयः सम्भवति। तस्माद्गजादि-सादृश्यस्य गमनादिकर्तृत्वान्वयः स्वगमनादिसदृशगमनादिकर्तृत्वेन समान-धर्मेण। इत्थमेव चाल्यातवादशिरोमणिग्याख्यातृभिरपि सिद्धान्तितमिति चेत्।

कर्तृत्वोक्तिः। एतेन लक्षणादिव्यवच्छेदः। नमानधर्मेणेति। अस्य पूर्वान्वयः। आल्यातवादशिरोमणाति। आल्यातवादनानको न्यायग्रन्थः, तस्य व्याख्यानभूतो मूल-प्रायः शिरोमणिग्रन्थः, तस्य व्याख्यातृभिरित्यर्थः। 'घटो न पश्यति' इति वाक्यात् 'घटप्रतियोगिकाभावकर्मकर्मगतानुकूलकृतिमात्' इत्याकारकाऽन्वयबोधोऽनुभवविरुद्धोऽपि प्रसक्त इति तद्वारणार्थम् 'धात्वर्थनिष्ठविशेष्यतानिरूपितप्रकारतासम्बन्धेन शाब्दबुद्धिन्वा-वच्छिन्न प्रति विशेष्यतान्वयधेन विभक्तिजन्योपस्थिति कारणम्' इत्याकारकार्यकारण-भावोऽवगमनात्प्रेयः। एतादृशकार्यकारणभावाङ्गीकारे तादृशान्वयबोधप्रसक्तिर्न भवति, अभावस्य विशेष्यतया ननुनस्त्याप्तत्वेन दर्शननिष्ठविशेष्यतानिरूपितप्रकारतासंसर्गेणभाव-बोध प्रति कारणत्वेन नमगेहिताया विभक्त्यर्थोपस्थितेरभावात्। एवञ्च गज इव गच्छ-तीत्यादौ इवार्थसादृश्यस्य धात्वर्थगमनादावन्वयोऽनम्भवः, पूर्ववद् अत्रापि सादृश्यस्य विशेष्यतया इवत्वनिर्नातादुपस्थितत्वेन गमनादिनिष्ठविशेष्यतानिरूपितप्रकारतासंसर्गेण सादृश्यबोध प्रति नमगेहिताया विभक्त्यर्थोपस्थितेरभावात्। अतो गज इव गच्छतीत्यादि-वक्त्यात् गमनकर्ता देवदत्तादिः, गजमदृशः (गजकर्तृकामन्मदृशगमनकर्ता) इत्याद्या-करक एव बोधः ननुवित्।

एक लायाह्ला की जाती है—ननु इत्यादि। 'घटो न पश्यति (घट नहीं देखता)' इस वाक्य में 'न' का अर्थ अभाव है, उसमें घट का प्रतियोगितासम्बन्ध में अन्वय करने पर अर्थ होता है घटप्रतियोगिक (घट का) अभाव। अथ उस अभाव का कर्मता-सम्बन्ध में 'परम' धातु के अर्थ-दर्शन में अन्वय नहीं होता—अर्थात् उक्त वाक्य का 'घटा-भाव पश्यति (घटाभाव को देखता है)' ऐसा अर्थ नहीं निकलता, क्योंकि धातु के अर्थ को विशेष्य बनाकर विशेष्यतान्वयधेन होने वाले शाब्दबोध के प्रति, विशेष्यरूप में, विभक्ति के अर्थ का स्मरण, कारण माना जाता है, ता' अर्थ यह कि धात्वर्थ का विशेष्य, किसी विभक्ति का ही अर्थ हो सकता है प्रातिपदिक का अर्थ नहीं। हम कार्यकारणभाव के अनुसार उक्त वाक्य में, घटाभाव का दर्शन में 'कार्यता'सम्बन्ध में, अन्वय, वारित हो जाना है। कारण, अभाव का स्मरण (उपनिधि), 'न' हम निषात् में होता है, किसी विभक्ति में नहीं। अथ प्रकृत में भागह्ला उपनिधत्त हो जाती है कि उक्त नियम (कार्यकारणभाव) के अनुसार 'गज इव गच्छति' इत्यादि पूर्वोक्त स्थल में भी 'इव'

के अर्थ—‘सादृश्य’ का अन्वय जो धात्वर्थ—गमन—के साथ किया गया है वह नहीं बन सकता, क्योंकि सादृश्य की भी उपस्थिति विभक्ति से नहीं अपितु ‘इव-निपात’ से हुई है। अतः गज आदि के सादृश्य का अन्वय, गमन आदि क्रियाओं के कर्ता के साथ होना चाहिए, क्रिया के साथ नहीं और सादृश्य को सिद्ध करने वाला समानधर्म मानना चाहिए ‘गज आदि के गमन के समान गमन आदि का कर्ता होने’ को। अभिप्राय यह कि—‘गज इव गच्छति’ और ‘पिक इव रौति’ इन वाक्यों से क्रमशः ‘गमनकर्ता ( देवदत्त आदि ) हाथी के समान है’ और ‘बोलने वाला कोयल के समान है’ ऐसे ही शाब्दबोध होने चाहिए, न कि पूर्वोक्त आकार के। ‘आख्यातवाद’ की ‘शिरोमणि’ के व्याख्याकारों ने भी ऐसा ही सिद्धान्त किया है।

समाधत्ते—

नैवम्, गज इव गच्छतीत्यत्र सादृश्यस्य विधेयतया प्रतीतेरपलापापत्तेः । गज इव यः पुरुषः स गच्छति, पुरुषो यः स गज इव गच्छतीति वाक्याभ्यां भिन्नप्रतीत्योरानुभविकत्वात् । एवं वनं गज इव गृहं देवदत्तो गच्छतीत्यादौ वनादेः सर्वथैवानन्वयापत्तेश्च । एवं बिम्बप्रतिबिम्बभूतस्य कारकमात्रस्यानन्वयो बोध्यः । तस्माद्गजनिरूपितसादृश्यप्रयोजकगमनाश्रय इत्येव गज इव गच्छतीत्यत्र धीः । कारकोपादाने तूपमानपदानां तत्कर्तृकक्रियायां लक्षणेत्येव साधु ।

पूर्वोक्तशङ्काग्रन्थाशयं निषेधति—नैवम् इति । एवम्—पूर्वोक्तोऽर्थ न युक्त इति भावः । तत्र हेतुमाह—गज इव गच्छतीत्यत्रेत्यादिना । अनन्वयो बोध्य इति । अत्र नागेश —‘वस्तुतस्तु वनं गज इव रणभूमिं शूरो गच्छतीत्यादौ वनकर्मकगमनानुकूलकृतिमद्गजसदृश समरभूमिकर्मकगमनानुकूलकृतिमाव्शूर इत्यादि बोधः । इवशब्देन च बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नवनसमरभूमिविशेषणकगमनमेव धर्मत्वेन बोध्यते । इवादयश्च धर्मवेत्नैव बोधका इति सर्वसम्मतम् । गज इव यः पुरुषः स गच्छतीत्यत्र चेवेन गमनान्वित एव शूरत्वादिधर्मत्वेन बोध्यते । पुरुषो यः स गच्छतीत्यत्र तु गमनमेव तथेति तयोर्विशेषोऽप्युपपद्यत एव । उपमाया विधेयत्व नैतदेव यद्विधेयस्यैव धर्मत्वेनोपमाबोधकबोध्यत्वम् इति चिन्त्यमिदम् । वैयाकरणनये तु क्रिययोरेवोपमानोपमेयभावः । गच्छतीत्यस्य चावृत्त्योभयत्रान्वयः । गजादिपदाना स्वकर्तृकक्रियाया लक्षणा वेति दिक्’ इति । कारकोपादाने इति । बिम्बप्रतिबिम्बभावेन कर्मादिकारकग्रहणे इत्यर्थः । अयं भावः —‘गज इव गच्छति’ इत्यादिवाक्यस्य शिरोमणिव्याख्यातुसिद्धान्तितो बोधो नोचितः, विचारासहत्वात् । तथाहि—तादृशवाक्यात् सादृश्यस्य विधेयगमनविशेषणरूपेण प्रतीतिर्भवतीत्यनुभवसिद्धम्, शिरोमणिव्याख्यातसिद्धान्तितबोधे तु तस्योद्देश्यगमनकर्तृदेवदत्तादिविशेषणरूपेण भानं भवतीति अनुभवापलापप्रसङ्गः । ननु कथं सादृश्यस्य विधेयतया प्रतीतेरनुभवसिद्धत्वम् इति चेन्न, गज इव यः पुरुषः स गच्छति, पुरुषो यः स गज इव गच्छतीति वाक्यद्वयात् भिन्नविधप्रतीत्योरनुभवस्य मूलान्वेषणे सादृश्यस्याविधेयत्व-विधेयत्वयोरन्यस्यानुपलम्भात् । किञ्च शिरोमणिव्याख्यातुसिद्धान्तितबोधाङ्गीकारे ‘वनं गज इव गृहं देवदत्तो गच्छति’ इति बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नवन-गृहरूपकर्मबोधकपदघटितवाक्यस्थले वनादिरूपस्य कर्मधर्मसर्वथाऽनन्वयापातः, तद्रीत्याऽत्रापि ‘गमनकर्ता देवदत्तो गजसदृश’ इत्येव बोधात् । तद्रीत्यनुसरणेन कर्मकारकस्यैवैषा स्थितिः, अपि तु बिम्बप्रतिबिम्बभूतस्य कारकमात्रस्य वृक्षान् कपिरिव प्रासादान्मनुष्योऽवतरतीत्यादौ वृक्षप्रासादादेरप्यनन्वयापत्तिरिति तात्पर्यम् । अतो गज इव गच्छतीत्यादौ गजनिरूपित यत्सादृश्यम् तत्प्रयोजक यद् गमनम्,

तदाश्रय' तदनुकूलवृत्तिमान् इत्याकारक एव बोधोऽर्थकार्यः । यद्यप्ययं बोधः प्रागुक्त-  
लक्षणाकूलकरवाभिमतबोधोद्भिन्नाकार एव, तथापि सादृश्यस्य विधेयतेति स्वाभिमत-  
मन्त्रानि रक्षितम्, लक्षणा च गौरवावहा नाश्रितेति प्रत्यञ्जुरभिप्रायः । परमार्थतस्तु  
लक्षणाप्याश्रयनोर्ध्वं न्यान्, तत्र तथा निर्वाहोऽपि कारकोऽसादान्त्यले ( वन गज इव  
गृहं देवदत्तो गच्छतांन्यादौ ) लक्षणा विन् निर्वाहमावात् । 'वन गज इव इत्यादौ  
गजप्रत्यय स्वस्वकृगमने लक्षणा कृत्वा 'वनकर्मकाजकृकगमनस्य गृहकर्मकान्नात्-  
कूलवृत्तिमान् देवदत्त' इत्याकारक एव बोधोऽन्त्येय, अन्यथा सादृश्यस्य विधेयतया  
प्रतीतिर्न न्यान् कर्मणोऽन्त्येय प्रत्येय इति ।

उक्त आशङ्का का समाधान करते हैं—नैवम् इत्यादि । 'गज इव गच्छति' इत्यादि  
स्यल में आशयानवाद-शिरोमणि के व्याख्याकारों ने जो बोध दिखलाया है, वह ठीक  
नहीं है, क्योंकि उक्त वाक्य में सादृश्य की प्रतीति, विधेय ( विधेय-मानन के विधेय )  
के रूप में होती है—अर्थात् उस वाक्य के सुनने में स्पष्ट ज्ञात होता है कि—वक्ता, हाथी  
और किसी व्यक्तिविशेष की गति में समानता बतलाना चाहता है । पर आपके शब्द  
बोध में इन अनुभव का अपलाप हो जाता है—अर्थात् उस बोध में सादृश्य विधेय  
कोटि में नहीं आकर उद्देश्य कोटि में आ जाता है । आप पढ़ेंगे कि—उक्त वाक्य में  
सादृश्य की प्रतीति विधेयरूप में होती है इनमें क्या प्रमाण ? तो इनका उत्तर यह  
है कि—'हाथी के समान जो पुरुष है वह जा रहा है और 'जो पुरुष है वह हाथी के समान  
जा रहा है' इन दोनों वाक्यों में दो तरह की प्रतीति होती है इन बात को प्राय सभी  
स्वीकार करेंगे—आप भी स्वीकार करेंगे, अब आप बतलाइये कि—इन दोनों वाक्यों में  
दो तरह की प्रतीति क्यों होती है ? इन प्रतीतियों को दो तरह की मानने में क्या मूल  
है ? अगम्या आपको कहना पड़ेगा कि प्रथम वाक्य के बोध में सादृश्य उद्देश्यरूप में  
भासित होता है और द्वितीय वाक्य के बोध में वह विधेयरूप में ज्ञान होता है यही  
अन्तर है ऐसी स्थिति में यहाँ ( 'गज इव गच्छति' में ) उक्त द्वितीय वाक्य के  
समान बोध होना चाहिए परन्तु आपके हिमाय में प्रथम वाक्य का सा बोध हो जाता  
है । अब प्रश्न में मेरे कथनानुसार ही बोध उचित है, आपके कथनानुसार नहीं ।  
दूसरी बात यह है कि आपके कथनानुसार बोध मानने पर 'वनं गज इव गृहं देवदत्तो  
गच्छति—अर्थात् जैसे हाथी वन को जाता है वैसे देवदत्त घर को जाता है इत्यादि  
वाक्यों में 'वन' और 'गृह' इन कर्मकारकों का संबंध अन्वय नहीं हो सकेगा । तदर्थ  
यह कि आपके कथनानुसार यहाँ भी हाथी और देवदत्त का ही सादृश्य समझा जायगा  
और उसको समझने में वन अथवा गृह का कोई उपयोग है नहीं, अतः वे अलग पड़े रह  
जायेंगे—वाक्यार्थबोध में नहीं आ सकेंगे । कर्मकारक की ही ऐसी स्थिति होगी, सो नहीं,  
विश्वप्रतिविश्वमावापन सभी कारकों की यही दशा होगी—अर्थात् 'रुष्यात् कविग्वि  
प्रासादान्नुप्योऽवनरति—अर्थात् जैसे चन्द्र बृह से उतरता है वैसे ननुप्य उटे से  
उतरता है' इत्यादि वाक्यों में वृह और प्रासाद इन असादानकारकों के भी वाक्यार्थ  
में अन्वय नहीं हो सकेगा । इसलिए ऐसा मानना चाहिए कि—यहाँ केवल 'गज इव  
गच्छति' और 'पिक इव रति' ऐसे वाक्य हों, यहाँ प्रमाण 'गज' में निरूपित सादृश्य  
का प्रयोजक ( साधक ) जो समस्त उसका आश्रय' और 'पिक' में निरूपित सादृश्य का  
प्रयोजक जो रवन ( बाली ) उसका आश्रय' ऐसे शब्दबोध होने हैं । ( यद्यपि यहाँ प्रत्य-  
कार ने इन वाक्यों के भी बोध, लक्षणा के द्वारा, भिन्न तरह के दिखलाये हैं, अब  
प्रत्यकार के अपने मन में भी विरोध सा दीव पड़ता है, तथापि लक्षणा न मानकर भी  
यहाँ सादृश्य की विधेयता की रक्षा की जा सकती है और अन्य कारकों का प्रश्न नहीं  
रहने से अन्वय का प्रश्न भी यहाँ नहीं उठता, ऐसा प्रत्यकार का अभिप्राय समझना



चाहिए।) जहाँ इन वाक्यों में विस्वप्रतिविस्वभावापन्न अन्य कारक भी जुड़े हों, वहाँ उपमानवाचक गज आदि पदों की स्वकर्तृक क्रिया में लक्षणा करनी ही पड़ेगी—अर्थात् 'वनं गज इव गृहं देवदत्तो गच्छति' इत्यादि वाक्यों में लक्षणा के विना गुजारा नहीं है। यहाँ नागेश का कुछ अपना विचार है जो बहुत ही सुन्दर—युक्तिपूर्ण है अतः विज्ञ पाठकों के मनोविनोदार्थ उस विचार का सार यहाँ उद्धृत किया जाता है। नागेश कहते हैं कि आख्यातवाद-शिरोमणि व्याख्याकार का कथन अनुचित नहीं है। कारण, 'वनं गज इव रणभूमिं शूरो गच्छति' इत्यादि विस्वप्रतिविस्वभावापन्न समानधर्म वाले वाक्यों से 'वन जिसका कर्म है उस गमनक्रिया के अनुकूल यत्न से युक्त हाथी के सदृश है वह वीर जो, रणभूमि जिसका कर्म है उस गमनक्रिया के अनुकूल यत्न से युक्त है' ऐसा ही बोध होता है। तात्पर्य यह कि ऐसे वाक्यों में वर्तमान 'इव शब्द' विस्वप्रतिविस्वभावापन्न वन और रणभूमिरूप विशेषणों से युक्त गमनक्रिया को ही समानधर्मरूप बतलाता है। 'इव' आदि शब्द, धर्म के रूप में किसी वस्तु का बोध कराने के लिये ही लाये जाते हैं यह बात सर्वसम्मत है। इस तरह से अन्वय करने पर कारकों का अनन्वय वाला दोष नहीं आता, बात रही 'गज इव यः पुरुषः स 'गच्छति' और 'यः पुरुषः स गज इव गच्छति' इन वाक्यों से भिन्न तरह की प्रतीतियों के होने की, सो वह भी ठीक बन जाती है, क्योंकि इन दोनों वाक्यों में से प्रथम में, 'इव' शब्द, 'शूरता आदि' का समानधर्म होना बतलाता है और द्वितीय में 'गमन' का ही समानधर्म होना। तात्पर्य यह कि समानधर्म के भिन्न-भिन्न होने के कारण ही इन दोनों वाक्यों की प्रतीतियों में अन्तर होता है, सादृश्य के अविधेय और विधेय होने के कारण नहीं। रही सादृश्य के विधेय होने की बात, सो उसका अभिप्राय यही है कि—जहाँ 'इव' आदि उपमाबोधक पदों के द्वारा वाक्य का 'विधेय' अर्थात् समानधर्म के रूप में बताया जाय वहाँ उपमा (सादृश्य) विधेय होती है, इस अभिप्राय के अनुसार शिरोमणि-व्याख्याता के मत में 'गज इव गच्छति' 'पिक इव रौति' और 'वनं गज इव गृहं देवदत्तो गच्छति' इन सभी वाक्यों से यदि गज आदि और देवदत्त आदि के सादृश्य का भी बोध माना जाय, तथापि 'सादृश्य' विधेय है ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि इन वाक्यों के इव शब्दों से समानधर्म के रूप में विधेय (गमन-रवण) का ही बोध होता है। सारांश यह हुआ कि नैयायिक लोग, क्रियाओं की तुलना, उक्त वाक्यों में नहीं मानते, पण्डितराज, निरर्थक, उनके मतानुसार होने वाले शाब्दबोधों में क्रिया की तुलना वाली बात कहते हैं। हाँ, वैयाकरणों के मतानुसार अवश्य ही ऐसे वाक्यों में क्रियाओं की तुलना होती है—अर्थात् क्रियायें ही उपमान और उपमेय होती हैं। तात्पर्य यह कि—'वनं गज इव रणभूमिं शूरो गच्छति' इस वाक्य से वैयाकरणों के मतानुसार 'जिसका हाथी कर्ता और वन कर्म है उस गमनक्रिया के तुल्य वह गमन-क्रिया है जिसका शूर कर्ता और रणभूमि कर्म है' ऐसा शाब्दबोध होगा। इस बोध में दो गमन-क्रियाओं का उपमानोपमेयभाव स्पष्ट है। यदि कोई इस मत में यह शङ्का उठावे कि 'गच्छति' पद जब एक ही है तब उस (गमनक्रिया) के साथ उपमान—गज और उपमेय—शूर दोनों का अन्वय कैसे होगा, क्योंकि 'सकृद्दुश्चरितः शब्दः सकृदेवायं गमयति—अर्थात् एक बार उक्त पद एक ही बार अर्थबोध कराता है' ऐसा सिद्धान्त है, तो इसके उत्तर में यह कहा जायगा कि—'गच्छति' पद की आवृत्ति मान ली जायगी—अर्थात् दो 'गच्छति' पद मान लिये जायँगे, अथवा पण्डितराज के कथनानुसार, ऐसे वाक्यों में उपमानबोधक (गज आदि) पदों की स्वकर्तृक गमन-क्रिया में लक्षणा मान ली जायगी। सारभाग यह हुआ कि पण्डितराज का मत, वैयाकरणों के हिसाब से ठीक हो सकता है, पर उन्होंने नैयायिकों का मत मानकर जो वैसी बात लिखी है, वह

राज को उक्त वाक्यों में क्रिया के साथ क्रिया की तुलना ही

अभीष्ट धी तो उन्हें उनके लिए वैचारकों के मत का अनुसरण करना चाहिए था—  
अर्थात् वैचारकों के मत के अनुसार ही शाब्दबोध लिखना उचित था।

एतन् पूर्वोक्तद्वयानुसंधानान्तरंगानुसंधाने आह—

न च प्रागुक्तकारणभावस्य धात्वर्थनिष्ठेत्यादेर्व्यभिचारः तस्यानङ्गी-  
कारात् । अङ्गीकारे च दूषोभारात्पृथगित्याद्यर्थानां धात्वर्थान्वयोऽनुभवनिष्ठोऽ-  
पलपनीयः स्यात् ।

तस्य कर्त्तरणभावस्य । अङ्गीकारे इति । तस्य कर्त्तरणभावस्य स्विकारे इत्यर्थः ।  
इत्याद्यर्थनिष्ठिति । एषा पदानां वैऽप्राप्त्यर्थमिति । धात्वर्थान्वय इति । धात्वर्थे  
अन्वय इत्यर्थः । अत्रलपनीयः स्यादिति । तेषाम्वयो न भवतीति वक्ष्य स्यादित्यर्थः ।  
उच्ये 'गज इव गच्छति' इत्यादौ धात्वर्थस्य सादृश्यस्य धात्वर्थे गमनाभाववशे प्रत्यकरा-  
मिन्नत्वं स्विक्रिये तदा 'धात्वर्थनिष्ठित्येवतानिहपितप्रकरतानमर्गेण' शाब्दबोध प्रति-  
विरोधतया विभक्त्यर्थोत्पत्तिरिति इति पूर्वोक्तस्य कर्त्तरणभावस्य का गतिरिति  
चेत् तस्य कर्त्तरणभावस्य स्विकारत्वं, अत्र एव 'दूषो भुङ्क्ते', 'आगृह्यविनाते',  
'पुण्ड्रं पुनः' इत्यादौ दूषोभारात्पृथगित्यादौ तत्र तत्र धात्वर्थान्वयो भवति । तेषां  
धात्वर्थान्वयो नैव भवतीति तु न गच्छ्य वत्, तेषाम्वयानुभवनिष्ठत्व इत्यन्वयिद्वय  
च वस्तुनेऽस्तगन्तुवादिनि भावः ।

उक्त ग्राह्य और समाधान के अन्तर्गत एक दूसरा ग्राह्य-समाधान करते हैं—न च  
इत्यादि । यदि आप कहें कि—प्रत्यकार की रीति से 'गज इव गच्छति' इत्यादि वाक्यों  
में 'इव' के अर्थ—सादर्य-का अन्वय धात्वर्थ के साथ मानने पर, पूर्वोक्त 'धातु के अर्थ  
के विरोध बनाकर प्रचारतामसद्वय से होनेवाले शाब्दबोध के प्रति विरोधरूप में  
विभक्ति के अर्थ का उपस्थिति कारा है यह कारणकारणभाव व्यभिचारित हो जायगा—  
अर्थात् 'धात्वर्थ में विभक्ति का अर्थ ही विरोध हो सकता है अन्व नहीं यह निश्चय  
हूट जायगा क्योंकि यहाँ विभक्ति से भिन्न-इव-प्रतिपदिक-का अर्थ, धात्वर्थ का  
विरोध बनाया गया है । तो इसका समाधान यह है कि—इन उस कार्यकारणभाव  
को—उस निश्चय को—नहीं मानते । कारण यदि उसके माना जाय तब 'तुष्णीम्  
(उप) 'आगृ' (दूर अथवा समीप) और 'भृषक्' इत्यादि निपातों के अर्थों का  
अन्वय धातु के अर्थ में अनुभवनिष्ठ है, उसका अन्वय करना पड़ेगा—अर्थात् अनुभव  
करते रहने पर भी वस्तु उस अन्वय के विषय में नकारात्मक उत्तर देना पड़ेगा  
अभिप्राय यह कि—'सुखदाप गता है', 'नर्दीक अथवा दूर बैठना है और 'अन्न  
मोता है' इत्यादि न्यायों में क्रमशः उक्त निपातों के अर्थों के अन्वय-मात्वात् धातु के  
अर्थों के साथ अनुभव होने हैं अतः उक्त निश्चय को न मानना ही उचित है ।

एतन् पूर्वोक्तद्वयानुसंधानान्तरंगानुसंधाने आह—

अथ तदि उच्ये न पयनीत्यादौ घटाभावं परयतीति तान्वयबोधः । धात्वर्थ-  
निष्ठविरोधतानिहपितप्रकरतानमर्गेणान्वयबोधे प्रति नङ्कत्येवस्यितिनान्वय-  
प्रतिद्वन्द्वकवक्यनान् । धात्वर्थस्य तानामर्थभित्तेन विरोधप तु द्वयेऽस्तुत्यन् ।  
तेषु पाके न याग इत्यादौ न व्यभिचारः । अत्यन्तमसद्विचारोऽयम् ।

ननु नङ्कत्येवस्यितिनान्वयबोधे प्रति प्रतिद्वन्द्वकवक्यनान्वय-  
कवक्यनान्वयबोधे (प्रतिद्वन्द्वकवक्यनान्वय) इति चेत्, न स्यादिति नङ्कत्येव-  
स्यितिनान्वयबोधे । इति उच्यते । प्रामादिकारोऽन्वयबोधः । अत्यन्त इति अत्यन्त-  
व्यर्थः । धात्वर्थनिष्ठविरोधतानिहपितप्रकरतानमर्गेणान्वयबोधे विभक्तिरिति उच्यते ।

णत्वानङ्गीकारे 'घटो न पश्यति' इत्यादौ प्रतियोगितासम्बन्धेन घटान्वितस्य नवर्थस्या-  
भावस्य कर्मताससर्गेण दर्शनेऽन्वय विधाय 'घटप्रतियोगिकाभावकर्मकदर्शनानुकूलकृति-  
मान्' इत्याकारकोऽन्वयबोध कथं वारितः स्यादिति चेन्न, नञ्पदजन्योपस्थिते तादृशा-  
न्वयबोध प्रति प्रतिबन्धकत्वकल्पनेन तद्वारणत् । तादृशकार्यकारणभावमस्वीकृत्यैतादृश-  
प्रतिबन्धप्रतिबन्धकभावकल्पनस्य, नवर्थातिरिक्तनिपातार्थस्य धात्वर्थे प्रकारतासिद्धि फल-  
मित्यवगन्तव्यम् । न चैवविधप्रतिबन्धप्रतिबन्धकभावाङ्गीकारे 'पाको न याग' इत्यादावपि  
नवर्थ-भेद-प्रकारकपाकबोधो न स्यादिति शङ्क्यम्, उक्तप्रतिबन्धप्रतिबन्धकभावघटक-  
धात्वर्थे नामार्थभिन्नत्वेन सङ्कोचात् । तथा च प्रकृते पाकादे, पाकादिरूपनामार्थतया न  
प्रतिबन्ध । न चाय नामार्थभिन्नत्वनिवेश प्रतिबन्धप्रतिबन्धकभावकल्पेऽधिक इति  
वाच्यम्, कार्यकारणभावकल्पेऽपि तन्निवेशस्यावश्य कर्तव्यत्वात्, अन्यथा तत्कल्पेऽपि  
'पाको न याग' इत्यादौ व्यभिचार प्रसज्येतैवेति भावः ।

पुनः एक अवान्तर शका-समाधान करते हैं—कथम् इत्यादि । उक्त प्रसंग में अब  
केवल एक शका यह रह जाती है कि—यदि धात्वर्थ को विशेष्य बनाकर प्रकारतासबन्ध  
से होने वाले शाब्दबोधों में विशेष्यरूप से विभक्ति के अर्थ की उपस्थिति को कारण नहीं  
मानते, तब फिर 'घटो न पश्यति' इत्यादि वाक्यों से 'घटाभाव को देखता है' ऐसा बोध  
क्यों नहीं होता ? अर्थात् कर्मतासबन्ध से 'नञ्' के अर्थ—उस अभाव—जिसमें प्रतियोगिता  
सबन्ध से घट अन्वित हो चुका है—का धात्वर्थ-दर्शन में अन्वय हो जायगा, तो इसका  
उत्तर यह है कि—इस तरह के अन्वय-बोध को रोकने के लिये केवल नञ् के अर्थ  
के स्मरण को धात्वर्थनिष्ठविशेष्यतानिरूपित-प्रकारतासबन्ध से होने वाले शाब्दबोध  
के प्रति प्रतिबन्धक मान लीजिए । तात्पर्य यह कि इस तरह की गड़बड़ी केवल 'नञ्' का  
प्रयोग होने पर ही उपस्थित होती है, अतः उक्त प्रतिबन्धक मान लेने से ही निर्वाह  
जब हो जाता है तब सब निपातों को समेट कर पूर्वोक्त कार्य-कारणभाव मानने की  
आवश्यकता नहीं रह जाती और उल्टे उस तरह का कार्य-कारणभाव मानने पर दोष  
भी हो जाते हैं जो पूर्व में दिखलाये जा चुके हैं । नञ् भी उस धात्वर्थ में प्रकार होता ही  
है जो नाम (प्रातिपदिक) के अर्थरूप में उपस्थित होता है, अतः आपको उक्त कार्य-कारण-  
भाव में और मुझको उक्त प्रतिबन्ध-प्रतिबन्धकभाव में 'धात्वर्थ' के विशेषणरूप से नामार्थ  
से भिन्न इतना और जोड़ना पड़ेगा, जिससे 'पाको न याग.—अर्थात् पकाना यज्ञ नहीं है'  
इत्यादि स्थानों में दोष नहीं होगा । अभिप्राय यह कि—यहाँ 'यागप्रतियोगिकभेदवान्  
पाकः' इस अन्वयबोध में याग नञ् अर्थ भेद का और भेद पाक का विशेषण होता है, क्योंकि  
पाकक्रिया ( जो अन्यत्र धातु का अर्थ होता है ) यहाँ पाक प्रातिपदिक के अर्थ के रूप  
में उपस्थित हुआ है । फलतः इस अंश में हम और आप दोनों बराबर हैं—किसी के  
मत में दूसरे मत की अपेक्षा गौरव नहीं है । इस तरह अप्रासंगिक विचार अब यहाँ  
समाप्त किया जाता है ।

तथाविध सप्तम वाक्य निर्दिशति—

अथारविन्दतुल्यो भातीत्यत्र कथं धीः । तुल्यपदार्थस्य निपातभिन्ननामार्थ-  
त्वेन धात्वर्थे भेदेनान्वयायोगात् । तादृशतुल्यत्वादेर्भानोद्देश्यतावच्छेदकत्वे  
भानमात्रविधेयतायां विवक्षितार्थाप्रतीतिः । न च तुल्यपदेन तुल्यत्वप्रकारको  
लक्षणयोपस्थापितो ह्यभेदेन धात्वर्थेऽन्वेष्यतीति वाच्यम् । क्रियाविशेषणत्वना-  
रविन्दतुल्यशब्दस्य नपुंसकत्वापत्तेरिति चेत्, व्याकरणस्य सिद्धानुवादकत्वेन  
स्तोकं पचतीत्यादिमात्रविषयत्वेन क्रियाव्ययविशेषणानां क्लीबतेष्यते इत्यस्यो-

पपत्ते । धातोरेव लक्षणया सकलार्थबोधकत्वमितरस्य ताःपर्यग्राहकतेत्यपि केचित् ।

क्यमिति । अभेदेन भेदेन वेत्यर्थ । तत्र नाद्य इत्याह—तुल्येति । एतेन 'धात्वर्थ-  
 निष्ठविशेष्यतानिर्हपित-निपातार्थातिरिक्तवृत्ति-भेदसम्बन्धावच्छिन्नप्रकारताननर्गणान्वयबोधं  
 प्रति विशेष्यतया विभक्त्यर्थोपस्थितिर्हेतु' इत्याकारकं कार्यकारणभाव नृचित । अत्र  
 'उक्तव्युत्पत्ते' इति नागेशकृतविवरणे तु नोपयुक्तं, मद्दुक्ताकारकव्युत्पत्ते पूर्वमनुन्धान् ।  
 या व्युत्पत्तिः प्रागुक्ता सा न प्रकृतोक्त्यनुकूला तत्र प्रकारतावच्छेदकमन्बन्धविधया भेदा-  
 भेदयोरनिवेशात्, निपातार्थातिरिक्तवृत्तिन्वेन प्रकारतायामनुज्ञात्, न्यून्योपस्थिति-  
 मात्रस्य प्रतिबन्धकत्वनङ्गीकृत्य तस्या व्युत्पत्तेरनङ्गीकरणोच्छेदं, मद्दुक्ताकाराया व्युत्पत्तेरा-  
 वग्यकता ग्रन्थकृता व्यमत्तभूतेति तु अन्यत् विदुर्धैर्विचारणीयम् । नाप्यभेदेनेत्याह—न  
 चेति । धात्वर्थे भानरूपे । उपपत्तेरिति । तथा चाभेदेनैव पूर्वोक्तरीत्याऽन्वय इति भाव ।  
 मतान्तरमाह—धातोरेवेति । इत्यपि केचिदिति । अत्र नागेश 'वस्तुतस्तु उपमाविधे-  
 यबोधे तात्पर्ये अरविन्दतुल्यमित्येव साधु, न तुल्य इति । यदि तु विधेयस्य धर्मत्वेनोप-  
 नाबोधकबोधध्वत्वमेव विधेयत्वमुपनाया इति विभाव्यते तर्हि अरविन्दतुल्यविषयक भानम्  
 भानविषयोऽरविन्दतुल्य इति वा बोधेऽपि भानस्य धर्मत्वेन भानादुपनाया अविधेयत्वमेव ।  
 धर्मान्तरस्य तथा भाने तु अरविन्दतुल्य इत्येव प्रयोग नर्बन्मत । उपनाया उद्देश्य-  
 तावच्छेदकत्व चेति ध्येयम् ।' इति । अत्र भाव — 'अरविन्दतुल्यो भाति' इत्यत्रारविन्द-  
 पदार्थस्य निरूपितत्वमन्बन्धेन तुल्यपदार्थे सादृश्ये तस्य च प्रकारतानन्बन्धेन धात्वर्थे  
 ज्ञानेऽन्वय विधाय 'अरविन्दनिरूपितमादृश्यप्रकारकज्ञानविशेष्ये' इत्याकारको योषो न  
 भवितुमर्हति, निपातार्थस्य भेदेन धात्वर्थेऽन्वयेऽपि तदतिरिक्तस्य नामार्थस्य भेदेन  
 तत्रान्वयस्यानुपदोक्तकारणभावविरुद्धत्वेन तुल्यपदार्थस्य सादृश्यस्य प्रसागतानन्बन्धेन  
 धात्वर्थज्ञानेऽन्वयस्यानन्बन्धात् । तुल्यपदोत्तरप्रथमाविभक्तिन्योपस्थिते मन्वान्तोत्कार-  
 कारणभावविरोध इति तु न वक्तु योग्यम्, प्रथमाविभक्तेः प्रातिपदिकार्थेऽनुशिष्टत्वेनानुवाद-  
 क्तया तत पृथगर्थोपस्थितेरभावात् । न च नास्तु तुल्यपदार्थस्य सादृश्यस्य धात्वर्थे  
 ज्ञानेऽन्वय, तस्य वग्यकताऽपि नास्ति, 'अरविन्दनिरूपितमादृश्यविशिष्ट विनायतानन्बन्धेन  
 ज्ञानवत्' इति बोधमानशाय सादृश्यस्य उद्देश्यतावच्छेदकत्व ज्ञानमात्रस्य च विधेयत्व  
 र्वाप्रियतान्, इति वक्तव्यम् तथाबोधस्य विविन्तार्थाविषयकत्वात् । सादृश्यस्य विधेय-  
 पदस्यतया भानमिह वस्तुभिप्रेतम्, न च तत्तथाविधे योषे निरूपयतीति तारयम् । एव  
 स्थितौवैप निदान्त—तुल्यपदस्य तुल्यत्वप्रकारके लक्षणा लक्षार्थस्य च तुल्यत्वप्रकार-  
 कस्य धात्वर्थे ज्ञानेऽभेदेनैवान्वय, तथा च 'अरविन्दनिरूपितमादृश्यप्रकारकज्ञान-  
 विशेष्ये' इति बोधे न इतिद्वेष । न चैव मति 'निपातार्थविशेष्यतया तन्निर्णयने' इति  
 निदान्तविरोधो दोष, निपातानुरोपे च शिवाविशेष्यतावच्छेदकविन्दतुल्यस्य न्युपसर्गात्तन्नि-  
 रिति वाच्यम्, निदान्तसादृश्यस्य 'निपातार्थविशेष्यतया तन्निर्णयने' इति व्याख्या-  
 नुपातान्त्वस्य 'स्तौक्यं पचति' इत्यादिमात्रविषयकत्वमनेन नामणं चात् । भागवतेरेव ता-  
 पाना 'अरविन्दनिरूपितमादृश्यप्रकारकज्ञानविशेष्ये' इति मन्बन्धात्, 'अरविन्दतुल्यः'  
 इत्यङ्गतात्पर्यमाह इति पक्षान्तरमपि किन्तौऽर्थात्वेति । प्रथमं पक्षे एतन्मार्त-  
 तसाऽन्वयस्यैव नास्तीति न व्युत्पत्तिविरोधादेः प्रमा इति ।

अत्र उपमाप्रतिपादकं सप्तमं चारुद का उक्तेरु कर्तव्यं है—अथारविन्द इत्यादि ।

अब 'अरविन्दतुल्यो भाति ( अरविन्द क समान प्रतीत होता है )' इस वाक्य में यह विचार करना है कि—यहाँ तुल्यपद के अर्थ—सादृश्य—का धात्वर्थ—ज्ञान—में भेदसम्बन्ध से अन्वय होगा अथवा अभेदसम्बन्ध से ? भेदसम्बन्ध से अन्वय नहीं माना जा सकता, क्योंकि 'निपात से अन्य प्रातिपदिक के अर्थ का भेदसम्बन्ध से धात्वर्थ में अन्वय नहीं होता' ऐसा नियम है। तात्पर्य यह कि अरविन्द पदार्थ का तुल्यपदार्थ—सादृश्य—के साथ निरूपितत्वसम्बन्ध से और उस सादृश्य का प्रकारतासम्बन्ध से धात्वर्थ—ज्ञान—के साथ अन्वय मानकर 'अरविन्द-निरूपित-सादृश्य-प्रकारकज्ञान विशेष्य' ऐसा शाब्दबोध नहीं किया जा सकता। कारण, 'तुल्य' यह निपात से अन्य प्रातिपदिक है, अतः उसके अर्थ का प्रकारतारूप भेदसम्बन्ध से धात्वर्थ—ज्ञान—में अन्वय हो ही नहीं सकता। आप कहेंगे कि—यहाँ तुल्य पदार्थ का धात्वर्थ के साथ अन्वय किया ही क्यों जाय ? उसकी कोई खास आवश्यकता तो है नहीं। रहा शाब्दबोध, सो वह तो तुल्य पदार्थ—सादृश्य—को उद्देश्य का विशेषण और शुद्ध धात्वर्थ—ज्ञान—को विधेय मान कर भी किया जा सकता है—अर्थात् उक्त वाक्य से 'अरविन्दसदृश-वस्तु ( मुख आदि ), विशेष्यतासम्बन्ध से ज्ञानवाला है—ज्ञान में वह विशेष्य होता है' इसी तरह का शाब्दबोध होगा। ( इस बोध में अरविन्दसदृश वस्तु उद्देश्य है और सादृश्य उद्देश्यता का अवच्छेदक अर्थात् विशेषण )। परन्तु यह कथन आपका सगत नहीं हो सकता, क्योंकि इस रीति से और सब बातें तो ठीक हो जाती हैं, लेकिन वक्ता को उक्त वाक्य-द्वारा जिस अर्थ का बोध कराना अभीष्ट है उस अर्थ का बोध ही नहीं हो पाता—अर्थात् सादृश्य का बोध, वक्ता विधेय ( विधेय-विशेषण ) के रूप में कराना चाहता है और उक्त बोध में वह हो जाता है उद्देश्य ( उद्देश्य विशेषण ) यही गड़बड़ी हो जाती है। अब रही अभेदसम्बन्ध से तुल्यपदार्थ-सादृश्य का धात्वर्थ के साथ अन्वय होने की बात, सो वह वैसे बन नहीं सकती, अतः 'तुल्य' पद की 'तुल्यत्वप्रकारक' इतने अर्थ में लक्षणा माननी चाहिए और तब उस लक्ष्य अर्थ का 'भा' धातु के अर्थ—ज्ञान—के साथ अभेदसम्बन्ध से अन्वय करके 'अरविन्द से निरूपित जो तुल्यत्व ( सादृश्य ) तत्प्रकारक से अभिन्न—ज्ञान का विशेष्य' इस तरह का शाब्दबोध स्वीकार करना चाहिए। यद्यपि इस लक्षणावाली रीति में भी यह आशंका होती है कि इस तरह से 'अरविन्दतुल्य' पद का अर्थ, क्रिया का विशेषण हो जाता है, अतः 'क्रिया व्ययविशेषणानां क्लीबतेष्यते—अर्थात् क्रिया और अव्यय के विशेषणरूप में आये हुए शब्दों का नपुसकलिङ्ग होना इष्ट है' इस नियम के अनुसार उस पद से नपुसकलिङ्ग आना चाहिए, पुलिङ्ग नहीं—अर्थात् 'अरविन्दतुल्य भाति' ऐसा वाक्य होना उचित है न कि 'अरविन्दतुल्यो भाति' ऐसा। परन्तु यह आशंका कुछ है नहीं। कारण, उक्त नियम व्याकरणशास्त्र का है और व्याकरण, केवल सिद्ध प्रयोगों का अनुवादक है विधायक नहीं—अर्थात् परम्परा से लोग जिस तरह के प्रयोग करते आते हैं उनको सिद्ध करने की प्रक्रिया केवल व्याकरण में बतला दी गई है, लोकप्रयोग के विरुद्ध किसी प्रकार का नियम बनाने का स्वतन्त्र अधिकार उसे नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त नियम 'स्तोक पचति ( थोड़ा पकाता है )' इत्यादि स्थलों पर ही लागू होगा, क्योंकि परम्परा से ऐसा प्रयोग होता आ रहा है, न कि 'अरविन्दतुल्यो भाति' इत्यादि स्थलों पर, क्योंकि परम्परा से ऐसी जगहों पर पुलिङ्ग का ही प्रयोग होता आया है। कुछ लोगों का कथन है कि पूर्वोक्त समग्र अर्थ, लक्षणा द्वारा, धातु (भा) से ही उपस्थित हो जाता है 'अरविन्दतुल्यः' यह अश, तो वक्ता के उक्तलक्षणावाले तात्पर्य का बोधकमात्र है, उसका अपना कुछ खास अर्थ नहीं है। इस मत के हिसाब से उक्त पूरा अर्थ जब एकही पद का हो गया, तब अन्वय और उसके साथ उठने वाले व्युत्पत्तिविरोध आदि के बखेड़े नहीं होते। यहाँ प्रथम पक्ष के सम्बन्ध में नागेश का कथन है कि यदि शाब्दबोध में उपमा को विधेय

यनाना अभिष्ट हो, तत्र 'अरविन्दतुल्य भाति' ऐसा ही वाक्य शुद्ध है 'अरविन्दतुल्य' यह नहीं। कारण, क्रियाविशेषणों का नपुंसकलिङ्ग होना आपके उक्त दलीलों में रुक नहीं सकता। यदि 'विधेय का उपमाबोधक ( इव आदि ) के द्वारा समान धर्म के रूप में उपस्थित किया जाना ही उपमा का विधेय होना है' यह मेरी युक्ति अपनाई जाय, तत्र भी मूलकार की अभीष्टमिद्धि होती नहीं दीख पड़ती, क्योंकि 'अरविन्दतुल्यो भाति' इस वाक्य का शाब्दबोध, वैयाकरणों के हिमाय से 'अरविन्दसदृश ( सुख, कर, चरण आदि ) जिसका विषय है वह ज्ञान' और नयायिकों के हिमाय से 'ज्ञान का विषय अरविन्दसदृश' इन्हीं दो प्रकारों से हो सकता है, पर इन दोनों ही प्रकारों में 'ज्ञान' ही समानधर्म के रूप में उपस्थित होता है और वह उपमाबोधक-तुल्य-पद से बोधित होता नहीं, क्योंकि 'तुल्य' पद उक्त शाब्दबोध के अनुसार 'ज्ञान के विषय' का बोधक होता है, 'ज्ञान' का नहीं। अतः उपमा को विधेय बनाने की इच्छा करने पर 'अरविन्दतुल्य भाति' ऐसा ही वाक्य बोलना पड़ेगा, दूसरा उपाय नहीं। हाँ यदि ज्ञान को साधारण धर्म न मानकर 'सौन्दर्य आदि' अनुक्त वस्तु को मान लिया जाय, तब 'अरविन्दतुल्य' ऐसा वाक्य हो सकता है, किन्तु उस हालत में भी उपमा उद्देश्यता-वच्छेदक ( उद्देश्यविशेषण ) ही रहेगी, विधेय नहीं। इसी बात को सर्वसम्मत समझना चाहिए। यहाँ चतुर्वेदीजीकृत हिन्दी रसगगाधर की टिप्पणी पर टिप्पणी करते हुए सम्पादक लिखते हैं कि—“निर्मितिमादधती” इस काव्यप्रकाशके पद्य में 'निर्मिति' पद क्रिया विशेषण होने पर भी स्त्रीलिङ्ग है। अतः 'क्रियाविशेषण नपुंसकलिङ्ग ही होता है' यह नियम मार्वात्रिक नहीं है। इत्यादि।” पर यह टिप्पणी उनकी असङ्गत सी-प्रतीत होती है। कारण, उक्त काव्यप्रकाश के पद्य में 'निर्मिति' पद क्रियाविशेषण है ही नहीं, उस पद को क्रियाविशेषण मानने की आवश्यकता भी नहीं है। वह तो शुद्ध कर्मपद है, उसका 'निर्मायते' इस कर्मव्युत्पत्ति से 'जगत्' अर्थ है और 'आदधती' का अर्थ 'प्रकाशयन्ती'। यही बात काव्यप्रकाश के सभी मान्य व्याख्याकारों ने लिखी है। यदि किसी टीका में 'निर्मिति' को क्रियाविशेषण मान कर व्याख्या लिखी भी गई हो, तो वह स्वतन्त्र विचार रखनेवाले विद्वज्जनों से जाहत नहीं हो सकती।

तथाविधमष्टम वाक्य निर्दिशति—

अरविन्दवत्सुन्दरमित्यत्र वतेः 'तेन तुल्यम्—' इति विहितस्य सादृश्य-वर्द्धकस्य सादृश्ये लक्षणा। तस्य च सुन्दरपदार्थकदेशेन सुन्दरत्वेनान्वया-दरविन्दमिव सुन्दरमित्यत्रैव बोधः। एकत्र शक्त्याऽपरत्र लक्षणया च सादृश्य-प्रतिपादनाच्छ्रौत्यार्थी च।

अरविन्दमिव सुन्दरमित्यत्रेति । अत्र “वन्तुतन्तु क्रियायान्तुल्यत्वे एव 'तेन तुल्यम्—' इति वतिविधानादरविन्दमिव सुन्दरमित्यादिवन्तु वोध इति निश्चयमिदम् । अत एव प्राप्नोवदधति इत्यत्र प्राप्नोवर्तुसाध्यने प्राप्नोवपदस्य ल-रिति नानाभाष-कारादयः । “अरविन्दवत्सुन्दरम् सुप्तम्” इत्यत्र च भवतिविधाभ्यागता । अरविन्दपदेन च सुन्दरारविन्दभवन लक्ष्यते । तथा च सुन्दरारविन्दभवनस्य सुन्दरसुप्तभवनमिति गाच्छे बोधे वृत्ते अरविन्दसुप्तयोः सौन्दर्यधर्मकतसादृश्येन सादृश्येन वुध्यते । अत्रमरविन्द-वन्तु-मित्यत्रापि अरविन्दभवनस्य सुप्तभवनमित्येव बोधो गुण इति बोधम् ।” इति नागेज । एकत्र अरविन्दमिवेत्यत्र । अपरत्र अरविन्दममित्यत्र । अरविन्दवत्सुन्दरमित्यत्र 'तत्र तन्त्रेव' इति सूत्रेण वतिप्रत्ययो न प्राप्तः, तस्य पदस्यै विगानात्, पदस्यैव न ( अरविन्दस्यैव ) सुन्दरमित्यत्रान्वयागमनभावात्, अत्र 'तेन तुल्यम्—' इति सूत्रेण वतिप्रत्ययो विधेयः । न च सादृश्यवर्द्धकः । सादृश्यवर्द्धकत्वं च सुप्तपदस्य प्रवृत्ते बाधः ।

अतस्तस्य-वते-प्रकृते सादृश्यमात्रे लक्षणा । लक्ष्यार्थस्य च सादृश्यस्य सुन्दरपदार्थके देशेन सुन्दरत्वेन सह प्रयोजकत्वसम्बन्धेनान्वय । तेन अरविन्दमिव सुन्दरमित्यत्रे 'अरविन्दनिरूपितसादृश्यप्रयोजकसौन्दर्यवदभिन्नम्' इति शाब्दबोधो भवति । नन्वे कस्तयोर्वाक्ययोर्भेद इति चेन्न, अरविन्दमिवेत्यत्र इवशब्दनिष्ठयाऽभिधया सादृश्योपस्थितं परस्परसादृश्यात्मिकाया उपमाया शब्दश्रवणमात्रादवगमेन तस्य वाक्यस्य शाब्दोपमा बोधकत्वम्, अरविन्दवदित्यत्र च वत्प्रत्ययनिष्ठया लक्षणया सादृश्योपस्थितौ परस्पर सादृश्यात्मिकाया उपमाया अर्थसमाजप्रस्तत्वात् पश्चादवगमेन तस्य वाक्यस्यार्थोपमा बोधकत्वमिति भेदादिति भाव ।

उपमाप्रतिपादक अष्टम वाक्य का उल्लेख करते हैं-अरविन्दवत् इत्यादि । 'अरविन्द वत्सुन्दरम् ( अरविन्द के समान सुन्दर )' इस वाक्य में 'तत्र तस्येव' इस सूत्र से वति प्रत्यय नहीं हो सकता, क्योंकि वह षष्ठ्यर्थ में होता है और यहाँ 'अरविन्द का सुन्दर यह षष्ठ्यर्थ वाला अन्वय बैठता नहीं, वह तव बैठता यदि 'सौन्दर्यम्' यह धर्मप्रधान शब्द कहा रहता, अतः उक्त वाक्य में वति प्रत्यय का विधान 'तेन तुल्य क्रिया चेद्वति ( ५।१।१५ )' इस पाणिनिसूत्र से मानना पड़ता है । और उस 'वति' प्रत्यय व वाच्य अर्थ होता है 'सादृश्यवान्-अर्थात् सादृश्य से युक्त', जो यहाँ बाधित है-अर्थात् 'सादृश्ययुक्त' अर्थ का अन्वय 'सुन्दर पदार्थ' के साथ बनता नहीं, अतः उसकी ( वत् प्रत्यय की ) केवल सादृश्य में यहाँ लक्षणा की जाती है और उस ( लक्ष्यार्थ ) सादृश्य का 'प्रयोजकता'सम्बन्ध से सुन्दर पदार्थ के एक भाग-सौन्दर्य-के साथ अन्वय होता है, अतः इस वाक्य का शाब्दबोध उसी तरह का होता है, जिस तरह का 'अरविन्दमिव सुन्दरम्' इसका होता है-अर्थात् यहाँ भी 'अरविन्द से निरूपित जो सादृश्य उसका प्रयोजक ( साधक ) जो सौन्दर्य, उससे युक्त से अभिन्न मुख आदि' ऐसा ही बोध होता है । इस तरह शाब्दबोध समान होने पर भी दोनों वाक्यों में अन्तर यह है कि एक जगह ( अरविन्दमिव, यहाँ ) सादृश्य की उपस्थिति 'इव' पद की शक्ति ( अभिधा ) से होती है, अतः शब्द या शक्ति के स्वभाव से वहाँ परस्पर सादृश्यरूप उपमा की प्रतीति शब्दश्रवण के बाद तुरत हो जाती है, अतएव यहाँ की उपमा श्रौती कहलाती है और दूसरी जगह ( अरविन्दवत्, यहाँ ) सादृश्य की उपस्थिति 'वत्' की लक्षणा से होती है, अतः शब्दस्वभाव से उपमा की प्रतीति अर्थज्ञानोत्तर होने के कारण यहाँ की उपमा आर्थी समझी जाती है । नागेश का कथन इस प्रसङ्ग पर भी कुछ विलक्षण तथा तथ्य-सा है जिसका सारांश यह कि--'तेन तुल्यम्-' इस सूत्र से वत् प्रत्यय वहीं होता है जहाँ क्रिया की समानता बतलानी रहती है, अतः 'अरविन्दवत्सुन्दरम्' और 'अरविन्दमिव सुन्दरम्' इन दोनों वाक्यों का शाब्दबोध समान कैसे हो सकता है ?-अर्थात् 'वत्' वाले वाक्य से क्रियाओं की तुल्यता प्रतीत होती है और 'इव' वाले वाक्य से वस्तुओं की । अतः पण्डितराज का कथन विचारणीय है । अतएव तो 'महा भाष्यकार' आदि ने 'ब्राह्मणवदधीते' इत्यादि में ब्राह्मण पद की उसके द्वारा की जाने वाली अध्ययन क्रिया में लक्षणा मानी है । अतः 'अरविन्दवत्सुन्दरम्' इस वाक्य में 'भवति ( होता है )' इस क्रिया का अध्याहार करना चाहिए और 'अरविन्द' पद का अर्थ, लक्षणा द्वारा, 'सुन्दर अरविन्दका होना' इतना करना चाहिए । तब उक्त वाक्य से 'सुन्दर अरविन्द के होने के समान सुन्दर मुख आदि का होना' ऐसा शाब्दबोध होगा । इस तरह से बोध हो जाने के बाद व्यञ्जना के द्वारा, सौन्दर्यरूप धर्ममूलक, अरविन्द और मुख में सादृश्य की प्रतीति होगी । इसी तरह 'अरविन्दवत्सुन्दरम्' इस वाक्य का भी 'अरविन्द के होने के समान मुख का होना' यही शाब्दबोध उचित है । यहाँ हिन्दी रसगङ्गाधर में टिप्पणी करते हुए सम्पादक कहते हैं कि--'अरविन्दवत् सुन्दरम्' में जो मूलकार ने आर्थी उपमा कही है, वह ठीक नहीं है, क्योंकि आर्थी उपमा वहाँ

होती है, जहाँ सादृश्य-विशिष्ट अर्थ हो, अर्थात् सादृश्य की प्रतीति विशेषणरूप से होती हो। यहाँ तो वति प्रत्यय की सादृश्य में लक्षणा होने से वह विशेष्यरूप से प्रतीत हो रहा है। यह बात 'निखिलजगन्महनीया' इस उदाहरण में स्पष्ट है।" यहाँ मेरा कथन यह है कि-जिन्होंने 'निखिलजगन्महनीया' इस उदाहरण में 'वति' का सादृश्ययुक्त अर्थ होने के कारण उपमा को आर्या कहा है, वे ही पण्डितराज, यहाँ 'वति' का सादृश्य-मात्र अर्थ होने पर भी उपमा को आर्या कह रहे हैं। ऐसी स्थिति में इन परस्पर विरुद्ध-से प्रतीत होनेवाले लेखों का रहस्य क्या है? मैं इसका रहस्य यह समझता हूँ कि-इव, यथा आदि पदों का कुछ ऐसा स्वभाव है, जिससे उनके रहने पर पट्टीविभक्ति के समान शब्दध्रुवणमात्र से परस्पर का सम्बन्ध (सादृश्य) ज्ञात होता है, अतः उन शब्दों के रहने पर तथा इवार्थक वति प्रत्यय के रहने पर श्रौंती उपमा होती है और मुख्य आदि पदों का स्वभाव ऐसा है, जिससे उनके रहने पर एक तरफा सम्बन्ध का बोध होता है, जैसे 'उसके तुल्य' ऐसा कहने पर उपमेय में ही तुल्यता की प्रतीति होती है उपमेय की तुल्यता उपमान में नहीं, अतः अर्थज्ञानोत्तर विचार करने पर परस्पर सादृश्य का बोध होता है और परस्पर का सादृश्य ही तो उपमा है एक तरफा सादृश्य नहीं, अतः इन शब्दों के तथा तुल्यार्थक 'वति' प्रत्यय के रहने पर आर्या उपमा होती है। इस विवेचन के अनुसार 'अरविन्दवत्सुन्दरम्' में तुल्यार्थक वति प्रत्यय के रहने के कारण उपमा का आर्या होना समुचित ही है। लक्षणा से यहाँ 'तुल्य' नहीं 'तुल्यत्व' उसका अर्थ हो गया है, पर उससे क्या? शब्दस्वभाव को कौन रोक सकता है? पण्डितराज के कथन का भी कुछ ऐसा ही अभिप्राय हो सकता है।

तथाविध नवम वाक्य निर्दिशति—

अरविन्दवन्मुखमित्यत्र त्वरविन्दनिरूपितसादृश्यवदभिन्नमिति ।

सादृश्यवदभिन्नमिति । बोध इत्यस्यानुपगमः । लक्षणा नेति भावः । अत एव तु प्रयुक्तः । अरविन्दवन्मुखमित्यत्र वतिप्रत्ययस्तुल्यार्थे, तदेकदेशे तुल्यत्वे (सादृश्ये) अरविन्दपदार्थस्य निरूपितत्वेनान्वयः, वत्प्रत्ययार्थस्य तुल्यस्य (सादृश्यवत्) अभेदेन मुञ्जेऽन्वयः । तथा च अरविन्दनिरूपितत्वाद्सादृश्य, तद्वदभिन्नं मुञ्जमिति शाब्दबोध इति भावः ।

उपमाप्रतिपादक नवम वाक्य का उल्लेख करते हैं—अरविन्द इत्यादि । 'अरविन्द-वन्मुखम् (अरविन्द के समान मुख)' इस वाक्य में पूर्ववत् 'वति' प्रत्यय की सादृश्य में लक्षणा करने की आवश्यकता नहीं होती। उसका वाक्य अर्थ सादृश्यमान (सादृश्य से युक्त) ही ठीक रह जाता है। तात्पर्य यह कि-अरविन्द पदार्थ का निरूपितत्वसम्बन्ध से 'वति' प्रत्ययार्थ के एक भाग सादृश्य के साथ और सम्पूर्ण 'वति'प्रत्ययार्थ सादृश्य युक्त का मुख के साथ अभेदसम्बन्ध से अन्वय करके, उक्त वाक्य का 'अरविन्द' से निरूपित सादृश्य से युक्त से अभिन्न मुख' ऐसा शाब्दबोध होता है।

तथाविध नवम वाक्य मनुलिखति—

अरविन्दवत्सौन्दर्यमस्येत्यत्र अरविन्दशब्दस्यारविन्दसौन्दर्यत्वात्प्रणिश्रुतया अरविन्दसौन्दर्यनिरूपितसादृश्याविकरणमेतत्सम्बन्धि सौन्दर्यमिति स्यादरविन्दसौन्दर्ययोः सादृश्यबोधे शाब्दे, तयोरभेदाध्ययनायादभिन्नधर्मगुणा पश्चान्मुख्या-रविन्दयोरपि सादृश्यधी ।

सौन्दर्यत्वात्प्रणिश्रुतयेति । अत्र 'तत्र सौन्दर्येति केष्विवाये' इति शब्देन सादृश्यार्थस्य प्रयोजने सादृश्यात्प्रविन्दसादृश्यप्रयोजनमेतत्सम्बन्धि सौन्दर्यमिति बोध उपपन्नः अरविन्द-



पदस्यारविन्दसौन्दर्यलक्षणा किंफला किंप्रमाणा चेति चिन्त्यमिदम्' इति नागेशः । मद्महोदयस्तु नागेशोक्तिं कटाक्षयन् "अस्मिन् ( मूलोक्ते ) शाब्दबोधे सौन्दर्यरूपसाधारण धर्मस्य अस्य इत्युपमेये अरविन्दे इत्युपमाने च सम्बन्ध सुस्पष्ट प्रतीयते । अरविन्द सादृश्यप्रयोजकम् एतत्सम्बन्धि सौन्दर्यमिति नागेशोपपादिते शाब्दबोधे तु उपमेयमात्रे सौन्दर्यस्यान्वयः प्रतीयते । अरविन्दवत्सौन्दर्यमस्येत्युक्तौ स्वारसिकश्च सौन्दर्यस्योभयत्रान्वयः । एव सत्यपि 'अरविन्दसौन्दर्यलक्षणा किंफला' इत्यादिना मुधैव खण्डयन् नागेश महोदयस्तु स्थूलदृश्यैव' इत्याह । परमय कटाक्षो न समीचीन, नागेशोपपादितेऽपि बोधे सौन्दर्यस्योभयत्र प्रतीयमानत्वात्, अन्यथा तस्य साधारणधर्मतैव न स्यात् । एतादृशबोधे सौन्दर्यस्योभयत्राप्रतीतौ स्वीक्रियमाणाया 'अरविन्दसुन्दरम्' इत्यादौ 'अरविन्द-निरूपितसादृश्यप्रयोजकाभिन्नसौन्दर्यवदभिन्नम्' इत्यादयो बोधाः मूलकृता प्रागुक्ता सर्व एवासमञ्जसा स्युः । वस्तुतस्तु-उभाभ्यां ( मूलकारनागेशाभ्याम् ) लक्षणा स्वीक्रियत एव किन्तु मूलकार अरविन्दमुखादिगतयो सौन्दर्ययो सादृश्य शब्दतः प्राक् प्रतिपाद्य पश्चात् व्यञ्जनया अरविन्दमुखादिकयो सादृश्य प्रतिपादयति, नागेशस्तु प्रथममेवारविन्द-मुखादिकयोरेव तदुपपादयति इत्येव तयोर्विशेषः । तत्र मूलकाराश्रिता सरणिरेव श्रेष्ठा, परमार्थत अरविन्दमुखादिगतयो सौन्दर्ययोरपि भिन्नतया तयो सादृश्यसिद्धिं विना तदाधारयो सादृश्यस्यासिद्धेः । किञ्च 'अरविन्दवत्सौन्दर्यमस्य' इत्युक्तौ उपमानोपमेयगतसौन्दर्ययोरेव सादृश्य स्वरत प्रतीयते । अरविन्दमुखादिकयोरुपमा व्यङ्ग्या न वाच्येत्येतावता क्षतिर्नास्तीति दिक् । शाब्दे इति । जाते इति शेषः । तयोरिति । मुखारविन्दसौन्दर्ययोरित्यर्थः । अभेदेत्यस्य सादृश्यमूलेत्यादि । अभिन्नधर्मेति । सौन्दर्यरूपेत्यर्थः । 'अरविन्दवत्सौन्दर्यमस्य' इति वाक्ये 'तत्र तस्येव' इति विहितस्य वते सादृश्यमर्थः, अरविन्दपदस्य च लक्षणया अरविन्दसमवेतसौन्दर्यम्, अस्येत्यस्य मुखादिरुपमेयभूतो वाच्यः । तथा च 'अरविन्दसमवेत यत् सौन्दर्यम्, तन्निरूपितं यत् सादृश्यम्, तदधिकरणम् ( तदाश्रय ) एतत्सम्बन्धि सौन्दर्यम्' इत्यन्वयबोधः । अरविन्दपदलक्ष्यार्थस्य निरूपितत्वसम्बन्धेन वतिप्रत्ययार्थे, तस्य च इदं पदार्थोपमेयसम्बद्धसौन्दर्येऽधिकरणता सम्बन्धेनान्वय इति तात्पर्यम् । नन्वेव बोधे सत्यपि उपमानोपमेययो अरविन्दमुखादिकयो सादृश्यात्मिका विवक्षितोपमा न सिद्धेति चेन्मैवम्, तत्र बोधे सौन्दर्ययो सादृश्ये प्रतीते तयो सादृश्यमूलकाभेदाध्यवसायेन पश्चात् अरविन्दमुखादिकयो अभिन्नधर्ममूलकस्य सादृश्यस्य विवक्षितोपमारूपस्य व्यञ्जनया प्रतीतेरिति भावः ।

उपमाप्रतिपादक दशम वाक्य का निर्देश करते हैं—अरविन्द इत्यादि । 'अरविन्दवत् सौन्दर्यमस्य ( इसकी सुन्दरता अरविन्द की सुन्दरता के समान है )' इस वाक्य में 'अरविन्द' पद की 'अरविन्द की सुन्दरता' में लक्षणा है, अतः उस पद का लक्ष्य अर्थ होता है 'अरविन्दसमवेत सौन्दर्य' और 'वति' का अर्थ यहाँ सादृश्य है, क्योंकि 'इव' के अर्थ में यह 'वति' प्रत्यय 'तत्र तस्येव' इस पाणिनिसूत्र से हुआ है । इन दोनों अर्थों में 'निरूप्य-निरूपकभाव'सम्बन्ध है—अर्थात् अरविन्द पद के उक्त लक्ष्य अर्थ का उक्त 'वति'प्रत्ययार्थ के साथ 'निरूपितत्व'सम्बन्ध से अन्वय किया जाता है । इसी तरह अरविन्द पदार्थ से अन्वित वतिप्रत्ययार्थ का उस सौन्दर्य के साथ 'अधिकरणता-आश्रयता-'सम्बन्ध से अन्वय किया जाता है, जिसमें 'अस्य' पद का अर्थ अन्वित होता है । इस तरह से उक्त वाक्य का शाब्दबोध—'अरविन्द की सुन्दरता से निरूपित सादृश्य का अधिकरण ( आश्रय ) है इस ( मुख आदि ) की सुन्दरता' ऐसा होता है ।

आप कहेंगे—इस प्रकार से तो सौन्दर्य नौन्दर्य में सादृश्य सिद्ध हुआ, भरविन्द और मुख आदि में नहीं, फिर इन दोनों की उपमा ( जो कवि की विवक्षित है ) कैसे सिद्ध हुई ? तो हमका उत्तर यह है कि—उक्त प्रकार से जब दोनों सौन्दर्यों में सादृश्य सिद्ध हो जायगा, तब सादृश्यमूलक अभेद का आरोप होगा उन दोनों सौन्दर्यों में । इस तरह से जब वे दोनों सौन्दर्य एक-अभिन्न-समस्त लिये जायेंगे, तब उस एक धर्म को निमित्त मानकर भरविन्द और मुख आदि में भी सादृश्य, व्यञ्जना से, समस्त में आ जायगा । यहाँ नागेश कहते हैं कि—“‘भरविन्दवत्सौन्दर्यमस्य’ इस वाक्य में ‘इव’ के अर्थ में ‘तत्र तस्यैव’ इस सूत्र से किये गये ‘वति’ प्रत्यय का अर्थ ‘सादृश्य’ है—तुल्यार्थक ‘वति’ के समान ‘सादृश्यवत्’ नहीं, अतः उस सादृश्यार्थक ‘वति’ प्रत्यय की ‘सादृश्य प्रयोजक’ में लक्षणा करके ‘भरविन्द से निरूपित जो सादृश्य उसका प्रयोजक इसका ( मुख आदि का ) सौन्दर्य’ यह शाब्दबोध जव हो सकता है, तब ‘भरविन्द’ पद की ‘भरविन्द की सुन्दरता’ में जो मूलकार ने लक्षणा मानी है, उसका क्या फल उन्होंने देखा तथा इस तरह की लक्षणा करने में प्रमाण ही कौन-सा उनको प्राप्त हुआ यह विचारणीय प्रश्न है ।” नागेश का अभिप्राय यह हुआ कि शब्दतः पहले सौन्दर्य-नौन्दर्य में सादृश्य समझकर पीछे व्यञ्जना से भरविन्द और मुख आदि में सादृश्य को समझना व्यर्थ है, सीधे भरविन्द और मुख आदि में ही, मेरी रीति में, सौन्दर्यरूप साधारणधर्ममूलक सादृश्य समझ लेना चाहिये । मेरी समझ से मूलकार की रीति ही अच्छी है, क्योंकि लक्षणा तो दोनों ( मूलकार और नागेश ) को माननी ही पड़ती है, तब यदि मूलकार ( पण्डितराज जगन्नाथ ) भरविन्द और मुख आदि की सुन्दरता की समानता समझ कर तद्द्वारा उनमें ( भरविन्द और मुख आदि में ) समानता समझते हैं तो कोई क्षति नहीं, प्रयुक्त सीधे भरविन्द और मुख आदि में समानता समझ लेने की अपेक्षा उचित है । कारण, वस्तुतः उन दोनों के सौन्दर्य भी भिन्न-भिन्न ही होते हैं, अतः उन दोनों में सादृश्य और तन्मूलक अभिन्नता समझे बिना वह साधारण धर्म ही नहीं सकता । और ‘भरविन्दवत्सौन्दर्यमस्य’ इस वाक्य से स्वाभाविकरूप में सौन्दर्य-सौन्दर्य की ही समानता प्रतीत भी होती है ।

तथाविधमेकादशवाक्य विवेचयति—

भरविन्देन तुल्यमित्यत्र तृतीयार्थो निरूपितत्वम् । तस्य च सादृश्येऽन्वया-  
दरविन्दनिरूपितसादृश्याश्रयाभिन्नमिति ।

सादृश्ये इति । तुल्यपदार्थैकदेशे इत्यर्थः । अभिन्नमितिान्यन्य बोध इति शेषः । ‘भर-  
विन्देन तुल्यम्’ इति वाक्ये ‘भरविन्दपदोत्तरतृतीयविभक्त्येनिरूपितत्वमर्थः । तुल्यपदस्य  
च सादृश्यवार्थः । तत्र विभक्त्यर्थस्य निरूपितत्वस्य तुल्यपदार्थैकदेशे सादृश्येऽन्वयः ।  
तथा च ‘भरविन्दनिरूपितत्वं सादृश्यम् तदाश्रयाभिन्नम् नुत्तादिर’ इति बोध इति भावः ।

उपमाप्रतिपादक ग्यारहवें वाक्य का विवेचन करते हैं—भरविन्देन इत्यादि । ‘भरविन्देन  
तुल्यम् ( भरविन्द के समान )’ इस वाक्य में ‘भरविन्द’ पद के आगे भाई तुल्य तृतीय  
विभक्ति का अर्थ है ‘निरूपितत्व’, उसका अन्वय, तुल्यपदार्थ-सादृश्य-युक्त के एक भाग  
‘सादृश्य’ में किया जाता है और तुल्यपदार्थ का ‘अभेद’मन्वय में मुख आदि में, अतः  
इस वाक्य का शाब्दबोध ‘भरविन्द ने निरूपित सादृश्य के आश्रय ( सादृश्ययुक्त ) में  
अभिन्न मुख आदि’ यह होता है ।

तादृश सादृश्यावाक्य विवेचनितुमन्तारयति—

तत्रैव नौन्दर्येणेति धर्मनिर्देशे तृतीयार्थः प्रयोज्यत्वम् । तेनारविन्दनिरूपित-  
सौन्दर्यप्रयोज्यसादृश्यवदभिन्नमिति ।

तत्रैवेति । 'अरविन्देन तुल्यम्' इति वाक्य एवेत्यर्थः । धर्मनिर्देशे इति । 'सौन्दर्यं रविन्देन तुल्यम्' इति वाक्ये इति यावत् । अरविन्दनिरूपितेत्यादि । अरविन्दनिरूपितसौन्दर्यप्रयोज्यञ्च यत् सादृश्यं तद्वदभिन्नमित्यर्थः । अन्यत् सुगमम् ।

उपमाप्रतिपादक वारह्वे वाक्य का विवेचन करते हैं—तत्रैव इत्यादि । उक्तः में यदि 'सौन्दर्येण' इस धर्मबोधक पद का भी निर्देश कर दिया जाय—अर्थात् 'सौन्दर्यं रविन्देन तुल्यम् ( सुन्दरता से कमल के समान )' ऐसा वाक्य माना जाय, तब वाक्य में 'सौन्दर्य' पद के आगेवाली तृतीया विभक्ति का अर्थ 'प्रयोज्यता'—अर्थात् 'साध्यता' होता है । अरविन्द पद के आगेवाली तृतीया का अर्थ 'निरूपितत्व' पहले कहा जा चुका है । अतः इस वाक्य का शाब्दबोध—'अरविन्द से निरूपित तथा सौन्दर्य से सिद्ध होने योग्य सादृश्य से युक्त से अभिन्न' यह होता है ।

तथाविधं प्रयोदशवाक्य विवेचयति—

अरविन्दमाननं च सममित्यत्र प्रथमं शब्दात्सादृश्यवदभिन्नमिति । पश्चान्मानसी वैयङ्गनिकी वा परस्परनिरूपितसादृश्यस्य प्रतीतिः प्रसिद्धिनिरूपितसादृश्यस्य वा ।

अभिन्नमिति । अरविन्दमाननञ्चेति शेषः । परस्परेति । मुखसादृश्यस्य क्व कमलसादृश्यस्य मुखे इत्यर्थः । विनिगमनाभावादिति भावः । प्रसिद्धेर्विनिगमकत्वादाह प्रसिद्धेति । अरविन्देत्यर्थः । सादृश्यस्य वेति । प्रतीतिरित्यस्यानुपज्ञः । 'अरविन्दमा च समम्' इति वाक्ये 'सम'शब्दार्थस्य अरविन्दपदार्थेन आननपदार्थेन च सहाभेदोन्वयः, 'निपातातिरिक्तनामार्थयोरभेदातिरिक्तसम्बन्धोऽव्युत्पन्नः' इति पूर्वमेवोक्तत्वात् । अस्माद् वाक्यात् प्रथमम् 'सादृश्यवदभिन्नमरविन्दमाननञ्च' इति शाब्दबोधो जायते पश्चात् व्यञ्जनयाऽरविन्दनिरूपितसादृश्यस्य मुखे, मुखनिरूपितसादृश्यस्यारविन्दे च प्रतीतिर्भवति । व्यञ्जनामनङ्गीकुर्वाणा नैयायिकादयस्तु मानसमेव परस्परनिरूपितसादृश्यबोधे पन्मन्यन्ते । एकतरनिरूपितसादृश्यबोधस्तु न सम्भवति, विनिगमकाभावात् । तथा चैविधवाक्यस्थले क्रमशो द्वयोरुपमानतोपमेयता चेति तात्पर्यम् । प्रसिद्धेर्विनिगमकत्वाङ्गीकारेण पुन अरविन्दनिरूपितसादृश्यस्यैव मुखे पश्चाद् वैयङ्गनिकी मानसी वा प्रतीतिः । तथा चारविन्दमुपमानमाननञ्चोपमेयमिति भावः ।

अब उपमाप्रतिपादक त्रैह्वे वाक्य का विवेचन करते हैं—अरविन्दमाननञ्च इत्यादि । 'अरविन्दमाननञ्च समम् ( कमल और मुख समान है )' इस वाक्य में 'सम' शब्द के अर्थ का 'अरविन्द' और 'आनन' दोनों पदों के अर्थों के साथ 'अभेद'सम्बन्ध से अन्वय होता है, क्योंकि 'दो प्रातिपदिकों—यदि निपात से अन्य हों—के अर्थों में परस्पर 'अभेद' के अतिरिक्त कोई संबन्ध नहीं होता' यह नियम पहले लिखा जा चुका है । अतः प्रथमतः इस वाक्य का शाब्दबोध 'सादृश्य-युक्त से अभिन्न मुख और कमल' ऐसा होता है । और तदनन्तर, साहित्यिकों के हिसाब से व्यञ्जना द्वारा, तथा नैयायिकों के हिसाब से मन द्वारा, परस्परनिरूपित सादृश्य—अर्थात् अरविन्दनिरूपित सादृश्य की मुख में और मुखनिरूपित सादृश्य की अरविन्द में—प्रतीति होती है । तात्पर्य यह कि ऐसे स्थलों पर पर्यायक्रम से दोनों को उपमान और दोनों को उपमेय मङ्गीकार जा सकता है, क्योंकि निश्चितरूप में किसी एक से निरूपित सादृश्य दूसरे में मानने का कोई प्रमाण नहीं है । परन्तु यदि प्रसिद्धि को प्रमाण माना जाय—अर्थात् यह कहा जाय कि सादृश्य का प्रसिद्ध पदार्थ के द्वारा निरूपित होना अनुभवसिद्ध है, तब उक्त वाक्य में सुन्दरता आदि धर्म के लिये जो प्रसिद्ध हो, उससे निरूपित सादृश्य दूसरे में

समझना चाहिए—अर्थात् पीछे होनेवाले वैयक्तिक अथवा मानसबोध में, सुन्दरता आदि के लिये चिरप्रसिद्ध अरविन्द से निरूपित सादृश्य का भान मुझ में होगा ऐसा मानना चाहिए। इस स्थिति में निश्चितरूप से अरविन्द उपमान और मुझ उपमेय समझा जायगा।

विश्वप्रतिबिम्बभावापनधर्मक चतुर्दशवाक्य विवेचयितुमाह—

विश्वप्रतिबिम्बभावापन्ने तु—

पनेन्विति तदापन्नधर्मकेन्वित्यर्थ । विश्वप्रतिबिम्बभावपदार्थ प्रागुक्त ।

विश्वप्रतिबिम्बभावापन्न धर्मवाले वाक्य में तो—

तादृश वाक्य निर्दिश्य विवेचयति—

‘कोमलातपशोणाभ्रसन्ध्याकालसहोदर ।

कुङ्कुमालेपनो याति कापायवसनो यति ॥’

इत्यादौ कुङ्कुमालेपनादिविशिष्टो यति कोमलातपादिविशिष्टसन्ध्याकालसदृशाभिनव इति शक्त्या बोधे पश्चात्सादृश्यप्रयोजकधर्माकाङ्क्षायां धृताना कोमलातपादीनामुपमानोपमेयविशेषणाना सादृश्यमूले तदात्म्याध्यवसाने साधारणत्वनिष्पत्तिः ।

सहोदरसादृश्यामाह—सदृशेति । तादात्म्येति । अभेदेत्यर्थः । अत्र भाव—‘कोमलेन आतपेन रक्षवर्णेन मेघेन च विगिष्टस्य सायत्तमयस्य सहोदर ( लक्षणाया तत्सदृश इत्यर्थः ) कुङ्कुमलेपकापायद्रवरक्षितवस्त्राभ्या युक्तं मन्यामी गच्छतीत्यर्थके ‘कोमलातप ’ इत्यादिवाक्ये सहोदरपद सदृशे लक्षणिम् । तथा च प्रथमम् ‘कुङ्कुमालेप कापायवसनविगिष्टो यति’, कोमलातपशोणाभ्रविशिष्टसन्ध्याकालसदृशाभिनव’ इत्यभिधाजन्यो बोध सम्पद्यते । ततः सन्ध्याकालमन्यामिनो कथं सादृश्य ?—क. सादृश्यप्रयोजको धर्म ?—इति जिज्ञासाया नमुन्यिताया कोमलातपशोणाभ्रपदार्था उपमानविरोपणतयोक्तौ, कुङ्कुमालेपकापायवसने चोपमेयविरोपणतयोक्ते, भिन्ना अपि सादृश्यमूलकाभेदाध्यवसानरूपविश्वप्रतिबिम्बभावविगिष्टा सन्त सादृश्यप्रयोजकमाधारणधर्मता भजन्ते इति ज्ञान जायत इति ।

तादृश वाक्य का निर्देश करके अपेक्षित विवेचन करते हैं—कोमलातप इत्यादि । ‘मृदु धूप और लाल मेघ वाले सन्ध्यामय का मंगा भाई, कमर के लेप और कपाय वस्त्र के वस्त्र में युक्त मन्यामी जा रहा है’ इत्यादि अर्थ वाले ‘कोमलातप ’ इत्यादि शब्दों के स्थल में, अभिधा के द्वारा यह सादृश्योपमेय होता है कि—‘कमर के लेप आदि विशेषणों में युक्त मन्यामी, कोमल धूप आदि विशेषणों में युक्त सन्ध्यामय के स्थल में अभिनव है ( अर्थात् सदृश है ) ।’ उक्त सादृश्योपमेय के हो जाने पर श्रोताओं के हृदयों में यह आकाश उठती है कि इस—सन्ध्याकाल और मन्यामी की—उपमा में सादृश्य को सिद्ध करने वाला समान धर्म क्या है ? और तब धर्म के अभिनव होने के लिये उक्त शब्दों में मुझे यह ‘कोमल आतप’ और ‘कुङ्कुमालेप’ आदि उपमान तथा उपमेय के विशेषणों का, अरुपर सादृश्य के कारण, तादात्म्य ( अभेद ) मान लिया जाता है, और इस प्रकार से एकत्र माने हुए वे विशेषण समानधर्मरूप बन जाते हैं । अभिधाय यह कि—यहाँ विश्वप्रतिबिम्बभावापनधर्मरूप उपमा होती है, यहाँ सादृश्योपमेय को उक्त स्थिति में हो जाना है—अर्थात् ‘हय’ आदि शब्दों के रहने पर उनके अर्थ ‘सादृश्य’ का ‘आभयता सन्ध्या में और ‘सहोदर’ आदि शब्दों में ‘सदृश’ अर्थ वाले पदों के रहने पर उनके अर्थों का ‘अभेद सन्ध्या में उपमेय में अन्यत्र हो जाना है । पर समान धर्म

ज्ञान बाद में होता है, जो उपमान और उपमेय के विशेषणरूप में यद्यपि कहा रहता है, तथापि साधारणधर्मरूप वह तब तक नहीं हो पाता, जब तक सादृश्यमूलक अभेद का आरोप उनमें नहीं किया जाता।

पाठभेदेन बोधवैचित्र्य दर्शयितुमाह—

कुङ्कुमालेपकाषायवसनाभ्यामयं यतिरित्यत्र कुङ्कुमालेपवसनयोरसाधारण्ये रपि साधारणत्वज्ञानजननद्वारा कल्पनीयसादृश्यनिष्पत्तिप्रयोजकत्वात्प्रयोज्यत्वेन सादृश्येऽन्वयः । एकदेशान्वयः पुनरेषु पक्षेष्वगतिकतयाश्रीयत इत्युक्तमेव ।

‘कुङ्कुमालेप...यति’ इति पूर्वोक्तपद्योत्तरार्धस्थाने परिवर्तित पाठ । साधारणत्वेति । सादृश्यमूलकाभेदाध्यवसानेनेत्यादि । अयं भाव —यदि मूलोक्तपद्योत्तरार्धस्थाने ‘कुङ्कुमालेपकाषायवसनाभ्यामयं यति’ इति पाठो भवेत्, तदा ‘प्रयोज्यत्व’ तृतीयाविभक्त्यर्थं स्वीकृत्य ‘कुङ्कुमालेपकाषायवसनप्रयोज्यम् यत् कोमलातपशोणाभ्रसध्याकालप्रतियोगिक सादृश्यम् तद्वदभिन्नो यति’ इत्याकारक शाब्दबोध करणीय । ननु असाधारणे कुङ्कुमालेपवसने कथं सादृश्यस्य प्रयोजके भवेतामिति चेन्न, कोमलातपशोणाभ्राभ्याम् सह सादृश्यमूलकाभेदाध्यवसाने साधारणत्वेन ज्ञायमानयोस्तयो सादृश्यप्रयोजकताया विवादाभावात् । यद्यपीत्यबोधे सहोदरपदलक्ष्यार्थैकदेशे सादृश्ये तृतीयार्थान्वयेन ‘एकदेशान्वयदोषो जातस्तथापि स दोषः सह्य एवे’ति प्रागुक्तम् । इति ।

‘कोमलातप—’ इस पद्य में ही पाठभेद कर देने पर बोध में कुछ विचित्रता हो जाती है, इस बात को स्पष्ट करने के लिये कहते हैं—कुङ्कुमा इत्यादि । ‘कोमलातप—’ इस पद्य के उत्तरार्ध को बदल कर यदि ‘कुङ्कुमालेपकाषायवसनाभ्यामयं यतिः अर्थात्—यह संन्यासी, केसर के लेप और गेरुआ वस्त्र के कारण...’ ऐसा कर दें, तब ‘कुङ्कुमालेपकाषायवसन’ पद के आगे जो तृतीया का द्विवचन—( भ्याम् ) विभक्ति है, उसका अर्थ ‘प्रयोज्यता’ होगा उसका अन्वय ‘सहोदर’ पद के लक्ष्य अर्थ ‘सादृश्य’ के एकदेश—‘सादृश्य’ के साथ किया जायगा । तदनुसार उक्त परिवर्तित पाठ वाले वाक्य का शाब्दबोध होगा ‘केसर और गेरुआ वस्त्र से प्रयोज्य—अर्थात् सिद्ध किया जाता हुआ—जो कोमल आतप तथा लाल मेघ से युक्त सध्या-समय का सादृश्य, उससे युक्त से अभिन्न यह संन्यासी है ।’ आप कहेंगे—केसर और गैरिक वस्त्र तो असाधारण पदार्थ हैं—अर्थात् केवल संन्यासी में रहने वाले धर्म हैं, फिर उनसे प्रयोज्य ( साध्य ) सध्या का सादृश्य कैसे होगा ? ऐसा तो तब होता यदि वे धर्म साधारण होते—अर्थात् संन्यासी और सध्यासमय दोनों में रहने वाले होते, पर ऐसा नहीं है, तो इसका उत्तर यह है कि—जब समान होने के कारण कोमल आतप और लाल मेघ का अभेद, केसरलेप तथा गैरिक वस्त्र में आरोपित हो जाता है, तब तो केसरलेप तथा गैरिक वस्त्र साधारण समझे जाते हैं, अतः उस हालत में उनसे उक्त सादृश्य का प्रयोज्य होना भी अयुक्त नहीं समझा जा सकता । अब बात रही एक यह कि उक्त तृतीयाविभक्त्यर्थ का अन्वय सहोदर पद के लक्ष्यार्थ—सादृश्य—के एकदेश—सादृश्य—के साथ करना पड़ता है, सो यह एकदेशान्वय दोष तो इन पक्षों में अगत्या सहना पड़ता है यह बात पहले ही कही जा चुकी है ।

सादृश्यस्यातिरिक्तत्वे दिग्दर्शनविधया चतुर्दशोपमाप्रतिपादकवाक्याना बोधाः प्रालोचिता, सम्प्रति तस्य समानधर्मरूपत्वे कियतां वाक्याना बोधानालोचयितुमुपक्रमते—

सादृश्यस्य समानधर्मरूपत्वे तु अरविन्दसुन्दरं वदनमित्यत्र लक्षणयाऽरविन्दवृत्तिसमानधर्मः प्रतीयते । तस्य चाभेदेन सुन्दरपदार्थैकदेशेन सुन्दरत्वेनान्वयः ।

लक्षणयेति । अस्त्यारविन्दपदस्येत्यादि । अन्वय इति । तथा च 'अरविन्दरति समानधर्माभिन्नसौन्दर्यवदभिन्न वदनमिति बोध इति भावः ।

पहले सादृश्य को अतिरिक्त पदार्थ मानने वालों के हिमाव से दिग्दर्शन कराने के लिये भिन्न तरह के चौदह उपमाबोधक वाक्यों के शाब्दबोध बतलाये गये हैं, अथ, सादृश्य को समानधर्मरूप मानने वालों के हिमाव से कुछ वाक्यों के अन्वयबोध बतलाये जाते हैं—सादृश्यस्य इत्यादि । सादृश्य को जब समानधर्मरूप माना जाता है, तब, 'अरविन्दसुन्दर वदनम् (कमलसुन्दर मुख)' इस वाक्य में 'अरविन्द' पद का लक्षणा द्वारा, 'अरविन्द में रहनेवाला समान धर्म' अर्थ होता है और उस लक्ष्य अर्थ का अन्वय 'अभेद'सम्बन्ध से सुन्दर पद के अर्थ सौन्दर्यविशिष्ट के एक भाग-सौन्दर्य के साथ होता है । सुन्दर पदार्थ का मुख आदि के साथ अभेदान्वय होना प्रसिद्ध ही है, अतः उक्त वाक्य का शाब्दबोध—'अरविन्द में रहनेवाले समान धर्म से अभिन्न सौन्दर्य से युक्त से अभिन्न मुख' ऐसा होगा ।

तथाविध द्वितीयवाक्य प्रदर्शयति—

अरविन्दमिव सुन्दरमित्यत्रारविन्दपदार्थ आधेयतया ससर्गेण इवपदार्थेन समानधर्मेणान्वेति । शेषं प्राग्वत् ।

आधेयतयेति । निष्टन्वेनेत्यर्थः । शेषमिति । तस्य चानेदेनेत्यादीत्यर्थः । तथा च 'अरविन्दानिष्टममानधर्माभिन्नसौन्दर्यवदभिन्नमिति बोध इति भावः ।

द्वितीय वाक्य दिखलाते हैं—अरविन्द इत्यादि । 'अरविन्दमिव सुन्दरम् (अरविन्द सा सुन्दर)' इस वाक्य में 'अरविन्द' पद के अर्थ का अन्वय, 'इव' पद के अर्थ—समान धर्म—के साथ, आधेयता-निष्ठत्व-अर्थात् 'रहने रूप'सम्बन्ध से होता है और अवशिष्ट बातें पहले की तरह—अर्थात् 'इव' के अर्थ समान धर्म का अन्वय, सुन्दर पदार्थ के एक-देश-सुन्दरत्व—के साथ, 'अभेद'सम्बन्ध से होता है इत्यादि । इस तरह से उक्त वाक्य का शाब्दबोध—'अरविन्द में रहनेवाला जो समान धर्म, उससे अभिन्न जो सुन्दरता, तद्युक्त से अभिन्न मुख आदि' यह होता है ।

तृतीय सादृश्य वाक्य मनुस्मिन्निति—

सौन्दर्येणारविन्देन सममित्यत्र सौन्दर्योत्तरतृतीयया धान्येन धनीत्यत्रेव अभेदाधिक्या अन्यथा च निरूपितत्वार्थिक्या सौन्दर्याभिन्नअरविन्दनिरूपित यत्सादृश्य तद्वदभिन्नमिति धी ।

'सौन्दर्येणारविन्देन समम्' इति वाक्ये सौन्दर्यपदोत्तरतृतीयया तृतीयाविभक्तिरभेदाधिक्या 'धान्येन धनी' इतिवत् । अरविन्दपदोत्तरतृतीयाविभक्तिश्च निरूपितत्वार्थिक्या । तयोश्च तृतीयापदयोः समपदार्थस्येते सादृश्येऽन्वयः । तथा च मूलोदाहार शाब्दबोध-सम्बन्धाद् वाक्याद् भवतीति भावः ।

तृतीय वाक्य का उद्देश्य करने हैं—सौन्दर्येण इत्यादि । 'सौन्दर्येणारविन्देन समम् (सौन्दर्य के कारण अरविन्द के समान)' इस वाक्य में—'सौन्दर्य' पद के आगेपानी तृतीया विभक्ति का अर्थ 'अभेद' ठीकी तरह से होना है जैसे 'धान्येन धनी' इस वाक्य में 'धान्य' पद के आगेपानी तृतीया का । तादृश्य यह कि 'प्रकृत्यादिव्य उपसर्गात्म' इस वाकिक में जहाँ तृतीया विभक्ति होती है, वहाँ उम्भक्त अर्थ अभेद होना है, अतएव 'धान्येन धनी' का अर्थ 'धान्य से अभिन्न धनशास्त्र' होता है, ठीकी तरह यहाँ भी 'समम्' है । 'अरविन्द' पद के आगेपानी तृतीया का अर्थ 'निरूपितत्व' है, और इन दोनों तृतीयाओं का अन्वय 'अभेद'सम्बन्ध से 'सम' शब्द के अर्थ—समान—के एक-देश—सादृश्य—के

साथ होता है। इस तरह से उक्त वाक्य का शाब्दबोध—‘सौन्दर्य से अभिन्न—अर्थात् सौन्दर्यरूप, और भरविन्द से निरूपित जो सादृश्य, तदाश्रय से अभिन्न मुख आदि’ यह होता है।

लुप्तोपमास्थले बोध विचारयति—

क्यङ्कर्थाचारो धर्ममात्रम् । तस्य चोपमानपदेन लक्षणययोपस्थितं तन्निरूपितसादृश्यं प्रयोजकतासंसर्गेणाभेदेन वा विशेषणम् । विशेष्यं चाश्रयतयोपमेयम् ।

धर्ममात्रमिति । समानधर्मरूप एव क्यङ्कर्थाचारो न तु क्रियादिरूप इति भावः । सादृश्यस्यातिरिक्तत्वे आह—प्रयोजकतेति । धर्मरूपत्वे आह—अभेदेति । विशेष्यमिति अस्य चेत्यादि । अयं भावः—लुप्तोपमा समासगता, तद्धितगता, नामधातुगता, कृदन्तगता च भवन्ति, तत्र समासगतलुप्तोपमाप्रतिपादकस्य ‘अरविन्दसुन्दरमि’त्यस्य बोधप्रागुक्तः । तद्धितकृदन्तगतलुप्तोपमाप्रतिपादकवाक्यजबोधे न किञ्चिद् वैचित्र्यमिति नामधातुगतलुप्तोपमाप्रतिपादकवाक्यस्थले बोधोऽधुना विचारणीयः तत्रापि क्यङ्प्रत्ययस्थले प्रथममत्राह । ‘कर्तुं क्यङ् सलोपश्च’ इति सूत्रानुशिष्टस्य क्यङ्प्रत्ययस्याचरो वाच्यः स च समानधर्मरूपः, तत्र च उपमानपदलक्ष्यार्थस्य स्वनिरूपितसादृश्यस्यान्वयो भवति, अन्वयश्च स सादृश्यस्यातिरिक्तपदार्थत्वे ‘प्रयोजकता’सम्बन्धेन तस्य समानधर्मरूपत्वे पुनः ‘अभेद’सम्बन्धेन । प्रत्ययार्थस्य चाश्रयतासम्बन्धेनोपमेयोऽन्वयो जायते । तथा च ‘निर्जलमीनायते महिला’ इत्यादौ ‘निर्जलमीननिरूपितसादृश्यप्रयोजकसमानधर्माश्रयीभूता नायिका’ इति बोधः सादृश्यस्यातिरिक्तत्वे भवति, तस्य समानधर्मरूपत्वे पुनः ‘निर्जलमीननिरूपितसादृश्याभिन्नसमानधर्माश्रयीभूता कामिनी’ इति । अनयोर्बोधयोः प्रत्ययार्थो विशेषणम् उपमेयपदार्थश्च विशेष्य इति ।

लुप्तोपमास्थल में बोध का विचार करते हैं—क्यङ्कर्था इत्यादि । समास, तद्धित, नामधातु और कृदन्त इन चार स्थलों में लुप्तोपमा का अवसर आता है । उनमें से समासस्थलीय लुप्तोपमा का शाब्दबोध ‘अरविन्दसुन्दरम्’ में दिखलाया जा चुका है । तद्धित और कृदन्तगत लुप्तोपमा के बोधों में कोई खास विचित्रता नहीं होती, अतः नामधातुगत लुप्तोपमा के बोध का ही विचार किया जाता है । नामधातु में भी उपमाबोधक दो प्रत्यय होते हैं एक ‘क्यङ्’ और दूसरा ‘क्यच्’, उनमें से पहले ‘क्यङ्’ को लीजिए—‘क्यङ्’ प्रत्यय का अर्थ होता है ‘आचार’ जो समानधर्मरूप माना जाता है, क्यङ्कर्था—आचार—के समान अनुरूप क्रिया आदि रूप नहीं । उसका विशेषण होता है उसके प्रकृतिभूत उपमानबोधक पद से, लक्षणाद्वारा, उपस्थित उपमाननिरूपित सादृश्य—अर्थात् ‘क्यङ् प्रत्यय’ जिससे होता है, वह उपमानबोधक शब्द रहता है, क्योंकि ‘कर्तुः क्यङ् सलोपश्च’ इस पाणिनिसूत्र से उपमानबोधक शब्द के आगे ही ‘क्यङ्’ प्रत्यय आता है और वह उपमानबोधक पद वहाँ नियमतः ‘स्वनिरूपित सादृश्य’ रूप अर्थ में लक्षणिक रहता है । इस प्रकृत्यर्थ का उक्त प्रत्ययार्थ में अन्वय होता है । यह अन्वय, अतिरिक्तसादृश्यपदार्थवादी के मत में ‘प्रयोजकता’सम्बन्ध से और समानधर्मरूपसादृश्यपदार्थवादी के मत में ‘अभेद’सम्बन्ध से होता है । प्रत्ययार्थ—समानधर्म—उपमेय का विशेषण होता है अर्थात् ‘क्यङ्’ प्रत्यय वाले वाक्य में बोध में उपमेय सबसे विशेष्य होता है । तात्पर्य यह कि प्रत्ययार्थ का ‘आश्रयता’सम्बन्ध से उपमेय में अन्वय किया जाता है । इस तरह से ‘निर्जलमीनायते महिला ( नायिका जलरहित प्रदेश की मछली के समान आचरण करती है )’ इत्यादि ‘क्यङ्’ प्रत्यय वाले वाक्य से शाब्दबोध होता है कि—‘जलशून्य देश की मछली से निरूपित सादृश्य के

प्रयोजक (अतिरिक्त सादृश्यमन में) अथवा उक्त सादृश्य में अग्नि (समानधर्म-  
रूप सादृश्यमन में) समानधर्म का लाघव नायिका ।

क्यच् प्रत्ययविषये विचारयति—

व्यजयाचारश्चानुत्पत्त्यादिः ।

अनुत्पत्त्यादिरिति । अत्रानुत्पत्त्यत्वे तद्व्यजयाचारश्चानुत्पत्त्यादिः, न तु वाच्यत्वेऽपि-  
ष्टम् । क्यच्प्रत्ययस्य क्रियात्वेन विशेषरूपेण भावमिति भावः । अन्यत् सूत्रम् । तथा  
च 'मलयान्निहन्तीयति महिला' इत्यादिवाक्येभ्यः 'अन्ननिहन्तीयति सादृश्यप्रयोजिका तादृ-  
गमादृश्यामिहा वा या मलयान्निहन्तीयति क्रिया तदनुत्पत्त्यादिनिर्वा नायिका' इत्यादि-  
रान्या बोधो भवति । 'तिलोत्तमायन्ती' इत्यादिनस्तु 'तिलोत्तमान्निहन्तीयति सादृश्यप्रयोजिका  
तादृगमादृश्यामिहा वा या आत्मकर्मका क्रिया तदनुत्पत्त्यादिनिर्वा । इत्यादिगान्या बोधः ।  
गच्छन्तीयति प्रकृतिप्रकृतिकरो जादीनास्तु "आचारमदृश आचार' क्यच्प्रत्ययं तद्विषयं भूते  
आचारे प्रकृत्यस्य विशेष्यभूते च भाववशादे कर्मत्वेनान्वयस्या च 'पुत्रांगति भावक  
देवदत्त' इत्यादौ 'पुत्रकर्मकाचरणसदृशं यन्मानवकर्मकाचरण तदनुत्पत्त्यादिनिर्वा देव-  
दत्त' इत्यादिबोधः " इत्यादिबोधः ।

'क्यच्' प्रत्यय के विषय में विचार करते हैं—क्यजयां इत्यादि । 'क्यच्' प्रत्यय का  
भी अर्थ 'आचार है, पर यहाँ यह आचार 'क्रिया के रूप में भावित होता है, उस  
क्रिया के उपमेय का क्रिया के समान होना आवश्यक है । अतः—'महिलामलयान्निहन्-  
तीयति ( विरहिणी नायिका मलयपवन में अग्नि के तुल्य आचरण करती है )' इत्यादि  
वाक्य का शाब्दबोध, उक्त रीति में यह होता है कि 'अग्नि ने निहन्ती सादृश्य का  
प्रयोजक अथवा अग्निनिरूपितसादृश्य में अग्नि जो मलयपवनकर्मक क्रिया, तदनुत्पत्-  
त्यादि ( यत्न ) वाली नायिका । 'तिलोत्तमायन्ती—तिलोत्तमान्निहन्तीयति आत्मानम् आदृश्या-  
न्यां च अपने में तिलोत्तमा ना आचरण करती हुई' इस वाक्य में भी वहाँ  
'क्यच्' प्रत्यय होता है पर यहाँ कर्म है 'आना', अतः इस वाक्य का बोध 'तिलोत्तमा  
में निहन्ती सादृश्य का प्रयोजक अथवा उसने निहन्ती सादृश्य में अग्नि जो  
आत्मकर्मक क्रिया, तदनुत्पत्त्यादिनिर्वाली कोई नायिका' यह होता है । गच्छन्तीयति-  
नायिकाकार जगदीश भट्टाचार्य ने तो 'क्यच्' प्रत्यय का अर्थ 'आचारमदृश आचार' माना  
है और उन दोनों में से प्रथम 'आचार' में क्यच् प्रत्यय की प्रकृति के अर्थ का तथा  
दूसरे 'आचार' में वाक्योक्त कर्मप्रदाय का अन्वय स्वीकार किया है । तदनुसार 'मला-  
यान्निहन्तीयति' का शाब्दबोध—'अग्नि कर्मक आचारमदृश जो मलयपवनकर्मक आचार  
तदनुत्पत्त्यादि यत्न वाला ऐसा होगा यह भी समझ लेना चाहिए ।

उपसंहारः—

इति द्विः ।

पूर्वोक्तविषये निहन्तम्, अन्तर्गत विनाऽन्वयप्रदान्त्यादिमिति भावः ।  
उपसंहार करते हैं—इति इत्यादि । इति—अर्थात् पूर्वोक्त विचारमन्त्र, द्वि—अर्थात्  
द्विगात्रदशमन्त्रात् । तादृशं यत् जि-पूर्वोक्त में अन्य उपमाप्रतिपादक वाक्यों के  
शाब्दबोध भी इसी रीति में समझ लेने चाहिए ।

इत्यादिगान्या नादृश्या बोधो वाच्यो वेति विवक्षति—

तत्रेवादीनां चोत्पत्त्यमेव न वाच्यम् । निपातत्वात्तुपसंहारम् । योत्पत्त्यं  
च स्वमभिव्यक्तिपदान्तरेण शक्या लक्षणया वा तादृश्यादौघने तादृश्या-  
प्रादृश्यत्वेनोपयोगित्वमिति वैचारणा । उपसर्गाणां योत्पत्त्यमाशयम् ।



अन्यथा उपास्यते गुरुः, अनुभूयते सुखम्, गुर्वादेर्लेनाभिधानं न स्यात् । धात्वर्थकर्मताविरहात् । इवादीनां तु वाचकत्वम्, बाधकाभावात् । प्रागुक्तेषु स्वप्रयोजकत्वात् साधकः । अन्यथा अव्ययत्वादिति हेतुना अव्ययमात्रस्यैव द्योतकतापत्तिरिति नैयायिकाः ।

तत्रेति । सादृश्ये इत्यर्थः । निरूपितत्वं सप्तम्यर्थः, तस्य द्योतकत्वे वाचकत्वे वाऽन्वयः । तथा च सादृश्यरूपार्थनिरूपितद्योतकत्वमेवेवादीना न वाचकत्वमिति भावः । तत्र हेतुमाह—निपात इति । दृष्टान्तमाह—उपसर्ग इति । अत्र द्योतकत्व न साध्यम् निपातत्वत्सु अनर्थकनिपातेषु द्योतकत्वाभावेन व्यभिचारात्, किन्तु वाचकत्वाभाव एव साध्यः, अत एव 'न वाचकत्वम्' इत्यशोक्तिः सङ्गच्छते । तथा च 'इवादयो वाचकत्वाभाववन्तः निपातत्वात्, उपसर्गवत्' इत्यनुमितेराकारः सिद्धयतीति बोध्यम् । नानार्थभिन्नस्थले शक्त्या बोधने तात्पर्यग्राहकानपेक्षणादाह—लक्षणयेति । लेनेति । लकारेणेत्यर्थः । अप्रयोजकत्वादिति । अत्र “-‘साक्षात्कियते दयिता’ इत्यादौ लेन दयितादेरभिधानसिद्धये निपातत्वे द्योतकतावच्छेदकता कल्प्यते इति चिन्त्यमेतत् ।” इति नागेशः । द्योतकतापत्तिरिति । न चेष्टापत्तिः, स्वरादीनां स्वातन्त्र्येण प्रयोगानापत्तेरिति भावः । उपसर्गाणां द्योतकत्व सर्वैरास्थीयते, तद्दृष्टान्तेन वैयाकरणा निपातानाम् इवादीनामपि द्योतकत्वमेव स्वीकुर्वन्ति, स्व(द्योतक)समभिव्याहृतेन (पूर्वं पश्चाद् वा स्थितेन) अन्येन पदेन शक्तिप्रयोज्ये लक्षणाप्रयोज्ये वा विलक्षणे बोधे जनयितव्ये तात्पर्यग्राहकतयोपयोगित्वेन द्योतकत्वमभिवाञ्छन्ति । तथा च पूर्वोक्तेषु सर्वेषु निपातघटितेषु उपमालङ्कारोदाहरणेषु उपमानबोधका शब्दा एव सादृश्यस्यापि वाचकाः । इवादयस्तु तैः शब्दैः सादृश्यबोधने तात्पर्यग्राहकतया समुपयुज्यन्ते । नैयायिकास्तु 'उपास्यते गुरुः, अनुभूयते सुखम्' इत्यादौ उपानुरूपाणामुपसर्गाणामुपासनानुभवादर्थवाचकत्वे तेषामर्थानां धातुवाच्यताविरहेण गुरुसुखयोर्धात्वर्थव्यापारप्रयोज्यफलाश्रयत्वरूपकर्मत्वाभावे कर्मवाचकेन लकारेण तयोरनुक्ततया प्रथमाद्यनापत्तिरिति तत्र धातूनामेवोपासनादर्थवाचकत्वमङ्गीकार्यम्, तथा चोपसर्गाणामगत्या द्योतकत्वेऽङ्गीकृतेऽपि निपातानामिवादीनां वाचकत्वमेव स्वीकार्यम्, तावतापि निपातघटितप्रयोगस्थले तादृशानुपपत्तेरप्रसङ्गात् । न च निपातत्वरूपेण हेतुना इवादीनां द्योतकत्वमनुमितं भवतीति वाच्यम्, तस्य हेतोरप्रयोजकतयोकानुमितेरेवासिद्धे । अन्यथा अव्ययत्वेन हेतुना सर्वेषामेवाव्ययानां द्योतकत्व किमिति नानुमीयेत इति कथयन्ति । तथा च नैयायिकरीत्या पूर्वोक्तेषुदाहरणेषु उपमानबोधकानि पदानि केवलमुपमानवाचकान्येव, सादृश्यवाचकास्तु इवादयो निपाता एवेति भावः ।

'इव' आदि अव्यय, सादृश्य के द्योतक हैं अथवा वाचक इस बात का विचार अवश्य करते हैं—तत्र इत्यादि । उपसर्ग—प्र, परा, अनु, अव आदि—अर्थविशेष के द्योतक होते हैं वाचक नहीं, यह बात सभी (वैयाकरण तथा नैयायिक आदि) को मान्य है, पर निपात—इव, यथा आदि—के विषय में मतभेद है । वैयाकरणों का कथन है कि—निपात भी उपसर्ग के समान अर्थविशेष के द्योतक ही हैं वाचक नहीं, और द्योतक उनको कहा जाता है जो अपने भगल-भ्रगल के अन्य पदों से शक्ति द्वारा अथवा लक्षणा द्वारा होने वाले अर्थ-विशेष के बोध में तात्पर्यग्राहकरूप से उपयोगी होते हों । वैयाकरणों के इस सिद्धान्त के अनुसार 'इव' आदि निपात सादृश्य के द्योतकमात्र हैं, वाचक तो उपसर्ग भी उपमानबोधक पद ही होते हैं । नैयायिकों का कथन इससे भिन्न है । वे कहते हैं कि—'उपास्यते गुरुः (गुरु सेवित होते हैं)' और 'अनुभूयते सुखम् (सुख अनुभूत होते हैं)'

है) इत्यादि वाक्यों में यदि 'मेवन्' और 'अनुभव' क्रमशः 'उप' और 'अनु' रूप उपसर्गों के अर्थ माने जायें—अर्थात् उन अर्थों का वाचक इन उपसर्गों को कहा जाय, तब 'गुरु' और 'सुख' आदि कर्म नहीं होंगे, क्योंकि कर्म वे ही कहलाते हैं जो धातु के अर्थ—व्यापार में होनेवाले फल के आश्रय हों और अत्र उक्त रीति से 'मेवन्' तथा 'अनुभव' धातु के अर्थ हुए नहीं, इस तरह जब वे कर्म नहीं हो सकेंगे, तब लकार-अर्थात् कर्म-वाच्य-‘ते’ प्रत्यय से वे उक्त भी नहीं होंगे और उन हालत में उन (गुरु तथा सुख पद) में प्रथमाविभक्ति नहीं हो सकेगी, अतः अगत्या उपसर्गों को भले ही छोटक माना जाय, (उपसर्ग के छोटक होने पर 'आम्' और 'भू' धातु ही, 'मेवन्' एवं 'अनुभव' के वाचक होते हैं और तब उक्त सभी आपत्तियाँ दूर हो जाती हैं)। पर निपात—इव आदि—को वाचक मानना ही समुचित है, क्योंकि उन्हें वाचक मानने पर भी कोई उम तरह की आपत्ति नहीं होती। तब रही बात उनके निपात होने की, सो वह कुछ नहीं—अर्थात् निपात होना रूप हेतु उनको छोटक सिद्ध करने में अप्रयोजक—असमर्थ—है। यदि ऐसा हेतु लिया जाय, तब 'अव्ययत्व' रूप हेतु नै-अर्थात् अव्यय होने के कारण सभी अव्ययों को छोटक क्यों नहीं मान लिया जाय? यह तो आप कह नहीं सकेंगे कि—हम सभी अव्ययों को छोटक मानते हैं, क्योंकि यदि सभी अव्यय अपने-अपने अर्थ के केवल छोटक ही हों, वाचक नहीं, तब स्वर्ग के अर्थ में जो केवल 'स्व' हम अव्यय का स्वतन्त्र रूप से प्रयोग किया जाता है, वह नहीं हो सकेगा। फलतः नैयायिक लोग निपात को वाचक ही मानते हैं। तदनुसार 'इव आदि निपात, सादृश्यरूप अर्थ के स्वतन्त्र वाचक हैं, उपमानवाचक पद केवल उपमान के बोधक होते हैं। वैयाकरणशिरोंमणि नागेश, यहाँ वैयाकरणों के मत के मनन में लिखते हैं कि—जिम तरह 'उपास्यते गुरुः', 'अनुभूयते सुखम्' इत्यादि प्रयोगों के अनुरोध से उपसर्गों को छोटक माना जाता है उसी तरह 'माहाङ्किते दयिता' इत्यादि प्रयोगों के अनुरोध से निपातों को भी छोटक मानना ही चाहिए। तात्पर्य यह कि—यदि निपात को छोटक न मानकर वाचक माना जायगा, तब उक्त प्रयोग में 'माहाङ्कार' अर्थ 'माहात्' इस निपात का ही किया जायगा, 'कृ' धातु का नहीं, फिर तो वे मन् आपत्तियाँ यहाँ भी टपक पड़ेंगी, जो उपसर्गों को छोटक न मानने पर 'उपास्यते गुरु' इत्यादिक में हुई थीं। अतः उपसर्ग तथा निपात छोटक हैं और इन दोनों से अन्य अव्ययवाचक है एसा ही मानना उचित है।

उपमाशेषान्वातु प्रश्नते—

म्बभावापन्नधर्मकोपमास्थले उपमानगततादृशधर्मापेक्षया उपमेयगततादृशधर्माणां न्यूनताऽधिकता च तथाविधे वस्तुनी, अनुगामिधर्मकोपमास्थलेनुगामिधर्म( क्रिया )गता' काल पुरुषविधयस्तादृशा समपेक्षिता येषामुपमानोपमेयोभयांशे उपपत्तिर्भवेत्, तद्विरुद्धत्वं तेषां पुनस्तथाविधम् ( चमत्कारापकर्षकम् ) एव वस्त्विति भावः ।

अथ उपमादोष का निरूपण किया जाता है—अथ इत्यादि । चमत्कार ( आनन्द जनकता ) का अपकर्षक ( घटानेवाला ) होना सामान्यतः दोष माना जाता है, अतः जितनी वस्तुएँ उपमा के चमत्कार को अपकृष्ट करनेवाली होंगी, वे सभी उपमा के दोष हैं । उस तरह की अनेक वस्तुएँ हो सकती हैं, जैसे—सर्वप्रथम—कवियों के सिद्धान्तों में जो वस्तु जिस रूप में प्रसिद्ध नहीं है उसका उस रूप में उल्लेख, दूसरी—उपमान तथा उपमेय का जाति, प्रमाण, लिङ्ग और सख्या ( वचन ) द्वारा परस्पर अनुरूप न होना, विम्बप्रतिविम्बभावापन्न धर्मों में उपमान तथा उपमेय के धर्मों का न्यूनाधिक होना, और साधारण धर्म के अनुगामी होने पर काल, पुरुष और विधि आदि अर्थों का उपपन्न न होना—अर्थात् ऐसी क्रिया का अनुगामी धर्म होना, जिसके काल-पुरुष आदि उपमान अथवा उपमेय अंश में सङ्गत न हो सकें । ये सभी चमत्कारापकर्षक होने से उपमा के दोष हैं ।

उपमादोषानुदाहर्तुमाह—

क्रमेण यथा—

स्पष्टम् ।

क्रमशः जैसे ।

कविसमयप्रसिद्धिराहित्यस्योदाहरण निर्दिश्यते—

‘प्रफुल्लकङ्कारनिभा मुखश्री रदच्छदः कुङ्कुमरम्यरागः ।

नितान्तशुद्धा तव तन्वि वाणी विभाति कर्पूरपरम्परेव ॥’

नायकस्य नायिका प्रत्युक्ति —हे तन्वि कृशाङ्गि ! तव, मुखश्री मुखकान्ति, प्रफुल्ल कङ्कारनिभा विकसितरक्तकमलतुल्या, रदच्छद अधरोष्ठयुगलम्, कुङ्कुमरागरम्य केसरवत् रागेण रक्तिम्ना रमणीय, नितान्तशुद्धा परमपवित्रा, वाणी वाक् च कर्पूरस्य घनसारस्य परम्परा समूह, इव, विभाति भासत इत्यर्थः । अत्र कङ्कारमुखयो कुङ्कुमाधरयो, कर्पूरवाप्योश्चोपमानोपमेयभाव कविसमयाप्रसिद्ध इति भावः ।

कविसमयप्रसिद्धिराहित्यदोष का उदाहरण दिखलाया जाता है—प्रफुल्ल इत्यादि । किसी नायिका के प्रति किसी नायक की उक्ति है—हे कृशाङ्गि ! तेरे मुख की कान्ति विकसित कङ्कारपुष्प ( रक्तकमल ) के समान, तेरे अधरोष्ठ केसर की सी लाली से रमणीय और तेरी अतिपवित्र वाणी कर्पूर की श्रेणी के तुल्य भासित होती है । यहाँ मुख और कङ्कार, केसर और अधरोष्ठ एव कर्पूर और वाणी के उपमानोपमेयभाव, कवियों के व्यवहार में प्रसिद्ध नहीं हैं ।

उपमानोपमेययोर्जात्याऽननुरूपत्वस्योदाहरण निर्दिश्यते—

‘मुनिः श्वदय भाति सतत पर्यटन् महीम् ।

विनिवृत्तक्रियाजातः श्वापि लोके शुकायते ॥’

कवि कथयति—सतत निरन्तरम्, महीम् पृथ्वीम्, पर्यटन् भ्रमन्, श्वय कवि-द्वयस्य, मुनि, श्ववत् कुक्कुरवत्, भाति भासते । विशेषेण निवृत्त दूरीभूतम्, क्रिया-जातम् व्यापारसमूहो यस्य तादृशः, श्वा कुक्कुर, अपि, लोके संसारे, शुकायते शुकदेव-मुनिवदाचरतीत्यर्थः । अत्र श्वमुन्यो शुकदेवशुनोश्च जात्याननुरूपत्वम् इति भावः ।

उपमान और उपमेय में जाति द्वारा अननुरूपता का उदाहरण दिखलाया जाता है—मुनि इत्यादि। कवि का कथन है—निरन्तर पृथ्वी में चक्कर लगाने वाला यह मुनि कुत्ते के समान प्रतीत होता है। सभी कामों से मुग्न मोड़ लेने वाला कुत्ता भी शुक्रदेव मुनि के समान भासित होता है। यहाँ पूर्वार्ध में कुत्ते के साथ मुनि की और उत्तरार्ध में शुक्रदेव के साथ कुत्ते की जो उपमा दी गई है, वह जात्या अनुरूप नहीं है अर्थात् कुत्ते की जाति, सहस्र उपाय से भी मुनि के सदृश नहीं हो सकती।

उपमानोपमेययो प्रमाणेनाननुरूपत्वस्योदाहरण निर्दिश्यते—

‘सरसि प्लवदाभाति जम्बीर सुपचेलिमम् ।

आदिकारणतोयौघ इव ब्रह्माण्डमण्डलम् ॥’

कवेरुक्ति—सरसि सरोवरे प्लवत् तरत्, सुपचेलिमम् सुपक्रम् एतच्च प्लवनयोग्यता-  
नम्पादनार्थम्, आमफलस्य तदयोगात् जम्बीरम्, आदिकारणस्य ‘अप एव ससर्जादी  
तानु बीजमवावृजन्’ इति श्रुते सृष्टिप्रथमकारणस्य तोयस्य जलतत्त्वस्य, ओघे समूहे,  
प्लवत्, ब्रह्माण्डस्य सनारस्य, मण्डलम् चक्रम्, इव, आभाति भानत इत्यर्थः । अत्र  
सरोवरादिकारणीभूतजलममूहयो तथा जम्बीरब्रह्माण्डमण्डलयोश्च प्रमाणेनाननुरूप्यम्,  
प्रथमयोर्न्यूनपरिमाणत्वात् द्वितीययोश्च महापरिमाणत्वात् इति भावः ।

उपमान तथा उपमेय में प्रमाण ( परिमाण ) के द्वारा रहनेवाली अननुरूपता का उदाहरण दिखलाया जाता है—सरसि इत्यादि। कवि का कथन है—सरोवर में तैरता हुआ अत्यन्त पका नींबू, ‘अप एव ससर्जादी’ इत्यादि श्रुति के अनुसार आदिकारण-  
रूप जलसमूह में तैरता हुआ ब्रह्माण्डमण्डल-सा प्रतीत होता है। यहाँ उपमान और उपमेय का प्रमाण ( लम्बाई चौड़ाई आदि ) अनुरूप नहीं है। कहीं छोटा-सा नींबू और कहीं महाविशाल ब्रह्माण्डमण्डल ! एवम् कहीं थोड़ी दूरी में फैला सरोवर और कहीं समग्र भुवन को आत्मसात् कर लेनेवाला वह जलसमूह ।

उक्तपद्ये ब्रह्माण्डमण्डलमुपमानं जम्बीरमुपमेयम्, किन्तु तयो परिवर्तनेऽपि न दोषस्तदवश्य एवेति प्रतिपादयति—

एतस्यैव किञ्चित्पदव्यत्यासे ब्रह्माण्डस्योपमेयताया चायमेव दोषः ।

‘सरसीव सनाभाति जम्बीर सुपचेलिमम् । आदिकारणतोयौघे ‘प्लवद् ब्रह्माण्डमण्ड-  
लम्’ रतीत्य परिवर्त्य यदि पूर्वपद्य पठ्यते, तदा ब्रह्माण्डमुपमेय जायते । परन्तु प्रमाण-  
तोऽननुरूपतादोषो दोषस्तदवश्य एव तथापीति सुबोधनेव ।

उक्त पद्य में कुछ पदों को हटकर से उधर करके यदि ब्रह्माण्डमण्डल को उपमेय बना दिया जाय—अर्थात् पद्य का आकार ‘सरसीव समाभाति जम्बीर सुपचेलिमम् । आदि-  
कारणतोयौघे प्लवद्ब्रह्माण्डमण्डलम् ।’ ऐसा कर दिया जाय, तब भी यहाँ ( प्रमाणत अननुरूपता ) दोष होगा ।

उपमानोपमेययो लिखितान्माननुरूपताया उदाहरण निर्दिश्यते—

‘दान्तेव मधुर वाक्य चरित कौमुदी यथा ।

सद्वार्ताणि चैतानि सुधेव सुमहात्मनाम् ॥’

कवेरुक्ति—उपमाननाम् मन्मानात्मनात्मिनाम्, वाक्यं वाक्यं, च, मधुरम्,  
चरितम् चरितम्, कौमुदी चन्द्रिका, यथा इव, चैतानि चरितानि, सुधा संस्कारम्, च  
वार्ताणि भवन्तीत्यर्थः । अत्र दान्तेवाक्यदोषो तथा कौमुदीचरितयो पूर्वयोर्दोषो लि-  
तोऽननुरूपता, उपमानो लिखितत्वात् उपमेयतोश्च न्युपपत्त्यात् । अनुरूपत्वेऽपि तु

चेतसो लिङ्गसङ्ख्योभयतोऽननुरूपता, उपमानस्य स्त्रीलिङ्गत्वादेकत्वसंख्याविशिष्टत्वाच्च उपमेयस्य नपुंसकत्वात् बहुत्वसङ्ख्याविशिष्टत्वाच्चेति भावः ।

उपमान तथा उपमेय में लिङ्ग एवं संख्या के भेद से होनेवाली अननुरूपता व उदाहरण दिखलाया जाता है—द्राक्षेव इत्यादि । कवि का कथन है—अच्छे महात्मा का वाक्य दाख-सा मीठा, चरित्र चाँदनी-सा ( निर्मल ) और चित्त सुधा की त सर्वदा भार्द्र ( पिचला ) रहता है । यहाँ उपमान—दाख, चाँदनी और सुधा—स्त्रीलिङ्ग और उपमेय—वाक्य, चरित और चित्त—नपुंसकलिङ्ग, अतः लिङ्ग के द्वारा, और—‘चेता’ ( चित्त ) बहुवचन है और ‘सुधा’ एकवचन, अतः संख्या के द्वारा इस उपमा में अनुरूपता दोष होता है ।

बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नधर्मस्य न्यूनताया उदाहरणं निर्दिश्यते—

‘वामाकल्पितवामाङ्गो भासते भाललोचनः ।

शम्पया सम्परिष्वक्तो जीमूत इव शारदः ॥’

कवि शिव वर्णयति—वामया पत्न्या-पार्वत्या कल्पितं रचितं, वाम दक्षिणोत्तरम्, अङ्गं येन, तादृशं ( अर्धनारीश्वर इति यावत् ) भाललोचन त्रिनेत्रं शिव, शम्पया विद्युहस्तया, सम्परिष्वक्त सश्लिष्ट, शारद शरत्कालीन ( एतद् विशेषण गौरवर्णशिव सादृश्यसिद्धयर्थमिति बोध्यम् ) जीमूतो मेघ, इव, भासते प्रतीयत इत्यर्थः ।

बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न धर्म की न्यूनता का उदाहरण दिखलाया जाता है—वामा इत्यादि । कवि शिवजी का वर्णन करता है—वामा-नारी ( पार्वती ) से वाम अङ्ग बनाए हुए ( अर्थात् अर्धनारीश्वर ) ललाट पर लोचन वाले भगवान् शिव, बिजली से आलङ्कित शरद् ऋतु के मेघ के समान प्रतीत होते हैं ।

उपपादयति—

अत्र जीमूतगतो भालस्थलोचनप्रतिबिम्बो नोपात्त इति न्यूनत्वम् ।

उक्तपद्ये उपमेयशिवगतवामाकल्पितवामाङ्गत्वप्रतिबिम्बभूतमुपमाने मेघे शम्पासम्परिष्वक्तत्व यथोपात्तम्, तथोपमानशिवगतभालवर्तिलोचनप्रतिबिम्बभूत किमपि वस्तु उपमाने मेघे नोपात्तम् इति उपमाने धर्मस्य न्यूनतेति भावः ।

उपपादन करते हैं—अत्र इत्यादि । उक्त पद्य में जिस तरह उपमेय-शिव-में कहे गए पार्वतीसंश्लेष के प्रतिबिम्बभूत वस्तु—बिजली का संश्लेष, उपमान-मेघ-में कहा गया है, उस तरह, उपमेय-शिव-में कहे गए भालस्थित नेत्र का प्रतिबिम्बभूत कोई पदार्थ उपमान-मेघ-में नहीं कहा गया है, अतः यहाँ उपमान में धर्म की न्यूनता ही आती है ।

दोषपरिहारोपायमाह—

‘भगवान् भवः’ इति कृते तु बिम्बस्यैवाभावान्न प्रतिबिम्बापेक्षेति साधु ।

उक्तपद्यस्यस्थस्य ‘भाललोचन’ इत्यस्य स्थाने ‘भगवान् भव’ इति पाठो यदि क्रियते तदोपमेये शिवे बिम्बभूत भाललोचनत्वमेव न तिष्ठतीति उपमाने मेघे तत्प्रतिबिम्बापेक्षा न जागर्तीति तादृशो पाठो निर्दोषोपमा स्यादिति भावः ।

दोषपरिहार का उपाय बतलाया जाता है—भगवान् इत्यादि । उक्त पद्य में जो ‘भाललोचन’ पद है, उसके स्थान में यदि ‘भगवान् भवः’ ऐसा पाठ मान लिया जाय, तब उक्त दोष दूर हो जाता है, क्योंकि इस पाठ के अनुसार उपमेय-शिव-में ही बिम्बभूत पदार्थ ( भाललोचनत्व ) नहीं रहता, अतः उपमान-मेघ-में उसके प्रतिबिम्ब की अपेक्षा ही नहीं होती । तात्पर्य यह कि इस परिवर्तित पाठ में मेघ और शिव की उपमा निर्दोष होती है ।

चिन्वप्रतिचिन्वभावापसन्वयोग्यस्य धर्मत्वाधिक्यताया उदाहरण निर्दिश्यते—

‘विष्णुवन्न-स्थितो भाति नितरां कौस्तुभो मणिः ।

अङ्गारक इवानेकतारके गगनाङ्गणे ॥’

कवि हरिद्वयस्थलस्थित कौस्तुभमणि वर्णयति—विष्णो हरेः, वज्रमि उरःप्रदेशे, स्थितो वर्तमान, कौस्तुभान्यो, मणि, अनेकतारके नानाविधनक्षत्रभूयिते, गगनाङ्गणे नमोऽस्ते प्राङ्गणे, वर्तमान इति शेष, अङ्गारक मालात्पञ्चभ्रविशेष, इव, नितरा-मन्यन्तम्, भाति भानत इत्यर्थ ।

चिन्वप्रतिचिन्वभावयोग्य धर्म की अधिक्यता का उदाहरण दिखलाया जाता है— विष्णु इत्यादि । कवि भगवान् के वच पर झूलते हुए कौस्तुभमणि का वर्णन करता है— विष्णु भगवान् के उर-स्थल पर वर्तमान कौस्तुभमणि, अनेक तारों से युक्त आकाश-मण्डल में स्थित मङ्गल नामक तारे की तरह अत्यन्त शोभित होता है ।

उपपादयति—

अत्र तारकाणा विन्द्वाभावाद्वाधिक्यम् ।

उक्तपद्ये उपमेयवाक्यार्थे तादृश किमपि वस्तु नोपात्तम्, यदुपमानवाक्यार्थोपात्तता-रकचिन्वभाव भजेत, अत उपमानवाक्यार्थेऽनेकतारकरूपस्य धर्मत्वाधिक्यमित्यदनुपमादोष इति भाव ।

उपपादन करते हैं—अत्र इत्यादि । ‘विष्णुवन्न’— हम पद्य में उपमेय—कौस्तुभ मणि के विशेषणरूप से कोई ऐसी चीज नहीं कही गई है जो उपमान—मङ्गल के विशेषण-रूप से कहे गये तारों का चित्रभूत हो, अत उपमान अर्थ में ‘अनेकतारक’ यह धर्म अधिक है ।

दोषोद्धारप्रकारमाह—

‘विष्णोर्वज्रमि मुक्तालिसासुरे भाति कौस्तुभ’ इत्यर्थे तु न दोष ।

उपमेयवाक्यार्थे ‘मौक्तिकपद्मि, नमुज्ज्वने’ इत्यर्थकस्य ‘मुक्तालिसासुरे’ उति विशेषण-स्वोपादाने उपमानवाक्यार्थगतानेकतारकचिन्वलाभावाधिक्यमिति न दोष इति भाव ।

दोषोद्धार का प्रकार दिखलाया जाता है—विष्णो इत्यादि । ‘मौक्तियों की पद्मि से चमकने हुए, विष्णु के वज्र स्थल में कौस्तुभमणि शोभित हो रहा है’ हम अर्थ का बोधक मूलोक्त पाठ मानने पर उपमानवाक्यगत ‘अनेक तारों से युक्त’ हम प्रतिचिन्वभूत धर्म का चित्रभूत धर्म ‘मौक्तियों की पद्मि से चमकने हुए’ यह उपमेयवाक्य में आ जाता है, अत उपमान-अर्थ में धर्म की अधिक्यतारूप दोष नहीं होता ।

परिवर्तनादपि नो दोष इति स्वीक्यते—

अत्र विशेषणविशेषणयोर्मुक्तालितारकागणयोश्चिन्वप्रतिचिन्वभावेन वक्षो-गगनाङ्गणार्थविशेषणयोश्चिन्वप्रतिचिन्वभाव, तन्मूला चोपमा ।

परिवर्तनादपि नो दोष इति प्रथमविशेषणकौस्तुभभावात्विशेषणभूतविशेषणविशेषणयोर्मुक्तालितारकागणयोः प्रथम चिन्वप्रतिचिन्वभाव, तत्र तन्मूला चोपमेयत्वेन उपमेयविशेषणयोर्विशेषणयोश्चिन्वप्रतिचिन्वभाव, तन्मूला चोपमा ।

उक्त परिवर्तित पाठ में उपमामिति की रीति बतलाई जाती है—अत्र इत्यादि । उक्त पद्य में जब मूलोक्त रीति से पाठ बदल दिया जाता है तब पहले मुख्य विशेष्य (कौस्तुभ और मङ्गल) के विशेषण (वज्र तथा आकाश) के विशेष्य—मौक्तियों की

पङ्क्ति और तारकागण में चमचमीरूप सादृश्यमूलक विम्बप्रतिविम्बभाव होता है और पीछे उक्त विम्बप्रतिविम्बभावापन्न समानधर्म के बल से उक्त मुख्य विशेष्य के साक्षात् विशेषण—वचःस्थल और आकाश—में विम्बप्रतिविम्बभाव होता है, तदनन्तर तदात्मक सादृश्यमूलक मङ्गल और कौस्तुभ की उपमा सिद्ध होती है ।

अनुगामिधर्मस्थले कालानुपपत्तेरुदाहरण प्रदर्शयति—

‘राज राजराजस्य राजहंसः करस्थितः ।

हस्तनक्षत्रसंसक्त इव पूर्णो निशाकरः ॥’

कवेरियमुक्ति—राजराजस्य कस्यचिद् वर्णनीयस्य महाराजस्य कुबेरस्य वा व हस्ते, स्थितो वर्तमान राजहंस पक्षिविशेष, हस्ताख्येन नक्षत्रेण, संसक्त सम्मिश्रित पूर्ण पूर्णिमातिथिगत, निशाकर चन्द्र, इव, रराज शुशुभे इत्यर्थ ।

अनुगामिधर्मस्थल में काल की अनुपपत्ति का उदाहरण दिखलाते हैं—रराज इत्यादि कवि का कथन है—राजाधिराज ( कुबेर अथवा किसी विशिष्ट राजा ) के हाथ पर बै हुआ राजहंस, हस्तनक्षत्र से मिलित पूर्णचन्द्र के समान शोभित हुआ ।

उपपादयति—

अत्र रराजेति प्रतिपाद्ये भूतकालावच्छिन्नक्रियाविशेषे राजहंसस्यान्वय इ न निशाकरस्येत्यनुपपद्यमानकालघटितत्वं धर्मस्य ।

‘रराज—’ इति पद्ये ‘रराज’ इति पद भूतकालेन अवच्छिन्न विशिष्ट भूतकालिक मिति यावत् क्रियाविशेषम् शोभनरूप बोधयति, तद्विषये च तादृशे तस्मिन् क्रियाविशेषे राजहंसस्योपमेयस्यान्वयो घटते, चन्द्रस्य तु न, तस्याकल्पस्थायित्वेन तदीयक्रियाविशेषस्य वर्तमानकालावच्छिन्नतया भूतकालानवच्छिन्नत्वात् एवञ्चानुगामिसाधारणधर्मतयोपात्त शोभनात्मक क्रियाविशेषोऽनुपपद्यमानकालविशिष्टतया दोषावह इति भाव ।

उपपादन करते हैं—अत्र इत्यादि । उक्त पद्य में ‘रराज’ इस पद से भूतकालिक क्रिया कही जाती है, अतः उसके साथ जिस तरह उपमेय ‘राजहंस’ का अन्वय सङ्घटित होता है, उस तरह उपमान—चन्द्र का नहीं, क्योंकि चन्द्र, कल्पान्तपर्यन्त स्थायी पदा है, अतः उसकी क्रिया वर्तमानकालिक होगी भूतकालिक नहीं । तात्पर्य यह कि राजहंस के विषय में ‘शोभित होता था’ ऐसा कहना ठीक हो सकता है, पर चन्द्र के विषय में नहीं, उसके विषय में तो यह कहना ठीक हो सकता है कि ‘शोभित होता है’ । ऐसी स्थिति में यहाँ का ‘रराजपद’बोध्य क्रियाविशेषरूप अनुगामी साधारणधर्म भूतकालरूप उपपन्न न हो सकनेवाली वस्तु से युक्त है ।

अनुगामिन क्रियारूपस्य साधारणधर्मस्यानुपपद्यमानकालघटितत्वमेव पुनरुदाहरति—

‘रणाङ्गणे रावणवैरिणो विभोः शराः समन्ताद् वलिता विरेजिरे ।

निदाघमध्यं दिनवर्तिनोऽम्बरे सहस्रभानोः प्रखराः करा इव ॥’

कवि कथयति—रावणवैरिणो रावणशत्रो, विभो व्यापकस्य रामचन्द्रस्य, रणाङ्गणे युद्धभूमिरूपे प्राङ्गणे, ( अनेन रूपकेण प्रभो समरभूमौ निर्भयभ्रमणमावेद्यते ) समन्तात् चतुर्दिक्षु, वलिता प्रसृता, शरा वाणा, अम्बरे आकाशे, प्रसृता, निदाघमध्यं दिनवर्तिनं प्रोष्मर्तुमध्याह्नकालिकस्य, सहस्रभानो सहस्रकिरणस्य सूर्यस्य, प्रखरा सुतीक्ष्णा, करा किरणा, इव, विरेजिरे शुशुभिरे इत्यर्थ । अत्रापि पूर्ववत् भूतकालावच्छिन्नस्य विराजनक्रियारूपसाधारणधर्मस्य उपमेयान्वितत्वमिव नोपमानान्वितत्वम्, तदीयविराजनस्य वर्तमानत्वादिति भाव ।

पुन अनुगामी धर्म में काल की अनुपपत्ति का ही दूसरा उदाहरण दिया जाता है—  
रणान्गणे इत्यादि। कवि का कथन है—रावण के वेंरी विभु-व्यापक-रामचन्द्रजी के,  
रणभूमि में चारों तरफ फैले हुए, वाण, आकाश में फैले हुए ग्रीष्म ऋतु के मध्याह्न-  
कालिक सूर्य की तीक्ष्ण किरणों के समान, सुशोभित हुए। यहाँ भी 'विरेजिरे' यह भूत-  
कालिक क्रियारूप समानधर्म, उपमेय-वाण-अश में सदृष्टित होने पर भी, उपमान—  
सूर्यकिरण—अश में सदृष्टित नहीं हो सकना क्योंकि सूर्यकिरणों की क्रिया ( शोभित  
होना ) वर्तमानकालिक है।

पुनन्तदेवोदाहर्तुमाह—

यथा वा—

स्पष्टम् ।

अथवा जैसे ।

उदाहरण निर्दिश्यते—

‘आगत पतिरितीरित जनैः शृण्वती चकितमेत्य देहलीम् ।

कौमुदीव शिशिरीकरिष्यते लोचने मम कदा मृगोक्षणा ॥’

प्रवामगतो नायकश्चिन्तयति—( तव ) पति रक्षक प्रिय, आगत नमायात ' इति  
जनै स्वजनं, ईरितम् कथित, क्व इति शेष शृण्वती आकर्णयन्ती, चकितम् चकितेक्षण  
यथा स्यात्तथा ( चकितमित्यस्य चकितेक्षणमित्यर्षकरणमप्रिमप्रन्यस्वारस्यात् नमुञ्चित-  
त्वाच्चेति बोध्यम् ) देहलीम् गृहद्वारम्, एत्य आगन्त्य, ( सा ) मृगोक्षणा हरिणलोचना,  
कौमुदी चान्द्रमर्मा ज्योत्स्ना, इव, मम, लोचने नयने, कदा कस्मिन् क्षणे, शिशिरी-  
करिष्यते शीतलधिष्यति इत्यर्ष ।

उदाहरण का निर्देश करते हैं—आगत. इत्यादि। प्रवासी नायक अपने मन में  
सोचता है—( तेरे ) पति आ गए' इस सगीजनोक्त वचन को सुनती हुई, चकित-  
विलोकन-पूर्वक देहली पर आकर ( वह ) मृगनयना प्रेयसी, मेरी धीरों को, चन्द्र-  
ज्योत्स्ना की तरह कय शीतल करेगी।

उपपादयति—

अत्र शृण्वतीति शत्रा प्रत्याचिनेन श्रवणसमकालमेव प्रियाया देहल्यागमन-  
मित्यर्थेनातिशयोक्त्यात्मना गमितस्त्वरतिशयस्तद्गनमौत्सुक्यातिशय पुष्पाति ।  
कौमुद्युपमा तु तत्परिपोषित प्रधानीभूत प्रियगतमौत्सुक्यम् । चकितमित्या-  
गमनविशेषणमपि वस्तुतो विचार्यमाणमीक्षणविशेषणीभवत्तस्यैवानुसूलम् । इति  
स्थिते भविष्यत्कालावच्छिन्नशिशिरीकरणस्य नाधारणधर्मस्योपनेवान्वितत्य  
मिव नोपमानान्वितत्वम् ।

‘अत्र उक्तमर्थे । अत्रेति । ‘लट्’ गतृगानयावप्रथमानानाधिकरणे’ इति वर्तमान-  
शालहितेनेति भाव । प्रत्याचिनेन अभिप्रेक्षितेन । ‘अर्थेनेति । अन्वया ‘शृणा’ इत्यु-  
क्तिर्भवेदिति भाव । प्रतिशरोनाति । श्रवणस्यागमनसंगणना पूर्वसात्पर्यप्रतीत्येऽपि  
नमः ॥ लोचनत्वप्रतीत्या ‘शयंकारणयो पर्यापर्यविवक्षितमिति शोषि’ इति भाव । गमित  
व्यति । तद्गनम् नाधिकगतम् । कौमुद्युपमा तु इति । युना पूर्वश्रवणे । उक्तो  
नादिगमनमौत्सुक्य न पुष्पातिनि तात्पर्यम् । तत्परिपोषितमिति । नादिगतौ गृहसादि-  
शयस्योपनिमित्यर्थः । ‘अत्र उक्तमिति । पुष्पातिवन्तानुक्त । तथा न प्रियगती गृहसादि-  
नादिगतौ गृहसादिगत कौमुद्युपमा चेति तत्र पौरुषमिति भाव । ननु एव कौमुद्युप-



माया नायकगनौत्सुक्यमात्रपोषकत्वम् ? 'कौमुदीव चकितमेत्य' इत्यन्वये तस्या नायिका गतौत्सुक्यपोषकत्वस्यापि सम्भवात्, तथात्वे च भविष्यत्कालिक्या एव कौमुद्या उपमानत्व-प्रतीत्या वक्ष्यमाणदोषानवकाश इत्यत आह—चकितमित्यागमनेति । आगमनविशेषणमपीति । श्रुत्याऽऽपातत' तद्विशेषणत्वेन ज्ञायमानमिति भाव । वस्तुतो विचार्यमाणमिति । इतस्ततो विक्षेपरूपो नेत्रधर्मश्चकितत्वम्, किञ्च प्रियतमागमनश्रवणकालिकनायिकाकर्तृक-देहल्यागमने चकितनयनपूर्वकन्वविशेषणमेव सहृदयहृदयसवादि, इत्यादयोऽत्र वस्तुतो विचारा विज्ञेया । ईक्षणविशेषणीभवदिति । ईक्षण नयन तस्य विशेषणभाव भजमानमित्यर्थः । चकितमित्यस्य लक्षणया चकितेक्षणमित्यर्थ करणीय इति भाव । नयनधर्मस्य चकितत्वस्यागमने बाधितत्वलक्षणयाऽत्र नाहेतुकीत्यपि बोध्यम् । अत्र 'मृगेक्षणाघटितस्येक्षणस्य विशेषणम्, अर्थात् मृगवत् चकितमीक्षण यस्या इत्यर्थ' इति सरलाकारो टिप्पणीमकरोत् । तत्र 'मृगेक्षणाघटकस्येक्षणस्य' इति वक्तव्ये 'घटित'पद तैरुक्तम् । किञ्च मृगेक्षणाघटकेऽप्येव चकितत्वस्यान्वयो न कथमपि सम्भवतीति पण्डितराजीयाभिप्रायविषयत्व तस्योपवर्णयन् स शोच्य एव । तस्यैवेति । 'कौमुद्युपमा प्रियगतमेवौत्सुक्य पुष्पाति न प्रेयसीगतम्' इत्यर्थस्यैवेत्यर्थ । उक्तरीत्या चकितमित्यस्य चकितेक्षणमित्यर्थे निश्चिते नयनविहीनाया' कौमुद्या आगमनान्वयासभवेन न तदुपमाया प्रियागतौत्सुक्य-पोषकता-सम्भवो न वा भविष्यत्कालिक्या कौमुद्या उपमानत्वप्रतीतिरिति भाव । इति स्थिते इति । अस्या स्थितौ 'भविष्यत्कालिक्यैव कौमुदी उपमानमत्र' इत्यर्थस्य वक्तुमशक्यतया वक्ष्यमाणदोषावकाशसूचनाय स्थिति वर्णनमिदमिति भाव । तस्यैवेत्यस्य 'ईक्षणस्यैव' इति व्याख्या नागेशकृता तु नैव शोभना, तथात्वे तदुक्तेरकिञ्चित्करतापत्ते, न च पण्डितराजमुखादकिञ्चित्करोक्ति' कथमपि सम्भवतीति मे मति । उपमेयान्वितत्वमिव नोपमानान्वितत्वमिति । उपमेया नायिका, भविष्यत्काले एव लोचने शिशिरीकरिष्यतीति भविष्यत्कालावच्छिन्नशिशिरीकरणक्रियारूपस्य समानधर्मस्य तत्रान्वय उपपद्यते, उपमानभूता कौमुदी तु सर्वदैव शिशिरीकरोति नयने न तु भविष्यत्काल एव तथा करिष्यतीति न तत्र तादृशस्य तस्य धर्मस्यान्वय उपपद्यते इत्यर्थ । शरच्चन्द्रमरीचिमये निशीथसमये प्रवासी समाशसते यद्यथाऽधुनेय चन्द्रिका नयने मे शीतलयति तथा प्राणवह्निमा मम लोचने कदा शीतलीकरिष्यतीति वस्तुस्थितौ न भविष्यत्कालवर्तिन्या कौमुद्या उपमानत्वमपि तु वर्तमानकालवर्तिन्या एवेति परमार्थः । अत्र "एषु सर्वेषु भूतभविष्यत्तत्त्वदार्थानामेवोपमानीकरणो नान्वयस्य सम्भवोऽस्त्येवेति चिन्त्यान्येतान्युदाहरणानि । 'त्यक्ष्यामि वैदेहसुता पुरस्तात् समुद्रनेमिं पितुराज्ञयेव' इत्यादि तूदाहर्तुमुचितम्" इति नागेश । निशाकर-सूर्यकरकौमुद्यादय सर्वकालस्थायिन तथा च यथायथ भूतभविष्यत्कालिकाना तेषामुपमानत्वेन विवक्ष्यो उक्तदोषा न सम्भवन्ति तेषु पद्येषु त्यक्ष्यामीति पद्ये तु पृथिव्या पूर्णं त्यक्तत्वात् भविष्यत्कालान्वयो दुर्घटस्तत्र इति तदेव पद्यमनुपपद्यमानकालघटितसाधारणधर्मत्वस्योदाहरण भवितुमर्हतीति तदाशय । वस्तुतस्तु अन्यत्र तथा सम्भवेऽपि 'आगत —' इति श्लोके तथा न सम्भवतीति प्रागुक्तमेव । तथा च तस्य श्लोकस्य प्रकृतदोषोदाहरणता समञ्जसैवेति दिक् । ४

उपपादन करते हैं—अत्र इत्यादि । 'आगतः—' इस पद्य में 'शृण्वती ( सुनती हुई )' इस पद के 'शतृप्रत्यय ( ती हुई इस अश )' से ( क्योंकि इस प्रत्यय से वर्तमानकालिक असमाप्त क्रिया का बोध होता है ) श्रवणकाल में ही प्रिया का देहली पर आना यह अर्थ अभिव्यक्त होता है जो अतिशयोक्ति अलङ्काररूप सिद्ध होता है—अर्थात् श्रवण

कारण है और देहली पर आना उसका कार्य, अतः इन दोनों का पूर्वपक्षाभाव अवश्य-  
 भावी है, पर उक्त रीति से उन दोनों का एक काल में होना जो प्रतीत होता है—यह  
 'कारणकार्य का पार्वपर्यविपर्ययरूप अतिशयोक्ति' है, इस अतिशयोक्तिरूप अर्थ से  
 नायिका का खरातिशय (अत्यन्त जल्दयात्री) व्यक्त होता है और यह खरातिशय,  
 नायिका की उक्त उस्तुक्ता को पुष्ट करता है। कौमुदी की उपमा तो नायिका की  
 उक्त उस्तुक्ता से पोषित नायक की उस्तुक्ता को पुष्ट करती है। तात्पर्य यह कि  
 नायक की उस्तुक्ता के पोषक यहाँ दो पदार्थ होते हैं—एक नायिका की उक्त उस्तुक्ता  
 और दूसरी कौमुदी की उपमा। सारांश यह कि कौमुदी की उपमा नायिका की उस्तु-  
 क्ता का पोषण नहीं करती। आप पूछेंगे कि—ऐसा क्यों? क्योंकि यदि 'कौमुदी इव  
 चकितमेव (कौमुदी के समान चकित आकर)' इस तरह ध्वन्य किया जाय,  
 तब कौमुदी की उपमा से नायिकागत औस्तुक्त्व का भी पोषण हो सकता है और इस  
 रीति का आश्रय करने पर भी भविष्यकालिक कौमुदी (चन्द्रज्योत्स्ना) का ही उपमान  
 होना निश्च होगा, फिर तो आगे जो भविष्यकाल की अनुपपत्तिरूप दोष टिकलाना है  
 उसका अवसर ही नहीं रहेगा, तो इसका उत्तर यह है कि यद्यपि प्रकृत पद्य में शब्दतः  
 'चकित' यह, आगमनक्रिया का विशेषण ज्ञात होता है, तथापि वास्तविक विचार  
 करने पर वह (चकित) ईक्षण (नेत्र) का ही विशेषण हो जाता है, तात्पर्य यह कि—  
 'चकितत्व वस्तुतः धर-उधर सञ्चालनरूप नेत्र का ही धर्म है—'चकितमेव (चकित  
 आकर)' इसका भी मतलब यहाँ होता है कि 'इधर उधर ताकती हुई आकर' ऐसी  
 स्थिति में 'चकित' पद का अर्थ लक्षणा द्वारा 'चकिनेक्षण (चकित हैं आने जिस क्रिया  
 में) ही करना पड़ेगा और जब ऐसा अर्थ, उक्त पद का, करना पड़ेगा, तब आपने जो  
 'कौमुदी इव चकितमेव' ऐसा ध्वन्य किया है, वह नहीं बन सकता, क्योंकि कौमुदी  
 को अर्थ नहीं होती, अतः नेत्रघटित अर्थ वाले चकित पद के साथ उसकी स्मृति नहीं  
 हो सकती। तात्पर्य यह कि उक्त रीति से चकित पदार्थ के नेत्र विशेषण हो जाने पर  
 'चकित' यह उक्ति भी, कौमुदी की उपमा का नायकगत औस्तुक्त्व-पोषक होनेवाली दान  
 के ही अनुकूल होती है। इस स्थिति में अर्थात् 'भविष्यकालिक कौमुदी उपमान नहीं  
 है' इसका निश्चय हो जाने पर, भविष्यकालिक शिशिराकर-क्रियारूप साधारणधर्म  
 का ध्वन्य, जिस तरह, अपने नायिका के साथ नुमन्त होना है उस तरह उपमान-  
 कौमुदी के साथ नहीं। अभिप्राय यह कि—कौमुदी तो नयन को शीतल कर रही है  
 न कि करेगी अतः भविष्यकालिक क्रिया का ध्वन्य कौमुदी के साथ नहीं हो सकता  
 यह उपमा का दोष यहाँ है। नागेश का यहाँ कथन है कि—'कालानुपपत्तिरूप उपमा-  
 दोष के जो 'रत्नाङ्ग—' 'रत्नाङ्गे—' और 'आगत—' के तीन उदाहरण दिये गये हैं वे  
 ठीक नहीं हैं, क्योंकि चन्द्र, सूर्यकिरण और चन्द्रज्योत्स्ना के ऐसे पदार्थ हैं जो मदा  
 रहते हैं, ऐसी दशा में उपमेयान्वित अनुगामी धर्मों में जहाँ जो काल मन्त होगा उस  
 काल से युक्त तत्क्रिया को ही उपमानान्वयी धर्म माना जायगा अर्थात् 'रत्नाङ्ग—' में  
 भूतकालिक निशाकर, 'रत्नाङ्गे—' में भूतकालिक सूर्यकिरण और 'आगत—' में भवि-  
 तकालिक कौमुदी को ही उपमान र्व द्वारा कर लिया जायगा, अतः इन उदाहरणों में  
 उक्त दोष नहीं हो सकता। अतएव कालानुपपत्ति का उदाहरण 'यत्प्रसामि वेदेहसुता  
 पुमन्नामनुदनेमि पितुराक्षयेव अर्थात् पिता की क्षाया से शृषी ही तरह जनकसुता-  
 र्म का परिचाय करनेगा' इस रामचन्द्र पद्य को मानना चाहिए।' इसमें मन्तेह  
 नहीं कि नागेशोक्त उदाहरण सर्वथा उपयुक्त हैं, क्योंकि रामचन्द्र शृषी का प्याग दन्त  
 पहले कर चुके हैं और सीता का स्वयं भविष्य में करने, ऐसा स्थिति में 'यत्प्रसामि पद  
 में स्वयं होनेवाली भविष्यकालिक स्वयंक्रिया का ध्वन्य उपमान शृषी के साथ  
 नहीं बैठता। साथ ही यह भी निम्नन्देह बात है कि—उक्त उदाहरणों में उदाहरण की

बात जो उन्होंने कही है वह आदि के दो उदाहरणों के लिये ठीक है—वहाँ भूतकालि चन्द्र और सूर्यकिरणों को उपमान माना जा सकता है, पर तृतीय उदाहरण 'आगतः—' के लिये वह उत्तर समीचीन नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ भविष्यत्कालि कौमुदी को उपमान नहीं माना जा सकता यह बात मैं पहले युक्तिपूर्वक कह चुका हूँ

अनुपपद्यमानपुरुषार्थकत्वमुदाहरति—

‘एतावति महीपालमण्डलेऽवनिमण्डन ।

तारकापरिषन्मध्ये राजन्राजेव राजसे ॥’

कवि कमपि राजानं स्तौति—हे अवनिमण्डन धरालङ्कार ! राजन्, एताव हस्तनिर्देशोऽयम्, महति इत्यर्थ, महीपालमण्डले नृपसमूहे, तारकापरिषन्मध्ये नक्षत्रसभायाम्, राजा चन्द्र, इव, राजसे शोभसे, त्वमिति शेषः ।

पुरुष की अनुपपत्ति का उदाहरण दिखलाते हैं—एतावति इत्यादि । कवि किसी र की स्तुति करता है—हे पृथ्वीभूषण राजन् ! तुम इतने बड़े राजाओं के समूह में तैर तरह शोभित होते हो जिस तरह तारों की सभा में चन्द्र शोभित होता है ।

उपपादयति—

अत्र क्रियायां सम्बोध्योपमेयान्वय इव नोपमानान्वयः ।

‘एतावति—’ इति पद्योक्तमध्यमपुरुषविशिष्टराजनक्रियाया, सम्बोध्यस्य युष्मदर्थभूतस्योपमेयस्यान्वये सिद्धयत्यपि उपमानस्य चन्द्रस्य युष्मदर्थरूपत्वविरहात् न तत्रान्वयसिद्धयतीति भावः ।

उपपादन करते हैं—अत्र इत्यादि । ‘एतावति—’ इस पद्य में जो ‘राजसे’ यह क्रिया पद है उसके अर्थ में संबोधित किए जाने वाले उपमेय—राजा—का अन्वय हो सकता है, क्योंकि संबोधन के बाद ‘स्वम् ( तू )’—कर्ता का ही आक्षेप होता है, अतः उसके लिये मध्यमपुरुष की उक्त क्रिया उपयुक्त है, पर उपमान चन्द्र का अन्वय नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिये अन्यपुरुष की क्रिया ( राजते ) ही उपयुक्त हो सकती थी, अतः यहाँ पुरुषानुपपत्तिरूप उपमा का दोष लग जाता है ।

विध्यादीत्यादिपदप्राणप्रार्थनानुपपत्तिमुदाहरति—

‘राजेव सम्भृतं कोषं केदारमिव कर्षकः ।

भवन्तं त्रायतां नित्यं भयेभ्यो भगवान् भवः ॥’

कविराशीर्वचनमाह—राजा नृपति, सम्भृतम् परिपूर्णम्, कोषमाकरम्, इव, कर्षक कृषिकार, केदारम् क्षेत्रम्, इव, भगवान् अणिमाद्यैश्वर्यशाली, भवः शिवः, भवन्तम्, भयेभ्यो, नित्यम् सदा, त्रायताम् रक्षत्वित्यर्थ ।

‘विध्यादि’ इस पद के ‘आदि’ पद से समग्रणीय प्रार्थना की अनुपपत्ति का उदाहरण दिखलाते हैं—राजेव इत्यादि । कवि आशीर्वाद दे रहा है—राजा जिस तरह खजाने की और किसान जिस तरह खेत की रक्षा करता है, उस तरह भगवान् शिव, भयों से सदा तेरी रक्षा करें ।

उपपादयति—

अत्र प्रार्थ्यमानत्राणकर्तृत्वमुपमेये भव इवोपमानयो राजकर्षकयोर्नास्ति, तयोस्त्राणकर्तृत्वस्य सिद्धत्वात् ।

नास्तीति । प्रार्थ्यमानत्वरूपविशेषणाभावप्रयुक्त विशिष्टस्य—प्रार्थ्यमानत्राणकर्तृत्वस्याप्राभावो बोध्यः । तदेव स्फुटयति—तयोरिति । अयं भावः—‘त्रायताम्’ इत्यत्र लोड्य

प्राथता तथा च प्राथमान्वाक्यत्वम् तस्य निःसन्देहव्याप्यं, न एवात्रोपमान्यो राज-  
 कर्षकरोत्सर्गस्य भवत्यत्र साधारणधर्मस्या विवक्षित । परन्तु न साधारणो भवेत्  
 नास्ति, प्रकृते भवत्युक्तिराक्यत्वस्याभिधत्तया प्राथमान्त्वसम्बन्धेऽपि राजकर्षक्युक्तिराक-  
 क्यत्वो पूर्वभिधत्तया प्राथमान्त्वानुगोपात्, अस्मिन्नैव वस्तुतः प्राथनीयत्वात् । अत-  
 एतादृशाप्राथनापठित्तियान्नाधारणधर्मकत्वस्यमाया दोष इति ।

उपपादन करते हैं—अत्र इत्यादि । अग्निप्राय यह है कि—‘लेट्’ लकार का अर्थ प्राथना है, अतः ‘राजेव—’ इस पद्य के ‘प्रायताम्’ पद्य का अर्थ होता है ‘प्राथनीय रक्षण-  
 क्रिया का कर्ता होना ।’ यहाँ यहाँ साधारणधर्मरूप में विवक्षित है । परन्तु यह यहाँ साधारणधर्म ही नहीं सकता । कारण, प्राथना उस वस्तु की की जाती है जो अग्नि—  
 पहले से प्राप्त नहीं—हो, ऐसी स्थिति में उपमेय शिव ने ‘प्राथमान्वाक्यत्वम्’ रह सकता है अर्थात् पहले से अप्राप्त ‘जायके’ ब्राह्मण की प्राथना ‘शिव ने की जा सकती है,  
 न कि उपमान-राजा और किमान-से अर्थात् ‘वज्राणा और तेन’ के ब्राह्मण की प्राथना ‘राजा और किमान’ में नहीं की जा सकती । कारण, उन दोनों के द्वारा उन दोनों वस्तुओं का ब्राह्मण करना पहले से ही सिद्ध है । तात्पर्य यह हुआ कि राजा अपने स्वयं की और किमान-अपने तेन की रक्षा करते ही हैं—ये प्राथनीय वस्तुएँ नहीं हैं, अतः इस तरह के साधारणधर्मों का ग्रहण उपमा का दोष है ।

दोषोद्धारप्रकारस्यदण्डोक्तिः—

यदि तु त्रायते इति प्रार्थनानिर्मुक्तं त्राणकृतृत्वमुच्यते तत्र धर्मस्य साधारणत्वात्त्र दोषः ।

त्रायते इति । लट्प्रतिनिधि भावः । लट्प्रकृते ‘त्रायताम्’ इत्यस्य स्थाने ‘त्रायते’ इति पाठे कृते लोटोऽभावत् प्राथना नोनितिष्ठते, तथा च ‘त्राणकृतृत्वम्’ तदर्थं, न चौली-  
 पमानेऽन्वेषोऽप्यस्ति । अतः उपमेय धर्मो भवति दोषवत्तत्र इति भावः ।

दोषोद्धार की रीति दिखलाते है—यदि तु इत्यादि । लट् पद्य में ‘प्रायता (रक्षण करें)’ के स्थान पर यदि ‘त्रायते (रक्षा करते हैं)’ ऐसा पाठ माना जाय, तब ‘लेट् लकार के स्थान पर ‘लट् लकार’ के आ जाने से प्रारंभिक ‘त्राणकृतृत्वम्’ ( शुद्ध रक्षण-  
 क्रिया का कर्ता होना ) ही धर्मस्य में उक्त होगा जो उपमान और उपमेय दोनों में रहने के कारण साधारण है, अतः इस पाठ में कोई दोष नहीं ।

लट्प्रकृत्येऽपि धर्मस्य साधारणत्वादिना गृह्यमानत्वे—

अथ त्रायते इति प्रार्थनानिर्मुक्तेऽपि त्राणकृतृत्वेन साधारणत्वम् । प्राथमानताया इव विधेयतानुवाक्यत्वयोर्भेदकन्यादिति चेत् । नत्यम् । इह हि धर्मलोपरहितायानुपमाय धर्मवाच्यजगद्व्यभिचारिणौ प्राथमान्तृत्वमप्रियत्वं मानत्वादिभिर्विशेषणैर्विगिष्टधर्मस्योपमानोपमेयसाधारणत्वाभावे प्रयोज्यताभावा-  
 न्नोपमानिर्पत्तिरिति निर्विवादम् । तत्र विधेयत्वानुवाक्यत्वान्यं शब्देनानिवेदिता-  
 भ्याम् विषयताभ्यां विगिष्टस्य धर्मस्य यदि नास्ति साधारणत्वम् तान्मु नाम । न स्मृतातीतिविशेषणैर्विगिष्टस्य धर्मस्य साधारणत्वमपेक्षितम् । अपि तु धर्म-  
 वाच्यत्वात्तन्निवेदिनैः । एव चन्द्रवस्तुन्दरं सुग्रमित्यत्रापि सुन्दरत्वस्योपमानेऽ-  
 नुवाक्यत्वे उपमेये च विधेयत्वेऽपि न साधारणत्वमिति ।

प्राथमानताया इति । प्राथमान्त्वस्योपमेयत्वोपेक्षिते भावः । विधेयत्वानुवाक्य-  
 त्वमिति । उपमानेऽपि प्राणकृतृत्वोपमेयत्वमिति तत्र विधेयत्वमिति भावः । उपमे-

यति—इह हि इति । साधारण्याभावे इति । सतीति शेषः । प्रयोजकेति । सादृश्यप्रयोजक साधारणधर्माभावादित्यर्थः । तत्रेति । प्रकृतोपमायामित्यर्थः । उदासीनैः शब्दाप्रतिपादैः प्रसिद्धोदाहरणेषुऽप्येवमेवेत्याह—एवमिति । भेदसाधकं यद्यद्वस्तु, तत्तद्धर्मस्य साधारण्यविघटकम्, तथा च त्रायतामिति लोडन्तपाठपक्षे यथा प्रार्थ्यमानत्वतदभावौ, उपमेयोपमाननिष्ठयोस्त्राणकर्तृत्वयोर्भेदकौ भूत्वा, साधारण्यविघटकौ समभूताम् तथा लडन्तपाठपक्षेऽपि विधेयत्वानुवाद्यत्वे तयोर्भेदके सति साधारण्यविघटयताम् अर्थात् उपमेयशिविकां त्राणकर्तृत्वविधेयम् उपमानराजकर्षकगतं च तदनुवाद्यम् इति कथम् त्राणकर्तृत्वसाधारण्यधर्मतां शङ्का, धर्मलुप्तातिरिक्तोपमास्थले धर्मवाचकशब्दप्रतिपाद्यविशेषणविशिष्टधर्मस्य साधारण्यविरहे नोपमा, उपमात्वेन परिणस्यमानस्य सादृश्यस्य प्रयोजकानुपलब्धेरिति सर्ववादिसिद्धान्तः, तथा च यत्र धर्मवाचकैः शब्दैः प्रार्थ्यमानत्वभूतत्वभविष्यत्ववर्तमानत्वादिविशिष्टाः क्रियारूपा धर्मा बोध्यन्ते, तत्र यदि विशिष्टास्ते धर्मा उपमानोपमेयसाधारणा न भवन्ति, तर्हि तत्र ते उपमाया अनिष्पादका अत एव दोषभूताः । यथा प्रकृतोदाहरणेषु लोडन्तपाठपक्षे 'त्रायताम्' इति धर्मवाचकेन शब्देन प्रार्थ्यमानत्वविशिष्ट त्राणकर्तृत्व बोध्यते, तच्च पूर्वोक्तरीत्या न साधारण्यमिति दोषावहम् । लडन्तपाठपक्षे तु त्राणकर्तृत्वमेव केवलम् 'त्रायते' इति धर्मवाचकेन पदेन बोध्यते न तु विधेयत्वेन अनुवाद्यत्वेन वा विशिष्टं तत्, अतः विधेयत्वानुवाद्यत्वाभ्यां विशिष्टयोः त्राणकर्तृत्वयोः रसाधारण्येऽपि न क्षतिः, शब्दानुपस्थाप्यविशेषणविशिष्टधर्मगतसाधारण्यस्थानपेक्षितत्वात् । अतः शुद्धशब्दबोध्य त्राणकर्तृत्वरूप साधारण्यधर्ममादाय तत्र पाठे सिध्यत्येवोपमा । विधेयत्वानुवाद्यत्वे न साधारण्यविघटके धर्मवाचकपदानुपस्थाप्यत्वादिति साराशः, अत एव चन्द्रवत्सुन्दरमुखमित्यादिप्रसिद्धोपमोदाहरणेषु सुन्दरत्वस्य उपमानाशेऽनुवाद्यत्वे विधेयाशे विधेयत्वे च न साधारण्यहानिरिति च समाधानमिति भावः ।

त्रायते इस परिवर्तित पाठपक्ष में एक शङ्का और उसका समाधान करते हैं—अथ इत्यादि । आप कहेंगे—त्रायते इस पाठ के द्वारा जिस प्रार्थ्यमानतारहित—शुद्ध—त्राणकर्तृत्व को आप साधारणधर्म बनाना चाहते हैं, वह भी साधारण नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरह 'त्रायताम्' इस पाठपक्ष में प्रार्थना और उसका अभाव, उपमेय तथा उपमानवृत्ति 'त्राणकर्तृत्व' को भिन्न बनाकर साधारण नहीं होने देते उसी तरह 'विधेयता' और 'अनुवाद्यता' परिवर्तित पाठपक्ष में भी उसको भिन्न बनाकर साधारण नहीं होने देगी अर्थात् जिस तरह प्रथम पाठ में उपमेय—भगवत्त्राणकर्तृत्व, प्रार्थनीय है और उपमान—राजा तथा कर्षकगत त्राणकर्तृत्व सिद्ध है प्रार्थनीय नहीं अतः वे दोनों कर्तृत्व एक नहीं होने पाते उसी तरह द्वितीय पाठ में उपमेय-गत उक्तधर्म असिद्ध होने के कारण विधेय है और उपमानगत उक्तधर्म सिद्ध होने के कारण अनुवाद्य है अतः वे दोनों एक ( साधारण ) नहीं हो सकेंगे, फलतः पाठपरिवर्तन करने पर भी दोष ज्यों का त्यों बना ही रहा । हम कहते हैं—यह बात आप की सत्य है । परन्तु समाप्तने योग्य बात यह है कि—जिस उपमा में समानधर्म लुप्त नहीं रहता—अर्थात् धर्मवाचक शब्द उक्त रहता है—वहाँ धात्वर्थ, जिस तरह, उस धर्मवाचक पद से प्रतिपादित होता है उसी तरह धात्वर्थ के विशेषण—प्रार्थना, भूतकालिकत्व, भविष्यत्कालीनत्व और वर्तमानकालवृत्तित्व आदि भी उस पद से प्रतिपादित होते हैं । ऐसी स्थिति में यदि उन विशेषणों से युक्त उक्त धात्वर्थ—क्रिया—रूप धर्म की उपमान तथा उपमेय में साधारणता नहीं होगी—अर्थात् उन विशेषणों से विशिष्ट होकर यदि वह धर्म उपमान और उपमेय दोनों में नहीं रहेगा—तब वह धर्म उपमा का साधक नहीं हो सकेगा क्योंकि धर्मवाचक शब्द

का नमप्र प्रतिपाद्य अर्थ ही साधारण होकर उपमा का साधक होता है, उमका एक अश नहीं, यह एक निर्विवाद बात है। अतः 'त्रायताम्' पाठ रखने पर लकारार्थप्रार्थना-विशिष्ट त्राणकर्तृत्व ही यदि उपमानोपमेय दोनों में रहता तो साधारण होता, पर वंसा है नहीं—अर्थात् एक अश में प्रार्थना की कमी उसको साधारण नहीं होने देती—अत उम पाठ में दोष होता है। पर 'त्रायते' पाठ कर देने पर ऐसी स्थिति नहीं होती, क्योंकि 'विधेयता' और 'अनुवाद्यता' केवल विषयतारूप है, उनका धर्मवाचक शब्द से प्रतिपादन नहीं होता, वे शब्दार्थ न होकर भी ऊपर से समझे जाते हैं। अत यदि उन विषयताओं से सहित धर्म की साधारणता नहीं होती तो न होंगे। उपमा की निद्रि के लिये शब्द द्वारा प्रतिपादित नहीं होनेवाले विशेषों से युक्त धर्म की साधारणता अपेक्षित भी नहीं है। अपेक्षित है धर्मवाचक पद के द्वारा प्रतिपादित होनेवाले विशेषों से युक्त धर्म की साधारणता, यह यहाँ है ही—अर्थात् 'त्रायते' पद से प्रतिपादित होनेवाला वर्तमानकालिक त्राणकर्तृत्व साधारण है ही अतः इस पक्ष में कोई दोष नहीं। मारादा यह हुआ कि जो वस्तु साधारणधर्मवाचक पद से बोधित होती है, उमी की कमी वैसे ही उस धर्म को साधारण होने से रोक सकती है, जैसे प्रार्थना 'त्रायता' पद से बोधित होती है, अत उपमान अश में उमको कमी त्राणकर्तृत्व को साधारण नहीं यनने देती। अनुवाद्यता, विधेयता आदि तो साधारणधर्मवाचक पद से अवगत होनेवाली वस्तु नहीं हैं, अत उमकी कमी वसे 'त्राणकर्तृत्व' को साधारण होने से नहीं रोक सकेगी। अतएव 'चन्द्र के समान सुन्दर मुख' इत्यादि प्रसिद्ध उदाहरणों में 'सुन्दरता' के उपमान अश में अनुवाद्य और उपमेय अश में विधेय होने पर भी साधारण होने में कोई बाधा नहीं होती।

त्राणरूप नमाधने—

ननु—

'नीलाञ्जलेन सषृतमाननमाभाति हरिणनयनाया' ।

प्रतिबिम्बत इव यमुनागभीरनीरान्तरेणाङ्क ॥'

इत्यत्रोपमाने चन्द्रे योगमर्यादया भासमान एणरूपोऽङ्क आननरूपोपमेय-विशेषणस्वबिम्बाभावात्कस्य प्रतिबिम्ब स्यान् । अत आधिक्यापादकतया दोषः । न च हरिणनयनमदृशस्य नयनस्योपादानात्तस्यैव बिम्बस्य प्रतिबिम्ब न्यादिति वाच्यम् । तादृशनयनस्य बहुव्रीह्यर्थकान्ताविशेषणतया आननाविशेषणत्वेन बिम्बत्वाभावादिति चेत्, भवम् । शब्दानानविशेषणत्वेन तादृशनयनस्याप्रतिपादनेऽपि कान्ताविशेषणत्वेनैवाननवृत्तित्वस्यापि प्रतिपत्ते । न एाननमावपयीकृत्य कान्ता विशेषदुमीष्टे नयनम्, अनुभवविरोधान् ।

नालाञ्जलेनेति । नालाञ्जलेन नीलाञ्जलाद्यंशान्तभागिन, नयनम् आनन्तादिन्म, तस्मिन् नयनाया हरिणनयन नयने इव नयने तस्यान्तस्था नृगादृश इति ताया, आनन्म् नुगम् यमुनाया र त्स्मिन् गभीरस्य गम्भीरस्य पाताञ्जलनुम्बिन इति यावत् नालम् उपाय अन्तः अन्तःप्रदेशे, प्रतिबिम्बत प्रतिच्छायाभूत, एणाङ्क चन्द्र, इव, आभाति प्रकाश इत्यर्थः । नीलाञ्जले । यमुनादीपत् । नयेति प्रदेत्यर्थः । तस्यैव बिम्बयेति । तदात्मरूप बिम्बस्यैव । तादृशेति । तस्मिन्नयनस्यैव । एवमप्येति । प्रतिपत्ते इत्येति । प्रकृततावगर्तान्तरप्रदेशेऽप्यर्थः । ईष्टे इति । नयनस्याननमावपयीकृत्य इति भावः । तथा—यमुनारविशेषणमिति । आनन्तस्यैव नयन कान्ताविशेषण नयना-वेतादुभासितमिति भावः । अत्र 'विशेषणत्वेन आनने संमानने नयनम्' इति 'शब्द' वचः इत्येति सिद्धतासम् । 'नीलाञ्जलेन—' इति पदे चन्द्र इत्यन्तम् नृश

च निर्देश 'एणाङ्क'-पदेन, तच्च पदम् । एणस्य हरिणस्य, अङ्कः चिह्नम् यस्मिन्निति बहु व्रीहिसमाससामर्थ्येन चन्द्रं बोधयत् तद्रूपमङ्कमपि बोधयति । एवञ्च तच्चिह्नविशिष्टयद् उपमानरूप पर्यवस्यति, अतो मुखरूपोपमेयाशोऽपि तत्समकक्षं किमपि विम्बभूत वस्तु समपेक्षितम्, अन्यथा सादृश्यस्य पूर्णता न प्रतीयेत । परन्तु तादृश किमपि वस्तु मुखरूपोपमेयविशेषणतयोपात्त नास्तीति उपमानाशगतोऽङ्क अधिकतया दोषरूपतामासाद्यति । उपमेयवाक्यार्थघटकतया 'हरिणनयना' पदेनोपात्तम् हरिणनयनसमान नयनमेव विम्बभूतम् तत्प्रतिविम्बभूतध्वोपमानगतोऽङ्क इति तु न वक्तु योग्यम् । उपमेयमुखविशेषणीभूतस्यैव पदार्थस्योपमानचन्द्रविशेषणभावापन्नाङ्करूपप्रतिविम्बविम्बत्वं युक्तम्, हरिणनयनसमानं नयनं तु हरिणनयनापदबोध्य, तत्पदीयवहुव्रीहिसमासार्थनायिकाविशेषणम्, अतो न तस्य विस्वत्वमिति विचारासहत्वादित्याशङ्क्या, तादृश नयनं यद्यपि शब्दतो न मुखविशेषणमपि तु नायिकाविशेषणमेव, तथापि नायिकाविशेषणस्य नयनस्य मुखवृत्तित्वेन ज्ञानमवश्यं भवति, मुखवर्तिनो नयनस्य मुखमद्वारीकृत्य नायिकाविशेषणत्वासम्भवात्, अनुभवोऽपि तथैव । तथा च मुखगतत्वेन ज्ञातं नयनं विम्बं भवितुमर्हत्येव, यतो मुखविशेषणतया यथा कथञ्चिद् ज्ञानमेव तस्य विम्बभावायालम् न तु शब्दतस्तद्विशेषणतयोपादनमित्युत्तरमिति भावः ।

एक शङ्का और उसका समाधान किया जाता है—ननु इत्यादि । आप कहेंगे—'नीलाञ्जलेन—अर्थात् नीलवर्ण-साड़ी के अञ्जल से आच्छादित मृगाक्षी का मुख, यमुना के गम्भीर जल में प्रतिबिम्बित मृगाङ्क ( चन्द्र ) सा प्रतीत होता है' इस पद्य में उपमान चन्द्र का बोध जिस एणाङ्क पद से होता है उसी पद से योगशक्ति द्वारा उपमानभूत चन्द्र में एण—मृग—रूप चिह्न का भी बोध होता है, अतः उस चिह्न से युक्त चन्द्र ही उपमान सिद्ध होगा, परन्तु उपमेय—मुख—के विशेषणरूप में कोई ऐसी विम्बभूत वस्तु नहीं कही गई है जिसका प्रतिबिम्ब उक्त मृगरूप चिह्न को माना जाय । ऐसी दशा में उपमान-अंश में वह चिह्नरूप विशेषण अधिक है यही कहा जायगा, अतः यह उपमा दुष्ट है । यदि इसका समाधान यह दिया जाय कि—उपमेय वाक्य में जो 'हरिणनयना' पद आया है उसका अर्थ होता है—'हरिण के नयन के समान नयनवाली' अतः यह कहा जा सकता है कि—उपमेय अंश में वह हरिण के नयन के समान नयन ही विम्बरूप है जिसका प्रतिबिम्ब है उपमान अंश में मृग-चिह्न, तो यह ठीक नहीं । कारण, वह हरिण नयनसमाननयन, बहुव्रीहि समास के वाच्य नायिका का विशेषण है, उपमेय-मुख का नहीं, अतः वह ( नयन ) उपमेयविशेषण नहीं होने के कारण विम्बभूत नहीं माना जा सकता । इस तरह से उक्त आशङ्का पुनः स्थिर रह गयी, अतः उसका सिद्धान्तभूत समाधान यह है कि—यद्यपि उक्त नयन शब्दतः मुख के विशेषणरूप में प्रतिपादित नहीं होता तथापि वह ( नयन ) नायिका का विशेषण होने के कारण ही मुख में रहनेवाला समझा जा सकता है, क्योंकि नयन वस्तुतः मुख में ही रहने वाला पदार्थ है, अतः उसका मुख-विशेषण होना ही न्याय-प्राप्त था, पर यहाँ उसको शब्दतः नायिका का विशेषण बनाया गया है तो वह तभी ठीक हो सकता है, जब बीच में मुख को द्वार बनाया जाय अर्थात् नयन, मुख के द्वारा ही नायिका का विशेषण हो सकता है, अनुभव सिद्ध भी यही है । तात्पर्य यह हुआ कि—नयन, मुख—विशेषण के रूप में उक्त नहीं होने पर भी, मुखवृत्तित्वेन ज्ञात होकर मृगाङ्क का विम्ब माना जा सकता है ।

पुनरन्यथा शङ्कते—

तथापि समभिव्याहारविशेषमापन्नेन शब्देनाप्रतिपादनाच्छाब्दे बोधे नान-  
नस्य नयनविशिष्टत्वेन विषयत्वमिति चेत् ।

ननु नैक समापनं कृतम्, तथाप्यन्वयेन न्यनपदस्य सुश्रुतिव्युत्पत्तिर्नान्वयत्, न च सुश्रुतिव्युत्पत्तिं विना नान्यत्रान्वयविशेषाद्वास्तव्यप्रतिपत्तिरन्वयानं तदुपात्तया प्रोक्तमेवेति वाच्यम्, शब्दप्रमाणवैकल्येन विन्वत्वादिक् मनुष्टितमिति तेनोपानेन सुश्रुतिव्युत्पत्तया शान्त्यापि न्यनस्य विन्वत्वायोगात्, न च एते न न्यनस्य सुश्रुतिव्युत्पत्तौ शब्दवैकल्येति न्यनस्य, समन्विष्टाहारस्यापि श्रवणव्युत्पत्तिप्रयोजकत्वेनात्र पदे न्यनान्वयस्यो समन्विष्टाहारविशेषे न्यनविशिष्टत्वेनान्वय शब्दबोधवियोगत्वान्वयत्, हरिः न्यनपदपदक न्यनपद नु नान्यसमन्विष्टाहृतमिति तदुपात्त इति चेन्नैवम् ।

छिद्रमरे टा मे टक् गहा को उज्जीवित करने हैं—तथापि इत्यादि । आप कहेंगे—यह मद्य होते हुए भी, टक् पद्य में न्यन तथा ज्ञानन पद समन्विष्टाहृत नहीं है—जान पाम उच्चरित नहीं है और अन्वयबोध में पदों का समन्विष्टाहार भी प्रयोजक है, अतः शब्दबोध में वह (न्यन) सुत्र का विशेषण नहीं हो सकता—अर्थात् यहाँ 'न्यन वाला सुत्र' ऐसा शब्दबोध नहीं बन सकता । 'हरिजनपना' में जो न्यन पद है वह तो कान्तासमन्विष्टाहृत है, अतः उसमें शब्दबोध में वह कान्ता का विशेषण होगा सुत्र का नहीं ।

समापने—

ससर्गत्वे वाचकाभावान् स्वविशिष्टाननसंमर्गेण तादृशानयनस्य कान्ताविशेषपात्वान् । यथाकथञ्चिदुपमेयवृत्तिताज्ञानस्य विन्वत्ताप्रयोजकत्वान् ।

उत्तरांशो यद्यपि न्यनपदस्य सुश्रुतिव्युत्पत्तिव्युत्पत्तिरिति प्रकृतत्वात्, सुश्रुतिप्रकृतत्वात्प्रतिता विशेष्यताया वा विवक्षितशब्दबोधोपेक्षा न भवेत्तेति मन्, तथापि स्व-(न्यन)-विशिष्टसुश्रुतिव्युत्पत्तेन न्यनपदस्य तादृशविशेषाभावे सम्यग् इति शब्दबोधोपेक्षा समर्गताया विवक्षया न्यनविशिष्टे सुत्रे भावेत्तद—अर्थात् प्रकृतत्वा विशेष्यतया भावे शब्दबोधव्युत्पत्तिव्युत्पत्तिरिति मन्तव्यं भावे न तदुपेक्षा । तथा च सम्यग्प्रकृतत्वात् न्यनविशिष्टे सुत्रे शब्दबोधवियोगे उक्त इति न्यनस्य सुश्रुतिव्युत्पत्तेनापि विन्वत्त्वमिति, यथाकथञ्चिदुपमेयवृत्तिव्युत्पत्तिस्य विन्वत्ताप्रयोजकत्वादिभ्यः शान्त्यापि न च ।

समाधान करने हैं—ससर्गत्वे इत्यादि । आपका उक्त कथन सत्य नहीं है, क्योंकि यह जान यद्यपि सत्य है कि यहाँ शब्दबोध में सुत्र को विशेष्य बनाकर प्रकृतत्वात् न्यन का भाव नहीं होगा, कारण, सुत्रसमन्विष्टाहृत न्यनपद में न्यन ही उपस्थिति नहीं हुई है, तथापि कान्तासमन्विष्टाहृत न्यनपद में न्यन की उपस्थिति तो हुई है—जो कान्ता को विशेष्य बनाकर न्यन का प्रकृतत्वात् भाव शब्दबोध में होगा और कान्ता के प्रकृतत्वात् में सुत्र के भावित होने में 'न्यनविशिष्टसुत्र' ही सम्यग् होगा, इस तरह में 'न्यनविशिष्टसुत्र' में शब्दबोध ही समर्गतासमर्थ विवक्षया अन्वय संर्गता, हममें कोई बाधा नहीं है—अर्थात् प्रकृत अथवा विशेष्य होने के लिये ही शब्दबोध उपस्थिति अपेक्षित होती है, सम्यग् होने के लिये नहीं । ज्ञान समर्ग के रूप में 'न्यन-विशिष्टसुत्र' शब्दबोध में आ गया, यम, इतने में ही काम बन जायगा—अर्थात् उपमेय सुत्र है विशेष्यत्व में जब किमं तरह, न्यन, शब्दबोध प्राप्त हुआ तब यह (न्यन) विशेष्य हो सकेगा, क्योंकि किसी तरह 'उपमेय में शब्दबोध यह है' इत्यादि शब्द शब्द हो जाना ही विशेष्य होने के लिये पर्याप्त है ।

विन्वत्त्वमप्यत्र सुश्रुतिव्युत्पत्तिव्युत्पत्तिरिति प्रकृतत्वात्, सुश्रुतिप्रकृतत्वात्प्रतिता विशेष्यताया वा विवक्षितशब्दबोधोपेक्षा न भवेत्तेति मन्, तथापि स्व-(न्यन)-विशिष्टसुश्रुतिव्युत्पत्तेन न्यनपदस्य तादृशविशेषाभावे सम्यग् इति शब्दबोधोपेक्षा समर्गताया विवक्षया न्यनविशिष्टे सुत्रे भावेत्तद—अर्थात् प्रकृतत्वा विशेष्यतया भावे शब्दबोधव्युत्पत्तिव्युत्पत्तिरिति मन्तव्यं भावे न तदुपेक्षा । तथा च सम्यग्प्रकृतत्वात् न्यनविशिष्टे सुत्रे शब्दबोधवियोगे उक्त इति न्यनस्य सुश्रुतिव्युत्पत्तेनापि विन्वत्त्वमिति, यथाकथञ्चिदुपमेयवृत्तिव्युत्पत्तिस्य विन्वत्ताप्रयोजकत्वादिभ्यः शान्त्यापि न च ।

यथा कान्ताविशेषपात्वान् तादृशानयनस्य शब्दबोधे नुचे पश्चादानयनस्य



तद्विशेष्यतया वैयञ्जनिके मानसे वा बोधे बाधकाभावात् । एवं च तादृशवाक्य प्रयोज्ये ज्ञाने उपमेयविशेषणतया भानस्य तादृशनयनस्य बिम्बस्य सत्त्वात्तदर्थं च चन्द्रगतस्यैणरूपस्याङ्कस्य प्रतिबिम्बतयोपादानमावश्यकमेवेति नाधिक्यं दोषः ।

यद्वेति । अतिप्रसङ्गापत्त्या ससर्गतया भासमानस्य पदार्थस्य न शाब्दत्वमितीह पक्षान्तरोद्भावनबीजमवसेयम् । तादृशनयनयोरिति । हरणीयत्वनायकीयत्वविशिष्टनयनयोरित्यर्थः । तद्विशेष्येति । नयनविशेष्येत्यर्थः । तादृशवाक्येति । कान्ताविशेषणतया नयनबोधकवाक्येत्यर्थः । भानसबोधपक्षे तज्जन्यत्वाभावात् वैयञ्जनिकबोधपक्षेऽपि साक्षात्तन्व्यत्वाभावादाह—प्रयोज्येति । ज्ञाने इति । वैयञ्जनिके मानसे वा इत्यर्थः । तदर्थम् तत्प्रतिबिम्बाकाङ्क्षाशान्त्यर्थम् । अयं भाव—यदि उक्तरीत्या नयननिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यतावतो मुखस्य ससर्गविधया भानेऽपि न शाब्दबोधविषयत्वम्, शब्दजन्योपस्थितिविषयस्यैव शाब्दबोधविषयत्वस्वीकारादिति विभाव्यते, तदा रीतिरियमास्थेया—‘हरिणनेत्रसमाननेत्रवती कान्ता’ इत्याकारक कान्ताविशेषणतापन्ननयनविषयकं शाब्द ( आभिधिक इति यावत् ) बोध प्रथम ‘हरिणनयना’ पदाज्जायते, तत मुखविशेषणत्वानापन्ननयननिष्ठकान्ताविशेषणत्वानुपपत्तिप्रतिसन्धानोत्थितया व्यञ्जनया मनसा वा तत्सहकृतेन नयनप्रकारकमुखविशेष्यको बोधो बाधकविरहादुत्पद्यते । तथा च कान्ताविशेषणत्वेन मृगनयनसदृशनयनबोधकवाक्यप्रयोज्ये उक्ताकारके वैयञ्जनिके मानसे वा बोधे मुखरूपोपमेयविशेषणतया हरिणनयनसमानस्य नयनस्य भान जातम् इति तन्नयन बिम्बरूप सम्पद्यते, अत तत्प्रतिबिम्बाकाङ्क्षानिवृत्तये उपमानचन्द्राशे मृगरूपस्य चिह्नस्य प्रतिबिम्बरूपेण प्रहणमावश्यकमेवेति न प्रागुक्तं प्रतिबिम्बाधिक्यदोष प्रकृतेऽवतरितुमीष्टे इति भावः ।

यदि कहा जाय कि—उक्त उत्तर ठीक नहीं, क्योंकि सम्बन्ध के अन्तर्गत विशेषणरूप से हरिण के नेत्र से सदृश नेत्र का और विशेष्यरूप से मुख का शाब्दबोध में भाव होने पर भी वह शाब्दबोध का विषय नहीं माना जा सकता, कारण, वही पदांशाब्दबोध का विषय माना जाता है जिसकी उपस्थिति शब्द से हुई रहती है, अतः दूसरा उत्तर करते हैं—यद्वा इत्यादि । अभिप्राय यह है कि—हरिणनयना शब्द का अभिधाशक्ति से पहले कान्ता के विशेषणरूप में हरिण की आँखों के समान आँखों का बोध होगा, उसके बाद, व्यञ्जनावृत्ति से अथवा मन से मुखरूप विशेष्य के विशेषणरूप में भी उक्त आँखों का बोध होगा, क्योंकि इस तरह के बोध में कोई बाधक नहीं है और जब ऐसा बोध—जिसका साक्षात् नहीं तो कम से कम परम्परया अवश्य, ‘हरिणनयना’ पदयुक्त वाक्य ही कारण है, अतः जो एक तरह से शब्द ही कहा जायगा—हो चुकेगा, तब शब्दतः उपमेय—मुख के विशेषणरूप में ज्ञात होनेवाला हरिणनयनसदृशनयन बिम्ब कहलायगा और जब वह बिम्ब कहलायगा, तब उस बिम्ब की आकांक्षा के शान्त्यर्थ उपमान चन्द्र अंश में एण-मृग-रूप अङ्क चिह्न का प्रतिबिम्बरूप में प्रहण करना आवश्यक ही था, अतः उक्त प्रतिबिम्ब की अधिकतारूप दोष का कोई प्रसङ्ग नहीं रह जाता ।

५

उक्तपद्ये सम्भावितापरदोषाभाव समुपपादयति—

कविसमयसिद्धतया चमत्कारापकर्षकत्वाभावेन लिङ्गभेदोऽपि नात्र दोषः ।

यद्यपि सामान्यतो लिङ्गभेदोऽप्युपमादोष इत्युक्तम्, तथापि यत्र यत्र लिङ्गभेद कविसिद्धान्तप्रसिद्धतया तत्र स न दोषायति ‘नीलाश्वत्थेन—’ इति प्रकृतपद्ये उपमानस्य

एणाहस्य पुष्टि चम्, उपनेहस्य श्रान्तस्य च न्युमकत्वमिति लिङ्भेदे न्यसि दोषो न भवति, क्विसममिद्व्यन्ताहस्य लिङ्भेदस्य चमत्काराकर्षकविरहाभिति भाव ।

प्रकृत पद्य में सम्भावित एक अन्य श्लोक का वस्तुतः अभाव घटता है—कवि हत्यादि । 'नीलाहस्येन—' इस श्लोक में उपनेहश्लोक 'ज्ञानन' पद के न्युमकत्व और उपमानश्लोक 'एणाह' पद के पुष्टि होने से 'लिङ्भेद' श्लोक यद्यपि आपाततः प्रतीत होता है, पर वस्तुतः यह (लिङ्भेद) यहाँ श्लोकरूप नहीं है, क्योंकि ऐसा लिङ्भेद, कवि-सम्प्रदाय-भिन्न होने के कारण, चमत्कार को न्यून नहीं करता ।

एवमन्यत्राद्यनुवादमाह—

एवं च कविसमयभिद्वयतया प्रकारान्तरेण वा प्रागुक्ताना दोषाणा चमत्कारानपकर्षकत्वे नास्त्येव दोषत्वम् ।

द्वेष्ट लिङ्भेदस्य क्विसमयभिद्वयतया दोषभाववचननेतत् निदं पद ये उन्मादोया प्रागुक्तान्ते न्वैपि तदैव दोषा यदा चमत्कारार्थका न्यु क्विसहेतुभिद्वयेन प्रत्येत वा केनचित् कारणेन यदा ते चमत्कारार्थका न भवेयुस्तदा दोषा प्रपे नैव न्युरिति भाव ।

श्लोक भी स्थितिविशेष में श्लोक नहीं होने इत्यादि बात का लक्ष्य उपपादन करते हैं—एव च हत्यादि । जब एक पद्य में कविसमय प्रसिद्ध होने के कारण लिङ्भेद को दोष नहीं माना गया, तब उम रीति से उक्त सभी उपमाश्लोकों के विषय में यह माराग समझ लेना चाहिए कि कविस्थानि लक्ष्यवा इत्यादि तरह के अन्य कारणों से चमत्कारार्थक नहीं होने पर कोई दोष नहीं होता ।

क्विसममिद्व्यन्ताहस्यदोषभाववन्त लक्ष्य दर्शयति—

यथा—

‘नवाहनेवाहनेऽपि गन्तुनेष प्रकल्पते ।

इय नौराष्ट्रजा नारी महाभट इवोद्भटा ॥

व्यक्ति—एक कथन वर्तमाने मान्य, न्यायान्तरपरिणामात् एतत् एव पदार्थे प्राप्ते गन्तुम् यदि प्रकल्पते तन्न न्युनी भवति । तथा एतत् कश्चिद् वर्तमाने, नौराष्ट्रजा नौराष्ट्रजोत्तमा नारी नौ, महाभट नारत् नौराष्ट्र इय, उद्भटा उद्भटा, कश्चित्, न तुल्येति विवेकयोग्ये । अत्र पुनरन्यत् न विद्यते नाधिकाराद्य उपपत्तेः, न शैल्यनौक्येनानौक्येऽपि न नौराष्ट्रजस्य चमत्कारानेति न न दोषः ।

श्लोक में यहाँ दोष नहीं होने, वैसा उदाहरण दिखाना जाता है यथा उदादि । कवि कहता है—पर न्युमक, उपपत्ति के समान, अंगन में पैर रखने की रीति है और यह कविसमय की ही दोषा की तरह उदादि है—इसी से प्रतीत हो नहीं । यहाँ पुनर्य की ही से और यहाँ ही पुनर्य से दा गद उपमा उद्भेदक नहीं होने के कारण दोषाह नहीं है ।

एवमन्यत्राद्यनुवादमाह—

इवमन्यत्रापि हेतुम् ।

मन्त्रम् ।

उपपत्ति से अन्य स्थानों में भी दोष का अभाव होता है ऐसा समझना चाहिए ।

पूर्वोक्त शैल्यनौक्येनानौक्ये प्रकाशक न्युमक परिमिति लिङ्भेदप्रकल्पमाह—

दोष स्मरणान्तरात्प्रकारे विरत्यप्रकारे च यद्यन ।

एतत्पद्यीकरणं तत्रैव करिष्यते ।

अवशिष्टं चार्ते 'स्मरणालङ्कार' और 'विकल्पालङ्कार' के प्रकरण में कहेंगे ।

परम प्रकृतमुपसहरति—

इत्युपमानिरूपणसंक्षेपः ।

अहो ! धन्योऽसौ पण्डितराज' य एतावद्विशदनिरूपणं विधायापि सत्तेपमेव मनुते । न जाने पण्डितराजाभिमते विशदनिरूपणे कस्को विचारो विदुषा नयनगोचर' स्यात् । चन्द्रालोके—'अनेकस्यार्थयुग्मस्य सादृश्ये स्तवकोपमा । श्रितोऽस्मि चरणौ विष्णोर्भङ्गस्तामरस यथा ॥ स्यात्सम्पूर्णोपमा यत्र द्वयोरपि विधेयता । पञ्चानीव विनिद्राणि नेत्राप्यासन्नहर्मुखे ॥' इति भेदद्वयमधिकमुक्तमिति नागेश ।

उपसहार करते हैं इत्युपमा इत्यादि । यह है उपमानिरूपण का संक्षेप । धन्य है पण्डितराम की अनन्त प्रतिभा, जिसके बल पर आप इस तरह का विशद उपमानिरूपण कर लेने के बाद भी उसको संक्षेप समझते हैं ।

इति रसगङ्गाधरचन्द्रिकायामुपमाप्रकरणम् ॥

~~~~~

उपमेयोपमानिरूपण प्रतिजानीते—

अथास्या एव भेद उपमेयोपमा निरूप्यते—

अथेत्ययमानन्तर्ये । उपमानिरूपणानन्तरमिति तद्भाव । अस्या उपमाया' । निपूर्वकरूपधात्वर्थः प्रागुक्त । उपमालङ्कारनिरूपणानन्तरमिदानीमुपमालङ्कारभेदभूतोपपेयोपमालङ्कारविषयकज्ञानानुकूलशब्दप्रयोगो विधीयत इति भाव ।

उपमेयोपमालङ्कार का निरूपण करने की प्रतिज्ञा करते हैं—अथ इत्यादि । उपमालङ्कार के निरूपण के बाद अब उपमालङ्कार के ही एक भेद 'उपमेयोपमा अलङ्कार' का निरूपण किया जाता है ।

उपमेयोपमाया. लक्षण लिख्यते—

तृतीयसदृशव्यवच्छेदबुद्धिफलवर्णनविषयीभूतं परस्परमुपमानोपमेयभावमापन्नयोरर्थयोः सादृश्यं सुन्दरमुपमेयोपमा ।

तृतीयस्य उपमानोपमेयतया विवक्षितात् पदार्थयुगलादन्यस्य, सदृशस्य सादृश्य-विशिष्टपदार्थस्य, व्यवच्छेदो निवृत्ति, तस्य, बुद्धि ज्ञानम्, फलं परिणामो, यस्य तादृशयद् वर्णनम्, तद्विषयीभूत तत्रागतमिति यावत्, परस्पर मिथ, उपमानोपमेयभावम्, आपन्नयो प्राप्तयो, पदार्थयो सुन्दर सादृश्य 'उपमेयोपमा' इत्यर्थः । द्वयोपदार्थयो यस्य सुन्दरस्य पारस्परिकसादृश्यस्य वर्णनेन 'अनयो पदार्थयोरिमावेव समानौ न कश्चित् तृतीयोऽनयो समान' इति ज्ञान जायते, तत् सादृश्यम् 'उपमेयोपमालङ्कार'-नाम्ना व्यपदिश्यत इति भाव ।

उपमेयोपमालङ्कार का लक्षण लिखा जाता है—तृतीय इत्यादि । तीसरे सदृश पदार्थ की निवृत्ति का ज्ञान—अर्थात् इन दोनों पदार्थों की समता इन्हीं दोनों पदार्थों में है, अन्य किसी में नहीं, यह बोध—जिसका फल है उस वर्णन में भाने वाला, परस्पर उपमान-उपमेय बने पदार्थों का, सुन्दर सादृश्य 'उपमेयोपमा' अलङ्कार कहलाता है ।

पदकृत्यप्रदर्शनप्रसङ्गे प्रथम 'भूतान्तस्य' उपमानोपमेयभावविशेषणस्य कृत्य प्रदर्श्यते—

'तडिदिव तन्वी भवती भवतीवेयं तडिल्लता गौरी' इत्यत्र परस्परुपमाया-मतिव्याप्तिवारणाय भूतान्तम् ।



इस पद्यखण्ड में दो समानधर्म हैं—एक 'तन्वी' पद से भवगत होनेवाला 'तनुत्व (दुबली पतली होना)' और दूसरा 'गौरी' पद से ज्ञात होनेवाला 'गौरत्व (गोरी होना)'। इन दो साधारणधर्मों से यहाँ पृथक्-पृथक् दो उपमायें सिद्ध होती हैं। ऐसी भिन्न-भिन्न साधारणधर्मों से सिद्ध होनेवाली-उपमायें तीसरे समान पदार्थ की निवृत्ति नहीं कर सकतीं। कारण यह है कि—एकधर्ममूलक एक पदार्थ के साथ दूसरे पदार्थ का सादृश्य सिद्ध हो जाने पर तद्धर्ममूलक उस पदार्थ का भी दूसरे पदार्थ के साथ सादृश्य अर्थतः सिद्ध हो जाता है। ऐसी स्थिति में पुनः दूसरे पदार्थ के साथ उसके सादृश्य का शब्दतः कथन, अपने वैयर्थ्य को मिटाने के लिये, उन दोनों के तृतीय सदृश पदार्थ की निवृत्ति का आक्षेप कर देता है। तात्पर्ययह हुआ कि उपमान का यद्धर्ममूलक सादृश्य उपमेय में एक बार कह दिया जाता है, तद्धर्ममूलक सादृश्य ही यदि पुनः उपमेय का उपमान में शब्दतः कहा जाता है, तब उसका अभिप्राय यह निकल जाता है कि 'इन दोनों के समान तीसरा कोई नहीं है,' क्योंकि अकारण, विज्ञजन अर्थतः सिद्ध बात को शब्दतः नहीं दुहराते। इस तरह एक धर्मवाली परस्पर उपमा में तृतीय सदृश की निवृत्ति फलित होती है। परन्तु प्रकृत पद्य-खण्ड में यह बात नहीं हो सकती। कारण, 'तनुत्व (दुबली पतली होने)' रूप साधारणधर्ममूलक बिजली के साथ कामिनी का सादृश्य वर्णित हो जाने पर यद्यपि तद्धर्ममूलक (तनुत्वधर्मद्वारक) कामिनी के साथ बिजली का सादृश्य अर्थतः सिद्ध हो जाता है, तथापि 'गौरत्व-(गोरी होने)' रूप साधारणधर्ममूलक कामिनी के साथ बिजली का सादृश्य सिद्ध नहीं होता। ऐसी स्थिति में प्रकृत पद्य के दोहरे सादृश्यकथन का फल उन्हीं उपमान-उपमेयों (कामिनी और बिजली) के भिन्न भिन्न समानधर्ममूलक सादृश्यों का ज्ञान होता है, न कि तृतीय समानवस्तु का व्यवच्छेदज्ञान। अतः यदि लक्षण में उक्त भाग का निवेश नहीं किया जाता, तब इस पद्य भाग—जो उक्त विचार के अनुसार वस्तुतः उपमेयोपमा का लक्षण नहीं है—में भी उपमेयोपमा का लक्षण चला जाता—अतिव्याप्ति दोष लग जाता।

परस्परपदकृत्यमाह—

‘सदृशी तव तन्वि निर्मिता विधिना नेति समस्तसम्मतम् ।

अथ चेन्निपुणं विभाव्यते मतिमारोहति कौमुदी मनाक् ॥’

इति तृतीयसदृशव्यवच्छेदफलकवर्णनविषये सादृश्येऽतिव्याप्तिवारणाय परस्परमिति ।

‘हे तन्वि कृशाङ्गि ! विधिना ब्रह्मणा, तव, सदृशी समाना, व्यक्तिरिति यावत्, त्वं निर्मिता रचिता, इति, समस्तसम्मत सर्वजनस्वीकृतम् वस्तु । अथ अनन्तरम्, निपुणं सूक्ष्मम्, विभाव्यते विचार्यते, चेत्, तदा, कौमुदी चन्द्रज्योत्स्ना, मनाक् ईषत्, मतिम् बुद्धिम्, आरोहति’ इत्यर्थके ‘सदृशी—’ इति पद्ये कौमुदीभिन्ने कान्तासादृश्यनिषेधस्य शब्दतः कथनात् ईषत्सादृश्यस्य चन्द्रिकाया क्रयनात्तृतीयसदृशव्यवच्छेदः फलित इति तादृशवर्णनविषयीभूते सादृश्येऽतिव्याप्तिर्मा भूदत् परस्परमिति उपमानोपमेयभावविशेषो लक्षणो निवेशितम् । निवेशिते च तस्मिन् नातिव्याप्ति, कौमुदीसादृश्योक्तेरभावेन परस्परपमानोपमेयभावस्याभावादिति भावः ।

‘परस्पर पद’ का फल दिखलाया जाता है—सदृशी इत्यादि । लक्षण में ‘परस्पर उपमान-उपमेय वने पदार्थों का’ यह अंश निम्नलिखित अर्थवाले काव्यवाक्य अतिव्याप्ति न होने के लिये कहा गया है—‘हे तन्वि ! विधाता ने तेरे समान कोई दूसरा नायिका व्यक्ति नहीं बनाई, यह सर्वसम्मत बात है। परन्तु यदि सूक्ष्मदृष्टि से विचार किया जाय, तब चन्द्रज्योत्स्ना कुछ-कुछ बुद्धि में आरूढ होती है—अर्थात् इतना ज्ञान

होता है कि चन्द्रज्योत्स्ना कुछ तेरी समान है। तुम दोनों ही चन्द्र-  
के कुछ-कुछ नायिका के समान होने की बात कह रहे हैं। तुम दोनों ही चन्द्र-  
तीमरा कोई नहीं है। यह बात सिद्ध होती है। चन्द्र ही चन्द्र-  
सदृश की निवृत्ति है ऐसा कहा जा सकता है। तुम दोनों ही चन्द्र-  
लक्षण में नहीं कहा जाता तब यह पद्य भी चन्द्रज्योत्स्ना का चन्द्र-  
सदृश ही है।

चन्द्रपदनिवेशफलमाह—

लिङ्गवचनभेदादिदुष्टसादृश्यवारणाय सुन्दरम्—

लिङ्गभेदवचनभेदप्रवृत्तिभिर्दोषं दुष्टे चन्द्रज्योत्स्ना चन्द्रज्योत्स्ना चन्द्र-  
'सुन्दरम्' इति सादृश्य-विरोधपक्षान्तरम् । चन्द्रे च चन्द्र-  
तादृशदोषप्रसक्तस्य सादृश्यन्यासुन्दरत्वात् इति च ।

सुन्दर पद का फल कहा जाता है—लिङ्ग इत्यादि । लिङ्ग-  
से युक्त सादृश्य में अतिव्याप्ति न हो—इत्येव उक्तं च । चन्द्र-  
कहा गया है । दुष्टसादृश्य सुन्दर नहीं माना जाता उक्तं 'सुन्दर-  
अतिव्याप्ति नहीं होती ।

उदाहरणप्रदर्शन प्रतिजानति—

अथेदमुदाह्रियते—

अथ अर्थात् पदकृत्यप्रदर्शनान्तर उच्यते उच्यते च । उदाहरण-  
स्यत इति भाव ।

पदकृत्य दिपलाने के बाद अथ उपमेयोपमा का उदाहरण दिव्यया ज्ञाना है ।

उदाहरण निर्दिश्यते—

'कौमुदीव भवती विभाति मे कानगाश्च भवती च कौमुदी ।

अभ्युजेन तुलित विलांचन लोचनेन च त्वाम्बुज समम् ॥'

नायकस्य नायिका प्रत्युक्ति —अथि सातगाश्च भवती च कौमुदी । भवती, मे कौमुदी  
चन्द्रकला, इव, विभाति, कौमुदी च भवती च विभाति । तत्र, विचोचन नयन जानिवि-  
क्षयस्वनमिति बोध्यम् । अभ्युजेन कमलन, तुलित सदृशम्, अभ्युज च तव लोचनेन  
सम इत्यर्थ । अत्र कौमुदानायिकयो नयनाभ्युजयोश्च परस्पर सादृश्यवचनेन तृतीयसादृश्य-  
व्यवच्छेदादुपमेयोपमा इति भाव । अत्र 'अत्र तुलित सममित्युपमावाचकपलक्षण्य वक्ष्य-  
माणादिपक्ष्यादिर्वलक्षण्यमित् इति भाव ।

उपमेयोपमाया भेदो विधीयते—

इय च तावद्द्विविधा—उक्तधर्मा व्यक्तधर्मा च । उक्तधर्मा तावदनुगाम्या-  
दिभिः प्रागुक्तैर्धर्मैरनेकधा ।

उपमेयोपमाया प्रथमं द्वौ भेदौ—एकं स यत्र साधारणो धर्मः स्पष्टतया शब्दैरुच-  
रितिष्ठति, अपरश्च स यत्र स धर्मो व्यञ्जनावृत्त्या विज्ञातो भवति शब्दैरुक्तो न भवति ।  
प्रथमभेदस्य पुनर्बहवो भेदा भवन्ति, अनुगामित्वविम्बप्रतिविम्बभावापन्नत्वोपचरितत्वा-  
दिभिरुपाधिभिः साधारणधर्मस्यानेकविधत्वादिति भावः ।

उपमेयोपमा का भेद किया जाता है—इयम् इत्यादि । यह उपमेयोपमा प्रथमतः  
दो प्रकार की होती है—एक उक्तधर्मा—अर्थात् जिसमें साधारणधर्म स्पष्ट शब्दों में कथित  
रहता है और दूसरी व्यक्तधर्मा—अर्थात् जिसमें साधारणधर्म शब्दतः उक्त नहीं रहता,  
पर व्यञ्जना से ज्ञात होता है । उन दोनों प्रकारों में से प्रथम प्रकार—अर्थात् उक्तधर्मा—के  
पुनः अनेक प्रकार होते हैं, क्योंकि अनुगामी आदि भेदों से धर्म के अनेक रूप होते हैं ।

उक्तधर्माया प्रथम प्रकारं निर्देष्टुमाह—

अनुगामी धर्मो यथा—

स्पष्टम् ।

अनुगामी धर्मवाली उपमेयोपमा जैसे ।

उदाहरण निर्दिश्यते—

‘निखिले निगमकदम्बे लोकेष्वप्येष निर्विवादोऽर्थः ।

शिव इव गुरुर्गरीयान् गुरुरिव सोऽयं सदाशिवोऽपि तथा ॥’

निखिले सम्पूर्ण, निगमकदम्बे वेदसमूहे, अपि च, लोकेषु, एषः, अर्थः ( इयं वार्ता )  
निर्विवाद ऐकमत्येन सिद्ध, यत्, गुरु, शिव, इव, गरीयान् अतिश्रेष्ठ, एवम्, सोऽयम्  
( प्रत्यभिज्ञेयम् ) सदाशिवोऽपि, गुरु, इव, तथा गरीयानित्यर्थः । अत्र गरीयस्त्वमुपमानो  
पमेययोरेकरूपेणान्वययोग्यत्वादनुगामी साधारणो धर्म इति भावः ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—निखिले इत्यादि । सभी वेदों में तथा लोक में  
भी यह बात निर्विवादरूप से सिद्ध है कि—गुरु शिव के समान अतिश्रेष्ठ हैं और ये  
परमप्रसिद्ध सदाशिव भी गुरु के तुल्य महत्तम हैं । यहाँ ‘अतिश्रेष्ठ होना’रूप साधारण-  
धर्म, एकरूप से उपमान-उपमेय दोनों में अन्वययोग्य होने के कारण, अनुगामी हैं ।

उक्तधर्माया द्वितीय प्रकारं निर्देष्टुमाह—

विम्बप्रतिविम्बभावमापन्नो यथा—

स्पष्टम् ।

विम्बप्रतिविम्बभावापन्न साधारणधर्मवाली उपमेयोपमा जैसे ।

उदाहरण निर्दिश्यते—

‘रमणीयस्तवकयुता विलसितवक्षोजयुगलशालिन्यः ।

लतिका इव ता वनिता वनिता इव रेजिरे लतिकाः ॥’

कवि वाटिकाया विहरन्ती कामिनीर्वर्णयति—ता, वनिता कामिन्य, रमणीय  
सुन्दर, स्तवकै पुष्पगुच्छै, युता युक्ता, लतिका लता, इव, एवं लतिका, विलसित  
शोभित, वक्षोजयुगलै स्तनद्वयै, शालन्ते = शोभन्ते यास्तादृश्य, वनिता कामिन्य,  
इव, रेजिरे शुशुभिरे इत्यर्थः ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—रमणीय हस्यादि । वाटिका में विहार करती हुई नायिकाओं का वर्णन कवि करता है—ये वनितायें—नायिकायें, सुन्दर पुष्प-गुच्छों से युक्त लताओं की तरह, और लताएँ, सुन्दर स्तनयुगलों से शोभित नायिकाओं की तरह, शोभित हुईं ।

उपपादयति—

अत्र रमणीयत्वविलसितत्वाभ्या विशेषणाभ्या युतत्वशालित्वाभ्या च विशेष्याभ्या परस्पर वस्तुप्रतिवस्तुभावमापन्नाभ्या पुटितः स्तवकस्तनरूप परस्पर विन्म्वप्रतिविन्म्वभावापन्नो धर्म ।

विशेषणाभ्यामिति । स्तवकवक्षोज्जुगलपदार्यदोरिति भाव । विशेषणाभ्यामिति । स्तवकवक्षोज्जुगलपदार्यनिष्ठविशेषणतानिदपितविशेष्यताविशिष्टान्ताभ्यामिन्वर्द । वञ्च्यति । वस्तुतन्तयोरैकत्वादिति भाव । पुटित नन्पुटित । प्रय भाव —‘रमणीयत्ववक्तुता—’ इति पद्ये विशेषणयोके रमणीयत्वविलसितत्वे, एवम् विशेषणतया स्मिते युतत्वशालित्वे वस्तुप्रतिवस्तुभावापन्ने, शब्दाश्रयभेदेन भिन्नत्वेऽपि परस्परत एवव्यवस्थान् । तयोर्मातृगतयः स्तवकस्तनरूपो धर्म सादृश्यमूलकभेदाध्यवसानेन विन्म्वप्रतिविन्म्वभावापन्न सन् साधारणत्वमात्माद्योपनागर्भाभ्युपमेयोपमा प्रयोज्यतांति ।

उपपादन किया जाता है—अत्र हस्यादि । उक्त पद्य में विशेषणरूप में वर्णित ‘रमणीयता’ और ‘विलसितता’ ( सुन्दरता ) एवं विशेष्यरूप में वर्णित ‘युक्तता’ और ‘शालिता’ ( शोभितता ) परस्पर वस्तुप्रतिवस्तुभावापन है, क्योंकि वस्तुतः ये ( दो दो ) एक ही पदार्थ हैं, केवल शब्द और आश्रय के भेद से भिन्न से दीर्घने हैं । इन दोनों (विशेषण और विशेष्यो) के मध्य में कथित ‘पुष्पगुच्छ तथा स्तन’ सादृश्यमूलक लभेदारोप के कारण, विन्म्वप्रतिविन्म्वभावापन होकर साधारणधर्मरूप हो जाते हैं ।

तृतीय प्रसङ्गोदाहरणम्—

उपचरितो यथा—

आरोपितो धर्मो यदेतन् ।

उपचरित ( आरोपित ) धर्मवाली उपमेयोपमा, जैसे—

उदाहरण निर्दिश्यते—

‘कुलिशमिव कठिनमनता हृदयं जानीहि हृदयमिव उल्लिखम् ।  
प्रकृतिः सतां सुमधुरा सुषेव हि प्रकृतिरिव च सुधा ॥’

त्यम्, मनताम् श्रमज्ज्वलना कृत्नानामिति वाया एतन्म मन, इतिव यत्नम्, इव, एतन् उल्लिखम्, मनता, हृदयमिव, कठिन जानीहि विदि । सतां सुमधुरासतां, प्रकृति स्वभाव, सुधा अमृतम्, इव, सुमधुरा परिमाणातिर्ना, एतन्म सता, सता, प्रकृति, इव, सुमधुरा स्वभावम् । अत्र प्रकृतिरिवकठिनवत्त्व मनसि, उल्लिखमात्तुम्न न मान्तासुपनात् ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—कुलिशमिव ह्यादि । सुम धर्मों के हृदय की यज्ञ की तरह और यज्ञ की कुर्बानों के हृदय की तरह यज्ञ के समान । सुमधुरों का स्वभाव, अमृत के समान, और अमृत, सुमधुरों के स्वभाव के समान, एतन्म सुधा होता है । यहाँ हृदयवत् यज्ञ का धर्म—‘कठिनता’ हृदय में और ‘अमृत का धर्म’ ‘सुमधुरता’ स्वभाव में उपचरित ( आरोपित ) है ।



चतुर्थ प्रकारमुदाहर्तुमाह—

केवलशब्दात्मको यथा—

श्लिष्टशब्दरूपधर्मो यथेत्यर्थ ।

केवल शब्द( श्लिष्ट पद )रूप धर्मवाली उपमेयोपमा, जैसे—

उदाहरण निर्दिश्यते—

‘अविरतचिन्तो लोके वृक इव पिशुनोऽत्र पिशुन इव च वृकः ।

भारतमिव सच्चित्तं सच्चित्तमिवाथ भारतं सकृपम् ॥’

अत्र, लोके ससारे, पिशुन द्विजिह्व, वृक हिंसको जन्तुविशेष ( भेड़िया इति प्रसिद्ध ) इव, अविरतचिन्त ( पिशुनपक्षे-परापकारविषयकसार्वदिकचिन्ताशील, वृकपक्षे-श्रविषु मेषेषु रता सलग्ना चिन्ता यस्य तादृश ) वृकश्च, पिशुन, इव, अविरतचिन्त तिष्ठतीति शेष । सच्चित्त सता चेत, भारत महाभारताख्यग्रन्थविशेष, इव, सकृप ( सच्चित्तपक्षे—सदयम्, ग्रन्थपक्षे—कृपेण कृपाचार्येण, सहितम्, प्रतिपादकतासंसर्गैक कृपाचार्यसाहित्य ग्रन्थे बोध्यम् ), भारतम्, च, सच्चित्तम्, इव, सकृप, भवतीत्यर्थ । अत्र निरन्तरचिन्तत्वस्य पिशुनवृत्तित्वेऽपि वृकावृत्तित्वात्सकृपत्वस्य सज्जनचित्तवृत्तित्वेऽपि भारतग्रन्थावृत्तित्वात् ‘अविरतचित्त-सकृप’-रूपौ श्लिष्टशब्दावेव साधारणधर्माविति भाव ।

उदाहरण दिखलाया जाता है—अविरत इत्यादि । इस ससार में पिशुन (बुगल खोर) वृक ( भेड़िया ) की तरह ‘अविरतचिन्त’ ( निरन्तर चिन्तावाला—दूसरे की बुराई सोचनेवाला ) होता है और पिशुन की तरह भेड़िया ‘अविरतचिन्त’ ( अवि = भेड़ों में, रत = सलग्न, चिन्तावाला—भेड़ों पर ताक लगाए हुए ) रहता है । एवं सज्जनों का चित्त, भारत-महाभारत की तरह, ‘सकृप’ ( कृपायुक्त ) होता है और सज्जनों के चित्त की तरह, भारत-महाभारतग्रन्थ ‘सकृप’ ( कृपनामधारी आचार्य से युक्त ) है । यहाँ ‘निरन्तर चिन्तायुक्त होना’ धर्म, ‘वृक’ में नहीं सङ्गत होता और ‘भेड़ों पर ताक लगाये रहना’ धर्म, ‘पिशुन’ में नहीं बन पाता । इसी तरह ‘कृपायुक्त होना’ धर्म, महाभारत ग्रन्थ में नहीं रहता और ‘कृपाचार्य से युक्त होना’ धर्म, सज्जनों के चित्त में नहीं ठीक बैठता, अतः यहाँ ‘अविरतचिन्त’ और ‘सकृप’ ये दोनों श्लिष्ट शब्द ही दोनों ( पिशुन और वृक तथा सज्जन-चित्त और महाभारत ) के विशेषण होने के कारण साधारण धर्मरूप माने जाते हैं । यहाँ उक्तधर्मा उपमेयोपमा के उदाहरण समाप्त हुए ।

द्विविधयोरुपमेयोपमयोरुक्तधर्माख्यस्य प्रथमभेदस्यावान्तरभेदाना चतुर्णामुदाहरणानि प्रदर्श्य, सम्प्रति द्वितीयभेदस्य व्यक्तधर्माख्यस्योदाहरण प्रदर्शयितुमाह—

व्यक्तधर्मो यथा—

व्यञ्जनावृत्तिबोध्यसाधारणधर्मयुक्तोपमेयोपमा यथेत्यर्थ ।

व्यञ्जनावृत्ति के द्वारा अवगत होनेवाली साधारणधर्म से युक्त उपमेयोपमा, जैसे—

उदाहरण निर्दिश्यते—

‘वारिधिराकाशसमो वारिधिसदृशस्तथाऽकाशः ।

सेतुरिव स्वर्गज्ञा स्वर्गज्ञैवान्तरा सेतुः ॥’

वारिधि समुद्र, आकाशसम, वियत्तुल्य, तथा, आकाश वियत्त, वारिधिसदृशः-समुद्रतुल्य, अस्तीति शेष, कुत इति चेत् ? यत् अन्तरा आकाशमध्ये, सेतु शिलाश-कलसङ्कलितो मार्गविशेषः, इव, स्वर्गज्ञा छायापथः, चकास्ति, तथा अन्तरा समुद्रमध्ये, स्वर्गज्ञा, इव, सेतुर्वियोतते इत्यर्थः ।

उदाहरण का प्रदर्शन किया जाता है—वारिधर इत्यादि । एक वर्णन है कि—समुद्र  
आकाश के समान है और आकाश समुद्र के समान, क्योंकि आकाश में सेतु की तरह  
स्वर्गना ( छायापथ ) है और समुद्र में स्वर्गना की तरह, सेतु ( र्बांध ) है ।

उपपादयति—

अत्रापारत्वादिर्व्यज्यमानो धर्मः ।

दुर्घटत्वमादिपदप्राप्तम् । व्यरुपदायं सूत्रयितुमाह—व्यज्यमानेति 'वारिधि—' इति  
श्लोके ननुद्राकाशयो अपारत्व ( निस्मान्त्व ) साधारणो धर्मः सेतुस्वर्गयोः दुर्घटत्वम् ।  
तौ च धर्मौ नात्र वाच्यौ, वाचकविरहात्, अपि तु व्यङ्ग्यौ, अत व्यरुधर्मैः ननुपमेयोप-  
मेति भावः ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि । उक्त पद्य में वर्णित आकाश और समुद्र  
में 'अपारता' समान धर्म है पर सेतु और स्वर्गना में 'दुर्घटता' समानधर्म है, परन्तु  
इन धर्मों के प्रतिपादक पद पद्यवाक्य में हैं नहीं, अत ये धर्मवाच्य नहीं, व्यङ्ग्य माने  
जाते हैं ।

विरोपमाह—

एषा सर्वाऽपि स्फुटे वाक्यभेदे प्रपञ्चिता ।

यत्र वाक्यभेदः स्फुटः अर्थात्—द्वयोर्वाक्ययो सादृश्यद्वय स्पष्ट निर्दिष्टम्—सादृश-  
स्यर्थात् पूर्वोक्तोपमेयोपमाप्रपञ्चो बोध्यः । एतेनास्फुटवाक्यभेदस्पष्टेऽपि उपमेयोपमा-  
सम्भवः सूच्यते ।

अनुपदोक्त उपमेयोपमा का चिन्तार उन स्थलों पर किया गया है जहाँ वाक्यभेद  
स्पष्ट है—अर्थात् शब्दत दो वाक्यों में दो सादृश्य पृथक्-पृथक् वर्णित रहे हैं । एतावता  
यह सूचित हुआ कि अस्फुट—अर्थात् अर्थत. योष्य वाक्यभेद के स्थल में भी यह  
अलङ्कार हो सकता है ।

पूर्वगन्माधितनुरनेयोपमाप्रकारानुगर्तुनाह—

आर्यं तु वाक्यभेदे—

वाक्यभेद इति । उदाहृत इति शेषः ।

अर्थत अवागत होने वाले वाक्यभेद के स्थल में तो अत्र उदाहरण दिया जाता है ।

उदाहरण निर्दिश्यते—

उपपादयति—

अत्र परस्पररूपतया तुलनामुदञ्चतीति संक्षिप्ताद्वाक्यादिदमेतेनैतच्चानेन तुलनामुदञ्चतीति वाक्यद्वयं विचारकमुल्लसति ।

इदं नयनं । एतेन नयनेन । एवमग्रेऽपि । विचारकमिति । विवरणरूपमित्यर्थः । 'अभिरामता—' इति श्लोके 'परस्पररूपतया तुलनामुदञ्चति' संक्षिप्तमेक वाक्यम्, तस्मात् वाक्यात् विवरणात्मक 'दक्षिण नयन वामेन नयनेन तुलनामुदञ्चति' 'वाम नयन दक्षिणेन नयनेन तुलनामुदञ्चति' इति वाक्यद्वयमिस्सरति, अतोऽत्र वाक्यभेद आर्थ न तु स्फुट इति भावः ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि । 'अभिरामतासदनम्—' इस पद्य में 'परस्पररूप से समता प्रकाशित करता है' यह एक सक्षिप्त वाक्य है, उससे अर्थतः 'दाहिनी आँख, बाईं आँख की समता प्रकाशित करती है और बाईं आँख, दाहिनी आँख की समता प्रकाशित करती है' ये दो वाक्य निकलते हैं, अतः यहाँ वाक्यभेद है तो अवश्य, पर स्फुट नहीं, ऐसा कहा जाता है ।

अस्या उपमेयोपमाया अपरेऽपि प्रभेदा सम्भवन्तीति सूचयितुमाह—

एवं पूर्णालुप्तादयोऽप्यस्या उपमाया इव प्रायशः सर्वेऽपि भेदाः सम्भवन्ति । एवमिति, अनुगाम्यादिधर्मभेदवदित्यर्थः । अस्या उपमेयोपमाया । असम्भावित भेदचारणाय प्रायश इति । उपमाया यथा पूर्णालुप्तादयो भेदा भवन्ति, तथोपमेयोपमाया अपि प्रायस्ते भेदा भवितुमर्हन्तीति भावः ।

उपमेयोपमा के अन्य भेदों की सूचना दी जाती है—एवम् इत्यादि । जिस तरह अनुगामी आदि धर्मों के भेद से उपमेयोपमा के अनेक भेद हुए हैं उसी तरह पूर्णालुप्ता आदि वे सभी भेद प्रायः उपमेयोपमा के भी हो सकते हैं जो उपमा के होते हैं ।

ननु सम्भवन्तस्ते भेदा कुतो नोदाहियन्ते इत्यत आह—

ते चासुयैव दिशा सुबुद्धिभिरुन्नेतुं शक्या इति नेह निरूप्यन्ते ।

असुयैव दिशेति । तयैव ( उपमाप्रकरणोक्त्या ) रीत्या इत्यर्थः । उन्नेतुम् ऊहितुम् । अन्यत् सुगमम् ।

उन सभावित प्रभेदों का निरूपण क्यों नहीं करते इसका उत्तर दिया जाता है—ते च इत्यादि । सुन्दर बुद्धि रखने वाले पुरुष, उपमाप्रकरणोक्त रीति से उन प्रभेदों को ऊह स्वयं कर सकते हैं, अतः उनका निरूपण यहाँ नहीं किया जाता है ।

खण्डयितुमप्यदीक्षितमतमुत्थापयति—

चित्रमीमांसाकृतस्तु प्राचीनं लक्षणमव्याप्त्यतिव्याप्त्यादिभिर्दूषयित्वा—

'अन्योन्येनोपमा बोध्या व्यक्त्या वृत्त्यन्तरेण वा ।

एकधर्माश्रया या स्यात्सोपमेयोपमा मता ॥'

इति स्वयं लक्षणमाहुः । अस्यार्थः संक्षेपेण सपदकृत्यस्तदुक्तरीत्या सहृदयानां सौकर्यायोच्यते—अन्योन्येनेति । अन्योन्यप्रतियोगित्वविशिष्टा व्यक्त्या व्यञ्जना व्यापारेण वृत्त्यन्तरेण शक्त्या वा बोध्या वेद्या एकधर्माश्रया एकधर्मप्रयोज्या या उपमा सा उपमेयोपमा मतेत्यन्वयः । अन्योन्येनेति विशेषणादिदं तच्च सममित्युभयविश्रान्तोपमाया निरासः । अत्रान्योन्यप्रतियोगिकत्वस्य व्यञ्जनव्यापारमात्रगम्यत्वेनोपमायाश्च शक्तिवेद्यतया परस्परनिरपेक्षेणैकेन व्यापारेणान्योन्यप्रतियोगिकत्वविशिष्टायास्तस्या अबोधनात्, परस्परनिरपेक्षस्यात्र वाका



की सुगमता के ध्यान से उक्त लक्षण का अर्थ पदकृत्यसहित संक्षेप में ग्रन्थकार, चित्र मीमांसाकार की रीति से बतलाते हैं—अन्योन्येन = परस्पर दोनों पदार्थ जिसके प्रतियोगी होते हों ऐसी, तथा एकधर्माश्रया = एक ही साधारण धर्म से सिद्ध होनेवाली, वो उपमा ( सादृश्य ) व्यक्त्या = व्यञ्जनावृत्तिद्वारा, अथवा, वृत्त्यन्तरेण = अभिधावृत्तिद्वारा बोध्या = ज्ञात होती हो, उसको उपमेयोपमा माना जाता है—यह तो हुआ इस लक्षण वाक्य का अन्वयानुसारी अर्थ। अब पदकृत्य देखिये—इस लक्षण में उक्त अर्थवाला 'अन्योन्येन' विशेषण इसलिये जोड़ा गया है कि—'इदं तच्च समम्—अर्थात् यह और वह समान है' इस उभयनिष्ठ उपमा में अतिव्याप्ति न हो। इस उपमा में यद्यपि अन्योन्यप्रतियोगिकत्व है—अर्थात् इस वाक्य से 'इसका सादृश्य उसमें' और 'उसका सादृश्य इसमें' इस तरह दोनों का सादृश्य दोनों में सिद्ध होता है, तथापि यह अन्योन्यप्रतियोगिकत्व—दोनों का सादृश्यप्रतियोगी होना—व्यञ्जनावृत्ति द्वारा ज्ञात होता है—अर्थात् 'इसका सादृश्य उसमें' और 'उसका सादृश्य इसमें' ऐसा ज्ञान शब्दतः नहीं होता और उपमा ज्ञात होती है 'सम' शब्द की अभिधावृत्ति से, अतः अन्य वृत्ति की अपेक्षा किये बिना किसी एक वृत्ति से 'अन्योन्यप्रतियोगिकत्वविशिष्ट उपमा' यहाँ ज्ञात नहीं होती। तात्पर्य यह कि—उक्त विशिष्ट उपमा का बोध कराने के लिये अभिधा को व्यञ्जनावृत्ति की अपेक्षा करनी पड़ती है। और लक्षण के अनुसार होना चाहिए 'अन्य वृत्ति की अपेक्षारहित एक वृत्ति द्वारा अन्योन्यप्रतियोगिकत्वविशिष्ट उपमा का बोध।' आप पूछ सकते हैं कि—लक्षण में तो 'अन्य वृत्ति की अपेक्षा से रहित' यह बात लिखी हुई है नहीं, फिर आप यह बात कहाँ से ले आए, तो इसका उत्तर यह है कि—लक्षण में जो 'वा ( अथवा )' पद है—उसका अर्थ यही होता है—अर्थात् 'वा' पद पक्षान्तर का बोधक है, अतः यह सिद्ध होता है कि—व्यञ्जना अथवा अभिधा—इन दोनों में से किसी एक के द्वारा उक्त विशिष्ट उपमा का बोध होता हो। 'एकधर्माश्रया—एक धर्ममूलक ( उपमा ) इस अंश का फल यह है कि 'रज ( धूलि ) से आकाश पृथ्वी के समान और मेघों के सदृश गजों से पृथ्वी आकाश के समान' इस किसी पक्ष के अर्थ रूप में आई हुई परस्पर उपमा में उक्त लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होती। कारण, यहाँ दोनों उपमाओं को सिद्ध करनेवाला धर्म एक नहीं है, 'भूतल' को उपमान मानकर बौंधी गई उपमा का साधक साधारण धर्म 'रज' यह अनुगामी पदार्थ है और 'आकाश तल' को उपमान मानकर बौंधी गई उपमा का साधक है विम्बप्रतिबिम्बभावापन्न मेघ सदृशगजपदार्थरूप धर्म। 'व्यक्त्या ( व्यञ्जनावृत्ति के द्वारा )' यह निवेश लक्षण में इसलिये किया गया है कि—इस लक्षण से व्यङ्ग्य उपमेयोपमा का भी समग्र हो सके। यह लक्षण उपमेयोपमात्व का प्रयोजक—साधक है अर्थात् यह लक्षण जहाँ सचटित होगा, वह उपमा उपमेयोपमा समझी जायगी।

खण्डयति—

तत्र ।

'अहं लतायाः सदृशीत्यखर्वं गौराङ्गिं गर्वं न कदापि यायाः ।

गवेषणेनालमिहापरेषामेषापि तुल्या तव तावदस्ति ॥'

अत्रान्योन्यप्रतियोगिकत्वविशिष्टाया उपमायास्तनुत्वादिरूपैकधर्माश्रयाया वृत्त्यन्तरेण शक्त्या बोधनादुपमेयोपमात्वापत्तेः ।

तत् पूर्वोक्तदीक्षितकथनम् । न युक्तमिति शेष । अयुक्तत्वे हेतुमाह—'अहं—इत्यादिना । हे गौराङ्गि ! लताया सदृशी लतानुयोगिकसादृश्याश्रया, अहम्, इति, अखर्वं महान्तम्, गर्वं, कदापि न याया प्राप्नुहि, यत, इह त्वत्तुलाविषये, अपरेषा अन्येषा सम्प्रति नयनगोचराणा पदार्थानाम्, गवेषणेन अन्वेषणेन, अल व्यर्थम्, तावत् प्रथमम्, एषाऽपि नयनगोचरीभूता लताऽपि, तव तुल्या त्वदनुयोगिकसादृश्याश्रया अस्ति इत्यर्थः ।

‘अन्वेदये कृतेऽन्येऽपि तत्र तुल्या पदार्था ल्यु गन्त्या इति भावः । अत्रेति । अत्र  
‘इति’ इत्यादि । तनुन्वेति । अत्र ‘अनुपात्त’ इत्यादि । अत्रन्वेति । अत्रन्वेति । अत्रन्वेति । अत्रन्वेति । अत्रन्वेति ।  
व्याख्येयम् । अत्रमाशय — ईशितोक्तलक्षणानुसार ‘अत्र लताया — इति पदेऽपि  
उपमेयोपमालक्षणत्वप्रसक्तिः, अत्रान्योन्यप्रतियोगिरूपविशिष्टाया परस्परोपमानोपमेयभाव-  
वृत्ताया इति यावत् स्तानायाधिकारोपमाया अनुकतनुत्वादिरेकैकधर्मप्रयोज्याया, अत्रान्या  
शयमानत्वात् तथा चातिव्याप्तिदोषप्रस्तमिदं लक्षणाभिहितम् ।

चण्डन किया जाता है— तब इत्यादि । सब कुछ होने पर भी शीशितर्जा का  
उपमेयोपमालक्षण ठीक नहीं है । कारण, तदनुसार, “अह लताया — अर्थात् हे गौराङ्गि !  
‘मैं लता के सदृश हूँ ( हम दोनों की तुलना में मैं ही उपमान होती हूँ, मेरे उपमान होने  
योग्य वह क्या ? कोई नहीं है )’ इस तरह का महागर्व तू कभी मत करना । इस विषय  
में दूसरों को हूँ होने की आवश्यकता नहीं, प्रथमतः यह लता भी तो तेरे सदृश ठं अर्थात्  
तुलना में तेरा उपमान बनती है । अभिप्राय है कि—यह ( लता ) तो गिना हूँ तेरे  
समान मिल गई, हूँ होने पर तो न जाने कितनी चीजें ऐसी मिल जाँय ।” इस पद में भी  
उपमेयोपमा ही जायगी, क्योंकि यहाँ भी दोनों क्रम-क्रम से जिसके प्रतियोगी होते हैं,  
ऐसी और तनुम् ( दुर्बलता ) आदि अनुक एक धर्म से सिद्ध होने वाली उपमा का  
वृत्त्यन्तर ( लक्षणा ) से बोध होता है । मारादा यह हुआ कि शीशितर्जा का लक्षण यहाँ  
अतिव्याप्त हो जाता है ।

प्राग्वक् नमाधने—

हो जायगी—यहाँ उपमेयोपमा नहीं हो सकेगी, क्योंकि यहाँ भी वही बात है—अर्थात् आपके हिसाब से सदृश पद के रहने पर 'अन्योन्यप्रतियोगिकत्व' की प्रतीति उपमा में नहीं होगी। अतः अगत्या मानना पड़ेगा कि—सदृश आदि धर्मिवाचक पदों के रहने पर शब्दतः प्रतियोग्यनुयोगिभाव की प्रतीति भले ही न हो, पर अर्थतः उसकी प्रतीति अवश्य होती है। ऐसा मानने पर ही 'मुख के सदृश चन्द्र—' इस पूर्वोक्त वाक्य में उपमेयोपमा हो सकेगी और जब ऐसा मान लिया जायगा तब 'अहं लतायाः—' इस पद्य में जो अतिव्याप्ति की बात कही गई है वह उचित ही सिद्ध होगी।

ननु 'मुखस्य सदृश —' इतिवत् 'अह लतायाः—' इति पद्यमपि लक्ष्यमेवोपमेयोपमायास्तथा च नातिव्याप्ति, अलक्ष्ये लक्षणगमनस्यातिव्याप्तिपदार्थत्वादित्यत्राह—

न ह्यह लताया इत्यत्रोपमेयोपमा भवितुमर्हति । गर्वमात्रनिरासपरत्वेनोत्तरार्धोपमायास्तृतीयसदृशव्यवच्छेदाप्रतिपत्तेः । अत एव अन्यान्यपि तव सदृशानि सन्त्येव तेषां गवेषणेन किं फलमित्येतदर्थकं गवेषणेनेत्युत्तरार्धं सङ्गच्छते । तृतीयसब्रह्मचारिव्यवच्छेदो ह्युपमेयोपमाजीवितमित्यालङ्कारिकसिद्धान्तः । अन्यथा 'भुवस्तलमिव व्योम कुर्वन्व्योमेव भूतलम्' इत्यत्राप्युपमेयोपमात्वनिवारणप्रयासवैयर्थ्यापत्तेः ।

उपमेयोपमामवनानर्हत्वे हेतुमाह—गर्वेति । ननु तन्मात्रपरत्व एव किं बीजमत आह—अत एवेति । तत्परत्वेन तस्या साफल्यदेवेत्यर्थः । उत्तरार्धं तदेकदेश । नन्वेवमपि तृतीयसदृशव्यवच्छेदप्रतीतावेवोपमेयोपमा इत्यत्र किं विनिगमकमत आह—तृतीयेति । सब्रह्मचारीति महशैत्यर्थः । नन्वन्येषां तथा सिद्धान्तेऽपि न मम सिद्धान्तस्तथेत्युक्तेरवसर निवारयति—अन्यथेति । तस्य तज्जीवितत्वानङ्गीकारे इति तदर्थः । भुवस्तलमिवेति । रघुवशाख्यमहाकाव्यघटकपद्यांशोऽयम् । अर्थस्तु स्पष्ट एव । यदि तृतीयसदृशानिवृत्तिप्रतीतिशून्येऽपि स्थले उपमेयोपमा दीक्षतस्याभिमतताऽभविष्यत्तदा 'भुवस्तलमिव—' इत्यत्रान्यसाधनसयुक्तेऽपि तृतीयसदृशव्यवच्छेदमात्ररहिते पद्ये तद्वारणायासनासावकरिष्यत्, अकरोच्चेत्तृतीयसदृशव्यवच्छेदस्योपमेयोपमाजीवितत्व अन्यालङ्कारिकाङ्गीकृतं स्वीकर्तव्यमेव तेनापि । तथा च 'अह लताया —' इति पद्ये नोपमेयोपमाया लक्ष्यं भवितुं शक्नोति, तृतीयसदृशव्यवच्छेदस्यात्राप्रतीते । न चोत्तरार्धोक्ताया उपमायास्तृतीयसदृशव्यवच्छेदकत्वमिति वाच्यम्, तस्या गर्वमात्रनिरासपरत्वात् । न चास्तु तस्या गर्वनिरासपरत्व, परन्तु तेन सह तृतीयसदृशव्यवच्छेदकत्वमप्यस्तु, तन्निरासमात्रपरत्वं कुतोऽवगम्यते इति वाच्यम्, 'गवेषणेनालमिहापरेषाम्' इत्युत्तरार्धभागेन 'अन्यानि तव सदृशानि सन्ति' इत्यर्थस्य स्फुट प्रतिपत्तौ तृतीयसदृशव्यवच्छेदप्रतीतेरङ्गीकर्तुमयोग्यतया गर्वमात्रनिरासपरत्वस्यावगमादिति भावः ।

यदि आप कहें कि—'अहं लतायाः—' इस पद्य को भी मैं उपमेयोपमा का लक्ष्य ही मानता हूँ, तब तो अतिव्याप्ति की बात नहीं उठेगी, क्योंकि अलक्ष्य में लक्षण का सघटित होना अतिव्याप्ति कहलाता है।" इसके उत्तर में कहते हैं—न हि इत्यादि। अभिप्राय यह है कि—'अह लतायाः—' इस पद्य को उपमेयोपमा का लक्ष्य नहीं माना जा सकता । कारण, यहाँ तृतीय सदृशपदार्थ की निवृत्ति प्रतीति नहीं होती। आप कहेंगे—यदि तृतीय सदृशपदार्थ की निवृत्ति प्रतीति नहीं होती तब पद्य के उत्तरार्ध भाग में जो दूसरी उपमा वर्णित हुई है उसका क्या फल है ? तो मैं कहूँगा कि—उसका फल केवल पूर्वार्ध में वर्णित गर्व का निरास करना है। बात भी यही ठीक है, अन्यथा उत्तरार्ध का 'गवेषणेनालमिहापरेषाम्' यह अंश असङ्गत हो जायगा, क्योंकि 'तेरे सदृश बहुतेरे





न्यायात्, अत एव सम्बन्धाना प्रकारतया शाब्दबोधे भान न भवति, अन्यथा तदपरि-  
हार्यं स्यादिति सिद्धान्तः । तथा च 'खमिव जलम्—' इत्यादौ खजलपदनिष्ठाभिधावृत्ति-  
वेद्यो आकाशजलपदार्थयोः इवपदनिप्रतद्वृत्तिवेद्येन सादृश्यपदार्थेन सह जायमानेऽ-  
न्वयबोधे प्रतियोगित्वानुयोगित्वयोः संसर्गविधयैव भानम् च तु तत्र कस्यापि पदस्य काऽपि  
( शक्तिर्लक्षणा व्यञ्जना वा ) वृत्तिः । एवञ्च प्रागुक्तदीक्षितकृतोपमेयोपमालक्षणे 'अन्यो-  
न्यप्रतियोगित्वविशिष्टा उपमा एकवृत्तिवेद्या यदि भवेत्, तदा सोपमेयोपमा' इति कथन-  
मसङ्गतमेव, प्रतियोगित्वस्य वृत्त्यवेद्यत्वे तदुघटितविशिष्टोपमायामपि 'विशेषणाभावे विशि-  
ष्टाभाव' इति रीत्या वृत्तिवेद्यत्वाभावेन प्रागुक्तलक्ष्ये उपमेयोपमात्वानापत्तेरिति भावः ।

दीक्षितकृत उक्त लक्षण के एक अन्य अंश का भी खण्डन करते हैं—अन्योन्य इत्यादि ।  
अन्य किसी तरीके से जो अर्थ ज्ञात न हो सके उसी को शब्द का अर्थ मानना चाहिए  
अर्थात् शब्दों की वृत्ति ( शक्ति लक्षणा आदि ) उसी अर्थ में मानी जाती है जो वृत्ति  
के माने बिना ज्ञात न हो सके । तदनुसार पदार्थों के सम्बन्धों ( प्रतियोगित्व अनु-  
योगित्व आदि ) में पदों की वृत्ति नहीं मानी जाती, क्योंकि उसके बिना भी आकाश  
के द्वारा उनका भान शाब्दबोध में हो जाता है, अतएव शाब्दबोध में सम्बन्धों का  
विशेषणरूप से भान नहीं होता है, यदि वे ( सम्बन्ध ) भी पदनिष्ठवृत्ति से उपस्थित  
होते रहते, तब अन्यवृत्तिवेद्य पदार्थों के समान विशेषण ही होते । ऐसी स्थिति में  
दीक्षितजी ने जो उक्त लक्षण में यह कहा है कि—'परस्परप्रतियोगिकत्वविशिष्ट  
उपमा यदि एक वृत्ति से ज्ञात हो तब वह उपमेयोपमा है' वह सर्वथा असङ्गत है क्योंकि  
इस कथन के हिसाब से 'खमिव जलम् जलमिव खम्—अर्थात् जल आकाश के समान  
और आकाश जल के समान' इस वाक्य में उपमेयोपमा नहीं हो सकेगी । कारण, यहाँ  
आकाश और जल के सादृश्य के साथ होनेवाले अन्वय-बोध में जो प्रतियोगिता-  
अनुयोगिता भासित होती है, वह सबन्धरूप है, अतः उक्त सिद्धान्त के अनुसार उसमें  
किसी पद की वृत्ति नहीं है—अर्थात् वह आकाशा भास्य है और 'प्रतियोगित्व' जब  
वृत्तिवेद्य नहीं हुआ, तब तद्युक्त होकर उपमा भी वृत्तिवेद्य नहीं कही जायगी । तात्पर्य  
यह कि यद्यपि शुद्ध उपमा सादृश्य इव पद की वृत्ति से वेद्य है पर अन्योन्यप्रति-  
योगिकत्वविशिष्ट उपमा तो वृत्तिवेद्य नहीं है, अतः यहाँ उक्त लक्षण का सघटन नहीं  
हो सकेगा । यहाँ नागेश का कथन है कि 'अन्योन्यप्रतियोगित्वविशिष्ट उपमा एकवृत्ति-  
वेद्य हो' इस उक्ति का अभिप्राय एकवृत्ति से प्रतियोगिता और उपमा दोनों का अवगत  
होना नहीं है, अपितु यह है कि—इस विशिष्ट में के दोनों अंश यदि वृत्तिवेद्य हों तो  
उन्हें एकवृत्तिवेद्य होना चाहिए और यदि इन दोनों में से कोई अंश बिना वृत्ति के ही  
अवगत होता हो तो ऐसा हो सकता है—इससे कोई हानि नहीं । अथवा एकवृत्तिजन्य  
बोध में भासित होना ही यहाँ एकमात्रवृत्ति से वेद्य होना विवक्षित है, अतः यहाँ जो  
दीक्षित का खण्डन किया गया है वह ठीक नहीं है ।

अलङ्कारसर्वस्वकारमतमालोचयितुमुपक्रमते—

यदप्यलङ्कारसर्वस्वकृतोक्तम् 'द्वयोः पर्यायेण तस्मिन्नुपमेयोपमा । तच्छ-  
ब्देनोपमानोपमेयत्वप्रत्यवमर्शः । पर्यायो यौगपद्याभावः । अत एवात्र वाक्य-  
भेदः' इति तन्न । अत्र द्वयोरिति व्यर्थम् । एकस्योपमानोपमेयात्मकत्वे 'रञ्जनं  
गगनाकारम्' इत्यादौ वाक्यभेदाभावेन पर्यायाभावादेवाप्रसक्तेः ।

'द्वयो पर्यायेण—' इति लक्षणम् । लक्षणघटकतच्छब्दबोध्य स्फोरयति—तच्छब्दे-  
नेति । पर्यायपदार्थमाह—पर्यायो यौग इति । फलितमाह—अत एवेति । खण्डने हेतुमाह—  
अत्र इत्यादिना । अलङ्कारसर्वस्वकारकृतम् 'द्वयो—' इत्युपमेयोपमालक्षण न सम्यक्



तारा कनीनिका यस्य, तादृशम्, तव राजकुमारस्य अजस्येत्यर्थ, चक्षुर्नयनम्, एकवचनं जातिविवक्षयेति बोध्यम्, प्रचलिता सस्पन्दा इत्यर्थ, भ्रमरा यस्मिन्, तादृशम्, पद्मम् कमलम्, च, इति द्वे, तावत् प्रथम एतेनाप्रेऽन्येषां तवाज्ञानामस्यापि ( चक्षुष ) वा अङ्गस्य वस्त्वन्तरेणापि परस्परतुलाप्रसङ्ग समागन्तेति ध्वन्यते । सद्यः तत्कालमिति यावत्, परस्परतुलाम् अन्योन्यसाम्यम्, अधिरोहताम् प्राप्नुतामिति ( स्वयं वाञ्छाम् ) । कालिदासपद्ये इति कालिदासरचितरघुवशाख्यमहाकाव्यघटकपद्ये इत्यर्थ । भावायामिति । उपमेयोपमानात्मिकायामित्यर्थ । ननु पर्यायपदनिवेशवारितव्यावर्त्यस्यापि द्वयोरित्यस्य न वैयर्थ्यम्, यद्विनोपमानोपमेययोग्यता न भवति तादृशस्य लिङ्गवचनभेदराहित्यस्य ज्ञानार्थम् तस्य सार्थकत्वात्, न च लिङ्गवचनभेदराहित्यं नोपमानोपमेयभावयोग्यतासम्पादकम् तद्विनाऽपि कविप्रसिद्धयनुरोधेन स्थलविशेषे उपमानोपमेयभावस्वीकारादिति वाच्यम्, सत्येव कविप्रसिद्धिस्फोरणार्थमेव तत्सार्थक्यसम्पत्तेः, न च कविप्रसिद्धिविरुद्धमुपमानोपमेयत्व चेन्न भवति, तर्हि 'तस्मिन्' इत्यनेन बोधितादुपमानोपमेयभावादेव कविप्रसिद्धेरपि लाभः सिद्ध एवेति न तत्स्फोरणार्थं तत्सार्थक्यमिति शङ्क्यम्, तथा लब्धस्यापि कविप्रसिद्धिरूपस्य वस्तुन स्फुटज्ञानार्थं तत्सार्थक्यसम्भवात्, तथा चालङ्कारसर्वस्वकारकृत प्रागुक्तमुपमेयोपमालक्षणं न दुष्टमिति चेन्न, 'अहं लताया —' इति प्रागुक्तपद्यप्रतिपाद्योपमायामतिव्याप्तिदोषस्य सत्त्वात्, तत्रापि पर्यायेण कविसमयसिद्धोपमानोपमेयभावस्य वर्णनेन तदीयलक्षणप्रसक्तेः । न च तत्र लक्षणप्रसक्तिरिष्टैवेति नातिव्याप्तिरनतिव्याप्तत्वे च पुनः सम्यगेव तल्लक्षणमिति वक्तव्यम्, 'तद्वलगुना—' इति कालिदासपद्ये वर्णितायाम् एककालावच्छेदेनैव उपमानोपमेययोरुपमेयोपमानरूपायामपि तृतीयसदृशव्यवच्छेदफलकतया वस्तुतः उपमेयोपमायां वाक्यभेदाभावादव्याप्तेर्दुर्द्वारात् इति भावः ।

किसी तरह 'द्वयो.' पद की सार्थकता सिद्ध कर देने पर भी 'सर्वस्वकार' का उक्त लक्षण ठीक नहीं माना जा सकता, इस तथ्य का उल्लेख अब किया जाता है—यदि च इत्यादि । यदि आप कहें कि 'द्वयो.' पद व्यर्थ नहीं है, क्योंकि उस पद के द्वारा वारणीय अतिव्याप्त्यादि दोषों का वारण 'पर्याय' पद से हो जाने पर भी 'लिङ्गभेद वचनभेद आदि के न रहने पर ही किसी पदार्थ में उपमानोपमेयभाव की योग्यता आती है' इस बात के ज्ञान के लिये उस पद की सार्थकता है । इस पर यदि ग्रन्थकार की ओर से यह कहा जाय कि—लिङ्गभेदाभाव आदि उपमानोपमेयभाव की योग्यता का सपादक हो नहीं सकते, क्योंकि उनके न रहने पर भी कविप्रसिद्धि के अनुरोध से 'नवाङ्गनेवाङ्गणेपि गन्तुमेष प्रकल्पते'—इत्यादि स्थलों में उपमानोपमेयभाव माना गया है तो सर्वस्वकार की ओर से यह कहा जा सकता है कि—तब कविसमयप्रसिद्धि की स्फूर्ति के लिये ही 'द्वयो.' पद का सार्थक्य माना जा सकता है । इतने पर भी यदि ग्रन्थकार की ओर से यह तर्क उपस्थित किया जाय कि कविसमयप्रसिद्धि की स्फूर्ति के लिये किसी अन्य पद की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके विना जब उपमानोपमेयभाव कहीं हो ही नहीं सकता, तब 'उपमानोपमेयभाव होने पर' इस अर्थ के बोधक 'तस्मिन्' पद से ही उसकी भी स्फूर्ति हो जायगी, तो इसके उत्तर में सर्वस्वकार के समर्थक यह कहेंगे—कि—हाँ, स्फूर्ति तो उसकी उससे हो जायगी, पर स्पष्ट नहीं—धूमिलरूप में, अतः स्पष्टतया उसकी स्फूर्ति के लिये 'द्वयो.' पद की सार्थकता सिद्ध की जा सकती है । तात्पर्य यह हुआ कि जब किसी तरह 'द्वयो' पद सार्थक हो गया और अन्य कोई दोष आपने अभी तक दिखलाया नहीं तब सर्वस्वकार का उक्त लक्षण समुचित क्यों नहीं माना जाय, तो इस पर ग्रन्थकार का कथन है कि—नहीं, उस लक्षण को समुचित नहीं माना जा सकता । कारण, पहला तो यह कि उक्त लक्षण की, पूर्वोक्त 'अहं लताया—'



दुःखावस्थाया च सुखकराण्यपि वस्तूनि दुःखमुत्पादयन्तीत्येतावतोऽर्थस्य कविविवक्षाविषय-  
तया उपमेयोपमाजीवातुभूतस्य तृतीयसदृशव्यवच्छेदस्याप्रतीतेरिति भावः ।

किसी तरह उक्त अव्याप्ति का समाधान यदि कर दिया जाय, तथापि दूसरे दोष वने ही रहेंगे इस बात का उल्लेख अब किया जाता है—न चापाततः इत्यादि । 'अभि-  
रामतासदन-' इस श्लोक में जैसे आर्थ वाक्यभेद मानकर उपमेयोपमा सिद्ध की गई है उसी तरह उक्त कालिदासीय पद्य में भी आर्थ वाक्यभेद मानकर वह सिद्ध की जा-  
सकती है—अर्थात् यहाँ भी यह कहा जा सकता है कि—'परस्परतुलामधिरहतां द्वे' इस  
आपाततः एक प्रतीत होनेवाले वाक्य से 'चक्षु पद्म की तुला को प्राप्त करे' और 'पद्म  
चक्षु की तुला को प्राप्त करे' ये दो वाक्य पर्यवसित होते हैं—अतः अव्याप्ति नहीं होगी  
ऐसा कहकर उक्त अव्याप्तिदोष का समाधान यदि कर भी दिया जाय, तथापि 'सविता  
विधवति—अर्थात् जब मन सुख की अवस्था में रहता है, तब सूर्य चन्द्र की तरह  
शीतल हो जाता है और रातें भी दिन की तरह प्रकाशमय प्रतीत होने लगती हैं,  
और जब मन दुःख की अवस्था में रहता है, तब चन्द्र भी सूर्य की तरह प्रचण्ड  
तापक प्रतीत होता है और दिन भी रात की तरह अन्धकारमय ज्ञात होते  
हैं।' इस किसी कवि के पद्य में जो परस्पर की—सूर्य आदि की चन्द्र आदि के  
साथ और चन्द्र आदि की सूर्य आदि के साथ—उपमा वर्णित हुई है, उसमें अतिव्याप्ति  
हो ही जायगी । और आप यह तो कह नहीं सकते कि यहाँ परस्परोंपमा नहीं उपमेयो-  
पमा ही है, क्योंकि यहाँ 'सुख के समय दुःखदायी भी सुखदायी और दुःख के समय  
सुखदायी भी दुःखदायी प्रतीत होते हैं' केवल इतना सा अर्थ कहना वक्ता का अभीष्ट  
है अतः इस कथन से तृतीय सदृश पदार्थ की निवृत्ति, जो उपमेयोपमा का प्राण है—  
प्रतीत नहीं होती । यहाँ एक बात पर पाठकों का ध्यान में दिखाना चाहता हूँ—  
हिन्दीरसगङ्गाधरकार प० श्री चतुर्वेदीजी ने 'सविता विधवति—' पद्य के अर्थ में लिखा  
है कि—'जब मन सुख के वश में होता है तब दिन रात्रि की तरह शान्तिप्रद हो जाते  
हैं और जब मन दुःख के वश में रहता है तब रात्रियाँ दिन की तरह अशान्त और  
व्यग्रतामय हो जाती हैं।' परन्तु मुझे यह व्याख्या समुचित नहीं प्रतीत होती, क्योंकि  
एक तो इस तरह की व्याख्या करने पर क्रमभङ्ग होता है अर्थात् 'सुखदुःखवशीकृतं  
मनसि' यहाँ जो पहले सुख और पीछे दुःख की चर्चारूप क्रम है, तदनुसार सुखवशीकृत  
मन के लिये पहले 'सविता विधवति' फिर दुःखवशीकृत मन के लिये 'विधुरपि सवि-  
तरति' ये दोनों उपमायें कहकर पुनः उसी तरह सुखवशीकृत मन के लिये 'दिनन्ति  
यामिन्य.' और दुःखवशीकृत मन के लिये 'यामिनयन्ति दिनानि च' ये दोनों उपमायें  
दी गई हैं—इस तरह उक्तक्रम की रक्षा होती है, पर चतुर्वेदीजी की व्याख्या में यह  
क्रम नष्ट हो जाता है । दूसरे, दिन में मन चन्द्र कार्यों की ओर लगा रहता है, अतएव  
दुःख का उतना अनुभव नहीं होता, पर रात में मन सर्वथा एकाग्र होता है, अतः  
दुःख का अनुभव अधिक होता है, इसीलिये तो दुःखियों की यह उक्ति प्रसिद्ध है कि 'दिन  
तो किसी तरह कट जाते पर रातें काटने पर भी नहीं कटतीं।' कहने का तात्पर्य यह कि  
रातें दुःखवृद्धि के लिये प्रसिद्ध हैं, अतः दुःखी के लिए 'दिन भी रात्रि के समान दुस्सह  
हो जाते हैं' यह कथन ही उपयुक्त होगा । इसी तरह सुखी के लिये यह कथन समुचित  
होगा कि 'रात्रियाँ भी दिन की तरह उल्लासमय हो जाती हैं।' कविसम्प्रदाय भी कुछ  
इसी तरह का है, क्योंकि 'दिनं त्वयि मे सम्प्राप्ते ध्वान्तच्छन्नापि यामिनी' ऐसी उक्ति  
काव्यजगत् में उपलब्ध होती है ।

सर्वस्वकारकृतलक्षणस्यापरत्रापि अतिव्याप्तिसुद्धावयति—

एवम्—

'रजोभिः स्यन्दनोद्धूतैर्गजैश्च घनसन्निभैः ।

भुवस्तलमिव व्योम कुर्वन् व्योमेव भूतलम् ॥'

इत्यत्र परस्परोपमायामतिव्याप्ति ।

रजोभिरिति । रघुदिग्विजययात्राप्रसङ्गे रघुवशस्य परमिडम्—स्यन्दनेन रघेन, उद्भूत ऊर्ध्व नीतं, रजोभि धूलिभि, व्योम आकाशम्, भुवस्तल धरातलम्, एव, तथा घनमग्निर्भं मेघमवशं, गर्जं तरितभि, न, भूतलम्, व्योम एव, र्दन्, रघु-दिग्विजयायागच्छत् ऊर्ध्व । अत्र विभिन्नधर्मिता परस्परोपमा । 'द्वयो पर्यायिता तस्मिन्नुपमेयोपमा' इति सर्वस्वकारलक्षणमत्रातिव्याप्तमिति भाव ।

सर्वस्वकारकृत उपमेयोपमालक्षण की अन्यत्र भी अतिव्याप्ति दिग्दर्शं जाती है—एवम् इत्यादि । सर्वस्वकारकृत उपमेयोपमा का लक्षण जिन तरह 'मग्निता विधत्ति—' में अतिव्याप्त होता है, उसी तरह 'रजोभि—अथात् रथ से उठी हुई धूलि से आकाश को भूतल के समान और मेघदुल्य हाथियों से भूतल को आकाश के समान बनाते हुये ( राजा रघु दिग्विजय के लिये गये )' इस परस्परोपमा में भी अतिव्याप्त है ।

विशेषमाह—

सदृशान्तरव्यवच्छेदफलकत्वेन विशिष्यमाणे तु तस्मिन्नस्मदुक्त एव पर्यवसानम् ।

'तस्मिन्' इति तत्पद्ग्रन्थवन्मृज्यमाने उपमानोपमेयत्वे तृतीयगदशानिगन्तिग्रन्थमपि विशेषण यदि दंशेत तदा नर्वेषा प्रागुक्ताना दोषाणा परिहारो यद्यपि भवेत्, किन्तु तदा मदुक्तलक्षणमेव पर्यवसित इति फलनस्तदाक्षणमसमानानमेवेति भाव ।

यदि लक्षण में 'तृतीय सदृश पदार्थ की निवृत्ति जिसमें कल्पित हो' ऐसे उपमानोपमेयभाव का निवेदन करें, तब बात वही आ गई जो हमने कही है । अब आप का ( सर्वस्वकार का ) लक्षण अपूर्ण ही है ।

मूलात्कारनिरूपणम् । अत्र विधातु मन्प्रति तद्विपर्ययमात्रा निर्दिशन्ता इति

उक्तोदाहरणोऽश्चिमुद्गाव्योदाहरणान्तर प्रदर्शयितुमाह—

यदि तु लक्षणा तदेदमुदाहरणम् ।

‘गाम्भीर्येण—’ इति पद्ये द्वितीयपदस्य बाधितमुख्यार्थकस्य, सादृश्ये लक्षणाया लक्ष्यैवोपमेयोपमा न व्यङ्ग्या इति चेत्, तदा निम्नलिखितमुदाहरण बोध्यमिति भाव ।

उक्त पद्य में द्वितीय पद का मुख्य ( अपने से अन्य ) अर्थ बाधित है, अतः उसके सदृश अर्थ में लक्षणा होगी, फिर तो यहाँ की उपमेयोपमा लक्ष्य कही जायगी व्यङ्ग्य नहीं, यदि ऐसी बात आप कहें, तब निम्नलिखित उदाहरण व्यङ्ग्य उपमेयोपमा क समझना चाहिए ।

उदाहरण निर्दिश्यते—

‘सुधासमुद्रं तव रम्यवाणी वाच क्षमाचन्द्र सुधासमुद्रः ।

माधुर्यमध्यापयितुं दधाते खर्वंतरामान्तरगर्वमुद्राम् ॥’

कवि कमपि नृप स्तौति—हे क्षमाचन्द्र धरासुधाकर ! तव भवतः, रम्यवाणी रमणीया वाक्, सुधासमुद्रम् पीयूषसमुद्रम्, तथा सुधासमुद्र, तव, वाचम्, माधुर्यं माधुरीम्, अध्यापयितु पाठयितुम्, खर्वंतराम् अखर्वाम् महतीमिति यावत्, आन्तरगर्वमुद्राम मानसिकगर्वसूचकाकारव्यक्तिम्, दधाते धत्त इत्यर्थः ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—सुधा इत्यादि । कवि किसी राजा से कहत है—हे पृथ्वी के चन्द्र ! तेरी रमणीय वाणी अमृतसमुद्र को और अमृत का समुद्र तेरी वाणी को, माधुर्य का पाठ पढ़ाने के लिये, आन्तरिक गर्व को प्रकट करनेवाली बहुत बड़ी बाह्य मुद्रा को धारण करते हैं ।

उपपादयति—

अत्र वागादिकर्तृकस्य परस्पराध्यापनस्य बाधान्माधुर्यसंक्रान्तिविशेषस्य लक्षणया बुध्यमानस्य प्रयोजनं स्वप्रयोज्यान्योन्योपमानोपमेयभावः ।

बाधादिति । अचेतने वागादौ स्वातन्त्र्यघटितकर्तृत्वस्यासम्भवादित्यर्थः । लक्षणयेति ।

‘अध्यापयितुम्’ इत्येतत्पदनिष्ठयेति भाव । एव मुख्यार्थबाधतद्योगरूप कारणद्वयमुक्त्वा तृतीय कारण प्रयोजनमाह—प्रयोजनमिति । स्वमिति । लक्षणेत्यर्थः । अथ भाव— ‘सुधासमुद्र—’ इति पद्ये ‘अध्यापयितुम्’ इति पदस्य मुख्योऽर्थ अध्यापनक्रियाकर्तृत्वरूप, अचेतने वागादौ बाधित, अतस्तस्य पदस्य सङ्क्रमणरूपार्थे लक्षणा, सा च लक्षणा प्रयोजनमूला, रूढेरभावात्, प्रयोजनश्च वाक्सुधासमुद्रयोर्मिथ उपमानोपमेयभावावगम, स च व्यञ्जनयेति सिद्धमुपमेयोपमाया व्यङ्ग्यत्वमिहेति ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि । ‘सुधासमुद्रम्—’ इस पद्य में वाणी आदि के द्वारा जो एक दूसरे को पाठ पढ़ानेवाली बात वर्णित हुई है, वह बाधित है, अतः लक्षणा द्वारा उसका अर्थ यहाँ यह किया जायगा कि—वे एक दूसरे में अपनी मञ्जुरता पहुँचाते हैं । इस लक्षणा का प्रयोजन होगा उस लक्षणा से ही सिद्ध होनेवाला ‘परस्पर का उपमान-उपमेय होना’ । उसी का नाम ‘उपमेयोपमा’ है, अत यहाँ वह व्यङ्ग्य है ।

दोषनिरूपण प्रतिजानीते—

अथ दोषाः—

दोषा इति । अस्या इत्यादि । उच्यन्ते इति शेष । तथा चोपमेयोपमाया. स्वरूपो-दाहरणादिनिरूपणानन्तरमिदानीं दोषा कथयन्त इति भाव ।

अत्र उपमेयोपमा के दोष कहे जाते हैं ।

दोषानाह—

तत्र तावत्प्रागुक्ता यावन्त उपमाया दोषाः अनुक्ताश्च विस्तृतिमयात्, ते सर्वेऽप्युमात्वाक्रान्तत्वात्स्यामपि बोध्याः । अयं पुनरन्योऽपि दोषः—यदेकोपमात्रैलक्षण्यमपरस्यामुपमायाम् । यथा—‘कमलमिव वदनमस्या वदनेन समं तथा कमलम्’ अत्र श्रोत्रार्थीकृत वैलक्षण्यम् । ‘कमलति वदन तस्या कमलं वदनायते जगति’ किपक्वद्वकृतमत्र वैलक्षण्यम् । एवमत्रैव ‘पद्म वदनायते’ इति निर्माणे ‘वक्त्रायते’ इति वा उपमानोपमेयवाचकवैलक्षण्यम् । एवप्रकारैरनेकैः वैलक्षण्यं यत्रि महद्दयोद्वेजक तदा दोषः ।

तत्रेति । वचनव्याना तेषा मध्य इत्यर्थः । न तत्परिगणनामिन्याह—अनुक्षाश्चेति । न्नूपनादोषा अत्र द्यमत आह—उपमात्वेति । अत एवास्या एव भेद इति प्रतिज्ञावाक्ये उच्यते । तद्रूपत्वव्यवहारमाह—अयं पुनरिति । इति वेति । कमलमित्यादि । निर्माणे इत्यन्यानुपपत्तौ । उपनहरति—एवमिति । यदीन्यनेन तदभावेऽदुष्टत्वमेवेति सूचितम् । अयमुपमेयोपमात्कार उपमात्वाक्रान्त, अत उपमाया ये दोषा उक्ता अनुक्ता अपि ये नन्मन्विते तेषुखिला उपमेयोपमाया अपि दोषा अवगन्तव्याः । अत्रोपमेयोपमाया उपरोपमयो स्थिति निश्चिता, ते च द्वे उपमे तुला दृष्ट इव यदा सर्वथाऽविलक्षण्ये तिष्ठतस्तर्हि चमत्कारो भिन्नालक्ष्यपदेगयोग्यता चेति स्थितौ एकोपमात् अत्रोपमाया वैलक्षण्यं पुन स्वतन्त्र उपमेयोपमादोष । तच्च वैलक्षण्यं विवर्धे कारणैः सम्भवति, तत्र प्रतिपत्तारणनम्भूत वैलक्षण्यमुदाहरणप्रदर्शनद्वारा स्फोरयति यथेत्यादिना । ‘कमलम् इव—’ इति प्रथमोदाहरणे इवपदघटितना एकोपमा श्रौती, नमपदघटिताऽपरोपमा पुनरार्थी । ‘कमलति—’ इति द्वितीयोदाहरणे प्रथमोपमा किप्प्रत्ययगता, द्वितीया पुन क्यङ्प्रत्ययगता । अस्मिन् द्वितीयोदाहरणे एव ‘कमलम्’ इत्यस्य स्थाने ‘पद्मम्’ इति ‘वदनायते’ उपमेय स्थाने ‘वक्त्रायते’ इति वा पाठे उपमानोपमेयवाचकभेद इति सर्वत्र वैलक्षण्यं दोषस्य नन्वगते । अन्यकारणमूलकमपि वैलक्षण्यं नन्भवति, तच्च त्वयमूहनीय सर्ववतल विन्मत्प्राप यत् महद्दयजनेद्वेगस्त्व एवेति दोषा अन्यथा नेति भावः ।

दोषस्वरूप का परिचय कराया जाता है—तत्र इत्यादि । यह उपमेयोपमा अलङ्कार उपमा अलङ्कार से मिश्रित ही हुवा करता है, अतएव इसको उपमा का ही प्रभेद ग्रन्थकार ने माना है । ऐसी स्थिति में वे सभी दोष इसके भी दोष कहे जायेंगे जा उपमा के दोष को गण्ये तथा विस्तार के अर्थ से न कहे जाने पर भी हो सकते हैं । इसके अतिरिक्त उपमेयोपमा का एक स्वतन्त्र दोष भी होता है, वह यह कि एक उपमा से दूसरी उपमा में किसी तरह की विलक्षणता का होना, तात्पर्य यह कि—उपमेयोपमा में दो उपमायें रहनी हैं उन दोनों में विलक्षणता नहीं रहनी चाहिए अर्थात् उन दोनों उपमाओं को एक ही तरह की होनी चाहिए, तभी चमत्कार माना है—पृथक् अलङ्कार माना जा सकता है, अत यदि उन दोनों उपमाओं में किसी तरह की विलक्षणता का जायगी, तब वह दोष नमता जायगा, जैसे—‘कमलमिव—’ अर्थात् इन त्रीं का तुल्य कमलमा है और कमल, इसके सुगंध के तुल्य है । यहाँ ‘इव (मा)’ शब्द से बोधित होने के कारण प्रथम उपमा श्रौती है और ‘सम (तुल्य)’ शब्द से बोधित होने के कारण द्वितीय है अर्थात् । यह उन दोनों उपमाओं में विलक्षणता है । ‘कमलति—’ अर्थात् उम नायिका का वदन कमलमा अलङ्कार करता है और कमल सुगंधमा । यहाँ एक उपमा ‘किप्’ प्रत्यय के द्वारा अलङ्कार होता है और दूसरी ‘क्यङ्’ प्रत्यय के द्वारा । यह विलक्षणता है । इसी तरह यदि हम पद्य में एक तरह ‘पद्म वदनायते’ अथवा ‘कमल वक्त्रायते’ बना दिया



जाय, तब उपमान-वाचक और उपमेय-वाचक शब्दों की विलक्षणता हो जायगी। इस तरह अनेक तरह से होनेवाली विलक्षणता, यदि सहृदयहृदयों में उद्वेग-एक प्रकार का वैमुख्य-को उत्पन्न करनेवाली हो, तब उसे दोष समझना चाहिए। तात्पर्य यह हुआ कि सहृदयजनोद्वेजक न होने पर कोई दोष नहीं होता।

प्रकरणसमाप्ति सूचयति—

इति रसगङ्गाधरे उपमेयोपमाप्रकरणम् ।

रसगङ्गाधरग्रन्थघटकोपमेयोपमाप्रकरणं समाप्तमिति भावः ।

रसगङ्गाधर में उपमेयोपमा का प्रकरण यहाँ समाप्त हुआ ।

इति रसगङ्गाधरचन्द्रिकायामुपमेयोपमाप्रकरणम् ॥



अनन्वयालङ्कारनिरूपण प्रतिजानीते—

अथानन्वयः—

अनन्वय इति । अनन्वयालङ्कारनिरूपणमित्यर्थः । अथेत्यस्यारभ्यते इत्यर्थः ।

अब अनन्वयालङ्कार का निरूपण आरम्भ होता है ।

लक्षण लिख्यते—

**द्वितीयसदृशव्यवच्छेदफलकवर्णनविषयीभूतं यदेकोपमानोपमेयकं सादृश्यं तदनन्वयः ।**

विशिष्ट सादृश्यम् अनन्वय, वैशिष्ट्यं च द्विधा, तत्रैक समानपदार्थप्रतियोग्यनु-योगिकत्वरूपम्, द्वितीयञ्च यस्य वर्णनेन द्वितीयसदृशपदार्थनिवृत्ति फलिता भवति, तादृशत्वमिति भावः ।

लक्षण दिखलाया जाता है—द्वितीय इत्यादि। उस सादृश्य का नाम 'अनन्वय' है जिसके वर्णन से दूसरे सदृश का निवारण फलित होता है और जिसका उपमान तथा उपमेय एक ही पदार्थ होता है।

लक्षणोऽनुक्तमपि अलङ्कारेति सज्ञासामर्थ्यावगम्यमान अर्थ स्फुटत्वायाह—

स च कस्याप्युपस्कारकत्वेऽलङ्कारः । अन्यथा तु शुद्धः ।

शुद्ध इति । स्ववैचित्र्यमात्रविश्रान्त इत्यर्थः । उक्तलक्षणलक्षितोऽनन्वयस्तदैव अलङ्कारपदव्यपदेश्यो भवेत्, यदा वाच्यव्यङ्गधान्यतरस्यार्थस्य शोभा जनयेत् । यत्र ताव जनयेत् तत्र पुन केवलोऽनन्वय एव स, नालङ्कार इति भावः ।

वह अनन्वय ( जिसका लक्षण ऊपर लिखा गया है ) तभी अलङ्कार कहलाता है—जब उसके द्वारा किसी अन्य ( वाच्य अथवा व्यङ्ग्य ) अर्थ की शोभा बढ़ती हो अन्यथा वह शुद्ध अनन्वय कहलायगा, अलङ्कार नहीं ।

पदकृत्य प्रदर्शयितु प्रत्युदाहरण निर्दिश्यते—

‘लोहितपीतैः कुसुमैरावृतमाभाति भूभृतः शिखरम् ।

दावज्वलनज्वालैः कदाचिदाकीर्णमिव समये ॥’

गिरिशिखरवर्णनम्—लोहितपीतैः अरुणपीतवर्णविशिष्टैः, कुसुमैः पुष्पैः, आवृतम् आच्छादितम्, भूभृत पर्वतविशेषस्य, शिखर सानु, कदाचित् कस्मिंश्चित्, समये काले, दावस्य वनीयस्य, ज्वलनस्य वहे, ज्वालैः ज्वालाभिः, वनाप्रितापैरिति यावत्, आकीर्णम् व्याप्तम्, ( स्वम् ) इव, आभाति प्रतीयत इत्यर्थः ।

लक्षण में जोड़े गए विशेषणों के फल दिखलाने के लिये प्रत्युदाहरण का निर्देश किया जाता है—लोहित इत्यादि । लाल-पीले फूलों से आच्छादित पर्वत का शिखर, किसी समय वनाग्नि की ज्वालाओं से व्याप्त सा प्रतीत होता है । तात्पर्य यह कि किसी समय वनवह्नि के ताप से व्याप्त रहने पर पर्वत-शिखर जैसा दीखता रहा होगा, आज वंसा ही लाल-पीले फूलों से आच्छादित रहने पर दिखाई पड़ता है ।

उपपादयति—

अत्र लोहितपीतकुसुमावृत भूमृत. शिखरं स्वेनैव कस्मिंश्चित् समये दाव-  
ज्वालाकीर्णनोपमीयते, इति तत्सादृश्यवारणाय भूतान्तम् ।

‘लोहितपीतं —’ इति पद्ये पर्वतशिखररूपैकपदार्योंपमानोपमेयकं सादृश्यं यद्यपि प्रतीयते, तथापि नायमनन्वय, तस्य सादृश्यस्य द्वितीयसादृश्यवच्छेदफलवर्णनविषयी-  
भूतत्वाभावात् । तथा चैतादृशादृश्येऽनन्वयत्वापत्तिपरिहाराय लक्षणं भूतान्तविशेषण-  
प्रयोग इति भावः ।

उपपादन करते हैं—अत्र इत्यादि । ‘लोहितपीतं —’ इस पद्य में ‘लाल-पीले फूलों से आच्छादित पर्वतशिखर’ की तुलना ‘किसी समय वनाग्नि की ज्वालाओं से व्याप्त’ अपने आपके साथ की गई है । ऐसा सादृश्य भी अनन्वय [न कहलावे इसलिये लक्षण में ‘द्वितीयसादृश्यवच्छेदफलवर्णनविषयीभूत’ यह सादृश्य का विशेषण जोड़ा गया है ।

स्फुटन्वाग प्रत्युदाहरणान्तरमाह—

इदं वा प्रत्युदाहरणम्—

‘नखकिरणपरम्पराभिराम किमपि पदान्दुरुहद्वयं सुरारेः ।

अभिनवसुरदीर्घिकाप्रवाहप्रकरपरीतमिव स्फुटं चकासे ॥’

कवि हरिचरणद्वय वर्णयति—नखकिरणानां नखकान्तीनाम्, परम्परया श्रेण्या, अभि-  
राम मनोहरम्, किमपि अनिर्वचनीयम्, सुरारे हरे, पदान्दुरुहद्वय चरणकमलयुग-  
लम्, अभिनवस्य लयतिकालावच्छिन्नस्य, सुरदीर्घिकाया गङ्गाया, प्रवाहस्य, प्रकारेण  
नमूढेन, परीतम् व्याप्तम् ( स्वम् ) इव, स्फुटं स्पष्टम्, चकाने शुशुभे इत्यर्थः ।

स्पष्ट बोध के लिये दूसरे प्रत्युदाहरण का निर्देश किया जाता है—इदं वा इत्यादि ।  
अथवा उक्त भूतान्त विशेषण का फल इस पद्य में समझना चाहिये—‘भगवान् का  
अनिर्वचनीय चरणकमलयुगल, नखकिरणों की श्रेणी से मनोहर होकर उसी प्रकार  
शोभित हुआ, जसे (जय गङ्गा उन चरणों से निकल रही थी उस समय में) नवीन गङ्गा  
प्रवाहमग्नू से व्याप्त होकर वह शोभित होता था ।’

उपपादयति—

अत्रापि नखकिरणपरम्पराभिराम हरे पदान्दुजं स्वात्मनैव सुरदीर्घिका-  
प्रवाहप्रकरपरीतेनोपमीयते ।

‘नखकिरण—’ इति श्लोकेऽपि हरिपदान्दुरुगुलनेव नखकान्तिपङ्क्तिमनोहरलाविशि-  
ष्टवेनोपमेयम्, गङ्गाप्रवाहसमूहव्याप्तवेनोपमानं प्राप्ति तथा चैकोपमानोपमेयकसादृश्यस्य  
न्यिन्त्रिस्त स्फुटा । परन्तु पूर्वोक्तभूतान्तविशेषणार्थयोगात्सात्रानन्वयाल्लक्षणत्वमिति भावः ।

उपपादन किया जाता है—अत्रापि इत्यादि । ‘नखकिरण—’ इस पद्य में भी ‘नख-  
कान्ति’ की पङ्क्ति से मनोहर हरिचरणकमलों की तुलना ‘गङ्गा के नवीन प्रवाहसमूह  
से व्याप्त’ अपने आपके साथ की गई है, अतः एक उपमान-उपमेय वाला सादृश्य-  
यद्यपि यहाँ है, तथापि यह अनन्वय नहीं कहला सकता, क्योंकि उक्त ‘भूतान्त’ विशेषण  
का अर्थ यहाँ नहीं घटना ।

ननु वर्णनकाले भगवच्चरणयोर्गङ्गाप्रवाहपरीतत्वाभावे तद्विशिष्टत्वेनासत् एव तस्योपमानत्वकल्पने सदुपमान नास्तीति द्वितीयसदृशव्यवच्छेद प्रतीयत एवेत्यत आह—

सम्प्रति सुरदीर्घिकाप्रवाहेण भगवत्पादाम्बुरुहस्य सम्बन्धाभावात्सुरनिम्न-  
गोत्पत्तिकालावच्छिन्नस्य तस्योपमानतावगमायाभिनवेति प्रवाहविशेषणम् ।

वर्णनसमये भगवच्चरणयोर्गङ्गाप्रवाहसम्बन्धो नास्तीति यद्यपि सत्यम् तथापि यस्मिन् काले भगवच्चरणाभ्या गङ्गा निःसृता, तस्मिन् काले तत्र तत्सम्बन्ध आसीत्, एवम् गङ्गानिरूसरणकालीनभगवच्चरणयुगलस्यैवोपमानता विवक्षिता, अत एव प्रवाहेऽभिनवेति विशेषण योजितम् । तथा च नासत् उपमानता न वा द्वितीयसदृशव्यवच्छेद इति भावः ।

वर्णन के समय में हरिचरणों में वस्तुतः गङ्गाप्रवाह का सम्बन्ध है नहीं, ऐसी स्थिति में उसके सम्बन्ध से युक्त हरिचरण असत् अतएव कल्पित उपमान होगा, फिर तो यहाँ 'सत् उपमान नहीं है' इस रूप में द्वितीय सदृश का निवारण ज्ञात होगा ही, इस शङ्का का समाधान किया जाता है—सम्प्रति इत्यादि । अभिप्राय है कि—वर्णनकाल में भले ही हरिचरणों में गङ्गाप्रवाह का सम्बन्ध न हो पर जब उन चरणों से गङ्गा उत्पन्न हुई थी, तब तो वह था, ऐसी स्थिति में गङ्गोत्पत्तिकालिक हरिचरण को ही यहाँ उपमान कहा गया है यह समझना चाहिए, अतएव गङ्गाप्रवाह में 'अभिनव' विशेषण दिया गया है । इस उत्तर से उक्त शङ्का समाप्त हो जाती है क्योंकि अब असत् उपमानवाली बात नहीं रही ।

ननु पूर्वोक्तपद्ययुगलेऽनन्वयालङ्कार कुतो नाङ्गीक्रियते इत्यत आह—

न ह्यत्र सादृश्यवर्णनस्य फलं द्वितीयसदृशचारिव्यवच्छेदः तस्याप्रतिपत्तेः ।

सदृशवर्णनस्य । अत्र 'अनन्वयार्थनिबन्धनवशाद्धि द्वितीयसदृशव्यवच्छेद' फलति । न हि धर्मान्तरावच्छिन्नस्य धर्मान्तरावच्छिन्नेन साधर्म्यमनन्वयि । अत एवोपमेयतावच्छेदकोपमानतावच्छेदकयोर्भेद एव साधर्म्यघटको न तु धर्मिणो इत्युक्तं प्राक् । एव चानन्वयार्थनिबन्धनप्रयोज्यद्वितीयसदृशव्यवच्छेदफलकसादृश्यवर्णनमनन्वय । एकोपमानोपमेयकत्वविशेषण चात्रैवार्थे तात्पर्यग्राहकम् । अन्यथा धर्मिभेदादेव तत्र वारण्येन तद्वैयर्थ्यं स्पष्टमेवेति भावः । इति नागेश । 'लोहितपीतै —' 'नखकिरण—' इति च पद्यद्वये उपमानोपमेयभूतयोर्धर्मिणोरेकत्वेऽपि उपमेयतावच्छेदकोपमानतावच्छेदकयोर्भेदेन परस्परसादृश्यस्यान्वयो नासङ्गतः, तथा च न द्वितीयसदृशव्यवच्छेदस्तादृशसादृश्यवर्णनफल-भूत प्रत्येतु योग्य इति भावः ।

प्रयुदाहरणरूप में ऊपर कहे गए दोनों पद्यों में अनन्वय माना ही क्यों न जाय इसका उत्तर अब स्पष्ट रूप में कहा जाता है—न ह्यत्र इत्यादि । तात्पर्य यह है कि—ऊपर के दोनों श्लोकों में से किसी में भी अनन्वय नहीं माना जा सकता क्योंकि यहाँ द्वितीय सदृश की निवृत्ति फलित नहीं होती और अनन्वय वहीं माना जाता है जहाँ सादृश्य वर्णन से द्वितीय सदृश की निवृत्ति फलित होती है । आप कहेंगे—कहीं द्वितीयसदृश-निवृत्ति की प्रतीति फलरूप में क्यों होती है और यहाँ क्यों नहीं होती ? द्वितीयसदृश-निवृत्ति की इस प्रतीति में क्या रहस्य है ? तो मैं कहूँगा कि—जहाँ दो पदार्थों का सादृश्य वर्णित होता है वहीं उस सादृश्य का वस्तुतः अन्वय होता है और जहाँ एक ही पदार्थ का सादृश्य—अर्थात् अपना सादृश्य अपने में ही वर्णित होता है वहीं उस सादृश्य का अन्वय वस्तुतः नहीं होता—हो भी नहीं सकता, क्योंकि सादृश्य-पदार्थ भेद-घटित है । हाँ, अपना सादृश्य भी अपने में अन्वित हो सकता है—होता भी है, यदि उस अपने भाप का वर्णन दो रूपों से किया गया हो—अर्थात् उपमान और उपमेय के एक रहने पर भी यदि उपमानतावच्छेदक तथा उपमेयतावच्छेदक (वही रूप) दो हों

तो सादृश्य का अन्वय होता है, उपमान-उपमेय भी यदि दो रहें तब तो और अच्छा । हम विवेचन में यह मित्र हुआ कि जहाँ उपमान उपमेय अथवा उपमानतावच्छेदक उपमेयतावच्छेदक भिन्न-भिन्न रहेंगे, वहाँ सादृश्य का अन्वय होने में किसी तरह की बाधा नहीं होगी, अतएव वैसे स्थलों में द्वितीय सदृश की निवृत्ति अवगत नहीं होगी, पर जहाँ उन दोनों में से एक भी भिन्न-भिन्न नहीं होंगे, वहाँ का ( अपने में अपना ही ) सादृश्य अन्वित नहीं हो सकता, फिर भी जो उस तरह का सादृश्य वर्णित होता है, उसका फल यह ज्ञात हो जाता है कि इसका सादृश्य किसी दूसरे पदार्थ में नहीं है । यह तो हुआ वस्तुस्थिति का विश्लेषण । अब आप इस विश्लेषण के आधार पर विचार करें तो स्पष्ट हो जायगा कि ऊपर के दोनों पदों ( 'लोहितपीतै —' और 'नखकिरण—' ) में द्वितीय सदृश की निवृत्ति क्यों नहीं ज्ञात होती और कहीं क्यों वह ज्ञात होती है— अर्थात् उन दोनों पदों में क्रमशः पर्वतशिखर और हरिचरण ये एक ही पदार्थ उपमान और उपमेय दोनों हैं अवश्य, पर उपमानतावच्छेदक और उपमेयतावच्छेदक एक नहीं भिन्न हैं, तात्पर्य यह है कि—प्रथम पद्य में पर्वतशिखर, पुष्पाच्छादितरूप में उपमेय है, और वनाग्निव्यासरूप में उपमान, इसी तरह द्वितीय पद्य में हरिचरण, नखकान्ति मनोहररूप में उपमेय है और गङ्गाप्रवाह व्यासरूप में उपमान अतः इन दोनों स्थलों में अपने आप का भी अपने आप में सादृश्य अनन्वयी नहीं होगा, ऐसी दशा में द्वितीय सदृश की निवृत्ति ज्ञात नहीं होगी ।

एवोपमानोपमेयकेति विशेषणव्यावर्त्यमाह—

‘स्तनाभोगे पतन् भाति कपोलात्कुटिलोऽलकः ।

सुधाशुविम्बतो मेरौ लम्बमान इवोरगः ॥’

अस्यार्य प्रागुल्लिखित ।

‘एक उपमान उपमेयवाला’ इस विशेषण का फल दिखलाया जाता है—स्तनाभोग इत्यादि । इस पद्य की व्याख्या पहले की जा चुकी है ।

उपपाठ्यति—

इति कल्पितोपमानिकायामुपमायामतिप्रसङ्गवारणार्थैकोपमानोपमेयकमिति । अत्रासत् उपमानस्य कल्पनया सदुपमान नास्तीति द्वितीयसदृशव्यवच्छेदस्यास्ति प्रतीतिः ।

इति पूर्वपद्यपरामर्शकः । असत् इति । तथा च धर्मिभेदोऽत्र स्पष्टः । नास्तीति ।

अन्यथा तत्पर्यन्तानुधावन व्यर्थं स्यादिति भावः । ‘स्तनाभोगे—’ इति पद्ये उपमानतया वर्णित सुधाशुविम्बावधिरूपपर्वताधिकरणकलम्यनकर्तृत्वविशिष्ट उरगो न नन् अप्रमिद्धत्वात् । तथा चासत् एव तादृशस्य तन्व्योपमानता कल्प्या । एव चोपमेयतया वर्णितस्य रूपोत्पन्नद्विगतनाभोगाधिकरणकल्पनकर्तृत्वविशिष्टस्य नतोऽलकरूपस्योपमेयस्य सदुपमान नास्तीति प्रतीतिर्दुर्लभत्वात्, अन्यथा सदुपमान परिहायानदुपमानस्य कल्पना प्रसरमेव न लभेत । तथा च ‘लोहितसदृशव्यवच्छेद’ प्रतीतिमान लक्षणघटमान्यथा सुम्बत्येव, अन्वय एवोपमानोपमेयकेति सादृश्यविशेषणान्य व्यावृत्ति उरगाल्क्योरुपमानोपमेययोर्भिन्नत्वमिति भावः ।

उपपाठन क्रिया ज्ञाता है—इति इत्यादि । ‘स्तनाभोगे—’ इस पद्य की कल्पित उपमायानी उपमा में अतिव्याप्तिवारण करने के लिये लक्षण में ‘एक उपमान उपमेय’ ( अर्थात् सादृश्य का विशेषण दिया गया है । तात्पर्य यह कि—इस पद्य में असत् ( अर्थात् अमान्यिक ) उपमान की कल्पना की गई है—अर्थात् चन्द्रमण्डल में मेरुपर्वत पर उरगता हुआ सर्प वस्तुतः समार में प्रमिद्ध नहीं है, फिर जो उसका उपमानतया में

वर्णन किया गया है वह केवल कल्पना के आधार पर, अतः इस तरह के उपमान की कल्पना से यह बात सिद्ध हो जाती है कि—कपोलतट से स्तनतट पर लटकते हुए कुटिल केशरूप उपमेय का वास्तविक उपमान ससार में नहीं है, और जब यह बात सिद्ध हो जायगी, तब यह समझने में कोई बाधा नहीं रहेगी कि इस सादृश्य वर्णन से द्वितीय सदृशपदार्थ की निवृत्ति फलित होती है। इस तरह से यद्यपि लक्षण का अन्य भाग यहाँ सङ्घटित होता था पर सादृश्य के विशेषणरूप में जो लक्षण का 'एक उपमान उपमेयवाला' यह भाग है उससे इसका वारण हो जाता है, कारण, यहाँ उपमान-उपमेय एक नहीं अपितु दो हैं—अर्थात् उपमान है साँप और उपमेय अलक।

उदाहरण दर्शयितुमाह—

उदाहरणममृत( पीयूष )लहरीख्ये मदीये गङ्गास्तवे—

गङ्गास्तुतिमये पण्डितराजरचिते अमृतलहरीनामके निबन्धेऽनन्वयालङ्कारोदाहरणभूतं पद्यमिदमिति भाव ।

उदाहरण दिखलाने के लिये कहा जाता है—उदाहरण इत्यादि। पण्डितराजरचित अमृतलहरी नामक गङ्गास्तोत्र का निम्नलिखित पद्य 'अनन्वय' अलङ्कार का उदाहरण है

उदाहरण निर्दिश्यते—

‘कृतक्षुद्राघौघानथ सपदि सन्तप्तमनसः,  
समुद्धर्तुं सन्ति त्रिभुवनतले तीर्थनिवहाः ।  
अपि प्रायश्चित्तप्रसरणपथातीतचरितान् ,  
नरानूरीकर्तुं त्वमिव जननि त्वं विजयसे ॥’

हे जननि मातर्गङ्गे ! कृत क्षुद्राणा लघूनाम् , अघानां पापानाम् , श्लोघ समूहो यैस्तान् , अथ अल्पपापकरणानन्तरम् , सपदि तत्कालमेव , न तु कालान्तरे , प्राक्तन-पुण्योदयादिति भाव , सतप्तमनस पापतापाकुलचेतस , नरान् , समुद्धर्तुम् पापेभ्यो मोचयितुम् , त्रिभुवनतले त्रिलोक्या , तीर्थनिवहा तीर्थस्थानानि काशीप्रयागादीनि, सन्ति । किन्तु प्रायश्चित्ताना पापनाशकानुष्ठानानाम् , प्रसरणानि प्रसङ्गा , यत्र तादृशा ये पन्थान मार्गा , तत अतीतानि दूरङ्गतानि , चरितानि चरित्राणि , येषाम् तान् प्रायश्चित्त प्राप्तिविषयत्वाक्रान्ताचरणकान् इति यावत् , अपि , नरान् मनुष्यान् , ऊरीकर्तुं निष्पापत्वेन स्वीकर्तुम् , त्वम् इव त्वं , विजयसे सर्वोत्कृष्टासि इत्यर्थः । नराणां स्वल्पानि पापानि तीर्थान्तरसेवनेनापि शाम्यन्ति किन्तु महापापानि तु तव ( गङ्गाया ) सेवनेनैव नश्यन्तीति भाव ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—कृत इत्यादि। हे मातः गङ्गे ! छोटे छोटे पाप समूह को कर लेने के बाद तुरत मन में एक प्रकार के ताप का अनुभव करने वाले मनुष्यों का उद्धार करने के लिये त्रिभुवन में तीर्थों का एक विशाल समुदाय तैयार है पर प्रायश्चित्तों की पहुँच से बाहर—अर्थात् जिनके प्रायश्चित्त हो ही नहीं सकते ऐसे—चरित्रवालों को भी—महापापियों को भी—निष्पाप बनाकर अपनाते वाली तेरी जैसे तू ही है। तात्पर्य यह कि महापापियों को भी अपनाते के विषय में तेरी तुलना दूसरों से हो नहीं सकती—इस विषय में तू ही सर्वोत्कृष्ट है।

उदाहरणान्तरं दातुमाह—

यथा वा—

अथवा जैसे—

उदाहरण निर्दिश्यते—

‘इयति प्रपञ्चविषये तीर्थानि कियन्ति सन्ति पुण्यानि ।  
परमार्थतो विचारे देवी गङ्गा तु गङ्गैव ॥’

इयति एतावति, निरवधाविति भाव, प्रपञ्चविषये विषयरूपे सत्तारे, पुण्यानि पवित्राणि, कियन्ति श्रमणितानीति वाच्य, तीर्थानि, सन्ति, तेषां पवित्रताया काऽपि विप्रतिपत्तिर्नास्ति, किन्तु परमार्थत वस्तुतः, विचारे विवेके, क्रियमाणे इति शेष, गङ्गा देवी इव दिव्या सुरनिम्नगा, इव, तु पुन, गङ्गा एवेत्यर्थ ।

उदाहरण का निदेश किया जाता है—इयति इत्यादि। इतने चडे सत्तार में पवित्र तीर्थ कितने हैं—उनकी इयत्ता नहीं, उनकी पवित्रता में किसी तरह का सन्देह नहीं। पर वास्तविक विचार करने पर गङ्गा देवी जैसी तो गङ्गा देवी ही है—उनकी तुलना दूसरे से नहीं।

उदाहरणान्तरदाने बीजमाह—

पूर्वपद्ये वाच्योऽनुगामी धर्म । इह तु व्यङ्ग्य इति विशेषः ।

‘इतद्धुद्रा—’ इति प्रथमोदाहरणे ‘इयति—’ इति द्वितीयोदाहरणे च सर्वोत्कर्षरूप एव अनुगामी साधारणधर्म परन्तु प्रथमस्थले स ‘विजयसे’ इति तिङन्तपदवाच्य, द्वितीयस्थले पुन वाचकविरहाद् व्यङ्ग्य इति भाव । एतद्वैलक्षण्यस्फोरणार्थोदाहरणान्तरदानमिति गाराण ।

द्वितीय उदाहरण दिग्बलाने में बीजभूत विलक्षणता का स्पष्टीकरण करते हैं—पूर्व इत्यादि। उक्त दोनों उदाहरणों में यद्यपि साधारणधर्म एक ही है अनुगामी ‘सर्वोत्कर्ष’, परन्तु प्रथम में वह धर्म ‘विजयसे’ पद से वाच्यरूप में उपस्थित हुआ है और द्वितीय में वाचक का अभाव होने से वह व्यङ्ग्यरूप में ज्ञात होता है। इसी विलक्षणता को दिखलाने के लिये द्वितीय उदाहरण दिया गया है।

द्वितीयोदाहरणघटक ‘तु’ पदप्रतीयमान विशेष स्फुटीकर्तुमाह—

तुशब्दोऽय तीर्थान्तरेभ्यो वैलक्षण्य प्रतिपादयस्तत्प्रयोजक भगवद्वासुदेवात्मकत्व धर्म श्रीगङ्गायां व्यनक्ति ।

‘त्वन्तायादि न पूर्वभाक् ।’ इति कौशातुशामनानुमार ‘तु’ शब्दो वाच्यवृत्त्याऽन्येभ्यन्तांभ्यो गङ्गाया भेद बोधयति । तद्भेदनिदानभूत विष्णुरूपत्व पुनस्तत्र व्यङ्ग्यवृत्त्याऽवगमयतीति भाव ।

द्वितीय उदाहरण में पठित ‘तु’ शब्द से अभिव्यक्त होनेवाले विशेष का उल्लेख किया जाता है—तुशब्दोऽयम् इत्यादि। ‘त्वन्तायादि न पूर्वभाक्—अर्थात् ‘तु’ ‘अन्त’ और ‘अथ’ पद पूर्व का भजन नहीं करते—पूर्व में भेद बतलाते हैं’ इस कोश के अनुसार द्वितीय पद में पठित ‘तु’ शब्द अन्य तीर्थों की अपेक्षा गङ्गा में विलक्षणता (भेद) का बोध अभिधावृत्ति के द्वारा कराता है पर साथ ही उस भेद को मिट्ट करनेवाला विष्णुरूपस्वरूप धर्म का बोध भी उसमें व्यङ्ग्यवृत्ति के द्वारा विदित कराता है।

उपरितनोदाहरणयोरुपमितम्यानन्वयस्याल्लक्षण्य निगमयति—

उभयत्रापि श्रीगङ्गाविषयकरत्युपस्कारकत्वात्तद्गङ्गारोऽयम् ।

नास्ति । उच्यते । उपस्कारकत्वात् । अथ अनन्वय उपरितने नोपपत्तिरिति गणान्तुर्ता प्रवृत्ते, अत उभयत्र गङ्गाविषयिणां क्विरिति प्रथानतया व्यास । वाच्यमानन्वय ता रति पुनःशब्दद्वारभाव भजत इति भाव । एतेन ‘वाक्यायां-परन्परन्वयम्’ शब्दद्वारतामानन्वयत्वात् नान्वयितम् ।

ऊपर के दोनों उदाहरणों में वर्णित 'अनन्वय' अलङ्काररूप कैसे होता है इसका स्पष्टीकरण किया जाता है—उभयत्रापि इत्यादि । ऊपर के दोनों ही पद्य गङ्गा की स्तुति में रचे गये हैं, अतः उन दोनों पद्यों से गङ्गा के विषय में कवि का प्रेम ( भाव ) प्रधान रूप से अभिव्यक्त होता है, वही यहाँ काव्यजीवातुभूत अर्थ है और उस अर्थ को (कविनिष्ठगङ्गाविषयक रति को) पुष्ट करनेवाले के रूप में वाच्य होने के कारण 'अनन्वय' होता है अलङ्काररूप, क्योंकि 'अलङ्करोति इति अलङ्कारः' दूसरे को अलङ्कृत करता है इसलिये 'अलङ्कार' कहा जाता है ।

अनन्वये बिम्ब-प्रतिबिम्बभावापन्नसाधारणधर्मस्यासम्भावना सूचयति—

बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नो धर्मस्त्वत्र नास्ति । तस्मिंश्च सति किञ्चिद्धर्मावच्छिन्नेन स्वेन सादृश्यस्य धर्मान्तरावच्छिन्ने स्वस्मिन्नन्वये बाधकाभावात्सदृशान्तरव्यवच्छेदाप्रतिपत्तेश्चानन्वय एव न स्यात् ।

अत्रेति । अनन्वयालङ्कार इत्यर्थ । बाधकाभावादिति । अवच्छेदकभेद एव सादृश्य-शरीरप्रविष्टो न तु धर्मिभेद इति भाव । यो वाक्यालङ्कारे हेतौ वा । अनन्वये बाधकाभावो हि सदृशान्तरव्यवच्छेदाप्रतिपत्तौ हेतु । अयं भाव — उपमानोपमेयघटिततयानन्वयेऽपि साधारणधर्मस्तिष्ठति परन्तु सोऽत्र बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नो न भवितुमर्हति, यतः उपमानविशेषणीभूत उपमेयविशेषणीभूतश्च पृथक् पृथक् धर्म एव तु मिलित्वा बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नो भवति, एवञ्च भिन्नधर्मावच्छिन्नस्वात्मकोपमाननिरूपितसादृश्यस्य भिन्नधर्मावच्छिन्नस्वात्मकोपमेयेऽन्वयोऽबाधित, 'स्वस्य स्वस्मिन् सादृश्यम् न भवति' इत्यस्य स्वावच्छेदकयोरेक्ये तन्न भवतीत्यर्थस्य प्रागुपपादितत्वात् । अबाधिते च तथान्वयेन सदृशान्तरव्यावृत्तिं फलेत्, अफलिताया च तस्यां नानन्वय प्रतीतिपथमवतरेत् इति बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नधर्मस्थलेऽनन्वयो न भवतीति सिद्धम्, तथा चानन्वयालङ्कारे साधारणधर्मो बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नो न भवतीति ।

'अनन्वय' में साधारणधर्म बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नरूप नहीं हो सकता इस बात का उपपादन अब करते हैं—बिम्ब इत्यादि । उपमानोपमेयभाव से युक्त होने के कारण अनन्वयालङ्कार में भी साधारणधर्म रहता अवश्य है, पर वह अनुगामी, आरोपित आदि प्रकार का ही हो सकता है बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न नहीं । कारण, बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न धर्मवाले स्थलों में अनन्वय ही नहीं हो सकेगा । अभिप्राय यह है कि—जहाँ उपमान और उपमेय एक ही पदार्थ हो और उपमानताकाल में तथा उपमेयता काल में उस एक पदार्थ का ही विशेषण भिन्न-भिन्न, पर समानधर्म हो, वहीं तो बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न धर्मवाले अनन्वय की सम्भावना हो सकती थी, पर वैसे स्थलों में अपना सादृश्य भी अपने में अन्वित होता ही है, क्योंकि वैसे अनन्वय में बाधा तो यही उपस्थित की जाती है कि 'सादृश्य' भेदघटित पदार्थ है फिर अपने में अपने सादृश्य का अनन्वय कैसे होगा ? पर यह बात कुछ है नहीं, क्योंकि सादृश्य में वस्तु का नहीं अपितु वस्तु के विशेषणीभूत धर्म का भेद रहना चाहिए यह पहले कहा चुका है, और विशेषणीभूत धर्म का भेद वैसे स्थलों में नियमत रहेगा ही । ऐसी स्थिति में—जब कि अपना सादृश्य भी अपने में अन्वित हो जायगा तब—द्वितीय सदृश की निवृत्ति उस सादृश्यवर्णन से फलित होगी नहीं क्योंकि वह सादृश्य के अनन्वय न हो सकने के कारण ही फलित होती है और जब वह फलित नहीं होगी तब 'अनन्वय' माना नहीं जा सकेगा । कारण, वही उसका जीवन है । फलतः यह सिद्ध हुआ कि अनन्वयस्थल में साधारण धर्मबिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न नहीं हो सकता ।

अनन्वयभेदानाह—

न च पूर्णो लुप्रश्चेति तावद्द्विविधः । पूर्णस्तूपमावन्न षड्विधोऽपि सम्भवति ।  
न च अनन्वयश्च । तावत् आदौ । षड्विधोऽपीति । श्रौतार्ययोस्तयो प्रत्येक वाक्य-  
नमानतदित्गामिन्नेति भावः ।

अत्र 'अनन्वय' के भेद कहे जाते हैं—म च इत्यादि । अनन्वय प्रथमत दो प्रकार का होता है—एक 'पूर्ण' और दूसरा 'लुम' । पूर्ण अनन्वय उपमा की तरह छहों प्रकार का हो सकता है ।

पूर्णानन्वयभेदानुदाहर्तुमाह—

यथा—

पूर्णानन्वयभेदा प्रदर्शयन्ति इति भावः ।

पूर्ण अनन्वय के भेद । जैसे—

उदाहरणानि नार्धपरयेन निर्दिश्यन्ते—

'गङ्गा ह्यद्या यथा गङ्गा, गङ्गा गङ्गेच पावनी ।

हरिणा नदशो बन्धुर्हरितुल्यः परो हरिः ॥

गुरुवद् गुरुराराध्यो गुरुवद् गौरवं गुरोः ।'

निगद्व्याप्तात् । अत्रायचरणे श्रौतो वाक्यगः पूर्णः । द्वितीयचरणे समासगः श्रौतः पूर्णः । तृतीयचरणे आर्थो वाक्यगः पूर्णः । तुर्यचरणे समासगः आर्यः पूर्णः । पञ्चमचरणे 'तेन तुल्यम्-' इति वक्ते सत्त्वादायः च तद्वितगः पूर्णः । षष्ठ्यादे 'तत्र तस्येव' इति वक्ते मन्वान्श्रौतस्तद्वितगः पूर्णः इति बोध्यम् ।

उदाहरणों का निर्देश किया जाता है—गङ्गा इत्यादि । गङ्गा गङ्गा-भी सुन्दर है । गङ्गा गङ्गा भी पवित्र है । हरि के समान बन्धु हरि है । हरि के समान उच्छृष्ट हरि है । गुरु गुरु की तरह मेघ है । गुरु का गौरव गुरु का-सा है । यहाँ प्रथम चरण में श्रौत वाक्यगत, द्वितीय चरण में श्रौत समासगत, तृतीय चरण में आर्थ वाक्यगत, चतुर्थ चरण में आर्थ समासगत, पञ्चम चरण में 'तेन तुल्यम्' सूत्र से 'वति' प्रत्यय होने के कारण आर्थ तद्वितगत और षष्ठ चरण में 'तत्र तस्येव' सूत्र से 'वति' प्रत्यय होने के कारण श्रौत तद्वितगत पूर्ण अनन्वयालङ्कार है ।

लुमनन्वयभेदानाह—

लुमेष्वपि धर्मलुम षड्विधोऽपि सम्भवति, प्रागुक्ते सार्वपद्ये धर्मवाचक-  
पदमपहार पदान्तरदाने ।

धर्मलुमनन्वयभेद पूर्ववत् पत्र प्रकारा भवितुमर्हन्ति । तेषामुदाहरणानि च पञ्चोक्त-  
सार्वपद्ये धर्मनो धर्मवाचकाना एव पावन बन्धु-पर आराध्य-गौरवदाना स्थानेषु अन्येषा  
पदाना निवेशो न्ययनूतनीयान्ति भावः ।

अथ लुम अनन्वय के भेद दिखलाने जाते हैं—लुमेष्वपि इत्यादि । लुमभेदों में भी लुम अनन्वय पाँचों प्रकार का—अर्थात् श्रौत वाक्यगत, आर्थ वाक्यगत, श्रौत समासगत, आर्थ समासगत, और आर्थ तद्वितगत—हो सकता है । इन भेदों के उदाहरण ऊपर लिखे गए हैं पद्य में ही धर्मवाचक—दृष्ट, बन्धु, पर, आराध्य और गौरव-पदों के स्थान में अन्य पदों का समावेश कर देने पर समझ जा सकते हैं ।

वाचकलुम—

वाचकलुम—

'शामायनायः श्रीरामः नीता नीतामनोहरा ।



ममान्तःकरणे नित्यं विहरेतां जगद्गुरु ॥'

इत्यत्र क्यङ्समासयोः ।

'रामसदृशाचरणकर्ता श्रीरामचन्द्र' तथा सीतासमा सुन्दरी सीता इतीमौ द्वावपि जगतो गुरु ( मातापितरौ ) सदा मम हृदये विहारं कुर्वताम्' इत्यर्थकस्य 'रामाय-माण —' इति पद्यस्य रामाशे क्यङ्प्रत्ययगतस्य सीताशे च समासगतस्य अनन्वया-लङ्कारस्योदाहरणो द्रष्टव्ये इति भावः ।

वाचकलुप्त अनन्वय का उदाहरण दिखलाया जाता है—वाचकलुप्त इत्यादि । 'रामायमाणः—अर्थात् राम के सदृश आचरण करने वाले श्रीरामचन्द्र जी और सीता के समान सुन्दरी श्रीसीताजी—दोनों जगत् के गुरु ( माता-पिता ), मेरे अन्तःकरण में, सदा, विहार करते रहें ।' इस पद्य के राम अंश में 'क्यङ्'प्रत्ययगत और सीता अंश में 'समास-' गत वाचकलुप्त अनन्वयालङ्कार के उदाहरण मिलते हैं । तात्पर्य यह कि—सादृश्यवाचक 'क्यङ्' प्रत्यय का तथा इवादि का क्रमशः यहाँ लोप ( अदर्शन ) हुआ है ।

वाचकलुप्तमेव पुनरन्यथोदाहरति—

'लङ्कापुरादतितरां कुपितः फणीव  
निर्गत्य जातु पृतनापतिभिः परीतः ।  
क्रुद्ध रणे सपदि दाशरथि दशास्यः  
संरब्धदाशरथिदर्शमहो ददर्श ॥'

कविलङ्कारणं वर्णयति—जातु कदाचित्, पृतनापतिभिः सेनापतिभिः, परीतो व्याप्तः, दशास्यो रावण, अतितराम् अत्यन्तम्, कुपितः क्रुद्धः, फणी सर्प, इव, लङ्कापुरात् लङ्काभिधानगरात्, निर्गत्य निस्सृत्य, सपदि तत्कालमेव, रणे युद्धे, दाशरथिं रामचन्द्रम्, संरब्धदाशरथिदर्शम् क्रुद्धरामचन्द्रमिव, ददर्श दृष्टवान् इत्यर्थः । अत्र 'संरब्धदाशरथि-दर्शम्' इत्यत्र संरब्धदाशरथिरिव दृश्यते इत्यर्थे कर्मणि णमुल्प्रत्ययो भवति, अतः कर्मार्थ-कणमुल्प्रत्ययगतवाचकलुप्तानन्वयोदाहरणं पद्यमिदं सम्पद्यत इति भावः ।

कर्मार्थकणमुल्प्रत्ययगत वाचकलुप्त अनन्वय का उदाहरण दिखलाते हैं—लङ्का-पुरात्—इत्यादि । कवि लङ्का में होनेवाले युद्ध का वर्णन करता है—किसी समय, सेनापतियों से परिवेष्टित रावण ने, अत्यन्त कुपित सर्प की तरह, लङ्कापुरी से निकल कर, तत्काल, क्रुद्ध रामचन्द्र के समान क्रुद्ध रामचन्द्र को रण में, आश्चर्य से देखा ।—यहाँ 'संरब्धदाशरथिदर्शम्' में कर्म अर्थ में णमुल्प्रत्यय हुआ है, अतः णमुल्गत वाचकलुप्त अनन्वय का यह पद्य उदाहरण होता है ।

अन्यत्रापि वाचकलुप्तानन्वयलक्ष्यसम्भावनामाह—

एव कर्तृणमुत्तादावप्यूह्यम् ।

पूर्वोक्तकर्मार्थकणमुल्प्रत्यय इव कर्त्रर्थकणमुल्प्रत्यये ततोऽन्यत्र च वाचकलुप्तानन्वयालङ्कारः सम्भवतीति भावः ।

इसी तरह 'कर्तृ-णमुल्' आदि में भी वाचकलुप्त अनन्वयालङ्कार का ऊह कर लेना चाहिए ।

एकलुप्तमुदाहृत्य सम्प्रत्यनेकलुप्तानन्वयोदाहरणप्रसंगे प्रथम धर्मवाचकोभयलुप्त-

'अम्बरत्यम्बरं यद्वत्समुद्रोऽपि समुद्रति ।  
विक्रमार्कमहीपाल तथा त्वं विक्रमार्कसि ॥'

निष्पत्तम् ]

यद्वत् दया, अन्वर आनाग, अन्वरति आकाशति, मनुजोऽपि वारिधिरपि, मनुजनि वारिधिरिवाचरति, तथैव, हे विक्रमार्कमहीपाल विक्रमार्कनाम राजन् । त्वम्, विन्मार्गनि विन्मार्कं च आचरणि । आकाशसमुद्रमदृशौ यथा तावच्च तथा त्वत्तदृशस्त्वनैवेत्यर्थः ।

धर्मवाचक लुप्त अनन्वय जैसे—जम्बर इत्यादि । जैसे आकाश आकाशका-मा आचरण करता है और मनुज मनुजका-सा ( क्योंकि उनके समान दूसरे नहीं हैं ), वैसे ही है विक्रमार्क राजन् । तू भी विक्रमार्क के समान ही आचरण करता है ( तेरी तुलना करने वाला भी कोई नहीं है ) ।

उपशान्तनि—

अत्र वाक्यार्थावयवेष्वनन्वयेषु धर्मवाचकयोर्लोपः । मुख्यवाक्यार्थस्त्वनन्वयफलेन निरुपमत्वेन समानधर्मेण प्रयोजितो मालोपमैव । एषा च ज्ञानसौक र्याथात्रैव निरूपिता ।

ननु षोडशी वाक्यार्थो यदवयवात्रयोऽनन्वया अत आह—मुञ्ज इति । मुख्य इत्यर्थः । ननु मालोपमाया इदंशो भेदो नैवास्ति पूर्वमनुत्त्वात्त आह—एषा चेति । मालोपना चेत्यर्थः । अत्रैवेति । अनन्वयप्रकरण एवेत्यर्थः । 'अन्वरत्यन्वरम्—' इति श्लोके 'अन्वरत् अन्वरनि', 'समुद्र मनुजति' तथा 'विक्रमार्क विक्रमार्कति' इति मुख्यवाक्यार्थावयवभूतानयोऽनन्वया । तेषु नवेषु सादृश्यवाचकस्य किंप्रत्ययस्य सावारणधर्मस्य च लोपः । एतदनन्वयप्रकृतितिनिरुपमत्वरूपसमानधर्मप्रयोजित 'यद्वत्-तथा'पदबोध्यार्थघटित प्रधानवाक्यार्थानु मालोपमारूप एव । यद्यपि अनन्वयनलीभूतानुपमत्वरूपसमानधर्मप्रयोजनमालोपमायाधर्वा उपमाप्रकरण एव कर्तुंरुचिता, तथापि अनन्वयज्ञानमन्तरा तदुपमानमन्वयेन तदधर्वात्र कृतेति भावः ।

उपशान्त किया जाता है—अत्र इत्यादि । यहाँ मुख्य वाक्यार्थ के अङ्गरूप में तीन अनन्वय बरतार हैं—पहला 'आकाश आकाश के समान' दूसरा 'समुद्र समुद्र के समान' और तीसरा 'विक्रमार्क राजा विक्रमार्क राजा के समान' । इन तीनों अनन्वयों में विनाहता आदि समानधर्म और सादृश्यवाचक 'किप् प्रत्यय' का लोप है । मुख्य वाक्यार्थ तो मालोपमारूप है जिसका प्रयोजक होता है उक्त तीनों अनन्वयों से फलित होनेवाला निरुपमत्वरूप समानधर्म । यह मालोपमा 'यद्वत्' और 'तथा' पद से अवगत होती है । आप कहेंगे—आपने उपमा के प्रकरण में, जिसमें अनन्वयफलित अनुपमता समानधर्मरूप हो ऐसी मालोपमा की चर्चा क्यों नहीं की ? हम कहते हैं—यह प्रश्न क्षाप्यता की है पर बिना अनन्वय के समझे ऐसी मालोपमा का समझना कठिन पडना और अत्र साहज में ही समझी जा सकती है, अत हम मालोपमा का निरूपण यहीं किया गया है । अत्र आप मालोपमा के प्रमेयों में यह एक भेद और समझ लाजिए ।

विष्णुनन्वय-सुमारनि—

एतावति प्रपञ्चेऽस्मिन् नदंशानुरसानुपे ।

वेनोपनीयतां तज्जै रामो रामपराक्रम ॥'

यद्यपि प्रपञ्च मालुगोति दृष्ट, तै नदिने, एतावति इच्छिशाले, अस्मिन्, प्रपञ्चो ह्येतां तज्जै रामपराक्रमे, रामपराक्रम रामवत् पराक्रमो जन्तेति बहुप्रोहि, न तदाशिते राम, केन उपमालेनेत्यर्थ, उपमाद्वयानु नोपमाने विक्रियताम् ? न तादृश-पराक्रमगर्वा इच्छित्तरी येन तस्य तदका इच्छेतेत्याम् ।

धर्मोपमान-वाचकलुप्त अनन्वय जैसे—एतावति इत्यादि । देवता, असुर और मनुष्यों से सहित इस इतने बड़े ससार में राम के स्वरूपको समझनेवाले लोग, राम के पराक्रम के समान पराक्रमवाले राम की, उपमा किससे दें ? जब उनके समान पराक्रम-शाली कोई है ही नहीं तब फिर उनकी उपमा किसी से बने कैसे ?

उपपादयति—

अत्र वाचकधर्मोपमानानां लोपः ।

‘एतावति—’ इति श्लोके सादृश्यवाचकस्य इवादे साधारणधर्मस्य उभयनिष्ठतया प्रतीयमानस्य पराक्रमादे’ उपमानवाचकस्य कस्यचित् व्यक्तिविशेषस्य च लोप । ननु ‘रामपराक्रम’पदमेवोपमानवाचकमिति चेन्न, तस्य उपमेयविशेषणतयोपमानबोधकत्वविरहात् इति भाव ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि । ‘एतावति—’ इस पद्य में सादृश्यवाचक इव आदि पराक्रमरूप समानधर्म तथा राम के समान पराक्रमशाली कोई पुरुषविशेष इन तीनों का लोप है । ‘रामपराक्रम.’ यह पद तो उपमानबोधक हो नहीं सकता, क्योंकि वह पद उपमेय-राम-के विशेषणरूप में प्रयुक्त है और जब उपमान का ही पता नहीं तब उभयनिष्ठ होने के कारण साधारण कहलानेवाला धर्म भावे तो कैसे ?

न्यूनता निराचष्टे—

अत्र चोपमानलुप्तादयोऽन्ये भेदा असम्भवाद्दृष्टत्वाच्च नोदाहृताः ।

अस्मिन् अनन्वयालङ्कारे शुद्ध उपमानलुप्त एवमन्येऽपि उपमेक्ता लुप्तभेदा न सम्भवन्ति सम्भवन्तोऽपि वा चमत्कारहीना अतस्तेषां भेदानामुदाहरणानि न लिखितानीति भाव ।

न्यूनता का निराकरण किया जाता है—अत्र इत्यादि । लुप्त भेद के जितने उपमेद उपमा में उदाहृत हुए हैं उन सभी उपमेदों के उदाहरण अनन्वय में भी दिखाए जाने चाहिए, पर दिखाये गए नहीं, अतः यहाँ यह न्यूनता आ जाती है, ऐसी आशङ्का नहीं की जा सकती क्योंकि लुप्तभेद के जिन उपमेदों के उदाहरण अनन्वय में दिखला दिये गए हैं उनसे अधिक उपमेद-शुद्ध उपमानलुप्त आदि-अनन्वय में हो ही नहीं सकते, खोज-खाज कर यदि उन भेदों के उदाहरण उपस्थित भी किये जाँय, तो वे वस्तुतः उदाहरण-कोटि में ग्राह्य नहीं हो सकते, कारण, उस तरह के उदाहरणों में चमत्कार का अभाव ही रहेगा और जब चमत्कार ही नहीं तब उनको अलङ्कार माना ही कैसे जायगा ?

खण्डनाय रत्नाकरमतमुत्थापयति—

यत्तु—“तेन तदेकदेशेनावसितभेदेन वोपमानतया कल्पितेन सादृश्यमनन्वयः । उपमेयेनैवोपमानतया कल्पितेनोपमेयस्यामुखावभासमानसाधर्म्यापादनमेकोऽनन्वयः । उपमेयैकदेशस्य तथैवोपमानताकल्पनमपरः । उपमेयस्यैव प्रतिबिम्बत्वादिना भेदेनावसितस्य तत्त्वकल्पन तृतीयः ।

आद्यो यथा—

‘युद्धेऽर्जुनोऽर्जुन इव प्रथितप्रतापः’ इत्यादि ।

द्वितीयो यथा—

‘एतावति प्रपञ्चे सुन्दरमहिलासहस्रभरितेऽपि ।

अनुहरति सुभग तस्या वामार्धं दक्षिणार्धस्य ॥’

तृतीयो यथा—

‘गन्धेन सिन्धुरधुरन्धरवक्त्रमैत्री  
मैरावणप्रभृतयोऽपि न शिक्षितास्ते ।

तत्त्व कथं त्रिनयनाचलरत्नभित्ति-

स्वीयप्रतिच्छविषु यूयपतित्वमेपि ॥’

‘पूषमानान्तरविरहस्त्रिष्वपि भेऽपु गम्यते । इत्यनन्वयस्त्रिविधः ।’ इति रत्ना-  
रेणाक्तम् ।

त्रिविधानन्वयनंप्राहकमेक लक्षण प्रथमत आह—तेनेत्यादि । अवसितभेदेनेति ।  
निधितभेदेनेत्यर्थः । अस्मात् लक्षणात् ‘उपमानतया कल्पितेन तेन सादृश्यमनन्वयः’  
‘उपमानतया कल्पितेन तदेकदेशेन सादृश्यमनन्वयः’ एवम् ‘अवसितभेदेन तेन उपमान-  
तया कल्पितेन सादृश्यमनन्वयः’ इति त्रिविध लक्षणं फलतीति स्फोरयितुम् प्रथमलक्षण-  
व्याख्यारूप त्रिविध लक्षण क्रमदा आह—उपमेयेनेवेत्यादिना । प्रथमलक्षणघटकस्य ‘तेन’  
इत्यस्य विवरणम्—उपमेयेनेवेति । अनुखेति । अनुख्येत्यर्थः । तथा च ‘असुखावभासमान-  
नापन्नापादनम्’ इत्यस्य ‘असुख्यरूपेण अवभासमानम् = प्रतीयमान यत् साधर्म्यम् =  
सादृश्यम् तस्य आपादनम्—प्रहणम्’ इत्यर्थः । ‘तदेकदेशेन’ इत्यस्य प्रथमलक्षणघटकस्य  
विवरणम् उपमेयेकदेशेन इति । तथैव उपमेयवत् । प्रथमलक्षणघटकस्य ‘अवसितभेदेन’  
इत्यस्य विवरणम्—उपमेयस्यैव प्रतिविम्ब इति । प्रतिविम्बोऽत्र लौकिक । अवसितस्य  
निधितत्त्वम् । तत्त्वैति । उपमानन्वेत्यर्थः । प्रथमभेदस्योदाहरणं निर्देष्टुमाह—आयो यवेति ।  
उदाहरणमाह—युद्धे इति । युद्धे रणे, अर्जुन महाभारतनायक पाण्डुपुत्र, इव,  
प्रथितप्रभाव विख्यातमाहात्म्य, अर्जुन एवेत्यर्थः । द्वितीयभेदस्योदाहरणं निर्देष्टुमाह—  
द्वितीयो यवेति । उदाहरणं निर्दिश्यते—एतावति इति । हे सुभग सुन्दर ! सुन्दरेण मनोहरेण,  
मरिचामहत्त्वेन न्यामहत्त्वेन, भरिते परिपूर्णं, अपि, एतावति निरवधौ, प्रपञ्चे ससारे, तस्या  
सन्नाधिद् वर्णनायनायिकाया, वामार्धम् वामार्धभाग, दक्षिणार्धस्य दक्षिणार्धभागस्य  
( कर्मणः शेषत्वविवक्षया पद्यं ), अनुहरति अनुकरोतीत्यर्थः । तत्रायिकावामाङ्गस्य समता  
यदि क्वचिदस्ति तर्हि तत्रायिकादङ्गिणाङ्गेनैव, नान्यनायिकाङ्गेनैविति भावः । अत्र तसु  
द्वितीया नायिका उपमेयभूता । तृतीयभेदमुदाहर्तुमाह—तृतीयो यवेति । उदाहरणं  
निर्दिश्यते—गन्धेन—इति । हे सिन्धुरधुरन्धरवक्त्र गजत्रेष्टमुज गणपते ! ते प्रसिद्धा,  
ऐरावणप्रसूता ऐरावतादयः, गन्धेनापि लेशतोऽपि, मैत्रीम् स्वनादृश्यमिति लक्ष्योऽर्थ-  
न, मिश्रिता शब्धापिता प्रापिता इति यावन्, त्वेति शेष, तत् तस्मात् कारणात्  
त्वम्, त्रिनयनालक्ष्यं त्रिविधभित्तिरिति कल्पनापर्वतस्येति यावन्, रत्नभित्तिषु रत्नज्ञचित्  
भिन्नाभाषेषु, या म्यादप्रतिच्छवेषु स्वप्रतिविम्बा, तेषु, यूयपतित्वं क्लाधिपत्वम्, व  
पेन प्रसारेण, एषि प्राप्नोषि—प्रसिद्धा ऐरावतादयोऽपि यदि तव नदृशा न भवन्ति त  
निप्राया प्रतिहतम् इय तव नदृशा भवेत्, न चेत् प्रतिहतम् सदृशा तर्हि न  
प्रभार यूयत्वमन्वति, यूयत्वाभावे च क्व यूयपतित्वमिन्त्यर्थः । उपमानान्तरा  
इति । तत्रापि सुन्दर एव न । द्वितीये तदवयवस्य तदवयवान्तरोपमया तस्या निह  
प्रतिपत्तिः । अन्तरा तन्नादृशापदार्थावयवेनेने तदवयवस्योपमा दद्यात् । तृतीयेऽपि  
विम्बस्योपमान्यापन्नाऽन्वयोपमानन्याभाषो गम्यते ।

गन्धन करने के लिये पहले 'रत्नाकर' के मत का उपपादन किया जाता है.

इत्यादि। 'अलङ्काररत्नाकर' में कहा गया है कि—उस (उपमेय), उसके एकदेश (हिस्से) अथवा किसी तरह निश्चित रूप से भिन्न समक्षे गए उसी (उपमेय) को जब उपमानरूप में कल्पित करके उसका सादृश्य उसी में वर्णित हो तब उस सादृश्य को अनन्वय कहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि—अनन्वय तीन प्रकार का होता है—  
 १—उपमानरूप में कल्पित उपमेय के साथ उसी उपमेय का अवास्तविक-सादृश्य ग्रहण। २—उसी तरह उपमेय के एकदेश को उपमानरूप में कल्पित कर लेना, और ३—उपमेय को ही प्रतिबिम्ब के रूप में भिन्न मानकर उपमानरूप में कल्पित कर लेना। इनमें से प्रथम, जैसे—'युद्धे...' इत्यादि अर्थात् युद्ध में अर्जुन सा प्रसिद्ध पराक्रमशाली अर्जुन ही है, कोई दूसरा नहीं। द्वितीय, जैसे—'पतावति...' इत्यादि अर्थात् हे सुन्दर! यह इयत्ता-रहित ससार यद्यपि हजारों सुन्दरियों से भरा पड़ा है, तथापि उस नायिका का वामार्ध (अङ्गों का बायाँ हिस्सा) दक्षिणार्ध (अङ्गों के दाहिने हिस्से) का ही अनुकरण करता है—उसके बायें अङ्गों की तुलना उसके दाहिने अङ्गों से ही की जा सकती है, अन्य नायिका के अङ्गों से नहीं, क्योंकि उसके समान सुषुद्ध अङ्गों वाली कोई दूसरी नायिका दुनिया में है ही नहीं। यह नायक का मित्र के प्रति कथन है। तृतीय जैसे—'गन्धेन...' इत्यादि अर्थात् हे गजेन्द्रवदन (गणेश)! वे परम प्रसिद्ध ऐरावत आदि हाथी आपकी मित्रता (समानता) को लेश मात्र भी नहीं सीख पाए—आपने अपनी समानता उन्हें दी ही नहीं—वे आपकी तुलना कर नहीं सकते। अतः मैं आपसे पूछता हूँ कि—आप, कैलास पर्वत की रत्नमय भित्तियों में पड़नेवाले अपने प्रतिबिम्बों के यूथपति कैसे बन जाते हैं? जब सप्राण, चिरविख्यात, ऐरावत आदि दिग्गजों में आपकी समता नहीं, तब ये निष्प्राण प्रतिबिम्ब आपके यूथ में कैसे आ सकते हैं? कदापि नहीं आ सकते, और जब उनको लेकर आपका यूथ नहीं बन सकता, तब आप यूथपति बन कैसे सकते हैं? इसका रहस्य कुछ समझ में आता नहीं। इन तीनों भेदों में अन्य उपमान का अभाव प्रतीत होता है—अर्थात् प्रथम में 'अर्जुन जैसा अर्जुन ही है' इस कथन से अन्य उपमान का अभाव स्पष्ट ही है। द्वितीय में जो वर्णनीय नायिका के अङ्गों की तुलना उसी के अङ्गों से की गई है उससे उस नायिका की निरुपमता सिद्ध होती है, यदि उसके जोड़ की कोई अन्य नायिका उपलब्ध होती, तो उसी के अङ्गों से वर्णनीय नायिका के अङ्गों की तुलना की जाती, अपने अङ्गों से नहीं। तृतीय में—गणेश जी के प्रतिबिम्बों को गणेश जी का उपमान माना गया है जिससे अन्य उपमान का अभाव स्पष्ट व्यक्त होता है। अतः अनन्वय तीन प्रकार का है।"

खण्डयति—

तत्र। उपमानान्तरविरहप्रतीतिमात्रादेवानन्वयत्वे 'स्तनाभोगे पतन्भाति' इत्यत्रोपदर्शितायाः कल्पितोपमाया अपि तथात्वापत्तेः। यद्यर्थातिशयोक्तावतिप्रसक्तेश्च। तादृशप्रतीतिफलकैकोपमानोपमेयकसादृश्यस्य तत्त्वे पुनः कथं नाम वामार्धदक्षिणार्धयोर्भिन्नयोः सादृश्ये तद्भेदत्वोपन्यासः। न च स तदेकदेशस्तत्प्रतिबिम्बश्चेत्येतदन्यतमप्रतियोगिकसादृश्यमनन्वयः इति काव्याप्तिरतिव्याप्तिर्वेति वाच्यम्। नास्त्यन्वयोऽस्येति योगार्थविरहेण तदेकदेशसादृश्यस्यानन्वयपदार्थत्वासम्भवात्। अपि चानन्वये 'गगनं गगनाकारम्' इत्यादावुपमेयस्यैवोपमानत्वेनोपन्यासादुपमेयातिरिक्तोपमानविरहप्रतीतिद्वारा निरुपमत्वमुपमेयगतसिद्धयति। अत्र च वामार्धस्योपमेयस्य दक्षिणार्धरूपोपमानकथनेन निरुपमत्वं विरुद्धमेव। कान्तागतनिरुपमत्वप्रत्ययस्तु नानन्वयस्य फलं भवितुमर्हति, तस्या अनुपमेयत्वात्।

१। तत् पूर्वोक्तरत्नाकरमतम्। न युक्त नेत्यर्थः। अयुक्तत्वे हेतुमाह—उपमानान्तरे-

त्यादिना । तदानीं चेति । अनन्वयव्यर्थः । दृष्टान्तावाह—यद्येति । 'यद्यर्थोक्तौ = यन्नम्' इति मन्व्यप्रकाशोक्तृतां प्रतिशोकोक्त्यादाहरणे 'राकायामकलकं चेदन्वृताशोर्भवे वयुः । तन्मा सुत तदा मान्यपराभवमवाप्नुयान् ॥' इत्यादाविति तदर्थः । आशयविशेष वानेऽपि न निर्दुष्टत्वमिन्याह—तादृशेति । उपमानान्तरविरहेति तदर्थः । तत्त्वे अनन्वय त्वे । पुनश्च तद्व्यर्थे । भिन्नयोरिति । तथा च द्वितीयविशेषणाभाव इति भावः । तद्वेद त्सेति । अनन्वयविशेषव्यर्थः । रत्नाकारमतस्य निर्दुष्टत्वमागच्छते—न चेत्यादिना । स र्ति । उपमेय इत्यर्थः । इदानीमाद्यविशेषण न वेद्यम् । तद्विरहस्य नान्तराधिक्यत्वादिति भावः । नमाने—नास्तदन्वय इत्यादिना । विरहेणेति । अवाधितत्वादिति भावः । ननु तदन्वयानन्वयपदमत आह—अपि चेति । अत्र चेति । द्वितीयभेदे चेत्त्वर्थः । निरूपणत्व मिति । एवममानान्तरत्वादिना प्रतिपादितमित्यर्थः । ननु तेन ग्रन्थेन कान्ताया निरूप- माव प्रतिपादित न तत्रेत्यत आह—कान्तेति । प्रायुक्त रत्नाकारमतं न समीचीनम्, 'स्तनाभोगं—' इति पूर्वोक्तकल्पितोपमोदाहरणेऽतिव्याप्ते, उपमानान्तरराहित्यस्य तत्रापि प्रतीते । न चेष्टापत्तदोष इति वन्द्यम्, तत्र दोषाभावेऽपि अनुपपन्नोदोद्गतेऽतिश- योक्त्यादाहरणेऽतिप्रमत्त्य दुर्वारत्वात् । उपमानान्तरविरहप्रतीतिकलकम् एकोपमानोपमेयक वसात् तदनन्वय इति विवक्ष्येऽपि न निस्तारं तदनुसारं द्वितीयभेदकथनत्यासङ्गते, तत्र वानार्थोपमेयत्वेन दक्षिणार्धस्योपमानत्वेन एकोपमानोपमेयकसादृश्यस्याभावात् । न च नौरमानान्तरविरहप्रतीतिव्याप्तौ न वा एकोपमानोपमेयकत्वे, अपितु उपमेय-तदेक- र्ग-त-प्रतिबिम्बान्यन्तमप्रतिबोधिकमादृश्यस्यानन्वयत्व एवोक्तग्रन्थस्य तात्पर्यम्, तथा च पूर्वोक्तदोषाणामनवर इति वाच्यम्, 'वानार्थं दक्षिणार्धस्य' इत्यत्र भिन्नपदार्थयो गादृश्यत्वान्वये बाधकाभावात् अनन्वयपदयोर्गार्थमज्ञानम् । अनन्वयपद न यौगिकमपितु एतम् तथा च न तदर्थानामप्रमत्त इति चेदस्तु तथा, तथापि निरूपणत्वकथन विद्वदं प्रपञ्चेत्, वानार्थोपमेयस्य दक्षिणार्धदृशोपमानमस्ति इति स्वयमुक्तत्वात् । 'गगनं गग- नात्प्रमत्तम्' इत्यादी तु भवन्त्युपमन्वप्रतीति, उपमेयत्वेवोपमानत्वकल्पने अन्यदुपमान मान्यत्वं फलितत्वात् । कान्ताया निरूपणप्रतीतिरत्रापि भवत्येवेति चेत् ? नन्वम् भवेति, परं तु न या प्रतीतिरनन्वयम्य फलम्, उपमेयस्यानुपमेयत्वप्रतीतिरनन्वय- पत्तम् । न चात्र नादिसा उपमेया, वानार्थदक्षिणार्धयोरेवोपमानोपमेयभावस्य विवक्षणा- इति भावः ।

ग्रन्थेन दिग्मा ज्ञाना है—तत्र इत्यादि । ऊपर जिमका विस्तारपूर्वकं उपपादन दिग्मा गया है वह रत्नाकारमत वस्तुन ठीक नहीं है । कारण, यदि केवल अन्य उपमान के प्रभाव की प्रतीति होने से अनन्वय माना जाय तब 'स्तनाभोगे' यह कल्पितोपमा या उदाहरण जो पहले दिग्मलाया गया है उसको भी अनन्वय का उदाहरण मानना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ भी अन्य उपमान के प्रभाव की प्रतीति होती है । यदि दृष्टापत्ति के द्वारा प्राप्त हमें दोष से बचना चाहेंगे तो अब कहने हैं, पर 'यद्यर्थोक्तौ च कल्पनम्' इस पदपद के अनुसार मन्मथ आदि आल्लारिकों के द्वारा स्वीकृत अतिशयोक्ति के र्थोक्त के उदाहरण—'राकायामकलकं चेत्' ( मन्मथ पद्य मन्मथटीका में देखिये )—अर्थात् 'दुनों की गत में यदि निष्कलक चन्द्र उपलब्ध हो तब उसका ( वानार्थ नादिसा का ) सुत 'इसको भी किसी ने समझा हो सकती है' इस परामर्श से प्राप्त करेगा ।' में होनेवाली अतिशयोक्ति ( दोष ) से नहीं बच सकते, क्योंकि गगनप्रमत्त हम अनिष्टोक्ति में उदाहरण की सुविधा सम्भव नहीं है । यदि जाय उक्त

लक्षण का यह अभिप्राय प्रकाशित करें कि—‘अन्य उपमान के अभाव की प्रतीति जिसका फल हो और जिसका उपमान तथा उपमेय एक ही पदार्थ हो ऐसे सादृश्य को अनन्वय कहा जाता है’ तब उक्त अतिशयोक्तिस्थलीय दोष से भी मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि वहाँ सम्भावना-रूप में ही सही, पर दो पदार्थ उपमान-उपमेयरूप से विवक्षित हैं, एक नहीं। पर तब नायिका के बायें अङ्ग और दाहिने अङ्ग इन वस्तुतः दो पदार्थों के सादृश्य को जो आपने अनन्वय का द्वितीय भेद माना है वही असङ्गत हो जायगा, क्योंकि वहाँ भी सादृश्य के उपमान और उपमेय दो पदार्थ—दाहिने अङ्ग तथा बायें अङ्ग—स्पष्ट हैं। यदि आप कहें कि—‘यह सब कुछ नहीं। उपमेय, उसका एक हिस्सा तथा उसका प्रतिबिम्ब इन तीनों में से किसी एक का सादृश्य यदि वर्णित हो, तब उस सादृश्य को अनन्वय माना जाय’ बस, केवल इतना मैं कहता हूँ, फिर आप बतलाइये कहीं अव्याप्ति अथवा अतिव्याप्ति होगी? अर्थात् नहीं होगी, क्योंकि, द्वितीय भेद में उपमेय नायिका के एकदेश का सादृश्य वर्णित है ही अतः वहाँ अव्याप्ति नहीं होगी और उक्त कल्पितोपमा तथा अतिशयोक्ति में भी इन तीनों में से किसी एक का सादृश्य वर्णित है नहीं, अतः अतिव्याप्ति भी नहीं होगी।’ तब मैं कहूँगा कि—आपका यह कथन ठीक है—अव्याप्ति अथवा अतिव्याप्ति नहीं होगी, पर उपमेय के एक हिस्से के सादृश्य को जो आपने अनन्वय माना है, उसमें वस्तुतः अनन्वय पद का अर्थ घटता नहीं क्योंकि ‘अनन्वय’ पद का अर्थ होता है ‘जिसका अनन्वय न हो सके वह सादृश्य’ और ‘वामार्धं दक्षिणार्धस्य अनुहरति’ में जो सादृश्य प्रतीत होता है उसके अन्वित होने में किसी तरह की बाधा है नहीं—अर्थात् अपने में अपना सादृश्य बाधित होता है, यहाँ तो दाहिने का सादृश्य बायें में कहा गया है, फिर उसमें बाधा कैसी? यदि आप कहें कि अनन्वय पद में योगार्थ विवक्षित नहीं, वह केवल एक रूढ सजावाचक शब्द है, तो मैं कहूँगा—रहे कुछ काल के लिये आपकी यह अयुक्त युक्ति भी मान्य, पर इतने पर भी तो निस्तार नहीं आपका होता, क्योंकि ‘एषु उपमानान्तरविरहस्त्रिष्वपि भेदेषु गम्यते’ इस ग्रन्थ के द्वारा जो आपने उपमेय में निरुपमता की प्रतीति को अनन्वय का फल कहा है वह विरुद्ध है—अर्थात् ‘गगन गगन-सा है’ इत्यादि स्थलों में उपमेय का ही उपमान-रूप में वर्णन किया गया रहता है, अतः उससे पहले अन्य उपमान के अभाव की प्रतीति होती है और वाद में तद्द्वारा उपमेय की निरुपमता फलित होती है, पर आपके ‘बायें अङ्ग दाहिने अङ्गों की समता करते हैं’ इस द्वितीय भेदोदाहरण में तो उपमेय का उपमानरूप से वर्णन हुआ नहीं है—उपमेय—बायें अङ्गों—से भिन्न—दाहिने—अङ्गों को उपमान माना गया है, अतः यहाँ न अन्य उपमान के अभाव की प्रतीति होगी और न उपमेय की निरुपमता की। सक्षेप में तात्पर्य यह निकलता है कि—उपमान के रहते निरुपमता की बात करना सर्वथा विरुद्ध है। आप कहेंगे—नायिका की निरुपमता तो उससे अवश्य प्रतीत होती है, तो मैं भी उसको स्वीकार करूँगा, पर नायिका में जो निरुपमता की प्रतीति होती है वह अनन्वय का फल नहीं है, क्योंकि नायिका यहाँ उपमेय ही नहीं है—उपमेय है उसका वामार्ध जिसकी निरुपमता सिद्ध नहीं होती और उपमेय की निरुपमता ही अनन्वय का फल कहलाती है।

अलङ्कारसर्वस्वकारोक्तमुपपाद्य निरस्यति—

यदपि चालङ्कारसर्वस्वकृता ‘अनन्वयध्वनित्वमत्र भविष्यति । अन्यथाऽलङ्कारध्वनेर्विषयापहारः स्यात्’ इत्युक्तम्, तदपि तुच्छम् । अस्य ह्युपमाननिषेधफलकमभिन्नोपमानोपमेयकं सादृश्य स्वरूपमित्युक्तम् । प्रकृते च वामार्धदक्षिणार्धयोस्तद्वाधितमित्युक्तमेव । कान्तायाः पुनरुपमाननिषेधस्य व्यङ्ग्यत्वेऽपि अभिन्नोपमानोपमेयकसादृश्यस्य स्वरूपस्याप्रत्ययात् । नहि निरुपमत्व-

प्रतीतिषु नर्वास्वभिन्नोपमानोपमेयकनादृश्यप्रतीतिपूर्वकत्वमिति नियमोऽस्ति ।  
 कल्पितोपमानिशयोक्त्योरनमाजहारध्वनौ च व्यभिचारान् । तस्मान्नास्त्येवा-  
 त्रानन्वयगन्धोऽपि ।

अनन्वयध्वनित्वमिति । अत्र 'तद्वामार्धं दक्षिणार्धमनुहरतीत्युच्यताम् सोऽनुहरतीति  
 व्यपदिशति भाव । एव चाम्य होत्यादिना त्रिभुजते तद्विचार्य ननुदये । ईदृशस्यैवप्य-  
 एने वयादानव इत्यपि कथित' इति नागेश आह । अत्र द्वितीयलक्ष्ये । हि चत । अत्या-  
 नन्वयस्य स्वस्वमित्युक्तमन्तनु-उमित्यर्थ । तदुपपादयति—प्रकृते चेति । तदिति ।  
 अभिगोपमानोपमेयक नादृश्यमित्यर्थ । तयोर्भेदादिति भाव । उपसहरति—तस्मादिति ।  
 रत्नाभोगे 'अनुहरति मुग्ध तस्या वामार्धं दक्षिणार्धस्य' इति अनन्वयद्वितीयभेदोदाहरणे  
 वा-रानन्वयत्वात्-रत्नान्यामन्भवेऽपि अनन्वयध्वनित्वम् नर्वाकरापीयमेव, ईदृशस्थले तस्मा-  
 न्ना-रत्ने प्रत्यारध्वनेत्त्वमेवाप्यस्य भेदेदित्यलहारसर्वस्वकार आहत्यन्, परमिदमप्य-  
 गोभन्मेव, पूर्वोक्तस्य रत्नान्निषेधन्तकामिन्नोपमानोपमेयकनादृश्यान्मकस्य अनन्वय-  
 न्वयस्य प्रकृते वामार्धदक्षिणार्धयोरेकमेयोपमानयोर्मिन्नयो पदार्थयोर्वाधितत्वात् । ननु  
 कान्तागतनिरुपमत्वस्य व्यपन्नेन तस्या एवोरमेयाया उपमानत्वव्यपन्नेन तादृशसादृश्य-  
 प्रतीतिर्नानाप्रदक्षिणार्धयोस्तस्य बाधितत्वेऽपि अन्वयेवेति चेन्न, तस्याखित्वेऽपि उक्तस्यानन्व-  
 यत्वस्यप्रतीति । यदि अभिगोपमानोपमेयकसादृश्यप्रतीतिपूर्विका एव नर्वा अनुपमत्व-  
 प्रतीतौ भवन्तीति निवमोऽभविष्यत्तदा कान्तागतनिरुपमत्वप्रतीतिपूर्विकेऽपि तादृशसादृश-  
 प्रतीति स्वीकृताऽभविष्यत्, पर तु 'स्तनाभोगे ' इति कल्पितोपमायाम्, 'राकायामक-  
 त्वा चेत् ' इति पदार्थकल्पितादिशयोक्तौ, 'मयि त्वदुपमाविधौ' इति अनन्वयलहार-  
 ध्वनौ च निरुपमत्वप्रतीति नन्वेऽपि तन्पूर्विके तादृशसादृश्यप्रतीतेरभावेन व्यभिचारात्  
 न निवमो नार्जाकर्तुं योग्य । अत्र 'वामार्धम् दक्षिणार्धस्य' इत्यत्रानन्वयात्लहारो नास्त्ये-  
 वेति भाव ।

अलहारसर्वस्वकार की उक्ति का उपपादन करके स्पष्टन करते हैं—यद्यपि इत्यादि ।  
 'वामार्धं दक्षिणार्धस्य' इस स्थल के सम्बन्ध में अलहारसर्वस्वकार ने जो यह कहा कि—  
 'यहाँ शब्द अनन्वय भले ही न हो पर अनन्वयध्वनि यहाँ अवश्य कही जायगी—  
 अर्थात् यहाँ अनन्वय अलहार व्यप्य होता है ऐसा मानना उचित है, यदि यहाँ  
 अनन्वयध्वनि नहीं मानो जाय तब काव्यजगत् से अलहारध्वनि का लक्ष्य ही उठ  
 जायगा ।' पर उनका भी कथन निम्नार ही है । कारण, यह कहा जा चुका है कि—  
 उपमा का निषेध जिसका फल हो और जिसके उपमान-उपमेय अभिन्न हों—एक ही  
 पद है—यान्तादृश्य अनन्वय का स्वरूप है । और वैसे नादृश्य 'पुनावति प्रसजे' ।  
 इस पद में वर्तित 'वामार्धं तथा 'दक्षिणार्धं' में तो घन पाता नहीं—यह बात पहले सिद्ध  
 ही जा चुकी है । तब मान रहा नायिका के उपमान के निषेध (निरुपमत्व) की, सो  
 उपमा प्रतीति यहाँ अवश्य जानी है—उसमें किना का मतभेद नहीं हो सकता, किन्तु  
 यहाँ भी अनन्वय का स्वरूप—'अभिगोपमानोपमेयकनादृश्य'-प्रतीति नहीं होता और  
 उस स्वरूप प्रतीति के बिना हम व्यप्य को अनन्वयस्वरूप माना कैसे जा सकता है ?  
 यह तो जहाँ निवमो नहीं कि—नर्वा अनुपमत्व-प्रतीति के सूत्रज्ञ ने 'अभिगोपमानो-  
 पमेयकनादृश्य' की प्रतीति है ही, यद्यपि—'स्तनाभोगे—' इस कल्पितोपमा, 'राका-  
 यामकत्वा चेत् ' इस अतिशय कि और 'मयि त्वदुपमाविधौ' इस वचनमात्र अनन्व-  
 यलहारध्वनि में अनुपमता की प्रतीति होती है, पर यहाँ वैसे नादृश्य की प्रतीति नहीं  
 होती । एतन् व्यभिचरित हो जाने के कारण यह नियम नहीं माना जा सकता । अतः  
 'पुनावति' इस पद में अनन्वयालहार का लेना भी नहीं है ।



अप्यदीक्षितमतमुपपाद्य निरस्यति—

यच्च 'अयमनन्वयो व्यङ्ग्योऽप्यस्ति ।

यथा—

‘अद्य या मम गोविन्द जाता त्वयि गृहागते ।

कालेनैषा भवेत् प्रीतिस्तवैवागमनात्पुनः ॥’

अत्र गृहागतं श्रीकृष्णं प्रति विदुरवाक्ये इयं त्वदागमनप्रभवप्रीतिर्बहुकाल व्यवहितेन पुनरपि त्वदागमनेनैव भवेत् नान्येन, इत्युक्तिभङ्ग्या त्वदागमन प्रभवप्रीतेः सैव सदृशी न त्वितरप्रभवा इति व्यज्यते’ इत्यप्यदीक्षितैरभिहितम् तदपि न । अमुष्यास्त्वदागमनप्रभवायाः प्रीतेर्वारान्तरत्वदागमनप्रभवा प्रीतिः सदृशीति प्रत्ययस्य सर्वजनसिद्धतया श्रीकृष्णागमनजन्यप्रीतिसामान्यावयवयोर्द्वयोः प्रीतिव्यक्त्योः सादृश्यस्याबाधितत्वाद्योगार्थाभावेनानन्वय एव नायं भवितुमर्हति । ‘स्वस्मिन् सादृश्यस्यान्वयाभावादनन्वयः’ इत्युपमाप्रकरणे स्वयमेवाभिधानात् । उपमेयस्य प्रीतिव्यक्तिविशेषस्य सदृशान्तरव्यवच्छेदे बाधात्, तादृशप्रीतिसामान्यस्य चावयविनो निरुपमतया प्रतीयमानस्यानुपमेयत्वात् पूर्वोदाहरणतुल्यमेवैतत् । कचिदवयवयोरुपमाप्यवयवविगतनिरुपमत्वव्यञ्जिकेति स्थिते सामान्यस्य श्रीकृष्णागमनजन्यप्रीतेः सैव सदृशीति मध्ये स्वसादृश्यप्रत्ययकल्पन पुनर्न सहृदयहृदयमारो हुमीष्टे । रत्नाकरोक्तस्यैवानन्वयप्रकारस्यात्र व्यङ्ग्यतेत्यपि न युक्तम्, तस्य प्रागेव दूषितत्वात् प्रकृतेऽवाच्यत्वात्, स्वयमनन्वयप्रकरणे तस्य प्रतिपादनविरहाच्च ।

यच्चेति । अस्य दूरस्थेन ‘अभिहितम्’ इति क्रियापदेन सम्बन्ध । ‘अद्य या मम’ इति । हे गोविन्द श्रीकृष्ण ! अद्य अस्मिन्नहनि, त्वयि भवति, गृहागते भवनमुपेते सतीत्यर्थः, मम मत्सम्बन्धिनी, मम हृदये इति भावः, या प्रीतिः प्रसन्नता, जाता उत्पन्ना, एषा एतादृशीति यावत्, प्रीतिः, पुनः, कालेन चिरकालान्तरम्, तवैव न तु अन्यस्य कस्यचित्, आगमनात्, भवेत् नान्यथेत्यर्थः । सैवेति । त्वदागमनप्रभवप्रीतिरेवेत्यर्थः । निरस्यति—तदपि नेति । तत्र हेतुमाह—अमुष्या इति । यत इत्यादिः । योगार्थेति । अनन्वयपदयोगार्थेत्यर्थः । ननु रूढमेवानन्वयपदमभिमतमत आह—स्वस्मिन्निति । व्यवच्छेदे बाधादिति । तस्य व्यवच्छेदकरणेऽसामर्थ्यादित्यर्थः । कालान्तरस्य प्रीतिव्यक्तिविशेषस्य सदृशस्य सत्त्वादिति भावः । तादृशीति । श्रीकृष्णागमनजन्येत्यर्थः । पूर्वोदाहरणेति । अनुहरतीत्युदाहरणेत्यर्थः । नन्वयविनो निरुपमत्वप्रतीतिवन्मध्ये सादृश्यप्रतीतिरप्यस्तु अत आह—कचिदिति । स्थलविशेषे इत्यर्थः । सैव श्रीकृष्णागमनजन्यप्रीतिरेव । मध्य इति । वाच्यव्यङ्ग्यार्थयोर्मध्य इत्यर्थः । रत्नाकरोक्तस्येति । अनन्वयद्वितीयभेदतया रत्नाकरेण कथितस्येत्यर्थः । अनन्वयप्रकारस्य ‘तदेकदेशेन’ इत्यादे । अवाच्यत्वे हेतु प्रागेव दूषितत्वादिति । ननु त्वया दूषितोऽपि न मया दूषितस्तत्राह—स्वयमिति । कालानवच्छिन्नं कृष्णागमनजन्यप्रीतिसामान्यम् अवयवविभूतम्, इदानींतनकालवच्छिन्नं भविष्यत्कालवच्छिन्नं च कृष्णागमनजन्यप्रीतिद्वयं तदवयवभूतम्, तत्रावयवभूतयो प्रीत्यो सादृश्यम् ‘अद्य या मम—’ इति पद्येऽवाच्यमपि दीक्षितप्रदर्शितोक्तिमङ्गीविशेषवशात् प्रतीयत इति सत्यम्, परन्तु तत्सादृश्यमनन्वयरूपं न भवितुमर्हति, भिन्नकालवच्छिन्नप्रीत्योरपि भिन्नतया तयोः सादृश्यस्यान्वये बाधकाभावात्, बाधितान्वयकसादृश्यस्यैवानन्वयपदार्थत्व-

स्वोत्पत्तौ बाधितान्वयक चाभिज्ञपदार्थप्रतियोगिकानुगोणिकमादृश्यमेव भवतीति सिद्धान्ता । कालानवच्छिन्नस्यावयवभूतस्य कृष्णागमनजन्यप्रीतिसामान्यस्योपमेयत्व 'यदि विविक्तता सामान्यत्, तदा तन्मादृश्य वर्ण्यमानत्वविरहेऽपि व्यञ्जनया प्रतीवमानं स तदन्वयवपमभविष्यत्, परन्तु तस्योपमेयत्व विवक्षितमेव नास्ति, विवक्षितमस्ति कालविशेषावच्छिन्नस्य कृष्णागमनजन्यप्रीतिविशेषस्यावयवभूतस्य तत्, तस्य चान्यसदृशानिषेधे सामान्यमेव नेति पूर्वोक्ते 'वामार्थं दक्षिणार्थस्य' इत्यत्रेव नात्राप्यनन्वय' । वाच्यवृत्त्या-रिचिताभ्यामवयवभूतान्या कालावच्छिन्नतादृशप्रीतिविशेषाभ्या सामान्यरूपाया अचय-विशानान्ताश्रयप्रतिरूपमत्वं व्यज्यत इत्यत्र तु न कस्यापि विमति, तथा च तयोर्वाच्य-व्यञ्जयोर्मध्ये 'सामान्यकृष्णागमनजन्यप्रीते' सर्व सदृशी' इत्याकारक सादृश्यबोध कल्प-नात् एव, एवम् तद्विधिविपर्यभूतं सादृश्य यथोक्तानन्वयरूपमिति दीक्षिताशये न काप्यनु-परनिमित्तं चेत्, विचारासहत्वात् । तथाहि मध्ये यत्सामान्यप्रीत्यो सादृश्य कल्प्यते तन्मिदम् । सामान्यप्रीतिगतनिरूपमत्वव्यक्तिसिद्धपर्यम् इति चेतत्तुच्छम्, स्थलविशेषे प्रवचनो सादृश्यमपि श्रवयविगतनिरूपमत्वव्यञ्जक भवति, तथा च श्रवयवभूतकृष्णा-गमनप्रभवप्रीत्यो सादृश्येनापि श्रवयविभूतसामान्यकृष्णागमनजन्यप्रीतिगतनिरूपमत्व-व्यञ्जने त्रिरे तदर्थम् उक्ताकारकसादृश्यान्तरकल्पनकथाया सहृदयजनानुभवविकल्पात् । 'उपमेयसंज्ञेन उपमानतया कल्पितेन सादृश्यमनन्वय' इति रत्नाकरकथितानन्वयस्यात्र व्यपपत्ता इति तु नीचिन्नम्भव, सादृशोक्ते प्रागेव युक्तिभिर्निराकृतत्वात्, सादृशानन्वय-प्रमाणस्य रक्षितं स्वप्रत्येकप्रतिपादनान्चेति भाव ।

अप्यदर्शादित के मत का उपपादन करके निराकरण किया जाता है—यच्च इत्यादि । 'यह अनन्वयालङ्कार व्यञ्जय भी होता है । जैसे—'अथ या मम' ' अर्थात् 'हे गोविन्द ! आज आपके मेरे घर में पदार्पण करने से मुझे जो प्रसन्नता हुई है, वह प्रसन्नता कालान्तर में पुन आपके पदार्पण से ही हो सकती है ।' घर पर आए हुए श्रीकृष्ण के प्रति, विदुर के इस वाक्य में 'यह आपके आगमन से उत्पन्न प्रसन्नता, बहुत काल के बाद, फिर भी आपके आगमन से ही हो सकती अन्य किसी कारण से नहीं' इस कहने का विरूपण होना से यह स्पष्ट होता है कि—'आपके आगमन से होनेवाली प्रसन्नता के समान वही प्रसन्नता है, अन्य किसी पदार्थ से उत्पन्न प्रसन्नता वैसी नहीं हो सकती ।' यह जो अप्यदर्शादित ने कहा है, वह भी ठीक नहीं है । कारण यह कि—'आपके आगमन से उत्पन्न इस प्रसन्नता के समान ही दूसरी बार आपके आगमन से उत्पन्न प्रसन्नता है' यह प्रतीति मङ्गलजनसिद्ध है—इसमें किसी को किसी तरह की बाधा प्रतीत नहीं होती । अभिप्राय है कि—कालविशेष से अनवच्छिन्न—अविशेषित—श्रीकृष्णागमनप्रयुक्त प्रसन्नता पर सामान्य भङ्गीभूत वस्तु है और कालविशेष से अवच्छिन्न अर्थात् समय समय पर हुए श्रीकृष्ण के आगमन से उत्पन्न होनेवाली दो प्रसन्नताएँ उसके अन्न हैं । इन दो प्रसन्नताओं को भिन्न-भिन्न काल में उत्पन्न होने के कारण भिन्न-भिन्न मानने में कोई बाधा नहीं, ऐसी स्थिति में इन अन्नभूत प्रसन्नताओं का सादृश्य बाधित नहीं होता । प्रसन्नता, और सादृश्य के बाधित हुए, बिना 'अनन्वय' पद का योगार्थ यहाँ नहीं पठित होगा, फिर यहाँ अनन्वय कैसे हो सकता है ? आपने स्वयं ही उपमा-प्रकरण में कहा है कि—'आपने सादृश्य का अनन्वय आप में नहीं हो सकने के कारण, यह अनन्वय कहलाना है ।' अब आप ही कहिये कि—जब प्रकृत पद्य में उक्त शब्दों का अन्वय स्थित हो गया तब यहाँ अनन्वय कैसे हुआ ? यहाँ वर्तमानकालिक प्रसन्नता कृष्णागमनप्रयुक्त प्रसन्नता उपमेय है, उसकी तुलना जब दूसरी अर्थात्-अविशेषितकालिक कृष्णागमनप्रयुक्त प्रसन्नता से की जाती है—

निवृत्ति तो बाधित हो ही गई, अर्थात् इस प्रसन्नता के समान अन्य प्रसन्नता नहीं है ऐसी बात नहीं रही, अतः यहाँ इस तरह से तो अनन्वय का लेश भी नहीं आता। अब यदि अङ्गभूत सामान्य-कालविशेष से अनवच्छिन्न कृष्णागमनप्रयुक्त प्रसन्नता की अनुपमता को लेकर यहाँ अनन्वय की अभिव्यक्ति मानी जाय तो यह भी सङ्गत नहीं, क्योंकि उस तरह की सामान्य प्रसन्नता यहाँ उपमेय नहीं है और उपमेय की अनुपमता ही प्रतीत होकर अनन्वय का मूल बनती है। जो अङ्गभूत प्रसन्नता यहाँ उपमेय है उसकी अनुपमता सिद्ध ही नहीं होती, यह बात ऊपर के विचार से स्पष्ट है। अन्ततः यह सिद्ध हो गया कि यह उदाहरण भी पूर्वोक्त 'अनुहरति सुभग तस्याः' इस उदाहरण के समान ही है—जैसे वहाँ अनन्वय, विचार करने पर सिद्ध नहीं होता, वैसे यहाँ भी सिद्ध नहीं हो सकता। यदि आप कहें कि—इन अङ्गभूत प्रसन्नताओं के प्रतीत होनेवाले सादृश्य से अङ्गभूत सामान्य कृष्णागमनप्रयुक्त प्रसन्नता की अनुपमता तो अवश्य अभिव्यक्त होती है—उसके होने में किसी का वैमथ्य हो नहीं सकता, फिर इन दोनों व्यङ्ग्य-व्यञ्जकों के मध्य में 'सामान्य-कालानवच्छिन्न कृष्णागमनप्रयुक्त प्रसन्नता के समान वही प्रसन्नता है दूसरी नहीं' इस तरह के सादृश्य की कल्पना अवश्य ही करनी पड़ेगी और जब इस तरह का सादृश्य कल्पित होगा तब फिर उस सादृश्य को अनन्वयरूप मानने में आपको भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें अनन्वय पद का योगार्थ सङ्घटित होता है। तो मैं कहूँगा कि नहीं—यह रीति भी मानने योग्य नहीं है। कारण, आपने जो मध्य में सामान्य प्रसन्नता के सादृश्य की कल्पना की है वह किसलिये? क्या सामान्य प्रसन्नता की सर्वसम्मत अभिव्यक्ति को सिद्ध करने के लिये? तो मैं कहूँगा कि उसके लिए आपका यह प्रयास व्यर्थ है, क्योंकि स्थलविशेष में अङ्गों के सादृश्य से भी अङ्गी की अनुपमता सिद्ध होती है, ऐसी दशा में 'आज की कृष्णागमनप्रयुक्त प्रसन्नता, कालान्तर में होनेवाले उनके आगमन से उत्पन्न होने वाली प्रसन्नता के समान है' इस अङ्गभूत प्रसन्नता के सादृश्य से भी सामान्य कृष्णागमनप्रयुक्त प्रसन्नता की अनुपमता सिद्ध हो ही जायगी, फिर मध्य में एक अन्य सादृश्य की कल्पनावाली बात सहृदयों के हृदयों में ठीक ठीक बैठती नहीं है। अब यदि आप कहें कि—रत्नाकर ने जो 'उपमानरूप में कल्पित उपमेय के एकदेश का सादृश्य अनन्वय है' यह अनन्वय का भेद बताया है उसी को हम व्यङ्ग्य बता रहे हैं तो यह भी उचित नहीं, क्योंकि एक तो उस भेद की निरसारता पहले सिद्ध की जा चुकी है, दूसरे उस तरह के भेद की चर्चा आपने अपने ग्रन्थों में की भी नहीं है। यदि आपको उस तरह का भेद अनन्वय में मान्य होता तो आप उसका उल्लेख अपने अनन्वयप्रकरण में अवश्य करते।

'अन्यथालङ्कारध्वनेर्चिषयापहार स्यात्' इति सर्वस्वकारोक्तिं मनसि निधाय तन्मुख्युद्रणाय स्वाभिमतमनन्वयध्वनिमुदाहर्तुमाह—

इदं पुनरनन्वयध्वन्युदाहरणम्—

अनन्वथालङ्कारध्वनेर्निम्ननिर्दिष्टमुदाहरण वेदितव्यमिति भावः ।

अनन्वयध्वनि का उदाहरण दिखलाने के लिये कहते हैं—इदम् इत्यादि। अनन्वयालङ्कारध्वनि का यह ( निम्नलिखित ) उदाहरण समझना चाहिए।

उदाहरण निर्दिश्यते—

'पृष्ठाः खलु परपृष्ठाः परितो दृष्टाश्च विटपिनः सर्वे ।

भेदेन भुवि न पेदे साधर्म्यं ते रसाल मधुपेन ॥'

हे रसाल आम्रवृक्ष ! मधुपेन भ्रमरेण, खलु निश्चयेन परपृष्ठा कोकिला, पृष्ठा त्वाह-शत्रुधान्तर जिज्ञासिता, अत्र रसज्ञानाना कोकिलानामन्तिके रसमयतरुजिज्ञासाया औचि-

मिति बोधम् । परमेशोऽपि प्रामाण्यस्य मन्दिग्धत्वादाह—नवे न तु कतिपये, ( एतेन तन्वद्विगणना चन्वन्तस्त्वन्वैरने ) विद्वपिन तरव', दृष्टाश्च स्वयन्वलोक्तिश्च, तथापि, भेदेन त्वन्विने इति वारत, भुवि मनस्ते जगति, तव स्वदोषम्, मावन्त्यम् माह्व्यम्, न, पेदे प्रामाण्यम् । अग्रन्तुनद्रगवेयम् अग्रन्तुनाद् अन्तरालात्प्रतान्तात् प्रस्तुतयो कथो-  
पिर् तन्व तवेयरातुदमन्तपुगवयोऽन्तान्तस्य प्रतीति ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—पृष्ठा इत्यादि । हे कात्रतर ! अमरों ने रमझ होने के नाते मोड़ियों से पूछा और दूसरों के कथन से मन्नुष्ट न होकर खुद भी एक एक कर सभी पृष्ठों को डेय ढाला, पर ममार भर में तेरी समता को उन्होंने भेद-सम्बन्ध से—  
अर्थात् तुम से अन्य में नहीं पाया ।

उपपादनमिति—

अत्र भेदेनेत्युक्त्याऽभेदे सादृश्यमनन्वयात्मक तु पेदे इति ध्वन्यते ।

'पृष्ठा ' इति श्लोके 'त्वन्विने तव समता न पेदे' इत्यर्थेन 'भेदेन तव साधन्यं न पेदे' इति उपनेन 'त्वन्वि तु तव सादृश्य पेदे' इति व्यज्यते, तच्च व्यक्षय सादृश्यमनन्वय-  
ममिति निद्रमस्य श्लोकान्वयप्रध्वन्युदाहरणत्वमिति भावः ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि । 'पृष्ठा ' इस पद्य में जो 'भेद से नहीं पाया' यह कहा गया है, उसमें यह ध्वनित होता है कि—अभेद सम्बन्ध से तुम्हारे सादृश्य ही उन्होंने पाया—अर्थात् तुमसे अन्य में तुम्हारी समता उन्होंने नहीं पाई । इस कथन से या न्पष्ट ध्वनित हो जाता है कि तुममें ही तुम्हारी समता प्राप्त की । ध्वनित होने वाला यह सादृश्य अनन्वयरूप है, अतः यह पद्य अनन्वयालङ्कारध्वनि का उदाहरण मित्र होता है ।

उदाहरणान्तर दर्शयितुनाह—

यथा वा—

प्रपवाऽन्वयपालहाश्वनेरिन्मुदाहरण बोधम् ।

अथवा उन्ने ।

३ — निम्न—

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—नगेभ्य इति । हे मातर्गङ्गे । कविगण जिसमें लेशतोऽपि तुम्हारी तुलना दे सकें ऐसी नदी कौन-सी है ? कोई नहीं । कहेंगे—है क्यों नहीं—बहुत सी प्रसिद्ध नदियाँ हैं, तो इसका उत्तर कवि के शब्दों में सुनिष्ट—पर्वतों से निकलने वाली नदियों में कौन सी नदी ऐसी है जिसने त्रिपुरदाहक शिवजी के जटाजूट पर आरोहण किया हो और कौन सी ऐसी है जिसने भगवान् श्रीपति के चरणकमलों को अपने जल से धोया हो, हे गङ्गे ! यह तुम ही कहो । तात्पर्य यह कि—इन दोनों कामों को करनेवाली दूसरी कोई नदी नहीं है, अतः हे गङ्गे ! तुम्हारी तुलना किसी नदी से नहीं की जा सकती है ।

उपपादयति—

अत्र कया वा त्वदितरया श्रीभर्तुः पदं सलिलैरक्षालि यस्यामितरस्यां कविभिस्तव तुलालेशोऽपि दीयेतेत्यर्थेन त्वयि पुनः सलिलक्षालितश्रीरमणचरणायं तव तुला दीयेतैवेत्यर्थोऽनन्वयात्मा श्रीगङ्गागतनिरुपमत्वपर्यवसायी इतरपदमहिम्ना व्यज्यते ।

अत्र पूर्वार्धे तादृशव्यञ्जकाभावादाह—कया वेति । पूर्वोदाहरणे भेदेनेत्युक्त्या तादृशव्यञ्जयस्य स्फुट प्रतीति । अत्र त्वस्फुटा । अत एवोदाहरणान्तरदानमिति ध्वनयन्नाह—इतरपदमहिम्नेति । 'नगेभ्यो यान्तीनाम् ' इति पद्यस्योत्तरार्धेन 'कया वा' इत्यादि मूलोक्तार्थ उच्यते, तेन चार्थेन मूलोक्ताकारोऽनन्वयस्वरूपोऽर्थो ध्वन्यते, ध्वन्यमानशायो गङ्गागतनिरुपमत्वे पर्यवस्यतीति भाव ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि । 'नगेभ्यः—' इस पद्य के उत्तरार्ध भाग का जो 'तुमसे अन्य किस नदी ने अपने जल से श्रीपति के चरण-कमलों को धोया है ? जिसमें कविगण तुम्हारा तुलालेश भी दे सकें' यह अर्थ वाच्य है, उससे 'तुमने तो अपने जल से श्रीरमण के चरणकमलों को धोया ही है, अतः तुम्हारे साथ तुम्हारी तुलना की जा सकती है'—यह अर्थ ध्वनित होता है, जो कि अनन्वयरूप है और जिसका पर्यवसान गङ्गा की निरुपमता में होता है । यहाँ यह अर्थ 'यस्याम्' पद के अर्थरूप 'इतर (अन्य)' पद के प्रभाव से ध्वनित होता है ।

इति रसगङ्गाधरचन्द्रिकायामनन्वयप्रकरणम् ।

अनन्वयालङ्कार निरूप्य सम्प्रति असमालङ्कारनिरूपणमारभमाणस्तावत्तत्क्षणात्—

सर्वथैवोपमानिषेधोऽसमाख्योऽलङ्कारः ।

उपमाननिषेध इति । साक्षात्परम्परया वेत्यादि । तथा च साक्षात्परम्परया या उपमाया आत्यन्तिकाभावो वर्णनविषयीभूतोऽसमनामकालङ्कारलक्षणमिति भाव ।

अनन्वयालङ्कार का निरूपण कर लेने के बाद अब 'असम' अलङ्कार के निरूपण का आरम्भ करते हुए पहले उसका लक्षण करते हैं—सर्वथैव इत्यादि । साक्षात् अथवा परम्परया उपमा के आत्यन्तिक निषेध को 'असम' अलङ्कार कहते हैं ।

विवेचयति—

अयं चानन्वये व्यङ्ग्योऽपि तच्चमत्कारानुगुणतया रूपकदीपकादाद्युपमेव न पृथगलङ्कारव्यपदेशं भजते । वाच्यतायां तु स्वातन्त्र्येण चमत्कारितया पृथक् व्यपदेशभाक् ।

तच्चमत्कारानुगुणतयेति । अनन्वयकृतचमत्कारपरिपोषकतयेत्यर्थ । पृथगिति, पृथगलङ्कारेत्यर्थ । यद्यप्ययमसमपदार्थः अनन्वयस्थले नियमतो व्यङ्ग्यो भवत्येव, तथापि यथा

रत्नमंशुपु नियमनो व्यज्यमानाऽप्युपमा रूपगदीपनादिकृतविलक्षणचमत्कारपोष-  
कतया गुणीभूता पृथक् अलङ्कारव्यवहारविषयता नावगाहते, तथैव तत्र व्यज्यमानोऽप्यसम-  
प्रत्ययवहनचमत्कारविशेषोपपन्न इति गुणीभूतः पृथक् अलङ्कारव्यवहारविषयो न भवति ।  
यत्र पुनर्वाच्योऽप्यनमस्तत्र स्वतन्त्र चमत्कार जनयन् भवत्येव पृथगलङ्कारव्यवहारविषय  
इति भावः ।

रत्न का विवेचन क्रिया जाता है—अथ च इत्यादि । यद्यपि यह 'असमपदार्थ'  
'असम्यय' में नियमत व्यङ्ग्य होता ही है, तथापि वहाँ अन्वयप्रयुक्त विलक्षण  
चमत्कार का पोषक होकर रहता है, स्वतन्त्र नहीं, अतः, जिस तरह रूपक, दीपक आदि  
में नियमत व्यङ्ग्य होने पर भी उपमा को पृथक् अलङ्कार नहीं कहा जाता उसी तरह,  
इसमें भी वहाँ पृथक् अलङ्कार नहीं कहा जा सकता । पर जहाँ यह असम ( सादृश्य  
का निषेध ) वाच्य रहता है वहाँ स्वतन्त्र चमत्कार को उत्पन्न करता है, अतः वहाँ,  
पृथक् अलङ्कार का व्यवहार सममें क्रिया जाता है ।

उदाहरण निर्दिष्टमाह—

यथा—

अनमालङ्कारत्वप्रयोजको य प्रकार स निर्दिश्यत इति भावः ।  
इमे ।

उदाहरण निर्दिश्यते—

'भूमीनाथ शहाबुद्दीन भवतस्तुल्यो गुणानां गणै-  
रेतद्भूतभवप्रपञ्चविषये नास्तीति किं ब्रूमहे ।  
धाता नूतनकारणैर्यदि पुनः सृष्टिं नवां भावये-  
न्न स्यादेव तथापि तावक्तुलालेशं दधानो नरः ॥'

कवि शहाबुद्दीननामानमितिहानप्रसिद्ध चवनजातीय नृप स्तौति—हे शहाबुद्दीननामक  
भूमिनाथ राजन् ! एतेभ्यो भूतेभ्य वर्तमानेभ्य पञ्चमहाभूतेभ्यः अित्यादिभ्यः, भव' उत्प-  
निर्दिश्य तादृशे प्रपञ्चविषये नसारे, गुणानां गणैः शौर्योद्योगादिगुणमुदयैः, भवतस्तव, तुल्य'  
समानो, नास्ति, इति, किं ब्रूमहे कथयाम, अत्रयनेऽपि सर्वैरेतद् ज्ञायत एवेति भावः ।  
धाता नृप, यदि, नूतनकारणैः प्रसिद्धपञ्चभूतातिरिक्तस्वनिर्मितकारणैरित्यर्थः, पुनः, नवा  
नूतनाम्, सृष्टिं नगरम्, भावयेत् स्वयेत्, तथापि नूतननगरनिर्माणेऽपि तावक्तुलालेशं  
त्वर्थापन्ननात्वं, दधानं दधन्, नरो मनुष्य, नैव, स्यात् भवेत् इत्यर्थः ।

उदाहरण देगिने—कवि चमनराजा शहाबुद्दीन की स्तुति करता है कि—हे शहा-  
बुद्दीन नृपते ! गुणसमूह के कारण, तेरे समान इन वर्तमान पञ्चमहाभूतों ( पृथ्वी आदि  
उपादानकारणों ) में यने समार में ( कोई ) नहीं है, यह क्या कहें, क्योंकि बिना कहे भी  
यह सर्वप्रसिद्ध है । कहना तो यह है कि नया यदि नवीन ( इन पञ्चमहाभूतों में भिन्न )  
कारणों में नवीन समार को उत्पन्न करें, तब भी तेरी समग्र तुला की तो बात ही क्या ?  
तेरी तुलना के कग को भी धारण करनेवाला मनुष्य नहीं ही हो सकेगा ।

उदाहरणान्तरः निर्दिष्टमाह—

यथा या—

अथवा इमे ।

उदाहरण निर्दिश्यते—

'भुवनत्रिनयेऽपि मानयैः परिपूर्णै विबुधैश्च वानवैः ।

न भविष्यति नास्ति नाभवन्तृप यस्ते भजन्ते तुलापदम् ॥'

कविः कमपि नृपं स्तौति—हे नृप राजन् ! मानवैः मनुष्यैः, विदुषैः देवैः, दानवैः राक्षसैश्च, परिपूर्णं सर्वतोभावेन व्याप्तेऽपि, भुवनत्रितये त्रिलोक्याम्, यं पुरुषविशेष, ते तव, तुलापदम् तुलनास्थानं, भजते प्राप्नोति, तादृशः कश्चिदपि, न अभवत्, न वा अस्ति, न वा भविष्यति कालत्रयेऽपि तव तुल्यो नेत्यर्थः । कालत्रयासत्त्वमेवोचोदाहरणाद् विशेषः । उदाहरणद्वयेऽपि सर्वथोपमानिषेधावगतेरसमालङ्कारः स्पष्टः ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—भुवन इत्यादि । कवि किसी राजा की स्तुति करता है—हे राजन् ! देव, मानव और दानवों से व्याप्त इस त्रिलोकी में वह जो तेरी समानता का स्थान प्राप्त कर सके, न था, न है और न होगा । इन दोनों उदाहरणों में सर्वथा उपमा का निषेध वर्णित है, अतः असमालङ्कार स्पष्ट है । द्वितीय उदाहरण में कालत्रय की उपमा का निषेध है, यही पूर्व उदाहरण से विलक्षणता है ।

ननुदाहरणद्वयेऽपि निषेधस्य प्राधान्यात्कथमलङ्कारत्वम्, परपोषकत्वेनाप्रधानस्यैव तत्त्वादित्यत आह—

राजस्तुत्युत्कर्षकत्वाद्नासमालङ्कारः ।

अत्र उदाहरणद्वये । 'भूमीनाथ—' 'भुवन—' इति पद्यद्वयम् राजस्तुतौ प्रयुक्तम्, अतः कविनिष्ठराजविषयकरतिभावोऽत्र प्रधानव्यङ्ग्य, वाच्यश्च 'असम' तत्पोषकत्वाद्-लङ्काररूप । असमो नात्र प्रधानमिति भावः ।

यदि कोई कहे कि उक्त दोनों उदाहरणों में असम (उपमा का निषेध) ही प्रधान है—उसी का वर्णन प्रधान रूप में किया गया है, फिर वह अलङ्काररूप कैसे हो सकता है, क्योंकि अलङ्कार तो वह होता है जो स्वयम् अप्रधान होकर किसी प्रधान को उपस्कृत करे, तो इसका उत्तर दिया जाता है कि—हाँ, अप्रधान ही अलङ्कार होता है, यहाँ भी असम अप्रधान ही है क्योंकि प्रधान तो राजा की स्तुति है । तात्पर्य यह कि ऊपर के दोनों ही पद्य राजा की स्तुति में रचे गए हैं अतः इन दोनों से प्रधान रूप में कविगत राजविषयक रतिभाव अभिव्यक्त होता है और उसका पोषक होने के कारण असम (वाच्य उपमानिषेध) अलङ्काररूप बनता है ।

ननूपमानलुप्तोपमयैव गतार्थोऽयमसम इत्याशङ्का मनसि निधायाह—

आत्यन्तिकः क्वाचित्कश्च सदृशनिषेधोऽसमोपमानलुप्तयोर्विषयः । सर्वथैवोपमाननिषेधेन सादृश्यस्याप्रतिष्ठानान्नोपमागन्धोऽपि ।

आत्यन्तिक इति । यथासख्यमन्वयः । तथा च आत्यन्तिक सदृशनिषेधोऽसमालङ्कारस्य विषय क्वाचित्क' सदृशनिषेधश्चोपमानलुप्तोपमाया विषय इति फलितम् । ननु आत्यन्तिकसदृशनिषेधेऽपि कुतो नोपमानलुप्तोपमेत्यत आह—सर्वथैवेति । असमालङ्कारोदाहरणेषु, उपमानस्य सर्वथा निषेधो वर्णितस्तिष्ठति, अतस्तत्र निरूपक विना सादृश्य प्रतिष्ठातुमेव न पारयति, अप्रतिष्ठिते च सादृश्ये कथमुपमाप्रसरः ? नासम उपमानलुप्ताया गतार्थयितु शक्य इति भावः ।

'असम' और 'उपमानलुप्ता उपमा' में भेद दिखलाने के लिये कहा जाता है—आत्यन्तिक इत्यादि । सदृश पदार्थ का जहाँ आत्यन्तिक अभाव वर्णित होता है वह है 'असम' का लक्ष्य और जहाँ किसी स्थानविशेष में अथवा किसी कालविशेष में सदृश पदार्थ का निषेध (अभाव) वर्णित रहता है वह है उपमानलुप्तोपमा का लक्ष्य, अतएव यह भी नहीं कहा जा सकता कि—यह 'असम' अलङ्कार उपमानलुप्ता उपमा में ही गतार्थ है । आप कहेंगे—यह भेद तो आपने अपने मन से कर लिया है । आत्यन्तिक सदृशनिषेध-स्थल में भी उपमानलुप्तोपमा ही क्यों नहीं मान ली जाय ? तो इसका उत्तर यह है

कि—जहाँ ( क्षमम के उदाहरण में ) उपमान का सर्वथा निषेध वर्णित रहेगा—अर्थात् यह वर्णित रहेगा कि 'अमुक पदार्थ का उपमान कहीं कोई है ही नहीं' वहाँ सादर्य गदा ही कैसे हो सकता है ? अर्थात् विना उपमान के किसका सादर्य कहा जायगा ? और जब सादर्य ही प्रतिष्ठित नहीं हो सकेगा तब वहाँ उपमा की गन्ध भी कैसे धावेगी ? क्योंकि सादर्य का ही नाम उपमा है ।

रत्नाग्रमतनुपाय निरन्वयि—

यत्तु—

'दुण्डुलन्तो मरीहसि कण्टक कलिआइ केअडवणाइ ।

मालडकुसुमसरिच्छ भमर भमतो न पावहिसि ॥' इति ।

नेयनुपमानलुप्तोपमा, तस्या' सम्भवदुपमानानुपादानविषयत्वान् । अपि त्वममालङ्कार' इति रत्नाकरेणोक्तम्, तदसत् । मालतीकुसुमसदृश भ्रमर भ्रम-  
त्रपि न प्राप्स्यसीत्युक्त्या वर्तता नाम तत्सदृश कापि, त्वया तु दुष्प्रापमेवेति प्रत्ययादात्यन्तिकोपमाननिषेधाभावादुपमानलुप्तोपमैवेय भवितुमर्हति, नासमा-  
लङ्कार' । अन्यथा मालतीकुसुमसदृश नास्तीत्येव व्रूयात्, न तु प्राप्स्यसीति ।

दुण्डुलन्तो इति । व्याख्यातेय गायोपमाप्रकरणे । खण्डयति—तदसत् इति । तस्या-  
नन्धे तनुपान्त्वन्वयि—मालतीयादिना । निषेधाभावादिति । सम्भवदुपमानत्वाच्चेत्यपि  
योप्यम् । प्रत्ययेति । प्रथमन्धेदन्धे इत्यर्थः । यत्र सम्भवतोऽप्युपमानत्वोपादान न क्रियते  
तत्रोत्मानन्धेदना भवति 'दुण्डुलन्तो—' इति गायया तु उपमानसम्भावनेव निराभितेति  
नत्र ना विन्दु प्रथमात्कार इति रत्नाकरस्याभिप्रायः । परममो न ननु 'मालतीकुसुम-  
सदृश न प्राप्स्यसि' इति कथनेन 'तन्मदृश वस्तु विद्यते जगन्धवश्यम् परन्तु त्वया  
तन्मदृश न गच्छाम' इत्यर्थस्य प्रतीति, तथा च नात्रान्यन्तिकोपमाननिषेध इत ध्रमम-  
लङ्काराणि, अपि न सम्भवतोऽप्युपमानस्यानुपादानेनोपमानलुप्तोपमाया' प्राप्तिरिति  
विचारयित्वा । यदत्रानमालङ्कारनिबन्धन क्वचित्तुर्गभिप्रेत स्यात्, तर्हि 'मालतीकुसुम-  
सदृश नन्तो त्येव कथयेत् । 'न प्राप्स्यसि' इति कथयत अत्र उपमानलुप्तोपमाननिबन्धने  
एव न्याय्यं प्रतीयत इति भावः ।

रत्नाकर के मत का उपपादन करके खण्डन किया जाता है—यत्तु इत्यादि । 'दुण्डु-  
लन्तो—' इन पद्य—जिसकी ध्याय्या उपमाप्रकरण में की जा चुकी है—में उपमान-  
लुप्तोपमा अलङ्कार नहीं है, क्योंकि वह वहाँ होती है, जहाँ सम्भावित उपमान का  
उद्देश्य नहीं किया गया रहता । यहाँ तो ऐसी बात नहीं है—अर्थात् यहाँ उपमान  
की सम्भावना का ही खण्डन किया गया है, अतः यहाँ असमालङ्कार है । ऐसा जो  
रत्नाकर ने कहा, वह भी असत् है—असम्भन है । कारण, यहाँ जो यह वर्णित है कि—'हे  
भ्रमर ! तू ममारभर में घूमता हुआ भी मालतीपुल के समान दूसरे को नहीं पा सकेगा ।'  
उसने यह अर्थ प्रतीत एना है कि—'तुमके समान दूसरा भी कोई पुल दुनिया में कहीं  
हो भी ही पर तू उसको नहीं पा सकेगा ।' अत्र भाष्य प्रत्याहरे कि—यहाँ उपमान  
युष्मापनिक निषेध हुआ ? उत्तर देना पड़ेगा 'नहीं । किन्तु असम यहाँ कैसे ?  
उपमानलुप्तोपमा तो ही मालती है, क्योंकि सम्भावित उपमान का अलङ्कार है । यहाँ  
यदि यदि ही असमालङ्कार का निबन्धन करना अर्थात् ऐसा तो 'मालतीकुसुम सा  
दृश नन्तो इत्युक्त नहीं है' यहाँ कहना, नकि 'मालतीकुसुमसदृश दूसरे को नहीं  
पायेगा यह । ऐसा कहने का कारण यह है कि यदि ही उपमानलुप्तोपमात्कार का  
निबन्धन अर्थात् है ।



आशंक्य समाधत्ते—

अथासमालङ्कारध्वननेनैव चमत्कारोपपत्तेरनन्वयस्य पृथगलङ्कारता कथमिति चेत्, सत्यम् । दीपकादेरप्युपमाभिव्यक्त्यैव चमत्कारोपपत्तौ कथं नाम पृथगलङ्कारत्वमिति तुल्यम् । न च दीपकादावुपमाया व्यङ्ग्यत्वेऽपि गुणीभावत्प्रकृते तु स्वसादृश्यस्य स्वस्मिन्नतितमां तिरस्कारेणासमालङ्कारस्यैव मुख्यतया ध्वननाद्वैषम्यमिति वाच्यम् । यथाहि दीपकसमासोक्त्यादौ गुणीभूतव्यङ्ग्यसत्त्वेऽप्यलङ्कारत्वं न हीयते एवमनन्वये प्रधानव्यङ्ग्यसत्त्वेऽपीति न किञ्चिद्विरुद्धम् । अनन्वयशरीरस्य स्वसादृश्यमात्रस्य वाच्यत्वेन वाच्यालङ्कारव्यपदेशोऽपि सुस्थ एव । दीपकाद्यलङ्कारकाव्ये गुणीभूतस्य व्यङ्ग्यस्य सत्त्वाद्गुणं नाम गुणीभूतव्यङ्ग्यत्वम् । ध्वनित्वं पुनर्न काव्यलङ्कृतिकाव्ये दृष्टमिति चेत्, पर्यायोक्तसादृश्यमूलाप्रस्तुतप्रशंसादिकाव्ये ध्वनित्वस्य स्फुटत्वात् ।

आशङ्कते—अथेति । प्रतिबन्धा समाधत्ते—सत्यमिति । अत एवारम्भे 'रूपकदीपकादावुपमैव' इति दृष्टान्तोक्तिः । दीपकादेरित्यस्य पृथगलङ्कारत्वमित्यत्रानन्वयः । पुनरवान्तरशङ्कामाह—न चेति । अवान्तरशङ्कायाः समाधानमाह यथा हि इति । हि यत्. प्रधानव्यङ्ग्यसत्त्वेऽपीति । अलङ्कारत्वं न हीयते इत्यस्यानुषङ्गः । एवमलङ्कारव्यवहारे साधिते वाच्यालङ्कारव्यवहारं तस्य साधयति—अनन्वयेति । शङ्कते—दीपकाद्यलङ्कारेति । बहुव्रीहिरत्र बोध्यः । अलङ्कृतिकाव्ये इति तद्युक्तकाव्ये इत्यर्थः । तथा चैवमित्याद्युक्तिर्युक्तेति भावः । समाधत्ते—पर्यायोक्तेति । अप्रस्तुतप्रशंसाया अनेकविधत्वादाह—सादृश्येति । अनन्वये स्वसादृश्यस्य स्वस्मिन् वाच्यत्वरूपे चमत्कारो नियतव्यङ्ग्यसादृश्यनिषेधकृत एवेति सर्वसम्मतम्, सादृश्यनिषेध एव च वाच्योऽसमाख्योऽलङ्कारः, तथा चैतत्सिद्धयति यत् अनन्वयेऽसमालङ्कारस्य नियमतो व्यङ्ग्यत्वम् । अथ क्वचिद् वाच्यासमालङ्कारकृतः क्वचिच्च व्यङ्ग्यतदलङ्कारकृतचमत्कार इत्यङ्गीकारेणैव सामञ्जस्ये पृथगलङ्कारश्रेण्यां कथमनन्वयस्य गणनेति शङ्काया दीपकादावपि नियमतो व्यज्यमानोपमाकृत एव चमत्कारस्तथा च तेनैव निर्वाहि दीपकादेरपि किमर्थम् पृथगलङ्कारत्वमिति शङ्कायास्तुल्यत्वमिति प्रतिबन्धात्मक समाधानम् । यथा तत्त्वेऽपि दीपकादे पृथगलङ्कारत्वम् तथा अनन्वयस्यापीति भावः । दीपकादौ व्यज्यमानाऽप्युपमा वाच्यार्थस्य ( दीपकत्वादिनाऽभिमतस्य ) अपेक्षया गुणीभूता इति प्रधानवाच्यार्थमूलकदीपकादिव्यवहारो युक्तः, अनन्वये तु वाच्यं स्वस्मिन् स्वसादृश्यम् बाधितत्वेन नितान्ततिरस्कारपात्रमेवेति किं तस्य प्राधान्यम् ? फलतः व्यज्यमानस्य सादृश्यनिषेधात्मकासमालङ्कारस्यैव प्राधान्यम् इति नात्राप्रधानवाच्यार्थमूलकानन्वयव्यवहारो युक्त इति तु नोचितं वैषम्योपदर्शनम्, अस्य वैषम्यस्याकिञ्चित्करत्वात् । तथाहि—यद्युपमात्मकगुणीभूतव्यङ्ग्यसद्भावेऽपि दीपकादेरलङ्कारत्वं न नश्यति तर्हि अस्मात्प्रधानव्यङ्ग्यसद्भावेऽनन्वयस्यालङ्कारत्वं कथं नश्येत् ? न नश्येदेव । न च न नश्यत् तस्यापि तत्, किं नु यत्र कोऽप्यर्थः प्रधानतयाऽभिव्यज्यते, तत्कृत एव च चमत्कारोऽनुभूयते तत्र ध्वनिकाव्यव्यवहार एव भवति नालङ्कारकाव्यव्यवहार इति भवतोऽपि प्रायोऽभेदमेव तथा च प्रधानतोऽभिव्यज्यमानचमत्कारैककारणासमालङ्कारके काव्येऽनन्वयकाव्यव्यवहारः कथं स्यात् ? न च गुणीभूतव्यङ्ग्यसद्भावे दीपकादिव्यवहारवत् सोऽपि व्यवहारस्यादिति शंक्यम्, अलङ्कृतिप्रधानकाव्येऽपि गुणीभूतव्यङ्ग्यकाव्यव्यवहारस्यालङ्कारिकैरङ्गीकृततया तत्र तथा व्यवहारस्य सम्भवेऽपि तद्दृष्टान्तेन प्रकृते तथाव्यवहारस्यासम्भवादिति

परन्तु, परंतो तादृशमूलराप्रस्तुतप्रशनादिनाच्ये ध्वनिवत्सालङ्कारकाव्यत्वस्य च स्फुटतया ध्वनिवत्तास्यो नामानाधिररज्येऽविरोधान् । अथास्वेतन्वर्गम्, परन्तु चमत्काराणां चमत्कारव्येन समगनादाय अनन्वये वाच्यत्वात्कारत्वव्यपदेश इति चेत्? स्वभिन्नस्य तादृशप्रसक्तव्यपदेशात्समादायेति भावः ।

गणन-गणनपूर्वक 'अनन्वय' की पृथक् अलङ्कार मानने में युक्ति दिखलाई जाती है—यद्यपि। अथ यहाँ प्रश्न यह उपस्थित होती है कि—'अनन्वय' में वाच्य अन्तः—अपने में अपना सादृश्य—तो बाधित ही रहना है, अतः उसने कोई चमत्कार नहीं उत्पन्न होता, फलतः यही मानना पड़ता है कि व्यञ्जना के द्वारा प्रतीत होनेवाले 'उपमाननिषेध ( अनुपमना )' अन्त में ही वहाँ चमत्कार उत्पन्न होता है, और उपमान के निषेध द्वारा सादृश्य ( उपमा ) का निषेध अथवा सादृश्य के निषेध द्वारा उपमान का निषेध ही असमालङ्कार का स्वरूप है। अतः यह कहना अव्यक्त ही सद्गत है कि 'असमालङ्कार' को ध्वनित करने में ही 'अनन्वय' में चमत्कार आता है। ऐसी दशा में अनन्वयवाचक वर्णन को 'असमालङ्कार' व्यञ्जकमात्र मान लेने से निर्वाह हो जाता है, फिर पृथक् 'अनन्वय' की अलङ्कार क्यों माना जाय? उत्तर में कहा जाना है कि दीपक आदि अलङ्कारों में भी उपमा का अभिव्यक्ति से ही चमत्कार बन पाता है—यदि सादृश्य की व्यञ्जना प्रतीति न हो तो दीपक आदि में और चमत्कार ही क्या रह जाता है? फिर उनको ( दीपक आदि को ) क्यों पृथक् अलङ्कार माना जाता है? वान दोनों ही स्थितियों पर एक सी है। तादृश्य यह हुआ कि जैसे प्रतीयमान उपमाश को लेकर ही चमत्कारी होनेवाले दीपकादि को पृथक् अलङ्कार माना जाता है, वैसे ही व्यञ्जमान उपमाननिषेध ( असम ) अन्त को लेकर ही चमत्कार उत्पन्न करनेवाले अनन्वय को भी पृथक् अलङ्कार माना जायगा। यदि आप वही कि—दीपक आदि का दृष्टान्त देकर जो अनन्वय को पृथक् अलङ्कार सिद्ध करने का प्रयास आपने किया है वह नहीं सफल हो सकता, क्योंकि दृष्टान्त और दार्ष्टान्तिक में बड़ी विपमता है और वह विपमता यह है कि दीपक आदि में व्यञ्ज होकर भी उपमा गीत ही रहती है, प्रधान रहता है दीपकात्मक वाच्यार्थ ही, अतः प्रधान के अनुसार पृथक् अलङ्कार का व्यवहार सद्गत हो जाता है, पर प्रकृत में तो अपने में अपना सादृश्य ही वाच्य रहता है जो अत्यन्त ही बाधित अतएव विरन्त होने योग्य है, अतः असमालङ्कार ही ध्वनित होकर सुगम हो जाता है, ऐसी स्थिति में यहाँ सुगम असमध्वनिकाव्य का ही व्यवहार होना उचित प्राप्त है न कि अनुपम अनन्वयालङ्कार काव्य का, तो इसका उत्तर यह है कि—जैसे 'दीपक' 'समामोषि' आदि अलङ्कारों में गुणीभूत ( अग्रधान ) व्यञ्ज के रहने पर भी उनकी अलङ्कारता नहीं नष्ट होता—अर्थात् वे अलङ्कार कहलाने ही हैं, उसी तरह 'अनन्वय' में प्रधान व्यञ्ज के रहने पर भी उसकी ( अनन्वय की ) अलङ्कारता नष्ट नहीं होगी, यह भी अलङ्कार कहायगा। तादृश्य यह कि—अग्रधान व्यञ्ज के रहने से किसी पदार्थ का अलङ्कार होना नहीं सकता तब प्रधान व्यञ्ज के रहने में यह रह जाय यह न्यायमान नहीं है। और 'अपने में अपना सादृश्य' यह जो 'अनन्वय' का धरीस्वरूप है वह तो वाच्य ही है, वाच्य नहीं, अतः अनन्वय को वाच्य अलङ्कार कहना भी उचित ही है। यदि आप वही कि दीपक आदि अलङ्कारों में युक्त कवियों ने सादृश्यव्यञ्ज के गुणीभूत ( प्रधान ) होने से उन्हें 'गुणीभूत व्यञ्ज ( उत्तम वाच्य )' कहा जाता है। यह भी है, पर किसी अलङ्कार-प्रधानवाच्य का ध्वनि ( अन्तमोक्ष ) वाच्य होना नहीं नहीं स्यात् स्यात्। अनिश्चय यह है कि—द्वारे अलङ्कारों में कुछ व्यञ्ज गुणीभूत होकर रहते हैं और उन व्यञ्जों में चमत्कार भी रहता है, अतः उन्हें चमत्कार ( असम ) न रहकर गुणीभूतव्यञ्ज ( उत्तम ) कहा जा सकता है, पर अलङ्कारप्रधान ऐसा कोई वाच्य नहीं जो अलङ्कारप्रधान होकर भी ध्वनि ( अन्तमोक्ष )

कहला सके। किन्तु अनन्वयालङ्कार में असमालङ्कार प्रधानतया ध्वनित अतएव वाच्या पेश्या अधिक चमत्कारी भी होता है। ऐसी स्थिति में अब अनन्वयालङ्कारयुक्त काव्य को 'ध्वनि (उत्तमोत्तम)' काव्य कहना पड़ेगा, जो एक अदृष्टपूर्व वात है। इसका समाधान यह है कि—जिस बात को आप अदृष्टपूर्व समझ रहे हैं, वह वस्तुतः अदृष्टपूर्व है नहीं, जरा सी तिरछी नजर करके देखने पर वह वात 'पर्यायोक्त' और सादृश्यमूलक 'अप्रस्तुतप्रशंसा' आदि अलङ्कारप्रधान काव्यों में स्पष्ट देखी जा सकती है—अर्थात् उन अलङ्कारों से युक्त काव्य अलङ्कारप्रधान ही कहलाते हैं और साथ साथ वहाँ प्रधानतया ध्वनित होनेवाले अर्थ भी रहते हैं।

मतान्तरमाह—

प्राञ्चस्तु नेदमलङ्कारान्तरमित्यप्याहुः ।

'अक्षरमो' नालङ्कार कश्चित्, तदुदाहरणतयाऽभिमतेषु काव्येषु उपमालङ्कारदूरीकरण-मात्रस्यैव रसाद्यनुगुणतया रमणीयत्वात् इति प्राञ्चो मन्यन्ते । रत्याद्यनुकूलतया कुतश्चिदङ्गा-द्भूषणापसारणं यथा शोभाविशेषाय भवति, तथा स्थलविशेषेऽलङ्कारविशेषस्य दूरीकरणमात्र-मपि रसाद्यनुगुणतया रमणीयं भवतीति न तत्रालङ्कारान्तरकल्पनावश्यकतेति तदाशयः । एतच्च व्यतिरेकालङ्कारप्रकरणे ग्रन्थकृतैवोक्तम् ।

प्राचीनों का मत दिखलाया जाता है—प्राञ्चस्तु इत्यादि। प्राचीन आचार्य 'अक्षरम' नामक अलङ्कार नहीं मानते। नहीं मानने में उनकी युक्ति यह है कि—जैसे सम्भोग आदि में अनुकूल होने के कारण नायिका के किसी-किसी अङ्ग से भूषण का हटा देना ही शोभाविशेष के लिए होता है उसी तरह कहीं-कहीं अलङ्कार को दूर कर देना ही रस आदि के लिये उपकारक हो जाता है, अतः जिन काव्यों में 'अक्षरम' अलङ्कार माना जाता है, उनमें उपमा अलङ्कार का निरास कर देने मात्र से चमत्कार पैदा होता है, किसी खास अलङ्कार के होने से नहीं, यही मानना चाहिये। 'प्राचीन नहीं मानते' इस कथन से नवीन (जिनमें ग्रन्थकार भी प्रायः सम्मिलित हैं) 'असमालङ्कार' मानते हैं, ऐसा प्रतीत होता है, उसमें तर्क यह है कि नये-नये चमत्कारों की उपलब्धि ही तो नवीन-नवीन अलङ्कारों को स्वीकार करने में युक्ति है, फिर जैसे सादृश्य वर्णित रहने पर एक तरह का चमत्कार उपलब्ध होने से 'उपमा' नाम का अलङ्कार माना जाता है वैसे ही सादृश्यनिषेध वर्णित रहने पर भिन्न तरह का चमत्कार उपलब्ध होने से एक भिन्न अलङ्कार क्यों नहीं माना जाय ?

व्यङ्ग्यमसमालङ्कार दर्शयितुमाह—

अयं चासमालङ्कारो व्यज्यमानो यथा—

व्यञ्जनावृत्तिबोध्यं यह असमालङ्कार, जैसे ।

उदाहरण निर्दिश्यते—

'मयि त्वदुपमाविधौ वसुमतीश वाच्यमे

न वर्णयति मामयं कविरिति क्रुध मा कृथाः ।

चराचरमिदं जगज्जनयतो विधेमौनसे

पदं नहि दधेतरां तव खलु द्वितीयो नरः ॥'

कवि कमपि राजानं स्तौति—हे वसुमतीश राजन् ! त्वदुपमाविधौ प्रसिद्धेन इन्द्रा-दिनोपमानेन सह तव तुलनाकरणे (विषयसप्तमीयम्), मयि, वाच्यमे मौनावलम्बिनि, सति, अयं कवि, मा, न वर्णयति, इति हेतो, क्रुध कोपम्, मा कृथा न कुरु, त्वमिति शेष । 'मा कृथा' इत्यत्र 'माङ्गि लुङ्' इति सूत्रेण सर्वलकारापवादभूतो लुङ् । माङ्गयोगा-दडागमाभाव । अर्वाणहेतुकक्रोधाकरणे कारणमाह—चराचरमिति । हि यत, चराचरम्,

निर्दयम् ]

स्वाराज्यमानम्, एव परिहृतमानं, जगत् समारम्, जनयत् उत्पादयत्, विधिः  
मानं, मानं चेतनि, तत्र द्वितीयं त्वाद्गोऽपर, नः मनुष्य, एतु निश्चयेन, पदं  
स्थानम्, न उपेतराम् प्रापेत्पर्यं ।

उदाहरण का निदेश किया जाता है—मयि इत्यादि । कवि किमी राजा की स्तुति  
करता है—'राजन्' में आपकी किमी के साथ तुलना करने के विषय में चुप हैं, इस-  
लिये आप यह समझकर कि 'यह कवि मेरा वर्णन नहीं करता' क्रोध न कीजिएगा ।  
अमरीयान यह है कि—हम न्यावर-जन्मान्मक समार को रचनेवाले विधाता के मन में  
आपके जमा कोई दूसरा मनुष्य न्यान ही न प्राप्त कर सका । आप जैसे दूसरे मनुष्य की  
इशता करना तो दूर रहे, विधाता यह सोच भी नहीं सके कि आप जेमा कोई दूसरा  
हो सकता है ।

उपपादनम्—

अत्र य एतावन्त ममय त्रियातुर्मानस नाधिहृड सोऽप्रेऽपि मानाभावात्ता-  
धिरोद्धेत् . अत सर्वथैव नास्तीति गम्यते ।

नु निष्पत्त्य वाच्यमेव न्यमममन्त्यात्र व्यप्यन्वम्, किञ्च 'दधे' इति भूतकालिकि-  
राचयेन भूतनिष्पत्तिपादनेनान्वयिकनिष्पत्तीत्या व्यमनन इत्यत प्राह—अत्रेति ।  
अस्मिन् पद्ये इत्यर्थः । मानाभावात् प्रमाणविरहान् । गम्यत इति । गम्यथायनर्थे 'अस्त-  
मात्प्रारम्भे' । एवमप्युपादननिष्पत्त्य शाब्दत्वेऽपि भूतकालिकत्वेऽपि च उपमाननिष्प-  
त्त्ये व्यप्यन्वयान्निष्पत्त्युपादेवेति भावः ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि । 'मयि खदुपमाविधौ—' इस पद्य में 'आपके  
समान कोई दूसरा मनुष्य विधाता के मन में नहीं आया' इतना तो साफ वर्णित है  
और इसमें यह भी अनादास ज्ञात हो जाता है कि—आगे भी आप जेमा कोई उनके  
मन में नहीं आया, क्योंकि आगे उनके मन में आप जेमा कोई आ ही जायगा इसका  
कोई प्रमाण नहीं है । फलतः इस पद्य में यही अभिव्यक्त होता है कि—आप जेमा कोई  
अमनाद्वार का उदाहरण समझा जाता है ।

वाच्यमेव न्यमममन्त्यात्र व्यप्यन्वम्—

एव च उपपन्नानोऽप्यनमोऽत्र प्रयानोभूतराजस्तुत्कर्षकतयालङ्कार एव ।  
'मयि—' इति न्तोक्ते रास्तुति सर्वत प्रधाना ( कविनिष्ठराजविरक्तविभाव  
न्यायः प्रथम इति भावः ) एत एवोऽप्यनम अप्रधानान् प्रधानप्रकाररूपतया  
प्राधान्य एव विधिः नाद्वारम्भ इति गाराणः ।

एवमेव तेषां पर भी यह अमम अलङ्कार रूप केमे होता है इसकी उपपत्ति सुनिये—  
एव च इत्यादि । 'मयि—' इस पद्य के द्वारा राजा की स्तुति की गई है, अतः इस पद्य में  
राजा के विषय में कवि का प्रेम ( भाव ) सर्वत्र प्रधानरूप में अभिव्यक्त होता है, अतः  
अन्य होकर भी 'अमम' इसकी अपेक्षा अप्रधान ही रहता है और अप्रधान प्रधान का  
वैरोध होता है । इसीलिये एवमेव होने पर भी यहाँ का 'अमम' अलङ्काररूप ही है,  
अत्र व्यप्यन्व नर्ति ।

एवमेव एव सुप्रकारादि—

सुप्रकारादि—

अत्र व्यप्यन्वम् ।

अत्र व्यप्यन्वम् ।

उदाहरण निर्दिश्यते—

‘सदसद्विवेकरसिकैरालोक्य समस्तलोकमथ कविभिः ।

गणिता गगनलतादेर्गणनायां तन्वि ! तव सदृशी ॥’

हे तन्वि कृशाङ्गि! सताम् सत्यभूतानाम्, असताम् असत्यभूतानाम्, पदार्थानाम्, विवेके विवेचने, रसिकैः स्नेहवद्भिः कविभिः, समस्तलोकम् समग्र जगत्, आलोक्य निभात्य, अथ अनन्तरम् तव सदृशी त्वत्तुल्या, गगनलतादेः आकाशलताद्यसम्भवद्वस्तुना गणनायाम् कोटौ, गणिता सख्याता इत्यर्थः । अत्र ‘असत्पदार्थगणनाया तव तुल्या गणिता इत्युक्त्या त्वत्तुल्या जगति नास्तीति प्राधान्येन व्यज्यते, अतः अलङ्कारध्वनिरिति भावः । नालङ्कार इति तदाशयः ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—सदसद् इत्यादि । हे कृशाङ्गि ! सत्य और मिथ्या पदार्थों का विवेक करने में रस लेने वाले कवियों ने समस्त ससार की देख-भाल कर चुकने के बाद तेरी जैसी को ‘आकाशलता’ आदि की गणना में गिना है—अर्थात् ‘आकाशलता’ जैसे ससार में नहीं है वैसे ही तेरे समान भी कोई नहीं हो सकती । यहाँ ‘तेरी बराबरी की कोई दूसरी नायिका नहीं है’ यह असम पदार्थ प्रधान रूप से ही अभिव्यक्त होता है—अर्थात् यहाँ कोई दूसरा प्रधान अर्थ है ही नहीं जिसका पोषण यह असमपदार्थ करे, अतः अलङ्कार ( अलङ्कार कहलाने योग्य पदार्थ ) की ध्वनि यहाँ मानी जायगी, व्यङ्ग्य अलङ्कार नहीं ।

असमालङ्कारस्य भेदानुपपादयति—

अयं कचिदुपमानस्य निषेधात्कचिच्च साक्षादुपमाया एव । आद्यस्तूपदर्शितः ।

उपमानिषेध एव यद्यप्यसमालङ्कारलक्षणो प्रविष्टः, तथापि उपमाननिषेधेऽपि निरूपकभावादुपमानिषेध पर्यवस्यतीति उपमाननिषेधमूलकम् साक्षादुपमानिषेधमूलकञ्च भेदद्वयमसमस्य तावद्विध्यम् । तत्रोपमाननिषेधमूलकं प्रथमो भेद प्रागुदाहृत इति भावः ।

असमालङ्कार के भेद किये जाते हैं—अयम् इत्यादि । यह ‘असमालङ्कार’ कहीं उपमान के निषेध से होता है और कहीं साक्षात् उपमा के ही निषेध से । तात्पर्य यह है कि—यद्यपि लक्षण में उपमा के निषेध को ही ‘असम’ कहा गया है, तथापि उपमान निषेधमूलक भी एक भेद इसका होता है, क्योंकि उपमान के निषेध से उपमा का निषेध ही फलतः सिद्ध होता है । कारण, उपमान ही उपमा ( सादृश्य ) का निरूपक होता है, फिर निरूपक के अभाव में उपमा कैसे हो सकती है ? इस तरह उपमाननिषेधमूलक और साक्षात् उपमाननिषेधमूलक दो भेद असम के सिद्ध हुए । उनमें प्रथम अर्थात् उपमाननिषेधमूलक भेद का उदाहरण पहले दिखलाया जा चुका है ।

द्वितीयभेदमुदाहर्तुमाह—

द्वितीयो यथा—

द्वितीय अर्थात् साक्षात् उपमानिषेधमूलक असमालङ्कार, जैसे ।

उदाहरण निर्दिश्यते—

‘पूर्णमसुरै रसातलममरैः स्वर्गो वसुन्धरा च नरैः ।

रघुवशावीरतुलना तथापि खलु जगति निरवकाशैव ॥’

यद्यपि असुरै रसातलम् पातालम्, पूर्णम्, अमरैर्देवैः, स्वर्गं, पूर्णं, नरै मनुष्यैः, वसुन्धरा पृथ्वी, च, पूर्णा अस्तीति शेषः । अत्र ‘पूर्णम्’ इत्यस्य लिङ्गव्यत्यासेनान्यत्रान्वयः । तथापि रसातलस्वर्गवसुन्धराणाम् असुरामरनरपरिपूर्णत्वेऽपि, जगति ससारे

मनु निरूपेण, रघुवन्दारम् गमचन्द्रम्, तुलना उपमा, निरवक्या निप्रमरा निराधारगति  
साध, एतन्मय । अत्र सापेक्षतामन्वितात्मन्मन्वते इति भाव ।

उपमाका निर्देश किया जाता है—पूर्णं ह्ययादि । पाताल असुरों से, स्वर्ग देव-  
गणों से और पृथ्वी मनुष्यों से यद्यपि पूर्ण है—इन सभी जातियों में एक से एक बर-  
तमान है, तथा पि रघुवन्दार-रामचन्द्रजी की तुलना-उपमा-निरवक्या ही रह जाती  
है—यदि उसकी उपमा किसी से नहीं दी जा सकती, वह अनुपम है । यहाँ 'तुलना  
नेरुपमा' हम उक्ति के द्वारा साक्षात् उपमा का निषेध किया गया है अतः यह पद्य  
समालम्भार के द्वितीय भेद का उदाहरण होना है ।

अन्वयेनात्मा स्वयमूर्णत्वमाह—

एव पूर्णतया लुप्ततया चास्यापि यथासम्भवं भेदा उन्नेयाः ।

यदीत्यादा पूर्णत्वमादौ भेदा भवन्ति तथाऽन्नेऽपि कियन्तो भेदा भवितुमर्हन्ति,  
तेषां स्वयं अन्नेऽप्यन्वय इति भाव ।

जैसे 'उपमा' के पूर्ण-लुप्ता आदि भेद होते हैं, वैसे 'अन्वय' के भी उनमें से कितने ही  
भेद हो सकते हैं, जिनका वर्णन विस्तार के भय से छोड़ दिया गया है । पर विद्वानों को  
स्वयं उनका उद्घटन करना चाहिये ।

इति रघुवन्दारचन्द्रिका नाममात्मालङ्कारप्रकरणम् ।

यदीत्यादात्परिनिष्पन्नानामान्वात्माह—

सामान्येन निरूपितस्यार्थस्य मुखप्रतिपत्तये तदेकदेशं निरूप्य

अर्थान्तरन्यासेऽपि यद्यप्यवयवावयविभावः प्रतीयते, तथापि तत्र स शब्देनोच्यमानो न तिष्ठति । एवञ्चार्थान्तरन्यासे उदाहरणालङ्कारलक्षणं न प्रसज्जत्विति 'उच्यमान'पदं लक्षणे प्रवेशितम् । तथा च यत्र सामान्यविशेषयोरवयवावयविभावस्य बोधकं शब्द उपात्तस्तत्रोदाहरणम् । यत्र च तादृशः शब्दो नोपात्तस्तत्रार्थान्तरन्यास इति विवेकः । तयोरवयवावयविभावस्य बोधकाश्च शब्दा इव-यथा-निदर्शनं दृष्टान्तादयो भवन्तीति काव्या च्लोकनेन स्फुटमवगम्यते । विशेषसामान्यभावात्मकेऽवयवावयविभावे इव यथापदयोरभिधा नास्ति, तयोरभिधाया सादृश्यरूपार्थ एव कोशादिभिर्बोधितत्वादिति चेत् ? सत्यम्, तयोः पदयोस्तत्रार्थे लक्षणाङ्गीकरणीयेति लक्षणकारस्याभिप्रायः । तथा च 'उच्यमान' इत्यस्य नाभिधाबोधयमान इत्यर्थः, अपितु शब्देन बोध्यमान इत्येव । तच्च लक्षणायामपि न विरुद्धम् इति साराशः । अत एव इव-यथापदयोरुत्प्रेक्षाबोधकता सकलालङ्कारिकाभिमतता सङ्गच्छते । सादृश्यवाचकौ तौ शब्दौ सम्भावनात्मिकामुत्प्रेक्षामपि लक्षणयैव बोधयितुं प्रभवत इति भावः ।

लक्षण का विवेचन किया जाता है—अर्थान्तर इत्यादि । अर्थान्तरन्यास के उदाहरणों में अतिप्रसङ्ग न हो इसलिये 'उदाहरण' के लक्षण में 'शब्द से उक्त' यह अवयवावयविभाव का विशेषण दिया गया है । तात्पर्य यह कि—अर्थान्तरन्यास के उदाहरणों में भी सामान्य-विशेषभाव प्रतीत अवश्य होता है, पर उस भाव का बोधक कोई पद वहाँ नहीं रहता, अतः उससे पृथक् करने के लिये 'उदाहरणालङ्कार' में उक्त भाव का शब्द द्वारा अवगत होना आवश्यक माना जाता है । काव्यों में उक्त अवयवावयविभाव के बोधक 'इव, यथा, निदर्शन और दृष्टान्त' पद स्पष्ट उपलब्ध होते हैं । 'इव' और 'यथा' पद 'सादृश्य' के वाचक हैं, अतः वे दोनों पद सामान्य-विशेषरूप अवयवि-अवयवभाव के बोधक किस वृत्ति के बल पर हो सकते हैं ? अर्थात् अभिधावृत्ति के बल पर नहीं हो सकते, तो इस प्रश्न का उत्तर यह है कि हाँ, अभिधा के बल पर नहीं हो सकते यह बात सत्य है, पर लक्षणा के बल पर तो हो ही सकते हैं—अर्थात् जहाँ जिस पद की अभिधा बाधित रहती है वहाँ भी उस पद की लक्षणा का साम्राज्य रहता है ऐसी स्थिति में इव यथा आदि पदों की अभिधा भले ही 'अवयवावयविभाव'रूप अर्थ में न हो पर लक्षणा हो सकती है । इसीलिये तो वे पद सम्भावनारूप उत्प्रेक्षा के भी बोधक होते हैं, यदि अभिधा के बल पर ही उन पदों का बोधक होना निश्चित रहता, तब तो सादृश्य के अतिरिक्त किसी भी अर्थ के बोधक नहीं हो पाते और उनको उत्प्रेक्षा-बोधक सभी आलङ्कारिक मानते हैं । ऐसी दशा में लक्षणा द्वारा इव यथा आदि पद उत्प्रेक्षा की तरह अवयवावयविभाव के भी बोधक हैं यह मानने में किसी को किसी तरह की आपत्ति नहीं होनी चाहिये ।

लक्ष्य दर्शयितुं कथयन्ति—

उदाहरणम्—

अघोनिर्दिष्ट बोध्यमिति भावः ।

उदाहरण देखिए ।

उदाहरण निर्दिश्यते—

'अमितगुणोऽपि पदार्थो दोषेणैकेन निन्दितो भवति ।

निखिलरसायनराजो गन्धेनोप्रेण लशुन इव ॥'

अमितगुण अपरिमितगुणशाली, अपि, पदार्थः वस्तु, एकेन, दोषेण, निन्दित निन्दा-विषयः, भवति जायते । यथा निखिलरसायनराज सकलेषु रसायनेषु श्रेष्ठ, लशुनः स्व-

नामगतात् नृत्तद्विषयः, उभयोः उक्तेन, नन्वेन निन्दितो भवतीत्यर्थः । अत्रामितगुणपदार्थ-  
 र्थानामान्य-प्रापवर्णितम्, तदन्तर्देशेणो विनोपभूतो लघुनो निरूपितस्तयोश्चावप्रव्यवयव-  
 भावः 'द्वय'मन्तेन बोधित इत्युक्तान्नाल्लघुनोऽन्तरण पद्यमेतन्मन्वदत इति भावः ।

उदाहरण का निम्न किया जाता है—अमित इत्यादि । अमित-अगणित-गुणों से  
 युक्त भी पदार्थ एक दोष के कारण निन्दित हो जाता है जैसे मकल रमायनों ( आयु  
 आदि के पदान्ते वाले औषधों ) में श्रेष्ठ लघुन उग्र गन्ध के कारण निन्दित हो गया है ।  
 यहाँ पहले अगणितगुणगणशाली पदार्थ-सामान्य का वर्णन किया गया है तदुत्तर  
 उभयों पर दोष-विनोपभूत पदार्थ-लघुन का । और इन दोनों सामान्य-विशेषभूत  
 पदार्थों में अवयव-प्रत्ययभाव है—अर्थात् सामान्य अगणितगुणयुक्त पदार्थ अवयवी-  
 भूत है और विनोपभूत तादृश लघुन है अवयव-अन्तः । यह अन्वयभाव यहाँ द्वय शब्द  
 से साफ कह दिया गया है, अतः यह पद्य उदाहरणालङ्कार का उदाहरण माना जाता है ।

नामगतात् नृत्तद्विषयः—

न चात्र पदार्थलघुनोत्पत्त्या शक्या वक्तुम् । तयो सामान्यविशेषभावनेन  
 सादृश्यत्वात्तुल्यमानम् । तथात्वे तु इयंशब्दादीनामिव सदृशादिशब्दानामप्य-  
 लङ्कारेऽस्मिन् प्रयोगः स्यात् ।

सादृश्यत्वमिति । मित्रो भेदाभावेन रज्जुमप्रतीतिरित्यर्थः । तथात्वे त्विति । सादृश्य-  
 स्तोऽपि विनोप । अन्वयेपपत्तिर्नवाप्रे रज्जुमभिव्यक्तिः । 'अमितगुण—' इति श्लोके  
 पूर्ववर्तिनोत्तर पदार्थसामान्योत्तगर्भवर्णितस्य लघुनस्य चोपभवे कविना निबद्धा तथा  
 नामगतात्तुल्यमिति नातिरिचोश्चादृशादृशात्तुल्यत्वमन्वयेति चन्तु न शक्यम्,  
 सामान्यविशेषभावभावसोऽन्वयो 'विनोप सामान्या नातिरिच्यते' इति निदान्तरीत्या परन्परं  
 भेदविशेषो भेदप्रतिपत्त्य सादृश्यत्वमर्थस्य प्रवेत्तुमन्वयप्रयोगमात्रा प्रप्रनक्ते । यद्येवविधे  
 स्वने सादृश्य प्रतीति भवेत्, तर्हि तत्र द्वय-व्यपदेश-प्रयोगवत् सदृशात्तुल्यविषयप्रयोगोऽपि  
 भवेत्, न न भवति 'अन्वयभाव', तथा चैवविशेष्यते सादृश्यस्याप्रतीतिरुक्तमेतापि  
 सादृश्यत्वमिति भावः ।

एक चात्रद्वय इत्ये उभयोः समाधान किया जाता है—न चात्र इत्यादि । 'अमित-  
 गुणोपभवे' एव पद्य में 'पदार्थ' और 'लघुन' की उपमा नहीं कही जा सकती, क्योंकि  
 उभयोः सादृश्य का नाम है और सादृश्य की प्रतीति यहाँ ही नहीं सकती । कारण,  
 सादृश्य भेदप्रतिपत्ति पदार्थों में, अतः दोष निरूपणों में ही यह ही सकता है और सामान्य  
 'पदार्थ' तथा विनोप 'लघुन' में भेद ही नहीं अर्थात् 'लघुन' भा 'पदार्थ' के अन्वयगत  
 ही है उभयों में निरूपण ही । यदि हम तरह के सामान्यविशेष भाववाले शब्द—जो उदा  
 हरणालङ्कार का लक्षण है—में सादृश्य की स्पष्ट प्रतीति होना, तो जिस तरह 'द्वय' 'द्वयो'  
 यदि दोषों का प्रयोग होता है, उभय तरह सत्ता, गुण आदि पदों का भी प्रयोग ही  
 सकता है पर धेनो होता नहीं । प्रथम उदाहरण में ही 'विनोप-विनोप लघुन' इस चात्रय  
 के सादृश्य पर 'लघुन के सत्ता' नहीं कहा जा सकता ।

सादृश्यत्वमिति नामगतात् नृत्तद्विषयः—

नृत्तद्विषयः—

'द्वय'पर्युक्त उदाहरण में द्वयत्वका ही प्रयोग है अथ 'द्वयो'पर्युक्त उदाहरण में द्वयत्व ।  
 उदाहरण निम्नलिखित—

अतिमात्रकल्पेण चापल्य विदधानः कुम्भनिविन्मथनि ।  
 त्रिपुरद्विषि वीरणा वाञ्छरन्त्रिः उरुमादयो चया ॥



अतिमात्रबलेषु स्वापेक्षयाऽत्यधिकबलशालिषु चापलं चञ्चलताम् द्वेषभावमिति यावत् विदधान कुर्वाण, कुमतिः दुर्बुद्धि जन इति शेष, विनश्यति विशेषेण नाशमुपलभते, यथा त्रिपुरद्विषि त्रिपुरासुरद्वेषिणि शिवे वीरताम् शौर्यम्, वहन् दधान, अवलिप्त गर्वी, कुसुमायुध प्रसूनशर काम इति यावत्, विनष्ट इत्यर्थ ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—अतिमात्र इत्यादि । अत्यधिक बलवालों के विषय में—अर्थात् उनके साथ—चञ्चलता करनेवाला दुर्बुद्धि मनुष्य नष्ट हो जाता है, जैसे त्रिपुरारि ( शिव ) के विषय में वीरता रखनेवाला—उनके साथ वीरता दिखलाने वाला—घमडी कुसुमायुध ( कामदेव ) नष्ट हो गया ।

उपपादयति—

अत्र त्रिपुरद्विष्वीरते अतिमात्रबलचापलयोर्विशेषौ । अवलेपकुसुमायुधौ च कुमतिरित्यत्र गुणप्रधानयोः ।

गुणप्रधानयोरिति । कुत्सितमतितद्विशेष्ययोरित्यर्थ । विशेषावित्यस्यानुषङ्ग । 'अतिमात्र—' इति श्लोकेऽतिमात्रबलचापलपदार्थौ सामान्यभूतावत एवावयविनौ त्रिपुरद्वेषिवीरतापदार्थौ च तद्विशेषभूतावत एव तौ तदवयवौ । एवम् कुमतिपदार्थौ कुत्सितमतितद्विशिष्टौ सामान्यभूतावयविनौ अवलेपकुसुमायुधपदार्थौ च तद्विशेषभूतावत एवावयवौ । एतस्यावयवावयविद्वयस्य सवन्ध ( अवयवावयविभाव ) यथापदेनोक्त इति इदमपि उदाहरणालङ्कारोदाहरणम् भवतीति भावः ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि । 'अतिमात्र'—इस पद्य में 'अत्यधिक बलवाले' और 'चञ्चलता' ये दोनों पदार्थ सामान्यरूप अतएव अङ्गी हैं और 'शिव' तथा 'वीरता' ये दोनों पदार्थ हैं उन दोनों के विशेषरूप अतएव उनके अङ्ग, इसी तरह 'दुर्बुद्धि' पद के अर्थ में गौरुरूप से आई हुई 'बुरी बुद्धि' और प्रधान रूप से आया हुआ 'बुरी बुद्धिवाला' ये दोनों पदार्थ सामान्यरूप अतएव अङ्गी हैं और इन दोनों के विशेष अतएव अङ्गरूप हैं 'घमड' तथा 'कामदेव' । तात्पर्य यह कि उक्त पदार्थों का अङ्गाङ्गीभाव यहाँ 'यथा' पद से उक्त है, अतः यह पद्य 'उदाहरण' का उदाहरण होता है ।

निदर्शनपदघटितमुदाहरण दर्शयितुमाह—

यथा वा—

निदर्शनपदयुक्त उदाहरण अब देखिए ।

उदाहरण निर्दिश्यते—

‘उपकारमेव कुरुते विपद्गतः सद्गुणो नितराम् ।

मूर्च्छां गतो मृतो वा निदर्शनं पारदोऽत्र रसः ॥’

विपद्गतोऽपि विपत्तिप्रस्तोऽपि सद्गुण समीचीनगुणयुक्त, पदार्थः, नितराम्, अत्यन्तम्, उपकारम्, एव, कुरुते । अत्र विपद्गतस्यापि सद्गुणपदार्थस्योपकारित्वे, मूर्च्छाम् संस्कारविशेषम् मोहश्च, गत प्राप्त, वा अथवा, मृत संस्कारविशेषापन्नं निष्प्राणश्च, पारदः रसविशेष, निदर्शनम् दृष्टान्त इत्यर्थः । अत्र विपद्गतसद्गुणात्मकसामान्यस्य मूर्च्छितपारदात्मकविशेषस्य चावयवावयविभावो निदर्शनपदेनोक्त इत्युदाहरणोदाहरणता प्रतिपद्यते पथमेतदिति भावः ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—उपकार इत्यादि । विपत्तिग्रस्त होकर भी अच्छे गुणों से युक्त पदार्थ अत्यन्त उपकार ही करता है । इस बात का दृष्टान्त है मूर्च्छित अथवा मृत पारा । मूर्च्छित, मृत, बुभुक्षित आदि अवस्था तब पारे की मानी जाती है जब रासायनिक प्रक्रिया से उसका संस्कार किया जाता है । यह पद्य भी उदाहरणः

लकार का उदाहरण होता है, क्योंकि यहाँ भी विपत्तिप्रस्तुत अच्चे गुणों से युक्त पदार्थ— जो एक सामान्यरूप है और मूर्च्छित अथवा मृत परन्तु उपकारक पारा—जो उसी का एक विशेष रूप है इन दोनों का अन्नाभिभाव 'निदर्शन' पद से उक्त है।

दृष्टान्तपदघटितस्याप्युदाहरणालंकारस्योदाहरणमिदमेव पद्य भवितुमर्हतीति बोधयितुम् पाठान्तरमाह—

दृष्टान्तो वा—

उक्तपद्यघटकस्य 'निदर्शनम्' इत्यस्य स्थाने "दृष्टान्त" इति वा पाठो बोध्यः । तथा- त्वे च दृष्टान्तपदघटितमिदमुदाहरण सम्पद्येतेति भावः ।

'दृष्टान्त'पद वाला उदाहरण भी उक्त पद्य ही हो सकता है यह समझने के लिये पाठान्तर दिखलाया जाता है—दृष्टान्तो वा इति । अर्थात् उक्त पद्य के 'निदर्शनम्' के स्थान में 'दृष्टान्त' ऐसा पाठ मानने पर यही पद्य 'दृष्टान्त'शब्दघटित उदाहरणालंकार का उदाहरण होता है ।

विशेषमाह—

इवादिशब्दप्रयोगे सामान्यार्थप्राधान्य वाक्यैक्यम्, निदर्शनादिशब्दप्रयोगे तु विशेषप्राधान्यं वाक्यभेदश्चेति विशेषः ।

इवशब्देत्यस्य तत्रेत्यादिवोध्या । वाक्यैक्यमिति । पदैकवाक्यतापन्नत्वमित्यर्थः, वाक्यभेद इति । पदैकवाक्यत्वं नेत्यर्थः । वाक्यैकवाक्यत्वं तु भवत्येव । इव-यथा- निदर्शन-दृष्टान्तेति चतुर्णामपि शब्दानां सत्त्वे भवत्युदाहरणालंकारः, परंतु इवयमेतिपद-द्वयान्यतरघटितोदाहरणे सामान्यार्थ प्रधानो विशेष्य, विशेष्यार्थश्च गौण—विशेषणं भवति । एवम् तत्र सामान्यविशेषयोरर्थयो प्रतिपादकम् वाक्यम् एकम् भवति । निदर्शन-दृष्टान्तेति पदद्वयान्यतरघटितोदाहरणे पुन विशेषभूत एवार्थ प्रधानम् सामान्यार्थश्च गौण तत्प्रतिपादकञ्च वाक्यद्वयम् इति विशेषो बोध्यः ।

एक विशेष समझाया जाता है—इवादि इत्यादि । इव, यथा, निदर्शन और दृष्टान्त इन चारों शब्दों के रहने पर यद्यपि समानरूप से 'उदाहरणालंकार' होता है, तथापि इव और यथा पदों के रहने पर 'सामान्यपदार्थ' प्रधान होता है और 'विशेषपदार्थ' गौण, एवम् इन दोनों शब्दों के रहने पर एक वाक्य होता है और निदर्शन तथा दृष्टान्त शब्द के रहने पर 'विशेषपदार्थ' ही प्रधान होता है तथा 'सामान्यपदार्थ' गौण, एवम् इन दोनों पदों के रहने पर दो वाक्य होते हैं, यह विलक्षणता होती है, ऐसा समझना चाहिए ।

तमेव विशेष शब्दबोधप्रदर्शनेन स्फुटीकरोति—

तत्र तावद् 'अमितगुणः—' इति पद्ये क्रियाप्रधानमाख्यातमिति नयेऽमित-गुणपदार्थकर्तृकमेकत्रोपदेतुक निन्दाविषयीभवन निखिलरन्ध्रायनराजलशुनकर्तृ-काप्रगन्धहेतुकनिन्दाविषयीभवनाश्रयत्रकमिति धी । प्रथमान्तविशेष्यश्चोद्य-वादिना तृप्रगन्धहेतुकनिन्दाविषयीभवनाश्रयतादृशलशुनाश्रयत्रकस्तादृशपदार्थ एकत्रोपदेतुकनिन्दाविषयीभवनाश्रय इति । तत्रापि विशेषवाक्यार्थं क्रियान्वयो मृग्यते हेत्वन्तरान्वयार्थम् । अन्यथा तादृशलशुनाश्रयत्रके तादृशपदाय एव क्रियान्वयेनोपपत्तिः स्यात् । एव यथाशब्दस्यनेऽपि । उपकारमेवेत्यत्र तु विपद्नाभिन्न सद्गुण उपकारानुकूलकृतिमानिति पूर्ववाक्यार्थं, अत्रास्मिन्नर्थं मूर्च्छाद्गतो मृतो वा पारदो निदर्शनमेकदेश इत्युत्तरवाक्यार्थं गुण इति केषाञ्चिन् । इतरथा तु तादृशकर्तृका तादृशक्रियेति पूर्ववाक्यार्थं तादृशः पारद एकदेश

इति । प्रधानावयवस्येव गुणावयवस्यापि विशिष्टार्थावयवत्वात्, घटमानयेत्यत्र नीलघटवत् ।

तत्रेति । तेषा मध्य इत्यर्थः । बोधवादिनामिति । नैयायिकानामित्यर्थः—तादृशेति । निखिलरसायनराजेत्यर्थः । तादृशेति । अमितगुणेत्यर्थः । इतीति । धीरित्यस्यानुषङ्गः । ननु निन्दितो भवतीत्यादेरेकत्रैवोपादानात्कथमुभयत्र बोध इत्यत आह—तत्रापीति । हेत्वन्तरान्वयेति । उग्रगन्धादिरूपहेत्वन्तरेत्यर्थः । अन्यथेति । तदनन्वये इत्यर्थः । नोपपत्तिरिति । उपपत्तिर्न स्यादित्यर्थः । पद्यस्थानेत्रेत्यस्यार्थमाह—अस्मिन्निति । गुण इति । गुणीभूत इत्यर्थः । केषाञ्चित् नैयायिकानाम् । इतरेषाम् वैयाकरणानाम् । तादृश-कर्तृका इति । विपद्गताभिन्नसद्गुणकर्तृकोपकारक्रियेत्यर्थः । पद्यस्थानेत्रेत्यस्यार्थमाह—पूर्ववाक्यार्थे इति । तादृश इति । मूर्च्छां गतादिरूप इत्यर्थः । ननु क्रियारूपस्य पूर्ववाक्यार्थस्य कथं द्रव्यरूपं पारदोऽवयव इत्यत आह—प्रधानेति । 'क्रिया प्रधानमाख्यातम्' इति सिद्धान्तं स्वीकुर्वाणाः शाब्दिकाः क्रियामुख्यविशेष्यक शाब्दबोध मन्यन्ते । तदनुसारम् । 'अमितगुण —' इत्यादीव यथापदघटितोदाहरणालंकारकाव्यवाक्यात् । 'निखिलरसायनराजो लशुन कर्ता यस्य तादृशं तथा उग्रो गन्धो हेतुर्यस्य तादृशं च यत् निन्दाविषयी-भवनम् तत् अवयवभूतं यस्य तादृशं तत् निन्दाविषयीभवनम् यस्य अमितगुणपदार्थं कर्ता एको दोषश्च हेतु' इत्यर्थको मूलोक्ताकारो बोधो भवति । आख्यात नाम तिङ् न तिङन्तम्, तथा च 'क्रियाप्रधानम्—' इति वचनेन तिङर्थेषु क्रियाया प्राधान्य बोध्यते न तिङन्तवाक्यस्यार्थे, अतो वाक्यार्थबोधे प्रथमान्तपदार्थ एव मुख्यो विशेष्य इति नैयायिका तदनुसारं पुनः उक्तवाक्यात् 'उग्रगन्धहेतुकनिन्दाविषयीभवनाश्रय सकलरसायनराजो लशुनोऽवयवो यस्य तादृशो योऽमितगुणपदार्थः स एकदोषहेतुकनिन्दाविषयीभवनाश्रयः' इत्यर्थको मूलोक्ताकारो बोधो जायते । उभयत्र बोधे सामान्यार्थप्राधान्य पदैकवाक्यत्वम् च स्पष्टम् । ननु एकत्रैव पद्ये 'भवति' क्रियाया उपादानमस्ति बोधे चोभयत्र तद्भानं प्रदर्शयते कथमेतदिति चेन्न, विशेषवाक्योक्तोऽग्रगन्धरूपहेतोरन्वयसिद्ध्यर्थं तदा वृत्ते स्वी-करणीयत्वात् तदस्वीकारे 'सकलरसायनराजलशुनावयवकोऽमितगुणपदार्थ एकदोषहेतुक-निन्दाविषयीभवनाश्रय' इत्याकारक एव बोधो भवेत्, तथा च विशेषवाक्योक्तोऽग्रगन्धरूप-हेतोरन्वय एव प्रसज्येत । एकस्यामेव क्रियाया हेतुद्वयान्वयस्तु बाधित एवेति तात्पर्यम् । 'उपकारमेव—' इत्यादि । निदर्शनादिपद्यघटितोदाहरणालंकारकाव्यवाक्यात् नैया-यिकमते 'अभेदसबन्धेन विपद्गतपदार्थविशेषणक सद्गुणपदार्थ उपकारानुकूलकृतिमान् इत्याकारक पूर्ववाक्यार्थ अस्मिन्नर्थे ( पूर्ववाक्यार्थे ) मूर्च्छां गतो मृतो वा पारद एकदेश इत्युत्तरवाक्यार्थे विशेषणीभूतः ( गुणीभूत )' इत्यर्थको मूलोक्ताकारको बोध अस्मिन् बोधे विशेषप्राधान्य वाक्यभेदश्च स्पष्टः । वैयाकरणमते पुनरस्माद् वाक्यात् 'विपद्गताभिन्नसद्-गुणकर्तृकोपकारक्रिया इति पूर्ववाक्यार्थे मूर्च्छां गतादिरूप-पारदोऽवयव' इति बोधः । अत्रान्तिमबोधे सर्वत प्रधानभूतोपकारक्रिया, तदवयव ( तद्विशेषणीभूत ) च सद्गुण-पदार्थ तदवयवश्च तादृश पारद इति स्थितौ सद्गुणकर्तृकोपकारक्रियारूपस्य विशिष्टार्थस्य तादृशपारदोऽवयवो भवतीति कथ्यते । एवमेव 'घटमानय' इति वाक्याज्जायमाने बोधे प्रधानीभूताया आनयनक्रियाया विशेषणीभूते घटाशे विशेषणीभूत नीलादिरूपम् आनयन-क्रियाया घटविशिष्टाया विशेषण स्वीक्रियत, अत एव नीलघटादेरेवानयन भवति । अत्र 'नीलघटवत्' इति पाठापेक्षया 'नीलरूपवत्' इति पाठः समीचीन प्रतिभाति । एतेन क्रिया-

रूपस्य पूर्ववाक्यार्थस्य क्य द्रव्यरूपं पारदोऽवयव इति शक्य निरस्ता । इत्येवादिघटित-  
वाक्यस्यले सामान्यविशेषवाक्ययोः पदैकवाक्यता भवतीत्येव वाक्यैक्यम् । निन्दनादि-  
पदघटितस्यले तु सामान्यविशेषवाक्ययोर्वाक्यैक्यवाक्यता भवतीत्येव वाक्यभेद इति भावः ।

उक्त विशेषका स्पष्टीकरणं शाब्दबोधं दिखला कर किया जाता है—तत्र इत्यादि ।  
'क्रियाप्रधानमाख्यातम्—अर्थात् आख्याततिङन्त ( तिङन्तपदघटितवाक्य ) के बोध  
में क्रिया की प्रधानता होती है ।' इस वचन की इस व्याख्या को मानने वाले वैया-  
करणों के मत में सभी वाक्यों के बोधों में क्रिया ही मुख्य विशेष्य होती है, अतः उनके  
हिसाब से 'अमितगुण—' इत्यादि उदाहरणालकारयुक्त काव्यवाक्यों—जिनमें 'इव'  
अथवा 'यथा' पद का प्रयोग किया गया हो—से "अमित गुण वाला पदार्थ जिसका कर्ता  
है और एक दोष जिसका कारण है वह निन्दित होना ऐसा सामान्य पदार्थ है, जिसका  
'सकल रसायनों में श्रेष्ठ लहसुन जिसका कर्ता है और उग्र गन्ध जिसका कारण है वह  
निन्दित होता' अर्थात् एक विशेष पदार्थ—है ।" ऐसा शाब्दबोध होता है । नैयायिक लोग  
'क्रियाप्रधानम्—' इस वचन की कुछ भिन्न व्याख्या करते हैं—वे कहते हैं कि—  
'आख्यात' शब्द का अर्थ तिङन्त नहीं, तिङ् प्रत्यय होता है, अतः तिङ् प्रत्यय के अर्थों  
में क्रिया की प्रधानता उक्त वचन से बोधित होती है ( याद रहे कि वे क्रिया की भी  
तिङ् प्रत्यय का ही अर्थ मानते हैं ) इस व्याख्या के अनुसार तिङन्तपदघटित वाक्य के  
अर्थबोध में क्रिया की प्रधानता सिद्ध हुई नहीं, फलतः वे सभी वाक्यों के अर्थबोधों में  
प्रथमान्तपद के अर्थ को ही मुख्य विशेष्य मानते हैं । तदनुसार, उक्तवाक्य से—'उग्र  
गन्ध जिसका कारण है ऐसे निन्दित होने ( क्रिया ) का आश्रय ( आधार ) सकल  
रसायनों में श्रेष्ठ लहसुन जिसका अवयव ( अङ्ग ) है वह अमितगुणवाला पदार्थ, उस  
निन्दित होने ( क्रिया ) का आश्रय है जिसका कारण एक दोष है ।' इस तरह का शाब्द-  
बोध होता है । उक्त पद्य में 'निन्दितो भवति—निन्दित होना रूप क्रिया' केवल एक  
वार—( सामान्यपदार्थ के साथ ) प्रयुक्त हुई है और शाब्दबोध में उक्त क्रिया का भान  
दो वार ( सामान्यपदार्थ के साथ और विशेषपदार्थ के साथ ) दिखलाया गया है, यह  
क्यों ? ऐसी आशंका नहीं की जा सकती, क्योंकि ऐसे स्थलों पर सामान्यपदार्थ-अंश में  
जो हेतु रहता है उसमें भिन्न हेतु विशेषपदार्थ-अंश में रहता है, जसे उक्त स्थल पर  
सामान्यपदार्थांश में हेतु है 'एक दोष' और विशेषपदार्थांश में हेतु है 'उग्र गन्ध' । इन  
दोनों भिन्न भिन्न हेतुओं का किसी भी एक क्रिया में अन्वय अन्वय है और यदि केवल  
विशेषपदार्थ का सामान्यपदार्थ के साथ अन्वय करके उस सामान्यपदार्थ का ही  
क्रिया के साथ अन्वय किया जाय तो बात बनती नहीं—अर्थात् विशेषपदार्थ-अंश में  
कथित हेतु अनन्वित ही रह जायगा । ऐसीदशा में पद्योक्त एक ही 'निन्दित होनेरूप  
क्रिया' की आवृत्ति कर ली जाती है, अतः दो वार उसका शाब्दबोध में भान होता है । अतः  
रही 'निदर्शन' 'दृष्टान्त' आदि पदोंवाले वाक्यों के शाब्दबोध की बात । उनको भी  
समझिए । 'उपकारमेव—' इस निदर्शन अथवा दृष्टान्तपद-घटित वाक्य में नैयायिकों  
के अनुसार 'आपत्ति में पड़े हुए में अभिन्न अर्द्धे गुणवाला पदार्थ उपकार के अनुकूल  
वृत्ति ( यत् ) में युक्त होता है, इस सामान्य अर्थ का मून्द्धित अथवा मृत्त पारा अङ्ग-  
रूप—एक उदाहरण है' ऐसा शाब्दबोध होता है । वेदाङ्गणों के अनुसार तो उक्त  
वाक्य में 'आपत्ति में पड़े हुए में अभिन्न अर्द्धे गुणों वाला पदार्थ जिसका कर्ता है उस  
उपकारनिरास्य सामान्य अर्थ का मून्द्धित अथवा मृत्त पारा अङ्ग बनता है ।' ऐसा  
शाब्दबोध होता है । यहाँ यह शक्य की जा सकती है कि—वेदाङ्गणानुसारी हम विद्युत्  
शाब्दबोध में जो क्रियारूप पूर्व वाक्यार्थ का अङ्ग द्रव्य ( पारा ) रूप उत्तर वाक्यार्थ को  
माना गया है, वह ठीक नहीं, क्योंकि क्रिया का अङ्ग द्रव्य नहीं हो सकता तो उसका  
उत्तर यह है कि—यद्यपि 'पारा' 'अर्द्धे गुणोंवाले पदार्थ' का अङ्ग है क्रिया का नहीं,

तथापि 'पारा' जिसका अङ्ग है वह 'अच्छे गुणोंवाला पदार्थ' यहाँ 'उपकार'क्रिया का विशेषण होकर भासित हुआ है, अतः क्रिया के विशेषण का अवयव होने के कारण 'पारा' को भी क्रिया का अवयव कहा जा सकता है। कारण, जैसे प्रधान ( विशेष्य ) का अवयव विशिष्ट ( विशेषणों के सहित पूरे वाक्यार्थ ) का अवयव होता है, वैसे ही विशेषणों का अवयव भी विशिष्ट का अवयव हो सकता है—अर्थात् यद्यपि यहाँ 'पारा'रूप विशेष पदार्थ 'क्रिया'रूप विशेष्य का अङ्ग नहीं हो सकता, तथापि विपन्नत सद्गुणपदार्थरूप विशेषण से सहित विशेष्य क्रिया ( विशिष्ट ) का अङ्ग होने में तो किसी तरह की बाधा है नहीं। जैसे कि 'घड़ा लाओ' इस वाक्य से होनेवाले बोध में ध्याननक्रियारूप विशेष्य के अङ्ग घड़े का विशेषण नीले आदि रूप उक्त क्रिया का भी विशेषण ( अङ्ग ) समझा जाता है, अन्यथा 'घड़ा लाओ' इस वाक्य से श्रोता 'नीले घड़े' के साथ 'लाना' क्रिया का सम्बन्ध न समझ पायेंगे और उस स्थिति में वैसे घड़े को लाना भी नहीं। तात्पर्य यह कि आप बलविशेष्य का अङ्ग समझ कर दोष दे रहे हैं, पर हम 'पारा' को विशेष्य का अङ्ग नहीं, अपितु विशिष्ट का अङ्ग बना रहे हैं, और वैसा हो सकता है। अतः कोई दोष नहीं। सारांश यह हुआ कि— 'इव' 'यथा' आदि पदों वाले वाक्यों में सामान्य अर्थ की प्रधानता और 'निदर्शन' 'दृष्टान्त' आदि पदोंवाले वाक्यों में विशेष अर्थ की प्रधानता रहती है, यह बात जो पहले ग्रन्थकार ने कही है, वह नैयायिकानुसारी शाब्दबोध के अनुरोध से, क्योंकि सबसे अन्तिम वैयाकरणानुसारी शाब्दबोध में उस बात की रक्षा नहीं होती। इसी तरह—“इव, यथा आदि पदों के प्रयोग रहने पर एक-वाक्यता होती है और 'निदर्शन' 'दृष्टान्त' आदि पदों के प्रयोग रहने पर दो वाक्य होते हैं।” यह बात जो पहले ग्रन्थकार ने कही है, उसका अभिप्राय केवल इतना है कि— प्रथम स्थल में पदैकवाक्यता होती है—अर्थात् पद्य के सभी पद मिलकर एक वाक्य की सृष्टि करते हैं और द्वितीय स्थल में वाक्यैकवाक्यता होती है—अर्थात् एक-एक गिरोह के पद मिलकर पहले अलग-अलग दो वाक्यों की सृष्टि करते हैं, पर पीछे वे दोनों वाक्य मिलकर एक वाक्य हो जाते हैं। तात्पर्य यह कि एकवाक्यता दोनों स्थलों पर होती ही है।

चन्द्रालोकोक्तं 'विकस्वरालंकार' गतार्थयितुमाह—

‘अर्थिभिशिच्छद्यमानोऽपि स मुनिर्न व्यकम्पत ।

विनाशोऽप्युन्नतः स्थैर्यं न जहाति द्रुमो यथा ॥’

कविर्दधीचेर्दानवीरतां वर्णयति—अर्थिभि याचकैर्देवैरिति यावत्, छिद्यमानः भिद्यमान, अपि, स दधीचि मुनि, न, व्यकम्पत कम्प नापत् । युक्त च तत्, उन्नत महामना, विनाशोऽपि जायमाने इति भाव, स्थैर्यम् स्थिरताम्, न जहाति त्यजति, यथा द्रुमः तरु-शिच्छद्यमानोऽपि अविचल एव तिष्ठतीत्यर्थः ।

‘चन्द्रालोक’ तथा उसकी टीका ‘कुवलयानन्द’ में माने गए ‘विकस्वरालंकार’ के खण्डन के लिये नवीन उदाहरण उपस्थित किया जाता है—अर्थिभिः इत्यादि । कवि दधीचि मुनि की दान-वीरता का वर्णन करता है—याचकों ( याचकरूप में उपस्थित देवताओं ) द्वारा काटा जाता हुआ भी वह मुनि ( दधीचि ) कम्पित नहीं हुआ । उचित ही है, उन्नत ( महामना ) जन विनाश होते रहने पर भी स्थिरता को नहीं त्यागते, जैसे वृक्ष, उसे काटते जाइये पर निषेध में एक शब्द नहीं बोलेगा ।

उपपादयति—

अत्र दधीच्यालम्बनायां तदीयलोकोत्तरचरितस्मरणोद्दीपितायामेतत्पद्य-प्रयोगानुभावितायामेतत्पद्यनिर्मातृगतायां रतौ प्रधानीभूतायामध्यालम्बनस्तत्कृत्याच्चाश्रवणोद्दीपितो गात्रच्छेदाभ्यनुष्ठानानुभावितो धृत्या सञ्चारिभावेन

पोषितो मुनिगत उसाहो गुणः । तत्र चाध्यर्थतृतीयचरणगतस्यार्थान्तरन्यास-  
स्योत्कर्षकतया स्थितस्य विवेचनद्वारा लङ्कारण चतुर्थचरणगतलगतमुदाहरणम् ।

'अधिभि—' इति श्लोके क्विगता दर्धीचिविद्विर्णा ना रति ( भाव ) प्रधान-  
तयाऽभिध्यज्यते, यस्या आलम्बनविभावो दर्धीचि, उद्दीपनविभावो दर्धीचिर्नविभिलोको-  
परचरित्राकर्णम्, प्रतुभावश्च प्रतुपद्यप्रयोगः । यद्यपि एवमुनिगत न उसाहोऽपि  
प्रतीयते यस्य याचक आलम्बनविभावा, तत्कृत्याचनावचनश्रवात्तृतीयविभाव, एत-  
च्छेदनात्मनिदानमुदाह, धैर्यं मंचारिभाव, तथापि न ( उसाह ) प्रधानभूतरतिभाव-  
पोषकतया गौण इति न वीररमरूप । तस्योसाहस्योत्कर्षकतया 'विनाशेऽप्युक्त स्थैर्यं  
न जहाति' इत्यध्यर्थतृतीयचरणगत नामान्येन विज्ञेयनमर्थनरूपोऽर्थान्तरन्यासोऽलङ्कार,  
तस्यार्थान्तरन्यासमन्योत्कर्षकगान् 'द्रुमो यथा इति चतुर्थचरणगतजातनामान्यविज्ञेयो-  
रव्यवायविभावरूप उदाहरणालङ्कार एवेति न विद्वन्मरायण कश्चिद्वरालङ्कार इति भावः ।

उत्पादन क्रिया जाता है—अत्र इत्यादि । 'अधिभि—' इस पद्य में क्विनिष्ठ मुनि  
विपरक वह रति ( भाव ) प्रधानरूप में अभिव्यक्त होती है, जिसके आलम्बनविभाव—  
मुनि दर्धीचि, उद्दीपनविभाव—दर्धीचिमवर्णा लोकोत्तरचरित्रों का श्रवण, और अनुभाव-  
प्रकृत पद्य की रचना है । यद्यपि इस पद्य में मुनि(दर्धीचि)निष्ठ वह उसाह भी  
अभिव्यक्त होता है जिसके आलम्बनविभाव—याचक—श्रवण, उद्दीपनविभाव—याचक-  
लनोक्त याचनावचनों का श्रवण, अनुभाव—अच्छेदन के लिये अनुमतिदान और  
धैर्य मंचारिभाव हैं, तथापि वह ( उसाह ) प्रधानरूप में अभिव्यक्त होनेवाले रतिभाव  
का पोषक—गौण ही है, वनएव वह दान वीररमरूप नहीं हो सकता । इस उसाह को  
उच्छेद दानने के कारण इस पद्य के तृतीय तथा आधे चतुर्थ ( ३॥ ) चरण ( 'विनाशेऽ-  
प्युक्त स्थैर्यं न जहाति ) द्वारा प्रतिगदिन सामान्य ने विज्ञेय का समर्थनरूप अर्थान्तर-  
न्यास, वाच्य अलङ्कार है और इस अर्थान्तरन्यास का विवेक होने के नाते उत्कर्षक,  
चतुर्थ चरण के एक भाग में लाया हुआ ( द्रुमो यथा ) यह नामान्य और विज्ञेय का  
अव्यवायविभावरूप 'उदाहरणालङ्कार' होता है । तात्पर्य यह कि एक रीति ने इस  
पद्य में भी जब उदाहरणालङ्कार माना जा सकता है तब एक पृथक् 'विद्वन्मरायण'  
मानने की आवश्यकता नहीं है ।

अलङ्कारदृष्ट्या पूर्वोक्तपद्यस्य प्रावं न पदान्तरानुदरति—

एवमेव—

'अनन्तरत्नप्रभवस्य यस्य शिम न सौभाग्यविलोपि जातम् ।

एको हि दोषो गुणमन्त्रिपते निमज्जतीन्द्रो किरणेष्विवाह ॥'

इति मालिगसपद्येऽपि बोध्यम् ।

क्विनिष्ठमुनि क्विनिष्ठम उसाहनमवतये स्वनिवन्दे हिमानय वर्णवगा—एवमेति ।  
हिमं प्राणेशम्, अनन्तरत्नप्रभवस्य श्रगणितरत्नोत्पत्तिम्यास्य यस्य मितलयस्य, सौभाग्य-  
विलोपि सौन्दर्यस्य श्रेष्ठताया वा नाशकम्, न जातम् नाम्बू । एत इति चेत् १ यत्  
एको, दोषो गुणमन्त्रिपते गुणममूढे, इत्यो चन्द्रमन, किणेषु ज्योत्स्नसु, एत एतद्,  
२ निमज्जति निर्लानो भवतांमये । यद्यपि पूर्वोक्तपद्यस्य विज्ञेयवर्णस्य 'एते  
दोषो गुणमन्त्रिपते निमज्जति' एवमेतन्मानान्यवदायवर्णस्येन समर्थनार्थान्तरन्यासोऽ-  
लङ्कार तदुच्छेदकतया च—'इत्यो किरणेषु एत एव' इत्येते उदाहरणालङ्कार । एवं  
पद्य अलङ्कारदृष्ट्या 'विद्वन्मरायण' इत्येव प्रसिद्धम् । तस्मान्नाम पूर्वोक्तपद्यदृष्टेन  
निराहत परिपत्राजेन वेदितव्यमिति भावः ।

अलंकार की दृष्टि से पूर्वोदाहृत पद्य के समान एक प्राचीन पद्य उद्धृत किया जाता है—एवमेव इत्यादि । 'अथिभिः—' इस पद्य में जो बात कही गई है वही बात 'अनन्तरत्न— अर्थात् अनन्त रत्नों को उत्पन्न करनेवाले हिमालय के सौभाग्य ( सौन्दर्य अथवा श्रेष्ठता ) को हिम ( वरफ ) नष्ट नहीं कर सका । कारण एक दोष गुणों के समूह में दूष जाता है—छिप जाता है, जैसे चन्द्र की किरणों में कलङ्क ।' इस हिमालयवर्णनपरक कुमारसंभवस्थ कालिदास के पद्य में भी समझनी चाहिए । तात्पर्य यह कि—इस पद्य को कुवलयानन्दकार ने जो 'विक्रस्वरालंकार' का उदाहरण माना है वह ठीक नहीं, क्योंकि जिस तरह पूर्व पद्य में उदाहरणालंकार होता है, उस तरह यहाँ भी पूर्वाध के द्वारा वर्णित विशेष अर्थ का समर्थन करने के कारण 'एक दोष गुणों के समूह में दूष जाता है' यह सामान्य अर्थ 'अर्थान्तरन्यास अलंकार' रूप है और इस अर्थान्तरन्यासभूत पदार्थ को पुष्ट करने के कारण 'जैसे चन्द्र की किरणों में कलङ्क' यह अर्थ 'उदाहरणालंकार' का ही विषय है, फिर व्यर्थ एक नवीन अलंकार की कल्पना करना उचित नहीं ।

नन्वेव साङ्ख्येऽर्थान्तरन्यासविशेषत्वमेवास्तु उदाहरणत्वेनाभिमतस्थलविशेषस्येत्या-  
शङ्कयामाह—

अस्मिञ्चालङ्कारेऽवयवावयविभावबोधकस्येवशब्दादेः प्रयोगः, सामान्य-  
विशेषयोरैकरूपविधेयान्वयश्चार्थान्तरन्यासभेदाद् वैलक्षण्याधायक इति तत्प्र-  
करणे निपुणतरमुपपादयिष्यामः ।

भेदादिति । विशेषादित्यर्थः । अर्थान्तरन्यासविशेषापेक्षया वैलक्षण्याधायक इति समु-  
दितार्थः । अयं भाव — प्रक्रान्ते उदाहरणालङ्कारे सामान्यविशेषयोरर्थयोरवयवावयविभाव-  
बोधक इवशब्दादि प्रयुक्तस्तिष्ठति, सामान्यविशेषात्मकयोर्द्वयोरपि पदार्थयोर्विधेयभूताया-  
मेकस्यामेव क्रियायाम् अन्वयश्च भवति, एतद्वैचित्र्यद्वयविपरीतमर्थान्तरन्याससामान्येऽवय-  
वावयविभावबोधक कोऽपि शब्दः प्रयुक्तो न तिष्ठति, तथा विधेयभूतविभिन्नक्रियो-  
सामान्यविशेषयोरन्वयो भवतीत्येवविधे वैलक्षण्ये विद्यमाने नोदाहरणालङ्कारस्यार्थान्तर-  
न्यासविशेषरूपत्वशकाप्रसर इति । एष प्रसङ्गोऽर्थान्तरन्यासनिरूपणप्रकरणे निपुणतरमुप-  
पादनीय इत्यत्र ग्रन्थकृता सूच्यते । पाठकजनसौविध्याय तत्रत्यो ग्रन्थाशोऽविकलमघस्ता-  
दुल्लिख्यते—“न चैवमपि विशेषस्य सामान्यसमर्थनं नार्थान्तरन्यासभेदो भवितुमीष्टे,  
प्रागुक्तोदाहरणालङ्कारेणैव गतार्थत्वादिति वाच्यम् । इवादिप्रयोगाभावस्यैवात्र ततो वैलक्ष-  
ण्यात् । एवमपि वाचकाभावादारथोऽयमुदाहरणालङ्कारोऽस्तु, नार्थान्तरन्यासभेद इति चेत्,  
इदमस्ति वैलक्षण्यम्—सामान्यार्थसमर्थकस्य विशेषवाक्यार्थस्य द्वयी गति । अनुवाद्याशमात्रे  
विशेषत्वम्, विधेयाशस्तु सामान्यगत एवेत्येका । अनुवाद्यविधेयोभयाशोऽपि विशेषत्वमित्य-  
परा । तत्राद्या उदाहरणालंकारस्य विषय, द्वितीया त्वर्थान्तरन्यासभेदस्य । एव च  
'मूर्च्छां गतो मृतो वा निदर्शनं पारदोऽत्र रस' इत्युदाहरणालंकारगते विशेषे उपकारमेव कुरुत  
इति प्राचीनसामान्यार्थगतैव यथोक्तरूपेण क्रिया विधेया । 'रोगानपहरति पारद सकलान्'  
इत्यर्थान्तरन्यासगते तु पृथगुपात्त विशेषरूपेणेति ।”

यह 'उदाहरणालंकार' जब 'अर्थान्तरन्यास' से मिश्रित ही पाया जाता है, तब क्यों न इसे 'अर्थान्तरन्यास' का ही एक भेद मान लिया जाय ? अतिरिक्त अलंकार मँजने की आवश्यकता क्या है ? इस आशंका का समाधान करने के लिये दोनों में रहनेवाले वैलक्षण्य का उल्लेख किया जाता है—अस्मिञ्च इत्यादि । अभिप्राय यह है कि—इस उदाहरणालंकार में सामान्य-विषयभूत पदार्थों के अवयवावयविभाव के बोधक 'इव' आदि शब्द प्रयुक्त रहते हैं—और सामान्य ( जैसे 'गुणसमूह में एक दोष' ) और विशेष

(जैसे 'चन्द्र की किरणों में कलङ्क') दोनों पदार्थों का एक ही विधेय (जैसे 'दूयना' क्रिया) में भन्वय होता है पर अर्थान्तरन्यास में ऐसा नहीं होता—अर्थात् वहाँ भव्यवाच्यविभावबोधक इव धादि शब्द प्रयुक्त नहीं होते और सामान्यविशेषभूत दो अर्थों का भन्वय भिन्न-भिन्न विधेय ( क्रिया ) में होता है। इन्हीं वल्लक्षणों के वर्तमान रहने के कारण 'उदाहरणालकार' को 'अर्थान्तरन्यास अलकार' का भेद नहीं माना जा सकता। फलतः 'उदाहरण' को एक पृथक् ही अलकार मानना आवश्यक है। इस प्रसंग का विशद उपपादन ग्रन्थकार अर्थान्तरन्यास के प्रकरण में करेंगे।

प्राचीनमतमाह—

प्राञ्चस्तु "नायमलङ्कारोऽतिरिक्तः"। उपमयैव गतार्थत्वात् । न च सामान्य-विशेषयो सादृश्यानुल्लासात्कथमुपमेति वाच्यम् । 'निर्विशेष न सामान्यम्—' इति सामान्यस्य यत्किञ्चिद्विशेषं त्रिना प्रकृतत्वायोगात्तादृशविशेषमादाय विशेषान्तरस्य सादृश्योल्लासे बाधकाभावादिवादिभिरामुखे प्रतीयमानस्यापि सामान्यविशेषभावस्य परिणामे सादृश्य एव विश्रान्ते ॥" इत्यप्याहुः ॥

अयमिति । उदाहरणात् इत्यर्थः । प्रकृतत्वायोगादिति । प्रस्तुतत्वाभवादित्यर्थः । आमुखे आदौ । उपमालकार एवान्तर्भूतत्वादुदाहरणात् कथिदपरोऽलङ्कारो नास्ति । अभेदेन मिथोऽन्वीयमानयो सामान्यविशेषपदार्थयोर्भेदविरहात् भेदगर्भस्य सादृश्यस्यास्फुरणेन उपमा भवितुमर्हतीति तु न वक्तुं योग्यम्, 'न निर्विशेष सामान्य भवति' इति निदान्तेन 'अमितगुणोऽपि पदार्थ—' इत्यादौ अमितगुणपदार्थतया दोषपदार्थतया च यावत्कावपि विशेषौ ( विमलविद्याकामुकत्वादिकौ ) न गृह्येताम्, तावत् तयो प्रस्तुतत्वं न सभवेत्, तयो प्रस्तुतत्वानवगमे च तत्पमर्थकतया लज्जनादिरूपविशेषोपन्यासो न सगच्छेत्, अतः सामान्यस्यापि प्रकरणप्राप्तविशेषरूपता स्वोर्न्वयव, तथान्वे च तनेव विशेषमादायोक्तस्यापरस्य विशेषस्य सादृश्यस्फुरणे बाधकविरहेणोपमाया नाम्नाज्य-मिन्याशयात् । नन्वेवमपि उदाहरणात्पेऽलङ्कारे इवादीना सामान्यविशेषभावात् भव्यवाच्यविभावबोधकत्वेन कथ सादृश्योल्लास इति चेत्, आदौ इवादिशब्द प्रतीयमानस्यापि सामान्यविशेषभावस्य पर्यवसाने सादृश्य एव विश्रमादिति भावः ।

प्राचीनों का मत दिखलाया जाता है—प्राञ्चस्तु इत्यादि । प्राचीन धालकारिक लोग तो यह भी कहते हैं कि—'यह उदाहरणनामक अलकार अतिरिक्त नहीं है, क्योंकि यह उपमा से ही गतार्थ हो जाता है—अर्थात् जहाँ धाप उदाहरणनामक अलकार मानते हैं वहाँ उपमा अलकार ही माना जा सकता है । यदि धाप कहें कि—सामान्य-विशेषभावस्थल में ही तो उदाहरणालकार माना जाता है और सामान्य-विशेष में अभेद माना जाता है फिर भेदविशिष्ट सादृश्य की प्रतीति हो नहीं सकती और जब सादृश्य की प्रतीति ही नहीं होगी तब उपमा कैसे हो सकती है ? तो इसका समाधान यह है कि—'सामान्य विशेषरहित नहीं होता' इस सिद्धान्त के अनुसार 'अमितगुणोऽपि पदार्थ—' इत्यादि उदाहरणालकार के लक्ष्यों में 'अमित गुण' और 'दोष' इन दोनों सामान्य पदार्थों को भी किसी न किसी विशेष (जैसे विमल विद्या तथा कामुकता आदि) के रूप में ही समझना पड़ेगा, अन्यथा वे सामान्य प्रस्तुत वस्तु समझे नहीं जा सकेंगे और जब वे प्रस्तुत नहीं समझे जायेंगे तब उनके समर्थन में जो भाग लक्ष्युत् उग्रग्रन्थ धादि विशेषों का विशेषरूप में उल्लेख किया गया रहता है वही अमत्रा ही जायगा और इस युक्ति से जब सामान्य को भी किसी प्रकरणप्राप्त विशेष के रूप में समझ लिया जायगा, तब उन्हीं विशेषों को लेकर उक्त अन्य विशेष के साथ सादृश्य उल्लिखित होगा—इसमें किसी तरह की बाधा नहीं और सादृश्य के उल्लिखित हो जाने पर सुमेन उपमा



मानी जा सकेगी। यदि हृत्ने पर भी आप कहेंगे कि—यहाँ तो सामान्यविशेषात् अवयवावयविभाव के बोधक 'इव' आदि शब्द प्रयुक्त रहते हैं, अतः अवयवावयविभाव का ही बोध होगा सादृश्य का नहीं, तो इसके उत्तर में मेरा कथन है कि—हाँ, आरम्भ में 'इव' आदि शब्दों से सामान्य-विशेषभाव का बोध अवश्य होगा पर अन्त में उ सामान्य विशेषभाव का उक्त रीति से सादृश्य में ही विश्राम मानना पड़ेगा अन्य गुजारा नहीं।

इति रसगङ्गाधरचन्द्रिकायामुदाहरणप्रकरण समाप्तम् ।

अथ स्मरणालकारनिरूपणमारभमाणस्तावत्तल्लक्षणमाह—

### सादृश्यज्ञानोद्बुद्धसंस्कारप्रयोज्यं स्मरणं स्मरणालङ्कारः ।

'इदमेतस्य सदृशम्' इत्याकारकेण सादृश्यज्ञानेन उद्बुद्धं जागरितं, यः संस्कारात् वासना, तत्प्रयोज्यं तन्मूलकम् यत् स्मरणम् ( वस्तुविशेषस्य ) तत् सहृदयहृदयाद्वा जनक चेत् तदा स्मरणालङ्कारः कथ्यते इत्यर्थः । किमपि वस्तु दृष्ट्वा यत्तत्सदृशं वस्तु न्तर स्मर्यते तत् स्मरणालकारपदेन व्यवहियते इति भावः ।

अब स्मरणालकारनिरूपण-प्रसङ्ग में सर्वप्रथम स्मरणालङ्कार का लक्षण किया जा रहा है—सादृश्य इत्यादि। सादृश्य के ज्ञान से उद्बुद्ध (जगा हुआ) जो संस्कार उस साक्षात् अथवा परम्परया होनेवाला जो स्मरण उसको 'स्मरणालङ्कार' कहते हैं। तारपण यह हुआ कि—किसी वस्तु को देखने अथवा सुनने से जो तत्सदृश अन्य वस्तु की स्मृति हो आती है वह जब काव्य में चमत्कारीरूप से वर्णित होती है तब उसे स्मरणालङ्कार कहते हैं।

उदाहरण निर्देष्टुमाह—

यथा—

स्मरणालङ्कारप्रयोजक प्रकारं प्रदर्शयति इति भावः ।  
जैसे ।

उदाहरण निर्दिश्यते—

'दोर्दण्डद्वयकुण्डलीकृतलसत्कोदण्डचण्डध्वनि-

ध्वस्तोद्दण्डविपक्षमण्डलमथ त्वां वीक्ष्य मध्येरणम् ।

वल्गाद्गाण्डिवमुक्ताण्डवलयज्वालावलीताण्डव-

भ्रश्यत्खाण्डवरुष्टपाण्डवमहो को न क्षितीश स्मरेत् ॥'

कवि कमपि राजानं स्तौति—हे क्षितीश राजन् मध्येरणम् रणस्य = युद्धस्य मध्ये ( 'पारे मध्ये षष्ठ्या वा' इति-अव्ययीभावसमास ) दोषौ = बाहू दण्डौ इव इति दोर्दण्डं ( उपमितसमास. ) तयोर्द्वयेन बाहुयुगलेनेति यावत् कुण्डलीकृतम् ( अकुण्डल कुण्डलीकृतमित्यभूततद्भावे च्चि. ) कुण्डलाकारतया परिणमितम् इति यावत्, अत एव, लसत् शोभमानं यत् कोदण्डधनुः, तस्य, ये चण्डा भयकरा, ध्वनय शब्दविशेषा, तेषां ध्वस्त नाशितम्, उद्दण्डानाम् उद्धतानाम्, विपक्षाणाम् शत्रूणाम् मण्डलं समूहो, ये तादृशं, त्वाम् वर्णनीयं नृपतिविशेषम्, वीक्ष्य दृष्ट्वा, क जन, वल्गात् वाचालात्, गाण्डिवं वात् तन्नामकात् धनुष, ( गाण्डिवशब्दो ह्रस्वकारविशिष्टो दीर्घकारविशिष्टश्चास्ति । यथा—महाभारते—'धनुर्गार्हश्चार्जुनः सव्यसाची धनुश्च तद्गाण्डिवं भीमवेगम्' । इति । तथा—'यन्मा पूर्वमिहापृच्छ शत्रुसेनानिर्वहणम् । गाण्डिवमेतत्पार्थस्य लोकेषु विदितं धनुः ॥

इति । व्युत्पत्ति-गाण्डिर्प्रन्थिरस्यान्तांति विप्रहे । 'गाण्डयजगान् मङ्गानाम्' इति वप्रन्थः ।  
 अथवा प्रन्थिवाचकान् गाण्डिगच्छान् 'कृदिकारान्ताव' इति योपि 'गाण्डी'ति ततो व । )  
 मुक्त प्रक्षिप्तम्, यन् काण्डवलय वाणममूह, तस्य वा ज्वालावली तापपुत्रम्, तस्याः  
 ताण्डवेन उदतनृत्येन, अग्यन् नरयन् यन् खण्डव वनविशेष, तत्र न्वितम्, एष्ट  
 क्रुद्रम्, पाण्डवम् अर्जुनम्, न स्मरेन् न ध्यायेन्, सर्वेऽपि स्मरन्धुरित्यर्थः ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—जोर्दण्ड इत्यादि । कवि किसी राजा का वर्णन  
 करता है—हे राजन् ! दोनों बाहुदण्डों ने कुण्डल के समान गोल किये सुन्दर धनुष की  
 प्रचण्ड ध्वनि से उहण्ड अश्रुममूह को नष्ट कर देनेवाले तुम्हें युद्ध के मध्य में देखकर,  
 कौन ऐसा मनुष्य होगा, जो, वाचाल गाण्डीव धनुष से निकले वाण-ममूह की ज्वालावली  
 के ताण्डव-नृत्य से भ्रष्ट होते हुए खाण्डव (एक वनविशेष) में स्थित क्रुद्र पाण्डव  
 (अर्जुन) का स्मरण न करे । रणभूमि में आपकी देखकर दर्शकों को वेमे अर्जुन की  
 स्मृति हो ही जाती है ।

उदाहरणान्तरं दानुसाह—

यथा वा—

अथवा जैसे ।

उदाहरण निर्दिश्यते—

‘भुजभ्रमितपट्टिशोदलितद्वप्रदन्तावल

भवन्तमरिमण्डलकथन पश्यतः सङ्घरे ।

अमन्दकुलिगाहृतिस्फुटविभिन्नविन्ध्याचलो

न कस्य हृदय म्गित्यधिरोह देवेश्वर ॥’

कवि कमपि नृप वर्णयति—हे अरिमण्डलकथन शत्रुसमूहनाशक ' भुजान्याम्  
 बाहुभ्याम्, भ्रमितेन घूर्णितेन, पट्टियोन अश्वविशेषेण, उदलितानां नाशिता, दृष्टा मदमत्ता,  
 दन्तावला गजा येन तन् भवन्तम् प्रष्टुन कमपि राजानम्, मगरे युद्धे, पश्यत अवलौक्यतः,  
 कस्य पुरुषस्य, हृदयम् चेतसीति यावन्, अमन्दाभिः प्रबलाभिः, कुल्लियान् वज्रस्य  
 आहृतिभिः प्रहारैः, स्फुट स्यष्टम्, विभिन्न छिन्नाः, विन्ध्याचला विन्ध्यानामपर्वतो येन  
 तावत्या, देवेश्वर इन्द्र, मगिति शत्रुम्, न, अधिरोह आरट्टवान्, अत्र तु सर्वेऽप्येव  
 दृष्टदन्तावलदलनकारिण भवन्तमनुपश्यता मानने प्रबलवज्रप्रहाणच्छिन्नविन्ध्यो देवराज  
 पट्ट निदधे इत्यर्थः ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—भुजभ्रमित इत्यादि । कवि किसी राजा का  
 वर्णन करता है—हे शत्रुसमूहविध्वंसक ! भुजाओं से घुमाए गए पट्टिज (एक धनुष)  
 के द्वारा मदमत्त हाथियों का दलन कर चुकनेवाले आपकी, युद्ध में देखने लुए किमरे  
 हृदय में, वज्र के प्रबल प्रहारों से स्पष्टरूप में विन्ध्याचल की नाशनेवाला देवराज इन्द्र  
 तत्काल क्षाब्ध नहीं हुआ ।

उपपादयति—

अनयो पद्यो. प्रधानीभूताया राजविषयककविनिष्ठरतेन्त्कर्षकतया स्मरण-  
 मल्लहारः ।

पूर्वोक्तभावपि श्रीकौ राजस्तुतिरगतन्त्यो ज्येष्ठो राजविषयक गतिभ्य  
 प्रधानतयाऽभिब्यज्यते, अभिब्यज्यमानं च त प्रथममवस्तुपदार्थं वच्यं तद्व न स्मरणम्  
 अलक्षररचना प्रतिपद्यत इति भावः ।

उपपादन किया जाता है—अनयोः इत्यादि । ऊपर के दोनों ही पद्य राजवर्णन में प्रयुक्त हुए हैं, अतः उन दोनों ही पद्यों से प्रधानतया कविहृदयगत राजा का प्रेम (भाव) अभिव्यक्त होता है और उस प्रेमभाव को उत्कृष्ट बनाता है प्रकृत स्मरण, अतः यह स्मरण अलंकाररूप है ।

उदाहरणद्वयप्रदर्शननिदानभूतमुभयोरुदाहरणयोर्वैलक्षण्य दर्शयति—

आद्ये वाच्यम्, द्वितीये तु लक्ष्यमिति विशेषः ।

आद्ये इति । स्मरणमित्यस्यानुषङ्ग । लक्ष्यमिति । अधिरोहतेर्लक्ष्यमित्यर्थः । 'दोर्दण्ड' इत्यत्र 'स्मरेत्' इति क्रियापदस्य स्मरणरूपोऽर्थो वाच्यः, 'भुजभ्रमित' इत्यत्र तु सोऽर्थो न वाच्योऽपि तु 'अधिरोह' इत्यस्य वाधितमुख्यार्थकस्य लक्ष्य इत्येवोभयोरलक्ष्ययोर्वैलक्षण्य-मिति भावः ।

दो उदाहरण दिखलाने का रहस्य ( दोनों में वैलक्षण्य ) दिखलाया जाता है—आद्ये इत्यादि । प्रथम उदाहरण ( दोर्दण्ड— ) में 'स्मरेत्' पद से स्मरण वाच्यरूप में अवगत होता है और द्वितीय उदाहरण ( भुजभ्रमित— ) में वह 'हृदयमधिरोह' पद से लक्ष्यरूप में ज्ञात होता है । इसी वैलक्षण्य को ध्यान में रखकर दो उदाहरणों का उल्लेख ग्रन्थकार ने किया है ।

ननु वीररसोऽप्यत्र प्रधानतया व्यज्यत इति तद्ध्वनित्वमुक्तपद्ययोः कुतो नाङ्गीक्रियत इत्याशंकायामाह—

वीररसोऽपि चात्र प्रधानोत्कर्षकतया लङ्कार एव ।

वीररस इति । तत्स्थायीभाव उत्साह इत्यर्थः । चरमविश्रान्तिघामत्वविरहेण रसत्वेऽपरिणमनात् । प्रधानोत्कर्षकतयेति । कविनिष्ठरतिभावोपस्कारकतयेत्यर्थः । यद्यपि पूर्वोक्त-योर्द्वयोरपि पद्ययो राजनिष्ठ उत्साह प्रतीयते, तथापि नासौ प्रधान, अपि तु प्रधानतया प्रतीयमानस्य कविगतस्य रतिभावस्य पोषकतया गौण एव, अतः स उत्साहात्मक स्थायी-भावो रसरूपे न परिणमति—रसपदव्यवहारयोग्यो न भवतीति' तस्य रसवदलङ्कारत्वमेव स्वीकरणीयमिति भावः ।

उक्त दोनों पद्यों में वीररस ( वर्णनीय राजगत उत्साह ) भी ध्वनित होता है फिर वीररसध्वनि क्यों नहीं यहाँ मानी जाय ? इस शंका का समाधान किया जाता है—वीररसोऽपि इत्यादि । अभिप्राय है कि—उक्त दोनों पद्यों में 'उत्साह' ( वीररस का स्थायीभाव ) यद्यपि ध्वनित होता है पर वह प्रधान नहीं है क्योंकि—सर्वप्रधान कविगत रतिभाव का वह पोषण करता है, अतएव तदपेक्षया गौण है और गौण स्थायी-भाव रसरूप में परिणत होता ही नहीं, फलतः वह 'उत्साह' भी प्रधान का उपस्कारक होने के कारण 'रसवत्' अलंकार ही माना जायगा, अतएव इन पद्यों में 'वीररसध्वनि' का व्यवहार नहीं हो सकता ।

लक्षणो प्रयोज्यत्वनिवेशस्य फलमाह—

'एकीभवत्प्रलयकालपयोधिकल्प-

मालोक्य सङ्गरगतं कुरुवीरसैन्यम् ।

सस्मार तल्पमहिपुङ्गवकायकान्तं

निद्रां च योगकलितां भगवान् मुकुन्दः ॥'

अत्र तल्पनिद्रयोः स्मरणं यद्यपि न तल्पनिद्रासादृश्यदर्शनोद्बुद्धसंस्कार-प्रयोज्यम्, तथापि सैन्यगतपयोधिसादृश्यदर्शनोद्बुद्धपयोधिषयकसंस्कारजन्य-पयोधिस्मरणाधीनत्वाद्भवत्येव यत्किञ्चित्सादृश्यदर्शनोद्बुद्धसंस्कारप्रयोज्यम् ।

न हि साहचर्ये स्मर्यमाणसन्दर्भित्वं विवक्षितम् । एवं वाच्ययोस्तत्पनिदान्म-  
रणयोः । एतत्कारणतया आज्ञप्तस्य पयोधिस्मरणस्य चाविशेषेण सङ्घातय  
लक्षणे जन्यत्वमपहाय प्रयोज्यत्वमुपात्तम् ।

इतिमहाभारतसुद्धं वक्ष्यति—एवंभवदिति । भावाद् सुसुद्धं शब्दः, एवंभवन्तो  
मियो मिलन्तो, ये, प्रत्ययस्य पयोधस्य मसुद्धा, तत्पत्न्यत् तत्तत्सुद्धम् तत्पत्न्यमिति एवम्  
( 'सुसुद्धमपैः कल्पयेत्येवमादिर' इति कल्पयत्यन ), मगरात् सुद्धमस्यमिति एवम्,  
उत्तरवारस्यस्य सुद्धोपपन्नस्यमिति एवम्, अलोक्य दृष्टा, इतिहासस्य मपरिगण्य संप्रत्येति  
एवम्, कथं चरितेण, कल्पमस्यम्, तत्तं नव्याम्, योऽकलिता ममभिमनमिति  
भावः, निद्रा स्वप्नम्, च, स्मरणं स्मृत्वमित्यर्थः । उपमादयति—अत्रेति एवंभवदिति  
पद्य इत्यर्थः । तन्पत्न्येति । तन्पत्न्येति साहचर्यस्य वर्जनेन तन्पत्न्येति तत्पत्न्यवन्तवदर्थेण,  
उद्धृष्टो जागरितो च संस्कारः, तद्व्योज्य तन्मूलकमित्यर्थः । सैन्येति । सैन्यात् यद्  
पयोधिसाहचर्यं तस्य वर्जनेन उद्धृष्टो च पयोधिविषयकः संस्कारस्यस्य साक्षात्सुद्धम्  
तदुपात्तमिति एवम्, यद् पयोधे स्मरणं तदर्थान्त्वमित्यर्थः । यत्किञ्चित्सुद्धेति  
सैन्यगतपयोधिसाहचर्येण । प्रयोज्यमिति । परस्परया तन्मूलकमित्यर्थः । एवम्  
पूर्वोक्तस्य तन्पत्न्येति 'स्मरणम्' इत्यस्य विशेषणम् । तन्पत्न्या सम्बन्धमिति । तन्पत्न्या-  
त्पदायप्रतियोगिकत्वमित्यर्थः । विवक्षितमिति । लक्षणे इति शेषः । एवमिति । वैयर्थ्ये दृष्टान्तः ।  
एतदिति । तन्पत्न्यास्मरणं इत्यर्थेण । मद्रायेति स्मरणतश्चास्मरणं तद्व्यवहारेण ।  
अथ भाव — 'एवंभवद् ' इति श्लोके सुसुद्धकृतं तन्पत्न्याविवक्षितं स्मरणं यद्वाच्य-  
वृत्त्या वर्णितमस्ति तन्पत्न्यास्मरणवदर्थान्त्वमित्युद्धृतमस्मरणप्रयोज्यमिति, भावना तन्प-  
त्न्यास्मरणवदर्थान्त्वमित्युद्धृतमिति एवम्, तद्यापि उत्तरवारस्ये भगवता वन्द्योधि-  
साहचर्ये दृष्टम् तेन पयोधिविषयकः संस्कारो भगवदवकाशसुद्धमन्वेन भावने पयोधिसम-  
जन्तु, तन्पत्न्यावगादेव च भावने तन्पत्न्यास्मरणमिति ज्ञानमित्यपि भावमेव । तथा  
च सैन्यगतपयोधिसाहचर्येण उद्धृतमस्मरणस्य पयोधिसमजात्तु किन्तु तन्प-  
त्न्यास्मरणप्रयोज्यत्वं तु तन्पत्न्यास्मरणप्रयोज्यत्वमेव, तन्पत्न्यास्मरणप्रयोज्यत्वमित्युद्धृतम् ।  
ननु अत्रकारणमिदमित्युद्धृतमस्मरणं प्रयोज्यत्वं च संस्कारस्युद्धृतयोः सौम्यमन्व-  
यप्रभृते साहचर्ये तन्पत्न्यावदर्थान्त्वमित्युद्धृतमिति, न च तद्विहितं तन्पत्न्यावदर्थान्त्व-  
मप्येवमित्युद्धृतमिति तन्पत्न्यास्मरणप्रयोज्यत्वमेव संस्कारोद्धृतयोरुद्धृतमिति तन्पत्न्यावदर्थान्त्व-  
मन्वयत्वं, पयोधिसमन्वित्वत्वं च तन्पत्न्यावदर्थान्त्वमित्युद्धृतमिति, तन्पत्न्यावदर्थान्त्व-  
मन्वयत्वं विवक्षितम् । एवम् प्रत्यये तन्पत्न्यावदर्थान्त्वमित्युद्धृतम् । तन्पत्न्यावदर्थान्त्व-  
मन्वयत्वं ( प्रतीयमानपयोधिविषयकस्मरणप्रयोज्यत्वमेव ) । प्रत्ययः प्रत्ययः  
( तन्पत्न्यावदर्थान्त्वमित्युद्धृतमिति वक्तव्यः ) । अथ एव तन्पत्न्यावदर्थान्त्वमित्युद्धृतम्  
प्रयोज्यत्वं निवेदितम्, निवेदिते च तन्पत्न्यावदर्थान्त्वमित्युद्धृतम् वक्तव्यमित्युद्धृतमिति तन्पत्न्याव-  
दर्थान्त्वमित्युद्धृतम् पयोधिसमजात्तु च संस्कारं सुसुद्धं त्वेति ।

उपमा में 'साहचर्यजानेदुद्धृतमन्वयः संसृष्ट होने वाला इतना ही न कह कर  
'साक्षात् रूपवा परस्परया होनेवाला' ऐसा जो कहा गया है उसका एक विशेषण  
जाता है—'एवंभवद् ' इत्यादि । इति महाभारतसुद्ध का दर्शन करना है—एक होने  
हुए प्रत्ययवाचिक मसुद्ध के समान, सुद्ध में उद्धृष्टोद्धृतमिति—इति भावने  
वैयर्थ्य भगवान् योद्धृतमेव संस्कार—एव—कं इति मेवानी सुद्धर इत्या तथा योगनिद्रा

का स्मरण किया। यहाँ 'शय्या' और 'निद्रा' का स्मरण जो वाच्यरूप में वर्णित है वह 'शय्या' और 'निद्रा' का सादृश्य देखने से उद्बुद्ध सस्कार का प्रयोज्य (उससे साक्षात् अथवा परम्परया होने वाला फल) यद्यपि नहीं है क्योंकि भगवान् ने यहाँ किसी ऐसे पदार्थ को नहीं देखा जो शय्या अथवा निद्रा के सदृश हो। तथापि यह सत्य है कि भगवान् ने सैनिकों में समुद्र का सादृश्य देखा, उससे भगवान् की आत्मा में समुद्र का सस्कार जगा, जिससे समुद्र का स्मरण हुआ और उस स्मरण से ही शय्या और निद्रा का स्मरण भी हुआ। इस स्थिति में शय्या और निद्रा का स्मरण समुद्र का सादृश्य देखने से उद्बुद्ध सस्कारजन्य (साक्षात् फल) भले ही न कहलावे, पर प्रयोज्य (परम्परित फल) तो अवश्य कहलायगा। आप कहेंगे—उक्त बात ठीक है, पर यह शय्या और निद्रा का स्मरण स्मर्यमाण (जिसका स्मरण होता है उस शय्या और निद्रा) के सादृश्यदर्शन से उद्बुद्ध सस्कार का प्रयोज्य तो हुआ नहीं फिर वह अलकाररूप कैसे होगा? तो, इसका उत्तर यह है कि—लक्षण में यह तो कहा हुआ है नहीं कि सादृश्य स्मर्यमाण पदार्थ का ही लिया जाय, फलतः किसी भिन्न पदार्थ के सादृश्यदर्शन से उद्बुद्ध सस्कार का साक्षात् परम्परया वा फलीभूत किसी भिन्न पदार्थ का स्मरण भी लक्षण से संगृहीत होता ही है। प्रकृत श्लोक के वाच्य शय्या और निद्रा का स्मरण और उसके कारणरूप में प्रतीत होने वाला समुद्र का स्मरण दोनों का एक तरह से संग्रह करने के लिये ही लक्षण में 'साक्षात्परम्परासाधारणप्रयोज्यत्व' का निवेश किया गया है। सारांश यह हुआ कि प्रकृत पद्य में दो स्मरणालकार हैं जिनमें एक (समुद्रस्मरण) व्यग्य और दूसरा (शय्या और निद्रा का स्मरण) वाच्य है।

मतान्तरमाह—

केचित्तु सदृशज्ञानोद्बुद्धसंस्कारजन्यं सदृशविषयकमेव स्मरणमलङ्कारः।  
भुजगेन्द्रनिद्रास्मृतिस्तु नालङ्कार इत्याहुः।

केचित्तु इति। अत्र मते जन्यत्वनिवेश सादृश्यस्मर्यमाणसबन्धित्वनिवेशश्चेति पूर्वतो भेदः भुजगेन्द्रेति। 'एकसबन्धिज्ञानमपरसंबन्धिनं स्मारयति' इति न्यायेन तल्पादिस्मरणस्य पयोधिस्मरणजन्यत्वेऽपि तादृशसस्काराजन्यत्वादसदृशविषयकत्वाच्चेति भावः। पयोधिस्मरणं तु तादृशसस्कारजन्यं सदृशविषयकश्चेति भवत्यलङ्काररूपमिति सारांशः। अत्र 'केचित्तु' इत्युक्त्याऽरुचिर्ध्वन्यते तद्वीजमाह नागेशः—'सादृश्ये स्मर्यमाणसबन्धित्वनिवेशस्यैव सति फलाभावः। न हि तादृशसस्कारजन्यं स्मरणं विसदृशविषयकं सभवति। किञ्च पयोधिस्मरणस्यापि सदृशज्ञानात्मकतया तेन तल्पादिस्मरणानुकूलसस्कारस्योद्बोधनसमवेन तज्जन्यत्वसत्त्वादलङ्कारत्वमेव तस्ये'ति।

अन्य मत का उल्लेख किया जाता है—केचित्तु इत्यादि। कुछ विद्वानों का कथन है कि—“सदृश पदार्थ के ज्ञान से उद्बुद्ध सस्कार द्वारा उत्पन्न (उस सस्कार का साक्षात् फल) और सदृश के विषय में होनेवाला ही स्मरण अलकाररूप होता है। अतः 'एकी-भवत्—' इस पद्य में शेषनाग से बनी शय्या और योगनिद्रा का स्मरण अलकाररूप नहीं है, क्योंकि वह स्मरण पयोधिस्मरण से उत्पन्न हुआ है उक्त सस्कार द्वारा नहीं और स्मारक का सदृश पदार्थ उसका विषय भी नहीं है। यहाँ नागेश कहते हैं कि—पूर्वमत से इस मत में दो विलक्षणतायें हैं—एक तो 'साक्षात्परम्परासाधारणफल' के स्थान पर 'साक्षात्फलबोधकजन्यत्व' का निवेश, दूसरे 'सदृश के विषय में होने' का निवेश; जिससे शय्या और निद्रा के स्मरण का अलकाररूप नहीं होना सिद्ध होता है। पर यह मत अरुचिग्रस्त है और अरुचि का हेतु यह है कि—एक तो ऐसी स्थिति में इस लक्षण में 'सदृश के विषय में होने वाला' यह विशेषण व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि 'सदृश के ज्ञान

से उद्बुद्ध सम्कार द्वारा उत्पन्न (उमका मात्ताफलीभूत) स्मरण' क्षमदत्त के प्रिय में होता नहीं और दूसरे, 'समुद्र का स्मरण' मरण ज्ञानरूप हुआ ही, क्योंकि स्मरण भी ज्ञानरूप है और समुद्र सेना के सदृश है। और जब 'समुद्रस्मरण' भी सदृशज्ञानरूप हो गया तब उममे 'शेषशय्या तथा योगनिद्रा' के स्मरण को उत्पन्न करने वाले सम्कार का उद्बोधन हो ही सकता है, फलतः उन दोनों का स्मरण भी 'सदृशज्ञानोद्बुद्धसम्कार-जन्य' हो ही गया, अतः इस नवीन लक्षण के अनुसार भी उम स्मरण को अलंकाररूप होने से रोका नहीं जा सकता, फिर ये सब प्रयाम किमलिये ?'

सादृश्यज्ञाननिवेशफलमाह—

'इत एव निजालय गताया वनिताया गुणभि' समावृताया ।

परिवर्तितकन्धर नतश्रु स्मयमान वदनाम्बुजं स्मरामि ॥'

नायकं कथयति—इत एव मन्त्रकाशादेव, निजालय निजभवन, गताया प्रयाताया, तथा प्रयाणकाले गुणभि श्वभ्रवादिदृष्टनीभिः, समावृताया परिवेष्टिताया, वनिताया नायिकाया, परिवर्तितकन्धरम् परिवर्तिता कन्धरा=प्रोवा यस्मिन् कर्मणि तथया स्यात्तया, एवम् नतश्रु नतौ = नश्रौ श्रुवौ यस्मिन् कर्मणि तथया स्यात्तया, स्मयमान टपद्भास्यद्युक्तम्, वदनाम्बुजं सुखकमलम्, स्मरामि, अहमिति टोप ।

लक्षण में जो 'सादृश्यज्ञानप्रयुक्त' यह विशेषण 'स्मरण' का लगाया है, उमका फल दिखलाया जाता है—इत एव इत्यादि। नायक की वक्ति है—यहीं मे (मेरे ही निकट में) अपने घर गई और जाने के समय सास आदि वृद्ध स्त्रियों से परिवेष्टित नायिका के, गरदन को घुमाकर और मौहों को नीचे कर मुसकराते मुख-कमल का स्मरण कर रहा हूँ।

उपपादयति—

अत्र स्मरण चिन्तोद्बुद्धसम्कारप्रयोज्यत्वान्नालङ्कार व्यङ्ग्यत्वविरहाच्च न भावः ।

'इत एव—' इति श्लोके यन्स्मरणं वर्णितम् तच्चिन्तया ध्यानेन उद्बुद्धस्य सम्कारस्य फलम् न तु सदृशपदार्थदर्शनोद्बुद्धनस्कारस्य, अतो नेद स्मरण अलंकाररूपम् भवति सदृशज्ञानोद्बुद्धनस्कारप्रयोज्यस्मरणस्यैव लक्षणाकान्तवान् । भावरूपमपि नैतन्स्मरण भवति व्यङ्ग्यस्यैव स्मृत्यादेर्भावत्त्वोकारादिति भावः ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि। 'इत एव—' इस पद्य में वर्णित स्मरण अलंकाररूप नहीं होता क्योंकि यह स्मरण चिन्ता (ध्यान) से उद्बुद्ध सम्कार का फल है, सदृश ज्ञान से उद्बुद्ध सम्कार का नहीं और लक्षण में 'सादृश्यज्ञानोद्बुद्धसम्कार-फलीभूतस्मरण' को ही अलंकार कहा गया है। और यह स्मरण भावरूप भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि व्यङ्ग्य स्मरण आदि को ही 'भाव' कहा गया है और यह स्मरण व्यङ्ग्य नहीं वाच्य है।

रक्तस्यल्पमान स्यदान्तरमपि दर्शयति—

एवम्—

'दरानमत्कन्धरदन्धमीपन्निमीलितन्निग्धविलोचनादजम् ।

अनल्पनि श्वानभरालसाद्गया' स्मरामि नद्ग चिरमद्गनाया ॥'

इहापि स्मृतिर्न भावो नाप्यलङ्कारः । व्यङ्ग्यस्यैव व्यभिचारिणो भावत्वान् । यथा—'सा वै कलद्विविधुरा मधुराननधी ।' अत्र चालङ्कारिकाणां मन्त्रदायो यत्नाद्यभ्यमूलकत्वे स्मरण निदर्शनाद्विवदलङ्कारः । तन्माभावे व्यङ्ग्यतायां भावः । तयोरभावे तु वस्तुमात्रम् ।

एवमिति । 'एकीभवत्—' इति पद्य इवेत्यर्थः । नायकः स्वमित्रं प्रत्याह—दरानम-  
दिति । अनल्पाना प्रभूतानाम्, निश्वासानां भरेण समूहेन, अलसानि आलस्ययुक्तानि,  
अङ्गानि यस्यास्तस्या, अङ्गनाया नायिकाया, दरं अल्पम्, आनमन् नम्रीभवन्, कन्ध-  
बन्धः ग्रीवासन्धिस्थलविशेष, यस्मिन् तादृशम्, तथा ईषत् निमीलिते मुद्रिते, झिग्धे  
स्नेहपूर्णे, विलोचनाब्जे कमलतुल्यनयने यस्मिन् तथाविधम् च सङ्ग सम्भोगम्, चिरं  
बहूनि दिनानि यावत्, स्मरामि अहमिति शेषः । इहापि दरानमदिति श्लोकेऽपि । सा वै  
इति । एतत्पद्य प्रथमानने लिखितं व्याख्यातञ्च । सम्प्रदाय इति । परम्परेत्यर्थः । तस्येति  
सादृश्यमूलकत्वस्येत्यर्थः । व्यङ्ग्यतायामिति । सत्यामिति शेषः । तयोरिति व्यङ्ग्यत्वसादृश्य-  
मूलकत्वयोरित्यर्थः । अयं भाव—यथा 'एकीभवत्—' इत्यत्र वर्णित स्मरण नालङ्कारो  
न वा भावस्तथैव 'दरानमत्—' इति श्लोके वर्णितं स्मरणमपि नालङ्कारं चिन्तामूलक-  
तया सादृश्यमूलकत्वाभावात्, नापि भावः, 'व्यभिचार्यञ्जितो भावः' इति लक्षणानुसारं  
व्यङ्ग्यस्यैव । व्यभिचारिण स्मृत्यादेर्भावत्वोपगमात् । आलङ्कारिकाणां विदुषामय सम्प्र-  
दायोऽस्ति यत् यत्र स्मरण सादृश्यमूलकं तत्रालङ्कारः । यथा 'दोर्दण्ड—' इत्यादौ ।  
यत्र च न सादृश्यमूलकम्, किञ्च व्यङ्ग्यम् तत् तत्र भावः । यथा 'सा वै कलङ्क—' इत्यादौ ।  
यत्र तु न सादृश्यमूलकं न वा व्यङ्ग्यं अपि तु चिन्तादिमूलकं वाच्यं तत् तत्र वस्तु-  
मात्रम् । यथा 'इत् एव—' 'दरानमत्—' इत्यादौ इति ।

स्पष्टज्ञानार्थं पूर्वोक्त स्थल के समान ही दूसरा भी स्थल दिखलाया जाता है—एवं  
इत्यादि । इसी तरह—'दरानमत्—'अर्थात् अत्यन्त श्वाससमूह से आलस्ययुक्त अङ्गोवाली  
अङ्गना के उस सग (सभोग) का स्मरण करता हूँ जिसमें गरदन का सन्धि-स्थल  
किञ्चित् झुका हुआ और स्नेहभरे नयन कमल थोड़े से मुँदे हुए थे ।' इस मित्र के प्रति  
नायकोक्त पद्य में जो स्मरण वर्णित है वह भी अलंकाररूप नहीं है, क्योंकि उसके मूल  
में सादृश्य का ज्ञान नहीं है, वरन् चिन्ता है और भाव भी वह नहीं है क्योंकि—'व्यभि-  
चार्यञ्जितो भाव' के अनुसार व्यङ्ग्य स्मृत्यादि व्यभिचारिभाव ही भावरूप माने गए हैं ।  
आलङ्कारिक विद्वानों की यह एक परम्परागत मान्यता है कि—सादृश्यमूलक स्मरण  
'अलङ्काररूप' होता है, जैसे—'दोर्दण्ड—' इत्यादि पूर्वोक्त पद्यों में, सादृश्यमूलक न होकर  
व्यङ्ग्य होने पर 'भावरूप' होता है, जैसे—'सा वै कलङ्क—' इत्यादि प्रथमानने में उद्धृत  
पद्य में, और इन दोनों से भिन्न—अर्थात् चिन्तादिमूलक और वाच्य रहने पर स्मरण  
वस्तुमात्र कहलाता है, जैसे—'इत् एव—' 'दरानमत्—' इत्यादि पद्यों में ।

आलोचयितुमप्यदीक्षितमतमुत्थापयति—

अप्यदीक्षितास्तु—

“स्मृतिः सादृश्यमूला या वस्त्वन्तरसमाश्रया ।  
स्मरणालङ्कृतिः सा स्यादव्यङ्ग्यत्वविशेषिता ॥”

यथा—

‘अपि तुरगसमीपादुत्पतन्तं मयूरं  
न स रुचिरकलापं बाणलक्ष्मीचकार ।  
सपदि गतमनस्कश्चित्रमाल्यानुकीर्णं  
रतिविगलितबन्धे केशपाशे प्रियायाः ॥’

यथा वा—

‘दिव्यानामपि कृतविस्मयां पुरन्नादन्भस्त. स्फुरद्दरविन्दचारुदस्ताम् ।

उद्वीज्य त्रियमिव काञ्चिदुत्तरन्नीमस्मार्योजलनिधिमन्वनस्य शौरि. ॥’

एकत्र नदृशदर्शनात्तत्सदृशकमिका स्मृति’ । इतरत्र सदृशदर्शनात्तत्सदृशलक्ष्मीसन्वन्धिनो जलनिधिमन्वनस्य स्मृति’ । उभयत्रापि सादृश्यमूलकवस्त्वन्तर-स्मृतिव्यभिचारी । अत एव सदृशासदृशसाधारण्यार्थतया लक्षणे वस्त्वन्तर-ग्रहणमर्थवत् ।

‘सौमित्रे ननु सेव्यतां तरुणल चण्डाशुकञ्जृम्भते  
चण्डाशोनिशि का कथा रघुपते चन्द्रोऽयमुन्मीलति ।

वत्सैतद्विदित कथ’ नु भवता घत्ते कुरङ्गं यत

कासि प्रेयसि हा कुरङ्गनयने चन्द्रानने जानकि ॥’

अत्र श्रुतकुरङ्गसन्वन्धिनस्तत्रयनस्य स्मरणात्तत्सदृशसीतानयनस्मृतिस्तत्सन्वन्धिसीतास्मृतिश्चेति । किं त्वेषा व्यङ्ग्या अलङ्कार्यभूता च । तद्व्यावृत्त्यर्थमव्यङ्ग्यत्वविशेषणम् ।

‘अत्युच्चा’ परित स्फुरन्ति गिरयः स्फारास्तथाऽन्भोधय-

स्तानेतानपि विभ्रती किमपि न श्रान्तासि तुभ्य नम’ ।

आश्चर्येण मुहुर्मुहु स्तुतिमिति प्रस्तौमि यावद् भुव-

स्तावद् विभ्रदिमा स्मृतस्तव भुजो वाचस्ततो मुद्रिता ॥’

अत्र स्तूयमानभूसन्वन्धिनो भूभृत’ स्मृतिर्न सादृश्यमूलेति नात्र स्मरणा-लङ्कारः । किं तु स्मृते. सञ्चारिभावस्य भूभृद्विषयकरतिभावाद्भ्रत्वात्प्रेयोऽलङ्कार । एतद्व्यावृत्तये सादृश्यमूलेति विशेषणम् ।’ इत्याहु ।’

अप्यवदांक्षितास्तु इति अस्य ‘आहु’ इति दूरत्वेन क्रियापदेनान्वय । लक्षणमाह— स्मृतिरिति वस्त्वन्तरमाध्या अन्वयवत्तुविषयिणी प्रव्यनयनविशेषिता अव्ययया वाच्येति यावत्, या, सादृश्यमूला नदृशपदार्थानुभवप्रयोज्या स्मृति’, ना स्मरणात्कृतिरित्यर्थ ।

उदाहरण दर्शयति—अपि तुरगेति । रघुवशे दशरथनृगयावर्णनम् । इति कथयति— चित्रमाल्यानुकूर्णे विविधवर्णानुनदामव्याप्ते, रति विगलितवन्द्ये नन्मोगरुत्तिरनपरवर्णो-न्मुक्तवन्द्ये ( अनेन विरोधद्वयेन केशपाशे मयूरमान्यमागूरितम् ) प्रियाना प्रेयसा, केशपाशे कचनिचये, नपदि शांत्रम्, गतनन्त्क मन्त्रचेता, स्मृतताश्रियाप्रेय-कलाप इति यावत्, स दशरथ’ तुरगमनीपात् अपि प्रथमिच्छदपि ( एतेन तत्रेणे नौकर्यं ध्वनितम् ) उन्वतन्तम् उदीयमानम्, रचिरकलाप रमणीयवर्णम् मयूरम्, न वात्सल्यीचकार तस्मिन् वात्सल्येपं नाकरोदित्यर्थ ।

उदाहरणान्तर दर्शयति—दिव्यानामिति । माघराज्ये जलहेतिवर्णनम् । इतिरिति-शौरि भगवान् श्रीकृष्ण, दिव्यानामपि स्वर्गाशानामपि, कृतविग्मनाम् उपादिताशरभानाम् ( एतेन सौन्दर्यातिशयो बोध्यते ) स्फुरद्दरविन्दचारुदस्ताम् स्फुरता विराला, अर-विन्देन समलेन, चारु सुन्दरौ, रत्नौ करौ, चम्पाम्ताम्, प्रत एव, गिर लक्ष्मीम्, इय, प्रम्भस्त’ जल, उन्वन्तीं निम्नगन्तीम्, रचिद नानिष्टम्, पुग्नात् अत्रे, एय, उदाहरण दृष्ट्वा, जलनिधिमन्वनस्य नमुद्रमन्वनस्य अन्वयार्थे स्मृततामित्यर्थ ।

उपादायति—एच्छेति । प्रयमोगहरण इत्यर्थ । नदृशदर्शनादिति । रचिरकलाप-



मयूरदर्शनादित्यर्थ । सदृशकर्मिकेति । मयूरकलापसदृशप्रियाकेशपाशविषयिणीति भावः । इतरत्रेति । द्वितीयोदाहरण इत्यर्थः । सदृशदर्शनादिति । धारिजभूषितकरवारिनिस्सरद्विव्यनारीदर्शनादित्यर्थः । तत्सदृशेति । तन्नारीसदृशेत्यर्थः । उभयत्र द्वयोरुदाहरणयोः अविशिष्टमिति । समानमित्यर्थः । अत एवेति उभयविधस्मरणस्यालंकारत्वेनेष्टत्वादेवेत्यर्थः । 'अपि तुरग—' इत्यत्र रमणीयवर्हमयूरदर्शनेन पुष्पपुञ्जभूषितोन्मुक्तप्रियाकेशविषयकः सस्कारः उद्बुद्ध, तेन तादृशकेशविषयकं स्मरणं जातमिति सादृश्यानुयोगिप्रतियोगिनावेकस्मृतिकारणस्मृतिविषयरूपौ अत इयं स्मृति सादृश्यमूला सदृशविषया च । 'दिव्यानामपि' इत्यत्र तु श्रीसदृशजलनिस्सरद्विव्यरूपनारीदर्शनेन समुद्रमन्थनस्मरणं वर्णितम्, अतोऽत्र स्मरणकारणस्मरणविषयौ न सादृश्यानुयोगिप्रतियोगिनौ, फलत इयं स्मृति सादृश्यमूलापि सदृशविषया नास्ति । परन्तु उभयपद्यगतमुभयविधं स्मरणम् अलङ्काररूपम्, लक्षणाक्रान्तत्वात् । लक्षणे हि सादृश्यमूलकविसदृशसदृशान्यतरविषयकस्मरणसप्रहाय 'वस्त्वन्तरसमाश्रया' इत्यस्य स्थान, 'तुल्यान्तरसमाश्रया' इति न कृतम् । तथात्वे हि सादृश्यमूलकसदृशविषयकस्मृतेरेव प्रथमस्थलगनाकाराया सप्रहं स्यात्, प्रकृतपाठे तु सदृशासदृशवस्त्वन्तरमात्राविषयिकाया द्वितीयस्थलगताकाराया अपि संप्रहो भवतीति भावः ।

लक्षणघटकाव्यङ्ग्यत्वविशेषणव्याचर्त्यमाह—सौमित्रे इति । हनुमन्घाटकगतं सीता-वियोगकालिकरामलक्ष्मणोक्तिप्रत्युक्तिमय पद्यमेतत्, राम कथयति—सौमित्रे लक्ष्मण ! ननु निश्चयेन, तरुतल वृक्षमूलदेश, सेव्यताम् आश्रीयताम्, कुतः ? यत् चण्डाशु प्रखरकरं सूर्यः, उज्ज्वम्भते वर्षते । लक्ष्मणः कथयति—हे रघुपते रामचन्द्र ! चण्डाशोः सूर्यस्य, निशि रात्रौ, का कथा ? दिवाकरस्य निशास्थिति-चर्चाऽपि नोचिता । तथा च सूर्योऽपि चण्डाशुविषयक भवतो ज्ञानं भ्रम एवेति भावः । अथ न चेदसौ सूर्यः तर्हि कोऽयं व्योम्नि प्रकाशते ? इति चेत् तत्राह लक्ष्मण—अथ प्रत्यक्षदृश्यमानं चन्द्र उन्मीलति उदयते । राम आह—वत्स लक्ष्मण ! भवता, एतद् नायं सूर्योऽपि तु चन्द्र इत्याकारक वस्तु, कथं केन प्रमाणेन विदितम् ज्ञातम् ? लक्ष्मण आह—यत् यस्मात् कुरङ्ग हरिण कुत्सितं रङ्गम् = कालिमानं वा घत्ते अथ प्रकाशाधारभूतो वस्तुविशेष इति शेषः । मृगाङ्कोऽयं चन्द्र एव न सूर्य इति भावः । कुरङ्गपदश्रवणस्मृत-सीतातन्मयनश्च रामो विह्वल इवोन्मत्त इव च भूत्वा प्राह—हे कुरङ्गनयने हरिणनेत्रे ! चन्द्रानने ! प्रेयसि अतिप्रिये, जानकि सीते, क्व कुत्र, असि वर्तसे ? 'हा' इति खेदसूचकमव्ययम् ।

उपपादयति—अत्रेति । 'सौमित्रे' इति पद्य इत्यर्थः । श्रुतकुरङ्गेति । श्रुत कुरङ्गरूपं सम्बन्धी यस्य तस्येत्यर्थः, तन्नयनस्येति । कुरङ्गनयनस्येत्यर्थः । तत्सदृशेति । कुरङ्गनयनसदृशेत्यर्थः । तत्सम्बन्धीति, सीतानयनसम्बन्धीत्यर्थः । एषा स्मृति अलंकार्यभूतेति । प्रधानेत्यर्थः । तथा च नालङ्कारत्वमस्या स्मृतेरुचितमिति भावः, तद्व्याचर्त्यर्थमिति । व्यङ्ग्यस्मृतिव्याचर्त्यर्थमित्यर्थः, विशेषणमिति । 'अव्यङ्ग्यत्वविशेषिता' इति रूपेण लक्षणे इति भावः । 'सौमित्रे ननु' इत्यत्र रामस्य कुरङ्गपदश्रवणेन मृगज्ञाने जाते 'एकसम्बन्धिज्ञानमपरसम्बन्धिघनं स्मारयति' इति न्यायेन तस्य मृगनयनस्य स्मरणं भवति । अतः सीतानयनस्य सदृशम् अतः सीतानयनसदृशमृगनयनस्मरणेन सीतानयनस्मरणम् ततश्च तदात्मकैकसवन्धिज्ञानेन सीतास्मरणम् इति यद्यपि प्रतीयते, तथापि प्रतीयमानस्य सादृश्यमूलकस्यापि च सीतानयनस्मरणस्यालंकाररूपत्वं न लक्षणघटकाव्यङ्ग्यत्वविशेषणेन प्रमाणात् । किञ्च सा स्मृतिः प्राधान्यादलंकार्यभूता कथमलंकारत्वमुपगच्छत्वित्यपि बोध्यम् ।



का समय उनके ध्यानपथ में आ गया ।' जलकेलिवर्णन-प्रसङ्ग पर साधकान्य में कवि क यह उक्ति है ।

इन दोनों उदाहरणों में से प्रथम उदाहरण ( अपि तुरग— ) में सदृश वस्तु ( मयूर पुच्छ ) के दर्शन से उसके सदृश ( प्रिया के केश-पाश ) का स्मरण हुआ है और द्वितीय उदाहरण में सदृश वस्तु ( हाथ में कमल लिये जल से निकलती परमरमणीय रमणी ) के दर्शन से उसके ( रमणी के ) सदृश लक्ष्मी से सबन्ध रखने वाले समुद्र-मन्थन का स्मरण हुआ है । दोनों ही उदाहरणों में सादृश्यमूलक और अन्य वस्तु के विषय में होनेवाली स्मृति की सत्ता समान है । तात्पर्य यह कि—जिस तरह प्रथम उदाहरण में सदृश-मयूरपुच्छ के देखने से तत्सदृश-प्रियाकेशपाश का स्मरण वर्णित है उस तरह यद्यपि द्वितीय उदाहरण में नहीं है—अर्थात् वहाँ सदृश ( जल से निकलती नायिका ) के देखने से तत्सदृश लक्ष्मी का स्मरण वर्णित नहीं हुआ है अपितु लक्ष्मी से सबन्ध रखने वाले समुद्र-मन्थन—जो जल से निकलती नायिका के सदृश नहीं है—का स्मरण वर्णित है, तथापि दोनों स्थानों में वर्णित स्मरणों के मूल में सादृश्य समानरूप से है । वस, इतने से ही दोनों स्मरण समानरूप से अलंकाररूप हैं । अभिप्राय यह हुआ कि—लक्षण में यह नहीं कहा गया है कि—सदृश वस्तु के देखने से होनेवाला तत्सदृशवस्तुविषयक स्मरण ही अलंकार हो । यदि ऐसा कहना लक्षणकार का अभीष्ट होता, तो, 'वस्वन्तर-समाश्रया ( अन्य वस्तु के विषय में होने वाली )' यह विशेषण इस रूप में नहीं कहा जाता अपितु 'तुल्यान्तरसमाश्रया—अर्थात् सदृश अन्य वस्तु के विषय में होने वाली' इस रूप में कहा जाता । फलतः स्मरण सदृश का हो अथवा विसदृश का, पर उसका मूल यदि सादृश्य हो तो वह अलंकाररूप अवश्य होगा ।

'हे लक्ष्मण ! प्रचण्ड किरणों वाला सूर्य उदित है, अतः तरु-तल की सेवा करो—वृक्ष के नीचे चलो । रघुपते ! रात के समय सूर्य की क्या बात, यह तो चन्द्र उदित हो रहा है । वत्स ! तुमने कैसे जाना कि यह चन्द्र है ? क्यों न जानूँगा, यह मृग का धारण जो कर रहा है । ( इतनी उक्ति-प्रत्युक्ति राम और लक्ष्मण में हुई कि राम कराह उठे—) हाय ! मृगनयने ! चन्द्रमुखी ! प्रियतमे ! जानकी ! तुम कहाँ हो ?' ( हनुमन्नाटक )

यहाँ भी यद्यपि लक्ष्मण के मुख से सुने 'मृग' पद से मृग के बोध द्वारा 'एक-सम्बन्धिज्ञानमपरसम्बन्धिन स्मारयति' के अनुसार उसके ( मृग के ) नेत्रों का स्मरण हुआ और उस स्मरण के कारण उन नेत्रों ( मृगनेत्रों ) के सदृश सीता के नेत्रों का तथा उन नेत्रों ( सीता नेत्रों ) से सम्बन्ध रखने वाली सीता का स्मरण हुआ है, तथापि यह स्मरण व्यङ्ग्य है और अलंकार्य है । ऐसे स्मरण में उक्त स्मरणालंकार का लक्षण अति-व्याप्त न हो इसलिये 'अन्यङ्ग्य' यह स्मृति का विशेषण लक्षण में दिया गया है ।

'अत्युच्चा—अर्थात् 'चारों तरफ ऊँचे-ऊँचे पर्वत और समुद्र दृष्टिगोचर हो रहे हैं, हे वसुन्धरे ! इन सब को धारण करती हुई भी तू कुछ भी श्रान्त नहीं हुई, तुझे प्रणाम है'—इस तरह, आश्चर्यपूर्वक, जब तक पृथिवी की बार बार स्तुति का प्रस्ताव करता हूँ, तब तक उस पृथिवी को भी धारण करने वाले आपके बाहु का स्मरण हो आया, फिर क्या था ! वाणी रुक गई—पर्वत-समुद्र आदि से युक्त समग्र पृथिवी के धारण करने के कारण सर्वश्रेष्ठ आपके बाहु का स्मरण होते ही पृथिवी के प्रति बनी मेरी श्रेष्ठत्व की धारणा समाप्त हो गयी, फिर उसकी स्तुति करते नहीं बनी ।' यह पद्य कवि के द्वारा किसी राजा की स्तुति में प्रयुक्त हुआ है ।

यहाँ जिसकी स्तुति की जा रही है उस पृथ्वी के सम्बन्धी ( उसके स्वामी ) राजा का स्मरण यद्यपि वाच्यवृत्त्या वर्णित हुआ है, पर उस ( स्मरण ) के मूल में सादृश्य नहीं है—अर्थात् सदृशवस्तुदर्शन से यह स्मरण नहीं हुआ है, अपितु 'एकसम्बन्धिज्ञानम्—' इस न्याय के अनुसार पृथ्वी का ज्ञान होने से तत्सम्बन्धी

राजा का स्मरण हुआ है, अतः यहाँ स्मरणोत्कार नहीं है, किन्तु सञ्चारिभाव-  
रूप यह स्मरण कविगत राजविषयक रतिभाव का अङ्ग है अतः 'प्रेयान्' उत्कार  
है। इसी तरह के (सादृश्य जिनके मूल में न हों उन) स्मरणों का वारण करने के लिये  
रक्षण में 'सादृश्यमूला' यह विशेषण लगाया गया है।"

रक्षणीभित्तमस्य खड्गान्निष्कमालोचना विद्यते—

तदेतन् सर्वस्मरणीयम् । यत्तावदुच्यते सदृशासदृशयो केशपाशजल-  
निधिमन्यनयोः सङ्ग्रहाय लक्षणे वस्तुन्तरग्रहणमर्थवृत्ति । तत्र सादृश्यमूला  
स्मृति स्मरणालङ्कार इत्येतावतैव केशपाशस्मरणस्यैव जलनिधिमन्यन-  
स्मरणस्यापि सङ्ग्रहाद्वस्तुन्तरसमाश्रयत्वविशेषणमनर्थकम् । एकत्र सादृश्य-  
दर्शनोद्बुद्धमस्कारजन्यत्वेन अपरत्र च सादृश्यदर्शनोद्बुद्धसस्कारजलज्मी-  
स्मरणोद्बुद्धमस्कारजन्यत्वेन च सादृश्यमूलत्वाविशेषान् । नहि सादृश्यमूले-  
त्युक्ते सदृशविषयेति लभ्यते, येन जलनिधिमन्यनस्मृतेरसङ्ग्रहः स्यात् । यदपि  
'सौमित्रे ननु सेव्यताम्—' इत्यत्र स्मृतिर्व्यङ्ग्या अलङ्कार्यभूता च तद्व्यावृत्तयेऽ-  
व्यङ्ग्यत्वविशेषणमित्युक्तम् । तत्र नेय स्मृतिरलङ्कार्यभूता, किन्तु जानक्या-  
लन्दनो निशासमयोद्दीपितः सन्तापादिनानुभावित उन्मादेन सञ्चारिणा परि-  
पोषितो विप्रलम्भः प्रधानत्वेनालङ्कार्यः । तस्य च—स्मृतिरत्कर्महेतुत्वात्कलङ्कार  
एव । अतो नितरां तद्व्यावृत्त्यर्थमव्यङ्ग्यत्वविशेषणदानमनुचितम् । नहि व्यङ्ग्य-  
त्वालङ्कारत्वयोर्विरोध इति वक्तुं शक्यम् । नित्यव्यङ्ग्यानां रसभावादीनामपि  
पराङ्मतायामलङ्कारत्वाभ्युपगमान् । प्रधानव्यङ्ग्यत्वव्यावृत्त्यर्थं पुनरुत्कारकत्व  
सर्वेष्वलङ्कारलक्षणेभ्यु देयमिति प्रागेववेदितम् । यदप्युक्तम् 'अत्युक्ताः परितः  
स्फुरन्ति गिरयः—' इत्यत्र स्मृतेः सञ्चारिभावस्य भ्रूष्टद्विपरतिभावा-  
ङ्गत्वात्प्रेयोऽलङ्कार इति, तन्न । भावस्य हि भावाद्यङ्गतायां प्रेयोऽलङ्कारत्वम् ।  
न ह्यत्र स्मृतिर्भावः । तस्याः स्मरतिना गचकेनाभिधानान् । नहि वाच्यस्य  
व्यभिचारिणो भावत्वं वक्तुं युक्तम् । 'व्यभिचार्यङ्गिनो भावः' इति सिद्धान्त-  
विरोधान् । तथा चोक्तं सर्वस्वकृता—'प्रेयोऽलङ्कारस्य तु नादृश्यव्यतिरिक्त-  
निमित्तोत्थापिता स्मृतिविषयः । तत्रापि विभावाद्यागृहितत्वे, यथा 'अतो जेपेऽपि  
कान्तं मुखम्' इति । न तु स्वशब्दनिवेद्यत्वे ।

यथा—

'अत्रानुगोदः मृगयानिमृगस्तरङ्गनातेन विनीतरेडः ।

रहस्त्वदुत्सङ्गनिषण्णमूर्ध्वा स्मरामि गतीरगुहेषु सुप्तम् ॥'

इत्यदागिति । ननु भावाद्यङ्गीभूतभावस्य न प्रेयोऽलङ्कारत्वमप्यम् । अपि  
तु भावाद्यङ्गीभूतसञ्चारित्वमात्रम् । तथा च प्रकृते स्मरणस्य स्वशब्दनिवेद्य-  
त्वेन भावस्यविरहेऽपि सञ्चारित्वानुपायात्प्रेयोऽलङ्कारत्वमप्यिदमेवेति चेत्,  
एव नृहीतराङ्गीभूतन्यायित्वमात्रं रसालङ्कारत्वम्, न तु व्यङ्ग्यमानत्वविशिष्टम्,  
इत्यस्यापि सुवचत्वान् ।

एवं च—

'चराचरोभयागरजगन्धारणवित्रम् ।

रन्धान्तमानसदुद्धं हरः स्वर्गंर सुप्तम् ॥'

इत्यत्र क्रोधस्य स्वशब्दनिवेदितत्वेऽपि देवताविषयकरतिभावाङ्गीभूतस्थायित्वानपायाद्रसालङ्कारता स्यात् । न चेष्टापत्तिः, अपसिद्धान्तात् । तस्म व्यज्यमानस्यैव स्थायिनः पराङ्गत्वे यथा रसालङ्कारत्वमेवं व्यज्यमानस्यैव सञ्चारिणो भावाद्यङ्गतायां प्रेयोऽलङ्कारत्वमिति नात्र स्मृतिमादाय प्रेयोऽलङ्कारवाच्या, किं तु भूविषयकरतेः पूर्वार्धव्यङ्ग्याया उत्तरार्धव्यङ्ग्यभृशृद्विषयरतिभावाङ्गत्वाद्युक्ता प्रेयोऽलङ्कारता वक्तुम् । उक्तं च मम्मटभट्टैः—‘अत्र भूविषयरत्याख्यो भावो राजविषयरतिभावस्य’ इति । अपि च महदिदमाश्चर्यं यत् स्वे निर्मितः कुवलयानन्दाख्यः सन्दर्भो विस्मृतः । उक्तं च तत्र—‘विभावानुभावाभ्यामभिव्यञ्जितो निर्वेदादिर्भावः, स यत्रापरस्याङ्गं स प्रेयोऽलङ्कारः’ इति ।

एतत्सर्वमिति । दीक्षितोक्तमखिलमित्यर्थ । अरमणीयमिति । असुन्दरमित्यर्थ । अयुक्तमिति यावत् । वक्ष्यमाणदोषादिति भाव । तमेव दाढ्यायानूयाह—यत्तावदिति । तत्रेति । उच्यमाने तस्मिन्नित्यर्थ । ब्रूम इति शेष । तदाह—सादृश्येति । एवमग्रेऽपि । केशपाशस्मरणस्येवेति । तस्य सदृशविषयकत्वेन दृष्टान्तत्वमिति भावः । एकत्रेति । प्रथमोदाहरणवर्णितस्मरण इत्यर्थ । अपरत्रेति । द्वितीयोदाहरणवर्णितस्मरण इत्यर्थ । सादृश्येति । सादृश्यस्य दर्शनेन = ज्ञानेन, उद्बुद्धो यः संस्कारः ( जलनिधिमन्थनविषयक ) तज्जम् = तज्जन्यम्, यत् लक्ष्म्या स्मरणम्, तेन उद्बुद्धो यः संस्कारस्तज्जन्यत्वेनेत्यर्थ । स्यादिति । इतीति शेष । अत्र ‘सादृश्यपदस्य नियतसम्बन्धिकतया सम्बन्ध्याकांक्षायामुपस्थितस्मर्यमाणस्यैवान्वयापत्ति । नहि जनकत्वमूला पूज्यते इत्युक्ते पुत्रजनकत्वेन भार्या पूज्यते । अतो वस्त्वन्तरसमाश्रयेत्यावश्यकमिति चिन्त्यमिदम्’ इति नागेश । ‘सादृश्यमूला’ इति कथनेन साक्षात्परम्परया वा सादृश्यज्ञानेनोत्थापिता सर्वाऽपि ( सदृशविषया विसदृशविषया च ) स्मृतिः सगृह्यते न तु सदृशविषयैव स्मृतिः । तथा च ‘अपि तुरग’ इत्यत्र चित्रमयूरपिच्छरूपसदृशपदार्थज्ञानोद्बुद्धसंस्कारजन्यकेशपाशस्मृति ( सादृश्यज्ञानेन साक्षादुत्थापिता सदृशविषया स्मृति ) यथा स्मरणालंकारकोटौ संगृहीता भवति तथा ‘दिव्यानामपि—’ इत्यत्र जलनिरुसरत्सुन्दरीरूपसदृशवस्तुज्ञानोद्बुद्धसंस्कारजन्यलक्ष्मीस्मरणोद्बुद्धसंस्कारजन्यसमुद्रमथनस्मरणमपि ( सादृश्यज्ञानेन परम्परयोत्थापित विसदृशविषयक स्मरणम् ) सगृहीतं स्यादेव स्मरणालङ्कारश्रेण्यामिति तदर्थं दीक्षितेन उक्तम् ‘वस्त्वन्तरसमाश्रयत्वविशेषण लक्षणै व्यर्थमेवेति भावः । अव्यङ्ग्यत्वविशेषणसार्थक्यप्रदर्शनाय दीक्षितेनोक्तं प्रत्युदाहरण निरस्यति—यदपि इत्यादि । अस्य ‘उक्तम्’ इत्यत्रान्वयः । नेय स्मृतिरलंकार्यभूता इति । अत्र “अत्र स्मृते हा कासि इत्यादिपदगम्यत्वेन विवहन्-प्रपृत्तराजानुगम्यमानभृत्यवत्, ‘शठेन विधिना निद्रादरिद्रीकृत’ इत्यादौ शठादिपदगम्यासूयावद्वा तस्या एव प्राधान्यादलङ्कार्यत्वम् । अनुपस्कार्यत्वाच्च विप्रलम्भस्यैव तत्त्वाच्चेति चिन्त्यम्” इति नागेश । यस्मिन् प्रकरणे पद्यमिदमुक्त कविना, तेन प्रकरणेन विप्रलम्भो व्यज्यते, अतः प्रकृतपद्यव्यङ्ग्या स्मृतिः प्रकरणव्यङ्ग्यविप्रलम्भरसपोषिका भवेदित्येव समुचितम् । प्रकरणव्यङ्ग्यविप्रलम्भशृङ्गाररसपुष्ट्यर्थमेव कविना प्रकृतपद्यस्य रचनं च कृतेति गुणीभूतव्यङ्ग्याया अस्या स्मृते प्रधानरसोपस्कारकत्वादलङ्कारत्व युक्तमेवेत्यपि केचित् । विप्रलम्भ इति । रामनिष्ठ इति भावः । नितरामित्यस्यानौचित्येऽन्वयः । तदाशयं स्रग्भयति—नहीति । नित्येति । सर्वथेत्यर्थः । कदाप्यवाच्यलक्ष्येति यावत् । नन्वेवं प्राधान्येऽप्यलङ्कारत्वापत्तिरत आह—प्रधानेति । सर्वेषु न त्वत्रैव । तथा चालङ्कारसामान्य-



इत्यत्र क्रोधस्य स्वशब्दनिवेदितत्वेऽपि देवताविषयकरतिभावाङ्गीभूतस्थायित्वानपायाद्रसालङ्कारता स्यात् । न चेष्टापत्तिः, अपसिद्धान्तात् । तस्माद् व्यज्यमानस्यैव स्थायिनः पराङ्गत्वे यथा रसालङ्कारत्वमेवं व्यज्यमानस्यैव सञ्चारिणो भावाद्यङ्गतायां प्रेयोऽलङ्कारत्वमिति नात्र स्मृतिमादाय प्रेयोऽलङ्कारता वाच्या, किं तु भूविषयकरतेः पूर्वार्धव्यङ्ग्याया उत्तरार्धव्यङ्ग्यभूमृद्विषयरतिभावाङ्गत्वाद्युक्ता प्रेयोऽलङ्कारता वक्तुम् । उक्तं च मम्मटभट्टैः—‘अत्र भूविषयो रत्याख्यो भावो राजविषयरतिभावस्य’ इति । अपि च महदिदमाश्रयं यत् स्वेनैव निर्मितः कुवलयानन्दाख्यः सन्दर्भो विस्मृतः । उक्तं च तत्र—‘विभावानुभावाभ्यामभिव्यञ्जितो निर्वेदादिभावः, स यत्रापरस्याङ्गं स प्रेयोऽलङ्कारः’ इति ।

एतत्सर्वमिति । दीक्षितोक्तमखिलमित्यर्थः । अरमणीयमिति । असुन्दरमित्यर्थः । अयुक्तमिति यावत् । वक्ष्यमाणदोषादिति भावः । तमेव दाढ्यायानूयाह—यत्तावदिति । तत्रेति । उच्यमाने तस्मिन्नित्यर्थः । ब्रूम इति शेषः । तदाह—सादृश्येति । एवमग्रेऽपि । केशपाशस्मरणस्येवेति । तस्य सदृशविषयकत्वेन दृष्टान्तत्वमिति भावः । एकत्रेति । प्रथमोदाहरणवर्णितस्मरण इत्यर्थः । अपरत्रेति । द्वितीयोदाहरणवर्णितस्मरण इत्यर्थः । सादृश्येति । सादृश्यस्य दर्शनेन = ज्ञानेन, उद्बुद्धो य सस्कारः ( जलनिधिमन्थनविषयक ) तज्जम् = तज्जन्यम्, यत् लक्ष्म्या स्मरणम्, तेन उद्बुद्धो य सस्कारस्तज्जन्यत्वेनेत्यर्थः । स्यादिति । इतीति शेषः । अत्र ‘सादृश्यपदस्य नियतसम्बन्धिकतया सम्बन्ध्याकाशायामुपस्थितस्मर्यमाणस्यैवान्वयापत्तिः । नहि जनकत्वमूला पूज्यते इत्युक्ते पुत्रजनकत्वेन भार्या पूज्यते । अतो वस्त्वन्तरसमाश्रयेत्यावश्यकमिति चिन्त्यमिदम्’ इति नागेशः । ‘सादृश्यमूला’ इति कथनेन साक्षात्परम्परया वा सादृश्यज्ञानेनोत्थापिता सर्वाऽपि ( सदृशविषया विसदृशविषया च ) स्मृतिः सगृह्यते न तु सदृशविषयैव स्मृतिः । तथा च ‘अपि तुरग’ इत्यत्र चित्रमयूरपिच्छरूपसदृशपदार्थज्ञानोद्बुद्धसस्कारजन्यकेशपाशस्मृतिः ( सादृश्यज्ञानेन साक्षादुत्थापिता सदृशविषया स्मृतिः ) यथा स्मरणालङ्कारकोटौ संगृहीता भवति तथा ‘दिव्यानामपि—’ इत्यत्र जलनिस्सरत्सुन्दरीरूपसदृशवस्तुज्ञानोद्बुद्धसस्कारजन्यलक्ष्मीस्मरणोद्बुद्धसस्कारजन्यसमुद्रमथनस्मरणमपि ( सादृश्यज्ञानेन परम्परयोत्थापित विसदृशविषयक स्मरणम् ) सगृहीत स्यादेव स्मरणालङ्कारश्रेण्यामिति तदर्थं दीक्षितेन उक्तम् ‘वस्त्वन्तरसमाश्रयत्वविशेषण लक्षणौ व्यर्थमेवेति भावः’ । अव्यङ्ग्यत्वविशेषणसार्थक्यप्रदर्शनाय दीक्षितेनोक्तं प्रत्युदाहरणं निरस्यति—यदपि इत्यादि । अस्य ‘उक्तम्’ इत्यत्रान्वयः । नेयं स्मृतिरलकार्यभूता इति । अत्र “अत्र स्मृतेः हा क्वासि इत्यादिपदगम्यत्वेन विवहनप्रवृत्तराजानुगम्यमानभृत्यवत्, ‘शठेन विधिना निद्रादरिद्रीकृतः’ इत्यादौ शठादिपदगम्यासूयावद्वा तस्या एव प्राधान्यादलङ्कार्यत्वम् । अनुपस्कार्यत्वाच्च विप्रलम्भस्यैव तत्त्वाच्चेति चिन्त्यम्” इति नागेशः । यस्मिन् प्रकरणे पद्यमिदमुक्तं कविना, तेन प्रकरणेन विप्रलम्भो व्यज्यते, अतः प्रकृतपद्यव्यङ्ग्या स्मृतिः प्रकरणव्यङ्ग्यविप्रलम्भरसपोषिका भवेदित्येव समुचितम् । प्रकरणव्यङ्ग्यविप्रलम्भशृङ्गाररसपुष्ट्यर्थमेव कविना प्रकृतपद्यस्य रचनं च कृतेति गुणीभूतव्यङ्ग्याया अस्या स्मृतेः प्रधानरसोपस्कारकत्वादलङ्कारत्वमुक्तमेवेत्यपि केचित् । विप्रलम्भ इति । रामनिष्ठ इति भावः । नितरामित्यस्यानौचित्येऽन्वयः । तदाशयः खण्डयति—नहीति । नित्येति । सर्वथेत्यर्थः । कदाप्यवाच्यलक्ष्येति यावत् । नन्वेवं प्राधान्येऽप्यलङ्कारत्वापत्तिरत आह—प्रधानेति । सर्वेषु न तत्रैव । तथा चालङ्कारसामान्य-

लक्षणप्राप्तत्वात्तस्य नातिप्रसंग इति भावः । 'सौमित्रे ननु सेव्यताम्—' इत्यत्र च विप्र-  
लम्भशृङ्गाररस एव प्रधानव्यङ्ग्य यस्य सीताऽऽलम्बनविभावः, निशासमयः उद्दोषनविभावः,  
सन्तापादिरनुभावः, उन्मादश्च सञ्चारिभावः । एवञ्च प्रधानं स रमोऽलङ्कार्य एवेत्यत्र प्रायो  
न कस्यापि विप्रतिपत्तिः । सीताविषयिणी स्मृतिश्च व्यङ्ग्यापि गुणीभूता प्रधानरसोपस्कारिणी  
अलङ्काररूपैव । तथा च तद्धारणाय लक्षणेऽव्यङ्ग्यत्वविशेषणनिवेशो दीक्षितकृतोऽयुक्त  
एव । व्यङ्ग्या स्मृति कथमलङ्काररूपा भवेत्, व्यङ्ग्यत्वालङ्कारत्वयोर्विरोधादिति तु नोद्भाव-  
नयोग्यम्, व्यङ्ग्यत्वालङ्कारत्वयोर्विरोधानङ्गीकारात्, तथात्वे स्वीकृते पराङ्गतादशापन्नाना  
रसभावादीनामलङ्काररूपत्व सकलालङ्कारिकाङ्गीकृतं भज्येत । नन्वेवं प्रधानव्यङ्ग्यस्यापि  
अलङ्कारत्वमापद्येतेति चेन्न, तद्धारणयालङ्कारसामान्यलक्षणे उपस्कारकत्वं देयमित्यस्य  
प्रागुक्तत्वात् इति साराशः । लक्षणघटकसादृश्यमूलेति विशेषणव्यावर्त्यप्रदर्शनप्रसंगे 'अन्युच्चा'  
इति पद्यनुल्लिख्य तत्र दीक्षितोक्त विशेष खण्डयितुमाह—यदप्युक्तमिति । मिद्वान्तेति ।  
मम्मटभट्टादीनामिति शेषः । तदुपपन्नमाह—प्रेयोऽलङ्कारस्येत्यादि । इतीत्यन्तेन । तत्रापीति ।  
तदुत्थापितस्मृतिष्वपीति भावः । आगूरितत्वे इति । आविष्कृतत्वे इत्यर्थः ।

अत्रानुगोदमिति । पुष्पकेण लङ्कतोऽयोध्या गच्छत श्रीरामस्य सीता प्रच्युक्ति  
रिय रघुवशे । अत्र पञ्चदश्याम्, अनुगोदम् गोदावरीनदीसमीपे, नृगयानिवृत्त-  
आखेट कृत्वा परावृत्तः, तरङ्गवातेन तरङ्गस्पृष्टवायुना (एतेन वायो शैत्यातिशयो व्यज्यते)  
विनीतखेदः अपगतक्लमः, तथा, रहः एकान्ते, अत्यन्तसयोगे द्वितीया, त्वदुत्सङ्गिपङ्ग-  
मूर्धा त्वदीयक्रौडविन्यस्तमस्तकं सन्, अहम्, वानीरगृहेषु वेतसल्लानगडपेषु, यन् सुप्तं  
स्वापम्, अकार्पम् तत् स्मरामि इत्यर्थः । सुप्त इति मल्लिनाथसम्मत प्रथमान्तपाठ सुन्दरः ।  
तस्मिन् पाठे अह सुप्त इति स्मरामि इत्यर्थः, सुप्त इत्येतावन्पर्यन्तं वाक्यार्थः कर्म ।  
स्थानमिदमालोक्यतो मम मानसे बलादिव तादृशशयनस्मृतिर्जागर्तीति भावः ।

शङ्कते—नन्विति । प्रतिबन्धा समाधत्ते—एव तर्हीति । इष्टापत्तिं परिहरति—एव चेति ।  
चराचरोभवाकारेति । चरा जगन्मा, अचरा स्यावरा, उभये द्विविधा, आकारा  
स्वरूपाणि, यस्य, तादृश यज्जगत् मनारः, तस्य, कारण निदानभूतो, विग्रह  
शरीर यस्य तम्, कृत्वाऽन्तकाले प्रलयकाले, सकुद्धम् अतिदुःखम्, अत एव, नर्वहरम्  
सकलचराचरसंहारकारकम्, हर महाकालम्, नुम नमस्कुर्म, वयमित्यर्थः ।

स्वशब्देति । कृद्धमितिन्यर्थः । रतिभावेति । क्विनिष्टेत्यादि । अपन्दिद्वान्तान् इति ।  
सिद्धान्तविद्वत्त्वादिति भावः । स्मृतिमादायेत्युक्तिरनाह—किं न्विति । एव च प्रयोऽलङ्कार-  
रसन्वेऽपि त्वकृतम् तदुपपादन चित्रनीमासात्यनयुक्तमिति भावः । न्वोऽङ्गी मम्मटोक्ति  
प्रमाणतयोपन्यस्यति—उक्त चेत्यादिना । भावत्येति । अङ्गमिति शेषः । स्वेनैवेति ।  
अप्ययदीक्षितैर्नैवेत्यर्थः । तत्र कुवल्यानन्दे । निर्वेदादिस्त्रयन्निगत । अपरस्य भावादेः ।  
'व्यभिचार्याङ्गतो भावः' इति सिद्धान्तानुसारेण व्यङ्ग्यस्यैव व्यभिचारिणो भावत्वम् ।  
भावस्य च भावाद्यङ्गताया प्रयोऽलङ्कारत्वम् । तथा च 'अन्युच्चा —' इति पद्ये स्मृतपदवाच्य  
स्मरणम् न भावः, भावत्वमप्राप्तस्य च स्मरणस्य क्विनिष्टराजिपयकरतिभावात्त्वेऽपि न  
प्रेयोऽलङ्कारत्वसम्भवः । अत एव "मादृश्येतरमूलिन् वाच्यविभावादिव्यङ्ग्या स्मृति प्रयोऽ-  
लङ्कारलक्ष्यभूता यथा 'त्रेपेऽपि कान्तं मुञ्जम्' इत्यादौ । वाच्या स्मृतिस्तु न तल्लक्ष्यभूता  
यथा 'अत्रानुगोदम्'—इत्यादौ" इति सर्वस्वकारायुक्ति गगच्छने । मंचारी यदि भावाद्यङ्ग-  
भूतत्वात् न प्रयोऽलङ्कारः, तस्य सञ्चारिण भावरूपत्वम् ( व्यङ्ग्यत्वम् ) प्रयोऽलङ्कारलक्ष्य-



त्वाय नापेक्षितम्, तथा च प्रकृते स्मृतेर्वाच्यत्वेन भावरूपत्वाभावेऽपि सचारित्वसत्त्वेन प्रेयोऽलङ्कारत्व स्यादिति तु न वक्तुं शक्यम्, तथा सति अव्यङ्ग्योऽपि ( वाच्योऽपीति यावत् ) स्थायी यदि इतराङ्गीभावमापन्नो भवेत्, तदा स रसाऽलङ्कार इत्यस्यापि सुवचतया 'वराचर—' इति श्लोके वाच्यस्यापि क्रोधस्य कविगतदेवताविषयकरतिभावाङ्गीभूतस्थायित्वसत्त्वेन रसालङ्कारतापत्तेः । सिद्धान्तविरोधपरिहारानुरोधेनेष्टापत्तिरपि कर्तुमशक्यैव । फलतो व्यङ्ग्यस्थाधिभाव एव यथा पराङ्गतादशायां रसालङ्कारो भवति तथैव व्यङ्ग्य एव सञ्चारिभावाद्यङ्गतावस्थाया प्रेयोऽलङ्कार इत्यकामेनापि स्वीकार्यमेव । इत्थं च 'अत्युच्चा —' इति पद्ये स्मृतिमादाय प्रेयोऽलङ्कारप्रतिपादन दीक्षितकृतमयुक्तम् । पूर्वार्धव्यङ्ग्यकविगत-पृथ्वीविषयकरतिभावस्य उत्तरार्धव्यङ्ग्यकविगतराजविषयकरतिभावाङ्गताया प्रेयोऽलङ्कारता सम्भवतीति तु अन्यत् । मम्मटमद्वा अपि रतिभावमादायैवात्र प्रेयोऽलङ्कारता साधयामास । कुवलयानन्दे 'वाच्यविभावादिव्यङ्ग्यसञ्चारिणा भावत्वम् तस्य च भावस्यापराङ्गताया प्रेयोऽलङ्कारत्वम्' इति स्फुटं ब्रुवाणो दीक्षितमहोदयः कथं तद्विरुद्धमिहाहस्मेति परमाश्चर्यविषय इति भावः ।

उक्त दीक्षितोक्ति का खण्डन क्रिया जाता है—तदेतत्सर्वमरमणीयम् इत्यादि । अप्पय-दीक्षित की उक्त सभी बातें असुन्दर हैं—असगत हैं । देखिए, सर्वप्रथम उन्होंने जो यह कहा है कि—“सदृश अर्थात् स्मरण में मूलभूत मयूरपुच्छ के समान केशपाश और असदृश—अर्थात् स्मृतिमूलभूतपदार्थ जल से निकलती नायिका की समानता नहीं रखने वाला समुद्रमन्थन दोनों का समग्र करने के लिये लक्षण में 'अन्य वस्तु के विषय में होनेवाली' इस अंश का ग्रहण सार्थक है ।” वह ठीक नहीं । कारण, 'सादृश्यमूलक स्मरण को स्मरणालंकार कहते हैं' इतने कथन से ही केशपाश के स्मरण की तरह समुद्रमन्थन स्मरण भी सगृहीत हो ही जाता, फिर उसके समग्र के लिये जो 'अन्य वस्तु के विषय में होनेवाली' यह अंश कहा गया है वह निरर्थक है । एक जगह ( प्रथम पद्य में ) स्मरण, सादृश्य-दर्शन द्वारा उद्बुद्ध संस्कार से उत्पन्न होता है और दूसरी जगह ( द्वितीय पद्य में ) सादृश्यदर्शन द्वारा उद्बुद्ध संस्कार से उत्पन्न लक्ष्मी के स्मरण से उद्बुद्ध संस्कार से उत्पन्न हुआ है, फलतः दोनों जगहों पर स्मरण का मूल सादृश्य है ही । अर्थात् एक जगह सादृश्य स्मरण का साक्षात् मूल है, दूसरी जगह परम्परया, पर दोनों ही स्मरण सादृश्यमूलक कहे जा सकते हैं, क्योंकि 'सादृश्यमूलक' इस कथन से 'सदृशपदार्थके विषय में होनेवाली' यह अर्थ तो निकलता नहीं कि जिससे 'समुद्रमन्थन के स्मरण' का समग्र नहीं होगा । यहाँ नागेश दीक्षितोक्ति का समर्थन करते हैं । उनका कथन है कि—“सादृश्य एक ऐसा पदार्थ है जिसका सम्बन्धी नियत निश्चित-होता है, अतः प्रकृत में सम्बन्धी की आकाङ्क्षा होने पर नियमतः उपस्थित स्मर्यमाण ( स्मरण क्रिये जाने वाले सदृशपदार्थों ) का ही अन्वय होगा, न कि असदृशपदार्थों का । अर्थात् 'सादृश्यमूलक स्मरण' ऐसा कहने पर स्मारक और स्मर्यमाण पदार्थों का 'सादृश्य ही अवगत होता है । ठीक भी है 'जनकत्व-मूला पूजित होती है' ऐसा कहने पर कहने वाले की जननी की ही पूजा समझी जाती है, पुत्र-जनक होने के कारण पत्नी की पूजा नहीं । ऐसी स्थिति में 'सादृश्यमूलक स्मृति' इस कथन से सदृश के स्मरण का ही समग्र होगा, सदृश के सम्बन्धी के स्मरण का नहीं, अतः 'अन्य वस्तु के विषय में होने वाली' यह अंश सार्थक ही है, क्योंकि इस अंश से यह स्पष्ट हो जाता है कि सदृश तथा असदृश दोनों के स्मरण यहाँ संग्रहणीय हैं, अन्यथा 'सदृश के विषय में होने वाली' ऐसा ही विशेषण जोड़ा जाता ।” अब उनकी दूसरी बात को लीजिए । उन्होंने कहा है कि—“सौमित्रे ननु सेव्यताम् तरुतलम्—' इस पद्य में स्मरण व्यङ्ग्य है और अलङ्कार्य है—अर्थात् प्रधान है, अतः उस स्मरण में स्मरणालङ्कार

का लक्षण अतिव्याप्त न हो इसलिये लक्षण में 'अव्यङ्ग्य' यह विशेषण जोड़ा गया है ।" पर यह कथन भी उनका उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ 'स्मृति' व्यङ्ग्य होने पर भी अलङ्कार्य—प्रधान—नहीं है, अपितु रामचन्द्रगत वह विप्रलम्भशृङ्गार प्रधान होने के कारण अलङ्कार्य है जिसका आलम्बन विभाव है जानकी, उद्योपन विभाव है निशाममय, अनुभाव है सन्ताप भादि और सचारीभाव है उन्माद । तात्पर्य यह हुआ कि उक्त पद्य से स्मृति और विप्रलम्भशृङ्गाररस दोनों ही व्यङ्ग्य होते हैं, पर उन दोनों में प्रधानता विप्रलम्भ की ही रहती है अतः उसी को अलङ्कार्य मानना युक्तिसंगत है । स्मरण तो व्यङ्ग्य होकर भी गौण है और प्रधान रस को उत्कृष्ट बनाने वाला है, अतः उसको अलङ्काररूप मानना ही समुचित है । फिर इस स्मृति को अलङ्कारश्रेणी से निष्कासित करने के लिये लक्षण में 'अव्यङ्ग्य' विशेषण जोड़ना नितान्त अनुचित है । और आप यह तो कह नहीं सकते कि—'व्यङ्ग्यता' और 'अलङ्कारता' में परस्पर विरोध है—अर्थात् जो वस्तु व्यङ्ग्य हो वह उस अवस्था में अलङ्कार ही नहीं न सके, क्योंकि नित्य-व्यङ्ग्य—अर्थात् जो कभी वाच्य अथवा लक्ष्य होते ही नहीं उन—रस, भाव आदि को भी दूसरे के अङ्ग हो जाने पर अलङ्कार माना जाता है । बात रही प्रधान व्यङ्ग्य के अलङ्कार न होने की, सो वह ठीक ही है और उसके ( प्रधान व्यङ्ग्य के ) वारण करने के लिये सभी अलङ्कारों के लक्षणों में 'उपस्कारक' विशेषण लगाना चाहिए यह बात पहले ही कही जा चुकी है । अभिप्राय यह कि यह सामान्य नियन्त्रण सभी अलङ्कारों के विषय में लागू किया जाना चाहिए कि—कोई भी अलङ्कार तभी अलङ्कार हो सकता है जब वह किसी अपने से भिन्न प्रधान काव्यार्थ को उपस्कृत—अलङ्कृत—करता हो । इस नियन्त्रण से प्रधान काव्यव्यङ्ग्य अर्थ कभी भी अलङ्कार नहीं हो सकता और जो व्यङ्ग्य प्रधान नहीं और अन्य प्रधान को उपस्कृत भी करता हो उसको तो अलङ्कारकोटि में गिना ही जाना चाहिए । यहाँ भी नागेश मूलकार का खण्डन और दीक्षित का समर्थन करते हैं । उनके कथन का अभिप्राय है कि "—सौमित्रे ! ननु—' इस पद्य में 'हाय ! कहाँ है' इन पदों से अभिव्यक्त होने वाली स्मृति ही प्रधान है और वह उसी तरह प्रधान है जिस तरह वराती के रूप में चलनेवाले राजा के भागे-जागे विवाह के लिये जाता हुआ नौकर अथवा जिस तरह 'शठेन विधिना निद्रादरिद्रिद्धत' इत्यादिक में 'शठ' आदि पदों से ध्वनित होनेवाली 'असूया' । और जब स्मृति की प्रधानता सिद्ध है तब उसका अलङ्कार्य होना भी निश्चित रूप से मान्य होना ही चाहिए—अर्थात् वह ( स्मरण ) किसी का उपस्कारक नहीं है स्वयम् उपस्कार्य है, विप्रलम्भशृङ्गाररस ही उसका उपस्कारक होने से अलङ्काररूप है । फलतः दीक्षित का कथन ठीक ही है ।" कुछ लोग यहाँ यह भी कहते हैं कि—'उक्त पद्य जिस प्रकरण का है उस समूचे प्रकरण से विप्रलम्भशृङ्गाररस ही प्रधानरूप में ध्वनित होता है, इस पद्य की रचना भी कवि ने प्रकरणव्यङ्ग्य विप्रलम्भ की परिपुष्टि के लिये ही की है, अतः इस पद्य का भी प्रधान व्यङ्ग्य विप्रलम्भ को ही मानना चाहिये, स्मरण व्यङ्ग्य होकर भी उसका पोषक ही है, अतः वह अलङ्काररूप ही माना जा सकता है ।' तीमरो बात दीक्षितजी ने यह कही कि "—'असूया —' इस पद्य में स्मृतिरूप सञ्चारीभाव कविनिष्ठ राजविषयक रतिभाव का अङ्ग होने के कारण 'प्रेयान्' अलङ्कार है ।" पर यह बात भी उनकी ठीक नहीं । कारण, अत्र जय भाव आदि का अङ्ग होता है तब वह 'प्रेयान्' अलङ्कार कहलाता है । पर प्रकृत पद्य में 'स्मरण' भावरूप है ही नहीं, क्योंकि यहाँ वह 'स्मृत' पद का वाच्यार्थ है और वाच्य सञ्चारीभावरूप कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसा कहने पर भी 'व्यभिचार्यजितो भाव —अर्थात् व्यङ्ग्य व्यभिचारीभाव कहलाता है' इस ( काव्यप्रकाश के ) सिद्धान्त का विरोध होता है । काव्यप्रकाश का ही नहीं, बरिन्तु 'अलङ्कारमवस्वकार' का भी ऐसा ही सिद्धान्त है । वे कहते हैं कि "—'प्रेयान्' अलङ्कार का लक्ष्य तो वह स्मरण होता है

जो सादृश्य से अन्य किसी निमित्त से उद्धोषित हुआ करता है और वह भी वाच्य विभावादिक से अभिव्यक्त होने पर, जैसे 'अहो ! कोपेऽपि कान्तं सुखम्—अर्थात् आश्चर्य है कि उसका मुख क्रोधावस्था में भी कमनीय था' इत्यादिक में। वाच्य होने पर 'स्मरण' भावरूप नहीं होता अतएव 'प्रेयान्' अलंकाररूप भी नहीं होता, जैसे—'अत्रानुगोदम्—अर्थात् यहाँ, गोदावरी नदी के तट पर शिकार खेलकर लौटा हुआ और जलतरंगों की शीतल हवा से श्रमरहित किया गया मैं, जो, एकान्त में तेरी गोदी में सिर रखकर वेतस के मण्डपों में शयन करता था उस शयन का स्मरण कर रहा हूँ—इस स्थल को देखते ही उस शयन का स्मरण हो आया।' इस—विमान द्वारा लंका से लौटते समय पञ्चवटी के किसी स्थल को दिखाते हुए रामचन्द्र की सीता के प्रति उक्ति—में। यदि आप कहें कि—मेरे विचार से 'भाव आदि के अङ्ग बने हुए भाव ही 'प्रेयान्' अलंकार नहीं होते, अपितु भाव आदि के अङ्ग बने हुए सञ्चारीमात्र—अर्थात् उन संचारियों का भावरूप होना आवश्यक नहीं, अतएव प्रकृत में स्मरण यदि वाच्य होने के कारण भावरूप नहीं होता, तो न हो, सञ्चारी तो है ही, वस, इतने से ही पराङ्गतादशा में उसकी प्रेयोऽलंकारता सिद्ध हो जाती है—किसी तरह का विरोध नहीं होता, तो यह भी उचित नहीं क्योंकि आपके कथनानुसार यदि प्रेयोऽलंकार कहलाने के लिये सञ्चारियों का भावरूप (व्यङ्ग्य) होना आवश्यक न माना जाय, तब 'रसवत्' अलंकार कहलाने के लिये स्थायीभावों का व्यङ्ग्य होना भी आवश्यक न मानिये—अर्थात् जिस तरह आप वाच्य सञ्चारी को भी भाव आदि के अग होने पर प्रेयान् मान लेने के लिये उद्यत हैं उसी तरह वाच्य स्थायी को भी अपराङ्गतावस्था में आप रसवत् मानेंगे, और यदि ऐसा मानेंगे, तब 'चराचरोभया—अर्थात् हम, स्थावर-जंगम दोनों रूप वाले संसार के कारणस्वरूप और प्रलय काल में कुपित अतएव सबके संहार करने वाले शिव को प्रणाम करते हैं।' इस पद्य में वाच्यरूप से वर्णित क्रोध (रौद्ररस का स्थायी) भी रसवत् अलंकार हो जायगा, क्योंकि वाच्य हो जाने से भावरूप वह (क्रोध) भले ही न हो पर स्थायी मात्र तो है ही और देवताविषयक कविगत रतिभाव का अग भी है। इष्टापत्ति तो की नहीं जा सकती, क्योंकि यह बात वस्तुतः सिद्धान्तविरुद्ध है। अन्ततः इन सब आपत्तियों से बचने के लिये यह मानना ही पड़ेगा कि—जैसे व्यङ्ग्य स्थायी ही अन्य प्रधान वाक्यार्थ का अग होकर रसवत् अलंकार होता है उसी तरह व्यङ्ग्य सञ्चारी ही भाव आदि का अग होकर प्रेयान् अलंकार कहलाता है। अतः 'अत्युच्चा—' इस पद्य में स्मरण को लेकर प्रेयोऽलंकार नहीं कहा जा सकता, किन्तु पद्य के प्रथमार्ध भाग से अभिव्यक्त होनेवाले कविगत पृथ्वीविषयक रतिभाव—जो पद्य के अन्तिम आधे भाग से अभिव्यक्त होनेवाले कविगत राजविषयक रतिभाव का अङ्ग है—को लेकर ही कहा जा सकता है। मम्मटभट्ट ने भी इस पद्य में प्रेयोऽलंकार सिद्ध करते समय कहा है कि—'यहाँ पृथ्वी के विषय में होने वाला रतिरूप भाव राजा के विषय में होने वाले रति-भाव का अङ्ग है।' मम्मटभट्ट को भी छोट्टिये। स्वयं दीक्षितजी ने भी कुवलयानन्द नामक स्वरचित निबन्ध में कहा है कि—'निर्वेद आदि सचारी जब विभाव और अनुभाव से ध्वनित होते हैं तब वे 'भाव' कहलाते हैं और वे भाव जब दूसरों के अङ्ग हो जाते हैं तब प्रेयान् अलंकार माने जाते हैं।' अब आप हम सोच सकते हैं कि—यह कितने बड़े आश्चर्य की बात है, दीक्षितजी अपने निबन्ध को भी भूल गए—एक निबन्ध में जैसी बात लिखते हैं दूसरे निबन्ध में ठीक उसकी उलटी बात। इस तरह यह सत्य प्रकट है कि दीक्षितजी की बातें यहाँ सुन्दर नहीं हैं—विद्वानों को सन्तुष्ट करने में सर्वथा असमर्थ हैं।

अलंकारसर्वस्वरत्नाकरयोर्मतमनूयावयति—

यदपि 'सदृशानुभवाद्वस्त्वन्तरस्मृतिः स्मरणम्' इत्यलङ्कारसर्वस्व-रत्नाकरयोः

स्मरणालङ्कारलक्षणमुक्तम्, तदपि न । सदृशस्मरणदुद्बुद्धेन सस्कारेण जनिते स्मरणोऽव्याप्ते ।

यथा—

‘सन्त्येवास्मिन्नगति बहव. पक्षिणो रम्यरूपा-

स्तेषा मध्ये मम तु महती वासना चातकेषु ।

यैरध्यक्षैरथ निजसख नीरद स्मारयद्भिः

स्मृत्याहृढ भवति किमपि ब्रह्म कृष्णाभिधानम् ॥’

अत्र च चातकदर्शनद्विकसम्बन्धिज्ञानादुत्पन्नेनापरसम्बन्धिनी जलधरस्य भगवत्सदृशस्य स्मरणेन जनित भगवत्. स्मरण भगवद्विपर्यतिभावाङ्गम् । यदि च ‘सदृशानुभवात्’ इत्यपहाय ‘सदृशज्ञानात्’ इति लक्षणे निवेश्यते तदा भवत्यस्यापि सङ्ग्रह इति दिक् ।

अलङ्कारसर्वस्वकारयोर्ग्रन्थयो । सदृशेति । स्मर्यमाणसदृशेत्यर्थः । सन्त्येवेति । अस्मिन् परिदृश्यमाने, जगति संसारे, रम्यरूपा. सुन्दराकारा, बहव, पक्षिण, ( यद्यपि ) सन्ति, ( तथापि ) तेषा पक्षिणाम्, मध्ये, चातकेषु स्वनामख्यातपक्षिविशेषेषु, मम, वासना सस्कार, धारणेति यावत्, महती गुरुतरा, विद्यते, इति शेषः । निजसखम् स्वमित्रम्, नीरद मेघम्, स्मारयद्भिः, यै चातकैः, अध्यक्षैः प्रत्यक्षभूतैः, सद्भिः हेतुभिः, किमपि साधारणबुद्ध्याऽज्ञायमानम्, कृष्णाभिधानं कृष्णनामख्यातम्, ब्रह्म परमात्मा, स्मृत्याहृड स्मरणगोचरं, भवति जायत इत्यर्थः । उपपादयति—अत्रेति । दर्शनादिति । अस्य ‘ज्ञानात्’ इत्यत्रभेदेनान्वय । चातकदर्शनात्मकैकसम्बन्धिज्ञानादिति यावत् । उत्पन्नेनेति । अस्य ‘स्मरणेन’ इत्यत्रान्वय । ‘सदृशपदार्थानुभवोद्बुद्धसंस्कारजन्यं स्मरण स्मरणालङ्कार’ इत्यर्थकम् सर्वस्वकाररत्नाकरोक्त मूलोद्भूत लक्षणम् न सम्यक्, तस्य ‘सन्त्येवास्मिन्’— इति लक्ष्येऽव्याप्तत्वात् । अयं भाव ‘सन्त्येव’ इत्यत्र प्रथम चातकानुभव, तत ‘एक-सम्बन्धिज्ञानमपरसम्बन्धिन स्मारयति’ इति न्यायेन मेघस्मरणम्, तेन स्मरणेन मेघसदृश-कृष्णविषयकसत्कारोद्बोध, उद्बुद्धेन तेन सस्कारेण कृष्णस्मरणम्, तच्च स्मरण कवि-गतस्य पद्यप्रधानव्यङ्ग्यस्य भगवद्विषयकरतिभावस्योपस्कारकत्वाद्बुद्धमूलमिति समुचितं तत्यालङ्काररूपत्वम् । किन्तु पूर्वोक्तलक्षणेन नास्य सङ्ग्रहः सम्भवति, अस्य स्मरणस्य मेघरूप-सदृशस्मरणप्रयोज्यत्वेन सदृशानुभवप्रयोज्यत्वविरहात् । अतः लक्षणघटकस्य ‘सदृशानु-भवात्’ इत्यस्य स्थाने ‘सदृशज्ञानात्’ इति कथनं युक्तम्, यत सदृशज्ञानपदेन सदृशस्मरण-स्यापि बोधे तस्य लक्ष्यस्य सङ्ग्रह सम्भवेदिति चाराश ।

अथ ‘अलंकार-सर्वत्व’ और ‘अलंकाररत्नाकर’ के लक्षण का अनुवाद करके खण्डन किया जाता है—यद्यपि इत्यादि । ‘सदृशपदार्थ के अनुभव—प्रत्यक्ष ज्ञान—से होनेवाले अन्य वस्तु के स्मरण का नाम स्मरणालङ्कार है ।’ यह जो ‘अलंकारसर्वत्व’ तथा ‘रत्नाकर’ नामक निबन्ध में लिखा गया है, वह भी ठीक नहीं है । कारण, यह लक्षण उस स्मरण में अव्याप्त है—अर्थात् इस लक्षण से उस स्मरण का सङ्ग्रह नहीं होता, जो सदृश पदार्थ के अनुभव से नहीं अपितु सदृश पदार्थ के स्मरण से संस्कारोद्बोध द्वारा उत्पन्न होता है । जैसे—‘सन्त्येवास्मिन्’—अर्थात् इस स्मार में यद्यपि बहुतेरे पक्षी रमणीय रूप वाले हैं, पर मेरी वासना-धारणा-समय अधिक उन चातकपक्षियों के विषय में ही रहती है अपने मित्र-सबन्धी-मेघ का स्मरण करानेवाले ब्रह्म चातकों के नयनगोचर होने से

कृष्णनामक अगोचर ब्रह्म स्मृति-पथ में आरूढ़ हो जाता है।' यहाँ चातकरूप एक संबन्धी के प्रत्यक्षात्मक ज्ञान से 'एक संबन्धी का ज्ञान अपर संबन्धी का स्मरण कराता है' इस न्याय के अनुसार उस मेघ का स्मरण होता है जो कृष्ण भगवान् के सदृश है और उस मेघस्मरण से तत्सदृश भगवान् कृष्ण का वह स्मरण होता है, जो पद्य के प्रधान व्यङ्ग्य कविगत भगवद्विषयक रतिभाव का अङ्ग है—पोषक है। तापर्य यह कि यहाँ कृष्णस्मरण सर्वसम्मति से स्मरणालंकार होने योग्य है, किन्तु उक्त लक्षण के अनुसार इसका सग्रह नहीं हो पाता, क्योंकि यह स्मरण सदृश पदार्थ—मेघ—के अनुभव (प्रत्यक्ष) से उत्पन्न नहीं हुआ है अपितु उसके स्मरण से उत्पन्न हुआ है। यदि लक्षण में 'सदृशानुभवात्—सदृश पदार्थ के प्रत्यक्ष ज्ञान से' इसके स्थान पर 'सदृशज्ञानात्—सदृशपदार्थ के किसी तरह के (प्रत्यक्षात्मक अथवा स्मरणारमक) ज्ञान से' ऐसा निवेदन किया जाय, तब उक्त भगवत्स्मरण का भी सग्रह हो सकता है।

स्मरणालङ्कारध्वनि निरूपयितुमाह—

अथास्य ध्वनिः ।

अथेति । परमतनिरसनानन्तरमित्यर्थ । अस्य स्मरणालङ्कारस्य । ध्वनिरिति । उत्तमोत्तमकाव्यताप्रयोजको वैयञ्जनिकबोध इति भावः ।

स्मरणालङ्कारध्वनि का निरूपण करने की बात कही जाती है—अथ इत्यादि । अब यहाँ स्मरणालंकारध्वनि का आरम्भ समझना चाहिए ।

स्मरणालङ्कारध्वनिमुदाहर्तुमाह—

यथा—

जैसे ।

उदाहरणं निर्दिश्यते—

‘इदं लताभिः स्तबकानताभिर्मनोहरं हन्त वनान्तरालम् ।

सदैव सेव्यं स्तनभारवत्यो न चेद्युवत्यो हृदयं हरेयुः ॥’

कमनीयकाननमध्यगत कश्चित् परामृशति—हन्त अहो ! स्तबकानताभिः पुष्पगुच्छा-वनम्राभिः, लताभिः बह्वरीभिः, मनोहरम् रमणीयम्, इदं प्रत्यक्षदृश्यमानम्, वनान्तरालम् वनमध्यभाग, सदैव नैरन्तर्येण, सेव्यम् आश्रयणीयम्, कदा ? यदि स्तनभारवत्यः कुचभारयुता ( एतेन नम्रीभाव आवेद्यते ), युवत्य तरुण्य, हृदयं मन, न, हरेयुः वशीकुर्युरित्यर्थः ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—हृदम् इत्यादि । सुन्दरतम कानन के मध्य में अवस्थित कोई पुरुष अपने मन में सोच रहा है—आह ! पुष्प गुच्छों से नमी हुई लताओं से ललित यह वन-मध्य सदा ही सेवन करने योग्य है, यदि स्तन-भार से युक्त (अवनत) युवतियाँ हृदय हरण न कर लें ।

उपपादयति—

अत्र स्तबकानताभिर्लताभिः स्तनभारवतीनां युवतीनां स्मरणमलङ्कार्यस्या-न्यस्याभावाद्नुपसर्जनम्, स्तनस्तबकरूपस्य बिम्बप्रतिबिम्बभावमापन्नस्य साधारणधर्मस्य वाच्यत्वेऽपि तत्प्रयोजितसादृश्यमूलकस्य स्वस्य शब्दवाच्यत्व-विरहाद् व्यङ्ग्यं च ।

अत्रेति । ‘इदं लताभिः -’ इति पद्य इत्यर्थः । लताभिरिति । प्रयोज्यत्व तृतीयार्थः । तस्य च स्मरणमित्यत्रान्वयः । अनुपसर्जनमिति । अगौणमित्यर्थः । प्रधानमिति यावत् ।

एवमलङ्कारत्व निरस्य ध्वनित्वमुपपादयितुमाह—स्तनेति । तदिति । साधारणधर्मैत्यर्थः । स्वस्य स्मरणस्य । व्यङ्ग्यं च स्मरणमिति पूर्वत्रान्वयः । 'इदं लताभि—' इति पद्यप्रवक्तु कविकल्पितस्य पुरुषस्य स्तवकानतलताज्ञानात् सत्कारोद्बोधक्रमेण स्तनभारयुतयुवतीजन-स्मरणं जातमिति विप्रतिपत्तिहीन वचः, तच्च स्मरण सादृश्यमूलम्, सादृश्यं च विम्बप्रति-विम्बभावापन्नस्तनस्तवकरूपसाधारणधर्मप्रयोज्यम् अतः सर्वथा स्मरणालङ्कारसम्पत्ति-योग्यमिदं स्मरणम्, परन्तु पद्यस्यास्य काव्यताया प्रयोजकं चमत्कारवत्तया प्रधानोऽर्थः । स्मरणमेवैतत्, एवञ्च 'उपस्कारकत्व'रूपसकलालङ्कारलक्षणप्रविष्टविशेषणेन व्यावर्त्यतेऽ-स्यालङ्कारत्वम्, अतोऽत्र व्यङ्ग्यालङ्कारव्यवहारो न, अलङ्कारत्वमाप्तस्यैव पदार्थस्य व्यङ्ग्यत्वे तथा व्यवहारप्रवृत्तेरिष्टत्वात्, विम्बप्रतिविम्बभावापन्नस्तनस्तवकात्मकवाच्यसाधारणधर्म-प्रयोज्यसादृश्यमूलकोऽयं स्मरणपदार्थो न वाच्यो व्यङ्ग्य एवेत्यत्र यद्यपि न कश्चित् सन्देहः, तथापि नालङ्कारत्वमाप्त इति पूर्वमुक्तम् । एवञ्च स्मरणालङ्कारध्वनिरयमिति फलितम् । अलङ्कारभावानापन्नपदार्थध्वननेऽलङ्कारध्वनिव्यवहार एव कयमिति तु न सशेतव्यम्, अलङ्कार-त्वयोग्यपदार्थध्वनन एवालङ्कारध्वनिव्यवहारस्य प्रागुपपादितत्वात्, अलङ्कारत्वमप्राप्तेऽप्यत्र स्मरणे तद्योग्यत्वं विद्यत एवेति भावः ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि । 'इदं लताभि—' इस पद्य में पुष्प-गुच्छों से नमी हुई लताओं द्वारा स्तन भार से युक्त युवतियों का स्मरण हुआ है और वह स्मरण ही इस वाक्य का प्रधान अर्थ है—इस वाक्य को काव्य कोटि में लाने वाला चमत्कारी अर्थ है, इस वाक्य का प्रतिपाद्य कोई ऐसा दूसरा अर्थ नहीं है जो सर्वाधिक चमत्कारी होने के कारण प्रधान हो, फलतः यह स्मरण किसी दूसरे का उपस्कारक नहीं है, साथ-साथ यह स्मरण व्यङ्ग्य भी है, क्योंकि 'स्तनों' और 'पुष्प-गुच्छों'रूप विम्बप्रति-विम्बभावापन्न साधारणधर्म के वाच्य होने पर भी उसके द्वारा सिद्ध सादृश्य-मूलक स्मरण किसी शब्द से वाच्य नहीं है । अतः इस पद्य को स्मरणालङ्कार-ध्वनि का उदाहरण माना जाता है । स्पष्ट अभिप्राय यह हुआ कि—यद्यपि पण्डितराज व्यङ्ग्य अलङ्कार भी मानते हैं तथापि यहाँ व्यङ्ग्य स्मरणालङ्कार नहीं माना जा सकता, क्योंकि यहाँ किसी अन्य अलङ्कार्य—प्रधान—अर्थ के न रहने से यह स्मरण उपस्कारक नहीं है और व्यङ्ग्य अलङ्कार का व्यवहार वहाँ होता है जहाँ कोई परोपस्कारक पदार्थ व्यङ्ग्य होता है । आप पूछ सकते हैं कि—जब ऐसी स्थिति है तब स्मरणालङ्कारध्वनि का ही व्यवहार यहाँ कैसे होगा ? तो इसका उत्तर यह होगा कि—अलङ्काररूप नहीं अपितु अलङ्कार होने योग्य पदार्थ के ध्वनित होने पर ही अलङ्कारध्वनि का व्यवहार होता है यह बात पहले युक्ति-पूर्वक प्रतिपादित हो चुकी है और यहाँ का स्मरण उपस्कारक न होने के कारण अलङ्काररूप भले ही न हो, पर सादृश्यमूलक होने से अलङ्कार होने की सामान्य योग्यता तो रखता ही है ।

पद्यघटकस्य 'दुबल्य' इति पदस्यानाधुता मननि कृत्वा नमाधत्ते—

युवत्य इति च 'सर्वतोऽकिन्नर्यात्' इति ङीपि साधुः ।

यद्यपि हस्वेकारान्तयुवतिपदनेव प्रचुरप्रयोगतया प्रसिद्धं तस्य च प्रथमावद्वचने 'दुबल्य' इति रूपनेव समुचितम्, तथापि 'नर्वतो—' इत्यनेन ङीपि दार्ढ्यकार-विशिष्टस्य 'दुवती'पदस्य प्रथमावद्वचने 'दुबल्य' इत्यपि नाध्वेवेति भावः । अत्र "यौने शत्रन्तात् ङीपि साधुत्व भवति । 'सर्वत —' इत्येतत्पदन्तानुधावन व्यर्थम् दुष्ट चेति" नागेशः ।

‘युवत्यः’ इस पद की साधुता दिखलाई जाती है—युवत्य इत्यादि । ह्रस्व हकारान्त ‘युवति’ शब्द—जो अधिक प्रसिद्ध है—का रूप प्रथमावहुवचन में यद्यपि—‘युवतयः’ ही होता है, तथापि ‘सर्वतः—’ इस वार्तिक से ङीप् प्रत्यय कर देने पर वह दीर्घ ईकारान्त ‘युवती’ शब्द भी निष्पन्न होता है, जिसका ‘युवत्यः’ ऐसा रूप हो सकता है । शतृप्रत्ययान्त यु धातु से ङीप् प्रत्यय करके भी दीर्घ ईकारान्त युवती शब्द बन सकता है यह भी समझना चाहिए ।

उदाहरणान्तर दर्शयितुमाह—

यथा वा—

अथवा, जैसे—

उदाहरण निर्दिश्यते—

‘इदमप्रतिमं पश्य सरः सरसिजैर्वृतम् ।

सखे मा जल्प नारीणां नयनानि दहन्ति माम् ॥’

द्वयोर्मित्रयोरुक्तिप्रत्युक्ती । एकः कथयति—सरसिजै कमलै, वृतं परिपूर्णम्, अत एव अप्रतिम अनुपमम्, इदं प्रत्यक्षभूतम्, सरः सरोवरम्, पश्य अवलोक्य । अपर आह—सखे मित्र ! मा जल्प ईदृशीं वार्ता न कथय, कुत ? यत नारीणां कामिनीनाम्, नयनानि नेत्राणि, मा दहन्ति दग्धं कुर्वन्ति इत्यर्थः ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—इदमित्यादि । यह दो मित्रों की उक्ति-प्रत्युक्ति है । एक मित्र कहता है—कमलों से परिपूर्ण इस अनुपम सरोवर को देखो । दूसरा मित्र उत्तर देता है—मित्र ! ऐसी बात न करो, मुझे नायिकाओं के नेत्र दग्ध किए डालते हैं ।

उपपादयति—

अत्रापि सरसिजज्ञानाधीनतत्सदृशस्मृतिः प्राधान्येन ध्वन्यते ।

‘इदमप्रतिमम्—’ इत्यत्र कमलानां शाब्दबोधोत्पत्तेन ज्ञानेन संस्कारोद्बोधद्वारा जन्यमानं कमलसदृशनारीनयनस्मरण प्रधानतयाऽभिव्यज्यत इति स्मरणालङ्कारध्वने-रुदाहरणमेतदपि पद्य सम्पद्यत इति भावः ।

उपपादन किया जाता है—अत्रापि इत्यादि । ‘इदम्—’ इस पद्य में भी कमलों के ज्ञान ( शाब्दबोधोत्पत्ते ) से होने वाला कमल-सदृश नारी-नयनों का स्मरण प्रधानरूप से ध्वनित होता है, अतः यह पद्य भी स्मरणालङ्कारध्वनि का उदाहरण समझा जा सकता है ।

अथास्यालङ्कारस्य दोषान् निरूपयति—

अथास्मिन् स्मरणालङ्कारे उपमादोषाः प्रायशः सर्वे एव दोषाः । विशेषतश्च नियमेनास्मिन् व्यव्यमानसादृश्यके सादृश्यस्य शब्दवाच्यतायां दोषः ।

यथा—

‘उपकारमस्य साधोर्नैवाह विस्मरामि जलदस्य ।

दृष्टेन येन सहसा निवेद्यते नवघनश्यामः ॥’

अत्र स्मृत्यैव घनसादृश्यं भगवतः प्रतीयमानं वाच्यवृत्त्या कदर्थितं निवेद्यते । देवकीतनय इति तु साधु ।

ये उपमादोषा प्रागुपपादिता ते सर्वे प्रायः स्मरणालङ्कारस्यापि चमत्कारापकर्षकत्वा-दोषा । तदतिरिक्तं सादृश्यस्य शब्दवाच्यत्वमस्य विशिष्टो दोषः । अथ कथमस्य दोषत्व-

मिति चेत्, अत्रालंकारे सादृश्यस्य व्यञ्जनया प्रतीयमानत्वनियमेनानावश्यकस्य शब्दद्वारा तदभिधानस्य पुनरुक्तिरूपत्वेन श्रोतुर्वैमुल्याघायकत्वादिति बोध्यम् । तादृशदोषोदाहरण दर्शयति—उपकार इति । अस्य प्रत्यङ्गभूतस्य, साधो परोपकारपरस्य, जलदस्य वारिदस्य, उपकारम्, अह, नैव, विस्मरामि, येन जलदेन दृष्टेन प्रत्यङ्गभूतेन सता, सहसा हठान्, नवघनश्याम श्रीकृष्ण, निवेद्यते स्मार्यते इत्यर्थ । उपपादयति—अत्रेति । अयं भाव—‘उपकारमस्य’ इत्यत्र ‘निवेद्यते’पदबोध्येन स्मरणेनैव श्रीकृष्णस्य मेघसादृश्य प्रतीयत इति पुनः नवघन इव श्यामः इत्येव विग्रहणीयेन ‘नवघनश्याम’ इति समस्तपदेन तदभिधानं दोष इति । दोषपरिहारप्रकारमाह—देवकी इति । ‘नवघनश्याम’ इत्यस्य स्थाने ‘देवकीतनय’ इति पाठे कृते निर्दुष्टमिदं पद्य स्यादित्यर्थ ।

अव स्मरणालंकार में होनेवाले दोषों का निरूपण किया जाता है—अथ इत्यादि । इस स्मरणालंकार में प्रायः वे सभी दोष होते हैं जो उपमा के दोष माने गए हैं, तदतिरिक्त इस अलंकार का खास दोष यह है कि—सादृश्य का शब्दवाच्य बना देना और सादृश्य की शब्द वाच्यता इसलिए यहाँ दोषरूप हो जाती हैं कि जब इस अलंकार में सादृश्य की प्रतीति नियमतः व्यञ्जना द्वारा होती ही रहती है तब वह एक तरह से पुनरुक्तिरूप हो जाती है । जैसे—‘उपकारमस्य’ अर्थात् मैं इस परोपकारी जलद का उपकार भूलता ही नहीं, जो दृष्टिगोचर होते ही नवघनश्याम ( नवीन मेघ के समान श्यामवर्ण श्रीकृष्ण ) का स्मरण करा देता है । यहाँ ‘निवेद्यते’ पद से अवगत होनेवाले स्मरण से ही भगवान् श्रीकृष्ण का मेघ के साथ सादृश्य प्रतीत होता है फिर जो ‘घनश्याम’ पद—जिमका अर्थ समासमर्यादा से घन के समान श्याम होता है—से उस सादृश्य को वाच्य बनाया गया है वह कदर्यना है—दोष है । हाँ, यदि ‘नवघनश्याम’ शब्द के स्थान पर ‘देवकीतनय’ शब्द रक्खा जाय, तब पद्य निदोष हो सकता है ।

साधारणधर्ममूलक विशेष निरूपयितुमुपक्रमते—

अत्र सादृश्यप्रयोजकस्य साधारणधर्मस्य साक्षादुपादानानुपादानयोरुपमायामिवात्रापि व्यवस्था । तथा हि उपमाया तावत्कचिद्धर्मो नियमेन प्रतीयमानः साक्षान्नोपादेय एव । यथा ‘शङ्खवत्पाण्डुरच्छवि’ इत्यत्र पाण्डुरत्वम् । ‘शङ्खवत्पाण्डुरोऽयम्’ इत्यादौ तु नानाविधेषु धर्मेष्वनेनैव धर्मेण सादृश्यमित्यस्य दुरवगमत्वात्, सर्वत्रोपमानोपमेयसाधारणस्य क्लृप्तशब्दात्मकस्यान्यस्य वा स्वानभिप्रेतस्य साधारणधर्मस्योपमाप्रयोजकत्वसम्भवात्तद्वारणाय पाण्डुरत्वादिधर्मो वाच्यतां नीयते । यथा वा ‘अरविन्दमिव सुन्दरं मुखम्’ इत्यादौ सुन्दरत्वादि । न नीयते च क्वचित्, वक्तुरन्यस्यानुपस्थानात्प्रसिद्धे प्रावल्यात् । यथा ‘अरविन्दमिव मुखम्’ इत्यादौ स एव । अप्रसिद्धश्च धर्मोऽवश्यं साक्षादुपादेय । अन्यथा तस्याप्रतिपत्तौ कवेस्तदुपमानिर्माणप्रयासवैयर्थ्यापत्तेः । यथा ‘नीरवा इव ते भान्ति बलाकारजिता भटा’ इत्यादौ श्लिष्टशब्दात्मकम् । इत्थं च कश्चित्तत्पारणो धर्मः साक्षादनुपादेय एव । कश्चिदुपादेयानुपादेयश्च । कश्चिदुपादेय एवेति सहृदयसन्मतः समयः । एवमेवोपमाजीवातुकेऽस्मिन् स्मरणालंकारेऽपि बोध्यम् ।

अत्रेति । स्मरणालंकारे इत्यर्थः । अस्त्योपादानादावेवान्वयः । दानयोरिति । उत्तोरिति शेषः । अत्रापिति । स्मरणालंकारेऽपीत्यर्थः । स्फुटत्वाय पुनरुक्तिः । प्रतीयमान इति ।



शब्दाभावेऽपि गम्यमान इत्यर्थः । साक्षादिति । उपमानोपमेयविशेषणत्वेनेत्यर्थः । यथेति । उपमेयविशेषणच्छविविशेषणतयोपस्थितपाण्डुरत्वस्यैव प्रत्यासत्त्या तत्र गम्यमानत्वादिति भावः । ननु धर्मान्तरस्योपमाप्रयोजकत्वाभावादेव नैव सादृश्यं दुरवगममत आह—सर्वत्रेति । स्वानभिप्रेतस्य साधारणधर्मस्येति । अत्र साधारणपदमधिकं प्रतिभाति, 'उपमानोपमेयसाधारणस्य' इति प्रागुक्तविशेषणघटकसाधारणपदेनैव तदर्थलाभात् । वाच्यता नीयत इति । वाच्यो विधीयत इति भावः । विशेष वक्तुमस्य द्वितीयमुदाहरणमाह—यथा वेति । न नीयते चेति । वाच्यतामित्यस्यानुषङ्गः । अनुपस्थितौ हेतुमाह—प्रसिद्धेरिति । स एवेति । सुन्दरत्वादित्यर्थः । अन्यथा साक्षादनुपादाने । तस्य साधारणधर्मस्य । अप्रतिपत्तौ अप्रतीतौ । 'नीरदा इव .....' इति । बलाकाराजिता बलाकाराभ्याम् अजिता, ते भटा योद्धार, बलाकाभि वकपङ्क्तिभिः, राजिता शोभिता, नीरदा मेघा, इव, भान्ति प्रतीयन्त इत्यर्थः । उपसहरति—इत्येति । यथोपमायामिति शेषः । समय सिद्धान्तः । एवम् उपमावत् । जीवातुर्जीवनौषधम् । सादृश्यप्रयोजकस्य साधारणधर्मस्य साक्षादुपादानेऽनुपादाने वा सति यथोपमाया व्यवस्था भवति, तथैवात्र स्मरणालङ्कारेऽपि सा भवति । कीदृशी व्यवस्थोपमाग्रामिति चेदित्यम्—यत्र यो धर्मो नियमेन वाचकमन्तरापि प्रतीयमानः तत्र स धर्मसाक्षात्नोपादेयः । यथा—'शङ्खवत्पाण्डुरच्छविः' इत्यत्र पाण्डुरत्वरूपो धर्मो नोपादेयः, 'शङ्खवच्छविः' इत्येतावदुक्तावपि पाण्डुरत्वस्योक्तरीत्या प्रतीते । यत्र च यो धर्मो न वाचकमन्तरेण नियमतः प्रतीयमानस्तत्र पुनः स धर्मसाक्षादुपादेय एव । यथा—'शङ्खवत्पाण्डुरोऽयम्' इत्यत्र पाण्डुरत्वरूपो धर्मो उपादेय एव, उपादानं विना तस्य प्रतीतेरनियमात्, वक्तुरनभिप्रेतस्यापि श्लिष्टशब्दात्मकस्यान्यस्य चोपमाप्रयोजकस्य धर्मस्य सम्भाव्यमानत्वात् । यत्र च यो धर्मः प्रसिद्धेरनुरोधे नियमतः प्रतीयमानः प्रसिद्धेरनुरोधे पुनर्नियमतः प्रतीयमानस्तत्र स धर्मः साक्षादुपादेयोऽपि नापि चोपादेयः । यथा—'अरविन्दमिव सुन्दरं मुखम्' 'अरविन्दवन्मुखम्' इत्यनयो स्थलयो क्रमशः सुन्दरत्वोपादानं तदभावश्च । अप्रसिद्धो धर्मसाक्षादुपादेय एव । यथा—'नीरदा इव' इत्यादौ 'बलाकाराजित्वादिः, अन्यथा तदप्रतीतौ उपमैव न सम्पद्येत, कथञ्चित् तत्सम्पत्तौ वा कवि-विवक्षितार्थाप्रतीतिरेवेति भावः । अन्यत् सुगमम् ।

साधारणधर्ममूलक कुछ विशिष्ट बातों का विचार किया जाता है—अत्र इत्यादि । इस स्मरणालंकार में भी सादृश्य-साधक-साधारणधर्म के साक्षात् ग्रहण करने और न करने की व्यवस्था उपमालंकार की ही तरह होती है । अभिप्राय यह कि जिस तरह, उपमा में, कहीं, नियमत—वाचक के विना भी—प्रतीत होनेवाले धर्म का साक्षात् ग्रहण करना उचित नहीं होता, जैसे—'शख को तरह श्वेत कान्ति वाला', यहाँ श्वेतत्व-रूप धर्म का उपादान उचित नहीं । कारण, साक्षात् ग्रहण न करने पर भी उसकी प्रतीति हो ही जाती है, क्योंकि कान्ति में शख के समान श्वेतत्व धर्म की ही सम्भावना है, अन्य की नहीं । 'शख के समान श्वेत यह' इत्यादिक में तो श्वेतत्व धर्म का साक्षात् ग्रहण करना उचित ही है, क्योंकि यदि 'शख के समान यह' इतना ही कहा जाय, तब ऐसे अनेक धर्मों की सम्भावना की जा सकती है यन्मूलक शख की समता 'यह' पदार्थ में दी जा सके, जैसे वर्तुलत्व आदि, यह बात दूसरी है कि वे धर्म वक्ता के अभिमत हैं अथवा नहीं, ऐसी स्थिति में पाण्डुरत्व धर्ममूलक ही शख की समता—जो वक्ता के अभिमत है—नहीं समझी जा सकती । स्पष्ट अभिप्राय है कि—सब जगह उपमान तथ उपमेय दोनों में रहने वाला 'श्लिष्टशब्दरूप' अथवा अन्य कोई कवि का अनभिमत धर्म

भी उपमा का प्रयोजक हो सकता है, अतः अनभिमत धर्म को प्रकृत उपमा का प्रयोजक न समझ लिया जाय इसलिये कवि के अभिमत धर्म का ग्रहण ऐसे स्थलों पर आवश्यक हो जाता है। अथवा जैसे—‘कमल-सा सुन्दर मुख’ इत्यादि में सुन्दरता आदि धर्म का ग्रहण केवल इसलिये किया जाता है कि इससे भिन्न किसी धर्म को उपमा का प्रयोजक न मान लिया जाय। कहीं ऐसे प्रसिद्ध धर्मों का साक्षात् ग्रहण नहीं भी किया जाता, जैसे—‘कमल-सा मुख’ इत्यादि में ‘सुन्दरता’ आदि का ग्रहण नहीं किया जाता, क्योंकि प्रसिद्धि की प्रवृत्ता से अन्य धर्म की उपस्थिति वक्ता अथवा श्रोता किसी को होती ही नहीं। हाँ, अप्रसिद्ध धर्म का साक्षात् ग्रहण करना अत्यावश्यक होता है, अन्यथा श्रोताओं को उस धर्म का ज्ञान नहीं होने से कवि का उपमासृष्टिप्रयास ही व्यर्थ हो जायगा। जैसे—‘नीरदा इव—अर्थात् वे योद्धा मेघों के समान प्रतीत होते हैं, क्योंकि जैसे मेघ ‘बलाकाराजित (वगुलों की पङ्क्ति से शोभित) हैं’ वैसे ही वे भी ‘बलाकाराजित’ (बल और आकार के कारण अजित—किसी से न जीते गए) हैं।’ इत्यादि में ‘बलाकाराजित’ आदि श्लिष्ट शब्दरूप धर्म। तात्पर्य यह हुआ कि यदि ऐसे धर्मों को स्पष्ट शब्दों में न लिखा जाय तब श्रोतागण समझ ही नहीं पायेंगे कि मेघों और योद्धाओं में क्या समान धर्म है। अतः ऐसे अप्रसिद्ध धर्मों का साक्षात् ग्रहण अत्यावश्यक है। इस तरह यह सिद्ध हुआ कि—उपमा में कुछ साधारणधर्म ऐसे होते हैं जिनका साक्षात् ग्रहण नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसे होते हैं जिनका साक्षात् ग्रहण हो भी सकता है और नहीं भी, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका ग्रहण करना ही चाहिए, यह है सहृदयों का सम्मत सिद्धान्त। यही व्यवस्था स्मरणालङ्कार के विषय में भी समझनी चाहिए। कारण, हम स्मरणालङ्कार में प्राण ढालने वाली उपमा ही है, सारांश यह कि स्मरणालङ्कार में भी साधारणधर्म उक्त तीनों प्रकार का हो सकता है।

उक्तत्रिविधधर्ममूलकस्मरणालङ्कारोदाहरणप्रदर्शनायाह—

तत्रानुगामिनि धर्मे ‘स्मृत्यारूढ भवति किमपि’ इत्यादौ पद्ये निवेदितमेव स्मरणम्। विन्वप्रतिविन्वभावापन्नेऽपि धर्मे ‘भुजभ्रमितपट्टिश—’ इत्यादि पद्ये निरूपितम्। कुलिशपट्टिशयोर्भूधरदन्तावलयोश्च विन्वप्रतिविन्वभावात्।

तत्रेति। प्रागुक्तानुपादेयादिधर्माणां मध्य इत्यर्थः। स्मृत्यारूढमिति। एतदन्तिमचरणकं नन्पूर्णा पद्यमस्मिन्नेव प्रकरणे प्रागुक्तम्। अत्र श्यामत्वत्पोऽनुगामी धर्मोऽनुपात्तः। निवेदितं कथितम्। स्मरणमिति। स्मरणालङ्कार इति भावः, भुजभ्रमित इति। इदमपि पद्यं प्रकरणस्यास्य प्रारम्भे उदाहृतं द्रष्टव्यम्। निरूपितं स्मरणमित्यस्यानुपात्तः। उपपादयति— कुलिशोत्पादिना। विन्वप्रतिविन्वभावादिति। पट्टिशदन्तावल्योर्विन्वत्त्वं कुलिशाभूधरयोश्च प्रतिविन्वत्वमिति बोध्यम्। एवमात्रावन्वक्तव्या साधारणधर्म उक्त इति भावः।

उक्त तीनों प्रकार के साधारणधर्म उपमा की तरह स्मरणालङ्कार में भी अनुगामी आदि रूप से भिन्न-भिन्न प्रकार के हो सकते हैं यह दिखलाने के लिये तादृश उदाहरण दिये जाते हैं—तत्र इत्यादि। उन धर्मों में से अनुगामी साधारणधर्म जहाँ लुप्त है उसे स्मरणालङ्कार का उदाहरण ‘स्मृत्यारूढ—’ हम पद्य के रूप में पहले दिखलाया जा चुका है। यह पद्य सर्वस्वकार आदि के मत का गण्डन करते समय इसी प्रकरण में लिखा गया है। यहाँ श्यामत्वरूप अनुगामी साधारणधर्म का अग्रहण है। उक्त विचार के अनुसार आवश्यक होने के कारण विन्वप्रतिविन्वभावापरु साधारणधर्म जहाँ उक्त है ऐसा स्मरणालङ्कारोदाहरण भी ‘भुज—’ हम पद्य के रूप में कहा जा चुका है। यह

पद्य हृसी प्रकरण के आदि में ग्रन्थकार ने स्वसम्मत उदाहरण देते समय लिखा है। यहाँ 'वज्र' और 'पट्टिश' एवं पर्वत और गज में विम्बप्रतिविम्बभाव है। अर्थात् पट्टिश और गज विम्ब हैं तथा वज्र और पर्वत प्रतिविम्ब। और ऐसा यह साधारणधर्म यहाँ उपात्त है।

एव अनुगामिविम्बप्रतिविम्बभावापत्तेति द्विविधधर्ममूलकस्मरणालङ्कारोदाहरणभूतपद्य युगलं स्मारयित्वोपचरितधर्ममूलकतदुदाहरण दर्शयितुमाह—

उपचरिते यथा—

उपचरिते धर्मे स्मरण यथेत्यनुषङ्गः ।

उक्त द्विविधधर्ममूलक स्मरणालंकार के उदाहरणभूत पूर्वोक्त दो पद्यों का स्मरण कराकर अन्यविधधर्ममूलक स्मरण का उदाहरण दिखलाने के लिये कहा जाता है— उप इत्यादि। जहाँ साधारणधर्म उपचरित ( आरोपित ) रहता है वैसा उदाहरण, जैसे।

उदाहरणं निर्दिश्यते—

‘क्वचिदपि कार्ये मृदुलं कापि च कठिनं विलोक्य हृदयं ते ।

को न स्मरति नराधिप नवनीतं किं च शतकोटिम् ॥’

कवि राजानं स्तौति—हे नराधिप राजन् ! क्वचिदपि कस्मिंश्चिदपि कार्ये कर्तव्ये विषये, मृदुलं कोमलम्, कापि च कुत्रचिच्च कार्ये, कठिन कठोरम्, ते तव, हृदय मनः, विलोक्य ज्ञात्वा, औचित्यात् ज्ञानविशेषार्थकस्यापि लोक्यतेरत्र ज्ञानसामान्यार्थकत्वात्, क मनुष्य, नवनीतम्, किं च तथा शतकोटिं वज्रम् न स्मरति ? सर्वोऽपि स्मरतीत्यर्थः ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—क्वचिदपि इत्यादि। कवि किसी राजा की स्तुति करता है—हे राजन् ! किसी कार्य में कोमल और किसी कार्य में कठोर तेरे हृदय को समझ कर कौन मनुष्य मक्खन तथा वज्र का स्मरण नहीं करता ? अर्थात् सभी करते हैं।

उदाहरणान्तर दर्शयितुमाह—

यथा वा—

अथवा जैसे ।

उदाहरणं निर्दिश्यते—

‘अगाधं परितः पूर्णमालोक्य स महार्णवम् ।

हृदयं रामभद्रस्य सस्मार पवनात्मजः ॥’

स प्रसिद्ध, पवनात्मज हनूमान्, अगाधं अतिगभीरम्, परितः सर्वतः, पूर्णम् अरिक्तम्, महार्णव समुद्रम्, आलोक्य दृष्ट्वा, रामभद्रस्य रामचन्द्रस्य, हृदयं चेतः, सस्मार स्मृतवानित्यर्थः ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—अगाधम् इत्यादि। उस सुप्रसिद्ध हनूमान् ने अतलस्पर्शी तथा चारों तरफ से भरे-पूरे समुद्र को देखकर भगवान् रामचन्द्र के हृदय का स्मरण किया।

उपपादयति—

अत्र मृदुलत्वाद्यो धर्मा हृद्युपचरिताः ।

प्रथमे पद्ये मूर्तधर्मयोर्नृदुलन्वकठोरत्वयोः अमूर्ते हृदये समारोप, एव द्वितीयपद्ये समुद्रधर्मस्यागाधत्वस्य हृदये स इति भावः ।

उपपादनं किंवा जाता है—अत्र इत्यादि । प्रथम उदाहरण में कोमलता तथा कठोरता—जो मूर्त ( दृष्टिगोचर होने योग्य ) पदार्थों के धर्म हैं—का अमूर्त हृदय में आरोप हुआ है । इसी तरह द्वितीय उदाहरण में अगाधता—जो समुद्र का धर्म है—का हृदय में आरोप हुआ है ।

उदाहरणद्वयदाननिदानभूत विशेषमाह—

इयांस्तु विशेषः—यदेकत्रानुभूयमाने हृदये स्मर्यमाणनवनीतादेः सादृश्यस्य सिद्धिः, अपरत्र तु स्मर्यमाणे हृदयेऽनुभूयमानसमुद्रस्येति, सादृश्यस्योभयाश्रयत्वात् ।

एकत्र प्रथमपद्ये । अपरत्र द्वितीयपद्ये । समुद्रस्येति । सादृश्यस्य । सिद्धिरित्यस्यानुपङ्गः, उभयाश्रयत्वादिति । उभयनिरूप्यत्वादिति भावः । 'क्वचिदपि—' इत्यत्र राज्ञो हृदयमनुभूयमानं वस्तु तत्र स्मर्यमाणस्य नवनीतशतकोटियुगलस्य सादृश्यं सिद्धयति । 'अगाधम्—' इत्यत्र तु अनुभूयमानस्य, समुद्रात्मकस्य वस्तुन सादृश्यं स्मर्यमाणे हृदये सिद्धयतीति द्वयोरुदाहरणयोर्विशेषः । एतद्द्विशेषप्रदर्शनार्थेवोदाहरणद्वयदानम् । अमङ्गतोऽयं विशेष इति चेन्न, उभयत्रोपमानोपमेययोः सादृश्यं विवक्षितम् । तत्रोभयथापि वर्णयितुं शक्यम्, उपमानप्रतियोगिकोपमेयानुयोगिकतया उपमेयप्रतियोगिकोपमानानुयोगिकतया वा सादृश्यस्योभयनिरूप्यत्वात्, एवञ्च प्रथमपद्ये स्मर्यमाणोपमानप्रतियोगिकानुभूयमानोपमेयानुयोगिकस्य, द्वितीयपद्ये चानुभूयमानोपमानप्रतियोगिकस्मर्यमाणोपमेयानुयोगिकस्य सादृश्यस्य सिद्धौ बाधकविरहादिति भावः ।

दोनों उदाहरणों में परस्पर वेदक्षण्य दिखलाया जाता है—इयांस्तु इत्यादि । प्रथम पद्य में अनुभव किये जाते हृदय में स्मरण किये जाते 'मकखन' आदि के सादृश्य की सिद्धि हुई है और द्वितीय पद्य में स्मरण किये जाने वाले हृदय में अनुभव किये जाने वाले समुद्र के सादृश्य की, क्योंकि सादृश्य अनुभूत होने वाले और स्मृत होने वाले दोनों प्रकार के पदार्थों से सम्बन्ध रखता है । स्पष्ट तात्पर्य यह कि एक जगह उपमेय के अनुभव से उपमान का और दूसरी जगह उपमान के अनुभव से उपमेय का स्मरण हुआ है ।

वर्मान्तरमूलरुमुदाहरण दर्शयितुनाह—

केवलशब्दात्मके यथा—

श्लिष्टशब्दमात्रात्मके धर्मे स्मरण यथेत्यनुपात् ।

जहाँ केवल श्लिष्टशब्दरूप साधारणधर्ममूलक सादृश्य की प्रतीति होती है ऐसे स्मरणालंकार का उदाहरण । जैसे—

उदाहरण निर्दिश्यते—

'ऋतुराज भ्रमरहित यदाहमाकर्णयामि नियमेन ।

आरोहति स्मृतिपथ तदैव भगवान् मुनिर्व्यास ॥'

कवेरुक्ति—घटम्, यदा यस्मिन् क्षणे, भ्रमरहितं नानाविधपुष्पविज्जनहारा मशुप्रापन्त्वान् भ्रमराणां रितम्, ऋतुराजं वनन्तम्, आकर्णयामि शृणोमि, तदैव तस्मिन्नेव क्षणे, भगवान् व्यासो मुनिः, स्मृतिपथम् आरोहति स्मृतिविषयो भवति, यतः सोऽपि भ्रमरहितः भ्रमेण हीनः—प्रमाता न्यर्थः ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—ऋतुराजम् इत्यादि । कवि का कथन है—मैं जब 'भ्रमर-हित'-भ्रमरों के हितकारी—ऋतुराज-वसन्त—को सुनता हूँ, तभी भगवान् व्यास मुनि मेरे स्मृति-पथ में नियमत. आरूढ़ हो जाते हैं, क्योंकि वे भी भ्रमर-हित-भ्रमहीन-( यथार्थज्ञानकर्ता ) हैं ।

उपपादयति—

अत्र भ्रमरहितशब्दो व्यासवसन्तयोः साधारणः ।

'ऋतुराजम्—' इति पद्ये वर्ण्यमानयोर्व्यासवसन्तयोः सादृश्यस्य साधको न कश्चित् अर्थात्मक साधारणो धर्म, अपि तु 'भ्रमरहित' शब्द एव केवलोऽर्थभेदेनोभयत्र विशेषणी-भवन साधारणधर्मतां प्रतिपद्यत इति भावः ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि । 'ऋतुराजम्—' इस पद्य में वर्णनीय व्यास और वसन्त के सादृश्य को सिद्ध करने वाला कोई अर्थात्मक साधारणधर्म नहीं है, अपितु 'भ्रमरहित' शब्द ही अर्थभेद से दोनों ( व्यास और वसन्त ) का विशेषण होने से साधारणधर्मरूप होता है ।

उपसंहरन्नाह—

एवमन्येऽपि प्रभेदाः सुधीभिरुन्नेयाः । इह पुनर्दिङ्मात्रमुपदर्शितम् ।

उपमावत् स्मरणालङ्कारस्यापि निरूपितेतरा कियन्तो भेदा समवन्ति, ते विज्ञै स्वयमनुसन्धेया । स्वयमनुसन्धाने सहायकतया केवल दिग्दर्शनमत्र कारित ग्रन्थ-कृतेति भावः ।

उपसंहार किया जाता है—एवमिति । उपमा की तरह स्मरणालंकार के भी साधारण-धर्मवैचित्र्यमूलक और अनेक भेद हो सकते हैं जिनका ऊह स्वयं सुधी जनों को कर लेना चाहिए । ग्रन्थकार ने तो यहाँ केवल दिग्दर्शन कराया है ।

इति रसगङ्गाधरचन्द्रिकायां स्मरणालङ्कारनिरूपण समाप्तम् ।

स्मरणालङ्कारनिरूपणानन्तरमिदानीं रूपकालङ्कारनिरूपण प्रतिजानीते—

अथाभेदप्रधानेषु रूपकं तावन्निरूप्यते ।

अथेति । स्मरणालङ्कारनिरूपणानन्तरमित्यर्थः । अभेदप्रधानेष्विति । अलंकारेष्विति शेषः । तावत् आदौ । एव च पूर्वं भेदाभेदोभयप्रधाना अलङ्कारा निरूपिता, सम्प्रति बह्वलङ्कारव्यापित्वेन प्रसिद्धतया प्राधान्येन च रूपकनिरूपणमिति भावः ।

स्मरणालंकारनिरूपण के बाद अब रूपकालंकार का निरूपण करने की प्रतिज्ञा करते हैं—अथेत्यादि । जिनमें भेद तथा अभेद दोनों की प्रधानता समानरूप से रहती है उन अलंकारों का निरूपण पहले किया जा चुका है, अब, जिनमें अभेद की ही प्रधानता होती है उन अलंकारों में भी सर्वप्रधान तथा बहुतेरे अभेद-प्रधान अलंकारों के मूलभूत रूपकालंकार का निरूपण सबसे पहले किया जाता है ।

लक्षण तावन्निर्णयते—

उपमेयतावच्छेदकपुरस्कारेणोपमेये शब्दान्निश्चीयमानमुपमानज्ञा-  
दात्म्यं रूपकम् । तदेवोपस्कारकत्वविशिष्टमलङ्कारः ।

उपमेयतावच्छेदकेति । उपमेयतावच्छेदकं मुखत्वादिक पुरस्कृत्य न तु तत्तिरोधाये-  
त्यर्थः । उपमेयतावच्छेदकप्रकारकबोधविशेष्ये उपमेये इति यावत् । अत्र 'उपमेयतावच्छे-

द्वकमात्रप्रकारकप्रतीतिजनकशब्दबोधे विषये इत्यर्थः । तेनातिशयोक्तौ चन्द्रादिपदान्मुख-  
त्वादिना मुखोपस्थितिरिति मतेऽपि नातिव्याप्तिरिति बोध्यमिति' नागेश । शब्दान्निश्चीय-  
मानमिति । शब्दात्मकप्रमाणजन्यनिश्चयगोचरम्, न तु प्रत्यक्षादिप्रमाणान्तरजन्यनिश्चय-  
विषयीभूतमित्यर्थः । उपमानतादात्म्यमिति । उपमानाभेद इत्यर्थः । रूपकम् रूपक-  
पदार्थः । तदेव रूपकपदार्थ एव । उपस्कारकन्वेति । प्रधानोत्कर्षकन्वेति भावः । विशिष्टेति ।  
युक्तेत्यर्थः ।

सर्वप्रथम लक्षण किया जाता है—उपमेयता इत्यादि । उपमेयतावच्छेदक ( उपमेय  
में रहने वाले असाधारण धर्म—मुखत्व आदि ) को आगे रखकर—अर्थात् उस धर्म के साथ  
समझे जाते हुए, उपमेय ( मुख आदि ) में शब्द-प्रमाण ( न कि प्रत्यक्ष-चक्षु आदि-  
प्रमाण ) के द्वारा निश्चित की जाने वाली उपमान ( चन्द्र आदि ) की एकरूपता (अभेद)  
को 'रूपक' कहते हैं। यह तो हुआ लोकप्रसिद्ध रूपक पदार्थ का लक्षण, इसीमें यदि  
'उपस्कारक अर्थात् प्रधानवाक्यार्थोत्कर्षक' यह विशेषण भी जोड़ दिया जाय, तब यह  
साहित्यशास्त्रप्रसिद्ध रूपकालंकार का लक्षण समझा जायगा ।

पदकृत्य दर्शयति—

उपमेयतावच्छेदकपुरस्कारेणेति विशेषणादपह्नुति भ्रान्तिमदतिशयोक्तिनिदर्श-  
नानां निरासः । अपह्नुती स्वेच्छया निषिध्यमानत्वात्, भ्रान्तिमति च तज्जनक-  
दोषेणैव प्रतिबध्यमानत्वादतिशयोक्तिनिदर्शनयोश्च साध्यवसानलक्षणामूलक-  
त्वादुपमेयतावच्छेदकस्य नास्ति पुरस्कारः । शब्दादिति विशेषणात् 'मुखमिदं  
चन्द्र' इति प्रात्यक्षिकाहार्यनिश्चयगोचरचन्द्रतादात्म्यव्यवच्छेदः । निश्चीय-  
मानमिति विशेषणात्सम्भावनात्मनो 'नूनं मुखं चन्द्र' इत्याद्युत्प्रेक्षाया व्यावृत्तिः ।  
उपमानोपमेयविशेषणाभ्यां सादृश्यलाभात् 'मुखं मनोरमा रामा' इत्यादिशुद्धा-  
रोपविषयतादात्म्यनिरासः । सादृश्यमूलकमेव च तादात्म्य रूपकमामनन्ति ।

उपमेयतावच्छेदकपुरस्कारेणेति प्रथमविशेषणकृत्यमाह—उपमेयतेति । निरासः हेतु-  
माह—अपह्नुतावित्यादिना । तज्जनकेति । भ्रान्तिजनकेत्यर्थः । उपमेयतावच्छेदकन्वेति ।  
अस्य मध्यमणिन्यायेनोभयत्रान्वयः । शब्दादिति द्वितीयविशेषणकृत्यमाह—शब्दादिति ।  
प्रात्यक्षिकेति । प्रात्यक्षिकं चक्षुरादिजन्यं, य आहार्यं वाचकालीनेच्छाजन्यं, निश्चयः  
निश्चयान्मक ज्ञानम् तद्गोचरं तद्विषयीभूतम् यत् चन्द्रतादान्यम् चन्द्राभेदः तस्य व्यवच्छेदो  
व्यावृत्तिरित्यर्थः । तृतीयविशेषणकृत्यमाह—निश्चीयमानम् इति । उपमानोपमेयेति । एत-  
द्रूपविशेषणाभ्यामित्यर्थः । उपमानत्वोपमेयत्वयोः सादृश्यनियतत्वादिति भावः । अपह्नुती—  
'नेदं मुखम् अपि तु चन्द्र' इत्यादौ उपमेयतावच्छेदकस्य नुत्पन्नत्वस्य निषेध एव, भ्रान्ति-  
मति—'पश्यमिति त्रमरा नुत्पन्नमभिधावन्ति' इत्यादौ त्रमज्जनकेन दोषेण तस्य प्रतिबन्ध  
एव अतिशयोक्तौ निदर्शनावाद्य क्रमशः 'चन्द्रोऽयम्' 'अमावा तन्नुत्पन्नं पश्य चन्द्रदर्शन-  
कौतुकी' इत्यादौ नाध्यवसानलक्षणाया नानाज्येन तस्याप्रतीतिरेवेति उपमेयतावच्छे-  
द-स्त्यापुरस्कारेण चतुर्णामिपानलक्षाराराम् 'उपमेयतावच्छेदकपुरस्कारेण' इति विशेषणाद्  
व्यावृत्तिः । 'मुखमिदं न चन्द्र' इति वाचनाने जायते 'मुनेऽस्मिन् चन्द्रत्वप्रारारं  
चाक्षुषं ज्ञानं नै जायताम्' इतीच्छाजन्यम् यत् 'मुखमिदं चन्द्र' इत्याकारक निश्चयान्मकं  
चाक्षुषम् ज्ञानम् तदाहार्यम्, एतदाहार्यनिश्चयविषयीभूतयोश्च नुत्पन्नयोग्येपि यद्यपि तादा-  
त्म्यम् प्रतीयते, तथापि नान्य रूपकत्वम्, तस्याहार्यनिश्चयस्य चाक्षुषत्वेन शब्दत्वाभावात्

लक्षणे 'शब्दादिति' निवेशात् । 'नून मुख चन्द्र.' इति वस्तुत्प्रेक्षायाः सम्भावनारूपाया लक्षणघटकनिश्चीयमानविशेषणाद्वारणम् । 'यत्रयत्रोपमानोपमेयत्व तत्र तत्र सादृश्यम्' इति व्याप्त्या लक्षणे उपमानोपमेयनिवेशात् सादृश्यं लभ्यते, लब्धेन च तेन सादृश्येन 'सुख मनोरमा रामा' इत्यत्रत्यम् शुद्धारोपविषयीभूतम् ( सादृश्यामूलकत्वेन गौणरोपविषयीभूत नेति यावत् ) रामासुखयोस्तादात्म्य निरस्यते । ननु कथं शुद्धारोपविषयस्तादात्म्य निरस्यते । स्वीक्रियता तस्यापि रूपकत्वम् इति चेन्न, सादृश्यमूलकतादात्म्यस्यैव रूपकत्वेनाङ्गीकारात् इति भावः ।

लक्षणघटक विशेषणों के फल दिखलाये जाते हैं—उपमेयता इत्यादि । अपहृति, भ्रान्तिमत्, अतिशयोक्ति और निदर्शना इन चारों अलंकारों में भी यद्यपि उपमान तथा उपमेय का तादात्म्य रहता है, पर उपमेयतावच्छेदक को आगे रखकर उस तादात्म्य का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि अपहृति—'मुख नहीं, चन्द्र है'—में अपनी इच्छा से वक्ता उपमेय (मुख) के साथ साथ उपमेयतावच्छेदक—मुखत्व—का निषेध ही कर देता है, भ्रान्तिमत्—'कमल समझकर भौरे मुख की ओर दौड़ते हैं'—में जिस दोष के कारण भ्रमरों को मुख में कमल की भ्रान्ति होती है उस दोषसे ही उपमेयतावच्छेदक—मुखत्व—प्रतिबद्ध हो जाता है अर्थात् जब मुख को मुख समझा ही नहीं गया तब मुखत्व भासित हो ही नहीं सकता, अतिशयोक्ति—(मुख को देखकर) 'यह चन्द्र है'—में और निदर्शना—'यदि तू अमावस की रात में चन्द्र दर्शनार्थ उरसुक हो तो उसके मुख को देखो' में—साध्य वसाना लक्षणा हुई रहती है, फलतः उपमेय मुख का भी बोध चन्द्रस्वरूप से ही होता है अतः उपमेयतावच्छेदक—मुखत्व—की प्रतीति असंभव ही है, इन्हीं चारों अलंकारों में रूपकालंकार के लक्षण की अतिप्रसक्ति को रोकने के लिए लक्षण में 'उपमेयतावच्छेदक को आगे रखकर' यह विशेषण जोड़ा गया है । 'मुख चन्द्र नहीं है' इस तरह के वाच्य का ज्ञान रहने पर भी 'मुझे मुख में चन्द्र का ज्ञान हो' इस तरह की इच्छा से जो 'यह मुखचन्द्र है' इस तरह का चक्षुरिन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष निश्चय होता है वह आहार्य कहलाता है, इसी आहार्य-निश्चय के विषयीभूत मुखचन्द्र के तादात्म्य (एकरूपता) को रूपकालंकार की श्रेणी से बहिष्कृत करने के लिये लक्षण में 'शब्दात्' यह निश्चय का विशेषण लगाया गया है, इस विशेषण के द्वारा उक्त आहार्य निश्चय का वारण हो जाता है, क्योंकि वह निश्चय शब्द से नहीं अपितु चक्षु से हुआ है । 'मुख मानो चन्द्र है' यह वस्तुत्प्रेक्षा सम्भावनारूप है निश्चयरूप नहीं, इसी का वारण करने के लिये लक्षण में 'निश्चीयमान-निश्चित की जाने वाली' यह विशेषण कहा गया है । उपमानोपमेयभाव सादृश्यव्याप्य पदार्थ है—अर्थात् जहाँ उपमानोपमेयभाव रहता है वहाँ सादृश्य अवश्य रहता है—ऐसी दशा में 'उपमान' और 'उपमेय' ये दोनों पद जो लक्षण में आए हैं उनसे सादृश्य का लाभ होता है अर्थात् सादृश्यमूलक 'एकरूपता'—'तादात्म्य'—को ही रूपक समझा जाता है,—अतः इस विशेषण से 'मनोरम रमणी सुख है' इस निश्चय में आने वाले रमणी और सुख के तादात्म्य का वारण होता है—यह तादात्म्य रूपक नहीं कहलाता, क्योंकि यह तादात्म्य सादृश्यमूलक नहीं है अपितु शुद्ध आरोपमूलक है । यदि कोई कहे कि शुद्ध आरोपमूलक तादात्म्य का वारण क्यों किया जाता है ? उसको भी रूपक क्यों नहीं मान लिया जाता ? तो इसका समाधान यह है कि सादृश्यमूलक एकरूपता (तादात्म्य) को ही सब लोग रूपक मानते हैं अन्यमूलक एकरूपता को नहीं ।

सादृश्यमूलकतादात्म्यस्यैव रूपकत्वे प्रमाणं दर्शयितुं प्राचीनोक्तिमुद्धरति—  
तथा चाहुः—

'तद्रूपकमभेदो य उपमानोपमेययोः ।'

'उपमैव तिरोभूतभेदा रूपकमुच्यते ।' इति ।

आहुरिति । मम्मटभट्टादय इत्यर्थः । अत्रार्थ मम्मटोयम् । अर्थं च दण्डिनः । तथा च भिन्नं लक्षणद्वयमिदम् । उपमानोपनेययोर्योऽभेदः ( भेदाघटितोऽभेदस्तादात्म्यमिति यावत् ) तत् ( उद्देश्यविधेययोरैक्यमापादयत्स्वर्नामपचयिणान्तरलिङ्गभाग् भवतांति नियमेन विधेयरूपकगतनपुसकलिङ्गनिर्देशः ) रूपकम् इति मम्मटोयलक्षणार्थः । तिरोभूतः अविचक्षित इति यावत्, भेदो भेदाशः, यस्यास्तादृशी उपमैव रूपकं कथ्यत इति दण्डिकृतलक्षणार्थः । उपमाया भेदाभेदघटित सादृश्यं भासते, रूपके तु शुद्धाभेदघटितमेव सादृश्यं भासते इति परमार्थः । आभ्या लक्षणाभ्या सादृश्यमूलकस्यैव तादात्म्यस्य रूपकत्वं प्रमाणितं भवतीति भावः ।

सादृश्यमूलक एकरूपता ही रूपक कहलाता है इस बात को प्रमाणित करने के लिये प्राचीनोक्तियों का उद्धरण देते हैं—तथा च इत्यादि । 'उपमान तथा उपमेय का जो अभेद ( तादात्म्य-एकरूपता ) वही रूपक है ।' यह रूपक का लक्षण मम्मटभट्ट ने किया है । और 'भेद अश को तिरोहित कर देने पर—द्विधा देने पर—उपमा ही रूपक कहलाता है ।' यह रूपक का लक्षण दण्डी ने किया है जिसका अभिप्राय यह है कि उपमा में भेद तथा अभेद दोनों से मिश्रित सादृश्य भासित होता है और उनमें से यदि भेद अश को तिरोहित कर दिया जाय—अर्थात् केवल शुद्ध तादात्म्य को ही भासित किया जाय तब वही रूपक हो जाता है । इन दोनों ही लक्षणों से यह बात प्रमाणित हो जाती है कि सादृश्यमूलक तादात्म्य को ही रूपक मानने की परम्परा बालद्वारिकों में बहुत पुरानी है ।

रूपके तादात्म्यस्य भान केन रूपेण भवतीति विवेचयितुमाह—

तत्र यत्र विषयविषयिणोरेकविभक्त्यन्तत्वेन निर्देशस्तत्र ससर्गः, अन्यत्र तु शब्दार्थतया क्वचिद् विशेषणं विशेष्यं चेति विवेचयिष्यते ।

तच्चेति । उक्तरूपतादात्म्यं चेत्यर्थः । ससर्ग इति । अपदार्यत्वादिति भावः । अन्यत्रेति । भिन्नविभक्त्यन्तत्वेन विषयविषयिणोर्निर्देशस्थल इत्यर्थः । विनिगमकाभावादाह—क्वचिदिति । विवेचयिष्यते इति । उदाहरणनिरूपणप्रसङ्ग इति भावः । यत्रारोपस-उपमेयइति यावत्-विषयः, यत्पारोपस-उपमानपदार्थ इति यावत्-विषयी । एवमोपमेयोपमानयोर्यत्र समानविभक्त्यन्तत्वेन निर्देशस्तत्र ( 'सुखं चन्द्रः' इत्यादौ ) तादात्म्यं न कस्यापि पदस्यार्थ इति ससर्गतया भासते, विशेषणत्वेन विशेष्यत्वेन वा पदार्थस्यैव भान भवतीति नियमात् । यत्र पुनस्तयोर्भिन्नविभक्त्यन्तत्वेन निर्देशस्तत्र कुत्रचिन् ( 'सुखं चन्द्रत्वं प्राप्नोति' इत्यादौ ) लक्षणया चन्द्रत्वपदस्यैवार्थान्तादात्म्यम् इति तत् द्वितीयार्थं कर्मणि विशेषणतया भासते, कुत्रचिच्च ( 'सुखे चन्द्रत्वम्' इत्यादौ ) चन्द्रत्वपदस्य लक्ष्योऽर्थश्चन्द्रतादान्म्यं विशेष्यतया भासते इति भावः ।

उक्त 'रूपक-तादात्म्य' का भान किस रूप से होता है इस बात का विवेचन करने के लिये कहा जाता है—तच्च इत्यादि । अभिप्राय है कि-ज्ञानों में हरक ( अभेद अथवा तादात्म्य ) का भान तीन प्रकार से होता है—कहीं सन्दन्धरूप से, कहीं विनोपगतरूप से और कहीं विशेष्यरूप से । जहाँ विषय और विषयी ( जिनमें आरोप किया जाता है वह उपमेय मुग्धादि विषय कहलाता है और जिसका आरोप किया जाता है वह उपमान-चन्द्र इत्यादि विषयी कहलाता है, इन विषय-विषयी का अर्थ उपमेय-उपमान समझना चाहिये ) का निर्देश एक विभक्ति के माध्यम किया गया हो, वहाँ तादात्म्य का भान सन्दन्धरूप से होता है, क्योंकि वैसे स्थलों पर वह तादात्म्य



किसी पद का अर्थ नहीं होता और विशेषण अथवा विशेष्यरूप से उसी का भान होता है जो किसी पद का अर्थ होता है ऐसा नियम है। फलतः यह सिद्ध हुआ कि 'मुख चन्द्र है' इत्यादि स्थलों पर मुख-चन्द्र का तादात्म्य-रूपक-सम्बन्धरूप से भाषित होता है, और जहाँ उपमेय-उपमान का निर्देश भिन्न भिन्न विभक्ति के साथ किया गया हो वहाँ उसके पदार्थरूप हो जाने से दो घाते होती हैं—अर्थात् वैसी स्थिति में कहीं तो तादात्म्य विशेषणरूप से भाषित होता है और कहीं विशेष्यरूप से। फलतः 'मुख चन्द्रभाव को प्राप्त करता है' यहाँ लक्षणा के कारण चन्द्रभाव पद का अर्थ घना हुआ 'तादात्म्य' विशेषण होता है और 'मुख में चन्द्रता है' यहाँ 'चन्द्रता' पद का लक्ष्यार्थ चन्द्रतादात्म्य विशेष्यरूप से भाषित होता है। इस घात का विशद विवेचन ग्रन्थकार इसी प्रकरण में आगे करेंगे।

रत्नाकरमतममूय निरस्यति—

यत्तु 'सादृश्यप्रयुक्तः सम्बन्धान्तरप्रयुक्तो वा यावान्भिन्नयोः सामानाधिकरण्यनिर्देशः स सर्वोऽपि रूपकम्। सारोपलक्षणामूलकत्वस्य तुल्यत्वेन सादृश्यप्रयुक्तस्य तादात्म्यस्येव सम्बन्धान्तरप्रयुक्तस्यापि तादात्म्यस्य सप्रहीतुमौचित्यात्, तस्मात् दुराग्रह एवाय प्राचाम्—उपमानोपमेययोरभेदो रूपकम्, न तु कार्यकारणयोः' इति रत्नाकरेणोक्तम्, तन्न। अपहृत्यादौ भिन्नयोः सामानाधिकरण्यस्य सत्त्वात्तत्रातिव्याप्तेः। किञ्च 'सादृश्यमूलकं स्मरणं स्मरणालङ्कारः, न तु चिन्तादिमूलम्' इति भवतैव पूर्वमुदितम्। तत्र यदि सादृश्यामूलकस्यापि कार्यकारणादिकयोः कल्पितस्य ताद्रूप्यस्य रूपकत्वमभ्युपेयते तदा सादृश्यामूलकस्य चिन्तादिमूलस्य स्मरणस्याप्यलङ्कारत्वमभ्युपेयताम्। न च स्मरणस्य भावत्वमुच्यमानं निर्विषयं स्यादिति वाच्यम्, तस्य व्यज्यमानविषयत्वेनोपपत्तेः।

भिन्नयोरिति। नतूपमानोपमेययोरित्यर्थः। रत्नाकरमतमेतत् रूपके उपमानोपमेययोरप्रवेशेऽपहृतौ सुतरा तदप्रवेशस्येष्टत्वात्। स्वमते तु तत्रापि तत्प्रवेश एवेत्यन्यदेतत्, निर्विषयमिति सर्वस्यैवालङ्कारत्वेन तदन्यत्वाभावादिति भावः। व्यज्यमानेति। व्यज्यमानस्मरणविषयत्वेनेत्यर्थः। 'सारोपलक्षणास्थले रूपक भवतीति वस्तुस्थिति। तथा च सारोपलक्षणा गौणी भवतु शुद्धा वा सर्वत्राविशेषेण रूपकमेधितव्यम्, अतः भिन्नयोः (सादृश्यो कार्यकारणयोर्वा) पदार्थयो सादृश्यमूलक सम्बन्धान्तरमूलको वा-सर्वोऽपि-सामानाधिकरण्यनिर्देश रूपकालकारः, उपमानोपमेययोरेव स तथेति प्राचां दुराग्रहमात्रम्' इति रत्नाकरमतम् न युक्तम्, तन्मतेऽपहृत्यादावपि उपमानोपमेययोरप्रवेशस्यौचित्येन। 'न पक्षेष्टुः स्मरस्तस्य सहस्र पत्रिणां यत्। चन्दन चन्द्रिका गन्धो गन्धवाहश्च दक्षिण।' इत्यादौ तन्मतसिद्धापहृतौ अतिव्याप्ते, भिन्नयो सामानाधिकरण्यस्यात्र सत्त्वात्। अपि च सादृश्यामूलकस्यापि कार्यकारणयोस्तादात्म्यस्य रूपकत्वेऽङ्गीकृते 'सादृश्यमूल स्मरण स्मरणालङ्कार' इति स्वोक्तिर्विरुद्धा स्यात्, रूपकस्येव स्मरणस्यापि सादृश्यामूलकस्य स्मरणालङ्कारत्वेन स्वीकर्तुमौचित्यात्। स्मरणस्य भावत्व स्वीक्रियमाण निर्लक्ष्य भवेत्, मम तु मते न निर्लक्ष्य भवति सादृश्यमूलकस्य स्मरणस्यालकारत्वेऽपि चिन्तादिमूलकस्य तुल्य भावत्वादिति तु न वक्तुं शक्यम्, वाच्यस्य सर्वस्यापि (सादृश्यमूलकस्य चिन्तादिमूलकस्य वा) स्मरणस्यालङ्कारत्वेऽपि व्यङ्ग्यस्मरणस्य भावलक्ष्यतासौस्थ्यादिति भावः।

'रत्नाकर' के मत का अनुवाद करके खण्डन किया जाता है—यत्तु इत्यादि। 'रत्नाकर' ने कहा है कि—'सादृश्य के कारण अथवा अन्य किसी सम्बन्ध के कारण अर्थात् सभी

तरह के भिन्न-भिन्न दो पदार्थों के सामानाधिकरण्यनिर्देश ( एकविभक्तियुक्तरूप में कथन ) को रूपक कहना चाहिए । कारण, सारोपा लक्षणा जय दोनों ( सादृश्यमूलक सामानाधिकरण्यनिर्देश अथवा अन्यसम्बन्धमूलक सामानाधिकरण्यनिर्देश ) स्थानों पर समानरूप से रहती है, तब सादृश्यमूलक एकरूपता के समान अन्य ( कार्यकारणभाव आदि ) सम्बन्धमूलक एकरूपता का भी रूपककोटि में समग्र करना उचित है । अतः प्राचीनों का यह कथन दुराग्रहमात्र है कि उपमान उपमेय का भेद ( एकरूपता ) रूपक है, कार्यकारण का भेद नहीं । परन्तु 'रत्नाकर' का यह कथन उचित नहीं है, क्योंकि एक तो आप के हिसाब से जब रूपक में उपमानोपमेय का निवेश नहीं किया जाना चाहिए तब अपहृति आदि में भी उसका निवेश न करना ही उचित होगा, अतः वहाँ ( अपहृति आदि में ) इस लक्षण की अतिव्याप्ति हो जायगी । कारण यह कि दो भिन्न पदार्थों का सामानाधिकरण्य वहाँ भी रहेगा । दूसरे, आपने ही पहले कहा है कि—'सादृश्यमूलक स्मरण स्मरणालंकार कहलाता है, चिन्तादिमूलक नहीं ।' भव सोचने की बात यह है कि—जब आप सादृश्य से भिन्न कार्यकारण आदि सम्बन्धमूलक तादात्म्य को भी रूपक मानते हैं, तब चिन्तादिमूलक स्मरण की भी स्मरणालंकारता आप को मान्य होनी चाहिए अर्थात् जब सादृश्यामूलक तादात्म्य को आप रूपक मान ही लेते हैं, तब सादृश्यमूलक स्मरण को ही स्मरणालंकार मानने का आग्रह क्यों ? फलतः आप की उक्ति परस्पर विरुद्ध हो जाती है । आप कहेंगे—सादृश्यमूलक स्मरण को ही स्मरणालंकार हम इसलिये मानते हैं—कि चिन्तादिमूलक स्मरण भाव कहलावे, यदि सभी ( सादृश्यमूलक तथा चिन्तादिमूलक दोनों प्रकार के ) स्मरणों को अलंकार ही मान लेंगे तब जो सभी आलंकारिक स्मरण को भाव भी मानते हैं वह बसगत हो जायगा, किन्तु यह युक्ति भी आप की समीचीन नहीं, क्योंकि सभी ( सादृश्यमूलक तथा चिन्तादिमूलक दोनों तरह के ) स्मरणों को वाच्यतादशा में अलंकार मान लेने पर भी व्यङ्ग्यतादशा में स्मरण का भाव कहलाना चरितार्थ है ।

खण्डनार्थं दीक्षितमतमनुवदति—

अप्ययदीक्षितास्तु—

“—विम्बाविशिष्टे निर्दिष्टे विषये यद्यनिहृते ।

उपरञ्जकतामेति विषयी रूपक तदा ॥”

अत्र विम्बाविशिष्ट इति विषयविशेषणात् ।

‘त्वत्पादनखरन्नानां यदलक्तकमार्जनम् ।

इदं श्रीखण्डलेपेन पाण्डुरीकरण विधौ ॥”

इति निदर्शनाया निरासः । तत्र विषयस्य मार्जनस्यालक्तकादिरूपविम्ब-  
विशिष्टत्वात् । निर्दिष्ट इति विशेषणान्निगीर्णविषयायाम् ‘कमलमनन्मसि  
कमले च कुत्रलये तानि कनकलतिकायाम्’ इत्याद्यतिशयोक्तौ नातिव्याप्तिः ।  
अनिहृते निषेधात्पृष्ठ इति विशेषणादपहृतौ नातिव्याप्तिः । उपरञ्जकतामाहार्य-  
ताद्रूप्यनिश्चयगोचरतामेतीत्यनेन सन्देहोत्प्रेक्षसमासोक्तिपरिणामभ्रान्तिमत्स्य-  
विजुयाप्रिनिरानम् । ससन्देहोत्प्रेक्षयोर्निश्चयस्यैवाभावात् । समासोक्तिपरिणाम-  
योर्विषयिताद्रूप्यस्यागोचरत्वान्, समासोक्तौ व्यवहारमात्रसमारोपान् । परि-  
णामे चारोप्यमाणस्यैव विषयताद्रूप्यगोचरत्वान् । भ्रान्तिमति च सतः कल्पि-  
तस्य वा प्रवृत्त्यादिपर्यन्तिकत्वारसिकभ्रमस्यैव निबन्धनेन तस्यानाहार्यत्वान् ।”  
इत्याह ।

दीक्षितास्तु इति । अस्य दूरस्थेन 'आहुः' इत्यनेनान्वयः । विम्वाविशिष्टे इति । चित्रमीमांसास्यम् । अप्पयदीक्षितकृतम् रूपकलक्षणमिदम् । विम्वाविशिष्टे विम्बप्रतिविम्ब-  
भावापन्नविशेषणरहिते, अनिहुते अतिरोहिते, निषेधास्पृष्टे इति यावत्, निर्दिष्टे शब्दिते  
शब्देनाभिहिते इति यावत्, विषये उपमेये, विषयी उपमानम्, यदि, उपरञ्जकताम्  
आहार्यताद्रूप्यनिश्चयगोचरताम्, एति प्राप्नोति, तदा रूपकम् इत्यर्थः । प्रथमविशेषण-  
फलमाह—अत्रेति त्वत्पादेति । त्वत्पादनखरत्नानाम् त्वन्चरणगतनखरूपाणा रत्नानाम्  
( अत्र रूपकालङ्कारः ) यत् अलक्तकमार्जनम् अलक्तककरणकरञ्जनम्, इदम् उक्ताकारं  
मार्जनम्, श्रीखण्डलेपेन मलयजरससंपर्केण, विधो चन्द्रमसः, पाण्डुरीकरणम् धावत्य-  
प्रापणम् इत्यर्थः । अत्र 'त्वत्पादनखानामलक्तकमार्जनम् श्रीखण्डलेपेन विधो पाण्डुरी-  
करणवत्' इति वाक्यार्थप्रतीतेर्वाक्यार्थनिदर्शनेति भावः । उपपादयति—तत्रेति । इदमत्र  
विशदीकरणम्—यथा चन्द्र स्वतः शुभ्रत्वादानासञ्जनीयधावत्यस्तथा नखा स्वतोऽऽ-  
णत्वादानासञ्जनीयारूप्या इति सादृश्येन नखाना चन्द्रस्य च विम्बप्रतिविम्बभाव अलक्तक-  
चन्दनयोरन्यत्र स्ववर्णासञ्जकत्वेन विम्बप्रतिविम्बभाव । तथा च विम्बभावापन्नखालक्त-  
कविशिष्ट एव मार्जनरूप उपमेये तत्प्रतिविम्बभूतचन्द्रचन्दनविशिष्ट पाण्डुरीकरणरूपमुप-  
मानमुपरञ्जकमिति भवत्यस्या निदर्शनाया विम्वाविशिष्ट इति विषयविशेषणाच्चिरास ।  
द्वितीयविशेषणफलमाह—निर्दिष्ट इति । कमलामिति । अनम्भसि जलभिन्नप्रदेशे नायिकाया-  
मिति भावः, कमलम् कमलत्वेनाध्यवसितम् मुखम् च पुन, कमले मुखे इति परमार्थः,  
कुवलये नीलकमलयुगलम्, नयनद्वयीति साराशः, तानि कमलकुवलयानि, कनकलतिकायाम्  
कनकलतात्वेनाध्यवसिताया गौरवर्णतनुकायनायिकायामित्यर्थः । सर्वत्र यथायोग्य क्रिया-  
पदमस्त्यादिकमध्याहार्यम् । अत्र विषयिभिः उपमानैः ( कमलकुवलयकनकलतारूपैः )  
विषयाणाम् उपमेयानाम् ( मुखनयननायिकाकाययष्टीनाम् ) निगणनात् अतिशयोक्तिः,  
तस्याश्च प्रकृतलक्षणघटकेन 'निर्दिष्टे' इति विषयविशेषणेन व्यावृत्तिः, विषयस्यानिर्दिष्ट-  
त्वादिति भावः । तृतीयविशेषणफलमाह—अनिहुते इति । निषेधास्पृष्ट इति तद्व्याख्या  
'नेद मुख चन्द्र' इत्यादावपहुतौ निषेधस्पृष्टमेवोपमेयमिति तच्चिरासस्तद्विशेषणा-  
दिति भावः । उपरञ्जकतामित्यस्य व्याख्यापुरस्सर फलमाह—उपरञ्जकेति । उपमेये  
उपमानतादात्म्य यथाहार्यनिश्चयविषयीभूत स्यादिति समुदितार्थः । निरासे हेतुमाह—  
ससन्देह इत्यादिना । अगोचरत्वे क्रमेण हेतु आह—समासोक्तावित्यादिना । तस्य  
तादात्म्यनिश्चयस्य । अयमाशय—ससन्देहे सन्देहस्यैव उत्प्रेक्षाया सम्भावनाया  
एव च प्रतीतेर्निश्चयो नास्त्येव प्रतीतिगोचरः । समासोक्तौ व्यवहारमात्रारोपेण  
ताद्रूप्यस्याप्रतीतिरेव । परिणामे उपमेयताद्रूप्यमेवोपमाने प्रतीयते नोपमानताद्रूप्यमुपमेये ।  
आन्तिममिति च आदितोऽन्तपर्यन्तम् भ्रमात्मकनिश्चयोऽबाधित एव तिष्ठति अत एव  
प्रवृत्त्यादिरुपपद्यते, एवञ्च स निश्चयोऽनाहार्य एवाबाधितत्वात् । तथा चैषु सर्वेष्वलङ्कारेषु  
आहार्यनिश्चयगोचरमुपमेये उपमानतादात्म्य नास्तीति तदर्थकेन 'उपरञ्जकतामेति' इति  
विशेषणेन तेषामलङ्काराणा निरास कृतो भवतीति ।

खण्डन करने के लिये पहले अप्पय दीक्षित के मत का अनुवाद किया जाता है—  
अप्पयदीक्षितास्तु इत्यादि । अप्पय दीक्षित कहते हैं कि—“—‘विम्ब अर्थात् ऐसे विशेषण-  
जिनके प्रतिविम्बरूप विशेषण आगे कहे गये हों—से रहित, अनपहुत अर्थात् न छिपाए  
गए—अनिपिद्ध, और निर्दिष्ट ( अर्थात् विषयबोधक पद से भिन्न पद द्वारा बोधित )

विषय (उपमेय) में विषयी (उपमान) यदि उपरञ्जिता को प्राप्त करे अर्थात् अपना आहार्य (ताद्रूप्य) निश्चय करावे, तब उस आहार्य को 'रूपक' कहते हैं। यहाँ चिन्त्र ने रहित यह जो उपमेय का विशेषण दिया गया है उसमें 'खरपाद—अर्थात् खररूप आपके चरणनखों का जो महावर से साफ करना (रँगना) है यह चन्द्रन के रूप से चन्द्र का स्वच्छ बनाना है।' इस निदर्शना में रूपकलक्षण की अतिव्याप्ति का वारण होता है क्योंकि यहाँ 'साफ करना' रूप उपमेय 'महावर' वादि चिन्त्र से युक्त है। स्पष्ट अभिप्राय यह है कि—'जैसे चन्द्र स्वतः धवल होने के कारण किसी अन्य वस्तु से धवल बनाने योग्य नहीं होता वैसे आपके चरणनख भी स्वतः अरुग होने के कारण किसी दूसरे से अरुग बनाने योग्य नहीं है।' इस तरह के सादृश्य के कारण नख और चन्द्र में चिन्त्रप्रतिचिन्त्रभाव है—अर्थात् नख चिन्त्ररूप हैं और चन्द्र प्रतिचिन्त्ररूप। इसी तरह 'जैसे महावर दूसरे में अपने वर्ण (लाली) को पहुँचाने वाला है वैसे चन्द्रन भी दूसरे में अपने वर्ण (उजलापन) को पहुँचाने वाला है।' इस तरह के सादृश्य के कारण महावर और चन्द्रन में भी चिन्त्रप्रतिचिन्त्रभाव है—अर्थात् महावर चिन्त्र और चन्द्रन प्रतिचिन्त्ररूप है। अतः यहाँ का उपमेय (साफ करना) नख तथा महावररूप चिन्त्रभूत विशेषणों से युक्त है अतएव इसका 'चिन्त्ररहित' विशेषण से वारण हो जाता है। 'भिन शब्द के द्वारा बोधित' विशेषण से जिसमें उपमान के द्वारा ही उपमेय का ग्रहण होता है, पृथक् नहीं, उस 'कमलनग्ममि ...' अर्थात् जलभिन्न देश में कमल (वस्तुन मुख) है, कमल में दो नीलकमल (वस्तुतः दो नयन) हैं और वे सब (एक कमल और दो नीलकमल) एक सुवर्गलता (वस्तुतः गौरवर्गा पतली छरहरी सुन्दरी) में हैं।' इत्यादि अतिशयोक्ति में अतिव्याप्ति नहीं होती। तात्पर्य यह कि इस अतिशयोक्ति में कमल, नीलकमल और सुवर्गलता-रूप उपमानों से कमला मुख, नयनयुगल और सुन्दरीरूप उपमेयों का निगारण हो गया है—उनमें पृथक् इनका निर्देश नहीं है अतः उक्त विशेषण से इसकी व्याप्ति सिद्ध होती है। 'नहीं छिपाए गये' का अर्थ है जिसमें निषेध का स्पर्श नहीं हो, इस विशेषण में 'अपहृति' में अतिव्याप्ति नहीं होती—अर्थात् अपहृति में 'यह मुख नहीं चन्द्र है' इस प्रकार से उपमेय का निषेध किया गया रहता है, अतः इसका वारण उक्त विशेषण से हो जाता है। 'उपरञ्जिता को प्राप्त करे' इसका अभिप्राय है आहार्य (वाधकालिक इच्छाजन्य) स्वकीय ताद्रूप्य निश्चय का विषय होना। इस विशेषण से समन्द्देह, उपप्रेक्षा, मनामोक्ति, परिणाम और भ्रान्तिमान् इन अलंकारों में रूपकलक्षण की अतिव्याप्ति वारित होती है। कारण, समन्द्देह मग्नरूप होता है और उपप्रेक्षा नभावनारूप होती है, अतः इन दोनों में किसी तरह का निश्चय होता ही नहीं, मनामोक्ति में केवल उपमान के व्यवहार का आरोप होता है उपमान का नहीं, परिणाम में उपमेय के ताद्रूप्य का ही निश्चय उपमान में होता है, उपमान के ताद्रूप्य का निश्चय उपमेय में नहीं, और भ्रान्तिमान् में आदि से अन्त तक भ्रमात्मक, पर अनाहार्य—अवाधित—ही निश्चय रहता है, अतएव प्रवृत्ति आदि घन पडते हैं, फलतः इन सभी अलंकारों में उपमान के ताद्रूप्य का उपमेय में आहार्य निश्चय नहीं ही रहा, अतः उक्त विशेषण से इनकी निवृत्ति होती है। फलतः यह लक्षण सर्वथा निवृत्त है।"

प्रागुक्तश्रुतिमतखण्डनप्रमाणे तावत् प्रथमविशेषणव्याख्यानं खण्डनम्—

१) तत्र । 'त्वत्पादनखरवानाम्' इत्यादि निदर्शनाद्यावृत्त्यर्थं चिन्त्राविशिष्टत्वं विषयविशेषणं तावदयुक्तमेव । यद्यत्र 'मुखं चन्द्रः' इत्यादि रूपकान्तरं इयं सत्यपि श्रौतारोपे नेद रूपकम्, अपि तु निदर्शनेत्युच्यते, तदा 'मुखं चन्द्रः' इत्यपि निदर्शनेत्युच्यताम् । निरस्यतां च रूपकत्राधिपत्यरूपीणम् । किं च 'त्वत्पादः'—इत्यत्र किं पदार्थनिदर्शनात्, आहोस्त्विद्व्यकार्यनिदर्शना ? नाद्यः ।

बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नपदार्थघटितविशिष्टार्थयोरेवात्राभेदप्रतीतेः । कुञ्जलया-  
नन्दगतनिदर्शनाप्रकरणे त्वयोक्तमार्गेण धर्म्यन्तरे पदार्थे तदवृत्तिधर्मस्य पदा-  
र्थस्य भेदेनारोपस्याभावाच्च । न द्वितीयः । वाक्यार्थरूपकोच्छ्रित्यापत्तेः ।  
इष्टापत्तौ वैपरोत्यस्य सुवचत्वाच्च । अस्माभिनिदर्शनाप्रकरणे वक्ष्यमाणया  
सरण्या अभेदस्य श्रौतत्वार्थत्वाभ्यामुद्देश्यविधेयभावलिङ्गनानालिङ्गनाभ्यां च  
रूपकनिदर्शनयोर्वैलक्षण्येन सकलव्यवस्थोपपत्तेः । तस्माद्त्र वाक्यार्थरूपकमेव,  
न वाक्यार्थनिदर्शना । तस्याश्चैवमुदाहरण निर्मातव्यम्—

‘त्वत्पादनखरत्नानि यो रञ्जयति यावकैः ।

इन्दुं चन्दनलेपेन पाण्डुरीकुरुते हि सः ॥’

अत्र कर्त्रोरभेदस्य शाब्दत्वेऽपि क्रिययोरभेदस्याशाब्दत्वात्तस्यैव च समप्र-  
भरसहिष्णुत्वान्निदर्शनैव । ननु यदीदमुदाहरणं निदर्शनायां न स्यात्तदा कथं  
मलङ्कारसर्वस्वकृता तत्प्रकरण उदाहृतमिति चेत्, भ्रान्तेनैव प्रतारितोऽसि ।  
नहि प्रामाणिकेन भ्रता कदापि परेणानुक्त किञ्चिदुच्यते । यदपि रूपके बिम्ब-  
प्रतिबिम्बभावो नास्तीत्युक्तं तदपि भ्रान्त्यैव । तथा च सर्वस्वटीकायां विमर्शि-  
न्यामुदाहृतं बिम्बप्रतिबिम्बभावेन रूपकम्—

‘कन्दर्पद्विपकर्णकम्बुमलिनैर्दानाम्बुभिर्लाञ्छितं

संलभाञ्जनपुञ्जकालिमकल गण्डोपधानं रतेः ।

व्योमानोकहपुष्पगुच्छमलिभिः सञ्छाद्यमानोदरं

पश्यैतच्छशिनः सुधासहचरं बिम्बं कलङ्काङ्कितम् ॥’

अत्र कलङ्कस्य दानाम्बवादिभिः प्रतिबिम्बनम्, लाञ्छितत्वाङ्कितत्वयोः  
शुद्धसामान्यरूपत्वमित्युक्तं चेत्यास्ताम् तावत् ।

तत्रेति । प्रागुक्त दीक्षितमतं युक्त नेत्यर्थः । अयुक्तत्वहेतुगर्भम् तन्मतानुवादपूर्वकं  
स्वाभिप्राय प्रकटयति—त्वत्पाद इत्यादिना । रूपकान्तरे अन्यस्मिन् रूपके । रूपकमध्ये  
इति भद्रमहोदयकृता टिप्पणिस्तु शोच्यैव । रूपकदाक्षिण्यकौपीनमिति । एतच्च ‘रूपकमुख-  
सकोचरूपकौपीनम् इत्यर्थः । निर्लज्जत्वादिति भावः ।’ इत्येव वाचष्टे नागेश । ‘रूपकमुख-  
सङ्कोचेत्यादि नागेशाक्षरस्वारस्यं तु नागेश एव विजानीयात्’ इतीत्यं नागेशव्याख्या निरा-  
चक्षणो भद्रमहोदयः ‘रूपकालङ्कारेऽपि परिज्ञानदाक्षिण्यमस्ति इति विद्वत्सु स्वस्य निर्लज्ज-  
तानिवारकमवगुण्ठन सम्प्रति निरस्यताम्, एवंविधस्थले रूपकमनङ्गीकृत्य प्रसह्य निर्लज्जता-  
प्रकटनादित्याशयः’ इत्येव विवृणोति । ‘रूपकमर्यादारक्षणार्थं धृत कौपीनमधोवस्त्रविशेषम्  
( लगोटीति प्रसिद्धम् ) त्यज्यताम्’ इति हिन्दीरसगङ्गाधरकारचतुर्वेदमहोदयोऽनुवदति ।  
शुभं पुरुषलिङ्ग, कौपीनम् तदावरकत्वाद्दस्त्रखण्डमपि कौपीनम् । तथा च रूपके यदाक्षि-  
ण्यम् = रूपकालङ्कारविषयकनैपुण्यं तदात्मकं यत् कौपीनम् = रूपकविषयकाज्ञानावरकम्  
तत् निरस्यताम् त्यज्यताम्, ‘त्वत्पाद—’ इत्यत्र रूपकमश्रुवतस्तव रूपकविषयकाज्ञान-  
प्रकटने जाते तदावरकधारणस्य वृथात्वादित्याशय इति त्वहं मन्ये । उपमेये शाब्दो भ्रान-  
नताद्भूप्यारोपे रूपकम् इति वस्तुस्थितिः । तथा च ‘त्वत्पाद—’ इत्यत्र मार्जनरूपे-उपमेये  
पाण्डुरीकरणरूपोपमानताद्भूप्यस्य शब्दत आरोप्यमाणतया रूपकमेवोचितं न निदर्शनेति  
भावः । पुनरन्यथा तत्र निदर्शनात् खण्डयति—किञ्चेति । बिम्बप्रतिबिम्बेति । बिम्बप्रति-  
बिम्बभावापत्ता ये पदार्था नखालक्तकचन्द्रचन्दनरूपा, तद्वदितयो = तद्द्वारा निर्मितयोः

विशिष्टार्थयोः = नखकर्मकालकककरणकमार्जन-श्रीरूपडलेपकरणकविधुकर्मकपाण्डुरीकरणयो-  
 रित्यर्थ । अभेदप्रतीतिरिति । तथा च 'विशिष्टयो ( विम्बप्रतिविम्बभावापन्नविरोपण-  
 विशिष्टयो ) धर्मयोरैक्यारोपो वाक्यार्थनिदर्शना' इति त्वदुक्कलक्षणनान्या वाक्यार्थ-  
 निदर्शनात्वमुचितमिति भावः । त्वदुक्कपदार्थनिदर्शनालक्षणमपि नात्र मद्गच्छत इत्याह  
 कुबलयेति । धर्म्यन्तरे इति । पदस्य न तु वाक्यस्य अर्थभूते अन्यस्मिन् धर्मिणि = उप-  
 माने उपमेये वा पदार्थभूतस्य तदवर्तिनो धर्मस्य = उपमानगतस्य उपमेयगतस्य वा  
 इत्यर्थः । भेदेनेति । भिन्नवाक्यगतत्वेनेत्यर्थः । अभावाच्चेति । 'उपमानोपमेययोरन्यतर-  
 स्मिन् अन्यधर्मारोप पदार्थनिदर्शना' इति त्वदुक्कलक्षणार्थस्य विरहादिति भावः ।  
 वाक्यार्थनिदर्शनात्वमेव तर्हि अस्तु, नेत्याह—न द्वितीय इति । तत्र हेतुमाह—वाक्यार्थ-  
 रूपेति । वाक्यार्थरूपक तर्हि उच्छिन्न स्यादिति भावः । इष्टापत्तिरपि न शक्या कर्तु-  
 मित्याह—इष्टापत्ताविति । वैपरीत्यस्येति । वाक्यार्थनिदर्शनोच्छित्तेरित्यर्थः । सुब-  
 त्वादिति । वाक्यार्थनिदर्शनैवोच्छिन्ना भवत्वित्यस्यापि वक्तुं शक्यत्वादिति भावः । स्वमते  
 तु न कस्याप्युच्छेद इत्याह—अस्माभिरिति । व्यवस्थोपपत्तेरिति । "श्रौत — शाब्द ,  
 अभेद , उद्देश्यविधेयभावान्नालिङ्गन च यत्र भवेत् तत्र रूपकम् । यथा—'मुञ्ज चन्द्र' इत्यादौ  
 मुञ्जचन्द्रयोः शाब्दोऽभेद उद्देश्यविधेयभावश्च स्फुटः । यत्र पुनरार्थः—अर्थबलगम्य -  
 अभेद , उद्देश्यविधेयभावान्नालिङ्गन च तत्र निदर्शना । यथा—'यो यावकैर्नखान रज-  
 यति स चन्दनेनेन्दु पाण्डुरीकुरुते' इत्यादौ रजनपाण्डुरीकरणयोरार्योऽभेदः शब्दस्य  
 भिन्नत्वात् , उद्देश्यविधेयभावाभावश्च ।" इति व्यवस्थासम्पत्तेरिति भावः । पर्यव-  
 सितमाह—तस्मादिति । अत्रेति । 'त्वन्पाद—' इति त्वदुक्ते प्रत्युदाहरण इत्यर्थः ।  
 ननु तर्हि निदर्शनाया किमुदाहरणमत आह—तस्या इति । वाक्यार्थनिदर्शनाया इति  
 तदर्थः । यावकैः अलक्तकसैः । अर्थस्तु प्राग्बदेव, केवलं तात्पर्ये भेद , न चोपपादने स्फुट  
 एव । उपपादयति—अत्रेति । कर्त्रोरिति । 'य' 'स' इति निर्दिष्टयोरित्यर्थः । क्रिययो-  
 रिति रजयतिपाण्डुरीकरोत्योरित्यर्थः । ननु कर्त्रोरभेदमादाय वाक्यार्थरूपकमेवास्तिव्यत  
 आह—तस्यैव चेति । क्रियोरभेदस्यैव चेत्यर्थः । ममप्रति । मुख्यमन्त्राराधायन्त्वादिति  
 भावः । दीक्षितमतपुष्ट्यर्थमाशङ्कते—नन्विति । इह दीक्षितोक्तम् । भ्रान्तेर्नैवेति । अनह्नका  
 सर्वस्वकारोऽपि भवानिव भ्रान्त एवेति भावः । अत्र 'भ्रान्त्यैवेति मुख्यपाठ' इति नागेशः ।  
 'आ तेनेव' इति काशीमुद्रितपुस्तकपाठः । किञ्चिदुच्यते इति । तथा च परकीयक्यानुवादको  
 भवान् स्वयमत एवेति कटुतरोऽन्वयश्च दीक्षिते पण्डितराजस्याक्षेपोऽयमिति भावः ।  
 'विम्बाविशिष्टे' इति विशेषणफलितम् रूपके विम्बप्रतिविम्बभावास्वीकार दीक्षितकृत उग्-  
 यिनुमाह—यदपीति । कन्डपेति । चन्द्रोऽयवर्णनमिदम् । नायको नायिका प्रत्याचष्टे—  
 मलिनैः, दानाम्युभिः मदजलैः, लाञ्छितं विहितम्, कन्दर्पद्विपकर्णकम्बुक्रामदेववाहनाभूत-  
 गजश्रवणाभरणात्मकशङ्खरूपम्, मलयनस्य मसक्तस्य, घञ्जनपुञ्जस्य, कालिम्ना ज्यामलन्वेन,  
 कल रमणीयम् नयनगतकञ्जलमलिनमिति यावत्, रते कामपत्न्या, गण्डोपधान कपोल-  
 तलविन्यसनीयलघूपवर्ह ( गलतक्रिया इति प्रसिद्ध ) तद्रूपम्, तथा, प्रलिभि भ्रमरैः,  
 संच्छायमान आक्रियमाणम्, उदरम् मध्यभागो यस्य तत्, अमराच्छममध्यमिति यावत्,  
 व्योम्न आकाशस्य, ये अनोक्ता वृक्षा, तेषां पुष्पाणाम्, गुच्छ स्तयकम्, अमरभर-  
 मलिनमध्यवियत्तरकुसुमस्तवकस्वदपमिति यावत्, सुधानह्वर सुधानहराम् धवलनममिति  
 यावत्, पुन, कलञ्जादित मध्यभागस्थितकालिनेति यावत्, एतत् प्रत्यङ्भूतम्, शशिन

चन्द्रस्य, बिम्बं मण्डलम्, पश्य अचलोक्य इत्यर्थः । विम्बप्रतिविम्बभावविशिष्टरूपक-  
मुपपादयति—अत्रेति । कन्दर्पेति पद्ये शशिविम्बरूपोपमेये क्रमशः कम्बुगण्डोपधानपुष्प-  
गुच्छरूपोपमानानां ताद्रूप्यस्य शब्दत आरोपाद्रूपकम्, तच्च विम्बप्रतिविम्बभावापन्नविशेष-  
विशिष्टोपमानोपमेयनिरूपितम्, उपमेयधर्मकलङ्कस्योपमानधर्मैः दानाम्बुकज्जलभ्रमरैः सह  
बिम्बप्रतिविम्बभावात् । तथा च 'रूपके विम्बप्रतिविम्बभावो न भवति' इति दीक्षिताशयो  
निरस्त इति भावः । शुद्धसामान्येति । लाञ्छितत्वाङ्कितत्वयोर्विम्बप्रतिविम्बभावो नास्तीति  
भावः । अत्र 'अनयोर्वस्तुप्रतिवस्तुभावापन्नत्वादिदं चिन्त्यम् ।' इति नागेशः । वस्तुतस्तु  
नात्र किमपि चिन्ताबीजम्, भवत्वत्र वस्तुप्रतिवस्तुभावः, विम्बप्रतिविम्बभावो नास्तीत्ये-  
तावन्मात्रे ग्रन्थकर्तुस्तात्पर्यात् । केचित्तु 'शुद्धसामान्यरूपत्वम्' इत्यस्यैव शुद्धवस्तुप्रति-  
वस्तुभावोऽर्थ इत्याहुः ।

उक्त दीक्षित मत का खण्डन करने के प्रसङ्ग में सर्वप्रथम तदभिमत प्रथम विशेषणफल  
का खण्डन करते हैं—तत्र इत्यादि । पूर्वप्रतिपादित दीक्षित का मत ठीक नहीं है । कारण,  
सर्वप्रथम उन्होंने 'त्वत्पाद-' इत्यादि निदर्शना के वारणार्थ उपमेय में 'विम्बरहित' विशेष-  
ण जोड़ने की जो बात कही है वह अयुक्त है, क्योंकि जैसे 'मुख चन्द्र है' इत्यादि अन्य  
रूपकों में शब्दतः अभेदारोप ( उपमान उपमेय का आरोपित ताद्रूप्य ) रहता है वैसे  
यहाँ ( 'त्वत्पाद-' इस पद्य में ) भी है—अर्थात् यहाँ भी 'साफ करना'रूप उपमेय  
और 'पाण्डुरीकरण'रूप उपमान का ताद्रूप्य शब्दतः प्रतीत होता है, अतः यहाँ रूपक  
ही है निदर्शना नहीं । यदि ऐसी स्थिति में भी यहाँ रूपक न मानकर निदर्शना मानी  
जाय तब 'मुख चन्द्र है' यहाँ भी निदर्शना ही मान लीजिए, रूपकामिश्रता का आवरण  
जो ओढ़े हुए हैं उसको हटा दीजिए । तात्पर्य यह कि 'त्वत्पाद-' इस पद्य में 'रूपक'  
न कहकर 'निदर्शना' कह देने के कारण जब आपका रूपकविषयक अज्ञान लोगों के  
समक्ष प्रकट हो ही गया तब व्यर्थ रूपकज्ञता की चादर ओढ़े रहने से क्या लाभ ?  
यदि आपके कथनानुसार 'त्वत्पाद-' इस पद्य में निदर्शना ही है, तो कौन-सी निदर्शना  
है—पदार्थनिदर्शना अथवा वाक्यार्थनिदर्शना ? यदि आप पदार्थनिदर्शना कहें तो  
यह सम्भव नहीं, क्योंकि यहाँ बिम्बप्रतिविम्बभावापन्न पदार्थों से बने दो पूरे वाक्यार्थों  
का ही परस्पर अभेद प्रतीत होता है, अतः 'विशिष्टयोर्धर्मयोरैक्यारोपो वाक्यार्थनिदर्शना  
अर्थात् बिम्बप्रतिविम्बभावापन्न विशेषणों से युक्त दो धर्मों में जो एकरूपता का आरोप  
किया जाता है वह वाक्यार्थनिदर्शना है' इस कुवलयानन्दोक्त आपके लक्षण के अनुसार  
वाक्यार्थनिदर्शना होनी चाहिए, 'उपमान का धर्म उपमेय में अथवा उपमेय का धर्म उप-  
मान में यदि आरोपित हो तब उसे पदार्थनिदर्शना कहते हैं' ( उपमानोपमेयोरन्यतर-  
स्मिन् अन्यतरधर्मारोपः पदार्थनिदर्शना ) यह कुवलयानन्दोक्त आपका पदार्थनिदर्शना-  
लक्षण यहाँ सङ्घटित भी नहीं होता, क्योंकि यहाँ एक का धर्म दूसरे में आरोपित नहीं  
है अपितु दो धर्मियों का ही अभेद आरोपित है और वे धर्म भी पदार्थरूप नहीं हैं अपितु  
वाक्यार्थरूप हैं । यदि आप कहें कि पदार्थनिदर्शना न सही, वाक्यार्थनिदर्शना तो हो  
सकती है—उसका लक्षण तो सङ्घटित होता है, बस, यही मेरा भी अभिप्राय है अर्थात्  
मैं यहाँ वाक्यार्थनिदर्शना ही मानता हूँ, तो यह भी मानने योग्य बात नहीं, क्योंकि  
यदि यहाँ वाक्यार्थनिदर्शना मान ली जायगी तब वाक्यार्थरूपक का उच्छेद हो  
जायगा—उसका लक्ष्य कहीं मिलेगा ही नहीं । अभिप्राय यह कि ऐसे ही स्थलों पर  
वाक्यार्थरूपक होता है और आप वहाँ वाक्यार्थनिदर्शना मानते हैं फिर उसका लक्ष्य  
मिलना असम्भव ही हो जायगा । इष्टापत्ति तो की नहीं जा सकती—अर्थात् आप यह  
कह नहीं सकते कि वाक्यार्थरूपक का उच्छेद होता है तो हो जाने दीजिए, क्योंकि  
इसके बदले में हम भी ऐसा कह सकते हैं कि—वाक्यार्थरूपक ही मानिए और वाक्यार्थ

निदर्शना का ही उच्छेद हो जाने दीजिए । इस पर आप पूछ सकते हैं कि—मेरे मत में तो आप एक (वाक्यार्थरूपक अथवा वाक्यार्थनिदर्शना) का उच्छेद हो जाने का दोष बनलाते हैं पर आप स्वयं कैसे इन दोनों को पृथक् करने की व्यवस्था बनाते हैं, तो इसके उत्तर में मैं कहूंगा कि—देखिए मेरा निदर्शना प्रकरण—अर्थात् जहाँ शब्दत अनेद की प्रतीति होती हो और उद्देश्य विधेयभाव हो वहाँ रूपक तथा जहाँ अर्थत अनेद की प्रतीति होती हो और उद्देश्य-विधेयभाव नहीं हो वहाँ निदर्शना इस तरह से वहाँ मैंने दोनों के पृथग्भाव की व्यवस्था की है । इन सब युक्तियों के कारण उपसंहार में मेरा कथन है कि—‘त्वत्पाद—’ इस पद्य में ( इस पद्य का जैसा स्वरूप आपने सिखा है उस स्वरूप में ) वाक्यार्थरूपक ही है, वाक्यार्थनिदर्शना नहीं । यदि आपको वाक्यार्थ-निदर्शना का उदाहरण देखना हो तो उक्त पद्य का पाठ यों मानिये—‘त्वत्पादनखरतानि अर्थात् जो आपके चरण-नख-रानों को महावर से रँगता है वह चन्द्रनलेप से चन्द्रमा को धवल बनाता है ।’ यहाँ यद्यपि ‘जो’ और ‘वह’ पदों से निदिष्ट कर्ताओं का अनेद शब्दत प्रतीत होता है तथापि ‘रँगता है’ और ‘धवल बनाता है’ इन क्रियाओं का अनेद शब्दत प्रतीत नहीं होता—अर्थात् अर्थत प्रतीत होता है और अकार का सारा दाचित्व क्रियाओं के उस आर्थ अनेद पर ही है—वाक्यार्थ का पर्यवसान वहीं जाकर होता है, अतः यहाँ निदर्शना ही है । तात्पर्य यह कि—कर्ताओं के शब्द अनेद को लेकर यहाँ वाक्यार्थरूपक नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह गौण है, मुख्य क्रियाओं का अनेद तो आर्थ ही है, अतः निदर्शना ही यहाँ मानी जायगी । अब कदाचित् आप कहें कि—यदि ‘त्वत्पादनखरतानाम्—’ यह पद्य निदर्शना का उदाहरण होने योग्य न होता, तो अलङ्कारसर्वस्वकार इस पद्य को निदर्शनोदाहरण-प्रकरण में क्यों लिखते ? तो मैं कहूंगा कि—बहुत ठीक, उन्होंने ही आपको धोखा दिया है, वे स्वयं तो भ्रम में थे ही, आपको भी भ्रम में डाल दिया । आप तो प्रामाणिक स्यात् हैं, अतः आप दूसरों से कहीं हुई बात को ही दुहराते हैं । (इस कथन का अभिप्राय यह है कि—आप स्वयं कुछ सोचते विचारते नहीं दूसरों की लिखी हुई बात को अपनी पुस्तकों में दुहरा डालते हैं, फलतः आप ‘अर्थम् चौर’ के अनुसार चौर लेखक हैं ।) ( पर यह आक्षेप बहुत कुछ असत्य है, कटुतर तो है ही, वस्तुतः दीक्षितजी का पाण्डित्य ईदृश आक्षेपयोग्य है नहीं ।) इसके अतिरिक्त दीक्षितजी ने जो ‘विन्वाविशिष्टे’ इस विशेषण द्वारा तथा अन्यत्र दृष्ट शब्दों से भी यह कहा है कि—रूपक में विन्वप्रतिविन्वभाव नहीं होता है वह भी भ्रममूलक ही है, क्योंकि अलङ्कारसर्वस्व की विमर्शिनी नामक टीका में विन्वप्रतिविन्वभावस्थल में भी रूपक दिखलाया गया है । सुनिये—‘कन्दर्प—’ यह चन्द्रोदय का वर्णन है । नायिका ने नायक कहता है—मलिन मद-जल से चिह्नित कानदेव के हाथी का कर्गभरणीभूत शरू रूप संश्लेषकजलपुञ्ज की कालिमा से सुन्दर रति ( काम-पत्नी ) के गण्डोपधान (गलतक्रिया) रूप और भ्रमरों से आच्छादित मध्यभागवाले आकाशतरु के उजले पुष्पस्नवकरूप सुधासदृश (उजले) कल्लयुक्त इस चन्द्रविन्व को देखो । यहाँ मदजल, कज्जलपुञ्ज और भ्रमर से कल्ल का प्रतिविन्वन हुआ है और चिह्नित होना तथा (कल्ल में) अद्विष्ट होना शुद्ध सामान्यरूप है—अर्थात् इस अंश में विन्वप्रतिविन्वभाव नहीं है, वस्तुप्रतिवस्तुभाव है यह बात दूसरी है । अभिप्राय यह है कि—‘कन्दर्प—’ इस पद्य में उपमेय चन्द्रमण्डल और उपमानों—शरू, गलतक्रिया तथा पुष्पस्नवकरु—में परस्पर तादृश्य शब्दत प्रतीत होता है, अतः यहाँ रूपक है और विन्वप्रतिविन्वभाव भी है, क्योंकि कल्ले विन्वरूप है और मदजल, कज्जल तथा भ्रमर प्रतिविन्वरूप है—ये विन्वप्रतिविन्व-भावापन्न धर्म ही यहाँ के उपमानोपमेय में सादृश्य के सिद्ध करते हैं और इस सादृश्य के कारण ही उपमान उपमेय में तादृश्य का आरोप होता है—रूपक बन पाता है । फलतः दीक्षितजी का ‘रूपक में विन्वप्रतिविन्वभाव नहीं होता’ यह कथन भ्रममूलक ही है, इसमें कोई सन्देह नहीं ।



द्वितीयविशेषणमेव निरस्यति—

तथा निर्दिष्टे शब्देनाभिहिते इत्यस्य येन केनचिद्रूपेण शब्देनाभिहित इत्यर्थः, उताहो उपमेयतावच्छेदकरूपेण शब्देनाभिहिते ? आद्ये 'सुन्दरं कमलं भाति लतायामिदमद्भुतम्' इत्यत्रातिप्रसङ्गः । सुन्दरपदेन सुन्दरत्वेन रूपेण इदंपदेन च विषयस्याननस्य प्रतिपादनात् । न चात्र सुन्दरपदार्थस्यारोप्यमाण-कमलान्वय एव, न तु वदनरूपविषयान्वय इति वाच्यम् । कमलपदेन कमलताद्रूप्येणाननस्यैव लक्षणयोपस्थानात्तत्रैव सुन्दरादिपदार्थान्वयो युक्तः, न तु विशेषणीभूते कमले । अथ तादृशं विषयमुद्दिश्य विषयिताद्रूप्यं यत्र विधीयते इत्यपि लक्षणवाक्यार्थः । प्रकृते च सुन्दरत्वावच्छिन्नमुद्दिश्य कमलताद्रूप्यस्याविधानान्नातिप्रसङ्ग इति चेत् । न । 'मुखचन्द्रस्तु सुन्दरः' इत्यादिरूपके समासगतयोर्विषयविषयिणोः पृथग्विभक्तिमन्तरेणोद्देश्यविधेयभावाभावादव्याप्त्यापत्तेः । द्वितीये त्वनिहृत इति विशेषणवैयर्थ्यम् । अपह्नुतावुपमेयतावच्छेदस्य निषिध्यमानतया तेन रूपेण विषयस्यानिर्दिष्टत्वादेव लक्षणस्याप्रसङ्गः । निश्चयगताहार्यत्वविशेषणवैयर्थ्यं च । भ्रान्तिमति दोषविशेषेण प्रतिबध्यमानतया नास्त्युपमेयतावच्छेदकसंपर्श इति तावतैव वारणात् । अपि च 'नायं सुधांशुः किं तर्हि सुधांशुः प्रेयसीमुखम्' इति कुवलयानन्दे त्वयोक्तायामपह्नुतावति-प्रसङ्गः । अत्र सुधांशौ सुधांशुत्वनिहृवेऽप्यारोपविषयस्यानिहृवात् । न चेदं रूपकमेवेति वाच्यम् । त्वदुक्तिविरोधापत्तेः ।

येन केनचिद्रूपेणेति । उपमेयतावच्छेदकभिन्नरूपेणेत्यर्थः । उताहो अथवा । 'सुन्दरं कमलम्—' इति । लतायां लतात्वेनाध्यवसितायां नायिकायाम्, अद्भुतं आश्चर्यकरम्, सुन्दर मनोरमम्, इदं मुखम्, कमलम्, भाति शोभत इत्यर्थः । इत्यत्रेति । रूपकातिशयोक्तिलक्ष्य इत्यर्थः । अतिप्रसङ्गे हेतुमाह—सुन्दरपदेनेति । 'निर्दिष्टे' इत्यस्य 'येन केनचिद्रूपेण शब्दप्रतिपादिते' इत्यर्थस्वीकारे 'सुन्दरं कमलम्—' इति रूपकातिशयोक्तौ इदंपदबोध-स्योपमेयस्य मुखस्य सुन्दरत्वरूपेण सुन्दरपदप्रतिपाद्यत्वादतिव्याप्तिरिति भावः । अतिव्याप्तिनिरासाय शङ्कते—न चात्रेति । कमलान्वय एवेति । तत एव चमत्कारात्साक्षिष्याच्चेति भावः । समाधत्ते—कमलपदेनेति । एतेन रूपकातिशयोक्तिरत्रेति ध्वनितम् । तत्रैवेति । मुख एवेत्यर्थः । न त्विति । 'पदार्थं पदार्थेनान्वेति—' इति न्यायादिति भावः । आरोप्यमाणो-उपमाने कमलपदार्थ एव सुन्दरपदार्थस्यान्वयः साक्षिध्यात्, न तु विषये उपमेये मुखे तथा च केनापि रूपेणोपमेयस्य मुखस्यानिर्देशाच्चातिप्रसङ्ग इति न वक्तुं शक्यम्, मुखे लाक्षणिकात् कमलपदादत्र कमलताद्रूप्येण मुखस्यैवोपस्थितिर्विशेष्यतया कमलस्योपस्थितिर्विशेषणतयैवेति स्थितौ पदार्थं पदार्थेनेति न्यायानुरोधेन सुन्दरपदार्थस्येदं पदबोधोपमेये-मुखे-एवान्वयस्य युक्ततयाऽतिप्रसङ्गस्य दुर्बलत्वादिति भावः । अतिप्रसङ्गाभावात् पुनरन्यथा शङ्कते—अथेति । तादृशमिति । येन केनचिद्रूपेण शब्देनाभिहितमित्यर्थः इत्यपीति उद्देश्यविधेयभावघटितोऽपीत्यर्थः । तथा वाक्यार्थे दोषाभावमुपपादयति—प्रसङ्गं चेति । 'सुन्दरं कमलम्—' इत्यत्र चेति तदर्थः । अविधानादिति । तादृशमाननमुद्दिश्य भानक्रियाया एव विधेयत्वादिति भावः । ( अत्र 'यद्वा सुन्दरत्वादेः कमलत्वादिविशिष्टं विशेषणत्वमेवोद्देश्यतावच्छेदकत्वम् । इयांस्तु विशेष-यदातिशयोक्त्यावुपमेयधर्मस्योद्देश्यतावच्छेदकत्वाभाव एव रूपके त्वनियम इतीति भावः ।' इति विशेषमाह नागेशः

समाधने नेति । तत्र हेतुमाह—मुखचन्द्रस्त्विति । मुखरूपचन्द्र मुन्दर इत्यर्थः । विप्र-  
विप्रचिणो उपमेयोपमानयो । पृथगिति । उद्देश्यविधेयभावेन बोधेऽभिन्नविभक्तिजन्यो  
पस्थिते कारणत्वात् । तथा च व्यस्ते तथा प्रतीति, न ममान इति भावः । केनापि रूपेण  
शब्दप्रतिपाद्यमुपमेयमुद्दिश्य यत्रोपमानतादृश्य विधीयते तत्रैव रूपकमिति विवक्षणे 'मुन्दर  
कमलम्—' इत्यत्र अतिप्रसङ्ग, अत्र मुखमुद्दिश्य भानस्य विधेयतया मुन्दरत्वावच्छिन्नो-  
द्देश्येन । कमलतादृश्यस्याविधानादित्यपि न युक्तम्, पृथग् विभक्तिविरहेणोद्देश्यविधेयभा-  
वायोग्योपमेयोपमानसम्पन्ने 'मुखचन्द्र—' इत्यादि समस्तरूपकेऽव्यप्यन्तापत्या तथा विवक्षण-  
स्यानम्भवादिति साराशः । द्वितीयकल्पे दूषयति—द्वितीये तु इति । 'निर्दिष्टे' इत्यन्वोप-  
मेयतावच्छेदकरूपेण शब्देनाभिहिते इत्यर्थः इति द्वितीयकल्पे तु इति तदर्थः । दोषमाह—  
विशेषणवैयर्थ्यमिति । वैयर्थ्यं हेतुमाह—अप्रहृता इति । उपमेयतावच्छेदयन्वेति । उपमे-  
यतावच्छेदकविशिष्टस्येति भावः । उपमेयस्येति यावत् । अनिर्दिष्टत्वादिति । अत्र 'अत्र  
निषेधप्रतियोगिविधया निर्दिष्टत्वादिदं चिन्त्यम् । न च तथा निर्दिष्टत्वेऽपि पुरन्कारान्नाव ।  
तर्हि तावत्पर्यन्तविवक्षायोपधनार्थमेवानिह्रुते इति विशेषणनाफल्यादिति बोध्यम् ।' इति  
नागेशः । उक्तद्वितीयकल्पे दोषान्तरमप्याह—निश्चयेति । उपरञ्जनापगार्थीभूतेति भावः ।  
वैयर्थ्यहेतुगर्भमुपपादनमाह—भ्रान्तीति । तावत्तैवेति । उक्तार्थकनिर्दिष्टे इति विग्रहणे नैवै-  
त्यर्थः । अत्र 'इदं चिन्त्यम् । आहार्यत्वविशेषणस्य निर्दिष्टे इति विशेषणलक्ष्यार्थक्यनतात्पर्य-  
कत्वात् । अतिशयोक्तौ लक्षणामाहात्म्याजायमानज्ञानस्यानाहार्यत्वैव जायमानत्वेन ताव-  
तैव वारणात् । शक्यतावच्छेदकलक्ष्यतावच्छेदकयोर्भानमिति त्वद्विहितमतान्तरेऽपि  
युगपदेवोभयोर्भानेन वाधस्यैवानुपस्थितत्वात् तद्द्वेराहार्यत्वम् । किञ्च चन्द्रवृत्तिगुणवत्त्वस्य  
लक्ष्यतावच्छेदकस्य चन्द्रत्वस्य च मिथो विरोधाभावेन न वाधप्रतिषन्धानम् । मुख-  
त्वेन मुख लक्ष्यत इति त्वश्रद्धेयमेव । रूपके तु वाधस्य स्फुटमुपस्थितत्वेन नासादवयवना  
वा जायमाना तादृश्यप्रतिपत्तिराहार्यवेति दीक्षिताशय इति दिक् ।' इति नागेशः । निर्दिष्टे  
इत्यस्य उपमेयतावच्छेदकरूपेण शब्देनाभिहिते इत्यर्थकरणेऽपि न निस्तार, 'नेदं मुञ्जं  
सुधाशुरयम्' इत्याद्यप्रहृतावुपमेयस्यैव निषेधे उपमेयतावच्छेदकरूपेणोपमेयस्य सुतरामन-  
भिहिततया निर्दिष्टे इति विशेषणेनैव तद्वारणे निश्चे तद्वारणार्थकस्य अनिह्रुते इति विने-  
पणस्य वैयर्थ्यप्रसङ्गात्, 'चन्द्र इति चकोरास्त्वन्मुखमभिधावन्ति' इत्यादि भ्रान्तिमति,  
भ्रान्तिजनकदोषविशेषेण उपमेयतावच्छेदकस्य मुखत्वादेः प्रतिकथ्यमानत्वात् तेन रूपेणोप-  
मेयस्य मुखदेरभिधानस्य सर्वथैवात्मभवतया तस्यापि ( भ्रान्तिमतोऽपि ) तेनैव विशेष-  
णेन व्यावृत्तौ तद्वारणाय प्रदत्तस्य निश्चये आहार्यत्वविशेषणस्यापि तत्रात्वाचेति भावः ।  
तृतीयविशेषणव्यावृत्तिं दूषयति—अपि चेति । 'नायं सुधाशु—' इति । अत्र प्रत्यक्ष-  
दृश्यमान, सुधाशुचन्द्रो, न । तर्हि तदा अस्यासुधाशुत्वे इति यावत्, किं वन्तु सुधाशु ?  
प्रेयर्नामुक्तं प्रियतमाननम्, सुधाशु इत्यर्थः । त्वयोक्तवामिति । एतेन स्वमते नान्या-  
पवृत्तिवन्मिति भावः । अप्रहृताौ पर्यस्ताप्रहृताौ । प्रतिप्रसन्न इति । त्वमुत्पन्नकलङ्गाति-  
व्या' इत्यर्थः । अतिप्रसङ्गे हेतुमुपपादयति—अत्रेति । विप्रत्यस्य मुखम् । विप्रत्यस्य सुधाशु  
इति नागेशोक्तिश्चिन्त्या । 'नायं सुधाशु—' इत्यत्र 'नायं सुधाशु' इत्युक्ते सुधाशुत्वेन  
निषेधपृष्टत्वेऽपि 'सुधाशु प्रेयर्नामुक्तम्' इत्यग्रे उपमेयतावच्छेदकमुत्पादेन रूपेण गच्छ-  
भिहिते निषेधास्पृष्टे च सुतरां उपमेये उपमानसुधाशुतादृश्यप्रतीत्या रूपकारानि प्रयजन्ती  
'अनिह्रुते' इति विशेषणेनैव वारयितुं शक्येति भावः । रूपक्यनयोकारम्तु तत्र नोप-

पद्येत, कुञ्जलयानन्दाख्ये निजनिबन्धेऽपहुतित्वस्य स्पष्टशब्दैस्त्वया स्वीकृतत्वात् । नागेशसु  
अत्रापि 'इदमपि चिन्त्यम् । उपमेयोपमादीनां वैचित्र्यविशेषणालङ्कारान्तरत्वविहायु-  
पपत्ते' । मतान्तरेऽप्यभेदादिकृतेन चमत्कारे रूपकम्, निह्वादिकृते तस्मिन्स्तु सेति विषय-  
विभागसम्भवात् । चमत्कारित्वस्यालङ्कारसामान्यलक्षणप्राप्तत्वात्समुदितस्यालङ्कारत्वेनांशे  
रूपकत्वे इष्टापत्तेश्च' इत्येभिरक्षरैर्दीक्षितोक्तिं समर्थयन् दृश्यते ।

द्वितीय विशेषण को दूषित किया जाता है—तथा इत्यादि । प्रथम विशेषण को  
दशा तो आपने देख ली । अब आप द्वितीय विशेषण की दशा को देखें—दीक्षितजी ने  
अपने रूपकलक्षण में 'निर्दिष्टे' यह दूसरा विशेषण जोड़ा है—और उसका अर्थ किया है  
शब्द से प्रतिपादित । अब इसमें प्रष्टव्य-यह है कि—'शब्द से प्रतिपादित' इसका क्या  
अर्थ ? जिस किसी रूप से शब्द द्वारा कथित यह, अथवा उपमेयतावच्छेदक—मुख  
आदि रूप से शब्द द्वारा कथित यह ? इन दोनों में यदि प्रथम अर्थ दीक्षितजी को  
स्वीकृत हो, तो वह ठीक नहीं, क्योंकि तब 'सुन्दर कमलम्—अर्थात् लता में ( लता-  
त्वेन अध्यवसित नायिकाकाययष्टि में ) अद्भुत और सुन्दर यह कमल ( कमलत्वेन  
अध्यवसित मुख ) सुशोभित हो रहा है ।' इस रूपकातिशयोक्ति-के लक्ष्य में  
उक्तार्थक उक्त विशेषणयुक्त रूपकलक्षण की अतिव्याप्ति हो जायगी । कारण, यह कि-  
यहाँ भी 'सुन्दर यह' इन शब्दों के द्वारा सुन्दरस्वरूप से उपमेय-मुख-का प्रतिपादन है ।  
यदि आप कहें कि यहाँ सुन्दर पद के अर्थ का अन्वय आरोपित होनेवाले अर्थात् विपरी  
( उपमान ) कमल में ही है, जिसमें आरोपित होता है उस विषय ( उपमेय मुख ) में  
नहीं ( अतः सुन्दरस्वरूप से उपमेय-मुख-का प्रतिपादन नहीं हुआ, अतिव्याप्ति नहीं  
होगी ), तो यह भी सङ्गत नहीं, क्योंकि यहाँ लक्षणा द्वारा, 'कमल' पद से, कमल के  
रूप में प्रधानरूप से मुख की ही उपस्थिति होती है—अर्थात् यहाँ 'कमल' पद का अर्थ  
केवल कमल नहीं अपितु कमलरूप मुख है, अतः 'सुन्दर' आदि पदार्थों का अन्वय  
मुख में ही होना उचित है, विशेषणरूप बने हुए कमल में नहीं अर्थात् अन्वय के विषय  
में 'पदार्थः प्रदार्थेनान्वेति न पदार्थैकदेशेन—किसी पद का अर्थ किसी पद के प्रधान अर्थ के  
साथ ही अन्वित होता है, पदार्थ के एकभाग विशेषणीभूत पदार्थ के साथ नहीं ।' इस  
सर्वसम्मत नियम की रक्षा सभी को करनी है । अब यदि आप कहें कि—'जिस किसी  
रूप से शब्द द्वारा अभिहित उपमेय को उद्देश्य बनाकर जहाँ उपमान का ताद्रूप्य  
( एकरूपता ) विहित होता हो' यह भी लक्षणवाक्य का अर्थ है—अर्थात् उपमेय का  
उद्देश्य होना और उपमान का विधेय होना भी इस रूपकलक्षण का तात्पर्यार्थ है  
और प्रकृत उदाहरण में 'सुन्दरता' से अवच्छिन्न ( युक्त ) मुख को उद्देश्य बनाकर  
कमल के ताद्रूप्य का विधान नहीं होता—अर्थात् यहाँ मुख और कमल का उद्देश्य विधेय  
भाव है ही नहीं, यदि उद्देश्य-विधेयभाव है तो मुख और शोभित होना—क्रिया में, अतः  
अतिव्याप्ति-दोष नहीं होगा, तो यह भी उचित नहीं, क्योंकि ऐसा मानने पर 'मुखचन्द्र  
सुन्दर है' इत्यादि रूपक में लक्षण की अव्याप्ति ही हो जायगी—यह रूपक कहला ही  
नहीं सकेगा । कारण, यहाँ उपमान तथा उपमेय के लिये पृथक्-पृथक् विभक्ति नहीं  
आई है और उद्देश्य विधेयभाव के लिये पृथक्-पृथक् विभक्ति का आना आवश्यक है,  
अतः असमस्त वाक्य स्थल में ही उद्देश्य-विधेयभाव होता है, यहाँ समस्त वाक्य में वह  
नहीं हो सकता । अब यदि द्वितीय कल्प को दीक्षितजी का अभिमत मानें—अर्थात्  
'निर्दिष्टे' पद का अर्थ 'उपमेयतावच्छेदकरूप से शब्द द्वारा उक्त' करें तो वह भी असङ्गत  
ही होगा, क्योंकि यद्यपि इस कल्प में पूर्वकल्पीय दोष नहीं होगा, तथापि—दूसरा  
दोष हो ही जायगा—अर्थात् इस कल्प ( पक्ष ) में 'अनिहुते' यह विशेषण व्यर्थ हो  
जायगा, क्योंकि उस विशेषण का फल जो 'अपह्नुति' का वारण माना जाता था, वह  
अब इस 'निर्दिष्टे' विशेषण से ही सिद्ध हो जायगा । कारण, 'यह मुख नहीं—चन्द्र है'

इत्यादि अपहुतियों में 'उपमेयतावच्छेद्य—अर्थात् उपमेय—मुख आदि—का निषेध किया गया। रहता है, अतः उपमेयतावच्छेदकरूप से उपमेय का प्रतिपादन न होने में ही लक्षण की अप्राप्ति हो जायगी। इतना ही नहीं, इस द्वितीय पक्ष में 'उपरञ्जकता' की व्याख्या में दीक्षितजी के द्वारा कहा गया 'आहार्य' यह निश्चय-विशेषण भी व्यर्थ हो जायगा। यह विशेषण 'भ्रान्तिमान्' अलङ्कार में अतिव्याप्ति-वारण के लिये लगाया गया है, पर वहाँ अमजनक दोष से उपमेयतावच्छेदक की प्रतीति रोक दी जाती है, अतः वहाँ उपमेयतावच्छेदक का स्पर्श भी नहीं रहता, इस स्थिति में उसका भी वारण 'निदिष्टे' विशेषण से ही हो जा सकता है। और इन विशेषणों का निवेश कर देने पर भी 'नाय सुधांशु—अर्थात् यह (प्रत्यक्ष दीख पढ़नेवाला चन्द्रमा) चन्द्रमा नहीं है। तो चन्द्रमा क्या है? प्रियतमा का मुख।' इस दीक्षिताभिमतकुवलयानन्दगत पर्यस्तापह्नुति में अतिव्याप्ति हो ही जायगी, क्योंकि यहाँ उपमेयतावच्छेदक-मुखत्वरूप से प्रतिपादित उपमेय—मुख में उपमान-चन्द्र-का ताद्रूप आरोपित होकर निश्चित होता है। आप कदाचित् कहें कि—'अनिहुते' विशेषण से इसका वारण होगा, तो यह कथन बन नहीं सकता, क्योंकि यहाँ चन्द्र में चन्द्रत्व का निषेध रहने पर भी उपमेय—मुख—सर्वथा निषेध से अट्टा ही है। फलतः 'अनिहुते' विशेषण व्यर्थ ही सा हो जाता है—जिस फल की सिद्धि के लिये जो विशेषण जोड़ा जाता है, वह फल यदि उममे सिद्ध नहीं होता—तब उसकी सार्थकता ही क्या? दीक्षितजी इसको ('नाय सुधांशु—' को) रूपक तो मान नहीं, सकते, क्योंकि ऐसा मानने पर उन्होंने कुवलयानन्द में स्वयं जो उसको पर्यस्तापह्नुति माना है—उममे विरोध पढ़ जायगा।

चित्रमीमांसायामप्यदीक्षितेनोक्तमन्यदपि सण्डयति—

यच्चाप्युक्तमव्यङ्ग्यत्वविशेषणाच्चेदमेवालङ्कारभूतस्य रूपकस्य लक्षणमिति, तदपि न। नहि व्यङ्ग्यत्वालङ्कारत्वयोविरोधोऽस्ति। प्रधानव्यङ्ग्यरूपकवारणाय पुनरुपस्कारकत्व विशेषणमुचितमित्यसकृदावेदनात्। अनलङ्कारत्वस्य तुन्यतया प्रधानव्यङ्ग्यरूपकस्येव प्रधानवाच्यरूपकस्यापि वारणीयत्वेन तद्वारकविशेषणाभावेन तत्रातिप्रसङ्गाच्च।

इदमेवेति। प्रागुक्त रूपकलक्षणमेवेत्यर्थः। नन्वेव कथमतिप्रमनिरामोऽन आह— प्रधानेति। नन्वेवमपि विनिगमनाविरहात्तयोकिरत आह—अनलमिति। मन्मते तु तेनैवोभयोर्वारणमिति भावः। अलङ्कारभूतरूपकलक्षणेऽव्यङ्ग्यत्वविशेषणप्रदेषोऽङ्गितस्य नैचित, नित्यव्यङ्ग्यस्य रसादेरपि स्थितिविशेषेऽलङ्कारत्वस्य रसोक्ततया व्यङ्ग्यत्वात्तद्वारकयोर्विरोधसिद्धौ सप्रहणीयस्य व्यङ्ग्यरूपकालङ्कारस्यानप्रहप्रसङ्गात्। ननु अप्राधान्येन व्यङ्ग्यमानस्य रूपकस्य संप्रहणीयत्वेऽपि अमप्रहणीयस्य प्राधान्येन व्यङ्ग्यमानस्य रूपकस्य व्याप्यत्वं लक्षणेऽव्यङ्ग्यत्वविशेषणयोगो युक्त इति चेन्न, तदर्थं 'उपरञ्जकत्व'—विशेषणस्य योजनितुमौचित्यात्। न चोभाष्याम् (अव्यङ्ग्यव्योपस्कारकत्वाभ्याम्) विशेषणान्यागमान्तया प्रधानव्यङ्ग्यवारणमन्मवे 'उपस्कारकत्व'विशेषणस्यैव योजने निर्माचितमिति वाच्यम्, यथा प्रधानतया व्यङ्ग्यमान रूपक नालङ्कार अपि तु अलङ्कारम् इति तद्वारणप्रधान प्राप्तम्, तर्पेय प्राधान्येन वाच्यमपि रूपकमलङ्कारमेव नालङ्कार इति तद्वारणप्रधानोऽन्यथाशङ्क एव, एवम् यदि केनाप्येकेन विशेषणेन तयोम्भयोर्वारण भवेत्, तर्हि तयोपयोगेन प्रौचित्य निर्विवादम्, अतः उभयोर्वारणस्य उपस्कारकत्वविशेषणस्य योजने प्रौचित्यमस्ति, प्रधानव्यङ्ग्यरूपकमात्रवारकस्य 'अव्यङ्ग्य'—विशेषणस्य योजने च तन्नाशोऽप्युक्त इति भावः।

अप्यदीक्षित द्वारा चित्रमीमांसा में कही गई एक अन्य बात का भी खण्डन किया जाता है—यच्चापि इत्यादि। और जो दीक्षितजी ने यह कहा है कि—“इसी (पूर्वोक्त सामान्य रूपकलक्षण) में यदि ‘अव्यङ्ग्य’ यह एक और विशेषण जोड़ दिया जाय, तब यही लक्षण अलङ्कारभूत रूपक का हो जायगा,” वह भी समुचित नहीं, क्योंकि व्यङ्ग्यता तथा अलङ्कारता में कोई विरोध नहीं है, नित्यव्यङ्ग्य रस आदि भी स्थितिविशेष में अलङ्काररूप होते ही हैं, फिर व्यङ्ग्यरूपकालङ्कार भी मानना ही पड़ेगा और इस विशेषण से उसका वारण ही हो जायगा—अर्थात् इस विशेषण के कारण लक्षण की व्यङ्ग्यरूपकालङ्कारस्थल में अव्याप्ति ही हो जायगी। यदि आप कहें कि—प्रधानीभूत अन्य वाक्यांश के पोषक व्यङ्ग्य रूपक भले ही अलङ्कारश्रेणी में संग्रहणीय हों, पर प्रधानतया अभिव्यक्त होने वाला रूपक तो आपके मत से भी अलङ्कारश्रेणी में संग्रहणीय नहीं होगा—उसको तो आप भी अलङ्कार्य ही मानियेगा अलङ्कार नहीं, फिर उस प्रधान व्यङ्ग्यरूपक का वारण करने के लिये ‘अव्यङ्ग्य’ विशेषण क्यों नहीं समुचित समझा जायगा, तो यह भी मानने योग्य आपका तर्क नहीं, क्योंकि प्रधान व्यङ्ग्यों का वारण करने के लिये सभी अलङ्कारों के लक्षण में ‘उपस्कारक-’ विशेषण जोड़ने की बात बार-बार कही जा चुकी है। यदि आप कहें कि—प्रधान व्यङ्ग्य के वारणार्थ ‘उपस्कारक-’ विशेषण ही जोड़ा जाय ‘अव्यङ्ग्य-’ विशेषण नहीं, यह कौन-सी बात है? तो मैं कहूँगा कि—हाँ, है ऐसी कुछ बात जिसके अनुरोध से ‘उपस्कारक-’ विशेषण का जोड़ना ही उचित है और वह बात यह है कि—जिस तरह प्रधानरूप में अभिव्यक्त होने वाला रूपक अलङ्कार नहीं अलङ्कार्य होता है, अतः उसका अलङ्कारश्रेणी से निष्कासन आवश्यक है, उसी तरह प्रधानरूप में वाच्य होने वाला रूपक भी अलङ्कार नहीं, अलङ्कार्य ही होता है, अतः उसका भी अलङ्कारश्रेणी से बहिर्भाव आवश्यक है। अब आप स्वयं सोच सकते हैं कि—‘उपस्कारक’ और ‘अव्यङ्ग्य’ इन दोनों में से कौन सा विशेषण उचित है? ‘उपस्कारक-’ विशेषण से प्रधान व्यङ्ग्य तथा प्रधान वाच्य दोनों का ही वारण होता है और ‘अव्यङ्ग्य-’ विशेषण से केवल प्रधान व्यङ्ग्य का, फलतः इस विशेषण को जोड़ देने के बाद भी प्रधानवाच्यरूपकस्थल में लक्षण की अतिव्याप्ति हो ही जायगी। अतः दीक्षितजी का लक्षण गड़बड़ ही है।

मम्मटभट्टकृतकाव्यप्रकाशोक्तं लक्षणं निरस्यति—

यच्च ‘तद्रूपकमभेदो य उपमानोपमेययोः’ इत्यादि प्राचीनैरुक्तम्, तच्चिन्त्यम्, अपहृत्यादावुपमानोपमेययोरभेदस्य प्रतीतिसिद्धतया तत्रातिप्रसङ्गात्। अथोपमानोपमेययोरित्युक्त्या उपमेयतावच्छेदकं पुरस्कृत्योपमानतावच्छेदकावच्छिन्नाभेद इत्यर्थलाभादपहुतौ चोपमेयतावच्छेदकस्य पुरस्काराभावात्तत्रातिप्रसङ्ग इति चेत्। न। ‘नूनं मुखं चन्द्रः’ इत्याद्युत्प्रेक्षायां तथाप्यतिप्रसङ्केः।

प्राचीनै मम्मटभट्टादिभिः। अपहृत्यादाविति। आन्तिमदतिशयोक्त्यादय आदिपदप्राह्या। उपमेयतावच्छेदकं पुरस्कृत्येति। भासमानोपमेयतावच्छेदके उपमेये इति भावः। उपमानतावच्छेदकेति। भासमानोपमानतावच्छेदकस्योपमानस्याभेद इत्यर्थः। पुरस्काराभावादिति। उपमेयस्य निषिध्यमानत्वादिति भावः। ‘उपमानोपमेययोः’ अभेदस्तद्रूपकम् इत्यर्थकं मम्मटभट्टकृत रूपकलक्षणं न सम्यक्, अपहृत्यादावितिव्याप्तेः, तत्राप्युपमानोपमेययोरभेदस्य प्रतीयमानत्वात्। ‘उपमानोपमेययोः’ इति लक्षणो कथनेन ‘मुखत्वाद्युपमेयतावच्छेदकविशिष्टे’ सुखादावुपमेये चन्द्रत्वाद्युपमानतावच्छेदकविशिष्टचन्द्राद्युपमानाभेदो रूपकम्’ इत्यर्थलाभेऽपहृत्यादौ नातिव्याप्तिः, तत्र निषेधादिनोपमेयतावच्छेदकवैशिष्ट्यस्य विरहात् इति यद्यपि सत्यम्, तथापि निस्तारो नास्ति, ‘नूनं मुखं चन्द्रः’ इत्युत्प्रेक्षायामति-

व्याप्ते सत्त्वान्, अत्र मुखत्वविशिष्टमुज्जानुयोगिकचन्द्रत्वविशिष्टचन्द्रप्रतियोगिकाभेदस्य प्रतीतेरिति भावः ।

मम्मटभट्टकृत काव्यप्रकाशग्रन्थ में उक्त रूपकलक्षण का खण्डन किया जाता है— यच्च इत्यादि । 'उपमान और उपमेय का जो भेद उसको रूपक कहते हैं' यह जो रूपकलक्षणकरणप्रसङ्ग में मम्मटभट्ट ने कहा है, वह ठीक नहीं है, क्योंकि उपमान तथा उपमेय के भेद की स्पष्ट प्रतीति होने के कारण अपहृति आदि में इस लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाती है अर्थात् इस लक्षण के अनुसार 'यह मुख नहीं चन्द्र है' इत्यादि तरह के अपहृति आदि अलङ्कार के उदाहरण भी रूपकश्रेणी में संगृहीत होने लगेंगे । यदि आप कहेंगे—लक्षण में 'उपमान और उपमेय का' इस तरह के कथन से यह लब्ध होता है कि—'उपमेयतावच्छेदक को भागे रखकर—अर्थात् उपमेय—भाव का परिचायक—मुखत्व आदि से युक्त मुख आदि में—उपमानतावच्छेदकावच्छिन्न का—अर्थात् चन्द्रत्व आदि से परिचित चन्द्र ( एक वस्तुविशेष ) का भेद रूपक है' और इस अर्थ के अनुसार अपहृति में अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि यहाँ, 'मुख नहीं है' इत्यादि प्रकार से उपमेय का निषेध किया गया रहता है, अतः उपमेयतावच्छेदक—मुखत्व आदि—का भागे रहना संभव नहीं, तो मैं कहूँगा कि—हाँ, यह तर्क सत्य है, अथ अपहृति आदि में अतिप्रसङ्ग नहीं रहा, पर इससे क्या लक्षण निर्दुष्ट सिद्ध हो गया ? कथमपि नहीं, क्योंकि—अपहृति आदि में न सही, उल्लेख में तो अब भी अतिव्याप्ति बनी है—'मानो मुख चन्द्र है' यही तो उल्लेख का उदाहरण है, यहाँ मुखत्व—उपमेयतावच्छेदक—को भागे रखकर मुख में चन्द्रत्वविशिष्ट चन्द्र का भेद साफ झलकता है, फिर उक्त लक्षण की यहाँ प्राप्ति हो जाने में बाधा क्या ? कुछ नहीं, वह हो ही जायगी ।

पूर्वापादिताया उत्प्रेक्षाया मम्मटलक्षणीयातिव्याप्तेरभावनाशङ्क्य पुनस्ता इत्यति—

न च—

'प्रकृत यन्निषिध्यान्यत्साध्यते सा त्वपहृतिः ।'

'सम्भावनमयोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत् ॥'

इत्याद्यपहत्युत्प्रेक्षादीनां बाधकत्वात्तत्परिगृहीतविषयातिरिक्तो रूपकस्य 'मुख चन्द्रः' इत्यादिर्विषयः स्यात् । यथा 'शरमयं बहिः' इत्येतद्विषयातिरिक्तः 'कुशमयं बहिः' इत्यस्य । यथा वा क्सादेशविषयातिरिक्तो विषयः सिचः । लोकेऽपि यथा 'ब्राह्मणोभ्यो दधि देयम्', 'तत्र कौण्डिन्याय' इत्यत्र तत्रसम्प्रदानातिरिक्तं धनः सम्प्रदानमिति वाच्यम् । वैषम्यान् । विशेषशास्त्र हि स्वविषयातिरिक्त विषयं ग्राहयत्सामान्यशास्त्रस्य बाधकमित्युच्यते । प्रकृते च रूपकस्य लक्षणं धर्मः । स यद्युत्प्रेक्षादिवृत्ति स्यात् कस्तस्माद्विषयान्निरस्य विषयान्तरं ग्राहयेत् । नहि घटत्व स्थाविकरणान् पृथिवीत्व द्रव्यत्व वा निरस्य विषयान्तरं ग्राहयितुमीष्टे । तस्मादतिप्रसक्तिर्दृशोऽस्मिन्दोषः । ननु सम्भावनात्मिकोत्प्रेक्षा, कथं तस्याभेदत्वात्मकरूपकलक्षणातिप्रसक्तिरिति चेत् । न । निनिगमकामावेन सम्भाव्यमानाभेदस्याप्युत्प्रेक्षारवहृत्त्वात् । विषयसम्भावनाऽभेदाभ्यामुत्प्रेक्षाया मलङ्कारद्वयव्यवहारापत्तेश्च । निश्चीयमानत्वेनाभेदो विशेषणीय इति चेदस्मदुक्त एव तर्हि पर्यवसतिरिति टिक् ।

प्रकृतमिति । मम्मटकृतमपुतिलक्षणमिदम् । प्रकृत उपमेयं, निषिध्य निगेनात्, अन्यत् उपमानम्, यत् साध्यते स्याप्यते, ना अहृति' अलङ्कार इत्यर्थः । सम्भावनमिति ।

तत्कृतमेवोत्प्रेक्षालक्षणमेतत् । प्रकृतस्य उपमेयस्य, समेन सदृशेन उपमानेनेति यावत्, यत्, सम्भावनम्, सा उत्प्रेक्षा इति तदर्थं । बाधकत्वादिति । विशेषविहितत्वेनापवादत्वादिति भावः । तत्परिगृहीत इति । ताभ्यामपहुत्युत्प्रेक्षाभ्याम्, परिगृहीताः आक्रान्ताः, ये, विषयाः लक्ष्याणि, तद्भिन्न इत्यर्थः । मुखं चन्द्र इति । अत्र गमकामावात्तदुभयं न । तत्र जैमिनीयं दृष्टान्तमाह—यथा शरेति । आभिचारिके कर्मणि विशेषविहितमिदम्, यद् सामान्ये विहितस्य 'कुशमयं वर्हिः' इत्यस्य बाधकमित्यर्थः । व्याकरणोक्तं तमाह—यथा वा कसेति । 'शल इग्—' इति विहितेत्यादि । सिच इति । 'च्ले सिच्' इति विहितस्येति भावः । लौकिकं तमाह—लोकेऽपीति । कौण्डिन्यायेति । ब्राह्मणविशेषस्य संज्ञेयम् । लौकिकन्यायोऽयं 'तत्कौण्डिन्यान्याय'शब्देन व्याकरणे प्रसिद्धः । विशेषविहितेन तत्कदानेन सामान्यविहितस्य दधिदानस्य बाध इति भावः । सम्प्रदानेति । दानपात्रेत्यर्थः । सामान्यशास्त्रे विशेषशास्त्रेण स्वसार्थक्याय स्वप्रवृत्तियोग्यातिरिक्तत्वेन सङ्कोचो विधीयते । यथा 'शरमयं वर्हिः' इति विशेषशास्त्रेण 'कुशमयं वर्हिः' इति सामान्यशास्त्रे स्वप्रवृत्तियोग्याभिचारिकर्मातिरिक्तत्वेन, यथा वा 'शल इग्—' इति विशेषशास्त्रेण 'च्ले सिच्' इति सामान्यशास्त्रे स्वप्रवृत्तियोग्येगुपधशलन्तवात्वव्यवहितोत्तरच्लिभिन्नत्वेन, यथा वा 'तत्कौण्डिन्याय' इति विशेषविधानेन 'ब्राह्मणेभ्यो दधि देयम्' इति सामान्यविधाने स्वप्रवृत्तियोग्यकौण्डिन्यान्यत्वेन सङ्कोचो विधीयते, तथैव विशेषविहिताभ्याम् 'प्रकृतम्—' 'सम्भावनम्—' इत्येताभ्यां सामान्यविहिते 'तद्रूपकम्—' इत्यस्मिन् प्रकृतनिषेधोत्तरकालिकान्यसाधनान्यत्वेन, प्रकृतविषयकसदृशकरणकसम्भावनान्यत्वेन च सङ्कोचो विधीयते, तथा चापहुत्युत्प्रेक्षालक्ष्यातिरिक्ते 'मुखं चन्द्र' इत्यादावेव रूपकलक्षणस्य प्रवृत्तिरिति नातिव्याप्तिरिति शङ्कादलस्याभिप्रायः । समाधत्ते—वैषम्येति । दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोर्वैलक्षण्यादिति भावः । तदेव वैलक्षण्यं स्फोरयति—विशेषशास्त्रम् इति । ग्राहयत् इति । न त्वग्राहयदिति भावः । तस्यैव तद्दीजत्वात् । धर्म इति । अभेदत्वरूप इत्यर्थः । अयं भावः—दृष्टान्तभूतानि वस्तूनि, शास्त्ररूपाणि वचनानि, न वर्मरूपाणि, अतस्तत्रैतत्सम्भवति यदेकं शास्त्रमपरस्य शास्त्रस्य विषयं स्वविषयातिरिक्तत्वेन सङ्कुचितं कुर्यादिति, प्रकृते तु तत्तदलङ्कारस्य धर्मरूपं तत्तल्लक्षणम् इति नैतत्सम्भवति यत्प्रसज्यमानं तद्धर्म्यात्मकं लक्षणं स्थानविशेषाभिरस्य स्थानविशेष एव केन्द्रितं कृतं स्यादिति, यथा घटत्वं पृथिवीत्वद्रव्यत्वादिरहितेऽधिकरणे स्थापयितुं न शक्यम् इति । उपसहरति—तस्मादिति । बाधाद्यसम्भवादिति तदर्थः । अस्मिन् लक्षणे इति । मम्मटकृतरूपकलक्षणे इत्यर्थः । तथा च दुष्टमेव मम्मटीयमेतद्रूपकलक्षणमिति भावः । पुनर्मम्मटलक्षणसमर्थनायान्यदाशक्यं समाधत्ते—न चेति । अयमत्र निर्गलितार्थः—उक्तलक्षणानुसारम् उत्प्रेक्षायां सम्भावनं स्वरूपम्, रूपकस्य चाभेदः, तथा च नानयोः सङ्कीर्णताप्रसङ्गं कथमपि सम्भवति, सर्वथा विभिन्नविषयकत्वात्तयोरित्यपि न सम्भवदुक्तिकम्, विनगमनाविरहेण विषयसम्भावनवत् सम्भाव्यमानविषयाभेदस्यापि—उत्प्रेक्षास्वरूपत्वेनाङ्गीकरणीयत्वात्, तथा च सङ्कीर्णताप्रसङ्गः इत्याशयात् । 'अभेदो रूपकम्' इत्युक्तौ सम्भाव्यमानोऽप्यभेदो प्रहीतुं शक्येतेति परमार्थः । ननु भवद्रीत्या सम्भाव्यमानोऽभेदः उत्प्रेक्षा । ये तु विषयसम्भावनामेवोत्प्रेक्षां मन्यन्ते, तन्मते न रूपकलक्षणस्योत्प्रेक्षायामितिप्रसङ्ग इति चेत् ? सत्यम्, परन्तु तथा सति लक्षणविषये मतभेदात् उत्प्रेक्षायामेव । उत्प्रेक्षा-रूपकमित्यलङ्कारद्वयव्यवहारः आपतेत् । उत्प्रेक्षायां विषयाभेदस्य सम्भाव्यमानतया न निश्चय इति अतिव्याप्तिनिरासाय रूपकलक्षणे निश्चयगोचरत्वेनाभेदो विशेष-

पीय इति, चेत् ? नन्वागतो मदीयं पन्था । अविद्वेषन्तस्सरो निश्चयं प्रवेष्टव्योऽन्यथाऽ-  
नुगत लक्षणं न स्यादित्येव मनानिप्राय इति ।

पूर्वोक्त अतिव्याप्तिवारकं कृद् युक्तिर्यां दत्ताकर पुनः उनके लक्षणं किये जाते हैं—  
न च इत्यादि । 'प्रकृतं यत्—अर्थात् उपनेय का निषेध करके उसे उपमान मित्र करना  
अपहृति कहलाता है ।' और 'सम्भावना—अर्थात् उपनेय की उपमान के रूप में  
सम्भावना उद्देश्य कहलाती है ।' तात्पर्य यह है कि—अभेद के रहने पर भी जहाँ निषेध  
हो वहाँ अपहृति होती है और जहाँ सम्भावना हो वहाँ उद्देश्य होती है । ये दोनों  
क्रमशः सम्प्रदान अपहृति और उद्देश्य के लक्षण हैं, जो विशेषरूप हैं और उक्त रूपक-  
लक्षण है सामान्यरूप, अतः इन विशेष लक्षणों में उन सामान्य लक्षण का बाध होगा—  
अर्थात् ये दोनों विशेष लक्षण, 'मेरी प्रवृत्ति होने योग्य निषेध तथा सम्भावना स्थिति  
से भिन्न शुद्ध अभेद में ही तुम प्रवृत्त होवो' इस प्रकार से उक्त सामान्य रूपकलक्षण  
में लक्ष्य कर देंगे, फलतः 'यह सुख नहीं, चन्द्र है' इत्यादि अपहृति और 'मानो सुख  
चन्द्र है' इत्यादि उद्देश्य के लक्षणों से भिन्न 'सुख चन्द्र है' इत्यादि ही रूपक के लक्षण  
होंगे । इस तरह का बाध-बाधकभाव भिन्न भिन्न शान्तों तथा लोक में भी देखा जाता  
है । जैसे—सामान्य वस्तु के प्रकरण में 'हरों का बहि होना चाहिये' ऐसा विधान  
जिना गया है और आन्वयिक ( नारगात्मक ) यज्ञप्रकरण में 'सरकण्डे का बहि होना  
चाहिये' ऐसा विधान किया गया है । अब ये दोनों ही विधान कैसे सार्थक हों, इसलिये  
इन दोनों विधानों में बाध-बाधकभाव माना जाता है अर्थात् विशेषविहित द्वितीय  
वाच्य होता है बाधक और सामान्यविहित प्रथम वचन होता है बाध, फलतः उक्त-  
विध सङ्कोचप्रक्रिया के द्वारा बाधक वचन के विषयों—आन्वयिक यज्ञों—में अन्य  
स्वर्गादिप्रापक यज्ञ ही बाधवचन के विषय होते हैं । यह तो हुआ मीमांसाशास्त्र का  
दृष्टान्त । अब व्याकरणशास्त्र का दृष्टान्त देखिये—व्याकरणशास्त्र में सामान्यतः 'स्ते  
मिद्' इन सूत्रों में 'मिद् प्रत्यय' के स्थान में 'मिद्' आदेश विहित है और उर्मी 'स्ति  
प्रत्यय' के स्थान में 'शत इत्—' इन सूत्रों से 'वस' आदेश भी विशेषतः विहित है ।  
अब यहाँ भी दोनों सूत्रों की सार्थकता के लिये बाध-बाधकभाव मानना पड़ता है—  
अर्थात् विशेषविहित 'स्त' में सामान्यविहित 'मिद्' का बाध होता है, फलतः उक्त  
नक्षीचात्मक प्रक्रिया के अनुसार 'वस' के लक्षण से भिन्न ही 'मिद्' का लक्षण होता है ।  
लोक में भी इस तरह के दृष्टान्त का अभाव नहीं है । देखिये—जय किमी के द्वारा  
ऐसा कहा जाता है कि—'मनी प्राह्वानों को वहाँ दिया जाय' और 'कौण्डिन्य को तक्र'  
तत्र प्राह्वान होने के नाने परानि 'कौण्डिन्य' को भी उचिदान प्राप्त है, तथापि विशेष-  
विहित तक्रदानवचन में सामान्यविहित उचिदानवचन का बाध हो जाने से तम  
( कौण्डिन्य ) को तक्र ही दिया जाता है उचि नहीं, फलतः तक्रदान का जो सम्प्रदान—  
दानपात्र—होता है, उससे भिन्न ही उचिदान का सम्प्रदान—दानपात्र—होता है । ठीक यहाँ  
यात प्रकृत में भी है अर्थात् जहाँ निषेध तथा सम्भावना वाला अभेद हो वहाँ क्रमशः  
अपहृति और उद्देश्य होगी और जहाँ केवल अभेद होगा वहाँ रूपक । अतः रूपक-  
लक्षण की अतिव्याप्ति उद्देश्य में हो जायगी ऐसी आशङ्का नहीं की जा सकती, पर  
यदि सम्प्रदानक अथवा उनसे समर्थक जन हों, तो यह कथन भी ठीक नहीं, क्योंकि  
आपने जो-जो दृष्टान्त उल्लिखित किये हैं वे विषय हैं—प्रकृत में ठीक ठीक देखते नहीं । अग्नि  
प्राय यह कि वे सभ्य ( दृष्टान्त में आने हुये ) शास्त्रीय किंवा लौकिक विधायक वचन  
है, तन्में ऐसी दान हो सकती है कि—जो वचन 'अपने लक्षणों में भिन्न लक्षणों में ही  
तुम लगे इस तरह का बाध कराते, वह बाधक कहलाते और जिस वचन के विषय  
में उक्त प्रकार का बाध कराया जाय वह उचिदाने बाध, पर यहाँ तो ऐसी दान समर्थ  
नहीं, क्योंकि रूपक का लक्षण वस्तु है । रूपक में रहनेवाला अनाधारण धर्म ( मनी



लक्षण लक्षणीय के असाधारण धर्म ही होते हैं)। वह धर्म यदि उत्प्रेक्षा में भी पाया जाय, तब कौन उसको वहाँ से हटाकर अन्यत्र केन्द्रित कर सकेगा। अर्थात् रूपक का असाधारण धर्म जब उत्प्रेक्षा में रहेगा, तब 'यह उत्प्रेक्षा है, रूपक नहीं' यह बात कोई कैसे समझा सकेगा। रूपक का लक्षण हुआ सामान्य धर्म और उत्प्रेक्षा का लक्षण हुआ विशेष धर्म यही न, पर इससे क्या? विशेष धर्म सामान्य धर्म को हटाकर रहे ऐसी बात तो है नहीं, घटों में 'घटत्व'रूप विशेष धर्म के साथ साथ पृथ्वीत्व द्रव्यत्व आदि सामान्य धर्म भी रहते हैं, अब यदि कोई पृथ्वीत्व तथा द्रव्यत्व को हटाकर केवल घटत्व को किसी अधिकरण में रखना चाहे तो क्या रख सकता है? कभी नहीं। उसी तरह अपहृति और उत्प्रेक्षा में निषेध और सभावनारूप विशेषधर्मों के साथ रहनेवाले अभेदरूप सामान्य धर्म को कोई हटा नहीं सकता। और अभेद जब है, तब रूपक भी वहाँ आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके लक्षणानुसार उपमान-उपमेय का अभेद रहने पर रूपक होगा ही। अतः इस मम्मटकृत रूपकलक्षण में अतिव्याप्ति दोष है, आप कहेंगे—उत्प्रेक्षा का स्वरूप है सम्भावना और रूपक का अभेद, फिर 'अभेद होना' जो रूपक का लक्षण है उसकी उत्प्रेक्षा में अतिव्याप्ति कैसे होगी? दोनों दो वस्तुएँ हैं। इसके उत्तर में मेरा कथन यह है कि—जब उत्प्रेक्षा में संभावना तथा अभेद दोनों की उपलब्धि होती है, तब अभेद से युक्त सम्भावना के समान संभावना से युक्त अभेद को भी उत्प्रेक्षा कहा जा सकता है—अर्थात् सम्भावना को ही प्रधान और अभेद को गौण मानने में कोई खास प्रमाण नहीं है। और जब अभेद की प्रधानता मान ली जायगी, तब उसको रूपक न मानने में आपका कोई भी तर्क सफल नहीं हो सकता। दूसरे, रूपक का ऐसा लक्षण करने पर उत्प्रेक्षा में उपमेय के अभेद के हिसाब से रूपक का और सम्भावना के हिसाब से उत्प्रेक्षा का इस तरह दो अलङ्कारों का व्यवहार होने लगेगा। कारण, आप किसी भी व्यवहार को हटा नहीं सकते। अब यदि आप कहें कि—रूपकलक्षण में अभेद के साथ 'निश्चीयमान—अर्थात् निश्चित किया जानेवाला' यह एक विशेषण और लगा देंगे, अतः उत्प्रेक्षास्थलीय सम्भाव्यमान अभेद रूपक नहीं कहला सकेगा, तो मैं भी इसका स्वागत करूँगा—स्वागत न कैसे करूँ, क्योंकि यह तो मेरा ही बताया रास्ता है—अर्थात् जिस तरह मैंने रूपकलक्षण में 'निश्चय' का प्रवेश कराया है उस तरह यदि आप भी उसका प्रवेश अपने लक्षण में करा दें तब तो कोई विवाद ही हम और आप में नहीं रहा।

सम्प्रति प्राचीनाभिमतान् रूपकभेदानाचष्टे—

तदिदं रूपकं सावयवं निरवयवं परम्परितं चेति तावत्त्रिविधम्। तत्रार्थं समस्तवस्तुविषयमेकदेशविवर्तिं चेति द्विविधम्। द्वितीयमपि केवलं मालारूपकं चेति द्विविधम्। तृतीयं च श्लिष्टपरम्परितं शुद्धपरम्परितं चेति द्विविधं सत्प्रत्येकं केवलमालारूपत्वाभ्यां चतुर्विधमित्यष्टविधमाहुः।

इदं पूर्वोक्तम्। तावत् आदौ। आहुरिति। प्रकाशकारादय इति भावः। एतत्सूचिता-रुचिस्त्वग्रे स्फुटीभविष्यति। अन्यत् सुगमम्।

अब रूपक के प्राचीनाभिमत भेद किये जाते हैं—तदिदमित्यादि। पूर्वोक्त रूपक के प्रथमतः तीन भेद हैं—सावयव, निरवयव और परम्परित। उनमें से सावयव रूपक के दो प्रकार होते हैं—एक समस्तवस्तुविषय और दूसरा एकदेशविवर्ती। निरवयव रूपक के भी दो उपभेद होते हैं—एक केवलरूपक तथा दूसरा मालारूपक। परम्परित रूपक के चार उपभेद होते हैं—श्लिष्टपरम्परित केवलरूप और मालारूप, इसी तरह शुद्धपरम्परित केवलरूप और मालारूप। इस प्रकार से रूपक के कुल आठ भेद होते हैं—ऐसा मम्मटभट्ट आदि कहते हैं। 'मम्मटभट्ट आदि कहते हैं' इस कथन के कुछ अरुचि चित होती है, इस अरुचि का बीज भागे स्पष्ट किया जायगा।

उक्त्यु प्रधानभेदेषु लिलक्षितेषु तावत्प्रथमभेद लक्षयति—

तत्र—

परस्परसापेक्षनिष्पत्तिकाना रूपकाणा सघातः सावयवम् ।

तत्रेति । उक्तभेदाना मध्य इत्यर्थः । परस्परं इति । परस्परं नियं, सापेक्षा प्राप्तिः, नेपत्ति मिद्विषयो तेषामित्यर्थः । त्वान न्मूह । अन्योन्यापेक्षया निश्चयता स्वरूपाणा समूहः सावयवत्पक कथ्यत इति भावः ।

रूपक के पूर्वोक्त भेदों के लक्षणकरणप्रसङ्ग से सर्वप्रथम प्रथम भेद का लक्षण किया जाता है—तत्र इत्यादि । उक्त भेदों के मध्य में—एक दूसरे की अपेक्षा से सिद्ध होने वाले रूपकों के समूह को सावयव रूपक कहते हैं ।

सावयवरूपकोपभेदौ लिलक्षयिषुस्तावत् प्रथमोपभेद लक्षयति—

तत्रापि—

समस्तानि वस्तून्यारोप्यमाणानि शब्दोपात्तानि यत्र तत्समस्तवस्तुविषयम् ।

तत्रापीति । सावयवरूपकेऽपीत्यर्थः । आरोप्यमाणानीति । आरोपस्य विषयिण इत्यर्थः । उपमानानीति यावत् । यत्र सावयवे रूपके सर्वाभ्युपमानानि शब्दत प्रतिपादितानि तिष्ठन्ति तत्समस्तवस्तुविषयनामक रूपक कथ्यत इति भावः ।

सावयव रूपक के प्रथम उपभेद का लक्षण किया जाता है—तत्रापि इत्यादि । सावयव रूपक में भी, उसको 'समस्तवस्तुविषय' नामक रूपक कहा जाता है, जिसमें सभी आरोपणीय-उपमानभूत-पदार्थों का ग्रहण शब्दत किया गया रहता है ।

द्वितीयसावयवरूपकोपभेद लक्षयति—

यत्र च कचिदवयवे शब्दोपात्तमारोप्यमाणं कचिच्चार्थसामर्थ्याक्षिप्तं तदेकदेशे शब्दानुपात्तविषयिके अवयवरूपके विवर्तनात्स्वरूपगोपनेनान्यथात्वेन वर्तनादेकदेशविवर्ति ।

यत्र चेति । यत्र तु सघातात्मकसावयवरूपके इत्यर्थः । अत्र नामर्थ्याक्षिप्तं तत् एक देशविवर्ति इत्यगो लक्षणम्, अपरागस्तु नामकरणव्याप्त्येति विवेकः । अवयवरूपके इति । रूपकनघातस्यावयविनोऽवयवे कस्मिंश्चिद्रूपके इत्यर्थः । विवर्तनादिति । विरुद्धतया वर्तनादित्यर्थः । विरुद्धत्वेनाह—त्वेति । यस्मिन् रूपकनघातात्मकतयाऽवयवविभूते सावयवरूपके एकावयवभूतरूपकपदन्वयमान गच्छती गृहीत तथा अपरावयवभूतरूपकपदन्वयमान न शब्दतो गृहीतमपि तु अर्थबल्लक्ष्य भवति तत् एकदेशविवर्तिरपत्र कथ्यत इति लक्षणार्थः । ननु कथमेतन्नामकरणम् इति चेत् ? एतन्मै—उपमानवाचकपदगून्मै अवनयभूते रूपके—विवर्तनात्—विरुद्धतया वर्तनात्—शब्दोपात्तोरमानसावयवरूपकपदार्थाभिप्रायतया, रूपस्वरूपगोपनवर्तमानित्यर्थः, स्थितेरिति बोध्यम् ।

सावयव रूपक के द्वितीय उपभेद का लक्षण किया जाता है—यत्र च इत्यादि । जिस सावयव रूपक में, किसी अवयव में उपमान शब्दत इयित हो और किसी अवयव में वह (उपमान) अर्थत धारित होता हो, वह 'एकदेशविवर्ति रूपक' कहलाता है । यह रूपक, एकदेश-अर्थात् जहाँ उपमान का प्रत्येक शब्द नहीं किया हो उस अवयवभूत रूपक—में अपने स्वरूप को छिपाए रहता है, वत उन्नी रियति अन्यथा—अर्थात् जिनमें उपमान का शब्दत ग्रहण किया गया हो उन्में निर-होती है, वत इने 'एकदेशविवर्ति' कहा जाता है ।

नामकरणबीजविषयकमतभेदमाह—

यद्वा—

एकदेशे उपात्तविषयिके अवयवे विशेषेण स्फुटतया वर्तनादेकदेशविवर्ति ॥

विनिगमनाभावादाह यद्वेति । अथवेति तदर्थः । अवयव इति अवयवरूपक इत्यर्थः ।

एतच्च 'एकदेशे' इत्यस्य व्याख्या । विवर्तनपदघटकव्युपसर्गस्यार्थमाह—विशेषेणेति । तद्व्याख्यामाह—स्फुटतयेति । अन्यत् स्फुटम् ।

'एकदेशविवर्ति' इस नामकरण में मतभेद से दूसरी युक्ति दिखलाई जाती है—यद्वेत्यादि । अथवा, यह रूपक एकदेश में—अर्थात् जहाँ शब्दतः उपमान गृहीत हो वहाँ—विशेषरूप से—अर्थात् स्पष्टतया—वर्तमान रहता है । तात्पर्य यह कि अन्य अक्ष में स्पष्टतया वर्तमान नहीं रहता है अतः इसे 'एकदेशविवर्ति' कहा जाता है ।

उदाहरण निर्देशुमाह—

समस्तवस्तुविषयं सावयवं यथा—

समस्तवस्तुविषयाख्यसावयवरूपकोदाहरणं निम्ननिर्दिष्टमवगन्तव्यमिति भावः ।

समस्तवस्तुविषय नामक सावयव रूपक, जैसे—

उदाहरण निर्दिश्यते—

‘सुविमलमौक्तिकतारे धवलांशुकचन्द्रिकाचमत्कारे ।

वदनपरिपूर्णचन्द्रे सुन्दरि राकासि नात्र सन्देहः ॥’

नायको नायिकामाह—सुविमलानि अतिस्वच्छानि, मौक्तिकानि मुक्ताभरणानि, तारा नक्षत्राणि यत्र तत्सबुद्धौ रूपम्, धवलं शुभ्रम्, अशुकं वसनम्, चन्द्रिकाया चन्द्रज्योत्सनाया चमत्कारो विलासो यत्र तादृशो, वदनं मुखम्, परिपूर्णं सम्पूर्णमण्डलं, चन्द्रो यत्र तादृशो, हे सुन्दरी ! त्वम्, राका पूर्णिमा, असि वर्तसे, अत्र विषये, सदेह सशयो नास्तीत्यर्थः । अत्र पद्ये चत्वारि रूपकाणि—मुक्तानक्षत्रयोरेकम्, वसनज्योत्सनयोर्द्वितीयम्, मुखचन्द्रयोस्तृतीयम्, नायिकापूर्णमयोश्च चतुर्थम् । एषा च रूपकाणां सिद्धिं परस्परसापेक्षा एकं रूपणं विनाऽपरस्य रूपणस्यायुक्तत्वेनानुत्थानात्, अतः सावयवरूपकोदाहरणत्वमत्र सुस्थम् ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—सुविमल इत्यादि । हे सुन्दरी ! तू पूनो की रजनी हो—इसमें कोई सन्देह नहीं, क्योंकि—तुम में, तेरे आभूषण में परोपे मोती के दाने विमलतर तारे हैं, तेरा धवल वसन चाँदनी की चमचमाहट है, तेरा मुख पूरा चाँद है—इन सभी अङ्गों के छुटे रहनेपर भला तेरे पूर्णिमा होने में कोई सन्देह कर सकता है ? यहाँ, मोती के दाने और तारों में, वसन और चाँदनी की चमचमाहट में, मुख और चन्द्र में तथा सुन्दरी और पूनों की रजनी में रूपक हुए हैं, ये सभी रूपक परस्पर सापेक्ष हैं—एक के बिना दूसरे की सिद्धि हो ही नहीं सकती, अतः 'सावयव रूपक' का उदाहरण यह पद्य कहा जा सकता है ।

एतदुदाहरणगत विशेषमाह—

अत्र समुदायात्मकस्य सावयवरूपकस्यावयवानां सर्वेषामपि वस्तुतः समर्थ्यसमर्थकभावस्य परस्परं तुल्यत्वेऽपि कवे राकारूपस्यैव समर्थ्यत्वेनाभिप्रेतत्वात्समर्थकतयोपादानमितरेषामिति गम्यते । एवं स्थिते समर्थकरूपकाणां विषयविषयिणोः पृथग्विभक्तेरश्रवणादनुवाद्यत्वेऽपि समर्थ्यरूपकस्य तयोः पृथग्विभक्तिश्रवणाद्विधेयतया तदादाय सङ्घातात्मकस्य सावयवरूपकस्यापि विधे-

यत्त्वमत्र व्यपदिश्यते । यथा भटसद्वातान्तर्गतस्य मुख्यस्य कस्यापि भटस्य जय पराजयाभ्यां भटसद्वातो जितः पराजितश्चेत्युच्यते ।

अवयवानामिति । नुक्तानक्षत्र वनज्योत्स्ना-मुखचन्द्र-नायिकापूणिमाहृपाणामवयव-रूपकाणामित्यर्थः । अभिप्रेतत्वादिति । विधेयतया वर्णनीयत्वादिति भावः । तद्योर्विपय-विपयिणो । तदादावेति । तदीयविधेयत्वमादायेत्यर्थः । अत्रेति । प्रकृतपद्य इत्यर्थः । अन्यधर्मेणान्यत्र व्यवहारे दृष्टान्तमाह—यथेति । अत्र भावः—‘सुविमल—’ इति पद्यगत समन्तवस्तुविपयसावयवरूपक विधेयमिति आलौकिकसन्ततो व्यवहारः । ननु नुक्तानक्षत्रयो, वनज्योत्स्नयो मुखचन्द्रयोश्च रूपकाणां समन्तपद्यगतानां न विधेयव्यवहारयोग्यत्वम्, तेषु उपनेयोपमानयो पृथग्विभक्त्यन्तपदानुपस्थाप्यत्वात्, उद्वेग्य-विधेय-भावबोधे च पृथग्विभक्त्यन्तपदजन्योपस्थितेस्तन्त्रत्वात्, एवञ्चविधेयानि तानि रूपकाणि चरम राकारूपकं च नमादाय समुदायान्तके सावयवरूपके कस्य विधेयत्वव्यवहारं न च्छे-दिति चेत् ? सैनिकमूहगतप्रधानसैनिकस्य जये पराजये वा यथा सैनिकमूहस्य जयः पराजयश्च व्यवहियते, तथैव पृथग्विभक्त्यन्तपदोपस्थाप्यत्वात् विधेयोभूतस्य प्रधानस्य नायिकाराजारूपकस्य समुदायान्तकसावयवरूपकपदकस्य विधेयत्वमादाय समुदायान्तक-सावयवरूपकेऽपि विधेयत्वव्यवहारं नयत इत्याशयात् । न च किञ्च राकारूपके प्राधान्यम् इति वाच्यम्, नमर्थ्यत्वस्यैव तत्र तत्त्वात् । न च एतत्स्यैव समर्थ्यत्वम्, नमूहा-त्मकसावयवरूपकपदकस्यैव रूपकाणां समर्थ्य-समर्थकभावस्य वस्तुतस्तुल्यत्वादिति वन्-व्यम्, तुल्येऽपि सर्वेषां वस्तुतः समर्थ्य-समर्थकभावे चरमस्य राकारूपकस्यैव समर्थ्यत्वेन क्वचिद्विभक्तिविपर्ययत्वात् । तथा च तदन्त्यानि रूपकाणि समर्थकान्यनुवाक्यानि चेति ।

‘सुविमल—’ इत्य उदाहरणं नै माने जाने वाले सावयव रूपक की विशेषता सिद्ध करने की युक्ति दिखलाई जाती है—अत्र इत्यादि । यह सावयव रूपक अनेक रूपकों का समूह-रूप होता है यह बात लक्षण से ही स्पष्ट है । इस समूह के अन्तर्गत जितने अवयवभूत रूपक होते हैं उन सबों में समानरूप से समर्थ्य समर्थकभाव होता है—अर्थात् सभी को समर्थ्य और समर्थक दोनों कह सकते हैं, क्योंकि सबको सब की अपेक्षा बराबर है, फिर भी यहाँ नायिका और पूणिमा का जो रूपक है उसी को समर्थ्य माना जायगा और सबको समर्थक, क्योंकि कवि ने नायिका-पूणिमा-रूपक का समर्थन करने के लिये ही अन्य रूपकों का सर्जन किया है । फलतः यहाँ समर्थ्य होने के कारण नायिका पूणिमा-रूपक प्रधान है और अन्य रूपक-अर्थात् मुक्तानक्षत्ररूपक, वनज्योत्स्नारूपक तथा मुख चन्द्ररूपक, समर्थक होने के कारण, अज्ञभूत है । ऐसी स्थिति में समर्थक सभी रूपक यद्यपि अनुवाद्य कहे जायेंगे, क्योंकि उन रूपकों में बाएँ हुए उपमान-उपमेयों की उपस्थिति पृथक्-पृथक् विभक्ति वाले पदों से नहीं हुई है—अर्थात् वे रूपक समस्त पदों के वाच्य हैं, अतः समुदाय-समस्त पदसमूह-में एक ही विभक्ति आई है और उद्वेग्य-विधेयभाव के बोध में पृथक् विभक्ति वाले पदों में अर्थ का उपस्थित होना कारण माना जाता है, तथापि समर्थ्य (प्रधान)रूपक विधेय कहा जा सकता है, क्योंकि उसमें बाएँ हुए उपमान उपमेय की उपस्थिति पृथक् पृथक् विभक्ति वाले पदों से हुई है—तथापि यहाँ समान नहीं किया गया है और उस एक अर्थ की विधेयता को लेकर ही नमूहामक सावयव रूपक में विधेय होने का व्यवहार किया जाता है । जैसे-योजनाओं के समूह के अन्तर्गत किसी मुख्य योजना के जय अथवा पराजय से योजनाओं के समूह का जय अथवा पराजय व्यवहृत होता है । माराश यह हुआ कि—यदि समर्थ्यरूपक विधेय हो, तो समस्त सावयवरूपक विधेय माना जाता है, और उसके अज्ञरूप समर्थकरूपकों के अनुवाद्य होने का अनुरोध नहीं किया जाता ।

उदाहरणान्तरमाह—

‘व्योमाङ्गणे सरसि नीलिमदिव्यतोये  
तारावलीमुकुलमण्डलमण्डितेऽस्मिन् ।  
आभाति षोडशकलादलमङ्कभृङ्ग  
सूराभिमुख्यविकचं शशिपुण्डरीकम् ॥’

कविः पूर्णेन्दुं वर्णयति—नीलिमा नैल्यम्, दिव्यं प्रसन्नतमम्, तोयं जलम्, यस्मिन्, तस्मिन्, तथा, तारावली नक्षत्रपङ्क्तिः, मुकुलमण्डल कमलकलिकासमुदायः ( कर्मधारयः ), तेन, मण्डितेऽलंकृते, अस्मिन् प्रत्यक्षे, व्योमाङ्गणे सरसि गगनसरोवरे, षोडशकला ज्योतिःशास्त्रख्याततावत्सङ्ख्याका ज्योत्स्नाः, दलानि पत्राणि, यस्मिन् तत्, अङ्कः कलङ्कः, मृङ्ग भ्रमरः, यस्मिन् तत्, तथा, सूरस्य सूर्यस्य, आभिमुख्येन सम्मुखागमनेन, विकच विकसितम्, शशिपुण्डरीक चन्द्ररूपं कमलम्, आभाति शोभत इत्यर्थः । परस्परसापेक्ष निष्पत्तिरूपकसङ्घातस्यात्र सत्त्वादिदमपि पद्यं समस्तवस्तुविषयसावयरूपकोदाहरण-मिति भावः ।

दूसरा उदाहरण दिखलाया जाता है—व्योम इत्यादि । कवि पूर्णचन्द्र का वर्णन करता है—आकाश एक सरोवर है । नीलिमा उसका दिव्य ( प्रसन्न ) जल । यह सरोवर नक्षत्रराशिरूप कमलकोरकों से विभूषित है । इस सरोवर में कलङ्क-रूप भ्रमर से युक्त षोडशकलारूप षोडश पत्तों वाला यह विकसित चन्द्र-रूप कमल, शोभित हो रहा है, यह कमल विकसित क्यों नहीं होता ? सूर्य के सामने जो है—सूर्य के सामने पढ़े और कमल खिले नहीं यह असम्भव है । यहाँ भी परस्पर-सापेक्ष अनेक रूपकों का समूह वर्णित है, अतः यह पद्य भी ‘समस्तवस्तुविषयक सावयरूपक’ का उदाहरण समझा जाता है ।

उदाहरणान्तर-दान-निदानभूत विशेषमाह—

अस्य तु सावयरूपकस्यानुवाद्यत्वमेव ।

पूर्वोदाहरणगत सावयरूपकं विधेयमासीत्, ‘व्योमेति—’ पद्यगतं तत्तु न विधेयम्, अपि तु अनुवाद्यमेव, कतिपयसमर्थकरूपकैः सह समर्थस्य शशिपुण्डरीकरूपकस्यापि पृथग्-विभक्तिकपदजन्योपस्थितोपमानोपमेयकताविरहेणोद्देश्यविधेयभावानवगाहित्वात्, सर्वमुद्दिश्य भानक्रियाया एव विधानाच्चेति भावः ।

द्वितीय उदाहरण दिखलाने का बीज बतलाया जाता है—अत्र तु इत्यादि । ‘सुविमल—’ इस प्रथम उदाहरण में सावयरूपक विधेय था, पर ‘व्योम—’ इस द्वितीय उदाहरण में वह विधेय नहीं है, अपि तु अनुवाद्य है, क्योंकि-समर्थक रूपकों के साथ समर्थ अतएव प्रधानरूपक ( चन्द्र-कमल ) अश में भी पृथक् विभक्तियों नहीं हैं, अतः उद्देश्य-विधेयभाव नहीं हो सकता, फलतः यहाँ सभी रूपकाक्रान्त पदार्थों को उद्देश्य बनाकर भान क्रिया का ही विधान किया गया है ।

ननु सर्वमेतत्सत्यम्, परन्तु द्वितीयोदाहरणे सूर्याभिमुख्यविकचत्वं चन्द्रमसि वर्णित कथं सङ्गतम्, सूर्याभिमुख्यकाले दिवसे चन्द्रविकासस्यासिद्धत्वादित्यत आह—

अत्र वर्ण्यस्य पूर्णचन्द्रस्य सूर्याभिमुख्यं ज्योतिःशास्त्रसिद्धम् । तेन सूर्याभिमुख्ये चन्द्रस्य कथं विकास इति न शङ्कनीयम् ।

‘व्योमाङ्गणे—’ द्वितीयोदाहरणे पूर्णचन्द्रो वर्णनीयः, स च पूर्णिमागत एव सम्भवतीति निर्विवादम्, पूर्णिमाचन्द्रश्च सूर्याभिमुखो भवतीति ज्योतिःसिद्धान्तसिद्ध वस्तु । अयं

भाव-सूर्यतेजसैव चन्द्रस्तेजस्वी भवतीति नाविधित गात्रज्ञानम्, एव्य पूर्णिमायां पूर्णं सूर्यतेजश्चन्द्रे प्रतिफलति, अत एव तस्या तिथौ चन्द्रमसः पूर्णत्वम्—अर्थात् तरया तिथौ पदान्यन्तरितौ सूर्याचन्द्रमसौ समानान्तरतया नियोऽभिमुखौ तिष्ठत इति ।

द्वितीय उदाहरण में चन्द्रमा का सूर्याभिमुख होने के कारण विकसित होने की बात कैसे सङ्गत होगी ? क्योंकि 'दिनमें-सूर्य की अभिसुरयावस्था में-चन्द्र का तिरोहित होना ही देखा जाता है' इस वादाह्व का उत्तर दिया जाता है—अत्र इत्यादि । 'द्योमान्ने—' इस द्वितीय उदाहरण में जिस पूर्णचन्द्र का वर्णन करना कवि को अभीष्ट है, वह पूर्ण चन्द्र पूर्णिमा-तिथि में ही होता है और उस तिथि में चन्द्र, सूर्य के आगने मानने रहता है, यह बात ज्योतिःशास्त्र के सिद्धान्त भाग में प्रसिद्ध है—अर्थात् सूर्य के तेज से ही चन्द्र में तेज आता है और जिस समय सूर्य के सामने चन्द्र पड़ता है उस समय चन्द्र का पूर्ण प्रकाश दिखाई पड़ता है और वह समय है पूर्णिमा, क्योंकि उस तिथि में सूर्य तथा चन्द्र में छ राशियों का अन्तर पड़ता है, अत समानान्तर रेखा पर स्थित सूर्य-चन्द्र परस्पर अभिमुख रहते हैं, अतएव सूर्य की अभिसुखता में चन्द्र का विक्रम कैसे होगा यह शङ्का नहीं करनी चाहिए ।

सावयवरूपकस्य द्वितीयं भेदमुदाहर्तुनाह—

एकदेशविवर्ति सावयव यथा—

सावयवरूपकस्यैकदेशविवर्तिनामको द्वितीयो भेदो येन प्रकारेण सम्पद्यते स प्रकारो लक्ष्यगततया प्रदर्शयते इति भाव ।

सावयव रूपक के द्वितीय भेद का उदाहरण दिखलाने के लिये कहा जाता है—एक इत्यादि । एकदेशविवर्ति सावयव रूपक जैसे—

उदाहरण निर्दिश्यते—

‘भव-प्रीष्म-प्रौढातप निवह-सन्तम वपुषो  
बलादुन्मूल्य द्राङ्निगडमविवेक व्यतिकरम् ।  
विशुद्धेऽस्मिन्नात्मानृतसरसि नैराशय-शिशिरे  
विगाहन्ते दूरीकृतक्लुपजाला-सुकृतिनः ॥’

भवरूप नसारान्मको, य, प्रीष्म तापमय मनस-विशेष, तस्य, प्रौढ दन्वन्तरेण, आतप-निवहेन आतपरपस्य ताप विशेषस्य समूहेन, सन्तमिति आहर्त्तृदानानि यावत्, वपुषि शरीराणि येषा तादृशा, सुकृतिनः पुण्यवन्तो जन, अविवेक क्षेत्र-क्षेत्र-योर्भेदज्ञानराहित्यम्, तस्य व्यतिकरम् सम्बन्धम्, निगडं पाण्डु, अज्ञानाभ्रान्मन्मन्मन्-साधनमिति मनुदितार्थः, द्राङ्शीष्म, बलात् बलात्कारेण, उन्मूल्य मूलनी निगम्य, दूरीकृत नाशितम्, क्लुपजालं पापपुण्ड्रम्, यन्तादृशा सुकृ, नैराशयेन नमामिस्वयं-यवैस्त्वयेन, शिशिरे गीतले, अथ च विशुद्धे निर्मले, प्रसिद्ध प्रतिनिश्चयने नामानृत-सरसि आनन्दये पीयूषमरोवरे, विगाहन्ते निनयन्ति नञ्जसूत्रं स्मरन्तीत्यर्थः ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—अत्र इत्यादि । मन्मन् वह प्रीष्म शत्रु है जिसके प्रकृत धूस्समूह ( बलेश विशेष ) में मनुष्यों के शरीर क्षुब्धते रहते हैं, पर जब उन्हें सद्गुरु मिल जाता है, तब उनके मनुष्यता में धर्माचरण में प्रवृत्ति बन जाती है तभी उनके पाप-जाल दूर चले जाते हैं और जब मनुष्य निष्पाप हो जाते हैं, तब वे अनिर्दिष्ट जोर जरईस्ती, अपने में वर्तमान अज्ञान-मन्मन्मन्मन् पापको जरमूल में तोड़कर विशुद्ध तथा विषयवैशुद्ध के कारण प्रीति ह्य आनन्द अमृत-मरोवर में अशगाहन करने लगते हैं—सुखकियां लगाने लगते हैं ।

उपपादयति—

अत्र सहचरैर्निगडादिरूपकैः सुकृतिषु गजरूपकमाक्षिप्यते ।

सहचरैरिति । सहवर्णितैरित्यर्थः । अनेनाक्षेपकत्वयोग्यता, गजरूपकस्य प्राधान्यं च सूचितम् । निगडादीति । आदिपदेन ग्रीष्मसरोवरादिरूपकाणां समग्रो बोध्यः । अयं भाव-  
'भवग्रीष्म—' इति श्लोके मिथ सापेक्षसिद्धिकानि बहूनि रूपकाणि सन्तीति तत्सङ्घातस्य सावयवरूपकत्वम् तत्रापि समर्थकरूपकाणाम् उपमानानि शब्दोपात्तानि, समर्थरूपकोपमा नञ्च न शब्दोपात्तम् अपि त्वार्थमिति एकदेशविवर्तित्वञ्चात्र सिद्धयतीति ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि । 'भवग्रीष्म—' इस पद्य में ससार ग्रीष्म का, अज्ञान सबन्ध-पाश का, आत्मा सरोवर का और गज पुण्यवानों का रूपक वर्णित है जो परस्पर सापेक्ष हैं, अतः इन रूपकों का समूह सावयव रूपक कहलाता है और वह सावयव रूपक भी इसलिये एकदेशविवर्ति कहलाता है कि—समर्थकरूपक शब्दतः कथित है और उन सहचारी समर्थकरूपकों से खासकर पाशरूपक से समर्थ-प्रधान 'गज-पुण्यवानों' का रूपक शब्दतः उक्त नहीं रहनेपर भी आक्षिप्त हो जाता है । स्पष्ट अभिप्राय यह कि—जब शरीरताप के कारण बेड़ी-तोड़कर सरोवर में मज्जन करने की बात मनुष्य में वर्णित हुई है, तब उस वर्णन से मज्जन करनेवाले मानवों की गजरूपता स्वयं विदित हो ही जाती है ।

उदाहरणान्तर दर्शयितुमाह—

यथा वा—

अथवा जैसे ।

उदाहरण निर्दिश्यते—

'रूपजला चलनयना नाभ्यावर्ता कचावलीभुजगा ।

मज्जन्ति यत्र सन्तः सेयं तरुणीतरङ्गिणी विषमा ॥'

कवि कथयति—रूप सौन्दर्य, जल यस्या सा, चले चञ्चले, नयने यस्या सा, अत्र नयनयोर्मनिरूपताऽक्षिप्यते, नाभि आवर्ता यस्या सा, तथा कचावली केशसमूह भुजग सर्पों यस्या सा इय प्रत्यक्षभूता, सा तादृशी, विषमा भयङ्करी, तरुणीतरङ्गिणी युवतीरूपा नदी, यत्र यस्या नद्यां, सन्त सज्जना, मज्जन्ति अवगाहन्ति ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—रूपजला इत्यादि । यह युवती वह भयङ्कर नदी है, जिस में सज्जन डूब जाते हैं । युवती नदी कैसे है ? क्यों नहीं है, जब कि एक नदी में रहने वाली सभी चीजें उस में भी वर्तमान हैं—इस में रूप ही जल है, चञ्चल नेत्र मछलियां हैं, नाभि आवर्त है और केशों की पङ्क्ति सर्प है ।

उदाहरणान्तरदाने बीजमुद्गावयति—

पूर्वं तु कवेः समर्थत्वेनाभिमतस्य रूपकस्याक्षेपः, इह तु समर्थकत्वेनाभिमतस्य नयनयोर्मनिरूपकस्येति विशेषः ।

'भवग्रीष्म—' इति प्रथमोदाहरणे समर्थत्वेन कविविवक्षाविषयस्य शब्दतोऽनुक्तस्य 'गजसुकृतिरूपकस्य' अर्थादाक्षेपो भवति, 'रूपजला—' इति द्वितीयोदाहरणे पुन समर्थकत्वेन कविविवक्षाविषयस्य शब्दतोऽनुपात्तस्य नयनमीनरूपकस्यार्थादाक्षेप इति द्वयोर्उदाहरणयोर्विशेषः । एतद्विशेष्यप्रदर्शनायैवोदाहरणद्वयदानमिति भावः ।

द्वितीय उदाहरण दिखलाने में बीज कहा जाता है—पूर्वं तु इत्यादि । प्रथम उदाहरण-'भवग्रीष्म-'-में उस गज-रूपक का अर्थत. आक्षेप होता है, जिसे कवि समर्थ

रूप में उपस्थित करना चाहता है, और द्वितीय उदाहरण—‘रूपजटा’—में उस मूल रूपक का अर्थत आक्षेप होता है, जिसे कवि मनस्यैक रूप में वर्णित करना चाहता है। नारायण यह कि समर्प्य अथवा समस्यैक दोनों रूपकों में से किसी भी प्रकार के रूपक का अर्थत आक्षेप होने पर एकदेशविधिति रूपक होता है—उस में से मनस्यैक के आक्षेप वाले रूपक का उदाहरण है प्रथम पद्य और मनस्यैक के आक्षेप का उदाहरण है दूसरा पद्य।

ननु रूपकमघातात्मकस्य नावयवस्वरूपस्यैक्य रूपकभेदेऽपि पृथग्गणनेति गणनायावुमाह—

अत्र च चन्द्रकारविशेषजनकतया रूपकमघातात्मकमपि सावयवरूपक रूपकालकृतिभेदगणनायां गण्यते । यथा मौक्तिकालकृतिभेदगणनायामेकं नातामौक्तिकमिव सद्वातात्मकमौक्तिकमस्यैक्ययोऽपि गण्यन्ते । अन्यथा मालारूपस्योपनादेरुत्प्रेक्ष्यगणनेऽगणनप्रसङ्गान् । एतेन ‘गवा सद्वातो गोभेदानां कपिलानीना गणनाया यथा न गण्यते तथा रूपकभेदगणनाप्रस्तुतां न तत्सद्वातात्मक सावयवं गणनीयम्’ इति परास्तम् ।

जनकवर्धेति । गणनाया हेतुरूपम् । गण्यते इति । पृथगिति शेष । लोकादृष्टान्तेन निवृत्तमर्थं प्रतिपाद्य व्यतिरेकत्वेन इत्येति—अन्येति । सद्वातात्म्य प्रत्येकव्यवधानस्यैक्यगणने इति तदर्थः । तदुभेदेति । उन्मालहारभेदेत्यर्थः । माहिर्यशाते चन्द्रकारवैलक्षण्येनैव भेदवैलक्षण्ये निदानम् । तथा च यथा मुञ्जालहारभेदगणनप्रसंगे एक नामानुरूपनैतिकमिव भिन्नविधयोगान्मन्वाद्यकस्य मुञ्जालमूहान्मका मुञ्जालस्यैक्ययोऽपि पृथग् गण्यन्ते, तथैव एकस्य रूपकस्याप्येकया चन्द्रकारविशेषोत्पादकतया रूपकमूहान्मक नावयवरूपकमपि रूपकालहारभेदगणनप्रसंगे पृथक् परिगण्यते । यदि रूपकमूहान्मकस्य सावयवरूपकस्य रूपकालहारभेदेऽपि पृथक् गणनं न क्रियेत, तर्हि उन्मालमूहान्मकस्य मालोपनादेरपि उपनादिभेदेऽपि पृथक् गणनं न करणीयं स्यात्, क्रियते तद्युक्तं सर्वगित्त-स्तद्वदन्त्यापि पृथक्गणनं कर्तव्यमेव । अन्यदृष्टान्तेन नावयवरूपकस्य पृथक् रूपकभेदगणनेऽगणनं कैश्चित्काले निरानुमाह—एतेनेति । उक्तुक्तुवन्त्यासैनेत्यर्थः । अन्य ‘परास्तम्’ इत्यत्रान्वयः । प्रस्तुतां प्रस्तावे । गोविन्द-कपिलानि गणनवसरे गोनमूहो व्या पृथक् गोभेदत्वेन न परिगण्यते, तथैव रूपकभेदगणनावसरे रूपकमूहान्मकस्य नावयवरूपकस्यापि पृथक् परिगणनं नोचितमिति केचिदाचक्षते, किंतु तत्र उक्तम्, प्रतिगोव्याचिच्च गोनमूहो नापर किञ्चित् कार्यं करोतीति तस्य गोभेदानेऽगणनेऽपि एकनामामौक्तिकस्य भिन्नविधयोरकारित्वेन मौक्तिकमूहान्मकमुञ्जालमयादीवर् भिन्नविधचन्द्रकारित्वेन रूपकमघातात्मकस्य नावयवरूपकस्य पृथग्गणने वायव्यभावा-दिति भावः ।

नावयवरूपकं जड रूपकों का समूह ही होता है तब उसकी गणना रूपकालहार के पृथक् भेदों में क्यों की जाती है इस भावना का समाधान करने के लिए कहा जाता है—अत्र च इत्यादि । माहिर्यशाते में भिन्न-भिन्न प्रकार के चन्द्रकारों को उल्लेख करीके कारण ही भिन्न-भिन्न भेद माने जाते हैं, ऐसी स्थिति में रूपकों का समूह गण्य होने पर भी ‘नावयवरूपक’ की गणना रूपकालहार के भिन्न भेद में होती है—यथांद् ‘नावयवरूपक रूपकालहार का एक पृथक् प्रकार माना जाता है, क्योंकि किसी एक रूपक में ऐसा घमाकार उपलब्ध होता है उसमें सर्वांश भिन्न तरह का घमाकार तरह समूहान्मक ‘नावयवरूपक’ में होता है । इस बात की पुष्टि लौकिक दृष्टान्त में भी होती है । देविष्ट—मुझानरजों की गणना करते समय जैसे एक मोतीयाला नामानैष्टि



(नकवेसर) एक पृथक् मुक्ताभरण के रूप में गिना जाता है वैसे ही अनेक दानोंवाली (मुक्तासमूह रूप) मोती की माला भी एक पृथक् मुक्ताभरण के रूप में गिनी जाती है। ठीक भी है, एक मोती से बने आभूषण की अपेक्षा अनेक मोतियों से बने आभूषण में कुछ भिन्न ही शोभा होती है। इसी प्रकार 'सावयवरूपक' के विषय में भी समझना चाहिए। यदि रूपकसमूहात्मक 'सावयवरूपक' की गणना एक स्वतन्त्र रूपकप्रभेद के रूप में नहीं की जाय, तब जो सभी आलङ्कारिक लोग मालोपमा आदि को उपमा आदि के स्वतन्त्र प्रभेद के रूप में गिनते हैं, वह भी न बने, क्योंकि मालोपमा भी अनेक उपमाओं का समूह ही होता है। यद्यपि कुछ लोग कहते हैं कि—जैसे गायों का वर्गीकरण करते समय कपिला आदि की तरह गायों को झुण्ड एक पृथक् वर्ग नहीं माना जाता, वैसे ही रूपकालङ्कार का वर्गीकरण करते समय रूपक समूहात्मक 'सावयवरूपक' को भी पृथक् वर्ग में नहीं गिनना चाहिये, परन्तु ऐसा कहनेवाले उक्त मुक्ताभरण वाले दृष्टान्त से परास्त हो जाते हैं—तार्पर्य यह कि गायों का वर्गीकरण उसके वर्ण को आधार बनाकर किया जाता है, अतः भिन्न-भिन्न वर्णवाली गायों को भिन्न-भिन्न वर्ग में गिनते हैं और नाना तरह के वर्णों वाले उसके झुण्ड को किसी खास वर्ग में नहीं गिनते, पर यहाँ तो वैसी बात नहीं है, अर्थात् अलङ्कारों का वर्गीकरण भिन्न-भिन्न तरह की शोभा को उत्पन्न करने के कारण किया जाता है—वर्गीकरण का आधार कार्य होता है, ऐसी स्थिति में भिन्न तरह के चमत्कार को उत्पन्न करने वाले समूह को भी प्रत्येक से भिन्न अलङ्कार के रूप में गिना जाता है।

सावयवरूपक-मालारूपकयोरेकतरेणापरस्य गतार्थत्वमाशङ्क्य तद्वारकं तयोर्वैलक्षण्यमाह—

एवमस्मात्सङ्घातात्मकात्सावयवान्मालारूपकस्य सङ्घातात्मकत्वेनाविशेषोऽप्येकविषयकत्व-परस्परनिस्पेक्षत्वाभ्यामस्ति महान् विशेषः ।

एवमिति । सावयवस्य पृथग्गणनवदित्यर्थः । अविशेषोऽपीति । अन्वयेऽपीत्यर्थः । एकविषयकत्वेति । मालारूपकनिष्ठावेतौ धर्मौ । सावयव चानेकविषयकं परस्परसापेक्षत्वेति बोध्यम् । 'सावयव' 'माला' चेति द्वावपि रूपकभेदौ रूपकसमूहात्मकौ, तथा च समूहात्मकत्वरूपेण द्वावप्यभिन्नौ, यद्यपि, तथापि सावयवेऽनेके विषयाः ( उपमेयीभूतपदार्थाः ), मालायाश्च एक एव विषयः । एवम् सावयवावयवभूतानि रूपकाणि परस्परसापेक्षाणि, मालावयवभूतानि च तानि मिथो निरपेक्षाणि, इति वैलक्षण्यद्वयमेतत्तयोर्भेदकमिति भावः ।

'सावयवरूपक' और 'मालारूपक' में भेद बताया जाता है—एवम् इत्यादि । ये दोनों अलङ्कार (सावयवरूपक तथा मालारूपक) अनेक रूपकों के समूह रूप हैं अतः यद्यपि दो पृथक् अलङ्कार कहे जाने योग्य नहीं दिखाई पड़ते, तथापि 'रूपक' के दो भिन्नविध प्रभेद के रूप में ये दो अलङ्कार माने जाते हैं और बहुत ठीक माने जाते हैं, क्योंकि समूहात्मक होने से दोनों की एकता सिद्ध नहीं हो जाती—एक (सावयव) में उपमेय अनेक रहते हैं और 'समूह' की एक-एक इकाई (अवयवभूत एक-एक रूप में) परस्पर सापेक्ष रहती है, इसके विपरीत, दूसरे (माला) में उपमेय एक रहता है और 'समूह' की एक-एक इकाई परस्पर निरपेक्ष रहती है। सारांश यह कि—किसी एक अंश में समानता रहने पर भी 'सावयवरूपक' तथा 'मालारूपक', अनेक अंशों में भिन्नता रखने के कारण, दो भिन्न भेद रूपक के होते हैं।

त्रिधा विभक्तेषु रूपकेषु प्रथम सावयवात्मको भेद सोपभेदो निरूपितः, इदानीं द्वितीयं निरवयवात्मक भेद निरूपयितुमाह—

निरवयवं केवलं यथा—

निरवयवस्य यद्यपि लक्षणं न कृतम्, तथापि सावयव-भिन्नरूपकत्वम् निरवयवरूपक-

त्वम्' इति नानाश्रवणस्मिद्ध लक्षणं स्फुटमेवावगम्यते, तस्य च तद्वहणसिद्धस्य भेद-  
स्य केवलमालाहरीं द्वावुपभेदौ, तत्रो प्रथमोपभेदस्य प्रकाशो निर्दिश्यत इति भावः ।

सावयव, निरवयव तथा परम्परित ये तान प्रधान भेद जो पहले रूपक के किए गए थे, उनमें प्रथम भेद (उपभेद-रहित) का निरूपण किया जा चुका, अब द्वितीय भेद का निरूपण किया जाता है—निरवयवम् इत्यादि । 'निरवयव' रूपक का लक्षण यद्यपि पहले करना चाहिये था, पर ऐसा हमलिये नहीं किया गया कि—'निरवयव' इस नाम से ही 'सावयव से भिन्न जो रूपक वह 'निरवयव' कहलाता है—अर्थात् परस्पर अपेक्षा न रखनेवाले रूपकों का समूह 'निरवयवरूपक' है' यह लक्षण ज्ञात हो जाता है, इसके भी दो उपभेद होते हैं—एक केवल और दूसरा माला, उनमें से प्रथम जैसे—

उदाहरणं निर्दिश्यते—

'बुद्धिर्दीपकला लोके यया सर्वं प्रकाशते ।

अबुद्धिस्तामसी रात्रिर्यया जिद्धिन्न भासते ॥'

बुद्धिर्दानम्, दीपक्या प्रदीपज्वाला, अस्तांति शेषः, यया दीपक्या, लोके नमारे, नर्वम् वस्तुजातम्, प्रकाशते ज्ञानं भवति । अपि च, अबुद्धिरानम्, तामसी अन्धकार-  
मयो, रात्रि रज्जिहवा, विद्यते इति शेषः, यया तमोमन्त्रात्रिरव्यष्टुद्रया, जिद्धिन् वस्तु,  
न भासते अज्ञातं तिष्ठतीत्यर्थः ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—बुद्धि' इत्यादि । ज्ञान दीपक की ज्वाला है, जिससे नमारे में सभी चीजें प्रकाशित होती हैं—ज्ञात होती हैं और अज्ञान अन्धकारमय रात्रि रूप है, जिससे कुछ नहीं भासित होता—सभी चीजें अज्ञात रह जाती हैं ।

उपमाव्यति—

अत्र रूपकद्वयमपि सापेक्षरूपकसद्भावात्तन्मन्त्रविरहान्निरवयवम् । मालात्म-  
कत्वविरहाच्च केवलम् ।

'बुद्धिर्दीपक्या— हानि मन्त्रेके बुद्धिर्दीपक्योरेकम् बुद्धिमाननरात्मोश्च द्वितीय रूपकं  
वर्जितम्, एवम् एवम्-मन्त्रोऽप्यास्तिति, परन्तु तन्मन्त्रप्रदक्योरेवो ह्यन्त्रो' परस्पर-  
सापेक्षता नास्तीति सापेक्षरूपकसद्भावात्तन्मन्त्रविरहात् सावयवद्वयवन्प्रसक्तौ निरवयव-  
रूपकव्यतिष्ठति । एवस्मिन्प्रमेयेऽनेत्रोपमानादात्म्यत्वम् । मानस्यकाम्यत्वम्,  
तदभावाच्च केवलत्वमन्त्र रूपकस्य सिद्धयति । बुद्धिर्दीपक्योरेवोपमेयोर्दीपक्या तामस-  
रात्रिरुपमानद्वयतादात्म्यमेवत्र नन्वगठितं क्विनेति भावः ।

उपमाव्यति किया जाता है—अत्र इत्यादि । 'बुद्धिर्दीपक्या—' इस पद में दो रूपक वर्जित है—एक 'बुद्धिर्दीपक्या' का और दूसरा 'अबुद्धि-अन्धकारमयरात्रि' का । हम तरह यहाँ भी यद्यपि रूपकों का समूह है, पर उप समूह के अन्वर्गत दोनों रूपक परस्पर सापेक्ष नहीं हैं, परन्तु परस्पर सापेक्ष रूपकों का समूह यहाँ तैयार नहीं होता, अतः यह 'निरवयव' रूपक का उदाहरण सिद्ध होता है । और वह 'निरवयवरूपक' भी 'केवल' है, क्योंकि यहाँ 'माला रूपता का अभाव है—अर्थात् यहाँ एक उपमेय में एक उपमानों का तादात्म्य नहीं दिखलाया गया है—बुद्धिरव्य उपमेय में दीपक्यारूप उपमान का और अबुद्धिरव्य उपमेय में अन्धकारमयरात्रिरुप उपमान का तादात्म्य दिखलाया गया है ।

निरवयवरूपकस्य द्वितीयोपभेदसद्भावात्—

निरवयवं मालारूपकं यथा—

निरवयवरूपकस्योपभेदसद्भावात् तन्मन्त्र प्रकाशो निर्दिश्यत इति भावः ।

निरवयव रूपक का द्वितीय उपभेद मालारूपक, जैसे—

उदाहरण निर्दिश्यते—

‘धर्मस्यात्मा भागधेयं क्षमायाः सारः सृष्टेर्जीवितं शारदायाः ।

आज्ञा साक्षाद् ब्रह्मणो वेदमूर्तेराकल्पान्तं राजतामेष राजा ॥’

कवि कस्यापि राज्ञश्चिरजीवनमाशंसते—धर्मस्य पुण्यस्य, आत्मा अनन्योपासकत्वेन आत्मरूप, क्षमायाः पृथिव्या तितिक्षाया वा, भागधेयम् सर्वोत्कृष्ट-सरक्षकतया सौभाग्यरूप, सृष्टेः ससारस्य, सार सर्वोत्कृष्टपदार्थरूप, शारदायाः सरस्वत्या, जीवितम् प्रियतरतया प्राणरूप, तथा, वेदमूर्तेः वेदात्मकस्य, साक्षाद् ब्रह्मण अप्रतिहतशक्तित्वाद् वस्तुतो ब्रह्मण, आज्ञा अपरिहरणीयवचनतयाऽऽदेशरूप, एष वर्णनीय कश्चित्, राजा नृप, आकल्पान्तम् कल्पान्तकालपर्यन्तम्, राजताम् विद्योततामित्यर्थ ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—धर्मस्य इत्यादि । धर्म के लिये आत्मस्वरूप, क्षमा ( पृथ्वी अथवा सहनशीलता ) के लिये भाग्यस्वरूप, सृष्टि के लिये साररूप, सरस्वती के लिये जीवनस्वरूप और वेदरूप साक्षात् ब्रह्म ( अर्थात् सर्वनियन्ता ) का आदेश स्वरूप यह राजा कल्पान्त काल तक विराजमान रहे ।

उपपादयति—

एकविषयकनानापदार्थारोपरूपत्वान्मालारूपमिदम् । परस्परसापेक्षत्ववि-  
हाच्च निरवयवम् ।

एकेति । राजेत्यर्थ । विषयेति । उपमेयेत्यर्थ । नानापदार्थेति । धर्मात्म-क्षमाभाग्य-  
सृष्टिसार-शारदाजीवन-वेदान्नेत्यर्थ । आरोपेति । तादात्म्यारोपेत्यर्थ । सापेक्षत्वविहा-  
दिति । एकोपमेयकानेकोपमानतादात्म्यारोपाणाम् मिथो निरपेक्षत्वादिति भाव । ‘धर्म-  
स्यात्मा—’ इति श्लोके राजरूपे एकस्मिन्नुपमेये धर्मात्मादीनामनेकेषामुपमानानां तादा-  
त्म्यमारोपितमिति मालारूपमिदं रूपकं सम्पद्यते । तच्च रूपक निरवयवम्, आरोप्यमाणानां  
तादात्म्यानां मिथोऽनपेक्षत्वादिति भाव ।

उपपादन किया जाता है—एक इत्यादि । ‘धर्मस्यात्मा—’ इस पद्य में जो रूपक  
वर्णित हुआ है उसमें उपमेय एक है और उपमान अनेक—अर्थात् एक राजा में ही धर्म  
की आत्मा आदि अनेक पदार्थों का तादात्म्य आरोपित हुआ है, अतः यह मालारूपक  
है और वे रूपक एक दूसरे की अपेक्षा नहीं रखते—अर्थात् धर्मात्मा आदि पदार्थों में से  
किसी एक का भी तादात्म्य स्वतन्त्ररूप से ( दूसरे के तादात्म्य की अपेक्षा किए बिना )  
राजा में आरोपित हो सकता है, अतः निरवयव है ।

अथेदानीं निरूपणीयस्य रूपकतृतीयभेदस्य तावत्तक्षणमाह—

यत्र चारोप एवारोपान्तरस्य निमित्तं तत्परम्परितम् ।

क्वचिदेकस्मिन् उपमेये तदुपमानतादात्म्यस्य य आरोपस्तद्धेतुको य अपरस्मिन् उप-  
मेये तदुपमानतादात्म्यारोपस्तत् परम्परितरूपकमिति भाव ।

अब रूपक-तृतीय भेद-निरूपण प्रसङ्ग में सर्वप्रथम उसी भेद का लक्षण किया जाता  
है—यत्र च इत्यादि । जहाँ एक आरोप ही दूसरे आरोप का कारण हो वहाँ वह परम्परित  
रूपक कहा जाता है । तात्पर्य यह कि—किसी एक उपमेय में उसके उपमान का तादा-  
त्म्यारोप करने के कारण जो दूसरे उपमेय में उसके उपमान का तादात्म्यारोप हो वह  
परम्परित रूपक होता है ।

प्राग्लक्षितस्य परम्परितस्य द्वौ भेदौ श्लिष्टपरम्परितम्, शुद्धपरम्परितम्, तत्रा-  
द्यस्य लक्षणमाह—

तत्रापि समर्थकत्वेन विवक्षितस्यारोपस्य श्लेषमूलकत्वे श्लिष्टपरम्परितम् ।

तत्रापीति । पूर्वलक्षिते परम्परितेऽपीत्यर्थः । विवक्षितस्येति । क्विनेति भावः । पर-  
म्परितशरीरप्रविष्टयोर्द्वयोरारोपयोर्मध्ये हेतुभूत आरोप समर्थकतया, कार्यभूतधारोप नम-  
र्थ्यतया, क्विविवक्षाविषयो भवति, तत्र समर्थकारोपो यदा श्लेषमूलकः ( श्लिष्टपदोप-  
स्थापितोपमानकः ) यदा समर्थ्य-नमर्थ्यकभावापन्नः स रूपकमूहः श्लिष्टपरम्परित-  
मिति भावः ।

जिसका लक्षण पहले किया गया है, उस परम्परित रूपक के भी दो उपभेद होते  
हैं—एक श्लिष्ट परम्परित और दूसरा शुद्ध परम्परित ( इन दोनों उपभेदों के भी पुनः  
केवल और 'माला' रूप से दो-दो प्रभेद हो जाते हैं, यह ध्यान रखना चाहिए । ) उनमें  
से प्रथम का परिचय कराया जाता है—तत्रापि इत्यादि । अभिप्राय यह है कि—  
“परम्परित रूपक में दो रूपक रहते हैं—अर्थात् दो उपमेयों में अपने-अपने दो उपमानों  
का तादात्म्य- ( अभेद-एकरूपता )-आरोप हुआ रहता है, उनमें से एकरूपक दूसरे रूपक  
का समर्थक रहता है—एक का दूसरा कारण रहता है—एक के बिना दूसरा हो ही  
नहीं सकता” यह बात परम्परित के लक्षण से विदित हो चुकी है । अब यह भी विदित  
होना चाहिए कि—उक्त दोनों रूपकों में से कौन समर्थक हो और कौन समर्थ्य इसका  
निर्णय वक्ता ( कवि ) की इच्छा पर निर्भर करता है—अर्थात् वक्ता जिस ( रूपक ) को  
समर्थक और जिसको समर्थ्य बनाना चाहे—बना सकता है और जिसको समर्थक बनाया  
गया रहेगा वह यदि श्लेषमूलक हो—अर्थात् समर्थक रूपक की उपस्थिति यदि श्लिष्ट-  
पदों द्वारा हुई हो, तब वह श्लिष्ट-परम्परित रूपक कहलाता है । ( इस परिचय में ही  
यह भी ज्ञात हो जाना चाहिए कि समर्थक रूपक की उपस्थिति श्लिष्ट-पदों द्वारा न  
होकर यदि पृथक्-पृथक् दो पदों ( अश्लिष्ट-पदों ) द्वारा हुई हो तब वह शुद्ध परम्परित  
समझा जायगा । )

श्लिष्ट परम्परितरूपकमुदाहरणम्—

यथा—

जैसे—

उदाहरणं निर्दिश्यते—

‘अहितापकरणभेषज नरनाथ भवान् करस्थिनो यस्य ।

तस्य कुतो हि भय स्यादखिलामपि मेदिनीं चरतः ॥’

अहितानाम् शत्रूणाम्, अपकरणम् अपकार, एव, अर्हाना नर्पणाम्, तापकरणम्  
तापोत्पादनम्, तत्र, भेषज ! औषधस्वरूप ! हे नरनाथ गजन ! भवान्, यन्म जनम्य,  
करस्थित लक्षणया सपक्ष, विजत इति शेष, ‘मखिला नमप्राम्, मेदिनीं पृथिवीं, चरत  
ध्रुमत’, तस्य, अहिभयरूपम् हि भय निहितभयम्, उनः उन्माज्जितो, स्याद् भवेत् । न  
भवेदिति भावः ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—अहिताप इत्यादि । हे नरनाथ ! आप ‘अहि-  
तापकरणभेषज’ ( शत्रुओं का अपकार करना ही सर्पों को ताप पैदा करना है उसके  
औषध ) हैं । आप जिनके हाथ में गियन हैं—पक्ष में हैं, उन्में मन्त्रों धरातल पर ध्रुमने  
हुए भी ( ३ ) हि-भयम्’ ( सर्पभय-रूप निहितभय ) बँसे हो सकता है ?

उपपादयति—

अत्र द्वयोरप्यारोपयोः समर्थ्यसमर्थकभावस्य वस्तुतस्तुल्यत्वेऽप्यहितानामपकरणमेवाहीनां तापकरणमिति श्लेषमूलकेनारोपेण राजनि भेषजतादात्म्यारोपस्य समर्थनीयतया कवेरभिप्रायः । अत एव भङ्गश्लेषनिवेदितोऽहिभयाभावोऽपि सङ्गच्छते ।

द्वयोरिति । अहिसम्बन्धितापकरणभेषजारोपयोरित्यर्थः । कवेरिति । प्राधान्यादिति भावः । अत एवेति । भेषजतादात्म्यारोपस्य समर्थनीयतया कवितात्पर्यविषयत्वादेवेत्यर्थः । भङ्गेति । पदच्छेदेत्यर्थः । ( 'कुतो हि भयम्' इत्यत्र 'कुत' अहिभयम्-हि = निश्चितम् भयम्' इत्याकारकेति यावत् ) । 'अहिताप—' इत्यत्र 'शञ्चपकरणे सर्पतापकरणस्य' 'राज्ञि औषधस्य' इति द्वावारोपौ ( द्वे रूपके ) तयोः समर्थ्यसमर्थकभावस्तुल्य—अर्थात् शञ्चपकरणे सर्पतापकरणस्यारोपे प्राक्कृते यथा राज्ञि भेषजस्यारोप सोपपत्तिको भवति, तथैव राज्ञि भेषजारोपे एव प्राक्कृते शञ्चपकरणे सर्पतापकरणस्यारोप सोपपत्तिको जायते इति यद्यपि सत्यम्, तथापि राज्ञि भेषजारोप एव श्लेषमूलकेन शञ्चपकरणे सर्पतापकरणारोपेण समर्थयितुं कवेरभिमत, अत एव 'कुतो हि भयं स्यात्' इत्यंशे 'अहिभय कुतः स्यात्' इत्याकारकेण सभङ्गश्लेषेण बोधितः सर्पभयविरहः सङ्गतो भवति । यदि राज्ञि कृतेन भेषजारोपेण शञ्चपकरणे क्रियमाणस्य सर्पतापकरणारोपस्य समर्थनं कवेरभिमतमविष्यत्, तदा प्रोक्तसभङ्गश्लेषबोधितः सर्पभयाभावो निरवकाश एव प्राप्तजिष्यत् । एवञ्च श्लिष्टपरम्परितत्वं मालारूपताविरहात् केवलत्वञ्चात्र सिद्धमिति भावः ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि । 'अहिताप—' इस पद्य में दो आरोप हुए हैं—एक "—'शत्रुओं के अपकार' में 'सर्पों के ताप उत्पन्न करने का' और दूसरा 'राजा' में 'औषध' का" । यद्यपि इन दोनों आरोपों में समर्थ्य—समर्थकभाव समान है—अर्थात् दोनों ही दोनों के समर्थक और दोनों ही दोनों से समर्थित माने जा सकते हैं, तात्पर्य यह कि जिस तरह 'शत्रुओं के अपकार में सर्पतापकरण' के आरोप करने से 'राजा में औषध का आरोप' करते वन पद्यता है उसी तरह 'राजा में औषध के आरोप करने से शत्रुओं के अपकार में सर्पतापकरण' का आरोप सयुक्तिक होता है, अतः इन दोनों आरोपों में से किसी एक को समर्थ्य अथवा समर्थक नहीं कह सकते, तथापि 'शत्रुओं के अपकार करने' में 'सर्पों को ताप उत्पन्न करने' के श्लेषमूलक आरोपद्वारा 'राजा में औषध' का आरोप कवि को अभिमत है, न कि राजा में औषध के आरोपद्वारा पूर्वोक्त श्लेष-मूलक आरोप का समर्थन । अतएव सभङ्गश्लेष ( कुतः अहिभयम्, हि = निश्चित कुतः भयम् ) द्वारा बोधित सर्प-भय का अभाव सङ्गत होता है । अन्यथा—यदि पूर्वोक्त श्लेषमूलक आरोप ( शत्रु अपकरण में सर्पतापकरणारोप ) का समर्थन करना ही कवि को अभिमत होता तो—आगे सभङ्गश्लेषद्वारा बोधित सर्पभय का अभाव अप्रासङ्गिक हो जाता । इस तरह से यह सिद्ध हुआ कि—यहाँ एक आरोप ही दूसरे आरोप का कारण है, अतः परम्परित और उन दोनों आरोपों में भी समर्थक आरोप का श्लेषमूलक होने से श्लिष्ट परम्परित रूपक का यह उदाहरण अवश्य है । साथ ही मालारूपता के अभाव रहने के कारण यह श्लिष्ट केवल परम्परित रूपक कहा जाता है ।

श्लिष्टपरम्परितं मालारूपमुदाहर्तुमाह—

इदमेव मालारूपं यथा—

इदमेवेति । श्लिष्टपरम्परितमेवेत्यर्थः ।

श्लिष्ट परम्परित मालारूप, जैसे—

उदाहरण निर्देशमाह—

‘कमलावासकासार क्षमाधृतिफणीश्वरः ।

अय कुवलयस्येन्दुरानन्दयति मानवान् ॥’

कवि अपि राजान् स्तौति—कमलाया लक्ष्म्या, वान एव कमलानाम् वारिजानाम्, आवास, तत्र विषये, कामार सरोवररूप, क्षमायाहितितिक्षाया, धृति धारणमेव, क्षमाया पृथिव्या धृति, तत्र विषये, फणीश्वर शोपनागरूप, तथा को पृथिव्या, वलयम् मण्डलमेव, कुवलयम् रात्रिविक्रानिकमलविशेष, तस्य, इन्दुश्चन्द्र, अय वर्णनीयो राजा, मानवान् लोकान् आनन्दयति सुखयतीत्यर्थः । अत्र समर्थककमलावासाद्यारोपस्य श्रेयमूलकस्य चन्द्रारोपे निमित्तत्वाद्वाङ्मि कानारायनेकपदार्यारोपरूपत्वाच्च मालाञ्छिटपरम्परितरूपकतेति भावः ।

उदाहरण का निर्देश क्रिया जाता है—कमला इत्यादि । कवि किसी राजा की स्तुति करता है—यह ( वर्णनीय कोई राजा ) ‘कमलावास’ ( कमला = लक्ष्मी के वास रूप कमलों के आवास ) के विषय में कासार-सरोवर है, ‘क्षमा’ ( सहनशीलता रूप पृथिवी ) के धारण करने के विषय में फणीश्वर-शोपनाग है और ‘कुवलय’ ( भूमण्डलरूप रात्रि विकासी कमलों ) का चन्द्रमा है, अतः मनुष्यों को आनन्दित कर रहा है । यहाँ समर्थक कमलावासादि का आरोप चन्द्र के आरोप में निमित्त होता है तथा एक राजारूप उपमेय में कासार आदि अनेक पदार्थों का आरोप हुआ है अतः यह श्लिष्ट परम्परित माला रूपक का उदाहरण होता है ।

परम्परितद्वितीयभेदस्य प्रथममुपभेदमुदाहर्तुमाह—

शुद्धपरम्परित केवलं यथा—

केवलस्य शुद्धपरम्परितरूपकस्य सम्पत्ते प्रकार उदाहरणमुत्तेन प्रदर्शयति इति भावः ।

शुद्ध परम्परित केवल रूपक, जैसे—

उदाहरण निर्दिश्यते—

‘देवा के पूर्वदेवा समिति मम नरः नन्ति के वा पुरस्ता

देव जल्पन्ति तावन्प्रतिभट-पृतना वर्तिनः । अत्र वीराः ।

यावन्नायाति राजन्नयनविषयनामन्तकत्रासिमुर्ते

मुग्धारिप्राणदुग्धारानमन्त्रुणरुचिस्त्वत्कृपाणो भुजङ्गः ॥’

अर्थशाकिमूलकध्वन्युदाहरणप्रकरणे ( १११ पृष्ठे ) व्याख्यातोऽत्र श्लोकः ।

उदाहरण का निर्देश क्रिया जाता है—देवा इत्यादि । इस पद्य की व्याख्या पहले ( अर्थशाकिमूलकध्वनियों के उदाहरण देते समय, पृ० ११० में ) की जा चुकी है ।

उपपादयति—

अत्रापि भुजङ्गारोपो दुग्धारोपसमर्प्यत्वेनाभिमतः ।

‘देवा के—’ इति श्लोके देवस्य वर्णिते, तत्रैवमिदं रूपकैरिप्राये दुग्धारोपः, द्वितीये च कृपाये भुजङ्गारोपः । प्रथमोपः प्रथम आरोप समर्थकत्वेन द्वितीय समर्थकत्वेन तत्रैवभिधेयः । एवम् परम्परितचमन्य निरूपयति । श्लेषाभावात् शुद्धं मात्वात्मकताविरहात् केवल्यमिदमपि बोध्यम् ।

उपपादन क्रिया जाता है—अत्रापि इत्यादि । ‘देवा के—’ इस पद्य में भी, पद्य में सर्प के आरोप का, प्राणों में दुग्ध के आरोप द्वारा समर्थन करना कवि को अभिप्रेत है । अभिप्राय यह कि—उक्त पद्य में दो रूपक वर्णित हुए हैं—एक ‘प्राण-दुग्ध’ का और

दूसरा 'खड्ग-सर्प' का । इन दोनों रूपकों में से, प्रथम में दुग्ध का आरोप प्राण में किया गया है और द्वितीय में सर्प का खड्ग में । इन दोनों आरोपों में प्रथम को समर्थक और द्वितीय को समर्थरूप से कवि ने उपस्थित किया है अतः यह परम्परित, और श्लेष के नहीं रहने से शुद्ध, तथा मालारूप न होने से केवल रूपक कहा जाता है ।

परम्परितद्वितीयभेदस्य द्वितीयमुपभेदमुदाहर्तुमाह—

तदेव मालारूप यथा—

तदेवेति । शुद्धपरम्परितमेवेत्यर्थः ।

शुद्ध परम्परित मालारूपक, जैसे—

उदाहरणं निर्दिश्यते—

‘प्राचीसन्ध्या समुद्यन्महिमदिनमणौर्मानमाणिक्यकान्ति-

ज्वालामाला कराला कवलितजगत्ः क्रोधकालानलस्य ।

आज्ञा-कान्ता-पदाम्भोरुहतलविगलन्मञ्जुलाक्षारसाभा

क्षोणीन्दो सङ्गरे ते लसति नयनयोरुद्धटा शोणिमश्रीः ॥’

हे क्षोणीन्दो धराचन्द्र ! समुद्यत उदय गच्छत, महिमरूपस्य प्रतापरूपस्येति यावत् दिनमणौ सूर्यस्य, प्राचीसन्ध्या प्रभातवेला, मानरूपस्य आत्माभिमानात्मकस्य माणिक्यस्य मुक्ताविशेषस्य, कान्ति, प्रभा, कवलित भक्षितं दग्धमिति यावत्, जगत्, येन तस्य क्रोधरूपस्य, कालानलस्य प्रलयाग्ने, कराला भयङ्करी, ज्वालामाला ज्वालापङ्क्ति, तथा आज्ञारूपिण्या, कान्ताया, पदाम्भोरुहत्लात् चरणकमलतलात्, विगलत पतत-मञ्जो रमणीयस्य, लाक्षारसस्य यावक्द्रवस्य, आभा कान्ति, इव कान्तिर्यस्यास्तादृशी, उद्धटा उत्कटा, शोणिमश्री आरुण्यशोभा, सङ्गरे युद्धे, ते तव, नयनयोश्चक्षुषो, लसति चकास्तीत्यर्थः । अत्र, तृतीय चरणं निर्णयसागरमुद्रितप्राचीनसस्करणगतपाठानुसारि अयमेव पाठं हिन्दीरसगङ्गाधरकारेणापि स्वीकृतो मयाऽनुमोदित । काशीमुद्रितपुस्तके तु ‘आज्ञा, कान्तापदाम्भोरुहतलविगलन्मञ्जुलाक्षारसानाम्’ इति नाटो दृश्यते । भट्टमथुरानाथोऽपि स्वसम्पादितेऽधुना प्रचुरप्रचारे सस्करणे काशीमुद्रितपुस्तकपाठमेव समावेशयत्, ‘कान्ता-पादलाक्षारसानाम् आज्ञा, तव नयनयो शोणता लाक्षारसानामाज्ञेव शोणतासम्पादयित्री’ इति च तदाशयमाख्यत् । अत्र समर्थकाना दिनमण्याद्यारोपाणा श्लेषामूलकाना सन्ध्या-द्यारोपेषु निमित्तत्वात् शोणिमश्रियां सन्ध्याद्यनेकपदार्थारोपाच्च शुद्धपरम्परितमालारूपकमिदमिति भावः ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—प्राची इत्यादि । हे धराचन्द्र ! जो उदीयमान भवदीय-प्रताप-सूर्य की पूर्व सन्ध्या ( उषःकाल ) है, जो आत्माभिमानरूप मोती की कान्ति है, जो ससार को कवलित ( दग्ध ) करनेवाले क्रोधरूप प्रलयाग्नि की भयङ्कर ज्वालापरम्परा है और जिसकी आभा आज्ञारूप कामिनी के चरणकमलतल से गिरते लाक्षा रस की आभा के तुल्य है, वह अरुणता की उत्कट शोभा, युद्ध में आपकी आखों में शोभित होती है । इस पद्य के तृतीय चरण में जैसा पाठ मैंने रखा है वह निर्णय सागर से मुद्रित सर्व प्राचीन सस्करण का है । हिन्दी रसगङ्गाधरकार ने भी अपर्दिष्ट पुस्तक में इसी पाठ को स्वीकृत किया है । काशीमुद्रित सस्करण तथा भट्ट मथुरानाथ जी सम्पादित सस्करण में तो ‘आज्ञा कान्तापदाम्भोरुहतलविगलन्मञ्जुलाक्षारसानाम्’ ऐसा पाठ उपलब्ध होता है । पर उस पाठ के अनुसार अर्थ ठीक-ठीक बैठता नहीं, यह समझ लेना चाहिए । यहाँ प्रताप आदि में सूर्य आदि के आरोप करने के कारण अरुणता की

शोभा में सन्ध्या आदि अनेक पदार्थों का आरोप हुआ है और श्लेष कहीं नहीं है, अतः शुद्ध परम्परित माला रूपक का उदाहरण यह पद्य होता है ।

अथेदानां नावयवत्परम्परितरूपच्योभेदं दर्शयितुमाह—

यद्यपि सावयवेऽप्यारोप आरोपान्तरस्योपायस्तथापि तत्रारोपातिरिक्तेन कवि समय सिद्ध-सादृश्येनाप्यारोपान्तरसिद्धिः सम्भवति । यथा प्रागुक्ते 'सुन्दरि राकासि नात्र सन्देह' इत्यत्र मौक्तिकादीना तारात्वाद्यारोप विनाप्यौज्ज्वल्यमात्रेणापि सुन्दर्या राकारोपसिद्धेः, इह तु नयनशोणिम्नि ज्वालाद्यारोपोऽनलसमारोप नियमेनापेक्षते । एव 'कारुण्यकुसुमाकाश खल' इत्यत्राकाशखलयो सादृश्यस्याप्रसिद्धतयाऽऽरोपसिद्धयर्थमारोप एवोपाय इति वैलक्षण्यम् । कश्चित्तु बह्वारोपात्मकान् सावयवादारोपद्वयात्मकमेवास्य वैलक्षण्ये व्रीजमित्याह ।

आरोप इति । अत्र आरोपे इति सप्तम्यन्तपाठमर्कान्त्य द्विधा व्याख्या मरलाकारन्यो-चित्ता न प्रतिभाति, प्रथमान्तपाठमर्कान्त्य सरलव्याख्यायां सम्भवात् । अनलनमारोपमिति । यत्र 'राशीति शेष' इति नागेश आह तद् व्रमनूलकमेव । 'श्रीधे इति शेष' इति कथन सार्थाय, मतान्तरमाह-कश्चित्त्विति । अत्रारुचिर्वाज प्रागुक्तरीत्या निर्वाह इति । ननु सावयवे रूपके आरोपाणाम् परस्पर समर्थ्यनमर्थकभावात्मकं कार्यकारणभावस्तिष्ठति, अस्मिन् परम्परितेऽपि च, तथा च कोऽनयोभेद इति चेन्न, 'सुन्दरि राकामि नात्र सन्देह' इत्यादौ नावयवे मौक्तिकादिषु तारात्वाद्यारोपमन्तरापि अौज्ज्वल्यान्मकेन सादृश्येन सुन्दर्या राकारोपस्य सिद्धिः, 'प्राचीनसन्ध्या—' इत्यादौ परम्परिते तु श्लोकादावन्लाद्यारोप विना नेत्रशोणतादौ ज्वालाद्यारोपो न सम्भवतीत्येते भेद, एवम् 'कारुण्यकुसुमाकाश खल-अर्थात् कारुण्यरूपस्य पुष्पस्य दृते खलु आकाश प-आकाशे यथा पुष्पमसम्भवम् तथा गले कारुण्यम् इति दावन्' इत्यादौ परम्परिते कारुण्ये कुसुमारोप विना खले आकाशारोप सम्भवयेव न, आकाशखलयो सादृश्यत्वाप्रसिद्धत्वात्, नावयवे तु नाप्रसिद्धसादृश्यकपदार्थयो रूपमिति द्वितीयोऽपि भेद इत्याशयान् । नावयवे बह्वारोपा परम्परिते तु द्वावेवारोपौ इत्येव तयोभेद इत्यपि कश्चिदिति भावः ।

अथ सावयव रूपक तथा परम्परित रूपक में भेद दिखलाया जाता है—यद्यपि इत्यादि । सावयव रूपक में एक आरोप अन्य आरोप का उपायभूत ( समर्थक ) होता है और इस परम्परित रूपक में भी, अतः इन दोनों में क्या भेद है यह जानना यद्यपि उठती है, पर यह कुछ है नहीं, क्योंकि दोनों में उक्त एक प्रकार की समन्वय रहने पर भी बहुत बड़ा अन्तर है और वह अन्तर यह है कि—सावयव रूपक में आरोप के विना ( केवल ) कवि-समय-विद्व सादृश्य द्वारा भी अन्य आरोप की सिद्धि हो सकती है—अर्थात् यदि एक आरोप का उपायभूत दूसरा आरोप रहे तब भी ठीक और न रहे तब भी काम चल सकता है । जैसे प्रोक्त 'सुन्दरि राकामि नात्र सन्देह' यहाँ मोती आदि में यदि-नारा आदि का आरोप न किया जाय तथापि उज्ज्वलता-भाष्य के कारण सुन्दरी में पूजिता का आरोप सिद्ध हो सकता है । 'इन्नु 'प्राची—' इत्यादि परम्परित रूपक में ऐसा बात नहीं है, यहाँ तो नेत्रों की अस्पता में उज्ज्वलता आदि का आरोप श्रेष्ठ आदि में अग्नि आदि के आरोप की अपेक्षा नियमन रहता है—अर्थात् अग्नि के आरोप के विना ज्वाला का आरोप ही ही नहीं सकता । इसी तरह 'कारुण्यकुसुमाकाश खल'—अर्थात् हुए जन दयान्त्य पुष्प का आकाश है, जसे आकाश में पुष्प असम्भव है वैसे दृष्ट-जन में दया असम्भव है । इस परम्परित में एक आरोप ही दूसरे आरोप का उपाय है—अर्थात् हुए जन में आकाशारोप करने के लिये दया में पुष्प का आरोप करना ही पड़ेगा,



अन्यथा यह रूपक वन ही नहीं सकता, क्योंकि आकाश और दृष्टजन में साक्षात् अप्रसिद्ध है—कोई नहीं जानता कि उनमें क्या समता है। वश, इतने से सावयवरूप तथा परम्परित रूपक में भेद सिद्ध हो गया—दोनों की विलक्षणता ज्ञात हो गई। कालोग कहते हैं कि—‘सावयव रूपक में अनेक आरोप रहते हैं—अर्थात् एक समर्थ्य अनेक समर्थक होते हैं, पर परम्परित में दो ही आरोप होते हैं—अर्थात् एक समर्थ्य एक ही समर्थक होता है’ यही दोनों में विलक्षणता है। पर यह मत उतना मनोऽनुभूत नहीं है। कारण, उक्त रीति से जब दोनों का भेद स्पष्ट हो जाता है तब एक और अनेक आरोप की कल्पना व्यर्थ है।

रूपकप्रभेदगणने न्यूनत्वं परिहरति—

‘काव्यं सुधा रसज्ञानां कामिनां कामिनी सुधा ।

धनं सुधा सलोभानां शान्तिः संन्यासिनां सुधा ॥’

अत्र विषयमालाकृतो न चश्चिन्मत्कारविशेष इति न पृथग्भेदगणनाय गणयते । आरोप्यमाणमाला तु चमत्कारविशेषशालित्वाद्गणयत एव ।

काव्यमिति । रसज्ञानाम् काव्य-रस-रहस्य-मर्मज्ञानाम्, काव्यम् कविकृति-विशेष, सुधा अमृतरूपम्, कामिनाम् कामज्वालामालाकुलचेतसा जनानां, कामिनी कामभाववती रमणी, सुधा अमृतरूपा, सलोभानाम् धनलोलुपानां जनानां, धनं वित्तं, सुधा अमृतरूपम्, तथा, संन्यासिनाम् विषयविमुखानाम् जनानाम्, शान्तिः शमः, सुधा अमृतरूपेत्यर्थः । यस्य यद् वस्तु प्रियं भवति तस्य कृते तदेव वस्तु सुधारूपं जायत इति भावः । अत्रेति । ‘काव्यं सुधा—’ इति श्लोके इत्यर्थः । विषयमालाकृत इति । सत्येकरिम् उपमाने उपमेयसमूहकृत इत्यर्थः । ‘एकस्योपमेयस्य नानोपमानकृतः’ इति मर्मप्रकाशस्तु भ्रममूलक एव । स च भ्रमो नागेशस्य प्रकाशकस्य अन्यस्य वेति तु अन्यत् । न चमत्कार-विशेष इति । अत्र सचेतसामनुभव एव प्रमाणम् बोध्यम् । आरोप्यमाणमालेति । एकस्मिन्नुपमेयेऽनेकोपमानारोपसमूह इत्यर्थः । चमत्कारविशेष इति । अत्रापि प्रमाणं सहृदयानुभव-रूपमेवावगन्तव्यम् । अत्र भावः—‘काव्यं सुधा—’ इत्यादौ यत्रोपमानं सुधादिरूपमेकम् उपमेयानि च काव्यादीन्यनेकानि, तत्र—तथा रूपकस्य कोऽपि भेदः कृतो नास्तीक्रियते यथा ‘धर्मस्यात्मा—’ इत्यादौ प्रागुक्ते-यत्र उपमेयं राजादिरूपमेकम् उपमानानि च धर्मात्मादीनि अनेकानि तत्र—’ इति शङ्का न कार्या, अलङ्कारप्रभेदत्वाङ्गीकारस्य चमत्कार-विशेष-प्रतीतिमूलकतया चमत्कारविशेष शाल्यारोप्यमाणमालास्थले—‘धर्मस्यात्मा—’ इत्यादौ रूपकप्रभेदतास्वीकारेऽपि चमत्कार-विशेषशून्यविषयमालास्थले—‘काव्यं सुधा—’ इत्यादौ तदङ्गीकारे युक्तिविरहादिति ।

उपमान एक हो और उपमेय अनेक तो मालारूपक क्यों नहीं माना जाता, इसका उत्तर दिया जाता है—काव्यम् इत्यादि । ( रसज्ञ जनों के लिये काव्य अमृत है, कामियों के लिये कामिनी अमृत है, लोभियों के लिये धन अमृत है और संन्यासियों के लिये शान्ति अमृत है । ) यहाँ उपमान-अमृत-एक है और उपमेयों (काव्य आदि) की माला है, किन्तु इस माला के कारण कोई खास तरह का चमत्कार उत्पन्न नहीं होता, अतः ऐसी माला, रूपक के भेदों की गणना में पृथग् नहीं गिनी जाती । उपमानों की माला—‘धर्मस्यात्मा—’ इत्यादि पूर्वोक्त स्थल—में तो एक खास तरह का चमत्कार उत्पन्न होता है, अतः उसकी गणना पृथक् रूपक-प्रभेद के रूप में करनी ही पड़ती है ।

सम्प्रति शिष्य-बुद्धि-वैशद्यार्थम् परम्परितरूपकसम्बन्धिविशेषे विचारणीये प्रथमं श्लिष्टपरम्परितसम्बन्धिविशेषं विचारयति—

अथ कथं नाम श्लिष्टपरम्परिते ‘कमलावासकासारः’ इत्यादावेकस्यारोप-

स्यारोपान्तरोपायत्वम् । यतः श्लेषेण कमलानामावासस्य कमलाया वासस्य चाभेदमात्रमत्र प्रतीयते, नैकत्रान्यारोप । तस्य स्वतन्त्रविषयनिर्देशापेक्षत्वात् । न च शुद्धाभेदप्रत्यय एवारोप । विषयनिगरणात्मिकायामतिशयोक्तावपि तत्प्रसङ्गात् । न च शुद्धाभेदप्रत्ययेनात्रार्थः यत्सम्बन्धिनि यत्सम्बन्ध्यभेदस्तस्मिन्स्तदभेद इति 'कमलावासकासार' इत्यादौ राजनि कासारारोपो राजसम्बन्धिनि लक्ष्म्याश्रयत्वे कासारसम्बन्धिसरोजाश्रयत्वाभेदारोपेण समर्थयितुं शक्यः श्लेषेण तु पुनर्लक्ष्म्याश्रयत्वसरोजाश्रयत्वयोरभिन्नत्वेन प्रत्ययादभिन्नधर्मनिबन्धनो राजकासारयोरप्यभेदप्रत्ययः स्यात्, न तु राजनि विषये कासारविषयिकस्यारोपस्य प्रकृतस्य सिद्धिः । इमावभिन्नावित्याद्याकारस्य शुद्धाभेदप्रत्ययस्याप्रकृतत्वात्प्रागुक्त आरोपो मृग्य । स च न श्लेषसाध्य इति । सत्यम् । श्लेषेण शुद्धाभेदप्रतीती सत्यां प्रकृतारोपसमर्थनायान्तरा मानसस्य राजसम्बन्धिनि कासारसम्बन्ध्यभेदारोपस्य कल्पनान्नानुपपत्तिः ।

तत्त्वेति । एकत्रान्यारोपस्येत्यर्थः । नृग्य इति । अन्वेषणीय इत्यर्थः । नाधनीय एव नाधुनापि सिद्ध इति तद्भावः । शब्दाया युक्तत्वमङ्गीक्रियते—सत्यमिति । समाधत्ते—श्लेषेणेत्यादिना । नानुपपत्तिरिति । अत्र 'अत्रेदं चिन्त्यम्—कमलावानेनाय राजा कागार-इत्यादौ यया श्लेषमूलकाभेदाध्यवसानेनैव नाधारणधर्ममादाय राजकासारयोः उपरस्य गाम्भीर्येण सनुदोऽयमित्यादाविव, सम्भवस्तद्वत्कमलावानकासार इत्यादावपि सम्भवात् किमर्थोऽयं क्लेशः । साधारणधर्मज्ञानस्य चाभेदारोपप्रयोजकत्वात् । इदमेव चास्योपायत्वमारोपे एतन्मूलीभूतसाधारणधर्ममपत्तिः । साधारणधर्ममपत्तिः आरोपेणैवेत्यत्र न किञ्चिन्मानम् । समर्थके रूपकव्यवहारस्तु भाक्तः । तदापि श्लेषेषु सादर्यमूलकत्वाभावादावश्यकः । एवञ्च 'कारुण्यकुमुनाकाश खल' इत्यादौ वक्ष्यमाणान्योन्याश्रयोऽपि न । खलाकाशरूपकोपयुक्तकारुण्यकुमुनयोरभेदस्येच्छाधीनाहार्यस्य सम्भवेन तावत्तवोपपत्तेः । न तु समर्थकारोपे सादर्यमूलकत्वमावश्यकमित्यनुपपत्तेर्वोक्तम् । एतेन स्वादेतदित्यादिना सौजन्यचन्द्रिकाचन्द्र इत्यत्रत्य पूर्वपक्षममाधाने परान्ते । अस्मदुक्तरोन्या पूर्वपक्षत्वंवाभावादिति ।' इति रुचिरमाह नागेशः । अयं भावः—'कमलावासकासार' इत्यादौ श्लेषपरम्परितोदाहरणतयाऽभिमते स्थले 'कमलावान' इति समर्थकाशे स्वतन्त्रतया विषयस्य ( उपमेयस्य ) लक्ष्मीवागात्मकस्य निर्देशाभावे स्वतन्त्रविषयनिर्देशनापेक्षस्य एकत्र ( उपमेये = लक्ष्मीवासे ) 'त्रन्या-( उपमानं सरोजावामा ) रोम्य न प्रतीतिः, श्लेषस्तु उपमानोपमेययो ( कमलानामावागन्त्य कमलाया वासस्य च ) अनेनमात्र प्रत्यावृत्तिः, तथा च श्लेषपरम्परिते एक आरोप आरोपान्तरस्योपायो भवतीति क्वा रूपं सज्जता ? शुद्धाभेदप्रतीतिरवारोपपदार्थत्वं तु स्वोक्तुमगम्यमेव, उपमेयनिगरणस्यायामतिशयोक्तावपि शुद्धाभेदप्रतीत्या स्पष्टनियतस्वारीपस्य प्रसङ्गात्पत्तेः । त्रिमात्रं शुद्धाभेदप्रतीत्या मितायधिपित प्रयोजनं सैद्धमपि नार्हति, यतः 'यत्सम्बन्धिनि यत्सम्बन्ध्यभेदस्तस्मिन्स्तदभेदः' इत्याद्यानुगारेण प्रकृते प्रथमतस्तदाश्रयराजसम्बन्धिनि कमलाया वासस्ये ( लक्ष्म्याश्रयत्वे ) द्वितीयतस्तदाश्रयराजसम्बन्धिनि कमलानामावागन्त्यस्य ( सरोजाश्रयत्वस्य ) श्लेषमूलकेऽभेदे प्रतीति तद्वत्त्वेन प्रथमतस्तदाश्रये गतिः द्वितीयतस्तदाश्रयस्य राजात्म्याभेदप्रतीतिः, न तु राजरूपे उपमेये कागाररूपस्योपमानस्य रूपरूपस्यैवतामित्यामत्र 'आरोप' इति 'नभिर्षा' इत्याकारकेन शुद्धाभेदप्रत्ययेनारोपस्यापि सादर्यत्वात् । परम्परित्यक्त-

लङ्कारतानियामको राज्ञि कासारारोपसुराजसम्बन्धिलक्ष्म्याश्रयत्वे ( कमलाया वासत्वे कासारसम्बन्धिसरोजाश्रयत्वा(कमलपुष्पावासत्वा)भेदारोपेण समर्थयितुं शक्यः, च न श्लेषसाध्य इति शङ्कायां समाधानमिदं यत् श्लेषेण लक्ष्मीवास-कमलपुष्पावासयोः शुद्धाभेदप्रतीतौ जाताया परम्परितरूपकालङ्कारतानियामकस्य राज्ञि कासारारोपस्य समर्थनाय मध्ये राजसम्बन्धिनि लक्ष्म्याश्रयत्वे कासारसम्बन्धिसरोजाश्रयत्वाभेदारोपमानसः कल्प्यत इति न किञ्चिदसमञ्जसमिति ।

परम्परित रूपक-सम्बन्धि कुछ विशिष्ट बातों पर विचार करने के प्रसङ्ग में पाश्चिमात्य परम्परित रूपक सम्बन्धि विशेषों का विचार किया जाता है—अथ इत्यादि विचार यहाँ यह करना है कि—‘कमलावासकासारः’ इत्यादि श्लेष परम्परित रूप में एक अर्थात् कमला ( लक्ष्मी ) के निवास में कमलों के निवास का—आरोप, अर्थात् राजा में सरोवर के—आरोप का उपाय ( समर्थक ) कहा जाता है, वह बंधन सङ्गत होता है ? कारण, यहाँ श्लेष से ‘कमला के वास’ और ‘कमलों के आवास’ केवल अभेद ही ज्ञात होता है, एक का दूसरे में आरोप नहीं । क्योंकि आरोप के उपमेय का स्वतन्त्र रूप से निर्देश अपेक्षित है—अर्थात् जहाँ उपमेय तथा उपमान बोधक दो पृथक् पृथक् पद उच्चरित रहते हैं वहाँ उपमेय में उपमान का आरोप अवगत होता है, अन्यथा नहीं । तात्पर्य यह कि—‘कमलावासकासारः’ आदि में एक पद श्लेष द्वारा दो अर्थों का एक साथ ज्ञान होने से उन दोनों अर्थों का अभेद ज्ञात होना पर भी उनमें से एक अर्थ का दूसरे अर्थ पर आरोप विदित नहीं होता । यदि कोई शुद्ध-अभेद-प्रतीति को ही आरोप कहना चाहे, तो वह बन नहीं सकता, क्योंकि इस कथन के अनुसार अतिशयोक्ति में भी जहाँ उपमेय निर्गीर्ण रहता है ( उपमेय का भी बोध उपमानवाचक पद से ही होता है )—उस आरोप का व्यवहार होने लगेगा, जिसका व्यवहार रूपक में ही आलङ्कारिक लोग करते आए हैं । दूसरे, शुद्ध-अभेद प्रतीति से यहाँ का अभीष्ट प्रयोजन सिद्ध भी नहीं हो सकता । कारण, ‘जिसके सम्बन्धी में जिसके सम्बन्धी का अभेद हो उसमें उसका अभेद होता है’ इस न्याय के अनुसार कमला-वास और कमल-निवास के अभेद से तदात्मक साधारणधर्ममूलक अभेद ही राजा और सरोवर का सिद्ध हो सकेगा, न कि राजारूप उपमेय में सरोवररूप उपमान का वह आरोप जो यहाँ प्रस्तुत है—रूपक की सिद्धि में ‘जिसकी अपेक्षा है, उस आरोप का समर्थन तो तब हो सकता था यदि राजा से सम्बन्ध रखनेवाले कमला वासत्व ( लक्ष्म्याश्रयत्व ) में सरोवर से सम्बन्ध रखनेवाले कमल-निवासत्व ( सरोजाश्रयत्व ) का अभेदारोप सिद्ध होता, पर श्लेष से वह ( अभेद का आरोप ) सिद्ध होता नहीं, उससे तो केवल अभेद की ही सिद्धि होती है और जहाँ शुद्ध अभेद ही प्रतीत होता है वहाँ आरोप की बात ही असङ्गत है, जैसे—‘ये दोनों अभिन्न हैं’ इस कथन से दोनों में अभेद की प्रतीति होने पर भी आरोप की प्रतीति नहीं होती, अतः ‘कमलावासकासारः’ में परम्परित रूपक को सिद्ध करनेवाला ‘यह एतद्रूप है’ इस व्यवहार का नियामक आरोप अन्वेषणीय ही है । यह हुआ एक प्रश्न, और इसका उत्तर यह है कि आपका कथन सत्य है, पर शब्द से श्लेष द्वारा जब लक्ष्मीवासत्व और सरोजावासत्व का अभेद सिद्ध हो जायगा, तब बीच में मनद्वारा उन दोनों में से प्रथम का दूसरे में आरोप हो जाने की कल्पना कर ली जायगी और ऐसी कल्पना इसलिये कर ली जायगी कि राजा में सरोवर का आरोप जो शब्दतः सिद्ध है उसका समर्थन हो सके । और उसका समर्थन आरोप से ही हो सकता है केवल अभेद से नहीं, यह बात पहले लिखी जा चुकी है । तात्पर्य यह कि—कवि ने यहाँ राजा में सरोवर के शब्दतः कथित आरोप का समर्थन करने के लिये ही ‘कमलावास’ पद में श्लेष किया है और उस श्लेष से आरोप की

प्रतीति न होने के कारण अभीष्ट समर्थन हो नहीं पाता, अतः अगत्या शब्द केवल अभेद की प्रतीति होने पर भी समर्थक भाग में मानन आरोप की कल्पना करनी पड़ती है। ऐसी कल्पना करने पर सब बातें बन भी जाती हैं। नागेश का कथन यहाँ यह है कि—'यद्यपि समुद्र की गम्भीरता और किसी मानव की गम्भीरता दो वस्तु हैं, तथापि एक शब्दोपात्त होने के कारण उन दोनों गम्भीरताओं को एक मानकर 'गम्भीरता से यह मनुष्य समुद्र है' इत्यादि स्थल में श्लिष्ट गम्भीरतात्मक साधारणधर्ममूलक समुद्ररूपक जैसे सिद्ध होता है वैसे ही 'कमलावास के कारण यह राजा सरोवर है' इत्यादि स्थलों पर भी श्लिष्ट एक शब्दोपात्त कमला लक्ष्मी के वास और कमलों के आवाम को एक धर्म मानकर सरोवररूपक सिद्ध होता है, फिर इसी तरह 'कमलावासकासार' इत्यम प्रकृत परम्परित रूपकस्थल में भी कार्य चल ही सकता है, अतः पण्डितराज की मानन आरोप वाली कल्पना व्यर्थ है। साधारणधर्म ज्ञान को अभेदारोप का साधक सभी मानते ही हैं। श्लिष्ट परम्परितरूपक में 'एक आरोप दूसरे आरोप का उपायभूत रहता है' इस कथन का भी अभिप्राय यही है कि द्वितीय आरोप के मूलभूत साधारण धर्म की सिद्धि श्लेष से हो जाती है। साधारणधर्म की सिद्धि आरोप करने पर ही हो इसमें कोई प्रमाण नहीं है। तब रही बात यह कि श्लिष्ट परम्परितस्थल पर समर्थकाश में रूपक का व्यवहार कैसे बनेगा? क्योंकि वहाँ आरोप आप नहीं मानते और रूपक आरोप के बिना होता नहीं। यात यह सत्य है। पर उत्तर भी इसका यह सत्य ही है कि—समर्थकाश में जो वहाँ रूपक व्यवहार होता है वह गौण है, वान्तविक नहीं और यह बात आपको मानन आरोप की कल्पना करने पर भी माननी ही पड़ेगी, क्योंकि उम तरह से आरोप के सिद्ध हो जाने पर भी वह आरोप सादृश्यमूलक नहीं ही होगा और सादृश्यमूलक आरोप को ही आप हम सभी रूपक मानते हैं। इस मेरी रीति के अनुसरण करने पर 'कारुण्यकुसुमाकाश खल' इत्यादि स्थलों पर जो आपने आगे अन्योन्याश्रय दिखलाया है उसका भी अवसर नहीं आता। कारण, खल में आकाशरूपक की सिद्धि के लिये अपेक्षित साधारणधर्म का ज्ञान कारुण्य और कुसुम में इच्छार्थान आहार्य अभेद मान लेने पर ही हो जाता है। समर्थक अश में सादृश्यमूलकता आवश्यक नहीं है यह बात तुरत कही जा चुकी है। इस रीति के अनुसार वे शङ्खामाधान भी समाप्त हो जाते हैं जिनका उध्यान पण्डितराज ने 'स्यादेतत्' से आरम्भ कर 'सौजन्य-चन्द्रिकाचन्द्र.' में किया है। कारण इस रीति के अनुसार वहाँ पूर्ववत् ही—जो दिखलाया गया है—नहीं उठता।'

गुह्यपरम्परिते विशेषं विचारयति—

कथं तर्हि परम्परितरूपके 'सौजन्यचन्द्रिकाचन्द्रो राजा' इत्यादी रूपकत्वम्, अभेदारोपस्य सत्त्वेऽपि तस्य सादृश्यमूलकत्वाभावादिति चेन्, न। समर्थकारोपेण धर्मैक्यमम्पादने सादृश्यस्य निष्प्रत्यूहत्वान्।

तर्हि तदा । नमव्यारोपस्य समर्थकारोपदेतुस्त्वाङ्गकारे इति वाच्ये । सौजन्येति । सौजन्यम् गुणता, तस्या या चन्द्रिका चन्द्रज्योत्सवा, तस्या कृते, चन्द्र चन्द्रो राजा नृप इत्यर्थः । तन्मेति । श्रमेदारोपस्यैक्यम् । भावाभिनि । समर्थकारोपस्यैक्यत्वादिति भावः । अत्रयति—नेति । तत्र अनुमाह—समर्थकारोपेनेति । चन्द्रिकायां सौजन्यानेगरोपेनेति तदर्थः । 'सौजन्य—' इत्यत्र गारो चन्द्राभेगरोप इति वाच्यम्, किन्तु तन्वारोपस्य मूलम् न सादृश्यम्, अपि तु चन्द्रिकायां सौजन्यानेगरोप, तथा च कथमिदम् 'सत्यम्' ? सादृश्यमूलकगरोपस्यैव परम्परितरूपकत्वात् इति शङ्खामाधान, चन्द्रिकायां सौजन्यत्वाभेदे नमारोपिते चन्द्रिकासौजन्ययोरेक्ये सिद्धयति, तथा चैक्य-

पन्नसौजन्य-चन्द्रिकात्मकसाधारणधर्मप्रयोज्यसादृश्यं चन्द्रराज्ञोर्निष्प्रत्यूहमिति सिद्ध तयो-  
रभेदारोपस्य सादृश्यमूलकत्वमिति समाधानदलाशय इति भावः ।

शुद्ध परम्परित रूपक सम्बन्धी विशिष्ट विचार किया जाता है—कथमित्यादि । आप  
कहेंगे—जब आप परम्परितस्थल में समर्थ्य आरोप का मूल समर्थक आरोप को मानते  
हैं तब 'सौजन्यचन्द्रिकाचन्द्रः—अर्थात् राजा सुजनतारूप चाँदनी के लिये चन्द्रमा है'  
इत्यादि शुद्ध परम्परित रूपक में सामान्य रूपक का लक्षण ही कैसे सङ्घटित होगा,  
क्योंकि आप के हिसाब से, राजा में जो चन्द्र का अभेद आरोपित हुआ है उसका मूल  
सादृश्य न हो कर चाँदनी में सुजनता का अभेदारोप है और रूपक के सामान्य लक्षण  
में सादृश्यमूलक आरोप का ही रूपक होना कहा गया है । पर यह कथन कुछ महत्त्व  
नहीं रखता । कारण, समर्थक आरोप—अर्थात् चाँदनी में सुजनता का अभेदारोप-जब  
कर दिया जायगा तब चाँदनी और सुजनता एक धर्म रूप हो जायगें और इसतरह  
एक बने इस साधारण धर्म के कारण राजा और चन्द्र में सादृश्य निर्विघ्नरूप से सिद्ध  
हो जायगा, फलतः इस स्थिति में राजा में चन्द्राभेदारोप का मूल सादृश्य को मानने  
में कोई बाधा नहीं रह जाती है ।

पुनरपरविध रूपकसम्बन्धि-विचार-विशेषं विधातुं शक्नुते—

स्यादेतत् । सौजन्यचन्द्रिकाचन्द्र इत्यत्र तत्पुरुषावयवे समानाधिकरण-  
तत्पुरुषे चन्द्रिकायामभेदसंसर्गेण सौजन्यस्य विशेषणत्वात्प्रतीयमानश्चन्द्रिका-  
गतः सौजन्याभेदो न राजनि चन्द्राभेदात्मकं रूपकं समर्थयितुं प्रभवति,  
यत्सम्बन्धिनि यत्सम्बन्ध्यभेद-इत्यादिप्रागुक्तन्यायात् । अपि तु सौजन्ये विषये  
चन्द्रिकाभेदः । यथा—'सौजन्यं ते धराधीश ! चन्द्रिका त्वं सुधानिधिः ।' स च  
दुरुपपाद् एव । न चानयोः समानवित्तिवेद्यत्वान्नानुपपत्तिरिति शक्यं वक्तुम्,  
प्रात्यक्षिके हि सामग्र्यास्तुल्यत्वात्तत् । न तु शाब्दबोधे व्युत्पत्तिवैचित्र्य-  
नियन्त्रिते । एवमन्यत्रापि कथं समासगत-शुद्ध-परम्परिते द्वयोरारोपयोर्निर्वा-  
ह्य-निर्वाहकभावः ? कथं च शशिपुण्डरीकमित्यादौ पुण्डरीकरूपकमुच्यते ?  
पुण्डरीकाभेदात्मकस्य पुण्डरीकताद्रूप्यस्याभानात् । शश्यभेदप्रत्ययाच्च पुण्डरीकं  
शशीत्यत्रैव शशिरूपकमुच्यताम् । एवं नीलिमदिव्यतोये तारावलीमुकुलमण्डल-  
मण्डिते षोडशकलादलमङ्कभृङ्गमित्यत्राप्युत्तरपदार्थे पूर्वपदार्थाभेदस्यैव भाना-  
त्पूर्वपदार्थरूपकापत्तिः ।

तथा—

'सुविमलमौक्तिकतारे धवलांशुकचन्द्रिकाचमत्कारे ।

वदन-परिपूर्णचन्द्रे सुन्दरि ! राकासि नात्र सन्देहः ॥'

इत्यत्र सुन्दर्या विषयभूतायां राकातादात्म्यावगमात्स्फुटमेव तावद्राकारूपकम् ।  
तत्र चरणत्रयगतानि रूपकाणि राकारूपकानुगुणतयोपात्तान्यपि नानुगुण्यमा-  
चरन्ति । ताराचन्द्रिका-पूर्णचन्द्राणां मौक्तिक-धवलांशुक-वदनाभिन्नत्वे सिद्धेऽपि  
न सुन्दर्या राकातादात्म्यं सेद्धमीष्टे प्रत्युत विपरीतं राकायां सुन्दरीताद्रूप्यं,  
तेषां राकासम्बन्धित्वात् सर्वमेव व्याकुलमिति ।

तत्पुरुषावयवे इति । तत्पुरुषसङ्घे इति यावत् । समानाधिकरणतत्पुरुषे इति । कर्म-  
धारये इति भावः । सौजन्यचन्द्रिकापदयोरिति शेषः । चन्द्रिकाऽभेद इति । चन्द्रा-  
भेदात्मकं रूपकं समर्थयितुं प्रभवतीत्यस्थानुषङ्गः । 'सौजन्यं ते—' इति । हे धराधीश

पृथिवीपते । ते तव, सौजन्यम्, चन्द्रिकाज्योत्सनाम्पम्, अतः, त्वम्, सुधानिधि चन्द्ररूप इत्यर्थः । स चेति । स तु इत्यर्थः । दुरुपपाठ इति । सौजन्यचन्द्रिकेत्यत्रेति भावः । अनयोरिति । अभेदयोरित्यर्थः । चन्द्रिकागतसौजन्याभेद-सौजन्यगतचन्द्रिका-भेदयोरिति स्पष्टार्थः । समानवित्तांति । समाना तुल्या एकेति यावत्, चा वित्ति ज्ञानमाधनभूता सामग्री, तद्वेद्यन्वादिति भावः । प्रात्यक्षिके इति । चक्षुरादिजन्यज्ञाने इत्यर्थः । तदिति । तुल्यवित्तिवेद्यन्वमित्यर्थः । व्युत्पत्ति इति । कार्यकारणभावेत्यर्थः । नियन्त्रित इति । नियमित इत्यर्थः । अन्यत्रापीति । उदाहृतातिरिक्तस्थलेऽपीत्यर्थः । उदाहृतस्थले एव शब्दे—कथं चेति । चस्त्वर्थः । 'सुविमल—' इति । व्याख्यातमिदं प्रागेव । चरणत्रयगतानीति । इतोऽप्रे यद्यपि 'राकारूपकाण्यनुगुणतया' इत्येव पाठः प्राप्तमस्करणेपृ-पलभ्यते, तथापि नामौ पाठः सङ्गतो मम प्रतिभात इति मूलोक्तं पाठः कल्पित इति बोध्यम् । सेदुमीष्टे इति । सम्पत्तुं प्रभवतीत्यर्थः । सुन्दरीतादृश्यमिति । सेदुमीष्टे उच्यते-नुपपन्न । तत्र हेतुमाह—तेषामिति । सर्वमेवेति । रूपप्रकरणोक्तमिति भावः । इतः प्राक् 'इति' पदमध्याह्वयम् । इति पूर्वपक्षसमाप्तिमूचकः । अयं भावः—'सौजन्यचन्द्रिका-चन्द्रो राजा' इत्यत्र राजरूपोपमेये चन्द्ररूपोपमानाभेदान्मन्व्य रूपस्य सौजन्यरूपोप-मेयगतेन चन्द्रिकारूपोपमानाभेदेन समर्थनात् परम्परित-पक् समर्थनीयम्, तस्य तदेव सम्भवति यदि 'सौजन्यं ते धराधीश चन्द्रिका—' इत्यादिव्यस्तन्पल एव सौजन्ये चन्द्रिकाभेदः प्रतीयते । परन्तु प्रागुक्ते नमस्तत्स्थले तस्मिन् तदभेदः । प्रत्येतुमशक्यं, यतः तत्र 'सौजन्यं चन्द्रिका' इति विग्रहः जायमाने र्मधारयमनासे चन्द्रिकायामभेदेन नन्व-न्धेन सौजन्यस्य विशेषणत्वात् चन्द्रिकागत सौजन्याभेद एव प्रतीयते, न तु सौजन्य-गतचन्द्रिकाभेदः । चन्द्रिकागतसौजन्याभेदेन च प्रतीयमानेन चन्द्रे राजाभेदस्य समर्थन-स्यात् न तु राज्ञि चन्द्राभेदस्य, 'यत्नम्यन्धिनि यन्मन्वन्ध्यभेद -' इति प्रागुक्त्यायात् अर्थात् चन्द्रसन्धिचन्द्रिकाया प्रतीयमाने राजनम्यन्धिसौजन्याभेद-चन्द्रे राजाभेदस्य निमित्तं भवेत् । एव च उच्यते चन्द्ररूपकम् ? ननु चन्द्रिकाया सौजन्याभेद-सौजन्ये चन्द्रिकाभेदश्च तुल्यवित्तिवैशौ-प्रत्यात् तयोरेकस्मिन्भेदे इतिऽपरोऽप्यभेदो विगत एव, यथा—'रक्तो घटः' इत्यत्र घटे दृष्टे तदीय रूपमपि दृष्टं भवत्येव, प्रतो न त्रिगुणमण्ड-मिति चेत्, प्रात्यक्षिके ज्ञाने तथा सम्भवेऽपि शाब्दबोधे तदसम्भवात् । रक्तो घट इत्यादि-प्रत्यक्षरूपले-पघटयो प्रत्यक्षस्य कारणीभूता नामग्री चक्षुरादिषु पाठ्येति तत्र सम्भवति पठतदीयपयोस्तुल्यवित्तिवेद्यन्वम्, 'सौजन्याभिप्रा चन्द्रिका' 'चन्द्रिका-भिप्रा सौजन्यम्' इत्याकारयोः शाब्दबोधोस्तु मन्वादिषु नामग्री नैरा, नामग्री-घटयोः । 'सौजन्यपदोत्तरचन्द्रिकापदत्व'-'चन्द्रिकापदोत्तरसौजन्यपदत्व'पदयोगात्-भा-गनयोर्भिन्नत्वादिनि तत्र तुल्यवित्तिवेद्यन्वम् न सम्भवति तावन्मिति । परन्तो न चैतत् 'सौजन्यचन्द्रिकाचन्द्रो राजा' इत्यत्र, अपि तु न्वेदु मन्वागतपुस्तकपरम्परित-पठ-रूपेणैव नमपेक्षितो त्वांगोपयोर्निर्वाण निर्वाहभावो दुष्परत् । एवम्, 'जगिपुत्र-सौक्यम्' 'नीलिमदिभ्यतोपे' 'तागवत्सुज्जमष्टमिज्जने' 'पौञ्जरागवत्सु' 'यत्सु' इत्यादिषु पदस्यैवैषु पुष्टरीत-दिभ्यतोप-तुष्टमष्टम-ज्ज-मन्वागतोत्तरस्यार्थं पर-त्यवतरागन्ति, जगि-नीलिम-तागवत्सु-पौञ्जरागवत्सु-यत्सुस्यार्थं पदस्तरागन्ति, पूर्वोत्तरान्ता नर्वत्र पूर्वपदाथेषु मन्वादिषु उक्तपदार्थानाम् पुष्टरीतार्थानामभेद-प्रत्यवत्, उतरवत्सु पुष्टरीतार्थे पूर्वपदार्थानाम् मन्वादिषु नामभेद-प्रत्यवत् ।

इत्यमेव सुविमल—' इत्यत्रापि प्रागुक्तयुक्त्यैव तारा ( चन्द्रिका ) पूर्णचन्द्रात्मकेषूत्तरपदार्थेषु मौक्तिक ( धवलांशुक ) वदनरूपपूर्वपदार्थाभेद एव प्रतीयेत, तथा च तानि पूर्वपदार्थरूपकाणि स्युः, तादृशानि च तानि रूपकाणि चरम सुन्दर्या राकारूपक न समर्थयितुं समर्थानि, अपि तु राकाया सुन्दरीरूपकमेव समर्थयितुं समर्थानि, प्रागुक्तन्यायात् । न चास्तु तथैव, का हानिस्तावतेति वाच्यम्, 'सुन्दरि राकासि' इत्युक्त्योपमेयाया सुन्दर्या राकातादात्म्यावगमे राकारूपकस्यैव कविविवक्षितत्वावगमात्, तदनुगुणतयोक्तत्वाद् अन्या शेष्वपि उत्तरपदार्थरूपकाणामेवेष्टत्वात् । इत्थं च रूपकप्रकरणोक्त सकलोऽपि सिद्धान्तः कल्पित इति ।

रूपक के सम्बन्ध में कुछ विशिष्ट सिद्धान्त स्थिर करने के लिये शंका की जाती है—स्यादेतत् इत्यादि । इतने पर भी यह शंका की जा सकती है कि—पूर्वोक्त 'सौजन्य चन्द्रिकाचन्द्रो राजा' इस शुद्ध परम्परितरूपक के उदाहरण में दो समास हैं—एक 'सौजन्य चन्द्रिका' शब्द में और दूसरा इस शब्द को 'चन्द्र' शब्द के साथ जोड़ने में । ये दोनों ही समास यद्यपि तत्पुरुषसंज्ञक हैं, पर प्रथम समास तत्पुरुष का अवयव होने पर भी समानाधिकरण—समानविभक्तिकपद—युक्त होने के कारण एक भिन्न सज्ञा (कर्मधारय) का भाजन हो जाता है और दूसरा तत्पुरुष (पष्ठीतत्पुरुष) ही कहा जाता है । इस कर्मधारय में अर्थात् 'सौजन्य-चन्द्रिका'पदार्थ में 'सौजन्य'पदार्थ अभेदसंबन्ध से 'चन्द्रिका'पदार्थ का विशेषण होता है । तात्पर्य यह कि—'सौजन्य' विशेषण है और 'चन्द्रिका' विशेष्य । अतः 'सौजन्य-चन्द्रिका' पद के द्वारा 'चन्द्रिका' में 'सौजन्य' का अभेद प्रतीत होता है, न कि 'सौजन्य' में 'चन्द्रिका' का । वह अभेद ( चन्द्रिका में सौजन्य का अभेद ) 'राजा' में 'चन्द्र' के अभेदरूप रूपक का समर्थन नहीं कर सकता, अपि तु 'चन्द्र' में 'राजा' के अभेद का समर्थन कर सकता है । अभिप्राय यह कि—जब समर्थकरूपकभाग में उपमेय (सौजन्य) का उपमान (चन्द्रिका) में अभेद ही समासमर्यादा से अवगत होता है, तब समर्थ्य रूपक (राजा और चन्द्र) भाग में भी वैसा ही होना उचित है—अर्थात् समर्थकरूपक अपने से विपरीत रूपक का समर्थन नहीं करेगा । और 'जिसके सम्बन्धी में जिसके सम्बन्धी का अभेद हो, उसमें उसका अभेद होता है' इस पूर्वोक्त न्याय के अनुसार भी उक्त रीति की ही पुष्टि होती है—अर्थात् 'सौजन्य' राजा का सम्बन्धी है और 'चन्द्रिका' चन्द्र की सम्बन्धिनी, उन दोनों में जिसका जिसमें आरोप (अभेद) प्रतीत होगा, उसके सम्बन्धियों में वह आरोप उसी क्रम से प्रतीत होगा । यहाँ कर्मधारय समास के अनुसार सौजन्य के विशेषण और चन्द्रिका के विशेष्य होने के कारण, सौजन्य का चन्द्रिका में अभेद प्रतीत होता है—सौजन्य का उपमान होना और चन्द्रिका का उपमेय होना विदित होता है । इस हिसाब से समर्थ्य भाग में भी राजा का अभेद चन्द्र में प्रतीत होगा—राजा का उपमान होना और चन्द्र का उपमेय होना समर्थित होने लगेगा, जो कविसिद्धान्तपरम्परा से सर्वथा विपरीत है । वह अनुकूल तब हो सकता है, जब कि चन्द्रिका का सौजन्य में अभेद प्रतीत हो, जैसे कि—'सौजन्य ते' अर्थात् हे राजन् ! आप का 'सौजन्य चन्द्रिका है और आप चन्द्रमा हैं ।' इस असमस्त वाक्य में प्रतीत होता है । तात्पर्य यह कि जिस तरह असमासस्थल में चन्द्रिका का विधेय ( विशेषण ) होना और सौजन्य का विशेष्य होना स्पष्ट ज्ञात होता है, उस तरह यदि समासस्थल में भी होता तो वक्ता का अभीष्ट सिद्ध हो सकता पर समासस्थल में ऐसा होता नहीं, क्योंकि वहाँ पूर्व पदार्थ का विशेषण होना और उत्तर पदार्थ का विशेष्य होना ही विदित होता है । यदि कहा जाय कि—सौजन्य का चन्द्रिका में अथवा चन्द्रिका का सौजन्य में अभेद—दोनों ही अभेद—एक ही उपाय से समझे जा सकते हैं—ये दोनों तुल्य-वित्ति-वेध हैं ( एक उपाय से समझे जानेवाले दो पदार्थ हैं ),

अतः कोई अनुपपत्ति नहीं। तो इसका उत्तर यह है कि—यह बात प्रात्ययिक (प्रत्यय-जन्य) ज्ञान के विषय में कही जा सकती है, क्योंकि वहाँ दोनों तरह के योर्धों की सामग्री एक रहती है। परन्तु शाब्दबोध में ऐसा नहीं होता—वह तो व्युत्पत्ति की विविधता से जकड़ा हुआ है। माराश यह कि—‘तुल्य-वित्ति-वेधत्व’ एक न्याय है जिसका अभिप्राय यह है कि एक साधन से दो तरह की बातें समझ ली जा सकती हैं। पर इस न्याय का उपयोग चतुरादि इन्द्रियों से होनेवाले ज्ञान में ही किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ साधन एक रहता है, जैसे, कल्पना कीजिए कि—किसी एक जगह पर घड़ा और कपड़ा दोनों ही चीजें रखी हैं, वहाँ यदि हम दृष्टिपात करें तो यह नहीं हो सकता कि घड़े का दर्शन (ज्ञान) हो और कपड़े का नहीं, क्योंकि जिस साधन (बाँवों) का मयोग होने से हम घड़े को जान सके हैं उस साधन (बाँवों) का मयोग इसी तरह कपड़े के साथ भी होगा जिस तरह घड़े के साथ हुआ है। शब्द से होनेवाले ज्ञान में तो इस न्याय का उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहाँ ज्ञान के भेद से साधन (कारण) भी भिन्न हो जाता है, जैसे—समासस्थल में मौजन्य का अभेद चन्द्रिका में समझने का एक कारण मौजन्यपदोत्तर चन्द्रिकापद (‘मौजन्यचन्द्रिका’ इस तरह के पद) का ज्ञान है और चन्द्रिका का अभेदमौजन्य में समझने का कारण चन्द्रिकापदोत्तर-मौजन्यपद (‘चन्द्रिकामौजन्य’ इस तरह के पद) का ज्ञान हो जाता है। परन्तु शाब्दबोध में शब्द के आकार-प्रकार बदल जाने पर बोध का आकार-प्रकार भी बदल जाता है, अतः उक्त न्याय आप के पक्ष में काम नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में ‘मौजन्य चन्द्रिका-चन्द्रो राजा’ यहाँ नहीं अपितु सभी समासगत-पुद्गल परम्परित-रूपक-स्थलों पर यह शका समान रूप से उपस्थित है कि उ. आरोपों (रूपकों) का परस्पर निर्वाह्य निर्वाहकभाव (समर्थ्य-मनर्थक होना) कब से बन सकता है? परम्परित-रूपक स्थल में ही नहीं, अपितु अन्य समासगत रूपकों में भी उक्त अभेद प्रतीतिविषयक गढ़बड़ी के कारण शका उपस्थित हो जाती है। जैसे—‘शशिपुण्डरीक’ इत्यादि में कमल का रूपक (ताद्रूप्य) कैसे कहा जा सकता है? क्योंकि कमल के ताद्रूप्य का अर्थ है कमल का शशि (चन्द्र) में अभेद, पर वह ‘शशिपुण्डरीक’ इस कर्मधारयसमास में प्रतीत होता नहीं, प्रतीत होता है कमल में शशि का अभेद। अतः जैसे ‘कमल चन्द्र है’ इस न्याय में चन्द्र का रूपक कहा जाता है वैसे ही ‘शशिपुण्डरीक’ में भी चन्द्र का रूपक कहना उचित है, कमल का नहीं। इसी तरह ‘नीलिमद्विषतोय’, ‘तारावलीसुकुल’, ‘पोडग कला दल’, ‘अद्भुद्भ’ इन सभी स्थलों में पूर्व पदार्थ (नीलिमा, तारावली, पोडग कलायें और अद्भुद्भ) के रूपक जो इष्ट नहीं हैं वे ही कहे जा सकेंगे, किन्तु उत्तर पदार्थ (द्विष्य जल, सुकुल, दल और नृद्भ) के रूपक जो अभिष्ट हैं वे नहीं कहे जा सकेंगे, क्योंकि उक्त युक्ति से इन सभी जगहों में उत्तर पदार्थ (द्विष्यतोय आदि) में पूर्वपदार्थ (नीलिमा आदि) का ही अभेद प्रतीत होगा, पूर्व पदार्थ में उत्तर पदार्थ का अभेद नहीं। एवम्—‘सुविमलमौक्तिक’— इस पूर्वोक्त पद्य में उपमेयरूप ‘सुन्दरी’ में उपमानरूप ‘पूणिमा’ का अभेद प्रतीत होता है, अतः पूणिमा का रूपक यद्यपि स्पष्ट है, तथापि पद्य के प्रथम तीन धरनों के रूपक, पूणिमारूपक की अनुकूलता के लिये निर्मित होने पर भी, उसकी अनुकूलता नहीं करते। कारण, ‘तारा’, ‘चोडनी’ और ‘पूर्वचन्द्र’ का प्रथम मोती, धवला वसन और सुत्र के साथ अभेद सिद्ध होने पर भी सुन्दरी में पूणिमा का ताद्रूप्य (अभेदारोप) सिद्ध नहीं हो सकता, प्रयुक्त उसके विपरीत पूणिमा में सुन्दरी का ताद्रूप्य सिद्ध ही सकता है, क्योंकि वे—अभेद के भाग्यस्वरूप में प्रतीत होने वाले ‘तारा’ आदि—पूणिमा के सम्बन्धी हैं, सुन्दरी के नहीं। अतः मय गलत है।

समाधाने—

अत्र वदन्ति—अभेदस्वावृत्तिशेषान्तरसंमर्गो भवति। तत्र यथा सुव्य चन्द्र



इत्यादौ वाक्यगते रूपके स्वप्रतियोगिनश्चन्द्रस्य स्वानुयोगिनि मुखे विशेषणताया निर्वाहकस्तथैव समासगते मुखचन्द्र इत्यादौ रूपके स्वानुयोगिनो मुखस्य प्रति-  
योगिनि चन्द्रे विशेषणतायाः । एव चोभयत्रापि वस्तुतश्चन्द्राभेद एव संसर्गः ।  
क्वचिदनुयोगित्वमुखः, क्वचिच्च प्रतियोगित्वमुखः, विशेषण-विशेष्यभाववैचित्र्यात् ।  
न तु मुखचन्द्र इत्यत्र मुख्याभेदः संसर्गः । तथा सति चन्द्ररूपकनापत्तेः, मुख-  
रूपकापत्तेश्च । स्वप्रतियोगिकाभेद एव विशेषणसंसर्गो न तु स्वानुयोगिकाभेद  
इति तु दुराग्रहः । एवं च सौजन्यचन्द्रिकेत्यादौ वस्तुतः सौजन्याभेदो न  
सौजन्यस्य चन्द्रिकाविशेषणस्य संसर्गः, अपि तु चन्द्रिकाभेद एव । तथा च  
सौजन्यनिष्ठाभेदप्रतियोगिनी चन्द्रिकेति पर्यवसितेऽर्थे, भङ्गयन्तरेण सौजन्ये  
चन्द्रिकाऽभेदसिद्धौ जातायां राजनि चन्द्राभेदोऽपि निष्पद्यते इति परम्परिते  
नानुपपत्तिः । शशिपुण्डरीकमित्यादावपि शशिनिष्ठाभेदप्रतियोगिपुण्डरीकमिति  
पर्यवसितेऽर्थे पुण्डरीकाभेदस्य भानात्पुण्डरीकरूपकमव्याहृतम् । एवमन्येष्वप्य-  
वयवरूपकेषु बोध्यम्, एवं सुविमलमौक्तिकतारे इत्यादावपि ताराद्यभेदा एव  
मौक्तिकादिगतो मौक्तिकादीनां तारादिविशेषणानां संसर्गाभवन् राकारूपकस्य  
समर्थको भवतीति सर्वं सुस्थम् । सोऽयमभेदो यत्रानुयोगित्वमुखस्तत्र  
रूपकस्य विधेयता । यत्र च प्रतियोगित्वमुखस्तत्रानुवाद्यत्वमिति दिक् ।

चन्द्रे विशेषणताया इति । निर्वाहक इत्यस्यानुषङ्गः । क्वचिदिति । वाक्यगते इत्यर्थः ।  
क्वचिच्चेति, समासगते इत्यर्थः । एवकारव्यावर्त्यमाह—न त्विति । इत्यत्र समासगते ।  
मुखाभेद इति । मुखप्रतियोगिकाभेद इत्यर्थः । नानुपपत्तिरिति । अत्र 'रूपकत्वस्येत्यादि'  
इति नागेशः । परन्तु तत्र युक्तं प्रतिभाति, मुखरूपकत्वस्य तथाप्यक्षते । मुखरूपकं  
तत्रेष्टं नास्तीति स्वन्यत् । अतः चन्द्ररूपकत्वस्येति विवरणमुचितम् । अन्येष्वप्यवयव-  
रूपकेष्विति । 'नीलिमदिव्यतोये' इत्यादावित्यर्थः । सर्वं सुस्थमिति । अत्र "अन्ये तु  
'तुल्य-चित्ति-वेद्यतया चन्द्राभेदस्यापि मुखे प्रतीतेरार्थं चन्द्ररूपकम् । शाब्द व्यस्ते । एवं  
मुखाभेदस्य समासशास्त्रप्रवृत्त्युपयोगितयाङ्गीकारेऽप्यतात्पर्यविषयत्वाच्च तमादाय मुखरूपक-  
व्यवहारः । किं चात्र पूर्वपदार्थप्रधानमयूरव्यसकादिसमासेन । चन्द्रपुण्डरीकाद्यभेदस्यैव  
मुखशश्यादौ भानाच्च दोषः । अत एव विशेष्यस्य पूर्वनिपातार्थमिदम्' इति भाष्यकृत ।  
एवं च वाच्यतापि चन्द्ररूपकस्य" इत्याहु । अपरे तु "चन्द्रनिष्ठाभेदश्चन्द्रप्रतियोगिकाभेदश्च  
रूपकम् । अत एव 'तद्रूपकभेदोपमानोपमेययो' इत्युक्त प्रकाशे । यद्वा विषयनिष्ठाभेद-  
प्रतियोगितया यत्र विषयस्य रक्षणमित्येव लक्षणार्थः । एव च मुखप्रतियोगिकाभेदाश्चन्द्र  
इत्येव बोधेऽपि न क्षति' इत्याहु" इति नागेशः । एवं रूपकत्वसाम्येऽपि समासगत-  
वाक्यगतरूपकयोर्भेदस्तमाह—सोऽयमित्यादिना । अयंभाव-स्व(विशेषण)प्रतियोगिका-  
भेद एव विशेषणस्य सम्बन्धस्तथा च मुखचन्द्र इत्यादिसमासगतरूपकस्थले मुखप्रति-  
योगिकाभेद एव चन्द्रे भासेत, यत्र चाभेदो भासते तदेवोपमेयम्, यस्य चाभेद-  
स्तदुपमानम् इति मुखरूपकापत्तिरित्यभिप्रायेण प्राक् सर्वा अनुपपत्तयो दर्शिता, परंतु  
तद् भ्रान्तिमूलकम्, यतः स्वप्रतियोगिकाभेदो यथा विशेषणस्य सम्बन्धस्तथा स्वानुयो-  
गिकाभेदोऽपि । एवञ्च मुखं चन्द्र इत्यादि वाक्यगतरूपकस्थले चन्द्रप्रतियोगिकाभेदव-  
न्मुखम् इति जायमाने बोधे चन्द्रो विशेषण मुखश्च विशेष्य भवति । मुखचन्द्र इत्यादि  
समासगतरूपकस्थले तु मुखानुयोगिकाभेदप्रतियोगी चन्द्र इति बोधे मुखमेव विशेष्यम्

चन्द्रश्च विनोचो भवति । उभयत्रापि चन्द्रस्यैवाभेदप्रतियोगितया प्रत्ययेनोपमानत्वं नृत्तम्, अतोऽत्रिला पूर्वाका अनुपपत्तयो चारिता, नौजन्यचन्द्रिका इत्यत्र चन्द्रिकाप्रतियोगिकाभेदस्यैव सौजन्यान्मद्विशेषणमन्वयत्वेन नौजन्यानुयोगिकभेदप्रतियोगिनीचन्द्रिकेति बोधे प्रकारान्तरेण नौजन्ये चन्द्रिकाभेदसिद्धौ राशि चन्द्राभेदस्य समर्थनमन्वयात्, शगिणुग्टरीरुम् इत्यत्र शरयनुयोगिकाभेदप्रतियोगिणुग्टरीरुम् इति बोधे शगिणि पुग्टरीरुभाभेदस्य भानेन पुग्टरीरुपकत्वस्याव्याहृतत्वात्, नीलिमदिव्यनोये, तारावर्ती-नुकुलमण्डलमण्डिते, पोटराकलादलम्, अङ्गुलम् इत्येतेष्वपि उच्यतेत्या उत्तर-पदार्थप्रतियोगिकाभेदस्य पूर्वपदार्थे भानेनोत्तरपदार्थरूपकत्वस्याक्षतत्वात् 'सुविम-ल्भौकिकतारे—' इत्यत्रापि तारादिप्रतियोगिकाभेदस्यैव मौक्तिकाशात्मकविशेषण-सम्बन्धतया तत्र-समर्थकाशे-तारायुत्तरपदार्थरूपकत्वसिद्धौ तै रूपकै राकारूपकस्य समर्थ्यतान्मन्वाद्य । अभेदो विशेषणस्य सम्बन्ध इति नत्वम्, परन्तु विशेषण-विशेष्यभाववैविध्येण व्यामस्यले तस्य (अभेदस्य) सुजे (अप्रभागे) अनुयोगित्व, तिष्ठति 'सुख चन्द्र' इत्यादित चन्द्रप्रतियोगिकाभेदानुयोगि सुजम् इत्यादिबोधात्, समामस्यले च तस्य सुजे प्रतियोगित्व तिष्ठति, 'सुखचन्द्र' इत्यादित 'सुखानुयोगिकाभेदप्रतियोगी चन्द्र' इत्यादिबोधात् इति तान्पर्यम् । यद्यपि गुरुमन्प्रकाशकाररतदनुगारी मरलाकारश्च 'अनुयोगित्वसुख-प्रतियोगित्वसुख'शब्दयोः 'अनुयोगित्व सुजे = आदौ यस्य' इत्यादि विवरण विधाय समानस्थलेऽनुयोगित्वसुख व्यामस्यले च प्रतियोगित्वसुखान् निर्मित-वन्तौ, तथाप्यहम् 'नोऽप्रभागे यत्रानुयोगित्वसुखतत्र रूपकस्य विधेयता' इत्यादिप्रति-अन्वस्वारस्यानुसंधेन 'अनुयोगित्व सुजे = अप्रभागे यस्य, इत्यादि विहित्य तद्विपरीतम् निरचिन्वम् । यदि नमानेऽनुयोगिसुखत्वमभेदस्याभिमतमभिव्यक्तयाऽनुयोगित्वसुखभाभेद-स्थले रूपकस्य विधेयत्वस्यनमगतमेवाभिव्यक्त, नमाने-सुखचन्द्र इत्यादौ रूपकस्य विधेयताया युक्ति-निदान्तोभयविच्छिन्नादिति ध्यानं विज्ञे । एतावत् पुनरुपगतव्यम् यत्रानुयोगित्वसुखतत्र रूपक विधेय भवति—अर्थात् व्यामस्यले 'सुख चन्द्र' इत्यादौ अभेद उच्यतेत्याऽनुयोगित्वसुखतिष्ठति तत्र चोपमानोपमेययोः पुनरुपयुक्त-विभक्ति-रूपानुसंधेदस्यविधेयभावमन्वयेन रूपकस्य विधेयत्वेन व्यवहारे भवति । यत्र चाभेद-प्रतियोगित्वसुखतत्र रूपकसुखवाद्य भवति—अर्थात् समानस्थले—'सुखचन्द्र' इत्यादौ—'अभेद उच्यतेत्या प्रतियोगित्वसुखतिष्ठति, तत्र चोपमानोपमेययोः पुनरुपयुक्त-रूपानु-संधेदस्यविधेयभावमन्वयेन रूपकस्यानुवागन्वयेन व्यवहारे जायते इति ।

उक्त धातुका वा उत्तर दिया जाता है—अत्र वदन्ति इत्यादि । उक्त धातुका के उत्तर में कहते हैं कि—अभेद विशेषण का सम्बन्ध होता है विशेष्यका नहीं, यह सर्व सम्मत बात है—अर्थात् अभेदसम्बन्ध से विशेषण ही विशेष्य से रहनेवाला समझा जाता है, विशेष्य विशेषण से रहनेवाला नहीं । यह सार है पर यह अभेद जैसे 'सुख चन्द्रमा है' इत्यादि वाक्यगत रूपक में अर्थ प्रतियोगी चन्द्र का अर्थ अनुयोगी सुख से, विशेषण होना निभा देना है अर्थ ही 'सुखचन्द्र' आदि समामगत रूपक में अर्थ अनुयोगी सुख का, अर्थ प्रतियोगी चन्द्र से, विशेषण होना निभा देना है । तद्वत् यह कि वाक्य तथा समान में विशेषण-विशेष्य होना बदलता है, अनुयोगी प्रतियोगी होता नहीं, अतः वाक्य तथा समान दोनों ही जगहों पर वस्तुतः 'चन्द्रका अभेद' अर्थात् 'चन्द्रप्रतियोगिक अभेद' ही सम्बन्धन्य होता है, 'सुख वा-सुखप्रतियोगिक-अभेद' नहीं । यह बात दूसरी है कि यहाँ (व्यामस्यले में) अभेद के अर्थ अनुयोगिण्य जाता

और कहीं ( समासस्थल में ) प्रतियोगित्व उसके आगे आता है । इस तरह के अग्रगामन का कारण है विशेषण विशेष्य होने की विचित्रता—अर्थात् यह निश्चित नहीं कि अनुयोगी ही विशेषण हो अथवा प्रतियोगी ही, दोनों में से कोई भी विशेषण अथवा विशेष्य हो सकता है । इस विचित्रता के कारण कभी ( समास कर देने पर ) अनुयोगी-मुख आदि विशेषण हो जाता है और कभी ( समास न करने पर ) प्रतियोगी-चन्द्र आदि । और जब अनुयोगी विशेषण होता है तब प्रतियोगित्व अभेद के आगे आ जाता है—अर्थात् 'मुखचन्द्र' इस समस्त पद से 'मुख जिसका अनुयोगी है उस अभेद का प्रतियोगी चन्द्र' ऐसा बोध होता है और जब प्रतियोगी विशेषण होता है तब अनुयोगित्व अभेद के आगे आ जाता है—अर्थात् 'मुख चन्द्र है' इस वाक्य—जिसमें अभेद का प्रतियोगी चन्द्र विधेय होने के कारण विशेषण और उसका अनुयोगी मुख उद्देश्य होने के कारण विशेष्य हुआ है—से 'चन्द्र जिसका प्रतियोगी है उस अभेद का अनुयोगी-आश्रय-मुख' ऐसा बोध होता है । अतः यह नहीं समझना चाहिए कि—'मुखचन्द्र' इत्यादि समासगत रूपकस्थल में मुख का ( मुख प्रतियोगिक-अभेद सबन्धरूप से आया है, चन्द्र का नहीं । कारण, यदि—ऐसा हो अर्थात् 'मुखचन्द्र' आदि में मुख के अभेद को सबन्ध रूप से आया हुआ माने—तो ऐसी जगह चन्द्र-रूपक न कहला कर मुख-रूपक कहलाने लगेगा—अर्थात् मुख में चन्द्र का आरोप न मानकर चन्द्र में मुख का आरोप मान्य होने लगेगा । स्वप्रतियोगिक अभेद ही—अर्थात् जिसका विशेषण प्रतियोगी हो वही अभेद संबन्धरूप में आ सकता है, न कि स्वानुयोगिक अभेद—अर्थात् जिसका विशेषण अनुयोगी हो वह अभेद सबन्धरूप में नहीं आ सकता—तात्पर्य यह कि विशेषण सर्वदा अभेद का प्रतियोगी ही हो सकता है, अनुयोगी नहीं, यह किसी का कथन तो केवल दुराग्रह है, क्योंकि इस तरह के कथन में कोई प्रमाण नहीं । इस स्थिति में 'सौजन्य चन्द्रिका' आदि रूपक में 'चन्द्रिका के विशेषणरूप सौजन्य' का संबन्ध 'सौजन्य का अभेद' नहीं, अपितु 'चन्द्रिका का अभेद' है—अर्थात् उस अभेद का प्रतियोगी सौजन्य नहीं, चन्द्रिका है । अतः उक्त सामासिक पद से पर्यवसित होने वाले 'चन्द्रिका सौजन्य में रहनेवाले अभेद की प्रतियोगिनी है' इस अर्थ में विग्रह के ढङ्ग से न सही, किन्तु दूसरे ढङ्ग से सौजन्य में चन्द्रिका का अभेद सिद्ध हो जाता है और उसके सिद्ध हो जाने पर चन्द्र का अभेद राजा में भी सिद्ध हो जाता है । अतः परम्परित रूपक में कोई गड़बड़ी नहीं । 'शशिपुण्डरीक' आदि में भी 'चन्द्र में रहने वाले अभेद का प्रतियोगी कमल' यह अर्थ सिद्ध हो जाने पर कमल का अभेद ही चन्द्र में प्रतीत होता है, अतः कमल का रूपक मानने में कोई बाधा नहीं । इसी तरह अन्य अवयव-रूपकों में भी समझना चाहिए—अर्थात् 'नीलिमतोय, तारावलीमुकुल, षोडश कला-दल, तथा अङ्ग-मृङ्ग' इन सब जगहों में भी उक्त रीति से अन्त में उत्तरपदार्थ तोय आदि का अभेद ही पूर्वपदार्थ नीलिमा आदि में समझा जायगा, अतः—यहाँ भी उत्तरपदार्थरूपक मानने में कोई अड़चन नहीं रह जाती । इसी तरह 'सुविमलमौक्तिकतारे' इत्यादि में भी मोती आदि में रहनेवाला तारा आदि का अभेद ही तारा आदि के विशेषणीभूत मोती आदि का सबन्ध होकर राका रूपक का समर्थक होता है । अतः सब ठीक है । हाँ, इतना अवश्य समझ लेना चाहिए कि—यह अभेद जहाँ अनुयोगित्व मुख हो—अर्थात् जहाँ शाब्दबोध में अभेद के आगे अनुयोगित्व शब्द जोड़ा जाता हो वहाँ फलतः व्यास-स्थल में रूपक विधेय कहलाता है, क्योंकि वहाँ 'मुख चन्द्र' इत्यादि रीति से उपमान उपमेय में अलग-अलग विभक्ति के श्रवण होने से उद्देश्य-विधेयभाव हो सकता है और यह अभेद जहाँ प्रतियोगित्वमुख हो अर्थात् जहाँ शाब्दबोध में अभेद के आगे प्रतियोगित्व शब्द जोड़ा जाता हो वहाँ फलतः समासस्थल में रूपक-अनुवाद्य कहलाता है, क्योंकि वहाँ 'मुख चन्द्र' इत्यादि रीति से उपमान-उपमेय में पृथक् विभक्ति के श्रवण न होने से उद्देश्य-विधेयभाव नहीं हो सकता है ।

यहाँ 'सर्व सुस्थम्' इस प्रतीक पर नागेश कतिपय भिन्न मतों का उल्लेख करते हैं, जो निम्नलिखित हैं—'सुखचन्द्र' इत्यादि समासगत रूपकस्थल में यद्यपि शब्दत मुख का अभेद ही चन्द्र में भासित होता है, तथापि तुल्य-वित्ति वेद्य होने के कारण, अथवा चन्द्र का अभेद मुख में भी गृहीत हो ही जाता है, अत एवै-समास-स्थलों में अर्थ चन्द्र रूपक होता है। शब्द चन्द्र-रूपक तो 'सुखचन्द्र है' इत्यादि व्यास-वाच्य-स्थल में होता है। यदि कोई कहे कि मुख का अभेद जय शब्दत-चन्द्र में गृहीत हुआ तब मुख-रूपक व्यवहार ही वहाँ क्यों नहीं होता, तो इसका उत्तर यह होगा कि समासदास्य की प्रवृत्ति में उपयोगी होने के कारण मुख का अभेद चन्द्र में भले ही माना जाय पर वह वक्ता के तात्पर्य का विषय नहीं है—वक्ता के तात्पर्य का विषय तो मुख में चन्द्र का अभेद ही है, अत मुख रूपक व्यवहार की क्षाप्ति नहीं हो सकती। अथवा 'सुखचन्द्र' इत्यादि पदों में 'मयूरव्यमकादयश्च' इस पाणिनिसूत्र से ही समास किया जायगा जिस समास में पूर्व पदार्थ की ही प्रधानता रहती है, अत 'सुखचन्द्र', 'शशिपुण्डरीकम्' इत्यादि में चन्द्र पुण्डरीक आदि का ही अभेद मुख शशि आदि में भासित होगा, अत कोई दोष नहीं। अतएव भाष्यकार ने भी कहा है कि 'मयूर-इत्यादि सूत्र विशेष्य के पूर्व प्रयोगाद्य है।' इस रीति को मानने पर उक्त स्थल में चन्द्र रूपक वाच्य भी कहलाता है, अन्यथा वैया नहीं कहला सकता।" यह अन्य लोगों का मत है। कुछ लोगों का यह भी मत है कि—"चन्द्र का अभेद और चन्द्र में रहने वाला अभेद—दोनों ही अभेद रूपक कह लाते हैं। अतएव काव्यप्रकाश में 'उपमान-उपमेय का अभेद रूपक है' ऐसा ही लक्षण किया गया, 'उपमान का उपमेय में अभेद रूपक है' ऐसा नहीं। अथवा 'विषयी उपमान में रहने वाला जो अभेद उसकी प्रतियोगिता से जहाँ विषय उपमेय का रत्नन हुआ हो वहाँ रूपक होता है' यही लक्षणवाच्य का अर्थ है। अत 'सुख चन्द्र' इत्यादि से 'सुखप्रतियोगिकमुख का अभेद वाला चन्द्र' इस तरह का बोध होने पर भी कोई क्षति नहीं।"

परम्परितरूपकस्य प्रभेदान्तरसंवतारयति—

तत्र 'प्राची सन्ध्या समुद्यन्महिमग्निमये' इत्यत्रारोप्यमाणयो परस्परमा-  
रोपविषययोश्चानुकूल्ये रूपकयोरनुप्राह्यानुप्राहकभावो दर्शितः ।

तत्रेति । पदार्थरूपकाणा मध्ये न्यर्त्य । आरोप्यमाणयो उपमानयो । परम्परमित्यस्य मध्यमनिन्यायेनेभयत्रान्वयः । 'प्रारोपविषयो उपमेययो । आनुकूल्ये अस्मिन्त्ये । अनुप्राह्यानुप्राह्यभावः । नमर्ष्यनमर्षकभावः । 'प्राचीसन्ध्या—' इत्यत्रारोप्यमाणौ पूर्व-सन्ध्यामयो प्रारोपविषयौ महिमन्द्यन्गतगोपिमिभिः च मियोऽनुकूलौ, पूर्वसन्ध्याया नृत्यस्य महिमि नदनगतगोपिमगोभावाद्य नन्माव्यमान्वायिति भावः ।

परम्परितरूपक के अन्य भेदों की अवतारणा की जाती है—तत्र इत्यादि । परम्परितरूपक के प्रभेदों में समर्परूपक और समर्परूपक के उपमानों तथा उपमेयों के परस्पर अनुकूल होने पर समर्परन्तमर्थक होना 'प्राचीसन्ध्या—' इस पद्य में दिखाया जा चुका है अर्थात् उक्त पद्य में, उपमान-पूर्वसन्ध्या—और सूर्य आदि परस्पर अनुकूल हैं—पूर्वसन्ध्या (प्रमान) में सूर्य रहता ही है, इसी तरह उपमेय-प्रताप और नदन-न गता आदि भी परस्पर अनुकूल हैं—प्रतापीजन की क्षीयें टाल चुका ही करती है ।

पूर्वापतारणान्तरितभेदान्तरं वर्णयितुमाह—

प्रातिवृत्त्ये चथा—

'प्रारोप्यमाणयो परस्परमागोपविषययोः विदित्ये स्वरस्योरुप्राह्यानुप्राह्यभावो नयेति भावः ।

समर्थरूपक और समर्थकरूपक के उपमानों और उपमेयों के परस्पर प्रतिकूल होने पर भी समर्थसमर्थक होने का उदाहरण जैसे—

उदाहरण निर्दिश्यते—

‘आनन्दमृगदावाग्निः शीलशाखिमदद्विपः ।

ज्ञानदीपमहावायुरयं खलसमागमः ॥’

अयम् प्रत्यक्षदृश्यमान, खलसमागम. नीचाशयजनसम्मेलनम्, आनन्दरूपस्य मृगस्य कृते दावाग्नि वनवह्निरूपोऽस्ति, शीलम् सदाचारः, तद्रूपो यः शाखी तरुः, तस्य कृते मदद्विप मत्तगजरूपोऽस्ति, तथा ज्ञानरूपो यो दीपः तस्य कृते महावायुः कृमावातरूपोऽस्तीत्यर्थः ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—आनन्द इत्यादि । यह खलों-नीच धारणावा जनों—का समागम आनन्दरूप हरिण के लिये वनवह्नि है, सदाचाररूप वृक्ष के लिये मद-मत्त हाथी है और ज्ञानरूप दीपक के लिये महावायु है ।

उदाहरणान्तर निर्देशं कथयति—

यथा वा—

अथवा, जैसे—

उदाहरण निर्दिश्यते—

‘कारुण्यकुसुमाकाशः शान्तिशैत्यहुताशनः ।

यशःसौरभ्यलशुनः पिशुनः केन वर्ण्यते ॥’

कारुण्यकुसुमस्य दयारूपपुष्पस्य, कृते आकाशः वियद्रूपः, शान्तिशैत्यस्य शान्तिरूप-शीतलत्वस्य कृते हुताशन अग्निरूप, तथा यशःसौरभ्यस्य यशोरूपस्य सुगन्धस्य कृते लशुन लशुनरूप, पिशुन कर्णेजप, केन जनेन, वर्ण्यते न केनापीत्यर्थः ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—कारुण्य इत्यादि । उस चुगलखोर का वर्णन किससे सम्भव है जो दयारूप पुष्प के लिये आकाशरूप, शान्तिरूप शीतलता के लिये अनलरूप और यशोरूप सुगन्ध के लिये लहसुनरूप है ।

उपपादयति—

एकत्र नाशयनाशकभावरूपमपरत्र चात्यन्तिकसंसर्गशून्यतारूपं प्रातिकूल्य-मुपमानयोस्तथैवोपमेययोश्च । अनुप्राह्यानुप्राहकभावः पुनरारोपयोरविशिष्ट एव । लक्ष्यान्तरदाने बीजमाह—एकत्रेति । आद्ये इत्यर्थः । अपरत्रेति । द्वितीये इत्यर्थः । दावाग्निना यथा मृगस्तथा खलसमागमेन आनन्दो नाशयते, एवं च दावाग्निर्यथा मृगार्थम् प्रतिकूलस्तथा आनन्दस्य कृते खलसमागम इत्यादिरूपे प्रातिकूल्ये ‘आनन्दमृग—’ इति परम्परितरूपकोदाहरणम् । एवम्—आकाशे यथा कुसुमस्य तथा खले कारुण्यस्य ससर्गो नेत्यादिरूपे प्रातिकूल्ये ‘कारुण्य—’ इति ‘परम्परितरूपकोदाहरणमिति भावः । एव प्रातिकूल्यमुपपाद्य तत्सत्त्वेऽपि समर्थसमर्थकभावोऽस्त्येवेत्युपपादयति—अनुप्राह्य इत्यादि । आनन्दे मृगारोपेण शीले शाख्यारोपेण ज्ञाने दीपारोपेण च खलसमागमे दावाग्निमदद्विप-महावायुनामारोप समर्थ्यते प्रथमश्लोके, एव कारुण्ये कुसुमारोपेण, शान्तौ शैत्यारोपेण, यशसि सौरभ्यारोपेण च पिशुने आकाशहुताशनलशुनानामारोपः समर्थ्यते द्वितीयश्लोक इति साराशः ।

उपपादन किया जाता है—एकत्र इत्यादि । उक्त दोनों उदाहरणों में से प्रथम उदाहरण में नाशयनाशकभावरूप और द्वितीय उदाहरण में सर्वथा सम्बन्धराहित्यरूप प्रतिकूलता

उपमानों तथा उपमेयों में है। तात्पर्य यह कि प्रथम पद्य में, समर्थकरूपकगत—  
 मृग, वृक्ष और दीप—एवं समर्थरूपकगत—द्रावणल, मनगज और महायायु—  
 जो उपमान हैं वे परस्पर प्रतिकूल हैं। प्रतिकूलता इनमें यह है कि क्रमशः प्रथमवर्ग  
 के पदार्थों के नाशक हैं क्रमशः द्वितीय वर्ग के पदार्थ, इसी तरह समर्थकरूपकगत  
 धानन्द, शील और ज्ञान—एवं समर्थरूपकगत—मलमनागम—जो उपमेय हैं उनमें  
 भी परस्पर प्रतिकूलता है और प्रतिकूलता भी वही है—अर्थात् मलमनागम  
 प्रथम वर्ग में गिनाए गये पदार्थों का नाशक है। द्वितीय पद्य में, जो समर्थक-  
 रूपकगत—बुधुम, शैत्य और सुगन्ध—एवम् समर्थरूपकगत—पाकाश, क्षिप्र और  
 लहसुन—जो उपमान हैं उनमें भी परस्पर प्रतिकूलता है—और प्रतिकूलता यह  
 है कि—क्रमशः प्रथम वर्ग के पदार्थों के साथ क्रमशः द्वितीय वर्ग के पदार्थों का  
 कभी किसी तरह का सम्बन्ध नहीं रहता, इसी तरह समर्थकरूपकगत उपमेयों—  
 दया, शान्ति तथा यश—के साथ समर्थरूपकगत उपमेय—जुगलखोर—का किसी प्रकार  
 का सम्बन्ध न हो सकनारूप प्रतिकूलता है। पर उक्त प्रतिकूलताओं के रहने पर भी  
 दोनों ही स्थलों में समर्थ-समर्थकभाव उसी तरह होता है जिस तरह अनुकूलता वाले  
 उदाहरणों में।

परन्परितरपकस्य भिन्नविध वैचित्र्य चित्रयितुमुदाहरणान्तरमाह—

तथा—

‘अयं सज्जनकार्पासरक्षणैकहुताशन ।  
 परदुःखाग्निशमनमारुत’ केन वर्त्यते ॥’

दुर्जन स्वभावतः परापकारनिरतः कमप्युद्दिश्य क्विगद—सज्जनस्य, कार्पासन्य  
 तूलविशेषस्य, रक्षणे लक्षणाया नाशने, एक अद्वित्य, हुताशन अग्निरूप, तथा पर-  
 दुःखरूपस्य, शमने, शमने लक्षणाया वर्धने, मान्त वायुस्य, अथ दुर्जन, केन व्यति-  
 विरोधो वर्त्यते ? वर्णयितुं शक्यते ? न केनापीत्यर्थः ।

भित्त तरह की विचित्रता का चित्रण करने के लिये परन्परित का एक और उदाहरण  
 उपस्थित किया जाता है—अयम् इत्यादि। किसी दुर्जन को उद्देश्य कर कवि ने कहा है—  
 यह सज्जनरूप कपाम की रक्षा करने में (लक्षणा द्वारा नाश करने में) एक अद्वितीय  
 क्षिप्र है और दूसरों के दुःखरूप क्षिप्र का शमन (लक्षणाया वर्धन) करने में वायुरूप  
 है। इसका वर्णन कौन कर सकता है ? कोई नहीं।

उपमाव्यति—

अत्र रक्षणशमनपदे विरोधिलक्षणाया विपरीतार्थबोधने ।

‘अयम्’ इति श्लोके हुताशनकर्तृक कार्पासनस्य रक्षा यथा कश्चित् तथा दुर्जन-  
 कर्तृक सज्जनस्य रक्षण बाधितमिति रक्षणपदस्य वैपरीत्यस्य अर्थमिति वाच्यम् ।  
 एव मान्तकर्तृक वायुस्य शमन यथा बाधित तथा दुर्जनकर्तृक वर्धनं वा यस्मै शमन-  
 मिति बाधितमिति शमनपदस्य वैपरीत्यस्य अर्थमिति वाच्यम् । तथा च समर्थ-  
 समर्थकभावोपपत्त्यस्य नूनामप्येव परमार्थे । तस्मात्प्रयत्न एव वैचित्र्यमिति भावः ।  
 इदमात्रं वैचित्र्यमिति विमर्शयितुम्—दुर्जनस्योत्पत्तौ समर्थस्य रक्षणपदस्यो-  
 पस्थितिः प्रतिबन्धे वाच्यं हुताशनस्योत्पत्तौ शमनपदस्योत्पत्तौ वाच्यम् ।  
 उदाहरणस्योत्पत्तौ समर्थस्य रक्षणपदस्योत्पत्तौ शमनपदस्योत्पत्तौ वाच्यम् ।  
 तयो परदुःखदुर्जनयोश्च परस्परव्यतिरोधस्य तावदर्थेनाह उदाहरणम् ।

व्याख्या द्वारा सूचित की गई लक्षणा का उपपादन किया जाता है—अत्रेति । 'अयम्' इस पद्य में 'रक्षण' तथा 'शमन' पद विपरीत लक्षणा द्वारा वाच्य से विरुद्ध अर्थ—नाशन और वर्धन के बोधक हैं । अभिप्राय यह कि—जिस तरह आग से कपास की रक्षा बाधित है एवं वायु से आग का प्रशमन बाधित है उसी तरह दुर्जन से सज्जन की रक्षा एवं दुर्वत से परकीय दुःख का प्रशमन भी बाधित है, अतः रक्षण तथा शमन पद की लक्षणा क्रमशः नाशन तथा वर्धन अर्थ में करनी पड़ेगी और 'लक्षणा शक्यसंबन्धः' का रक्षण सबन्ध यहाँ होगा 'विरोध'वैपरीत्य । इस तरह से परस्पर समर्थ्यसमर्थकभावापन्न अनेक रूपकों के समूहरूप इस परम्परित रूपक में लक्षणा का प्रवेश कराना एक प्रकार की विचित्रता दिखलाई गई । यहाँ दूसरी विचित्रता भी यह है कि—पूर्वार्ध में, समर्थक रूपक का उपमान—कपास और समर्थ्य रूपक का उपमान—अग्नि परस्पर प्रतिकूल हैं—एक का दूसरा नाशक है, इसी तरह उक्त दोनों रूपकों के उपमेय सज्जन और दुर्जन भी परस्पर प्रतिकूल हैं—एक का दूसरा नाशक ही है । ठीक इसके विपरीत, उत्तरार्ध में समर्थक रूपक का उपमान—अग्नि और समर्थ्य रूपक का उपमान—वायु प्रतिकूल नहीं हैं, अपितु अनुकूल ही हैं—एक का दूसरा सहायक ही है । इसी तरह इन दोनों रूपकों के उपमेय क्रमशः परकीय दुःख और दुर्जन भी प्रतिकूल नहीं, अनुकूल हैं—एक का दूसरा वर्धक है । इस तरह यहाँ प्रातिकूल्य तथा आनुकूल्य का विचित्र मिश्रण है ।

अवान्तरप्रकरणसमाप्ति सूचयति—

एवं पदार्थरूपक लेशतो निरूपितमेव ।

एव प्रागुक्तरीत्या । पदार्थरूपकमिति । यत्रैकस्मिन् उपमेयभूते पदार्थेऽपरस्य पदार्थ-भूतस्योपमानस्यारोपस्तादृश रूपकमित्यर्थः । लेशत अशत ।

अवान्तर प्रकरण की समाप्ति सूचित की जाती है—एवं इत्यादि । इस तरह ( पूर्वोक्त रीति से ) पदार्थ रूपक ( उस रूपक, जिसमें एक पदके अर्थ का आरोप दूसरे पद के अर्थ में होता है ) का अंशतः निरूपण किया जा चुका ।

वाक्यार्थरूपक निरूपयिष्यन् तावत्तल्लक्षणमाह—

वाक्यार्थे विषये वाक्यार्थान्तरस्यारोपे वाक्यार्थरूपकम् ।

उपमेयभूते एकस्मिन् वाक्यार्थे ( न तु पदार्थे ) उपमानभूतस्यान्यवाक्यार्थस्य ( न तु पदार्थस्य ) आरोपे-तादृष्ये-वाक्यार्थरूपक भवतीति भावः ।

वाक्यार्थरूपक का निरूपण करने के प्रसङ्ग में पहले उसका लक्षण किया जाता है—वाक्यार्थे इत्यादि । जब किसी एक पद का अर्थ नहीं, अपितु किसी पूरे वाक्य का ही उपमेय हो और उसमें उपमानभूत पूरे वाक्य के अर्थ का आरोप हो, तब वह आरोप वाक्यार्थरूपक कहलाता है ।

दृष्टान्तद्वारा वाक्यार्थरूपकगत विशेष स्फोरयितुमाह—

यथाहि विशिष्टोपमायां विशेषणानामुपमानोपमेयभाव आर्थस्तथान्नापि वाक्यार्थघटकानां पदार्थानां रूपकमर्थावसेयम् ।

विशिष्टोपमायामिति । 'आत्मनोऽस्य तपोदानैर्निर्मलीकरण भवेत् । क्षालनं भास्करस्येव सारसैः सलिलोत्करैः ।' इत्यादिप्रकारिकायामित्यर्थः । विशेषणानामिति । आत्म-भास्करयोः तपोदानसलिलोत्करयोश्चोपमेयोपमानविशेषणयोरित्यर्थः । आर्थ इति तदशे इवाद्यप्रयोगादिति भावः । अत्रापि वाक्यार्थरूपके । वाक्यार्थघटकानामिति । वाक्यार्थान्तरगतानामित्यर्थः । अर्थावसेयमिति । आर्थमित्यर्थः । न शाब्दमिति तदाशयः ।

दृष्टान्त द्वारा वाक्यार्थरूपक में होनेवाले विशेष का स्पष्टीकरण किया जाता है—

पथा हि इत्यादि । जैसे विशिष्ट-विशेषणयुक्त—उपमा में विशेषणों का उपमानोपमेयभाव अर्थात् अवगत होता है शब्दत नहीं, क्योंकि वहाँ उपमा-माध्यम का बोधक पद 'इव' आदि नहीं रहता, वैसे ही वाक्यार्थ रूपक में भी वाक्यार्थ घटक—अर्थात् जिनके समूह में वाक्यार्थ बनता है उन पदार्थों का रूपक अर्थात् समझने योग्य होता है, शब्दत नहीं । अभिप्राय यह कि—यदि 'तप-दान आदि के द्वारा आत्मा को निर्मल करना' ऐसा ही है जैसा सरोवर के जल से सूर्य का प्रखलन करना' ऐसा कहा जाय तब भी आचार्य हमको विशिष्ट—अर्थात् वाक्यार्थ की—उपमा मानेंगे और इस उपमा में आत्मा की सूर्य के साथ और तप-दान की जल के साथ होने वाली उपमा अर्थात् ज्ञात होने वाली मानी जायगी, उभी तरह वक्ष्यमाण वाक्यार्थ-रूपक के उदाहरण में भी विशेषण का तादृश्य तो शब्दत ज्ञात होगा पर विशेषण का तादृश्य शब्दत नहीं, अर्थात् ज्ञात होगा ।

उदाहरण निर्दिश्यते—

‘आत्मनोऽस्य तपोदानैर्निर्मलीकरणं हि यन् ।

क्षालन भास्करस्येदं सारसैः सलिलोत्करैः ॥’

अस्य स्वतो निर्मलत्वं, आत्मनो जीवात्मस्य ब्रह्मण, तपोदानैः तपन्याभिः परोद्वे-  
शनेनार्थत्यागैश्च, यत् निर्मलीकरणं निर्मलतानम्पादनम्, इदं तत्, सारसं सरोवरार्थं,  
सलिलोत्करं जलपुष्पं, भास्करस्य सूर्यस्य, क्षालनं निर्मलीकरणमित्यर्थं ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—आत्म इत्यादि । स्वतः निर्मल हम आत्मा को तप और दानों से निर्मल करना सरोवर के जल-समूह से सूर्य को धोना है ।

उपपादयति—

अत्रात्मनि तपोदानेषु चारोपविषयविशेषणतया विन्ध्यभूतेषु, भास्करस्य सलिलोत्करादीनां च विषयि-विशेषणत्वेन प्रतिदिन्वचानां रूपक गम्यमानं प्रवा-  
नीभूतविशिष्टरूपकाङ्गम् ।

सलिलोत्करादीनामिति । यद्यप्यत्रोपलब्धयुक्तके 'सलिलक्षालनादीनाम्' इत्यत्र पाठः, परन्तु न न सगत इति नागोशेन स्वदीक्षादानुद्भूतो मूलोक्त पाठ एव स्यात् । 'आत्म-  
नोऽस्य—' इति श्लोके तपोदानकरणसाम्बन्धनिर्मलीकरणस्योपमेयभूते वाक्यार्थे सारससलिलसमूहकरणभास्करस्यक्षालनस्योपमानभूतस्य वाक्यार्थस्याभेदोपमेय वाक्यार्थरूपक प्रधानं शाब्दम् । उपमेयविशेषणतया विन्ध्यभूते आत्मनि तपोदानेषु चोपमानविशेषणतया प्रतिदिन्वचनस्य भास्करस्य सलिलोत्करस्य चोपमेयस्य रूपक-  
रूपकगम्यमानमपि अर्थात् प्रतीतमानमिति भावः ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि । 'आत्मनोऽस्य—' हम पर में 'तप दानों से आत्मा का निर्मल करना' यह वाक्यार्थ उपमेय है, जिसमें 'सरोवर के जल से सूर्य का धोना' हम उपमानभूत वाक्यार्थ का शब्दत आरोप होता है, अतः यह आरोप शाब्दवाक्यार्थरूपक कहलाता है और यह वाक्यार्थरूपक ही यहाँ प्रधान है । यद्यपि यहाँ, उपमेय के विशेषण होने से विशेषण आत्मा में उपमान-विशेषण होने से प्रतिदिन्वरूप सूर्य का तथा इसी तरह, निरन्तर तप-दानों में प्रतिदिन्वरूप जल का विशेष भी अर्थ प्रतीत होता है, अतः ये दो आर्षवशात्प्रकार भेद हैं, पर ये दोनों रूपक प्रधान रूपक के अन्तर्गत हैं ऐसा समझना चाहिए ।

इति तन्मन्त्रोदात्त निरूपणम्—

‘नेदं रूपकम् । रूपके दिन्व-प्रतिदिन्वभाषो नास्ति’ इति येनाशाल्वारिक-  
स्मृत्येन प्रनारितस्य दीर्घमन्त्रो द्विविद्यन्योक्तिरुद्देश्यैव । ययोरियादिशब्दप्रयोगे



उपमा तयोरेकत्रान्यारोपे रूपकमिति नियमात् । अत्र यदि रूपकं नाङ्गीकुरुषे मैवाङ्गीकुरु, तर्हि तत्रैव यथादिशब्दप्रयोगे उपमामपि । एवं 'त्वयि कोपो महीपाल सुधांशाविव पावक' इत्यादौ स्वकल्पितेन विशिष्टेन धर्मिणा सादृश्यस्य प्रत्यया दुपमां ब्रूषे, ब्रूहि तर्हि तत्रैवेवस्य निरासे 'त्वयि कोपो महीपाल सुधांशौ हव्यवाहनः' इत्यादौ रूपकमपि ।

दीर्घश्रवस इति । यशस्विन, लम्बकर्णस्येति चार्थः । खरस्येति व्यङ्ग्योऽर्थः । अस्यापे 'द्रविडस्य' इति पाठो यद्यपि मूले नोपलभ्यते, तथापि नागेशविवरणानुसारं समुचितं स पाठः कल्पित इति बोध्यम् । त्वयि कोप इति । हे महीपाल राजन् । त्वयि कोप त्वद्गतः क्रोध, सुधाशौ पावक चन्द्रगताग्नि, इव, प्रतीयत इत्यर्थः । स्वकल्पितेन कविकल्पितेन विशिष्टेन धर्मिणेति । आधेयतासम्बन्धेन सुधाशुरूपविशेषणविशिष्टपावकेनेत्यर्थः । सादृश्यस्येति । राजगतकोपानुयोगिकसादृश्यस्येति भावः । 'त्वयि ..... हव्यवाहन' इति । हे महीपाल ! त्वद्गत कोपः सुधाशुगतपावकरूप इत्यर्थः । रूपके विम्ब-प्रतिविम्बभावो न भवति, अतः 'आत्मनोऽस्य—' इति प्रागुक्तं श्लोको रूपकोदाहरणं नास्ति—कस्तौ वाक्यगतं रूपकं न भवतीति दीक्षितेनोक्तं न युक्तम्, ययोरुपमानोपमेयभावापन्नपदार्थयो-रिवादिप्रयोगदशायामुपमा भवति सादृश्यस्य वाच्यत्वात्, तयोरिवाद्यप्रयोगदशायाम् समानविभक्तिकतया एकत्र—उपमेये अन्यस्य—उपमानस्य आरोपे प्रतीयमाने रूपकं भवतीति नियमे सर्वसम्भते वर्तमाने 'आत्मनोऽस्य—' इत्यत्रेवाद्यप्रयोगे रूपकमनङ्गीकुरुता दीक्षितेन तत्रैवेवादिप्रयोगे कृते उपमाया अपि अनङ्गीकरणीयत्वात् । ननु उपमामपि नैवाङ्गीकरोम्यह तत्रेति यदि दीक्षित कथयेत्, तर्हि किमुत्तरं भवतः इति चेत् ? इदमुत्तरं बोध्यम्—'त्वयि कोपो—' इत्यत्र 'इव पावक' इति पाठविशिष्टे वाक्ये भवता कण्ठरवेणो-पमा स्वीकृता, अतः तत्रैव 'सुधाशौ हव्यवाहन' इति पाठविशिष्टे वाक्येऽकामेनापि रूपकमपि स्वीकर्तव्यमेव भवता । एवञ्च 'आत्मनोऽस्य—' इत्यत्रेवादिप्रयोगे तदप्रयोगे च क्रमशः उपमारूपके स्वीकरणीये एव भवेता भवता, तुल्यन्यायादिति । तथा च रूपकेऽपि 'विम्ब-प्रतिविम्बभावसिद्धौ वाक्यार्थरूपक प्रागुक्तपद्यस्य तदुद्धारणत्वञ्च युक्तमेवेति भावः ।

अप्यदीक्षित के मत का खण्डन किया जाता है—नेदम् इत्यादि । किसी अलङ्कारिकमन्य ( अपने को अलङ्कारशास्त्र का वेत्ता समझने वाले ) के धोखे में आये हुए दीर्घश्रवा ( यशस्वी, अथच लम्बकर्ण—गदहा ) द्रविड ( अप्यदीक्षित ) का यह कथन कि—'यह ( 'आत्मनोऽस्य—' यह पद्य ) रूपक ( रूपक का उदाहरण ) नहीं है, क्योंकि रूपक में विम्ब-प्रतिविम्बभाव नहीं होता और यहाँ आत्मा तथा सूर्य आदि में विम्ब-प्रतिविम्बभाव है' श्रद्धा करने योग्य नहीं है । कारण उपमानोपमेयभावापन्न जिन दो पदार्थों में 'इव' आदि शब्दों का प्रयोग करने पर उपमा होती है, उनमें 'इव' आदि का प्रयोग न करने पर और साथ-साथ एक (उपमान) के दूसरे (उपमेय) में आरोप की प्रतीति होने पर रूपक होता है—यह नियम है । अतः यदि आप उक्त पद्य में रूपक नहीं मानते तो फिर इसी पद्य में 'इव' अथवा 'यथा' आदि शब्दों का प्रयोग करने पर उपमा भी रूप को नहीं माननी चाहिये । यदि आप कहें कि—'मैं यहाँ 'इव' आदि का प्रयोग करने पर उपमा भी नहीं मानूँगा, तो छोड़िये इस पद्य को, 'त्वयि कोपो—अर्थात् हे राजन् ! आप में कोप चन्द्र में आग की तरह है ।' इस पद्य वाक्य में कवि-कल्पित विशिष्ट—अर्थात् चन्द्र-रूप विशेषण से युक्त धर्मा—अर्थात् अग्नि के साथ राजगत कोप का सादृश्य प्रतीयमान होने के कारण आपने कण्ठरव से उपमा मानी है, अब आप कहिये कि यदि इसी पद्य के

'हृव पावक' की जगह 'हृववाहन' ऐसा पाठ कर दिया जाय-अर्थात् 'हे गन्तु! चार में कोष चन्द्र में वागरूप है।' ऐसा अर्थ कर दिया जाय-नर वाप उसमें स्वरुह मानियेगा या नहीं? वागस्या वापको 'हाँ' कहना ही पड़ेगा। चम, मेरा अमीष्ट मित्र हो गया-अर्थात् हम नियति में जब वाप यहाँ रूपक मान लेते हैं, तब 'वाग्मन'-' हुन पर में स्वरुह क्यों नहीं मानियेगा? युक्ति तो दोनों ही जगहों में समान है। तापर्य यह कि स्वरुह में भी विन्द-प्रतिविम्बभाव होता है, अतः पदार्थरूपक से भिन्न वाग्मन्यरूपक अत्रय मान्य होना चाहिये और उसका उदाहरण भी 'वाग्मन -' यह पद्य माना जाना चाहिये।

वाक्यार्थरूपकत्वोदाहरणान्तरमाह—

तथा—

'कुटुमद्रवलिप्राङ् कापायवसनो यति ।

कौमलातपचालाभ्रः सन्ध्याकालो न सशय ॥'

इत्याश्रवपि विशिष्टरूपकं बोध्यम् ।

शुभेति । कुटुमत्स्य केवलस्य, द्रवो रमेण, लिपानि, श्रान्ति, यत्न न, तथा— कापाय वसावर रणितम्, गैरिक्वमिति यावत्, वसनं वन यन्त्य तादात्म्य, यति मन्थामी, कौमला प्रान्तं, श्रान्तप, उग्र न, एवं चाल श्रनिविज्जमिन्द, पत्रं मेघो यत्र स, प्रन्तोर्वेद्योपयोगि सामान्यविशेषभावविवक्षया ह्यचिर र्मसाराय, प्रपवा कौमलातरमिति श्रत्रविशेष नू तथा च कौमलात्पन् उदि वदुर्गति कौमलेनतनेन युक्तमिति यावत् वानमत्र यत्रेति विप्रने बोध्य । तादृशः, सन्ध्याकालेन्यूप उदि यावत् प्रान्ति, उग्र विपने नगान न नवेत्सर्वाकार्य । विनिष्कृतम् उदि । विन्द-प्रतिविन्दयवदुत्तरकमिच्छ । यन्मार्थरूपकमिति भाव । यतिन्व उपमेये सन्ध्याकालेन्योपमानस्य गान्धोपमेयरोन इति तदगिच्छन्म्, तस्य च उन्मेयविशेष तथा विन्दभूते कुटुमद्रवत्वे उपमानविशेषतया प्रतिविन्दभूतस्य कौमलात्पन्त्यार्थ श्रावोप उदि तत्र तथा तत्रैव युक्त्या विन्दभूते श्रावयवसने तत्रैव युक्त्या प्रति- विन्दभूतस्य कौमलात्पन्त्यार्थ श्रावोप उदि तत्र—श्रावोपन्—श्रावभूतम् । एतद्भूतस्वरु- वेगिष्ठमुदाहरणम् वाक्यार्थरूपक-विशिष्टरूपकमिति भाव ।

वाक्यार्थरूपक का ही दूसरा उदाहरण दिखलाया जाता है—यथा ह्यश्रुति । उमी तरह, 'कुटुमद्रव-अर्थात् केवलस्य मे बहुलिप्त कौमला तथा कापाय-यत्रयरी मन्थामी, हृसी धूप और छोटे-छोटे टाल-भरेदू मेवोवाला मायकाल है हमने छोटे मन्धेह नहीं' ह्यादि में भी विशिष्टरूपक समझना चाहिये। क्षमिन्नाय पर है कि—यहाँ यतिन्व उपमेय में मायकालरूप उपमान का शब्दता क्षावोप प्रधान स्वरुह है और उपमेय—विशेषण—होनेके कारण विन्दभूत केमन्थमत्वेय तथा श्रावोप यत्र में उपमान— विशेषण—होनेके कारण प्रतिविन्दभूत हृसी धूप तथा छोटे-छोटे टाल-भरेदू मेघों का समान अर्थत क्षावोप श्रावपरह है अर्थात् क्षमिन्नाय श्राव पूर स्वरुह के क्षार्थ दो स्वरुह हूँ, अतः यह पद्य विशिष्ट स्वरुह ( वाग्मन्य स्वरुह ) का उदाहरण होता है।

'यति मेघ' इत्यतः 'युक्तमन्त्र' नी मेग्मन्त्र—

ययि कोष सन्ध्र विरयिणः स्रद्धुद्धिद्विपतत्वात्प्रियतं विनिष्कृतम् ।  
 उ न तु न तथेति विशेषः ।

विनिष्कृतं उन्मानस्य, स्रद्धुद्धिद्विपतत्वात्प्रियतं स्रद्धुद्धिद्विपतत्वात्प्रियतं । वाग्मन्योपमेये कौमलात्पन्त्यार्थ श्रावोप उदि तत्र—श्रावोपन्—श्रावभूतम् । इत्युक्तिः । 'कुटुमद्रव' इत्यत्र

त्वित्यर्थ । न तथेति । विषयी न स्वबुद्धिकल्पित अपि तु स्वतःसम्भवी, अतो न कल्पितं विशिष्टरूपकमिति भाव ।

‘स्वयि कोप’ और ‘कुङ्कुम’ इन दोनों उदाहरणों में परस्पर भेद दिखलाया जाता है—स्वयि इत्यादि। ‘स्वयि कोप—’ इस उदाहरण में उपमान (चन्द्र में अग्नि) कविकल्पित है, अतः वहाँ का विशिष्टरूपक भी कल्पित कहा जायगा और ‘कुङ्कुम—’ इस उदाहरण में उपमान (सन्ध्याकाल) कविकल्पित नहीं, अपितु स्वतःसम्भवी है, अतः वहाँ का रूपक कल्पित नहीं कहा जायगा यही दोनों उदाहरणों में भेद है ।

आशङ्क्य समाधत्ते—

न चैवमादौ प्रतीयमानोत्प्रेक्षा वक्तुं शक्या, अभेदस्य निश्चीयमानत्वात् । उत्प्रेक्षायां च सत्यां सम्भाव्यमानता स्यात् । अन्यथा मुखं चन्द्र इत्यादावपि प्रतीयमानोत्प्रेक्षापत्त्या रूपकविलोपापत्तेः ।

एवमादाविति । आत्मनोऽस्येत्यादावित्यर्थ । इवाद्यप्रयोगात् आह—प्रतीयेति । अन्यथेति । तस्य सम्भाव्यमानत्वे इष्टापत्तौ इत्यर्थ । ‘सम्भावनमथोत्प्रेक्षा’ इति लक्षणा-नुसारमुत्प्रेक्षास्थलेऽभेद सम्भाव्यमानस्तिष्ठतीति निश्चितम्, एवञ्चात्मनोऽस्येत्यादौ व्यङ्ग्यो-त्प्रेक्षेति कथन नोचितम्, तत्राभेदस्य निश्चीयमानत्वात् । न च सम्भाव्यमान एवाभेदस्तत्रेति दुराग्रहः, तथा सति ‘मुख चन्द्र’ इत्यादिषु सर्वेषु रूपकोदाहरणेषु तादृशदुराग्रहसम्भवेन प्रतीयमानोत्प्रेक्षापत्तौ रूपकोच्छेदापत्तेरिति भाव ।

एक शका और उसका समाधान करते हैं—न चैवम् इत्यादि । ‘आत्मनोऽस्य—’ इत्यादि पद्यों में व्यङ्ग्य उत्प्रेक्षा ही मान ली जाय, रूपक नहीं, ऐसी आशङ्का नहीं की जा सकती, क्योंकि यहाँ अभेद का निश्चय है, उत्प्रेक्षा यदि होती तो अभेद का निश्चय नहीं, सम्भावना रहती है । यहाँ भी अभेद की सम्भावना ही है ऐसा दुराग्रह तो किया नहीं जा सकता, क्योंकि इस तरह ‘मुख चन्द्र है’ इत्यादि सभी रूपकोदाहरणों में ‘अभेद सम्भावना’ का दुराग्रह किया जा सकता है जिससे सर्वत्र प्रतीयमान उत्प्रेक्षा ही हो जायगी, फिर रूपक का तो कविजगत् से उच्छेद ही हो जायगा ।

अथ रूपकालङ्कारविशिष्टात्पदाद् वाक्याद्वा जायमान बोध विचारयितु प्रतिजानीते—

अथ बोधो विचार्यते—

रूपकालङ्कारलक्षणोदाहरणादीना निरूपणानन्तर रूपकविशिष्टपदजन्यबोधविषयको विचार आरभ्यत इति भाव ।

अथ रूपकस्थलीय शाब्दबोध का विचार किया जाता है ।

तत्र प्राचीनमतमाह—

तत्र प्राञ्चः—“विषयिवाचकपदेन विषयिवृत्तिगुणवतो लक्षणया सारोपयो-पस्थितौ, विषये तस्याऽभेदेन संसर्गेण विशेषणतयाऽन्वयः । एवं च मुखं चन्द्र इत्यत्र चन्द्रवृत्तिगुणवदभिन्नं मुखमिति धीः । अत एवालङ्कारभाष्यकारः ‘लक्षणापरमार्थं यावता रूपकम्’ इत्याह । न च चन्द्रसदृशं मुखमित्युपमातोऽस्य को भेदः । बोधवैलक्षण्याभावेन विच्छित्तवैलक्षण्याभावात् । वृत्तिमात्रवैल-क्षण्यास्याप्रयोजकत्वादिति वाच्यम् । लाक्षणिकबोधोत्तरं जायमानेन प्रयोजनी-भूतेनाभेदबोधेनैव वैलक्षण्यात् । निरूढलक्षणातिरिक्त्यां लक्षणायाः प्रयोजन-वत्तानियमात् । अभेदबुद्धेश्च वृत्त्यन्तरवित्तिभाव्यत्वेन न बाधबुद्धिप्रतिबन्ध-त्वम्” इत्याहुः ।

तत्रेति । बोधविषय इत्यर्थः । विषयंति । उपमानेभ्यः । प्रतीत्य विषयविषयो-  
 द्योषनादानाद्—मार्गेणेति । उपस्थितौ गत्यामिति शेषः । विषय इति । उपमेय  
 इत्यर्थः । उपमेयतावच्छेदकविशिष्टे उपमेये इति स्वप्रपञ्चः । तस्येति । पूर्वोक्तमित्युपमान-  
 धृतिरूपवत् इत्यर्थः । 'लक्षणपरमायम्' इति । यावत् मार्गेण लक्षण एव परम-  
 भागभाभूतः श्रयं च तद्वत् तद् वस्तु तावत्त्वेन कारणेन परम- = उपमेयेन तस्य  
 वस्तुने व्यवहार इत्यर्थः । इत्यने = आरोप्यते इति धृतिनिर्वाणमिति शब्दः । र्नाते ।  
 गतिः—अन्त्योक्त्यर्थः । इत्यन्तरेतिनामिति । व्युत्पत्त्यानेत्यर्थः । आश्रयिणि । प्र- नोक्त-  
 'एतन्मते एव उपमेयम्—अनुपविशक दुःखतदविषयतावच्छेदक वा प्राप्यभेद-  
 प्रतीतिरूपोपमानोपपन्नपरमप्रतीतिविषयोभूतम् नापस्यमिति इत्यादि । उपमेयते  
 सर्वत्रोपमानत्ववदस्य पदस्य स्वश्रुतिरुचयति मार्गेण लक्षण भवत्येव, परमेयेन उपमायां त्वदस्य  
 बाधित्वत् । तथा बोधमानोपपन्नपरमप्रतीतिरूपवदस्य 'वश्रुतिरुचयत्यन्त्यायामातेन स्वार्थ-  
 नेत्यने विरोधविषयाऽप्यने इति । तेन 'सुख चन्द्र इत्यत्र चन्द्रश्रुतिरुचयति । प्राप्य-  
 रत्नादप्यनुभवमिच्छति सुखमिति शेषः । फलितः । 'लक्षणपरमायम्— इति वदनाऽ-  
 लक्षारमायत्त्वमिति तत्रके लक्षणमिति सम्प्रतिता इति शब्दे चन्द्रमया सुखम्  
 इत्युपमायैव तत्रकेऽस्मिन् शो भेदः । माययत्त्वादि तद्विषयत्वे इति तदुपमायैव तदस्य  
 एतत्प्रोपमस्यनेऽपि सस्यमप्यन्त्यायामप्यन्तोपमैव जायमानत्वेनोपमेये नदलोपमैव  
 लक्षणविशेषेण वस्यरत्नैवत्यविशे एवमप्येति परममन्त, न च सुखैवत्यन्त्याय-  
 सुखमाययत्त्वोपमैवत्यम्—अप्यं उपमानस्यते चन्द्रश्रुतिरुचयतिऽपिदोषमिति तत्रके  
 एतत्स्योपस्थितिलक्षणमिति वाच्यम्, वस्यरत्ने भेदाभावेन तस्य वैदप्यन्त्यायामिच्छ-  
 त्वाद् इति चेन्नैवम्, अभिपालनात्परमप्रतीतिरुचयतिऽपिऽविलक्षणेऽपि सस्यमप्ये  
 निर्वचन्यासम्भवेन प्रयोजनमूलका एव लक्षणानि प्राप्यन्त्यायाम उपप्राप्यमित्योप-  
 नन्तर निष्पत्तौ जायमानेन प्रयोजनमन्तेनोपमनेनैव प्रोपमेयस्य प्रत्येतेन उपमेय-  
 धियन्तत्परत्वेण वैदप्यन्त्यायामिच्छे । उपमानस्यते उपमनेऽप्येनो सम्प्रत्ययस्यैव  
 प्रतीतिः, उपमेयते तु प्रोपमेयस्यैव प्रतीतिरिति तयोरेव इति मारगः । न च 'सुख  
 न चन्द्र' इति वाक्यद्वयं विदमानाज चन्द्र प्रोपमेय प्रत्येते शब्दः, उपमेयस्यैव इति  
 तदुपमेयविषयकत्वमिति प्रतिषेधपरकत्वमिति वाच्यम्, वाक्यद्वयनिष्ठत्वमप्यन्त्यायामे  
 व्युत्पत्त्यायामप्यन्त्यायामिच्छेतेन व्युत्पत्त्यायामे तयोपमेयप्रत्येतेन सुखमप्यन्त्यायामिच्छेति  
 प्राप्यन्त्यायामिच्छेतेन मिति ।

उपमेयार्थीयं शब्दविशेषके विषयमे प्रतीतिं का मत विमलयाशा जायते—उप-  
 प्राप्य इत्यादि । मानी उपमेयं मे उपमानायाश्च पर ही 'वश्रुतिरुचयति' ( वरते मे श्रुते  
 चाते तुमे मे सुख ) अर्थ मे मारे वा लक्षण सुं ही वस्यरत्न, अथ उपमेय उपमायय पर  
 पर मे लक्षण द्वारा 'वश्रुतिरुचयति' अर्थ के उपस्थिति ही तत्र ही उपमेय उपमेय  
 अर्थ का उपमेय मे भवेत्प्रमत्तय द्वारा विमलयाशा मत मे उपमेय ही है । इस मत मे  
 'अथ उपमेय' ही इस उपमेयय मे लक्षण द्वारा वश्रुतिरुचयति उपमानायाश्च पर मे विमलया  
 सुं वश्रुतिरुचयति— ( वश्रु मे श्रुते चाते वश्रु उचयति अस्ति तुमे मे सुख ) मत  
 अर्थ का भवेत्प्रमत्तय द्वारा सुखमप्य उपमेय मे विमलयाशा मे उपमेय ही है, अथ  
 उपमेय उपमेयय का शब्दविशेष— वश्रु मे श्रुते चाते —ों मे सुख मे 'अस्ति सुख'  
 यह ही है । अतएव शब्दविमलयाशा के मत ही है—'नियमिते लक्षण ही, उपमे-  
 यम्—उपमेय मत—उपमान, इस विमले उपमेय लक्षण ही । उपमेय मत ही—'उपमेय=

आरोप्यते' इस व्युत्पत्ति के अनुसार 'रूपक' पद का भी अर्थ 'आरोप-लक्षणा' ही होता है। यदि कोई कहे कि—इस तरह का बोध मानने पर 'चन्द्रसदृश मुख' इस उपमा से उक्त रूप का क्या भेद हुआ? क्योंकि बोध में विलक्षणता न होने से चमत्कार में विलक्षणता न होगी, अभिप्राय यह कि—सादृश्य का अर्थ भी 'उससे भिन्नता रखते हुए उसमें रहने वाले गुणों से युक्त होना ही होता है इस स्थिति में उक्त रीति से रूपकस्थल में जैसा बोध होता है वैसा ही उपमास्थल में भी होगा और जब बोध एक तरह का होगा तब चमत्कार भी दोनों जगहों पर एक ही तरह का मानना पड़ेगा। और जब तक चमत्कार में विलक्षणता न हो तब तक भिन्न अलंकार माना नहीं जा सकता। यदि कहा जाय कि बोध के एक होने पर भी, उपमा में वह बोध अभिधा द्वारा सिद्ध होता है और रूपक में लक्षणा द्वारा, अतः वृत्ति के भेद के कारण उपमा तथा रूपक में भेद हो जायगा। तो यह कथन कुछ मूल्य नहीं रखता। कारण, केवल वृत्ति के भेद से अलंकार का भेद सिद्ध नहीं होता। सारांश यह कि चमत्कार के भेद से अलंकार का भेद सिद्ध होता है और वृत्ति-भेद होने पर भी चमत्कार में कोई अन्तर पड़ता नहीं। उक्त 'उपमा और रूपक में क्या भेद हुआ?' इस आशका का उत्तर यह है—लक्षणा द्वारा बोध हो जाने के बाद रूपकस्थल में लक्षणा के फल—अभेद (उपमान का उपमेय में अभेद) का भी व्यञ्जना से बोध होता है, और उपमास्थल में यह वैयञ्जनिक अभेद-बोध नहीं होता, बस, इसी वैयञ्जनिक बोध के होने तथा न होने से चमत्कार में अन्तर पड़ जाता है और यही अन्तर उपमा तथा रूपक को भिन्न-भिन्न अलंकार सिद्ध कर देता है। आप कहेंगे—रूपक-स्थल में लक्षणा होने से फलीभूत अभेद की प्रतीति क्यों मानी जाय? तो इसका समाधान यह है कि—रूढिमूला से अतिरिक्त सभी लक्षणाओं में प्रयोजन—फल—होना ही चाहिए ऐसा नियम है और रूपक में रूढिमूला नहीं, अपि उतसे अन्य (सारोपा) लक्षणा ही होती है, अतः फलीभूत अभेद-बोध अवश्य मानना पड़ेगा। अब शंका रह जाती है एक यह कि जब 'मुख चन्द्र नहीं है' ऐसा बाधनिश्चय (मुख में चन्द्र से भिन्नता का निश्चय) है, तब अभेदबोध होगा कैसे—चन्द्र से अभिन्न मुख को समझ कैसे सकेंगे? इसका उत्तर यह है कि रूपकस्थल में अभेद का बोध व्यञ्जना के ज्ञान से होता है और वैयञ्जनिक बोध में बाध का अभाव अपेक्षित नहीं होता अर्थात् बाध रहने पर भी वैयञ्जनिक बोध होता ही है। स्पष्टार्थ यह है कि—बाध निश्चय की प्रतिबन्धिता के अवच्छेदक भाग में वैयञ्जनिक बोधभिन्नत्व का निवेश किया जाता है अर्थात् वैयञ्जनिक बोध से भिन्न बोध के प्रति ही बाधनिश्चय को प्रतिबन्धक माना जाता है, अतः बाध-निश्चय के रहने पर भी वैयञ्जनिक बोध होता है। यह है प्राचीन आलंकारिकों का मत।

तत्रैव नवीनमतमाह—

नव्यास्तु—“नामार्थरोरभेदसंसर्गेणान्वयस्य व्युत्पत्तिसिद्धत्वाच्चन्द्राभिन्नं मुखमिति लक्षणां विनैव बोधः। फलस्यान्यथैवोपपत्तेर्लक्षणाकल्पनस्यान्याय्यत्वात्। किञ्च यदि च रूपके लक्षणा स्यान्मुखचन्द्र इत्यत्रोपमितविशेषणसमासयोरुत्तरपदस्य लाक्षणिकत्वाविशेषादेकस्योपमात्वमन्यस्य रूपकत्वमिति व्याहृतं स्यात्। अपि च मुखं न चन्द्रसदृशमपि तु चन्द्र इत्यादौ सादृश्यव्यतिरेकमिश्रिते सादृश्यबुद्धेरयोगात्। एवं देवदत्तमुख चन्द्र एव यज्ञदत्तमुखं तु न तथा, अपि तु चन्द्रसदृशमित्यादौ नवर्थस्य लक्ष्यमाणचन्द्रसदृशान्वयित्वात् 'न चन्द्रसदृशश्चन्द्रसदृशम्' इति बोधकदर्थनापत्तेश्च। नहि नवः फलीभूतज्ञानविषयेणाभेदेनान्वयो युक्तः, एतदन्वयवेलाया तस्यानुपस्थितेः। तादृशाभेदबोधस्य चाहार्यत्वान्न बाधबुद्धिप्रतिबन्धत्वम्। यद्वा आहार्यान्यत्वस्येव शाब्दान्वयत्वस्यापि



तापमूर्च्छित क्लेशपीडितम्, माम्, कृपया सुधया दयारूपपीयूषेण, सिद्ध आर्द्राङ्कुर ।  
तेन कृपासुधाकरणेन सेकेन, ग्रहम्, जीविष्यामि क्लेशरहितो भविष्यामि, अत्र, सशयो  
नास्तीत्यर्थ । रूपकस्थले—‘मुख चन्द्र’ इत्यादौ—उपमानोपमेययो—चन्द्रमुखादिकयोरभेदो  
बुबोधयिषित, स च प्रथमं लक्षणया ‘चन्द्रसदृशाभिन्न मुख’मिति बोधेऽपि पश्चात् व्यञ्जनया  
बोध्यते—इति प्राचीना मन्यन्ते । नवीनास्तु ‘नामार्थयोरभेदातिरिक्त’ सम्बन्धोऽव्युत्पन्न इति  
सिद्धान्ते जाग्रति ‘चन्द्राभिन्न मुखम्’ इति प्रथममेवाभिधयैव च बोधे सम्भवति लक्षणा  
श्रयणं व्यर्थं मन्यन्ते । ननु ‘मुख न चन्द्र’ इति बाधनिश्चयस्य प्रतिबन्धकत्वात् कथं  
तादृशाभेदबोध इति चेन्न, तादृशाभेदबोधस्याहार्यत्वस्वीकारेण बाधनिश्चयप्रतिबन्धत्वात्,  
बाधनिश्चयप्रतिबन्धतावच्छेदककोटौ अनाहार्यत्वस्य निवेशात् । न चाहार्यं प्रात्यक्षिकमेवेति  
नियम, तस्यास्वीकारात् । अथवाऽस्तु स नियमः । बाधनिश्चयप्रतिबन्धतावच्छेदकदले-  
नाहार्यत्वस्यैव शाब्दान्यत्वस्यापि निवेश, तेनैवोक्ताकारको बाधपराहतोऽपि शाब्दाभेद-  
बोधो जायेत । न चैव सति बाधनिश्चयदशायां शाब्दबोधस्यापि अनुत्पत्तिरिति यदनुभव-  
मिद्ध तद् विरुद्धमेतेति वाच्यम्, बाधनिश्चयदशाया न सर्वविधशाब्दबोधानुत्पत्ति, अपि  
तु तद्वत्ताशाब्दबोधमात्रानुत्पत्ति, सापि न बाधनिश्चयस्य प्रतिबन्धकत्वेन, अपि तु—  
‘पदार्थे तत्र तद्वत्ता योग्यता परिकीर्तिता’ इति लक्षणलक्षिताया योग्यताया ज्ञानस्य  
तद्वत्ताशाब्दबुद्धौ कारणत्वे तद्विरहेत्येत्याशयात् । अत एव योग्यताज्ञानस्य शाब्दबोधे  
कारणत्वोक्ति सगच्छते । बाधनिश्चयप्रतिबन्धतावच्छेदकदले शाब्दान्यत्वानिवेशे तु तत्र-  
प्रतिबन्धकत्वेनैव बाधनिश्चयदशाया शाब्दबोधे वारिते तदुक्तिरसगतैव स्यात् । न चैवमपि  
नोक्तस्थले शाब्दाभेदबोध सम्भवति योग्यताज्ञानविरहादिति शक्यम्, आहार्ययोग्यता-  
ज्ञानसाम्राज्यात् । एवञ्च शाब्दबोधस्यैवाहार्यत्वस्वीकारेण, तदस्वीकारे वा बाधनिश्चयप्रति-  
बन्धतावच्छेदककोटौ शाब्दान्यत्व निवेश्याहार्ययोग्यताज्ञानस्वीकारेण काव्ये सर्वत्र  
बाधितार्थविषयकोऽपि शाब्दबोध उपपद्यत एव । इत्थञ्च नवीनमतमेव सम्यक् न प्राचीन-  
मतम्, तन्मतं मुखचन्द्र इत्यत्रोपमितविशेषणसमासयोरुत्तरपदस्य स्वसदृशे लाक्षणिकत्वा-  
विशेषेण प्रथमस्योपमात्व द्वितीयस्य च रूपकत्वमिति प्रवादस्य व्याहृतत्वात्, ‘मुख न  
चन्द्रसदृशम् अपि तु चन्द्र’ इति सादृश्यभेदविशिष्टे रूपके प्राचीनै चिकीर्षितस्य चन्द्र-  
पदजन्यतत्सादृश्यबोधस्यायुक्तत्वात् तत्सादृश्यस्य प्रथममेव शब्दतो निषेधात्, ‘देवदत्तमुख  
चन्द्र एव यज्ञदत्तमुख तु न तथा अपि तु चन्द्रसदृशम्’ इत्यादौ नगर्थस्य चन्द्रपदलक्ष्य-  
चन्द्रसदृशरूपार्थे एवान्वये ‘न चन्द्रसदृश चन्द्रसदृशम्’ इत्युपहासास्पदबोधप्रसङ्गाच्च ।  
किञ्च ‘मुख चन्द्र’ इत्यादौ लक्षणया प्रथम चन्द्रगतसाधारणधर्मवत्त्वं मुखे प्रतीयते पश्चाच्च  
लक्षणाफलीभूतश्चन्द्राभेदो मुखे व्यञ्जनया प्रतीयते इत्यभिप्रायोऽपि प्राचाम् न सेदु-  
मर्हति । व्याप्यसत्ताया विद्यमानाया व्यापकसत्ता नियमतस्तिष्ठति, न तु व्यापक-  
सत्ताया सत्यामपि व्याप्यसत्ता तथा । तथा च कथं चन्द्रगतधर्मबुद्धेर्मुखविशेषिकाया  
फलम् मुखविशेषिका चन्द्राभेदबुद्धि स्यात् ? साधारणधर्मावच्छिन्नचन्द्राभेदज्ञानस्य  
व्यापकत्वेन असाधारणधर्मावच्छिन्नचन्द्राभेदज्ञानस्य च व्याप्यत्वेन प्रथमज्ञानसत्त्वेऽपि  
द्वितीयज्ञानसत्ताया अनियमात् । अत एव घटपटयो साधारणात्मकेन द्रव्यत्वेना-  
भेदज्ञानेऽपि असाधारणात्मकेन घटत्वादिना जायमानो भेदग्रह सगतो भवति ।  
अत एवमास्थेयं यत् प्रागुक्तनवीनमतानुसारेण प्रथमं चन्द्राभेदज्ञान मुखे भवति  
तस्य च फलरूपेण पश्चात् व्यञ्जनया चन्द्रगतसाधारणधर्मवत्त्वज्ञान मुखे जायते इति ।

एतद्गमभवन्वपि व्याप्ये चन्द्राभेदज्ञाने जाते व्यापकस्य चन्द्रगतनाधारणधर्मव्यपानस्य नियतत्वान् । तृतीयमतप्रतीकारादेव न 'लक्षणा मुधया—' इत्यत्र लक्षणा मुधयोरभेदे चान्त-  
 शृङ्खलावगते लक्षणा भेदे करणत्वेन उपाकरणरूपेण च जीवने हेतुत्वेनान्वय उपपद्यते ।  
 प्राचीनमतार्हाङ्गं तु मुधापदर्शा उपैति बोधे लक्षणा करणत्वेन भेदे तादृशनेरस्य न हेतुत्वेन जीवनेऽन्वयो नैवोपपद्यते तन्नादृशज्ञानान् तन्सायोपनेरनुभवविद्वत्त्वामिति भावः ।

अथ रूपकस्थलीय शब्दबोध के विषय में नवीनों का मत दिखलाया जाता है—  
 नव्यान्मुद्र इत्यादि । दो प्रातिपदिकों के अर्थों का अभेद समग्रधर्म से अन्वय व्युत्पत्तिमिद्वय है—  
 उसको मिद्व करने के लिये किसी अन्य युक्ति की आवश्यकता नहीं । अत 'सुग चन्द्र है'  
 इस वाक्य का शब्दबोध—'चन्द्र से अभिप्राय सुग' यह होता है । यहाँ लक्षणा मानने की  
 कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जिस अभेद को आप लक्षणा का प्रयोजन मानते हैं वह  
 जब अप्रकार—अकाशा आदि—से स्वतः मिद्व हो जाता है तब उसके लिये लक्षणा की  
 कल्पना करना न्यायानुसूल नहीं माना जा सकता । दूसरे, लक्षणा मानने में कई एक दोष  
 भी हैं । यदि रूपकस्थल में लक्षणा हो तो १—'सुगचन्द्र' इस स्थल में 'उपमित  
 समास' करने पर अथवा 'विशेषण समास' करने पर आपके हिसाब से उत्तरपद लास-  
 णिक ही रहेगा फिर जो एक ( उपमित-ममाम ) को उपमा और दूसरे ( विशेषण-  
 समास ) को रूपक माना जाता है वह व्याहृत—असंगत—हा जायगा । अभिप्राय यह है  
 कि—'सुग चन्द्र इव' इस विग्रह में जब 'उपमित व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे' इस  
 पाणिनि-सूत्र से ममाम करके 'सुग चन्द्र' पद को मिद्व करते हैं तब उपमा अलंकार यहाँ  
 माना जाता है और 'सुग चन्द्र' इस विग्रह में जब 'विशेषण विशेष्येण बहुलम्' इस  
 पाणिनि सूत्र से समास करके उक्त पद को बनाते हैं तब यहाँ रूपकालंकार माना जाता  
 है । यह है वस्तुस्थिति । अथ यदि प्राचीनों के कथनानुसार रूपकस्थल में लक्षणा मानी  
 जाय तब तो उक्त उपमित-ममाम तथा विशेषण-समास में कोई अन्तर नहीं रह जायगा,  
 क्योंकि उपमित समास में जिस तरह उत्तर—चन्द्र—पद की स्वमदश में लक्षणा होने के  
 कारण 'चन्द्र सदृश सुग' यह अर्थ होता है उसी तरह आपके हिसाब से विशेषण-ममाम  
 में भी उक्त पद की उक्त अर्थ में लक्षणा होने के कारण वही अर्थ होगा फिर प्रथम को  
 उपमा और द्वितीय को रूपक कहने में कोई युक्ति नहीं रह जायगी । और २—'सुग  
 चन्द्र सदृश नहीं है, किन्तु चन्द्र है' इत्यादि—जहाँ सादृश्य का निषेध भी मिश्रित रहता  
 है—रूपकों में लक्षणा वाली प्राचीनों की यात चत नहीं मरनी, क्योंकि 'किन्तु चन्द्र है'  
 इस अर्थ में 'चन्द्र' पद की चन्द्रमदश में ही लक्षणा मानने पर यह टीका होगी नहीं ।  
 कारण जिस सुग में शब्दत पहले चन्द्रसादृश्य का निषेध किया गया हो उसी सुग में  
 लक्षणा द्वारा चन्द्रसादृश्य की युक्ति हो नहीं सकती । इसी तरह, ३—'यजदत्त वा सुग  
 चन्द्र ही है, यजदत्त का सुग तो वही नहीं है, किन्तु चन्द्र के मदन है' इत्यादि स्थानों में  
 आपके हिसाब से प्रथमवाक्यादागत चन्द्रपद का अर्थ लक्षणा द्वारा चन्द्रमदश होगा,  
 अत द्वितीय-वाक्यादागत 'वही नहीं है' का अर्थ होगा 'चन्द्रमदश नहीं है'—तथा  
 नत्रर्थ का अन्वय चन्द्र पद के लक्ष्यार्थ—चन्द्रमदश—के साथ ही होगा, अथ यदि तृतीय  
 वाक्यादा के साथ मिश्रकर अर्थ करें तो 'तो चन्द्रमदश नहीं यह चन्द्रमदश' ऐसा ही  
 अर्थबोध होगा, पर यह तो कोई बोध हुआ नहीं, अपितु बोध का केवल उपहास हुआ ।  
 यदि आप कहें कि—नत्रर्थ का अन्वय चन्द्रमदशतत्त्व उपपत्त अर्थ के साथ न करके लक्षणा  
 के प्रयोजनीभूत ज्ञान में विषय होने वाले 'अभेद' के साथ करेंगे—अर्थात् नत्रर्थ का  
 अन्वय स्पष्टव 'अभेद' के साथ करके 'वही नहीं है' का अर्थ हम यह करेंगे कि 'चन्द्रा-  
 न्निव नहीं है', अत कोई मद्ददर्शी नहीं होगी, तो यह युक्ति भी आपके वादंशर नहीं  
 हो सकती, क्योंकि इस वाक्य नत्रर्थ का अन्वय करने समय हम स्पष्टव 'अभेद' की उप-  
 स्थिति ही नहीं हुई रहेगी, फिर उसके साथ हमका अन्वय हो नहीं सकेगा । तात्पर्य



यह हुआ कि—पूर्वकालोपस्थित वाच्य अर्थ का अन्वय पीछे उपस्थित होने वाले व्यङ्ग्य अर्थ के साथ किया ही नहीं जा सकता। आप कहेंगे—‘मुख चन्द्र है’ इस जगह जो नवीन विद्वान् सीधे अभेदसम्बन्ध से अन्वय करके ‘चन्द्र से अभिन्न मुख’ ऐसा धर कर लेते हैं वह होगा कैसे? क्योंकि ‘मुख चन्द्र से भिन्न है’ इस प्रकार का वाध ज्ञान पहले से दृढरूप में बना रहता है और वाधित अर्थ का बोध होता नहीं। कारण, उस तरह के अर्थ-बोध के प्रति वाधज्ञान को प्रतिबन्धक माना गया है तो इसका उत्तर यह है कि—यहाँ का ‘चन्द्राभिन्न मुख’ यह बोध आहार्य (वाधकालिकदृच्छा-जन्य) है और आहार्य-बोध वाधज्ञान से रुकता नहीं, क्योंकि आहार्य से भिन्न बोध के प्रति ही वाध ज्ञान को प्रतिबन्धक माना जाता है। इस पर यदि आप कहें कि—प्रात्यक्षिक ज्ञान ही आहार्य होता है, शाब्द ज्ञान नहीं, फिर उक्त बोध को आहार्य कैसे माना जा सकता है? क्योंकि उक्त बोध प्रात्यक्षिक नहीं, शाब्द है, तो मैं कहूँगा कि—रहे आपकी ही बात—उक्त बोध को आहार्य मत मानिए, तथापि उक्त बोध वाध-ज्ञान से प्रतिबद्ध नहीं होगा—क्योंकि जिस तरह वाध-ज्ञानीय-प्रतिबध्यतावच्छेदककोटि में अनाहार्यत्व का निवेश है उसी तरह शाब्दान्वयत्व का भी निवेश कर दिया जायगा—अर्थात् शाब्दबोधविरिक्त बोध के प्रति ही वाध-ज्ञान को प्रतिबन्धक माना जायगा, अतः वाधित अर्थ का भी शाब्दबोध होने में कोई रुकावट पैदा नहीं हो सकेगी। इस पर यदि आप कहें कि वाध ज्ञानीय-प्रतिबध्यतावच्छेदककोटि में अगर शाब्दान्वयत्व का निवेश कर दिया जायगा तब वाधनिश्चय के रहने पर शाब्दबोध का न होना जो अनुभव सिद्ध है उसका क्या होगा? तो इसके उत्तर में मेरा कथन यह है कि वाध निश्चय के रहने पर सभी तरह के शाब्दबोधों का न होना अनुभव-सिद्ध नहीं है, अपितु तद्वत्ता-शाब्दबोध—अर्थात् ‘घर में घट नहीं है’ इस प्रकार का वाध रहने पर ‘घट वाला घर’ ऐसे शाब्दबोध का न होना ही केवल अनुभव-सिद्ध है और वह भी वाध-ज्ञान से प्रतिबन्धक होने के कारण नहीं, अपितु ‘पदार्थ तत्र तद्वत्ता योग्यता परिकीर्तिता’ इस योग्यता के ज्ञान का अभाव रहने के कारण। इस स्थिति में यदि कहीं आहार्ययोग्यता ज्ञान हो जाता है तब वहाँ तद्वत्ता शाब्दबोध भी होता ही है—यही दृष्ट है। अतएव (वाधनिश्चय-प्रतिबध्यतावच्छेदककोटि में शाब्दान्वयत्वनिवेश करने से ही) शाब्दबोध के प्रति योग्यता-ज्ञान को कारण मानना भी शाब्दिकों का संगत होता है। अभिप्राय यह कि यदि वाधनिश्चय प्रतिबध्यतावच्छेदककोटि में शाब्दान्वयत्व का निवेश नहीं किया जाय तब तो वाधनिश्चय से ही वह शाब्दबोध—जिसको योग्यताज्ञान की कारणत से रोकना चाहेंगे—रुक जायगा, फिर योग्यताज्ञान को शाब्दबोध के प्रति कारण मानन असंगत ही होगा। अतः यह सिद्ध हुआ कि शाब्द अभेदबोध को आहार्य मान कर अथवा योग्यताज्ञान को आहार्य मान कर—दोनों प्रकारों में से किसी भी प्रकार से काष्ठ में, सर्वत्रवाधित अर्थ का भी बोध बन सकता है। यहाँ नागेशभट्ट ने एक भिन्न ही सिद्धान्त स्थिर किया है और वह सिद्धान्त तर्कसंगत भी प्रतीत होता है। उनका कथन है कि—“वाधित अर्थ का भी शाब्दबोध होता ही है। अतएव तो ‘भाग से सींचत है’ इस उक्ति को सुन कर श्रोता के द्वारा वक्ता का उपहास—‘ओ महाशयजी! आप क्या कोई तरल पदार्थ है जो आप उससे सींचने की बात करते हैं’—संगत होता है। यदि उक्त वाक्य से बोध ही न होता तब तो जैसे इसी अर्थ वाला द्रविड भाषा का वाक्य सुनकर कोई भी पश्चिमभारतीय चुप हो जाता है वैसे श्रोता चुप हो जाता—उक्त उपहास नहीं करता। ‘उक्त वाक्य के श्रवण से उन पदार्थों का केवल स्मरण होता है, अतएव उक्त उपहास संगत ही है—अर्थात् उस तरह के वाक्यों के श्रवण से वाक्यार्थबोध ना ही होता’ यह कथन तो केवल प्राचीनों के प्रति अन्धश्रद्धा है—जड़ता है। ताएव यह कि पदार्थ स्मरण होता है पर वाक्यार्थ बोध नहीं होता यह अयुक्तिक सिद्धान्त है अतः यह मानना चाहिए कि—वाधित अर्थ का भी शाब्दबोध होता ही है। वाध निश्चय

उम बोध में अप्रामाण्य ज्ञान करा कर बाधित कथ्य वाले वाक्य में ज्ञात कथ्य में प्रवृत्ति को रोकने है, अर्थात् बाधनिश्चय प्रवृत्ति-प्रतिबन्धक होते हैं, नाव्यबोध-प्रतिबन्धक नहीं, और योग्यताज्ञान नाव्यबोध के प्रति कारण ही नहीं है। यही नारा सुन्दर है।"  
 ४—लक्षणा मानने में एक यह भी दोष है कि—तस्मात्तद्वय का कथ्य है 'उस वस्तु में रहने वाले धर्म से युक्त होना' इस बोध का फल 'उसके अन्वय का बोध' कैसे हो सकता है? कहीं भी ऐसा नहीं देखा जाता कि—साधारणधर्मों से युक्त पदार्थों के अन्वय का ज्ञान उन-उन वस्तुओं के असाधारणधर्म से युक्त पदार्थों के अन्वय ज्ञान का कारण होता हो। देखा तो यही जाता है कि—घटे और कपड़े में द्रव्यस्वरूप साधारणधर्म-मूलक अन्वय ज्ञान होने पर भी 'घटत्व' और 'पटत्व' रूप असाधारणधर्म-मूलक अन्वय ज्ञान होता ही है। हाँ, उल्टा यह हो सकता है कि—उसमें अन्वय समझने का फल उसके धर्मों का वहाँ रहना समझा जाय, जैसे 'गंगाया बोध'—अर्थात् गंगा पर प्राप्त है' इस वाक्य में लक्षणा द्वारा जय प्रवाह और तट को अन्वय समझ लिया जाता है तब प्रवाह के धर्म-शीतलता तथा पवित्रता आदि—का प्राप्त में भी ज्ञान होता है। माराज यह है कि—किमी व्याप्यधर्म से युक्त होने का ज्ञान जहाँ होता है वहाँ उस व्याप्यधर्म-पेक्षया व्यापक धर्मों से युक्त होने का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि व्याप्य की मत्ता में व्यापक की मत्ता निश्चिन्त है, जैसे प्रवाहाभेदज्ञान है व्याप्य, और शीतलता आदि का ज्ञान है व्यापक, अतः जय तट में प्रवाहाभेदज्ञान हो जाता है तब शीतलता आदि का ज्ञान भी यहाँ होता है। इस युक्ति से सुत्र में व्याप्य (चन्द्राभेद) ज्ञान होने पर व्यापक (चन्द्रगत अणु दक्ष्णा आदि) का ज्ञान हो सकता है, पर व्यापक (आह्लादक्ष्णा) आदि का ज्ञान होने पर भी व्याप्य (चन्द्राभेद) का ज्ञान नहीं हो सकता। तात्पर्य यह निकलता है कि—अन्वय-ज्ञान का फल सादृश्य-ज्ञान हो सकता है, सादृश्य ज्ञान का फल अन्वय ज्ञान नहीं हो सकता। रूपक में अन्वय-ज्ञान ही होता है, सादृश्य ज्ञान नहीं, अतएव—'कृपा सुधया—अर्थात् हे हरि ! मैं ताप से मृच्छित हूँ। तुझे कृपालु सुधा से मीचो। हे जगत् के जीवन ! उसमें मैं जी उठूँगा—इसमें मन्देह नहीं।' इत्यादि में, कृपा और अमृत में अन्वय का बोध होने पर ही उसका कारणत्व से 'मीचने' में अन्वय होता है—अर्थात् कृपा को अमृत में अन्वय न मानकर अमृत-मदश मानने पर वह मीचने का कारण कैसे हो सकती है? और अन्वय मानने पर ही वैसा 'मीचने' जीवन का हेतु हो सकता है—अर्थात् कृपा जब तक अमृतरूप न हो तब तक उसका 'मीचने' जीवन का हेतु नहीं हो सकता। यह नवीन आलंकारिकों के मत का शिष्टार्थ-साधक है।

तृतीयान्तर्गच्छोपनिषत्पर्यन्तधर्मकल्पवृत्ते बोध विद्यारति—

अथ कथं 'गान्भीर्येण समुद्रोऽयं सौन्दर्येण च मन्मथः' इत्यत्र बोधः ।  
 शृणु—प्राचा तापस्यस्यमाणकंदेगे नाह्वये प्रयोज्यताया अन्वयस्य वा तृतीयार्थ-तयान्वयाद्गान्भीर्यप्रयोज्यसमुद्रनाह्वयवदभिन्नोऽयम् । गान्भीर्योभिन्नसमुद्र-  
 पृत्तिधर्मवदभिन्नोऽयमिति वा धी । लक्षणा द्विनेत्र अन्वयसमर्पणान्वयवदित्ता  
 पुनरित्यम्—कविना स्वेच्छामात्रादुपकल्पिता अमृतोऽप्यन्त करणपरिणामा-  
 त्मसा जयार्थो उपनिषत्पर्यन्ते सुखचन्द्रादयः । तेषु च साधारणधर्मार्णामन्वयेन  
 प्रयोज्यत्वम् । तदर्थानार्थिनत्वान्निमित्तं । एतच्च गान्भीर्यप्रयोज्यसमुद्रा-  
 यभिन्न इति बुद्धिरप्रत्युत्ति । यदा ज्ञानजन्य-गणप्रकारस्य तृतीयार्थः । यतिमान  
 धूमादित्यादी पञ्चम्यर्थतया तस्य कल्पनान् । एतच्च गान्भीर्यगणजन्य-गण-  
 प्रकारसमुद्राभिन्न इत्यादिबोधः ।

प्रयोज्यता परेण्येति । नाह्वयस्य नाह्वयस्येति । नाह्वयस्येति । नाह्वयस्येति ।

र्थत्वमिति भावः, 'प्रकृत्यादिगणाज्जाता तृतीया तु तदात्मताम् । अचच्छेदकतावुद्धिं प्रका-  
 त्वादि शसति' इति प्राचीनोक्तिः, 'प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम्' इति वार्तिकविहिततृतीया-  
 नानार्थकत्व सूचयतीति स्पष्टार्थः । अन्त करणपरिणामात्मका इति । अन्त करणवृत्तिरूपा  
 इत्यर्थः । मुखचन्द्रादय इति । चन्द्राभिन्नमुखादिरूपा अर्था इति भावः । तेषु । चन्द्र-  
 भिन्नमुखादिरूपेष्वर्थेष्विति भावः । तद्दर्शनेति । चन्द्रभिन्नमुखादिरूपार्थचाश्रुषेति, चन्द्रभिन्न  
 मुखादिरूपार्थज्ञानेति वा अर्थः, दृशेश्चाश्रुषार्थकत्वात् ज्ञानसामान्यार्थकत्वाच्चेति भावः ।  
 तन्निर्मितेरिति । चन्द्राभिन्नमुखादिरूपसृष्टेरित्यर्थः । नन्वेवमन्धकवेस्तन्निर्मितिर्न स्यात्  
 आह—यद्वेति । अथवा । साधारणधर्मज्ञानस्य तन्निर्मितिप्रयोजकत्वेऽपि साधारणधर्मान-  
 न तत्प्रयोजकत्वमित्यत आह—यद्वेति । तस्येति । ज्ञानजन्यज्ञानप्रकारत्वस्येत्यर्थः । 'याद-  
 गाम्भीर्यं समुद्रे तादृश त्वयि, अतस्त्वम् समुद्ररूपः, एवं यादृश सौन्दर्यं मन्म-  
 (कामदेवे) तादृश त्वयि, अतस्त्वम् मन्मथरूपः' इत्यर्थकात् 'गाम्भीर्येण—' इति  
 वाक्यात् प्राचीनमते 'गाम्भीर्यप्रयोज्य यत् समुद्रसादृश्यं तद्वता अभिन्नोऽयम्' इति  
 एवम्—'सौन्दर्यप्रयोज्यं यन्मन्मथसादृश्यं तद्वता अभिन्नोऽयम्' इति बोधः, समुद्र-  
 मन्मथ-पद-लक्ष्यस्वसदृशरूपार्थैकदेशसादृश्यान्वयिप्रयोज्यतार्थकत्वात् गाम्भीर्यसौन्दर्य  
 पदोत्तरतृतीयाविभक्तयोः । अथवा तद्वाक्यात् तन्मते 'गाम्भीर्याभिन्नो य समुद्रवृत्ति-  
 धर्मः एवं सौन्दर्याभिन्नो यो मन्मथवृत्तिधर्मस्तद्वता अभिन्नोऽयम्' इति बोधः, गाम्भीर्य-  
 सौन्दर्य-पदोत्तर-तृतीयाविभक्तयोः लक्ष्यमाणैकदेश-सादृश्यान्वयभेदार्थकत्वात् । रूपं  
 न लक्षणा, अपि तु अभेदेनोपमानोपमेययोर्वाच्यार्थयोरेवान्वय इति वद-  
 नवीनाना मते तु 'गाम्भीर्य-प्रयोज्य-समुद्राभिन्न, एव सौन्दर्यप्रयोज्य-मन्मथाभिन्नोऽयम्,  
 इति बोधः, तृतीयाविभक्तयोः क्रमशः समुद्र-मन्मथपदार्थान्वयिप्रयोज्यतार्थकत्वात् । ननु  
 कथं समुद्रमन्मथादय पदार्था गाम्भीर्यादिप्रयोज्या इति चेत् ? इत्यम्—उपमेयराजा-  
 दिनिष्ठाभेदप्रतियोगिनः समुद्रादय पदार्था न वास्तविका अपि तु अन्त करणवृत्तिरूपा  
 कविकल्पिता, तादृशकल्पनाया चोपमेये उपमानवृत्तिधर्मदर्शनमेव मूलम्, तथा च मन्-  
 न्त्येव ते पदार्था साधारणधर्मप्रयोज्या । अथवा ज्ञानजन्यज्ञानप्रकारत्वमीदृशतृतीयावि-  
 भक्तेरर्थः । ननु नेदृशविभक्त्यर्थं क्वचिद् दृष्ट इति चेन्न, 'बहिमान् धूमात्' इत्यादौ पञ्चमी-  
 विभक्तेस्तादृशार्थकत्वस्य परै स्वीकृतत्वात्, अत एव 'धूमज्ञानजन्यज्ञानप्रकारीभूतवह्नि-  
 विशिष्ट पर्वतादिरिति बोधस्तन्मते समुपपद्यते । तथा च प्रकृते 'गाम्भीर्यज्ञानजन्य  
 यत् ज्ञानं 'अयं समुद्र' इत्याकारकं तत्र प्रकारीभूतो य समुद्रस्तदभिन्नोऽयम्' इति  
 एव 'सौन्दर्यज्ञानजन्य यत् ज्ञानं 'अयं मन्मथ' इत्याकारकं तत्र प्रकारीभूतो यो  
 मन्मथस्तदभिन्नोऽयम्' इति बोध इति भावः ।

अब उस रूपकस्थल का बोध दिखलाया जाता है जहाँ तृतीयाविभक्त्यन्त पद के  
 द्वारा साधारणधर्म की उपस्थिति होती है—अथ इत्यादि । अब 'गाम्भीर्येण—अर्थात्  
 यह राजा गम्भीरता से समुद्र और सुन्दरता से कामदेव है ।' इस वाक्य से कैसा शाब्द-  
 बोध होगा इस प्रश्न का उत्तर सुनिष् । १—प्राचीनों के मतानुसार ऐसे स्थलों पर साधि-  
 रणधर्म बोधक पद—गाम्भीर्य-सौन्दर्य आदि—के आगे जुड़ी हुई तृतीया विभक्ति का अर्थ  
 'प्रयोज्यता' अथवा 'अभेद' होता है, क्योंकि ऐसे स्थानों में 'प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम्'  
 इस वार्तिक से तृतीया विभक्ति होती है और उस तृतीया के 'प्रयोज्यता', 'अभेद' आदि  
 अनेक अर्थ होते हैं । उस तृतीयाविभक्त्यर्थ का यहाँ समुद्र और मन्मथ पद से लक्षणा  
 द्वारा बोधित सदृश (सादृश्ययुक्त) के एकदेश (सादृश्य) में अन्वय होगा, अतः उक्त

राज्य का शाब्दबोध—'गम्भीरता द्वारा सिद्ध किए जाने वाले समुद्र के साक्ष्य से युक्त । क्षमिन्न, एवं सुन्दरता द्वारा सिद्ध किए जाने वाले कामदेव के साक्ष्य से युक्त से अभिन्न यह राजा' ऐसा अथवा 'गम्भीरता से क्षमिन्न समुद्र के धर्म ( साक्ष्य ) से युक्त । क्षमिन्न, एवं सुन्दरता से क्षमिन्न कामदेव के धर्म ( साक्ष्य ) से युक्त से क्षमिन्न यह राजा' ऐसा होगा । और जो लोग विना लक्षणा के ही अभेदमन्वय द्वारा अन्यथा मानते हैं उन नवीनों के मतानुसार यह बात है कि जो 'सुब्रह्मचन्द्र' ( चन्द्राभिन्न सुग ) यदि पदार्थ वास्तविक नहीं होते, केवल अन्त करण के परिणामरूप ( चित्तवृत्तिविशेष रूप—मानस ) होते हैं उनकी सृष्टि कवि कल्पना द्वारा करता है और इस तरह की कल्पना के सृष्टि में साधारणधर्म ही प्रयोजक ( मूल ) होते हैं—अर्थात् चन्द्रगत आत्मादकता यदि धर्मों को सुग आदि में देखकर अथवा समझ कर ही ऐसी कल्पना की जाती है । तब—उक्त वाक्य का बोध—'गम्भीरता आदि के द्वारा सिद्ध किए जाने वाले ( प्रयोज्य ) समुद्र आदि से क्षमिन्न यह राजा' ऐसा होता है । साराण यह हुआ कि उपमेय राजारूप काल्पनिक समुद्र आदि गम्भीरता आदि के प्रयुक्त ही समुद्र आदि होते हैं, अतः उक्त बोध मानने में किसी तरह की विघ्न याथा नहीं हो सकती । यदि आप कहें कि ऐसी स्थिति में वह अन्ध कवि—जो न चन्द्र को कभी देख सका है न सुग को भी—कैसे इस तरह की कल्पना करेगा ? अथवा आपकी युक्ति के अनुसार भी साधारणधर्मों का ज्ञान ही उक्तविध कल्पना का प्रयोजक ठहरता है, साधारणधर्म नहीं, फिर उक्त बोध—जिसमें समुद्र आदि को साधारणधर्म-प्रयोज्य बताया गया है—कैसे होगा ? तो इसके उत्तर में मेरा कथन है कि छोड़िए उस बोध को । 'ज्ञान-जन्य-ज्ञान प्रकाशत्व'-ज्ञान से उत्पन्न ज्ञान का प्रकार होना—को तृतीया विभक्ति का अर्थ मान लीजिये । वेभक्त्यर्थ के रूप में इसको नई मान्यता नहीं देनी पड़ेगी, 'वह्निमान् धूमात्' इत्यादि शब्दों पर पञ्चमी विभक्ति के अर्थरूप में इसे नयाधिक लोग मान्यता प्रदान कर चुके हैं । तात्पर्य यह कि 'वह्निमान् धूमात्' का शाब्दबोध नैयायिक लोग 'धूम ज्ञान-जन्य ज्ञान में प्रकटीभूत वह्नि वाला पर्वत' करते हैं जिससे सिद्ध होता है कि—ये 'ज्ञान-जन्य ज्ञानप्रकाशत्व' को 'धूमात्' इस पञ्चमी विभक्ति का अर्थ मानते हैं, फिर हम उसी वस्तु को यहाँ तृतीया विभक्ति का अर्थ क्यों नहीं मान सकते ? अथवा मान सकते हैं । तदनुसार, उक्त वाक्य का शाब्दबोध होगा—'गम्भीरता के ज्ञान से उत्पन्न ज्ञान में विशेषणीभूत समुद्र से क्षमिन्न' एवं 'सुन्दरता के ज्ञान से उत्पन्न ज्ञान में विशेषणीभूत कामदेव से क्षमिन्न यह' ऐसा । स्पष्ट अर्थ यह कि वर्जनीय राजा-न्य उपमेय में रहने वाली गम्भीरता का ज्ञान पहुँचे होता है उस गम्भीरता-ज्ञान से उसी राजा में 'यह समुद्र है' ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है, इस द्वितीय ज्ञान में विशेष्यभूत समुद्र विशेषण और यह ( राजा ) विशेष्य है, इस, इन्हीं बातों को जोड़ कर उक्त शाब्दबोध सरल हो जाता है ।

अभेदमन्वयान्तरात् एतन्न्यकारणम् । तदा भवति तदाप्रधानं तदा न्येय-विभक्ति—

तद्विद्वन्वक विषयविषयिणोः नामानाधिकारस्ये उपपत्त्यन्तया समर्गः । यथा बुद्धिर्दीपकत्वा— इत्यादी ।

एतन्नमित्ति । उपमानोपमेयोरभेद इति भावः । तदा तद्विभक्ति । उपमेयविभक्ति ( विषय ) उपमेय इति यथा , उपमानोपमेय , तद्विभक्ति , उपमानविभक्ति यथा इति बोधः । नामानाधिकार इति । नामानाधिकारस्ये उपपत्त्यन्तया समर्गः । उपपत्त्यन्तया । उपपत्त्यन्तया उपपत्त्यन्तया । तदा उपमानोपमेय— इति । 'बुद्धि—' इति । उपमेयविभक्ति उपपत्त्यन्तया उपपत्त्यन्तया । विभक्ति इति विशेष्यविभक्ति यथा उपमेयविभक्ति उपपत्त्यन्तया

यस्योपस्थितिर्बुद्धिज्ञानाधीना, यस्य तु अर्थस्योपस्थितिर्न बुद्धिज्ञानाधीना, अपि तु आकांक्षा दिवशात् तस्य भानं संसर्गविधया भवतीति वस्तुस्थितिः । तथा च 'मुख चन्द्र' इत्यादावि 'बुद्धिर्दीपकला—' इत्यत्र विषयविषयिणोर्बुद्धि-दीपकलयोः सामानाधिकरण्यमिति तत्र तयो रभेद सबन्धविधया भासेत, आकांक्षादिवशात्तस्योपस्थिते । इत्यथ 'मुख चन्द्र' इत्यात् चन्द्रप्रतियोगिकाभेदवन्मुखमित्यादिर्न बोध, अपि तु अभेदसबन्धेन चन्द्रवन्मुखमित्यादि रेवेति भावः ।

यह रूपक ( उपमान उपमेय का अभेद ) वाक्यार्थ में तीन तरह से भिन्न-भिन्नस्य में भासित होता है, इसी वैचित्र्य को चित्रित करने के लिये कहा जाता है—तद्विदित्यादि । जहाँ विषय ( उपमेय ) और विषयी ( उपमान ) समानाधिकरण रहते हैं—दोनों के बोधक-पदों से एक ही तरह की विभक्ति आई रहती है, वहाँ उसका ( अभेद का भान सबन्धरूप में होता है, विशेषण अथवा विशेष्यरूप में नहीं, क्योंकि विशेष अथवा विशेष्यरूप में उसी अर्थ का भान होता है जो किसी पद का वाच्य अथवा लक्ष्य हो, आकांक्षा आदि के द्वारा जिस अर्थ की उपस्थिति होती है—उसका भान सम्बन्धरूप में ही होता है । सामानाधिकरण्यस्थल में अभेद ( रूपक ) किसी भी पद का वाच्य किंवा लक्ष्य नहीं रहता, अतः उसका भान संसर्गरूप में ही होता है । जैसे—'बुद्धिर्दीपकला' इस पूर्वोक्त पद्य में बुद्धि-रूप विषय और दीपकलारूप विषयी समानाधिकरण हैं, फलतः उन दोनों का अभेद किसी पद का अर्थ नहीं होने के कारण सबन्धरूप में भासित होता है । अभिप्राय यह कि—'बुद्धिर्दीपकला' इसका शाब्दबोध, 'दीपकला के अभेदयुक्त बुद्धि' इस तरह नहीं, अपि तु 'अभेदसबन्ध से दीपकला वाली बुद्धि' इस तरह से किया जा सकता है । यह हुआ रूपक के भान का प्रथम 'प्रकार' ।

वाक्यार्थेऽभेदात्मकरूपकभानस्य प्रथमां विधां स्फोरयित्वा सम्प्रति द्वितीयां विस्फोरयितुमाह—

वैयधिकरण्ये च शब्दार्थतया कचिद् विशेष्यम् ।

यथा—

‘कैशोरे वयसि क्रमेण तनुतामायाति तन्व्यास्तना-

वागामिन्यखिलेश्वरे रतिपतौ तत्कालमस्याज्ञया ।

आस्ये पूर्णशशाङ्कता नयनयोस्तादात्म्यमम्भोरुहां

किं चासीदमृतस्य भेदविगमः साचिस्मिन्ते तात्त्विकः ॥’

अत्र शशाङ्कता-तादात्म्य-भेदविगमशब्दैरभिधीयमान रूपकं प्रथमान्त-विशेष्यता-वादिनां मते विशेष्यम् । क्रियाविशेष्यतावादिनां तु तत्रैव किञ्चिद् व्यत्यासेन निष्ठान्तक्रियादाने ।

वैयधिकरण्य इति । भिन्नविभक्तिकपदबोधत्व इत्यर्थः । अस्यादौ 'विषयविषयिणो' इत्यस्यानुषङ्गो बोध्यः । शब्दार्थतयेति । शब्दनिष्ठवृत्तिबोध्यतयेत्यर्थः । क्वचित् अधोनिर्दिष्ट-लक्ष्ये तादृशेऽन्यस्मिन् लक्ष्ये च । विशेष्यमिति । वाक्यार्थमुख्यविशेष्यमित्यर्थः । लक्ष्य-प्रदर्शनायाह—यथेति । लक्ष्यमाह—'कैशोरे—' इति । कवि वयसि सन्धिगतायाः कामिन्या सौन्दर्यं वर्णयति । अत्र 'तन्व्यास्तनौ' इति मध्यमणिन्यायेनोभयत्रान्वेति । तथा च—तन्व्या कृशाङ्गया, तनौ शरीरे, क्रमेण क्रमशः, कैशोरे वयसि किशोरावस्थायाम्, तनुता क्षीणताम् आयाति आगच्छति सति, तथा तत्रैव तनौ, रतिपतौ कामदेवे, अखिलेश्वरे सर्वेश्वरे—राज्ञि, आगामिनि आगन्तुकामे सति, तत्काल तस्मिन्नेव क्षणे, अस्य कामदेवस्य, आज्ञया आदेशेन, तस्या, आस्ये मुखे, पूर्णशशाङ्कता पूर्णचन्द्रत्वम्, आसीत्

अभूत्, नयनसोपभ्रुवो अभ्रुवोऽप्यपरिजनान्, ताम्बुलान् परभेदः, पामात् किञ्च नाति-  
 र्मिते वनेप्लान्ते, प्रमत्तस्य परिपूरणं नातिञ्च वस्तुपरिञ्च, भेदविनाम परभेदः, पामात्  
 उप्ययं, वनमन्धिकरुले वन वनिभोजेव इमिन्वा अनेऽु मौन्यं स्वयमेव प्रादुग्गतीति  
 भावः। उपपादयति—सप्रेत्यदिना। अभिजातमानमिति। वीर्यमनमित्यर्थः। उप्यया लभ-  
 यता वेति भावः। प्रथमान्तविशेषतावदितिमिति। नैवाधिकरुनामित्यर्थः। शिवादिशेषता-  
 वदितिमिति। गादिशानामित्यर्थः। तत्रैव कल्पयत् एव। शिवादिशानामिति। 'शिवात्' इति  
 इत्यस्य स्थाने इति भावः। निशान्तेति। 'नम्यसो हि' इति पाठे इत्यर्थः। विपयविपयो-  
 वैषधिकरूपस्यनेऽभेदः पदनिप्रवृत्तिबोधो भवति, प्रतन्नात् नती गति। क्वचित्तन्म विज्ञेय-  
 विपरा भात एवेय विज्ञेयविपरा। तत्र 'कैजोरे—' इति पद विशेषविपरा तद्वान-  
 स्यान्म्, यत् तत्र गागाहनादिऽभ्यमानपदबोधोऽभावभेदः इति 'गागाधिपरकभूत-  
 जालिभ्रुववती पूर्णगागाहता' इत्यदिशोऽप्यजातमाने बोधेऽभेद मन्मस्य मद्रस्य  
 विज्ञेयस्य मिद्वयति। ननु प्रथमान्तायनुसन्धिविशेषकबोधतादिना नैवापरान्तमेव मते एतत्  
 मिद्वयति, न त्रिसुपयविज्ञेयकबोधतादिना वैवाक्यपान्त मते, तथा च नाय विज्ञेय-  
 विपरा मद्रकमाननिदान्त सर्वमन्त इति चेत्, नत्यम्, न विरान्तत्रिपदविशिष्ट-  
 पाठे वैवाक्येण प्रथमान्तपदबोधाभेदविज्ञेयस्य बोधः क्यु, किन्तु मद्रतत्रिपदविशिष्ट-  
 पाठे प्रथम्—'नम्यसो हि' इति निशान्तककप्रत्या चान्तत्रिपदपदाने तेषुपि प्रथमान्ताय-  
 विशेष्यरूपमेव बोधः स्वीकृत्य, तस्यैव तं निदान्तितत्वमिति भावः।

अथ वाक्यार्थं नै रूपक (अभेद) के भासित होने का दूसरा प्रकार दिग्गलाया  
 जाता है—वैषधिकरूप्ये इत्यादि। जहाँ विपय-विपयी भिन्न-भिन्न विभक्तिवाले पदों में  
 निर्दिष्ट होते हैं वहाँ कहीं रूपक विशेष्यरूप में भासित होता है। जैसे—'कैजोरे—  
 अर्थात् कृशाद्री कामिनी के शरीर में किशोरस्यस्था के चिह्न प्रथम प्रीत होते जा रहे  
 थे—वह कामिनी यौवन की देहली पर पदार्पण कर चुकी थी। अश्लेषर ( सार्वभौम )  
 कान्देव का आगमन होनेवाला था। अतः उस आगामी राजा की आज्ञा से, तदाका  
 कृशाद्री के मुख में पूर्णचन्द्र का भाव, नयनों में कमलों का तादृश्य और वक्र हृदय  
 शान्त में अमृत का वास्तविक अभेद हो गया।' जहाँ 'चन्द्र का भाव' 'तादृश्य'  
 और 'अभेद' इन प्रथमान्त पदों में रूपक—अभेद—का वर्जन किया गया है। तापस्य पद  
 कि जहाँ उपनेय—मुख, नयन और रूपद्रहान्त—का 'आन्दे', 'नयनयो' तथा 'सादि-  
 र्मिते' इन महत्प्रत्यय पदों में एवम् उपमान—चन्द्र, कमल तथा अमृत—का उक्त भाव  
 वाचक मन्त्रार्थों में बोध कराया गया है, जिससे वह वैचित्र्य यहाँ उपरह हो गया है कि  
 नरक शब्दबोध हो गए हैं। अतः जो लोग शब्दबोध में प्रथमान्तर के अर्थ को  
 मुख विशेष्य समाने हैं उन नैवाधिकों के मतानुसार, यहाँ—'मुख में रहनेवाली नू  
 कालिक मन्त्रा ( अर्थात् पदवाच्य शिवा ) में मुख पूर्णचन्द्र का भाव' इत्यादि शक्ति में  
 शब्दबोध होता है। इस बोध में नरक ( पूर्णचन्द्र का भाव—अभेद ) विशेष्यरूप में  
 भासित हुआ है। यद्यपि जो लोग शब्दबोध में शिवा को मुख विशेष्य समाने हैं उन  
 नैवाधिकों के मतानुसार उक्त शक्ति में बोध नहीं होगा, यहाँ नरक ही विशेष्यगा  
 संयुक्ति नहीं होगी, तथापि उसी पद में उक्त 'हि पामात्' के स्थान में 'नम्यसो हि'  
 शब्द निदान्तपदपदान्त—हृदन्—शिवाशब्द रूप शिवा शब्दगा रूप उनसे मतानुसार भी  
 न्यमान्ता पद का अर्थ ही शब्दबोध में विशेष्य होगा, यद्यपि हृदन् ( शिवा में भिन्न )  
 प्रथम पदवाच्य स्थलों में उनसे भी शिवा का विशेष्य होने का ही अर्थ है, यहाँ यही  
 स्थिति में उनसे मत में भी नरक का विशेष्य होगा सिद्ध होता है। यह अभेदान्तक  
 उपर-भात का दूसरा प्रकार हुआ।

वाक्यार्थेऽभेदात्मकरूपकभानस्य तृतीयां विधां स्फोरयितुमाह—

कचिच्च विशेषणम् ।

यथा—

‘अविचिन्त्यशक्तिविभवेन सुन्दरि प्रथितस्य शम्बररिपोः प्रभावतः ।

विधुभावमञ्चतितमां तवाननं नयनं सरोजदलनिर्विशेषताम् ॥’

इह द्वितीयार्थे विशेषणीभूतं विधुत्वादि विध्वभेदात्मकतया रूपकम् ।

‘अविचिन्त्य—’ इति । अविचिन्त्या. अचिन्तनीया, या शक्तय सामर्थ्यविशेष तद्रूपेण विभवेन सम्पत्त्या, प्रथितस्य प्रख्यातस्य, शम्बररिपो. कामदेवस्य, प्रभाव प्रभावात्, हे सुन्दरि, तव, आनन मुखम्, विधुभावं चन्द्रत्वम्, अञ्चतितमां नियमत प्राप्नोति, तथा, तव, नयन जातावेकवचनम्, नेत्रयुगलमिति यावत्, सरोजदलनिर्विशेषता कमलपत्रसारूप्यम्, अञ्चतितमामित्यर्थः । उपपादयति—इहेत्यादिना । द्वितीयार्थ इति । विधुभावपदोत्तरद्वितीयाविभक्त्यर्थ इत्यर्थः । विधुत्वादिति । अत्रादिपदेन सरोजदलसारूप्यं संगृह्यते । विध्वभेदेति । लक्षणयेति भावः । विषयविषयिणोर्व्यधिकरण्ये रूपक क्वचित् विशेषणतया भासते । यथा—‘अविचिन्त्य—’ इति पद्ये । अत्र विधुभाव-सरोजदलनिर्विशेषतापदाभ्या रूपके बोध्येते, ते च रूपके विशेषणीभूते, ‘विधुभावनिष्ठा एव सरोजदलनिर्विशेषतानिष्ठा या कर्मता तन्निरूपकं यदञ्चन तदनुकूलकृतिमत आनन नयनञ्च’ इति बोधात् । ननु कथमिह रूपकम्, अभेदात्मकस्य तस्यात्राप्रत्ययादिति चेन्न, लक्षणया विधुभावादिपदस्य स्वार्थप्रतियोगिकाभेदपरत्वादिति भावः । इत्यञ्चाभेदात्मकमिदं रूपक क्वचिद् सम्बन्धविधया, क्वचित् विशेष्यविधया, क्वचिच्च विशेषणविधया वाक्यार्थे भासत इति परमार्थः ।

अब अभेदात्मक रूपक के भान का तीसरा प्रकार दिखलाया जाता है—क्वचिच्च इत्यादि । उपमान उपमेय के अभेदरूप रूपक का बोध भिन्नविभक्तिक पदों द्वारा होने पर कहीं वह अभेदात्मक रूपक विशेषणरूप में भासित होता है । जैसे—‘अविचिन्त्य—अर्थात् अचिन्तनीय शक्तियों के कारण विख्यात कामदेव के प्रभाव से हे सुन्दरि ! तेरा मुख चन्द्रता को और नेत्र कमलपत्र की एकरूपता को प्राप्त कर रहे हैं ।’ यहाँ मूलपद्यगत ‘विधुभाव’ पद और ‘सरोजदलनिर्विशेषता’ पद लक्षणा-द्वारा विध्वभेद (चन्द्राभेद) और सरोजदलाभेद (कमलपत्राभेद) के बोधक हैं, अतः यहाँ दो रूपक होते हैं और वे दोनों ही रूपक (अभेद) द्वितीया विभक्ति के अर्थ—कर्मता—में ‘निष्ठत्व’ सम्बन्ध से विशेषण हो जाते हैं । तात्पर्य यह कि इस वाक्य से होने वाले ‘विधुभावनिष्ठ कर्मता की निरूपक अञ्चन प्राप्ति-क्रिया के अनुकूल यत्न वाला मुख’ इत्यादि शाब्दबोध में विधुभाव (चन्द्राभेद) द्वितीया के अर्थ (कर्मता) के विशेषणरूप से भासित होता है । फलतः पर्यवसित अर्थ इस प्रकरण का यह हुआ कि अभेदात्मक रूपक का भान तीन प्रकारों से होता है—कहीं सम्बन्धरूप से, कहीं विशेष्यरूप से और कहीं विशेषणरूप से ।

समासगतरूपकस्थले बोधप्रकारं सूचयितुमाह—

एवं मुखचन्द्र इत्यादावुपमितसमासे तावदुपमैव । विशेषणसमासे तु रूपकम् । बोधश्च शशिपुण्डरीकमित्यादाविव प्राक्प्रतिपादितदिशा बोध्यः ।

उपमितसमासे ‘उपमितं व्याघ्रादिभिः—’ इति सूत्रविहितसमासे । विशेषणसमासे त्वेति । ‘विशेषणं विशेष्येण—’ इति सूत्रविहितसमास इत्यर्थः । अत्र ‘चिन्त्यमिदम्’ चन्द्रमुखमित्यस्यापत्ते । परिणामालङ्कारोदाहरणे तु विशेषणसमास उचितः । अत्र

मयूरव्यनङ्गेति नमाने न्विन्युचितम् ।' इति बुद्धमाह नगेश । शशिपुण्डरीकमिति । 'शशिनितिभेदप्रतियोगि पुण्डरीकम्' इति बोधवदित्यर्थः । योच्य इति । तथा च सुतानिष्ठा-भेदप्रतियोगि सुतमिति बोध इति भावः ।

समासगत रूपकस्थल में शाब्दबोध का प्रकार बतलाने के लिये कहा जाता है—पृथ इत्यादि । 'मुखचन्द्र' इत्यादि समस्त पदों में उपमितमनाम—अर्थात् 'उपमित व्याघ्रादिभिः—' इम पाणिनिसूत्र में समास होने पर उपमा ही होती है वन उमसा यहाँ प्रसन्न नहीं । हाँ, विशेषणसमास—अर्थात् 'विशेषण विशेष्येण—' इम पाणिनिसूत्र में समास—होने पर रूपक हो सकता है और तब बोध भी पूर्वोक्त 'शशिपुण्डरीक' पद के प्रसंग पर कथित रीति में हो जायगा । तात्पर्य यह कि—जिस तरह 'शशिपुण्डरीक' पद का बोध 'शशि में रहने वाले भेद का प्रतियोगी पुण्डरीक' इत्याकारक पदों किया गया है उसी तरह 'मुखचन्द्र' पद का बोध भी 'मुख में रहनेवाले भेद का प्रतियोगी चन्द्र' यह होगा । यहाँ विशेषणसमास वाली मूलोक्त बात पर नागेश लिखते हैं कि "यह गलत है क्योंकि विशेषणसमास करने पर 'मुखचन्द्र' ऐसा नहीं अपितु 'चन्द्रमुख' ऐसा प्रयोग हो जायगा, अतः 'मयूरव्यनकादयश्च इम सूत्र में समास होने पर' ऐसा यहाँ लिखना चाहिए । विशेषणसमास तो परिणामालंकार के उदाहरणों—'मुखचन्द्र में ध्वजकार दूर हुआ' इत्यादिकों—में होना उचित है ।"

व्यधिरणरूपकविशेष्यले शाब्दबोध दर्शयितुमाह—

मीनवती नयनाभ्यां करचरणाभ्यां प्रफुल्लकमलवती ।

शैवालिनी च केशैः सुरसेय सुन्दरी सरसी ॥'

इत्यादौ तृतीयाया अभेदार्यकत्वात्तस्य च प्रागुक्तदिशा प्रतियोगित्वमुख-स्यार्थवशादन्वये, नयननिष्ठाभेदप्रतियोगिमीनवतीति बोधः । मीनवत्य च स्वाभिन्नद्वारकम् । एतत्स्फोरणायैव नयनाभ्यामित्युक्तम् । मीनाभिन्ननयनवतीति तु पर्यवसितम् । नयनाभेदे तु मीनेषु गृह्यमाणे सरसीरूपजापोषणादित्युक्तमेव ।

मीनवतीति । नयना सुन्दर रम प्रेमा जल्य यस्या मा, इय सुन्दरी, नयनाभ्याम् मीनवती मीनरूपनयनयुजा, करचरणाभ्या प्रफुल्लकमलवती विरहितकमलपरचरणावगुणा, तथा केशैः शैवालिनी शैवालरूपकेशयुक्ता गती, सरसी नरोवररुपा न्यपगत स्वर्यः । वृत्तापाया इति । 'प्रकृत्यादिभ्यः—' इति विहिताया स्वर्यः । तन्मेति । वृत्तापार्थक्यभेद-स्वेत्यर्थः प्रागुक्तदिशेति । 'मीनवत्यभिन्नद्वारकम्' इत्यत्रोक्तार्थोऽर्थः । प्रतियोगित्वमुप-स्येति । न्विन्युचितमिति नमुदितार्थ इति भावः । 'पर्यवसति इति । नयनाभ्या-सामुपेक्षेति भावः । स्वाभिन्नेति । मीनाभिन्ननयनवत्यर्थः । नयनाभेदे इति । नयनप्रति-योगिसाभेदे इत्यर्थः । उपमेवेति 'मीनवत्यभिन्नद्वारकम्' इत्यत्र 'विशेषणप्रसंगे' इति भावः । प्रकृत्यादित्वात्तत्ताया नयनाभ्यामपि नवृत्तापाया स्वाभिन्ननयनवत्यर्थस्य प्रतियोगि-नयनपि न्वप्रकृत्यर्थे नयनाभ्यां नयनाभ्यां प्राप्ताम्, यथापि पूर्वे पर्यवसितमिति नयनाभ्याम् इति । तथा च 'नयनाभ्याम्' इत्यत्रोक्तं इति भावः । 'मीनवती' इति बोधो भवति । ननु मीनाभिन्ननयनम् सुन्दरी न सुन्दरी इति चेत् ३ अर्थम्, मीनाभिन्ननयनं सुन्दरीति मीनाभिन्ननयनं तावतीति । अतः एव 'नयना-भ्याम्' इत्यत्र वृत्तापायाप्रयोगः । मीनाभिन्ननयनं सुन्दरीति ध्वजवत्यर्थः । ननु त्रीण्यत्र प्रतियोगितावकाशः । मीनाभिन्नि नयनाभ्यां प्रतियोगि प्रतियोगेण पर्यवसितम् इति वचनात्, तथा च 'सुन्दरी सरसी' इति विहितमन्तं स्वकीयचरणा समर्थनं न इत्यत्र, 'नयनाभ्याम्'



मेव च वक्षुरभिप्रेतमित्याशयात् । मीनवतीति पद्ये परम्परित रूपकं कवेर्निबन्धनीयम्, तत्रोपमानभूतायाः सरस्याः उपमेयभूताया सुन्दर्याश्च तादात्म्यात्मक रूपकं प्रधानं समर्थम्, उपमानभूतानां मीनकमलशैवालानाम् उपमेयभूतानां नयन-करचरण-केशानाम् तादात्म्यात्मकानि च रूपकाणि समर्थकानि, इति स्थितौ समर्थकांशे मीनाद्युपमानभेदे नयनाद्युपमेये साधयितुमुचितं, तदैव तानि मीनादिरूपकाणि कथ्येरन्, मीनादिरूपकैरेव च सरसीरूपकस्य समर्थनं स्यात् । तदशौ न सरसी रूपकम् अपि तु सुन्दरीरूपकमेवेति तु न शक्यं वक्तुम्, सुन्दर्या एव प्रकृतत्वेनोपमेयत्वादिति स्पष्टार्थः ।

एक खास व्यधिकरणरूपकस्थल का शाब्दबोधप्रकार दिखलाया जाता है—मीनवती इत्यादि । 'मीनवती—अर्थात् यह सुन्दरी अच्छे रस ( प्रेम तथा जल ) वाली सरसी है जो नेत्रों के कारण मछलीवाली, हाथ-पैरों के कारण कमलवाली तथा केशों के कारण सेवारवाली है ।' इत्यादिक में नयन आदि पदों से 'प्रकृत्यादित्वात्' तृतीया विभक्ति हुई है जिसका अर्थ 'अभेद' है, उसका प्रतियोगी यद्यपि नयन आदि को ही होना चाहिए; पर 'मौजन्यचन्द्रिकाचन्द्रः' इस वाक्य के विषय में विचार करते समय कही गई रीति से मीन आदि को ही अभेद का प्रतियोगी माना जाता है और ऐसा इसलिए माना जाता है कि समग्र वाक्य का अर्थ—अर्थात् अग्रिम सरसी-रूपक—तभी संगत होता है, अतः उक्त श्लोकवाक्य से 'नेत्र में रहनेवाले अभेद का प्रतियोगी जो मीन उससे युक्त' इत्यादि बोध होता है । और सुन्दरी का 'मछलीवाली होना' है मछलियों से अभिन्न नेत्रों द्वारा—अर्थात् नेत्रों को मछलियों से अभिन्न समझ लेने पर ही सुन्दरी मछलीवाली समझी जा सकती है । इस 'द्वारा' को स्पष्ट करने के लिये ही 'नयनाभ्याम्' इत्यादि तृतीयान्त पदों का प्रयोग किया गया है । अतः अन्ततः 'नेत्रों के कारण मछलीवाली' का अर्थ होता है 'मछलियों से अभिन्न अर्थात् मछलीरूप नेत्रोंवाली ।' यह उलटपेठ इसलिए करना पड़ता है कि—यदि नेत्रों का अभेद मछलियों में समझा जाय तो सुन्दरी में सरसी का रूपक समर्थित नहीं होता, प्रयुक्त सरसी में सुन्दरी का रूपक समर्थित होने लगता जो कवि का अभीष्ट नहीं है, यह बात पहले भी कही जा चुकी है । सारांश यह हुआ कि यहाँ प्रस्तुत होने के कारण उपमेयरूप सुन्दरी में सरसीरूप उपमान का तादात्म्य जो वर्णित है वह सरसीरूपक ही कहलायगा सुन्दरीरूपक नहीं, यह निर्विवाद सत्य है, अब इस प्रधान रूपक के समर्थन में अन्य जो रूपक वर्णित हुए हैं उनमें इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि—उपमेय सुन्दरी—से सबन्ध रखने वाले पदार्थों को उपमेय और उपमान—सरसी—से सबन्ध रखनेवाले पदार्थों को उपमान माना जाय, इस हिसाब से नयन आदि को उपमेय और मीन आदि को उपमान माना जाता है और इस मान्यता के अनुसार उक्त तृतीयार्थ-अभेद का प्रतियोगी मीन आदि को मानना जरूरी है, क्योंकि उपमान ही प्रतियोगी हो, ऐसा सिद्धान्त है ।

रूपके साधारणधर्मस्थिति विचारयति—

साधारणधर्मश्चात्राप्युपमायामिव क्वचिदनुगामी क्वचिद्विम्बप्रतिबिम्बभावापन्नः क्वचिदुपचरितः क्वचिच्च केवलशब्दात्मा । सोऽपि क्वचिच्छब्देनोपात्तः, क्वचित्प्रतीयमानतया नोपात्तः ।

अनुगामी, विम्बप्रतिबिम्बभावापन्न, उपचरित ( आरोपित ) केवलशब्दरूपधेति चतुर्विधा साधारणधर्मा यथोपमाया भवन्ति तथा रूपकेऽपि ते भवन्ति । अथ च तथाविधास्ते चत्वारः साधारणधर्मा क्वचित् अप्रसिद्धत्वात् शब्दत कथितास्तिष्ठन्ति, क्वचिच्च प्रसिद्ध-तया शब्दमन्तरापि प्रतीतिपथमवतरन्त शब्दत उपात्ता न भवन्तीति भाव । केवल-शब्दरूपस्तूपात्त एव भवतीत्यपि बोध्यम् ।

रूपक में साधारणधर्म किम-किम तरह का हो सकता है इसका विचार लष किया जाता है—साधारण दृष्यादि । रूपक में भी साधारणधर्म, उपमा की तरह, कहीं अनुनामी, कहीं चिन्म प्रनिविन्मनावापन्न, कहीं उपचरित ( क्षरोपित ) और कहीं केवल शब्दरूप होता है । और ये सभी धर्म भी कहीं शब्द द्वारा उक्त होते हैं और कहीं अर्थात् प्रतीत होने के कारण, शब्द द्वारा उक्त नहीं होते । अन्विप्राय यह कि—इन धारों तरह के धर्मों में से कोई एक तरह का धर्म एक जगह रहेगा और वह भी यदि प्रचुर प्रसिद्ध रहेगा तब उसके बोधक पद की अपेक्षा नहीं होगी—अर्थात् बोधक पद के बिना भी प्रतीत हो जायगा और यदि वह लप्रसिद्ध रहेगा तब उसके बोधक पद की अपेक्षा होगी—अर्थात् बोधक पद के अभावमें, उसकी प्रतीति नहीं होगी । यह ध्यान रहे कि इनमें से कोई-कोई धर्म नियमत' बोधक की अपेक्षा रखता है । जैसे—केवल शब्दरूपधर्म, यह बोधक के अभाव में प्रतीति पय में आ ही नहीं सकता है ।

उपात्तमनुगामिन धर्मनुदाहरणमाह—

उपात्तोऽनुगामी यथा—

शब्दतः उक्त अनुगामी धर्म वाला रूपक जैसे—

उदाहरण निर्दिश्यते—

'जडानन्धान्पङ्गुन्प्रकृतित्रधिरानुक्थिविकलान्  
 प्रहप्रस्तानस्तारिलदुरितनिस्तारसरणीन् ।  
 निलिन्पैर्निर्मुक्तानपि च निरयान्तनिपततो  
 नरानन्व त्रातुं त्वमिह परम भेषजमसि ॥'

अविर्गणन्तीति—हे प्रन्म मात । जडान् कर्तव्यविज्ञान, प्रन्धान् नष्टमेवप्रग-  
 गान्, पङ्गून् गमनशक्तिविहीनान् प्रकृतित्रधिरान् प्रकृत्या स्वभावेन, जन्मत इति यावत्,  
 प्रवाशात्तरहितान्, उरिभिरनान् वनप्रगर्हानान्, पत्तवः, प्रहप्रस्ता 'प्र' प्रन्ता  
 'मे' इत्येव अव्ययसंज्ञान्, प्रत एव, प्रन्ता दुर्गभूता श्विला नर्वेप्रि दुरित-निस्ता-  
 रन्त्य पाषोदारान् नरान् मार्गा येन तपाविधान्, प्रत एव च, निलिन्पैर् उर्वगपि  
 किमुत मनुर्धे, निर्मुक्तान् त्वान्, प्रन्तवः, निरयान् नरान्, प्रन्तमेव, निपतत  
 पतन्तीन्, नरान् मनुजान् त्रातुं रक्षितुम् इति गन्तारे, त्व, परमम् उच्यते भेषजम्  
 शौर्यम्, अपि निरन् इत्यर्थः । अत्रानारा प्रन्तये येन नरानाम् निर्मित तपाविधा  
 अपि नरानाम् पापिन स्वर्गदण्ड-स्वर्गेण स्वर्गं प्रन्तीति भावः ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—उदा दृष्यादि । कवि गद्य की श्रुति करता है—  
 हे मात गये । जो जड, अन्धे, लूटे, जन्म से पहले, संगे और प्रहों में लगे हैं, जिन्हें  
 लिये पाषों से उदार पापों से सभी शस्त्रे समाप्त हैं, जिन्हें उद्योग भी ध्यान चुनें हैं, अन्-  
 प्य जो नरक है अन्धर गिरने ही लगे हैं उन निरन् मानव रोगियों की रक्षा करने के  
 लिये तू हम समाज में महान् शौर्य है ।

उदाहरण—

अत्र भावमिति त्रुणन्नेन शब्देनोपात्तम् जडान्शक्तिराण भेषजभागीर्यते ।  
 नरान् शरीरसौख्ये । नरान् शरीरसौख्ये । 'नरान् शरीरसौख्ये' शब्दों के लिये उ-  
 दाहरण के लिये उदाहरणम्, तयोः शरीरसौख्ये । नरान् शरीरसौख्ये ।

णोपमानोपमेयोभयान्वयित्वादानुगामि 'त्रातुम्' इति तुमुन्प्रत्ययान्तेन शब्देन वर्णितम् । एवञ्चेदृशसाधारणधर्ममूलकामेदारोपात्तयो रूपकम् सम्पद्यत इति भावः ।

उपपादन किया जाता है—अत्रेत्यादि । 'जडान्' इस पद्य में 'त्रातुम्' इस 'तुमुन्' प्रत्ययान्त पद द्वारा उक्त 'जड-अन्ध आदि लोगों की रक्षा' औपध तथा गङ्गा का साधारण धर्म है । अभिप्राय यह कि—उक्त पद्य में औपधरूप उपमान का गङ्गारूप उपमेय में तादात्म्य, रूपक है और इस तादात्म्य का मूल है उन दोनों में रहने वाला 'जडान्धादि-त्राण'रूप समानधर्म जो यहाँ शब्दतः उक्त है तथा एक रूप से दोनों में अन्वित होने के कारण अनुगामी है ।

अनुपात्तमनुगामिन धर्ममुदाहर्तुमाह—

अयमेवानुक्तो यथा—

अयमेवेति । अनुगामी साधारणधर्म एवेत्यर्थः । अन्यत् स्पष्टम् ।

अनुपात्त अनुगामी साधारणधर्म, जैसे—

उदाहरण निर्दिश्यते—

'समृद्ध सौभाग्यं सकलवसुधायाः किमपि त-  
न्महैश्वर्यं लीलाजनितजगतः खण्डपरशोः ।  
श्रुतीनां सर्वस्वं सुकृतमथ मूर्तं सुमनसां  
सुधासाम्राज्यं ते सलिलमशिवं नः शमयतु ॥'

इयमपि गङ्गास्तुतिरेव । भक्त कथयति—हे गङ्गे ! सकलवसुधायां सम्पूर्णपृथिव्याः किमपि अनिर्वचनीयम्, अथ च समृद्धम् अभ्युन्नतम्, सौन्दर्यम् सुन्दरभाग्यवत्त्वं वा तद्रूपमिति यावत् एवम्, लीलया अनायासेन जनितानि उत्पादितानि जगन्ति येन तस्य, खण्डपरशो शिवस्य, महैश्वर्यम् महाविभूतिरूपम्, इत्यमेव, श्रुतीनां वेदानां, सर्ववम् सारभूत प्रतिपाद्यम्, अथ च, सुमनसाम्, देवानाम् मूर्तम् रूपवत्, प्रत्यक्षयोग्यमिति यावत्, सुकृतम् पुण्यरूपम्, एवम्, सुधायां अमृतस्य, साम्राज्यम् विस्तृताशरूपम्, तत् परमप्रसिद्धम्, ते तव, सलिलम् जलम्, न अस्माकम्, अशिवम् अकल्याणम्, शमयतु शान्तं करोत्वित्यर्थः ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—समृद्धम् इत्यादि । भक्त गंगा से प्रार्थना करता है—हे गङ्गे ! वह तेरा जल हमारे अकल्याण को शान्त करे, जो समग्र पृथ्वी का परमोन्नत और अनिर्वचनीय सौभाग्य सौन्दर्य अथवा भाग्यशालित्व है, जो अनायास संसार की सृष्टि करने वाले शिवजी की महती विभूति है और जो वेदों का सर्वस्व, देवताओं का मूर्तिमान पुण्य एवम् अमृत का साम्राज्य है ।

उपपादयति—

अत्र सौभाग्यभागीरथ्योः स्वाभावव्यापकदौर्भाग्यत्व-परमोत्कर्षाधायकत्वादिरनुपात्तः—प्रतीयमानो धर्मः । एवमीश्वरासाधारणधर्मत्व-परमगोप्यत्व-निरतिशयसुखजनकत्वान्यापामरसकलजनजरासृत्युहरणक्षमत्वं चोत्तरोत्तरारोपेष्वनुगामीति ।

सौभाग्यभागीरथ्योरिति । सौभाग्यभागीरथीजलयोरिति भावः । स्वाभावव्यापकदौर्भाग्यत्वेति । स्वाभावस्य सौभाग्याभावस्य भागीरथीजलाभावस्य वा व्यापकम् समानाधिकरणम्, दौर्भाग्यम् यस्य तद्भावेत्यर्थः । यत्र यत्र सौभाग्यस्याभावस्तत्र तत्र यथा दौर्भाग्यं

तिष्ठति तत्रैव यत्र-यत्र भार्गवर्यान्लब्ध्याभावस्तत्र तत्रापि दौर्भाग्यम् तिष्ठतीति स्वाभाव-  
व्यापकदौर्भाग्यत्व नौभाग्यभार्गवर्यान्लब्धौ समानो धर्म इति परमार्थः । एवम् सृष्ट-  
मिति पक्षे नौभाग्यगणाजल्यो 'स्वाभावव्यापकदौर्भाग्यत्वपरमोऽर्थः साग्नित्वसौ' तत्रनु-  
गामिनौ साधारणधर्मो बोधकमन्तरापि प्रतीयते । एवम् ऐश्वर्यगणाजल्यो 'ऐश्वर्यमात्रगनि-  
त्व' साधारणधर्म अनुसौऽपि अनुगामितया प्रतीयते । इत्यमेव श्रुतिमन्वसंगणाजल्यो  
'श्रुतिगोपनीयत्वम्' अनुगामी साधारणो धर्म उक्तिं विनापि गम्यते । एवम् सृष्टगणा-  
जल्यो 'मर्वाधिकसुखजनकत्वम्' अनुगामी साधारणो धर्म शब्दतः अनुसौऽपि गम्यते ।  
एवम् अनृत-सामान्यगणाजल्यो • सत्त्वप्राणिजराहरणहरणसमर्थत्वम्' अनुगामी धर्म  
अनुपात्तोऽपि प्रतीयत इति भावः ।

उपपादन किया जाता है—अथ दृष्ट्यादि । 'समृद्धम्—' हम पक्ष में गणाजल ही एक  
उपमेय है और उपमान—उसुधा सौभाग्य, शिवैश्वर्य, वेद-सर्वस्व, देव-सुखन और अमृत-  
साम्राज्य ये—अनेक है । अथ यह समक्षिण कि हम एक उपमेय और उन भिन्न भिन्न उप  
मानों में समानधर्म क्या है ? सौभाग्य और गणाजल के दो समानधर्म हैं—एक 'स्वाभाव  
व्यापक दौर्भाग्यत्व'—अर्थात् जैसे जहाँ-जहाँ सौभाग्य नहीं रहता वहाँ वहाँ दौर्भाग्य  
( भाग्यहीनता ) रहता है वैसे ही जहाँ-जहाँ गणाजल नहीं रहता वहाँ-वहाँ भा दौर्भाग्य  
रहता है और दूसरा 'परम उत्कर्ष उपपन्न करना', इसी तरह ऐश्वर्य और गणाजल का  
समानधर्म है 'ईश्वर का समाधारणधर्म होना', वेद-सर्वस्व और गणाजल का समान  
धर्म है 'परमगोपनीय होना', सुखन और गणाजल का समानधर्म है 'मर्वाधिक सुख  
उत्पन्न करना' और अनृत तथा गणाजल का समानधर्म है 'नीच से लेकर उत्कृष्ट प्राणी  
तक के जरा-मृत्यु का हरण कर करना' । ये सभी समानधर्म अनुगामी हैं और शब्दतः  
अनुक्त होने पर भी प्रतीयमान हैं ।

द्विग्व-प्रतिद्विग्वभावोपापन साधारणधर्मम् पूर्वसुखजायतेति स्मारयति—

द्विग्वप्रतिद्विग्वभावोपापनो विशिष्टरूपकप्रसङ्गे निरूपितः ।

'नापन इति । साधारणधर्म इति शेषः । निरूपित इति । 'उत्पन्नप्रतिपन्न रूपान-  
वगनो इति । दोमलानपशोपात्र सन्ध्याकालो न नश्यत ।' इत्यादिप्रति भावः ।

पूर्वोदाहृत द्विग्व प्रतिद्विग्वभावापन साधारणधर्म का स्मरण दिलाया जाता है—  
द्विग्व दृष्ट्यादि । द्विग्वप्रतिद्विग्वभावापन साधारणधर्म का निरूपण करने—प्रतिपन्न रूप के  
प्रसङ्ग में—किया जा चुका है । अभिप्राय यह कि—'कुहमत्र'—'हम समृद्ध टीका में  
उद्धृत श्लोक में साधारणधर्म द्विग्व प्रतिद्विग्वभावापन है ।

उपचरित साधारणधर्मसुदाहृतमाह—

उपचरितो यथा—

'क्षारोपित' साधारणधर्मो यदेति भावः ।

उपचरित क्षारोपित साधारणधर्म, जैसे—

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—अविरतम् इत्यादि । जो निरन्तर परोपका करने वाले होते हैं उन सज्जनों का वचन माधुर्य की अधिकता के कारण अमृत, समुद्र और यश शब्द के चन्द्रमा की निर्मल ज्योत्स्ना सा होता है ।

उपपादयति—

अत्रामृतरूपके विषये वचस्युपचरितो मधुरिमातिशयः शब्देनोपात्तः ।  
अम्बुनिध्यादिरूपके च गाम्भीर्याद्यनुपात्तम् ।

‘अविरतम्—’ इति श्लोके त्रीणि रूपकाणि सन्ति वचसि अमृततादात्म्यरूपमेकम्, मानसेऽम्बुधितादात्म्यरूपम् द्वितीयम्, यशसि चन्द्रचन्द्रिकातादात्म्यरूपं च तृतीयम्, तत्र प्रथमरूपके मधुरिमातिशय साधारणो धर्मः स च विषयिणि अमृते स्वभावसिद्धे विषये वचसि चारोपितो, मधुरिमातिशयस्य वस्तुतस्तत्रासत्त्वात्, द्वितीये रूपके गाम्भीर्य साधारणो धर्मः स च विषयिणि अम्बुनिधौ स्वाभाविको विषये मानसे चारोपितस्तत्र तस्य वस्तुतोऽसत्त्वात्, एवम् तृतीये रूपके निर्मलत्वम् साधारणो धर्मः स च विषयिणि चन्द्रे वास्तविको विषये यशसि चारोपितोऽमूर्तत्वेन वस्तुतस्तत्र तस्यासत्त्वात् । एवञ्चात्र त्रिष्वपि रूपकेषु साधारणो धर्म उपचरित इति सिद्धम् । परन्तु तत्र प्रथमरूपकगत आरोपितोऽपि मधुरिमातिशयरूप साधारणधर्म शब्दोपात्तः, अन्यरूपकगतौ च पूर्वोक्ताचारोपितौ धर्मौ न शब्दोपात्ताविति भावः ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि । ‘अविरतम्—’ इस पद्य में अमृत रूपक के विषय (उपमेय) वचन में मधुरिमातिशयरूप आरोपित साधारणधर्म शब्दतः उक्त है और समुद्र आदि के रूपकों में गम्भीरता आदि आरोपित धर्म शब्दतः उक्त नहीं हैं । अभिप्राय यह कि उक्त पद्य में तीन रूपक हैं—वचन में अमृत का तादात्म्य एक, मन में समुद्र का तादात्म्य दूसरा और यश में चन्द्र-ज्योत्स्ना का तादात्म्य तीसरा । इन तीनों में से प्रथम में साधारणधर्म माधुर्य की अधिकता है जो उपमान (अमृत) में वास्तविक है और उपमेय (वचन) में आरोपित, द्वितीय में साधारणधर्म गम्भीरता है जो उपमान (समुद्र) में वास्तविक और उपमेय (मन) में आरोपित है । इसी तरह तृतीय में साधारणधर्म निर्मलता है जो उपमान (चन्द्र) में वास्तविक और उपमेय (यश) में आरोपित है । उपमेय में ये धर्म आरोपित इसलिये कहे जाते हैं कि उनमें वे धर्म वस्तुतः रहते नहीं । इस तरह यह सिद्ध है कि यहाँ के तीनों ही रूपकों में साधारणधर्म उपचरित हैं, पर उनमें भेद विलक्षणता यह है कि प्रथम रूपक का आरोपित साधारणधर्म (माधुर्य की अधिकता), शब्दतः उपात्त है और अन्य दो रूपकों के साधारणधर्म (गम्भीरता और निर्मलता) शब्दतः उपात्त नहीं हैं । फलतः यह पद्य उपात्त उपचरित धर्म और अनुपात्त उपचरित धर्मों का उदाहरण होता है ।

केवलशब्दात्मकं साधारणधर्ममुदाहर्तुमाह—

केवलशब्दात्मको यथा—

क्वचित्-क्वचित् केवल शब्द साधारणधर्मरूपस्तिष्ठति नार्थस्तदुदाहरण यथेति भावः

केवल शब्दात्मक साधारणधर्म, जैसे—

उदाहरण निर्दिश्यते—

‘अङ्कितान्यक्षसङ्घतैः सरोगाणि सदैव हि ।

शरीरिणां शरीराणि कमलानि न संशयः ॥’

व्याख्यातोऽयं श्लोको लक्षणानिरूपण इति नेह पुनर्व्याख्यायते ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—अद्वितानि इत्यादि। इस पद्य की व्याख्या पहले लक्षणानिरूपण में की जा चुकी है, अतः पुनरावृत्ति उसकी यहाँ नहीं की जाती।

उपपादयति—

अत्र सरोगशब्दादिरूपात् एव प्रतीयते न लुप्रः। आद्यो एभद्रो द्वितीयस्तु भद्रः।

‘अद्वितानि—’ इत्यत्र शरीररूपोपमेये कमलरूपोपमानतादात्म्यम् रूपकम्, तत्र न न कश्चित् आर्थं साधारणधर्मं, अपि तु अक्षमघातरूपसात्म्यम्, नरोगत्वव्यपक्ष इत्यत्र शब्द एव तथा श्लेषश्च प्रथम (अक्षपदगत) अर्थः, द्वितीय (नरोगपदगत) तु नभद्रः। एष न धर्म उपात्त एव भवति नानुपानस्तथा चात्रैव एव भेद इति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि। ‘अद्वितानि—’ इस पद्य में शरीररूप उपमेय में कमलरूप उपमान का तादात्म्यरूपक है जिसमें साधारणधर्म ‘अक्षमघात मे अद्वितानि’ और ‘नरोग’ ये शब्द ही होते हैं। तात्पर्य यह कि ऐसा कोई धर्म उपलब्ध नहीं होना जो शरीर और कमल दोनों में रहता हो, पर एक दोनों स्मृष्ट विशेषण ऐसे हैं जिनका भिन्न-भिन्न अर्थ शरीर तथा कमल दोनों में संघटित होता है, अतः ये शब्द ही यहाँ उपमान-उपमेय दोनों में रहने वाले समानधर्म माने जाते हैं। श्लेष भी यहाँ दो तरह का है—प्रथम अर्थात् ‘अक्ष’ शब्द में अभद्र और द्वितीय—अर्थात् ‘नरोग’ शब्द में सभद्र। अभद्र का अर्थ है बिना टुकड़ा बिना दोनों अर्थों का निकल जाना और सभद्र का अर्थ है टुकड़ा करने पर दो अर्थों का निकलना। यह शब्दरूप साधारणधर्म बोधक पद्य के बिना प्रतीत नहीं होता, अतः इसका एक ( भेद ( उपात्त ) हो सकता है, दूसरा भेद ( अनुपात्त-लुप्त ) नहीं।

अस्य भेदान्तरमाह—

अयमेव साधारणो चत्र युक्तिरूपेणोपन्यस्यते तद्वैतु रूपकम्।

अयमेवेति। केवलशब्दसमक ल्यर्थः। साधारण इति। धर्म इति शेषः। युक्तिरूपेणेति। प्रागेपोपमानस्येत्यर्थः। अन्यथा ज्ञानम्।

रूपक का एक भिन्न भेद दिखलाया जाता है—अयमेव इत्यादि। यही—केवल शब्द एक—साधारणधर्म जहाँ युक्ति रूप में ( आरोप के उपपादकरूप में ) उपन्यस्यते (वर्णित) रहता है यहाँ ‘हेतुस्वरूप’ होता है।

उदाहरण निर्देशनात्—

यथा—

जमे—

उदाहरण निर्दिशते—

‘पद्मशाव्यः प्रभो यस्मै शाव्या सुरतरोरनी।

अन्यथाऽनेन पर्यन्ते तथ मयं मनोरथा ॥’

करता है—हे प्रभो ! आपका जो पञ्चशाख—अर्थात् पाँच अङ्गुलियों वाला हाथ है वह वृक्ष वृक्ष की शाखा है। अन्यथा इसके द्वारा सबके मनोरथ कैसे पूर्ण किए जाते हैं ? या उत्तरार्धगत ( अन्यथा '....' इत्यादि ) शब्दरूप साधारणधर्म हाथरूप उपमेय में वृक्षशाखारूप उपमान के आरोप को उपपन्न करता है, अतः यह 'हेतुरूपक' है।

हेतुरूपकस्योदाहरणान्तरं निर्देष्टुमाह—

एवम्—

इसी तरह—

उदाहरणमाह—

‘प्राणेशविरहक्लान्तः कपोलस्तव सुन्दरि।  
मनोभवव्याधिमत्त्वान्मृगाङ्कः खलु निर्मलः ॥’

हे सुन्दरि ! प्राणेशस्य पत्युः, विरहेण वियोगेन, क्लान्तः म्लान, तव, कपोलः, मनोभवव्याधिमत्त्वात् कपोलपक्षे कामजन्यविशिष्टमनोव्यथायुक्तत्वात् मृगाङ्करसपक्षे मनसि समुत्पन्नस्य क्षयरोगस्य मन्थनकारित्वात्, चन्द्रपक्षे कामभावनाधिक्यप्रयुक्तराजयक्ष्मास्य रोगवत्त्वाच्च, खलु निश्चयेन, निर्मल विमलः, मृगाङ्क चन्द्रः मृगाङ्करसश्च तद्रूप इत्यर्थः।

उदाहरण दिखलाया जाता है—प्राणेश इत्यादि। हे सुन्दरि ! प्राणनाथ के विरह से म्लान तेरा कपोल 'मनोभवव्याधिमत्त्व' ( कपोल के पक्ष में कामजन्यविशिष्ट आधि-मनोव्यथा—से युक्त होने, मृगाङ्करस के पक्ष में—मन में उत्पन्न होनेवाले रोग—क्षय—मन्थन करने, और चन्द्र के पक्ष में कामदेव के रोग—राजयक्ष्मा—से युक्त होने ) के कारण निर्मल 'मृगाङ्क' ( एक तरह का औषध और चन्द्रमा ) है।

उपपादयति—

इह श्लेषेण रसचन्द्रयोः कपोले ताद्रूप्यप्रत्ययाद्द्विरूपकं निरवयवम्। हेतुस्तु त्रिषु श्लिष्ट एव।

निरवयवमिति। परस्परमवयवावयविभावाभावादिति भावः। हेतुरिति। मनोभवेत्यादि शब्द इत्यर्थः। त्रिष्विति। उपमानद्वये उपमेये चेत्यर्थः। श्लिष्ट इति। श्लेषप्रयुक्तास्त्रयोऽर्थाः पद्यव्याख्यायामुक्तास्तत एवावगन्तव्याः। 'प्राणेश—' इत्यत्र मृगाङ्कपदस्य श्लिष्टतया मृगाङ्कनामा रसविशेषचन्द्रश्चार्थः। तथा च तयो—रसविशेषचन्द्ररूपयोः—द्वयोरुपमानयोः कपोलरूपे एकस्मिन्नुपमेये तादात्म्यं प्रतीयते, अतो निरवयवं द्विरूपकमेतत्। एतदेवोदाहरणान्तरदाननिदानभूत पूर्वोदाहरणतो वैलक्षण्यम् इति बोध्यम्। अस्मिन् द्विरूपके साधारणो धर्मः 'मनोभवव्याधिमत्त्वात्' इति केवलशब्दात्मकः, स चारोपोपपादकतयाऽत्र वर्णित इति हेतुरूपकत्वमस्य द्विरूपकस्य सिद्धयतीति भावः।

उपपादन किया जाता है—इह इत्यादि। 'प्राणेश—' इस पद्य में श्लेष द्वारा मृगाङ्करस और चन्द्र दोनों का तादात्म्य कपोल में प्रतीत होता है, अतः निरवयव ( परस्पर अङ्गाङ्गिभावरहित ) 'द्विरूपक' है। अर्थात्—सुन्दरी के कपोल में साथ ही साथ दो रूपक—दो वस्तुओं के अभेद—वताए गए हैं। 'मनोभवव्याधिमत्त्व' रूप केवल शब्दात्मक साधारणधर्म ( जिसका वर्णन यहाँ आरोप के हेतुरूप में हुआ है और जिसके कारण यह हेतुरूपक कहलाता है ) तो तीनों ( कपोल, मृगाङ्करस और चन्द्रमा ) में श्लिष्ट है—उसके तीनों अर्थ तीनों पक्षों में लग जाते हैं। फलतः पहला पद्य एकहेतुरूपक का उदाहरण है और यह पद्य हेतु द्विरूपक का उदाहरण है।

भेदप्रदर्शनमिति सूचयन्माह—

एवमन्येऽपि प्रकारा ज्ञेयाः ।

पूर्वोक्तप्रकारवत् अनुक्त अपि रूपप्रकारा स्वतन्मूहनीया इति भावः ।

पहले को गण प्रकारों के समान रूपक के अन्य (अनुक्त) प्रकार भी स्वयं समझ ले चाहियें ।

विशेषमाह—

‘उल्लासः कुञ्जपङ्केरुहपटलपतनमत्तपुष्पधयानां

निस्तार’ शोकदायानलविकलहृदा कोकमीमन्तिनीनाम् ।

उत्पातस्ताममानामुपहतमहत्सा चक्षुषा पक्षपात’

सज्ञात कोऽपि धान्नामयमुदयगिरिप्रान्ततः प्रादुरामीन् ॥’

उत्प्रेषण उपमानस्य नारोप, अपि तु कारये कार्यस्येति रूपकं न भवतीति अत्र । एतन्मतानुसारेणैवास्माभिरपि लक्षितम् । उच्छृङ्खला पुनरारोपमात्र रूपक वदन्त इहापि रूपकमेवाचक्षत इति प्रागेव निरूपितम् ।

उल्लास इति । मूर्च्छादिवर्णननिदर्म् । कुञ्जानां विरचितानां, पङ्केराणां ज्मलानाम् पटले मूले, पतता पातुकानाम् मत्तानां पीतकुञ्जमनुमदयुक्तानाम्, पुष्पधयानाम् प्रमगणाम्, ज्ञानं रूपं तस्तेरिति यावत्, गौरुरूपेण दायानलेन वन्दयति विरचयति एतन्नानि नामानाम्, कोकमीमन्तिनीनां चमयासीनाम्, निस्तारं तु गोदाग्न्नेतुगिति यावत् उपहत नाशित महस्तेजे चैस्तेषाम्, ताममानां तत्र पुष्पानाम्, उत्पातं विनाश तस्तेरिति यावत्, चक्षुषा नेत्राणाम्, पक्षपातं पक्षपाततेतुं नक्षत्र इति यावत्, कोऽपि विलक्षणः, अत्र दृश्यमानं धान्नां नेजनाम् नपातं नमूहं, उच्छृङ्खलितप्रान्ततः उच्छ्रान्त-शिरात्, प्रादुरामीन् प्रादुर्बभूवेत्यर्थः । अत्रत्यं वदन्त्यम् आह—‘पङ्केराणिना । अत्र भावः—उत्प्रेषणे उपमानानारोप एव रूपम्, ‘अपि तु उल्लासादिधाननपातपरार्थशोकमानो-पमेयभातो नाम्नि, ‘अपि तु कार्यकारणभाव—‘अतः कारये कार्यन्वाप्राभेऽरोप इति नेदम् रूपम्, किन्तु हेत्वल्लारोऽपमतिरिष्ण इति प्राचीना । रमणशायरारो नद-जगतादोऽपि ‘रमिगणो प्राचीनमतमेव स्वीकृत्ये, अत एव ‘उत्प्रेषणे निधीयमानसुत्मान तादात्म्यम्’ इति उपमानोपमेयसहितं रूपकलक्षणं निर्दिशति । उत्तरप्रकारा देवनागिरि-‘नारोपमात्रं रूपं स्वीकृत्ये प्रकृते रमणे कार्यागोत्तमपि रूपं मन्यन्ते । एष विचारः प्राचीनो ज्ञेयो प्रत्यक्ता इति ।

एक विचारविशेष देविदे—उल्लास इत्यादि । मूर्च्छादय का वर्णन है—‘विरचित कर्मणो रे समूह पर गिरते हुए मधुनाय मे मज द्य प्रमरो वा उल्लास ( हृष ) अर्थात् एषकारक, गौरुरूप दायानल मे विश्व एदयसागी चमयासियों का विनाश (दुर्गं डार) अर्थात् दुर्गोत्थारक, प्रदान को नष्ट पर नुदे यन्त्रहारो रे समूह वा उल्लास ( विनाश ) अर्थात् विनाश करने वाला, ‘रं ग्रीं वा पक्षपात-‘र्थं पक्षपात करने वाला गौरु तेतुं इहा उच्छ्रान्त के प्रान्त मे प्रकृत हुआ है। यहाँ उपमेय मे उपमान का आरोप नहीं है, किन्तु कारण मे कार्य का आरोप है, अतः यह उपमेय नहीं होता—अर्थात् ‘हेतु’ नामक एक दूसरा ही आधार होता है जो कि प्रायः ही का मत है । परिचाराय मे भी प्रत्यय प्रत्यय मे उक्त प्रार्थना मे ही अनुसरण का उल्लास विचार है—अर्थात् इन्होंने भी उत्तर मे उपमानोपमेयभाव का रहना आवश्यक माना है अतः उनके मत मे भी यहाँ रूपक नहीं हो सकता । पर उल्लासभाववत् ही नहीं ही विचार करने



आरोपों को—फिर वह उपमेय में उपमान का हो, कारण में कार्य का हो अथवा धन कोई—रूपक कहते हैं, अतः उनके मत से उक्त पद्य में भी रूपक ही अलंकार है यह बात पहले भी कही जा चुकी है ।

स्थलविशेषे साधारणधर्मस्वरूप स्फोरयितुं शङ्कासमाधाने विधत्ते—

ननु—

‘यशःसौरभ्यलशुनः शान्तिशैत्यहुताशनः ।

कारुण्यकुसुमाकाशः पिशुनः केन वर्ण्यते ॥’

इत्यत्र लशुनहुताशनाकाशैः पिशुनस्य किं साधर्म्यम्, येन तेषामस्मिन् रूपक मुच्यत इति चेत्, यशःसौरभ्ययोः शान्तिशैत्ययोः कारुण्यकुसुमयोश्च ताद्रूप्ये शब्दादुपस्थापितेऽनन्तरमुपस्थितं यशोरूपसौरभ्याद्यभाववत्त्वमेतत् ।

‘यश सौरभ्य—’ इति । पद्यमेतत् प्रागस्मिन्नेव प्रकरणे व्याख्यातम् । तेषाम् लशुनादीनाम् । अस्मिन् पिशुने अभावेति । अत्र यथायथं समवायादिरभावीयप्रतियोगि तावच्छेदकसम्बन्धो विज्ञेय । एतदिति । एतत् यशोरूपसौरभ्याद्यभाववत्त्वम् साधारण धर्म इति भाव । अयमत्र विशदोऽर्थ—‘यशःसौरभ्य—’ इत्यत्र पिशुनरूपे उपमेये लशुन हुताशनाकाशानामुपमानानां ताद्रूप्यं प्रधानरूपकम्, तच्च साधारणधर्मोपस्थितिमन्तरा न सेद्धु शक्नोति, रूपकेऽपि साधारणधर्मप्रयोज्यत्वस्य प्रागुपपादितत्वात्, एवञ्च लशुन पिशुनयो हुताशनपिशुनयोराकाशपिशुनयोश्च क समानो धर्म इति समुचिताया जिज्ञासायाम् एतद् बोध्यम् यत् नात्र पूर्वोक्तं प्रधानत्वेन विवक्षितम् एकमेव रूपकम्, अपि तु तत्समर्थकानि अपराण्यपि त्रीणि रूपकाणि सन्ति तत्र यशस्युपमेये सौरभ्यस्योपमानस्य ताद्रूप्यम् एकम्, शान्तिरूपोपमेये शैत्यरूपोपमानस्य ताद्रूप्यम् द्वितीयम्, कारुण्यरूपोपमेये कुसुमरूपोपमानस्य ताद्रूप्यम् तृतीयम्, एवञ्चैतानि रूपकाणि प्राक् शब्दतः उपतिष्ठेरन्, येन तयोस्तयो पदार्थयोरैक्य विज्ञातमिति पर्यवसितम्, तथा पर्यवसानानन्तरञ्च यशोरूपसौरभ्याभाववत्त्व लशुनेन, शान्तिरूपशैत्याभाववत्त्व हुताशनेन, कारुण्यरूपकुसुमाभाववत्त्व च आकाशेन पिशुनस्य साधर्म्यमिति । अर्थात् लशुनो यथा सौरभ्याभाववान् तथा पिशुनः यशोऽभाववान्, इत्यञ्चैकत्वेन विज्ञातयोर्यश सौरभ्ययोरभावो लशुन-पिशुनयोरक्षतः । एवमन्याशोऽपीति ।

स्थल-विशेष में साधारणधर्म क्या है इस बात का स्पष्टीकरण शंका-समाधान द्वारा किया जाता है—ननु इत्यादि । ‘यशःसौरभ्य—’ इस पद्य—जिसकी व्याख्या इसी प्रकरण में पहले की जा चुकी है—में लहसुन, अग्नि और आकाश के साथ चुगलखोर का क्या समानधर्म है जिसे लेकर यहाँ रूपक कहा जाता है? तो इसका समाधान यह है कि यश और सुगन्ध, शान्ति और शीतलता तथा दया और पुष्प का ताद्रूप्य (अभेद) शब्द द्वारा उपस्थित कर दिये जाने पर बाद में, ‘यशरूप सुगन्ध के अभाव से युक्त होना’ (अर्थात् जैसे लशुन सुगन्ध के अभाव वाला होता है—अपने में तो सुगन्ध होता ही नहीं दूसरे का सुगन्ध भी उसके पास नहीं आ सकता—वैसे ही चुगलखोर यश के अभाव वाला है—किसी यशस्कर कार्य को स्वयं तो करता नहीं, दूसरे का भी यश उस तक नहीं पहुँच पाता, निन्दा ही पहुँच पाती है) यही समानधर्म है । इसी तरह अन्य-औषधि आदि—के साथ भी समझना चाहिए ।

एव स्थितौ अन्योन्याश्रयमाशक्य समाधत्ते—

एवमपि लशुनखलयोस्ताद्रूप्यसिद्धौ सत्यां लशुनरूपखलावृत्तित्वेन यशः सौरभ्ययोस्ताद्रूप्यं सिद्धयेत्, यशःसौरभ्ययोस्ताद्रूप्यसिद्धौ च यशोरूपसौरभ्य

अन्यत्वेन लघुनत्वलयोस्ताद्रूप्यम्, इत्यन्योन्याश्रयो नाशङ्कनीयः । सकनभिद्वेः  
 लपनामयत्वेन, कल्पनायाश्च स्वप्रतिभाधीनत्वात् । शिल्पिभिः परस्परवष्टम्भ-  
 त्वाधीनस्थितिकाभिः शिल्लेष्टकाभिर्गृहविशेषनिर्माणाश्च ।

ननु यथा प्रधानरूपवष्टमपमानोपमेययोर्लघुनादिपिशुनयो नाधारणधर्मं यतोल्प-  
 रौग्भ्याद्यभाववन्धम्, तथा गनर्परूपवष्टमरोहपमानोपमेययो यत्र गौरभ्यो गान्ति-  
 त्ययो काश्यकुमुनयोश्च नाधारणधर्मं लघुनादिरूपरत्ना( पिशुना )गत्तिन्म एतित्य,  
 यान्योन्याधयापात, लघुनादिरूपरत्नागृत्तित्वमूलकस्य यत्र गौरभ्यासीना ताद्रूप्यस्य  
 वेदो यत्रोहपनौरभ्याद्यभाववत्त्वमूलकस्य लघुनादित्रललोस्ताद्रूप्यस्य तथा तत्तन्मूलरन्म-  
 ष्युनादित्रललोस्ताद्रूप्यस्य गिदो तत्तन्मूलकस्य यत्र गौरभ्यासीना ताद्रूप्यस्य गमपेक्षित-  
 वान्, अन्योन्याश्रितानि च कार्याणि न प्ररन्वन्ते, यथा नौर्नवि यत्रा नेतरत्राणाय भवति  
 त्येकमपि रूपकन सिद्धयेदिति चेन्मवम्, क्वचित्थै मकल्पपदार्थविद्वे कल्पनामयता  
 लपनायाश्च स्वप्रतिभाधीनत्वेन तत्रान्योन्याश्रयस्यादृश्यत्वात् ( लौकिकपटनास्त्रेवान्यो-  
 याश्रय प्रतिबन्धक, स्वप्रतिभोत्थितकल्पनासु नेत्याजयात् ) न चोन्वत्ताधिर एतेऽपि  
 अन्योन्याश्रयस्य प्रतिबन्धकतया क्य तथा स्वप्रतिभेति वाच्यम्, स्थापत्यरत्नायोधि-  
 त्तियोऽवष्टम्भमात्राधीनस्थितिः शिल्लेष्टकादिद्वारा गृहविशेषनिर्माणदर्शनोपत्तायपि नान्यो-  
 ष्याश्रयस्यापतिबन्धकत्वं स्वीकर्तुं योग्यम्, किमुत एते इत्यभिप्रायात् ।

पूर्वोक्त 'यनोरूप सौरभ्याद्यभाववत्' पदार्थको नाधारणधर्म मानने पर अन्योन्या-  
 श्रयदोष की धातुका करके उसका समाधान किया जाता है—पुनपि एवादि । ऐसा  
 मानने पर भी यदि आप यह शका करें कि—जब लहसुन और सुगन्धोर या ताद्रूप्य  
 सिद्ध होगा तब 'लहसुनरूप सुगन्धोर' में न रहने के कारण यदा और सुगन्ध का  
 ताद्रूप्य सिद्ध होगा और जब यदा और सुगन्ध का ताद्रूप्य सिद्ध होगा तब यदल्प  
 सुगन्ध से शून्य होने के कारण लहसुन और सुगन्धोर का ताद्रूप्य सिद्ध होगा, इस  
 तरह अन्योन्याश्रय होगा—अर्थात् एक ताद्रूप्य की सिद्धि के बिना दूसरा ताद्रूप्य सिद्ध  
 नहीं होगा—फलत एक भी ताद्रूप्य सिद्ध नहीं हो सकेगा, तो इसका उत्तर यह है कि  
 वाक्य में सब बातों की सिद्धि कल्पनामय है और कल्पना है कवि की प्रतिभा के अधीन ।  
 अतः प्रतिभा द्वारा दोनों में से किसी भी ताद्रूप्य का पहले निर्माण किया जा सकता है,  
 और जब इस तरह एक ताद्रूप्य बन गया तब अन्य ताद्रूप्य बनने में तो कोई बाधा है  
 नहीं । ऐसी स्थिति में यहाँ अन्योन्याश्रय की बात नहीं चल सकेगी । न केवल कल्पना  
 में ही किन्तु लोक में भी—कारागर लोग केवल एक दूसरे के महारे मदे रहने वाले हूँट  
 पथरों में विशेष प्रकार के घर बनाते पाए जाते हैं । यदि अन्योन्याश्रय नहीं प्रसार में  
 निर्माण में बाधक हो तब उनका कारोबार ही बन्द हो जाय । अतः यह समझना चाहिए  
 कि अन्योन्याश्रय दोष यहाँ होता है, नहीं उसके कारण, कार्य का रहना अनुभवसिद्ध  
 ही, अन्यथा नहीं ।

स्वरूपनिर्माणार्थ—

अथास्य धनि —

यत्र पर स्वरूपरत्नाश्रयनिर्माणस्य इति भावः ।

१ अथ स्वस्वरूपि का निरूपण किया जाता है—

स्वरूपो प्रत्यगेन्मुदा र्मुदा—

तत्र गच्छन्निमुतो यथा—

तदिति । स्वरूपनिर्माण इत्यर्थः । गच्छन्निमुतो गच्छन्निमुतो यथा गच्छन्निमुतो  
 इति भावः ।

रूपकध्वनि दो प्रकार की होती है—एक शब्दशक्ति (शाब्दी व्यञ्जना) मूलक और दूसरी अर्थ शक्ति (आर्थी व्यञ्जना) मूलक। इन दोनों से प्रथम, जैसे—

उदाहरण निर्दिश्यते—

‘विज्ञत्वं विदुषां गणो सुकवितां सामाजिकानां कुले  
माङ्गल्यं स्वजनेषु गौरवमथो लोकेषु सर्वेष्वपि ।  
दुर्वृत्ते शनितां नृलोकवलये राजत्वमव्याहृतं  
मित्रत्वं च वहन्नकिञ्चनजने देव त्वमेको भुवि ॥’

कवि राजानं कमपि स्तौति—हे देव राजन् ! विदुषा पण्डिताना, गणो सम् विज्ञत्वं पाण्डित्य बुधत्वञ्च, सामाजिकाना सभ्यानां साहित्यिकानामिति यावत्, कुले सम् सुकविता सुन्दरकाव्यकर्तृत्वं शुक्रत्वञ्च, स्वजनेषु निजाश्रितलोकेषु, माङ्गल्यं कल्याण रूपत्वम् अङ्गारकत्वञ्च, अथो अनन्तरम्, सर्वेष्वपि लोकेषु सकलजनेषु, गौरव श्रेष्ठत्व बृहस्पतिरत्वञ्च, दुर्वृत्ते दुराचारिणि जने, अशनिता वज्रत्वम् शनिताञ्च, नृलोकवलय मानवलोकमण्डले, अव्याहृतं अप्रतिहताङ्गम् राजत्वं नृपत्वं चन्द्रत्वञ्च, तथा अवि ध्वनजने दरिद्रलोके, मित्रत्वं सुहृत्वम् सूर्यत्वञ्च, वहन् दधानः, त्वम्, भुवि ससा एकः अद्वितीय, असीत्यर्थः ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—विज्ञत्वम् इत्यादि। कवि किसी राजा व स्तुति करता है—हे राजन् ! विद्वानों के समुदाय में विज्ञता (व्यङ्ग्य अर्थ बुधत्व को, सभ्य समूह (साहित्यिकों) में सुन्दर कवित्व (व्यङ्ग्य अर्थ शुक्रत्व) को, आसी जनों में कल्याणरूपता (व्यङ्ग्य अर्थ मंगलग्रहत्व) को, सब लोगों में गौरव-श्रेष्ठ (व्यङ्ग्य अर्थ बृहस्पतित्व) को, दुराचारियों में अशनिता—वज्रत्व (व्यङ्ग्य अर्थ शनिग्रहत्व को भूमण्डल में अव्याहतराजत्व (व्यङ्ग्य अर्थ चन्द्रत्व) को और दरिद्रजनों में मित्रत्व (व्यङ्ग्य अर्थ सूर्यत्व) को धारण करनेवाले आप पृथिवी पर एक हैं—अद्वितीय हैं (आप जोड़ का दूसरा कोई नहीं) ।

उपपादयति—

अत्र शक्तिनियन्त्रणोऽपि बुधत्व-शुक्रत्वादीनि बुधाद्यभेदरूपाणि राजनि व्यज्यन्ते ।

‘विज्ञत्वम्—’ इत्यत्र राजप्रकरणगते पद्ये विज्ञत्व-सुकवितादीना पदाना शक्ति (अभिधा) प्रकरणेन पाण्डित्यसुन्दरकाव्यकर्तृत्वादावर्थे नियम्यते, अतो बुधत्व-शुक्रत्व दयोऽर्था न तेषा पदाना वाच्या किन्तु अनेकार्थकपदप्रयोगरूपयुक्तिसमुल्लसितया तत्तत्पद निष्ठव्यञ्जनया बुधत्वादयोऽर्था बोध्यन्ते, बुधत्वादयश्च बुधाद्यभेदरूपा. पदार्था, अभेद ए च रूपकम् इति राजरूपोपमेये बुधाद्युपमानाभेद रूपकम्—व्यज्यते, अत शब्दशक्तिमूल रूपकध्वनेरुदाहरणमिदं पद्य भवतीति भाव ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि। ‘विज्ञत्वम्—’ यह पद्य राजा के प्रकरण कहा गया है, अत ‘विज्ञत्व-सुकविता’ आदि अनेकार्थक पदों की शक्ति (अभिधा) प्रकरण द्वारा ‘पाण्डित्य—सुन्दरकाव्यनिर्मातृत्व’ आदि अर्थ में नियन्त्रित हो जायगी-फलतः ‘बुधत्व-शुक्रत्व’ आदि अर्थ वाच्य नहीं हो सकेगा, परन्तु अनेकार्थक पद-प्रयोग करने के कारण उठी हुई शाब्दी व्यञ्जना से बुधत्व आदि अप्राकरणिक अर्थ भी ज्ञा होगा और बुधत्व आदि का अर्थ बुध आदि ग्रहों का अभेद ही पर्यवसित होता है अत यहाँ रूपक ध्वनित होता है क्योंकि अभेद को ही रूपक कहा जाता है। तात्पर्य य

क्रि—राजान्प उपमेय में बुध भादि ग्रहों ( उपमानों ) का धर्मद जो यही प्रकृत होता है यह धर्मरूपक कृष्णायगा, अतः यह पत्र रूपरूपनि का उदाहरण है ।

उदाहरणान्तर अर्थात्नुमा—

यथा वा—

अथवा जमे—

उदाहरण प्रदर्शयति—

‘अविरलविगलदानोदकधाराऽऽसारनिष्कधरणिनल ।

धनदाप्रमहितमूर्तिदेव । त्वं सार्वभौमोऽसि ॥’

राजवर्णनमिदम् । हे देव राजन् ' अविरलम्, सततम्, विगलन क्वचित् जानोऽकम्प्य उन्मर्गजलस्य मदसलिलस्य च, धारानारेण धारासाहिकमभ्यानेन, निष्कमार्द्रोत्तम्, धरणितलं येन तादृश तया धनदानाम् धनदायकानाम् धनदम्प्य कुपेरस्य च, प्रसे, महिता प्रगता, मूर्ति स्वहृत् यन्त्र तादृशध त्वम् सार्वभौम नर्धभूमिपति ( नन्दवर्ती ) दिग्गज्ज, पति विभूत उदर्य । अत्र धर्मज्ञानम् दान-धनद-सार्वभौम-गच्छमानाभिधा प्रसूतोत्त राजपक्षीयैषु नियन्त्रिता, अतो दिग्गजपक्षीया अर्थात् न वाच्या अपि तु गच्छमानि-मूलकाद्यजनया बोध्या —यथा वा उति राजरूपोपमेयगतदिग्गजपक्षीपमानतादृशान्तर रूपक धन्यते, अतः उदमपि पत्रम् शब्दगच्छिमूलरूपध्वनेरुदाहरणम् । उदास्तु विनोपो न प्रयमोदाहरणे विशेषणान्येव व्यवहृत्तानि, अत्र तु विनोप्यमर्षाति भाव ।

उदाहरण दिखलाया जाता है—अविरल इत्यादि । राजा का वर्णन है—हे देव ! क्षाप सार्वभौम ( चक्रवर्ती राजा अथवा दिग्गज ) है । क्षापने निरन्तर गिरते दान-जल ( दिग्गजपक्ष में मद-जल ) की धारासाहिक वृष्टि से शृषिपीतल को भीष दिया है और क्षाप 'धनदाप्रमहितमूर्ति' ( राजा के पक्ष में धनदायकों के क्षापने प्रशस्त स्वरूपवाले, दिग्गज के पक्ष में—कुपेर के क्षापने प्रशस्त स्वरूपवाले ) है । यही प्रकरण में दान, धनद और सार्वभौम शब्द की अभिधा अस्ति राजपक्षीय अर्थ में नियन्त्रित हो जाती है, अतः दिग्गजपक्षीय अर्थ शान्दीव्यजना द्वारा प्रकृत होता है जिससे अन्त में राजान्प उपमेय में दिग्गजरूप उपमान का तादृश्य अभिव्यक्त होता है, अतः यह पत्र भी शब्दगच्छि-मूलक रूपरूपनि का उदाहरण होता है । पर, प्रथम उदाहरण में केवल विनोपमान में ही प्रनि हुई है और इस द्वितीय उदाहरण में विनोपन तथा विनोप्य दोनों अर्थों में यह होती है यह दोनों उदाहरणों में अन्तर समझना चाहिये ।

अर्थशक्तिमूलक रूपरूपनिमुदाहर्तुमाह—

अर्थशक्तिमूलो यथा—

अर्थशक्ति = अर्थनिष्ठा धारणा तन्मूलरूपरूपनिर्देवार्थ ।

अर्थनिष्ठा धारणा मूलक रूपरूपनि, जमे—

उदाहरण निर्दिशति—

‘स्फुरितानिलरजालि त्रिधाय नात्र

स्मेरानना सपटि गोलय सौवर्मात्मिम् ।

प्रीति भजन्तु उदुपानि सुदाहृमारा-

सुनामयन्तु परितो हरितो सुगानि ॥’

नाना नानिर्दिशति—हे परति मति । ताम् सस्फुरितानि सुदाहृमारा, स्फुरितम् स्फुरितम्, त्रिधाय त्रिधा संसर्गना प्रसङ्गुता ताम्, सपटि स प्रस, सौवर्मात्मा सुवर्णवर्णम्, सुदाहृमारा सुदाहृमारा इति स्थानम्—हे देव राजन् । सुगानि सुगि-

विकाशीनि पुष्पाणि, मुदां विकासानाम्, उदाराम् अतिशयिताम्, प्रौढिं पूर्णताम्, भजन्तु प्राप्नुवन्तु, अपि च हरितं दिशाः, परित सर्गतोभावेन, मुखानि प्रारम्भिकभागान्, उल्लासयन्तु प्रकाशयन्तु इत्यर्थः ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—कस्तूरिका इत्यादि । सखी नायिका से कहती है—हे सखी ! तू सन्ध्या समय कस्तूरी का तिलक लगाकर, तत्काल, प्रासाद शिखर का परिशीलन कर, जिससे कुमुद हर्ष की अत्यन्त अधिकता को प्राप्त करें—अर्थात् पूर्णतया विकसित हो उठे और दिशाएँ अपने मुखों को पूर्णतया उल्लासयुक्त बना लें—अर्थात् उनके प्रारम्भिक भाग अच्छी तरह प्रकाशित हो जायँ ।

उपपादयति—

अत्र त्वदीयमाननं कलङ्क-चन्द्रिका-विशिष्टचन्द्राभिन्नमिति रूपकम् कुमुदविकासादिना ध्वन्यते न तु भ्रान्तिमान् । कुमुदानां हरितां चाऽचेतनत्वात् । न चाऽचेतनेषु मुदामसम्भवादवश्यं कुमुदादिषु चेतनत्वरोपेण भाव्यम्, तेन च भ्रान्तिसिद्धिरिति वाच्यम् । मुत्पदस्य विकासे लाक्षणिकत्वात् ।

अत्र प्रकृतपद्ये । कलङ्केति । कलङ्कश्च चन्द्रिका चेति द्वन्द्वः, ताभ्या विशिष्टो यश्चन्द्रस्तदभिन्नमिति भावः । विकासादिनेति । आदिपदेन हरिन्मुखोल्लास परामृश्यते । भ्रान्तिमान् भ्रान्तिमदलङ्कारः । तस्याध्वने हेतुमाह—कुमुदानामिति । भ्रान्तिस्थापनायाशक्यते न चेति । समाधीयते—मुत्पदस्येति । 'कस्तूरिका—' इति श्लोके स्मेराननाया कस्तूरीति लकालकृताया नायिकायाः साय सौधशिखरारोहण निमित्तीकृत्य कुमुदविकास दिशामुखोल्लासश्च वर्णितः, स च नायिकाननस्य चन्द्राभिन्नत्वमन्तरा न सम्भवति, तस्य चन्द्रायत्तत्वात् अतः तद्वर्णनेन 'नायिकाननम् सकलङ्क सचन्द्रिकश्च चन्द्र' इति रूपकम् ध्वन्यते । कुमुदानाम् हरिताम् च नायिकानने चन्द्रभ्रम इति भ्रान्तिमदलङ्कारध्वनिरेवात्र न रूपकध्वनिरिति तु शक्यम्, वक्तुम् अचेतनेषु कुमुदहरित्सु भ्रान्तेरसम्भवात् । अचेतनेषु तेषु चेतनत्वरोपः, तदधिकरणकमुदवर्णनस्यान्यथाऽसङ्गतेरित्यपि न वक्तुं योग्यम्, मुत्पदस्य विकासे लाक्षणिकतया लक्ष्यार्थस्य विकासस्याचेतनकुमुदादावपि सम्भवेन चेतनत्वरोपस्यानावश्यकत्वात्, एवञ्चार्थशक्तिमूलकरूपकध्वनेरुदाहरणमिदं पद्य सम्पद्यत इति भावः ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि । 'कस्तूरिका—' इस पद्य में कस्तूरी का तिलक लगाकर प्रसन्नमुखी नायिका के प्रासाद शिखरारोहण से कुमुदों का विकास और दिशाओं का प्रकाश वर्णित हुआ है, यह वर्णन तब तक सगत नहीं हो सकता जब तक नायिका के मुख को चन्द्र नहीं मान लिया जाय, क्योंकि कुमुदों का विकास और दिशाओं का प्रकाश चन्द्र के ही अधीन है, अतः यहाँ इस वर्णन से 'नायिका का मुख कलङ्क और चाँदनी दोनों से युक्त चन्द्र से अभिन्न है' यह रूपकालङ्कार ध्वनित होता है । कुमुदों और दिशाओं को नायिका के मुख में उस तरह के चन्द्र का भ्रम हुआ, अतः वे विकसित तथा प्रकाशित हो उठे इस अभिप्राय के अनुसार यहाँ 'भ्रान्तिमान्' अलङ्कार ही ध्वनित होता है, 'रूपकालङ्कार' नहीं—ऐसी बात तो कही नहीं जा सकती, क्योंकि कुमुद आदि अचेतन पदार्थ हैं और अचेतनों में भ्रम ( किसी तरह का भी ज्ञान ) हो ही नहीं सकता । आप कहेंगे—अचेतनों में मुद (हर्ष) भी तो नहीं हो सकता और यहाँ कुमुदों में हर्ष का वर्णन किया गया है, अतः अवश्य ही इन अचेतन पदार्थों में चैतन्य का आरोप करना पड़ेगा और जब चेतनता का आरोप हो जायगा तब हर्ष के समान भ्रम भी उनमें हो ही सकता है तो यह तर्क भी उचित नहीं । कारण, 'मुत्' पद यहाँ 'विकास' अर्थ में लाक्षणिक है, अतः चैतन्य का आरोप आवश्यक नहीं है । फलतः यह पद्य 'अर्थशक्तिमूलक रूपकध्वनि' का उदाहरण होता है ।

उदाहरणान्तरं दर्शयितुमाह—

उद वा विविक्तमुदाहरणम्—

विपिनिति । भ्रान्तिमग्निस्रितमित्यर्थ । यत्र भ्रान्तिमग्निस्रितस्य मन्देशोऽपि न

भवेनाद्यस्य रूपरूपनेरुदाहरणं निम्ननिर्मितं बोध्यमिति भावः ।

उदाहरणान्तरं दिग्दलाने के लिये कहा जाता है—उद वा इत्यादि । अर्थमभिप्रेतक

रूपरूपने का विविक्त—अर्थात् जिसमें भ्रान्तिमग्न-अलङ्कार ध्वनि का मन्दह ना नहीं किया जा सकता—उदाहरण इसको—निम्नलिखित पद्य को—ममक्षणा घाटिण ।

उदाहरण दर्शयति—

‘तिमिर हरन्ति हरिता पुरः स्थितं निरयन्ति तापमथ तापशालिनाम् ।

वदनद्विपस्तय चकोरलोचने ! परिमुद्ध्यन्ति सरसीरुद्रिय ॥’

हे चकोरलोचने चकोरपनयने ! तव वदनद्विप सुखान्तय, हरिता भिन्ना, पुरः

‘पद्मे, स्थितम् प्रसृतम्, तिमिरम् अन्धकारम्, हरन्ति नाशयन्ति, ‘पथ’ पदनन्तरम्, ताप-शालिनाम् तापयनाम्, ताप दाहम्, निरयन्ति दूरीकुर्वन्ति, तथा, सरसीरुद्रिय समल-जोभा, परिमुद्ध्यन्ति मुद्रिता तिरोहिता कुर्वन्ति इत्यर्थ ।

उदाहरण दिग्दलाया जाता है—उदन इत्यादि । कवि किसी सुन्दरी की सुखशान्ति का वर्णन करता है—हे चकोरलोचने ! तेरे सुख की कान्तिर्या दिशाओं के भागे उपस्थित अन्धकार का हरण करती है, मतलों के ताप को दूर करती है और कमलों की शोभाओं को मुद्रित करती है ।

उपपाद्यति—

इहापि वदन चन्द्र इति गन्धते ।

‘तिमिरम्—’ इति श्लोकेऽपि ‘सुख चन्द्र’ शब्दाकारक एव ध्वन्यते । न चात्र भ्रान्ति-मगने मग्नवक्षेणोऽपि, अत एव पद्य मग्नगन्धत्वा रूपरूपनेरुदाहरणता प्रतिपद्यत इति भावः ।

उपपादन किया जाता है—इहापि इत्यादि । ‘तिमिरम्—’ इस पद्य में भी ‘सुख चन्द्र है’ इस तरह का रूप ध्वनित होता है । यहाँ अन्य किसी अलङ्कार के ध्वनि होने की सम्भावना ही नहीं है, अतः यह पद्य मग्न-मग्निति में रूपरूपनेरुदाहरणता होता है ।

ध्वनिरोप रूपध्वनि निरस्तयति—

आनन्दनपर्यनाचार्यास्तु—

‘प्राप्तभीरेप कस्मात्पुनरपि मयि त मन्धर्येद विदध्या-

त्रिद्रामप्यस्य पूर्वामनलममननो नेत्र मन्भाप्रयामि ।

सेतु ध्वनानि भूय’ विमिति च मन्धर्यापनाधानुयाय-

स्त्वन्यायाने विरुपानिति दधत उदाभाति कम्पः पशोवे ॥

अत्र रूपरूपनेण काव्यचारवचनस्थापनात्पद्यध्वनि इत्यादि । नशि-  
न्यम् । अत्र च जलधिरुत्प्रेतुत्वेन विरुपत्ररुद्रध्वनते ! तद प्रकृतं राज्ञोऽ  
शेषिज्ञा जलनिधिगतमनादाशरिपुताशान्यमानत्वा भ्रान्तिमेवादिर्दति, न  
रूपरूप । तस्मिन्नेतन्मताशरिपुताशान्यनिधरन्त एवशाज्जन्तयात् । तद्विज-  
लधिरुत्प्रेतुत्वेन शरधिपरुत्पद्यम् । अतन्नेत्र येन विरुपुताशान्य जलधे रूपेऽ-  
नुपलुपमेव । यमशरिष्यधि चात्र भ्रान्तिरोपेति ध्वनिरपि तस्या एव ध्वनः ।

‘प्राप्तश्रीरेप-’ इति । कश्चित् चाट्टकारो राजान् प्रत्याह—हे राजन् । त्वयि, आप्त उपगते सति, प्राप्ता श्रीर्येन तादृश एव, पुनरपि, मयि, तम् अनुभूतपूर्वम्, मन्यवेदम् मद् रगिरिकरणकमन्थनपीडनम्, कस्मात्, विदध्यात् कुर्यात्, अनलसमनसः इदानीं पालक- वसरे आलस्यशून्यहृदयस्यास्य, पूर्वाम् प्राचीनाम् प्रलयकालिकीमिति यावत्, निद्रामपि नैव, संभावयामि तर्कयामि, सकलानां द्वीपानां नाथैरधिपैरनुयातोऽनुसृतश्चायं भूयः पुनः किमिति, सेतु, वध्नाति, इत्येव विकल्पान् ज्ञानभेदान्, दधतो धारयत, इव, पयोधे सुद्रस्य, कम्प आभातीत्यर्थः । रूपकाश्रयेणेति । अनुरणनरूपकद्वारेत्यर्थः । खण्ड्यति- तच्चिन्त्यमिति । तत्र हेतुमाह—अत्र चेत्यादिना । प्रकृते इति । ‘प्राप्त’ इति पद्य इत्यर्थः राजविशेष्यिकामिति । राजा विशेष्यो यस्याम् तादृशीम् राजविषयिकामिति यावत् । न निष्प्रगतामिति । समुद्रनिष्प्रगतामिति । भ्रान्तेरेतद् विशेषणद्वयम् । तज्जीवातोरिति । रूप जीवातोरित्यर्थः । ‘कृपया सुधया सिद्ध’ इत्यत्र सेचनवत् आहार्याभेदनिश्चयतोऽपि भयादिक सम्भवतोऽप्युपपत्त्यन्तरमाह—कविजलधिगतत्वेनेति । अनिश्चितमपि वस्तुगत्या वर्तमाना राज्ञि विष्णुतादात्म्य समुद्रे कम्प जनयेन्नेत्याह—अज्ञातमेवेति । अस्य विवरणम्—केवमिति । भ्रान्तेरिव निश्चयस्यापि समुद्रे सम्भव इत्यत आह—चमत्कारिण्यपीति । ‘प्राप्त श्री—’ इत्यत्रोत्प्रेक्षा वाच्या, ततश्च भगवत्तादात्म्यमस्य भूयतोऽवगम्यत इति रूपकालकारध्वनि कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिसिद्धालङ्कारव्यङ्ग्य इति ध्वन्यालोके आनन्दवर्धनावा- आह, तत्र युक्तम्, विचारासहत्वात् । तथाहि—‘प्राप्तश्री—’ इत्यत्र समुद्रस्य कम्पो वाच्य तत्कारणत्वेन च त्रयो विकल्पाः कल्पिता—‘मन्थनाय विष्णुरायात्’ इत्येकः, ‘शयन विष्णुरायात्’ इति द्वितीय, ‘सेतुबन्धनाय राम आगत’ इति च तृतीय । ते च रा समुद्रस्यानाहार्यविष्णुतादात्म्यभ्रमेण सम्भवन्ति—रज्ज्वादौ सर्पाद्यानाहार्यभ्रमस्य भयादिव कत्ववत् समुद्रगतस्योक्तभ्रमस्य कम्पजनकतासम्भवात्, न तु तस्मिन् तस्याहार्यविष्णुतादा- त्म्यनिश्चयेन, आहार्यनिश्चयस्य कार्याजनकतया कम्पजनकत्वानुपपत्ते । एवञ्चात्रानाहार्य- निश्चयमूलको राज्ञि समुद्रस्य विष्णुतादात्म्यभ्रमरूपः ‘भ्रान्तिमान्’ अलङ्कार एव ध्वन्येत, न तु आहार्यनिश्चयमूलकः राज्ञि विष्णुतादात्म्यरूपो रूपकालङ्कारः । किञ्च तादृश आहार्यनिश्च- योऽपि कवेरेव जायते, कम्पस्तु समुद्रस्येति न तन्निश्चयस्य तत्कम्पजनकत्व सम्भवति, समानाधिकरणयोरेव पदार्थयोर्जन्यजनकभावाङ्गीकारात् । ज्ञातमेव सर्पादिक यथा भयादि- जनक भवति तथा ज्ञातमेव विष्णुतादात्म्य ज्ञातरि समुद्रे कम्प जनयितुमलमिति नाज्ञातस्य विष्णुतादात्म्यस्य कम्पे उपयोगः । अपि च समुद्रगता भ्रान्तिरेवात्र चमत्कारजनिकेति भ्रान्ति- मदलङ्कारध्वनिरेवात्र न्याय्य इति भावः । वस्तुतस्त्वत्रेदं रहस्यम्—कवि समुद्रगतं ज्ञान सम्भावयति, तच्च ज्ञान यदि आहार्यनिश्चयरूपं स्वीकृतं स्यात् तदा रूपकध्वनिर्भवेत्, यदि तु अनाहार्यभ्रमरूपमङ्गीकृतं स्यात् तदा भ्रान्तिमद् ध्वनिर्भवेत्, एवं स्थितौ ग्रन्थकृतोऽयमा- शयोऽवगम्यते यत् तद् ज्ञानं नाहार्यनिश्चयरूपं भवितुमर्हति आहार्यात् ( बाधकालिकेच्छा- जन्त्यात् ) ज्ञानात् कम्पोत्पत्तेरसम्भवात्, कथञ्चिदुत्पत्त्यङ्गीकारेऽपि स कम्पोऽभिनयरूप- एव भवेदिति चमत्कारो न स्यात्, अतस्तद् ज्ञानम् अनाहार्यभ्रमरूपमेव स्वीकरणीयम्- यतस्तत् उत्पन्न कम्पो वास्तविकतया वर्णनीयराजप्रकर्षं साधयन् चमत्कार जनयेत् । फलतो भ्रान्तेरेव चमत्कारप्रयोजकतया भ्रान्तिमतो ध्वनिरेवात्र स्वीकर्तुमुचितो न रूपक- ध्वनिरिति ।

अथ ध्वनिकार द्वारा पेश किए गए रूपक ध्वनि के उदाहरण का खण्डन किया जाता

—आनन्द इत्यादि । आनन्दवर्षनाचार्य ने तो अपने चन्द्रालोक नामक ग्रन्थ में 'शम-  
 तीव्र—अर्थात् हे राजन ! आपके समुद्रतट पर आते पर जाने इन विस्फोटों को धारण  
 करनेवाले समुद्र का कल्प प्रतीत होता है । वह ( समुद्र ) मोघना है—इन्हीं ( विष्णु  
 ) लक्ष्मी मिल चुकी है, फिर वे उस मन्थन—विमला बहु अलम्ब्य रहते हुए ही युवा  
 —का गेद मुझमें क्यों करेंगे ? पहले वाली (प्रलयकाल की) इनरी ( विष्णु की ) निद्रा  
 भी समाप्त नहीं करता, क्योंकि इस समय ( पावन के अन्तर में ) इनके मा  
 आलम्ब्य नहीं है । पुन चौध चौधने की तैयारी कर रहे हों, पर यह भी क्यों ? इस  
 समय तो सब द्वीपों के अधिपति इनके अनुयायी हैं ( राजन की तरह द्वीपान्तरवर्ती के  
 गेदा प्रतिद्वन्द्वी आज नहीं है ) । इस पद्य में, स्वयं द्वारा ही ज्ञान की सुरक्षा  
 उपस्थित है, अत रूपक ध्वनि है' ऐसा कहा है, परन्तु उनका यह कथन विचारणीय  
 है । कारण, इस पद्य में समुद्र के कप के हेतुरूप में तीन विस्फोटों—अनन्द करने के  
 लिये विष्णु काण है' एक, 'मोने के लिये विष्णु काण है' दो और 'चौध चौधने के लिये  
 रामरूप में अवतीर्ण विष्णु काण है' तीन—की कल्पना की जाती है । और वे तीनों  
 विकल्प प्रस्तुत पद्य में, राजा जिसमें विशेष है ऐसी—अर्थात् राजा के विषय में  
 होने वाली—और समुद्र में उत्पन्न, आहार्य नहीं, अपि तु मन्थ विष्णुनादान्ध्र-  
 आनन्द, अन्ति का ही आक्षेप करते हैं, न कि रूपक का, क्योंकि रूपक का उद्देश्यता  
 जो विष्णु का आहार्य ( दाहित होने पर भी हृच्छा से कल्पित ) तादान्य ( अन्ध्र )  
 निश्चय है वह कप को उत्पन्न नहीं कर सकता । तापर्य यह कि समुद्र को भ्रम हा  
 तभी वह कथित हो सकता है, अपने आप इन्हीं कल्पना करके नहीं । आप कहेंगे—'दृष्टवा  
 सुधया मित्र—' इस स्थल पर जैसे कृपा में सुधा के आहार्य (अन्ध्र) निश्चय से मेघना कहा  
 गया है उसी तरह यहाँ भी राजा में आहार्य (अन्ध्र) निश्चय से कप की बात नहीं जा  
 सकती है तो इसका उत्तर यह है कि—हाँ, एक आहार्यनिश्चय और कप यदि एक ही  
 स्थिति में होते तब वैसी बात कही जा सकती थी, पर यहाँ वे दोनों एक में ही नहीं—  
 अर्थात् एक आहार्यनिश्चय हुआ है कपि को और कप होता है समुद्र में अतः रूप  
 स्वधिकरण ( अन्य में रहनेवाले ) ज्ञान से अन्य में कप नहीं हो सकता । आप कहेंगे—  
 समुद्र को राजा में विष्णुनादान्ध्र ज्ञान मने ही नहीं हो, पर अन्ध्र राजा में ज  
 तादान्य ज्ञान है तब उसमें समुद्र कथित क्यों नहीं होगा ? तो मैं जानता हूँ कि राजा  
 जी । समुद्र में सर्प का तादान्य यदि रहे भी तो क्या वह अज्ञानावस्था में भय का कारण  
 होता है ? आप भी कहेंगे—नहीं, वस, यही बात यहाँ भी समस्त विष्णुनादान्ध्र  
 विष्णु तादान्य समुद्र में कप उत्पन्न नहीं कर सकता । आप कहेंगे—उक्त आहार्यनिश्चय  
 कपि को है, समुद्र को नहीं, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं—यह कि आप विष्णुनादान्ध्र  
 का भ्रम समुद्र में ही मानते हैं, भ्रम भी समुद्र में नहीं मानते पर तो उक्त बात नहीं  
 सकते, क्योंकि तब आहार्यनिश्चय वाला आपकी इस पद्य में भी उक्त आहार्य अर्थात्  
 अन्यगत भ्रम से अन्य में कप नहीं हो सकता, अतः भ्रम तो आप को समुद्र में ही  
 मानना है, फिर एक आहार्यनिश्चय भी समुद्र में ही क्यों नहीं माना जाय ? अतः  
 आहार्यनिश्चय भी समुद्र में ही कप को मानना परमा और तब उसमें कप की बात  
 भी कन जायगी तथा उपरस्थिति यथन भी आनन्दवर्षनाचार्य का उद्देश्य ही उक्त बात, जो उपर  
 उत्तर में यह कहा जायगा कि हाँ, आपने कथनानुसार उपस्थिति में विष्णु-  
 तादान्यनिश्चय भी समुद्र में माना जा सकता है और जैसे कथनानुसार उपस्थिति में  
 आहार्य (विष्णु तादान्य) भ्रम भी समुद्र में माना जा सकता है पर मानते ही कि  
 एक भ्रम ही—क्योंकि उन्हीं में एक बात है, एक निश्चय में नहीं । और उक्त पद्य में भ्रम  
 में ही निश्चय ध्वनि भी उन्हीं की मन्थ होती है । उपर्युक्त बात कहते ही कि कि  
 समुद्रनादान्ध्र का उक्त उद्देश्य है । उक्त यदि वह समुद्रनादान्ध्र का उक्त उद्देश्य



माना जाय तब 'रूपक' ध्वनित होगा और यदि वह ज्ञान अनाहार्य भ्रमरूप माना जाय तब 'आन्तिमान्' ध्वनित होगा। इस स्थिति में ग्रन्थकार का आशय यह है कि वह ज्ञान आहार्यनिश्चयरूप नहीं माना जा सकता, क्योंकि भगवान के आहार्यनिश्चय से समुद्र में कंप नहीं हो सकता—'यह सर्प नहीं है' इस प्रकार का निश्चय रहने पर अपनी इच्छा से रज्जु में सर्प का ज्ञान कर लेने पर भी भय होते नहीं देखा जाता, यदि दुराग्रहवश—आहार्यनिश्चय से समुद्र में कंप का होना मान भी लिया जाय तो वह कंप एक अभिनयमात्र होगा, वास्तविक नहीं, और इस अवस्था में यह कंप की बात सहृदय-हृदयों में चमत्कार नहीं उत्पन्न कर सकती। कारण, इस तरह के आभिनयिक कंप से वर्णनीय राजा का वह उत्कर्ष सिद्ध नहीं होता जो कवि का मुख्य लक्ष्य है, अतः समुद्रगत वह ज्ञान अनाहार्य भ्रमरूप ही माना जायगा, क्योंकि उससे समुद्र में कंप उत्पन्न हो सकता है—रज्जु में सर्प के अनाहार्य भ्रम से भय होते देखा जाता है और इस दशा में समुद्र का वह कंप वास्तविक होगा, अभिनयमात्र नहीं, अतः इस कंप की बात से सहृदय हृदयों में चमत्कार भी उत्पन्न होगा। कारण, इस तरह के सत्य कंप से वर्णनीय राजा का उत्कर्ष जो कवि का मुख्य उद्देश्य है—सिद्ध होता है। फलतः चमत्कार-प्रयोजक भ्रम ही है, आहार्य-निश्चय नहीं, अतः आन्ति (आन्तिमत्-अलंकार) की ध्वनि ही यहाँ मानी जायगी, रूपक की ध्वनि नहीं।

अथास्य दोष निरूपयति—

अथास्यापि कविसमयविरुद्धतया चमत्कारापकर्षका लिङ्गभेदादयो दोषाः सम्भवन्ति ।

अथेति । रूपकविषयकान्यविचारानन्तरमित्यर्थः । अस्य रूपकस्य । 'दोषा' इत्यत्रान्वयः । विरुद्धतयेति । चमत्कारापकर्षे हेतुरयम् । भेदादय इति । वचनभेदादय आदिपदग्राहा । कविपरम्पराप्राप्तसिद्धान्तविरुद्धा ये लिङ्गभेदादयस्ते रूपकगतं चमत्कारमपकर्षयन्तो रूपकस्य दोषा भवितुमर्हन्तीति भावः ।

अथ रूपकगत दोष का निरूपण किया जाता है—अथ इत्यादि । कवि-सिद्धान्त से विरुद्ध होने के कारण चमत्कार को न्यून बनाने वाले 'लिङ्गभेद' (उपमान-उपमेय का भिन्न-भिन्न विभक्तिवाले पदों से बोधित होना) आदि दोष रूपक में भी हो सकते हैं ।

दोषोदाहरण दर्शयितुमाह—

यथा—

जैसे ।

उदाहरण दर्शयति—

'बुद्धिरब्धिर्महीपाल ! यशस्ते सुरनिम्नगा ।

कृतयस्तु शरत्कालचारुचन्द्रिचन्द्रिका ॥'

हे महीपाल राजन् ! ते, बुद्धिः, अब्धिः समुद्रः, यशः, सुरनिम्नगा गङ्गा, तु पुनः कृतयः व्यापारा, शरत्कालस्य, चारोः सुन्दरस्य, चन्द्रिचन्द्रिका चन्द्रमसः, चन्द्रिका ज्योत्स्नेत्यर्थः । अत्रोपमेयभूता बुद्धिः स्त्रीलिङ्गशब्दबोध्या, उपमानभूतः समुद्रश्च पुल्लिङ्गपदबोध्य, एवम् उपमेयभूत यशो नपुंसकलिङ्गशब्दबोध्यम्, उपमानभूता गङ्गा च स्त्रीलिङ्गपदबोध्येति लिङ्गभेदस्योदाहरणद्वयमिदम् । उपमेयभूतकृतयो बहुवचनान्तपदबोध्या रूपं मानभूतचन्द्रिका चैकवचनान्तपदबोध्येति वचनभेदस्येदमुदाहरणमिति भावः ।

उदाहरण दिखलाया जाता है—बुद्धिः इत्यादि । हे राजन् ! आपकी बुद्धि समुद्र है। आपका यश गङ्गा है और कृतियाँ शरद् ऋतु के सुन्दर चन्द्र की चाँदनी हैं । यहाँ प्रथम दो रूपकों में उपमेय क्रमशः बुद्धि तथा यश स्त्रीलिङ्ग और नपुंसकलिङ्ग है—और उपमान

क्रमशः समुद्र तथा गंगा पुष्टिङ्ग तथा स्त्रीलिङ्ग है, अतः ये दोनों 'लिङ्गभेद' के उदाहरण हैं। इसी तरह अन्तिम रूपक में उपमेय (कृतियाँ) बहुवचनान्त है और उपमान (चन्द्रिका) है एकवचनान्त, अतः यह 'वचनभेद' का उदाहरण है।

दूषकताबीजनाह—

अत्र विषयविषयिणोलिङ्गादिकृतं वैलक्षण्यं तयोस्ताद्रूप्यबुद्धौ प्रतिकूलम् ।

उपमानोपमेययो साम्यमेव तयोस्तादात्म्यज्ञाने कारण भवति । एव स्थितौ यत्रोपमानो-  
पमेययोलिङ्गादिप्रयुक्तं वैलक्षण्यं ( भेदः ) भवति तत्र तयोस्तादात्म्यज्ञान न भवितुं शक्नो-  
तीति दोषत्वम् लिङ्गादिकृतवैलक्षण्यस्येति भावः ।

'लिङ्ग-भेद' आदि क्यों दोष है इसमें बीज दिखलाया जाता है—अत्र इत्यादि । यहाँ उपमेय-उपमान में लिङ्गादिक द्वारा की गई विलक्षणता उनके ताद्रूप्य ज्ञान के प्रतिकूल होती है—उसके कारण ताद्रूप्य समझना बाधित हो जाता है, अतः वह ( लिङ्ग आदि-  
कृत विलक्षणता ) रूपक का दोष कहलाता है ।

दोषत्वेनाभिमतानामपि लिङ्गभेदादीना क्वचिदोपमानाह—

क्वचित्कविसमयसिद्धतया चमत्कारहानिराहित्ये तु नामी दोषाः ।

अमी लिङ्गभेदादयः । ये लिङ्गभेदादयः कविसिद्धान्तसंगृहीतास्ते चमत्कारहानिं न  
विदधतीति तादृशा लिङ्गभेदादयोऽदोषा एवेति भावः ।

जो लिङ्गभेद आदि दोष माने गए हैं वे भी कहीं-कहीं अदोष हो जाते हैं यही बात अब कही जाती है—क्वचित् इत्यादि । जहाँ कहीं कवि-सिद्धान्त-सिद्ध होने के कारण-  
चमत्कार की हानि नहीं होती हो वहाँ ये ( लिङ्गभेद आदि ) दोषरूप नहीं होते ।

लिङ्गभेदादेरदोषत्वमुदाहर्तुमाह—

यथा—

जैसे—

उदाहरणं निर्दिशति—

'सन्ताप-शान्तिकारित्वाद्बदनं तव चन्द्रमाः' इत्यादौ हेतुरूपके ।

सन्ताप-शान्तिकारित्वात् सन्तापनाशकत्वात् हेतोः, तव, वदनं सुखं, चन्द्रमा इत्यर्थः ।  
इदम् हेतु-रूपकम्, साधारणधर्मत्वारोपहेतुतयोपन्यासात् । अत्र वदनचन्द्रमसोरुपमेयोप-  
मानयोर्भिन्नलिङ्गरूपदोष्यत्वेऽपि न लिङ्गभेदाख्यो दोषः, ईदृशलिङ्गभेदस्य कवि-सिद्धान्त-  
सिद्धत्वेन चमत्कारानपकर्षकत्वादिति भावः ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—सन्ताप इत्यादि । 'सन्तापशान्तिकारित्वात्—  
अर्थात् सन्ताप-शामक होने के कारण तेरा मुख चन्द्रमा है ।' इत्यादि हेतु-रूपक में यद्यपि  
उपमेय (मुख) नपुंसकलिङ्ग और उपमान (चन्द्रमा) पुष्टिङ्ग है तथापि दोष नहीं, क्योंकि इस  
तरह का लिङ्गभेद कविसम्प्रदाय-सिद्ध होने के कारण चमत्कार का अपकर्षक नहीं होता ।

इति रसगङ्गाधरचन्द्रिकाया रूपकालङ्कारप्रकरण समाप्तम् ।

रूपकनिरूपणानन्तरं सम्प्रति 'परिणाम'निरूपणं प्रतिजानीते—

अथ परिणामः—

अथेत्ययं शब्दोऽनन्तरत्वे । तथा च रूपकनिरूपणानन्तरमिति तदर्थः । परिणाम-  
तदाख्योऽलङ्कारः । निरूप्यत इति शेषः ।

रूपकालङ्कार निरूपण के बाद अब परिणामालङ्कार-निरूपण की प्रतिज्ञा की जाती है—  
अथ इत्यादि ।

तत्र तावत्तल्लक्षणमाह—

विषयी यत्र विषयात्मतयैव प्रकृतोपयोगी न स्वातन्त्र्येण, स परिणामः ।

विषयी उपमानम् । विषयेति । उपमेयेत्यर्थः । एवकारव्यावर्त्यमाह—न स्वातन्त्र्ये-  
येति । स्वस्वरूपेणेत्यर्थः । तत्रेति शेषः । स विषयाभेदः । उपमेयरूपेणोपयुज्यमानमुपमान  
परिणामालङ्कार इति भावः ।

परिणाम-निरूपण-प्रसङ्ग में पहले उसका लक्षण किया जाता है—विषयी इत्यादि ।  
जहाँ उपमान उपमेयरूप से ही प्रसङ्गोपयोगी हो, वहाँ वह ( उपमान में उपमेय का  
अभेद ) 'परिणाम' होता है ।

रूपक-परिणामयोर्भेदज्ञापनायाह—

अत्र च विषयाभेदो विषयिण्युपयुज्यते । रूपके तु नैवमिति रूपकादस्य  
भेदः ।

अत्र चेति । परिणामे चेति भावः । नैवमिति । किंतु विपरीतमिति भावः । रूपका-  
दस्य भेद इति । अत्र "वयं तु ब्रूम"—उपमानप्रतियोगिकाभेदो रूपकम् । उपमेयप्रतियो-  
गिकाभेद परिणाम प्रतीपवत् । तत्राभेदे उपमेयप्रतियोगिकत्वतात्पर्यप्राहक प्रकृतकार्योप-  
योग न तु तच्छरीरेऽस्य प्रवेशः । एव च यत्रोपमानस्य स्वात्मनैव प्रकृतकार्योपयोगो  
यत्र चोदासीनता तत्र रूपकमेव । एव च परिणामो विशेषणसमासायत्त रूपक मयूरव्यं-  
सकादिसमासायत्तम् । मुखचन्द्र इत्यादौ यदि तु चन्द्रमुखमिति प्रयुज्यते तदा विशेषण-  
समासायत्तमपि रूपकमिति । परे तु 'उपमानोपमेयपदानामुपमानप्रतियोगिकाभेदसंसर्गेण  
बोधकानां 'मयूरव्यसकादयश्च' इति समासेन विशेषणसमासबाधाचन्द्रमुखमिति प्रयोग एव  
न इत्याहुः ।" इति नागेशः । रूपकपरिणामयोरुभयोरपि उपमानोपमेयोरभेदो यद्यपि  
समान, तथापि परिणामे उपमेयप्रतियोगिकाभेद उपमाने प्रतीयमानः प्रकृतकार्ये उपयोगं  
व्रजति, रूपके तु उपमानप्रतियोगिकाभेद उपमेये प्रतीयमानः प्रकृतकार्ये उपयोगं व्रजतीति  
तयोर्भेद इति भावः ।

रूपक और परिणाम में जो परस्पर भेद है उसका ज्ञान कराने के लिये कहा जाता  
है—अत्र इत्यादि । परिणाम में उपमेय का अभेद उपमान में प्रतीत होकर प्रकृतोप-  
योगी होता है—अर्थात् उपमान को उपमेय से अभिन्न समझ लेने पर ही प्रस्तुत  
वाक्यार्थ संगत होता है । पर रूपक में ऐसा नहीं होता, किन्तु उपमान का अभेद  
उपमेय में प्रतीत होकर प्रकृतोपयोगी होता है—अर्थात् उपमेय को उपमान से अभिन्न  
समझने पर प्रस्तुत वाक्यार्थ संगत होता है । यही इन दोनों में परस्पर भेद है । 'रूपका-  
दस्य भेदः' इस मूल प्रतीक पर नागेश कहते हैं कि—“उपमान जिसका प्रतियोगी हो ऐसा  
अभेद—अर्थात् उपमान का अभेद—रूपक है और उपमेय जिसका प्रतियोगी हो ऐसा  
अभेद—अर्थात् उपमेय का अभेद—परिणाम है, जैसे—प्रतीप । "इस अभेद का प्रतियोगी  
उपमेय है" इस वक्तृ-तात्पर्य का ज्ञापक होता है उसी तरह के अभेद का प्रकृत-  
कार्योपयुक्त होना । अतः परिणाम के लक्षण में प्रकृतोपयोगवाली बात का निवेश अत्र  
वश्यक है । हम तरह से जहाँ उपमान अपने रूप में ही प्रकृत कार्य में उपयुक्त होता  
हो अथवा उदासीन हो—अर्थात् प्रकृत कार्य में उसका ( उपमान का ) उपयोग होता  
ही नहीं हो वहाँ रूपक ही होगा । फलतः 'परिणाम' विशेषणसमास ( 'विशेषण विशे-  
प्येण बहुलम्' से समास ) के अधीन है और रूपक मयूरव्यसकादिसमास ( 'मयूरव्यस-  
कादयश्च' से समास ) के अधीन है । 'मुख चन्द्र' की जगह पर यदि 'चन्द्र मुख' का

प्रयोग किया जाय तब विशेषण समासाधीन भी रूपक ही होगा, कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि उपमान जिसका प्रतियोगी हो वैसे अभेदसम्बन्ध से विशेषण-विशेष्यभाव का बोधक उपमानोपमेयवाचक पदों में मयूरव्यसकादिसमास विशेषणसमास का वाधक हो जायगा, अतः चन्द्र-मुख ऐसा प्रयोग ही नहीं हो सकता ।”

उदाहरणं प्रदर्शयितुमाह—

अयमुदाह्रियते—

अयम् परिणामालङ्कारः ।

परिणामालङ्कार का उदाहरण दिया जाता है ।

उदाहरणं निर्दिशति—

‘अपारे संसारे विषमविषयारण्यसरणौ

मम भ्रामं भ्रामं विगलितविरामं जडमतेः ।

परिश्रान्तस्यायं तरणितनयातीरनिलय’

समन्तात् सन्तापं हरिनवतमालस्तिरयतु ॥’

भक्त प्रार्थयते—तरणितनयायां यमुनायां, तीरे तटे, नित्य आवासो यस्यासौ,

अयम् प्रत्यक्षवत् प्रतीयमान, हरिनवतमाल हरिरूपो नवीनस्तमालतरु, अपारे असीन्नि, संसारे जगति, विषमा दुःखकरा इति यावत्, ये विषया भोग्यवस्तूनि स्रक्चन्दनवनितादीनि, तद्रूपे अरण्यसरणौ वनमार्गे, विगलित निरस्त, विराम विभ्रम यस्मिन्कर्तुं नि तद् यथा स्यात्तथा, भ्रामं-भ्रामं भ्रान्त्वा-भ्रान्त्वा, परिश्रान्तस्य ह्रान्तस्य, जडमते शिथिल-बुद्धे, मम, सन्तापम् क्लेशविशेषम्, समन्तात् सर्वतोभावेन, तिरयतु निवर्तयत्वित्यर्थ ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—अपारे इत्यादि । भक्त प्रार्थना करता है—अपार संसार में, विषम विषयरूप जङ्गली रास्ते पर अविरामगति से घूम घूमकर श्रान्त बने मुझ जड़बुद्धि के सन्ताप को यमुना तटवासी हरिरूप तमाल तरु सब तरह से शान्त करें ।

उपपादयति—

अत्र भगवदात्मतयैव तमालस्य संसारतापनिवर्तनक्षमत्वम् । मार्गश्रान्त-जनसन्तापहारकत्वाद्रमणीकशोभाधारत्वाच्च तमालो विषयितयोपात्तः । अयं समानाधिकरणो वाक्यगः ।

‘अपारे—’ इति पद्ये हरिरूपमेयभूत तमालश्चोपमानभूत, तत्रोपमानाभेद उपमेये क्विविवक्षितः प्रतीयते, भगवदभिन्नतयैव तमालस्य पद्योपबद्धसंसारतापशमनसमर्थत्वात्, तथा च प्रागुक्तलक्षणलक्षित परिणामालङ्कारोऽत्र स्पष्टः । ननु हरेरेवोपमानत्वेन रूपकमेवास्ति चेन्न, मार्गश्रमसन्तप्तजनसन्तापपापहारकत्वस्य शोभाविशेषशालित्वस्य च तमाल एव सत्त्वेन तस्यैवोपमानतयोपादानात् । अयं च परिणाम समानाधिकरण, उपमेयोपमानयोर्हरितमालयो सनानविभक्तिरूपदजन्योपस्थितिमत्त्वात् (अत्र यद्यपि हरिनवतमाल इति समस्तं पदम्, अतो नोपमेयोपमानयो पृथग् विभक्तिश्रवणम्, तथापि लुप्तविभक्त्यनुसंधानेन समानविभक्तिरूपं बोध्यम्) । वाक्यगश्चायं परिणाम, प्रकृतकार्योपयोगित्व-पर्यन्तस्य परिणामशरीरत्वेन कार्यबोधकतिरयतुपदस्य समासाघटकत्वात् । क्वचित्तु ‘हरिरिह तमाल’ इति पाठः । तथापाठे प्रकृतकार्योपयोगित्वस्य परिणामशरीरेऽप्रवेशेऽपि वाक्यगत्वं स्पष्टमेवेति भावः ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि । ‘अपारे—’ इस पद्य में हरि (भगवान्) उपमेय हैं और तमाल है उपमान, जिन दोनों में परस्पर अभेदारोप किया गया है, पर

उस अभेद का प्रतियोगी उपमेय ( हरि ) को ही माना जायगा अर्थात् 'हरि का अभेद-तमाल में है' ऐसा ही समझा जायगा, क्योंकि तमाल, संसारताप को, भगवद्रूप होने पर ही निवृत्त कर सकता है। तात्पर्य यह कि भगवान् को तमालरूप समझने पर संसार-ताप-निवर्तकता उसमें सिद्ध नहीं हो सकती। हरि को ही उपमान मानकर 'रूपक' ही यहाँ क्यों नहीं माना जाय ? ऐसी घात तो कही नहीं जा सकती क्योंकि मार्ग से थके मनुष्यों के सन्ताप को निवृत्त करने की शक्ति तमाल में ही है और रमणीय शोभा का आधार भी वही ( तमाल ) है, अतः उपमानरूप से उसी का उपादान किया जाना उचित है। यह परिणाम समानाधिकरण कहलाता है क्योंकि यहाँ के उपमेय तथा उपमान एकविभक्ति वाले हैं ( यद्यपि 'हरिनवतमाल' समस्त पद है, तथापि 'हरिः तमालः' इस विग्रहावस्था की विभक्तियों को लेकर उन दोनों को एकविभक्ति वाला समझा जाता है )। साथ साथ यह परिणाम वाक्यगत कहलाता है, क्योंकि रसगङ्गाधरकार के हिसाब से 'प्रकृतकार्य में उपयुक्त होना' भी परिणामालङ्कार के शरीर-लक्षण में प्रविष्ट है और कार्य है यहाँ 'निवृत्त करना' जिसका बोधक 'तिरयत्तु' पद समास के अन्तर्गत नहीं है। कोई-कोई यहाँ 'हरिनवतमालः' की जगह पर 'हरिरिह तमालः' पाठ मानते हैं—तदनुसार 'प्रकृतकार्योपयोग' को लक्षणघटक नहीं मानने पर भी इस परिणाम का वाक्यगतत्व स्पष्ट है।

समासगत समानाधिकरण परिणाममुदाहरतुमाह—

समासगो यथा—

समासगत 'समानाधिकरण' परिणामालङ्कारो यथेति भावः ।

समासगत समानाधिकरण परिणामालङ्कार जैसे—

उदाहरणं दर्शयति—

'महर्षेर्व्यासपुत्रस्य श्रावं श्रावं वचःसुधाम् ।

उप(अभि)मन्युसुतो राजा परां मुदमवाप्तवान् ॥'

उपमन्यो अभिमन्योर्वा सुत पुत्र ( कश्चिदज्ञातनामा परीक्षितो वा ), व्यास-पुत्रस्य, महर्षे शुक्रदेवस्य, वच सुधाम् वचनामृतम्, श्राव श्रावम् श्रुत्वा-श्रुत्वा पराम् अतिशयिताम्, मुदम् हर्षम्, अवाप्तवान् लब्धवानित्यर्थः । अत्रापि सुधारूपे उपमाने वचनरूपोपमेयाभेदारोपस्य श्रवणरूपे प्रकृतकार्ये उपयोगित्वात्परिणामः । वचनरूपोपमेये सुधारूपोपमानाभेदारोपे तु वचनस्यापि सुधात्वात् श्रवण न सम्भवति, अपि तु पानमिति तत्त्वम् । स चाय परिणाम पूर्वोदाहरणोक्तयुक्त्या समानाधिकरण समासगतश्च 'ज्ञात्वा कालक' इति-वन् मयूरव्यसकादित्वात् समासेन 'श्राव श्राव वच सुधाम्' इत्यस्य समस्तैकपदत्वात् । इदं तु बोध्यम्-यदुक्त समासगतत्वसाधनप्रकार प्रकृतकार्योपयोगित्वपर्यन्तस्य परिणामशरीरत्वमिति प्रत्यक्षदमिमत् पक्षमादाय, तावत्पर्यन्तस्य परिणामशरीरत्वानङ्गीकारे तु 'वच-सुधाम्' इत्येतावत्समस्तपदमादायापि परिणामस्य समासगतत्वे सिद्धे 'श्राव श्रावम्' इति पृथगसमस्तमेवास्तु तावतापि न क्षतिरिति ।

उदाहरण दिखलाया जाता है—महर्षे. इत्यादि । उपमन्यु के पुत्र किसी राजा ने अथवा अभिमन्यु के पुत्र-राजा परीक्षित ने व्यास जी के पुत्र महर्षि शुक्रदेव-जी के वचन-मृत सुन-सुनकर परम आनन्द प्राप्त किया । यहाँ भी उपमानरूप अमृत में आरोपित उपमेयरूप वचन का श्रवणरूप प्रकृत कार्य में उपयोग हो रहा है—अर्थात् अमृत भी वचनरूप वचन ही 'श्रवण' का कर्म हो सकता है, अन्यथा ( अमृत अपने रूप में ) 'श्रवण' का नहीं, 'पान' का कर्म हो सकता है—अतः यह भी परिणाम है और पूर्वोक्त

उदाहरण की व्याख्या में प्रतिपादित युक्ति से समानाधिकरण कहलाने योग्य यह परिणाम समासगत कहलाता है, क्योंकि 'श्राव-श्राव वचःसुधाम्' यह एक समस्त पद है। समास यहाँ 'मयूरव्यसकादित्वात्' 'ज्ञात्वा कालकः' की तरह हुआ है। यहाँ के परिणामालंकार को समासगत बनाने की यह प्रणाली इसलिये अपनाई जाती है कि—'प्रकृत कार्य में उपयुक्त होना' भी 'परिणाम' के लक्षण में प्रविष्ट है और तदनुसार 'श्राव श्रावम्' इस कार्यबोधक पद को भी समास के भीतर ले आने पर ही समासगत 'परिणाम' कहा जा सकता है। यदि 'प्रकृतकार्योपयोग' को परिणाम (शरीर) प्रविष्ट नहीं मानें तब तो 'वचःसुधाम्' इतने भर के समस्त होने से ही यह 'समासगत परिणाम' माना जा सकता है, अतः 'श्राव श्रावम्' को पृथक् असमस्त पद मानने पर भी कोई हति नहीं।

व्यधिकरण परिणाममुदाहर्तुमाह—

व्यधिकरणो यथा—

व्यधिकरण इति । भिन्नविभक्तिकपदबोधोपमानोपमेयक इति भावः ।

व्यधिकरण ( भिन्न विभक्ति वाला ) परिणाम जैसे—

उदाहरणं सनुपस्थापयति—

'अहीनचन्द्रा लसताऽऽननेन ज्योत्स्नावती चापि शुचिस्मितेन ।

एषा हि योषा सितपक्षदोषा तोषाय केषां न महीतले स्यात् ॥'

लसता शोभमानेन, आननेन मुखेन, अहीनचन्द्रा पूर्णचन्द्रा ( मुखरूपपूर्णन्द्युत्तेति यावत् ) अपि पुन, शुचिस्मितेन शुद्धपद्मासेन, ज्योत्स्नावती प्रकाशवती ( शुचिरिमतरूप-ज्योत्स्नायुक्ता ) च, अतः सितपक्षदोषा शुक्लपक्षयामिनी ( तद्रूपेति यावत् ) एषा चर्चनीया, योषा रमणी, महीतले पृथिव्याम्, केषां, तोषाय तृप्तये, न स्यात् ? अपि तु सर्वेषां तोषाय स्यादित्यर्थः ।

उदाहरण दिखलाया जाता है—अहीन इत्यादि। शोभित होनेवाले मुख के द्वारा पूर्ण चन्द्र वाली और शुद्ध ईषद्रास-द्वारा चाँदनी वाली यह शुक्लपक्ष की रात्रिरूपा रमणी पृथिवीतल पर किसके संतोष (तृप्ति) के लिये नहीं होगी ? अर्थात् सभी इससे सन्तुष्ट होंगे। उपपादयति—

अत्र सर्वेषामेव तोषाय स्यादित्यनेन विरहिजनतोषजनकत्वमपि लभ्यते । तच्चारोप्यमाणशुक्लपक्षरजन्याः स्वात्मना बाधितम्, योषारूपेण तु सङ्गच्छत इति भवति परिणामः । स च परस्परसापेक्षवहुसङ्घात्मकतया सावयवः । तत्राद्यार्धगतौ द्वावयवौ व्यधिकरणौ द्वितीयाधर्गतश्चैकः समानाधिकरणः ।

अत्र सर्वेषामिति । काकुलव्यभिदम् । एवञ्च प्रकृतपद्यघटको नञ् काक्वामिति सिद्धम् । आरोप्यमाणेति । उपमानेत्यर्थः । अत्र 'योषायाम्' इत्यादिर्बोध्यः । स्वात्मनेति । रजनीरूपेणेत्यर्थः । बाधितमिति । तस्या उद्दीपकत्वेन विरहिजनतापजनकत्वादिति भावः । नन्वेवं समानाधिकरण एवायमिति कुत विपरीतप्रतिज्ञा अत आह—स चेति । प्रकृतपद्यगतः परिणामश्चेति तदर्थः । सावयव इति । साङ्ग इत्यर्थः । तत्र सावयवे परिणामे । 'अहीनचन्द्रा—' इत्यत्र 'तत्तद्विशेषणविशिष्टा एषा योषा केषां तोषाय न स्यात्' इति आकुवाक्यतो लक्षणे 'सर्वेषामेव तोषाय एषा स्यात्' इत्यर्थेन सर्वपदार्थान्तर्गतविरहिजनतोषायापि स्यात् इत्यवगम्यते । परन्तु तन् विरहिजनतोषकत्वम् उपमेयभूतायाम् योषायाम् उपमानभूताया शुक्लपक्षरात्रेरारोपे न संगतम्, आरोप्यमाणपदार्थस्यैव प्राधान्ये योषाया अपि रात्रिरूपत्वसिद्धौ विरहोद्दीपकत्वेनासंतोषस्यैव सम्पत्तेः, अतः उपमानभूताया रात्रौ उपमेयभूताया योषाया आरोपोऽत्र स्वीकार्यः, तथा च रात्रेरपि योषारूपत्वे सिद्धे विरहि-

णामपि संतोषकत्वं सगतं भवति, स्त्रीसाक्षिध्यस्य विरहविनाशकत्वात् । एवञ्च विषयात्मतया विषयिण प्रकृतोपयोगेनात्र परिणामः सिद्धयति । अयं च परिणामः साङ्ग । परस्परसापेक्षानेकपरिणामसमूहात्मकत्वात् । तत्र प्रथमार्धगतौ 'मुखेन पूर्णचन्द्रा' 'स्मितेन ज्योत्स्नावन्ती' इत्याकारकौ द्वावङ्गभूतौ परिणामौ व्यधिकरणौ, उपमेयोपमानयोः विभिन्नविभक्तिकपदजन्योपस्थितिकत्वात् । उत्तरार्धगतश्च 'सितपक्षदोषा योषा' इत्याकारकोऽङ्गभूतः परिणामः समानाधिकरणः उक्तयुक्तेरिति भावः ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि । 'अहीनचन्द्रा—' इस पद्य में 'केषां तोषाय न स्यात् ?' इस काकु से यह विदित होता है कि—सबों के संतोष के लिये होगी और इस 'सबों' के अन्दर विरहीजन भी आ जाते हैं, अतः यह सिद्ध हुआ कि—शुक्लपक्ष की रात्रिरूपा यह रमणी विरहियों के लिये भी संतोषजनक है । अब हम सोचें कि आरोपित होने वाली—अर्थात् उपमानरूप यह शुक्लपक्ष की रात्रि क्या अपने रूप में विरहियों के लिये संतोष-जनक हो सकती है ? कभी नहीं, क्योंकि चाँदनी रात विरहियों के उच्चाप को ही बढ़ाती है, अतः यह मानना पड़ेगा कि रमणीरूप में ही यहाँ उक्त रात्रि को सकलजन-सन्तोषकर कहा गया है, ठीक भी है, नायिका का साक्षिध्य विरहियों के लिये भी सन्तोषकर होता है । फलतः विदित है कि यहाँ उपमान उपमेय के रूप में प्रकृतकार्योपयोगी हो रहा है, अतः यह भी परिणामालंकार का उदाहरण है । परन्तु यह भी समझना चाहिए कि यहाँ एक नहीं अनेक परिणाम हैं । जैसे 'मुख द्वारा चन्द्रवाली' यह एक, 'ईषद् हास द्वारा चाँदनी वाली' यह दूसरा और—'शुक्ल पक्ष की रात रमणी' यह तीसरा । इन तीनों में प्रथम दो परिणाम व्यधिकरण हैं, क्योंकि उपमेय (मुख तथा स्मित) को उपस्थिति तृतीयान्त पदों के द्वारा और उपमान (चन्द्र तथा ज्योत्स्ना) की उपस्थिति प्रथमान्त पदों के द्वारा हुई है । इन्हीं दोनों परिणामों को लेकर यह पद्य व्यधिकरण परिणाम के उदाहरणरूप में उपस्थित किया गया है । अन्तिम परिणाम तो समानाधिकरण ही है, क्योंकि उस अंश में उपमेय (नायिका) और उपमान (शुक्लपक्ष की रात्रि) दोनों की उपस्थिति प्रथमान्त पदों से ही हुई है । इस तरह यहाँ परस्परसापेक्ष इन परिणामों का समूह सावयव (साङ्ग) परिणाम कहा जायगा ।  
निरसनीयमप्यदीक्षितमतमुत्थापयति—

यच्चाप्यदीक्षितैर्वैयधिकरण्येन परिणामे उदाहृतम्—

'तारानायकशेखराय जगदाधाराय धाराधर-

च्छायाधारककन्धराय गिरिजासङ्गैकशृङ्गारिणे ।

नद्या शेखरिणे दृशा तिलकिने नारायणेनास्त्रिणे

नागैः कङ्कणिने नगेन गृह्णिणे नाथाय सेयं नतिः ॥'

यथा वा—

'द्विर्भावः पुष्पकेतोर्विबुधविटपिनां पौनरुक्त्य विकल्प-

श्चिन्तारत्नस्य वीप्सा तपनतनुभुवो वासवस्य द्विरुक्तिः ।

द्वैत देवस्य दैत्याधिपमथनकलाकेलिकारस्य कुर्व-

ज्ञानन्दं कोविदानां जगति विजयते श्रीनृसिंहक्षितीन्द्रः ॥' इति

भक्तो भगवन्त भूतनाथ नौति—तारानायकेति । तारानायक चन्द्र शेखर शिरो-  
भूषण यस्य तस्मै, जगत ससारस्य, आधाराय अधिष्ठानाय, धाराधरस्य मेघस्य, छायाया-  
कान्ते, धारिका धारयित्री, कन्धरा प्रीवा यस्य तस्मै, नीलकण्ठयेति यावत्, गिरिजायाः  
पार्वत्या, सङ्ग सहवास, एव एक शृङ्गार तद्वते गिरिजामात्रैककान्तासक्तायेति यावत्,

नद्या गङ्गाया, शेखरिणे शिरोभूषणवते गङ्गात्मकशिरोभूषाविशिष्टायेति यावत्, दशा तृतीय-  
नयनेन, तिलकिने तिलक्युक्ताय तृतीयनेत्रमेव तिलककार्यं यत्र कुस्ते तादृशायेति यावत्,  
नारायणेन विष्णुना, अस्त्रिणे अस्त्रवते नारायणात्मकालयुक्तायेति यावत्, नागैः सर्पैः,  
कङ्कणिने बलयवते नागरूपकङ्कणविशिष्टायेति यावत्, नगेन पर्वतेन कैलासेनेति यावत्,  
गृह्णिते गृहवते, पर्वतात्मकगृहवासिने इति यावत्, नाथाय अस्माकं स्वामिने, सा सकल-  
मनोरथपूरकतया प्रसिद्धा, इयम् इदानीं मया विधीयमाना, नति नमस्कारः, अस्त्वित्यर्थः ।  
कवि राजान स्तौति—द्विर्भाव इति । पुष्पकेतो कामदेवस्य, द्विर्भाव द्विरावृत्ति ( द्वितीयः  
कामदेव इति सरलार्थ ), विबुधविटपिनाम् देवतरुणाम् मन्दारादीनामिति यावत्, पौनर-  
क्त्यम् पुनरुक्ति ( द्वितीयो देवतरुरिति सरलार्थ ), चिन्तारत्नस्य चिन्तामणे, विकल्पः  
अपरपक्ष ( द्वितीयश्चिन्तामणिरिति सरलार्थ ), तपनतनुभुवः सूर्यतनूजस्य कर्णस्थेति  
यावत्, वीप्सा द्विर्भाव ( द्वितीय कर्ण इति सरलार्थ ), वासवस्य इन्द्रस्य, द्विरुक्ति  
पुनरुक्ति ( द्वितीय इन्द्र इति सरलार्थ ), दैत्याधिपानाम् दैत्यराजानां हिरण्यकशिप्वादीनाम्  
यामयनकला दलनलीला तत्र केलिकारस्य क्रीडाकरस्य—दैत्यगणनाशकस्येति यावत्,  
देवस्य विष्णो, द्वैतम् द्वितीयता ( द्वितीयो विष्णुरिति सरलार्थ ), श्रीनृसिंहक्षितिन्द्रः  
श्रीनृसिंहनामा नरेश, कोविदानाम् विदुषाम्, आनन्दम् सुखविशेषम्, कुर्वन् जनयन् सन्,  
जगति ससारे, विजयते सर्वोत्कर्षेण वर्तत इत्यर्थः । इदं पद्ययुगलं व्यधिकरणपरिणामालङ्कारो-  
दाहरणतया चित्रमीमांसाभिधाने निजनिबन्धेऽप्ययदीक्षितेनोद्धितम् ।

अब अप्पयदीक्षित का खण्डनीय मत उपस्थित किया जाता है—यच्चापि । अप्पय-  
दीक्षित ने व्यधिकरण परिणामालकार के उदाहरणरूप से, अपनी चित्रमीमांसा में 'ताराना-  
यकशेखराय—' और 'द्विर्भाव. पुष्पकेतो.—' ये दोनों पद्य उपस्थित किये हैं । इन दोनों  
पद्यों के अर्थ क्रमशः निम्नलिखितरूप से होते हैं—'चन्द्र जिनका शिरोभूषण है, जो  
जगत् के आधार हैं, जिनका कण्ठ मेघ की कान्ति को धारण करता है, और पार्वती के  
साथ ही जिनका एक शृङ्गार है ऐसे नदी ( गङ्गा ) द्वारा शिरोभूषावाले, ललाटचतु द्वारा  
तिलक वाले, नारायण द्वारा अस्त्र वाले, सर्पों द्वारा कङ्कण वाले और पर्वत ( कैलास )  
द्वारा घर वाले ( हमारे ) स्वामी ( शिव ) के लिये सकलमनोरथपूरकरूप में प्रसिद्ध  
यह नमस्कार है ।' ( यह प्रथम पद्य भक्त की उक्ति है । ) 'जो, कामदेव का दुहराना  
है—अर्थात् दूसरा कामदेव है, कल्पवृक्षों की पुनरुक्ति है—अर्थात् दूसरा कल्पवृक्ष है,  
चिन्तामणि का विकल्प है—अर्थात् दूसरा चिन्तामणि है, राजा कर्ण का वार वार कथन  
है—अर्थात् दूसरा कर्ण है, इन्द्र की दुबारा उक्ति है—अर्थात् दूसरा इन्द्र है और दैत्या  
धिपों के विनाश की लीला करने वाले देव विष्णु का द्वैत है अर्थात् दूसरा रूप है वह  
श्री नृसिंहनामा नरेश, विद्वानों के आनन्द को उत्पन्न करता हुआ, ससार में सर्वोत्कृष्टता  
को प्राप्त कर रहा है ।' ( यह दूसरा पद्य राजस्तुति में कवि के द्वारा कहा गया है । )

प्रागुक्त दीक्षितमत निरस्यति—

अत्र चिन्त्यते—तारानायकशेखरायेति पद्ये गिरिजासङ्गैकशृङ्गारिणि भवे  
ऋषिकर्तृका नतिः प्रकान्ता । शृङ्गारिता च शेखरादीनि भूषणान्यपेक्षत इति  
नद्या आरोप्यमाणशेखररूपतयैवोपयोगः न स्वरूपेण । एव दृशोऽपि तिलकरू-  
पतयेति रूपकमेव शुद्ध भवितुमर्हति । ननु परिणामे विषयाभिन्नतया विषयव-  
त्तिष्ठत इत्युक्तम्, प्रकृते च विषयवाचकेभ्यो नद्यादिशब्देभ्यः परस्यास्मृतीयाया  
अभेदार्यकत्वाच्छेखरादेश्च तदन्वयित्वात्कथं नात्र परिणाम इति चेत्, न ।



विषयाभिन्नत्वेन विषयिणो भानेऽपि तेन रूपेण तस्यानुपयोगात् । द्विर्भावः पुष्प-  
केतोरिति पद्येऽपि कोविदानन्दजनन-जगदुत्कर्षौ कथ्येते राज्ञो नृसिंहस्य । तत्र  
कोविदानन्दजनकत्वमपि राज्ञ आरोप्यमाणद्वितीयमन्मथादिताद्रूपेण यथा  
सम्भवति न तथा केवलस्वरूपेण । तथाहि—अहो नयनानामस्मदीयानां  
साफल्यं यद्यमपरो मन्मथोऽस्माभिरालोक्यत इति मन्यमानानां तेषां नयना-  
नन्दस्तावत्पुष्पकेतुनैवोपपाद्यते, न तु राज्ञा । एवमपरोऽयं कल्पतरुश्चिन्तामणि-  
द्वितीयः कर्ण इन्द्रश्च भूगतोऽयमन्यो दारिद्र्यमस्माकं परिहरिष्यति । हरिः  
खल्वयं संसारं हरिष्यतीत्यभिमानाज्जायमानस्तेषामानन्दोऽप्यारोप्यमाणैः कल्प-  
वृक्षादिभिरेवेति न विषयात्मना विषयिण उपयोगः, अपि तु स्वात्मनैवेति कुत्रास्ति  
परिणामः ?

अत्रेति । उक्तदीक्षितमतविषये इत्यर्थः । चिन्त्यते विचार्यते । चिन्तामेव स्फोरयति—  
तारानायकेत्यादिना । प्रकान्ता प्रस्तुता । आरोप्यमाणेति । उपमानेत्यर्थः । स्वरूपेण  
नदीरूपेण । शुद्धमिति । परिणामामिश्रितमित्यर्थः । परिणामत्वसमर्थनायाशकते—नन्विति ।  
विषयेति । उपमेयेत्यर्थः । विषयीति । उपमानमित्यर्थः । तृतीयाया इति । प्रकृत्यादित्वा-  
ज्जाताया इति भावः । तदन्वयित्वादिति । तृतीयार्थभेदान्वयित्वादित्यर्थः । निरस्यति—  
नेति । तत्र हेतुमाह—विषयाभिन्नेति । एवं प्रथमपद्यविषयक विचारं समाप्य द्वितीयपद्य-  
विषयक तं कर्तुमुपक्रमते—द्विर्भाव इत्यादिना । कथ्येते इति । 'कुर्वन्' इति शत्रन्तेन  
'विजयते' इति लङ्घनेन चेति भावः । तत्रेति । तयोर्द्वयोर्मध्य इत्यर्थः । द्विर्भावः पुष्पकेतो-  
रित्यस्यार्थमाह—अयमपरो मन्मथ इति । विवुधेति वाक्यस्यार्थमाह—अपरोऽयं कल्पतरुरिति ।  
विटपिनामिति बहुवचन कल्पभेदाभिप्रायेण । चिन्तारत्नस्य विकल्प इत्यस्यार्थमाह—  
चिन्तामणिद्वितीय इति । द्वितीय इत्यस्याग्रेऽप्यनुषङ्गो बोध्यः । तपनेत्यादेरर्थमाह—कर्ण  
इति । वासवस्येत्यस्यार्थमाह—इन्द्रश्चेति । भूगत इत्यनेन प्रसिद्धेन्द्राद् व्यतिरेकः सूचितः ।  
द्वैत देवस्येत्यादेरर्थमाह—हरिरिति । ससारं हरिष्यतीति । जनन-मरणादिसरण नाश-  
यिष्यतीत्यर्थः । स्वात्मनैवेति । विषयिरूपेणैवेत्यर्थः । परिणामः ? इति । काक्वा नास्तीत्यर्थः ।  
'तारानायक—' इति प्रथमश्लोके शृङ्गारिशिवोद्देश्येन कविना क्रियमाणो नमस्कारः  
प्रस्तुतोऽर्थः । शृङ्गारित्वे च शेखरतिलकादीनि भूषणानि समपेक्षितानि, तानि विना  
शृङ्गारित्वानुपपत्ते, तत्र च । नदीहगादीनामुपमेयानाम् शेखरतिलकाद्युपमानरूपतयैव  
उपयोगो न स्वस्वरूपेण । तथा च प्रकृतलक्षणानाक्रान्ततया न परिणामः, अपि तु रूपकमेव ।  
उपमेयवाचकनदीहगादिपदोत्तरतृतीयाविभक्त्यर्थेऽभेदे शेखर-तिलकादेरन्वयेन पर्यवसिते  
'नद्यादिप्रतियोगिकाभेदाश्रयाणि शेखरादीनि' इत्यर्थे परिणाम स्पष्टः, तल्लक्षणो उपमेया-  
भिन्नतयोपमानावस्थानस्योक्तत्वादिति तु वक्तुं न सुशकम्, 'विषयात्मतया प्रकृतोपयोगी  
विषयी' इत्युक्त्या परिणामघटकतया फलितयो विषयाभेद-प्रकृतोपयोगयोरशयो प्रथमाशस्य  
सत्त्वेऽपि द्वितीयाशस्यासत्त्वात् । ननु प्रकृते विषयिणि शेखरादौ विषयस्य नद्यादेरभेदः  
शृङ्गारित्वे उपयोगश्चास्त्येवेति कथमुक्ताशद्वयसत्त्वहानिरिति चेत् ? सत्यम्, विषयिणः  
शेखरादेरूपयोगोऽस्ति, परन्तु न विषयाभिन्नत्वेन, अपि तु स्वरूपेणैवेत्याशयः । न चैव  
रूपकमपि कथम् ? तत्रापेक्षितस्य विषयिप्रतियोगिकाभेदस्यात्राप्रतीतेर्विषयप्रतियोगिकाभेद-  
स्यैव प्रतीतेश्चेति वाच्यम्, रूपकप्रकरणोक्तरीत्या विषयिप्रतियोगिकाभेदस्यैवैदेशे स्थले  
स्वीकारात् । एवं 'द्विर्भाव—' इत्यत्रापि मुख्यतया वर्ण्यमानयोरत एव प्रकृतकार्यरूपयो-

राज्ञः कोविदानन्दजनकत्वजगदुत्कर्षयोर्मध्ये कोविदानन्दजनकत्वाशे प्रकृतपद्योपमानभूतानां कामदेव-कल्पतरु-चिन्तामणि-कर्णेन्द्र-विष्णुनाम् स्वल्पेणैवोपयोगः न तु राजात्मकोपमेय-रूपेण, यत् 'कामदेवोऽस्माभिर्दृष्ट' 'धरातलावतीर्णं कल्पतरुः, कर्णः, इन्द्रो वाऽयमस्माकं दारिद्र्यं दूरीकरिष्यति' 'विष्णुरयं न सत्तारयात्रा समापयिष्यति' इत्याकारकाणां ज्ञानानामेवानन्दहेतुत्वम् । तथा चोपमेयरूपेणोपमानोपयोगाभावात् न परिणामप्रसङ्गः, अपि तु स्व-स्वरूपेणोपमानोपयोगसत्त्वाद्रूपकप्रसक्तिरेव । इत्यत्र च दीक्षितमतं न युक्तमिति भावः । अत्र "उक्तप्रधानपरिणामप्रकरणे 'इदं वैयधिकरण्यं रूपकेऽपि दृश्यते' इत्युक्त्वा तारानानायक-शेखरायेत्याद्युदाहृतम् तत्र को दोषः ? । किं च नद्यां शेखरिणे इत्यशे विषयात्मतयैव प्रकृतोपयोगाभावात्परिणामाभावेऽपि वाच्यमर्थं वा रूपकमपि न वाच्यम् । उपमानप्रतियोगिकामेदस्योपमेयेऽभानात् । किं च शृङ्गारितोपपादकं शेखरादीत्यप्ययुक्तमेव । नारायणेनात्रिणे इत्यस्य तदुपपादकत्वाभावात् । किं तु नमस्यतासम्पादकशिवनिष्ठोत्कर्षबोधकानीमानि विशेषणानि । तदुपपादकता च शेखरस्य नदीतादात्म्यापत्त्येति परिणाम एवायम्, शेखरस्य नीचजनसाधारणत्वात् । इत् एवास्वरसात् द्विर्भावः पुष्पकेतोरिति पद्यान्तर-मुदाहृतः तैः । तस्मात् 'यच्च' इत्यादि 'कुत्रास्ति परिणामः' इत्यन्तं चिन्त्यमिति बोध्यम् ।" इति नागेशः ।

उक्त दीक्षितमत का खण्डन किया जाता है—अत्र चिन्त्यते इत्यादि । 'तारानायक-शेखराय—' इस पद्य में पार्वतीसङ्ग के कारण शृङ्गारी शिव के प्रति कवि द्वारा किया जानेवाला नमस्कार प्रस्तुत अर्थ है । और शृङ्गारी होने के लिये शिरोभूषण आदि अभरणों की अपेक्षा है, क्योंकि उनके बिना शृङ्गारी होना सम्भव नहीं । ऐसी स्थिति में यहाँ आरोपित किए जानेवाले—अर्थात् उपमानभूत पदार्थ—शिरोभूषण, तिलक आदि के रूप में ही नदी, नेत्र आदि उपमेयों का उपयोग सिद्ध होता है, अतः यहाँ शुद्ध रूपक ही होना चाहिए, परिणाम नहीं । 'परिणाम में उपमान उपमेय से अभिन्न होकर रहता है' यह कहा जा चुका है । और प्रस्तुत पद्य में उपमेयवाचक नदी आदि शब्दों के आगे की तृतीया विभक्ति का अर्थ अभेद है और उस अभेद के साथ 'शिरोभूषण' आदि का अन्वय होता है । अतः 'नदीद्वारा शिरोभूषणवाले' का अर्थ होगा 'नदी से अभिन्न शिरोभूषणवाले—अर्थात् नदीरूप शिरोभूषणवाले' । ऐसी अवस्था में नदी का अभेद शिरोभूषण में होता है, न कि शिरोभूषण का अभेद नदी में । फिर यहाँ परिणाम कैसे नहीं ? यह शङ्का तो की नहीं जा सकती, क्योंकि उक्त रीति से प्रकृत पद्य में उपमेय से अभिन्न उपमान (नदीरूप शिरोभूषण) की प्रतीति अवश्य होती है—इसमें किसी को कोई विप्रतिपत्ति नहीं, पर प्रकृतकार्य—शृङ्गार—में उसका (शिरोभूषणरूप उपमान का) उपयोग उस रूप में (उपमेय नदीरूप में) नहीं होता, अपितु अपने आपके रूप में ही । तात्पर्य यह कि—परिणाम-लक्षण में दो बातें कही गई हैं—एक उपमेय से अभिन्नरूप में उपमान का प्रतीत होना और दूसरी उपमेय रूप में ही उपमान का प्रकृत कार्योपयोगी होना, इन दोनों बातों में से प्रथम बात यहाँ अवश्य सङ्घटित होती है, पर दूसरी बात नहीं, अतः परिणाम का यह लक्ष्य नहीं हो सकता । आप कहेंगे—जब आप भी यहाँ उपमेय का ही अभेद उपमान में मानते हैं, तब रूपक भी कैसे होगा ? क्योंकि रूपक में उपमान का अभेद उपमेय में भासित होता है, तो इसका उत्तर रूपकप्रकरण की बात का स्मरण करके समझ लीजिये—अर्थात् ऐसी जगहों पर भी अभेद का प्रतियोगी उपमान को ही माना जाता है, अतः रूपक होने में कोई बाधा नहीं । 'द्विर्भाव पुष्पकेतोः—' इस पद्य में भी राजा नृसिंह के विषय में 'विद्वानों के आनन्द को उत्पन्न करना' और 'जगत् में उत्कृष्ट होना' ये दो बातें कही जा रही हैं । उनमें से राजा का 'विद्वानों के लिये

आनन्दजनक होना' भी जिस तरह आरोपित किए जानेवाले दूसरे कामदेव आदि के रूप में बन सकता है उस तरह केवल अपने रूप में नहीं। समक्षिए—'ओह! हमारे नेत्रों की सफलता, कि—इस दूसरे कामदेव को हम देख रहे हैं' ऐसा माननेवाले विद्वानों के नेत्रों के लिये आनन्द 'कामदेव' द्वारा ही सिद्ध किया जा रहा है, न कि राजा द्वारा। इसी तरह यह दूसरा कल्पवृक्ष और चिन्तामणि है, दूसरा कर्ण है और पृथ्वी पर अवतीर्ण इन्द्र है—यह हमारी दरिद्रता का हरण करेगा। यह विष्णु भगवान् है, अतः हमारी ससारयात्रा को निवृत्त कर देगा—इस अभिमान से उत्पन्न होनेवाला आनन्द भी 'कल्प वृक्ष' आदि के द्वारा ही बन सकता है, राजाद्वारा नहीं। अतः यहाँ उपमान का उपयोग उपमेयरूप में नहीं है, किन्तु उपमानरूप में ही है। फिर यहाँ परिणाम कहाँ है? अर्थात् रूपक ही है। सारांश यह हुआ कि दीक्षित जी ने जो उक्त दोनों पद्यों को व्यधिकरण परिणाम के उदाहरण बतलाया, वह असङ्गत ही है। वस्तुतः ऐसी बात है नहीं—अर्थात् दीक्षित जी ने परिणाम के उदाहरणरूप में इन पद्यों को उपस्थित नहीं किया है, किन्तु यह कहा है कि—'इस तरह का वैयधिकरण्य जैसा परिणाम में होता है—रूपक में भी हो सकता है। 'जैसे—'तारानायक—' और 'द्विर्भावः—' इन दोनों पद्यों में।' देखिए—उनकी चित्रमीमांसा के परिणामप्रकरण को। नागेश भी अपनी टीका में यहाँ लिखते हैं कि—'परिणामप्रकरण में 'यह वैयधिकरण्य रूपक में भी दीख पड़ता है' ऐसा कहकर दीक्षित जी ने 'तारानायकशेखराय—' इत्यादि उदाहरण दिए हैं। उसमें क्या दोष हुआ? और 'नदी द्वारा शिरोभूषणवाले' इस अंश में उपमेयरूप से उपमान का प्रकृतकार्य में उपयोग नहीं होता, अतः परिणाम भले ही न हो, पर वाच्य अथवा आर्थ रूपक भी तो नहीं हो सकता, क्योंकि उपमान प्रतियोगिक—अर्थात् उपमान का अभेद उपमेय में यहाँ प्रतीत नहीं होता। और 'शृङ्गार के उपपादक शिरोभूषण आदि हैं' यह कथन भी अयुक्त है, क्योंकि 'नारायण द्वारा अस्त्रवाले' यह अंश शृङ्गार का उपपादक हो नहीं सकता। अतः यह समझना चाहिये कि—ये सब विशेषण यहाँ शिव की प्रणम्य सिद्ध करने के लिये उनके उत्कर्ष के बोधक हैं। और शिव की प्रणम्यता की सिद्धि शुद्ध शिरोभूषण मात्र से होती नहीं, वरन् शिरोभूषण की नदीरूपता से होती है, क्योंकि शुद्ध—अर्थात् किसी तरह का शिरोभूषण किसी नीच जन में भी हो सकता है, फिर उससे किसी का उत्कर्ष कैसा? और प्रणम्यता कैसी? हाँ, नदी को शिरोभूषण बना लेना अवश्य ही उत्कर्ष तथा प्रणम्यता का कारण हो सकता है। अतः यह पद्य परिणाम की ही उदाहरण है। इसी अस्वरस के कारण 'द्विर्भावः—' यह दूसरा पद्य—जहाँ परिणाम का कोई गुञ्जाइश नहीं—उदाहरण के रूप में उन्होंने रक्खा। अतः 'यच्च' से लेकर 'कुत्रास्ति परिणामः' तक का मूलग्रन्थ चिन्तनीय है ऐसा समझना चाहिए।'

खण्डनाय सर्वस्वकारमतमुपन्यस्यति—

अलङ्कारसर्वस्वकारस्तु—'आरोप्यमाणस्य प्रकृतोपयोगित्वे परिणामः' इति सूत्रधित्वा 'आरोप्यमाण रूपके प्रकरणोपयोगित्वाभावात्प्रकृतोपरञ्जकत्वेनैव केवलेनान्वय भजते। परिणामे तु प्रकृतात्मतयारोप्यमाणस्योपयोग इति प्रकृतमारोप्यमाणतया परिणमति' इति व्याख्यातवान्।

आरोप्यमाणोति। उपमानेत्यर्थ। एवमग्रेऽपि। प्रकृतोपयोगित्वे इति। प्रस्तुतकार्योपयोगित्वे इत्यर्थ। प्रकरणोति। प्रकृतकार्येत्यर्थ। प्रकृतोपरञ्जकत्वेनेति। प्रकृतस्य—उपमेयस्य—स्वोपरक्तबुद्धिविषयीकरणेनेत्यर्थ। प्रकृतात्मतयेति। उपमेयरूपेणेत्यर्थ। प्रकृतम् उपमेयम्। आरोप्यमाणतया उपमानरूपतया। 'आरोप्यमाणम् = उपमानं यत्र प्रस्तुतकार्योपयोगि भवति तत्र परिणामालङ्कार' इति सूत्र निर्माय स्वयमलङ्कारसर्वस्वकारत् तस्य व्याख्यामकरोत् यत्—रूपके उपमान प्रस्तुतकार्योपयोगि न भवतीति तस्य प्रस्तुत-

काव्येऽन्वय' उपनेयोपरञ्चक्रवनात्रेण भवति—अर्थाद् उपनेयनिष्ठाहार्याभेदन्विष्टगोचरतया भवति । परिणामे पुन' उपनेयरूपेणोपमानतत्पयोगो भवतीति उपनेयमुपमानरूपतया परिणमति, अतः परिणाम इति संज्ञाकरणम् इति भावः ।

अब लक्ष्मणीय सर्वस्वकार का मत उद्धृत किया जाता है—अलङ्कारसर्वस्वकारस्तु इत्यादि । अलङ्कारसर्वस्वकार ने तो 'आरोपित किया जानेवाला—अर्थात् उपमान यदि प्रस्तुतकार्योपयोगी हो तब 'परिणाम' होता है ।' यह सूत्र बनाकर उसकी व्याख्या में लिखा कि—रूपक में आरोपित किया जानेवाला—उपमान—प्रस्तुतकार्य में उपयोगी नहीं होता अतः उसका कार्य के साथ सम्बन्ध केवल इतना भर होता है कि वह उपनेय का उपरञ्जक हो गया रहता है । तात्पर्य यह कि—कार्य में अन्वय उपमेय का ही होता है पर उसमें उपमान का झूठा तादात्म्य गृहीत हुआ रहता है जिससे उपमान भी कार्यान्वित सा ज्ञात होता है । परन्तु परिणाम में तो उपमान उपमेयरूप में प्रस्तुतकार्योपयोगी होता है, अतः उपमेय उपमानरूप में परिणत हो जाता है, फलतः वहाँ उपमान का कार्य के साथ वास्तविक सम्बन्ध होता है ।'

प्रागुक्तसर्वत्वकारोक्तं उच्यते—

अत्रापि चिन्त्यते—आरोप्यमाणस्य प्रकृतोपयोग इत्यस्य प्रकृतकार्ये उपयोग-आहोस्विन् प्रकृतविषयात्मतया उपयोगोऽर्थः ? न तावदाद्यः ।

दासे कृतागसि भवत्युचितः प्रभूगां  
पादप्रहार इति सुन्दरि ! नास्मि दूये ।  
उद्यत्कठोरपुलकाङ्कुरकण्टकानै-  
र्यत्स्विद्यते तव पदं ननु सा व्यधा मे ॥'

इति त्वदुदाहृतरूपकोदाहरणे आरोप्यमाणानां कण्टकानां प्रकृतत्वेदव्यधारूप-  
कार्ये उपयोगेनातिप्रसङ्गान् न द्वितीयः ।

'अथ पक्त्रिमतामुपेयिवद्भिः सरसैर्वक्त्रपथाश्रितैर्वचोभिः ।

क्षितिर्भर्तुरुपायन चकार प्रथमं तत्परतस्तुरङ्गमाद्यैः ॥'

इत्यत्र स्वोक्तव्यधिकरणपरिणामोदाहरणासङ्गत्यापत्तेः । यतो राजसङ्घटने ह्युपा-  
यनस्यारोप्यमाणस्य स्वात्मनैवोपयोगः, न तु विषयवचोरूपतया । वचसां तु  
विषयाणामारोप्यमाणोपायनरूपत्वेन परमुपयोग इति प्रस्तुत विपरीतम् । तस्मा-  
दस्मदुक्तमेव व्यधिकरणपरिणामस्योदाहरणं साधु । इदं तु पुनर्व्यधिकरणरूपकं  
भवेतुमर्हति । तृतीयार्थाभेदोऽपि मीनग्वीनयनाभ्यामित्यत्रैव प्रकृत्यर्थानुयो-  
गिको बोध्यः ।

अत्रेति । सर्वत्वकारोचित्विषये इत्यर्थः । चिन्त्यते इति । विचारः क्रियते इति भावः ।  
चिन्तास्वरूपमाह—आरोप्यमाणत्वेत्यादिना । उपयोग इति । वक्ष्यमाणार्थपञ्चात्राप्य-  
पकर्षः । दासे इति । कृतागसि कृतापराधे, दासे सेवके, प्रभूगाम् स्वामिनां, पादप्रहारः  
दूरपादात्, उचितो दुःख, एव, भवति, अतः हे सुन्दरि ! अस्मि अहम् ( अस्मिदर्थक-  
नव्यमेतत्, इति 'अस्मि' इत्यस्य स्थाने 'अत्र' इति पाठो इत्यते, तथा च अत्र  
पादप्रहारविषये न दूये इत्यर्थः ) न, दूये दुःखमिति । किन्तु उच्यन्ति तद्विचरण-  
स्पर्धेनोत्पद्यमानानि चानि कठोरानि पुलकानि रोनाणि तेषाम् अङ्कुरा एव कण्टकानि  
तैः, तव पदं च् स्वियते हेन्य आप्नोति, ननु निव्यदेन, सा मे, व्यधा वेदना इत्यर्थः ।

नायिकां प्रति सापराधस्यानुभूततत्पादप्रहारस्य नायकस्योक्तिरियम् । तदुदाहृतेति । सर्वस्वकारोदाहृतेत्यर्थः । आरोप्यमाणानामिति । पुलकेश्वित्यादि । प्रकृतेति । प्रकृतो यः खेदस्तत्सम्बन्धिनी या व्ययेत्यर्थः । अथ पक्त्रमतामिति । पूर्वसाक्षाक्षम् प्रकरणविशेषघटितमेतत्पद्यम् । अथ अनन्तरम्, कश्चित् पूर्वप्रकान्तो जन, वक्त्रपथाश्रितैः मुखनिस्सृतै, पक्त्रमताम् परिपक्वताम्, उपेयिवद्धिः प्राप्तवद्धि, अत एव, सरसै, वचोभिवचनैः, प्रथमम् प्राक्, तत्परतं तत्पश्चात्, तुरङ्गमाद्यैः अश्वाद्यै, क्षितिभर्तुं राज्ञ, उपायनम् उपहारं चकारेत्यर्थः । असङ्गतिमुपपादयति—यतो इत्यादिना । राजसङ्घटने राजमेलने । उपायनस्य उपहारस्य । आरोप्यमाणस्येति । वचसीत्यादि । प्रत्युत विपरीतमिति । अत्र 'अत्रेद चिन्त्यम्—यत्किञ्चिद्रूपोपायनस्य राजसङ्घटनानुपायत्वात्, विलक्षणवचनतुरङ्गमादिरूपस्यैव च तदुपायत्वात्, एव च राजसङ्घटनोपयोगित्वं तुरङ्गमादिरूपेणैवोपायनस्यैतदुक्तिरेव विपरीतेति । अप्रिममवधारणमिदं त्वित्याद्युक्तं च चिन्त्यमिति बोध्यम् ।' इति नागेश । पर्यवसितार्थमाह—तस्मादिति । अस्मदुक्तमिति । 'श्रहीनचन्द्रा—' इति पद्यमित्यर्थः । इदं तु इति । 'अथ पक्त्रम—' इति पद्यमित्यर्थः । 'आरोप्यमाणस्य प्रकृतोपयोगित्वे' इति सूत्रांशस्य द्वावर्थौ सम्भवत, प्रकृतकार्ये उपयोग इत्येकं, प्रकृतोपमेयरूपेणोपयोग इति च द्वितीय, तत्र प्रथमो न युक्तः, 'दासे कृतागसि' इति सर्वस्वकाराभिमतं रूपकोदाहरणोऽतिव्याप्ते उपमेयकण्टकाना स्वजन्यनायिकागतखेदसभावनाप्रयुक्तनायकगतव्यथारूपप्रकृतकार्ये उपयोगित्वात् । द्वितीयोऽपि नोचितः, 'अथ पक्त्रमता—' इत्यत्र त्वदुक्तव्यधिकरणपरिणामोदाहरणत्वस्यासङ्गते, उपायनरूपस्योपमानस्योपमेयरूपतया राजमेलनात्मके प्रकृतकार्ये उपयोगाभावात्, उपमेयभूतवचनानामेवोपमानात्मनोपयोगेन वैपरीत्याच्च । अतो नेद व्यधिकरणपरिणामोदाहरणम् सम्भवति, व्यधिकरणरूपकस्यैव प्रसक्ते । ननु उपमेयवाचकवच पदोत्तरतृतीयाविभक्त्यर्थाभेदस्य प्रकृत्यर्थप्रतियोगिकतया उपमानप्रतियोगिकाभेदभानाभावात् कथं रूपकमिति चेन्न, 'मीनवती नयनाभ्याम्—' इति प्रागुक्तपद्य इवात्रापि प्रकृत्यर्थानुयोगिकाभेदस्यैव तृतीयार्थताङ्गीकारात् । व्यधिकरणपरिणामोदाहरण पुनर्मदुक्तमेवावगन्तव्यमिति भावः ।

उक्त सर्वस्वकारमत का खण्डन किया जाता है—अत्रापि चिन्त्यते इत्यादि । उक्त सर्वस्वकार के मत के विषय में यह विचार किया जाता है कि 'आरोपित किये जानेवाले का प्रकृत में उपयोग' इस सूत्रांश का क्या अर्थ ? प्रकृत कार्य में उपयोग अथवा प्रकृत उपमेय के रूप में उपयोग ? दोनों में से एक भी ठीक नहीं, क्योंकि प्रथम अर्थ मानने पर 'दासे कृतागसि—अर्थात् हे सुन्दरि ! दास यदि अपराधी हो तो उस पर स्वामियों का पाद-प्रहार उचित ही है, अतः मुझे अपराधी पर जो तुमने पाद-प्रहार किया उससे मैं दुखी नहीं हूँ । पर तुम्हारा चरण, उठते हुए कठोर रोमाञ्चों के अङ्कुररूप काँटों की नोकों से, खिन्न हो रहा है, बस यही मुझे व्यथा है ।' इस नायक द्वारा मानिनी नायिका के प्रति कहे गए पद्य—जिसको आपने रूपक का उदाहरण माना है—में अतिव्याप्ति हो जायगी । कारण, यहाँ आरोपित किए जानेवाले—उपमान ( काँटों ) का प्रकृत व्यथारूप कार्य में उपयोग होता है । द्वितीय अर्थ मानने पर 'अथ पक्त्रमताम्—अर्थात् उसने पहले मुखरूप पद्य के पथिक—मुख द्वारा उच्चरित—और परिपक्व, अतएव सरस, वचनों द्वारा राजा की 'नजर' ( मँट ) की, बाद में घोड़ा आदि द्वारा ।' इस पद्य में आपका कहा हुआ 'व्यधिकरणपरिणाम' का उदाहरण असङ्गत हो जायगा । कारण, राजा से मिलने में आरोपित किए जानेवाले 'नजर' रूप उपमान का उपयोग अपने रूप में ही होता है, उपमेय वचनरूप में नहीं, प्रत्युत उपमेयरूप वचनों का उपयोग उपमान

रूप 'नजरो' के रूप में होता है जो आपके कथन से सर्वथा विपरीत है। अतः आपके लक्षण-उदाहरण सभी गड़बड़ हैं। फलतः मद्बुद्ध लक्षण तथा व्यधिकरणपरिणाम का उदाहरण ही ठीक है। आपका यह उदाहरण तो व्यधिकरण रूपक का हो सकता है। आप कहेंगे—रूपक का यह उदाहरण कैसे हो सकता है? क्योंकि यहाँ वच' पद के भागे की तृतीया विभक्ति के अर्थ-अभेद-का प्रतियोगी प्रकृत्यर्थ-वचन-होगा, अतः उपमेय-वचन-का अभेद प्रतीत होगा, उपमान-'नजर'-का अभेद नहीं और रूपक की सिद्धि में उपमान के अभेद की प्रतीति आवश्यक है, तो इसका समाधान यह है कि जैसे 'मीनवती नयनाभ्याम्-' में प्रकृत्यर्थानुयोगिक अभेद ही तृतीयार्थ माना जाता है वैसे यहाँ भी प्रकृत्यर्थानुयोगिक अभेद को ही तृतीया विभक्ति का अर्थ माना जायगा। तात्पर्य यह कि ऐसी जगहों पर अभेद का प्रतियोगी उपमान ही होता है? उपमेय नहीं, अतः रूपक की सिद्धि होने में कोई बाधा नहीं। यहाँ भा नागेश अपनी टीका में सर्व-स्वकार का समर्थन करते हैं। वे कहते हैं—'राजा से मिलने में जिस किसी तरह के उपायन (नजर) का उपयोग नहीं किया जाता, अपितु विलक्षण उपायन का ही उपयोग किया जाता है। ऐसी स्थिति में यहाँ उपायन का उपयोग अपने आपके रूप में नहीं, किन्तु विलक्षण वचन अथ आदि के रूप में ही होगा, फिर यहाँ परिणाम अवश्य माना जा सकता है, अतः ग्रन्थकार का यह खण्डन उचित नहीं है।'

मतान्तरमाह—

केचित्तु "कचित्केवलो विषयः स्वात्मना न प्रकृतोपयोगीत्ययमारोप्यमाणा-भिन्नतयाऽवतिष्ठते, तत्रारोप्यमाणपरिणामः। यथा—'वदनेनेन्दुना तन्वी शिशिरीकुरुते दृशौ'। अत्र वदन्मिन्द्रभिन्नतयाऽवतिष्ठते, केवलस्य वदनस्य दृक्छि-शिशिरीकारकत्वायोगात्। कचिच्चारोप्यमाणः स्वात्मना न प्रकृतकार्योपयोगीत्ययं विषयाभिन्नतयाऽवतिष्ठते, तत्र विषयपरिणामः। यथा—'वदनेनेन्दुना तन्वी स्मरतापं विलुम्पति'। अत्रेन्दुर्वदनाभिन्नतयाऽवतिष्ठते, केवलस्येन्दोः स्मरतापापनोदकत्वायोगात्। एव च परिणामद्वयात्मकमिदं रूपकमेव भवितुमर्हति। विषयतावच्छेदक-विषयितावच्छेदकान्यतरपुरस्कारेण निश्चीयमानविषयिविषयान्यतरत्वस्य तल्लक्षणत्वात्। अत एवोक्तम्—'तद्रूपकमभेदो य उपमानोपमेययोः' इति। तस्मान्न रूपकात्परिणामोऽतिरिच्यते" इति वदन्ति।

केवल इति। उपमानाभिन्नत्वेनाप्रतीयमान इति भावः। विषय उपमेय। आरोप्य-माणेति। उपमानेत्यर्थः। आरोप्यमाणपरिणाम इति। आरोप्यमाणपरिणामः परिणामः तद्रूपतयाऽवस्थानमिति यावत्। विषयस्येति भावः। आरोप्यमाणपरिणाममुदाहरति—यथेति। तन्वी कृशाङ्गी नायिका, वदन्त्वेण इन्दुना, दृशौ नयने, शिशिरीकुरुते शीतलप्रतीत्यर्थः। वदन्त्येति। तस्य जलभिन्नत्वादिति भावः। विषयपरिणाम इति। विषये-उपमेये-परिणामः विषयिण इति यावत्। उपमेयत्वेणोपमानावस्थितिर्विषयपरिणाम इति स्वार्थः। विषयपरिणाममुदाहरति—यथेति। कृशाङ्गी चन्द्रत्वेण मुद्गेन कान्तापनपुत्रतीत्यर्थः। इन्द्रोरिति। तस्योदीपकत्वेन तन्मन्त्रत्वादिति भावः। ननु कथमयं द्विविध परिणाम रूपकत्वेन श्लोकरणाय, लक्षणानामान्तत्वात् इत्यतोऽमिन्द्रं रूपकलक्षणमाह—विषयतावच्छेदकेत्यादिना। तद्वदत्येति। रूपकलक्षणेत्यर्थः। अभिनवमिदं लक्षणं प्राचीनलक्षणेन संवादयति—अत एवेति। उक्तमिति नन्मन्त्रमद्वेनेति भावः। 'उपमेयतावच्छेदकम् (उपमेयवृत्त्यसाधारणघर्मम्) पुरस्कृत्य निश्चीयमानमुपमेयतादान्यम्, उपमानतावच्छेदकं (उपमानगतासाधारणघर्मम्) पुरस्कृत्य निश्चीयमानमुपमेयतादान्यम्' इत्युभयविवं रूपकलक्षणम्। तेन

यत्रोपमेयमुपमानरूपेण परिणमति—अर्थात् उपमेयमुपमानात्मना कार्योपयोगि भवति, यत्र चोपमानमुपमेयरूपेण परिणमति—अर्थात् उपमानमुपमेयात्मना कार्योपयोगि भवति, तत्रो-भयत्र रूपकमेव । फलतः परिणामनामक कश्चिद्रूपकातिरिक्तोऽलङ्कारो नास्तीति केषांचिदभि-प्रायः । अत्र 'केचित्' 'वदन्ति' इति पदद्वयेनारुचिः सूच्यते, तद्वीजमाह नागेश - 'चमत्कृ-तिनिदानत्वेनालङ्कारभेद इति सिद्धान्तितत्वादन्यत्रेवात्रापि भेद एवोचित' । इति ।

अन्य मत का उल्लेख किया जाता है—केचित्तु इत्यादि । कुछ विद्वानों का कथन है कि—“दो तरह से परिणाम होता है । कहीं केवल उपमेय अपने रूप से प्रस्तुत कार्य में उपयोगी नहीं होता, अतः उसे ( उपमेय को ) आरोपित किए जानेवाले ( उपमान ) से अभिन्न होकर रहना पड़ता है । ऐसी जगह प्रस्तुत का आरोपित किए जानेवाले के रूप में—अर्थात् उपमेय का उपमान के रूप में—परिणाम होता है । जैसे—‘वदनेन्दुना—अर्थात् कृशाङ्गी नायिका चन्द्ररूप मुख से नयनों को शीतल करती है ।’ यहाँ मुख को चन्द्र से अभिन्न होकर रहना पड़ता है, क्योंकि केवल मुख नयन को शीतल नहीं कर सकता । और कहीं आरोपित किया जानेवाला ( उपमान ) अपने रूप से प्रस्तुत कार्य में उपयोगी नहीं होता, अतः उसे उपमेय से अभिन्न होकर रहना पड़ता है । ऐसे स्थलों पर उपमान का उपमेय के रूप में परिणाम होता है । जैसे—‘वदनेनेन्दुना—अर्थात् कृशाङ्गी नायिका मुखरूप चन्द्र से कामताप को शान्त करती है ।’ यहाँ चन्द्र को मुख से अभिन्न होकर रहना पड़ता है, क्योंकि केवल चन्द्र कामताप को शान्त नहीं कर सकता । इस तरह इन दोनों परिणामों के रूप में रूपक का होना ही उचित है, क्योंकि मेरे हिसाब से रूपक का लक्षण यह होना चाहिए कि—उपमेयतावच्छेदक ( ‘मुखत्व’ आदि ) अथवा उपमानतावच्छेदक ( ‘चन्द्रत्व’ आदि ) दोनों में से किसी एक को आगे रखकर निश्चित की जाने वाली उपमानरूपता अथवा उपमेयरूपता दोनों में से किसी को भी रूपक कहा जा सकता है । अतएव तो मम्मटभट्ट ने कहा है कि—‘तद्रूपक—अर्थात् उपमान-उपमेय का जो अभेद होता है ( उन दोनों में से चाहे कोई किसी रूप में परिणत हो ) वह रूपक कहलाता है ।’ अतः ‘परिणाम’ ‘रूपक’ से कोई अतिरिक्त अलङ्कार नहीं है ।” ‘केचित्तु’ तथा ‘वदन्ति’ इन दोनों ही पदों से इस मत में ग्रन्थकार अपनी अरुचि सूचित करते हैं, जिसका बीज नागेश अपनी टीका में यह बतलाते हैं कि ‘अलङ्कार के भेद में चमत्कार का भेद ही मूल कारण माना जाता है । ऐसी दशा में जैसे अन्य अनेक भिन्न-भिन्न अलङ्कार माने जाते हैं, वैसे इन दोनों ( रूपक और परिणाम ) को भी भिन्न-भिन्न अलङ्कार मानना ही उचित है ।’ इसका अभिप्राय यह हुआ कि—रूपक—जहाँ उपमान प्रधान रहता है और उपमेय गौण—में उपमानकृत चमत्कार होता है और परिणाम—जहाँ उपमेय प्रधान रहता है और उपमान गौण—में उपमेयकृत चमत्कार होता है, अतः ये दोनों चमत्कार दो तरह के होते हैं और चमत्कार जब दो तरह के होते हैं तब अलङ्कार भी दो मानने ही पड़ेंगे ।

अथ परिणामालङ्कारविशिष्टवाक्यजबोध विचारयितुं प्रक्रमते—

अथ बोधः—

परिणामसम्बद्धविचारान्तरकरणान्तर सम्प्रति परिणामवाक्यजबोधो विचार्यत इति भावः ।

परिणाम के विषय में अन्य विचार कर लेने के बाद अब परिणामवाले वाक्यों से होनेवाले शाब्दबोध का विचार किया जाता है ।

कतिपयेषु स्थलविशेषेषु बोध विचारयति—

हरिनवतमाल इत्यत्र भगवद्भिन्नतमाल इति निर्विवादैव धीः । तथा श्राव

श्रावं वच सुधामित्यत्र विशेषणतमासगतपरिणामे वचनाभिन्नां सुधामिति, पायं पायं वच सुधामितिरूपके तु वचोनिष्ठाभेदप्रतियोगिनीं सुधामिति बुद्धिः । एवं च 'वदनेनेन्दुना तन्वी स्मरतापं विलुम्पति' इति व्यस्तरिणामे 'वदनेनेन्दुना तन्वी शिशिरीकुरुते दृशौ' इति व्यस्तरूपके च बोधवैलक्षण्यम् ।

तथा—

'शान्तिमिच्छसि चेदाशु सतां वागमृतं शृणु ।

हृदये धारणाद्यस्य न पुनः खेदसम्भवः ॥'

इति परिणामे, शृण्विति विहाय पिवेति कृते तत्रैव रूपके;

'विद्धा मर्मणि वाग्वाणैर्धूर्णन्ते साधवः खलैः ।

सद्भिर्वचोऽमृतैः सिक्ताः पुनः स्वस्था भवन्ति ते ॥'

इति रूपके च बोधव्यवस्थितिः । तथा 'अहीनचन्द्रा लसताऽऽननेन ज्योत्स्नावती चापि शुचिस्मितेन' इति व्यधिकरणपरिणामेऽभेदस्य वृत्तीयार्थत्वात्सदाननाभिन्नहीनेतरचन्द्रयुक्तेति धीः । मीनवती नयनाभ्यामित्यत्र तु सरसीतादात्म्यारोपो बाधकाभावात्तावत्सिद्धः । तस्य च मीनयोर्नयनाभेदारोपेणासमर्थनान्नयनयोर्मीनाभेदारोपो मृग्यः । स च वृत्तीययाः प्रकृत्यर्थाभेदार्थकतायां न सम्भवतीति यथाकथञ्चित्तस्याः प्रकृत्यर्थनिष्ठाभेदप्रतियोगित्वार्थकत्वं वाच्यम् । तेन नयननिष्ठाभेदप्रतियोगिमीतयुक्तेति धीः । एवं चारोप्यमारो विषयप्रतियोगिकाभेदस्याभानान्न परिणामः, अपि तु रूपकमेव । इयमेव सरणिः 'नद्या शेखरिणे दृशा तिलकिने-' इति प्रागुक्ताप्यवदीक्षितदत्तोदाहरणे, 'वचोभिरुपायनं चकार-' इत्यलङ्कारसर्वस्वोदाहरणे च बोध्या । यदि पुनरारोप्यमारो यथाकथञ्चिद्विषयाभेदप्रत्ययमात्रात्परिणामतोच्यते, नाद्रियते च प्रकृतोपयोगस्तदा 'प्रवृत्तोऽस्याः सेकुं हृदि मनसिजः प्रेमलतिकाम्' इति तदुदाहृत्य रूपकस्य परिणामतापत्तिः, प्रेमलतिकामिति समासे प्रेम्णो विषयस्य लतिकामायामारोप्यमाणायामभेदेन विशेषणत्वादिति दिक् ।

हरिवेति । ग्रन्थकृता वृत्ते परिणामप्रथमोदाहरणे इत्यर्थः । भगवदभिज्ञेति । तमात्तनिष्ठाभेदप्रतियोगी भगवानिति भावः । निर्विवादैवेति । परिणामस्य निर्विवादत्वेऽन्यस्याश्लक्ष्णवादिनि भावः । वां वीवः । ग्रन्थकृदुक्तपरिणामद्वितीयोदाहरण आह—तथेति । विशेषणतमारेति । 'विशेषणं विशेष्येण बहुलम्' इति सूत्रविहितसमासेत्यर्थः । गत इति । श्रवणेनेत्यर्थः, वचनाभिन्नमिति । इवानिष्ठाभेदप्रतियोगिवचनातीति भावः । हृदये त्विति । 'श्रावं श्रावम्' इत्यस्य स्थाने त्वीहृतस्य 'पायं पायम्' इति पाठस्य सुवाच्योपमानावात्तन्मूलरूपकमनकत्वादि भावः । एवञ्चति । समस्तयो परिणामप्रकृतोर्बोधवैलक्षण्यसिद्धौ चेत्यर्थः । बोधवैलक्षण्यमिति । प्रतियोगित्वलक्षणत्वाद्युपयोगित्वञ्चकृतमिति भावः । तथा च 'इन्दुनिष्ठाभेदप्रतियोगिना वदनेने नि परिणामे, 'वदन्निष्ठाभेदप्रतियोगिना इन्दुना' इति च हृदये बोध इति नारायणः । एवमप्येपीत्याह—तथेति । शान्तानि । चम्, शान्ति इच्छामि चेद ? तत्र, आशु शान्तिम्, स्ता सज्जनानां, वागमृतं वचनगन्धर्वम्, शृणु, यस्य वचनगन्धर्वस्य, धारणात्, श्रवणात् पुनः, हृदये, खेदस्य, सम्भवो न भवतीत्यर्थः । परिणाम इति । आरोप्यमापत्याहृतस्य विषयभूतवचोपतयैव श्रवणात्तत्र प्रस्तुतकार्ये उपयोगादिति भावः । श्येतितीति । 'श्ये' इत्यस्य स्थाने 'पिव' इति पाठे



समाश्रिते इति भाव । तत्रैव तरिमन्नेव पद्ये । रूपके इति । आरोप्यमाणस्य स्वरूपेणैव पानात्मके कार्ये उपयोगादिति भावः । विद्धेति । खलैः दुर्जनैः, वाग्वाणैः वचनेषुभिः, मर्मणि मर्मभूतहृदयदेशावच्छेदेन, विद्धा आहता, साधव सज्जना, घूर्णन्ते मस्तकघूर्णनं भजन्ते । पुनः, सद्धि सज्जनैः, वचोऽमृतैः वाणीसुधाभिः, सिक्ता आर्द्राकृता, सन्तः, ते दुर्जनवाग्वाणविद्धाः साधवः, स्वस्था घूर्णनरहिताः, भवन्तीत्यर्थः । रूपके चेति । 'विद्धा' इत्यत्र 'वाग्वाणैः' 'वचोऽमृतैः' इत्युभयमपि रूपकमेव, उपमानयो वाणामृतयो- उपमेयवाग्रूपेण कार्यानुपयोगित्वात् स्वरूपेण तदुपयोगित्वाच्चेति भावः । बोधव्यवस्थितिरिति । 'वाग्भिन्नममृतम्-' अर्थात् अमृतनिष्ठाभेदप्रतियोगिनीम् वाचम्' इति परिणामे, पिवेति पाठानुसार रूपके तु-वाङ्निष्ठाभेदप्रतियोग्यमृतमिति, 'वाणाभिन्नाभिर्वाग्भिः, अर्थात् वाङ्निष्ठाभेदप्रतियोगिभिर्वाणैः' इति, 'वचननिष्ठाभेदप्रतियोगिभिरमृतैः' इति च यथायथ बोधा इति भावः । व्यधिकरणपरिणामस्थले बोधविचारयति—तथेति । लसताऽऽननेनेति । शोभमानमुखाभिन्नपूर्णचन्द्रयुक्तेति बोधार्थः । एव शुचिरिमताभिन्नज्योत्स्नायुक्तेत्यपि बोधो बोध्यः । नन्वेवम् 'मीनवती नयनाभ्याम्—' इत्यत्रापि तादृशबोधापत्तिं तुल्यत्वान्नेत्याह—'मीनवती' इत्यत्र त्विति । तावत् आदौ । तस्य चेति । सुन्दर्या सरसीतादात्म्यस्येत्यर्थः । प्रकृत्यर्थभेदेति । प्रकृत्यर्थप्रतियोगिकाभेदेत्यर्थः । विभक्त्या ससर्गबोधनस्य प्रकृत्यर्थप्रतियोगिकस्यैव व्युत्पत्तिसिद्धत्वेन तदसम्भवादाह—यथाकथञ्चिदिति । तस्या तृतीयायाः । तेनेति । तृतीयायाः प्रकृत्यर्थनिष्ठाभेदप्रतियोगित्वार्थकत्वकल्पनेनेत्यर्थः । अयमत्र विशदोऽर्थः—'सुन्दरी सरसी' इत्यशौ सुन्दर्या सरसीतादात्म्यारोपे न किञ्चिद् वाधकमिति प्रधानमिदं सरसीरूपकं प्रथमतः सिद्धयति । ततः समर्थकरूपकाशं नयनाभ्यामित्यभेदार्थकतृतीयाविभक्तिश्रवणाद्यद्यपि ऽकृत्यर्थस्य नयनस्य अभेदः—नयनप्रतियोगिकाभेद इति यावत्—प्राप्तं, किन्तु नयनाभेदेन सरसीरूपकस्य समर्थनं न भवति, अत एव नयनयोर्मीनाभेदं मीनप्रतियोगिकाभेद इति यावत्—भृग्य—यत्नविशेषेणापि स्वीकार्यं । स च यत्नविशेषः स्थलविशेषातिरिक्तत्वेनोक्तव्युत्पत्तौ सङ्कोचरूपः । तथा चोक्ततृतीयायाः नयननिष्ठाभेद एवार्थः फलितः । एवञ्च 'नयननिष्ठे'ति मूलोक्ताकारो बोधस्तत्र जायते । तादृशबोधविषयीभूतेन नार्थेन सरसीरूपकस्य समर्थनं भवतीति । फलितमाह—एव चेति । आरोप्यमाणे—अर्थात् माने विषयप्रतियोगिकाभेदस्य—अर्थात् नयनप्रतियोगिकाभेदस्य अप्रतीतेर्नात्र परिणामः, किन्तु रूपकमेवेति भावः । उक्तप्रकारेणायमेव बोधोऽन्यत्रेत्याह—इयमेवेति । सरणिः पद्धतिः । उदाहरणे च बोध्येति । 'नदीनिष्ठाभेदप्रतियोगिशेखरयुक्ताय' इति, 'दृङ्निष्ठाभेदप्रतियोगितिलकयुक्ताय' इति, 'वचननिष्ठाभेदप्रतियोगिस्युपायनम्' इति च बोधा भवन्ति । एवञ्चोक्तयुक्त्याऽत्रापि रूपकमेवेति सिद्धम् इति भावः । अत्र नागेशः—'परे तु पूर्वपदार्थप्रधानमयूरव्यसकादिसमासेन सुधाप्रतियोगिकाभेदवद्वच इत्येव बोधः । रूपके मीनवती नयनाभ्यामित्यत्र सुन्दर्या सरसीतादात्म्यरूपं रूपकं मुख्यवाक्यार्थः । तत्र च मीनवत्त्वादि साधारणो धर्मः । तस्य च सुन्दर्यामभावात्प्राप्तबाधबुद्धिस्थगनाय नयनाभ्या मीनवतीति सुन्दर्यै विशेषणम् । सरस्या च मीनवत्त्वप्रसिद्धमेव । एव च सुन्दर्या मीनवत्त्वसम्पादनरूपप्रकृतकार्योपयोगिता मीनानां नयनतादात्म्यापत्यैवेति तदशौ परिणाम एवेति नयनप्रतियोगिकाभेदवन्मीनवतीत्येव बोध इति दिक् । 'पादाम्बुजं भवतु नो विजयाय मञ्जु' इत्यादौ पक्षोपमयो- सन्देह एव इति प्राहुः ।" इति । मीनवतीति पद्ये परम्परितरूपकम् ।।

परन्परिते च समर्थसमर्थकभावो नियन्तरितश्रुति । रूपकस्य समर्थनम् च रूपकैव सम्भवति, न परिणामेनेति 'भीन्वती न्यताभ्याम्' इत्येष्टि प्रथमरोलदिशा रूपकैव न्याय्यम्, न नानेशोत्तरीया परिणाम इति तु मन प्रतिमानेति । उन्वहारे पुनर्वीक्षिता-शयनिसन्तुलेन परिणामे कार्योन्योग सम्यञ्चति—चर्चति । 'प्रवृत्तोऽस्या—' इति । रूपकरोहारपतया पद्यनेतृश्रितेनेद्वृष्टम् । 'कुर्वन्वृत्ति रितमिन्यति गीतञ्चन्द्रिषु च्, सर्वां शान्तोन्नतं श्रुतमपि पुनः प्रश्नयति यत् । श्रुतिं च्छान्त र्वगिति त्वहो ! वेद्वय-निन्दाम्...' इति वरपद्यच्छेपे वीच । कुर्यां हरिणं इव, गीतञ्चन्द्रिषु, अङ्गानि, च्, रितमिन्यति निश्चलां करोति, श्रुतमपि, शान्तोन्नतं च्छ्रुतमस्य वत्, पुन वारंवारम् चर्चाम्, च्, प्रश्नयति प्रश्न करोति, अन्त श्रुतिम् शान्तोन्नतमिच्छा विन्व निन्वा-च्छलेनेति यावत्, च् र्वगिति र्वान्मुत्रां घञे, तेन च् वेप्रे जन्तानि, किं जन्तानि इ मनसिज-कान्, अस्या, इति, अन्निवाम् नूतनम्, प्रेमलनिकाम् प्रीतिवृत्तं, सैद्युम् शार्ङ्गिर्भुम्, प्रवृत्तः उद्यत इत्यर्थः । सख्याः सखीं प्रति नायेकवृत्तान्तमृचनोक्तिमिदम् । अरिन्द श्लोकै प्रेनि लभ्ये लतिकया उपमानमूनायातागन्धयारोपे रूपकम्, न तु परिणामः उपमानमूनाया लतिकया उपमेद(प्रक)होप नैकान्के कार्ये उन्योग-भावात् । यदि परिणामे कार्योन्योगांशो न निदिश्येत, तदाऽत्रामि परिणाम आन्तेद्, लतिकारूपे उपमाने प्रेमलसोपमेयभेदस्य प्रतीतिरिति भावः ।

परिणामालङ्कार वाले कतिपय वाक्यों में शाब्दबोध दिखलाये जाते हैं—हरिन्द—इत्यादि । 'हरिन्दतनाल' इस अन्त्योक्त प्रथम परिणामोदाहरण वाक्य का शाब्दबोध 'हरि से अनिच्छ सर्वां तनाल—अर्थात् तनाल में रहनेवाले अनेक का प्रतियोगी हरि' यह होता है । इस विषय में किसी को कोई आपत्ति है ही नहीं । 'आवं आवं वच-सुषाम्—वचनानृत सुन सुनकर' इस अन्त्योक्त द्वितीय परिणामोदाहरण वाक्य का शाब्दबोध—'वचन से अनिच्छ अनृत—अर्थात् अनृत में रहनेवाले अनेक का प्रतियोगी वचन' यह होता है । इसी वाक्य में 'आव आवम की जगह पर यदि 'पाय-पायम्' ऐसा पाठ कर दिया जाय, तब यहाँ परिणाम न होकर रूपक बलङ्कार हो जाता है और तब उस रूपक वाक्य का शाब्दबोध—'वचन में रहनेवाले अनेक का प्रतियोगी अनृत अर्थात् अनृत से अनिच्छ वचन' यह होता है । और अब जब कि सनस्त परिणाम तथा सनस्त रूपक में शाब्दबोध की निश्चता दिखला दी गई, तब—'वदनेनेन्दुना तन्वी स्मरताप विदुषपति' इस व्यस्त(वाक्यगत)परिणाम में तथा 'वदनेनेन्दुना तन्वी गिरि रीकृते दशौ' इस व्यस्तरूपक में भी शाब्दबोधों की विलङ्घना सिद्ध हो जाती है । तात्पर्य यह कि पूर्वोक्तरीति से परिणाम में 'चन्द्र में रहने वाले अनेक का प्रतियोगी सुख—अर्थात् सुख से अनिच्छ चन्द्र' ऐसा बोध होता है और रूपक में 'सुख में रहनेवाले अनेक का प्रतियोगी चन्द्र—अर्थात् चन्द्र से अनिच्छ सुख' ऐसा बोध होता है । वैसे ही—'शान्तिनिच्छसि—अर्थात् यदि तू शान्ति चाहता है तो शीघ्र सज्जनों का वचनानृत सुन, जिसके धारण करने से फिर हृदय में खेद की उत्पत्ति नहीं होती ।' इस परिणाम में, और इसी पद्य में 'श्रुत्यु' की जगह पर 'पिब पाठ कर देने से रूपक बन जाने पर, पुन 'विद्धा नर्मणि—अर्थात् दुर्जनों द्वारा वचन वागों से मनस्थल में घायल किए गये सज्जन पुरुष बद्ध ताने लगते हैं और वे ही सज्जनों द्वारा वचनानृत से सन्नि गये पुनः स्वस्थ हो जाते हैं ।' इस रूपक में भी शाब्दबोध की व्यवस्था हो जाती है । अन्ति-प्राय यह है कि—परिणाम में पूर्वोक्ति से 'अनृत में रहनेवाले अनेक का प्रतियोगी वचन-अर्थात् वचन से अनिच्छ अनृत' यह और रूपक में 'वचन में रहनेवाले अनेक का प्रति-योगी अनृत—अर्थात् अनृत से अनिच्छ वचन' यह बोध होना है । इसी तरह 'वचन-

बाण' का भी बोध समझ लेना चाहिए। तथा—'अहीनचन्द्रा—अर्थात्—सुन्दर मुख द्वारा पूर्ण चन्द्र वाली और शुद्ध मन्द हास द्वारा चाँदनी वाली' इस 'व्यधिकरण परिणाम' में तृतीया का ( तद्द्वारा ) अर्थ अभेद होता है, अतः 'सुन्दरमुख द्वारा पूर्ण चन्द्रवाली' इस वाक्य का शाब्दबोध—सुन्दर मुख से अभिन्न पूर्ण चन्द्रवाली—अर्थात् चन्द्र में रहनेवाले अभेद का प्रतियोगी जो मुख उससे युक्त' और 'शुद्ध मन्द हास द्वारा चाँदनीवाली' इस वाक्य का शाब्दबोध—'शुद्ध मन्दहास से अभिन्न चाँदनीवाली—अर्थात् चाँदनी में रहनेवाले अभेद की प्रतियोगिनी जो चाँदनी उससे युक्त' ये होते हैं। 'मीनवती नयनाभ्याम्—' इत्यादि पूर्वोक्त रूपकोदाहरण में तो, प्रथमतः सरसीरूपक अर्थात् सुन्दरी में सरसी का तादात्म्यारोप—सिद्ध होता है—उसकी सिद्धि में किसी तरह की बाधा नहीं होती। पर उस प्रधानरूपक का समर्थन 'मछलियों में नेत्रों के अभेदारोप से नहीं हो सकता, अतः 'नेत्रों में मछलियों का अभेदारोप' ढूँढ़ने योग्य हो जाता है। और यह 'नेत्रों में मछलियों का अभेदारोप' तब वन नहीं सकता यदि 'नयनाभ्याम्' इत्यादि तृतीया विभक्ति का अर्थ प्रकृत्यर्थाभेद—अर्थात् तृतीया विभक्ति की प्रकृति—नयन आदि शब्द—का अर्थ जिसका प्रतियोगी हो उस अभेद—को माना जाय, इसलिये जिस किसी तरह तृतीया विभक्ति का अर्थ उस अभेद को मानना पड़ेगा जो अपनी प्रकृति के अर्थ—नयन आदि—में रहनेवाला हो और जिसका प्रतियोगी मीन आदि हों। और जब ऐसे अभेद को तृतीया विभक्ति का अर्थ मान लिया जायगा तब उक्त सरसीरूपक का उससे समर्थन भी हो सकेगा। इस तरह से अब 'मीनवती नयनाभ्याम्' का शाब्दबोध—'नेत्रों में रहनेवाले अभेद के प्रतियोगी जो मीन ( मछलियाँ ) उनसे युक्त' यह होगा। फलतः यहाँ परिणाम अलङ्कार नहीं होता, क्योंकि आरोप्यमाण—अर्थात् उपमानभूत मछलियों—में विषय प्रतियोगिक अभेद—अर्थात् उपमेय(नेत्रों)का अभेद प्रतीत नहीं होता। हाँ, रूपक अलङ्कार यहाँ अवश्य होता है, क्योंकि आरोप्यमाण उपमानभूत पदार्थ—मछलियों का अभेद उपमेयभूत पदार्थ (नेत्रों) में प्रतीत होता है। यही पद्धति 'नद्या शेखरिणे दशा तिलकिने' इत्यादि अप्पयदीक्षित के उदाहरण में और 'वचोभिरुपायन चकार' इस अलङ्कारसर्वस्वकार के उदाहरण में समझनी चाहिये। अभिप्राय यह कि—इन पद्यों में परिणामालङ्कार नहीं, अपितु रूपकालङ्कार है, अतः उन वाक्यों का शाब्दबोध रूपक का—सा होना चाहिये। फलतः 'नदी में रहनेवाले अभेद के प्रतियोगी शेखर से युक्त' इस तरह का शाब्दबोध होना चाहिये, न कि 'शेखर में रहनेवाले अभेद की प्रतियोगिनी नदी से युक्त' इस तरह का। यदि आप इस तरह का दुराग्रह करें कि—किसी भी प्रकार से उपमान में उपमेय के अभेद की प्रतीति का नाम परिणाम है, उस का प्रकृत कार्य में उपयोग हो अथवा नहीं। तब तो 'प्रवृत्तोऽस्याः—' जिसका एक चरण मूल में उद्धृत है और अवशिष्ट तीन चरण सस्कृत टीका में उद्धृत हैं तथा जिसका अर्थ यों है—( सखी सखी से नायिका के विषय में कह रही है— ) मैं समझती हूँ कि—कामदेव इसके हृदय में नूतन प्रेमलता को सींचने में प्रवृत्त हो चुका है क्योंकि यह सङ्गीत(ध्वनि)समय में अङ्गों को हरिणी की तरह निश्चल कर देती है, प्रियतम के सुने हुए समाचार को भी सखी से पुनः पूछती है और भीतर से निद्रा के विना ही सोती है—जागती हुई भी सोई हुई की सी मुद्रा बनाती है।' इस पद्य में जिसको दीक्षित जी ने रूपक का उदाहरण माना है वह परिणामालङ्कार होने लगेगा, क्योंकि 'प्रेमलतिकाम्' इस समस्त पद के अर्थ में उपमेय प्रेम, अभेदसम्बन्ध द्वारा, आरोपित की जानेवाली ( उपमाङ्क ) 'लतिका' का विशेषण वन रहा है—उपमेयप्रतियोगिक—अभेद उपमान में आसित हो रहा है। परिणाम लक्षण में 'कार्योपयोग' का निवेश करने पर तो यहाँ परिणाम का कोई प्रसङ्ग ही नहीं रह जाता, क्योंकि उपमान लता का उपयोग। सेचन में उपमेय—प्रेमरूप से नहीं, अपितु अपने रूप से ही होता है। सारांश यह हुआ कि परिणाम

लक्षण में 'कार्योपयोग' का निवेश करना ही चाहिये और उस हालत में 'नद्या शैल-रिणे—' इत्यादि पद्यों में रूपक ही माना जा सकता है, परिणाम नहीं। नागेश यहाँ भी 'अन्य का मत' ऐसा कहकर कुछ भिन्न मत उपस्थित करते हैं। उनके कथन का साराश यह है कि—'वच-सुधाम्' में 'मयूरव्यसकादयश्च' से समास होता है और इस समास में पूर्वपदार्थ की प्रधानता होती है, अत उक्त वाक्य का बोध—'सुधा जिस की प्रतियोगिनी हो ऐसे अभेद से युक्त वचन-अर्थात् सुधा के अभेद से युक्त वचन' ऐसा ही समझना चाहिये। 'मीनवती नयनाभ्याम्' इस वाक्य का 'सुन्दरी में सरसी-ताद्रूप्यात्मक रूपक' प्रधान अर्थ है और इस रूपक में उपमान उपमेय का साधारण धर्म है मछलीवाला होना (मीनवत्त्व)। पर सुन्दरी में इस धर्म का अभाव है—अर्थात् सुन्दरी में मछलियाँ नहीं हैं, अत जो बाध-बुद्धि (सुन्दरी न मीनवती) प्राप्त है उसी को स्थगित करने के लिये केवल 'मीनवती' न कहकर 'नयनाभ्यां मीनवती' ऐसा सुन्दरी का विशेषण कहा गया है। सरसी में तो मीनवत्ता (मछलियों का रहना) प्रसिद्ध ही है। इस स्थिति में सुन्दरी को मीनयुक्त वनानारूप प्रस्तुत कार्य में मीनों का उपयोग नयनरूप होने पर ही होता है, अत उस अंश में परिणामालङ्कार ही है, अतएव उस अंश का बोध भी 'नयन जिसके प्रतियोगी हैं इस तरह के अभेद वाली मछलियों से युक्त सुन्दरी' ऐसा ही होगा।'

परिणामालङ्कारध्वनिनिरूपणं प्रतिजानीते—

अथ परिणामध्वनिर्विचार्यते—

शाब्दबोधनिरूपणानन्तरं परिणामध्वनिविषयको विचारः प्रवृत्त इति भावः ।

परिणामालङ्कारध्वनिनिरूपण की प्रतिज्ञा करते हैं—अथ इत्यादि। शाब्दबोध विचार के बाद अत्र परिणामालङ्कारध्वनि के विषय में विचार किया जाता है।

अप्पयदीक्षितोक्तमनूद्य खण्डयति—

तत्र यत्तावदप्पयदीक्षितैर्विद्याधरोक्तं ध्वन्युदाहरणमनूद्य दूषितम्—

'तथाहि—

'नरसिंह धरानाथ ! के वयं तव वर्णने ।

अपि राजानमाक्रम्य यशो यस्य विजृम्भते ॥'

अत्र राजपदेन चन्द्रे विषये निर्दिष्टे तत्रारोप्यमाणस्य नृपस्याक्रमणरूप-कार्योपयोगिनः प्रतीतेः परिणामो व्यज्यते इति, तदयुक्तम् । तत्र ह्यारोप्यमाणस्य नृपस्य नृपात्मनैवाक्रमणोपयोगः, न चन्द्रात्मना' इति । तदसत् । अत्र विजृम्भण नाम न केवल प्रागल्भ्यमात्र कवेरभिप्रेतम्, येन यशःकर्तृकाक्रमणे नृपस्य नृपात्मनैव कर्मतारूप उपयोगः स्यात् । अपि तु निरतिशयनैर्मल्यगुण-वत्तायां स्वसमानजातीयद्वितीयराहित्यप्रयुक्त प्रौढविशेषः । आक्रमणं तु न्यग्-भाव एव । एवं चैवविधविजृम्भणे चन्द्रकर्मकमेवाक्रमणमुपयुज्यते, न तु नृप-कर्मकर्मिति विषयितया व्यज्यमानस्यापि नृपस्य चन्द्रात्मनैवाक्रमणोपयोग इति रङ्गीयमेव विद्याधरेणोक्त परिणामव्यङ्ग्यतायामुदाहरणम् ।

अत्रेति । 'नरसिंह—' इति पद्य इत्यर्थः । व्यज्यत इतीति । विद्याधरेणेति भावः । विद्याधरोक्त खण्डयति—तदयुक्तमिति । अयुक्तत्वे हेतुनाह—तत्र ह्यारोप्येत्यादिना । न चन्द्रा-त्मना इतीति । अस्य प्रायुक्तेन 'दूषितम्' इत्यनेनान्वयः । तददूषणं निरस्यति—तदसत् इति । तत्र हेतुनाह—अत्रेत्यादिना । प्रागल्भ्येति । आक्रमणनाम्न्याभिमानेति भावः ।

गुणवत्तायाम् तद्रूपसाधारणधर्मे । स्वसमानजातीयद्वितीयराहित्येति । निजनिप्रतिद्वन्द्विते-  
त्यर्थः । प्रौढि उक्तर्ष । न्यग्भाव इति नीचैर्नयनमिति भावः । एवं चेति । विजृम्भमाण-  
क्रमणयोरुक्तरूपत्वे चेत्यर्थः । रमणीयमेवेति । अत्र “अत्रेदं चिन्त्यम्—राजशब्दस्यानेकार्थ-  
त्वात्, विजृम्भतेश्च प्रागल्भ्यतदुक्तार्थोभयपरत्वात्, प्रकरणादेश्च शक्तिसङ्कोचकस्याभावात्,  
तन्त्रेण शक्त्यैव तुल्यतयाऽर्थद्वयोपस्थितौ ‘सर्वदो माधव पातु’ इतिवत् श्लेष एवायम्,  
क्व परिणाम क्व वा नृपस्य व्यज्यमानतेति प्रकृतनरसिंहराजोत्कर्षस्य च चन्द्रकर्मकाक्रमणे-  
नेवेतरनृपाक्रमणेनापि सूपपादत्वात् । न च द्वयोरपि राजपदार्थयोरितरक्रियान्वये राजाना-  
विति द्विवचन स्यादिति वाच्यम् । ‘न ब्राह्मण हन्यात्’ इतिवदुपपत्तेः । समाहारद्वन्द्वविष-  
येऽप्येकशेषस्य कैश्चिद्वैयाकरणैरङ्गीकाराच्च । अस्तु चारोप, तथापि नृपस्यैवारोप्यमाण-  
त्वम् चन्द्रस्यैव विषयत्वमित्यत्र नियामकाभावः । अत्रैव च दीक्षिततात्पर्यम् । अपि च  
प्रागल्भ्यस्यापि विजृम्भत्यर्थत्वेन प्रकृतकार्योपयोगिता नृपत्वेनापि नृपस्य सम्भवति । ननु  
तात्पर्यविषयीभूतप्रकृतकार्यानुपयोगित्वमस्त्येवेति चेत्, तस्यैव तात्पर्यविषयत्वे मानविभाव-  
येति ।” इति नागेशः । हिन्दौरसगङ्गाधरकारश्चतुर्वेदमहोदयस्तु ‘उभयोः कार्ययोस्तात्पर्य-  
विषयत्वसम्भवेऽपि विद्याधरीयतात्पर्यविषयत्वं पण्डितराजोक्तकार्यस्यैव, अन्यथा तेन तस्य  
पद्यस्य परिणामध्वनिलक्ष्यतयोल्लेखासङ्गते’ इति स्वपुस्तके टिप्पणमकरोत् । सरलाकारो  
भट्टमहोदयस्तु “-‘राजानमाक्रम्य यस्य ( राज्ञः ) यशो विजृम्भते’ इत्युक्तौ कवेः शिल्प-  
दप्रयोगसरम्भात् ‘प्रतिस्पर्धिनं राजानमाक्रम्य यथाऽयं राजा विजृम्भते, तथा अन्येषां राज्ञां  
यश उपमानत्वेन प्रसिद्धं राजानं ( चन्द्रम् ) आक्रम्य ( न्यक्कृत्य ) अस्य यशो विजृ-  
म्भते’ इति पर्यवसितार्थानुसारमस्त्येव राजपदस्य चन्द्रख्यायै शक्तेर्नियामकप्रकरणम्”  
इत्यप्याह स्म । ग्रन्थाशयं पुनरेवमवगन्तव्यं —‘यस्य राज्ञो यशः राजानम् ( वाच्यवृत्त्या  
चन्द्रं, व्यङ्ग्यवृत्त्या च नृपम् ) आक्रम्य न्यक्कृत्य, विजृम्भते, हे नरसिंहनामकधराधिप,  
तस्य तव, वर्णने वयं के ? न केऽपि ( असमर्था वयं तव वर्णने )’ इत्यर्थकम्  
‘नरसिंहधरानाथ—’ इति पद्य परिणामालङ्कारध्वन्युदाहरणम्, राजपदेनोपस्था-  
पिते चन्द्रात्मके उपमेये आरोप्यमाणस्य तेनैव पदेनोपस्थापितस्य नृपात्मकोपमानस्य  
आक्रमणात्मके प्रकृतकार्ये उपयोगेन परिणामालङ्काराभिव्यक्तेः । ननु वाच्यत्वमेव कुतो  
नास्य परिणामस्येति चेन्न, उपमेयस्य वाच्यत्वेऽपि प्रकरणेन शक्तेः सङ्कोचादवाच्यस्योप-  
मानस्य प्रकृतोपयोगिनो व्यञ्जनयैव प्रतीतेरिति विद्याधर स्वग्रन्थे प्रत्यपादयत् । उपमे-  
यात्मनोपमानस्य प्रकृतोपयोगित्वे परिणामः, अत्र तु उपमानस्य नृपस्य स्वात्मनैवाक्रम-  
णात्मके कार्ये उपयोगः, न चन्द्ररूपोपमेयात्मना, इति नात्र परिणामो वाच्यो व्यङ्ग्यो वा  
सम्भवतीति विद्याधरमखण्डयद् दीक्षितः । तत्राह पण्डितराज—नैतत्खण्डनं दीक्षितकृत  
सम्यक्, यतोऽत्राक्रमणमात्रं न कार्यम्, अपि तु आक्रमणपूर्वकं विजृम्भणम्, विजृ-  
म्भणं च नैर्मल्यातिशयात्मकगुणविषयेऽद्वितीयत्वप्रयुक्तोत्कर्षरूपं कविविवक्षाविषयीभूतम्,  
आक्रमणं च न्यग्भावनम्, तथा नैतदाक्रमणपूर्वकं विजृम्भणैकदेशे आक्रमणे यशःकर्तृके  
आरोप्यमाणस्य नृपस्य उपमेयचन्द्रात्मतयैवोपयोगं कर्माभवनरूपं इति युक्तमेवास्य पद्यस्य  
विद्याधरोक्तं परिणामध्वन्युदाहरणत्वम् । यदि प्रागल्भ्यमात्रं विजृम्भणम् आक्रमणं च  
अस्त्रादिप्रहारारदिरूपं कविविवक्षितमस्यास्यत्, तदा यशःकर्तृके तत्राक्रमणे नृपस्य स्वात्म-  
नैवोपयोगं कर्मतारूपोऽभविष्यत् इति तथात्वे दीक्षितकृतं खण्डनमपि सम्यक् स्यात्,  
परन्तु प्रागल्भ्यमात्रस्य विजृम्भणपदार्थता कवेरभिमतैव नास्तीति ।

दीक्षितोक्ति का खण्डन किया जाता है—तत्र यत्तावत् इत्यादि । 'नरसिंह—' अर्थात् हे धराधिप नरसिंह ! जिसका यश राजा ( चन्द्र तथा नृप ) का भी आक्रमण करके विजृम्भित हो रहा है उस आपका वर्णन करने में हम कौन होते हैं ?' इस पद्य में 'राजा' पद से 'चन्द्र' रूप उपमेय की उपस्थिति होती है जिसमें उसी पद से अभिव्यक्त होने वाले नृपरूप उपमान का आरोप है और उस आरोप्यमाण ( नृप ) का आक्रमण-रूप प्रस्तुत कार्य में उपयोग भी हो रहा है—अर्थात् आक्रमण का कर्म, चन्द्र नहीं, नृप ही हो सकता है अतः यहाँ परिणामालङ्कार ध्वनित होता है ( उपमेय के वाच्य होने पर भी प्रकृतोपयोगी उपमान की प्रतीति व्यञ्जना द्वारा होने के कारण परिणाम, वाच्य नहीं, व्यङ्ग्य माना जाता है ) यह कथा विद्याधर ने अपने ग्रन्थ में कही जिसका खण्डन अप्पय दीक्षित ने अपने ग्रन्थ में किया । खण्डन करने में उनकी युक्ति यह है कि—आरोप्यमाण-नृप का उपयोग आक्रमणरूप कार्य में अवश्य होता है पर अपने रूप में ही-नृपरूप में ही, उपमेय(चन्द्र)रूप में नहीं, अतः यहाँ परिणाम अलङ्कार नहीं हो सकता, क्योंकि वह वहाँ होता है जहाँ उपमान उपमेय रूप से प्रकृतकार्य में उपयोगी होता हो । इस पर ग्रन्थकार ( पण्डितराज ) का कथन है कि—दीक्षितजी के द्वारा किया गया उक्त खण्डन उचित नहीं है । कारण, 'विजृम्भण' का अर्थ यहाँ केवल प्रागल्भ्य ( शत्रु पर सफल आक्रमण करने से होनेवाला एक प्रकार का हृदय-विकास ) कवि का अभिमत नहीं है । यदि वैसा रहता तब यह कहा जा सकता था कि—यशःकर्तृक ( यश द्वारा किये जानेवाले ) आक्रमण में नृप नृपरूप से ही उपयोगी ( उस आक्रमण का कर्म ) होगा । अपि तु यहाँ विजृम्भण का कवि-विवक्षित अर्थ है—सर्वाधिक निर्मलतारूप गुण में अद्वितीय होने के कारण होनेवाला उत्कर्षविशेष । और आक्रमण का अर्थ तो न्यग्रभाव ( नीचा दिखाना ) ही है । ऐसी स्थिति में इस तरह के विजृम्भण का उपयोगी चन्द्र-कर्मक ( चन्द्र के ऊपर किया गया ) आक्रमण ही हो सकता है, नृपकर्मक ( नृप के ऊपर किया गया ) आक्रमण नहीं । अभिप्राय यह हुआ कि—यहाँ चन्द्ररूप नृप को निर्मलता के विषय में नीचा दिखाकर यश का उत्कर्ष ( अद्वितीय निर्मल होना ) ही कवि का प्रतिपाद्य है । अतः यह सिद्ध हुआ कि उपमानरूप से अभिव्यक्त होने पर भी नृप का आक्रमण में उपयोग चन्द्ररूप से ही होता है इसलिये विद्याधर ने जो इस पद्य को परिणामालङ्कारध्वनि का उदाहरण कहा वह सुन्दर-उचित ही है । यहाँ नागेश कहते हैं कि—“विद्याधर की उक्ति को सुन्दर बतलाना चिन्तनीय है, क्योंकि यहाँ 'राजा' शब्द अनेकार्थक ( चन्द्र और नृप दो अर्थवाला ) है, 'विजृम्भते' यह क्रियापद भी द्व्यर्थक ( प्रागल्भ्य और निर्मलता के विषय में अद्वितीय होने के कारण होनेवाला उत्कर्षविशेष इन दो अर्थों वाला ) है, और शक्ति को सङ्कुचित करनेवाला प्रकरण आदि कुछ है नहीं । ऐसी दशा में 'सर्वदो माधव.' की तरह यहाँ भी दोनों अर्थ ( चन्द्र तथा नृप ) अभिधाशक्ति से ही बोधित होंगे, अतः श्लेष का ही उदाहरण है, फिर परिणाम कहाँ ? और नृप की व्यङ्ग्यता कहाँ ? अर्थात् इन दोनों में से एक भी बात यहाँ नहीं है । रहा प्रस्तुत नरसिंह राजा का उत्कर्ष सिद्ध करना, सो वह तो तदीय यशोद्वारा चन्द्र को आक्रान्त करने से जिस तरह सिद्ध होता है उसी तरह अपने द्वारा अन्य नृपों को आक्रान्त करने से भी सिद्ध हो ही जाता है । ऐसी स्थिति में राजपद के दो ( चन्द्र और नृप ) अर्थों के दो प्रकार की विजृम्भण क्रिया में अन्वय होने से 'राजानी' पद द्विवचनान्त प्रयोग होना चाहिए, इस आपत्ति का उठाना भी कुछ महत्त्व नहीं रखता, क्योंकि 'न ब्राह्मण हन्यात्' की तरह एकवचन भी हो सकता है और समाहार द्वन्द्व के विषय में भी कुछ वैयाकरणों ने एकशेष माना है तदनुसार एकशेष करके भी एकवचन को शुद्ध सिद्ध किया जा सकता है ।” इस नागेशोक्ति का खण्डन आंशिक रूप से भट्ट मथुरानाथ जी ने अपनी [टिप्पणी में यों किया है—“‘राजा को आक्रान्त

कर जिस ( नृप ) का यश विजृम्भित होता है' इस उक्ति में कवि ने श्लिष्ट प्रयोग ( राजा ) करने का जो प्रयास किया है उससे यह प्राकरणिक अर्थ पर्यवसित होता है कि—'प्रतिस्पर्धी नृप को आक्रान्त कर जिस तरह यह नृपः विजृम्भित होता है उसी तरह अन्य नृपों के उपमानभूत यश को आक्रान्त कर इस नृप का यश विजृम्भित होता है ।' इस तरह चन्द्र का प्रकरण साफ ज्ञात होता है, अतः उस प्रकरण से 'राजा पद की शक्ति चन्द्र में अवश्य नियन्त्रित होगी और उसके नियन्त्रित हो जाने पर 'नृप' रूप अर्थ व्यङ्ग्य ही होगा, फिर जो नागेश जी ने 'शक्ति नियन्त्रित नहीं होती, दोनों अर्थ वाच्य ही हैं' इत्यादि बातें कही हैं वे ठीक नहीं ।" ( मुझे तो भट्ट जी की ब्याख्या के अनुसार भी दोनों ही अर्थ प्राकरणिक प्रतीत होते हैं ) उक्त भट्ट जी द्वारा वर्णित आशय को हृदय में रखकर अथवा हिन्दी रसगङ्गाधरकार द्वारा कथित 'उक्त द्विवचनापत्ति तथा उसके समाधान की क्लिष्टकल्पना' को हृदय में रखकर आगे नागेश ने कहा है कि— "अथवा रहे आरोप-अर्थात् चन्द्र और नृप में से एक उपमेय तथा दूसरा आरोपित समझा जाय-तथापि नृप ही आरोप्यमाण ( उपमान ) और चन्द्र ही उपमेय हो इसमें क्या नियामक हो सकता है ? अर्थात् आप जो चन्द्र को उपमेय और नृप को आरोप्यमाण मान कर परिणाम की बात करते हैं, सो यह भी तो माना जा सकता है कि नृप ही उपमेय और चन्द्र ही उपमान हो तब आपका 'परिणाम' कैसे होगा ? अप्पय दीक्षित का भी तात्पर्य इसी युक्ति में है—अर्थात् उन्होंने जो विद्याधर का खण्डन किया है उसका रहस्य भी यही है कि—नृप नहीं, चन्द्र ही यहाँ उपमान है और उसका उपयोग भी आपके हिसाब से अपने रूप में ही होता है, अतः यहाँ परिणाम नहीं हो सकता । दूसरी बात यह कि प्रागल्भ्य भी तो विजृम्भण का अर्थ है अतः नृपरूप से भी नृप आक्रमण में उपयोगी हो ही सकता है, फिर नृप को उपमान मानकर भी परिणाम नहीं सिद्ध किया जा सकता । आप कहेंगे विजृम्भण का जो अर्थ पण्डितराज ने लिखा है वही कवि का भी तात्पर्य विषय है और तदनुसार तो नृप अपने रूप से आक्रमण में उपयोगी होता नहीं, तो इसके उत्तर में यह कहा जायगा कि पण्डितराजोक्त विजृम्भण पदार्थ में ही कवि का तात्पर्य है इसमें प्रमाण नहीं ।" हिन्दी रसगङ्गाधरकार चतुर्वेदी जी यहाँ कहते हैं कि—'प्रमाण रहे अथवा नहीं, पर विद्याधर का तात्पर्य उसी अर्थ में है जो पण्डितराज ने लिखा है, अन्यथा परिणाम-ध्वनि की बात यहाँ वे नहीं लिखते ।'

दीक्षितोक्तमन्यदपि खण्डयति—

यदपि तैरेव परोक्ति दूषयित्वा स्वयं परिणामस्य व्यङ्ग्यतायामुक्तम्—

“चिराद् विषहसे तापं चित्त ! चिन्तां परित्यज ।

नन्वस्ति शीतलः शौरेः पादाब्जनखचन्द्रमाः ॥”

अत्र चिरतापात् प्रति हरिपादनखचन्द्रसद्भावप्रदर्शनेन तमेव निषेवस्व तन्निषेवणादयं तव तापः शान्तिमेष्यतीति परिणामो व्यङ्ग्यते” इति, तत्तुच्छम् । 'आरोप्यमाणस्य विषयात्मकत्वेन प्रकृतकार्योपयोगे परिणामः' इति स्वयमेवोक्तम् । तत्र प्रकृतकार्योपयोगमात्र न परिणामशरीरम् । अपि तु विषयिगतायाः प्रकृतकार्योपयोगिताया अवच्छेदकीभूतं विषयताद्रूप्यम् । एवं चात्र नखचन्द्रसद्भावप्रदर्शनेन तन्निषेवणादयं तव ताप शान्तिमेष्यतीति प्रकृतोपयोगिताया व्यङ्ग्यत्वेऽपि तदवच्छेदकीभूतस्य विषयिणि विषयताद्रूप्यरूपस्य परिणामस्य वाक्यवाच्यत्वात् शक्यसंसर्गत्वाद्वा सर्वथैव न व्यङ्ग्यत्वं वक्तुमुचितम् ।

तैरेवेति । अप्पयदीक्षितैरेवेत्यर्थ । परोक्ति विद्याधरोक्तिम् । व्यङ्ग्यतायामिति । उदा-

हरणमिति शेषः । तदुक्तमुदाहरणमनुवदति—चिरादिति । हे चित्त !, त्वम्, चिरात् बहो-  
कालात्, तापम् भवानलज्वालाम्, विषहसे अनुभवसिं, ( अतश्चिन्तितस्तिष्ठसि ) परन्तु  
ता चिन्ता, परित्यज मुञ्च । शौरे श्रीकृष्णस्य, यत् पादाब्जम् चरणकमलम्, कमलसद-  
शचरणाविति यावत्, तस्य ये नखा तद्रूपचन्द्रमा, ( शौरे पादाब्जेत्यत्र 'देवदत्तस्य  
गुरुकुलम् इति चत् समास' ) ननु निश्चयेन अस्तीति तदर्थः । संसारतापाकुलस्य पुनः  
स्वमानस प्रत्युक्तिरियम् । दीक्षितोक्तपरिणामध्वनिप्रतिपादनप्रकारमनुवदति—अत्रेति ।  
दीक्षितोक्त निरस्यति—तत्तुच्छमिति । तुच्छत्वे हेतुमाह—आरोग्यमाणस्येत्यादिना । विष-  
यिगताया इति । उपमाननिष्ठाया इत्यर्थः । विषयताद्रूप्यमिति । उपमेयताद्रूप्यम् इत्यर्थः ।  
परिणामशरीरमित्यस्यानुषङ्गः । फलितमाह एव चेति । उक्तस्य परिणामशरीरत्वे चेत्यर्थः ।  
वैयाकरणमतेनाह—वाक्येति । नैयायिकमतेनाह—शक्येति । 'चिराद् विषहसे—'इति  
श्लोके चिरतापार्त-चित्त प्रति हरिपादनखचन्द्रसद्भाव उक्तः । तेन 'तमेव सेवस्व, तत्सेव-  
नादेष ते तापः शान्तो भविष्यति इत्यर्थो व्यज्यते । एष चार्थः परिणामालङ्काररूपः, उप-  
मानस्य चन्द्रस्य नखरूपोपमेयात्मकतया तापशान्तिरूपप्रस्तुतकार्ये उपयोगात् । तथा च  
परिणामालङ्कारध्वनेरुदाहरण पद्यमिदं भवतीति दीक्षितेनोक्तम् न युक्तम्, विचारासहत्वात् ।  
तथाहि—'उपमान यत्रोपमेयरूपेण प्रकृतकार्योपयोगि तत्र परिणामः' इति स्वयं दीक्षिते-  
नापि कथितम् । तेन केवलस्य प्रकृतकार्योपयोगस्य परिणामस्वरूपत्व न सिद्धयति, अपि तु  
उपमानगतप्रकृतकार्योपयोगितावच्छेदकोपमेयताद्रूप्यस्य तत्स्वरूपत्व सिद्धयति—अर्थात्  
प्रकृतकार्योपयोग उपमाने उपमेयताद्रूप्यम् चेत्युभयाशस्य परिणामरूपता सिद्धयति । एव  
स्थितौ परिणामस्य व्यङ्ग्यताऽत्र न सम्भवति, उक्तोभयाशकपरिणामघटकप्रकृतोपयोगाशस्य  
'नखचन्द्रसेवनादय तव तापः शान्तो भविष्यति इत्याकारकस्य, नखचन्द्रसद्भाववर्णनेन  
व्यङ्ग्यत्वेऽपि 'उपमाने उपमेयताद्रूप्यस्याशान्तरसस्य परिणामशरीरघटकस्याव्यङ्ग्यत्वात् ।  
कथं तदशस्याव्यङ्ग्यत्वम् इति चेत् १ वैयाकरणमते पृथक् समासशर्के स्वीकारेण 'पादाब्ज-  
नखचन्द्रमा' इति समस्तवाक्यस्य नखचन्द्रमसोरिव तदीयताद्रूप्येऽपि शर्के सत्त्वेन तस्य  
वाच्यत्वात्, नैयायिकमते पुनः पृथक्शर्केरस्वीकारेण तस्य वाच्यत्वविरहेऽपि ससर्गमर्या-  
दया भानात् इति भावः ।

दीक्षित द्वारा कथित परिणाम ध्वनि के उदाहरण का अनुवाद कर खण्डन किया जाता है—यद्यपि इत्यादि । अप्ययदीक्षित ने विद्याधर की उक्ति को दूषित कर 'चिराद्-  
विषहसे—अर्थात् हे चित्त ! तू बहुत समय से सन्ताप सह रहा है और चिन्ता कर रहा  
है, पर मेरा कहना है कि तू चिन्ता करना छोड़ दे । श्रीकृष्ण के चरण-कमल का नख-  
रूप शीतल चन्द्रमा निश्चय ही वर्तमान है ।' इस पद्य को परिणाम-ध्वनि का उदाहरण  
कहा है और उसके उपपादन में लिखा है कि—यहाँ चिरकाल से सन्ताप-पीडित चित्त  
के प्रति 'श्रीकृष्ण के चरणकमल का नखरूपचन्द्र की सत्ता' दिखाने से जो 'उसी का  
सेवन करो, उसके सेवन से तेरा यह ताप शान्त होगा' यह अर्थ ध्वनित होता है वह  
परिणामालङ्काररूप है, क्योंकि इस अर्थ में उपमान(चन्द्र)का उपयोग उपमेय(नख)  
रूप से तापशान्तिरूप-प्रस्तुत कार्य में स्पष्ट है । पर उनका यह कथन ठीक नहीं है ।  
कारण, विचार करने पर यहाँ परिणाम का व्यङ्ग्य होना सिद्ध नहीं होता । देखिए—  
उन्होंने स्वयं कहा है कि—उपमान का उपमेयरूप से प्रस्तुत कार्य में उपयोग होने पर  
परिणाम होता है ।' इस कथन से केवल प्रस्तुत कार्य में उपयोग परिणाम का स्वरूप  
सिद्ध नहीं होता, किन्तु उपमान में रहनेवाली कार्योपयोगिता का अवच्छेदक-अर्थात्  
उपयोगिता का विलक्षण परिचायक-उपमेय का ताद्रूप्य ही परिणाम का स्वरूप (लक्षण)



सिद्ध होता है। तात्पर्य यह कि-उपयोगिता का नाम परिणाम नहीं, अपि तु उपयोगिता के अवच्छेदक ताद्रूप्य का नाम है। सारांश यह निकला कि-कार्योपयोग तथा-उपमान में उपमेय का ताद्रूप्य इन दोनों अंशों का सम्मिलित नाम परिणाम है। ऐसी स्थिति में यहाँ नख-चन्द्र की सत्ता के वर्णन से 'उसके सेवन से तेरा यह ताप शान्त होगा' इस प्रकृत-कार्योपयोगाश-अर्थात् उपमान की उपमेयरूप से प्रस्तुत कार्य में उपयोगिता-की व्यङ्ग्यता सिद्ध होने पर भी, उस उपयोगिता के अवच्छेदक-उपमान में उपमेय के ताद्रूप्य—( जो परिणाम का स्वरूप है ) की व्यङ्ग्यता सिद्ध नहीं होती, क्योंकि वह अश अतिरिक्तसमासशक्तिवादी वैयाकरणों के मत से 'पादाब्जनखचन्द्रमा.' इस वाक्य का वाच्य ही होता है, समास शक्ति नहीं मानने वाले नैयायिकों के मत से भी वह अश ( ताद्रूप्य ) शक्यार्थ के सम्बन्धरूप से भासित होता है। सारांश यह कि-जिन दो अंशों को मिलाकर परिणाम का स्वरूप तैयार होता है उन दोनों अंशों में से एक अंश यहाँ अवरय ही व्यङ्ग्य है, पर दूसरा अंश व्यङ्ग्य नहीं है—वह वाच्य अथवा सम्बन्ध रूप है, अतः 'परिणाम ( उक्त दो अंशों का मिश्रित स्वरूप ) यहाँ व्यङ्ग्य हुआ है' ऐसा नहीं कहा जा सकता। फलतः यह पद्य परिणाम-ध्वनि का उदाहरण नहीं हो सकता।

स्वसम्मत्तं परिणामध्वन्युदाहरण दर्शयितुमाह—

इदं तूदाहरणं युक्तम्—

तु पुन', इदं निम्ननिर्दिष्टम्, उदाहरणं परिणामध्वनेरिति यावत्, युक्तम् उचित-मित्यर्थ'।

परिणामध्वनि का उदाहरण निम्नलिखित पद्य हो सकता है—

उदाहरण निर्दिशति—

'इन्दुना परसौन्दर्यसिन्धुना बन्धुना विना ।

रमयां विषमस्तापः केन वा शमयिष्यते ॥'

परस्य उक्तृष्टस्य, सौन्दर्यस्य रमणीयतायाः सिन्धुना सागरेण, ( एतेन सौन्दर्य-स्यामृतरूपता ध्वन्यते ) अतिसुन्दरेणेति यावत्, बन्धुना बन्धुवद्विस्तसाधकेनेति यावत्, इन्दुना चन्द्रेण ( रमणीमुखेनेति व्यङ्ग्योऽर्थः ) विना, विषम' भयङ्कर', मम अयम्, तापः विरहताप इति भावः, केन, शमयिष्यते शान्तो विधास्यते, काका न केनापीत्यर्थ'।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—इन्दुना इत्यादि। परम सौन्दर्य के समुद्र मेरे बन्धु चन्द्रमा के विना ( व्यञ्जनया सुन्दर रमणीमुख के विना ) मेरा यह विषम ताप ( विरहताप ) अन्य किस से दूर किया जा सकता है ?

उपपादयति—

अत्र वक्तुर्विरहितया व्यज्यमानरमणीवदनाभिन्नत्वेनेन्दुरभिप्रेतः । तेन रूपे-  
णैव तस्य प्रकृतविरहसन्तापशमनहेतुत्वात् ।

'इन्दुना—' इति पद्यस्य विरही प्रकरणप्राप्तो वक्ता । विरहिणो विरहजन्यतापस्य शमक चन्द्र चन्द्रत्वेन रूपेण न सम्भवति, तस्योद्दीपकत्वेन स्वरूपतो विरहतापवर्धक-त्वात् । अतोऽत्र प्रेयसीमुखाभिन्न ( तद्रूप ) चन्द्रो वक्तुर्विवक्षित' । प्रेयसीमुखश्च नात्र वाच्यम्, अपि तु वक्तुर्विरहेण प्रकरणप्राप्तेन व्यङ्ग्यम् । तथा च वाच्यस्य चन्द्ररूपोपमानस्य व्यङ्ग्यरमणीमुखरूपोपमेयात्मकत्वेन तापशान्तावुपयुज्यमानत्वात्परिणामध्वनेरिति भावः ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि। 'इन्दुना—' इस पद्य का वक्ता प्रकरणप्राप्त विरही है। अतः ध्वनित होनेवाले सुन्दरी-मुख से अभिन्न रूपमें चन्द्र अभिमत है।

त्पर्य यह कि-विरही वक्ता को सुन्दरी-मुखचन्द्र चाहिए, यह प्रसिद्ध चन्द्र नहीं।

कारण, विरहताप को चन्द्र रमणीमुखरूप से ही शान्त कर सकता है, अपने रूप से (चन्द्ररूप से) नहीं। अभिप्राय यह कि-यहाँ व्यङ्ग्य(उपमेय)रमणीमुखरूप से, वाच्य उपमान(चन्द्र), तापशान्तिरूप-प्रस्तुत कार्य में उपयोगी होता है, अतः यह पद्य परिणाम-ध्वनि का उदाहरण है।

अत्रातिशयोक्तिमाशङ्क्य निराकुरुते—

न चात्र विषयनिगरणात्मिकातिशयोक्तिर्वक्तुं शक्या, तस्यां ह्यारोप्यमाणाभिन्नत्वेन विषयस्य प्रत्ययात्। यथा 'कमलं कनकलतायाम्' इत्यादौ कनकलताऽभिन्नायां वनितायां कमलाभिन्न मुखमिति।

अतिशयोक्तेरेको भेदस्तादृशः सर्वसम्मतो यत्र विषय. (उपमेयभूत पदार्थ) निर्गणस्तिष्ठति-अर्थात् उपमेयबुबोधविषयोपमानवाचकपदमेवोपात्त भवति, उपमेयवाचकपदं न। सौऽतिशयोक्तेर्भेद एव 'इन्दुना—' इत्यत्र कुतो नाङ्गीक्रियते? अत्रापि उपमेयतात्पर्येणोपमानमात्रोपादानादिति शङ्कादलस्याशयः। अतिशयोक्तौ उपमानाभिन्नत्वेनोपमेयस्य प्रतीतिर्भवति-अर्थात् उपमानप्रतियोगिकामेद उपमेये गृह्यते, यथा 'कनकलताया कमलम्' इत्यत्र सुवर्णलताभिन्नायां कामिन्या कमलाभिन्न मुखमिति प्रतीयते-अर्थात् 'कनक—' इत्यत्र कनकलताकमलयोरुपमानभूतपदार्थयो अभेद कामिनीतन्मुखयोरुपमेयभूतयो पदार्थयोर्विज्ञायते। अतः तत्रातिशयोक्तेरुक्तो भेद सम्भवति, प्रकृते तु नेति च समाधानाशयः।

यहाँ अतिशयोक्ति की आशङ्का करके उसका समाधान किया जाता है-न च इत्यादि। 'इन्दुना—' इस पद्य में परिणाम व्यङ्ग्य नहीं है, किन्तु वाच्य अतिशयोक्ति है, क्योंकि यहाँ उपमान-चन्द्र-के द्वारा उपमेय-मुख-का निगरण है, मुख का बोध कराने के लिये ही चन्द्र पद प्रयुक्त हुआ है ऐसी आशङ्का भी उचित नहीं। कारण, अतिशयोक्ति में उपमेय की प्रतीति उपमान से अभिन्नरूप में होती है। जैसे—'कनकलता में कमल' यहाँ 'कनकलता से अभिन्न कामिनी में कमल से अभिन्न मुख' यह प्रतीति होती है।

ननु प्रकृते कीदृशी प्रतीतियाऽतिशयोक्तेः प्रतिकूला परिणामस्य चातुक्तेति चेत्? तादृशीम् प्रतीतिसुपपादयति—

इह तु मुखस्य चन्द्राभिन्नत्वेन प्रत्यये न पुनर्विरहतापशमनरूपप्रकृतकार्यसिद्धिरिति चन्द्रस्यारोप्यमाणस्य मुखरूपविषयाभिन्नत्वं मृग्यम्। तच्च व्यङ्ग्यतायामेव भवतीति परिणामध्वनिरेवायम्, नातिशयोक्तिः।

मृग्यमेषितव्यम्। तच्च तदभिन्नत्वञ्च व्यङ्ग्यतायामिति। परिणामस्य व्यङ्ग्यतायामिति भावः। उपमेयस्य व्यङ्ग्यता तूमयोस्तुल्यैवेति बोध्यम्। 'इन्दुना—' इति पद्ये उपमानस्य चन्द्रस्योपमेयभूतमुखाभिन्नत्व गृह्यते, अर्थात् नुत्रप्रतियोगिकामेदाश्रयश्चन्द्र इत्येवोचितत्वात्प्रतीति, नतु मुखरूपस्योपमेयस्य चन्द्ररूपोपमानाभिन्नत्वं गृह्यते-अर्थात् चन्द्रप्रतियोगिकामेदाश्रयोभूत मुखम् इति प्रतीतिर्न भवति, यतः तादृशप्रतीतौ मुखस्यापि चन्द्ररूपतासिद्धौ प्रस्तुतस्य विरहतापशान्तिरूपस्य कार्यस्य पूर्तिर्न भवितुमर्हति, चन्द्ररूपोऽयम् इति बुद्धेरपि चन्द्रोऽयम् इति धुद्विवन् विरहतापकरत्वत्येवानुभवसिद्धत्वात्। एवञ्चोपमानप्रतियोगिकामेदाश्रयोपमेयप्रतीतिमूलकातिशयोक्तिर्नह सम्भवदुक्तिका। परिणामस्तु प्रकृतकार्योपयोग्युपमेयप्रतियोगिकोपमानाश्रयकामेदप्रतीतिमूलक सम्भवदुक्तिक एव। स च परिणामोऽत्र न वाच्य, उपमेयस्यावाच्यत्वात् अपि तु व्यङ्ग्यः, उपमानतिष्ठ-

तादात्म्यप्रतियोग्युपमेयस्य व्यङ्ग्यत्व एव 'परिणामो व्यङ्ग्य' इति व्यवहारात् । तथा च परिणामध्वनिरत्र सुस्थ इति भावः ।

प्रकृत पद्य से कैसे प्रतीति होती है जो अतिशयोक्ति के प्रतिकूल पड़ती है और परिणाम के अनुकूल ? तथा वैसी ही प्रतीति क्यों होती है ? इन जिज्ञासाओं की शान्ति के लिये कहा जाता है—इह तु इत्यादि । 'इन्दुना—' इस पद्य से चन्द्ररूप उपमान में मुखरूप उपमेय का अभेद प्रतीत होता है, क्योंकि वही समुचित है और औचित्य यह है कि—उस प्रतीति से चन्द्र को मुखरूप समझना फलित होता है जिससे विरह तापशान्तिरूप प्रस्तुत कार्य की सिद्धि होती है । प्रेयसीमुखदर्शन से विरहशान्ति अनुभवसिद्ध है । मुखरूप उपमेय में चन्द्ररूप उपमान का अभेद तो यहाँ प्रतीयमान माना नहीं जा सकता, क्योंकि उस तरह की प्रतीति से मुख को भी चन्द्ररूप समझना फलित होगा और 'चन्द्ररूप यह है' इस तरह की प्रतीति होने पर उक्त प्रस्तुत कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती—अर्थात् किसी को चन्द्ररूप समझ लेने पर विरहियों की ताप-वृद्धि ही अनुभवसिद्ध है । ऐसी स्थिति में यहाँ वह अतिशयोक्ति हो नहीं सकती जिसके लिये उपमेय में उपमारूपता की प्रतीति नियमतः अपेक्षित है । हाँ, वह परिणाम अवश्य हो सकता है जिसके लिये उपमान में उपमेयरूपता की प्रतीति अपेक्षित रहती है और उपमेयरूप में ही उपमान का प्रस्तुत कार्योपयोगी होना अपेक्षित ही रहता है । पर यहाँ का यह परिणाम वाच्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस पर चमत्कार निर्भर है वह उपमेय यहाँ वाच्य नहीं है, व्यङ्ग्य वह यहाँ कहा जा सकता है, क्योंकि जिसका तादात्म्य गृहीत होने से चमत्कार उत्पन्न होता है उस उपमेय के व्यङ्ग्य होने पर ही व्यङ्ग्य परिणाम का व्यवहार होता है । अतः यहाँ परिणाम ध्वनि है अतिशयोक्ति नहीं, यह सारांश समझना चाहिए ।

ध्वनि विशेषत्वं प्रकृतध्वने. स्फोरयति—

अयं त्वर्थशक्तिमूलः ।

'इन्दुना—' इति श्लोकगत परिणामध्वनिः अर्थशक्तिमूल, पदाना परिवृत्तिसहत्वादिति भावः ।

'इन्दुना—' इस पद्य में होनेवाली परिणामध्वनि अर्थशक्तिमूलक है, क्योंकि यहाँ के पद परिवृत्तिसह हैं—बदले जा सकते हैं । सारांश यह कि जहाँ शब्द बदलने योग्य रहते हैं—अर्थात् जहाँ जिन शब्दों के स्थान पर तत्पत्र्याय दूसरे शब्दों को रखने पर भी ध्वनि होती ही रहे—वहाँ वे शब्द ध्वनिसाधक होते नहीं, अपितु वह, अर्थ ध्वनिसाधक सिद्ध होता है, अतः वहाँ की ध्वनि अर्थशक्तिमूलक कहलाती है ।

भेदान्तरमुदाहर्तुमाह—

शब्दशक्तिमूलपरिणामध्वनिर्यथा—

शब्दशक्तिमूलक परिणामध्वनि का उदाहरण जैसे—

उदाहरण निर्दिशति—

'पान्थ मन्दमते किं वा सन्तापमनुविन्दसि ।

पयोधरं समाशास्व येन शान्तिमवाप्नुयाः ॥'

हे मन्दमते मन्दबुद्धे, पान्थ पथिक ! विरहिन् ! इति यावत्, त्वम्, किम् किमर्थम्, सन्ताप प्रवल दाहम्, अनुविन्दसि प्राप्नोसि ? पयोधर मेघ ( वस्तुतः स्तनम् ), समाशास्व, ( तस्याशा कुरु इति समुदितार्थ ), येन आशाविशेषेण, शान्तिम्, अवाप्नुया लभेया इत्यर्थः ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—पान्थ इत्यादि । हे मन्दबुद्धिवाले पथिक ! तू क्यों सन्ताप पा रहा है ? शीघ्र पयोधर ( मेघ वस्तुतः स्तन ) की आज्ञा कर, जिससे कि शान्तिमान हो ।

उपपादयति—

अत्र भ्रूणिति तापशमहेतुत्वेनोपस्थिते पञ्चान्मद्-(मति-पद्)-बोधनीयविशेष्यकस्मरतापवत्तावैषिष्यबुद्धौ सत्यां सहृदयस्य तादृशतापशामकरमणीस्तनरूपविषयताद्रूप्यबुद्धिर्भवति ।

भ्रूणिति शीघ्रम् । उपस्थिते इति । नेचे इति भावः । अत्र भावः—‘पान्थ—’इत्यत्र पयोधरपदात् प्रथम तापशान्तिकारणत्वेन प्रसिद्धो मेघरूपार्थ उपस्थितो भवति, ततः ‘मन्दमते’ इति सम्बोधनस्य ‘विरहतापशान्त्युत्पादनवधारणेन तत्र बुद्धौ मन्दता’ इत्यर्था-नुसन्धानेन ‘विरही स्मरतापवत्ताविशिष्ट’ इत्याकारके मन्दमतिपदबोधविरहविशेष्यक-स्मरतापवत्तावैशिष्यज्ञाने सति सहृदय प्राग्निबोधोपस्थिते पयोधरपदार्थरूपे उपमाने स्मरतापशान्तकारणानिनीस्तनरूपोपमेधतादात्म्यं बुध्यते इति । प्राग्निबोधोपस्थितः पयोधरपदार्थो नेचोऽत्रोपमानम्, पश्चाद् व्यञ्जनोपस्थितः पयोधरपदार्थ एव स्तनीस्तन उपमेयः, अत्रोक्ते तादात्म्यमत्र भास्वते, तत्रोपमेयं तादात्म्यस्य प्रतियोगी, तन्प्रतियोगि-कतादात्म्येनैव प्रकृतस्मरतापशान्तिकार्यसिद्धिसम्भवाद्, उपमानञ्च तादात्म्यस्याश्रयः । तथा च प्रकृतकार्योपयोगितावच्छेदत्रोपमानत्रोटो-मेयप्रतियोगिकतादात्म्यप्रतीत्या परिणाम-त्पद्यः, स त्रोपमेयस्य व्यञ्जनेन व्यञ्ज्य इति परिणामध्वनिः पयोधरपदस्य परिवृत्त्यसह-तया शब्दशक्तिमूल इति स्पष्टार्थः ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि । ‘पान्थ मन्दमते—’ इस पद्य में तापशान्ति के कारणरूप में प्रसिद्ध होने के कारण, प्रथमतः ‘पयोधर’ पद से मेघरूप अर्थ अभिधा-वृत्ति द्वारा उपस्थित होता है । परन्तु वाद में जब ‘मन्दमति’ इस सम्बोधन की ओर ध्यान जाता है और तापशान्ति का उपाय न सोच सकने के कारण विरही मन्दबुद्धि है यह विदित हो जाता है तब अनायास ही मन्दमति पद से अवगत होनेवाला-विरही—जिसमें विशेष्य होता है और काम ताप जिसमें विशेषण होता है ऐसा—अर्थात् ‘विरही कामतापवाला है’ इस तरह का बोध हो जाता है, और इस बोध के हो जानेपर व्यञ्जना द्वारा कामतापशान्तिरूप में पयोधर पद से ही उपस्थित होनेवाले कामिनीस्तनरूप उपमेय का तादात्म्य उसी पद से अभिधाद्वारा पहले उपस्थित मेघरूप उपमान में सहृदय को ज्ञात होता है । कहने का सारांश यह कि—अभिधाद्वारा उपस्थित मेघरूप पयोधर पदार्थ उपमान है और व्यञ्जना द्वारा उपस्थित पयोधर पद का ही अर्थ-कामिनी-स्तन उपमेय है । इन दोनों में से उपमेय का ही ताद्रूप्य उपमान में यहाँ प्रतीत होता है, उपमान का ताद्रूप्य उपमेय में नहीं, क्योंकि उपमेय(स्तन)से अभिन्न उपमान(मेघ) को समझने से ही कामतापशान्तिरूप कार्य की सिद्धि हो सकती है, मेघरूप उपमान से अभिन्न स्तनरूप उपमेय को समझने से नहीं । ऐसी स्थिति में परिणाम यहाँ स्पष्ट है और वह व्यङ्ग्य इसलिये माना जाता है कि—उपमेय व्यङ्ग्य है । फलतः परिणामध्वनि बड़ा उदाहरण यह पद्य ठीक है । यह ध्वनि शब्दशक्तिमूलक इनलिये मानी जानी है कि—‘पयोधर’ पद यहाँ परिवर्तित होने योग्य नहीं है ।

परिणामगतमेपरिचायनायाह—

दोषाश्चात्रापि पूर्ववदुन्नेयाः ।

रूपके चया ये लिङ्गेनादयो दोषा उक्तास्ते तर्कवात्रापि बोध्या इति भावः ।

रूपक में जो लिङ्गभेद आदि दोष बतलाए गए हैं वे ही सब दोष परिणाम में भी हो सकते हैं यह समझ लेना चाहिए ।

इति रसगङ्गाधरचन्द्रिकायां परिणामालङ्कारप्रकरणं समाप्तम् ।

परिणामालङ्कारनिरूपणानन्तरमिदानीं ससन्देहालङ्कारनिरूपणं कर्तव्यत्वेन प्रतिजानीते—

अथ ससन्देहः—

अथेति । परिणामालङ्कारनिरूपणानन्तरमित्यर्थः । ससन्देहः । तदाख्योऽलङ्कारः । निरूप्यते इति शेषः ।

‘परिणाम’ का निरूपण कर लेने के बाद अब ‘ससन्देह’ का निरूपण किया जाता है—

तत्र तावत्तल्लक्षणमाह—

सादृश्यमूला भासमानविरोधका समबला नानाकोट्यवगाहिनी धो रमणीया ससन्देहालङ्कृतिः ।

सादृश्यमूलेति । सादृश्यज्ञानरूपदोषजन्येत्यर्थः । भासमानेति । भासमान. = विषयी-भवनं विरोधो यस्याम् सा भासमानविरोधा, ततः समासान्ते कप्रत्यये, पूर्वाकारस्य ह्रस्वत्वे, टापि यथोक्त रूप सिद्धयति । धकारोत्तराकारस्येत्वं तु वैकल्पिकत्वान्नेति भावः । समबलेति । समानकोटिद्वयभासकसामग्रीजन्येत्यर्थः । नानेति । स्फुटत्वार्थमिदम् । कोट्यवगाहिनीति । विरुद्धानेकधर्मविषयिणीति । समुदितार्थः । धोः । बुद्धिरित्यर्थः । रमणीयेति । चमत्कारकरीत्यर्थः । ससन्देहालङ्कृतिरिति । तादृशधोवृत्तिसन्देहत्वप्रकारकज्ञानविषया बुद्धिः ससन्देहालङ्कृतिरिति विवक्षितोऽर्थः । ईदृशविवक्षाफलं प्रथमोदाहरणव्याख्याया स्फुटीभविष्यति ।

सर्वप्रथम ससन्देह का लक्षण किया जाता है—सादृश्यमूलेत्यादि । सादृश्य-ज्ञान-रूप दोष से होनेवाला एव जिसमें विरोध भासित होता हो और जिसमें अनेक कोटियों को भासित करनेवाली सामग्री ( कारणसमूह ) समानबलशालिनी हो ऐसा अनेक कोटियों ( धर्मविशेषों ) का अवगाहन करनेवाला ज्ञान, सुन्दर होने पर, ‘ससन्देह’ अलङ्कार कहलाता है । तात्पर्य यह कि उक्त तरह के सन्देह पदार्थ का ज्ञान ‘ससन्देह’ अलङ्कार होता है । इस तरह के तात्पर्य वर्णन का फल उदाहरण की व्याख्या में स्पष्ट किया जायगा ।

पदकृत्यान्याह—

‘अधिरोप्य हरस्य हन्त चापं परितापं प्रशमय्य बान्धवानाम् ।

परिणोष्यति वा न वा युवाऽयं निरपायं मिथिलाधिनाथपुत्रीम् ॥’

अत्र मिथिलास्थजनोक्तौ तच्चिन्ताभिव्यञ्जके संशयमात्रेऽतिव्याप्तिवारणाय सादृश्यमूलेति । सादृश्यज्ञानरूपदोषजन्येत्यर्थः । तेन ‘सिंहवत् प्रान्तरं गच्छ गृहं सेवस्व वा श्ववत्’ इत्युपमाविकल्पे वाकारप्रतीतविरोधकप्रान्तरगमन-गृहसेवन-रूपनानाधर्मावगाहिनि सादृश्यविषयकेऽपि नातिप्रसङ्गः । तस्य सादृश्यज्ञानरूपत्वात् । मालारूपकातिप्रसङ्गवारणाय भासमानविरोधकेति । उत्प्रेक्षाव्यावृत्तये समबलेति समानभासकसामग्रीत्वार्थकम् । एतद्विशेषणद्वयप्राप्तस्यैवानेकत्वस्य स्फुटत्वार्थं नानेति । स्थाणुर्वा पुरुषो वेति लौकिकसंशयनिवृत्तये रमणीयेति, चमत्कारिणीत्यर्थः । एतच्च विशेषणं सामान्यालङ्कारलक्षणप्राप्तमेव ।

एवमुपस्कारकत्वमपि बोध्यम् । एतद्विशेषणद्वयस्य सादृश्यमूलत्वस्य चाभावे संशयमात्रमेव ।

सादृश्यमूलेतिविशेषणफलमभिधातु पद्यमुपन्यस्यति—अधिरोप्य इति । अयं दृग्गोचरीभूत, युवा युवक रामचन्द्र इति यावत्, हरस्य शम्भो, चाप धनु, अधिरोप्य आकृष्य, बान्धवाना विश्वामित्रादीनाम्, परितापं चिन्ताविशेषम्, प्रशमप्य शमयित्वा, च, मिथिलाधिनायस्य जनकस्य, पुत्रां तनयाम् सीतामिति यावत्, निरपायं निर्विघ्नम् यथा स्यात्तथा, परिरोष्यति विवाहयिष्यति, न वा अथवा न विवाहयिष्यति इति तदर्थ । हन्त इति खेदे । खेदश्चाभिमतसीतारामपरिणयसंशयजन्य इति बोध्यम् । वक्तव्यमुपपादयति—अत्रेत्यादिना । तच्चिन्तेति । मिथिलास्यजनचिन्तेत्यर्थ । संशयमात्रे इति । अलङ्कारत्वरहिते सज्ये इत्यर्थ । 'अधिरोप्य-' इत्यत्र रामकर्तृकसीताकर्मकपरिणयतदभावरूपविरुद्धकोटिज्ञानरूप सन्देहो यद्यपि वर्णितस्तथापि नासावलङ्कार' तस्य चिन्तामूलकत्वेन सादृश्यमूलकत्वाभावात् । ईदृशसन्देहवारणायैव लक्षणे सादृश्यमूलत्वोक्तिरिति भाव । यद्यपि प्रकृतपद्ये संशयस्य न सादृश्यमूलत्वमिति यथाश्रुतेनैव वारणं सम्भवति, तथाप्यन्यत्राप्यदोषाय सादृश्यमूलेति विशेषणस्यार्थविशेषमाह—सादृश्यज्ञानेति । 'इदमस्य सदृशम्' इत्याद्याकारक यत् सादृश्यज्ञानम् तद्रूपो यो दोष तज्जन्यज्ञानविशेष इति तदर्थ । एतादृशार्थकरणफलमाह—तेनेति । तथार्थविवक्षणेनेत्यर्थ । 'सिंहवत्—' इति । 'सिंहो यथाऽरण्य गच्छति तथा त्वमरण्य याहि, अथवा श्वा कुक्कुट', यथा गृह सेवते तथा त्वमपि गृह सेवस्व' इत्यर्थ । उपमाविकल्पोऽयम् । अत्र 'वा' पदेन विरोधः, अरण्यगमनगृहसेवनत्पक्रोद्विच्यं सादृश्य च विषयतया भासन्ते इति यथाश्रुतसन्देहलक्षणमत्रापि प्रसज्येत अत 'सादृश्यमूला' इत्यस्यार्थविशेषकरणभावश्यकं जातम्, तादृशार्थकरणे तु नात्रोपमाविकल्पे लक्षणातिप्रसक्ति, तस्योपमाविकल्पस्य सादृश्यज्ञानरूपत्वेन सादृश्यज्ञानरूपदोषजन्यत्वविरहात् इति भाव । भासमानेतिविशेषणव्यावर्त्य दर्शयितु प्रक्रमते—मालारूपकेति । 'धर्मस्यात्मा भागधेय क्षमाया सार सृष्टे' इत्यादावित्यर्थ । सादृश्यज्ञानरूपदोषजन्य राजधर्मिकम् धर्मान्तर-क्षमाभागधेयत्व-सृष्टि-सारत्वरूपनानाधर्मिक ज्ञान यद्यपि अत्र वर्णितम् तथापि न तन् संशयरूपं प्रोक्तनानाधर्माणा मिथोविरोधाभावेन 'भासमानविरोधका' इति विशेषणेन वारणात् इति भाव । समवलेतिविशेषणफल दर्शयितु चेष्टते—उन्प्रेक्षेति । 'धूमस्तोम तम शङ्के' इत्यादावित्यर्थ । ननु धीविशेषणतयोक्तमपि समवलच्च वस्तुतः कोट्योरेव पर्यवसीयते तथा च कथ तेन विशेषणेनोत्प्रेक्षाव्यावृत्ति, तत्रापि तयोस्तुल्यवलच्चस्य सत्त्वादत् आह—समानेति । समाना = समानस्थितिका, भासिका = कोटिद्वयभानजनिका सामग्री यस्याधिस्तदादृशी धीरित्यर्थ । तथा च कोटिद्वयभासकमानप्रथा समवलच्च विवक्षितम्, न तु कोटिद्वयस्येति भाव । एवञ्च वस्तुतो धीविशेषणमेव समवलेति साराशः । अयमभिप्राय—आहार्यसम्भावनात्मिकाया 'धूमस्तोमं तम शङ्के' इत्याद्युत्प्रेक्षाया तम-आदिविधेयकोटिभासिका सामग्री उक्त्या, विधेयाशे आहार्यपदार्थघटकेच्छारूपहेतोरुत्कृत्वात्, तथा च तत्रत्या धीर्न कोटिद्वयभानकसमवलसामान्रान्येति तद्वारणाय तदर्थकं 'समबला' इति विशेषणमिति । 'समान भासते तादृशी । भासनाविषयकज्ञानग्री समाना भवेदित्याशय ।' इति सरलाकारस्य भट्टमहोदयस्य विवरणं वस्तुतत्त्वं कियत् स्पृशतीति दार्शनिकैः साहित्यिकैरवधारणीयम् । नन्वेव नानेति व्यर्थमत आह—एतद्विशेषणद्वयेति ।

‘भासमानविरोधका’ ‘समबला’ इति विशेषणद्वयेत्यर्थः । अनेकत्वस्येति । अनेकधर्मकस्य संशयस्येत्यर्थः । रमणीयेति विशेषणफल प्रदर्शयितुमाह—स्थाणुरिति । ‘स्थाणुर्वा पुरुषो वा’ इति ज्ञान यद्यप्युक्तसशयलक्षणाक्रान्तम्, तथापि नालङ्काररूपम्, तस्य लौकिकत्वेन ( क्विप्रतिभाऽनुत्थापितत्वेन ) अचमत्कारित्वात् । एतद्वारणायैव लक्षणे ‘रमणीया’ इति विशेषणप्रवेश इति भावः । नेदं विशेषणमत्र विशेषतो निवेशनीयम्, उपस्कारकत्वस्य रमणीयत्वस्य च सकलालङ्कारलक्षणेषु सामान्यतो निवेशस्य प्रागुक्तत्वादित्याह—एतच्चेति । पर्यवसितमाह—एतदिति । रमणीयत्वोपस्कारकत्वद्वयेत्यर्थः । यः सशयो रमणीयः, उपस्कारकः, सादृश्यमूलो वा न भवेत्, स केवल सशयः, नालङ्कार इति भावः ।

उक्त ससन्देहालङ्कार के लक्षण में दिए गए विशेषणों के फल दिखलाये जाते हैं— अधिरोप्य इत्यादि । ‘अधिरोप्य—अर्थात् हाय ! शिवजी के धनुष को चढ़ाकर और विश्वामित्र आदि बान्धवों का सन्ताप शान्त कर यह युवक ( रामचन्द्र ) जनकतनया सीता को निविघ्न व्याहेगा अथवा नहीं ?’ मिथिलापुरी के निवासियों की इस उक्ति में, उनकी ( मिथिलावासियों की ) चिन्ता को अभिव्यक्त करनेवाले शुद्ध ( अलङ्कारत्व शून्य ) सन्देह में प्राप्त अतिव्याप्ति का वारण करने के लिये लक्षण में ‘सादृश्यमूल’ यह विशेषण दिया गया है, जिसका अर्थ है ‘सादृश्यज्ञानरूपदोष से उत्पन्न होनेवाली’ । ऐसा अर्थ करने का फल यह है कि ‘सिंहवत्—अर्थात् सिंह की तरह निर्जन वन में चला जा अथवा कुत्ते की तरह घर की सेवा करता रह ।’ इस उपमा-विकल्प ( दो तरह के सादृश्यों का पाक्षिक ज्ञान ) में उक्त लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होती, क्योंकि यह विकल्प सादृश्यज्ञानरूप ही है, सादृश्य-ज्ञान-रूप-दोष से उत्पन्न होनेवाला नहीं । यदि ऐसा अर्थ नहीं किया जाता तब तो उक्त उपमा-विकल्प में अतिप्रसङ्ग हो ही जाता, क्योंकि वह भी—‘वा’ ( अथवा ) शब्द से जिनमें विरोध की प्रतीति होती है ऐसे वनगमन तथा गृहसेवन रूप अनेक धर्मों ( कोटियों ) का अवगाहन करनेवाला— और सादृश्य के विषय में होनेवाला ज्ञानरूप है । सारांश यह कि—‘सादृश्यमूल’ इस विशेषण का ‘सादृश्य जिसके मूल में हो ऐसी’ यह जो अर्थ आपाततः ज्ञात होता है उससे भी ‘अधिरोप्य—’ इस पद्य में अतिव्याप्ति का वारण हो जा सकता है, क्योंकि वहाँ के सन्देह के मूल में सादृश्य नहीं अपितु चिन्ता है, तथापि ‘सिंहवत्—’ इत्यादि स्थलों पर अतिप्रसङ्गवारणार्थ उसका पूर्वोक्त अर्थ करना पड़ता है, क्योंकि आपाततः ज्ञात होनेवाले अर्थ से यहाँ काम नहीं चल सकता था । कारण, इस उपमा-विकल्प के मूल में सादृश्य है ही । फलतः उक्त दोनों ही स्थलों में अतिप्रसङ्ग का वारण उक्तार्थक उक्त विशेषण का फल होता है ‘यह राजा धर्म की आत्मा, चमा का भाग्य और सृष्टि का सार है’ इत्यादि ‘मालारूपक’ में भी समानबल, सादृश्यमूलक, अनेककोट्यवगाही ज्ञान होता है । उसमें प्राप्त अतिप्रसङ्ग का वारण करने के लिये लक्षण में ‘भासमान-विरोधका’ यह विशेषण जोड़ा गया है । ‘मालारूपक’ में भासित होनेवाले अनेक धर्म परस्पर विरुद्ध नहीं रहते, अतः उक्त विशेषण से उसका वारण हो जाता है । ‘धूम-स्तोम तम-शङ्के—अर्थात् मैं तम में धूमसमूह की शङ्का करता हूँ’ इत्यादि उत्प्रेक्षा में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिये लक्षण में ‘समबला’ यह विशेषण दिया गया है । आप कहेंगे—उक्त विशेषण शब्दतः यद्यपि ‘धी.’ में दिया गया है, तथापि अर्थतः वह ‘कोटिद्वय’ का ही विशेषण होगा—अर्थात् उक्त विशेषण का फलितार्थ यही होगा कि ‘जिस ज्ञान में समानबलवाली दो कोटियाँ भासित हों ।’ ऐसी स्थिति में उस विशेषण से उक्त उत्प्रेक्षा का वारण कैसे होगा ? क्योंकि वहाँ भी दोनों ( तम तथा धूम ) कोटियाँ समानबलशालिनी हैं, तो इसके उत्तर में ग्रन्थकार का कथन है कि ‘समबल’ । वह ज्ञान का ही विशेषण है, कोटिद्वय का नहीं और उसका अर्थ है ‘जिस ज्ञान में

दोनों कोटियों को भासित करनेवाली सामग्री ( कारण-सन्देह ) समान—वृत्त्यवल—हो । अब आप देखें कि उक्त उल्लेख का वारण उससे होता है कि नहीं । अवश्य होता है, क्योंकि उल्लेख बाह्य ( बाधित होकर भी इच्छाजन्य ) सम्भावनारूप होती है, अतः वहाँ दो कोटियों को भासित करने वाली सामग्री के अन्तर्गत उल्लेख करनेवाले की इच्छा भी एक है और वह इच्छा विशेषकोटि में उल्लेख है—अर्थात् उल्लेख में धूम-सन्देह के भाव की जैसी उल्लेख इच्छा है वैसी तन के भाव की नहीं—अतएव तो वह वस्तुतः तन की धूमत्वेन सम्भावना करता है । इस तरह यद्यपि 'भावनानविरोधका' तथा 'भनबला' इन दोनों विशेषणों से ही ज्ञात हो जाता है कि—'निल ज्ञान में अनेक कोटि हों, तथापि उक्त दोनों विशेषणों से प्राप्त हुई कोटियों की अनेकता को स्पष्ट करने के लिये 'कोटि ने 'नाना ( अनेक ) विशेषण कहा गया है । 'स्थापुर्वा पुत्पो वा—अर्थात् ठूँठ है अथवा अनुप्य है इस लौकिक सन्देह की निवृत्ति के लिये लक्षण ने 'रमणीया' यह कहा गया है, जिसका अर्थ है 'चमत्कार युक्त' । उक्त लौकिक सन्देह चमत्कार-युक्त नहीं, अतः उसका उक्त विशेषण से वारण हो जाता है । यह ( रमणीय ) विशेषण अलङ्कार-सामान्य के लक्षण से प्राप्त है—अर्थात् चमत्कार-युक्त पदार्थ ही अलङ्कार कहलाता है यह बात सभी अलङ्कारों के लिये समझनी चाहिये, उसी बात की याद दिलाने के लिये यहाँ 'रमणीया' कह दिया गया है । फलतः यह लक्षण का कोई खास अंश नहीं है । इसी तरह 'उपस्कारकत्व' भी सभी अलङ्कारों के लिये सामान्य विशेषण समझना चाहिये—अर्थात् जो पदार्थ स्वयं गौण रहकर किसी प्रधान अर्थ को शोभित करनेवाला होता है वही अलङ्कार कहलाता है यह बात समानरूप से सभी अलङ्कारों में समझ लेनी चाहिये । इन दोनों विशेषणों में से एक भी यदि सहृदित नहीं होता हो और इन दोनों के सहृदित होते रहने पर भी यदि सादृश्य ज्ञान-रूपदोष से उत्पन्न न हुआ हो तो अपेक्षित अन्य बातों के रहने पर वह ज्ञान-विशेष संशय कहा जा सकता है, सन्देहालङ्कार नहीं ।

ननु संशये विरोधो न भासते मानमावात् । त्रिचविरोधित्वज्ञानामावविशिष्टानाना-  
त्रोटिज्ञाननेव संशय इति उक्त उल्लेखामित्यतो लक्षणांतरमाह—

यद्वा 'सादृश्यहेतुका निश्चयसम्भावनान्यतरभिन्ना धी रमणीया संशया-  
लङ्कृतिः' ।

निश्चयसम्भावनोभयभेदस्यैकस्मिन् निश्चये सम्भवने च सत्त्वात्तयोक्तौ तत्रातिप्रसङ्गा-  
पत्तेराह—अन्यतरंति । तथा च सम्भावनाभिन्नत्वे सति निश्चयनिश्चयनिश्चयत्वमात्र  
रूपकोशेषादावतिप्रसङ्गतत्र निश्चयसम्भावनान्यतरत्वस्यैव सत्त्वादिति भावः । तत्रालिनेत्रं  
वेति वाक्याद्विरोधनादवतिप्रसङ्गतेऽलित्ववानयनत्वित्ववित्त्वनेत्रत्ववानिति विशिष्टवैशिष्टयन्या-  
येन, एतत् द्वयमिति न्यायेन वा बोधः । अलिशब्दस्य च वाशब्दत्वमिच्छाहारे उभयत्रा-  
न्वयः । व्युत्पत्तिवैविध्यात् । केचित्तु वाशब्दद्वयत्वमिति त्ववित्त्वनेत्रत्ववान्यं नेत्रत्वविद्वान्-  
लित्ववानिति बोधनाह । तद्वान्वादे तु अलित्ववान्य नेत्रत्ववानिति बोधः । ननुचये  
त्वेतन्मतेऽविरोधनान्मङ्गीकरणमिति दिक् ।

यदि कहा जाय कि—सन्देह में विरोध नहीं भासित होता । कारण वहाँ उसके  
भासित होने में कोई प्रमाण नहीं है । अतः सन्देह उस ज्ञान को कड़ना चाहिये जिसमें  
ऐसे दो धर्म—जिनके विषय में अविरोध का ज्ञान नहीं हो—विशेषणरूप से भासित हों ।  
ऐसी स्थिति में सन्देह का उक्त लक्षण ठीक नहीं, अतः दूसरा लक्षण किया जाना है—  
यद्वा इत्यादि । निश्चयान्तर 'ज्ञान से अन्य तथा सम्भावनात्मक ज्ञान में भी अन्य  
जो सादृश्य-ज्ञान से उत्पन्न होनेवाला चमत्कारजनक ज्ञान वह 'सन्देहालङ्कार' कहा  
जाता है । यहाँ नूट में 'निश्चयसम्भावनान्यतरभिन्ना—अर्थात् इन दोनों में से प्रत्येक



से भिन्न' ऐसा कहा गया है। क्यों? उसकी जगह 'निश्चयसम्भावनाभयभिन्ना इन दोनों से भिन्न' ऐसा क्यों नहीं कहा गया? तो इसका रहस्य समझना चायदि वैसा कहा जाता तब वह कथन व्यर्थ ही न होता, अपितु आपत्ति-जनक जाता, क्योंकि उभय भेद प्रत्येक में रह जाता—अर्थात् निश्चय तथा सम्भावना इसे भिन्न निश्चय भी कहला जाता और सम्भावना भी और ऐसी स्थिति में निश्चरूपक तथा सम्भावनात्मक उत्प्रेक्षा में इस लक्षण का अतिप्रसङ्ग हो ही जात अन्यतर-भेद का निवेश किया गया है जिसका स्पष्टीकरण हो चुका है व्य और तदनुसार उक्त दोनों स्थलों में अतिप्रसङ्ग का वारण—जो उस निवेश का है—सिद्ध हो जाता है। एक वात और—उक्त दोनों लक्षणों से निष्कर्ष यह है कि—सशय के विषय में दो पक्ष हैं—एक यह कि उसमें विरोध का भान होता दूसरा यह कि वह नहीं होता है। तदनुसार 'यह भ्रमर है अथवा नेत्र' इस विरोधभानवादियों के मत में 'भ्रमरत्वधर्मवाला यह भ्रमरत्व-विरुद्ध नेत्रत्वधर्म है' ऐसा शब्दबोध होगा। इस बोध को 'विशिष्टवैशिष्ट्य'न्यायानुसारी अथवा द्वयम्'न्यायानुसारी कह सकते हैं। अभिप्राय यह है कि इस बोध में भ्रमरत्व इदं पद (यह) के अर्थ को उद्देश्य बनाकर नेत्रत्ववैशिष्ट्य का विधेयरूप में भान जाय अथवा इदं पदार्थ को उद्देश्य बनाकर भ्रमरत्व तथा नेत्रत्व दोनों का विधेय भान माना जाय—दोनों प्रकार हो सकते हैं। इस पक्ष में व्युत्पत्ति की विचित्रता से में एक बार उक्त होने पर भी भ्रमर पदार्थ का दो जगहों पर अन्वय करना पव और ऐसा करने में प्रेरक है वाक्य का 'वा' पद। जो लोभ विरोध का भान में नहीं मानते उनके मत में उक्त वाक्य से 'भ्रमरत्वधर्मवाला यह नेत्रत्वधर्मव ऐसा बोध होगा। आप कहेंगे—इस द्वितीय मत के अनुसार 'समुच्चय' और 'में क्या अन्तर रहा? तो इसका उत्तर यह है कि इस मत के अनुसार 'समुच्च अविरोध अश का भी भान मान लेना चाहिए—अर्थात् 'देवदत्त ब्राह्मण है और भी' इत्यादि समुच्चयात्मक वाक्यों से 'देवदत्त ब्राह्मणत्व वाला तथा ब्राह्मणत्व से अपाण्डित्य वाला है' इत्यादि रीति से बोध होगा।

संशयालङ्कृति विमनक्ति—

सा च शुद्धा निश्चयगर्भा निश्चयान्ता चेति त्रिविधा ।

सा संशयालङ्कृति । शुद्धेति । निश्चयामिश्रितेत्यर्थः । निश्चयगर्भेति । यस्य गर्भे = निश्चयोऽपि जायते तादृशो य सशयस्तद्रूपेत्यर्थः । निश्चयान्तेति । यस्यान्त एव । जायते तादृशो य सशयस्तद्रूपेत्यर्थः ।

संदेहालङ्कार का विभाग किया जाता है—सा च इत्यादि । उक्त 'ससन्देहालङ्कार' प्रकार का होता है—एक शुद्ध, अर्थात् जिसमें आदि से अन्त तक सन्देह ही बना है । दूसरा निश्चयगर्भ, अर्थात् जिसके बीच-बीच में निश्चय भी होता रहता है, तीसरा निश्चयान्त, अर्थात् जिसमें आदि से लगातार सन्देह बना रहता है, पर में निश्चय हो जाता है ।

तत्र प्रथमभेदमुदाहर्तुमाह—

आद्या यथा—

शुद्धससन्देहालङ्कृतिर्यथेत्यर्थः ।

प्रथम—अर्थात् शुद्ध ससन्देहालङ्कार, जैसे—

उदाहरणं प्रदर्शयति—

'भरकतमणिमेदिनीधरो वा तरुणतरस्तरुरेष वा तमालः ।

रघुपतिमवलोक्य तत्र दूरादधिनिकरैरिति सशयः प्रपेदे ॥'

वन गच्छती रघुनतेर्वर्गननिदम् । ऋषिनिर्करैः मुनिवृन्दैः, तत्र वनमार्गे, दूरात्, रघुपति राममद्रम्, आलोक्य दृष्ट्वा, एष इत्यन्तः, नरकतमणेः श्यामवर्गमणिविरो-  
धत्स्य, नेदिनीवरः पर्वत, वा श्रयवा, तरुणतरु सर्वथा सन्देहः, तमालतरु तमालवृक्षः,  
इति चयय, प्रपेदे प्राप्त इत्यर्थः । अत्र यद्यपि शाब्दे बोधो न संशयात्मकः, शाब्द एव  
न बोध संशयात्मकः प्रकृतेश्चलहारत्वेनाभिमत इति कथनिश्चलहार इति चेत् ? सत्यम्,  
तथापि ऋषिनिश्चलहारत्वेनाभिमत इति कथनिश्चलहार इति चेत् ? सत्यम्,  
भाव । एतच्च लक्षणवाक्यव्याख्यानमपि सूचितं भवति ।

उदाहरण दिखलाया जाता है—नरकत इत्यादि । वन जाते राम का वर्गन है—  
यस वनपथ पर पग बढ़ाते राममद्र को दूर से देखकर मुनिवृन्दों को यह सन्देह  
हुआ कि यह नरकतमणि का पर्वत है अथवा पूर्ण युवावस्था को प्राप्त हुआ तमाल का  
वृक्ष है । यहाँ शाब्दबोध सन्देहरूप नहीं है बर्यात् शाब्दबोध में दो धर्म भासित नहीं  
होते, अपितु सन्देहयुक्त मुनिवृन्दरूप एक ही धर्म, अतः यहाँ ससन्देहालङ्कार कैसे  
होगा ? क्योंकि शाब्दबोधात्मक सन्देह को ही अलङ्कार मानना अलङ्कारिकों का अभिमत  
है यह शङ्का यद्यपि हो सकती है, तथापि मुनिवृत्ती ज्ञान में 'सन्देहत्वप्रकार सन्देह-  
विशेष्यक' शाब्दबोध तो यहाँ होगा, वस्तु, इसी से 'ससन्देहालङ्कार' यहाँ बन जायगा,  
क्योंकि लक्षणवाक्य का तात्पर्य यही है यह बात पहले भी सूचित की जा चुकी है ।

द्वितीय भेदमुदाहरणमाह—

द्वितीया यथा—

निश्चयगर्भससन्देहालङ्कारात्प्रतिषेधेत्पर्य ।

निश्चयगर्भ ससन्देहालङ्कार, जैसे—

उदाहरणमाह—

'तरणितनया किं स्याद्देषा न तोयनयी हि सा

नरकतमणिज्योत्स्ना वा स्यान्न सा मधुरा कुतः ।

इति रघुपतेः कायच्छायाविलोकनकौतुकैः

र्वनवसतिभिः कैः कैरादौ न सन्दिदिहे जनैः ॥'

रघुपते राममद्रस्य, कायच्छायायाः देहकन्तेः, विडम्बने दर्शने, कौतुकं कुतूहलं येषां  
तैः, कैः कैः वनवसतिभिः वनवासिभिः जनैः, आदौ प्रथमम्, 'एषा, तरणितनया कालिन्दी,  
स्याद् भवेद्, किम् ? न, कुत ? हि कुत, सा, तोयनयी जलनयी, इयं तु न तयेति नावः,  
वा श्रयवा, नरकतमणे ज्योत्स्नाप्रभा, स्याद्, किम् ? न, सा, कुतो मधुरा रविकरौ ?  
नेत्यर्थः, इत्ं तु मधुरेति नाव' इति, न, सन्दिदिहे सन्देह इव, सर्वैस्तथा सन्देह इव  
इत्यर्थः । अत्रापि प्राग्वदलङ्कारत्वमुपपाद्यन् । निश्चयस्य मध्ये प्रतिपादनादत्र निश्चयगर्भत्वं  
बोध्यम् । प्रसन्नं प्राग्वत् ।

उदाहरण दिखलाया जाता है—तरणितनया इत्यादि । यह भी वनयात्री राम का  
ही वर्गन है—राममद्र की देहकान्ति के दर्शन में उत्कण्ठावाले किन्-किन् वनवासी जनों  
को, पहले, यह सन्देह नहीं हुआ कि—क्या यह यमुना होगी ? नहीं वह तो जलनयी  
है । तो क्या नरकतमणि की प्रभा होगी ? नहीं, वह मधुर कैसे हो सकती है—उसमें ऐसी  
रुच्यता कहीं से आवेगी ? यहाँ भी अलङ्कारता का उपरादन पूर्ववत् करना चाहिए ।  
यहाँ 'यमुना नहीं हो सकती' इत्यादि रूप से बोध-बीज में निश्चय भी हुआ है, अतः यह  
निश्चय-गर्भ सन्देहा कहलाता है ।

तृतीय भेदमुदाहर्तुमाह—

तृतीया यथा—

निश्चयान्तससन्देहालङ्कृतिर्यथेत्यर्थः-।

निश्चयान्त ससन्देहालङ्कार जैसे—

उदाहरणमाह—

‘चपला जलदाच्च्युता लता वा तरुमुख्यादिति संशये निमग्नः ।

गुरुनिःश्वसितैः कपिर्मनीषी निरणैषीदथ तां वियोगिनीति ॥’

अशोकवाटिकाया विरहदुर्वहं जीवन यापयन्त्या सीताया वर्णनमिदम्—जलदात्, मेघात्, च्युता पतिता, चपला विद्युत्क्षता, इयम्, अथवा, तरुमुख्यात् प्रधानात् वृक्षात्, च्युता, लता वल्लरी, इति, संशये सन्देहे, निमग्नः लीन, मनीषी बुद्धिमान्, कपि हनुमान्, अथ अनन्तरम्, गुरुभि दीर्घ, निश्चसितै श्वासवायुभिर्हेतुभि, ता सीताम्, वियोगिनी विरहिणी, इति, निरणैषीत् निरचिनोत् इत्यर्थ । इहापि प्राग्बदेवालङ्कारत्व निगमनीयम् । अन्ते निश्चयस्योक्तेर्निश्चयान्तोऽय सन्देह ।

उदाहरण दिखलाया जाता है—चपला इत्यादि । हनुमान् जी ने जब अशोकवाटिका में सीता को देखा तब वे पहले इस सन्देह में डूब गए कि—यह या तो मेघ से गिरी हुई विद्युत् है या किसी प्रधान वृक्ष से गिरी हुई लता है । तदनन्तर बुद्धिमान् हनुमान् ने दीर्घ निःश्वासों द्वारा निर्णय किया कि यह वियोगिनी है—रामविरहकातरा जानकी है, विद्युत् अथवा लता नहीं । यहाँ भी सन्देह को अलङ्कारकोटि में लाने के लिये पूर्वोक्त युक्ति का अनुसरण करना चाहिए । यहाँ आदि से सन्देह के रहने पर भी अन्त में निश्चय हुआ है, अतः इसे निश्चयान्त सन्देह कहा जाता है ।

नन्वेषूदाहरणेषु संशयस्यैव प्राधान्येनान्योपस्कारकत्वविरहात्कथमलङ्कारत्वमत आह—

एषु संशयेषु मञ्जूषादिगतकटकादिष्विवालङ्कारव्यपदेशः ।

पूर्वोक्तेषु पद्येषु वर्णिता सन्देहाः स्वयं प्रधानवाक्यार्था, तथा चान्योपस्कारकत्वाभावात् कथमलङ्कारभाव ते भजेरन् इति शङ्काया इद समाधान यत् यथा मञ्जूषादिगताः कटकादयस्तत्कालेऽलङ्कृतिक्रियाशून्या अपि अलङ्कृतियोग्यत्वादलङ्कारा कथ्यन्ते तथैवालङ्कारणयोग्यतामादायैष्वपि सन्देहेष्वलङ्कारत्वव्यपदेश इति ।

यदि कोई कहे कि—उक्त उदाहरणों में जो सन्देह वर्णित हुए हैं वे तो स्वयं प्रधान वाक्यार्थ हैं, किसी दूसरे को शोभित करते नहीं, फिर ये अलङ्कारकोटि में कैसे आ सकते हैं, तो इसका समाधान यह है कि—हाँ भाई ! ये सन्देह किसी अन्य को शोभित नहीं करते, पर शोभित करने की योग्यता तो रखते ही हैं, बस, दूतने से ही ये सन्देह अलङ्कारकोटि में आ जाते हैं । लोकरीति भी तो ऐसी ही है । देखिए—जो कटक-कुण्डलादि पेटी में ही धरे रहते हैं—तत्काल किसी की देह की शोभा नहीं बढ़ाते उन्हें भी तो अलङ्कार कहा ही जाता है । क्यों ? केवल शोभावर्धन की योग्यता रखने के कारण ही तो । बस, यही रीति यहाँ भी समझ लेनी चाहिए ।

प्रत्युदाहरण दर्शयति—

एव च—

‘तं दृष्टवान् प्रथममद्भुतधैर्यवीर्य-

गाम्भीर्यमक्षणविमुक्तसमीपजानिम् ।

वीक्ष्याथ दीनमब्रुवाविरहव्यथात्

रामो न वाऽयमिति संशयमाप लोकः ॥’

इत्यत्र सत्यपि चमत्कारे सादृश्यमूलत्वाभावान्न संशयस्यालङ्कारत्वम् ।

एवं चेति । उक्तरीत्या सशयालङ्कारलक्षणस्य सादृश्यमूलत्वघटितत्वे चेत्यर्थः । त दृष्टवानिति । प्रथम सयोगदशायाम्, अद्भुतानि आश्चर्यकराणि, धैर्यम्, वीर्यम्, गाम्भीर्यघटानि यस्य तादृशम्, तथा न क्षण विमुक्ता समीपदेशाज्जाया ( सीता ) येन तम्, ( जानिरित्यत्र 'जायाया निह्' इति सूत्र स्मरणीयम् ) तं रामचन्द्रम्, दृष्टवान्, लोकं, अथ रावणकृतसीतापहारोत्तरम्, दीन धैर्यादिहीनम्, तथा अबलाया सीताया, विरहात्, या व्यथा पीडा, तथा, आर्त पीडितम्, तम्, वीक्ष्य दृष्ट्वा, 'अयं राम' न वा' इति सशयम्, आप प्राप्तवान् इत्यर्थः । उपपादयति—अत्रेति । अयं भाव—यद्यप्यत्र विप्रलम्भपोषकतया चमत्कारी सन्देहो वर्णितस्तथापि नासावलङ्कार, तस्य सादृश्यमूलकत्वाभावात् इति ।

प्रयुदाहारण दिखलाया जाता है—एव च इत्यादि । सादृश्यमूलक सन्देह ही अलङ्कार होता है यह निर्णय जब लक्षण द्वारा हो गया तब 'त दृष्टवान्—अर्थात् सयोगावस्था में आश्चर्यजनक धीरता, वीरता और गम्भीरता से युक्त तथा क्षण भर के लिये भी अपने समीप से सीता को अलग नहीं करने वाले राम को देख चुके लोगों ने रावण द्वारा सीताहरण के बाद, उनको दीन तथा सीताविरहजन्य व्यथा से पीडित देखकर, यह सन्देह किया कि—'यह राम है अथवा नहीं' । इस सीताविरहकातर रामवर्णनपरक पद्य में प्रतिपादित संशय विप्रलम्भभङ्गार का पोषक होने के कारण चमत्कारजनक होकर भी अलङ्काररूप नहीं होता, क्योंकि उसके मूल में सादृश्य नहीं है ।

विशेष सूचयति—

एवमारोपमूलोऽयं सन्देहालङ्कारः ।

अयं = पूर्वोक्तेषूदाहरणेषु प्रदर्शित, सन्देहालङ्कार उपमानोपमेययोर्द्वयोरुपादानात् आरोपमूल कथ्यते । एवञ्चैवविधसन्देहालङ्कारे रूपकमुपजीव्यमिति भावः ।

विशेष की सूचना दी जाती है—एवमिति । पूर्वोक्त उदाहरणों में दिखलाये गए ससन्देहालङ्कार आरोपमूलक है, क्योंकि यहाँ उपमान-उपमेय दोनों का ग्रहण किया गया है । फलतः इस तरह से ससन्देहालङ्कार में रूपकालङ्कार ही सूक्ष्मरूप से कार्य करता रहता है । सन्देहकृत विलक्षण चमत्कार के कारण भिन्न अलङ्कार की सजा इसे दी जाती है ।

प्रागुक्तस्य त्रिविधस्यापि ससन्देहालङ्कारस्यान्यमतसिद्ध त्रैविध्यमाशक्यं निरस्यति—

अध्यवसानमूलोऽपि दृश्यते ।

यथा—

'सिन्दूरैः परिपूरित किमथवा लाक्षारसैः क्षालित

लिप्तं वा किमु कुङ्कुमद्रवभरैरेतन्महीमण्डलम् ।

सन्देह जनयन्नृणामिति परित्रातत्रिलोकस्त्वेषां

त्रातः प्रातरुपातनोतु भवतां भव्यानि भासां निधेः ॥'

अथ च सशयः सवितृविषयककविरतिपरिपोषकतया कामिनीकरगतकङ्कणादिरिव मुख्यतयाऽलङ्कृतिव्यपदेश्यः । अत्र च विवक्षितविवेचने क्रियमाणे किरणत्राते सिन्दूरत्वादिकोटिकं सशयः पर्यवस्यति । स च न सारोप । विषयविषयिणोस्तदनुकूलविभक्तेरभावात् । अतः सिन्दूरत्वादिना सशयधर्मी किरणत्रातोऽध्यवसीयत इति । अत्र विचार्यते—सिन्दूरैः परिपूरितं किमथवेति पद्ये

तावत्सिन्दूरादिकरणकपरिपूरितत्वादिकोटिको जगन्मण्डलधर्मिकः संशयः शब्दात्प्रतीयते । तस्मिन् संशये किमिदं सिन्दूररजो वा स्यात्, आहोस्विङ्गाक्षरसः, उताहो कुङ्कुमद्रव इति सूर्यकिरणधर्मिक संशयान्तरमानुगुण्यमाधत्ते । यथा पुरोवतिनि तुरगे स्थागुर्वा पुरुषो वेति संशयो भूतलमिदं स्थागुमत्पुरुषवद्वेति संशये । एवञ्च सूर्यकिरणधर्मिकः संशयो गुणीभूतो व्यञ्जनागम्यत्वाद्द्विषयविषयिणोरारोपानुकूलविभक्तिकतां नापेक्षते । अपेक्षते च साक्षाच्छब्दवेद्यतायामिति कुत्राध्यवसानमूलता संशयस्य ? एतेनाध्यवसानमूलतां संशयस्य निरूपयतो विमर्शिनीकारस्योक्तिरपास्ता ।

अध्यवसानमूल इति । उपमानेनोपमेयस्य निगरणादिति भावः । तादृशमुदाहरणं दर्शयति—सिन्दूरैरिति । कविराशीमुखेन भास्करभास स्तौति—एतत्, महीमण्डलम्, सिन्दूरैः, परिपूरितम्, अथवा, लाक्षारसैः यावकद्रवैः, क्षालितं धौतम्, वा, कुङ्कुमद्रवभरैः केसररससमूहैः, लिप्तम् किमु, इति, नृणा मानवानाम्, सन्देहम्, जनयन् उत्पादयन्, तथा, परित्राता रक्षिता त्रयो लोका येन तादृश, भासा निधे, सूर्यस्य, त्विषा तेजसाम्, व्रात समूह, प्रात उष काले, भवताम्, भव्यानि श्रेयासि, उपातनोतु विस्तारयत्विति तदर्थः । पूर्वतो भेदान्तरमाह—अयं चेति । 'सिन्दूरैः —' इति पद्ये कविनिष्ठः सूर्यविषयको रत्याख्यो भावः प्रधानतयाऽभिष्यज्यते, तं च भाव वाच्यः सन्देहः पुष्पाति । तथा च मुख्योपस्कारकोऽयं सन्देहोऽलङ्कृतिक्रियाविशिष्टतया कामिन्याः करावलकुर्वन् कङ्कणादिरिव मुख्याम् अलङ्कारपदव्यवहार्यता धत्ते इत्यर्थः । एवञ्च पूर्वोदाहरणेभ्योऽस्मिन्नुदाहरणे द्वौ भेदौ भवतः । एको मुख्यालङ्कारव्यवहाररूप, अपरश्च साध्यवसानत्वरूप इति भावः । नन्वत्रापि महीमण्डलस्य विषयतयोपादानात्सारोपत्वमेव, न साध्यवसानत्वमित्यत आह—अत्र चेति । विवक्षितेति । तात्पर्यार्थेत्यर्थः । किरणव्राते सिन्दूरत्वादिकोटिक इति । 'किरणव्रात सिन्दूरत्ववान्, लाक्षारसत्ववान्, कुङ्कुमद्रवभरत्ववान्वा इत्याकार' इत्यर्थः । 'किरणव्रातो वा सिन्दूरलाक्षादिक वेत्याकारक' इति 'सरला'विवरणं तु शोच्यमेव । स चेति । उक्ताकारकसशयश्चेत्यर्थः । तस्या सारोपत्वे हेतुमाह—विषयेति । उपमेयोपमानयोरित्यर्थः । किरणव्रातसिन्दूरादिकयोरिति यावत् । तदिति । आरोपेत्यर्थः । तथा च तत्त्वेनानुपादानमिति भावः । एतेन 'एवमपि किरणव्रातस्योपादानात्सारोपत्वमेव' इति निरस्तम् । पर्यवसितार्थमाह—अत इति । अयं भावः—'सिन्दूरैः —' इत्यत्र किरणव्रातधर्मिकः सिन्दूरत्वादिनानाधर्मावगाहो सन्देह एव वक्तृतात्पर्यविषयः । स च नारोपमूलो वक्तुं योग्यः, 'सिन्दूरैः' इत्यादेस्तृतीयान्ततया 'त्विषां व्रातः' इत्यस्य च प्रथमान्ततया विभक्तिभेदात्, आरोप्यमाणारोपविषययो समानविभक्तिकपदबोधत्व एवारोप इति नियमात् । अतोऽगत्या विषयिवाचकैः सिन्दूरादिपदैः सादृश्याख्यसम्बन्धेन विषयभूतः सशयधर्मी च किरणव्रातो लक्ष्यत इत्येवाङ्गीकरणीयम् । एवञ्च सिद्धमस्य संशयस्याध्यवसानमूलत्वम्, विषयिवाचकेन पदेन सदृशलक्षणया विषयोपस्थापनस्यैवाध्यवसानपदार्थत्वात् । न रूपकोपजीव्यक एव संशयालङ्कारोऽपि तु अतिशयोक्त्युपजीव्यकोऽपीति । प्रागुपपादित संशयालङ्कारस्याध्यवसानमूलकत्वं निरसितुमाह—अत्र विचार्यते इत्यादि । तावत् आदौ । इदं किरणजातम् । आनुगुण्यम् अनुकूलताम् । आधत्ते सम्पादयतीति यावत् । संशये संशयान्तरस्यानुगुण्याधायकत्वे दृष्टान्तमाह—यथेति । एव चेति । उक्ताया स्थितावित्यर्थः । गुणीभूत इति । उपपादकत्वादिति भावः । उपपादं हि प्रधानं भवति । अनपेक्षत्वे हेतुमाह—व्यञ्जनेति ।

तर्हि कुत्र तदपेक्षा तत्राह—अपेक्षते चेति । एवञ्चारोपमूलक एवायमपि सन्देह इति भावः । अध्यवसानमूलकस्तु सन्देह आकाशकुसुमगुल्य एव । तदाह—कुत्रेति । एतेनेति । उक्तव्याख्यानेनेत्यर्थः । उक्तिरिति । एवञ्चात्रत्य पूर्वपक्ष विमर्शिनीकारस्त्वैवेति स्पष्टम् । अयमत्र निर्गलितोऽर्थः—‘सिन्दूरै’— इति पद्ये द्वौ संशयौ वर्णितौ स्तः । तत्रैकं ‘महो-मण्डल सिन्दूरकरणकपरिपूरितत्ववद्’, लाङ्कारसकरणकशालितत्ववत्, कुङ्कुमद्रवकरण-कलितत्ववद्वा’ इत्याकारक साक्षान्छन्दाच्यः प्रथमप्रतीतिविषय, अपरश्च सूर्यकिरण-समूहविशेष्यक ‘अयं सिन्दूरपराग, लाङ्कारस कुङ्कुमद्रवो वा’ इत्याकारक साक्षान्छन्दा-वेद्यतया व्यङ्ग्य पश्चान्प्रतीतिगोचरः । अनयोः प्रथमः प्रधानः, उपपाद्यन्वात्, द्वितीय-स्तूपपादकतया गुणीभूतः । तत्र प्रधानीभूतस्य संशयस्य सारोपत्व विप्रतिपत्तिर्हान्येव, विषयविषयिणोत्तमयोत्पादानात् । गुणीभूतसंशयस्यापि सारोपत्वस्वीकारे न बाधा काचित्, बाधकतयोपहितस्य विषयविषयिणो समानविभक्तिक्रयदाबोध्यत्वस्य प्रकृतेऽप्र-सङ्गात्, शब्दवेद्यसंशय एव तयोः समानविभक्तिक्रयदबोध्यत्वस्यारोपनिगमनकत्वात् । एवञ्चारोपमूलसन्देहालङ्कारोदाहरणमेवैतत्सद्य भवति । अतः अध्यवसानमूलकसन्देहालङ्कार-स्वीकारो विमर्शिनीकारस्यासङ्गत एव । फलतो रूपकोपजीव्यक एवायमलङ्कारो, नातिशयो-क्युपजीव्यकः । तथा च त्रय एव भेदा अस्य, न पुनस्तत्रैकैकस्यापि त्रैविध्यमिति ।

सन्देहालङ्कार के विषय में एक विशिष्ट विचार किया जाता है—अध्यवसान इत्यादि । यह सन्देहालङ्कार अध्यवसानमूलक भी देखा जाता है । अभिप्राय यह कि जिस तरह पूर्वोक्त उदाहरणों में आरोप्यमाण तथा आरोपविषय दोनों उक्त हैं, अतः वहाँ के सन्देहालङ्कार आरोपमूलक—अर्थात् रूपकमूलक कहे जाते हैं उसी तरह कहीं-कहीं केवल आरोप्यमाण ही उक्त रहता है और आरोपविषय उससे निर्गीर्ण रहता है, अतः वैसे जगह का सन्देहालङ्कार अध्यवसानमूलक—अर्थात् अतिशयोक्तिमूलक कहा जायगा । जैसे—“सिन्दूरै—अर्थात् ‘यह धरामण्डल क्या सिन्दूर से परिपूर्ण है, अथवा भालते ( लाङ्गा ) के पानी से धोया हुआ है, किंवा केसर के रससमूह से पुता हुआ है’ इस तरह के सन्देह को मनुष्यों के हृदय में उत्पन्न करता हुआ त्रिलोकी-त्राता सूर्य का प्रातःकालीन कान्ति-समूह आपका कल्याण करे !” यहाँ का सन्देह सूर्य के विषय में कवि के प्रेम को पुष्ट करता है, अतः कामिनी के हाथ में पहने कङ्कण आदि की तरह मुख्यतया अलङ्कार कहने योग्य है । तात्पर्य यह कि—पूर्वोक्त उदाहरणों में वर्णित सन्देह पेटी में धरे भूषण की तरह अलङ्कृत करने की योग्यता रखने के कारण गौणतया अलङ्कार कहे गये हैं, पर यहाँ का सन्देह अलङ्कृत करने की योग्यता रखने के कारण ही नहीं, अपितु अलङ्कृत करने के कारण अलङ्कार कहा जायगा । यह भी उक्त उदाहरणों में इस उदाहरण में एक विलक्षणता है । ‘सिन्दूरै—’ इस पद्य में, वक्ता के अभिमत अर्थ का विवेचन करने पर, अन्ततः किरण-समूह में ‘सिन्दूरत्व’ आदि कोटियोंवाला सन्देह मिद्ध होता है । अर्थात् ऊपर से देखने पर यद्यपि धरामण्डलरूप धर्मी ( लाङ्कार ) में सिन्दूरपरिपूरितत्व आदि अनेक धर्मों का सन्देह दिखलाई पड़ता है, पर वास्तविक विचार करने पर जिस सूर्यकिरण के धरा पर फले रहने के कारण उक्त सन्देह दिखलाई पड़ा है उस किरणरूप धर्मी में सिन्दूरत्व आदि अनेक धर्मों का सन्देह ही समझा जायगा । और वह ( किरणधनिक ) सन्देह सारोप—आरोपमूलक—है नहीं, क्योंकि एक का दूसरे में आरोप करने के लिये उन दोनों की एकजातीय विभक्तिवाले पदों में उपस्थिति अदे-क्षित रहती है और यहाँ ऐसी बात नहीं है—अर्थात् यहाँ सिन्दूरत्व आदि आरोप्यमाण की उपस्थिति ‘सिन्दूरै’ आदि तृतीया विभक्तिवाले पदों द्वारा होती है तथा किरणरूप आरोपविषय की उपस्थिति ‘त्विषा व्रात’ इस प्रथमान्त पद द्वारा होती है । फलतः

यहाँ रूपकवाली स्थिति नहीं है। अतः मानना पड़ता है कि—यहाँ 'सिन्दूरैः' आदि पदों द्वारा 'सिन्दूरत्व आदि' रूप से सशय का धर्मी किरणसमूह अध्यवसित हुआ है—अर्थात् सादृश्यमूलक लक्षण द्वारा सिन्दूर आदि पद ही किरण का भी बोधक है। फलतः यहाँ अतिशयोक्ति वाली स्थिति है। यह हुआ एक पक्ष। अथ दूसरा पक्ष सुनिश्चे—विचार करने से विदित होता है कि—'सिन्दूरैः परिपूरितम्—' इस पद्य में, प्रथमतः, पृथ्वीमण्डल रूप धर्मी (आधार) में 'सिन्दूर आदि द्वारा परिपूर्ण किया गया' कोटियों (धर्मों) वाला—अर्थात् 'पृथ्वीमण्डल सिन्दूर से परिपूर्ण किया गया है, अथवा लाक्षारस से घोया गया है, किंवा केसररससमूह से पोत दिया गया है' इस तरह का सन्देह, शब्द द्वारा प्रतीत होता है। उस सन्देह में सूर्यकिरणरूप धर्मी में होनेवाला 'क्या यह सिन्दूररज है अथवा आलते का पानी है किंवा केसर का रस' यह दूसरा सन्देह अनुकूलता उत्पन्न करता है। तात्पर्य यह कि एक दूसरे सन्देह से पहला सन्देह सिद्ध किया जाता है। जैसे कि सामने खड़े घोड़े के विषय में (घोड़े का जरा भी ज्ञान न होकर) 'यह खम्भा है अथवा पुरुष' यह सन्देह 'यह पृथ्वीतल खम्भे से युक्त है अथवा पुरुष से' इस दूसरे सन्देह में उपयोगी होता है, क्योंकि विना प्रथम सन्देह के द्वितीय सन्देह बन ही नहीं सकता, वही बात यहाँ भी है। इस तरह यह सिद्ध हुआ कि सूर्यकिरणरूप धर्मी में होनेवाला (दूसरा) सन्देह व्यञ्जनावृत्ति से प्रतीत होने के कारण उपमान-उपमेय में आरोप के अनुकूल समान विभक्ति की अपेक्षा नहीं रखता, पर यदि वही साक्षात् शब्दों द्वारा प्रतीत होता (जैसा कि पहला सन्देह है) तो समान विभक्ति की अपेक्षा रखता। अतः यहाँ सन्देह की अध्यवसानमूलकता कहाँ है? अभिप्राय यह कि वाच्य आरोप में उपमान उपमेय एक विभक्तिवाले हैं, व्यङ्ग्य आरोप में नहीं, ऐसी दशा में ऐसे सन्देहों को अध्यवसानमूलक मानना उचित नहीं। सारांश यह कि 'सिन्दूरैः—' इस पद्य का पहला (वाच्य आरोपवाला) सन्देह सादृश्यमूलक न होने के कारण अलङ्कारश्रेणी में आता ही नहीं, रहा दूसरा (व्यङ्ग्य आरोपवाला) सन्देह, सो उसमें उपमान-उपमेय की, समानविभक्तिक न होने पर भी, उक्त रीति से आरोपमूलकता मानी ही जा सकती है, अतः अध्यवसानमूलक (अतिशयोक्तिमूलक) सन्देह ही होता ही नहीं। अतः सन्देहालङ्कार को अध्यवसानमूलक भी मानकर भेदसंख्या बढ़ानेवाले विमर्शिनी (अलङ्कारसर्वस्व की टीका) कार परास्त हो गये।

अप्यदीक्षितोक्तमनुद्य निरस्यति—

अप्यदीक्षितास्तु—

'अस्याः सर्गविधौ प्रजापतिरभूच्चन्द्रो नु कान्तिप्रदः

शृङ्गारैकरसः स्वयं नु मदनो मासो नु पुष्पाकरः ।

वेदाभ्यासजडः कथं स विषयव्यावृत्तकौतूहलो

निर्मातुं प्रभवेन्मनोहरमिदं रूपं पुराणो मुनिः ॥'

इत्यत्र चन्द्रादीनां सन्देहधमिणामेवानेकत्वम् । प्रकारस्तु वर्णनीयवनितास्रष्टृत्वमेकमेवेत्यनेककोटिकत्वाभावाद्विरोधेन परस्परप्रतिक्षेपकतया निबद्धानेककोट्यवगाहित्वरूपस्य संशयलक्षणस्याव्याप्तिमाहुः । तत्र । अत्र हि अस्याः सर्गविधौ यः प्रजापतिरभूत्स किं चन्द्रः, किं नु मदनः, किं वा नु वसन्त इति संशयः प्रजापतिधर्मिकश्चन्द्रत्वादिनानाकोटिक एवेति कुत्राव्याप्तिः । न चात्र चन्द्रादिधर्मिकः सशयो युक्तो वक्तुम् । एवं च प्रजापतेः प्रथमोद्देशो न स्यात् ।

'अस्या सर्गविधा'विति । कालिदासकृते विन्नमोर्वशीयनाटके उर्वश्या घर्षणमिदम् ।

'मालतीमाधवे मालतीवर्णनमिदम्' इति नागेशव्याख्या तु भ्रान्तिमूलिकैव । पुरुरवा

उर्ध्वशीमवलोम्य कथयति—अस्या उर्ध्वया, सर्गविधौ सृष्टिकरणे, व, प्रजापति स्रष्टा, अभूत् ? कान्तिप्रदं कान्तिदायकं चन्द्र, सु, शृङ्गारैकरसं शृङ्गारसत्याद्वितीयं आश्रय, स्वयं, मदन कामदेव, सु, पुष्पाकरं ब्रह्ममात्रं मासं चैत्रं, वसन्त इति यावत्, सु । ननु अस्या सृष्टौ कथमभिनवप्रजापतिगवेषणम् ? चिरप्रसिद्धक्षरान्नरनिर्माता विवाता एवैनामपि सृजेत्, नेत्याह—वेदाभ्यास इति । वेदानाम्, अभ्यासेन = पुन पुनरध्ययनेन, जडं शिथिलं ( उपहासोक्तिरियम् ), अत एव विद्येभ्य सासारिकवस्तुभ्यः, व्यावृत्तं निरस्तम्, कौतूहल उत्कण्ठा यस्य तादृश, स प्रसिद्धं, पुराणो बृद्ध, मुनि ब्रह्मा, मनोहरं दर्शकजनचित्ताकर्षकं रमणीयमिति यावत्, इदं पूर्वोक्तवन्तितागतम्, रूपम्, निर्मातुं रचयितुं, कथम्, प्रभवेत् समर्थं स्यात्, न स्यादित्यर्थः । अत्र यदुक्तं दीक्षितेन तदनुभवति—इत्यत्रेति । अभावादित्यव्याप्तौ हेतुः । सशयलक्षणमाह—विरोधेनेति । परस्परप्रतिक्षेपकतयेति । मिथोऽवमर्दकतयेत्यर्थः । 'भासमानविरोधकं समबलं नानाकोव्यवगाही ज्ञानविशेषं सशयः' इति सशयसानान्यलक्षणेवात्र न सङ्घटते, 'चन्द्र, काम, वसन्तो वा प्रजापतिः' इति ज्ञाने विशेष्यस्य चन्द्रादेरनेकत्वेऽपि विशेषणस्य प्रजापतित्वस्य ( वर्णनीयनायिकासृष्टिकर्तृत्वस्य ) एकत्वान्, एवञ्च सशयलक्षणसङ्घटनं तु दूरापातम् इति दीक्षिताकृतमिति भावः । निरस्यति—तन्नेति । निरासे हेतुमाह—अत्रेत्यादिना । हि यत् । अस्या उर्ध्वया । 'मालत्या' इति नागेशव्याख्या तु पूर्ववदत्रापि भ्रममूलिकैव । वृत्राव्याप्तिरिति । नाव्याप्तिरिति भावः । 'उर्ध्वया सृष्टौ चो विवाता स चन्द्र, कामो, वसन्तो वा' इति ज्ञानाकारोऽत्राभिप्रेतः । तत्र प्रजाप्रतिरेव विशेष्यभूतः एकः, विशेषणभूतः चन्द्रत्वादिकः पुनरनेकमेवेति प्रोक्तसशयलक्षणमत्र सङ्घटत एवेति दीक्षितस्याव्याप्तिरुच्यते न युक्तमिति भावः । तदुपपादनं खण्डयति—न चेति । एव चेति । चो ह्यर्थे । यत् एव सतीत्यर्थः । प्रथमोद्देश इति । प्रागुच्चारणमित्यर्थः । 'अस्या सर्गविधौ—' इत्यत्र प्रजापतित्वप्रकारकं चन्द्रादिविशेष्यकः बोधोऽभिप्रेत इति न वक्तुं योग्यम्, तथा सति प्रजापतित्वस्य विधेयत्वेन तद्विधेयकपदस्य पश्चाद्भिर्द्वेषुमौञ्चिन्यात् 'उद्देश्यमतिरन्वयं न विधेयनुदीरयेत्' इति निन्दमादिति भावः । प्रजापते प्राङ्निर्देशेनोद्देश्यत्वम्, चन्द्रत्वादेश्च पश्चाद्भिर्देशेन विधेयत्वम्, तथा च ग्रन्थकाराभिमतं प्रागुपदर्शितो बोधाकार एवेष्ट इति चाराशः ।

अब अण्पयदीक्षित के मत का अनुवाद करके खण्डन किया जाता है—अण्पयदीक्षिता हृत्यादि, 'अस्या सर्गविधौ—अर्थात् इस सुन्दरी की सृष्टि करने में कौन प्रजापति ( सृष्टिकर्ता ) हुआ होगा ? कान्तिदायक चन्द्रमा, अथवा शृङ्गाररस का एक ( अद्वितीय ) आश्रय स्वयं कामदेव, किंवा ब्रह्ममात्र मास ( चैत्र = वसन्त ) ? कारण, वेद का सदा अभ्यास करते रहने के कारण जड़ बना हुआ, अतएव सासारिक विषयों से मुक्त मोड़ चुका वह पुराणा मुनि ( ब्रह्मा ) भला इस मनोहर रूप को कैसे बना सकता है ?' ( यह 'विक्रमोर्ध्वशीय' नाटक में पुरुरवा द्वारा किया गया उर्ध्वशी का वर्णन है । 'मालती-माधव में यह मालती का वर्णन है' ऐसा नागेशकृत 'मर्मप्रकाश' का विवरण भ्रममूलक है ) यहाँ सन्देह के धर्मों अर्थात् ज्ञान में विशेष्यरूप से भासित होने वाले पदार्थ चन्द्र वादि ही अनेक हैं, प्रकार—विशेषण तो वर्णनीय नायिका का उत्पन्न करना ( प्रजापतित्व ) एक ही है, अतः यह ज्ञान अनेक कोटियों ( एक विशेष्य में अनेक विशेषणों ) वाला हुआ नहीं—अर्थात् यह ज्ञान अनेक विशेष्यों में एकविशेषणवाला हुआ । ऐसी स्थिति में 'विरुद्ध होने के कारण परस्पर—एक दूसरे को—इवानेवाली अनेक कोटियों—विशेषणों—का अवगाहन करनेवाला ज्ञान संशय है' इस लक्षण की उक्त ज्ञान में अद्यापि



होती है—अर्थात् यह संशयलक्षण वहाँ सङ्घटित नहीं होता, यह अप्पयदीक्षित का कथन है, जो सर्वथा अमङ्गल है। कारण, यहाँ, 'इस सुन्दरी की सृष्टि में जो प्रजापति हुआ है वह क्या चन्द्र है, अथवा कामदेव है, किंवा वसन्त है' इस तरह का ज्ञान अभीष्ट है जिसमें सशय का उक्त लक्षण सङ्घटित होता ही है, क्योंकि इस ज्ञान में प्रजापतिरूप एक विशेष्य के विशेषणरूप से चन्द्रत्व, कामदेवत्व तथा वसन्तत्वरूप परस्परविरोधी पदार्थ भासित होते ही हैं। फिर यहाँ सशयलक्षण की अव्याप्ति कहाँ होती है? यदि कोई कहे कि—पण्डितराज ने जैसा बतलाया है वैसा ही ज्ञान यहाँ होगा, दीक्षित जी ने जैसा बतलाया है वैसा नहीं, इसमें प्रमाण क्या? तो जूलीजिए प्रमाण—ज्ञान में जो विशेष्य होता है वह रहता है उद्देश्य और जो विशेषण होता है वह रहता है विधेय, यह नियम है, और साथ ही उद्देश्य बोधक पद का विधेयबोधक पद से पहले प्रयुक्त होना भी निश्चित है। ऐसी स्थिति में दीक्षिताभिमत ज्ञान—जिसमें प्रजापतित्व ही विशेषण और चन्द्र आदि ही विशेष्य माने जाते हैं—के अनुसार 'प्रजापति' का पहले प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके हिसाब से वह विधेय-बोधक है। फलतः 'प्रजापति' पद के पूर्वप्रयोगरूप प्रमाण से पण्डितराजोक्त ज्ञान ही सिद्ध होता है, क्योंकि तदनुसार प्रजापति विशेष्य-अतएव उद्देश्य हो जाता है।

दीक्षिताभिप्रेतमन्यदपि निराचष्टे—

यदपि, 'साम्यादप्रकृतार्थस्य या धीरनवधारणा' इति प्राचां लक्षणं महता प्रबन्धेन त एव दूषितवन्तः, तदपि न। साम्यनिमित्ता निश्चयसम्भावनान्यतरभिन्ना या धीरिति तदर्थकरणे दोषाभावात्। निश्चयत्वं तु संशयाघटितमेव निर्वचनीयम्।

'साम्यात्—' इति। 'प्रकृतार्थाश्रया तज्ज्ञै ससन्देह स इष्यते' इति तदुत्तरार्धभागः। अवधारणभिन्ना प्रस्तुतार्थविशेषिका अप्रस्तुतार्थप्रकारिका या सादृश्यप्रयुक्ता धीः स सन्देहालङ्कार इत्यर्थः। त एवेति। अप्पयदीक्षिता एवेत्यर्थः। दूषितवन्त इति। चित्रमीमासायामित्यर्थः। तत्र "साम्यादिति किमन्नाद्धेतोर्वसतीतिवत्फलत्वेन हेतुत्वविवक्षया पञ्चमी, उत स्वतो हेतुत्वविवक्षया, आद्येऽप्रकृतसाम्याभिव्यक्तिफलकत्वमर्थः स्यात्। तथा सति 'आनीय द्विषताम्—' इत्युदाहरणेऽव्याप्तिः। द्वितीये साम्यादित्यनेन किमेकमेवाप्रकृतसाम्यं विवक्षितम्, उतैकमनेक वेत्यनियमः। आद्ये 'अयं मार्तण्डः किम्—' इत्युदाहरणेऽव्याप्तिः, मार्तण्डत्वादिविकल्पेषु नैक साम्यं हेतुः। किंतु प्रतापेन दुर्निरीक्ष्यत्वसाम्यं मार्तण्डत्वविकल्पे, दुराधर्षत्वसाम्यं कृशानुत्वविकल्पे, क्षणेन सकलसहर्षत्वसाम्यं कृतान्तविकल्पे च हेतुः। द्वितीये 'इह नमय शिर कलिङ्गवद्वा समरमुखे करहाटवद्धनुर्वा' इति विकल्पालङ्कारेऽतिव्याप्तिः। अपि चानवधारणेति किमुच्यते। अनिश्चयात्मकत्वमिति चेत्। तथा सति 'बालेन्दुवक्राण्यविकाशभावात्' इत्यादावुदाहरिष्यमाणायामप्रकृतसाम्यनिमित्ततत्तादात्म्यसम्भावनारूपायामुत्प्रेक्षायामतिव्याप्तिः।" इत्याशयक दूषणमभिहितम्। तन्निरस्यति—तदपि नेति। तत्र हेतुमाह—साम्यनिमित्तेति। साम्यादित्यस्यार्थोऽयम्। निश्चयसम्भावनेति। अनवधारणेत्यस्य तात्पर्यार्थोऽयम्। ईदृशार्थकरणे सर्वेऽपि दीक्षितोका दोषा निरस्ता भवन्ति। ननु तद्दोषनिरासेऽपि सशयलक्षणे निश्चयान्यत्वस्य निश्चयलक्षणे च सशयान्यत्वस्य प्रवेशादन्योन्याश्रयः स्यादिति मनसि निधाय तद्वारकमुपायमुपदर्शयति—निश्चयत्वत्विति। निश्चयलक्षणे न सशयप्रवेशः, कोटिताल्यविषयतानवगाहिज्ञानविशेषस्य तल्लक्षणत्वात्। तथा च निर्दुष्टमेव प्राचा 'साम्यादिति' लक्षणमिति भावः।

दीक्षित के ही एक दूसरे अभिप्राय का खण्डन किया जाता है—यदपि इत्यादि।

‘साम्यात्—अर्थात् सादृश्य के कारण प्रस्तुत अर्थ में जो अप्रस्तुत अर्थ का अवधारणा-रहित ज्ञान होता है उसको सन्देह कहते हैं।’ इस प्राचीनों के लक्षण को जो दीर्घत ने बड़े आडम्बर के साथ दूषित किया है—अर्थात् उन्होंने “-‘साम्यात्’ का क्या अर्थ ? यदि ‘अज्ञाद्वैतोर्वसति’ की तरह फल को हेतु मानकर की गई पञ्चमी विभक्ति के अनुसार ‘जिस ज्ञान का फल अप्रस्तुत अर्थ की समता का ध्वनित होना हो’ यह किया जाय तब उन्हीं के द्वारा दिग्गम्ये गये ‘भानीय द्विपताम्—’ इस उदाहरण में अतिव्याप्ति हो जायगी, क्योंकि वहाँ अप्रस्तुत की समता को अभिव्यक्त करना कवि का अभीष्ट नहीं है। यदि ‘साम्य’ को स्वन ज्ञान का हेतु मानकर पञ्चमी करें और तदनुसार ‘साम्य हेतुक्त ज्ञान’ ऐसा अर्थ किया जाय तब यह प्रश्न उठेगा कि हेतुभूत समता एक तरह की हो यह आपका अभिप्राय है, अथवा एक अनेक सब तरह की समता यह अभिप्राय है ? एक भी लक्ष्य नहीं, क्योंकि प्रथम अभिप्राय में ‘अयं सार्तण्ड किम्—’ यह उदाहरण आपका सगृहीत नहीं हो सकेगा, क्योंकि वहाँ भिन्न-भिन्न विकल्प में भिन्न-भिन्न तरह की समता हेतु है, द्वितीय अभिप्राय में ‘इह नमय शिरः कलिङ्गवद्धा समरमुखे करहाटवदनुर्वा—अर्थात् इत युद्ध में कलिङ्गवासियों की तरह मस्तक नवालो अथवा करहाटदेशवासियों की तरह घनुष नवालो’ यह विकल्पालङ्कार का उदाहरण सगृहीत होने लगेगा। इसी तरह ‘अनवधारणा’ का क्या अर्थ ? यदि ‘निश्चय से भिन्न’ यह अर्थ अभीष्ट हो तब ‘दालेन्दुवक्राप्यविकाशभावात्—’ इस सम्भावनात्मक उल्लेख में अतिव्याप्ति हो जायगी।” इत्यादि बातें कही हैं। वह भी ठीक नहीं। कारण, यदि उक्त प्राचीनों की कारिका का ‘सादृश्यनिमित्तक और निश्चय तथा सम्भावना इन दोनों में से प्रत्येक से भिन्न जो ज्ञान’ ऐसा अर्थ कर लिया जाय—अर्थात् ‘साम्यात्’ के ‘अकिञ्चित् सादृश्य-ज्ञान से उत्पन्न होने वाला’ और ‘अनवधारणा’ घटक ‘अवधारणा’ का निश्चय-सम्भावना दोनों ही अर्थ मान लिये जायें तब उक्त सभी दोषों के वारित हो जाने से प्राचीनों का लक्षण निर्दुष्ट हो जाता है। रही बात यह कि—सन्देह का ऐसा लक्षण बनाने से ‘निश्चय से भिन्न सन्देह’ और ‘सन्देह-भिन्न निश्चय’ इस तरह एक लक्षण में दूसरे लक्षण की अपेक्षा हो जाने से अन्योन्याश्रय दोष होगा। पर यह दोष भी नहीं होगा, क्योंकि आपको एक का लक्षण तो ऐसा बनाना ही होगा कि जिसके अन्दर दूसरे का प्रवेश न हो, अतः निश्चय का लक्षण ऐसा बनाइए कि जिसके अन्दर सन्देह का प्रवेश न हो—अर्थात् ‘कोटिता’ नाम की जो एक विषयता मानी जाती है उसका अवगाहन जो न करे उस ज्ञान को निश्चय कहिए। वस, सभी बखड़े समाप्त।

विशेषमाह—

उत्प्रेषाहरणेषु सोऽय सशयालङ्कार स्वशब्दवेद्यत्वाद्वाच्यः।

‘मरकतमणि—’ इत्यादीनि दानि ससन्देहालङ्कारत्तोदाहरणानि प्रागुक्तानि तेषु सनन्देहालङ्कारोऽयं क्रमरा ‘संशय’ ‘सन्दिदिहे’ ‘संशये’ इत्येभिः सन्देहवाचकैः पदैः बोधित इत्यतस्तत्रायमलङ्कारो वाच्यत्वेन व्यवहर्तुं योग्य इति भावः।

विशेष बातों का स्पष्टीकरण किया जाता है—उत्प्रेषु इत्यादि। उक्त (‘मरकत-मणि—’ इत्यादि) उदाहरणों में यह ससन्देहालङ्कार अपने वाचक शब्दों—‘संशय’ आदि—से अवगत होता है, अतः वाच्य है।

लक्ष्यं सनन्देहालङ्कारानुदाहर्तुमाह

लक्ष्यो यथा—

लक्ष्यं सनन्देहालङ्कार, जैसे—

उदाहरणमुपदर्शयति—

‘साम्राज्यलक्ष्मीरियमृष्यकेतोः सौन्दर्यसृष्टेरधिदेवता वा ।

रामस्य रामामवलोक्य लोकैरिति स्म दोला रुरुहे तदानीम् ॥’

लोकैः जनैः, तदानीं विवाहानन्तरम्, रामस्य रामा कान्ताम्, सीतामिति यावत्, अवलोक्य, ऋष्यकेतोः कामदेवस्य, साम्राज्यलक्ष्मीः साम्राज्यसर्वस्वम्, सौन्दर्य-सृष्टेः रमणीयतानिर्माणस्य, अधिदेवता अधिष्ठात्री देवी, वा, इयम्, इति दोला ( झूला इति भाषा ) रुरुहे स्म आरूढा इत्यर्थः ।

उदाहरण दिखलाया जाता है—साम्राज्य इति । उस समय ( विवाह के अनन्तर ) रामचन्द्र की रमणी ( सीता ) को देखकर लोग ‘यह काम की साम्राज्यलक्ष्मी है अथवा सौन्दर्यसृष्टि की अधिदेवता है’ इस झूले पर आरूढ हुए—इस तरह के सन्देह से युक्त हुए ।

उपपादयति—

अत्र पर्यायेणोभयकोट्यालम्बनतया दोलासादृश्यात् संशयोऽत्र दोलाशब्देन लक्ष्यते ।

दोला यथाऽरोहकैरान्दोल्यमाना पर्यायक्रमेण कोटिद्वयम् ( पर्यन्तभागयुगलम् ) आलम्बते, तथा सशयात्मक ज्ञानमपि पर्यायक्रमेण कोटिद्वयम् ( विरुद्धधर्मद्वयम् ) अवलम्बते ( विषयीकुरुते ), अतः ‘साम्राज्य—’ इति पद्ये दोलाशब्दस्य संशये सादृश्य-सम्बन्धमूलिका-गौणी-लक्षणा भवति । तथा चात्रत्य ‘ससन्देहालङ्कार’ लक्ष्य इति व्यपदिश्यते इति भावः ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि । जिस तरह झूला आन्दोलित होने पर दोनों कोटियों ( छोरों ) का अवलम्बन करता है, उस तरह संशयात्मक ज्ञान भी दोनों कोटियों ( विरुद्ध दो धर्मों ) का आलम्बन करता है—विषय वनता है । इस तरह झूले का सादृश्य सशय में सिद्ध है । अतः ‘साम्राज्य—’ इस पद्य में ‘दोला’ शब्द की सशय-रूप अर्थ में सादृश्यसम्बन्धमूलक-अर्थात् गौणी लक्षणा होती है । फलतः इस पद्य को लक्ष्य ससन्देहालङ्कार का उदाहरण कहा जाता है ।

व्यङ्ग्यं ससन्देहालङ्कारमुदाहर्तुमाह—

व्यङ्ग्योऽयं यथा—

अयं ससन्देहालङ्कारो व्यञ्जनया प्रतीयमानो यथेत्यर्थः ।

व्यङ्ग्यं ससन्देहालङ्कार, जैसे—

उदाहरणमुपन्यस्यति—

‘तीरे तरुण्या वदनं सहासं नीरे सरोजं च मिलद्विकासम् ।

आलोक्य धावत्युभयत्र मुग्धा मरन्दलुब्धालिकिशोरमाला ॥’

मुग्धा अल्पज्ञा, मरन्दे परागे विषये, लुब्धा लोभवती, अलिकिशोराणा अमर-शिशूना, माला पङ्क्तिः, तीरे तटे, सहासं हासयुक्तम्, तरुण्या युवत्या, वदनं मुखम्, नीरे जले, च, मिलद्विकासं सविकासम्, सरोजं कमलम्, आलोक्य दृष्ट्वा, उभयत्र मुखसमीपे कमलसमीपे च, धावति हुतं गच्छतीत्यर्थः ।

उदाहरण दिखलाया जाता है—तीरे इत्यादि । तदपर हास-युक्त युवती के मुख को और जल में विकसित कमल को देखकर मुग्धा तथा मरन्द-लोभी छोटे-छोटे अमरों की पङ्क्ति दोनों तरफ दौड़ रही है ।

उपपादयति—

अत्र कमलधर्मिकोऽभेदेन संसर्गेण पुरोवर्तिव्यक्तिद्वयप्रकारकं कमलमिद-  
मिदं वेति भ्रमरगतः संशयो व्यङ्ग्यः । न च कमलाभेदबुद्धेर्भ्रमरप्रवृत्त्युपाय-  
तयाऽपेक्षणादिदं पदार्थाभेदबुद्धिनिर्णयिकेति वाच्यम् । एकपदार्थधर्मिकापर-  
पदार्थाभेदबुद्धेरपरपदार्थधर्मिकैकपदार्थाभेदबोधप्रयोजकत्वेन कमलाभेदबोधसा-  
म्नाज्यात् । कमलत्वमेतद्वृत्ति तद्वृत्ति वेति सशयाकारः । सोऽयं संशयध्वनिः ।

अत्रेति । 'तीरे तरुण्या—' इति श्लोके इत्यर्थः । कमलधर्मिक इति । कमलविशेष्यक  
इत्यर्थः । पुरोवर्तिव्यक्तिद्वयेति । तरुणीमुत्तमलेतिवस्तुद्वयेत्यर्थः । व्यङ्ग्य इति । वानक-  
लक्षक्योरभावादिति भावः । 'तीरे—' इति पद्ये वाच्येनोभयत्र भ्रमरकर्तृत्वावनेन 'कमल  
इदं इदं वा' इत्याकारकः अभेदमन्वन्धावच्छिन्नपुरोवर्तिव्यक्तिद्वयनिष्ठप्रकारतानिरूपितकमल-  
निष्ठविशेष्यताकं भ्रमरनिष्ठ सन्देहः ( अलङ्कारः ) व्यज्यते इति भावः । अत्रा-  
शङ्कते—न चेति । कमलाभेदबुद्धेरिति । 'इदं कमलम्' इत्याकारकज्ञानत्येत्यर्थः । इदं पदा-  
र्थेति । इदं त्वेनेदम्पदार्थेत्यर्थः । अभेदबुद्धिरिति । 'कमल इदम्' इत्याकारिका बुद्धिरि-  
त्यर्थः । एकपदार्थधर्मिकेति । 'इदं कमलम्' इत्याकारिकायां इदंपदार्थधर्मिककमलाभेद-  
बुद्धेरिति प्रकृतोऽर्थः । अपरपदार्थधर्मिकेति । 'कमल इदम्' इत्याकारककमलधर्मिकेद  
पदार्थाभेदज्ञानेति प्रकृतोऽर्थः । कमलाभेदबोधेति । 'इदं कमलम्' इत्याकारकबोधेत्यर्थः ।  
कमले इदंपदार्थाभेदो निरर्थकः उभयत्र धावनकर्तृणि भ्रमरप्रवृत्तेरिदं पदार्थधर्मिककमला-  
भेदज्ञानाधीनत्वात् कमलधर्मिकेद पदार्थाभेदज्ञानत्य तत्राप्रयोजकत्वात् । तथा च 'इदमिदं  
वा कमलम्' इत्याकारकत्यानेकधर्मिकैकप्रकारकज्ञानत्यैवात्रौचित्येनानेककोटिकत्वाभावात्तत्र  
संशय इति शङ्कादलाशयः, सन्बन्धरूपतयाऽभेदो द्विष्ट पदार्थः, तथा त्रैक्य पदार्थत्या-  
परत्राभेदो गृहीतेऽपरत्य पदार्थस्याभेद एकस्मिन् गृहीतो भवत्येवेति इदंपदार्थे कमला-  
भेदे ज्ञायमाने कमले इदंपदार्थाभेदस्य ज्ञानं निष्प्रयोजनमपि स्यादेवेति च समाधानदला-  
शयो बोध्यः । पर्यवसितमाह—कमलत्वमिति । 'कमल इदमिदं वा' इत्याकारके कमल-  
विशेष्यकेऽभेदसन्बन्धावच्छिन्नपुरोवर्तिव्यक्तिद्वयनिष्ठप्रकारताके संशये जायमाने 'कमलत्वं  
एतद्वृत्ति तद्वृत्ति वा' इत्याकारक कमलत्वविशेष्यक स्वरूपसन्बन्धावच्छिन्नैतद्वृत्तिव-  
तद्वृत्तित्वोभयनिष्ठप्रकारताक एव संशय पर्यवस्यतीति भावः । उपसंहरति—सोऽयमिति ।  
उच्यतीत्या प्रकृतपद्ये ससन्देहालङ्कारध्वनित्वं सुस्थमिति भावः ।

उपपादनं किया जाता है—अत्र इत्यादि । 'तीरे—' इस पद्य में 'तटपर तरुणी-मुख  
और जल में कमल को देख लेने के बाद भ्रमरों का दोनों तरफ दौड़ना'रूप वाच्यार्थ  
से कमलरूप आधार में, अभेद सम्बन्ध द्वारा, आगे स्थित दो व्यक्ति ( एक तरुणी का  
मुख, दूसरा कमलपुष्प ) जिसकी कोटियाँ हैं ऐसा 'कमल यह है अथवा यह' इस  
आकार वाला भ्रमरनिष्ठ सन्देह ( अलङ्कार ) अभिव्यक्त होता है । आप कहेंगे—कमल-  
रूप आधार में 'यह' का अभेद निरर्थक है । कारण, भ्रमर जो दोनों वस्तुओं की तरफ  
दौड़ रहे हैं सो 'कमल में यह' के ज्ञान से नहीं, किंतु 'यह' में कमल' के ज्ञान से दौड़  
रहे हैं । अतः भ्रमरगत ज्ञान का आकार वस्तुतः यह सिद्ध होता है कि—'यह अथवा  
यह कमल है' । इस ज्ञान में धर्मों ही अनेक हैं कोटि तो 'कमल' एक ही है, फिर यह  
ज्ञान संशय हुआ ही नहीं । पर यह आपका कथन उचित नहीं । कारण, एक पदार्थ में  
अन्य पदार्थ का अभेदज्ञान अन्य पदार्थ में एक पदार्थ के अभेद-ज्ञान का निमित्त हुआ  
करता है । सारांश यह कि 'अभेद' परस्पर का सम्बन्ध है, अतः 'यह में कमल का अभेद'

मानने पर 'कमल में यह का अभेद' अपने आप ही सिद्ध हो जाता है। इसलिये अन्ततो-  
गत्वा इस सन्देह का आकार यह हो जाता है कि—'कमलत्व इसमें रहनेवाला है अथवा  
उसमें रहनेवाला'। इस अनेककोटियों वाले ज्ञान को सन्देह मानने में किसी को  
आपत्ति नहीं हो सकती। तात्पर्य यह निकला कि—ससन्देहालङ्कारध्वनि ( व्यङ्ग्य  
ससन्देहालङ्कार ) का यह उदाहरण ठीक है।

ससन्देहालङ्कारध्वनेरुदाहरणान्तरभिरस्यति—

‘आज्ञा सुमेषोरविलङ्घनीया किं वा तदीया नवचापयष्टिः।

वनस्थिता कि वनदेवता वा शकुन्तला वा मुनिकन्यकेयम्॥’

यद्यप्यत्रापि वाचकशब्दाभावाद् व्यङ्ग्य एव भवितुमर्हति सशयः, तथापि  
विषयनिरूपणेन स्फुटमावेदितत्वात् ध्वनिव्यपदेशहेतु । अपि तु गुणीभूतव्य-  
ङ्ग्यप्रभेदव्यपदेशस्य, अनुगामी चात्र प्रतिप्रकारं पृथगेव निदिष्टः ।

सीता पश्यता मुनीनामुक्ति —इय सीतात्वेनानिर्णीता सीता, सुमेपो' पुष्पेपो' ( कामी-  
देवस्य ) अविलङ्घनीया अवश्यमेव पालनीया, आज्ञा, किंवा, तदीया कामदेवसम्बन्धिनी,  
नवचापयष्टि' नूतनधनुर्वल्ली, किंवा, वनस्थिता वनवासिनी, वनदेवता वनाधिष्ठात्री देवी,  
किंवा मुनिकन्यका मुनितनया, शकुन्तला अस्तीत्यर्थ । उपपादयति—यद्यपीति । वाचक-  
शब्देति । सशय-सन्देहादीत्यर्थ । विपश्येति । आज्ञादीत्यर्थ । गुणीभूतेति । गुणीभूत-  
व्यङ्ग्यनामको यः काव्य-प्रभेदस्तद्व्यपदेशस्येत्यर्थ । हेतुरित्यस्यानुषङ्ग । अनुगामीति ।  
एकरूपेणान्वीयमान' उपमानोपमेयोभयवृत्तिर्धर्म इत्यर्थ । प्रतिप्रकारमिति । प्रकारतया भास-  
माने प्रत्येकस्मिन् उपमाने इत्यर्थ । प्रतिसन्देहमिति स्थूलोऽर्थ । 'आज्ञा-' इति पद्ये सन्दे-  
हवाचकः कश्चन शब्दो नास्ति, अत इदमर्थधर्मिक' अभेदेन कामाज्ञाकामचापयष्टि-  
वनदेवताशकुन्तलारूपविद्वधर्मप्रकारको वर्णनीय सन्देहो व्यङ्ग्य इत्यत्र न काऽपि  
विचिकित्सा, परन्तु सत्यपि तस्मिन् व्यङ्ग्ये ससन्देहालङ्कारध्वनिव्यवहारोऽत्र न भवेत्,  
गूढव्यङ्ग्यस्यैव ध्वनिव्यवहारप्रयोजकत्वात्, अत्रत्यसन्देहरूपव्यङ्ग्यस्य विषयनिरूपणेन स्फुट-  
बोधिततयाऽगूढत्वात् । तस्मादत्रैव सन्देहात्मक व्यङ्ग्यमादाय गुणीभूतव्यङ्ग्यनामकमध्यम-  
काव्यव्यवहार एव स्यात्, अगूढव्यङ्ग्यस्य तद्भेदेषु गणनात् । अत्र सीता प्रकृतत्वेनोपमेय-  
भूता आज्ञाचापयष्टिवनदेवताशकुन्तलाश्चाप्रकृतत्वेनोपमानभूता, तत्र आज्ञासीतयो अविलङ्घ-  
नीयत्वम्, चापयष्टि-सीतयोर्नवत्वम्, वनदेवतासीतयो वनवासित्वम्, शकुन्तलासीतयोश्च  
मुनिकन्यात्वम्, साधारणोऽनुगामी धर्म इति भाव ।

ससन्देहालङ्कारध्वनि का प्रत्युदाहरण दिखलाया जाता है—आज्ञा इत्यादि । सीता  
को देखकर मुनियों का कथन है—यह सुमेषु ( कामदेव ) की अनुलङ्घनीय आज्ञा है,  
अथवा उसके नूतन धनुष की यष्टि है, किंवा वनवासिनी वनदेवता है, अथवा मुनिकन्या  
शकुन्तला है ? इस पद्य में भी सन्देह-वाचक कोई शब्द नहीं है—अर्थात् 'मुनियों को  
यह सन्देह हुआ' यह बात नहीं लिखी है, अतः यहाँ भी सन्देह ( अलङ्कार ) व्यङ्ग्य ही  
होगा, पर व्यङ्ग्य होकर भी वह सन्देह इस पद्य में ध्वनिकाव्यव्यवहार करने का कारण  
नहीं हो सकता, क्योंकि सीता में जिन विषयों का सन्देह किया जा रहा है उन आज्ञा-  
आदि का निरूपण होने के कारण सन्देह स्पष्टतया बोधित हो गया है—गूढ़ ( छिपा  
हुआ ) नहीं रह सका और ध्वनिकाव्यव्यवहार का कारण वही व्यङ्ग्य होता है जो  
गूढ़ हो । हाँ, 'गुणीभूतव्यङ्ग्य नामक' मध्यमकाव्यव्यवहार का कारण यह अगूढ़ व्यङ्ग्य  
( सन्देहालङ्कार ) हो सकता है । अन्यत्र 'अस्फुटमगूढम्' इत्यादि शब्दों द्वारा 'गुणीभूत  
व्यङ्ग्य काव्य' के परिगणनप्रकरण में 'अगूढ़' व्यङ्ग्य वाले काव्य को मध्यम काव्य में गिना

भी गया है । फलतः 'आज्ञा—' यह पद्य मध्यम काव्य का उदाहरण है, ध्वनि-काव्य का नहीं । इस पद्य में सीता प्रस्तुत होने के कारण उपमेयभूत है और आज्ञा, चाःयष्टि, वनदेवता तथा शकुन्तला हैं अप्रस्तुत होने के कारण उपमानभूत । इन्हें में प्रत्येक उपमान-जो सन्देह में प्रकारतया (विशेषणरूप से) भासित हुए हैं—के साथ उपमेय-सीता—का साधारणधर्म जो अनुगामी (एक ही धार उच्चरित होकर दोनों तरफ अन्वित हो सकने-वाला) है प्रत्येक-प्रत्येक निर्दिष्ट हुआ है । जैसे—आज्ञा के साथ 'लघुहृद्दीर्घनीयता', चापयष्टि के साथ 'नवीनता' वनदेवता के साथ 'वनवासित्व' और शकुन्तला के साथ 'मुनिकन्यात्व' सीता के अनुगामी साधारणधर्म हैं । यह ध्यान रहे कि—राजा जनक राजा होकर भी मुनि थे, अतः सीता भी मुनिकन्या कही जा सकती है ।

निरक्षितुम् अप्ययदीक्षितोक्तं सन्देहध्वन्युदाहरण तद्विवरणशोद्धरति—

यत्तु चित्रमीमासायां संशयध्वन्युदाहरणप्रसङ्गे अप्ययदीक्षिताः—

“काञ्चित् काञ्चनगौराङ्गीं वीक्ष्य साक्षादिव प्रियम् ।

वरदः संशयापन्नो वक्षस्यलमवैक्षत ॥”

अत्र संशयस्य शब्दोपात्तत्वेऽपि तावन्मात्रस्यानलङ्कारत्वात्तदलङ्कारताप्रयोजकस्य वक्षस्यलमे स्थितैव लक्ष्मीस्ततोऽवतीर्य पुरस्तिष्ठतीत्येवं संशयाकारस्य वक्षस्यलमवैक्षतेत्यनेन व्यङ्ग्यत्वात् सन्देहालङ्कारध्वनिरत्रेति ।

यथा—

‘दर्पणे च परिभोगदर्शिनी पृष्ठतः प्रणयिनो निषेदुषः ।

वीक्ष्य विन्वमनुविन्वमात्मनः कानि कान्यपि चकार लज्जया ॥’

इत्यत्र कानि कान्यपीति सामान्यतो निर्दिष्टानुभावविशेषप्रतीत्यर्थं लज्जाशब्द-प्रयोगेऽपि तस्याः स्वविभावानुभावाभ्यां रसानुगुणाभिव्यक्तिरूपो ध्वनिः” इत्याहुः ।

काञ्चिदिति । तावत् पुरः समुपस्थितान्, प्रिय लक्ष्मीम्, इव, काञ्चनवत् सुवर्णवत्, गौराणि पीतमद्युक्तान्तीनि, अङ्गानि यस्यास्तादृशीन्, काञ्चित् सुन्दरीम्, वीक्ष्य दृष्ट्वा, संशयापन्नं जातसन्देहं, वरदः ‘काञ्चीवरम् (नग्नं)’ नगरे वरदराजनाम्न त्वातो विन्वोर्नूतिविशेषं, वक्षस्यलम् स्वकीयसुरोदेशम्, अवैक्षत दृष्टवानित्यर्थः । अप्ययदीक्षित-मूलसुवर्णवत्स्यलान्वयितवरदराजवसन्तोत्सवस्यमिदं पद्यम् । उपपादयति दीक्षितः—अत्रेति । तदिति । संगमेत्यर्थः । अद्यमत्र तदाशय—‘काञ्चित्—’ इत्यत्र ‘संशयापन्नं’ इति समस्तपदवदक—‘संशय—’पदेन यद्यपि वाच्यवृत्तैव सन्देहो बोध्यते, तथापि तद्विषयस्यस्तुतुदाकारस्य तस्य कालहारत्वम्, अतः ‘वक्षस्यलमे स्थिता लक्ष्मीस्ततोऽवतीर्य पुरः तिष्ठति अथवा काञ्चिदन्वा कनकगौरी रमणी’ इत्येव स्तुतुदाकारस्यैव तस्यालङ्कारत्वं निर्वचनीयम्, स चाकारस्तुतुदाकारविशिष्टमशक्यं न वाच्यं, अपि तु ‘वक्षस्यलमवैक्षत’ इत्यनेन व्यङ्ग्य एवेत्यत्र सन्देहालङ्कारध्वनिरिति । एवरीन्या ध्वनिव्यङ्ग्यद्वारे दृष्टान्तविषयपदान्तरसुबन्धस्यति दीक्षितं यथा—‘दर्पणे—’ इति । दर्पणे आदर्शं, परिभोग-दर्शिनी सम्भोगविहर्शिनीका पावनी, आत्मन स्वन्त्या, विन्वमनु प्रतिवृत्ते पश्चाद्भागे, पृष्ठतः पृष्ठश्रेते, निषेदुष उपविष्टस्य, प्रणयिनः प्रियतमस्य शिवस्य, विन्वं प्रतिवृत्तिम्, वीक्ष्य, लज्जया, कानि कानि नानाविधानि चेष्टितानिनि यावत्, चकारेत्यर्थः । दीक्षित-प्रत्ये तदुद्धरणान्तके रत्नगङ्गापरे न ‘कानि कान्यपि’ इति पाठः समुपलभ्यते, तदनुसार-मित्यं व्याख्या सुभारसम्भवे तु ‘कानि कानि न’ इति पाठो दृश्यते, तदनुसारिणी व्याख्या

स्वयमूहितुं शक्या । कुमारसम्भवे पार्वतीसम्भोगवर्णनमिदम् । उपपादयति स एव—  
 अत्रेति । निर्दिष्टेति । निर्दिष्टाः उपवर्णिता ये अनुभावाः मुखनम्रीभावादयः, विशेषरूपेण  
 तत्प्रतीत्यर्थमित्यर्थः । तस्या लज्जायाः । स्वविभावानुभावाभ्यामिति । प्रियतमेन नायिका-  
 कृतसम्भोगचिह्नदर्शनप्रयासस्य ज्ञान विभाव, मुखनम्रीभावादिरनुभावः ताभ्यामित्यर्थः ।  
 जन्यत्व तृतीयार्थः । तस्य चाभिव्यक्तिपदार्थेऽन्वयः । रसानुगुणेति । शृङ्गाररसोपिका-  
 या अभिव्यक्ति तद्रूप इत्यर्थः । इदमत्र तदाकृतम् 'दर्पणे—' इति पद्ये 'कानि कानि'  
 इत्यनेन अनुभावा निर्दिष्टाः परन्तु 'के ते अनुभावाः, कस्य वा अनुभावाः' इत्यादि न  
 तावता विशेषतः प्रतीयते इति तत्प्रतीत्यर्थम् 'लज्जाया' इति कविना प्रयुक्तम् । येन त्रपा-  
 नुभावा मुखनम्रीभावादयः प्रतीयन्ते । एवञ्चात्र लज्जाया वाच्यत्वाद्यद्यपि न व्यङ्ग्यत्वम्,  
 तथापि वाच्ययास्तस्या न प्रकृतशृङ्गाररसोपपत्तत्त्वम्, तत्पोषकत्वञ्च स्वकीयविभावानु-  
 भावद्वाराऽभिव्यज्यमानायास्तस्या इति लज्जाध्वनिरत्र व्यवहियते यथा, तथा तत्रापि  
 सन्देहध्वनिरिति । ।

खण्डन करने के लिये सन्देह ध्वनि का दीक्षितोक्त उदाहरण तथा तत्कृत उसका  
 रूपपादन अब यहाँ उद्धृत किया जाता है—यत्तु इत्यादि । अप्पय दीक्षित ने अपनी  
 'चित्रमीमांसा' में 'सन्देहध्वनि' के उदाहरण के प्रसङ्ग पर लिखा है—“काञ्चित्—  
 अर्थात् वरदराज ( 'काञ्जीवरम्—मद्रास'—में भगवान् विष्णु की 'वरदराज' नाम से प्रसिद्ध  
 एक मूर्ति ) मानो साक्षात् लक्ष्मी हो ऐसी, सुवर्ण सदृश गौर अङ्गों वाली किसी कामिनी  
 को देखकर सन्देह—युक्त हुए और वचःस्थल देखने लगे ।” ( यह पद्य अप्पयदीक्षित के  
 मूल पुरुष 'वचःस्थलाचाय' द्वारा रचित 'वरदराज—वसन्तोत्सव' का है । ) इस पद्य में  
 यद्यपि सन्देहात्मक ज्ञान साक्षात् शब्द द्वारा वर्णित है—अर्थात् 'संशयापन्नः' में संशय  
 शब्द आया है, तथापि केवल उतना भाग—अर्थात् स्पष्ट आकाररहित सन्देह—अलङ्कार-  
 रूप नहीं होता, और 'वचःस्थल में रहने वाली लक्ष्मी ही वहाँ से उतरकर आगे  
 खड़ी है' इस तरह के आकार वाला जो वही सन्देह अलङ्काररूप है वह उस रूप में  
 शब्दोपात्त है नहीं, अपि तु 'वचःस्थल को देखने लगे' इस उक्ति से व्यङ्ग्य होता है ।  
 तात्पर्य यह कि—'संशय' पद से निराकार सन्देह के वाच्य होने पर भी साकार सन्देह  
 वाच्य नहीं, व्यङ्ग्य है, और साकार सन्देह ही अलङ्काररूप माना जाता है । अतः यह  
 पद्य सन्देहालङ्कारध्वनि का उदाहरण है । जैसे कि—'दर्पणे च—अर्थात् दर्पण में  
 सम्भोग के चिह्न—नखचत आदि—को देख रही पार्वती ने अपने पीछे बैठे प्रियतम—  
 शिव—के प्रतिविम्ब को अपने प्रतिविम्ब के पीछे की तरफ देखकर लज्जा से क्या क्या  
 न किया ।’ ( यह अर्थ कुमारसम्भव में उपलब्ध 'कानि कानि न चकार—' इस पाठ  
 के अनुसार किया गया है । दीक्षित की चित्रमीमांसा में तथा तदुद्धरणरूप रस-  
 गङ्गाधर में 'कानि कान्यपि चकार' यह पाठ—जी मूल में लिखा गया है—प्राप्त होता है तद्-  
 नुसार किसी तरह 'नाना प्रकार की चेष्टाएँ कीं' यह अर्थ किया जा सकता है, पर पाठ  
 अच्छा वही है जो कुमारसम्भव में प्राप्त होता है । यह पद्य पार्वती सुरत-वर्णन प्रसङ्ग  
 पर कुमारसम्भव—अष्टम सर्ग में आया है । ) यहाँ 'क्या-क्या' इस तरह सामान्यरूप  
 में वर्णित अनुभावों की विशेषरूप से प्रतीति के लिये 'लज्जा' शब्द का प्रयोग  
 करने पर भी, अपने विभावों और अनुभावों द्वारा, लज्जा की रस के अनुकूल अर्थ-  
 व्यक्तीरूप ध्वनि है—अर्थात् यहाँ अनुभावों की विशेष रूप में प्रतीति करवाने  
 के लिये 'लज्जा' शब्द के आने पर भी रस का पोषण करने में चम लज्जारूप चित्तवृत्ति  
 व्यङ्ग्य ही है । प्रकृत में कहने का तात्पर्य यह है कि—जिस तरह 'दर्पणे च—' इस पद्य में  
 लज्जाशब्द का ग्रहण रहने पर भी, जिस रूप में वह रस का पोषण कर सकती है उस-  
 अनुभावानुभाव द्वारा प्रतीयमानत्व—रूप में व्यङ्ग्य ही मानी जाती है और तदनुसार

‘लज्जा-ध्वनि’ कही जाती है, उसी तरह ‘काञ्चित्—’ इन पद्य में भी सन्देह को बलङ्कारतावच्छेदकरूप में व्यङ्ग्य माना जा सकता है और तदनुसार उम पद्य को ‘सन्देहालङ्कारध्वनि’ का उदाहरण भी कहा जा सकता है ।

निरस्यति—

तदेतद् ध्वनिमर्मज्ञैरुपहसनीयमेव ।

प्रागुद्धृत दीक्षितोक्तं सर्वमनुचितमेवेति भाव ।

दीक्षित द्वारा कही गई उक्त बातों का अब खण्डन किया जाता है—तदेतद् इत्यादि । पूर्वोक्त सभी बातें ऐसी ही हैं जिनका ध्वनिमर्मज्ञ जन उपहास ही कर सकते हैं—आदर नहीं ।

उपहसनीयत्वे हेतुमाह—

तथाहि संशयाविष्ट इत्यत्र संशयपदेनैकस्मिन् पदार्थे विरुद्धनानापदार्थ-सम्बन्धावगाहिज्ञानं साक्षादेव निवेद्यते । तत्र कोऽसौ विरुद्धो नानार्थ इति विशेषाकाङ्क्षायां वक्षःस्थलावेक्षणैरेव वक्षःस्थलस्थैव लक्ष्मीस्ततोऽवतीर्य किं पुर-स्तिष्ठतीत्यादिरथो व्यञ्जनाव्यापारेण बोध्यमानः शक्त्या सशयशब्दनिवेदितज्ञानविशेषणीभूतेन सामान्यार्थेन साकमभेदेन पर्यवस्यति । एव च संशयमात्रस्य शक्त्या बोधनाद्वक्षःस्थलस्थितैवेत्यादिविषयभागस्यापि विरुद्धनानार्थत्वेन सामान्याकारेणावलीढतया तथैव कवलीकरणाद्वाच्यार्थसशयपर्यवसायकत्वाच्च न कस्यापि ध्वनिव्यपदेशहेतुत्वं युक्तम् । सर्वथा वाच्यवृत्त्युन्मिवतस्यैव तथात्वमिति ध्वनिमार्गप्रवर्तकैः सिद्धान्तितत्वात् ।

तथा च द्वितीयोद्द्योते—

“-शब्दार्थशक्त्याक्षिप्तोऽपि व्यङ्ग्योऽर्थः कविना पुनः ।

यत्राविष्क्रियते स्वोक्त्या साऽन्यैवालङ्कृतिर्ध्वनेः ॥”

इति सूत्रयित्वा ।

‘सङ्केतकालमनसं विटं ज्ञात्वा विदग्धया ।

हसन्नेत्रार्पिताकूल लीलापद्म निमीलितम् ॥’

अत्र सङ्केतकालमनसं ज्ञात्वा लीलापद्म निमीलितमिति वदता कविना लीलापद्मनिमीलनस्य प्रदोषाभिव्यञ्जकत्व स्वोक्त्यैव निवेदितमिति ध्वनिमार्गादयमपर एव गुणीभूतव्यङ्ग्यस्य मार्गः ।

यथा वा—

‘अम्बा शेतेऽत्र वृद्धा परिणतवयसामग्रणीरत्र तातो

नि शोपागारकर्मश्रमशियलितनु’ कुम्भवासी तथाऽत्र ।

अस्मिन् पापाहमेका कतिपयदिवसप्रोषितप्राणनाथा

पान्थायेत्यं तरुण्या कथितमवसरव्याहृतिव्याजपूर्वम् ॥’

अत्र नि‘शङ्कं रन्तुमायाहीत्यर्थश्चरणत्रयव्यङ्ग्योऽप्यवसरव्याहृतेर्न्याजत्वं न्रुवता कविना स्फुटं स्वोक्त्या निवेदित इत्ययमपि न ध्वनेर्मार्गः’ इत्याहुरानन्दवर्धनाचार्याः ।

तृतीयोद्द्योते च गुणीभूतव्यङ्ग्यनिरूपणे ‘व्यङ्ग्यार्थस्य यदि मनागप्युक्त्या प्रकाशनं तदा गुणीभाव एव शोभते । तस्माद्यत्रोक्तिं विना व्यङ्ग्योऽर्थ-



स्तात्पर्येण प्रतीयते तत्र तस्य प्राधान्याद् ध्वनित्वम्' इति तद्युक्तिविवेचनेऽभि  
नवगुप्तपादाचार्याः ।

एवं चैवंविधेषु विषयेषु व्यङ्ग्यकत्वस्य व्यङ्ग्यस्य वा मनागुक्तिसंस्पर्शमात्रेण  
ध्वनित्वं निराकुर्वाणाः 'काञ्चित् काञ्चनगौराङ्गी-' इति पद्ये शब्दाभिहितव्यङ्ग्ये  
ध्वनित्वं कथमिव स्वीकुर्वीरन् । एतेन 'दर्पणे च परिभोगदर्शिनी' इति प्रागुक्त-  
पद्ये लज्जाध्वनित्वं यद्दीक्षितैरभ्यधीयत तदप्यपास्तमिति दिक् ।

इत्यत्रेति । घटकत्व सप्तम्यर्थः । तथा चैतद्वाक्यघटकसशयपदेनेत्यर्थः । अस्य 'निवे-  
द्यते' इत्यत्रान्वयः । साक्षात् इति । वृत्त्यन्तरानन्तर्भावेणाभिधयेत्यर्थः । निवेद्यते बोध्यते ।  
तत्र सामान्यज्ञाने । अवेक्षणेनेति । वक्षःस्थलदर्शनरूपार्थेनेति भावः । अस्य 'बोध्यमान'  
इत्यत्रान्वयः । सशयमात्रस्येति । अस्पष्टविषयाकारतया केवलस्य ससदेहस्येत्यर्थः । अर्थ-  
त्वेन सामान्याकारेणेति । एतद्रूपसामान्याकारेणेत्यर्थः । अवलीढतयेति । बोध्यतयेत्यर्थः ।  
तथैव शक्यैव । कवलीति । बोधनादित्यर्थः । नन्वेवमपि विशेषरूपेण व्यङ्ग्यत्वमेवात आह-  
वाच्यार्थेति । विशेषसशयस्येत्यादि । तदाह—कस्यापीति । विशेषस्यापीत्यर्थः । सर्वथा  
केनापि प्रकारेण । तथात्वम् ध्वनित्वम् । अयं भावः—विरुद्धनानाकोट्यवगाहिज्ञानविशेषा-  
त्मकसदेहरूपार्थवाचक सशयपदमित्यत्र न कस्यापि विमतिः । तादृशं च संशयपदं  
'काञ्चित्-' इति पद्ये वर्तते । तथा चात्र, सन्देहस्य वाच्यतैव, न व्यङ्ग्यता । यद्यपि विरु-  
द्धनानाकोटित्वात्मकेन सामान्यरूपेण कोटिद्वयस्य सशयपदवाच्यत्वेऽपि 'वक्षःस्थलस्यैव  
लक्ष्मी ततोऽवतीर्य पुरस्तिष्ठति' इत्याकारेण विशेषरूपेण एकस्या कोटेर्न वाच्यता, अपि  
तु वरदकर्तृकवक्षःस्थलावेक्षणरूपार्थव्यङ्ग्यतैव, एवञ्च 'न निर्विषय ज्ञानस्य स्वरूपम्' इति  
दृष्ट्या सन्देहस्य व्यङ्ग्यताऽत्र वक्तुमुचितेति सत्यम्, तथापि कोटिद्वयत्वेन सामान्य-  
रूपेण सशयपदाद्वाच्यवृत्त्याऽवगते कोटिद्वये 'किं तत् कोटिद्वयम्' इति विशेषजिज्ञा-  
सायाम् पूर्वोक्तरीत्या व्यञ्जनया ज्ञायमाना कोटि अभिधाबोधितसामान्यकोट्यभिन्नैव  
पर्यवस्यतीति स्थितौ विशिष्टात्मकसदेहपदार्थगतविशेष्याशस्य ज्ञानस्याभिधाबोध्यतया  
विषयभागस्य विशेषणाशस्य व्यङ्ग्यत्वेऽपि अभिधास्पृष्टतया ध्वनिव्यपदेशोऽत्र न सम्भवति,  
अभिधाऽनालिङ्गितस्यैव व्यङ्ग्यस्य ध्वनिव्यपदेशहेतुत्वादिति । वाच्यवृत्त्यनुम्बितस्यैव व्य-  
ङ्ग्यस्य ध्वनिव्यपदेशहेतुत्वे ध्वनिकारोक्तिं प्रमाणतयोपन्यस्यति—तथा चेत्यादिना । द्वितीयो-  
द्घोते इति । आनन्दवर्धनाचार्यप्रणीतध्वन्यालोकस्येति भावः । शब्दार्थेति । शब्दाशक्त्या,  
अर्थशक्त्या, उभयशक्त्या वा बोधितोऽपि व्यङ्ग्योऽर्थो यस्मिन् काव्ये कविना पुनः स्वोक्त्या  
आविष्कियते ( अभिधावृत्तिबोध्यो विधीयते ) तत्र न ध्वनिः, अपि तु ध्वनेरन्योऽलङ्कार-  
विशेष एवेत्यर्थः । ध्वनिकारोक्त तादृशमुदाहरणमुद्धरति—सङ्केतकालेति । विदग्धया  
चतुरया नायिकया, विटं स्वस्यामासक्तं जारपुरुषम्, सङ्केतकाले मनो यस्य तादृशम्,  
सङ्केतसमयज्ञानायाकुलमिति यावत्, ज्ञात्वा, लीलापद्मं क्रीडार्थं करे धृतं कमलम्, हसता  
प्रसीदता, नेत्रेण, अर्पितं सूचितं, आकृतं अभिप्रायविशेषो यस्मिन् कर्मणि तद्यथा  
स्यात्तथा, निमीलितं मुद्रितं मुष्टिगूढं कृतमित्यर्थः । अत्रोक्तं तदुपपादनमुद्धरति—अत्रेत्यर्थः-  
दिना । इति वदतेति । कत्वान्तवाक्यविशिष्टकान्तवाक्य वदनेत्यर्थः । अन्यथा कत्वान्तवा-  
क्येनैवार्थात्तदभिव्यङ्ग्यत्वे सिद्धे कत्वान्तवाक्यानर्थक्य स्पष्टमेव । तदाह—स्वोक्त्यैवेति ।  
कत्वान्तवाक्येनैवेत्यर्थः । अयमाशयः—'सङ्केत-' इत्यत्र पद्मनिमीलनचेष्टया प्रदोषकालश्चौर्यरत-  
योग्यो व्यज्यते, स च व्यङ्ग्य 'सङ्केतकालमनसं विटं ज्ञात्वा' इत्यंशेन वाच्यायमानं कृतं,

अतस्त व्यङ्ग्यमादाय ध्वनिकाव्यव्यवहारो न भवति, अपि तु अलङ्कारप्रधानगुणीभूतव्यङ्ग्य-  
नामकमध्यमकाव्यव्यवहार एवेति । तादृशनुदाहरणान्तरं तदुक्तमुद्धरति—अन्वेति ।  
अत्र गृहप्रदेशविशेषे ( एवमग्रेऽपि ), वृद्धा ( एतेन तस्या चक्षुरादीन्द्रियशक्तिवैकल्यम्,  
तेन च जागरितायामपि तस्या ज्ञानविशेषाभाव आवेद्यते ) अन्वा माता, शेते ( वाक्या-  
न्तरेऽपि क्रियापदस्यास्यान्वयो बोध्य ), अत्र, परिणतवयसाम् वृद्धानाम्, अग्रगी  
प्रधान, अतिवृद्ध इति यावत्, तात पिता ( अत्रापि पूर्ववद् व्यङ्ग्य बोध्यम् ) तथा,  
अत्र, नि शेषेण सकलेन, आगारकर्मणा गृहकार्येण तन्करणेनेति यावत्, जनित य श्रम,  
तेन, शिथिला आलस्यमयी, तनु शरीर यस्या तादृशी ( एतेन तज्जागरणसम्भावनानि-  
रास सूच्यते ), कुम्भदासी कुम्भेति पान्थसम्बोधनमिति कश्चित्, तन्नामिका दासीत्यन्य,  
जलाद्याहरणार्थं दासी, न व्रीडादासीति तु तत्त्वम्, कतिपयेभ्यो, दिवसेभ्य, प्रोषित  
विदेशस्य, प्राणनाथ स्वामी यस्यास्तादृशी ( अत्र कतिपयेत्यनेन शीघ्रं तद्गमनाभावो  
व्यज्यते, प्राणनाथेत्यनेन च तस्मिन् स्वकीयप्रेमाभाव ), पापा पापिनी ( सकलदुःखाना  
पापमूलत्वेन वियोगदुःखस्यापि पापमूलत्वात् पापात्वम् ), एका एकाकिनी ( एतेन रतसौ-  
विध्यम् ध्वन्यते ), अस्मिन् स्थानविशेषे, शये इति विभक्तिविपरिणामेनान्वय, इन्धम्  
पूर्वोक्तप्रकारेण, तरुण्या नवयौवनशालिन्या ( एतेन कामभावोत्कटता व्यज्यते ), पान्याय  
पथिकाय ( एतेन तस्यापि विरवियोगित्वेनोत्कण्ठातिशयं सूच्यते ), अवसरव्याहृतिः  
प्रासङ्गिकी उक्तिस्तद्रूपो यो व्याज कपटम्, स पूर्वं पुरस्सरो यस्मिन् कर्मणि तद्यथा  
स्यात्तथा, कथितम् इत्यर्थ । अत्रत्य तदुपपादनमुद्धरति—अत्रेत्यादिना । अयं भाव —  
'अन्वा—' इति पद्ये आद्येन चरणत्रयेण 'शङ्कामपहाय त्व सम्मोग विधातुमागच्छ' इत्यर्थोऽ-  
र्थशक्त्या व्यज्यते, परमसौ व्यङ्ग्योऽर्थश्चतुर्थचरणगतेन अवसरव्याहृतिव्याजेन वाच्यीकृत  
इति नैन व्यङ्ग्यार्थमादायात्र ध्वनिव्यपदेश, अपि तु अपहृत्यलङ्कारप्रधानगुणीभूतव्यङ्ग्य-  
काव्यव्यपदेश एवेति । न केवलम् ध्वनिकृतैव एव सिद्धान्तितम्, अपि तु ध्वन्यालोकस्य  
लोचनाभिधा टीका कुर्वता अभिनवगुप्ताचार्येणापि तथैव सिद्धान्तितमित्याह—तृतीयोद्द्योते  
चेति । गुणीभाव इति । मनागप्युक्त्या प्रकाशितस्य व्यङ्ग्यार्थस्येति भाव । तथा च  
तादृशस्थले गुणीभूतव्यङ्ग्यनामकमध्यमकाव्यत्वमिति तात्पर्यम् । परिशेषलक्ष्यमर्थं स्फोर-  
यति—तस्मादिति । यत्र मनागप्यनाद्यष्टवाच्यवृत्तिर्व्यङ्ग्यार्थस्तत्रैव ध्वनिनामकोत्तमका-  
व्यत्वमित्याशय । ग्रन्थकार प्रकृतमुपसहरन्नाह—एव चैवविधेयविति । विषयेषु लक्ष्येषु ।  
पूर्वोदाहरणाशयेनाह—व्यञ्जकत्वस्येति । द्वितीयोदाहरणाशयेनाह—व्यङ्ग्यस्येति । निरा-  
कुर्वाणा खण्डयन्त । स्वामिमत्पुष्ट्यर्थम् दृष्टान्तविषया दीक्षितोन्वापित प्रनष्टोऽपि  
उपहासात्पदमेवेत्याह—एतेनेति । अयमभिनन्वि—ध्वनिकार ध्यानन्दवर्धन लोचन-  
कारोऽभिनवगुप्तश्च सर्वमान्यावालङ्कारिकी ईपद्वाच्यवृत्तिस्तृष्ट्यापि व्यङ्ग्यार्थस्य ध्वनिव्य-  
पदेशहेतुताम् निराकुरुताम्, अत 'दर्पणे च परिभोगदर्शिनी—' इत्यत्र लज्जापदेनाभि-  
हितस्य प्रकारान्तरेण व्यङ्ग्यस्यापि त्रपामावस्य न ध्वनिव्यपदेशहेतुत्वम् । इत्यत्र  
तद्दृष्टान्तेन 'काञ्चित्—' इत्यत्र शब्दाभिहितस्य समन्देशालङ्कारस्य प्रकारान्तरेण व्यङ्ग्य-  
त्वमुपपाद्य ध्वनिव्यवहारहेतुता त्रुवाणो दीक्षितो ध्वनिमर्यादानभिन्न एवेति ।

दीक्षित की वार्ता के उपहासयोग्य होने में हेतु दिवलाया जाता है—तथाहि  
इत्यादि । 'सशयापल' इस मूलोक्त वाक्य के 'सशय' पद से 'एक पदार्थ में, परस्पर-  
विरोधी अनेक पदार्थों के समन्वयों का भवगाहन करनेवाला ज्ञान' ( जिसे सन्देश कहा

जाता है) साक्षात् ही बोधित होता है अर्थात् संशय-पद-घटित 'वरदः सशयापन्नः' इस वाक्य का वाच्य अर्थ ही यह है कि वरदराज को कोई ऐसा ज्ञान हुआ है जो एक पदार्थ में परस्परविरुद्ध अनेक कोटियों का ग्रहण कर रहा है। इसके बाद जब 'वह परस्पर विरोधी पदार्थ ( जो कोटिरूप है ) कौन है' इस विशेष की जिज्ञासा होती है तब वरदराज के वचःस्थल-दर्शन-रूप अर्थ से अभिव्यक्त होनेवाले 'वचःस्थल में रहनेवाली लक्ष्मी ही वहाँ से उतर कर आगे खड़ी है क्या?' यह ( कोटिभूत ) अर्थ अवगत होता है। इस तरह विशेषरूप में व्यञ्जना द्वारा ज्ञात होनेवाला यह कोटिभूत अर्थ, अभिधा द्वारा, सशय शब्द से बोधित उक्त ज्ञान में विशेषण बने गामान्य अर्थ ( अनेक पदार्थ ) के साथ अभिन्नता को प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य यह कि जिस अंश को लेकर आप उक्त पद्य में सन्देह को व्यङ्ग्य मान रहे हैं वह अंश अन्ततः वाच्य सन्देह का विवरण मात्र ठहरता है, स्वतन्त्र व्यङ्ग्य अर्थ नहीं। इस तरह सारांश यह सिद्ध हुआ कि 'काञ्चित्—' इस पद्य में केवल ( विषयाशरहित ) सन्देह तो अभिधा द्वारा ज्ञात होने के कारण वाच्य है ही, साथ ही उसके एक अंश का विवरणरूप 'वचःस्थल में स्थित ही लक्ष्मी वहाँ से उतर कर सामने खड़ी है' यह विषयभाग भी 'विरोधी अनेक पदार्थ' रूप होने के कारण विशेषरूप से व्यङ्ग्य होकर भी सामान्यरूप से अभिधा द्वारा आक्रान्त है। ऐसी स्थिति में अभिधावृत्ति का प्राप्त बन जाने से इस अर्थ को स्वतन्त्र-तया व्यङ्ग्य नहीं कहा जा सकता इस और व्यङ्ग्य अर्थ की समाप्ति भी वाच्यार्थ-विषयक सन्देह में ही होती है। अतः यहाँ एक भी ऐसा अर्थ नहीं जो इस काव्य को ध्वनि ( उत्तमोत्तम ) बना सके। कारण, ध्वनिमार्ग-प्रवर्तकों का सिद्धान्त है कि जिसमें अभिधावृत्ति का स्पर्श सर्वथा नहीं हो वही व्यङ्ग्य काव्य में 'ध्वनि' व्यवहार करा सकता है। देखिए—'ध्वन्यालोक' के द्वितीय 'उद्योत' में 'आनन्दवर्धनाचार्य' ने—'शब्दार्थ शक्त्या—अर्थात् शब्दशक्ति अथवा अर्थशक्ति किंवा उभयशक्ति ( शब्दनिष्ठ व्यञ्जना अथवा अर्थनिष्ठ व्यञ्जना किंवा उभयनिष्ठ व्यञ्जना ) द्वारा आच्छिन्न ( बोधित ) भी व्यङ्ग्य अर्थ, जहाँ कवि द्वारा अपनी उक्ति से पुनः प्रकट कर दिया जाता है, वह 'ध्वनि' से भिन्न ही अलङ्कार है—ऐसी जगह 'ध्वनि' नहीं, किन्तु अलङ्कार माना जाना चाहिये।' यह सूत्र बनाकर कहा है कि—'संकेत—अर्थात् चतुर नायिका ने जार को सकेत-काल-ज्ञान के लिये उसुक मन वाला जानकर, हँसती आँखों से अपने अभिप्राय को प्रकट करने के साथ, लीलाकमल को मूँद दिया।' यहाँ 'जार को सकेत-काल-ज्ञान के लिये उसुक मन वाला जानकर' इस अंश से युक्त 'लीलाकमल को मूँद दिया' इस वाक्यांश को कहते हुए कवि ने 'लीलाकमलमुद्रण' में वर्तमान 'प्रदोषकालव्यञ्जकता' को अपनी उक्ति द्वारा ही प्रकट कर दिया, अतः ध्वनिपद्धति से भिन्न यह गुणीभूत व्यङ्ग्य की पद्धति है। अभिप्राय यह कि यदि 'जार को सकेत-काल-ज्ञान के लिये उसुक मनवाला जानकर' इस वाक्यांश का उच्चारण कवि नहीं करता तब 'लीलाकमल-मुद्रण' की 'प्रदोषव्यञ्जकता' प्रकट नहीं होती—छिपी रहती, अतः उस स्थिति में यह पद्य ध्वनि-काव्य कहलाता, पर ऐसा हुआ नहीं, अतः यह मध्यमकाव्य ही कहलाता है। अथवा जैसे—'अम्बा शोते—अर्थात् यहाँ बूढ़ी माता सोती है, यहाँ बूढ़ों के अगुआ अति-वृद्ध पिता सोते हैं तथा यहाँ सारे घर के कामों को करने से श्रान्त अतएव शिथिल शरीरवाली 'कुम्भदासी' ( कुम्भ नामकी दासी अथवा जल ढोने के लिये घड़ा उठाढ़ने वाली दासी, फ्रीड़ा दासी नहीं ) सोती है, और इस जगह, कुछ दिनों से दूरस्थ पति से वियुक्त अतएव पापिनी मैं अकेली सोती हूँ, इस तरह युवती ने प्रासङ्गिक उक्ति के छल से, पथिक को कहा।' ( यहाँ 'माता को वृद्ध और पिता को वृद्धों का अगुआ' कहने से उनके जगने का कोई भय नहीं, जग जाने पर भी इष्टिशक्ति श्रवणशक्ति आदि से हीन होने के कारण, उन पर हमारे आचरणों के प्रकट होने का भय नहीं, इत्यादि अर्थ व्यक्त

होते हैं, इसी तरह 'कुम्भदासी' को श्रान्त तथा शिथिल शरीरवाली कहने से उसके लगने का भी भय नहीं, यह अर्थ ध्वनित होता है, एव अपने को पतिवियुक्ता तथा झकेली सोनेवाली कहने से नायिका की उत्कट सम्भोगेच्छा प्रतीत होती है, पति को 'प्राणनाथ' कहने से 'हृदयनाथत्व' का वारण झलकता है, 'पथिक को' इस कथन से उसका भी सम्भोगोत्सुक होना सिद्ध होता है। यहाँ 'नि शङ्क होकर रमण करने लामो' यह अर्थ पद्य के प्रथम तीन चरणों से यद्यपि व्यङ्ग्य होता है, तथापि कवि ने 'प्रामाणिक उक्ति' को छुलरूप कहते हुए उस व्यङ्ग्य अर्थ को अपनी उक्ति से स्पष्ट अवगत होने योग्य बना दिया। अतः यह भी 'ध्वनि' का मार्ग नहीं है।" यह तो हुई आनन्दवर्धनाचार्य की बात। इसके अतिरिक्त 'ध्वन्यालोक' पर 'लोचन' नामक व्याख्या लिखनेवाले जमिनवगुप्ताचार्य ने भी 'ध्वन्यालोक' के तृतीय उद्योत में आनन्दवर्धन की युक्तियों का विवेचन करते हुए गुणीभूतव्यङ्ग्यनिरूपण-प्रसङ्ग में लिखा है—'व्यङ्ग्य अर्थ यदि उक्ति द्वारा प्रकाशित हो जाय तब उसका अप्रधान होना ही शोभित होता है। तात्पर्य यह कि उस स्थिति में व्यङ्ग्य को प्रधान कहना उचित नहीं। अतः जहाँ उक्ति के बिना ही व्यङ्ग्य अर्थ तात्पर्यतः प्रकाशित होता है वहाँ उसकी प्रधानता होने के कारण काव्य को 'ध्वनि' माना जाता है, अन्यत्र नहीं।' इन उद्धरणों से यह सिद्ध हुआ कि जो ध्वनिमार्गप्रवर्तक वाच्यार्थ 'सकेतकाल—' इत्यादि लक्ष्यों में व्यञ्जना अथवा व्यङ्ग्य का उक्ति (अभिधा) के साथ किञ्चित् भी स्पर्श हो जाने पर 'ध्वनिकाव्यता' का निराकरण करते हैं वे 'काञ्चित्काञ्चनगौराङ्गीम्—' इस पूर्वोक्त उदाहरण में—जहाँ व्यङ्ग्य अर्थ प्रकारान्तर से स्पष्टतया अभिधावृत्ति-बोध हो गया है—'ध्वनिकाव्यता' कैसे स्वीकार करेंगे? इसी से 'दर्पणे च परिभोगदर्शिनी—' इस पूर्वोक्त 'कुमारसम्भव' के पद्य में जो दीक्षित जी ने 'ध्वनिकाव्यता' का छान्तरूप में उद्धृत किया है, वह भी समाप्त हो गया। तात्पर्य यह कि न 'कुमारसम्भव' का पद्य ही 'ध्वनिकाव्य' (उत्तमोत्तम) है, न दीक्षित जी का उदाहरण ही।

ससन्देहालङ्कारे साधारणधर्मस्थिति विचारयति—

अस्मिंश्च सशये नानाकोटिषु कचिदेक एव समानो धर्मः । क्वचिन् पृथक् ।  
सोऽपि कचिदनुगामी, कचिद् विन्वप्रतिविन्वभावमापन्न, कचिदनिर्दिष्ट,  
कचिन्निर्दिष्टः ।

अथ ससन्देहालङ्कारोऽपि सादृश्यनूलक, अतोऽत्रापि सादृश्यनिदानक समानो धर्म तिष्ठति । स च समानो धर्म उत्रचिन् सन्देहे विशेषणीभूताननुगमानभावापन्नानाम् अनेकपदार्थानाम् सादृश्यस्य विशेष्यीभूते उपनेयभावापन्ने पदार्थे निदानक एक एव भवति, उत्रचिच्च भिक्षो भवति । अन्वोऽत्रिविधो समानधर्मयो प्रत्येको धर्म पुन्वन्तुर्विधो भवति, अनुगामि-विन्वप्रतिविन्वभावापन्नानिर्दिष्टनिर्दिष्टरूपचान् इति भावः ।

ससन्देहालङ्कार में साधारणधर्म की क्या स्थिति होती है इसका विचार अब किया जाना है—अस्मिंश्च इत्यादि। यह ससन्देह भी सादृश्यनूलक अलङ्कार है, अतः इसमें भी सादृश्य को सिद्ध करनेवाला साधारणधर्म होता है—अर्थात् सन्देह में जो विनेय-भूत पदार्थ रहता है वह उपनेय तथा सन्देह में जो कोटिभूत (विनेय) पदार्थ रहते हैं वे उपमान कहे जा सकते हैं। अब उस एक उपनेय में उन अनेक उपमानों का सादृश्य जिसके कारण सिद्ध होता है वह समानधर्म अनेक प्रकार का हो सकता है जैसे—कहीं वह एक रहता है। तात्पर्य यह कि एक उपमान के साथ उपनेय का जो साधारणधर्म होगा वही दूसरे उपमान के साथ भी। और कहीं वह भिन्न-भिन्न रहता है। अभिप्राय यह कि एक उपमान के साथ जो उपनेय का साधारणधर्म रहेगा, उसमें भिन्न दूसरे उपमान के साथ। इन दोनों प्रकार के साधारणधर्मों में से प्रत्येक पुनः चार-

चार प्रकार का होता है, जैसे—कहीं अनुगामी, कहीं विम्वप्रतिविम्वमावापत्र, कहीं अनुक्त और कहीं उक्त ।

क्रमेण तत्तद्धर्मोदाहरणप्रदर्शनप्रसङ्गे प्रथममनुगामिनोऽनिर्दिष्टस्यैकस्य तस्योदाहरणमाह—  
तत्र 'मरकतमणिमेदिनीधरो वा' इति प्रागुदाहृतपद्ये श्यामाभिरामत्व-  
धर्मिणो रामस्य कोट्योश्च तमाल-मरकत-भूधरयोरेक एवानुगामी धर्मः प्रतीय-  
मानत्वादर्निर्दिष्टः ।

तत्रेति । तेषां धर्माणाम् मध्य इत्यर्थः । श्यामेति । श्यामत्वविशिष्टाभिरामत्वमित्यर्थः । धर्मिण इति । सशयीयविरोध्यताश्रयस्येत्यर्थः । उपमेयस्येति यावत् । कोट्योरिति । संशयीयप्रकारताश्रययोरित्यर्थः । उपमानयोरिति यावत् । 'मरकतमणि—'इति पद्ये तमाल-रामयो मरकतपर्वतरामयोश्चैक एव साधारणो धर्मः श्यामत्वसमानाधिकरणाभिरामत्वरूपः । स चात्रानिर्दिष्ट अनिर्देशोऽपि प्रसिद्धिवलात्प्रतीतेः ।

अब क्रमशः उन धर्मों के उदाहरण दिखलाने के क्रम में पहले अनुक्त एक अनुगामी धर्म का उदाहरण दिखलाया जाता है—तत्र इत्यादि । उक्त धर्मों में से अनुगामी एक अनुक्त समानधर्म का उदाहरण 'मरकतमणि—' यह पूर्वोक्त पद्य होता है, क्योंकि वहाँ धर्मी (सन्देह में विशेष्यरूप से भासित होनेवाला पदार्थ) राम तथा तमाल और मरकतपर्वत इन दोनों कोटियों में 'श्यामसुन्दरता'रूप एक ही धर्म है जो अनुगामी है तथा प्रसिद्धिवल से प्रतीत हो जाने के कारण अनुक्त है ।

निर्दिष्टमेकमनुगामिनं धर्ममुदाहर्तुमाह—

स एव निर्दिष्टो यथा—

स एवेति । अनुगामी एक एवेत्यर्थः ।

उक्त अनुगामी एक समानधर्म, जैसे—

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'नेत्राभिरामं रामाया वदनं वीक्ष्य तत्क्षणम् ।

सरोजं चन्द्रविम्बं वेत्यंखिलाः समशेरत ॥'

अखिला सर्वे जना, रामायाः सुन्दर्या, नेत्राभिरामम् नयनरमणीयम्, वदनं मुखम्, वीक्ष्य दृष्ट्वा, तत्क्षणम् तस्मिन्नेव समये, इदम्, सरोजं कमलम्, चन्द्रविम्बं चन्द्रमण्डलम्, वा, इति, समशेरत सशय कृतवन्त इत्यर्थः ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—नेत्राभिरामम् इत्यादि । सुन्दरी के नयन-मनोहर मुख को देखकर सब लोग तत्काल 'कमल है अथवा चन्द्र-मण्डल' इस तरह सन्देह करने लगे ।

उपपादयति—

अत्र नेत्राभिरामत्वरूपपक्षिण्वेक एवानुगामी धर्मो निर्दिष्टः ।

'नेत्राभिरामम्—' इत्यत्रोपमेयस्थानीये सशयधर्मिणि रामावदने यथा नेत्राभिराम-त्वम् (नेत्रयो = नेत्रदेशावच्छेदेन नेत्राभ्यां वा अभिरामत्वम्) तयोपमानस्थानीययोः सरोजचन्द्रविम्बयोरपि नेत्राभिरामत्वम् (नेत्रवदभिरामत्वम्) इति श्लिष्टोऽयमेकत्रिषु अनुगामी साधारणधर्मः । स चात्रोक्त इति भावः ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि । 'नेत्राभिरामम्—' इस पद्य में सुन्दरी-मुख, कमल और चन्द्रविम्ब तीनों में एक ही अनुगामी समानधर्म 'नयन-मनोहरत्व' शब्द द्वारा प्रतिपादित है । अभिप्राय यह है कि उक्त पद्य में संशय में विशेष्यभूत

पदार्थ (उपमेय-सुन्दरीमुख) जिस तरह नयन-मनोहर ( नयन-देश में मनोहर अथवा नयनों से मनोहर ) है उसी तरह सशय में कोटिभूत पदार्थ (उपमान-कमल तथा चन्द्र-दिम्ब) भी नयन-मनोहर ( नयन के समान मनोहर ) हैं, अतः श्लेषद्वारा एक 'नयन-मनोहरता' ही तीनों में रहनेवाला धर्म होता है जो शब्दद्वारा यहाँ कथित है ।

उक्तमिजानुगामिनोदाहरणं त्सारयति—

पृथगनुगामी निर्दिष्टो यथा प्राग्गुदाहृते 'आज्ञा सुमेयो.' इत्यादौ ।

उपपादितमिदं प्राक् ।

शब्दद्वारा उक्त भिन्न-भिन्न तरह के अनुगामी समानधर्म—जो पहले उदाहृत हो चुके हैं—का स्मरण कराया जाता है—पृथग् इत्यादि । 'आज्ञा सुमेयो.' इस पद्य में उस तरह का धर्म है जिसका उपपादन पहले ही किया जा चुका है ।

तादृशस्य धर्मत्योदाहरणान्तरं दातुमाह—

यथा वा—

अथवा, जैसे—

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'सम्पश्यतां तामतिमात्रतन्वीं ! शोभाभिराभासितसर्वलोकाम् ।

सौदामिनी वा सितयामिनी वेत्येव जनानां हृदि सशयोऽभूत् ॥'

अतिमात्रतन्वीम् नितान्तदुर्बलादीम्, तथा, शोभाभि, आभासिता प्रकाशिता, सर्वे लोकाः ज्या ताम् ( 'सन्वन्धि'शब्द' साक्षात्तो नित्यं सर्वं समस्यते' इति नियमेन 'शोभाभि' इत्यस्य पृथङ्निर्देशोऽपि 'आभासितसर्वलोकाम्' इत्यत्र समानो बोध्यः ), ताम् वर्णनीया नायिकाम्, सम्पश्यताम् समवलोकयताम्, जनानाम्, हृदि हृदये, 'इयं सौदामिनी विद्युहता, अथवा सितयामिनी शुक्लपक्षीरात्रि' इति, मशय, अभूदित्यर्थः ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—सम्पश्यताम् इत्यादि । अत्यधिक दुर्बल अङ्गों वाली तथा शोभाओं से सब भुवनों को प्रकाशित करने वाली उस सुन्दरी के दर्शकों को 'विद्युहता है अथवा शुक्लपक्ष की रात्रि है' यह सन्देश हुआ ।

उपपादयति—

अत्रातिमात्रतनुत्वं सौदामिन्या, शोभाभिराभासितसर्वलोकात्वं च सितयामिन्या सह क्रान्ताया पृथगनुगामी समानो धर्मः ।

सौदामिन्येति । सह क्रान्तेत्यन्वेति । 'सम्पश्यताम्—' इत्यत्र सौदामिनी-क्रान्तयोरतिमात्रदुर्बलत्वम्, नितयामिनी-क्रान्तयोश्च शोभाभानितमर्बलत्वम् अनुगामी साधारणी धर्मं पृथक् पृथक् उक्त इति भावः ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि । 'सम्पश्यताम्—' इस पद्य में 'अत्यधिक दुर्बली होना' विद्युहता के साथ और 'शोभाओं से सब भुवनों को प्रकाशित करना' शुक्लपक्षीय रात्रि के साथ—इस तरह एक ही कामिनीरूप उपमेय के अनुगामी समान-धर्मं पृथक् पृथक् उक्त हुये हैं ।

अनुक्तमिजानुगामिसाधारणधर्मोदाहरणं प्रदर्शनायाह—

अत्रैव पूर्वार्धगतविशेषणद्वयत्यागे स एवान्निर्दिष्टः ।

'सम्पश्यताम्—' इत्यस्मिन्पद्य एव यदि धर्मबोधके पूर्वार्धगते 'अतिमात्रतन्वीम्' 'शोभाभिराभासितसर्वलोकाम्' इति विशेषणपदे अन्विक्रयेयानाम्, तदा तदेव पद्यमनुक्त-पृथगनुगामिभाव राशयनेदाहरणतां प्रतिपद्येतेति भावः ।

‘सम्पश्यताम्—’ इस पद्य में ही यदि पूर्वार्ध के दोनों (‘अत्यधिक दुबली होना’ तथा ‘शोभाओं से सब भुवनों को प्रकाशित करना’) धर्मबोधक विशेषणों को छोड़ दिया जाय—अर्थात् उन दोनों विशेषणों का समावेश न करके ही पद्य-रचना की जाय—तब यह पद्य अनुक्त पृथक् अनुगामो समानधर्म का उदाहरण हो जायगा।

बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नपृथक्निर्दिष्टसाधारणधर्मोदाहरणं स्मारयति—

बिम्बप्रतिबिम्बभावमापन्नो यथा ‘तीरे तरुण्या वदनं सहासम्’ इत्यादी प्रागुक्ते ।

‘तीरे तरुण्याः—’ इति श्लोके ‘सहासत्वम्’ ‘मिलद्विकाशत्वम्’ चेति द्वौ साधारणधर्मौ शब्दत कथितौ तौ च बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नाविति भावः ।

बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न साधारणधर्म, जैसे—‘तीरे तरुण्याः—’ इत्यादि पूर्वोक्त पद्य में। अभिप्राय है कि ‘तीरे तरुण्याः—’ इस पद्य में ‘हासयुक्त होना’ और ‘विकाश युक्त होना’ ये दो समानधर्म पृथक् पृथक् शब्दत उक्त हैं और ये दोनों धर्म साधारण इसलिये होते हैं कि बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न है।

तादृशधर्मोदाहरणान्तर निर्देष्टुमाह—

यथा वा—

अथवा, जैसे—

उदाहरणमुपन्यस्यति—

‘सपल्लवा किं नु विभाति वल्लरी सफुल्लपद्मा किमियं नु पद्मिनी ।

समुल्लसत्पाणिपदां स्मिताननामितीक्ष्माणैः समलम्भि संशयः ॥’

समुल्लसत्पाणिपदा शोभमानकरचरणाम्, तथा, स्मितानना सेपद्वासमुखीम्, कामिनीम्, ईक्ष्माणैः पश्यद्भिर्जनैः, ‘सपल्लवा किसलयवती, वल्लरी लता, विभाति शोभते, किं नु अथवा, सफुल्लपद्मा विकसितकमलकोशयुक्ता, पद्मिनी नलिनी, विभाति, किं नु’ इति इत्याकारक, संशय, समलम्भि लब्ध इत्यर्थ (अत्र ‘नु’शब्दो वितर्क)। अत्र ‘पाणिपदा स्मिते’ति प्रतीकमुपादायाह नागेश—‘पादप्रतिबिम्बानिर्देशान्न्यूनताऽत्र । अत एव पाण्याननयोरित्यग्निमोक्ति सङ्गच्छते । वस्तुतस्तु फुल्लपद्म पाणिवत् पादयोरपि प्रतिबिम्ब इति न दोषः । व्याख्यानि तूपलक्षणत्वेन योज्यम् ।’ इति ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—सपल्लवा इत्यादि। शोभायुक्त कर-चरणोंवाली तथा मन्दहासयुक्त मुखवाली उस कामिनी को देखने वालों को यह सन्देह हुआ कि ‘यह क्या पल्लवोंसहित लता शोभित हो रही है अथवा विकसित कमलयुक्त पद्मिनी?’

उपपादयति—

अत्र पल्लवफुल्लपद्मो पाण्याननयोः प्रतिबिम्बकोटयोः पृथक् निर्दिष्टे ।

‘सपल्लवा—’ इति पद्ये नायिकारूपे धर्मिणि वल्लरी-पद्मिनीरूपविरुद्धकोटिक सन्देहो वर्णित, सन्देहश्चाय साधारणधर्मवत्ताज्ञानजन्य, साधारणधर्मश्च वल्लरीनायिकयो पल्लव पाणिरूप, पद्मिनी-नायिकयोश्च फुल्लपद्माननरूप । ननु पल्लवो वल्लरीमात्रवृत्ति पाणिश्च नायिकामात्रवृत्तिः, एवम्, फुल्लपद्म पद्मिनीमात्रवृत्ति, आनन च नायिकामात्रवृत्ति, इयं स्थितौ कय तयो मिलितयो (पल्लवपाण्यो फुल्लपद्माननयोश्च) साधारणतेति चेन्न, बिम्ब-प्रतिबिम्बभावापन्नत्वेन तयोरेकत्वात्प्रवृत्तसायात् । पाणिरूपस्य बिम्बस्य पल्लव प्रतिबिम्ब, आननरूपस्य च बिम्बस्य फुल्लपद्म प्रतिबिम्बभूतम् । प्रतिबिम्बभूतौ च द्वौ पदार्थौ पृथक् पृथक् निर्दिष्टाविति भावः ।

उपपादन क्रिया जाता है—अत्र इत्यादि । 'नपहवा—' इस पद्य में हाय पैर के प्रतिदिम्ब 'पहव' और मुख का प्रतिदिम्ब 'विकसित कमल' रत्ता और पद्मिनीरूप दोनों कोटियों में पृथक्-पृथक् शब्द उक्त हुए हैं । यद्यपि मूल में 'पाप्याननयो' ऐसा कह कर हाय मात्र का प्रतिदिम्ब 'पहव' को कहा गया है, पर उस कथन में 'पाणि' को 'पद' का भी उपलक्षण समझना चाहिए, अन्यथा 'न्यूनता' हो जायगी ।

विम्बप्रतिदिम्बभावात्तस्य निर्दिष्टयोगहरण इत्यादिनिर्दिष्टस्य तदाह—

'इदमुद्वेष्टदर वा नयन वाऽत्रेत्नेश्वरस्य मनः ।

दशरथगृहे तदानीमेव सगेरते स्म कवयोऽपि ॥'

कवयोऽपि वस्तुतन्वगवेषका अग्नि, क्रियुत अन्ये, तदानीं रामोऽप्यनिसमये, 'इदम्, उद्वेष्टे मनुजस्य, उदर नध्यभाग, अथवा अत्रेत्नेश्वरस्यो मुने, नयनम्, उत, ईश्वरस्य, मनः' इत्येवम्, दशरथगृहे तद्विद्वे, संगेरते स्म मन्देहं कृत्वन्त इत्यर्थः । पुराणे चन्द्रस्य त्रिघोषनि वर्णितं सनुद्रावत्रिनेत्रानरनेश्वरमन्परचेति भावः ।

उक्त दिम्बप्रतिदिम्बभावापन्न धर्म का उदाहरण देकर अब अनुक्त तादृश धर्म का उदाहरण दिया जाता है—इदमित्यादि । राम-जन्म के समय, दशरथ के घर के विषय में कवि भी इस तरह मन्देह करते थे कि—'यह मनुज का मध्य-भाग है अथवा अत्रिसुनि का नेत्र है कि वा परमेश्वर का मन है ? ( इस मन्देह के मूल में पुराणों की वह उक्ति कान झर रही है जिसमें तीन प्रकार के चन्द्रमा की उत्पत्ति वर्णित है—सनुद्र के मध्य से, अत्रि के नेत्र से और परमेश्वर के मन से ) ।

उपपादन्यति—

अत्र तदानीमिति प्रकरणसाहाय्यश्लादशरथगृहेण धमिणाऽक्षिप्रस्य तत्कालजातस्य भगवतो रामस्य जलधुद्रागिसंशयकोटित्रयाक्षिनः साधारणश्चन्द्रः प्रतिदिम्बः । इमौ च विम्बप्रतिदिम्बावनिर्दिष्टावपि प्रतीयमानौ सादृश्य प्रयो जयतः । एतेन 'अनुगान्येव धर्मो तुप्रः सन्भवति, न तु विन्वितः' इति वदन्त परस्ताः । इति दिक् ।

धमिरोति । संशयविशेषनाशयेत्यर्थः । रामस्येति । विम्बरूपस्येति भावः । साधारण इति । जलधुद्रागिकोटिद्वये वर्तमान इत्यर्थः । इमाविति । रामचन्द्रावित्यर्थः । एतेनेति । ईश्वरोगहरोपलम्भेनेत्यर्थः । अयं भाव—'इदमुद्वेष्टे—' इति ग्लोके दशरथस्यैवमेव मनुद्रोदरादिनेत्ररनेश्वरमनोहरविन्दुकोटिकः मग्यो वर्णितः । तत्र 'तदानीम्' इति पदप्रतिपाद्यप्रकरणमहतेन मशयधमिणा दशरथगृहेण तत्कालोत्पन्नो राम आक्षिप्यते, तं विना तत्रोत्कोटिकसंगमन्यालव्यात्, एव मग्यजोतिभूतैः सनुद्रोदरादिभिरिति त्रिषु साधारणचन्द्र आक्षिप्यते न विना तेषां मग्ये कोटित्वात्सन्भवात् । आक्षिप्योश्चान्यो रामो विम्बः, चन्द्रश्च प्रतिदिम्बः । एव विम्बप्रतिदिम्बभावापन्नतद्वैक्यमानसो 'रामचन्द्र परार्थ मनुद्रोदरादिनेत्रमानसूत्रस्य, दशरथगृहस्य त्रोगमेवभूतस्य साधारणवने' सन्भवते । अतुलावपि तौ विम्बप्रतिदिम्बौ प्रतीयते नाहन्यं च प्रतीयत इतीह वैचिन्द्र्यं बोध्यम् । 'अनुगामी धर्म एवमुत् प्रतीयते, विम्बप्रतिदिम्बभावात्परतु न' इति ये वदन्ति ते अनेनातुत्प्रतीयमान विम्बप्रतिदिम्बभावात्तद्वैक्यमानोदाहरणेन परान्तं गतिः ।

उपपादन क्रिया जाता है—अत्र इत्यादि । 'इदमुद्वेष्टे—' इस पद्य में रामजन्मसमय-रूप प्रकरण की सहायता से मग्यधर्मो ( विन्दु विषय में विभित्तकोटिक मन्देह



होता है उस ) दशरथगृहरूप अर्थ से तत्कालोत्पन्न राम का आक्षेप होता है, इसी तरह संशय में कोटिभूत पदार्थ समुद्र के मध्यभाग, अत्रि-नेत्र और परमेश्वर-मन इन तीनों से, तीनों में रहनेवाले ( तीनों से उत्पन्न होनेवाले ) चन्द्र का आक्षेप होता है। ये आक्षिप्त पदार्थ ( राम और चन्द्र ) विम्बप्रतिविम्बभावापन्न हैं—अर्थात् राम विम्ब और चन्द्र प्रतिविम्ब है। यद्यपि ये दोनों विम्ब और प्रतिविम्ब ( राम तथा चन्द्र ) पद्य में उक्त नहीं हैं, तथापि इन दोनों की प्रतीति यहाँ अवश्य होती है, क्योंकि जब तक इनकी प्रतीति नहीं होगी तब तक उक्त सन्देह घन ही नहीं सकता। और जब ये दोनों पदार्थ विम्बप्रतिविम्बभावापन्न होकर प्रतीत हो जाते हैं तब ये ही साधारणधर्मरूप होकर दशरथगृह का समुद्रमध्यभाग आदि उक्त तीनों पदार्थों के साथ सादृश्य सिद्ध कर देते हैं और सादृश्य सिद्ध हो जाने पर तन्मूलक उक्त सन्देह ( दशरथगृह के विषय में समुद्र मध्यभाग आदि का सन्देह ) भी वन जाता है। इस उदाहरण से वे सब परास्त हो जाते हैं जो 'अनुगामी धर्म ही अनुक्त हो सकता है, विम्बप्रतिविम्बभावापन्न धर्म नहीं' ऐसा कहते हैं।

विशेषमाह—

अथ च कचिदनाहार्यः, कचिदाहार्यः। यत्र हि कविना परनिष्ठः संशयो निबध्यते प्रायशस्तत्रानाहार्यः। यथा 'तीरे तरुण्याः' 'भरकतमणिमेदिनीधरो वा' इत्यादिषु प्रागुदाहृतेषु पद्येषु। तत्र भ्रमरादीनां संशयानानां ग्राह्यनिश्चयाभावात्। यत्र च स्वगत एव तत्राऽहार्यः।

यथा—

'अलिर्मृगो वा नेत्रं वा यत्र किञ्चिद् विभासते।

अरविन्दं मृगाङ्को वा मुखं वेदं मृगीदृशः॥'

अत्र वक्तुः कवेस्तत्त्वज्ञतया संशयावाहार्यावेव।

अथ चेति। संशयक्षेत्यर्थः। अनाहार्य इति। वाधकालीनेच्छाजन्यो नेत्यर्थः। अनाहार्यसंशयस्थलं परिभाषते—यत्र कविनेति। परनिष्ठ इति। स्वभिन्ननिष्ठ इत्यर्थः। कुत्रचिद् व्यभिचारादाह प्रायश इति। अनाहार्यसंशयोदाहरणमुपदर्शयति—यथा 'तीरे' इत्यादि। अनाहार्यत्वमुपपादयति—तत्रेति। संशयानानामिति। भ्रमरादिविशेषणमेतत्। ग्राह्यनिश्चयेति। ज्ञातव्यवस्तुनिश्चयेत्यर्थः। आहार्यसंशय परिभाषते—यत्र चेति। स्वगत एवेति। एवेन परनिष्ठत्वव्यवच्छेदः। आहार्यसंशयोदाहरणं प्रदर्शयति—यथा 'अलिः—' इति, यत्र मुखरूपे वस्तुनि, अलि. भ्रमर, मृग हरिणः, अथवा नेत्रम्, किञ्चित् एषु इदतयाऽनिश्चितमेकम्, विभासते शोभते, इदम् मुखरूपं वस्तु, अरविन्द कमलम्, वा, मृगाङ्कचन्द्रो वा, मृगीदृशः मृगनयनाया नायिकाया मुखं वा अस्तीत्यर्थः। उपपादयति—अत्र वक्तुरिति। तत्त्वज्ञतयेति। वास्तविकवस्तुनिर्णयविशिष्टतयेत्यर्थः। संशयाविति। नेत्रधर्मिक. भ्रमरहरिणोभयकोटिक एक संशयः, मुखधर्मिक कमलचन्द्रोभयकोटिकश्च द्वितीय इति भावः। मुखे कमलसंशये नेत्रे भ्रमरसंशय, मुखे चन्द्रसंशये च नेत्रे चन्द्रमध्यगत-हरिणसंशय इति साराशः। अलङ्कारभूतोऽयं सन्देहो द्विविध सम्भवति आहार्य, अनार्य-हार्यश्च। यत्र कवि परगत सन्देह वर्णयति तत्र—'तीरे तरुण्याः—' 'भरकतमणिमेदिनीधरो वा' इत्यादौ—अनाहार्य, संशयकारकाणाम् भ्रमरादीनाम् संशयविषयीभूतविविधकोटि-गतैकपदार्थनिश्चयाभावात्। यत्र तु कवि स्वयं सदेग्धि तत्र—'अलिर्मृगो वा—' इत्यादौ आहार्यः, कवेर्प्राह्यनिश्चयसत्त्वेऽपि इच्छामात्रजन्यत्वात्तस्येति भावः।

एक अन्य रीति से ससन्देहालङ्कार का विभाग किया जाता है—अयं च इत्यादि । यह ससन्देहालङ्कार दो प्रकार का होता है, क्योंकि अनाहार्य और आहार्यभेद से सन्देह दो प्रकार के हो सकते हैं ( आहार्य सन्देह का अर्थ है वास्तविक वस्तु को जानते रहने पर भी इच्छाजन्य सन्देह और अनाहार्य सन्देह का अर्थ है वास्तविक सन्देह—अर्थात् वास्तविक वस्तु को न जानने के कारण होनेवाला सन्देह ) । जहाँ कवि दूसरे किसी को होनेवाले सन्देह का वर्णन करता है वहाँ प्रायः ( प्रायः इसलिये कि कहीं इसके विपरीत बात भी हो जा सकती है ) अनाहार्य सन्देह होता है । जैसे—‘तीरे तरुण्या ~’ ‘मरकत-मणि-’ इत्यादि पूर्वोदाहृत पद्यों में । ऐसे स्थलों के सन्देहों को अनाहार्य मानने में खास कारण यह है कि यहाँ जिन ( भ्रमर, ऋषिवृन्द आदि ) के सन्देहों का वर्णन कवि द्वारा किया गया है उन्हें ज्ञातव्य वस्तु का निश्चय नहीं है—वे वास्तविक वस्तु क्या है यह निश्चयपूर्वक नहीं जानते रहते हैं । जहाँ कवि स्वयं सन्देह करता है—किसी दूसरे के सन्देह का वर्णन नहीं करता—वहा सन्देह आहार्य होता है, क्योंकि वैसे स्थल में कवि वास्तविक वस्तु को जानकर भी केवल अपनी इच्छा से सन्देह का उत्थान करता है, जैसे ‘अलिर्नृगो वा-अर्थात् जिसमें भ्रमर, हरिण अथवा नेत्र कुछ भासित हो रहा है यह कमल है, चन्द्रमा है अथवा नृगाक्षी नायिका का मुख है ?’ यहाँ का सन्देह आहार्य है, क्योंकि यहाँ कवि तत्त्वज्ञ है अर्थात् वह ‘नृगाक्षी की आंख है यह, और उस आंख से शोभित यह उसका मुख है’ इस वास्तविक तथ्य को जानता है, फिर जो उसने नेत्र में भ्रमर और हरिण का एव मुख में कमल और चन्द्र का सन्देह किया है वह उस ( कवि ) की इच्छा का विलास है ।

अपर विशेषमाह—

परम्परितोऽपि चायं सम्भवति—

‘विद्वद्दैन्यतमस्त्रिमूर्तिरथवा वैरीन्द्रवंशाटवी-

दावामि किमहो महोज्ज्वलयशःशीताशुदुग्धान्बुधिः ।

किंवाऽनङ्गभुजङ्गदष्टवनिताजीवातुरेवं नृणां

केपामेप नराधिपो न जनयत्यल्पेतराः कल्पनाः ॥’

अत्राप्याहार्य ।

परम्परितोऽपीति । अत्रारोपत्यारोपमात्रोपायत्वेन परम्परितत्वम्, न तु सशयोपा-  
यत्वेन । दैन्यादीना तमस्त्वादिसन्देहाविषयत्वादिति बोध्यमिति नागेश । विद्वद्दैन्येति ।  
राजत्तुतिरियम्—एष वर्णनाय, नराधिप राजा, विदुषा पण्डितानाम्, दैन्यम् दारिद्र्यमेव,  
तम अन्धकार ( रूपकम्, एवमप्येऽपि ) तस्य कृते, त्रिमूर्ति सूर्य, अयं किम् ? अथवा,  
वैरीन्द्रा विरोधिध्रेष्ठा राजान, एव, वशाटवी वशारण्यम्, तस्य, कृते, दावामि वन्वहि,  
किम् ? अथवा, महोज्ज्वल परमस्वच्छम्, यश कीर्तिरेव शीताशुदुग्धान्बुधिः, तस्य कृते,  
दुग्धान्बुधिः पयःपारावारः, किम्, अथवा, अनेन कामदेवेन तद्रूपेरोति यावन्, भुजङ्गेन  
नर्पेण, दष्टा कृतदशा अतिक्रामाटला इति यावन्, या, वनिता कामिन्यः, तासा कृते,  
जीवातु जीवनायधम्, किम् ? इत्येवप्रकारिका, अनेतरा अनन्ता, कल्पना मगयान्,  
केवा नृणा मनुष्याणाम्, न, जनति उन्वाद्यति ? सर्वेषा तथा कल्पना जनयतीत्यर्थः ।  
अत्र दारिद्र्यादिषु तमस्त्वादेरारोपो राजनि सूर्यत्वाद्यारोपस्य कारणमत एव परम्परित-  
त्वम् । सशयश्चात्रापि स्वगततयाऽऽहार्य इति भावः ।

एक विशेष इस अलङ्कार के सम्बन्ध में बतलाया जाता है—परम्परितोऽपि इत्यादि ।

यह ससन्देहालङ्कार रूपक की तरह परम्परित भी हो सकता है, जैसे—‘विद्वद्दैन्य—अर्थात् यह राजा विद्वानों के दारिद्र्यरूप अन्धकार के लिये त्रिमूर्ति ( सूर्य ) है, अथवा शत्रुओं में श्रेष्ठ राजाओं-रूप वॉम के वन के लिये वनवह्नि है, किंवा अतिनिर्मल यश रूप चन्द्र के लिये क्षीरसागर है, आहोस्वित् काम-रूप सर्प से ढँसी हुई कामिनियों के लिये जीवनौषध है, इस तरह यह राजा किन्हे अनेक कल्पनाएँ ( सशय ) उत्पन्न नहीं करता, अर्थात् सभी के हृदय में इमे देखकर ऐसी कल्पनाएँ उत्पन्न होती ही हैं।’ यहाँ दारिद्र्य आदि में अन्धकार आदि का आरोप जिस लिये किया जाता है इसलिये ही राजा में सूर्य आदि का आरोप किया जाता है। फलतः एक आरोप दूसरे आरोप का कारण होता है, अतएव यहाँ का सन्देहालङ्कार परम्परित कहलाता है, न कि एक सन्देह का दूसरे सन्देह के प्रति कारण होने से, क्योंकि वैसी स्थिति यहाँ नहीं है—अर्थात् दारिद्र्य में अन्धकार सन्देह नहीं, अपि तु आहार्यनिश्चय ही है। सन्देह यहाँ का भी आहार्य ही है। कारण, कवि स्वयं सन्देह करता है—वस्तुस्थिति को निश्चितरूप से जान कर भी।

‘यत्र स्वगत एव सशयस्तत्राहार्य’ इति यदुक्तं प्राक् तत्रैवकारेण कृतमवधारणमयुक्तमिति साम्प्रतमाह—

क्वचित् परनिष्ठोऽपि कविना निबध्यमान आहार्यो भवति ।

न केवलम् स्वगत एव, अपि तु परगतोऽपि कविवर्णित सन्देह क्वचिदाहार्यो भवतीति भाव ।

‘स्वगत सन्देह ही आहार्य होता है’ यह जो पहले सामान्यतः कहा गया है, अब उसका अपवाद कहा जाता है—क्वचित् इत्यादि। कहीं कहीं कविद्वारा वर्णित परकीय सन्देह भी आहार्य होता है।

तादृशमुदाहरण दर्शयितुमाह—

यथा—

जैसे—

उदाहरणमुपन्यस्यति—

‘गगनाद् गलितो गभस्तिमानुत वाऽयं शिशिरो विभावसुः ।

मुनिरेवमरुन्धतीपतिः सकलज्ञः समशेत राघवे ॥’

सकलज्ञः सर्वज्ञः, अरुन्धतीपतिः मुनिः वशिष्ठः, ( जातकर्मसमये ) राघवे रामचन्द्रे धर्मिणि, अयम्, गगनात्, गलितः पतितः, गभस्तिमान् सूर्यः, उत, शिशिर शीतल, विभावसुः अग्नि, एवम्, समशेत संशय कृतवानित्यर्थः । ( यद्यपि विद्वद्दैन्येत्यत्रोदाहृतोऽपि सशय परनिष्ठो भवति, तथापि केषामिति सामान्येन निर्देशात् स्वनिष्ठोऽपि भवतीति द्वितीयमिदमुदाहरणमुक्तमिति बोध्यम् ) ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—गगनात् इत्यादि। अरुन्धती के स्वामी सर्वज्ञ वशिष्ठमुनि ( जातकर्म के समय ), रामचन्द्र के विषय में, ‘यह आकाश से गिरा हुआ सूर्य है अथवा शीतल अनल है’ इस तरह सन्देह करने लगे। ( यहाँ एक बात समझ लेनी चाहिए। वह यह कि यद्यपि ‘विद्वद्दैन्य—’ यह पहला पद्य भी परगत सन्देह का उदाहरण हो सकता है पर वहाँ ‘केषाम्—किन्हे’ इस सामान्य कथन के कारण वह स्वगत सन्देह का भी उदाहरण हो जा सकता है, अतएव शुद्ध परगत फिर भी आहार्य सन्देह का यह दूसरा उदाहरण दिया गया है ) ।

उपपादयति—

अत्र मुनेर्वशिष्ठस्य सर्वज्ञत्वेनोपात्तस्य संशय आहार्य एव ।

‘गगनाद्—’ इति पद्ये वशिष्ठो मुनि सर्वइत्योपवर्णित । तथा च तस्य वस्तुतत्त्वा-  
नभिहितमसम्भवम् । एवं स्थितौ प्राह्यन्दिद्यवतो मुने सन्देह इच्छाजन्यत्वादाहार्य एव  
भविष्यतीति । इत्यत्र सिद्धन् परगतत्यादि सन्देहत्याहार्यत्वमिति भावः ।

उपपादन क्रिया जाता है—अत्र इत्यादि । ‘गगनाद्—’ इस पद्य में वशिष्ठ मुनि को  
सर्वज्ञ कहा गया है, अतः उनको वास्तविक सन्देह नहीं हो सकता यह सिद्ध है । ऐसी  
स्थिति में जो उनके सन्देह का वर्णन किया गया है वह आहार्य ही हो सकता है क्योंकि  
यहाँ यहाँ उचित समझा जा सकता है कि मुनि सब कुछ जान कर भी अपनी इच्छा से  
सन्देह कर रहे हैं ।

‘गगनाद्—’ इति पद्यवर्णितस्य सन्देहत्यानाहार्यतानाशङ्क्य समावने—

यद्यप्यत्र ‘मुनीनां च नतिभ्रमः’ इत्युक्त्या तस्यानाहार्य एव संशयो वक्तुं  
शक्यं । तथापि कोटिनावच्छेदकयोः शिशिरत्वगगनगलितत्वयोरभिमुख्यत्पको-  
टिद्वये आहार्यबोधस्वैवावश्यवाच्यतया पुरोवर्तिनि कोटिद्वयाभेदांशोऽपि तस्यैव  
न्याय्यत्वात् । इह च कोट्योर्बर्तिसादृश्यगार्ह्यायोष्णत्वगगनगतत्वत्पवैवर्त्यनि-  
रासकमविद्यमानमपि गगनगलितत्व शिशिरत्व चारोप्यते वक्त्रा ।

अत्र ‘गगनाद्—’ इति पद्ये । मुनीनां चेति । वक्रारोऽन्यन्मुञ्चायक । तस्य वशिष्ठ-  
स्य । कोटिनावच्छेदकयोः विरोपगतावच्छेदकयोः । विरोपगविरोपगयोरिति यावत् ।  
पुरोवर्तानि श्रीरामे । इतोऽप्ये वदति ‘अभेदेन कोटि—’ इतीदृश एव पाठो मूले लिखितो  
विलोकिन , तथापि अस्मिन्पद्ये ‘अभेदेन’ इत्यशो मया त्यक्त । नगेशोऽपि स्वगुल्म-  
प्रकाशे वर्तन्त्यभेदेनेति विन्त्यन् इति प्राकाशयत् । तस्यैव आहार्यबोधस्यैव । ननु  
तयो कोटिनावच्छेदकयोर्निवेश एव किमर्थं इत्यत्र आह—इह चेति । ‘मुनीनां च नति-  
भ्रम’ इत्याह्नोक्तिः सर्वइत्यादि मुने प्राहृतजन्यत्वं व्यवहारदशायां भ्रमसंशयादिकं  
सूचयति । तथा च सर्वइत्यादि वशिष्ठस्य वस्तुविक्रम संशयो भविष्यतीति, अतः ‘गग-  
नाद्—’ इति पद्ये वर्णितं नगद्य आनाहार्य एव त्वोर्जुमुचिन, आहार्य इति शब्दादल्-  
त्याशयः, संशये ये विरोधो भवति ये च विरोधे भवतः, तयोरेतन्मतेरमानभाव एव  
निष्ठिति—अर्थात् विरोधसुप्तमेव भवति विरोपगयोश्च प्रत्येकं पृथक् पृथक् उपमानं भवति ।  
एवं च तत्रो नाह्वय आवश्यकं नाह्वयं च नति वैधर्म्ये न सम्भवति, अतः प्रकृते कोट्योः  
सूर्याग्नयो वस्तुतो वर्तमानयोरपि वैधर्म्यनाशकयोर्द्वन्द्वयोः गगनात्त्वोर्गत्वगोर्निराकरणार्थं  
वस्तुतोऽवर्तमाने अपि गगनगलितत्व-निगिरत्वे ज्ञानगत्योरारोह्यते वर्गवित्रा क्विना ।  
इत्य चारोपितयोस्तयोर्बोधो मुनेरपि आहार्य एव सम्भवति अग्निद्वयत्पकोटिद्वयान्त्रके  
विद्येये । ततश्च तदवच्छिन्नप्रकरताञ्च अभेदसम्बन्धावच्छिन्नसुप्तोर्वैरामन्त्रिविद्येयताञ्च  
मुनिनिष्ठ संशयोऽपि आहार्य एव त्वोर्जुमुचिन इति च समावन्त्यत्वात्त्याशयो बोध्यः ।

एक शब्दा और उसका समाधान किया जाता है—यद्यप्यत्र इत्यादि । ‘मुनियों को  
भी नति-भ्रम होता है’ इस उक्ति के अनुसार सर्वज्ञ वशिष्ठ को भी व्यवहार-दशा में  
सन्देह हो सकता है, अतः ‘गगनाद्—’ इस पद्य में वर्णित वशिष्ठ जी का सन्देह  
आहार्य ही कहा जा सकता है अर्थात् यह नहीं कहा जा सकता कि वशिष्ठ जी सब  
कुछ जानते हुए भी स्वेच्छया सन्देह कर रहे हैं, अपितु यही कहा जा सकता है कि  
सबकुछ वशिष्ठ जी को वैसा सन्देह हुआ है । इस शब्दा का उच्च यह है कि वस्तुतः  
संशय का आधार उपनेय और मशय के विषय भिन्न भिन्न उपमान ही रहते हैं, अतः  
उन दोनों में परस्पर सादृश्य का बोध होना उनका ही तरह ममानानुसार के लिये भी  
अपेक्षित है और यदि उन दोनों में से किसी एक में भी वैधर्म्य (सादृश्यविरोधी धर्म)

ज्ञात होगा तब सादृश्य बन नहीं सकता। ऐसी स्थिति में यहाँ संशय विपयीभूत सूर्य और अग्नि में ज्ञात होनेवाले विरोधी धर्म—गगनवासित्व और उष्णत्व—को दूर करने के लिये वक्ता अपनी इच्छा से उन दोनों में क्रमशः 'गगन से गिरा हुआ होना' और 'शीतलता' का आरोप करता है, अन्यथा उन दोनों (सूर्य-अग्नि) में सशयाधार राम का सादृश्य ही सिद्ध नहीं होगा और सादृश्य की सिद्धि के विना सन्देह सिद्ध हो नहीं सकता। इस तरह आवश्यक समझकर आरोपित 'गगन-गलितत्व' और 'शीतलत्व' जो यहाँ कोटितावच्छेदक-अर्थात् कोटिभूत सूर्य अग्नि के विशेषण हैं—का चोष वशिष्ठ जी को भी आहार्य ही होगा—ऐसा मानना ही पड़ेगा, दूसरा उपाय नहीं, फिर आगे स्थित राम में उन आरोपित विशेषणों से विशिष्ट सूर्य अग्नि के अभेद का ज्ञान (सशय) भी आहार्य ही माना जाय यही उचित है।

उपसहरति—

एवमादयोऽन्येऽपि प्रकाराः सुधीभिः स्वयमुन्नेयाः ।

यादृशा यादृशा सशयालङ्कारस्य भेदा प्रागुक्तास्तादृशा अन्येऽपि भेदा अस्य सम्भवन्ति, ते च विद्वद्भिः स्वयमूहनीया इति भाव ।

उपसंहार किया जाता है—एवमादय इत्यादि। जिस तरह के भेद सन्देहालङ्कार के पहले दिखलाए गये हैं वैसे भेद और भी हो सकते हैं, पर उनका उल्लेख यहाँ नहीं किया गया, सुधीजन स्वयं उन भेदों का ऊह कर लें।

इति रसगङ्गाधरचन्द्रिकाया ससन्देहालङ्कारप्रकरण समाप्तम् ।

ससन्देहालङ्कारनिरूपणानन्तरमिदानीं भ्रान्तिमदलङ्कारनिरूपणं प्रतिजानीते—

अथ भ्रान्तिमान्—

अथेति । अनन्तर इत्यर्थः । ससन्देहालङ्कारनिरूपणानन्तरमिति भाव । भ्रान्तिमानिति । निरूप्यत इति शेष । अथवा-अथेत्यय शब्दोऽधिकारार्थः । भ्रान्तिमदलङ्कारो निरूप्यत्वेनाधिकृतो वेदितव्य इति भावः ।

ससन्देहालङ्कार—निरूपण कर लेने के बाद अब ग्रन्थकार 'भ्रान्तिमत्' अलङ्कार-निरूपण की प्रतिज्ञा करते हैं—अथ इत्यादि। अब 'भ्रान्तिमत्' अलङ्कार का निरूपण आरम्भ समझना चाहिए।

आदौ भ्रान्तिमदलङ्कारस्य लक्षणमाह—

सदृशे धर्मिणि तादात्म्येन धर्म्यन्तरप्रकारकोऽनाहार्यो निश्चयः सादृश्यप्रयोज्यश्चमत्कारी प्रकृते भ्रान्तिः । सा च पशुपक्ष्यादिगता यस्मिन् वाक्यसन्दर्भेऽनूद्यते स भ्रान्तिमान् ।

अन्यत्र नैवमित्याह—प्रकृत इति । पक्षादीति । आदिना मनुष्यग्रहणम् । तादात्म्य-सम्बन्धावच्छिन्नधर्म्यन्तरनिष्ठप्रकारतानिरूपितसदृशधर्मिनिष्ठविशेष्यताशाली सादृश्यज्ञाना-धीन, अनाहार्य, चमत्कारिकरो निश्चय अलङ्कारशास्त्रप्रसिद्धभ्रान्तिपदार्थः । पशुपक्षि-मनुष्यनिष्ठतादृशभ्रान्तिपदार्थवर्णनपरो वाक्समूहो भ्रान्तिमत्पदार्थ इति भावः ।

सर्वप्रथम 'भ्रान्तिमत्' अलङ्कार का लक्षण किया जाता है—सदृशे इत्यादि। सादृश्य-युक्त धर्मों (आधार) में, अभेदसम्बन्ध से, अन्य किसी धर्मों का, अनाहार्य (वास्त-विक) और सादृश्यज्ञान का कारण होनेवाला निश्चयात्मक ज्ञान, चमत्कारयुक्त होने पर अलङ्कारशास्त्र में, 'भ्रान्ति' कहा जाता है और पशु, पक्षी, अथवा मनुष्य में रहनेवाली

उस 'भ्रान्ति' का वर्णन जिस वचनसमूह में किया जाता है वह वचनसमूह 'भ्रान्तिमान्' कहलाता है। इस लक्षण में 'अलङ्कार शास्त्र में' ऐमा जो कहा गया है उसका तात्पर्य यह कि अन्य (न्यायादि) शास्त्रों में 'भ्रान्ति' का लक्षण ऐमा नहीं, अपि तु भिन्न तरह का किया गया है।

प्रतिज्ञाविरोधाभावायाह—

अत्र च भ्रान्तिमात्रमलङ्कार' । भ्रान्तिमानलङ्कार इति व्यवहारस्त्वौपचारिकः । तथा चाहुः—

'प्रमात्रन्तरधीर्भ्रान्तिरूपा यस्मिन्ननूद्यते ।

स भ्रान्तिमानिति ख्यातोऽलङ्कारे त्वौपचारिकः ॥' इति ।

श्रौपचारिक इति । भ्रान्तिनिष्ठालङ्कारत्वस्य तद्व्यारोपात् । भ्रान्तितद्वतोरभेदारोपाद्वेति भावः । ससन्देह इति व्यवहारोऽप्येवमेवेति प्रागुक्तम् । अस्मिन्नर्थेऽन्यसम्मतिं दर्शयति—तथा चाहुरिति । प्रमात्रन्तरेति । भ्रान्तिरूपा, प्रमात्रन्तरस्य कविभिन्नस्य ज्ञातुः, धीर्बुद्धिः, यस्मिन् वाक्सन्दर्भे, अनूद्यते वर्ण्यते, स वाक्सन्दर्भः, 'भ्रान्तिमान्' इति ख्यातः भ्रान्तिमच्छब्देनोच्यते स्म, अलङ्कारे तु, स शब्दः, श्रौपचारिक इत्यर्थः ।

ग्रन्थकार ने अलङ्कारनिरूपण की प्रतिज्ञा की है और 'भ्रान्तिमान्' शब्द से अलङ्कार का बोध होता नहीं, अतः जो विरोध आपाततः दिखाई पड़ता है उसे दूर करने के लिये कहा जाता है—अत्र च इत्यादि । 'भ्रान्तिमान्' शब्द में 'भ्रान्ति' मात्र अलङ्कार की सज्ञा है । 'भ्रान्तिमान् अलङ्कार' इस तरह का व्यवहार तो औपचारिक (आरोपमूलक) है । अभिप्राय यह कि भ्रान्तिमात्र में रहनेवाली अलङ्कारता का भ्रान्ति अलङ्कार से युक्त वाक्य में आरोप कर देने से वैसा व्यवहार होता है अथवा भ्रान्ति अलङ्कार तथा उस अलङ्कार से युक्त वाक्य इन दोनों में अभेद का आरोप होने से उक्त व्यवहार किया जाता है । इस प्रसङ्ग पर दूसरे भाचार्य भी यही बात कहते हैं—'प्रमात्रन्तर—अर्थात् जिस वचन-सन्दर्भ में जानकार से अन्य—अर्थात् कवि से भिन्न—के अत्रात्मक बोध का अनुवाद किया जाता है, वह वचन सन्दर्भ 'भ्रान्तिमान्' कहलाता है । अलङ्कार में इस शब्द का प्रयोग आरोपमूलक है ।' ( 'समन्देह' शब्द का अलङ्कार अर्थ में प्रयोग भी इसी तरह आरोपमूलक है यह बात पहले कही जा चुकी है ) ।

लक्षणे निविष्टाना विशेषणाना फलान्युपदर्शयति—

लक्षणे मीलित-सामान्य-तद्गुण-वारणाय धर्मिग्रहणद्वयम् । रूपकवित्ति-वारणायानाहार्य इति कविभिन्नगत इति वा । सशयवारणाय निश्चय इति । इदं रजतमिति रङ्गविशेष्यकबोधवारणाय चमत्कारीति । कविप्रतिभानिर्वर्तित इत्यर्थः । रङ्गे रजतमिति बुद्धेलौकिकतया न कविप्रतिभानिर्वर्तितत्वम् ।

'अकरुणहृदय प्रियतम मुञ्चामि त्वामितः पर नाहम् ।

इत्यालपति कराम्बुजमादायालीजनस्य विकला सा ॥'

इत्यत्र नायिकासन्देशहरस्योक्तौ व्यज्यमानस्योन्मादस्य वारणाय सादृश्य-प्रयोज्य इति । न चात्रोन्मादस्य प्राधान्यात् सकलालङ्कारसाधारणैर्नोपस्कारकत्वविशेषणैर्नैव वारणमिति वाच्यम् । तस्यापि पार्यन्तिकविप्रलम्भोपस्कारकत्वात् । यद्वा सन्देशहरात् सन्देश श्रुतवतो नायकस्य स्वमित्र प्रति यद्देव वाक्यं 'अकरुणहृदय—' इत्यादि तदास्मिन्नेव पद्ये सेतिपदव्यङ्ग्याया स्मृतेरुपस्कारके उन्मादे तथाप्यतिप्रसङ्गापत्तेः सादृश्यप्रयोज्यत्वमावश्यकम् । लक्षणे चात्रैकत्वं

विवक्षितम् । अन्यथा वक्ष्यमाणानेकप्रहीतृकानेकप्रकारकैकविशेष्यकभ्रान्तिसमुदायात्मन्युल्लेखेऽतिप्रसङ्गापत्तेः । अत एवैकवचनमपि सार्थकम् ।

‘लक्षणे’ इत्यस्य सर्वत्रान्वयो बोध्यः । धर्मिद्वयनिवेशफलमाह—मीलित इति । यदि लक्षणे धर्मिद्वयग्रहण न स्यात् ‘अन्यस्मिन् अन्यप्रकारकनिश्चय’ इत्येवमुक्तिः भवेत्, तदा मीलित-सामान्य-तद्गुणालङ्कारोदाहरणेषु प्रकृतलक्षणमतिप्रसज्येत, तत्रापि धर्मान्तरे धर्मान्तरस्यानाहार्यनिश्चयस्य वर्णितत्वात् । धर्मिप्रहणे कृते तु नैप दोषः, धर्मिणि धर्म्यन्तरनिश्चयाभावादिति भावः । अनाहार्यनिवेशफलमाह—रूपकेति । वित्तिज्ञानम् । ‘प्रमात्रन्तरधी—’ इति परकीयलक्षणानुसारमाह—कविभिन्नगत इति वेति । उपमेये उपमानतादात्म्यरूपस्य रूपकस्य ज्ञानमपि भ्रम एव, सोऽपि सादृश्यमूलं चमत्कारी चेति तत्र प्रकृतलक्षणातिप्रसङ्गवारणाय ‘अनाहार्यत्व-’निवेशः । तन्निवेशे तु न तत्रातिप्रसङ्गः, तद्ज्ञानस्याहार्यत्वस्य सर्वसम्मतत्वात् इति भावः । संशयालङ्कारे भ्रान्तिलक्षणातिप्रसङ्गिनिरासाय निश्चयनिवेशः । चमत्कारीत्यस्य कविप्रतिभोत्थित इत्यर्थः । अभेदेन रजतप्रकारकरङ्गविशेष्यकलौकिकभ्रमवारणाय तन्निवेशः । सादृश्यप्रयोज्यत्वनिवेशफलमाख्यातुमाह—अकरुण इति । नायिकादूतो नायक प्रत्याह—‘हे अकरुणहृदय निर्दयचित्त, प्रियतम ! अहम्, इत परम् अद्यारभ्य, त्वा, न, मुञ्चामि त्यजामि’ इति आलीजनस्य सखीजनस्य, कराम्बुजम् हस्तकमलम्, आदाय गृहीत्वा, विकला वियोगवैकल्यमनुभवन्ती, सा तव प्रेयसी, आलपति वक्तीत्यर्थः । उपपादयति—अत्रेति । उन्मादस्येति । ‘विप्रलम्भमहापदादिजन्मा अन्यस्मिन्नन्यावभास उन्माद’ इति मतेनेदम् । ‘अकरुण—’ इति पद्यात्मिक्या नायक प्रति नायिकासन्देशहरस्योक्त्या नायिकाया उन्मादो व्यज्यते । स चोन्मादोऽन्यस्मिन्नन्यावभास एव । तथा च भ्रमरूप एवासौ सम्पद्यते । तस्मिन् प्रकृतभ्रमालङ्कारलक्षण मा प्रसाक्षीत् इति भ्रमात्मकनिश्चये सादृश्यप्रयोज्यत्व निवेशयते । निवेशिते, च तस्मिन् न तत्रातिप्रसङ्गसम्भावना, तस्य ( उन्मादस्य ) वियोगजन्यतया सादृश्यप्रयोजकत्वाभावात् इति भावः । आशङ्क्य समाधत्ते—न चेत्यादिना । ‘अकरुण—’ इत्यत्र प्रतीयमान उन्माद एव प्रधानवाक्यार्थः काव्यत्वप्रयोजकः । तथा च तत्र नालङ्कारत्वसम्भवति, अनुपस्कारकत्वात्, अलङ्कारसामान्यलक्षणे उपस्कारकत्वस्य निविष्टत्वात् । एवञ्चालङ्कारसामान्यलक्षणानाक्रान्ततयैवास्योन्मादस्य वारणे सिद्धे विशेषलक्षणे तद्वारकविशेषण व्यर्थमेवेति शङ्कादलस्य, नोन्मादोऽत्र प्रधानो वाक्यार्थः, अपि तु विप्रलम्भः, तदुपस्कारक एव चोन्माद इति न सामान्यलक्षणानाक्रान्तत्व तस्य, अतो विशेषलक्षणे तद्वारकविशेषणप्रक्षेप आवश्यक एवेति च समाधानदलस्याशयो बोध्यः । ननु विप्रलम्भजन्यत्वेनोन्मादस्य कथं तदुपस्कारकत्वमत आह—यद्वेति । ‘अकरुण—’ इति न नायक प्रति नायिकासन्देशहरस्योक्तिः, अपि तु श्रुतनायिकासन्देशस्य नायकस्य स्वमित्र प्रतीयभिप्रेते पद्यघटकेन ‘सा’ इत्यनेन पदेन ‘भरणम्’ सर्वप्रधानतयाऽभिव्यक्त स्यात्, उन्मादश्च तत्पोषकतया प्रतीतो भवेत् । तथा च तादृशे उन्मादेऽतिव्याप्तिवारणाय सादृश्यप्रयोज्यत्वनिवेश आवश्यक इति भावः । ननु एवमपि उल्लेखालङ्कारे प्रकृतभ्रमलक्षणातिप्रसङ्गिर्दुर्द्धरैव, उल्लेखस्यानेकव्यक्तिसमवेतानेकप्रकारकैकविशेष्यकभ्रमसमूहरूपतया प्रकृतलक्षणघटकसकलविशेषणसङ्गमनादिति चेन्न । प्रकृतलक्षणे ‘निश्चय’ इत्यत्रैकत्वस्य विवक्षितत्वेन निश्चयसमुदायात्मके उल्लेखे तस्याप्रसङ्गे । तत्रैकत्वस्य विवक्षितत्वादेव तत्रत्यैकवचनस्य सार्थक्यमपि भवति । अन्यथा विशिष्यैकवचनोक्त्यैवैवमेवेति साराशा-

लक्षण में जोड़े गए भिन्न-भिन्न विशेषणों के फल दिखलाए जाते हैं—लक्षण इत्यादि । लक्षण में दो वार 'धर्मी' पद के ग्रहण करने का फल यह होता है कि मीलित, सामान्य और तद्गुण अलङ्कारों में 'भ्रान्ति' अलङ्कार का लक्षण अतिप्रसक्त नहीं होता, क्योंकि उन अलङ्कारों में एक धर्मी में अन्य धर्मी का भ्रमात्मक निश्चय नहीं होता, अपितु एक धर्म में दूसरे धर्म का । यदि 'भ्रान्ति-लक्षण' में दो वार धर्मी का ग्रहण नहीं होता तब 'अन्य में अन्य का निश्चय' यही फलित होता और उस स्थिति में उन अलङ्कारों का भी संग्रह होने लगता । रूपक-ज्ञान में प्रकृत लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं हो, इसलिये यहाँ 'अनाहार्य ( वास्तविक )' अथवा 'कवि से भिन्न में रहने वाला' यह 'निश्चय' का विशेषण दिया गया है । तात्पर्य यह कि उपमेय में उपमान का भ्रमात्मक निश्चय रूपक में भी रहता है पर वह निश्चय वास्तविक नहीं, कृत्रिम ( इच्छाजन्य ) रहता है । सन्देह में अतिप्रसङ्गवारणार्थ 'निश्चय' कहा गया है, ज्ञान-सामान्य नहीं । 'यह चाँदी है' इस जगह जो राँगे में चाँदी का ज्ञान होता है—इस भ्रम में अतिव्याप्ति-निराकरणार्थ प्रकृतलक्षण में 'चमस्कारी' पद दिया गया है—जिसका अर्थ है 'कवि की प्रतिभा से सम्पन्न किया हुआ' । राँगे में जो चाँदी का ज्ञान होता है वह लौकिक है, कविप्रतिभा से सम्पन्न नहीं हुआ है, अतः वहाँ अतिव्याप्ति नहीं होती । "अकरणहृदय-अर्थात् वह सखी का करकमल पकड़ कर 'हे निर्दय हृदय वाले प्रियतम ! मैं ( जो छोड़ चुकी सो छोड़ चुकी ) अब इसके वाद तुम्हें नहीं छोड़ती—छोड़ ही नहीं सकती ।' इस तरह विकल होकर बातें करती रहती है ।" नायक के प्रति इस नायिका का सन्देश लाने वाले की उक्ति में जो उन्माद अभिव्यक्त होता है उसमें अतिव्याप्ति न हो इसलिये प्रकृत लक्षण में निश्चय का विशेषण 'सादृश्यप्रयोज्य—सादृश्यज्ञान से सिद्ध होने वाला' कहा गया है । अभिप्राय यह है कि—'वियोग और इसी तरह की अन्य महा विपत्तियों के कारण जो अन्यवस्तु में अन्यवस्तु का ज्ञान होने लगता है' उसीको उन्माद कहा जाता है । ऐसी स्थिति में उक्त पद्य में जो उन्माद अभिव्यक्त होता है वह भी भ्रमात्मक निश्चय ही है, अतः 'सादृश्य-प्रयोज्य' इस विशेषण के अभाव में प्रकृत लक्षण की उस उन्माद में अतिव्याप्ति हो जाती । उस विशेषण के रहने पर तो यह आपत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वह उन्मादात्मक भ्रम सादृश्यज्ञान के कारण नहीं हुआ रहता, अपितु वियोग से हुआ रहता है । आप कहेंगे—उस उन्माद का वारण करने के लिये इस विशेष लक्षण में किसी विशेषण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह 'उन्माद' यहाँ प्रधान व्यङ्ग्य के रूप में आया है, अतः वह स्वयम् उपस्कार्य है, किसी दूसरे का उपस्कारक नहीं, ऐसी स्थिति में उसका वारण अलङ्कार-सामान्य-लक्षण में जोड़े गए 'उपस्कारकत्व' विशेषण से ही हो जायगा । पर यह कथन ठीक नहीं । कारण, यह उन्माद भी अन्ततः अभिव्यक्त होनेवाले 'विप्रलम्भ शृङ्गार' का उपस्कारक है, अतः सामान्य लक्षणगत 'उपस्कारकत्व' विशेषण से उसका वारण नहीं हो सकता, फलतः विशेष लक्षण में उसके वारण के लिये विशेषण का जोड़ा जाना आवश्यक ही है । इस पर यदि आप कहें कि—'उन्माद' तो 'विप्रलम्भशृङ्गार' का ही फल है, फिर वह 'उन्माद' अपने जनक- ( विप्रलम्भशृङ्गार ) का उपस्कारक कैसे हो सकता है ? तो मैं भी इस युक्ति को मान लेता हूँ, पर हमका अर्थ यह नहीं कि विशेष लक्षण में 'सादृश्य-प्रयोज्यत्व' के निदेश की आवश्यकता नहीं रही—उसकी आवश्यकता तब भी है ही । कारण, 'अकरण-' इस पद्य को यदि सन्देश वाहक द्वारा नायिका के सन्देश को सुन चुके नायक की अपने मित्र के प्रति उक्ति मानी जाय तब उस पद्य के 'सा' पद से 'मरण' अभिव्यक्त होना और उस मरण का उपस्कारक होगा प्रथम अभिव्यक्त 'उन्माद', जिसमें आपकी भी आपत्ति नहीं होगी । अब आप सोचें कि उस स्थिति में उस 'उन्माद' का वारण साधारण विशेषण(उपस्कारकत्व)से होगा ? आप भी कहेंगे—नहीं, फिर उसके वारण के



लिये विशेष लक्षण में उक्त विशेषण की आवश्यकता है अथवा नहीं यह आप स्वयं समझ सकते हैं। लक्षण में 'निश्चय' का एक होना अभीष्ट है—अर्थात् एक ही लक्षणोक्त-विशेषण-विशिष्ट निश्चय को 'भ्रान्ति' अलङ्कार कहते हैं, भिन्न-भिन्न अनेक तादृश निश्चयों को नहीं। अन्यथा जिन भ्रान्तियों में अनेक ज्ञाता तथा अनेक विशेषण हों और विशेष्य एक हो ऐसी भ्रान्तियों के समूहरूप आगे कहे जाने वाले 'उल्लेखालङ्कार' में लक्षण की अतिव्याप्ति होगी। अतएव 'निश्चय' पद में एकवचन लिखना सार्थक है।

भ्रान्त्यलङ्कारोदाहरणं निर्देष्टुमाह—

उदाहरणम्—

निम्ननिर्दिष्टं बोध्यमिति शेष ।

'भ्रान्ति' अलङ्कार का उदाहरण निम्नलिखित पद्य को समझना चाहिए—

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'कनकद्रवकान्तिकान्तया मिलितं राममुदीच्य कान्तया ।

चपलायुतवारिदभ्रमात्रनृते चातकपोतकैर्वने ॥'

चातकपोतकैः चातकाख्यपक्षिशिशुभिः, कनकद्रवस्य सुवर्णरसस्य, कान्तिरिव या कान्तिः, तथा, कान्तया रमणीयया, कान्तया रमण्या, सीतयेति यावत्, मिलितं सङ्गतम्, रामम्, उदीच्य दृष्ट्वा, चपलया विद्युता, युतस्य मिलितस्य, वारिदस्य मेघस्य, भ्रमात्, वने, नृते नृत्यं चक्रे इत्यर्थः ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—कनक इत्यादि। सुवर्ण के रस की सी कान्ति से रमणीय रमणी ( सीता ) से युक्त राम को देखकर, वन में, चातकों के वच्चे, विद्युत् से युक्त मेघ के भ्रम से नाचने लगे ।

उपपादयति—

अत्र चातकगतहर्षोपस्कारकतया तद्गता भ्रान्तिरलङ्कारः ।

'कनकद्रव—' इति पद्ये 'नृते'पदेन चातकगतो 'हर्षभाव' व्यज्यते, तं च वाच्या चातकनिष्ठा भ्रान्तिरुपस्करोतीति सा 'भ्रान्ति'रत्रालङ्कार इति भावः ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि। 'कनकद्रव—' इस पद्य में 'नाचने लगे' इस उक्ति से चातकगत 'हर्षभाव' व्यक्त होता है और उस 'हर्षभाव' को पुष्ट करता है चातकनिष्ठ भ्रम (सीतायुक्त राम में विद्युद्युक्त मेघ का ज्ञान), अतः यह 'भ्रम' अलङ्कार है ।

किञ्चिद्व्यत्यासेन प्रोक्तपद्यस्यैव भ्रान्तिध्वनेरुदाहरणत्व दर्शयति—

यदि 'परिफुल्लपतत्रपल्लवैर्मुमुदे चातकपोतकैर्वने' इत्युत्तरार्धं निर्मायते तदा-यमेव भ्रान्तिध्वनिः ।

परिफुल्लेति । पतत्राणि पक्षाणि, पल्लवा इव इति पतत्रपल्लवा, ते परिफुल्ला विकसिता येषा तादृशैः चातकपोतकैरित्यर्थः । अत्र पाठे भ्रमो न वाच्यः, वाचकविरहात्, अपि तु प्रधानतयाऽभिव्यज्यमानस्य हर्षभावस्य कारणतया तत्पोषको भ्रमोऽपि व्यङ्ग्य एवेति । तादृशपाठविशिष्टमिदं पद्य भ्रान्त्यलङ्कारध्वनेरुदाहरणमिति भावः ।

'भ्रान्तिअलङ्कार-ध्वनि' का उदाहरण दिखलाने के लिये उक्त पद्य में कुछ अंश का परिवर्तन करने की बात कही जाती है—यदि इत्यादि। 'कनकद्रव—' इस पद्य का ही उत्तरार्ध भाग यदि 'परिफुल्ल—अर्थात् पल्लवों के समान विकसित पलोंवाले चातकों के वच्चे, वन में, नाचने लगे ।' इस रूप में परिवर्तित कर दिया जाय तब यही पद्य 'भ्रान्ति-ध्वनि' का उदाहरण हो सकता है। अभिप्राय यह है कि—उक्त परिवर्तित पाठ में

भ्रान्ति-वाचक कोई शब्द नहीं रह जाता, बत 'भ्रान्ति' वाच्य नहीं होती, पर प्रधान-तया अभिव्यक्त होने वाले 'हर्ष' के कारणरूप में 'भ्रान्ति' व्यह्वय होती है और वह 'भ्रान्ति' हर्ष को उपस्कृत तो करती ही है। फलतः उस परिवर्तित पाठ के अनुसार उक्त पद्य 'भ्रान्ति-अलंकार-ध्वनि' का उदाहरण हो जाता है।

दीक्षितोक्त लक्षणनूयावयति—

यच्चाप्यदीक्षितैर्लक्षणमुक्तम्—

‘कविसम्मत्सादृश्याद्विषये पिहितात्मनि ।

आरोप्यमाणानुभवो यत्र स भ्रान्तिमान् मतः ॥’ इति ।

‘तत्र कविसम्मत्सादृश्यप्रयोज्ये विषये आरोप्यमाणानुभवो यत्र वाक्सन्दर्भे स भ्रान्तिमान्’ इति भ्रान्तिमतो लक्षण विधाय रूपकव्यावृत्त्यर्थं पिहितात्मनी-त्युच्यते। न चैतद्युक्तम्। नहि रूपकवाक्ये आरोप्यमाणस्यानुभवो वर्णयते, किं तु तस्माज्जायते। न चात्रानुभवान्त भ्रान्तेर्लक्षणमग्रिम च भ्रान्तिमतः। तत्र भ्रान्तिलक्षणे रूपकेऽतिव्याप्तेर्वारणाय विषये पिहितात्मनीति विशेषणमिति वाच्यम्। अनुभवत्वघटितस्य भ्रान्तिलक्षणस्यानुभूयमानाभेदात्मके रूपके कथमप्यप्रवृत्ते। यदि च रूपकपद रूपकवृद्धिपरमिति ग्रन्थसामञ्जस्य विधीयते तदापि विषयतावच्छेदकानवगाहिनि ‘मरकतमणिनेदिनीधरो वा तरुणतरस्त-रुरेप वा तमालः’ इति सशयेतिप्रसङ्गान्, ‘कमलमिति चञ्चरीकाश्चन्द्र इति चकोरास्त्वन्मुखमनुधावन्ति’ इति भ्रान्तिममुदायात्मन्युल्लेखेऽतिव्याप्तेश्च। अत्र भ्रान्त्या सङ्कीर्णं उल्लेख इति चेत्, नह्येतावतोल्लेखाज्ञातिव्याप्तिर्न दोषः। नहि दुग्धजलभागानां व्यामिश्रतास्तीति दुग्धलक्षण जलाज्ञातिव्याप्तिकं कर्तुं युक्तम्।

कविसम्मतेति। अस्यायांऽनुपद ‘तत्र-’इत्यादिना ग्रन्थवृत्तैव वरिष्यते। सादृश्य-प्रयोज्ये विषये इति। सादृश्यमूलकोपनेयभावापन्ने इत्यर्थः। पिहितात्मनीति। निद्रुत-स्वरूपे इत्यर्थः। तत्त्वेनाऽर्हाति इति यावत्। उच्यते इति। अत्र ‘अथ भावः—तद्विशेषणे-नारोप्यमाणानुभवस्य स्वारसिकस्य कविप्रतिभया कल्पन विवक्षितम्। तत्स्यैव विषय-पिधानज्ञानव्यादिति।’ इति नागेशः। खण्डयति—नैतत् इति। तत्र हेतुनाह—नर्हाति। अथमाशयः—‘कविसमयनिद्रसादृश्यद्वारोपनेयत्वमाह वस्तुनि उपमानस्य निधयो धरिम्बु वाक्ये वर्णितो भवति तद् वाक्यं भ्रान्तिम्’ इति भ्रान्तिमतो लक्षणं क्रियते दीक्षि-तेन। एवञ्च तस्मिन्सदृशे रूपकवारकं ‘निहितात्मनि’ इति विशेषणं नोक्तिम्, रूप-कालंकारविशिष्टे वाक्ये उपमाननिधयस्यावर्णनेन तत्र तद्विशेषणमन्तरादि लक्षणस्या-प्रमत्ते। रूपकवाक्यादुपमानस्य निधयो भवतीति तु अन्यद्। नहि उपमानानुभवस्य सम्मानितस्य वर्णनमिति व्यपदिश्यते इति। प्रागयान्तरमुरवर्ष्यं तद्विशेषणमार्थक्यं शब्दे—न चेति। अस्तु नाम भ्रान्तिमतो लक्षणे तस्य विशेषणस्य वर्णनम्, भ्रान्तिलक्षणे रूपकवारकं तस्मार्थकमिति शब्दादलाभिप्रायः। तत्रापि तद्व्यर्थमेवेति नमायते—अनुभव-त्वेति। निधायमानस्योपमानस्य तादात्म्यं रूपकम् तत्र निधयान्मिकाया भ्रान्ते प्रमत्ति-र्नस्येवेति तद्व्यर्थप्रयानो व्यर्थ एवेति नमाधानदलाभिप्रायः। पुनर्यान्तररूपेण तद्विशेषणमार्थक्यं कुरते—यदि चेति। ‘रूपकव्यावृत्त्यर्थम्’ इति दीक्षितप्रत्ययद्वयवृत्त-पदस्य रूपकज्ञानपरत्वे स्वीकृते रूपकज्ञानेऽतिप्रमत्तो भ्रान्तिलक्षणास्य प्रवृत्तेर्वाग्याय ‘निहितात्मनि’ इत्यस्य नार्थक्यं भवतीति भावः। तस्य विशेषणस्य नार्थक्येऽपि लक्षणं

दुष्टमेवेत्याह—तदापीति । उक्तविशेषणस्य सार्थक्येऽपि इति तदर्थः । विषयतावच्छेदकेति । उपमेयतावच्छेदकेत्यर्थः । रामत्वेति यावत् । तथा च रामत्वाविषयके इति समुदायार्थः । संशये इति । लक्षणघटकानुभवपदस्य ज्ञानसामान्यार्थकत्वे एष दोषो बोध्यः । ननु तस्य निश्चयपरत्वे नैष दोष इत्यतो दोषान्तरमाह—‘कमलमि’ति । अर्थोऽस्य स्फुट एव । भ्रान्तिसमुदायात्मके उल्लेखे भ्रान्तिलक्षणस्यातिप्रसङ्गः, सादृश्यप्रयोज्ये पिहितात्मनि विषये आरोप्यमाणानुभवस्य तत्रापि सत्त्वादिति भावः । दोषाभावमाशङ्क्य पुनर्दोषं द्रढयति—अत्र भ्रान्त्या इति । भ्रान्तिमिश्रिते उल्लेखे भ्रान्तिलक्षणप्रसक्तिरुचितैव, न दोषायेति शङ्काया इदं समाधानम् यत् यथा नियमतो दुग्धे जलभागस्य मिश्रणे सत्यपि दुग्धलक्षणं जलाशयान्वावृत्तमेव विधीयते, तथैव उल्लेखस्य भ्रान्तिसङ्कीर्णत्वेऽपि भ्रान्तिलक्षणम् उल्लेखाशयान्वावृत्तमेव कर्तुमुचितम्, अन्यथा यथा जलाशातिव्याप्तं दुग्धलक्षणं दुष्टमेव भ्रान्तिलक्षणमुल्लेखाशातिव्याप्तं दुष्टमेव स्यादिति । अत्र ‘अतिव्याप्तेश्च’ इति प्रतीकमुपादाय “उल्लेखत्वभ्रान्तिव्योरत्र सङ्कीर्णत्वम् । बाधकाभावात् । भूतत्वमूर्तत्वयोरिव नरैर्वरगतिप्रदेत्यत्रोल्लेखत्वस्य, कनकद्रवेत्यत्र भ्रान्तिव्यस्य सावकाशत्वादिति कश्चित् । वनितेति वदन्त्येता लोका इति त्वदुदाहृतापहुतिसङ्कीर्णोल्लेखे उपमेयतावच्छेदकनिषेधसामानाधिकरण्येनोत्थाप्यापहुतिलक्षणातिव्याप्तिस्तवाप्यस्ति । एव तत्तदलङ्कारसङ्कीर्णं तत्तदलङ्कारलक्षणस्य सा दुर्वरिति चिन्त्यमिदमित्यपरे ।” इति नागेशः ।

अब अप्पयदीक्षितकृत भ्रान्तिलक्षण का अनुवाद करके खण्डन किया जाता है— यच्च इत्यादि । अप्पयपदीक्षित ने ‘कविसम्मत—’ इत्यादि लक्षण ‘भ्रान्तिमान्’ का किया है । इस लक्षण में “कवियों के अभिमत सादृश्य द्वारा सिद्ध होनेवाले उपमेय में उपमान का अनुभव जिस वाक्य में वर्णित हो वह वाक्य ‘भ्रान्तिमान्’ है ।” इस तरह ‘भ्रान्तिमान्’ का लक्षण बनाकर रूपक में अतिव्याप्तिसिवारणार्थ उपमेय का ‘पिहितात्मनि ( जिसका स्वरूप छिपा दिया गया हो )’ यह विशेषण दिया गया है । इस विशेषण से यह अभिप्राय प्रकट होता है कि उक्त अनुभव कविप्रतिभोरिथित होना चाहिए, क्योंकि वैसा न होने पर उसके द्वारा उपमेय का छिपाना नहीं घन सकता—अर्थात् उपमेय को उपमान समझना ( भ्रम ) नहीं हो सकता । पर दीक्षितजी का उक्त लक्षण ठीक नहीं है । कारण, आपका लक्षण ‘भ्रान्तिमान् ( भ्रान्तियुक्त वाक्य )’ का है, अतः उसकी अतिव्याप्ति रूपक के वाक्य में हो सकती है, रूपक में नहीं, फिर जो आपने “रूपक-वारणार्थ इस लक्षण में ‘पिहितात्मनि’ विशेषण लगाया गया है” ऐसा लिखा वह असङ्गत हो जाता है । यदि आप कहें कि ‘भ्रान्ति’ तथा ‘भ्रान्तिमान्’ दोनों का लक्षण किया गया है—‘अनुभव’ पर्यन्त का भाग ‘भ्रान्ति’ का लक्षण है और अग्रिम भाग ‘भ्रान्तिमान्’ का । उनमें से ‘भ्रान्ति’लक्षण में ‘पिहितात्मनि’ यह उपमेय का विशेषण दिया गया है और वह इसलिये दिया गया है कि रूपक में भ्रान्तिलक्षण का अतिप्रसङ्ग न हो, तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि भ्रान्ति का लक्षण है ‘अनुभव’ । अब आप सोचें कि अनुभवरूप भ्रान्तिलक्षण का अनुभव में आनेवाले अभेदरूप रूपक में अतिप्रसङ्ग होता ही कहाँ है जिसके वारणार्थ आप विशेषण जोड़ रहे हैं । तात्पर्य यह कि भ्रान्ति अनुभव का नाम है और रूपक है अनुभव में आनेवाले अभेद का नाम, फिर इन भिन्न पदार्थों में किसी एक का दूसरे में अतिप्रसङ्ग कैसे हो सकता है ? अब यदि आप ‘रूपकव्यावृत्त्यर्थम्’ में ‘रूपक’ पद का ‘रूपक का ज्ञान’ अर्थ करके ग्रन्थ को सङ्गत बनाना चाहें अर्थात् रूपक का ज्ञान अनुभवरूप हो जाता है, अतः उसमें अतिव्याप्तिसिवारणार्थ भ्रान्तिलक्षण में उक्त विशेषण दिया गया है ( उस विशेषण से उक्त अतिव्याप्ति इसलिये वारित हो जाती है कि रूपक अथवा उसके ज्ञान में उपमेय पिहितात्मा—छिपे

रूप वाला नहीं रहता, अपितु प्रकट रूपवाला ही रहता है ) तो वना लें उस ग्रन्थ को सङ्गत, पर इतने पर भी उक्त लक्षण निर्दुष्ट नहीं होगा, क्योंकि यदि उस लक्षण में अनुभव का अर्थ ज्ञानसामान्य किया जाय तब 'मरकतमणि—' इस पूर्वोक्त सन्देह—जहाँ उपमेयतावच्छेदक अर्थात् रामस्व का अवगाहन नहीं हुआ है, तात्पर्य यह कि जहाँ रामरूप उपमेय द्विधा ही हुआ है—में इस लक्षण की अतिव्याप्ति हो ही जायगी, यदि अनुभव का अर्थ निश्चय किया जाय तब भी 'कमलमिति चञ्चरीकाः—अर्थात् तेरे मुख को भ्रमर कमल और चकोर चन्द्रमा समझकर पीछे-पीछे दौड़ते हैं' इस भ्रान्तियों के समूहरूप उल्लेखालङ्कार में उक्त भ्रान्ति-लक्षण की अतिव्याप्ति रहेगी ही । यदि आप कहें कि यह उल्लेख है ही भ्रान्ति से मिश्रित, अतः उसमें यदि भ्रान्ति का लक्षण सद्वदित हो जाता है तो वह होना ही चाहिये यह कोई दोष ( अतिव्याप्ति ) नहीं, तो यह भी समुचित नहीं हो सकता । कारण, दूध जलभाग से नियमतः मिश्रित रहता है, अतः दूध का लक्षण ऐसा नहीं बनाया जाता जिसकी जलभाग में अतिव्याप्ति हो जाय । फलतः दीक्षितजी के लक्षण को असङ्गत ही कहा जायगा ।

दीक्षितोद्भूत भ्रान्तिविशेषोदाहरणमनूयालोचयति—

यच्चापि भिन्नकर्तृकोत्तरोत्तरभ्रान्तावुदाहृतम्—

'शिक्षानैर्मञ्जरीति स्तनकलशयुग चुम्बितं चञ्चरीकै-

स्त्रासोल्लासलीलाः किसलयमनसा पाणयः कीरदृष्टाः ।

तल्लोपायालपन्त्यः पिकनिनदधिया ताडिताः काकलोकै-

रित्य चोलेन्द्रसिंह त्वदरिमृगदृशां नाप्यरण्यं शरण्यम् ॥' इति ।

तत्र विचार्यते—स्तनकलशयुगे हि न तावन्मञ्जरीसादृश्यं कविसमयसिद्धम्, येन तन्मूला चञ्चरीकाणां भ्रान्तिरूपनिबन्धेत । दोषान्तरमूला तु सा नालङ्कार इत्यनुपदमेव निरूपितम् । अपि च धर्मिणि कलशरूपकानुवादेन मञ्जरीभ्रान्तिरूपमलङ्कारान्तरमुपनिबन्धमानमुद्वेजकमेव सहृदयानाम् । नहि सादृश्यमूलैकालङ्कारावच्छिन्ने सादृश्यमूलालङ्कारान्तरं शोभते । यथा 'मुखकमलं तव चन्द्रवत् प्रतीमः' इति प्रागेव निवेदनात् । प्रत्युत कलशरूपकेण मञ्जरीसादृश्यतिरस्काराच्च । 'तत्रासोल्लासलीलाः किसलयमनसा पाणयः कीरदृष्टाः' इत्यत्र विधेया-विमर्शाद्विधेयान्तरमाकाङ्क्षितम् । कीरैर्दृष्टा इति तु भाव्यम् । जाता इत्यध्याहारेऽपि विवक्षितस्याविधेयत्वमविवक्षितस्य च विधेयत्वं प्रसज्येत । एव 'तल्लोपायालपन्त्यः पिकनिनदधिया ताडिताः काकलोकै' इत्यत्र न तावत्पिकनिनदास्ताडनयोग्या काकानाम्, येन तद्विया आलपन्त्यस्तैस्ताडयेत् । नापि पिकनिनदभ्रम आलपन्तीषु सम्भवति । सम्भवन्वा न सादृश्यमूलः । पिकनिकरधियेति तु भाव्यम् । अथ तदालापेषु पिकनिनद्वुद्धेरपि तासु पिकबुद्धयुत्पादनद्वारा सम्भवत्येव ताडनोपयोग इति प्रयोज्यत्वार्थकवृत्तीयया पिकनिनदर्थोपयोज्यका कर्तृकनाडनकर्मत्वमालपन्तीनां सुप्रतिपादनेवेति चेत्, नैवम् । तथा प्रतीने-रौसद्धे । 'चौरबुद्धया हतः नाधुः' इत्यादौ चौरबुद्धिजननयो नामानाधिकर-ण्येन हेतुहेतुमद्भावगमकत्वव्युत्पत्ते । एवं 'दन्तिबुद्धया हतः शूरैर्वराठो वन्द-गोचरः' इत्यत्रापि विशेष्यतया वराहवृत्तेर्दन्तिबुद्धेर्वराहवृत्तिहेतुभावावगमः । त्वदुक्तीत्या दन्तबुद्धयेति कृने बोधकर्थनैव । किं च पिकानां हि वृजिता-दिशब्दैरेव शब्दो वर्ण्यते, न तु निनदादिशब्दैः सिंहदुन्दुभ्यादिशब्दप्रयोगयोग्यैः ।

दुष्टमेवेत्याह—तदापीति । उक्तविशेषणस्य सार्थक्येऽपि इति तदर्थः । विषयतावच्छेदकेति । उपमेयतावच्छेदकेत्यर्थः । रामत्वेति यावत् । तथा च रामत्वाविषयके इति समुदायार्थः । संशये इति । लक्षणघटकानुभवपदस्य ज्ञानसामान्यार्थकत्वे एष दोषो बोध्यः । ननु तस्य निश्चयपरत्वे नैष दोष इत्यतो दोषान्तरमाह—‘कमलमि’ति । अर्थोऽस्य स्फुट एव । भ्रान्तिसमुदायात्मके उल्लेखे भ्रान्तिलक्षणस्यातिप्रसङ्गः, सादृश्यप्रयोज्ये पिहितात्मनि विषये आरोप्यमाणानुभवस्य तत्रापि सत्त्वादिति भावः । दोषाभावमाशङ्क्य पुनर्दोषं ब्रह्मयति—अत्र भ्रान्त्या इति । भ्रान्तिमिश्रिते उल्लेखे भ्रान्तिलक्षणप्रसक्तिरुचितैव, न दोषायेति शङ्काया इदं समाधानम् यत् यथा नियमतो दुग्धे जलभागस्य मिश्रणे सत्यपि दुग्धलक्षणं जलाशयव्यवृत्तमेव विधीयते, तथैव उल्लेखस्य भ्रान्तिसङ्कीर्णत्वेऽपि भ्रान्तिलक्षणम् उल्लेखांशव्यवृत्तमेव कर्तुमुचितम्, अन्यथा यथा जलाशातिव्याप्तं दुग्धलक्षणं दुग्धमेव भ्रान्तिलक्षणमुल्लेखाशातिव्याप्तं दुग्धमेव स्यादिति । अत्र ‘अतिव्याप्तेश्च’ इति प्रतीकमुपादाय “उल्लेखत्वभ्रान्तित्वयोरत्र सङ्कीर्णत्वम् । बाधकाभावात् । भूतत्वमूर्तत्वयोरिव नरैर्वरगतिप्रदेत्यत्रोल्लेखत्वस्य, कनकद्रवेत्यत्र भ्रान्तित्वस्य सावकाशत्वादिति कश्चित् । घनितेति वदन्त्येता लोका इति त्वदुदाहृतापह्नुतिसङ्कीर्णोल्लेखे उपमेयतावच्छेदकनिषेधसामानाधिकरण्येनोत्थाप्यापह्नुतिलक्षणातिव्याप्तिस्तवाप्यस्ति । एव तत्तदलङ्कारसङ्कीर्णं तत्तदलङ्कारलक्षणस्य सा दुर्वारिति चिन्त्यमिदमित्यपरे ।” इति नागेश ।

अब अप्पयदीक्षितकृत भ्रान्तिलक्षण का अनुवाद करके खण्डन किया जाता है— शब्द इत्यादि । अप्पयपदीक्षित ने ‘कविसम्मत—’ इत्यादि लक्षण ‘भ्रान्तिमान्’ का किया है । इस लक्षण में “कवियों के अभिमत सादृश्य द्वारा सिद्ध होनेवाले उपमेय में उपमान का अनुभव जिस वाक्य में वर्णित हो वह वाक्य ‘भ्रान्तिमान्’ है ।” इस तरह ‘भ्रान्तिमान्’ का लक्षण बनाकर रूपक में अतिव्याप्तिवारणार्थ उपमेय का ‘पिहितात्मनि ( जिसका स्वरूप छिपा दिया गया हो )’ यह विशेषण दिया गया है । इस विशेषण से यह अभिप्राय प्रकट होता है कि उक्त अनुभव कविप्रतिभोरिथित होना चाहिए, क्योंकि वैसा न होने पर उसके द्वारा उपमेय का छिपाना नहीं घन सकता—अर्थात् उपमेय को उपमान समझना ( भ्रम ) नहीं हो सकता । पर दीक्षितजी का उक्त लक्षण ठीक नहीं है । कारण, आपका लक्षण ‘भ्रान्तिमान् ( भ्रान्तियुक्त वाक्य )’ का है, अतः उसकी अतिव्याप्ति रूपक के वाक्य में हो सकती है, रूपक में नहीं, फिर जो आपने “रूपक-वारणार्थ इस लक्षण में ‘पिहितात्मनि’ विशेषण लगाया गया है” ऐसा लिखा वह असङ्गत हो जाता है । यदि आप कहें कि ‘भ्रान्ति’ तथा ‘भ्रान्तिमान्’ दोनों का लक्षण किया गया है—‘अनुभव’ पर्यन्त का भाग ‘भ्रान्ति’ का लक्षण है और अग्रिम भाग ‘भ्रान्तिमान्’ का । उनमें से ‘भ्रान्ति’लक्षण में ‘पिहितात्मनि’ यह उपमेय का विशेषण दिया गया है और वह इसलिए दिया गया है कि रूपक में भ्रान्तिलक्षण का अतिप्रसङ्ग न हो, तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि भ्रान्ति का लक्षण है ‘अनुभव’ । अब आप सोचें कि अनुभवरूप भ्रान्तिलक्षण का अनुभव में आनेवाले अभेदरूप रूपक में अतिप्रसङ्ग होता ही कहाँ है जिसके वारणार्थ आप विशेषण जोड़ रहे हैं । तात्पर्य यह कि भ्रान्ति अनुभव का नाम है और रूपक है अनुभव में आनेवाले अभेद का नाम, फिर इन भिन्न पदार्थों में किसी एक का दूसरे में अतिप्रसङ्ग कैसे हो सकता है ? अब यदि आप ‘रूपकव्याच्यर्थम्’ में ‘रूपक’ पद का ‘रूपक का ज्ञान’ अर्थ करके ग्रन्थ को सङ्गत बनाना चाहें अर्थात् रूपक का ज्ञान अनुभवरूप हो जाता है, अतः उसमें अतिव्याप्तिवारणार्थ भ्रान्तिलक्षण में उक्त विशेषण दिया गया है ( उस विशेषण से उक्त अतिव्याप्ति इसलिये वारित हो जाती है कि रूपक अथवा उसके ज्ञान में उपमेय पिहितात्मा—छिपे

रूप वाला नहीं रहता, अपितु प्रकट रूपवाला ही रहता है ) तो वना लें उस प्रन्य को सद्गत, पर इतने पर भी उक्त लक्षण निर्दुष्ट नहीं होगा, क्योंकि यदि उस लक्षण में अनुभव का अर्थ ज्ञानसामान्य किया जाय तब 'मरकतमणि—' इस पूर्वोक्त सन्देह—जहाँ उपमेयतावच्छेदक अर्थात् रामत्व का अवगाहन नहीं हुआ है, तात्पर्य यह कि जहाँ रामरूप उपमेय छिपा ही हुआ है—में इस लक्षण की अतिव्याप्ति हो ही जायगी, यदि अनुभव का अर्थ निश्चय किया जाय तब भी 'कमलमिति चञ्चरीका—अर्थात् तेरे मुख को भ्रमर कमल और चक्रोर चन्द्रमा समझकर पीछे-पीछे दौड़ते हैं' इस भ्रान्तिर्यों के समूहरूप उल्लेखालङ्कार में उक्त भ्रान्ति-लक्षण की अतिव्याप्ति रहेगी ही । यदि आप कहें कि यह उल्लेख है ही भ्रान्ति से मिश्रित, अतः उसमें यदि भ्रान्ति का लक्षण सट्टित हो जाता है तो वह होना ही चाहिये यह कोई दोष ( अतिव्याप्ति ) नहीं, तो यह भी समुचित नहीं हो सकता । कारण, दूध जलभाग से नियमत. मिश्रित रहता है, अतः दूध का लक्षण ऐसा नहीं बनाया जाता जिसकी जलभाग में अतिव्याप्ति हो जाय । फलतः दीक्षितजी के लक्षण को असद्गत ही कहा जायगा ।

दोषितोद्धृत भ्रान्तिविशेषोदाहरणमनूयालोचयति—

यच्चापि भिन्नकर्तृकोत्तरोत्तरभ्रान्तावुदाहृतम्—

'शिक्षानैर्मञ्जरीति स्तनकलशयुग चुम्बितं चञ्चरीकै-

स्वत्रासोल्लासलीलाः किसलयमनसा पाणय कीरदष्टा ।

तल्लोपायालपन्त्यः पिकनिनदधिया ताडिताः काकलोकै-

रित्य चोलेन्द्रसिंह त्वदरिमृगदृशा नाप्यरण्य शरण्यम् ॥' इति ।

तत्र विचार्यते—स्तनकलशयुगे हि न तावन्मञ्जरीसादृश्य कविसमयसिद्धम्, येन तन्मूला चञ्चरीकाणां भ्रान्तिरूपनिबन्धेत । दोषान्तरमूला तु सा नालङ्कार इत्यनुपदमेव निरूपितम् । अपि च धर्मिणि कलशरूपकानुवादेन मञ्जरीभ्रान्तिरूपमलङ्कारान्तरमुपनिबन्धमानमुद्वेजकमेव सहृदयानाम् । नहि सादृश्यमूलैकालङ्कारावच्छिन्ने सादृश्यमूलालङ्कारान्तर शोभते । यथा 'मुखकमल तव चन्द्रवत् प्रतीमः' इति प्रागेव निवेदनात् । प्रत्युत कलशरूपकेण मञ्जरीसादृश्यतिरस्काराच्च । 'तत्रासोल्लासलीला' किसलयमनसा पाणय. कीरदष्टा' इत्यत्र विधेया-विमर्शाद्विधेयान्तरमाकाङ्क्षितम् । कीरैर्दष्टा इति तु भाव्यम् । जाता इत्यध्याहारोऽपि विवक्षितस्याविधेयत्वमविवक्षितस्य च विधेयत्व प्रमज्येत । एव 'तल्लोपायालपन्त्य' पिकनिनदधिया ताडिताः काकलोकै' इत्यत्र न तावत्पिकनिनदन्ताडनयोग्या काकानाम्, येन तद्विया आलपन्त्यस्तैस्ताड्येन् । नापि पिकनिनदभ्रम आलपन्तीषु सम्भवति । सम्भवन्वा न सादृश्यमूल' । पिकनिकरियेति तु भाव्यम् । अथ तत्रालापेषु पिकनिनद्व्युद्वेरेपि तासु पिकव्युद्धृत्युत्पादनद्वारा सम्भवत्येव ताडनोपयोग इति प्रयोज्यत्वार्यन्वृतीयया पिकनिनदधीप्रयोज्यता कर्तृकनाडनकर्मत्वमालपन्तीना सुप्रतिपादनेवेति चेत्, नैवम् । तथा प्रतीने-रौमिद्वे । 'चौरव्युद्धत्या हत. नाधु' इत्यादीं चौरव्युद्धिदनयो नामानाधिकरण्येन हेतुहेतुमद्भावगमकत्वव्युत्पत्तेः । एवं 'दन्तिव्युद्धत्या हत शूरैर्वराधो वन-गोचर.' इत्यत्रापि विज्ञेयनया वराहवृत्तेर्दन्तिव्युद्धेर्वराहवृत्तिहेतुभावावगमः । त्वदुक्तीत्या दन्तिव्युद्धत्येति कृते बोधकदर्थनैव । किं च पिकाना हि वृजिना-दिशब्देरेव शब्दो वर्ण्यते, न तु निनदादिशब्दैः सिंहदुन्दुभ्यादिशब्दप्रयोगयोग्यै ।

तथा प्रथमद्वितीयचरणस्थयोः स्तनपाण्योर्यथाकथञ्चित् व्यग्रहितमपि जातात्-  
यमपि त्वदरिमृगदृशामिति पृष्ठयन्तमन्वेतुं शक्नुयात्, न तु तृतीयचरणस्यै  
आलपन्त्य इत्यस्मिन् विशेषणे विशेष्यभावेनेति तासां ताटस्थमेव स्यात् ।  
विभक्तिविपरिणतावपि प्रक्रमभङ्गासंघट्टलत्वाभ्यां स्थितमेवेति पद्यमव्युत्पन्न  
निर्मितमेव । दीक्षितैस्तु भ्रान्त्यलङ्कारांशमात्रमादायोदाहृतमिति दिक् ।

भिन्नकर्तृकेति । भिन्न कर्ता यस्या तादृशी या उत्तरोत्तरभ्रान्तिस्तस्यामित्यर्थः ।  
विविधव्यक्तिसमवेताया पूर्वपूर्वभ्रान्तिप्रयुक्ताग्रिमाग्रिमभ्रान्ताविति यावत् । शिञ्जानैरिति ।  
हे चोलेन्द्रसिंह चोलदेशनरेशमुख्य ! त्वदरिमृगदृशा भवदीयशत्रुरमणीनाम्, त्वद्भ्येन  
पलाय्य वन श्रितैः शत्रुभि सह गतानामिति यावत्, अरण्य वनम्, अपि, शरण्यं  
शरणदायकम्, नाभूत् । यत, तत्र, शिञ्जानैर्गुञ्जद्भि, चञ्चरीकै भ्रमरै, मञ्जरीति-  
बुद्ध्या, तासाम्, स्तनकलशम्, चुम्बितम्, तत्रासोह्लासलीला भ्रमरभयजननजातचेष्टा,  
तासा, पाणय, किसलयमनसा किसलया इमे इति चेतसा, कीरदृष्टा शुर्कैर्दृष्टाः तथा  
तल्लोपाय कीरदूरीकरणाय, आलपन्त्य वदन्त्यस्ता, काकलोकै काकै, पिकनिनदधिया  
कोकिलकूजनबुद्ध्या, ताडिता आहता इत्यर्थः । अत्र स्तने मञ्जरीभ्रमो भ्रमरसमवेत,  
तद्भ्रमोपद्रवशमनप्रयासहेतुकं पाणिषु किसलयभ्रम कीरसमवेत, तद्भ्रमजनितोपद्रव  
दूरीकरणप्रयत्नमूलक मृगाक्षीषु पिकनिनदभ्रम काकसमवेत इति भवतीदं पद्यम् अनेक-  
कर्तृकोत्तरोत्तरभ्रान्तेरुदाहरणमिति भावः । पद्यमिदमालोचयितुमुपक्रमते—तत्र विचार्यते  
इति । ननु यथाकथञ्चित् सादृश्यमप्यस्तीत्यत आह—अपि चेति । धर्मिणि स्तनरूपे ।  
अलङ्कारावच्छिन्ने अलङ्कारविशिष्टे । मुखकमलमिति रूपकम् । अभ्युपेत्याह—प्रत्युतेति ।  
'शिञ्जानैः—' इति श्लोके वर्णितस्य स्तनकलशाधिकरणकस्य मञ्जरीभ्रमस्यालङ्कारत्व  
नोपपद्यते, दोषान्तरमूलकस्य भ्रमस्यालङ्कारत्वानङ्गीकारात् । ननु सादृश्यमूलक एव स्तन-  
कलशे मञ्जरीभ्रम इति चेन्न, स्तने मञ्जरीसादृश्यस्य कविसमयासिद्धतया तन्मूलकस्य तत्र  
तद्भ्रमस्यासम्भवात् । ननु स्तने यत्किञ्चित् मञ्जरीसादृश्यमस्त्येव, कविसमयासिद्धत्वं  
तस्याकिञ्चित्करमेवेति चेत् १ तथास्तु । परन्तु न तावतापि प्रकृते सामञ्जस्यम्, अधिकरणे  
स्तने कलशारोपरूपे रूपके जाते तदनुवादेन मञ्जरीभ्रमरूपालङ्कारान्तरोपनिबन्धस्य सहृद-  
योद्वेजकत्वात् । 'मुखकमल तव चन्द्रवत् प्रतीम' इत्यत्र मुखगतकमलरूपकमनूय चन्द्रोप-  
मेव सादृश्यमूलकैकालङ्कारविशिष्टे सादृश्यमूलकमेवालङ्कारान्तर न शोभत इति तस्य  
सहृदयोद्वेजकत्वं बोध्यम् । तुष्यद्दुर्जनन्यायेन स्वीकृतेऽपि तादृशालङ्कारान्तरस्य सहृद-  
यानुद्वेजकत्वे प्रकृते न गति स्तने कलशरूपणेन वस्तुतो मञ्जरीसादृश्यस्य तिरस्कृततयाऽ-  
नुदयादिति भाव, एवमाद्ये दोषमुक्त्वा द्वितीये दोषमाह—तत्रासोह्लासेति । विधेयाविमर्शा-  
दिति । विधेयस्याकथनादित्यर्थः । उद्देश्यकोटिप्रविष्टं सर्वमिति भाव । अत्र—'पाणीनु-  
द्दिश्य विशिष्टस्य कीरकर्तृकदृष्टत्वस्य विधेयत्वे को दोष इति चिन्त्यमिदम्' इति नागेश ।  
अदोषप्रकारमाह—कीरैर्दृष्टा इति । अध्याहारेण विधेयपूर्तौ दोषमाह—जाता इत्यध्या-  
हारे इति । विवक्षितस्येति । दृष्टत्वस्येत्यर्थः । अविवक्षितस्येति । जातत्वस्येत्यर्थः । द्वितीय-  
चरणे पाणीनुद्दिश्य दृष्टत्वस्य विधेयत्वं विवक्षितं वक्तु, परन्तु दृष्टत्वबोधकपदस्य समास-  
घटकतया न तस्य विधेयतयाऽवगम, अतोऽपर-किञ्चिद् विधेयमिहाकाङ्क्षितं भवति ।  
'कीरैर्दृष्टा' इत्येवमसमस्तपदविन्यासे वक्त्रुरभिमतं सेद्धुमर्हति । ननु 'जाता' इत्यस्या-  
ध्याहारेण विधेयकाङ्क्षाशान्तिः सम्भवतीति चेत्, सत्यम्, किन्तु विधेयाकाङ्क्षाशान्ता-

वपि वन्तुरभिप्रेतस्यासिद्धिरेव, यतो दृष्टवन्त्य विधेयत्वमभिप्रेतं वहु । तयाकरणे तु न तन्व विधेयत्वमपि तु जातवत्येति दृष्टमेवान्य परस्व द्वितीयां चरामिति भाव । वृताये तमह—एवमिति । तावद् आदौ । दोषमूल नन्मवनीत्याह—नन्मवन्वेति । अदोष- प्रकारमाह—पिकनिकरेति । तृतीयावरणे पिकनितदर्थहेतुकाककृतृकताउनकर्मत्वमाल- पन्तानामुपवर्णितम्, तच्च न युक्तम्, पिकनितदर्थैव काककृतृकताउनप्रोगतया तर्द्धा- हेतुग्रान्यताउनन्य काककृतृकन्य सुतरामयोग्यत्वेनामन्मवाद् । किं तृतीयवरणगतपद- स्वारन्धेन आलयन्तांषु काकाय पिकनितदप्रमो यद् प्रतीयते तदपि न न तम्, द्रव्या- त्मद्वयत्तौ गुणान्मन्निन्दप्रमन्य नाइत्यमूलकस्यामन्मवाद, द्रव्यगुणयो द्विगन्मत- सादृश्यविरहात्, दोषान्तरमूलकस्य तादृशप्रमस्य नन्मवेऽपि अलङ्कारत्वानोगाद् । 'पिक- निकरविद्या' इति पाठ्येदमविद्यद्, तदा निदोपताऽमेत्यद्, यत्सुन्दमाहुः—एवमव- वच्चात्मकनाइत्यमूलक आलयन्तांषु पिकनिकरप्रम नन्मवति, तदा काकताउनप्रोग- पिकनिकरार्थहेतुकाककृतृकताउनकर्मत्वमपि तासु सुम-तमिति भाव । यथात्पितपठेऽपि दोषराहित्यमागच्छन् ननाधने—अर्थन्यादिना । तदालायेषु इति । आलयन्तीना नृग- द्गामालापेधियर्थ । वृतायवेति । पिकनितदर्थारवोत्तयेत्यर्थ । तयाप्रतीयेरिति । 'पिक- नितदर्थप्रदोषकाककृतृकताउनकर्ममिता प्राप्त्वन्त्य' इति प्रतीयेरित्यर्थ । तयाप्रतीयेर- निद्धां हेतुमुपदर्शयति—चौरुद्वयेति । मानानाधिकर येनेति । विशेषतासम्बन्धेन यत्र ( साधौ ) चौरुद्वि' तत्र कर्मत्वान्मन्धेन हतत इत्याकारकेत्यर्थ । तादृग त्पलान्तर- माह—एव 'दन्तिद्वये'ति । वारं वने दृष्टिपयसुयेनो वगहो गन्त्रमेग हत इति तदर्थ । दन्तद्वयेतिकृते इति । अत्र यद्यपि मूले । 'दन्तिद्वया' इत्येव पाठ प्राप्तुमन्के इष्ट, तयापि नामौ चन्त इति मूलोक्त पाठान्तर कथितः । नाधिकारयेषु नाइत्यमूलक पिकनितदप्रम' नन्मवति, न च प्रमो नाधिकार नाइत्यमूलक पिकनितदप्रमाददितु इमने । तया च नाधिकारविशेषकपिकनितदप्रमोऽपि परन्परया काककृतृकतापिक कर्मताउने दयदुज्यत एवेति 'पिकनितदधिता इत्यत्र तृतीयाविभक्तौ प्रदोषत्वमर्थमात्म्याय 'पिकनित- दर्थप्रदोष्य' इति प्राप्त्ववोधे म्पिनाणे नामदति' कश्चिद्—इति ग्राह्यत्वानभिप्राय, 'चौरुद्वया' इत्यत्र 'दन्तिद्वया' इत्यत्र च मानानाधिकर येन चौरप्रमदन्त्यो मन्ति- प्रमहन्त्योश्च हेतुहेतुनङ्गावत्याउनवमिद्धतया 'पिकनितदधिता' न्मन्मवतृतीयात्त प्रदो- ष्यत्वापर्यन्तमन्मवे प्रागुक्तौ दोषो न वेदु प्रमवतीति च समाधानमन्त्याभिप्राये वे न । दोषान्तरमपि दृष्टयति—किं चेति । मन्मप्रदोषोर्गदिति । मन्म प्रदोषोर्गदित्यर्थ । 'पिक- कृत्तिस्रायम्' इति अधिपत्यस्यैव विद्यात्त शब्द कृत्तिस्रायत्तस्य चर्कित्त्वेन, न तु नित्तिस्रायत्त, नित्तिस्रायत्ताना निरुद्धन्त्यादीना मन्मयेन प्रतीयत्त' अदिमप- निद्वन्तमिति भाव । अन्ममन्मवतित्तुदादति—नयेति । स्वामिद्वयेनात्म्यादृग्दो- रभावादात्—नपाकप्रतीयेति । जगन्मवेति । नान्यस्य शक्यमिति मन्मिद्वेनेति भाव । नन्मिति । विभक्तिविभक्तिवाच्यमन्म स्वमेवामवा'ति भाव । न्म विभक्तिविभक्ति- भेदान्वा' सुतमोक्त आत्—दिमन्म'ति । नन्मयेन मन्मिद्वेन चरुमुग'मन्मयेने' इत्येव पानेन- दिमन्म प्रात्—आर्गित्ति । प्रमवदोष इति पाठक्यादृग्दोषो' मन्मन्म मन्मिद्वि- मित्तम्, तया च प्रमवदोषत्वमुपदर्शयतवन्म्य 'दृष्टवन्त्य' इति पाठक्यादृग्दोष- प्राप्तयेन नामा'त्तेन च 'नाप्यरत्तं शक्यम्' इत्यमर्थेन दृष्टवन्त्येव यद्यपि दोष- तयापि तदुद्धरणत्वादेन मन्ममिद्वेन च 'नाप्यरत्तं शक्यम्' इत्यमर्थेन उच्यते



तथा प्रथमद्वितीयचरणस्थयोः स्तनपाण्योर्यथाकथञ्चित् व्यग्रहितमपि जातान्व-  
यमपि त्वदरिमृगदृशामिति षष्ठ्यन्तमन्वेतुं शक्नुयात्, न तु तृतीयचरणस्यै  
आलपन्त्य इत्यस्मिन् विशेषणे विशेष्यभावेनेति तासां ताटस्थ्यमेव स्यात् ।  
विभक्तिविपरिणतावपि प्रक्रमभङ्गासंघट्टलत्वाभ्यां स्थितमेवेति पद्यमव्युत्पन्न-  
निर्मितमेव । दीक्षितैस्तु भ्रान्त्यलङ्कारांशमात्रमादायोदाहृतमिति दिक् ।

भिन्नकर्तृकेति । भिन्न कर्ता यस्या तादृशी या उत्तरोत्तरभ्रान्तिस्तस्यामित्यर्थः ।  
विविधव्यक्तिसमवेताया पूर्वपूर्वभ्रान्तिप्रयुक्ताग्रिमाग्रिमभ्रान्ताविति यावत् । शिञ्जानैरिति ।  
हे चोलेन्द्रसिंह चोलदेशनरेशमुख्य ! त्वदरिमृगदृशा भवदीयशत्रुरमणीनाम्, त्वद्भयेन  
पलाय्य वन श्रितैः शत्रुभि सह गतानामिति यावत्, अरण्य वनम्, अपि, शरण्यं  
शरणदायकम्, नाभूत् । यत, तत्र, शिञ्जानैर्गुञ्जद्भि, चञ्चरीकै भ्रमरैः, मञ्जरीति-  
बुद्ध्या, तासाम्, स्तनकलशम्, चुम्बितम्, तत्रासोह्लासलीला भ्रमरभयजननजातचेष्टा,  
तासा, पाणय, किसलयमनसा किसलया इमे इति चेतसा, कीरदृष्टा शुक्रैर्दृष्टा तथा  
तल्लोपाय कीरदूरीकरणाय, आलपन्त्य वदन्त्यस्ता, काकलोकै काकैः, पिकनिनदधिया  
कोकिलकूजनबुद्ध्या, ताडिता आहता इत्यर्थः । अत्र स्तने मञ्जरीभ्रमो भ्रमरसमवेतः,  
तद्भ्रमोपद्रवशमनप्रयासहेतुक पाणिषु किसलयभ्रम कीरसमवेत, तद्भ्रमजनितोपद्रव-  
दूरीकरणप्रयत्नमूलक मृगाक्षीषु पिकनिनदभ्रम काकसमवेत इति भवतीदं पद्यम् अनेक-  
कर्तृकोत्तरोत्तरभ्रान्तेरुदाहरणमिति भावः । पद्यमिदमालोचयितुमुपक्रमते—तत्र विचार्यते  
इति । ननु यथाकथञ्चित् सादृश्यमप्यस्तीत्यत आह—अपि चेति । धर्मिणि स्तनरूपे ।  
अलङ्कारावच्छिन्ने अलङ्कारविशिष्टे । मुखकमलमिति रूपकम् । अभ्युपेत्याह—प्रत्युतेति ।  
'शिञ्जानै—' इति श्लोके वर्णितस्य स्तनकलशाधिकरणकस्य मञ्जरीभ्रमस्यालङ्कारत्वं  
नोपपद्यते, दोषान्तरमूलकस्य भ्रमस्यालङ्कारत्वानङ्गीकारात् । ननु सादृश्यमूलक एव स्तन-  
कलशे मञ्जरीभ्रम इति चेन्न, स्तने मञ्जरीसादृश्यस्य कविसमयासिद्धतया तन्मूलकस्य तत्र  
तद्भ्रमस्यासम्भवात् । ननु स्तने यत्किञ्चित् मञ्जरीसादृश्यमस्त्येव, कविसमयासिद्धत्व  
तस्याकिञ्चित्करमेवेति चेत् ? तथास्तु । परन्तु न तावतापि प्रकृते सामञ्जस्यम्, अधिकरणे  
स्तने कलशारोपरूपे रूपके जाते तदनुवादेन मञ्जरीभ्रमरूपालङ्कारान्तरोपनिबन्धस्य सहद-  
योद्वेजकत्वात् । 'मुखकमल तव चन्द्रवत् प्रतीम' इत्यत्र मुखगतकमलरूपकमनूद्य चन्द्रोप-  
मेव सादृश्यमूलकैकालङ्कारविशिष्टे सादृश्यमूलकमेवालङ्कारान्तर न शोभत इति तस्य  
सहदयोद्वेजकत्वं बोध्यम् । तुष्यद्दुर्जनन्यायेन स्वीकृतेऽपि तादृशालङ्कारान्तरस्य सहद-  
यानुद्वेजकत्वे प्रकृते न गति स्तने कलशरूपणेन वस्तुतो मञ्जरीसादृश्यस्य तिरस्कृततयाऽ-  
नुदयादिति भावः, एवमाद्ये दोषमुक्त्वा द्वितीये दोषमाह—तत्रासोह्लासेति । विधेयाविमर्शा-  
दिति । विधेयस्याकथनादित्यर्थः । उद्देश्यकोटिप्रविष्ट सर्वमिति भावः । अत्र—'पाणीनु-  
द्दिश्य विशिष्टस्य कीरकर्तृकदृष्टत्वस्य विधेयत्वे को दोष इति चिन्त्यमिदम्' इति नागेशः ।  
अदोषप्रकारमाह—कीरैर्दृष्टा इति । अध्याहारेण विधेयपूर्तौ दोषमाह—जाता इत्यध्या-  
हारे इति । विवक्षितस्येति । दृष्टत्वस्येत्यर्थः । अविवक्षितस्येति । जातत्वस्येत्यर्थः । द्वितीय-  
चरणे पाणीनुद्दिश्य दृष्टत्वस्य विधेयत्वं विवक्षित वक्तु, परन्तु दृष्टत्वबोधकपदस्य समास-  
घटकतया न तस्य विधेयतयाऽवगम, अतोऽपर किञ्चिद् विधेयमिहाकाङ्क्षित भवति ।  
'कीरैर्दृष्टा' इत्येवमसमस्तपदविन्यासे वक्तुरभिमतं सेद्धुमर्हति । ननु 'जाता' इत्यस्या-  
ध्याहारेण विधेयकाङ्क्षाशान्तिः सम्भवतीति चेत्, सत्यम्, किन्तु विधेयाकाङ्क्षाशान्ता-

वपि वक्षुरभिप्रेतस्यासिद्धिरेव, यतो दृष्टत्वस्य विधेयत्वमभिप्रेतं वक्तुः । तथाकरणे तु न तस्य विधेयत्वमपि तु जातत्वस्येति दुष्टमेवावस्य पद्यस्य द्वितीयं चरणमिति भावः । तृतीये तमाह—एवमिति । तावन् श्राद्धौ । दोषमूल सम्भवतीत्याह—सम्भवन्वेति । अदोष- प्रकारमाह—पिकनिकरेति । तृतीयचरणे पिकनिनदधीहेतुककाकर्तृकताडनकर्मत्वमाल- पन्तीनामुपवर्णितम्, तच्च न युक्तम्, पिकनिनदस्यैव काककर्तृकताडनायोग्यतया तद्धी- हेतुकान्यताडनस्य काककर्तृकस्य सुतरामयोग्यत्वेनासम्भवात् । किञ्च तृतीयचरणगतपद- स्वारस्येन आलपन्तीषु काकानां पिकनिनदभ्रमो यत् प्रतीयते तदपि न सङ्गतम्, द्रव्या- त्मकव्यक्तौ गुणात्मकनिनदभ्रमस्य सादृश्यमूलकस्यासम्भवात्, द्रव्यगुणयो क्विसमत- सादृश्यविरहात्, दोषान्तरमूलकस्य तादृशभ्रमस्य सम्भवेऽपि अलङ्कारत्वायोगात् । 'पिक- निकरधिया' इति पाठश्चेदभविष्यत्, तदा निर्दोषताऽसेत्स्यत्, यतस्तुल्यमाधुर्ययुक्तशब्द- वत्त्वात्मकसादृश्यमूलकं आलपन्तीषु पिकनिकरभ्रम सम्भवति, तथा काकताडनयोग्य- पिकनिकरधीहेतुककाकर्तृकताडनकर्मत्वमपि तासु सुसङ्गतमिति भावः । यथास्थितपाठेऽपि दोषराहित्यमाशङ्क्य समाधत्ते—अथेत्यादिना । तदालापेषु इति । आलपन्तीनां नृग- दृशमालापेष्वित्यर्थः । तृतीययेति । पिकनिनदधीपदोत्तरयेत्यर्थः । तथाप्रतीतेरिति । 'पिक- निनदधीप्रयोज्यकाकर्तृकताडनकर्मभूता आलपन्त्य' इति प्रतीतेरित्यर्थः । तथाप्रतीतेर- सिद्धौ हेतुमुपदर्शयति—चौरबुद्धयेति । सामानाधिकरण्येनेति । विशेष्यतासम्बन्धेन यत्र ( साधौ ) चौरबुद्धि तत्र कर्मतासम्बन्धेन हनन इत्याकारकेत्यर्थः । तादृश स्थलान्तर- माह—एव 'दन्तिबुद्धये'ति । चौरै बने दृष्टिपथमुपेतो वराहो गजभ्रमेण हत इति तदर्थः । दन्तबुद्धयेतिकृते इति । अत्र यद्यपि मूले । 'दन्तिबुद्धया' इत्येव पाठः प्राप्तपुस्तके दृष्टः, तथापि नासौ सङ्गत इति मूलोक्त पाठान्तर कल्पित । नाधिकालापेषु सादृश्यमूलक पिकनिनदभ्रम सम्भवति, स च भ्रमो नाधिकानु सादृश्यमूलक पिकत्रममुत्पादयितु क्षमते । तथा च नाधिकालापविशेष्यकपिकनिनदभ्रमोऽपि परम्परया काककर्तृकनायिकाकर्मकताडने उपयुज्यत एवेति 'पिकनिनदधिया' इत्यत्र तृतीयाविभक्ते प्रयोज्यत्वमर्थमास्थाय 'पिकनिन- दधीप्रयोज्य-' इति प्रागुक्तबोधे क्रियमाणे नामङ्गति काचित्—इति शब्दादलस्याभिप्रायः, 'चौरबुद्धया-' इत्यत्र 'दन्तिबुद्धया-' इत्यत्र च सामानाधिकरण्येन चौरभ्रमहननयो दन्ति- भ्रमहननयोश्च हेतुहेतुमद्भावस्यानुभवसिद्धतया 'पिकनिनदधिया' इत्यत्रयन्तृतीयाया प्रयो- ज्यन्वार्थकत्वाम्भवे प्रागुक्तो बोधो न सैद्ध प्रभवतीति च समाधानदलस्याभिप्रायो बोधः । दोषान्तरमपि दर्शयति—किं चेति । शब्दप्रयोगयोग्यैरिति । शब्दे प्रयोगयोग्यैरित्यर्थः । 'पक्षिषु कूजितप्रायम्' इति कविनमयानुसार पिकानां शब्दः कूजितादिशब्दं च वर्णयितुमुचितः, न तु निनदादिशब्दः, निनदादिशब्दानां निहृदुन्दुभ्यादीनां शब्देष्वेव प्रयोगस्य कविनमय- निद्वत्त्वादिति भावः । अपरामप्यनुपपत्तिमुद्घाटयति—तथेति । स्वारसिकयोरामन्याकाङ्क्षयो- रभावादाह—यथाकथञ्चिदिति । जातान्वयेति । नाप्यरण्य शरण्यमिति ननिहितेनेति भावः । न त्विति । विभिन्नविभक्तिवन्त्वस्मिन् स्वभेदाभावाच्चेति भावः । ननु विभक्तिविपरिणामेना- भेदान्वयः नुलभोऽत आह—विभक्तीति । नन्वेव दार्भितं कथमुदाहरणन्वेनोद्भूतं पथमेत- दित्यत आह—दार्भितैरिति । अन्वयबोधे प्रति आनत्त्याकाङ्क्षयो कारणत्व सर्ववादि- निदम्, तथा च प्रकृतपथोपचतुर्व्यवर्णघटकस्य 'नृगदृशाम्' इति पद्यन्तपदस्यार्थ आनन्वेन साक्षात्त्वेन च 'नाप्यरण्य शरण्यम्' इत्यस्यार्थेन सर्वान्वेत्तु चयपि चोच्यः, तथापि तुयद्दुर्जनन्यायेन अस्वारभिक्यावपि आनत्त्याकाङ्क्षे क्वचिन्वा उक्तपद्यान्ता-

र्थस्य प्रथमद्वितीयचरणघटकस्तनपाणिपदार्थाभ्या सहान्वय कथञ्चिदुपपादयितुं शक्यः । किन्तु तृतीयचरणस्थभिन्नविभक्तिकपदबोध्यालपन्नायिकात्मके विशेषणो विशेष्यतयोक्त-  
षष्ठ्यन्तपदार्थान्वयः कथमपि नोपपादयितुं शक्यः । अभिमतस्तु तदन्वयोऽपि वक्तुरिति  
'अभवन्मतसम्बन्ध' अपि महादोषोऽस्मिन् पद्ये । विभक्तिविपरिणामेनान्वयमुपपाद्य तदो-  
षनिरासेऽपि भ्रमप्रक्रमताऽसष्टुलताभ्यां दोषाभ्यामाक्रान्तमेव पद्यमेतत् इति भावः ।  
इत्थञ्चाव्युत्पन्नकविरचितमिदं पद्यं दीक्षितेन परमव्युत्पन्नेन स्वप्नन्थे नोद्धर्तुमुचितम् इति  
साराशः ।

भ्रान्ति विशेष के उदाहरण देने के क्रम में दीक्षित द्वारा उद्धृत एक पद्य की आलो-  
चना की जाती है—यच्चापि इत्यादि । और जो दीक्षितजी ने भिन्न-भिन्न व्यक्ति को  
एक के बाद दूसरा इस क्रम से होनेवाले भिन्न-भिन्न तरह के उदाहरण में 'शिक्षानैः—  
अर्थात् गूँजते हुए भ्रमरों ने मञ्जरी समझकर कलशरूप स्तनयुगल को चूम लिया ।  
भ्रमरों के भय से नाना तरह की चेष्टाओं को करनेवाले हाथों को शुकों ने पल्लव समझकर  
काट खाया । शुकों को हटाने के लिये बोलती हुई रमणियों को कोयलों के शब्द समझकर  
कौओं ने ताड़न करना शुरू किया । हे बोलनेवालों में सिंह ! तेरे शत्रुओं की मृगाणी नायि-  
काओं को वन में भी शरण नहीं मिल सकी ।' यह पद्य उद्धृत किया है उस पर विचार  
किया जाता है । प्रथम तो कलशरूप स्तनयुगल में मञ्जरी का सादृश्य [कवि-सम्प्रदाय-  
सिद्ध नहीं है कि उसको मूल बनाकर भ्रमरों के भ्रम का वर्णन किया जाय । और यदि  
किसी अन्य ( सादृश्य से भिन्न ) दोष के कारण भ्रमरों को कलशरूप स्तनयुगल में  
मञ्जरी का भ्रम हुआ हो तो वैसा भ्रम अलङ्काररूप नहीं होता—यह बात अभी थोड़े ही  
पहले निरूपित हो चुकी है । यदि आप कहें कि स्तनयुगल में मञ्जरी का कुछ न कुछ  
सादृश्य हो ही सकता है, रही बात उसके कविसम्प्रदायसिद्ध न होने की, सो यह कुछ  
नहीं, तो मैं भी आपकी बात मान लेता हूँ, पर तब भी कलशरूप स्तनयुगल में मञ्जरी-  
भ्रम की उक्ति उचित नहीं, क्योंकि स्तनरूप धर्मा में कलश के रूपक का अनुवाद करके  
मञ्जरीभ्रमरूप अन्य अलङ्कार की कल्पना सहृदयों को उद्दिग्ध ही बनाती है । उद्दिग्ध  
बनावे भी क्यों नहीं, कारण, सादृश्यमूलक एक अलङ्कारवाले पदार्थ में सादृश्यमूलक ही  
दूसरा अलङ्कार शोभित नहीं होता, जैसे कि 'तेरे मुख-कमल को हम चन्द्र-सा समझते हैं'  
इत्यादि में । तात्पर्य यह कि जैसे मुख में कमलरूपक हो जाने के बाद उसी में चन्द्रो-  
पमा नहीं सुन्दर प्रतीत होती, उसी तरह प्रकृत में स्तन में कलशरूपक हो जाने के  
बाद उसी में मञ्जरीभ्रम नहीं अच्छा लगता है । प्रत्युत कलशरूपक द्वारा मञ्जरीसादृश्य  
का तिरस्कार हो जाता है अर्थात् स्तन को कलश के समान मान लेने पर मञ्जरी  
के समान मानना बनता नहीं है । यह तो हुई प्रथम चरण की बात । अब द्वितीय  
चरण को लीजिए । द्वितीय चरण के 'कीरदृष्टा' पद में 'विधेयाविमर्श' दोष है—अर्थात्  
हाथों को उद्देश्य बनाकर 'दृष्टता' का विधान करना कवि का अभीष्ट है, पर 'दृष्टता'  
बोधक 'दृष्टा' पद 'कीर' पद के साथ समस्त कर दिया गया है जिससे 'दृष्टता' का विधेय  
होना अवगत नहीं हो पाता क्योंकि स्वतन्त्र पदार्थ का ही विधेयभाव अवगत होता है यह  
एक स्वाभाविक नियम है, अतः यहाँ किसी दूसरे विधेय की आकांक्षा बनी ही रहती है ।  
वस्तुतः यहाँ 'कीरैर्दृष्टा' ऐसा असमस्त ही होना चाहिए था । यदि 'कीरदृष्टा' के साथ  
'जाता' पद का अध्याहार करके विधेयपूर्ति की चेष्टा की जाय तब 'विनायकं प्रकुर्वाणो  
रचयामास वानरम्' हो जायगा—अर्थात् जिस 'दृष्टता' का विधान करना चाहते थे वह  
विधेय नहीं होगा और जिसका विधान नहीं करना चाहते थे वह 'जाता' पद का अर्थ विधेय  
हो जायगा । इसी प्रकार तृतीय चरण में—प्रथम तो कोकिलों के शब्द ही कौओं के ताड़न  
करने योग्य नहीं—क्या कोई शब्दों की ताड़ना कर सकता है ? नहीं, फिर उनके भ्रम से  
दूसरों की ( बोलनेवालों की ) ताड़ना कैसे की जा सकती है ? और बोलनेवालों

में क्रोकिलों के शब्दों का भ्रम हो भी नहीं सकता। अभिप्राय यह कि द्रव्य (बोलने-वाली नायिकाओं) में गुण (शब्दों) का भ्रम सादृश्यमूलक नहीं सम्भव है और अन्यदोषमूलक भ्रम सम्भव होकर भी अलङ्काररूप ही नहीं माना जाता है। वस्तुतः यहाँ 'पिक्वनिनदधिया (कोकिलों का समूह समझकर)' पाठ होना चाहिए। इस पाठ में सब बातें ठीक हो जाती हैं अर्थात् बोलनेवालों में समानशब्द माधुर्यरूप सादृश्य-मूलक कोकिलसमूह का भ्रम भी हो सकता है और कोकिलसमूह के कौओं द्वारा ताडन योग्य होने से कोकिलसमूहभ्रम के कारण बोलनेवालों का कौओं द्वारा ताडन भी हो सकता है। आप कहेंगे—नायिकाओं की वाणियों में कोकिलों के शब्दों का भ्रम सादृश्यमूलक होगा और वह भ्रम नायिकाओं में कोकिलों के भ्रम को उत्पन्न करेगा, इस तरह से नायिकाओं की वाणियों में होनेवाले कोकिलाशब्दभ्रम का भी परम्परया उपयोग काक द्वारा नायिकाओं के ताडन में हो सकता है, अतः 'पिक्वनिनदधिया' पद में आई हुई तृतीया विभक्ति का 'प्रयोज्यता (सिद्ध होने योग्य होना)' अर्थ मानकर उस वाक्य का 'कोकिलों के शब्दों का भ्रम जिसका परम्परया साधक है ऐसी कौओं द्वारा की जानेवाली ताडना का कर्म बोलने वाली' यह अर्थ सहज में ही प्रतिपादित हो सकता है, अतः कोई गड़बड़ी इस चरण में नहीं है। पर ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐसी प्रतीति सिद्ध नहीं हो सकती अर्थात् उक्त प्रकार से उस वाक्य का अर्थ नहीं किया जा सकता। कारण, 'चौर के भ्रम से साधु मार डाला गया' इत्यादि स्थलों में चौरभ्रम तथा हनन में सामानाधिकरण्येन अर्थात् साक्षात् ही कारण-कार्यभाव का अवगत होना नियमसिद्ध है। इसी तरह 'वीरों ने सूकर को हाथी के भ्रम से बन में मार डाला' इस वाक्य में भी विशेष्यतासम्बन्ध से सूकर में रहनेवाले हाथीभ्रम का सूकर में कर्मतासम्बन्ध से रहनेवाले हनन के प्रति हेतु होना अवगत होता है। आपके हिसाब से यदि 'हाथी के भ्रम से' की जगह 'हाथीदाँत के भ्रम से' कह दिया जाय तब तो वेचारे बोध की मिट्टी पलीद होगी—अर्थात् 'हाथीदाँत के भ्रम से वीरों ने सूकर को मारा' ऐसा ही वाक्य रक्खा जाय और उसकी व्याख्या यों की जाय कि सूकर के दाँत में हाथीदाँत का भ्रम सूकर में हाथी के भ्रम को उत्पन्न करेगा, अतः सूकर के दाँत में हाथीदाँत का भ्रम भी सूकर के हनन में परम्परया उपयोगी होता ही है, फिर 'प्रयोज्यत्व' 'दन्तबुद्ध्या' पदगत तृतीया का अर्थ मानकर उक्त रीति से अर्थबोध किया जाय तो वह अर्थबोध क्या होगा? अर्थबोध का उपहासमात्र होगा। साराश यह कि जब 'चौरबुद्ध्या' 'दन्तिबुद्ध्या' इत्यादि स्थलों में चौरबुद्धि (चौरभ्रम) और हनन में एव दन्ति-बुद्धि और हनन में साक्षात् ही कारण-कार्यभाव अनुभवसिद्ध है अर्थात् हननरूप कार्य के प्रति चौरभ्रम तथा दन्ति-भ्रम का साक्षात् कारण होना ही विदित होता है तब 'पिक्वनिनदधिया' में भी ताडन के प्रति पिक्वनिनदभ्रम का साक्षात् कारण होना ही समझा जायगा और जब साक्षात् कार्यकारणभाव ही इन सब जगहों में होगा तब 'प्रयोज्यत्व' तृतीया का अर्थ नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह परम्परया साधक होनेवाली स्थिति में माना जाता है। फलतः ऐसी जगहों में 'हेतुता' ही तृतीया का अर्थ माना जायगा और उस अर्थ के अनुसार प्रकृत में वाक्यार्थ बँट नहीं सकता, क्योंकि पिक्वनिनदबुद्धि काक द्वारा नायिकाताडनरूप कार्य के प्रति हेतु (साक्षात् कारण) होती नहीं, आप शङ्का करेंगे—उन्हीं दो पदार्थों में कार्य-कारणभाव होता है जो किसी गुरु अधिकरण में रहते हैं, जैसे घट के प्रति दण्ड हमलिये कारण होता है कि वे टोनों ही कपाल (घड़े के दो टुकड़ों) में रहते हैं अर्थात् घट समवायसम्बन्ध से चौर दण्ड सयोगसम्बन्ध से कपालरूप एक अधिकरण में रहते हैं, फिर यहाँ जो चौरभ्रम को कारण और हनन को कार्य यतलते हैं वह कैसे? क्योंकि भ्रम समवायसम्बन्ध से वाग्मा में और हनन (क्रिया) कर्मतासम्बन्ध से साधु आदि में, रहनेवाले हैं, तो इसका समाधान

आपको यह समझना चाहिए कि जिस साधु आदि में 'कर्मता'संबन्ध से हनन रहता है उन साधु आदि में ही 'विशेष्यता'संबन्ध से उक्त भ्रम भी रहता है अतः उक्त कार्य-कारणभाव के होने में किसी तरह की बाधा नहीं। इसके अतिरिक्त इस पद्य में और भी दोष है, जैसे—कोकिल आदि पक्षिजातीय प्राणियों के शब्द 'कृजित' आदि शब्दों से ही वर्णित होते हैं, न कि 'निनद' आदि शब्दों से, क्योंकि वे शब्द सिंह, नगाड़े आदि के शब्दों में ही प्रयुक्त होने योग्य हैं। अतः 'पिकनिनद' में 'ख्यातिविरुद्धता' दोष है। इसी तरह प्रथम तथा द्वितीय चरण में आये 'स्तनों' और 'हाथों' के साथ किसी तरह, दूर होने पर भी तथा दूसरे शब्द ( शरण्यम् ) के अर्थ के साथ अन्वित हो चुकने पर भी चतुर्थ चरण के 'मृगदशाम्' इस षष्ठ्यन्त पद का अर्थ अन्वित हो सकता है, [ 'किसी तरह' कहने का अभिप्राय यह है कि वस्तुतः ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अन्वयबोध के प्रति भासति ( सान्निध्य ) और आकाक्षा का ज्ञान कारण होता है और यहाँ 'मृगदशाम्' के अर्थ की भासति और आकाक्षा 'शरण्यम्' पदार्थ के साथ ही है, तथापि अन्वय द्वारा स्तनों और हाथों के साथ भी उन दोनों के ज्ञानरूप कारण की कल्पना कर ली जा सकती है ] पर तृतीय चरण में आये 'आलपन्यः' इस प्रथमान्त विशेषणपदार्थ के साथ विशेष्यरूप से उस षष्ठ्यन्त पद के अर्थ का अन्वय किसी तरह नहीं हो सकता। अतः इस विशेषण के साथ 'मृगाक्षियों' की तटस्थता ही हो जाती है—वह उनके साथ किसी तरह नहीं जुड़ सकता। और उसके साथ भी उसका उदना कवि को दृष्ट था। फलतः यहाँ 'अभवन्मतसम्बन्ध' दोष है। इतने पर भी यदि आप विभक्ति बदलकर अन्वय कर भी दें, तथापि 'भग्नप्रकमता' ( दो चरणों में 'मृगदशाम्' षष्ठ्यन्त होना और एक में प्रथमान्त होना ) एवं 'असंगुलता' ( ऊबड़खाबड़पन ) ये दोष रह ही जाते हैं। अतः यह पद्य किसी अग्युत्पन्न जन का ही बनाया हुआ है। दीक्षितजी ने 'भ्रान्तिमदलङ्कारांश' मात्र को लेकर इस पद्य को उदाहरणरूप से अपने ग्रन्थ में उद्धृत कर दिया है।

सर्वस्वकारोक्त लक्षणं परीक्षते—

यन्वलङ्कारसर्वस्वकृता लक्षितम्, 'सादृश्याद्वस्त्वन्तरप्रतीतिभ्रान्तिमान्' इति तन्न । प्रागुक्ते संशयालङ्कारे वक्ष्यमाणायामुत्प्रेक्षायां चातिप्रसङ्गात् । प्रतीतिपदस्य निश्चयपरत्वे रूपकवित्तावतिप्रसङ्गात् । विषयतावच्छेदकानवगाहित्वेन निश्चयो विशेषणीय इति चेत्, विशेष्यताम् । तथाप्यतिशयोक्तिवित्तावतिप्रसक्तिरवारितैव । अनाहार्यत्वेन निश्चयविशेषणत्वे पुनरस्मदुक्त एव पर्यवसितिः । मतुबर्थासङ्गतिश्च ।

'सादृश्याद्वेतोर्वस्त्वन्तरे वस्त्वन्तरस्य प्रतीतिभ्रान्तिमान्' इत्यर्थक मूलोक्तं सर्वस्वकारकृतं लक्षणं न सम्यक्, तत्रत्यप्रतीतिपदस्य ज्ञानसामान्यार्थकत्वे संशयालङ्कारे उत्प्रेक्षालङ्कारे चातिव्याप्ते, तत्रापि सादृश्यमूलिकाया वस्त्वन्तरे वस्त्वन्तरस्य प्रतीतेः सत्त्वात्, तत्रत्यप्रतीतिपदस्य निश्चयार्थकत्वे संशयसम्भावनारूपयोस्तयोरतिव्याप्तेर्वारिणोऽपि रूपकस्य वित्तौ ( ज्ञाने ) अतिव्याप्तेस्तादवस्थ्याच्च । उपमेयतावच्छेदकाविषयको निश्चय इति तात्पर्ये वर्ण्यमाने रूपकवित्तावप्यतिव्याप्तिर्यद्यपि वारिता भवति, तथापि अतिशयोक्तिवित्तौ सादृतिष्ठत्येव, तत्र उपमेयतावच्छेदकानवगाहितो निश्चयस्य वर्तमानत्वात् । अनाहार्यो निश्चय इत्याशयोपवर्णने यद्यपि सोऽपि दोषो निरस्तो भवति, तथापि तदा न सर्वस्वकारस्य विजयोऽपि तु मर्मैव, अस्मदुक्तलक्षण एव तदुक्ते पर्यवसानात् । किञ्च 'भ्रान्तिमान्' इत्यत्रत्यमनुचर्यस्यासङ्गतिस्तथापि, भ्रान्तिमात्रस्यैवैतल्लक्षणविषयत्वादिति भावः । नागेशस्तु

‘अनाहार्यत्वेन’ इति प्रतीकनुपादाय ‘न्वेवमपि क्रमतिशयोक्तावतिव्याप्तिवारणम् । तत्त्यामनाहार्यभिदज्ञानत्वेव सर्वमनतत्वात् प्रागुक्तत्वाच्चेति चेत्, त्रिन्यनेतत् ।’ इत्याद्ये ।

सर्वस्वकारकृत लक्षण की बालोचना की जाती है—यत् इत्यादि । ‘अलङ्कारसर्वस्वकार’ ने जो ‘अन्तिमान्’ का ‘सादृश्यात्—अर्थात् सादृश्य के कारण अन्य वस्तु में अन्य वस्तु की प्रतीति को ‘अन्तिमान्’ अलङ्कार कहते हैं यह लक्षण किया वह ठीक नहीं है । कारण, हम लक्षण की पूर्वोक्त ‘सन्देहालङ्कार’ और आगे कहे जानेवाले ‘उपेक्षालङ्कार’ में अतिव्याप्ति हो जाती है, क्योंकि सन्देह तथा सम्भावना भी प्रतीतिरूप है । यदि आप कहें कि—‘प्रतीति’ शब्द का अर्थ यहाँ ‘निश्चय’ है—केवल ज्ञान नहीं, अतः यह दोष नहीं हो सकता, तो तथापि रूपक के ज्ञान में अतिव्याप्ति होगी । आप कहेंगे—इस अनिव्याप्ति का वारण करने के लिये ‘निश्चय’ में विषयतावच्छेदकानवगाही—अर्थात् उपनेयतावच्छेदक (सुखत्व आदि) को जो विषय नहीं बनाता हो—यह विशेषण जोड़ देंगे, तो जोड़िए, पर तब भी अतिशयोक्तिज्ञान में होनेवाली अतिव्याप्ति का वारण नहीं ही हो सकेगा, क्योंकि वहाँ उपनेयतावच्छेदक का अवगाहन नहीं किया गया रहता है । अब यदि आप ‘निश्चय’ में ‘अनाहार्य’ विशेषण लगाना चाहें, तब दोष का वारण तो होगा, पर आपके लक्षण की समाप्ति भी तब मेरे लक्षण में ही हुई । फलतः सर्वस्वकार के लक्षण में इतनी न्यूनता है ही । और इतना सब करने पर भी यह लक्षण ‘अन्तिमान्’ का नहीं, अपितु ‘अन्ति’ का हुआ, अतः ‘मनुप् (मान्)’ का अर्थ तब भी असङ्गत ही रहा ।

त्रान्त्वलङ्कारे साधारणधर्मस्थिति विचारयति—

तत्र ‘कनकद्रवकान्तिकान्तया’ इत्यत्र सीतातडितोर्विन्वप्रतिविन्वभावः । युतत्वमिलितत्वयोश्च शुद्धसामान्यरूपता ।

‘रामं स्निग्धतरश्यामं विलोक्य वनमण्डले ।

धाराधरधिया धीर नृत्यन्ति स्म शिखावलाः ॥’

अत्र स्निग्धत्वश्यामत्वयोरनुगामित्वम् ।

तत्रेति । ललीताहरणान् मध्ये इत्यर्थः । त्रान्त्वलङ्कारेऽपि साधारणधर्मा प्राग्वदनेकविधा भवन्ति । तत्र ‘कनकद्रवेति पद्ये सीतातडिहने विन्वप्रतिविन्वभावापन्ने मती साधारणधर्मता प्रतिपद्येते । युतत्वमिलितत्वे च शुद्धसामान्यरूपे वस्तुप्रतिवस्तुभावापन्ने इति भावः । अनुगामियमोदाहरणमाह—राममिति । शिखावला मयूरा, वनमण्डले, स्निग्धतरश्याम च ग्यानलम्, रामम्, विलोक्य, धाराधरधिया नेत्रभ्रमेण, धीर तथा ग्यानया नृत्यन्ति स्म नृतिरे इत्यर्थः । उपादायति—अत्रेति । स्निग्धत्वं ग्यानत्वञ्च रामधाराधरयोरनुगामिनी साधारणधर्माविति भावः ।

‘अन्ति अलङ्कार में साधारणधर्म की स्थिति क्या है इसका विचार क्या किया जाता है—तत्र इत्यादि । ‘अन्ति’ अलङ्कार में भी साधारणधर्म पूर्ववत् अनेक प्रकार के रहते हैं । उनमें से ‘कनकद्रव—’ इस पूर्वोक्त उदाहरण में ‘मीना’ और ‘विद्युत्’ में विषय प्रतिविन्वभाव है और ‘युतत्व’ तथा ‘मिलितत्व’ में शुद्ध सामान्यरूपता—अर्थात् वस्तुप्रतिवस्तुभाव है । ‘राम स्निग्धतरश्यामम्—अर्थात् मयूर, वन में, अनिस्निग्ध ग्यानवर्जवाले रामचन्द्र को देखकर, भेष के भ्रम में, मन्द-मन्द नाचने लगे ।’ हम पद्य में ‘स्निग्धता’ और ‘श्यामता’ ये दो धर्म अनुगामी हैं—अर्थात् ये दोनों धर्म एकदूसरे में राम तथा भेष में अन्वित होनेवाले हैं ।

इति रामानुजचन्द्रिकाया अन्तिमद्वयप्रकरणं समाप्तम् ।

भ्रान्तिमदलङ्कारनिरूपणानन्तरमिदानीमुल्लेखालङ्कारनिरूपण प्रतिजानीते—

अथोल्लेखः—

उल्लेखालङ्कारनिरूपणं प्रारब्ध वेदितव्यमिति भाव ।

‘भ्रान्तिमान्’ अलंकार के निरूपण के घाद अत्र ‘उल्लेख’ अलंकार के निरूपण की प्रतिज्ञा की जाती है—अथ इत्यादि । अथ ‘उल्लेखालङ्कार’ का निरूपण आरब्ध होता है । तल्लक्षणमादौ ब्रूते—

एकस्य वस्तुनो निमित्तवशाद् यद्यनेकैर्ग्रहीतृभिरनेकप्रकारकं ग्रहणं तदुल्लेखः ।

अनेककर्तृकम्, अनेकप्रकारकम् एकविशेष्यकम् यत्सकारणकं ज्ञानम् स उल्लेख इति भाव । सर्वप्रथम ‘उल्लेख’ का लक्षण किया जाता है—एकस्य इत्यादि । एक वस्तु का, अनेक ज्ञाताओं द्वारा अनेक प्रकार का सकारण ज्ञान ‘उल्लेख’ कहलाता है—अर्थात् उस ज्ञान को ‘उल्लेख’ कहा जाता है जिसके कर्त्ता एक से अधिक व्यक्ति हों और जिसमें विशेष्य एक तथा विशेषण अनेक हों एवम् जो सकारणक हो ।

लक्षणे योजिताना विशेषणानाम् फलान्याचष्टे—

‘अधरं विम्बमाज्ञाय मुखमब्जं च तन्वि । ते ।

कीराश्च चञ्चरीकाश्च विन्दन्ति परमां मुदम् ॥’

अत्र कीरचञ्चरीकाभ्यामधरवदनयोर्विम्बत्वेन पद्मत्वेन च ग्रहणे भ्रान्तिरूपेऽतिप्रसङ्गवारणायैकस्य वस्तुन इति । ‘धर्मस्यात्मा भागधेयं क्षमायाः’ इत्यादि-मालारूपकेऽतिप्रसङ्गवारणायानेकैर्ग्रहीतृभिरित्यविवक्षितबहुत्वकं ग्रहणविशेषणम् ।

‘नृत्यत्त्वद्वाजिराजिप्रखरखुरपुटप्रोद्धतैर्धूलिजालै-

रालोकालोकभूमीधरमतुलनिरालोकभावं प्रयाते ।

विश्रान्तिं कामयन्ते रजनिरिति धिया भूतले सर्वलोकाः

कोकाः क्रन्दन्ति शोकानलविकलतया किं च नन्दन्त्युल्लेखाः ॥’

अत्र धूलिजालरूपस्यैकस्य वस्तुनोऽनेकैर्लोककोकोल्लेखैर्ग्रहीतृभिरनेकैर्नैव रजनीत्वरूपेण प्रकारेण ग्रहणमिति तत्रातिप्रसङ्गवारणायानेकप्रकारकमिति । ग्रहणमिति ग्रहणसमुदायो विवक्षितः । एकत्वं जातौ । अनेकग्रहीतृकस्यैकस्य ग्रहणस्याप्रसिद्धेः । तेन द्वयोर्बहूनां वा ग्रहणं निमित्तवशादिति तु वस्तु-कथनमात्रम् ।

विशेष्यभूते वस्तुनि एकत्वविशेषणस्य फलमाह—अधरमिति । हे तन्वि कृशाङ्गि ! ते, अधरम्, विम्बम्, आज्ञाय ज्ञात्वा, कीरा शुका, तथा, ते, मुखम्, अब्जम् कमलम्, आज्ञाय, चञ्चरीका भ्रमरा, च, परमाम् उल्लेखाम्, मुदम् हर्षम्, विन्दन्ति लभन्ते इति तदर्थ । उपपादयति—अत्रेति । ‘अधरम्—’ इति पद्ये कीरकर्तृकम् अधरविशेष्यक विम्ब-त्वप्रकारकम् एकम्, द्वितीयञ्च चञ्चरीकर्तृकम्, मुखविशेष्यकम् अब्जत्वप्रकारकम्, ज्ञान वर्णितम् । ज्ञानद्वयमप्येतद् भ्रमररूपम् भ्रान्तिमदलङ्कारताप्रयोजकम् । तत्र प्रकृतोल्लेख-लक्षण नातिव्याप्तित्विति तल्लक्षणे विशेष्यभूतस्य वस्तुनो विशेषणमेकत्वमुपात्तम् । उपात्ते च तस्मिन् प्रकृतपद्यवर्णितज्ञानविशेष्ययो अधरमुखयोर्वस्तुद्वयात्मकतयाऽतिव्याप्तिवार्तिता भवतीति भाव । लक्षणेऽनेककर्तृकत्वस्य ग्रहणविशेषणस्य योजने फलमाह—धर्मस्यात्मा इति । ‘धर्मस्यात्मा—’ इति मालारूपकेऽपि राजरूपैकविशेष्यकम् धर्मात्मत्वाद्यनेकप्रकारक-ज्ञान वर्णितमस्तीति तत्रोल्लेखलक्षणातिव्याप्तिर्न भवत्विति अनेककर्तृकत्वार्थकम् ‘अनेकैर्ग्रही-

तृप्ति' इति ज्ञान-विशेषण योजितम् । तथा च न तत्रातिव्याप्यवकाश, तत्रत्यज्ञानस्यैक-  
कर्तृकत्वात् । नन्वेव बहुवचनात् व्यादिकर्तृकज्ञान एव लक्षणसंगतिः, न द्विकर्तृकज्ञाने इति  
चेन्न, बहुवचनस्याविवक्षितत्वात्, प्रकृत्यशतशैकाधिककर्तुरेव लाभादिति भावः । अनेक-  
प्रकारकत्वस्य ग्रहणविशेषणस्य निवेशे फलमुपदर्शयति—नृत्यदिति । हे राजन् ! नृत्यताम्  
मण्डलाकारेण भ्रमताम् त्वद्वाजिनाम् त्वदीयाश्वानाम्, राजे समूहस्य, प्रखरैस्तीक्ष्णैः  
खुरपुटैः खुराप्रभागैः, प्रोद्धतैरुत्पाद्योच्च्वालितैः, धूलिजालै रज-पुञ्जैः, आलोकालोकभूर्मा-  
धरम् लोकालोकनामकपर्वतपर्यन्तम्, भूतले, अतुलनिरालोकभावम् अत्यन्तनिःप्रकाशभावं,  
प्रयाते गते सति, रजनि रात्रिः, त्सागता, इति धिया, सर्वे लोका मनुष्या, विश्रान्तिम्  
विभ्रमम्, कामयन्ते इच्छन्ति, कोका चक्रवाका, शोकानलेन विकलतया, क्रन्दन्ति, किं च,  
उल्लूका, नन्दन्ति प्रसीदन्तीत्यर्थः । उपपादयति—अत्रेति । नृत्यदितिपद्यवर्णिते लोक-  
काकोलूकरूपानेकव्यक्तिकर्तृके धूलिजालरूपैकविशेष्यके रजनीत्वरूपैकप्रकारके ज्ञानेऽपि-  
प्रसङ्गनिरासायानेकप्रकारकमिति ग्रहणविशेषणमिति भावः । लक्षणघटकग्रहणपद व्याचष्टे—  
ग्रहणमिति । ग्रहणपदस्य ज्ञानसमूहोऽर्थो बोध्यः । नन्वेव ग्रहणानीति बहुवचनान्तं पदं  
प्रयोक्तुमुचितमित्यत आह—एकत्वमिति । ज्ञानत्वजात्यवच्छिन्नबोधनायैकवचनान्तोऽपि  
प्रयोगो न दोषावह इति भावः, एकवचनान्तस्य ग्रहणपदस्य ग्रहणसमूहरूपोऽर्थो नोपरिष्टाद्  
व्याख्येयोऽपि तु प्रकृते स एवोचित इत्याह—अनेक इति । एकवस्तुविशेष्यकस्यानेकप्रका-  
रकस्येत्यादि । ज्ञातृभेदेन ज्ञानभेदस्य निन्यसिद्धतया अनेकज्ञातृकज्ञानस्याप्रसिद्धत्वाद्  
ग्रहणपदस्य प्रकृते ज्ञानसमूह आचित्यवल्लब्ध एवार्थ इति भावः । फलितमाह—तेनेति ।  
अनेकप्रहीतृकग्रहणस्याप्रसिद्धत्वेन हेतुनेति तदर्थः । 'ग्रहीतृप्ति' इत्यत्र बहुवचनस्याविव-  
क्षितत्वस्योक्ततया । द्विग्रहीतृकस्थलानुरोधेनाह—दयोरिति । ज्ञानयोरिति भावः । द्वयधिक-  
ग्रहीतृकस्थलानुरोधेनाह—बहूनामिति । ज्ञानानामिति भावः । ग्रहणमिति । बोध इत्यर्थः ।  
एकवचनान्तादपि ग्रहणपदादिति भावः । भवतीति शेषः । ननु 'निमित्तवशात्' इति  
विशेषण लक्षणोऽव्याप्यतिव्याप्तिनिरासाय अन्यथा वा ? आद्ये कुतो न तत्फलोपन्यासः ?  
द्वितीये व्यर्थविशेषणघटितत्व लक्षणस्येत्यत आह—निमित्तेति । अव्याप्यतिव्याप्तिनिरास-  
कत्वाभावेऽपि न निर्निमित्त ज्ञान भवतीति वस्तुस्थितिस्फोरणाय सार्यम्नया न व्यर्थ-  
विशेषणघटितत्व लक्षणस्येति भावः । अत्र "न च 'कीर्ता वित्फूर्तिमत्या ते नृपालञ्जीर-  
शक्तिः । द्वयेऽपि नागास्त वन्ति जिहान्तोल्लोलन सुह ॥' इति त्रान्तिमदुदाहरणे एम्न्या  
एव कीर्तनेकेन कुञ्जरभुजगरूपेण प्रहीत्रा नृपालञ्जीररूपत्वानेकप्रकारेणोद्धे जनमन्तीति,  
तत्रातिव्याप्तिनिरासाय निमित्तभेदादित्यर्थक निमित्तवशादिव्यावरयकम् । तत्र कीर्तितगतं  
धावल्लेभेकनेवोल्लेखद्वयेऽपि निमित्तमिति वाच्यम् । स्वस्वप्रियाहारलिप्साहृपानिमित्तभेदस्यापि  
तत्र नत्वेन सप्राप्तत्वादिति भावः ।" इति नागेशः ।

लक्षण में लगाए गए निम्न-भिन्न विशेषणों के फल दिखलाने के लिये कहा जाता  
है—अधरम् इत्यादि । 'अधरम्—अर्थात् हे कृशान्नि । तेरे अधर को शिम्पफल और सुख  
को कमल समझकर सुगो तथा भौर परम हर्ष को प्राप्त करते हैं ।' इस पद्य में दो ज्ञानों  
का वर्णन है । एक वह जिममें सुगों द्वारा अधर को शिम्पफल समझा गया है और  
दूसरा वह जिममें भौरों द्वारा सुख को कमल समझा गया है । ये दोनों ही ज्ञान भ्रमा-  
त्मक होने के कारण 'आन्तिमान्' बलकार के विषय हैं । इन ज्ञानों के समूह में प्रस्तुत  
'उल्लेख-लक्षण' की अतिव्याप्ति न हो इसलिये लक्षण में 'एक वस्तु का—अर्थात्—एक-  
विशेष्यक' यह विशेषणभाग जोड़ा गया है । उस विशेषण के जोड़ने पर अतिव्याप्ति



इसलिये नहीं होती कि यहाँ एक वस्तु का नहीं, अपितु अधर तथा मुख इन दो वस्तुओं का ज्ञान वर्णित है। 'धर्मस्यात्मा—अर्थात् यह राजा धर्म की आत्मा है, चमा का भाग्य है' इत्यादि पूर्वोक्त मालारूपक में अतिव्याप्ति वारण के लिये लक्षण में 'अनेक ज्ञाताओं द्वारा (अनेककर्तृक) यह ज्ञान का विशेषण लगाया गया है। उक्त मालारूपक में ज्ञाता एक है, अनेक नहीं, अतः अतिव्याप्ति नहीं होती। यहाँ एक बात और समझ लेनी चाहिए कि—'अनेकैर्ग्रहीवृभिः' इस मूल पद में बहुवचन वक्ता (लक्षणकार) का अभीष्ट नहीं है, अतः एक से अधिक ज्ञाता का होना ही अपेक्षित है और एक से अधिक ज्ञाता दो ज्ञाताओंवाले स्थल में एवम् बहुत ज्ञाताओंवाले स्थल में, समानरूप से हो सकता है। फलतः दोनों ही स्थलों पर उल्लेखालकार होगा। 'नृत्यत्वद्वाजि—अर्थात् हे राजन्! आपके अश्वों के समूह के तीक्ष्ण खुराग्रभागों से उड़ते धूलि समूहों द्वारा, 'लोकालोक' पर्वत पर्यन्त—अर्थात् समस्त संसार में—पेसा प्रकाश का अभाव हो गया कि जिसकी तुलना नहीं हो सकती। अतः 'रात्रि हो गई' यह समझकर पृथिवीतल पर सब लोग विश्राम चाह रहे हैं, शोकाग्नि से विकल होने के कारण चकवे रो रहे हैं और उल्लू आनन्द मना रहे हैं।' यहाँ धूलि-समूहरूप एक वस्तु में लोक, चक्रवाक और उल्लू इन अनेक ज्ञाताओं द्वारा किए जाने वाले रात्रिरूप एक-विषयक-ज्ञान में अतिव्याप्ति वारणार्थ लक्षण में 'अनेकप्रकारक' यह ज्ञान का विशेषण लगाया गया है। इस विशेषण के लगने पर अतिव्याप्ति इसलिये नहीं होती कि यहाँ प्रकार (विशेषण) एक ही (रात्रित्व) है, अनेक नहीं। 'ज्ञान' शब्द से लक्षण में 'ज्ञान का समूह' कहना अभीष्ट है। कारण, अनेक ज्ञाताओं द्वारा किया जानेवाला ज्ञान एक हो ही नहीं सकता—अर्थात् ज्ञाता के भेद से ज्ञान भी भिन्न हो ही जाता है। भाप कहेंगे—तब 'ज्ञान' शब्द में एकवचन क्यों लिखा गया? तो इसका उत्तर यह है कि एक जाति की अनेक वस्तुओं के लिये एकवचन का विधान शब्दशास्त्र में किया गया है, वही एकवचन यहाँ है। अतः इस एकवचनान्त 'ग्रहण' पद से दो अथवा दो से अधिक ज्ञानों का ग्रहण समझना चाहिए। 'सकारणक' यह लक्षण का भाग तो केवल वस्तुस्थिति-कथन है—अर्थात् यह विशेषण अब्याप्ति अथवा अतिव्याप्ति का वारण करने के लिये नहीं, किन्तु ज्ञान के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिये है।

उदाहरणं प्रस्तौति—

उदाहरणम्—

प्रस्तूयत इति भाव ।

उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है।

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'नरैर्वरगतिप्रदेत्यथ सुरैः स्वकीयापगो-

त्युदारतरसिद्धिदेत्यखिलसिद्धसङ्घैरपि ।

हरेस्तनुरिति श्रिता मुनिभिरस्तसङ्गैरियं

तनोतु मम शं तनोः सपदि शन्तनोरङ्गना ॥'

वरगति ब्रह्म-सुखप्राप्ति तत्प्रदा, इयम्, इति बुद्धया, नरैः, स्वकीयापगा मन्दा-किनी इति धिया, सुरैः देवैः, उदारतरसिद्धिदा अत्युत्कृष्टसिद्धिदायिनी, इति धिया-अखिलैः सर्वैः सिद्धरुघैः, हरेस्तनु विष्णुकायरूपा, इति धिया, अस्तसङ्गैः विषयविमुखैः, मुनिभिश्च, श्रिता सेविता, इयम् नयनगोचरीभूता, शन्तनो' तन्नामकस्य राजर्षेः, अङ्गना पत्नी, गङ्गेति यावत्, मम, तनो शरीरस्य, शं कल्याण, तनोतु विस्तारयतु इत्यर्थः ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—नरैः इत्यादि। कवि गङ्गा की स्तुति करता है—

श्रेष्ठ गति ( मुक्ति ) देने वाली है इस धारणा से मानवों द्वारा, अपनी नदी है इस धारणा से देवताओं द्वारा, बहुत बड़ी सिद्ध देने वाली है इस धारणा से सभी सिद्ध समूहों द्वारा, भगवान् विष्णु की शरीररूपा है इस धारणा से आसक्तिरहित मुनियों द्वारा, सेवित यह शान्तनु की पत्नी ( श्री गङ्गा ) मेरे शरीर का कल्याण करे ।

उपपादयति—

अत्र च लिप्सारुचिभ्यां निमित्ताभ्यामस्त्यनेकग्रहीतृकवरगतिप्रदात्वाद्यनेकप्रकारकग्रहणसमुदायो गङ्गाविषयकरतिभावोपस्कारकः ।

लिप्सेति । लामेच्छेत्पर्य । तादृशग्रहणसमुदायस्यालङ्कारत्वायाह—गदेति । ऋविनिष्ठेत्यादि । 'नरैर्वरगतिप्रदा-' इति पद्ये 'नर-सुर-सिद्ध-मुनि-रूपा अनेके जातार गङ्गा-रूपमेकं वस्तु वरगतिप्रदान्वरवकीयापगात्वोदारतगमिद्विदान्वहरितनुत्वात्मैरनेके प्रचरै लिप्सारुचिरूपाभ्यां कारणभ्याम् जानन्तीति वर्णितम् । तेष तानि ज्ञानानि ( तादृशज्ञानसमुदाय ) ऋविनिष्ठ गङ्गाविषयकरतिभाव पद्यप्रधानव्यङ्ग्यम् पुणन्ति, अत न ज्ञानसमुदाय उल्लेखालङ्काररूपं सम्मथत इति भावः ।

उपपादन किया जाता है—अत्र च इत्यादि । 'नरैर्वर-' इस पद्य में ऐसा ज्ञान समूह वर्णित है जिसका कारण अपनी-अपनी लिप्सा ( लाम की इच्छा ) तथा अपनी अपनी रुचि है, और जिसके कर्ता ( ज्ञाता ) नर, सुर, सिद्ध तथा मुनि-रूप अनेक व्यक्ति हैं, एवम् जिसमें उत्कृष्ट गति देनेवाली होना आदि अनेक प्रकार ( विशेषण ) हैं, इसी तरह जो गङ्गारूप एक वस्तु के विषय में हुआ है—अर्थात् जिसमें विशेष्य एक गङ्गा ही है । यह ज्ञान-समूह यहाँ 'उल्लेखालङ्कार'-रूप होता है, क्योंकि वह ( ज्ञान-समूह ) पद्य से प्रधानतया अभिव्यक्त होने वाले कविगत गङ्गाविषयकरतिभावका उपस्कारक (पोषक) है ।

विशेषमाह—

शुद्ध एवात्रायनुल्लेखालङ्कार . रूपकाद्यमिश्रणान् ।

उल्लेखालङ्कारो द्विविधः शुद्ध नदीर्णध, तत्रालङ्कारान्तरामिश्रणो शुद्ध । यथा 'नरैर्वरगति-' इति श्लोके । अत्र रूपकाद्यलङ्कारान्तरविविधोल्लेख इति भावः ।

उदाहृत उल्लेख की विलक्षणता सूचित की जाती है—शुद्ध इत्यादि । उल्लेखालङ्कार दो प्रकार का होता है—एक शुद्ध और दूसरा नदीर्ण । उनमें शुद्ध उसको कहा जाता है जिसमें किसी अन्य अलङ्कार का मिश्रण न हो । जैसे—'नरैर्वर-' इस पद्य में जो उल्लेख है वह शुद्ध है, क्योंकि यहाँ रूपक आदि अन्य अलङ्कारों का मिश्रण नहीं है ।

यत्रोल्लेखालङ्कारेऽलङ्कारान्तरयोगो भवति, न नदीर्णं कथ्यते । तादृशमपि लक्ष्यनालम्बनित्याह—

सङ्कीर्णोऽपि दृश्यते ।

उल्लेख इति भावः ।

जिसमें अन्य किसी अलङ्कार का मिश्रण पाया जाता हो उसको 'सङ्कीर्ण' उल्लेख कहते हैं । वेसा उल्लेख भी दिवाई पचता है ।

तादृशसुदाहरण निर्देशमाह—

यथा—

जैसे—

उदाहरण निर्दिशति—

'आलोक्य सुन्दरि ! सुख तव मन्दहासं

नन्दन्त्यमन्दमरविन्दधिया मिलिन्दा ।

किञ्चालि ! पूर्ण-भृग-लाञ्छन-सम्भ्रमेण  
चञ्चूपुटं चटुलयन्ति चिरं चकोराः ॥'

हे सुन्दरि ! तव, मन्दहासम् ईपद्मासशोभितम् ( एतच्च दरमुकुलितकमलसाम्यसिद्धयर्थम् ) मुखम्, आलोक्य, मिलिन्दा भ्रमरा, अरविन्दधिया कमलभ्रमेण, भ्रमन्दम् अधिकम्, नन्दन्ति आनन्दमनुभवन्ति । किञ्च हे आलि सखि ! तादृशं तव मुखमालोक्य, चकोरा-पक्षिविशेषा, पूर्णस्य राकागतस्य, भृगलाञ्छनस्य भृगाङ्कस्य चन्दस्येति यावत्, सम्भ्रमेण सम्यग् भ्रान्त्या, चिरं कियत्कालं यावत्, चञ्चूपुटम्, चटुलयन्ति चपलं कुर्वन्ति इत्यर्थः ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—आलोक्य इत्यादि । हे सुन्दरि ! तेरे मन्द-हास-युक्त मुख को देखकर, भ्रमर, कमलभ्रम से अत्यधिक आनन्दित होते हैं और हे सखि ! चकोर, पूर्णचन्द्र के भ्रम से, बहुत समय तक चोंचों को चञ्चल बनाते रहते हैं ।

उपपादयति—

अत्रैकैकग्रहणरूपया भ्रान्त्या समुदायात्मक उल्लेखः सङ्कीर्णः ।

'आलोक्य-' इति पद्ये मिलिन्दकर्तृकम् मुखविशेष्यकम् कमलत्वप्रकारकम् एकम् अपरञ्च चकोरकर्तृकम् मुखविशेष्यकम् चन्द्रत्वप्रकारकम् ज्ञान वर्णितम् । ज्ञानद्वयमप्येतत् भ्रमरूपम्, अन्यस्मिन् पदार्थेऽन्यपदार्थावगाहित्वात् । तथा च भ्रान्तिमदलङ्कारद्वयमत्र सिद्धयति । किन्तु तादृशभ्रमद्वयसमूहात्मक उल्लेखालङ्कारोऽप्यत्र भवति, लक्षणाक्रान्तत्वात्—अर्थात् मुख-रूपैकधर्मिक-चन्द्रत्वकमलत्वात्मकानेकप्रकारक-भ्रमरचकोररूपानेककर्तृक-ज्ञान-समूहोऽत्र वर्णित एवेति न कस्यापि विप्रतिपत्तिरुल्लेखाङ्गीकारे । निमित्तञ्चात्र स्वप्रियाहारलिप्ता । इत्यञ्च भ्रान्तिमदलङ्कारमिश्रितो ल्लेखालङ्कारोदाहरणत्वमस्य पद्यस्य सुस्थमिति भावः ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि । 'आलोक्य-' इस पद्य में दो ज्ञान वर्णित हुए हैं—एक वह जिसमें भ्रमर कर्ता है, मुख विशेष्य है और कमलत्व प्रकार है, अर्थात् एक ज्ञान में भ्रमर द्वारा मुख को कमल समझा गया है और दूसरा वह जिसमें चकोर कर्ता है, मुख विशेष्य है तथा चन्द्रत्व प्रकार है, अर्थात् दूसरे ज्ञान में चकोर द्वारा मुख को चन्द्र समझा गया है । ये दोनों ज्ञान अन्य में अन्यविषयक होने से भ्रमर-रूप हैं, अतः ये दोनों भ्रमात्मक ज्ञान दो पृथक्-पृथक् 'भ्रान्तिमान्' अलंकार-रूप हो जाते हैं । और इन दोनों भ्रमात्मक ज्ञानों का समूह तृतीय अलंकार 'उल्लेख'-रूप होता है, क्योंकि अपने-अपने प्रिय भोजन के लाभ की इच्छा रूप कारण से मुखरूप एक वस्तु का भ्रमर तथा चकोर-रूप अनेक व्यक्ति द्वारा कमल तथा चन्द्रमा-रूप अनेक प्रकार से ज्ञान-समूह यहाँ स्पष्ट है । फलतः यह 'उल्लेख' 'भ्रान्तिमान्' से मिश्रित है ।

भ्रान्तिसकीर्णमुल्लेखमुदाहृत्यापहुतिसङ्कीर्णं तमुदाहरति—

'वनितेति वदन्त्येतां लोकाः सर्वे वदन्तु ते ।

यूनां परिणता सेयं तपस्येति मतं मम ॥'

सर्वे लोका, एताम्, वनिता नायिका, इति वदन्ति । ते वदन्तु । परन्तु यूनां युवकानां, सा लोकोत्तरा, तपस्या, इय परिणता इत्य रूपेणावतीर्णा, इति, मम, मतम् अस्तीत्यर्थः ।

'भ्रान्ति'-मिश्रित 'उल्लेख' का उदाहरण दिखलाकर अब 'अपहुति'-मिश्रित 'उल्लेख' का उदाहरण दिखलाया जाता है—वनिता इत्यादि । सब लोग इसे 'स्त्री' कहते हैं । वे भले ही कहें, पर मेरा मत तो यह है कि—युवकों की तपस्या इस रूप में परिणत हुई है ।

उपपादयति—

अत्र विषयतावच्छेदकस्य परसम्मतत्वेन निषेध्यतयोपन्यासाद्बहुत्या सङ्कीर्णः।

अवच्छेदकस्येति । वनितात्वस्येत्यर्थः । निषेध्येति । आर्थिकेत्यादि । 'वनिता-' इति पद्ये एतदर्थविशेष्यकं वनितात्व तपस्यात्वप्रकारकं तत्पदार्थमत्पदार्थग्रहीतृकं ज्ञानसमूहो वर्णित इति स 'उल्लेखः', तस्मिंश्च उपमेयतावच्छेदकस्य मुख्यत्वस्य परसम्मततया वर्णनाभिषेधस्यार्थतः फलितत्वेन सम्पद्यमानस्य अपहृत्यलङ्कारस्य मिश्रणमिति भवतीति पद्यमपहृतिसंकीर्णोल्लेखोदाहरणमिति भावः ।

उपपादनं किया जाता है—अत्र इत्यादि । 'वनिता-' इमं पद्य में 'पुताम्' पदार्थ को लोग वनिता समझते हैं और मैं तपस्या समझता हूँ, ऐसा वर्णन है जिससे एक वस्तु का भिन्न-भिन्न व्यक्ति द्वारा भिन्न-भिन्न-प्रकारक ज्ञान फलित होता है, अतः यह 'उल्लेख-लङ्कार' होता है जिसमें उपमेयतावच्छेदक-वनितात्व को दूसरों का माना हुआ बताने के कारण उसका अर्थतः निषेध फलित हो जाने से सिद्ध होने वाले अपहृति अलङ्कार का मिश्रण है ।

दीक्षितोक्तमनुद्य निरस्यति—

अपपयदीक्षितास्तु—“एवमपि यदि—

'कान्त्या चन्द्र विदु केचित्सौरभेणाम्बुजं परे ।

वक्त्रं तव वय व्रूमस्तपसैक्यं गत द्वयम् ॥'

इत्यपह्वोदाहरणविशेषेऽतिव्याप्तिः । शङ्कया, तदानीमनेकधोल्लेखन निषेधास्पृष्टत्वेन विशेषणीयम् । तत्राद्योल्लेखनद्वय परमतत्वोपन्याससामर्थ्याद्रम्यमाननिषेधमिति नातिव्याप्तिः” इत्याहुः । तत्र । 'द्विविधश्चायमुल्लेखः शुद्धोऽलङ्कारान्तरसङ्कीर्णश्च' इत्युक्त्वा “श्रीकण्ठजनपदवर्णने—‘यस्तपोवनमिति मुनिभिरगृह्यत’ इत्यादौ शुद्धः, ‘यमनगरमिति शत्रुभिः, वज्रपञ्जरमिति शरणागतैः’ इत्यादौ भ्रान्तिरूपकादिसङ्कीर्णः’ इति स्वयमेवोक्तत्वात् । इहाप्यपहृत्या सङ्कीर्ण उल्लेख इत्यस्य सुवचत्वात् । यदि चैवंविधापहृतिचारणाय निषेधास्पृष्टत्व विशेषणमुच्यते तदा—

‘कपाले मार्जारः पय इति कराल्लेडि शशिन-

स्तरुच्छिद्रप्रोतान् विस्रमिति करी सङ्कलयति ।

रतान्ते तल्पस्थान् हरति वनिताऽप्यशुकमिति

प्रभामत्तश्चन्द्रो जगदिदमहो विभ्रमयति ॥'

इति त्वदुदाहृतभ्रान्तावत्तिप्रसङ्गः कथं नाम वार्यत । मार्जाराद्यनेकग्रहीतृकानेकधोल्लेखनस्य तत्रापि सत्त्वात् । स्वस्वप्रियाहारलिप्साहृपनिमित्तभेदाच्च । तस्मान् सङ्कीर्णनिवारणाय यत्नोऽनर्थक एव ।

एवमपीति । उक्तविशेषणदानेऽपीत्यर्थः । वान्येति । नायिञ्च प्रति नायस्त्विति—

‘वेति जना, तव, वक्त्रम् सुवम्, कान्त्या भ्रान्तिमन्त्रा कारणेन, चन्द्र, विदु जानन्ति, परे अन्ये जना तव, वक्त्र, सौरभेण मान्येन हेतुना अम्बुज कमलम्, विदु । वय तु, तपसा तदन्तावत्त्वेन, ऐस्य मित्रम्, गन्तु, द्वयम् चन्द्रकमलान्तर युगलम्, तव, वक्त्रम्, व्रूम वययाम्, इत्यर्थः । भ्रान्तिव्याप्तिमिति । उल्लेखलङ्कारान्येति भावः । तत्रेति । ‘कान्त्या—’ इति पद्ये इत्यर्थः । उल्लेखनस्यमिति । प्रहृष्टमिति । चन्द्रत्वदानं कमलत्व-

ज्ञानञ्चैति यावत् । परमतत्वोपन्यासेति । 'परे विदु' इत्यादिकथनेत्यर्थः । गम्यमानेति । व्यज्यमानेत्यर्थः । 'कान्त्या—' इति पद्येऽपहुत्यलङ्कारोदाहरणेऽतिव्याप्तिनिरासायोल्लेखालङ्कारलक्षणो निषेधास्पृष्टत्व विशेषण देयम् । दत्ते च तत्र विशेषणे न तत्रातिव्याप्यवसरः, मुखविशेष्यक चन्द्रत्वप्रकारकम् कान्तिहेतुकम् किंपदार्थकर्तृकम् एकम् ज्ञानम्, मुखविशेष्यकं कमलत्वप्रकारकम् सौरभहेतुक परपदार्थकर्तृकम् द्वितीयम् ज्ञानम्, मुखविशेष्यकं कमलत्वचन्द्रत्वोभयप्रकारकम्—पूर्वोक्तगुणद्वयहेतुकम् अस्मत्पदार्थकर्तृक तृतीय ज्ञानमिति ज्ञानत्रयस्योल्लेखत्वप्रयोजकस्य सत्त्वेऽपि प्रथमज्ञानद्वयस्य परमतत्वोपन्याससामर्थ्याभिव्यज्यमाननिषेधास्पृष्टत्वादिति पूर्वपक्षिणो दीक्षितस्याशयः । निरस्यति—तञ्चेति । तत्र हेतुमाह—द्विविध इत्यादिना । श्रीकण्ठेति । शुद्धस्यैकमुदाहरणमुक्त्वाऽन्यदाह—यथा वा हर्षचरिते इत्यादि । यस्तपोवनमित्यादिगद्यम् । अगृह्यतेत्यस्य सर्वत्र सम्बन्धः । यच्छब्दार्थः 'श्रीकण्ठजनपदः' । शुद्ध इति । अलङ्कारान्तरस्याप्रसङ्गादिति भावः । यमनगरत्वादीनां ताद्रूप्यानुभवगोचरतयाऽन्ये भ्रान्तीति । यदि तेषामुपरज्जकतामात्रेणान्वयस्तदाह—रूपकेति । ततः प्रकृते किमायातमित्याह—इहापीति । दीक्षितोक्तिनिरासे हेत्वन्तरमाह—यदि चेति । एवविधेति । विलक्षणेत्यर्थः । कपाले इति । चन्द्रकरवर्णनमिदम्—'मार्जार विडालः, पयः दुग्धम्, इति बुद्ध्या, कपाले तत्र स्थितान्, शशिन चन्द्रस्य, करान् किरणान्, लेढि आस्वादयति, करी गज, विसम् मृणालम्, इति बुद्ध्या, तरुच्छिद्रप्रोतान् वृक्षविवरपातिन, शशिन करान्, सङ्कलयति सञ्चिनोति, चनिता नायिका, अपि, रतान्ते सम्भोगसमाप्तौ, अशुकम् धवल वसनम्, इति बुद्ध्या, तल्पस्थान् शय्याप्रस्तान्, शशिन करान्, हरति गृह्णाति । अहो आश्चर्यम् ! प्रभया कान्त्या, मत्त, चन्द्र, इद परिदृश्यमानम्, जगत् ससारं, विभ्रमयति भ्रान्त करोतीत्यर्थः । त्वदुदेति । त्वया प्रथम मुख्यत्वेनोदाहृत्यर्थः । तादृशभ्रान्तिविशेषस्यापि वारणावश्यकत्वात् । अन्यथा सङ्कीर्णं तत्कथमादाबुदाहृतम् । तद्विचित्रविषयस्यैवादाबुदाहर्तुमौचित्यात् । अन्यथाऽलङ्कारभेदो न स्यादिति भावः । अनेकधेति । पयस्त्वादीत्यर्थः । उपसहरति—तस्मादिति । अलङ्कारान्तरसङ्कीर्णोऽप्युल्लेखो यदा दीक्षितै स्वीकृत उदाहृतश्च, तदा 'कान्त्या—' इति पद्येऽपि अपहुतिसङ्कीर्ण उल्लेख स्वीकर्तव्यस्तैः । तत्स्वीकारे च तद्वारणप्रयासः ( निषेधास्पृष्टत्वविशेषणप्रक्षेप ) मत्कृतो व्यर्थ एव । किञ्च यदि अपहुतिसङ्कीर्ण उल्लेख उल्लेखलक्षणप्रसक्तैर्वारणीय, तदा भ्रान्तिसङ्कीर्णोऽपि स ततो वारणीय एव तुल्यत्वात् । तथा च 'कपाले—' इति पद्यगतभ्रान्तिसङ्कीर्णोल्लेखवारणायापि उल्लेखलक्षणे त्वया किञ्चिद् विशेषण दातव्यमासीत्, न च दत्तम् इति न्यूनता स्यात् । ननु 'कपाले—' इत्यत्र भ्रान्तिरेव केवला, नोल्लेख इति चेन्न, मार्जारायनेककर्तृकस्य शशिकरविशेष्यकस्य पयस्त्व-विसत्वांशुकत्वात्मकानेकप्रकारकस्य स्वस्वप्रियभोजनप्राप्तिलोभहेतुकस्य ज्ञानसमुदायस्य उल्लेखत्वप्रयोजकस्य सत्त्वेनोल्लेखस्य स्पष्टत्वात् । तथा च तादृशस्थलेषु अलङ्कारान्तरसङ्कीर्ण उल्लेखः स्वीकरणीय एव, न तद्वारणप्रयासो विधेय इति उत्तरपक्षिणो जगन्नाथस्याशयः ।

दीक्षितजी की उक्ति का खण्डन किया जाता है—अप्पयदीक्षितास्तु इत्यादि । दीक्षितजी का कथन है कि—“यदि हूँ विशेषणोंके लगाने के बाद भी 'कान्त्या—' अर्थात् तेरे मुख को कान्ति के कारण कुछ लोग चन्द्र कहते हैं, दूसरे लोग सुगन्ध के कारण कमल कहते हैं, पर हम तो कहते हैं कि—तप करके दोनों एकता को प्राप्त हो गए हैं—अतः तेरा मुख उन दोनों ( चन्द्र तथा कमल ) का मिश्रणरूप है ।” इस नायिका के प्रति नायक की उक्ति—जो अपहुति-विशेष का उदाहरण है—में अतिव्याप्ति की शका हो तो

'उल्लेख' के लक्षण में 'अनेक प्रकार के उल्लेखन ( ज्ञान )' का 'निषेध से स्पष्ट जो न हो' यह एक विशेषण और लगा देना चाहिए । ऐसा कर देने पर उक्त (कान्त्या इत्यादि) पद्य में अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि वहाँ जो 'मुख चन्द्र है, मुख कमल है, मुख दोनों का मिश्रण है' ये तीन ज्ञान वर्णित हुए हैं उनमें से प्रथम दो ज्ञान निषेध से स्पष्ट हैं । कारण, उन दोनों का वर्णन 'अन्य-मत' के रूप में हुआ है जिससे उन दोनों ज्ञानों का निषेध ध्वनित होता है ।" पर यह कथन दीक्षितजी का ठीक नहीं है । कारण, आपने स्वयम् ही 'यह उल्लेख दो प्रकार का होता है—शुद्ध और अन्य अलंकार से मिश्रित' यह कहकर आगे कहा है कि—“श्रीकण्ठ देश के वर्णन में 'जिसे मुनि लोग तपोवन समझते थे' इत्यादि में शुद्ध उल्लेख है और 'शत्रुगण यमराज का नगर समझते थे, शरणागतजन वज्र का पिंजरा समझते थे' इत्यादि में भ्रान्ति अथवा रूपक से मिश्रित है ।" ऐसी स्थिति में उपरिलिखित पद्य को भी अपहृति से मिश्रित उल्लेख का उदाहरण माना जा सकता है—अर्थात् यह उचित नहीं कि अन्य अलंकार से मिश्रित उल्लेख माना जाय और अपहृति से मिश्रित उल्लेख नहीं माना जाय । दूसरी बात यह कि यदि ऐसी अपहृति के वारणार्थ 'निषेध से स्पष्ट नहीं हो' यह विशेषण लगाया जाता है तब—'कपाले मार्जार —' अर्थात् कपाल ( खप्पर ) में स्थित चन्द्र-किरणों को दूध समझकर विलाड़ चाट रहा है, वृद्ध के विवरों में व्याप्त उन चन्द्र-किरणों को मृगाल समझकर हाथी समेट रहा है और शय्या पर फँसी हुई उन किरणों को साड़ी समझकर सुरत के अन्त में, कामिनी भी उठा रही है । ओह ! प्रभा से मत बना यह चन्द्र इस ससार को भ्रान्त बना रहा है ।' इस आपकी उदाहृत भ्रान्ति में उल्लेख की अतिव्याप्ति कैसे वारित होगी ? क्योंकि इसके वारण के लिये तो आपने उल्लेख-लक्षण में कोई विशेषण जोड़ा नहीं है । और जब आप उक्त अपहृति का वारण करने के लिये विशेषण जोड़ते हैं तब आपके लिये इस भ्रान्ति के वारणार्थ भी विशेषण जोड़ना उचित था । यहाँ ('कपाले मार्जार —' में ) उल्लेख है ही नहीं यह तो आप कह नहीं सकते, क्योंकि मार्जार आदि अनेक व्यक्तियों द्वारा चन्द्र-किरणरूप एक वस्तु का दूध आदि अनेक प्रकारक ज्ञान यहाँ भी किया गया है—ऐसे ज्ञानों का किया जाना वर्णित है—और उन भिन्न-भिन्न ज्ञानों का भिन्न-भिन्न कारण भी है—अपने अपने प्रिय भोजन की प्राप्ति की इच्छा । अतः यहाँ भी भ्रान्ति-मिश्रित उल्लेख अवश्य है । ऐसी दशा में यदि आप इसके वारणार्थ कोई प्रयास नहीं करते हैं, तब उक्त अपहृति के वारणार्थ भी प्रयास मत कीजिए । फलतः मिश्रित उल्लेख के निवारण का प्रयास व्यर्थ ही है—जब मिश्रित उल्लेख होता ही है तब फिर उसे हटाने की क्या आवश्यकता है ?

सशयसङ्कीर्णमुल्लेखमुदाहर्तुनाह—

सशयसङ्कीर्णो यथा—

सतन्देहालङ्कारमिश्रितोल्लेखालङ्कारो यथेति भावः ।

ससदेह अलंकार से मिश्रित उल्लेखालंकार जैसे—

उदाहरण अनुपम्यत्नति—

'भानुरत्रिर्यमो वाऽयं बलिः कर्णोऽथवा शिबिः ।

प्रत्ययिनश्चायिनश्च विकल्पन्त इति त्वयि ॥'

कवि कमपि नृपं प्रति बलि—हे राजन् ! प्रत्ययिन शत्रव, त्वयि भवति, 'भानुः सूर्य, अग्नि, यमो, वा, अयम्' इति विकल्पन्ते सचेरते तथा अयिने याचक्रा, त्वयि, 'बलि, र्णा, अथवा शिबि, अयम्' इति विकल्पन्ते इत्यर्थः । बलिकर्णशिबिनामानः पस्मदानिने राजान् प्रसिद्धाः पुराणादाः ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—भानुरित्यादि । कवि किसी राजा को कह रहा है—हे राजन् ! शत्रुजन आपमें सूर्य, अग्नि और यमराज का संदेह करते हैं तथा याचक-जन आप में बलि, कर्ण और शिवि का संदेह करते हैं । बलि, कर्ण और शिवि इतिहास-प्रसिद्ध दानी राजा हो चुके हैं ।

उपपादयति—

अत्र द्वयोर्ग्रहणयोः प्रत्येकं संशयत्वम् समुदायस्य तूल्लेखता ।

ग्रहणेति । ज्ञानेत्यर्थ । समुदायस्य ग्रहणसमुदायस्य । 'भानु.—' इति पद्ये त्वदर्थराजविशेष्यकम् प्रत्यर्थिकर्तृकम्, भानुत्वाग्नित्वयमत्वप्रकारकम् भयजनकत्वहेतुकम् एक ज्ञानम्, राजविशेष्यक याचककर्तृकम् बलित्व-कर्णत्व-शिवित्वप्रकारकम्, दातृत्वहेतुकम् चापर ज्ञानं वर्णितम् तयो प्रत्येकं संशयरूपम्, एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्धनानाकोट्यवगाहित्वात् । तयो ज्ञानयोः समूहस्तु उल्लेखालङ्काररूपः, लक्षणाक्रान्तत्वात् । एवञ्च ससन्देहालङ्कार-सङ्कीर्णोल्लेखालङ्कारोदाहरणत्वमस्य पद्यस्य सिद्धयतीति भावः ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि । 'भानुः—' इस पद्य में दो ज्ञान वर्णित हुए हैं, दोनों ही पृथक् पृथक् संशयरूप हैं, क्योंकि एक में राजा को शत्रुओं द्वारा सूर्य, अग्नि तथा यम इन तीनों में से एक अनिश्चितरूप में समझा गया है और दूसरे में राजा को याचकों द्वारा बलि, कर्ण तथा शिवि इन तीनों में से एक अनिश्चित रूप में समझा गया है । तात्पर्य यह कि ये दोनों ही ज्ञान एक धर्मी में विरुद्ध अनेक कोटियों का अवगाहन करने के कारण सन्देहात्मक हैं । फलतः ये दो ससन्देहालङ्कार होते हैं । पर इन दोनों सन्देहात्मक ज्ञानों का समूह उल्लेखालङ्काररूप हो जाता है, क्योंकि शत्रु तथा याचकरूप अनेक व्यक्तियों द्वारा राजारूप एकवस्तु का अग्नित्व आदि तथा बलित्व आदि अनेक-प्रकारक जो ज्ञान तद्गूर ही पर्यवमन्न होता है । अतः यह पद्य ससन्देहालङ्कार से मिश्रित उल्लेखालङ्कार का उदाहरण होता है ।

भेदान्तरमाख्यातु पूर्वोदाहृतेषु पद्येषु भेदस्वरूप विवृणोति—

अथ च स्वरूपमात्रोल्लेखे स्वरूपोल्लेखः प्रागेव निरूपितः ।

अथ चेति । उल्लेखश्चेत्यर्थ । उल्लेखे इति । सतीति शेष । एवमग्रेऽपि । वस्तुस्वरूपमात्रज्ञाने वर्णिते स्वरूपोल्लेखे स्वीक्रियते, तस्य निरूपणं प्राक् कृतम् इति भावः ।

उल्लेख के अन्य भेद दिखलाने के लिये पूर्वोदाहृत पद्यों में भेद का विवरण करते हैं—अथ च इत्यादि । जब किसी वस्तु के केवल स्वरूप का उल्लेख हो—ज्ञान वर्णित हो—तब स्वरूपोल्लेख होता है, जिसका निरूपण पहले किया जा चुका है—पूर्वोदाहृत पद्यों में स्वरूपोल्लेख ही है ।

भेदान्तरस्य स्वरूप विवृण्वन् तदुदाहरणं निर्देशुमाह—

फलानामुल्लेखे फलोल्लेखो यथा—

फलानाम् ( प्रयोजनानाम् ) उल्लेखे ( पूर्वोक्ताकारे ज्ञाने ) सति फलोल्लेखो भवति । स यथेति भावः ।

जब फलों ( प्रयोजनों ) का उल्लेख हो तब फलोल्लेख होता है, जैसे—

उदाहरणमुपन्यस्यति—

‘अर्थिनो दातुमेवेति त्रातुमेवेति कातराः ।

जातोऽयं हन्तुमेवेति वीरास्त्वां देव ! जानते ॥’

कविरूप प्रति कथयति—हे देव ! 'दातुम् दान कर्तुम्, एव, अयं, जात, उपपन्नः' इति इत्य रूपेण, अर्थिनो याचका, 'त्रातुम् रक्षितम्, एव, अयं जान' इति, कातराः

भीता, तथा, 'हन्तुम्, एव, अयं जात' इति, वीराः, त्वां, जानते विदन्तीत्यर्थः । त्वद्वि-  
शेष्यकाणि विभिन्नहेतुकानि नानाविधानि ज्ञानानि तेषां जायन्ते इति भावः । अत्रैकस्य  
राजस्वस्य वस्तुनोर्ध्व-कातर-वीरात्मकानेकजनकर्तृकाणि दातृत्व-त्रातृत्व-हन्तृत्वप्रकारकाणि  
ज्ञानानि वर्णितानीत्युल्लेखत्व स्पष्टम् । तत्र प्रकाराणां दातृत्वादीनां फलत्पतया फलोल्लेख-  
त्वव्यवहार इति साराशः ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—अर्थिनो दातृमित्यादि । हे देव ! याचक लोग  
आपको देने के लिये, कायर लोग रक्षा करने के लिये और वीर लोग आपको मारने के  
लिये ही उत्पन्न हुआ समझते हैं । यहाँ राजारूप एक वस्तु का याचक आदि अनेक-  
व्यक्तियों द्वारा दातृत्व आदि अनेक-प्रकारक ज्ञान किया गया है, अतः 'उल्लेख बलकार'  
होता है और इस उल्लेख में प्रकारीभूत पदार्थ—दातृत्व आदि—प्रयोजन ( फल ) रूप  
है, इसलिये इसे फलोल्लेख कहा जाता है ।

पूर्ववत् पुनरपरस्य भेदस्य स्वरूपं प्रकटयन् तदुदाहरणनिर्देश प्रतिजानीते—

हेतूनामुल्लेखे हेतुल्लेखो यथा—

कारणानां तथाविधे ज्ञाने वर्णिते हेतुल्लेखो भवति, स यथेति भावः ।

हेतुओं का उल्लेख होने पर हेतुल्लेख होता है, जैसे—

उदाहरणसुपन्यस्यति—

'हरिचरण-नखर-सङ्गादेके हरमूर्धस्थितेरन्ये ।

त्वां प्राहुः पुण्यतमामपरे सुरतटिनि ! वस्तुमाहात्म्यात् ॥'

हे सुरतटिनि गङ्गे ! एके कतिपये, हरिचरणयो, नखराणाम् नखानाम्, सङ्गात्-  
सतर्गात्, अन्ये, हरस्य शिवस्य, मूर्ध्नि मस्तके, स्थितेः वासात्, अपरे, पुन, वस्तु-  
माहात्म्यात् त्वदीयस्वरूपस्यैव महत्त्वात्, त्वा भवतीम्, पुण्यतमाम् पवित्रतमाम्, प्राहुः  
कथयन्तीत्यर्थः । अत्र पुण्यतमात्वत्पैकविशेष्यकस्य विभिन्नजनकर्तृकस्य हरिचरणनख-  
सङ्गादिविविधप्रकारकस्य ज्ञानसमुदायस्य वर्णनादुल्लेखः । तत्र प्रकारीभूतस्य पदार्थस्य  
हरिचरणनखसङ्गादेहेतुत्वात् हेतुल्लेखत्वव्यपदेशः । अथवा युग्मपदार्थगङ्गारूपैकविशेष्य-  
कस्य विभिन्नजनकर्तृकस्य हरिचरणनखसङ्गादिहेतुकपुण्यतमात्वप्रकारकस्य ज्ञानसमूहस्य वर्ण-  
नादुल्लेखः । अत्र कल्पे एकस्यापि पुण्यतमात्वस्य हरिचरणनखसङ्गादिहेतुभेदेन भेदादनेक-  
प्रकारकत्व ज्ञानस्य बोध्यम् । प्रकारस्य हेतुगर्भत्वाच्च हेतुल्लेखत्वव्यपदेश इति भावः ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—हरिचरण इत्यादि । हे गङ्गे ! आपको कुछ  
लोग भगवान् के चरण-नख के सङ्ग के कारण, दूसरे लोग शिवजी के शिर पर रहने के  
कारण और अन्य लोग वस्तु के माहात्म्य के—अर्थात् आप हैं ही ऐसी वस्तु, इस—कारण  
कथ्यन्त पवित्र कहते हैं । यहाँ कथ्यन्त पवित्रत्वरूप एक वस्तु का भिन्न भिन्न व्यक्ति द्वारा  
भगवान् के चरण नख-सङ्ग आदि अनेक-प्रकारक ज्ञान किया गया है, अतः उल्लेख  
बलकार होता है और इस उल्लेख में प्रकारीभूतपदार्थ ( भगवच्चरण-नख-सङ्ग आदि ) के  
हेतुरूप होने से यह 'हेतुल्लेख' कहलाता है । अथवा गङ्गा-रूप एक वस्तु का भिन्न-भिन्न  
व्यक्तिद्वारा भगवच्चरणनख-सङ्ग-आदि-हेतुक कथ्यन्त पवित्रता-प्रकारक ज्ञान किया गया  
है, अतः 'उल्लेख' होता है और इस उल्लेख में प्रकारीभूत पदार्थ—कथ्यन्तपवित्रता—के  
पाँटे उपाधिरूप से हेतुभूतपदार्थ उद्दे हैं, इसलिये यह 'हेतुल्लेख' कहलाता है । इस  
पद्य में कथ्यन्त पवित्रत्वरूप प्रकार यद्यपि एक ही है, तथापि हरिचरणनखसङ्ग आदि हेतु  
के भेद से एक भी पवित्रता अनेक हो जाती है, अतः प्रकार की अनेकता समझी जाती है ।



प्रथममुल्लेख निरूप्य द्वितीयमुल्लेख निरूपयितुमिच्छुस्तावत्तल्लक्षणं सावतरणमाह—

अत्र प्रकारान्तरेणाप्युल्लेखो दृश्यते—यत्रासत्यपि प्रहीत्रनेकत्वे विषयाश्रय समानाधिकरणादीनां सम्बन्धिनामन्यतमानेकत्वप्रयुक्तमेकस्य वस्तुनोऽनेककारत्वम् ।

समानाधिकरणेति । समानम् अधिकरण सञ्चरणस्थान येषां तादृशेत्यर्थः । तथा च विषयाश्रयसहचरादिरूपा ये सम्बन्धिनामन्यतमानेकत्वप्रयुक्तमेकस्य वस्तुनोऽनेककारत्वम् । पूर्वं यथा ज्ञातृभेदादेकस्य वस्तुनोऽनेकधा ग्रहणं भवति स्म तथा यदि नापि भवेत्—अर्थात् ज्ञाता यथेतेऽपि भवेत्, तथापि यदि विषयस्य, आश्रयस्य, सहचरादेश्च भेदेनैकस्य वस्तुनोऽनेककारत्वं स्यात्, तदा सोऽप्युल्लेख इति लक्षणार्थः ।

प्रथम उल्लेख का निरूपण किया जा चुका । अब द्वितीय उल्लेख का निरूपण करना, अतः सर्वप्रथम अवतरणपूर्वक द्वितीय उल्लेख का लक्षण किया जाता है—अत्रत्यादि । 'उल्लेख' एक अन्य प्रकार से भी देखा जाता है । वह वहाँ होता है जहाँ तात्पर्य के अनेक न होने पर भी विषय, आश्रय अथवा समानाधिकरण-सहचर ( साथ होने वाले ) आदि सम्बन्धियों में से किसी की भी अनेकता के कारण एक वस्तु अनेक रह की हो जाय ।

द्वितीयस्याप्युल्लेखस्य पूर्ववद् भेदमाह—

अयमपि द्विविधः, शुद्धोऽलङ्कारान्तरसङ्कीर्णश्च ।

अयमपीति । द्वितीय उल्लेखोऽपीत्यर्थः ।

यह उल्लेख भी दो प्रकार का है—शुद्ध और अन्य अलंकार से मिश्रित ।

तत्र प्रथममुदाहरणमाह—

शुद्धो यथा—

द्वितीय उल्लेख शुद्धो यथेत्यर्थः ।

शुद्ध द्वितीय उल्लेख, जैसे—

उदाहरणमुपन्यस्यति—

‘दीनव्राते दयार्द्रा निखिलरिपुकुले निर्दया किं च मृद्वी

काव्यालापेषु, तर्कप्रतिवचनविधौ कर्कशत्वं दधाना ।

लुब्धा धर्मेष्वलुब्धा वसुनि परविपदर्शने कांदिशीका,

राजन्नाजन्मरम्या स्फुरति बहुविधा तावकी चित्तवृत्तिः ॥’

हे राजन् ! दीनव्राते दीनप्राणिसमूहे, दयार्द्रा करुणाङ्गिणा, निखिलाना सर्वेषा रिपूणां कुले समूहे, निर्दया दयारहिता, काव्यालापेषु काव्यकथासु, मृद्वी कोमला ( केचित्तु व्यालापेषु उक्तिसामान्ये, मृद्वीका द्राक्षारूपेति व्याचक्षते ); तर्कस्य प्रतिवचनविधौ उत्तरकरणे, कर्कशत्वं कठोरताम्, दधाना धारयन्ती, धर्मेषु धर्मविषये, लुब्धा लोभवती, वसुनि धनविषये, अलुब्धा लोभरहिता, किं च, परेषाम् अन्येषाम्, पराया महत्या वा ( षष्ठी-तत्पुरुषः कर्मधारयो वा ) विपदः, विपत्ते, दर्शने साक्षात्कारे ज्ञाने वा, सतीति शेषः कादिशीका कस्या दिशि गन्तव्यम् इति धीविशिष्टा ( 'तदाह माशब्दादिभ्य उपसख्या-नम्' इति वार्तिकेन ठक्, पृषोदरादित्वात्साधु, 'कादिशीको भयद्रुत' इति कोश ) अत एव बहुविधा अनेकप्रकारिका, तावकी त्वदीया, आजन्मरम्या स्वभावतो रमणीया, चित्तवृत्तिः, स्फुरति प्रकटीभवतीत्यर्थः ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—दीनव्राते इत्यादि । हे राजन् ! दीनों के समूह पर दया से आर्द्र, समस्त शत्रु-समुदाय पर निर्दय, काव्यों की कथा करने में कोमल, तर्कों के उत्तर देने में कठोरता को धारण करनेवाली, धर्म में लोभयुक्त, धन में लोभरहित, और धन्य की विपत्ति का दर्शन होने पर अतिभीरु, अतएव अनेक प्रकार की सहज सुन्दर भाषकी चित्तवृत्ति स्फुरित हो रही है—चमक रही है ।

उपपादयति—

अत्र दीनव्रातादीनां विषयाणामनेकत्वाच्चित्तवृत्तेरनेकविधत्वम् । राजविषयकरतिभावोपस्कारकोऽयमुल्लेखः । यद्यपि चित्तवृत्तिव्यक्तीनामत्रैक्यं नास्ति, तदीयचित्तवृत्तित्वेन सामान्येन तासामेकत्वं विवक्षितम् ।

अस्यालङ्कारत्वायाह—राजेति । कविनिष्ठेत्यादि । नास्तीति । तथा चैकस्य वस्तुन इत्यशाभावाच्चेद लक्ष्यमिति भाव । समाधत्ते—तथापीति । 'दीनव्राते—' इति पद्ये ज्ञातुरेक्येऽपि विषयतया चित्तवृत्तिसम्बन्धिना दीनसमूहादीनाम् भेदान् चित्तवृत्तिरूपत्वैकस्य वस्तुन दयार्द्रत्वादिविविधप्रकारत्व वर्णितम्, तच्च कविगतराजविषयकरतिभावस्य प्रधानव्यङ्ग्यस्य पोषकमिति द्वितीयोल्लेखरूपतामासादयति, ननु चित्तवृत्तिव्यक्त्यः स्वतो भिन्ना इति तासामेकत्वाभावेन कथमेकस्य वस्तुन' इत्यशसङ्गतिरिति चेत् ? सत्यम्, राजक्रीयचित्तवृत्तित्वात्मकानामान्यरूपेण तासामेकत्वमिह वक्तुरभिप्रेतमिति साराश ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि । 'दीनव्राते—' इस पद्य में राजा की एक चित्तवृत्ति को भिन्न भिन्न प्रकार से समझने वाला ज्ञाता यद्यपि एक ही व्यक्ति है, तथापि चित्तवृत्ति के विषय 'दिनों का समूह' आदि अनेक हैं, अतः एक भी व्यक्ति एक ही चित्तवृत्ति को दया से आर्द्र, निर्दय आदि अनेक प्रकार से समझता है और चित्तवृत्ति का दयार्द्र आदि अनेक प्रकार का होना, पद्य से प्रधानतया ध्वनित होने वाले राजा के विषय में कवि के प्रेमभाव को पुष्ट करता है, अतः वह चित्तवृत्ति का अनेक प्रकार का होना द्वितीय उल्लेखालंकाररूप होता है । यह उल्लेखालंकार शुद्ध है, क्योंकि इसमें किसी धन्य अलंकार का मिश्रण नहीं है । आप कहेंगे—चित्तवृत्तियाँ तो सभी व्यक्तिसादृशरूप से विभिन्न होती हैं फिर यहाँ राजा की चित्तवृत्तियों को एक कैसे मान सकते हैं ? और जब चित्तवृत्ति की एकता सिद्ध होती नहीं तब उल्लेख का लक्षण घटेगा कैसे ? क्योंकि लक्षण में 'एक वस्तु यदि अनेकरूप हो' ऐसा कहा गया है तो इसका उत्तर यह है कि चित्तवृत्तित्वेन रूपेण उन्हें एक कहना यहाँ अनीष्ट है ।

तथा लक्षणे विवक्षाया अभावादुदाहरणान्तर प्रदर्शयितुमाह—

यथा वा—

अथवा जैसे—

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'कातराः परदुःखेषु निजदुःखेष्वकातराः ।

अर्थेष्वलोभा यशसि सलोभा' सन्ति साधवः ॥'

परदुःखेषु अन्यदुःखविषये, कातरा भीता, निजदुःखेषु स्वदुःखविषये, अकातरा अभीता, अर्थेषु धनविषये, अलोभा लोभरहिता, यशसि यशविषये, सलोभा लोभवन्त, साधव सत्पुरुषाः, सन्ति अर्धुनापि जगति विद्यन्त इत्यर्थ ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—कातरा इत्यादि । दूसरों के दुःखों में कायर और अपने दुःखों में निर्भय, धन में लोभरहित और यश में लोभयुक्त सत्पुरुष आज भी संसार में हैं ।

उपपादयति—

अत्रापि साधवः सन्तीत्यनेन मृता अपि न मृतास्ते, इतरे पुनरमृता अपि मृता एवेत्यर्थाभिव्यक्तिद्वारा व्यज्यमाने साधूत्कर्षविशेषे उपस्कारकोऽयम् ।

अत्र परदुःखादीना विषयाणामनेकत्वात्साधूनामनेकविधत्वम् स्पष्टमुपेक्ष्यालकारत्वमुपपादयति—अत्रापीति । 'कातरा -' इति पद्ये एकस्य साधुरूपस्य वस्तुन एकेनैव प्रहीना परदुःखादिविषयभेदप्रयुक्तमनेकप्रकारकम् ( कातरत्वादिप्रकारकम् ) ज्ञानं कृतमिति द्वितीय उल्लेख । ननु कथमत्रोल्लेखस्यालकारत्वम् इति चेन्न, 'साधव सन्ति' इत्येतद्वाक्यार्थेन 'मृता अपि तादृशाः साधव न मृता—जीविता एव, अन्यादृशा जना पुन जीविता अपि मृता एव' इत्यर्थोऽभिव्यज्यते, तेन चाभिव्यक्तेनार्थेन साधूत्कर्षविशेषो ध्वन्यते, तस्य च साधूत्कर्षस्य प्रधानव्यङ्ग्यस्य पोषकत्वादुल्लेखस्यात्रालंकारत्वमित्याशयादिति भावः ।

उपपादन किया जाता है—अत्रापि इत्यादि । अभिप्राय है कि—'कातराः—' इस पद्य में 'साधुरूप' एक वस्तु का परदुःखादिरूप विषयभेद के कारण एक ही व्यक्ति द्वारा कायर आदि अनेक-प्रकारक ज्ञान किया गया है और यह एक वस्तु का अनेक-प्रकारक होना साधु के उस उत्कर्ष-विशेष का उपस्कारक है जो 'सत्पुरुष हैं' इस उक्ति से होने वाली 'मर कर भी वैसे सत्पुरुष जीवित ही हैं और अन्य साधारण जन जीकर भी मरे हैं' इस अर्थ की अभिव्यक्ति से अभिव्यक्त होता है, अतः यह द्वितीय उल्लेख ( शुद्ध ) का उदाहरण होता है ।

एवविषयानेकत्वप्रयुक्तमुदाहृत्याश्रयानेकत्वप्रयुक्तमुदाहर्तुमाह—

यथा वा—

आश्रयानेकत्वप्रयुक्त उल्लेखो यथेति भावः ।

विषय की अनेकता से होने वाले द्वितीय शुद्ध उल्लेख का उदाहरण दिखलाकर अब आश्रय की अनेकता से होने वाले द्वितीय उल्लेख के शुद्ध भेद का उदाहरण दिखलाने के लिये कहा जाता है—यथा वा इति । अथवा जैसे—

उदाहरण समुपन्यस्यति—

‘तुषारास्तापसव्राते तामसेषु च तापिनः ।

दृगन्तास्ताडकाशत्रोर्भूयासुर्मम भूतये ॥’

तापसव्राते तापससमूहोपरि, तुषारा शीतला, तथा तामसेषु तमोगुणप्रधानेषु राक्षसादिषु तदुपरीति यावत्, तापिनः तापका, ताडकाशत्रो ताडकाहन्तुः श्रीरामस्य, दृगन्ता कटाक्षा, मम, भूतये ऐश्वर्याय, भूयासुः भवन्त्वित्यर्थः ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—तुषारा इत्यादि । तपस्वियों के ऊपर शीतल, और तामसों ( तमोगुण-प्रधान राक्षस आदिकों ) के ऊपर तापदायक श्री रामचन्द्र के कटाक्ष मेरे ऐश्वर्य के लिये हों ।

पूर्वोदाहरणद्वयाद् वैलक्षण्यं तृतीयोदाहरणो दर्शयति—

पूर्वपद्ययोर्विषयानेकत्वप्रयुक्तम्, इह त्वाश्रयानेकत्वप्रयुक्तमनेकविधत्वं दृगन्तानाम् ।

'दीनव्राते—' 'कातरा' इत्यनयो प्रागुक्तयोः श्लोकयोः विषयभेदप्रयुक्तमेकस्य वस्तुनो भिन्नप्रकारत्व वर्णितम् । 'तुषारा—' इति तृतीये पद्ये तु दृगन्तानामाश्रयीभूता तापसाः तामसाश्च भिन्ना इत्याश्रयभेदप्रयुक्तम् एकस्य दृगन्तरूपस्य वस्तुनः तुषारत्व-तापित्व-रूपानेकप्रकारत्व वर्णितमित्यत्रापि शुद्धो द्वितीय उल्लेख इति भावः ।

पूर्व उदाहरणों से वृत्तीय उदाहरण में विलक्षणता दिखलाई जाती है—पूर्व इत्यादि । 'दीनव्राते—' तथा 'कातराः—' इन दोनों पद्यों में विषयों की अनेकता से एक वस्तु का भिन्न-भिन्न-प्रकारक होना वर्णित हुआ है, पर 'तुषाराः—' इस वृत्तीय पद्य में कटाक्ष के आश्रय ( तापस और तामस ) भिन्न हैं, अतः कटाक्षरूप एक वस्तु के शीतलता और ताप-कटाक्षरूप अनेक प्रकार वर्णित हैं । तात्पर्य यह कि यह तीसरा पद्य भी शुद्ध द्वितीय उल्लेख का उदाहरण होता है ।

समानाधिकरणानेकत्वप्रयुक्तमुदाहरति—

'विद्वत्सु विमलज्ञाना विरक्ता यतिषु स्थिताः ।

स्वीयेषु तु गरोद्गारा नानाकाराः क्षितौ खलाः ॥'

विद्वत्सु विद्वज्जनसन्निधौ, विमलज्ञाना 'निर्मलबोधत्वेनात्मानं ख्यापयन्तः', यतिषु संन्यासि-जनसन्निधौ, विरक्ता विरकवदाचरन्तः, तु पुनः, स्वीयेषु स्वजनसमीपे, गरोद्गारा विषवचन-कारिणः, अत एव, नानाकारा विविधरूपाः, खला दुर्जना, क्षितौ पृथिवीतले, सन्तीत्यर्थः ।

समानाधिकरणों ( सहचरों ) की अनेकता से होने वाले शुद्ध द्वितीय उल्लेख का उदाहरण दिखलाया जाता है—विद्वत्सु इत्यादि । विद्वज्जनों के समीप निर्मल ज्ञान वाले, संन्यासियों के निकट विरक्त, और स्वजनों पर विषवचन करने वाले, इस तरह पृथिवी पर, दुर्जन लोग अनेक आकार धारण किए हुए हैं ।

उपपादयति—

अत्र विद्वदादिसहचरभेदप्रयुक्तं खलानामनेकविधत्वम् ।

'विद्वत्सु—' इति पद्ये खलरूपस्यैकस्य वस्तुनः विद्वदादिसहचरभेदाधीनम् विमलज्ञान-त्वाद्यनेकप्रकारत्वं वर्णितमितीदमपि पद्यं शुद्धद्वितीयोल्लेखोदाहरणत्वमेतीति भावः ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि । 'विद्वत्सु—' इस पद्य में विद्वान् आदि-सहचरों के भेद के कारण खल अनेक प्रकार के ब्रताए गए हैं—अर्थात् यहाँ विद्वान् आदि-सहचरों की भिन्नता से खलरूप एक वस्तु के विमलज्ञानत्व आदि अनेक प्रकार हो गए हैं, अतः यह भी शुद्ध द्वितीय उल्लेख का एक प्रभेद है ।

लक्षणघटके 'समानाधिकरणादीनाम्' इत्यत्र वर्तमानेन 'आदि'-पदेन संगृह्यमाणं स्फोरयति—

एवमन्येषां सम्बन्धिनां भेदेऽप्युह्यम् ।

विषयाश्रयसमानाधिकरणात्मकसम्बन्धिभेदप्रयुक्तं यत्रैकस्य वस्तुनोऽनेकप्रकारत्वं तत्र यथा द्वितीय उल्लेखो भवति, तथैव अन्यविषयसम्बन्धिभेदप्रयुक्तमपि यत्रैकस्य वस्तुनोऽनेक-प्रकारत्वं स्यात्तत्रापि स भवेदिति भावः ।

लक्षण में आये हुए 'आदि' पद के अर्थ को स्पष्ट करने के लिये कहा जाता है—एवम् इत्यादि । जिस तरह विषय, आश्रय और सहचर के भेद से एक वस्तु के अनेक प्रकार होने पर द्वितीय उल्लेख होता है उसी तरह जहाँ इन तीनों ( विषय आदि ) से अन्य-संबन्धी के भेद से एक वस्तु के अनेक प्रकार होंगे वहाँ भी यह उल्लेख हो सकता है इस-ज्ञात का उह स्वयम् कर सकते हैं ।

अलङ्कारान्तरसंकीर्णं द्वितीयमुल्लेखमुदाहर्तुमाह—

सङ्कीर्णो यथा—

अलङ्कारान्तरमिश्रितो द्वितीय उल्लेखो यथेति भावः ।

मिश्रित द्वितीय उल्लेख, जैसे—

उदाहरणमुपन्यस्यति—

‘गगने चन्द्रिकायन्ते हिमायन्ते हिमाचले ।  
पृथिव्यां सागरायन्ते भूपाल ! तव कीर्तयः ॥’

हे भूपाल राजन् ! तव, कीर्तय, गगने चन्द्रिकायन्ते चन्द्रिका इवाचरन्ति, हिमाचले हिमपर्वते, हिमायन्ते हिमवदाचरन्ति, तथा, पृथिव्या सागरायन्ते समुद्रवदाचरन्तीत्यर्थः ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—गगने इत्यादि । हे राजन् ! आपकी कीर्तियाँ आकाश में चन्द्रिका-सा, हिमालय में हिम (वरफ)-सा और पृथिवी पर समुद्र-सा आचरण करती हैं ।

उपपादयति—

अत्रोपमया आपाततः प्रतीयमानया, पर्यवसितया चोत्प्रेक्षया ।

उपमानात्क्यङ्को विधानादाह—उपमयेति । तत्र तात्पर्याभावादाह—पर्यवसितयेति । उत्प्रेक्षयेति । सकीर्ण इति शेष । ‘गगने—’ इति श्लोके कीर्तिरूपैकवस्तुन गगनाद्याश्रय-भेदप्रयुक्तम् चन्द्रिकात्वादिविविधप्रकारत्वम् वर्णितमस्तीति द्वितीय उल्लेख सिद्ध । स च न शुद्ध । क्यङ्प्रत्ययस्य सर्वत्रोपमानबोधकप्रकृतिविहितत्वेनापाततः प्रतीयमानेनोपमालङ्कारेण, वस्तुतस्तु उपमानोपमेयभावस्यात्र कविविचक्षाविषयत्वविरहेण सम्भावनाया एव प्रतीत्या उत्प्रेक्षालङ्कारेण तस्य सकीर्णत्वादिति भावः ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि । ‘गगने—’ इस पद्य में एक व्यक्ति द्वारा कीर्तिरूप एक वस्तु के गगन आदि आश्रय (भेद) प्रयुक्त चन्द्रिकात्व आदि अनेक प्रकार वर्णित हैं, अतः यहाँ द्वितीय उल्लेख होता है और वह उल्लेख यहाँ ऊपर से प्रतीत होनेवाली उपमा, पर अन्ततः सिद्ध होनेवाली उत्प्रेक्षा से मिश्रित है । तात्पर्य यह कि ‘चन्द्रिकायन्ते’ आदि पदों में उपमानबोधक-प्रकृति से आचारार्थक ‘क्यङ्’ प्रत्यय हुए हैं, अतः आपाततः पहले उपमा की प्रतीति हो जाती है, पर जब वक्ता के अभिप्राय का अनुसन्धान किया जाता है तब ज्ञात होता है कि उपमानोपमेयभाव यहाँ उसका अभिप्रेत नहीं है, अतः वक्ता का अभिप्रेत सभावना सिद्ध होता है, इसलिये अन्त में उत्प्रेक्षा की ही प्रतीति होती है ।

अलङ्कारान्तरसङ्कीर्णस्य द्वितीयोल्लेखस्योदाहरणान्तरं दर्शयति—

‘उपरि करवालधाराकाराः क्रूरा भुजङ्गमपुङ्गवात् ।  
अन्तः साक्षाद् द्राक्षादीक्षागुरवो जयन्ति केऽपि जनाः ॥’

उपरि वहि, -करवालस्य असे, -धाराया, आकार इव आकारो येषा तादृशा, तथा भुजङ्गमपुङ्गवात् सर्पश्रेष्ठात्, क्रूरा कठोरा, परन्तु, अन्तः हृदये, साक्षात्, द्राक्षाणाम् मृद्धीकाना, दीक्षासु गुरव उपदेष्टार, अतिमधुरा कोमलश्चेति यावत्, केऽपि कतिपये, जना, जयन्ति सर्वोत्कृष्टतर्या वर्तन्त इत्यर्थः । अत्र “आर्यापूर्वार्धे ‘नेह भवति विषमे ज’ इति नियमादत्र च विषमे सतमस्थाने जगणस्य सत्त्वाच्छन्दोभङ्गद्वेषितमेतदार्यापूर्वार्धमिति ज्ञेयम् ।” इत्याहु काव्यमालासम्पादका भट्टमहोदयाश्च । अह तु मन्ये नासौ नियमः सर्वः सम्मत, यत श्रुतबोधकारेण ‘यस्या प्रथमे पादे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेपि । अष्टादशद् द्वितीये चतुर्थके पञ्चदश सार्या ॥’ इत्येवोक्तम् । अस्मिन् लक्षणे ‘स नियमो न कृतः । किञ्च रसज्ञाऽप्यत्रच्छन्दोभङ्ग न सूचयति, अतः ‘आर्यापूर्वार्धसम द्वितीयमपि यत्र भवति हसगते । छन्दोविदस्तदानीं गीतिं ताममृतवाणि भाषन्ते ॥’ इत्येवलक्षणकगीतिच्छन्दो-चद्वेऽस्मिन्पद्ये न छन्दोभङ्गदोष इति ।

अलंकारान्तर मे मिश्रित द्वितीय उल्लेख का दूसरा उदाहरण दिखलाया जाता है—  
 उपरि इत्यादि । ऊपर से नलवार की धार के समान आकार वाले तथा सर्पराज से भी  
 क्रूर, पर अन्तःकरण में साक्षात् वारों को भी दीक्षा देने वाले गुरु ( भक्ति मधुर और  
 कोमल ) कनिष्य पुरुष सर्वोत्कृष्ट हैं । यहाँ 'आर्या छन्द के विषम स्थानों में जगण नहीं  
 होता, पर यहाँ नसम स्थान में जगण है, अतः यह आर्या का पूर्वार्ध छन्दो-भङ्ग-रूपित  
 है ।' यह काव्य-माला-सम्पादक ने पहले लिखा और उसका अनुवाद पीछे हिन्दी रस-  
 गङ्गाधरकार आदि ने भी अपनी टिप्पणी में किया है । पर मैं समझता हूँ कि वस्तुतः  
 यहाँ छन्दोभङ्ग है नहीं, क्योंकि एक तो जिह्वा यहाँ छन्दो-भङ्ग की सूचना नहीं देनी,  
 दूसरे जिम नियम के अनुसार यहाँ छन्दोभङ्ग कहा गया है वह सर्व सम्मत है भी नहीं ।  
 नेतिप—ध्रुवबोधकार ने 'यस्या' प्रथमे पादे द्वादश मात्रा—' इत्यादि संस्कृत टीका में  
 उद्धृत किए गए आर्या लक्षण में उस नियम की चर्चा नहीं की है । ततः 'आर्यापूर्वार्ध—'  
 इत्यादि संस्कृतटीकोद्धृत लक्षण के अनुसार 'गीति-' छन्द में निवद्ध इस पद्य में कोई  
 दोष नहीं आता ।

उपपाठयति—

अत्रोपमाव्यतिरेकाभ्यां तयोः समुच्चयेनोत्प्रेक्षया च सङ्कीर्णः ।

उपनेति । 'करवालधाराकारा' इत्यंश इति भावः । व्यतिरेकेति 'क्रूरा' इत्यंश इति  
 भावः । तयोः उपमाव्यतिरेकयोः । उत्प्रेक्षयेति । 'गुरवः' इत्यंशे प्रतीयमानयेति भावः ।  
 'उपरि—' इति पद्ये जनरूपस्यैव वस्तुतः बहिरन्तर्देशरूपाश्रय-भेद-प्रयुक्तम् करवाल-  
 धाराकारत्वाद्यनेकप्रकारत्वं वर्णितमिति द्वितीय उल्लेख सिद्धयति । स च उपमाव्यतिरे-  
 काभ्याम्, तयोः समुच्चयेन गन्धोत्प्रेक्षया च सङ्कीर्ण इति भावः ।

उपपाठन किया जाता है—अत्र इत्यादि । 'उपरि—' इस पद्य में जनरूप एक वस्तु  
 के 'ऊपर और अन्दर' रूप आश्रय-भेद-प्रयुक्त करवालधाराकारत्व आदि अनेक प्रकार  
 वर्णित हैं, अतः द्वितीय उल्लेख यहाँ होना है, वह उल्लेख शुद्ध नहीं है, अपि तु—'धार  
 के समान आकारवाले' इस अंश में उपमा से, 'सर्पराज से भी क्रूर' इस अंश में व्यतिरेक  
 से, इन दोनों के समुच्चय से और 'आज्ञाओं को दीक्षा देनेवाले गुरु' इस अंश में गन्ध  
 उत्प्रेक्षा से मिश्रित है ।

द्वयोः उल्लेखयोः सङ्क्रामादिपदग्राह्यसन्बन्धिभेदप्रयुक्तत्वं च दर्शयितुमाह—

'यम प्रतिनहीभृतां हुतवहोऽसि तन्नीभृतां

सतां खलु युधिष्ठिरो धनपतिर्धनाकाङ्क्षिणाम् ।

गृहं शरणमिच्छतां कुलिशक्रोदिभिर्निर्मितं

त्वमेक इह भूतले बहुविधो विधात्रा कृतः ॥'

हे राजन् ! प्रतिनहीभृता शत्रूणा, कृते, यम अन्तःकल्प, तन्नीभृता प्रतिपञ्जराज-  
 जनपदानाम्, कृते हुतवह अतिरूप, सता सन्निगान्, कृते, खलु निश्चयेन, युधिष्ठिर  
 तद्रूप, धनाकाङ्क्षिणा धनयाचकानाम्, कृते, धनपतिः कुन्नेर, शरणम्, इच्छतान्, कृते,  
 कुलिशक्रोदिभिः वज्राप्रमाणं, निर्मितं, गृहं भवनरूपं, त्वम्, अस्मि, अतः, इह, भूतले,  
 एकोऽपि, त्वम्, विधात्रा व्रजणा, बहुविध नानारूप, कृत इत्यर्थः ।

अब दो उल्लेखों के सकर ( निश्चय ) तथा 'आदि' पद से ग्रहण किये गये संबन्धि-  
 भेद-प्रयुक्तता को दिखलाने के लिये कहा जाता है—यम' इत्यादि । हे राजन् ! शत्रुभूत-  
 राजाओं के लिये यम, उनके देशों के लिये अग्नि, सज्जनों के लिये युधिष्ठिर, धन चाहने  
 वालों के लिये कुन्नेर और शरण चाहने वालों के लिये वज्र की नोकों से बनाया हुआ  
 घर इस तरह एक ही तुझे विधाता ने पृथिवीतल पर अनेक प्रकार का बनाया है ।

उपपादयति—

अत्र कविना यमत्वादिना रूपेण राज्ञो रूपवतः करणाद्रूपकेण, विपक्षभूपा-  
लादीनामेतस्मिन्नायाते यमत्वादिना भ्रान्तिरपि सम्भवतीति भ्रान्तिमता, विपक्ष-  
भूपालादिभिरनेकैर्प्रदीवृत्तिभिर्यमत्वादिभिरनेकैर्धर्मैरुल्लेखनात् प्रागुक्तोल्लेखप्रकारेण च  
सह सङ्कीर्णोऽयं सम्बन्धिषष्ठ्यन्तभेदप्रयुक्तवर्णनानेकविधत्वक उल्लेखः ।

यमत्वादिना भ्रान्तिरपीति । अत्र 'शरणेच्छूना भ्रान्तिवर्णने राजोत्कर्षविरोधीति  
चिन्त्यमिदम्' इति नागेश । अहं तु मन्ये सादृश्यमूलकाहार्यारोपरूप रूपकं चेन्न विरोधि  
तर्हि सादृश्यमूलिका भ्रान्तिरपि न विरोधिनी राजोत्कर्षे, तुल्यत्वादिति । प्रागुक्तोल्लेखेति ।  
अत्रापि 'इदमपि चिन्त्यम् । ज्ञानस्यानिवन्धने च ज्ञानपर्यन्तस्य पूर्वोल्लेखस्य कथमप्यत्रा-  
सत्त्वात् । नियतव्यञ्जकसामग्र्यभावेनार्थस्यापि तस्यासत्त्वाच्चेति दिक् । इतोऽपि भ्रान्तिरपि  
सम्भवतीति चिन्त्यमिति बोध्यम् ।' इति नागेश । विषयाश्रयसहचराणा सम्बन्धिनमात्रा-  
सत्त्वादाह—सम्बन्धिषष्ठ्यन्तेति । षष्ठ्यन्तार्थसम्बन्धीत्यर्थ । क्वचित्तथैव पाठ । 'यम-'  
इतिश्लोके युष्मदर्थस्यैकस्य राज्ञः प्रतिमहीभृदादिषष्ठ्यन्तार्थसम्बन्धिभेदप्रयुक्तम् यमत्वाद्य-  
नेकप्रकारत्वं वर्णितमिति द्वितीय उल्लेखो भवति । स च न शुद्ध, रूपकेण, भ्रान्तिमता,  
प्रथमोल्लेखेन च संकीर्णत्वात् । तत्र वर्णनीये राज्ञि सादृश्यमूलकयमाद्युपमानाभेदारोपाद्रूपकम्,  
वर्णनीये राज्ञि समागते प्रतिपक्षराजादीना यमत्वादिना भ्रान्ते सम्भवाद् भ्रान्तिमान्,  
प्रतिपक्षराजादिभिरनेकैः ज्ञातृभिरनेकस्य वर्णनीयस्य राज्ञः यमत्वादिनानाप्रकारकत्वेन ज्ञानात्  
प्रथमोल्लेखश्चेति भावः ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि । 'यमः—' इस पद्य में कवि ने अपने स्व-  
रूप में विद्यमान राजा को 'यम' आदि रूपों में बताया है—अर्थात् कवि द्वारा  
वर्णनीय राजारूप उपमेय में 'यम' आदि उपमानों का सादृश्यमूलक अभेदारोप किया  
गया है, अतः रूपक से, वर्णनीय राजा के आने पर शत्रुभूत राजा आदि को 'यम' आदि  
का अम भी सम्भव है, अतः आतिमान् से और शत्रुभूत राजा आदि अनेक ज्ञाताओं  
द्वारा वर्णनीय राजारूप धर्मी में यमत्व आदि अनेक-प्रकारक ज्ञान किया गया है, अतः  
प्रथम उल्लेख से—इतने अलङ्कारों से—मिश्रित द्वितीय उल्लेख है, क्योंकि 'प्रतिमहीभृ-  
ताम् ( शत्रुभूत राजाओं )' आदि षष्ठ्यन्त पद के अर्थ—संबन्धिषष्ठ्यो—के भेद के कारण  
वर्णनीय एक राजा का 'यम' आदि अनेक प्रकार का होना यहाँ वर्णित है । नागेश यहाँ  
कहते हैं कि—“द्वितीय उल्लेख के इस भेद को 'भ्रान्तिमान्' और 'द्वितीय उल्लेख' से  
मिश्रित बताना उचित नहीं । कारण, एक तो शरणेच्छूजनों द्वारा वर्णनीय राजा के विषय  
में किसी तरह की भ्रान्ति हुई है यह वर्णन वर्णनीय राजा के उत्कर्ष का विरोधी है, दूसरे  
द्वितीय उल्लेख की भी यहाँ सम्भावना नहीं, क्योंकि उसके लक्षण में ज्ञान-पर्यन्त का  
समावेश है और यहाँ यम-आदि के ज्ञान का वर्णन है नहीं—अर्थात् जब यहाँ ज्ञान-वाचक  
कोई शब्द नहीं है और न ज्ञान-व्यञ्जक कोई निश्चित सामग्री ही है तब शब्द अथवा  
आर्थ किसी तरह का—ज्ञानात्मक प्रथम उल्लेख कैसे हो सकता है ? इससे यह सिद्ध  
हुआ कि—भ्रान्ति भी एक प्रकार का ज्ञान ही है, अतः शब्द द्वारा अथवा अर्थ द्वारा  
ज्ञान का वर्णन न होने के कारण भी भ्रान्ति की संभावना नहीं ।” ६

द्वयोरुल्लेखयोरुल्लेख्यं दर्शयति—

अत्रेदं बोध्यम्—प्रथमनिरूपितोल्लेखप्रकारे 'यं महाविष्णुरिति वैष्णवाः,  
शिव इति शैवाः, यक्षपुरुष इति याज्ञिकाः, स्वभाव इति लौकायतिकाः, ब्रह्मे-  
लौपनिषदाः वदन्ति सोऽयमादिपुरुषो हरिः' इत्यादौ तत्तद्महीवृत्ततत्तत्प्रकार-

कज्ञानसमुदायस्य चमत्कारजनकताया अनुभवसिद्धत्वेनालङ्कारत्वम् । द्वितीये तु प्रकारे 'यः शिष्टेषु सदयः दुष्टेषु करालः' इत्यादौ तत्तद्विषयभेदभिन्नस्य प्रकारसमुदायमात्रस्य तथात्वम् । न तु विद्यमानस्यापि ज्ञानांशस्य, चमत्कारित्वेनाननुभवात् । चमत्कारनिवन्धनो ह्यलङ्कारभाव उपमादीनाम् । अत एवास्माभिः 'विषयाद्यन्यतमानेकत्वप्रयुक्तमेकस्य वस्तुनोऽनेकप्रकारत्वम्' इति द्वितीय उल्लेखो लक्षितः ।

यमिति । वर्णनीय कश्चन राजा यत्पदार्थ । लौकायतिका चार्वाका । जनकताया इति । इदं ज्ञानं चमत्कारीत्यनुभवाकार । य इति । अत्रापि वर्णनीय कश्चिन्नृप एव यत्पदार्थ । तथात्वम् चमत्कारित्वेनानुभवसिद्धत्वम् । प्रकारविशेषणमात्रव्यवच्छेद्यमाह— न स्विति । विद्यमानस्यापि ज्ञानांशस्येति । एकस्य वस्तुन भिन्नवस्त्वात्मकता ज्ञाननिवन्धनैव सम्भवतीत्यतो ज्ञानांशस्य विद्यमानता बोध्या । अत एवेति । विद्यमानस्यापि ज्ञानांशस्याचमत्कारित्वात् उपमादीनामलङ्कारत्वस्य चमत्कारनिवन्धनत्वाच्चेत्यर्थः । 'य महाविष्णुरिति वैष्णवा—' इत्यादौ प्रथमोल्लेखोदाहरणो वैष्णवाद्यनेकज्ञातृक-महाविष्णुत्वाद्यनेकप्रकारवर्णनीयराजधर्मिकज्ञानसमुदाय एव चमत्कारित्वेनानुभवसिद्ध इति तस्यैवालङ्कारत्वम्, तावत्पर्यन्तस्य प्रथमोल्लेखलक्षणे प्रवेशश्च । 'यः शिष्टेषु सदयः—' इत्यादौ द्वितीयोल्लेखोदाहरणो पुनः शिष्टादिविषयभेदप्रयुक्तभेदविशिष्टस्य सदयत्वादिप्रकारसमुदायस्यैव चमत्कारित्वेनानुभवसिद्धतेति तस्यैवालङ्कारत्वम्, तावत्पर्यन्तस्यैव च द्वितीयोल्लेखलक्षणे प्रवेशश्च । ननु प्रागुक्तादिके द्वितीयोल्लेखोदाहरणोऽपि एकज्ञातृक-वर्णनीयधर्मिक-विषयादिभेदेहेतुक-नानाप्रकारकज्ञानसमूहस्य स्थितिरवश्यमेपितव्या, एकवस्तुगतानेकप्रकारत्वस्य ज्ञाननिवन्धनत्वात्, तथा च तत्रापि तस्यैव ( ज्ञानसमूहस्यैव ) अलङ्कारत्वं किमिति नाङ्गीक्रियते इति चेन्न, सतोऽपि ज्ञानांशस्याचमत्कारित्वेनालङ्कारत्वायोगात् उपमादेरलङ्कारत्वस्य चमत्कारमूलकताया सर्वसम्मतत्वात् एवञ्च द्वयोरुल्लेखयोर्वैलक्षण्यं स्पष्टमिति भावः ।

दोनों उल्लेखों के पृथक्करण में युक्ति दिखलाई जाती है—अत्रेदम् इत्यादि । 'जैसे वैष्णव महाविष्णु कहते हैं, याज्ञिक यज्ञपुरुष कहते हैं, चार्वाक स्वभाव कहते हैं, वेदान्ती ब्रह्म कहते हैं वह आदिपुरुष हरि यह ( वर्णनीय राजा ) है ।' इत्यादि प्रथम उल्लेख के उदाहरणों में भिन्न भिन्न ज्ञाताओं द्वारा किए गये भिन्न-भिन्न प्रकारों ( विशेषणों ) वाले ज्ञानों—जैसे प्रकृत में वैष्णव आदि ज्ञाताओं द्वारा किए गये महाविष्णुत्व आदि भिन्न-भिन्न प्रकारों वाले ज्ञानों के समूह में ही चमत्कारोत्पादकता अनुभवसिद्ध है—अर्थात् उन ज्ञानों के द्वारा ही सहृदयों के हृदयों में आनन्द उत्पन्न किया जाता है, अतः उन्हें (ज्ञानों को) ही अलंकार माना जाता है । 'जो ( वर्णनीय राजा ) शिष्टों के विषय में दयायुक्त है, दुष्टों के विषय में भयकर है ।' इत्यादिक द्वितीय उल्लेख के उदाहरणों में तो उन-उन विषयों के भेद के कारण होने वाले एक व्यक्ति के भिन्न भिन्न प्रकार—अनेक रूप होना—( जैसे प्रकृत में शिष्ट आदि विषयों के भेद के कारण वर्णनीय राजा का दयायुक्त आदि अनेकरूप होना ) ही चमत्कारी अनुभूत होता है, अतः उन ( प्रकारों ) को ही अलंकार माना जाता है । यद्यपि द्वितीय उल्लेख के उदाहरणों में भी ज्ञान अश रहता अवश्य है, क्योंकि ज्ञान के भेद ( समझ की भिन्नता ) से ही एक वस्तु की अनेकप्रकारता हो सकती है, अन्यथा नहीं, तथापि ऐसे स्थलों में रह कर भी ज्ञान अश चमत्कारी ( आनन्दोत्पादक ) नहीं अनुभूत होता, अतः उस अंश को अलंकार नहीं माना जाता । कारण, चमत्कारोत्पादक होने के कारण ही उपमा आदि को भी अलंकार माना जाता है । अतएव दूसरे उल्लेख का लक्षण 'विषय आदि में से किसी एक की अनेकता के कारण एक



वस्तु के अनेक प्रकार होना' यों बनाया गया है। सारांश यह कि प्रथम उल्लेख में ज्ञान-समूह को और द्वितीय उल्लेख में प्रकार समूह को अलंकार माना गया है।

एकरूपेण द्वयोरुल्लेखयोरनुगम दर्शयति—

एवं च 'लक्षणद्वयान्यतरत्वमुल्लेखसामान्यलक्षणतावच्छेदकम्' इत्याहुः। परे तु 'प्रकारद्वयेऽपि वर्णवृत्तित्वेन भासमानप्रकारसमुदाय एवोल्लेखः' इत्यपि वदन्ति।

उक्तरीत्या द्वयोरुल्लेखयो पृथग्लक्षणकत्वेऽपि तल्लक्षणान्यतरत्वेन रूपेणानुगम सम्भवति। यदि तु अन्यतरत्वस्य गुरुत्वम् दुर्ज्ञेयत्व च विभाव्यते तदा 'अनेकैर्ग्रहीतृभि' 'असत्यपि ग्रहीत्रनेकत्वे' इत्यंशद्वय लक्षणद्वयघटक निरस्य वर्णनीयैकवस्तुगतप्रकारसमुदायस्य ग्रहीतृ-विषयाश्रयाद्यन्यतमभेदप्रयुक्तस्योल्लेखद्वयसाधारणलक्षणत्वमङ्गीकार्यम्। स्वीकार्यम् च सर्वत्र प्रकारसमुदायस्यैव चमत्कारित्वमिति भावः। तथा चैकविध एवोल्लेख इति सारांशः।

दोनों उल्लेखों का एक रूप से अनुगम करने की रीति दिखलाई जाती है—एवं च इत्यादि। ऐसी स्थिति—जब कि एक जगह ज्ञानों और दूसरी जगह प्रकारों में चमत्कार अनुभूत होने के कारण दो तरह के उल्लेख माने गए—दो तरह के लक्षण किए गए—में 'इन दोनों लक्षणों में से किसी एक का होना' यदि उल्लेख-सामान्य लक्षण का अवच्छेदक (परिचायक) धर्म मान लिया जाय तब अनुगम हो सकता है यह कुछ लोग कहते हैं। दूसरे लोग कहते हैं कि—एक तो 'अन्यतरत्व (दो में से एक का होना)' परिष्कार-पद्धति के अनुसार गौरवग्रस्त वस्तु है दूसरे 'अन्यतरत्व' के स्वरूप का ज्ञान होना भी कठिन है, अतः दो लक्षण करके उसको एकरूप से कहने का प्रयास असंगत है, अपि तु दोनों उल्लेखों के भेद को मिटा कर एक लक्षण कर लेना—एक प्रकार का उल्लेख मान लेना—ही समुचित है, अर्थात् 'ज्ञाताओं, विषयों, आश्रयों आदि की अनेकता के कारण होने वाले एक वस्तु के अनेक प्रकार उल्लेख है' एक यही लक्षण—फलतः एक ही उल्लेख—मानना चाहिए और सर्वत्र प्रकारांश में ही चमत्कार मान लेना चाहिए—पहले जो प्रथम उल्लेख में ज्ञान को और द्वितीय उल्लेख में प्रकार को चमत्कारोत्पादक मानते थे उस मान्यता को छोड़ देना चाहिए।

व्यङ्ग्यमुल्लेख निरूपयितुमाह—

अथोल्लेखस्य ध्वनिः—

उल्लेखालंकारध्वनिर्निरूप्यत्वेनारभ्यत इति भावः।

व्यङ्ग्य उल्लेख का निरूपण करने के लिये कहा जाता है—अथ इत्यादि। अब उल्लेखालंकार की ध्वनि का निरूपण आरम्भ समक्षिण्।

व्यङ्ग्यमुल्लेखमुदाहर्तुमाह—

यथा—

जैसे—

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'अनल्पतापाः कृतकोटिपापा गदैकशीर्णा भवदुःखजीर्णाः।

विलोक्य गङ्गां विचलन्तरङ्गाममी समस्ताः सुखिनो भवन्ति ॥'

कविर्गङ्गा वर्णयति—अनल्प अधिक, तापो येषाम् ते, बहुतापा इति यावत्, कृतानि कौटिसख्यकानि पापानि यैस्ते, गदैकै प्रधानरोगैः, शीर्णा विकलाङ्गा, तथा, भवस्य संसारस्य, दुःखै क्रोधादिभि, जीर्णा जर्जरमनस, इति, अमी, समस्ता सर्वविधा अपि लोका, विचलन्त चञ्चलीभवन्त, तरङ्गा यस्याम् तादृशीम्, गङ्गाम्, विलोक्य, सुखिन, भवन्तीत्यर्थः।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—अनल्प इत्यादि । गङ्गा का वर्णन है—अत्यधिक ताप वाले, करोड़ों पाप करने वाले, प्रधान ती गों से गलितान्न और संसार के दुःखों ( कामक्रोध आदि ) जर्जरित, ये सब के सब—लहराती हुई गङ्गा को देखकर सुखी होते हैं ।

उपपादयति—

अत्र पूर्वार्धोदीरितानां चतुर्णां विलोकनकर्तृणाम् । सुखित्वोक्त्या क्रमेण ताप-पाप-रोग-भव-नाशकत्वप्रकारकाणि ग्रहणान्याक्षिप्यन्ते ।

‘अनल्प—’ इतिश्लोके पूर्वार्धवर्णितचतुर्विधगङ्गादर्शकजनसमवेतसुखवर्णनेन क्रमशः ताप-पाप-रोग-भव-नाशकत्वप्रकारकज्ञानसमूह ( अर्थात् अनल्पतापजनकर्तृकं तापनाशकत्वप्रकारम्, कृतकोटिपापजनकर्तृकं रोगनाशकत्वप्रकारकम्, गदशीर्णजनकर्तृकम् रोगनाशकत्वप्रकारकम् तथा भवदुःखजीर्णजनकर्तृकम् भवनाशकत्वप्रकारकम् गङ्गाविशेषक ज्ञानम् ) उल्लेखालङ्कारत्वपर्यवसायो व्यज्यते इति भावः ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि । ‘अनल्पतापा—’ इस पद्य में पूर्वार्धवर्णित ‘चारों प्रकार के दर्शकों के सुखी होने की बात’ से चारों ज्ञाताओं द्वारा किए गए ‘गङ्गा ताप-नाशिनी है, गङ्गा पापनाशिनी है, गङ्गा रोगनाशिनी है तथा गङ्गा संसारनाशिनी है—’ ये चार प्रकार के ज्ञान ध्वनित होते हैं और ऐसे ज्ञानों का समूह ही ‘उल्लेख’ है, अतः यह पद्य उल्लेख-ध्वनि का उदाहरण होता है ।

विशेषमाह—

अयं च शुद्धस्योल्लेखस्य ध्वनिः ।

‘अनल्पतापा—’ इत्यत्र ध्वन्यमान उल्लेख शुद्ध, अलङ्कारान्तरामिश्रितत्वादिति भावः ।

शुद्ध ( अन्य अलंकार से अमिश्रित ) उल्लेखालंकार की यह ( ‘अनल्प—’ इस पद्य में दिखाई गई ) ध्वनि है ।

सङ्कीर्णोल्लेखध्वनिमुदाहर्तुमाह—

सङ्कीर्णस्य यथा—

अलङ्कारान्तरामिश्रितस्योल्लेखालङ्कारस्य ध्वनिर्यवेति भावः ।

अन्य अलङ्कार से मिश्रित उल्लेख अलङ्कार की ध्वनि, जैसे—

उदाहरणमुपन्यस्यति—

‘स्मयमानाननां तत्र तां विलोक्य विलासिनीम् ।

चकोराश्चञ्चरीकाश्च मुदं परतरां ययुः ॥’

सत्युर्नायकस्य वा उक्तिरियम्—चकोरा त्वनामख्याता पक्षिविशेषा, चञ्चरीका अमरा, च, तत्र क्वचिन् स्थानविशेषे, स्मयमानम् तस्मितम्, आननम् मुदं, यत्यास्ताम्, ताम् अनुभूता प्रसिद्धा वा, विलासिनीम् कामिनीम्, विलोक्य, परतराम् अन्युद्दिष्टाम्, मुदम् हर्षम्, ययु प्राप्तवन्त इत्यर्थः ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—स्मयमान इत्यादि । वहाँ ( किसी स्थान-विशेष में ) मन्दहासयुक्त मुखवाली उस विलासिनी को देखकर चकोर तथा अमरों ने परम हर्ष प्राप्त किया ।

उपपादयति—

अत्र ध्वन्यमानया एकैकग्रहणरूपया भ्रान्त्या तदुभयसमुदायात्मा उल्लेखः सङ्कीर्णः ।

एकैकेति । चन्द्रत्वेन कमलत्वेन च प्रहरोत्यर्थ । तदुभयेति । प्रहणद्वयेत्यर्थ । 'स्मयमानाननाम्—' इति श्लोके चकोराणाम् चञ्चरीकाणाञ्च सस्मितमुख-कामिनी-विलोकन-जन्य-सुत्रासिर्वर्णनेन सस्मिते कामिनीमुखे चकोराणा चन्द्रत्वभ्रमः, चञ्चरीकाणाञ्च कमलत्व-भ्रमो व्यज्यते । तौ च भ्रमौ भ्रान्तिमदलङ्कारद्वयरूपौ, तयोर्भ्रान्त्योः समूहश्च नानाप्रही-तृकैकविशेष्यकानेकप्रकारकज्ञानसमुदायरूपतया उल्लेखालङ्काररूपः । एवञ्च भ्रान्तिमद-लङ्कारद्वयसंकीर्णोल्लेखालङ्कारध्वनेरुदाहरणमिदं पद्यं सम्पद्यत इति भावः ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि । अभिप्राय यह है कि—'स्मयमानाननाम्—' इस पद्य में जो सस्मित मुखवाली कामिनी के अवलोकन से चकोरों तथा भ्रमरों के हर्ष की प्राप्ति वर्णित है उससे नायिका-मुख में चकोरों का चन्द्र-भ्रम तथा भ्रमरों का कमल-भ्रम—ये दोनों भ्रम—अभिव्यक्त होते हैं । ये दोनों ही भ्रम पृथक् पृथक् रूप में दो 'भ्रान्तिमान्' अलङ्कार हैं और इन दोनों भ्रमों का समूह अभिव्यक्त होकर 'उल्लेख' अलङ्काररूप होता है, क्योंकि भ्रमों का यह समूह अनेक व्यक्ति द्वारा किया गया एक वस्तु के विषय में अनेक-प्रकारक ज्ञानरूप है ही । अतः यह पद्य 'भ्रान्तिमान्' अलङ्कार से मिश्रित 'उल्लेख' अलङ्कार की ध्वनि का उदाहरण होता है ।

आशङ्क्य समाधत्ते—

न चात्र भ्रान्तेरेव चमत्कार इति शक्यापहव उल्लेखः । अनेककर्तृका-नेकधाप्रहणस्यालङ्कारान्तरविविक्तविषयस्य चमत्कृतेरिहापि सत्त्वात् ।

शक्यापहव इति । नैवात्रोल्लेखोऽस्तीत्यर्थः । समाधत्ते—अनेकेति । विविक्तविषय-स्येति । अनेकधाप्रहणस्य विशेषणमेतत् । अलङ्कारान्तरेभ्यो विविक्तं पृथग्भूतो विषयो लक्ष्यम् यस्य तादृशस्येत्यर्थः । जन्यत्व प्रहणपदोत्तरषष्ठ्या अर्थश्चमत्कृतावन्वेतीति भावः । 'स्मयमानाननाम्—' इत्यत्रैकैकप्रहणरूपाया भ्रान्तेर्यथा चमत्कारोऽनुभवविषय-स्तथाऽनेककर्तृकैकविशेष्यकनानाप्रकारकज्ञानसमुदायात्मकस्य स्वतन्त्रस्योल्लेखालङ्कारस्य चमत्कारोऽपि अनुभवविषय इति "नात्रोल्लेखः, 'भ्रान्तिमान्' एव केवल" इति न वक्तुं-शक्यमिति सारांशः ।

एक शब्दा और उसका समाधान किया जाता है—न चात्र इत्यादि । 'स्मयमानाननाम्—' इस पद्य में भ्रान्ति का ही चमत्कार है, अतः उल्लेख छिपाया जा सकता है—अर्थात् उल्लेख यहाँ है ही नहीं ऐसा कहा जा सकता है यह आप नहीं कह सकते, क्योंकि अनेक कर्ताओं द्वारा किया जाने वाला एक वस्तु में अनेक प्रकार का ज्ञान (अर्थात् उल्लेख), जिसका विषय अन्य अलङ्कारों से पृथक् है—अर्थात् जिसको उल्लेख के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं कहा जा सकता, उसका चमत्कार भी यहाँ स्वतन्त्र रूप से है । तात्पर्य यह कि एक-एक भ्रम के चमत्कार को लेकर भ्रान्तिमान् जैसे होगा वैसे भ्रम-समूहकृत चमत्कारविशेष को लेकर उल्लेख भी यहाँ होगा ही ।

प्रथमोल्लेखस्य शुद्धस्य सङ्कीर्णस्य च ध्वनेरुदाहरणे प्रदर्श्य द्वितीयोल्लेखध्वनि-मुदाहर्तुमाह—

द्वितीयोल्लेखस्य ध्वनिर्यथा—

द्वितीय उल्लेख की ध्वनि, जैसे—

उदाहरणमुपन्यस्यति—

‘भासयति व्योमगता जगदखिलं कुमुदिनीर्विकासयति ।

कीर्तिस्तव धरणिगता सगरसुतायासमफलतां नयते ॥’

राजस्तुतिरियम्—हे राजन् ! तव, कीर्ति, व्योमगता आकाशगता सती, अखिलं

समग्रं, जगत् संसारम् भासयति प्रकाशयति, तथा कुमुदिनी, विकासयति, घरणिगता घरातलगता सती च, सगरसुतानाम् सगरराजतनयानाम् आयासम् सागरनिर्माणप्रयासम्, अफलताम् व्यर्थताम्, नयते प्रापयते इत्यर्थः ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—भासयति इत्यादि । हे राजन् ! आपकी कीर्ति आकाशग्यापिनी होकर समग्र ससार को भासित करती है तथा कुमुदिनियों को विकसित करती है और पृथिवीगत होकर सगर राजा के पुत्रों के परिश्रम को निष्फल कर रही है ।

उपपादयति—

अत्राधिकरणभेदप्रयुक्तमेकस्यामेव कीर्तौ चन्द्रिकात्वसागरत्वरूपानेकविधत्वं रूपकसङ्कीर्णं ध्वन्यते ।

‘भासयति—’ इतिश्लोके एकस्याः कीर्तेः जगद्भासन-कुमुदिनीविकासन-सगरसुताया-सवैफलयनयनकर्तृत्वेन वर्णनात् कीर्तेश्चन्द्रिकात्वसागरत्वात्मकानेकप्रकारत्व द्वितीयोल्लेखा-त्मकम् व्यङ्ग्यं भवति, तत्र च प्रकारभेदे व्योमघरणिरूपाधिकरणभेद प्रयोजकः । उल्लेख-ध्वानं न शुद्धं रूपकसङ्कीर्णत्वात् । रूपकञ्चात्र व्यङ्ग्यमेव कीर्तिरूपोपमेये चन्द्रसागररूपोप-मानद्वयतादात्म्यरूपं बोध्यम् । शुद्धद्वितीयोल्लेखध्वनिरनुदाहृतोऽपि स्वयमूहनीय इति भावः ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि । ‘भासयति—’ इस पद्य में आकाश तथा घरातलरूप आधार-भेद के कारण कीर्तिरूप एक वस्तु के अनेक प्रकार—‘चाँदनीपन’ तथा ‘समुद्रपन’—( अर्थात् द्वितीय उल्लेख ) ध्वनित होता है । यह उल्लेख व्यङ्ग्यरूपक से मिश्रित है । कीर्तिरूप उपमेय में चन्द्र तथा समुद्ररूप उपमानों का तादात्म्य यहाँ रूपक का स्वरूप है ।

इति रसगङ्गाधरचन्द्रिकायामुल्लेखालङ्कारप्रकरण समाप्तम् ।

~~~~~

उल्लेखालङ्कारनिरूपणानन्तरमपहुत्यलङ्कारनिरूपणं प्रतिजानीते—

अथापह्नुति.—

अपह्नुतिः अपह्नुति-निरूपणम्, अथ आरब्धं वेदितव्यमिति भावः ।

उल्लेख अलंकार का निरूपण कर लेने के बाद अब अपह्नुति अलंकार के निरूपण की प्रतिज्ञा की जाती है—अथ इत्यादि । अब अपह्नुति निरूपण का आरम्भ किया जाता है ।

अपह्नुति-निरूपण-प्रसङ्गे तावत्तल्लक्षणमाह—

उपमेयतावच्छेदकनिषेधसामानाधिकरण्येनारोप्यमाणमुपमानतादा-  
त्म्यमपह्नुतिः ।

उपमेयतावच्छेदकस्य उपमेयवृत्त्यसाधारणधर्मस्य ( मुखत्वादेः ) यो निषेध शब्द-प्रतिपादितोऽर्थबललब्धो वा भावस्तत्सामानाधिकरण्येन तदधिकरणवृत्तित्वेन, आरोप्य-माणम् आहार्यनिश्चयविषयीक्रियमाणम्, उपमानस्य चन्द्रादेः, तादात्म्यम् अभेदः, अपह्नुत्यलङ्कार इत्यर्थः । यस्मिन्नाधिकरणे मुखत्वादेनिषेध शब्दतोऽर्थतो वा प्रतिपाद्यते तस्मिन्नेवाधिकरणे ( मुख्वादावुपमेयभूतपदार्थे ) चन्द्रादेरुपमानस्य तादात्म्यमारोप्यमाण-मपह्नुतिरिति भावः ।

अपह्नुति अलंकार निरूपण प्रसङ्ग में सर्वप्रथम उसका ( अपह्नुति का ) लक्षण किया जाता है—उपमेयतावच्छेद इत्यादि । जिस मुख आदि अधिकरण में उपमेयवृत्ति-असा-धारणधर्म ( मुखत्व आदि ) का निषेध शब्दतः अथवा अर्थतः किया जाता हो उसी में

(मुख आदि में) आरोपित किया जाता हुआ उपमान (चन्द्र आदि) का अमेद अपहृति अलकार कहलाता है।

लक्षण विवेचयति—

रूपकवारणाय तृतीयान्तम् । अस्यां चोपमेयतावच्छेदकस्य निषेधादुपमेयतावच्छेदकोपमानतावच्छेदकयोर्विरोधो गम्यते । रूपके तु तयोः सामानाधिकरण्यप्रत्ययात् स निवर्तते ।

रूपकवारणायैतिभ्रान्त्यादेरप्युपलक्षणम् । तदुपपादयति—अस्या चेति । स विरोधः । 'नेदं मुख किन्तु चन्द्रः' इत्याद्यपहृतौ मुखत्वादेर्निषेध इति मुखत्वचन्द्रत्वयोर्विरोधो व्यक्तो भवति । 'मुख चन्द्रः' इत्यादिरूपके पुनर्मुखत्व-चन्द्रत्वयोरेकाधिकरणवृत्तित्वाप्रतीतेरविरोध एव भासते । 'चन्द्रधिया चकोरास्त्वन्मुखमभिधावन्ति' इत्यादिभ्रान्तिमत्यपि तयोर्विरोधो नैव भासते, मुखत्वस्य शब्दतः अप्रतीयमानत्वेन प्रतियोग्यप्रसिद्ध्या अर्थतश्च निषेधाभावात् । तथा चोपमेयतावच्छेदकोपमानतावच्छेदकगतमियोविरोधव्यक्तिपर्यवसाय्यर्थकलक्षणघटकतृतीयान्तभागेन रूपकभ्रान्तिमदादिवारण भवतीति भावः ।

लक्षण का विवेचन किया जाता है—रूपक इत्यादि । पूर्वोक्त अपहृति-लक्षण में 'जिस अधिकरण में उपमेयतावच्छेदक का निषेध किया जाता हो' इतना अंश रूपक में अति-प्रसङ्ग का वारण करने के लिये कहा गया है । अभिप्राय यह कि अपहृति में उपमेयतावच्छेदक का निषेध होने से उपमेयतावच्छेदक तथा उपमानतावच्छेदक का परस्पर-विरोध व्यक्त होता है अर्थात् 'मुख नहीं, चन्द्र है' इत्यादि अपहृति में जब 'मुख नहीं' के द्वारा मुखत्व का निषेध कर दिया जाता है तब यह साफ झलक उठता है कि मुखत्व तथा चन्द्रत्व परस्परविरोधी पदार्थ हैं, अन्यथा उक्त निषेध करने की आवश्यकता ही क्या थी, 'मुख-चन्द्र है' ऐसा ही कहते । रूपक में तो उपमेयतावच्छेदक तथा उपमानतावच्छेदक का साथ साथ एक स्थल में रहना प्रतीत होता है, अतः उन दोनों का विरोध नहीं व्यक्त होता, अपितु अविरोध ही भासित होता है, अर्थात् 'मुख चन्द्र है' इत्यादि रूपक में मुखत्व तथा चन्द्रत्व की एक ही मुख में जब प्रतीति होती है तब उन दोनों का अविरोध ही सिद्ध होता है । इस तरह यह सिद्ध हुआ कि अपहृति-लक्षण के उक्त अंश—जिसका पर्यवसित अर्थ उपमेयतावच्छेदक और उपमानतावच्छेदक का पारस्परिक विरोध व्यक्त होना है—से रूपक का वारण हो जाता है । रूपक का ही नहीं, किन्तु भ्रान्तिमत् आदि का भी वारण उसी अंश से होता है, क्योंकि वहाँ भी उपमेयतावच्छेदक तथा उपमानतावच्छेदक का विरोध व्यक्त नहीं होता । वस्तुतः वहाँ उपमेयतावच्छेदक की प्रतीति ही भ्रान्त को नहीं होती, फिर उसके साथ किसी का विरोध भासित होगा कैसे ?

लक्ष्यप्रदर्शनायाह—

उदाहरणम्—

उदाहरण, जैसे—

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'स्मितं नैतत् किन्तु प्रकृतिरमणोयं विकसितं

मुखं व्रूते मूढः कुमुदमिदमुद्यत्परिमलम् ।

स्तनद्वन्द्वं मिथ्याकनकनिभमेतत्फलयुगं

लता रम्या सेयं भ्रमरकुलनम्या न रमणी॥'

एतत् अनुभूयमानं वस्तु, स्मितम् ईषद्वास, नास्ति; किं तु, प्रकृत्या स्वभावेन

रमणीयम् सुन्दरम्, विकसितम् विकासः अस्ति, मूढं मूर्खं, सुखं ब्रूते कथयति, नेदं सुखमिति यावत्, किं तर्हि? उच्यत्परिमलम् प्रसरत्सुगन्धम्, कुमुदम्, इदम्, अस्ति, स्तनद्वन्द्वम् कुल्युगलं, मिथ्या, स्तनद्वन्द्वकथनमसत्यम् इति यावत् (स्तनद्वन्द्वं नास्ति), किं तर्हि? कनकनिभम् सुवर्णप्रभम्, फलयुगम्, एतत्, अतः, इयं समक्षस्थिता, रमणी कामिनी, नास्ति अपि तु, अमराणां, कुलेन समूहेन, नम्या नम्रीभावं नीयमाना, सा प्रसिद्धा, लता, इयम्, अस्तीत्यर्थः ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—स्मितम् इत्यादि। यह मन्दहास नहीं, अपितु स्वभाव-सुन्दर विकास है। मूर्खजन इसको सुख कहता है, वस्तुतः यह सुगन्धों को विखेरता हुआ कुमुद-पुष्प है। स्तन-युगल कहना झूठा है, यह तो सुवर्ण सी कान्ति-वाला फलयुगल है। अतः यह अमर-समूह से नम्र बनाई जानेवाली रमणीय लता है, रमणी नहीं।

अत्र स्पष्टत्वाल्लक्षणसमन्वयमुपेक्ष्य भेदमुपपादयति—

इयं चानुग्राह्यानुग्राहकभावापन्नावयवकसङ्घातात्मकतया सावयवा ।

इयं चेति। उदाहृता चेत्यर्थः। अवयवकेति। बहुव्रीहिणा सङ्घातविशेषणम्। 'स्मितम्—' इति श्लोके उपमेयतावच्छेदकीभूतानाम् स्मितत्वादीनाम् निषेधव्याधिकरणेषु स्मितादिषु उपमानानाम् विकासादीनाम् तादात्म्यस्यारोप्यमाणत्वादपह्नुति स्पष्टा। सा चात्र सावयवा, साध्य-साधकभावापन्नावयवकसमूहरूपत्वादिति भावः ।

यहाँ स्पष्ट होने के कारण लक्षण समन्वय का उपपादन न करके भेद का उपपादन किया जाता है—इयं च इत्यादि। 'स्मितम्—' इस पद्य में मन्दहास आदि रमणी पर्यन्त जिन अधिकरणों में स्मितत्व आदि उपमेयतावच्छेदकों का निषेध किया जाता है उन्हीं में विकास आदि लता पर्यन्त उपमानों का तादात्म्य आरोपित होता है, अतः अपह्नुति स्पष्ट है। वह अपह्नुति भी यहाँ 'सावयवा' है, क्योंकि यह अपह्नुति ऐसी अपह्नुतियों का समूहरूप है जो परस्पर समर्थ-समर्थकभाव से युक्त है, अर्थात् यहाँ चारों चरणों में चार भिन्न भिन्न अपह्नुतियाँ हैं जिनमें प्रथम तीन अपह्नुतियाँ चतुर्थ अपह्नुति का समर्थन करती हैं।

भेदान्तरमुदाहर्तुमाह—

निरवयवेयं यथा—

निरवयवा अपह्नुतिर्येति भावः ।

निरवयव अपह्नुति, जैसे—

उदाहरणमुपन्यस्यति—

‘श्यामं सितञ्च सुदृशो न दृशोः स्वरूपं

किं तु स्फुटं गरलमेतदथामृतं च ।

नो चेत् कथं निपतनादनयोस्तदैव

मोहं मुदं च नितरां दधते युवानः ॥’

कवेरकिं—सुदृशं सुनयनाया नायिकाया, दृशो. नयनयो, अंशभेदेन श्यामम्, सितम् शुक्लम्, च स्वरूपम् स्वाभाविक रूपं नास्ति, किं तु एतत् श्यामं सितं च, गरलम् विषम्, अयं अमृतं, च, स्फुटम् स्पष्टम्। विपक्षे वाचकमाह—नो चेदिति। अत्रेति

एव युवान', कथम्, नितराम् अत्यन्तम्, मोहम् मूर्च्छाम्, मुदम् हर्षम्, च, दधते धारयन्ति प्राप्नुवन्तीत्यर्थ ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—श्यामम् इत्यादि । कवि की उक्ति है कि श्याम और श्वेत सुनयना के नयनों का स्वरूप नहीं है, किन्तु स्पष्ट है कि यह विप तथा अमृत है । कारण, यदि ऐसा न हो तो इन आँखों के पतन से तत्काल ही युवकगण मोह और हर्ष को कैसे प्राप्त करते हैं ? क्योंकि यह विप तथा अमृत का ही काम है ।

अत्रापि निरवयवत्वस्य स्फुटतया तदुपपादनमुपेक्ष्य प्राग्बद् भेदमाह—

अत्र प्रतिज्ञानार्थवैपरीत्ये बाधकोपन्यासाद्धेतुत्वपहृतिः ।

'श्याम सितम्' इत्यत्र श्यामत्वसितत्वरूपोपमेयतावच्छेदकनिषेधसामानाधिकरण्येन गरलामृतरूपयोरुपमानयोस्तादात्म्यस्य ब्रमश आरोप्यमाणत्वादपहृतिः । सा च निरवयवा, अपहृतिसङ्घातात्मकत्वाभावात् । प्रतिज्ञातस्य गरलामृतादात्म्यरूपस्यार्थस्य वैपरीत्ये 'नो चेत्' इत्यादिना बाधकहेतोरुपवर्णनात् हेत्वपहृतिशब्देनेयमपहृतिर्व्यवहियत इति भाव ।

यहाँ भी निरवयवत्व स्पष्ट है, अतः उसका उपपादन न करके अन्य विशेष बतलाया जाता है—अत्र इत्यादि । 'श्यामम्—' इस पद्य में श्यामत्व आदि उपमेयतावच्छेदक का निषेध करके विष आदि उपमान के तादात्म्य का आरोप किया गया है, अतः अपहृति है और वह भी निरवयव है, क्योंकि यह समर्थ-समर्थकभावयुक्त अपहृतियों का समूहरूप नहीं है, यहाँ की अपहृति को 'हेतु अपहृति' भी कहा जाता है । कारण, यहाँ विष तथा अमृत होने की जो प्रतिज्ञा की गई है उसके विपरीत पद्य ( श्याम तथा शुद्ध नयनों का स्वरूप ही है इस पद्य ) में बाधक हेतु का वर्णन 'नो चेत्' इत्यादि द्वारा किया जाता है ।

अपहृतिभेदानाच्छे—

अस्यां च नवादिभिः साक्षात्, परमतसिद्धत्वाद्यपन्यासैश्च किञ्चिद् व्यवधानेन विषयस्य निषेधे बोध्यमाने प्रायशो वाक्यस्य भेदः । मिषच्छलच्छद्भ्रकपटव्याजवपुरात्मादिशब्दैस्तु तस्मिन्स्तस्यैक्यम् । क्वचिदपह्वपूर्वकत्वं क्वचिच्चारोपपूर्वकत्वम् क्वचिद्विषयिताद्रूप्यविषयनिषेधयोरेकस्य शाब्दत्वमेकस्यार्थत्वम् क्वचिदुभयोः शाब्दत्वमथोभयोरार्थत्वं विधेयत्वमनुवाद्यत्वं चेति । एवमनेके प्रकाराः सम्भवन्ति ।

किञ्चिदिति । भ्रान्त्यादीत्यर्थ । तस्मिन् तद्विषेधे । तस्य वाक्यस्य । निषेधयोरिति । मध्य इति शेष । अयेति । क्वचिदित्यर्थ । अनुवाद्यत्वं चेति । उभयोरप्यनुवाद्यत्वं विधेयत्वं चेत्यर्थ । अयमपहृत्यलङ्कारस्तावद् द्विविधः, एकत्र वाक्यभेदोऽपरत्र वाक्यैक्यम् । तत्र यत्र नञ्-शब्दादिभिः, साक्षात् उपमेयस्य निषेध, 'परे एव वदन्ति ( नाहमेवं वदामि )' इत्याद्यनुवादेन भ्रान्त्याद्यलङ्कारान्तर मध्ये निबध्य ततो वा उपमेयस्य निषेधः, तत्र प्रायो वाक्यभेदो भवति । यत्र तु मिषच्छलादिशब्दैरुपमेयस्य निषेधस्तत्र वाक्यैक्यम् भवति । प्रकारान्तरेणापि अपहृतेर्भेदा भवन्ति । यथा कुत्रचित् प्रथममुपमेयस्य निषेधस्तत् उपमानतादात्म्यस्यारोप, कुत्रचित्प्रथममारोप एव ततो निषेध, एव कुत्रचित् उपमानतादात्म्योपमेयनिषेधयोर्मध्ये एकस्य शब्दतः प्रतिपादनमपरस्यार्थतोऽवगमः, कुत्रचित् तयोर्द्वयोः शब्दत एव प्रतिपादनम्, कुत्रचिच्च द्वयोरर्थत एव बोधः, एवं कुत्रचित् उपमेय-उपमानतादात्म्ये विधेये प्रधाने ( अनुवाद्यकोटिप्रविष्टत्वेन गुणीभूतेन ) भवतः, कुत्र-

विच्च ते उभे अपि अनुवाये गुणीभूते तिष्ठत । इत्थं च बहवो भेदा अपहृतेर्भवितु-  
मर्हन्तीति भावः ।

अपहृति अलङ्कार के भेद किये जाते हैं—अस्यां च इत्यादि । इस अपहृति में जब 'नञ् ( नहीं )' आदि शब्दों द्वारा साक्षात्, अथवा 'यह दूसरे कहते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता' इत्यादि रीति से किसी अन्य अलङ्कार ( भ्रान्ति आदि ) को मध्य में लाकर, उपमेय का निषेध ज्ञात कराया जाता है तब प्रायः वाक्य-भेद होता है, अर्थात् उपमेय का निषेध एक वाक्य में और उपमान का ताद्रूप्य दूसरे वाक्य में रहता है । पर जब वही निषेध मिष, छल, छद्म, कपट, व्याज, वपु, आत्मा आदि शब्दों से भवगत कराया जाता है तब वाक्य की एकता होती है, अर्थात् उक्त दोनों बातें एक ही वाक्य में आ जाती हैं । इसके अतिरिक्त कहीं निषेध पहले रहता है, कहीं आरोप पहले । कहीं उपमान का तादात्म्य और उपमेय का निषेध इन दोनों में से एक शब्द द्वारा वर्णित होता है, दूसरा होता है अर्थात् प्राप्त । कहीं दोनों शब्द द्वारा ही वर्णित होते हैं, कहीं दोनों अर्थ-प्राप्त ही रहते हैं । कहीं दोनों विधेय होते हैं, कहीं दोनों अनुवाद्य । इस तरह अपहृति के अनेक प्रकार हो सकते हैं ।

सत्त्वपि पूर्वोक्तेष्वनेकेषु प्रकारेषु न ते सर्वे प्रकारा अलङ्कारत्वेन परिगणयितु-  
मुचिता इत्याह—

परं न ते वैचित्र्यविशेषमावहन्तीत्यगणनीयाः ।

प्रागुक्तां सर्वे प्रकारा सम्भवन्तोऽपि नालङ्कारकोटौ प्रवेष्टुं शक्नुवन्ति, वैचित्र्यविशेषा-  
नाघायकत्वात्, वैचित्र्यविशेषस्यैव चालङ्कारजीवातुभूतत्वादिति भावः ।

अपहृति के जितने प्रकार ऊपर बताए गए हैं, उन सबों की अलङ्कारश्रेणी में गणना करना उचित नहीं, क्योंकि उनमें कोई विलक्षण-वैचित्र्य ( चमत्कार ) नहीं होता और विलक्षण-वैचित्र्य को ही अलङ्कार माना जाता है ।

ते प्रकारा भवन्त्येव नेति शङ्कानिरासाय तेषा दिग्दर्शनं कारयति—

एवमपि दिङ्मात्रमुपदर्शयते—तत्र प्रागुक्तायां सावयवापहृतौ प्रथमावयवेऽ-  
पह्ववपूर्वकत्वमुभयोः शाब्दत्वं विधेयत्वं वाक्यभेदश्च । द्वितीयावयवे तु वक्तृगत-  
मूढतोक्त्या तद्गतभ्रान्तिप्रतिपत्तिव्यवहिता निषेधप्रतिपत्तिरिति निषेध आर्थः ।  
ताद्रूप्यं शाब्दम् । विधेयवाक्यभेदापह्ववपूर्वकत्वानि पूर्ववत् । चतुर्थावयवे पुनरा-  
रोपपूर्वकोऽपह्ववः । उभयोः शाब्दत्वविधेयत्वे वाक्यभेदश्च प्रथमवदेव ।

‘वदने विनिवेशिता भुजंगी पिशुनानां रसनामिषेण घात्रा ।

अनया कथमन्यथाऽवलीढा नहि जीवन्ति जना मनागमन्त्राः ॥’

अत्रैकवाक्यत्वं निषेधताद्रूप्ययोरार्थत्वमनुवाद्यत्व च, निवेशनस्य विधे-  
यत्वात् ।

एवमपीति । चमत्कारित्वाभावेऽपीत्यर्थः । उपदर्शयति इति । उक्तप्रकारजातमिति शेषः ।  
तत्र तेषा मध्ये । प्रथमेति । स्मितमितिपादप्रतिपाद्ये इत्यर्थः । अपहृतेति । निषेधस्य  
प्रागुल्लेखादिति भावः । उभयो ताद्रूप्यनिषेधयो । एतत्पदार्थस्योद्देश्यत्वादाह—विधेयत्व-  
मिति । द्वितीयेति । मुखमिति पादप्रतिपाद्य इत्यर्थः । तुरुक्वैल्लक्ष्ये । तदेवाह—वक्तृ-  
गतेति । तद्गतेति । वक्तृगतेत्यर्थः । आन्तीति । भ्रान्तिमदलङ्कारेत्यर्थः । प्रतिपत्तीति ।  
वैयञ्जनिवोधेत्यर्थः । पूर्ववदिति । प्रथमचरणवदित्यर्थः । स्तनद्वन्द्वमिति पादप्रतिपाद्यतु-  
तोयावयवस्य द्वितीयेन तुल्यत्वात्तमुपेक्ष्याह—चतुर्थेति । लतेतिपादप्रतिपाद्य इत्यर्थः ।  
पुन-शब्दो वैल्लक्ष्ये । आरोपपूर्वक इति । उपमानताद्रूप्यस्य प्रागुक्तेरिति ।



उभयो ताद्रूप्यनिषेधयो । वाक्यैक्यस्योदाहरण सप्रकारभेदमाह—वदन इति । धात्रा विधिना, पिशुनाना, मुखे, रसनामिषेण जिह्वाच्छलेन । भुजङ्गी सर्पिणी, विनिवेशिता स्थापिता । अन्यथा तथात्वाभावे, अनया जिह्वया, श्रवलीढा आस्वादिता लक्ष्यीकृता इति यावत्, जना, अमन्त्रा विफलमन्त्रात्मकप्रतिकारा सन्त कथम्, मनाक् ईषदपि, क्षणमपीति यावत्, न, जीवन्ति प्रियन्त इत्यर्थः । उपपादयति—अत्रैकेति । अनुवाद्यत् चेति क्वचित् पुस्तके 'विधेयत्व च' इति पाठ उपलभ्यते परमसौ न युक्त । असगतत्वात्, 'विनिवेशनस्य' इत्यग्रिमग्रन्थविरोधाच्चेति भावः । 'वदने-' इतिश्लोके 'मिप'पदेन निषेधस्य बोध्यमानतया वाक्यैक्यम् निषेधताद्रूप्ययोरुभयोरर्थादवगमो, न शब्दात्, अर्थावगतयोश्च तयोरनुवाद्यत्वमेवात्र, न विधेयत्वम्, निवेशनस्यैव विधेयत्वादिति साराशः ।

पूर्वोक्त अपहृति के प्रकार हैं अवयव, अलकारकोटि में उनकी गणना भले ही न हो । यहाँ यदि कोई यह कहे कि इतने प्रकार होते ही नहीं तो ऐसा कहने वालों के मुख-सुद्रणार्थ उन प्रकारों का दिग्दर्शन कराया जाता है—एवमपि इत्यादि । देखिए—'स्मितं नैतत्—' यह जो पहले सावयव अपहृति का उदाहरण कहा गया है उसमें चार अवयव हैं जिनमें से प्रथम अवयव—अर्थात् प्रथमचरणगत अपहृति—में अपहृत्वपूर्वक आरोप है—अर्थात् निषेध पहले किया गया है और ताद्रूप्यारोप पीछे एवम् निषेध और ताद्रूप्य दोनों शब्द द्वारा वर्णित हैं और हैं दोनों के दोनों विधेय तथा यहाँ वाक्य-भेद है । दूसरे अवयव—अर्थात् द्वितीयचरणगतअपहृति—में तो वक्ता को मूढ़ कहने के कारण वक्ता का भ्रम ज्ञात होता है और उसके बाद निषेध, अतः निषेध अर्थप्राप्त है और ताद्रूप्य शब्द द्वारा वर्णित । विधेयता, वाक्य-भेद और निषेध का प्रथम होना—ये सब प्रथम अवयव की तरह हैं । अर्थात् इस अवयव में भी निषेध तथा ताद्रूप्य दोनों विधेय हैं, दो वाक्य हैं, और पहले निषेध तब आरोप होता है । तृतीय चरणगत अपहृति में सभी बातें द्वितीय अवयव की सी ही हैं । चतुर्थ अवयव अर्थात् चतुर्थ चरणगत अपहृति—में फिर रीति बदल जाती है अर्थात् वहाँ पहले आरोप है और निषेध पीछे । और निषेध-आरोप दोनों का शब्द द्वारा वर्णित होना, विधेय होना और वाक्य भेद ये सब प्रथम अवयव के समान ही हैं । एक उदाहरण और देखिए—'वदने—अर्थात् विधाता ने जिह्वा के मिष ( छल ) से चुगलखोरों के मुख में सर्पिणी रख दी है । अन्यथा इस जिह्वा से आस्वादित—इसके चक्कर में पड़े हुए—जन अमन्त्र अर्थात् मन्त्रात्मक प्रतिकार से भी निराश होकर कुछ देर भी क्यों नहीं जीते ।' यहाँ एकवाक्यता है अर्थात् 'उपमेय ( जिह्वा )' का निषेध, और 'उपमान ( सर्पिणी )' का ताद्रूप्य दोनों एक ही वाक्य में आए हैं । दोनों ( निषेध तथा ताद्रूप्य ) अर्थप्राप्त और अनुवाद्य हैं । अनुवाद्य इसलिए कि न यहाँ निषेध विधेय है न ताद्रूप्य, किन्तु 'निवेशन ( रखना )' विधेय है । किसी किसी पुस्तक में 'अनुवाद्यत्व च' की जगह पर 'विधेयत्व च' ऐसा पाठ प्राप्त है, पर वह असङ्गत है, क्योंकि आगे साफ लिखा जा रहा है कि "निवेशन' विधेय है ।"

भेदविचार समापयन्नाह—

एवमन्यद्रूप्यह्यम्—

अपहृतेषु प्रकारा उक्तास्तेषु येषामुदाहरणानि प्रदर्शितानि तदतिरिक्तानामुदाहरणादिकम् स्वयमूहनीयमिति भावः ।

उक्त प्रकारों के विषय में अन्य बातें स्वयं समक्षिए ।

लक्षणघटकाहार्यपदार्थं विवृण्वन् तत्फलमाह—

अत्र च लक्षणे आरोप्यमाणमित्यस्याहार्यनिश्चयविषयीक्रियमाणमित्यर्थः ।

'सङ्ग्रामाङ्गणसम्मुखाहतक्रियद्विध्वम्भराधीश्वर-  
व्यादीर्णाकृतमध्यभागविवरोन्मीलन्नभोनीलिमा ।

अङ्गारप्रखरैः करैः कवल्यन् सद्यो जगन्मण्डलं

मार्तण्डोऽयमुदेति केन पशुना लोके शशाङ्कीकृतः ॥'

अत्र च विरहिजनवाक्ये नायं शशाङ्कः, अपि तु सच्छिद्रो मार्तण्ड इति-  
च्छायामात्रमपहृते; न त्वपहृत्यलङ्कारः । तज्ज्ञानस्य दोषविशेषजन्यत्वेनाना-  
हार्यत्वात्, किं तु भ्रान्त्यलङ्कार एव ।

'अलिर्मुगो वा नेत्र वा यत्र किञ्चिद्विभासते ।

अरविन्दं नृगाङ्घो वा सुखं वेदं मृगीदृशः ॥'

इत्यत्र मुखमरविन्दं वेति कविनिद्राहार्यसंशये मुखनिषेधसामानाधिकरण्येन  
विषयीभवतोऽरविन्दतागत्यस्य निश्चयवपयत्वामावात्र सङ्ग्रहः । न चात्र  
विषयनिषेधस्यापदार्थत्व शङ्क्यम्, वाशब्दार्थत्वान् ।

आरोप्यमाणपदस्यार्थ विवृणुने—अत्र च लक्षणे इति । निश्चये आहार्यत्वनिवेशफल-  
माह—तेनेति । नङ्ग्रामेति । नङ्ग्रामाङ्गणे युद्धभूमौ, सम्मुखाहता- सम्मुखयुद्धेन नृता,  
ये, द्वियन्त कतिपये, विश्वम्भराधीश्वरा धरापतय', तै, व्यादीर्णाकृतेन विदारितेन, मध्य-  
भागेन, यद् विवरम्, तत्मान्, उन्मीलन् प्रकाशमान, नभोनीलिमा आकाशान्त्यगुणो  
यस्य तादृश, तथा, अङ्गारप्रखरैः अङ्गारवत्कीर्णैः, करैः किरणैः, जगन्मण्डलम्, सद्यः  
साक्षात्, स्वलयन् मध्ययन्, अयं प्रत्यक्षं दृश्यमान, मार्तण्डः सूर्यः, उदेति, केन पशुना  
लज्जया पशुवदज्ञानेन, लोके, अयम्, शशाङ्कीकृत- शशाङ्कश्चन्द्रः स यो न भवति तं तथा  
कृतागत्यर्थः । उपपादयति—अत्रेति । संग्रामेतिपद्य इति तदर्थः । छायामात्रम्  
सादृश्यमात्रम् । तज्ज्ञानस्येति । सच्छिद्रमार्तण्डज्ञानस्येत्यर्थः । दोषविशेषेति । विरहेत्यर्थः ।  
अनाहार्यत्वान् इति । इच्छाजन्यत्वाभावेनेति भावः । विरहिजनोक्ते 'सङ्ग्राम—' इति-  
श्लोकाक्ये 'नायं चन्द्रः किंतु सविवर सूर्यः' इत्याचारकोऽपहृत्वो यद्यप्यापाततः प्रतीयते,  
तथापि वस्तुतो नापहृत्, मार्तण्डतादात्म्यनिश्चयस्य विरहजन्यत्वेनानाहार्यत्वान् । तथा च  
दोषविशेषजन्यस्य सादृश्यमूलजन्य उपमेये उपमानभ्रमस्य सत्त्वाद् भ्रान्तिमान् अलङ्कार  
एवात्रेति साराशः । आरोप्यमाणपदार्थकृद्भ्रान्तौ ज्ञानभ्रमपहाय निश्चयत्वस्य निवेश्यमानस्य  
फलमाह—अलिरिति । व्याख्यातमिदं पद्यननुपदं समन्वेहालङ्कारप्रकरण इति नेह पुनर्व्या-  
ख्यायते । प्रकृतमुपपादयति—अत्रेत्यादिना । 'अलि—' इतिपद्येऽपि 'सुखम् क्मलम् वा'  
इत्याचारकः कविचमवेतं ज्ञान वर्णितम् तत्र च ज्ञाने उपमेयमुखनिषेधाधिकरणवृत्तितया  
उपमानभ्रमकमलतागत्य विषयीभवति यद्यपि, तथापि न तत्रापहृति, तस्य ज्ञानस्य  
सगयहृतया निश्चयान्मकनाविरहान् । उपमेयनिषेधोऽत्र न कस्यापि पदस्यार्थः, एवञ्च  
तावत्तत्रापि नापहृतिरिति तदर्थं निश्चयत्ववर्त्यन्तानुवाकं व्यर्थमिति न शङ्क्यम्, तद्विषयस्य  
वापदार्थत्वादिति भावः ।

लज्जं मे भाए हूप 'आरोप्यमाण' पदं के अर्थ का स्पष्टीकरण करते हुए उसका फल  
द्विगताते हैं—अत्र च इत्यादि । इस अपहृति-लज्जं मे 'आरोप्यमाण—अर्थात् आरोपित  
क्रिया जानेवाला' शब्द का अर्थ है 'आहार्यनिश्चय का विषय क्रिया जाना ।' तात्पर्य यह  
कि वह पदार्थ ऐसा होना चाहिए जिसका निश्चय अपनी इच्छा से वक्ता ने (शुद्ध ही सही  
पर) कर लिया हो । उक्त पद का ऐसा अर्थ करने का फल यह हुआ कि 'संग्रामाङ्गण  
अर्थात् समरभूमि में सम्मुख मारे गए कितने ही राजाओं द्वारा विदीर्ण किए गए मध्यभाग

के छिद्र से आकाश की नीलिमा प्रकट हो रही है। उस नीलिमा से युक्त यह सूर्य अंगारों के समान तीक्ष्ण किरणों से भुवन-मण्डल को तत्काल भस्मसात् करता हुआ उदित हो रहा है। किस पशु ने इसे चन्द्रमा न होते हुए भी संसार में चन्द्रमा कर दिया ? इस विरही के वाक्य में अपहृति अलंकार नहीं होता, क्योंकि यहाँ जो विरही को 'यह चन्द्रमा नहीं, किंतु छिद्रसहित सूर्य है' ऐसा निश्चय होता है वह विरहरूपदोष के कारण, अतः वह आहार्य ( इच्छाजन्य ) नहीं है। हाँ, अपहृति की छाया यहाँ अवश्य है, पर वस्तुतः अलंकार यहाँ आन्तितमान् ही है। दूसरा फल यह हुआ कि—'अलिङ्गो वा—' यह पद्य जिसकी व्याख्या ससंदेहालंकारप्रकरण में की जा चुकी है—अपहृति कोटि में सगृहीत नहीं होता। कारण, यहाँ जो कवि को 'यह मुख है अथवा कमल' ऐसा आहार्यज्ञान होता है उसमें यद्यपि मुख के निषेध के साथ ही कमल का ताद्रूप्य भी विषय हुआ है, तथापि वह ज्ञान आहार्यसंशय है, आहार्यनिश्चय नहीं। यहाँ उपमेय-मुख का निषेध किसी पद का अर्थ नहीं—अर्थात् निषेध-वाचक कोई पद यहाँ नहीं है, यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 'वा' शब्द का अर्थ भी एक प्रकार से निषेध ही होता है—यदि कवि को मुख का निषेध करना अभीष्ट न होता तब 'अथवा' कह कर उसका उल्लेख करने की क्या आवश्यकता थी ?

दीक्षितमतमनूय खण्डयति—

यत्तु कुवलयानन्दाख्ये सन्दर्भे अप्यदीक्षितैरपहृतिप्रभेदकथनप्रस्तावे पर्यस्तापहृत्याख्यं भेद निरूपयद्भिरभिहितम्—

'अन्यत्र तस्यारोपार्थः पर्यस्तापहृतिस्तु ऽपि सः ।

नायं सुधांशुः किं तर्हि सुधांशुः प्रेयसीमुखम् ॥' इति ।

अत्र चिन्त्यते—नायमपहृतेर्भेदो ऽवक्तुं युक्तः, अपहृतिसामान्यलक्षणान् क्रान्तत्वात् । तथा हि 'प्रकृतं यन्निषिध्यान्यत्साध्यते सा त्वपहृतिः, उपमेयमसत्यं कृत्वा उपमानं सत्यतया यत्स्थाप्यते साऽपहृतिः' इति काव्यप्रकाशोक्तलक्षण-बहिर्भावस्तावत् स्फुट एव । एवं 'विषयापहृते वस्त्वन्तरप्रतीतावपहृतिः' इत्य-लङ्कारसर्वस्वोक्तं लक्षणमपि नात्र प्रवर्तते ।

'प्रकृतस्य निषेधेन यदन्यत्वप्रकल्पनम् ।

साम्यादपहृतिर्वाक्यभेदाभेदवती द्विधा ॥'

इति चित्रमीमांसागतं तन्निमित्तमपि लक्षणमिह तथैव । तस्मात् 'नायं सुधांशुः किं तर्हि सुधांशुः प्रेयसीमुखम्' इत्यत्र दृढारोपं रूपकमेव भवितुमर्हति, नापहृतिः । उपमेयतोपमानतावच्छेदकयोः सामानाधिकरण्यस्य निष्प्रत्यूहं भानात् । तदुक्तं विमर्शिन्याम्—'न विषं विषमित्याहुर्ब्रह्मस्वं विषमुच्यते ।' अत्र विषस्य निषेधपूर्वं ब्रह्मस्वविषये आरोप्यमाणत्वाद् दृढारोपं रूपकमेव, नापहृतिः ।' इति । यदि च प्राचीनमतमुपेक्ष्यालङ्काररत्नाकरेणैव मयाऽप्ययं प्रकारोऽपहृतिमध्ये गणित इत्युच्यते, तदा आहार्यताद्रूप्यनिश्चयस्य समानत्वाद्रूपकभेद एवापहृतिरित्युच्यताम् । निरस्यतां च प्राचीनमुखदाक्षिण्यम् । एवमपि चित्रमीमांसागतत्वन्निमितापहृतिलक्षणस्यात्राव्याप्तिः स्थितैव । अपि च यदि 'नायं सुधांशुः किं तर्हि सुधांशुः प्रेयसीमुखम्' इत्यत्र पर्यस्तापहृतिरित्युच्यते, तदा तस्यामेव त्वत्कृतचित्रमीमांसागतस्य—

'विम्बाविशिष्टे निर्दिष्टे विषये यद्यनिहृते ।

उपरञ्जकतामेति विषयी रूपकं तदा ॥'

इति रूपकलक्षणस्यातिव्याप्तिर्वज्रलोपायिता स्यात्, विषयिणो निह्वेऽपि विषयस्यानिह्वुतत्वान् । अद्यापि चित्रमीमासायां प्राचीनमतानुसारेण रूपकलक्षणम्, कुत्रलयानन्दे च रत्नाकराद्यनुसारेणापह्नुतित्वोक्तिरिति यथाकथञ्चित् सामञ्जस्यं विवेचयामि तिङ् ।

अन्यत्रेति । अन्यत्र उपनेये आरोपार्यं उपमानतादृश्यारोपप्रयोजनकं, तस्य उपमानस्य, च अपह्वं पर्यस्तापह्नुतिरिति लक्षणार्थं । उत्तरार्धेनोदाहरणमाह—नायमिति । अयं गगनस्य, सुधांशु चन्द्रो, न, किं प्रेयसीनुखं सुधांशुः इत्यर्थः । खण्डयितुमाह—अत्र चिन्त्यत इत्यादि । 'नायं सुधांशुः—' इत्यत्रापह्नुतिर्न भवितुमर्हति, तत्रापह्नुति-नानान्यलक्षणाप्रसङ्गेरिति भावः । अप्रसज्यमानानि नानाविधानि लक्षणान्युद्धरति—तथाहि इत्यादिना । 'प्रकृत—' इति । इयं नन्मदभक्ष्य कारिका, प्रकृतम् उपनेयम् । अन्यत् उपमानम् । उपनेयमसत्यमिति । कारिकाकारकृतं कारिका-विवरणमेतत् । विषयपह्व इति । विषयस्य उपनेयस्य, अपह्वे सति वत्त्वन्तरस्य उपमानस्य, प्रतीतौ, जायमानायाम्, अपह्नुतिरलङ्कारो भवतीत्यर्थः । प्रकृतस्य निषेधेनेति । प्रकृतस्य उपनेयस्य निषेधेनतद्द्वारेत्यर्थः, सान्यात् सादृश्यमूलकम्, यत्, अन्यत्वस्य उपमानत्वस्य, प्रकल्पनम्, ना, अपह्नुति एकवाक्यगतत्वेन भिन्नवाक्यगतत्वेन च द्विप्रकारिकेत्यर्थः । उपरि समुद्धृताणि त्रिष्वपि अपह्वते सानान्यलक्षणानि 'नायं सुधांशुः—' इत्यत्र न संबन्धे, सर्वत्रोपनेय-निषेधस्य निवेशान्, प्रकृते चोपमानस्यैव निषेधेनोपनेयस्यानिषेधादिति सारांशः । उप-सहरति—तस्मादिति । द्यारोपमिति । आरोपदार्ढ्यसम्पादकमित्यर्थः । रूपकस्य सत्त्वेऽपह्वतेष्वसत्त्वे हेतुनोपन्यस्यति—उपनेयतेति । 'नुखत्वसुधांशुत्वयोरैकाधिकरणवृत्तितया निर्विन्न भासमानत्वादित्यर्थः । अत्रार्थे प्राचीनोक्तिं सवाद्यति—तदुक्तमिति । न विषमिति । विषं, विषं, न आहु कथयन्ति, ब्रह्मत्वं ब्राह्मणस्वामिकं घनम् । विषम्, लब्धते कथ्यते इत्यर्थः । विषभोक्तुः कथञ्चिन्नाशेऽपि ब्रह्मत्वभोक्तुर्नाशो भूव इति तद्भावः । अत्रत्यं विमर्शिनीकारकृतमुपपादकमुद्धरति—अत्रेति । विषस्य उपमानतया विवक्षितस्य । ब्रह्मत्वविषये इति । ब्रह्मत्वस्ये उपनेये इत्यर्थः । आरोप्यमाणत्वादिति । विषस्येति पूर्वोक्तान्वयः । यथा युक्त्या 'न विषम्—' इत्यत्रापह्वतेरसत्त्वं रूपकस्य च सत्त्वम् विमर्शिनीकारोऽसावयत्, तथैव युक्त्या 'नायं सुधांशुः—' इत्यत्रापि तथा निदधतीति परमार्थः । अत्र 'इदं चिन्त्यम्—नेदं नुखं चन्द्र इति प्रसिद्धापह्वुत्वाहारणेऽपि नुखनिषेधस्य चन्द्रारोपदार्ढ्यसम्पादकत्वस्य वक्तुं शक्यत्वेनानुभवसिद्धत्वेन चापह्नुतिमात्र-स्योच्छेदापत्तेः । यदि तु निषेधपूर्वकारोच्ये चमत्कारविशेषत्वानुभवसिद्धत्वादलङ्कारान्तरत्वं तर्हि प्रकृतेऽपि तुल्यमिति ।' इति नागेशः । वस्तुतस्तु 'नेदं नुखं, चन्द्रः' इति प्रसिद्धापह्वुत्वाहारणे उपनेयतावच्छेदकस्य नुखत्वस्य निषेधे स्पष्टं, अतोऽत्र रूपककथनं दुराग्रह-मात्रम्, 'विषये यच्चनिह्वते' इति दीक्षितवृत्तरूपकलक्षणानुसारमपि विषयनिषेधस्य रूपक-विवरोषित्वात् । विषयनिषेधस्य रूपकदार्ढ्यसम्पादकत्वमित्युक्तिरपि चक्षुषोर्वृत्तिप्रक्षेप एव । विषये निषेधे कोपमानतादात्म्यारोपः ? तादात्म्यारोप एव चासिद्धे का पुनस्तस्य दार्ढ्यसम्पादनाशा ? 'नायं सुधांशुः—' इत्यत्र तु 'प्रेयसीनुखं सुधांशुः' इति रूपक चादिप्रतिवादिविषया स्फुटमेव सिद्धयति, 'नायं सुधांशुः' इति गगनस्थितस्य चन्द्रस्य हृते कृते निषेधे प्रकृतारोपदार्ढ्याय एवेति स्वान्तरणायमन्मानेनापीति मारिका विनृशन्तु । ननु वस्तुनिष्ठतेरेवानन्दोदकात्वात् प्रसिद्धापह्वुत्वाहारणे चोपनेयतावच्छेदकस्य नुखत्वस्य निषेधे स्पष्टं, अतोऽत्र रूपककथनं दुराग्रह-मात्रम्, 'विषये यच्चनिह्वते' इति दीक्षितवृत्तरूपकलक्षणानुसारमपि विषयनिषेधस्य रूपक-विवरोषित्वात् । विषयनिषेधस्य रूपकदार्ढ्यसम्पादकत्वमित्युक्तिरपि चक्षुषोर्वृत्तिप्रक्षेप एव । विषये निषेधे कोपमानतादात्म्यारोपः ? तादात्म्यारोप एव चासिद्धे का पुनस्तस्य दार्ढ्यसम्पादनाशा ? 'नायं सुधांशुः—' इत्यत्र तु 'प्रेयसीनुखं सुधांशुः' इति रूपक चादिप्रतिवादिविषया स्फुटमेव सिद्धयति, 'नायं सुधांशुः' इति गगनस्थितस्य चन्द्रस्य हृते कृते निषेधे प्रकृतारोपदार्ढ्याय एवेति स्वान्तरणायमन्मानेनापीति मारिका विनृशन्तु ।

यदि चेति । रत्नाकरेणैवेति । दृष्टान्तोल्लेखात्तदनुरोधेनायं भेदो गणित इति सूचितम् । प्रतिबन्धा जागरूकत्वेन तदपि न सम्भवतीत्याह—तदेति । रूपके यथोपमानाहार्यताद्रूप्य-निश्चयो भवति - तथापहुतावपीति रूपकप्रकारविशेषा एव सर्वा अपहृतय इत्यपि वक्तव्यं भवतेति भाव । ननु प्राचीनसिद्धान्तविरोध इति चेत्तत्राह—निरस्यता चेति । प्राचीना प्रकाशकारादयस्तदनुरोधस्त्यज्यतामिति तात्पर्यार्थः । ननु निषेधपूर्वकारोपे चमत्कारविशेष-स्यानुभवसिद्धत्वेन कथमपलाप, अतो दोषान्तरमाह—एवमपीति । उक्तरीत्या तथा-ङ्गीकारेऽपीत्यर्थः । लक्षणस्येति । ‘प्रकृतस्य निषेधेन—’ इत्यादे प्रागुद्धृतस्येत्यर्थः । अत्रेति । ‘नाय सुधाशु —’ इति लक्ष्ये इत्यर्थः । अव्याप्तिरिति । प्रकृतनिषेधाभावादिति भाव । दोषान्तरमाह—अपि चेति । तस्यामेवेति । पर्यस्तापहुतावेत्यर्थः । ‘विम्बाविशिष्टे—’ इति । रूपकप्रकरणे समृद्धता व्याख्याता चेत्य कारिका । वज्रलेपायितेति । दुर्वारत्यर्थः । अतिव्याप्तेर्वज्रलेपायितत्वे हेतुमाह—विषयिण इति । ‘नाय सुधाशु —’ इत्यत्र सुधाशो-रुपमानस्य निषेधेऽपि मुखस्योपमेयस्यानिषिद्धतया त्वदुक्तलक्षणप्रसक्तेरतिव्याप्तिरिति भावः । दीक्षितहृदयमुद्धाटयति—अथापीति । रत्नाकरादीति, आदिना दण्डिग्रहणम् । इत्य हि काव्यादर्शे ( २।३०४ ) तेनोक्तम्—‘अपहृतिरपहुत्य किञ्चिदन्यार्थसूचनम्’ इति । यथा कथञ्चित् सामञ्जस्यमिति । अत्र “एतदनन्तरमत्र किञ्चित्पतितम् । तत्सर्वपुस्तके दुर्लभमेव अनन्तर ‘विधेयमिति दिक्’ इति ग्रन्थः ।” इति नागेश ।

अनुवाद करके दीक्षितमत का खण्डन किया जाता है—यत्तु इत्यादि । ‘कुवल्या नन्द’ नामक ग्रन्थ में अप्पय दीक्षित ने अपहृति के भेद कहने के प्रसङ्ग पर ‘पर्यस्ता-पहृति’ नामक भेद का निरूपण करते हुए कहा है कि “अन्यत्र—अर्थात् उपमेय में उप-मान का आरोप करने के लिए ( उपमान के ) अपहृत् को ‘पर्यस्तापहृति’ कहते हैं, जैसे यह आकाश में स्थित चन्द्रमा, चन्द्रमा नहीं है, तो फिर चन्द्रमा क्या है ? प्रियतमा का मुख” उक्त दीक्षित-कथन पर विचार किया जाता है—‘नाय सुधाशु—’ को अपहृति का भेद कहना समुचित नहीं, क्योंकि इसमें अपहृति का सामान्य लक्षण संघटित नहीं होता । देखिए—‘प्रकृतं प्रतिषिध्य—अर्थात् उपमेय को मिथ्या कहकर उपमान का सत्य-तया स्थापन करना अपहृति है ।’ यह लक्षण काव्यप्रकाशकार मम्मट ने किया है । ‘विषयापहृत्वे—अर्थात् उपमेय के छिपाने पर अन्य वस्तु की प्रतीति को अपहृति कहते हैं ।’ यह लक्षण सर्वस्वकार ने बनाया है । स्वयं दीक्षित जी ने ‘चित्रमीमांसा’ में ‘उप-मेय का निषेध करके, सादृश्य के कारण, अन्य होने की कल्पना को अपहृति कहते हैं । वह कहीं एकवाक्यगत कहीं दोवाक्यगत होने से दो तरह की है ।’ यह लक्षण लिखा है । ये तीनों ही अपहृति के सामान्य लक्षण प्रकृत में संघटित नहीं होते । कारण, इन तीनों ही लक्षणों में उपमेय का निषेध आवश्यक माना गया है और यहाँ (‘नाय सुधाशु’ में ) उपमेय का निषेध नहीं हुआ है । अतः ‘नायं सुधाशुः—’ इस वाक्य में दृढारोप रूपक ही होना उचित है, अपहृति नहीं । कारण, यहाँ उपमेयतावच्छेदक ( मुखत्व ) और उपमानतावच्छेदक ( चन्द्रत्व ) दोनों का एक अधिकरण ( आधार ) में रहना—जो रूपक का साधक है—निर्विघ्न रूप से भासित होता है—अर्थात् उपमान उपमेय का विरोध—जो अपहृति का साधक होता है—यहाँ भासित नहीं होता । यहाँ यात ‘विमर्शिनी’ में उपलब्ध भी होती है—“न विषम्—अर्थात् जहर को जहर नहीं कहते अपि तु ब्राह्मण के धन को जहर कहते हैं, यहाँ पहले विष का निषेध कर अनन्तर उसका ‘द्वन्द्वस्वरूप उपमेय में आरोप किया जा रहा है, अतः यहाँ दृढारोप रूपक ही है, अपहृति नहीं ।” यदि आप कहें कि—‘अलङ्कार-रत्नाकर’ की तरह मैंने भी प्राचीन मत की उपेक्षा करके इस भेद को अपहृति में ही गिना है, तो मैं कहूँगा कि आहार्य ताद्रूप्य का निश्चय तो

अपहृति में भी वैसा ही रहता है जैसा रूपक में, अतः अपहृति को भी रूपक का ही भेद कह दीजिए और प्राचीनों का मुँह जोहना छोड़ दीजिए । यदि आप निषेधपूर्वक आरोप में विलक्षण चमत्कार अनुभूत होने की बात कहकर उक्त प्रतिबन्दी से वचना चाहें तो वचन सक्त हैं, पर अन्य आपत्ति से नहीं बच सकते—अर्थात् 'प्रकृतस्य निषेधेन—' इस पूर्वोद्धृत चित्रमीमांसागत आपके लक्षण की अव्याप्ति यहाँ हो ही जायगी, तात्पर्य यह कि जब आप 'नाय सुधाशु —' को अपहृति का भेद मानते हैं—तब उसमें आपका सामान्य अपहृति-लक्षण सवदित हो यह उचित है, पर ऐसा होता नहीं—यह दोष आपके मत में होगा ही । इतना ही नहीं, यदि आप 'नाय सुधाशु —' में 'पर्यस्तापहृति' कहते हैं, तब उसी पर्यस्तापहृति में चित्रमीमांसागत आपका 'विम्बाविशिष्टे—' यह रूपकलक्षण जो रूपक-प्रकरण में व्याख्यात हो चुका है—अतिप्रसक्त हो जायगा, क्योंकि वहाँ उपमान का निषेध होने पर भी उपमेय का निषेध नहीं हुआ है । इतने पर भी 'चित्रमीमांसा' में प्राचीनों के मत के अनुसार रूपकका लक्षण किया गया है और 'कुवलयानन्द' में रत्नाकर, दण्डी आदि के अनुसार इस भेद को अपहृति कहा गया है इस तरह किसी प्रकार समन्वय किया जा सकता है । यहाँ नागेश का कथन है कि—'सामञ्जस्यं' के बाद कुछ ग्रन्थ उद्धृत हैं, जो किसी भी पुस्तक में उपलब्ध नहीं होता ।

भेदान्तरमुदाहरति—

'अनल्पजाम्बूनददानवर्षं तथैव हर्षं जनयञ्जनेषु ।

दारिद्र्यं घर्म-क्षपणक्षमोऽयं धाराधारो नैव धराधिनाथः ॥'

कवि' कमपि राजान स्तौति—जनेषु लोकेषु, अनल्पं प्रभूतं, यत्जाम्बूनददानम् सुवर्ण-वितरणम्, स एव वर्षः वृष्टिः, तम्, तथैव, हर्षम् सुखम्, जनयन् सम्पादयन्, अयम् वर्णनीय पुरुषविशेष, दारिद्र्यरूपस्य घर्मस्य रौद्रस्य, क्षणो नाशने, क्षम समर्थः, धाराधर मेघ, अस्ति, धराधिनाथ वसुधाधिप ( राजा ) नैव, अस्तीत्यर्थः ।

अपहृति का अन्य भेद उदाहरण द्वारा दिखलाया जाता है—अनल्प इत्यादि । कवि किसी राजा के विषय में कहता है—मानवों में अस्यधिक सुवर्णदान रूप वृष्टि तथा हर्ष उपलब्ध करता हुआ यह दरिद्रता रूप ताप के नाश करने में समर्थ मेघ है, राजा नहीं ।

भेद स्फुटयति—

सावयवारोपेयमपहृतिः ।

'अनल्प—' इतिश्लोके दाने वर्षारोपेण 'धराधिनाथो न किन्तु धाराधर' इत्यपहृति सावयवारोपा ( अवयवारोपसहिता, अवयवरूपकसहितेति यावत् ) व्यवहियत इति भावः ।

भेद का स्पष्टीकरण किया जाता है—सावयवा इत्यादि । 'अनल्प—' इस पद्य में जो अपहृति है वह सावयवारोपा ( अवयवांश में आरोपसहिता ) कही जाती है । सारांश यह कि—यहाँ 'दानवर्षम्' इस अवयव-भाग में आरोप हुआ है—अर्थात् दान में वृष्टि-भाव आरोपित है ( फलतः रूपक है ), अतः 'राजा नहीं, किन्तु मेघ है' यहाँ की यह-अपहृति 'सावयवारोपा' कही जाती है ।

पुनर्भेदान्तरमाह—

आरोपमात्रोपायत्वे परम्परिताप्येषा सम्भवति ।

आरोपेति आरोपस्येत्यादि' । मात्रपदेन अपहृतेरपहृत्युपायत्वं व्यवच्छिद्यते । यस्या अपहृतेरवयवार्थे एक आरोपोऽपरस्वारोपस्योपायभूतो भवेत्, साऽपहृतिः परम्परिता कथ्यत इति भावः ।

पुन. अन्य भेद किया जाता है—आरोप इत्यादि । जिस अपहृति के अन्तर्गत में

ऐसे दो आरोप हों जिनमें एक दूसरे का उपायभूत रहे तब वह अपहृति परम्परिता भी हो सकती है ।

उदाहरतुमाह—

यथा—

जैसे—

उदाहरणमुपन्यस्यति—

‘मनुष्य इति मूढेन खलः केन निगद्यते ।

अयं तु सज्जनाम्भोजवनमत्तमतङ्गजः ॥’

केन, मूढेन, खलं दुष्टो जनः, ‘मनुष्य’ इति पदेन, निगद्यते कथ्यते । मनुष्यो न, अपि तु अयम् सज्जनसमूहरूपस्य, अम्भोजवनस्य कमलपुञ्जस्य, कृते, मत्तं, मतङ्गजं हस्ती, अस्तीत्यर्थ । अत्र सज्जनसमुदयेऽम्भोजवनत्वरोपं खले मतङ्गजत्वरोपस्योपाय इति परम्परितताऽस्या अपहृतेर्वोधा ।

उदाहरण दिखलाया जाता है—मनुष्य इत्यादि । कौन मूर्ख ‘दुष्ट’ को मनुष्य कहता है । यह तो सज्जनरूप कमल-वन के लिये मत्त हाथी है—जैसे मत्त हाथी कमलवन को तोड़-फोड़कर विनष्ट कर देता है—उसी तरह दुष्ट सज्जन को नष्ट कर देता है । यहाँ दुष्ट में हाथीपन के आरोप का उपायभूत है सज्जनों में कमल-वन-भाव का आरोप, अतः ‘मनुष्य नहीं, हाथी है’ इस अपहृति का व्यवहार ‘परम्परित’ शब्द से किया जाता है ।

अपहृतिध्वनिमुदाहरतुमाह—

अस्याश्च ध्वनिर्यथा—

अस्या अपहृते ।

अपहृति की ध्वनि जैसे—

उदाहरणमुपन्यस्यति—

‘दयिते रदनत्विषां मिषादयि ! तेऽमी विलसन्ति केसराः ।

अपि चालकवेषधारिणो मकरन्दस्पृहया लवोऽल्यः ॥’

व्याख्यातमिदं प्राक् ( ११४ पृष्ठे ) ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—दयिते इत्यादि । (इसका अर्थ ११४ पृ. में देखें) ।

उपपादयति—

अत्र ‘नैता रदनत्विषः, किंतु किञ्चलकपरम्पराः । न चैतेऽलकाः, अपि त्वलयः’ इति पूर्वोत्तरार्धाभ्यां द्वे अपहृती तावत्प्राकट्येनैव निवेदिते । ताभ्यां च ‘न त्वं नारी, किं तु कमलिनी’ इति तृतीयापहृतिर्व्यञ्जनव्यापारेण प्राधान्येन निवेद्यते, तत्सम्बन्धिवस्तुनिषेधारोपयोस्तन्निषेधारोपनिवेदकत्वस्य न्याय्यत्वात् । तुल्य-योगिता तु गुणतया स्थिता ।

तावत् आदौ । अप्राधान्ये ध्वनित्वाभावादाह—प्राधान्येनेति । तदिति । अवयवी-त्यर्थ । ननु वाच्यतुल्ययोगिताया एवात्र प्राधान्येन कथं ध्वनित्वमत आह—तुल्ययोगिता त्विति । ‘दयिते—’ इतिश्लोके रदत्विट्त्वनिषेधसामानाधिकरण्येनारोप्यमाणकेसरतादात्म्यरूपा एका अपहृतिः पूर्वाधेन, अलकत्वनिषेधसामानाधिकरण्येनारोप्यमाणअमरतादात्म्यरूपा च द्वितीया अपहृतिः द्वितीयाधेन, वाच्यवृत्त्यैव बोध्यते । तेन चापहृतिद्वयेन । नारी-त्वनिषेधसामानाधिकरण्येनारोप्यमाणकमलिनीतादात्म्यरूपा ‘न त्वं नारी, किंतु कमलिनी’ इत्याकारा तृतीयाऽपहृतिर्ध्वन्यते । एतत्तृतीयापहृतिव्यञ्जकत्व प्रथमवाच्यापहृतिद्वयस्य समु-

चिनमेव, यत् अथयवेसन्वन्धिवस्तुनिषेधारोने अथयविनिषेधारोयो' बोवकौ भवत एव—  
 अथाद् अथयविभूतनारोमन्वन्धिवदन्त्रान्निनिषेधोऽथयविह्वनारोनिषेधवत्य, एवम् अथय-  
 विभूतकमलिनीमन्वन्धिवदन्त्रान्निनिषेधोऽथयविह्वनारोनिषेधवत्य, एवम् अथय-  
 विभूतकमलिनीमन्वन्धिवदन्त्रान्निनिषेधोऽथयविह्वनारोनिषेधवत्य, एवम् अथय-  
 विभूतकमलिनीमन्वन्धिवदन्त्रान्निनिषेधोऽथयविह्वनारोनिषेधवत्य, एवम् अथय-

उपपादन क्रिया जाना है—अत्र हत्यादि । 'दयिते—' इस पद्य में 'ये दन्त-कान्तिर्यो  
 नहीं हैं, किन्तु केशर-पक्षिर्यो हैं' और 'ये केश नहीं हैं, किन्तु भ्रमर हैं' ये दो अपक्षेत्रियों  
 तो क्रमशः पूर्वार्ध तथा उत्तरार्ध द्वारा प्रकट रूप में ही निवेदित हैं—अर्थात् वाच्य ही  
 हैं । इन दोनों अपक्षेत्रियों द्वारा 'तू तू नहीं, किन्तु कमलिनी है' यह वर्तमान अपक्षेत्रि-  
 व्यञ्जनावृत्ति से प्रधानतया ध्वनि होती है । कारण, 'अथयवी से सम्बन्ध रखनेवाली  
 वस्तुओं के निषेध और आरोप से अथयवी के निषेध और आरोप विदित होते ही हैं'—यह  
 बात न्याय-प्राप्त है । तात्पर्य यह कि नारी-सम्बन्धि दन्तकान्तिर्यो का निषेध नारी-निषेध  
 का और कमलिनी-सम्बन्धि केशरों का आरोप कमलिनी-आरोप का व्यञ्जक न्यायतः होगा ।  
 आप कहेंगे—यहाँ उपमान होने के कारण अपस्तुत केशर तथा भ्रमरों का विलास-  
 क्रियात्मक एक धर्म के साथ सम्बन्ध है, अतः जो तुल्ययोगिता वाच्य होती है वहीं प्रधान  
 है, फिर अप्रधान व्यङ्ग्य अपक्षेत्रि को लेकर ध्वनि का व्यवहार करना उचित नहीं, तो मैं  
 कहूँगा कि—आपका कथन ठीक नहीं है । कारण, तुल्ययोगिता यहाँ है अवश्य, पर  
 प्रधान नहीं किन्तु गौण, अतः उक्त ध्वनि का व्यवहार यहाँ उचित समुचित है ।

खड्गनाय शीघ्रिनोत्तुदुरति—

गच्छत्पयदीक्षितैरपहुतिष्वनावुक्तम्—

“त्वदात्तेख्ये औतूहलतरलतन्वी विरचिते  
 विधायैका चक्रं रचयति सुपर्णासुतनपि ।  
 अपि स्विद्यत्पाणिस्त्वरितमपमृच्यैतदपरा  
 करे पौष्पं चापं मकरमुपरिग्राह्य लिखति ॥”

इत्यादावप हुतिष्वनिरुदाहर्तव्यः । अत्र हि चक्रमुपर्णलेखनेन 'नाय साधारण'  
 पुरुष' किन्तु पुण्डरीकाक्ष' इति कयाचिद् व्यञ्जितम् । अन्यथा तु—तस्याप्येता-  
 दश रूप न सम्भवतीत्याशयेन 'नायं पुण्डरीकाक्षोऽपि, किन्तु—मन्मथ' इति  
 तदुभयमपमृच्य पुष्पसायकमकरव्यजलेखनेन व्यञ्जितम् ।” इति ।

कचचन नयकच्य वन्दनम् त्वदात्तेख्ये इति । कचि कचयति—कौतूहलेन उक्त-  
 पठ्या, तरलया चरलया, तन्व्या कृशाध्या नयिकया, विगविने निर्मिते, त्वदात्तेख्ये  
 त्वदप्रतिष्ठितिभूते चित्रे, एका नायिक, चक्रं सुदर्शनात्मम्, तच्चित्रमिति यावद्,  
 विधाय कृत्वा, सुपर्णासुतं गरुडम्, तच्चित्रमिति यावद्, अपि रचयति । स्विद्यन्ती  
 स्वेद्युन्निवन्ती, पानी करौ, उत्पारत इशी अपरा तुद्रोया कविनायिक, एतन्पि चक्र-  
 गरुडचित्रमपि, त्वरितं सांप्रम्, उपमृच्य प्रोञ्जय, करे चित्रलिखितवद्वन्ते, पौष्प प्रमू-  
 नयम्, चापं धनुः, उपरिग्राह्य, मकरम्, लिखतांश्वयं । अत्र 'स्विद्यन्ति' इति विधेयं  
 चित्रात्मज्ञान्योक्तता व्यनक्ति । तस्यापीति । पुण्डरीकाक्षस्यापि । तदुभयमिति । चक्रमु-  
 पमृच्यतांश्वयं । अयं भाव—शीघ्रितेन 'त्वदात्तेख्ये—' इति पद्यमनुतिष्वनुदाहरणतया  
 स्वीकरणान्तिष्वुक्त्वा तदुपमानेन कथितम्, यद् अस्मिन् पद्ये चक्रमुप विरचयन्तिरेन  
 ( तादृशान्तिमांश्वयनेन ) 'नायं साधारण पुण्ड' अपि तु विर' इत्याकारिकऽनुति-



ध्वन्यते । पुनः विष्णोरोद्देश रूप न भवितुमर्हतीत्यभिप्रायवदपरनायिकाकर्तृकतत्प्रोञ्जन-पूर्वककराधिकरणकपुष्पधनुरादिनिर्माणवर्णनेन 'नायं विष्णुरपि, अपि तु कामदेव' इत्याकारिकाऽपराऽप्यपहृतिध्वन्यत इति । इति ।

खण्डन करने के लिये दीक्षितजी का मत उद्धृत किया जाता है—यत्तु इत्यादि । अप्यदीक्षित ने अपहृति-ध्वनि के विषय में कहा है कि—“ श्वदालेख्ये—अर्थात् उसकण्ठा से चञ्चल बनी कृशाङ्गी नायिका द्वारा रचित तेरे चित्र में दूसरी नायिका सुदर्शन-चक्र ( उसका चित्र ) बनाकर गरुड़ बना रही है । और तीसरी नायिका—जिसके हाथों में प्रस्वेद आ रहे थे ( इससे चित्र को मिटाने की योग्यता सूचित होती है ) झट से चक्र और गरुड़ को मिटाकर हाथ में पुष्पमय धनुष तथा ऊपर मगर लिख रही है ।’ ( यह किसी नायक का कविकृत वर्णन है । ) इत्यादिक में अपहृति-ध्वनि का उदाहरण देना चाहिए, क्योंकि यहाँ किसी नायिका-द्वारा चक्र तथा गरुड़ के चित्रण का वर्णन होने से 'यह साधारण पुरुष नहीं, किंतु विष्णु है' यह अपहृति ध्वनित होती है और पुनः अन्य नायिका द्वारा 'विष्णु का भी ऐसा रूप नहीं हो सकता' इस अभिप्राय से 'शीघ्र चक्र तथा गरुड़ दोनों को मिटाकर पुष्पमय धनुष और मगररूप ध्वजा के चित्रण का वर्णन होने से 'यह विष्णु भी नहीं, किंतु कामदेव है' यह अपहृति भी ध्वनित होती है ।”

खण्डयति—

तदेतदापातरमणीयम् । यत्तावदुच्यते—'चक्रमुपर्णलेखनेन नायं साधारणः पुरुषः, किन्तु पुण्डरीकाक्षः' इति कयाचिद् व्यञ्जितमिति । तत्रापहृतेर्द्वौ भागौ—उपमेयनिषेधः, उपमानारोपश्चेति । तयोस्तावदुपमानारोपभागः पुण्डरीकाक्षोऽयमित्याकारश्चक्रमुपर्णलेखनेनाभिव्यङ्क्तुं शक्यः, चक्रमुपर्णयोस्तत्सम्बन्धित्वात् । न तु नायं साधारणः पुरुष इत्युपमेयनिषेधभागोऽपि, व्यञ्जकस्यारोपमात्रव्यञ्जन-समर्थस्य तादृशनिषेधव्यञ्जने सामर्थ्याभावात् । नाप्यनुभवसिद्धः सः, येन तद्व्यञ्जनोपायो गवेष्येत । नापि गवेष्यमाणोऽपि तद्व्यञ्जनोपायः शब्दोऽर्थो वा उपलभ्यते, येनानुभवकलहोऽपि स्यात् । न च साधारणपुरुषनिषेधमन्तरेण पुण्डरीकाक्षतादात्म्यारोपो दुर्घट इति सोऽपि व्यञ्जयत इति वाच्यम्, रूपको-च्छेदापत्तेः । मुखं चन्द्र इत्यादौ मुखनिषेधमन्तरेण चन्द्रत्वं दुरारोपमित्यस्यापि सुवचत्वात् । तत्रापि मुखनिषेधावगमे जितमपहृत्या ।

अथ मुखं चन्द्र इति रूपके मुखत्वसामानाधिकरण्येन चन्द्रताद्रूप्यस्यारोप्य-माणतया न मुखनिषेधापेक्षेति चेत्, प्रकृतेऽपि तद्दि तादृशसाधारणपुरुषत्व-सामानाधिकरण्येन पुण्डरीकाक्षतादात्म्यारोपरूपमसौ राजा पुण्डरीकाक्ष इत्याकारकरूपकमेव भवितुमीष्टे, नापहृतिः ।

यद्यपि चोच्यते 'नाय पुण्डरीकाक्षः, अपि तु मन्मथः' इत्यादि । तत्र यद्यपि चक्रमुपर्णदूरीकरणेन नाय पुण्डरीकाक्ष इति निषेधः, पुष्पचाप-ध्वजगतमकरयो-लेखनेन च मन्मथोऽयमित्युपमानारोपश्च व्यङ्ग्यो भवितुमर्हति, तथापि नासावपहृतिः । 'प्रकृतस्य निषेधेन यदन्यत्वप्रकल्पनम्' इति त्वत्कृतलक्षण-स्याप्यत्रासत्त्वात् । अत्र हि निषेध्यस्य भगवतः पुण्डरीकाक्षस्यावर्ण्यत्वेना-प्रकृततया प्रकृतनिषेधाभावात् । नहि पूर्वारोपिततामात्रेण प्रकृतत्व वक्तुं शक्यम् । प्रकृतपदस्यारोपविषयपरताया 'निषिध्य विषयम्' इत्यादिना क्त्वाप्रत्यय-फन्तं ब्रुवता भवतैव तत्र स्फुटीकरणात् । काव्यप्रकाशकृतापि 'प्रकृतं यन्निषिध्या-

न्यत्साध्यते सा त्वपह्नुतिः' इति सूत्रं व्याचक्षारोऽप्येन 'उपमेयमसत्यं कृत्वा' इत्यादिना प्रकृतपदस्योपमेयपरतयैव व्याख्यानाच्च ।

प्राचीनमतसिद्धेयमपह्नुतिर्व्यङ्ग्यत्वेनास्माभिरिहोच्यत इत्यपि कुशकाशाचलम्बनमात्रम्, 'प्रकृतस्य निषेधेन' इत्यादिलक्षणं कुर्वता भवतैव तस्या बहिःकरणात् ।

एवमप्युक्तपद्ये कोऽलङ्कारो व्यङ्ग्य इति चेत् ? विच्छित्तिवैलक्षण्येऽतिरिक्तः, अन्यथा त्वपह्नुतिरेवास्तु । लक्षणं तु तदा प्रसक्तयत्किञ्चिद्वस्तुनिषेधसामानाधिकरण्येन क्रियमाणवस्त्वन्तरारोपत्वमेव । तस्मात् सर्वमेवेदमहृदयङ्गमं सहृदयानाम् ।

तदेतदिति । पूर्वोद्धृत दीक्षितमतमित्यर्थ । आपातरमणीय बहि सुन्दरम् । वस्तुतो दुष्टमिति यावत् प्रथममशविशेषसूद्य खण्डयति—यत्तावदिति । तत्रेति । उच्यत-इति शेष । तत्सम्बन्धित्वादिति । पुण्डरीकाक्षसम्बन्धित्वादित्यर्थ । भागोऽपीति । अभिव्यङ्क्तु शक्य इत्यनुषङ्ग । व्यञ्जकस्येति । चक्रसुपणलेखनस्येत्यर्थ । नन्वेव कथं तदनुभवोऽत आह—नापीति । स इति । तादृशनिषेधभाग इत्यर्थ । उक्तपद्य इति शेष । गवेष्येत अन्विष्येत । ननु विनिगमनाविरहोऽत आह—नापीति । उपलभ्यत इति । प्रकृतपद्य इति शेष । अनुभवकलह इति । 'निषेधभागो नानुभूयते' इति वदता मया सह 'अनुभूयत एव स भाग' इतिवदतस्तवानुभवविषयको विवाद इत्यर्थ । निषेधभागाभिव्यक्ते स्वीकरणीयत्वे युक्तिं शङ्कते—न चेति । दुर्घट इति । तज्ज्ञानस्य तत्र प्रतिबन्धकत्वादिति भाव । सोऽपीति । निषेधभागोऽपीत्यर्थ । अनुपपत्त्येति भाव । समाधत्ते—रूपकोच्छेदेति । कथं तदुच्छेदः, 'मुख चन्द्र' इत्यादौ सावकाशत्वादित्यत्राह—मुख चन्द्र इति । ननु तत्रापि तत्स्वीकारोऽत आह—तत्रापि । रूपकेऽपीत्यर्थ । एव च तदुच्छेदापत्तिरिति भाव । वाधज्ञानमाहार्यज्ञाने न प्रतिबन्धकमित्याशयेनाह—अथेति । सामानाधिकरण्येनेति । मुखत्वविशिष्टमुखरूपाधिकरणवृत्तितयेत्यर्थ । अत्र 'न त्वच्छेदकावच्छेदेन' इति परिशिष्टार्थविवरण तु न सुसङ्गत प्रतिभाति, अप्रासङ्गिकत्वादिति सुधीभिराकलनीयम् । आरोप्यमाणतयेति । आहार्यज्ञानविषयीक्रियमाणतयेत्यर्थ । पूर्वोक्तं 'त्वदालेख्ये—' इति पद्यस्यापह्नुतिष्वन्युदाहरणताकथन न युक्तम्, यतस्तत्र प्रथमापह्नुतेर्ध्वनन न सम्भवति, अपह्नुतिशरीरप्रविष्टयोरुपमेयनिषेधोपमानारोपात्मकयोर्द्वयोर्भागयोरन्तिमभागस्य 'पुण्डरीकाक्षोऽयम्' इत्याकारकस्य पुण्डरीकसम्बन्धित्वादिनेखनवर्णनरूपव्यञ्जकेन व्यङ्ग्यत्वेऽपि प्रथमभागस्य 'नाय साधारण पुरुष' इत्याकारकस्याव्यङ्ग्यत्वात् । ननु कुतोऽव्यङ्ग्यत्वं तद्भागस्येति चेत् ? व्यञ्जकाभावादिति बोध्यम् । चक्रादिलेखनमेव तद्भागस्याप्यभिव्यञ्जकं किं न स्यादिति चेन्न, उदासीनतया तद्व्यञ्जने तस्यासमर्थत्वात्, उदासीनस्यापि व्यञ्जकत्वे यत्किञ्चिदनभिमतार्थव्यञ्जकत्वस्याप्यापत्तेः । उपमेयनिषेधावगममन्तरोपमानताद्व्यारोप' सम्भवत्येव नेति कथं तु न किञ्चित्, तथाङ्गीकारे रूपकविलोपात् । तथा चात्रापि उपमेयतावच्छेदकपुरस्कारेणोपमानतादात्म्यावगमात् रूपकध्वनिरेव, नापह्नुतिष्वनिरिति सारार्थो बोध्य । द्वितीयाप्यपह्नुतिर्ध्वन्यमानतया दीक्षिताभिमतता न सम्भवतीत्याह—यदपीति । ननु निषेधसामानाधिकरण्येनोपमानतादात्म्यारोपनत्वात्कथं तदभावोऽत आह—अत्र हीति । ननु पूर्वमारोपितत्वात्प्रकृत एव सोऽत आह—नहीति ।

निषिध्य विषयमित्यादिनेति । “—‘निषिध्य विषयं साम्यादन्यारोप’ इति तु क्त्वाप्रत्ययेन लक्षण नोक्तम् । वक्ष्यमाणोदाहरणे आरोपपूर्वकापहवेऽव्याप्तिप्रसङ्गात्” इति तैरुक्तम् । फल क्वचिदव्याप्तिरूपमनिष्टम् । तत्र चित्रमीमासायाम् । ‘त्वत्कृतलक्षणस्यापि’ इत्यत्रापिपदेन सूचित लक्षणान्तरस्यासत्त्व स्फुटयति—काव्येति । व्याख्यानाच्चेति । पुण्डरीकाक्षरूपमानमिति भाव । ‘नाय पुण्डरीकाक्ष, अपि तु मन्मथ’ इत्याकारा द्वितीयापहृतिर्व्यन्यते इति कथनमपि दीक्षितस्यायुक्तमेव, एतदाकारान्तर्गताशद्वयस्य मूलोक्तरीत्या व्यङ्ग्यत्व सम्भवेऽपि अपहृतिवत्यैव विरहात् । निषेध्यस्य विष्णोरवर्णनीयतया प्रकृतपदबोधयता विरहेण ‘प्रकृतस्य निषेधेन—’ इति तदीयापहृतिलक्षणस्याप्यप्राप्ते । ननु प्रकृतपदेन पूर्वा रोपितार्थस्यैव ग्रहणं, तथा च प्रकृते पुण्डरीकाक्ष प्रकृत इति चेन्न, प्रकृतपदस्योपमेयपर ताया भवता काव्यप्रकाशकृता च व्यवस्थापनादिति भाव । पुनरन्यथा दीक्षितोक्ते सङ्गतिमाशक्य समाधत्ते—प्राचीनेति । प्रागुक्तदण्डिमतेत्यर्थः । इह चित्रमीमासायाम् कुशाकशेति । यथा ससारकाष्ठाद्यवलम्बनमेवोचितम् न कुशाद्यसारतृणालम्बनम्, तथ सर्वसिद्धससारमतालम्बनमेवोचित नैकदेशिमतालम्बनमिति भाव । तदेवाह—प्रकृतेति एव प्रत्यासत्तिबोधकः । दण्ड्यादिमतेन ‘त्वदालेख्ये—’ इत्यत्रापहृतिध्वनि सुस्थ एवेति मयापि तन्मतानुसार तथा लिखितमित्यपि न दीक्षितेन वक्तुं शक्यम्, ‘प्रकृतस्य—’ इत्यपहृतिलक्षण रचयता तेन दण्ड्यादिमतस्य तिरस्कारात्, स्वयं तिरस्कृतस्य स्वयं पुरस्कारोऽनुचित एवेति भाव । उक्तखण्डनोत्तर जायमाना जिज्ञासा शमयितुमाह— एवमपीति । अन्यलक्षणबहिर्भावे इत्यर्थः । उक्तपद्ये इति । त्वदालेख्ये इति पद्य इत्यर्थः विच्छित्ति चमत्कृतिः । अतिरिक्त इति । अपहृतेरन्य रूपकाख्य अलङ्कार इत्यर्थः । अन्यथेति । विच्छित्तिविशेषाभावे इत्यर्थः । ननु प्रागुक्तसर्वसम्भतापहृतिसामान्यलक्षणा नामान्तत्वात्कथं तत्त्वमत आह—लक्षण त्विति । तदेति । तत्रापहृत्यङ्गीकरणे इत्यर्थः । प्रसक्तेति । प्राप्त्यर्थः । प्राप्तत्वं च यथाकथञ्चित्—न तु प्रकृतत्वापेक्षेति भाव । ‘अस्तु’ ‘तदा’ इत्येताभ्यामस्य स्वानभिमतत्वं सूचितम्, अतः स्वसिद्धान्तरीत्योपसहारमाह—तस्मादिति । सर्वमेवेदमिति । दीक्षितस्य मूर्च्छभूत प्रकृतमतम्, यथाकथञ्चित् तत्समर्थनं चेत्यर्थः । अन्यत् सुगमम् । अत्र ‘अहृदयङ्गमम् इति प्रतीकमुपादाय नागेश विचारान्तरमुपस्थापितवान् । तदधस्ताद्विदिर्यते— “अत्रेदं चिन्त्यम्—दीक्षितैर्हि दण्डी त्वपहृते साधर्म्यमूलत्वनियममनादृत्य ‘अपहृतिरपहृत्य किञ्चिदन्यार्थसूचनम्’ इति लक्षयित्वा उदाजहार—‘न पञ्चेषु स्मरस्तस्य सहस्रं पत्रिणयत । चन्दनं चन्द्रिका गन्धो गन्धवाहश्च दक्षिणः ।’ इत्याद्युपक्रम्य ‘त्वदालेख्ये इत्याद्युक्तमिति । तदनुसारेणैव तत्रापहृतिध्वनिरुदाहृत इति न किञ्चिदहृदयङ्गमम् । प्रकाशविरोधोऽपि न । तत्रोपमेयपदस्य पदार्थोपलक्षणत्वात् । अन्यथा ‘केसेसु बला मोडिञ्च’ इत्यत्र ‘स्वयं न प्रपलाय्य गतास्तद्वैरिणोऽपि तु ततः पराभवः सभाव्यः तान् कन्दरा न त्यजन्तीत्यपहृतिर्व्यज्यते—’ इति प्रकाशग्रन्थासंगति स्यादिति बोध्यम् । अत्र ‘त्वदालेख्ये’ इत्याद्युदाहरणं दण्डिमतानुसारमिति नागेशमहाभागः समाधत्ते । किन्तु चित्रमीमासाया ‘साधर्म्यमूलत्वात्पहृतिरिति तेन व्याहृता’ अत्रैव दण्डिमतानुवादः समाप्यते । ‘त्वदालेख्ये’ इत्युदाहरणं दत्त्वा ‘इत्यादावपहृतिध्वनिरुदाहृत्य’ इति दीक्षितानां स्वमतमिदम् । अन्यथाऽलङ्कारान्तरेष्विवात्र ध्वनेरुदाहरणानुल्लेखात्प्रकरणप्रतिरेव न सिद्धयेत् । किञ्च दण्डिकृतापहृतिलक्षणमस्वीकृतत्वात् दीक्षितमहोदयेन तन्मतानुसारमप-

हुतिष्मिन्निदाहृत इति न सम्भाव्यते । प्रकाशविरोधपरिहारोऽपि नागेशकृतो विचारणीय एव । यत् नारिकाया 'प्रकृत'-पद विवरणे चोपमेयपद स्पष्टमुल्लिखत, उपमानोपमेय-भावस्थल एव चापहृतिभेदानुदाहरतो नन्मदभक्त्य दग्धिमतानुयायिन्व न कथनपि निदधति । उपमेयपदस्य पदार्थोपलक्षणत्वकथननपि मूलाक्षरत्वारस्यप्रतिबूलनेव, प्रायो नागेशातिरिक्तीनाकारानभिमतश्च । “-क्रेसेसु बला मोडिय' इत्यापहृतिर्यज्यते—” इत्युक्तिस्तु 'यि षण्द्यादय ईदशे स्थलेऽपहृतिमधीकुर्वन्ति तेषा मतेऽपहृतिरपि व्यङ्ग्यत्वेना-ईकर्तुम् शक्या' इत्याशयेनापि सङ्गता भवितुमर्हतीति तु बहव ।

उक्त दीहितमत का खण्डन किया जाता है—तदेतत् इत्यादि । ऊपर उद्धृत किया गया अप्पयदीक्षितजी का कथन भापातमनोहर है—ऊपर से सुन्दर प्रतीत होने पर भी भीतर से परम कुरूप है ( दोषयुक्त ) है । देखिये, प्रथमतः यहाँ कहा जा रहा है कि—“नायिका द्वारा चक्र तथा गरुड के लेखन से 'यह साधारण पुरुष नहीं, किन्तु विष्णु है' यह अपहृति ध्वनित होती है ।” इसके सम्बन्ध में मेरा कथन है कि—अपहृति के दो भाग हैं—उपमेय का निषेध और उपमान का आरोप । उनमें से दूसरा भाग अर्थात् उपमानारोपभाग—जिसका आकार है 'यह विष्णु है —चक्र तथा गरुड के लेखन से ध्वनित हो सकता है, क्योंकि चक्र और गरुड विष्णु से सम्बन्ध रखते हैं । पर 'यह साधारण पुरुष नहीं है' यह उपमेयनिषेध भाग भी यहाँ ध्वनित होता है—यह नहीं कहा जा सकता । कारण, चक्र-गरुडलेखन-रूप व्यञ्जक केवल आरोप भाग को ध्वनित करने में समर्थ है, उक्त उपमेय-निषेध-भाग को ध्वनित करने का सामर्थ्य उस व्यञ्जक में है ही नहीं । और यहाँ उपमेयनिषेधभाग अनुभवसिद्ध भी नहीं है—सहृद्यों को यहाँ उम अश की प्रतीति होती भी नहीं, यदि वैसी प्रतीति होती रहती तब उसको ध्वनित कर मकने वाला उपाय ( व्यञ्जक ) खोजा भी जाता । खोजने पर भी उस भाग का व्यञ्जक शब्द अथवा अर्थ यहाँ उपलब्ध नहीं होता, यदि वह उपलब्ध होता तब अनुभव के विषय में कहना भी हो सकता—अर्थात् व्यञ्जक के उपलब्ध होने पर 'उस अश की भी प्रतीति यहाँ होती है' इस तरह का मतभेद भी खड़ा किया जा सकता था । साधारण पुरुष का निषेध किये बिना विष्णु के तादात्म्य का आरोप हो नहीं सकता, अतः वह अश भी ध्वनित होता है यह भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐसा मानने पर रूपक का उच्छेद हो जायगा—उमके लिये समार में कहीं स्थान ही नहीं रह जायगा । कारण, ऐसी स्थिति में 'मुख चन्द्र है' इत्यादिक में मुख का निषेध किये बिना मुख में चन्द्रत्व का आरोप कठिन है—यह भी सहज में कहा जा सकेगा । यदि वहाँ भी मुख-निषेध की प्रतीति स्वीकृत कर ली जाय तब अपहृति का विजय हुआ और वस्तुतः रूपक उच्छिन्न हो गया । अब यदि आप कहें कि—'मुख चन्द्र है' इस रूपक में मुखत्व के अधिकरण में ही चन्द्र-तादृश्य का आरोप होता है—अर्थात् मुख को समझते हुए चन्द्र समझा जाता है, अतः वहाँ मुख के निषेध की अपेक्षा नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि, प्रकृत में भी पूर्वोक्त साधारणपुरुषत्व के अधिकरण में विष्णुतादात्म्य का आरोप होता है, अर्थात् यहाँ भी साधारण पुरुष को पुरुष समझने हुए ही विष्णु समझते हैं, फलतः 'यह राजा विष्णु है' इस तरह का रूपक ही यहाँ हो सकता है, 'राजा नहीं, विष्णु है' इस तरह की अपहृति नहीं । यह तो हुई एक बात । दूसरी बात उन्होंने यह कही है कि—'यह विष्णु नहीं, किन्तु कामदेव है' इत्यादि । इस कथन में यद्यपि कुछ मत्स्यता है—अर्थात् हम अश में यद्यपि चक्र तथा गरुड के चित्र को पोंछ डालने से 'यह विष्णु नहीं है' यह निषेधभाग और पुष्पमय धनुष तथा ध्वज-न्यत मगर के लेखन से 'यह कामदेव है' यह आरोपभाग—इस तरह दोनों भाग ध्वनित हो सकते हैं, तथापि यह अपहृति नहीं है, क्योंकि 'प्रकृतस्य—अर्थात् प्रस्तुत के निषेध द्वारा

अन्य की कल्पना अपहृति कहलाती है। यह आपका अपना लक्षण भी यहाँ नहीं संबन्धित होता—दूसरों के लक्षण की तो बात ही क्या। कारण, यहाँ जिसका निषेध किया जा रहा है वे भगवान् विष्णु वर्णनीय नहीं है, किन्तु राजा वर्णनीय है, अतः विष्णु के अप्रस्तुत होने के कारण यहाँ प्रस्तुत का निषेध नहीं है। आप कहेंगे—जब पहले राजा में विष्णु का आरोप किया जा चुका है तब विष्णु प्रस्तुत क्यों नहीं? पर यह कथन भी ठीक नहीं, अर्थात्—केवल पहले आरोपित हो जाने से कोई पदार्थ—प्रकृत में विष्णु—प्रस्तुत नहीं कहा जा सकता। कारण, चित्रमीमांसा में आपने ही 'निषिध्य विषयम्'... इत्यादि ग्रन्थ से निषिध्य पद में आप 'क्त्वा' प्रथय का फल कहते हुए 'प्रकृत' पद का अर्थ 'आरोप का विषय—अर्थात् उपमेय' होता है—इस तरह स्पष्ट किया है। स्पष्ट अभिप्राय है कि चित्रमीमांसा में दीक्षितजी ने कहा—'विषय का निषेध करके (निषिध्य) साम्यमूलक अन्य का आरोप' इस तरह 'क्त्वा' प्रथयघटित लक्षण नहीं किया जा सकता, क्योंकि तब जहाँ पहले आरोप करके अपहृत्व किया जाता है वहाँ अव्याप्ति हो जायगी। इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि वे (दीक्षितजी) प्रकृत पद का अर्थ उपमेय मानते हैं। और काव्यप्रकाशकार मम्मट ने भी 'प्रकृत यन्निषिध्य—' इस कारिका की व्याख्या करते हुए 'उपमेय को असत्य बनाकर—' इत्यादि कथन द्वारा 'प्रकृत' पद का अर्थ 'उपमेय' माना है। आप कहेंगे—प्राचीनों—दण्डी आदि—के मत से तो यह अपहृति अवश्य है, क्योंकि उनके लक्षण में उपमेय की बात नहीं है—अर्थात् उन्होंने 'अपहृतिरपहृत्य किञ्चिदन्यार्थसूचनम्—किसी वस्तु का निषेध करके अन्य वस्तु का सूचित करना अपहृति है' ऐसा ही लक्षण किया है, वस, उन्हीं के मत को मानकर मैंने भी यहाँ अपहृतिध्वनि लिखी है। तो यह भी 'हृवते को तिनके का सहारा' जैसा ही है। कारण, 'प्रकृतस्य निषेधेन—' इत्यादि पूर्वोक्त लक्षण बनाते हुए आपने ही उस तरह की अपहृति का बहिष्कार कर दिया है। तात्पर्य यह कि जब आप दण्डी आदि के लक्षण को नहीं मानते तब उनके मतानुसार उदाहरण उपस्थित करना आपका कथमपि उचित नहीं कहा जा सकता। इतने पर भी यदि आप पूछें कि—उक्त पद्य में कौन अलंकार व्यङ्ग्य है? तो इसका उत्तर यह है कि—यदि इसमें अपहृति के चमत्कार से विलक्षण चमत्कार आपको अनुभूत हो तब अन्य अलंकार—अर्थात् रूपक मानिए, अन्यथा अपहृति ही मानिए। पर तब आपको दण्डी आदि की तरह 'प्रसक्त यत्किञ्चित् (उपमेय अथवा तन्निन्न) पदार्थ के निषेध के साथ किया जाने वाला अन्य पदार्थ का आरोप अपहृति है' ऐसा ही लक्षण बनाना चाहिए। सारांश यह सिद्ध हुआ कि इन सब गद्बदियों के कारण ये सब कथन सहृदयों के लिए हृदयङ्गम नहीं हैं—इन बातों से सहृदयों को सन्तोष नहीं हो सकता। यहाँ नागेश कहते हैं कि—पण्डितराज का यह कथन विचारणीय है। कारण, दीक्षितजी ने "दण्डी ने तो 'अपहृति के सादृश्यमूलक होने' के नियम का अनादर करके 'अपहृतिरपहृत्य किञ्चिदन्यार्थसूचनम्' यह लक्षण बताकर उदाहरण दिया है 'न पञ्चेषु स्मरस्तस्य सहस्र पत्रिणां यतः। चन्दन चन्द्रिका चन्द्रो गन्धवाहश्च दक्षिणः। (अर्थात् कामदेव पञ्चबाण नहीं हैं, क्योंकि उनके हजारों बाण हैं, चन्दन, चोदनी, चन्द्रमा और मलयानिल आदि)'" इत्यादि आरम्भ करके 'स्वदालेख्ये—' यह पूर्वोक्त उदाहरण दिया है। अतः यह ध्वनि दण्डी आदि के अनुसार कथित होने के कारण अहृदयंगम नहीं है। प्रकाशविरोध भी नहीं होता, क्योंकि प्रकाश-ग्रन्थ में 'उपमेय' पद पदार्थमात्र का उपलक्षण है। अन्यथा—

'केसेसु बलामोडिय तेण असमरम्भि जअसिरी गहिया।

जह कन्दराहिं विहुरा तस्स दढ कठ अग्गि सठविआ ॥

अर्थात् उसने सप्राम में बलात्कार से जयलक्ष्मी को वैसे ग्रहण किया, जैसे कि गुफाओं ने उसके विधुर (स्त्रीरहित) वैरियों को अपने कण्ठ (अन्दर के हिस्से) में हृदयया स्थापित कर लिया।' इस उदाहरण में 'वैरी अपने आप भाग कर नहीं गए, किन्तु गुफाएँ उससे

पराजय की संभावना करके उन्हें नहीं झोड़ती—यह अपहृति अभिव्यक्त होती है' यह प्रकाशकार का ग्रन्थ असंगत हो जायगा, क्योंकि यहाँ उपमेय का निषेध नहीं है। बहुत लोग नागेश की बालोचना करते हुए कहते हैं कि नागेश का कथन ठीक नहीं है। कारण, पहले जो उन्होंने यह समाधान दिया कि—दृग्दी के मतानुसार 'त्वदालेत्ये—' यह अपहृतिध्वनि का उदाहरण दिया गया है, वह सगन नहीं जँचता, क्योंकि चित्रमीमांसा में दृग्दी के मत का अनुवाद पहले समाप्त हो जाता है तब 'त्वदालेत्ये—' यह उदाहरण दिया जाता है और उसके आगे 'इत्यादि स्थलों पर अपहृतिध्वनि का उदाहरण देना चाहिए' ऐसा लिखा जाता है, जिससे सिद्ध होता है कि यह दीक्षितजी का यह अपना मत है और यह बात जँचती भी है क्योंकि जब दृग्दी के लक्षण को दीक्षितजी ने नहीं माना तब उनके मत से उदाहरण कैसे वे दे सकते हैं ? और यदि यह उदाहरण दूसरे के मत से दिया गया होता तब अपने मत से दूसरा उदाहरण अवश्य देते, जैसे सभी बलकारों में देते हैं। दूसरा समाधान जो उन्होंने दिया है प्रकाश विरोध परिहार वाला, वह भी सर्वथा मानने योग्य नहीं दीख पड़ता, क्योंकि जब नम्मटनट्ट ने मूल कारिका में 'प्रकृत' पद लिखा और उसकी व्याख्या में उसका अर्थ स्पष्टतः 'उपमेय' किया तथा सभी उदाहरण भी उपमानोपमेयभावस्थल में ही दित्तलाए, तब उस 'उपमेय' पद को पदार्थमात्र का उपलक्षण कहकर नम्मट को दण्डिसतानुयायी बनाना उचित नहीं, रही बात 'केसेसु—' इस पद्य में अपहृतिध्वनि लिखने की। सो उसका आशय इस तरह वर्णित हो सकता है कि—उक्त पद्य में 'उच्छेदाध्वनि और काव्यलिङ्गध्वनि है' और जिन—दृग्दी आदि—के मत से ऐसे स्थलों पर अपहृति हो सकती है उनके मत से अपहृतिध्वनि भी समझिए।

इति रसगङ्गाधरचन्द्रिकायानुपहृत्यल्लङ्कारप्रकरण समाप्तम् ।

अपहृतिनिरूपणानन्तरानुच्छेदाप्रकरणं प्रारब्धव्यतया प्रतिजानीते—

अयोत्प्रेक्षाप्रकरणम्—

उच्छेदाप्रकरणमारब्ध वैदित्यमिति भावः ।

अपहृतिनिरूपण के बाद अब उच्छेदान्निरूपण-प्रारम्भ करने की प्रतिज्ञा की जाती है—अथ इत्यादि। उच्छेदाप्रकरण अब आरब्ध समझना चाहिए।

तत्रागौ तद्वदन्नाह—

तद्विभक्तत्वेन तदभाववत्त्वेन वा प्रमितस्य पदार्थस्य रमणोयतद्-  
वृत्ति-तत्प्रमानाधिकरणान्यतरतद्धर्मसम्बन्धनिमित्तकं तत्त्वेन तद्वत्त्वेन  
वा सम्भावनमुत्प्रेक्षा ।

प्रमितस्येति । उपार्थज्ञानविशेषाद्विभक्तत्वेत्यर्थः । विनिगमनाविरहादन्योन्याभावात्प्रमाणा-  
भाववद्विदल्लक्षणद्वयस्य युगपदुत्तिरिप्यम् । तथा च 'तद्विभक्तत्वेन प्रमितस्य पदार्थस्य रमणोय-  
तद्दृष्टिनिमित्तद्धर्मसम्बन्धनिमित्तकं तत्त्वेन सम्भावनमुत्प्रेक्षा' इत्येकम् 'तदभाववत्त्वेन प्रमितस्य  
पदार्थस्य रमणोयतत्प्रमानाधिकरणान्यतरतद्धर्मसम्बन्धनिमित्तकं तद्वत्त्वेन सम्भावनमुत्प्रेक्षा' इति च  
द्वितीयं लक्षणं फलितम् । अत्र लक्षणद्वये त्रयस्तच्छब्दाः प्रयुक्ताः, तत्र प्रथमेन तच्छब्देन  
विषयी, द्वितीयेन तेन विषयः, तृतीयेन च तेन पुनर्विषयी वर्तते । सम्भावनं ज्ञानविशेषः ।  
अयोग्यत्वान्भावानुसन्धानमिति यावत् । अयमत्र स्पष्टोऽर्थः—चन्द्रादिभिरन्वेव ज्ञानस्य  
रुचादेः सुखवृत्तिवन्कारकाहादिकवाद्यात्मकवन्दनसम्बन्धप्रयुक्तम् चन्द्रत्वेन सम्भा-  
वनमुत्प्रेक्षा । इदञ्च सम्भावनं तादात्म्य(अनेद)सम्बन्धेन अती घट्टुत्प्रेक्षा । एवं

‘निधिं लावण्यानाम्—’ इत्यादौ ( अग्ने उदाहृते पद्ये ) मोहाभाववत्त्वेन ज्ञातस्य ब्रह्मण मोहसमानाधिकरणरमणीयाविचार्यकारित्वात्मकधर्मसम्बन्धप्रयुक्तम् मोहवत्त्वेन सम्भावन-मुत्प्रेक्षा । इदञ्च सम्भावन तादात्म्येतरेण-समवायसम्बन्धेन अतो धर्मोत्प्रेक्षा । इति ।

उत्प्रेक्षा-निरूपणप्रकरण में सर्वप्रथम उत्प्रेक्षा का लक्षण किया जाता है—तद्भिन्नत्वेन इत्यादि । जिस पदार्थ का भेद जिस पदार्थ में यथार्थतया ज्ञात हो उस पदार्थ की, उस पदार्थ के रूप में दोनों पदार्थों में रहनेवाले किसी सुन्दर धर्म को मूल मानकर, की जानेवाली सम्भावना, अथवा—जिस धर्म का अभाव जिस पदार्थ में यथार्थतया ज्ञात हो उस पदार्थ में उस धर्म से युक्त होने की ऐसी सम्भावना, जो उस धर्म के साथ रहनेवाले किसी सुन्दर धर्म को निमित्त मानकर की गई हो, ‘उत्प्रेक्षा’ कहलाती है । अभिप्राय यह है कि—अभाव दो प्रकार के होते हैं, एक अन्योन्याभाव और दूसरा अत्यन्ताभाव । ( यद्यपि अभाव के दो अन्य प्रकार भी होते हैं, पर प्रकृत में उनका कोई उपयोग नहीं, अतः उनकी चर्चा नहीं की जाती ) अन्योन्याभाव उस अभाव को कहा जाता है जो तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताक हो—अर्थात् जिसके द्वारा ‘घट पट नहीं’ इत्यादि शक्ति से दो धर्मियों की परस्पर अभिन्नता वारित हो—जिसका व्यवहार ‘भेद’ शब्द से किया जाता हो, और अत्यन्ताभाव उस अभाव को कहा जाता है जो नित्य हो—अर्थात् जो जहाँ कदापि नहीं रहे वहाँ उसका अभाव—जैसे वायु में रूप का अभाव । अब प्रकृत में कहना यह है कि—इन दोनों अभावों में से किसी एक का निवेश उत्प्रेक्षालक्षण में अवश्य करना है, क्योंकि आखिर ‘अन्य में अन्य की सम्भावना’ को ही सभी आलङ्कारिक उत्प्रेक्षा मानते हैं, पर इन दोनों अभावों में से किसी एक का निवेश करने में कोई खास युक्ति नहीं है, अतः पण्डितराज ने दोनों अभावों का वैकल्पिक रूप में निवेश किया है । फलतः प्रथम लक्षण अन्योन्याभाव-घटित और दूसरा लक्षण अत्यन्ताभाव-घटित बनाया गया है । प्रथम लक्षण का लक्ष्य ‘मुख में चन्द्र की सम्भावना’ है, क्योंकि यह सम्भावना चन्द्र से भिन्नरूप में यथार्थतया ज्ञात मुख में चन्द्रवृत्ति आह्लादकता का सम्बन्ध रहने के कारण की जाती है । यह सम्भावना ‘तादात्म्य’ सम्बन्ध से की जाती है, अतः ‘धर्मों की उत्प्रेक्षा’ कहलाती है । द्वितीय लक्षण का लक्ष्य ‘ब्रह्मा में मोह की सम्भावना’ है, क्योंकि यह सम्भावना उस ब्रह्म में उस मोह की की जाती है जिसमें जिसका अभाव सदा यथार्थतया ज्ञात है और इस सम्भावना में निमित्त होता है ‘मोह’ के साथ सदा रहने वाला ‘अविचार्यकारित्व-विना विचारे कार्य करना’ धर्म का ब्रह्म में सम्बन्ध । यह सम्भावना ‘समवाय’सम्बन्ध से की जाती है, अतः ‘धर्मोत्प्रेक्षा’ कहलाती है ।

लक्षणघटकपदकृत्यान्याह—

‘लोकोत्तरप्रभाव ! त्वां मन्ये नारायणं परम्’ इत्यत्र तादृशप्रभावस्य नारायणत्वव्याप्यतासम्भावनादशायां सामग्र्यभावेनानुमित्यनुदयाज्जायमानाया नारायणेनानेन प्रायशो भवितव्यमिति सम्भावनायामतिप्रसङ्गवारणाय तद्भिन्नत्वेन प्रमितस्येति सम्भावनायामाहार्यतां गमयति ।

एतेन—

‘रामं स्निग्धतरश्यामं विलोक्य वनमण्डले ।

प्रायो धाराधरोऽयं स्यादिति नृत्यन्ति केकिनः ॥’

इत्यत्र सम्भावनायाम्, ‘धाराधरधिया धीरं नृत्यन्ति स्म शिखावलाः’ इत्यत्र आन्तौ च नातिप्रसङ्गः ।

‘वदनकमलेन बाले स्मितसुषमालेशमावहसि यदा ।

जगदिह तदैव जाने दशार्धबाणेन विजितमिति ॥’

अत्र जगज्जयसम्भावनायामतिप्रसङ्गवारणाय रमणीयतद्धर्मनिमित्तकमिति । स्मितस्य सम्भावनोत्थापकत्वेऽपि जगद्विजितरूपविषयविषयिसाधारणत्वाभावात्त दोषः ।

एतेन—

‘प्रायः पतेद् द्यौः शकलीभवेद् ग्लौः सहाचलैरम्बुधिभिः स्वलेद् गौः ।

नूनं ज्वलिष्यन्ति दिशः समस्ता यद् द्रौपदी रोदिति हा हतेति ॥’

अत्रापि रोदनकारणीभूतकेशप्रहणादिजन्यपापनिमित्तोत्थापितायां स्वर्गपतनसम्भावनायां नातिप्रसङ्गः । प्रायः स्थाणुनाऽनेन भवितव्यम्, नूनं पुरुषेणानेन भाव्यम्, दूरस्थोऽय देवदत्त इवाभाति, इत्यादौ निश्चलत्वचञ्चलत्वादिमाधारणधर्मनिमित्तायां सम्भावनायामतिप्रसङ्गः स्यात्, अतो रमणीयत्वं धर्मगतमुपात्तम् । रूपकवित्तावतिप्रसङ्गवारणाय सम्भावनमिति ।

कमपि राजान् प्रति कस्यचिदुक्ति—लोकोत्तरेति । हे लोकोत्तरप्रभाव ! राजन् ! त्वा परम् उच्छृणु, नारायण, मन्ये, इति तदर्थः । सम्भावनादशायामिति । एतेन नारायणसम्भावनाया कारणमुक्तम् । नन्वेव नारायणत्वस्य निश्चयात्मिकानुमित्तिरेव, न सम्भावेनेति चेन्नेत्याह—सामप्रथभावेनेति । निश्चयरूपव्याप्तिज्ञानादिरूपानुमितिसामप्रथभावेनेत्यर्थः । अनुमित्यनुद्वयादिति । नारायणत्वानुमित्यनुत्पत्तेरित्यर्थः । ननु कथमेतासा सम्भावनाना तेन वारणमत आह—सम्भावेनेति । इह चेत्यादि । सम्भावनाया लक्षणघटक्रीभूतायाम् । लक्षणे ‘तद्भिन्नत्वेन प्रमितस्य’ इत्युक्त्या ‘तत्त्वेन सम्भावनस्य लक्षणोक्तस्य बाधकालिकेच्छाजन्यत्वरूपाहार्यत्व प्रतीयते । तेन ‘लोकोत्तरप्रभाव—’ इत्यत्र ‘लोकोत्तरप्रभावो नारायणत्वव्याप्यः प्रायः’ इति सम्भावनाजन्यायाम् ‘प्रायः नारायणेनानेन भवितव्यम्’ इत्याकारिकाया सम्भावनायाम् नातिव्याप्तिः, इच्छाजन्यत्वविरहेणानाहार्यत्वात् । नारायणत्वस्य निश्चयात्मिकाऽनुमितित्तु नात्र सम्भवदुक्तिका, लोकोत्तरप्रभावे नारायणत्वव्याप्यतानिश्चयदशायामेव तन्प्रसङ्गे । अत्र तु तत्र तस्या सम्भावनैव, न निश्चय इति भावः । अत्र ‘सम्भावनाया आहार्यत्वस्वीकारेण—असामान्ये राजनि अलौकिकप्रभाववशाद् या अनाहार्या ( सन्या ) नारायणत्वसम्भावना [ नारायणत्व कामसत्त्वम् परं तत्त्वसम्भावना तु सत्यं ] तस्यानुप्रेक्षात् न प्रसङ्गम् ।’ इति ‘सरला’ जलोपरि प्लवमाना नौकेव तलगतं गन् वस्तुतत्त्वं नैव स्पृशतीति दुर्धामिराञ्जलनीयम् । आहार्यत्वनिवेशस्य फलान्तरमाह—एतेनेति । त्रैलोक्यं—राममिति । केकिनो नयूरा, वनमग्दले, स्निग्धतरश्यामम् अतिचिक्वण श्यामलवर्णम् च, रामम्, विलोक्य, अत्र, प्रायः, धाराधर मेघः, स्यात्, इति, नन्भावनाया, नृन्यन्तीति तदर्थः । अत्रैव पथे उत्तरार्धं परिवर्त्य पठति—‘धाराधरधिया—’ इति । तादृशं राममालोक्य—धाराधरधिग मेघत्रान्त्या, शिखावला मयूरा, श्लथन्ति स्म नृत्यं वृन्वन्तः इति परिवर्तितपाठेऽर्थः । प्रथमपाठे रामे जायमानाया मेघसम्भावनायाम्, परिवर्तितपाठे च रामे जायमानायाम् मेघत्रान्तौ नातिव्याप्तिः, तयो ( मेघसम्भावनामेघत्रान्त्यो ) बाधाकालिकतया अनाहार्यत्वान् । ननु कथमनाहार्यत्वनिश्चय इति चेत् ? नृन्यरूपकार्यन्योन्यत्तेर्दर्शनात् इति बोध्यम् । आहार्यज्ञानानु न कार्योन्वित्तिरिति भावः । ‘तद्धर्मनिमित्तकम्’ इत्यस्य व्यावर्चनाह—‘वदन—’ इति । हे



वाले ! त्वं, यदा, वदनकमलेन मुखपद्मद्वारा, स्मितसुषमालेशम् ईपद्मास्यशोभालवम्, आवहसि धत्से, तदैव तस्मिन्नेव क्षणे, अहं, जाने वेधि, यत् इह अस्मिन् स्थाने, दशार्ध-वाणेन पञ्चवाणेन ( कामेन ) जगत्, विजितम् इति तदर्थः । उपपादयति—अत्रेति । जगज्जयेति । जगत्कर्मकस्य जयस्य सम्भावनायामित्यर्थः । तद्धर्मेति । तद्धर्मसम्बन्धेत्यर्थः । ननु स्मितरूपधर्मनिमित्तकत्वमस्त्येवात् आह—स्मितेति । जगदिति । जगद्विजितरूपौ यौ विषयविषयिणौ तन्निष्ठत्वाभावादित्यर्थः । 'वदनकमलेन—' इत्यत्र नायिकामुखगतस्मितस्य कामदेवकर्तृकजगज्जये सहकारितया तन्मूलकतादृशजगज्जयसम्भावनाया न प्रकृतोत्प्रेक्षालक्षणातिप्रसक्तिः, 'रमणीयतद्धर्मसम्बन्धनिमित्तकम्' इत्यनेन व्यावृत्तेः । स्मित तु न जगदात्मकविषयधर्मः, न वा तद्धर्मस्य विजितत्वात्मकविषयिणि सम्बन्ध इति भावः । तस्यैव विशेषणस्य व्यावर्त्यान्तरमाह—एतेनेति । प्राय इति । यत् यस्मात्, द्रौपदी पाण्डवपत्नी, 'हा हता' इत्युक्त्वा, रोदिति, तस्मात्, प्रायः, द्यौः स्वर्गः, पतेत् भूतलमा गच्छेत्, ग्लौ. चन्द्रः, शकलीभवेत् खण्डशः स्यात्, अम्बुधिभिः समुद्रैः, अचलैः पर्वतैः, च सह, गौः पृथिवी स्वलेत् विचलेत्, समस्ताः सर्वाः, दिशश्च, नूनम् निश्चितम्, ज्वलिष्यन्ति ज्वालामयाः स्युरित्यर्थः । उपपादयति—अत्रापीति । रोदनेति । रोदनकारणीभूत यत् केशग्रहणादि तज्जन्य यत्पापम् तद्रूपेण निमित्तेन, उत्पापितायामिति विवक्षितोऽर्थः । नातिप्रसङ्ग इति । पापस्य 'द्यौः पतेत्' इत्यादिविषयविषयिसाधारणत्वविरहादिति भावः । धर्मे रमणीयत्वविशेषणस्य फलमाह—प्रायः स्थाणुना इत्यादि । स्थाणुना वृत्तेण । यथाक्रम धर्मानाह—निश्चलेति । आदिना विलक्षणाकारत्वपरिग्रहः । रमणीयत्वमिति । तत्त्व च कविप्रतिभानिर्वर्तितत्वमिति भावः । निश्चलत्वादिसाधारणधर्मसम्बन्धनिमित्तिकासु 'प्रायः स्थाणुनाऽनेन भवितव्यम्—' इत्यादि सम्भावनासु नातिव्याप्तिः, तेषां धर्माणां लौकिकत्वेन कविप्रतिभानिर्वर्तितत्वाभावेन रमणीयत्वविरहादिति भावः । 'ज्ञानम्' इत्यपहाय 'सम्भावनम्' इत्युक्तेः फलमाह—रूपकेति । निश्चयात्मके रूपकज्ञाने प्रकृतलक्षणं नातिप्रसाङ्क्षीदिति लक्षणे सम्भावनोक्तिः । ज्ञानोक्तौ तु तत्रातिप्रसङ्गो दुर्वार एवेति भावः ।

अब लक्षण का विवेचन किया जाता है—लोकोत्तर इत्यादि । 'हे लोकोत्तर प्रभाव वाले राजन् ! मैं आपको उत्कृष्ट नारायण ( विष्णु ) मानता हूँ ।' इस स्थल पर जब लोकोत्तर प्रभाव में नारायणत्व-व्याप्यता की सम्भावना—अर्थात् प्रायः जहाँ-जहाँ लोकोत्तर प्रभाव है वहाँ-वहाँ नारायणत्व है इस तरह की सम्भावना—रहती है तब उस लोकोत्तर प्रभाव को हेतु बनाकर नारायणत्व की अनुमिति नहीं की जा सकती, क्योंकि अनुमिति की सामग्री नहीं है अर्थात् लोकोत्तर प्रभाव में नारायणत्व-व्याप्यता की सम्भावना है, निश्चय नहीं, और अनुमिति का कारण व्याप्ति-निश्चय माना जाता है, अतः उक्त व्याप्यता-सम्भावना से 'प्रायः यह नारायण होगा' ऐसी सम्भावना उत्पन्न होगी । इस द्वितीय सम्भावना में अतिव्याप्ति न हो इसलिये लक्षण में 'जिस पदार्थ का भेद जिस पदार्थ में यथार्थतया ज्ञात हो' यह अंश कहा जाता है । आप कहेंगे—इस अंश के कहने से उक्त सम्भावना में अतिव्याप्ति का वारण कैसे होगा ? तो मैं कहूँगा कि इस अंश से प्रकृत सम्भावना का आहार्य होना—बाधित रहने पर भी इच्छा से उत्पन्न होना—ज्ञात होता है अर्थात् तद्विन्न रूप में निश्चित पदार्थ को पुनः तद्रूप समझना आहार्य ही हो सकता है और उक्त सम्भावना आहार्य—अर्थात् बाधकालिक इच्छाजन्य—नहीं है, अपितु प्रथमोत्पन्न व्याप्यता सम्भावनाजन्य है, अतः उसका वारण उक्त अंश से होता है । इसी अंश से 'रामम्—अर्थात् अत्यन्त चिकने तथा श्याम वर्णवाले राम

को वन में देखकर 'प्रायः यह मेघ होगा' इस सम्भावना से मयूर नाच रहे हैं।' इस सम्भावना (अर्थात् राम में, मेघ की सम्भावना) में, एवं इसी पद्य का उत्तरार्ध 'धाराधर-धिया इत्यादि अर्थात् मेघ की बुद्धि ( भ्रान्ति ) से मयूर मन्द-मन्द नाचते रहते थे।' यों बदल दें तो इस भ्रान्ति (अर्थात् राम में मेघ की भ्रान्ति) में अतिव्याप्ति वारित हुई-अर्थात् यह सम्भावना अथवा भ्रान्ति आहार्य (वाधकालिक ज्ञानरूप) नहीं है। यदि आहार्य होती तब उससे नाचने की प्रवृत्ति मयूरों में नहीं बन सकती थी, क्योंकि वाधितार्थ-विषयक इच्छाजन्य ज्ञान से प्रवृत्ति नहीं होती। 'वदनकमलेन—अर्थात् हे वाले ! जब तू सुखकमल द्वारा मन्दहास की शोभा का एक लेश धारण करती है, मैं उसी क्षण जान लेता हूँ कि इस जगह, जगत् को कामदेव ने जीत लिया—यहाँ जानेवाला कामवशीभूत हुए बिना रह नहीं सकता।' इस पद्य में जो जगत् के जय की सम्भावना वर्णित है उसमें अतिव्याप्ति को वारित करने के लिये लक्षण में 'उन दोनों पदार्थों में रहनेवाले किसी सुन्दर धर्म को निमित्त मानकर' यह अंश जोड़ा गया है। तात्पर्य यह कि उक्त सम्भावना किसी ऐसे धर्म को निमित्त मानकर नहीं की गई है, अतः इस अंश से उसका वारण हो जाता है। यद्यपि उक्त सम्भावना का निमित्त त्मित(मन्दहास)को माना जा सकता है, पर वह मन्दहासरूप धर्म साधारण नहीं है-विषय-'जगत्' और 'जीत लिया'-विषयी में से एक में भी वह नहीं रह जाता है। इसी से—'प्रायः पतेद् द्यौः—अर्थात् सम्भव है स्वर्ग गिर जाय, चन्द्र टूट जाय, पर्वतों और समुद्रोंसहित पृथ्वी विचलित हो जाय और यह तो अत्यधिक सम्भव है कि सारी दिशाएँ जल उठेंगी, क्योंकि द्रौपदी 'हाय ! मरी' कहकर रो रही है।' यहाँ भी रोदन के कारणरूप 'केश पकड़ने' आदि से उत्पन्न पाप को निमित्त मानकर उठाई गई 'स्वर्ग के गिरने' आदि की सम्भावना में लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होती, क्योंकि पापरूप निमित्त उभय साधारणधर्म नहीं है—अर्थात्-स्वर्गरूपविषय और पतनरूप विषयी इन दोनों में से एक में भी वह ( पाप ) रहनेवाला नहीं होता। 'प्रायः इसे टूँठ होना चाहिये' 'निश्चित ही यह पुरूप हो सकता है' और 'दूर खड़ा यह देवदत्त सा ज्ञात होता है', इत्यादि में क्रमशः निश्चलता, चञ्चलता और एक विशिष्ट प्रकार के आकाररूप समानधर्म को निमित्त मानकर की जानेवाली सम्भावनाओं में लक्षण की अतिव्याप्ति हो सकती है, अतः निमित्तभूत धर्म में 'सुन्दर—अर्थात् कवि-प्रतिभा-निमित्त' विशेषण दिया गया है। उक्त धर्म ऐसे नहीं हैं, अतः तन्मूलक उक्त सम्भावनाओं को उपेक्षा नहीं कहा जा सकता। रूपक के ज्ञान में अतिव्याप्ति न हो इसलिये लक्षण में 'सम्भावना' कही गई है। रूपक का ज्ञान सम्भावनारूप नहीं, किन्तु निश्चयरूप होता है।

नन्वेवमपि तदभावत्वेनेत्याद्यधिकमत आह—

अत्र च तादान्येन संसर्गेण धन्युत्प्रेक्षायाः नसर्गान्तरेण धर्मोत्प्रेक्षायाञ्च सङ्ग्रहायैकोक्त्या लक्षणद्वयं विवक्षितम् ।

अत्र चेति । लक्षणवाक्य इत्यर्थः । धन्युत्प्रेक्षा-धर्मोत्प्रेक्षा-भेदेनोत्प्रेक्षा द्विविधा । तत्र धन्यन्तरे धन्यन्तरोत्प्रेक्षणे प्रथमा धर्मिणि धर्मोत्प्रेक्षणे च द्वितीया भवति । धन्युत्प्रेक्षायाः तादान्ये नन्वन्ध, धर्मोत्प्रेक्षायाश्च तद्वितर नामानाधिकरण्यादिः ( नमवायादिः ) । अतः योदभयोत्प्रेक्षयोः सङ्ग्रहय लक्षणद्वयं पूर्वोक्तलक्षणवाक्ये वक्तुमिति तन्मिति भावः ।

ऊपर जो कुछ कहा गया है वह 'जिस पदार्थ का भेद—' इत्यादि प्रथम लक्षण के विषय में ही, अतः 'जिस धर्म का अभाव—' इत्यादि द्वितीय लक्षण व्यर्थ ना प्रतीत होता है इस सन्देह को निवृत्ति के लिये कहा जाता है—अत्र च इत्यादि । अभिप्राय यह है कि उपेक्षा दो प्रकार की है—एक धन्युत्प्रेक्षा, जिसमें एक धर्म की दूसरे धर्मों के रूप में उपेक्षा की जाती है, और दूसरी धर्मोत्प्रेक्षा, जिसमें धर्म की धर्मों में उ

की जाती है। धर्म्युत्प्रेक्षा तादात्म्य (अभेद) सम्बन्ध द्वारा होती है और धर्मोत्प्रेक्षा अन्य सम्बन्ध (समवाय आदि) द्वारा। इन दोनों उत्प्रेक्षाओं का संग्रह करने के लिये मूल में एक उक्ति द्वारा दो लक्षणों का कथन अभीष्ट है। टीका में तो दोनों लक्षण पृथक्-पृथक् लिखे गये हैं।

उत्प्रेक्षा विभजते—

सा चोत्प्रेक्षा द्विविधा—वाच्या, प्रतीयमाना च। इव, नूनम्, मन्ये, जाने, अवैमि, ऊहे, तर्कयामि, शङ्के, उत्प्रेक्षे, इत्यादिभिः क्यखाचारकिवादिभिः प्रतिपादकैः सहिता यत्रोत्प्रेक्षासामग्री, तत्र वाच्योत्प्रेक्षा। यत्र च प्रतिपादकशब्दरहित तत्सामग्रीमात्रम्, तत्र प्रतीयमाना। यत्र तत्सामग्रीरहितं प्रतिपादकमात्रम्, तत्र सम्भावनमात्रमेव, नोत्प्रेक्षा। सापि प्रत्येकं त्रिविधा—स्वरूपोत्प्रेक्षा, हेतूत्प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा चेति। तत्र जातिगुणक्रियाद्रव्यरूपाणां तदभावरूपाणां च पदार्थानां तादात्म्येनेतरेण वा सम्बन्धेन जातिगुणक्रियाद्रव्यात्मकैर्व्यस्तैः समुचितैरुपात्तैरनुपात्तैर्निष्पन्नैर्निष्पाद्यैर्वा निमित्तभूतैर्धर्मैर्यथासम्भवं जातिगुणक्रियाद्रव्यात्मकेषु विषयेषूत्प्रेक्षणं स्वरूपोत्प्रेक्षा। तत्राभेदेन संसर्गेण धर्मिस्वरूपोत्प्रेक्षा, ससर्गान्तरेण धर्मस्वरूपोत्प्रेक्षेति चोच्यते। उक्तविधेषु पदार्थेषु प्रागुक्तप्रकाराणां पदार्थानां तथाविधैरेव निमित्तैर्यथासम्भवं हेतुत्वेन फलत्वेन च सम्भावन हेतूत्प्रेक्षा फलोत्प्रेक्षा चोच्यते। एताश्च कचिन्निष्पन्नशरीराः कचिन्निष्पाद्यशरीराश्चेत्येवमाद्यनल्पविकल्पाः सम्पद्यन्ते। तथापि दिङ्मात्रमुपदर्शयते।

प्रतीयमानेति। अर्थसामर्थ्यावसेयेत्यर्थः। न तु व्यङ्ग्येति भावः। एतच्चाप्रे मूल एव स्फुटीभविष्यति। उत्प्रेक्षासामग्रीति। सा च रमणीयतद्धर्मसम्बन्धादिरूपा। प्रतिपादकशब्देति। इवादीत्यर्थः। नोत्प्रेक्षेति। अलङ्कारत्वन्नेत्यर्थः। पुनरन्यथा विभजते—साऽपीति। एव च द्वादश भेदा सम्पन्ना इति भावः। स्वरूपोत्प्रेक्षादीना स्वरूपपरिचयायाह—तत्रेति। तासा तिसृणा मध्य इत्यर्थः। द्रव्येति। सज्ञाशब्दाभिप्रायमिदम्। एवमप्रेऽपि। व्यस्तैरिति। पृथग्भूतैरित्यर्थः। समुचितैरिति। मिलितैरित्यर्थः। उपात्तैः शब्दबोधितैः अनुपात्तैः शब्दाबोधितैः। अर्थसामर्थ्यलब्धैरिति यावत्। निष्पन्नैः स्वतः सिद्धैः। निष्पाद्यैः कल्पनया साध्यमानैः। विषयेष्विति। प्रकृतेष्वित्यर्थः। जात्यादीन् निमित्तीकृत्य जात्यादिषु विषयेषु जात्यादिरूपाणाम् विषयिणां सम्भावन स्वरूपोत्प्रेक्षेति साराशः। उक्तमेव विशदयति—तत्रेति। तासा स्वरूपोत्प्रेक्षाणा मध्य इत्यर्थः। हेतूत्प्रेक्षा-फलोत्प्रेक्षे आह—उक्तेति। जात्यादिष्वित्यर्थः। एवमप्रेऽपि। जात्यादिषु पदार्थेषु जात्यादिभिर्निमित्तैर्जात्यादेः पदार्थस्य हेतुत्वेन फलत्वेन च सम्भावनम्—अर्थात् जात्यादिरूप पदार्थो जात्यादिरूप पदार्थं प्रति हेतु फल वा यत्र सम्भाव्यते तत्र—हेतुफलोत्प्रेक्षे भवति इति भावः। पुनरपरथा विभजते—एताश्चेति। पूर्वोक्ता उत्प्रेक्षा इत्यर्थः। निष्पन्नेति। स्वतः सम्भवपदार्थगता इति भावः। निष्पाद्येति। कविकल्पितपदार्थगता इति भावः। अनल्पेति। बह्वित्यर्थः। तथापीति। तेषां सर्वेषा प्रभेदानामुपदर्शनस्याशक्यत्वेऽपीत्यर्थः।

उत्प्रेक्षा के भेद किए जाते हैं—सा च इत्यादि। पूर्वोक्त उत्प्रेक्षा दो प्रकार की है—वाच्या और प्रतीयमाना (प्रतीयमाना का अर्थ व्यङ्ग्यता नहीं है, किन्तु अर्थतः अवगत होनेवाली, यह समझ रखना चाहिए)। जहाँ संस्कृत में इव आदि मूलोक्त उत्प्रेक्षा बोधक शब्दों एवम् हिन्दी में मानो आदि तद्बोधक शब्दों से युक्त उत्प्रेक्षा की सामग्री (सुन्दर विषयि-गत धर्म-सम्बन्ध आदि) हो वहाँ वाच्योत्प्रेक्षा कहलाती है। और जहाँ

बोधक शब्द न हों, किन्तु केवल सामग्री हो वहाँ प्रतीयमानोपेक्षा कहलाती है। जहाँ सामग्री न हो और उपेक्षा-बोधक शब्द हों, वहाँ केवल 'सम्भावना' मानी जाती है उपेक्षा नहीं—अर्थात् वहाँ सम्भावना को अलङ्काररूप नहीं माना जाता। ये उपेक्षाएँ प्रत्येक तीन-तीन प्रकार की होती हैं—स्वरूपोपेक्षा, हेतुपेक्षा और फलोपेक्षा। फलतः उपेक्षा के बारह भेद इस तरह से सम्पन्न होते हैं। जैसे—वाच्यधर्मिस्वरूपोपेक्षा, प्रतीयमानधर्मिस्वरूपोपेक्षा, वाच्यधर्मस्वरूपोपेक्षा, प्रतीयमानधर्मस्वरूपोपेक्षा, वाच्यधर्मिहेतुपेक्षा, प्रतीयमानधर्मिहेतुपेक्षा, वाच्यधर्मिहेतुपेक्षा, प्रतीयमानधर्मिहेतुपेक्षा, वाच्यधर्मिफलोपेक्षा, प्रतीयमानधर्मिफलोपेक्षा, वाच्यधर्मफलोपेक्षा और प्रतीयमानधर्मफलोपेक्षा। ससार के सभी पदार्थ जाति, गुण, क्रिया और द्रव्य (सज्ञाशब्द-स्थल में) रूप तथा इन चारों के अभावरूप हैं। इन पदार्थों की, अभेदसम्बन्ध द्वारा अथवा अन्य किसी सम्बन्ध द्वारा, जाति, गुण, क्रिया और द्रव्यरूप—पृथक्-पृथक् अथवा मिलित, शब्दद्वारा वर्णित अथवा अवर्णित और सिद्ध अथवा साध्य—धर्मों को निमित्त मानकर, यथासम्भव, जाति, गुण, क्रिया और द्रव्यरूप विषयों (प्रकृत पदार्थों) में, उपेक्षा करना स्वरूपोपेक्षा कहलाती है। उक्त तरह के पदार्थों की, उक्त तरह के पदार्थों में, उक्त तरह के निमित्तों द्वारा, यथासम्भव, हेतुरूप से अथवा फलरूप से सम्भावना की जाय तो क्रमशः हेतुपेक्षा और फलोपेक्षा कहलाती है। इन उपेक्षाओं का शरीर (स्वरूप) कहीं सिद्ध होता है (अर्थात् सर्वांश में स्वतः सम्भवी पदार्थों को लेकर बना रहता है) और कहीं साध्य (अर्थात् अंश विशेष में अथवा सर्वांश में कविकल्पित पदार्थों को लेकर बना रहता है)। इस तरह ऐसे अत्यधिक विकल्प बन सकते हैं, तथापि यहाँ उनका दिग्दर्शन मात्र कराया जाता है।

उदाहरणप्रदर्शनप्रसङ्गे प्रथम जातिस्वरूपोपेक्षोदाहरणप्रदर्शनायाह—

आख्यायिकायां जात्यवच्छिन्नस्वरूपोपेक्षा यथा—

जात्यवच्छिन्नेति । जातिविशिष्टस्य धर्मिणो धर्म्यन्तरे तादात्म्येनोपेक्षेत्यर्थः ।

जात्यवच्छिन्न पदार्थ के स्वरूप की उपेक्षा ( आख्यायिका में ), जैसे—

उदाहरणमुपन्यस्यति—

‘तनयमैनाकगवेषणलम्बीकृतजलधिजठरप्रविष्टहिमगिरिभुजायमानाया भगवत्या भागीरथ्याः सखी’ इति ।

यनुनावर्णनम्—इयं, यनुना, तस्या भगवत्या ऐश्वर्यविशेषशालिन्या, भागीरथ्या-ज्ञाया, सखी, विद्यते, या, तनयस्य, मैनाकस्य तदात्म्यपर्वतविशेषस्य, गवेषणाय अन्वे-णाय, लम्बीकृत दीर्घाकृत, तथा जलधेः समुद्रस्य, जठरे उदरे, प्रविष्टश्च यो हिमगिरे-र्हिमालयस्य, भुजो बाहुः, स इवाचरतीत्यर्थः ।

उदाहरण दिखलाया जाता है—तनय इत्यादि। यमुना का वर्णन है। यह यमुना इस ऐश्वर्यशालिनी गङ्गा की सखी है, जो अपने पुत्र मैनाक ( एक पर्वत ) को ढूँढ़ने के लिये लम्बी की हुई और समुद्र के उदर में घुसी हुई, हिमालय पर्वत की भुजा सा आचरण करती है।

उपपादयति—

अत्र भागीरथ्यां द्रव्ये जातौ वा हिमगिरिसम्बन्धी भुजत्वजात्यवच्छिन्नतादात्म्येनोपेक्ष्यते। तत्र च भागीरथीगतानां श्वेत्यशैत्यलम्बत्वजलधिजठरप्रविष्टत्वानां धर्माणाम् निमित्ततासिद्धये विषयिहिमगिरिभुजगतत्वमवश्यं सम्पादनीयम्। तेषां च मध्येऽनुपात्तयोः श्वेत्यशैत्ययोर्हिमगिरिसम्बन्धित्वादेव भुजात्वं सम्पन्नम्। इतरयोरपि सम्पादनाय तनयमैनाकगवेषण फलमुपेक्षितम्,

तत्साधनताज्ञानस्य लम्बत्वजलधिजठरप्रवेशानुकूलयत्रजनकत्वात् । एवं च विषयिगततादृशगवेपणफलकलम्बत्वजलधिजठरप्रविष्टत्वाभ्यां विषयगतयोः साहजिकलम्बत्वजलधिजठरप्रविष्टत्वयोरभेदाध्यवसानातिशयोक्त्या साधारण्यसम्पत्तौ निमित्तता । न चात्र फलस्याप्युत्प्रेक्षेति वक्तुं शक्यम् । उत्प्रेक्ष्यमाणफलनिष्पादितनिमित्तोत्थापितायां स्वरूपोत्प्रेक्षायामेव विधेयत्वाच्चमत्कृतेर्विश्रमात्, उत्प्रेक्षाप्रतिपादकस्य प्रत्ययस्य फलेनानन्वयाच्च, तथैवात्र व्यपदेशो युक्तः । अनिगीर्णविषया चैयमुपात्तानुपात्तगुणक्रियात्मकनिमित्ता निष्पाद्यविशिष्टशरीराजात्युत्प्रेक्षा, हिमगिरिभुजस्य कविनैव निष्पादितत्वात् ।

द्रव्ये जातौ वेति । सज्ञाशब्दवाच्याया जातिशब्दवाच्यायां वेत्यर्थः । तत्र चेति । तस्मिन्नुत्प्रेक्षण इत्यर्थः । अस्य च 'निमित्ततासिद्धये' इत्यत्रान्वयः । तेषां चेति । उक्तधर्माणामित्यर्थः । इतरयोरपीति । लम्बत्वजलधिजठरप्रविष्टत्वयोरित्यर्थः । तत्साधनतेति । गवेपणसाधनतेत्यर्थः । यत्नेति । अन्यथा गवेपणासम्भवादिति भावः । विषयिगतेति । विषयिहिमगिरिभुजगताभ्यामित्यर्थः । तादृशेति । तनयमैनाकेत्यर्थः । विषयेति । भागीरथीत्यर्थः । साहजिकेति । स्वाभाविकेत्यर्थः । अभेदाध्यवसानेति । विषयनिगरणपूर्वकभेदारोपेत्यर्थः । तन्मूलक्यातिशयोक्त्येति समुदितार्थः । सम्पत्ताविति । सिद्धावित्यर्थः । शङ्कते—न चेति । समाधत्ते—उत्प्रेक्ष्यमाणेति । फलेति । गवेपणेत्यर्थः । निमित्तेति । साधारणीकृतलम्बत्वजलधिजठरप्रविष्टत्वेत्यर्थः । विधेयत्वादिति । विधेयत्वेन प्राधान्यादित्यर्थः । चमत्कृतिविश्रमे विनिगमनाविरहादाह—उत्प्रेक्षाप्रतिपादकस्येति । प्रत्ययस्य क्यञ्च । तदर्थस्येति भावः । फलेनेति । गवेपणेनेत्यर्थः । उपसंहरति—तथैवेति । एव चेत्यादिः । स्वरूपोत्प्रेक्षयैवेत्यर्थः । अत्र भेदानुपादायति—अनिगीर्णेति । भागीरथ्या उपादानादिति भावः । उपात्तेति । इदं च यथासम्भव बोध्यम् । न तु यथासख्यम् । तथात्वे गुणयोरेवोपात्ततासिद्धिः, गुणौ च श्वैत्यशैत्यात्मकावनुपात्ताविति ग्रन्थासङ्गतिः स्यात् । निष्पाद्यत्वे हेतुमाह—हिमेति । एव चैकदेशस्य सिद्धत्वेऽपि विशिष्टस्य निष्पाद्यत्वं स्पष्टमेवेति भावः । अयमत्र विशदोऽर्थः—'तनयमैनाकः' इतिगद्यवाक्ये गङ्गाया हिमालयबाहुरभेदेनोत्प्रेक्ष्यते । बाहु( भुज )पदञ्च बाहुत्वजातिविशिष्टवाचकमिति जातिस्वरूपोत्प्रेक्षेयम् । भागीरथीपदञ्च यदि सज्ञाशब्दरूपम् तदाऽत्र द्रव्ये जातिस्वरूपोत्प्रेक्षा, यदि पुनस्तत्पदम् कल्पभेदाभिप्रायेण भागीरथीत्वजातिविशिष्टवाचकम् स्वीक्रियते तदा जातौ जातिस्वरूपोत्प्रेक्षेति त्वन्यत् । अस्योत्प्रेक्षायां श्वैत्यशैत्यलम्बत्वजलधिजठरप्रविष्टत्वात्मकाश्चत्वार साधारणा धर्मा निमित्ततामुपयान्ति । कथमेषा साधारणतेति चेत् ? इत्थम्—भागीरथ्या विषयभूतायां ते धर्मा स्वतः सिद्धा एव । विषयिभूते हिमालयभुजेऽपि अनुक्ते श्वैत्यशैत्ये भुजस्य हिमालयीयतया सिद्धप्राये । लम्बत्वसमुद्रोदरप्रविष्टत्वे यद्यपि भुजविशेषणतयैव शब्दबोधिते तथापि गङ्गायामिव भुजेन तयो सिद्धत्वम्, अतस्तयोर्भुजगतत्वसिद्धये प्रयासोऽपेक्षितः, स च प्रयास तनयमैनाकगवेपणरूपफलोत्प्रेक्षात्मकः कविनाऽत्र कृतः । ननु कथं तेन प्रयासेन तयोर्भुजगतत्वसिद्धिरिति चेत् ? लम्बीकृतसमुद्रोदरप्रविष्टे च भुजे गवेपणसाधनताज्ञानवता हिमालयेन ( भुजे लम्बत्व समुद्रोदरप्रविष्टत्वञ्च येन स्यात् तादृशः ) यत्नोऽवश्यं कृतोऽभूदित्यनुमित्या भुजे तयो सिद्धिरिति बोध्यम् । एवमपि यद्यपि विषयिभुजगते ते यत्नपूर्वके गवेपणफलके च, विषयगङ्गागते पुनस्ते स्वाभाविके इति मिथो भिन्न एवेति न तयो साधारणता, तथापि तयोरभेदाध्यव-

सानमूलकातिशयोक्तेरङ्गीकारेणैक्यात्साधारणता सम्पद्यते । एवञ्च साधारणीभूतान् तान् चतुरो धर्मान् निमित्तीकृत्योक्तप्रेक्षा क्रियते । यद्यप्यत्र गवेषणात्मकफलस्याप्युपप्रेक्षणमिति सत्यम्, तथापि नात्र तद्व्यवहारः, व्यवहारस्य प्रधानानुरोधित्वात् । प्राधान्यञ्चात्र चमत्कृतिविश्रमघामभूताया विधेयाया उत्प्रेक्ष्यमाणफलनिष्पादितनिमित्तोत्थापिताया स्वरूपोत्प्रेक्षाया एव । किञ्चात्रोत्प्रेक्षा वाच्या, वाचकश्च 'भुजायमान-' पदगतः क्यङ्प्रत्ययः, तदर्थस्य च भुजपदार्थेनैवान्वयः, न फलीभूतेन गवेषणेनेति कथं फलोत्प्रेक्षाव्यवहारः स्यात् ? अत्र च भागीरथीरूपो विषय उपात्त एव, न निर्गोर्णः, एवम् निमित्तभूतेषु प्रागुक्तेषु धर्मेषु, लम्बत्वजलघिजठरप्रविष्टत्वरूपौ त्रियात्मकौ धर्मावुक्तौ, श्वैत्यश्वैत्यरूपौ च गुणात्मकौ धर्मौ अनुक्तौ इति अनिर्गोर्णविषया उपात्तानुपात्तोभयविधधर्मनिमित्ता चैयं जातिवत्त्वोत्प्रेक्षा निष्पाद्या । ननु निष्पाद्यत्व कुत, विषयत्वाया गङ्गाया निष्पन्नत्वादिति चेन्न, विषयिणो हिमगिरिभुजस्य कविनैव निष्पादिततया विशिष्टस्य निष्पाद्यत्वाद्भेदे । इति ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि । 'तनयमैनाक—' इस गद्यवाक्य में यदि भागीरथी-पद को एकव्यक्तिवाचक (अर्थात् सज्ञाशब्द) माना जाय तो गङ्गारूप द्रव्य में, और यदि क्लृप भेद से अनेकव्यक्तिवाचक (अर्थात् जाति-शब्द) माना जाय तो जाति में हिमालय से सम्बन्ध रखनेवाले 'भुजत्व' जाति से अवच्छिन्न (विशिष्ट) पदार्थ (अर्थात् 'भुज') की, अभेदसम्बन्ध द्वारा, उत्प्रेक्षा की जाती है । इस उत्प्रेक्षा में, श्वेतता, शीतलता, लम्बता और समुद्रोदरप्रविष्टता ये चार धर्म साधारण (गङ्गा तथा भुज दोनों में वृत्ति) होकर निमित्त होते हैं । अब ये चारों धर्म साधारण कैसे होते हैं यह समझिए—गङ्गा में ये चारों धर्म स्वतः रहते ही हैं, भुज में भी हिमालय के सम्बन्धी होने से वाक्य में अनुक्त दो धर्म (श्वेतता तथा शीतलता) सिद्ध हो जाते हैं । अब वचे लवता तथा समुद्रोदर-प्रविष्टता ये शब्दोक्त दो धर्म । ये दोनों यद्यपि भुज के ही विशेषण बनाए गए हैं वाक्य में, तथापि वस्तुतः ये गङ्गा के ही धर्म हैं, भुज के नहीं, अतः इन्हें भुजगत सिद्ध करने के लिये उपाय अपेक्षित है, वही उपाय 'तनयमैनाक-गवेषणात्मक-फल' की उत्प्रेक्षा के रूप में कविद्वारा किया गया है—अर्थात् 'पुत्र मैनाक को ढूँढ़ने के लिये' इस रूप में की गई उत्प्रेक्षा से उक्त दोनों धर्मों की भुजवृत्तित्ता सिद्ध हो जाती है, क्योंकि जब हिमालय को लवे बनाए गए और समुद्र के उदर में घुसे हुए भुज में उक्त गवेषणासाधनता का ज्ञान हुआ होगा—अर्थात् जब हिमालय ने यह समझा होगा कि लवीकृत तथा समुद्रोदरप्रविष्ट भुज द्वारा ही पुत्र मैनाक को समुद्र में खोजा जा सकता है तब उन्होंने (हिमालय ने) अवश्य ही भुज को लवा और समुद्रोदरप्रविष्ट बनाने के उपयुक्त यत्न किया होगा यह अनुमान करना कोई कठिन नहीं है, क्योंकि 'तत्साधनता का ज्ञान तत्साधनतोपयोगी पदार्थ के उत्पादक यत्न का जनक होता है' यह एक नियम-सिद्ध बात है । यद्यपि इतना-सब कुछ-करने पर भी उक्त दोनों धर्म वस्तुतः साधारण हुए नहीं, क्योंकि भुज में रहनेवाले लम्बत्व और समुद्रोदरप्रविष्टत्व उक्तरीति से यत्नपूर्वक तथा गवेषणारूप फल वाले हैं और गङ्गा में रहने वाले वे दोनों धर्म स्वाभाविक तथा उक्त फल से शून्य हैं, फलतः ये केवल एक-एक में रहनेवाले भिन्न ही धर्म हैं—इनमें से कोई भी धर्मद्विक दोनों में रहनेवाला नहीं, तथापि विषयी (भुज) गत उक्त दोनों धर्मों के साथ विषय (गङ्गा) गत उक्त दोनों धर्मों का अभेदाध्यवसान मान लिया जाता है—अर्थात् एक नरह की अतिशयोक्ति मान ली जाती है जिससे वस्तुतः भिन्न होने पर भी विषयिगत तथा विषयगत वे धर्म एक समझ लिये जाते हैं, अतः ये दोनों धर्म भी साधारण हो जाते हैं । श्वेतता तथा शीतलतारूप धर्म साधारण हो ही चुके हैं । इस तरह ये चारो धर्म उक्त उत्प्रेक्षा में निमित्त होते हैं । यदि कोई कहे कि यहाँ स्वरूपोत्प्रेक्षा क्यों कही जा रही है ? यहाँ फल (फलोत्प्रेक्षा) की उत्प्रेक्षा की जाती है ।

नहीं व्यवहृत होती? तो इसका समाधान यह है कि—एक तो, जिस फलोत्प्रेक्षा की बात आप कर रहे हैं उसके द्वारा सिद्ध किए गए निमित्त ( लम्बत्व तथा समुद्रोदरप्रविष्टत्व ) से उठाई गई 'स्वरूपोत्प्रेक्षा' ही यहाँ विधेय है—प्रधान है, अतः चमत्कार का विश्राम वहीं जाकर होता है, फलोत्प्रेक्षा में नहीं। दूसरे, उत्प्रेक्षाबोधक प्रत्यय—'भुजायमान' पदान्तर्गतक्यङ्-का फल के साथ अन्वय नहीं है, किन्तु भुज के साथ है। ऐसी स्थिति में स्वरूपोत्प्रेक्षा का व्यवहार होना ही समुचित है। यह जातिस्वरूपोत्प्रेक्षा, विषयवाचक गङ्गापद के पृथक् विद्यमान रहने के कारण, अनिगीर्णविषया, और लम्बत्व तथा समुद्रोदरप्रविष्टत्व इन दो क्रियात्मक धर्मों के उपात्त ( उक्त ) रहने के कारण, उपात्तनिमित्ता, एवम् श्वेतता तथा शीतलता इन दो गुणात्मक धर्मों के अनुपात्त रहने के कारण, अनुपात्तनिमित्ता भी, और कवि कल्पित हिमालयभुजरूपविषयी से युक्त होने के कारण, निष्पाद्या है। आप कहेंगे—उक्त विषयी के निष्पाद्य होने पर भी गङ्गारूप विषय तो स्वतोनिष्पन्न ही है, ऐसी दशा में उत्प्रेक्षा को निष्पाद्य कैसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है कि विषयी तथा विषय दोनों मिलकर ही तो उत्प्रेक्षारूप होते हैं, फिर उन दोनों में से एक का भी निष्पाद्य होने पर विशिष्ट को निष्पाद्य कहा ही जा सकता है।

भेदान्तरमुदाहर्तुमाह—

तादात्म्येन गुणस्वरूपोत्प्रेक्षा यथा—

अभेदसम्बन्ध से गुणस्वरूपोत्प्रेक्षा जैसे—

उदाहरणमुपन्यस्यति—

‘अम्भोजिनीबान्धवनन्दनायां कूजद्वकानां समजो विरेजे ।

रूपान्तराक्रान्तगृहः समन्तात् पुञ्जीभवञ्शुक्ल इवाश्रयार्थी ॥’

कविर्यमुना वर्णयति—अम्भोजिनीबान्धवस्य सूर्यस्य, नन्दनाया तनयाया यमुनायामिति यावत्, कूजता शब्दायमानाना, बकानाम्, समज सह, रूपान्तरेण श्यामत्वेन, आक्रान्त बलाद् व्याप्तम्, गृहम्, यस्य तादृश, अतः, समन्तात् सर्वत, पुञ्जीभवत् एकत्र समुपतिष्ठत्, आश्रयार्थी स्थितिस्थानामिलाषी, शुक्ल शुक्लगुणः, इव, विरेजे शुशुभे इत्यर्थः ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—अम्भोजिनी इत्यादि। अम्भोजिनीबान्धव ( सूर्य ) की नन्दना ( कन्या यमुना ) में कूजते हुए बगुलों का छुट ऐसा शोभि हुआ, मानो, दूसरे रूप ( कालापन ) से जिसका गृह आक्रान्त हो गया है वह अतएव सब तरफ से इकट्ठा हो रहा आश्रय की इच्छावाला शुक्लगुण ( श्वेतवर्ण ) हो ।

उपपादयति—

अत्रैकाधिकरण्यापन्ने कूजनविशिष्टे बकत्वजात्यवच्छिन्ने विषये पुञ्जीभवनविशिष्टः शुक्लगुणस्तादात्म्येनोत्प्रेक्ष्यते । तत्र बकगतानां कूजननैर्मल्यपुञ्जीभवनानां शुक्लगुणगतत्वमन्तरेण बकशुक्लयोरभेदस्य दुरुपपादत्वात् त्सिद्धये तेषां विषयिगतत्वं साध्यम् । तत्र नैर्मल्यस्यानुपात्तस्य यथाकथञ्चिदुत्प्रेक्ष्यमाणे विषयिणि सिद्धत्वात् कूजनपुञ्जीभवनयोर्निष्पादनाय रूपान्तराक्रान्तगृहत्वमाश्रयार्थित्वं च हेतुत्वेनोत्प्रेक्षितम् । इहापि प्राग्वत् साहजिकयोः कल्पिताभ्यामभेदाध्यवसानात् साधारण्यम् । एवमन्यत्राप्यूहम् । पूर्वं हि यथा फलस्योत्प्रेक्षणेऽपि न फलोत्प्रेक्षा तथेहापि हेतोरिति ।

अत्रेति । ‘अम्भोजिनी—’ इति पद्ये इत्यर्थः । ऐकाधिकरण्यापन्न इति । समुदायापन्न इत्यर्थः । तत्रेति । तयोर्विषयविषयिणोर्मध्य इत्यर्थः । अन्तरेणेति । विनेत्यर्थः ।

तत्सिद्धये शुक्लगुणगतत्वसिद्धये । तेषामुक्तधर्माणाम् । विषयीति । शुक्लगुणेत्यर्थः । तत्र  
 तेषां धर्माणां मध्ये । नैर्मल्यस्य गुणात्मकस्य धर्मात्मकस्य वा द्रव्यवृत्तित्ता, न शुक्लादिगुण-  
 वृत्तित्तेत्यत आह—यथाकथंचिदिति । गुणगतदोषविशेषाभाववत्त्वस्य नैर्मल्यपदेन विव-  
 क्षणादिति भावः । नन्वेव कूजनपुञ्जीभवनयोर्विषयिणि सिद्धत्वेऽपि विषयगताभ्यां ताभ्यां  
 भिन्नत्वेन कथं साधारण्यमित्यत आह—इहापीति । इदमुपलक्षणम् । नैर्मल्ययोरपि विषय-  
 विषयिगतयोर्भिन्नत्वेनाभेदारोपादेव साधारण्यं बोध्यम् । ननु रूपान्तराक्रान्तगृहत्वाश्रया-  
 र्थित्वयोर्हेतुत्वेनोत्प्रेक्षणे हेतूत्प्रेक्षणे वृत्तौ नैत्यत आह—पूर्वं हीति । अत्र भावः—वक्तव्य-  
 जातिविशिष्टवक्तृत्वस्य विषये शुक्लगुणस्य विषयिणस्तादात्म्येनोत्प्रेक्षणात् 'अम्मोजिनी—'  
 इत्यस्य गुणस्वरूपोत्प्रेक्षोदाहरणत्वम् सम्पद्यते । अस्मिन्प्रोत्प्रेक्षणे कूजननैर्मल्यपुञ्जीभवना-  
 मका धर्मा साधारणाः सन्तो निमित्तभावः भजन्ते । ननु कथमेवा साधारण्यमिति  
 वेदित्यम्—वक्तव्यवृत्तित्ता स्पष्टवैषाम् । नैर्मल्यस्य पुनः कथञ्चित् शुक्लगुणवृत्तित्तापि सिद्धैव ।  
 कूजनपुञ्जीभवनयोः शुक्लगुणवृत्तित्ता रूपान्तराक्रान्तगृहत्वाश्रयार्थित्वयोर्हेतुत्वेनोत्प्रेक्षणा-  
 निष्पद्यते, अन्याक्रान्तगृह्याणामाश्रयार्थिनाञ्च शब्दायमानत्वस्य सङ्गीभवनस्य च लोक-  
 प्रसिद्धत्वात् । न चैवमपि विषयगतेभ्यस्तेभ्यो विषयिगतास्ते भिन्ना एव भवेयुरिति कथं  
 साधारण्यमिति शङ्क्यम्, अभेदाध्यवसानेनैकत्वाङ्गीकारात् । हेतूत्प्रेक्षणे सत्यपि हेतूत्प्रे-  
 क्षाव्यपदेशस्तु न शक्यते विधातुम्, प्राग्बत् हेतूत्प्रेक्षायां निमित्तमात्रनिष्पादकतया गुण-  
 त्वेनाचमत्कारित्वात् । स्वरूपोत्प्रेक्षा तु प्रधाना चमत्कृतिभूमिरिति भवति तथा व्यप-  
 देश इति ।

उपपादनं क्रिया जाता है—अत्रैकाधिकरण्यापन्न इत्यादि । 'अम्मोजिनी—' इस पद्य  
 में 'एकत्र स्थित' और 'कूजन'—युक्त वक्तव्य जाति से अवच्छिन्न बगुलारूप विषय—  
 अर्थात् जातिरूप पदार्थ—में इकट्ठे हो रहे शुक्लगुण की अभेदसम्बन्ध से उत्प्रेक्षा होती  
 है यहाँ बगुलों में रहनेवाले कूजन, निर्मलत्व और पुञ्जीभवन (इकट्ठे होना) इन तीन  
 धर्मों की सिद्धि जब तक शुक्लगुण में भी न हो तब तक बगुलों और शुक्लगुण का  
 अभेद सिद्ध होना कठिन है । अतः उन धर्मों की स्थिति विषयी (शुक्लगुण) में साध-  
 नीय है । उनमें से अनुपात धर्म (निर्मलत्व) की स्थिति किसी तरह विषयी (शुक्लगुण) में  
 सिद्ध हो जाती है । ('किसी तरह' कहने का अभिप्राय यह है कि—वस्तुतः निर्मलता स्वयं  
 गुणरूप है, अतः वह किसी द्रव्य में ही रह सकती है, पर यहाँ 'मल'—अर्थात् किसी तरह  
 का दोष, उसका अभाव ही 'निर्मलता' से विवक्षित है जो गुण में भी रह सकता है) ।  
 अथ अवशिष्ट रहे 'कूजन' और 'पुञ्जीभवन' ये दो धर्म । इन दोनों धर्मों की सिद्धि  
 शुक्लगुण में करने के लिये 'दूसरे रङ्ग से आक्रान्त गृह वाले होने' की और 'आश्रय  
 की इच्छा वाले होने' की हेतुरूप से उत्प्रेक्षा की गई है । तात्पर्य यह कि हेतुरूप  
 से उक्त दोनों बातों की उत्प्रेक्षा करने से शुक्लगुण में भी 'कूजन' और 'पुञ्जीभवन' की  
 सिद्धि हो जाती है, क्योंकि जिनका घर दूसरों से आक्रान्त हो जाता है तथा जो दूसरों  
 के यहाँ आश्रय चाहते हैं वे जोर-जोर से शब्द करते हैं और इकट्ठे हो जाते हैं यह बात  
 लोकप्रसिद्ध है । यहाँ भी पूर्वोक्त उदाहरण की तरह स्वाभाविक विषय वक्रगत उन  
 धर्मों का कल्पित विषयि (शुक्ल) गत उन धर्मों के साथ अभेद मान लेने से इन धर्मों की  
 साधारणता (दोनों में रहना) सिद्ध होती है । इसी तरह अन्यत्र भी तर्क कर लेना  
 चाहिये । प्रथम उदाहरण में जैसे फल के उत्प्रेक्षित होने पर भी फलोत्प्रेक्षा नहीं  
 व्यवहृत होती, वैसे यहाँ भी हेतु के उत्प्रेक्षित होने पर भी हेतूत्प्रेक्षा नहीं व्यपदिष्ट होती  
 है । अभिप्राय यह है कि यहाँ की हेतूत्प्रेक्षा भी केवल स्वरूपोत्प्रेक्षा के निमित्त को सिद्ध  
 करने के लिये की गई है, अतः अनुवाच्य है—गौण है, उसमें कोई चमत्कार नहीं अनुभूत



होता, इसलिये उसका व्यवहार करना उचित नहीं और स्वरूपोत्प्रेक्षा तो प्रधान है-  
विधेय है, चमत्कारयुक्त है, अतः उसका व्यवहार करना समुचित है ।

भेदान्तरमुदाहर्तुमाह—

क्रियास्वरूपोत्प्रेक्षा यथा—

अभेदसम्बन्धेन क्रियास्वरूप यत्रोत्प्रेक्ष्यते तादृशमुदाहरणं यथेति भावः ।

अभेदसम्बन्धमूलक क्रिया-स्वरूप की उत्प्रेक्षा, जैसे—

उदाहरणमुपन्यस्यति—

‘कलिन्दजानीरभरेऽर्धमग्ना वकाः प्रकामं कृतभूरिशब्दाः ।

ध्वान्तेन वैराद् विनिगीर्यमाणाः क्रोशन्ति मन्ये शशिनः किशोराः ॥’

यमुनावर्णनप्रसङ्गे कवि यमुनाजलेऽर्धमग्नान् वकान् वर्णयति—कलिन्दजाया यमुनाया,  
नीरभरे जलसमूहे, अर्धमग्ना वृद्धितकायार्धाः, तथा, प्रकामं यथेच्छम्, कृतभूरिशब्दा  
विहितवहलकोलाहला, वकाः, वैराद् द्वेषात्, ध्वान्तेन तमसा, विनिगीर्यमाणा क्वली-  
क्रियमाणा, शशिन चन्द्रस्य, किशोरा शिशवः, सन्तः, क्रोशन्ति आक्रोशं कुर्वन्तीति  
मन्ये इत्यर्थः ।

उदाहरण दिखलाया जाता है—कलिन्द इत्यादि । यमुनावर्णन-प्रसङ्ग में कवि  
जल के भीतर शरीर के आधे हिस्से को डुवा कर तैरते हुए बकों का वर्णन करता है—  
यमुना के जल में आधे डूबे और यथेच्छ कोलाहल करते हुए वगुले ऐसे ज्ञात होते हैं,  
मानो, द्वेष के कारण, अन्धकार द्वारा निगले जाते चन्द्रमा के बच्चे चिह्ला रहे हों ।

शब्दबोधप्रदर्शनपुरस्सरमुपपादयति—

अत्र प्रथमान्तविशेष्यकबोधवादिनामभेदसंसर्गेण कलिन्दजानीरार्धमग्न-  
कृतभूरिशब्दोभयविशिष्टेषु वकेषु विषयेषु ध्वान्तकर्तृकवैरहेतुकनिगरणकर्माभि-  
न्नोत्प्रेक्षितशशिकिशोरतादात्म्योत्प्रेक्षणपूर्वकं क्रोशनकर्तृत्वं धर्म उत्प्रेक्ष्यते । तत्र  
तादात्म्योत्प्रेक्षणे धर्म्युत्प्रेक्षायां साधारणो धर्मः, सम्बन्धान्तरेणोत्प्रेक्षणे धर्मो-  
त्प्रेक्षायां तत्समानाधिकरणो धर्मश्च विषयगतो निमित्तमिति स्थिते प्रकृते  
क्रोशनकर्तृत्वरूपधर्मोत्प्रेक्षायां तत्समानाधिकरणनिगरणकर्मत्वरूपधर्मस्य विष-  
यगतत्वसिद्धयेऽनुवाचतया शशिकिशोरतादात्म्यमनुपात्तश्चैत्यनिमित्तकमुत्प्रेक्ष्यते ।  
तत्र यथा विशिष्टोपमायामुपमानोपमेयविशेषणतद्विशेषणानामार्थमौपम्यम्, एव-  
मत्रापि विषयबकविशेषणतद्विशेषणयोरर्धमज्जनयमुनाजलयोर्मूलोत्प्रेक्षाविषयि-  
शशिकिशोरविशेषणतद्विशेषणाभ्यां निगरणध्वान्ताभ्यामभेद आर्थः, ततश्च  
ध्वान्तकर्तृकनिगरणे सिद्धे मुख्योत्प्रेक्षानिर्वाहः । क्रोशनशब्दयोरपि बिम्बप्रति-  
बिम्बभावेनाभेदः । तेन कलिन्दजानीरार्धमग्नकृतभूरिशब्दोभयाभिन्ना वका  
ध्वान्तनिगीर्यमाणशशिकिशोरोभयाभिन्नाः क्रोशनक्रियानुकूलव्यापारवन्त इवेति  
बोधाकारः । आख्याते भावप्राधान्ये त्वभेदेन क्रोशनक्रियोत्प्रेक्षा । तत्र शब्दे  
वृत्ते बकविशेषणतया प्रतीयमानमपि शब्दनं विषयतयाऽवतिष्ठते, अध्यवसान-  
वशान् । क्रोशनक्रियायां च तादृशबका विशेषणम्, तादृशबकेषु चाभेदेन  
तादृशशशिकिशोराः, न तु शशिकिशोरा एव साक्षात्क्रियायाम् । एव च वकानां  
मनन्वयापत्तेः । विषयविषयिविशेषणानां प्राग्वदेव बिम्बप्रतिबिम्बभावेनाभेद-  
प्रतिपत्तिः ।

अत्रेति । 'कलिन्दजा—' इत्यत्रेत्यर्थः । चादिनामिति । नैयायिकानामित्यर्थः । मते इति शेषः । अस्य 'घर्न उत्प्रेक्ष्यते' इत्यत्रान्वयः । विषयेषु इति । आरोपावारेषु इत्यर्थः । उपमेयेष्विति यावन् । शानजयमाह—कर्मैति । तदभिशक्तेनोत्प्रेक्षितेत्यर्थः । अत्र 'अत्रोत्प्रेक्षितेत्यधिकम् । तयोरभेदस्य त्वारसिकत्वात्' इति नागेशः । वस्तुतस्तु 'शशिकिशोरा न वास्तविका अपि तु कल्पनिका' इति बोधनाय तदावरयक्रमेवेति बोध्यम् । तत्रेति । तयोत्प्रेक्षयोर्नध्य इत्यर्थः । पूर्वामाह—तादात्म्येति । तादात्म्येनोत्प्रेक्षण इत्यर्थः । वस्तु-तत्त्वसमत् एव पाठो युक्तः । द्वितीयामाह—सम्बन्धेति । विषयेति । वक्रेत्यर्थः । तच्छ-तन्मकाराभावादाह—अनुवाचेति । उत्प्रेक्ष्यत इति । वक्रेष्विति शेषः । नन्वेवमपि साधारणधर्माभावात्कथं प्रधानोत्प्रेक्षानिर्वाहोऽत आह—तत्रेति । तस्मिन्सतोत्यर्थः । मूलोत्प्रेक्षेति । मूलोत्प्रेक्षाया विषयी च 'शशिकिशोर इत्याद्यर्थः । त्रियोत्प्रेक्षोपपादकत्वात्तस्या नूलोत्प्रेक्षात्वम् । सिद्ध इति । वक्रानामित्यादिः । मुल्योत्प्रेक्षेति । त्रियोत्प्रेक्षेत्यर्थः । प्रका-रान्तरेणापि साधारण्यं धर्मत्याह—क्रोशनेति । एषश्च नैयायिकमते पर्यवसितबोधाकार-माह—तेनेति । क्रिशोरोभयाभिन्ना इति । सन्त इति शेषः । अत्र "'शशिकिशोरोभया-नुकूलोत्प्रेक्षेति' इति पाठधारणं कृत्वा 'निर्गर्धमाणाभिन्नशशिकिशोराभिन्ना' ज्ञानान्त्रिया-नुकूल—' इति युक्तः पाठः ।" इति नागेशः । वस्तुतस्तु न नागेशवृत्तपाठ उपलभ्यते, 'ष्वान्तनिर्गर्धमाणशशिकिशोरोभयाभिन्ना' इत्याकारकपाठस्यैवोपलब्धेः । उपलब्धपाठोऽपि 'निर्गर्धमाणाभिन्ना शशिकिशोराभिन्नाश्च' इति तात्पर्यानुसारं युक्त एव प्रतिमाति । अयं भावः—'कलिन्दजा—' इत्यत्र प्रथमं तमं कर्तृकृत्यहेतुर्नगिरणकर्मभिन्नकल्पित-शशिशिशुतादात्म्य वक्रेषु उत्प्रेक्ष्यते, ततः तादृशशशिशिशुतादात्म्यापन्नवकल्पे विषये ज्ञानकर्तृत्वान्मकर्म उत्प्रेक्ष्यते । तत्र पूर्वा धर्म्योत्प्रेक्षा, तादात्म्यसम्बन्धमूलकत्वात्, द्वितीया च धर्मोत्प्रेक्षा समवायात्मकतादात्म्येतरसम्बन्धमूलकत्वात् । ननु धर्मोत्प्रेक्षा-निमित्ततयाऽर्थाङ्कत उत्प्रेक्ष्यमाणधर्मसमानाधिकरणो विषयगतो धर्मः प्रकृते क इति चेत् ? निगरणकर्मत्वमिति मन्तव्यम् । अथ कथं निगरणकर्मत्वस्य वक्रात्मकविषयगतत्वमिति चेत् ? अनुकूलवेततानिमित्तकशशिशिशुतादान्यस्य वक्रेषूत्प्रेक्षणे प्राकृते वक्र-शशि-क्रिशोराणामभेदेन शशिकिशोराणां ष्वान्तनिगरणकर्मत्वे वक्रेष्वपि तद्विद्वेः । इयं तादात्म्योत्प्रेक्षा अनुवाद्या अत्रमकारिणीत्यन्यदेतत् । एषश्च यथा 'ज्ञेयलातपशोणात्र—' इत्यादिविशिष्टोपमात्यक्ते उपमानविशेषणोपमेयविशेषणयोरुपमानविशेषणविशेषणोपमेय-विशेषणविशेषणयोश्च शाब्दोपन्यविरहेऽपि आर्यमौपम्यं भवति तथाऽत्रापि वक्रविशेषण-शशिकिशोरविशेषणयोरुपन्यवन्तनिगरणयोरुपमं वक्रविशेषणविशेषण-शशिकिशोरविशेषण-विशेषणयो यमुनाजलष्वान्तयोद्धार्योऽभेदः सम्प्रच्यते । एतेन मुल्योत्प्रेक्षानिर्वाहक एकविधः साधारणो धर्म उक्तो भवति । अपरविधोऽपि स सम्भवति । यथा—विषयविशेषणस्य शब्दन्त्य विषयविशेषणस्य ज्ञानस्य च विन्वप्रतिविन्वभावापन्नतयाऽभेदेन साधारण्यम् ।

३ इत्यत्र 'यमुनाजलधर्मताभिन्नास्तया कृतभूरिशब्दाभिन्नाश्च वक्राः ष्वान्तनिर्गर्धमाणा-भिन्ना शशिकिशोराभिन्नाश्च सन्त ज्ञानान्त्रियानुकूलव्यापारवन्त इव' इति बोधः पर्य-वृत्तति इति । वैयाकरणतानुकार्युपपादनमाह—आख्याते इति । तिष्ठन्ते इति तदर्थः । भावेति । द्विधेत्तर्धः । 'भावप्रधानमाख्यातम्' इति निचममूलकं भावप्राधान्याख्याते बोध्यम् । नन्वेभेदेन वक्रेषु त्रियोत्प्रेक्षा वायिता अत आह—तत्रेति । उत्प्रेक्षमाण-ज्ञानक्रियायामित्यर्थः । अस्य 'शब्दन विषयतया भवतिष्ठते' इत्यत्रान्वयः, वृत्ते बोधे ।

अध्यवसानेति । अध्यवसानं च मञ्चा' क्रोशन्तीत्यादिवद्विपयिवाचकशब्देनेति [बोधम् । तादृशेति । विशेषणद्वयविशिष्टेत्यर्थः । एवमत्रेऽपि । तादृशेति । एकविशेषणविशिष्टेत्यर्थः । क्रियायामिति । क्रोशनेत्यादि' । एवं चेति । एवं सतीति भावः । प्राग्बदिति । उक्तनैयायिकमतसिद्धव्याख्यान इवेति भावः । अयमाशय — तिङन्ते क्रियाप्राधान्यवादिना वैयाकरणानां मते प्रकृते शब्दनक्रियायां क्रोशनक्रियाया अभेदेनोत्प्रेक्षा भवति, अतो धर्म्युत्प्रेक्षैवेयं तन्मतेन । ननु शब्दन नात्र पृथङ्निर्दिष्टम्, अपि तु विशेषणमध्यगततयेति कथं तस्य विषयत्वमिति चेत् ? सत्यम्, मञ्चा क्रोशन्तीत्यत्र मञ्चेषु विपयिषु यथा मञ्चस्थानामभेदाध्यवसानम् तथा शब्दकर्तृषु वक्त्रेषु शब्दनस्याध्यवसानात् तस्य विषयत्वं बोध्यम् । अयं विषयविषयभाव आर्थः । शाब्दे तु बोधे विशेषणविशिष्टा वक्त्रा क्रोशनेऽनुयन्ति, वक्त्रेषु च सविशेषणा' शशिकिशोराः अभेदेन । शशिकिशोराणां साक्षात्क्रियान्वये वक्त्रा अनन्विता एव भवेयुः । एवञ्च 'ध्वान्तकर्तृवैरहेतुकनिगरणकर्माभिन्ना ये शशिकिशोरास्तदभिन्ना अथ च यमुनाजलार्धमग्नकृतभूरिशब्दाभिन्नाश्च ये वक्त्रास्तत्कर्तृक्रोशनक्रिया' इति बोधः । अरिमन्त्रमि मते विषयविषयविशेषणानां विन्वप्रतिविन्वभावमूलकोऽभेद पूर्ववदेवावगन्तव्य इति ।

शाब्दबोधसहित उदाहरणतोपयोगी उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि । जो लोग ( नैयायिक ) शाब्दबोध में प्रथमान्त पद के अर्थ को प्रधान बनाते हैं उनके मत से 'कलिन्दजा—' इस पद्य में अभेदसम्बन्ध द्वारा विशेषण बने हुए 'यमुना के जल में साधे दूबे' और 'कोलाहल करनेवाले' इन दो अर्थों से युक्त वक्त्ररूप विषयों ( आधारों ) से 'क्रोशनकर्तृत्व—अर्थात् चिल्लाना क्रिया के कर्ता होने' रूप धर्म की उत्प्रेक्षा होती है । पर इस उत्प्रेक्षा से पहले उन्हीं बकों में उन 'चन्द्रमा के बच्चों के तादात्म्य' की उत्प्रेक्षा होती है जो कल्पित हैं और अन्धकाररूप कर्ता से वैर के कारण की जानेवाली निगरण- ( निगलना ) क्रिया के कर्म हैं । सारांश यह कि इस पद्य में दो उत्प्रेक्षाएँ हैं—एक 'बकों में चन्द्रकिशोरों' की, दूसरी 'चन्द्रकिशोरों से अभिन्न बकों में क्रोशनकर्तृत्व' की । अब यह नियम है कि जहाँ अभेदसम्बन्ध द्वारा किसी पदार्थ में किसी पदार्थ की उत्प्रेक्षा होती हो वहाँ उस उत्प्रेक्षा को धर्म्युत्प्रेक्षा कहते हैं, जैसे उक्त दोनों उत्प्रेक्षाओं में प्रथम उत्प्रेक्षा, और ऐसी उत्प्रेक्षा का निमित्त होता है विषय तथा विषयी दोनों में रहनेवाला साधारणधर्म, और जहाँ अभेद के अतिरिक्त समवाय आदि किसी अन्य सम्बन्ध द्वारा किसी पदार्थ में किसी पदार्थ की उत्प्रेक्षा होती हो वहाँ उस उत्प्रेक्षा को धर्मोत्प्रेक्षा कहते हैं, जैसे—उक्त उत्प्रेक्षाओं में द्वितीय उत्प्रेक्षा, और ऐसी उत्प्रेक्षा का निमित्त होता है उत्प्रेक्षित होनेवाले धर्म के साथ रहनेवाला वैसा धर्म जो विषय में भी रहता हो । ऐसी स्थिति में, प्रकृत पद्य में क्रोशनकर्तृत्वरूप धर्म की समवायसम्बन्धमूलक उत्प्रेक्षा में निमित्त बनाना पड़ेगा उस क्रोशनकर्तृत्व के साथ शशिकिशोरों में रहनेवाले निगरणकर्मत्व—अर्थात् निगलना क्रिया का कर्म होने—को । पर यह धर्म तब तक निमित्त हो नहीं सकता जब तक विषय ( बकों ) में भी उसकी स्थिति सिद्ध नहीं हो जाय । अतः अनुवाद्य ( गौण ) रूप में बकों में चन्द्रमा के बच्चों की तादात्म्यसम्बन्ध द्वारा उत्प्रेक्षा की जाती है । इस द्वितीय धर्म्युत्प्रेक्षा का निमित्तभूत धर्म है अनुक्त 'श्वेतता' अर्थात् श्वेत होने के कारण बकों को चन्द्रमा के बच्चों से अभिन्न मान लिया गया है । अब जैसे विशिष्टोपमा में उपमान-उपमेय के विशेषणों तथा उन विशेषणों के विशेषणों का शब्दतः न होने पर भी अर्थतः परस्पर सादृश्य मान लिया जाता है, उसी तरह यहाँ भी वक्त्ररूप विषय के विशेषण 'साधे दूबने' और उसके विशेषण 'यमुना-जल' का, मूलभूत—अर्थात् प्रधानोत्प्रेक्षा की सम्पादिका उत्प्रेक्षा के विषयी 'चन्द्रमा के बच्चों' के विशेषण 'निगरण' और उसके विशेषण 'अन्धकार' के साथ अर्थतः अभेद माना जाता

है। तात्पर्य यह कि 'आधे डूबने को 'निगरण' से और 'यमुनाजल' को 'बन्धकार' से अभिन्न मान लिया जाता है। इस तरह वकों का बन्धकार द्वारा निगरण जब सिद्ध हो जाता है—अर्थात् चन्द्रमा के वकों का बन्धकार द्वारा निगरण जब सिद्ध है तब उनसे अभिन्न वकों का भी वह सिद्ध हो जाता है—तब मुख्य उल्लेख—अर्थात् वकरूप विषय में क्रोशनकर्तृत्व की उल्लेख का निर्वाह हो जाता है। यहाँ क्रोशन (चिह्नाने) और शब्दन (कोलाहल करने) का भी विन्वप्रतिविन्वभाव के कारण अभेद है, फलतः ये दोनों पदार्थ भी एक होकर साधारणधर्म के कर्तव्य पूर्ण कर सकते हैं—यह बात भी ध्यान में रखने योग्य है। उक्त रीति के अनुसार नैयायिकों के मत में प्रकृत पद्य का "यमुना-जल में आधे डूबे और अत्यधिक शब्द करते इन दोनों से अभिन्न वगुले, बन्धकार से निगले जा रहे और चन्द्रमा के वच्चे—इन दोनों से अभिन्न होकर 'क्रोशन'रूप क्रिया के अनुकूल चेष्टा से युक्त हैं।" यह शाब्दबोध होता है। यह तो हुई शाब्दबोध में प्रयमान्त पद के अर्थ को मुख्य विशेष्य माननेवाले नैयायिकों की बात। अब जो लोग 'तिदन्त'पदयुक्त वाक्यार्थ के बोध में क्रिया को प्रधान मानते हैं उन वैयाकरणों के मत की बात सुनिये। उनके विचार से यहाँ अभेदसम्बन्ध से 'क्रोशन'(चिह्नाने)-क्रिया की उल्लेख होती है। इस उल्लेख में विषय वगुले नहीं हो सकते, क्योंकि द्रव्य में क्रिया का अभेद बाधित है, अतः शब्दन (कोलाहल करने) को ही आक्रोशनक्रियो-ल्लेख का विषय समझना चाहिए। यद्यपि शब्दन पृथक् निर्दिष्ट नहीं है, उसकी प्रतीति शाब्दबोध में वक के विशेषणरूप में होती है, अतः वह विषय नहीं हो सकता, तथापि अध्यवसान के बल से वह (शब्दन) विषय होता है—अर्थात् जिस तरह 'मञ्जाः क्रोशन्ति' में मञ्जस्य जनों का मञ्जरूप विषयी के साथ अभेदाध्यवसान होता है उसी तरह यहाँ भी शब्द करनेवाले वकों में ही शब्दन का अध्यवसान (जारोप) करके उक्त उल्लेख की सिद्धि की जाती है। फलतः यह उल्लेख आर्य (अर्थात् ज्ञात होनेवाली) है। शाब्दबोध में तो उक्त विशेषणों से युक्त वगुले 'क्रोशन'क्रिया में विशेषण बनते हैं और वैसे वगुलों में उक्त विशेषणयुक्त शशिकिशोर विशेषण होते हैं। इस शाब्दबोध में शशिकिशोर ही साक्षात् क्रिया में विशेषणरूप से अन्वित नहीं हो सकते, अपितु उक्त रीति से वगुले के विशेषण बनकर ही परम्परया अन्वित हो सकते हैं, क्योंकि यदि साक्षात् शशिकिशोर का ही अन्वय क्रिया के साथ कर दिया जाय तब वगुले अनन्वित ही रह जायेंगे। फलतः वैयाकरणों के मत से प्रकृत पद्य का शाब्दबोध "बन्धकार से निगले जा रहे शशिकिशोरों से अभिन्न तथा यमुना जल में आधे डूबे और कोलाहल करते—इन दोनों से भी अभिन्न वगुले जिसके कर्ता हैं, वह 'क्रोशन'" यह होता है। आर्यबोध के अनुसार यहाँ क्रियास्वरूपोल्लेख मानी जाती है। विषय और विषयी के विशेषणों का, इस मत में भी, पूर्व मत के अनुसार ही विन्वप्रतिविन्वभाव माना जाता है।

क्रियास्वरूपोल्लेखाया एवोदाहरणान्तरमुपदर्शयितुमाह—

तथा—

इसी तरह—

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'राज्याभिपेक्षनाजाय शन्वरासुरवैरिणः।

सुधाभिर्जगतीमध्यं लिम्पतीव सुधाकरः ॥'

अविश्वन्वज्योस्ता वग्यति—सुधाकरश्चन्द्रः, शन्वरासुरवैरिणः कमदेवस्य, राज्याभिपेक्षं राजन्वसुवक्रविधिविशेषम्, आजाय विदित्वा, जगतीमध्यं वगतलान्तरालम्, सुधाभिः पीयूषैरेव च तृणैः, लिम्पति इवेत्यर्थः ।

उदाहरण दिखलाया जाता है—राज्याभिपेक्ष इत्यादि। कवि चन्द्रिका

करता है—चन्द्रमा, कामदेव का राज्याभिषेक समझकर, मानो, सुधा (अमृत-चूने) से पृथिवी के मध्यभाग को पोत रहा है ।

उपपादयति—

अत्रापि चन्द्रे विषये तादृशलेपनकर्तृत्वरूपधर्मोत्प्रेक्षेत्येकं दर्शनम् । किरणव्यापने विषये चन्द्रकर्तृकसुधाकरणकलेपनस्य तादात्म्येनोत्प्रेक्षणमिति द्वितीयम् । तत्र प्रथमे मते धवलीकारकत्वरूपनिमित्तानुपादानादनुपात्तनिमित्ता, विषयस्योपादानादुपात्तविषया । द्वितीयेऽपि तस्यैव निमित्तस्यानुपादानादनुपात्तनिमित्ता, विषयस्य निगीर्णतयानुपात्तविषयेति विशेषः ।

अत्रापीति । 'राज्याभिषेक' इति पद्येऽपीत्यर्थः । तादृशेति । सुधाकरणकजगन्मध्यकर्मकेत्यर्थः । चन्द्रकर्तृकेति । चन्द्राभिन्नकर्तृकेत्यर्थः । करणकेति । जगन्मध्यकर्मकेत्यपि बोध्यम् । विषयस्य चन्द्रस्य । तस्यैव धवलीकारकत्वस्यैव । विषयस्य किरणव्यापनस्य । निगीर्णेति । सुधाभिलिम्पतीत्यनेनेति भावः । 'राज्याभिषेक--' इति पद्येऽपि पूर्ववत् चन्द्रात्मके विषये तादृशलेपनकर्तृत्वमुत्प्रेक्ष्यत इति प्रथमान्तार्थविशेष्यकबोधवादिनो नैयायिका इति तन्मतेनात्र धर्मोत्प्रेक्षा । सा च धवलीकारकत्वरूपोत्प्रेक्ष्यमाणधर्मसमानाधिकरणधर्मात्मकनिमित्तस्यानुक्ततयाऽऽनुक्तनिमित्ता, चन्द्रात्मकविषयस्योक्ततयोक्तविषया । किरणव्यापनात्मके विषये तादृशलेपनस्याभेदेनोत्प्रेक्षेति च व्यापारमुख्यविशेष्यकबोधवादिनो वैयाकरणाः इति तन्मतेनेयं धर्म्युत्प्रेक्षा । सा च धवलीकारकत्वरूपसाधारणधर्मात्मकनिमित्तानुपादानादनुपात्तनिमित्ता किरणव्यापनात्मकविषयानुल्लेखादनुपात्तविषया च । वैयाकरणानां मतमनुसृत्यैव क्रियास्वरूपोत्प्रेक्षात्वमनयोः पद्ययोरिति भावः ।

उपपादन क्रिया जाता है—अत्रापि इत्यादि । 'राज्याभिषेक—' इस पद्य में भी चन्द्र में लेपनकर्तृत्व की उत्प्रेक्षा है यह एक सिद्धान्त है नैयायिकों का । इस मत के अनुसार समवायसम्बन्धमूलक यह धर्मोत्प्रेक्षा हुई । यहाँ धवलीकारकत्व ( श्वेत बनाना ) रूप निमित्त ( समानाधिकरण धर्म ) उक्त नहीं है और चन्द्ररूप विषय उक्त है, अतः यह उत्प्रेक्षा अनुक्तनिमित्ता तथा उक्तविषया कहलायगी । किरणव्यापन (किरणों का फैलना) रूप विषय में लेपनक्रिया की तादात्म्यसम्बन्ध से उत्प्रेक्षा है यह दूसरा सिद्धान्त है वैयाकरणों का । इस मत के अनुसार तादात्म्यसम्बन्धमूलक यह धर्म्युत्प्रेक्षा हुई । यहाँ धवलीकारकत्वरूप निमित्त ( साधारणधर्म ) उक्त नहीं है और किरणव्यापनरूप विषय भी सुधालेपन द्वारा निगीर्ण ही है—अनुक्त ही है, अतः यह उत्प्रेक्षा अनुक्तनिमित्ता तथा अनुक्तविषया कहलायगी । यही दोनों मतों में अन्तर है । उक्त दोनों पद्य वैयाकरणों के मत के अनुसार ही क्रियास्वरूपोत्प्रेक्षा के उदाहरण होते हैं यह समझना चाहिए ।

भेदान्तरमुदाहर्तुमाह—

तादात्म्येन द्रव्यस्वरूपोत्प्रेक्षा यथा—

अभेदसम्बन्ध द्वारा द्रव्यस्वरूप की उत्प्रेक्षा, जैसे—

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'कलिन्दशैलादियमाप्रयागं केनापि दीर्घा परिखा निखाता ।

मन्ये तलस्पर्शविहीनमस्यामाकाशमानीलमिदं विभाति ॥'

कवि यमुनां वर्णयति—कलिन्दशैलात् कलिन्दाख्यपर्वतात्, आरभ्य, आप्रयाग प्रयागपर्यन्तम्, केनापि अज्ञातनामधेयेन जनेन, इयम्, दीर्घा बहुदूरव्यापिनी, परिखा गर्तविशेषः, खाता रचिता । अस्यां परिखायाम्, तलस्पर्शविहीनं अतलस्पर्शं, आनीलम् ईषन्नीलं, इदं प्रत्यक्षदृश्यम्, आकाश गर्तगत गगनम्, विभाति शोभते इति मन्ये इत्यर्थः ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—कलिन्द इत्यादि। कवि यमुना-वर्णन प्रमत्त में कहता है—कलिन्द पर्वत से लेकर प्रयागपर्यन्त, किसी ने, यह लम्बी खाई खोद डाली है। मानो, इसमें अगाध होने के कारण, नीचे हिस्से के स्पर्श से रहित यह यमुनाजल के रूप में गहरा नीला आकाश शोभित हो रहा है।

उपपादयति—

अत्र यमुनायां नीलत्वदीर्घत्वनिमित्तकमाकाशतादात्म्योत्प्रेक्षणम् । आकाशस्य स्वरूपात्मकत्वादद्रव्यस्वरूपोत्प्रेक्ष्यम् । अत एवाकाशपदाच्छब्दाश्रयत्वाद्यनुपस्थितिदशायामप्याकाशधीः । नीलत्वरूपनिमित्तस्य विषयिणि सिद्धयर्थं तृतीयचरणोपादानम् । दीर्घत्वरूपनिमित्तसिद्धयर्थं च पूर्वार्धम् ।

अत्रेति । 'कलिन्द—' इति श्लोक इत्यर्थः । ननु प्राग्वज्जात्युत्प्रेक्ष्ये कुतो न, अत आह—आकाशेति । नन्वाकाशत्व शब्दाश्रयत्वादिरूपमिति कुत स्वरूपात्मकमत आह—अत एवेति । तस्य स्वरूपात्मकत्वादेवेत्यर्थः । आदिना शब्दसमवायिकारणत्वपरिग्रहः । विषयिणि आकाशे । तृतीयेति । तलस्पर्शोत्यादीत्यर्थः । अत्र 'तलस्पर्शं सति प्रतिबिम्बासम्भव इति भावः ।' इति नागेश । वस्तुतस्तु प्रतिबिम्बस्यात्र न कश्चन प्रसङ्गः । 'उपरितनमाकाशं गतं प्रतिबिम्बितं सत् विभाति' इति प्रन्धाशयं प्रायो नागेशो वेत्ति । अहं तु मन्ये, नास्तौ प्रन्धाशयः, अपि तु गर्तगते जलेऽतलस्पर्शजलशून्यगर्तगतगगनसम्मानात्र ग्रन्थकृतोऽभिप्रेता । तत्र यद्योपरितने महाकाशे वस्तुतोऽवर्तमानमपि नैत्यम् अपारत्वादाकाशस्य प्रतिभाति तथा गर्तगते आकाशेऽपि तलस्पर्शराहित्यहेतुको नैत्यविभ्रमः । तलस्पर्शं तु गर्तस्य घटावच्छिन्न आकाश इव न तद्रूपेऽप्याकाशे नैत्यं प्रतिभायात् । इति । सिद्धयर्थं चेति । आकाश एवेति शेषः । अत्रापि 'गतोपरितनस्याकाशस्य तद्दीर्घत्वरोपादिति भावः ।' इति नागेशोक्तिर्मदुक्तप्रन्धाशयाज्ञानमूलिकैव । उपरितने प्रसिद्धे महाकाशे नीलत्वं दीर्घत्वञ्च प्रसिद्धमिति तद्द्रव्य कलिन्दपर्वतारव्यप्रयागावधिकज्ञातगतजलरूपे विषयेऽपि वर्तमान साधारणधर्मात्मकतया निमित्तीभवत् आकाशत्पद्रव्यस्वरूपोत्प्रेक्षां जनयति । ननु आकाशत्व शब्दाश्रयत्वं शब्दसमवायिकारणत्व वेति नैयायिकाः, तथा च नाकाशत्वमाकाशात्मकमिति कुतोऽत्र द्रव्यस्वरूपोत्प्रेक्षात्वम् इति चेन्न, नैयायिकमतस्य विचारासहन्वात्, तथाहि—यदि शब्दाश्रयत्वादिक्माकाशत्व स्यात् तर्हि शब्दाश्रयत्वादि-त्पार्यस्मरणदशायामेवाकाशपदादाकाशबोधो भवेत्, न चैव दृश्यते, दृश्यते तु तादृशार्थ-स्मरणाभावदशायामपि आकाशपदादाकाशबोधो भवतीति स्वत्पात्मकमेवाकाशत्वम्, अतो द्रव्यस्वरूपोत्प्रेक्षात्वं सुस्थम् इति । अन्यत् पदकृत्यप्रसङ्ग एव स्फुटीकृतम् ।

उपपादनं क्रिया जाता है—अत्र इत्यादि । 'कलिन्द—' इस पद्य में 'नीलेपन' और 'लम्बेपन' को निमित्त बनाकर यमुना में आकाश के अभेद की उत्प्रेक्षा की गई है । तात्पर्य यह कि जैसे यह प्रसिद्ध महाकाश नीला और लम्बा है वैसे यमुना (खाते का जलभाग) भी नीली और लम्बी है, अतः 'नीलत्व' तथा 'दीर्घत्व' इन दो साधारणधर्मों के कारण, कवि, यमुनारूप विषय में आकाशरूप विषयी की, अभेदसम्बन्ध से स्मभावना करता है । आकाश एक है, अतः आकाशत्व आकाशरूप ही पदार्थ है, जातिरूप नहीं, कारण, अनेक में रहनेवाला धर्म ही जातिरूप हो सकता है, एक में रहनेवाला नहीं । फलतः आकाशस्वरूप आकाशत्व द्रव्यरूप होता है, अतः इस पद्य में 'द्रव्योत्प्रेक्षा' हुई । आप कहेंगे—नैयायिक लोग आकाशत्व को 'शब्दाश्रयत्व' अथवा 'शब्दसमवायिकारणत्व' रूप मानते हैं, ऐसी स्थिति में आकाशत्व आकाशस्वरूप हुआ

नहीं, फिर कैसे यहाँ द्रव्योत्प्रेक्षा मानी जा सकती है ? तो इसके उत्तर में हम कहेंगे कि नैयायिकों की उक्त मान्यता अनुभव-विरुद्ध है। कारण, यदि आकाशत्व शब्दाश्रयत्व आदिरूप होता तो 'शब्द का आश्रय है आकाश' इस अर्थ के स्मरण होने पर ही आकाश पद से अर्थबोध होता, पर ऐसा होता नहीं-होता तो यह है कि जो लोग 'शब्द का आश्रय आकाश है' ऐसा नहीं भी जानते रहते हैं उन्हें भी आकाश पद से आकाश का बोध होता है, अतः आकाशत्व आकाशरूप ही है, और कुछ नहीं, फलतः यहाँ द्रव्योत्प्रेक्षा सर्वथा उचित है। आकाश में 'नीलेपन'रूप निमित्तभूत धर्म को सिद्ध करने के लिये इस पद्य का तीसरा चरण ('नीचे के हिस्से के स्पर्श से रहित' यह विशेषण ) रचा गया है। तात्पर्य यह कि-जैसे यह महाकाश इसलिये नीला प्रतीत होता है कि उसका कहीं आर-पार नहीं है-निरवधि है-सर्वथा शून्य है-ऊपर कहीं कोई आवरण नहीं है, उसी तरह इस लम्बी खाई के अन्दर का आकाश भी निरवधि है-सर्वथा शून्य है, क्योंकि खाई की तलहटी टूट चुकी है, अतः इस आकाश में भी 'नीलेपन' की प्रतीति होती है। यहाँ नागेश अपनी टीका में लिखते हैं कि-'तलस्पर्श सति प्रतिबिम्बासम्भवः-अर्थात् अतलस्पर्श न होने पर ऊपर के आकाश की तद्रूप नीलत्व की परछाई नहीं हो सकती।' पर मेरे विचार से यह विवरण सङ्गत नहीं है। कारण, प्रतिबिम्ब का यहाँ कोई प्रसङ्ग ही नहीं आता। प्रायः नागेशमहोदय यहाँ खाई में प्रतिबिम्बित उपरितन महाकाश की सम्भावना जल में समझते हैं। पर वस्तुतः वात यह है नहीं, अपितु यह है कि-यदि कलिन्द पर्वत से प्रयाग पर्यन्त एक अतलस्पर्शिनी खाई खोद दी जाय और उसमें जल नहीं हो, तब उस खाई के अन्दर का आकाश लम्बा और नीचे की ओर निरवधि होने के कारण ऊपर के महाकाश के समान ही नीला दीख पड़ेगा, वस, उसी स्थिति की सम्भावना यहाँ नीले जल में की गई है। और इस पद्य के पूर्वार्ध की रचना आकाश में 'लम्बेपन'रूप निमित्तभूत धर्म की सिद्धि के लिये की गई है-अर्थात् इतनी लम्बी खाई का खोदना वर्णित हुआ है, क्योंकि खन्दक के अनुसार ही उसके अन्दर का आकाश होता है। यहाँ भी नागेशजी ने 'गतोपहितनाकाशस्य तद्दीर्घत्वारोपात्' लिखकर उसी प्रतिबिम्बवाली भूल को दुहराया है।

मेदान्तरमुदाहर्तुमाह—

जात्यादीनामभावोत्प्रेक्षा यथा—

जातेर्गुणस्य च योऽभावः ( अत्यन्ताभावो ध्वंसो वा ) तस्यामेदेन सम्भावना यथेति भावः ।

जाति आदि के अभावों की उत्प्रेक्षा, जैसे—

उदाहरणमुपन्यस्यति—

‘बाहुजानां समस्तानामभाव इव मूर्तिमान् ।

जयत्यतिबलो लोके जामदग्न्यः प्रतापवान् ॥’

समस्ताना सर्वेषाम्, बाहुजानां क्षत्रियाणाम्, मूर्तिमान् सविग्रह, अभावः अत्यन्ताभावः, इव, प्रतापवान् पराक्रमविशेषविशिष्टः, अतिबल परमबलशाली, जामदग्न्यः परशुरामः, लोके, जयति सर्वोत्कर्षेण वर्तते इत्यर्थः ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—बाहुजानाम् इत्यादि। समस्त क्षत्रियों का, मूर्तिमान् अभाव हो ऐसे परमप्रतापशाली अत्यधिक बलवाले परशुराम, संसार में, सर्वोत्कृष्ट हैं।

उपपादयति—

अत्र जात्यवच्छिन्नाभावो विरोधित्वनिमित्तेन तादात्म्येनोत्प्रेक्ष्यते ।

जातीति । जातिः अत्रियत्वम्, तदवच्छिन्नानाम् अभाव इत्यर्थः । सनप्रश्त्रियाभाव इति यावत् । विरोधिन्वेति । जात्यवच्छिन्नेत्यादि । जानदग्न्यः अत्रियत्वजातिमता विरोधी । ततश्च विरोधिन्निमित्तेन जानदग्न्ये द्रव्ये अत्रियत्वजातेरभावस्तादात्म्येन सम्भाव्यत इति जात्यभाववन्दुःश्रेया इत्यमिति भावः ।

उपपादन क्रिया जाता है—अत्र इत्यादि । 'बाहुजानान्—' इस पद्य में अत्रियत्व जाति से अवच्छिन्न के अभाव ( अत्यन्ताभाव ) की, अत्रियत्व जाति के विरोधी होने को निमित्त मानकर, उपप्रेक्षा की जाती है ।

पाठभेदेन भेदान्तरतामापादिते प्रकृतपद्ये विशेषनुपपादयति—

विनाश इवेत्युक्तौ तु ध्वंसः । 'समस्तलोकदुःखानाम्' इति प्रथमचरणे कृते गुणाभावः ।

यदि प्रकृतपद्यधट्टकाभाववदस्थाने 'विनाश'-पद्य स्थापयित्वा पद्यं रचितमभविष्यत्तदा अत्रियत्वजात्यवच्छिन्नध्वंसोःश्रेया समपत्स्यन् । यदि तु समप्रथमचरणस्थाने 'समस्त-लोकदुःखानाम्' इत्यपठिष्यन्, तदा गुणाभावोःश्रेयाऽभविष्यत्, दुःखानां गुणत्वादिति भावः ।

यदि इसी पद्य में 'अभाव इव' के स्थान पर 'विनाश इव' पाठ मान लिया जाय तब यही पद्य 'ध्वसाभाव' की उपप्रेक्षा का उदाहरण हो जायगा । और यदि इसी पद्य का प्रथम चरण 'समस्तलोकदुःखानाम्—सब लोगों के दुःख के' इस प्रकार बना दिया जाय तो यही पद्य गुणाभाव की उपप्रेक्षा का उदाहरण हो जायगा, क्योंकि 'दुःख' गुण है ।

क्रियाभावोऽप्रेक्षोदाहरणमाह—

'घौरञ्जनकालीभिर्जलदालीभिस्तथा वत्रे ।

जगदखिलमपि यथासीन्निलोचनवर्गसर्गमिव ॥'

घौः आकाश, अञ्जनकालीभिः कजलवच्छ्यानाभिः, जलदालीभिः नेत्रपङ्क्तिभिः, तथा तेन प्रकारेण, वत्रे आच्छादिता, यथा, अखिलम् सञ्जम्, अपि, जगन् नसार, निलोचनाः नेत्रशून्याः, ये जनाः, तेणः, वर्गं समूहः, तस्य, नर्गं सृष्टिः, इव, आसीत् अभूदित्यर्थः ।

क्रिया के अभाव की उपप्रेक्षा का उदाहरण उपस्थित किया जाता है—घौरित्यादि । आकाश, काजल-सी काली नेत्र पङ्क्तियों से ऐसे घिर गया, मानो सारा ससार नेत्रहीन जनों की सृष्टि हो गया । तात्पर्य यह कि घन घटा के कारण सब लोग अंधे हो गए, कोई किसी को दिखाई नहीं पड़ता था ।

उपपादयति—

अत्रापि चाक्षुषज्ञानशून्यत्वेन निमित्तेन पार्यन्तिकः क्रियाभावो धर्मः ।

निमित्तेनेति । अनुपात्तेनेति भावः । पार्यन्तिक इति । अत्र नागेश 'यद्यपि सर्गानिति नपुंसकोक्त्या तन्किं जगदन्तरनिर्वैतजगदिति पूर्वं बोधः, तथापि तादृशजगदन्तराप्रसिद्धया अभिभावोऽप्रेक्षावाधापत्त्या चात्रैव धर्मणि जगति लोचनवर्गस्य सर्गो दानं नमर्गं प्रमर्गं वा यत्र दर्शने तदभावो निरा बोध्यते इति दर्शनक्रियाभावरूपो धर्म उच्येत्पते पश्चादित्यर्थः । तदाह क्रियाभावो धर्म इति ।' इति ।

उपपादन क्रिया जाता है—'घौ -' इस पद्य में 'नेत्रद्वारक ज्ञान से सर्वधारहित होने' को निमित्त मानकर, अन्ततोगत्वा क्रिया ( दर्शन ) के अभावरूप धर्म की उपप्रेक्षा की जा रही है । अभिप्राय यह है कि—'निलोचनवर्गसर्गमिव' का बोध पहले यद्यपि यह होता है कि-लोचनवर्ग का नर्ग ( सृष्टि ) निर्गत ( दूर ) हो गया है जिससे ऐसे जगत् के समान ( न



जगत् ), पर वस्तुतः ऐसा जगत् कहीं प्रसिद्ध नहीं है जिसमें आँखों की सृष्टि सर्वथा हो ही नहीं, अतः अन्त में उक्त समस्त पद का अर्थ 'लोचनवर्ग का सर्ग ससर्ग ( संबन्ध ) है जिसमें ऐसी जो दर्शनक्रिया वह निर्गत ( दूर ) हो गई है जिससे ऐसा सारा जगत् इस तरह से करना पड़ता है, अतएव अन्त में जगत् रूप धर्मी में दर्शनक्रियाऽभावरूप धर्म की उत्प्रेक्षा सिद्ध होती है ।

अभावोत्प्रेक्षोदाहरणदानप्रसङ्गमुपसंहरन्नाह—

एवं द्रव्याभावोत्प्रेक्षाऽपि स्वयमूह्या ।

एवं पूर्वोक्तरीत्यैव । ऊह्या तर्कणीया ।

इसी तरह द्रव्याभाव की उत्प्रेक्षा का भी ऊह स्वयं कर लेना चाहिए ।

विशेषमाह—

मालारूपाऽप्येषा सम्भवति ।

एषा स्वरूपोत्प्रेक्षा ।

यह स्वरूपोत्प्रेक्षा मालारूप भी हो सकती है ।

उदाहर्तुमाह—

यथा—

जैसे—

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'द्विनेत्र इव वासवः करयुगो विवस्वानिव

द्वितीय इव चन्द्रमाः श्रितवपुर्मनोभूरिव ।

नराकृतिरिवाम्बुधिर्गुरुरिव क्षमामागतो

नुतो निखिलभूसुरैर्जयति कोऽपि भूमीपतिः ॥'

द्विनेत्र' नेत्रद्वयसहित' न तु सहस्रनेत्र , वासवः इन्द्र', इव, करयुग' द्विहस्त' द्विकिरणो वा, न तु सहस्ररश्मि' ( करयुगपदे करयुगम् अस्त्यस्येत्यर्श आद्यच् , करयोर्युग यस्येति व्यधिकरणबहुव्रीहिर्वा ), विवस्वान् सूर्य , इव, द्वितीय' अपर , चन्द्रमाः , इव, श्रितवपु' धृतशरीर , मनोभू' काम , इव, नराकृति मनुष्याकार , अम्बुधि' समुद्र , इव, क्षमा' भुवम् , आगतः अवतीर्ण , गुरु' बृहस्पति , इव, निखिलै' सर्वैः , भूसुरै' ब्राह्मणैः , नुत' अभिनन्दितः , कोऽपि अनिर्वचनीय भूमीपति' राजा , जयति सर्वोत्कर्षेण वर्तत इत्यर्थ ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—द्विनेत्र इत्यादि । मानो दो नयन वाला इन्द्र हो, मानो दो कर ( हाथ अथवा किरण ) वाला सूर्य हो, मानो दूसरा चन्द्रमा हो, मानो देहधारी कामदेव हो, मानो मनुष्य के समान आकारवाला समुद्र हो और मानो पृथिवी पर अवतीर्ण बृहस्पति हो ऐसा, सकल ब्राह्मणों से अभिनन्दित कोई-अनिर्वचनीय राजा सर्वोत्कृष्ट है ।

शङ्कासमाधानपुरस्सरमुपपादयति—

अत्र राजगतानां द्विनेत्रत्वादीनां वासवादितादात्म्यविरोधिनां विरोधनिवर्तनाय विषयिषु वासवादिष्वारोपेण साधारणीकरणम् । न चात्रोपमा शक्यनिष्पत्त्या, द्विनेत्रत्वादीनामुक्तेर्निष्प्रयोजनकत्वापत्तेः । न चोपमाया निष्पादकं तेषां साधारण्यम्, तदभावेऽपि परमैश्वर्यादिभिः प्रतीयमानैस्तस्या निष्पत्तेः । असुन्दरत्वादुपमानिष्पादकत्वेन कवेरनभिप्रेतत्वाच्च । नह्यत्र द्विनेत्रत्वादिभिर्धर्मैर्वासवादिसादृश्यं राज्ञः कवेरभिप्रायविषयः । एव द्वितीयत्वादीनां चन्द्रादिष्वारोपेण

रोपोऽप्युपमायां सत्यामनर्थक एव स्यात् । अभेदप्रतिपत्तौ तु सहस्रनेत्रेण सहस्रकरेण विधिसृष्टावेकेन वपुर्विहीनेन जलाकारेण स्वर्गगतेन च तेन तेन कथमस्याभेदः स्यादिति प्रतिकूलधियमपसारयतां विषयिगतानां द्विनेत्रत्वाद्यारोपाणामस्त्येवोपयोगः । अत्रैवैवशब्दस्याभावे हटारोपं रूपकम् । विषयिगत-विशेषणानामभावे उपमा । उभयेषामेकतरस्याप्यभावे शुद्धरूपकमिति विवेकः ।

ननूपमैवात्रास्तु इत्याशङ्कते—न चेति । समाधत्ते—द्विनेत्रत्वादीनामिति । पुनः शङ्कापक्षसमर्थनायोक्तमुत्तरमाक्षिपन्नाशङ्कते—न चेति । समाधत्ते—तदभावेऽपीति । तस्या उपमायाः । तनूपात्तधर्माभाव एव प्रतीयमानधर्मादरोऽत आह—असुन्दरेति । चिच्छित्ति-विशेषाजनकत्वादित्यर्थः । ननूत्प्रेक्षापक्षेऽपि तदुक्तिवैयर्थ्यमत आह—अभेदेति । करेण किरणोऽन । तेन तेनेति । वासवादिनेत्यर्थः । अस्य वर्णनीयस्य राज्ञ । उभयाभावस्यैक-स्मिन्नपि सत्त्वादाह—एकतरस्येति । प्रत्येकस्येति भावः । 'द्विनेत्र—' इति पद्ये एकत्र राजह्वये विषये वासवादीनां बहूना विषयिणा तादात्म्यस्य सम्भावनान्मालारूपा द्रव्य-स्वरपोत्प्रेक्षा । तत्र द्विनेत्रत्वादिविशिष्टे विषये सहस्रनेत्रत्वादिविशिष्टानां विषयिणा कथं तादात्म्यम्, द्विनेत्रत्वादिसहस्रनेत्रत्वाद्योर्विरोधित्वादित्याशङ्कान्नोदनाय विषयिषु द्विनेत्र-त्वादिक्मारोप्यते, येन विषयविषयिणो साम्यं सङ्गृह्यते । उपमाऽत्र नाङ्गीकर्तुं शक्या, विषयिषु द्विनेत्रत्वाद्यारोपस्य निरर्थकत्वापत्तेः । उपमासम्पादकसाधारण्यसम्पादनाय तदा-वश्यकत्वमपि न वक्तुं योग्यम्, प्रतीयमानपरमैश्वर्यादिकसाधारण्यमादायापि उपमायाः सिद्धे सम्भवात् । किञ्चात्र द्विनेत्रत्वादिधर्ममूलकं राज्ञि वासवादिचादृश्यं कविविवक्षाविषयी-भूतमपि नास्ति, तादृशादृश्यस्य प्राणिमात्रप्रतियोगिकत्वेनाचमत्कारित्वात् । एवमत्रो-पमास्वीकारे चन्द्रमसि द्वितीयत्वारोपोऽपि व्यर्थ एव भवेत्, सहस्रस्य द्वितीयत्वध्रौव्यात् । उत्प्रेक्षास्वीकारे तु द्विनेत्रत्वाद्यारोप-सार्थकं, यत उत्प्रेक्षायामभेदप्रतिपत्तिर्भवति, द्विनेत्र-त्वादिविशिष्टे राज्ञि वासवादेरभेदस्य प्रतिपत्तौ च वासवादे-सहस्रनेत्रत्वादिकानि बाधकानि भवन्ति, अत वासवादौ द्विनेत्रत्वाद्यारोपो बाधकसहस्रनेत्रत्वादिवुद्धिनिरासक इति भावः । अस्मिन्नेव पद्ये यदि इवशब्दा न स्युस्तर्हि हटारोपो रूपकालङ्कारः स्यात्, यदि च इवशब्दा यथावत् भवेयु विषयिविशेषणानि द्विनेत्रत्वादिकानि न भवेयुस्तदोपमालङ्कारो भवेत्, यदि इवशब्दा विषयिविशेषणानि च न स्युस्तदा शुद्धरूपकालङ्कारो भवेदिति शिष्यवृद्धिवैशवाय विवेकः कृत इति बोध्यम् ।

शङ्का समाधानसहित उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि । 'द्विनेत्र—' इस पद्य में इन्द्र आदि का तादात्म्य राजा में कहना अभीष्ट है, पर वह तादात्म्य स्व-भावतः च न नहीं सकता, क्योंकि राजा दो आँखोंवाला, दो करोंवाला, एक चन्द्र से भिन्न, शरीरधारी, मनुष्यकार और पृथ्वीगत है और इन्द्र हैं सहस्राक्ष, सूर्य हैं सहस्र-रश्मि, चन्द्र है एक, कामदेव है अशरीरी, समुद्र है जलाकार एवं बृहस्पति हैं स्वर्गवासी, अतः इस विरोध को हटाने के लिये राजारूप विषय में रहनेवाले द्विनेत्रत्व आदि का आरोप इन्द्र आदि में यथायथ कर दिया गया है जिससे वे धर्म साधारण होकर विषय-विषयी की समता को सिद्ध करते हैं । आप कहेंगे—यहाँ उपमा ही क्यों नहीं मान लेते ? हम कहेंगे—यहाँ उपमा का निरूपण नहीं हो सकता । कारण, उपमा मानने पर इन्द्र आदि में द्विनेत्रत्व आदि का आरोप करना व्यर्थ हो जायगा । आप कहेंगे—वह व्यर्थ क्यों होगा ? वह तो उपमा का साधक साधारणधर्मरूप ही है । तो यह ठीक नहीं । कारण, इन आरोपित धर्मों के बिना भी अनुक्त, पर प्रतीयमान परम ऐश्वर्य आदि साधारणधर्म को लेकर उपमा सिद्ध हो सकती है । दूसरे, ये धर्म सुन्दर (चमत्कार-

विशेषजनक ) भी नहीं और कवि इन्हें उपमा के साधक मानता भी नहीं—अर्थात् यहाँ द्विनेत्रत्व आदि धर्म के कारण राजा में इन्द्र आदि की तुलना करना कवि को अभिप्रेत नहीं। ऐसा अभिप्राय कवि का हो भी कैसे सकता है? कारण, द्विनेत्रत्व के कारण यदि इन्द्र से तुलना की जाय तब तो सबों की तुलना इन्द्र से हो जाय, क्योंकि सभी द्विनेत्र हैं। इसी तरह 'द्वितीयत्व' का चन्द्र में आरोप भी उपमा मानने पर व्यर्थ हो जायगा, क्योंकि 'चन्द्र जैसा' इतना कहने पर भी उपमा बन सकती है, उसके लिये 'दूसरे चन्द्र जैसा' यह कहना आवश्यक नहीं है। हाँ, अभेद-ज्ञान में इन आरोपित विशेषणों का उपयोग सिद्ध हो सकता है, क्योंकि अभेद-ज्ञान में हमें ये ज्ञान प्रतिबन्धक होते हैं कि-इन्द्र हजार आँखों वाला है, सूर्य सहस्रकर (हजार किरणवाला) है, चन्द्रमा विधाता की सृष्टि में एक है, कामदेव शरीररहित है, समुद्र जलरूप है एव बृहस्पति स्वर्ग में रहता है, और राजा में ये बातें हैं नहीं, फिर उनके साथ इसका ( राजा का ) अभेद कैसे हो सकता है? इस प्रतिबन्ध को दूर करने में इन विशेषणों का उपयोग है। अतः यहाँ अभेदप्रधान उत्प्रेक्षा ही है और वह भी मालारूप, क्योंकि एक विषय ( राजा ) में अनेक विषयी ( इन्द्र आदि ) के तादात्म्य की सम्भावना की गई है। इसी पद्य में यदि 'इव' पद हटा दिया जाय तो यही पद्य द्वादशरूपक का, यदि इव शब्द रहे और विषयी ( इन्द्रादिक ) के विशेषण ( द्विनेत्र आदि ) हटा दिए जायँ, तो उपमा का और यदि 'इव' पद पूर्वोक्त विषयि-विशेषण दोनों हटा दिए जायँ, तो शुद्धरूपक का उदाहरण हो सकता है। यह विभाग शिष्य बुद्धि-वैशद्यार्थ दिखला दिया गया है।

उपसंहरति—

एवं स्वरूपोत्प्रेक्षादिगुपदर्शिता ।

पूर्वोक्ता स्वरूपोत्प्रेक्षाया विविधभेदाया रीतिः प्रकाशिता, अनया रीत्या स्वरूपोत्प्रेक्षाया. अनुक्ता अपि ते ते विशेषा स्वयमूहनीया इति भावः ।

उपसंहार किया जाता है—एवं इत्यादि। इस तरह स्वरूपोत्प्रेक्षा का दिग्दर्शन कराया गया है। तात्पर्य यह है कि इस सम्बन्ध की अन्य बातें स्वयं समझ लीजिए।

अवान्तरभिन्नप्रकरणारम्भ सूचयति—

अथ हेतूत्प्रेक्षा ।

जात्यादीना पदार्थानां हेतुत्वेनोत्प्रेक्षाया निरूपणमारभ्यत इति भाव ।

स्वरूपोत्प्रेक्षा-निरूपण के बाद अब जाति आदि पदार्थों की हेतुरूप में उत्प्रेक्षा का निरूपण किया जाता है।

उदाहर्तुमाह—

यथा—

जातिहेतूत्प्रेक्षा यथेति भाव ।

जातिहेतूत्प्रेक्षा, जैसे—

उदाहरणमुपन्यस्यति—

‘त्वत्प्रतापमहादीपशिखाविपुलकज्जलैः ।

नूनं नभस्तले नित्यं नीलिमा नूतनायते ॥’

राजान प्रति कवेरुकि —हे राजन् ! त्वत्प्रताप एव महादीपस्तस्य शिखाया, विपुलैः प्रभूतै, कज्जलै, नभस्तले आकाशे, नीलिमा नीलता, नून निश्चितम्, नित्यं प्रतिदिनम्, नूतनायते नूतन इव भवतीत्यर्थ ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—त्वप्रताप इत्यादि। कवि राजा से कहता है— हे राजन्। मानो, आपके प्रतापरूप महादीपक की शिखा ( लौ ) के विपुल काजलों से आकाश में 'नीलत्व' ( कालापन ) नित्य नया-सा होता रहता है।

उपपादयति—

अत्र नीलिमसामानाधिकरण्येनोत्प्रेक्षितस्य हेतुत्वेनोत्प्रेक्षणम्।

अत्रेति । 'त्वप्रताप' इत्यत्रेत्यर्थः । नीलिमसामानाधिकरण्येनेति । नैत्याधिकरणीभूता-काशगतत्वेनेत्यर्थः । उत्प्रेक्षितस्येति । कञ्जलस्येति भावः । हेतुत्वेनेति । नूतनीभवन इति भावः ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि। 'त्वप्रताप—' इस पद्य में 'नीलता' की उत्प्रेक्षा जिस अधिकरण ( आकाश ) में की गई है उसी अधिकरण—अर्थात् आकाश—में ही उत्प्रेक्षित 'काजलों' की हेतुरूप में उत्प्रेक्षा की गई है। तात्पर्य यह कि इस पद्य में दो उत्प्रेक्षाएँ हैं—एक 'नीलता' की, दूसरी 'काजलों' की। ये दोनों ही उत्प्रेक्षाएँ आकाश-रूप आधार में हुई हैं। इन दोनों उत्प्रेक्षाओं में 'नीलता' की उत्प्रेक्षा प्रधान है और 'काजलों' की उत्प्रेक्षा उसके हेतुरूप में की गई है। इसी अग्रधान उत्प्रेक्षा को लेकर यहाँ यह पद्य उदाहरण होता है। यह उदाहरण जाति-हेतुत्प्रेक्षा का है, क्योंकि 'कञ्जल' जातिवाचक शब्द है।

पाठान्तरेऽस्यैव पद्यस्य हेतुत्प्रेक्षाप्रमेदान्तरोदाहरणता सम्भवतीत्याह—

'कञ्जल-लेपनैः' इति कृते इयमेव क्रियाहेतुत्प्रेक्षा।

'विपुल कञ्जलैः' इत्यस्य स्थाने 'कञ्जल-लेपनैः' इति पाठे विहिते लेपनस्य क्रियारूप-तया क्रियाहेतुत्प्रेक्षादाहरणता प्रतिपद्यते पद्यमेतदिति भावः ।

इसी पद्य में यदि 'विपुल-कञ्जलैः' के स्थान में 'कञ्जल-लेपनैः' पाठ कर दिया जाय तब यही पद्य क्रिया-हेतुत्प्रेक्षा का उदाहरण हो जायगा, क्योंकि 'लेपन' एक क्रिया है।

हेतुत्प्रेक्षाप्रमेदान्तरमुदाहर्तुमाह—

गुणहेतुत्प्रेक्षा यथा—

गुणहेतुत्प्रेक्षा, जैसे—

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'परस्परसङ्गसुखान्नतभ्रुवः पयोधरौ पीनतरौ वभूवतुः।

तयोरमृष्यन्नयमुन्नतिं परामवैमि मध्यस्तनिमानमश्नति ॥'

नतभ्रुवः नम्रीभूतभ्रूलतिक्रिया नायिकाया, पयोधरौ स्तनौ, परस्परसङ्गसुखात् मिथो-मिलनानन्दात् हेतौ, पीनतरौ अतिस्थूलौ, वभूवतु सजातौ, तथा, तयो स्तनयो, पराम् उच्छ्रिताम्, उन्नतिम् उत्कर्षम्, अमृष्यन् असहमानः, अयं मध्यः नायिकाकटिप्रदेशः, तनिमानम् कृशताम्, अश्नति प्राप्नोति, इति, अवैमि जानामीत्यर्थः ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—परस्पर इत्यादि। नतभ्रु नायिका के दोनों स्तन, परस्पर आसक्त होने ( बड़-बड़ कर मिल जाने ) के सुख से अत्यन्त पीन ( पुष्ट ) हो गए हैं और उन दोनों की इस परम उन्नति को न सहता हुआ मध्यभाग ( कटि-प्रदेश ) कृशता को प्राप्त कर रहा है ऐसा मैं जानता हूँ, मानता हूँ।

उपपादयति—

अत्र पूर्वार्धे सुखस्य गुणस्य हेतुत्वं तावत् पञ्चम्यैव निर्दिष्टम्। अपरार्धे धर्मिविशेषणतया अनुद्यमानस्य गुणाभावस्य त्वार्थम्। यथा 'भोक्ता भुञ्जानो वा तृप्यति' इत्यादौ भोजनादेः।

अपरार्थ इति । उत्तरार्थ इत्यर्थः । आर्थत्वे हेतुगर्भं विशेषणमाह—धर्मीति । मध्येत्यर्थः । गुणाभावस्येति । मर्षणाभावस्येत्यर्थः । आर्थमिति । हेतुत्वमिति पूर्वोक्तस्यानुषङ्गोऽत्र बोध्यः । आर्थहेतुत्वप्रतीतिस्थल दृष्टान्तविधयाऽह—यथा भोक्तेति । भोक्तेत्यत्र कालसामान्यप्रतीतिविशेषोदाहरणमाह—भुञ्जानो वेति । 'परस्पर—' इत्यत्र पयोधरगते स्वाभाविके वय कृते वा पीनतरत्वे परस्परसङ्गसुखस्य हेतुत्वमुत्प्रेक्ष्यते । सुखं च गुणः, अतो गुणहेतुत्प्रेक्षोदाहरणत्वमस्य पद्यस्य सिद्धयति । मध्यगते वय कृते तनुत्वे स्तनगतोन्नतिमर्षणाभावस्य हेतुत्वमुत्प्रेक्ष्यते इति गुणाभावहेतुत्प्रेक्षोदाहरणत्वमपि प्रकृतपद्यस्य । ननु मर्षणाभावो नात्र पृथग्हेतुतया निर्दिष्टोऽपि तु मध्यविशेषणतयेति कथं तस्य हेतुत्वेन प्रत्यय इति चेन्न, यथा 'भुञ्जान' तृप्यति' इत्यादौ शब्दतः कर्तृविशेषणतयोक्तस्यापि भोजनस्यार्थतस्तृप्तौ हेतुत्व प्रतीयते तथैव प्रकृतेऽपि मर्षणाभावस्य तनुत्वे शाब्दहेतुत्वाप्रतीतावपि आर्थं हेतुत्वं प्रतीयत इत्याशयादिति भावः ।

उपपादन किया जाता है—अत्र पूर्वार्धे इत्यादि । 'परस्पर—' इस पद्य में अवस्थाकृत स्तनों की पुष्टता के प्रति परस्परमिलनजन्यसुखरूप गुण की हेतुरूप से उत्प्रेक्षा की गई है । उक्त सुख का हेतु होना पञ्चमी विभक्ति ( सुखात्=सुख से ) द्वारा स्पष्ट कह दिया गया है । इसी अंश को लेकर यहाँ यह पद्य उदाहृत हुआ है । उत्तरार्ध में मध्य की कृशता के प्रति मर्षणाभाव ( स्तन की उन्नति को न सह सकने ) की हेतुरूप से उत्प्रेक्षा हुई है । यद्यपि मर्षणाभाव यहाँ पृथक् हेतुरूप में निर्दिष्ट नहीं है, किन्तु मध्यरूप धर्मी ( विशेष्य ) के विशेषणरूप में । ऐसी स्थिति में उसका हेतु होना शब्दतः अवगत नहीं होता तथापि जैसे 'खानेवाला अथवा खाता हुआ मनुष्य वृक्ष होता है' इत्यादि वाक्यों में खाने आदि ( जो शब्दतः मनुष्य का विशेषण है ) का वृषि आदि हेतु होना अर्थतः प्राप्त हो जाता है उसी तरह यहाँ भी मर्षणाभाव का कृशता के प्रति हेतु होना भी अर्थतः सिद्ध होता है । फलतः इस अंश में गुणाभाव-मर्षणाभाव ( मर्षण मन का धर्म है अतः उसको भी कतिपय दार्शनिक गुण मानते हैं )—हेतुत्प्रेक्षा है ।

उत्प्रेक्षाप्रकरणे नैयायिकोक्तगुणानामेव गुणपदेन ग्रहणं न, अपि तु दार्शनिकान्तराभिमतगुणानामपीति स्फुटयितुमुदाहरणान्तरमाह—

यथा वा—

‘व्यागुञ्जन्मधुकरपुञ्जमञ्जुगीतामाकर्ण्य स्तुतिमुदयत्रपातिरेकात् ।

आभूमीतलनतकन्धराणि मन्येऽरण्येऽस्मिन्नवनिरुहां कुटुम्बकानि ॥’

अस्मिन्, अरण्ये वने, व्यागुञ्जताम्, मधुकराणाम्, पुञ्जै, मञ्जु मधुरं यथा स्यात्तथा, गीताम्, स्तुतिं स्वप्रशंसाम्, आकर्ण्य श्रुत्वा, उदयन्त्या आविर्भवन्त्या, त्रपाया लज्जाया, अतिरेकात् आधिक्यात्, अवनिरुहा तरुणाम्, कुटुम्बकानि समूहा, आभूमीतल भूमितलमभिव्याप्य, नता नम्रीभूता, कन्धरा शाखा, येषाम्, तादृशानि, सम्पन्नानि सन्तीति मन्ये इत्यर्थः । अत्रापि स्वाभाविके तरुशाखानम्रीभावे लज्जागुणस्य हेतुत्वमुत्प्रेक्षितमिति भावः ।

उत्प्रेक्षाप्रकरण में गुणपद से नैयायिकों द्वारा परिभाषित गुण ही नहीं लिये जाते, अपितु अन्य दार्शनिकों के अभिमत गुण भी गृहीत होते हैं इस बात को स्पष्ट करने के लिये दूसरा उदाहरण उपस्थित किया जाता है—यथा वा इत्यादि । इस वन में, गूँजते अमरों के झुण्डों द्वारा मधुर-मधुर गाई गई अपनी स्तुति ( प्रशंसा ) सुनकर, मानो उत्पन्न हुई लज्जा की अधिकता के कारण, वृक्षसमूह अपनी गरदनें पृथिवी-तल तक झुकाए हुए हैं । यहाँ 'लज्जा' ( जो अन्य दार्शनिकों के मत से ही गुण है, नैयायिकों के मत से नहीं ) के हेतु होने की उत्प्रेक्षा है ।

हेतूप्रेक्षायाः प्रभेदान्तरमुदाहर्तुमाह—

क्रियाहेतूप्रेक्षा यथा—

क्रिया हेतूप्रेक्षा, जैसे—

गद्यात्मकमुदाहरणमुपन्यस्यति—

‘महागुरुकलिन्दमहीधरोदरविदारणाविर्भवन्महापातकावलिबेल्लनादिव श्या-  
मलिता’ इति ।

यमुनां वर्णयति कवि — ( या यमुना ) महागुरोः पितुः, कलिन्दमहीधरस्य कलिन्दा-  
ल्यस्य पर्वतस्य, उदरस्य मध्यभागस्येति यावत्, विदारणेन भेदनेन, आविर्भवत्  
उत्पद्यमानस्य महापातकस्य, आवलेः पङ्क्तेः, वेल्लनात् प्राप्ते हेतोः, इव, श्यामलिता संजात-  
श्यामगुणा इत्यर्थः । अत्र वेल्लनात्मिकायाः क्रियाया हेतुत्वमुत्प्रेक्ष्यत इति भावः ।

गद्यात्मक उदाहरण उपस्थित क्रिया जाता है—महागुरु इत्यादि । यमुना का वर्णन  
है—( जो यमुना ) महागुरु ( जन्मदाता ) ‘कलिन्द’पर्वत का उदर विदीर्ण करने से  
उत्पन्न होते हुए महापातकों की पङ्क्ति के प्राप्त हो जाने से, मानो, काली हो गई है । यहाँ  
‘बेल्लन’ ( प्राप्त हो जाने )-रूप क्रिया का हेतु होना उल्लेखित हुआ है ।

हेतूप्रेक्षाया एवावशिष्ट भेदमुदाहर्तुमाह—

द्रव्यहेतूप्रेक्षा यथा—

द्रव्यहेतूप्रेक्षा, जैसे—

उदाहरणमुपन्यस्यति—

‘वराका यं राकारमण इति बल्गान्ति सहसा

सरः स्वच्छं मन्ये मिलदमृतमेनन्मखभुजाम् ।

अमुष्मिन्या कापि द्युतिरतिधना भाति मिषता-

मियं नीलच्छायाद्दुपरि निरपायाद्गगनतः ॥’

कवि कथयति—वराका कृपणा मूर्खा इति यावत्, सहसा हठात्, य चन्द्रम्,  
राकारमण पूर्णिमापतिः, इति, बल्गान्ति कथयन्ति । अह मिलदमृतम् अनृतमयम्,  
मखभुजा देवानाम्, स्वच्छम्, सरः सरोवरम्, मन्ये । अमुष्मिन् तस्मिन्, मिषता  
परयताम्, या कापि, अतिधना निविडा, द्युति नीलकान्तिः, भाति, इयं द्युति, उपरि  
वर्तमानात्, नीलच्छायात् नीलकान्ते, निरपायान् अविनश्वरात्, गगनतः आकाशा-  
द्वेतोरित्यर्थः ।

उदाहरण का निर्देश क्रिया जाता है—वराका इत्यादि । कवि की उक्ति है—पामर  
लोग जिमको राकारमण—पूर्णिमापति ( चन्द्र ) शब्द से कहते हैं, इमे, मैं, अनृतमय  
देवताओं का स्वच्छ सरोवर मानता हूँ । इसके अन्दर देखनेवालों को जो अत्यन्त गहरी  
अतपुव काली चमक दिखाई पडती है, यह चमक उसके ऊपर वाले नीलकान्तियुक्त  
और प्रतिबन्धरहित आकाश के कारण है ।

१) उपपादयति—

अत्रानृतसरोरुपत्वेनोत्प्रेक्षिते चन्द्रमसि नीलत्वेनाध्यवसिते कलद्वे उपरि-  
वर्तिनभोहेतुकत्वमुत्प्रेक्ष्यते । एतेन द्रव्यस्य हेतुत्वेनोत्प्रेक्षणं नास्तीति प्राचां  
प्रवादो निरस्तः ।

नीलत्वेनेति । द्युतिरित्यनेनेति भावः । ‘वराका-’ इति पद्ये चन्द्रोऽनृतसरोरुप-  
योत्प्रेक्ष्यते, चन्द्रे च वर्तमान कल्पे नीलत्वात्मकद्युतिप्रदर्शकत्वात्पञ्चवर्षादने, तथाऽध्य-

वसिते च तत्रोपरि वर्तमानाकाश हेतुकत्वमुत्प्रेक्ष्यत इति द्रव्यहेतूत्प्रेक्षोदाहरणत्वमस्य पद्यस्य सिद्धयति । एवञ्च द्रव्यस्य हेतुत्वेनोत्प्रेक्षा न सम्भवतीति प्राचीनालङ्कारिकाणा मत परास्तमिति भावः ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि । 'वराकाः—' इस पद्य में चन्द्रमा की उत्प्रेक्षा अमृतसरोवर के रूप में की गई है और इस रूप में उत्प्रेक्षित चन्द्र में द्युतिपद-बोध नीलतारूप से स्वीकृत 'कलङ्क' में अमृतसरोवर के ऊपरवाले आकाश के कारण होने की उत्प्रेक्षा की जा रही है जो प्रकृत में उदाहरण है । इस उदाहरण से प्राचीनों का यह प्रवाद (अफवाद) कि—द्रव्य की हेतुरूप में उत्प्रेक्षा नहीं होती, उठ जाता है ।

अभावहेतूत्प्रेक्षामुदाहर्तुमाह—

एषामेवाभावानां हेतुत्वोत्प्रेक्षा यथा—

एषाम् = जात्यादीनामेव येऽभावास्तेषा हेतुत्वेनोत्प्रेक्षा यथेति भावः ।

जाति आदि के ही अभावों की हेतुरूप में उत्प्रेक्षा, जैसे—

तत्र प्रथमं जात्यभावस्य हेतुत्वेनोत्प्रेक्षाया उदाहरणमुपन्यस्यति—

‘नितान्तरमणीयानि वस्तूनि करुणोज्जितः ।

कालः संहरते नित्यमभावादिव चक्षुषः ॥’

काल, चक्षुषो नेत्रस्य ( अत्रैकवचनेन 'यद्येकमपि चक्षुरभविष्यत्तदा नैवमकरिष्यदिति' सूच्यते ) अभावात्, इव, करुणोज्जित' त्यक्तकरुण' ( आहिताग्न्यादित्वाभिष्टान्तस्य परिपात ), सन्, नितान्तरमणीयानि अतिसुन्दराणि, वस्तूनि, संहरते नाशयतीत्यर्थः ।

उनमें पहले जात्यभाव की हेतुरूप में उत्प्रेक्षा का उदाहरण निर्दिष्ट किया जाता है— नितान्त इत्यादि । काल, अतिसुन्दर पदार्थों का, मानो नेत्र न होने के कारण, निर्दय होकर नित्य सहार करता रहता है—दो आँखों की तो बात क्या, यदि एक भी आँख काल को होती तो वह ऐसा निर्दय नहीं बन पाता और न ऐसा क्रूर कार्य ही उससे बन पड़ता ।

उपपादयति—

अत्र कालस्य साहजिके संहारकत्वे चक्षुरभावस्य हेतुत्वेनोत्प्रेक्षा ।

कालो यद्यपि स्वभावतः संहारकस्तथापि 'नितान्त—' इत्यत्र स्वाभाविके तस्य संहारकत्वे नेत्राभावहेतुकत्वमुत्प्रेक्ष्यते, नेत्रत्व च जातिरिति जात्यवच्छिन्नाभावहेतुत्वोत्प्रेक्षोदाहरणत्वमस्य पद्यस्य सिद्धयतीति भावः ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि । 'कालः—' इस पद्य में काल की वस्तुतः स्वाभाविक संहारकता के हेतुरूप में 'नेत्रों के अभाव' की उत्प्रेक्षा की गई है, अतः यह पद्य जात्यवच्छिन्न अभाव हेतुत्प्रेक्षा का उदाहरण सपन्न होता है । तात्पर्य यह कि नेत्रत्व जाति है और यहाँ तद्विशिष्ट के अभाव की हेतुरूप में उत्प्रेक्षा हुई है ।

गुणाभावहेतुत्वोत्प्रेक्षोदाहरणमुपन्यस्यति—

‘नि.सीमशोभा सौभाग्य नताङ्गया नयनद्वयम् ।

अन्योन्यालोकनानन्दविरहादिव चञ्चलम् ॥’

नि सीमाया इयत्तारहिताया शोभाया, सौभाग्य साम्राज्यरूपम्, नताङ्गया, नयन-द्वयम्, अन्योन्यस्य परस्परस्य, आलोकनेन दर्शनेन, य, आनन्दः, तस्य, विरहात्, अभावात्, इव, चञ्चलम्, भवतीत्यर्थः ।

अब गुणाभाव को हेतुरूप में उत्प्रेक्षा का उदाहरण दिखलाया जाता है—निःसीम

इत्यादि । सीमारहित शोभा के सौभाग्यस्वरूप, नताद्वी नायिका के दोनों नेत्र, मानो, परस्परदर्शनजन्य आनन्द के अभाव से चञ्चल हो रहे हैं ।

उपपादयति—

अत्र गुणाभावस्य ।

‘नि सीम—’ इति पद्ये आनन्दरूपगुणाभावस्य नयनचाञ्चल्यहेतुत्वेनोत्प्रेक्षेति भावः ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि । ‘नि.सीम—’ इस पद्य में आनन्दरूप गुण के अभाव की नेत्रगत चञ्चलता के हेतुरूप में उपप्रेक्षा की गई है ।

क्रियाभावहेतुत्वोत्प्रेक्षोदाहरणमुपन्यस्यति—

‘जनमोहकरं तवालि मन्ये चिकुराकारमिदं घनान्धकारम् ।

वदनेन्दुरुचामिहाप्रचारादिव तन्वङ्गि नितान्तकान्तिकान्तम् ॥’

सखी नायिकां प्रति ब्रूते—हे आलि ! सखि ! जनमोहकर दर्शकजनमोहकम्, तव चिकुराकार केशाकृतिधरम्, इदं घनान्धकार निविडं तम, अहम्, मन्ये—अर्थात् केशसमूहो नायम्, किन्तु तम पुञ्जम् । हे तन्वङ्गि कृशाङ्गि ! इह मस्तकोपरिभागे वदनेन्दुरुचा मुखचन्द्र-ज्योत्स्नाम्, अप्रचारात् प्रचरणाभावात् इव, नितान्तकान्त्या अतिशयितनीलप्रभया, कान्त रमणीयम् । इदं घनान्धकारविशेषणम् इत्यर्थः ।

अव क्रियाभाव की हेतुरूप में उपप्रेक्षा का उदाहरण दिखलाया जाता है—जनमोहकम् इत्यादि । सखी नायिका से कहती है—हे सखि ! लोगों को मोहित करनेवाले तेरे केशों के आकार में, मैं, इसको गहरा अन्धकार मानती हूँ—अर्थात् यह केश नहीं किन्तु अन्धकार है । हे कृशाङ्गि ! मानो, यहाँ मुखरूप चन्द्र की ज्योत्स्ना का प्रचार न होने के कारण यह अन्धकार अत्यधिक कान्ति ( नीली प्रभा ) से रमणीय हो रहा है ।

उपपादयति—

इह द्वितीयार्धे क्रियाभावस्य । प्रथमार्धे तु जात्यवच्छिन्नस्य जात्यवच्छिन्नाभावस्य वा स्वरूपोत्प्रेक्षैव ।

क्रियेति । प्रचारस्य क्रियात्वादिति भावः । तुरुक्तवैलक्षण्ये । एतेन प्रासङ्गिकत्वमस्य सूचितम् । अत एव व्युत्क्रमेणोक्तिः । अन्धकारोऽतिरिक्तः पदार्थ इति मीमांसकमतेनाह—जात्यवच्छिन्नेति । तेजोऽभाव एव स इति नैयायिकमतेनाह—जात्यवच्छिन्नाभावेति । ‘जनमोहकरम्—’ इति श्लोके प्रचारक्रियाभावस्य नितान्तकान्तिकान्तत्वे स्वभावसिद्धे हेतुत्वेनोत्प्रेक्षेति प्रकृतोदाहरणतासिद्धिः । यद्यपि पूर्वार्धेऽप्येकोत्प्रेक्षाऽस्ति, तथापि न सा हेतुत्प्रेक्षा, किन्तु स्वरूपोत्प्रेक्षैव । तत्रापि मतभेदः । येऽन्धकारमतिरिक्तं पदार्थं मन्यन्ते तेषां मते चिकुरेऽन्धकारत्वजात्यवच्छिन्नस्य तादात्म्येनोत्प्रेक्षा । ये तु तेजोऽभावमेवान्धकारं स्वीकुर्वन्ति तेषां मते चिकुरे तेजस्त्वजात्यवच्छिन्नाभावस्य तादात्म्येनोत्प्रेक्षेति भावः ।

उपपादन किया जाता है—इह इत्यादि । ‘जनमोहकरम्—’ इस पद्य के उत्तरार्ध में क्रिया के अभाव की हेतुरूप में उपप्रेक्षा की जाती है । तात्पर्य यह कि—केशाकार निविड अन्धकार यद्यपि स्वभावतः ‘नितान्तकान्तिकान्त’—सुन्दर है, तथापि यहाँ मुखरूप चन्द्र की कान्तियों के प्रचरण न होने के कारण उसको वैसा कहा गया है, अतः ‘नितान्तकान्तिकान्तत्व’ के प्रति मुखचन्द्रकान्तिकगत प्रचरणक्रिया के अभाव की हेतुरूप में सम्भावना स्पष्ट है । यद्यपि पूर्वार्ध में भी ‘केश में अन्धकार की सम्भावना’रूपा एक उपप्रेक्षा है, पर वह हेतुत्प्रेक्षा नहीं, किन्तु स्वरूपोत्प्रेक्षा है और स्वरूपोत्प्रेक्षा भी वहाँ मतभेद से भिन्न भिन्न रूप की है—अर्थात् जो लोग ( मीमांसक ) अन्धकार को एक भावपदार्थ मानते हैं उनके मत से यहाँ जातिस्वरूपोत्प्रेक्षा होती है । पर जो लोग



( नैयायिक ) अन्धकार को तेज का अभावमात्र मानते हैं, कोई स्वतन्त्र पदार्थ नहीं, उनके मत से यहाँ जात्यभावस्वरूपोत्प्रेक्षा होती है ।

द्रव्याभावहेतुत्वोत्प्रेक्षादाहरणमुपन्यस्यति—

‘न नगाः काननगा यद्रुदतीषु त्वदरिभूपसुदतीषु ।

शकलीभवन्ति शतधा शङ्के श्रवणेन्द्रियाभावात् ॥’

कवि. कमपि राजान स्तौति—( हे राजन् ! ) तव, अरिभूतानाम्, भूपानाम्, सुदतीषु सुन्दरदन्तयुक्तासु कामिनीषु, रुदतीषु रोदनं कुर्वतीषु सतीषु, काननगाः वनस्थिताः, नगा वृक्षाः पर्वता वा, यत्, शतधा, न, शकलीभवन्ति विदीर्यन्ते, तत्, श्रवणेन्द्रियस्य श्रोत्रकुहरस्य, अभावाद्धेतोरिति, शङ्के मन्ये इत्यर्थः ।

द्रव्याभाव की हेतुरूप में उत्प्रेक्षा का उदाहरण दिखलाया जाता है—न नगा इत्यादि । कवि किसी राजा की स्तुति करता है—( हे राजन् ! ) आपके शत्रुभूत राजाओं की सुन्दर दन्तावलीवाली कामिनियों के रोते रहने पर वन के वृक्षों अथवा पर्वतों के जो सैकड़ों टुकड़े नहीं हो जाते, मानो, इसका कारण कर्णेन्द्रिय का अभाव है ।

उपपादयति—

इह श्रोत्रत्वस्य जातिगुणक्रियाभ्योऽतिरिक्तस्य विवेके क्रियमाणे आकाशस्वरूपतया तदवच्छिन्नाभावस्य द्रव्याभावस्य हेतुत्वेनोत्प्रेक्षा । निमित्तं क्रियाभावः ।

शङ्कुल्यवच्छिन्नभसः श्रोत्रत्वादाह—विवेक इति । भावस्येत्यस्य व्याख्या द्रव्याभावस्येति । निमित्तमिति । तस्य तत्त्वेनोत्प्रेक्षणे निमित्तमित्यर्थः । क्रियेति । शकलीभवनरूपेत्यर्थः । श्रोत्रत्व न जातिरूपम्, न गुणरूपम्, न वा क्रियारूपम्, तेभ्यो भिन्नं चेदं विचारे क्रियमाणे आकाशरूपमेव पर्यवस्यति, आकाशश्च द्रव्यम्, तथा च तदवच्छिन्नाभावो द्रव्याभाव एव सिद्धयति, अतः ‘न नगाः—’ इत्यत्र नगशकलीभवनाभावे तस्य हेतुत्वेनोत्प्रेक्षा द्रव्याभावहेतुत्वोत्प्रेक्षाया उदाहरणतामासादयति । अस्याश्चोत्प्रेक्षायां शकलीभवनाभावो निमित्तभूत इति भावः ।

उपपादन क्रिया जाता है—इह इत्यादि । कर्णेन्द्रिय जाति, गुण और क्रियाओं से भिन्न वस्तु है । फलतः विवेचन करने पर वह आकाशरूप सिद्ध होती है, जो कि एक द्रव्य है । अतः आकाश का अभाव द्रव्याभाव हुआ, उस अभाव की ‘न नगाः—’ इस पद्य में हेतुरूप से उत्प्रेक्षा की गई है । उत्प्रेक्षा का निमित्त है ‘टुकड़े होने’रूप क्रिया का अभाव । सारांश यह कि इस तरह यह पद्य द्रव्याभावहेतुत्प्रेक्षा का उदाहरण ठीक है ।

उपसहरति—

एवं हेतूत्प्रेक्षादिक् ।

एवम् उक्तप्रकारेण, हेतूत्प्रेक्षाया, दिक्, उपदर्शिता इति शेषः । अथवा एवम् = एवम्भूता, हेतूत्प्रेक्षाया, दिक् रीति, बोध्येति शेषः ।

उपसंहार क्रिया जाता है—एवम् इत्यादि । इस तरह हेतूत्प्रेक्षा की दिशा ( रीति ) दिखला दी गई ।

अचान्तरमन्यत् प्रकरणमारभते—

अथ फलोत्प्रेक्षा—

फलोत्प्रेक्षाविचारः प्रकान्तो वेदितव्य इति भावः ।

अथ फलोत्प्रेक्षा के संबन्ध में विचार किया जाता है ।

तत्र प्रथमं जातिफलोत्प्रेक्षा उदाहरणमुपन्यस्यति—

‘दिवानिशं वारिणि कण्ठदध्ने दिवाकराराधनमाचरन्ती ।

वक्षोजतायै किमु पक्ष्मलाद्यास्तपश्चरत्यस्वुजपङ्क्तिरेषा ॥’

दिवानिशम् अहोरात्रम्, कण्ठदध्ने कण्ठप्रमाणे, वारिणि जले, दिवाकरस्य सूर्यस्य आराधनम् उपासनम्, आचरन्ती कुर्वती, एषा, अस्वुजपङ्क्तिः कमलमाला, पक्ष्मलाद्याः सघनपक्ष्मयुक्तेत्राया नायिकायाः, वक्षोजतायै स्तनतायै स्तनत्वप्राप्तय इति यावत्, तपः, चरति, किमु इत्यर्थः ।

जातिफलोत्प्रेक्षा का उदाहरण दिखलाया जाता है—दिवानिशम् इत्यादि । कवि की उक्ति है—दिन रात गले भर पानी में सूर्य की आराधना करती हुई यह कमलों की पङ्क्ति, क्या सघनपक्ष्मयुक्त आँखोंवाली नायिका का स्तनत्व पाने के लिये तप कर रही है ।

उपपादयति—

अत्र वक्षोजत्वमवयववृत्त । जातिस्तत्प्रत्ययार्थः । त्वतलोः प्रकृतिप्रवृत्ति-निमित्ते भावे विधानात् । स एव चात्र तपश्चरणक्रियायाः साहजिकजलावस्थानभिन्नतयाऽध्यवसितायाः फलत्वेनोत्प्रेक्ष्यते ।

अवयवेति स्तनेत्यर्थः । स एवेति । जातिरूपतत्प्रत्ययार्थ एवेत्यर्थः । वक्षोजत्व स्तन-रूपनायिकाङ्गवृत्तिपदार्थः, स च जातिरूपः, जातिगुणक्रियाद्रव्यरूपेषु प्रवृत्तिनिमित्तेषु अन्येषां वाधितत्वेन जातिरूप एव वक्षोजपदप्रवृत्तिनिमित्तात्मके भावे वक्षोजपदात्तत्प्रत्ययस्यात्र विधानात् । सा जातिरेव चात्र तस्या तपश्चरणक्रियायाः फलतयोत्प्रेक्ष्यते या तपश्चरणक्रियाऽत्र स्वाभाविकजलावस्थानेऽध्वारोप्य वर्णिता । एवञ्च जातिफलोत्प्रेक्षा उदाहरणता प्रकृतपद्यस्य सनुचितैवेति भावः ।

उपपादन क्रिया जाता है—अत्र इत्यादि । ‘दिवानिशम्—’ इस पद्य में वर्णित ‘वक्षोजता’ ( स्तनत्व ) एक अङ्ग ( स्तन ) में रहनेवाला पदार्थ है । और वह जातिरूप ही हो सकता है, क्योंकि ‘तत्’ प्रत्यय का अर्थ यहाँ जाति ही है । कारण, ‘त्व’ और ‘ता’ प्रत्यय जिस शब्द से विहित होते हैं, उनका उस शब्द के प्रवृत्तिनिमित्तरूप भाव में विधान होता है । तात्पर्य यह कि—जाति, गुण, क्रिया और द्रव्य इस तरह कुल चार प्रकार के प्रवृत्ति निमित्त होते हैं, उनमें से ‘स्तन’ का प्रवृत्ति-निमित्त जातिरूप ही है, अतः यहाँ ‘ता’ प्रत्यय का अर्थ जाति हुआ । उसी जातिरूप अर्थ की यहाँ कमलों के स्वाभाविक धर्म—जल में रहने—से अभिन्नरूप मानी हुई ‘तपश्चरण’-क्रिया के फलरूप में उत्प्रेक्षा की जा रही है । अतः यह पद्य जातिफलोत्प्रेक्षा का उदाहरण होता है ।

आशय्य नमाधत्ते—

न चात्र प्रामिक्रियामन्तरेण जाते. शुद्धाया अफलत्वात् क्रियाया एव फलत्व-मिति वाच्यम् । प्राप्तैः ससर्गतया तद्द्वारैव जात्यादेः फलत्वोपपत्तेः । अन्यथा फलत्वबोधकचतुर्थ्या अनुपपत्तेः । अत एव—‘ब्राह्मण्याय तपस्तेपे विश्वामित्रः सुगारुगम्’ इत्याद्य. प्रयोगाः ।

अप्लवादििति । निश्चया जातेरन्यनिषिद्धितं फलत्वं न संभवतीति भावः । क्रियाया इति । प्राप्तित्वाया इत्यर्थः । नमर्गतयेति । तथा च लक्षणा नेति भावः । अन्ययेति । वपाङ्गवृत्तिरन्वन्वानङ्गारे इत्यर्थः । उच्चार्य व्रत्यति—अत एवेति । क्रियादारकत्वव्यवस्य जातेरपि संभवादेवेत्यर्थः । ब्राह्मण्यायेति । बालरामायणगतं पद्याशमेतत् । विश्वामित्रः जन्मना क्षत्रियो राजा, ब्राह्मण्याय ब्राह्मणत्वलाभाय, सुगारुगं, तपः, तेपे इत्यर्थः । केवल

वक्षोजत्वजाति तपश्चरणक्रियाया फल न भवितुमर्हति, अपि तु वक्षोजत्वप्राप्तिरिति मूले 'वक्षोजतायै' इत्यत्र वक्षोजतापदस्य स्वकर्मकप्राप्तिक्रियाया लक्षणाया स्वीकर्तव्यतया क्रियाफलोत्प्रेक्षात्वमेव, न जातिफलोत्प्रेक्षात्वमिति शङ्का न कर्तव्या, अप्रदार्थभूतामपि संसर्गविधया भासमाना प्राप्तिक्रिया द्वारीकृत्य नित्याया वक्षोजत्वजातेरपि फलत्वं सम्-  
वतीत्याशयात्, तथा च न लक्षणाया अत्रावश्यकतेति साराशः । अत एव वक्षोजता-  
पदात् विहिता फलत्वार्थिका चतुर्थी उपपद्यते । एवविधः प्रयोग प्रागपि कृत सुधीभिः  
यथा 'ब्राह्मण्याय—' इति । इति भावः ।

एक आशङ्का करके उसका समाधान किया जाता है—न चात्र इत्यादि । आप कहेंगे-  
यहाँ 'प्राप्ति' क्रिया के बिना केवल 'स्तनत्व' जाति फल नहीं हो सकती, क्योंकि 'जाति'  
निरत्य पदार्थ है और 'फलत्व' है उत्प्रेक्षित पदार्थ—अर्थात् जन्य वस्तु ही फलरूप हो  
सकती है, निरत्य वस्तु नहीं, अतः तपश्चरणक्रिया का फल यहाँ 'प्राप्तिक्रिया' को मानना  
उचित है, न कि 'जाति' को । तो इसका समाधान यह है कि—'प्राप्ति' क्रिया यहाँ  
सम्बन्धरूप से भासित होती है, उसके द्वारा निरत्य पदार्थ (जाति) भी फलरूप हो सकता  
है । फलतः इस पक्ष में 'वक्षोजता' पद की 'वक्षोजताप्राप्ति' में लक्षणा नहीं करनी पड़ी ।  
पूर्वपक्ष में तो वह करनी ही पड़ती । 'वक्षोजता' को फल मानने पर ही 'वक्षोजता'  
पद से फलत्वार्थक चतुर्थी विभक्ति का विधान सङ्गत होता है । अन्यथा वह असङ्गत  
ही होता । इस तरह का प्रयोग कुछ नया नहीं है—प्राचीनों ने भी इस तरह का प्रयोग  
किया है । देखिए—वालरामायणकार ने लिखा है—'ब्राह्मण्याय—अर्थात् विश्वामित्रजी ने—  
जो जन्मना क्षत्रिय थे—ब्राह्मणत्व के लिये अतिदारुण तप किया' । यहाँ का 'ब्राह्मण्याय'  
प्रयोग इसी तरह का है ।

फलोत्प्रेक्षायाः प्रभेदान्तरमुदाहर्तुमाह—

गुणफलोत्प्रेक्षा यथा—

गुण की फलरूप में उत्प्रेक्षा, जैसे—

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'वियोगवह्निकुण्डेऽस्मिन् हृदये ते वियोगिनि ।

प्रियसङ्गसुखायैव मुक्ताहारस्तपस्यति ॥'

हे वियोगिनि विरहिणि ! वियोगरूपस्य वहेः, कुण्डे खाते, अस्मिन्, ते, हृदये,  
मुक्ताहारः मौक्तिक दाम, मुक्तः आहारो येन स इति शिल्पोऽर्थः, प्रियसङ्ग एव सुख तस्मै-  
इव, तपस्यति तपः करोतीत्यर्थः । अत्र सुखरूपगुणस्य फलत्वेनोत्प्रेक्षणं स्पष्टमेव ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—वियोग इति । हे विरहिणि ! इस विरहाग्नि  
के कुण्डरूप तेरे हृदय में मोतियों का हार ( मुक्त कर दिया है आहार को जिसने ऐसा  
—अनशनव्रती—उपवास करनेवाला ) मानो, प्रियतमसङ्गरूप सुख के लिये तपस्या कर  
रहा है । यहाँ 'सुख'रूप गुण की फलरूप में उत्प्रेक्षा स्पष्ट ही है ।

फलोत्प्रेक्षाया एव प्रभेदान्तरमुदाहर्तुमाह—

क्रियाफलोत्प्रेक्षा यथा—

क्रिया की फलरूप में उत्प्रेक्षा, जैसे—

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'हालाहलकालानलकाकोदरसङ्गतिं करोति विधुः ।

अभ्यसितुमिव तदीयां विद्यामद्यापि हरशिरसि ॥'

'विधुश्चन्द्रः, अद्यापि, हरशिरसि महाकालमस्तके, तदीयां तत्सम्बन्धिनीम्, विद्या

मारणकलात्पाम्, अभ्यसितुम्, इव, हालाहलस्य विषस्य, कालानलस्य प्रलयाग्नेः, काको-  
दरस्य सर्पस्य, च, सङ्गतिं संसर्गम्, करोतीत्यर्थः ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—हालाहल इत्यादि । आज दिन भी चन्द्रमा, महादेवजी के मस्तक पर विष, प्रलयाग्नि और सर्पों की सङ्गति, मानो उनकी विद्या ( मार डालने की कला ) का अभ्यास करने के लिये कर रहा है ।

उपपादयति—

अत्र विरहिवाक्येऽभ्यसनक्रियायास्तुमुना फलत्वं लभ्यते ।

‘हालाहल—’ इति विरहिजनोक्तं वाक्यम्, तत्र ‘तुमुन्’प्रत्ययप्रकृत्यर्थभूताया ‘अभ्य-  
सितुम्’ इति पदबोध्याया अभ्यसनक्रियायाः ‘तुमुन्’प्रत्ययेन हालाहलादिसङ्गतिफलत्वं  
लभ्यते । तथा चाभ्यसनक्रियायां फलत्वेनोत्प्रेक्षा सिद्धेति भावः ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि । ‘हालाहल—’ इस विरही के वाक्य में  
‘अभ्यास करने’रूप क्रिया का फलरूप होना ‘तुमुन्’( के लिये )प्रत्यय द्वारा प्रतीत  
होता है । अतः यह पद्य क्रियाफलोत्प्रेक्षा का उदाहरण होता है ।

उपसहरति—

एव लक्ष्यानुसारेण यथासम्भवमन्यदप्युदाहार्यम् ।

पूर्वोक्तरीतिमनुसृत्य यथासम्भवं तादृशानि उदाहरणान्तराण्यपि दातुं शक्यन्ते यादृ-  
शानामुदाहरणानां लक्ष्याणि समुपलब्धानि स्युः । उक्ता यावन्त उत्प्रेक्षायाः प्रभेदास्ता-  
वन्त एव सम्भवन्तीति न कश्चन नियम, अपि तु लक्ष्योपलब्धौ प्रभेदान्तराण्यपि सम्भव-  
न्तीति सारांशः ।

उपसहार किया जाता है—एवं इत्यादि । इसी तरह लक्ष्य के अनुसार यथासम्भव  
अन्य उदाहरण भी दिये जा सकते हैं । तात्पर्य यह कि जितने प्रभेद उत्प्रेक्षा के दिख-  
लाये गये हैं उतने ही हो सकते हैं यह कोई नियम नहीं है । यदि लक्ष्य प्राप्त करा दिये  
जाँय तब और-और भेद भी इसी तरह माने जा सकते हैं ।

स्वमतसिद्ध विशेषमाह—

इह जात्यादयो हि भेदाः प्राचामनुरोधादुदाहृताः । वस्तुतस्तु नैषां चम-  
त्कारे वैलक्षण्यमस्तीत्यनुदाहार्यतैव । चमत्कारवैलक्षण्यं पुनर्हेतुफलस्वरूपात्म-  
कानां त्रयाणां प्रकाराणामेवेति ।

प्राचामिति । अलङ्कारसर्वस्वकारादीनामित्यर्थः । एवेत्यस्य बोध्यमिति शेषः ।

ग्रन्थकार अपने मत की विशिष्ट बातें कहते हैं—इह इत्यादि । यहाँ ( उत्प्रेक्षाप्रकरण  
में ) जाति आदि भेदों के उदाहरण अलङ्कारसर्वस्वकार आदि प्राचीन विद्वानों के अनुरोध  
से लिखे गए हैं । वस्तुतः इन भेदों के चमत्कार में कोई विलक्षणता नहीं है—अर्थात्  
जातिस्वरूपोत्प्रेक्षा की अपेक्षा गुणस्वरूपोत्प्रेक्षा में कोई खास तरह का चमत्कार नहीं  
उपलब्ध होता, अपितु स्वरूप की उत्प्रेक्षाप्रयुक्त एक ही तरह का चमत्कार प्राप्त  
होता है, अतः इन भेदों का पृथक् पृथक् उदाहरण देना आवश्यक नहीं है । फलतः यह  
समझना चाहिए कि—चमत्कार की विलक्षणता केवल हेतु, फल और स्वरूप—इन तीन  
भेदों में ही है । तात्पर्य यह कि वस्तुतः उत्प्रेक्षा के हेतुत्प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा और स्वरूपोत्प्रेक्षा,  
ये ही तीन भेद होने चाहियें, अन्य भेद अनुचित हैं ।

अपर विशेषमाह—

प्रागुदाहृतेष्वेव पद्येषु वाचकानामिवादीनां त्यागे प्रतीयमाना, अर्थसा-  
मर्थ्यावसेयत्वात् । न तु व्यङ्ग्येति भ्रमितव्यम्, तस्याः प्रकृते प्रसङ्गाभावात् ।

५७, ५८ २० ग० द्वि०

अर्थसामर्थ्येति । अर्थात्मकसामग्रीज्ञेयत्वादित्यर्थः ।

दूसरा विशेष घतलाया जाता है—प्राक् इत्यादि । पूर्व में जो पद्य उदाहृत हुए हैं—उन्हीं में से यदि 'इव' आदि उत्प्रेक्षावाचक शब्द हटा दिए जाँय तो प्रतीयमाना (गम्या) उत्प्रेक्षाएँ हो सकती हैं, क्योंकि वैसी स्थिति में केवल अर्थ के बल पर, अंततः, उत्प्रेक्षा माननी पड़ती है। किन्तु साथ ही इतना और ज्ञात होना चाहिए कि यहाँ प्रतीयमाना अथवा गम्या का अर्थ व्यङ्ग्य नहीं है, ऐसा उचित नहीं। कारण, प्रकृत में व्यङ्ग्योत्प्रेक्षा का कोई प्रसङ्ग नहीं—यहाँ तो सामग्री के प्रबल होने के कारण अर्थतः प्राप्त उत्प्रेक्षा का वर्णन है।

धर्मस्वरूपोत्प्रेक्षामुदाहृत्य धर्मस्वरूपोत्प्रेक्षामुदाहर्तुमाह—

धर्मस्वरूपोत्प्रेक्षा यथा—

धर्मस्वरूप की उत्प्रेक्षा, जैसे—

उदाहरणमुपन्यस्यति—

‘निधिं लावण्यानां तव खलु मुखं निर्मितवतो

महामोह मन्ये सरसिरुहसूनोरुपचितम् ।

उपेक्ष्य त्वां यस्माद्विधुमयमकस्मादिह कृती

कलाहीनं दीन विकल इव राजानमतनोत् ॥’

लावण्याना सौन्दर्याणाम्, निधिं आकरम्, तव, मुखम्, निर्मितवतः रचितवतः, सरसिरुहसूनो ब्रह्मण, खलु निश्चयेन, उपचित समृद्धं, महामोहम् अज्ञानान्धकारम्, मन्ये, यस्मात्, कृती कुशल, अय ब्रह्मा, विकल व्यग्र, इव इह ससारे, त्वाम्, उपेक्ष्य, कलाहीन निष्कलम्, अथ च, दीन दैन्यपरीतम्, उत्साहरहितमिति यावत्, विधुं चन्द्रम्, राजानम् सर्वश्रेष्ठ (चन्द्रस्य 'राजा' इति संज्ञा कल्पनामूलभूतेति स्मरणीयम्), अतनोत् अकरोत् इत्यर्थः । विकलो विधिः 'त्वन्मुखं राजपदयोग्यम्, चन्द्रो वा तत्पदयोग्य' इति विवेक्तु नाशकदिति भावः ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—निधिम् इत्यादि । विधाता जब सौन्दर्यों के निधिरूप तेरे मुख को बना चुके तब उनमें महान् मोह (जड़ता) उमड़ आया ऐसा मैं मानता हूँ और ऐसा इसलिये मानना पड़ता है कि इसने (ब्रह्मा ने) कुशल होते हुए भी, तुम्हारी उपेक्षा करके, कलाओं से हीन और दीन चन्द्रमा को, घबराए की तरह, राजा बना दिया—उन में इतना सोचने की शक्ति ही नहीं रह गई कि राजा बनाने योग्य तेरा मुख है अथवा चन्द्रमा । (संस्कृत भाषा में चन्द्रमा का एक नाम 'राजा' भी है, उसीके आधार पर यह कल्पना खड़ी की गई है ।)

उपपादयति—

पूर्वार्धोत्प्रेक्षितमोहरूपधर्मसिद्धये द्वितीयाधेऽविचार्यकारित्वं तत्सामानाधिकरण्येनोपात्तम् ।

पूर्वार्धोत्प्रेक्षितेति । ब्रह्मरूपधर्मिणीति भावः । उपात्तमिति । अकस्मादित्यनेनेति भावः । वस्तुतो निर्मोहे ब्रह्मणि मोहस्य समवायसम्बन्धेन सम्भावनमिति 'निधिं लावण्यानाम्—' इत्यत्र धर्मस्वरूपोत्प्रेक्षा । अस्यां च धर्मोत्प्रेक्षायाम् उत्प्रेक्ष्यमाणमोहाधिकरण-ब्रह्मवृत्ति (समानाधिकरणम्) अविचार्यकारित्वम् निमित्तम् । तच्चोत्तरार्धेन—तत्रापि विशेषतः 'अकस्मात्'पदेन—उक्तमिति भावः ।

उपपादन किया जाना है—पूर्वार्ध इत्यादि । 'निधिम्—' इस पद्य के पूर्वार्ध में 'ब्रह्मा' धर्मों में 'मोह'रूप धर्म की समवायसम्बन्ध से सम्भावना की गई है, अतः यह

धर्मोपेक्षा है। ब्रह्मा में मोहरूप धर्म की सिद्धि के लिये, उत्तरार्ध में, उस मोह के साथ रहनेवाले धर्म के रूप में 'अविचार्यकारित्व' (विना विचारे करने) का वर्णन किया गया है। तात्पर्य यह कि—धर्मोपेक्षा का निमित्त होता है 'समानाधिकरण धर्म' यह पहले कहा जा चुका है तदनुसार यहाँ उक्त मोहरूप धर्म की उपेक्षा में 'अविचार्यकारित्व' धर्म निमित्त है, क्योंकि यह धर्म मोह का समानाधिकरण है—अर्थात् मोह जिस ब्रह्मारूप आधार में है उसी में 'अविचार्यकारित्व' भी रहता है। यह निमित्तभूत धर्म यहाँ उत्तरार्ध में 'अकस्मात्' पद से उपात्त है।

निमित्ताद्ये प्रागनुक्तं विशेषनुपदर्शयति—

अस्यां च स्वरूपस्य विषयित्वे निमित्तभूतो धर्म उपमायामिव विन्वप्रति-  
विन्वभावादिभिर्भिन्न उपात्तोऽनुपात्तश्च । हेतुफलयोर्विषयित्वे तु य प्रति हेतुफले  
निरूपिते स धर्मः कल्प्यमानोऽपि विषयगतसाहजिकधर्माभिन्नतयाऽध्यवसी-  
यमानो निमित्तं सम्पद्यते । स चोपात्त एव भवति । अन्यथा कं प्रति हेतु-  
फलयोरनन्वयः स्यादिति सङ्क्षेपः ।

अस्या चेति । उपेक्षात्वादिच्छायामित्यर्थः । स्वल्पस्येति । धर्मिरवत्पस्य धर्म-  
स्वरूपस्य वेत्यर्थः । भावादिभिरिति । आदिना अनुगामित्वादिपरिग्रहः । एव च चतुर्विध  
इति भावः । तदाह—भिन्न इति । कल्प्यमानोऽपीति । अपि स्वाभाविकतनुच्चायक ।  
अयमाशयः—यथा 'त्वत्प्रतापमहादीपः' इत्यत्र हेतुप्रेक्षायाम्—नभस्तलगत यं नीलि-  
मधर्मं प्रतिप्रतापरूपदीपकजलं हेतुनिरूपितं स नीलिमधर्मं कजलजन्यत्वेन कल्प्यमानोऽपि  
नभस्तलगतस्वाभाविकनीलिमाभिन्नतया अध्यवसीयते । स एव च नीलिमा कजलस्य हेतु-  
त्वेनोपेक्षणं प्रति निमित्तं भवति । स च नीलिमा सर्वदोपात्त एव भवति । अन्यथा  
( तस्यानुपात्तत्वे ) कं प्रति हेतोरन्वयः स्यात्, अर्थात् नीलिम- शब्दानुपात्तत्वे कजल-  
रूपहेतोरन्वयः कुत्र स्यात् ? एव फलोपेक्षायामपि यस्यास्तपश्चरणक्रियाया फलत्वेन  
वशोजता ( तत्प्राप्ति ) उपेक्ष्यते स तपश्चरणरूपो धर्मः स्वभावसिद्धजलावस्थानाभिन्नतया-  
ऽध्यवसीयते । स एव चोपेक्ष्यमाणा वशोजता प्रति निमित्तं भवति । इदं निमित्तं ( तप-  
श्चरणम् ) यद्यनुपात्तं स्यात् तर्हि वशोजताप्राप्तिरूपस्य फलस्यान्वयः कुत्र स्यात् ? इति ।

निमित्तभूतधर्म के विषय में कुछ नवीन विचार किया जाता है—अस्या च इत्यादि ।  
उपेक्षा में जब स्वरूप विषयी होता है तब—अर्थात् स्वरूपोपेक्षास्थल में—निमित्तरूप  
में बानेवाला धर्म, उपमा की तरह, विन्वप्रतिविन्वभाव आदि उपाधियों से युक्त होकर  
अनेक प्रकार का होता है। और अनेकप्रकारात्त धर्म भी कहीं उपात्त और कहीं अनु-  
पात्त रहता है। किन्तु जहाँ हेतु तथा फल विषयी होते हैं वहाँ—अर्थात् हेतुप्रेक्षा और  
फलोपेक्षा के स्थलों में—तो जिस धर्म के प्रति हेतु और फल का निरूपण किया जाता  
है वही धर्म कल्पित होने पर भी (स्वाभाविक भी हो सकता है), उपेक्षा के विषयभूत  
पदाद्य में रहनेवाले स्वाभाविक धर्म से अभिन्नरूप में अध्यवसित होकर उपेक्षा का  
निमित्त होता है। अतः वह धर्म उपात्त ही होता है, अनुपात्त कभी नहीं। अन्यथा हेतु  
और फल का अन्वय होगा किसके साथ ? उदाहरण के आधार पर इस प्रसङ्ग को स्पष्ट  
कर देना अच्छा होगा, अतः निम्नलिखित कुछ पङ्क्तियों पर ध्यान दीजिए—'त्वत्प्रताप-'  
इत्यादि पूर्वोक्त हेतुप्रेक्षा में आकाशगत जिस 'नीलेपन' धर्म के प्रति प्रताप-दीप-कजल  
की हेतुरूप में उपेक्षा हुई है वही 'नीलेपन' धर्म आकाशगत स्वाभाविक 'नीलेपन'  
से अभिन्नरूप में अध्यवसित होकर उक्त हेतुप्रेक्षा का निमित्त होता है। ऐसी न्यति  
में वह 'नीलेपन' सदा उक्त रहेगा ही। यदि वह उक्त न रहे तब कजलरूप हेतु का  
अन्वय ही कैसे और कहीं होगा ? इसी तरह 'दिवानिदानम्—' इन पूर्वोक्त फलोपेक्षा में

जिस तपश्चरणक्रिया के फलरूप में 'स्तनखप्राप्ति' की उत्प्रेक्षा होती है वह तपश्चरण-क्रियारूप धर्म ही स्वाभाविककमलसम्बद्ध जलावासरूप धर्म से अभिन्नरूप में अध्यव-सित होकर उक्त फलोत्प्रेक्षा का निमित्त होता है। ऐसी स्थिति में यदि वह 'तपश्चरण' उक्त नहीं रहे तो 'स्तनखप्राप्ति'रूप फल का अन्वय कैसे होगा? सारांश यह निकला कि-स्वरूपोत्प्रेक्षा के निमित्त उक्त और अनुक्त दोनों प्रकार के हो सकते हैं, पर हेतुत्प्रेक्षा तथा फलोत्प्रेक्षा के निमित्त सदा उक्त ही रहते हैं, अनुक्त नहीं।

शाब्दबोधप्रकारज्ञानाय प्राचीनार्वाचीनभेदेन मतद्वयसत्ता सामान्यतः सूचयित्वा प्रथम प्राचीनमतमुपदर्शयति—

अत्र च प्राचामर्वाचां चानेकधा दर्शनं व्यवस्थितम् । तत्र प्राचामित्थम्-सर्वत्राभेदेनैव विषयिणो विषये उत्प्रेक्षणम्, न सम्बन्धान्तरेण । तथाहि धर्मि-स्वरूपोत्प्रेक्षायाम् 'मुखं चन्द्र मन्ये' इत्यादौ तावद्विषयिणश्चन्द्रस्याभेदो विषये मुखे स्फुट एव, नामार्थयोर्भेदेन साक्षादन्वयस्याव्युत्पत्तेः । उपात्तविषया चैयम् । एवम् 'अस्यां मुनीनामपि मोहमूहे' इत्यत्र नैषधपद्ये (७।६४) धर्मस्वरूपो-त्प्रेक्षायामपि मुनिसम्बन्धिनि धर्मान्तरे विषये दमयन्तीविषयकमोहस्य विषयिणोऽभेदेनैवोत्प्रेक्षा । उत्प्रेक्षयाश्च साध्यवसानत्वाद्विषयस्यानुपादानं सङ्गच्छते । निमित्तधर्मश्च तत्तदङ्गासक्तवृत्तित्वम् । एवम् 'लिम्पतीव तमोङ्गानि वर्षतीवाञ्जनं नभः' इत्यादौ कस्यापि पद्ये न प्रथमान्तार्थे कर्तरि लेपनकर्तृत्वादेरुत्प्रेक्षणम्, तस्याख्यातार्थविशेषणत्वेनैकदेशत्वात् । नापि लेपनादिकर्तुरभेदेन, तस्य क्रिया-विशेषणत्वेनाप्राधान्यात् । किन्तु तमःकर्तृकमङ्गकर्मक लेपनमुत्प्रेक्ष्यते, तमः-कर्तृकमङ्गकर्मकं वर्षणं च । उत्प्रेक्ष्यमाणाभ्यां च ताभ्यां विषयस्य तमःकर्तृक-व्यापनस्य निगीर्णत्वादानुपादानम् । अत एव एवमादावियमनुपात्तविषयोच्यते । निमित्तधर्मश्च श्यामीकारकत्वादिरनुपात्त एव । अत एव 'सम्भावनमथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्' इति लक्षणं विधायोक्तम् 'व्यापनादि लेपनादिरूपतया सम्भावितम्' इति मम्मटभट्टैः । एवम्—

'उन्मेषं यो मम न सहते जातिवैरी निशाया-

मिन्दोरिन्दीवरदलदृशा तस्य सौन्दर्यदर्पः ।

नीतः शान्तिं प्रसभमनया वक्त्रकान्त्येति हर्षा-

ल्लभा मन्ये ललिततनु ते पादयोः पद्मलक्ष्मीः ॥'

इत्यादौ प्राचीनपद्ये हेतुत्प्रेक्षायामपि न हर्षरूपं हेतुमात्रमुत्प्रेक्ष्यते लक्ष्मीरूपे विषये, किन्तु तद्धेतुकं कार्यं लगनादिरूपं विषयि तादात्म्येन साहजिकलगनादौ विषये । कार्यस्य निमित्ततावादिनामपि विषयगततत्समानजातीयेनाभेदाध्य-वसानस्यावश्यवाच्यत्वात् । अन्यथा हेतुरूपविषयिधर्मसमानाधिकरणधर्मस्य कार्यरूपस्य विषयावृत्तित्वेनोत्प्रेक्षैव न स्यात् ।

एवम्—

'चोलस्य यद्भीतिपलायितस्य भालत्वचं कण्टकिनो वनान्ताः ।

अद्यापि किं वानुभविष्यतीति व्यपाटयन् द्रष्टुमिवाक्षराणि ॥'

इत्यादिपरपद्ये फलोत्प्रेक्षायां कण्टकिषु वनान्तेषु विषयेषु न केवलं भालत्व-पाटननिमित्तं ललाटाक्षरदर्शनं फलमुत्प्रेक्ष्यते । किन्तु तत्फलकं भालत्वग्वि-

पाटनाद्विरूपं विषयि कण्टकजविपाटनादौ विषये तादात्म्येनेति सर्वत्राभेदेनैव विषये विषयिण उत्प्रेक्षणमिति दर्शनम् ।

अत्र चेति । उन्प्रेक्षाविषय इत्यर्थः । अर्वात्राम् आधुनिकानाम् । दर्शनं मतम् । तत्र तयोर्मध्ये । तावत् आदौ । इयमिति । 'सुखं चन्द्रं मन्ये' इत्यादिधर्मस्वरूपोन्प्रेक्षा इत्यर्थः । धर्मस्वरूपोन्प्रेक्षास्थल आह—एवमिति । अस्यामिति । 'अस्या मुनीनामपि मोह-मूहे ह्यर्महात् यत्कृचशैलशीली । नानारदाहादि मुखं प्रितोरव्यानो महाभारतनर्गयोग्य ।' इति नन्दूर्ण पद्यम् । दमयन्तीवर्णनप्रसङ्गे नलोक्ति—यत् यस्मान्, महान् पूज्य, द्यु एङ् ऋषि ( 'विशालं विशिष्टाचारं पर्वतभाग.' इति वस्तुतोऽर्थः ), कृचशैलशीली दमयन्तीस्तनपर्वतसेवक, मुखं दमयन्तीवदनम्, नानारदाहादि अनारदाहादि = नारद-त्यानाहादकम्, न, अथय नारदाहादकमिति यावत् ( नानाविधै रदै = दन्तै आहादि इति वस्तुतोऽर्थः ), तथा, महाभारतस्य तदाख्यनिबन्धस्य यं सर्गं सृष्टौ तद्योग्य ( महाभा महाकान्ति, अथ च रतस्य समोगस्य, सर्गे सृष्टौ योग्य उचित इति वस्तु-तोऽर्थः ) व्यासं मुनि ( विस्तार इति वस्तुतोऽर्थः ), प्रितोर दमयन्त्या उत्पुगलं धित, तस्मान्, अस्या दमयन्त्या विषये, मुनीना दृग्वादीनाम्, अपि, मोहं सुगधताम्, चहं तर्क्यामि इति तद्व्याख्या धर्मान्तरे दर्शनादौ । वृत्तिचमिति । चित्तवृत्तिचमित्यर्थः । धर्मोन्प्रेक्षाया एव स्थलान्तर आह—एवमिति । लिम्पतावेति । अन्धकारोऽङ्गानि लिम्पति इव, आकाशं कज्जलं वर्पति इवेत्यर्थः । कस्यापीति । नृच्छकटिचक्रणेतु शूद्रकस्येत्यर्थः । पद्य इति । 'असन्पुरुषानेवेव दृष्टिर्विकलतां गता' इत्युत्तरार्धगुले नृच्छकटिचक्रनुर्याङ्गत इति भावः । वैयाकरणरीत्या आह—तस्येति । प्रथमान्तकर्तुरित्यर्थः । अभेदेनेति । प्रथमान्तार्थे उत्प्रेक्षणमित्यस्यानुपपत्तिः । तस्येति । लेपनादिकर्तुरित्यर्थः । वर्पणं चेति । अस्य उन्प्रेक्ष्यत इति शेषः । न्तु कुत्र ना अत आह—उन्प्रेक्ष्यमाणान्या चेति । अत एवेति । निर्गणत्वादनुपादानादेवेत्यर्थः । एवमादाविति । इत्याद्युदाहरण इत्यर्थः । अत्रार्थं प्रकाशकारस्य सम्मतिमाह—अत एव 'सभावन्'मिति । अयं भावः—विषयविषयिणौ धर्मस्वरूपौ धर्मस्वरूपौ वा भवताम् उन्प्रेक्षा सर्वत्राभेदेनैव, न नमवायादिना सन्वन्धान्तरेण । तत्र विषयविषयिणो धर्मस्वरूपे—अर्वात् धर्मस्वरूपोन्प्रेक्षायाहरणतया प्रसिद्धे 'सुखं चन्द्रं मन्ये' इत्यादौ 'नानार्थयोरभेदातिरिक्तं नवन्धोऽव्युत्पन्नः' इति मिदान्ता-सुरोधेन सुखान्मके विषये चन्दान्मनो विषयिणोऽभेदेनोन्प्रेक्षणं नवन्धतमेव । उद्देशोन्प्रे-क्षणस्यले विषयस्य शब्दतो ग्रहणं नियतम्, अत 'उपात्तविषया' इत्यनेनैतादृशोन्प्रेक्ष्यं परानृश्यते । यत्र पुन 'अस्या मुनीनाम्' 'लिम्पताव' इत्यादौ अभेदातिरिक्तं सन्वन्धेन धर्मस्वरूपोन्प्रेक्षा बहवो व्यवहरन्ति—अर्वात् प्रथमस्थले नमवायेन मुनिरूपे धर्मिणि मोह-रूपस्य धर्मस्य द्वितीयस्थले च तम आदौ धर्मिणि लेपनकृत्यादेस्तेनैव सन्वन्धेनोन्प्रेक्ष्येति प्रतिपादयन्ति तत्रापि वस्तुतो मुनिस्वन्धिविनि दमयन्तीधर्म्ये दर्शनात्मके धर्मे दमयन्ती-विषयकमोहान्मत्स्य धर्मस्याभेदेनैवोन्प्रेक्षा, एवं तम कर्तुके अन्धकारे तथा तम कर्तुके मम कर्मके च व्यापने तम कर्तुका कर्मकलेपनस्य तथा नम कर्तुका एतद्वन्धनस्य चार्थ-देनैवोन्प्रेक्षा । नन्वेव दर्शनव्यापनार्थानां भयदभिमतविषयाणानुपादानान्मावन्त्यम्, न च तदस्ताति इयमेतदिनि चैव, विषयिणा विषयस्य निर्गन्तव्यं नाम नाध्यवगानत्वम्, तदान्मकृत्वादेवविषया धर्मस्वरूपोन्प्रेक्षाया विषयोपादानत्पानावच्यकृत्वात् । निमित्तधर्म्यं तदन्वयसत्तमनोवृत्तिच प्रथमस्थले उक्तम्, द्वितीयस्थले च ग्रामोद्योगकृत्वादिरुत्तम् ।



विषयस्तु सर्वत्रैवविधोत्प्रेक्षास्थले नियमतोऽनुक्त एव भवतीति 'अनुपात्तविषया' इत्यनेने-  
दृश्येवोत्प्रेक्षा बोध्यते । 'व्यापनादि लेपनादिरूपतया सम्भावितम्' इति मम्मटभट्टोक्तिरपि  
उक्तार्थे साक्षिता कुरुते । युक्तियुक्तोऽपि पक्षोऽयमेव, यतः 'लिम्पति-' इत्यत्र प्रथमान्तपदार्थे  
कर्तृकारके तमसि लेपनकर्तृत्वस्योत्प्रेक्षणं सम्भवदुक्तिकमेव नास्ति, तिर्ह्यार्थविशेषणी-  
भूतप्रथमान्तपदार्थे लेपनादेरन्वयस्य 'पदार्थ' पदार्थेनान्वेति, न पदार्थेकदेशेन' इति  
न्यायविरुद्धत्वात् । लेपनकर्तृत्वस्योत्प्रेक्षयाभेदेन प्रथमान्तार्थे उत्प्रेक्षेत्यपि न वक्तु योग्यम्,  
तिर्ह्यस्य धात्वर्थक्रियाविशेषणत्वेनाप्रधानस्य विधेयत्वासम्भवात् । 'तस्याम्—' इत्यत्र  
निमित्तधर्मः प्रागुक्तो गुणरूप, 'लिम्पतीव—' इत्यत्र च स प्रागुक्त क्रियारूप इत्यन्यत् ।  
इति । हेतुत्प्रेक्षास्थल आह—एवमिति । 'उन्मेषम्—' इति । नायको नायिका ब्रूते—  
जातिवैरी कमलत्वजातिविशिष्टद्वेषी, य चन्द्रः, निशाया रात्री, मम कमलत्वजातिवि-  
शिष्टस्य, उन्मेष विकासं, न, सहते मर्षयति, तस्य, इन्दोः, सौन्दर्यदर्पः सुन्दरतागर्वः,  
अनया, इन्दीवरदलदृशा नीलकमलपत्राद्या, वक्त्रकान्त्या मुखसौन्दर्येण, प्रसमं बलात्,  
शान्तिं नाशम्, नीत प्रापितः, इति, हर्षात्, पद्मलक्ष्मीः कमलशोभा, हे ललिततनु  
सुन्दरगात्रि । ते, पादयो, लम्बा संसक्ता, इति, अहं मन्ये इत्यर्थः । हेतुत्प्रेक्षायामपीति ।  
तत्त्वेनाभिमतायामपीत्यर्थः । इदं च तादात्म्यं परमतेऽप्यावश्यकमित्याह—कार्यस्येति ।  
समानजातीयेन साहजिकलगनेन । तदेव व्यतिरेकमुखेनोपपादयति—अन्यथेति । हेतु-  
रूपेति । हर्षात्मकेत्यादि । इदमाकृतम्—'उन्मेषम्-' इत्यत्र लक्ष्मीरूपे विषये हर्षा-  
त्मकस्य हेतुत्प्रेक्षा न, किन्तु हर्षहेतुकस्य पादाधिकरणकस्य पद्मलक्ष्मीकर्तृकस्य  
लगनस्य विषयिणः पादाधिकरणके पद्मलक्ष्मीकर्तृके स्वाभाविके लगने विषयेऽभेदेनोत्प्रेक्षा ।  
नन्वस्मिन्पक्षे द्वयोर्लगनयोरभेदाध्यवसानं कर्तव्यं भवतीति गौरवमिति चेन्न, परमतेऽप्यस्य  
गौरवस्य तादवस्थेनावदूषणत्वात् । तथाहि—येऽत्र हर्षरूप हेतुमात्रमुत्प्रेक्षन्ते तेऽपि  
तादशोत्प्रेक्षणे निमित्त हर्षकार्यभूत पद्मलक्ष्मीकर्तृकं पादलगनमेव मन्यन्ते, तच्च पादलगनं  
तावन्निमित्तं न भवितुमर्हति यावत् तस्य स्वाभाविकपद्मलक्ष्मीकर्तृकेन पादलगनेन सहाभेदो  
नाध्यवसित स्यात्, यत उत्प्रेक्ष्यमाणधर्मसमानाधिकरणो धर्मो विषयगतो निमित्तलक्ष्मी  
भवति, प्रकृते च उत्प्रेक्ष्यमाणो धर्मः परमते हर्षरूपस्तत्समानाधिकरणश्च धर्मस्तद्धेतुकपद्म-  
लक्ष्मीकर्तृकपादलगनरूप, स च न पद्मलक्ष्मीरूपविषयगत, स्वाभाविकस्यैव पादलगनस्य  
वस्तुतस्तद्गतत्वात्, इत्यञ्चोत्प्रेक्षैव न भवेत् । द्वयोर्लगनयोरभेदाध्यवसाने तु भवितु-  
मर्हति । इति फलोत्प्रेक्षास्थल आह—एवमिति । 'चोलस्य—' इति । राज्ञो नृसिंहस्य  
वर्णनम्—कण्टकिनः कण्टकाकीर्णा, वनान्ता वनप्रदेशा, अद्यापि पूर्वं यदनुभूतवान्  
तदनुभूतवानेव, इतोऽप्रे, किम् अनुभविष्यति, इत्येतद्बोधकानि अक्षराणि विधिलिखित-  
वर्णावलीः, द्रष्टुम् ज्ञातुम्, पठितुमिति यावत्, यस्य नृसिंहदेवस्य, भीत्या भयेन, पलायि-  
तस्य प्रपलाय्य वन श्रितस्य, चोलस्य चोलनरेशस्य, भालत्वच मस्तकचर्म, व्यपाटयन्  
उत्पाटितवन्त इत्यर्थः । फलोत्प्रेक्षायाम् तत्त्वेनाभिप्रेतायाम् । 'चोलस्य—' इत्यत्र  
कण्टकाकीर्णवनप्रदेशात्मके विषये भालत्वगुत्पाटनहेतुकललाटाक्षरदर्शनरूपफलस्योत्प्रेक्षा न  
अपि तु कण्टकाकीर्णवनप्रदेशकर्तृकनिष्फलत्वग्विपाटनात्मके विषये ललाटाक्षरदर्शनफलक  
भालत्वग्विपाटनरूपस्य विषयिणोऽभेदेनोत्प्रेक्षेति भावः । उपसहरति—इति सर्वत्रेति ।  
इत्यञ्च सर्वत्रामेदसम्बन्धेनैव विषये विषयिण उत्प्रेक्षेति प्राचा मत व्यवस्थितम् ।  
शाब्दबोधप्रकार का ज्ञान कराने के लिये प्राचीन-नवीन भेद से दो मतों की सामा-

न्यतः सूचना देकर पहले प्राचीन मत का उल्लेख करते हैं—अत्र च इत्यादि। उल्लेख के विषय में प्राचीनों और आधुनिकों का अनेकप्रकारक मत व्यवस्थित है। उनमें से प्राचीनों का मत इस प्रकार का है—विषयी की विषय में सर्वत्र अमेदसम्बन्ध से ही उल्लेख होती है, अन्य (समवाय आदि) क्रिया सम्बन्ध से नहीं। अमिप्राय यह कि-विषयी तथा विषय ये दोनों अथवा इन दोनों में से कोई एक धर्मोत्तर हो अथवा धर्मरूप हो, इससे उल्लेख के सम्बन्ध में कोई अन्तर नहीं होता—सर्वत्र एक में दूसरे की सम्भावना अमेदसम्बन्ध से ही की जाती है। देखिए—‘मुख मानो चन्द्रमा है’ इत्यादि धर्मिस्वरूपोत्प्रेक्षास्थल में तो विषयी चन्द्र का विषय मुख में अमेद स्पष्ट ही है—अर्थात् ऐसे स्थलों में अमेदसम्बन्ध से ही उल्लेख होती है यह बात सर्वसम्मत है, क्योंकि दो नामार्थों का अमेदसम्बन्ध द्वारा साक्षात् अन्वय व्युत्पत्ति के विरुद्ध है। और यह उल्लेख उपात्त- (उक्त) विषया है, क्योंकि विषय मुख शब्दतः वर्णित है। कहने का तात्पर्य यह कि-धर्मिस्वरूपोत्प्रेक्षा सर्वत्र उपात्तविषया ही होती है। कारण, इस तरह को उल्लेख में विषय का शब्दतः वर्णित रहना निश्चित है। इसी तरह “अर्त्या मुनीनाम्—(सम्पूर्ण पद्य सस्कृत टीका में उद्धृत है) दमयन्तीवर्णनप्रसङ्ग में नल की उक्ति है—दमयन्ती के विषय में मुनियों को भी मोह हो गया है ऐसा मेरा तर्क है, क्योंकि महान् (पूजनीय, वस्तुतः बहुत बड़ा) ‘भृगु’ (एक ऋषि, वस्तुतः बिना किनारे का डलाव) इसके स्तनरूप पर्वत का सेवन कर रहा है, मुख ‘नानारदाहादि’ (नारद को सन्तुष्ट न करे ऐसा नहीं, किन्तु अवश्य सन्तुष्ट करनेवाला, वस्तुतः अनेक ढाँठों के कारण आहादजनक) है और ‘महाभारतसर्गयोग्य’ (महाभारत निबन्ध बनाने की योग्यता रखनेवाला, वस्तुतः ‘महाभा’=महाकान्तियुक्त और ‘रतसर्गयोग्य’=रति की सृष्टि के योग्य) ‘व्यास’ (कृष्णद्वैपायन, वस्तुतः-विस्तार) ने इसकी जाँचों का आश्रयण कर लिया है।” इस नैपथ्यीय पद्य में जो धर्मिस्वरूपोत्प्रेक्षा है वहाँ भी मुनियों से सम्बन्ध रखनेवाले अन्य किसी धर्म (‘दर्शन’ आदि) रूप विषय में दमयन्तीविषयक मोहरूप विषयी की अमेदसम्बन्ध से ही उल्लेख है। तात्पर्य यह कि यहाँ भी मुनिरूप विषय में मोहरूप विषयी की समवायसम्बन्ध से उल्लेख नहीं है। आप कहेंगे—दर्शन आदि धर्म ही यदि यहाँ विषयरूप है तब यहाँ उमका वर्णन क्यों नहीं? फलतः जिसकी पद्य में चर्चा ही नहीं वह विषयरूप माना कैसे जा सकता है? तो इसका उत्तर यह है कि—यह उल्लेख साध्यवसाना है—यहाँ विषयीद्वारा विषय निगल लिया गया है, अतः उमका प्रहण न करना सङ्गत है—अर्थात् ऐसा करने में क्रिया प्रकार को असङ्गति नहीं। तात्पर्य यह कि ऐसी जगहों में विषयिवोधक पद द्वारा ही विषय का बोध किया जाता है, जैसे अतिशयोक्तिस्थल में उपमानबोधक पद से ही उपनेय का भी बोध कर लिया जाता है। इस उल्लेख का निमित्तमूल धर्म है ‘दमयन्ती के उन-उन अङ्गों में मुनिमनोवृत्ति का वासक हो जाना’ जो यहाँ अपने ढङ्ग से उक्त ही है। इसी तरह ‘लिनरति—(सम्पूर्ण पद्य मूल तथा सस्कृत टीका में उद्धृत है) अन्वकार मानो, अङ्गों को पोत रहा है, आकाश, मानो, काजल बरसा रहा है।’ इत्यादिक क्रिया कवि (भृङ्गकटिकनिर्माता शूद्रक) के पद्य में प्रथमान्त पदार्थ ‘कर्ता’ (अन्वकार और आकाश) में ‘पोतना’ तथा ‘बरसाना’ रूप क्रियाओं के ‘कर्तृत्व-अर्थात् उन क्रियाओं’ की उल्लेख नहीं है। कारण, वह कर्ता (प्रथमान्त पदार्थ) आख्यात (विद्=लिनरति आदि में ‘ति’ आदि प्रत्यय) के लय (आश्रय) का विशेषण है, अतः वाक्यार्थ का प्रधान अंग नहीं, किन्तु पृष्ठभूमि है। फलतः वहाँ उल्लेख करके ‘लेपनकर्तृत्व’ का अन्वय करने में एकदेशान्वय हो जायगा जो कि ‘पदार्थ पदार्थान्त्वन्ति, न तु पदार्थकदेशेन-अर्थात् पदार्थ पदार्थ के साथ ही अन्वित होता है, पदार्थ के एकदेश के साथ नहीं’ इयं सिद्धान्त से विरुद्ध होता है। और यहाँ ‘लेपनादि कर्ता’ (पोतने आदि के कर्ता) की अमेदसम्बन्ध द्वारा प्रथम

पदार्थ-अन्धकार आदि में उत्प्रेक्षा ही मानी जा सकती है, क्योंकि 'कर्ता' क्रिया का विशेषण होने के कारण अप्रधान है ( यहाँ यह बात याद रखनी चाहिये कि वैयाकरणों के मत से सम्पूर्ण वाक्यार्थ में क्रिया ही प्रधान होती है और अन्य सब शब्दों के अर्थ उसके विशेषण होते हैं। ) तात्पर्य यह कि अप्रधान पदार्थ विधेय नहीं हो सकता और उत्प्रेक्ष्यमाण पदार्थ विधेय ही होता है। किन्तु यहाँ, 'अन्धकार' जिसका कर्ता है और 'अङ्ग' जिसका कर्म है उस 'लेपन' (पोतने) रूप क्रिया की, तथा आकाश जिसका कर्ता है और काजल जिसका कर्म है उस 'वर्षण' रूप क्रिया की उत्प्रेक्षा की जा रही है। उन दोनों उत्प्रेक्षित किए जानेवालों—अर्थात् 'लेपन' और 'वर्षण' द्वारा, जिसका अन्धकार कर्ता है उस व्यापन (व्याप्त होना) रूप क्रिया को जो इस उत्प्रेक्षा का विषय है, निगीर्ण (उदरस्थ) कर लिया गया है, अतः उसका (विषयरूप व्यापन क्रिया का) उल्लेख यहाँ नहीं किया गया है। तात्पर्य यह कि—यहाँ अन्धकारकर्तृक व्यापनरूप विषय में अन्धकारकर्तृक लेपन आदि विषयी की अभेदसम्बन्ध से सभावना की जाती है पर साध्यवसाना होने के कारण इस उत्प्रेक्षा में विषय का उल्लेख नहीं किया गया है। अतएव ऐसे-ऐसे स्थलों में यह उत्प्रेक्षा अनुपात्तविषया कहलाती है। इस उत्प्रेक्षा का निमित्तभूत धर्म है 'श्यामीकारकत्व—काले कर डालना' आदि जो अनुपात्त है। सारांश यह कि—प्राचीनों के मत से धर्मोत्प्रेक्षा भी अभेदसम्बन्ध से ही होती है और उसके विषय सर्वदा अनुक्त ही रहते हैं। निमित्त कदाचित् उक्त और कदाचित् अनुक्त भी होते हैं। निमित्तभूत धर्म प्रायः दो तरह के होते हैं—गुणरूप और क्रियारूप, उनमें से गुणरूप निमित्तधर्मवाली धर्मोत्प्रेक्षा का उदाहरण है उपर्युक्त नैपथ्य का पद्य और क्रियारूप निमित्तधर्मवाली धर्मोत्प्रेक्षा का उदाहरण है 'लिम्पतीव—'। यह पद्य। अतएव मम्मटभट्ट ने—'सम्भावनमथोत्प्रेक्षा—अर्थात् प्रस्तुत विषय की उसके सदृश के साथ सम्भावना को उत्प्रेक्षा कहते हैं।' यह लक्षण बनाकर 'लिम्पतीव—' इस उदाहरण के प्रसङ्ग में कहा है कि—व्यापनादि—अर्थात् यहाँ व्याप्त होने आदि की सम्भावना—'पोतने' आदि के रूप में की गई है। अभिप्राय है कि—मम्मटभट्ट ने भी 'सर्वत्र अभेदसम्बन्ध से ही उत्प्रेक्षा होती है' इस तथ्य का समर्थन किया है। इसी तरह—'उन्मेष यो मम—अर्थात् 'जो जातिवैरी रात्रि में मेरे विकास को सहन नहीं करता उस चन्द्रमा का सुन्दरताभिमान, इस कमलपत्राञ्जी ने अपनी मुख-कान्ति द्वारा, बलात्, शान्त कर दिया।' मानो, इस हर्ष के कारण, हे सुन्दराङ्गि ! कमल की शोभा तेरे पैरों में चिपट पड़ी है।' इत्यादिक प्राचीनों के पद्य—जिसको लोग हेतुत्प्रेक्षा का उदाहरण कहते हैं—में भी 'शोभा' रूप विषय में केवल 'हर्ष' रूप हेतु की उत्प्रेक्षा नहीं की जा रही है किन्तु 'हर्ष' जिसका हेतु है उस 'चिपटने' आदि विषयी की, अभेदसम्बन्ध से, स्वाभाविक 'चिपटने' आदि विषय में, उत्प्रेक्षा की जा रही है। तात्पर्य यह कि—पद्य की शोभा पैरों में स्वभावतः चिपटी ही हुई है, न कि हर्ष के कारण, उस स्वाभाविक चिपटने में 'हर्ष' के कारण चिपटने (जो कल्पित है) की उत्प्रेक्षा की जा रही है। जो लोग हर्ष के कार्य कल्पित 'चिपटने' को उत्प्रेक्षा का निमित्त मानते हैं उन्हें भी विषय—शोभा—में रहनेवाले, उक्त कल्पित 'चिपटने' के सजातीय स्वाभाविक 'चिपटने' के साथ उस कल्पित चिपटने का आरोपित अभेद अवश्य कहना पड़ेगा। यदि ऐसा नहीं कहेंगे तब उक्त हर्ष-कार्य-कल्पित 'चिपटना' निमित्त ही ही नहीं सकता, क्योंकि विषयी-हर्ष-के अधिकरण में रहने वाला कल्पित 'चिपटना' विषय-शोभा-में ही ही नहीं—उसमें तो स्वाभाविक 'चिपटना' ही है और जब उक्त धर्म निमित्त नहीं हो सकेगा तब यह उत्प्रेक्षा ही नहीं हो सकेगी। हाँ, उन दोनों धर्मों (कल्पित=हर्षहेतुक चिपटना तथा वास्तविक=स्वाभाविक चिपटना) में अभेद मान लेने पर सब बातें बन सकती हैं। तात्पर्य यह कि—स्थलों में सम्बन्धान्तर द्वारा हेतु-मात्र की उत्प्रेक्षा का निमित्त नियमतः उस

हेतु के कार्य को ही मानते हैं और वह कार्य रहता है नियमतः कल्पित । ऐसी स्थिति में उसको निमित्त बनाने के लिये—अर्थात् उस विषयसमानाधिकरण कार्यभूत धर्म को विषयगत मिद्ध करने के लिये ( याद रहे कि-सम्बन्धान्तरद्वारक धर्मोच्छेदा में वे लोग उच्छेद्यमाणधर्मसमानाधिकरणविषयगत धर्म को निमित्त मानते हैं ) यह आवश्यक है कि विषयसमानाधिकरण उस कल्पित कार्यरूप धर्म का विषयगततत्सजातीयस्वाभाविक धर्म के साथ आरोपित अभेद माना जाय । सारांश यह कि इस तरह का अभेद दोनों मतों में समानरूप से मानना ही पडता है अन्तर केवल यह होता है कि एक मत में उस अभेद के दोनों सम्बन्धी उच्छेदा के विषय-विषयी होते हैं और दूसरे मत में अभेद के दोनों सम्बन्धी एक होकर उच्छेदा के निमित्त बनते हैं । ऐसी दशा में उचित तो यही प्रतीत होता है कि अभेद के उन सम्बन्धियों को उच्छेदा के विषय-विषयी ही मान लें । इसी तरह—“चोलस्य—अर्थात् जिस ( वर्णनीय नृसिंहदेव ) के डर से भगो दुपु चोलनरेश के ललाट की चमड़ी, कंटीले वनप्रदेशों ने, मानो, अब भी 'न जाने यह क्या अनुभव करेगा' इस रहस्य के बोधक विधाता के अक्षर को देखने के लिये, उधेड डाली ।” इस परकीय पद्य—जिसको फलोच्छेदा का उदाहरण मानते हैं—में, कंटीले वन-प्रदेशरूप विषय में ललाट की चमड़ी को उधेडने से होने वाले ललाटगत विधिवर्गावली-दर्शनरूप फल की केवल उच्छेदा नहीं है, किन्तु वह ललाटगत विधि-वर्णावली-दर्शन जिसका फल है उस ललाटत्वचोत्पादनरूप विषयी की कण्टक से होने वाले, निष्फल अतः स्वाभाविक ललाटत्वचोत्पादनरूप विषय में अभेदसम्बन्ध से उच्छेदा होती है । सारांश यह निकला कि विषय में विषयी की उच्छेदा सर्वत्र ( धर्मोच्छेदा, हेतुच्छेदा तथा फलोच्छेदा में ) अभेद सम्बन्ध से ही होती है—यही है प्राचीनों का मत ।

प्राचीनमनमालोचयितु प्रक्रममाणस्तदुक्तयुजीनिरस्यति—

तत्र विचार्यते—न सर्वत्राभेदेनैवोत्प्रेक्षणमिति नियमे किञ्चिदस्ति प्रमाणम्, लक्ष्येषु भेदेनाप्युत्प्रेक्षणस्य दर्शनात्—‘अस्या मुनीनामपि मोहमूहे’ इत्यादौ । न च मुनिसम्बन्धिनि धर्मविशेषे मोहस्याभेदेनोत्प्रेक्षणमिति वाच्यम् । भेदे-नोत्प्रेक्षणे बाधकाभावेनेदृशकल्पनाया निरर्थकत्वात् । नह्यभेदेनैवोत्प्रेक्षणमिति वेदेन बाधितम्, यदर्थमयमाग्रह स्यात्, लक्षणनिर्माणस्य पुरुषाधीनत्वान् । ‘लिम्पतीव तमोऽङ्गानि’ इत्यत्रापि लेपनादिकर्तृत्व तमआदिषु विषयेषु प्रेक्ष्यत इत्येव युक्तम् । अनुकूलव्यापारात्मकस्य कर्तृत्वस्यैवाख्यातार्थत्वान् । तस्य च प्रथमान्ते विशेष्ये आश्रयताससर्गेणान्त्रयात्र दोष । ‘भावप्रधानमाख्यातम्’ इत्यस्य ‘भावो व्यापारस्तदर्थकमाख्यात तिङ्’ इत्यर्थकरणान्न विरोध । ‘मत्त्व-प्रधानानि नामानि’ इत्युत्तरवाक्यस्य प्रधानशब्दस्याभिधेयपरत्वान् । फलमात्रार्थस्यापि धातो राख्यातार्थव्यापारव्यधिकरणत्वसमानाधिकरणत्वाभ्यामर्थगताभ्यां सकर्मकाकर्मकत्वव्यवहार । नामार्थयोर्भेदेनान्वयाभावाच्च भावकृदर्थ-व्यापारस्य न नामार्थोऽन्वयः । अत एव च ‘कर्तरि कृत्’ इत्यनेन विशिष्टशक्ति-बोधकेन न घञादिषु भावग्रहणस्य विशेषणशक्तिबोधकस्य गतार्थत्वम्, शब्दानुवृत्तिपक्षस्वीकाराच्च ‘कर्तरि कृत्’ इत्यत्र धर्मपरस्यापि कर्तृग्रहणस्य ‘लः कर्मणि—’ इत्यत्र धर्मपरतायामपि न दोष । यद्वा आस्तां फलव्यापारो धातोः, आश्रयश्च तिङोऽर्थः । परं तु देवदत्तः पचमान इत्यादाविव देवदत्तः पचतीत्यादिष्वपि प्रथमान्तार्थ एव तिङर्थस्याभेदेन विशेषणत्वं युक्तम्, न तु भेदेन घात्वर्थभावनायाम् । सर्वजनसिद्धस्योद्देश्यविधेयभावस्य

सत्यां हि गतौ 'प्रत्ययार्थे प्रकृत्यर्थो विशेषणम्' इत्यस्योत्सर्गस्याप्यनुग्रह एव न्याय्यः । 'भावप्रधानमाख्यातम्' इत्यस्य 'भावनार्थको धातुः' इत्यर्थकरणात्क्र-  
विरोधः । न च वैयाकरणमतविरोधो दूषणमिति वाच्यम्, स्वतन्त्रत्वेनालङ्कारि-  
कतन्त्रस्य तद्विरोधस्यादूषणत्वात् । प्रपञ्चयिष्यते चैतदधिकमुपरिष्ठादिति प्रकृत-  
मनुसरामः । एवं च 'लिम्पतीव—' इत्यादौ भेदेनाभेदेन वा तिङर्थस्यैव  
प्रथमान्तार्थ एवोत्प्रेक्षणम् । न तु धात्वर्थस्य स्वनिर्गीर्णे व्यापनादौ, सर्वजन-  
सिद्धाया इवार्थस्य विधेयताया अनुपपत्तेः । तमःकर्तृकं लेपनमिवेत्यस्मादपि  
उद्देश्यविधेयभावशून्यवाक्यादुत्प्रेक्षाप्रतीत्यापत्तेश्च । यदि च विषयिसम्बन्धिना  
लेपनादिना विषयसम्बन्धिनो व्यापनादेर्निमित्ततासम्पत्तये स्वताद्रूप्यसम्पाद-  
नेन निर्गीर्णत्वादानुपात्तविषयत्वमध्यवसानमूलत्वं चोच्यते तदा रूपकेऽप्यनु-  
पात्तविषयत्वमुच्यतामध्यवसानमूलत्वं च । 'लोकान् हन्ति खलो विषम्' इत्यादौ  
खलसम्बन्धिनो दुःखदानादेर्विषसम्बन्धिहननात्मनाऽध्यवसानात् । तस्मान्नि-  
मित्ताशेऽतिशयोक्तिरेव । एवम् 'उन्मेपं यो मम न सहते' इत्यत्र लक्ष्मीरूपे  
विषये लगनहेतुत्वेन हर्ष उत्प्रेक्ष्यते । तत्र साहजिकसम्बन्धे तादात्म्येनाध्य-  
वसितं लगनमेव निमित्तम् । तथा—

‘सैषा स्थली यत्र विचिन्वता त्वां भ्रष्टं मया नूपुरमेकमुर्व्याम् ।

अदृश्यत त्वच्चरणारविन्दविश्लेषदुःखादिव बद्धमौनम् ॥’

अत्रापि मौनहेतुत्वेन नूपुरे विश्लेषदुःखमुत्प्रेक्ष्यते । तत्र निश्चलत्वनिमित्तक-  
निःशब्दत्वाध्यवसितं मौन निमित्तम्, विश्लेषदुःखसमानाधिकरणत्वे सति  
नूपुरवृत्तित्वात् । न तु निश्चलत्वनिमित्तके निःशब्दत्वे विषये विश्लेषदुःख-  
हेतुकमौनमभेदेन । उत्प्रेक्षायामिवशब्दान्वितस्योत्प्रेक्ष्यताया उत्सर्गसिद्धत्वात् ।  
विषयस्य निर्गीर्णतया विषयिणो विधेयत्वानुपपत्तेश्च । निमित्तान्तरगवेषणा-  
पत्तेश्च । यद्यप्येककालप्रभवत्वादिरेस्ति साधारणो धर्मो निमित्तम् । तथापि  
तस्याचमत्कारित्वादुपमायामिवोत्प्रेक्षायामप्यप्रयोजकत्वात् । एवं फलोत्प्रेक्षायाम-  
पि बोध्यम् । एतेन 'यद्वा हेतुफलधर्मस्वरूपोत्प्रेक्षोदाहरणेष्वपि तादात्म्येनैवो-  
त्प्रेक्षा' इति प्राचां मतमनुसरता द्रविडपुङ्गवेन यदुक्तं तदपि परास्तम् ।

दर्शनादिति । स्वरसतया प्रतीतेरिति भावः । प्रागुक्त तदीय प्रकार खण्डयति न  
चेति । ननु लक्षणानुरोधेन तथोच्यतेऽत आह—लक्षणेति । सर्वत्राभेदसम्बन्धेनैव विषये  
विषयिण उत्प्रेक्षेति नियमाङ्गीकारे प्रमाणाभावः । ननु भेदेनोत्प्रेक्षणस्य लक्ष्याप्राप्तिरेक-  
प्रमाणमिति चेन्न, 'अस्याम्—' इति प्रागुक्तनैषधीयपद्यात्मकस्य लक्ष्यस्य प्राप्ते । न च  
तत्रापि अभेदेनोत्प्रेक्षणप्रकार प्रदर्शित इति वाच्यम्, भेदेनोत्प्रेक्षायाम् स्वारसिकायाः  
स्वीकारे बाधकाभावात् तादृशकष्टसृष्टप्रकाराङ्गीकारस्य वैयर्थ्यात् । यदि अभेदेनैवोत्प्रेक्षा-  
भवतीति वेदेन बोधितं भवेत्, तदा तादृशकष्टप्रकाराङ्गीकारस्यौचित्य सिद्धयेत्, तनु-  
नारस्तीति कथं तदङ्गीकारौचित्यम् ? लक्षणमुत्प्रेक्षायाम् अभेदसम्बन्धघटितमेवोपलभ्यत इति  
तदनुरोधेन तथाङ्गीकार इत्यपि न युक्तम्, लक्षणनिर्माणस्य पुरुषाधीनतया भेदसम्बन्ध  
घटितलक्षणनिर्माणस्यापि कर्तुं शक्यत्वादिति विशदीकरणम् । नन्वेवमपि लिम्पतीत्यादौ  
नान्यथा निर्वाह इति प्राचीनोक्तं मान्यमत आह—लिम्पतीवेति । फलमात्रस्य धात्वर्थ-  
त्वादाह—अनुकूलव्यापारेति । यत इत्यादि । एवेन धर्मिव्यवच्छेदः । आख्यतेति ।

तिद्वित्यर्थः । प्रथमान्ते इति । प्रथमान्तार्थ इति भावः । नन्वेवं यास्कविरोधोऽत आह—  
भावेति । ननु प्रधानपदस्यार्थपरत्वमदृष्टमत आह—सत्त्वेति । ननु धातोर्व्यापारावाचकत्वे  
सकर्मकत्वाकर्मकत्वव्यवहारोच्छेदापत्तिरत आह—फलेति । व्यापारस्योभयत्रान्वयः ।  
अन्वय इति । आश्रयतासम्बन्धेनेति भावः । ननु 'कर्तरि कृत्' इत्यत कर्तरीति 'ल  
कर्मणि—' इत्यत्रानुवर्तते । तत्र तस्यानुकूलव्यापारार्थकत्वे कृद्विधायकेऽपि तथैव स्यात् ।  
पाचको देवदत्त इत्यादौ सामानाधिकरण्यव्यवहारस्तु लक्षणयेत्याशंकापनोदनायाह—अत  
एवेति । वक्ष्यमाणयुक्तेरेवेत्यर्थः । नन्वेव लकारविधायकेऽपि तदर्थकत्वापत्तिरत आह—  
शब्दानुवृत्तिपक्षेति । अयमाशयः—'लिम्पतीव—' इत्यत्र समवायसम्बन्धेन 'लेपनादि-  
व्यापारात्मकस्य लेपनादिकर्तृत्वस्यैव तम आदिषूत्प्रेक्षा । ननु प्रथमान्तार्थस्य तम आदेः  
कर्तुराख्यातार्थविशेषणत्वेनैकदेशत्वमुक्तमिति चेन्न, धातोः फलमात्रमर्थः कर्तृत्वम् ( अनु-  
कूलो व्यापार ) तिष्ठति, एवञ्च तिष्ठत्यस्य व्यापारस्याश्रयतासम्बन्धेन प्रथमान्तार्थे कर्तरि  
अन्वय इति न प्रथमान्तार्थस्य कर्तृविशेषणत्वमित्याशयात् । न चैवरीत्या तिष्ठतिवाक्य-  
जन्यबोधे प्रथमान्तार्थस्य प्राधान्ये स्वीकृते 'भावप्रधानमाख्यातम्' इति यास्कसिद्धान्त-  
विरोध इति शङ्कधम्, 'सत्त्वप्रधानानि नामानि' इत्युत्तरवाक्ये प्रधानपदस्याभिधेयपरत्व-  
वत् उक्तपूर्ववाक्येऽपि प्रधानपदस्य तथार्थकत्वम्, आख्यातपदस्य तिङ्परत्वञ्चाङ्गीकृत्य  
'भावार्थकरितब्' इति व्याख्यानेनाविरोधात् । 'तिष्ठत्यव्यापारव्यधिकरणफलवाचकत्वम्  
सकर्मकत्वम्, तिष्ठत्यव्यापारसामानाधिकरणफलवाचकत्वमकर्मकत्वम्' इत्येवं परिष्कारेण  
सकर्मकत्वाकर्मकत्वव्यवहारोच्छेदापत्तिरपि न भवितुमर्हति । ननु व्यापारात्मकस्य कर्तृत्वस्य  
प्रथमान्तार्थे तमसि विशेष्ये आश्रयतासम्बन्धेनान्वयमङ्गीकृत्य 'लेपानुकूलव्यापाराश्रयः  
तम' इति बोधो यथा प्रागुपपादितस्तथाऽधुना कृदर्थस्यापि भावस्य ( व्यापारस्य )  
आश्रयतासम्बन्धेन प्रथमान्तार्थेऽन्वयमङ्गीकृत्य 'तमो लिम्पति' इत्यर्थे 'तमोलेप' इत्यु-  
च्यतामिति चेन्न, 'नामार्थयोरभेदातिरिक्त' सम्बन्धोऽव्युत्पन्नः इति सिद्धान्ते जाग्रति  
ध्वर्थस्य तमसि आश्रयतयाऽन्वयासम्भवात् । न च व्यापाररूपार्थे तिष्ठो विधानाय  
'कर्तरि कृत्' इत्यतोऽनुवृत्तस्य 'कर्तरि' इत्यस्य 'ल कर्मणि—' इत्यत्र 'कर्तृत्वे' इत्यर्थ-  
करणीयस्तथा च 'कर्तरि कृत्' इत्यत्रापि तस्य पदस्य तादृश एवार्थ आस्येयः स्यात्,  
अचित्वात्, तथा च ष्वुल्लृजादीना कृत्प्रत्ययानामपि व्यापारार्थकत्वापत्तिरिति  
वाच्यम्, 'शब्दानुवृत्ति' 'अर्थानुवृत्ति' इत्युभयो प्रतिष्ठितयो पक्षयो प्रथमपक्षस्यैवात्रा-  
ङ्गीकारेण 'ल कर्मणि—' इत्यत्र कर्तृत्वार्थकतया स्वीकारिष्यमाणस्यापि 'कर्तरि' इत्यस्य  
'कर्तरि कृत्' इत्यत्र व्यापाराश्रयार्थकत्वाङ्गीकारे क्षतिविरहात् । अत एव 'भावे' इति  
घञादिविधायकसूत्रस्य पद सार्थक भवति । यदि तु 'कर्तरि कृत्' इत्यत्रापि कर्तृत्वार्थकं  
कर्तरीतिपद स्यात् तदा तेनैव सूत्रेण अन्यै कृत्प्रत्ययै सह घञादेरपि भावार्थे विधाने सिद्धे  
तद्वैयर्थ्ये स्पष्टमेव भवेत् इति । शब्दानुवृत्तिपक्षेऽनुवृत्तस्य शब्दस्य पुनस्तत्रार्थबोधे  
करणीये आकाङ्क्षाज्ञानादिरर्थबोधसामग्री पुन संपादनीया ततश्च तत्र पक्षे गौरवम्,  
अर्थानुवृत्तिपक्षे तु न तद्गौरवमित्यत पक्षान्तरमाह—यद्वेति । तिष्ठत्यस्य कर्तुः । अर्भेदेनेति ।  
सामान्यविशेषयोरभेदान्वयादिति भावः । भङ्गापत्तेरिति । एकपदोपस्थाप्ययोस्तत्त्वे तु  
एकप्रसरताभङ्गापत्तेरिति भावः । युक्तान्तरमाह—सत्या हीति । प्राग्वदत्रापि मते निरुप-  
विरोध प्रकारान्तरेण परिहरति—भावेति । पूर्वमाख्यातपदेन तिङ् गृहीत, इदानीं  
धातुरिति विशेषः । ननु व्याकरणमतरतीत्या प्राक्तयोक्तमिति तद्विरोधोऽत आह—न

चेति । उपसहरति प्रपञ्चयिष्यते चेति । उपरिष्ठादिति । एतेन । 'पण्डितराजोऽस्मिन्नन्वेषे स्वतन्त्रालकारिकतन्त्रसिद्धान्तप्रतिपादकं स्वतन्त्र प्रकरण रिरचयिषुरासीत्' इति 'प्रतीयते, परन्तु पाठकजनदुरदृष्टवशादुपलब्धेऽस्मिन्नन्वेषे तत्प्रकरणं नायातम् । अर्थाधिकारानुरोधेन 'कर्तरि कृत्' 'ल. कर्मणि च—' इत्युभयत्र 'कर्तरि' इति पदम् व्यापाराश्रयबोधकमेव, तथा च फलव्यापारौ धातोरश्रयश्च तिङोऽर्थ इत्येव फलितम्, एवञ्च 'लेपनादिकर्तृत्व तमश्चादि-षुत्प्रेक्ष्यते' इति प्रागुक्तं न सम्भवतीति चेत् ? सत्यम्, किन्त्वेवमपि तिङर्थस्य कर्तुरभेदेन प्रथमान्तार्थं तमश्चादाबुत्प्रेक्षा, 'देवदत्त. पचमान' इत्यादाविव 'देवदत्त पचति' इत्यादावपि तिङर्थस्याभेदेन प्रथमान्तार्थ एव विशेषणत्वस्यौचित्यात्, सामान्यविशेषयोरभेदान्वये वाघ-काभावात् । तिङर्थस्याश्रयस्य वृत्तितात्मकभेदसम्बन्धेन धात्वर्थव्यापारेऽन्वय इति प्राचीनाना पन्थास्तु न शोभनः, 'देवदत्त पचति', 'तमो लिम्पति' इत्यादौ प्रथमान्तार्थस्योद्देश्यत्वं तिङर्थस्य च विधेयत्वं यत्सर्वैः स्वारसिक प्रतीयते तस्य भङ्गापत्तेः । 'प्रकृतिप्रत्ययौ सहायं ब्रूतस्तयो' प्रत्ययार्थः प्रधानम्' इति व्युत्पत्तिगव्यपालनजन्यपापप्रणोदकप्रायश्चित्तप्रसङ्गा-पत्तेश्च । मन्मते तु धात्वर्थस्य तिङर्थं प्रति विशेषणत्वसिद्धया न तदापत्तिः । ननु 'भाव-प्रधानम्—' इति यास्कवचनविरोधं पुनरस्मिन् कल्पे समापततीति चेन्न, आख्यातपदस्य धातुपरत्व स्वीकृत्य 'भावनार्थको धातु' इति विवरणे विरोधाभावात् । प्रथमान्तार्थमुख्य-विशेष्यक एव वाक्यार्थबोधो, न तु व्यापारमुख्यविशेष्यक इति सारांशः । आलङ्कारिक-तन्त्रस्य स्वतन्त्रतया वैयाकरणमतविरोधो न दोषायेति भावः । पूर्वोक्त प्रकृतानुसरणं विदधदाह—एव चेति पूर्वमतेनाह—भेदेनेति । द्वितीयमतेनाह—अभेदेनेति । प्रथमान्तार्थं तमसि लेपनकर्तृत्वस्य आश्रयताससर्गेण आश्रयतानियामकसमवायससर्गेण वा भेदात्म-केन सम्भावनम् ( उत्प्रेक्षणम् ) इति प्रथममतसिद्धा रीतिः, प्रथमान्तार्थं तमसि लेपन-कर्तुरभेदेन ( तमोलेपनकर्तृ इव ) इत्याकारकम् उत्प्रेक्षणम् इति द्वितीयमतसिद्धा रीति-रिति भावः । क्रमेणैव मतद्वयव्यवच्छेद्यमाह—न त्विति । तम कर्तृकव्यापने निगीर्णे विषये तम'कर्तृकलेपनस्य निगरणकर्तृविषयिणोऽभेदेनोत्प्रेक्षणमिति प्राचीनोक्तं नेति भावः । तत्र हेतुमाह—सर्वजनसिद्धाया इवार्थस्य विधेयताया इति । विषयनिष्ठोद्देश्यता-निरूपितम् इवार्थसम्भावनाविषयिणो लेपनादे' प्रतीयमान यद् विधेयत्वं तस्य भङ्गापत्तेरि-त्यर्थः । विषयस्य तव मते विषयिवाचकेन निगीर्णत्वादिति भावः । ननु निगीर्णमेव विषय-मादाय तदमङ्गोऽत आह—तम इति । विषयनिगरणस्थलेऽपि उद्देश्यविधेयभावस्वीकारे 'तम कर्तृक लेपनमिव' इति वाक्यादपि उद्देश्यविधेयभावप्रतीत्यात्मकोत्प्रेक्षाप्रतीत्यापत्ति-रिति भावः । अनुवादपुरस्सर दोषान्तरमाह—यदि चेति । विषयीति । विषयिणा तमः सम्बन्धिनेत्यर्थः । विषयेति । विषयस्य तम'सम्बन्धिने इत्यर्थः । स्वेति । लेपनेत्यर्थः । रूपकेऽपीति । अनुक्तनिमित्तके रूपके इत्यर्थः । भवद्गीत्या तत्रापि निमित्तरूपविषयस्यानु-पादान अथ्यवसानश्चास्तीति भावः । तदेवाह—'लोकान्—' इति । उपसंहरति तस्मादिति । ये तमसि लेपनकर्तृत्वस्योत्प्रेक्षा मन्यन्ते, ते तम कर्तृकव्यापनं तादृशोत्प्रेक्षाया निमित्त-मङ्गीकुर्वन्ति । तच्च निमित्तं तदा स्याद्यदि उत्प्रेक्ष्यमाणलेपनकर्तृत्वसमानाधिकरणं सद् विषयं वृत्ति भवेत् । परन्तु तम'कर्तृकव्यापनस्य तत्त्व स्वतो न सम्भवति, लेपनकर्तृत्वस्य वस्तुतोऽधिकरणे लेपनकारके चेतने तस्यावृत्तितया प्रोक्तसामानाधिकरण्यविरहात् । लेपन-व्यापनयोर्मिथोऽभेदे आरोप्यमाणे तत्त्वम्भवति, अतो विषयितया स्वीकृतेन लेपनेन विषय-तया स्वीकृतस्य व्यापनस्य निगरणमावश्यकम्, अन्यथाऽभेदो न स्यात्, अभेदाभावे न

निमित्तना तस्य न भवेत्, निमित्ताभावे उत्प्रेक्षापि न सिद्धयेदित्यकामेन कामेन वा तैरपि  
 लेपने व्यापनाध्यवसान स्वीकार्यमेव । एव स्थितौ यदि वय ( प्राचीना ) उत्प्रेक्षाया  
 विषयविषयिणोरेवाध्यवसान स्वीकुर्महे तर्हि को नोपराधः ? इति शङ्काया इदं समाधान—  
 यदस्मदीयनिमित्ततासम्पादनयुक्तिमादाय भवन्तो न निज दोष मार्जयितु प्रभवन्ति यतो  
 वय केवल निमित्ततासम्पादनाय ( उत्प्रेक्ष्यमाणधर्ममानाधिकरणीभूतधर्मस्य विषयवृत्ति-  
 तासम्पत्तये ) लेपनेन व्यापनस्य निर्गणत्व मन्यामहे । भवन्तस्तु एतदध्यवसानमादायो-  
 त्प्रेक्षामेवानुपात्तविषयामध्यवसानमूला चाचक्षते । यदि भवन्तो निमित्तस्यानुपात्तत्वेनाध्य-  
 वसानमूलकत्वेन च विषयस्यानुपात्तत्वमलङ्कारस्याध्यवसानमूलकत्वाभिप्रयन्तितदा रूप-  
 कस्यापि अनुपात्तविषयत्वमध्यवसानमूलकत्वव भवद्भिरङ्गीकरणीय स्यात्, यतो 'लोकान्  
 हन्ति खलो विषम' ( खलत्प विष लोकान् मारयतीत्यर्थ ) इत्यादौ निमित्तस्य  
 खलगतदुःखदार्ढ्यत्वस्य अनुपादान विषगतहन्तृत्वात्मनाध्यवसानश्चास्ति । न केवल-  
 मस्मिन्नेव रूपके एष दोषः, अपि तु 'मुखचन्द्र' इत्यादिप्रसिद्धरूपकेऽपि, तत्रापि  
 निमित्तस्य मुखगताहादकत्वस्यानुपादानात्, चन्द्रगताहादकत्वात्मनाऽध्यवसानाच्च । अतो  
 निमित्तभागस्यानुपात्तत्वमध्यवसानमूलत्वञ्चादायोत्प्रेक्षायास्तत्त्वं नाङ्गीकर्तुं योग्यम्, यस्य  
 रूपकदेस्तत्त्व भवतामपि नाभिमत तत्रापि भवद्रीत्या तत्प्रसङ्गात् । अतो निमि-  
 त्ताशेषतिशयोक्तिरेवालङ्कारो मन्तव्य, तेन च निमित्तसम्पत्तौ मदुकरीत्योत्प्रेक्षा स्वीकार्य  
 इति विशदोऽर्थः । हेतूत्प्रेक्षायामाह—एवमिति । तत्र तस्यानुत्प्रेक्षायाम् । सम्बन्धे  
 शोभासम्बन्धे । लगनमेवेति । हर्षहेतुक लगनमित्यर्थः । 'उन्मेष य—' इत्यत्रापि पञ्च-  
 लक्ष्मीरूपे विषये लगनहेतुतया हर्षस्योत्प्रेक्षा, तत्रोत्प्रेक्षाया हर्षहेतुकपादलगन निमित्तम्,  
 तच्च पूर्ववत्तावन्न निमित्त भवितुमर्हति यावत्त्वाभाविके शोभालगनेऽध्यवसित न स्यात्,  
 अतस्तदशो पूर्ववदतिशयोक्तिरिति भावः । हेतूत्प्रेक्षाया एवोदाहरणान्तरमाह—तथेति ।  
 'सैषा—' इति । लङ्कात् अयोध्यामागच्छन् रामभद्र सीता प्रत्याचष्टे—त्वाम्, विचिन्वता  
 गवेषयता, मया, उर्व्या पृथिव्याम्, भ्रष्ट पतितम्, त्वच्चरणविन्दस्य त्वदीपादकम-  
 लस्य, विश्लेषेण वियोगेन, यद्दुःखम्, तस्माद्धेतोरिव, वदमौन स्वीकृतमूकत्वम्, एकम्,  
 नूपर चरणभरणविशेष, यत्र, अदृश्यत दृष्टम्, सा, एषा, स्थली अकृत्रिणा भूमिरस्ती-  
 त्यर्थः । उपपादयति—अत्रापीति । मौनं द्विविध निश्चलन्हेतुकं दुःखहेतुकञ्च, तयोरभेद-  
 माह—तत्रेति । निःशब्दत्वाध्यवसितमिति । निःशब्दत्वे तादात्म्येनाध्यवसितमित्यर्थः ।  
 तस्योभयनिष्ठत्वमाह—विश्लेषेति । 'सैषा स्थली—' इत्यत्रापि प्राग्वन्तूपुरं मौनकारणतया  
 वियोगजन्यदुःखस्य समवायसम्बन्धेनोत्प्रेक्षा, तत्र चोत्प्रेक्षाया निश्चलन्निमित्तकमौनत्वे तादा-  
 त्म्येनाध्यवसिततया विश्लेषदुःखनमानाधिकरणत्वविशिष्टनूपुरर्तित्ववद्दुःखनिमित्तकमौनं  
 निमित्तं भवति । एवं च निमित्ताशेषत्रापि पूर्ववदतिशयोक्तिरिति भावः । ननु निश्चलन्निमित्त-  
 कनि शब्दत्वात्मके विषये विश्लेषदुःखहेतुकमौनस्याभेदेनोत्प्रेक्षा कुतो नेति चेन्न, उत्प्रेक्षाया  
 इवगव्यार्थान्वितस्योत्प्रेक्ष्यताया उत्तर्गमिद्धाया भङ्गापत्तेः । 'दुःखादिव' इत्युक्त्वा इवशब्दा-  
 र्थान्वितो दुःखपरदार्य एवेति तस्यैवोत्प्रेक्ष्यता ननुचिता, परन्तु तयाङ्गीकारे सा न स्यादिति  
 तात्पर्यम् । न च आकाङ्क्षादिना दुःखहेतुकमौनपरदार्य एवैवार्थान्वयोऽस्त्विति वक्तव्यम्,  
 तथा नति पूर्वोक्तदोषाभावेऽप्यपरदोषापत्तेः । तथाहि उत्प्रेक्ष्यस्थले निदमत्- उद्देश्यविधेय-  
 भावो भवत्येव, तत्र विषय उद्देश्यम्, विषयो च विधेयो भवति । एवमनयोद्देश्य-  
 विधेयभावाय पूर्वपक्षाद्भावेन निर्देश आवन्यक्त, एकरस्यापि अन्विदेशो व्युत्पन्नं वा



निर्देशो तत्त्वासम्भवात् । तव मते तु विषयभूतं निश्चलत्वहेतुकं मौन निगीर्णं ( अनिर्दिष्टम् ) अतो निर्दिष्टस्यापि विषयिभूतस्य दुःखहेतुकमौनस्य विधेयत्वं न भवेत् । ननु निगीर्णमेव विषयमादाय कथञ्चित् उद्देश्यविधेयभावः स्यादिति चेत् ? भवतु नाम, तथापि तादृशोत्प्रेक्षणं न युक्तम्, निमित्तानुपलब्धे । न चैककालप्रभवत्वं निश्चलत्वहेतुकमौनदुःखहेतुकमौनयो साधारणो धर्म इति तदेव निमित्तमिति वाच्यम्, अचमत्कारिणस्तस्य धर्मस्थोपमायामिवोत्प्रेक्षायामप्यप्रयोजकत्वात् । फलोत्प्रेक्षास्यलेऽपि 'चोलस्य—' इत्यादौ अमेदातिरिक्तेन सम्बन्धेन फलस्यैवोत्प्रेक्षा, नाभेदेन फलसाधकविपाटनादेरित्यपि बोध्यम् । एतेन सर्वत्राभेदेनैवोत्प्रेक्षेति प्राचीनमतवैकल्पिकरूपेण समर्थयन् अप्ययदीक्षितोऽपि निरस्त इति भावः ।

अब उक्त प्राचीन मत पर विचार किया जाता है—तत्र इत्यादि । विचार यह है कि—सर्वत्र अभेदसम्बन्ध से ही उत्प्रेक्षा होती है यह जो प्राचीनों ने नियम-सा मान रखा है उसमें कोई प्रमाण नहीं, क्योंकि लक्ष्यों—उदाहरणों—में भेदसम्बन्ध से भी उत्प्रेक्षा देखी जाती है, जैसे—'अस्या मुनीनामपि मोहमूहे—' इत्यादि में 'मोह' आदि की मुनि आदि में उत्प्रेक्षा समवायसम्बन्ध से । आप कहेंगे—प्राचीनों के मत में पहले ही कहा जा चुका है कि—वहाँ मुनियों से सम्बन्ध रखने वाले 'दर्शन' आदि में मोह की, अभेद-सम्बन्ध से उत्प्रेक्षा है, न कि 'मुनियों' में 'मोह' की । तो इसके उत्तर में मेरा कथन यह है कि—जब भेदसम्बन्ध से उत्प्रेक्षा करने में कोई बाधक नहीं है तब ऐसी कल्पना व्यर्थ है । 'अभेदसम्बन्ध से ही उत्प्रेक्षा होती है' ऐसा कोई वेदबोधित नियम तो है नहीं कि जिसके लिये ऐसा आग्रह किया जाय । आप कहेंगे—वेदबोधित नियम वैसा भले ही न हो, पर लक्षण तो अभेदसम्बन्ध से ही उत्प्रेक्षा का बोध करता है—अर्थात् लक्षण ऐसा ही उत्प्रेक्षा का उपलब्ध होता है जिसमें अभेदसम्बन्ध से उत्प्रेक्षा सिद्ध की गई है, फिर भेदसम्बन्ध से उत्प्रेक्षा किस लक्षण के आधार पर मानी जायगी, तो इसका समाधान यह है कि—लक्षण कोई परायत्त वस्तु थोड़े ही है, वह तो पुरुषों के अधीन की ही चीज ठहरी—भेदसम्बन्ध से होने वाली उत्प्रेक्षा का भी लक्षण बनोया जा सकता है (जैसा ग्रन्थकार ने बनाया भी है) । यह तो हुई आपके प्रथम उदाहरण की बात । अब दूसरे उदाहरण 'लिम्पतीव तमोऽङ्गानि' को लीजिए । यहाँ भी अन्धकार आदि विषयों में 'लेपनकर्तृत्व' आदि की ही 'आश्रयता' किंवा 'समवाय'सम्बन्ध से उत्प्रेक्षा होती है—यही मानना उचित है । आप कहेंगे—ऐसा नहीं हो सकता यह बात युक्तिपूर्वक प्राचीनमत में सिद्ध की जा चुकी है—अर्थात् अन्धकार आदि प्रथमान्त पदार्थ तिष्ठर्थ-आश्रय-का विशेषण है—अप्रधान है, अतः उसमें 'कर्तृत्व' (व्यापार) की उत्प्रेक्षा नहीं हो सकती और उस तिष्ठर्थ आश्रय की ही अभेदसम्बन्ध से अन्धकार आदि में उत्प्रेक्षा मानें यह भी नहीं हो सकता, क्योंकि वह आश्रय धारवर्थ-व्यापार-का विशेषण है इत्यादि बातें प्राचीन मत में कही जा चुकी हैं । तो इसका उत्तर यह है कि—प्राचीनों ने जो तिष्ठ का अर्थ आश्रय माना है वह गलत है, वस्तुतः अनुकूल व्यापाररूप कर्तृत्व ही तिष्ठ का अर्थ है और उसका अन्वय प्रथमान्त पदार्थ—जो वाक्यार्थबोध में सब से विशेष्य होता है—में आश्रयतासंबन्ध से होता है, अतः कोई दोष नहीं । तात्पर्य यह कि प्रथमान्तार्थ—अन्धकार आदि—सब से प्रधान ही है उसमें तिष्ठर्थ 'कर्तृत्व-व्यापार' की उत्प्रेक्षा मानने में कोई अड़चन नहीं । आप कहेंगे—ऐसा मानने पर 'भावप्रधानः माख्यातम्' इस निरुक्त के वाक्य से विरोध होगा, क्योंकि उसका अर्थ है—'आख्यात अर्थात् तिष्ठन्त में भाव अर्थात् व्यापार प्रधान होता है' और आप के हिसाब से प्रधान हो जाता है प्रथमान्त पदार्थ । तो इस विरोध के परिहारार्थ उक्त निरुक्ता के वाक्य का अर्थ इस तरह — 'नेना चाहिए कि आख्यात अर्थात् तिष्ठ ( तिष्ठन्त नहीं ) प्रत्यय का

प्रधान—अर्थात् वाच्य—'भाव' (अर्थात् व्यापार) होता है। इस अर्थ के अनुसार कोई विरोध नहीं। आप कहेंगे—'प्रधान' शब्द का अर्थ आपने 'वाच्य' किस आधार पर कर लिया ? तो इसके उत्तर में मेरा कहना यह है कि—जिस आधार पर उक्त 'निरुक्त-वाक्य' के अग्रिम वाक्य 'सत्त्वप्रधानानि नामानि = प्रातिपदिक के वाच्य सत्त्व (द्रव्य) होते हैं' में प्रधान पद का अर्थ वाच्य किया जाता है। तात्पर्य यह कि इस द्वितीय वाक्य में प्रधान पद का अर्थ 'मुक्त्य' हो नहीं सकता, क्योंकि अनेक अर्थों के होने पर ही किसी एक अर्थ की मुख्यता कही जा सकती है और प्रातिपदिक का 'द्रव्य' से अन्य कोई अर्थ होता ही नहीं, अतः वहाँ प्रधान पद का अर्थ 'वाच्य' मानना ही पड़ता है, फिर यदि उक्त वाक्य के पूर्व वाक्य ('भावप्रधान—' में) प्रधान शब्द का 'वाच्य' अर्थ किया जाय तो वह कोई निराधार बात नहीं हुई। आप कहेंगे—यदि धातु का अर्थ केवल फल किया जाय, व्यापार नहीं, तब सकर्मक तथा अकर्मक धातुओं का विभाग कैसे किया जायगा ? तात्पर्य यह कि जब धातु के फल और व्यापार दोनों अर्थ माने जाते थे तब 'फल' जिसमें रहता हो उससे भिन्न में रहनेवाले व्यापार का वाचक धातु सकर्मक और फल जिसमें रहता हो उसी में रहनेवाले व्यापार का वाचक धातु अकर्मक' इस तरह से विभाग होता था अब तो वह नहीं हो सकेगा, क्योंकि आपके हिसाब से किसी भी धातु का अर्थ व्यापार होता ही नहीं, किन्तु तिङ् प्रत्यय का अर्थ व्यापार होता है तो इमका समाधान यह कि—सकर्मक-अकर्मक धातुओं के विभाग के लिये 'फल और व्यापार एक अंश के ही अर्थ हों' यह आवश्यक नहीं है, आवश्यक है उन दोनों (फल तथा व्यापार) का एक में रहने और न रहने का, अतः उन दोनों को भिन्न भिन्न अंश (धातु और तिङ्प्रत्यय) का अर्थ मानने पर भी उक्त विभाग हो जायगा। तात्पर्य यह कि—जब 'तिङ्प्रत्ययार्थ-व्यापार के अधिकरण से अन्य अधिकरण में रहनेवाले फल का वाचक धातु सकर्मक और तिङ्प्रत्ययार्थ व्यापार के अधिकरण में रहनेवाले फल का वाचक धातु अकर्मक' इस प्रकार से कहा जायगा। इस बात को स्पष्ट रूप में समझने के लिये यह समझिए कि—सकर्मक धातुओं के स्थल में 'फल' (कर्ता के व्यापार से निद्र होनेवाली वस्तु) कर्म में रहता है और व्यापार (फल को सिद्ध करनेवाली क्रिया) कर्ता में रहता है, जैसे—'सोहन चावल पकाता है' यहाँ 'पकाने (फूँकने) आदि' का फल (विक्रिति-चावल का फूलना) कर्म (चावल) में रहता है और 'पकाना (फूँकना) आदि क्रिया' कर्ता (सोहन) में रहती है और अकर्मक धातुओं के स्थल में वे दोनों (फल तथा व्यापार) कर्ता में ही रहते हैं, जैसे—'मोहन नहाता है' यहाँ 'व्यापार = गोता लगाना आदि' मोहन में रहती है और उस व्यापार का 'फल = सफाई आदि' भी उसी में रहता है। आप कहेंगे—यदि आपके कथनानुसार तिङ्प्रत्ययका अर्थ व्यापार और उक्त 'लाभ्रयता'सम्बन्ध से 'प्रथमान्त पदार्थ' में अन्वय माना जाय तो 'भाव-अर्थात् व्यापार' अर्थ में जो कृत् प्रत्यय-घञ् आदि होते हैं उनका भी अर्थ 'व्यापार' होता है, अतः उस व्यापार का भी 'लाभ्रयता'सम्बन्ध से अन्वय क्यों न हो जाय ? अनिप्रय यह कि—'देवदत्त पचति' की तरह उसी अर्थ में 'देवदत्त पाक' प्रयोग होने में क्या बाधा रही ? तो इसका उत्तर यह है कि—कृत्प्रयान्त शब्द प्रातिपदिक होते हैं—उनकी 'कृत्प्रयान्तसमासाश्च' इस पाणिनि-सूत्र से प्रातिपदिक सज्ञा होती है, और दो प्रातिपदिकार्थों का भेद-सम्बन्ध (अभेद से अतिरिक्त अन्य किसी सम्बन्ध) द्वारा अन्वय हो नहीं सकता यह नियम है, अतः कृत्प्रत्ययार्थ भाव (व्यापार) का प्रथमान्तार्थ के माप 'लाभ्रयता'सम्बन्ध से अन्वय नहीं होता। अब शङ्का रही यह कि—'ल' कर्मणि च भावे चार्कनकेय' इम सूत्र से 'कर्ता' अर्थ में तिङ्प्रत्यय का विधान होता है और इम सूत्र में 'कर्तरि' पद 'कर्तरि कृद्' सूत्र से अनुवृत्त होता है। अथ यदि 'ल' कर्मणि—' में 'कृद्' शब्द का अर्थ 'कृत्' (व्यापार) किया जाय तो फिर 'कर्तरि कृद्' सूत्र में भी 'कृद्'

शब्द का अर्थ वही करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही शब्द के दो सूत्रों में दो अर्थ तो किए नहीं जा सकते और तब कृत् प्रत्यय (ण्वुल्, वृच् आदि) भी 'कर्ता' अर्थ में न होकर 'व्यापार' अर्थ में होने लगेंगे और वस्तुतः ऐसा होता नहीं अतः आपकी सारी भूमिका ही विनष्ट हो रही है। तो इसका उत्तर यह है कि—'कर्तरि कृत्' सूत्र में 'कर्तृ' शब्द का अर्थ 'कर्ता' (व्यापार का आश्रय) ही है, अतएव तो 'घञ्' आदि प्रत्ययों का 'व्यापार' अर्थ समझाने के लिए 'भावे' सूत्र बनाना व्यर्थ नहीं होता, यदि 'कर्तरि कृत्' सूत्र में 'कर्तृ' शब्द का अर्थ केवल व्यापार माना जाय तब तो उस सामान्य सूत्र के बल से ही अन्य कृत्प्रत्ययों के साथ-साथ 'घञ्' आदि प्रत्ययों का भी विधान भाव=व्यापार अर्थ में हो ही जाता, फिर 'भावे' सूत्र की सृष्टि ही निरर्थक हो जायगी। फलतः 'भावे' सूत्र की सार्थकता के लिये 'कर्तरि कृत्' सूत्र में 'कर्तरि' शब्द का अर्थ व्यापाराश्रय (कर्ता) माना जायगा, पर 'लः कर्मणि—' इस सूत्र में 'कर्तरि' पद का अर्थ 'कर्तृत्व=व्यापार' मानने में भी कोई उस तरह की अनुपपत्ति नहीं होती, अतः वहाँ वही अर्थ माना जायगा। बस, मेरी भूमिका ठीक रह गई। आप कहेंगे—एक ही शब्द का अर्थ दो सूत्रों में दो तरह का कैसे किया जा सकता है—अर्थात् एक ही 'कर्तरि' पद का अर्थ जो आपने 'कर्तरि कृत्' में कर्ता और 'लः कर्मणि च' में व्यापार कर लिया है यह तो उचित नहीं, तो इसका उत्तर यह है कि व्याकरणशास्त्र में अनुवृत्ति के विषय में दो पक्ष माने गये हैं—एक शब्दानुवृत्तिपक्ष और दूसरा अर्थानुवृत्तिपक्ष, उनमें से द्वितीय पक्ष का आश्रयण करने पर आपकी कही हुई अनुपपत्ति हो सकती है—अर्थात् अर्थानुवृत्तिपक्ष के अनुसार एक शब्द के दो अर्थ नहीं हो सकते यह बात सही है, पर प्रथम पक्ष में उक्त दोष नहीं आता—अर्थात् उस पक्ष के अनुसार अन्यार्थक शब्द का भी अन्यत्र अनुवृत्त होने पर दूसरा अर्थ किया जा सकता है। फलतः 'कर्तरि कृत्' में धर्मी—व्यापाराश्रय—परक 'कर्तरि' पद को 'लः कर्मणि—' इस सूत्र में धर्म—व्यापार—परक मानने में कोई वाधा नहीं। यदि आप कहें कि—शब्दानुवृत्तिपक्ष में बड़ा गौरव है—अर्थात् शब्द को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर पुनः उस शब्द से अर्थबोध करने में अर्थबोध के कारणों—आकांक्षा, ज्ञान आदि को दुबारा जुटाना पड़ता है और अर्थानुवृत्तिपक्ष में यह गौरव नहीं है, क्योंकि अर्थ को ही एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं पुनः अर्थबोध आदि का कोई बखेड़ा ही नहीं होता। ऐसी स्थिति में अर्थानुवृत्ति ही की जायगी—अर्थात् 'कर्तरि कृत्' में 'कर्तरि' पद का जो अर्थ है व्यापाराश्रय, वही 'लः कर्मणि च—' में भी अनुवृत्ति होने पर होगा, होगा क्या, वह अर्थ उठकर जायगा शब्द नहीं, और जब 'लः कर्मणि—' से व्यापाराश्रय अर्थ में तिङ् का विधान होगा तब आपकी कही हुई सभी बातें समाप्त हो जायेंगी, तो मैं कहूँगा कि—रहे आपकी ही बात—अर्थात् आपके कथनानुसार ही मैं भी मान लेता हूँ कि फल तथा व्यापार दोनों ही धातु के अर्थ हैं और तिङ् प्रत्यय का अर्थ आश्रय ही है, पर उस तिङ् अर्थ का अन्वय अभेदसबन्ध से प्रथमान्त पदार्थ में ही होगा—अर्थात् 'पचमानो देवदत्तः=पकाता हुआ देवदत्त' यहाँ जैसे 'शानच्'प्रत्ययार्थ आश्रय का अभेदेन देवदत्त में अन्वय होता है उसी तरह 'देवदत्तः पचति=देवदत्त पकाता है' यहाँ भी तिङ् अर्थ आश्रय अभेदसबन्ध से देवदत्त का ही विशेषण हो यही उचित है। (सामान्यविशेषयोरभेदान्वयः=सामान्य अर्थ और विशेष अर्थ का अभेदान्वय होता है, जैसे 'नीला घड़ा' यहाँ नील है सामान्य और घड़ा है विशेष, उसी तरह तिङ् अर्थ आश्रय है सामान्य और प्रथमान्त पदार्थ देवदत्त आदि हैं विशेष, अतः उन दोनों में अभेदान्वय हो सकता है।) वैयाकरणों के अनुसार आपने जो तिङ् अर्थ आश्रय का भेदसबन्ध (वृत्तित्व) से धात्वर्थ (व्यापार) में विशेषण होना लिखा है वह कथमपि उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर एक तो, सब लोगों को जो ऐसे वाक्यों में प्रथमान्त पदार्थ कर्ता की उद्देश्यता और तिङ् अर्थ की विधेयता प्रतीत होती है उसका भङ्ग होता है—

अर्थात् आपके हिमात्र से तिडर्थ उद्देश्य और घात्वर्थ (व्यापार) विधेय हो जाता है जो अनुभवविरुद्ध है। दूसरे 'प्रकृतिप्रत्ययौ साहाय्यं व्रूतस्तयोः प्रत्ययार्थः प्रधानम्— अर्थात् प्रकृति और प्रत्यय साथ साथ अर्थ को कहते हैं पर उनमें प्रत्यय का अर्थ प्रधान होता है' इस व्युत्पत्ति से जो यह फलित होता है कि—'प्रकृति का अर्थ प्रत्यय के अर्थ का विशेषण होता है' वह यद्यपि एक उत्सर्ग (सामान्य नियम) है, तथापि गति रहने पर उसका पालन करना ही उचित है और वैयाकरणानुयायी प्राचीनों के मत में इसका पालन नहीं होता, क्योंकि वे प्रत्यय तिड् के अर्थ (आश्रय) को ही प्रकृति (घातु) के अर्थ व्यापार का विशेषण बनाते हैं। अब रहा 'भावप्रधान—' इस पूर्वोक्त निरुक्तवाक्य से विरोध। उसका भी समाधान 'आल्यात' पद का अर्थ घातु कर लेने से हो जाता है। तात्पर्य यह कि—पूर्व मत में 'आल्यात' पद का अर्थ तिड् किया गया था और अब उसका अर्थ 'घातु' करेंगे यदनुसार अब उस वाक्य का अर्थ होगा 'आल्यात—अर्थात् घातु का वाच्यभाव व्यापार है' इस अर्थ में कहीं कोई दोष नहीं। आप कहेंगे—ऐसा मानने से वैयाकरणों के मत का विरोध होगा—यह भी तो एक दोष ही है। तो मैं कहता हूँ—यह कोई दोष नहीं। आलङ्कारिकों का अपना एक स्वतन्त्र सिद्धान्त है, वे वैयाकरणों के मत का अनुसरण करते चले इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इस बात को हम आगे और विस्तृत करेंगे, अतः अब प्रस्तुत विषय का अनुसरण करते हैं। (यहाँ यह समझना चाहिये कि प्रायः पण्डितराज आलङ्कारिकों के स्वतन्त्र सिद्धान्त के प्रसङ्ग पर एक स्वतन्त्र प्रकरण लिखना चाहते थे पर दुर्योगवशात् ग्रन्थ अपूर्ण रह गया और उपलब्ध भाग में वह प्रकरण नहीं आ सका।) इस तरह यह सिद्ध हुआ कि—'लिम्पतीव—' इत्यादि तिडन्तपदयुक्त वाक्यगत उल्लेख में भेदसम्बन्ध से अथवा अभेदसम्बन्ध से तिड्प्रत्यय के अर्थ की ही उल्लेख प्रथमान्त-पदार्थ में होती है। 'भेदसम्बन्ध से अथवा अभेदसम्बन्ध से' इस कथन का अभिप्राय यह है कि यदि 'तिड्प्रत्यय का अर्थ व्यापार है' यह प्रथम पद माना जाय तब उस तिडर्थ की प्रथमान्तार्थ में भेदसम्बन्ध (आश्रयता किंवा आश्रयतानियामक समवाय) से उल्लेख और यदि 'यद्वा' वाला 'तिड् का अर्थ आश्रय है' यह द्वितीय पद माना जाय तब उस तिडर्थ की प्रथमान्तार्थ में अभेदसम्बन्ध से उल्लेख। सारांश यह कि घात्वर्थ-लिपघातु के अर्थ लेपनात्मक व्यापार की उस लेपन द्वारा निर्गण व्यापनात्मक व्यापार में उल्लेख है इस बात को सिद्ध करनेवाला आपका (प्राचीनों का) पद ठीक नहीं है। कारण, एक तो, 'इव' के अर्थ (सभावना) की (वस्तुतः सभावना के विषयी लेपन आदि क्रिया की) विधेयता, जो कि सर्वजनवेद्य है, उस पद में नहीं बन पाती, क्योंकि—उद्देश-विधेय-भाव के लिये उद्देश्य और विधेय का भिन्न भिन्न पदों से प्रतिपादित होना अनिवार्य है। दूसरे, यदि आपके कथनानुसार लेपन में अर्धवमित व्यापन को विषय मानकर उसमें लेपनरूप विषयी की उल्लेख नानी जाय तब 'अन्धकार जिमका कर्ता हो तादृश लेपन जैसा' इस वाक्य से—जिममें उद्देश्यबोधक कोई पद नहीं—उल्लेख की प्रतीति होने लगेगी, क्योंकि वैसा अर्धवमित तो यहाँ भी माना जा सकता है। अब यदि प्राचीनों के मत का समर्थन करनेवाले यह कहें कि जो लोग 'भेद-सम्बन्ध से अन्धकार आदि में लेपनकर्तृत्व की उल्लेख' मानते हैं वे भी उस तरह की उल्लेख का निमित्त 'अन्धकारकर्तृक व्यापन' को ही मानते हैं और तादृश 'व्यापन' तब तक निमित्त हो नहीं सकता जब तक अन्धकारसम्बन्धी लेपन को विषयी मानकर उसमें अन्धकारसम्बन्धी व्यापन को विषय मान कर उसका तादृश्यारोप न कर दें—अर्थात् लेपन से व्यापन को निर्गण नहीं मान लें, क्योंकि ऐसी (भेदसम्बन्ध-मूलक) उल्लेखाओं में वह धर्म निमित्त होना है जो उल्लेखित होने वाले धर्म के साथ रह कर विषय में भी रहे और उक्त 'अन्धकारकर्तृक व्यापन' स्वतः (जब तक 'अन्धकार-

कर्तृक' लेपन के साथ उसका आरोपित अभेद नहीं मान लिया जाता तब तक ) ऐसा नहीं। कारण 'लेपनकर्तृत्व' वस्तुतः रहता है पोतने वाले किसी मनुष्य में, न कि अन्धकार में, अतः 'व्यापन' लेपन के साथ रहने वाला ही नहीं होता। हाँ, जब 'लेपन' तथा 'व्यापन' में अभेद मान लिया जायगा—'लेपन' शब्द से ही 'व्यापन' की सूचना समझ ली जायगी तब 'व्यापन' उक्त उत्प्रेक्षा का निमित्त होगा। फलतः निमित्त बनाने के लिये आप को भी ( नवीनों को भी ) लेपन में व्यापन का अध्यवसान मानना पड़ता ही है। ऐसी स्थिति में यदि हम ( प्राचीनों ) ने उन परस्परअध्यवसान वाले लेपन व्यापन को निमित्त न मानकर उत्प्रेक्षा का विषयी-विषय ही मान लिया तो क्या अनुचित किया ? तात्पर्य यह कि—आप लेपन और व्यापन को अध्यवसान का विषयी तथा विषय मानकर उनको उत्प्रेक्षा का निमित्त बनाते हैं और हम उन्हें लेपन तथा व्यापन को उत्प्रेक्षा का भी विषयी और विषय भी मान लेते हैं, कोई गौरव-लाघव तो दोनों के मतों में होता नहीं, तो इसके उत्तर में नवीनों का कथन है कि—प्राचीन हमारी दी हुई निमित्तता-साधक युक्ति को लेकर, अपने पक्ष को निर्दुष्ट नहीं बना सकते, क्योंकि हम केवल निमित्त बनाने के लिये ( अर्थात् धर्म के साधारणीकरण के लिये ) 'लेपन' से 'व्यापन' को निगीर्ण मानते हैं, उसके चलते 'उत्प्रेक्षा' में किसी तरह की नवीनता नहीं मानते, पर आप तो इस निगरण के कारण उत्प्रेक्षा को अनुपात्तविषया और अध्यवसानमूला कह रहे हैं। यदि आप के विचार से निमित्त के अनुपात्त और अध्यवसानमूलक होने मात्र से विषय का अनुपात्त होना और अलङ्कार का अध्यवसानमूलक होना माना जाय तो रूपक को भी अनुपात्तविषय तथा अध्यवसानमूलक मानिए। कारण, 'लोकान् हन्ति खलो विषम्—अर्थात् खलरूप विष लोगों को मारता है' इत्यादि रूपक में भी 'खल का दुःख देना'रूप निमित्त अनुपात्त है और 'विषकर्तृक हनन'रूप से उस निमित्त का अध्यवसान भी है। यही नहीं, किन्तु 'मुखचन्द्र' आदि प्रसिद्ध रूपकों में भी वैसी ही स्थिति है—अर्थात् 'आह्लादकत्व'-रूप निमित्त अनुपात्त है और निमित्तरूप से अभिमत मुखगत 'आह्लादकत्व' चन्द्रगत 'आह्लादकत्व'रूप से अध्यवसित है, अन्यथा साधारणता के अभाव में वह निमित्त ही नहीं हो सकता। अतः उन प्रसिद्ध रूपकों को भी अनुपात्तविषय तथा अध्यवसानमूलक मानना पड़ेगा, जो आपको भी दृष्ट नहीं, किसी का अभिमत नहीं। अतः यह मानना चाहिए कि 'लिम्पतीव—' इत्यादि में निमित्त अश में अध्यवसान हुआ है अतः उस अश में अतिशयोक्ति अलङ्कार है और उस अतिशयोक्ति द्वारा निमित्त तैयार होने पर तन्निमित्तक अन्धकार में लेपनकर्तृत्व की भेदसम्बन्ध से उत्प्रेक्षा होती है। यह तो हुई धर्मोत्प्रेक्षा की बात। अब हेतूत्प्रेक्षा को लीजिए। 'उन्मेषं यो मम न सहते—' इस हेतूत्प्रेक्षोदाहरण में भी 'पद्मलक्ष्मी ( कमलशोभा )' ही उत्प्रेक्षा का विषय है और उसमें 'चिपटने के हेतु' रूप से 'हर्ष'रूप विषयी की उत्प्रेक्षा होती है। इस उत्प्रेक्षा में निमित्त है 'पैरों के साथ शोभा के स्वाभाविक सबन्ध ( चिपटने )' से अध्यवसित 'हर्ष के कारण चिपटना'। हेतूत्प्रेक्षा का एक और प्रसिद्ध उदाहरण देखिए—'सैषा स्थली—' लका से लौटते हुए रामचन्द्रजी सीता से कह रहे हैं—यह वही अकृत्रिम भूमि है, जहाँ तुझे ढूँढ़ते हुए मैंने, पृथिवी पर गिरा हुआ तेरा एक नूपुर देखा था, जो मानो तेरे चरण कमल के वियोग के दुःख से मौन साधे हुए था—एकदम चुप हो रहा था। यहाँ भी मौन के हेतुरूप से नूपुर में वियोग-जन्य दुःख की उत्प्रेक्षा की जा रही है। तात्पर्य यह कि—यहाँ उत्प्रेक्षा का विषय है 'नूपुर' और विषयी है 'वियोगजन्य दुःख'। इस उत्प्रेक्षा में निमित्त है 'निश्चलता के कारण शब्दरहित होने' में तादात्म्येन अध्यवसित 'मौन'। अभिप्राय यह कि 'दुःखहेतुक मौन'—जो यहाँ उक्त है—वही निमित्त है, पर निमित्त बनाने के लिये उसका निश्चलताहेतुक मौन में तादात्म्यारोप किया गया है। कारण,

इस तरह एकरूप माना हुआ मौन ही वियोगजन्य दुःख के साथ रहते हुए नूपुर में रहनेवाला होता है। इस तरह यह उत्प्रेक्षा भी भेदसंबन्ध से ही होती है। प्राचीनों ने जो यहाँ निश्चलता के कारण होनेवाले शब्दराहित्यरूप विषय में वियोगजन्य दुःख के कारण होनेवाले 'मौन' की अभेदसंबन्ध से उत्प्रेक्षा सिद्ध की है वह कथमपि उचित नहीं, क्योंकि एक तो, उत्प्रेक्षा में 'इव' शब्द का अन्वय जिसके साथ हो उसी की उत्प्रेक्षा होती है यह एक नियमसिद्ध बात है और यहाँ 'इव' शब्द का अन्वय 'दुःख' के साथ ही है। दूसरे, जब विषय (आपके हिसाब से निश्चलता के कारण होनेवाली निःशब्दता) को निर्गोण मानते हैं तब विषयी (आपके हिसाब से वियोगजन्य दुःख के कारण होनेवाला मौन) विधेय नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा होना अनुभव-विरुद्ध है। तीसरे, ऐसी स्थिति में अन्य किसी निमित्त को ढूँढ़ना पड़ेगा। यद्यपि यहाँ एक धर्म ऐसा है जो प्राचीनमतसिद्ध उत्प्रेक्षा के विषय तथा विषयी दोनों में रहनेवाला है और वह है 'एक काल में उत्पन्न होना' (यह धर्म निश्चलताहेतुक मौन और वियोग-दुःखहेतुक मौन दोनों में है—अर्थात् वे दोनों ही 'मौन' एक काल में उत्पन्न हुए हैं) अतः इसी धर्मको उक्त अभेदेन उत्प्रेक्षा का निमित्त मान लिया जाय ऐसा कहा जा सकता है, तथापि ऐसा कहना संगत नहीं होगा, क्योंकि जैसे उपमास्थल में-उसी साधारणधर्म को उपमाप्रयोजक (साधक) माना जाता है जो चमत्कारी हो उसी तरह उत्प्रेक्षास्थल में भी उसी साधारणधर्म को उत्प्रेक्षा-साधक माना जाना चाहिए जो चमत्कारी हो और उक्त साधारणधर्म चमत्कारी है नहीं, अतः वह उत्प्रेक्षा का निमित्त नहीं हो सकता। इसी तरह फलोत्प्रेक्षा में भी समक्षिण-अर्थात् वहाँ भेदसंबन्ध से ही उत्प्रेक्षा होती है, अभेदसंबन्ध से नहीं। इस आलोचना से, द्रविडश्रेष्ठ (अप्यदीक्षित) ने जो प्राचीनों के मत का अनुसरण करते हुए 'अथवा हेतुत्प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा और धर्मोत्प्रेक्षा के उदाहरणों में भी अभेदसंबन्ध से ही उत्प्रेक्षा होती है' यह कहा है, वह भी परास्त हो जाता है।

पूर्वसूचितमर्वाचा मतमुत्थापयति—

अलङ्कारसर्वस्वकृता तावदुत्प्रेक्षाया लक्षणमित्थं निगदितम्—'विषयनिगरणे-नाभेदप्रतिपत्तिर्विषयिणोऽध्यवसायः। स च द्विविधः—सिद्धः, साध्यश्च। तत्र साध्यत्वप्रतिपत्तौ व्यापारप्राधान्ये उत्प्रेक्षा इति।' अस्यार्थः—सिद्धत्वं निर्गोण-विषयत्वम्। साध्यत्वं च निर्गोर्धर्माणविषयत्वम्। यत्र हि सिद्धत्व तत्राध्यव-सितप्राधान्यम्—यथाऽतिशयोक्त्यादौ। यत्र साध्यत्वं तत्र व्यापारस्याध्यवसान-क्रियायाः प्राधान्ये उत्प्रेक्षा इति। एवमभेदगर्भमुत्प्रेक्षालक्षण विधाय—'सैषा स्थली यत्र' इत्यत्र नूपुरगतस्य मौनित्वस्य हेतुत्वेन दुःख गुण उत्प्रेक्ष्यते। तत्र मौनित्वमेव नूपुरगतनिःशब्दत्वाभेदेनाध्यवसितं निमित्तम्।" इत्युक्तम्। एव 'यत्र धर्म एव धर्मिगतत्वे' इत्यादिना धर्मोत्प्रेक्षाप्रसङ्गे "—'लम्पतीव तमोऽङ्गानि' इत्यत्र लेपनक्रियाकर्तृत्वोत्प्रेक्षणे व्यापनादि निमित्तम्।" इत्युक्तम्।

तत्रेति। तयोर्मध्य इत्यर्थः। एवमग्रेऽपि। व्यापारप्राधान्ये इति। अध्यवसानाक्रिया-प्रधानतायामित्यर्थः। सर्वस्वकारोक्तस्यार्थं ग्रन्थकार आह—अस्यार्थ इति। निर्गोणविष-यत्वमिति। निर्गोणो विषयो यत्र तद्भाव इत्यर्थः। निर्गोर्धर्माणविषयत्वमिति। निर्गोर्धर्माणो, न तु निर्गोर्धर्म, विषयो यत्र तद्भाव इत्यर्थः। अध्यवसितप्राधान्यमिति। विषयिणः प्राधान्य-मित्यर्थः। अभेदगर्भमिति। द्वयोरनयोरलङ्कारयोर्मध्येऽपि अध्यवसानम् उभयत्र परि-  
अध्यवसानस्यार्थगर्भं चाभेदप्रतिपत्तिरनुप्रविष्टा, 'विषयनिगरणे-  
प्यवसायः' इति प्रागुक्तत्वात्, अत एवोत्प्रेक्षालक्षणमेवोभय-  
परि

मौनित्वस्य हेतुत्वेनेति । नूपुरवृत्तिमौनहेतुत्वेनेत्यर्थः । तत्र दुःखगुणोत्प्रेक्षायाम् । मौनित्वमेवेति । दुःखहेतुकमौनित्वमित्यर्थः । निःशब्दत्वेति । निश्चलत्वहेतुकनिःशब्दत्वेत्यर्थः । लेपनक्रियेति । अन्धकारादावित्यादिः । व्यापनादीति । अन्धकारकर्तृकव्यापनादीत्यर्थः । अन्यत् स्पष्टम् ।

अब आधुनिकों का मत उपस्थित किया जाता है—अलङ्कारसर्वस्वकृता इत्यादि । अलङ्कारसर्वस्वकार ने, प्रथमतः, उत्प्रेक्षा का लक्षण इस प्रकार बनाया है—‘विषयी द्वारा विषय का निगरण हो जाने ( अन्तःप्रविष्ट कर लेने ) के कारण जो विषयी का विषय के साथ अभेद ( अभिन्नता = एकरूपता ) ज्ञात होता है उसीको अध्यवसाय ( एक प्रकार का विषयी का विषय में आरोप ) कहा जाता है । वह अध्यवसाय ( अध्यवसान ) दो प्रकार का है—एक सिद्ध और दूसरा साध्य । उन दोनों में से जहाँ अध्यवसान की साध्यता प्रतीत होती हो—वह सिद्ध नहीं हुआ हो, किन्तु सिद्ध हो रहा प्रतीत होता हो—और व्यापार ( अध्यवसान क्रिया ) की प्रधानता हो वहाँ उत्प्रेक्षा होती है ।’ इसका अर्थ यह हुआ कि—विषय के निगरण हो चुकने ( विषयी-द्वारा विषय के कुक्षिस्थ कर-चुकने ) का नाम अध्यवसान का सिद्ध हो जाना है—अर्थात् जहाँ विषयवाचक शब्द पृथक् उक्त न हो वहाँ अध्यवसान ‘सिद्ध हुआ’ समझा जाता है । और विषय के निगरण होते रहने का नाम अध्यवसान का ‘साध्य होना’ है—अर्थात् जहाँ, विषयवाचक शब्द पृथक् उक्त तो हो पर उस ( विषय ) की स्थिति सुदृढ़ न हो, किन्तु विषयी में विलीन होती-सी हो वहाँ अध्यवसान ‘साध्य’ समझा जाता है । इन दोनों में से जहाँ अध्यवसान ‘सिद्ध’ रहता है वहाँ अध्यवसित—अर्थात् विषय को कुक्षिस्थ कर-चुके विषयी—की प्रधानता होती है, जैसे—‘अतिशयोक्ति’ आदि में । और जहाँ अध्यवसान सिद्ध नहीं, साध्य हो—अर्थात् सिद्ध हो ही रहा हो वहाँ विषय को कुक्षिस्थ करने की क्रिया की प्रधानता होती है—अर्थात् वहाँ विषयवाचक पद के पृथक् उक्त रहने पर भी विषय विषयी में प्रविष्ट होता दिखाई पड़ता है, ऐसी जगह उत्प्रेक्षा होती है । इस तरह, जिसके अन्दर अभेद आया हुआ है ( अध्यवसान पदार्थ के पेट में अभेद का निवेश है और अध्यवसान पदार्थ उत्प्रेक्षा के लक्षण में प्रविष्ट है ) ऐसा उत्प्रेक्षा का लक्षण बनाकर—अर्थात् उत्प्रेक्षा केवल अभेदसम्बन्ध से ही होती है, यह मानकर, पीछे से, कहा है कि—‘सैषा स्थली यत्र—’ इस पूर्वोक्त पद्य में, नूपुर में रहने वाले मौन ( निःशब्दत्व ) के कारण-रूप में दुःखरूप गुण की उत्प्रेक्षा की जाती है । इस उत्प्रेक्षा में निमित्त है वह ‘मौनीपन’ जिसमें निश्चलता के कारण नूपुर में रहनेवाली निःशब्दता के अभेद का अध्यवसान है । इसी तरह ‘जहाँ धर्म ही धर्मों में रहने वाले के रूप में—’ इत्यादि से आरम्भ करके ‘धर्मोत्प्रेक्षा’ के प्रसङ्ग में कहा है कि—‘लिम्पतीव—’ इस पद्य में लेपनक्रिया के कर्तृत्व की उत्प्रेक्षा है और उसमें ‘व्यापन-व्याप्त होना’ आदि निमित्त है ।

उक्तमलङ्कारसर्वस्वकारमतमालोचयति—

तदेतत्सर्वं परस्परविरुद्धम् । नहि दुःखगुणोत्प्रेक्षायामभेदगर्भोऽध्यवसायोऽस्ति । मौनांशे सन्नप्यध्यवसायः सिद्धत्वादतिशयोक्तेरेव विषयो भवितुमर्हति, नोत्प्रेक्षायाः । त्वन्मते मौनस्य निमित्तत्वेनानुत्प्रेक्ष्यत्वाच्च । एवं ‘लिम्पतीव’ इत्यत्र लेपनाध्यवसायोऽपि । तस्यापि व्यापनरूपतया स्थितस्य त्वया कर्तृत्वोत्प्रेक्षानिमित्तत्वेनोक्तत्वाच्च । ‘व्यापनादौ तूत्प्रेक्षाविषये निमित्तमन्यदन्वेष्टं स्यात्’ इति त्वयैव बाधकोपन्यासात् । निमित्तांशाध्यवसानं तूपमादावपि स्थितम् । किञ्च, ‘नूनं मुखं चन्द्रः’ इत्यादौ कुत्राध्यवसायः, विषयस्य जागरूकत्वात् । न च सिद्धेऽध्यवसाये विषयस्य जठरवर्तित्वम्, साध्ये तु निगौर्य-

माणन्वात्पृथगुपलब्धिरिति वाच्यम्, साध्याध्यवसाये मानाभावात् । अन्यथा रूपकादेरप्यध्यवसायगर्भत्वापत्तेः । किञ्च, अध्यवसानं लक्षणाभेदः । न चात्र विधेयाशे लक्षणास्ति । अभेदादिसंसर्गो राहार्यबोधस्यैव स्वीकारात् । तस्मात्प्राचीनानामाधुनिकानां चोक्तयो न क्षोदक्षमाः ।

तदेतदिति । पूर्वोक्तमलङ्कारमर्षस्वकारमतमित्यर्थ । परस्परविरुद्धत्वमेव स्फुटयति— नहीत्यादिना । 'सैषा स्थली—' इत्यत्रत्य सर्वस्वकारकृतं विचारं परीक्ष्य सम्प्रति 'लिम्पतीव—' इत्यत्रत्य तद्विचार परीक्षते—एवम् इत्यादि । लेपनाध्यवसायोऽपीति । अत्र सिद्धत्वादित्यायर्हतीत्यन्तानुपपन्न । प्राग्वदाह—तस्यापीति । ननु मया तथोक्तमपि नेद खण्डितमित्युपलक्षणत्वेनोक्तमत आह—व्यापनादाविति । इदमन्यत्रापि दृष्टमित्याह—निमित्तांशेति । परस्परविरोधमुपपाद्य तदुक्त्यामुत्प्रेक्षायामध्यवसानस्थितिमेव निरस्यति—किञ्चेति । अन्यवेति । पृथक्विषयवाचकपदोपलब्धावपि अध्यवसानस्वीकारे इत्यर्थः । पुनस्तामेव युक्त्यन्तरेण खण्डयति—किञ्चेति । लक्षणाभेद इति । सारोपा साध्यवसाना चेति भेदकरणादिति भावः । अत्र उत्प्रेक्षायाम् । उपसहरति—तस्मादिति । क्षोदक्षमा इति । विचारसहा इति भावः । सर्वस्वकृता स्वकीयोत्प्रेक्षा लक्षणेऽभेदगर्भोऽध्यवसायो निवेशितः—

।हरणत्वेन च 'सैषा स्थली—' इति पद्यमुक्त्वा 'नूपुरे दुःखगुणोत्प्रेक्षाऽत्र' इति व्याख्या-

। तच्च परस्परविरोधि वच', सैषा स्थलीत्यत्रत्योत्प्रेक्षाविषयविषयिणोर्नूपुरदुःखगुणयो-

दगर्भाध्यवसायाभावात् । यद्यपि मौनाशेऽभेदगर्भोऽध्यवसायो वर्तते, 'मौनित्वमेव

।रगतनि शब्दत्वाभेदेनाध्यवसित निमित्तम्' इति स्वीकारात्, तथापि निमित्ताशे सः,

।प्रेक्ष्याशे, निमित्ताशगताध्यवसायमादाय च न-तदुक्तलक्षणसङ्गतिः । किञ्च निमित्ताशे

।मानोऽप्यध्यवसाय तदुक्तपरिभाषानुसार सिद्ध एव, न साध्य इति सोऽतिशयोक्ते-

।पयत्, नोत्प्रेक्ष्याया, साध्याध्यवसायस्यैवोत्प्रेक्षाकुक्षौ तेन प्रवेशितत्वात् । एवं

।लेपतीव—' इत्यस्योत्प्रेक्षोदाहरणत्वमपि तदुक्तं स्वोक्तिविरुद्धम्, तत्रापि विषयविष-

।यणोरतमोलेपनकर्तृत्वयोरभेदाध्यवसायविरहात् । निमित्तभूतव्यापने सन्नपि लेपनाध्यव-

।साय पृष्वन् सिद्धत्वादतिशयोक्तेर्विषयो, नोत्प्रेक्ष्याया, तत्र निमित्ततां स्वीकुर्वता तेनोत्प्रे-

।क्षयता स्वीकृतापि नेति किं तत्राध्यवसायेन स्थितेनापि फलम् ? तत्र निमित्तता स्वीकुर्व-

।ताऽपि नयोत्प्रेक्षयता न खण्डिता, एवञ्च तदश एवोत्प्रेक्षयताऽपि ममाभिमतेति तु वक्तुम-

।गक्यम्, 'व्यापनादौ उत्प्रेक्षाविषयतया स्वीक्रियमाणो निमित्तान्तर गवेषणीय स्यात्' इति

।वदता त्वया तदशे उत्प्रेक्षयताया बाधकस्य स्वयमुपन्यासात् । निमित्ताशगताऽन्वमान-

।माशयालङ्कारस्याध्यवसानमूलकत्वाङ्गीकारे उपमादेरपि तदङ्गीकरणीयं स्यात्, तत्रापि

।निमित्ताशेऽध्यवसानस्य सत्त्वात्, 'मुख चन्द्र इवाहादयति' इत्यादौ चन्द्रगतस्य मुख-

।गतस्य चाहादकत्वस्य मिथो भिन्नत्वेपि अभेदाध्यवसायोत्तरमेव निमित्तत्वसम्भवात् ।

।ननु धर्मस्वरूपोत्प्रेक्षास्यलेऽभेदगर्भाध्यवसाय स्पष्ट इति चेन्न, 'दूत मुख चन्द्र' इत्यादौ

।विदयन्त्य मुखदेरुल्लेखेऽध्यवसायगन्धस्यापि स्वीकर्तुमशक्यत्वात् । सिद्धेऽध्यवसाये विष-

।यिच्छरनिर्लानतया विषयस्योल्लेखाभावेऽपि साध्येऽध्यवसाये निगीर्यमाणतादरापन्नस्य

।विदयन्त्य पृथगुल्लेखो नासङ्गत इत्यपि न, साध्याध्यवसानसत्त्वे प्रमाणविरहात् । विदयन्त्य

।पृथगुपलब्धावपि साध्याध्यवसायस्वीकारे रूपकायलङ्कारस्यापि अध्यवसानगर्भतानने ।

।द्विनाध्यवसानं लक्षणाप्रभेदान्नातिरिच्यते लक्षणा च 'मुखं चन्द्रो नूनम्'

।रूपविधेयाशे नाङ्गीकर्तुं योग्या 'न विधौ पर' शब्दार्थ' इत्यभियुक्तौक्या



असम्भवात् । कथं तर्हि तत्रान्वयबोध इति चेत् ? अभेदादिसम्बन्धैराहार्यबोध इति बोध्यम् । इत्यथ प्राचामर्वाचा च कथनानि विचारनिकपपरीक्षायामसङ्गतान्येव सम्पद्यन्त इति भावः ।

अर्वाचीनों के मत पर विचार किया जाता है—तदेतत् इत्यादि । अर्वाचीनों ( अलङ्कारसर्वस्वकारादिकों ) की उक्त सभी बातें परस्परविरुद्ध हैं । कारण, उन्होंने अभेदगर्भ उत्प्रेक्षा लक्षण बनाया है—अर्थात् अभेदसंबन्ध से सर्वत्र उत्प्रेक्षा मानी है और उदाहरण दिया है—‘सैषा स्थली—’ यह पद्य और कहा है कि ‘यहाँ दुःखगुण की उत्प्रेक्षा नूपुर में होती है ।’ यह उदाहरण लक्षण के हिसाब से सर्वथा विरुद्ध है, क्योंकि दुःखगुण की उत्प्रेक्षा में जिसके गर्भ में अभेद हो ऐसा अध्यवसान नहीं है । हाँ, ‘मौन’ अंश में अध्यवसान अवश्य है, क्योंकि ‘निश्चलता के कारण होनेवाले’ शब्दराहित्य को ‘मौनत्व-मौनीपन’ का अन्तःप्रविष्ट समझकर अभेद मान लिया गया है, परन्तु वह अध्यवसान सिद्धरूप है, अतः अतिशयोक्ति का विषय हो सकता है, उत्प्रेक्षा का नहीं, क्योंकि उत्प्रेक्षा का विषय साध्य अध्यवसान होता है । और आपके मत में ‘मौन’ को उत्प्रेक्षा का निमित्त माना गया है, अतः आपके मत में उमकी उत्प्रेक्षा मानी भी नहीं जा सकती । इसी तरह ‘लिम्पतीव—’ इस पद्य में श्लो आपने अन्वकार में लेपनकर्तृत्वरूप धर्म की उत्प्रेक्षा कही है वह भी अभेदगर्भ अध्यवसायघटित लक्षण से विरुद्ध है, क्योंकि यहाँ भी अभेदगर्भ अध्यवसान नहीं है । लेपन में व्यापन का अध्यवसान यदि है भी तो वह सिद्धरूप होने के कारण एक तो पूर्ववत् अतिशयोक्ति का लक्ष्य होगा, उत्प्रेक्षा का नहीं, दूसरे आपने उसे यहाँ की उक्त उत्प्रेक्षा का निमित्त माना है, फिर उस अंश में अध्यवसान के रहने ही से क्या ? आप उस अंश की उत्प्रेक्षा मान नहीं सकते । आप कहेंगे—“‘लिम्पतीव—’ में लेपनक्रियाकर्तृत्व की उत्प्रेक्षा का निमित्त व्यापन आदि होता है” इतना ही तो मैंने कहा है और उसका अभिप्राय यह भी हो सकता है कि ‘कर्तृत्व की उत्प्रेक्षा मानने पर उक्त व्यापनादि निमित्त हो सकता है’ इससे यह तो सिद्ध होता नहीं कि मैं व्यापन में लेपन की उत्प्रेक्षा नहीं मानता, अतः यदि कहा जाय कि मैं वैसा ही मानता हूँ, तो इसका उत्तर यह है कि—आप वैसा कह ही नहीं सकते, क्योंकि आपने स्वयं कहा है कि—व्यापन को यदि उत्प्रेक्षा का विषय फलतः लेपन को विषयी माना जाय तब किसी अन्य निमित्त की खोज करनी पड़ेगी । तात्पर्य यह कि जब आप ‘व्यापन में लेपन की उत्प्रेक्षा है’ इस पद्य की वाधिका युक्ति स्वयं दे चुके हैं तब आप उसी पद्य को कैसे मान सकते हैं । निमित्तभागगत अध्यवसान को लेकर अलङ्कार में अध्यवसानमूलकत्व व्यवहार तो किया नहीं जा सकता, क्योंकि उपमादि अलङ्कार-स्थल में भी निमित्तभागगत अध्यवसान रहता है और फिर भी उन अलङ्कारों को दूसरों के साथ आप भी अध्यवसानमूलक नहीं मानते । अन्य उत्प्रेक्षाओं को छोड़िये । घर्मिस्वरूपोत्प्रेक्षा में प्रायः आपको सबसे अधिक अध्यवसान का गन्ध आता है, अतः आहूये, उसी पर विचार कर लिया जाय । ‘नून मुख चन्द्रः = मुख मानो चन्द्र है’ इस उत्प्रेक्षा में भी अध्यवसान कहाँ है ? क्योंकि यहाँ विषय ( मुख ) जीता जागता उपस्थित है—वह जब तक विषयी द्वारा निर्गीर्ण न हो तब तक अध्यवसान कैसे माना जा सकता है ? आप कहेंगे—जहाँ अध्यवसान सिद्धरूप रहता है वहाँ विषय विषयी द्वारा निर्गीर्ण हो गया रहता है—अर्थात् विषयी से पृथक् विषय उपलब्ध नहीं होता, पर साध्य अध्यवसान में तो विषयी से पृथक् विषय की उपलब्धि होती ही है, फिर आप विषय से पृथक् विषय की उपलब्धि होने से अध्यवसान का अस्वीकार क्यों करते हैं तो इसके उत्तर में मेरा कथन यह है कि साध्य अध्यवसान को ही मैं नहीं मानता, क्योंकि उसमें कोई प्रमाण नहीं है । यदि इस तरह से विषयी से पृथक् विषय की उपलब्धि होने पर भी साध्य अध्यवसान माना जाय तब रूपक आदि अलङ्कार भी

अध्यवसानगर्भ माने जाने लगेगे। उत्प्रेक्षा में अध्यवसान नहीं रहता इस बात को पुष्ट करनेवाली एक तीसरी युक्ति यह भी है कि 'अध्यवसान' लक्षणा का एक प्रभेद है, क्योंकि 'सारोपा', 'साध्यवसाना' ये सब लक्षणा के ही प्रभेद कहे गये हैं। अब सोचिए कि उल्लेख्य विधेय अक्ष में लक्षणा यहाँ है? कहना पड़ेगा कि 'नहीं', क्योंकि 'विधेयाक्ष में लक्षणा नहीं होती' ऐसा सिद्धान्त है। आप कहेंगे—लक्षणा के बिना 'मुख मानो चन्द्र है' इत्यादि स्थल में शाब्दबोध हो कैसे सकता है तो इसका उत्तर यह है कि—अभेद आदि सबन्धों से आहार्य (बाधित होने पर भी इच्छाजन्य) बोध ही वहाँ माना जाता है जो लक्षणा के बिना भी हो ही सकता है। इस तरह उपसहार में कहना यह है कि—प्राचीनों तथा भाषुनिकों दोनों ही की ठक्यियाँ आलोचना की कसौटी पर कसने से खरी नहीं उतरती हैं।

प्राचीनानामाधुनिकानाम् मतान्युपपाद्य सामान्यत समालोच्य च सम्प्रति तद्विषये स्वसम्मत निष्कर्षमाह—

एव प्राप्ते ब्रूम—तत्र तावद्धर्म्युत्प्रेक्षानिष्कर्षं प्राचीनमतपरीक्षावसरे कृत एव। हेतुत्प्रेक्षायां पञ्चम्यर्थो हेतुः, अभेदश्च प्रकृतिप्रत्ययार्थयोः संसर्ग इति पक्षे विश्लेषदुःखाभिन्नहेतुः पञ्चम्यन्तार्थः। तस्य च प्रयोज्यतासंसर्गेणोत्प्रेक्षणमिवादिना बोध्यते। प्रयोज्यत्व पञ्चम्यर्थ इति दर्शने निरूपितत्वं प्रकृतिप्रत्ययार्थयोः संसर्गं। आप्रयतासंसर्गेणोत्प्रेक्षणम्। उभयथापि पञ्चम्यर्थ एवोत्प्रेक्ष्यः, तेनैवैवाद्यार्थान्वयात्। उत्प्रेक्ष्यतावच्छेदकसंबन्धेनोत्प्रेक्ष्यसमानाधिकरणश्च धर्मोऽतिशयोक्त्या मौनाभिन्नत्वेनाध्यवसितनिश्चलत्वादिनिसिक्तम्। बद्धमौनं च विषयः। मौनद्वारक च बद्धमौनस्य प्रयोज्यत्व समाव्यते। एवं प्रयोज्यधर्मके धर्मिणि सर्वत्रापि धर्मद्वारक एव पञ्चम्यर्थान्वयः। यत्र तु धर्म एव किञ्चिद्धर्माभिन्नत्वेनाध्यवसितः साक्षाद्विषयस्तत्र विषयतावच्छेदकधर्मो निमित्तम्। यथा तत्रैव 'विश्लेषदुःखादिव मौनमस्य' इति निर्माणे मौनत्वम्। एवं कृतीयार्थोऽपि बोध्यम्।

एव प्राप्ते इति। प्राचीनाधुनिकोक्तीना क्षोदक्षमत्वाभावे प्राप्ते इत्यर्थः। 'ब्रूम' इति क्रियाया वक्ष्यमाणपदार्थममूहं कर्म, अस्मदर्थभूता प्रत्यकाराश्च कर्तृभूता। तत्र उत्प्रेक्षानिष्कर्षमध्ये तावत् आदाँ। परीक्षेति। विचारेत्यर्थः। कृत एवेति। धर्मिस्वरूपोत्प्रेक्षास्थलेऽभेदसंबन्धेनोत्प्रेक्षा भवतीति नवमतभिद्ध सिद्धान्त इति भावः। इदमुपलक्षणम्। गुणक्रियाभेदेन द्विविधयोर्धर्मस्वरूपोत्प्रेक्षयोर्मध्ये गुणान्मकधर्मोत्प्रेक्षाहरणे 'अस्या मुनीनामपि मोहमूहे' इत्यादौ भेदसंबन्धेनोत्प्रेक्षेत्यपि निष्कर्षस्तत्र कृत एव। अत्रशिष्टाया क्रियारूपधर्मोत्प्रेक्षाया यद्यपि महान् मतभेदस्तथापि तद्विषयेऽपि महता सरम्भेण 'लिम्पतीव' इत्यादौ प्रयमान्तार्थे विषये प्रकृतक्रियाकर्तृत्वस्य 'आश्रयता'-संबन्धेन, तिर्ज्यस्य कर्तुरभेदसंबन्धेन बोत्प्रेक्षेति द्विविधौ निष्कर्षौ कृतावेव। अत्रशिष्टाया हेतुत्प्रेक्षाया निष्कर्षं पुर्वताह—हेतुत्प्रेक्षायांमिन्यादि। उभयवयापीति। हेतो यद्यम्यार्थे प्रयोज्यत्वन्वय तन्वे वेत्यर्थः। पञ्चम्यर्थ एवेति। पञ्चमोत्प्रेक्ष्यत्व एव व्यवच्छेद्यः। तत्र हेतुमाह—तेनैवेति। उत्प्रेक्ष्यतावच्छेदकसंबन्धेनेति। येन संबन्धेनोत्प्रेक्षा स्थिते न संबन्ध उत्प्रेक्ष्यतावच्छेदकः (प्रयोज्यता आश्रयता वा) तेनैत्यर्थः। उत्प्रेक्ष्यमानानिर्दिष्टता इति। उक्त संबन्धेनोत्प्रेक्ष्यस्य पदार्थस्य यदधिकरण तत्र वर्तमान इत्यर्थः। निश्चलत्वादिनिश्चि। निश्चलत्वादिनिश्चिनिश्चि शब्दत्वादिगिति भावः। बद्धमौनं चेति। मौनविशिष्ट नृपुनित्वा

विषय इति । उत्प्रेक्षाया इति यावत् । ननु दुःखप्रयोज्यता वस्तुतो मौने, न वद्धमौने इति कथं तादृशप्रयोज्यताया आश्रयतासम्बन्धेन तत्र विषये संभावनमित्यत आह—मौनद्वारकं चेति । इयमुक्तिद्वितीयपक्षाभिप्रायेण । प्रथमपक्षे प्रयोज्यतासम्बन्धेन दुःखाभिन्नहेतोर्वद्धमौने संभावनमपि मौनद्वारकं बोध्यम् । फलितमाह—एवमिति । प्रयोज्यधर्मके इति । दुःखादियत्किञ्चिद्धेतुप्रयोज्यो धर्मो यस्य तादृशे इत्यर्थः । अयमत्र विशदोऽर्थः—‘विश्लेषदुःखादिव वद्धमौनम्’ इत्यत्र “दुःखपदोत्तरपक्षमीविभक्तोरथो हेतु” प्रकृत्यर्थविभक्त्यर्थयोश्च सम्बन्धोऽभेद” इति पक्षे विश्लेषदुःखाभिन्नहेतुरपस्य पक्षम्यन्तपदार्थस्य विषयिण ‘वद्धमौने’ (मौनविशिष्टे नूपुरे) विषये प्रयोज्यतासम्बन्धेनोत्प्रेक्षा । अस्यां चोत्प्रेक्षायाम्, प्रयोज्यतात्मकेनोत्प्रेक्ष्यतावच्छेदकेन सम्बन्धेन दुःखाभिन्नहेतुरूपस्योत्प्रेक्ष्यस्याधिकरणे मौनविशिष्टनूपुरे (मौनद्वारकं प्रयोज्यतासम्बन्धावच्छिन्नं तदधिकरणत्वं नूपुरे बोध्यम्) विद्यमानोऽतिशयोक्तिरूपेण मौनाभेदाध्यवसानेन विशिष्टो निश्चलत्वहेतुकनि शब्दत्वात्मको धर्मो निमित्त भवति । ‘दुःखपदोत्तरपक्षमीविभक्तो प्रयोज्यत्वमर्थः निरूपितत्व च प्रकृत्यर्थविभक्त्यर्थयोः सम्बन्ध’ इति पक्षे तु विश्लेषदुःखनिरूपितप्रयोज्यत्वरूपस्य पक्षम्यन्तपदार्थस्य विषयिणः मौनविशिष्टनूपुरात्मके विषये आश्रयतासम्बन्धेनोत्प्रेक्षा । अस्यामप्युत्प्रेक्षाया पूर्वोक्तरीत्या पूर्वोक्तमेव निमित्तं भवति । अत्रोत्प्रेक्ष्यतावच्छेदकं सम्बन्धः आश्रयतेति विशेषः । तेन सम्बन्धेनोत्प्रेक्ष्यस्य निरुक्तप्रयोज्यत्वस्याधिकरणता वद्धमौने (नूपुरे) पूर्ववदेव मौनद्वारिका बोद्धव्या । पक्षद्वयेऽपि तेन तेन उत्प्रेक्ष्यतावच्छेदकसम्बन्धेन तस्य तस्य उत्प्रेक्ष्यस्य स्थितिर्वस्तुतो मौनरूपधर्मांश एवेति तेन तेन सम्बन्धेन तस्य तस्योत्प्रेक्ष्यस्य सम्भावनमपि यद्यपि तत्रैवोचितं, न मौनविशिष्टे धर्मिणि, तथापि धर्मद्वारकं धर्मिणि तत्सम्भावनमपि नानुचितम् । एवञ्च मौनरूपधर्मद्वारैव दुःखपदोत्तरपक्षमीविभक्त्यर्थस्य मौनरूपधर्मविशिष्टे नूपुरे धर्मिणि अन्वयो भवति । एतादृशे स्थले सर्वत्रैषैव गतिः । एतेन पक्षद्वयेऽपि पक्षम्यर्थस्योत्प्रेक्ष्यता सिद्धा भवति, न प्रकृत्यर्थस्य । युक्तं चैतत्, पक्षम्यर्थे न सहैव इवावयवान्वयात् । इत्यथ ‘वद्धमौनम् (नूपुरम्) प्रयोज्यतासम्बन्धेन त्वच्चरणारविन्दवियोगजन्यदुःखाभिन्नहेतुप्रकारिकाया सम्भावनाया विषयः’ इति प्रथमपक्षे, ‘वद्धमौनम् (नूपुरम्) आश्रयतासम्बन्धेन त्वच्चरणारविन्दवियोगजन्यदुःखनिरूपितप्रयोज्यत्वप्रकारिकाया सम्भावनाया विषयः’ इति च द्वितीयपक्षे बोधः पर्यवस्यतीति । धर्मिणो विषयत्वे उत्प्रेक्षणप्रकारमुक्त्वा धर्मस्य विषयत्वे तत्प्रकारमाख्यातुमाह—यत्र तु इति । अयं भावः—‘विश्लेषदुःखादिव मौनमस्य’ इत्यत्र मौनात्मके विषये, प्रयोज्यतासम्बन्धेन विश्लेषदुःखाभिन्नहेतुरूपस्य विषयिण, आश्रयतासम्बन्धेन विश्लेषदुःखनिरूपितप्रयोज्यत्वरूपस्य विषयिणो वा उत्प्रेक्षा । अस्यां चोत्प्रेक्षायां प्रयोज्यत्वात्मकेनोत्प्रेक्ष्यतावच्छेदकसम्बन्धेन दुःखाभिन्नहेतुरूपोत्प्रेक्ष्यस्य, आश्रयतात्मकेनोत्प्रेक्ष्यतावच्छेदकसम्बन्धेन दुःखनिरूपितप्रयोज्यत्वरूपोत्प्रेक्ष्यस्य वा अधिकरणे मौने वर्तमानं मौनत्व निमित्तं भवति । अत्र सम्भावनेऽधिकरणत्वे वा न पूर्ववत् कस्यचिद्द्वारता समाश्रयणीया भवति, प्रयोज्यतासम्बन्धेन दुःखाभिन्नहेतो आश्रयतासम्बन्धेन दुःखनिरूपितप्रयोज्यत्वस्य वा मौने स्वत एव सत्त्वात् । इति पक्षम्यन्तवाक्यगत-हेतुत्प्रेक्षास्थलीयामेनां रीतिमन्यत्राप्यतिदिशति—एवमिति । तृतीयार्थोऽपीति । हेताविति शेषः । विश्लेषदुःखेनैव वद्धमौनम्—(मौनमस्य इति वा) इति वाक्ये हेत्वर्थकतृतीया सत्त्वेऽपि पूर्वोक्तरीत्यैवोत्प्रेक्षणादिकं ज्ञातव्यमिति भावः ।

पहले प्राचीनों तथा आधुनिकों के अन्ध-अन्ध रूपों का उपासना किया गया, जि

उन मतों की सामान्यत आलोचना की गई, अब अपने मत के अनुसार निष्कर्ष लिखा जाता है—एव प्राप्ते द्रूम इत्यादि। जब प्राचीनों तथा आधुनिकों—दोनों की उक्तियों विचार करने पर टिकने योग्य नहीं हुई, तब हम कहते हैं—उक्त उल्लेख-प्रभेदों में से 'धर्म्युल्लेख' का निष्कर्ष तो प्राचीनों के मत पर विचार करते समय कर ही दिया गया है—अर्थात् 'सुख मानो चन्द्र है' इत्यादिक में अभेदसम्बन्ध से ही उल्लेख होती है—इस विषय में किसी का मतभेद नहीं है। [ इसी तरह धर्म्युल्लेख के दो प्रकार के उदाहरणों में से गुणरूप धर्म की उल्लेख के उदाहरण 'अस्यां सुनीनामपि मोहमूहे' आदि में भेद-सम्बन्ध ( समवाय आदि सम्बन्ध ) से उल्लेख होने का सिद्धान्त भी स्थिर किया जा चुका है। क्रियारूप धर्म्युल्लेख के उदाहरण 'लिम्पतीव—' आदि में विविध मतभेदों के रहने पर भी विशद शास्त्रार्थप्रक्रिया से यह सिद्ध किया जा चुका है कि वहाँ प्रथमान्त पदार्थ अन्धकार आदि में प्रकृत लेपन आदि क्रिया के 'कर्तृत्व' की 'आश्रयता'सम्बन्ध से, अथवा 'कर्ता' ( तिद्ध्यं ) की 'अभेद'सम्बन्ध से, उल्लेख मानना समुचित है। ] हेतुल्लेख में पञ्चमी विभक्ति का अर्थ 'हेतु' होता है और प्रकृति ( जिस शब्द से पञ्चमी की गई हो उस ) के तथा प्रत्यय ( पञ्चमी विभक्ति ) के अर्थ का सम्बन्ध होता है 'अभेद'। यह एक पत्र है। इस पत्र में 'वियोगदुःखात्-वियोग-दुःख से' इस पञ्चम्यन्त पद का अर्थ होता है 'वियोगदुःख से अभिन्न हेतु'। इस अर्थ की 'प्रयोज्यता'सम्बन्ध से उल्लेख 'इव' आदि उल्लेखावाचक पदों से बोधित होती है। 'प्रयोज्यता' पञ्चमी विभक्ति का अर्थ है यह दूसरा पत्र है। इस पत्र के हिसाब से प्रकृति तथा विभक्ति के अर्थ का सम्बन्ध होता है 'निरूपितत्व' और उल्लेख होती है 'आश्रयता'सम्बन्ध से। दोनों पत्रों में पञ्चमी के अर्थ की ही उल्लेख होती है, प्रकृति के अर्थ की नहीं, क्योंकि 'इव' आदि के अर्थ का अन्वय उसी से होता है। उस उल्लेख का निमित्त होता है वह निश्चलताहेतुक निःशब्दत्व आदि धर्म जो उल्लेखावाचकसम्बन्ध—अर्थात् जिस सम्बन्ध से उल्लेख होती है उस = प्रयोज्यता अथवा आश्रयतासम्बन्ध—से उल्लेख्य—अर्थात् दुःखाभिन्न हेतु में अथवा दुःखनिरूपित प्रयोज्यता—के अधिकरण—मौनयुक्त नूपुर ( यहाँ मौनयुक्त नूपुर 'मौन' द्वारा अधिकरण कहलाता है, स्वतः नहीं अर्थात् वस्तुतः अधिकरण 'मौन' है, पर उसके द्वारा मौनयुक्त नूपुर भी अधिकरण कहलाता है यह समझना चाहिए ) में रहता है और जिसमें 'मौन' के अभेद का अति-शयोक्तिद्वारा अध्यवसान हुआ है। और इस उल्लेख का विषय है 'मौनयुक्त' पदार्थ—अर्थात् नूपुर। तात्पर्य यह हुआ कि 'विश्लेषदुःखादिव बद्धमौनम्' में एक पत्र के हिसाब से 'मौनयुक्त' नूपुररूप विषय में 'प्रयोज्यता'सम्बन्ध से 'विश्लेषदुःखाभिन्नहेतु'रूप विषय की और दूसरे पत्र के हिसाब से उक्त विषय में ही 'आश्रयता'सम्बन्ध से 'विश्लेषदुःखनिरूपित प्रयोज्यत्व'रूप विषय की उल्लेख होती है। यदि कोई कहे कि—यह रीति तो ठीक नहीं है, क्योंकि विश्लेषदुःखरूप हेतु से प्रयोज्य ( साध्य ) वस्तुतः मौन ( शब्दरहित होना ) है, मौनयुक्त पदार्थ नहीं, अतः प्रयोज्यतासम्बन्ध से उक्त दुःखाभिन्न हेतु की उल्लेख ( समावना ) मौन में की जा सकती है, मौनयुक्त में नहीं, इसी तरह विश्लेषदुःखनिरूपित प्रयोज्यता का वस्तुतः आश्रय मौन ही है, मौनयुक्त नहीं, अतः आश्रयतासम्बन्ध से उक्त प्रयोज्यता की भी उल्लेख मौन में ही हो सकती है, तो मैं कहूँगा कि कथन आपका ठीक है, पर मौनरूप धर्म द्वारा मौनयुक्त धर्मों की दुःखप्रयोज्य अथवा दुःखनिरूपित प्रयोज्यता का आश्रय होना है, अतः प्रयोज्यता-सम्बन्ध से दुःखरूप हेतु की अथवा आश्रयतासम्बन्ध से दुःखनिरूपित प्रयोज्यता की मौनयुक्त में उल्लेख की जा सकती है। सारांश यह कि—किसी पदार्थ से प्रयोज्य ( साध्य ) धर्मवाले धर्मों में पञ्चम्यर्थ का अन्वय धर्म द्वारा ही सर्वत्र होता है। अर्थात् जब 'चौरात् नीत-चोर से दरा हुआ' इस तरह का वाच्य बोला जाता है तब 'चौर से'

उत्प्रेक्षा नहीं की जा सकती इसीलिये यहाँ (ऐसे सभी स्थलों पर) धर्म (उक्त विपाटन) द्वारा धर्मा (वनान्त) में ही फल का अन्वय तथा उत्प्रेक्षा माननी पड़ती है यह रहस्य पहले भी ग्रन्थकार सूचित कर चुके हैं और अनुपद आगे भी सूचित करायेंगे। यहाँ की इस उत्प्रेक्षा में निमित्त होता है विषय (वनान्त) में रहने वाला स्वाभाविक ललाटत्वग्विपाटन, (यह वनान्त में विशेषणरूप से भासित भी होता है) पर उक्त विपाटनरूप धर्म निमित्त तब होता है, जब उसमें ललाटाक्षरदर्शनरूप फल साधक कल्पित ललाटत्वग्विपाटन के अभेद का अध्यवसान मान लिया जाता है। इस तरह, उक्त वाक्य का शाब्दबोध 'ललाटत्वग्विपाटनानुकूल व्यापार वाले वनप्रदेश प्रयोजकतासम्बन्ध से की जानेवाली ललाटाक्षरदर्शनरूप फल की सभावना के विषय है' यह होता है। यदि अध्यवसान द्वारा ललाटाक्षरदर्शनफलक ललाटत्वग्विपाटन से अभिन्न माना गया स्वाभाविक (कण्टकी होने के कारण स्वतः वनप्रदेश द्वारा होने वाला) ललाटत्वग्विपाटन को ही उत्प्रेक्षा का विषय बना दिया जाय—अर्थात् 'वनान्तैर्ललाटत्वचो विपाटनम् अक्षराणि द्रष्टुमिव (वनान्तों द्वारा ललाट की त्वचा का उधेड़ना मानो, ललाट के अक्षरों को देखने के लिये हो रहा है)' इस तरह का वाक्य मानकर यदि ललाटत्वग्विपाटनरूप विषय में ही ललाटाक्षरदर्शनरूप फल की उत्प्रेक्षा प्रयोजकतासम्बन्ध से की जाय तब विषयतावच्छेदक (उक्तललाटत्वग्विपाटनरूप विषय में रहनेवाला) धर्म तादृश विपाटनत्व उत्प्रेक्षा का निमित्त होगा। ऐसे स्थलों में परस्परया अन्वय किंवा उत्प्रेक्षा करने का धक्का नहीं होता यह ध्यान में रखना चाहिये।

इदानीं हेतुफलोत्प्रेक्षासाधारण स्पष्टीकरण कुरुते—

एवं च यत्र समासप्रत्ययगुणीभूते विषये हेतुफलान्वयो न साक्षात् सम्भवति तत्र प्रधान एव विषये तादृशविशेषणद्वारकप्रयोज्यत्वप्रयोजकत्वाभ्यां संसर्गाभ्यां हेतुफलयोरुत्प्रेक्षा बोध्या ।

समासेति । समासप्रत्ययाभ्या गुणीभूते इत्यर्थः । अत्र 'अयं भावः—समासादे-कारणात् अन्यपदस्य प्रत्ययस्य वाऽर्थो यत्र प्रधानं स्यात्' इति 'सरलायाः' सरलीकरणं कीदृशमिति विज्ञैर्विवेचनीयम् । अयं भाव—'विरलेषदु खादिव बद्धमौनम्' इत्यत्र वस्तुतः उत्प्रेक्षाया विषय मौनपदार्थ, परन्तु स बहुव्रीहिसमासान्तर्गततया गुणीभूतः । (अत्रैव 'बद्धमौनम्' इत्यस्य स्थाने 'मौनवत्, मौनी' इति वा कृते प्रत्ययप्रयुक्तगौणत्व बोध्यम् ।) एव स्थितौ दु खस्य प्रयोज्यतासम्बन्धेन तत्र (मौनपदार्थे) अन्वय साक्षात् न सम्भवति, 'पदार्थ पदार्थेनान्वेति, न पदार्थैकदेशेन' इति नियमात्, अतोऽत्र 'बद्धमौनम्' (मौनयुक्तं नूपुरम्) एवोत्प्रेक्षाया विषयो मन्तव्यः, तत्रैव च मौनद्वारा प्रयोज्यत्वसम्बन्धेन दु खस्योत्प्रेक्षा बोध्या । एव 'व्यपाटयन् द्रष्टुमिवाक्षराणि' इत्यत्र वस्तुतः उत्प्रेक्षाया विषय ललाटत्वग्विपाटनपदार्थ परन्तु स सुप्तिहप्रत्ययार्थाभ्यां गुणीकृतः (अत्रैव 'अक्षराणि द्रष्टुमिव विपाटितमालत्वचो वनान्ता' इत्येवंकरणे) समासप्रयुक्तं गौणत्वं बोध्यम् ) एवं स्थितौ अक्षरदर्शनरूपस्य फलस्य प्रयोजकतासम्बन्धेन तत्र साक्षादन्वयो न सम्भवति उक्तयुक्ते, अतः वनान्तपदार्थस्यैवोत्प्रेक्षाविषयत्वमास्थेयम्, तत्रैव च प्रयोजकतासम्बन्धेन ललाटत्वग्विपाटनद्वारा दर्शनरूपफलस्योत्प्रेक्षा मन्तव्या । दिग्दर्शनमात्रमेतत् । सर्वत्रैवविधस्थितावेवविधैव सरणिराश्रयणीया । इति ।

अब सामान्यतः हेतुत्प्रेक्षा तथा फलोत्प्रेक्षा दोनों के विषय में एक स्पष्टीकरण किया जाता है—एव च इत्यादि । इस तरह यह सिद्ध हुआ कि—जहाँ वास्तविक उत्प्रेक्षा-विषय समास तथा प्रत्ययद्वारा गौण हो-गया हो, अतः हेतु तथा फल का उसके साथ साक्षात्

अन्वय न हो सकता हो (ईदृश अन्वय के न हो सकने में 'पदार्थः पदार्थेनान्वेति, न पदार्थ-  
 क्देशेन—अर्थात् किसी पद का अर्थ किसी पद के पूरे अर्थ के साथ ही अन्वित होता है,  
 किसी पद के पूरे अर्थ के एक भाग से नहीं' इस नियम को कारण समझना चाहिए )  
 वहाँ प्रधान पदार्थ ही उल्लेख का विषय माना जाना चाहिये । और वस्तुतः  
 विषय की योग्यता रखनेवाले विशेषण को द्वार मानकर 'प्रयोज्यता' और 'प्रयोजकता'  
 सबन्धों से क्रमशः हेतु की तथा फल की उल्लेख समझनी चाहिए । तात्पर्य यह कि-  
 जैसे 'विश्लेषदुःखादिव बद्धमौनम्' इस हेतुप्रेक्षा की जगह, उल्लेख का वास्तविक  
 विषय होने योग्य 'मौन' पदार्थ के बहुव्रीहि समासान्तरगत हो जाने के कारण गौण हो  
 जाने से 'बद्धमौन' (मौनयुक्त) रूप प्रधान पदार्थ को ही विषय माना जाता है और  
 इसी में मौनद्वारा दुःख की उल्लेख 'प्रयोज्यता'सम्बन्ध से मानी जाती है, उसी तरह  
 'व्यपाटनम् द्रष्टुमिवाक्षराणि' इस फलोल्लेख की जगह में भी उल्लेख का वास्तविक  
 विषय होने योग्य 'भाल्लखण्विपाटन' पदार्थ के सुप्तिङ् प्रत्ययों के कारण गौण हो जाने  
 से प्रधान पदार्थ ( वनप्रदेश ) को ही विषय माना जाना है और इसी में उक्त वास्त-  
 विक विषय होने योग्य पदार्थ द्वारा प्रयोजकतासम्बन्ध से ललाटाक्षरदर्शनरूप फल  
 की उल्लेख मानी जाती है । उक्त हेतुप्रेक्षा-स्थल में 'बद्धमौनम्' की जगह 'मौनवत्'  
 लयवा 'मौनी' पद के रहने पर प्रत्ययप्रयुक्त गौणता होगी, इसी तरह उक्त फलोल्लेखा-  
 स्थल में 'क्षराणि द्रष्टुमिव विपाटितनाल्लखणो वनान्ता' ऐसे वाक्य के रहने पर  
 समासप्रयुक्त गौणता होगी यह समझना चाहिए । ऐसी स्थिति में सर्वत्र ऐसी रीति  
 से ही काम लेना चाहिये ।

श्रागह्य समावृत्ते—

यथापि विशेषणोऽपि यथाकथंचिद्धेतुफलयोरन्वयाद्विशेषणस्यापि विषयत्वमु-  
 चितम् । तथापि विषयविषयिणोरुद्देश्यविषेयभावप्रत्ययस्यानुरोधादिय सरणि-  
 राश्रिता । यदि च तस्य नास्त्येयानुरोधस्तदा प्राचां दर्शनमेव रमणीय स्यात् ।

यथाकथंचिद्धेतुफल्योरिति । 'शिल्पी घन्त', 'स्वर्गी च्चन्त', 'नीलकण्ठवान् जात'  
 इत्याशाविवेति भाव । तस्येति । तयोर्द्वेष्यविषेयभावप्रत्ययस्येत्यर्थ । हेतुप्रेक्षास्थले  
 हेतुफल्योरन्वयः पदार्थैकदेशतया गुणान्भूतेषु धर्मेषु न सम्भवतीति धर्मद्वारा धर्मिणि  
 प्रधानेऽन्वय- करणीय इति द्रष्टुं तदङ्गिचिन्तनम् , 'शिल्पी घन्त' इत्याशाविव एकदेशा-  
 न्वयस्यापि सम्भवेन परस्परग धर्मप्रत्ययवत्त्वायुक्तत्वात् । तथा च 'विश्लेषदुःखादिव—'  
 'व्यपाटनम् द्रष्टुमिव—' इत्यादी मौनव्यपाटनादीनां धर्माणां विशेषणविषयत्वमुच्यते  
 इति शङ्कादलाशयः, उल्लेखास्थले विषय ( यस्मिन्नुल्लेखा भवति स पदार्थ ) उद्देश्यो  
 भवति विषयी ( उल्लेख्यः पदार्थ ) विषेयो भवतीत्यन्वयमिदं वस्तु । अन्य वादुभवस्य  
 रक्षा उक्तस्थलेषु तत्रैव भवति यदा धर्मद्वाराकमन्वयमर्थादन्वय प्रधानस्य धर्मो उल्लेखा-  
 विषयत्वमतीच्छते, धर्मतोऽल्लेखाविषयत्वे स्वीकृते तदनुस्मरणं नैव भवेत्, यत्र प्रधान-  
 त्वैव पदार्थस्य उद्देश्यताविषेयता वा भवतीति निश्चयः, धर्मस्तु तत्र न प्रधानः इति प्राप्तर-  
 पादितम्—अर्थात् 'विश्लेषदुःखात्—' 'व्यपाटनम् द्रष्टुमिव—' इत्यादी मौनव्यपाटना-  
 दीनां धर्माणां विशेषणविषयत्वे स्वीकृतमारो तेषामुद्देश्यत्वान्मन्वयेनोद्देश्यत्वमिदं विषे-  
 यत्वस्यापि हेतुफल्योर्दुःखदर्शनयोरन्वयस्येनोद्देश्यत्वस्थले विषयविषयिणोरन्वयविषयभाव-  
 स्थापनवाक्येऽन्य महापनिगिति तदनुगोचरेन धर्मद्वाराकमन्वयानुसारेण प्रधानोऽन्वयमिदं विषय-  
 त्वानुसारेण स्वीकृत्य इति च समाधानदलाशयो बोध्यः । यदि उल्लेखास्थले निर-  
 विषयिणोर्द्वेष्यविषेयभावप्रतीतिरुत्तरोधो न विद्यते तदा प्राप्तर-पादितेषु हेतुप्रेक्षा-...

लेषु प्राचीनोक्तरीत्या निश्चलत्वनिमित्तकनि शब्दत्वादौ विषयेऽभेदेन विश्लेषदुःखहेतुक-  
मौनादेः, कण्टकजविपाटनादौ विषयेऽक्षरदर्शनफलकभालत्वग्विपाटनादेक्षाभेदेनोत्प्रेक्षैव  
किं न स्वीक्रियेत, यतरत्पक्षेऽपि अनुभवसिद्धोद्देश्यविधेयभावभङ्ग एव प्रधानो दोषः,  
स चेदानीमपि स्वीक्रियत एवेति प्रोक्तसमाधानोपोद्बलक्युक्तिपरायाः 'यदि च' रमणीय  
स्यात्' इति पङ्केरभिप्रायः ।

एक आशङ्का और उसका समाधान किया जाता है—यद्यपि इत्यादि । यद्यपि विश्ले-  
षण में भी, किसी न किसी तरह, हेतु तथा फल का अन्वय हो जाने से विशेषण का  
विषय होना उचित है—अर्थात् 'विश्लेषदुःखात्—' तथा 'व्यपाटयन् द्रष्टुमिव—'  
इत्यादि स्थानों में, धर्मों (मौन तथा विपाटन) में हेतु तथा फल (दुःख एव दर्शन)  
का अन्वय गौण होने के कारण नहीं हो सकता, अतः धर्मद्वारा धर्मियों (मौनयुक्त तथा  
वनप्रदेशों) में उनके अन्वय किए जाते हैं यह जो कहा गया है सो अकिञ्चित्कर है,  
क्योंकि कहीं-कहीं (जैसे 'शिखी ध्वस्त हुआ' आदि में) एकदेशान्वय भी देखा जाता  
है तदनुसार यहाँ भी उक्त धर्मों में ही हेतु तथा फल का अन्वय किया जा सकता है और  
जब वैसा अन्वय किया जा सकता है तब उन धर्मों को ही विषय मानकर उनमें ही  
हेतु-फल की उत्प्रेक्षा भी की जा सकती है, तथापि उत्प्रेक्षा में जो विषय की उद्देश्यता  
और विषयी की विधेयता सर्वानुभवसिद्ध है, उसके अनुरोध से इस मार्ग का अनुसरण  
करना पड़ता है—अर्थात् उत्प्रेक्षास्थल में उत्प्रेक्षा का विषय (जिसमें उत्प्रेक्षा होती है  
वह पदार्थ) उद्देश्य और उत्प्रेक्षा का विषयी (उत्प्रेक्ष्य पदार्थ) विधेय होता है ऐसा  
अनुभव सभी को होता है और यह भी निश्चित है कि—किसी की उद्देश्यता सिद्ध होने  
पर ही किसी की विधेयता भी सिद्ध होती है—ये दोनों परस्पर सापेक्षभाव हैं, ऐसी  
स्थिति में यदि उक्तस्थलों में मौन तथा विपाटनरूप गौण धर्मों को उत्प्रेक्षा का विषय  
चनाया जायगा तब वे उद्देश्य नहीं हो सकते, क्योंकि उद्देश्य किंवा विधेय प्रधान  
पदार्थ ही होता है और जब वे उद्देश्य नहीं हो सकेंगे, तब हेतुफल (दुःखदर्शन)-  
रूप उत्प्रेक्ष्य विधेय भी नहीं हो सकेंगे, फलतः अनुभवसिद्ध वस्तु का अप-  
लाप होने लगेगा, अतः धर्म द्वारा प्रधान धर्मों (मौनयुक्त तथा वनप्रदेश) को  
उत्प्रेक्षा का विषय माना जाता है, जिससे उद्देश्यविधेयभावानुऽभव की रक्षा होती  
है । यदि उद्देश्यविधेयभाव का अनुरोध न किया जाय तब तो प्राचीनों का मत ही  
ठीक था—अर्थात् उक्त भाव का अनुरोध नहीं करने पर प्राचीनों के हिसाब से हेतु-  
फलोत्प्रेक्षाओं में भी अभेदसंबन्ध से ही उत्प्रेक्षा मानना उचित था—निश्चलताहेतुक  
निःशब्दता में दुःखहेतुक मौन की और कण्टकजन्य विपाटन में अक्षरदर्शनरूप फलवाले  
भालत्वग्विपाटन की उत्प्रेक्षा अभेदसंबन्ध से मानना युक्त था, क्योंकि उद्देश्यविधेय-  
भाव का भङ्ग ही उस मत में प्रधान दोष होता था, वह अब भी हो ही रहा है और  
आप उस दोष को दोष कोटि में गिनना नहीं चाहते ।

प्राचीनमते न केवलमुद्देश्यविधेयभावभङ्गापत्तिरेव दोषः, अपि तु दोषान्तरमपीत्याह—

किञ्च प्राचां मते हेतुफलोत्प्रेक्षास्थले तद्धेतुकतत्फलकयोः कार्यकारणयोरैव  
निर्गोर्णे विषये उत्प्रेक्षणात् स्वरूपोत्प्रेक्षायामेव पर्यवसानम्, न हेतुफलयोः । एवं  
च विभागश्चिरन्तनानामुच्छिन्नः स्यात् । अथ स्वरूपतादात्म्याविशेषेऽपि हेतु  
फलाविशेषणकशुद्धस्वरूपोत्प्रेक्षायाम् हेतुफलविशेषणकस्वरूपोत्प्रेक्षायामस्ति हेतु-  
फलकृत एव भेद इति चेत् 'तनयमैनाकगवेषणलम्बीकृतजलधिजठरप्रविष्ट-  
हिमगिरिभुजायमानाया भगवत्या भागीरथ्याः सखी' इति प्रागुदाहृतायां स्व-  
रूपोत्प्रेक्षायां तनयमैनाकगवेषणरूपस्य, फलस्योत्प्रेक्ष्यविशेषणकोटिप्रविष्टत्वा-

तत्कलोत्प्रेक्षात्वापत्तेः, उत्प्रेक्ष्ये साक्षाद्विशेषणताया अप्रयोजकत्वात् । इत्यलं स्वगोत्रकलहेन ।

हेतुफलोत्प्रेक्षास्थले इति । हेतुत्प्रेक्षास्थले फलोत्प्रेक्षास्थले चेत्यर्थः । तदेतुक्कल-  
क्यो कार्यकारणयोरिति । तदेतुकस्य कार्यस्य, तत्फलकस्य कारणस्य चेत्यर्थः । न हेतु-  
फल्योरिति । उत्प्रेक्षाया पर्यवसानमिति पूर्वतनानुपपन्नं । तावता किं स्यादित्याह—एव  
चेति । स्वरूपतादात्म्याविशेषे इति । यत्किञ्चित्पदार्थस्वरूपस्य तादात्म्येन ( अभेदेन )  
वत्प्रेक्षा इत्यशस्य तुल्यत्वे इत्यर्थः । हेतुफलाविशेषणकेति । हेतुध फलत्र ते न विशेषणे  
ययोस्तादृशे अत्र एव शुद्धे ये पदार्थस्वरूपे तयोदत्प्रेक्षाया इत्यर्थः । एवमप्येऽपि । ननु  
तत्कोटिप्रविष्टत्वेऽपि तस्य न तत्र साक्षाद्विशेषणत्वमत आह—उत्प्रेक्ष्ये इति । अभेद-  
सम्बन्धेनैव सर्वत्रोत्प्रेक्षा समर्थयता प्राचा मते प्रागुक्ता दोषास्तु मन्येव । अपरोऽप्यय  
दोषस्तन्मते यत् स्वरूपोत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा चेति चिरन्तनाचार्यकृतो विभाग  
उच्छिन्नो भवेत्, यतस्ते 'लत्रा मन्ये ललिततनु ते पादयो पद्मलक्ष्मी' 'विश्लेषदु नादिव  
वदमौनम्' इत्यादिहेतुत्प्रेक्षोदाहरणे 'स्वाभाविके शोभाकर्तृके पादलग्ने हर्षहेतुत्प्रेक्षा-  
लग्नस्य, निश्चलत्वहेतुकनिःशब्दत्वे दु खहेतुकमौनस्याभेदेनैवोत्प्रेक्षामतीकुर्वन्ति, एव  
'द्रष्टुमिवाक्षराणि' इत्यादिफलोत्प्रेक्षोदाहरणेऽपि कण्टकजन्यभालत्वग्विपाटनेऽक्षरदर्शन-  
फलकभालत्वग्विपाटनस्याभेदेनैवोत्प्रेक्षा मन्यन्ते, तथा चामानुत्प्रेक्षाणा स्वरूपोत्प्रेक्षा-  
स्वेव पर्यवसानं जातम् । ननु यत्रोत्प्रेक्ष्यतावच्छेदककुक्षौ हेतुफले भानमाने भवतस्ते  
हेतुफलोत्प्रेक्षे, यथा 'विश्लेषदु खात्—' 'व्यपाटयन् द्रष्टुमिव—' इत्यादौ, यत्र पुन-  
रुत्प्रेक्ष्यतावच्छेदककुक्षौ हेतुफले न भासमाने तत्र स्वरूपोत्प्रेक्षा यथा 'मुख चन्द्र मन्ये'  
इत्यादावित्येव रीत्या चिरन्तनकृतो विभाग उपपद्यत एवेति न कश्चिदोप इति चेन्न, एव-  
रीत्या विभागे समुपपाद्यमाने 'तनयमैनाकगवेषण—' इति प्रागुदाहृतस्वरूपोत्प्रेक्षाया अपि  
फलोत्प्रेक्षात्वापत्तेः, तत्रापि भुजगतोत्प्रेक्ष्यतावच्छेदककोटौ तनयमैनाकगवेषणामस्य  
फलस्य प्रविष्टत्वात् । हेतुफलयो साक्षादुत्प्रेक्ष्यविशेषणतैव हेतुफलोत्प्रेक्षाव्यवहारनि-  
यामिका 'तनयमैनाक—' इत्यत्र तु प्रोक्तस्य फलस्य न साक्षादुत्प्रेक्ष्यभुजविशेषणतेति न  
दोष इति न शक्यं वदितुम्, तथा कल्पनायामनुकूलतर्कविरहादिनि भावः ।

प्राचीनों के मत में पूर्वोक्त दोष तो है ही, अन्य दोष भी हैं यहीं अथ द्विरलाया  
जाता है—किञ्च प्राचाम् इत्यादि । प्राचीनों के मत से हेतुत्प्रेक्षास्थल में हेतु की उत्प्रेक्षा  
तो होती नहीं, अपितु तद्वेतुक कार्य की अनुक्त विषय में अभेदसम्बन्ध से उत्प्रेक्षा होती  
है, जैसे 'विश्लेषदु खादिव—' में उनके मत से अनुक्त निश्चलत्वहेतुक निःशब्दत्व-  
विषय में वियोगजन्य दुःखहेतुक मौन की उत्प्रेक्षा अभेदसम्बन्ध से होती है, पर उनके  
मत से फलोत्प्रेक्षास्थल में भी फल की उत्प्रेक्षा नहीं होती, अपितु तत्फलक कारण की  
अनुक्त विषय में अभेदसम्बन्ध से उत्प्रेक्षा होती है, जैसे 'व्यपाटयन् द्रष्टुमिवाक्षराणि—' में  
उनके हिमाव से अनुक्त कण्टकजन्य भालत्वग्विपाटनरूप विषय में तत्तादाक्षरदर्शन-  
फलक भालत्वग्विपाटन की अभेदसम्बन्ध से उत्प्रेक्षा मानी जाती है । ऐसी स्थिति में  
ये उत्प्रेक्षायें भी स्वरूपोत्प्रेक्षा के रूप में ही परिणत हो जाती हैं—अर्थात् पर धर्म ही  
दूसरे धर्म में जब अभेदसम्बन्ध से उत्प्रेक्षा हुई तब यह स्वरूप की उत्प्रेक्षा के अनिश्चित  
क्या कहला सकती है ? आप कदाचित् कहें कि जति क्या है ? मान लीजिए सब ही  
स्वरूपोत्प्रेक्षा ही । तो मैं कहूंगा—चिरन्तनों का किया हुआ विभाग मनाह हो जायगा—  
अर्थात् पहले जो चिरन्तन आचार्य 'स्वरूपोत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा' से तीन भेद  
उत्प्रेक्षा के कहते थे वह कथन निर्या हो जायगा—जब स्वरूपोत्प्रेक्षणामद एव ही



भेद उत्प्रेक्षा का रह जायगा । यदि आप कहें कि—तीनों उत्प्रेक्षाओं में 'स्वरूपतादात्म्य' समानरूप से होता है अवश्य—अर्थात् तीनों उत्प्रेक्षाओं में एक पदार्थस्वरूप की ही अभेदेन दूसरे पदार्थस्वरूप में सम्भावना की जाती है इतनी समानता है, पर इस समानता के रहने पर भी कुछ भेदक है जिससे उक्त विभाग बन सकता है और वह भेदक है हेतु तथा फल का उत्प्रेक्ष्यविशेषणकोटि में आना एवं न आना—अर्थात् जहाँ उत्प्रेक्ष्य के विशेषणरूप से हेतुभूत पदार्थ आता हो वह हेतुत्प्रेक्षा, जहाँ फल उत्प्रेक्ष्यविशेषण हो वह फलोत्प्रेक्षा और जहाँ इन दोनों में से एक भी उत्प्रेक्ष्य का विशेषण न हो वह स्वरूपोत्प्रेक्षा, इस तरह विभाग किया जा सकता है । तो इसके उत्तर में कहना यह है कि यदि इस तरह से विभाग किया जाय तब 'तनयमैनाक—' यह गद्य जो स्वरूपोत्प्रेक्षा के उदाहरण में लिखा गया है वह भी फलोत्प्रेक्षा का उदाहरण कहलाने लगेगा, क्योंकि वहाँ भी उत्प्रेक्ष्य भुज ( भुजायमान पद पर ध्यान दीजिए ) के विशेषणभाग में पुत्रमैनाक का अन्वेषणरूप फल आया है । आप कहेंगे—वहाँ फल यद्यपि विशेषण है, तथापि उत्प्रेक्ष्य का साक्षात् विशेषण नहीं किन्तु परम्परया है, अतः वह गद्य फलोत्प्रेक्षा का उदाहरण नहीं कहला सकता । तो मैं कहता हूँ कि—फल उत्प्रेक्ष्य का साक्षात् विशेषण हो तभी फलोत्प्रेक्षा कही जायगी इस तरह की कल्पना करने में कोई अनुकूल तर्क नहीं है, क्योंकि दोनों ही स्थानों पर अप्रधानता संमान है । फलतः प्राचीनों का मत इस गद्दवद्दी के कारण भी ठीक नहीं है । पर अब छोड़िए इस झगड़े को । कारण अपने ही गोत्रवालों ( साहित्यिकों ) से कलह करना व्यर्थ है ।

अधेदानीमुत्प्रेक्षाणा साङ्ख्ये कयोत्प्रेक्षया व्यपदेश इति वक्तुं प्रयतते—

उत्प्रेक्ष्यमाणेष्वपि यस्य विषयिण उत्प्रेक्षा विधेयतया भासते तदीयोत्प्रेक्ष्यैव व्यपदेशः, प्राधान्यात् । तेन 'विश्लेषदुःखादिव बद्धमौनम्' इत्यत्र नूपुरगतत्वेन दुःखस्योत्प्रेक्ष्योऽपि न तदुत्प्रेक्षया व्यपदेशो न्याय्यः, तस्या अङ्गत्वेनानुवाद्यत्वात् । किन्तु पञ्चम्यर्थोत्प्रेक्षया, तस्या एव इवशब्दवेद्यत्वेन विधेयत्वात् । तथा 'चोलस्य' इति पद्येऽपि धनान्तगतत्वेन न ललाटाक्षरदर्शनोत्प्रेक्ष्याऽपि, अपि तु तुमुन्नर्थोत्प्रेक्षया । एवं 'तनयमैनाक—' इत्यादिगद्ये न फलोत्प्रेक्षया व्यपदेशः । नापि 'कलिन्दजानीरभरेऽर्धमग्रा' इत्यत्र शशिकिशोरतादात्म्योत्प्रेक्षया, तदुत्थापितया ध्वान्तकर्तृकवैरहेतुकनिगरणकर्मतादात्म्योत्प्रेक्षया वा, प्रागुक्तादेव हेतोरिति दिक् ।

पञ्चम्यर्थोत्प्रेक्षयेति । व्यपदेश इत्यस्यानुषङ्गः । एवमग्रेऽपि । प्रागुक्तादेवेति । अङ्गत्वेनानुवाद्यत्वादित्यस्मादेवेत्यर्थः । 'विश्लेष—' इत्यत्र पञ्चम्यर्थस्य हेतो, 'चोलस्य—' इत्यत्र 'तुमन्'प्रत्ययार्थस्य फलस्य, 'तनयमैनाक—' इत्यत्र भुजत्वजात्यवच्छिन्नस्य, 'कलिन्दजा—' इत्यत्र क्रोशनक्रियायाश्च क्रमशः उत्प्रेक्षासु इत्यादिपदवेद्यत्वेन वाच्यासु क्रमशो दुःखस्य, दर्शनस्य, तनयमैनाकगवेषणात्मकस्य फलस्य, शशिकिशोरतादात्म्यस्य ध्वान्तकर्तृकनिगरणकर्मतादात्म्यस्य चोत्प्रेक्षाणा नियमतो व्यजनया प्रतीयमानत्वेऽपि न व्यङ्ग्याभिस्तत्तदुत्प्रेक्षाभिस्तत्र तत्र व्यवहारः, तासा व्यङ्ग्योत्प्रेक्षणामङ्गत्वेनानुवाद्यत्वात्, अपि तु पूर्वोक्ततद्वाच्योत्प्रेक्षाभिरेव तत्र तत्र व्यवहारः, तासामुत्प्रेक्षाणामेव इत्यादिपदवेद्याना विधेयत्वेन प्राधान्यात् । एवञ्चानेकविधोत्प्रेक्षासाङ्ख्ये यस्य विषयिण उत्प्रेक्षा विधेयतया भासते, प्राधान्यात्तदीयोत्प्रेक्ष्यैव व्यवहार इत्यनुगमः फलितो भवति । अनयैव दिशा सर्वत्रोत्प्रेक्षाव्यवहरीयेति भावः ।

अब जहाँ अनेक उत्प्रेक्षाओं का सांकर्य हो वहाँ किस उत्प्रेक्षा का व्यवहार करना चाहिये

इन बात का निर्णय किया जाता है—उत्प्रेक्ष्यमाणेष्वपि इत्यादि । जहाँ अनेक उत्प्रेक्षाएँ हों वहाँ भी जिस विषयी की उत्प्रेक्षा विधेयरूप से भासित होती हो उसकी उत्प्रेक्षा का ही व्यवहार करना उचित है, क्योंकि प्रधानता उसी उत्प्रेक्षा की होती है । इस अनुगम के अनुसार 'विश्लेष-' इस जगह नूपुररूप विषय में दुःखरूप गुण की उत्प्रेक्षा के व्यङ्ग्य होने पर भी, उस उत्प्रेक्षा का व्यवहार उचित नहीं होता—अर्थात् गुणस्वरूपोत्प्रेक्षा यहाँ नहीं कही जाती है । कारण, यह उत्प्रेक्षा भङ्ग होने के कारण अनुवाच्य है, विधेय नहीं । किन्तु पञ्चमी के अर्थ ( हेतु ) की उत्प्रेक्षा ( हेतुत्प्रेक्षा ) का व्यवहार ही उचित है, क्योंकि 'इव' शब्द से उसी का बोध होने के कारण विधेय वही है । इसी तरह 'चोलस्य यद्भ्रातिपलायितस्य—' इस पद्य में भी 'वनप्रदेश'रूप विषय में 'ललाटाक्षरदर्शन' की उत्प्रेक्षा व्यङ्ग्य अवश्य होती है, पर व्यवहार उसका नहीं होता—अर्थात् 'क्रियास्वरूपोत्प्रेक्षा' यहाँ मानी नहीं जाती, क्योंकि वह उत्प्रेक्षा भी भङ्गभूत है—अनुवाच्य है । किन्तु 'तुमुन्'प्रत्यय के अर्थ ( फल ) की उत्प्रेक्षा का ही व्यवहार होता है । कारण, 'इव'पद-बोध्य होने के कारण वही विधेय है—प्रधान है । इसी तरह 'तनयमैनाक—' इस गद्य में भी यद्यपि पुत्रमैनाकान्वेषणरूप फल की उत्प्रेक्षा व्यञ्जनावृत्तिद्वारा प्रतीत होती है, पर व्यवहार उसका नहीं होता—अर्थात् 'फलोत्प्रेक्षा' का उदाहरण वह गद्य नहीं कहा जाता । किन्तु 'भुज्वजास्यवच्छिन्नोत्प्रेक्षा' का ही व्यवहार होता है—अर्थात् जातिन्वरूपोत्प्रेक्षा का उदाहरण ही उस गद्य को कहा जाता है । कारण वही है जो उक्तस्थलों पर था । इसी तरह 'कलिन्दजानीर—' इस पद्य में भी यद्यपि 'वक रूप विषय में 'चन्द्रकिशोर' की अभेदसबन्ध से उत्प्रेक्षा व्यङ्ग्य होती है, और उमी उत्प्रेक्षा के बल से 'चन्द्रकिशोर'रूप विषय में 'अन्धकारकर्तृक वैरहेतुक निगारणकर्म' की अभेदसबन्ध से उत्प्रेक्षा भी व्यङ्ग्य होती है, तथापि इन दोनों में से किसी भी उत्प्रेक्षा का व्यवहार नहीं किया जाता । किन्तु 'वक'रूप विषय में होनेवाली 'क्रोशन'-क्रियोत्प्रेक्षा का ही व्यवहार होता है । कारण यहाँ भी पूर्ववत् समझना चाहिए ।

उत्प्रेक्षानिमित्तभूतधर्मसम्बन्धिविशेषमाह—

द्विविधो हि तावद्धर्मोऽपि—स्वत एव साधारणः साधारणीकरणोपायेनासाधारणोऽपि साधारणीकृतश्च । स चोपायः क्वचिद्रूपकम्, क्वचिच्छ्लेषः, क्वचिदपहृति, क्वचिद्विम्बप्रतिबिम्बभाव, क्वचिदुपचारः, क्वचिदभेदाध्यवसाय-रूपोऽतिशयः ।

द्विविधो हीति । हि यत । स्वत एवेत्यादिर्द्विविध्य प्राप्तोऽनस्तावद्धर्मोऽपि द्विविध इत्यर्थः । स चोपाय इति । स साधारणीकरणोपाय इत्यर्थः । अन्त्यस्मिद्वाक्यान्त्यातनेव ।

उत्प्रेक्षा के निमित्तभूत धर्म के सबन्ध में कुछ विशिष्ट बातें बताई जाती हैं—द्विविधो हि इत्यादि । उत्प्रेक्षा का निमित्तभूत धर्म भी दो प्रकार का है—एक स्वत साधारण ( विषय-विषयी दोनों में रहनेवाला, जिसे 'अनुगामी' कहते हैं ), दूसरा साधारण बनाने के उपाय द्वारा असाधारण होने पर भी साधारण बना लिया गया । उनमें से स्वत साधारण के विषय में तो कुछ कहना नहीं है । रहा साधारण बनाने का उपाय, तो वह कहीं रूपक, कहीं श्लेष, कहीं अपहृति, कहीं विम्बप्रतिबिम्बभाव, कहीं उपचार और कहीं अभेद का अध्यवसान ( एक धर्म के प्रतिपादक शब्द में अन्य धर्म को प्रविष्ट मनन लेना ) रूप 'अतिशय' होता है ।

उपायेन साधारणीकृतानां धर्मानामुदाहरणेषु निर्देष्टव्येषु प्रथमं रूपोपायमाधार्यतेन धर्मुदाहरति—

यथा—

'नयनेन्द्रिन्द्रिरानन्दसन्दिरं मिलदिन्द्रिरम् ।

इदमिन्दीवरं मन्ये सुन्दराङ्गि तवाननम् ॥'

अथि सुन्दराङ्गि । नयनान्येव, इन्दिन्द्रिरा' भ्रमरा, तेषाम्, आनन्दस्य, मन्दिरं स्थानम्, तथा मिलन्ती सयुज्यमाना, इन्द्रिरा लक्ष्मी ( शोभा ), यस्मिन्, तादृशम्, इदम्, तव, आनन मुखम्, इन्दीवर कमलम्, मन्ये, इत्यर्थः ।

उक्त उपायों द्वारा साधारणीकृत धर्मों के उदाहरण दिखलानेके प्रसङ्ग में सर्वप्रथम रूपकात्मक उपाय द्वारा साधारणीकृत धर्म का उदाहरण दिखलाया जाता है, यथा—नयने इत्यादि । जैसे—हे सुन्दराङ्गि ! नयनरूप भ्रमरों का आनन्दस्थान तथा शोभासयुक्त यह तेरा मुख, मानो कमल है ।

उपपादयति—

अत्र प्रथमार्धगतः प्रथमो धर्मो रूपकेण विषयविषयिसाधारणीकृतः । द्वितीयश्च विलक्षणशोभयोरभेदाध्यवसायेन ।

प्रथम इति । नयनेन्दिन्द्रिरानन्दमन्दिरत्वरूप इत्यर्थः । द्वितीय इति । मिलदिन्द्रिरत्व-रूप इत्यर्थः । आध्यवसायेनेति । विषयेत्याद्यनुपज्यते । 'नयने—' इति श्लोके आनन्दरूपे विषयेऽभेदेन इन्दीवररूपस्य विषयिण उत्प्रेक्षा । तस्याध्वोत्प्रेक्षाया 'नयनेन्दिन्द्रिरानन्द-मन्दिरत्वम्' 'मिलदिन्द्रिरत्वम्' चेत्येतौ धर्मौ निमित्तभूतौ । निमित्तता च तयोः प्रथमस्य रूपकेण द्वितीयस्याभेदाध्यवसायेन साधारणीकरणद्वारा । कथमिति चेत् ? इत्यम्—नयना-नन्दमन्दिरत्वम् आनन एव इन्दिन्द्रिरानन्दमन्दिरत्वश्चेन्दीवर एव । नयनेन्दिन्द्रिरयो रूपके कृते तु नयनेन्दिन्द्रिरानन्दमन्दिरत्व तयोः साधारण सम्पद्यते । एवम् आननस्ये-न्द्रिराभिन्नाऽऽनन एव इन्दीवरस्येन्द्रिराभिन्ना इन्दीवर एव । तयोरभेदाध्यवसाये तु मिल-दिन्द्रिरत्व तयोः साधारण भवतीति भावः ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि । अभिप्राय यह है कि—'नयने...' इस पद्य में मुखरूप-विषय में कमलरूप-विषयी की अभेदसंबन्ध से उत्प्रेक्षा की जाती है और उस उत्प्रेक्षा में 'नयनभ्रमरानन्दस्थानत्व' और 'शोभायुक्तत्व' ये दो धर्म निमित्त होते हैं, पर ये धर्म स्वतः निमित्त हो नहीं सकते, क्योंकि स्वतः विषय विषयी दोनों में रहनेवाले नहीं हैं—अर्थात् 'नयनानन्दस्थानत्व' मुख में है तथा 'भ्रमरानन्दस्थानत्व' कमल में है—उभयानन्दस्थानत्व किसी एक में नहीं है । इसी तरह मुख की शोभा तथा कमल की शोभा भिन्न-भिन्न प्रकार की होती है, अतः मुख की शोभा से युक्त मुख और कमल की शोभा से युक्त कमल ही हो सकता है—किसी एक शोभा से युक्त दोनों नहीं होते, इसलिये नयन और भ्रमर में अभेदारोपरूप रूपक मानकर और मुख-शोभा तथा कमल-शोभा में अभेदाध्यवसान ( अतिशयोक्ति ) मानकर उक्त दोनों धर्मों को विषय-विषयी दोनों में रहनेवाला ( साधारण ) बना लिया जाता है और साधारण बन जाने पर उक्त दोनों धर्म उक्त उत्प्रेक्षा के निमित्त होते हैं ।

सोदाहरणमुक्तप्रकारातिरिक्तमेकं निमित्तधर्मप्रकार प्रकटयति—

केवलशब्दात्मकोऽप्ययं सम्भवति ।

'अङ्कितान्यक्षसङ्घातैः सरोगाणि सदैव हि ।

शङ्के पङ्केरुहाणीति शरीराणि शरीरिणाम् ॥'

अयं निमित्तभूतो धर्मः उत्प्रेक्षाया शब्दात्मकोऽपि उपमादाखिव भवितुमर्हति । यथा—'हि यतः', 'अक्षसङ्घातैः' इन्द्रियसमूह है ( अन्यत्र कमलबीजै ), अङ्कितानि विहितानि सदैव, सरोगाणि रोगसहितानि ( अन्यत्र सरोवरगतानि च ), शरीरिणों प्राणिनाम्,

शरीराणि, सन्ति, अतस्तानि, पद्मेरुहाणि कमलानि, इति शब्दे इत्यथके 'अहिता—' इति श्लोके 'अनसद्वाताहित' शब्द 'सुरोग' शब्दश्च । अथ भाव—अर्थतः अनसद्वाता-हित्व 'इन्द्रियसद्वाताहितत्व' रूपम्, 'वाजसद्वाताहितत्व' रूपम्, एव सुरोगत्व अर्थतः 'रोगहितत्व' रूपं 'सुरोवरगतत्व' रूपम् । तत्र प्रथम-प्रथमं शरीरेषु द्वितीयं द्वितीयं कमलेषु इति न कोऽप्यर्थान्तरं धर्मः शरीर-कमल-नाधारणः । शब्दान्मकौ तु तौ द्वावपि धर्मौ 'प्रतिपाद्यता' सम्बन्धेन तदुभयनाधारणौ मन्तौ शरीरान्मके विषये पद्मेरुहान्मन्मन्व विप्रविण उच्यन्त प्रयोजयत इति ।

उदाहरणरहित निमित्त-धर्म का एक ऊपर प्रकार दिखलाया जाता है—केवल इत्यादि । यह निमित्तभूत धर्म उपमा आदि की तरह उल्लेख में भी केवल शब्दात्मक हो सकता है । जैसे—'अहिता'—अर्थात् मैं शब्द करता हूँ कि-शरीरधारियों के शरीर कमल है । कारण, वे 'अनसद्वाता' ( इन्द्रियसमूहों, अन्यत्र कमलगट्टों के समूहों ) में चिह्नित हैं और 'सुरोग' ( रोगरहित अन्यत्र सुरोवरगत ) हैं । इस पद्य में 'अनसद्वाता-हित' और 'सुरोग' ये दो शब्दरूप धर्म हैं । अभिप्राय है कि-प्रकृत पद्य में शरीरों में कमलों की उल्लेख 'अभेद' सम्बन्ध से की जाती है और उसमें निमित्त होते हैं उक्त दोनों धर्म । पर वे धर्म अर्थतः निमित्त नहीं हो सकते, क्योंकि उक्त दोनों धर्मों में से प्रथम धर्म 'अनसद्वाताहितत्व' तथा 'वाजसद्वाताहितत्व' रूप सिद्ध होता है जिनमें प्रथम रूप केवल शरीर में तथा द्वितीयरूप केवल कमल में रहनेवाला है । इसी तरह द्वितीय ( सुरोगत्व ) धर्म अर्थतः 'रोगरहितत्व' तथा 'सुरोवरगतत्व' रूप सिद्ध होता है जिनमें पहला केवल शरीर में तथा दूसरा केवल कमल में रहनेवाला है । अतः केवल शब्दतः वे दोनों धर्म निमित्त होते हैं—अर्थात् 'अनसद्वाताहित' तथा 'सुरोग' ये दोनों शब्द ही 'प्रतिपाद्यता' सम्बन्ध से शरीर-कमल दोनों में रहनेवाले धर्मरूप होकर उक्त उल्लेख के निमित्त होते हैं ।

शब्दात्मके निमित्तधर्मों को विरोधस्तमाह—

अयमुपात्त एव भवति ।

उच्येन्नया शब्दात्मको निमित्तधर्म उक्त एव, नानुचोऽनुमन्नादिति भावः ।

उच्येन्न का यह शब्दात्मक निमित्त धर्म उक्त ही होता है अनुक्त नहीं ।

प्रत्यक्षशब्दान्मकेतरेषु धर्मेषु ततो वैलक्षण्यं दर्शयति—

अर्थमयोऽनुपात्तश्चापि भवति । यथा 'द्विनेत्र इव वासव' इत्याद्यौ जगदीश्वरत्वादि । न चात्र द्विनेत्रत्वादिरूप उपात्त एव नाधारणो धर्मः । नाधारणार्थमेव तस्य विषयिण्यारोपादिति वाच्यम् । तस्यारोपेण नाधारणत्वे कृतेऽपि अनुमन्तरत्वेनोत्प्रेक्षेत्यापकत्वविरहान् । साधारणीकरण तु प्रतिदन्वकनिरासार्थमित्युक्तमेव ।

अर्थमय इति । प्रागुक्तोऽर्थमय इत्यर्थः । शब्दान्तिरिक्त्वा ये स्वतः साधारणता उपात्तेन साधारणत्वात्तत्र धर्मो प्रागुपपादितास्तेऽनुपात्ता अपि भवन्ति, उपात्तान्नु भवन्त्येवेति भावः । उदाहरणप्रदर्शनेनानुपात्तत्वं द्रष्टव्यं—यथेति । 'द्विनेत्र इव' इति पद्य प्रागु-चिन्तित व्याख्यातम् । तत्र राजहसे विषये द्विनेत्रत्वात्तत्र वाक्त्वप्रागुच्येन जगदीश्वर-त्वादिनिमित्तभूतो धर्मो न चानुपात्त इति भावः । शब्दे—न चात्रेति । द्विनेत्रत्वादिनिमित्त-तत्र विषयभूताजगद्भूतिरेव वस्तुतो, न विषयि-वाक्त्वादिनिमित्तया च न साधारणत्वादि-विषयिणि वाक्त्वाद्यौ समारोपेण न साधारणत्वेनो निमित्तो भवितुं शक्यः, न न उक्त एवेति कथं तत्रानुपात्तस्य जगदीश्वरत्वादिनिमित्ततेति भावः । न्मायने—तस्यारोपेति ।

आरोपेण साधारणीकृतोऽपि द्विनेत्रत्वादिरचमन्कारितयोत्प्रेक्षोत्थापको न भवितुमर्हतीति अनुपात्तस्यैव जगदीश्वरत्वादेश्चमत्कारिणो निमित्ततेति भाव । नन्वेवं द्विनेत्रत्वादेः साधारणीकरणं व्यर्थमत आह—साधारणीकरणं त्विति । द्विनेत्रत्वादिधर्मवति विषये ( राज्ञि ) विषयिण ( वासवादे ) उत्प्रेक्षाया विषयिवृत्तिः सहस्रनेत्रत्वादिधर्मं प्रतिबन्धक इति तदपाकरणाय विषयिणि द्विनेत्रत्वादेरारोप इति न तस्य साधारणीकरणं व्यर्थमिति भावः । “इव” शब्दस्तत्र सम्भावनार्थक एव, न सादृश्यार्थक” इत्यस्यार्थस्य स्फुटत्वायापि द्विनेत्रत्वादेः साधारणीकरणस्य सार्थकतेत्यपि बोध्यम् ।

प्रसङ्गवश, शब्दात्मक धर्म—जो केवल उपात्त ही होता है—से अर्थात्मक धर्म में विलक्षणता बतलाई जाती है—अर्थमय इत्यादि । अर्थात्मक उत्प्रेक्षा-निमित्तभूत धर्म जो स्वतः साधारण अथवा उपाय द्वारा साधारणीकृत पूर्व में बताने गए हैं वे अनुपात्त भी हो सकते हैं ( उपात्त तो होते ही हैं ) । जैसे—‘द्विनेत्र इव वासवः—’ इस पूर्वोद्धिखित मालोत्प्रेक्षा में निमित्त होने वाला ‘जगदीश्वरत्व ( जगत्पति होना )’ आदि अनुपात्त है । आप कहेंगे—वहाँ अनुपात्त ( जगदीश्वरत्व आदि ) धर्म को निमित्त मानने की आवश्यकता ही क्या है ? उपात्त ‘द्विनेत्रत्व’ आदि धर्म ही निमित्त हो सकता है, निमित्त बनाने के लिये ही तो ‘आरोप’रूप उपाय द्वारा द्विनेत्रत्व आदि का साधारणीकरण किया गया है—अर्थात् ‘द्विनेत्रत्व’ आदि, विषय ( राजा ) में ही रहनेवाला था, विषयी ( इन्द्र आदि ) में रहने वाला नहीं, अतः विषयी में आरोप करके ‘द्विनेत्रत्व’ आदि को साधारण बनाया गया है और जब वह साधारण बन गया तब वह निमित्त भी हो ही सकता है फिर अन्य किसी धर्म को निमित्त मानना व्यर्थ है । पर यह कथन आपका ठीक नहीं । कारण, द्विनेत्रत्व आदि धर्म साधारण हो जाने पर भी उत्प्रेक्षा का निमित्त नहीं हो सकता—उत्प्रेक्षा का उत्थापक नहीं हो सकता क्योंकि वह सुन्दर ( चमत्कारी ) नहीं है और उत्प्रेक्षा का निमित्त ( उत्थापक ) वही धर्म होता है जो सुन्दर हो । आप कहेंगे—यदि ऐसी बात थी तब द्विनेत्रत्व आदि को उपाय ( आरोप ) द्वारा साधारण बनाया ही किसलिये गया ? तो इसका उत्तर यह है कि—वह ( द्विनेत्रत्व आदि का साधारणीकरण ) तो ‘सहस्रनेत्रत्व ( सहस्र आँख वाला होने )’ आदि उत्प्रेक्षाप्रतिबन्धक धर्म को हटाने के लिये किया गया है यह पहले कहा ही जा चुका है । यदि द्विनेत्रत्व आदि का साधारणीकरण नहीं किया जाता—अर्थात् यदि ‘द्विनेत्र इव वासवः’ ऐसा न कहकर केवल ( वासव इव ) इतना ही कहा जाता तब ‘इव’ शब्द सादृश्यबोधक ही सिद्ध होता सभावनावोधक नहीं, और उसका साधारणीकरण कर देने पर—अर्थात् वैसा कहने पर, वह सभावनावोधक सिद्ध होता है । फलतः ‘इव’ शब्द सभावनावोधक है इस तथ्य का बोध करना भी उक्त साधारणीकरण का एक प्रयोजन है यह भी समझना चाहिये ।

श्लेषरूपेणोपायेन साधारणीकृत धर्ममुदाहरति—

‘दृष्टिः सम्भृतमङ्गला बुधमयी देव त्वदीया सभा  
काव्यस्याश्रयभूतमास्यमरुणाधारोऽधरः सुन्दरः ।  
क्रोधस्तेशनिभूरनल्पधिषण स्वान्त तु सोमास्पदं  
राजान्नूनमनूनविक्रम भवान् सर्वप्रहालम्बनम् ॥’

कवि राजान् स्तौति—हे देव ! त्वदीया, दृष्टिः, सम्भृतमङ्गला परिपूर्णशुभा ( अन्यत्र परिपूर्णमङ्गलप्रहा ), त्वदीया, सभा, बुधमयी पण्डितमयी ( अन्यत्र बुधप्रह-युक्ता ), त्वदीयम् आस्य मुखम्, काव्यस्य कविताया ( अन्यत्र शुक्रप्रहस्य ), आश्रय-भक्त स्थानभूतम्, त्वदीय सुन्दर, अधर अरुणाधार रक्तिन्नः आश्रयः ( अन्यत्र

सूर्यग्रहस्य आघार ) , ते, क्रोध', अशानि' वज्ररूप' ( अन्यत्र शनिग्रहरूप' ), ते, स्वान्त हृदयम्, तु पुन', सोमास्पदम् उमया सहित सोम शिव' तस्य आस्पदम् अथवा 'चन्द्रमा मनसो जात' इति श्रुतेर्जनकतासम्बन्धेन चन्द्रविशिष्टम् ( अन्यत्र चन्द्रग्रह-युक्तम् ), अस्ति, अत', हे अनल्पधिपण महामते ! अनूनविक्रम महापराक्रम ! राजन् ! भवान्, नूनम्, सर्वग्रहालम्बनं सर्वेषां प्रहाणाम् अवलम्बभूतो, वियत इत्यर्थः ।

श्लेष द्वारा साधारण किए गए निमित्त धर्म का उदाहरण उपस्थित किया जाता है— दृष्टि, इत्यादि । कवि राजा की स्तुति करता है—हे देव ! आपकी दृष्टि 'मङ्गल' ( शुभ + मङ्गलग्रह ) से परिपूर्ण है, आपकी सभा 'बुधमयी' ( विवध विद्वानोंवाली + बुधग्रहरूप ) है, आपका मुख 'कान्य' ( कविता + शुक्रग्रह ) का आश्रय है, आपका सुन्दर अधर 'अरुण' ( ललाई + सूर्यग्रह ) का आधार है, आपका क्रोध '( स ) शनि' ( अशनि = वज्र + शनिग्रह ) का स्थान है, और आपका हृदय 'सोम' ( उमासहित = शिव + चन्द्रग्रह ) का निवासस्थान है । अतः हे महामते ! तथा महाविक्रम ! राजन् ! आप निश्चित ही, सब ग्रहों के आलम्बन हैं—एक भी ग्रह ऐसा नहीं जो आपसे सबन्ध नहीं रखता हो ।

उपपादयति—

अत्रोत्प्रेक्ष्यमाणस्य सर्वग्रहालम्बनस्य धर्मेषु तत्तद्ग्रहाश्रिताङ्गकत्वेषु विशेषणीभूतैस्तत्तद्ग्रहैर्विषयस्य राज्ञा धर्मेषु कल्याणाश्रयत्वादिषु विशेषणानां कल्याणादीनां श्लेषेण तादात्म्यसम्पादनद्वारा तादृशधर्माणां साधारणतासम्पत्तिः ।

उत्प्रेक्ष्यमाणस्येति । विषयिण इति शेष । कल्याणाश्रयत्वादिष्विति । कल्याणाश्रिताङ्गकत्वादिवित्यर्थः । 'दृष्टि —' इति श्लोके राजरूपे विषयेऽभेदसम्बन्धेन सर्वग्रहालम्बनात्मकस्य विषयिण उत्प्रेक्षा । तत्र च तत्तद्ग्रहाश्रिताङ्गकत्वरूपो धर्मो निमित्तम् । ननु कथमस्य धर्मस्य प्रोक्तविषय-विषयिसाधारण्यम् ? साधारण्यविरहे च कथं तस्य धर्मस्य निमित्ततेति चेत् ? तत्तद्ग्रहाश्रिताङ्गकत्वानि विषयिण सर्वग्रहालम्बनस्य धर्मा [ यथा दृष्टे नभृत-मङ्गल(भौम)त्वम्, सभायां बुध(बुधग्रह)मयत्वमीत्यादीनि ] । एषु धर्मेषु विशेषणीभूतानां तत्तद्ग्रहाणां ( मङ्गल-बुध-कान्यादीनाम् ) राज्ञो धर्मेषु कल्याणाश्रिताङ्गकत्वादिषु विशेषण-भूतैः कल्याणादिभिः सह श्लेषेण ( एकेन पदेन अनेकार्थोपस्थापनरूपेण ) तादात्म्यं ( अभेद ) सम्पाद्यते । अत एव तत्तद्ग्रहाश्रिताङ्गकत्वस्य विषय-विषयिसाधारणधर्मत्वम्, साधारण-धर्मत्वे च प्रोक्तोत्प्रेक्षा-निमित्तत्वम् इति बोध्यम् । अथमाशय — मङ्गलबुधादिग्रहाणां यद्यपि वस्तुतो राज्ञो धर्मेषु न प्रवेशस्तथापि शुभाद्यर्थको मङ्गलादिगण्ड श्लिष्टतया भौमग्रहायभिन्नार्थको जातः । एवप्रकारेण विशेषणानामभेदे नति तादृशविशेषणघटित-धर्माणाम् ( सम्भृतमङ्गलत्वबुधमयत्वादीनाम् ) अपि अभेदेन साधारणधर्मतानम्पत्ति-निष्पत्त्यहेति ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि । 'दृष्टि सम्भृतमङ्गला—' ह्यत्र पद्य में 'नर ग्रहों के आलम्बन' की 'अभेद'सम्बन्ध से राजा में उत्प्रेक्षा की जाती है । उस 'आलम्बन' के धर्म है 'उन-उन ग्रहों से आश्रित अङ्गों वाला होना' क्योंकि जिसके अङ्गों में प्रोक्त आश्रित हों वही तो 'ग्रहों' का आलम्बन कहा जा सकता है । वे धर्म "दृष्टि 'मङ्गल' से परिपूर्ण है" इत्यादि अनेक रूपों में आये हैं, उनके विशेषणस्वर में आप एषु वे वे ( अर्थात् मङ्गल आदि ) ग्रह, उत्प्रेक्षा के विषय 'राजा' के धर्म 'शुभ से परिपूर्ण होने' आदि के विशेषण घने हुए 'शुभ' आदि धर्मों के साथ, श्लेष द्वारा आभर बना दिए गए हैं । तात्पर्य यह कि—यद्यपि 'मङ्गल' आदि ग्रह का राजा के धर्म में किसी तरह प्रवेश नहीं हो सकता, तथापि मङ्गल आदि शब्द के दूसरे अर्थ 'शुभ' आदि का प्रयोग

धर्म में हो सकता है। अतः 'मङ्गल' आदि शब्द में उन-उन दो-दो अर्थों का श्लेष होने के कारण वे अर्थ अभिन्न बना दिए गए हैं। और उस अभिन्नता के कारण वैसे (पूर्वोक्त) धर्मों की साधारणता सिद्ध हो जाती है। और इस तरह से साधारण बने-वे धर्म उक्त उत्प्रेक्षा के निमित्त होते हैं।

श्लेषेण साधारणीकृतस्यैव धर्मस्योदाहरणान्तरं दर्शयितुमाह—

यथा वा—

अथवा, जैसे—

उदाहरणमुपन्यस्यति—

‘विभाति यस्यां ललितालकायां मनोहरा वैश्रवणस्य लक्ष्मीः ।

कपोलपालिं तव तन्वि मन्ये नरेन्द्रकन्ये दिशमुत्तराख्याम् ॥’

नायको नायिका वक्ति—हे तन्वि कृशाङ्गि ! नरेन्द्रकन्ये राजपुत्रि ! ललितालकायाम् ललिता = सुन्दरा, अलका = केशा यस्या तथाभूतायाम्, ( अन्यत्र ललिता अलका = तन्नामिका पुरी यस्या तथाभूतायाम् ) यस्याम्, कपोलपाल्याम् (अन्यत्र उत्तराख्यदिशि) मनोहरा = रमणीया, वैश्रवणस्य वै = निधयेन, कर्णस्य, ( अन्यत्र वैश्रवणस्य = कुबेरस्य ) लक्ष्मी शोभा, विभाति भासते, तव, कपोलपालिम्, ताम्, उत्तराख्याम् उत्तराभिधाम्, दिशम्, मन्ये, अहम् इति शेषः । इत्यर्थः ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—विभाति इत्यादि। नायक नायिका से कहता है—हे कृशाङ्गि राजपुत्रि ! ‘ललितालका’ ( सुन्दर अलकों = केशोंवाली, अन्यत्र सुन्दर अलकापुरीवाली ) जिसमें ‘वैश्रवण’ ( निश्चितरूपेण कानों, अन्यत्र कुबेर ) की मनोहर शोभा भासित होती है। ऐसी तेरी कपोलभित्ति को मैं, ‘उत्तर’नामवाली दिशा मानता हूँ।

उपपादयति—

इहापि विषयविषयिधर्मविशेषणयोरलकालकयोः श्रवणवैश्रवणयोश्च श्लेषेणाभेदे धर्मस्य साधारण्यम् ।

धर्मस्येति । ललितालकत्वस्य वैश्रवणशोभाभानस्थानत्वस्य चेत्यर्थः । ‘विभाति—’ इति पद्ये । विषयस्य कपोलपाल्याः धर्मं ललितालकत्व ( सुन्दरकेशत्वम् ) श्रवणलक्ष्मीभानस्थानत्वञ्च तत्र अलका श्रवणश्च विशेषणो, एव विषयिणः उत्तराख्यदिशि धर्मः ललितालकत्व ( सुन्दरालकापुरीकत्वम् ) वैश्रवणलक्ष्मीभानस्थानत्वञ्च तत्र अलकापुरी वैश्रवणश्च विशेषणो, तयोस्तयोश्च विशेषणयोः श्लेषेणाभेदः सम्पद्यते । सम्पन्नाभेदेन च तेन तेन विशेषणेन विशिष्टं प्रागुक्त धर्मद्वय साधारणीभूत कपोलपालीरूपे विषये उत्तराख्यदिशात्मकस्य विषयिणोऽभेदेनोत्प्रेक्षामुत्थापयतीति भावः ।

उपपादन किया जाता है—इहापि इत्यादि। ‘विभाति—’ इस पद्य में भी विषय ( कपोलभित्ति ) का धर्म है ‘सुन्दर अलकों = केशोंवाली होना’ तथा ‘श्रवण = कर्ण की मनोहर शोभा के भान का स्थान होना’ इसी तरह विषयी ( उत्तर दिशा ) का धर्म है ‘सुन्दर अलकापुरीवाली होना’ तथा ‘वैश्रवण = कुबेर की मनोहर शोभा के भान का स्थान होना’। इन धर्मों के विशेषणरूप में ‘अलक’ तथा ‘अलका’ और ‘श्रवण’ तथा ‘वैश्रवण’ आए हैं। श्लेष द्वारा ये विशेषणीभूत अर्थ ( अलक-अलका तथा श्रवण-वैश्रवण ) अभिन्न हो जाते हैं और इनके अभिन्न हो जाने पर इनसे घटित ( युक्त ) धर्म ( ‘ललितालकत्व’ तथा ‘वैश्रवणलक्ष्मीभानस्थानत्व’ ) साधारण हो जाते हैं और साधा-

रा हो जाने पर ये धर्म यहाँ कपोलपालीरूप विषय में उत्तरदिशारूप विषयी की अनेक सन्देह से उल्लेख में निमित्त होते हैं ।

दुःस्तेपेण साधारणीकृतस्यैव धर्मस्योदाहरणान्तर प्रदर्शयितुमाह—

यथा वा—

वयवा, जैसे—

उदाहरणानुपन्यस्यति—

‘नासत्ययोगो वचनेषु कीर्तौ तथार्जुनः कर्मणि चापि धर्मः ।

चित्ते जगत्प्राणभवो यदास्ते वशवदास्ते किमु पाण्डुपुत्राः ॥’

इवे राजानं प्रत्युक्ति—हे राजन् ! ते, वचनेषु, यत्, नासत्ययोग ( अन्वयस्य योगो न, अन्वयत्र अश्विनीकुमारयो = नकुलसहदेवयो संयोग ), कीर्तौ यशसि, अर्जुन ( धेनता, अन्वयत्रार्जुन ), कर्मणि, धर्म ( पुण्यम्, अन्वयत्र युधिष्ठिर ), अपि च, चित्ते जगत्प्राणभव, ( जगता प्राणभूतो भव = परमेश्वरः, अन्वयत्र भीम = वायुपुत्र ), आस्ते, तत् किं पाण्डुपुत्रा, ते वशवदा अर्थात् इत्यर्थः । ( अत्र ‘जगत्प्राणभव’पदस्य ‘हनूमान्’ अपि अर्थो नागेशमहाभागैर्व्याख्यात, परन्तु स मूलकारस्वारस्यविरद्ध मूल-आरोपोपपादनस्य परमेश्वरस्य तदर्थतया स्पष्टमुल्लेखात् ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—नासत्य इत्यादि । राजा के प्रति कवि की उक्ति है—हे राजन् ! आपके वचनों में जो ‘नासत्ययोग’ ( असत्य-योग नहीं, अन्वयत्र अश्विनीकुमारों = नकुल-सहदेव का संयोग ) है, कीर्ति में ‘अर्जुन’ ( धेनता, अन्वयत्र अर्जुन ) है, कर्म में ‘धर्म’ ( पुण्य, अन्वयत्र युधिष्ठिर ) है, और चित्त में ‘जगत्प्राणभव’ ( जगत् के प्राणभूत भव = परमेश्वर, अन्वयत्र जगत्प्राण = वायु का भव = पुत्र — भीम ) है, सो क्या पाण्डव लोग आप के वशवर्ती हैं ? ( यहाँ ‘जगत्प्राणभव’ पद का अर्थ नागेश ने ‘हनूमान्’ भी किया है, पर वह अर्थ मूलकार के स्वारस्य से विरद्ध है, क्योंकि नागेश ने उन्हीं उस पद का अर्थ ‘परमेश्वर’ स्पष्ट ही लिखा है । )

उपपादयति—

अत्र पाण्डुपुत्रेषु विषयेषु राजवशवदतादात्म्योत्प्रेक्षाया राजाभित्वरूपो विषयविधर्मः श्लेषेण विषयाणां तदाश्रितानां चासत्याभावशुद्धगुणपुण्यपरमेश्वरप्राणभवेऽसम्पादनद्वारा विषयसाधारणीकृतः ।

राजवशवदेति । वर्णनीयरजवशवदा ये राजानस्त एव विप्रदिगस्तनादान्मेधरं । विप्रयाणां पाण्डुपुत्राणाम् । तदाश्रितानां चेति । राजाश्रितानां चेत्यर्थः । विप्रयेति । पाण्डुपुत्रस्यैव । ‘नासत्य—’ इत्यत्र पाण्डुपुत्रात्मकेषु विप्रेषु वर्णनीयत्वान्तराश्रितिविषयात्मकानां विप्रदिगाममेदेनोत्प्रेक्षा भवति । तत्र च ‘राजाभित्वरूपो धर्म’ निमित्तम् । ननु व्यसय धर्मो निमित्त राजवशवदत्तविप्रदिगान्तरवर्तित्वस्य पाण्डुपुत्रान्तरविषयसाधारण्यविरहात्, इति चेत्, नित्यं नामस्यदोगादिपदैः उपपन्नानामानां पाण्डव-आनावादीनां श्लेषमूलकेऽभेदेऽसत्याभावादिबन्धुपाण्डवानामपि राजाभित्वरविषयसाधारण्यमन्यते । श्लेषत्र क्वचित् नभः क्वचिदभः इत्यन्वयः । इति भवः ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि । ‘नासत्य—’ इस पद्य में ‘पाण्डव’ विषय है जिसे वर्णनीय राजा के वशवर्ती अन्य राजान्तर विषयी की अनेक सन्देह से उल्लेख की जाती है और इस उल्लेख का निमित्त है ‘राजाभित्वर’ ( राजा का रूप धर्म । आप कहेंगे—कैसे यह धर्म उल्लेख का निमित्त है ?—



निमित्त नहीं हो सकता, क्योंकि यह केवल विषयी ( राजवशवद ) का धर्म है, विषय ( पाण्डवों ) का नहीं, ऐसी दशा में वह साधारण हुआ ही नहीं और साधारण धर्म ही निमित्त हो सकता है यह बात धार-वार लिखी जा चुकी है। इसके उत्तर में मेरा कथन यह है कि—हाँ, आपकी बात ठीक है—‘राजाश्रितत्व’ धर्म स्वतः साधारण नहीं है, पर श्लेषरूप उपाय द्वारा उसको साधारण बना लिया गया है—अर्थात् यहाँ वस्तुतः जो राजाश्रित हैं वे असत्याभाव, शुक्लगुण, पुण्य और परमेश्वर जिस-जिस पद ( ‘नासत्य’ आदि ) से उपस्थित होते हैं उसी पद से श्लेषद्वारा एक-एक पाण्डव भी। फलतः श्लेष की महिमा से वे एकपदोपस्थाप्य अर्थ परस्पर अभिन्न हो जाते हैं और उनके अभिन्न हो जाने पर जैसे असत्याभाव आदि राजाश्रित होते हैं वैसे असत्याभाव आदि से अभिन्न समक्षे गए पाण्डव भी राजाश्रित समक्षे जाते हैं, अतः अन्ततः ‘राजाश्रितत्व’, विषय ( पाण्डवों ) का भी धर्म हो जाता है फिर उसकी साधारणता में बाधा क्या? उपायभूत श्लेष किसी अंश में ‘सभङ्ग’ और किसी अंश में ‘अभङ्ग’ है वह एक भिन्न बात है, उससे प्रकृत में कोई हानि या लाभ नहीं।

अपह्णतिरूपेणोपायेन साधारणीकृत धर्ममुदाहरति—

‘स्तनान्तर्गतमाणिक्यवपुर्बहिरुपागतम् ।  
मनोऽनुरागि ते तन्वि मन्ये वल्लभमीक्षते ॥’

सखी नायिकामाह—हे तन्वि कृशाङ्गि ! स्तनान्तर्गतमाणिक्यवपुः सत् बहिरुपागतं स्तनमध्यगतमाणिक्यस्वरूपेण बहिरागतम्, अनुरागि अनुरागयुक्तम्, ते, मनः, वल्लभं प्रियतमम्, ईक्षते पश्यतीत्यहं मन्ये इत्यर्थः ।

अपह्णतिरूप उपाय द्वारा साधारण बनाए गए धर्म का उदाहरण दिया जाता है—स्तनान्तर्गत इत्यादि। सखी नायिका से कहती है—हे कृशाङ्गि ! स्तनों के मध्यवर्ती माणिक्य के रूप में बाहर आया हुआ तेरा अनुरागी मन, मानो, प्रियतम को देख रहा है।

उपपादयति—

अत्र वल्लभेक्षणस्य मनस्युत्प्रेक्षायां तन्निमित्तमन्तःप्रदेशाद्बहिरागमनमपेक्ष्यम् । तच्च बहिःप्रदेशसम्बन्धरूप माणिक्यमात्रवृत्ति मनसो न सम्भवतीति माणिक्यापह्नत्या मनोगतं क्रियते ।

‘स्तनान्तर्गत—’ इति श्लोके प्रियतमकर्मकदर्शनक्रियायां समवायसम्बन्धेन मनोरूपे विषये उत्प्रेक्षा क्रियते, तत्रान्तःप्रदेशाद्बहिरागमन निमित्त समपेक्षितम् । परन्तु तदवधिक-बहिरागमनस्य निमित्तता तदैव सम्भवति यदोत्प्रेक्ष्यमाणदर्शनसमानाधिकरणता स्यात्, सा च नास्ति बहिःप्रदेशसंयोगरूपस्य बहिरागमनस्य माणिक्यवृत्तित्वेऽपि मनोवृत्तित्व-विरहात्, अतः ‘माणिक्यवपुः’ इत्यत्र ‘वपुः’पदेन माणिक्यापह्नत्वेन बहिरागमनस्य मनो-वृत्तित्व सम्पाद्यत इति भावः ।

उपपादन क्रिया जाता है—अत्र इत्यादि। ‘स्तनान्तर्गत—’ इस पद्य में प्रियतम के दर्शन-रूप क्रियात्मक धर्म की मनरूप विषय में समवायसम्बन्ध से उत्प्रेक्षा की जाती है। इस उत्प्रेक्षा का निमित्त ‘मन का अन्दर से बाहर आना’ अपेक्षित है, क्योंकि बाहर आए बिना ‘देखना’ नहीं बन सकता। ‘बाहर आने’ का अर्थ है बाहर के देश ( देह के किसी भाग ) से सम्बन्ध ( संयोग ), जो केवल ‘माणिक्य’ में रह सकता है, मन ( अमूर्त पदार्थ ) में उसका सम्भव नहीं, अतः माणिक्य की ‘अपह्णति’ द्वारा ( अर्थात् माणिक्य को ‘वपुः’ पद की उक्ति से छिपा कर ) उस धर्म को ‘मन में रहने वाला’ बनाया गया है।

विन्दप्रतिविम्बभावात्मकेनोपायेन साधारणीकृत धर्मसुदाहर्तुं प्रागुक्त पद्य स्मारदति—

विन्दप्रतिविम्बभावस्तु 'कलिन्दजानीरभरेऽर्धमना' इत्यत्रैव निरूपित ।

'कलिन्दजा—' इत्यत्र वक्ररूपे विषये त्रियनागाया क्रोशनाकर्तृत्वोत्प्रेक्षाया निमित्त विन्दप्रतिविम्बभावेन साधारणीकृत ( क्रोशनाभेदसापादित ) गच्छनात्मको धर्मो भवतीति प्रागुपदर्शितमेवेति भावः ।

विन्दप्रतिविम्बभावात्मक उपाय द्वारा धर्म का साधारणीकरण तो 'कलिन्दजा—' इन पूर्वोक्त उदाहरण में लिखा ही जा चुका है । तात्पर्य यह कि उक्त पद्य में 'क्रोशन' की उपेक्षा 'वक्र रूप विषय में की जाती है और उस उपेक्षा का एक निमित्त होता है विन्द-प्रतिविम्बभावद्वारा क्रोशन से अभिन्न बनाया गया वक्रवृत्ती स्वाभाविक 'रावटन' छान्दि ।

उपचारात्मकेनोपायेन साधारणीकृतं धर्मसुदाहरति—

'माधुर्यपरमसीमा सरस्वतजलधिमथनसन्भूता ।

पिघतामनल्पसुखदा वसुधाया ननु सुधा कविता ॥'

माधुर्यस्य, परमसीमा परमावधि ( यद्यधिक माधुर्यं इच्छिदपि नास्तीति यावत् ) सरस्वतस्य सरस्वतीसम्बन्धिनः साहित्यशास्त्रस्य तद्रूपस्येति यावत्, जलधेः समुद्रस्य, मथनेन आलोढनेन मननेनेति यावत्, सन्भूता उत्पन्ना, पिघताम् आत्वादयतान्, अनल्पसुखदा प्रभूतसुखदायिका, कविता काव्यम्, वसुधायाम्, ननु निश्चयेन, सुधा पीयूषम् अन्तान्यर्थः ।

उपचाररूप उपाय द्वारा साधारण बनाए गए धर्म का उदाहरण उपस्थित किया जाता है—माधुर्य इत्यादि । मधुरता की परमावधि ( जिससे अधिक मधुरता कहीं न हो ऐसी ), सरस्वतीसम्बन्धी ( साहित्यरूप ) समुद्र को मथन करने से उत्पन्न हुई और पीनेवालों को अत्यधिक सुखदायक कविता, नानी पृथिवी पर अमृत है ।

उपपादयति—

अत्र कवितायां माधुर्यपानयोर्मुख्ययोरस्तन्भवादास्वात्प्रवणयोरनुस्ययोरुप-  
चारेण मुख्याभ्यां साधारणीकरणम् । लक्षणया शक्याभेदेन लज्जयवचनात् ।

उपचारेणेति । लक्षणयेत्यर्थः । मुख्याभ्यामिति । उहाभेदसन्पादनाद्वारा तयोर्धर्मयो-  
रिति शेषः । 'माधुर्य—' इति श्लोके कवितायां विषये सुधाव्यत्य विरदितोऽभेदेनेत्प्रेक्षा  
विराज्यते, तत्र माधुर्यं पानञ्च निमित्तम् । निमित्तता च तयो स्वतो न सम्भवति, इति-  
तान्मद्विषयेऽविद्यमानत्वात्, अतो माधुर्यपानयो र्भ्रमरा आन्वादश्रवादीन्पानानां ना-  
दास्वाद्यो पानश्रवणयोश्चाभेदः सन्पादयते, मन्मन्ने चामेदे आत्स्वादश्रव वन्मात्स्वात्-  
योरपि प्रोचविषयवृत्तितया साधारण्येन निमित्ततेति भावः । ननुपचारेऽनुस्ययोर प्रत्यात्मा  
मुख्याप्रतीत्या दोषस्तदवन्त्य एवात आह—लज्जयवेति । लज्जयात्तारा मात्स्वित्यया  
आन्वादस्य, पानाभिन्नतया च श्रवणस्य, बोध इति न दोष इति भावः ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि । 'माधुर्य—' इन पद्य में अमृत की समेद  
सम्बन्ध से कवितारूप विषय में उपेक्षा की जाती है । उस उपेक्षा से निमित्त होते हैं  
'माधुर्य' और 'पान'रूप धर्म । पर ये दोनों धर्म स्वतः निमित्त होते योग्य हैं नहीं  
क्योंकि मुखरूप में ये दोनों धर्म केवल अमृत में ही रह सकते हैं, कविता—, उ-  
लक्षणा द्वारा ये दोनों धर्म आत्स्वाद तथा श्रवण से अभिन्न बनाए जाते हैं । उन  
दोनों से अभिन्न हो जाने पर आत्स्वाद तथा श्रवण से तब ही माधुर्य—, उ-  
में रहने वाले हो जाते हैं । इस तरह साधारणीकृत माधुर्य—

होते हैं। तात्पर्य यह कि—यहाँ के माधुर्य तथा पान पद क्रमशः आस्वाद रूप अर्थ में लाक्षणिक हैं। आप कहेंगे—लक्षणा मानने पर तो उन दोनों अर्थ (आस्वाद तथा ध्वण) का ही बोध होगा और उस स्थिति में पुनः होना असम्भव ही रहेगा, क्योंकि तब माधुर्यपदार्थ आस्वाद और पानपद कविता में ही रहने वाले होंगे, अमृत में रहने वाले नहीं, तो इसका उत्तर यह है से वाच्यार्थ के अभिन्नरूप में ही लक्ष्यार्थ का बोध होता है।

अभेदाध्यवसायरूपेणातिशयेन साधारणीकृतस्य धर्मस्योदाहरणभूतं पूर्वोद्दि-  
स्मारयित्वोपपादयति—

अभेदाध्यवसायमात्रं यथा प्रागुदाहृतायां हेतूत्प्रेक्षायाम् । 'व्यागुञ्जन्-  
पुञ्जमञ्जुगीताम्' इत्यत्र शाखानीचत्व-कन्धरानमनयोरभेदाध्यवसाय-  
त्रपाहेतूत्प्रेक्षानिमित्तयोपात्तस्य कन्धरानमनस्य नीचशाखनतकन्धरोभ-  
रण्ये बीजम् ।

अध्यवसायमात्रमिति । मात्रपदेन पौनरुक्त्य परिहृतम् । पूर्वं रूपकमिश्रोऽभे-  
साय उक्त इति भाव । नीचशाखनतकधरोभयेति । नीचा शाखा यस्य स नीच-  
वृक्ष, नता कधरा यस्य स नतकधरो मनुष्यः तदुभयेत्यर्थः । 'व्यागुञ्जन्—' इत्यत्राव-  
कुटुम्बकेषु विषयेषु त्रपारूपस्य हेतोरश्रुतासम्बन्धेनोत्प्रेक्षा क्रियते । तत्रोपात्त कथ-  
निमित्तम् । ननु वृक्षात्मकविषयावृत्तेस्तस्य साधारण्यविरहेण कथ निमित्तत्वमिति  
शाखानीत्वत्वं वृक्षधर्म, कधरानमन च मनुष्यधर्म, तयोरभेदाध्यवसायरूपातिश-  
अतिशयोक्त्या चानया शाखानीचत्वाभिन्नस्य कधरानमनस्य वृक्षवृत्तित्वेन साध-  
निमित्ततेति भाव ।

अभेदाध्यवसानरूप अतिशयद्वारा साधारण वनाए गए धर्म का उदाहरण उपा-  
किया जाता है—अभेदाध्यवसाय इत्यादि । यद्यपि 'नयनेन्दिन्दिर—' इस पद्य में अ-  
ध्यवसायरूप अतिशय उदाहृत हो चुका है पर वहाँ वह रूपक से मिश्रित था,  
केवल अभेदाध्यवसान का उदाहरण दिया जाता है, अतः पुनरुक्ति का प्रसङ्ग नहीं है  
यही रहस्य मूल में 'मात्र' पद से सूचित किया गया है । 'व्यागुञ्जन्—' इत्यादि उ-  
दाहृत हेतूत्प्रेक्षा में शुद्ध अभेदाध्यवसानरूप अतिशयोक्ति द्वारा धर्म का साधारणीकृत  
हुआ है । तात्पर्य यह कि—उक्त पद्य में वृक्षरूप विषय में 'लज्जा'रूप हेतु की उ-  
की जाती है और उस उत्प्रेक्षा का निमित्त होता है पद्य में उपात्त 'कधरानमन' । य-  
कन्धरानमन प्राणिधर्म है, अचेतन वृक्ष में वह नहीं रह सकता, तथापि 'कन्धरान-  
से यहाँ 'शाखानमन' निगूण है—अर्थात् कन्धरानमन तथा शाखानमन (शाखा  
नीचता) इन दोनों में अभेदाध्यवसानरूप अतिशयोक्ति है । फलतः ये दोनों धर्म अ-  
(एक) समझ लिये जाते हैं, फिर जैसे शाखानमन वृक्ष में रहता है वैसे कन्ध-  
मन भी रहेगा अतः कन्धरानमन साधारणधर्मरूप होकर उक्त उत्प्रेक्षा का नि-  
होता है ।

पर्यवसितार्थमाह—

एव सर्वत्र हेतुफलयोरुत्प्रेक्षयो यस्य हेतु. फलं वोत्प्रेक्ष्यते सोऽनेन प्र-  
साधारणीकृतो निमित्तमित्यसकृदावेदितम् ।

अक्षरार्थ स्पष्ट एव । 'विश्लेष—' इत्यत्र मौनस्य हेतुत्वेन विश्लेषदुःखमुत्प्रे-  
अत एव तन्मौन अध्यवसानात्मकातिशयद्वारा नि शब्दत्वाभिन्न सत् यथा निमित्त-  
यथा वा 'व्यपाटयन्—' इत्यत्र विपाटनस्य फलत्वेन दर्शनमुत्प्रेक्ष्यते, अत एव तदि-

अध्यवसानान्मक्रातिशयद्वारा स्वाभाविकवनान्तर्कृतृकविपाटनानिन्न सन्निमित्त भवति, तथा सर्वत्र हेतुफलोन्प्रेक्षास्यले कार्यकारणयोर्निमित्तता बोधेति भावः ।

पर्यवसित अर्थं दिखलाया जाता है—एवम् इत्यादि । इम तरह, यह पर्यवसित हुआ कि—हेतुप्रेक्षा और फलोप्रेक्षा के स्थलों में जिन ( कार्य ) का हेतु ( कारण ) और जिन ( कारण ) का फल ( कार्य ) उद्येक्षित होता है वह ( हेतुप्रेक्षास्थल में कार्य और फलोप्रेक्षास्थल में कारण ) उक्त प्रकार से ( अर्थात् अभेदाध्यवसानरूप अतिशय द्वारा साधारणीकृत होकर ) निमित्त होता है । यह बात पहले भी अनेक बार लिखी जा चुकी है ।

निमित्तधर्म विशेषनाह—

एव कचिदुपात्तो धर्मो विषयविषयिणादारण्याभावात्सुन्दरत्वाद्वा स्वयमुत्प्रेक्षण साक्षादुत्थापयितुमसमर्थोऽपि तदुत्थापनक्षमधर्मान्तरोत्थापनेनानुकूल्यविधानादुपयुज्यते ।

साधारण्यमत्त्वेऽप्याह—असुन्दरेति । उपयुज्यत इति । एव च तदानर्थक्यं नेति भावः । कुत्रचिदुत्तो धर्म एतादृशो भवति यो विषयविषयिणो साधारणो न, कुत्रचिच्च विषयविषयिणाधारणोऽपि चमाकारजनको नेति तौ स्वयमुत्प्रेक्षानिमित्तौ न भवितुं शक्तौ यद्यपि, तथापि तादृशयोस्तयोर्धर्मयोरानर्थक्यं नारादृनीयम्, यतस्तादृशयोरपि धर्मयो-रुत्प्रेक्षानिमित्तत्वयोग्यधर्मान्तरोत्थापनद्वारा कार्यक्यं भवतीति भावः ।

निमित्त धर्म के विषय में एक विशेष बतलाया जाता है—एवम् इत्यादि । कहीं धर्म उक्त होने पर भी, या तो विषय और विषयी दोनों में साधारण्य न होने के कारण, या सुन्दर न होने के कारण, स्वयं उद्येक्षा को उठाने में यद्यपि असमर्थ होता है—अर्थात् स्वयं निमित्त नहीं हो सकता, तथापि उद्येक्षा के उठाने में समर्थ किसी अन्य धर्म के उद्यथान में अनुकूलता करने के कारण उद्येक्षा में उपयोगी हो जाता है ।

तत्रायोदाहरणं नीपपाटनमाह—

यथा धौरक्षनकालीभिः— इति प्रागुदाहृतं पद्ये दिग्गे जलदालीममावृत्त्व-त्वरूपो धर्म उपात्तो जगतो निर्लोचनवर्गमर्गत्वोन्प्रेक्षाया वैचधिकरण्यादप्रयोज-कोऽपि स्वप्रयोज्यनिविडान्यकारप्रयुक्तवाक्षुपज्ञानशून्यत्वस्य तथाविधोत्प्रेक्षानिमित्तस्योत्थापनेन ।

स्वेति । जलदालीममावृत्त्वत्वेत्यर्थः । तथाविधोत्प्रेक्षेति । जगतो निर्लोचनवर्गमर्गत्वो-त्प्रेक्षेत्यर्थः । 'धौरक्षन—' इत्यत्र जगद्वये विषये निर्लोचनवर्गमर्गत्वोत्प्रेक्षा नियते, तत्र चोपात्त 'धौरक्षनस्य नेत्रमालामावृत्त्वत्वरूपो' धर्मो न स्वयं निमित्तं भवितुमर्हति, तस्य जगदवृत्तित्वेनेत्प्रेक्षणागतिर्लोचनवर्गमर्गत्वमानाधिहरण्याभावात्, एतन्मन्त्रेण नास्मिन् तस्यामुत्प्रेक्षणं स्वप्रयोज्यमन्त्रधारणद्वारादुत्थापनशून्यत्वव्यक्त्यं प्रोक्षोत्प्रेक्षणात्म-ममानाधिहरणस्य अत्र एव प्रोक्षोत्प्रेक्षनिमित्ततायोग्यत्वोत्थापनेन भवतीति भावः ।

स्वयं निमित्त नहीं होने योग्य उक्त दो प्रकार के धर्मों में से प्रथम का ( विषय-विषयी में जो साधारण्य नहीं होता उसका ) उदाहरण उपपाटनमर्शिन दिग्गयाया जाता है— यथा इत्यादि । 'धौरक्षनकालीभिः—' यह जो पद्य पहले उदाहरणरूप में उपात्त हुआ है उसमें 'जगत् के नेत्रहीनों के समूह की वृष्टि में सुख होने' का उद्येक्षित है, उस उद्येक्षा में पद्येक 'साक्षात्' का 'नेत्रमाला में आवृत्त होना' निमित्त होने योग्य नहीं है, क्योंकि यह धर्म उद्येक्षित होनेवाले विहरण नहीं है—अर्थात् जगत् रूप विषय में रहनेवाला नहीं

की यहाँ सार्थकता है, क्योंकि वही 'आकाशगतमेघमालासमावृतत्व', उत्प्रेक्षमाण 'निर्लोचनवर्गसर्गात्' के समानाधिकरण होने के कारण निमित्त होने योग्य 'सघन अन्धकारप्रयुक्त नेत्र से होनेवाले सब प्रकार के ज्ञान से रहित होना' रूप धर्म को उपस्थित करता है। तात्पर्य यह कि जगत् रूप विषय में की जानेवाली 'निर्लोचनवर्गसर्गात्'की उत्प्रेक्षा में जगत्गत 'सघन अन्धकारप्रयुक्त चाक्षुषज्ञानसामान्यशून्यत्व'रूप धर्म निमित्त होता है पर वह निमित्त धर्म उक्त नहीं है, उसकी उपस्थिति उक्त 'आकाशगत मेघमालासमावृतत्व' से होती है—अर्थात् 'आकाश मेघ-माला से आवृत है' ऐसा कहने पर आपसे आप घना अन्धकार और उस घने अन्धकार के कारण ससार का नेत्रद्वारक सभी ज्ञानों से वञ्चित होना सिद्ध हो जाता है, इस तरह से उक्त धर्म का प्रकृत उत्प्रेक्षा में उपयोग, साक्षात् न सही, पर परम्परया अवश्य होता है।

विषयगतं विशेष स्फोरयति—

विषयोऽप्युपात्तो निरूपित एव । क्वचिदयमपहृतोऽपि भवति ।

निमित्त-धर्मवत् उत्प्रेक्षाया विषयोऽपि शब्दोपात्त पूर्वोदाहरणेषु ( 'तनयमैनाक—' इत्यत्रोत्प्रेक्ष्यस्य विषयिणो हिमगिरिभुजस्य भागीरथीरूपो विषयः, 'अम्मोजिनीबान्धव-' इत्यत्र शुक्लगुणस्य विषयिणं वकसमजरूपो विषयः, एवमादि ) निरूपित एव । अयं विषयः क्वचिदपहृतोऽपि भवतीति भावः ।

विषयगत विशेष का स्पष्टीकरण किया जाता है—विषयोऽपि इत्यादि । निमित्तभूत धर्म के समान उत्प्रेक्षा का उपात्त विषय भी निरूपित हो चुका है—अर्थात् 'तनय-मैनाक—' इस पद्य में 'भागीरथी'रूप, 'अम्मोजिनीबान्धव—' इस पद्य में 'वकसमाज-' रूप इसी तरह अन्यत्र अन्यरूप, उपात्त विषय दिखलाया जा चुका है । पर इससे यह नहीं समझना चाहिए कि विषय सर्वत्र उपात्त ही होता है । कहीं-कहीं वह अपहृत ( छिपा हुआ ) भी होता है ।

अपहृत विषयमुदाहर्तुमाह—

यथा—

जैसे—

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'जगदन्तरममृतमयैरंशुभिरापूरयन्नयं नितराम

उदयति वदनव्याजात् किमु राजा हरिणशावननयनायाः ॥'

इति रसगङ्गाधर उत्प्रेक्षाप्रकरणम् ।

अमृतमयै सुधामयै, अंशुभिः किरणै, जगदन्तरं जगन्मध्यम्, नितराम् अत्यन्तम्, आपूरयन्, हरिणशावननयनाया मृगाद्या, वदनव्याजात् मुखच्छलात्, अयं दृश्यमानः, राजा चन्द्र, उदयति उदेति किमु ? इत्यर्थः । अत्र मुखरूपो विषयोऽपहृतः तदपहवश्चात्र—राजतादात्म्यसम्भावनादाढ्ययति बोध्यम् ।

चकास्ति लघुकायोऽपि कोविदामोदवर्धनः ।

मिथिलास्वर्णदीशोभिसरोजश्रियमाश्रितः ॥ १

'नवानी' नामको प्रामो गुणप्राप्ताभिमण्डितः ।

मण्डले दरभङ्गाख्ये विख्यातवृषजन्मभूः ॥ २-॥

तस्मिन्मातृपुरे, पित्र्य पुरं 'शतलखा'भिधम् ।  
 विहाय विद्यामध्यैष्ट विशिष्टां योऽतिमिष्टवाक् ॥ ३ ॥  
 समाप्याध्ययनं यश्च संग्रामपुरवर्तिनि ।  
 विद्यालये विप्रपुत्रान् पञ्चवर्षाभ्यपाठयत् ॥ ४ ॥  
 मुजफ्फरपुरे राजमहाविद्यालये तु यः ।  
 साहित्यविषयस्यास्ते प्रधानाध्यापकौऽधुना ॥ ५ ॥  
 रहस्यमतिसक्षिप्तं रसगङ्गाधरस्य यः ।  
 प्रागुदात्तवचोभङ्गथा प्राकाशयदुदारधी ॥ ६ ॥  
 रसगङ्गाधरस्यैव प्रथमाननभागगाम् ।  
 हिन्दीव्याख्या ततो यश्च विशदामुद्रपादयत् ॥ ७ ॥  
 'मदनमोहन'-नामसुधीरिमां रचयद्दुचिरा स च 'चन्द्रिकाम्' ।  
 बुधजनो यदि ता विनिमालयेत्, भ्रम इहैष तदा सफलो भवेत् ॥ ८ ॥  
 यदि मनागपि सञ्जनमानसे मृदुलतानलिनीनिलयेऽतुले ।  
 रुचिमुदञ्चयिता मम 'चन्द्रिका' किमधिकैरपि दुर्जनदूषणैः ॥ ९ ॥  
 जगन्नाथकृतस्येय रसगङ्गाधरस्य या ।  
 चन्द्रिकाख्या महाभिल्या व्याख्या सख्यावता मुदे ॥ १० ॥  
 प्रारब्धाऽविध-धरा-व्योम-नेत्र-सख्यासमन्विते ( २०१४ ) ।  
 वैक्रमेऽब्दे गता पूर्ति कृष्णोत्पत्तितिथी तु सा ॥ ११ ॥ ( युगमकम् )

इति मैथिलब्राह्मणवंशावतसेन विहारप्रान्तीयमुजफ्फरपुरस्थराजकीयधर्मसमाज-  
 संस्कृतमहाविद्यालये साहित्यप्रधानाध्यापकपदमलङ्कृता श्रीमदन-  
 मोहनका-शर्मणा कृताया रसगङ्गाधर-चन्द्रिकाया  
 द्वितीयाननादिरुत्प्रेक्षान्तो भाग समाप्त ।



उदाहरण का निर्देश किया जाता है—जगदन्तर इत्यादि । अमृतमय अपनी किरणों  
 से जगत् के मध्यभाग को अत्यन्त पूर्ण करता हुआ, यह क्या, मृगासी के मुख के मीप  
 से चन्द्र उदित हो रहा है ? यहाँ मुखरूप विषय में अभेदसम्बन्ध से चन्द्रमा की  
 उपेक्षा की जाती है । पर मुखरूप विषय यहाँ 'ध्याज' पद कहकर छिपा लिया गया है  
 और इस छिपाने का फल है 'मुख में चन्द्रमा के अभेद की सभावना का दृढ़ हो जाना' ।  
 अर्थात् इस तरह कहने से उपेक्षा और भी दृढ़ हो जाती है ।

इति दरभङ्गामण्डलान्तर्गत 'नवानी'ग्रामनिवासो, मैथिलब्राह्मणवंशावतस, व्याकरण-  
 न्याय-साहित्याचार्य, मुजफ्फरपुरस्थ राजकीयसंस्कृतमहाविद्यालयीय साहित्य-  
 प्रधानाध्यापक श्री मदनमोहन झा रचित रसगङ्गाधर  
 ( द्वितीय आननगत उपेक्षानिरूपणान्त मास ) की  
 'चन्द्रिका' हिन्दी व्याख्या समाप्त हुई ।

समाप्तश्चाऽयं द्वितीयाननस्योत्प्रेक्षान्तो भागः



## टीकाकर्तुः परिचयः

मान्ये मिथिलादेशे सविशेषे सद्गुणैरखिलैः ।  
 सीतासम्भवभूमौ सुरमुनिलोभास्पदे पूते ॥ १ ॥  
 'कोइलख'पदविदितो प्रामो गुणि-गणाश्रयो जयति ।  
 यत्रैकस्मिन् मञ्चे नृत्यन्तौ वाङ्-रमे दृष्टे ॥ २ ॥ ( युगमकम् )  
 तत्रासीदतिवीरौ 'विद्यानाथो' विदा श्रेष्ठः ।  
 मैथिलभूरभूपाभूतो भवसेवया पूतः ॥ ३ ॥  
 तत्तनयो 'मणि' नामा मणिरिव क्रिणोज्ज्वलो जातः ।  
 'सीमा' नाम्नि ग्रामे स्ववासमसौ कल्पयामास ॥ ४ ॥  
 तत्रासौ शुभशीलो निजविशुद्धबुद्धिवलमूलम् ।  
 धेनु-धरा-धान्य-धन सधनयश-शोभित लेभे ॥ ५ ॥  
 कर्मौ कूपतडागौ लसतस्तत्र खानितौ तेन ।  
 अद्यापि तस्य कीर्तिं कथयन्तौ लोलकहोर्लैः ॥ ६ ॥  
 भ्राता तस्य कर्नीयाननुलबल कोऽपि महोऽभूत् ।  
 तडागेऽद्य यदानीतपृथुलशिला शोभते दृष्ट्वा ॥ ७ ॥  
 मणिरुपलेभे ललितं 'ललितलाल'नामकं तनयम् ।  
 विनयविभूषितहृदय सदयं सकलशक्तियोगेऽपि ॥ ८ ॥  
 तस्य द्वौ समभूताम् पुत्रौ जनलोचनानन्दौ ।  
 'सिंहेश्वर'-'कपिलेश्वर'नामानौ परिणते वयसि ॥ ९ ॥  
 अथ देवाहरभङ्गा राजकर्मचारिभिः प्रवर्लैः ।  
 समुपद्रुत स्वकीय प्रानं तौ तूर्णमत्यजताम् ॥ १० ॥  
 नैदीयस्यतिरम्ये श्वशुरपुरे 'शतलज्जा'मङ्गे ।  
 वत, 'सिंहेश्वरशर्मा' कृतवसतिर्जीवनं निन्द्ये ॥ ११ ॥  
 'कपिलेश्वर'स्तदानीं बालो 'नरहा' पुरे मातुः ।  
 विहिताश्रयोऽधुनावधि जीवति बहुभिः सुतं नाकम् ॥ १२ ॥  
 पुत्रान्नयो विर्नाताः 'सिंहेश्वर' गर्भगो जाताः ।  
 त्यक्त्वा यानतिबाल्ये पिता पुण्डरपुरीं प्रास्पदात् ॥ १३ ॥  
 पृज्यो 'युगलकिशोरो' मम तु पिता मन्मन्नेयाम् ।  
 कृतकृत्योऽसौ मन्प्रति जंवति देवान्ने लंन ॥ १४ ॥



अहमागत्य 'नवानी' वसतौ मातुः कृतावासः ।  
 निजजीवनं निनीषे 'चक्रमचिन्त्यं हि दैवस्य' ॥ १५ ॥  
 'ब्रजमोहनोऽप्रमोहननामानौ आतरौ धीरौ ।  
 विद्या-विनय-समेतौ प्राणसमौ मे प्रियां भवतः ॥ १६ ॥  
 'कामेश्वरी' प्रिया मे सत्कुल-शीलान्विता पत्नी ।  
 कुटिलां जीवनयात्रां सरलामेवाधुना कुरुते ॥ १७ ॥  
 'आनन्दः' खलु प्रथमो 'धीरेन्द्र'श्च द्वितीयो मे ।  
 पुत्रो विनयसमेतो विलसति विद्यार्जने लीनः ॥ १८ ॥  
 कन्ये द्वे कमनीये 'गङ्गा-सरिता'-भिधे गेहम् ।  
 सुखरयतो मधुकल्पैर्वाल्योचितवचनविन्यासैः ॥ १९ ॥  
 श्रीमान् 'यदुपतिमिश्रो' गुरुस्तमिस्राकुले नयने ।  
 प्रोन्मीलयन् मदीये बहुविधबोधाङ्गनैः पूर्वम् ॥ २० ॥  
 बुधगणवन्दितचरण-शरणागतवत्सलो जयति ।  
 श्रीमा'नीश्वरनाथो' यो मयि शुभवैदुर्षी व्यतनोत् ॥ २१ ॥  
 व्याकृतिकलाप्रवीण सालङ्कृतिकाव्यमर्मज्ञम् ।  
 तत्पादाम्बुजसेवा मामकरोदल्पकालेन ॥ २२ ॥  
 प्रातःस्मृतिविषयोऽसौ 'श्रीजगदीशो'ऽतिशिखभक्तः ।  
 निपुणं नव्यन्याये कृत्वा मामुन्नतं चक्रे ॥ २३ ॥  
 श्रेष्ठः 'षष्ठीनाथः' श्रीत्रियवशावतंसो मे ।  
 वेदान्तज्ञानगुरुः काश्या परलोकपथिकोऽभूत् ॥ २४ ॥  
 मम परिचयमेन स्पष्टसंक्षिप्तरूप  
 गुणमयमगुण वा नूतन कौतुकेन ।  
 रुचिररसविचारग्रन्थपाठप्रसङ्गे  
 परकृतिषु प्रतीता साधवो भावयन्तु ॥ २५ ॥

# प्रथमाननस्योदाहृतश्लोकानुक्रमणिका

श्लोका	पृष्ठा०	श्लोका	पृष्ठा०	श्लोका.	पृष्ठा०
अक्षरग मृपाभाषा	३०१	ता तमालतरुकान्ति	२३४	यौवनोद्गमनितान्त	३४९
अक्षरगहृदय	३१०	तुलामनालोक्य निजा	२५५	रणे दीनान्देवान्द्रश	१५८
अधरद्युतिरस्तपह्ववा	२८८	तृणालोलविलोचने	३२६	राघवविरहज्वाला	६३
अपहाय सकल	१४३	दयितस्य गुगाननु	३१२	लीलया विहितमिन्दु	२०
अपि वहलदहनजाल	१६२	दरानमत्कधर	२७८	लोलालकावलिबल	२५१
अपि वक्ति गिरां	१६१	धनुर्विदलनध्वनि	१४८	वज्रोजाग्र पाणिना	३०६
अयाचितः सुख	२२५	न कपोतकपोतक	१५७	वचने तत्र यत्र	२५४
अयि पवनरयाणां	३१७	नखैर्विदारितान्त्राणां	१७०	वाचा निर्मलया सुधा	२३९
अयि मन्दस्मित	२५७	न धन न च राज्य	३३३	वाचो माङ्गलिकी	१४०
अल्का फणिशाव	२५४	नगनाञ्जलावमशं	१४१	विधत्ता नि गद्द	२०१
अवधौ दिवसावसान	२७४	नारिकेलजलक्षीर	३५३	विधाय ना मद्ददना	२९३
अवाप्य भङ्ग खलु	३८९	निखिल जगदेव	२९७	विधिदञ्जिनया	२८३
अहितव्रतपापा	३३०	निखिलां रजनीं	३२३	विरहेण विकलहृदया	२८१
आ मूलाद्रत्नमानो	२९४	नितरा द्वितयाद्य	३०३	वीच्य वञ्चनि विपन्न	३४८
आयातैव निशा निशा	२६२	नितरां पुरुषा मरोज	२१२	व्यत्यस्त लपति क्षण	३४३
आलीपु केलीरभसेन	२९९	नितान्त यौवनोन्मत्ता	१८८	व्यानत्राञ्जलितार्क्ष्वैव	३३१
आविर्भूता यदवधि	१४१	निपतद्वाप्यमरोध	३१९	शतेनोपायाना कथ	३३७
आ साय सलिलभरे	२५६	निरुद्रय यान्तीं	२८०	शयिता शैवलशयने	२८४
द्वयमुह्यमिता मुखस्य	"	निर्माणे यदि मारिंको	२३०	शयिता मविधेऽप्यनी	३४
उत्तिष्ठा कवरीभरं	१८४	निर्वामयन्तीं घृति	३५८	शुण्डादण्ड कुण्डली	२८२
उह्लास फुल्लपङ्के	७७	पग्निहर्गु धरां फणि	१६३	शून्य वामगृह	२६२
उपसि प्रतिपत्त	३५५	पाप हन्न मया	३५१	श्येनमम्बरतलाटु	१७०
पूर्वादिनि देवपौं	३६२	प्रन्युदता मविनय	१८२	श्रीतानपादेविहिते	१६८
सौण्डिह्य दोषश्लं	५०	प्रमोदभरतुन्दिल	२१९	मदा जयानुपद्गागा	२४२
कलितकुलिशघाताः	२५३	प्रमद्वे गोपानां	३०७	मन्तापयामि हृदय	२८२
कस्तूरिकातिलक	२६१	प्रहरविरतौ मध्ये	६७	मपदि विलयमेतु	१६०
कालागुरुद्वय सा	२६७	ब्रह्मक्षययनम्य	१९९	सरसिजवनयन्तु	२२४
किं प्रमस्तव वीरतां	२११	भम धम्मिअ वीमरथो	४७	मर्वेऽपि विमृत्तिपथ	३४५
कियदिदमधिकं	१५०	भवनं करुणावती	३३९	सानुरागा सानुकम्पा	२५२
कुचकलशयुगान्त	२७९	भास्करसुनावस्तं	३१६	मादिषद्वीपकुलाचला	१५३
कुण्डलीकृतकोदण्ड	१७८	भुजगाहितप्रकृतयो	२४९	मा मदागमनवृहित	२९६
कुत्र शैवं धनुरिदं	३२५	भुजपञ्जरे गृहीता	३४०	साहकारसुरासुरा	२१५
समापणैकपदयोः	३५६	मधुरतर न्मयन्मान	२९०	सुरस्रोतस्त्रिन्या	१४३
सन्धितानेत्रकञ्जालि	२२५	मधुरमान्मधुर हि	२९१	सुराहनाभिरालिष्टा	१७०
गणिकाऽजासिलमु	२२६	मलयानिलकाल	१४३	स्वर्गनिर्गतनिरगल	२१७
गाढमालिङ्गय सकलां	३०५	मा कुरु कशां कराज्जे	३००	स्वेदारानुमान्द्रकण	२३५
गुरुमध्यगता मया	४०	मित्रात्रिपुत्रनेत्राय	७२	न्येदान्युमान्द्रकण	२१३
गुरुमध्ये कमलाक्षी	२२२	मुञ्जसि नाद्यापि रूप	३४७	हतकेन मया वनान्तरे	२८६
चराधरजगज्जाल	१६५	यथा यथा नामरमा	२४३	हरि पिता हरिर्माना	२२०
चिन्तामीलितमानसो	२३७	यदवधि दयितो विलो	३०१	हरिणांप्रेक्षणा यत्र	२४८
तन्मञ्जु मन्दहमितं	२७४	यदि लक्ष्मण मा	३३२	हरिभागनमास्त्य	३२०
तपस्वतो मुनेर्वैश्राद्	२२५	यदि ना मिदिलेन्द्र	३१४	हार्स्करद्वदनशुद्धि	२०१
तद्वगतापि च सुतनु	४१	यस्योदामदिवानि	१५२	हृदये कृतनोपहानु	२९८

## द्वितीयाननोत्प्रेक्षान्तभागस्योदाहृतश्लोकानुक्रमणिका

श्लोका	पृष्ठा०	श्लोका	पृष्ठा०	श्लोका	पृष्ठा०
अकरुणहृदय प्रियतम	५९१	अस्याः सर्गविधौ	५६८	कलिन्दगिरिनन्दिनी	६५४
अगाध परितः पूर्ण	४४४	अह लतायाः सदृशी	३६६	कलिन्दशैलादियमा	६५८
अङ्गायमानमलिके	२५५	अहितापकरण	४७७	कलेव सूर्यादमला	२९३
अङ्कितान्यक्षस	१७२	अहीनचन्द्रा लसता	५३५	कस्तूरिकातिलक	५२५
अङ्कितान्यक्षसघा	५१८	आज्ञा सुमेधोरवि	५७४	कस्मै हन्त फलाय	११०
अङ्कितान्यक्षसघा	७०६	आरमनोऽन्य तपो	४९७	काचित्काञ्चनगौरा	५७५
अतिमात्रवलेपु	४११	आनन्दनेन लोकाना	२२३	कातराः परदुःखेषु	६१५
अत्युच्चाः परितः	४२७	आनन्दमृगदावा	४९४	कान्त्या चन्द्र विदुः	६०९
अत्रानुगोदं मृगया	४३१	आलिङ्कितो जलधि	२६४	कारुण्यकुसुमाकाशः	४९४
अथ पक्वितमतामुपे	५४१	आलोक्य सुन्दरि	६०७	कान्यं सुधा रस	४८२
अथ या मम गोविन्द	३९६	आह्लादिनी नयनयो	२९२	कुङ्कुमद्रवलिताङ्ग	४९९
अद्वितीय रूचात्मानं	२८४	इत एव निजालयं	४२५	कुचकलशेषवला	२३५
अधरं विस्वमाज्ञाय	६०४	इद लताभिः स्तवका	४३८	कुलिशमिव कठिन	३६१
अधिरोप्य हरस्य	५५८	इदमप्रतिमं पश्य	४४०	कृतक्षुद्राद्यौघानय	३८४
अनन्तरत्नभवेवस्य	४१७	इदमुदधेरुदर वा	५८५	कृतं स्वयोन्नत कृत्य	१२०
अनरूपजाम्बूनद	६३५	इन्दुना परसौन्दर्यं	५५४	कृपया सुधया सिद्ध	५०३
अनरूपतापाः कृत	६२२	इयति प्रपञ्चविषये	३८५	कृष्णपत्ताधिकरुचिः	८५
अपारे ससारे विपम	५३३	उदित मण्डलमि	१०८	कैशोरे वयसि क्रमेण	५१०
अपि तुरगसमीपा	४२६	उन्मेष यो मम	६७६	कोपेऽपि वदन तन्वि	२२९
अवलानां श्रियं ह्रत्वा	३२	उपकारमस्य साधो	४४०	कोमलातपशोणाभ्र	२०१
अभिरामतासदन	३६३	उपकारमेव कुरुते	४१२	कौमुदीव भवती	३५९
अमितगुणोऽपि	४१०	उपरि करवाल	६१८	क्वचिदपि कार्यं मृदुलं	४४४
अमृतद्रवमाधुरी	२५७	उल्लासः फुल्लपङ्के	५२१	खलः कापट्यदोषेण	७७२
अम्बररथम्बरः	३८८	ऋतुराज अमरहितं	४४५	गगनाद्गलितो गमस्ति	५८८
अस्या शेतेऽत्र वृद्धा	५७७	एकीभवत्प्रलय	४२२	गगने चन्द्रिकायन्ते	६१८
अम्भोजिनीबान्धवः	६५२	एतावति प्रपञ्चे सुन्दर	३९०	गङ्गा हृद्या यथा	३८७
अयं स्वज्जनकोर्पासं	४९५	एतावति प्रपञ्चेऽस्मिन्	३८९	गन्धेन सिन्धुर	३९१
अर्थिनो दातुमेवेति	६१२	एतावति महीर्पाल	३४८	गास्मीर्थेणातिमात्रेण	३७७
अर्थिर्निश्चिद्यमानो	४१६	कंदर्पद्विपकर्णकम्बु	४५४	गाहितमखिल विपिनं	२३४
अलिर्भृगो वा	५८६	कनकद्रवकान्ति	५९४	गीष्पतिरप्याङ्गिरसो	१३१
अविचिन्त्यशक्ति	५१२	कपाले मार्जारः पय	६०९	गुञ्जन्ति मञ्जु परितो	९३
अविरतचिन्तो लोके	३६२	कमलति वदन	२९५	गुरुजनभयमद्विलो	२०७
अविरतपरोपकरण	२५४	कमलावासकासारः	४७९	ग्रीष्मचण्डकरमण्डल	२२०
अविरलविगल	३०७	करतलनिर्गलद	१७०	चपला जलदाच्छ्रुता	५६४
अविरलविगल	५२५	कलाधरस्येव कला	२२७	चराच	

श्लोकाः	पृष्ठा०	श्लोकाः	पृष्ठा०	श्लोकाः	पृष्ठा०
वलङ्घ्रमिवाम्भोज	२६३	न नगा कानन	६७०	मरकतमणिनेदिनी	५६२
चाञ्चल्ययोगि न	३३	न मनागवि राहु	१०५	मल्यानिलमनटी	२३१
चिराद्विपहमे तापं	५५२	नरमिह धरानाय	५४९	महर्षेर्व्यामपुत्रस्य	५३४
चोत्थं यज्ञीतिपला	६७६	नरेवरगतिप्रदे	६०६	महीनृतां खलु गणे	२९९
जगदन्तरमनृत	७१६	नवान्नेवाङ्गोपि	३५५	माधुर्यपरमसीमा	७१३
जडानन्वान्पङ्कज	५१५	नामन्ययोगो वच	७११	मीनवती नयनाभ्यां	५१३
जनमोहकर तत्रालि	६६९	निमीनशोभा मौमान्त्र	६६८	मुनिः श्वदयं भाति	३४०
ज्योत्स्नाभिमङ्गुलि	२९५	निविलजगन्मह	२२४	मृगतां हरयन्माये	३०१
हुँङ्गन्तो हि मरीह	२२६	निविले निगम	३६०	मृद्वीका रसिता सिता	९८
हुण्डुन्तो मरीहसि	४०३	नितान्नरमगीधानि	६६८	यच्चोरागामस्य च	२४२
तदवधि कुशली	१०२	निधि लावण्यानां	६७४	यथा दवानन चन्द्र	२७८
तद्वलगुना युगपटु	३७१	निरपात्र सुधापाचं	२३३	यथा ततायाः स्तवका	२७४
त दृष्टवान् प्रयत्न	५३४	निरुपादानसंभा	८६	यद्भक्तानां सुखमयः	२५०
तथा तिले क्षमीयन्त्या	२३८	निभिद्य क्षमारहाणा	१०७	यद्यनुजो भवेद्बद्धि	१७२
तरणितनया किं	५६३	नीलाञ्जनेन सवृत्त	३५१	यमः प्रतिमहीनृता	६१९
तारानायकरोखराय	५३६	नीवी नियम्य शिधि	२८२	यश मोरभ्यलभ्युत	५२२
तिमिर हरन्ति	५२७	नृगा य मेवमानानां	२४९	यस्य तुलामधि	२२४
तीरे तरुण्या वदनं	५७२	नृत्यत्रद्वैजिराजि	६०४	रजोनि स्यन्दनो	३७४
तुपारास्तापमञ्जले	६१६	नेत्राभिरामं रामाया	५८२	रणाङ्गणे रात्रण	३४४
त्वत्पादनचरत्वा	४५१	पञ्चशान्त्र प्रभो	५१९	रमणीयस्तवक्युता	३६०
त्वत्पादनचरत्वा	४५४	परस्परसाङ्गुला	६६५	रम्यहाम्ना रम्योहासा	११७
त्वत्प्रतापमहादीप	६६४	पान्य मन्दमने किं वा	५५६	रराज राजराजस्य	३४४
त्वदातेरपे कौतूहल	६३७	पूर्णमसुरै रमातल	४०८	राजवविरहञ्जाला	६३
दधिते रदनस्त्रिपां	११४	पृष्ठा खलु परपुष्टाः	३९८	राजा दुयोधनो	३०२
दरानमरकधर	४२५	प्रफुल्लहारनिभा	३४०	राजा सुधिष्टिरो	३०१
दर्पणे च परिभोग	५७५	प्राचीमध्या समुद्य	४८०	राजेव सम्भृत कोप	३४८
दशाननेन दक्षेन	२६५	प्राणापहरणेनामि	२२२	राज्ञो मप्रतिकूलान्मे	८७
दामे कृतागमि भव	५४१	प्राणेशविरहहान्तः	५२०	राज्याभिषेकमाज्ञाप	६५७
दिवानिदश वारिणि	६७१	प्राप्तश्रीरेप रुत्मा	५२७	राम त्रिग्वतरदयाम	६४४
दिव्यानामपि	४२७	बधान त्रोगेव इहमि	१२१	राम त्रिग्वतरदयाम	६०३
दीनव्रते दयात्रां	६१४	यहुजाना समन्ता	६६०	रामायमाण श्रीराम	३८०
दृष्टि मन्मृतमङ्गला	७०८	बुद्धिरधिर्महीपाल	५३०	रूपजला चलनयना	४७२
देवा के पूर्वदेवा	१११	बुद्धिद्रवकला लोके	४७५	रूपयौवनलाज्य	२५२
दोर्दण्डद्वयकुण्डली	४२०	भवश्रीम्पश्रीशतप	४७१	रूपव्यथि च मूरा	२७३
द्यौरञ्जनकालीभि	६६१	भानुरश्रिर्मो यय	६११	लक्ष्मपुराटनितरा	३८८
द्राक्षेव मधुर वास्य	३२१	भाषयति च्योमगता	६२४	लोहितर्षाने कुमुम	३८०
द्विनेत्र इव बाल्य	६६१	भुजभ्रमिनव वृणो	४२१	वदनकमलेन चान्ते	६४५
द्विर्भाव पुष्पकेनो	५३६	सुजे भगवतो भाति	२०५	वदने विनिवेशिता	६०९
धर्मभ्याम्ना भाग	४७६	सुवन्त्रिनयेऽपेनाद्वे	४०१	वनिनेति वदन्नेना	९०८
नखकिरणपरन्तरा	३८१	भूधरा इव मत्तेभा	३०४	वरादा यं राक्षा	६६८
नगरान्तर्महीन्द्रन्य	२९७	भूर्म नय दहाय	४०१	वागिव मजुरा	३०४
नगेभ्यो यान्तांतां	३९९	मङ्गरप्रतिमर्षा	२२६	यामादन्वितयामाद्रो	३४७
नदन्ति नददन्तिन	१०२	मनुष्य इति मूलेन	६३६	वारिधिराकागमनो	३६२
		मयि त्वदुपमाविधो	४०६		

श्लोकाः	पृष्ठा०	श्लोकाः	पृष्ठा०	श्लोकाः	पृष्ठा०
विज्ञत्वं विदुषां गणे	५२४	शोणाधरांशुसभिन्ना	२३६	साहंकारसुरासुरा	११२
विद्धा मर्मणि वारवाणै	५४५	श्यामं सितं च सुदृ	६२७	सिन्दूरारुणवपुषो	२७१
विद्धसु विमलज्ञाना	६१७	श्यामलेनाङ्कितं भाले	२७०	सिन्दूरैः परिपूरितं	५६५
विद्धैर्न्यतमस्त्रिमूर्ति	५८७	संकेतकालमनसं	५७७	सुधासमुद्रं तव	३७८
विभाति यस्यां ललिता	७१०	सङ्ग्रामाङ्गणसंमुखा	६३१	सुधेव वाणी वसु	२२९
विमलतरमतिगभीरं	३०८	सदसद्विवेकरसिकै	४०८	सुविमलमौक्ति	४६८
वियोगवह्निकुण्डे	६७२	सदृशी तव तन्वि	३५८	सौमित्रे ननु सेव्यतां	४२७
विलसत्याननं तस्या	२००	सन्ध्येवास्मिञ्जगति	४३७	स्तनान्तर्गतमाणि	७१२
वष्णुवक्षः स्थितो	३४३	सपल्लवा किं नु	५८४	स्तनाभोगे पतन्भाति	१९९
व्यागुञ्जन्मधुकर	६६६	समृद्धं सौभाग्यं	५१६	स्मयमानाननाम्	६२३
व्योमाङ्गणे सरसि	४७०	संपश्यतां तामति	५८३	स्मितं नैतर्कितु	६२६
शतकोटिकठिनचित्तः	२६८	सरसि भ्रुवदाभाति	३४१	हरिचरणकमल	२२२
शरदिन्दुरिवाह्लाद	२६१	सरोजतामथ सतां	३०३	हरिचरणनखर	६१३
शान्तिमिच्छसि चेदा	५४५	सर्प इव शान्तमूर्तिः	२७९	हालाहलकालानल	६७
शिक्षानैर्मञ्जरीति	५९७	सविता विधधति	३७३		
शिशिरेण यथा सरो	२५८	साम्राज्यलक्ष्मीरिय	५७२		

प्राप्तिस्थानम्—

चौखम्बा विद्या भवन,  
चौक, वाराणसी-१

